

मनुस्मृति

[हिन्दीभाष्य, प्रक्षिप्तश्लोकानुसन्धाननिर्देश एवं 'अनुशीलन'
नामक समीक्षासहित, शास्त्रीयप्रमाणों से अलंकृत तथा
मनुस्मृतिसम्बन्धी आलोचनात्मक अध्ययन से युक्त]

[परिवर्धित एवं परिष्कृत संस्करण]

भाष्यकार, अनुसन्धानकर्त्ता एवं समीक्षक—

डॉ० सुरेन्द्रकुमार

आचार्य (संस्कृत-साहित्य, व्याकरण, दर्शन),

एम०ए० (संस्कृत, हिन्दी), पी-एच०डी०

सम्पादक

श्री राजवीर शास्त्री (एम०ए०)

प्रकाशक

आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

४५५, खारी बावली, दिल्ली-११० ००६

प्रकाशक

: आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

४५५, खारी बावली, दिल्ली-११०००६

July : 2005

दयानन्दाब्द : १८०

विक्रमाब्द : कार्तिक २०६१

सृष्टि संवत् १,६६,०८,५३,१०५

विक्रय केन्द्र

: 1. आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

२-एफ, कमलानगर, दिल्ली-७

2. आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

४५५, खारी बावली, दिल्ली-६

दूरभाष : २३६५३११२, २३६५८३६०

मूल्य

: (२५०.००) रुपये

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

पूर्व प्रकाशित ७,५००

छठा संस्करण १०००

अब तक कुल ८५००

THE MANUSMRITI

(Hindi Exposition with interpolated shlokas pointed out,
alongwith Anusheelan Commentary embellished
with authority from Shastras, and a critical
study of The Manusmriti)

[Enlarged and Improved Edition]

Bhashyakar, Researcher and Commentator

Dr. Surendra Kumar

Acharya (Sanskrit Literature, Grammar and Philosophy),
M.A. (Sanskrit, Hindi), Ph.D.

Editor

Shri Rajvir Shastri (M.A.)

Published by :

Arsh Sahitya Prachar Trust

455, Khari Baoli, Delhi-110 006

Published by

Arsh Sahitya Prachar Trust
455, Khari Baoli, Delhi-110006

July 2005

Year of Dayanand 180

Vikrami Samvat : 2061

Srishti Samvat : 1,96,08,53,105

Can be had from :

1. **Arsh Sahitya Prachar Trust,**
2-F, Kamla Nagar, Delhi-7
2. **Arsh Sahitya Prachar Trust**
455, Khari Baoli, Delhi-6
Phone : 23953112, 23958360

Price

Rs. 250.00

© Reserved with the Publisher

Previous Edition	7500
Sixth Edition	1000
Total	8500

ओ३म्
आर्यसमाज के प्रवर्तक, भारतीय संस्कृति-सभ्यता के उद्धारक
तथा
मनुस्मृति के प्रक्षेपों के सर्वप्रथम निर्देशक



महर्षि दयानन्द सरस्वती

आचार्य राजवीर शास्त्री



अधैतनिक सम्पादक: "दयानन्द सन्देश" मासिक
प्रधान: आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली

मनुस्मृति के अनुसन्धानकर्ता, भाष्यकार एवं समीक्षक



डॉ० सुरेन्द्रकुमार

डॉ० सुरेन्द्रकुमार द्वारा तटस्थ साहित्यिक मानदण्डों के आधार पर मनुस्मृति पर किया गया प्रक्षेपानुसन्धान का जटिल कार्य भारतीय साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के लिए अभूतपूर्व और क्रान्तिकारी देन है। इन्होंने मनुस्मृति-सम्बन्धी भ्रान्तियों और विकृतियों का तर्क-प्रमाणयुक्त निराकरण कर भारतीय साहित्य और संस्कृति के गौरव की रक्षा की है।

इनकी सभी रचनाएँ शोध और परिश्रम की द्योतक हैं, जो अग्रलिखित हैं—

१. मनुस्मृति (सम्पूर्ण), २. विशुद्ध मनुस्मृति, ३. वैदिक आख्यानोँ का वैदिक स्वरूप, ४. हिन्दी काव्यों में वैदिक आख्यान, ५. महर्षि दयानन्द के यजुर्वेदभाष्य में संगति-स्थापना (अनुपलब्ध), ६. मनु का विरोध क्यों, ७. वाल्मीकि-रामायण : प्रक्षेपानुसन्धान, भाष्य एवं समीक्षा (अप्रकाशित)। पत्र-पत्रिकाओं में अनेक लेख, कविताएँ, कहानियाँ प्रकाशित, जिनमें से आधा दर्जन पुरस्कृत। आकाशवाणी रोहतक से अनेक वार्ताएँ प्रसारित।

“आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट”

की सह संस्थापिका
स्व. बुद्धिमति जी आर्या
जिन्होंने आजीवन “ट्रस्ट” को
प्रभावी संरक्षण व अमूल्य मार्गदर्शन
प्रदान किया



जन्म

1 अप्रैल 1925

निधन

2 अगस्त 2006

प्रस्तुत संस्करण का

प्रकाशकीय

मनुस्मृति का नवीन संस्करण पाठकों को सौंपते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। लगभग एक वर्ष से यह संस्करण समाप्त था और पाठकों तथा संस्थाओं की मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही थी। ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति के अनुसन्धानकार्य और भाष्य को पाठकों ने अत्यधिक पसन्द किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।

मनुस्मृति, ट्रस्ट का एक गौरवपूर्ण और अनुपम प्रकाशन है। ट्रस्ट ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान का जो प्रामाणिक कार्य जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया था। यह नवीन संस्करण और भी विशिष्टताएँ लिये हुए है। इसमें मनुस्मृति के मूल्यांकन से सम्बन्धित तथा श्लोकसम्बन्धी समीक्षा से सम्बन्धित लगभग २५० पृष्ठों की नयी सामग्री प्रदान की जा रही है। लेखक ने मनु और मनुस्मृति से सम्बन्धित विवादों, प्रश्नों पर प्रक्षेपरहित नवीन दृष्टिकोण से सप्रमाण और युक्तियुक्त विवेचन किया है। वेदों तथा अन्य शास्त्रग्रन्थों के प्रमाणों से मनु के भावों को उद्घाटित एवं पुष्ट किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह संस्करण पाठकों और अनुसन्धानकर्त्ताओं के लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है — 'आर्य साहित्य का प्रचार-प्रसार एवं उसका तथा उस पर किये गये अनुसन्धानकार्य का प्रकाशन'। किन्तु प्राचीन आर्य साहित्य के सन्दर्भ में आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या उपस्थित होती है, वह है उसमें प्रक्षेपों की मिलावट। वेदों को छोड़कर प्रायः समस्त प्राचीन ग्रन्थों में स्वार्थी और दुर्भावनाग्रस्त लोगों ने प्रक्षेप कर डाले हैं। प्राचीन काल में यह क्रम अत्यन्त आसानी से हो सकता था, क्योंकि ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ होती थीं। जिसके पास जो प्रति थी, उसने उसमें मनचाही सामग्री जोड़ दी। आज प्रकाशन के युग में भी लोग पूर्ववर्ती लेखकों की पुस्तकों में मनचाहा संशोधन कर डालते हैं।

मेरे समझता हूँ कि आज हमारे सामने जो सबसे पहली और बड़ी चुनौती है, वह है 'आर्य साहित्य को प्रक्षेपों से रहित करना'। क्योंकि जब तक उनमें प्रक्षेप हैं, तब तक उन पर तरह-तरह की शंकाएँ और आक्षेप उठते रहेंगे। उनकी प्रामाणिकता में सन्देह रहेगा और

उनके प्रचार में वे बाधा बनेंगे। प्रक्षेपों ने प्राचीन साहित्य के वास्तविक स्वरूप को विकृत कर दिया है। उससे प्राचीन भारत की संस्कृति-सम्पत्ता और इतिहास का स्वरूप भी विकृत हो गया है। यह रूप तभी स्वच्छ हो सकता है, जब अनुसन्धान करके उनके प्रक्षेपों का निदेश किया जाये। इस जटिल कार्य को करने का दायित्व ट्रस्ट ने स्वीकार किया है और इस कार्य की पहले भेंट यह मनुस्मृति है। इसके प्रक्षेपों को निकालने में कृतित्व पर आधारित तटस्थ मानदण्डों को अपनाकर जो परिश्रम किया गया है, उसका अनुमान आपको प्रथम संस्करण से हो गया होगा।

ट्रस्ट की ओर से इसी पद्धति पर वाल्मीकि-रामायण पर भी कार्य चल रहा है। उस कार्य को भी प्रो. सुरेन्द्र कुमार ही सम्पन्न कर रहे हैं। एक-आध वर्ष में ही वह पाठकों के सामने आ जायेगा।

इस जटिल और परिश्रमसाध्य कार्य को सम्पन्न करने के लिए मैं श्री सुरेन्द्र कुमार जी को बहुशः धन्यवाद देता हूँ। श्री राजवीर जी शास्त्री ने भी इस कार्य में समय-समय पर अपने सुझाव देकर इसे परिष्कृत करने में सहयोग किया है, एतदर्थ मैं उनका भी आभारी हूँ। इनके अतिरिक्त जिन विद्वानों, पाठकों या अन्य व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इस कार्य में किसी भी प्रकार का योगदान किया है, उनका भी मैं धन्यवादी हूँ। आशा करता हूँ कि इस अत्यवश्यक एवं महान् कार्य को पूर्ण करने में ट्रस्ट को सदैव सभी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

निवेदक —

धर्मपाल आर्य

२- एफ, कमलानगर, दिल्ली-७

संचालक-आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट

प्रकाशकीय (प्रथम संस्करण)

महर्षि-दयानन्द के ग्रन्थों का अध्ययन करते हुए ऋषि द्वारा उद्धृत मनुस्मृति के श्लोकों में बहुत-सी गम्भीर, महत्वपूर्ण, अनुपम बातें मिलीं, जिन्होंने मेरे चित्त पर अपनी महत्ता की छाप छोड़ी और मेरे ऊँचे संस्कार बनाये। मैंने मनुस्मृति को गुरुमुख से भी पढ़ा है और इसका स्वयं भी स्वाध्याय किया है। मेरी इस ग्रन्थ के प्रति अत्यन्त प्रदा थी, इसलिये मेरी यह प्रबल इच्छा रही है कि ट्रस्ट की ओर से मनुस्मृति का प्रकाशन किया जाये। लेकिन, मनुस्मृति में विद्यमान प्रक्षेपों ने मेरी इच्छा को सावर नहीं होने दिया। एक महान् तत्त्वद्रष्टा ऋषि के अनुपम ग्रन्थ को प्रक्षेपों ने विकृत कर रखा है, अतः प्रक्षेपयुक्त मनुस्मृति का प्रकाशन करना मनुस्मृति के प्रति अश्रद्धा बढ़ाना और उसके महत्त्व को कम करना है, यह अनुभव करते हुए अभी तक ट्रस्ट की ओर से मनुस्मृति का प्रकाशन नहीं कराया गया था। ट्रस्ट का उद्देश्य आर्य साहित्य का प्रचार करना है। महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति को आर्य ग्रन्थ घोषित करते हुए प्रक्षेपरहित को प्रामाणिक माना है। पर्याप्त समय से मनुस्मृति का विशुद्ध-संस्करण प्राप्त करने की मेरी उत्कट इच्छा रही है। प्रक्षेपरहित विशुद्ध हस्तलेख प्राप्त करने के लिए भी हमने बड़ा भारी प्रयत्न किया और पर्याप्त धनराशि भी उसके लिये व्यय की, किन्तु कोई सफलता नहीं मिली।

प्रक्षेपरहित मनुस्मृति को भी प्रकाशित करने का विचार मन में आया, किन्तु अब तक किये प्रक्षेपों के कार्य को देखकर मन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि विद्वानों ने प्रक्षेपों का अनुसन्धान करने के लिए न तो कोई 'निश्चित आधार' या 'मानदण्ड' रखे हैं और न उस कार्य में एकरूपता है। वह कार्य मन-मानी-सा लगता है। मैं चाहता था कि स्वयं 'मनुस्मृति' नामक कृति के अनुसार ही कुछ 'नियम' या 'आधार' निश्चित करके प्रक्षेपों का अनुसन्धान किया जाये, जो आधार सर्वसामान्य हों और जिनमें पूर्वाग्रहबद्धता न हो। जिससे पाठकों के मन पर यह प्रभाव पड़े कि यह कार्य मनमाने ढंग से नहीं किया गया है, अपितु नियमबद्ध एवं तटस्थ रूप से किया गया है।

इस रूप में इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये मैंने श्री प्रो. सुरेन्द्र कुमार जी से अनुरोध किया। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। उन्होंने कई वर्ष तक सतत परिश्रम करके बड़ी योग्यता, विद्वत्ता एवं लग्न का परिचय देकर प्रक्षेपों के अनुसन्धान एवं तत्सम्बन्धी अनुशीलन के कार्य को सम्पन्न किया है। प्रसंग-विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध एवं पक्षपातयुक्त बातों के निकल जाने से इस ग्रन्थ पर से अब अविद्या का आवरण दूर हो गया है, शुद्ध और इस विषयक यह अनुपम पुस्तक तैयार हो गयी है। मनुस्मृति के इस रूप को देखकर मैं अत्यन्त हर्षित हूँ। इस शुभ महान् कार्य को सम्पन्न

करने के लिए मैं श्री प्रो. सुरेन्द्रकुमार जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इस विषय में समय-समय पर श्री पं. राजवीर जी शास्त्री से भी विचार-विमर्श होता रहा है। उन्होंने भी इस कार्य में अपने मूल्यवान् सुझाव एवं सहयोग दिया है, अतः उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

प्रक्षेपों को बिना निकाले इस ग्रन्थ का प्रचार होने के कारण अनेक स्थानों पर इसका तिरस्कार भी हुआ है और इस पर जातिवाद के आरोप लगाये जाते हैं, पक्षपात के आरोप लगते हैं। मैं समझता हूँ कि मनु की मूल मान्यताओं को न सम्मत्ने के कारण लोग ऐसा करते हैं। मनुस्मृति के वास्तविक रूप में ऐसी बातों की गंध भी नहीं है। मनुस्मृति का तिरस्कार करवाने के जिम्मेदार वे लोग हैं जिन्होंने इसमें प्रक्षेप किये हैं और वस्तुतः वे महान् पापी एवं अपराधी हैं। वे भी कम दोषी नहीं हैं जो बिना सोचे-समझे मनुस्मृति का अनादर करते हैं। महर्षि-दयानन्द ने एक शताब्दी पूर्व मनुस्मृति के प्रक्षेपों की ओर संकेत किया था, किन्तु महर्षि का अनुसरण करने वाले और उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले आर्यों ने उनके इस कार्य को अभी तक पूर्ण नहीं किया, वरना मनुस्मृति का यह तिरस्कार नहीं बढ़ता। सभी विरोधियों के मुँह बंद हो जाते। इस रूप में वे भी दोष के भागी हैं।

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में यदि इस विषय को हेतु-युक्तियों द्वारा न समझाया होता और मार्गदर्शन न दिया होता तो यह कार्य सम्पन्न नहीं होता, अतः विशेषरूप से हम उनके आभारी हैं। उस परमपिता परमात्मा का भी मैं कृतज्ञ हूँ जिसकी कृपा से यह शुभकार्य सम्पन्न हुआ है।

प्रक्षेपों के कारण बहुत समय से जो मनुस्मृति का अध्ययन लुप्त हो रहा है, बृद्धरूप प्रस्तुत होने से अब उसका लोप रुककर अध्ययन बढ़ेगा। इस ग्रन्थ में लोगों की रुचि तथा श्रद्धा बढ़ेगी। इस अनुपम ग्रन्थ के मूल्यवान् उपदेशों का महत्त्व समझकर इसके अध्ययन से पाठक अपने जीवन को उत्तम बनायेंगे, इस आशा के साथ मैं ट्रस्ट द्वारा सम्पन्न कराये गये पुरुषार्थ से संतुष्टि अनुभव कर रहा हूँ।

अन्त में पाठकों से निवेदन है कि यद्यपि श्री प्रो. सुरेन्द्रकुमार जी ने यह अनुसन्धान-कार्य पक्ष-पक्षरहित होकर और आधार एवं युक्ति-प्रमाणपूर्वक किया है, फिर भी कहीं-कहीं कुछ भूलों-कमियों का रह जाना सम्भव है, अतः आप उन्हें अवश्य सुझावों और नवीन सुझाव प्रेषित करें, जिससे अग्रिम संस्करण और अधिक परिष्कृत रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

श्रुति-चरणों का अनुसर —

(स्वर्गीय) दीपचन्द्र आर्य

संस्थापक व प्रधान —

आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट

दिनांक २४-५-१९८१ ई.

२ एफ. कमलानगर

दिल्ली - ११०००७

प्राक्कथन

मनुस्मृति का यह परिवर्धित एवं परिष्कृत नवीन संस्करण आपके हाथों में है। प्रथम संस्करण का प्रकाशन अत्यन्त शीघ्रता में हुआ था। प्रकाशन के साथ-साथ अग्रिम अनुसन्धान कार्य भी चलता रहा था। भूमिका भाग पहले रूप चुका था और प्रक्षेपानुसन्धान का कार्य उसके बाद भी होता रहा। इन तथा कुछ अन्य कारणों से प्रथम संस्करण में कुछ कमियाँ और त्रुटियाँ रह गयी थीं। उनके लिए हमें खेद है। अग्रिम संस्करणों में उन त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। साथ ही पाठकों के लिए बहुत सारी नयी सामग्री भी इसमें दी जा रही है। भूमिका में मनु एवं मनुस्मृति से सम्बन्धित नये विषयों पर भी विचार किया गया है और नये दृष्टिकोण से निर्णय लेने का प्रयास किया गया है। इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि प्रक्षेपानुसन्धान के परिप्रेक्ष्य में मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन किया जाये। उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह एक प्रयास है। मैं आशा करता हूँ कि यह संस्करण पाठकों के लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

स्मृतियों या धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति सर्वाधिक प्रामाणिक आर्ष ग्रन्थ है। मनुस्मृति के परवर्तीकाल में अनेकों स्मृतियाँ प्रकाश में आयीं किन्तु मनुस्मृति के तेज के समक्ष वे टिक नहीं सकीं — अपना प्रभाव न जमा सकीं, जबकि मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक पूर्ववत् विद्यमान है। मनुस्मृति में एक ओर मानव एवं मानव-समाज के लिए सांसारिक श्रेष्ठ कर्तव्यों का विधान है, तो साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण भी है, इस प्रकार मनुस्मृति भौतिक एवं आध्यात्मिक आदेशों — उपदेशों का मिलाजुला अनूठा शास्त्र है।

इसके साथ-साथ सभी धर्मशास्त्रों से प्राचीन होने और सृष्टि के प्रारम्भिक काल का शास्त्र होने का गौरव भी मनुस्मृति को ही प्राप्त है। शतपथ, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, ताण्ड्य आदि ब्राह्मणों में मनु का उल्लेख होना और "मनुर्वै यत्किञ्चावदत् तद् मेवञ्म" अर्थात् — "मनु ने जो कुछ कहा है, वह मेवञ्म = औषध के समान गुणकारी एवं कल्याणकारी है", आदि वचनों का प्राप्त होना मनुस्मृति को प्राचीनतम और विशिष्ट धर्मशास्त्र सिद्ध करता है। महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति का काल अद्विष्ट में माना है। उसका अभिप्राय यही है कि मनु मानव एवं मानव-समाज की मर्यादाओं, व्यवस्थाओं के सर्वप्रथम उपदेष्टा थे। मनु की व्यवस्थाएँ सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक रूप में सत्य एवं व्यावहारिक हैं। इसका कारण यह है कि मनुस्मृति वेदमूलक है। पूर्णतः वेद-मूलक होना मनुस्मृति की एक ओर परमविशेषता है। इस विशेषता के कारण भी मनुस्मृति को

सर्वाधिक सम्मान मिला। शास्त्रकारों ने मनुस्मृति के महत्त्व को निर्विवाद रूप में स्वीकार करते हुए ही यह स्पष्ट घोषणा की है कि —

मनुस्मृति-विरुद्धा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते । (बृह. स्मृति संस्कारखण्ड
वेदार्थोपनिबद्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतेः ।। १३-१४)

अर्थात् — 'जो स्मृति मनुस्मृति के विरुद्ध है, वह प्रशंसा के योग्य नहीं है। वेदार्थों के अनुसार वर्णन होने के कारण मनुस्मृति ही सब में प्रधान और प्रशंसनीय है।'।

इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओं के कारण मनुस्मृति मानवमात्र के लिए उपयोगी एवं पठनीय है। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे उत्तम और प्रसिद्ध ग्रन्थ का पठन-पाठन लुप्त-प्रायः होने लग रहा है। इसके प्रति लोगों में अश्रद्धा की भावना घर करती जा रही है। इसका कारण है — 'मनुस्मृति में प्रक्षेपों की भरमार होना'। प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति का उज्ज्वल रूप गन्दा एवं विकृत हो गया है। परस्परविरुद्ध, प्रसंगविरुद्ध एवं पक्षपातपूर्ण बातों से मनुस्मृति का वास्तविक स्वरूप और उसकी गरिमा विलुप्त हो गये हैं। एक महान् तत्त्वद्रष्टा, ऋषि के अनुपम शास्त्र को प्रक्षेपकर्ताओं ने विविध प्रक्षेपों से दूषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ अपितु महर्षि मनु के साथ भी अन्याय किया है।

इस अनुसन्धानकार्य एवं भाष्य की विशेषताएं —

(१) प्रक्षिप्त श्लोकों के अनुसन्धान के मानदण्डों का निर्धारण और उन पर समीक्षा —

इस प्रकाशन का सबसे प्रमुख प्रयोजन यही है कि मनुस्मृति के दूषित, गदले, विकृत रूप को दूरकर उसके वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करना। वैसे तो बाजार में हिन्दी-संस्कृत की टीकायुक्त मनुस्मृति के सैकड़ों प्रकाशन उपलब्ध हैं, और कई सौ वर्षों से मनुस्मृति पर लेखन कार्य होता चला आ रहा है, किन्तु अभी तक इस दृष्टि से और इस रूप में किसी भी लेखक ने कार्य नहीं किया।

महर्षि-दयानन्द के वचनों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करके मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान का यह कठिन एवं उलफनभरा कार्य प्रारम्भ किया और कई वर्षों तक सतत प्रयास के परिणामस्वरूप मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने का कार्य सम्पन्न हो पाया है। यद्यपि अभी इस अनुसन्धान कार्य को 'अन्तिम' नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना अवश्य है कि अधिकांश प्रक्षेपों के निकल जाने से मनुस्मृति का वह दूषित, विकृत और गदला स्वरूप पर्याप्त रूप में दूर हो गया और उसका उज्ज्वल वास्तविक रूप सामने आया है।

प्रक्षेपों को निकालने में किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात की भावना का आश्रय न लेकर तटस्थता को अपनाया है और ऐसे 'आधारों' या 'मानदण्डों' को आधार बनाया है, जो सर्वसामान्य हैं। वे हैं —

(१) अन्तर्विरोध या परस्परविरोध, (२) प्रसंगविरोध, (३) विषयविरोध, (४) अवान्तरविरोध, (५) शैलीविरोध, (६) पुनरुक्ति, (७) वेदविरोध। ये सभी मानदण्ड कृति के अन्तःसाध्य पर आधारित हैं।

मनुस्मृति के सभी श्लोकों को यथास्थान, यथाक्रम रखते हुए जहाँ-जहाँ प्रक्षेप हैं, वहाँ-वहाँ उन पर पूर्वोक्त आधारों के नामोल्लेख पूर्वक 'अनुशीलन' नामक समीक्षा दे दी गयी है, जिससे पाठक स्वयं भी उनकी परीक्षा कर सकें। उपलब्ध मनुस्मृतियों में कुल श्लोक-संख्या २६८५ है। प्रक्षेपा-नुसन्धान के पश्चात् १४७१ श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं और १२१४ श्लोक मौलिक। अध्यायानुसार प्रक्षिप्त एवं मौलिक श्लोकों की तालिका निम्न प्रकार है —

अध्याय	उपलब्ध कुल श्लोक	प्रक्षिप्त	मौलिक शेष
प्रथम अध्याय	१४४ (इस संस्करण के अनुसार)	६६	७८
द्वितीय अध्याय	२२४ (इस संस्करण के अनुसार)	६०	१६४
तृतीय अध्याय	२८६	२०२	८४
चतुर्थ अध्याय	२६०	१७०	९०
पञ्चम अध्याय	१६९	१२८	४१
षष्ठ अध्याय	९७	३३	६४
सप्तम अध्याय	२२६	४२	१८४
अष्टम अध्याय	४२०	१८७	२३३
नवम अध्याय	३२५ (इस संस्करण के अनुसार)	१६८	१५७
दशम अध्याय	१४२ (इस संस्करण के अनुसार)	१२७	१५
एकदश अध्याय	२६६	२३४	३२
द्वादश अध्याय	१२६	५४	७२
कुल योग	२६८५	१४७१	१२१४

(२) विभिन्न शास्त्रों के प्रमाणों से पुष्ट अनुशीलन समीक्षा —

प्रक्षिप्त श्लोकों के विवेचन के अतिरिक्त लगभग ६०० श्लोकों पर 'अनुशीलन' समीक्षा देकर उसमें श्लोक के भावों, गुणियों, विवादों, मान्यताओं तथा अन्यान्य विचारणीय बातों पर मनन किया गया है और अधिक से अधिक स्पष्ट करने तथा सुलभाने का प्रयास किया गया है। अनेक स्थलों पर विषय को तालिकाओं के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। समीक्षा में वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों, संहिताओं, उपनिषदों, दर्शनों, व्याकरण एवं सूत्रग्रन्थों, निरुक्त, सुश्रुत तथा कौटिल्य-अर्थशास्त्र आदि के अनेक प्रमाण देकर उनसे मनु की मान्यताओं और भावों का समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें और अधिक प्रमाणित एवं पुष्ट किया गया है। अनेक पदों का व्याकरण देकर उनका अर्थ भी उद्घाटित किया है। कौटिल्य-अर्थशास्त्र को आंशिक रूप में ही प्रामाणिक माना गया है। उसे तुलनात्मक रूप में उद्धृत करने का अमिप्राय यह दर्शाना भी है कि मनुवक्त विधि-विधान पर्याप्त अवरकाल तक अविरलरूप में मान्य और प्रचलित रहे हैं।

(३) मनु के वचनों से मनु के भावों की व्याख्या —

उपर्युक्त अनुशीलन के साथ-साथ यह भी प्रयास किया गया है कि जिन श्लोकों या भावों की व्याख्या और स्पष्टीकरण स्वयं मनु के वचनों से प्राप्त हो सकें, उन्हें उनके आधार पर ही समझा और

स्पष्ट किया जाये। ऐसी बहुत सी मान्यताएँ हैं, जिन्हें स्वयं मनु ने ही अन्य श्लोकों में यत्र-तत्र स्पष्ट या पुष्ट किया है। ऐसे श्लोकों को अथवा उनकी संख्या को सम्बद्ध श्लोक पर अनुशीलन समीक्षा में तुलना या अन्यत्र व्याख्यात के रूप में दे दिया है। इसके अतिरिक्त श्लोकव्याख्या के बीच में भी बृहत्कोष्ठक के अन्तर्गत ऐसे श्लोकों की संख्या दी हुई है, जिनसे उस विषय पर प्रकाश पड़ता है।

(४) मनु की मान्यता के अनुकूल और प्रसंगसम्मत अर्थ —

परम्परागत संस्कृत एवं हिन्दी के भाष्यों में कुछ श्लोकों के अर्थ ऐसे किये गये हैं, जो मनुस्मृति की मान्यता के अनुकूल सिद्ध नहीं होते और न प्रसंगसम्मत हैं, जैसे — १।२, ३, ६, २२, १३७ (२।१८); ३।५६ आदि। कुछ श्लोकों के अर्थों में क्रमबद्धता नहीं बन पायी है, जैसे — १।१४-१५, १६, १८, १९ आदि। ऐसे सभी श्लोकों का अर्थ मनु की मान्यता के अनुकूल, प्रसंग एवं क्रमसंगत किया गया है, और उनकी समीक्षा में उस अर्थ की पुष्टि में कारण, युक्तियाँ एवं प्रमाण दिये गये हैं। साथ ही टिप्पणी में उन श्लोकों का प्रचलित अर्थ भी दे दिया गया है, ताकि पाठक उन पर विचार कर सकें। इस भाष्य में ऐसे परिवर्तित अर्थ वाले श्लोकों की संख्या ५४ है। साथ ही टिप्पणी में उन श्लोकों के प्रचलित अर्थ भी दे दिये हैं, ताकि पाठक उन अर्थों पर तुलनापूर्वक विचार कर सकें।

(५) भूमिका-भाग में मनुस्मृति का नया मूल्यांकन —

ग्रन्थ के प्रारम्भ में मनुस्मृति से सम्बन्धित 'मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन' नामक एक विस्तृत भूमिका दी गयी है। इसमें मनुस्मृति से सम्बन्धित सभी प्रश्नों, यथा — मनु एवं मनुस्मृति का काल, मनुस्मृति का आद्य और वर्तमान रूप, मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और उनका परिभाषा-उदाहरण-पूर्वक विवेचन, मनुस्मृति में अध्यायविभाजन, मनु की मौलिक मान्यताएँ और उनके कारण, आदि पर युक्ति-प्रमाण-पूर्वक विचार किया गया है। यह विवेचन उक्त विषयों पर एक नया मूल्यांकन है।

(६) महर्षि-दयानन्द के अर्थ और भावार्थ —

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों के लिए मनुस्मृति को प्राथमिक आधार माना है, और लगभग ५१४ श्लोकों या श्लोकखण्डों को प्रमाणरूप में उद्धृत किया है, अनेक श्लोकों के केवल भाव ग्रहण किये हैं। महर्षि मनु के श्लोकों पर महर्षि-दयानन्द का समग्र भाष्य प्रस्तुत करना, इस प्रकाशन की दूसरी प्रमुख विशेषता है। अपने ग्रन्थों में महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का भाष्य किया है, उस श्लोक पर केवल महर्षि का ही भाष्य दिया गया है और शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य है। यदि महर्षि ने किसी श्लोक को अपने ग्रन्थों में एक से अधिक बार उद्धृत करके भाष्य किया है, तो उन सभी अर्थों को इसमें उद्धृत कर दिया है। जहाँ मनु के श्लोकों के केवल भाव ही महर्षि के ग्रन्थों में उपलब्ध हुए, वहाँ तत्तत्श्लोक पर वे भाव भी संकलित कर दिये हैं। इन सभी बातों से मनु के भावगाम्भीर्य पर अधिकाधिक प्रकाश पड़ेगा। महर्षि के भाष्य से मनु के श्लोकों की अनेक गुत्थियाँ सुलभ जाती हैं। एक ऋषिकृत ग्रन्थ पर एक ऋषि का ही भाष्य होने से 'सोने में सुगन्ध' वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है और उसका महत्त्व कई गुणा बढ़ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर महर्षि के भाष्य को उद्धृत किया है।

इस भाष्य में कुल ४२२ श्लोकों या श्लोकखण्डों पर महर्षि के अर्थ और भावार्थ दिये गये हैं, जिनमें ३४२ श्लोकों पर महर्षि का अर्थ है और ८० श्लोकों पर केवल भावार्थ है। जिन श्लोकों पर महर्षि का केवल भावार्थ है, उन पर पदार्थभाष्य मेरा किया हुआ है।

(७) प्रथम बार हिन्दी-पदार्थ टीका प्रस्तुत —

पहली बार सम्पूर्ण मनुस्मृति के संस्कृत पदों को रखकर उनके साथ हिन्दी का अर्थ प्रस्तुत किया गया है। इससे विद्यार्थियों को सुगमता होगी और थोड़ी संस्कृत जानने वाले स्वाध्यायी पाठक भी संस्कृत पदों के ज्ञान-मनन पूर्वक श्लोकों का अर्थ आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। इस दृष्टि से यह प्रकाशन सर्वसाधारण के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

(८) सभी अनुक्रमणिकाओं एवं सूचियों से युक्त —

किसी भी ग्रन्थ में अनुक्रमणिकाएँ और विषयसूचियाँ अत्यन्त उपयोगी और सुविधाजनक होती हैं। छात्रों और पाठकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकाशन में श्लोकों की उभयपक्षित-अनुक्रमणिका, विषयानुक्रमणिका, अनुशीलन समीक्षा में विचारित विषयों की सूची, संकेत सूची, वृदाशुद्धि पत्र आदि समस्त आवश्यक सामग्री का समावेश किया गया है।

(९) मनुस्मृति के प्रकरणों का उल्लेख —

मनु की यह शैली है कि वे प्रत्येक मुख्य विषय या प्रकरण को प्रारम्भ करते समय उसका स्वयं संकेत करते हैं या समाप्ति पर विषय का संकेत करते हैं। मनु द्वारा प्रदर्शित संकेतों के अनुसार मनुस्मृति में २१ प्रकरण या मुख्यविषय बनते हैं। इस संस्करण में उनका यथास्थान उल्लेख कर उसकी सीमा का भी उल्लेख कर दिया है।

(१०) मौलिक श्लोकों का 'विशुद्ध मनुस्मृति' के नाम से पृथक् संस्करण —

मनुस्मृति का, इस संस्करण में मौलिक सिद्ध हुए श्लोकों को छांटकर प्रक्षिप्त श्लोकों से रहित 'विशुद्ध मनुस्मृति' के नाम से एक पृथक् संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें मनु के उपदेशों-आदेशों को अविरल रूप से पढ़ने का आनन्द प्राप्त हो सकेगा।

आभार-प्रदर्शन

सर्वप्रथम आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के संस्थापक एवं संचालक स्वर्गीय सेठ दीपचन्द जी आर्य का मैं सदैव अत्यन्त आभारी रहूँगा, जिनकी सतत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से मनुस्मृति का यह प्रक्षेप-अनुसन्धान तथा भाष्य का कार्य प्रारम्भ एवं सम्पन्न हुआ, जिन्होंने इस बृहत् ग्रन्थ के प्रथम संस्करण के प्रकाशन का भार अपने कंधों पर वहन किया। सेठ जी ने प्रक्षेपानुसन्धान-सम्बन्धी सुझाव और मार्गदर्शन देकर इस कार्य को और अधिक परिष्कृत करने में भी सहयोग किया, इसके लिये भी मैं उनका आभारी रहूँगा।

सेठ जी के सुपुत्र और आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के वर्तमान संचालक श्री धर्मपाल जी आर्य ने इस नवीन संस्करण का प्रकाशन अत्यन्त रुचि, उत्साह, और परिश्रम एवं विवेक से किया है। उनके प्रयत्नों से यह संस्करण सभी तरह से उत्तम बन गया है। मैं इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। श्री पं. राजवीर जी शास्त्री, जिन्होंने इस कार्य में अपने मूल्यवान् सुझाव और अनुसन्धान में सक्रिय सहयोग तथा समय प्रदान किया तथा श्री पं. सुदर्शनदत्त जी आचार्य, जिन्होंने इस कार्य को करने की प्रेरणा एवं समय-समय पर उचित सुझाव प्रदान किये हैं, दोनों ही विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इनके साथ-साथ अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला शास्त्री के प्रति भी इस बात के लिये आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सभी पारिवारिक व्यस्तताओं से दूर रखते हुए इस

अनुसन्धान कार्य को सम्पन्न करने के लिए यथावश्यक समय प्रदान करने का सदैव ध्यान रखा और लेखन कार्य में भी यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया। प्रोफेसरशोधक श्री कर्मवीर जी शर्मा, श्री रामहोसला मिश्र जी ठेकेदार का भी मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने पूर्ण श्रद्धा तथा पुरुषार्थ से इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया है।

पाठकों से निवेदन

मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान और अनुशीलन का यह कार्य कुछ निश्चित आधारों पर सम्पन्न करने का दायित्व मैंने स्वीकार किया। अपनी अल्पमति के आधार पर यथाशक्ति परिश्रम करके जैसा भी इसे कर पाया हूँ, वह आपके हाथों में है। निःसन्देह, यह अत्यन्त कठिन, उलझनभरा और विवादस्पद कार्य है, जिसे अभी तक इस रूप में किसी के द्वारा सम्पन्न नहीं किया गया, जबकि अब से बहुत पहले यह कार्य हो जाना चाहिए था। ऐसे उलझन भरे कार्य में कहीं-कहीं कमियों और त्रुटियों का रह जाना सम्भव है, अतः विद्वान् पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि वे इस पर मनन करके मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुए, मुझे उनसे अवश्य अवगत करावें और इसविषयक सुझाव प्रदान करें, जिससे अगले संस्करण में अधिक से अधिक परिष्कार किया जा सके।

निवेदक —

स्थान — फाजिल (जिला-रोहतक)

सुरेन्द्रकुमार

संकेत-सूची

अ. /अष्टा.

अथर्व.

आप. घ.

आप. श्रौ.

आश्व. गृ. सू.

आ. /आश्व. श्रौ. सू.

उजा.

उपा.

ऋ. /ऋक्

ऋ. दया

ऋ. दया. पत्र वि. / ऋ. पत्र वि. /

ऋ. प. वि.

ऋ. मू. /ऋ. भा. मू.

ऐ. /ऐत. /ऐ. ब्रा.

का.

काठ. /काठ. सं.

को. अ. /कोटि. अर्थ.

— प्रक. /प्र. अ.

को.

कौषि. गृ.

गो. ब्रा. / गो. पू. /गो. उ.

गो. गृह्य.

गो. घ.

बा. /बाण. सू.

छान्दो.

जे. उ.

जे. गृ.

अष्टाध्यायी

अथर्ववेद

आपस्तम्ब धर्मसूत्र

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र

आश्वलायन गृह्यसूत्र

आश्वलायन श्रौतसूत्र

उणादिसूत्रपाठः

उपासनाविषय

ऋग्वेद.

ऋषि दयानन्द

ऋषि दयानन्द के पत्र-विज्ञापन

ऋग्वेदादिमाध्यमभूमिका

ऐतरेय ब्राह्मण

कण्ड

काठक संहिता

कौटिल्य अर्थशास्त्र

— प्रकरण, अध्याय

कौषितिकि ब्राह्मण

कौषितिकि गृह्यसूत्र

गोपय ब्राह्मण, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक

गोम्लिगृह्यसूत्र

गौतम धर्मसूत्र

चाणक्यसूत्र

छान्दोग्योपनिषद्

जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण

जैमिनि गृह्यसूत्र

ता/ताण्ड्य. ब्रा.
 तै. आ.
 तै. /तै. ब्रा. /तैत्ति.
 तै. सं. /तैत्ति सं.
 द. ल. आ.
 द. ल. गो.
 द. ल. ग्र. /द. ल. प्र. सं.
 द. ल. पं.
 द. ल. पू.
 द. ल. प्र.
 द. ल. भ्रा. नि.
 द. ल. वेदांक
 द. ल. वे. ख.
 द. शा. /द. शा. सं.
 द. ल. शि.
 द.
 दिवा.
 नि. /निरु.
 पार. गृह्य
 पू. प्र.
 पू. मी.
 पू.
 पं. वि.
 प्रपा.
 बृह. स्मृति.
 बौषा. घ.
 ब्रह्मा.
 भ्वा.
 मनु.
 मनु. का पु.
 महा.
 — आदि.
 — मीष्म.
 — शान्ति.
 मं.
 मैत्रा. सं.
 यजु.

ताण्ड्यब्राह्मण
 तैत्तिरीय आरण्यक
 तैत्तिरीय ब्राह्मण
 तैत्तिरीय संहिता
 दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह आर्याभिविनय
 दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह गोकर्णानिधि
 दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह
 दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह पञ्चमहायज्ञविधि
 दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह पृष्ठ
 दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह भ्रमोच्छेदन
 दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह भ्रान्तिनिवारण
 दयानन्द लघुग्रन्थ वेदभाष्य के नमूने का अंक
 दयानन्द लघुग्रन्थ वेदविरुद्धमतच्छण्डन
 दयानन्द शास्त्रार्थसंग्रह
 दयानन्द लघुग्रन्थ शिक्षापत्री ध्वान्तनिवारण
 द्रष्टव्य
 दिवादिगण (धातुपाठ)
 निरुक्त
 पारस्कर गृह्यसूत्र
 पूना प्रवचन
 पूर्वमीमांसा
 पृष्ठ
 पञ्चमहायज्ञविधि
 प्रपाठक
 बृहस्पतिस्मृति
 बौधायन धर्मसूत्र
 ब्रह्मावल्ली
 भ्वादिगण (धातुपाठ)
 मनुस्मृति
 मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन
 महाभारत
 — आदिपर्व
 — मीष्मपर्व
 — शान्तिपर्व
 मण्डल
 मैत्रायणी संहिता
 यजुर्वेद

याज्ञ. स्मृ.	याज्ञवल्क्य स्मृति
योग.	योगदर्शन
वा. रामा.	वाल्मीकि-रामायण
- बाल.	- बालकाण्ड
- अयो.	- अयोध्याकाण्ड
- किष्कि.	- किष्किन्ध्याकाण्ड
- आर./अर	- आरण्यककाण्ड/अरण्यकाण्ड
वासि. घ.	वासिष्ठ धर्मसूत्र
वेदा. सू.	वेदान्त सूत्र
वैश्वे. / वैश्वेषिक	वैश्वेषिक दर्शन
श. / शत.	शतपथ ब्राह्मण
स. प्र.	सत्यार्थप्रकाश (द्वितीयसंस्करण)
- प्र. समु.	प्रथम समुल्लास
सं.	सम्पादक
सं. वि.	संस्कारविधि (द्वितीयसंस्करण)
साम्.	सामवेद
सांख्य	सांख्यदर्शन
सू.	सूक्त
सूत्र.	सूत्रस्यान

विशेष — इस ग्रन्थ में पृष्ठसंख्या देते हुए सत्यार्थ-प्रकाश व संस्कारविधि के द्वितीय संस्करण तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रथम संस्करण का उपयोग किया गया है। अतः जिन सज्जनों के पास ये संस्करण नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिए इन पुस्तकों की पृष्ठ-संख्या देकर सामने उनके प्रकरण वा समुल्लास दिये जाते हैं। पृष्ठसंख्या के अनुसार पाठक उन-उन प्रकरणों वा समुल्लासों को देख लें —

सत्यार्थप्रकाश

१ - ८	निवेदन व भूमिका	२३२ - २५५	नवम समुल्लास
९ - २७	प्रथम समुल्लास	२५६ - २७०	दशम "
२८ - ३६	द्वितीय "	२७१ - ३९४	एकादश "
३७ - ७७	तृतीय "	३९५ - ४६१	द्वादश "
७८ - १२३	चतुर्थ "	४६२ - ५१८	त्रयोदश "
१२४ - १३७	पञ्चम "	५१९ - ५९२	चतुर्दश "
१३८ - १७७	षष्ठ "		
१७८ - २०६	सप्तम "		
२०७ - २३१	अष्टम "		

संस्कारविधि

सामान्य प्रकरण
गर्भाधान संस्कार
पुंसवन "

४२ - ४५	सीमन्तोन्नयन	"
४६ - ५१	जातकर्म	"
५२ - ५४	नामकरण संस्कार	"
५५ - ५७	निष्क्रमण	"
५८ - ५९	अन्नप्राशन	"
६० - ६३	चूडाकर्म	"
६४ - ६४	कर्णवेध	"
६५ - ७१	उपनयन	"
७२ - ९१	वेदारम्भ	"
९२ - ९७	समावर्तन	"
९८ - १३६	विवाह	"
१३७ - १८७	गृहाश्रम	"
१८८ - १९३	वानप्रस्थाश्रम	"
१९४ - २१७	संन्यासाश्रम	"
२१८ - २२६	अंत्येष्टि	"

१४३ - १४४	१४५ - १४८	१४८ - १५५	१५५ - १८१	१८१ - १८८	१८९ - १९८	१९९ - २००	२०० - २०१	२०१ - २०७	२०८ - २१०	२१० - २१४	२१५ - २३२	२३३ - २३७	२३८ - २३८	२३९ - २४०	२४१ - २४२	२४३ - २४५	२४५ - २७२	२७२ - ३०८	३०९ - ३१२	३१३ - ३१९	३२० - ३३९	३३९ - ३४१	३४२ - ३५१	३५२ - ३५२	३५३ - ३५४	३५५ - ३६९	३७० - ३७२	३७३ - ३७६

प्रकाश्यप्रकाशक	गणितविद्यार	प्रार्थना-याचना-समर्पण	उपासनाविधान	मुक्तिविषय	नौदिमानादिविद्या	तारविद्या	वैद्यकशास्त्रमूल	पुनर्जन्म	विवाह	नियोग	राजप्रजाधर्म	वर्णाश्रमधर्म	ब्रह्मचर्याश्रम	गृहाश्रम	वानप्रस्थाश्रम	संन्यासाश्रम	पञ्चमहायज्ञ	ग्रन्थप्रमाणप्रमाण्य	अधिकारानधिकार	पठनपाठन	भाष्यकरणशंकासमाधान	प्रतिज्ञा	प्रश्नोत्तर	वैदिक-प्रयोगनियम	स्वरव्यवस्था	व्याकरणनियम	अलंकारभेद	ग्रन्थसंकेत

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका

१ - ९	ईश्वरप्रार्थना
९ - २६	वेदोत्पत्ति
२७ - ४१	वेदानां नित्यत्वविचारः
४२ - ८०	वेदविषयविचार
८१ - ८८	वेदसंज्ञाविचार
८८ - ९२	ब्रह्मविद्या
९२ - ११५	वेदोक्त धर्म
११५ - १३६	सृष्टिविद्या
१३६ - १३९	पृथिव्यादिलोकभ्रमण
१३९ - १४२	धारण-आकर्षण

श्लोकों की संख्याविषयक तथा अन्य ज्ञातव्य बातें —

१. जिन अध्यायों के विभाजन में परिवर्तन नहीं किया गया है (प्रथम, द्वितीय और दशम को छोड़कर), उनमें श्लोकों के साथ दो-दो संख्याएँ हैं। उनमें पहले, सभी श्लोकों की क्रमानुसार संख्या है, और उसके बाद लघुकोष्ठक में मौलिक माने गये श्लोकों की क्रमसंख्या है।

— प्रथम अध्याय में जिन श्लोकों के साथ तीन-तीन संख्याएँ हैं (१।१२० से १४४ तक), उनमें पहली क्रमानुसार श्लोक संख्या है, दूसरी बृहत्कोष्ठक में द्वितीय अध्याय के उन श्लोकों की प्रचलित संख्या है जो प्रथम में सम्मिलित किये गये हैं, और तीसरी, लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या है।

— द्वितीय अध्याय की तीन संख्याओं में पहली क्रमानुसार श्लोक संख्या है, दूसरी बृहत्कोष्ठक में प्रचलित संख्या है, तीसरी लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या है।

— दशम अध्याय में दो-दो श्लोक संख्याएँ हैं। पहली प्रचलित अध्याय व श्लोक की क्रमसंख्या है। दूसरी लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या है।

२. सम्पूर्ण मनुस्मृति वाले संस्करण में मौलिक सिद्ध हुए श्लोकों को मोटे टाइप में और प्रक्षिप्त माने गये श्लोकों को छोटे टाइप में प्रकाशित किया है, जिससे देखते ही श्लोकों की प्रक्षिप्तता एवं मौलिकता का ज्ञान हो सके।

३. महर्षि दयानन्द के भाष्य वाले श्लोकों में श्लोकों के पद भाष्यकार की ओर से डाले गये हैं। जहाँ उनका भाष्य या भाव ज्यों का त्यों बिना श्लोकपद डाले उद्धृत किया है, वहाँ उसे उद्धरण चिन्ह “ ” के अन्तर्गत रखा गया है। महर्षि के भाव में जहाँ कहीं किसी श्लोकपद का अर्थ नहीं है, वहाँ चिन्ह देकर श्लोकार्थ के नीचे भाष्यकार की ओर से उसका अर्थ दिया गया है। उन पदों को पठक उन-उन चिन्हों के स्थान पर जोड़कर पढ़ें।

४. टिप्पणी में दर्शाये गये प्रचलित अर्थ कुल्लूक भाष्य पर आधारित पं. हरगोविन्द शस्त्री की हिन्दी टीका से उद्धृत किये गये हैं।

मनुस्मृति-विषयानुक्रमणिका

बिषय— सितारे के चिह्न से अंकित शीर्षक पूर्णतः प्रक्षिप्त प्रसंगों के हैं।

प्रथम अध्याय	श्लोक संख्या	*ब्रह्मा से स्त्री-पुरुष की उत्पत्ति	३२
(सृष्टि-उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय)		*मनु की उत्पत्ति	३३
मनुस्मृति-भूमिका	१ से ४ तक	*दश प्रजापतियों की उत्पत्ति	३४-३५
महर्षियों का मनु के पास आगमन	१	*पुनः सात मनुओं तथा देवों की सृष्टि	३६
महर्षियों का मनु से वर्णप्रमर्धमों के विषय में प्रश्न	२-३	*यस आदि की सृष्टि	३७-४१
मनु का महर्षियों को उत्तर	४	प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार	४२
जगदुत्पत्ति-विषय	५ से १०७, १४४ तक	जरायुज-जीव	४३
उत्पत्ति से पूर्व जगत की स्थिति	५	अण्डज-जीव	४४
जगदुत्पत्ति और उसका क्रम	६	स्वेदज-जीव	४५
*ईश्वर की उत्पत्ति	७	उद्भिज्ज-जीव तथा औषधियाँ	४६
*अप्-तत्त्व की सर्वप्रथम उत्पत्ति	८	वनस्पति तथा वृक्ष	४७
*ब्रह्मा की उत्पत्ति	९	गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल	४८
*नारायण शब्द की निरुक्ति	१०	वृक्षों में अन्तश्चेतना	४९
*ब्रह्मा के स्वस्म का कथन	११	*सांसारिक गतियों का उपसंहार	५०
*अण्डे के दो खण्ड करना	१२	*ब्रह्मा का अन्तर्धान	५१
*अण्ड-खण्डों से लोकों की रचना	१३	परमात्मा की जाग्रत एवं सुषुप्ति अवस्थाएँ	५२
प्रकृति से महत् आदि तत्त्वों की उत्पत्ति	१४-१५	परमात्मा की सुषुप्ति अवस्था में जगत् की प्रलयावस्था	५३-५७
पञ्चमहाभूतों की सृष्टि का वर्णन	१६	*इरा शास्त्र का अध्यापन क्रम	५८
*ब्रह्मा के शरीर की निरुक्ति	१७	*भृगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन	५९-६३
सूक्ष्म शरीर से आत्मा का संयोग	१८	निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त और दिन रात का काल-परिमाण	६४
समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति	१९	सूर्य द्वारा दिन-रात का विभाग	६५
पञ्चमहाभूतों के गुणों का वर्णन	२०	*पितरों के दिन-रात	६६
वेदशब्दों से नामकरण एवं विभाग	२१	दैवी दिन-रात उत्तरायण-दर्शनायन	६७
उपसंहार रूप में समस्त जगत् की उत्पत्ति का वर्णन	२२	ब्रह्म के दिन-रात का वर्णन	६८
वेदों का अतिर्भाव	२३	सतयुग का परिमाण	६९
*समय आदि की उत्पत्ति	२४-२५	त्रेता, द्वापर तथा कलियुग का परिमाण	७०
धर्म-अधर्म सुख-दुःख आदि का विभाग	२६	देवयुग का परिमाण	७१
सूक्ष्म से स्थूल के क्रम से सृष्टि का वर्णन	२७	ब्रह्म के दिन-रात का परिमाण	७२-७३
शिवों का कर्मों से संयोग	२८-३०	सुषुप्तावस्था में जाग्रते पर सृष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ	७४
नार वर्णों की व्यवस्था का निर्माण	३१		

सूक्ष्म पञ्चभूतों की उत्पत्ति के क्रम में आकाश की उत्पत्ति	७५	श्रुति-स्मृति का अपमान करने वाला नास्तिक है	१३०
वायु की उत्पत्ति	७६	धर्म के चार आधार रूप लक्षण	१३१
अग्नि की उत्पत्ति	७७	धर्म-विज्ञान में श्रुति परमप्रमाण और धर्मज्ञान के पात्र	१३२
जल और पृथ्वी की उत्पत्ति	७८	वेदोक्त सब विधान धर्म हैं	१३३ - १३४
मन्वन्तर के काल-परिमाण	७९ - ८०	* इस शास्त्र के पढ़ने के अधिकारी	१३५
* युगानुसार धर्म की पूर्णता एवं ह्रास	८१ - ८६	ब्रह्मावर्त देश की सीमा	१३६
चारों वर्णों के कर्मों का निर्धारण	८७	सदाचार का लक्षण	१३७
ब्राह्मण के कर्म	८८	* ब्रह्मर्षि देश की सीमा	१३८
क्षत्रिय के कर्म	८९	सारे संसार के लोग ब्रह्मावर्त के विद्वानों से चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें	१३९
वैश्य के कर्म	९०	मध्यदेश की सीमा	१४०
शूद्र के कर्म	९१	आर्यावर्त देश की सीमा	१४१
* सब अंगों में मुख की श्रेष्ठता एवं तद्वत ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और महत्ता का वर्णन	९२ - १०१	वह आर्यावर्त यशिय देश है, उससे परे म्लेच्छ देश	१४२
* इस शास्त्र की रचना का प्रयोजन	१०२ - १०३	* द्विज कहां निवास करें	१४३
* इस शास्त्र के अध्ययन का फल	१०४ - १०६	सृष्टि एवं धर्मोत्पत्ति विषय की समाप्ति का कथन, वर्णधर्मों का वर्णन प्रारम्भ	१४४
* इस शास्त्र का प्रतिपाद्य धर्मोत्पत्ति विषय की भूमिका	१०८ से ११० तक	द्वितीय अध्याय (संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम-विषय)	
सदाचार परम धर्म	१०८	संस्कार	१ से ४२ तक
आचार-हीन को वैदिक कर्मों की फल-प्राप्ति नहीं	१०९	संस्कारों को करने का निर्देश और उनसे लाभ	१
सदाचार धर्म का मूल है	११०	'संस्कारों' से बुरे संस्कारों का निवारण	२
* मनुस्मृति की अध्यायानुसार विषय-सूची	१११ - ११८	वेदाध्ययन, यज्ञ, व्रत आदि से ब्रह्म की प्राप्ति	३
* भृगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन	११९	जन्तुकर्म संस्कार का विधान	४
धर्मोत्पत्ति विषय	१२० से १४४ तक	नामकरण संस्कार	५
विद्वानों द्वारा सेवित धर्म का वर्णन-प्रारम्भ	१२०	वर्णानुसार नामकरण	६ - ७
सकम्पता-अकम्पता विवेचन	१२१ - १२४	स्त्रियों के नामकरण की विधि	८
धर्म के मूल स्रोत और आधार	१२५	निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार	९
* वेद सर्वज्ञानमय	१२६	मुण्डन संस्कार	१०
आत्मानुकूल धर्म का ग्रहण	१२७	उपनयन संस्कार का सामान्य समय	११
श्रुति-स्मृति-प्रोक्त धर्म के अनुष्ठान का फल	१२८	उपनयन का विशेष समय	१२
श्रुति और स्मृति का परिचय	१२९	उपनयन की अन्तिम अवधि	१३
		उपनयन से पतित व्रात्यों का लक्षण	१४
		व्रात्यों के साथ सम्बन्ध विच्छेद	

क कथन	१५	इन्द्रिय-संयम से प्रत्येक कार्य	
वर्णानुसार मृगधर्मों का विधान	१६	में सिद्धि	६८
मेखला-विधान	१७	विषयों के सेवन से इच्छाओं की वृद्धि	६९
मेखलाओं का विकल्प	१८	विषय त्याग ही श्रेष्ठ है	७० - ७१
वर्णानुसार यज्ञोपवीत	१९	विषयी व्यक्ति को सिद्धि	
वर्णानुसार दण्डविधान	२०	नहीं मिलती	७२
दण्डों का वर्णानुसार मान	२१	जितेन्द्रिय की परिभाषा	७३
दण्डों का स्वरूप	२२	एक भी इन्द्रिय के असंयम से प्रज्ञाहानि	७४
मिक्षा-विधान	२३	इन्द्रिय संयम से सब अर्थों की सिद्धि	७५
मिक्षा-विधि	२४	सन्ध्योपासन-समय	७६
मिक्षा किन से मागे	२५	सन्ध्योपासना का फल	७७
गुरु को मित्रा-समर्पण	२६	सन्ध्योपासना न करने वाला शुद्धवत्	७८
* चारों दिशाओं की ओर मुख करके		प्रतिदिन गायत्री जप का विधान	७९
भोजन करने का फल	२७	वेद, अग्निहोत्र आदि में अनध्याय	
भोजन से पूर्व आचमन-विधान	२८	नहीं होता	८० - ८१
भोजन सम्बन्धी आवश्यक विधान	२९ - ३२	स्वाध्याय का फल	८२
आचमन विधि	३३ - ३८	समावर्तन तक होमादि-कर्तव्य करने	
मेखलादि की पुनर्ग्रहण-विधि	३९	क कथन	८३
केशान्त संस्कार कर्म	४०	पढ़ने योग्य विषय	८४
* स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित		प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध	८५
संस्कारों का विधान	४१ - ४२	दुर्मतिना-पूर्वक प्रश्न-उत्तर से हानि	८६
उपनयन विधि की समाप्ति एवं		विद्या-दान किसे न दे	८७
ब्रह्मचारी के कर्मों का कथन	४३	कुपात्र को विद्या-दान का निषेध	८८
ब्रह्मचारियों के कर्तव्य	४४ से २२४ तक	विद्यादान सम्बन्धी आख्यान	
उपनयन के पश्चात् ब्रह्मचारी को शिक्षा	४४	एवं निर्देश	८९ - ९०
* वेदाध्ययन की विधि	४५	* बिना पढ़ाये वेदग्रहण का निषेध	९१
वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन	४६	गुरु को प्रथम अभिवादन	९२
गुरु को अभिवादन करने की विधि	४७	* विप्र की श्रेष्ठता-अश्रेष्ठता	९३
अध्ययन के आरम्भ एवं		गुरु की शय्या और आसन पर न बैठें	९४
समाप्ति की विधि	४८	बड़ों को अभिवादन से	
वेदाध्ययन के आद्यन्त में प्रणवोच्चारण		मानसिक प्रसन्नता	९५
का विधान	४९ - ५०	अभिवादन और सेवा से आयु, विद्या,	
'ओ३म्' एवं गायत्री की उत्पत्ति	५१ - ५२	यज्ञ, बल की वृद्धि	९६
'ओ३म्' एवं गायत्री के		अभिवादन-विधि	९७ - ९९
जप का फल	५३ - ५९	अभिवादन का उत्तर देने की विधि	१००
* मानस जप की श्रेष्ठता	६० - ६२	अभिवादन का उत्तर न देने वाले को	
इन्द्रियसंयम का निर्देश	६३	अभिवादन न करें	१०१
ग्यारह इन्द्रियों की गणना	६४ - ६६	वर्णानुसार कुशल प्रश्नविधि	१०२
ग्यारहों इन्द्रिय मन	६७	दीक्षित के नामोच्चारण का निषेध	१०३
		परस्त्री के नामोच्चारण का निषेध	१०४

*परिवारिक एवं सम्बन्धी जनों का अभिवादन	१०५ - १०८	वेदाभ्यास परम तप है	१४१ - १४२
*नागरिकों आदि से मैत्री-व्यवहार	१०९	वेदाभ्यास के बिना शूद्रत्व प्राप्ति	१४३
*बालक ब्राह्मण भी वृद्ध क्षत्रियों के पिता के समान	११०	*द्वितीय जन्म का निरूपण	१४४ - १४६
सम्मान के आधार	१११ - ११२	*यज्ञोपवीत से पूर्व वेदमन्त्रोच्चारण का निषेध	१४७ - १४९
किस-किस के लिए मार्ग दें	११३	गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के पालनीय विविध नियम	१५०
राजा और स्नातक में स्नातक अधिक मान्य	११४	ब्रह्मचारी के दैनिक नियम	१५१
आचार्य का लक्षण	११५	मद्य, मांस आदि का त्याग	१५२
उपाध्याय का लक्षण	११६	अंजन, छाता, जूता आदि धारण का निषेध	१५३
पिता-गुरु का लक्षण	११७	जूआ, निंदा, स्त्रीदर्शन आदि का निषेध	१५४
ऋत्विक् का लक्षण	११८	एकाकी शयन का विधान	१५५
अध्यापक या आचार्य की महत्ता	११९	*स्वप्नदोष में प्रायश्चित्त	१५६
उपाध्याय, आचार्य, पिता, माता की तुलना	१२०	भिक्षा सम्बन्धी नियम	१५७
पिता से वेदज्ञाता आचार्य बड़ा होता है	१२१ - १२२	किनसे भिक्षा ग्रहण करें	१५८
आचार्य द्वारा प्रदत्त ब्रह्मजन्म स्थिर होता है	१२३	किन-किन से भिक्षा ग्रहण न करें	१५९
गुरु का सामान्य लक्षण	१२४	पापकर्म करने वालों से भिक्षा न लें	१६०
विद्वान् बालक वयोवृद्ध से बड़ा होता है	१२५	सायं प्रातः अग्निहोत्र का पुनः विशेष विधान	१६१
उक्त विषय में आगिरस का दृष्टान्त	१२६ - १२७	*भिक्षा और यज्ञ न करने पर प्रायश्चित्त	१६२ - १६३
विद्वत्ता के आधार पर बालक और पिता की परिमाणा	१२८	*ब्राह्मण-ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा सम्बन्धी अपवाद	१६४ - १६५
अवस्था आदि की अपेक्षा वेदज्ञानी की श्रेष्ठता	१२९	गुरु के समीप रहते ब्रह्मचारी की मर्यादाएं	१६६
वर्णों में परस्पर श्रेष्ठता के आधार	१३०	गुरु के सम्मुख सावधान होकर बैठें और खड़े हों	१६७
अवस्था की अपेक्षा ज्ञान से वृद्धत्व	१३१	गुरु के आदेशानुसार चलें	१६८
मूर्खता की निन्दा तथा मूर्ख का जीवन निष्फल	१३२ - १३३	गुरु से निम्न स्तर की वेशभूषा रखें	१६९
गुरु-शिष्यों का व्यवहार	१३४	बातचीत करने का शिष्टाचार	१७० - १७२
पवित्र मन वाला ही वैदिक कर्मों के फल को प्राप्त करता है	१३५	गुरु से निम्न आसन पर बैठें	१७३
दूसरों से द्रोह आदि का निषेध	१३६	गुरुका नाम न लें	१७४
ब्राह्मण के लिए अपमान-सहन का निर्देश	१३७ - १३९	गुरु की निन्दा न सुनें	१७५
दिज्ञ के लिए वेदाभ्यास की अनिवार्यता	१४०	*गुरु-निन्दा का फल	१७६
		गुरु को कब अभिवादन न करें	१७७
		साथ बैठने न बैठने सम्बन्धी निर्देश	१७८
		गुरु के साथ कहाँ-कहाँ बैठें	१७९
		गुरु के गुरु से गुरुतुल्य आचरण	१८०
		अन्य अध्यापकों से व्यवहार	१८१

*गुरुपुत्र आदि से व्यवहार	१८२ - १८४	विवाह में त्याज्य कुल	६ - ७
*गुरुपत्नियों से व्यवहार	१८५ - १८६	विवाह में त्याज्य कन्याएं	८ - ९
युवती गुरुपत्नी के चरणस्पर्श का		विवाह योग्य कन्या	१०
निषेध और उसमें कारण	१८७	*घ्रातुरहित कन्या से विवाह में सावधानी	११
युवती के चरण स्पर्श से हानि	१८८ - १८९	*सर्वर्ण कन्या के अतिरिक्त	
स्त्रीवर्ग के साथ एकान्तवास निषेध	१९०	विवाह-विधान	१२ - १३
युवती गुरुपत्नी के अभिवादन		*शूद्र-कन्या से विवाह का निषेध	
की विधि	१९१ - १९२	और उससे हानियां	१४ - १५
गुरु-सेवा का फल	१९३	आठ प्रकार के प्रचलित विवाह	
ब्रह्मचारी के लिए केश सम्बन्धी		और उनकी विधि	२० - २१
तीन विकल्प एवं ग्राम-निवास का निषेध	१९४	वर्णानुसार धर्म्य विवाह	२२ - २६
प्रमादवश सोते रहने पर		ब्रह्म अर्थात् स्वयंवर विवाह का लक्षण	२७
प्रायश्चित्त	१९५ - १९६	देव विवाह का लक्षण	२८
सन्ध्योपासन का विधान एवं विधि	१९७	आर्ष विवाह का लक्षण	२९
स्त्री-शूद्रादि के उत्तम आचरण का		प्राजापत्य विवाह का लक्षण	३०
अनुकरण करें	१९८	आसुर विवाह का लक्षण	३१
*त्रिवर्ग सम्बन्धी मान्यताएं	१९९ - २१२	गान्धर्व विवाह का लक्षण	३२
निम्नस्तर के व्यक्ति से भी		राक्षस विवाह का लक्षण	३३
ज्ञान-धर्म की प्राप्ति	२१३	पैशाच विवाह का लक्षण	३४
उत्तम वस्तुओं का सभी स्थानों		*द्विजों की कन्यादान की विधि	३५
से ग्रहण	२१४ - २१५	*विवाहों के गुण लाभ	३६ - ३८
आपत्ति काल में अब्राह्मण से विद्याध्ययन		प्रथम चार उत्तम विवाहों से लाभ	३९ - ४०
एवं उसके नियम	२१६ - २१८	अन्तिम चार विवाह निन्दनीय	४१
*आजीवन गुरु-सेवा का फल	२१९	श्रेष्ठ विवाह से श्रेष्ठ सन्तान, बुरों से बुरी	४२
समावर्तन की इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा		*सर्वर्ण-असर्वर्ण कन्या से विवाह	
का विधान एवं नियम	२२०	करने की विधि	४३ - ४४
गुरुदक्षिणा में देय वस्तुएं	२२१	ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान	४५
*गुरु के निधन पर गुरुदक्षिणा		स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल	४६
का विधान	२२२ - २२३	निन्दित रात्रियां	४७
आजीवन ब्रह्मधर्म्य पालन का फल	२२४	पुत्र और पुत्री प्राप्त्यर्थ रात्रि की पृथक्ता	४८
तृतीय अध्याय		पुत्र और पुत्री होने में कारण	४९
(समावर्तन, विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान-विधान)		संयमी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी	५०
समावर्तन	१ से ३ तक	वर से कन्या का मूल्य लेने	
ब्रह्मधर्म्य और वेदाध्ययनकाल	१	का निषेध	५१ - ५२
समावर्तन कब करे	२ - ३	आर्ष-विवाह में भी गो-युगल लेने	
विवाह-विषय	४ से ६६ तक	का निषेध	५३ - ५४
गुरु की आज्ञा से विवाह	४		
विवाह-योग्य कन्या	५		

द्वियों के आदर का विधान	घर से अतिथि को न लौटाये	१०५
जब उसका फल	५५ अतिथिपूजन सुख-आयु-	
द्वियों का आदर करने से दिव्य	यशोवाक्यक	१०६ - १०७
होमों की प्राप्ति	५६ दोबारा भोजन पकाने पर	
द्वियों के शोकग्रस्त रहने से	बलियज्ञ नहीं	१०८ - ११२
परिवार का विनाश	५७ - ५८ अतिथियों से भिन्न व्यक्तियों को भोजन	११३
द्वियों का सदा सत्कार-सम्मान रखें	५९ अतिथियों से पहले किनको	
पति-पत्नी की परस्पर सन्तुष्टि से	भोजन दें	११४ - ११५
परिवार का कल्याण	६० गृहस्थ दम्पती को सबके बाद भोजन	
पति-पत्नी में पारस्परिक अप्रसन्नता से	करना और यशशेष भोजन	
ज्ञान न होना	६१ करना	११६ - ११८
हो की प्रसन्नता पर कुल में प्रसन्नता	६२ *राजा आदि का सत्कार	११९ - १२१
कुलों को पतित करने वाले कर्म	६३ - ६६ *मृत* श्राद्ध का विधान एवं	
एवमहायज्ञ-विषय	६७ - २८६ तक तत्सम्बन्धी नियम	१२२ से २८४ तक
एवमहायज्ञों का विधान	६७ *श्राद्ध में अपांक्तेय ब्राह्मण	१५० - १६९
एवमहायज्ञों के अनुष्ठान का	*अपांक्तेय ब्राह्मणों को दान देने	
क्षण	६८ - ६९ से फल की अप्राप्ति	१७० - १८२
एवमहायज्ञों के नाम एवं	*पांक्तेय ब्राह्मण	१८३ - १९२
नमान्तर	७० - ७२ *पितरों की उत्पत्ति	१९३ - २०२
एवयज्ञों के नामान्तर	७३ - ७४ *देवकर्म से पितृकर्म श्रेष्ठ	२०३ - २०४
होमयज्ञ एवं अग्निहोत्र का विधान	७५ *देवकर्म और पितृश्राद्ध की	
अग्निहोत्र से लाभ	७६ विधियाँ	२०५ - २३६
गृहस्थाश्रम की महत्ता एवं	*पितरों को कौन सा अन्न प्राप्त	
श्रेष्ठता	७७ - ७८ नहीं होता	२३७ - २३८
गृहस्थ के योग्य कौन	७९ - ८० *श्राद्ध जिमाते समय सावधानियाँ	२३९ - २४३
एवयज्ञों के मुख्य कर्म	८१ *श्राद्ध में अन्य भाग	२४४ - २४६
पितृयज्ञ का विधान	८२ *पिण्डदान-सम्बन्धी विधान	२४७ - २४८
* पितृयज्ञ और बलिवैश्वदेव में	श्राद्ध भोजन के बाद की	
किसको जिमाये	८३ विधियाँ	२४९ - २६६
बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान	८४ - ९२ पितरों को तृप्तिदायक अन्न एवं मांस	
*बलि रखने से उत्तम गति	९३ और तृप्ति की अवधि	२६७ - २८०
अतिथियज्ञ का विधान	९४ - १०० *त्रैमासिक श्राद्ध का विधान	२८१ - २८३
सज्जनों के घर में सत्कारार्थ सदा	*पिता आदि की वसु आदि संज्ञाएं	२८४
उपलब्ध वस्तुएं	१०१ *गृहस्थ के लिए दो ही प्रकार के	
अतिथि का लक्षण	१०२ भोजनों का विधान	२८५
अतिथि कौन नहीं होते	१०३ *उपसंहार	२८६
दूसरों के यहां खाने की पावना से पाय	१०४	

चतुर्थ अध्याय		सवारी किन पशुओं से न करें	
(गृहस्थान्तर्गत आजीविका		या करें	६७ - ६८
एवं व्रत विषय)		*बालसूर्यदर्शन आदि निषेध	६९ - ७८
आजीविका	१ से १२ तक	दुष्टों का संग न करें	७९
आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बने	१	*शूद्र को उपदेश आदि का निषेध	८० - ८३
गृहस्थी की परपीडारहित जीविका हो	२	*असन्निय राजा से दान का निषेध	८४ - ८६
धनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र		*असन्निय राजा से दान लेने से	
के लिए हो	३	नरकप्राप्ति	८७ - ९१
*जीविकाओं के भेद	४ - ६	ब्राह्ममुहूर्त में जागरण	९२
*धान्यसंग्रही के भेद	७ - १०	सन्ध्योपासनादि नित्यचर्या का पालन	
शास्त्रविरुद्ध जीविका न हो	११	एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति	९५ - १००
सन्तोष सुख का मूल है, असन्तोष		*विविध अनध्यायों का विधान	१०१ - १२७
दुःख का	१२	स्त्रीगमन में पर्व दिनों का त्याग करें	१२८
स्नातक गृहस्थियों के व्रत	१३-२५९	*खाने के बाद स्नान आदि का	
गृहस्थों के लिए सत्तोगुणवर्धक व्रत	१३ - १४	निषेध	१२९ - १३२
अधर्म से धनसंग्रह न करें	१५	परस्त्री-सेवन का निषेध एवं	
इन्द्रियासक्ति-निषेध	१६	त्याज्य व्यक्ति	१३३
स्वाध्याय से कृतकृत्यता	१७ - २०	परस्त्री-सेवन से हानियाँ	१३४
पञ्चश्यों के पालन का निर्देश	२१ - २४	*इन तीनों का अपमान न करें	१३५ - १३६
अग्निहोत्र का विधान	२५ - २८	आत्महीनता की मापना मन में	
अतिथिसत्कार का विधान	२९	न लायें	१३७
सत्कार के अयोग्य व्यक्ति	३०	सत्य तथा प्रिय भाषण करें	१३८
सत्कार के योग्य व्यक्ति	३१	भद्र व्यवहार करें	१३९
मिक्षा एवं बलिवैश्वदेव का विधान	३२	हीन, विकलांगों आदि पर व्यंग्य	
*भूख की अवस्था में राजा से		न करें	१४०
धनग्रहण	३३ - ३४	*गाय आदि का उच्छिष्ट हाथ से	
स्वाध्याय में तत्पर रहना	३५	स्पर्श-निषेध	१४१ - १४४
*लाठी, कमण्डलु आदि का धारण	३६	कल्याणकारी यज्ञ-सन्ध्या	
*त्याज्य बातें	३७ - ३९	आदि कार्य करें	१४५
रजस्वलागमन निषेध एवं		यज्ञ-सन्ध्या आदि कल्याणकारी	
उससे हानि	४० - ४१	कर्यों से लाभ	१४६
रजस्वलागमन-त्याग से लाभ	४२	वेदान्तास परमधर्म है	१४७
*स्त्री को किन अवस्थाओं में		वेदान्तास का कथन और उसका	
न देखें	४३ - ४४	फल	१४८ - १४९
*मलमूत्रादि त्याग में वर्ज्य बातें	४५ - ५२	*धार्मिकचर्या की विविध बातें	१५० - १५३
*विविध त्याज्य बातें	५३ - ६६	बुद्धों का अभिवादन एवं स्वागत	१५४

सदाचार की प्रशंसा एवं फल	१५५ - १५६	योग्य पुत्र में गृहकार्यों का समर्पण	२५७
दुष्टाचार से हानि	१५७ - १५८	आत्मचिन्तन का आदेश एवं फल	२५८
परकर्मों का त्याग	१५९	विषय का उपसंहार	२५९ - २६०
सुख-दुःख का लक्षण	१६०	पञ्चम अध्याय	
आत्मा के प्रसन्नताकारक कार्य ही करें	१६१	(गृहस्थान्तर्गत-मक्ष्याभक्ष्य-देहशुद्धि-द्रव्यशुद्धि-स्त्रीधर्म विषय)	
हिंसा न करें	१६२	मक्ष्याभक्ष्य	१ से ५६ तक
नास्तिकता, वेदनिन्दा आदि निषिद्ध		*ऋषियों का भृगु से प्रश्न	१ - ४
कर्म	१६३	द्विजातियों के लिए अभक्ष्य पदार्थ	५ - ९
शिष्य को केवल शिक्षार्थ ताड़ना करें	१६४	भक्ष्य पदार्थ	१० - २५
*ऋषण की हिंसा से नरक	१६५ - १६९	*मांस भक्षण की यज्ञीय विधि	२६ - ४४
अधर्म-निन्दा एवं अधर्म से		निन्दित भोजन मांस हिंसामूलक	
दुःखप्राप्ति	१७० - १७४	होने से पाप है	४५ - ५०
सत्यधर्म का पालन करें	१७५	मांसभक्षण प्रसंग में आठ प्रकार के	
धर्मवर्जित अर्थ-काम का त्याग	१७६	पापियों की गणना	५१ - ५६
चपलता का त्याग	१७७ - १७८	गृहस्थान्तर्गत देहशुद्धि	
विवाद न करने योग्य व्यक्ति	१७९ - १८५	विषय	५७ से ११० तक
प्रतिग्रह का लालच न रखें	१८६	अशुद्धि के समय	५८ - ५९
प्रतिग्रह की विधियाँ	१८७ - १८९	*सपिण्डता और समानोदक भाव	६० - ६१
दान लेने के अनधिकारी तीन		*सूतक और मृतक सम्बन्धी विधान	६२ - ६३
प्रकार के व्यक्ति	१९० - १९४	*समीपस्थ बान्धवों की शुद्धि की	
विदाल-व्रतिक का लक्षण	१९५	विधि तथा अवधि	६४ - ७४
वक-व्रतिक का लक्षण	१९६ - २००	*विदेशस्थ बान्धवों की शुद्धि	
दूसरों के स्नान किए जल में		और अवधि	७५ - ७९
न नहायें	२०१ - २०२	*अन्य शुद्धियों की विधि	८० - ९९
किन जलों में स्नान करें	२०३	*असपिण्डों की प्रेतशुद्धि	१०० - १०४
अम-सेधन की प्रधानता	२०४	देह-शुद्धि करक पदार्थों की गणना	१०५
*अभक्ष्य भोजन	२०५ - २२५	सर्वोत्तम शुद्धि अर्थशुचिता	१०६
*श्रद्धा से दानकार्य करें	२२६	धर्मावरण से विविध चरित्र	
दानधर्म के पालन का कथन	२२७ - २३२	केषों की शुद्धि	१०७ - १०८
वेदान की सर्वश्रेष्ठता	२३३ - २३७	शरीर, मन, आत्मा, शुद्धि की शुद्धि	१०९ - ११०
धर्मसंघर्ष का विधान एवं		द्रव्य-शुद्धि विषय	१११ से १४६ तक
धर्म प्रशंसा	२३८ - २४३	पात्रों की शुद्धि का प्रकार	१११ - ११५
उत्तमों की संगति करें	२४४ - २४५	यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रकार	११६ - ११७
श्रेष्ठ स्वभाव वाला बने	२४६	अन्य वस्त्रविषय पदार्थों की शुद्धि	११८ - १२६
*दान सम्बन्धी विविध बातें	२४७ - २५४	*शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं की	
छूठ खेलने काल पायी है	२५५ - २५६	गणना	१२७ - १३६
		*ब्रह्मचारी और संन्यासियों के लिए	
		शुद्धि-प्रकार	१३७

*विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों की शुद्धि का प्रकार	१३८ - १४६	संन्यास धर्म विषय	३३ से ८५ तक
गृहस्थान्तर्गत पत्नीधर्म विषय	१४७ से १६६ तक	संन्यास-ग्रहण का विधान	३३ - ३७
*स्त्री-स्वतंत्रता का निषेध	१४७ - १४८	परमात्म-प्राप्ति हेतु गृहाश्रम से भी संन्यास ले सकता है	३८ - ४०
स्त्री के पिता, पति, पुत्र से अलग रहने से हानि की आशंका	१४९	वैराग्य होने पर गृहस्थ या ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास-ग्रहण	४१
पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए	१५१	संन्यासी एकाकी विचरण करे	४२
स्त्री पर विवाह के बाद पति का स्वामित्व	१५२ - १६२	निर्लिप्त भाव से गांव में भिक्षा ग्रहण करे	४३ - ४४
पूर्वपति को छोड़कर दूसरे श्रेष्ठ पति को अपनाने की निन्दा	१६३ - १६४	जीवन-मरण के प्रति समझूँ	४५
पति के अनुकूल आचरण से पत्नी अधिक सम्मान्य होती है	१६५ - १६६	पवित्र एवं सत्य आचरण करे	४६
स्त्री की मृत्यु पर यज्ञपूर्वक अग्नि संस्कार	१६७ - १६८	अपमान को सहन करे	४७
उपसंहार	१६९	क्रोध आदि न करे	४८
षष्ठ-अध्याय		आध्यात्मिक आचरण में स्थित रहे	४९
(वानप्रस्थ-संन्यासधर्म विषय)		भोजन पाने के लिए पाण्डु न करे	५० - ५१
वानप्रस्थ विषय	१ से ३२ तक	मुण्डनपूर्वक गेरुवे वस्त्र धारण करके रहे	५२ - ५४
वानप्रस्थ धारण करे	१	एक समय ही भिक्षा मांगे	५५ - ५६
वानप्रस्थ धारण का समय	२	भिक्षा न प्राप्त होने पर दुःख का अनुभव न करे	५७
वानप्रस्थ धारण की विधि	३ - ४	प्रशंसा-लाम आदि से बचे	५८
वानप्रस्थ के लिए पञ्चयज्ञों का विधान	५ - ६	इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाये	५९ - ६०
अतिथि-यज्ञ एवं पितृयज्ञ का विधान	७	मनुष्य-जीवन की दुःखमय गति-स्थितियों और उनका चिन्तन	६१ - ६३
ब्रह्मयज्ञ का विधान	८	अधर्म से दुःख और धर्म से सुख प्राप्ति	६४
अग्निहोत्र का विधान	९	योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे	६५
विशेष यज्ञों का आयोजन करे	१०	दूषित आदि प्रत्येक अवस्था में धर्म का पालन आवश्यक	६६
बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान	११ - १२	धर्माचरण के बिना बाहरी दिखावे से श्रेष्ठ फल नहीं	६७ - ६९
पवित्र भोजन करे	१३	प्राणायाम अवश्य करे	७०
अभक्ष्य पदार्थ	१४ - १५	प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का क्षय	७१
कन्यस्य प्रामोत्पन्न पदार्थ न खाए	१६ - २१	प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार से दोषों का क्षय	७२
*विविध तपस्याओं का विधान	२२ - २५	ध्यान से यथार्थज्ञान	७३
सांसारिक सुखों में आसक्ति न रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करे	२६	यथार्थज्ञान से कर्म-बन्धन का विनाश	७४
तपस्वियों के घरों से भिक्षा का ग्रहण	२७ - २८	अहिंसा आदि वैश्विक कर्मों से परमात्मा पर की प्राप्ति	७५
आत्मशुद्धि के लिए वेदमन्त्रों का मनन-चिन्तन	२९ - ३२		

अश्विनी शरीर का त्याग	७६ - ७९	राजा वेदवेत्ताओं से अनुशासन की शिक्षा	
विःसृष्टता से सुख एवं मोक्षप्राप्ति	८०	ले	३९
समात्मा में अधिष्ठान	८१ - ८२	*अनुशासन विहीन राजाओं के विनाश के	
समात्मा ही सुख का स्थान है	८४	उदाहरण	४० - ४१
स्वयं विषय का उपसंहार	८५	*अनुशासनप्रिय राजाओं की समृद्धि के	
ब्राह्मण धर्मों की समाप्ति पर		उदाहरण	४२
उपसंहार	८७	राजा विद्वानों से विचार ग्रहण करे	४३
ब्राह्मण धर्मों के पालन से मोक्ष की ओर		जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाओं को वश में	
गति	८८	रख सकता है	४४
गृह्य की श्रेष्ठता	८९	व्यसनों की गणना	४५ - ४६
गृह्य समुद्रवत् है	९०	दश कामज व्यसन	४७
धर्म के दश लक्षण	९२	क्रोधज आठ व्यसन	४८
क्षलक्षणात्मक धर्मपालन से उत्तम गति	९३	सभी व्यसनों का मूल लोभ	४९
ब्राह्मण धर्मों एवं ब्राह्मणधर्मों का उपसंहार	९७	कामज और क्रोधज व्यसनों में अधिक	
सप्तम-अध्याय		कष्टदायक व्यसन	५० - ५२
(राजधर्म विषय)		व्यसन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी	५३
राजा की नियुक्ति एवं सिद्धि	१ से ३५ तक	मन्त्रियों की नियुक्ति	५४
राज बनने का अधिकारी	२	राजा को सहायकों की आवश्यकता में	
राज बनने की आवश्यकता	३	कारण	५५
राज के आठ विशिष्ट गुण	४	मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करे	५६ - ५९
राज दिव्यगुणों के कारण प्रभावशाली	५ - ७	आवश्यकतानुसार अन्य अमात्यों की	
राज की अवमानना न करे	८ - १३	नियुक्ति	६० - ६१
रुढ़ की सृष्टि और उपयोगविधि	१४ - १६	अमात्यों के सहयोगी अधिकारियों की	
रुढ़ का महत्त्व	१७ - १८	नियुक्ति	६२
न्यायानुसार दण्ड ही हितकारी	१९ - २५	प्रधान दूत की नियुक्ति	६३
रुढ़ देने का अधिकारी राजा कौन	२६	श्रेष्ठ दूत के लक्षण	६४ - ६५
न्यायपूर्वक दण्ड प्रयोग राजा का		दूत के कार्य	६६ - ६८
विनाशक	२७ - ३२	राजा के निवास योग्य देश	६९
न्यायानुसार दण्डादि देने से राजा की		छः प्रकार के दुर्ग	७०
समृद्धि	३३	पर्वतदुर्ग की श्रेष्ठता	७१ - ७३
न्यायविरुद्ध आचरण से यशनाश	३४	दुर्ग का महत्त्व	७४ - ७५
राज की नियुक्ति नामक विषय का		राजा का निवासगृह	७६
उपसंहार	३५	राजा के विवाह-योग्य भार्या	७७
राज की जीवनचर्या और भृत्यों आदि		पुरोहित का वरण एवं उसके	
की नियुक्ति सम्बन्धी विधान	३६	कर्तव्य	७८ - ८०
राज वेदवेत्ता आचार्यों की मर्यादा में रहे	३७	विविध विमाणाध्यक्षों की नियुक्ति	८१
राज शिक्षक वेदवेत्ताओं का आदर-सत्कार		राजा स्नातक विद्वानों का सत्कार	
करे	३८	करे	८२ -
		युद्ध के लिए गमन तथा युद्ध सम्बन्धी	
		व्यवस्थाएँ	

युद्ध में किन को न मारे	११ - १३	राज्यमण्डल की प्रकृतियों के महत्त्व भेद	१५७
युद्ध से पगायन करने वाला अपराधी होना है	१४ - १६	शत्रु, मित्र और उदासीन की परिभाषा	१५८ - १५९
*जीते हुए धन से राजा को 'उद्धार' देना	१७ - १८	सन्धि, विग्रह आदि षडगुणों का वर्णन	१६० - १६१
राजा द्वारा चिन्तनीय बातें	१९ - ११०	सन्धि और उसके भेद	१६२ - १६३
राजा प्रजा का शोषण न होने दे	१११	विग्रह और उसके भेद	१६४
प्रजा के शोषण से हानि	११२	यान और उसके भेद	१६५
राष्ट्र के नियन्त्रण के उपाय	११३	आसन और उसके भेद	१६६
नियन्त्रण केन्द्रों और राजकार्यालयों का निर्माण	११४	द्वैधीभाव और उसके भेद	१६७
अवर अधिकारियों आदि की नियुक्ति	११५ - १२०	संश्रय और उसके भेद	१६८
नगरों में सार्वजनिक का निर्माण	१२१	सन्धि का समय	१६९
राजकर्मचारियों के आचरण का निरीक्षण	१२२	विग्रह का समय	१७०
रिश्वतखोर कर्मचारियों पर दृष्टि रखे	१२३	यान का समय	१७१
रिश्वतखोर कर्मचारियों को दण्ड	१२४	आसन का समय	१७२
कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण	१२५ - १२६	द्वैधीभाव का समय	१७३
कर-ग्रहण सम्बन्धी अः स्याएँ	१२७ - १३८	संश्रय का समय	१७४ - १७५
कर-ग्रहण में अतिवृत्ति		राजनीति का निष्कर्ष	१८०
हानिकारक	१३९ - १४०	आक्रमण के लिए जाना और व्यूह रचना	
रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को		आदि की व्यवस्था	१८१ - १८४
राजसभा का कार्य सौंपना	१४१ - १४४	त्रिविध मार्ग का संशोधन कर	१८५
राजा के दैनिक कर्तव्य	१४५	आक्रमण के समय शत्रु और शत्रुमित्र पर विशेष दृष्टि रखें	१८६
सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुने	१४६	व्यूह रचनाएँ	१८७ - १९३
राज्य सम्बन्धी मन्त्रणाओं के स्थान	१४७	सेना का उत्साह-वर्धन	१९४
मन्त्रणा की गोपनीयता का महत्त्व	१४८ - १५०	शत्रुराजा को पीड़ित करने के उपाय	१९५ - १९६
धर्म, काम, अर्थ सम्बन्धी बातों पर चिन्तन करे	१५१	शत्रुराजा के अमात्यों में फूट	१९७ - २००
धर्म, अर्थ, काम में विरोध को दूर करे	१५२	राजा के विजयोपरान्त कर्तव्य	२०१
दूनसम्प्रेषण और गुप्तचरों के आचरण पर दृष्टि	१५३	हारे हुये राजा से प्रतिज्ञापत्र आदि लिखवाना	२०२ - २०७
अष्टविध कर्म आदि पर चिन्तन	१५४	सच्चा मित्र सबसे बड़ी शक्ति	२०८
राज्यमण्डल की विचारणीय चार मूल प्रकृतियाँ	१५५	प्रज्ञासनीय मित्रराजा के लक्षण	२०९
राज्य मण्डल की विचारणीय आठ और मूल प्रकृतियाँ	१५६	कष्टकर शत्रु के लक्षण	२१०
		उदासीन के लक्षण	२११
		राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे आवश्यक	२१२ - २१५
		मन्त्रणा एवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनार्थ अन्तःपुर में जाना	२१६
		राजा सुपरोक्षित भोजन करे	२१७ - २१९

वाद्य पदार्थों के समान अन्य	
प्रयोज्य साधनों में सावधानी	२२०
मोजन के बाद विश्राम और	
गजकार्यों का चिन्तन	२२१
सैनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण	२२२
सन्ध्योपासना तथा गुप्तचरों और	
अतिनिधियों के सन्देशों को सुनना	२२३
गुप्तचरों को समझाकर सायकालीन	
मोजन के लिए अन्तःपुर में जाना	२२४
गविशयनकाल	२२५ - २२६

अष्टम अध्याय

(राजधर्मान्तर्गत व्यवहार-निर्णय)

८-१ से ९-२५० तक

व्यवहारों अर्थात् मुकद्दमों के निर्णय के	
लिए राजा का न्यायसभा में प्रवेश	१
न्यायसभा में मुकद्दमों को देखे	२
बठारह प्रकार के मुकद्दमे	३ - ८
राजा के अभाव में मुकद्दमों के निर्णय के	
लिए मुख्य न्यायाधीश विद्वान् की नियुक्ति	९
मुख्य न्यायाधीश तीन विद्वानों के साथ	
मिलकर न्याय करे	१०
इहमसभा (न्यायसभा) की परिभाषा	११
मुकद्दमों के निर्णय में धर्म की रक्षा की	
प्रेरणा	१२
न्यायसभा में सत्य ही बोले और	
न्याय ही करे	१३
अन्याय करने वाले सभासद् मृतकवत् हैं	१४
मारा हुआ धर्म मारने वाले को ही	
नष्ट कर देता है	१५
धर्महन्ता वृषल कहाता है	१६
धर्म ही परजन्मों में साथ रहता है	१७
अन्याय से सब सभासदों की निन्दा	१८
राजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं	
कहलाता	१९
शुद्ध धर्मप्रवक्ता न हो	२० - २४
निर्णय में हावभावों से मन की	
पहचान	२५ - २६
कालधन की रक्षा	२७
गन्ध्यादि के धन की रक्षा	२८ - ३३

'राजा द्वारा सुरक्षित धन' की	
चोरी करने पर दण्ड	३४ - ३६
गड़े हुये धन का स्वामी ब्राह्मण	३७ - ३८
कर्तव्यों में सलत्न व्यक्ति सबके प्रिय	४२
राजा या राजपुरुष विवादों को न बढ़ाये	४३
अनुमान प्रमाण से निर्णय में	
सहायता	४४ - ४६
ऋण लेने-देने के विवाद का	
न्याय	८-४७ से ८-१७८
ऋण का न्याय	४७ - ४९
ऋणदाता से ऋण के लेखादि प्रमाणों का	
मांगना	४९
मुकद्दमों में अप्रामाणिक व्यक्ति	५३ - ६०
साक्षी कौन हो	६१ - ६३
साक्षी कौन नहीं हो सकते	६४ - ६७
विशेष प्रसंगों में साक्षी विशेष	६८
ऐकान्तिक अपराधों में सभी साक्षी	
मान्य हैं	६९ - ७१
बलात्कार आदि कार्यों में सभी साक्षी	
हो सकते हैं	७२
साक्ष्यों में निश्चय	७३ - ७७
स्वाभाविक साक्ष्य ही प्राह्य है	७८
साक्ष्य लेने की विधि	७९ - ८३
साक्षी, आत्मा के विरुद्ध साक्ष्य न	
दे	८४ - १०८
*साक्षी में शपथ दिलाने का	
कथन	१०९ - ११३
भूठी गवाही वाले मुकद्दमे पर पुनर्विचार	११७
असत्य साक्ष्य के आधार	११८
असत्य साक्ष्य में दोषानुसार	
दण्डव्यवस्था	११९ - १२४
दण्ड देते समय विचारणीय बातें	१२६ - १३०
लेने-देने के व्यवहार में काम आने	
वाले बाट और मुद्राएं	१३१
तेल के पड़ले मापक त्रसरेणु की परिभाषा	१३२
लिङ्गा, राजसर्षप और गौरसर्षप की	
परिभाषा	१३३
मध्ययव, कृष्णल, माष और सुवर्ण की	
परिभाषा	१३४
पल, धरण, रौप्यमापक की परिभाषा	१३५

रौप्यधरण, राजतपुराण, कार्षापण की परिभाषा	१३६	कृत प्रतिज्ञा से फिर जाना	२१८-२२१
रौप्यशतमान, निष्क की परिभाषा	१३७	(८) अष्टम विवाद 'कय-विक्रय' का निर्णय	(२२२-२२८)
पूर्व, मध्यम, उत्तम-साहसों की परिभाषा	१३८-१३९	सरीद-बिक्री का विवाद	२२२-२२८
ऋण पर ब्याज का विधान	१४०-१४२	(९) नवम विवाद 'पालक-स्वामी' का निर्णय	(२२९-२४४)
लाम वाली गिरवी पर ब्याज नहीं	१४३	पशु-स्वामी और ग्वालों का विवाद	२२९-२४४
धरोहर सम्बन्धी व्यवस्थाएँ (उन पर ऋण ब्याज आदि की व्यवस्था)	१४४-१४०	(१०) सीमा-सम्बन्धी विवाद और उसका निर्णय	(२४५-२६५)
दुगुने से अधिक मूलधन न लेने का आदेश	१५१-१५२	(११) दुष्ट या कटुवाक्य बोलने-सम्बन्धी विवाद और उसका निर्णय	(२६६-२७७)
कौन-कौन से ब्याज न ले	१५३	(१२) दण्ड से घायल करने या मारने सम्बन्धी विवाद और उसका निर्णय	(२७८-३००)
पुनः ऋणपत्रादि लेखन	१५४-१५६	(१३) चोरी का विवाद और उसका निर्णय	(३०१-३४३)
समुद्रयानों का किरायाभाड़ा-निर्धारण	१५७	चोरों के निग्रह से राष्ट्र की वृद्धि	३०२
जमानती सम्बन्धी विधान	१५८-१६२	चोरों से प्रजा की रक्षा श्रेष्ठ कर्तव्य है	३०३-३०६
आठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन अप्राणिक है	१६३	प्रजा की रक्षा किए बिना कर लेने वाला राजा पापि होता है	३०७-३१३
शास्त्र और नियम-विरुद्ध लेन-देन अप्राणिक	१६४-१६५	चोर की स्वयं प्रायश्चित्त की विधि	३१४-३१५
कुटुम्भार्थ लिए गए धन को कुटुम्भी लौटाएँ	१६६-१६७	दोषी को दण्ड न देने से राजा पापभागी होता है	३१६
श्लोत कराई गई सब बातें अमान्य	१६८-१७८	पापियों के संग से पाप	३१७
(२) धरोहर रखने के विवाद का निर्णय	(१७९-१९६)	राजाओं से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता	३१८
(३) तृतीय विवाद 'अस्वामिविक्रय' का निर्णय	(१९७-२०५)	विभिन्न चोरियों की दण्ड-व्यवस्था	३१९-३३१
दूसरे की वस्तु बेच देना	१९७-२०५	साहस और चोरी का लक्षण	३३२-३३३
(४) चतुर्थ विवाद 'सामूहिक व्यापार' का निर्णय	(२०६-२११)	डाकू, चोरों के अंगों का छेदन	३३४
मिलजुलकर उन्नति या व्यापार करना	२०६-२११	माता-पिता, आचार्य आदि सभी राजा द्वारा दण्डनीय हैं	३३५
(५) पञ्चम विवाद 'दिए पदार्थ को न लौटाना' का निर्णय	(२१२-२१३)	अपराध करने पर राजा को साधारण जन से सहस्रगुण दण्ड हो	३३६
बन की हुई वस्तु को लौटाना	२१२-२१३	उच्च वर्ण के व्यक्तियों को अधिक दण्ड दे	३३७-३४३
(६) षष्ठ विवाद 'वैतन आदान' का निर्णय	(२१४-२१७)	(१४) साहस-डाकू, हत्या आदि	
वैतन देने, न देने का विवाद	२१४-२१७		
(७) सप्तम विवाद 'प्रतिज्ञा विरुद्धता' का निर्णय	(२१८-२२१)		

बलात्कारपूर्वक किए गए अपराधों का निर्णय (३४४ - ३५१)	नवम अध्याय (राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय)
साहसी व्यक्ति चोर से अधिक पापी ३४५	९-१ से ९-२५० तक)
हाकू को दण्ड न देने वाला राजा विनाश को प्राप्त करता है ३४६	(१६) स्त्री-पुरुष धर्म सम्बन्धी विवाद और उसका निर्णय (९-१ से १०२)
मित्र या घन के कारण साहसी को क्षमा न करे ३४७	(स्त्री-पुरुष के संयोगकालीन दैनिक कर्तव्य)
*विद्रोह-काल में द्विजातियों को शस्त्र-धारण का आदेश ३४८ - ३४९	स्त्री के प्रति कर्तव्यपालन न करने वाले पिता, पति, पुत्र निंदा के पात्र ४
आततायी को मारने में अपराध नहीं ३५० - ३५१	थोड़े से कुसंग से भी स्त्रियों की रक्षा अवश्य करें ५ - ६
(१५) स्त्रीसंग्रहणसम्बन्धी विवाद तथा उसका निर्णय (३५२ - ३८७)	स्त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा निर्भर है ७
स्त्रीसंग्रहण की परिभाषा ३५७ - ३७०	जाया का लक्षण ८
दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त होने पर स्त्री को दण्ड ३७१	जैसा पति वैसी सन्तान ९
दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त होने वाले पुरुष को दण्ड ३७२	स्त्रियों की रक्षा बलपूर्वक नहीं हो सकती १०
*वर्णानुसार दण्डव्यवस्था ३७३ - ३८५	स्त्रियों को गृह एवं धर्मकार्यों में व्यस्त रखें ११
पांच महाअपराधियों को वश में करने वाला राजा इन्द्र के समान प्रभावी ३८६ - ३८७	स्त्रियाँ आत्मनियन्त्रण से ही बुराईयों से बच सकती हैं १२
ऋत्विज और यजमान द्वारा एक दूसरे को त्यागने पर दण्ड ३८८	स्त्रियों के दूषण में छः कारण १३
माता-पिता-स्त्री-पुत्र को छोड़ने पर दण्ड ३८९ - ३९५	*स्त्रियों का स्वभाव-वर्णन १४ - २४
*घोबी और जुलाहे की व्यवस्था ३९६ - ३९७	सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्म २५
व्यापार में शुल्क एवं वस्तुओं के भावों का निर्धारण ३९८ - ४०२	स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी हैं २६
तुला एवं मापकों की छह महीने में परीक्षा ४०३	स्त्री लोकयात्रा का आधार हैं २७
नौका-व्यवहार में किराया आदि की व्यवस्थाएं ४०४ - ४०९	घर का सुख स्त्री पर निर्भर है २८ - ३०
*वैश्य और शूद्र से उनके कर्म कराये ४१० - ४१२	पुत्र पर अधिकार के सम्बन्ध में आख्यान ३१
*शूद्र से दासता कराये ४१३ - ४१४	पुत्र पर अधिकार सम्बन्धी मतान्तर ३२
*सात प्रकार के शूद्र दास ४१५ - ४२०	स्त्री-पुरुष की क्षेत्र और बीज रूप में तुलना ३३ - ४८
	परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र पर स्त्री का या स्त्री-स्वामी का अधिकार ४९ - ५१
	पुत्र पर स्त्री या स्त्री-स्वामी के अधिकार में कारण ५२
	समभोजीपूर्वक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्त्री-पुरुष दोनों का समानाधिकार ५३ - ५६
	बड़ी माषी को गुरुपत्नी के समान, छोटी को पुत्रवधू के समान माने ५७

उनके साथ गमन में पाप	५८	*नियोग से उत्पन्न पुत्रों के	
सन्तानभाव में नियोग से सन्तानप्राप्ति	५९	अनुसार दाय-व्यवस्था	१२० - १२६
*नियोग में गमन-विधि	६० - ६१	पुत्रिका करने का उद्देश्य	१२७ - १२९
नियोग से पुत्र प्राप्ति के बाद		पुत्र के अभाव में सारे धन की	
शरीर-सम्बन्ध नहीं	६२ - ६३	अधिकारिणी पुत्री	१३०
नियोग-विधि का छण्डन	६४ - ६८	माता का धन पुत्रियों का ही	
सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर		होता है	१३१ - १३३
अन्य विवाह का विधान	६९ - ७३	पुत्रिका करने पर पुत्र होने की	
स्त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास में		अवस्था में दायव्यवस्था	१३४ - १३७
जाये	७४	पुत्र का लक्षण	१३८ - १४०
अथवा अनिन्दित कलाओं से स्त्री जीविका		दत्तक पुत्र के दाय-भाग का	
कमाये	७५	विधान	१४१ - १४४
पति की प्रतीक्षा की अवधि और		नियोग से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र	
उसके पश्चात् नियोग	७६ - ८०	के दायभाग का विधान	१४५ - १४६
पुरुष दूसरी स्त्री से सन्तानप्राप्ति कब		नियोग-विधि के बिना उत्पन्न	
करे	८१ - ८७	पुत्र दायभाग का अनधिकारी	१४७
उत्तम घर मिलने पर कन्या का		*अन्य वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न	
विवाह शीघ्र कर दें	८८	पुत्रों की दायभाग व्यवस्था	१४८ - १५७
गुणहीन पुरुष से विवाह न करे	८९	*बारह प्रकार के पुत्र	१५८
कन्या स्वयंवर विवाह करे	९०	*दाय-भाग के अधिकारी छह पुत्र	१५९
स्वयंवर विवाह में पाप नहीं	९१ - ९५	*दायभाग के अनधिकारी छह पुत्र	१६० - १६५
स्त्री पुण्य की अधोगिनी	९६	*औरस पुत्र का लक्षण	१६६
*शुल्क से कन्या विवाह-विषयक		*क्षेत्रज पुत्र का लक्षण	१६७
छण्डन-मण्डन	९७ - १००	*दत्तक पुत्र का लक्षण	१६८
पति-पत्नी आमरण साथ रहें	१०१	*कृत्रिम पुत्र का लक्षण	१६९
बिछुड़ने के अवसर न आने दें	१०२	*गूढोत्पन्न पुत्र का लक्षण	१७०
(१७) दायभाग विवाद-वर्णन		*अपविद्ध पुत्र का लक्षण	१७१
(९ - १०३ से २१९)		*कानीन पुत्र का लक्षण	१७२
अलग होते समय दायभाग का बराबर		*सहोद पुत्र का लक्षण	१७३
विभाजन	१०४	*क्रीत पुत्र का लक्षण	१७४
सम्मिलित रहने पर विभाजन		*पौनर्भव पुत्र का लक्षण	१७५
का दूसरा विकल्प	१०५ - १०७	अक्षतयेनि के पुनर्विवाह का विधान	१७६
बड़े भाई का छोटे के प्रति		*स्वयंदत्त पुत्र का लक्षण	१७७
कर्त्तव्य	१०८ - १०९	*पारश्व पुत्र का लक्षण	१७८ - १८६
छोटे का बड़े भाई के प्रति		*सपिण्ड के अभाव में दाय के	
कर्त्तव्य	११० - १११	अधिकारी	१८७ - १९१
इकट्ठे रहकर अलग होने पर		(मातृधन का विभाग)	
'उद्धार' अंश का विभाजन	११२ - ११६	मातृधन को भाई-बहन बराबर	
सम्मिलित रहकर अलग होते हुए		बांट लें	१९२ - १९३
विभाजन की अन्य विधि	११७ - ११९	स्त्रीधन छः प्रकार का	१९४ - १९५

अमादि विवाहों में स्त्रीधन का अधिकारी पति	१९६	लोक कण्टकों की गणना	२५८ - २६१
असुरादि विवाहों में स्त्रीधन के उत्तराधिकारी	१९७ - १९८	गुप्तचरों द्वारा किन स्थानों में अपराधियों का पता लगाये	२६४ - २६५
शिष्यों कुटुम्ब से छिपाकर धन न छोड़ें	१९९ - २००	प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे	२७०
धन के अनधिकारी विकलांग इन्हें भोजनछादन देते रहें	२०१ - २०३	चोरों के सहयोगियों को भी दण्ड दे	२७१ - २७३
सम्मिलित रहने बड़े भाई के क्लेश धन की व्यवस्था	२०४ - २०५	सामूहिक हानि होने पर सहयोग न करने वालों को दण्ड	२७४ - २७५
पुनः एकत्र होकर पृथक् होने का उद्धार-भाग नहीं	२१०	विभिन्न अपराधियों को दण्ड	२७६ - २७७
भाई के मरने पर उसके धन का विभाग	२११ - २१२	सात राजप्रकृतियाँ	२७४ - ३००
कर्तव्यपालन न करने पर बड़े भाई को उद्धार भाग नहीं	२१३	राजा के शासन में ही चार युग	३०१ - ३०२
व्ययधन से वञ्चित लोग पितृधन का विषम विभाजन न करें	२१४ - २१६	राजा के आठ रूप	३०३
इकलौते सन्तानहीन पुत्र के धन का उत्तराधिकार	२१७ - २१९	राजा का इन्द्ररूप आचरण	३०४
(१८) द्यूत-सम्बन्धी विवाद का निर्णय	(२२० - २५०)	राजा का सूर्यरूप आचरण	३०५
राष्ट्रपातक जूआ आदि का पूर्ण निवारण	२२१	राजा का वायुरूप आचरण	३०६
जूआ एक तस्करी है	२२२	राजा का यमरूप आचरण	३०७
द्यूत और समाह्वय में भेद	२२३ - २३०	राजा का वरुणरूप आचरण	३०८
मुकद्दमों के अन्त में उपसंहार	२३१ - २५१	राजा का चन्द्ररूप आचरण	३०९
शिवत लेकर अन्याय करने वालों को दण्ड	२३१	राजा का अग्निरूप आचरण	३१०
निर्णयों में कपट करने वालों को दण्ड	२३२	राजा का धरारूप आचरण	३११ - ३१२
ठीक निर्णय को किसी दबाव या लालच में आकर न बदले	२३३	* ब्राह्मण के क्रोध की उग्रता	३१३ - ३२४
अमृत्यु और न्यायाधीशों को अन्याय करने पर दण्ड	२३४	वैश्य-शूद्रों के कर्तव्य	३२५
पाँच महापातकी और उनको दण्ड	२३५ - २५१	दशम अध्याय	
राजा द्वारा लोककण्टकों का निवारण (९ - २५२ से ३२५ तक)	२५६ - २५७	(चातुर्वर्ण्य धर्मान्तर्गत वैश्य शूद्र के धर्म एवं चातुर्वर्ण्य धर्म का उपसंहार)	
वै प्रकार के तस्कर	२५६ - २५७	वैश्यों के कर्तव्य	३२६ - ३३४
		शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति	३३५
		* वेदोपदेश का अधिकार ब्राह्मण को है	१ - ४
		* वर्णसंकरों का वर्णन	५ - ६
		* भिन्न वर्ण से उत्पन्न 'अपसद' सन्तानें	७ - २३
		* वर्णसंकरों की उत्पत्ति में कारण	२४
		* संकीर्णयोनियों का वर्णन	२५ - ४२
		* धर्मपालन न करने से शूद्रता को प्राप्त जातियाँ	४३ - ४४
		चारों वर्णों से भिन्न व्यक्तियों की संज्ञा	४५
		* अपसदों और अपध्वंसजों के कर्म	४६ - ५६

दस्यु अर्थात् अनार्य की पहचान उसके कार्य देखकर करें	५७	*ब्राह्मण अपराधियों को स्वयं दण्ड दें	३१ - ३५
अनार्यों पुरुषों के लक्षण	५८ - ६४	*यज्ञ के अधिकारी लोग	३६ - ४३
कर्मानुष्ठा की परिवर्तन	६५	प्रायश्चित्त कब किया जाता है	४४ - ४६
*बीज ३: १ की श्रेष्ठता में निर्णय	६६ - ७३	प्रायश्चित्त का अर्थ	४७
आजीविका के कर्म	७४ - ७६	प्रायश्चित्त क्यों करना चाहिए	४३
वैश्य के कर्म	७७ - ७९	*महापातकों का वर्णन	५४
मुख्य कार्य	८०	*महापातकों के समान कर्म	५५ - ५८
जल में ब्राह्मण की जीविका	८१ - ९४	*उपपातकों का वर्णन	५९ - ६६
जल में क्षत्रिय की जीविका	९५ - ९७	*जातिभ्रंश कारक कर्म	६७
कर्म	९८	*वर्णसंकर बनाने वाले कर्म	६८
*आपत्काल में वैश्य की आजीविका के कर्म	९९ - १०८	*अपात्र करने वाले कर्म	६९
*आपत्काल में शूद्र की आजीविका के कर्म	१०९ - ११४	*मलिन करने वाले कर्म	७०
*धर्मानुकूल सात आय	११५	*महापातकों और उपपातकों के प्रायश्चित्त	७१
*दश आजीविकाएं	११६	*ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त	७२ - ८९
*ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्याज न ले	११७	*सुरापान का प्रायश्चित्त	९० - १०१
*आपत्कालीन कर्म	११८ - १२०	*गुरुस्त्रीगमन का प्रायश्चित्त	१०२ - १०६
प्रवस्था में शूद्र के	१२१ - १३१	*उपपातकियों के प्रायश्चित्त	१०७ - ११७
		*अवकीर्णों का प्रायश्चित्त	११८ - १२३
		*जातिभ्रंशकर कर्मों का प्रायश्चित्त	१२४
		*अपात्र और वर्णसंकर करने वाले कर्मों का प्रायश्चित्त	१२५
		*क्षत्रिय आदि के वध का प्रायश्चित्त	१२६ - १३०
		*अन्य पशु-पक्षी-कीट आदि के वधों का प्रायश्चित्त	१३१ - १४४
		*अभक्ष्य भक्षण का प्रायश्चित्त	१४५ - १६०
		*चोरी का प्रायश्चित्त	१६१ - १६८
		*अगम्यागमनीय का प्रायश्चित्त	१६९ - १७८
		*पतितों से संसर्ग का प्रायश्चित्त	१७९ - १९०
		*व्रत्यों का प्रायश्चित्त	१९१
		*निन्दित कर्म करने वालों का प्रायश्चित्त	१९२ - १९६
		*अन्य विविध प्रायश्चित्त	१९७ - २०२
		*वेदोक्त कर्मों के त्याग का प्रायश्चित्त	२०३
		*ब्राह्मण को फटकारने और मारने पर प्रायश्चित्त	२०४ - २०८

१-अध्याय

प्रायश्चित्त विषय

(११-४४ से २६५ तक)

*दान एवं यज्ञ सम्बन्धी विधान	१ - ६	*अभक्ष्य भक्षण का प्रायश्चित्त	१४५ - १६०
*सोमयज्ञ का विधान	७ - १०	*चोरी का प्रायश्चित्त	१६१ - १६८
*अजाय वस्त्रात् भी धन लाये	११ - १५	*अगम्यागमनीय का प्रायश्चित्त	१६९ - १७८
त कहीं से भोजन प्राप्त करले	१६ - १८	*पतितों से संसर्ग का प्रायश्चित्त	१७९ - १९०
न छीन कर श्रेष्ठों को	१९ - २०	*व्रत्यों का प्रायश्चित्त	१९१
द्वित ब्राह्मण की राजा	२१ - २३	*निन्दित कर्म करने वालों का प्रायश्चित्त	१९२ - १९६
आदि निश्चित कर दे	२४	*अन्य विविध प्रायश्चित्त	१९७ - २०२
भिक्षा नहीं	२५ - २७	*वेदोक्त कर्मों के त्याग का प्रायश्चित्त	२०३
न को स्वार्थ के लिए प्रयोग	२८ - ३०	*ब्राह्मण को फटकारने और मारने पर प्रायश्चित्त	२०४ - २०८
फल नहीं			

द्वादश अध्याय

विविहित कर्मों के लिए प्रायश्चित्त निर्णय	२०९	कर्मफल-विधान एवं निःश्रेयस कर्मों का वर्णन (१२। ३ से ११६ तक)	
प्रायश्चित्तों का परिचय-वर्णन	२१०	*ऋषियों का भृगु से प्रश्न	१
प्रजापत्य व्रत की विधि	२११	*भृगु का ऋषियों को उत्तर	२
कृच्छ्रसान्त्वन व्रत की विधि	२१२	त्रिविध कर्मों का और त्रिविध गतियों का कथन	३
अतिकृच्छ्र व्रत की विधि	२१३	मन कर्मों का प्रवर्तक	४
तप्तकृच्छ्र व्रत की विधि	२१४	त्रिविध मानसिक बुरे कर्म	५
*पराकृच्छ्र व्रत की विधि	२१५	चतुर्विध वाचिक बुरे कर्म	६
चान्द्रायण व्रत की विधि	२१६	त्रिविध शारीरिक बुरे कर्म	७
श्वमध्यम चान्द्रायण व्रत की विधि	२१७	जैसा कर्म उसी प्रकार उसका भोग	८ - ९
*यति चान्द्रायण व्रत की विधि	२१८	*त्रिदण्डी की परिभाषा	१० - ११
*गिशु चान्द्रायण व्रत की विधि २१९ - २२१	२२२ - २२४	*क्षेत्रज्ञ और भूतात्मा	१२
व्रतपालन के समय यज्ञ करें	२२२ - २२४	*फल का अनुभवकर्त्ता जीवात्मा	१३ - २३
व्रतपालन के समय गायत्री आदि का जप करें	२२५	प्रकृति के आत्मा को प्रभावित करने वाले तीन गुण	२४
मानसपापों के प्रायश्चित्त की विधि	२२६	जिस गुण की प्रधानता, वैसी ही आत्मा	२५ - २६
पाँच कर्मों से प्रायश्चित्त में पाप-भावना से मुक्ति	२२७	आत्मा में रजोगुण की प्रधानता की पहचान	२७
सबके सामने अपना अपराध कहने से पाप से मुक्ति	२२८	आत्मा में रजोगुण प्रधानता की पहचान	२८
अनुताप करने से पाप-भावना से मुक्ति	२२९	आत्मा में सतोगुण की प्रधानता की पहचान	२९ - ३०
तत्पूर्वक पुनः पाप न करने के निश्चय से पापभावना से मुक्ति	२३०	सतोगुण को प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण	३१
कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप-भावना से मुक्ति	२३१	रजोगुण के लक्षण	३२
पापभावना से मुक्ति चाहने वाला पुनः पाप न करे	२३२	तमोगुण के लक्षण	३३ - ३४
तब तब तक करें, जब तक मन में प्रसन्नता न आ जाये	२३३	तमोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा	३५
*तप की महिमा २३४ - २४४	२४५	रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा	३६
वेदभ्यासादि से पापभावनाओं का क्षय	२४५	सतोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा	३७
वेदज्ञानाग्नि में पापभावना विनष्ट होती है	२४६	तीनों गुणों के प्रधान उद्देश्य व पारस्परिक श्रेष्ठता	३८ - ३९
*गुप्त पापों का प्रायश्चित्त २४७ - २६२	२६३	तीन गुणों के आधार पर तीन गतियाँ	४०
वेदज्ञान रूपी तालाब में पापभावना का डूबना	२६४	तीन गतियों के कर्म, विद्या के आधार पर तीन गौण गतियाँ	४१
वेदवित्त का लक्षण	२६५		
ईश्वर भी एक जैय वेद है	२६६		
प्रायश्चित्त विषय का उपसंहार			

तीन गतियों के तीन-तीन भेद और तदनुसार जन्मावस्थाओं के फल	(४ - ५) तप और विद्या का वर्णन	
तामस गतियों के तीन भेद	तप से पापभावना का नाश और विद्या से अमृतप्राप्ति	१०४
राजस गतियों के तीन भेद	(६) धर्म का वर्णन	
सात्विक गतियों के तीन भेद	धर्मज्ञान के लिए त्रिविध प्रमाणों का ज्ञान	१०५
विषयों में आसक्ति से और अधर्म-सेवन से दुःखमय जन्मों की प्राप्ति	वेदानुकूल तर्क से धर्मज्ञान	१०६ - १०७
*कर्मानुसार जीव को योनियों की प्राप्ति	अविहित धर्मों का विधान शिष्ट विद्वान् करें	१०८
*विषयों के सेवन से पापयोनियों की प्राप्ति	शिष्ट विद्वानों की परिभाषा	१०९
*पापियों को प्राप्त होने वाले दुःख आसक्ति-निरासक्ति के अनुसार फल प्राप्ति	तीन या दश विद्वानों की धर्मनिर्णायक परिषद्	११०
निःश्रेयस्कर कर्मों का वर्णन	धर्मपरिषद् के दश सदस्य	१११
छह निःश्रेयस्कर कर्म	धर्मपरिषद् के तीन सदस्य	११२
(१) आत्मज्ञान का वर्णन	वेद का एक विद्वान् भी असंख्य मुखों से धर्म-निर्णय में प्रमाण है	११३
आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ धर्म है	धर्म परिषद् का सदस्य कौन नहीं हो सकता	११४
प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का वर्णन	मुखों द्वारा निर्णीत धर्म से पापवृद्धि का भय	११५
(२) इन्द्रिय-संयम का वर्णन	निःश्रेयस् कर्मों का उपसंहार	११६ - ११७
आत्मज्ञान, इन्द्रिय-संयम का कथन और इनसे जन्मसाफल्य	ईश्वरद्रष्टा अधर्म में मन नहीं लगाता	११८
(३) वेदाभ्यास का वर्णन	परमेश्वर ही सबका निर्माता, फलदाता और उपास्य है	११९
वेद-विरुद्ध-शास्त्र अप्रामाणिक	*इन्द्रियों में आकाश आदि का ध्यान	१२० - १२१
वेद से वर्ण, आश्रम, लोक, काल आदि का ज्ञान	परम सूक्ष्म परमात्मा को जानें	१२२
पञ्चभूत आदि सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान वेदों से	परमात्मा के अनेक नाम	१२३
वेद सुखों का साधन है	सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही संसार के चक्रवर्त्तु बलशाली है	१२४
वेदवेत्ता ही सफल राजा, सेनपति व न्यायाधीश हो सकता है	समाधि से ईश्वर एवं मोक्षप्राप्ति	१२५
वेदज्ञान से परमगति की ओर प्रगति	*इस शास्त्र के अध्ययन का फल	१२६



अनुशीलन समीक्षा में विचारित विषयों की सूची

प्रथम अध्याय	पृष्ठ संख्या	साध्यों से अभिप्राय	३४ - ३५
सं का स्वरूप	२	यज्ञ का व्यापक अर्थ, वेदों का उद्देश्य	३६
अन्तरप्रमथानाम' पद का अनुसम्यत अर्थ	३ - ४	वेदोत्पत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण	३८
अन्य सर्वस्य' पदों की सही संगति	७	वेदोत्पत्ति की मान्यता का	
कार्यतत्त्वार्थवित्' का संगत अर्थ	८	अन्यत्र वर्णन	३९
प्रथम चार श्लोकों की मौलिकता		जगदुत्पत्ति-प्रयोजन एवं कर्मफल	४१
प्र विचार	१०	चातुर्वर्ण्य व्यवस्था निर्माण वेदों से	४२
अनुस्मृति के प्रश्न और उत्तर		वर्णोत्पत्ति- विषयक भ्रान्त कल्पना	४४
की संगति	११	४२वें श्लोक की शैली एवं अर्थ	
अनुस्मृति की सांगोपांग शैली	१४	पर विचार	४९
स्यभू का सही अर्थ	१५	वृक्षों की चेतनता पर विचार	५१
जमात्मा की प्रकटता से अभिप्राय	१५	प्राचीनकाल-परिमाण की आधुनिक	
सृष्ट्युत्पत्ति विषयक वेदमन्त्रों के प्रमाण	१६	काल-परिमाणों से तुलना	६१
१४ - १५ श्लोकों के अर्थ में भ्रांति		६४वें श्लोक की शैली पर विचार	६१
और सृष्ट्युत्पत्ति की प्रक्रिया	२४	महर्षि दयानन्द द्वारा 'पितर'	
'महत्तत्त्व' और मन से अभिप्राय	२४	शब्द की व्याख्या	६२
आत्मनः उद्भवबर्ह' का अर्थ	२५	उत्तरायण-दक्षिणायन का विवेचन	६३
पञ्चतन्मात्राओं से पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति	२६	सूर्य ऋद्ध देवता है	६४
१६वें श्लोक का संगत अर्थ	२६	चार युगों के परिमाण की	
सृष्टि-उत्पत्ति विषय में शास्त्रों में अविरोध या विरोध	२७	तुलनात्मक तालिका	६६
पञ्चमहाभूतों के कर्म	२८	वेदोत्पत्ति-समय पर विचार	६७ - ६८
१८वें श्लोक का संगत अर्थ	२९	आकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षि	
सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम	३०	दयानन्द लिखते हैं	६९
पुरुष के महत्तत्त्व आदि अर्थ	३०	सृष्टि प्रवाह से अनादि	७१
सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति	३०	वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति कर्मणा-	
पञ्चमहाभूतों का क्रम और गुण	३१	वर्णव्यवस्था की सूचक	७७
पञ्चमहाभूतों का उत्पत्तिक्रम और गुणों की तालिका	३१	'ब्राह्मण' नाम कर्मणा वर्ण-	
सृष्टि के प्रारम्भ में नामकरण	३२	व्यवस्था का सूचक	७९
२१वें श्लोक के क्रम पर विचार	३२	'क्षत्रिय' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था	
२१वें श्लोक का संगत अर्थ	३३	का सूचक	८०
२२वें श्लोक का संगत अर्थ	३४	'वैश्य' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था	
'सूक्ष्म' का अर्थ	३४	का सूचक	८१
		'बुद्ध' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक	८२
		अनुस्मृति में वर्णव्यवस्था	
		कर्मनुसार है	८८
		१०९ श्लोक की अन्यत्र पुष्टि	९३
		भाव का अन्य श्लोकों में स्पष्टीकरण	९३

पूलर द्वारा घोषित प्रशिक्षणता पर विचार	९८	स्त्रियों को वेदाध्ययन एवं उपवीत का अधिकार मनुसम्मत	१४४
धर्म के चार लक्षणों का स्वरूप	९९	स्त्रियों के वेदाध्ययन में वेदों के प्रमाण	१४५
वेद	९९	अध्ययन के आद्यन्त में ओंकारोच्चारण के लाभ	१४८ - १४९
स्मृति और शील	१००	ओंकार और महाव्याहृतियों का विवेचन	१५० - १५१
सदाचार	१००	'ओम' ईश्वर का मुख्य नाम	१५१
'आत्मनः तुष्टि' 'स्वस्य		गायत्री मन्त्र और उसका अर्थ	१५२
आत्मनः प्रियम्' का स्पष्टीकरण	१००	'इन्द्रिय' शब्द की व्युत्पत्ति	१५६
वेद और श्रुति नाम के कारण	१०४	इन्द्रियों के विषय	१५७
तर्क शब्द का विवेचन	१०५	'वषट्कार' की व्युत्पत्ति	१६२
'सान्तरालानाम' का अर्थ	११०	'स्वाध्याय' से अभिप्राय	१६४
'पारंपर्यक्रम' से अभिप्राय	११०	'अब्दम्' का संगत अर्थ	१६४
१४२ श्लोक का संगत अर्थ	११२	आप्त का अर्थ और व्याकरण	१६६
श्लोकार्थ में याज्ञवल्क्य-स्मृति का प्रमाण	११३	प्रति से अभिप्राय	१६७
'प्लेच्छ' शब्द का अभिप्राय	११३	विद्या के आख्यान का निरुक्त में वर्णन	१६८
मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन मौलिक नहीं	११६	अभिवादनदि से आयु-बल-यज्ञ की वृद्धि कैसे	१७१
मनुस्मृति में वर्णों और आश्रम-धर्मों का साथ-साथ वर्णन	११७	शुद्धि एवं सन्ध्योपासना आदि से आयुवृद्धि	१७२
द्वितीय अध्याय		सदाचार से आयु-बल वृद्धि	१७२
'गामैः' आदि पदों में अर्थव्यापकता	११९	विशिष्ट विद्वान् सर्वाधिक सम्मान्य	१७८
मनुस्मृति में सोलह संस्कार	१२०	कृत्य से अभिप्राय	१७९
'वर्धन' शब्द का विवेचन	१२३	ऋत्विज् होने का अधिकारी कौन	१८१
जातकर्म में गृह्यसूत्रों के प्रमाण	१२३	११९ श्लोक की निरुक्त से तुलना	१८१
नामकरण में गृह्यसूत्रों के प्रमाण	१२४	ब्रह्मजन्म से अभिप्राय	१८२
नामकरण काल	१२४	'जाति' शब्दार्थ का विवेचन	१८३
६, ७ श्लोकों के संगत अर्थ	१२६	'कवि' शब्द की व्युत्पत्ति	१८५
जुगुप्सित का संगत अर्थ	१२७	'शिक्षा आगिरत	१८५
निष्क्रमण और अन्नप्राशन में गृह्यसूत्रों के प्रमाण	१२९	'अनुधान' सबसे महान	१८६
चूडाकर्म में प्रमाण	१३०	अपमान सहन का कथन क्यों	१९०
उपनयन में 'ब्राह्मणस्य' आदि पदों का मनुसम्मत अर्थ	१३०	'स्रग्वी' शब्द पर विचार	१९१
उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं ?	१३१	वेदत्याग से कुटुम्ब की शुद्धता कैसे	१९२
उच्छिष्ट खाने में दोष	१३९	'ब्रह्मचारी' शब्द की व्युत्पत्ति	१९५
नष्ट उपवीत, दण्ड आदि का जल में प्रक्षेपण क्यों ?	१४३	ब्रह्मचारी के लिए देव-पितर कौन	१९५
		'देवता-अभ्यर्चन' से अभिप्राय	१९६

धर्म का सही अभिप्राय	१५७	ऋतुबान में वर्जित पद	२५०
सुख गुण के आधार पर ऋषि, व. पितरों में अन्तर	१५८	पर्वदिनों में समागम निषेध क्यों	२५०
धर्म का अर्थ	१५८	'ऋतुकाल में गमन' गृहस्थ का	
धर्म की समिधाएँ	२०१	आवश्यक कर्तव्य	२५०
'ऊँची पिघालव्यो' मुहावरा	२०६	ऋतुगमन में निषिद्ध गतिविधियाँ	२५१
ब्राह्मण से विद्या प्राप्ति	२१५	ऋतुकाल की निश्चित रात्रियों का कारण	२५२
तृतीय अध्याय		'अधिक' शब्द से अभिप्राय	२५३
स्मावर्तन से अभिप्राय	२२४	आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से विरोध नहीं	२५३
स्मावर्तन का काल और उसके अवश्यक नियम	२२४	कौन गृहस्थ ब्रह्मचारी	२५४
विवाह से अभिप्राय	२२६	स्त्रीधन विवरण	२५४
मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की आयु	२२६	आर्ष विवाह में शुल्क लेना	
अयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु	२२७	मनुविरुद्ध	२५५
४६ में विवाह की आयु	२२८	५६वें श्लोक का सही अर्थ	२५७
आठ विवाह और मनु की मान्यता	२३६	यज्ञ न करने से पाप	२५४
ब्रह्म विवाह का लक्षण एवं विवेचन	२३९	स्वर्ग से अभिप्राय	२५६
ब्रह्म विवाह ही स्वयंवर विवाह	२३९	'पितर' से अभिप्राय	२६८
देव विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण	२३९	पितरों में वेद का प्रमाण	२६९
देव किसको कहते हैं	२४०	पितरों की गणना और उनका अभिप्राय	२६९
ऋत्विज का प्रसंगानुकूल अर्थ	२४०	देव से अभिप्राय	२७१
आर्ष विवाह के विवाद का विवेचन	२४१	ऋषि से अभिप्राय	२७२
आर्ष विवाह का लक्षण	२४१	यज्ञ में लवणान्न की आहुति नहीं	२७४
ऋषि कौन है ?	२४२	अतिथि-सेवा यज्ञ-आयु-सुख- सौभाग्य वर्धक	२८३
प्रजापत्य विवाह का लक्षण एवं विवेचन	२४२	गृह्य-देवता	२८८
प्रजापति किनको कहते हैं	२४२	यज्ञ-शेष और शेषभुक्त भोजन में अन्तर	३२४
आसुर विवाह का लक्षण एवं विवेचन	२४३	चतुर्थ अध्याय	
'आसुर' किसको कहते हैं	२४३	हव्य-कव्य शब्दों का विवेचन	३३७
गन्धर्व विवाह का लक्षण एवं विवेचन	२४४	दीर्घ सन्ध्या से दीर्घ-आयु	
गन्धर्व किनको कहते हैं	२४४	आदि की प्राप्ति	३५५
राक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन	२४५	योगदर्शन से जन्मज्ञान की पुष्टि	३७०
राक्षस किनको कहते हैं	२४५	कर्मफल का भोक्ता कौन	३७७
पैशाच विवाह का लक्षण एवं विवेचन	२४५	धर्मवर्जित अर्थ	३७९
पैशाच किनको कहते हैं	२४५	धर्मवर्जित काम	३७९
		उत्तरकाल में असुखकारक धर्म	३८०
		लोकविकृष्ट धर्म	३८०

धर्म, अर्थ, काम का स्वरूप	३८०	योग की परिभाषा एवं	
दानग्रहण की धर्मविधि	३८३	योग से ईश्वरप्राप्ति	४८६
तीन प्रकार के असम्मान्य व्यक्ति	३८५	प्राणायाम के लक्षण	४८९
यम-सेवन के बिना पतन कैसे?	३८९	प्राणायाम के भेद	४८९
धर्मों और नियमों की गणना		प्राणायाम-मन्त्र	४९०
एवं व्याख्या	३८९	प्राणायाम से दोषों का निवारण	४९१
कर्मफल का भोक्ता कर्ता	४००	धारणा और प्रतहार-विवेचन में	
२४५ श्लोक में ब्राह्मण		योग के प्रमाण	४९२
शब्द से अभिप्राय	४०२	दर्शन एवं ध्यान योग विवेचन	४९३
		मोक्ष सुख का आश्रय परमात्मा	४९८
पंचम अध्याय		धर्म के लक्षणों की विशेष व्याख्या	५०१
		ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक	
		प्रयोग	
'गुरुजन' का अर्थ शलगम	४१०		५०३
परिगणित पदार्थों के अभक्ष्य			
होने में कारण	४११	सप्तम अध्याय	
४५वें श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता			
पर विचार	४२१		
'देहशुद्धिम्' पाठ मौलिक	४२५	राजा के आठ विशिष्ट	
दान से शुद्धि	४३८	गुणों की व्याख्या	५०६
यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण	४४१	वेद में राजा के आठ गुणों का वर्णन	५०८
'संस्थित' शब्द का विवेचन	४५३	दण्ड का आसंकारिक चित्र	५१५
		धर्म, अर्थ और काम का स्वरूप	५१५
षष्ठ अध्याय		धर्म का स्वरूप	५१५
		'विषमः' का अभिप्राय	५१७
		राजा वर्णाश्रम धर्मों का रक्षक	
वानप्रस्थ-धारण में ब्राह्मणग्रन्थों		होना चाहिए	५२०
के प्रमाण	४६०	राजा की जीवनचर्या और दिनचर्या	५२१
वानप्रस्थ-धारण में वेद के प्रमाण	४६१	श्लोकार्थ पर विचार	५२१
वैतानिक से अभिप्राय	४६३	राजा की जीवनचर्या और	
नक्षत्रों की गणना	४६४	कौटिल्य-अर्थ-शास्त्र	५२१
लवण शब्द विवेचन	४६५	राजा के अनुशासन-विषय में	
वानप्रस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुओं		कौटिल्य का मत	५२२
के निषेध में कारण	४६६	विद्याग्रहण के सम्बन्ध में कौटिल्य	
२६वें श्लोक की संगति का विवेचन	४७०	के विचार	५२४
'परिब्राजक' की व्युत्पत्ति	४७३	कौटिल्य के द्वारा इन्द्रियजय पर प्रकाश	५२५
संन्यास वानप्रस्थ से और सीधे		'तौर्गत्रिकम्', 'भृगया', 'स्त्रियः'	
गृहस्थ से भी	४७५	शब्दों पर विशेष विचार	५२७
संन्यासी द्वारा अभयदान	४७६	नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की	
गृहस्थ से संन्यास	४७६	परीक्षा-विधियाँ	५३०
'अनग्निः' का अभिप्राय	४७८	'इतिकर्तव्यता' का अभिप्राय	५३३
काल की प्रतीक्षा कैसे	४७९	राजा और अमात्यों के कार्यों	
इन्द्रियनिरोध में योग के प्रमाण	४८४		

४ विभाजन	५३५	मध्यम आदि चार मूलप्रकृति रूप	
कौटिल्य के अनुसार दूत के कार्य	५३५	राजाओं के लक्षण	५७७
कृत्य शब्द का राजनीतिपरक अर्थ	५३६	शेष अठ मूल प्रकृतिरूप	
इगित और आकार का अर्थ	५३६	राजाओं के लक्षण	५७८
कौटिल्य-अर्थशास्त्र में चार		बहतर प्रकृतियाँ	५७९
प्रकार के दुर्ग	५३८	त्रिविध मार्ग का मनुसम्मत अर्थ	५८८
कैतनिक और गृह्यकर्म	५४०	विभिन्न व्यूहों का परिचय	५८९
आप्त और बलि का विशेष अर्थ	५४१	मनुप्रोक्त युद्ध नीति के अंग	
कौटिल्य के अनुसार विभागाध्यक्ष	५४२	व्यूह रचना, शस्त्रास्त्रवर्णन	५९२
विपश्चित का अर्थ	५४२	'कालत्र' का प्रासंगिक और	
छिद्र का अर्थ	५४१	मनुसम्मत अर्थ	६०१
कौटिल्य द्वारा उद्धृत श्लोक	५४१	'विषाधहै : मन्त्रै : ' पदों के	
परिपन्थिन का व्याकरण	५४१	अर्थ पर विचार	६०१
गुह्यकरण से अभिप्राय	५४३	कौटिल्य-अर्थशास्त्र में राजा को	
मनुप्रोक्त नियन्त्रण केन्द्र और		भोजन सम्बन्धी निर्देश	६०१
कार्यालय व्यवस्था तालिका	५४४	कौटिल्य द्वारा यान आदि के प्रयोग	
कुल का अर्थ	५४६	में सावधानी का प्रयोग	६०३
मनुप्रोक्त कर्मचारी / अधिकारी		'स्त्रीभि : ' पद से अभिप्राय	६०३
तालिका	५४८	'स्त्रीवत्त : ' का मनुसम्मत अर्थ	६०५
कौटिल्य के अनुसार मन्त्रियों से		'स्त्रीवत्त : ' की कौटिल्य के	
सेवकों तक का भरण-पोषण व्यय	५६१	दृष्टिकोण से व्याख्या	६०५
मनुप्रोक्त कर-व्यवस्थाएँ सर्वप्राचीन		श्लोकवर्णन पर विचार	६०६
एवं सर्वाधिक मान्य	५६३	'भृत्य' शब्द के अर्थ पर विचार	६०७
'ब्राह्मणान् अर्च्य' का सही अभिप्राय	५६७	<u>अष्टम अध्याय</u>	
राजा की सामान्य दिनचर्या	५६८	मन्त्र और ब्राह्मण का विशेष	
मनुप्रोक्त राजा की दिनचर्या		अभिप्राय	६०८
तालिका	५६९	विनीत होने का उद्देश्य	६०८
कौटिल्य-प्रोक्त राजा की		मुहावरे पर विचार	६०९
दिनचर्या तालिका	५७०	न्यायप्रसंग में ब्राह्मण और	
'नि :शक्तो अरण्ये' का अभिप्राय	५७१	ब्रह्मसमा से अभिप्राय	६१२
मन्त्रणास्थल के सम्बन्ध में कौटिल्य		अधर्म शब्द से अभिप्राय	६१६
के विचार	५७१	साक्षी शब्द पर विचार	६३०
मन्त्र शब्द का राजनीतिपरक		साक्षीविशेषों के कथन का उद्देश्य	६३२
अर्थ	५७२	अन्त्येष्ट कौन ?	६३२
राजा द्वारा धर्म-काम-अर्थ पर चिन्तन	५७३	साक्षी परीक्षा निषेध का कारण	६३३
अष्टविध कर्मों के विवाद का		साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं	
समाधान	५७५	अर्वाचीन मुद्राओं से तुलना तालिका	६५८
मनुप्रोक्त राजा के अष्टविध कर्म	५७५	झूठी साक्षियों में अर्थदण्ड एवं	
पञ्चर्का से अभिप्राय	५७६	उनकी अर्वाचीन मुद्राओं से तुलना तालिका	६५८
अनुराग और अपराग	५७६	तोलने के प्रमाणों का उद्देश्य	

और तालिका	६५३	'त्रिदिव यांति' मुहावरा	८१३
कौटिल्य द्वारा वर्णित तालप्रमाण		तस्कर का अर्थ और व्युत्पत्ति	८१४
मुद्रार्ण और उनकी तालिका	६५४	औपधिक का अर्थ	८१५
कौटिल्य द्वारा वर्णित मुद्रार्ण	६५४	हिता का अर्थ और व्युत्पत्ति	८१९
पूर्व, मध्यम और उत्तम		अन्यत्र वर्णित भावों की पुष्टि	८२६
साहस की सीमा	६५५	वरुण-पाश का अर्थ	८२७
हिरण्य से विशेष अभिप्राय	६६९	नवम अध्याय के विभाजन पर	
चिन्हों के परिगणन से अभिप्राय	६८४	विचार	८३२
अन्यत्र विधान से पुष्टि	६९४	दशम अध्याय	
रामायण में उद्धृत मनुस्मृति		शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति	८३५
के श्लोक	७०६	वेदों में शूद्र को यज्ञ आदि	
साहस और चोरी का लक्षण	७११	का विधान	८३५
उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड	७१३	वर्ण चार हैं	८३९
नवम अध्याय		चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण	८४०
जाया शब्द की सिद्धि और इसमें ब्राह्मण		दस्यु से अभिप्राय	८५०
आदि के प्रमाण	७४०	अनार्य और उसके लक्षण	८५४
स्त्रियां लक्ष्मी रूप हैं	७४५	कर्मण्य वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट	
नियोग की विधि	७५५	विधान	८५८
देवर शब्द का अर्थ	७५६	श्लोक की पुष्टि में प्रमाण	८५९
वेदों में नियोग का विधान	६५६	वर्ण परिवर्तन का उदाहरण	८५९
श्लोक की मौलिकता का आधार	७६०	एकादश अध्याय	
नियोगव्यवस्था प्राचीन परम्परागत		प्रायश्चित्त का अर्थ और उद्देश्य	८९१
एवं कौटिल्य द्वारा उसका समर्थन	७६२	योगदर्शन में 'कृच्छ्र' आदि व्रतों	
उद्धार-भाग का विभाजन	७७३	का उद्देश्य	९३२
उद्धार-भाग का विधान क्यों	७७३	महाव्याहृतियुक्त होम मन्त्र	९३६
स्वधा का मनुसम्मत अर्थ	७७७	पवित्रताकारक मन्त्र	९३८
पुत्रिका धर्म	७७७	प्रायश्चित्त से पाप-फल नहीं, पाप	
पुत्र-पुत्री आत्मा रूप	७७८	भावना से मुक्ति	९३९
पुत्र का अर्थ और उद्देश्य	७८२	इस मान्यता की तुलना	९३९
१४७ श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता		आपत्काल में दान द्वारा पाप भावना	
पर विचार	७८५	से मुक्ति पर विचार	९४०
१७६ श्लोक की मौलिकता एवं		शाकलहोमीय मन्त्र	९४८
प्रसंगसम्बद्धता में युक्तियाँ	७९२	त्रयीविधा से अभिप्राय एवं	
ज्ञात से ज्ञानि	८०४	अन्यत्र वर्णन	९५०
वेदों में जूए का निषेध	८०४	२६५ श्लोक के भाव का अन्यत्र वर्णन	९५१
कुशीलव का अर्थ	८०५	द्वादश अध्याय	
मुहावरे का प्रयोग और उसका अर्थ	८०७	४८ वें श्लोक के प्रचलित	
लोककण्टक से अभिप्राय	८१३	अर्थ में अशुद्धि	९६५

वें श्लोक के प्रचलित अर्थ	जाति का अर्थ जन्म	११०
शुद्धि	मूर्खों द्वारा धर्म से हानि	११०
वें श्लोक के प्रचलित अर्थ में	सर्वत्र परमात्मा के अनुभवज्ञान से	
दे	अधर्म निवृत्ति	११२
तेवशित्व सिद्धि का विवेचन	परमात्मा ही सब देवताओं का देवता	११२
श्लोक में पाठ भेद	परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन	११४
राज्यम् का अर्थ	११२ श्लोक की वेदमन्त्रों से तुलना	११४
श्लोक की वेदमन्त्र से तुलना	परमात्मा के गौण नाम और उनके अर्थ	११५
याजी की व्युत्पत्ति एवं अर्थ	१२४ श्लोक के भाव का अन्यत्र वर्णन	११७
रु काल से अभिप्राय	उपर्युक्त स्वरूप वाला परमात्मा जगत् का	
गवना का विनाश	उत्पत्ति-कर्ता और उसमें वेदों-	
। का अर्थ	उपनिषदों के प्रमाण	११८
प्रमाण और उनके लक्षण	सब प्राणियों में आत्मवत् भाव एवं	
से अभिप्राय	परमात्मदर्शन से मुक्ति	११९
विद्या		१८९



मनुस्मृति
का
पुनर्मूल्यांकन
(भूमिका भाग)

भूमिका — विषयानुक्रम

प्रथम अध्याय — मनुस्मृति-महत्ता, रचयिता, काल, एवं आद्यरूप

१. मनुस्मृति की महत्ता एवं प्रभाव पृ. १, भारत में मनुस्मृति का प्रभाव एवं महत्त्व ३, विदेशों में मनुस्मृति का प्रभाव ५ ।
२. मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता कौन ? ७, स्वायंभुव मनु ७, वैवस्वत मनु १२, मरुप्रोक्त १४, ब्रह्मा प्रोक्त १७ ।
३. मनु और मनुस्मृति काल-निर्णय २१, स्वायंभुव मनु का काल २१, मनु के आदिपृष्टि में होने से अभिप्राय २३ ।
४. वर्तमान मनुस्मृति का रचनाकाल २५, निष्कर्ष ३० ।
५. मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाधान ३२, मनुस्मृति और उसकी भाषा ३४ ।
६. मनुस्मृति का आद्यरूप ३६ ।

द्वितीय अध्याय — मनुस्मृति और प्रक्षेप

१. मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता एवं उपयोगिता ३८ ।
२. प्रक्षेप से अभिप्राय ३८ । ३. क्या मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हैं ? ३९ ।
४. ग्रन्थों में प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति और मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में निहित प्रवृत्तियाँ ४५ । ५. प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और उनके प्रमाण ५१, विषयविरोध ५४, प्रसंगविरोध ५५, अन्तर्विरोध ६०, पुनरुक्तियाँ ६२, शैलीगत आधार ६४, अवान्तरविरोध ६९, वेदविरोध ७० । ६. प्रक्षेपों से हानियाँ एवं भ्रान्तियाँ ७३ ।

तृतीय अध्याय — मनु की प्रमुख मौलिक मान्यताएँ और उनके आधार

१. कर्मणा वर्णाव्यवस्था ७७, २. मांस भक्षण एवं पशुयज्ञ पाप ८८, ३. मृतकभ्रातृ परवर्ती ९१, ४. नियोगप्रथा ९४, ५. स्त्रियों विषयक धारणाएँ ९६, ६. शुद्धविषयक धारणाएँ १००, ७. स्वर्ग-मरक १०१, ८. प्रेतशुद्धि आहन्वर १०२, ९. वेदविषयक अनुध्याय १०४, १०. प्रायश्चित्त अर्थ, उद्देश्य १०६, ११. दायभाग का वितरण १०६, १२. मनुस्मृति में विवाह की आयु १०८, १३. मनुस्मृति में ऋषि, देव, पितर, गन्धर्व, असुर, राक्षस, पिशाच, दस्यु, आर्य-अनार्य ११०, १५. मनु और वेद ११९ ।

चतुर्थ अध्याय —

१. मनुस्मृति में अध्याय विभाजन अमौलिक १२०, मनुस्मृति के प्रकरण १२४, ३. मनुस्मृति में वर्णाश्रमधर्मों के वर्णन की पद्धति १२५ ।

पंचम अध्याय — महर्षि दयानन्द और मनुस्मृति

१. मनुस्मृति का गौरववर्धन १२७, २. महर्षि के अर्थों एवं भावों का ग्रहण १२८, ३. सर्वप्रथम प्रलेप-निर्देशक १२९, ४. महर्षि के श्लोकों का प्रक्षेपान्तर्गमन १३० ।

प्रथम अध्याय

[मनुस्मृति — महत्ता, रचयिता, काल एवं आद्यरूप]

१. मनुस्मृति की महत्ता एवं प्रभाव

भारतीय साहित्य में मनुप्रोक्त स्मृति का 'मनुस्मृति' 'मनुसंहिता' 'मानवधर्मशास्त्र' 'मानवशास्त्र' अदि कई नामों से उल्लेख आता है। मनुस्मृति भारतीय साहित्य में सर्वाधिक चर्चित धर्मशास्त्र है, क्योंकि अपने रचना काल से ही यह सर्वाधिक प्रामाणिक, मान्य एवं लोकप्रिय ग्रन्थ रहा है। स्मृतियों में इसका स्थान सबसे ऊँचा है। यही कारण है कि परवर्ती काल में अनेक स्मृतियाँ प्रकाश में आयीं किन्तु मनुस्मृति के प्रभाव के समक्ष टिक न सकीं, अपना प्रभाव न जमा सकीं; जबकि मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक बना हुआ है।

मनुस्मृति एक विधि-विधानात्मक शास्त्र है। इसमें उहाँ एक ओर वर्णाश्रम धर्मों के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मों, नैतिक कर्तव्यों, मर्यादाओं, आचरणों का वर्णन है, वहाँ केष्ठ समाज-व्यवस्था के लिए विधानों = कानूनों का निर्धारण भी है, और साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण है। यों कहिये कि यह मौलिक एवं अध्यात्मिक शिक्षाओं का मिला-जुला अनूठा धर्मशास्त्र है। इस प्रकार यह व्यक्ति एवं समाज के लिए धर्मशास्त्र एवं आचारशास्त्र है, तो साथ ही सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप में रखने के लिए 'संविधान' भी है।

मनुस्मृति को इतना अधिक महत्वशाली, सम्मान्य तथा लोकप्रिय बनाने वाले कारणों में उहाँ इसके व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी, व्यावहारिक एवं युक्तियुक्त विधि-विधान हैं, वहाँ इसकी प्राचीनता एवं वेदानुकूलता भी उल्लेखनीय कारण हैं। सर्वप्राचीन, सर्वाधिक मान्य और श्रद्धेय होने से वेद ही समस्त भारतीय साहित्य के मूलस्रोत हैं तभी तो मनु ने भी वेदों को ही प्रधानरूप से अपनी स्मृति का आधार बनाया है। उनकी दृढ़ मान्यता है कि —

“वेदोऽखिलो धर्ममूलम्” (मनु २।६)

अर्थात् — वेद ही धर्म के मूलधार हैं।

मन्त्राणों के साक्षात्द्रष्टा ऋषि-मुनियों ने वेदों के मौलिक सिद्धान्तों को समझकर ही वेदांग शास्त्रमण, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि ग्रन्थों की रचना की, जिससे मानव, ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान को छोड़कर अपने चरमलक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। मनु ने भी मनुस्मृति में वर्णों एवं आश्रमधर्मों के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मो-कर्तव्यों, विधानों का वर्णन वेद के आधार पर ही किया है और धर्म जिज्ञासा में वेद को ही परम प्रमाण माना है —

“धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः” (मनु. २।१३)

अर्थात् — धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है। उसी से धर्म-अधर्म का निश्चय करें।

मनु की वेदों के प्रति गहन श्रद्धा है। वे वेदों को अपौरुषेय मानने हैं^१ क्योंकि वेदज्ञान

१. २।८-९।।

२. “विधानस्य स्वयन्मुखः। अधिव्यवस्थाप्रमेयस्य... (मनु. १।३)

अपौरुषेय होने से निर्रान्त ज्ञान है, धर्म का मूल स्रोत है एवं परमप्रमाण है, अतः वह कुतर्क द्वारा खण्डनीय नहीं है । जो कुतर्क आदि का आश्रय लेकर वेदज्ञान का खण्डन, अवमानना या निन्दा करता है, उसे वे 'नास्तिक' जैसे तिरस्कारपूर्ण शब्द से सम्बोधित करते हैं—

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये तान्या धर्मो हि निर्बन्धो ॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ (मनु. २।१०-११)

अर्थात्—श्रुति और स्मृतिग्रन्थों की किसी भी अवस्था में आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से धर्म की उत्पत्ति हुई है । वही धर्म के मूल स्रोत हैं । जो व्यक्ति तर्कशास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क आदि से उनकी अवमानना-निन्दा करता है, साधु-श्रेष्ठ लोगों को चाहिए कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दें; क्योंकि वेद की निन्दा करने वाला वह व्यक्ति नास्तिक है ।

मनुस्मृति को गौरव प्रबल कराने वाले कारणों में यह कारण भी विशेष स्थान रखता है कि मनु अपने समय के एक प्रख्यात, तत्त्वद्रष्टा धर्मवेत्ता ऋषि थे और अपने समय में धर्मनिष्ठ, न्यायकारी प्रजाप्रिय शासक रहे थे । इसका प्रमाण मनुस्मृति की भूमिका में उल्लिखित वचनों से मिलता है । विशाशु ऋषियों ने धर्मज्ञान के लिए महर्षि मनु को चुना, क्योंकि अपने समय के वही एकमात्र अधिकारी एवं विशेषज्ञ विद्वान् थे जो धर्मों को यथार्थरूप में बतला सकते थे । धर्मों के मूलस्रोत अपौरुषेय अचिन्त्य अपरिमित ज्ञान वाले वेदों के ज्ञाता और उनमें निर्दिष्ट धर्मों के ज्ञाता केवल मनु ही हैं, ऐसा ऋषियों ने अनुभव किया^३ । निश्चय ही मनु 'अमितौजा' = अत्यधिक ज्ञानशक्ति से सम्पन्न व्यक्ति थे ।^४ इस बात से भी उनकी अगाध विद्वत्ता का संकेत मिलता है कि उन्होंने धर्मप्रवचन का अधिकार केवल उन्हीं विद्वानों को दिया है "जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हुए धर्मपूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हैं और जिन्होंने वेदार्थों का प्रत्यक्ष किया है, वे ही धार्मिक और परोपकारी विद्वान् धर्मनिर्णय करने के अधिकारी हैं"^५ । उन्हीं के वचन और आचरण धर्म में प्रमाण माने जा सकते हैं ।^६ जो व्यक्ति धर्मनिर्णय में केवल उपर्युक्त विद्वानों को ही प्रमाण मान रहा है, वह स्वयं विशिष्ट विद्वान् अवश्य रहा होगा, फिर ऐसे अधिकारी विद्वान् द्वारा प्रोक्त धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता और महत्ता को कौन नहीं स्वीकार करेगा ?

यही कारण है कि समस्त भारतीय साहित्य में मनु के वचनों को आदर की दृष्टि से देखा गया है और प्रामाणिक माना है । यहाँ कुछ भारतीय एवं भारतीयतर प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनसे मनुस्मृति की महत्ता, प्रामाणिकता प्रभावशालिता एवं लोकप्रियता का निश्चय आसानी से किया जा सकता है ।



३. "भगवन् . . . धर्मान् नः वक्तुमर्हसि ॥ न्वमेकोद्दयस्य सर्वस्य विज्ञानस्य स्वयंभुवः । अचिन्त्यस्या-
ग्रमेवस्य कार्यतत्त्वार्थविन्धमो ॥ मनु. १।२-३ ॥

४. 'स तेः पृष्ठस्तथा सम्यक्-अमितौजा' ॥ मनु. १।४ ॥

५. 'यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रुवुः स धर्मः स्यादशकितः ॥ धर्मोनाधिगतो वैस्तु वेदः सपरिवृत्तः । ने शिष्ट्य
ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिग्रन्थकमेतवः ॥ मनु. १२।१०८-१०९ ॥

६. १२।११३, १०६, ११०-११२ ॥

(क) भारत में मनुस्मृति का प्रभाव एवं महत्त्व

मनुस्मृति का आचरण क्या था, इस विषय में आगे इसी अध्याय में विचार किया जायेगा। यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मनु के धर्मशास्त्र का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा है। इसकी पुष्टि कई संहिताग्रन्थों, ब्राह्मणग्रन्थों में लगभग एक जैसे रूप में पाये जाने वाले निम्न वाक्य से हो जाती है —

“मनुर्वै यत्किञ्चावदत् तद् मेवजम्”^७

अर्थात् — मनु ने जो कुछ कहा है, वह मानवों के लिए मेवज = औषध के समान कल्याणकारी एवं गुणकारी है।

ब्राह्मणग्रन्थों का यह वचन यह सिद्ध करता है कि उस समय मनु के धर्मशास्त्र को प्रामाणिक माना जाता था। धर्मनिश्चय में उसका सर्वाधिक महत्त्व था। एक ही रूप में कई ग्रन्थों में पाया जाने वाला यह वाक्य इस बात की ओर भी इंगित करता है कि मनु का धर्मशास्त्र उस समय इतना लोकप्रिय हो चुका था कि वह औषध के तुल्य हितकारी, गुणकारी के रूप में स्वीकृत था। तभी तो उसके विषय में यह उक्ति भी प्रसिद्ध हो चुकी थी।

निर्गुणतत्वात् में महर्षि यास्क ने दायभाग में पुत्र और पुत्री के समान अधिकार के विषय में किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उद्धृत करके मनु के मत का उल्लेख किया है^८। मनु का यह समानाधिकार सम्बन्धी मत प्रचलित मनुस्मृति के १।१३०, १९२, २१२ श्लोकों में वर्णित है^९। इससे भी मनु के वचनों की विशेष प्रामाणिकता और महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है।

वाल्मीकि रामायण में, बालि और सुग्रीव के परस्पर युद्ध के अवसर पर राम द्वारा बालि का वध किये जाने पर चायल बालि राम के इस कृत्य को अनुचित एवं अघमनिकूल ठहराता है। तब राम अपने इस कृत्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति के वचनों का सहारा लेते हैं और ये श्लोक उद्धृत करके अपने कार्य को अघमनिकूल सिद्ध करते हैं^{१०}। वे दोनों श्लोक प्रचलित मनुस्मृति में किञ्चित् पाठान्तर से ८।३१६, ३१८ में पाये जाते हैं। इन वचनों से भी ज्ञात होता है कि उस समय मनुस्मृति को धर्मनिश्चय में अत्यधिक प्रामाणिकता, प्रसिद्धि, मान्यता और महत्ता प्राप्त थी।

महामारत में अनेक स्थलों पर मनु को विशिष्ट प्रामाणिक स्मृतिकार के रूप में वर्णित किया है^{११}। महामारत के निम्न श्लोक से ज्ञात होता है कि उस समय मनु के वचनों को कुतर्क आदि के द्वारा अकार्य माना जाता था —

पुराणं मानवो धर्मः सांगोपांगचिकित्सकः ।

आज्ञासिद्धानि चत्वारि, न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ (मह.)

७. तैत्ति. सं. २।२।१०।२; ३।१।१।४ ॥ ता. ब्रा. २३।१६।७ ॥

८. निरु. ३।४ ॥ कर्षं संहित श्लोक इष्टव्य है, — मनु. का. पु. प्रथम अध्याय ‘मनु कलनिर्णय’ शीर्षकान्तर्गत ।

९. चर्येयान्वा तथा पुत्रः पुत्रेण वृद्धिना समा ।

तस्याजान्वाभि लिष्टान्वा कथमान्यो धनं हरेत् ॥ १९।१३० ॥

— औसी अपनी आत्मा है, कैसा ही पुत्र होता है, और पुत्र के समान ही पुत्री होती है; उस आत्मारूप पुत्री के रहते हुए कोई दूसरा धन को कैसे ले सकता है, अर्थात् पुत्र के साथ पुत्री भी धन की अधिकारिणी होती है ॥ इष्टव्य मनु. १।१९२, और २।१२ भी ॥

१०. किरिक. १८।३०, ३२ ॥ अर्थात्सहित श्लोक इष्टव्य है — मनु. का. पु. प्रथम अध्याय, ‘मनुस्मृति कलनिर्णय’ शीर्षकान्तर्गत ।

११. महा. आदि. ७३।८९ ॥ अन्ति. ३६।३ ॥ अन्ति. ४६।३३; ११।८।२६; १२।१।१०, १२; २०।१।३२-३३^१ ३३।१।४४, ४६ आदि ॥

अर्थात् — पुराण^{१२} अर्थात् ब्राह्मण ग्रन्थ, मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म, सांगोपांग चिकित्सक, धार्मिक विद्वानों की आज्ञा से सिद्ध कार्य, इन चारों का हेतुशास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क आदि द्वारा खण्डन नहीं करना चाहिए ।

आचार्य बृहस्पति ने तो अपनी स्मृति में स्पष्ट शब्दों में मनुस्मृति को सर्वोच्च स्मृति घोषित किया है । उसकी प्रामाणिकता और महत्ता की उद्धोषणा करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं —

वेदार्थोपनिबद्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम् ।

मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते ॥

सावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्कव्याकरणानि च ।

धर्मार्थमोक्षोपदेष्टा मनुर्वाचन् दृश्यते ॥ (बृह. स्मृति)

अर्थात् — वेदार्थों के अनुसार रचित होने के कारण सब स्मृतियों में मनुस्मृति ही सबसे प्रधान एवं प्रशंसनीय है । जो स्मृति मनु के अर्थ के विपरीत है, वह प्रशंसा के योग्य अथवा ग्राह्य नहीं है । तर्कशास्त्र, व्याकरण आदि शास्त्रों की शोभा तभी तक है, जब तक धर्म, अर्थ, मोक्ष का उपदेश देने वाला मनु नहीं होता अर्थात् मनु के उपदेशों के समक्ष सभी शास्त्र निस्तेज, प्रभावहीन प्रतीत होते हैं ।

इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रसिद्ध लेखक-व्याख्याकार हुए हैं जिन्होंने अपने मत के समर्थन में या अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए मनु के वचनों को उद्धृत किया है और इस प्रकार अपने ग्रन्थ का गौरव बढ़ाया है ।

बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने, जो राजा कनिष्क का समकालीन था, जिसका कि समय प्रथम शताब्दी माना जाता है, अपनी 'वज्रकोपनिषद्' कृति में अपने पक्ष के समर्थन में मनु के श्लोकों को उद्धृत किया है । विश्वरूप ने अपने यजुर्वेदभाष्य और याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य में मनु के अनेक श्लोकों को उद्धृत किया है । शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रभाष्य में मनुस्मृति के पर्याप्त उद्धरण दिये हैं ।^{१३} ५०० ई. में जैमिनि सूत्रों के भाष्यकार शंकरस्वामी ने अपने भाष्य में मनु के अनेक वचनों का उल्लेख किया है । याज्ञवल्क्य स्मृति के एक अन्य भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने याज्ञ. स्मृति के श्लोकों की पुष्टि के लिए मनु के श्लोकों को पर्याप्त संख्या में उद्धृत किया है^{१४} । गौतम, वशिष्ठ, आपस्तम्ब, आश्वलायन, जैमिनि, बौधायन आदि सूत्रग्रन्थों में भी मनु का आदर के साथ उल्लेख है ।^{१५} आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत-से स्थलों पर मनुस्मृति को आधार बनाया है, और कई स्थलों पर मनु के मतों का उल्लेख किया है ।^{१६} इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे ग्रन्थ हैं, जिन्होंने अपनी प्रामाणिकता और गौरव बढ़ाने के लिए अथवा मनु के मत को मान्य मानकर उद्धृत किया है ।^{१७}

अठारहवीं शताब्दी में मनुस्मृति को सर्वाधिक महत्त्व आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द ने

१२. निरुक्त ३।१५ में पुराण शब्द का निर्वचन करते हुए कहा है — 'पुरा न च मन्वादि' अर्थात् जो पहले नथ 'य', अब नहीं । इस प्रकार पुराण शब्द ब्राह्मण और ऐतिहासिक ग्रन्थों का सूचक है । इसी के आधार पर बाद में ऐतिहासिक ग्रन्थों का 'पुराण' नाम रखा गया । वहाँ पुराण शब्द से १८ पुराणों का ग्रहण नहीं करना चाहिये ।

१३. विश्वरूप याज्ञ. स्मृ. भाष्य १।४४ ॥ कौ. सू. भाष्य १।३।२८, ३६; २।११, १६; ३।११४; ३।४।३८; ४।२।३६ ॥

१४. याज्ञ. स्मृ. १।७. ५३, ६२, ६८, ७२, ७९, ८०; २।१, २, ५, २१, २६ आदि ॥

१५. गौ. सू. २।१७ ॥ वासि. सू. १।१७ ॥ आप. सू. २।१४।११ ॥ आप. श्रौ. ३।१०।३५ ॥ ३।१।७ ॥ आश्व. श्रौ. १।७।१२; १०।७।१२ ॥ जै. गृ. १।२४ ॥ जै. सू. ४।१।१४, २६ ॥

१६. कौ. तर्क. प्र. १।३, १ ॥ प्र. १०।७, १४ ॥

१७. जैसे हि स्मृतिचन्द्रिका, निर्णयसिन्धु, संस्कारमयूख, श्रीमत्समावृत, दानहेमादि, इतहेमादि आदि ।

दिया । उन्होंने केवल मनुस्मृति को ही आर्थ एवं प्रामाणिक धर्मशास्त्र घोषित किया और अपने मन्तव्यों का आधार बनाया । उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के लगभग ५१४ श्लोकों या श्लोकखण्डों को प्रमाणरूप में उद्धृत किया है ।

इनके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत सारे ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें किसी अन्य ग्रन्थ का वचन उद्धृत है, जिनमें कि मनु के मत का उल्लेख है, या मनु के नाम से कोई मान्यता निर्दिष्ट है । यद्यपि इनमें बहुत से श्लोक ऐसे भी हैं जो न तो वर्तमान मनुस्मृति में मिलते हैं और न अन्य किसी स्मृति में । यह भी संभव है कि अपने पक्ष की पुष्टि के लिए लोगों ने मनु के नाम से स्वयं ही श्लोक रच लिये हों । यहाँ इस विवाद में न पड़कर केवल इतना कहना ही प्रासंगिक होगा कि इन सब बातों से मनु के एकछत्र प्रभाव का संकेत अवश्य मिलता है ।

प्राचीन काल से मनुस्मृति के अनुकूल आचरण को भी प्रतिष्ठा सूचक माना जाता रहा है । वलभी के राजा धारसेन का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो ५७१ ई. का है । उसमें उस राजा को मनु के धर्मनियमों का पालनकर्ता कहकर उसकी विशेषता बतलायी गयी है ।

सभी स्मृति-ग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों में प्राचीनकाल से लेकर अब तक सर्वाधिक टीकाएँ एवं भाष्य मनुस्मृति पर ही लिखे गये हैं और अब भी लिखे जा रहे हैं । यह भी मनुस्मृति की सर्वोच्चता एवं सर्वाधिक प्रमत्तिता का द्योतक है ।^{१८}

आजकल भी पठन-पाठन, अध्ययन-मनन में मनुस्मृति का ही सर्वाधिक प्रचलन है । हिन्दू कोड बिल एवं सविधान का प्रमुख आधार मनुस्मृति को माना जाता है । आजकल भी न्यायालयों में न्याय दिलाने में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है । सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रसंग में मनुस्मृति का उल्लेख अनिवार्यरूप से होता है और इससे मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाता है ।

(ख) विदेशों में मनुस्मृति का प्रभाव

भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनुस्मृति का प्रभाव रहा है और इसे महत्त्व मिला है । श्रीलङ्का के एक शिलालेख में मनु का निम्न श्लोक उद्धृत मिलता है —

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।

एतानि मान्यस्यानानि गरीयो यद्बुद्धरम् ।। (२।१३६)

बालि, स्याम और जावा के विधान मनुस्मृति से पर्याप्त साम्यता रखते हैं । वर्मा का 'धम्मथट' मनुस्मृति से ही प्रेरित प्रतीत होता है । नेपाल का विधि-विधान, आचार, मनुस्मृति का ही अनुकरण करता है ।

फिलिपीन द्वीप के नये लोकसभा भवन के सामने उस देश की संस्कृति के निर्माण में आधारभूत योगदान देने वाले चार व्यक्तियों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गयी हैं, जिनमें एक महर्षि मनु की है ।

इस प्रकार मनु और मनु के शास्त्र का महत्त्व एवं प्रभाव देश-विदेश में प्राचीन काल से लेकर अजन्तक-अल्पाधिक रूप में सदैव रहा है । उक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि स्मृतिग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति ही सर्वाधिक प्रामाणिक, प्रभावशाली, लोकप्रिय एवं मान्यताप्राप्त ग्रन्थ है ।

१८. मेघातिथि से लेकर अब तक लगभग दस संस्कृत भाष्य उपलब्ध हैं और सञ्ज्ञित-तथा पूर्ण मनुस्मृति पर कुल मिश्रकर लगभग तीस हिन्दी टीकाएँ उपलब्ध हैं ।

मनुस्मृति अपनी अनेक विशेषताओं के कारण सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर पायी है । किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे उत्तम और प्रसिद्ध धर्मशास्त्र का पठन-पाठन क्षीण होता जा रहा है । इसके प्रति लोगों के मन में अग्रदा की भावना घर करती जा रही है । इसका कारण है — 'मनुस्मृति में प्रक्षेपों की भरमार होना' । प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति का उज्ज्वलरूप गन्दा एवं विकृत हो गया है । परस्परविरुद्ध, प्रसंगविरुद्ध एवं पक्षपातपूर्ण वर्णनों से मनुस्मृति की गरिमा विलुप्त हो गई है । एक महान् तत्त्वद्रष्टा ऋषि के अनुपम शास्त्र को प्रक्षेपकर्ताओं ने विविध प्रक्षेपों से दूषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ, अपितु महर्षि मनु के साथ भी अन्याय किया है ।



२. मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता कौन ?

अतिप्राचीन काल से अध्यायधि पर्यन्त भारतीय वाङ्मय, संस्कृति-सम्पत्ति, धर्म, आचार-व्यवहार, कानून, पठन-पाठन आदि प्रत्येक क्षेत्र पर अपना न्यूनाधिक प्रभाव बनाये रखने वाले मनुस्मृति या मानवधर्मशास्त्र जैसे विशिष्ट ग्रन्थ का मूल प्रवक्ता या रचयिता सम्बन्धी प्रश्न आज विवादों शंका-संदेहों के भंवर में फंसा हुआ है, यह आश्चर्य की बात है। यद्यपि इस विवाद के बीच पूर्वकालीन साहित्य में भी पाये जाते हैं, किन्तु आधुनिक अनुसन्धान ने इसे वृक्ष का रूप दे दिया तथा लेखकों ने अपनी-अपनी उल्लासों, कल्पनाओं, अटकलों से इसे विवादास्पद बना दिया।

मनुस्मृति में हुए प्रक्षेप भी इसमें प्रमुख कारण हैं, अतः आज इस बात की अति-आवश्यकता है कि प्रक्षेपों का अनुसन्धान, निर्धारण करके उसके पश्चात् मनुस्मृति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया जाये। तभी निर्विघ्न निष्कर्ष निकल सकते हैं।^१ मनुस्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता के सम्बन्ध में इस समय चार मत प्रचलित हैं —

१. मनुस्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता स्वायम्भुव मनु हैं।
२. मनुस्मृति वैवस्वत मनु द्वारा प्रोक्त या रचित है।
३. मनुस्मृति भृगुप्रोक्त है।
४. मनुस्मृति ब्रह्माप्रोक्त है।

आगे इन सभी मतों के पक्ष-विपक्ष पर सप्रमाण और प्रक्षिप्त श्लोकों की विवेचनापूर्वक विचार किया जाता है।

१. मनुस्मृति के प्रवक्ता — स्वायम्भुव मनु

अधिकांश विचारक इस मत से सहमत हैं कि मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता मनु है और वह भी स्वायम्भुव मनु ही है। मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। इस सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री के आधार पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है — क, अन्तःसाक्ष्य के आधार पर, और ख, बाह्यसाक्ष्य के आधार पर। प्रथम अन्तःसाक्ष्य को ही लेते हैं —

क. अन्तःसाक्ष्य के आधार पर

अन्तःसाक्ष्यों पर विचार करते समय पहले मनुस्मृति की रचनाशैली को समझना आवश्यक है।

१. मनुस्मृति की शैली — मनुस्मृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनुस्मृति की रचनाशैली 'प्रवचनशैली' है, अर्थात् मनुस्मृति मूलतः प्रवचन है। बाद में मनु के शिष्यों ने उनका संकलन करके उसे एक शास्त्र या ग्रन्थ का रूप दिया है। मनुस्मृति के भूमिकारूप, प्रथम अध्याय के पहले चार श्लोकों के "मनुम् अभिगम्य महर्षयः वचनमब्रुवन्" [१।१], "भगवन् सर्ववर्णानां धर्मानो वक्तुमर्हसि" [१।२] "त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य कार्यतत्त्वार्थवित प्रभो" [१।३] "प्रत्युवाच महर्षीन्

१. लेखक ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्धान करके अन्तःसाक्ष्यसिद्ध सात मानकों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए ज्ञेय है — मनु, क. पु. शिरीष अध्याय एवं सम्पूर्ण मनुस्मृति में उन मानकों पर समीक्षा।

‘श्रूयताम् इति’ [१।४] आदि वचनों से ज्ञात होता है कि अपने मूलरूप में मनुस्मृति महर्षियों की विज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचनरूप में है। ये सभी श्लोक और विशेषरूप से ‘सः सैः पृष्टः’ [१।४] पदप्रयोग यह सिद्ध करता है कि इसे बाद में अन्य व्यक्ति ने संकलित किया है। यह प्रवचनों के रूप में सुना-सुनाया गया है, इसी कारण इसके प्रत्येक प्रसंग के प्रारम्भ या अन्त अथवा दोनों स्थानों पर सुनने-सुनाने वाली क्रियाओं का प्रयोग है, यथा — ‘वक्तुमर्हसि’ [१।२], ‘श्रूयताम्’ [१।४], ‘तत्तथा वोऽभिधास्यामि’ [१।४२], ‘एषा समासेन प्रकीर्तिता ... वर्णधर्मान्निबोधत’ [१।१४४ (२।२५)], ‘एष प्रोक्त ... कर्मयोगं निबोधत’ [२।४३ (३८)], ‘स्त्रीविवाहान्निबोधत’ [३।२०], ‘एददोऽभिहितः ... श्रूयतामिति’ [३।२८६], ‘एषोदिता’ [४।२५९], ‘प्रवक्ष्यामि’ [५।५७], ‘वः प्रोक्तः ... शृणुत निर्णयम्’ [५।११०], ‘उक्तो वः ... धर्मान्निबोधत’ [५।१४६], ‘एष वोऽभिहितः ... राज्ञां धर्मं निबोधत’ [६।९७], ‘राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि’ [७।१], ‘तत्तदोऽहं प्रवक्ष्यामि’ [७।३६], ‘एष उक्तः’ [८।४०९], ‘दायभागं निबोधत’ [९।१०३], ‘एषोऽखिलः उक्तः’ [९।३२५], ‘एषः कीर्तितः ... परं प्रवक्ष्यामि’ [१०।१३१], ‘तान्वोऽभ्युपायान् वक्ष्यामि’ [११।२१०], ‘एष वोऽभिहितः ... इमं निबोधत’ [११।२२६], ‘समासेन वक्ष्यामि’ [१२।३९], ‘इदं निबोधत’ [१२।८२] आदि।

और मौलिक संकलन वही कहाता है जो मूलप्रवक्ता की बातों का यथावत् रूप में संकलन किया गया हो।

यह भी ध्यान देने की बात है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति में प्रारम्भ से अन्त तक कहने-सुनाने की क्रियाओं में उत्तम पुरुष का प्रयोग है — ‘अभिधास्यामि’ [१।४२], ‘प्रवक्ष्यामि’ [५।५७], ‘राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि’ [७।१], ‘अहं प्रवक्ष्यामि’ [७।३६], ‘परं प्रवक्ष्यामि’ [१०।१३१], ‘वक्ष्यामि’ [११।२१०], ‘समासेन वक्ष्यामि’ [१२।३९], आदि।

इस शैली की पुष्टि निम्नलिखित में वर्णित इस तथ्य से भी होती है कि अत्यन्त प्राचीन काल में साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों द्वारा प्रवचनों, उपदेशों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। और वह शिष्य-परम्परा के रूप में सुरक्षित रहती थी, लिपिबद्ध ग्रन्थों को पढ़ाकर नहीं। लिपिबद्ध ग्रन्थों के माध्यम से विद्याओं की शिक्षा की परम्परा पर्याप्त समय पश्चात् आयी, जब लोग उपदेशग्रहण करने में आलस्य उदासीनता और उत्साहहीनता प्रदर्शित करने लगे^{२०}। महर्षि दयानन्द की मान्यता के अनुसार सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के समय उपदेशों को लिपिबद्ध करने की परम्परा प्रचलित होने लगी थी।^{२१} इस प्रकार हम कह सकते हैं —

मनुस्मृति की प्रवचन शैली, १।१-४ श्लोकों में वर्णित घटना — जिसमें कि महर्षि लोग केवल मनु के पास धर्मविज्ञासा लेकर आते हैं और फिर मनु ही उनका उत्तर देते हैं, तथा सम्पूर्ण मनुस्मृति में प्रारम्भ से अन्त तक मनु द्वारा १।४ से प्रारम्भ की गई कहने-सुनाने की क्रियाओं

२०. साक्षात्कृतधर्मा ऋषयो बभूवुः, तेष्वरेभ्यो साक्षात्कृतधर्मस्य उपदेशेन भन्त्रान् संप्रापुः। उपदेशाय ग्राह्यन्तोऽवरे बिलम्बग्रहणायैव ज्ञानं समाम्नासिष्वर्षेभ्यः च वेदांगानि च। [निर. १।१९]

२१. उपदेश मञ्जरी, नवम उपदेश, पृ. ६२।

का उत्तम पुरुष एकवचन में प्रयोग, ये बातें यह सिद्ध करती हैं कि मनुस्मृति का प्रवक्ता मनु ही है।

यहाँ प्रसंगवश १।१-४ श्लोकों से सम्बन्धित शंका का समाधान करना भी आवश्यक है। कुछ लोगों का कथन है कि मनुस्मृति की भूमिका रूप ये श्लोक मौलिक श्लोकों के रूप में परिगणित नहीं किये जाने चाहिये क्योंकि ये मनुप्रोक्त नहीं हैं, और न ही इन्हें प्रामाणिक मानना चाहिये।

इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि १-४ श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की भाँति मौलिक नहीं हैं तथापि ये शैली, घटना और प्रश्न के आधार पर मौलिक ही स्वीकार किये गये हैं, क्योंकि भूमिका के रूप में इनका उल्लेख है। (१) मनुस्मृति की शैली से यह विदित होता है कि मनु के भावों (जो प्रवचन के रूप में थे) का संकलन मृगु या किसी अन्य शिष्य ने किया है। संकलयिता ने इन श्लोकों के द्वारा मनु के पास महर्षियों के आने की घटना और उनके प्रश्न का भूमिका के रूप में उल्लेख किया है। (२) घटना मौलिक है। (३) प्रश्न भी मौलिक है, अतः संकलन-शैली के अनुसार ये श्लोक मौलिक ही माने जायेंगे। जैसा कि कुछ टीकाकारों ने पाँचवें श्लोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारम्भ माना है, उनका यह विचार भ्रान्तिपूर्ण है। मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रन्थ है, इस दृष्टि से ये चारों श्लोक मौलिक संकलितरूप में ही हैं।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस शैली के आधार पर टीकाकारों ने उन सभी श्लोकों को मौलिक मान लिया है जिनमें मनु के नामपूर्वक वर्णन है। ('महर्षिर्मनुना मृगुः' १।६० ॥ 'उक्तवान् मनुः' १।११८ ॥ 'मनुना परिकीर्तितः' १।१२६ ॥ 'मनुरब्रवीत्' ॥ ८।३३९ ॥ आदि)। उनका कहना है कि मनु के भावों के आधार पर मृगु ने मनुस्मृति को रचा है, अतः इस प्रकार के श्लोक असंगत नहीं लगते। यह विचार भी भ्रान्तिपूर्ण है। क्योंकि, (१) मनुस्मृति, मनु के भावों को लेकर रचा ग्रन्थ नहीं है, अपितु मनु के भावों का यथावत् उसी शैली में संकलन है। (२) संकलन में मौलिक अंशों के बीच में संकलयिता की ओर से कोई बात नहीं कही जाती, अतः 'मनुक्तवान्' आदि पद वाले श्लोक संकलयिता की ओर से कहे होने के कारण प्रक्षिप्त हैं, मौलिक नहीं। (३) १।४ में 'श्रुयताम्' कहकर मनु उत्तर देना आरम्भ करते हैं। इस शैली से सिद्ध है कि इस श्लोक के बाद मनु के द्वारा कहे विचारों का उत्तमपुरुष की शैली के माध्यम से जो कथन है वही मौलिक संकलन है, अन्य द्वारा नामोल्लेख पूर्वक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त है। अतः उन सभी श्लोकों को मूल संकलन से परवर्ती माना जाना चाहिए, जो उत्तमपुरुष की शैली में नहीं है।

२. प्राचीन काल से अष्टावधि पर्यन्त इस ग्रन्थ-का 'मनुस्मृति' या 'मानवधर्मशास्त्र' नाम प्रचलित होना भी इसे मनुप्रोक्त सिद्ध करता है।

यह मनु स्वायम्भुव मनु ही है। इस बात को मनुस्मृति में स्पष्ट भी किया है और विभिन्न स्थलों पर मनु के साथ स्वायम्भुव विशेषण का प्रयोग भी किया है।

३. प्रचलित मनुस्मृति में बीच-बीच में लगभग तीस 'स्थलों' पर मनु का नामोल्लेखपूर्वक वर्णन है। उनमें छह स्थलों पर स्पष्टतः स्वायम्भुव विशेषण का प्रयोग किया है।^{२२} ये उल्लेख भी इसका

२२. (क) स्वायम्भुव मनु के नामोल्लेख वाले स्थल — १।३२-३६, ५८-६१, १०२; ६।५४; ८।१२४; ९।१५८ ॥

(ख) केवल मनु नामोल्लेख वाले स्थल — १।१-४, ११८, ११९, १२६; ६।६६, १५०; ४।१०६; ५।४१; ८।३३९, १६८, २०४, २४२, २७९, २९२, ३३९; ९।१७, १८२, १८३, २३९; १०।६६, ७८; १२।१०७, १२६ ॥ १।१-४ को छोड़कर अन्य सभी श्लोक इस अनुसन्धान कार्य के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं, तथापि उन्हें एक परम्परागत जनश्रुति के समान पोषक आधार माना है।

प्रवक्ता स्वायम्भुव मनु को ही सिद्ध करते हैं।

४. निम्न श्लोकों में मनुस्मृति का रचयिता स्वायम्भुव मनु को बतलाया गया है —

(क) इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः ।

विधिषद् ब्राह्मणमास मरीच्यादींस्त्रहं मुनीन् ॥

स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षड्विंश्या मनवोऽपरे ॥ १११५८, ६१ ॥

(ख) स्वायम्भुवो मनुर्धामादिदं शास्त्रमकल्पयत् ॥ १११०२ ॥

यतोहि मगु स्वायम्भुव मनु का पुत्र और शिष्य था । [११३४-३५; ३११९४; १२१२;], अतः मनुवचनों में उल्लिखित मनु भी स्वायम्भुव मनु ही है, जिसको शास्त्र का कर्ता कहा है —

(ग) यथेदमुक्तवान् शास्त्रं पुरा पृष्ठो मनुर्मया ॥ ११११९ ॥

(घ) एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया ।

धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान् ॥ १२११७ ॥

(ङ) "मानवस्यास्य शास्त्रस्य" १२११०७ ॥

(च) "एतन्मानवं शास्त्रम् भृगुप्रोक्तम्" १२११२६ ॥

यद्यपि इस अनुसन्धानकार्य के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं, अतः मौलिकवत् प्रामाणिक नहीं है; किन्तु फिर भी इन्हें ऐतिहासिक सन्दर्भ में पारम्परिक जनश्रुति के समान पोषक आधार के रूप में ग्रहण किया है।

५. ऐतिहासिक, ब्रह्ममवर्त प्रदेश में स्थित बड़िष्मती नगरी को स्वायम्भुव मनु की राजधानी मानते हैं। मनुस्मृति में ब्रह्ममवर्त प्रदेश को धर्मशिक्षा, सदाचार का केन्द्र घोषित करके सर्वोच्च महत्त्व दिया गया है [११३६-१३९ (२१७-२०)]। इसी क्षेत्र में मनुस्मृति का प्रवचन-प्रणयन हुआ था। इससे भी मनुस्मृति का रचयिता स्वायम्भुव मनु होने का संकेत मिलता है।

(ख) ब्राह्मणसाक्ष्य के आधार पर —

मनुस्मृति के अन्तर्गत प्राप्त पूर्वोक्त प्रमाणों, संकेतों के अतिरिक्त भी इस बात के बहुत से आधार मिलते हैं कि मनुस्मृति का प्रवक्ता स्वायम्भुव मनु है। यथा —

१. तैत्तिरीय आदि संहिताओं,^{२३} ब्राह्मणग्रन्थों से लेकर अर्वाककालीन भारतीय वांगमय में स्वायम्भुव मनु ही एक धर्मशास्त्रकार या स्मृतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। अतः कहा जा सकता है कि मनु के नाम से प्राप्त होने वाले धर्मशास्त्र का रचयिता भी यही मनु है।

२. निरुक्त^{२४} में, दायभाग के प्रसंग में किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उद्धृत करके स्वायम्भुव मनु के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि 'दायभाग में पुत्र और पुत्री, दोनों का अधिकार होता है'। मनु के नाम से प्राप्त यह मत वर्तमान मनुस्मृति में ९१३०, १९२ श्लोकों में निर्दिष्ट है। यह प्राचीन उल्लेख भी मनुस्मृति को स्वायम्भुव मनुकृत सिद्ध करता है।

२३. (क) तैत्ति. सं. २।२।१०।२; ३।१।९।४ ॥ तै. ब्रा. २।२।१६।७ ॥

(ख) मनु ने ब्राह्मणकवचों का भी प्रवचन किया था, इसके भी प्रमाण संहिताओं में मिलते हैं — "आपो वा इदं निरकुञ्जम् । स मनुरेवोवशिष्यत् । स एतामिष्टिवश्यत्समाधरत्-याधयत् . . . । काठ. सं. ११।२ ॥ इ. तैत्ति. सं. ३।१।९।३० भी ।

२४. निरु. सं. ३।४ ॥ अर्थाश्रित श्लोक इष्टव्य 'मनुकाल' शीर्षक में ।

२५. "अष्टाधोव सप्तासेन विधाया धर्मतः स्मृताः . . . मनुः स्वायम्भुवोऽस्यैव ॥ (आदि. ७३।२-९) ये वर्तमान मनुस्मृति में ३।२०-३४ तक वर्णित हैं ।

३. महाभारत में, कई स्थलों पर स्वायम्भुव मनु को एक धर्मशास्त्रकार के रूप में उद्धृत किया है और कुछ स्थलों पर उसके नामोल्लेख के साथ उसके मत और श्लोकों को भी उद्धृत किया है। वे ही मत और श्लोक प्रचलित मनुस्मृति में पाये जाते हैं। यथा —

(क) दुष्यन्त-शकुन्तला प्रेम-प्रसंग में आठ-विकाहों का विधानकर्त्ता स्वायम्भुव मनु को बताया है।^{१५}

(ख) शान्ति. ३६ अध्याय में, मनु. १।१-४ श्लोकों की घटना का यथावत् वर्णन करते हुए बताया है कि ऋषिलोग धर्मजिज्ञासा के लिए स्वायम्भुव मनु के पास पहुँचे। वहाँ मनुद्वारा दिये गये उत्तर में कुछ श्लोक ऐसे प्राप्त होते हैं जो वर्तमान मनुस्मृति में भी हैं, उनमें कोई-कोई तो यथावत् है, कोई किञ्चित् पाठान्तर से है, तो कोई यथावत् भाव वाला है।^{१६}

(ग) शान्ति ६७।१५-३० में, आदिकाल में लूटपाट, अराजकता आदि से तंग हुई प्रजा द्वारा मनु को राजा के रूप में वरण करने की घटना दी हुई है। वह मनु ब्रह्मा का पुत्र है, अतः वह भी स्वायम्भुव मनु की घटना है।^{१७} मनु को राजा बनाने के बाद प्रजा द्वारा जो करनिर्धारण किया गया है, यथा — 'पशु और सुवर्ण का पचासवां भाग कर देगे', यह करव्यवस्था वर्तमान मनुस्मृति ७।१३० में मिलती है।^{१८}

(घ) शान्ति. ३३५।४४, ४६ में एक धर्मशास्त्रकार के रूप में स्वायम्भुव मनु का ही वर्णन है।^{१९}

४. इसके अतिरिक्त महाभारत में अनेक स्थलों पर केवल मनु नाम देकर उसके श्लोक या भाव उद्धृत किये हैं। उनमें से बहुत-से श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में यथावत् मिलते हैं और भाव तथा अन्वय गठन भी यथावत् है।^{२०}

५. इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में राम बालि-सुग्रीव युद्ध के अवसर पर अपने द्वारा किये बालि के वध को धर्मानुकूल ठहराते हुए मनु का नाम लेकर उसके दो श्लोक उद्धृत करते हैं। वे श्लोक भी वर्तमान मनुस्मृति में हैं।^{२१} इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति मनुप्रोक्त है।

६. विश्वरूप ने याज्ञ स्मृति २।७३, ७४, ८३, ८५ पर भाष्य करते हुए वर्तमान मनुस्मृति के ८।६८, ७०-७१, १०५, १०६, ३०४ श्लोकों को उद्धृत किया है। वहाँ मनु का नाम स्वायम्भुव दिया गया है।

७. विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति के 'मिताक्षरा' भाष्य में, शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य में, ज्ञानरस्यामी ने जैमिनी सूत्रों के भाष्य में, बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने अपनी कृति 'वज्रकोपनिषद्' में,

१५. (क) नैरेवमुक्त्वा भगवान् मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत् । महा. शान्ति. ३६।५१ ।

(ख) यथायत्न श्लोक-मात्र. शान्ति. में ३६।३५, ४६, ४७; मनुस्मृति में क्रमशः २।१३७; २।१३२; २।१३३ । यथायत्न भाव — महा. शान्ति. में ३६।२०; में १२।१०८-१०९ । पाठान्तरपूर्वक — महा. शान्ति. में ३६।२७, २८; मनु. में ४।२१८, २१७, २२० । भावग्रहण अन्य श्लोकों में भी है ।

१६. महा. आदि. १।३२ ।

१७. "पचासवदभाग आदेशो गङ्गा पशु-क्षिरपयसोः ।" ७।१३० ।

१८. (क) "मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्" आदि. ७३।८-९ । (ख) नैरेवमुक्त्वा भगवान् मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत् सुवृक्षस्य पचासवत् धर्मं व्याससमासतः ।। शान्ति. ३६।६ । (ग) शान्ति १२ अ. ।। (घ) स्वायम्भुव मनु द्वारा अस्त्ररचना. शान्ति. ३३५।४४, ४६ ।। आदि ।

१९. "मनुना चैव राजेष्णु गौतमी श्लोको महात्मना" शान्ति. ५६।३३ । अन्यत्र-शान्ति. १२ अ. ; ११८।२६; १२१।१०, १२ ।।

२०. ख. रामा. किष्कि. १८।३१-३२; मनु. में ८।३१६, ३१८ ।।

कवि मास ने 'प्रतिमा नाटक' में, गौतम, वसिष्ठ, आपस्तम्ब आदि ने अपने सूत्रग्रन्थों में, ^{१०} ब्रह्म की राजा धारसेन के शिलालेख में, ^{११} धर्मप्रसंग में जो मनु का निर्देश किया है तथा अपनी पुष्टि के लिए जो श्लोक उद्धृत किये हैं, वे मनु के ही हैं और वर्तमान मनुस्मृति में प्राप्त हैं। इनसे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इसका मूलरचयिता मनु ही है, भृगु आदि कोई अन्य व्यक्ति नहीं। यह स्पष्ट किया ही जा चुका है कि मनु के नाम से उल्लिखित धर्मशास्त्रकार स्वयंभुव मनु ही प्रसिद्ध है।

पक्षान्तरों का विवेचन

२. मनुस्मृति वैवस्वतमनुप्रोक्त—

कुछ आलोचक मनुस्मृति को मनुप्रोक्त तो मानते हैं, किन्तु उस मनु को स्वयंभुव न मानकर वैवस्वत मानते हैं। ऐसा मानने के उनके कुछ निम्न आधार हैं—

१. मनुस्मृति के १।६१-६२ श्लोकों में स्वयंभुव मनु के वंश का वर्णन करते हुए सातवें वैवस्वत मनु तक का उल्लेख है। पहले मनु के काल में सातवें मनु का उल्लेख नहीं हो सकता, अतः यह सातवें वैवस्वत मनु की ही रचना है; ऐसा विद्वानों का विचार है।

२. कौटिल्य अर्थशास्त्र प्र. ८।अ. १२ में, आदिकाल में प्रजाओं द्वारा वैवस्वत मनु को राजा बनाने की घटना है। वहां जो कर व्यवस्था दी है ^{१२} वह प्रचलित मनुस्मृति ७।१३०-१३२ से मिलती-जुलती है, अतः यह स्मृति वैवस्वतमनुप्रोक्त है।

इन आधारों पर अनुशीलन करने पर इन पर आधारित यह मान्यता स्वयं अमान्य प्रतीत होती है। आइये, इन पर विचार करें।

१. मनुस्मृति के जिन श्लोकों में वैवस्वत मनु का उल्लेख है, वे निम्न हैं—

स्वयंभुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽपरे।

सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वाः महात्मानो महौजसः ।।

स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा।

चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ।। १।६१-६२ ।।

अर्थात्—इस स्वयंभुव मनु के वंश में महात्मा और महान् तेजस्वी अन्य छह मनु और हुए हैं, जिनोंने अपने-अपने काल में अपनी प्रजाओं की सृष्टि की थी। वे हैं—स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और विवस्वत् का पुत्र वैवस्वत।

मनुस्मृति में ये दोनों ही श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। इनकी प्रक्षिप्तता के कई कारण हैं—१. यह कहना चाहिये कि स्वयंभुव मनु पहले ही अपने वंश की माथी छह पीढ़ियों का वर्णन नहीं कर सकते। पूर्व १।५८-६० श्लोकों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि स्वयंभुव का शिष्य भृगु यह बात कह रहा है। वह भावी छह पीढ़ियों और उनके कार्यों का मृतकाल में वर्णन कैसे कर सकता है? इस प्रकार ये श्लोक परवर्ती प्रक्षेप हैं और कालविरुद्ध वर्णन हैं। २. इनका पूर्वापर प्रसंग से भी विरोध है। पूर्वापर १।५७ और १।६४ श्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल का वर्णन चल रहा है। बीच के इन श्लोकों के अप्रासंगिक वर्णन ने उस प्रसंगक्रम को भंग कर दिया है।

३. मनुओं के द्वारा बराबर सृष्टि का उत्पादन और पालन सृष्टिक्रमविरुद्ध वर्णन है। यह मनु की

३२. उदरगच्छक इष्टव्य 'मनुस्मृति महता' शीर्षक की टिप्पणियों में।

३३. ५७१ ई. का शिलालेख।

३४. उदरगच्छक इष्टव्य 'मनुस्मृति का काल' शीर्षक के अन्तर्गत।

१।६, १४-२३ श्लोकों में वर्णित मान्यता के विरुद्ध भी है। ४. इस प्रसंग में भृगु द्वारा मनुस्मृति के प्रवचन का कथन भी असंगत है, क्योंकि इसकी शैली से यह मनुप्रोक्त ही सिद्ध होती है।^{१५} इस प्रकार इन प्रक्षिप्त श्लोकों के आधार पर इसे वैवस्वत मनुप्रोक्त नहीं कहा जा सकता।

२. कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो घटना वैवस्वत मनु के नाम से दी गयी है, वह महाभारत शान्ति, ६७।१५-३० में स्वायम्भुव मनु के प्रसंग में दी हुई है। कहा नहीं जा सकता कि कौटिल्य अर्थशास्त्रकार ने यह नामान्तर क्यों ग्रहण किया। यह किसी पाठभेद के कारण भी हो सकता है, अथवा यह भी संभव है कि स्वायम्भुव मनु की वंश-परम्परा में उत्पन्न होने के कारण वैवस्वत मनु ने इन व्यवस्थाओं को यथावत् और रुचिपूर्वक लागू किया हो, जिससे वे उसके नाम से प्रसिद्ध हो गयी हों।^{१६} वैसे कुछ वंशावलियों को देखकर और दोनों मनुओं का प्रथम राजा के रूप में वर्णन देखकर कई बार, अन्वेषकों को दोनों की एकता का आभास होने लगता है। ये एकरूपवर्णन भी भ्रान्ति पैदा कर देते हैं। इतिहासानुसंधाताओं ने इसका समन्धान प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि स्वायम्भुव मनु सृष्टि के प्रथम राजा थे और वैवस्वत मनु प्रलयोत्तरकालीन समाज के प्रथम राजा हुए हैं।

इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी युक्तियाँ भी हैं, जिनका इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है और उनसे इसी मान्यता को बल मिलता है कि मनुस्मृति के प्रवक्ता मनु वैवस्वत नहीं अपितु स्वायम्भुव हैं, यथा —

३. मनुस्मृति में ऐसा कोई अन्तःसाक्ष्य नहीं मिलता जिसमें वैवस्वत मनु की शास्त्रप्रवक्ता के रूप में चर्चा हो। उपर्युक्त स्थल को छोड़कर अन्यत्र कहीं वैवस्वत का नाम भी नहीं है। उस स्थल पर भी केवल वंशावली है, मनुस्मृति के प्रवचन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं दिखाया है।

४. मनुस्मृति में मनु के साथ भृगु का उल्लेख मिलता है। यह भृगु भी स्वायम्भुव मनु का शिष्य था, वैवस्वत मनु का नहीं।

५. यद्यपि भारतीय साहित्य में दोनों मनु प्रथम राजा के रूप में वर्णित हैं, किन्तु स्वायम्भुव मनु की अधिक ख्याति धर्मशास्त्रकार के रूप में है, जबकि वैवस्वत की एक राजा के रूप में।^{१७} वैवस्वत का धर्मशास्त्रकार के रूप में उल्लेख नहीं के बराबर है।

६. वाल्मीकि रामायण में वैवस्वत मनु को सूर्यवंश का प्रथम राजा कहा है। उसी ने अयोध्या की स्थापना की।^{१८} मनुस्मृति में अयोध्या का, तत्कालीन प्रदेश या भौगोलिक स्थिति का कहीं कोई वर्णन नहीं है, जबकि इसके विपरीत स्वायम्भुव के प्रदेश ब्रह्मवर्ष का सर्वोच्च महत्त्व प्रदर्शित है।^{१९}

७. मनुस्मृति में स्वायम्भुव के परवर्ती मनुओं की अथवा वैवस्वत से पूर्व के मनुओं की किसी प्रकार की कोई चर्चा का न होना भी इसे स्वायम्भुवकालीन सिद्ध करता है। एक स्थान पर केवल मनु के राज्य का उल्लेख है और वह प्रक्षिप्त है।^{२०} शैली के आधार पर वह वैवस्वत के भी बहुत परवर्ती काल का प्रक्षेप सिद्ध होता है। यनाह, यहाँ राजा पृथु का भी उल्लेख है, जो वैवस्वत मनु से मानवी पीढ़ी में द्वात्रा है।^{२१}

१५. शैली पर विस्तृत विवेचन 'मनु' का रचयिता स्वायम्भुव मनु' शीर्षकसंगीत ग्रन्थ है।

१६. 'मनुर्वैवस्वतो राजा-इत्याह'। लघु मनुज्या विशः ।'। जन. १३।१।३।१८।

१७. शाल. ७०।२० में वज्रपत्निय में प्रथम प्राज्ञशालक कहा है। बाद ५।६ में कहा है कि मनु न ही ज्ञानका का बन्धक — 'अयोध्या नाम नगरं नग्राधीनमेव सिद्धता। मनुना मानश्रेष्ठेण या पूर्ण निर्मिता अथवा ।'

१८. मनु २।१५-२० ।।

१९. 'पृथुस्तु विमाराजान् प्राणवान् मनुरेव च ।' ७।१६ ।।

२०. बा. राम. शाल ७०।२४ ।।

८. १।७९-८० में मन्वन्तर कालपरिमाण का वर्णन है। यदि मनुस्मृति वैवस्वत मन्वन्तर काल की होती तो वहाँ पूर्व मन्वन्तरों के व्यतीतकाल और नामों का उल्लेख अवश्य मिलता। केवल मन्वन्तर का वर्णन होना इस बात का द्योतक है कि यह प्रारम्भिक मन्वन्तर काल की कृति है, जबकि मन्वन्तर केवल एक कालपरिमाण रूप में प्रचलित हुआ। मनुओं के व्यक्तिगत नामों पर इनका नामकरण बाद में निर्धारित हुआ।

९. मनुस्मृति तथा अन्य ग्रन्थों में वर्णित वंशावलि का भी मनुस्मृति का सम्बन्ध स्वायम्भुव से सिद्ध करती है। मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर मनु का सीधा सम्बन्ध ब्रह्मा से प्रदर्शित किया है। ब्रह्मा को विशेष महत्त्व भी दिया गया है, जैसे ब्रह्मावर्त आदि। वैवस्वत मनु का ब्रह्मा से सीधा सम्बन्ध न कुलवंश से है और न विद्यावंश से,^{११} जबकि स्वायम्भुव मनु का है। उसका नाम स्वायम्भुव भी स्वयम्भू अर्थात् ब्रह्मा का पुत्र या शिष्य होने से 'स्वायम्भुव' है। मनुस्मृति में ब्रह्मा से सीधे सम्बन्ध की प्रवृत्ति और उसे महत्त्व प्रदान करने की भावना भी इसे स्वयम्भूकृत सिद्ध करती है।

३. मनुस्मृति भृगुप्रोक्त —

मनुस्मृति को भृगुप्रोक्त मानने वालों के लिए आधारभूत सामग्री मनुस्मृति में ही प्राप्त है। परवर्ती ग्रन्थों में भी उसी को आधार बनाकर यह मान्यता प्रदर्शित की गई है। अतः यहाँ पहले उन्हीं श्लोकों की विवेचना की जानी आवश्यक है, जिनमें इसे भृगुप्रोक्त कहा गया है।

१. प्रोक्त विवेचन में मनुस्मृति की शैली पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। उससे यह निष्कर्ष सामने आया है कि इसकी प्रवचन शैली से मनु ही इसके आदि-प्रवक्ता सिद्ध होते हैं। १।१-४ श्लोकों में वर्णित है कि साक्षात्कृतधर्मा ऋषि मानने के कारण ही ऋषि लोग मनु के पास आते हैं और धर्म सम्बन्धी जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा मनु से की है तो मनु ही उसका उत्तर देते हैं, और यह भी कि वहाँ इस विषय के अपने समय के विशिष्ट विद्वान् हैं। वह उत्तर १।४-५ से प्रारम्भ होकर अन्त तक इसी शैली में चलता है। इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऋषियों के प्रश्न का उत्तर दिया जाना न तो शैलीसंगत है और न व्यावहारिक। बीच-बीच में बहुत-से श्लोकों में भृगु द्वारा प्रवचन करने का उल्लेख है। यह बड़ी अटपटी, अव्यावहारिक और अप्रासंगिक बात है कि ऋषिगण विशिष्ट विद्वान् होने के नाते आये तो मनु के पास हैं, पण भी उन्हीं से करते हैं और तदनुसार प्रारम्भ में उत्तर भी मनु ही देने हैं। किन्तु पुनः भृगु उत्तर देना शुरू कर देते हैं; जबकि अन्त तक शैली वही १।४ में प्रारम्भ मनु द्वारा उत्तर देने वाली चलती रहती है।

वस्तुतः मनुस्मृति में भृगु से सम्बन्धित सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। भृगु के शिष्यों ने भृगु को महत्त्व प्रदान करने और मनु से जोड़ने के लिए उनका प्रक्षेप किया है। मनुस्मृति की शैली से, उनके अटपटे वर्णन से उनकी अव्यावहारिकता से और अप्रासंगिकता से यह निष्कर्ष निकलता है कि ये श्लोक मनुस्मृति में परवर्तीकाल में बलात् डाले गये हैं। किसी भी स्थल पर मनुस्मृति के प्रसंगों से पूर्वापर रूप में उनका सम्बन्ध न होना और विरुद्ध वर्णन होना भी उन्हें बलात् किया गया प्रक्षेप सिद्ध करता है। आगे उनकी प्रक्षिप्तता पर विचार किया जा रहा है।

क. एतद् वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यम्यशेषतः ।

एतां भूतानां भिज्जगे सर्वमेवोऽखिल मुनिः ।।

११. इत्युक्तं वा, गमनं मे, अथ १०।१७९-२०२ में प्रदर्शित वंशावली। ब्रह्मा से प्रतीति, प्रतीति न अथवा, इत्युक्तं वा विवेचनान्तरं नो मनु वैवस्वत हुआ।

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः ।

तानब्रवीत् ऋषीन् सर्वान् प्रीतात्मा श्रुयतामिति ॥ १।५९-६० ॥

अर्थ — यह भृगु मुनि इस मनुस्मृति शास्त्र को सम्पूर्ण रूप से आप लोगों को सुनायेगा, क्योंकि अपने इस सम्पूर्ण शास्त्र को भलीभाँति मुझ मनु से सीखा है । महर्षि मनु के इस प्रकार कहने पर वह महर्षि भृगु जिज्ञासा की दृष्टि से आये उन सब ऋषियों को प्रसन्नचित्त होकर 'सुनिये' ऐसा बोलें ।
प्रक्षिप्तता विवेचन —

उपर्युक्त शैलीगत आधार के अतिरिक्त ये श्लोक इन आधारों पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं— १. प्रसंगविरोध — पूर्वापर १।५७ और १।६४ श्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल का वर्णन है । इन श्लोकों के अप्रासंगिक वर्णन ने उस प्रसंगक्रम को भंग कर दिया है । मनु सृष्ट्युत्पत्ति विषयक जानकारी दे रहे हैं । यह प्रकरण १।१४४ (२।२५) में पूरा होगा । एक प्रचलित प्रकरण के पूर्ण हुए बिना, बिना ही प्रसंग के इस शास्त्र का अध्ययन-त्यापन क्रम बतलाकर भृगु द्वारा शास्त्र सुनाने की बात कहना, विसंगतिपूर्ण, अटपटा एवं बलात् ढाला गया प्रक्षेप है । २. अन्तर्विरोध — १।५८ और १।६१-६३ श्लोक भी प्रसंग की दृष्टि से इन श्लोकों से सम्बद्ध हैं । उनमें १।६, १४-२३ में वर्णित सृष्टि-उत्पत्ति के क्रम के विरुद्ध वर्णन है । मनुओं से चराचर सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती । ३. मनुस्मृति मूलतः प्रवचन होने से उनके लिए मूल संकलन में 'शास्त्र' शब्द का व्यवहार नहीं बनता । यहाँ 'शास्त्र' पाठ इन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है । (इससे सम्बन्धित विवेचन इसी अध्याय में 'स्वायम्भुव मनु' शीर्षकान्तर्गत १।६१-६२, ब्रह्मा शीर्षकान्तर्गत १।५८ श्लोक पर तथा विस्तृत समीक्षा भाष्य में गथास्थान देखिए) ।

ख. यथेदमुच्यन्वान शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्नृपा ।

यथेदं मयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत ॥ १।११९ ॥

अर्थ — महर्षियों से भृगु मुनि कहते हैं — जैसे पहले मेरे पूछने पर महर्षि मनु ने मुझे इस शास्त्र का उपदेश किया था, वैसे ही आज आप लोग भी मुझसे सुनो ।

प्रक्षिप्तता विवेचन — १. प्रसंगविरोध — पूर्वापर १।११० और १।१२० (२।१) श्लोकों में धर्म के स्वरूप के विवेचन का प्रसंग है । उस प्रसंग के मध्य बिना ही प्रसंग के 'मनु से शास्त्र सुनने और स्वयं सुनाने' की बात कहना असंगत है । इससे पूर्वापर प्रसंग भंग हो गया है । २. शैली की दृष्टि से यह भृगु से भी भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रचित है । फिर मनु का तो किसी भी दृष्टि से नहीं हो सकता । (विस्तृत विवेचन भाष्य में द्रष्टव्य है) ।

मु. ५।१-४ श्लोकों में महर्षि लोग भृगु से प्रश्न करते हैं कि अपने धर्म में स्थित रहते हुए भी विद्वानों को मृत्यु क्यों प्रभावित कर लेती है । भृगु उन्हें उत्तर देते हैं कि वेदों के अनभ्यास, सवाचारत्याग, आलस्य और अन्नदोष के कारण विद्वानों को मृत्यु मारती है ।

प्रक्षिप्तता विवेचन — १. शैली की दृष्टि से ये श्लोक भृगु से भी परवर्ती किसी अन्य व्यक्ति की रचना हैं । स्मृति के प्रारम्भ में प्रश्न मनु से किया था । मनु के पास ही ऋषि आये थे । भृगु से पुनः प्रश्न और उसके द्वारा उत्तर मनुस्मृति की शैली के अनुरूप नहीं है । २. प्रसंगविरोध — अग्रिम प्रसंग भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों का है, जबकि इन श्लोकों में मृत्यु का कारण पूछा और बताया जा रहा है । यहाँ प्रश्न और उत्तर की असंगति इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करती है । (विस्तृत विवेचन भाष्य में द्रष्टव्य है) ।

घ. चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानघ ।

कर्मणां फलनिर्वृतिं शंस नस्तत्त्वतः पराम् ॥

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः ।

अस्य सर्वस्य शृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ॥ १२।१-२ ॥

प्रक्षिप्तता विवेचन — २. प्रसंगविरोध — इससे पूर्व ११।२६६ श्लोक में मौलिक शैली से पूर्वविषय की समाप्ति और अग्रिम कर्मविधि विषय के प्रारम्भका संकेत है। उसके बाद पुनः प्रश्नोत्तर करना असंगत भी है और मनु की शैली के विपरीत भी। २. ये भी भृगु से परवर्ती व्यक्ति की रचना है।

ङ. इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्दिजः ।

मवत्याचारवान्निर्त्यं यथेष्टां प्राप्नुयद् गतिम् ॥ १२।१३६ ॥

अर्थ — इस भृगु द्वारा प्रोक्त मानवशास्त्र को पढ़ने वाला दिज सदा आचारवान् रहता है और इच्छित गति को प्राप्त करता है।

प्रक्षिप्तता विवेचन. — १. इस श्लोक में मनुस्मृति के लिए किया गया 'शास्त्र' शब्द का व्यवहार इसे परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है (द्रष्टव्य इसी अध्याय में ब्रह्मा शीर्षकान्तर्गत १।५८ पर विवेचन)। २. यह श्लोक भी इसे भृगु से परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित सिद्ध करता है। ३. यद्यपि इसमें इस स्मृति को मनु-रचित कहा है, फिर भी भृगु का नाम महत्त्वप्राप्ति की इच्छा से जोड़ दिया है। ४. इस प्रकार का उपसंहार मनु की शैली के अनुरूप नहीं है। वे केवल प्रस्तुत विषय का फल प्रदर्शित करते हैं (१२।१२५ में)।

इस प्रकार भृगु के नाम के उल्लेख वाले सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। यह कहना चाहिए कि इस प्रकार तो ये श्लोक भृगुरचित भी नहीं अपितु किसी परवर्ती व्यक्ति ने रचकर मिलाये हैं। इस आधार पर यदि भृगुकृत माने तो फिर यह भृगु से भी बाद के किसी व्यक्ति की रचना माननी पड़ेगी।

२. यहाँ कुछ लोग यह शंका उठा सकते हैं कि जैसे मनु के नामोल्लेख वाले श्लोकों को पारम्परिक जनश्रुति के समान आधार मानकर इसका कर्ता स्वायम्भुव मनु माना है, ऐसे ही भृगु के श्लोकों को भी आधार क्यों न माना जाये?

इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि भृगु नामोल्लेख वाले श्लोकों का मनुस्मृति में कोई प्रसंग ही नहीं जुड़ता। वे सभी बलात् ढाले हुए लगते हैं। इसके मूल में भृगु के शिष्यों की शायद यह भावना रही है कि उसे मनु के प्रसिद्ध शास्त्र से जोड़कर कम-से-कम प्रवचनकर्ता के रूप में तो महत्त्व मिल जाये। यद्यपि यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि भृगु ने मनुस्मृति का प्रवचन किया होगा। लेकिन उसके प्रवचन के आधार पर, उसके पश्चात् मनु-भृति का संकलन हुआ, यह कथन बिल्कुल निराधार है। हो सकता है, प्रवचनों का आद्य संकलन भी भृगु ने किया हो, क्योंकि वह मनु के समकालीन था। किन्तु मौलिक संकलन में भृगु के नाम की कोई गुंजायश नहीं बनती।

३. प्रतीत होता है कि भृगु की अपनी कोई पृथक् संहिता रही है, जो आज उपलब्ध नहीं है। महाभारत शान्ति, ५७।५१ में निम्न श्लोक भृगु के नाम से उद्धृत है —

राजानं प्रथमं विन्देत् ननो भार्या ननो धनम् ।

राजन्धर्मनि लोकस्य कृतो भार्या कृतो धनम् ॥

यह श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में नहीं है। इसी प्रकार विश्वरूप ने गाज्ञवल्क्य स्मृतिमाध्य १।१८७, २५२ में जो श्लोक भृगु के नाम से उद्धृत किये हैं, वे भी मनुस्मृति में नहीं हैं। अपरार्क ने भृगु के नाम से निम्न श्लोक दिया है जिसमें मनु का नाम है —

येषु पापेषु दिव्यानि प्रतिशुद्धानि यत्नतः ।

कारयेत् सज्जनैस्तानि नाभिशास्तं त्यजेन् मनुः ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति २।९६) ॥

४. यदि वर्तमान मनुस्मृति भृगु संहिता होती तो इसका प्रारम्भ मनु के पास आने की घटना से न होकर भृगु के पास आने की घटना से अथवा उनसे की गई जिज्ञासा से होता, जैसा कि नारद, अग्नि, विष्णु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि की स्मृतियों में है।^{१२} मनुस्मृति का मनु की घटना से प्रारम्भ भी यह संकेत देता है कि यह भृगुसंहिता या भृगु की रचना नहीं, मनु की है। ऐसा उदाहरण अन्य किसी स्मृति में नहीं पाया जाता, जैसा मनुस्मृति में भृगु को जोड़कर प्रस्तुत किया है।

५. कई ग्रन्थों में भविष्यपुराण का एक श्लोक उद्धृत मिलता है, जो इस बात का विवरण देता है कि स्वायम्भुव शास्त्र अर्थात् मनुस्मृति के आधार पर चार संहिताओं का निर्माण हुआ था —

१. भृगुसंहिता, २. नारदसंहिता, ३. बृहस्पति संहिता, ४. आगिरस संहिता।^{१३} इनमें अन्तिम तीन उपलब्ध हैं, भृगुसंहिता उपलब्ध नहीं है। इन तीनों का प्रारम्भ भी उन-उन प्रणेताओं के नामों से है, यही शैली भृगुसंहिता की रही होगी। स्पष्ट है कि मनुस्मृति से भिन्न कोई भृगुसंहिता रही है।

इन प्रमाणों और संकेतों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रचलित मनुस्मृति भृगुप्रोक्त नहीं है। भृगु मनु का पुत्र और शिष्य था। मनु की विद्यापरम्परा से भी सम्बन्धित रहा है। प्रतीत होता है कि भृगुसंहिता का प्रचलन नहीं हो पाया तो भृगुपरम्परा के शिष्यों ने अपनी परम्परा की प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति में भृगु के नाम का समावेश कर दिया। उसे भृगु के प्रवचन का रूप दे दिया। परिणामतः भृगुसंहिता विलुप्त हो गयी।

४. मनुस्मृति ब्रह्माप्रोक्त —

एक मान्यता यह भी है कि वर्तमान मनुस्मृति मूलतः ब्रह्माप्रोक्त है। यद्यपि इस मान्यता को मानने वाले विचारकों की संख्या कम है। इसका स्रोत भी मनुस्मृति ही है। इसलिए यहाँ उस स्रोत-रूप श्लोक पर ही विचार करना चाहिए।

मनुस्मृति में केवल एक स्थान पर यह उल्लेख आता है। स्वायम्भुव मनु कहते हैं — 'इस ब्रह्मा ने इस मनुस्मृति शास्त्र को रचकर सबसे पहले मुझ मनु को ही विधिपूर्वक पढ़ाया, और फिर मैंने मरीचि आदि दश मुनियों को ग्रहण कराया।' श्लोक है —

इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः ।

विधिं च द प्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ॥ १।५८ ॥

४२. अत्रि स्मृति का प्रारम्भ — 'इताग्निहात्रमासंजमत्रि वेदविदा वरम्-इदं वचनमश्रुत्वा' विष्णु स्मृति में — 'विष्णुमेकाग्रमासीन्' ... पञ्चमुनयः सर्गे ॥'

कल. स्मृति में — 'योगेश्वर' याज्ञवल्क्य संपूज्य मुनयोऽब्रुवन् ॥

बृहस्पति स्मृति में — 'राजा ... यगवन्तं गुरुं श्रेष्ठं पर्यपूज्य बृहस्पतिम् ॥'

४३. हेमाद्रि तथा सत्कारमयूख आदि ग्रन्थों में भविष्य पुराण का यह श्लोक मिलता है —

भार्गवीया नारदीया च सार्वभौम्यागिरस्यपि ।

स्वायम्भुवस्य शास्त्रस्य चतस्रः संहिताः जनतः ॥

मनुस्मृति के प्रसंग में यह श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। इसकी प्रक्षिप्तता पर विचार करने से पूर्व यह स्पष्ट करना भी प्रासंगिक होगा कि भारतीय ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा को आदिगुरु माना जाता है। इस कारण प्रत्येक विधावश उसी से प्रारम्भ होता है। यदि ब्रह्मा से मनु ने इस विषय की शिक्षा प्राप्त की हो तो इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं। किन्तु यह कहना आपत्तिजनक है कि इस शास्त्र को ब्रह्मा ने रचा, फिर उसे ही मनु को दिया, और मनु ने अन्य ऋषियों को। यह कथन मनुस्मृतिसम्मत नहीं है।

इस विवेचन को पढ़ते हुए आपने देखा कि मनुस्मृति में मनुस्मृति के प्रणेता के सम्बन्ध में तीन विरोधी मान्यताएँ यत्र-तत्र उल्लिखित हैं। कहीं मनु को, कहीं भृगु को, तो कहीं ब्रह्मा को इसका प्रवक्ता कहा है। यह निश्चित है कि इसका रचयिता है एक ही। स्पष्ट है कि प्रक्षिप्त श्लोकों के कारण ही यह विवाद उभरा है। अतः अब इस श्लोक की प्रक्षिप्तता पर और उसके सन्दर्भ में इस पक्ष पर विचार किया जाता है। वस्तुतः मनुस्मृति को अधिक मान्यता, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिलाने की भावना से मनुस्मृति-परम्परा के व्यक्तियों ने इसे ब्रह्मा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है और इसी प्रयत्न के कारण इस श्लोक का प्रक्षेप किया गया है।

यह श्लोक अनेक आधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है — १. प्रसंगविरोध — (क) इस श्लोक में ब्रह्मा शब्द का उल्लेख नहीं है। टीकाकारों ने पूर्व श्लोकों से इस पद की अनुवृत्ति ग्रहण की है। पूर्व श्लोकों में १।५०-५१ को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा वत्र वर्णन नहीं अपितु सृष्टिकर्ता ब्रह्म का है। १।५०-५१ श्लोक प्रक्षिप्त हैं। वहाँ से अनुवृत्ति भी ग्रहण नहीं की जा सकती क्योंकि उसके बाद ब्रह्म के वर्णन वाले कई श्लोक आ गये हैं। (ख) यहाँ यह श्लोक असंगत भी है, यतोहि पूर्वापर १।५७, १।६४ श्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल परिमाण का प्रसंग है। उस प्रसंग को भंग करके बिना ही किसी चर्चा के यह कथन नितान्त अनावश्यक एवं अप्रासंगिक है।

२. अन्तर्विरोध — यह श्लोक अगले १।५९-६३ श्लोकों से सम्बद्ध है, अतः इन सभी श्लोकों का यह एक ही प्रसंग है। इन श्लोकों में मनुओं से चराचर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, अं सृष्टिक्रमविरुद्ध एवं मनु की पूर्ववर्णित मान्यता १।६, १४-२३ के विरुद्ध है।

इस श्लोक में ब्रह्मा को इस शास्त्र का कर्ता कहने के कारण मनुस्मृति में पूर्वोक्त मनु, भृगु वाली मान्यताओं से विरोध आ गया है। इस श्लोक से उत्पन्न विरोध को दूर करने के लिये टीकाकारों ने पर्याप्त प्रयास किया है किन्तु उन का वह प्रयास 'तथाकथित' ही रहा। उनका कहना है कि इसके मूल प्रवक्ता ब्रह्मा हैं तथापि इसे मनुकृत इसलिए कहा जाता है कि — (अ) मनु को ब्रह्मा ने शास्त्राशय रूप विधिनिषेध का अध्यापन कराया और मनु ने उसका प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ इस रूप में बनाया। (आ) दूसरे मत के अनुसार — इस ग्रन्थ के रचयिता ब्रह्मा ही हैं, तथापि मनु ने इसका ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा अर्थ के साथ इसे मरीचि आदि के लिए प्रकाशित किया। अतः यह मानवशास्त्र कहलाया। ये दोनों ही समाधान निराधार एवं अयुक्तियुक्त हैं। इसके विश्लेषण के लिए १।१-४ श्लोकों पर गहन दृष्टिपात करना होगा। इन श्लोकों के भाव और भाषा पर ध्यान देने से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं —

(क) मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं अपितु मूलरूप में, जिज्ञासा का प्रवचन के रूप में दिया गया उत्तर है, जिसका बाद में संकलन हुआ है। महर्षि लोग मनु के पास आकर धर्मों को क्रमशः जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। [१।१-२] और मनु उसका उत्तर देते हैं [१।४]।

(ख) इसके मूल प्रवक्ता भी मनु ही हैं । यही कारण है कि मनु अपने ज्ञान के अनुसार 'सीधे वेद में विज्ञात बातों' का ही मनुस्मृति में दिग्दर्शन कराते हैं [१।२३-२४, ८७, १२५, १२९] । यही यह ज्ञान ब्रह्मा की परम्परा से प्राप्त होता या ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होना इसकी विशेषता मानी जाती तो ऋषि लोगों को यहाँ मनु के लिये 'वेदों का ज्ञाता' कहने की आवश्यकता नहीं थी । वे यही कहते कि 'आप को ही ब्रह्मा से इस ज्ञान को प्राप्त करने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः आपसे ही पृच्छने आये हैं' । किन्तु ऐसा किसी प्रकार का संकेत न करके यहाँ उनकी व्यक्तिगत विद्वता का ही संकेत स्पष्ट हो रहा है कि वे स्वयं ज्ञाता हैं इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर ही उन्हें उत्तर देना है — वेदों में खोजा हुआ अपना ही आशय बताना है, दूसरे का नहीं ।

(ग) यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान प्राप्त किया होता, और ब्रह्मा के नाम के कारण ऋषियों को उस ज्ञान के प्रति आकर्षण होता, अथवा मनु को ब्रह्मा के नाम से उसमें कोई विशिष्टता या ख्याति की बात नजर आती तो मनु सभी बातों के साथ 'ब्रह्मा ने मुझे यह कहा, यह बताया या इसे उचित ठहराया, इसे नहीं' आदि कहते या उनके मत का उल्लेख करते । किन्तु मनुस्मृति में एक स्थल [९।१३८] को छोड़कर ब्रह्मा के मत का कोई उल्लेख नहीं है । कहीं भी ब्रह्मा के मत का उल्लेख न होना यह सिद्ध करता है कि मनुस्मृति की रचना के साधक ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है । ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि धर्माधर्म को प्रदर्शित करते समय या तो ऋषि-मुनियों के मत का उल्लेख किया है या अपने मत का ही । जब ऋषि-मुनियों की मान्यता के अनेक स्थानों पर संकेत है ['आहु मनीषिणः' (१।१७) 'धर्मस्य मुनयो गतिम्' (१।११० ॥ २।८८, १२४) आदि] — तो यदि ब्रह्मा का इसके साथ तनिक भी सम्बन्ध होता, तो उसका उल्लेख प्रमुखता से आता, क्योंकि ब्रह्मा को इस विषय का मूल प्रवक्ता और अध्यापयिता का स्थान दिया है । इससे सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता स्वयं मनु हैं, ब्रह्मा का इसकी रचना से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(घ) मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई निबद्धशास्त्र के रूप में नहीं थी । जब शास्त्र के रूप में नहीं थी तो इसके लिए मूल-संकलन से 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता । जब 'शास्त्र' का व्यवहार नहीं बनता तो 'ब्रह्मा ने इस शास्त्र की रचना की' यह प्रयोग भी नहीं बनता । इस प्रयोग के न बनने से मनुस्मृति का ब्रह्मा से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । इस प्रकार इन श्लोकों में वर्णित शास्त्र शब्द ही असंगत है ।

(ङ) मनुस्मृति अपने मूलरूप में ऋषियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचन के रूप में है । संकलन के बाद ही मनुस्मृति ने 'शास्त्र' का रूप ग्रहण किया और मौलिक संकलन वही कहा जा सकता है जो मूलप्रवक्ता की बातों का यथावत् रूप में संकलन हो, जबकि 'शास्त्र' संज्ञा का प्रयोग मौलिक नहीं हो सकता । क्योंकि, जो प्रवचन अभी किसी संकलन के या शास्त्र के रूप में नहीं आये हैं, उन्हें मनु 'शास्त्र' कहकर कैसे पुकारते ? स्पष्ट है कि मनु के प्रवचनों द्वारा 'संकलन' का रूप लेने के बाद जब वे 'शास्त्र' के रूप में विख्यात हो गये, तब जाकर इस प्रकार के श्लोक मिलाये गये जिनमें इसे 'शास्त्र' शब्द से व्यवहृत किया गया है ।

इस प्रकार ५८-५९ श्लोकों में 'शास्त्र' शब्द का प्रयोग उन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है ।

(च) कुछ विद्वानों की पूर्व प्रदर्शित उन दो युक्तियों के आधार पर यदि इसे मनुकृत माना जा सकता है तो युक्ति देने वाले उन विद्वानों को चाहिए कि वे इसे अन्तिम रूप में भृगुकृत माने (भृगुसंकलित नहीं) । क्योंकि यदि आशय समझ कर — पढ़कर उसे बतलाने के कारण मनु इसके रचयिता हैं तो भृगु ने भी मनु के आशय को महर्षियों के समक्ष अपने शब्दों में कहा है

[५८—६०] । इस प्रकार तो मनु इसके रचयिता हुए । इस प्रकार ये युक्तियाँ स्वयं युक्तिदाताओं की मान्यता को खंडित कर रही हैं, अतः मान्य नहीं हैं । इन युक्तियों से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो गई है कि मौलिक श्लोकों के अनुसार मनुस्मृति की रचना के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मौलिक रूप से मनुकृत है और ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाले सभी प्रसंग परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं ।

इस प्रकार सभी मतों के पक्ष-विपक्ष पर विचार करने के अनन्तर यही निष्कर्ष सामने आता है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता या रचयिता स्वायम्भुव मनु हैं ।



३. मनु और मनुस्मृति : काल निर्धारण

मनुस्मृति में हुए प्रश्नों ने जिन बातों को सर्वाधिक क्षति पहुँचायी है, उनमें एक है — 'मनु और मनुस्मृति का कालनिर्णय'। लेखकों ने मनुस्मृति में प्राप्त वर्णनों पर विचार किया है और उनके अनुसार ही काल का अनुमान लगाया है। कालनिर्णय के लिए आधार बनाये गये उन वर्णनों पर आगे विचार किया जायेगा, जिनके आधार पर मनुस्मृति को अर्वाचीन घोषित किया है। यहाँ प्रथम, मनु और फिर वर्तमान मनुस्मृति के कालनिर्धारण सम्बन्धी अन्य आधारों पर विचार किया जाता है। पूर्वोक्त विवेचन से यह मत स्थिर हो गया है कि स्मृति, धर्म-नियम आदि के प्रसंग में प्राप्त होने वाला मनु स्वायम्भुव मनु ही है। इस समस्त विवेचन और ग्रन्थ में मनु नाम से यही अभिप्रेत होगा।

(क) प्राचीन भारतीय साहित्य में स्वायम्भुव मनु का काल —

१. मनु के काल का अनुमान लगाने में मनुस्मृति तथा मनुस्मृति से भिन्न भारतीय साहित्य में प्राप्त वंशावलियाँ ही सहायक हैं। मनुस्मृति में तीन स्थानों पर मनु के वंश की चर्चा है — (क) ब्रह्मा से विराज, विराज से मनु, मनु से मरीचि आदि दश ऋषि उत्पन्न हुए [१/३२-३५]। (ख) ब्रह्मा से मनु ने धर्मशास्त्र पढ़ा, मनु से मरीचि, मनु आदि ने। यह विद्यावंश के रूप में वर्णन है। [१/५८-६०] (ग) हिरण्यगर्भ = ब्रह्मा के पुत्र मनु हैं और मनु के मरीचि आदि। [३/१९४]। यद्यपि मनुस्मृति के प्रसंगों में ये तीनों ही स्थल प्रक्षिप्त होते हैं, किन्तु पारम्परिक जनश्रुति के रूप में यदि इन्हें स्वीकार करें तो स्वायम्भुव मनु पुत्र या शिष्य के रूप में ब्रह्मा से दूसरी पीढ़ी में उल्लिखित है। यही तथ्य इसके स्वायम्भुव (स्वयम्भू = ब्रह्मा, उसका पुत्र या शिष्य) विशेषण से स्पष्ट होता है।

२. महाभारत तथा पुराणों में भी वंशावलियाँ प्राप्त हैं, उनमें भी मनु को ब्रह्मा का पुत्र बताया गया है अथवा शिष्य के रूप में उसका सीधा सम्बन्ध ब्रह्मा से वर्णित है।^१

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा को आदि सृष्टि में माना जाता है और भारत का प्रत्येक कुलवंश तथा विद्यावंश ब्रह्मा से ही प्रारम्भ होता है। इस प्रकार मनु का काल भी आदिसृष्टि का स्थिर होता है।

३. इसी मान्यता को निरुक्त ने मनु का मत उद्धृत करते हुए एक श्लोक से पुष्ट किया है —

अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः ।

मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ॥ ३।४ ॥

अर्थात् — 'बाबुभाग में पुत्र और पुत्री, दोनों का अधिकार होता है' — यह विसर्गादौ = सृष्टि के आदि काल में स्वायम्भुव मनु ने कहा है।

यहाँ स्पष्टतः मनु का काल आदिसृष्टि बताया गया है। महर्षि दयानन्द इसी मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं—महर्षि मनु आदिसृष्टि में हुए।

४. भारतीय चतुर्युग और मन्वन्तर कालगणना पद्धति [मनु. १/६४-७३, ७९, ८०] के अनुसार सृष्टि-उत्पत्ति को हुए एक अरब, छियानवे करोड़, आठ लाख, तरेपन हजार पिचासी वर्ष (१,९६,०८,५३,०८५) बीत चुके हैं और छियासीवाँ सृष्टिसंवत् इस वर्ष अर्थात् ईस्वी सन् १९८५ और विक्रम सं. २०४२ में चल रहा है। इकहत्तर (७१) चतुर्युगियों का एक मन्वन्तर होता है। स्वायंभुव, स्वारोचिष, औत्तमि, तामस, रैवत, चाक्षुष—ये छह मन्वन्तर बीत चुके हैं। सातवाँ वैवस्वत मन्वन्तर इस समय चल रहा है। इस मन्वन्तर की चतुर्युगी में यह कलियुग का समय चल रहा है।^{४५}

इस सृष्टि-उत्पत्ति के समय को सुनकर पाश्चात्य और आधुनिक लोग अत्यधिक आश्चर्य करते हैं और विश्वास भी नहीं करते। उन्हें यह जिज्ञासा होती है कि कालगणना का इतना हिसाब कैसे रखा गया। इसके उत्तर में उन्हें एक व्यवहार में प्रचलित प्रमाण सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हो जायेगा। भारतीयों ने वर्षों की बात तो छोड़िये पल और प्रहर तक का हिसाब रखा है। ज्योतिषीय पंचांगों में यह आज भी उपलब्ध है। विवाह आदि धार्मिक कृत्यों में संस्कार के समय एक संकल्प की परम्परा है। उसमें 'आर्यावर्ते वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे अमुक प्रहरे' आदि बोलकर विवाह का संकल्प किया जाता है। इस प्रकार परम्पराबद्ध रूप से समय का हिसाब सुरक्षित है।^{४६}

उपलब्ध भारतीय वंशावलिओं के अनुसार ब्रह्मा को आदि वंशप्रवर्तक माना जाता है और मनु उससे दूसरी पीढ़ी में परिगणित है। इस प्रकार इस सृष्टि में जब से मानवसृष्टि का प्रारम्भ हुआ है; स्वायंभुव मनु उस आदिसृष्टि या आदि समाज के व्यक्ति सिद्ध होते हैं।

(ख) आधुनिक मतों के अनुसार स्वायंभुव मनु का काल—

आधुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन मतों को अमान्य मानकर नये सिरे से समग्र इतिहास पर विवेचन प्रारम्भ किया हुआ है। ये इतिहासकार अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनाओं एवं कार्यपद्धति से प्रभावित हैं। यद्यपि इनके मतों में अनुसन्धान के आधार पर परिवर्तन आता रहता है, तथापि अब तक स्थिर हुए कुछ आधुनिक मतों का यहाँ उल्लेख किया जाता है।

श्री के. एल. दफ्ती स्वायंभुव मनु का काल २६७० ई. पू. मानते हैं।^{४७} श्री ज्य. गु. काले ने पुराणों के आधार पर मनु का काल ३१०२ ई. पूर्व निश्चित किया है।^{४८} लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिर्विज्ञानीय तत्त्वों के आधार पर प्राचीन वैदिक साहित्य का कालनिर्णय करने का प्रयास

४५. मनु. १/६४-७३, ७९, ८० श्लोकों में चतुर्युगी और मन्वन्तर कालगणना का पूर्ण विवरण है। विस्तार के लिए पाठकगण उनकी समीक्षाएं देखें।

४६. पाश्चात्य और आधुनिक लोग सृष्टि उत्पत्ति के इस समय पर अविश्वास करते हैं। वे प्रत्येक आधुनिक वैज्ञानिक बात को ही प्राथमिक संशयिते हैं। उनके लिए इस सृष्टि स्रष्टा की पुष्टि हेतु एक वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत है। वह एक सुखद आश्चर्य की बात है कि सृष्टि-उत्पत्ति के विषय में आधुनिक वैज्ञानिकों की मान्यता बदल गयी है, और उन्होंने जो नवी मान्यता प्रस्तुत की है, वह भारतीय प्राचीन मान्यता से मिलती-जुलती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेइम क्यूरी ने रेडियम धातु की खोज की है। मिश्र में मिलने वाले रेडियम के कणों का परीक्षण और अध्ययन करके, उनमें नियत समय में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 'इस पृथ्वी को बने हुए लगभग दो अरब वर्ष हो चुके हैं।' (रेडियम—भाषाती प्रसाद श्रीवास्तव, साहित्य रसायन, पृ. ५७, प्रकाशक—कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय)।

४७. रामचन्द्रकालनिर्णय, पृ. ५५।

४८. पुराण निरीक्षण, पृ. ३१५।

किया है। उनके अनुसार कृतिका नक्षत्र में वसन्तारम्भ के समय ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई और मृगशिरा नक्षत्र के काल में वैदिक मन्त्रसंहिताओं की रचना हुई। खगोल और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कृतिका और मृगशिरा नक्षत्रों में वसन्तारम्भ क्रमशः आज से ४५०० एवं ६५०० वर्षों पूर्व हुआ था। इस प्रकार इन ग्रन्थों का काल क्रमशः २५०० ई. पू. तथा ४५०० ई. पू. लगभग निर्धारित होता है।^{४९} इस आधार पर मनु का काल भी ब्राह्मणग्रन्थों से पूर्व इसी कलावधि में निर्धारित होगा।

स्वरचित 'धर्मशास्त्र का इतिहास' में, धर्मशास्त्र और स्मृतिग्रन्थों के प्रसिद्ध विवेचक डा. पी. वी. काणे ने शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता आदि का काल ई. पू. ३०००—१००० वर्ष माना है। मनु की जीवनस्थिति इससे पूर्व की होने के कारण मनु का काल भी इनसे प्राचीन होगा।

मनु के आदिसृष्टि में होने से अभिप्राय —

आदि सृष्टि से यहाँ यह अभिप्राय नहीं है कि जब से संसार बना, वही काल यहाँ अभीष्ट है। यहाँ आदिसृष्टि से अभिप्राय मानव सृष्टि और मानवसमाज की संरचना से है। भारतीय इतिहास में ब्रह्मा से पूर्व कोई वंश परम्परा नहीं मिलती। इसका काल जो भी माना जाये, किन्तु इस वंशप्रवर्तक की दृष्टि से ब्रह्मा आदिसृष्टि का कहलाता है। इसी आधार पर मनु को आदिसृष्टि का कहा जाता है।

विश्व के समग्र साहित्य में ऋग्वेद को सभी विद्वान् सबसे प्राचीन मानते हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रन्थों का समय माना जाता है। इस कारण वेदों को और वैदिक साहित्य को आदि सृष्टि का कहा जाता है। ब्राह्मणग्रन्थों, तैत्तिरीय आदि संहिताओं^{५०} में धर्मप्रवक्ता के रूप में मनु का बहुधा उल्लेख आता है। अतः मनु का काल ब्राह्मणग्रन्थों से पूर्व ही स्थिर होता है। प्राप्त प्राचीन वाङ्मय के आधार पर तो मनु का काल आदि सृष्टि या आदि समाज का निर्धारित होता ही है, आधुनिक मतों से भी यही माप ध्वनित होता है।

इसके अतिरिक्त मनु मानव व्यवस्थाओं के आदि-कालीन व्याख्याता थे। इस कारण भी उन्हें आदिकाल का माना जाता है।

वेदों में मनु शब्द —

पाश्चात्य एवं पाश्चात्य विचारधारा के अनुगामी आधुनिक विद्वान् मनु पर विचार करते समय उसका उल्लेख एवं जीवन-परिचय वेदों में खोजते हैं। उनका कथन है कि ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर व्यक्तिवाचक मनु शब्द आया है। कहीं उसे पिता कहा है, कहीं प्रारम्भिक यज्ञकर्त्ता, तो कहीं अग्निस्थापक के रूप में उसका वर्णन है।^{५१}

इस चर्चा का उत्तर मनु के मन्तव्य के अनुसार दिया जाये तो अधिक प्रामाणिक होगा। मनु वेदों को ईश्वरप्रदत्त अर्थात् अपौरुषेय मानते हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य के माध्यम से वेदों का ज्ञान दिया। अपौरुषेय होने के कारण वेदज्ञान पूर्णतः चिन्त्य नहीं है, और अपरिमित है।^{५२} प्रारम्भ में वेदों से ही शब्द ग्रहण करके व्यक्तियों और वस्तुओं का नामकरण किया

४९. गीता रहस्य में।

५०. नैति. सं. २।२।१०।२ : ३।१।१।४ ॥ तै. ब्रा. २।१।६।७ ॥ तैत्ति. सं. ३।१।१।३० ॥ काठ सं. १।१२ ॥

५१. ऋग्वे. १।८०।१६ : १। ४।२ : २।३३।१३ : ८।६३।१ : ८।३०।१ : १०।६३।७ ॥

५२. मनु. १।२३ : १।४

गया।^{५३} मनु द्वारा वेदों को अपौरुषेय घोषित करने के उपरान्त उसी मनु का वेद में इतिहास दूँदना मनु के साथ ही अन्याय है, और मनु से पूर्व वेदों का रचनाकाल होने से कालविरुद्ध भी है।

वेदों में मनु शब्द विभिन्न अर्थों में आया है। कहीं वह ईश्वर का पर्यायवाची है,^{५४} कहीं मनुष्य के लिये है,^{५५} कहीं मननशील विद्वान् के लिये है।^{५६} विचारकों को जहाँ इसके व्यक्तिवाचक होने का आग्रह होता है, वह वस्तुतः ईश्वरवाचक प्रयोग है। अधिक विस्तार में न जाते हुए, इस विषय में मनुस्मृति का ही एक प्रमाण देकर इस बात को प्रमाणित किया जाता है। ईश्वर का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि उस परमेश्वर को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिनमें एक नाम 'प्रजापति मनु' भी है—

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥१२/१२३॥

इस प्रकार मनु के मन्तव्य के अनुसार वेदों में 'प्रजापति' 'पिता' आदि विशेषणों से संबोधित मनु ईश्वर ही है। इस आधार पर वेद में मनु का परिचय खोजना मनु के दृष्टिकोण के विरुद्ध है।



५३. मनु. १।२२॥

५४. ऋग. १।८०।१६; (स्वामी वसानन्व धाव्य)

५५. ४।२६।४; ५।२।१२; ६।२१।११, ८।४७।४॥

५६. ऋग. १।८०।१६; १।३३९।९; २।३३।१३; (स्वामीवसानन्व धाव्य) ॥ निरुपल एव ब्राह्मणों ने इन अर्थों की पुष्टि की है—'मनुः मन्मत्सु निरु. १२।३४, 'ये विद्वान्स्ते मनवः' शत. ८।६।३।१८॥

४. वर्तमान मनुस्मृति का रचनाकाल

आधुनिक विचारकों का मत है कि वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति का यह छन्दोबद्ध रूप पर्याप्त अवरकालीन है। इसकी कालावधि ईस्वी पूर्व प्रथम से द्वितीय शती मानी गयी है। उपर्युक्त विवेचन में सप्रमाण यह स्पष्ट किया गया है कि मनुस्मृति के मूलप्रवक्ता स्वयंभुव मनु हैं, और अधिकांश विद्वान् इसी मत को ही मानते हैं। इस तथ्य को तो सभी स्वीकार करेंगे ही कि जिसकी जो कृति है वह उसी के काल की होगी, अतः इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिये कि मूलतः मनुस्मृति उसके प्रवक्ता स्वयंभुव मनु के काल की ही है। हाँ, यह बात अवश्य विचारणीय है कि उसका प्रारम्भिक रूप क्या रहा होगा। मनुस्मृति के आद्यरूप पर विचार इस अध्याय के अन्त में किया जायेगा। यहाँ पहले, वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति के छन्दोबद्ध रूप के काल पर विचार किया जाता है। यद्यपि अन्य प्राचीन ग्रन्थों की तरह मनुस्मृतिविषयक काल का कहीं कोई उल्लेख न होने के कारण सुनिश्चित रूप से समय का निर्धारण करना कठिन है, फिर भी प्राचीन ग्रन्थों में पाये जाने वाले उद्धरणों, नामोल्लेखों को आधार मानकर उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब यहाँ विद्वानों द्वारा इस विषय में आधाररूप में अपनाये गये तथ्यों पर तथा इसके कालनिर्धारण में सहयोगी अन्य आधारों एवं संकेतों पर विचार किया जा रहा है —

(क) अर्वाचीन आधार एवं संकेत — प्रथम ईस्वी सन् से लेकर १३०० ईस्वी तक के भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इस कालावधि में प्रचलित मनुस्मृति पर्याप्त लोकप्रिय एवं प्रभावी रही है। इस पर अनेक विद्वानों ने संस्कृत भाष्य लिखे, जिनमें कुल्लुक भट्ट की मन्वर्थमुक्तावली टीका आज अधिक प्रचलित [११५०-१३०० ई.] है। पञ्चांगिणिय का मनुभाष्य सबसे प्राचीन भाष्य उपलब्ध है, जिसका काल ८२५-९०० ई. के मध्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति पर सर्वज्ञनारायण की मन्वर्थविवृति [लगभग १४०० ई.], गोविन्दराज की मनुटीका [लगभग १२००-१३०० ई.], नन्दन का नन्दनी और गद्यवानन्द की टीका उल्लेख्य हैं।

विश्वरूप [७९०-८५० ई.] ने अपने याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य और यजुर्वेदभाष्य में मनुस्मृति के लगभग दो सौ श्लोक उद्धृत किये हैं।^{१७} इससे परवर्ती मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर [१०४०-११०० ई.] ने भी अपने भाष्य में मनुस्मृति के सैंकड़ों श्लोक उद्धृत किये हैं।^{१८} शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र भाष्य में मनुस्मृति के कई श्लोक अपने विचारों की पुष्टि के लिए ग्रहण किये हैं और कुछ श्लोकों के साथ तो मनु के नाम का स्पष्ट उल्लेख है।^{१९} ५०० ई. में [कुछ के मतानुसार २००-४०० ई.] जैमिनिस्मृत भाष्य में शबरस्वामी द्वारा मनु के मतों का उल्लेख किया मिलता है।^{२०} बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने अपनी 'बज्रकोपनिषद्' रचना में अपने विचारों की पुष्टि के लिए मनु के श्लोकों को उद्धृत किया है।^{२१} यह राजा कनिष्क [७८ ई.] का समकालीन था।

इसी पूर्व के ग्रन्थों पर दृष्टिपात करते हैं तो यद्यपि याज्ञवल्क्य स्मृति में विषयों का वर्गीकरण नये ढंग से किया है और बहुत सारे नये विषय भी अपनाये हैं, किन्तु मनु से मिलते हुए जो भी विषय हैं उनमें ऐसा लगता है जैसे मनुस्मृति को सामने रखकर ही उनका अपने शब्दों में संक्षेपीकरण किया हो।^{२२} इसका काल १०२ ई. पू. माना जाता है। इस विषय में सभी विद्वान् एकमत हैं कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति से पर्याप्त प्राचीन रचना है। इसी प्रकार आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र को [१००-२०० ई. पू.] पढ़ने पर प्रतीत होता है कि अपने बहुत-से नये विषयों के प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ प्राचीन बातों के वर्णन में मनुस्मृति को आधार बनाकर वर्णन किया है।^{२३} बहुत-से स्थलों पर मनु के मत का नामपूर्वक उल्लेख है।^{२४} वर्तमान मनुस्मृति में ७/१०५ पर पाया जाने वाला निम्न श्लोक कौटिल्य अर्थशास्त्र प्र १०/अ. १४ में लगभग उसी रूप में पाया जाता है—

नास्य छिद्रं परो विद्यात् विद्याच्छिद्रं परस्य तु।

गृहेत्कूर्मं इवांगानि रक्षेद्विवरमात्मनः।।

भासकृत 'प्रतिमानाटक' [२००-३०० ई. पू. कुछ के मत में ४००-५०० ई. पू.] में रावण के मुख से उच्चारित वाक्य से यह संकेत मिलता है कि उससे पूर्व 'मानवधर्म शास्त्र' एक प्रसिद्धिप्राप्त शास्त्र था—

“रावणः— काश्यपगोत्रोऽस्मि सांगोपांग-वेदमधीये मानवीयं
धर्मशास्त्रं, माहेश्वरं योगशास्त्रम् च” (पृ. ७९)

१७. विश्वरूप ने याज्ञ. स्मृ. १/४५ तथा २/१३, ७५, ८३, ८५ श्लोकों के भाष्य पर मनु. के ८/१८ ७० ७१. १०५ १०६ ३४८ श्लोक उद्धृत किये हैं।

१८. याज्ञ. स्मृ. १/१७, ५३, ६०, ६९, ७२, ७८, ८०; २/१२, २, ५, ५१, २६ आदि श्लोकों के भाष्य पर मनु. के २/१० ३/५, ३/४४, ३/५९, ३/४९; ८/१८, ८/१३, ८/५८-६५, ८/२२ श्लोक उद्धृत किये हैं।

१९. शंकराचार्य ने १/३८-८८; १/३१३; २/११२; २/११२; ३/११३; ४/११३ सूत्रों पर मनु. के १/८०; २/१४ तथा १/२१६; १/२५१; १/२१०५-१०६; २/८३; २/२७ श्लोक उद्धृत किये हैं। ३/११३ पर मनु. का भाष्यलक्षण है और २/११२ में 'मनुर्वै' पदकिसी आशय से 'य' आशयवाक्य उद्धृत करने मनु. की ७/१४ मा है।

२०. जैमिनिस्मृत का इतिवृत्त—दे. जै. काणे।

२१. बौद्ध।

२२. उदा. यथा— याज्ञ. स्मृ. के २/१०, १/२५, १/२५१; २/१३ आदि श्लोकों में मनु. २/१२, २/१२, २/१२२, २/२३ १४४; २/४० के श्लोकों का संक्षिप्त भाग।

२३. दृष्टव्य अर्थशास्त्र प्र. ३/अ. ६, ३/५ ३/५, १५/८८ विनयवि प्र. ५/७ में मनु. ७/१०, ७/२५ तथा ४/३ ७/३७-२२५ विनयवि. ७/१५५ श्लोकों का यथावत भाग।

२४. उदा. यथा— याज्ञ. स्मृ. २/१२, २/१२२, २/२३

इतिहासकार धुन्करचित 'मुच्छकटिकम्' नाटक को ई. पू. तीसरी शताब्दी की रचना मानते हैं । इसमें मनु के किसी ग्रन्थ का श्लोक उद्धृत करते हुए 'आहमण अवध्य है' मनु का यह मत मनु के भूमोल्लेखपूर्वक दिया है —

अयं हि पातकी विप्रो न धम्यो मनुश्चवीर ।

राष्ट्रादस्मानु निर्वास्यो विभवैरक्षतेः सह ॥ मुच्छ १।३९ ॥

(ख) प्राचीन आधार एवं संकेत — परम्परागत मान्यताओं के अनुसार और अधिक प्राचीन माने जाने वाले साहित्य में भी मनुस्मृति के श्लोकों के उद्धरण मिलते हैं —

१. महाभारत में अनेक स्थलों पर स्मृतिकार के रूप में स्वयंभुव मनु या मनु का उल्लेख आता है । बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो मनु के नाम से उद्धृत हैं और वे प्रचलित मनुस्मृति में यथावत पाये जाते हैं । ऐसे श्लोक, जो मनु के नाम के बिना भिन्न-भिन्न धर्मवर्णन प्रसंगों में, उद्धृत हैं, और जो मनुस्मृति में यथावत रूप में पाये जाते हैं, उनकी संख्या भी पचासों है । इसके अतिरिक्त किंचित पाठभेद वाले और यथावत गृहीत भाव वाले श्लोकों की संख्या भी पचासों में है । उदाहरण के रूप में कुछ श्लोकों का टिप्पणी में विवरण दिया जाता है ।^{१५} अनुसन्धान करने पर और भी मिलेंगे ।

१५/अ) स्वयंभुव मनु के नाम वाले श्लोक —

महा. अति. ७३ । ८-९, शान्ति. ३६ । ५-८, ३३५ । ४४-४६, अष्टाध्याय १२: १२१ । २६-१२२ । १०, १२ आदि ।

(आ) मनु के नाम से उद्धृत मनुस्मृति के श्लोक —

महाभारत में	मनुस्मृति में
शान्ति. ५६ । २४	१ । ३२१
अति. ७३ । ९-१०,	३ । २१

(इ) मनु के नाम के बिना उद्धृत मनुस्मृति के श्लोक —

महाभारत में	मनुस्मृति में	महाभारत में	मनुस्मृति में
अति. ७५ । ५०	२ । ५४	१०८ । १७-२०	२ । १४५-१४६
शान्ति. ३४ । २	११ । ४४	१२१ । ६०	८ । ३३५
३५ । ४-५	११ । ७५-७६	२४० । ६०	४ । २०
३५ । ६	११ । ७५	१३० । ६०	८ । ४५
३५ । १६	११ । ७०	१३५ । २२	५ । १७३
३६ । २७	४ । २१८	१५० । ७०	१५ । १०२-१०६
३६ । ३५	३ । २२७	१६१ । ५	११ । २३७
३६ । ४३	२ । १४५	१६५ । १-५	११ । १०४
३६ । ४७	५ । १०५	१६५ । ३०	१५ । १०५
३६ । ४८	५ । १०५	१६५ । ४०	१५ । १०५
३६ । ५०	५ । १०५	१६५ । ५०	१५ । १०५
३६ । ५१	५ । १०५	१६५ । ६०	१५ । १०५
३६ । ५२	५ । १०५	१६५ । ७०	१५ । १०५
३६ । ५३	५ । १०५	१६५ । ८०	१५ । १०५
३६ । ५४	५ । १०५	१६५ । ९०	१५ । १०५
३६ । ५५	५ । १०५	१६५ । १००	१५ । १०५
३६ । ५६	५ । १०५	१६५ । ११०	१५ । १०५
३६ । ५७	५ । १०५	१६५ । १२०	१५ । १०५
३६ । ५८	५ । १०५	१६५ । १३०	१५ । १०५
३६ । ५९	५ । १०५	१६५ । १४०	१५ । १०५
३६ । ६०	५ । १०५	१६५ । १५०	१५ । १०५
३६ । ६१	५ । १०५	१६५ । १६०	१५ । १०५
३६ । ६२	५ । १०५	१६५ । १७०	१५ । १०५
३६ । ६३	५ । १०५	१६५ । १८०	१५ । १०५
३६ । ६४	५ । १०५	१६५ । १९०	१५ । १०५
३६ । ६५	५ । १०५	१६५ । २००	१५ । १०५
३६ । ६६	५ । १०५	१६५ । २१०	१५ । १०५
३६ । ६७	५ । १०५	१६५ । २२०	१५ । १०५
३६ । ६८	५ । १०५	१६५ । २३०	१५ । १०५
३६ । ६९	५ । १०५	१६५ । २४०	१५ । १०५
३६ । ७०	५ । १०५	१६५ । २५०	१५ । १०५
३६ । ७१	५ । १०५	१६५ । २६०	१५ । १०५
३६ । ७२	५ । १०५	१६५ । २७०	१५ । १०५
३६ । ७३	५ । १०५	१६५ । २८०	१५ । १०५
३६ । ७४	५ । १०५	१६५ । २९०	१५ । १०५
३६ । ७५	५ । १०५	१६५ । ३००	१५ । १०५
३६ । ७६	५ । १०५	१६५ । ३१०	१५ । १०५
३६ । ७७	५ । १०५	१६५ । ३२०	१५ । १०५
३६ । ७८	५ । १०५	१६५ । ३३०	१५ । १०५
३६ । ७९	५ । १०५	१६५ । ३४०	१५ । १०५
३६ । ८०	५ । १०५	१६५ । ३५०	१५ । १०५
३६ । ८१	५ । १०५	१६५ । ३६०	१५ । १०५
३६ । ८२	५ । १०५	१६५ । ३७०	१५ । १०५
३६ । ८३	५ । १०५	१६५ । ३८०	१५ । १०५
३६ । ८४	५ । १०५	१६५ । ३९०	१५ । १०५
३६ । ८५	५ । १०५	१६५ । ४००	१५ । १०५
३६ । ८६	५ । १०५	१६५ । ४१०	१५ । १०५
३६ । ८७	५ । १०५	१६५ । ४२०	१५ । १०५
३६ । ८८	५ । १०५	१६५ । ४३०	१५ । १०५
३६ । ८९	५ । १०५	१६५ । ४४०	१५ । १०५
३६ । ९०	५ । १०५	१६५ । ४५०	१५ । १०५
३६ । ९१	५ । १०५	१६५ । ४६०	१५ । १०५
३६ । ९२	५ । १०५	१६५ । ४७०	१५ । १०५
३६ । ९३	५ । १०५	१६५ । ४८०	१५ । १०५
३६ । ९४	५ । १०५	१६५ । ४९०	१५ । १०५
३६ । ९५	५ । १०५	१६५ । ५००	१५ । १०५
३६ । ९६	५ । १०५	१६५ । ५१०	१५ । १०५
३६ । ९७	५ । १०५	१६५ । ५२०	१५ । १०५
३६ । ९८	५ । १०५	१६५ । ५३०	१५ । १०५
३६ । ९९	५ । १०५	१६५ । ५४०	१५ । १०५
३६ । १००	५ । १०५	१६५ । ५५०	१५ । १०५
३६ । १०१	५ । १०५	१६५ । ५६०	१५ । १०५
३६ । १०२	५ । १०५	१६५ । ५७०	१५ । १०५
३६ । १०३	५ । १०५	१६५ । ५८०	१५ । १०५
३६ । १०४	५ । १०५	१६५ । ५९०	१५ । १०५
३६ । १०५	५ । १०५	१६५ । ६००	१५ । १०५
३६ । १०६	५ । १०५	१६५ । ६१०	१५ । १०५
३६ । १०७	५ । १०५	१६५ । ६२०	१५ । १०५
३६ । १०८	५ । १०५	१६५ । ६३०	१५ । १०५
३६ । १०९	५ । १०५	१६५ । ६४०	१५ । १०५
३६ । ११०	५ । १०५	१६५ । ६५०	१५ । १०५
३६ । १११	५ । १०५	१६५ । ६६०	१५ । १०५
३६ । ११२	५ । १०५	१६५ । ६७०	१५ । १०५
३६ । ११३	५ । १०५	१६५ । ६८०	१५ । १०५
३६ । ११४	५ । १०५	१६५ । ६९०	१५ । १०५
३६ । ११५	५ । १०५	१६५ । ७००	१५ । १०५
३६ । ११६	५ । १०५	१६५ । ७१०	१५ । १०५
३६ । ११७	५ । १०५	१६५ । ७२०	१५ । १०५
३६ । ११८	५ । १०५	१६५ । ७३०	१५ । १०५
३६ । ११९	५ । १०५	१६५ । ७४०	१५ । १०५
३६ । १२०	५ । १०५	१६५ । ७५०	१५ । १०५
३६ । १२१	५ । १०५	१६५ । ७६०	१५ । १०५
३६ । १२२	५ । १०५	१६५ । ७७०	१५ । १०५
३६ । १२३	५ । १०५	१६५ । ७८०	१५ । १०५
३६ । १२४	५ । १०५	१६५ । ७९०	१५ । १०५
३६ । १२५	५ । १०५	१६५ । ८००	१५ । १०५
३६ । १२६	५ । १०५	१६५ । ८१०	१५ । १०५
३६ । १२७	५ । १०५	१६५ । ८२०	१५ । १०५
३६ । १२८	५ । १०५	१६५ । ८३०	१५ । १०५
३६ । १२९	५ । १०५	१६५ । ८४०	१५ । १०५
३६ । १३०	५ । १०५	१६५ । ८५०	१५ । १०५
३६ । १३१	५ । १०५	१६५ । ८६०	१५ । १०५
३६ । १३२	५ । १०५	१६५ । ८७०	१५ । १०५
३६ । १३३	५ । १०५	१६५ । ८८०	१५ । १०५
३६ । १३४	५ । १०५	१६५ । ८९०	१५ । १०५
३६ । १३५	५ । १०५	१६५ । ९००	१५ । १०५
३६ । १३६	५ । १०५	१६५ । ९१०	१५ । १०५
३६ । १३७	५ । १०५	१६५ । ९२०	१५ । १०५
३६ । १३८	५ । १०५	१६५ । ९३०	१५ । १०५
३६ । १३९	५ । १०५	१६५ । ९४०	१५ । १०५
३६ । १४०	५ । १०५	१६५ । ९५०	१५ । १०५
३६ । १४१	५ । १०५	१६५ । ९६०	१५ । १०५
३६ । १४२	५ । १०५	१६५ । ९७०	१५ । १०५
३६ । १४३	५ । १०५	१६५ । ९८०	१५ । १०५
३६ । १४४	५ । १०५	१६५ । ९९०	१५ । १०५
३६ । १४५	५ । १०५	१६५ । १०००	१५ । १०५

इन सब प्रमाणों से वर्तमान मनुस्मृति की स्थिति महाभारत से पूर्व सिद्ध होती है। महाभारत के अन्तरंग प्रमाणों के आधार पर और भारतीय परम्परा से महाभारत के युद्ध का काल पाँच हजार वर्ष से पूर्व माना जाता है और महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास को उस युद्ध का समकालीन माना जाता है। इस प्रकार मनुस्मृति का काल उससे भी पूर्व स्थिर होता है।

इतिहास के आधुनिक विद्वान् महाभारत का रचनाकाल और युद्ध काल भिन्न-भिन्न मानते हैं उनके अनुसार महाभारत का रचनाकाल १००-६०० ई. सन् के मध्य है। एक नयी खोज के अनुसार यह काल १०० ई. पू. तक माना जाने लगा है।^{१५}

२. वाल्मीकि रामायण किष्कि. १८/३०, ३२ में मनु के नामोल्लेख पूर्वक दो श्लोक उद्धृत पाये गये हैं — 'श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चरित्रचत्सलो' [वा. रामा. किष्कि. १८/३०] यहाँ स्पष्टतः मनु द्वारा 'गाये और श्लोक' पद पठित हैं (क) बालि-सुग्रीव द्वन्द्व युद्ध में राम दूर खड़े होकर छुपकर बालि की हत्या कर देते हैं। मरणासन्न बालि राम के इस कृत्य को अधर्मानुकूल बताता है। उसका उत्तर देते हुए राम मनु के निम्न दो श्लोक उद्धृत करते हुए अपने कृत्य को धर्मानुकूल सिद्ध करते हैं। ये दोनों श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में किष्कि पाठ भेद पूर्वक ८/३१६, ३१८ में पाये जाते हैं —

राजमिर्धतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः ।

निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥

.. १०/१६	८/१६	२४४/१५	६/११-५
.. ११/६	९/३०१	२६४/११-१६	४/२०५-२०६
.. ११/२१	४/१७२-१७३		
.. १०८/५-९, १२	२/२२९-२३४		

(ई) मनुस्मृति के भाषों का यथावत् वर्णन करने वाले श्लोक —

महाभारत में	मनुस्मृति में	महाभारत में	मनुस्मृति में
शान्ति. ३६/२०	१२/११०, ११२	शान्ति. २०१/३२-३३,	१२/८,
.. ३६/२८	४/२१७, २२०	२४३/२-४,	४/७-९,
.. ५६/२४,	९/३१६, ३१९	२४३/७-८,	४/२९-३१
.. ७२/१२,	९/६९	२४४/८-९	६/१८
.. ८७/३-५,	७/११४-११७	२४४/१२-१५,	६/१७, २०, २९,
.. ८७/१८	७/१२८	२४४/२३-२४,	६/३८
.. ८८/४-५,	७/१२९	२४४/४-५,	६/४३-४४
.. ९५/१८	४/१७२	२४४/१७,	६/५०
.. १६५/२४,	११/२४	२४५/७,	६/४३-४४
१६५/५६-५९	११/१२६-३१		
.. १६५/६६	८/३७१, ३७३		

१६. श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य ने अपनी 'महाभारत बीमासा' में स्पष्टपूर्व तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 'एक अन्यो क्रायं कोट्योम' नामक यूनानी लेखक ५० ई. में दक्षिण के प्रायद्वीप देश में आया था। उसने अपने सम्मरण में लिखा है कि भारत में एक लम्बा श्लोक का 'इलियड' [एतिहासिक महाकाव्य] है। इसमें सन्देह नहीं कि इलियड से उसका प्रमाणार्थ 'महाभारत' से ही है।

शासनाद्वापि मोक्षाद् वा स्तेनः पापात् प्रमुच्यते ।।

राजात्वंशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम् ।।

(ख) इनके अतिरिक्त वा. रामा. अयो. १०७/१२ में एक और श्लोक मिलता है, जो मनु. ५/१३८ में प्राप्त है। चतुर्थ पाद में पाठभेद के अतिरिक्त यह ज्यों का त्यों है। वहां यह श्लोक मनु के नाम के बिना उद्धृत है —

पुष्पाम्नो नरकद् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः ।

तस्मात् पुत्र ईति प्रोक्तः पितृन्त्यः पति सर्वतः ।।

भारतीय प्राचीन मान्यता के अनुसार वाल्मीकि रामायण राम के समकालीन है और राम का काल लाखों वर्ष पूर्व माना जाता है। पाश्चात्य एवं आधुनिक भारतीय विद्वान् रामायण का रचनाकाल ई. पू. तीसरी शताब्दी से छठी ईस्वी तक मानते हैं। हालांकि आजकल कुछ पाश्चात्य और उनके अनुयायी भारतीय लोगों ने यह एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है कि वाल्मीकि रामायण महाभारत से परवर्ती है। प्रसंगवश यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं कि ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जिनके आधार पर महाभारत रामायण से परवर्ती रचना सिद्ध होती है। 'महाभारत रामायण से पूर्व की रचना है' यह मत कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने दिया है और उनके कुछ भारतीय अनुयायियों ने उनकी हां में हां मिला दी है। भाषा का आधार मानकर वे लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन यह कोई अकाट्य आधार नहीं है, और न उनके पास इसकी सिद्धि के लिये ठोस प्रमाण हैं। यहाँ इस विषय को उठाना प्रासंगिक नहीं है, अतः दो चार प्रमाण देकर ही इस चर्चा को समाप्त किया जाता है। इस विवेचना में उसी पुरानी भारतीय मान्यता को स्वीकार किया गया है कि महाभारत वाल्मीकि से परवर्ती रचना है। वाल्मीकि रामायण को महाभारत से पूर्व सिद्ध करने वाले प्रमाण हैं — (क) रामायण में महाभारत की घटनाओं या कौरवों, पाण्डवों का कहीं उल्लेख नहीं, जबकि महाभारत में वाल्मीकि, उसकी रामायण, राम सम्बन्धी घटनाओं तथा उसके पात्रों का उल्लेख है। (ख) महाभारत में अनेक स्थलों पर घटनावर्णन, उपमाण, श्लोकाद्य रामायण में मिलते हैं (ग) निम्न दो श्लोक महाभारत में वाल्मीकि रामायण के प्राप्त होने हैं —

अ. ब्रह्मघ्नो च सुगणे च चोरे भग्नघ्ने तथा ।

निष्कृन्निर्विश्रिता गज्जन कृन्घ्ने नास्मि निष्कृन्तिः ।।

महा. शान्ति. १७२/२५ ।।

रामायण में यह किराक. ३४/१२ पर है। यहाँ ब्रह्मघ्ने के स्थान पर 'गोघ्ने' पाठभेद है। 'गज्जन' के स्थान पर 'मदिमः' पाठ है। अन्य यथावत है।

आ. न हन्तव्याः स्त्रियश्चेति नद्वज्रीणि प्लवंगम ।

पीडाकरममित्राणां यत्थ कसंन्यमेव नन ।।

महा. ७/१४३/६६ ।। (वा. रामा. में युद्ध. ८१/२८ में)

३. मनुस्मृति में केवल वेदों [११२१, २३; ३१२; १११२६२-२६४; १२११११-११२ आदि] और वेदांगों [२११४०, २४१] का ही उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख भी एक विद्या के रूप में है न कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित ग्रन्थ के रूप में। इसकी पुष्टि के लिए दो तर्क दिये जा सकते हैं — (क) इन विद्याओं के साथ न तो कहीं रचयिता का संकेत है और न ग्रन्थरूप का। (ख) १२११११ में इन विद्याओं के ज्ञाताओं का 'हेतुकः' 'तर्कः' 'नैरुक्त्तः' 'धर्मपाठकः' आदि विद्याविशेषणों से परिगणन किया है, न कि ग्रन्थज्ञाता के रूप में। एक-एक विद्या पर विभिन्न

आचार्यों के ग्रन्थ प्राप्त हो रहे हैं। किसी भी ग्रन्थ का उल्लेख न होना और अन्य ब्राह्मण, उपनिषद् आदि विधाओं का उल्लेख न मिलना यह सिद्ध करता है कि यह स्मृति इन सबसे पूर्व की रचना है। (मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले अन्य विद्या-विषयों, व्यक्तियों के नामों एवं स्थानों के विषय में समाधान इसी अध्याय में आगे 'मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाधान' शीर्षक में देखिये)।

४. मनुस्मृति का आधार केवल वेद ही हैं। मनु सीधे वेद से विज्ञात बातों को ही धर्मरूप में वर्णित करते हैं और उसी को आधार मानने का परामर्श देते हैं [१/४, २१, २३; २/१२८, १२९, १३०, १३२; १२/९२-९३, ९४, ९७, ९९, १००, १०६, ११०-११२, ११३ आदि]। वेद और मनुस्मृति के बीच अन्य किसी ग्रन्थ का उल्लेख न मिलना यह इंगित करता है कि यह मूलतः उस समय की रचना है जब धर्म में केवल वेदों को ही आधारभूत महत्त्व प्राप्त था, अन्य ग्रन्थों को इस योग्य प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। यह समय अत्यन्त प्राचीन ही था।

५. विभिन्न स्मृतियों में तो मनु का उल्लेख भी है और प्रशंसा भी, अनेक सूत्रग्रन्थों में भी मनु के नाम का तथा उसके मत का उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें आश्वलायन श्रौतसूत्र [२/७/२; १०/७/१], आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [३।१।७; ३/१०/३५], वासिष्ठ धर्मसूत्र [१/१७] आपस्तम्ब धर्मसूत्र [२/१४/११] बौधायन धर्मसूत्र [४/१/१४, ४/२/१६] गौतम धर्मसूत्र [२१/७], आदि उल्लेखनीय हैं।

६. अतिप्राचीन काल में इस सम्पूर्ण देश का नाम आर्यावर्त था। महाभारत के अनुसार दुष्यन्त-शकुन्तला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा [आदि. २/९५-९६; ७४/१३१] महाभारत में इस देश को भारतवर्ष ही कहा गया है।^{१०} मनुस्मृति में आर्यावर्त नाम का उल्लेख इसे महाभारत आदि ग्रन्थों से पुरातन और प्रारम्भकाल का इंगित करता है।

७. रामायण काल में भी आर्यावर्त की वह मनुस्मृतिप्रोक्त स्थिति नहीं रह गयी थी, अतः रामायण मनुस्मृति से बाद की रचना है।

८. इसी प्रकार ब्रह्मावर्त प्रदेश और उसका मनुप्रोक्त महत्त्व प्रारम्भिक काल में था। रामायण, महाभारत तक इस प्रदेश का नाम बदल चुका था। इस ग्रन्थ में उसका उल्लेख न होना भी मनुस्मृति के बाद की रचना सिद्ध करता है।

निष्कर्ष --

उपर्युक्त आधारों और युक्तियों पर विचार करने के उपरान्त जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि वर्तमान में प्रचलित यह छन्दोबद्ध मनुस्मृति भी अत्यन्त प्राचीन है। उपलब्ध लौकिक भाषा के ग्रन्थों से तो यह प्राचीन है ही, कुछ वैदिक ग्रन्थों से भी प्राचीन है।

आधुनिक मतों पर जब हम इष्टिपात करते हैं तो उन पर 'मुण्डे मुण्डे मतिर्मिन्ना' वाली कहावत चरितार्थ होती दिखायी पड़ती है। एक-एक बात को लेकर लगभग सभी प्रसिद्ध विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। कहीं कोई एकरूपता नहीं। फिर इन मतों की स्थिरता का भी कोई भरोसा नहीं है। बहुत जल्दी-जल्दी ये बदलते जा रहे हैं। फिर भी, उनके आधार पर भी यह निष्कर्ष सामने आया है कि यह छन्दोबद्ध मनुस्मृति रामायण, महाभारत आदि से प्राचीन है।

स्मृतियों को प्राचीन मानने में आधुनिक विद्वानों को शायद इस कारण संकोच अनुभव होता है कि

वे पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पहले से ही निर्धारित की गयी धारणाओं को मानकर चलते हैं। पाश्चात्य विद्वानों और उनके समर्थक भारतीय विद्वानों ने कालनिर्धारण करने के लिए पहले से ही कुछ सीमा-रेखाएँ और उनके पूर्वापर क्रम बना लिये हैं कि अमुक संहिता काल है, अमुक सूत्रकाल, अमुक स्मृतिकाल है, आदि-आदि। लेकिन यह धारणा समीचीन प्रतीत नहीं होती। सूत्रकाल में छन्दोबद्ध रचनाएँ भी हुई हैं और छन्दोबद्ध रचनाओं के साथ-साथ सूत्रग्रन्थों की रचनाएँ भी। यह मानना भी ठीक नहीं है कि सूत्रग्रन्थ पूर्ववर्ती रचनाएँ हैं और स्मृतियाँ उनके बाद की। इस बात को स्पष्ट और पुष्ट करने के लिए एक प्रमाण देना पर्याप्त रहेगा। आधुनिक इतिहासकार सूत्रग्रन्थों का काल ३०० से ६०० ई. पू. तक मानते हैं और सबसे प्राचीन स्मृतियाँ गौतम और वासिष्ठ स्मृतियों को मानते हैं। इनका काल ६०२ ई. पू. निर्धारित करते हैं। यही विद्वान् यास्ककृत निरुक्त का काल ८०० ई. पू. तक मानते हैं। निरुक्त ३/४ में जो दायभाग से सम्बन्धित मनु का मत दिया गया है वह किसी प्राचीन स्मृतिग्रन्थ का वचन है और अनुष्टुप छन्द में है^{५८}। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उनके मतानुसार भी ८०० ई. पू. से पहले भी स्मृतिग्रन्थ थे। जब किसी अन्य स्मृतिकार ने मनु का मत अपनी स्मृति में श्लोकबद्ध किया है तो इसका मतलब है कि उस समय स्मृतियाँ श्लोकबद्ध रूप में थीं। काल की दृष्टि से प्राचीन होने के कारण मनु की स्मृति पहले ही श्लोकबद्ध हो चुकी होगी, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार छन्दोबद्ध मनुस्मृति के प्राचीन होने की पुष्टि हो जाती है।

यहाँ कुछ लोगों को यह शंका उत्पन्न होगी कि रामायण को आदिकाव्य माना जाता है और वाल्मीकि को आदिकवि। उन्हीं के मुख से प्रथम छन्द का उद्भव हुआ था^{५९}। यह कथन पूर्णतः अयुक्तियुक्त है। ऐसा सोचना इस कारण भी गलत है कि उससे पूर्व वेदों, संहिताओं में रामायण में प्रयुक्त अनुष्टुप छन्द के अनेक उदाहरण पहले से ही उपलब्ध हैं^{६०}। रामायण को आदिकाव्य कहने से अभिप्राय केवल यही है कि काव्यात्मक शैली में, लौकिक साहित्य में वह प्रथम रसमय काव्य है। रामायण की प्रारम्भिक भूमिका में 'भा निषाद प्रतिष्ठां त्वम...' [बाल. २/१५] के प्रसंग में यह भाव नहीं है कि वाल्मीकि यह सोचने लगे कि मेरे मुख से निकला यह वाक्य गद्य रूप है अथवा श्लोकरूप, अपितु वहाँ भाव यह है कि 'मैंने भाववेश में यह दुर्भाषना युक्त अपवाक्य क्या, और क्यों कह डाला।' टीकाकारों ने इस प्रसंग की गणन व्याख्या करके उस रूप में प्रस्तुत किया है।

उस प्रसंग में ब्रह्मा के अवतरण की पौराणिक काल्पनिक कथा ने इस व्याख्या को यह दिशा दी है। यह कथा उस प्रसंग में प्रक्षिप्त सिद्ध होती है। और रामायण में उद्धृत मनुस्मृति के श्लोकों को देखकर स्पष्ट है। यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति रामायण से भी प्राचीन है।



५८. आदिशेषेष पुत्राणां दायो भवति धर्मतः ।

विद्युत्मानां विसर्गादौ मनुः । व्यासबुकोऽब्रवीत् ॥ ३।४ ॥

५९. लोकप्रचलित अनुष्टुप छन्द का लक्षण है — 'एषमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयोः । षष्ठं गुरुविजानीयात् एतदनुष्टुप लक्षणम् ।' इस लक्षण के आधार पर वेद का श्लोक देखिए —

[क] वेद में — यस्तु सर्वाणि भूतान्मात्मन्येवाभ्युपश्रयति ।

सर्व-भूतेषु आत्मानं ततो न विचिन्सति ॥ यजु. ४०।६ ॥

५. मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाधान —

इस विश्लेषण के बाद यह प्रश्न उठता है कि जब मनुस्मृति को प्राचीन सिद्ध करने के इतने आधार उपलब्ध हैं, तो फिर किस कारण से उसे अर्वाचीन माना जा रहा है ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि इसके विम्वेदार आलोचक उतने नहीं हैं जितने कि मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले अर्वाचीनसाधक संकेत हैं। यहाँ उन्हीं कारणों पर प्रकाश डालते हुए उनका समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। मनुस्मृति में निम्न वर्णन इसको प्राचीन मानने में बाधा पहुँचाते हैं —

१. परवर्ती राजाओं के नाम — मनुस्मृति में मनु से परवर्ती अनेक राजाओं के नाम उदाहरण के रूप में पाये जाते हैं, यथा — वेन, नहुष, पित्रवन्पुत्र सुदास, सुमुख, नेमि [७/४१]। मनु, पृथु, कुबेर, विश्वामित्र [७/४२]। सुदास [८/११०]। पृथु [९/४४] वेन [९/६६]। विश्वामित्र और चण्डाल कथा [१०/१०८]।

२. परवर्ती स्मृतिकारों या ऋषियों के नाम — मनुस्मृति में प्रसंगानुसार अनेक स्मृतिकारों और ऋषियों के मतों का उल्लेख है, या धर्मसिद्धि में उनके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, यथा — अत्रि, उत्तथ्यपुत्र गौतम, शौनक, भृगु [३/१६]। वसिष्ठ [८/११०; ८/१४०]। वत्स [८/११६]। वसिष्ठ — अक्षमाला, शारंगी — मन्वपाल ९/२४]। दक्षप्रजापति द्वारा कश्यप, धर्मराज, सोम राजाओं को कन्यादान [९/१२८-१२९]। अजीर्गर्त — शुनः श्रेप [१०/१०५]। वामदेव [१०/१०६]। मरद्वाज-वृषु बर्द्ध [१०/१०७]।

३. परवर्ती स्थानों के नाम — कुछ ऐसे स्थानों का नाम मनुस्मृति में पाया जाता है जो, ऐतिहासिक दृष्टि से बाद में स्थापित हुए हैं, यथा — कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेनक प्रदेशों वाला ब्रह्मर्षि देश [१/१३८ (२/१९)]। इन्हीं देशों के वीरों का युद्ध में स्थाननिर्धारण [७/१९३]।

४. अर्वाचीन पौराणिक मान्यताओं का वर्णन — कुछ ऐसी मान्यताएँ भी मनुस्मृति में पायी जाती हैं, जो बहुत आधुनिक हैं, यथा — क. गंगा और कुरुक्षेत्र में पापनिवृत्ति के लिए जाना [८/९२] ख. अठ और बारह वर्ष की कन्या का विवाह [९/९४]।

इन वर्णनों या उल्लेखों के समाधान के प्रसंग में कुछ बातें ऐसी हैं, जो सामान्यरूप से सबके साथ लागू होती हैं — (क) इस प्रकार के सभी परवर्ती वर्णन समय-समय पर किये जाने वाले परिवर्तनों, परिवर्धनों और मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप किये गये प्रक्षेप हैं। अपने-अपने प्रसंगों में ये स्थल स्पष्टतः बाद में किये गये प्रक्षेप सिद्ध होते हैं। कहीं इनका प्रसंग से तालमेल नहीं है, तो कहीं मनु का अन्यत्र वर्णित मान्यता से विरोध है। इस प्रकार इन्हें काल निर्धारण में आधार नहीं माना जा सकता। पीछे कई स्थानों पर विस्तार से स्पष्ट किया गया है कि मनुस्मृति मूलतः मनु के प्रवचन है, और बाद में इन्हें संकलित किया गया है। सही संकलन वही माना जायेगा जो वक्ता के ही भावों को प्रदर्शित करे। इस प्रकार झेली से यह बात स्पष्ट होती है कि मनु के प्रवचनों में मनु से परवर्ती व्यक्तियों का (समकालीन पीढ़ियों को छोड़कर) उल्लेख समय नहीं। फिर भी मिलता है तो इसका अभिप्राय है कि ये स्थल बाद में किसी ने मिलाये हैं। (ग) इन वर्णनों के आधार पर यह नहीं माना चाहिये कि यह परवर्ती काल में किया गया संकलन है या पुनर्संस्करण है, अपितु मौलिक रूप को आधरूप मानते हुए इन्हें परवर्ती प्रक्षेप मानना चाहिये। (घ) उपर्युक्त स्थल अन्य मानदण्डों के आधार पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत निवेदन भाष्य में यथास्थान द्रष्टव्य।

है। यहाँ इनकी प्रशिक्षता को सिद्ध करने वाले कालक्रम संबन्धी तथ्यों को संक्षेप से प्रस्तुत किया जाता है —

१. प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त वंशावलिओं के अनुसार मनु या स्वायम्भुव मनु का ब्रह्मा के बाद की पीढ़ी में उसके पुत्र या शिष्य के रूप में वर्णन आता है। इस को सृष्टि में सर्वप्रथम राजा माना गया है। इस प्रकार अन्य सभी राजा और ऋषि स्वतः मनु से परवर्ती सिद्ध होते हैं। कुछ राजाओं और ऋषियों की वंशावली अत्यन्त स्पष्ट उपलब्ध है। उससे यह कथन और अधिक पुष्ट हो जाता है। इन राजाओं में नहुष, नेमि या निमि, मनु और पृथु राजा, स्वायम्भुव मनु के वंशज वैवस्वत मनु के सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले अन्य राजा हैं। मनु विवस्वान् का, पृथु अनरण्य का, नहुष अम्बरिष का, निमि इक्ष्वाकु का पुत्र था।^{७०} कुबेर रावण का भाई था।^{७१} विश्वामित्र गांधि राजा का पुत्र था।^{७२} वन अंगदेश का उद्दण्ड राजा हुआ है, जो कर्दमपुत्र अलग का पुत्र था।^{७३} पित्रवनपुत्र सुदास उत्तरपांचाल का राजा था, जो राम से भी कई पीढ़ी पश्चात्परवर्ती है।^{७४} सुमुख का निश्चित विवरण अज्ञात है। इस प्रकार ये मनु से बहुत पीढ़ी पीछे हुए हैं।

२. ऋषियों के नाम, विद्यावंश के आधार पर, अनेक कालों में उसी एक-एक नाम से मिलते हैं, अतः यह कहना कठिन है कि इन प्रसंगों में गृहीत वसिष्ठ, मरदाज, वामदेव आदि कौन से काल के ऋषि अभिप्रेत हैं, किन्तु फिर भी इस नाम से सर्वप्रथम पाये जाने व्यक्ति भी मनु से परवर्ती हैं। वसिष्ठ, मृग, अत्रि, मनु के ही पुत्र होने से परवर्ती हैं।^{७५} अजीर्गर्त भृगुकुल में उत्पन्न ब्राह्मण है, और उसी का पुत्र शुनःशेष है। यह राजा हरिश्चन्द्र के समय का है।^{७६} कश्यप, मरीचि के पुत्र थे।^{७७} ये मनु की तीसरी पीढ़ी में हैं।

इनके अतिरिक्त ८/१४० में वर्णित वसिष्ठ शब्द व्यक्ति-वाचक न होकर 'अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान्' अर्थ में प्रयुक्त पद है। 'यो वसति धनादि कर्मसु सोऽतिशयस्तम् उत्तमं विद्वांसम्' निरूपित के अनुसार वहाँ उपर्युक्त अर्थ समीचीन है। इस अर्थ की पुष्टि ८/१५७, ३९८ श्लोकों के वर्णन से भी हो जाती है। १/२३ में वर्णित अग्नि, वायु, रवि और ३/१५१-१५३ में वर्णित आगिरस ऋषि मनु से प्राचीन होने के कारण उल्लेख्य हैं।

३. कुरुक्षेत्र आदि स्थानों का नामकरण तो मनु से बहुत अधिक परवर्ती है। यह नामकरण महाभारतकालीन है और कौरवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर प्रचलित वंश के आधार पर रखा हुआ है। कुरु राजा, वैवस्वत मनु की पुत्री इला के वंश में अनेक पीढ़ियों के बाद हुआ है।^{७८} इसी प्रकार अन्य प्रदेशों का नामकरण भी परवर्ती है। इस प्रकार मनु के प्रवचनों में अत्यधिक परवर्ती स्थानों का उल्लेख संभव नहीं हो सकता। उक्त दोनों श्लोक मनुस्मृति में प्रसंगविरुद्ध भी हैं।

४. इसी तथ्य के आधार पर 'कुरुक्षेत्र जाने की' मान्यता के वर्णन का समाधान भी हो जाता है। जब मनु के समय कुरुक्षेत्र नहीं था तो वहाँ जाने का वर्णन करना संभव ही नहीं। अतः यह भी

७०. वाल्मीकि रामायण बाल. ७०।२०, २४, ४२; ७१।३॥

७१. वही, बाल. २०।१८॥

७२. वही, बाल. ३४।६॥

७३. महाभारत शा. ५९।९६-९९॥

७४. प्राचीन च. को. पृ. १०५६॥

७५. मनु. १।३५॥

७६. ऐत. ब्रा. ७।१५-५७॥

७७. वाल्मीकि रामा. ७१।१९-२०॥

७८. महाभारत आण. ८९।४३॥

परवर्ती प्रक्षेप है। १/१४ में बाल विवाहों का वर्णन मनु की पूर्व वर्णित मान्यताओं के विरुद्ध है। अधिक जानकारी के लिए भाष्य में उक्त श्लोक तथा ३/४ श्लोक पर विस्तृत समीक्षा द्रष्टव्य है। यह श्लोक प्रसंगविरुद्ध भी है। यही स्थिति अन्य अर्वाचीन वर्णनों की समझनी चाहिये।

५. मनुस्मृति में विभिन्न जातियों के नाम — कुछ लोगों का कथन है कि मनुस्मृति में यवन, बालीक, कम्बोज, चीन आदि जातियों का उल्लेख है। यवन, कम्बोज, गान्धार लोगों का विवरण प्रियदर्शी अशोक के पाचवें शिलालेख में भी आता है, अतः मनु तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व हो सकते हैं।

मनुस्मृति में इन जातियों का उल्लेख १०/४३-४४ में आता है। दशम अध्याय का वर्णसंकरों का सम्पूर्ण प्रसंग परवर्ती प्रक्षेप है। यह मनु की पूर्ववर्णित मान्यता के विरुद्ध है। मनु ने चार वर्णों की व्यवस्था दी है, और स्पष्ट शब्दों कहा है कि पाचवां कोई वर्ण नहीं है [१/३१, ८७-९१; १०/४ ॥]। वे इन्हीं वर्णों के घर्मा का विधान कर रहे हैं [१/२]। इस प्रकार इन जातियों के उल्लेख का मनुस्मृति में कोई प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता। जब मनु के समय में और उनके मतानुसार चार वर्णों को छोड़कर कोई जाति-उपजाति नहीं है, तो उस काल में इन जातियों के अस्तित्व का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उपर्युक्त दोनों श्लोकों में तो इन जातियों के श्रद्धा होने के कारण बताये हैं और भूतकाल का वर्णन है। इस वर्णन पद्धति से ही स्पष्ट है कि यह चतुर्वर्णव्यवस्था के लागू होने और फिर उसमें विकार आने के बाद की स्थिति का वर्णन है। इस प्रकार ये श्लोक मनुकालीन ही नहीं हैं।

६. मनुस्मृति में इतरधर्मस्मृतियों का उल्लेख —

कुछ लोग १२/१५ श्लोक के 'या वेदवाह्याः स्मृतयः' पदों से अन्य स्मृतियों का अनुमान करते हुए यह कल्पना करते हैं कि मनु का यह संकेत उस समय की बौद्ध, जैन स्मृतियों की ओर है।

ऐसा सोचने वाले की यह कल्पना पूर्णतः निराधार है। यहाँ मनु का केवल इतना ही अभिप्राय है कि जो वेदानुकूल नहीं है, वह मान्य नहीं, चाहे वह किसी की रचना हो। क्योंकि, उन्होंने अपनी स्मृति को वेदानुकूल घोषित किया है और वेदों को ही धर्म का मूल स्रोत और परमप्रमाण माना है [२/६, ८, ९, १०, ११, १२, १३ आदि]। १२/१६ के 'उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च' आदि पदों से स्पष्ट है कि मनु वेदविरुद्ध विचार रखने वालों के लिए यह एक शाश्वत कथन कर रहे हैं। यदि बौद्ध, जैन आदि का उस समय अस्तित्व होता तो उन्हें उनका नामोल्लेख करने में क्या संकोच था? जब इस तरह का कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो निराधार कल्पना करने से कोई लाभ नहीं, प्रान्ति ही पैदा होगी।

७. मनुस्मृति और उसकी भाषा —

यह कहा जाता है कि मनुस्मृति की भाषा बड़ी सहज, सरल लौकिक भाषा है। वह पाणिनि के व्याकरण का अनुगमन करती है। अतः वर्तमान मनुस्मृति पर्याप्त अर्वाचीन है।

यह ठीक है कि मनुस्मृति की भाषा सहज और सरल लौकिक भाषा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस कारण इसको अर्वाचीन भाषा कहा जाये। मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है, जिसका सम्बन्ध सर्वमान्य रूप से सभी जनों से है। इसमें लोगों के आचार-विचार से सम्बन्धित निर्देश हैं। अतः ऐसे ग्रन्थ की भाषा का सहज, सरल होना स्वाभाविक भी है, और आवश्यक भी। प्राचीन काल

में साहित्यिक भाषा के रूप में वैदिक भाषा का प्रयोग था तो व्यवहार में लौकिक संस्कृत का प्रयोग था ।

मनुस्मृति में कुछ पूर्वपाणिनीय प्रयोग भी मिलते हैं । इसमें पाये जाने वाले वैदिक प्रयोग और वैदिक प्रयोगशैली, इसे मूलतः पाणिनि पूर्व एवं वैदिककालीन संकलन सिद्ध करते हैं । यथा — (क) 'मेत्युक्त्वा' [८/५७] 'मे + इत्युक्त्वा' सन्धि पाणिनीय नहीं है । इसमें इकार का पूर्वरूप छान्दस है । (ख) 'हापयति' [३/७१] का 'छोड़ता है' अर्थ है । यहाँ प्रेरणार्थक न होकर प्रकृत्यर्थ (मूल अर्थ) में 'णिव्' छान्दस है । (ग) २/१६९-१७१ श्लोकों में 'मौञ्जीबन्धन' और 'मौञ्जिबन्धन' पदों के प्रयोग में विकल्प से ह्रस्व छान्दस प्रयोग है । (घ) 'उपनयनम्' के अर्थ में 'उण्नायनम्' प्रयोग [२/३६] पूर्व पाणिनीय है । यहाँ दीर्घ को, पाणिनि ने व्याकरणसम्मत न होते हुए भी क्षिष्टप्रयोग मानकर 'अन्वेषामाधि दृश्यते' [अ. ६/३/१३७] सूत्र में स्वीकार कर लिया है । (ङ) १/२० में 'आद्यस्य' प्रयोग है । यह 'आद्यस्य-आद्यस्य' होना चाहिये था किन्तु पहले 'आद्यस्य' का सुपलुक् छान्दस प्रयोग के कारण माना गया है ('सुपां सुलुक् . . .' अ. ०७/१/३९) । (च) वैदिक भाषा की प्रयोग शैली —/आ हैव स नस्त्राग्नेयः' [२/१६८], 'पुत्रका इति होवाच' [२/१५१] आदि ।

इसकी भाषा के विषय में एक संभावना यह भी दिखायी पड़ती है कि पहले इसमें वैदिक प्रयोगों की अधिकता थी, जो धीरे-धीरे बदली जाती रही । क्योंकि यह सर्वसामान्य जनों से सम्बन्ध रखने वाला ग्रन्थ था, अतः इसकी भाषा में भी समयानुसार परिवर्तन होता रहा । ऐसे उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं, जिनसे यह संभावना पुष्ट होती है । वाल्मीकि रामायण के दक्षिणात्य, वेणीय और उत्तरपश्चिमोत्तरीय, ये तीन संस्करण प्रसिद्ध हैं एवं प्रचलित हैं । इनमें दक्षिणात्य पाठ में अभी भी वैदिक प्रयोगों का बाहुल्य है, जबकि अन्य संस्करणों में अधिकांश को बदलकर लौकिक कर दिया गया है । यही स्थिति मनुस्मृति के साथ भी संभव है । ऐसा इसलिए भी संभव प्रतीत होता है कि कालक्रम की दृष्टि से मनु सब ऋषियों से प्राचीन हैं और उनकी स्मृति सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है । फिर उनकी स्मृति का संकलन पर्याप्त अर्वाचीन समय में हुआ हो, यह बात बुद्धिसम्मत नहीं लगती । कुछ आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता और भी विचित्र लगती है कि 'मनु से उत्तरवर्ती वासिष्ठ, गौतम आदि ऋषियों की स्मृतियाँ मनुस्मृति से प्राचीन हैं, 'उनका संकलन पहले हो चुका था, आदि । यदि भाषा की दृष्टि से इन स्मृतियों में कुछ पूर्वापर क्रम अनुभव भी होता है तो उसका कारण उनकी प्राचीनता और मनुस्मृति की नवीनता नहीं, अपितु मनुस्मृति के बहुप्रचलित और सामान्यजनों के व्यवहारोपयोगी होने के कारण समय-समय पर उसकी भाषा में और प्रयोगों में किया गया परिवर्तन है । अन्य स्मृतियों में, उनकी अप्रसिद्धि और अल्पप्रचलन के कारण ऐसा कम हो पाया है ।

६. मनुस्मृति का आद्यरूप

मनुस्मृति का आद्यरूप क्या रहा होगा ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए विचारकों ने कई मत प्रस्तुत किये हैं। कोई इसका आदिरूप गद्यबद्ध मानते हैं, कोई सूत्रबद्ध, तो कोई पद्यबद्ध मानते हैं। मेरा विचार है कि इसकी शैली से इस प्रश्न का जो समाधान मिलता है, वह अधिक संतोषजनक एवं प्रामाणिक है। मनुस्मृति की शैली पर इस अध्याय के मध्य में (मनुस्मृति का रचयिता कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में) पर्याप्त विस्तार से सप्रमाण प्रकाश डाला जा चुका है। उस निष्कर्ष के अनुसार मनुस्मृति, मूलतः मनु के प्रवचन हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया है। आदि से अन्त तक मनुस्मृति की प्रवचनशैली और संकलित रूप है। निरुक्त के प्रमाण से इस विचार को पुष्टि मिलती है जिसमें यह कहा गया है कि प्राचीन काल में उपदेशों-प्रवचनों से ही शिक्षा दी जाती थी, लिपिबद्ध ग्रन्थों को पढ़ाकर नहीं। जब लोग उपदेशों से प्रमाद करने लगे तो ग्रन्थों का निर्माण हुआ और उनके माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी।^{१८}

१. प्रवचन गद्यरूप में ही होते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मनुस्मृति का आद्यरूप गद्यरूप था। गद्यरूप से इसे पद्यबद्ध किया गया।

इसकी पुष्टि के लिए शैली के अतिरिक्त मनुस्मृति के अन्य दो अन्तरंग प्रमाण भी मिलते हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि यथावत् रचने में कुछ कठिनाई आयी तो उस क्रम को बदल दिया गया अथवा क्रम बदल गया। यदि मूलरूप पद्यबद्ध होता तो जिस क्रम से विषयों का परिगणन किया गया है, उसी क्रम में उनकी व्याख्या होती। यथा — (क) ८/६ में अठारह मुकद्दमों का परिगणन करते हुए 'पारुष्ये दण्डवाचिके' पदप्रयोग करते हुए 'दण्ड की कठोरता' और 'वाणी की कठोरता' इस क्रम से इन अभिव्यक्तियों का वर्णन है। किन्तु इनकी विस्तृत व्याख्या में पहले 'वाचपारुष्य' का वर्णन है [८/२६६-२७७], फिर 'दण्डपारुष्य' का [८/२७८-३००]। इस प्रकार क्रम बदल गया। शायद यह क्रम छन्द-आग्रह के कारण बदलना पड़ा।

यद्यपि टीकाकारों ने इसका व्याकरणसम्मत समाधान प्रस्तुत किया है कि 'अल्पाक्षरं पूर्वम् [अ. २/२/३४] के नियमानुसार 'अल्पाक्ष' होने के कारण छन्द में दण्ड का परिगणन पहले किया है। इसे मानने में कोई आपत्ति भी नहीं है। किन्तु जहाँ इनका व्याख्याक्रम एक निर्धारित श्रृङ्खला में है, तो उस क्रम को तोड़कर 'अल्पाक्ष' को महत्त्व देने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। स्वतन्त्र परिगणन में ही यह नियम समीचीन कहलायेगा। ऐसा लगता है कि यदि इस नियम के बिना उपयुक्त क्रम में 'वाग्दण्डिके' प्रयोग द्वारा इन्हें रखा जाता तो छन्दोर्मग न्यक्स्थ होता। शायद इसी विवशता के कारण उसका क्रम बदलकर 'दण्डवाचिके' प्रयोग करना पड़ा।

(ख) १२/८३ में छह निःश्रेयसकर कर्मों का परिगणन इस क्रम से है — वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियसेव्य, धर्मक्रिया और आत्मचिन्ता। किन्तु इनकी व्याख्या का क्रम इस प्रकार है — आत्मज्ञान [१२/८५-९२] शम = इन्द्रियसेव्य [१२/९२], वेदाभ्यास [१२/९२-१०२], तप और ज्ञान = विद्या [१२/१०४], धर्म [१२/१०५-११५]। लगता है, इनकी व्याख्या का क्रम गद्यरूप में इसी क्रम से था, किन्तु छन्दोबद्ध करते समय परिगणन

वाले श्लोकों में इसी क्रम से छन्दरचना न बन पाने के कारण यह क्रम बदलना पड़ा ।

२. मनुस्मृति का आधरूप सूत्रबद्ध नहीं था । सूत्रबद्ध होने की पुष्टि न तो इसकी शैली से होती है, और न मनु के उद्धरण ही कहीं सूत्ररूप में प्राप्त होते हैं । यह भी कि सूत्रग्रन्थों के साथ प्रायः 'सूत्र' पद जुड़ा होता है । प्राचीन ग्रन्थों से लेकर अब तक उनमें मनु के शास्त्र का 'मानवधर्मशास्त्र' या 'मनुस्मृति' के नाम से उल्लेख मिलता है, न कि 'मानवधर्मसूत्र' नाम से ।

३. 'मानवधर्मसूत्र' नामक ग्रन्थ को कुछ लोग मनुरचित मानते हैं, लेकिन मनुस्मृति से उसका पूर्ण साम्य नहीं है । उस सूत्रग्रन्थ को किसी बहुत बाद के व्यक्ति ने मनु के नाम से रचा है, और वह भी अपने विचारों का मिश्रण करके । यह सूत्ररूप आधरूप नहीं है । यह तो पद्यरूप को देखकर रचा गया है, अथवा आद्य गद्यरूप को देखकर ।

४. ग्रन्थों की सूत्रशैली अधिक प्राचीन नहीं है, अपितु गद्य और पद्यरूप ही अधिक प्राचीन है । सूत्रों से प्राचीन ग्रन्थ गद्यरूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे — ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद् आदि । वर्तमान महाभारत कईस्थलों पर गद्यरूप में है । अन्य अर्वाचीन ग्रन्थ कौटिलीय अर्थशास्त्र, नारदगद्यस्मृति आदि गद्यरूप में ही हैं । अतः मनुस्मृति का प्रारम्भिक रूप गद्यरूप होना माना जा सकता है ।

५. ऐसी परम्परा प्रत्येक काल में रही है कि महापुरुषों ने प्रवचन या उपदेश दिये हैं और उनके शिष्यों ने उनका संकलन करके गद्य या पद्य का रूप दिया है । प्रायः सभी धर्मों के ग्रन्थ उनके मान्य पुरुषों के उपदेश हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया है । महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिये थे, लेकिन उनका संकलन 'धम्मपद' के नाम से पद्यरूप में है । कहा जाता है कि यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू के नाम से मिलने वाले ग्रन्थ उनके शिष्यों द्वारा संकलित हैं । महर्षि दयानन्द के नाम से मिलने वाली 'उपदेश मञ्जरी' या 'धूना प्रवचन' नामक पुस्तक मूलतः उनके उपदेश हैं, जो अन्य व्यक्ति द्वारा संगृहीत और सम्पादित हैं । इसी प्रकार मनुस्मृति का संकलन हुआ है ।

६. सुनिश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि मनु के गद्यरूप प्रवचन, पद्यरूप में कब आये । किन्तु प्राप्त उद्धरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुस्मृति का यह पद्यरूप भी अतिप्राचीन है । मनुस्मृति में भृगु का नाम बार-बार आता है । हो सकता है, मनु के शिष्य भृगु ने ही इन्हें पद्यबद्ध किया हो और यह भी संभव है कि संकलन के अनन्तर स्मृति-सुविधा के लिए मनु के आदिशिष्यों ने इन्हें पद्यबद्ध किया हो । यह पद्यरूप भी काफी प्राचीन है क्योंकि मनु के नाम से बहुत पहले ही यह रूप प्रसिद्ध हो चुका था । क्योंकि रामायण,^{५१} महाभारत^{५२} में मनु के द्वारा ही श्लोक गाये जाने का कथन है । इसका अभिप्राय यह है कि इन ग्रन्थों के रचनाकाल में इन श्लोकों की मनु के नाम से प्रसिद्धि हो चुकी थी ।

७. नारद स्मृति की भूमिका में आता है कि मनु ने एक धर्मशास्त्र बनाया था जिसमें एक लाख श्लोक थे । १०८० अध्याय और २४ प्रकरण थे । नारद ने इसका १२००० श्लोकों में संक्षेप करके इसे मार्कण्डेय को पढ़ाया । मार्कण्डेय ने इसका संक्षेप ८००० श्लोकों में कर दिया । फिर सुमति मार्गव ने इसे ४००० श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया । नारदस्मृति का यह अक्षररूप ग्रन्थ के महत्त्ववर्धन के लिए ही है । इस प्रकार संक्षेप किया जाना मौलिकता के अनुरूप नहीं है । न ऐसी कोई प्रामाणिक शास्त्रीय परम्परा ही है ।

५१. "इत्यने मनुना गीतो श्लोको चरित्रवत्सलो ।" च. राम. १८।३० ॥

५२. 'मनुना चैव राजेन्द्र गीतो श्लोको महात्मना ।' महा. श. ५६।२४ ॥

द्वितीय अध्याय

[मनुस्मृति और प्रक्षेप-प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता, प्रक्षेप-लक्षण, प्रक्षेप कैसे हैं ?, निहित प्रवृत्तियाँ, मानदण्ड और प्रक्षेपों से हानि]

१. मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता एवं उपयोगिता

मनुस्मृति का स्वरूप को प्रक्षेपों से विकृत देखने हुए यह आवश्यक हो जाता है कि इसके प्रक्षेपों का अनुसन्धान किया जाये । प्रक्षेपों के अनुसन्धान और उनके पृथक्करण से ही मनुस्मृति का वास्तविक श्रेष्ठरूप प्रकाश में आयेगा । यह अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगा — इस अनुसन्धान से जहाँ एक ओर साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि भारतीय साहित्य का एक प्रमुख ग्रन्थ प्रामाणिक रूप में उपलब्ध होगा, वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति चाहने वाले या अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले चलने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह भ्रान्तिरहित रूप में पथ-प्रदर्शन करने वाला सिद्ध होगा । सांस्कृतिक दृष्टि से — मनुकालीन भारतीय समाज और संस्कृति की सही भाकियों को प्रस्तुत करेगा और वर्तमान समाज को अच्छी मर्यादाओं तथा व्यवस्थाओं का दिग्दर्शन करेगा । सबसे अधिक लाभ ऐतिहासिक दृष्टि से यह होगा कि प्रक्षिप्तांशों से दूषित मनुस्मृति को आधार बनाकर इतिहासकारों ने प्राचीन काल का जो इतिहास लिखा है, जिसमें मांसमक्षण, पशुयज्ञ, जाति-पाति, छुआ-छूत, ऊच-नीच जैसी धिनौनी बातें हैं ; उस इतिहास का शुद्ध, उज्ज्वल और वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आयेगा । इस प्रकार मनुस्मृति पर अनुसन्धान कार्य होने से आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए ; भारतीय समाज, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के लिए, बहुत बड़ा योगदान होगा । प्राचीन साहित्य, जो कि भारत की एक अमूल्य और गौरवपूर्ण निधि है ; उसके एक विशिष्ट ग्रन्थ का उक्ति मूल्यांकन हो सकेगा ।

और, मनुस्मृति से सम्बन्धित आन्तरिक समस्याओं, जैसे — रचयिता, रचनाकाल, मौलिक मान्यताएँ, आदि को सुलझाने में भी न्यूनाधिक रूप में सहयोग अवश्य प्राप्त हो सकेगा ।

२. प्रक्षेप से अभिप्राय

प्रक्षेप का अर्थ है — 'बीच में की गई मिलावट' । किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गये मूल ग्रन्थ में अन्य द्वारा मिलाये गये विचारों को 'प्रक्षेप' या 'क्षेपक' कहा जाता है । मनुस्मृति में वे श्लोक जो मनु से भिन्न व्यक्तियों ने रचकर मिला दिए हैं, उनको 'प्रक्षिप्त' माना गया है । यह आवश्यक नहीं कि प्रक्षेप 'विरोधी विचारों' से युक्त अथवा बुरा ही हो, वह ग्रन्थकार के समर्थक विचारों वाला और अच्छे विचारों का भी होता है ।

३. क्या मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं है ?

कुछ व्यक्ति मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं मानते । उनका विचार है कि मनुस्मृति का यह उपलब्ध स्वरूप वास्तविक है । किन्तु उनका यह विचार पूर्णतः भ्रान्तिपूर्ण है । उपलब्ध मनुस्मृति को देखकर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि इसमें प्रक्षेपों की भरमार है और ये प्रक्षेप एक साथ न होकर समय-समय पर हुए हैं । इसकी सिद्धि के लिए निम्न युक्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं —

(१) उपलब्ध मनुस्मृति में विषय-विरुद्ध, परस्परविरुद्ध, प्रसंगविरुद्ध तथा अनेक पुनरुक्तियाँ पायी जाती हैं । आश्चर्य की बात तो यह है कि कहीं-कहीं तो त्रिकोणात्मक 'परस्पर विरोध' भी है ; या पहले श्लोक में जो विधान है, उससे अगले ही श्लोक में उसका विरोध है । इस विडम्बनापूर्ण स्थिति को देखकर भी यह कहना कि मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हैं, दुस्साहस और मिथ्या-आग्रह ही कहलायेगा । एक मध्यमस्तरीय लेखक की रचना में भी ये त्रुटियाँ नहीं होतीं । उसके लेखन में वैचारिक ऐकमत्य, विषय और प्रसंग की सुसंगति, अविरोध तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है । फिर मनुसंज्ञ तत्त्वद्रष्टा विद्वान् की रचना में इस प्रकार की त्रुटियों का होना सर्वथा असम्भव है । महर्षि मनु अपने समय के सर्वाधिक प्रख्यात और धर्म-सम्बन्धी विषय के मर्मज्ञ विद्वान् थे । इसी कारण ऋषि लोग जिज्ञासा के समाधान के लिए एकत्रित होकर उनके पास आये थे । वे निवेदन करते हुए कहते हैं —

भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः ।

अन्तरप्रभवाणां च धर्मान् नो वक्तुमर्हसि ।।

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः ।

अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ।। (१।२. ३।।)

अर्थात् — हे भगवन् ! आप सब वर्णों और आश्रमों के धर्मों को ठीक-ठीक बतलाने में समर्थ (योग्य) हैं । और क्योंकि ईश्वररचित, अचिन्त्य और अपरिमित ज्ञान से युक्त वेदरूपी विधान के धर्मतत्त्व (व्यावहारिक तत्त्व) तथा अर्थ के जानने वाले आप ही एक मात्र विद्वान् हैं (अतः आप हमें इन धर्मों का उपदेश कीजिये) ।

इससे स्पष्ट है कि महर्षि मनु अपने समय के प्रख्यात एवं इस विषय के सबसे अधिक अधिकारी विद्वान् थे । अतः ऐसे विद्वान् की रचना में उक्त प्रकार की त्रुटियाँ नहीं हो सकतीं । फिर भी उक्त त्रुटियाँ पाई जाती हैं तो इसका सीधा-सा अभिप्राय है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं । (इनके उदाहरण द्वितीय अध्याय में 'प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और प्रमाण' शीर्षक के अन्तर्गत देखें) ।

(२) मनुस्मृति में एक ओर तो गम्भीर, युक्तियुक्त, साधार, दुराग्रह एवं पक्षपातरहित अरूढ़ तथा संतुलित शैली है ; वहीं बीच-बीच में अतिसामान्य, अयुक्तियुक्त, निराधार, अतिशयोक्तिपूर्ण, दुराग्रह एवं पक्षपातपूर्ण तथा रूढ़ शैली के श्लोक भी आ जाते हैं । जिनके सन्देह, उक्त विरोधी भिन्नताएँ एक ही रचयिता की शैली में नहीं हो सकतीं । स्पष्ट है कि दूसरी शैली की रचनाएँ मनुसंज्ञ विद्वान् द्वारा रचित न हो कर अन्यो द्वारा रचित हैं, अतः वे प्रक्षेप हैं ।

(३) मनुस्मृति में मनु से परवर्ती व्यक्तियों, जातियों एवं स्थानों के उल्लेख हैं । इसी प्रकार कहीं-कहीं मनु द्वारा निर्धारित मौलिक व्यवस्थाओं से भिन्न व्यवस्थाओं का वर्णन है । किसी-किसी श्लोक में 'मनुरक्षवीत्' 'मनोरनुशासनम्' आदि पदों का प्रयोग है, जो स्पष्टतः अन्य रचयिता की ओर संकेत करता है । इस प्रकार के सभी श्लोक परवर्ती होने से प्रक्षिप्त हैं । वे किसी

भी अवस्था में मनु द्वारा स्वयंप्रोक्त नहीं कहला सकते ।

(४) मनुस्मृति की उपलब्ध प्रतियां भी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रत्यक्ष प्रमाण देती हैं । बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो प्राचीन प्रतियों में नहीं किन्तु अर्वाचीन प्रतियों में हैं । ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि उत्तरकालीन प्रतियों में श्लोकों की संख्या बढ़ती ही गई है । जब प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों में ही यह हाल है तो व्यतीत दीर्घकाल में प्रक्षेप न हुए हों यह कैसे हो सकता है ? उदाहरण के रूप में कुछ श्लोक प्रस्तुत हैं —

(क) निम्न श्लोक द्वितीय अध्याय में अठारहवें श्लोक के पश्चात् केवल मेधातिथि के भाष्य में ही पाया जाता है —

विरुद्धा च विगीता च दृष्टार्थादिष्टकारणे ।।

स्मृतिर्न श्रुतिमूला स्याद्या चैषाऽसम्भवश्रुतिः ।।

अर्थ — निर्दिष्ट कारण में प्रत्यक्ष से विरुद्ध, असंगत एवं असम्भव अर्थ का प्रतिपादन करने वाली स्मृति वेद-विरुद्ध स्मृति कहलाती है ।

(ख) निम्न श्लोक मेधातिथि आदि तीन प्राचीन भाष्यकारों के भाष्य में नहीं हैं, उनसे अर्वाचीन अन्य प्रतियों में ही पाया जाता है ; जो इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि उनके भाष्यों के पश्चात् ही प्रक्षेप के रूप में डाला गया है—

सायं प्रातर्द्दिजातीनामशनं स्मृतिनोदितम् ।

नान्तरे भोजनं कुर्यादग्निहोत्रसमो विधिः ।।

(मनु. २।५२ के पश्चात्)

(इस संस्करण में २।२७ के पश्चात्)

अर्थ — स्मृति ने द्विजों के लिये अग्निहोत्र के समान प्रातः और सायं दो बार ही भोजन करने का विधान किया है । बीच में भोजन कभी न करें ।

(ग) मनुस्मृति की लगभग ३०—३५ प्रतियाँ हस्तलिखित रूप में विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं । उनमें बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो थोड़ी ही प्रतियों में पाये जाते हैं । ऐसे भी श्लोक पर्याप्त हैं जो केवल एक-एक प्रति में ही प्राप्त हैं, यथा —

निम्न श्लोक प्रयाग की एक ही प्रति में है —

परोक्षं सत्कृपापूर्वं प्रत्यक्षां न कथंचन ।

दुष्टानुचारा च गुरोरिह वाऽमुत्र चैत्यघः ।।

(२।२०० के पश्चात् इस संस्करण में २।१७५ के बाद)

अर्थ — शिष्य पीठ पीछे गुरु का नाम सत्कार पूर्वक ले और सामने किसी भी प्रकार न लेवे । गुरु से दुष्टाचरण करने वाला शिष्य दोनों लोकों में अधोगति को प्राप्त करता है ।

(घ) ऐसे ही कुछ श्लोक —

येप्यतीताः स्वधर्मेभ्यः परपिण्डोपजीविनः ।

द्विजत्वमधिकांशं तांश्च शूद्रानिवाचरेत् ।।

(८।१०२ के पश्चात्)

अर्थ — जो अपना धर्म-कर्म छोड़कर दूसरे के टुकड़ों पर जीते हैं और अपने आपको द्विज कहलाना चाहते हैं, उनके साथ शूद्रों के समान व्यवहार करें ।

तदस्त्रं सर्ववर्णानामनिवार्य च शक्तिस्तः ।

तपोवीर्यप्रभावेण अवध्यानपि बाधते ॥

(११।३३ के पश्चात्)

अर्थ — ब्राह्मण की चापी का अस्त्र वह अस्त्र है, जिसे कोई भी वर्णस्थ व्यक्ति अपने सामर्थ्य से नहीं हटा सकता । और यह अस्त्र तप की शक्ति से सम्पन्न होने के कारण न मारने योग्य शत्रुओं को भी मार देता है ।

(५) प्रतीत होता है कि अन्य पुस्तकों से लेकर भी कुछ श्लोक मनुस्मृति में मिला दिये हैं । महामारत (अश्वमेध पृ. ३८० पूना प्रकाशन) का निम्न श्लोक मनुस्मृति की केवल चार प्रतियों में ही उपलब्ध होता है, जो अप्रासंगिक रूप से मिलाया गया है —

पुराणं मानवो धर्मः सांगोपांगचिकित्सकः ।

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥

(१२।११० के पश्चात्)

अर्थ — पुराण = ब्राह्मण ग्रन्थ, मनुप्रोक्तधर्म, अंगु सहित उपांगों का विद्वान् चिकित्सक और साधु आदि की आज्ञा से सिद्ध, इन चार बातों को तर्क से नहीं काटना चाहिए ।

यह श्लोक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप है । अभी तक यह मनुस्मृति के श्लोकों में सर्वसम्मत रूप से घुल-मिल नहीं पाया है । अतएव इसे कोष्ठक में दिया जाता है ।

(६) प्रक्षेपकर्त्ताओं ने न केवल नवीन श्लोक ही प्रक्षेप के रूप में डाले हैं, अपितु अभीष्ट ढंग से पाठभेद भी किये हैं । कुछ पाठभेद तो प्रतिलिपि में प्रमाद, अथवा असावधानी के कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पाठभेद तो जानबूझकर किये गये हैं । निम्न पाठ भेदों के उदाहरण इस बात के पोषक है —

(क) दशम अध्याय में वर्णित वर्णसंकरों के धर्म मनुप्रोक्त अर्थात् मौलिक नहीं हैं । वे श्लोक उस परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं, जब वर्णव्यवस्थाओं में विकृति आकर जाति-पाति की परम्परा चल पड़ी थी । संकर जातियों को हेय माना गया और उनके भी कर्त्तव्य गढ़कर (जो कर्त्तव्य न होकर घृणित निन्दित विकृतियाँ हैं) मनुस्मृति में मिला दिये गये और उन्हें मौलिक सिद्ध करने के लिए १।२ में 'अन्तरप्रभवाणाम्' पद के स्थान पर 'संकरप्रभवाणाम्' पद डाल दिया गया । यह पाठभेद वे-चार हस्तलिखित पुस्तकों में मिलता है । यद्यपि टीकाकारों ने 'अन्तरप्रभवाणाम्' का अर्थ भी 'वर्णसंकर' किया है, किन्तु यह भी सर्वथा गलत है । इसका सही अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिए (इसके लिए देखिए १।२ पर 'अनुशीलन' नामक समीक्षा) । शायद पहले उक्त पद का सही अर्थ 'आश्रम' ही प्रचलित था, प्रक्षेपकर्त्ता ने उसे जड़-मूल से हटाने का प्रयास किया । वह तो नहीं हट पाया किन्तु उस पाठभेद से टीकाकारों में यह भ्रान्ति पनप गई कि वे 'अन्तरप्रभवाणाम्' का ही 'वर्णसंकर' अर्थ करने लग गये ।

(ख) इसी प्रकार १२।८२ में 'धर्मक्रियाऽत्मचिन्ता च' के स्थान पर 'अहिंसा गुरुसेवा च' पाठ कर दिया गया है । यह, गुरु को महत्त्व मिलता रहे, इस प्रवृत्ति से किया गया । यह पाठ मनुस्मृति के प्रसंगानुकूल नहीं है — (अ) इस ८३वें श्लोक में निःश्रेयसकर कर्मों की परिगणना है । परिगणना के बाद इन छह कर्मों के विषय में १२।८५-११५ श्लोकों में व्याख्यान है । उस व्याख्यान में 'अहिंसा' और 'गुरुसेवा' का कहीं उल्लेख नहीं है, अपितु आत्मज्ञान और धर्मक्रिया का है । (आ) मनु ने सात्विक कर्मों को ही निःश्रेयसकर्म माना है । इस श्लोक में अन्य सभी कर्म नो नहीं हैं, केवल

इन्हीं दो में पाठभेद कर दिया गया है। सात्विक कर्मा का वर्णन १२।३१ में है। वही पाठ यहाँ ग्रहण करना मनुसम्मत एवं मौलिक पाठ है और वही मुक्ति-दायक है। इस प्रकार 'अहिंसा गुरुसेवा च' पाठ परिवर्तित पाठ है।

(ग) इसी प्रकार ५।५७ श्लोक के प्रथम पाद में 'प्रेतशुद्धिम्' पाठ प्रचलित संस्करणों में प्रचलित है। इसके स्थान पर 'देहशुद्धिम्' पाठ होना चाहिये, ऐसा मनु की शैली और विषयविवेचन से संकेत मिलता है। प्रतीत होता है कि अन्य प्रक्षेपों के समान कालान्तर में जब प्रेत-जन्म आदि में शुद्धि-क्रिया एक कर्मकाण्ड का रूप ले गयी, तब यह पाठभेद करके प्रेतादि विषयक श्लोक मिला दिये गये। इस पाठ की अमौलिकता और 'देहशुद्धिम्' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमाणों एवं युक्तियों से सिद्ध होती है — (अ) मनु की यह शैली है कि वे जिस विषय का प्रारम्भ जिस विषय-संकेत से करते हैं उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते हैं [द्रष्टव्य ३।२८६ और ४।२५९।। ८।१ और ९।२५०।। १०।१३१ और ११।२६६ आदि], लेकिन यहाँ उस शैली से विपरीत, विषय का प्रारम्भ प्रेतशुद्धि से दर्शाया गया है [५।५७] और समाप्ति 'शारीरशुद्धि' से [५।११०]। विषय समाप्ति सूचक श्लोक के पदों से यह सिद्ध होता है कि यह 'शारीरशुद्धि' का विषय या न कि प्रेतशुद्धि का। अतः इस श्लोक में समानार्थक 'देहशुद्धि' शब्द ही मनुसम्मत सिद्ध होता है। (आ) मनु ने इस प्रसंग का वर्णन भी देह [५।१०५], गात्र [५।१०९], शरीर [११०] आदि शब्दों से किया है, जो यह सिद्ध करता है कि यह वर्णन प्रेतविषयक नहीं अपितु देहशुद्धि-विषयक है। (इ) प्रचलित पाठ के अनुसार यदि प्रेतशुद्धि पाठ को सही मानकर यहाँ इसी विषय का प्रसंग मान लिया जाये तो यह आपत्ति आती है कि प्रेतशुद्धि-विषय में दन्तोत्पत्तिकालीन शुद्धि, सूतकशुद्धि, मन, आत्मा आदि की शुद्धि का वर्णन क्यों किया? प्रेत के मन और आत्मा होते ही नहीं। इस प्रकार विषयसंकेतक श्लोक में और वर्णन में तालमेल का न होना भी यह सिद्ध करता है कि प्रक्षेपों का समायोजन करने के लिये यह पाठभेद बाद में किया गया है। शैलीशृङ्खला में जुड़ा हुआ पाठ 'देहशुद्धिम्' ही है, और मन तथा आत्मा आदि शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं। अतः इसी पाठ को मान्य पाठ के रूप में स्वीकार किया है।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति में पाठभेदों के रूप में भी प्रक्षेप किये गये हैं। इस प्रकार के पाठभेद अन्य स्थानों पर भी हैं।

(७) मनुस्मृति का अध्यायविभाजन मौलिक अर्थात् मनुकृत नहीं है। यह परवर्तीकाल में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है (इसके विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए — 'मनुस्मृति में अध्यायविभाजन' शीर्षक)। विभाजन करते समय अध्यायों की समाप्ति में एकरूपता लाने के लिए विभाजनकर्ता अथवा किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति ने मनुस्मृति में कुछ परिवर्तन-परिवर्धन भी किये हैं, जैसे प्रथम अध्याय में १११ से ११८ श्लोकों में विषय-सूची जोड़ दी, अष्टम अध्याय के अन्त में उस विषय के बीच में ही विषयसमाप्तिसूचक श्लोक एकरूपता लाने के लिए भ्रान्तिवश डाल दिया (८।४२०), आदि। यह परिवर्तन व परिवर्धन मनुस्मृति के प्रसंगों एवं शैलियों से ज्ञात हो जाता है। यह परिवर्तन इस बात का संकेत देता है कि मनुस्मृति में परवर्ती लोगों ने मनमाने ढंग से श्लोक मिलाये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं।

(८) मनुस्मृति में पाये जाने वाले 'अवान्तरविरोध' भी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रमाण देते हैं। एक ही प्राक्षिप्त प्रसंग में जो परस्पर अनेक विरोध हैं, उन्हें 'अवान्तरविरोध' कहा गया है। एक ही

प्रक्षिप्त प्रसंग में जो अनेक विरोध या भिन्न-भिन्न मान्यताएँ मिलती हैं उनके विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं — (१) अनेक विरोधों या मान्यताओं वाले प्रसंग किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं हो सकती, (२) ऐसे विरोधात्मक और विभिन्न मान्यतात्मक वर्णन मनु सदृश तत्त्वद्रष्टा ऋषि की रचनाएँ नहीं हो सकती, (३) ये भिन्न-भिन्न मान्यताएँ भिन्न-भिन्न लोगों द्वारा डाली गयीं हैं, (४) और भिन्न-भिन्न कालों में (जब जैसी मान्यता का प्रचलन हुआ) मिलायी गयी हैं (५) जहाँ विभिन्न-विरोधी मान्यताएँ अधिक हैं, इसका मतलब वे उतने ही अधिक विवादास्पद विषय थे, और विवादास्पद विषयों में ही लोगों को मान्यता परिवर्तित करने का तथा अपनी मान्यता लागू करने का अधिक ध्यान रहता है। इन तथ्यों से यह बात सिद्ध हुई कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हुए हैं और वे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न कालों में किये गये हैं। इस अवस्था को देखकर प्रक्षेपों से नहीं नकारा जा सकता।

(२) सभी भाष्यकारों ने न्यूनाधिक रूप में मनुस्मृति में प्रक्षेप होना स्वीकार किया है, उनमें कुल्लुकभट्ट ने सम्पूर्ण मनुस्मृति में १७० श्लोक प्रक्षिप्त माने हैं, अतएव उन्हें बृहत्कोष्ठकों एवं भिन्न संख्याओं में दिया है। परवर्ती सभी पौराणिक पण्डितों ने उन प्रक्षेपों को यथावत् स्वीकार किया है। कुल्लुकभट्ट और उससे परवर्ती अन्य तदनुसारी टीकाकारों-भाष्यकारों ने जो प्रक्षिप्त श्लोक स्वीकार किये हैं उनका अध्यायानुसार विवरण निम्नप्रकार है —

प्रथम	अध्याय में	— ११
द्वितीय		— ११
तृतीय		— २१
चतुर्थ		— १९
पंचम		— २२
षष्ठ		— ६
सप्तम		— १६
अष्टम		— ३०
नवम		— ६
दशम		— २
एकादश		— १४
द्वादश		— १२

प्रक्षिप्त श्लोकों की कुल संख्या — १७०

इसी प्रकार मनुस्मृति पर कार्य करने वाले बृलर और जौली सदृश पाश्चात्य विद्वानों ने भी मनुस्मृति में प्रक्षेप स्वीकार किये हैं और कुछ प्रक्षेपों को पृथक् दर्शाया भी है। आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों की ओर विशेष रूप से सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया। उनके पश्चात् इस दिशा में आर्यसमाज के कुछ विद्वानों ने प्रक्षेप निकालने के प्रयास किये हैं। इस प्रकार सिद्धान्ततः सभी वर्गों के व्यक्ति मनुस्मृति में प्रक्षेपों को स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न केवल प्रक्षिप्त और मौलिक श्लोकों के पृथकीकरण और उनके मानदण्डों का रह जाता। इस विषय में आगे विचार किया जायेगा।

उपर्युक्त विवेचन एवं युक्तियों से यह निश्चित हो जाता है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप अवश्य हैं। ये प्रक्षेप समय-समय पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं। क्योंकि मनुस्मृति की भाषा सरल और लोकप्रचलित भाषा है, अतः उसमें आसानी से श्लोक मिल जाते हैं और भाषा में विशेष अन्तर प्रकट नहीं हो पाता। फिर भी विशेष अध्ययन से भाषा की प्रयोग-शैली के आधार पर कुछ प्रक्षिप्तों का ज्ञान हो जाता है।



४. ग्रन्थों में प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति और मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में निहित प्रवृत्तियाँ —

प्रक्षेप की समस्या लगभग सम्पूर्ण भारतीय साहित्य के साथ है। स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए, अपने विकृत आवरण को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए अथवा स्वामिमत व्याख्या एवं विचारों की सिद्धि के लिए ग्रन्थों में प्रक्षेप करते रहे हैं। कभी-कभी किसी ग्रन्थ में संशोधन, परिवर्धन या व्यवस्थापन की प्रवृत्ति भी इसमें प्रमुख कारण बनती है। कभी-कभी ग्रन्थ के रूप को विकृत करना भी प्रक्षेपकताओं का उद्देश्य होता है। इस प्रकार से ग्रन्थों में प्रक्षेप होते रहते हैं। प्राचीन काल में यह कार्य आसानी से हो जाता था, क्योंकि ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ होती थीं। जिसके पास जो प्रति हुई उसमें उसने मनमाने ढंग से प्रक्षेप कर दिया और अग्रिम प्रतियाँ उसके अनुसार तैयार करवा दीं। इसी प्रकार अग्रिम प्रतियों में प्रक्षिप्त श्लोक या विचार मिलते रहते थे। यही कारण है कि हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतियों में परस्पर अन्तर और पाठभेद मिलते हैं। संस्कृत के प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों, साहित्यिक काव्यों तथा अपभ्रंश और हिन्दी काव्यों, सभी की यह अवस्था है।

वैसे तो प्रायः समस्त प्राचीन लौकिक संस्कृत-साहित्य में प्रक्षेप हुए हैं किन्तु धर्मशास्त्रों में प्रक्षेप करने की विशेष प्रवृत्ति रही है, क्योंकि उनके विधानों का व्यक्ति और समाज के साथ सीधा और प्रतिदिन का सम्बन्ध था। विधानों को बदलने और विकृत करने के लिए स्वार्थी लोगों ने अनेक अली ग्रन्थों को रचने का भी प्रयास किया है। फिर प्रक्षेप करने से ऐसे लोग कैसे बाज आ सकते थे? पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय ने मनुस्मृति की भूमिका में दो-तीन घटनाओं का विवरण दिया है। उनसे लोगों की प्रक्षेप करने की प्रवृत्तियों का और ग्रन्थों को विकृत करने के स्वार्थपूर्ण षडयंत्रों का ज्ञान हो जाता है। वे इस प्रकार हैं —

“हिन्दुओं में दायभाग का नियम बड़ा जटिल है। इसका यह कारण नहीं कि प्राचीन स्मृतियों का उद्देश्य ही इनको जटिल करना था। वस्तुतः उन्होंने तो सुगम और सरल नियम बनाये, पीछे से जटिलता आ गई। हिन्दू (आर्य) एक प्राचीन जाति है। समय-समय पर दायभाग के विषय में झगड़े हुए। भिन्न-भिन्न पक्षों ने अवश्य ही अपने-अपने पक्ष के लिए पंडितों से सहायता ली। इन्होंने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए प्रक्षिप्त डाल दिया। यह केवल कल्पना नहीं है किन्तु इसके लिए ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। 'दत्तक मीमांसा' को नन्दपण्डित ने इसी उद्देश्य से बनाया था। यह बहुत थोड़े दिनों का ग्रन्थ ब्रिटिश-राज्य स्थापित होने से सौ-सवा सौ वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। ब्रिटिश राज्य के आरम्भ में मूल से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया और अंग्रेजी न्यायालयों ने इसको प्रमाण मान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूरी सभा ने सर जान एज के सभापतित्व में एक फैसला दिया था। उसमें इस बात को विस्तार पूर्वक सिद्ध किया गया है कि नन्द पण्डित के श्लेषकों को आदर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। कहते हैं कि 'दत्तक-मीमांसा' एक धेवते को दायभाग से वर्चित करने के लिए लिखी गई थी।

'दत्तक चन्द्रिका' एक दूसरी पुस्तक है, जिसके विषय में सभी बंगाली विद्वानों को पता है कि यह रघुमणि विद्याभूषण का बनाया हुआ जाल है। रघुमणि कोलबुक साहब के साथी थे। बंगाल के एक राजा थे। उन्होंने एक लड़का गोद रखा था। पीछे से उनके अपना लड़का हो गया। उनके मरने पर प्रश्न हुआ कि राजा का अधिकार किसको मिले। गोद में रखे हुए लड़के का पक्ष सिद्ध करने के

लिए रघुमणि महोदय ने पुस्तक लिख दी। यदि पुस्तक न होती तो पुराने विधान से एक तिहाई मिलता। यह मुकदमा आगे नहीं चला क्योंकि सन्धि हो गई। इसका अन्तिम श्लोक इस प्रकार है —

र-म्येषा चन्द्रिकादत्तपद्धतेर्दशिका ल-घु ।

म-नोरमा सन्निविशैरंगिणां धर्मतार-णि :

इन पंक्तियों के पहले और पिछले अक्षरों से 'रघुमणि' शब्द बनता है।

१८३२ ई. में कलकत्ता संस्कृत कालेज के पण्डितों ने एक और जाल रचा। जैनियों का एक मुकदमा था। इनकी व्यवस्था मानी जाया करती थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखकर कालिज के पुस्तकाध्यक्ष को रिश्तत देकर पुस्तकालय के रजिस्टर में दर्ज करा दी। डाक्टर एच. एच. विल्सन कालेज के मन्त्री थे। उनको सन्देह हो गया। पुस्तक पकड़ी गई। पंडित महोदय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस दिन से वहाँ पंडितों से व्यवस्था देने का अधिकार छीन लिया गया (देखिये —सरकार शास्त्री लिखित 'हिन्दू ला' पृ. १८७)।

जिस व्यक्ति की प्रक्षेप करने की बदनीयत हो जाती है फिर वह किसी की अच्छाई-बुराई, लाम-हानि को नहीं देखता। वह केवल अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य को ही दृष्टिगत रखता है और उसकी पूर्ति के लिए सभी संभव दुष्कृत्य करता है। जैसे धन का लोभी व्यापारी जब मिलावट करने की प्रवृत्ति पर आ जाता है तो वह मनुष्यों के साध-पदार्थों में कंकड़-मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, गोबर, रंग, चर्बी, आदि अस्वास्थ्य, घृणित वस्तुओं की मिलावट करते समय नहीं हिचकिचाता। मिलावट से लोगों को होने वाली हानियों और कठिनाइयों की चिन्ता उसे छू तक नहीं पाती। वस्तु, समय और लालच के अनुसार वह मिलावट करता रहता है। यही अवस्था ग्रन्थों में प्रक्षेप की रहती है। प्रक्षेप करने से कितना भारी नुकसान हो सकता है, इसकी चिन्ता किये बिना प्रक्षेपक अपने उद्देश्यानुसार प्रक्षेप करते रहते हैं और ऐसा करने के लिये वे सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाते हैं। कहीं नया श्लोक जोड़ दिया, कहीं सम्पूर्ण नया प्रसंग ही रचकर जोड़ दिया तो कहीं विरोधी मान्यता का प्रक्षेप कर दिया। कहीं मूल मान्यताओं की स्वाभिमत व्याख्या कर दी तो कहीं से श्लोक को निकाल दिया या पाठभेद कर दिया।

ठीक यही अवस्था मनुस्मृति के साथ रही है। क्योंकि धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति ही सर्वाधिक मान्यता-प्राप्त ग्रन्थ था, अतः यह ग्रन्थ प्रक्षेप-कर्त्ताओं के बह्यन्त्रों और आक्रमणों का प्रमुख लक्ष्य रहा। प्राचीन काल से लेकर प्रकाशन युग तक मनुस्मृति में प्रक्षेपों की मिलावट होती आई है। जैसे-जैसे परम्पराएं शिथिल या विकृत होती गई, लोगों ने अपने आचरण या परम्पराओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति में तबनुरूप विचारों के प्रक्षेप कर दिये। स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ को साधने के लिए मिलावटें कीं। जब-जब धार्मिक या मत-मतान्तरों की उभल-पुल हुई, उनका आक्रमण मनुस्मृति जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रन्थों पर विशेष रूप से हुआ और उन्हें विकृत करने के लिए मिलावटें की गईं। मनुस्मृति के उन प्रक्षेपों के अनुसन्धान के लिए जहाँ एक ओर आचार्यों का निर्धारण करना आवश्यक है, वहाँ साथ ही प्रक्षेपों के मूल में निहित प्रवृत्तियों का अध्ययन-विश्लेषण करना भी आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति किसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही इस प्रकार का प्रयास करता है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यह आवश्यक नहीं कि प्रक्षेप विरोधी या स्वार्थपूर्ण ही होते हैं, समर्थन और प्रशंसा में भी प्रक्षेप होते हैं। स्वाभिमत विचारों को स्थान देने की प्रवृत्ति से या अभावपूर्ति की प्रवृत्ति से अच्छे विचारों के भी प्रक्षेप कर दिये जाते हैं। मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालते समय यह भी विचार किया गया है कि उनके मूल में प्रक्षेप करने को कोई प्रेरक-प्रवृत्ति है

अथवा नहीं, और जहाँ कोई प्रेरक-प्रवृत्ति नहीं प्रतीत हुई उन्हें प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया है। मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अध्ययन-विश्लेषण करने पर मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में जो प्रेरक-प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत हुई वे निम्न हैं —

(१) मनुस्मृति को गौरव और महत्त्व प्रदान करने की प्रवृत्ति — मनुस्मृति में जहाँ कहीं भी इसकी प्रशंसा, महत्ता या विशेषताओं का वर्णन करने वाले श्लोक वर्णित हैं अथवा जहाँ इसे ब्रह्मा के साथ जोड़ा गया है, वे सभी श्लोक इस परम्परा के शिष्यों या प्रशंसकों द्वारा इसके गौरव और महत्त्व को बढ़ाने की प्रवृत्ति से किये गये प्रक्षेप हैं। यह एक मान्य तथ्य है कि मनु सदृश सुलझा हुआ उच्चकोटि का ऋषि कभी स्वयं अपने ग्रन्थ की बढ़-चढ़कर प्रशंसा नहीं कर सकता। ये प्रशंसात्मक श्लोक परवर्ती हैं। मध्यकालीन सम्पूर्ण साहित्य में यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है कि सभी विद्वानों ने अपने विषय का ब्रह्मा के साथ किसी न किसी प्रकार जुड़े होने का अवश्य उल्लेख किया है। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र का उद्भव ब्रह्मा से माना है। महाभारत को पांचवाँ वेद घोषित किया गया। उस समय के समाज में इनसे जुड़े किसी भी शास्त्र को आसानी से मान्यता मिल जाती थी। मनुस्मृति में भी इस प्रकार के वर्णनों के मूल में यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। क्योंकि जहाँ भी इसे ब्रह्मा से जोड़ने का कथन है या उसकी प्रशंसा है, वे श्लोक प्रासंगिक और शैली के अनुरूप सिद्ध नहीं होते। तत्तत् स्थानों पर इस विषयक विस्तृत विवेचन किया हुआ है। यहाँ केवल कुछ उदाहरण ही प्रदर्शित किये जा रहे हैं, जिनमें उपर्युक्त प्रवृत्ति लक्षित होती है —

(क) ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाले श्लोक —

इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः ।

विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ॥ (१।५८।।)

अर्थ — मनु जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम विधिवत् मुझे उपदेश किया। फिर मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाया।

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसेवासृजत्प्रभुः ॥ (११।२४३।।)

अर्थ — इस शास्त्र की रचना प्रजापति ने तप से ही की थी।

(ख) प्रशंसात्मक —

इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम् ।

इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम् ॥ (१।१०६।।)

अर्थ — यह शास्त्र कल्याण करने वाला, श्रेष्ठ, बुद्धि बढ़ाने वाला, यश देने वाला, आयुवर्धक और परम कल्याण (मोक्ष) को प्राप्त कराने वाला है।

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठान्द्वजः ।

भवत्याचारवान्मित्यं यथेष्टां प्राप्नुयादगतिम् ॥ (१२।१२६।।)

अर्थ — इस भृगुप्रोक्त धर्मशास्त्र को जो द्विज पढ़ता है, वह सदाचारी बनता है और इच्छानुसार गति को प्राप्त करता है।

(२) मनु के व्यक्तित्व को अलौकिक सिद्ध करने की प्रवृत्ति — मनुस्मृति में स्वयं मनु की प्रशंसा या उल्लेख करने वाले श्लोक भी आते हैं। मनु के द्वारा सभस्त स्थावर-जगम जगत् की उत्पत्ति कहने (१।३५-४५) वाले श्लोकों के मूल में मनु के शिष्यों या पक्षधरों द्वारा उन्हें अलौकिक

व्यादितत्ववाला पुरुष सिद्ध करने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की अनर्गल बातें भी मनु स्वयं नहीं कह सकते।

(३) ख्याति और महत्ता के लिए मनुस्मृति के साथ भृगु का सम्बन्ध जोड़ने की प्रवृत्ति — मनुस्मृति में कहीं भी किसी भी रूप में भृगु के नाम का उल्लेख होना न तो शैली के अनुरूप ठीक उचित है, न मनुस्मृति की मान्यताओं एवं प्रसंगों के अनुकूल। फिर भी कई स्थानों पर मनुस्मृति को भृगु के साथ जोड़कर बड़े अटपटे ढंग से इसे भृगु का प्रवचन बताया गया है। मनुस्मृति एक ख्यातिप्राप्त ग्रन्थ था, समाज में इसकी सर्वोच्च मान्यता थी। प्रतीत होता है कि भृगु के शिष्यों ने भृगु की ख्याति और महत्ता के लिए या इसे 'भृगु-संहिता' बनाने के लिए उसके प्रवचनों या नाम को इसमें जोड़ दिया है। इस प्रकार के कुछ श्लोक हैं —

एतद्भोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ।

एतद्दि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषो ऽखिलं मुनिः ॥ (१।५९ ॥)

अर्थ — मनु जी कहते हैं कि मुझ से भृगुमुनि ने इस धर्मशास्त्र को पढ़ा है। ये भृगुमुनि आपको सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनावेंगे।

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्भुना भृगुः ।

तानब्रवीदृषीन्सर्वान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ (१।६० ॥)

अर्थ — तत्पश्चात् मनुजी के कहने पर भृगुमुनि प्रसन्न होकर उन सब ऋषियों को उपदेश देने लगे कि अब आप सब सुनें।

श्रुत्वेतानृषयो धर्मान्स्नातकस्य यथोदितान् ।

इदंभूचुर्भहात्मानमनलप्रभवं भृगुम् ॥ (५।१ ॥)

अर्थ — महर्षियों ने स्नातक के पूर्वोक्त धर्मों को सुनकर अग्नि के समान प्रभावशाली, महान्मा भृगु से यह कहा।

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्भिजः ॥ (१२।१२६ ॥)

अर्थ — इस भृगुप्रोक्त धर्म-शास्त्र को जो ढिज पढ़ता है, (यह सदाचारी बनता है, इत्यादि)।

(४) मनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति — मनुस्मृति में कहीं-कहीं इस प्रकार के श्लोक भी हैं जिनमें मनु की मान्यता का खण्डन है। पहले मनु की मान्यता है, फिर उसका निषेधपूर्वक खण्डन है। ऐसे सभी श्लोकों के मूल में मनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति है, यथा —

(क) ९।५९ से ६३ श्लोकों में नियोग का विधान है, किन्तु अगले ही ६४-६८ श्लोकों में निन्दा प्रदर्शनपूर्वक नियोग का निषेध है।

(ख) ५।४५ से ५५ श्लोकों में मांसभक्षण का निषेध करते हुए मांसभक्षक को पापी माना है, किन्तु ५६वें श्लोक में ही मांसभक्षण, मदिरापान में कोई दोष नहीं होना कहा है।

(५) स्वाभिमत मान्यताओं को उस शास्त्र के अनुकूल सिद्ध करने की प्रवृत्ति — क्योंकि मनुस्मृति एक प्रसिद्ध एवं सर्वमान्य शास्त्र रहा है, इसलिए उसमें कोई मान्यता न हो तो उसे स्वीकार करने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे या उस मान्यता को पुष्ट करने के लिए मनुस्मृति का प्रमाण चाहेंगे, इस आपत्ति से मुक्त होने के लिए और अपनी मान्यता को मनुस्मृति-सिद्ध

बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रक्षेप किये गये हैं, जो उन स्थानों पर संगत भी नहीं हो रहे हैं और मनुस्मृति की मान्यता के अनुकूल भी नहीं जचते। मनुस्मृति ने प्रकृति से महत्, महत् से अहंकार आदि तत्त्वों की प्रक्रिया से सृष्टि-उत्पत्ति वर्णित की है (१।१४-२१), किन्तु नवीन वेदान्तियों ने अपनी मान्यता को मनुस्मृतिसम्मत बनाने के लिए मनुस्मृति की मौलिक मान्यता से पूर्व अण्डे के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा से सारे संसार की उत्पत्ति वाली मान्यता का प्रक्षेप कर दिया (१।९, १२, १३, ३२ से ४५)। इस प्रकार के वर्णन अपनी मान्यता के प्रचार की दृष्टि से किये गये हैं।

(५) स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने विचारों के प्रक्षेप की प्रवृत्ति — मनुस्मृति एक आध्यात्मिक और सात्त्विक गुणों का दिग्दर्शन कराने वाला शास्त्र भी है। लेकिन उसके उद्देश्य को देखे बिना, उसकी मान्यताओं से विरोध होते हुए भी स्वार्थी व्यक्तियों ने अपनी विकृत परम्पराओं, स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को शास्त्रसम्मत बनाने की प्रवृत्ति से उनका प्रक्षेप किया है। श्राद्धवर्णन का प्रसंग, मांसभक्षण, मद्यपान, हिंसा, पशुयज्ञ, बहुविवाह आदि के विधान इसी प्रवृत्ति की उपज हैं। ऐसे प्रक्षेप अधिकांशतः वाममार्गियों द्वारा किये गये हैं, या ऐसे आचरण वाले लोगों द्वारा किये गये हैं।

(७) पक्षपात की प्रवृत्ति — मध्यकाल में ब्राह्मणों का विद्या पर एकाधिकार हो गया था और शेष वर्ण अशिक्षा के कारण दिन-प्रतिदिन अज्ञानाश्रित हो गये। प्रत्येक कर्त्तव्य के लिए ब्राह्मणों ने उचित-अनुचित को न देखकर अपनी सुविधा और सुख के अनुसार कर्त्तव्यों का विधान करना शुरू कर दिया और निम्नवर्णों पर अधिकाधिक बन्धन डाल दिये। इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचार भी मनुस्मृति में मिलते हैं। छुआछूत, ऊँच-नीच, स्त्री-शूद्रों के प्रति घृणा, निन्दा और दमन के विचारों वाले सभी श्लोकों में पक्षपात की प्रवृत्ति निहित है। ब्राह्मणों को विशेषाधिकार, विशेष गृह्य और विशेष प्रशंसा इसी प्रवृत्ति से उपजी बातें हैं।

(८) अभाव-पूर्ति की प्रवृत्ति — कोई भी शास्त्र या विधान अपने समय की व्यवस्थाओं या परिस्थितियों के अनुसार ही बनता है। समय बीतने पर कुछ नयी परम्पराएँ, नयी समस्याएँ या नयी बातें समाज में आ जाती हैं। किन्तु समाज प्रत्येक निर्णय के लिए उसी पुरातन शास्त्र की ओर देखता है। ऐसी अवस्था में उन अर्वाकिकालीन बातों के वर्णनाभाव को देखकर या किसी बात का वैसे अभाव अनुभव करके लोग शास्त्रों में मिलावट कर देते हैं। मनुस्मृति में भी इस प्रवृत्ति से अनेक प्रक्षेप हुए हैं —

(क) मनुस्मृति में युवावस्था में ही विवाह का वर्णन है, किन्तु परवर्ती काल में जब विधवा अन्नभक्षण या कुरीतियों के प्रभाव से लड़कियों का जीवन असुरक्षित जान पड़ने लगा तो बालविवाह की प्रथा प्रचलित हो गई। लोगों ने मनुस्मृति में उस विधान का अभाव देखकर उसे भी स्वयं जोड़ दिया —

त्रिंशद्वर्षोद्दहेत्कन्यां दृष्ट्वा द्वादशवार्षिकीम् ।

त्र्यष्टेवर्षोऽष्टवर्षा वा धर्मे सीदति सत्वरः ।। (९।९४।।)

अर्थ — गृहस्थ धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की मनोहारिणी कन्या से और २४ वर्ष का आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे।

(ख) इसी प्रकार मनु ने एक समय एक ही विवाह का विधान किया है (५।१६७-१६८), किन्तु परवर्तीकाल में बहुविवाह की प्रथा चल पड़ी। दायभाग के विधानों में केवल एक विवाह के अनुसार ही दायभाग का विभाजन था। विभिन्न वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों के लिए दायभाग के विधानों

का अभाव देखकर परवर्ती लोगों ने तत्सम्बन्धी विधानों को भी जोड़ दिया —

बनुरोऽशान्दरेद्विप्रस्त्रीनशान्दत्रियासुतः ।

वैश्यापुत्रो हरेददृपशर्मशं शूद्रासुतो हरेत् ॥ (९।१५३ ॥)

अर्थ — ब्राह्मणों का पुत्र चार भाग, क्षत्रियों का पुत्र तीन भाग, वैश्य का पुत्र दो भाग और शूद्र का पुत्र एक भाग लेवे ।

इसी प्रकार समय-समय पर प्रचलित रुढ़िवादिताओं और अन्धविश्वासों से प्रेरित विधान भी इसी प्रवृत्ति के कारण प्रक्षिप्त हुए हैं ।

(९) परिष्कार एवं व्यवस्थापन की प्रवृत्ति — मनुस्मृति जिस व्यवस्थित रूप में आज उपलब्ध है, यह इसका मौलिक स्वरूप नहीं है । मनुस्मृति को अध्यायों में परवर्तीकाल में विभाजित किया गया है । विभाजन कर्ता ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसे विभाजित किया और अध्यायों के अन्त में समाप्ति सूचक श्लोकों की शैली की एकरूपता बनाये रखने के लिए कुछ स्थानों पर अपनी ओर से ही श्लोक मिला दिये । ऐसा एक श्लोक है —

एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान्समापयन् ।

व्यपोह्य किल्विषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ (८।४२० ॥)

अर्थ — इस प्रकार राजा इन सब विषयों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषों (पापों) को दूर करता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है ।

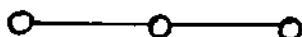
इस प्रकार कुछ श्लोक तो एकरूपता के लिए मिलाये गये हैं (इनका विस्तृत विवेचन 'मनुस्मृति का अध्याय विभाजन' शीर्षक में यथास्थान देखिये) और कुछ मनुस्मृति के परिष्कार के लिए । प्रथम अध्याय में १०७, १११-११८ तक विषय-सूची का वर्णन करने वाले श्लोक विभाजन की व्यवस्था को परिष्कृत रूप देने के लिए ही बनाकर मिलाये गये हैं, जिससे मनुस्मृति में वर्णित विषयों का एक स्थान से ही ज्ञान हो सके ।

(१०) स्वाभिमत स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की प्रवृत्ति — मनुस्मृति में जहाँ-कहीं भी ऐसे वर्णन हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण, महिमात्मक अथवा नये ढंग की व्याख्या वाले, कही हुई बातों को पुनः भिन्न प्रकार स्पष्ट करने वाले, वे उक्त प्रवृत्ति के कारण किये गये प्रक्षिप्त हैं । यथा —

(क) ग्यारहवें अध्याय में ५४-१९० श्लोकों में प्रावर्षित का विधान, वर्गीकरण और विधियाँ मनुसम्मत नहीं हैं । किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति ने अपने ढंग से उनका वर्णन किया है ।

(ख) १२।८६-९० श्लोकों में निवृत्त कर्मों का स्पष्टीकरण प्रासंगिक नहीं है । यह किसी परवर्ती व्यक्ति ने परिवर्धन की दृष्टि से जोड़ दिया है ।

इस प्रकार सभी प्रक्षिप्त श्लोकों के मूल में कोई-न-कोई प्रवृत्ति अवश्य दृष्टिगोचर होती है, जिसकी प्रेरणा से प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में प्रक्षेप किये हैं । कहीं-कहीं कई-कई प्रवृत्तियाँ भी एक साथ दिखाई पड़ती हैं । इस तरह प्रवृत्तियों के परिज्ञान से श्लोकों की प्रक्षिप्तता और अधिक स्पष्ट हो जाती है ।



५. प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और उनके प्रमाण

'मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं,' यह मान्यता स्थिर हो जाने और उन प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर विचार कर लेने के पश्चात् अब प्रक्षेपों के अनुसन्धान का प्रश्न आता है। विचारणीय बात यह है कि मनुस्मृति में हुये प्रक्षेपों को कैसे पहचाना जाये और किस प्रकार उन्हें अमौलिक घोषित किया जाये? यह प्रश्न बड़ा जटिल एवं गम्भीर है। ऐसा कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है, जो श्लोकों को स्पष्टतः निर्णीत कर दे कि अमुक प्रक्षिप्त है और अमुक मौलिक। यदि यह कार्य इतना सरल होता तो अभी तक कभी का निर्णय हो चुका होता। इस प्रकार अत्यन्त कठिन एवं उलझनपूर्ण होते हुए भी इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक उपाय यह निकाला है कि कृत्स्नत्व के आधार पर कुछ सुनिश्चित 'मानदण्ड' या 'आधारों' का निर्धारण किया जाये जिनकी कसौटी पर खरे उतरने वाले श्लोकों को ही मौलिक माना जाये और इतर श्लोकों को प्रक्षिप्त। सुनिश्चित आधारों के बिना किया गया कार्य प्रामाणिककोटि में नहीं आ सकता। यद्यपि इससे पूर्व भी मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। इनमें आर्यसमाज के विद्वानों ने विशेष रूप से प्रयत्न किया है, जिनमें तुलसीराम स्वामी, स्वामी श्रद्धानन्द, चन्द्रमणि विद्यालंकार, सत्यकाम सिद्धान्तशास्त्री, गंगाप्रसाद उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त बूलर और डा. जे. जौली आदि कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी मनुस्मृति के प्रक्षेपों को दूर करने का प्रयास किया है। किन्तु फिर भी यह समस्या सुलभ नहीं पायी। अभी तक प्रक्षेपों को निकालने के लिए जो प्रयास हुए हैं उनमें सबसे बड़ी कमी यह रही है कि अनुसन्धानकर्ताओं ने कोई सुनिश्चित सर्वमान्य आधार निर्धारित नहीं किये। कुछ विद्वानों ने जो आधार अपनाये हैं, वे एकपक्षीय होने के कारण सर्वमान्य नहीं बन सके। संक्षेप में मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के लिए अभी तक किये गये प्रयासों में निम्न त्रुटियाँ रह गई हैं —

१. प्रक्षेप निकालने के लिए अनुसन्धानकर्ताओं ने ऐसे आधार निश्चित नहीं किये जो सर्वमान्य हों और जो सभी वर्गों में मान्य हो सकें। बिना 'आधारों' के निकाले गये प्रक्षेपों को देखकर पाठकों की ओर से यह आक्षेप उठा कि प्रक्षेपानुसन्धाताओं ने श्लोकों को मनमाने ढंग से निकाला और रखा है। जिसे अपने विचारों के अनुकूल समझा उसे रखा और प्रतिकूल को 'प्रक्षिप्त' घोषित कर दिया। विशेष रूप से यह उन आर्यसमाजी विद्वानों के लिये कहा जाता है, जिन्होंने आर्यसामाजिक विचारों के आधार पर श्लोकों को रखा और निकाला है।

२. सुनिश्चित आधारों के बिना प्रक्षेप निकालने वालों से यह भूल हुई है कि उन्होंने कुछ मौलिक श्लोकों को भी निकाल दिया, और इसी प्रकार कुछ प्रक्षिप्त श्लोक भी शेष रह गये।

३. कुछ विद्वानों ने कुछ 'आधार' भी अपनाये हैं, किन्तु वे विद्वान् उन 'आधारों' को सब स्थानों पर लागू ही नहीं कर सके। कई स्थानों पर वे गलत ढंग से लागू किये हैं।

४. निकाले गये प्रक्षिप्त श्लोकों के साथ विद्वानों ने उनकी प्रक्षिप्तता के कारणों का विवरण नहीं दिया। इससे पाठकों को उनकी पद्धति का न तो ज्ञान ही हो पाया और न वे उस कार्य से आश्वस्त एवं सन्तुष्ट ही हो पाये।

५. कुल्लूकभट्ट ने यद्यपि प्रक्षेप निकालने की प्रवृत्ति से मनुस्मृति पर कोई कार्य नहीं किया तथापि उसने १७० श्लोकों को प्रक्षेप कोटि में रखा है। इन श्लोकों को बृहत्कोष्ठकों और पृथक्संख्या में दिखाया गया है। कुल्लूकभट्ट ने ये श्लोक तत्कालीन हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त अन्तर के आधार पर प्रक्षिप्त माने हैं। यह कहना चाहिये कि ये श्लोक तो वे प्रक्षिप्त श्लोक हैं जो तब तक मनुस्मृति में

घुल-मिल नहीं पाये थे। इनसे पूर्व घुले-मिले श्लोकों पर कुल्लूक ने कोई संकेत नहीं दिया, अतः उसके द्वारा दक्षिण गये प्रक्षेपों के बावजूद भी प्रक्षेप-अनुसन्धान कार्य में कोई वास्तविक योगदान नहीं हो सका। कुल्लूक का काल बहुत अर्वाचीन है। मनुस्मृति में प्रक्षेप चिर-काल से होते रहे हैं। कुल्लूक के प्रक्षेपों को तो पौराणिकों ने भी मान लिया है, किन्तु कुल्लूक का प्रयास संकेतमात्र है।

इन कमियों के कारण अभी तक मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्धान कार्य प्रतिष्ठित नहीं हो सका।
 अब पुनः इस अनुसन्धान को नये सिरे से करने का यह एक और प्रयास किया गया है और प्रक्षिप्त श्लोकों के अनुसन्धान के लिए कुछ ऐसे सुनिश्चित 'आधार' या 'मानदण्ड' निर्धारित किये गए हैं जो सर्वसामान्य हैं। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक और महत्वपूर्ण समझता हूँ कि आधार विशुद्धरूप से कृतित्व पर आधारित हैं। इसके पीछे किसी प्रकार का कोई आग्रह या मतवाद नहीं है। इसलिए आशा की जाती है कि ये सर्वसामान्य हो सकेंगे। जैसे कृति सब के लिये समान है, वैसे कृतित्व को रखने के ये 'आधार' या 'मानदण्ड' भी सबके लिये समान हैं। ये सभी वर्ग के व्यक्तियों पर समानरूप से लागू होते हैं और सभी व्यक्ति उन आधारों को समानरूप से श्लोकों पर परख सकते हैं। जिन श्लोकों या प्रसंगों पर ये लागू हुए हैं, वहाँ तत्तत् 'आधार' का कारणपूर्वक प्रदर्शन किया गया है। उसे पढ़कर पाठक स्वयं भी इसकी परीक्षा कर सकेंगे। एक-एक प्रक्षिप्त श्लोक या प्रक्षिप्त प्रसंग पर कई-कई आधार भी एक साथ लागू होते हैं। ऐसे स्थलों पर उन सभी आधारों को लागू करके दर्शा दिया गया है। इससे उन श्लोकों की प्रक्षिप्तता और अधिक दृढ़ता से सिद्ध हो सकेगी तथा प्रक्षिप्त भाग के विवेचन में किसी सन्देह का अवसर नहीं रहेगा। जो युक्तियाँ या आधार स्वल्प रूप में या आशिक रूप में लागू होती हैं, उनका भी उल्लेख उदारता से इसलिए कर दिया गया है कि वे अन्य युक्तियों या आधारों के साथ मिलकर उनकी प्रभाववृद्धि या पुष्टि करने में सहायक होंगी, उनका मण्डन करेंगी।

इस प्रकार प्रक्षेप निकालने के इस जटिल कार्य को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है और पूर्णतः तटस्थता का अनुसरण किया है। फिर भी यह सम्भव हो सकता है कि कुछ प्रक्षिप्त श्लोक दृष्टिगत न हो पाये हों, अर्थात् कुछ श्लोक इन 'आधारों' की पकड़ में न आ सकें हों। यतो हि, प्रक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने अपने श्लोकों को मनुस्मृति के श्लोकों के साथ मिलाने की यथा सम्भव कोशिश की है, अतः हो सकता है कि कुछ श्लोक इतने घुला-मिला दिये हों, जो इन आधारों की पकड़ में न आ सकें हों। इन आधारों की सीमा से बाहर के श्लोकों को, चाहे वे कैसी ही मान्यता वाले हों, हमने प्रक्षेपों की दृष्टि से नहीं देखा है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि जितने भी श्लोक प्रक्षिप्त निकाले गये हैं, उनकी प्रक्षिप्तता पर विचार करने के साथ-साथ उनकी पृष्ठभूमि में प्रक्षेप करने की प्रेरक-प्रवृत्ति क्या हो सकती है, इसका भी विचार किया गया है। क्योंकि व्यक्ति किसी विशेष प्रवृत्ति से ही प्रेरित होकर प्रक्षेप करता है। इस प्रकार यह अनुसन्धान-कार्य कई प्रकार से पुष्ट है —

- (१) सुनिश्चित 'आधारों' के आधार पर प्रक्षेप निकालने से,
- (२) प्रक्षिप्त श्लोकों पर एक ही नहीं अपितु कई-कई आधार लागू होने से,
- (३) प्रक्षिप्त श्लोकों के मूल में प्रक्षेप की प्रवृत्ति पर ध्यान रखने के कारण।

इस प्रकार जो श्लोक प्रक्षिप्त निकाले हैं, उनके मौलिक होने की या प्रक्षिप्तों के बचे रहने की गुणायक नहीं के बराबर रह जाती है।

कुछ श्लोक इस प्रकार के भी हैं जो स्थानभ्रष्ट हो गये हैं। प्रसंगविरोध के आधार पर पाठक उन्हें

प्रसंगविरुद्ध कह सकते हैं, किन्तु उन्हें प्रक्षेप नहीं माना जा सकता; क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि में प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रवृत्ति ही प्रतीत नहीं होती। न उसका किसी प्रक्षिप्त प्रसंग से सम्बन्ध है, और न उसका मनुस्मृति की मान्यता अथवा शैली से विरोध ही आता है। ऐसे श्लोकों पर टिप्पणी देकर उन्हें यथावत् रख दिया गया है। इस प्रकार के स्थानप्रष्ट कहे जा सकने वाले श्लोक बहुत थोड़े हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा इस नीति को स्पष्ट कर देना उपयुक्त रहेगा —

(क) अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या स्मृताः ।

ताभिः सार्धमिदं सर्वं सम्भवत्यनुपूर्वशः ॥ (१।२७।।)

अर्थ — पांच महामूर्तों की कारणभूत विपरिणामी पांच तन्मात्राएँ कही गई हैं। उनके साथ यह सम्पूर्ण जगत् सूक्ष्म से स्थूल और फिर स्थूलतरादि क्रम से उत्पन्न होता है।

इसमें एक साधारण वर्णन है। इसमें प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रवृत्ति प्रतीत नहीं होती और न इसमें अन्तर्विरोध है। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आग्रह ही नहीं है। प्रचलित पुस्तकों में यह जिस स्थान पर है वहाँ पूर्वापरप्रसंग की दृष्टि से असंगत है। पूर्वापर प्रसंग कर्मों का है। किन्तु फिर भी इसे प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह एक अविरोधी और सहज वर्णन है।

(ख) सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ (१।२९।।)

अर्थ — उस परमत्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में ही वेद के शब्दों से सब वस्तुओं के नामों, सबके भिन्न-भिन्न कर्मों और उनके विविध विभागों को बनाया।

यह श्लोक भी क्रम की दृष्टि से असंगत है। वेदों की उत्पत्ति तो २३वें में कही है, जबकि वेदशब्दों से नामकरण और विभाजन पहले ही बता दिया। और २३वें तक अभी उत्पत्ति का ही प्रसंग है। वेदों के साथ उत्पत्ति-प्रसंग की पूर्णता होती है और नामकरण आदि उत्पत्ति के बाद की बातें हैं। इस प्रकार यह भी स्थानप्रष्ट प्रतीत हुआ और इसे २३वें के पश्चात् (अग्निवायुरविभ्यस्तु के बाद) उपयुक्त क्रम में रखने के लिये टिप्पणी दे दी है। इससे यह क्रम बन गया कि ब्रह्म ने वेद उत्पन्न किये फिर वेदों के द्वारा ही नामकरण और कर्मों का विभाजन हुआ। इस प्रकार यह श्लोक अगले कर्मों के प्रसंग 'कर्मणां च विवेकार्थम्' (१।२६) से संगतिबद्ध रूप में जुड़ जाता है। इसका भी किसी प्रक्षिप्त विचार से सम्बन्ध नहीं है, और न किसी मान्यता से विरोध है। इस प्रकार प्रक्षेप की प्रवृत्ति से रहित श्लोकों को यथावत् रूप में रख दिया गया है।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रक्षेप की प्रवृत्ति से रहित किन्तु प्रक्षिप्त प्रसंग से सम्बद्ध जो श्लोक हैं, वे श्लोक इस कोटि में ग्रहण नहीं किये गये हैं। उन्हें प्रक्षेपान्तर्गत ही स्वीकार किया है।

पाठ-भेद की समस्या भी ऐसी समस्या है जिसका प्रक्षिप्तता के साथ भी पर्याप्त सम्बन्ध है। बहुत से स्थानों पर प्रक्षेपकर्त्ताओं ने नया श्लोक मिलाने की अपेक्षा मौलिक श्लोक में ही पाठभेद कर दिया है। कुछ पाठभेद असावधानी से भी हुए हैं। पाठभेदों को पहचानना या उसका मौलिक रूप देना यद्यपि अपने आप में पृथक् और महत्वपूर्ण कार्य है, जो अत्यन्त कठिन है। फिर भी कुछ प्रक्षिप्त पाठभेदों को पहचानने की कोशिश की गई है। कोई प्रामाणिक पाठ उपलब्ध न होने के कारण मनुस्मृति की मान्यता, प्रसंग, विषय और शैली के अनुकूल जो पाठ उचित प्रतीत हुआ तथा जो अर्थ की दृष्टि से अधिक उपयुक्त और संगत लगा, उसे ही अपनाया है। अर्थ पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख पाठभेदों में जहाँ भी परिवर्तन है, वहाँ 'अनुशीलन' नामक समीक्षा में उस पर प्रकाश डाला गया है।

प्रक्षेपानुसन्धान की कार्यप्रणाली का उल्लेख करने के पश्चात् अब 'आधारों' पर दृष्टिपात करना शेष रह जाता है। प्रक्षेपों के अनुसंधान के लिए कुल सात आधार निर्धारित किये गये हैं। इनमें प्रथम छह अन्तःसाध्य के आधार पर हैं अर्थात् मनुस्मृति की रचना शैली और मान्यताओं से इन आधारों के अन्तर्गत आने वाले श्लोकों की प्रक्षिप्तता सिद्ध होती है। सातवें आधार का स्वयं मनु ने अनेक स्थानों पर संकेत दिया है। उस संकेत के अनुसार केवल 'वेदों' को बाह्यसाध्य के रूप में प्रमाण माना गया है। वे आधार निम्न हैं—

१. विषय-विरोध।
२. प्रसंग-विरोध।
३. अन्तर्विरोध (परस्परविरोध)।
४. पुनरुक्तिर्या।
५. शैलीविरोध या शैलीगत आधार।
६. अवान्तरविरोध (सहयोगी आधार के रूप में)।
७. वेद-विरुद्ध।

परिभाषाओं और उदाहरणों सहित इनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार है—

१. विषय-विरोध

मनुस्मृति कुछ मुख्य विषयों में निबद्ध है। मनु ने किसी भी विषय का प्रारम्भ या समापन करते समय अथवा दोनों ही स्थानों पर उस वर्णविषय का संकेत स्वयं ही किया है। मनुस्मृति के अध्यायों का विभाजन भी लगभग मुख्य विषयों के अनुसार ही किया हुआ है, जैसे—प्रथम अध्याय में सृष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति, द्वितीय में संस्कार और ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय अध्याय में गृहस्थ (विवाह और पंचयज्ञ विधान), षष्ठ में वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि। निश्चित विषयवाले उन वर्णों में संकेतित विषय से भिन्न अथवा विपरीत जो श्लोक हैं, वे विषयविरुद्ध हैं; और इस विषय-विरोध के आधार पर वे प्रक्षिप्त कहलायेंगे। वे मौलिक इसलिए नहीं माने जा सकते, क्योंकि जब मनु ने स्वयं अपने विषय को एक निश्चित सीमा में बाँधा हुआ है और साथ ही उनका संकेत भी दिया हुआ है, तो वे स्वयं विषयबाह्य वर्णन नहीं कर सकते। अतः ऐसे श्लोक मौलिक न होकर बाद में मिलाने गये हैं। यथा—

(क) मातुलाश्च पितृव्याश्च स्वशुरानृत्विजो गुरून् ।

असवहमिति ब्रूयात्प्रत्युत्थाय यवीयसः ॥

मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा ।

संपूज्या गुरुपत्नीवत् समास्ता गुरुभार्यया ॥

ब्रातृभार्योपसंग्राह्या सवर्णाहिन्यहन्यपि ॥ २।१३०-१३२ ॥

(इस संस्करण के अनुसार २।१०५-१०७)

अर्थ — (ब्रह्मचारी) मामा, चाचा, श्वसुर और श्रुतिवज्र आदि बड़ों को और ये छोटे भी हों तब भी उठकर 'मैं अमूक हूँ' इस प्रकार नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार करें। मौसी, मामी, सासू और बूआ, ये गुरुपत्नी के समान पूज्य हैं। उसे बड़े भाई की सवर्णा स्त्री का प्रतिदिन चरणस्पर्श करके अभिवादन करना चाहिये।

पूर्व श्लोकों में उपनयन संस्कार का विधान करने के पश्चात् २।६८ (इस संस्करण में २।४३) में

श्लोक में 'कर्मयोगं निबोधत' कहकर ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का वर्णन करने का कथन किया गया है। फिर २।१६४ (इस संस्करण में २।१३९)वें श्लोक में कहा है — "अग्नेन क्रमयोगेन गुरो वसन् सन्धिन्याद् ब्रह्माधिगमिकं तपः" अर्थात् — 'इस पूर्वोक्त विधान के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ वेदज्ञान-प्राप्तिकारक तप का संचय करे।' इससे यह स्पष्ट हुआ कि गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी को जो कर्तव्य निमाने हैं, केवल उन्हीं का यहाँ वर्णन है। इसके अतिरिक्त २।६९ (इस संस्करण में ४४वाँ), १०८ (८३वाँ), १७५ (१५०वाँ), १९१-२०३ (१६६-१७८), २१९ (१९४वाँ), २४१-२४४ (इस संस्करण में २१६-२१९) श्लोकों से भी यही स्पष्ट होता है। ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर समावर्तन तक गुरुकुल में ही रहने का विधान है। इसके लिए यह भी आदेश है कि सूर्यास्त के बाद गाँव में न रहे [२।२१९ (इस सं. में १९४वाँ)]। उक्त श्लोकों में विहित कर्तव्य ब्रह्मचारी पर लागू ही नहीं होते। न तो ब्रह्मचारी का मामा, चाचा, मौसी आदि से सम्बन्ध पड़ता है और न भाई की पत्नी से। फिर वह कैसे प्रतिदिन चरणस्पर्श करके नमस्कार करेगा? इन श्लोकों में तो सास-ससुर को भी नमस्कार का विधान है। बताइये ब्रह्मचारी के सास-ससुर कहाँ से होंगे? यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ये वाक्य विधिवाक्य हैं, अर्थवाद नहीं। इस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम विषय के अन्तर्गत गृहस्थ के कर्तव्यों का उल्लेख विषय-विरुद्ध है। अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

(ख) इसी प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम के कर्तव्यों के वर्णन में २।२२५-२३७ (इस संस्करण में २।२००-२१२) तक आचार्य, पिता और माता की सेवा का प्रसंग है —

त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु त्रीँल्लोकान्विजयेद् गृही।

दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्विव मोदते ॥

॥ २।२३२। (२।२०७)

अर्थ — इन तीनों (आचार्य, माता, पिता) की सेवा में सावधान रहने वाला गृहस्थी तीनों लोकों को जीत लेता है और शरीर से तेजस्वी होकर देवताओं के समान स्वर्ग में आनन्द से रहता है। ब्रह्मचारी के कर्तव्यों के बीच गृहस्थियों के कर्तव्यों का उल्लेख विषयविरुद्ध है। इस श्लोक में तो 'गृही' शब्द स्पष्टरूप से उल्लिखित है। इस प्रकार यह सारा ही प्रसंग प्रक्षिप्त है।

(ग) निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः।

तस्य शास्त्रेऽधिकारो हिमन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥

॥ २।१६। (इस संस्करण में १।१३५)

अर्थ — गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त जिसके लिए संस्कारों का वेद-मन्त्रों में विधान किया गया है, उसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का इस (मनुस्मृति) शास्त्र में अधिकार जानना चाहिए; अन्य किसी का नहीं।

२।१ (इस संस्करण के अनुसार १।१२०) में मनु ने धर्मोत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करने का संकेत दिया है, और २।२५ (१।१४४) में इस विषय की समाप्ति का संकेत है। धर्मोत्पत्ति के वर्णन में बिना ही प्रसंग के 'मनुस्मृति के पढ़ने के 'अधिकार-अनधिकार' का कथन विषय-विरुद्ध है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त कहा जायेगा।

२. प्रसंगविरोध

इस अनुसन्धान कार्य में मनुस्मृति के मुख्य विषयों को 'विषय' और प्रचलित वर्णन के छोटे-छोटे

प्रमाणों या किसी चर्चा के क्रम को 'प्रसंग' की संज्ञा दी गई है। प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा वाले अथवा भिन्न प्रसंग को प्रारम्भ करने वाले श्लोक, एक प्रसंग के उक्त हो जाने के अनन्तर पुनः नये सिरे से तद्विषयक चर्चा या प्रसंग की शुरुआत करने वाले श्लोक, (उपसंहार और विकल्पों को छोड़कर), क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम के पश्चात् अथवा पूर्व ही वर्णित क्रमविरुद्ध श्लोक, उपयुक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गये श्लोक 'प्रसंग-विरुद्ध' हैं।

(क) प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा —

अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके ।

रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ॥ (१।६५ ॥)

पित्रो राज्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः ।

कर्मचेष्टास्यहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥ (१।६६ ॥)

दैवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः ॥

अहस्तत्रोद्गयनं रात्रिः स्यादक्षिणायनम् ॥ (१।६७ ॥)

अर्थ — सूर्य मानवीय तथा दैवी दिन-रातों का विभाग करता है। रात प्राणियों के सोने के लिए और दिन चलने-फिरने आदि चेष्टा तथा कार्यों के लिए होता है (१।६५)। मनुष्यों का महीना पितरों का एक दिन-रात होता है। और मास का जो दो पक्षों में विभाग है, उसमें कृष्णपक्ष कर्म करने के लिए पितरों का दिन और शुक्लपक्ष सोने के लिए रात होती है (१।६६)। मनुष्यों का एक वर्ष देवों का एक दिन-रात होता है। उसमें छः मास उत्तरायण देवों का दिन और छः मास दक्षिणायन देवों की रात्रि होती है (१।६७)।

इनमें ६६वाँ श्लोक पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा का वर्णन कर रहा है, अतः प्रसंगविरुद्ध है। इस श्लोक ने पूर्वापर प्रसंग को भंग कर दिया है। ६५वें श्लोक में 'मानुषदैविके' पदों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि आगे मनुष्य और देवताओं के दिन-रात का वर्णन करना ही रचयिता को अभीष्ट है। संकेत के अनुसार मनुष्यों के दिन-रात का वर्णन तो ६५वें में ही वर्णित हो चुका। अब देवताओं के दिन-रात का वर्णन शेष रहा, वह ६७वें में वर्णित है। किन्तु प्रक्षेपकों ने उस क्रम को भंग करके बीच में पितरों के दिन-रात का वर्णन डाल दिया, जबकि इसको कहने की कहीं चर्चा ही नहीं है। इस प्रकार ६६वाँ श्लोक प्रसंगविरुद्ध है। मृतकश्राद्ध की मान्यता रखने वाले व्यक्तियों ने अपनी 'मृत-पितर' सम्बन्धी मान्यता को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए यह प्रक्षेप किया है।

(ख) प्रचलित एक प्रसंग को भंग करके पूर्वापर से भिन्न नये प्रसंग का प्रारम्भ — एक प्रसंग का प्रारम्भ —

चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हित्ताहितान् ।

अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत ॥ (३।२० ॥)

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ (३।२१ ॥)

अर्थ — चारों वर्णों के लिए लोक तथा परलोक में हित तथा अहित करने वाले आठ विवाह संक्षेप से ये जानने चाहिए — (१) ब्राह्म (२) दैव (३) आर्ष (४) प्राजापत्य (५) आसुर (६) गान्धर्व (७) राक्षस (८) पैशाच ॥

इस पूर्वप्रसंग को भंग करके मध्य में ही एक नये प्रसंग का प्रारम्भ —
 यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ ।
 तदः सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान् ॥ (३।२२ ॥)

X X X X

पृथक्पृथक्वा मिश्रो वा विवाहौ पूर्वचोदितौ ।
 गान्धर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यो क्षत्रस्य तौ स्मृतौ ॥ (३।२६ ॥)

अर्थ — जिस वर्ण के लिए जो विवाह धर्मानुकूल है और जिस विवाह के जो गुण तथा दोष हैं और उत्पन्न सन्तान के भी जो गुण-दोष हैं, उन सब को तुम्हारे लिए कहूँगा । अलग-अलग अथवा मिलाकर पहले बताएँ गान्धर्व और राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त माने गये हैं ।

३।२०-२१ से प्रारब्ध पहले वाले मौलिक भग्नप्रसंग का पुनः प्रारम्भ —
 आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवने स्वयम् ।
 आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ (३।२७ ॥)
 यज्ञे तु वितते सम्यगृन्विज्जे कर्म कुर्वते ।
 अलंकृत्य सुतादानं देवं धर्मं प्रचक्षते ॥ (३।२८ ॥)

अर्थ — विद्या और शील वाले वर को बुलाकर, वस्त्रादि से युक्त एवं सम्यक् सत्कार करके कन्या देना 'ब्राह्म' विवाह कहलाता है (३।२७) । ऋत्विक् के द्वारा विस्तृत यज्ञ-कर्म करने पर वस्त्राभूषणादि से अलंकृत करके कन्या का दान करना 'देव' विवाह कहलाता है (३।२८) ।

यहाँ २०वें श्लोक में मनु ने आठ विवाहों को कहने का संकेत दिया है और २१वें में उन विवाहों के नामों का उल्लेख है । इसके पश्चात् प्रसंग के अनुसार उपयुक्त यह था कि उनकी परिभाषाएँ वर्णित हों — जो कि २७ से ३४ श्लोकों में हैं । किन्तु उस प्रसंग को बीच में ही तोड़कर प्रक्षेपक ने एक नया प्रसंग २२ से २६ श्लोकों में चलाया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस वर्ण के लिए कौन-कौन सा विवाह धर्मानुकूल है । मनु को वर्णानुसार विवाह की श्रेष्ठता मान्य नहीं है, अपितु वे विधि के रूप में ही विवाह की श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता मानते हैं । यह मान्यता उन्होंने विधिवर्णन वाले श्लोकों में ही स्पष्टतः दर्शायी है । ३९ से ४२ श्लोकों से भी यही सिद्ध होता है । इस प्रकार मध्यवर्ती प्रसंग प्रसंगविरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है । ये श्लोक ऊँच-नीच और पक्षपात की भावना से प्रेरित प्रक्षेप हैं ।

(ग) क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम के पश्चात् आने वाले क्रम-विरुद्ध श्लोक —

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।
 अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः ॥ (१।३२ ॥)

अर्थ — वह ब्रह्मा अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष और आधे से नारी बन गये, फिर उस नारी में 'विराट्' को उत्पन्न किया ।

X X X

अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् ।
 प्रतीन्प्रजानामसृज महर्षीनादितो दश ॥ (१।३४ ॥)

अर्थ — मैने (मनु ने) प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से कठिन तपस्या की और फिर दश प्रजापति महर्षियों को उत्पन्न किया ।

X

X

X

एवमैतैरिदं सर्वं मन्वियोगान्महात्मभिः ।

यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजंगमम् ॥ १।४१॥

अर्थ — इस प्रकार इन महर्षियों ने मेरी आज्ञा से तप करके फिर सारे स्थावर जंगम जगत् को उत्पन्न किया ।

यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मृतिकार एक निश्चित प्रक्रिया से क्रमशः प्रकृति, महत्, अहंकार, पञ्चतन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ और मन, पञ्चमहाभूत, इन तत्त्वों से स्थावर-जंगम सृष्टि की उत्पत्ति मानता है (१।१४-२१) । पिछले श्लोकों में इसी क्रम से सृष्टि-उत्पत्ति दर्शाते हुए १।१६-१८ श्लोकों द्वारा सभी प्रजाओं की 'उत्पत्ति हो चुकी' दर्शायी जा चुकी है । फिर १।१९-२१ श्लोकों द्वारा संक्षेप में अन्य समस्त संसार की उत्पत्ति का कथन कर दिया । इस प्रकार प्रजाओं (प्राणियों) और अन्य जगत् की उत्पत्ति का क्रमबद्ध प्रसंग पूरा हो गया । इसके पश्चात् १।२२-२१ श्लोकों में उत्पन्न हुए प्राणियों के साथ कर्मसंयोग आदि का प्रसंग चला है । फिर एक नया प्रसंग शुरू किया गया है, जिसमें ब्रह्मा द्वारा अभी स्त्री और पुरुष का निर्माण होना कहा जा रहा है । मनु द्वारा अभी प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा ही की जा रही है । महर्षियों द्वारा स्थावर और जंगम जगत् की उत्पत्ति कही जा रही है ! जबकि पिछले श्लोकों में प्राणियों की उत्पत्ति होने पर उनके कर्मों का भी विवेचन किया जा चुका । इस प्रकार यह प्रसंग क्रमविरुद्ध है । यदि यह मौलिक होता तो १।१६ में प्राणियों की उत्पत्ति दर्शाने से पूर्व इसका क्रमोचित वर्णन होता । लेकिन क्रम में यह जुड़ नहीं पाया । अतः प्रक्षेपक के बाद में डालना पड़ा । इस प्रकार इन श्लोकों की क्रमविरुद्धता इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध कर रही है । अन्य 'अन्तर्विरोध' आदि आचारों पर भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । ये श्लोक ब्रह्मा द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने वाली नवीन वेदान्त की मान्यता से प्रभावित पौराणिक कल्पना की देन है । मिथ्या कल्पनाओं द्वारा ब्रह्मा के साथ सम्बन्ध जोड़कर मनु और मनुस्मृति आदि को अलौकिक सिद्ध करने की भी प्रवृत्ति इनमें लक्षित होती है ।

(ध) क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम से पूर्व ही आने वाले क्रमविरुद्ध श्लोक —

तदण्डमभवद्देमं

सहस्रांशुसमप्रभम् ।

तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ १।९॥

अर्थ — वह 'अणु' तत्त्व हिम-सा शुभ्र और सूर्य-सा चमकीला अण्डाकार बन गया । उसमें से सब लोकों के पितामह स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए ।

X X X X

तस्मिन्नण्डे स भगवानुषिन्वा परिवत्सरम् ।

स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्दिष्टा ॥ १।१२॥

अर्थ — उस अण्डे में भगवान् ने परिवत्सर (कल्प का शतांशसमय) तक निवास किया और तत्पश्चात् ध्यान से उस अण्डे के दो विभाग कर दिए ।

X X X X

ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमि च निर्ममे ।

मध्ये व्योमदिशश्चाष्टावर्षा स्थानं च शाश्वतम् ॥१॥१३॥

अर्थ — अण्डे के उन दो खण्डों से बुलोक, पृथिवी की रचना की ओर इनके मध्य में आकाश, आठ दिशाओं और जलों के शाश्वत स्थान (अन्तरिक्ष) को बनाया ।

यह १।९, १२, १३ श्लोकों का एक प्रसंग है । इसमें एक अण्डे के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति दर्शायी गयी है । ब्रह्मा ने उस अण्डे में रहकर उसको दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया । उसके उन टुकड़ों से बुलोक, पृथिवीलोक, आकाश, समुद्र आदि बने ।

मनुस्मृति की सृष्टि-उत्पत्ति प्रक्रिया और उसके क्रम के बारे में पिछले 'ग' भाग में पर्याप्त विवेचन किया गया है । इस उदाहरण को समझने के लिए भी उसे ध्यान में रखना आवश्यक है । महत् आदि तत्त्वों की प्रक्रिया और क्रम से सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन करते हुए १।१९-२१ श्लोकों में पूर्णतः सृष्टि के बनने का क्रम आता है । उनका निर्माण १४ से २१ श्लोकों में है, लेकिन इस प्रसंग में उनके बनने से पूर्व ही बुलोक, पृथ्वीलोक आदि की स्थूल सृष्टि बनी दिखा दी । प्रश्न उठता है कि जब उसके प्राकृततत्त्व ही नहीं बने हैं तो ये पृथ्वी आदि किस वस्तु से बन गये ? यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो इसका वर्णन क्रमोक्ति ढंग से १।१५ के पश्चात् अथवा १८ के पश्चात् होता । लेकिन वहाँ यह नहीं जोड़ा जा सका, अतः पूर्व ही डाल दिया । इस प्रकार क्रमविरोधिता के कारण उक्त श्लोकों का यह प्रसंग 'प्रसंगविरुद्ध' है । ये श्लोक अन्तर्विरोध के आधार पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । इस प्रकार की सृष्टि-उत्पत्ति की पौराणिक कल्पना नवीन वेदान्त के आधार पर की जाती है । उसी अग्रह के कारण यहाँ ये प्रक्षेप किये गये प्रतीत होते हैं ।

(ड.) उपयुक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गये श्लोक—

जगतश्च समुत्पत्तिं संस्कारविधिमेव च ।

व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम् ॥ (१।११११॥)

देशधर्मान् जातिधर्मान् कुलधर्माश्च शाश्वतान् ।

पाखण्डगणधर्माश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान् मनुः ॥ (१।११८॥)

अर्थ—मनुस्मृति में जादुत्पत्ति, संस्कारों की विधि, व्रतचर्या और स्नान की विधि क्रमशः कही है । इस शास्त्र में मनु ने देश, जाति और कुलों के धर्मों तथा पाखण्डियों के अवैदिक कर्मों का वर्णन किया है ।

यह १।११-१।१८ श्लोकों का एक प्रसंग है । इसमें मनुस्मृति की विषय सूची दी गई है । यहाँ विचारणीय बात यह है कि विषयसूची का उपयुक्त स्थान या तो किसी ग्रन्थ के प्रारम्भ में होता है, या फिर अन्त में ही । बिना ही पूर्वापर प्रसंग के कहीं भी विषयसूची का कथन कर देना किसी भी विद्वान् का कार्य नहीं हो सकता । इन श्लोकों के लिए यह उपयुक्त स्थल नहीं है, अपितु बलात् ठूँसे हुए प्रतीत होते हैं । इस आधार पर यह प्रसंग प्रक्षिप्त है । दो अन्य प्रमाण भी इनको प्रक्षेप सिद्ध करने में दिए जा सकते हैं— (१) मनुस्मृति की ऐसी शैली ही नहीं है जिसमें विषयसूची का प्रदर्शन करने का खबर आ सके । इसकी प्रवचन शैली है और प्रत्येक प्रवचन या विषय, पूर्वापर विषयों से शृङ्खलावत् जुड़े हैं । मनु की यह शैली है कि वे किसी विषय को प्रारम्भ या समाप्त करने समय अथवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत करते हैं । शैली की अखण्डता के कारण उसमें साथ-साथ ही विषयों का संकेत होता रहता है, अतः पृथक् से विषयसूची की आवश्यकता ही नहीं रहती । इसीलिए मनु ने

कहीं मनुस्मृति के विषयों की सूची प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रसंग भी प्रारम्भ नहीं किया। इस प्रकार यहाँ जो ये श्लोक वर्णित हैं, ये मनु की इस शैली के नहीं हैं, इस कारण भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। (२) जिस स्थान पर ये वर्णित हैं, यहाँ पूर्वापर प्रसंग सृष्टि-उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति का है। क्रमशः ये १।५ और १।१०८ तथा २।१ से प्रारम्भ होकर २।२५ में समाप्त हुए हैं, इन विषय-संकेतों के अनुसार इनका बीच में वर्णन विषय और प्रसंगविरुद्ध भी है; क्योंकि ये क्रमबद्ध प्रसंगों को भंग कर रहे हैं। इस आधार पर भी ये प्रक्षिप्त हैं।

इस प्रकार उपयुक्त स्थल और प्रसंग के बिना कहे गये श्लोक 'प्रसंगविरुद्ध' प्रक्षेप माने गये हैं। परवर्तीकाल में मनुस्मृति को अध्याय-अनुसार व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति ने ही ये श्लोक जोड़े लगते हैं।

३. अन्तर्विरोध (परस्परविरोध)

मनुस्मृति में जिन बातों में विरोध आता है अथवा एक मान्यता का दूसरी मान्यता जहाँ खण्डन करती है उसे 'अन्तर्विरोध' कहा गया है। ऐसे वर्णन वाले श्लोकों में निश्चित है कि एक ही मान्यता मौलिक है, दूसरी प्रक्षिप्त। मनुस्मृति एक ही लेखक की रचना है। उसमें वर्णित मान्यताओं में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, और किसी विशिष्ट विद्वान् की रचना में तो ऐसे विरोधों की आशा ही नहीं की जा सकती। फिर भी यह नुति स्पष्टतः मिलती है। स्पष्ट है कि एक मान्यता अवश्य प्रक्षिप्त है। ऐसे वर्णनों में मौलिक मान्यता को मनुप्रोक्त मानकर दूसरी को 'अन्तर्विरोद्ध' या 'परस्परविरुद्ध' आधार पर प्रक्षिप्त माना गया है। कुछ अन्तर्विरोधी उदाहरण प्रस्तुत हैं—

(क) नवम अध्याय के ५७-६३ श्लोकों में स्त्रियों के लिए आपत्कालीन धर्म बतलाये हुए हैं। सन्तान के अभाव में यहाँ नियोग का विधान किया है। यह मान्यता शैली के अनुरूप और मौलिक है। एक श्लोक में विधान है—

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया ।

प्रजेप्सिताऽधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ (९।५९।।)

अर्थ—सन्तान का क्षय (अभाव) होने पर अपने पति की या समाज की आज्ञा से देवर वा अन्य सपिण्ड पुरुष से इच्छित सन्तान प्राप्त कर लेनी चाहिये।

किन्तु जैसे ही यह प्रसंग पूर्ण होता है, इस विचार के विरोधी व्यक्तियों ने इसके खण्डन में श्लोक मिला दिये हैं। उन श्लोकों में नियोग का निषेध है। इसे गृहित और साधुपुरुषों द्वारा निन्दित कहा है, और इसके प्रचलन में विकृत कारण का उल्लेख दर्शाया है। ये ६४ से ६८ तक पाँच श्लोक खण्डन के प्रसंग के हैं। इस प्रसंग के दो श्लोक प्रस्तुत हैं—

नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।

अन्यस्मिन् हि नियुज्याना धर्मं हन्युः सनातनम् ॥ (११।६४।।)

अर्थ—द्विजाति लोग विधवा नारी को अन्य देवर अथवा सपिण्ड पुरुष में नियोग की आज्ञा न दें। जो नियोग कराते हैं, वे सनातन धर्म को नष्ट करते हैं।

अथ द्विजैर्हि विद्वदिभ्यः पशुधर्मो विगर्हितः ।

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ (९।६६।।)

अर्थ—इस नियोग-प्रथा को विद्वानों ने पशुधर्म कहा है। यह राजा वेन के समय मनुष्यों में

प्रचलित हुआ है।

इनमें ६४-६८ श्लोकों का प्रसंग मौलिक नहीं है। इसे बाद में किसी ने छण्डन के लिए मिलाया है। अतः 'अन्तर्विरोध' या 'परस्पर विरोध' के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। वेद में जिस का कथन हो, उसको बोड़े समय से प्रचलित कहना ठीक नहीं। मनुस्मृति स्वयं आदि सृष्टि की है। इस लेख से यह सिद्ध है कि मनु का पूर्व लेख नियोग-प्रतिपादन का है। राजा वेन मनु से बहुत बाद का है।

(ख) 'अहिंसापालन' अथवा 'हिंसा निषेध' की मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यताओं में से एक है जिन पर मनुस्मृतिरूपी प्रासाद टिका हुआ है। जो व्यक्ति हिंसा, मांसभक्षण तथा पशुयज्ञ को मनुस्मृतिसम्मत मानते हैं वे मनु और मनुस्मृति के साथ अन्याय करते हैं, और वे वस्तुतः इनके साथ ईमानदार नहीं हैं। मनु ने प्रत्येक प्रकार की हिंसा को पाप माना है और स्थान-स्थान पर अहिंसा-पालन के लिए बल दिया है। अहिंसा की मान्यता मनुस्मृति की कितनी दृढ़ आधारभूत मान्यता है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मनु ने गृहस्थी-जनों के लिए जो नैतिक पञ्चमहायज्ञों का अनिवार्य विधान किया है, उसके मूल में हिंसा-निवृत्ति की भावना ही है। गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अज्ञान और विषज्ञतावश होने वाली छोटी-छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित्त के लिए ही पञ्चमहायज्ञों का करना आवश्यक बताया है—

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषणयुपस्करः ।

कण्डूमी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् ॥ (३।६८।।)

अर्थ—गृहस्थी के यहाँ चुल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल का घड़ा, ये पाँच हिंसा के स्थान हैं। इनको व्यवहार में लाता हुआ गृहस्थी हिंसा के पापों से बँधता है।

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः ।

पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ (३।६९।।)

अर्थ—उनके प्रायश्चित्त के लिए महर्षियों ने गृहस्थी के लिए क्रमशः पाँच महायज्ञों का दैनिक विधान किया है।

इसके अतिरिक्त मनु ने अनेक स्थानों पर हिंसा का स्पष्ट निषेध भी किया है और हिंसक की निन्दा की है।—

(अ) वर्जयेन् मधुमांसं च प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ २।१७७।।

(इस संस्करण में १५२ वाँ)

अर्थ—मद्य-पान, मांस-भक्षण तथा प्राणियों की हिंसा को छोड़ देवे।

(आ)—हिंसारतश्च यो नित्यं नेडासौ सुखमेधते ॥ (४।१७०।।)

अर्थ—जो नित्य हिंसा के कर्मों में रत रहता है, वह इस संसार में सुख प्राप्त नहीं करता है।

(इ) नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित्

न च प्राणिबधः स्वर्गस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥ ५।४८।।

अर्थ—प्राणियों की हिंसा के बिना कहीं मांस की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। और प्राणियों का बध

१. महाभारत में वेन नाम के दो राज्यों का उल्लेख आता है। एक—वैयम्पत मनु के दस पुत्रों में से एक था (महा. आ. ७०।१२)। दूसरा—अंग देव का एक दुष्टकर्मी राज था, जो कर्मयुग अंग का पुत्र था। इससे राजा पुत्र का जन्म हुआ (स्र. ५९।९६-९९)। इस प्रकार दोनों ही राजा स्वायम्भुव मनु से पर्याप्त परवर्ती हैं। यहाँ अंगराजा वेन का ही वर्णन है।

सुख देनेवाला नहीं है। इसलिए मांस को सर्वथा छोड़ देना चाहिए।

मनु ही वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंसा के लिए सलाह देने वाले व्यक्ति को भी पाप का भागीदार घोषित किया है। मांसप्राप्ति में किसी भी रूप से सम्बद्ध व्यक्ति मनु के मत से 'घातक' है। मनु ने हिंसा से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को 'घातक' घोषित करके अपनी अहिंसा की दृढ़ मान्यता को अशक्ति रूप से स्पष्ट कर दिया है। वे 'घातक' (पापी) ये हैं—

(ई) अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ।। (५।५१।।)

अर्थ— सलाह देने वाला, काटने वाला, मारने वाला, खरीदने और बेचने वाला, पकाने वाला, लानेवाला और खाने वाला, ये सभी घातक (पापी) हैं।

अहिंसा के समर्थन में और हिंसा की निन्दा में इतना सब कुछ लिखने वाले व्यक्ति के ग्रन्थ में कहीं मांसभक्षण की बात को मौलिक मान लिया जाये तो यह दुस्साहस ही कहा जायेगा। इतनी स्पष्ट मान्यता होते हुए भी मनुस्मृति में मांसभक्षण, पशुयज्ञ और हिंसापरक श्लोकों को मिला दिया गया—

(अ) नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान् द्विजः ।

नवान्नमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविषुः ।। (४।२७।।)

अर्थ— अग्नियाँ नवान्न और मांस की लोलुप होती हैं। अतएव जो द्विज नये अन्न और पशु-मांस से अग्नि में हवन नहीं करते, उनके प्राणों को ही अग्नियाँ खाना चाहती हैं।

(आ) पांचवें अध्याय में ११ से ४७ तक मांसभक्षण का विधान।

(इ) तृतीय अध्याय में १२२ से २८४ तक श्राद्ध में विभिन्न मांसों के खाने का विधान।

ये तथा मनुस्मृति के सभी हिंसा-समर्थक श्लोक उपर्युक्त मौलिक मान्यता के विरुद्ध होने के कारण 'अन्तर्विरोध' आधार पर प्रक्षिप्त हैं। इन श्लोकों का प्रक्षेप स्वार्थी पंडितों तथा वाममार्गियों ने किया है। (अन्य प्रमुख अन्तर्विरोधों को जानने के लिए देखिये— 'मनुस्मृति की प्रमुख मौलिक मान्यताएँ' शीर्षक विवेचन)।

४. पुनरुत्पत्त्या —

पहले कही हुई बात को विशिष्ट अभिप्राय के बिना पुनः कहना पुनरुक्ति है। ये पुनरुक्तियाँ क्लृप्त ज्यों की त्यों तो नहीं हैं, किन्तु अनेक स्थानों पर प्रक्षेपकर्ताओं ने अपने भाव को सिद्ध करने के लिए पूर्व प्रोक्त अंशों को आवश्यकतानुसार ग्रहण कर लिया है। उन्हें पढ़कर यह प्रतीत होता है कि इस अंश को पुनः ग्रहण करने की नितान्त आवश्यकता नहीं थी। अनावश्यक रूप से पुनरावृत्त वे अंश उसके प्रक्षेप होने का संकेत देने हैं। यथा—

(क) मनु सृष्टयुत्पत्ति का वर्णन करते हुए, क्रमानुसार जगत की प्रकटावस्था के माध्यम से ही परमात्मा की प्रकटता-रूप उत्पत्ति का वर्णन करते हैं—

ततः स्वयंभूर्मगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।

महभूतादिवृत्तोऽज्ञाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ।। (१।६।।)

अर्थ— तब अपने कार्यों को सम्पन्न करने में स्वयं समर्थ, महत्, पञ्चमहाभूत आदि तत्वों को उत्पन्न करने की अमित शक्ति से युक्त, स्थूलरूप में प्रकट न होने वाला परमात्मा इस समस्त संसार को प्रकटावस्था में लाने हुए ही प्रकट हुआ।

इसमें अगला ही श्लोक है—

योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ।

सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुदबभौ ॥ (१।७।।)

अर्थ — जो यह परमात्मा इन्द्रियों से ग्रहण न कर सकने योग्य, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सब प्राणियों का आश्रयस्थान और अचिन्त्य है; वही अपने आप उत्पन्न हुआ ।

इस श्लोक में कोई नयी बात न होकर कुछ नए विशेषणों के साथ छठे श्लोक के भावों को ही पुनः कह दिया है । छठे श्लोक में परमात्मा का प्रकट होना कहा था, इसमें भी केवल परमात्मा की उत्पत्ति कही है । 'अव्यक्तः' की ज्यों की त्यों और 'स्वयम्भूः' की 'स एव स्वयमुदबभौ' के रूप में पुनरुक्ति है । इस प्रकार 'पुनरुक्ति' के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है ।

यह पुनरुक्ति क्यों की गई ? प्रसंगानुसार यह स्पष्ट कर देना भी इसको प्रक्षेप समझने में पोषक सिद्ध होगा । छठे श्लोक में परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति, जगत् की प्रकटता के रूप में ही मानी है अर्थात् वैसे तो परमात्मा अव्यक्त है, प्रकट जगत् से ही उसका होना अनुमित होता है । किन्तु अग्रिम ७-१३ श्लोक पौराणिक कल्पना के आधार पर किये गये प्रक्षेप हैं जिनमें ब्रह्मा की उत्पत्ति दर्शायी गयी है । उसे सिद्ध करने के लिए ही सातवें श्लोक में 'योऽसौ' कहकर एक नया प्रसंग शुरू किया गया । उसकी भूमिका के लिए प्रक्षेपक को विवश होकर यह पुनरावृत्ति करनी पड़ी, अन्यथा एक बार छठे श्लोक में कहने के बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं रही थी । यह ब्रह्मा की उत्पत्ति का प्रसंग मनुस्मृति की उत्पत्ति-प्रक्रिया (१४-२१) के विरुद्ध है । इसे मनुस्मृतिसम्मत बनाने के लिए यह प्रसंग डाला गया है । किन्तु कपड़े के पैबन्द की तरह यह स्पष्टतः प्रक्षिप्त दिखाई पड़ रहा है ।

(ख) पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।

सा भर्तृलोकमाप्नोति सदिमः साध्वीति चोच्यते ॥ (५।१६५।।)

(या) जो स्त्री (मनः-वाक्-देह-संयता) मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर (पतिम न + अभिचरति) पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती (सा) वह (भर्तृलोकम् + आप्नोति) पतिलोक अर्थात् पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करती है (च) और (सदिमः 'साध्वी' + इति उच्यते) श्रेष्ठ लोग उसको 'पतिव्रता या अच्छी पत्नी' कहकर प्रशंसा करते हैं ॥ १६५ ॥

इस श्लोक का ९।२९ में अक्षरशः पुनरुक्ति है, जो अनावश्यक है । अतः ९।२९ स्थल पर यह पुनरुक्ति प्रक्षेप माना गया है ।

(ग) ५।१३४ श्लोक भी ९।३० में अक्षरशः पुनरुक्ति है । यह अन्य आधारों पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होता है, अतः दोनों स्थानों पर ही प्रक्षिप्त माना गया है ।

(घ) ८।३४२ में शस्त्र औषध आदि चुराने वाले चोरों को देशकाल के अनुसार दण्ड देने का कथन हो चुका है —

महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च ।

कालमासाद्य कार्यं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् ॥ (८।३२४।।)

अर्थ — हाथी आदि बड़े पशुओं, शस्त्रों तथा औषध की चोरों पर राजा समय और कार्य के अनुसार दण्ड देवे ।

इसकी पुनरुक्ति —

सीताद्वय्यापहरणे शस्त्राणामौषधस्य च ।

कालमासाद्य कार्यं च राजा दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ (९।२९३।।)

अर्थ — खेती के उपकरण हल आदि, शस्त्रों तथा औषध की चोरी करने पर राजा समय और कार्य के अनुसार दण्ड देवे ।

यहाँ पहले पद को छोड़कर शेष बातों की यथावत् पुनरुक्ति है । पूर्व श्लोक अपने प्रसंग में है और यह अप्रासंगिक रूप से उक्त है । इस प्रकार 'पुनरुक्ति' होने से यह प्रक्षिप्त है ।

५. शैलीगत आधार अथवा शैली-विरोध —

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति का प्रणेता एक ही व्यक्ति है । मनुस्मृति की शैली गम्भीर, संतुलित, साधार, युक्तियुक्त एवं पक्षपात की भावना से रहित है ; किन्तु बीच-बीच में अतिसामान्य, निराधार, अयुक्तियुक्त, अतिशयोक्तिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण शैली के श्लोक भी आजाते हैं । यह निश्चित है कि यह विरोधी भिन्नता एक ही प्रणेता की शैली में नहीं हो सकती । मनु एक विद्वान् ऋषि थे, अतः कहा जा सकता है कि दूसरी शैली के श्लोक मनुप्रोक्त न होकर प्रक्षिप्त हैं । मनुस्मृति के अनुशीलन से जो शैलियाँ मनुसम्मत प्रतीत नहीं हो पाईं, उन्हें दो विभागों में रखा गया है ।

१. मनु की शैली से भिन्न शैलियाँ —

क. रचना-शैली-सिद्ध भिन्नताएं ।

२. वर्णन-शैली से विरुद्ध शैलियाँ —

ख. निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली ।

ग. अतिशयोक्तिपूर्ण शैली ।

घ. पक्षपातपूर्ण शैली (घृणा, निन्दा, अपशब्द, ऊँच-नीच, स्पृष्ट्यास्पृश्यप्रेरित) ।

मनुसम्मत मौलिक शैलियाँ न होने के कारण इन शैलियों के श्लोकों को प्रक्षिप्त माना गया है । मनु की मौलिक शैलियों की विस्तृत समीक्षा 'मनुस्मृति की शैलियाँ' शीर्षक विवेचन में की गई है । शैलियों के निर्धारण की पद्धति पर भी वहीं विचार किया गया है । यहाँ केवल सक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ उनके उदाहरण ही प्रदर्शित किये जा रहे हैं ।

(क) रचना-शैलीसिद्ध भिन्नता —

रचना की दृष्टि से मनुस्मृति की 'प्रवचनशैली' है, अर्थात् मनुस्मृति मूलतः प्रवचन है । मनुस्मृति में प्रवचन के लिए जितने भी विषय या प्रकरण चुने गये हैं उनके प्रारम्भ या समापन में अथवा दोनों स्थानों पर क्रमशः उनके प्रारम्भ करने और समापन करने का प्रयोग किया है । इन सभी स्थानों पर 'सुनने-सुनाने' की क्रियाओं का प्रयोग किया है । ये सभी प्रवचन एक शैली में श्रृंखलावत् जुड़े हुए हैं । इस शैली के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं —

(अ) मनुस्मृति मूलतः कोई पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं था । मनु द्वारा ऋषियों की विज्ञासा के उत्तर में जो प्रवचन दिये गये, उनका संकलन होने पर वह 'शास्त्र' कहलाया । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रवचनों को कोई प्रवक्ता स्वयं 'शास्त्र' नहीं कह सकता, अथवा क्रमशः दिये जा रहे अपने प्रवचनों को ग्रन्थ के रूप में वर्णित नहीं कर सकता है । यह रूप तो बाद में बनता है । इसलिए मनुस्मृति में जहाँ भी इसे पूर्वनिबद्ध 'शास्त्र' या 'ग्रन्थ' के रूप में वर्णित किया है, वे श्लोक परवर्ती काल में किये गये प्रक्षेप हैं, जबकि मनुस्मृति संकलित होकर निबद्ध 'शास्त्र' या 'ग्रन्थरूप' में आ चुकी थी । यथा —

(१) इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः ।

मनो वाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ॥ (१ । १०४ ॥)

अर्थ — इस शास्त्र को पढ़कर इसके अनुसार कर्तव्य व्रतों को करने वाले ब्राह्मण को मन वाणी और देह के कर्मों से उत्पन्न होने वाले दोष (पाप) नहीं लगते ।

(२) नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः ।

मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ (१२ । १०७ ॥)

अर्थ — मोक्ष-प्राप्ति के साधक सब कर्मों का वर्णन कर दिया । अब मानवशास्त्र के रहस्य का उपदेश किया जाता है ।

इस प्रकार के श्लोक मनुस्मृति-परम्परा के शिष्यों द्वारा प्रशंसा और महत्त्ववर्धन की दृष्टि से मिलाये गये हैं ।

(आ) इस प्रकार इस शैली में, मूल प्रवचनों के संकलन में स्वयं मनु का नाम भी प्रयुक्त नहीं हो सकता और न भृगु का नाम आना ही युक्तसंगत जंचता है । इसलिए जो भी श्लोक मनु और भृगु के नाम से वर्णित हैं, वे इस शैली के आधार पर प्रक्षिप्त हैं । उनकी भाषा-प्रयोग-शैली भी यही सिद्ध करती है कि वे मनुप्रोक्त बातों का मूलसंकलन नहीं हैं । वे उनके नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने बनाये हैं । कुछ लोगों का विचार है कि उनका आशय मनु का आशय है, अतः उनके नाम से उनका उल्लेख है । यह भी युक्तिसंगत बात नहीं है कि वह मनु का आशय है । संभव है किसी अन्य व्यक्ति ने अपना आशय मनु के नाम से वर्णित कर दिया हो । यह तो एक ऐसा छिद्रद्वार बन जाता है कि चाहे कोई भी अपने अमीष्ट आशय को मनु का आशय बताकर कितने ही श्लोक बनाकर मिला दे ; अतः यह मान्य नहीं है । वास्तविकता भी यही है कि परवर्ती लोगों ने मनु के नाम पर अपने आशयों को मिलाया है । यदि यह मानें कि मनु के शिष्य भृगु ने उनके आशयों का वर्णन उनके नाम से किया है, तो इसमें भी कई संदेह रह जाते हैं — (१) इसका मतलब भृगु ने वास्तविक रूप में मनु के प्रवचनों का संकलन नहीं किया, (२) यदि वास्तविक रूप में है, तो कहीं बिना नाम के, और कहीं नामोल्लेखपूर्वक, वे पद्धतियाँ क्यों अपनायी हैं ? जब संकलन शैली में अन्य अधिकतर बातों का वर्णन मूलरूप में हुआ है तो कहीं-कहीं मनु का नाम देकर विधान करने की क्या आवश्यकता थी ? (३) और भृगु नाम वाले श्लोक मनु के संकलन में कैसे आये ? मनुस्मृति में उनकी क्या तुक है ?

इस प्रकार मनुस्मृति को प्रक्षेपकों ने मनचाहा 'मण्डारघर' बना लिया है । इस शैली से यह निश्चित हो जाता है कि इस प्रकार मनु और भृगु नाम वाले सभी श्लोक मूलरूप नहीं हैं, अपितु परवर्तीकाल में उनके शिष्यों ने रचकर डाल दिये हैं । जैसे, मनु के नाम वाले श्लोक —

१. यः कश्चित्कस्यचिद्वर्मा मनुना परिकीर्तितः

स सर्वोऽभिहितो वेदे, सर्वज्ञानमयो हि सः ॥

(२ । ७ ॥)

(इस संस्करण में १ । १२६)

अर्थ — मनु ने जिस किसी का जो भी धर्म (कर्तव्य) बताया है वह सब वेदांकृत है । क्योंकि वेद सम्पूर्ण ज्ञान से युक्त है ।

२. दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंभुजोऽब्रवीत् ।

त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो अजेत् ॥ (८ । १२४ ॥)

अर्थ — स्वयम्भुव मनु ने दण्ड के दश स्थान बताए हैं । जिन पर क्षत्रियादि तीन वर्ण वालों को दण्ड देना चाहिये । और ब्राह्मण को दण्ड के बिना ही छोड़ देना चाहिए ।

३. ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमर्हति ।

अपह्वे तद्विगुणं तन्मनोरमुशासनम् ॥ (८ । १३९)

अर्थ — मनु का ऋणादि के विवाद में यह दण्ड का प्रकार है कि यदि ऋण लेने वाला न्यायसभा में आकर ऋण को स्वीकार कर लेता है, तो उस पर पांच प्रतिशत दण्ड करे और यदि वहाँ भी झूठ बोले या छिपावे तो दश प्रतिशत देना चाहिए ।

भृगु के नाम से वर्णित श्लोक —

१. एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ।

एतदि मसोऽधिजगे सर्वमेवोऽखिलं मुनिः ॥ (१ । ५९ ॥)

अर्थ — यह भृगुमुनि आप सब को सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनायेगे । इस मुनि ने यह समस्त शास्त्र मुझ से पड़ा है ।

२. स तानुवाच धर्मात्मा महर्षिन्मानवो भृगुः ।

श्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ (५ । ३ ॥)

अर्थ — उस धर्मात्मा भृगु मुनि ने महर्षियों से कहा कि जिस दोष के कारण विप्रों (विद्वानों) को मृत्यु मारना चाहती है, उसे सुनिये ।

३. इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्दिजः ।

भक्त्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयादगतिम् ॥ (१२ । १२६ ॥)

अर्थ — इस भृगु-प्रोक्त मानव-धर्मशास्त्र को पढ़ता हुआ द्विज सदाचारी बन जाता है और इच्छानुसार गति को प्राप्त करता है ।

(इ) जैसा कि अभी 'क' खण्ड में दर्शाया गया है कि मनु की शैली किसी भी विषय अथवा प्रकरण के प्रारम्भ अथवा समाप्ति पर, या दोनों ही स्थानों पर, उद्दिष्ट विषय का संकेत देने की है । यदि किसी स्वतन्त्र प्रकरण में अथवा एक प्रकरण की समाप्ति होने पर, प्रारम्भ की गई चर्चाओं के आद्यन्त में, उस विषय का संकेत नहीं मिलता, तो उससे यह संकेत मिलता है कि वह प्रकरण मनु की शैली का नहीं है । यथा —

१. प्रथम अध्याय के १११-११८ श्लोकों में मनुस्मृति की विषयसूची का प्रसंग एक स्वतंत्र और पूर्वपर प्रसंग से भिन्न प्रसंग है, किन्तु इस प्रसंग के न तो पूर्व ही उद्दिष्ट विषय का संकेत है और न समाप्ति पर । अतः यह मनु की शैली का प्रसंग नहीं है ।

२. ग्यारहवें अध्याय के १-४३ श्लोकों में स्वतन्त्र दान का तथा अन्य फुटकर प्रसंग है, किन्तु उसके प्रारम्भ और समाप्ति पर विषय का संकेत नहीं है । ४३ श्लोकों में वर्णित विषय का कोई संकेत न होना, इस प्रसंग को मनु की शैली का सिद्ध नहीं करता । अतः यह भी प्रक्षिप्त है ।

(ख) निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली —

जहाँ कारण-कार्य या साधन-साध्य का पारम्परिक सम्बन्धरहित वर्णन किया गया हो, जिस विधान की कोई बुद्धिसंगत स्थिति न हो अथवा तो तर्क के आधार पर पुष्ट नहीं होता, ऐसा वर्णन निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली का है । मनु ने प्रत्येक विधान और वर्णन को साधारण एवं युक्तियुक्त ढंग से

वर्णित किया है और धर्मनिर्णय के लिए तर्क को भी एक प्रमुख आधार माना है (१२।१०६, १११) । मनु के इस दृष्टिकोण के अनुसार उक्त शैली के श्लोक मनुकृत न मानकर प्रक्षिप्त माने गये हैं । यथा —

धान्यं कृत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसो जलं प्लवः ।

मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ॥ (१२।६२ ॥)

अर्थ — धान्य चुराने वाला बूढ़ा, कांसा चुराने वाला हंस, जल की चोरी करने वाला जलमूर्ग, मधुचोर डांस, दूधचोर कौआ, रस चुराने वाला कुत्ता और घी चुराने वाला नेवला बनता है ।

यहाँ उक्त चोरियों का और उनके फलस्वरूप में वर्णित जन्मों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः यह कथन निराधार एवं अयुक्तियुक्त है ।

प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकदिजान् ।

प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥ (४।५२ ॥)

अर्थ — अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जल, ब्राह्मण और गाय तथा वायु इनकी ओर मुख करके लघुशंका करने वाले व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होती है ।

यहाँ भी उक्त वस्तुओं की ओर मुख करने का और बुद्धि नष्ट होने का कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार निम्न विधान भी अयुक्तियुक्त और निराधार हैं —

मूढं गां दैवतं विप्रं घृतं मधुं चतुष्पथम् ।

प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥ (४।३९ ॥)

अर्थ — मिट्टी, गाय, देवमूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा और प्रसिद्ध वृक्ष, इनको दायभाग की ओर रखता हुआ बायीं ओर से जाये ।

विनादिभ्रष्टसु चाप्यार्यः शारीरं संनिवेश्य च ।

सचैलो बहिराप्लुत्य गामालाम्य विशुद्ध्यति ॥ (११।२०२ ॥)

अर्थ — पीड़ित व्यक्ति जल के बिना और जल में शरीर के मल-मूत्र को त्यागकर वस्त्ररहित स्नान करे और जल से बाहर आकर गौ कर स्पर्श करे, इस प्रकार वह शुद्ध होता है ।

(ग) अतिशयोक्तिपूर्ण शैली —

अमिष्ट सिद्धि की प्रवृत्ति से जहाँ किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया गया है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण शैली है । मनु की शैली में संतुलित वर्णन है । मनुस्मृति एक विधानशास्त्र है, अतः उसमें वर्णित प्रत्येक विधान, प्रत्येक धर्म-अधर्म का कथन यथावत् होना चाहिए । कहीं-कहीं यह यथावत् नहीं है, यथा —

अवगूर्यं त्वद्दशतं सहस्रमभिहत्य च ।

जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ (११।२०६ ॥)

अर्थ — ब्राह्मण को मारने की इच्छा से दंड को उठाने मात्र से सौ वर्ष तक और दंडप्रहार करके मारने वाला हजार वर्ष नरक में रहता है ।

शोणितं यावत् पांसून्गृह्णाति महीतले ।

तावन्न्यब्दसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेत् ॥ (११।२०७ ॥)

अर्थ — ब्राह्मण के शरीर से निकले रक्त से पृथ्वी के जितने रजकण भोगे, दण्डप्रहार करके ब्राह्मण के शरीर से रक्त निकालने वाला व्यक्ति उतने ही सहस्र वर्ष पर्यन्त नरक में पड़ा रहता है ।

अतिशयोक्तिपूर्ण शैली होने से ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं हैं, अत एव प्रक्षिप्त हैं ।

(घ) पक्षपातपूर्ण शैली —

जहाँ किसी वर्ग, व्यक्ति या बात की, उपयुक्त आधार या कारण के बिना विशेष पक्षधरता अपनायी गई है ; अथवा किसी वर्ग या व्यक्ति की घृणा, निन्दा, ऊँच-नीच, छुआ-छूत आदि से प्रेरित होकर अनुपयुक्त अवमानना की गई हो ; वह पक्षपातपूर्ण शैली है । मनु की शैली में उपयुक्त 'आधार' या कारण के आधार पर ही प्रशंसा या निन्दा है, पूर्वग्रहबद्धता पूर्वक पक्षपात की प्रवृत्ति से नहीं । बीच-बीच में पक्षपात की भावना से ओतप्रोत श्लोक भी आते हैं वे मनुप्रोक्त नहीं हैं — ब्राह्मणवर्ग के लिए विशेष पक्षपात —

(अ) स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्ववस्ते स्वं ददाति च ।

आनृशंस्याद् ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥ (१ । १०१ ॥)

अर्थ — ब्राह्मण जो कुछ खाता है, पहनता है, देता है, वह सब उसका ही है — यह सब ब्राह्मण का ही है । अन्य जो लोग खाते हैं, वे सब ब्राह्मणों की कृपा से खाते हैं ।

ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम् ।

पितापुत्रौ विजानीयाद् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ (२ । १३५ ॥)

(इस संस्करण में २ । ११०)

अर्थ — दश वर्ष का ब्राह्मण और सौ वर्ष का क्षत्रिय, पिता-पुत्र के बराबर हैं । उनमें ब्राह्मण पिता के तुल्य है ।

स्त्रियों के लिए पक्षपात-पूर्ण विधान —

(आ) विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः ।

उपचर्यः स्त्रिया साध्या सततं देववत्पतिः ॥ (५ । १५४ ॥)

अर्थ — पतिव्रता स्त्री को दुष्टस्वभाव वाले, परस्त्रीगामी और गुणहीन पति की भी सदा देवताओं के समान पूजा सेवा करनी चाहिए ।

अङ्कत की भावना से प्रेरित पक्षपातपूर्ण शैली —

न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाचयेत् ।

अस्वर्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शदूषिता ॥ (५ । १०४ ॥)

अर्थ — जब तक अपने वर्ग के व्यक्ति विद्यमान हैं, तब तक ब्राह्मण के शव को शूद्रों से नहीं उठवाना चाहिये । क्योंकि शूद्र के स्पर्श से दूषित शरीर की आहुति स्वर्ग में नहीं पहुँचाती ।

घृणा और निन्दायुक्त शैली —

(इ) वृषलीकेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च ।

तस्यां चैव प्रसृतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ (३ । १९ ॥)

अर्थ — विवाह करके शूद्र स्त्री के अघरपान करने वाले का, और जिसके मुख पर शूद्र का श्वास लगा हो, जो शूद्र के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो ; उसका कमी (निस्तार) नहीं हो सकता ।

ऊँच-नीच की भावना से प्रेरित पक्षपातपूर्ण शैली —

(उ) सहासनमभिप्रेषुरत्कृष्टस्यापकृष्टजः ।

कट्यां कृताङ्गके निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ॥ (८।२८१॥)

अर्थ — जो शूद्र ब्राह्मण के समान आसन पर बैठना चाहे तो उसकी कमर पर दगवाकर उस देश निकाला दे दे अथवा नितम्बों को कटवा दे ।

उपर्युक्त सभी श्लोक पक्षपातपूर्ण शैली के होने से मनुप्रोक्त सिद्ध नहीं होते. अतः प्रक्षिप्त हैं ।

६. अवान्तरविरोध —

मनुस्मृति में कुछ प्रसंग ऐसे हैं, जिनमें अन्धाधुन्य मिलावट हुई है । एक प्रक्षिप्त प्रसंग के अन्तर्गत ही अनेक पारस्परिक विरोध पाये जाते हैं । इन विरोधों से कुछ निष्कर्ष सामने आते हैं — (१) विवादास्पद विषयों में ही अधिक प्रक्षेप हुए हैं, (२) इतने विरोध किसी एक लेखक की रचना में नहीं हो सकते, (३) प्रक्षेप भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा — (४) भिन्न-भिन्न समयों में किये गये हैं (५) ऐसे विरोधात्मक वर्णन मनुसदृश विद्वान् की रचना नहीं हो सकते हैं. (६) अतः वह प्रसंग प्रक्षिप्त और अप्रामाणिक है । एक प्रक्षिप्त प्रसंग में ही परस्पर पाये जाने वाले विरोध को 'अवान्तर विरोध' कहा गया है । यह आधार एक सहयोगी आधार के रूप में लिया गया है । इसके प्रदर्शन से उपर्युक्त निष्कर्ष स्पष्ट हो जाते हैं, और उस प्रसंग की अप्रामाणिकता और प्रक्षिप्तता पुष्ट हो जाती है । जैसे —

३।१२२ से २४८ तक श्राद्ध-वर्णन का प्रसंग है, जो अन्तर्विरोध, प्रसंगविरोध आदि के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । साथ ही उस प्रसंग में प्राप्त होने वाले अवान्तरविरोध उसकी प्रक्षिप्तता और अप्रामाणिकता को पुष्ट कर देते हैं और यह संकेत देते हैं कि स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के अनुसार पूर्वापर प्रसंग देखे बिना ही मनचाहे प्रक्षेप करके अपनी मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के प्रयास किये हैं । इस प्रसंग में कुछ अवान्तरविरोध इस प्रकार हैं —

(अ) १२९ वें श्लोक में कहा गया है कि देवकर्म में वेदहीन ब्राह्मण को नहीं जिमाना चाहिए, और १४९ में कह दिया कि श्राद्धवाता देवकर्म में जिमाने समय वेदादि के पढ़े लिखे की परीक्षा न करें अर्थात् ब्राह्मणमात्र होना ही पर्याप्त है ।

(आ) सम्पूर्ण प्रसंग में मांसभक्षण का विधान है और मांस की भरपूर प्रशंसा है, किन्तु १५२ में मांसविक्रता ब्राह्मण को जिमाने का निषेध कर दिया । यदि मांसभक्षण पवित्र और प्रशंसनीय कार्य है तो मांसविक्रताओं को निन्द्य क्यों माना गया ?

(इ) १५१ वें श्लोक में श्राद्ध-कर्म में ब्रह्मचारी को जिमाने का निषेध है, और १८६, १९२, २३४ में श्राद्ध में जिमाने का विधान है । इतना ही नहीं इनमें उसे पवित्रपावन (श्राद्ध की पवित्र करने वाला) तक माना है ।

(ई) १९६-१९७ श्लोकों में शूद्रादि सभी वर्णों के लिए श्राद्ध करना कहा है, और २४१ आदि में शूद्र के स्पर्श का निषेध, शूद्र के देखने मात्र से श्राद्ध के पुण्य का नष्ट हो जाना आदि प्रदर्शित है ।

(उ) १३८ में मित्र ब्राह्मण को श्राद्ध में जिमाने का निषेध है, किन्तु १४४ में जिमाने का विधान है ।

(ऊ) १६७-१७३ तक के श्लोकों में विभिन्न मांसों से कई-कई मास, वर्ष और अनन्त काल तक पितरों की तृप्ति मानी है । यदि एक बार के श्राद्ध से इतनी तृप्ति हो जाती है तो उनको पुनः पाक्षिक मासिक श्राद्ध की क्या आवश्यकता रह जाती है ?

७. वेद-विरुद्ध —

मनुस्मृति के १।३।१२।६ (इस संस्करण में १।१२५) ९-१५।१२।१३-१९, १०९-११३ श्लोकों से यह विदित होता है कि मनु वेद को ही धर्म का मूलाधार मानते हैं और उनकी मनुस्मृति भी वेदानुकूल है। अन्य परवर्ती स्मृतियों ने भी मनुस्मृति को वेदानुकूल घोषित किया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुस्मृति में कोई मान्यता वेदविरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जो वेदविरुद्ध होगी, वह मनु की मान्यता के आधार पर प्रक्षिप्त ही मानी जायेगी। यहां यह स्पष्टीकरण भी उपयुक्त होगा कि वेद की मान्यताओं को निविवाद रूप में स्पष्ट करना अपने आप में एक जटिल कार्य है, अतः वेदों की जो मान्यताएँ बिल्कुल स्पष्ट हैं, उन्हीं के अनुसार इस आधार का उपयोग किया गया है। विशेषतः उन विधानों में तो इस आधार का उपयोग करना अति-आवश्यक हो गया है जिनमें वेदों को उद्धृत करके वर्णन है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं —

(१) निम्न श्लोकों में स्त्री-शूद्रों को वेदमन्त्रों के पठन-श्रवण का निषेध है—

(क) अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामाबुदशेषतः ।।

(२।६६।।) (२।४१ इस संस्करण में)

अर्थ — स्त्रियों के संस्कार के लिए ये समस्त-कर्म बिना मन्त्र के करे।

(ख) सायं स्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बलिं ददत् ॥ (३।१२१।।)

अर्थ — सायंकाल पाकशाला में बनाये अन्न से पत्नी मन्त्रोच्चारण किये बिना बलि देवे।

(ग) नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ ।। (४।९९।।)

अर्थ — वेदों को अस्पष्ट न पढ़े और शूद्र के सामने न पढ़े।

इन श्लोकों में वेदविषयक विधान स्वयं वेदविरुद्ध हैं। वेद में वेदाध्ययन सभी के लिए विहित है —

(क) "यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ।

-ऋत्वाजन्त्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।। (यजुर्वेद २६।२)

अर्थात् — "परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये (हमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के सुख देने हारी (वाचम्) ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही को वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्र आदि वर्गों का नहीं? (उत्तर) — (ब्रह्मराजन्त्याभ्याम्) इत्यादि, देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्री आदि (अरणाय) और अतिशूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है।" (स. प्र. समु. तृतीय, पृ. ७४)

(ख) सभी व्यक्तियों को वेद पढ़ने का अधिकार होने और यज्ञ आदि वैदिक क्रियाएँ करने का अधिकार होने में वेदमन्त्र के साथ-साथ वेद के अंग 'निरुक्त' का प्रमाण —

"यज्ञियासः पञ्चजनाः मम होत्रं जुषध्वम् ।।"

(ऋग. १०।५३।४)

इस मन्त्र में पठित 'पञ्चजनाः' पद की व्याख्या करते हुए यास्क ऋषि स्पष्ट करते हैं —

“गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । चत्वारो वर्णाः, निषादः पञ्चम इति औपमन्यवः । निषादः कस्माद ? निषन्न् अस्मिन् पापकमिति नैरुक्ता पञ्चजनीनया विशा ।” (३ । ८)

अर्थात् — ‘गन्धर्व, पितर, देव, असुर, राक्षस, ये पांच प्रकार के व्यक्ति हैं, इन सब को यज्ञ करने का अधिकार है; ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। औपमन्यव का मत है कि चार वर्ण — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा निषाद = पापी इन सबको यज्ञ का अधिकार है। निषाद को ‘निषाद’ क्यों कहते हैं ? क्योंकि इस व्यक्ति के मन में पाप की भावना रहती है। इस प्रकार सभी मनुष्यों के ये पांच वर्ण हैं।’ यज्ञ में मन्त्रपाठ अवश्य होता है।

(ग) स्त्रियों को वेदाध्ययन, विद्याप्राप्ति एवं ब्रह्मचर्याश्रम के विधान में वेद का प्रमाण —

‘ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते एतिम् ।’

(अथर्व. ३ । २४ । ११ । १८)

‘जैसे लड़के ब्रह्मचर्य-सेवन से पूर्णविद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती, विदुषी, अपने अनुकूल, प्रिय, सद्गुण स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादिशास्त्रों को पढ़ पूर्णविद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवक होके पूर्ण युवावस्था में अपने सद्गुण, प्रिय विद्वान् (युवानम्) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए।

(प्रश्न) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ?

(उत्तर) अवश्य, देखो श्रौतसूत्र आदि में —

‘हमं मन्त्रं पत्नी पठेत् ।।’

अर्थात् — ‘स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़ें। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण और सस्कृतभाषण कैसे कर सके। भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गाणी आदि वेदादिशास्त्रों को पढ़के पूर्ण विदुषी हुई थीं, शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है।’

(स. प्र. तृतीय समु. पृ. ७५)

(आ) मनुस्मृति के पंचम अध्याय के २६ से ४२ श्लोकों में वेद का साक्ष्य देकर हिंसा का विधान है, वह साक्ष्य मिथ्या और वेदविरुद्ध है। वेद में तो हिंसा का निषेध है —

‘यजमानस्य पशून् पाहि’ (यजु. १।१)

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे’ (यजु. ३६ । १८)

अतः वेदविरुद्ध होने से मनुस्मृति के सभी हिंसापरक श्लोक प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

अन्त में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक समझता हूँ कि उपर्युक्त आधारों के अतिरिक्त और भी ‘आधार’ बन सकते थे, या बन सकते हैं किन्तु अभी केवल सात ही आधारों पर कार्य किया है। अन्य आधारों का निर्माण कुछ का तो इसलिए नहीं किया जा सकता कि वे दोषपूर्ण प्रतीत होते हैं। उदाहरण के रूप में यह बहुत संभव है कि कुछ श्लोक स्थानभ्रष्ट हो गये हों, लेकिन हम यदि स्वयं उनका क्रम निश्चित कर दें तो फिर कोई सीमित आधार नहीं रह जायेगा। कोई किसी श्लोक को कहीं रखेगा, कोई कहीं। ऐसे श्लोक जो स्थानभ्रष्ट प्रतीत हुए और उनमें प्रक्षेप की कोई प्रवृत्ति लक्षित नहीं हुई, उन्हें उसी स्थान पर रखकर अपनी टिप्पणी देनी है। इसी प्रकार कुछ आधारों का निर्माण करना संभव ही नहीं लगा, जैसे — किसी एक पदभाग या पंक्ति के रूप में किये गये प्रक्षेपों को निकालना। इसी प्रकार मौलिक बचे श्लोकों में भी कुछ रचनाएं इस प्रकार की हैं जो निर्धारित

आधारों की सीमा में नहीं आती, किन्तु वे इतनी साधारण बातें हैं कि उन्हें मनु सदृश महर्षि की रचना कहने में सन्देह होता है।

इतना कार्य करने के बाद भी इस विषय में कार्य करना शेष रह जाता है। फिर भी अब जैसा संभव हो सका, मनुस्मृति के गदलेपन और विकृति को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया है, और इसमें कोई गर्वोक्ति की बात भी नहीं है कि इन 'आधारों' से मनुस्मृति का शुद्धिकरण करने से इसका गवलापन तो निश्चितरूप से दूर हो ही गया है।



६. प्रक्षेपों से हानियां एवं भ्रान्तियां

प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में स्वाभिमत प्रक्षेप करके अपना स्वार्थ एवं उद्देश्य तो सिद्ध कर लिया, किन्तु इस दुष्कृत्य से मनुस्मृति को गहरा आघात पहुंचा है। मनुस्मृति का अध्ययन करने से यह ज्ञात हो जाता है कि उसका मौलिक रूप अत्यन्त शुद्ध, परिष्कृत, मानवतापूर्ण, पक्षपातदुराग्रहरहित एवं उच्चाशयों से युक्त था। प्रक्षिप्तों ने उस स्वरूप को विकृत करके गदला और भद्दा बना दिया। मनु की मौलिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके मनु के उद्देश्य को संकीर्ण एवं कुण्ठित रूप दे दिया। प्रक्षिप्त वर्णनों के कारण आज मनुस्मृति को पाठकों की आक्षेपात्मक आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। इसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और अध्ययन के योग्य ग्रन्थ नहीं माना जाता। इस प्रकार प्रक्षिप्तों के कारण एक सुन्दर ग्रन्थ का अपमान हो रहा है। साथ ही अनेक भ्रान्तियाँ भी पनप गयी हैं। प्रक्षिप्तों के कारण हुई हानियों और भ्रान्तियों का अनुमान निम्न बातों से लगाया जा सकता है—

(१) भारतीय संस्कृति के स्वरूप में विकृति—

मनुकालीन समाज की संस्कृति अत्यन्त उच्च आशयों से अनुप्राणित, पक्षपात और दुराग्रहरहित व्यवस्थाओं से युक्त, मानवता और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थी। वर्णव्यवस्था का आधार कर्म थे (१।८७-९१)। घृणा की भावना व्यक्तियों के प्रति न होकर दुष्कर्मों के प्रति थी। परवर्ती काल में व्यवस्थाएँ और परम्पराएँ विकृत एवं क्षिणिल हो गईं। वर्णव्यवस्था कर्मणा न रहकर जन्मना मानी जाने लगी। ज्ञान-विद्या पर ब्राह्मणों का एकमात्र आधिपत्य हो गया। उन्होंने अपने को सर्वोच्च तथा पवित्र घोषित किया और स्त्री, शूद्र को घृणास्पद तथा अस्पृश्य बताया। अकालन्तर काल की इन विकृत-व्यवस्थाओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति तथा अन्य शास्त्रों में स्थान-स्थान पर उनका प्रक्षेप कर दिया और उन वर्णनों को पढ़कर ही आज यह माना जाने लगा कि ये विकृतियाँ मनुकालीन समाज में भी थीं। इन प्रक्षिप्तों के आधार पर ही आलोचक आज यह आक्षेप करते हैं कि मनुकालीन समाज में जाति-पाति, स्पृश्यास्पृश्य की भावना, स्त्री-शूद्रों के प्रति द्वन्द्वदृष्टि थी। शूद्रों के प्रति पक्षपात और विद्वेषपूर्ण व्यवहार था। मांसभक्षण, पशुयज्ञ, बहुविवाह, आदि का प्रचलन था। इस प्रकार प्रक्षेपों के कारण प्राचीन संस्कृति का स्वरूप भद्दा एवं विकृत हो गया। इतिहासकार तत्कालीन समाज और संस्कृति का जो इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं वह इन्हीं प्रक्षिप्तों पर आधारित होने से वास्तविक नहीं कहा जा सकता।

(२) रचनाकाल-सम्बन्धी भ्रान्तियाँ—

यद्यपि मनुस्मृति के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है तथापि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि मनुस्मृति उपलब्ध समस्त लौकिक संस्कृत-साहित्य से प्राचीन है और कुछ वैदिक साहित्य से भी (विस्तृत विवेचन पूर्व वर्णित है)। किन्तु कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने इसे महाभारत से भी परवर्ती और कुछ ने इसे श्रुगकालीन माना है। यह रचनाकाल-सम्बन्धी भ्रान्ति कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों के कारण ही हुई है। महाभारत से परवर्ती मानने वाले इतिहासकार निम्न श्लोकों को आधार मानते हैं—

कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः ।

एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्तादिनन्तरः ॥ (२।१९।।)

अर्थ — ब्रह्मावर्त से मिला हुआ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और शूरसेनक देशों का प्रदेश ब्रह्मर्षि-देश कहलाता है ।

कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालांशूरसेनजान् ।

दीर्घाल्लघूश्चैव नरानग्रानीकेषुयोजयेत् ॥ (७।१९३ ॥)

अर्थ — कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेनक देशों में उत्पन्न सैनिकों को, जो लम्बे या छोटे कद के होते हैं, उनको सेना के अगले भाग में रखें ।

इन श्लोकों में कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेनक नामों का उल्लेख है, अतः विद्वानों का विचार है कि मनुस्मृति इनसे परवर्ती है । किन्तु ये दोनों ही श्लोक परवर्ती हैं ।

इसी प्रकार कुछ अत्याधुनिक परम्पराओं के कारण, कुछ वाममार्गीय परंपराओं के कारण मनुस्मृति को शुंगकालीन घोषित किया गया, जैसे-बालविवाह का विधान, मद्य-मांस का विधान आदि । वे इस प्रकार के श्लोक हैं —

त्रिंशद्वर्षोद्भवेत्कन्यां दृष्ट्वां द्वादशवार्षिकीम् ।

व्यष्टवर्षोऽष्टवर्षा वा धर्मो सीदति सत्वरः ॥ (१।१९४ ॥)

अर्थ — गृहस्थ-धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की सुन्दर कन्या और २४ वर्ष का आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे ।

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ (५।५६ ॥)

अर्थ — मांस-भक्षण, शराब पीना और व्यभिचार में कोई दोष नहीं है । यह तो प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किन्तु इनसे निवृत्ति होना अतिलाभदायक है ।

ये श्लोक भी पक्षिप्त हैं । इस प्रकार पक्षिप्त श्लोकों ने मनुस्मृति के काल के सम्बन्ध में विवाद पैदा कर दिया और अनेक इतिहासकारों को इसका कालनिर्णय करने में भ्रान्ति का शिकार होना पड़ा है ।

(३) साहित्यिक अवमूल्यन

अपने मौलिक रूप में मनुस्मृति उत्कृष्ट एवं शिक्षाप्रद ग्रन्थ है । इसमें मनु के हितकारी, शान्तिप्रद और मार्गदर्शक प्रवचन हैं । इनमें अधिकांश प्रवचन ऐसे हैं, जिन्हें जीवन के शाश्वत और सार्वभौमिक सिद्धान्त कहा जा सकता है । इसी कारण भारतीय साहित्य में मनुस्मृति का शीर्षस्थान रहा; किन्तु आज प्रक्षिप्तों के कारण इसे रूढ़िवादी ग्रन्थ माना जाने लगा है, और विभिन्न विकृतियों के कारण इसे साहित्य में सम्मानित स्थान और महत्त्व नहीं दिया जाता । प्रक्षेपों से मनुस्मृति की साहित्यिक गरिमा का हनन हुआ है ।

(४) प्रामाणिकता में शन्देह

विभिन्न विरोधी बातों के प्रक्षेपों के कारण आज पाठक मनुस्मृति की प्रामाणिकता में ही संदेह करने लगे हैं । मनुस्मृति का रचयिता कौन है, और क्या यह मनुस्मृति वास्तविक है, इत्यादि प्रश्न प्रक्षेपों के कारण और अधिक उलझ गये हैं । जैसे —

निम्न श्लोक से मनुस्मृति मनुप्रोक्त सिद्ध होती है —

मनुमेकप्रमाशानमभिगम्य

महर्षयः ।

प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं

वचनमब्रुवन् ॥ (१।१ ॥)

अर्थ — एकाग्रचित्त होकर बैठे मनु जी के सामने महर्षि उपस्थित हुए और उनका योग्य सत्कार करके मनु जी से इस प्रकार कहने लगे ।

किन्तु निम्न श्लोक इसे भृगुप्रोक्त सिद्ध करता है —

एतद्वो ऽ यं भृगुःशास्त्रं ब्राह्मयजुष्यस्यशेषतः ॥ (१।५९ ॥)

अर्थ — इस धर्म-शास्त्र को भृगुमुनि आप सब ऋषियों को सम्पूर्णस्वरूप में सुनायेंगे । निम्न श्लोकों से मनुस्मृति मूलतः ब्रह्माप्रोक्त सिद्ध होती है —

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसेवासृजत्प्रभुः ॥ (१।१२४३ ॥)

अर्थ — प्रजापति ने इस धर्मशास्त्र को तपस्या करके बनाया ।

इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः ।

विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ॥ (१।५८ ॥)

अर्थ — मनुजी कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम विधिपूर्वक मुझे उपदेश दिया । और फिर मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाया ।

इसी प्रकार अन्य परस्परविरोधी, प्रसंगविरोधी वर्णन भी मनुस्मृति में मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक का सिर चकराने लगता है और फिर उसे इसकी प्रामाणिकता में सन्देह पैदा होता है ।

(५) मनु के व्यक्तित्व पर आंच —

महर्षि मनु को धर्मप्रवक्ता के रूप में सभी ने सर्वोच्च स्थान दिया है । परवर्ती शास्त्रों, ऋषि-महर्षियों ने एकमत से मनु के विधानों को प्रमाण माना है और उन्हें प्रामाणिक, अधिकारी विद्वान् । "यद्वै किञ्च मनुरवदत् तद् भेषजम्" (जो कुछ मनु ने कहा है, वह औषध है — तै. सं. २।२।१०२) कहकर उन्हें सर्वाधिक आदर दिया । किन्तु परवर्ती पक्षपात — दुराग्रहबद्ध, रुढ़, अन्धविश्वास और घृणा-विद्वेष से प्रेरित प्रक्षेपों के कारण पाठकों की दृष्टि में मनु की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई । पाठकों के लिए प्रक्षेपों की परीक्षा तो सम्भव न हो सकी, किन्तु उन्होंने यह अवश्य मान लिया कि इस प्रकार का वर्णन करने वाला व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता । इस प्रकार के प्रक्षेपों ने मनु के व्यक्तित्व का हनन किया है ।

(६) मनुस्मृति के प्रति घृणा का दृष्टिकोण —

ऊपर-वर्णित धिनीनी और अमानवीय बातों का मनुस्मृति में उल्लेख देखकर आज के व्यक्ति इसके प्रति उपेक्षा और घृणा की भावना रखने लगे हैं । कोई-कोई इसे 'स्वार्थी ब्राह्मणों का पोशा' कहकर मजाक उड़ाते हैं । विशेषतः निम्नवर्ग तो इस के प्रति इसलिए आक्रोश प्रकट करते हैं, क्योंकि इसमें उनके प्रति पक्षपात और विद्वेष का वर्णन है । स्त्रियों की निन्दा देखकर स्त्रीवर्ग की भी इस ग्रन्थ के प्रति उदासीनता की भावना है । यह सब प्रक्षेपों के कारण है ।

इस प्रकार प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति को विभिन्न हानियाँ हुई हैं और उस के सम्बन्ध में भ्रान्तियाँ जन्मी हैं । अतः यह आवश्यक है कि मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्धान करके उन्हें दूर किया जाये जिससे मनुस्मृति का मौलिक शुद्ध रूप सामने आ सके । प्रक्षेपों के निकल जाने पर ही मनु एवं मनुस्मृति के प्रति जनता की श्रद्धा जाग सकती है । तभी मनुकाशीन भारतीय संस्कृति और इतिहास का वास्तविक चित्र सामने आ सकता है ।

तृतीय अध्याय

मनु की प्रमुख मौलिक मान्यताएं और उनकी मौलिकता के आधार

पिछले अध्याय में, मनुस्मृति में पाये जाने वाले प्रक्षिप्त श्लोकों और उनके अनुसंधान में सहायक 'मानदण्डों' पर लक्षण-उदाहरण सहित पर्याप्त विवेचन प्रस्तुत करके प्रक्षेपानुसन्धान की पद्धति को स्पष्ट कर दिया गया है और पाष्य में भी उन-उन श्लोकों या मान्यताओं पर यथास्थान आधारभूत समीक्षा दी है, फिर भी इस विषय में धार-बार ये शंकाएँ उठायी जाती हैं कि 'अमुक मान्यता को मौलिक क्यों माना गया?' 'अमुक मान्यता को प्रक्षिप्त क्यों माना गया है?' 'आप जिसे प्रक्षिप्त घोषित कर रहे हैं, क्यों न उसे मौलिक स्वीकार किया जाये?' आदि-आदि।

पीछे यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कृतित्व के आधार पर निर्धारित प्रसंगविरोध, अन्तर्विरोध आदि सात मानदण्डों के अनुसार जो मान्यता मनुस्मृति-विरुद्ध सिद्ध होती है, वह प्रक्षिप्त मानी गयी है और मनुस्मृति-संगत मान्यता मौलिक। यहाँ मनु की कुछ प्रमुख मान्यताओं का, मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले उससे सम्बन्धित समग्र पक्ष-विपक्षत्मक विवरण को एकत्ररूप में प्रस्तुत करके, और अधिक विवेचन किया जाता है, जिससे ये मान्यताएँ और इनको मौलिक मानने की पद्धति और अधिक स्पष्ट हो सके।

मनुस्मृति की किसी भी मान्यता को मौलिक और प्रक्षिप्त मानने में सर्वसामान्य कारण या तर्क निम्न हैं —

१. मनुस्मृति के प्रतिपाद्य, उसकी आधारभूत भावनाओं — जो कि प्रसंग, विषय और शैली की दृष्टि से पूर्वापर क्रम से संगत हैं — के अनुकूल वर्णन या मान्यताएँ मौलिक हैं, और इनके विरुद्ध प्रक्षिप्त हैं। ये प्रक्षिप्त 'अन्तर्विरोध' या 'परस्परविरोध' वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

२. मनुस्मृति कुछ निधारित विषयों या प्रकरणों में आबद्ध है। किसी भी विषय के प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर मनुस्मृति में उसका संकेत स्वयं किया गया है। उन विषय-संकेतों से सम्बद्ध वर्णन मौलिक हैं और उनसे बाह्य वर्णन प्रक्षिप्त हैं। ये प्रक्षेप 'विषयविरोध' वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

३. मनुस्मृति के पूर्वापर प्रसंगक्रम से जुड़े हुए श्लोक मौलिक हैं, और उससे तालमेल न रखने वाले अथवा उस क्रम को भंग करने वाले श्लोक प्रक्षिप्त हैं। ये 'प्रसंगविरोध' के अन्तर्गत आते हैं।

४. मनुस्मृति की संरचना और वर्णन पद्धति की कुछ सुनिश्चित शैलियाँ भी पायी जाती हैं। उन शैलियों में ढले या अनुकूल वर्णन मौलिक हैं और उनसे विरुद्ध प्रक्षिप्त। इन सभी को शैलीगत आधार के अन्तर्गत रखा गया है।

५. मनु ने अपनी स्मृति का मूलस्रोत या आधार वेद को माना है,^१ अतः स्पष्ट है कि मनुस्मृति में वेदानुकूल पायी जाने वाली मान्यताएँ मौलिक हैं और उसके प्रतिकूल पायी जाने वाली प्रक्षिप्त हैं। यह बात मनु ने स्वयं भी स्वीकार की है।^२ इस प्रकार के प्रक्षेपों को 'वेदविरोध' की संज्ञा दी गयी है।

६. प्रक्षेप करने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। वह प्रक्षेप करने के पीछे 'निहितप्रवृत्ति'

१. शैलियों के परिचय के लिए मनु, का. पु., तृतीय अध्याय में शैलीगत आधार और चतुर्थ अध्याय में 'मनुस्मृति की शैली' शीर्षक इच्छा है।
- १।१२९ (२।१०); १।३ / १।२०५ (२।६), १।२०७, १२८, १३०-१३४ (२।८, ५, ११-१५); १।२१३; १२।१०८, १०९, ११३, आदि।
- १२।१५-१६ ॥

कही जा सकती है। प्रक्षिप्त निर्धारण में इस प्रभुति को भी ध्यान में रखा गया है। इसको ध्यान में रखना इसलिए भी आवश्यक है कि प्राचीनकाल में स्मृति या हस्तलेखों के द्वारा ही विद्या या शास्त्र सुरक्षित रखे जाते थे। इसकी बहुत अधिक संभावना है कि किसी श्लोक में स्मृतिदोष से पूर्वापरक्रम में परिवर्तन आ गया हो, और फिर वैसा ही लेखबद्ध हो गया हो, अथवा हस्तलेख में त्रुटि होकर स्थानप्रवृत्त हो गया हो।

इन तर्कों या आधारों में से किसी श्लोक पर एक आधार ही लागू होता है, तो कहीं एक से अधिक भी। इन आधारों के अनुसार मनुस्मृति में मौलिक सिद्ध होने वाली कुछ प्रमुख मान्यताएँ निम्न हैं —

१. मनुस्मृति में वर्णव्यवस्था कर्मणा मान्य है, जन्मना नहीं —

मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर स्पष्ट और सांकेतिक रूप में ऐसे वर्णन हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि मनु वर्णव्यवस्था का निर्धारण मूलतः कर्म से मानते हैं, जन्मना नहीं। किसी भी वर्ण में उत्पन्न बालक को माता-पिता अपने वर्ण या अन्य किसी भी वर्ण में दीक्षित करा सकते हैं, किन्तु शैक्षणिक काल में अन्ततः वर्ण का निश्चय, उसके गुण, कर्म, स्वभाव-संस्कार आदि के आधार पर आचार्य करता है। बाद में कर्मों या व्यवसाय के आधार पर उसमें परिवर्तन हो सकता है।

(क) इस मान्यता के विधायक या संकेतक स्थल —

इस मान्यता को प्रदर्शित करने वाले निम्न स्थल मनुस्मृति में प्राप्त हैं। ये सभी मनुस्मृति की आधारभूत भावना के अनुरूप, सांकेतिक विषय के अन्तर्गत, प्रसंगसम्मत और शैली के अनुकूल हैं —

१।३१, ८७-९१; २।११-१४ (३६-३९), ७८(१०३), १०१(१२६), १४३(१६८); ४।२४५; १०।६५ ॥

इन सभी स्थलों का अनुशीलन और विश्लेषण करने के अनन्तर इस विषयक निम्न निष्कर्ष स्पष्ट होते हैं —

(१) (क) यदि मनु जन्म से ही किसी वर्ण को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानते तो उन्हें वर्णों के कर्मों का निश्चय करने की आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ माना जा रहा है तो वह वैसा ही रहेगा, चाहे कर्म करे या न करे। यतो हि शैशवावस्था और कोमार्यावस्था में भी वह वर्णों के लिए प्रतिपादित कर्मों को नहीं करता है, अर्थात् बहुत बार तो अज्ञान में विरोधी कर्म भी कर देता है। जब उस अवस्था में उसे जन्मतः ब्राह्मण या धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति माना जा रहा है [१।९८] तो बाद में कर्मों के न करने या विरोधी कर्मों के करने से भी उसका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेध वचनों, व्यवस्थाओं और वर्णों के लिए कर्मों के निश्चय से स्पष्ट होता है कि मनु धर्म-अधर्म, कर्म और अवस्थाओं से ही वर्णव्यवस्था या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानते हैं, जन्म से नहीं। यदि जन्म से ही श्रेष्ठत्व स्वीकार कर लिया जाये तो मनुस्मृति की सम्पूर्ण कर्मव्यवस्था ही व्यर्थ हो जायेगी। कोई पालन करे या न करे व्यवस्थाओं का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका श्रेष्ठत्व-अश्रेष्ठत्व तो जन्म से ही निर्धारित हो ही चुका। लेकिन मनु ने कर्म के आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है। निम्न श्लोकों में उनकी अत्यधिक स्पष्ट घोषणा द्रष्टव्य है —

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेव नु विद्याद्वैश्यातथैव च ॥ (१०।६५ ॥)

अर्थात् — श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है अर्थात् गुणकर्मों

के अनुकूल कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र के घर उत्पन्न भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य का भी वर्ण-परिवर्तन समझना चाहिए।

कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट विधान — मनु ने इस श्लोक में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में वर्णव्यवस्था को कर्मों पर आधारित माना है। इस मान्यता के सम्बन्ध में अन्य विवेचन २।३१, ८७-९१; १०७, ११।११४ श्लोकों में और उनकी समीक्षा में देखिये।

(ख) श्लोक की पुष्टि में प्रमाण — पाचीन काल में कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचलित थी। इसके अनेक प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं। आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।५।१०-११ में इसी मान्यता को स्पष्ट किया है —

“धर्मचर्य्या जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ १ ॥

अधर्मचर्य्या पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥

धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम-उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस-जिस के योग्य होवे ॥ १ ॥

वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥” (स. प्र. चतुर्थ समु.)

(२) अपने धर्म-कर्मों को पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शूद्र बन जाता है, ऐसा मनु का मत है। यथा — (अ) वेद न पढ़ने पर द्विज शूद्रता को प्राप्त करता है (योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्धयः ॥ (२।१६८) । (आ) सन्ध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शूद्रवत् होता है (न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् । स शूद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विजकर्मणः ॥ (२।१०३) । (इ) यथोक्त आयुसीमा तक उपनयन में दीक्षित न होकर द्विज न बनने वाले व्यक्ति ‘त्रात्य’ संज्ञक शूद्र कहलाते हैं [२।३७-४०] । (ई) नीचों की संगति से ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त करता है (उत्तमानुत्तमाभ्याञ्छन् हीनान् हीनश्च वर्जयन् । ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥ (४।२४५) । इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि न तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही अश्रेष्ठ माना है और न जन्मना आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना इनका निर्धारण होता तो उक्तरूप से वे निम्न न बनते।

(३) इसके साथ ही शूद्रता को प्राप्त व्यक्ति यदि अपने कर्मों को सुधार लेता है और वृत्तियों के लिए प्रायश्चित्त कर लेता है तो वह पुनः अपने वर्ण का हो सकता है। मनु ने यह मान्यता, ‘त्रात्य’ संज्ञक शूद्रों के लिए और वर्णविरुद्ध कार्यों के कारण ब्राह्मण-वर्ण से बहिष्कृत ब्राह्मणों के लिए विहित प्रायश्चित्तों में प्रकट की है [११।१९१-१९६] । इस व्यवस्था से भी मनु की वर्णव्यवस्था कर्मानुसार ही सिद्ध होती है।

(४) मनु ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा और बड़प्पन, गुणों की योग्यता के आधार पर माना है [२।१३६ १३७, १५४, १५६] । मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है कि मनु जन्म के आधार पर श्रेष्ठता या उच्छता अथवा वर्णव्यवस्था नहीं मानते, अपितु कर्म या गुणों को ही आधार मानते हैं।

(५) मनु ने वर्णों के कर्म बतलाते हुए “लोकानां विवृद्धयर्थम्” (समाज की वृद्धि के लिए १।३१) और “सर्वस्यास्य तु गुण्यर्थम्” (इस समस्त जगत् की सुरक्षा के लिए १।८७) को

कर्मनिर्धारण का कारण बतलाया है। इन कारणों पर विशेष ध्यान देने पर यहाँ यह स्पष्ट मान्यता प्रकट हो जाती है कि मनु कर्मों के आधार पर ही वर्ण-व्यवस्था मानते हैं, जन्म के अनुसार नहीं। क्योंकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ, उच्च-निम्न निर्धारित हो गये तो उससे समाज या जगत् की क्या वृद्धि होगी? केवल उच्च लोगों की वृद्धि होगी। अपितु वृद्धि भी कहाँ होगी, जो जिस स्तर का होगा वहीं रहेगा। उसे अपने स्तर की उन्नति का अवसर ही कहाँ मिलेगा? यदि जन्मना वर्ण-व्यवस्था मानें तो इन कारणों का कथन निरर्थक होगा। इन कारणों के कथन से एक और संकेत मिलता है — वह यह कि चार वर्णों के अनुसार प्रजाएँ नहीं बनायीं अपितु प्रजाओं की वृद्धि के लिये (प्रजाओं के लिए) चार वर्ण बनाये अर्थात् पहले प्रजाएँ बनीं जो जन्मना समान थीं, फिर उनमें से गुण कर्मानुसार चार वर्ण निर्मित किये गये, जिससे समाज-व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे। इस प्रयोगपद्धति से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था सिद्ध होती है।

(६) 'वर्ण' शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध करते हैं कि मनु की व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है। निरुक्त में 'वर्ण' शब्द की व्युत्पत्ति दी है... 'वर्णो वृणोतेः' (२।१।४) अर्थात् कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये वह 'वर्ण' है। इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द ने भी स्पष्ट किया है —

“वर्णो वृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद्वरणीया वरीनुमर्हाः।

गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वर्णाः।”

(ऋ. मा. सू. वर्णाग्रमधर्मविषय)

अर्थात् — गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य अधिकार जिसको दिया जाये वह वर्ण हैं।

(७) वर्णों के नाम उनके कर्मानुसार रखे गये हैं। नामों की व्युत्पत्ति स्वयं उनके कर्मों का बोध कराती है (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १।८७-९१ श्लोकों पर द्रष्टव्य हैं)।

(क) 'ब्राह्मण' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूचक — वर्णों के नामों की व्याकरणानुसारी रचना और व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती है कि मनु ने कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण दिया है और नामों से वर्णों के कर्मों का भी बोध होता है। 'ब्रह्मन्' प्रातिपदिक से 'तद्धीते तद्देव' (अष्टा. ४।२।५९) अर्थ में 'अण्' प्रत्यय के योग से 'ब्राह्मण' शब्द बनता है। इसकी व्युत्पत्ति है — 'ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्य उपासनेन च सह वर्तमानो विद्यादि उत्तमगुणयुक्तः पुरुषः' अर्थात् वेद और परमात्मा के अध्ययन और उपासना में तल्लीन रहते हुए विद्या आदि उत्तम गुणों को धारण करने से व्यक्ति 'ब्राह्मण' कहलाता है। मनु ने भी इन्हीं कर्मों को ब्राह्मण के प्रमुख कर्मों के रूप में वर्णित किया है।

ब्राह्मणग्रन्थों के वचनों में भी वर्णों के कर्मों का वर्णन पाया जाता है। निम्न वचनों में ब्राह्मण के कर्तव्य उद्दिष्ट हैं —

(अ) "आग्नेयो ब्राह्मणः" (ता. १।५।४।८)। "आग्नेयो हि ब्राह्मणः" (काठ. २।९।१०) = ब्राह्मण श्रेष्ठ व्रतों = यज्ञादि से सम्बन्ध रखने वाला अर्थात् यज्ञकर्ता ब्राह्मण होता है।

(आ) "ब्राह्मणो व्रतधृत्" (तै. सं. १।६।७।१२)। "व्रतस्य रूपं यत् सत्यम्" (श. १२।८।२।४) = ब्राह्मण श्रेष्ठ व्रतों = कर्मों को धारण करने वाला होता है। सत्य बोलना व्रत का एक रूप है।

(इ) "गायत्री वै ब्राह्मणाः" (ऐ. १।२८)। "गायत्री यज्ञः" (गो. पू. ४।२४)। "गायत्री वै ब्रह्मस्यति" (ता. ५।१।१५) = ब्राह्मण गायत्री होता है। गायत्री वेद, यज्ञ और परमात्मा को कहने है।

(ख) 'क्षत्रिय' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक — (१) क्षणु — त्रिंसा अय वाली (तनादि) धातु से 'क्त' : प्रत्यय के योग से 'क्षत' : शब्द की सिद्ध होती है और 'क्षत' उपपद में त्रिह्र = पालन करने अर्थ में (भ्वादि) धातु से 'अन्येष्वपि दृश्यते' (अष्टा. ३।२।१०१) सूत्र से 'त' : प्रत्यय, पूर्वपदान्त्याकारलोप होकर 'क्षत्र' शब्द बना । 'क्षत्र एव क्षत्रिय' : स्वार्थ में 'इय' : होने से 'क्षत्रिय' : अथवा क्षत्रस्य-अपत्यं वा, 'क्षत्राद् घ' : (अ. ४।१।१३८) सूत्र से जन्म लेने अर्थ में 'घ' : प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द बना । 'क्षदति रक्षति जनान् क्षत्र' : जो जनता की रक्षा का कार्य करता है अथवा, 'क्षण्यते क्षि'स्यतेनश्यते पदार्थो येन स 'क्षत' : = घातादि : तत्तस्त्रायते रक्षतीति क्षत्र : = आक्रमण, चोट, हानि आदि से लोगों की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय को 'क्षत्रिय' कहते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में — 'क्षत्रं राजन्य' : (ऐ. ८।२ ; ३।४) 'क्षत्रस्य वा एतद्वप' यद् राजन्य' : (श १३।१।५।३) = क्षत्रिय 'क्षत्र' का ही रूप है, जो प्रजा का रक्षक होता है ।

(२) यहां अपत्यार्थ में 'इय' आदेश के योग से क्षत्रिय आदि शब्द बनाने में यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या मनु जन्म के आधार पर वर्ण मानते हैं ? इस शंका के निराकरण के लिए पुष्ट समाधान है । वंश केवल जन्म से ही नहीं अपितु विद्याजन्य से भी वंश चलता है । अष्टाध्यायी २।१।१९ में 'संख्यावश्येन' सूत्र में विद्या से जन्म माना है । मनुस्मृति २।१।१९ — १२३ श्लोकों में स्पष्टतः विद्या के आधार पर जन्म माना है । इस प्रकार गुणप्राप्ति, कार्यकारणभाव और विद्या के आधार पर भी अपत्य आदि सम्बन्ध होते हैं । जैसे सूर्य, वरुण आदि की कोई पत्नी या अपत्य आदि नहीं होते, किन्तु फिर भी कार्य-कारण और गुणप्राप्ति आदि के आधार पर अदिति का पुत्र आदित्य, सूर्य की पत्नी सूर्या आदि, और — वरुणानी, मैत्रावरुण : आदि प्रयोग होते हैं ।

(३) क्षत्रिय के विस्तृत कर्तव्यों का वर्णन ७।१ से ९।२२५ श्लोकों में है ।

(ग) 'वैश्य' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक — (१) 'विशः मनुष्यनाम' (निघं. २।३) उससे भावार्थ में 'यत्', उससे स्वार्थ में 'अण्' । अथवा 'विश' प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में 'यञ्' छान्दस प्रत्यय से 'वैश्य' शब्द बना । 'यो यत्र-तत्र व्यवहारविद्यासु प्रविशति स : 'वैश्य' : व्यवहारविद्याकुशल : जनो वा' = जो विविध व्यावहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहता है या विविध विद्याओं में कुशल जन 'वैश्य' होता है ।

ब्राह्मण ग्रन्थों में —

'एतद् वै वैश्यस्य समृद्धं यत् पशवः' (ता. १८।४।६) 'तस्माद् बहुपशुवैश्यदेवो हि जागतो (वैश्य)' (ता. ६।१।१०) = पशुपालन से वैश्य की समृद्धि होती है, यह वैश्य का कर्तव्य है ।

(२) वैश्य के विस्तार से कर्तव्यों का वर्णन द्रष्टव्य है ९।२२५-३३३ में ।

(घ) 'शूद्र' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक — (१) शुच्-शोकार्थक (भ्वादि) धातु से 'शुचेद्दृश्य' (उणा. २।१।१५) सूत्र से 'रक्' प्रत्यय, उकार को दीर्घ, च को द होकर 'शूद्र' शब्द बनता है । शूद्रः = शोचनीयः शोच्या स्थितिमापन्नो वा, सेवायां साधुर अविद्यादिगुणासहितो मनुष्यो वा' = शूद्र वह व्यक्ति होता है जो अपने अज्ञान के कारण किसी प्रकार की उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया और जिसे अपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे उन्नत करने की सदैव चिन्ता बनी रहती है, अथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण की चिन्ता की जाती है, ऐसा सेवक मनुष्य। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यही भाव मिलता है — 'असतो वा एव सम्भूतो यश्च शूद्रः' (तै. ३।२।३।९) असतः = अविद्यातः । अज्ञान और अविद्या से जिसकी निम्न

जीवनस्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा आदि कार्य ही कर सकता है, ऐसा मनुष्य शूद्र होता है ।

(२) वह उत्तम कर्मों से उच्च वर्ण को भी प्राप्त कर सकता है ।

[९।३५।।१०।६५]

(३) शूद्र के कुछ विस्तृत कर्तव्यों का वर्णन ९।३३४-३३५ श्लोकों में है । उन श्लोकों से मनु की शूद्र-सम्बन्धी यह मान्यता और भी स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को जन्मना नहीं मानते तथा न घृणास्पद मानते हैं ।

(८) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं इसमें अन्य प्रमाण भी है — (क) शूद्र को वे हीन नहीं मानते अपितु 'शुचि' : = पवित्र 'उत्कृष्ट शुश्रूषुः' आदि विशेषणों से सम्बोधित करते हैं [९।३३५] । सबके घरों में सब प्रकार की सेवा करने वाला भला अपवित्र, अछूत, हीन कैसे हो सकता है ? (ख) मनु व्यक्ति को शूद्र इसलिए मानते हैं कि वह पढ़ता नहीं । उसका वेदाध्ययन रूपी दूसरा ब्रह्मजन्म नहीं होता [२।१२६ में अज्ञानता के कारण ही यह कथन किया है — "यथा शूद्रस्तथैव सः" । ब्राह्मण — क्षत्रिय — वैश्यों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका ब्रह्मजन्म रूपी दूसरा जन्म होता है — 'द्विर्जायने इति द्विजः' । शूद्र को 'एकजातिः' न पढ़ने के आधार पर कहा जाता है । देखिए प्रमाण — 'ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णाः द्विजातयः । धनुर्त्य एकजातिस्तु शूद्रः नास्ति तु पंचमः ।।' १०।४।। (ग) मनु कर्मों के आधार पर मनुष्यों के दो वर्ग मानते हैं — जो श्रेष्ठ धर्माकूल आर्य परम्पराओं में दीक्षित हैं, वे चारों वर्ण आर्य हैं [२] इनमें अदीक्षित शेष सब दस्यु हैं [१०।४५] । (घ) मनु कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ = आर्य और अश्रेष्ठ = अनार्य = मानते हैं । १०।५७-५८ में वे कर्मों के आधार पर इनकी पहचान करने को कहते हैं । ये सब बातें मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था की मान्यता को सिद्ध करती हैं ।

(९) १।३१ में भी मनु ने अपनी 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' की मान्यता का संकेत दिया है । १।१६, २३, २६-३० श्लोकों के द्वारा यह कहा जा चुका है कि एक साथ अनेक प्रजाएं उत्पन्न हुईं — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के रूप में प्रजाएं उत्पन्न नहीं हुईं, अर्थात् समान मनुष्यों के रूप में हुईं । फिर उन बहुत सारे मनुष्यों में से समाज की वृद्धि के लिए, एक व्यवस्था के रूप में चार वर्णों का मुखः बाहु, जंघा और पैर की साम्यता से (गुणकर्मानुसार) निर्माण किया । १।३१ में आलंकारिक रूप में यह कथन है । उक्त अंगों का जो स्थान और कार्य शरीर में है, समाज में वही स्थान क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बनाया । इस प्रकार योग्यता के आधार पर लोगों को चार वर्णों में विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार निश्चित किये । यह वर्णनक्रम (अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति और फिर उनमें वर्णव्यवस्था) और आलंकारिक कथन कर्मानुसार वर्णव्यवस्था का संकेत देता है । इन अनेक प्रमाणों से 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' मनु की मौलिक मान्यता सिद्ध होती है, अतः इसकी विरोधी 'जन्मना वर्णव्यवस्था' वाली मान्यता अन्तर्विरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कहलायेगी ।

(१०) ब्राह्मणग्रन्थों में कर्मणा वर्णव्यवस्था के स्पष्ट वर्णन मिलते हैं । यथा —

(अ) 'सः (क्षत्रियः) ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपैति ।।' (ऐ. ७।२३)

क्षत्रिय दीक्षित होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है ।

(आ) "नस्मादपि (दीक्षितम्) राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्, ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञात् सायने ।।" (शत. ३।२।१।४०)

चाहे कोई क्षत्रियपुत्र हो अथवा वैश्यपुत्र, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके (उपनयनसंस्कार में) वह ब्राह्मण ही कहलाता है अर्थात् ब्राह्मणवर्षाग्रम में वेदाध्ययन के समय यज्ञ में दीक्षित होकर सभी व्यक्ति ब्राह्मण कर्म वाले होते हैं। बाद में कर्मानुसार क्षत्रिय और वैश्य बनते हैं।

(११) वर्ण-परिवर्तन के उदाहरण — ऐतरेय ब्राह्मण २।१९ में कवच-ऐलुष नामक व्यक्ति की एक घटना वर्णित है, जो वर्ण-परिवर्तन का ज्वलन्त प्रमाण है। जन्मना निम्न जाति का व्यक्ति ऋषित्व के कारण ऋषियों में परिगणित होकर उच्चवर्णस्य कहलाया —

(क) "ऋषयो ये सरस्वत्यां सत्तमासत, ते कवचमैलुषं सोमादनयन्, दास्याः पुत्रः कितपोऽ ब्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षितेति । . . . स बहिर्धन्वो दूकृह पिपासया वित्त एतदपोनप्रीयमपश्यत् — 'प्रदेवत्रा ब्रह्मणे गातुरेनु इति ।।'"

अर्थात् — 'ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने आये हुए कवच ऐलुष को ऋषियों ने सोम से वञ्चित कर दिया। यह सोचकर कि यह दासी का पुत्र, कपट-आचरण वाला, अब्राह्मण किस प्रकार हमारे मध्य दीक्षित हो गया! (यज्ञ से बाहर निकल देने पर) वह कवच-ऐलुष पिपासा से संतप्त हुआ बाहर जंगल में चला गया। वहाँ उसने 'अपोनप्त्र' देवता वाले सूक्त का 'अर्थदर्शन किया' फिर ऋषियों ने वेदार्थद्रष्टा होने के कारण उसे पुनः अपने मध्य बुलाकर यज्ञ में दीक्षित कर लिया।

यह सूक्त ऋक्. १०।३० वाँ है और वेद में इस सूक्त पर इसी ऋषि का नाम उल्लिखित है। इस ऋषि द्वारा कृष्ट अन्य १०।३१ — ३४ सूक्त भी हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सूक्तों पर लिखित ऋषि उन-उन सूक्तों के अर्थद्रष्टा हैं।

(ख) छान्दोग्योपनिषद् में आबाल की कथा आती है, जो अज्ञात कुल के होते हुए गुण-कर्मों से ब्राह्मण बन गये। इसी प्रकार चांडाल कुल के मातङ्ग ऋषि ब्राह्मण हो गये। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र क्षत्रियराजा के ब्राह्मण होने का वर्णन आता है। इस प्रकार गुण-कर्म से वर्णव्यवस्था और वर्णपरिवर्तन परम्परा से भी सिद्ध है।

(१२) वर्ण चार हैं—(क) मनु ने चार वर्णों की मान्यता अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित की है। मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णनात्मक रूप में चार वर्णों का ही वर्णन है। चार वर्णों की दीक्षा से रहित अन्य सभी व्यक्ति वस्तु हैं [१०।४५]। अन्य वर्णसंकर आदि संशयक कोई वर्ण नहीं। इस मान्यता की पुष्टि के लिए मनुस्मृति के निम्न श्लोक भी द्रष्टव्य हैं—१।३१, ८७-९१।३।२०।१५।५७।। ७।६८ ।। १०।४५, ५५, १३१।। १२।९७ आदि।

(ख) चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण—अन्यत्र शास्त्रग्रन्थों में भी चार वर्णों का ही उल्लेख आता है। इन चार वर्णों से शेष व्यक्ति अर्थात् हैं, जिन्हें निषाद, असुर, राक्षस आदि विभिन्न वर्गकृत नामों से अभिहित किया जाता है—

(अ) "ऊर्जादः उत यक्षियासः पञ्चजनाः मम होत्रं जुषध्वम् ।"

(ऋक् १०।५३।४)

"पञ्चजनाः—चत्वारो वर्णाः निषादः पञ्चम इति औपमन्यवः ।"

(निरु. ३।२।७)

चार वर्ण = ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनसे भिन्न पाँचवें निषादजन, ये वेदोक्त पाँच प्रकार के मनुष्य हैं।

(आ) "चत्वारो वर्णाः । ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शूद्रः"

(श. ब्रा. ५।५।४।९)

"चत्वारो वै पुरुषा ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः ।।"

(मैत्रा. सं. ४।४।६)

कर्मणा-चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था का आधार वेद —

यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन आया है । इन मन्त्रों से मनु का भाव और स्पष्ट हो जाता है तथा ब्रह्मा के अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति की प्राप्ति का भी निराकरण हो जाता है । जैसा कर्मों-गुणों के आधार पर आलंकारिक वर्णन वेद में है, वैसा ही मनुस्मृति में है । मन्त्र निम्न है—

(क) "यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ।।

(यजु. ३१।१०)

(यत्पुरुषं.) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान् ईश्वर कहता है (कतिधा व्य.) जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं क्योंकि उसमें चित्रविचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं (मुखं किमस्यासीत्) इस पुरुष के मुख अर्थात् मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पादन हुआ है (किं बाहु) बल वीर्य, शूरता और युद्ध आदि विद्यागुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है (किमूरु) व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है ? इन चारों प्रश्नों के उत्तर ये हैं कि—

(ख) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ।।

(यजु. ३१।११)

(ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य-भाषण आदि उत्तमगुण और श्रेष्ठकर्मों से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहता है (बाहु राजन्यः कृतः) और ईश्वर ने बल-पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है (ऊरु तदस्य.) खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है (पदभ्यां शूद्रो.) जैसे पग सबसे नीच अंग है वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्रवर्ण सिद्ध होता है ।" (श्रु. मू. १२५-१२६)

(ग) इस आलंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए वेदों के व्याख्याग्रन्थ ब्राह्मणों के प्रमाण भी उपलब्ध हैं । निम्न वचनों में ब्राह्मण को समाज या मनुष्यों का सुखरूप बताया है, मुख से उत्पन्न हुआ नहीं —

(अ) "ब्राह्मणो मनुष्याणां मुखम् ।" (ता. १।६।१)

= ब्राह्मण मनुष्यों का मुख है ।

(आ) "अस्य सर्वस्य ब्राह्मणो मुखम्" (श. ३।९।१।१४)

(ख) जन्मना वर्णव्यवस्था के विधायक स्थल और इस विषयक शंकाओं का निराकरण —

मनुस्मृति में जन्मना वर्णव्यवस्था खोजने वाले व्यक्ति प्रमुखतः निम्नस्थलों से इस विषयक आधार ग्रहण करते हैं —

(१) १।२ में 'अन्तरप्रभवाणाम्' और १।१३७ (२।१८) में 'सान्तरालानाम्' पदों से वर्णसंकरों का वर्णन है। इस प्रकार मनु वर्णसंकरों के धर्मों का वर्णन भी करते हैं और जन्मना वर्ण तथा जातियों मानते हैं।

(२) १।९८-१०० श्लोकों में जन्म के आधार पर ब्राह्मण की प्रशंसा है।

(३) २।११-१४ (२।३६-३९) उपनयनविषयक श्लोकों में शूद्र का उल्लेख नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि मनु जन्म से ही शूद्र मानते हैं। जन्म से अन्य वर्णों के नामों का उल्लेख भी मनु की जन्मना-मान्यता की प्रवृत्ति को प्रकट करता है।

(४) दशम अध्याय में जन्म से ही माने गये वर्णसंकरों का तथा अन्य विविध जातियों का वर्णन है।

इनका उत्तर क्रमशः दिया जाता है —

(क) इन श्लोकों में टीकाकारों ने 'अन्तरप्रभवाणाम्' पद का — "संकीर्ण जातियों या वर्णसंस्कारों के" यह अर्थ अशुद्ध किया है। इस पद का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियाँ हैं —

२।१८ [इस संस्करण के अनुसार १।१३७] में 'अन्तरप्रभवाणाम्' के पर्यायवाची रूप में 'सान्तरालानाम्' शब्द का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ वर्णों के साथ 'अन्तरप्रभवाणाम्' शब्द का प्रयोग है, वैसे ही उक्त श्लोक में भी वर्णों के कथन के साथ-साथ 'सान्तरालानाम्' शब्द का प्रयोग है। उस श्लोक में 'सान्तरालानाम्' शब्द का अर्थ 'आश्रम' है, अतः यहाँ भी उसके पर्यायवाची शब्द 'अन्तरप्रभवाणाम्' शब्द का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये। यद्यपि २।१८ [१।१३७] श्लोक में भी टीकाकारों ने 'सान्तरालानाम्' शब्द का अर्थ 'संकीर्ण जाति' या 'वर्णसंकर' किया है, किन्तु वह मनु की मान्यता के विरुद्ध है। यतो हि, उस श्लोक में धर्म के चार मूलाधारों में से एक आधार 'सदाचार' [२।६, १२ या १।१२५, १३१] का लक्षण किया है और बताया गया है कि "ब्रह्मवर्त देश के निवासी वर्णों और आश्रमों का जो परम्परागत श्रेष्ठ आचरण है, वह 'सदाचार' कहलाता है"। इस श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' या 'संकीर्ण जाति' अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि वर्णसंकरों का आचरण 'सदाचार' ही नहीं हो सकता और न ही उनके आचरण को उन श्लोकों में 'सदाचार' के रूप में माना है।

इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्णसंकरों के धर्मवर्णन-प्रसंग में अनेक स्थानों पर उनके आचरण को निन्दनीय और गहित कहा है। उस प्रसंग में संकीर्ण जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणों में कुछ इस प्रकार हैं — "मातृदोषविगर्हितान्" = माता के दोष से निन्दित जन्म वाले [१०।६], "क्रूराचारविहारवान्" = क्रूर आचार-व्यवहार वाले [१०।९], "अधमो नृणाम्" = मनुष्यों में नीच [१०।१२], "अश्रुतास्तु यान्" = ब्रह्महीन [१०।२०], "पापात्मा मूर्जकण्टकः" = पापी आत्मा वाले मूर्जकण्टक [१०।२१], "ततोऽप्यधिकदूषितान्" = उनसे भी अधिक दूषित आचरण वाले [१०।२९], "जनयन्ति विगर्हितान्" = निन्दित

सन्तानों को जन्म देते हैं [१०।२९]। इसी प्रकार संकीर्ण जातियों का 'अपसद' (नीच) 'अवध्वंसज' (पतितोत्पन्न) आदि शब्दों द्वारा नामकरण करना भी यह सिद्ध करता है कि रचयिता इन्हें निम्नित आचरण वाला मानता है। इनके अतिरिक्त उस प्रसंग में वर्णसंकरों के जो पशुहिंसा आदि धर्म बतालाये हैं, वे मनु के मत में धर्म न होकर दुष्कर्म हैं, जिनकी मनु ने स्थान-स्थान पर निन्दा की है। फिर उनके आचरण को 'सदाचार' कैसे कहा जा सकता है ? और न उन्हें 'धर्म' कहा जा सकता है। इससे यह बोध होता है कि उक्त श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' अर्थ करना संगत नहीं है, और मनु के विरुद्ध भी है। अतः वहाँ उसका 'आश्रम' अर्थ होना चाहिए। उसके पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने से इस श्लोक में 'अन्तरप्रभव' का अर्थ भी 'आश्रम' ही समीचीन है।

(ख) मनुस्मृति में वर्णों के धर्मों के साथ-साथ विस्तृत और विशिष्ट रूप से आश्रमों के धर्मों का ही कथन है, वर्णनसंकरों के धर्मों का नहीं। यह भी ध्यान देने की बात है कि इस श्लोक में जिस क्रम से वर्णों और आश्रमों के धर्मों को बतलाने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में उसका उल्लेख है। आश्रमों और वर्णों का क्रम साथ-साथ चलता है, जैसे — द्वितीय अध्याय में — ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन है, तृतीय से पञ्चम तक गृहस्थ का, षष्ठ में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का वर्णन है। साथ-साथ छठे अध्याय तक ब्राह्मण के कर्त्तव्य भी उक्त हो जाते हैं। फिर क्षत्रियों के श्रेष्ठ कर्त्तव्यों का वर्णन ७।१। से ९।३२५ तक है। वैश्य के अतिरिक्त कर्त्तव्यों का कथन ९।३२६ से ३३३ [इस संस्करण में १०।१-६] तक तथा शूद्रों के कर्त्तव्यों का वर्णन ९।३३४-३३५ [इस संस्करण में १०।७-८] में है। यदि 'अन्तरप्रभवाणां' का 'आश्रम' अर्थ न करके 'वर्णसंकर' अर्थ लिया जाये तो प्रश्न उठेगा कि जब प्रारम्भ में आश्रमों के धर्म पूछने का प्रश्न ही नहीं है तो इतने विस्तृत और प्रधान रूप से आश्रमों के धर्मों का विधान क्यों किया गया है ? वर्णों और आश्रमों के धर्मों का साथ-साथ और प्रधानतापूर्वक वर्णन करने की मनु की यह शैली भी यह संकेत देती है कि इस श्लोक में वर्णों और आश्रमों के विषय में प्रश्न है, वर्णसंकरों के विषय में नहीं।

(ग) मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, वर्णसंकरों की नहीं। १२।९७ में भी वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख है — 'चानुर्वर्ण्य त्रयो लोकाः चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्'। इसी प्रकार ७।३५ में भी राजा को वर्णों और आश्रमों के धर्मों का रक्षक कहा है, वर्णसंकरों का उल्लेख ही नहीं —

स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः ।

वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥

इस प्रवृत्ति के अनुसार भी यहाँ वर्णों के साथ प्रयुक्त 'अन्तरप्रभव' शब्द का अर्थ 'आश्रम' ही सिद्ध होता है।

(घ) मनुस्मृति में दशम अध्याय को छोड़कर वर्णों के साथ अथवा स्वतन्त्र रूप से कहीं भी वर्णसंकरों की चर्चा या उल्लेख नहीं है। नामकरण संस्कार [२।२६-३५ या २।१-१०] विवाहविधि [३।२०] आदि प्रसंगों में जहाँ शूद्रों के लिए भी विधान किए हैं, वहाँ भी इनका उल्लेख नहीं है। दशम अध्याय में भी जो इनका वर्णन है वह वस्तुतः मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है (विस्तृत जानकारी के लिए दशम अध्याय के श्लोकों की समीक्षा देखिए)। यतो हि, वह विषय प्रसंगविरुद्ध रूप से वर्णित है। मनु की विषय-संकेत-शैली से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। वर्णों के धर्म-कथन का विषय प्रारम्भ करते हुए वे कहते

हे — “वर्णधर्मान्निबोधत” १।१४४ [अन्य संस्करणों में २।२५]। इसी प्रकार इस विषय की समाप्ति का संकेत करते हुए कहा — “एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः” १०।१४२ [अन्य संस्करणों में १०।१३१]। दोनों ही स्थानों पर वर्णों के धर्मों के वर्णन का कथन है, आपदमी का नहीं। यहाँ बीच में वर्णसंकरों के वर्णन करने का न तो प्रसंग था और न ही अभीष्टता, किन्तु फिर भी किसी ने इस वर्णन को बलात् मिलाया है।

इसी प्रकार १०।१५ [अन्यत्र १०।४] में स्पष्ट शब्दों में मनु ने उद्घोषित किया है कि आर्यों के समाज में केवल चार वर्ण हैं, पाँचवाँ कोई नहीं है। इनसे भिन्न सभी दस्यु हैं, चाहे वे आर्य भाषाएँ बोलते हों अथवा म्लेच्छ भाषाएँ [१०।५६(१०।४५)]। यहाँ वर्णसंकरों का कोई उल्लेख नहीं। इससे वर्णसंकरों का वर्णन [१०।५-७३] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद्ध नहीं होता। जब यह मनुस्मृतिसम्मत ही सिद्ध नहीं होता तो इस ग्रन्थ में किसी शब्द से ‘वर्णसंकर’ अर्थ ग्रहण करना ही अनुपयुक्त एवं विरुद्ध है। अतः यहाँ भी ‘वर्णसंकर’ अर्थ न होकर ‘आश्रम’ अर्थ ही मनुस्मृतिसम्मत है।

(ठ) मनु ने संक्षिप्त भूमिका के रूप में १।८७-९१ श्लोकों में एक-एक वर्ण का नामोल्लेख तथा उनका कर्मवर्णन किया है। उससे स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि मनु मनुष्य-समाज में चार वर्णों के अतिरिक्त कोई वर्ण नहीं मानते। इन श्लोकों से यह भी संकेत मिलता है कि मनुस्मृति में मनु को केवल इन्हीं चार वर्णों के धर्मों का कथन अभीष्ट है, अन्य किसी वर्णसंकर आदि का नहीं। अतः यहाँ भी ‘अन्तरप्रभव’ का अर्थ वर्णसंकर करना मनु की मौलिकता के विरुद्ध है, इसका ‘आश्रम’ अर्थ ही प्रकरप्रसंगत है।

(च) प्रसीत होता है कि जब वर्णसंकरों के प्रसंग का प्रक्षेप हुआ तो उन लोगों ने तदनुसार ही ‘अन्तरप्रभव’ और ‘सान्तराल’ शब्दों के अर्थों को भी परिवर्तित करके ‘वर्णसंकर’ अर्थ प्रचलित कर दिया। यही नहीं, अपने आशय के अनुसार ऐसे लोगों ने पाठभेद करने का भी प्रयास किया। तीन-चार हस्तलिखित प्रतियों में ‘अन्तर-प्रभववाणाम्’ पद के स्थान पर ‘संकरप्रभववाणाम्’ पाठभेद भी मिलता है। यह पाठभेद वर्णसंकर सम्बन्धी प्रक्षिप्त श्लोकों को मौलिक सिद्ध करने का ही एक प्रयास था। यह पाठभेद तो प्रचलित नहीं हो पाया किन्तु इस पाठभेद के अनुसार अर्थ की भ्रान्ति अवश्य प्रचलित हो गई।

२. १।९८-१०० श्लोक, १।९२-१०७ तक चलने वाले श्लोकों के बीच आते हैं और पूर्वापर बुद्धि से उनसे सम्बद्ध भी हैं। ये सभी श्लोक पूर्वापर प्रसंग से असम्बद्ध हैं, और सांकेतिक सृष्ट्युत्पत्ति विषय से बाह्य हैं। इन श्लोकों में मनुस्मृति को शास्त्र कहा गया है। शैली के आधार पर यह प्रयोग इन श्लोकों को परवर्ती सिद्ध करता है।

३. (क) उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं — ११-१३ श्लोकों में मनु ने उपनयन संस्कार का विधान करते हुए शूद्र का उल्लेख नहीं किया। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं तो शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं किया? इसका समाधान इस प्रकार है —

(अ) इस प्रश्न में ही इसका उत्तर भी निहित है। उपनयन में शूद्र का उल्लेख न करने से यह संकेत मिलता है कि मनु उपनयन और वेदारम्भ की दीक्षा से पूर्व किसी को अन्न से शूद्र नहीं मानते। यह द्विज-दीक्षा का संस्कार है और वे द्विज तीन ही प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति जिस वर्ण की दीक्षा दिलाना चाहे वह इन तीनों में उसी वर्ण में प्रवेश ले सकता है। पुनः शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त आचार्य अन्तिम रूप से उनके वर्णों का निश्चय करता है [२।१२१ (१४६), १२३ (१४८)]।

(अ) जो व्यक्ति इन तीनों वर्णों के गुणों को धारण नहीं कर सकता और वेदार्थम् तथा उपनयन रूप ब्रह्मजन्म को ग्रहण नहीं कर सकता वह शूद्र रह जाता है। उपनयन से पूर्व अर्थात् द्विजजन्म से पूर्व सभी वर्णों के बालक शूद्र ही होते हैं — 'जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विज उच्यते'। इस प्रकार कोई भी बालक किसी वर्ण में दीक्षित हो सकता है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है —

चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्रः ॥ १०।४॥

इस प्रकार उपनयन आदि से पूर्व शूद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके उल्लेख की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। द्विज की 'पतित' या 'शूद्र' होने की स्थिति अध्ययन के बाद आती है। द्विजों के अध्ययन और कार्यों में असमर्थ व्यक्ति ही शूद्र है [२।१४-१५ (३९-४०)]

(इ) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि में यह भी एक प्रबल युक्ति है कि मनु ने उपनयन के प्रसंग में शूद्र के उपनयन का निषेध नहीं किया। अगर वे जन्म से ही शूद्र का अस्तित्व और वर्णनिर्धारण मानते तो इस प्रसंग में पुण्यक् से उसके उपनयन का निषेध करते।

(ख) 'ब्राह्मणस्य' आदि पदों का मनुसम्मत अर्थ —

(अ) ११-१३ श्लोकों में 'ब्राह्मणस्य' आदि पदों का प्रचलित टीकाओं में ब्राह्मण के बालक का, 'राज्ञः' या 'क्षत्रियस्य' = क्षत्रिय के बालक का, 'वैश्यस्य' 'विशः' = वैश्य के बालक का, यह अर्थ मिलता है। यह अर्थ श्लोक के पदप्रयोग के विरुद्ध है और मनु की मान्यता के विरुद्ध भी। श्लोक के पदों में 'बालक' अर्थ देने वाला कोई पद नहीं है जिससे कि 'ब्राह्मण के बालक' आदि अर्थ किये जायें। इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हुए कर्मणा वर्ण-परिवर्तन मानते हैं [देखिए १०।६५।।१। ८७-९१।१। १०७ श्लोक और उन पर समीक्षा]। इन अर्थों से ऐसा प्रतिपादित होता है जैसे जन्म के आधार पर वर्ण-प्रवेश है और वह भी ब्राह्मण का ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य का वैश्य में। यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता।

(आ) यहाँ ये पद वस्तुतः जातिपाचक न होकर वर्णसंज्ञापाचक हैं। जिनका अर्थ है 'ब्राह्मण — वर्ण का दीक्षाकाल' आदि। मनुसम्मत मान्यता के आधार पर अध्याहार से इनका अर्थ 'ब्राह्मण वर्ण को धारण करने के इच्छुक का' आदि अर्थ किये गये हैं। इस अर्थ का संकेत मनु के 'ब्रह्मवर्चसकामस्य' [२।१२] आदि पदों से भी प्राप्त होता है। इस अर्थ की व्यापकता के अन्तर्गत दोनों प्रकार के भाषों का समावेश हो जाता है, जो वंशपरम्परानुसार अपने वर्ण में दीक्षा दिलाना चाहे वह भी इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता है, और जो परिवर्तनपूर्वक अपने बालक को दूसरे वर्ण में दीक्षित कराना चाहे तो, वह भी उस निर्धारित समय-व्यवस्थानुसार करा सकता है।

(इ) यहाँ यह शंका हो सकती है कि इतने अल्पवयस्क बच्चों के साथ 'इच्छुक' पद का सम्बन्ध नहीं बनता? इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छा के आधार पर ये प्रयोग हैं। प्रारम्भ में माता-पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उसी के अनुसार सभी संस्कार करते हैं। पुनः उसकी शिक्षा-दीक्षा को परखकर वर्ण का अन्तिम निश्चय आचार्य करता है [२।१२१ (१४६), १२३ (१४८)]। देखिये मनु ने इसी व्यवहार के आधार पर पाँच वर्ष के बालक के लिए 'ब्रह्मवर्चसकामस्य' 'बलार्थिनः', 'वैश्यस्य ब्रह्मार्थिनः' [२।१२] पदों का प्रयोग किया है, जबकि इतने अल्पवयस्क बालकों को ब्रह्मवर्चसकामना आदि की इच्छा, गम्भीरता एवं परिणाम का ज्ञान नहीं होता। इस प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत भाष्य का अर्थ भी मनु के वर्णानुरूप ही है।

४. उपर्युक्त विवेचन (संख्या १) से यह स्पष्ट हो गया कि मनुस्मृति में वर्णसंस्कारों का वर्णन

करना इसका प्रतिपाद्य नहीं है, न यह मान्यता मनु की आधारभूत मान्यताओं से मेल खाती है। अन्य शैली आदि विभिन्न कारणों से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरों का प्रसंग परवर्ती एवं प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। उनके वर्णन की शैली विधि-विधानात्मक न होकर ऐतिहासिक है। इस प्रकार वह वर्णन मनुविहित नहीं कहला सकता।

२. मांसभक्षण एवं पशुयज्ञ पाप है —

मनु मांसभक्षण एवं पशुयज्ञ को निन्द्य एवं पाप मानते हैं। उक्त दोनों बातें उनके मुख्य उद्देश्य, प्रतिपाद्य एवं मनुस्मृति की आधारभूत भावना के ही विरुद्ध हैं।

(क) उक्त मान्यता के विधायक एवं संकेतक स्थल —

मांसभक्षण एवं पशुयज्ञ पाप है — २।१५२ (१७७); ३।६८-६९; ४।२, ६८, १७०, २४६; ५।५, ४५-४९, ५१॥

इन पर विचार करने के बाद निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं —

१. 'अहिंसापालन' अथवा 'हिंसानिवेध' की मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यताओं में से एक है, जिन पर मनुस्मृतिरूप प्रासाद टिका हुआ है। यदि इन्हें मनुविहित मान लिया जाये तो मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था ही खंडित हो जायेगी। मनु द्वारा विभिन्न स्थलों पर किये गये हिंसानिवेध और अहिंसापालन के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि

(अ) सर्वप्रकार की हिंसा या मांसभक्षण मनुविरुद्ध है, (आ) पशुयज्ञ मनुविरुद्ध है, और (इ) यज्ञ के उद्देश्य से पशुहिंसा करना भी मनुविरुद्ध है। यथा — (क) मनु ने गृहस्थियों और वानप्रस्थियों के लिए अनिवार्य रूप से पांच महायज्ञों का विधान किया है। इन यज्ञों के विधान का मुख्य उद्देश्य हिंसा की निवृत्ति ही है —

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषणयुष्करः ।

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् ॥

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः ।

पञ्च कल्पताः महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनान् ॥ (३।६८, ६९॥

जो व्यक्ति दैनिक जीवनचर्या में अज्ञानवश होने वाली छोटी-छोटी हिंसाओं की निवृत्ति के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान करता है, जिसमें परप्राणीपीड़ा की भावना भी नहीं है, और जो आजीविका भी ऐसी अपनाने का विधान करता है जिसमें किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचे [४।४]⁴, जो पशुओं की सवारी करते हुए उनको चाबुक भी इस प्रकार मारने के लिए कहता है जिससे वे संतप्त न हों [४।६८]⁵, वह व्यक्ति पशुओं की हिंसा और मांसभक्षण का विधान कदापि नहीं कर सकता। यह सर्वथा असंभव है। आश्चर्य की बात तो यह है कि छोटी-छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित्त के लिए अर्थात् उनके पाप की क्षुद्धि के लिए ही मनु पांच यज्ञों का विधान कर रहे हैं और फिर लोग यज्ञों में ही हिंसा करने को मनुसम्मत सिद्ध करना चाहते हैं! यदि ऐसा है तो यज्ञों से पाप-क्षुद्धि ही क्या हुई?

२. मनु ने ५।४९ में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया है — 'निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणान्' = सब प्रकार के मांस-भोजन से दूर रहे। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक स्थानों पर भी मांसभक्षण का स्पष्ट निवेध है और हिंसक की निन्दा तथा अहिंसक की प्रशंसा एवं अहिंसा की प्रेरणा है —

४. 'अद्रोहेणैव मृतानामल्पद्रोहेण वा पुनः — विप्रो जीवेत् ॥'

५. 'विनोलेस्तु ब्रजेन्निन्दन् ... प्रनोदेनामुदयभक्षम् ॥'

(क) "वर्जयेत् मधुमांसं च प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥" (२।१५२ [१७७])

(ख) "वर्जयेत् मधुमांसम्" (६।१४)

(ग) "हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ।" (४।१७०)

(घ) "यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्मसुखेच्छया ।

स जीवश्च मृतश्चैव न क्वचित् सुखमेधते" । (५।४५ ॥)

(ङ.) "अहिंस्त्रः दमदानाभ्यां जयेत् स्वर्गं तथाव्रतः ।" (४।२४६)

(च) "विचरेत् नियतः नित्यं सर्वभूतानि-अपीडयन् ॥" (६।५२)

(छ) "अहिंसया च भूतानां अमृतत्वाय कल्पते ।" (६।६०)

(ज) "यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न विकीर्षति ।

स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ (५।४६)

३. इतना ही नहीं, मांसप्राप्ति में किसी भी प्रकार का सहयोग देने वाले व्यक्ति को मनु घातक = पापी कहकर संबोधित करते हैं । निम्न श्लोक में आठ प्रकार के व्यक्तियों को पापियों में परिगणित किया गया है —

(क) अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ (५।५१)

(अनुमन्ता) मारने की आज्ञा देने वाला (विशसिता) मांस काटने वाला (निहन्ता) पशु को मारने वाला, (क्रय-विक्रयी) पशुओं को मारने के लिए मोल लेने-बेचने वाला (संस्कर्ता) पकाने वाला (उपहर्ता) परोसने वाला (च) और (खादकः) खाने वाला, (इति घातकाः) ये सब हत्यारे और पापी हैं ॥ ५१ ॥

४. भक्ष्याभक्ष्य प्रसंग [५।५, ८, ९, १०, २४, २५] श्लोकों से ज्ञात होता है कि मनु तामसिक, राजसिक और 'अमेध्यप्रभव' = अशुद्धस्थानोत्पन्न सभी पदार्थों को अभक्ष्य मानते हैं । बासी भोजन, लहसुन, प्याज आदि तामसिक, राजसिक भोजन के अन्तर्गत आते हैं तथा गन्धे स्थान में उत्पन्न पदार्थ और रक्त चर्बी आदि से युक्त मांस आदि अमेध्यप्रभव है । कुछ प्रमाण प्रस्तुत हैं —

(क) लशुनं गूजनं चैव पलाण्डुं कवकानि च ।

अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ (५।५ ॥)

(ख) नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं त्रिवर्जयेन् ॥ (५।४८ ॥)

(ग) समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम् ।

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणान् ॥ (५।४९ ॥)

५. मनु सान्त्विक गुणों, पदार्थों को ही ग्राह्य और प्रशंसनीय मानते हैं और राजस-तामस को निन्द्य । १ । सान्त्विक गुणों से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है । १० यही मनु का धर्मशास्त्र के प्रवचन का उद्देश्य है — "ब्राह्मीयं क्रियते तनुः" [२।३ (२८)] तथा तामसिक-राजसिक पदार्थों का भक्षण करना मनु के मुख्य प्रतिपाद्य और उद्देश्य के ही विरुद्ध है ।

६. तृतीय अध्याय के यज्ञ-प्रसंगों में मनु ने कहीं भी मांसयज्ञ का विधान नहीं किया है । और वानप्रस्थ के प्रसंग में तो स्पष्टतः कह दिया है कि अन्नो से ही यज्ञ करे और वह भी 'मेध्य' = शुभ अन्न से —

६. १२।५।५।२४।१२।७, २८, २९, ३२, ३३, ३५, ३६ ॥

७. १२।७, ३१, ३७, ८३ ॥

मुन्यन्मैः विविधैः मेघ्यैः शाकमूलफलैश्च वा ।

एतानेव महायज्ञान् निर्वपेत् विधिपूर्वकम् ॥ (६।५।।)

मनु की मान्यता को समझने के लिए इन प्रमाणों से अधिक और क्या प्रमाण मिल सकते हैं । इसके बाद भी जो लोग मांसभक्षण और पशुयज्ञ को मनुसम्मत मानते हैं, वे मनु और मनुस्मृति के साथ अन्याय करते हैं ।

७. मांसभक्षण और पशुयज्ञ के विरोध में वेद के प्रमाण — इस प्रसंग में मांस भक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेपकर्त्ताओं ने यज्ञ की आड़ ली है । यज्ञों का विधान वेदों में है । अतः यहाँ वेदों के ही यज्ञसम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनसे पता चलेगा कि अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए स्वार्थी लोगों ने मिथ्या ही यज्ञ और वेद को बदनाम किया है —

(क) 'अध्वर' शब्द ऋग्वेद में-१।२३।१७।।१।१३५।७।।१।४४।१३।।३।२४।२।।७।७२।४।।७।६।८।।, यजुर्वेद में-३७।१९।।३।११।।२१।४७ आदि अनेक स्थानों पर यज्ञार्थ में प्रयुक्त हुआ है । इस शब्द की निरुक्ति करते हुए ऋषि यास्क लिखते हैं — "अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरति हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधः" [नि. ३।१७।।१।७] अर्थात् 'अध्वर = यज्ञ का नाम है । 'ध्वर' हिंसार्थक धातु से बना है । जिसमें हिंसा न हो उसे अध्वर = यज्ञ कहते हैं । इस संज्ञा से स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती । यज्ञ के नाम पर पशुहिंसा करना स्वार्थी लोगों की उदरपूर्ति-हेतु कल्पना है ।

(ख) यजुर्वेद को कर्मकाण्ड का वेद माना जाता है । उसके प्रथम मन्त्र में ही पशुओं की अहिंसा की कामना है — "यजमानस्य पशून् पाठि" [यजु. १।१] अर्थात् 'यज्ञ करने वाले के पशुओं की रक्षा कीजिए ।'

(ग) मांसाहारियों को यज्ञ सम्पादन का अधिकार नहीं — यज्ञों में मांसविधान की चर्चा तो बहुत दूर की बात है । वेदों में, यज्ञ-विधान प्रसंगों में केवल यज्ञीय प्रवृत्ति के अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं) व्यक्तियों को ही यज्ञ करने का विधान है । निम्न वेदमन्त्र प्रमाणरूप में उल्लेखनीय है ।

"ऊजादः उत यज्ञियासः पक्वजनाः मम होत्रं जुषध्वम् ।"

(ऋ. १०।५३।४)

अर्थात् केवल अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं), और यज्ञीय प्रवृत्ति वाले पाँचों प्रकार के (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद) व्यक्ति यज्ञ-सम्पादन करें ।

निरुक्तकार ने 'ऊर्ज' की व्युत्पत्ति और अर्थ दिये हैं — 'ऊर्गिति अन्ननाम, ऊजयति इति सतः ।' (निरु. ३।२।७) अर्थात् 'ऊर्ज' अन्न को कहते हैं, क्योंकि यह शरीर को प्राणशक्ति प्रदान करता है ।

८. इन सभी स्थलों की मनुस्मृति के विषय, प्रसंग के साथ अनुकूलता है, और शैली के अनुरूप भी हैं ।

(ख) मांससमर्थक स्थल और उनका विवेचन —

(अ) ३।१२३, २६७-२७२ में विविध मांसों से मृतकप्राद में तृप्ति ।

(आ) ४।२६-२८ में नये अन्न या मांसभक्षण के समय उनसे यज्ञ करना ।

(इ) ५।६, ७, ११-२३, २६-४४, ५०, ५२-५६ में विभिन्न जातों का विधान और उनको

अनुपूर्वक स्नाने की विधि तथा खण्डन-मण्डन ।

१. इन श्लोकों में वर्णित मान्यताओं का उक्त मान्यताओं से विरोध है, अतः ये मान्य नहीं ।

२. 'अ' भाग के श्लोक विषयविरुद्ध हैं । क्योंकि वहाँ पञ्चयज्ञों का विषय है, मृतकश्राद्ध वर्णन का नहीं । (विस्तृत विवेचन संख्या ३ पर देखिये, इसी मान्यता की समीक्षा में)

३. 'अ' भाग के श्लोक मृतकश्राद्ध सम्बन्धी प्रसंग के अंश हैं, और यह प्रसंगविरुद्ध है । 'अ' भाग के ५।११-२३ श्लोकों ने ५।१०, १४ के प्रसंग को मंग किया है, और ५।२६-४४ श्लोकों में नये सिरों से मांसमङ्गल की विधि-अविधि का प्रसंग प्रारम्भ किया है । यह भी अप्रासंगिक है ।

४. तीनों स्थलों की शैली निराधार, अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अयुक्तियुक्त है ।

५. इन मांस-समर्पक प्रसंगों में परस्पर विरुद्ध विधान भी हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि ये प्रसंग अनेक व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न समय में रखकर मिलाये गये हैं ।

३. मृतक व्यक्तियों का श्राद्ध मनुसम्मत नहीं —

(क) जीवितश्राद्ध का वर्णन करने वाले स्थल —

३।८०-८२; ४।३०-३१ ।।

मनु ने पञ्चयज्ञों के प्रसंग में श्राद्ध का क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया है । वह श्राद्ध जीवितों पर ही घटता है, मृतकों पर नहीं । मनु कहते हैं — 'श्राद्धों से पितरों का पूजन करें । यह श्राद्ध प्रतिदिन करें । माता-पिता आदि वयोवृद्धों को प्रसन्न रखते हुए उन्हें अन्न, जल, फल-मूल आदि देकर यह श्राद्धकार्य करें । यही पितृयज्ञ कहाता है ।' इन श्लोकों में श्राद्ध के लिए ऋषि, पितर, देव, मनुष्य आदि सभी जीवितों की ही गणना है । ४।३०-३१ में ऐसे ही लोगों को हव्य = भोज्य पदार्थों का दान, कव्य = उपयोगी धन, वस्त्र आदि का दान देने का विधान है । प्रमुख श्लोक द्रष्टव्य हैं । —

(क) ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा ।

आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥ (३।८० ॥)

(ख) स्वाध्यायेनार्चयेदर्धानोमेर्देवान्यथाविधि ।

पितृन्श्राद्धैश्च नूनन्मैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ (३।८१ ॥)

(ग) कुर्यादहर्हः श्राद्धमन्माद्येनोदकेन वा ।

पयोमूलफलेर्वाऽपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ (३।८२ ॥)

इस विषय में विस्तृत विवेचन किया जाता है — पितृयज्ञ के दो भेद हैं — एक तर्पण, दूसरा श्राद्ध । 'येन कर्मणा विबुधो देवान्, ऋषीन्, पितृंश्च तर्पयन्ति = सुखयन्ति तत्तर्पणम्' । अर्थात् जिस कर्म से विद्वान् रूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, उसे तर्पण कहते हैं । 'यत्तेषां श्राद्धया सेवनं क्रियते तत् 'श्राद्धम्' । अर्थात् जो इन लोगों का श्राद्ध से सेवन करना है, वह श्राद्ध कहाता है ।

श्राद्ध का अर्थ है — श्राद्ध से किया गया कार्य, जैसे श्राद्धपूर्वक माता-पिता की सेवा-सुश्रूषा करना, भोजन देना आदि । वही पितरों का तर्पण या पितृयज्ञ है । यह तर्पण अथि कर्म विद्यमान अर्थात् जो प्रत्यक्ष है उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं । क्योंकि, उनकी प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है । इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती । और जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता, इसलिए मृतकों को सुख पहुँचाना सर्वथा असम्भव है

तर्पण आदि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं — देव, ऋषि और पितर । 'पितर' से अमिप्राय मृतकों से नहीं अपितु जीवितों से है । "पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-विद्या-सुशिक्षा-आदिदानैः ; ते पितरः" = जो अन्न विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं वे 'पितर' कहलाते हैं । इसमें ब्राह्मणों के प्रमाण द्रष्टव्य हैं —

(अ) "देवा वा एते पितरः" (गो. उ. १।२४)

(आ) "स्विष्टकृतो वै पितरः" (गो. उ. १।२५)

अर्थात् सुख सुविधाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने वाले विद्वान् व्यक्ति 'पितर' कहलाते हैं ।

ये श्लोक अपने-अपने प्रसंग में सहज ढंग से उक्त हैं, और विषय तथा शैली के अनुकूल हैं ।

(ख) मृतकश्राद्ध के विधायक स्थल —

(अ) ३।१२२-२८४ तक मृतकश्राद्ध का एक स्वतन्त्र प्रसंग है ।

इस प्रसंग का अपने पूर्वापरप्रसंग से न तो तालमेल है, न यह विषय संकेत के अनुसार है, और न मनु की मूल भावना के अनुकूल है । ऐसा निम्न कारणों से ज्ञात होता है —

१. अन्तर्विरोध — इस प्रसंग में वर्णित विधानों के मनुस्मृति के अन्य विधानों से अनेक अन्तर्विरोध हैं — (१) १२२ से २८४ श्लोकों में मृतकश्राद्ध का विधान है । यह मान्यता मनुविरुद्ध है । मनु ने पितृयज्ञ के रूप में जीवितों का श्राद्ध और वह भी दैनिक रूप में विहित किया है [३।८०-८२] [विस्तृत रूप में द्रष्टव्य है ३।८५ पर अनुशीलन समीक्षा] । मनु के अनुसार 'पितृ' या 'पितर' शब्द का अर्थ भी 'बुजुर्ग' 'पालक' है । देखिए १।२८; २।१२६; [२।१५१] में 'पितृ' शब्द का प्रयोग 'बुजुर्गों' के लिये किया है । (२) दैनिक पितृयज्ञ या श्राद्ध घर पर विहित है, जबकि इन श्लोकों में वर्णित श्राद्ध को वनों, नदीतीरों, एकान्त स्थानों [२०७] पर करने का कथन है । यह भिन्नता मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है । (३) मनु ने पितृयज्ञ को ही श्राद्ध माना है और उससे भिन्न कोई क्रिया पितृयज्ञ में नहीं मानी [८०-८२] जब कि इन श्लोकों में "पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य" कहकर "पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यात् मासानुमासिकम्" [१२२] के विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णन करने वाला इस विधान को पितृयज्ञ से भिन्न क्रिया मानता है । यह अतिरिक्त पृथक् श्राद्ध का विधान मनु की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है । (४) पितृयज्ञ के प्रसंग में केवल अन्न, जल, फल-मूल से ही श्राद्ध करना कहा है [८२] जब कि इस प्रसंग में मांस से श्राद्ध करना अधिक फलदायक माना है [२६६-२७२] । (५) इस प्रसंग में अनेक श्लोकों में मांसभक्षण का विधान है [१२३, २२७, २५७, २६६-२७२] । यह मान्यता मनुस्मृति की मौलिक मान्यता के ही विरुद्ध है । मनु ने मांसभक्षण को पाप और मांसभक्षक को पापी कहा है [५।४३-५१] और हिंसा करने वाले के लिए पायशिवसों का विधान किया है [३।६८-६९] । [विस्तृत समीक्षा ४।२६-२८ श्लोकों पर देखिये] । (६) मनु कर्त्ता को ही स्वयं फल का भोक्ता मानते हैं [४।२४०] ।

इस प्रसंग में श्राद्धकर्त्ता द्वारा पितरों का निस्तार [२२०-२२२] एक के श्राद्ध से सात पीढ़ी के वंशजों को पुण्यफल-प्राप्ति [१४६] आदि कथन उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं । (७) १३६, १३७, १५२-१५६, १६४-१६६, १८२ आदि श्लोकों में वर्णव्यवस्था को जन्मना मानने के

संकेत हैं, जबकि मनुकर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं । [१।८८; २।१४३ (१६८), १२२-१२३ (१४७-१४८)] । उक्त श्लोकों में वर्णित कर्म ब्राह्मणों के नहीं हो सकते । यदि उनमें ये कर्म हैं तो वे मनु की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण नहीं कहला सकते । (८) २।८१ [१०६] में वेदाध्ययन को सर्वदा पुण्यदायक माना है, जबकि इस प्रसंग में श्राद्ध में वेदपाठ निषिद्ध है [१८८] । [९] प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा द्वारा पञ्चभूतों के माध्यम से मानी है [१।६, १४-२०], जबकि इस प्रसंग में मरीचि आदि ऋषियों से चराचर जगत् की उत्पत्ति कही है, जो प्रकृतिविरुद्ध बात है [२०१] । (१०) १।९१ में शूद्रों का कर्म द्विजों की सेवा करना कहा है, जबकि इस प्रसंग में शूद्रों का श्राद्ध के पदार्थों से स्पर्श करना भी निषिद्ध है [२४१] । १९७ में शूद्रों के पितर सुकाली माने जाते हैं । जब शूद्रों के लिए श्राद्ध में स्पर्श तक का निषेध है तो शूद्रों के यहां कौन से ब्राह्मण श्राद्ध खायेंगे ? यदि नहीं खाते हैं तो फिर शूद्रों के लिए श्राद्ध का विधान क्यों ? (११) इस सम्पूर्ण प्रसंग में पितरों के लिए हव्य-कव्य आदि देने का विधान है किन्तु मनु के मत में जीवित व्यक्तियों को दिये जाने वाले भोज्य एवं हितार्थ देय वस्त्र, धन आदि दान 'हव्य-कव्य' कहलाते हैं । ४।३०-३१ में देखिए मनु ने स्पष्टतः जीवित, धार्मिक विद्वानों को हव्य-कव्य देने का कथन किया है । यह सम्पूर्ण प्रसंग उक्त मान्यता के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है ।

२. प्रसंगविरोध — (१) ११७ वें श्लोक में गृहस्थों को 'शेषभुक्' होने के लिए कहा है और ११८ वें श्लोक में 'यज्ञशेषभुक्' होने के लिए कहा है । २८५ वें श्लोक में इन्हीं बातों का विकल्प रूप में कथन है । यह कहना चाहिए कि २८५ वां श्लोक इनका 'अर्थवाद' रूप है । बीच के इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग करके एकवाक्यक्रमक वर्णन को तोड़ दिया है ।

(२) ११७-११८ और २८५ श्लोक में अतिथि यज्ञ से सम्बन्धित प्रसंग है, जिसमें गृहस्थों को कैसा भोजन करना चाहिए, यह स्पष्टीकरण है । इसके बीच में संबन्धियों की पूजा, राजा-स्नातक की पूजा [११९, १२०], बलिबैश्वदेव का विधान [१२१], पितृश्राद्ध का विधान [१२२-२८४], पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है ।

(३) १२२ वें श्लोक में "पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य" कहकर नये सिर से पितृश्राद्ध का प्रसंग शुरू किया गया है । यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो प्रसंगक्रम की दृष्टि से पितृयज्ञ के प्रसंग [३।८१, ८२] के साथ होना चाहिए था, किन्तु ऐसा न होकर खण्डित क्रम में इसका वर्णन है । यह क्रम की असंगति इसे मौलिक सिद्ध नहीं करती । इस प्रकार इन प्रसंगविरोधों के आधार पर ये सभी ११९ से २८४ श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।

३. विषयविरोध — ६७ वें श्लोक में "वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत . . . पञ्चयज्ञविधानं च" कहकर दैनिक पञ्चयज्ञों के वर्णन का संकेत किया है और समाप्तिसूचक "एतत् च : अभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम्" श्लोक से भी यही सिद्ध है कि ६७ से २८६ श्लोकों का विषय केवल दैनिक पञ्चयज्ञों का विधान करना है । १२२ से २८४ श्लोकों में दैनिक पञ्चयज्ञों से भिन्न मासिक, त्रैमासिक आदि श्राद्धों का वर्णन है । यह वर्णन मनु के विषय-संकेत से बाह्य होने से विषयविरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है ।

इस प्रकार मृतकश्राद्ध की मान्यता मनुविहित न होकर अन्य द्वारा प्राप्ता है । मनु द्वारा वर्णित श्राद्ध से अभिप्राय केवल जीवित वयोवृद्धों की सेवा-सुश्रूषा से है ।

४. नियोग प्रथा मनुविहित एवं वैदिक है —

(क) इस प्रथा के विधायक स्थल —

मनु ने १।५६-५९, ६२, ६३ श्लोकों में बहुत स्पष्ट शब्दों में नियोग का विधान किया है। वे कहते हैं कि सन्तान का अभाव होने पर (पति के मरने पर अथवा जीते हुए भी सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होने पर) स्त्री को अथवा विधवा को देवर अर्थात् पति के भाई से अथवा उसके वंशस्थ पुरुष से सन्तान प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रमुख श्लोक है —

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया ।

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिहार्ये ॥ (१।५९।।)

(१) नियोग का अर्थ है — 'सन्तान प्राप्ति के लिए किसी स्त्री अथवा विधवा को किसी अन्य पुरुष से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की स्वीकृति देना।' नियोग के लिए 'नियुक्त करना' या 'नियोग की विधि' से अभिप्राय यह है कि जैसे समाज और परिवार में प्रसिद्धिपूर्वक विवाह होता है, उसी प्रकार नियोग भी होता है। इन्हीं के समक्ष पुत्र आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चय होते हैं। उस निश्चय के अनुसार चलना 'विधि' है और अन्यथा चलना 'विधि का त्याग' है। मनु ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह शारीरिक सम्बन्ध केवल सन्तान प्राप्ति के लिए ही है, विलासिता के लिए नहीं। सन्तान प्राप्ति के पश्चात् यदि वे स्त्री-पुरुष सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो दण्डनीय होते हैं [१।६२-६३]।

यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। इसमें वेदों, इतिहास और परम्पराओं के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं —

(२) वेदों में नियोग का विधान और इतिहास के प्रमाण —

(क) उदीर्ष्य नार्यभिजीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि ।

हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूय ॥

(ऋ. ऋ. १०। सू. १८। मं. ८।।)

अर्थ — "(नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से (अभि जीवलोकम्) जीते हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो, और (उदीर्ष्य) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्तग्रामस्य दिधिषीः) तुम विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा तो (इदम्) यह (जनित्वम्) जना हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरी होगी। ऐसे निश्चययुक्त (अभि सम्बभूय) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे।"

(स. प्र. चतुर्थ समु.)

(ख) (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता है या जीते पति के भी ?

(उत्तर) जीते भी होता है —

अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् ॥ ऋ. मं. १०। सू. १० ॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आशा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेवाली स्त्री तू (मत्) मुझ से (अन्यम्) दूसरे पति की (इच्छस्व) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति की आशा मन कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। जैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर

सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिए ।

जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री ने किया और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य के मरजाने के पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका में धृतराष्ट्र और अम्बालिका में पाण्डु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की । इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है ।”

(स. प्र. चतुर्थ समु.)

(३) देवर शब्द का अर्थ और प्राचीन परम्परा का संकेत —

मनुस्मृति या वैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित — ‘पति का छोटा भाई’ अर्थ न होकर विस्तृत अर्थ है । निरुक्त में ‘देवर’ शब्द की निरुक्ति निम्न दी है —

“देवरः कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते ।।” (३।१५)

अर्थात् — “देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई या बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो । उससे नियोग करे, उसी का नाम देवर है ।”

(म. दयानन्द, स. प्र. ११६)

आजकल यह केवल पति के छोटे भाई के अर्थ में रुढ़ हो गया है । इस रुढ़ि का कारण कदाचित् यह है कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पति के छोटे भाई से ही उसका सम्बन्ध कर दिया जाता है । यह नियोगविधि का ही एक परिवर्तित रूप है । इस परम्परा से प्राचीन काल में नियोगप्रथा के अस्तित्व के संकेत मिलते हैं ।

(४) यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि इन दोनों मान्यताओं में ‘नियोग-व्यवस्था’ मनु की मौलिक मान्यता है । इसमें निम्न पोषक प्रमाण हैं — (क) नियोग-विधान की मान्यता पूर्वविहित और आधारभूत है । (ख) विषयसंकेतक श्लोकों में इस प्रसंग को प्रारम्भ और समाप्त करने का संकेत है [९।५६ और ९।१०३] । ये श्लोक अपने पूर्वापर प्रसंगों से शृङ्खलावत् जुड़े हैं, जो सिद्ध करते हैं कि यह मान्यता मौलिक है । (ग) ९।१४५-१४६ में नियोग से उत्पन्न पुत्र को दायभाग का पूर्ण अधिकार विहित है । यह भी इस मान्यता को मनुसम्मत सिद्ध करता है, और (घ) नियोग-विधि का त्याग करके उत्पादित पुत्र को घनाधिकार से ९।१४७ में वंचित किया गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि मनु नियोग को ही स्वीकार्य मानते हैं, नियोगत्याग को नहीं ।

(ख) इस परम्परा के खण्डनात्मक स्थल —

ज्यों ही नियोग प्रथा का विधान पूर्ण होता है, उसके पश्चात् इसका खण्डन करने वाले श्लोक हैं । ९।६४-६८ श्लोकों में इस प्रथा का खण्डन करते हुए कहा गया है कि ‘नियोग नहीं कराना चाहिये, यह धर्महनन करना है । राजा वेन के समय यह पशुधर्म प्रचलित हुआ है’, आदि-आदि ।

१. स्पष्ट है कि विधान के पश्चात् किया गया यह खण्डन परवर्ती है । विधान मौलिक और खण्डन उसकी प्रतिक्रिया में होता है, अतः यह नियोगविरोधी वर्णन मनुकृत नहीं है ।

२. पिछले प्रमाणों से यह भी सिद्ध हो गया है कि यह प्रथा वैदिक है, अतः अतिप्राचीन भी है । इन श्लोकों में इसे वेन राजा के समय की कहना गलत है । आचार्य कौटिल्य ने भी इसका विधान अपने अर्थशास्त्र में किया है । इसका अभिप्राय यह है कि आचार्य कौटिल्य तक नियोग-व्यवस्था प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त रही है । उन्होंने प्र. ६०।अ. ४ में कारण प्रदर्शनपूर्वक विभिन्न नियोगों का विधान किया है ।

इनके अतिरिक्त ये खण्डनात्मक श्लोक निम्न कारणों से मौलिक सिद्ध नहीं होते

१. विषयविरोध — विषय-संकेतक श्लोकों [१।५६, १०३] के निर्देशानुसार यह विषय स्त्रियों के लिए आपत्कालीन धर्मों और आपत्काल में सन्तानप्राप्ति का है। नियोग की मान्यता उस विषय से सम्बद्ध है, अतः मौलिक है। छण्डन की मान्यता का संकेतित विषय से कोई सम्बन्ध नहीं, अतः प्रक्षिप्त है।

२. शैलीगत आधार — ६६-६७ श्लोकों में राजा वेन के समय नियोग के विस्तार का कथन है। राजा वेन मनु से परवर्ती है, अतः ये श्लोक भी किसी व्यक्ति द्वारा रचकर मिलाये गये हैं। राजा वेन अंग देश का राजा था। इसके पिता का नाम अनंग था। यह मनु से बहुत पीढ़ियों पश्चात् हुआ [महा. शान्ति. ५९।२६-२९]।

विस्तार से समझाने के लिए उपर्युक्त मान्यताओं का पक्ष-विपक्ष की विवेचना-पूर्वक विश्लेषण किया गया। इसी प्रकार अन्य मान्यताओं के विषय में समझना चाहिये। यहाँ कुछ अन्य मान्यताएँ संक्षेप से प्रस्तुत की जा रही हैं, किन्तु विस्तारभय से उनका समग्र विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। वह मनुस्मृति भाष्य में यथास्थान देखा जा सकता है।

५. स्त्रियों के सम्बन्ध में मनु की धारणा —

(क) बहुत से आलोचक मनु पर यह आरोप लगाते हैं कि मनु का स्त्रियों के प्रति बड़ा ही संकीर्ण, पक्षपातपूर्ण और निम्न दृष्टिकोण है। मनुस्मृति में कुछ ऐसे प्रक्षिप्त स्थल हैं जिनके कारण लोगों की यह धारणा बनी है, यथा — २।४१-४२ (६६-६७); ५।१४७, १४८, १५३-१६२, १६४, १६६; ९।२, ३, १४-२४, आदि।

(१) किन्तु प्रक्षिप्तों के अतिरिक्त मनुस्मृति के प्रसंग, विषय, शैली के अनुकूल ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि मनु ने स्त्रियों को अत्यधिक सम्मान, श्रद्धा और उच्चता प्रदान की है। वे स्त्रियों को घर की स्वामिनी, गृहलक्ष्मी, देवी, गृहशोभा के विशेषणों से संबोधित करते हैं; और उन्हें घर के सुख का आधार मानते हैं। उनका सम्मान करने और उन्हें प्रसन्न रखने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ मनुस्मृति में प्राप्त श्लोकों के आधार पर मनु की उन धारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। निम्न श्लोकों में मनु द्वारा वर्णित स्त्रियों का उज्ज्वल, सम्माननीय और उच्चस्तरीय रूप द्रष्टव्य है —

(क) पिता, माई, पति आदि द्वारा स्त्रियों का सत्कार करना चाहिए —

(क) पितृभिः मातृभिश्चैता पूज्या भूषयितव्याश्च । (३।५५)

(ख) नारियों के सत्कार से दिव्यलाभों व दिव्यगुणों की प्राप्ति —

(ग) यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।

(ग) वस्त्रों, आभूषणों से नारियों को सदा सत्कृत रखें —

भस्मादेनाः सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशनैः । (३।५५)

(घ) नारी की प्रसन्नता में कुल का कल्याण निहित है —

सन्नुल्लो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या नयेद्य न ।

यस्मिन्नेव कृते निर्य्य कल्याणं नत्र वै क्षुब्धम् ॥ (३।६०)

(ङ.) स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश —

शोचन्ति तामयो यत्र त्रिदिव्यास्तु नन्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तद्दि सर्वदा ।।

५७ ।। (३७) (३।५७)

(च) स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी और शोभा हैं —

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः प्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ।। (१।२५)

(छ) स्त्रियाँ घर के सुख का आधार हैं —

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

द्वाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ।। (१।२८)

(ज) स्त्रियाँ घर की स्वामिनी हैं —

अर्थस्य संग्रहे चोनां व्यये चैव नियोजयेत् ।

शौचे धर्मेऽन्नपक्वतां च परिणाह्यस्य वेक्षणे ।। (१।११)

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ।। (५।१५०)

(२) मनु स्त्री और पुरुष में न तो कोई पक्षपातपूर्ण अन्तर करते हैं, न स्त्री के पुरुष की दासी या अधीनता में बंधी रहने वाली मानते हैं । वे दोनों को ही एक-दूसरे की भावनाओं का समान रूप से आदर करने वाली बातें कहते हैं; अपितु स्त्रियों को अधिक आदरपूर्वक रखने की बातें कहते हैं । नीचे कुछ श्लोक प्रमाणरूप में दिये जा रहे हैं, जिनसे इन बातों की पुष्टि होती है कि (अ) मनु की स्त्रियों के प्रति पक्षपातपूर्ण, दमनात्मक, अस्वतन्त्रतापूर्वक रखने की भावना नहीं है, अपितु समानता की भावना है ।

स्त्रियों पर बन्धन डालकर रखने की प्रवृत्ति की व्यर्थता का कथन और स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने विवेक से ही अपने आचरण को बनाने का समर्थन —

(क) स्त्री को कोई भी दमनपूर्वक नहीं रख सकता —

न कश्चिद् योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् । (१।१०)

(ख) स्त्री स्वयं अपनी रक्षा करने से सुरक्षित हो सकती है —

अरक्षिता गृहे रुद्धा पुरुषैराप्तकारिभिः ।

आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ।। (१।१२)

(३) बिना किसी पक्षपात के, स्त्री-पुरुष दोनों को समानस्तर का मानते हुए मनु ने स्त्री-पुरुषों को ऐसे सुझाव दिये हैं, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण अधीन रहने की मान्यता स्वतः खण्डित हो जाती है —

(क) स्त्री-पुरुष मिलकर रहें —

अन्योन्यस्य अव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः ।

एवः धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ।। (१।१०१)

(ख) स्त्री-पुरुष कभी न विछुड़ें —

तथा नित्यं यत्नेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ ।

यथा नाभिचरेतां तौ विद्युक्तौ इतरेतरम् ।। (१।१०२)

(ग) स्त्री-पुरुष समान हैं, अतः सभी कार्य मिलकर करें

प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः ।

तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतो पत्न्या सहोदितः ॥

(९।९६)

इन मान्यताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि १४७-१४८ श्लोकों में जो दमनात्मक आग्रह से प्रेरित होकर आज्ञा दी है। यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती। यह मनु की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है।

(४) मनु ने स्त्रियों को कहीं भी हीनभावना से नहीं देखा है, अपितु कहीं-कहीं तो पुरुषों से बढ़कर उन्हें सम्मान दिया है। कुछ उदाहरण देखिए —

(क) स्त्री के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए —

“स्त्रियाः पन्था देयः” [२।११३ (२।१३८)] ।

(ख) पत्नी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए —

“भार्यया ... विवादं न समाचरेत्” [४।१८०] ।

(ग) पत्नी आदि पर झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न अपशब्द कहने चाहिए। यदि कोई ऐसा करे तो वह दण्डनीय है — “मातरं पितरं जायाम् ... आक्षारयन् शतं दण्ड्यः” [८।१८०] ।

(ख) स्त्रियों को वेदाध्ययन एवं यज्ञोपवीत का अधिकार मनुसम्मत —

कुछ श्लोकों में स्त्रियों के लिए गुरुकुलवास, वेदाध्ययन, मन्त्रपूर्वक क्रियाओं का निषेध मिलता है; यथा २।४१-४२ (६६-६७) ९।१८ आदि। ये सभी प्रक्षिप्त हैं। अन्य अनेक स्थलों पर यहाँ तक कि स्वयं वेद में भी स्त्रियों के लिए सभी धार्मिक कार्यों और वेदाध्ययन का विधान है।

(१) मनु प्रत्येक धर्मकार्य में स्त्री-पुरुष का समान अधिकार समझते हैं। २।४ [२।२९] श्लोक में जातकर्म के अवसर पर बालक के लिए चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र, दोनों के ही लिए मन्त्रोच्चारणपूर्वक शहद चटाने का विधान है “मन्त्रवत् प्राशनं चास्य” । इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि मनु मन्त्रोच्चारण या ऋचण आदि कार्यों में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं करते। इसी प्रकार नामकरण आदि भी यज्ञ और मन्त्रपूर्वक करने का विधान है [२।८] । इस प्रकार ४१ वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मन्त्रों के निषेध का विधान इस मान्यता के विरुद्ध है।

(२) इसी प्रकार ३।२८ में अग्निहोत्रपूर्वक स्त्रियों का दैवविवाह करने का विधान किया है। अग्निहोत्र में मन्त्रोच्चारण हुआ ही करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनु स्त्रियों की क्रियाएँ मन्त्ररहित नहीं मानते। स्त्रियों की अन्त्येष्टि भी अग्निहोत्र से विहित है [५।१६७], विवाह भी स्वस्तिमन्त्रपूर्वक यज्ञ से विहित है [५।१५२] । ४१ वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाओं का विधान इस विधान के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

(३) मनु ने घर में अग्निहोत्र आदि धर्मकार्यों के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री को ही सौंपी है और यह आदेश दिया कि पुरुष को प्रत्येक धर्मकार्य स्त्री को साथ लेकर करना चाहिए — (क) “शौचे धर्मे अन्नपक्वार्था च” (घर की शुद्धि, धर्मकार्यों का आयोजन और भोजन बनाना आदि की

हिम्वेदारी स्त्री को सौते) [१।११] (ख) "अपत्यं धर्मकार्याणि" [१।२८] (सन्तानोत्पत्ति और उनका पालन, अग्निहोत्र आदि धर्मकार्य स्त्री के अधीन होते हैं) । (ग) "सस्मात् साधारणो धर्मः श्रुतो पत्न्या सहोदितः" [१।९६] (साधारण से साधारण धर्मकार्य में भी पत्नी को सम्मिलित करना चाहिए) । इसी प्रकार २।१-३ [२।२६-२८] श्लोकों में मनु ने संस्कारों को सभी के लिए समान रूप से आवश्यक मानते हुए शारीरिक एवं संस्कार-सम्बन्धी दोनों को हटाने वाला कहा है । यहाँ स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं माना । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं — एक तो यह कि सभी संस्कार मन्त्रपूर्वक होते हैं । अतः चाहे वह संस्कार स्त्री का हो अथवा पुरुष का, मन्त्रपूर्वक ही करना चाहिए । दूसरी यह कि संस्कार, द्विजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक हैं, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष । इन दोनों श्लोकों में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाओं का विधान, विवाह को ही उपनयन संस्कार मानना, पतिसेवा को ही ब्रह्मचर्याश्रम मानना घर के कामों को ही अग्निहोत्र मानना, उक्त विधानों के विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त हैं ।

(४) स्त्रियों के वेदाध्ययन में स्वयं वेदों के प्रमाण — इन श्लोकों में स्त्रियों के लिए वेदमन्त्रों का उच्चारण न करने आदि का कथन है । अतः यहाँ यह विचार कर लेना भी उपयोगी रहेगा कि इस विषय में स्वयं वेद क्या कहते हैं ।

(क) वेदों में सभी के लिए वेदवाणी का विधान है — "यथेमा वाचं कल्याणीम् आवदानि जनेभ्यः ; । ब्रह्मराज्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय" (यजु. २६।२) अर्थात् — "परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिए (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो (ब्रह्मराज्याभ्याम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने मृत्यु या स्त्रियाँ आदि (अरणाय) और अतिशूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है ।" [स. प्र. ७४] ।

(ख) इसी प्रकार अथर्ववेद में "ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्" [६।५।१८] अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर वेदों को पढ़ने और ब्रह्मचर्य को पालन करने के उपरान्त गृहस्थ की कामना करने वाली कन्या युवक पति का वरण करती है ।

(ग) स्त्रियों के उपनयन में ऋगु. १०।१०९।४ मन्त्र भी प्रमाण है — "भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता" — इन प्रमाणों में स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्याश्रम, गुहकुलवास आदि विधान सिद्ध होते हैं ।

(घ) वैदिक काल के इतिहास पर यदि दृष्टि डालकर देखें तो उससे भी स्त्रियों के लिए मन्त्रनिषेध आदि की बातें सिद्ध नहीं होतीं । ऐसी बहुत-सी ऋषिकाएँ हुई हैं जो मंत्रद्रष्टा थीं । जिन-जिन सूक्तों के मन्त्रों का उन्होंने अर्थ-रहस्य जाना, उन सूक्तों पर उनके नाम ऋषि के रूप में आज भी उपलब्ध है । अकेले ऋग्वेद में ही इस प्रकार की लगभग ३० ऋषिकाओं के नाम आते हैं । उनमें अदिति, उहू, इन्द्राणी, घोषा, गोघा, अपाला, रोमशा, लोपामुद्रा आदि उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय हैं । इसी प्रकार उपनिषदों में गार्गी, मैत्रेयी ब्रह्मतत्त्वज्ञाता देवियों का वर्णन आता है । मनु ने अपनी स्मृति को वेदानुकूल और वेदाधारित माना है [१।१२५-१३२ (२।६-१३) ; १२।९४, ९५ २७, ९९, १०९, ११२, ११३ आदि] । अतः स्वयं वेद में विहित इन मान्यताओं के विरुद्ध होने से उपर्युक्त आक्षेप मान्य नहीं है ।

६. शूद्र के विषय में मनु की धारणा —

(१) शूद्र अस्पृश्य नहीं — मनु ने शूद्र का कर्तव्य द्विजातियों की सेवा करना बताया है [१।११]। इसी कर्तव्यनिर्धारण से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि मनु शूद्र को अस्पृश्य या घृणास्पद नहीं मानते।

(२) वस्तुतः जो व्यक्ति पढ़-लिख नहीं पाता और ऊपर के किसी वर्ण के योग्य नहीं होता वही शूद्र कहलाता है। इसी कारण २।१२६ में अज्ञानता के प्रतीकरूप में शूद्र की उपमा दी है — “यथा शूद्रस्तथैव सः”।

(३) शूद्र को धर्मपालन का अधिकार — शूद्र को धर्मपालन का अधिकार है। २।२१३ (२३९) में “अन्यादपि परं धर्मम्” कहकर शूद्र आदि से भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को कहा है।

(४) शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार — शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार भी है। यह स्वयं यजु. २६।२ “यथेमा वाचं कथ्यामीम् . . . शूद्राय चार्याय च” से संकेत मिलता है। इसकी व्याख्या पिछले ‘स्त्री-वेदाध्ययन’ सम्बन्धी प्रसंग में की जा चुकी है। वहाँ द्रष्टव्य है।

(५) वेदों में शूद्र को यज्ञ आदि का विधान — ऋक्. १०।५३।४-५ में “पञ्चजनाः ममहोत्रं जुषध्वम्” कहकर शूद्र को भी यज्ञ करने का आदेश है। निरुक्त ३।२।७-में “पञ्चजनाः” की व्याख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निरुमिषभोजी निषाद की गणना की है। इस पर विस्तृत विवेचन ‘कर्मणा वर्णव्यवस्था’ विषय में किया जा चुका है।

(६) मनुस्मृति में कहीं-कहीं शूद्र के प्रति घृणा, आक्रोश, असम्मान प्रकट करने वाले वर्णन हैं। ये सभी वर्णन परवर्ती प्रक्षेप हैं। मनु की यह शैली है कि वे अचर्मी, पापी या दोषी व्यक्ति को छोड़कर किसी के प्रति आक्रोश का भाव प्रकट नहीं करते। प्रत्येक विधान सहज और निर्लिप्त भाव से करते हैं। यथा, १।१९१ का विधान सहज वर्णन है। मनु ने निम्न श्लोक में द्विजों को भी यह आदेश दिया है कि वह वृद्ध शूद्र का सम्मान पहले करें —

“सोऽत्र मानार्हः शूद्रोऽपि दशमीं गतः” [२।११२ (१३७)]

(७) शूद्र पवित्र है और उत्कृष्ट वर्ण प्राप्त कर सकता है —

शुचिरुत्कृष्टशुश्रुर्मुदुवागनहंकृतः ।

ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥ (९।३३५।)

(शुचिः) शूद्र-पवित्र [शरीर एवं मन से], (उत्कृष्टशुश्रूः) अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला, (मुदुवाक) मधुरभाषी (अनहंकृतः) अहंकार से रहित (नित्यं ब्राह्मण + आदि-आश्रयः) सदा ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न शूद्र भी (उत्कृष्टां जातिम् + अश्नुते) उत्तम ब्रह्मजन्मान्तर्गत द्विजवर्ण को प्राप्त कर लेता है ॥

इस श्लोक के वर्णन से मनु की शूद्र के प्रति यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को हीन नहीं मानते अपितु पवित्र, उत्कृष्ट और उत्तम कर्मों से उच्चवर्ण प्राप्त करने का अधिकारी मानते हैं। यह मान्यता १०।६५ में भी वर्णित है।

(८) उपनयन प्रसंग २।११-१४ (३६-३९) में कहीं भी शूद्र के लिए उपनयन का निषेध नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। शूद्र कुल में उत्पन्न बालक भी द्विज वर्णों में उपनयन करा सकता है।

इस संक्षिप्त विवेचन से श्रद्धा के प्रति मनु की धार स्पष्ट हो जाती है। इस विषयक कुछ विवेचन 'मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था' मान्यता शीर्षक में भी द्रष्टव्य है।

(७) स्वर्ग और नरक —

(क) स्वर्ग या स्वर्गलोक से मनु का अभिप्राय — मनु इस संसार से भिन्न कोई स्वर्ग या नरकलोक नहीं मानते। सुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है और दुःख की प्राप्ति का नाम नरक है, जो इसी संसार में, जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। इसमें प्रमाण है —

(१) मनु ने 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग इहसुख और मोक्षसुख दोनों सुखों के लिए किया है। ३।७९ श्लोक में अक्षय सुख अर्थात् मोक्ष के लिए 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग है और उसके पर्यायवाची रूप में इहसुख के लिए 'सुख' का प्रयोग है।

(२) सुख के अर्थ या पर्यायवाची रूप में अन्यत्र भी स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया है —

(क) "अस्वार्थं चातिमोजनम् ।" २।३२ [२।५७]

(ख) "दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ।" (१।२८।।)

(ग) "स्वर्ग-आयुष्य-यशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ।" (४।१३।।)

(३) अक्षय सुख अर्थात् मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग —

(क) ३।७९ श्लोक में "स्वर्गमक्षयमिच्छताम्" ।

(ख) इदमन्विच्छतां स्वर्गम्, इदमानन्त्यमिच्छताम् ।" (६।८४।।)

(४) मनु ने १२।९, ३९-५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों का वर्णन किया है। उस प्रसंग में स्वर्गलोक या स्वर्गयोनि विशेष का कोई उल्लेख नहीं है।

(५) व्याकरण शास्त्रानुसार 'स्वर्ग' शब्द 'स्वर्' उपपद में 'गन्तु-गतौ' धातु से 'ङ' प्रकरणोऽन्त्येष्वपि दुष्यते अ. ३।२४८ वार्तिकसूत्र से 'ङः' प्रत्यय के योग से बनता है। गति के ज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं। 'स्वः' सुख का अनुभव होना, सुख में प्रविष्ट होना, सुख की प्राप्ति होना ही स्वर्ग अर्थात् सुख है।

(६) इसी प्रकार 'स्वर्गलोक' का अर्थ है। 'लोक दर्शने' धातु से लोक शब्द बनता है जिसका अर्थ 'स्थान' है। जहाँ स्वर्ग प्राप्त होता है — सुख प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक है।

(ख) नरक की कल्पना मनुविरुद्ध — ४।८१, ८७-९१ श्लोकों में इक्कीस नरक योनियों की गणना है और अक्षत्रिय राजा से दान लेने वाले को इन योनियों की प्राप्ति बतलायी है। मनु के मत में 'नरक' नाम की कोई योनि या स्थान विशेष नहीं है। यह मान्यता निम्न प्रमाणों के आधार पर मनुविरुद्ध और प्रक्षिप्त सिद्ध होती है —

(१) नरक शब्द स्वर्ग का विपरीतार्थक है। मनु ने २।३२ [२।५७] में सुख और ३।७९ में स्वर्ग शब्द का प्रयोग सुख और 'अक्षय सुख' के लिए किया है और १।२८ में "दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह" कहकर 'वर्तमान जीवन के सुख' के अर्थ में किया है। इससे स्पष्ट है कि स्वर्ग के विपरीतार्थक शब्द 'नरक' का अर्थ कोई योनि या स्थानविशेष नहीं, अपितु दुःख ही है। निरुक्त में महर्षि यास्क ने भी 'नरक' शब्द की इसी रूप में निरुक्ति की है — "नरकं न्यरकं नीचैर्गमनम् इति वा" अर्थात् दुःख, अपःपतन या अवनति का नाम

नरक है [निरुक्त १।३।११] ।

(२) मनु ने मृत्यु के उपरान्त जीव की केवल दो अवस्थाएं मानी हैं — एक तो संसार में स्यावर-जंगम योनियों में जन्म [६।६३, ७४, १२।९, ३९-५२] या ब्रह्मप्राप्ति [४।१४९; ६।८१ १२।११६, १२५] । इससे भी यही स्पष्ट है कि मनु के मत में नरक नाम की कोई पृथक् योनि या स्थान नहीं है ।

(३) मनु ने १२।९, ३९ से ५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों की गणना की है । इस गणना में नरकयोनि का उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता है कि मनु 'नरक' को नहीं मानते । १२।५२, ७४, ८१, श्लोकों में तो मनु ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त किया है कि व्यक्त कर्मों के अनुसार पूर्वोक्त योनियों में ही शरीर-धारण करके इसी संसार में सुख-दुःख भोगता है । अतः नरकों की कल्पना मनुविरुद्ध है ।

८. प्रेतशुद्धि आदि का आडम्बर मनुविहित नहीं —

प्रेतशुद्धि, सूतकशुद्धि के नाम पर कुछ लोगों ने एक आडम्बर खड़ा कर दिया है । अशुद्धि को दूर करने का सीधा-सा मतलब इतना ही है कि प्रेत, सूतक या किसी भी अन्य अशुद्धि से सम्पर्क होने पर जल आदि से शरीर की शुद्धि होती है और मन की अशान्ति रूपी अशुद्धि, जप आदि से दूर होती है [५।१०५, १०७, १०९] । बिना सम्पर्क के, दूर बैठे अशुद्धि मानना कोरा आडम्बर और अयुक्तियुक्त है । प्रेतशुद्धि और सूतकशुद्धि आदि के आडम्बर का विधान करने वाला प्रसंग ५।५८-१०४ तक है । यह प्रसंग विभिन्न आधारों के अनुसार विषय, प्रसंग और शैली के विपरीत तथा मनुविहित सिद्ध न होकर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है उसके विश्लेषण से ये निष्कर्ष सामने आते हैं —

(१) प्रस्तुत विषय के प्रारम्भ का संकेत देने वाला श्लोक ५।५७ वां है और समाप्ति का संकेत देने वाला श्लोक ५।११० वां है । इन श्लोकों में दिये गये 'देहशुद्धिम् प्रवक्ष्यामि' 'एष शौचस्य वः प्रोक्तः शरीरस्य विनिर्णयः' संकेतों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि यह 'शरीर और शरीर से सम्बन्धित मन, बुद्धि, आत्मा आदि की शुद्धि' को कहने का विषय है [इसकी पुष्टि के लिए ५।५७ की समीक्षा भी पढ़िये] ।

इस आधार पर इस विषय में वही श्लोक मौलिक माने जा सकते हैं जो इस विषयसंकेत से सम्बद्ध हों । अपने संकेत के अनुसार ही मनु ने १०५-१०६ श्लोकों में पहले भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों की गणना की है, फिर, १०९ में अशुद्ध शरीर की 'अदिभः गात्राणि शुद्ध्यन्ति' कहकर शुद्धि होना कहा है । क्रोध, लालच, ब्रह्मार्चरण आदि से मनुष्य के मन, बुद्धि, आत्मा आदि भी अशुद्ध हो जाते हैं, संकेतानुरूप, शरीरसम्बन्धी इन अवयवों की शुद्धि भी कह दी है । इस प्रकार १०५ से ११० श्लोक विषयानुरूप हैं । इस बीच में ५८ से १०४ तक जितने श्लोक हैं, इनमें शरीर की शुद्धि का वर्णन न होकर आशौच मनाने की अवधि, सपिण्ड एवं असपिण्डों के आशौच की विधि, सूतक-अशुद्धि, परदेश में रहने वालों की अशुद्धि आदि का वर्णन है, जो विषयविरुद्ध है ।

(२) उपर्युक्त विषय का संकेत देने वाले श्लोकों के आधार पर मनु की एक मान्यता भी बन जाती है कि वे 'अशुद्धि के सम्पर्क से शरीरादि की अशुद्धि होना' ही मानते हैं और उसकी शुद्धि का उपाय है — 'अदिभः गात्राणि शुद्ध्यन्ति' [१०९] अर्थात् 'शरीर की शुद्धि जलों से होती है' आदि । ५८ से १०४ श्लोकों में जो भी कुछ वर्णित है वह मनु की इस मान्यता के विरुद्ध है और न इससे तालमेल खाती है — (क) ५८ से ६० श्लोक, जिनमें सपिण्ड-असपिण्ड के भेद से प्रेतशुद्धि

और अशुद्धि मानने की १-१० दिन तक ही चार अवधि दर्शाकर उसके एक 'धार्मिककृत्य' के रूप में वर्णित किया है, वे मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं। क्योंकि मनु केवल शरीर की अशुद्धि मानते हैं और यह सपिण्ड और असपिण्ड सबको समान रूप से होती है तथा उसकी अनेक दिनों की अवधि नहीं होती। शरीर अशुद्ध हुआ तो जल से धोने से वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार इन श्लोकों की व्यवस्था मनु सम्मत ही सिद्ध नहीं होती, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। शेष श्लोक इन पर आधारित हैं, अतः आधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर वे स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे। (ख) ७४, से ८४ श्लोकों में परदेश में रहने वालों की शुद्धि कहना भी मनुविरुद्ध है। जब किसी अशुद्धि का सम्पर्क ही नहीं हुआ तो फिर उनके शरीर की अशुद्धि ही कहाँ हुई? (ग) ८५-८७, १०३ श्लोकों में शुद्ध को अस्पृश्य अर्थात् अपवित्र माना है। मनु ऐसा नहीं मानते। वे शुद्ध को शुचिः अर्थात् 'पवित्र' मानते हैं [१।३३५]। अतः इन श्लोकों की मान्यता मनुविरुद्ध है।

(३) ५८ से १०४ श्लोकों की मान्यता है — 'सपिण्ड, असपिण्ड के भेद से चार अवधियों के [५८-६०] अनुसार 'शुद्धि मनाना'। यह अयुक्तियुक्त वर्णन है, क्योंकि मृतक के सम्पर्क से यदि शरीर की अशुद्धि मानी गयी है तो वह सपिण्ड-असपिण्डों की समान होगी और उसकी शुद्धि जल से हो जायेगी। इसके लिए न तो अवधि की कोई सार्थकता है और न सपिण्ड-असपिण्ड का भेद ही बनता है। यदि मानसिक अशुद्धि अर्थात् मन का शोक मानने की बात है, तो मन के शोक के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं हो सकती और न ही इस अवधि में सबकी वह दूर हो सकती है। अतः यह व्यवस्था ही अयुक्तियुक्त है। मनु की व्यवस्थाएँ युक्ति-युक्त होती हैं। इस विरोध के आधार पर भी ये श्लोक मनुसम्मत नहीं माने जा सकते।

(४) प्रसंगविरोध के आधार पर यदि इन श्लोकों को परखें तो ये सभी प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होते हैं। ५७ वें और ११० वें श्लोक में 'शरीर और शरीर-सम्बन्धी अवयवों' की अशुद्धि की शुद्धि ध्यान करने का संकेत है। उनके अनुसार इस प्रसंग का क्रम इस प्रकार बनता है —

(क) शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि कहने के विषय का संकेत [५७] —

(ख) फिर १०५ में भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों का पारंगणन —

(ग) फिर शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी शुद्धियों का वर्णन [१०६-१०९], जो कि सर्व-सामान्य विधि के रूप में भावगाम्भीर्य से युक्त संक्षिप्त वर्णन है। इसमें शरीर-सम्बन्धी आत्मा, मन, बुद्धि, चरित्र की शुद्धि का उल्लेख है।

इस प्रकार मनु की मान्यता एवं विषय-संकेत [५७ तथा ११०] के अनुसार यह एक संगत क्रम बनता है। ५८ से १०४ श्लोकों ने उस क्रम को ही मंग कर दिया है और शरीरादि की शुद्धि से भिन्न अशुद्धि को 'धार्मिककृत्य' के रूप में मनाने की एक पृथक् पूर्वापर प्रसंग से भिन्न ही व्यवस्था विहित की है। शुद्धि की बात कहने के लिए पहले शुद्धिकारक पदार्थों का उल्लेख ही प्रासंगिक बनता है। इस आधार पर ५७ के बाद १०५ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध सिद्ध होता है। शेष बीच के सभी श्लोक प्रसंग-विरुद्ध प्रसंगभञ्जक होने के कारण प्रक्षिप्त हैं।

९. त्रेदविषयक अनध्याय या निर्धारित अवधि में त्रेदाध्ययन और उसका उत्सर्जन मनुसम्मत नहीं —

उक्त विधान करने वाले श्लोकों का प्रसंग ४।१५-१२७ में आता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वेदों का अनध्याय करना, श्रावणी पर सीमाबद्ध वेदाध्ययन और उसका उत्सर्जन, शुक्लपक्ष और कृष्ण पक्ष में वेद और वेदांगों के अध्ययन का विमाजन आदि बातें, मनु की मूलभावना, और शैली के अनुरूप नहीं है। इस प्रसंग के विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं —

(१) प्रतीत होता है कि वर्ष में साढ़े चार मास तक वेदाध्ययन करना, फिर उनका उत्सर्जन करना, बीच में विराम करना, शुक्ल पक्ष में वेदाध्ययन और कृष्ण पक्ष में वेदांगों का अध्ययन करना, ये व्यवस्थाएँ मनु से परवर्ती काल की हैं, जबकि मनुद्वारा विहित व्यवस्थाओं में शिथिलता आ गई थी। इन व्यवस्थाओं का मनुप्रोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता, अपितु विरोध आता है। यथा — (क) मनु ने 'वेदों का अध्ययन' सभी द्विजों का आवश्यक और नैतिक कर्म माना है [१-८७-९०]। यदि पूर्वोक्त कर्मों का पालन कोई द्विज नहीं करता तो वह अपने वर्ण से पतित हो जाता है। विशेषरूप से वेदाभ्यास को छोड़ने वाला द्विज शूद्रकोटि में गिना जाता है — "योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वं आशु गच्छति सान्वयः" [२।१४३ (१६८)] (ख) मनु ने वेदाध्ययन को नैतिक दिनचर्या कहा है और इस पवित्र कार्य में कमी अनध्याय नहीं माना है — "वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि" ॥ [२।८० (१०५)] "नैत्यके नास्त्यनाध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् । ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्याय वषट्कृतम्" ॥ [२।८१ (१०६)] (ग) नैतिक वेदाध्ययन के विधायक अन्य प्रमाण भी दृष्टव्य हैं —

(अ) यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः ।

तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु ॥

२।८२ ॥ (२।१०७)

(आ) आ हव स नस्त्राग्नेभ्यः परमं तप्यते तपः ।

यः स्त्रगव्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥

(२।१४२ [१६७])

इसी प्रकार ग्रहस्थों के व्रतों में भी स्पष्ट निर्देश है —

(इ) सर्वान् परिस्थजेदर्शान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।

यथातथाध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ (४।१७ ॥)

(ई) बुद्धिबुद्धिकराण्याश्च धन्यानि च हितानि च ।

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ (४।१९ ॥)

(उ) "स्वाध्याये चैव युक्तः स्यात् नित्यम्" (४।६४)

(ऊ) "स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्" (३।७५)

इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेदों का अध्ययन नित्यप्रति आवश्यक मानते हैं। मनु ने पाँच महायज्ञों का जो प्रतिदिन विधान किया है, उनमें 'ब्रह्मयज्ञ' संध्योपासना और वेदाध्ययन का ही नाम है। इस प्रकार के प्रमाण मनुस्मृति में पर्याप्त मिलते हैं।

१५-१२७ श्लोकों में साढ़े चार मास वेद पढ़ना, फिर उनका उत्सर्जन गाँव से बाहर करना, शुक्लपक्ष में वेद पढ़ना और कृष्णपक्ष में वेदांगों को पढ़ना आदि जो व्यवस्थायें दी गई हैं वे पूर्वमान्यताओं से तालमेल नहीं रखतीं और विरुद्ध भी हैं। जब प्रतिदिन ही वेद पढ़ने का विधान है तो फिर उनकी साढ़े चार मास तक पढ़ने के लिए प्रारम्भिक अनुष्ठान करना, फिर उत्सर्जन का अनुष्ठान करना आदि बातों का अवसर ही नहीं आता। अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इस प्रसंग में कुछ और भी अन्तर्विरोध हैं —

(२) १५, १०८ श्लोकों में शुद्ध के पास वेद न पढ़ने का विधान 'शुद्ध को वेद पढ़ने का विधान नहीं है' इस मान्यता पर आधारित है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है और वेदविरुद्ध भी (इसके विस्तृत ज्ञान के लिए २।१४४-१४९ (१६९-१७४) श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा देखिये, और इसी अध्याय में मान्यता संख्या ६ भी)।

(३) १०९-१११, ११७, १२४, श्लोकों में मृतकआद की मान्यता है। यह भी मनुविरुद्ध है [इसके लिए ३।११९-२८४ श्लोकों पर समीक्षा द्रष्टव्य है, और इसी अध्याय में मान्यता संख्या ३ भी]।

(४) ११२ में सूतक की मान्यता है। सूतक का वर्णन मनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होता [इसके लिए द्रष्टव्य है ५।५८-१०४ श्लोकों पर 'विषयविरोध' शीर्षक समीक्षा क्योंकि सूतकविधान इसी प्रसंग के ६१-६२ श्लोकों में आता है]।

(५) ११३ वें श्लोक में संध्याकालों में वेद न पढ़ने का कथन है, जबकि पाँचयज्ञों का विधान और संध्योपासना का विधान संध्याकालों में ही किया है [२।७६-७८ (१०१-१०३), १५१ (१७६), ४।९२-९४]।

(६) ११३-११४ वें श्लोकों में पर्षदिनों में वेदाध्ययन निषिद्ध है, जबकि ४।२५; ६।९ में इन पर्वों के दिन विशेषयज्ञों को रचाने का विधान है और यज्ञ वेदमन्त्रों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं।

(७) ११६ वें श्लोक में श्मशान में वेद न पढ़ने का कथन है जबकि ५।१६७ में अन्त्येष्टि कर्म यज्ञसम्पादन द्वारा विहित है और यज्ञ में वेदमन्त्रों का उच्चारण होता है।

(८) ११२ वें में मांसभक्षण का वर्णन मनुविरुद्ध है [द्रष्टव्य-४।१६२-२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा और इसी अध्याय में मान्यता संख्या २ भी]।

(९) १२३-१२५ श्लोकों में वेदों की ध्वनियों का परस्पर विरोध दर्शाना मनु के २।७६-७८ [५१-५३] श्लोकों के विरुद्ध है। जब तीनों से एक-एक पाद निकालकर बनाया गया गायत्रीमन्त्र एक साथ उच्चारित किया जा सकता है तो वेदों की ध्वनि में क्या आपत्ति है? मनु-अनुसार सभी वेद ईश्वरप्रोक्त हैं।

(१०) १०१ से १२६ श्लोकों में वेदों के अनध्यायों का विधान ही मनु के २।७९-८१ [१०४-१०६] के विरुद्ध है। इन श्लोकों में मनु ने वेदाध्ययन में अनध्याय का निषेध किया है। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर १५ से १२७ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. विषयविरोध — (१) १०१ से १२७ श्लोक विषयबाह्य हैं। इनका 'संतोगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ये व्रत हैं। अतः प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४।३३-३४ पर द्रष्टव्य]।

(२) वे श्लोक इसलिए भी विषयविरुद्ध हैं क्योंकि शिष्यों को वेदाध्यापन का विषय द्वितीय अध्याय का है [२।४४-४८ (६९-७३), १३९ (१६४), १४०-१४१ (१६५-१६६), ३।१-२]। यहाँ गृहस्थियों के व्रतों का विषय है [४।१३]। अतः इस स्थान पर शिष्यों के अध्यापन-

अनध्यापन, अध्याय-अनध्याय का वर्णन विषयविरुद्ध है। यह द्वितीय अध्याय में ही संगत कहा जा सकता था।

३. वेदविरोध — ९९, १०८ श्लोकों की शूद्र के पास वेद न पढ़ने की मान्यता स्वयं वेदविरुद्ध है। वेद में शूद्र को यज्ञ करने और मन्त्रश्रवण का विधान है। प्रमाणार्थ द्रष्टव्य २।४२ और ९।३३५ की 'वेदविरोध' शीर्षक समीक्षाएँ और इसी अध्याय में मान्यता संख्या ६ भी।

४. शैलीगत आधार — (१) इस प्रसंग के १०३ वे श्लोक में 'मनुरब्रवीत्' पद से स्पष्टतः यह मनुभिन्न व्यक्ति द्वारा प्रोक्त सिद्ध होता है। (२) इस प्रसंग के १०१ से १२७ श्लोकों की शैली रुढ़ि पर आधारित है। ११४ व १२४ की शैली अयुक्तियुक्त है।

१०. प्रायश्चित्त का अर्थ, उद्देश्य एवं फल —

'प्रायश्चित्त' शब्द प्राय-चित् पदों से समास में 'पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम्' (अष्टा. ६।१।१५७) से सुट आगम के योग से सिद्ध हुआ है। तपादि साधनपूर्वकं किल्बिषनिवारणार्थं चित्तम्=निश्चयम्, प्रायश्चित्तम्'। जब व्यक्ति किसी निन्दनीय या अकर्तव्य कार्य को करके मन में उसके करने के प्रति खिन्नता अनुभव करता है, तब वह उसके दण्ड रूप में स्वयं तप = कष्टसहन करता हुआ यह निश्चय करता है कि पुनः मैं यह पाप नहीं करूंगा। यह प्रायश्चित्त कहलाता है। ऐसा करने से मन में खिन्नता का भार नहीं रहता। जैसे कोई व्यक्ति किसी को अचानक गलत बात कह जाये और कहने के बाद उसे दुःख अनुभव हो तो वह खेद प्रकट करता है। इससे उसके मन में खिन्नता नहीं रहती और आगे वैसा न करने के लिए सावधान हो जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित्त से पाप क्षीण नहीं होता अपितु पाप-भावना क्षीण होती है प्रायश्चित्त करने वाला व्यक्ति किये हुए पाप-कर्म पर पश्चात्ताप का अनुभव करता है उसके दण्ड के रूप में तपश्चरण करता है। वह उस पाप को न करने के लिए निश्चय करता है और सावधान रहता है [११।२२५-२३०]। इस प्रकार प्रायश्चित्त से मनुष्य की पापवृद्धि रुक जाती है और वह धर्म की ओर उन्मुख होता जाता है।

यही मान्यता प्रायश्चित्त की परिभाषा वाले ११।२३० और ११।२३२ श्लोकों से सिद्ध होती है। और, दूसरा मनु का प्रमाण यह है कि मनु किये हुए अधर्म के फल को किसी अवस्था में निष्फल नहीं मानते —

''न त्वेव कृतो ऽधर्मः कर्तुर्मवान्ति निष्फलः ।'' (४।१७३।।)

इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीकाओं में जहाँ जिस श्लोक पर 'पाप से छूट जाना' आदि मान्यता वाले अर्थ किये हैं, वे मनुसम्मत नहीं हैं।

११. दायभाग का वितरण —

मनु ने दायभाग में पुत्र, पुत्री, पिता, माता सभी का अधिकार माना है। माता-पिता के जीवित रहते सारी सम्पत्ति उनकी रहती है। पुत्र उसे बँटा नहीं सकते [९।१०४]। हाँ, यदि पिता चाह तो अपने जीते जी अपनी सम्पत्ति को सन्तानों में बाँट सकता है। मातापिता की मृत्यु के उपरान्त दायभाग के वंशद्वारे के कई विकल्प विहित हैं। सभी पुत्र मिलकर जिस प्रकार सहमत हों, उसी

विधि को अपना सकते हैं। यथा —

१. सभी भाई मिलकर पैतृक सम्पत्ति को बराबर-बराबर बांट लें [९।१०४]।
२. अथवा इकट्ठे रहना चाहें तो ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति को ग्रहण कर ले। वह छोटे भाइयों के साथ माता-पिता के समान कर्त्तव्यों को निभाकर उनका पालन-पोषण करे। छोटे भी उसको माता-पिता के समान आदर दें [९।१०५]। कर्त्तव्य न निभाने पर बड़ा भाई दण्डनीय होता है, [९।१२३] और बड़े के स्थान पर आदरणीय नहीं होता [९।११०]।

३. बड़े भाई की छत्रछाया में रहकर यदि बाद में भाई अलग होना चाहें तो पैतृक धन का विभाजन इस प्रकार होगा — कुलधन में से बड़े को धन का बीसवां भाग अतिरिक्त मिलेगा, मध्यम को उससे आधा, छोटे को चौथाई। यह उद्धारभाग कहलाता है [९।११२]।

सम्पत्ति के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है — मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति ९६० रुपये है। उसमें बड़े भाई का बीसवां भाग $(९६० \div २० = ४८)$ ४८ रु. 'उद्धार' निकलेगा, मझले भाई का बालीसवां भाग $(९६० \div ४० = २४)$ २४ रु. होगा, छोटे भाई का अस्सीवां भाग $(९६० \div ८० = १२)$ १२ रु. 'उद्धार' होगा। 'उद्धार' का 'धन' बंटने के बाद शेष को सभी भाई बराबर बांट लेंगे, यथा — $४८ + २४ + १२ = ८४$, $९६० - ८४ = ८७६$, $८७६ \div ३ = २९२$, इस प्रकार २९२-२९२ रु. प्रत्येक के हिस्से में आये। इस विधि से बड़े भाई को $२९२ + ४८ = ३४०$ रु., उसमें मझले भाई को $२९२ + २४ = ३१६$ रु., छोटे भाई को $२९२ + १२ = ३०४$ रु. प्राप्त हुए। यह उद्धारभाग बड़ों को तभी मिलेगा जब वे अपने छोटे भाइयों का पितृवत् पालन करेंगे।

उद्धार-भाग का विधान क्यों? ९।१०४ में पैतृक सम्पत्ति का समान विभाजन बतलाया है। इस श्लोक में उद्धार अंश के विभाजन के बाद समान-भाग का विभाजन है। यह विरोध प्रतीत होता है, किन्तु विरोध है नहीं। यह वर्णन विभाजन के द्वितीय विकल्प [१०५] के प्रसंगान्तर्गत है। यह तभी प्राप्त होता है जब बड़े भाई अपने से छोटों का पालन-पोषण करें। सम्मिलित रहत हुए पिता के समान छोटों के निर्माण में श्रम करें। इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े को अलग होते समय यह अधिक भाग मिलता है क्योंकि उसने छोटों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाये होते हैं।

इस उद्धारभाग को निकालने के बाद शेष बचे धन को बराबर-बराबर बांट लिया जाता है। [९।११६]

४. अथवा उद्धार भाग न निकालें तो बड़ा भाई दो भाग सम्पत्ति ले, मध्यम डेढ़ और छोटा एक भाग ग्रहण करे। [९।११७]।

५. सभी भाई, बहनों को अपने-अपने भाग में से चतुर्थांश दायभाग प्रदान करें [९।११८]। माता का जो निजी धन होता है, उस पर कुमारी लड़कियों का ही अधिकार होता है। [९।१३१]। माता की मृत्यु पर माता के अधिकार में स्थित धन को सभी पुत्र और विवाहित पुत्रियाँ बराबर बांट लें [९।१९२] यह धन छह प्रकार का होता है—स्त्रीधन का विवरण मनु ने ९।१९४-१९७ में दिया है—(१) अर्घ्यग्नि = विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया धन, (२) अधि-आवाहनिकम् = पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त धन, (३) प्रीतिकर्म में प्राप्त धन = प्रसन्नता आदि के अवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन, (४) कन्या को भाई से प्राप्त धन, (५) पिता से प्राप्त धन, (६) माता से प्राप्त धन।

६. अपुत्रवान् पिता-माता की दायभागीय सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारिणी उसकी कन्या ही होगी।

वह सम्पत्ति अन्य किसी को नहीं दी जा सकती [९।१३०]।

७. अपुत्रवान् रहने पर पुत्री के पुत्र अर्थात् धेवते को गोद लेकर उसे भी सम्पूर्ण दायभाग दिया जा सकता है। यदि इसके बाद किसी दम्पती को पुत्र प्राप्त हो जाता है तो धेवते और पुत्र को समान भाग मिल जायेगा [९।१३१, १३४]।

८. नपुंसक, जन्म से अंधे, बहरे, पागल, वज्रमूर्ख और गूंगे, किसी इन्द्रिय से पूर्ण विकलांग होने के कारण असमर्थ पुत्र, ये धन के भागी नहीं होते। अन्य माई इनके धन का संरक्षण करते हुए इनका पूर्ण पालन-पोषण करें। हाँ, यदि ये विवाह कर लें तो इनके पुत्र अपने पिता के उस धन के अधिकारी हैं [९।२०१-२०३]।

९. जूआ, चोरी, डाका, आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्त व्यक्ति दायभाग से वंचित हो जाते हैं [९।२१४]।

१२. मनुस्मृति में विवाह की आयु—

कुछ लोग मनुस्मृति के निम्न श्लोक के आधार पर मनुस्मृति में बालविवाह या अल्पायुविवाह की मान्यता को स्वीकार करते हैं। वस्तुतः यह उस समय का परवर्ती श्लोक है, जब युद्धों, अराजकता आदि कारणों से कन्याओं की सुरक्षा चिन्ताजनक बन गयी थी। उस मय या चिन्ता को दूर करने के लिए शास्त्रों में इस प्रकार के विधान ही कर दिये गये—

त्रिंशद्वर्षोद्धेत्कन्यां दृष्ट्वां द्वादशवार्षिकीम् ।

अष्टवर्षोऽष्टवर्षा वा धर्मे सीदति सत्वरः ॥ (९।९४)

अर्थ—गृहस्थ धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की मनोहारिणी कन्या से और २४ वर्ष का पुरुष आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे।

इसका निराकरण मनु द्वारा विहित समावर्तन ३।१-३, विवाह ३।४-६२ तथा स्त्रीधर्म ५।१४७-१६६, ९।१-१०२ वर्णनों से हो जाता है। उन प्रसंगों के अध्ययन से इस विषयक निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं—

(१) मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की आयु—अत्यन्त प्रसिद्धि के कारण मनु ने यहाँ विवाह की आयु का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट उल्लेख है। प्रसंगवश उस पर यहाँ विस्तृत विवेचन किया जाता है।

वेदों में तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्य की औसत आयु एक सौ वर्ष मानी गई है। इसी आधार पर वेदों में सौ वर्षों से अधिक स्वस्थेन्द्रियों से युक्त जीवन-प्राप्ति की प्रार्थना की गयी है—'तत्त्वक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुत्थरत् । परयेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रूयाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥' [यजु. ३६।२४]

(क) इस औसत आयु के आधार पर मनु ने मनुष्य-जीवन को चार अवस्थाओं में विभाजित करके उसकी अवधि निर्धारित की है—

चतुर्थमायुषो भागमुषिन्वाद्यं गुरो द्विजः ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥

(४।१।५।१६९।।)

वनेषु च विद्वत्पुत्रं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं स्थक्त्वा संगान्परिजजेत् ॥ (६ । ३३ ।)

सौ वर्ष की आयु के इस प्रकार २५-२५ वर्ष के चार भाग होते हैं । आयु के प्रथमभाग में अर्थात् २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए । द्वितीय भाग में अर्थात् २५ के पश्चात् गृहस्थ बनकर १६ । पुत्र का पुत्र होने पर अथवा त्वचा, केश एक जाने पर [६ । २] गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर तृतीयभाग में अर्थात् ७५ वर्ष तक वनस्थ रहे उसके पश्चात् चतुर्थ भाग में संन्यासी बन जाये ।

इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पुरुष की विवाह की आयु कम से कम २५ वर्ष है । उससे पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए ।

(ख) स्त्री के विवाह की आयु — इसका संकेत मनु ने ९ । ९० श्लोक में दिया है —
“प्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यनुमतीसती । ऊर्ध्वं नु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ।”
अर्थात्-मासिक धर्म प्रारम्भ होने के पश्चात् तीन वर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करने के उपरान्त कन्या स्वयंवर कर सकती है ।

कन्याओं को मासिक धर्म सामान्यतः १३-१५ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता है । तीन वर्ष के अनन्तर यह काल १६-१८ की आयु का होता है । अतः कन्या के विवाह की कम से कम आयु १६ वर्ष है । २५ वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह करे । इससे अधिक आयु में इनमें ही अनुपात से विवाह होना चाहिए । क्योंकि प्रजनन सामर्थ्य एवं शरीर-रचना की दृष्टि से १६ वर्ष की कन्या २५ वर्ष के पुरुष के तुल्य होती है ।

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कर्तव्यों का जो वर्णन किया है, जैसे — गृहकार्यों में दक्ष होना, घर की साज-सज्जा, श्रुति आदि में चतुर होना, आय-व्यय की संभाल रचना [५ । १५०], गृह-स्वामिनी होना, सभी वस्तुओं की संभाल, धार्मिक अनुष्ठानों का संयोजन [२ । ११, २६-२८, ९६, १०१], इनसे भी यह ज्ञात होता है कि ये किसी अल्पायु के लिए नहीं अपितु समभदार युवती के लिए विहित कर्तव्य हैं । इससे भी यह सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य आयु १६-१७ वर्ष या इससे ऊपर ही है ।

(२) आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु — इस विषय में वैद्यक ग्रन्थ सर्वोत्तम प्रमाण है, क्योंकि उनमें शरीर के आधार पर उचित-अनुचित का विवेचन होता है । आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘सुश्रुत’ में शरीर की वृद्धि और क्षीणता के आधार पर चार अवस्थाएँ प्रदर्शित की हैं और तदनुसार विवाह की आयु निर्धारित की है —

“चतस्रो अवस्थाः शरीरस्य वृद्धिः, यौवनम्, संपूर्णता, किञ्चित् परिहाणिः चेति । आषोडशात् वृद्धिः, आपञ्चविंशतेः यौवनम्, आश्वत्थारिंशतः संपूर्णता, ततः किञ्चित् परिहाणिः चेति ।” [सुश्रुत सूत्रस्थान ३५ । २५ ॥] = शरीर की चार अवस्थाएँ हैं, सोलहवें वर्ष से चौबीस तक वृद्धि = वृद्धि की अवस्था, पच्चीसवें वर्ष से यौवन का प्रारम्भ होता है, और चालीसवें में यौवन की परिपक्वता होती है । उसके पश्चात् शरीर की धातुओं में कुछ-कुछ क्षीणता आने लगती है ।

यह युवावस्था ही विवाह की अवस्था होती है । इससे पूर्व शरीर की धातुओं में अपरिपक्वता होती है । भ्रूणविकास से ‘उत’ शरीर की धातुओं का विकास एक जाता है, वहाँ गर्भ और सन्तान सम्बन्धी अनेक आवश्यकताएँ हो जाती हैं ; जैसे — गर्भ का न रहना, गर्भसाव, गर्भपात, दुर्बल सन्तान का जन्म, जन्म के बाद भी भ्रूण मृत्यु, सन्तान का अस्वस्थ रहना आदि । इसी कारण सश्रतकार ने २५ वर्ष से पूर्व

पुरुष का, १६ वर्ष से पूर्व कन्या के विवाह का निषेध किया है। कुशल वैद्य २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष की कन्या को प्रजनन में समसामर्थ्य वाले बताते हैं। निम्न प्रमाणों में ये मान्यताएँ द्रष्टव्य हैं —

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे ।

समन्वागतवीर्यो तो जानीयात् कुशलो भिषक् ॥

(सुश्रुत सूत्र, ३५।१०।।)

ऊनषोडश-वर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ।

यथाघने पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥

जातो वा न चिरं जीवेत् जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।

तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥

(सुश्रुत श. १०।४७-४८।।)

(३) वेद में विवाह की आयु — वेद में ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा युवक पुरुष को वरण करने का कथन है। उपर्युक्त प्रमाणों में युवावस्था २५ वर्ष के अनन्तर बतलाई गयी है। इस प्रकार वेदों में २५ वर्ष के अनन्तर ही विवाह की आयु मानी गयी है। मन्त्र निम्न है —

“ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं निन्दते पतिम् ॥”

(अथर्ववेद ११।५।५।।)

अर्थात् — “जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण-जवान होके अपने सदृश कन्या से विवाह करें, वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ युवति हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे।” (सं. वि. वेदारम्भप्रकरण)

१३. मनुस्मृति में मनुष्यों के ऋषि, पितर, देव आदि विभिन्न वर्ग —

मनु द्वारा २।११५-१३१ श्लोकों में वर्णित विभिन्न अध्यापयिता विद्वान् ही स्तर के अनुसार ऋषि, देव और पितर हैं। इनमें किसी विद्या के साक्षात् द्रष्टा, विशेषज्ञ, ‘ऋषि’ कहलाते हैं। दिव्य-गुण-आवरण की प्रधानता वाले विद्वान् ‘देव’, और पालक गुण की प्रधानता वाले वयोवृद्ध व्यक्ति एवं माता-पिता आदि गुरुजन ‘पितर’ होते हैं। कुछ वर्ग, स्वभाव एवं प्रवृत्ति के आधार भी बनते हैं। देवों का नाम दिव्य स्वभाव की प्रधानता के कारण भी है। इसी प्रकार असुर, गान्धर्व, राक्षस, पिशाच भी स्वभाव संस्कार और प्रवृत्ति के कारण प्रसिद्ध होते हैं। मनुस्मृति में इनकी यत्र-तत्र चर्चा आती है। सभी वर्णनों के साररूप में, इनके विषय में मनु की मान्यता प्रदर्शित की जाती है —

(क) ऋषि कौन ?

‘ऋषी गतो यानु से इत’ प्रत्यय और ‘इमुपघान् कित्’ के योग से ‘ऋषि’ शब्द की सिद्धि होती है। गति के ज्ञान, समन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ हैं। ऋषि सबसे उच्चस्तर का विद्वान् व्यक्तित्व होता है। वेदमन्त्रों के अर्थों का द्रष्टा, धर्म और ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला आन्तःपुरुष, ऋषि कहलाता है। यह वेदों और विद्याओं के गूढ़ ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उसमें होती है। श्री भर्गवार्जुन कहता है :

(क) निरुत्तकार ने ऋषि की निरुक्ति की है — “ऋषिः दर्शनात् । स्तोमान् ददर्श इत्यौपमन्यवः ।” [निरु. २ । ११] अर्थात् ऋषि वेदार्थों और विद्याओं के रहस्यों को प्रत्यक्ष करने-कराने वाला होता है । औपमन्यव आचार्य का मत है कि मन्त्रद्रष्टा होने से ऋषि होता है । इसी प्रकार “साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयोः बभूवुः ।” अर्थात् ऋषि धर्म और ईश्वर के साक्षात्कर्ता होते हैं । [निरु. १ । २०] ।

(ख) ब्राह्मणों में भी ऋषि की यही विशेषताएं वर्णित की हैं —

(अ) “यो वै ज्ञातोऽनूजानः स ऋषिरार्षेयः ।”

(श. ३ । ३ । ४ । १९)

(आ) “एते वै विप्रा यदृषयः ।।

(श. १ । ४ । २ । ७)

(ग) महर्षि मनु ने भी ऋषिचर्चा के प्रसंग में इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है —

(इ) न ह्यायनेनैरपतितैः न वितेन न च बन्धुभिः ।

श्रुषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूजानः स नो महान् ।।

(२ । १२९ । १)

(ई) ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः ।

प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ।। (४ । ९४)

(उ) आर्षं धर्मोपदेशम् च ।। (१२ । १०६ । १)

(ऊ) “अथ यदेवानुब्रवीत । तेनर्षिभ्यं ऋणं जायते, तद्भूमेभ्य एतत् करोन्पृषीणा निधिगोप इति हयनूचानमाहुः ।।”

(शत. १ । ७ । ५ । ३)

“अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चैवेनमेतद्भूमेभ्यश्च निवेदयत्यं महावीर्यो यो दत्तं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणीते ।।” (शत. १ । ४ । ५ । ३)

“अर्थ — सब विद्याओं को पढ़के जो पढ़ना है ‘ऋषिकर्म’ कहाला है, उस पढ़ने और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण अर्थात् उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता है और जो इन ऋषियों की सेवा करता है वह उनको सुख देने वाला होता है । यही व्यवहार अर्थात् विद्याकोश की रक्षा करने वाला होता है । जो सब विद्याओं को जानके सबको पढ़ता है ; उसको ऋषि कहते हैं ।

जो पढ़के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है सो आर्षेय अर्थात् ऋषियों का कर्म कहाला है । उसे उस कर्म को करता हुआ उन ऋषियों और देवों के लिए प्रार्थन करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान् अति पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है । जो विद्वान् और विद्या को ग्रहण करने वाला है उसका ‘ऋषि’ नाम होता है ।”

(द. त. प्र. सं. २४५-२४५)

(ख) देव कौन ?

‘दिशु = कीड़ा-जिजिगीषा-अग्रहार-सुनि-मोह-मद-स्वप्न-कान्ति-गनिषु’ (दिशाद) धातु से ‘पञ्चाद्यच्’ से ‘यन्’ प्रत्यय अथवा ‘दिशु-मर्दने’ (चुरादि) या ‘दिशुर्भाङ्कृत्वा’ (चुरादि) धातु से ‘अच्’ प्रत्यय के भाग से ‘देव’ शब्द निष्पन्न होता है । देव उड़ और चमन से प्रचुर के होते हैं (विस्तृत विवरण १ । ६७ की समीक्षा में देखिए) । इस अनेक मत शब्द से चमन देव अर्थात् देव अतपथ में अता है —

(अ) "इयं वा हृदं न तृतीयमस्ति सत्यं चैवानृतं च । सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः । इदमहमनृतात् सत्यमुपैमीति" तन्मनुष्येभ्य देवानुपैति ।

(शतपथ १।१।१।४-५)

"दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञाएं होती हैं अर्थात् देव और मनुष्य । वहां सत्य और झूठ दो कारण हैं । जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं, वे 'देव' और वैसे ही झूठ मानने और झूठ कर्म करने वाले 'मनुष्य' कहलते हैं । जो झूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त हों वे देवजाति में गिने जाते हैं ।" (द. ल. ग्र. सं. २४५-२५५)

(आ) विद्वांसो हि देवाः ।। (शत. ३।७।६।१०)

(इ) ये ब्राह्मणाः शुश्रुषांस्तोऽनूचानास्ते, मनुष्यदेवाः ।। (शत. २।४।३।१४।।)

(ई) मन्यसंहिता ये देवाः ।। (ऐ. ब्रा. १।१६)

अर्थात् विद्वान् मनुष्यों को देव कहते हैं । निरुक्त में देव शब्द की निरुक्ति करते हुए लिखा है — "देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा बुस्थानो भवतीति वा । यो देवः स देवता" [निरु. ७।१५] अर्थात् दान देने से, प्रकाश करने से, प्रकाश होने से, बुस्थानीय होने से 'देव' कहाते हैं । देव को ही देवता कहा जाता है । इस प्रकार विद्याओं से प्रकाशित और विद्याओं का दान देने वाले, दिव्यगुण एवं उत्तम आचरण वाले विद्वानों को 'देव' कहा जाता है । यथा — "मातृदेशो भव, पितृदेशो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव ।" (प्रपा. ७।११) ।

मनुस्मृति में ऐसे ही विद्वानों को देव कहा है । निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं —

(उ) ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्ययः ।

देवा चैतान्समेत्योबुर्न्याय्यं च शिशुरुक्तवान् ।। २।१६१ ।।

(ऊ) न तेन बृहो भवति येनास्य पलितं शिरः ।

यो धे श्रुवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ।। २।१२७ ।।

२. 'देवता-अन्यर्चन' से अभिप्राय —

निरुक्त में कहा गया है कि "यो देवः, सा देवता" [७।४।१५] देव को ही देवता कहा जाता है । देव शब्द में लट् और टाप् प्रत्यय के प्रयोग से देवता शब्द सिद्ध हुआ है । चैनन देवों के सन्दर्भ में देव शब्द का सबसे प्रमुख अर्थ 'परमात्मा' होता है । क्योंकि परमात्मदेव ही सब देवताओं का देवता है । जहाँ देव उपासना के योग्य होते हैं, चैनन देव (विद्वान्, माता, पिता आदि) मन्त्रों और सेवा के द्वारा प्रसन्न करने योग्य । लेकिन उपासना के योग्य केवल एक परमात्मा ही होता है, अन्य नहीं । अतः यज्ञ 'देवताऽन्यर्चनम्' से अभिप्राय परमात्मदेव की उपासना करने से है । यदि कहीं अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि नामों से देवताओं की स्तुति का वर्णन मिलता है तो वह भी उनके माध्यम से परमात्मा की ही स्तुति अभिप्रेत है । क्योंकि ये परमात्मा की ही निष्कलांकारिता या गुण हैं, उसी के प्रयोग हैं । भिन्न-भिन्न देवों की स्तुति से अभिप्राय होता है परमात्मा के उग्र-उग्र गुण की स्तुति करना । इस प्रकार सभी देव एक परमात्मा में ही समाहित होते हैं । निरुक्तकार ने इसका इस प्रकार स्पष्ट किया है —

(अ) "महाभाग्यदेवताया एव आत्मा अनुप्राप्यते ।

एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ।

कर्मजन्मानः आत्मजन्मानः आत्मैवेषां रथो भवति ।।

आत्माश्वः आत्मायुधम्, आत्मेधवः सर्वं देवस्य देवस्य ।।

(निरुक्त ७।१।४)

अर्थात् — एक परमात्मा देव ही मुख्य देव है । सर्वशक्तिमत्त्वादि अनेक-विध ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण अनेक नामों-गुणों से उसकी स्तुति की जाती है, अन्य सभी देव इस महादेव परमात्मा के प्रत्यंगरूप हैं । उनका इसी में समाहार हो जाता है । उस एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश-धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं, इनका जन्म और कर्म ईश्वर के सामर्थ्य से होता है । इनका रथ अर्थात् जो रमण का स्थान, अश्व अर्थात् शीघ्र सुखप्राप्ति का कारण, गमनहेतु, आयुध = शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा, इधु = वाण के समान सब दुष्टगुणों और दुःखों का छेदन करने वाला शस्त्र, वही परमात्मा है । परमात्मा ने जितना-जितना जिस-जिस में दिव्यगुण रखा है उतना-उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है, अधिक नहीं । इस प्रकार अन्य सब देवता परमेश्वरवाची ही हैं ।

इसमें वेदों के प्रमाण हैं —

(आ) इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यः सुपर्णो गुरुत्मान् ।

एकं सद्भिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ।।

(ऋ. १०।१६४।४६)

(इ) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तद् चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ।।

(यजु. ३२।१।१।)

स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए —

(ई) आत्मेव देवताः सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम् ।

आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ।।

(१२।११९।१।)

(उ) एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ।।

(१२।१२३।१।)

(ऊ) मनु ने अनेक स्थानों पर उपास्य के रूप में केवल परमात्मा को ही स्वीकार किया है । प्रमाणरूप में द्रष्टव्य है — २।७६-७८ (२।१०१-१०३), ४।९२-९३, १२।११८, ११९, १२२, १२५ ।।

इस सम्पूर्ण विवेचन और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति में २।१५१ [१७६] आदि श्लोकों में 'देवता-अभ्यर्चनम्' का अर्थ परमात्मदेव की उपासना अर्थात् संध्या करने से है । अन्य अर्थ प्रान्तिपूर्ण है । इस श्लोक में शिव, विष्णु की प्रतिमाओं के पूजन की कल्पना मनादन्त है और अप्रामाणिक है ।

इस प्रकार—देव, सात्त्विक, प्रवृत्ति के [१२।४०] विद्वानों को कहते हैं, और अग्निहोत्र का भी देवयज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है । यज्ञ का विशेष अनुष्ठान और उसमें यज्ञ कर्म करने वाले विद्वान् व्यक्ति को कन्यादान करना, ये दोनों बातें 'देव' इस संज्ञा के अनुरूप ही हैं । यह विधि देवों = विद्वानों के कर्मानुरूप और सम्मत है, अतः ३।२८ में इस प्रकार के विवाह को देवविवाह

कहा है ।

जड़ देवता—

चेतन देवों के अतिरिक्त, सूर्य, अग्नि, वायु, पृथिवी, अन्तरिक्ष, धुलोक, चन्द्रमा, नक्षत्र, दक्षिणायन = प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय, बारह मास—ये जड़ देवता कहलाते हैं । निरुक्त में 'देव' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार दी है—''देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा ।'' (७।४।१५) अर्थात्—'दान देने वाले, प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या द्युस्थानीय को देवता कहते हैं ।' सूर्य द्युस्थानीय है और अपने प्रकाश से सब मूर्तिमान् द्रव्यों को प्रकाशित करता है, अतः देव या देवता है ।

शतपथ ब्राह्मण में देवताओं पर प्रकाश डालते हुए जड़ और चेतन-रूप में ३३ देवता परिगणित किये हैं—

''स होवाच महिमान् एवैषामेते त्रयस्त्रिंशस्त्रेव देवा इति । कतमे ते त्रयस्त्रिंशत् इति ? अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशत् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति ।

कतमे वसव इति ? अग्निश्च, पृथिवी च, वायुश्च, अन्तरिक्षं च, आदित्यश्च, शोषश्च, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि च, एते वसवः ।

कतमे रुद्रा इति ? दशमे पुरुषे प्राणाः (प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः, उदानः, नागः, कूर्मः, कृकलः, देवदत्तः, धनञ्जयश्च) आत्मा-एकादशस्ते ।

कतम आदित्या इति ? द्वादश मासाः संवत्सरस्य एते आदित्याः ।

(३) कतम इन्द्र, कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्पुरेवेन्द्रो, यज्ञः प्रजापतिरिति सदाहुः । यद्यमेक इव पवते । कतम एको देव इति ? स ब्रह्मेत्यदित्याचक्षते । (शत. का. १४। प्रपा. १६) ।

(ग) पितर कौन ?

पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-विद्या-सुशिक्षा-आदिदानैः ते पितरः ।''=जो अन्न विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं, वे 'पितर' कहलाते हैं । इसमें ब्राह्मणों के प्रमाण द्रष्टव्य है—

(अ) ''देवा वा एते पितरः'' (गो. उ. १।२४)

(आ) ''स्विष्टकृतो वे पितरः'' (गो. उ. १।२५)

अर्थात् सुखसुविधाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने वाले विद्वान् व्यक्ति 'पितर' कहलाते हैं ।

(इ) ''मन्याः पितरः'' (श. २।१।३।४)

जीवित मनुष्य ही 'पितर' हैं अर्थात् मृत नहीं ।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना और भ्रान्ति है । माता-पिता-पितामह-आचार्य आदि ही 'पितर' कहलाते हैं ।

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा है । ४।२५७ में उनके ऋण से उद्धार होने के लिए कहा है—''महर्षि-पितृ-देवानां गन्धान्णयं यथाविधि'' । यह जीवितों के साथ ही सम्भव हो सकता है । मनुस्मृति के अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(ई) अध्यापयामास पितृन् शिशुराङ्गिरसः कविः ।

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥ २ ॥ १२६ ॥

(उ) पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ १२ ॥ १४९ ॥

(ऊ) पितृदेवमनुष्याणां वेदबद्धः सनातनम् ॥ १२ ॥ १५४ ॥

(ए) दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ ९ ॥ २८ ॥

(ऐ) ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा ।

आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥ ३ ॥ ८० ॥

मनु ने ४ । ३०—३१ में जीवित, धार्मिक, वेदवित् विद्वानों को ही हव्य-कव्य देने का विधान किया है । वे श्लोक मनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैं कि हव्य-कव्य जीवित व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं । यही श्राद्ध है । हव्य-कव्य आदि श्राद्ध-सम्बन्धी बातों का मृतक पितृश्राद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं ।

(औ) पितरों में वेद का प्रमाण—

ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतम् ।

स्वधास्य तर्पयत मे पितृन् ॥

(यजु. २ । ३४)

“अर्थ—पिता वा स्वामी अपने पौत्र, स्त्री, नौकरों को सब दिन के लिए आज्ञा देके कहे कि—(तर्पयत से पितृन्) जो मेरे पिता पितामह आदि, माता, मातामह आदि तथा आचार्य और इनसे भिन्न भी विद्वान् लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सबकी आत्माओं को यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये हैं—(ऊर्जं वहन्ती) जो उत्तम-उत्तम जल (अमृतम्) अनेक विध रस (घृतम्) घी (पयः) दूध (कीलालम्) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम-उत्तम अन्न (परिश्रुतम्) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते रहो (स्वधास्य) हे पूर्वोक्त पितृलोगो ! तुम सब हमारे अमृतरूप पदार्थों के भागों से सदा सुखी रहो ।” (द. ल. प्र. सं. २४५—२५५)

(अं) पितरों की गणना और उनका अभिप्राय—

“जिनकी पितृमंज्ञा है और जो सेवा के योग्य हैं वे निम्न हैं—

१—सोमसदः । २—अग्निष्वात्ताः । ३—वर्हिषदः । ४—सोमपाः । ५—हविर्भुजः

६—आज्यपाः । ७—सुकृत्तिनः । ८—यमराजाः । ९—पितृपितामहप्रपितामहाः ।

१०—मातृपितामहप्रपितामहयः । ११—सगोत्राः । १२—आचार्यादिसम्बन्धिनः ।

१—सोमसदः—‘सोमे ईश्वरे सोमयोगे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च’ से ‘सोमसदः’ = जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण और शान्ति आदि गुण सहित हैं, वे ‘सोमसद’ कहते हैं

२—अग्निष्वात्ताः—‘अग्निरीश्वरः, सुष्ठुतया आत्तो गृहीतो यैस्ते यद्वा अग्नेर्गुणज्ञानात् पृथिवी = जल-व्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ठुतया आत्ता गृहीता यैः’ ने ‘अग्निष्वात्ताः’ = अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक अग्नि, उनके गुणज्ञात करके जिन्होंने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है, उनको ‘अग्निष्वात्त’ कहते हैं ।

२ — बहिषदः— 'बहिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि शम-दमादिधृतमेषु गुणेषु वा सीदन्ति' ते 'बहिषदः' = जो सबसे उत्तम परब्रह्म में स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या आदि उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उनको 'बहिषद' कहते हैं।

४ — सोमपाः— 'यस्मैन उत्तमौषधिरसं पिबन्ति पाययन्ति वा' ते 'सोमपाः' = जो यज्ञ करके सोमलता आदि उत्तम औषधियों के रस के पान करने और कराने वाले हैं, तथा जो सोमविद्या को जानते हैं, उनको 'सोमपा' कहते हैं।

५ — हविर्भुजः— 'हविर्भुतमेव यस्मै शोधितवृष्टिजलादिकं भोजयितुं भोजयितुं वा शीलमेवा' ते 'हविर्भुजः' = जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करके वायु और वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा सब जगत् का उपकार करते और जो यज्ञ से अन्नजलादि की शुद्धि करके खाने पीने वाले हैं, उनको 'हविर्भुज' कहते हैं।

६ — आज्यपा — 'आज्यं धृतम्, यद्वा 'अजं गतिक्षेपणयोः' धात्वर्थात् आज्यं विज्ञानम् दह्यानेन पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति रक्षयन्ति ये विद्वांसः' ते 'आज्यपाः' = धृत, स्निग्धपदार्थ और विज्ञान को कहते हैं। जो उनके दान से रक्षा करने वाले हैं, उसको 'आज्यप' कहते हैं।

७ — सुकालिनः— 'ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभनः कालो येषां' ते । यदा ईश्वरज्ञानप्राप्त्या सुखरूपः सदैव कालो येषां' ते 'सुकालिनः' = मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर और सत्यविद्या के उपदेश का भिनका श्रेष्ठ समय और जो सदा उपदेश में ही वर्तमान हैं, उनको सुकालिन' कहते हैं।

८ — यमराजाः— 'ये पक्षपातं विहाय न्यायव्यवस्थाकर्तारः सन्ति' ते 'यमराजाः' = जो पक्षपात को छोड़कर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में रहते हैं, उनको 'यमराज' कहते हैं।

९ — पितृ-पितामह-प्रपितामहाः—(पितृ) 'ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान् विदुषोगुणान् बाधयन्तः तत्र वसन्तिश्च, अनन्तघनाः स्वान् जनान् धारयन्तः पोषयन्तिश्च, ऋतुर्विशतिवर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्येण विद्याभ्यासकारिणः स्व्ये जनकाश्च सन्ति, ते पितरः' 'वसवः' विज्ञेया ईश्वरोऽपि' = जो वीर्य के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और पालन करे और चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' अथवा 'वसु' है। (पितामह) 'ये पक्षपातरहिता दुष्टान् रोदयन्तः ऋतुश्चत्वारिंशत् वर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्यसेवनेन कृतविद्याभ्यासाः' ते 'रुद्राः' स्व्ये पितामहाश्च ब्राह्म्याः तथा रुद्र ईश्वरोऽपि' = जो पिता का पिता हो और चत्वारिंश वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य से विद्याभ्यास कर पक्षपातरहित होकर दुष्टों को रुझाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' और 'रुद्र' है। (प्रपितामह) 'आश्रित्यवत् उत्तमगुण प्रकाशकः विद्वांसोऽष्टचत्वारिंशत् वर्षेण ब्रह्मचर्येण सर्व-विद्यासम्पन्नाः सूर्यवत् विद्याप्रकाशकाः त आदित्याः स्व्ये प्रपितामहाश्च ब्राह्म्याः तथा आदित्यो विनाशीश्चरो वात्र गृह्यते' = जो पितामह का पिता और आदित्य के समान उत्तम गुणों का प्रकाशक अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या पढ़के सब जगत् का उपकार करता हो, उसको 'प्रपितामह' अथवा 'आदित्य' कहते हैं। तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये।

१० — मातृ-पितामही-प्रपितामह्यः— पित्रादिसदृशो मात्रादयः सेव्याः =

पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये । माता, दादी, परदादी आदि ।

११ — सगोत्राः— 'स्वसमीपं पुत्रादयस्ते श्रद्धया पालनीयाः' = जो सपीपवर्ती जाति के पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य हैं ।

१२ — आचार्यादिसम्बन्धिनः— 'ये गुर्वादिष्वस्यन्ताः सन्ति ते हि सर्वदा सेवनीयाः' = जो पूर्णविद्या के पढ़ने वाले और श्वसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए" । (ब. ल. ग्रं. २४५-२५५)

इस प्रकार उपर्युक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'पितर' कहा जाता है, उनकी सेवा करना ही पितृयज्ञ है । मृतपितरों की कल्पना, प्रान्ति एवं अज्ञानता है ।

प्रजापति, प्रजा अर्थात् सन्तान के पालन में तत्पर माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों को ही कहते हैं । उन्हें 'पितर' भी कहा जाता है । इसमें ब्राह्मणों और निरुक्त के प्रमाण हैं — "प्रजा अपत्यनाम" निघ. २।२ ॥ प्रजापतिः पाता वा पालयिता वा" निरु. १०।४१ ॥ "पितरः प्रजापतिः" गो. उ. ६।१५ ॥ "पुरुषः प्रजापतिः" शत. ६।२।१।२३ ॥ प्रजाओं को उत्पन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरुष प्रजापति होता है । पितर अर्थात् माता-पिता आदि प्रजापति होते हैं । सन्तानों का पालन करने वाले माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत और उनके आचरणानुरूप होने से ३।३० में वर्णित इस प्रकार के विवाह का नाम 'प्रजापत्य विवाह' है ।

(घ) असुर कौन ?

'न सुरा-असुराः' अर्थात् जो देवताओं के समान नहीं हैं । जो देवताओं के समान निःस्वार्थ, निर्वैर, परहित, परोपकार, त्याग, तप, सहिष्णुता आदि भावनाओं वाले नहीं हैं । जो अपने देह और गाणों के ही पोषण में, अपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, धन और हितसाधनमें तत्पर रहते हैं; उसकी पूर्ति के लिए तरह-तरह के छल-प्रपंच माया-जाल आदि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति 'असुर' कहलाते हैं । इनमें निरुक्त और ब्राह्मणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं — "असुरताः स्थानेष्वस्ता, स्थानेष्व इति वा, असुरिति प्राणानामास्तः शरीरे भवति, तेन तद्वृत्तः ।" निरु. ३।७ ॥ "(असुराः) स्वेष्टेवास्त्येषु जुह्वतश्चेतः" शत. ११।१।८।१ ॥ मायात्येसुराः (उपासते)" शत. १०।५।२।१० ॥ असु क्षेपणे (अदादि) धातु से 'असेरुरन्' (उणादि १।४२) से 'उरन्' प्रत्यय से 'असुर' शब्द बना । 'असुर' से 'सम्बन्ध रखने वाला' अर्थ में 'अण' प्रत्यय लगाकर 'आसुर' बनता है । इस प्रकार दूसरे की भावनाओं की उपेक्षा करके धन और स्वार्थ-साधन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित, सम्मत अथवा उनके आचरणानुरूप होने से ३।३१ में उस विवाह का नाम 'आसुर विवाह' है ।

(ङ.) गन्धर्व कौन ?

गन्धर्व की व्युत्पत्ति है "गाम् = वाचम् धरतीति गन्धर्वः" अर्थात् गाने की उत्तम वाणी को धारण करने वाला । संगीत अर्थात् गाने, बजाने, नाचने की कला में प्रवीण लोगों को, जो विलासी, आमोद-प्रमोद में व्यस्त, शृंगारप्रिय और कामुकप्रवृत्ति-प्रधान हैं, 'गन्धर्व' कहते हैं । ब्राह्मणों के निम्न प्रमाणों में इस पर प्रकाश डाला गया है — "रूपमिति गन्धर्वाः (उपासते) शत. १०।५।२।२० ॥ "योषिस् कामा वै गन्धर्वाः" शत. ३।२।४।३ ॥ "स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः" ऐत. १।२७७ ॥ कौ. १२।३ ॥ गन्धो मे, मोदो मे प्रमोदो मे । तन्मे युष्मासु

(गन्धर्वेषु) जै. उ. ३।२५।४ ॥ ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने से ३।३२ में वर्णित उस विवाह का नाम 'गान्धर्व विवाह' है ।

(च) राक्षस कौन ?

रक्ष-पालने धातु से 'सर्वधातुभ्योऽसुन्' (उणादि ४।१८९) सूत्र से 'असुन्' प्रत्यय और 'इदम्' अर्थ में अण् प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिद्ध होता है । निरुक्त ४।१८ में राक्षस की निरुक्ति देते हुए कहा है — 'रक्षः रक्षितव्यमस्माद्, रहसि क्षणोत्तीति वा, रात्रौ नक्षते इति वा ।' अर्थात् जिससे घन-सम्पत्ति, प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकत्र अवसर पाकर हानि पहुँचाते और जो रात्रि में लूट-पाट, चोरी-व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सक्रिय हो जाते हैं, वे राक्षस हैं । इस प्रकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सताने और पीड़ित करने वाले, अत्याचारी, अन्यायी, बलात्कारी स्वभावी और मांस-मदिरामोजी तमोगुणी [१२।४४] व्यक्ति 'राक्षस' कहलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप, उनसे अनुमोदित या सम्मत होने से ३।३३ में विहित उस विवाह का नाम 'राक्षस विवाह' है ।

(छ) पिशाच कौन ?

पिश-अवयवे (तुषादि) धातु से 'क' प्रत्यय होने से 'पिशम्' पद बना । 'पिश' उपपद से आङ्-पूर्वक 'चमु-अदने' धातु से 'उः' प्रत्ययपूर्वक 'पैशाच' शब्द बनता है । अथवा 'पिशित' पूर्वपद से 'अश्' धातु से अण्, 'इत्' का लोप, शकार को चकार होकर पैशाच बनता है । 'ये पिशितम् = अवयवीमृत', 'पेशित' वा 'मांस' रुधिरादिकम् आचमन्ति भक्षयन्ति ते 'पैशाचाः' । प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त तक खाने वाले, हिंसक, दुराचारी, अनाचारी, मलिन संस्कारों वाले, अत्यन्त तमोगुणी [१२।४४], अत्यन्त निम्न और घृणित स्वभाव के व्यक्ति 'पिशाच' कहलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होने से ३।३४ में वर्णित उस विवाह का नाम 'पिशाच विवाह' है ।

(ज) दस्यु कौन ?

वेदों में और प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'दस्यु' शब्द का पर्याप्त प्रयोग आता है । यहाँ मनु ने स्पष्ट किया है कि दस्यु कौन है । वेदों में मनुष्यों के दो वर्ग उक्त हैं — 'आर्य' = श्रेष्ठ और 'दस्यु' = अश्रेष्ठ । मनु ने यहाँ बताया है कि आर्यों के चार वर्णों से बाह्य अर्थात् वर्णाश्रम धर्मों में अदीक्षित [१०।५७], धर्म का पालन न करके अधर्माचरण करने वाले चारों वर्णों से अवशिष्ट सभी लोग दस्यु हैं । दस्यु शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति भी इनके इसी आचरण पर प्रकाश डालते हैं — 'दसु-उपक्षये' धातु से 'यजिमनिशुन्धिदसिजनिभ्यो युच्' (उणादि ३।२०) से युच् प्रत्यय के योग से 'दस्यु' शब्द बनता है । निरुक्त ७।२३ में इसकी व्युत्पत्ति है — 'दस्यु दस्यते : क्षयार्थात् . . . उपदासयति कर्माणि' = दस्यु वह है जो शुभकर्मों से क्षीण है या शुभकर्मों में बाधा डालता है । मनु का श्लोक निम्न है —

मुखबाहुरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः ।

म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ (१०।४५ ॥)

(लोके) लोक में (मुख-बाहु + उरु-पत्त-जानाम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों से (बहिः) श्रेष्ठ कर्तव्यपालन न करने के कारण बहिष्कृत या इनमें अदीक्षित (या जातयः) जो जातियाँ हैं (म्लेच्छवाचः च आर्यवाचः) चाहे वे म्लेच्छभाषाएँ बोलती हैं या आर्यभाषाएँ (ते सर्वे) वे सब

(दस्यवः स्मृताः) 'दस्यु' कहलाती है।

(म्) आर्य और अनार्य —

चारों वर्णों में किसी एक वर्ण में दीक्षित, श्रेष्ठ संस्कारों, स्वभाव एवं आचरण वाला व्यक्ति आर्य कहलाता है। इसके विपरीत अनार्य होता है। मनु ने निम्न श्लोक में अनार्य के लक्षण दिखाये हैं —

वर्णापेतमधिज्ञातं नरं कलुषयोनिजम् ।

आर्यरूपमिवानार्यं कर्मभिः स्वैर्विभावयेत् ॥ १०।५७ ॥

(वर्ण-अपेतम्) वर्णों की दीक्षा से रहित अथवा वर्णों से बहिष्कृत (आर्यरूपम् + इव + अनार्यम्) श्रेष्ठ रहन-सहन और स्वभाव का दिखावा करने वाले किन्तु वास्तव में श्रेष्ठलक्षणों से रहित अनार्य (कलुषयोनिजम्) [कलुषयोनी = दुष्टयोनी जायते इति कलुषयोनिजः, तम्] दुष्टसंस्कारों वाले व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारी या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्वैः कर्मभिः विभावयेत्) उसके अपने कर्मों से पहचान ले अर्थात् जो श्रेष्ठ कर्मों को न करता हो और अश्रेष्ठ कर्मों को करता हो, वह अनार्य है।

(१) मनु ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी वर्ण की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम धर्मानुकूल आचरण का पालन करने का कथन किया है। कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों के होते हैं कि उनकी धर्माचरण में रुचि नहीं बनती। वे किसी भी वर्ण की दीक्षा को स्वीकार नहीं करते [वर्णापेतम्]। उनमें स्वभावगत अश्रेष्ठता, कठोरता, निर्दयता होती है और धार्मिक क्रियाओं के प्रति उपेक्षा भावना रहती है। ऐसे व्यक्ति ही अनार्य या दस्यु हैं। दुष्टसंस्कारयुक्त व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाले दुष्टसंस्कारी व्यक्तियों = कलुषयोनिजों या दस्युओं में ये संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे किसी-न-किसी रूप में प्रकट होकर उनकी पहचान करा देते हैं। ४।४१-४२ में मनु ने दुष्ट कर्मों से दुष्टसंस्कारी सन्तानों की उत्पत्ति की ओर संकेत किया है। वही कलुषयोनिज या दस्यु होते हैं —

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः ।

जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मघर्मद्विषः सुताः ॥

... भवति प्रजा निन्दितैर्निन्दिता नृणाम् - ॥ १ ॥

(२) इस श्लोक में उच्च-निम्न जातिपरक अर्थ करना मनुसम्मत नहीं है। यहाँ स्पष्टतः सभी ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो आर्यरूप में अनार्य होते हैं, दुष्टोत्पन्न होने से दुष्ट गुण-कर्म स्वभाव वाले होते हैं। चाहे वे किसी भी वर्ण में हों 'कलुषयोनिज' ही कहलायेंगे।

१४. मनु और वेद —

मनु ने वेदों को अपौरुषेय मानते हुए उनको अपनी स्मृति का और धर्म का मूलस्रोत माना है। उन्हें पढ़ने का मानवमात्र को अधिकार है और प्रत्येक स्थिति में वे पठनीय हैं (इस विषयक विस्तृत विवेचन द्वितीय अध्याय में 'वेद विरोध' शीर्षकान्तर्गत देखिए)।



चतुर्थ अध्याय

[मनुस्मृति में अध्यायविभाजन, प्रकरण एवं वर्णाश्रमधर्मवर्णन पद्धति]

१. मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन मौलिक नहीं —

मनुस्मृति में अध्यायों का विभाजन मौलिक अर्थात् मनुकृत नहीं है अपितु परवर्तीकाल में किसी ने किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुस्मृति परम्परा के ही किसी व्यक्ति ने सुविधा की दृष्टि से मनुस्मृति को अपने ढंग से व्यवस्थापित किया और उसमें कुछ परिवर्तन-परिवर्धन भी किये। आजकल प्राप्त होने वाली सभी प्रतियाँ अध्यायों में विभक्त मिलती हैं। यह मनुस्मृति का वास्तविक रूप नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति का यह विभाजन भी काफी पहले हो चुका था। अत्यन्त प्राचीन होने के कारण ही मनुस्मृति की प्रति अध्याय रहित रूप अर्थात् मौलिक स्वरूप में नहीं मिलती। अध्याय-विभाजन करने वाले व्यक्ति से मनुस्मृति के अध्याय-विभाजन में दो स्थानों पर मूल हुई है। अध्याय-विभाजन पूर्णतः निर्भ्रान्त या उचित नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि आज तक किसी भी विद्वान् का ध्यान इस त्रुटि की ओर नहीं गया, वही ग़लत अध्याय-विभाजन प्रचलित रहता रहा है। इन त्रुटियों का विवेचन करने से पूर्व अध्याय-विभाजन की अमौलिकता पर चर्चा कर लेना उपयोगी होगा।

मनुस्मृति की रचना-शैली ही यह सिद्ध करती है कि उसमें अध्याय-विभाजन की गुंजाइश नहीं है। मनुस्मृति की प्रवचन-शैली है, और ये सभी प्रवचन शृंखला की कड़ियों के समान जुड़े हुए हैं। मूलतः इस शैली में न तो अध्याय-विभाजन हो सकता है और न उसकी आवश्यकता सिद्ध होती है। अध्याय विभाजन इसलिए भी नहीं हो पाता कि मनु जिस किसी भी विषय या प्रसंग को प्रारम्भ करते हैं उसके प्रारम्भ, अन्त अपना दोनों स्थलों पर उस विषय का संकेत देते हैं। अधिकांश संकेत-स्थलों पर ऐसा है कि उसी श्लोक की एक पंक्ति में पूर्व विषय की समाप्ति का संकेत है और दूसरी में ही अगला विषय के प्रारम्भ होने का संकेत। कुछ स्थानों पर तो श्लोक के एक पाद में एक विषय के आरम्भ या समापन का संकेत है और शेष तीन पादों में दूसरे विषय के आरम्भ या समापन का संकेत, यथा —

(अ) तृतीय अध्याय का अन्तिम २८६वां श्लोक है —

एवद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम् ।

द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ (३।२८६ ॥)

अर्थ — यह पाँच महायज्ञों का समस्त विधान आपको बताया, और अब द्विजातियों की मुख्य आजीविकाओं का विधान सुनिए।

यहाँ पहली पंक्ति में 'पाञ्चयज्ञविधान' विषय की समाप्ति का संकेत है और दूसरी ही पंक्ति में द्विजातियों की वृत्तियों के विषय को प्रारम्भ करने का संकेत किया है।

(आ) इसी प्रकार निम्न श्लोक की प्रथम पंक्ति में राजधर्म विषय की समाप्ति का संकेत है और द्वितीय में वैश्य-शूद्रों के कर्तव्यों को प्रारम्भ करने का —

एषो ऽ स्त्रिलः कर्मविधिरुक्त्वो राज्ञः समाप्तनः ।

इमं कर्मविधिं विद्यात् क्रमशो वैश्य-शूद्रयोः ॥ (१।३२५ ॥)

अर्थ — यह ऽजा की सनातन और सम्पूर्ण कार्य करने की विधि कही । ७४ वैश्यों और शूद्रों की विधि को आगे वर्णित रूप में जाने ।

(इ) निम्न श्लोक में पूर्व के तीन पादों में पूर्व कहे चतुर्विध कर्म के विषय की समाप्ति का संकेत और अन्तिम एक पाद में अगले विषय को प्रारम्भ करने का —

एष वो ऽ मिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्म निबोधत ॥ (६।१७।।)

अर्थ — यह चार प्रकार का आश्रम धर्म आप से कहा । इस धर्म के पालन करने से पुण्य तथा कर मोक्ष पद की प्राप्ति होती है । अब इसके आगे राजाओं के कर्तव्य-कर्मों को सुनिए ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि इस शैली में अध्याय-विभाजन अभीष्ट नहीं है, और जब पूर्वोपर विषय । साथ-साथ संकेत होता रहता है तो अध्यायानुसार बाँटने की आवश्यकता भी नहीं रहती । मनुस्मृति की रचना-शैली अखण्ड है । यदि हम अध्याय-विभाजन करते हैं तो या तो श्लोक को तोड़ना होगा या दूसरे विषय की संकेतिक पंक्ति पहले अध्याय में ही रखनी पड़ेगी जैसे कि प्रचलित स्करणों में रखी हुई है । एक विषय पूर्व विषय के साथ जो शृंखला की कड़ी के समान जुड़ा हुआ है ही यह सिद्ध करता है कि रचयिता को मूलतः अध्याय-विभाजन अभीष्ट नहीं था । अतः यह माना जाना चाहिये कि मनुस्मृति की आरम्भिक प्रतियाँ उस अखण्ड शैली में ही रही होंगी । अध्याय-विभाजन हो जाने पर वह परम्परा बंद हो गई और अध्यायों में विभाजित रूप चल पड़ा ।

अध्यायों का विभाजन सुविधा के लिए किया गया और इसमें सुविधा है भी, अतः उसे हम भी परिवर्तित नहीं करना चाहते । किन्तु, उसमें प्रथम और नवम अध्याय के विभाजन में त्रुटि हुई है और अष्टम अध्याय के विभाजन में भ्रान्ति, इनका निवारण करना आवश्यक है । नवम अध्याय में भी कुछ परिवर्तन किया गया है ।

(क) प्रथम और द्वितीय अध्यायों के विभाजन में परिवर्तन —

अध्याय-विभाजनकर्ता ने मुख्य विषयों के अनुसार अध्यायों का विभाजन किया प्रतीत होता है । प्रत्येक अध्याय में एक-दो मुख्य विषय हैं, जैसे प्रथम अध्याय में — सृष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति, द्वितीय अध्याय में — संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय में — विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान, आदि । किन्तु प्रथम अध्याय का विभाजन गलत हुआ है, वह द्वितीय अध्याय के पञ्चीसवें श्लोक के पश्चात् होना चाहिये । यत्नेहि —

(अ) मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के मुख्य दो विषय हैं — सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति । दोनों की पारस्परिक सम्बन्धना के कारण मनु ने इन दोनों विषयों को एक ही मानकर वर्णित किया है । १ । २ में महर्षियों ने मनु से वर्ष एवं आश्रमों के धर्मों का कथन करने की प्रार्थना की थी । धर्मों का कथन करने से पूर्व धर्म-सम्बन्धी अन्य आवश्यक जानकारी का भी मूमिका के रूप में कथन करना आवश्यक था । १ । ४-५ से मनु ने सृष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया और फिर १ । १०८ से तथा २ । १ धर्म का प्रसंग प्रारम्भ किया । यह क्रम इसलिए अपनाया क्योंकि धर्मोत्पत्ति जगदाश्रित है । इस दृष्टि से मनु ने पहले सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन किया । २ । २५ में यह संयुक्त विषय समाप्त होता है । तर्हा मनु स्वयं संकेत देने हैं —

एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता ।

संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्निबोधत ॥

अर्थ — यह धर्म जानने के समस्त कारणों को संक्षेप में वर्णन कर दिया और इस जगत् की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। अब वर्णों के धर्मों को सुनिए।

जब मनु ने इस विषय का समापन एक साथ किया है तो स्पष्ट है कि इस विषय को खण्डित करना गलत है। इस विषय की समाप्ति के बाद ही प्रथम अध्याय की समाप्ति होनी चाहिए। वर्तमान संस्करणों में १।११९ वें श्लोक पर ही अध्याय समाप्त करना उक्त संकेतक श्लोक के विरुद्ध है।

(आ) परम्परागत अध्याय-विभाजन में एक और त्रुटि यह है कि इसमें धर्म के प्रसंग को भी भंग कर रखा है। १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मविभाजन के साथ ही सृष्ट्युत्पत्ति का प्रसंग पूर्ण हो जाता है और फिर १।१०८-११० श्लोकों में धर्म की चर्चा भूमिका के रूप में की गई है, फिर २।१ में 'यो धर्मस्तं निबोधत' कहकर धर्मोत्पत्ति का प्रसंग प्रारम्भ किया गया है। अध्याय-विभाजनकर्त्ता ने धर्म की भूमिका के १।१०८-११० श्लोकों को तो प्रथम अध्याय में रख दिया और धर्मोत्पत्ति विषय द्वितीय अध्याय में आ गया। इस प्रकार प्रसंग भी भंग हो गया या विभाजित हो गया।

(इ) धर्म का विषय द्वितीय अध्याय में परिगणित होने से मुख्यविषयों के अनुसार अध्याय-विभाजन का वैज्ञानिक आधार भी नहीं बनता। इस प्रकार द्वितीय अध्याय में खण्डित विषय धर्मोत्पत्ति, संस्कार और ब्रह्मचर्याश्रम, ये कई विषय हो जाते हैं।

इन त्रुटियों को देखते हुए प्रथम अध्याय का विभाजन २।२५ के पश्चात् ही होना चाहिए। इससे प्रथम अध्याय का एक मुख्य और पूर्ण विषय होगा — सृष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति; तथा द्वितीय अध्याय का विषय रहेगा — संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम। इस प्रकार करने से धर्म का प्रसंग तथा मुख्य विषय खण्डित नहीं होंगे और मनुस्मृति की संकेत शैली के अनुरूप अध्याय का विभाजन होगा।

इसीलिए हमने मनुसम्मत विधि के अनुसार २।२५ वें के पश्चात् ही प्रथम अध्याय का विभाजन किया है। इन २५ श्लोकों को प्रथम अध्याय में ही परिगणित कर लिया है। इस प्रकार प्रथम अध्याय के श्लोक बढ़कर १४४ हो गये हैं और द्वितीय अध्याय से २५ घट गये हैं। इस संस्करण में श्लोकों की संख्या इसी ढंग से दी गई है।

(ख) अष्टम अध्याय के विभाजन में भ्रान्ति —

अष्टम अध्याय के विभाजन में जो त्रुटियाँ एवं भ्रान्तियाँ हुई हैं, वे ये हैं —

(अ) अष्टम अध्याय का विषय है — राजधर्म के अन्तर्गत अठारह प्रकार के व्यवहारों (मुकद्दमों) का निर्णय। ८।४-७ श्लोकों में इनको एक-एक करके गिनाया भी है। ८।१-३ श्लोकों में इस विषय को प्रारम्भ करने का संकेत है और ९।२५० में इस विषय को संकेतपूर्वक समाप्त किया है —

उदिनोऽयं त्रिस्तरशो मिथो विवदमानयोः।

अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः॥

अर्थ — यह परम्परा विवाद करने वालों के १८ प्रकार के मुकद्दमों के निर्णय का विस्तृत दर्शन किया गया।

तार्किक अध्याय-विभाजनकर्त्ता ने अष्टम अध्याय को विभाजित करने समय इस एक विषय को विलुप्त कर दिया है। अठारह व्यवहारों में से पन्द्रह व्यवहार (स्त्री-संग्रहण तक) तो अष्टम अध्याय

में चले गये । इस प्रकार इन अध्यायों का विभाजन मनु की विषय-संकेत-शैली के विरुद्ध है ।

(आ) अध्याय-विभाजन करने वाले अथवा किसी परवर्ती व्यक्ति को, ८ । ४१९ पर अध्याय-विभाजन करते समय यह भ्रान्ति हो गई है कि यहाँ व्यवहार-निर्णय का विषय समाप्त हो गया है । और उसने देखा कि यहाँ विषय-समाप्ति-सूचक कोई श्लोक भी नहीं है, इसलिए उसने अपनी ओर से यह श्लोक रचकर मिला दिया —

एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान्समापयन् ।

व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ (८ । ४२० ॥)

अर्थ — इस प्रकार राजा इन पूर्वोक्त समस्त विषयों को समाप्त करके सब प्रकार के दोषों को दूर कर देता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है ।

प्रक्षेपक को यहाँ भ्रान्ति हुई है, यहाँ व्यवहार समाप्त नहीं हुए हैं, अपितु अभी तीन व्यवहार नवम अध्याय में शेष हैं । जब वे पूर्ण हो गये, तब मनु ने अपना समाप्ति-सूचक श्लोक भी दिया है, जिसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है । यह श्लोक मनु की शैली के अनुसार भी उपयुक्त सिद्ध नहीं होता । सभी संस्करणों में इसी प्रकार विषय-समाप्ति की जा रही है । आश्चर्य है कि इस भ्रान्ति की ओर अभी तक विद्वानों का ध्यान नहीं गया है ।

इस भ्रान्ति की पुष्टि एक और भ्रान्ति से भी होती है ।

(इ) वह है विषय-सूची बनाने वाले की । विषय-सूची चाहे अध्यायविभाजनकर्ता ने बनायी है अथवा किसी अन्य परवर्ती ने, उसे मुख्य और गौण विषयों का सम्यक् ज्ञान नहीं था । 'व्यवहार-निर्णय' राजधर्म के अन्तर्गत एक मुख्य और विस्तृत विषय है, फिर उसके अठारह गौण विषय हैं । किन्तु विषयसूची के श्लोकों को देखकर लगता है कि विषयसूची के निर्माता को 'व्यवहार-निर्णय' एक मिन विषय लगा है, जो आठवें में पूर्ण हुआ मान लिया और नवम अध्याय में शेष तीन व्यवहारों को स्वतन्त्र विषय मानकर पृथक्-पृथक् विषय के रूप में वर्णित कर दिया —

राजश्च धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥ (१ । ११४ ॥)

साक्षिप्रश्नविधानं च धर्म स्त्रीपुंसयोरपि ।

विभागधर्म दूतं च कण्टकानां च शोधनम् ॥ (११५ ॥)

अर्थ — (आठवें अध्याय में) साक्षियों के प्रश्नों का विधान, (नवम अध्याय में) पति-पत्नी के धर्म, विभागधर्म, जुए सम्बन्धी, और कण्टकभूत दोषों के दूरीकरण सम्बन्धी बातों का वर्णन है । (सातवें अध्याय में) राजा के सब धर्म तथा (८ वें अध्याय में) सब कार्यों (मुकदमों) का निर्णय कहा है ।

'साक्षिप्रश्नविधान' 'स्त्रीपुरुषधर्म' 'विभागधर्म' और 'दूत' विषय व्यवहार-निर्णय के अन्तर्गत ही आने वाले विषय हैं, पृथक् नहीं । शायद बीच में खण्डित हो जाने के कारण यह भ्रान्ति हुई है । वस्तुतः ७, ८ और नवम अध्यायों में राजधर्म ही वर्णित हैं, और ये ७ । १ से प्रारम्भ होकर ९ । ३२५ में समाप्त हैं । उसके पश्चात् वैश्य और शूद्र के कुछ कर्मों का वर्णन है ।

(ग) नवम अध्याय के विभाजन पर विचार —

वर्तमान में उपरान्त मनुस्मृतियों में नवम अध्याय में ३३३ श्लोक उपरान्त होने हैं । मनुस्मृतियों में नवम अध्याय के ३३३ श्लोक नव राजनीति का विषय हैं । तैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मनुस्मृतियों का अध्याय-विभाजन भी प्रकरणानुसार हुआ है, किन्तु कुछ अध्यायों के विभाजन

में विभाजनकर्ता द्वारा भूलें हुई हैं। प्रकरण को समझे बिना अध्याय-विभाजन कर दिया है। इसी प्रकार इस अध्याय में भी भूल हुई है। विषय के साथ १।३२६ से १।३३६ श्लोक जिनमें वैश्य-शूद्रों के कर्तव्यों का वर्णन है, जोड़ दिये हैं। इनके साथ ही चातुर्वर्ण्यधर्म [२।१४४ (२।२५) से १।३३६ तक] समाप्त हो जाते हैं और फिर दशम अध्याय में चातुर्वर्ण्यधर्म का उपसंहार है। क्योंकि वैश्य-शूद्र-धर्मवर्णन के ग्यारह श्लोकों के प्रकरण का कोई एक अध्याय उपयुक्त नहीं जंचता, अतः हमने इन श्लोकों को दशम अध्याय में उपसंहार-वर्णन के साथ सम्मिलित कर दिया है। १।३३५ श्लोक के कथनानुसार यहीं इस राजधर्मात्मक अध्याय को समाप्त कर दिया है।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इसके अध्यायों का विभाजन नये सिरे से किया जाये अथवा प्रक्षिप्त श्लोकों के संशोधन के साथ इसे प्रचलित रूप में स्वीकार कर लिया जाये? इस के उत्तर में यही विचार किया गया है कि प्रधानतः प्रचलित को ही रख लिया जाये। क्योंकि, इसके परिवर्तन से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा और आठवाँ अध्याय अत्यन्त विस्तृत हो जायेगा, उसमें लगभग सात-सौ श्लोक हो जायेंगे जबकि नवम में १०-११ ही रह जायेंगे। अतः इन भ्रान्तियों की ओर ध्यान दिलाकर इस विभाजन को यथावत् रख लिया गया है। सही बात तो यह है कि मनुस्मृति की शैली के अनुसार अथवा विषयों के अनुसार संतुलित अध्यायों में विभाजन नहीं हो सकता क्योंकि विषयानुसार अध्याय बाँटने में किसी अध्याय में तो ६००-७०० श्लोक होंगे और किसी में ५०-६०, और अध्यायों की संख्या भी बढ़ जायेगी। इसलिए प्रथम और नवम अध्याय को छोड़कर शेष प्रचलित विभाजन को ही स्वीकार कर लिया, जिससे प्रचलित संस्करणों से बहुत अधिक अन्तर न पड़े और श्लोकों को मिलाने में असुविधा का सामना न करना पड़े। यतोहि, वर्तमान में सभी ग्रन्थ और उद्धरण प्रचलित संस्करणों की संख्या के अनुसार ही है।

२. मनुस्मृति के प्रकरण और उनकी सीमा का निर्धारण —

मनुस्मृति को उसकी संकेत-शैली के अनुसार कुछ मुख्य विषयों में अवश्य बाँटा जा सकता है। यद्यपि इस प्रकार करने से भी संकेतक श्लोक मुख्यविषय के अनुसार विभाजित होंगे, लेकिन उससे विषय या प्रसंग का ज्ञान होता जायेगा। वैसे छोटे-छोटे प्रसंग भी मनुस्मृति में अनेक हैं, उनकी गणना की जाये तो पूरी विषयसूची तैयार हो जायेगी, इसलिए यहाँ उनका उल्लेख करना विस्तारभय से संभव नहीं है। मुख्य या स्वतन्त्र विषयों का विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता है —

मुख्यविषय का नामकरण

श्लोक सीमा

१. भूमिका

१।१ से १।४ तक

२. सृष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति

१।५ से २।२५ तक

(इस प्रकाशन में १।५ से १।४४ तक)

३. संस्कार

२।२६ से २।६८ तक

(इसमें २।१ से २।४२)

४. ब्रह्मचर्याश्रम

२।६९ से २।२४९ तक

(इसमें २।४५ से २।२२४ तक)

५. गृहस्थान्तर्गत विवाह

३।१ से ३।६६ तक

६. गृहस्थान्तर्गत पञ्चयज्ञविधान

३।६७ से ३।२८६ तक

७. गृहस्थान्तर्गत वृत्तियाँ

४।१ से ४।१३ तक

८. गृहस्थान्तर्गत स्नातकों के व्रत	४।१४ से ४।२६० तक
९. गृहस्थान्तर्गत भक्ष्याभक्ष्य	५।१ से ५।५६ तक
१०. गृहस्थान्तर्गत शुद्धिविषय	५।५७ से ५।१४६ तक
११. गृहस्थान्तर्गत स्त्रीधर्म	५।१४७ से ५।१६९ तक
१२. वानप्रस्थ्याश्रम	६।१ से ६।३२ तक
१३. संन्यासाश्रम	६।३३ से ६।९७ तक
१४. राजधर्मान्तर्गत राजा की सिद्धि और कर्तव्य	७।१ से ७।२२६ तक
१५. राजधर्मान्तर्गत १८ प्रकार के व्यवहारों=मुकद्दमों का निर्णय	८।१-३ से ९।२५० तक
१६. राजधर्मान्तर्गत लोककण्टकों का निवारण	९।२५१-२५२ से ९।३२५ तक
१७. वैश्य-शूद्रों के कर्तव्य	९।३२६-से ९३६ तक
१८. वर्णों के आपदर्म	१०।१ से १०।१३१ तक
१९. प्रायश्चित्त-विधान	११।४४ से ११।२६५ तक
२०. कर्मफलविधान	१२।१ से १२।८२ तक
२१. कर्मफलविधानान्तर्गत निःश्रेयस्कर कर्मों का वर्णन	१२।८३ से १२।११६ तक

हमने प्रचलित अध्यायों के विभाजन को रखते हुए इन मुख्य विषयों के शीर्षक तथा विषय की अवधि भी साथ-साथ दिखा दी है। इसके अतिरिक्त मनु के संकेतानुसार अवान्तर विषयों के भी शीर्षक दे दिये हैं। इससे विषय या प्रसंग के परिज्ञान में सरलता होगी।

३. मनुस्मृति में वर्णों और आश्रम धर्मों के वर्णन की पद्धति —

मनुस्मृति में वर्णों और आश्रमों के धर्मों का छठे अध्याय की समाप्ति तक साथ-साथ वर्णन चलता है। विषयसंकेतक श्लोक के 'वर्णधर्मान्निबोधत [१।१४४ (२।२५)] और उपसंहारात्मक "एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः" [६।९७] पदों को पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि मनु से प्रश्न वर्णों और आश्रमों [१।२] दोनों का किया या, फिर विषय-संकेतक श्लोकों में केवल वर्णधर्म की ही बात क्यों कही? इसका समाधान मनु-शैली और अन्य श्लोकों से हो जाता है। उसे इस प्रकार समझना चाहिए —

(१) मनुस्मृति की यह शैली है कि उसमें आश्रमों के धर्म, वर्णों के साथ-साथ चलते हैं। वर्णों के सुदीर्घ विषय के अन्तर्गत ही आकर वे छठे अध्याय में ब्राह्मण वर्ण के धर्मों के साथ-साथ ही समाप्त हो जाते हैं। और छठे अध्याय में आश्रमधर्मों की पूर्णता के साथ-साथ ब्राह्मण वर्ण के धर्म और व्यावहारिक कर्तव्य भी पूर्ण हो जाते हैं। छठे अध्याय तक के चारों आश्रमों के धर्म और व्यावहारिक कर्तव्य सभी द्विजों के लिए एकसदृश पालनीय हैं। जो विधान इन अध्यायों में कहे हैं, ब्राह्मण के वही-धर्म-कर्म हैं [१।८८]।

उसके पश्चात् शेष वर्णों के व्यावहारिक कर्तव्यों का कथन — 'क्षत्रियों' के लिए सप्तम, अष्टम अध्याय और नवम के ३२५ वें श्लोक तक पूर्ण होता है। वैश्यों का ९।३२६ से ३३३ [३

संस्करण में १०।१ से १०।८ तक] तथा शूद्र के कर्तव्यों का कथन ९।३३४-३३५ [इस संस्करण में १०।९-१० तक] पूर्ण हो जाता है ।

(२) इस मध्य द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय से पञ्चम अध्यायों में गृहस्थाश्रम, षष्ठ में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का वर्णन है । आश्रमधर्मों को वर्णधर्मविषय के अन्तर्गत मानकर उन-उन विषयों के प्रसंगसंकेतक श्लोकों तथा उपसंहारात्मक श्लोकों से उसका कथन भी किया है [२।४३ (२।६८), २।२२४ (२।२४९), ३।२, ६७, २८६, ४।१, २५९, ५।१६९, ६।१३३, ८७-६०] आदि ।

(३) इसी प्रकार इन अध्यायों में 'द्विज', 'विप्र', 'ब्राह्मण' शब्दों का स्थान-स्थान पर पर्यायवाचीरूप में प्रयोग है ।

(४) मनु ने संभवतः इसी शैली के अनुरूप १।२ और १।१३७ [२।१८] में आश्रम के लिए पर्यायवाची रूप में 'अन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दों का प्रयोग किया है, इसका अर्थ बनता है — 'वर्णानाम् अन्तरे प्रभवः = उत्पत्तिः - स्थितिः येषां ते अन्तरप्रभवाः = आश्रमाः ।' इसी शैली के अनुरूप आश्रमों का वर्णधर्मों के अन्तर्गत ही कथन है । यही मनु की शैली है ।



पंचम अध्याय

[महर्षि दयानन्द और मनुस्मृति तथा उनके द्वारा प्रक्षेपनिर्देशन]

१. महर्षि दयानन्द द्वारा मनुस्मृति का गौरव बढ़ाना —

यद्यपि मनुस्मृति को अपने रचना-काल से ही सर्वोत्कृष्ट और प्रामाणिक धर्मशास्त्र के रूप में मान्यता प्राप्त है; किन्तु आधुनिक काल में मनुस्मृति की न तो पूर्वसदृश प्रतिष्ठा ही रह गयी है और न पूर्ववत् अकाट्य प्रामाणिकता। प्रक्षेपों से विकृत और गदली हो जाने के कारण मनुस्मृति का गौरव विनष्ट हो रहा था। महर्षि-दयानन्द ने उस गौरव की रक्षा की और उसे बढ़ाया। सर्वप्रथम, मनुस्मृति के प्रक्षेपों से विकृत स्वरूप की ओर संकेत करके लोगों का यह दृष्टिकोण बदला कि 'उपलब्ध गदला रूप मनुस्मृति का वास्तविक रूप है,' और यह भी बताया कि इसमें अनेक प्रक्षेप हुए हैं; प्रक्षेपों से रहित मनुस्मृति ही मान्य और अनुकरणीय है। फिर उसे आर्ष और प्रामाणिक घोषित किया तथा उसकी वेदानुकूलता की पुष्टि की। काशी-शास्त्रार्थ में महर्षि-दयानन्द ने कहा था —

“मनुस्मृत्यादीन्यपि वेदमूलानि सन्ति, तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति न तु वेदविरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति।”

अर्थात् — मनुस्मृति आदि भी वेदमूलक हैं, इससे इनका भी प्रमाण है। क्योंकि जो-जो वेदविरुद्ध और वेदों से असिद्ध हैं, उनका प्रमाण नहीं होता।

(द. शा. सं. पृ. २१)

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के ५१४ श्लोकों या श्लोक-खण्डों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। एवं बहुत सारे श्लोकों के भावों को ग्रहण किया है। इससे ही यह सिद्ध होता है कि महर्षि-दयानन्द की मनुस्मृति के प्रति गहरी निष्ठा थी और वे उसे प्रामाणिक आर्ष ग्रन्थ मानते थे। इतने अधिक प्रमाण उद्धृत करके उन्होंने यह संकेत कर दिया कि धर्मप्रमाण में मनुस्मृति का महत्त्वपूर्ण स्थान है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता। महर्षि ने वेदों के बाद यदि किसी शास्त्र के सर्वाधिक प्रमाण दिए हैं, तो वह मनुस्मृति ही है। महर्षि ने अपनी समस्त वैदिक मान्यताओं की व्याख्या मनुस्मृति के श्लोकों से की है। मनुस्मृति के सम्बन्ध में जो मिथ्या भ्रान्तियाँ फैल चुकी थीं, महर्षि ने उन सबका उत्तर वेद के प्रमाणों से दिया और मनुस्मृति का परिमार्जित तथा उज्ज्वल स्वरूप हमारे समक्ष रखा। इस शास्त्र से महर्षि की तथा महर्षि से इस शास्त्र की प्रतिष्ठा चहुँ ओर फैल गई। असंख्य मत-मतान्तरों के प्रबल भ्रमभावत के घोर अन्धकार तथा वेग के सामने अविचल तथा निर्भय रहने का महर्षि को जहाँ अदम्य साहस परमेश्वर की उपासना से, ज्ञान की ज्योति वेद-ज्ञान से, तथा तर्कशक्ति दर्शनों के गहन अध्ययन से मिली थी, वहाँ महर्षि के मनोबल को बढ़ाने वाला यह धर्मशास्त्र ही था। महर्षि जो वैदिक-वाङ्मय का मन्थन कर सके, तदर्थ कुशाग्रबुद्धि तथा तर्कणा शक्ति को देने वाला यही परमोपयोगी धर्मापदेश था। अन्य मतों की घृष्टियाँ उड़ाने तथा अन्धविश्वास का समूल उन्मूलन करने का धैर्य 'यस्तके'गानुसन्धसे स धर्मो वेद नेतरः' (मनु. १२।१०६) इत्यादि मनु के सत्य-वचनों ही से प्राप्त हुआ था। महर्षि ने जो ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य के विषय में 'वेदानुकूल को प्रामाणिक तथा वेद-प्रतिकूल को अप्रामाणिक' मानने की मान्यता प्रस्तुत की है, इसका भी मूलधार मनुस्मृति ही है। महर्षि ने काशी शास्त्रार्थ में सत्य ही कहा था — 'जो-जो मनु ने कहा है, सो-सो औषधों का औषध है।’

महर्षि-दयानन्द द्वारा अत्यधिक प्रमाणों के उद्धृत-गृहीत किये जाने पर, धर्म-निर्णय के सन्दर्भ में मनुस्मृति की चर्चा पुनः बढ़ी और सभी वर्गों के लोगों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ। इस प्रकार महर्षि-दयानन्द ने आधुनिक युग में मनुस्मृति के गौरव को पुनरुज्जीवित किया है।

महर्षि दयानन्द ने मनुस्मृति की वैदिक मान्यताओं को ही नहीं स्वीकार किया, प्रत्युत मनु की वर्णन-शैली को भी उपादेय समझकर ग्रहण किया है। मनु की यह शैली है कि वे किसी भी विषय का वर्णन करने से पूर्व तथा अन्त में भी निर्देश अवश्य करते हैं। महर्षि ने भी सत्यार्थप्रकाशादि में इस शैली को अपनाकर आदि तथा अन्त में विषयों का निर्देश किया है। इसी प्रकार, जैसे मनु ने प्रथम ब्रह्मचर्य, गृहस्थादि के धर्मों का वर्णन क्रमशः किया है, वैसे ही महर्षि ने सत्यार्थप्रकाश में प्रथम ब्रह्मचर्यआश्रम के नियमों शिक्षणविधि तथा पठन-पाठन, गृहस्थ आदि का वर्णन किया है।

२. महर्षि के अर्थ एवं भावों का ग्रहण —

महर्षि ने वेदानुकूल मान्यताओं को परखा और उन्हें प्रस्तुत किया। उनकी पुष्टि के लिए उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के लगभग ५१४ श्लोकों या श्लोकखण्डों को उद्धृत किया है। अनेक श्लोकों के केवल भाव ग्रहण किये हैं। अपने ग्रन्थों में महर्षि ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का भाष्य किया है, उस श्लोक पर महर्षि का भाष्य दे दिया गया है, शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य है। जहाँ महर्षि का भाव मिला वहाँ मैंने अपने भाष्य के नीचे उनका भाव भी दे दिया है, ताकि एक ऋषि की मान्यता को ऋषि के भाव से, अधिक गाम्भीर्य पूर्वक समझा जा सके। एक ऋषिकृत ग्रन्थ पर ऋषि का भाष्य हो जाने से 'सोने में सुगन्ध' वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है और उसका महत्त्व भी कई गुणा बढ़ जाता है।

महर्षि के श्लोकों के अर्थ में वैशिष्ट्य है, और गाम्भीर्य है। उन्होंने मनु की मूल भावना को समझा है। इस प्रसंग में एक प्रमाण देना पर्याप्त होगा। मनु का निम्न श्लोक जितना प्रसिद्ध है, उसका अर्थ उतना ही व्यावहारिक रूप में प्रसिद्ध है —

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।

(३।५६)

यहाँ सभी टीकाकारों ने यह अर्थ किया है — 'जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं।' इस प्रकार अदृश्य देवताओं की कल्पना की गयी है। इस कल्पना से इसका अर्थ अविश्वसनीय, व्यावहारिक, असंगत एवं हास्यास्पद बन गया। किन्तु महर्षि ने 'देवताः' का निरुक्त शास्त्र के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हुए कहा है कि 'जिस घर में नारियों की पूजा अर्थात् सत्कार होता है, वहाँ देवता अर्थात् दिव्यगुण, दिव्य लाभ, दिव्यसन्तानें, दिव्यभोग आदि प्राप्त होते हैं'। यह प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि जिस घर में नारियाँ सत्कृत और प्रसन्न रहती हैं, उस घर का वातावरण अनेक सुखों से भरा-पूरा होता है। कितना व्यावहारिक और प्रासंगिक अर्थ है! (विस्तृत विवेचन भाष्य में यथास्थान देखिए)।

इस भाष्य में, श्लोकों पर महर्षि दयानन्द के ३४२ अर्थ उद्धृत किये हैं और ८० श्लोकों पर केवल भाव उद्धृत किया है। इस प्रकार ४२२ श्लोकों पर ऋषि के अर्थ और भाव हैं। महर्षि के जो अर्थ या भाव अग्ररशः उद्धृत किये हैं, उन पर उद्धरणचिह्न अंकित हैं। अर्थों में श्लोकों के मूल पद महर्षि के नहीं हैं, अपितु पदार्थ सूचिका और भाष्य की एकरूपता के लिए लेखक की ओर से संयुक्त किये

है। महर्षि के अर्थ या भाव में यदि कोई बृहत्कोष्ठक में शब्द है तो वह भी लेखक की ओर से ही रखा गया है, महर्षि का नहीं है।

महर्षि के अर्थों की अखण्डता बनी रहे, इसका भी ध्यान रखा गया है। अपने ग्रन्थों में श्लोकों का अर्थ या भाव देते समय यदि महर्षि ने किसी पद को छोड़ा हुआ है, तो इस भाष्य में उस स्थान पर टिप्पणी के चिह्न देकर उनके अर्थ के ठीक बाद वह पद देकर मैंने उसका अर्थ कर दिया है। पाठक भाष्य पढ़ते समय उसे उस स्थान पर संयुक्त करके अर्थ को समझ लें।

३. सर्वप्रथम प्रक्षेप-निर्देशक —

यह श्रेय भी सर्वप्रथम महर्षि-दयानन्द को ही जाता है कि उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों में हुए प्रक्षेपों को पहचाना और उनका संकेत दिया। यों तो मेघातिथि, कुल्लुकभट्ट आदि ने भी पाठभेद के रूप में प्राप्त श्लोकों को प्रक्षिप्तरूप में दर्शाया है, किन्तु निहित स्वार्थी प्रवृत्तियों से हुए प्रक्षेपों की ओर सबसे पहले महर्षि-दयानन्द ने ही ध्यान आकृष्ट किया और इस दृष्टि से कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को पुनः उद्धृत भी किया तथा प्रक्षिप्त श्लोकों को निकालने की प्रेरणा भी दी। मनुस्मृति में हुए प्रक्षेपों के बारे में उन्होंने अपने उपदेशों व ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर उल्लेख किये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं —

(क) "अब मनु जी का धर्मशास्त्र कौन-सी स्थिति में है, इसका विचार करना चाहिए। जैसे ग्वाले लोग दूध में पानी डालकर उस दूध को बढ़ाते हैं और मोल लेने वालों को फांसाते हैं, उसी प्रकार मानवधर्मशास्त्र की अवस्था हुई है। उसमें बहुत-से दुष्ट क्षेपक श्लोक हैं, वे वस्तुतः भगवान् मनु के नहीं हैं।"

(पृ. प्र. पृ. ९१)

(ख) "एक दिन स्वामी जी यह उपदेश दे रहे थे कि वर्णभेद गुण पर निर्भर है, न कि जन्म पर; और अपने कथन की पुष्टि में मनुस्मृति के कुछ श्लोक पढ़ रहे थे, इस पर एक मनुष्य ने कहा कि मनुस्मृति में अन्य श्लोक इसके विरुद्ध भी हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वे प्रक्षिप्त हैं।"

(र. जी. र. पृ. ३५७)

कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों का स्वग्रन्थों में निर्देश —

(ग) सत्यार्थप्रकाश में निम्न श्लोकों की प्रक्षिप्त रूप में समीक्षा की है —

१. प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम् ॥५॥२७॥

अर्थ — यज्ञ में प्रोक्षण से शुद्ध किए मांस को खावे ॥

२. न मांसभक्षणं दोषो न नष्टो न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेवा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥५॥५६॥

(पृ. २८३, एकदश समु.)

अर्थ — मांस के खाने, शराब-पीने और शास्त्रविरुद्ध मैथुन (व्यभिचार) में कोई दोष नहीं है। ये सब प्राणियों की स्वामायिक प्रवृत्तियाँ हैं। इनसे निवृत्त होना अत्यन्त लाभप्रद है।

३. पुराणानि खिलानि च ॥६॥ २६२ ॥ (स. प्र. पृ. ३२६)

(घ) "ब्राह्मण लोगों में विद्या की कमी होती गई और अभिमान बढ़ता गया। जब देखा कि हमारा मन्त्र चल गया और सब लोग हमारी आज्ञा को मानते हैं; तब उन्होंने अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, उद्यापन, श्राद्ध और मूर्तिपूजन आदि वेदविरुद्ध कर्मों में लोगों को चलाना प्रारम्भ कर दिया, जिससे अनायास अपनी आजीविका चल सके। सर्वसाधारण, ब्राह्मणों से विमुख न हो जायें, इसलिए ऐसे-ऐसे श्लोक गढ़े गए —

आविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणं दैवतं महत् ।

पणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतं महत् ॥ (९ । ३१७ ।।)

अर्थ — ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो अथवा मूर्ख, बड़ा देवता है । जैसे अग्नि हवन के लिए हो अथवा न हो, फिर भी बड़ा देवता है ।

श्मशाने चापि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति ।

ह्ययमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ॥ (९ । ३१८ ।।)

अर्थ — तेजस्वी अग्नि का तेज श्मशानों में भी नष्ट नहीं होता है और यज्ञों में हवि को प्राप्त करके तो वह अग्नि अधिक बढ़ जाता है ।

अग्नि के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो या मूर्ख, वह साक्षात् देवता है । प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार के बनावटी श्लोक डालकर और नवीन रचनाएं करके ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और मन्वादि स्मृतियों में भी अपने महत्त्व के वाक्य मिला दिए । यथा —

एवं यद्याप्यनिष्ठेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु ।

सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् ॥ (९ । ३१९ ।।)

(पू. प्र. पू. १३४)

अर्थ — इस प्रकार चाहे ब्राह्मण कैसे भी अनिष्ट कर्मों में रत रहें, फिर भी वे सब प्रकार से पूज्य हैं । क्योंकि वह बड़ा देवता है ।

(६) "मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और उससे पृथक् स्मृति ग्रन्थ (अपठनीय हैं)" ।

(ऋ. भू. ग्रन्थप्रामाण्य.)

उपर्युक्त घोषणा, विद्वान्, आर्षभक्त तथा मत-मतान्तरों के जाल से विमुक्त, स्वार्थहीन, निष्पक्ष, महर्षि-दयानन्द ही कर सके हैं, जिन्होंने वेद-ज्ञान के सूर्यसम प्रकाश में सत्यासत्य का निर्णय कर लिया था । और सत्यासत्य के निर्णय का माप-दण्ड भी हमारे लिए स्पष्ट किया । महर्षि दयानन्द ने प्राचीन शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि —

सहप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः ॥ (न्यायदर्शन २ । ५७ ।।)

अर्थात् — वह प्रमाण के योग्य नहीं होता, जिसमें मिथ्या बातों का वर्णन, परस्पर विरोधी तथा पुनरुक्त बातों का वर्णन हो ।

ये उद्धरण इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के बिगड़े हुए रूप को पहचाना था और उसके सुधार के लिए सर्वप्रथम प्रयास किये थे । इस प्रकार साहित्य के अन्दर होने वाले प्रक्षेपों का निर्देश देने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति महर्षि-दयानन्द थे । उनकी इस अमृतपूर्व महत्त्वपूर्ण देन के लिए साहित्य-क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए ।

४. महर्षि-दयानन्द द्वारा उद्धृत श्लोकों का प्रक्षेपान्तर्गमन —

महर्षि-दयानन्द द्वारा स्वग्रन्थों में की गई प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही मनुस्मृति के प्रक्षेपों को दूर करने का यह प्रयास किया जा रहा है । यह कहना चाहिए कि महर्षि-दयानन्द के उद्देश्य की पूर्ति करना ही इस कार्य का लक्ष्य है । इससे पूर्व भी आर्यसमाज के कुछ विद्वानों ने मनुस्मृति के प्रक्षेप निकालने के प्रयास किये हैं, किन्तु उनमें कुछ सुनिश्चित आधार न अपनाने के कारण भ्रान्तियाँ एवं दोष रह गये हैं । कुछ एक ने तो महर्षि-दयानन्द द्वारा उद्धृत सम्पूर्ण प्रसंगों को ही प्रक्षिप्त घोषित कर दिया है । बिना किसी आधार के इस प्रकार करना दुस्साहस मात्र कहा जायेगा । कुछ विद्वानों ने

प्रक्षिप्त कोटि में आने वाले विभिन्न श्लोकों को भी मौलिक मानलिया है, जिन्हें हमने सप्रमाण प्रक्षिप्त सिद्ध किया है। हमने जो आधार अपनाये हैं, प्रसंगानुसार उनकी एक बार पुनः चर्चा कर देना उपयुक्त रहेगा। वे ये हैं —

१. विषय-विरोध
२. प्रसंग-विरोध
३. अन्तर्विरोध
४. पुनरुक्तिर्या
५. शैली-विरोध
६. अवान्तर-विरोध
७. वेद-विरोध

इस कार्य को करते हुए हमारे सामने भी एक विवशता उत्पन्न हो आई है। उसे स्पष्ट कर देना हम स्वयं आवश्यक समझते हैं। वह यह कि प्रक्षेपों को निकालने को लिए जो 'आधार' हमने निर्धारित किये हैं, उनमें महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत कुछ श्लोक भी आ गये हैं। महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत श्लोक कैसे प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं, अथवा उन्हें प्रक्षिप्त क्यों स्वीकार किया जा रहा है तथा उन्हें मान लेने पर क्या उल्लभन पैदा हो जायेगी, इन बातों का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है —

१ — मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के इस उल्लभनपूर्ण और महाकठिन कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने जो उपर्युक्त 'आधार' या 'मानदण्ड' निर्धारित किये हैं, वे विशुद्ध रूप से कृतित्व पर आधारित हैं, और वे सर्वमान्य हैं। इस अनुसन्धान कार्य को करते हुए किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं अपनाया है। यह प्रयत्न किया गया कि कृति की शैली के अनुसार ही उसका वास्तविक रूप प्रकाश में आये और यह कार्य सभी वर्ग के व्यक्तियों में समानरूप से मान्य हो सके। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो इस कार्य की न तो कोई विशेष उपयोगिता ही सिद्ध होगी और न ही यह न्यायोचित ही होगा। इसलिए पक्षपातरहित होकर हमें यह कार्य करना पड़ा। महर्षि दयानन्द ने भी पक्षपातरहित को ही धर्म माना है। हमने उनकी इस बात को मानते हुए पक्षपातरहितता दिखाई है। उपर्युक्त आधारों की सीमा में आने वाले महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत कुछ श्लोकों को हमने इस कारण प्रक्षिप्त कोटे में रखा है कि यदि कुछ श्लोकों को इन नियमों से मुक्त कर दिया जाये तो फिर वे 'आधार' ही व्यर्थ सिद्ध होंगे और आधाररहित रूप में किया गया कार्य कभी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता।

२ — महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत जितने श्लोक प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं उनका मनुस्मृति की किसी मान्यता से विरोध नहीं है। अपितु वे प्रकरणविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कोटि में आते हैं। इसे महर्षि की दृष्टि नहीं कहा जा सकता और न ही इस बात पर कोई आपत्ति की जा सकती है; क्योंकि, एक तो महर्षि ने स्वतन्त्ररूप से मनुस्मृति के प्रक्षेप निकालने का कार्य नहीं किया और दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति के उद्धरण लेते समय प्रकरण-इस दृष्टि से उनके विचार का विषय नहीं रहा। महर्षि स्वयं मनुस्मृति में अनेक प्रक्षेपों का होना मानते हैं। इसी अध्याय में इस विषय में उनकी सम्मतियाँ उद्धृत की जा चुकी हैं। इसी कारण उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के श्लोकों के साथ यह शैली अपनायी है कि — उद्धृत श्लोकों के साथ अध्याय और संख्या का उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार हमारा यह कार्य उनके विरुद्ध नहीं जाता।

३ — प्रक्षेपों के अन्तर्गत आने वाले महर्षि के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो प्रसंग की दृष्टि से अपने पूर्व श्लोकों से सम्बद्ध हैं और वे पूर्व के आधारभूत श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, अतः उनके साथ सम्बद्ध

होने के कारण महर्षि द्वारा उद्धृत श्लोक भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाते हैं।

महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत जो श्लोक प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं, वे श्लोक तथा उनके प्रक्षेपान्तर्गमन के कारण या आधार निम्न हैं —

१. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूत्रः ।

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ (१।१०।१)

(उद्धृत — स. प्र. पृ. १९)

अर्थ — 'अप' तत्त्व का नाम नारा है, और अप तत्त्व परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। वे अप तत्त्व परमात्मा के अयन = निवासस्थान हैं अर्थात् परमात्मा उनमें व्यापक है, अतः परमात्मा का नाम 'नारायण' है ॥

आधार — महर्षि द्वारा उद्धृत इस श्लोक का स्वतन्त्र रूप से किसी मान्यता से विरोध नहीं है, किन्तु जिस पूर्वापर प्रसंग से यह सम्बद्ध है, वह प्रसंग अनेक 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है अतः, उससे जुड़ा होने के कारण यह श्लोक भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाता है। वह प्रसंग निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है — (१) मनुस्मृति में जगत् की उत्पत्ति 'महत्' आदि तत्त्वों के द्वारा सूक्ष्म से स्थूल, स्थूलतर और स्थूलतम के क्रम से मानी है [१।१४-२४]। ७-१३ श्लोकों के इस प्रसंग में अपने शरीर से प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से 'अपः' की सृष्टि, उनसे अण्डे का निर्माण [८-९], अण्डे से ब्रह्मा की उत्पत्ति [९, ११], फिर अण्डे के दो टुकड़े करके ध्रुलोक, भूमिलोक आदि का निर्माण [१२-१३] आदि जगदुत्पत्ति की प्रक्रिया उक्त मान्यता के विरुद्ध है। (२) ७-१३ श्लोकों का यह प्रसंग प्रसंगविरुद्ध भी है, यतो हि १४-१८ श्लोकों में अभी सूक्ष्मतत्त्वों की उत्पत्ति कही जा रही है। उनकी उत्पत्ति के पश्चात् ही स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति संभव है। किन्तु इस प्रसंग में सूक्ष्मतत्त्वों की उत्पत्ति कहने से पूर्व ही स्थूलसृष्टि — समुद्र, ध्रुलोक, पृथिवीलोक [१३] और अण्डाकाररूप ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति प्रदर्शित कर दी। यह क्रमविरुद्ध वर्णन इसे प्रसंगविरोधी प्रक्षेप सिद्ध करता है। (३) यह प्रसंग इस प्रकार भी प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होता है कि इस प्रसंग के १३ वें श्लोक की १४ वें से संगति नहीं जुड़ती। १३ वें में लोकों की रचना का वर्णन है, जबकि १४ से प्रकृति से 'महत्' आदि की उत्पत्ति का वर्णन प्रारम्भ किया है। १४ वें के भाषा-प्रयोग को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह श्लोक छटे से सम्बद्ध है। क्योंकि छठे श्लोक में जगदुत्पत्ति के रूप में ही परमात्मा की प्रकटता दिखलाते हुए 'समोनुदः' 'महामूलादि दृत्तौजाः' विशेषण पठित है। इससे यह संकेत मिलता है कि इसके बाद प्रकृति से 'महत्' 'पञ्चभूत' आदि महामूतों की उत्पत्ति प्रदर्शित करना ही रचयिता को अभीष्ट है। अण्डे आदि की उत्पत्ति दर्शाना अभीष्ट नहीं है (जैसा कि ९-१३ श्लोकों में वर्णित है), और वह उत्पत्ति १४ वें श्लोक से प्रदर्शित है, अतः छठे से १४वाँ श्लोक सम्बद्ध है। इस प्रकार बीच का यह ७-१३ श्लोकों का प्रसंग प्रसंगविरोधी सिद्ध होता है।

प्रकरण-विरोध — इस श्लोक का प्रकरणविरोध सिद्ध होता है, यतो हि इसमें 'नारायण' शब्द की व्युत्पत्ति दर्शायी गई है। यहाँ पूर्वापर प्रसंग में 'नारायण' शब्द की कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पूर्वापर प्रसंग सृष्टि-तत्त्वों की उत्पत्ति का है। उसके बीच में किसी नाम की व्युत्पत्ति दर्शाना प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता। यदि यह कहा जाये कि ८ वें श्लोक में 'अपः' शब्द आया था उसके प्रसंग से नारायण शब्द की उत्पत्ति दर्शा दी, तो इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि मनु की इस प्रकार की शैली नहीं है। यदि ऐसी शैली होती तो वे श्लोक में पठित 'स्वयम्भूः' 'भगवान्' आदि नामों और विशेषणों की व्युत्पत्ति भी दर्शाते।

२. मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् ।
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ (१ । ३५ ॥)
३. एते मनुस्तु सप्तान्यान्सृजन्मूरितोजसः ।
देवान्देवनिकार्याश्च महर्षीश्चमितोजसः ॥ (१ । ३६ ॥)

(उद्धृत — पूनाप्रवचन पृ. ९४)

अर्थ — मनु ने जिन दश प्रजापति महर्षियों को उत्पन्न किया, उनके नाम इस प्रकार हैं — मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वसिष्ठ, भृगु और नारद । (१ । ३५) ॥ इन महर्षियों ने सात दूसरे बहुत तेजस्वी मनुओं को उत्पन्न किया और देव, देवसमूह तथा अपरिमित शक्तिसम्पन्न महर्षियों को उत्पन्न किया । (१ । ३६)

प्रकरण-विरोध — (१) सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन १४-२२ श्लोकों में वर्णित हो चुका । उसके पश्चात् २५-३० श्लोकों में उत्पन्न प्रजाओं के कर्मों की व्यवस्था का भी वर्णन किया जा चुका है । इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग १४-२२ श्लोकों में ही पूर्ण हो चुका । प्रसंग के पूर्ण होने के बाद पुनः भिन्न पद्धति से उसी सृष्टि-उत्पत्ति के प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है । ३२-४१ श्लोकों में पुनः सृष्टिरचना का वर्णन है, ये श्लोक भी उसके अन्तर्गत हैं और उन्हीं से सम्बद्ध हैं, अतः प्रक्षेपान्तर्गत कहे जायेंगे ।

ये श्लोक इस प्रकार भी प्रक्षेपान्तर्गत आते हैं कि ये ३३-३४ श्लोकों से सम्बद्ध हैं । (१) ३३-३४ श्लोकों में ब्रह्मा के आधे शरीर से पुरुष की उत्पत्ति, आधे से स्त्री की, और उसमें विराट् की उत्पत्ति, विराट् से मनु और मनु से अन्य मनुओं की उत्पत्ति प्रदर्शित है । ये श्लोक १ । १६, १९, २३, २६-३१ के विरुद्ध हैं, इन श्लोकों में एक साथ अनेक प्राणियों की उत्पत्ति का होना प्रदर्शित है, ब्रह्मा के वंश से नहीं । (२) और फिर जब उक्त श्लोकों में सभी प्राणियों की उत्पत्ति दिखा दी है तो यहां फिर प्राणियों की उत्पत्ति दर्शाना स्वतः प्रसंगविरुद्ध है । (३) ३२-४१ श्लोकों के इस प्रसंग में महर्षियों से चर-अचर, स्थावर-जंगम जगत् की उत्पत्ति कहना प्रकृतिविरुद्ध भी है । इस प्रकार इन श्लोकों का यह प्रसंग प्रक्षिप्त है और ये श्लोक पूर्णपर रूप से इस प्रसंग से सम्बद्ध हैं ये भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाते हैं ।

४. निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ॥ (२ । १४)

(सं. वि. पृ. २७)

महर्षि ने इस श्लोक की यह एक ही पंक्ति उद्धृत की है । अग्रिमपंक्ति में सिद्धान्त विरोध आने से उन्हें वह ग्राह्य नहीं थी । यहां महर्षि को केवल यह दिखलाना ही अभीष्ट है कि संस्कार, निषेक से अन्त्येष्टि पर्यन्त, सोलह होते हैं । मनुस्मृति में यह श्लोक पूर्णपर धर्ममूलवर्णन के प्रसंग के विरुद्ध है । यहां शास्त्राधिकार का प्रसंग नहीं है और न सोलह संस्कारों का । इसमें मनुस्मृति को 'शास्त्र' संज्ञा से अभिहित करना भी इसे शैली की दृष्टि से परवर्ती सिद्ध करता है (द्र. शैलीगत आधार मनु. का पुन. द्वितीय अध्याय में) ।

५. वसुन् वदन्ति तु पितॄन् रुद्राश्चैव पितामहान् ।

प्रपितामहास्तपादिष्यांश्च्युतिरेषा सनातनी ॥ (३ । २८४ ॥)

(उद्धृत — पञ्चमहायज्ञविधि)

अर्थ — वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह कहते हैं । यह प्राचीनकाल से सुनते आए हैं ।

प्रकरण-विरुद्ध — (१) ११६-११८ श्लोकों में गृहस्थी के लिए अतिथि को खिलाकर खाने का विधान है, या फिर यज्ञशेष अन्न खाने का विधान है । २८५ वें श्लोक में 'यज्ञशेष' अन्न का लक्षण वर्णित है । यह कहना चाहिए कि ११६-११७ श्लोकों के ११८ और २८५ श्लोक अर्पवादरूप हैं, या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि ११८ वें श्लोक की वाक्यपूर्ति २८५ वें में होती है । बीच के श्लोकों ने उस वाक्यक्रम को भंग कर दिया है, अतः ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं ।

(२) इस श्लोक में मनु से विरुद्ध कोई मान्यता नहीं है, किन्तु यह श्लोक जिस पूर्व वर्णन से प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध है, वह १२२ से २८३ श्लोकों का वर्णन मृतकश्राद्ध का विधायक है । यह प्रसंग अनेक 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । उस प्रकरण से जुड़ा होने के कारण यह श्लोक भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाता है ।

६. दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः ।

दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ (४।८५।१)

(उद्धृत — सं. वि. १५१)

अर्थ — दस कसाइयों के समान एक तेली, दस तेलियों के समान एक कलार, दस कलारों के समान एक वेश्याजीवी और दस वेश्याजीवियों के समान एक राजा होता है ।

आधार — यह श्लोक प्रसंग की दृष्टि से ८४ वें श्लोक से सम्बद्ध है । ८४ वें श्लोक में यह अक्षत्रिय से उत्पन्न राजा कसाई, तेली, कलार एवं भेष बदलकर जीविका करने वाला, इनसे दान न लेने का विधान है । ८५ वें में उनकी तुलनात्मक शैली में निन्दा है । ८४ वें श्लोक में जन्मना वर्ण-व्यवस्था की मान्यता प्रदर्शित की है, जो मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था [१।८७-९१; २।६८ (४३), १२६ (१०१) १४६-१४८ (१२१-१२३); ४।२४५] की मान्यता के विरुद्ध है । ८४ वां श्लोक इस आधार पर प्रक्षिप्त है । उसके साथ जुड़ा होने के कारण ८५ वां श्लोक भी प्रक्षिप्त कहा जायेगा ।

७. गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेघं समाचरन् ।

प्रेतहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥ (५।६५।१)

(उद्धृत — स. प्र. ३० पत्रविज्ञा. १०१)

अर्थ — मृत गुरु के पितृमेघ (अन्त्येष्टि) को करने वाला शिष्य मृतशरीर को उठाने वालों के साथ दश रात-दिन में शुद्ध होता है ॥

प्रकरणविरुद्ध — ५।५७ वें श्लोक में मनु ने देहशुद्धि और द्रव्यों की शुद्धि के विषय को कहने का कथन किया है । भूमिकारूप में शुद्धिकारक पदार्थों का वर्णन १०५-१०७ श्लोकों में वर्णित है उसके बाद १०९ वें में शरीर-शुद्धि का उपाय विहित है । इस प्रकार प्रसंगक्रम की दृष्टि से ५७ के बाद उसकी भूमिकारूप १०५-१०७ श्लोक होने चाहिये । बीच के ५८ से १०४ श्लोकों ने उस क्रम को भंग करके सपिण्ड-असपिण्ड भेदों से मृतकशुद्धि तथा सूतकशुद्धि का वर्णन किया है । शुद्धिकारक पदार्थों के कथन से पूर्व ही शुद्धि के उपायों का वर्णन करना प्रसंगक्रम की दृष्टि से असंगत है, अतः बीच के ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं । इनके अन्तर्गत आने से यह श्लोक भी प्रक्षिप्त कहा जायेगा ।

८. उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ (८।१२५।१)

(स. प्र. १८१ पृ. स उद्धृत)

अर्थ — मनु ने दण्ड के दस स्थान बताये हैं — जननेन्द्रिय, पेट, जीभ, दोनों हाथ, दोनों पैर, आँख, नाक, दोनों कान, घन और शरीर ।

प्रकरणविरुद्ध — (१) यहाँ पूर्वापर प्रसंग ८ । १२२ और १२६-१३१ श्लोकों में अर्थदण्ड का चल रहा है । बीच में शरीरदण्डों का कथन करना पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है । (२) १२४ वां श्लोक वर्णन-शैली के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । उसमें प्रयोग — "दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्" । स्पष्ट है कि इस श्लोक का प्रवक्ता स्वयं मनु नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है । अतः इस आधार पर यह श्लोक भी प्रक्षिप्त है । १२५ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से १२४ वें से सम्बद्ध है । उसका अर्थवाद है । अतः उसके प्रक्षिप्त होने पर १२५ वां स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेगा ।

९. अहम्यहम्यवेक्षेत कर्मास्तान्वाहनानि च ।

आयव्ययो च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥ (८ । ४१९ ॥)

१०. एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान् समापयन् ।

व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परमांगतिम् ॥ (८ । ४२० ॥)

(उद्धृत — स. प्र. पृ. १७५)

अर्थ — राजा प्रतिदिन राज-कायों, हाथी आदि सवारियों, आय-व्यय के लेखों, खानों और खजानों का निरीक्षण करे । (८ । ४१९)

इस प्रकार राजा इन सब विषयों को समाप्त कराता हुआ सब प्रकार के दोषों (पापों) को दूर कर देता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है । (८ । ४२०)

प्रकरणविरुद्ध — ८ । ३ श्लोक से अठारह प्रकार के व्यवहारों (मुकदमों) का वर्णन शुरू हुआ था, जो ९ । २५० में समाप्त होता है । आठवें अध्याय के अन्त में केवल पन्द्रह व्यवहार ही समाप्त हो पाये हैं, और व्यवहारों के समाप्ति-सूचक ये श्लोक सभी व्यवहारों की समाप्ति का संकेत देकर उसका फलकथन कर रहे हैं । प्रसंग या विषय समाप्त होने से पूर्व ही उसकी समाप्ति का संकेत करना कभी मौलिक रूप से नहीं हो सकता, अतः ये प्रसंगविरुद्ध और अशुद्ध हैं । अठारह व्यवहारों का समाप्ति-सूचक मौलिक श्लोक ९ । २५० वां यथास्थान उपलब्ध है । ये अध्यायों की समाप्ति पर समाप्ति या उपसंहार-सूचक श्लोकों की एकरूपता बनाये रखने के लिए प्रक्षेप किये प्रतीत होते हैं । यहाँ विषय समाप्त न होने के कारण अध्यायकार को कोई समाप्ति-सूचक श्लोक नहीं दिखाई पड़ा, अतः उसने स्वयं इस प्रकार का श्लोक रचकर मिला दिया ।

इस प्रकार तटस्थ आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध हुए प्रकरणों के बीच में आने के कारण महर्षि के ये श्लोक मनुस्मृति के सन्दर्भ में प्रक्षिप्तकोटि में आ जाते हैं ।



मनुस्मृति शुदाशुदि-पत्र

पृष्ठसंख्या	पंक्ति	अशुद	शुदरूप
८	१५	द्योतनाथ	द्योतनार्थ
१९	१८	सृष्टि	सृष्टि
२४	५	पैर	पैर
२५	२२	प्रविष्ट	प्रविष्ट
२८	२४	जीवात्मा	जीवात्मा
३०	१०	उत्पत्ति का नाम	उत्पत्ति का क्रम
४०	१८	किय	किया
४१	३०	(छपना छूट गया है)	प्राप्त हो गया ।।
४६	२	नसृजन्	नसृजन्
५२	२०	काल	के काल
६८	१७	आ लोग	आर्यलोग
८०	१९	इय प्रत्यय	इय आदेश
८५	२०	व्रताचारण	व्रताचरण
१०९	१६	अथात्	अर्थात्
"	१७	नादियों, जा	नदियों, जो
"	१८	दश, नदा	देश, नदी
"	१९	दाक्षिण दशीय	दक्षिण देशीय
१०९	२०	दोना नदियों क	दोनों नदियों के
"	२१	आया, आयावर्त्त	आर्यों, आर्यावर्त्त
"	२६	पूर्व	पूर्व
"	२७	दुषद्वती जा, पूर्वभाग,	दुषद्वती जो, पूर्वभाग,
"		स किलक	से निकलके
"	२८	पूर्व, आर, म	पूर्व, और, में
११२	२	आच ण	आचरण
१३८	३	हयुदइ मुख :	हयुदइ.मुख :
१५८	५	रसन	रसना
१५९	१	अघम	अघर्म
१५९	१६	चातन् केवलान्	चैतान्केवलान्
१७६	१८	चरणस्पर्श	चरणस्पर्श
१९१	२४	आ ह + एव नखाग्रेभ्य :	आ नखाग्रेभ्य : ह + एव
१९२	१९	अशिक्षा	अशिक्षा
१९५	३२	२७६	१७६
२०९	११	दबवाना	दबाना

२१४	३२	करान	करना
२१७	२	स्पष्ट :	स्पष्टत :
२२१	२७	विद्यमान	विद्यमान
२२५	२९	द्विजो	द्विजो
२२८	२९	पिता	पिता
२३६	३३	दे	देव
२५०	३१	ग न	गमन
२७०	२२	विज्ञानम्	विज्ञानम्
२७०	३२	अच्छान	श्रेष्ठान्
३२४	१६	यज्ञाहु	यज्ञाहुति
३४२	२२	नैनामी त	नैनमिक्षेत्
३५२	३२	अन्यादपि	अन्त्यादपि
३५७	१२	अनघयय	अनघ्याय
३६१	३२	अयम्	अयम्
३६६	२१	कुलभाम्	दुर्लभाम्
३६७	१२	मूर्ख	मूर्ख
३६९	८	अपेक्ष्य	अपेक्ष्य
३७५	३	ईष्या	ईर्ष्या
३७८	२९	चवारमेत	चैवारमेत
४६२	२	चाग्निपरिदम्	चाग्निपरिच्छदम्
४८८	२५	व्याहृति	व्याहृति
४९३	१४	छटे	छोटे
५१२	१८	दण्ड ;, सव.	दण्ड :, सर्वा :,
५२३	२२	सुदा	सुवास
५२५	८	स्थापयित	स्थापर्यितुम्
५२६	२०	ि वास्व न :	दिवास्वप्न :
५३९	१२	प्रकोट	प्रकोटा
५५८	२	चितेन्द्रय	चितेन्द्रिय
५६२	८	(अध्वानम्)	(अध्वानम्) मार्ग की दूरी आदि
५६३	३०	नियुत	नियुक्त
५६३	३१	कीकपदनी	की आमदनी
५८६	२४	यथा तु यानमतिष्ठेद	यदा तु यानमातिष्ठेद
५९०	१३	सर्वदिष्टु	सर्वदिष्टु
५९४	२३	युद्धन	युद्धेन
५९४	२४	समस्त :	समस्तै :
५९६	१	सर्वेषाम्	सर्वेषाम्
५९६	३	नाना	वनाना

शुद्धाशुद्धि-पत्र

५९८	१२	धर्मज्ञ न	धर्मज्ञ च
५९८	१७	छटे	छोटे
६०३	३	प्रयत्न	प्रयत्न
६०६	२२	सौप वे	सौप देवे
६०८	३	राजधर्मान्तर्ग	राजधर्मान्तर्गत
६१७	३२	अनयो	अनयो
६२१	५	घतयेत्	घातयेत्
६२६	३०	लेख	के लेख
६३२	२३	(असंभवे) उक्त स्यानों में	(स्त्रियाः अपि असंभवे) उक्त
		पूर्वोक्त साक्षी न होने पर,	स्यानों में स्त्री की विद्यमानता
			न होने पर,
६४५	११	विरुद्ध	विरुद्ध
६४९	६	ये दण्डों	इन दण्डों
६५३	१	राप्यधरण	राप्यधरण
६५८	२४	लौटान	लौटाने
६६७	४	चतुर्भाग	चतुर्भाग
६७३	८	निक्षेपस्य	निक्षिप्तस्य
६८३	१४	('अमृते मृतिः' पदों का	(अमृते मृतिः) भरण-पोषण का
		अर्थ छूट गया है)	व्यय न लेने पर यह दूध ही
			उसकी जीविका है।
७०८	१४	 बड़ा घड़ा	दश बड़े घड़ों
७३१	१२	सर्वस्व	सर्वस्व
७३१	१५	जा वाला	जाने वाला
७३४	६	नारित	नास्ति
७७१	२५	पता	पिता
७७४	२२	अश, त्वषाम्	अश, त्वेषाम्
७७८	२५	जैसी	जैसी
७७८	२८	पुत्रा	पुत्री
७८२	१४	न्युक्	न्यरक्
८१५	१२	आदि	आदि
८३९	२६	विद्याध्यायन	विद्याध्ययन
८४९	१९	सदृशान्	सदृशान्
८४९	२८	लिखा	लिखी
८५०	१२	आर्यवर्त	आर्यावर्त
८५२	२४	हन्तुः	हन्तुः
८५३	२७	मान्यता से	मान्यता के
८५४	२५	जायते	जायन्ते

मनुस्मृति

८५६	४	तत्र	यत्र
८५७	१	वर्णव्यवस्था है	वर्णव्यवस्था की है ।
८५८	५	मुख	मुख
८६१	२७	द्विजों के	द्विजों में
८६२	१७	शैली	शैली
८६२	२४	ब्राह्मणयोनिस्था :	ब्राह्मणयोनिस्था :
८६४	२३	धर्मवैतैपुणम्	धर्मवैपुणम्
८६५	३	सन	सन
८६८	९	जीविता +	जीवित +
८६८	१९	नातोंऽत्	नातोंऽत्
८७०	११	धानु	धान्य
८७०	२८	न ल -	न ले -
८७२	३२	कि जो	कि जो
८७३	३	वर्णों की	वर्णों के
८७४	१६	दीक्षित हो सके	दीक्षित न हो सके
८७४	२७	जी के	जी ने
८७४	२८	अनु.	मनु.
८७६	३१	संस्कारमहति	संस्कारमहति
८७८	२२-२३	कारण अयुक्तियुक्त है ।	कारण मनुसम्मत नहीं है ।
८८१	१	यज्ञार्थ	यज्ञार्थ
८८१	१९	विधेत्	विधेत्
८८४	१०	न यस्मिन्	न तस्मिन्
८८६	२३	कुर्याद्	कुर्याद्
८८८	१७	ब्राह्मवादिषु	ब्राह्मवादिषु
८८८	२०	उपसेविनाम्	उपसेविनाम्
८८९	११	श्लोको से	श्लोको के
८८९	११	यज्ञप्रसंगों	यज्ञप्रसंगों में
८९६	१४	जैहम्यं	जैहम्यं
९०४	९	पातकिनस्तेव	पातकिनस्तेव
९०४	१८	मास	मास
९०६	८	कुर्य :	कुर्य :
९१९	२४	नार्थ	नार्थ
९२१	६	प्रायश्चित्त	प्रायश्चित्त
९३०	३	न्हें	उन्हें
९३७	३०	पृथक्ता	पृथक्ता
९४१	१९	प्रत्येक	प्रत्येक
९४२	६, ८	कर्म	कर्म

१४२	२९	फल-फूल	फल-मूल
१५४	१७	अधम	अधर्म
१५४	२७	मानसा	मनसा
१५६	२४	तन्मात्राओं	तन्मात्राओं
१५९	११	रजोगुण प्रधानता	सत्तोगुण प्रधानता
१६१	१४	ज्ञेयम्	ज्ञेयम्
१६२	१४	अर्थसंग्रह, धर्म :	अर्थसंग्रह, धर्म :
१६३	२६	कर्म करने	कर्म करने
१६७	१८	सार्वभौतिक :	सार्वभौतिक :
१६७	१९	सर्व :	सर्व :
१६९	१	क्रम्यदा :	क्रम्यदा :
१७०	९	पस्करद्वयम्	द्वयपस्करम्
१७४	४	चतु र्जयम्	चतु र्जयम्
१७७	५	प्रत्य	प्रत्य
१७८	१२	आवश्यता	आवश्यकता
"	२४	यथार्थ	यथार्थ
१८६	२६	धर्म	धर्म
१९०	१	धर्म	धर्म
"	१४	समतानाम्	समेतानाम्
१९२	६	अधर्म	अधर्म
१९७	१८	अहलादक	आह्लादक
१९९	२७	नियं	नित्यं

अथ मनुस्मृतिः

अथ प्रथमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-‘अनुशीलन’-समीक्षाम्यां सहितः]

(सृष्टि-उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय १।५ से १।१४४ तक)

मनुस्मृति-सूक्तिका

(१।१ से १।४ तक)

महर्षियों का मनु के पास आगमन—

मनुमेकाग्रभासीनमभिगम्य महर्षयः ।

प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन् ॥ १ ॥ (१)

(महर्षयः) महर्षि लोग (एकाग्रम्+आसीनम्) एकाग्रतापूर्वक बैठे हुए (मनुम्) मनु के (अभिगम्य) पास जाकर, और उनका (यथान्यायम्) यथोचित (प्रतिपूज्य) सत्कार करके (इदम्) यह (वचनम्) वचन (अब्रुवन्) बोले—॥ १ ॥

महर्षियों का मनु से वर्णाश्रम-धर्मों के विषय में प्रश्न—

भगवन्सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः ।

अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्निो वक्तुमर्हसि ॥ २ ॥ (२)

(भगवन्) हे भगवन् ! आप (सर्ववर्णानाम्) सब वर्णों=ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र (च) और (अन्तरप्रभवाणाम्) सभी वर्णों के अन्दर होने वाले अर्थात् आश्रमों=ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के [वर्णानां अन्तरे प्रभवः=उत्पत्तिः, स्थितिः येषां ते अन्तरप्रभवाः=आश्रमाः] (धर्मान्) धर्मो-कर्तव्यों को (यथावत्) ठीक-ठीक रूप से (अनुपूर्वशः) और क्रमानुसार अर्थात् वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्रम से तथा आश्रमों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के क्रम से (नः) हमें

(वक्तुम्) बतलाने में (ग्रहंति) समर्थ हो ॥ २ ॥ (इस दूसरे श्लोक के प्रश्न की पूर्ति १।३ में होगी ।) +

अनुशीलन : मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है [धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः २।१० (१।१२६)] । तदनुसार इसमें धर्म का ही प्रतिपादन है । मनुस्मृति में धर्म के स्वरूप तथा इस श्लोक में आये आचारभूत शब्द 'अन्तरप्रभवाणाम्' पर यहाँ सप्रमाण विचार किया जाता है—

(१) धर्म का स्वरूप—(क) व्याकरण की दृष्टि से 'धृज्-धारणे' धातु से 'अतिस्तु सुहुष्टृष्०' [उणादि १।१४०] मूल से प्राप्त 'मन्' प्रत्यय के योग से 'धर्म' शब्द सिद्ध होता है । 'धारणात् धर्म इत्याहुः' 'अप्रियते अनेन श्लोकः' आदि व्युत्पत्तियों के अनुसार 'जिसे आत्मोन्नति और उत्तम सुख के लिए धारण किया जाये' अथवा 'जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाये अर्थात् व्यवस्था या मर्यादा में रखा जाये', उसे धर्म कहते हैं । इस प्रकार आत्मा की उन्नति करने वाला, मोक्ष या उत्तम व्यावहारिक सुख देने वाला सदाचरण, कर्तव्य अथवा श्रेष्ठ विधान (कानून), नियम, धर्म है ।

(ख) मनुस्मृति में धर्म को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया है । स्थूल रूप से उसे दो अर्थों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

१. मुख्य अर्थ (आध्यात्मिक उद्देश्यसाधक)
२. गौण अर्थ (लौकिक व्यवहार-साधक)

१. आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्मा के उपकारक, निःश्रेयससिद्धि अर्थात् मोक्ष-प्राप्ति कराने वाले 'आचरण' को 'धर्म' कहते हैं । यह धर्म का मुख्य अर्थ है । यही धर्म सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनीन है, जो त्याज्य नहीं है । इसी का प्रतिपादन करता धर्मशास्त्रों का प्रमुख उद्देश्य है । मनु ने इस धर्म का वर्णन निम्न श्लोक में किया है—

वेदाभ्यासः, तपः, ज्ञानम्, इन्द्रियाणां च संयमः ।

धर्मक्रिया, आत्मचिन्ता च निःश्रेयसकरं परम् ॥ १२।६३॥

निम्न प्रमाणों से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है—

(अ) धर्मं ज्ञानैः संचिनुयात् परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४।२३॥

(आ) धर्मेण हि सहायेन तन्नस्तरति सुदुस्तरम् ॥ ४।२४२ ॥

(इ) धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्धिया सत्यमक्रोधो व्रतकं धर्मसंशरणम् ॥ ६।६२ ॥

+ [प्रचलित अर्थ—हे भगवन् ! सब वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) और 'अग्निष्टादि' अनुलोमज, 'सूत' आदि प्रतिलोमज, तथा 'भूवृकण्टक' आदि संकीर्ण जातियों के यथोचित धर्मों को क्रमशः कहने के लिये आप योग्य हैं (अतः उन्हें कहिए) ॥ २ ॥]

मनुस्मृति में धर्मपालन के परिणामस्वरूप जो फलप्राप्ति दिखायी है, वह भी इस अर्थ की मुख्यता की ओर संकेत करती है—

(ई) एतद्धो ऽभिहितं सर्वं निःश्रेयसकरं परम् ।

अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ १२।११६॥

(उ) अनेन विप्रो ब्रह्मेन वर्तयन् वेदशास्त्रवित् ।

व्यपेत कल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥४।२६०॥

इस अर्थ की सिद्धि में प्रमाणरूप में १।१२८, २।१३४ [२।१५६], २।२२४ [२४६], ४।१३८, १५६, १७५, २३८, २३६, २४२, २४३, २६० ॥ ८।१६, १७, ८३ आदि श्लोक भी द्रष्टव्य हैं ।

२. व्यावहारिक क्षेत्र में, त्रिविध—आत्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति कराने वाले, मानवत्व और देवत्व का विकास करने वाले, उत्तम सुखसाधक श्रेष्ठ व्यावहारिक कर्तव्य, मर्यादाएँ और विधान (कानून) धर्म कहलाते हैं । ये व्यावहारिक क्षेत्र के होने के कारण कर्म हैं, जिनमें देश-काल-परिस्थितिबश कुछ परिवर्तन भी आ जाते हैं । इसमें निम्न प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(अ) न ज्ञयात् सत्यमप्रियम् ॥४।१३८॥

(आ) योषितां धर्ममापदि ॥६।५६॥

(इ) एष धर्मः स्त्रीपुंसयोः ॥६।१०१, १०३॥

(ई) द्यूतधर्मं निबोधत ॥ ६।२२० ॥

(उ) वण्डं धर्मं बिलुः बुधाः ॥७।१८॥

(ऊ) राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि ॥७।१॥

(ए) विवाह—‘ब्राह्मो धर्मः’, ‘देवं धर्मम्’, ‘आर्यः धर्मः’, ‘आसुरः धर्मः ।

॥ ३।२७—३१ । आदि-आदि ॥

दर्शनशास्त्रों में धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है । उनके अनुसार धर्म की परिभाषा निम्न है—

(अ) “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः (वैशेषिक १।१।२)

अर्थात्—जिसके आचरण से (अभ्युदयः) मनुष्य की त्रिविध—आत्मिक, मानसिक व शारीरिक उन्नति और व्यावहारिक उत्तम सुख की प्राप्ति एवं वृद्धि हो तथा (निःश्रेयससिद्धिः) मोक्षसुख की सिद्धि हो (सः धर्मः) वह आचरण या कर्तव्य धर्म है ।

(आ) “चोदनालक्षणो धर्मः” (पूर्वमीमांसा १।१।२)

अर्थात्—(चोदनालक्षणः) वेदों में मनुष्यों को करने के लिए जो कर्तव्य विहित किये हैं, वह (धर्मः) धर्म है ।

(२) 'अन्तरप्रभवाणाम्' पद का मनु-सम्मत अर्थ—

इस श्लोक में मेधातिथि, कुल्लूकभट्ट और उनके अनुयायी सभी टीकाकारों ने 'अन्तरप्रभवाणाम्' पद का—“संकीर्ण जातियों या वर्णसङ्करों के” यह अर्थ प्रशुद्ध किया है। इस पद का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियाँ हैं—

(क) २। १८ [इस संस्करण के अनुसार १। १३७] में 'अन्तरप्रभवाणाम्' के पर्यायवाची रूप में 'सान्तरालानाम्' शब्द का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ वर्णों के साथ 'अन्तरप्रभवाणाम्' शब्द का प्रयोग है, वैसे ही उक्त श्लोक में भी वर्णों के कथन के साथ-साथ 'सान्तरालानाम्' शब्द का प्रयोग है। उस श्लोक में 'सान्तरालानाम्' शब्द का अर्थ 'आश्रम' है, अतः यहाँ भी उसके पर्यायवाची शब्द 'अन्तरप्रभवाणाम्' शब्द का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये। यद्यपि २। १८ [१। १३७] श्लोक में भी टीकाकारों ने 'सान्तरालानाम्' शब्द का अर्थ 'संकीर्ण जाति' या 'वर्णसङ्कर' किया है, किन्तु वह मनु की मान्यता के विरुद्ध है। यतो हि, उस श्लोक में धर्म के चार मूलाधारों में से एक आधार 'सदाचार' [२। ६, १२ या १। १२५, १३१] का लक्षण किया है, और बताया है कि "ब्रह्मावर्त देश के निवासी वर्णों और आश्रमों का, जो परम्परागत श्रेष्ठ आचरण है, वह 'सदाचार' कहा जाता है"। इस श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसङ्कर' या 'संकीर्ण जाति' अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णसङ्करों का आचरण 'सदाचार' ही नहीं हो सकता और न ही उनके आचरण को उन श्लोकों में 'सदाचार' के रूप में माना है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्णसङ्करों के धर्मवर्णन-प्रसङ्ग में अनेक स्थानों पर उनके आचरण को निन्दनीय और गहित कहा है। उस प्रसङ्ग में संकीर्ण जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणों में कुछ इस प्रकार हैं—“मातृदोषविर्गहितान्” = “माता के दोष से निन्दित जन्म वाले” [१०। ६], “क्रूराचारविहारवान्” = “क्रूर आचार-व्यवहार वाले” [१०। ६], “अधमो नृणाम्” = “मनुष्यों में नीच” [१०। १२], “अव्रतास्तु यान्” = “व्रतहीन” [१०। २०], “पापात्मा भूजंकण्टकः” = “पापी आत्मा वाले भूजंकण्टक” [१०। २१], “ततोऽप्यधिकदूषितान्” = “उनसे भी अधिक दूषित आचरण वाले” [१०। २६], “अनयन्ति विर्गहितान्” = “निन्दित सन्तानों को जन्म देते हैं” [१०। २६]। इसी प्रकार संकीर्ण जातियों का 'अपसद' (नीच) 'अपध्वंसज' (पतितोत्पन्न) आदि शब्दों द्वारा नामकरण करना भी यह सिद्ध करता है कि रचयिता इन्हें निन्दित आचरण वाला मानता है। इनके अतिरिक्त उस प्रसंग में वर्णसंकरों के जो पशु-हिंसा आदि धर्म बतलाये हैं, वे मनु के मत में धर्म न होकर दुष्कर्म हैं, जिनकी मनु ने स्थान-स्थान पर निन्दा की है। फिर उनके आचरण को 'सदाचार' कैसे कहा जा सकता है? और न उन्हें 'धर्म' कहा जा सकता है। इससे यह बोध होता है कि उक्त श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' अर्थ करना संगत नहीं है, और मनु के विरुद्ध भी है। अतः वहाँ उसका 'आश्रम' अर्थ होना चाहिए। उसके पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने से इस श्लोक में 'अन्तरप्रभव' का अर्थ भी 'आश्रम' ही समीचीन है।

(ख) मनुस्मृति में वर्णों के धर्मों के साथ-साथ विस्तृत और विशिष्ट रूप से आश्रमों के धर्मों का ही कथन है, वर्णसंस्करणों के धर्मों का नहीं। यह भी ध्यान देने की बात है कि इस श्लोक में जिस क्रम से वर्णों और आश्रमों के धर्मों को बतलाने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में उसका उल्लेख है। आश्रमों और वर्णों का क्रम साथ-साथ चलता है, जैसे—द्वितीय अध्याय में—ब्राह्मण-आश्रम का वर्णन है, तृतीय से पञ्चम तक गृहस्थ का, षष्ठ में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का वर्णन है। साथ-साथ छठे अध्याय तक ब्राह्मण के कर्त्तव्य भी उक्त हो जाते हैं। फिर क्षत्रियों के शेष कर्त्तव्यों का वर्णन ७।१ से ६।३२५ तक है। वैश्य के अतिरिक्त कर्त्तव्यों का कथन ६।३२६ से ३३३ [इस संस्करण में १०।१-६] तक, तथा शूद्रों के कर्त्तव्यों का वर्णन ६।३३४-३३५ [इस संस्करण में १०।७-८] में है। यदि 'अन्तरप्रभवार्णाम्' का 'आश्रम' अर्थ न करके 'वर्णसंस्करण' अर्थ लिया जाये, तो प्रश्न उठेगा कि जब प्रारम्भ में आश्रमों के धर्म पूछने का प्रश्न ही नहीं है, तो इतने विस्तृत और प्रधान रूप से आश्रमों के धर्मों का विधान क्यों किया गया है? वर्णों और आश्रमों के धर्मों का साथ-साथ और प्रधानतापूर्वक वर्णन करने की मनु की यह शैली भी यह संकेत देती है कि इस श्लोक में वर्णों और आश्रमों के विषय में प्रश्न है, वर्णसंस्करणों के विषय में नहीं।

(ग) मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, वर्णसंस्करणों की नहीं। १२।६७ में भी वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख है—“चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाः चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्” इसी प्रकार ७।३५ में भी राजा को वर्णों और आश्रमों के धर्मों का रक्षक कहा है, वर्णसंस्करणों का उल्लेख ही नहीं—

स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः ।

वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥

इस प्रवृत्ति के अनुसार भी यहां वर्णों के साथ प्रयुक्त 'अन्तरप्रभव' शब्द का अर्थ 'आश्रम' ही सिद्ध होता है।

(घ) मनुस्मृति में, दशम अध्याय को छोड़कर, वर्णों के साथ अथवा स्वतन्त्र रूप से कहीं भी वर्णसंस्करणों की चर्चा या उल्लेख नहीं है। नामकरण संस्कार [२।२६-३५ या २।१-१०], विवाहविधि [३।२०] आदि प्रसङ्गों में, जहाँ शूद्रों के लिए भी विधान किये हैं, वहाँ भी इनका उल्लेख नहीं है। दशम अध्याय में भी जो इनका वर्णन है, वह वस्तुतः मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है (विस्तृत जानकारी के लिए दशम अध्याय के श्लोकों की समीक्षा देखिए)। यतो हि, वह विषय प्रसंगविरुद्ध रूप से वर्णित है। मनु की विषय-संकेत-शैली से भी दशम अध्याय का वर्णसंस्करणों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। वर्णों के धर्म-कथन का विषय प्रारम्भ करते हुए वे कहते हैं—“वर्णधर्मान्निबोधत” १।१४४ [अन्य संस्करणों में २।२५]। इसी प्रकार इस विषय की समाप्ति का संकेत करते हुए कहा—“एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः” १०।१४२ [अन्य संस्करणों में १०।१३१]। दोनों ही स्थानों पर वर्णों के धर्मों के वर्णन का कथन

है, आपद्धर्म का नहीं। यहां बीच में वर्णसंकरों के वर्णन करने का न तो प्रसंग था और न ही अभीष्टता, किन्तु फिर भी किसी ने इस वर्णन को बलात् मिलाया है।

इसी प्रकार १०।१५ [अन्यत्र १०।४] में स्पष्ट शब्दों में मनु ने उद्घोषित किया है कि आर्यों के समाज में केवल चार वर्ण हैं, पांचवां कोई वर्ण नहीं है। इनसे भिन्न सभी दस्यु हैं, चाहे वे आर्य भाषाएं बोलते हों अथवा म्लेच्छ भाषाएं [१०।५६ (अन्यत्र १०।४५)]। यहां वर्णसंकरों का कोई उल्लेख नहीं। इससे वर्णसंकरों का वर्णन [१०।५-७३] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद्ध नहीं होता। जब यह मनु-स्मृतिसम्मत ही सिद्ध नहीं होता, तो इस ग्रन्थ में किसी शब्द से 'वर्णसंकर' अर्थ ग्रहण करना ही अनुपयुक्त एवं विरुद्ध है। अतः यहां भी 'वर्णसंकर' अर्थ न होकर 'आश्रम' अर्थ ही मनुस्मृतिसम्मत है।

(३) मनु ने संक्षिप्त भूमिका के रूप में १।८७-९१ श्लोकों में एक-एक वर्ण का नामोल्लेख तथा उनका कर्मवर्णन किया है। उससे यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि मनु मनुष्य-समाज में चार वर्णों के अतिरिक्त कोई वर्ण नहीं मानते। इन श्लोकों से यह भी संकेत मिलता है कि मनुस्मृति में मनु को केवल इन्हीं चार वर्णों के धर्मों का कथन करना अभीष्ट है, अन्य किसी वर्णसंकर आदि का नहीं। अतः यहाँ भी 'अन्तर-प्रभव' का अर्थ वर्णसंकर आदि करना मनु की मौलिकता के विरुद्ध है, इसका 'आश्रम' अर्थ ही प्रकरणमंगत है।

(३) प्रतीत होता है कि जब वर्णसंकरों के प्रसंग का प्रक्षेप हुआ, तो उन लोगों ने तदनुसार ही 'अन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दों के अर्थों को भी परिवर्तित करके 'वर्णसंकर' अर्थ प्रचलित कर दिया। यही नहीं, अपने आशय के अनुसार ऐसे लोगों ने पाठभेद करने का भी प्रयास किया। तीन-चार हस्तलिखित प्रतियों में 'अन्तरप्रभवाणाम्' पद के स्थान पर 'संकरप्रभवाणाम्' पाठभेद भी मिलता है। यह पाठभेद वर्णसंकर सम्बन्धी प्रक्षिप्त श्लोकों को मौलिक सिद्ध करने का ही एक प्रयास था। यह पाठभेद तो प्रचलित नहीं हो पाया, किन्तु इस पाठभेद के अनुसार अर्थ की भ्रान्ति अवश्य प्रचलित हो गई।

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयम्भुवः ।

अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ॥ ३ ॥ (३)

(हि) क्योंकि (प्रभो) वेदज्ञ होने से धर्मोपदेश में समर्थ हे विद्वन् ! (अस्य सर्वस्य) इस सब [१।५-१।४४ (२।२५) में वर्णित] समस्त जगत् के, (अचिन्त्यस्य) जिनका चिन्तन से पार नहीं पाया जा सकता अथवा जिनमें असत्य कुछ भी नहीं है, और (अप्रमेयस्य) जिनमें अपरिमित सत्यविद्याओं का वर्णन है, उन (स्वयम्भुवः विधानस्य) स्वयम्भू [१।६] परमात्मा द्वारा रचित [१।२३] विधानरूप वेदों के (कार्य-तत्त्वार्थवित्) कार्य=कर्तव्य-रूप धर्मों या प्रतिपाद्य विषयों के, तत्त्वार्थवित्=यथार्थरूप अथवा उनके

रहस्यों को, और [द्वितीयार्थ में] वेदार्थों को जानने वाले (एकः त्वम्) एक आप ही हैं [अर्थात् इस समय धर्मों के विशेषज्ञ विद्वान् आप ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अतः आप ही उन्हें कहिये] ॥

अभिप्राय यह है कि वेद सब सत्यविद्याओं के विधायक ग्रन्थ हैं, इस प्रकार वे जगत् के विधान रूप अर्थात् संविधान हैं। महर्षि लोग प्रशंसा-पूर्वक मनु से कह रहे हैं कि उन विधानरूप वेदों में कौन-कौन से करने योग्य कार्य अर्थात् कर्त्तव्यरूप धर्म विहित हैं, उन्हें भलीभांति समझने वाले विशेषज्ञ विद्वान् आप हैं, अतः हमें वणों और आश्रमों के धर्मों को बतलाइये। (यह श्लोक १।२ का पूरक वाक्य है। दूसरे श्लोक में वर्णाश्रम धर्मों का प्रदन है, अतः इसमें उन्हीं का ज्ञाता बताकर मनु की प्रशंसा की है। यही मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय है—‘धर्मों का कथन’) ॥ ३ ॥ ❀

“स्वयम्भू जो सनातन वेद हैं, जिनमें असत्य कुछ भी नहीं और जिनमें सब सत्यविद्याओं का विधान है, उनके अर्थ को जानने वाले केवल आप ही हैं।” (ऋ० भू० ५८)

अनुशीलन : कुल्लूकभट्ट आदि प्रायः सभी टीकाकारों ने इस श्लोक का अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण अर्थ किया है। उनके अर्थों में निम्न त्रुटियाँ हैं—

- (१) ‘अस्य सर्वस्य’ सर्वनामों को वेद के साथ जोड़ दिया है।
- (२) कुल्लूकभट्ट ने ‘कार्य’ का ‘अग्निष्टोम आदि यज्ञकार्य’ तथा—
- (३) ‘तत्त्वार्थवित्’ का ‘ब्रह्म के ज्ञाता’ ये असंगत, सीमित और मनुस्मृति से असम्मत अर्थ किये हैं।

इनकी पुष्टि के लिए विस्तृत विचार करना आवश्यक है—

(१) ‘अस्य सर्वस्य’ पदों की सही संगति—(क) यहाँ ‘अस्य सर्वस्य’ पदों का अर्थ ‘इस सब जगत् के’ होना उपयुक्त एवं प्रासंगिक है। ‘अस्य’ या ‘इदम्’ शब्दों का जब स्वतन्त्र रूप से प्रयोग होता है, तो मुख्यरूप से उसके तीन अभिप्राय होते हैं—(१) उपस्थित या निकट की वस्तु की ओर संकेत, (२) निकट रूप से स्थित जगत्, (३) पूर्वापर विषय या वस्तु की ओर संकेत। इन तीनों ही अर्थों के आधार पर यदि इन पदों को परखा जाये, तो इनका वेद के साथ सम्बन्ध न होकर ‘जगत्’ अर्थ ही व्यक्त होता है। यतो-हि अगला वक्ष्यमाण विषय या अग्रिम प्रसंग जगत् का है, अतः वेद के साथ इन पदों को नहीं जोड़ा जा सकता। इनसे ‘जगत्’ की ओर ही संकेत है। ‘अस्य’ ‘इदम्’ आदि पदों का प्रयोग स्वतन्त्ररूप से ‘जगत्’ के लिये करने की संस्कृत भाषा की सदैव प्रवृत्ति रही है। १।५ में “आसीत् इदम्” का प्रयोग भी ‘जगत्’ के लिए ही किया है।

❀ [प्रचलित अर्थ—क्योंकि हे प्रभो ! एक आप ही इस सम्पूर्ण अपीरवेय, अचिन्त्य तथा अप्रमेय वेद के अग्निष्टोमादि यज्ञकार्य और ब्रह्म के जानने वाले हैं ॥३॥]

(ख) इसके अतिरिक्त सृष्टि-उत्पत्ति के इसी प्रसंग में दो अन्य स्थानों पर भी इन पदों का प्रयोग 'जगत्' अर्थ में ही किया है। यथा—सृष्टि-उत्पत्ति के पूर्ण होने पर—
 "सर्वस्य अस्य तु सर्गस्य" [१। ८७], इस विषय को समाप्त भी इन्हीं पदों के स्वतन्त्र प्रयोग से किया है—
 "संभवदस्य अस्य सर्वस्य" [इस सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति कही। २। २५, इस संस्करण में १। १४४]। (ग) शैली के आधार पर भी इन पदों का यहां 'जगत्' अर्थ सिद्ध होता है। १। १५ से मनु ने जो सृष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया है, वह इन पदों के ही अनुसार है। इस श्लोक में कथन है कि 'इस जगत् के विधान = वेद के आप ज्ञाता हैं'। मनु ने इसीलिए धर्मों का कथन करने से पूर्व 'जगत्' के स्वरूप को बतलाना प्रारम्भ किया, जिससे धर्मोत्पत्ति, धर्म की आवश्यकता, महत्त्व एवं स्वरूप का परिज्ञान होकर उसके प्रति प्रेरित हो सकें। मनु ने यहां साङ्गोपाङ्ग शैली अपनायी है। 'अस्य सर्वस्य' पदों के द्वारा ही १। १५ से प्रारम्भ होने वाले सृष्ट्युत्पत्ति-विषय का संकेत है, और इन्हीं पदों के प्रयोगपूर्वक इस विषय को समाप्त किया है—
 "संभवदस्य अस्य सर्वस्य" [२। २५ या १। १४४] (घ) इस श्लोक में 'विधान' शब्द का वेदों के लिए जो प्रयोग किया है वह भी साभिप्राय होने से सार्थक है, तथा निमित्त-निमित्ती भाव-द्योतनार्थ प्रयुक्त है। वेद 'विधान' हैं और विधान किसी निमित्त से विहित होता है, अतः 'अस्य सर्वस्य' पदों से संकेतित जगत् उनका निमित्ती है। 'वेद जगत् के लिये एक विधान है' यह भाव मनु ने अन्य स्थानों पर भी प्रकट किया है, १२। ६४ में वेदों को पितृ-देव-मनुष्यों का सनातन 'बधु' कहा है (पितृवेवमनुष्याणां वेदश्चबधुः सनातनम्)। यहां वेद के लिये 'बधुः' शब्द का प्रयोग लगभग 'विधान' के समान अर्थ देने वाला है। जैसे 'बधु' कहने से यह बोध होता है कि यह इन्द्रिय प्राणियों को दिखाने के लिए है, उसी प्रकार 'विधान' कहने से भी यह बोध होता है कि यह किन्हीं के मार्गदर्शन के लिए है। इस प्रकार 'विधानस्य' के साथ प्रयुक्त 'अस्य तु सर्गस्य' पदों से 'जगत्' अर्थ का ही संकेत मिलता है।

(२—३) 'कार्यतत्त्वार्थवित्' का संगत अर्थ—(क) 'कार्य' का 'अग्निष्टोम आदि यज्ञकार्य' अर्थ करना, और 'तत्त्व' का अर्थ 'ब्रह्म' करना भी अप्रासंगिक और मनुस्मृति से असम्मत है। 'कार्य' से इस श्लोक में अभिप्राय 'कर्तव्यों, प्रतिपाद्य विषयों' या 'समस्त व्यावहारिक तत्त्वों' अर्थात् 'धर्मों' से है। मनुस्मृति में [१। २] जिज्ञासा और प्रश्न का विषय 'धर्म' है, तो उसका प्रतिपाद्य या उत्तर का विषय भी 'धर्म' होगा। केवल यज्ञ या ब्रह्म का वर्णन करना, मनुस्मृति का प्रतिपाद्य नहीं है, और न इनके बारे में स्वतन्त्र रूप से जिज्ञासा ही प्रकट की गयी है। यज्ञादि धर्म के अङ्ग हैं, और स्वतः धर्मों के अन्तर्भूत हो जाते हैं। केवल यज्ञों और ब्रह्म को ही वेदों का कार्य या साध्य मान लेने से वेदों की उपयोगिता सीमित हो जाती है, जब कि मनु की मान्यता इसके विपरीत है। मनु केवल यज्ञ या ब्रह्म के लिए ही वेदों की प्रकटता नहीं मानते, अपितु संसार के समस्त श्रेष्ठ व्यवहारों = धर्मों और ज्ञान-विज्ञान आदि का साधक मानते हैं। इसकी पुष्टि के लिए निम्न श्लोक प्रमाण रूप में द्रष्टव्य है—

(घ) १।२१ में वेदों के द्वारा ही समस्त पदार्थों का नामकरण, उनके कर्मों का विधान, स्थितियों का विभाजन बताकर वेदों की बहुमुखी और व्यापक उपयोगिता को स्वीकार किया है—

“सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।

देवशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थादश्च निर्ममे ॥

(आ) १२।६७ में चारों वर्णों, आश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से माना है ।

(इ) शब्द, स्पर्श आदि सूक्ष्म शक्तियों की वैज्ञानिक सिद्धि वेदों द्वारा ही मानी है (१२।६८) ।

(ई) १२।६९ में समस्त व्यवहारों का सर्वोपरि साधक-शास्त्र वेद को ही कहा है ।

(उ) राजनीति की शिक्षा देने वाला [७।४३, १२।१००], धर्मधर्म का ज्ञान देने वाला [१२।१०६—११३] जगत् के श्रेष्ठ व्यवहारों का साधक [१।२३] शास्त्र वेद ही को कहा है ।

(ऊ) १२।६४ में वेदों की पितृ-देव-मनुष्यों का ‘चक्षु’ (धर्म-अधर्म, ज्ञान-विज्ञान आदि का दर्शाने वाला) कहा है ।

इनके अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे, जिनमें मनु ने वेदों के कार्य या उद्देश्य को व्यापक माना है । अतः कुल्लूकभट्ट द्वारा केवल यज्ञ या ब्रह्म को ही वेदों का कार्य कहना मनु की धारणा के प्रतिकूल है ।

(ख) मनुस्मृति उपनिषदों की भांति केवल आध्यात्मिक ग्रन्थ ही नहीं है जिसमें केवल यज्ञ और ब्रह्म का ही दिग्दर्शन कराया गया हो; अपितु समाज का विधान या धर्मशास्त्र भी है । यही कारण है कि मनुस्मृति में इनका वर्णन अङ्गीरूप में न होकर अंगरूप में है । १।१२५—१३४ [२।६—१५] श्लोकों में मनु ने धर्म का विकास वेद से माना है । मनु का प्रमुख वचन है—‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’ १।१२५ । यज्ञ और ब्रह्मप्राप्ति का इसके अन्दर स्वतः ही अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि ये भी मनुष्यों के धर्म हैं । इस प्रकार कुल्लूकभट्ट का अर्थ मनुस्मृति-प्रतिपाद्य के अनुरूप नहीं है ।

(ग) और यह अर्थ अप्रासंगिक भी है । १।२ में मनु से वर्णों और आश्रमों के धर्मों का प्रश्न है । श्लोकों की संगति ध्यान देने योग्य है—‘आप वर्णों और आश्रमों के सब धर्मों को बतलाने में समर्थ हैं [१।२] तथा जगत् के विधानरूप वेदों के कर्त्तव्यरूप धर्मों को जानने वाले आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं [१।३] । इस प्रकार जो यहां प्रश्न रूप में प्रष्टव्य है, उस के मनु वेदज्ञ होने से ज्ञाता है, और जिसके वे ज्ञाता हैं, वही उनसे प्रष्टव्य हो सकता है । वही मनुस्मृति में प्रतिपादित है । मनुस्मृति में धर्मों का प्रतिपादन है । उसी का प्रश्न है । उसी प्रश्न के उत्तर के मनु ज्ञाता हैं, इसी लिए उनसे वह प्रश्न किया गया है । स्मृति में मनु से प्रश्न तो धर्मों का किया है, जबकि

उन्हें विशेषज्ञ विद्वान् बताया जा रहा है केवल यज्ञों और ब्रह्म का ! और मनुस्मृति में प्रतिपादन है मुख्य रूप से धर्मों का ! यह विसंगति पूछे गये प्रश्न और आगे प्रतिपादित विषय की एकरूपता से ही दूर हो सकती है। वस्तुतः यहाँ मनु को 'वेदों के अर्थों का ज्ञाता और वेद के प्रतिपाद्य या वेद में विहित धर्मों का समझने वाला' कहना ही अभिप्रेत है। इसकी पुष्टि बारहवें अध्याय के १०८-११४ श्लोकों से भी हो जाती है, जिनमें वेदवेत्ता को ही धर्म का उपदेश करने का आदेश है, अन्य को नहीं। इसी योग्यता के कारण ही महर्षि लोग मनु के पास जिज्ञासा लेकर पहुँचे हैं। और उन्हीं धर्मों को समझने की योग्यता का वे वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार इस भाष्य में प्रस्तुत ग्रंथ अधिक संगत, युक्तियुक्त और मनुसम्मत है।

मनु का महर्षियों को उत्तर—

स तैः पृष्ठस्तथा सम्यगभितीजा महात्मभिः ।

प्रत्युवाचाच्यं तान्सर्वान्महर्षोऽब्रूयतामिति ॥ ४ ॥ (४)

(तैः) उन (महात्मभिः) महर्षि लोगों द्वारा (सम्यक्) भलीभाँति श्रद्धासत्कारपूर्वक (तथा) उपयुक्त प्रकार से (पृष्ठः) पूछे जाने पर, (सः अभितीजाः) वह अत्यधिक ज्ञानसम्पन्न महर्षि मनु (तान् सर्वान् महर्षीन्) उन सब महर्षियों का (आच्यं) यथाविधि सत्कार करके (श्रूयताम् इति) 'सुनिष्ट' ऐसा (प्रत्युवाच) उत्तर में बोले ॥ ४ ॥

अनुशीलन : प्रथम चार श्लोकों की मौलिकता पर विचार— यद्यपि १-४ श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की भाँति मौलिक नहीं हैं, तथापि ये शैली, घटना और प्रश्न के आधार पर मौलिक ही स्वीकार किये गये हैं, क्योंकि भूमिका के रूप में इनका उल्लेख है। (१) मनुस्मृति की शैली से यह विदित होता है कि मनु के भावों (जो प्रवचन के रूप में थे) का संकलन भृगु या किसी अन्य शिष्य ने किया है। संकलयिता ने इन श्लोकों के द्वारा मनु के पास महर्षियों के आने की घटना और उनके प्रश्न का भूमिका के रूप में उल्लेख किया है। (२) घटना मौलिक है। (३) प्रश्न भी मौलिक है, अतः संकलन-शैली के अनुसार ये श्लोक मौलिक ही माने जायेंगे। जैसा कि कुछ टीकाकारों ने पाँचवें श्लोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारम्भ माना है, उनका यह विचार भ्रान्तिपूर्ण है। मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रन्थ है। इस दृष्टि से ये चारों श्लोक मौलिक संकलनरूप में ही हैं।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी उपयोगी होगा कि इस शैली के आधार पर टीकाकारों ने उन सभी श्लोकों को मौलिक मान लिया है जिनमें मनु के नामपूर्वक वर्णन है ('महर्षिर्भृगुना भृगुः' १।६० ॥ 'उक्तवान् मनुः' १।११८ ॥ 'भृगुना परिकीर्तितः' १।१२६ ॥ 'मनुस्मृतौ' ८।३३६ ॥ आदि)। उनका कहना है कि मनु के भावों के आधार पर भृगु ने मनुस्मृति को रचा है, अतः इस प्रकार के श्लोक असंगत नहीं लगते। यह विचार भी भ्रान्तिपूर्ण है। क्योंकि, (१) मनुस्मृति मनु के भावों को लेकर रचा

ग्रन्थ नहीं है, अपितु मनु के भावों का यथावत् उसी शैली में संकलन है। (२) संकलन में मौलिक ग्रंथों के बीच में संकलयिता की ओर से कोई बात नहीं कही जाती; अतः मनुस्मृत्यान्' आदि पद वाले श्लोक संकलयिता की ओर से कहे होने के कारण प्रक्षिप्त हैं, मौलिक नहीं। (३) १।४ में 'श्रूयताम्' कहकर मनु उत्तर देना आरम्भ करते हैं। इस शैली से सिद्ध है कि इस श्लोक के बाद मनु के द्वारा कहे विचारों का उत्तमपुरुष की शैली के माध्यम से जो कथन है, वही मौलिक संकलन है, अन्य द्वारा नामोल्लेख-पूर्वक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त है। अतः उन सभी श्लोकों को मूल संकलन से परवर्ती माना जाना चाहिए जो उत्तमपुरुष की शैली में नहीं हैं।

(जगदुत्पत्ति-विषय)

[१।५ से १०७, १४४]

उत्पत्ति ने पूर्व जगत् की स्थिति—

आसीदिवं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसूतमिव सर्वतः ॥ ५ ॥ (५)

(इदम्) यह सब जगत् (तमोभूतम्) सृष्टि के पहले प्रलय में अन्ध-कार से आवृत्त = प्राच्छादित था । उस समय (अविज्ञेयम्) न किसी के जानने (अप्रतर्क्यम्) न तर्क में लाने और (अलक्षणम् अप्रज्ञातम्) न प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा। किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है ॥ (स० प्र० २१३)

॥ (सर्वतः) सब ओर (प्रसूतम् इव) सोया हुआ-सा पड़ा था ॥५॥

अनुसंधान : मनुस्मृति के प्रश्न और उत्तर की संगति—प्रायः सभी टीकाकारों ने यहाँ यह शंका उठायी है कि महर्षियों ने धर्मविषयक प्रश्न किया था। [१।२] किन्तु मनु ने सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन अप्रासंगिक रूप से क्यों किया? कुछ आलोचकों ने इस वर्णन को अप्रासंगिक के साथ-साथ विशृंखलित भी माना है और कुछ अनुसन्धाताओं ने इसे प्रक्षिप्त ही घोषित कर डाला। वस्तुतः यह वर्णन न तो अप्रासंगिक है, न विशृंखलित और न प्रक्षिप्त। आलोचकों ने इस वर्णन को उक्त आरोपों से मढ़कर भूल की है। मनुस्मृति की शैली को पहचानने के पश्चात् यह निश्चित हो जाता है कि यह वर्णन प्रासंगिक, शृङ्खलाबद्ध एवं मौलिक है। इसकी सिद्धि में निम्न युक्तियाँ एवं प्रमाण हैं—

(१) मनुस्मृति की शैली—मनुस्मृति कुछ प्रमुख विषयों में विभाजित है और इसकी यह शैली है कि जब कोई भी विषय प्रारम्भ होता है तो उसके प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत होता है। यहाँ भी 'अस्य सर्वस्य' [१।३] पदों

से अगले [१।५] वक्ष्यमाण विषय के प्रारम्भ का संकेत किया और अन्त में १।१४४ [२।२५] में 'संभवद्विषयसर्वस्य' कहकर इस विषय का समापन संकेत भी दिया है। उसी श्लोक में फिर साथ ही अगले विषय का संकेत भी है। इस प्रकार इस विषय का प्रारम्भ और समापन का संकेत मनु ने स्वयं ही दे दिया है, और इस तरह यह विषय पृष्ठ प्रश्न से और अगले विषय से शृङ्खलावत् जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में इसे अप्रासंगिक या विशृङ्खलित नहीं कहा जा सकता। जिन आलोचकों ने इसे प्रक्षिप्त कहा है वे मनु की शैली को नहीं पकड़ पाये।

(२) शैली के आधार पर इस प्रसङ्ग के व्यवस्थित और प्रासंगिक सिद्ध हो जाने के पश्चात् अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आलोचकों अथवा टीकाकारों को इस प्रसङ्ग को अप्रासंगिक, विशृङ्खलित एवं प्रक्षिप्त कह देने की भ्रान्ति कैसे हुई? और मनु ने ऋषियों द्वारा धर्मों की जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन क्यों प्रारम्भ किया? इसके उत्तर में निम्न स्पष्टीकरण दिये जा सकते हैं—

(क) मनु ने प्रश्न के अनुसार ही उत्तर के विषय को चुना है और वह वर्णन २-३ श्लोकों के प्रश्न में निहित अवान्तर जिज्ञासाओं के समाधान के लिए प्रारम्भ किया गया है, जो पूर्णतः व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध है। टीकाकारों द्वारा प्रश्न-वर्णन करने वाले २-३ श्लोकों का सही और संगत अर्थ न समझने के कारण ही यह भ्रान्ति घटे शङ्का उत्पन्न हुई है।

टीकाकारों ने द्वितीय श्लोक को तो एकमात्र स्वतन्त्र प्रश्न माना है और तृतीय श्लोक को स्वतन्त्र प्रशंसा-वाक्य। संगति की दृष्टि से दोनों को असम्बद्ध रखते हुए उन्होंने इनका अर्थ निम्न प्रकार किया है—

द्वितीय श्लोक—“हे भगवन् ! ब्राह्मणादि चतुर्वर्णों और ‘अम्बष्ठ’ आदि अनुलोमज, ‘सूत’ आदि प्रतिलोमज तथा ‘भूर्जकण्टक’ आदि संकीर्ण जातियों के यथोचित धर्मों को क्रमशः कहने के लिये आप योग्य हैं (इसलिये उनको कहिये)।”

तृतीय श्लोक—“क्योंकि हे प्रभो ! एक आप ही सम्पूर्ण अपौरुषेय, अचिन्त्य तथा अप्रमेय वेद के अग्निष्टोम आदि यज्ञकार्य के और ब्रह्म के जानने वाले हैं।”

टीकाकारों द्वारा ऊपर प्रदर्शित अर्थ करने से यहां विषय-वर्णन की सङ्गति का क्रम नहीं बन पाता। द्वितीय श्लोक में मनु से प्रश्न तो धर्मों के विषय में है और तृतीय श्लोक में उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें विद्वान् बताया जा रहा है—वेद में विहित अग्निष्टोम आदि यज्ञों का और ब्रह्म का। जबकि सङ्गत वात तो तभी मानी जा सकती है जब जिस विषय का प्रश्न किया हो, उस समय उसी विषय में उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा की जाये। यह क्या कि मनु से प्रश्न किसी अन्य विषय का किया जा रहा है और उनको विद्वान् किसी अन्य विषय का बताया जा रहा है !

(ख) इसी प्रकार एक त्रुटि यह हुई कि तृतीय श्लोक के ‘अस्य सर्वस्य’ स्त्रनामों

को वेदों का विशेषण मानकर अर्थ किया है, जबकि ये 'जगत्' अर्थ के संकेत देने वाले हैं।

वस्तुतः ये दोनों ही श्लोक सम्बद्ध और एकवाक्यात्मक हैं। तृतीय श्लोक, द्वितीय श्लोक के वाक्य का पूरकवाक्य है। उनमें द्वितीय श्लोक में किये गये प्रश्न के सन्दर्भ में कारणपूर्वक मनु की प्रशंसा है कि 'हम आपके पास ही जिज्ञासा लेकर आये हैं।' तृतीय श्लोक में जाकर यह वाक्य पूर्ण होता है—'क्योंकि आप ही इस विषय के एकमात्र विशिष्ट विद्वान् हैं।' फिर चतुर्थ-पञ्चम श्लोकों से मनु जो उत्तर देना शुरू करते हैं, उसका चुनाव उन्होंने इन्हीं श्लोकों के 'अस्य सर्वस्य' पदों के अनुसार ही किया है। इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए—

‘हे भगवन् ! आप सब वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों को ठीक-ठीक और क्रमशः बतलाने में समर्थ हैं, क्योंकि, हे प्रभो ! इस जगत् के विधानरूप अपीरुषेय, अचिन्त्य और अपरिमितज्ञानयुक्त वेदों के प्रतिपाद्य अथवा व्यावहारिक तत्त्व अर्थात् धर्मों और वेदार्थों के ज्ञाता एकमात्र आप ही हैं। (अतः हमें वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों का प्रवचन कीजिए)।’ इस प्रकार वेदों में जिन बातों को धर्म बतलाया है, उनको या वेदों में विहित धर्मों को जानने वाले विशिष्ट विद्वान् मनु हैं। अथवा वेदों का प्रतिपाद्य धर्म भी है, यतोहि १।१२५, १३१ [२।६, १२] श्लोकों में धर्म का मूलस्रोत वेद को ही माना है, इसलिए भी मनु इस विषय के विद्वान् हैं। इसी विषय का मनु को प्रवचन करना है और इसी विषय में उनसे प्रश्न किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जो पृष्ठ-विषय है, उसी के सन्दर्भ में मनु की प्रशंसा है, जो प्रशंसित एवं पृष्ठ-विषय है उसी का मनुस्मृति में प्रतिपादन है, यह सुसंगति बन जाती है।

(ग) इन श्लोकों में संक्षेप में मनु से यह कहा है कि 'इस जगत् के विधानरूप अपीरुषेय वेदों के धर्मों को जानने वाले आप हैं, अतः हमें वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों को कहिए।' मनु ने श्लोकों में अन्तर्निहित जिज्ञासाओं के अनुसार ही अपने उत्तर को प्रारम्भ किया—यह जगत्, जिसके लिए वेदों को विधानरूप में रखा, इसकी क्या स्थिति है ? [१।५-८७], वेद जगत् के विधानरूप कैसे हैं ? क्योंकि वे ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से कर्मों, नामों का विभाजन तथा निर्धारण किया गया है [१।२१, २३, ८७-९१] वेदों से धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है और यह धर्म किन लक्षणों वाला है ? [१।१२०-१४४ या २।१-२५] इस प्रकार तृतीय श्लोक से उद्भावित होने वाली जिज्ञासाओं का १।१४४ [२।२५] तक कथन करके फिर द्वितीय श्लोक के मुख्य प्रश्न 'धर्मों के वर्णन' पर आते हैं और १।१४४ [२।२५] में 'वर्णधर्मान् निबोधत' कहकर उनका वर्णन शुरू करते हैं। इस प्रकार तृतीय श्लोक के असंगत अर्थ के कारण इस वर्णन को अप्रासङ्गिक कहने की भ्रान्ति हुई है। (विस्तृत जानकारी के लिए १।३ श्लोक पर 'अनुशीलन' नामक समीक्षा देखिए)।

(३) १।५ से १।१४४ (अन्य संस्करणों के अनुसार २।२५) श्लोकों का यह वर्णन मनुस्मृति की भूमिका-रूप है। और जिस प्रकार भूमिका में लेखक अपने विषय

से सम्बद्ध सभी आवश्यक संभावित बातों की जानकारी दिया करता है, इसी प्रकार मनु ने धर्मों से सम्बद्ध सभी आवश्यक संभावित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए इस वर्णन को प्रारम्भ किया है। विषय की दृष्टि से यह आवश्यक भी था। मनु ने इस वर्णन में जिन बातों का संक्षेप में वर्णन किया है, धर्मों का अध्ययन करते समय वे शङ्काएं सभी के मन में उठनी स्वाभाविक हैं, अतः भूमिका के वर्णन में, मनु ने पहले ही उनके विषय में अपना मत प्रकट कर दिया है। जैसे—मनुस्मृति में जिन धर्मों का वर्णन किया जा रहा है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? [१। १२६ या २। १०] उस धर्म का क्या लक्षण है? [१। १२५, १३१ या २। ६, १२] जिस जगत् में धर्म की आवश्यकता है उसकी क्या स्थिति है? उसमें कर्मानुसार जीवों की गतियाँ किस प्रकार हैं? [१। ५-८७, १। ४२-५०] जिससे व्यक्ति धर्म के प्रति प्रेरित हो सके। धर्मोत्पत्ति जगदाश्रित है, इसलिए धर्मोत्पत्ति से पूर्व जगदुत्पत्ति का वर्णन है। वेदों को धर्म का स्रोत इसलिए माना है क्योंकि वे अपौरुषेय हैं [१। २१-२३]। इस जगत् का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकर्ता सर्वशक्तिमान् परमात्मा है, वही वेदों और वेदों के द्वारा धर्मों का विधान करने वाला है, अतः उस ईश्वर द्वारा विहित धर्मों का मनुष्यों को पालन करना चाहिए, इत्यादि बातों की जानकारी के लिए ही मनु जी ने यह वर्णन भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। संध्या के मन्त्रों में 'ऋतञ्च सत्यञ्च' आदि तीन मन्त्र हैं, उनको वेदोत्पत्ति, भाववृत्त अर्थात् सृष्टि-उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन करने वाला कहा गया है, एवं इन मन्त्रों को 'अथमर्षण' अर्थात् पाप दूरीकरणार्थ कहा जाता है। क्योंकि धर्माचरण से अधर्म की निवृत्ति होती है। अतः मनुस्मृति में कथित ये श्लोक अप्रासङ्गिक नहीं हैं। अथमर्षण मन्त्रों में वेद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई है।

(४) मनुस्मृति की साङ्गोपाङ्ग शैली—मनु ने साङ्गोपाङ्ग शैली अपनायी है। प्राचीन शास्त्रों में इस शैली का प्रचलन था यथा—'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 'जन्माद्यस्य यतः' (वेदान्त १।१-२)। इस शैली की यह पद्धति है कि सबसे महान् तत्त्व परमेश्वर के वर्णन को प्रारम्भ करके क्रमानुसार अपने विषय पर लाया जाता है। इससे दो बातों का संकेत मिलता है कि उस शास्त्र का चरमप्रयोजन ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करना है और उस विषय का उस परमतत्त्व से सम्बन्ध है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी धर्मों का सम्बन्ध ईश्वर से दर्शाया है, क्योंकि धर्म वेदों के माध्यम से ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट हैं, और इन धर्मों का पालन करके मोक्षप्राप्ति या आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाना इन शास्त्रों का चरम-उद्देश्य है। जैसे कहा भी है—“ब्राह्मण्यं क्रियते तनुः [२। २६ या इस संस्करण में २। १]।

जगदुत्पत्ति और उसका क्रम—

ततः स्वयम्भूभंगवानव्यवतो व्यञ्जयन्निदम् ।

महामृतादिवृत्तो जाः प्रादुरासीत्सोमनुवः ॥ ६ ॥ (६)

(ततः) तब (स्वयम्भूः) अपने कार्यों को करने में स्वयं समर्थ, किसी

दूसरे की सहायता की अपेक्षा न रखने वाला (अव्यक्तः) स्थूल रूप में प्रकट न होने वाला (तमोनुदः) 'तम' रूप प्रकृति का प्रेरक = प्रकटावस्था की ओर उन्मुख करने वाला (महाभूतादि वृत्तौजाः) अग्नि, वायु आदि महाभूतों को, आदि' शब्द से महत् अहङ्कार आदि को भी [१। १४-१५] उत्पन्न करने की महान् शक्ति वाला (भगवान्) परमात्मा (इदम्) इस समस्त संसार को (व्यञ्जयन्) प्रकटावस्था में लाते हुए ही (प्रादुरासीत्) प्रकट हुआ ॥ ६ ॥ +

अनुशीलन : (१) स्वयम्भू का सही अर्थ—यहां कुल्लूकभट्ट आदि टीकाकारों ने 'स्वयम्भूः' का अर्थ 'स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाला' (स्वेच्छया शरीरपरिग्रहं करोति) यह विरुद्ध अर्थ किया है। इसी श्लोक में परमात्मा के लिए 'अव्यक्तः' विशेषण प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है—'जो कभी स्थूल रूप में प्रकट नहीं होता।' इससे स्पष्ट है कि परमात्मा सदा सूक्ष्म रूप में ही रहता है, कभी शरीरधारण नहीं करता। इसके विरुद्ध होने से कुल्लूक का उक्त अर्थ अमान्य है।

इस प्रसङ्ग में महर्षि दयानन्द द्वारा प्रदत्त 'स्वयम्भू' शब्द की व्युत्पत्ति उल्लेखनीय है—“(भू सत्तायाम्) 'स्वयम्' पूर्वक इस धातु से 'स्वयम्भू' शब्द सिद्ध होता है। 'यः स्वयं भवति स स्वयंभूरीश्वरः' जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, इससे उस परमात्मा का नाम 'स्वयम्भू' है।" (स० प्र० प्र० समु०) प्रमाण रूप में इसी श्लोक की समीक्षा में वेदमन्त्र 'य' भाग देखिए।

(२) परमात्मा की प्रकटता से अभिप्राय—परमात्मा के प्रकट होने से भी यहां तात्पर्य 'जगत् को प्रकटावस्था में लाते हुए ही प्रकट होने' से है। इसी भाव की ओर इंगित करने के लिए ही मनु ने 'व्यञ्जयन् इदम्' पाठ का प्रयोग किया है। यदि मनु को स्वतन्त्र रूप से अथवा बिना जगत् की प्रकटता के ही परमात्मा की प्रकटता अभीष्ट होती तो वे परमात्मा की प्रकटता के साथ जगत् की व्यक्तता वर्णित नहीं करते, अपितु पहले स्वतन्त्र रूप से परमात्मा की उत्पत्ति दर्शाते, परमात्मा की उत्पत्ति के बाद फिर जगत् की उत्पत्ति का वर्णन करते। जगत् की प्रकटता को देखकर ही परमात्मा की सत्ता प्रतीत होती है। जगत् को प्रकटावस्था में लाना ही परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति है, जगत् को प्रलयावस्था में लाना उसकी अप्रकटता है। १। ५२—५४ श्लोकों में परमात्मा की इन्हीं अवस्थाओं को क्रमशः 'जाग्रत्' और 'सुषुप्ति' कहा है। इन श्लोकों से उक्त बातों की पुष्टि बलीभांति हो जाती है। अतः इस श्लोक में किसी शरीरधारी के रूप में परमात्मा की उत्पत्ति प्रदर्शित करना, अशुद्ध एवं मनुस्मृति के विरुद्ध है।

+ [प्रचलित अर्थ—तब स्वयम्भू (स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले), अव्यक्त = इन्द्रियों के अगोचर (नेत्र आदि इन्द्रियों से नहीं किन्तु योग से प्रत्यक्ष होने योग्य), अपरिमित सामर्थ्य वाले और अन्धकार दूर करने वाले (प्रकृति प्रेरक), भगवान् आकाश आदि महाभूतों को व्यक्त करते हुए प्रकट हुए ॥ ६ ॥]

(३) सृष्ट्युत्पत्ति विषयक वेदमन्त्रों के प्रमाण—नीचे प्रमाण रूप में वेदों के सृष्ट्युत्पत्ति एवं पुरुषसूक्त के कुछ ऐसे मन्त्र उद्धृत किये जा रहे हैं, जिनसे सृष्ट्युत्पत्ति विषय पर प्रकाश पड़ता है। इनमें परमेश्वर को निराकार, अजन्मा आदि दर्शाया गया है। मनु ने इन्हीं भावों को १।५—६ श्लोकों में संकलित किया है—

(क) “तम आसीत् तमसा गूढमघ्रेऽप्रकेतं सत्तितं सर्वमा इदम् ।
तुच्छयेनाम्वापहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतंकम् ॥

(ऋ० १०।१२६।३)

यह सब जगत् सृष्टि से पहिले अन्धकार से आवृत, रात्रिरूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत् तथा तुच्छ अर्थात् अनन्त परमेश्वर के एकदेशी आच्छादित था, पश्चात् परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यरूप कर दिया ॥”

(सं प्र० २०७)

(ख) “नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।

किमावरोचः कुह कस्य शर्मन्नन्मः किमासीत् गहनं गभीरम् ॥

(ऋ० १०।१२६।१)

(नासदासीत्) जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्वशक्तिमान् परमेश्वर और दूसरा जगत् का कारण अर्थात् जगत् बनाने की सामग्री विराजमान थी, उस समय (असत्) व्युत्पन्न आकाश अर्थात् जो नेत्रों से देखने में नहीं आता सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था (नो सदासीत् तदानीं०) उस काल में सत् अर्थात् सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलाके जो प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था (नासीद्रजः) उस समय परमाणु भी नहीं थे तथा (नो व्योमा०) विराट् अर्थात् जो सब स्थूल जगत् के निवास का स्थान है सो भी नहीं था (किमाव०) जो यह वर्तमान जगत् है, वह भी शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सकता जैसे कोहरा का जल पृथिवी को नहीं ढक सकता। उस जल से नदी में प्रवाह नहीं चल सकता, और न कभी वह गहरा और उथला हो सकता है। इससे क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनन्त है और जो यह उसका बनाया जगत् है सो ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है ॥”

(ऋ० भू० ११७)

(ग) “प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा बिजायते ।”

(यजु० ३१।१६)

जो प्रजा का पति अर्थात् सब जगत् का स्वामी है वही जड़ और चेतन के भीतर और बाहर अन्तर्गामी रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत् को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है ॥” (ऋ० भू० १३३)

(घ) निम्न वेद-मन्त्र में परमेश्वर को ‘स्वयम्भू’ विशेषण से अभिहित करते

हुए सूक्ष्म, अन्तर्धीमी, शरीररहित, जन्म-मरण रहित और सृष्टि तथा वेदार्थों का प्रकाशक कहा है—

स पर्यन्तस्युद्धमकायमवगमस्नाबिरं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्यायातध्यतोऽर्थात् व्यदधात् ज्ञाद्वतोऽस्यः समान्यः ॥

(यजु० ४०।८)

(इ) “हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रं भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुत्तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(ऋ० १०।१२१।१)

हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिसने पृथिवी से लेके सूर्यपर्यन्त जगत् को उत्पन्न किया है ।”

(सं० प्र० २०७)

(च) “पुरुष एवेवं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ।

उतामृतस्वस्थेशानो यवन्मेवातिरोहति ॥ (यजु० ३१।२)

(पुरुष एवे०) जो पूर्वोक्त विशेषणसहित पुरुष अर्थात् परमेश्वर है, सो जो जगत् उत्पन्न हुआ था जो होगा और जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत् को वही रचता है, उससे भिन्न दूसरा कोई जगत् का रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह (ईशान) अर्थात् सर्वशक्तिमान् है (भ्रूत) जो मोक्ष है उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं; सो परमेश्वर (अन्न) अर्थात् पृथिव्यादि जगत् के साथ व्यापक होके स्थित है और उससे अलग भी है क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं हैं और अपने सामर्थ्य से सब जगत् का उत्पन्न भी करता है और आप कभी जन्म नहीं लेता ।”

(ऋ० भू० १२०)

(छ) “तस्य स्वष्टा विदधत् रूपमेति ।” (यजु० ३१।१७)

जब जगत् उत्पन्न नहीं हुआ था तब वह ईश्वर के सामर्थ्य में कारणरूप से वर्तमान था । जब-जब ईश्वर अपने सामर्थ्य से इस कार्यरूप जगत् को रचता है, तब-तब कार्यजगत् रूप गुणवाला होके स्थूल बनके देखने में आता है ।” (ऋ० भू० १३१)

ईश्वर की उत्पत्ति—

योऽसावतीन्द्रियप्राणः सूक्ष्मोऽप्यवतः सनातनः ।

सर्वभूतमयोऽन्नित्यः स एव स्वयमुद्बभौ ॥ ७ ॥

(यः असौ) जो यह (अतीन्द्रियप्राणः) आत्मा के द्वारा अनुभव किया जा सकने वाला (सूक्ष्मः) सूक्ष्मरूप (अन्नित्यः) अव्यक्त (सनातनः) नित्य (सर्वभूतमयः) सब प्राणियों का आश्रयस्थान और (अन्नित्यः) चित्तन द्वारा पार न पाया जा सकने वाला है (स एव) वही (स्वयम्) पहले स्वयं (उद्बभौ) प्रकट हुआ ॥ ७ ॥

अप्-तत्त्व की सर्वप्रथम उत्पत्ति—

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जाऽऽदौ तामु बीजमवासृजत् ॥ ८ ॥

(स्वात् शरीरात्) अपने शरीर=प्रकृति से (विविधाः प्रजाः) अनेक प्रकार की प्रजाओं की (सिसृक्षुः) सृष्टि करने की इच्छा वाले (सः) उस परमात्मा ने (अभिध्याय) ध्यान करके (आदौ) पहले (अपः एव) अप्-तत्त्व को ही (ससर्जं) रचा, और फिर (तामु) उन अप्-तत्त्वों में (बीजम्) शक्तिरूपी बीज को (अवासृजत्) छोड़ा ॥ ८ ॥

ब्रह्मा की उत्पत्ति—

तदण्डमभवद्भ्रमं सहस्रांशुसमप्रभम् ।

तस्मिंज्जो स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ ९ ॥

(तत्) फिर वह बीज (सहस्रांशुसमप्रभम्) हजारों सूर्यों की ज्योति के समान (ह्रिमम् अण्डम्) मुनहरी अण्डे के रूप में (अभवत्) परिणत हो गया (तस्मिन्) फिर उसमें (सर्वलोकपितामहः) सब लोगों के पितामह के समान (ब्रह्मा) ब्रह्मा (स्वयम्) अपने आप (ज्जो) उत्पन्न हुए ॥ ९ ॥

‘नारायण’ शब्द की निरुक्ति—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वं नरसूनवः ।

ता यवस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥

(आपः नारा इति प्रोक्ताः) जल और जीवों का नाम नारा है ॐ (ताः) वे + (अयनं यत् + अस्य) अयन अर्थात् निवासस्थान हैं जिसका (तेन नारायणः स्मृतः) इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम ‘नारायण’ है ॥ १० ॥ (स० प्र० १६)

ॐ (वै) क्योंकि (आपः) अप् नामक प्रकृति की प्रथम विसोभावस्था अथवा जीव (नरसूनवः) परमात्मा से उत्पत्ति=जन्मादि धारण करते हैं ।

+ (पूर्वम्) सर्वप्रथम ।

ब्रह्मा के स्वरूप का कथन—

यसत्कारणमव्यक्तं नित्यं सबसदात्मकम् ।

तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ ११ ॥

(यत् तत्) जो वह उपर्युक्त (कारणम्) सृष्टि का कारण (नित्यम्) नित्य (अव्यक्तम्) अव्यक्त (सद्-असद् + आत्मकम्) सत्-असत् स्वरूप परमात्मा है (तद् + विसृष्टः) उससे उत्पन्न (पुरुषः) पुरुष (लोके) लोक में (ब्रह्मा + इति) ‘ब्रह्मा’ इस नाम से (कीर्त्यते) पुकारा जाता है ॥ ११ ॥

अण्डे के दो खण्ड करना—

तस्मिन्नण्डे स भगवानुचित्वा परिवत्सरम् ।

स्वयमेवाऽऽत्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्विधा ॥ १२ ॥

(तस्मिन् + अण्डे) उस अण्डे [११] में (परिवत्सरम्) एक वर्ष तक = ब्रह्मा

के वर्षप्रमाण के अनुसार ३६० ब्राह्मदिन तक (उषित्वा) निवास करके (सः भगवान्) उस भगवान् ने (स्वयम् + एव + प्रात्मनः ध्यानात्) स्वयं ही अपने ध्यान से (तत् + षण्डम्) उस षण्डे को (द्विधा + प्रकरोत्) दो टुकड़ों में कर दिया ॥ १२ ॥

षण्ड-खण्डों से लोकों की रचना—

ताम्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे ।

मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावर्षा स्थानं च शाश्वतम् ॥ १३ ॥

(च) श्रीर (सः) उस ब्रह्मा ने (ताम्यां शकलाभ्याम्) उन दोनों टुकड़ों से (दिवं भूमिं च) द्युलोक श्रीर पृथिवीलोक की (च) श्रीर (मध्ये) बीच में (व्योमः दिशः च अष्टौ) आकाश और आठों दिशाओं की (च) तथा (अर्षां शाश्वतं स्थानम्) जलों के नित्य स्थान—समुद्रों की (निर्ममे) रचना की ॥ १३ ॥

अनुव्याख्यान : ७ से १३ श्लोकों का यह प्रसङ्ग एक भिन्न प्रसङ्ग के रूप में वर्णित है श्रीर यह भौलिक न होकर प्रक्षिप्त है । निम्न 'आधारों' की कसीटी पर यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. शैलीगत आधार—(१) मनुस्मृति में सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन एक निश्चित और संक्षिप्त शैली से हुआ है । यह देखने में आया है कि मनु जहाँ भी कहीं सृष्ट्युत्पत्ति का प्रारम्भ अथवा प्रलय दर्शाते हैं, वहाँ वे सीधे भन = महत्त्व की ही उत्पत्ति और विलय का उल्लेख करते हैं, यथा—(क) प्रलयदशा के अनन्तर सृष्ट्युत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता हुआ परमात्मा—'सृजति भनः सदात्मकम्' [१।७४] 'भनः सृष्टिं विकुल्ले चोद्यमानं तिसृक्षया' [१।७५] (ख) प्रलयदशा आने पर भी सीधे भन का उल्लेख है—'तस्मिन् स्वपिति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः । स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते भनश्च म्लानिबुध्यति' ॥ [१।१५३] इसी प्रकार इस प्रसंग में भी मनु की वर्णनशैली की पद्धति के अनुसार परमात्मा के सृष्टिरचना में प्रवृत्त होने के बाद, भन = महत्त्व का ही सर्व-प्रथम उल्लेख है [१।६, १४] । इन बातों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मनु की वर्णनशैली के अनुसार यहाँ छठे श्लोक में परमात्मा की प्रकटता के पश्चात् सर्वप्रथम भन की उत्पत्ति दर्शाने वाला चौदहवां श्लोक ही होना चाहिए । बीच के ये श्लोक अप्रासंगिक रूप से ब्रह्मा, द्युलोक आदि की उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं, अतः मनु की वर्णनशैली के अनुरूप न होने से प्रक्षिप्त हैं । (२) इन श्लोकों की भाषाशैली भी यह स्पष्ट करती है कि ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं—(क) छठे श्लोक में स्वाभाविक क्रम से श्रीर साधारण ढंग से परमात्मा की उत्पत्ति कह दी है, और फिर इसके बाद आनेवाला वर्णन विषय इसी क्रम और शैली से १४ वें श्लोक से प्रारम्भ होता है । बीच में 'योऽसौ' [१।७]—'जो यह परमात्मा..... वह ही पहले स्वयं उत्पन्न हुआ'—'स एव स्वयमुद्बभौ' (१।७) कहकर पुनः परमात्मा की उत्पत्ति बतलाने का प्रसंग प्रारम्भ करके उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति का कथन करना यह सिद्ध करता है कि प्रचलित प्रसंग को तोड़कर 'योऽसौ' के द्वारा एक नये भिन्न प्रसंग की रचना की गई है, और उसे यहाँ क्षेपक के रूप में बलात् डाल दिया है । 'स एव स्वयमुद्बभौ' वाक्यखण्ड की रचना

एकटुकड़े से सारे सूर्य-चन्द्र आदि ग्रह बने जबकि सूर्य पृथिवी से बहुत बड़ा है। शेष ग्रह, पर्वत आदि ब्रह्माण्ड की चीजें कैसे, किससे बनीं; यह बताया ही नहीं। दिखाएँ कोई पृथक् वस्तुविशेष नहीं है, जिनका निर्माण करना पड़े। इस प्रकार अण्डे की प्रक्रिया से सृष्टिरचना की कल्पना अशुक्तियुक्त है, जो मनुसंज्ञा विशेषज्ञ विद्वान् के वर्णन में स्थान नहीं पा सकती।

२. पुनरुक्ति—शब्दों एवं भावों की दृष्टि से पुनरुक्ति मान है। छठे श्लोक के भाव को सातवें श्लोक में कुछ नये विशेषणों को साथ जोड़कर पूर्ववत् कह दिया है, जिससे कोई नया अर्थ व्यक्त नहीं होता। पूर्व श्लोक में “ततः स्वयम्भूः..... अव्यक्तो व्यञ्जयन्निबम्..... प्रादुरासीत्” (तब उत्पन्न होने में स्वयं समर्थ परमात्मा इस संसार को प्रकट करते हुए प्रकट हुआ) कहा गया है। सातवें श्लोक में भी परमात्मा के उत्पन्न होने की बात कही है। शब्दों की पुनरावृत्ति भी—‘अव्यक्तः’ की ज्यों की त्यों, ‘स्वयम्भूः प्रादुरासीत्’ की ‘स एव स्वयमुद्बभौ’ के रूप में है। स्पष्ट है कि एक नया प्रसङ्ग रचने के लिए “योऽसौ” कहकर पुनः भूमिका बनायी गयी है, जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति कही जा सके। इस प्रकार पुनरुक्ति होने से यह श्लोक मौलिक नहीं है, और क्योंकि शेष ८-१३ श्लोकों के वर्णन का यह आधारभूत श्लोक है, अतः इस पर आधारित होने से वे भी मौलिक नहीं हैं।

३. अन्तर्विरोध—अन्तर्विरोध के आधार पर यह प्रसङ्ग मौलिक सिद्ध नहीं होता—(१) छठे श्लोक में अव्यक्त परमात्मा द्वारा ही समस्त जगत् की ग्रीर महाभूत आदि तत्त्वों की उत्पत्ति कही है। इन श्लोकों में ब्रह्मा के द्वारा [६, १३] सृष्टि की उत्पत्ति कहना उसके विरुद्ध है। (२) छठे श्लोक में ‘व्यञ्जयन्निबम् प्रादुरासीत्’ अर्थात् इस जगत् को प्रकट करते हुए ही परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति दर्शायी है, जबकि सातवें श्लोक में पहले परमात्मा की स्वतन्त्र रूप से उत्पत्ति दिखाई है और फिर बाद में शेष जगत् की उत्पत्ति। दोनों मान्यताओं में यह पर्याप्त विरोध है। (३) मनु

१। ६, १६, ५२—५४, ५५

५५ ‘अव्यक्तः’

५५ ‘अव्यक्तः’

५५ ‘अव्यक्तः’

५५ ‘अव्यक्तः’

५५ ‘अव्यक्तः’

५५ ‘अव्यक्तः’

५५ ‘अव्यक्तः’

५५ ‘अव्यक्तः’

५५ ‘अव्यक्तः’

५५ ‘अव्यक्तः’

वर्णित किया है। इन श्लोकों से 'ब्रह्मा शरीर धारण करके सृष्टि रचता है और फिर अन्तर्धान हो जाता है' [१।७—१२, ५१], इस प्रक्षिप्त भ्रान्ति का भी खण्डन हो जाता है। (४) बीज से एक अण्डा बनना, अण्डे में केवल एक ब्रह्मा की उत्पत्ति और अण्डे से लोकों का निर्माण तथा ब्रह्मा से विराट्, विराट् से मनु के वंशक्रम से जो सृष्टि-उत्पत्ति की कल्पना का प्रसङ्ग है [१।७-१२, ३२-४१, ५०, ५१], यह मनु-वर्णित मौलिक और मुख्य प्रसङ्ग से अनेक प्रकार से खण्डित होने से विरुद्ध सिद्ध होता है—(क) मनु ने समस्त स्थावर जङ्गम जगत् की उत्पत्ति महत्, अहंकार और पञ्चभूतों के क्रम से मानी है [१।१४—१६, १८, १९, २०, २१, ७४-७८], जबकि इस प्रसङ्ग में स्थावर की उत्पत्ति अण्डे से [१।१२, १३] तथा प्राणियों की विराट् द्वारा [३२—४०] मानी है। (ख) मनु ने एकसाथ अनेक प्राणियों और पदार्थों की रचना स्वीकार की है—'अप्यञ्जयन् इवम्' [१।६] 'सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक्' 'अग्निवायुरविष्यस्तु' [१।२१] [१।२३] 'इन्द्रियोजयेस्वेमाः सुखः बुद्धादिभिः प्रजाः' [१।२७] 'यं तु यस्मिन् कर्मणि' [१।२८] 'ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्' [१।३१] इनसे सिद्ध है कि केवल ब्रह्मा और उसके वंश से सृष्टि का प्रारम्भ मनुविरुद्ध प्रक्षिप्त कल्पना है। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि इतने अधिक श्लोकों में मनु ने एकसाथ स्पष्ट शब्दों में विभिन्न प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति कही है, और वह भी उस श्लोक से पूर्व वर्णित है, जहाँ से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने की बात शुरू की है। [१।३२—४०], फिर भी प्रक्षेपक ने कैसे ब्रह्मा के वंश से सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन करने का दुस्साहस किया और अपने मन में यह सन्तोष कर लिया कि पाठक उसे भी मौलिक मान लेंगे! ये प्रमाण तो ब्रह्मा के वंश द्वारा सृष्ट्युत्पत्ति-वर्णन वाले श्लोकों [१।३२—४०] से पूर्व के हैं। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक प्रमाण हैं, जो केवल ब्रह्मा की उत्पत्ति और फिर उसके वंश से अन्य सृष्टि की उत्पत्ति की मान्यता को एक कपोलकल्पित, निराधार और मनुविरुद्ध सिद्ध करते हैं—(ग) 'जरायुज, अण्डज, उद्भिज, स्वेदज प्राणियों और स्थावरों की एकसाथ सृष्टि होना [१।४३-४६] 'कर्मात्मानः शरीरिणः' [१।५३-५४] आदि। (घ) यदि ब्रह्मा और विराट् के वंश से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाये तो सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का विभाजन कैसे होगा? जिस पर सारी मनुस्मृति ही आधारित है। वर्णों के घर्माँ का प्रश्न भी नहीं बनेगा! (ङ) वेदों के साक्षात्कर्त्ता अग्नि, वायु, आदित्य किस वंश के होंगे? (च) जब ब्रह्मा ने अपने अर्द्ध-भाग से नारी की रचना करके विराट् को उत्पन्न किया, तो विराट् ने किस स्त्री से मनु को उत्पन्न किया? (छ) प्रथम श्लोक में वर्णित, मनु के पास प्रश्नकर्त्ता के रूप में ग्राने वाले महर्षि लोग किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस वंश के थे? (ज) जब केवल मनु से ही वंश चला तो मनु द्वारा वर्णित ग्राठ प्रकार के विवाहों [३।२०—४२] की परम्परा कहां और कैसे बनेगी? माता और पिता की पीढ़ियाँ, जिनका विवाह-सम्बन्ध में छोड़ने का आदेश है [३।५], कहां से बनेंगी? इस प्रकार इन प्रश्नों की युक्तियाँ

ब्रह्मा के प्रसङ्ग को प्रक्षिप्त सिद्ध करती हैं। (५) मनु ने सृष्टि-उत्पत्ति और उसके क्रम का वर्णन प्रसङ्गानुसार १।७३-८० श्लोकों में पुनः किया है। वहाँ ब्रह्मा की उत्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं है। वह वर्णन यहाँ के ब्रह्मा के प्रसङ्ग से रहित वर्णन से ही मेल खाता है। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति से सम्बद्ध प्रसङ्ग मनुकृत नहीं है। यह मौलिक होता तो उस क्रम में भी कहीं न कहीं इसका उल्लेख अवश्य होता।

४. प्रसंगविरोध—यह प्रसङ्ग 'प्रसङ्गविरोध' के आधार पर भी असङ्गत और प्रक्षिप्त सिद्ध हो रहा है—(१) मनु ने समस्त स्थावरजङ्गम जगत् की उत्पत्ति महदादि के क्रम से मानी है। वह क्रम तो १।१६ में पूर्ण होता है और शुलोक, पृथ्वी तथा समुद्र आदि स्थावर जगत् तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति उस क्रम के पूर्ण होने से पूर्व ही कह दी, जो सम्भव ही नहीं। इस प्रकार यह सम्पूर्ण ७—१३ श्लोकों का प्रसङ्ग असङ्गत होने से प्रसङ्ग-विरोध है। (२) यहाँ पाँचवें श्लोक से सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसङ्ग प्रचलित है। उसके बीच में ईश्वर के 'ब्रह्मा' 'नारायणः' नामों की व्युत्पत्ति देना अप्रासङ्गिक है। कोई यह कहे कि 'नामों का प्रसङ्ग आने पर व्युत्पत्ति का भी उल्लेख कर दिया, इसमें अप्रासङ्गिकता की कोई बात नहीं है', इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि यों तो मनु ने परमात्मा के लिए अनेक विशेषणों का उपयुक्त प्रसङ्गों में उल्लेख किया है, किन्तु कहीं भी उनकी व्युत्पत्ति दशनि की प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती, जैसी कि विशेष रूप से इन दो नामों के साथ है। इस प्रसङ्ग में आये 'स्वयम्भूः' 'मगवान्' 'अव्यक्तः' 'तमोनुदः' [१।६] आदि नामों या विशेषणों की व्युत्पत्ति भी नहीं दिखाई है। यदि व्युत्पत्ति दिखाने की मनु की मौलिक प्रवृत्ति होती, तो क्रम से प्राप्त उक्त नामों और विशेषणों की व्युत्पत्ति अवश्य दशति। इस प्रकार इन दो नामों की व्युत्पत्ति का प्रदर्शन सृष्ट्युत्पत्ति प्रसङ्ग में असङ्गत एवं अमौलिक है। (इस प्रसङ्ग की प्रक्षिप्तता के लिए १।३२-४१. ५०-५१ श्लोकों की समीक्षा भी द्रष्टव्य है)।

प्रकृति से महत् आदि तत्त्वों की उत्पत्ति—

उद्बबर्हाऽऽत्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् ।

मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम् ॥ १४ ॥ (७)

महान्तमेव चाऽऽत्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च ।

विषयाणां ग्रहीतृणि ज्ञनैः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ १५ ॥ (८)

(च) और फिर उस परमात्मा ने (आत्मनः एव) स्वाश्रयस्थित प्रकृति से (सद्-असद्+आत्मकम्) जो कारणरूप में विद्यमान रहे और विकारी अंश से कार्यरूप में जो अविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले (मनः) 'महत्' नामक तत्त्व को (च) और (मनसः अपि) महत्तत्त्व से (अभिमन्तारम्) 'मैं हूँ' ऐसा अभिमान करने वाले (ईश्वरम्) सामर्थ्यशाली (अहंकारम्) 'अहंकार' नामक तत्त्व को (च) और फिर उससे (सर्वाणि त्रिगुणानि) सब त्रिगुणात्मक पाँच तन्मात्राओं—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध को

[१। १६, २७] (च) तथा (आत्मानम् एव महान्तम्) आत्मोपकारक अथवा निरन्तर गमनशील 'मन' इन्द्रिय को (च) और (विषयाणां ग्रही-
तृणि) विषयों को ग्रहण करने वाली (पञ्चेन्द्रियाणि) दोनों द्रव्यों की पाँचों
ज्ञानेन्द्रियों—आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा एवं चकार से पाँच
कर्मेन्द्रियों—हाथ, पैर, वाक्, उपस्थ, पायु, को [२। ६४—६६] (शनैः)
यथाक्रम से (उद्बबर्हं) उत्पन्न कर प्रकट किया ॥१४, १५॥ [शेष उत्पत्ति
अगले श्लोक में है] ❀

अनुशीलन : '१४-१५ श्लोकों के अर्थ में भ्रान्ति और सृष्टि-
त्पत्ति की प्रक्रिया—इन दोनों श्लोकों के अर्थ को सही रूप में न समझने के कारण
टीकाकारों एवं आलोचकों को भ्रान्ति का शिकार होना पड़ा है। टीकाकारों ने सृष्टि-
उत्पत्ति की प्रक्रिया का यहाँ प्रतिक्रम से वर्णन माना है और 'मनः सदसदात्मकम्' का
संकल्प-विकल्पात्मक मन अर्थ किया है, और फिर 'मन से पूर्व अहंकार, अहंकार से पूर्व
महत्' इत्यादि रूप में अर्थ किया है। लेकिन वह 'प्रतिक्रम' भी क्रमबद्ध रूप से नहीं सिद्ध
हो पाया; क्योंकि १५वें श्लोक में महत्त्व के बाद इन्द्रियों का वर्णन आ गया। इस
अर्थ की भ्रान्ति के कारण आलोचकों ने इन श्लोकों को विगृह्यलित और भ्रामक
घोषित कर दिया। वस्तुतः इन श्लोकों के अर्थ को सही रूप में नहीं समझा गया है।
मनुस्मृति का और सांख्यदर्शन का सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम मिलता है—'सत्त्वरजस्तमसां
साम्यावस्था प्रकृतिः। प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारः, अहंकारात् पञ्चतन्मात्राणि, उभय-
मिन्द्रियम्। पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिगणः॥'

(सांख्य १। ६१)

(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाड्य अर्थात् जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो
एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उससे महत्त्व = बुद्धि, उससे अहंकार, उससे
पाँच तन्मात्रा, सूक्ष्मभूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन, पाँच तन्मात्राओं से
पृथिव्यादि पाँच भूत ये चौबीस, और पञ्चीसवां पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर है।
इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महत्त्व, अहंकार तथा पाँच सूक्ष्मभूत प्रकृति का
कार्य और इन्द्रियों, मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति—
उपादानकारण और न किसी का कार्य है।" (स० प्र० २०६) यही क्रम यहाँ है।

(२) 'महत्त्व' और 'मन' से अभिप्राय—'मन' 'महत्' 'बुद्धि' इन शब्दों का

❀ [प्रचलित अर्थ—ब्रह्मा ने परमात्मा से सत्-असत् आत्मा वाले 'मन' की
सृष्टि की तथा मन से पहले 'अहम्'—मैं इस अभिमान से युक्त एवं अपने कार्य को
करने में समर्थ अहंकार की सृष्टि की ॥ १४ ॥ अहंकार से पहले आत्मोपकारक 'महत्'
नत्व = बुद्धि की तथा सम्पूर्ण त्रिगुण (सत्त्व, रजस् और तमस् से युक्त) विषयों की
और रूप-रस आदि विषयों को ग्रहण करने वाली नेत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियों तथा गुदा
आदि पाँच कर्मेन्द्रियों की तथा पाँच शब्दतन्मात्रा आदियों की सृष्टि की ॥ १५ ॥]

पर्यायवाची रूप में प्रयोग विभिन्न शास्त्रों में मिलता है। यहां प्रथम पंक्ति में पठित 'मन' शब्द से अभिप्राय 'महत्' नामक आद्य कार्यतत्त्व से है। 'मन' इन्द्रिय प्रथमकार्य हो ही नहीं सकता। प्रकृति का प्रथम विकार 'महत्' है, अतः यहां उसे ही 'मन' शब्द से व्यवहृत किया है। इसमें सांख्यदर्शन का प्रमाण भी है— "महत् आद्यम् आद्यं कार्यं तन्मनः" [१। ७२] अर्थात्—प्रकृति का जो सर्वप्रथम कार्य है, उसे 'महत्' कहते हैं और उसे 'मन' भी कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का प्रयोग पर्याय के रूप में हुआ है।

१५वें श्लोक की प्रथम पंक्ति में पठित 'महान्तम्' से अभिप्राय 'मन' इन्द्रिय से है। इसकी पुष्टि 'आत्मानम्' विशेषण से हो हो जाती है। 'मन इन्द्रिय' का ही आत्मा के साथ सम्बन्ध रहता है। 'अत् सातत्यगमने' धातु के अनुसार 'आत्मानम्' का अर्थ 'निरन्तर गमनशील' बनता है। मन का यही स्वभाव है। इस प्रकार दोनों श्लोकों का अर्थ निश्चित और उचितक्रमयुक्त बन जाता है। चरकशास्त्र में, शारीर-

१। ६२—३ ६६ श्लोकों में इसी प्रक्रिया के अनुसार वर्णन किया है।

(३) 'आत्मनः उद्बबुहं' का अर्थ—यहां 'आत्मनः उद्बबुहं' पद प्रयोग से यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि मन आदि तत्त्व परमात्मा के किसी अंश से बने हैं, जैसा कि नवीन वेदान्त में माना जाता है। मनु० १२।२८ में प्रकृति के पर्यायवाची रूप में 'आत्मा' पद का प्रयोग किया है। यह 'आत्मा' नामक प्रकृति मत्त्व-रज-तम युक्त है, और इसका प्रथम विकार 'महान्' है। यहां श्लोक का अभिप्राय है— "तत्त्वों को अपने आश्रय या स्वाश्रयस्थित प्रकृति से उत्पन्न कर प्रकट किया।" व्यापक ब्रह्म अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत् को बनाकर बाहर स्थूलरूप कर, आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय हो रहा है।" (स० प्र० २।१२) "जो जिससे सूक्ष्म होता है, वही उसकी आत्मा है अर्थात् स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है, जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब अवयवों में व्याप्त होता है।" (ऋ० भू० ४१) इस प्रकार महत् आदि की 'प्रकृति' आत्मा है, अतः यहां 'आत्मनः' से अभिप्राय 'प्रकृति' से है। इसकी पुष्टि में १। ५३, ५४ और ५७ श्लोक प्रमाण हैं। वहां यह स्पष्ट किया गया है कि प्रलयावस्था के समय यह समस्त जगत् अपने प्रकृतिरूप में होकर सर्वव्यापक परमात्मा के आश्रय में लीन हो जाता है। पुनः उत्पत्ति के समय परमात्मा उन्हें अपने आश्रय से निकाल कर जिलाता है—तत्त्वों को संयुक्त करता है।

पञ्चमहाभूतों की सृष्टि का वर्णन—

तेषां त्ववयवान्सूक्ष्मान् षण्णामप्यमितोजसाम् ।

सन्निवेश्याऽऽत्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६ ॥ (६)

(तेषां तु) ऊपर [१४—१५ में] वर्णन किये गये उन तत्त्वों में से (अमित-ओजसाम्) अत्यधिक शक्तिवाले (षण्णाम्+अपि) छहों तत्त्वों के (सूक्ष्मान् अवयवान्) सूक्ष्म अवयवों—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये

पाँच तन्मात्राएं तथा छठे अहंकार के सूक्ष्म अवयवों को (आत्ममात्रासु) उनके आत्मभूत तत्त्वों के विकारी अंशों अर्थात् कारणों में मिलाकर (सर्व-भूतानि) सब पाँचों सूक्ष्म महाभूतों—आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी की (निर्ममे) सृष्टि की ॥ १६ ॥+

अनुशीलन : (१) पञ्चतन्मात्राओं से पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति— जो जिससे सूक्ष्म होता है, वह उस स्थूल की आत्मा होता है। अहंकार से पञ्च-तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है; अतः अहंकार पञ्चतन्मात्राओं की आत्मा कहलायेगा। इस प्रकार पञ्चभूतों की रचना की प्रक्रिया और क्रम यह बना—पञ्चतन्मात्राओं के आत्मरूप तत्त्व अहंकार के विकारी अंश और आकाश के सूक्ष्म अवयवों=शब्द-तन्मात्राओं के मिलने से 'आकाश' नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। वायु के आत्मभूत तत्त्व आकाश के विकारी अंश तथा वायु के सूक्ष्म अवयवों स्पर्शतन्मात्राओं के मिलने से 'वायु' नामक महाभूत की रचना हुई। अग्नि के आत्मभूत तत्त्व वायु के विकारी अंश के साथ अग्नि के सूक्ष्म अवयव अर्थात् रूपतन्मात्राओं के संयोग से 'अग्नि' नामक महाभूत की रचना हुई। जल के आत्मभूततत्त्व-अग्नि के विकारी अंश के साथ जल के सूक्ष्म अवयव अर्थात् रसतन्मात्रा के संयोग से 'जल' नामक महाभूत बना और पृथिवी के आत्मभूत तत्त्व जल के विकारी अंश के साथ पृथिवी के सूक्ष्म अवयव अर्थात् गन्धतन्मात्रा के संयोग से 'पृथिवी' नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। [द्रष्टव्य १।७४—७८ श्लोक]

(२) १६ वें श्लोक का संगत अर्थ—सभी टीकाकारों ने इस श्लोक का त्रुटि-पूर्ण और असङ्गत अर्थ किया है। (१) टीकाकारों ने इसमें 'सर्वभूतानि निर्ममे' 'सब प्राणियों की सृष्टि की' यह अर्थ किया है। यहां यह अर्थ करने की न तो संगति ही है और न प्राणियों की उत्पत्ति कह देने से उत्पत्ति का प्रसङ्ग समाप्त-सा हो जाता है। पुनः १६, २० श्लोकों में समग्र जगत् की जो एकसाथ उत्पत्ति दर्शायी है, वह पुनरुक्ति-सी हो जाती है; और छः सूक्ष्म अवयवों से प्राणिजगत् की उत्पत्ति मानने से १६वें श्लोक के सात अवयवों द्वारा जगत्-रचना के कथन से भिन्नता आती है। यहां संगत अर्थ पञ्चभूतों की उत्पत्ति का ही है। अभी सृष्टि-उत्पत्ति के मूलतत्त्वों के वर्णन का प्रसंग चल रहा है। १४वें श्लोक में इन्द्रियों की उत्पत्ति कह दी है। उसके पश्चात् पञ्चभूतों का क्रम आता है, उनका संकेत इस श्लोक में है। इस प्रकार सभी तत्त्वों की उत्पत्ति का क्रमबद्ध वर्णन पूरा हो जाता है। इसकी पुष्टि १।७४—७८ श्लोकों में होती है। इन श्लोकों में पञ्चभूतों की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन ठीक इसी प्रकार

+ [प्रचलित अर्थ—अनन्त शक्ति वाले उन छह (अहंकार, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द) के सूक्ष्म अवयवों को उन्हीं के अपने-अपने विकारों में मिलाकर सब प्राणियों की सृष्टि की ॥१६॥]

किया है। इस तरह अर्थ करने से संगति तथा क्रमबद्धता आ जाती है और विरोध आदि त्रुटियाँ दूर हो जाती हैं।

(२) सृष्टि-उत्पत्ति विषय में शास्त्रों में अविरोध या विरोध—

प्रसङ्ग से यहाँ यह जिज्ञासा पैदा होती है—

“ (प्रश्न) सृष्टि-विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ?

(उत्तर) अविरोध है।

(प्रश्न) जो अविरोध है तो—

“तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिम्योऽन्नम्, अन्नाग्नेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः॥” (ब्रह्मा० १)

यह तैत्तिरीय उपनिषद् का वचन है। उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश = अवकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहीं ठहर सकें। आकाश के पश्चात् वायु, वायु के पश्चात् अग्नि, अग्नि के पश्चात् जल, जल के पश्चात् पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों में अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है; यहाँ आकाशादि क्रम से; और छान्दोग्य में अग्न्यादि; ऐतरेय में जल आदि क्रम से सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से; मीमांसा में कर्म; वैशेषिक में काल; न्याय में परमाणु; योग में पुरुषार्थ; सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। अब किसको सच्चा और किसको झूठा मानें ?

(उत्तर) इसमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं। झूठा वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है। जब महा-प्रलय होता है, उसके पश्चात् आकाशादि क्रम अर्थात् जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्नि आदि का होता है अग्नि आदि क्रम से और जब विद्युत् = अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है। अर्थात् जिस-जिस प्रलय में जहाँ-जहाँ तक प्रलय होता है, वहाँ-वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि सब नाम परमेश्वर के हैं। परन्तु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे। छः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है—मीमांसा में—“ऐसा कोई भी कार्य जगत् में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न की जाये,” वैशेषिक में—“समय न लगे बिना बने ही नहीं”, न्याय में—“उपादान कारण न होने से कुछ नहीं बन सकता”, सांख्य में—“तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता”, और वेदान्त में “बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके” इसलिए सृष्टि छः कारणों से बनती है। उन छः कारणों की व्याख्या एक-एक की एक शास्त्र में है। इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं। जैसे छः पुरुष मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें

वैसा ही सृष्टिरूप कार्य की व्याख्या छः शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है।”

(सं प्र० २१६—२२०)

ब्रह्मा के शरीर की निरुक्ति—

यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्येमाण्याश्रयन्ति वट् ।

तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्ति मनीषिणः ॥ १७ ॥

(यत्) क्योंकि (वट् सूक्ष्माः मूर्त्यवयवाः) प्रकृति रूपी मूर्ति के छः सूक्ष्म अवयव और (इमानि) उनकी कार्यभूत इन्द्रियाँ और पञ्चमहाभूत, ये (तस्य आश्रयन्ति) उस परमात्मा के आश्रित रहते हैं (तस्मात्) इसी कारण (मनीषिणः) मनीषी लोग (तस्य मूर्तिम्) उस परमात्मा की प्रकृतिरूपी मूर्ति को (शरीरम् इति आहुः) उसका ‘शरीर’ कहते हैं ॥ १७ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

प्रसङ्गविरोध—(१) यहां सृष्ट्युत्पत्ति का क्रमानुसार वर्णन चल रहा है। उसके मध्य में उस क्रम को भङ्ग कर ‘शरीर’ का निर्वचन करने की कोई प्रासंगिकता ही सिद्ध नहीं है। (२) उपर्युक्त श्लोकों में न तो ‘मूर्ति’ शब्द ही आया है और न ‘शरीर’ शब्द, जिसके सन्दर्भ में निर्वचन करने की आवश्यकता प्रतीत हो। बिना चर्चा के ही ‘शरीर’ का निर्वचन देना अप्रासङ्गिक है, अतः मौलिक भी नहीं है।

सूक्ष्म-शरीर से आत्मा का संयोग—

तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः ।

मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदव्ययम् ॥ १८ ॥ (१०)

(तदा) तब जगत् के तत्त्वों की सृष्टि होने पर (सह कर्मभिः) अपने-अपने कर्मों के साथ (महान्ति भूतानि) शक्तिशाली सभी सूक्ष्म महाभूत (च) और (सूक्ष्मैः अवयवैः मनः) समस्त सूक्ष्म अवयवों अर्थात् इन्द्रियादि के साथ मन (सर्वभूतकृत्+अव्ययम्) सब भौतिक प्राणि-शरीरों को जन्म=जीवनरूप देने वाले अविनाशी आत्मा को [क्योंकि जीवात्मा के संयोग से ही समस्त शरीरों में जीवन आता है और उसके वियोग में समाप्त हो जाता है।] (आविशन्ति) आवेष्टित करते हैं [और इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की रचना होती है] ॥ १८ ॥ ॥

अनुशीलन : (१) पञ्च महाभूतों के कर्म—पञ्चभूतों में आकाश का कर्म प्रवकाश देना है, वायु का गति, तेज का पाक, जल का एकत्रीकरण और पृथिवी का कर्म धारण करना है।

❀ [प्रचलित अर्थ—बिनाशरहित एवं सब भूतों के कर्ता उस ब्रह्म से अपने-अपने कर्मों से युक्त पञ्चमहाभूत आकाश आदि और सूक्ष्म अवयवों के साथ मन की सृष्टि हुई ॥ १८ ॥]

(२) १८वें श्लोक का संगत अर्थ—प्रायः सभी टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है—‘विनाश-रहित एवं सब भूतों के कर्त्ता उस ब्रह्म से अपने-अपने कर्मों से युक्त पञ्चमहाभूत आकाश आदि और सूक्ष्म अवयवों के साथ मन की सृष्टि हुई।’

इस अर्थ में निम्न त्रुटियाँ आती हैं—

(क) १।१४-१५ में मन की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है, दो श्लोकों के बाद पुनः मन की उत्पत्ति कहने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार यह अनावश्यक पुनरुक्ति बन जाती है।

(ख) टीकाकारों के इन अर्थों से वर्णन की कोई क्रमबद्ध संगति नहीं जुड़ती। १४-१५ श्लोकों में मन आदि तत्त्वों की उत्पत्ति वर्णित कर दी। १६वें में सब प्राणियों की उत्पत्ति दिखा दी। १७वें में परमात्मा के प्रकृति रूपी शरीर का निर्वचन दिखा दिया। फिर १८वें में पुनः मन आदि की उत्पत्ति कह दी। १९वें में फिर एक बार समस्त जगत् की उत्पत्ति दर्शा दी। इस प्रकार कोई क्रम नहीं बनता।

(ग) १६वें श्लोक में छः तत्त्वों द्वारा प्राणिजगत् की रचना का कथन करने से और १९वें में सात तत्त्वों द्वारा समस्त जगत् की उत्पत्ति का कथन करने से, भिन्न कथन होने से विरोध आता है।

(घ) मनु ने जब सृष्ट्युत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करके सभी तत्त्वों की उत्पत्ति दर्शायी है, तो यह भी आवश्यक है कि उन तत्त्वों का आत्मा के साथ संयोग भी प्रदर्शित होना चाहिए। जीव के साथ तत्त्वों का संयोग प्रदर्शित न करने पर उत्पत्ति-वर्णन अधूरा ही रह जाता है, और मनुस्मृति में तो इस बात का वर्णन और भी आवश्यक है, क्योंकि मानव धर्म ही मनुस्मृति का अभीष्ट विषय है। केवल स्थूल जगत् की उत्पत्ति दर्शाना इसका मुख्य विषय नहीं है। किन्तु प्रचलित टीकाओं में श्लोक के अर्थ जिस प्रकार किये गये हैं, उनमें कहीं यह प्रसङ्ग नहीं आता। इस प्रकार यह अभाव पाठकों को खटकता है।

इस भाष्य में प्रस्तुत अर्थों के अनुसार ये सब त्रुटियाँ दूर हो जाती हैं तथा अन्य शास्त्रों की भांति सृष्ट्युत्पत्ति-वर्णन में पूर्णता और क्रमबद्धता भी बनी रहती है।

(ङ) सूक्ष्म शरीर के घटक—“पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्रह तत्त्वों का समुदाय ‘सूक्ष्मशरीर’ कहाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म-मरणदि में भी जीव के साथ रहता है।” (सं० प्र० नवम समु०) पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच सूक्ष्मभूत १।१४-१५ में परिगणित हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान ये पांच प्राण हैं।

समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति—

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्।

सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः सम्भवत्यस्यैवाद् व्ययम् ॥१६॥ (११)

[इस प्रकार] (ग्रन्थयात्) विनाशरहित परमात्मा से और द्वितीयार्थ में सृष्टि के मूल कारण अविनाशिनी प्रकृति से (तेषां तु) उन्हीं [१४-१५ में वर्णित] (महीजसाम्) महाशक्तिशाली (सप्तानां पुरुषाणाम्) सात तत्त्वों—महत्, अहंकार तथा पाँच तन्मात्राओं के (सूक्ष्माभ्यः सूतिमात्राभ्यः) जगत् के पदार्थों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म विकारी अंशों से (इदम् व्ययम्) यह दृश्यमान विनाशशील विकाररूप जगत् (सम्भवति) उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥

अनुशीलन : यह समस्त विनाशशील जगत् संक्षेप में निम्न प्रक्रिया से प्रकटरूप में आता है। गत श्लोकों में यही प्रक्रिया और क्रम बतलाया है—

(१) सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम —“जब सृष्टि का समय आता है, तब परमात्मा उन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महत्तत्त्व, और जो उससे कुछ स्थूल होता है, उसका नाम अहंकार और अहंकार से भिन्न-भिन्न पाँच—सूक्ष्मभूत, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं, और ग्यारहवाँ मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन पंच-तन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त करते हुए क्रम से पाँच स्थूलभूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की शोधधियाँ, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है, परन्तु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री-पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है।” (स प्र० २२२)

(२) पुरुष के महत्तत्त्व आदि अर्थ—निरुक्त २। १। ३ में पुरुष की व्युत्पत्ति दी है—“पुरिषायः=पुरुषः।” इस आधार पर अपने कार्यपदार्थों में सूक्ष्मरूप से शयन करने अर्थात् स्थित रहने से महत्तत्त्व आदि सूक्ष्म तत्त्व ‘पुरुष’ कहलाते हैं। शत० ब्राह्मण में ‘वायु’ और ‘अग्नि’ महाभूत को ‘पुरुष’ समा से अभिहित किया है। [१३.६.२. १, १०.४.१.६]।

(३) सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति—

“(प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा पृथिवी आदि की ?

(उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि पृथिवी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता।” (स० प्र० २२३)

“(प्रश्न) सृष्टि के आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे ?

(उत्तर) अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि के आदि में ईश्वर देता, क्योंकि “मनुष्या ऋचयश्च ये। ततो मनुष्या अजायन्त” यह यजुर्वेद में लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात् संकड़ों, सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ-बापों की सन्तान हैं।” (स० प्र० २२३)

पञ्चमहाभूतों के गुणों का कथन—

आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः ।

यो यो यावत्तिथश्चैषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥ २० ॥ (१२)

(एषाम्) इन [१६वें में चर्चित] पञ्चमहाभूतों में (आद्य+आद्यस्य गुणं तु) पूर्व-पूर्व के भूतों के गुण को (परः परः) परला-परला अर्थात् उत्तरोत्तर बाद में उत्पन्न होने वाला भूत प्राप्त करता है (च) और (यः) जो-जो भूत (यावत्तिथः) जिस संख्या पर स्थित है (सः सः) वह-वह (तावद्गुणः) उतने ही अधिक गुणों से युक्त (स्मृतः) माना गया है ॥ २० ॥

अनुशीलन : पञ्च महाभूतों का क्रम और गुण—जैसे, पञ्च-महाभूतों का निश्चित क्रम है—१. आकाश, २. वायु, ३. अग्नि, ४. जल, ५. पृथिवी । उनमें आकाश प्रथम स्थान पर है, इस प्रकार उसका केवल एक अपना शब्द गुण ही है । वायु द्वितीय स्थान पर है, अतः उसके दो गुण हैं—एक अपने से पहले वाले आकाश का शब्द तथा दूसरा अपना स्पर्श गुण । इसी प्रकार तृतीय स्थानीय अग्नि में दो अपने से पहले वाले आकाश और वायु नामक भूतों के क्रमशः शब्द, स्पर्श गुण हैं, तथा तीसरा अपना रूप गुण । चतुर्थ स्थानीय जल के इसी प्रकार चार गुण हैं—शब्द, स्पर्श, रूप और रस । पंचमस्थानीय पृथिवी में पांच गुण हैं—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । इसे तालिका द्वारा निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है—

पञ्चमहाभूतों का उत्पत्तिक्रम और गुणों की तालिका

(श्लोक १ । २०, ७५—७८ के वर्णनानुसार)

	१	२	३	४	५
पञ्च महाभूतों का उत्पत्तिक्रम→	आकाश	वायु	अग्नि	जल	पृथिवी
१. आकाश का निजी गुण →	शब्द	शब्द	शब्द	शब्द	शब्द
२. वायु का निजी गुण →	×	स्पर्श	स्पर्श	स्पर्श	स्पर्श
३. अग्नि का निजी गुण →	×	×	रूप	रूप	रूप
४. जल का निजी गुण →	×	×	×	रस	रस
५. पृथिवी का निजी गुण →	×	×	×	×	गन्ध
प्रत्येक महाभूत में कुल गुण→	१	२	३	४	५

वेदशब्दों से नामकरण एवं विभाग—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१ ॥ (१३)

(सः) उस परमात्मा ने (सर्वेषां तु नामानि) सब पदार्थों के नाम [यथा—गो-जाति का 'गो', अश्वजाति का 'अश्व' आदि] (च) और (पृथक्-पृथक् कर्माणि) भिन्न-भिन्न कर्म [यथा—ब्राह्मण के वेदाध्ययन, याजन; क्षत्रिय का रक्षा करना; वैश्य का कृषि, गोरक्षा, व्यापार आदि (१। ८७—९१) अथवा मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के हिंस्र-अहिंस्र आदि कर्म (१। २६—३०)] (च) तथा (पृथक् संस्थाः) पृथक्-पृथक् विभाग [जैसे—प्राणियों में मनुष्य, पशु-पक्षी आदि (१। ४२—४६)] या व्यवस्थाएं [यथा—चार वर्णों की व्यवस्था (१। ३१, १। ८७—९१)] (आदौ) सृष्टि के प्रारम्भ में (वेदशब्देभ्यः एव) वेदों के शब्द से ही (निर्ममे) बनायीं अर्थात् मन्त्रों के द्वारा यह ज्ञान दिया ॥ २१ ॥ +

अनुशीलनः : (१) इस श्लोक के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द ने लिखा है—

“इस वचन के अनुकूल आर्य लोगों ने वेदों का अनुकरण करके जो व्यवस्था की, वह सर्वत्र प्रचलित है। उदाहरणार्थ—सब जगत् में सात ही बार है, बारह ही महीने हैं और बारह ही राशियां हैं, इस व्यवस्था को देखो (पू० प्र० ८६)

वेद में भी कहा है—

शाश्वतीभ्यः समान्यः ॥ (यजु० ४०। ८)

अर्थात् आदि सनातन जीवरूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है।” (स० प्र० २०८)

(२) सृष्टि के प्रारम्भ में नामकरण—अभिप्राय यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में वेदशब्दों के द्वारा ही मनुष्यों को नाम, कर्म, विभाग आदि का ज्ञान हुआ। परमात्मा ने वेदशब्दों के रूप में यह सब ज्ञान दिया। ‘निर्ममे’ से यहां भाव, नाम, कर्म, विभाग आदि का ज्ञान वेदशब्दों में अन्तर्निहित करके लोगों को अवगत कराने से है।

(३) २१वें श्लोक के क्रम पर विचार—प्रस्ताव होता है कि यह श्लोक मूलक्रम से खण्डित होकर आगे-पीछे हो गया है। इस श्लोक का किसी प्रक्षेप की प्रवृत्ति से या

+ [प्रचलित अर्थ—हिरण्यगर्भ उसी ब्रह्मा ने सबों के नाम (यथा—‘गो’ जाति का ‘गो’ और ‘अश्व’ जाति का ‘अश्व’) और कर्म (यथा—‘ब्राह्मणों’ का वेदाध्ययन आदि, क्षत्रियों का वेदाध्ययन तथा रक्षण आदि) तथा लौकिक व्यवस्था (यथा—कुम्हार का घट आदि बनाना, बुनकर का कपड़ा बुनना, नापित का क्षौर करना आदि) को पहले वेद-शब्दों से ही जानकर पृथक्-पृथक् बनाये ॥ २१ ॥]

प्रक्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता। यह श्लोक क्रम को दृष्टि से २३वें (अग्निवायुरविम्यस्तु.....) के पश्चात् होना चाहिए। प्रसंग और क्रम की दृष्टि से वहीं ठीक बैठता है, क्योंकि वेदों की रचना होने के बाद ही उनसे नाम, कर्म आदि का ज्ञान होगा, पूर्व नहीं। वेदों की रचना का होना २३वें श्लोक में कहा जा रहा है और उनसे नाम आदि का निर्माण पहले ही वर्णित हो गया। इस प्रकार उचित क्रम नहीं बनता।

इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रतियों में जो यह २१वें श्लोक के रूप में है, यहाँ पूर्वापर प्रसंग उत्पत्ति की प्रक्रिया का है; इस श्लोक से वह भंग हो रहा है। २०वें में सृष्टि-उत्पत्ति की प्रक्रिया है, २२वें में उस प्रसंग का उपसंहार रूप में संक्षिप्त एकत्र कथन है। इन कथनों के बीच में वेदों के द्वारा नाम, कर्म आदि का ज्ञान होने का कथन करना असंगत है। इस क्रम में यह आपत्ति भी है। किन्तु इससे इसे प्रक्षिप्त नहीं समझ लेना चाहिए, यतो हि इस श्लोक का प्रक्षिप्त प्रसंग या प्रवृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः यह स्थानभ्रष्ट मात्र प्रतीत होता है।

(४) २१वें श्लोक का संगत अर्थ—कुल्लूकभट्ट ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए व्यवस्थाओं के उदाहरण में—‘कुम्हार का घड़ा बनाना, जुलाहे का कपड़ा बनाना’ ये उदाहरण गलत और मनुविरुद्ध दिये हैं। यहाँ व्यवस्थाओं से अभिप्राय है जैसे—चार वर्णों की व्यवस्था। इसे १।३१ में मनु ने कर्मानुसार परमात्मा-निर्मित माना है। इसी प्रकार राज्यव्यवस्था आदि भी हो सकती है। मनु ने केवल चार वर्णों को माना है। उनके मत में कुम्हार, जुलाहा आदि कोई जाति-उपजाति नहीं है, और न ही ये जातियाँ या उनके ये कार्य ईश्वर-रचित हैं। मनु के अनुसार तो ‘शिल्पकार्य’ वैश्य का कार्य है; चाहे वह किसी भी प्रकार का शिल्पकार्य करे वैश्य ही कहलायेगा; कुम्हार या जुलाहा नहीं। मनु की व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति आज वर्तन बनाने का कार्य कर रहा है, वह कल कपड़े बनाने का कार्य भी कर सकता है, परसों कोई अर्थ; फिर भी वह वैश्य ही कहलायेगा; कुम्हार या जुलाहा नहीं। क्योंकि मनु ने ऐसी जातियों और उनके नामों का निर्धारण ही नहीं किया। जाति-उपजाति की कल्पनाएँ वर्ण-व्यवस्थाओं की शिथिलता के पश्चात् कार्यरुद्धि के आधार पर अवर समाज द्वारा की गई हैं। अतः उन्हें ईश्वररचित व्यवस्था मानकर मनु के श्लोक में उदाहरण-रूप में देना गलत एवं मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है।

उपसंहार रूप में समस्त जगत् की उत्पत्ति का वर्णन—

कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः ।

साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् ॥ २२ ॥ (१४)

[इस प्रकार १।५—२० श्लोकों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार]
(सः प्रभुः) उस परमात्मा ने (कर्मात्मनां च देवानाम्) कर्म ही स्वभाव है

जिनका ऐसे सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवों के (प्राणिनाम्) मनुष्य, पशु-पक्षी आदि सामान्य प्राणियों के (च) और (साध्यानाम्) साधक कोटि के विशेष विद्वानों के (गणम्) समुदाय को [१।२३ में वर्णित] (च) तथा (सनातनं सूक्ष्मं यज्ञम् एव) सृष्टि-उत्पत्ति काल से प्रलय काल तक निरन्तर प्रवाहमान सूक्ष्म संसार अर्थात् महत् ग्रहंकार पञ्चतन्मात्रा आदि सूक्ष्म रूपमय और सूक्ष्मशक्तियों से युक्त संसार को (असृजत्) रचा ॥ २२ ॥ ❀

अनुशासन : (१) २२वें श्लोक का संगत अर्थ—कुल्लुकभट्ट आदि टीकाकारों ने 'साध्य' का अर्थ 'सूक्ष्मम्' विशेषण को उसके साथ जोड़कर 'सूक्ष्म देवयोनि-विशेष' किया है। यह मिथ्या कल्पना मात्र है, क्योंकि मनुष्यों से भिन्न कोई देवयोनि जगत् में नहीं होती। १।४३-४६ श्लोकों में मनु ने सभी योनिगत प्राणियों का दिग्दर्शन कराया है। उनमें ऐसी कोई योनि उल्लिखित नहीं है। इस प्रकार की कल्पना मनु के उक्त श्लोकों के विरुद्ध जाती है। वस्तुतः, मनुस्मृति में जहाँ कहीं भी प्राणियों में देव, ऋषि, पितर आदि का उल्लेख आता है, वे मनुष्यों के स्तरविशेष हैं। योग्यता एवं स्तरविशेषानुसार ये मनुष्यों की ही संज्ञाएं हैं।

(२) 'सूक्ष्मम्' का अर्थ—यहाँ 'सूक्ष्मम्' विशेषण को भी साध्यों के साथ जोड़ना सङ्गत नहीं है। सृष्टि-उत्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन करने के उपरान्त उस सम्पूर्ण प्रसङ्ग का इस श्लोक में उपसंहार किया है, और एकत्र रूप में यह संकेत दिया है कि इस प्रकार परमात्मा ने जड़-चेतन, सूक्ष्म और स्थूल, विशेष और सामान्य आदि विभिन्न रूपों में समस्त संसार को रचा है।

(३) 'साध्यों' से अभिप्राय—यहाँ प्राणियों से पृथक् साध्यों की पृथक् से गणना उनकी विशिष्टता की ओर इङ्गित करने के लिए की है। सृष्टि के प्रारम्भ में सभी प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं; उनमें साधक कोटि के विशिष्ट संस्कारी व्यक्ति भी होते हैं। मनुस्मृति के श्लोक में इस शब्द को समझने के लिए साध्यकोटि के व्यक्तियों में जैसे अग्नि, वायु, रवि आदि ऋषियों का नाम उद्धृत किया जा सकता है। ये भी साधक कोटि के अत्यन्त विशिष्ट संस्कारी जीव थे। तभी तो अनेक मनुष्यों में केवल इन्हीं को वेदज्ञान प्रकट करने का श्रेय मिला। निरुक्तकार ने 'ऋषि' शब्द के निर्वचन के प्रसंग में आचार्य औपमन्यव के मत का उल्लेख करते हुए इन तपस्वी साधकों को तपस्या में लीन रहने की साधना के परिणामस्वरूप वेदज्ञान की प्राप्ति का कथन किया है। उससे इनके साध्यकोटि के व्यक्ति होने की बात और पुष्ट हो जाती है। यथा—

“ऋषिः दर्शनात् । स्तोमान् ववर्षा इति औपमन्यवः । तद्यदेनास्तपस्यमानाम्बह्य स्वयन्स्वभ्यामनर्थं ऋषयोऽमर्षस्तद्वीणामृषिब्रमिति विज्ञायते ।” (नि० २।३।१२)

❀ [प्रचलित अर्थ—उस ब्रह्मा ने देव (इन्द्रादि), कर्मस्वभाव, प्राणी, अप्राणी पत्थर आदि, साध्यगण और सनातन यज्ञ (अग्निष्टोम आदि) की सृष्टि की ॥ २२ ॥]

अथर्व वेदनन्त्रों का अर्थ-दर्शन करने से ऋषि होता है, ऐसा श्रीमन्मय का मत है। प्रारम्भिक अग्नि आदि ऋषियों को तपस्या करते हुए अपौरुषेय वेदों का साक्षात्कार हुआ, अतः वे ऋषि प्रसिद्ध हुए।

इन तपस्वी साधकों को साधना में लीन रहते हुए वेदज्ञान-प्राप्ति होने की चर्चा ब्राह्मणग्रन्थों में भी आती है—

(क) “तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त, अग्नेर्ऋग्वेदः, वायोर्यजुर्वेदः, सूर्यात् सामवेदः।” (शत० ११।५।२।३)

(ख) “अजाहं वै पृथ्वीस्तपस्यमानान् बह्व्य स्वयंभू-अभ्यान्तर्बसह्वयोऽभवन्।” (तै० ब्रा० २।८)

अगले ही श्लोक में मनु ने भी इनका उल्लेख किया है। इस साधक कोटि में अन्य अनेक व्यक्तियों को भी माना जाता है। इसमें कुछ अन्य प्रमाण द्रष्टव्य हैं—

१. “साध्याः देवाः साधनात्” (निरुक्त १२।४०)
२. “साध्याः नाम देवाः (=विद्वांसः) आसन्” (ताण्ड्य ब्रा० ८।३।५)
महर्षि-दयानन्द ने इस शब्द को गौर भी स्पष्ट कर दिया है—
१. साधनसाध्याः (देवाः=विद्वांसो जनाः) (यजु० २६।११)
२. साधनं योगाभ्यासादिकं कुर्वन्तो ज्ञानिनः (जनाः) (यजु० ३१।६)
३. अर्न्यविद्यार्थं संसेवितुमर्हाः (विद्वांसो जनाः) (ऋग्वे० १।१६४।५०)
४. साध्याः ज्ञानिनः, ऋषयो मन्त्रद्रष्टारश्च (ऋ० भू० ६१ मृष्टिविद्याविषयः)

इस प्रकार ‘साध्य’ का अर्थ ‘साधक कोटि के विद्वान् विशेष’ ही है। श्रीर मनुस्मृति की भी अन्तःसाक्षी है—“पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सास्त्रिकी गतिः” [मनु० १२।४६] अथर्व जो मध्यम मत्त्वगुणी जीव हैं, वे पितर व साध्य=कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापकादि का जन्म पाते हैं। वेदों का ज्ञान देने वाले प्रारम्भिक ऋषि भी संसार के प्रथम अध्यापक=शिक्षक थे।

साध्यकोटि के विद्वानों का वर्णन और मृष्टि के प्रारम्भ में साध्यकोटि के व्यक्तियों के उत्पन्न होने का उल्लेख वेद के पुरुषसूक्त में भी आता है—

१. “यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः” (यजु० ३१।१६)
२. “तं यज्ञं बर्हिषि प्रीक्षन् पुरुषं जातमग्रतः।
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥” (यजु० ३१।६)
३. “यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतम्बत।” (यजु० ३१।१४)

“जो ब्रह्माण्ड का रचन-पावन और प्रलय करना रूप यज्ञ है, उसी को जगत् बनाने की सामग्री कहते हैं। पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्डरूप यज्ञ है।”

(ऋ० भू० १२७-१२८)

(४) यज्ञ का व्यापक अर्थ और वेदों का उद्देश्य—इसी प्रकार प्रचलित टीकाओं में किया गया यज्ञ शब्द का अर्थ भी संकुचित है। इस श्लोक में यज्ञ शब्द का 'हवन' यह सीमित अर्थ न होकर व्यापक अर्थ 'जगत्' है। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियाँ दी जा सकती हैं—(क) मनु ने केवल होम-सम्पादन के लिए ही वेदों की उत्पत्ति नहीं स्वीकार की है, अपितु संसार के समस्त ज्ञान-विज्ञान, धर्म, व्यवहार आदि की सिद्धि के लिए वेदों की उत्पत्ति मानी है। मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर उन्होंने ऐसे आशय दिये हैं। कुछ प्रमाणों से यह बात पुष्ट हो जायेगी—

(अ) १२।६७ में चारों वर्णों, आश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से ही माना है।

(आ) शब्द, स्पर्श आदि सूक्ष्म शक्तियों की वैज्ञानिक सिद्धि वेदों द्वारा ही मानी है। (१२।६८)

(इ) संसार के समस्त व्यवहारों का सर्वोत्तम साधकग्रन्थ वेद को कहा है।

(१२।६९)

(ई) १२।६४ में वेद को पितृ, देव, मनुष्यों का 'चक्षु' अर्थात् धर्म-अधर्म, ज्ञान-विज्ञान आदि का दशनिबाला कहा है।

(उ) इसी प्रकार राजनीति की शिक्षा देने वाला (७।४३; १२।१००) शास्त्र भी वेद ही है।

(ऊ) वेद सभी धर्मों का स्रोत एवं आधार है। (२।६—१५)

(ए) १।२१ में वेदों के द्वारा ही संसार के समस्त पदार्थों का नामकरण, विभाग, कर्मनिर्धारण यह सिद्ध करता है कि वेदों की उत्पत्ति केवल होम-सम्पादन के लिए ही नहीं, अपितु जगत् में समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए है।

(ऐ) १।३ में वेदों को सब सत्यविद्याओं का विधान करने वाला ग्रन्थ कहना, अथवा जगत् का संविधान और समस्त व्यवहारों का साधक ग्रन्थ कहना भी वेदों की उपयोगिता को व्यापक सिद्ध करता है।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वेदों की उपयोगिता के विषय में मनु की व्यापक दृष्टि है, यदि उसे केवल होम तक ही सीमित किया जायेगा तो उक्त मान्यताओं से उग का विरोध आयेगा। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि १।२३ में प्रयुक्त 'यज्ञसिद्धयर्थम्' पद का अर्थ भी 'होमसिद्धि के लिए' न होकर 'जगत् में समस्त व्यवहारों, धर्मों और ज्ञान-विज्ञान की सिद्धि के लिए' अथवा 'जगत् की सिद्धि के लिए' यह अर्थ होगा। इसी प्रकार यहाँ भी यज्ञ का व्यापक अर्थ 'जगत्' ही ग्रहण होगा। इस में दोनों श्लोकों की यह सुसंगति भी बन जाती है कि 'परमात्मा ने संसार को रचा (१।२२) और उस संसार की सिद्धि के लिए अथवा संसार में समस्त सिद्धियाँ

प्राप्त करने के लिये वेदों को रचा (१।२३)।' (ख) पुरुषसूक्त (यजु० ३१) में भी इसी शैली में ब्रह्माण्डरूप यज्ञ की उत्पत्ति का वर्णन है। यज्ञ के 'जगत्' अर्थ में निम्न प्रमाण हैं—

(अ) "यज्ञो वै भुवनम्" (तै० सं० ३।३।७।५)

(आ) "विराट् (संसारः) वै यज्ञः" (शं० १।१।१।२२)

(इ) "वैराजः यज्ञः" (गो० पू० ५।२४; गो० उ० ६।१५)

(ई) महर्षि दयानन्द ने (यजु० १३।१४) मन्त्र-भाष्य करते हुए जगत् को ही यज्ञ कहा है—“देवाः यज्ञं अतश्चतः”—पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ है। (ऋ० भू० ६३, सृष्टिविद्याविषयः)

(ग) यहां 'यज्ञम्' के साथ 'सनातनम्' विशेषण का प्रयोग भी 'जगत्' अर्थ का पोषक है। क्योंकि, यज्ञ की क्रिया के रूप में सनातनता कभी नहीं हो सकती, अतः यह विशेषण हवन अर्थ में जुड़ता ही नहीं। न जुड़ने के कारण टीकाकारों ने खींचातानी कर के इसे जोड़ने का प्रयास किया कि—'वेदोक्त कर्म होने से अथवा कल्पास्तर में भी यज्ञों का व्यवहार होने के कारण यज्ञ सनातन हैं।' लेकिन इस प्रकार तो सभी वेदोक्त क्रियाएँ सनातन हैं, यज्ञों की ही उनसे क्या विशिष्टता होगी? अतः यह प्रयास निष्फल ही है। इस के अतिरिक्त मनु ने १।५७ में 'सनातन' के बिल्कुल पर्यायवाची शब्द के रूप में 'अजन्तम्' (सञ्जीवयति चाजन्तम्) विशेषण का प्रयोग 'जगत्' के लिये किया है, जो यहां भी यज्ञ के साथ 'सनातनम्' शब्दप्रयोग के 'जगत्' अर्थ का पोषक है।

वेदों का आविर्भाव—

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोह यज्ञसिद्धयर्थं मृगयजुःसामलक्षणम् ॥ २३ ॥ (१५)

उस परमात्मा ने (यज्ञसिद्धयर्थम्) जगत् में समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए अथवा जगत् की सिद्धि अर्थात् जगत् के समस्त रूपों के ज्ञान के लिए [यज्ञे जगति प्राप्तव्या सिद्धिः यज्ञसिद्धिः, अथवा यज्ञस्य सिद्धिः यज्ञसिद्धिः] (अग्नि-वायु-रविभ्यः तु) अग्नि, वायु और रवि से अर्थात् उन के माध्यम से (ऋग्यजुःसामलक्षणं त्रयं सनातनं ब्रह्म) ऋग्=ज्ञान, यजुः=कर्म, साम=उपासना रूप त्रिविध ज्ञान वाले नित्य वेदों को (दुदोह) दुहकर प्रकट किया ॥ २३ ॥ ❀

“जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग्यजुः साम और अथर्व का ग्रहण किया । (सं० प्र० २०३)

❀ प्रचलित ६ र्—उस ब्रह्मा ने यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से नित्य ऋग्वेद, यजुः १ और सामवेद को क्रमशः प्रकट किया ॥ २३ ॥

“अग्निवायुरविम्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्धयर्थं
ऋग्यजुः सामलक्षणम् ॥ १ । ३ ॥ अध्यापयामास पितृन् शिशुरांगिरसः
कविः । २ । १५१ (इस संस्करण में २।१२६) अर्थात् इसमें मनु के श्लोकों
की भी साक्षी है कि पूर्वोक्त अग्नि, वायु, रवि और अगिरा से ब्रह्मा जी ने
वेदों को पढ़ा था । जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि और हम
लोगों की तो क्या क्या ही कहनी है ।” (ऋ० भू० १६)

अनुष्ठीतम् : (१) प्रस्तुत श्लोक में यज्ञ शब्द का ‘जगत्’ अर्थ है ।
इसकी पुष्टि के लिए १ । २२ की समीक्षा देखिए ।

(२) वेदोत्पत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण—महर्षि मनु ने अपनी स्मृति का
मूलस्रोत वेद को माना है । वे वेदों को अपौरुषेय मानकर इस श्लोक में परमेश्वर से ही
वेदोत्पत्ति मानते हैं । मनु ने यह मान्यता वेदों से ही ग्रहण की है । देखिए स्वयं वेद भी
इस मान्यता को वर्णित कर रहे हैं—

(क) तस्माद् यज्ञात् संबंधतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥ (यजु० ३१ । ७)

अर्थ—उस सन्निधानन्दस्वरूप, सब स्थानों में परिपूर्ण, जो सब मनुष्यों द्वारा
उपास्य और सब सामर्थ्य से युक्त है, उस परब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और
छन्दांसि = अथर्ववेद ये चारों वेद उत्पन्न हुए ।

(ख) यस्माद्ब्रह्मो अपातक्षम् यजुर्यस्मादपाकवन् ।

सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम् ।

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमःस्विदेव सः ॥ (अथर्व १०।४।२०)

अर्थ—जो सर्वशक्तिमान् परमेश्वर है, उसी से (ऋचः) ऋग्वेद (यजुः) यजुर्वेद
(सामानि) सामवेद (आङ्गिरसः) अथर्ववेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं । इसी प्रकार रूप-
कालाकार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथर्ववेद मेरे मुख के
समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान, और ऋग्वेद प्राण के समान
है (ब्रूहि कतमःस्विदेव सः) चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौनसा देव है ? उसको
तुम मुझसे कहो, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि (स्कम्भं तम्) जो सब जगत् का धारण-
कर्त्ता परमेश्वर है, उसका नाम स्कम्भ है, उसी को तुम वेदों का कर्त्ता जानो ।

(ऋ० भा० भू० वेदोत्पत्ति विषय)

ब्राह्मणों ने भी इस मान्यता को यथावत् स्वीकार किया है—

(ग) “एवं वा अरेऽस्थ महतो मृतस्य निःश्वसितमेतत् ।

यद्ग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः ॥” (शत० १४।२)

अर्थात्—उस महान् शक्तिशाली परमात्मा के निश्वासरूप में प्रकट ये चारों वेद
हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अङ्गिरा से प्रकट अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

(घ) “तेज्यस्तप्तोम्यस्त्रयो वेदा अजायन्त, अग्नेर्हव्येदो, वायोऽर्यजुर्वेदः, सूर्यात्तामवेदः ।” (श० ११।५।२।३)

अर्थात्—उन तपस्वी ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद इस प्रकार त्रयीविद्यारूप चार वेद प्रकट किये ।

(३) वेदोत्पत्ति की मान्यता का अभ्यन्त वर्णन—मनु ने वेदों को अपौरुषेय माना है, जैसा कि इस श्लोक में वर्णन है । अपनी इस मान्यता की पुष्टि मनु ने अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर की है, द्रष्टव्य है—१।३, २१ ॥ ११।२६४-२६५ ॥ १२।६४ श्लोक ।

समयादि की उत्पत्ति—

कालं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ।

सरितः सागरान्ध्वेत्तांसमानि विषमाणि च ॥ २४ ॥

तपो वाचं रति चैव कामं च क्रोधमेव च ।

सृष्टिं तसर्जं चैवेना जघ्नुर्निष्कृन्मिनाः प्रजाः ॥ २५ ॥

[फिर उस परमात्मा ने] (स्रष्टुम् + इच्छन्) सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से (कालम्) समय (च) और (कालविभक्तीन्) समयविभागों—निमेष, काष्ठा, कला, दिन-रात आदि को (नक्षत्राणि) नक्षत्रों—प्रसिन्नी, भरणी आदि को (तथा ग्रहान्) तथा ग्रहों—सूर्य, चन्द्र आदि को (सरितः) नदियों (सागरान्) समुद्रों (शैलान्) पर्वतों (च) और (समानि विषमाणि) ऊँचे-नीचे स्थानों को (तपः वाचं रति च) और तप, वाणी, प्रसन्नता (च) तथा (कामं क्रोधं एव) काम, क्रोध को, (इमाः प्रजाः) इन सब प्रजाओं को (च) और (इमां सृष्टिम्) शेष सारी सृष्टि को (तसर्जं) रचा ॥ २४, २५ ॥

अनुवर्णनम् : ये दोनों श्लोक निम्न आचार्यों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वापर प्रसङ्ग के विरुद्ध है । २१ वें श्लोक में वेदों के द्वारा कर्मों का ज्ञान कराये जाने का कथन है, तदनुसार २६ वें में कर्मों के विवेचन का वर्णन है । कर्मों के प्रसङ्ग के बीच में सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन उस पूर्वापर प्रसङ्ग को भङ्ग कर रहा है । (२) सृष्ट्युत्पत्ति वर्णन का प्रसङ्ग २२ वें में पूर्ण हो चुका है, उसके बाद वेदोत्पत्ति और कर्मों का प्रसङ्ग है । उस प्रसङ्ग के समाप्त हो जाने पर पुनः नये सिरे से उन बातों का वर्णन करना असङ्गत है ।

२. शैलीगत आचार—(१) सृष्टि-उत्पत्ति के पूर्व-प्रसङ्ग में यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु ने प्राणि-शरीरों की रचना का वर्णन करने के लिए कुछ विस्तृत शैली अपनायी, लेकिन शेष जड़ जगत् की उत्पत्ति का संकेत मात्र दिया है [१।१६, २१] । इन श्लोकों में जड़ पदार्थों की उत्पत्ति का गणनापूर्वक विस्तृत उल्लेख इन्हें मनु की शैली का सिद्ध नहीं करता । (२) गणना या वर्णन की शैली अयुक्तियुक्त भी है । इसमें

अध्याप्ति दोष स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। कुछ पदार्थों एवं भावों की रचना का तो उल्लेख है और लोभ, मोह, बूझ आदि बहुत से शेष पदार्थों का संकेत ही नहीं। पदार्थों के उल्लेख का कोई सुनिश्चित आधार भी नहीं है। मनु की शैली में इस प्रकार की कमियाँ नहीं हैं, अतः ये श्लोक मनु की शैली के नहीं हैं। (३) शब्दों का प्रयोग भी इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध कर रहा है। १।१६, १८, २२ में मनुष्यों-प्राणियों की उत्पत्ति कही जा चुकी है और उसके बाद वेदज्ञान की प्राप्ति का कथन भी हो चुका। किन्तु इन श्लोकों में—‘अधुमिच्छन् इमाः प्रजाः’ कहा जा रहा है अर्थात् अभी परमात्मा प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा ही कर रहा है। यह प्रयोग इन्हें मनु की शैली, का सिद्ध नहीं करता। ये बाद में असङ्गत रूप से जोड़ दिये हैं।

धर्म-अधर्म, सुख-दुःख आदि का विभाग—

कर्मणां च विवेकार्यं धर्माधर्मौ व्यवेचयत् ।

द्वन्द्वरयोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥ (१६)

(च) और फिर (कर्मणां विवेकार्यम्) कर्मों के विवेचन के लिए (धर्म-अधर्मौ) धर्म-अधर्म का (व्यवेचयत्) विभाग किया (च) तथा (इमाः प्रजाः) इन प्रजाओं को (सुखदुःखादिभिः द्वन्द्वैः) सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों [=दो विरोधी गुणों या अवस्थायों के जोड़ों] से (अयोजयत्) संयुक्त किया ॥२६॥

अनुशीलन : धर्म-अधर्म के विभाग की चर्चा निम्न वेदमन्त्र में आती है। वही भाव यहां मनु ने ग्रहण किया है —

“एष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः” (यजु० १६।७७)

(प्रजापतिः) सब जगत् का अध्यक्ष जो ईश्वर है सो (सत्यानृते) सत्य जो धर्म और असत्य जो अधर्म है (व्याकरोत्) उनको ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठीक-ठीक विचार से देखके सत्य और भूठ को अलग-अलग किया है।’ (ऋ० भा० भू० ६७)

सूक्ष्म से स्थूल के क्रम से सृष्टि का वर्णन—

अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः ।

ताभिः सार्धमिदं सर्वं सम्भवत्यनुपूर्वशः ॥ २७ ॥ (१७)

(दशार्धानाम् तु) दश के आधे अर्थात् पांच महाभूतों की ही (याः) जो (विनाशिन्यः) विनाशशील अर्थात् अपने ग्रहणकारण में लीन होकर नष्ट होने के स्वभाव वाली (अण्व्यः मात्राः स्मृताः) सूक्ष्म तन्मात्राएँ कही गई हैं (ताभिः) उनके (सार्धं) साथ अर्थात् उनको मिलाकर ही (इदं सर्वम्) यह समस्त संसार (अनुपूर्वशः) क्रमशः—सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर, स्थूलतर से स्थूलतम के क्रम से (संभवति) उत्पन्न होता है ॥ २७ ॥

अनुशीलन : २७ वें श्लोक के क्रम पर विचार—प्रतीत होता है कि

मूल प्रति में खण्डित हो जानेके कारण यह श्लोक स्थानभ्रष्ट हो गया है। प्रसंग और क्रम की दृष्टि से यह १६वें के पश्चात् होना चाहिए, क्योंकि—(१) “कर्मणां च विवेकार्थं” इस श्लोक के पश्चात् इसका कोई क्रम नहीं जुड़ता। यहां प्रसंग को भंग करता है। (२) भूतों और तन्मात्राओं की उत्पत्ति और उनसे जगत् की उत्पत्ति का क्रम तथा प्रसंग १६वें तक पूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से भी यहां संगत है। (३) २० वें में ‘एषाम्’ कहकर तन्मात्राओं व पञ्चभूतों का ही वर्णन है। इस प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि उससे पूर्व तन्मात्राओं के वर्णन का श्लोक होना चाहिए, जो प्रचलित पाठ में नहीं है। और इस प्रसंग में ऐसा और कोई दूसरा श्लोक है नहीं, जिसमें पञ्चतन्मात्राओं का वर्णन हो। यही एक श्लोक ऐसा है जिसमें पञ्चतन्मात्राओं का वर्णन है। इस प्रकार २०वें श्लोक के ‘एषाम्’पद से प्राप्त होने वाले एक श्लोक के अभाव का संकेत भी श्लोक का २७वीं संख्या पर असंगत होना, ये दोनों बातें इस श्लोक का उपयुक्त १६वें के पश्चात् नियत करती हैं। अतः यह इसी क्रम से रखा जाना चाहिए। इस मूल में प्रक्षेप की कोई भी प्रेरक-प्रवृत्ति संभव न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं माना गया है।

जीवों का कर्मों से संयोग—

यं तु कर्मणि यस्मिन् स न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः ।

स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥२८॥ (१८)

(सः प्रभुः) उस परमात्मा ने (प्रथमम्) सृष्टि के प्रारम्भ में (यं तु) जिस प्राणी को (यस्मिन् कर्मणि) जिस कर्म में (न्ययुङ्क्त) लगाया (पुनः पुनः) प्रत्येक सृष्टि-उत्पत्ति समय में [१। ८०] (सः) वह फिर (सृज्यमानः) उत्पन्न होता हुआ अर्थात् जन्म धारण करता हुआ (तदेव) उसी कर्म को ही (स्वयम्) अपने आप (भेजे) प्राप्त करने लगा ॥ २८ ॥

हिंसाहिंसे मृदुक्रूरे धर्मधर्मावृत्तानृते ।

यद्यस्य सोऽवधात्सर्गं तत्तस्य स्वयमाविशत् ॥ २९ ॥ (१९)

(हिंस+अहिंसे) हिंसा [सिंह, व्याघ्र आदि का] अहिंसा [मृग आदि का] (मृदु-क्रूरे) दयायुक्त और कठोरतायुक्त (धर्म-अधर्मौ) धर्म तथा अधर्म (अनृत-ऋते) असत्य और सत्य (यस्य) जिस प्राणी का (यत्) जो कर्म (सर्गं) सृष्टि के प्रारम्भ में (सः अदधात्) उस परमात्मा ने धारण कराता था (तस्य तत्) उस को वही कर्म (स्वयम्) अपने आप ही (आविशत्) प्राप्त हो गया ॥ २९ ॥

अनुशीलन : जगदुत्पत्ति-प्रयोजन एवं कर्मफल—सृष्टि के प्रारम्भ में प्राणियों के कर्मों की भिन्नता के कारण और जगत्-रचना के प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए महर्षि-दयानन्द लिखते हैं—

“(प्रश्न) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ?

(उत्तर).....प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किये पाप-पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता, और जीव क्योंकर भोग सकते थे ?” (सं० प्र० २१३)

“(प्रश्न) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कृमि, कीट, पतंग आदि जन्म दिये हैं; इससे परमात्मा में पक्षपात आता है ?

(उत्तर) पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मों-नुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता ।”

(सं० प्र० २२३—२२४)

यद्यतुर्लिंगान्यृतवः स्वयमेवतुर्पर्यये ।

स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥ (२०)

(यथा) जैसे (ऋतवः) ऋतुएं (ऋतुपर्यये) ऋतु-परिवर्तन होने पर (स्वयम् + एव) अपने आप ही (ऋतुलिंगानि) अपने-अपने ऋतुचिह्नों—जैसे, वसन्त आने पर कुसुम-विकास, आश्रमऊजरी आदि को (अभिपद्यन्ते) प्राप्त करती हैं (तथा) उसी प्रकार (देहिनः) देहधारी प्राणी भी (स्वानि स्वानि कर्माणि) अपने-अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं अर्थात् अपने-अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं ॥ ३० ॥

चार वर्णों की व्यवस्था का निर्माण—

लोकानां तु विवृद्धयर्थं मुखबाहुपादतः ।

ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् ॥ ३१ ॥ (२१)

[फिर उस परमात्मा ने] (लोकानां तु) प्रजाओं अर्थात् समाज की (विवृद्धयर्थम्) विशेष वृद्धि=शान्ति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए (मुखबाहु-ऊरु-पादतः) मुख, बाहु, जंघा और पैर के गुणों की तुलना के अनुसार क्रमशः (ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं च शूद्रम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों को (निरवर्तयत्) निर्मित किया । अर्थात् चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था का निर्माण किया ॥ ३१ ॥ ❀

अनुध्यातव्यः : (१) चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था-निर्माण वेदों से—वेद में पुरुषसूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन आया है । मनु ने इस श्लोक में ठीक उसी प्रकार वर्णों की उत्पत्ति दर्शायी है । इन मन्त्रों से मनु का भाव और स्पष्ट हो जाता है

❀ [प्रचलित अर्थ—लोक-वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख, बाहु, ऊरु और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की ॥ ३१ ॥]

तथा ब्रह्मा के अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति की भ्रान्ति का भी निराकरण हो जाता है। जैसा कर्मों-गुणों के आधार पर भ्रालंकारिक वर्णन वेद में है, वैसा ही मनुस्मृति में है। मन्त्र निम्न है—

“यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयत् ।

मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरु पादा उध्येते ॥

(यजु० ३१।१०)

(यत्पुरुषं०) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान् ईश्वर कहाता है (कतिधा व्य०) जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसमें चित्रविचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं (मुखं किमस्यासीत्) इस पुरुष के मुख अर्थात् मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ है (किं बाहू) बल वीर्य, शूरता और युद्ध आदि विद्यागुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है (किमूरु) व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है? इन चारों प्रश्नों के उत्तर ये हैं कि—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

(यजु० ३१।११)

(ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य-भाषण आदि उत्तमगुण और श्रेष्ठकर्मों से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है (बाहू राजन्यः कृतः) और ईश्वर ने बल-पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है (ऊरु तदस्य०) खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है (पद्भ्यां शूद्रो०) जैसे पग सबसे नीच अङ्ग है वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्रवर्ण सिद्ध होता है।” (ऋ० भू० १२५-१२६)

(२) इस भ्रालंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए वेदों के व्याख्याग्रन्थ ब्राह्मणों के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। निम्न वचनों में ब्राह्मण को समाज या मनुष्यों का मुखरूप बताया है, मुख से उत्पन्न हुआ नहीं—

(अ) ब्राह्मणो मनुष्याणां मुखम् । (ता० १।६।१)

ब्राह्मण मनुष्यों का मुख है।

(आ) अस्य सर्वस्य ब्राह्मणो मुखम् । (श० ३।६।१।१४)

ॐ यहाँ महर्षि दयानन्द द्वारा प्रयुक्त ‘नीच’ शब्द ‘उच्छ’ का विलोमार्थक है, जो संस्कृत ‘निम्न’ का पर्यायवाची है, यह आजकल की भाषा और व्यवहार में प्रयुक्त ‘नीच’ घृणार्थक नीच अर्थ में नहीं है। इसका अर्थ है—‘गुणों के अनुपात में निम्न गुणों वाला।’

इस समाज या जगत् का ब्राह्मण मुखरूप है अर्थात् सर्व प्रमुख स्थान वाला है।

(३) वर्णोत्पत्ति-विषयक भ्रान्त कल्पना—इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कुल्लूक भट्ट ने एक अत्यन्त अविश्वसनीय कल्पना की है, और उसे उसी प्रकार के ग्रन्थ-विश्वास से पुष्ट किया है। उन्होंने इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है—‘ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, बाहुओं से क्षत्रिय को, जंघाओं से वैश्य और पैर से शूद्र को पैदा किया है’। इस ग्रन्थ कल्पना पर कभी किसी का विश्वास नहीं, शायद इसलिए उन्होंने यह वाक्य भी जोड़ा—“वैश्याश्च शूद्राश्च मुखविश्वो ब्राह्मणादिनिर्माणं ब्रह्मणो न विशङ्कनीयं श्रुतिसिद्धत्वात्। तथा च श्रुतिः—ब्राह्मणोऽयं मुखमासीत्” [ऋक् १०।६०।१२]। अर्थात्—ब्रह्मा के मुख आदि से ब्राह्मण आदि का निर्माण दिव्य-शक्ति से हुआ है, इसमें किसी प्रकार की शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बात वेदों से सिद्ध है, वेद में कहा है—‘ब्राह्मण इस परमात्मा का मुख हुआ।’ वस्तुतः यहां आलंकारिक वर्णन है, जिसका अर्थ इस प्रकार बनता है कि परमात्मा ने मुख, बाहु, जंघा और पैर के गुणों के साम्य के अनुसार क्रमशः चारों वर्णों का निर्माण किया है। जैसे—७।४ में इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, चन्द्र आदि आठ वस्तुओं के अंश से राजा का निर्माण होना कहा है। स्पष्ट है कि इनसे राजा की रचना नहीं हो सकती, किन्तु आलंकारिक रूप में यहां राजाओं में इनके गुणों का होना अभिप्रेत है। ठीक इसी प्रकार यहां भी गुणों के साम्य के आधार पर वर्णों की रचना का कथन है। कुल्लूक ने जिस पद को प्रमाण रूप में दिया है उसका अर्थ भी ‘उत्पन्न होना’ नहीं बनता, अपितु आलंकारिक रूप में ‘ब्राह्मण मुखस्थानीय रूप में था, यह अर्थ ही संगत होता है। दिव्य शक्ति भी अपनी एक निश्चित प्रक्रिया में काम करती है। दिव्य शक्ति होने का यह मतलब नहीं कि वह सृष्टिक्रम-विषय रूप में कुछ भी कर डाले, अतः कुल्लूक का यह विश्वास भी बुद्धिसंगत नहीं है। शैली और प्रसंगके अनुसार भी यदि विचार किया जाये तो इसका आलंकारिक ही अर्थ बनता है, कुल्लूक भट्ट और उनके अनुसरणकर्त्ताओं का अर्थ असंगत सिद्ध होता है—(१) सृष्टि-उत्पत्ति-क्रम में १।१६, १६, २२ में मनुष्यादि प्राणियों की उत्पत्ति का होना कहा जा चुका है और उसके पश्चात् ऋषियों से वेदज्ञान की प्रकटता [१।२३], प्रजाओं की सुख-दुःखादि से संयुक्ति [१।२६] आदि भी दिखायी जा चुकी है फिर दोबारा उत्पत्ति कैसे? (२) मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग प्रक्षिप्त है, अतः उसका नाम जोड़कर अर्थ करना भी उचित नहीं (इसके लिए १।७-१३ पर समीक्षा देखिए) और परमात्मा सूक्ष्म, अव्यय होने से शरीर धारण नहीं करता। अतः उसके मुख आदि की कल्पना भी नहीं हो सकती, उनसे उत्पत्ति आदि की कल्पना का तो फिर प्रश्न ही नहीं। (३) यदि ब्रह्मा के माध्यम से यह उत्पत्ति मानी जाये, तो उस प्रसङ्ग से भी यह अन्ध-कल्पना सिद्ध नहीं होती। यतोहि, ब्रह्मा के प्रसङ्ग में सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम—‘ब्रह्मा से विराट्, विराट् से मनु और मनु से अन्य सृष्टि’—[१।३२-४१] इस रूप में उल्लिखित है। उससे भी अनेक प्रकार से विरोध आता है—(क) मनु की उत्पत्ति बाद में

हुई दर्शायी गयी है और ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति पहले ही दिखा दी। (२।) जब उक्त ब्रह्मा की वंश-परम्परा से सारी सृष्टि-उत्पत्ति मानी है, तो ब्राह्मण आदि पहले ही क्यों और किससे पैदा हुए? (ग) यदि ब्राह्मण आदि को पहले उत्पन्न कर दिया था तो फिर विराट्, मनु आदि की उत्पत्ति की ब्रह्मा को क्या आवश्यकता थी? वृष्टि तो उन्हीं से चल जाती। (घ) जब मुख आदि से ब्राह्मण आदि की रचना कर डाली तो फिर 'विराट्' को भी क्यों न किसी अङ्ग से बनाया? उनके जन्म के लिए पहले स्त्री-रचना की क्यों आवश्यकता हुई? [१। ३२]। इस प्रकार अनेकों युक्तियों से कुल्लूकभट्ट और उनके अनुसरणकर्त्ताओं की कल्पना गलत और असंगत सिद्ध होती है, अतः आलंकारिक अर्थ ही मनु-अभिप्रेत मानना चाहिए।

ब्रह्मा से स्त्री-पुरुष की उत्पत्ति—

द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः ॥ ३२ ॥

वह ब्रह्मा (आत्मनः + देहम्) अपने शरीर के (द्विधा कृत्वा) दो भाग करके (अर्धेन पुरुषः) आधे से पुरुष और (अर्धेन नारी) आधे से स्त्री (अभवत्) हो गया (तस्याम्) फिर उस स्त्री में (सः प्रभुः) उस ब्रह्मा ने (विराजम्) 'विराट्' नामक पुरुष को (असृजत्) उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥

मनु की उत्पत्ति—

तपस्तप्त्वाऽसृजत् तु स स्वयं पुरुषो विराट् ।

तं मां वित्तास्य सर्वस्य अष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ३३ ॥

(द्विजसत्तमाः) हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो! (सः विराट् पुरुषः) उस विराट् नामक पुरुष ने (तपः तप्त्वा) तपस्या करके (यं तु असृजत्) जिसको उत्पन्न किया (तम्) उसे (अस्य सर्वस्य) इस सब संसार के रचयिता (माम्) मुझ मनु को (वित्) समझो अर्थात् वह मैं मनु ही हूँ ॥ ३३ ॥

दश प्रजापतियों की उत्पत्ति—

अहं प्रजा सिंसुक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् ।

पतीम् प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ॥ ३४ ॥

(प्रजाः सिंसुक्षुः तु अहम्) प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा वाले मैंने (मनु ने) (सुदुश्चरम् तपः तप्त्वा) कठोर तपस्या करके (आदितः) पहले (प्रजानां पतीन्) प्रजाओं के पतिरूप (दश महर्षीन्) दश महर्षियों को (असृजम्) उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥

मरीचिमग्न्यङ्गिरसो पुलस्त्यं पुलहं ऋतुम् ।

प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ ३५ ॥

[वे दश प्रजापति ऋषि ये हैं]—मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु और नारद ॥ ३५ ॥

पुनः सात मनुष्यों तथा देवों की सृष्टि—

एते मनुस्तु सप्तान्यान्सृजन्भूरितेजसः ।

देवान्देवनिकायान् महर्षीश्रामितौजसः ॥ ३६ ॥

(एते मनुस्तु) इन दश मनुष्यों ने (भूरितेजसः) अत्यधिक तेजस्वी (अन्यान् सप्तान्) अन्य सात मनुष्यों को (असृजन्) उत्पन्न किया (च) और (देवान्) देवताओं (देवनिकायान्) देवगणों (च) तथा (श्रामितौजसः) महातेजस्वी (महर्षीन्) महर्षियों को भी उत्पन्न किया ॥ ३६ ॥

यक्ष आदि की सृष्टि—

यक्षरक्षःपिशाचाश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् ।

भागान्सर्पान्पुषणीश्च पितॄणां च पृथग्गणान् ॥ ३७ ॥

विद्युतोऽज्ञानिमेषाश्च रोहितेन्द्रधनुर्वि च ।

उल्कानिघातकेतूश्च ज्योतीष्युष्माणसानि च ॥ ३८ ॥

किन्नरान्बानराभ्यस्तस्यान्निविधाश्च बिहङ्गमान् ।

पशून्मृगान्मनुष्याश्च व्यासाश्चोभयतोदतः ॥ ३९ ॥

कृमिकीटपतंगान् च भूकामक्षिकमत्कुणम् ।

सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम् ।

एवमेतैरिव सर्वं मन्मथयोगान्महात्मभिः ॥ ४० ॥

यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजंगमम् ॥ ४१ ॥

(च) फिर (यक्ष-रक्षः-पिशाचान्) यक्ष, राक्षस, पिशाचों को (गन्धर्व + अप्स-रसः + सुरान्) गन्धर्व, अप्सराओं और राक्षसों को (च) और (नागान् सर्पान् पुषणान्) नाग, सर्प, गड़ड़ों को (पितॄणां पृथक् गणान्) पितरों के पृथक्-पृथक् गणों को, (च) और (विद्युतः) बिजली, (अज्ञानि) गिरने वाली बिजलियों; (मेषान्) बादलों को, (रोहित) सीधे इन्द्रधनुषों, (इन्द्रधनुर्वि) टेढ़े इन्द्रधनुषों को, (उल्का) उल्काओं, (निघात) उत्पात की आवाजों, (केतून्) पुच्छल तारों (च) और (ज्योतीषि उच्च + अवचानि) छोटे-बड़े तारों को; (किन्नरान् बानरान् मत्स्यान्) किन्नरों, बानरों, मछलियों को (विविधान् बिहङ्गमान्) विविध प्रकार के पक्षियों को, (पशून् मृगान् मनुष्यान्) ग्राम्यपशुओं, वन्य-पशुओं, मनुष्यों को (उभयोदतः व्यासान्) दोनों ओर दौट वाले हिंसक पशुओं को; (कृमि-कीट-पतंगान्) छोटे कीड़ों, बड़े कीड़ों, उड़ने वाले कीड़ों (भूका-मक्षिक-मत्कुणम्) जूँ, मक्खी, खटमलों (च सर्वं दंशमशकम्) और सब डंसने वाले मच्छरों को (च पृथक्-विधम् स्थावरम्) विविध प्रकार के स्थावरों को उत्पन्न किया। (एवम्) इस प्रकार (एतैः महात्मभिः) इन [१।३५] दश प्रजापति मनुष्यों ने (मत् नियोगान्) मेरे आदेश से (तपोयोगात्) तपोबल के द्वारा (इदं सर्वं स्थावरजंगमम्) यह सब स्थावर-जंगम जगत् (यथाकर्म) कर्मानुसार (सृष्टम्) रचा ॥ ३७-४१ ॥

अनुध्यातव्यः : ३२ से ४१ तक के श्लोकों का यह प्रसंग निम्न आघार पर प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) सात मनुष्यों से चराचर जगत् की उत्पत्ति नहीं—इसमें सृष्टि-उत्पत्तिके एक साथ दो प्रसंग चल रहे हैं—एक, अव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा महत् आदि तत्त्वों से सृष्टि की रचना वाला—जो ५, ६, १४-२३, २७-३१, ४२-४६, ५२-५७, ६७-७८ श्लोकों में वर्णित है। दूसरा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के वंशीय मनु द्वारा समस्त जगत् की उत्पत्ति के कथनवाला; यह ७-१३, २४-२५, ३२-४१, ५०-५१, ५८-६३ श्लोकों में वर्णित है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि दो प्रसंगों में से एक ही मौलिक हो सकता है, दोनों नहीं। क्योंकि, दोनों में परस्पर-विरोध है और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम भी नहीं जुड़ता। न दोनों प्रसंगों के श्लोकों की शैली ही मेल खाती है। इन दोनों में अव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा तत्त्वों से सृष्टि-रचना का प्रसङ्ग ही मौलिक माना जा सकता है, यतो हि—(क) १। ५-६ में उसी परमात्मा से सृष्टि-उत्पत्ति बतलानी शुरू की थी और युक्तियों के आधार पर वही सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ माना जा सकता है, (ख) तत्त्वों द्वारा सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम ही युक्तियुक्त है। १। ५-६ में 'ब्रह्माभूतावि चत्सोऽजाः' 'तमोनुवः' आदि विशेषणों से मनु ने इसी क्रम का संकेत दिया है, ब्रह्मा के वंश का नहीं। (ग) ब्रह्मा के प्रसंग वाले श्लोकों का, जहाँ भी वे क्षेत्रक के रूपमें डाले गये हैं, वहाँ के पूर्वापर श्लोकों से क्रम और संगति नहीं जुड़ती। उन्होंने मूल प्रसंग को स्थान-स्थान पर भंग कर दिया है। (घ) ब्रह्मा के प्रसंग वाले श्लोकों की शैली कल्पना पर आश्रित, अयुक्तियुक्त, अविश्वसनीय, सुनिश्चित आधार से रहित, अपरिष्कृत और गाम्भीर्यरहित है, जबकि मूलप्रसंग के श्लोकों की शैली में ये कमियाँ नहीं हैं। (ङ) किसी मनुष्य के द्वारा (जैसे मनु और दश प्रजापतियों द्वारा) स्थावर और पशु-पक्षी, कीट आदि की सृष्टि प्रकृतिविरुद्ध और अमान्य है। इन युक्तियों से यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग मौलिक नहीं है। इस प्रकार ३२-४१ श्लोकों का यह प्रसङ्ग भी ब्रह्मा के प्रसंग का अंग होने के कारण प्रक्षिप्त है। (२) ये श्लोक पूर्वापर प्रसङ्ग के विरुद्ध हैं—उसे भंग कर रहे हैं। २४ वें श्लोक से कर्मों की चर्चा प्रारम्भ की थी। उसी क्रम में ३१ वें श्लोक में कर्मानुसार समाज में चार वर्णों का निर्माण दिखाया है। इसके बाद इनके कर्मों को बतलाना था। किन्तु मनु ने प्रसङ्ग बदलकर पहले प्राणियों के वर्ग और जन्मक्रम का वर्णन करना आवश्यक समझा, अतः ४२ वें श्लोक में इस प्रसङ्ग-परिवर्तन का उल्लेख कर दिया है। प्रथम पंक्ति में कर्म की चर्चा ३१ वें के आधार पर ही की गई है। अतः ३१ वें के पश्चात् ४२ वां श्लोक ही संगत है। ये उस सङ्गति को भंग करने के कारण प्रसङ्गविरुद्ध हैं। (३) १। १४-२३ श्लोकों में समस्त जगत् की उत्पत्ति का कथन हो चुका है, और इसी श्लोक के साथ जगदुत्पत्ति का यह प्रसङ्ग पूर्ण हो चुका। प्रसङ्ग समाप्त होने पर पुनः स्थावर-जंगम जगत् की उत्पत्ति कहना या एक भिन्न प्रसङ्ग प्रारम्भ करना, अप्रासङ्गिक है। इस दृष्टि से भी ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं।

२. अस्तविरोध—इन श्लोकों की मान्यता के साथ त्रिकोणात्मक विरोध मिलता

है—(क) १।५-६, १४-२३ श्लोकों में अव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा तत्त्वों से सृष्टि रचना कही है, (ख) १।७-१३, ५० और—“एवं सर्वं स सृष्टदेवं मां च अचिन्त्य — पराक्रमः” इस प्रकार यह ब्रह्मा इस समस्त संसार को और मुझे (मनु को) उत्पन्न करके [१।५१] के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा से मानी है। तथा (ग) (३४-४१ श्लोकों में मनु और उससे उत्पन्न दशप्रजापतियों को इस जड़-जंगम जगत् का रचयिता कहा है। ये तीनों ही मान्यताएँ एक-दूसरे का विरोध करने वाली हैं। स्पष्ट है कि कोई एक मान्यता ही मौलिक होनी चाहिए। १।७-१३ और इन ३२-४२ श्लोकों पर दी गई युक्तियों और प्रमाणों के आधार पर अव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा से सृष्टि-उत्पत्ति वाली मान्यता ही मौलिक सिद्ध होती है। शेष दोनों मान्यताएँ उसके विरुद्ध होने के कारण मनुप्रोक्त और मौलिक न होकर प्रक्षिप्त हैं।

३. शैलीगत आधार—मनु की शैली से इन श्लोकों की शैली भिन्न है—(१) मौलिक सृष्ट्युत्पत्ति-प्रसंग (१।५-६, १४-२३) के श्लोकों की शैली साधार, परिष्कृत, युक्तियुक्त (एक सुनिश्चित प्रकृतिसिद्ध प्रक्रिया के अनुसार सृष्ट्युत्पत्ति दर्शाने वाली) है। किन्तु इन श्लोकों की शैली निराधार सृष्टिक्रम से विरुद्ध, अपरिष्कृत और अयुक्तियुक्त है—(क) इन श्लोकों में सृष्ट्युत्पत्ति की कोई सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं है। (ख) ३२ वें श्लोक में ब्रह्मा के आधे भाग से पुरुष और आधे से स्त्री की रचना का वर्णन भी अयुक्तियुक्त, अविश्वसनीय, कपोल-कल्पित और भ्रमविश्वास पर आधारित है। (ग) ब्रह्मा ने तो अपने आधे भाग से निर्मित स्त्री में विराट् को उत्पन्न किया, लेकिन विराट् ने मनु को किस स्त्री द्वारा जन्म दिया [३२-३३], इसका उल्लेख ही नहीं। (घ) इसी प्रकार मनु ने दशप्रजापतियों को (३४), दशप्रजापतियों ने सात मनुओं को (३५-३६) किस स्त्री से जन्म दिया और वह स्त्री किससे पैदा हुई? (ब्रह्मा से तो केवल एक ही स्त्री का निर्माण बतलाया है। जिससे विराट् हुआ, इन बातों का उल्लेख नहीं, केवल कल्पना दिखा दी है। (ङ) मनुष्यों से पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि तथा जड़ वस्तुओं का जन्म होना प्रकृतिविरुद्ध है (३७-४१)। ये बातें इन श्लोकों की शैली को निराधार, अयुक्तियुक्त और अपरिष्कृत सिद्ध करती हैं। इनका वर्णन केवल रूढ़ और ग्रन्थकल्पना पर आधारित है, (२) मौलिक प्रसंग में सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन गम्भीर और संक्षिप्त शैली से किया है। इसीलिए मनु ने प्राणियों और स्थावरों की गणना भी नहीं की, किन्तु इन श्लोकों में परिगणना शैली अपनायी है, न तो इनके वर्णन में संक्षिप्तता है और न गम्भीरता। इस दृष्टि से भी ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होते। (१।७-१३ की समीक्षाएँ भी इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य हैं)

इस प्रकार अनेक आधारों और युक्तियों से ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। और इनके साथ-साथ ब्रह्मा से सम्बद्ध प्रसंग भी मनुस्मृति का मौलिक प्रसंग सिद्ध नहीं होता।

प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार—

येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् ।

तत्तया दोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ॥ (२२)

(इह) इस संसार में (येषां भूतानाम्) जिन मनुष्यों का—वर्णगत मनुष्यों का (यादृशं कर्म) जैसा कर्म (कीर्तितम्) वेदों में कहा है (तत्) उसे (तथा) वैसे ही (१। ८७-९१) (च) और (जन्मनि) उत्पन्न होने में (क्रम-योगम्) जीवों का जो एक निश्चित प्रकार रहता है, उसे (वः) आप लोगों को (अभिधास्यामि) कहूँगा ॥ ४२ ॥

अनुशीलन : ४२ वें श्लोक की शैली एवं अर्थ पर विचार—

(१) सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग समाप्त होकर वह प्रसंग कर्मों के वर्णन की ओर चला गया था। किन्तु सृष्टि के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें अभी शेष रह गई थीं, जिनसे अवगत कराना, मनु को आवश्यक लगा। इसलिए वे प्रसंग को बदलकर पुनः सृष्टि-उत्पत्ति पर लाये हैं, जिससे शेष अग्रिम बातों की जानकारी दे सकें। पहले उस प्रसंग को बदलने का संकेत कर दिया है। मनु की यह एक शैली है कि जब भी वे कोई भिन्न प्रसंग शुरू करते हैं, उसका संकेत देते हैं। इस कारण प्रसंग-भिन्नता का दोष नहीं आता। (२) यहां 'कीर्तितम्' से 'वेदों में कहा है' यह भाव अभिप्रेत है। १। ३, २१, ८७ श्लोकों से यह पुष्ट होता है। इन श्लोकों में मनु ने यह भाव प्रकट किया है कि—परमात्मा ने जो भी कर्म आदि बनाये, उनका ज्ञान वेदों के द्वारा करवाया। यहां वेदों में कहे कर्मों को ही मनु बतलायेंगे, यतो हि १। ३ में मनु को 'कार्यतत्त्वार्थविद्' कहकर वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म-अधर्मों को ही जानने की इच्छा प्रकट की थी। (३) 'क्रम-योगम्' से यहां क्रमानुसार अर्थ लेना उचित नहीं है। जीवों के उत्पन्न होने में जो एक निश्चित प्रकार रहता है, जैसे—मनुष्यादि जरायु से पैदा होते हैं। पक्षी, सर्प आदि अण्डों से, इत्यादि। यहां 'क्रमयोगं च जन्मनि' का इसी से अभिप्राय है।

जरायुज-जीव—

पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाद्वोभयतोदतः ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३ ॥ (२३)

(पशवः) ग्राम्यपशु गौ आदि (मृगाः) अहिंसक वृत्ति वाले वन्यपशु हिरण आदि (च) और (उभयोदतः व्यालाः) दोनों ओर दांत वाले हिंसक वृत्ति वाले पशु सिंह, व्याघ्र आदि (च) तथा (रक्षांसि) राक्षस (पिशाचाः) पिशाच (च) तथा (मनुष्याः) मनुष्य (जरायुजाः) ये सब 'जरायुज' अर्थात् भिल्ली से पैदा होने वाले हैं ॥ ४३ ॥

अनुशीलन : राक्षस और पिशाच का लक्षण ३।३३, ३४

श्लोकों की समीक्षा में द्रष्टव्य है।

अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्का मत्स्याश्च कच्छपाः ।

यानि चैवप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४ ॥ (२४)

(पक्षिणः) पक्षी (सर्पाः) सांप (नक्काः) मगरमच्छ (मत्स्याः) मछलियां (च) तथा (कच्छपाः) कछुए (च) और (यानि) अन्य जो (एवं प्रकाराणि) इस प्रकार के (स्थलजानि) भूमि पर रहने वाले (च) और (औदकानि) जल में रहने वाले जीव हैं, वे सब (अण्डजाः) 'अण्डज' अर्थात् अण्डे से उत्पन्न होने वाले हैं ॥ ४४ ॥

स्वेदज-जीव—

स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम् ।

ऊष्मणश्चोपजायन्ते यस्त्वाम्यत्किञ्चिदीदृशम् ॥ ४५ ॥ (२५)

(दंशमशकम्) डंक से काटने वाले डांस औरमच्छर आदि(यूका)जू (मक्षिक) मक्खियां (मत्कुणम्) खटमल (यत् च अन्यत् किञ्चित् ईदृशम्) जो और भी कोई इस प्रकार के जीव हैं, जो (ऊष्मणः) ऊष्मा अर्थात् सीलन और गर्मी से (उपजायन्ते) पैदा होते हैं, वे सब (स्वेदजम्) 'स्वेदज' अर्थात् पसीने या सीलन से उत्पन्न होनेवाले कहाते हैं ॥ ४५ ॥

अनुवृत्तिः : संस्कृत के शब्दकोशों के अनुसार, और जैसा कि इस श्लोक में भी ज्ञात होता है, यहां स्वेद शब्द का अर्थ व्यापक है । प्राकृतिक पदार्थों में उत्पन्न विलन्नता = सीलन या तापयुक्त सीलन प्राणियों के शरीर से उत्पन्न पसीना और नवमेध कृत सेचन, ये सब 'स्वेद' कहलाते हैं । इन स्वेदरूपों से श्लोकोक्त तथा अन्य बहुत से लघु जीव उत्पन्न होते हैं । वे सब 'स्वेदज' कहलाते हैं ।

उद्भिज्ज जीव तथा ओषधियां—

उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः ।

ओषध्यः फलपाकास्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ (२६)

(बीजकाण्डप्ररोहिणः) बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले (सर्वे स्थावराः) सब स्थावर जीव [एक स्थान पर टिके रहने वाले] वृक्ष आदि (उद्भिज्जाः) 'उद्भिज्ज'—भूमि को फाड़कर उगने वाले कहाते हैं । इनमें— (फलपाकान्ताः) फल आने पर पककर सूख जाने वाले और (बहुपुष्पफलोपगाः) जिन पर बहुत फूल-फल लगते हैं, (ओषध्यः) वे 'ओषधि' कहलाते हैं ॥ ४६ ॥

वनस्पति तथा वृक्ष—

अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ।

पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तुभयतः स्मृताः ॥ ४७ ॥ (२७)

(ये अपुष्पाः फलवन्तः) जिन पर बिना फूल आये ही फल लगते हैं, (ते) वे (वनस्पतयः स्मृताः) 'वनस्पतियाँ' कहलाती हैं । [जैसे-बड़-बट, पीपल, गूलर आदि] (च) और (पुष्पिणः फलिनः एव) फूल लगकर फल लगने वाले (उभयतः) दोनों से युक्त होने के कारण (वृक्षाः) वे उद्भिज्ज स्थावर जीव 'वृक्ष' (स्मृताः) कहलाते हैं ॥ ४७ ॥

गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल—

गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः ।

बीजकाण्डरूपाण्येव प्रताना वल्ल्य एव च ॥ ४८ ॥ (२८)

(विविधम्) अनेक प्रकार के (गुच्छ) जड़ से गुच्छे के रूप में बनने वाले 'झाड़' आदि (गुल्मम्) एक जड़ से अनेक भागों में फूटने वाले 'ईख' आदि (तथैव) उसी प्रकार (तृणजातयः) घास की सब जातियाँ, (बीज-काण्डरूपाणि) बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले (प्रतानाः) उगकर फैलने वाली 'दूब' आदि (च) और (वल्ल्यः) उगकर किसी का सहारा लेकर चढ़ने वाली बेलें (एव) ये सब स्थावर भी 'उद्भिज्ज' कहलाते हैं ॥ ४८ ॥

वृक्षों में अन्तश्चेतना—

तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना ।

अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९ ॥ (२९)

(कर्महेतुना) पूर्वजन्मों के बुरे कर्मफलों के कारण (बहुरूपेण तमसा) बहुत प्रकार के अज्ञान आदि तमोगुण से (वेष्टिताः) आवेष्टित=घिरे हुए या भरपूर (एते) ये स्थावर जीव [४६-४८] (सुख-दुःख-समन्विताः) सुख और दुःख के भावों से संयुक्त हुए (अन्तःसंज्ञाः भवन्ति) आन्तरिक चेतना वाले होते हैं । अर्थात् इनके भीतर चेतना तो होती है, किन्तु चर प्राणियों के समान बाहरी क्रियाओं में प्रकट नहीं होती । अत्यधिक तमोगुण के कारण चेतना और भावों का प्रकटीकरण नहीं हो पाता ॥ ४९ ॥

अनुध्यातव्यः : वृक्षों की चेतनता पर विचार—मनु ने यहां वृक्षादि में

चेतना तो स्वीकार की है, किन्तु वह चेतना बाह्यरूप में प्रकट होने वाली न होकर केवल आन्तरिक मानी है । दूसरी बात यह है कि ये अत्यधिक तमोगुण से वेष्टित हैं ।

यद्यपि सुख-दुःख के भावों से युक्त चेतना इनमें है, किन्तु तमोगुणाधिक्य के

कारण उनकी अनुभूति इनमें नहीं है। जैसे सूक्ष्मत प्राणी में चेतना होते हुए भी सुख-दुःख का ज्ञान नहीं होता। अतः वृक्षों के साथ सुख-दुःख का व्यवहार नहीं है। सुख-दुःख की अनुभूति उसी की होती है जो पञ्चेन्द्रियों से संयुक्त होता है, और उन इन्द्रियों के साथ उनके विषय का सम्बन्ध होता है, अन्यथा नहीं। सांख्यदर्शन में कहा है—

पञ्चावयवयोगात्सुखसंविद्धिः ॥ ५ । २७ ॥

“जब पाँचों इन्द्रियों का पाँच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है, तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव की होती है। जैसे बधिर को गाली प्रदान, अन्धे को रूप वा घ्राणे से स्पर्श, व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चलाजाना, शून्य बहिरी वालों को स्पर्श, पिन्स रोग वाले को गन्ध और शून्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है।” (स० प्र० द्वादश समु०) इसी प्रकार वृक्षों को पीड़ा की अनुभूति नहीं होती और इसी कारण वृक्षों के काटने आदि में हिंसा तथा हिंसाजन्य पाप नहीं होता।

सांसारिक गतियों का उपसंहार—

एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः ।

घोरेऽस्मिन्मृतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥

(अस्मिन्) इस (घोरे) दुःखों से भरे (नित्यं सततयायिनि) निरन्तर प्रवाहमान—प्रवाह से अनादि (मृतसंसारे) प्राणियों के संसार में (ब्रह्मा + आद्याः एतद् + अन्ताः तु गतयः) ब्रह्मा से लेकर इन स्थावर योनियों की स्थिति पर्यन्त [१। ४६] की गतियाँ—अवस्थाएँ (समुदाहृताः) कह दी हैं ॥ ५० ॥

ब्रह्मा का अन्तर्धान—

एवं सर्वं स सृष्ट्वेवं मां चाचिन्त्यपराक्रमः ।

आत्मन्यन्तर्बध्ने भूयः कालं कालेन पीडयन् ॥ ५१ ॥

(सः अचिन्त्यपराक्रमः) वह अनन्त शक्तिवाला ब्रह्मा (एवं सर्वं सृष्ट्वा) इस प्रकार समस्त संसार की रचना करके (च) और (माम्) मुझ मनु को उत्पन्न करके (कालं कालेन भूयः पीडयन्) प्रलयकाल को सृष्टि-उत्पत्ति के काल से पीड़ित करते हुए (आत्मनि अन्तर्बध्ने) परमात्मा में अन्तर्धान हो गया ॥ ५१ ॥

अनुशीलनः : ये ५०-५१ वें श्लोक निम्न ‘आधारों’ के अनुसार श्लिष्ट हैं। ये ब्रह्मा के प्रसंग से सम्बद्ध हैं और इनमें मनु को अलौकिक व्यक्ति सिद्ध करने की चेष्टा है—

१. प्रसङ्गविरोध—(१) इन श्लोकों के द्वारा यहाँ तक संसार की रचना दिखाकर और ब्रह्मा का अन्तर्धान दिखाकर उस त्रिपय का उपसंहार कर दिया है। जबकि अगले १। ८० वें श्लोक तक अभी परमात्मा द्वारा सृष्टि रचने की प्रक्रिया का वर्णन चल ही रहा है। प्रसंग-समाप्ति से पूर्व ही ब्रह्मा का अन्तर्धान दिखाकर उपसंहार करना, प्रसंगविरुद्ध है।

२. अन्तर्विरोध—‘ब्रह्मा’ व्यक्तिविशेष से सृष्टि-उत्पत्ति नहीं—ये श्लोक ब्रह्मा द्वारा जगदुत्पत्ति करने के प्रसङ्ग से सम्बद्ध हैं, और ब्रह्मा का प्रसंग अनेक भाषारों और युक्तियों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध हो चुका है (देखिये १।७-१३, ३२-४१ श्लोकों पर समीक्षा), अतः ये भी प्रक्षिप्त हैं। (२) १।६ में स्पष्टरूप से अव्यक्त परमात्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति बतलायी है, और जगत् को प्रकट करने के रूप में ही उसकी प्रकटता (जगत् के पदार्थों और कार्यविधि द्वारा ‘परमात्मा है’ इस प्रकार का निश्चय होना आदि) दिखलायी है। इन श्लोकों में ब्रह्मा द्वारा सारे संसार की उत्पत्ति कहना और शरीरधारी के रूप में उसका जन्म तथा फिर अन्तर्धान होने का कथन, उसके विरुद्ध है। इसी प्रकार १।१६, ५४, ५७।६।६५, ७३, ६१ श्लोकों में भी, जहाँ सृष्टिकर्त्ता परमात्मा को सूक्ष्म, अव्यय और सर्वव्यापक कहा गया है, विरुद्ध है। क्योंकि इन विशेषणों से प्रतिपाद्य परमात्मा शरीर के रूप को धारण नहीं करता। (३) अगले ही १।५२-५४ श्लोकों में परमात्मा के सृष्टि-उत्पत्ति में लीन होने को उसकी ‘जागृतावस्था’ और प्रलय करके निवृत्त होने की अवस्था को ‘शयनावस्था’ कहकर भ्रालंकारिक रूप से वर्णन करना, इस बात को सिद्ध करता है कि सृष्टि-रचयिता परमात्मा अव्यक्त और अव्यय रहता हुआ कभी शरीरधारण और अन्तर्धान नहीं करता। वह एक ही अवस्था में रहते हुए केवल जागता (सृष्टि-उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता) और सोता (प्रलय करके निवृत्त होता) है, जैसे—कोई मनुष्य कार्यों के सम्पादन के लिए जागता है और निवृत्त होकर सोता है; किन्तु उसकी जीवनावस्था एक ही प्रकार की बनी रहती है। इन श्लोकों में प्रदर्शित ब्रह्मा के रूप में परमात्मा द्वारा शरीरधारण और फिर अन्तर्धान, उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। (४) १।५२-५४ श्लोकों से यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि सृष्टिकर्त्ता परमात्मा अव्यक्त-अव्यय और सूक्ष्म है तथा वह सृष्टि को उत्पन्न करके प्रलय तक नवीन सृष्टि-पदार्थों की रचना, स्थिति और संहार करने में प्रवृत्त (जागता) रहता है, और फिर प्रलयकाल में ही निवृत्त (सोता) होता है। ५१ वें श्लोक में वर्णित ‘सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा का मनु को रचकर ही अन्तर्धान होना’ वाली मान्यता उक्त मान्यता के विरुद्ध सिद्ध होती है, क्योंकि प्रलयकाल तक सृष्टि के कार्य चलते रहते हैं। उक्त मान्यता के अनुसार तो वही सृष्टिकर्त्ता अव्यक्त परमात्मा ही उन्हें चलाता है—प्रलयावस्था तक। किन्तु ५१ वें की मान्यतानुसार बीच में ही ब्रह्मा के अन्तर्धान हो जाने पर फिर उन्हें कौन चलावेगा ? ५२ वें श्लोक के अनुसार तो ब्रह्मा के अन्तर्धान होने पर इस समस्त जगत् को बेष्टारहित हो जाना चाहिए था। यदि यह कहें कि एकबार उत्पन्न करके फिर परमात्मा अव्यक्त रूपमें रहकर ही चलाता रहता है, तो यह संचालन तो बिना ब्रह्मा की उत्पत्ति के पहले भी कर सकता था ! अतः यह भी असंगत कल्पना ही लगती है कि मनु को उत्पन्न करके अन्तर्धान हो गया। यदि अन्तर्धान होना था तो वह ‘विराट्’ को उत्पन्न करके क्यों नहीं हुआ ? (इस प्रसंग के मतानुसार) सृष्टि का वंश तो उससे बल ही जाना था ! (५) ६८-७३ श्लोकों के भी ये विरुद्ध हैं। वहाँ ब्रह्मा के दिन-रात का प्रमाण बतलाते हुए सृष्टि-स्थिति के पूर्णकाल

चार अरब, बत्तीस करोड़ वर्षों की कालावधि को ब्रह्मा का एक दिन माना है। इसका अभिप्राय यह है कि इस सम्पूर्ण कालावधि पर्यन्त ब्रह्मा (परमात्मा) जागता रहता— सृष्टिसञ्चालन में प्रवृत्त रहता है [५२-५७]। यहां, मनु को उत्पन्न करके ब्रह्मा का अन्तर्धान हो जाना, उसकी कुछ कालावधि तृक की स्थिति का संकेत देता है, जो उक्त वर्षों से मेल नहीं खाती। इस प्रकार कालगणना से ब्रह्मा के इस कथन का विरोध पड़ता है। अतः निश्चित है कि यह परमात्मा से भिन्न सृष्टिकर्ता के रूप में वर्णित ब्रह्मा, मनु-सम्मत नहीं है, और न ही इसके वर्णनों की मान्यताएँ मनुस्मृति के प्रसंगों से मेल खाती हैं; अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

परमात्मा की जाग्रत एवं सुषुप्ति अवस्थाएँ—

यदा स देवो जागति तदैवं चेष्टते जगत् ।

यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलति ॥५२॥ (३०)

(यदा) जब (सः देवः) वह परमात्मा [१।६ में वर्णित] (जागति) जागता है अर्थात् सृष्ट्युत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता है (तदा) तब (इदं जगत् चेष्टते) यह [१।४२-४६ में वर्णित] समस्त संसार चेष्टायुक्त [प्रकृति से समस्त विकृतियों की उत्पत्ति पुनः प्राणियों का श्वास-प्रश्वास चलना आदि चेष्टाओं से युक्त] होता है, (यदा) और जब (शान्तात्मा) यह शान्त आत्मा वाला सभी कार्यों से शान्त होकर (स्वपिति) सोता है अर्थात् सृष्टि-उत्पत्ति, स्थिति के कार्य से निवृत्त हो जाता है (तदा) तब (सर्वम्) यह समस्त संसार (निमीलति) प्रलय को प्राप्त हो जाता है ॥ ५२ ॥

परमात्मा की सुषुप्ति अवस्था में जगत् की प्रलयावस्था—

तस्मिन्स्वपिति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः ।

स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति ॥ ५३ ॥ (३१)

(सुस्थे) सृष्टि-कर्म से निवृत्त हुए (तस्मिन् स्वपिति तु) उस परमात्मा के सोने पर (कर्मात्मानः) कर्मों—श्वास-प्रश्वास, चलना-सोना आदि कर्मों में लगे रहने का स्वभाव है जिनका, ऐसे (शरीरिणः) देहधारी जीव भी (स्वकर्मभ्यः, निवर्तन्ते) अपने-अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं (च) और (मनः) 'महत्' तत्त्व (ग्लानिम्) उदासीनता=सब कार्य-व्यापारों से विरत होने की अवस्था को या अपने कारण में लीन होने की अवस्था को (मृच्छति) प्राप्त करता है ॥ ५३ ॥

अनुशासितम् : मन शब्द से यहाँ 'महत्तत्त्व' अर्थ अभिप्रेत है। इसकी पृष्टि के लिए १।१४-१५ श्लोकों की समीक्षा द्रष्टव्य है।

युगपत् प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि ।

तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निवृत्तः ॥ ५४ ॥ (३२)

(तस्मिन् महात्मनि) उस सर्वव्यापक परमात्मा के आश्रय में (यदा) जब (युगपत् तु प्रलीयन्ते) एकसाथ ही सब प्राणी चेष्टाहीन होकर लीन हो जाते हैं (तदा) तब (अयं सर्वभूतात्मा) यह सब प्राणियों का आश्रय-स्थान परमात्मा (निवृत्तः) सृष्टि-संचालन के कार्यों से निवृत्त हुआ-हुआ (सुखं स्वपिति) सुखपूर्वक सोता है ॥ ५४ ॥

तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः ।

न च स्वं कुरुते कर्म तदोक्तमस्ति मूर्तितः ॥ ५५ ॥

(अयं तु) यह जीव तो (तमः समाश्रित्य) अज्ञान का आश्रय कर (स+इन्द्रियः) इन्द्रियों सहित (चिरं तिष्ठति) बहुत समय तक रहता है (च) किन्तु (स्वं कर्म न कुरुते) अपने कर्म नहीं करता है (तदा) फिर उसके पश्चात् (मूर्तितः) शरीर से (उत्क्रमति) निकल जाता है ॥ ५५ ॥

यदाद्युमात्रिको भूत्वा बीजं स्यास्तु चरिष्णु च ।

समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्ति विमुञ्चति ॥ ५६ ॥

(यदा) जब (अणुमात्रिकः भूत्वा) अणुमात्रिक होकर (स्यास्तु) स्थिरताशील स्थावर जीवों में (च) और (चरिष्णु) विचरणशील जीवों में (बीजम्) बीज के रूप में (संसृष्टः) अपने सूक्ष्म अवयवों से संयुक्त होकर (समाविशति) प्रवेश करता है (तदा) तब (मूर्तिम्) शरीर को (विमुञ्चति) धारण करता है ॥ ५६ ॥

अनुमीलनः : (१) अणुमात्रिक होने से अभिप्राय यहां पुर्यष्टकयुक्त होने से लिया जाता है और भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, वायु तथा अविद्या ये मिलकर पुर्यष्टक कहलाते हैं ।

(२) ५४-५६ श्लोक प्रक्षिप्त हैं । इनमें नवीन वेदान्तवाद के प्रभाव से प्रसङ्ग को मोड़ देने का प्रयास किया गया है । निम्न आचार्यों पर ये श्लोक अमौलिक सिद्ध होते हैं—

१. प्रसङ्गविरोध—(१) पूर्वापर श्लोकों के प्रसङ्ग से इनकी संगति नहीं है । ५२ वें श्लोक से परमात्मा की जागृति और सुषुप्ति का वर्णन करने का प्रसङ्ग चला था । इस प्रसङ्ग के अनुसार ५१वें में जागृति का वर्णन हुआ है, ५३-५४ में सुषुप्ति का । दोनों अवस्थाओं का वर्णन करके ५७वें में उन्हीं दोनों अवस्थाओं का उपसंहार किया है । इससे सिद्ध है कि बीच में ५५-५६ श्लोकों में जीव के वर्णन का या जीव की उत्क्रमण और शरीरधारण की स्थिति के कथन का यहां प्रसङ्ग ही नहीं था, ये अनावश्यक रूप से डाल दिये गये हैं । श्लोकों के वर्णन के अनुसार यहां ५४ के पश्चात् ५७ वां श्लोक संगत है । (२) परमात्मा की जागृति और सुषुप्ति से जगत् के प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह ५२-५४ श्लोकों में संकेत से संक्षिप्त शैली में बतला दिया है । ५३ वें श्लोक में प्राणियों का कर्मों से निवृत्त होना, मन का ग्लानि को प्राप्त होना—जो कि शरीर से जीव के उत्क्रमण के पश्चात् ही होता है, यह सब दिखाकर ५४वें श्लोक में—‘फिर जीव

उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं' इस कथन के द्वारा पूर्वोक्त जीव की चर्चा को पूर्ण एवं समाप्त कर दिया है। एक चर्चा की पूर्णता एवं समाप्ति-संकेत के पश्चात् पुनः भिन्न प्रकार से उसी चर्चा को प्रारम्भ करना, अन्य व्यक्ति के मत का द्योतक है। अतः वह प्रसङ्ग-विरुद्ध है। इस दृष्टि से ये श्लोक भी प्रसङ्गविरुद्ध हैं।

२. अन्तर्विरोध—सृष्टि-उत्पत्ति-प्रसंग [१।१-६, १४-२४] में प्राणिशरीरों की रचना दिखाते हुए मनु ने सात तत्त्वों (महदादि) और उनके विकारों जैसे—मन = महत्तत्त्व और उसके सूक्ष्म अवयवों से, -मुख्यरूप से शरीर-रचना मानी है। वहां अणु-मात्रिक पद्धति का कोई संकेत नहीं है, अपितु अविनाशी आत्मा के साथ संयोग का वर्णन है, जबकि (१।१८-१९) यहां पुर्यष्टक पद्धति से शरीर-रचना दिखलाई है। पूर्वमान्यता और इस मान्यता की भिन्नता होने के कारण यह कथन अन्तर्विरुद्ध है, अतः ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरम् ।

सञ्जीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥ ५७ ॥ (३३)

(सः अव्ययः) वह अविनाशी परमात्मा (एवम्) इस प्रकार [५१-५४ के अनुसार] (जाग्रत्-स्वप्नाभ्याम्) जागने और सोने की अवस्थाओं के द्वारा (इदं सर्वं चर-अचरम्) इस समस्त जड़-चेतन जगत् को क्रमशः (अजस्र सञ्जीवयति) प्रलयकाल तक निरन्तर जिलाता है (च) और फिर (प्रमापयति) मारता है अर्थात् कारण में लीन करता है ॥ ५७ ॥

अनुशीलन : मान्यता एवं भावसाम्य के लिए इसकी पुष्टि में

१२।१२४ श्लोक भी द्रष्टव्य है।

इस शास्त्र का अध्यापन क्रम—

इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः ।

विधिवद् ग्राह्यामास मरीच्यादीन्स्वहं मुनीन् ॥ ५८ ॥

(असौ) इस ब्रह्मा ने (इदं शास्त्रं तु कृत्वा) इस 'मनुस्मृति' शास्त्र को रचकर (आदितः) सबसे पहले (माम् + एव) मुझ मनु को ही (विधिवत् स्वयं ग्राह्यामास) विधि-अनुसार स्वयं पढ़ाया (तु) और फिर (अहम्) मैंने (मरीच्यादीन् मुनीन्) मरीचि आदि दश मुनियों [१।३५] को पढ़ाया ॥ ५८ ॥

भृगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन—

एतद् बोध्यं भृगुः शास्त्रं आबयिष्यत्यदोषतः ।

एतद्धि असोऽपि जने सर्वमेवोऽखिलं मुनिः ॥ ५९ ॥

(अयं भृगुः) यह भृगु मुनि (एतत् शास्त्रम् अशेषतः) इस मनुस्मृति शास्त्र को सम्पूर्ण रूप से (वः) आप लोगों को (आबयिष्यति) सुनायेगा (हि) क्योंकि (एषः मुनिः)

इस मुनि ने (एतत् सर्वम् अखिलम्) इस सम्पूर्ण मनुस्मृति शास्त्र को भलीभांति (मतः + अधिजगे) मुझ मनु से पढ़ा है ॥ ५६ ॥

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्भृगुना भृगुः ।

तामब्रवीदृषीन्सर्वाग्नीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६० ॥

(ततः) उसके बाद (तेन मनुना तथा उक्तः) उस महर्षि मनु के द्वारा इस प्रकार कहने पर (सः महर्षिः भृगुः) वह महर्षि भृगु (ग्नीतात्मा) प्रसन्नचित्त होकर (तान् सर्वान् ऋषीन्) जिज्ञासा की दृष्टि से आये उन सब ऋषियों को (श्रूयताम् + इति अब्रवीत्) 'सुनिये' ऐसा बोले ॥ ६० ॥

स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षड् वंश्या मनवोऽपरे ।

सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो महीजसः ॥ ६१ ॥

(अस्य स्वायम्भुवस्य मनोः) इस स्वायम्भुव मनु के (वंश्याः) वंश के (अपरे महात्मानः महीजसः षड् मनवः) अन्य महात्मा तथा महान् ओजस्वी छः मनु और हुए हैं, जिन्होंने (स्वाः स्वाः प्रजाः सृष्टवन्तः) अपने-अपने काल में अपनी-अपनी प्रजाओं की सृष्टि की थी ॥ ६१ ॥

स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा ।

चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥ ६२ ॥

उनके नाम हैं—स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और महातेजस्वी (विवस्वत् सुतः) विवस्वत का पुत्र—वैवस्वत ॥ ६२ ॥

स्वायम्भुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः ।

स्वे स्वेऽन्तरे सर्वमिदमुत्पाद्याऽऽपुः चराचरम् ॥ ६३ ॥

(स्वायम्भुव + आद्याः एते सप्त भूरितेजसः मनवः) स्वायम्भुव आदि इन सात महातेजस्वी मनुओं ने (स्वे स्वे अन्तरे) अपने-अपने सृष्टिकाल में (इदं सर्वं चराचरम् उत्पाद्य) इस समस्त चराचर जगत् को उत्पन्न करके (आपुः) उसका पालन किया ॥ ६३ ॥

अनुशीलन : भृगु के शिष्यों और मनुस्मृति-परम्परा के व्यक्तियों ने प्रसिद्धि के लिए भृगु को मनुस्मृति के साथ जोड़ने और मनु तथा मनुस्मृति की अधिक मान्यता, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के लिए ब्रह्मा के साथ जोड़ने तथा मनु के वंश को असौ-किक सिद्ध करने की प्रवृत्ति से इन श्लोकों का प्रक्षेप किया है । ये ५८ से ६३ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—ये पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं । ५२-५७ तक के पूर्व श्लोकों में परमात्मा की जाग्रत्-सुषुप्ति अवस्थाओं का आलङ्कारिक वर्णन है । जाग्रत्-सुषुप्ति अवस्थाएं दिन-रात सापेक्ष होने से उन अवस्थाओं की अवधि का कथन करना ही आवश्यक और प्रसंगप्राप्त था, अतः ६४-७३ श्लोकों में वह वर्णित है कि परमात्मा जिस दिन-रात में जागता और सोता है, उसकी कितनी अवधि है । इस प्रकार ५२-५७ और

६४-७३ श्लोक एक ही प्रसंग की शृङ्खला में जुड़े हुए हैं, तथा ५२-५७ श्लोक ६४-७३ श्लोकों की पृष्ठभूमि भी हैं। ६८ वें श्लोक में इस दिन-रात के प्रसंग को वर्णित करने का संकेत भी कर दिया है, जिससे ६४-७३ श्लोकों का प्रसंग ५२-५७ श्लोकों से और भी सुनियोजित ढंग से जुड़ा होने का प्रमाण मिलता है। इन ५८ से ६३ श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इनमें पूर्वापर श्लोकों से सम्बद्ध भी कोई बात नहीं है; अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) मनुस्मृति श्रुतुप्रोक्त और पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं—मनुस्मृति के मूल रचयिता मनु हैं, ब्रह्मा नहीं। ५८ वें श्लोक में इसके मूलरचयिता ब्रह्मा को बताया गया है; यह विचार पूर्वोक्त विचार के विरुद्ध है। इस अन्तर्विरोध के कारण ५८वां श्लोक प्रक्षिप्त है। और क्योंकि, शेष ५९—६३ श्लोक उसी पर आधारित हैं, अतः उसके प्रक्षिप्त होने से वे स्वतः ही प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। इस श्लोक में आये विरोध को दूर करने के लिए टीकाकारों ने पर्याप्त प्रयास किया है, किन्तु उन का वह प्रयास 'तथाकथित' ही रहा। उनका कहना है कि इसके मूल प्रवक्ता ब्रह्मा हैं, तथापि इसे मनुकृत इसलिए कहा जाता है कि—(अ) मनु को ब्रह्मा ने शास्त्राशय रूप विधिनियेध का अध्यापन कराया और मनु ने उसका प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ इस रूप में बनाया। (आ) दूसरे मत के अनुसार—इस ग्रन्थ के रचयिता ब्रह्मा ही हैं, तथापि मनु ने इसका ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा अर्थ के साथ इसे मरीचि आदि के लिए प्रकाशित किया। अतः यह मानवशास्त्र कहलाया। ये दोनों ही समाधान निराधार एवं अयुक्तियुक्त हैं। इसके विश्लेषण के लिए १। १-४ श्लोकों पर गहन दृष्टिपात करना होगा। इन श्लोकों के भाव और भाषा पर ध्यान देने से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं—

(क) मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं है, अपितु मूलरूप में, जिज्ञासा का प्रवचन के रूप में दिया गया उत्तर है, जिसका बाद में संकलन हुआ है। महर्षि लोग मनु के पास आकर धर्मों को क्रमशः जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं [१। १—२] और मनु उसका उत्तर देते हैं [१। ४]।

(ख) इसके मूल प्रवक्ता भी मनु ही हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए १। ३ श्लोक विशेष सहायक हैं। महर्षि लोग प्रश्न पूछने के बाद अपने इस आशय को कि हम आपके पास ही यह जिज्ञासा लेकर क्यों आये हैं, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 'आप इस जगत् के विधानरूप, अचिन्त्य और अप्रमेय वेदों के धर्मों—व्यावहारिक तत्त्वों के ज्ञाता हैं, इसलिए हम आपके पास आये हैं। मनु अपने समय के इस सामाजिक विषय के विशिष्ट विद्वान् थे। वे स्वयं इस विषय के ज्ञाता हैं, अतः एव वे बतलाने में समर्थ हो सकते हैं कि कौनसा कार्य वेदों के अनुसार धर्म है, और कौनसा अधर्म। इसी कारण ऋषि लोग मनु के पास आये हैं और अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, न कि इसलिए कि उन्होंने ब्रह्मा से इसका ज्ञान प्राप्त किया है। यही कारण है कि मनु अपने ज्ञान के अनुसार सीधे वेद से विज्ञात बातों का ही मनुस्मृति में दिग्दर्शन कराते हैं [१। २३—२४, ८७, १२५, १२६]। यदि यह ज्ञान ब्रह्मा की परम्परा से प्राप्त होता या ब्रह्मा द्वारा

प्राप्त होना इसकी विशेषता मानी जाती, तो ऋषि लोगों को यहां मनु के लिए 'वेदों का ज्ञाता' कहने की आवश्यकता नहीं थी। वे यही कहते कि 'आप को ही ब्रह्मा से इस ज्ञान को प्राप्त करने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः आपसे ही पूछने आये हैं'। किन्तु ऐसा किसी प्रकार का संकेत न करके उनकी व्यक्तिगत विद्वत्ता का ही यहां संकेत स्पष्ट हो रहा है कि वे स्वयं ज्ञाता हैं, इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर ही उन्हें उत्तर देना है—वेदों में खोजा हुआ अपना ही आशय बताना है, दूसरे का नहीं।

(ग) यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान प्राप्त किया होता और ब्रह्मा के नाम के कारण ऋषियों को उस ज्ञान के प्रति आकर्षण होता अथवा मनु को ब्रह्मा के नाम से उसमें कोई विशिष्टता या ख्याति की बात नजर आती, तो मनु सभी बातों के साथ 'ब्रह्मा ने मुझे यह कहा, यह बताया या इसे उचित ठहराया, इसे नहीं' आदि कहते या उनके मत का उल्लेख करते। किन्तु मनुस्मृति में ब्रह्मा के मत का कोई उल्लेख नहीं है। कहीं भी ब्रह्मा के मत का उल्लेख न होना यह सिद्ध करता है कि मनुस्मृति के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि धर्माधर्म को प्रदर्शित करते समय या तो ऋषि-मुनियों के मत का उल्लेख किया है, या अपने मत का ही। जब ऋषि मुनियों की मान्यता का अनेक स्थानों पर संकेत है ['आहु मनीषिणः' (१।१७) 'धर्मस्य मुनयो गतिम्' (१।११० ॥ २।८८, १२४) आदि]—यदि ब्रह्मा का इसके साथ तनिक भी सम्बन्ध होता, तो उसका उल्लेख तो प्रमुखता से आता क्योंकि ब्रह्मा को इस विषय का मूल प्रवक्ता और अध्यापयिता का स्थान दिया है। इससे सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता स्वयं मनु हैं, ब्रह्मा का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ) मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई निबद्धशास्त्र के रूप में नहीं थी। जब शास्त्र के रूप में नहीं थी, तो इसके लिए मूल-संकलन में 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता। जब 'शास्त्र' का व्यवहार नहीं बनता, तो 'ब्रह्मा ने इस शास्त्र की रचना की' यह प्रयोग भी नहीं बनता। इस प्रयोग के न बनने से मनुस्मृति का ब्रह्मा से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता।

(ङ) मनुस्मृति अपने मूलरूप में ऋषियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचन के रूप में है। यह प्रवचनों के रूप में सुना-सुनाया गया है, अतः एव प्रत्येक प्रसंग के आरम्भ और अन्त में सुनने-सुनाने के अर्थवाली क्रियाओं का प्रयोग है, यथा—'वक्तुमर्हसि' [१।२] 'श्रूयताम्' [१।४] 'बोधिष्यास्यासि' [१।४२] 'तं निबोधत' [१।१२०] 'एतद्वोऽभिहितं सर्वं' [३।२८६] 'विधानं श्रूयताम्' [१।२८६] 'ममेवं सर्व-मुक्तवान्' [१।२।१७] इत्यादि। मनु के शिष्यों ने उसका संकलन किया है, यह आरम्भ के १।१—४ श्लोकों की शैली बतला देती है। 'स तैः पृष्टः' प्रयोग इसे संकलन सिद्ध करता है। संकलन के बाद ही मनुस्मृति ने 'शास्त्र' का रूप ग्रहण किया। और मौलिक संकलन यही कहा जा सकता है, जो मूलप्रवक्ता की बातों का यथावत् रूप में संकलन हो, जबकि 'शास्त्र' संज्ञा का प्रयोग मौलिक नहीं हो सकता। क्योंकि, जो प्रवचन अभी

किसी संकलन के या शास्त्र के रूप में ही नहीं आये हैं, उन्हें मनु 'शास्त्र' कहकर कैसे पुकारते? स्पष्ट है कि मनुके प्रवचनों द्वारा 'संकलन' का रूप लेनेके बाद, जब वे 'शास्त्र' के रूप में विख्यात हो गये, तब जाकर इस प्रकार के श्लोक मिलाये गये जिनमें इसे 'शास्त्र' शब्द से व्यवहृत किया गया है।

इस प्रकार ५८—५९ श्लोकों में 'शास्त्र' शब्द का प्रयोग उन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है।

(ब) कुछ विद्वानों की पूर्व-प्रवर्णित उन दो युक्तियों के आधार पर यदि इसे मनुकृत माना जा सकता है, तो युक्ति देने वाले उन विद्वानों को चाहिए कि वे इसे अन्तिम रूप में भृगुकृत मानें (भृगुसंकलित नहीं)। क्योंकि, यदि आशय समझ कर—पढ़कर उसे बतलाने के कारण मनु इसके रचयिता हैं, तो भृगु ने भी मनु के आशय को महर्षियों के समक्ष अपने शब्दों में कहा है [५८-६०]। इस प्रकार तो भृगु इसके रचयिता हुए। इस प्रकार ये युक्तियाँ स्वयं युक्तिदाताओं की मान्यता को खंडित कर रही हैं, अतः मान्य नहीं हैं। इन युक्तियों से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो गई है कि मौलिक श्लोकों के अनुसार, मनुस्मृति के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मौलिक रूप से मनुकृत है, और ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाले सभी प्रसंग परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं।

(२) ६३ वें श्लोक में मनुओं द्वारा चर-अचर जगत् की उत्पत्ति और उसके पालन करने का कथन १।६, १४—२३ श्लोकों के प्रसंग के विरुद्ध है; उनमें चराचर जगत् की उत्पत्ति और पालन, अव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा महदादि तत्त्वों के क्रम से माना है। यह कथन प्रकृति-विरुद्ध भी है। कोई भी शरीरधारी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, घरती, पर्वत आदि की सृष्टि नहीं कर सकता (द्रष्टव्य—३२—४१ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक टिप्पणियाँ)। इस प्रकार ६३ वां श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। इस पर आधारित ५८—६२ श्लोक इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से स्वतः प्रक्षिप्त हो जाते हैं।

(३) जैसे, इस मनुस्मृति के रचयिता मनु को ब्रह्मा का प्रपौत्र [१।३२—३३] और शिष्य [१।५८] कहकर भावी छह मनुओं [१।६१—६३] का भूतकाल में वर्णन करना कालविरुद्ध और असंगत वर्णन है, उसी प्रकार भृगु को स्वायम्भुव मनु का पुत्र [१।३५] और शिष्य [५८—५९] कहकर उसके द्वारा मनु के भावी वंश का भूत-काल की शैली में वर्णन करना [६०—६३] भी कालविरुद्ध, असंगत एवं अन्तर्विरुद्ध कथन है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

निमेष, काण्डा, कला, मुहूर्त और दिन-रात का काल-परिमाण—

निमेषा दश चाष्टौ च काण्डा त्रिशत् ताः कलाः।

त्रिशत्कला मुहूर्तः स्याद्बहोरात्रं तु तावत् ॥ ६४ ॥ (३४)

(दश च अष्टौ च) दश और आठ मिलाकर अर्थात् अठारह

(निमेषः) निमेषों [=पलक भ्रपकने का समय] की (काष्ठा) एक काष्ठा होती है (ताः त्रिंशत्) उन तीस काष्ठाओं की (कला) एक कला होती है (त्रिंशत्कलाः) तीस कलाओं का (मुहूर्तः स्यात्) [४८ मिनट का] होता है, और (तावतः तु) उतने ही अर्थात् ३० मुहूर्तों के (अहोरात्रम्) एक दिन-रात होते हैं ॥ ६४ ॥

अनुशीलनः : (१) प्राचीन काल-परिमाण की आधुनिक काल परिमाणों से तुलना—आधुनिक काल-विभाग के अनुसार इस समय को निम्न प्रकार बांटा जा सकता है— $\frac{2}{3}$ सैकेण्ड का निमेष, $\frac{1}{3}$ सैकेण्ड की १ काष्ठा, १ मिनट ३६ सैकेण्ड की १ कला, ४८ मिनट का १ मुहूर्त और २४ घण्टे के एक दिन-रात होते हैं।

(२) ६४ वें श्लोक की शैली पर विचार—यहां पाठकों को यह शंका हो सकती है कि जब मनु की शैली किसी भी विषय और प्रसंग के प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत देने की है (जैसा कि भूमिका में प्रदर्शित है), तो यह काल-प्रमाण का प्रसंग बिना संकेत के क्यों प्रारम्भ कर दिया गया? इसके उत्तर में स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस प्रसंग का भी कई स्थानों पर संकेत है। ५२-५७ श्लोकों में परमात्मा की जाग्रत् और सुषुप्ति अवस्थाओं की प्रसंग से चर्चा की थी। उसी से यह कालप्रमाण का प्रसंग सम्बद्ध है। वे श्लोक इसकी भूमिकावत् हैं। आलंकारिक वर्णन करते समय सृष्टिकाल को परमात्मा की जाग्रत् अवस्था माना है और सुषुप्ति को प्रलय अवस्था। ये अवस्थाएँ दिन और रात की अपेक्षा रखती हैं, अतः परमात्मा का दिन कितना और रात कितनी होती है, यह बतलाना आवश्यक हुआ। उसे ही कहने के लिए प्रारम्भ में मानुष-दिन-रात का वर्णन करते हुए [६४-६५] ६८ वें श्लोक में परमात्मा के दिन-रात का वर्णन करने का संकेत दे दिया है, और ७३ वें में इस चर्चा को समाप्त किया है। इस प्रकार इन श्लोकों के प्रसंग की कड़ी सुनिश्चित क्रम के पूर्वापर प्रसंगों से जुड़ी हुई है।

सूर्य द्वारा दिन-रात का विभाग—

अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदेविके।

रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टाय कर्मणामहः ॥ ६५ ॥ (६५)

(सूर्यः) सूर्य (मानुष-देविके) मानुष=मनुष्यों के और देवी=देवों के (अहोरात्रे) दिन-रातों का (विभजते) विभाग करता है, उनमें (भूतानां स्वप्नाय रात्रिः) प्राणियों के सोने के लिए 'रात' है और (कर्मणां चेष्टाय अहः) कामों के करने के लिए 'दिन' होता है ॥ ६५ ॥

पितरों के दिन-रात—

पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः ।

कर्मषेष्टास्वहःकृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ६६ ॥

(पित्र्ये) पितरों के लिए (मासः) मनुष्यों का एक मास (रात्र्यहनी) रात-दिन के समान है, अर्थात् मनुष्यों के ३० दिन-रात का एक मास पितरों के एक दिन-रात होते हैं (तु पक्षयोः प्रविभागः) उनमें दो पक्षों का विभाग किया जाता है (कर्मषेष्टासु कृष्णः ग्रहः) पितरों के काम करने के लिए 'कृष्णपक्ष' उनके दिन के समान है और (शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी) 'शुक्लपक्ष' सोने के लिए उनकी रात है ॥ ६६ ॥

अनुयायित्वम् : यह श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है । ६४-६५ श्लोकों में दिन-रात का प्रमाण बतलाते हुए मनुष्य और दैविक दिन-रातों का वर्णन करने का संकेत किया है । तदनुसार ६५ वें श्लोक में मनुष्य दिन-रातों की चर्चा की है, और शेष दैविक दिन-रात का वर्णन ६७ वें में है । ६५ वें श्लोक के संकेत के अनुसार ६७ वां श्लोक ही होना चाहिए । ६६ वां श्लोक बिना संकेत के वर्णित है और पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है । अतः प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है ।

२. शैलीगत आधार—६४-७३ श्लोकों के प्रसंग की शैली से यह स्पष्ट होता है कि पितरों से सम्बद्ध वर्णन मनु को अभीष्ट नहीं है, क्योंकि ६४-६५ में दिन-रात बतलाये हैं, वे भी मानुष और दैविक ही हैं । और ६८ से ७२ श्लोकों में जो युगों का वर्णन है, वह भी केवल मानुष और दैविक ही है; पितरों के युगों की वहां चर्चा तक नहीं है । यदि पितरों का वर्णन प्रासंगिक और मौलिक होता, तो युगों के प्रमाण में उनकी भी प्रवश्य चर्चा होती । अगले युग के प्रमाणों में पितरों की चर्चा न होना, इन्हें मौलिक और मनुसम्मत सिद्ध नहीं करता; अतः यह प्रक्षिप्त है ।

३. अन्तर्विरोध—'मृत पितर' नामक कल्पना निराधार—३।८०-८२ श्लोकों के वर्णन से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो रही है कि पितर नामक कोई भिन्न योनि नहीं है, प्रत्युत माता-पिता आदि बुजुर्गों को ही पितर कहा जाता है; उक्त श्लोकों में मनु ने अन्न, फल, जल आदि से पितरों का दैनिक आद्विहित किया है, जिसका अभिप्राय माता-पिता आदि की श्रद्धापूर्वक की गई दैनिक सेवा से है । इस श्लोक में पितरों का वर्णन भिन्न योनि के रूप में दर्शाया गया है, अतः उक्त श्लोकों की मान्यता से इसका विरोध है ।

महर्षि-व्याख्यान द्वारा 'पितर' शब्द की व्याख्या—

(क) "तीसरा पितृयज्ञ अर्थात् जिसमें जो विद्वान्, ऋषि जो पढ़ने-पढ़ाने हारे पितर माता-पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परमयोगियों की सेवा करनी ॥"

(स० प्र० ४ समु०)

(ख) “(तर्पयत मे पितॄन्) जो मेरे पिता पितामहादि, माता मातामहादि तथा आचार्य और इनसे भिन्न भी विद्वान् लोग, अवस्था अथवा ज्ञानबद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सब के आत्माओं को यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो ॥

(पञ्चमहायज्ञविधिः)

(ग) “जो सोमसदादि [सोमसवः, अग्निष्वात्ताः, वह्निवदः, सोमपाः, हविर्भुजः, आज्यपाः, सुकालिनः, यमराजाः, पितृपितामहप्रपितामहाः, मातृ-पितामही-प्रपितामहाः, सगोत्राः आचार्यादिसम्बन्धिनः] पितर विद्यमान अर्थात् जीवते हैं, उनको प्रीति से, सेवनादि से तृप्त करता ॥” (पञ्चमहायज्ञविधिः)

(घ) “वसुन् ववन्ति वं पितॄन्” ॥ (मनु० ३।२८४)

और मनु जी ने भी कहा है कि पितरों को वसु, पितामहों को रुद्र, और प्रपिता-महों को आदित्य कहते हैं, यह सनातनश्रुति है ॥” (पञ्चमहायज्ञविधिः)

(ङ) मनुस्मृति में भी मृतक का नाम पितर नहीं है, प्रत्युत पितरों की उत्पत्ति क्रमानुसार बताई है। देखिये—

“पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः॥” (मनु०)

जो मध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं, वे जीव यज्ञकर्त्ता, वेदार्थविन्, विद्वान्, वेद, विद्युत् आदि और कालविद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी और (साध्य) कार्य-सिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥” (सत्यार्थ० नवम समु०) [विशेष समीक्षा ३।८२ पर देखिए]।

दैवी दिन-रात उत्तरायण-दक्षिणायन—

दंवे रात्र्यहनी वर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः ।

अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्षिणायनम् ॥ ६७ ॥ (३६)

(वर्षम्) मनुष्यों का एक वर्ष (दंवे रात्रि-अहनी) एक दैवी ‘दिन-रात’ होते हैं (तयोः पुनः प्रविभागः) उन दैवी ‘दिनरात’ का भी फिर विभाग है—(तत्र+उदगयनम् अहः) उसमें सूर्य की भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थिति अर्थात् ‘उत्तरायण’ दैवी दिन कहलाता है, और (दक्षिणायनम् रात्रिः स्यात्) सूर्य की दक्षिण की ओर स्थिति अर्थात् ‘दक्षिणायन’ दैवी रात है ॥ ६७ ॥

अनुशीलन : (१) उत्तरायण-दक्षिणायन का विवेचन—इस श्लोक में दैवी दिन-रातों का वर्णन किया गया है। यहाँ देव शब्द से कोई लौकिक-अलौकिक प्राणिविशेष अभिप्रेत नहीं है, अपितु जड़-देवता सूर्य का आलंकारिक वर्णन है। ६५ वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में सूर्य को मानुष और दैवी दिन-रातों का विभागकर्त्ता बतलाया गया है। उसी के क्रम से यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन रूपी दिन-रातों का वर्णन है। सूर्य के ये दोनों अयन छः-छः मास निम्न प्रकार से होते हैं—

१. उत्तरायण { १. भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर सूर्य की स्थिति का काल ।
 २. मकररेखा से उत्तर कर्करेखा की ओर स्थिति का काल ।
 ३. माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़—इन छह मासों का समय ।
 ४. शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म ऋतु का काल ।
२. दक्षिणायन { १. भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य की स्थिति का काल ।
 २. कर्क रेखा से दक्षिण मकररेखा की ओर स्थिति का काल ।
 ३. श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, आग्रहायण, पौष—इन छह मासों का समय ।
 ४. वर्षा, शरद, हेमन्त ऋतुओं का काल ।

मानुष दिन उज्ज्वल एवं तीव्र प्रकाशमय होता है और रात्रि अनुज्ज्वल एवं मन्द प्रकाश (तारे चन्द्र आदि का प्रकाश) वाली होती है। इसी प्रकार उत्तरायण के समय ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रकाश और ताप में तीव्रता की अधिकता होती है, अतः यह अयन दिन के समान है। दक्षिणायन के समय हेमन्त ऋतु में सूर्य के प्रकाश और ताप में स्वल्पता एवं मन्दता होती है, अतः वह अयन रात्रि के समान है। इस प्रकार दैवी दिन-रातों का भौतिकारिक वर्णन है।

(२) सूर्य जड़ देवता है—निरुक्त में 'देव' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार दी है—“देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा ।” (७।४।१५) अर्थात्—‘दान देने वाले, प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या द्युस्थानीय को देवता कहते हैं।’ सूर्य द्युस्थानीय है और अपने प्रकाश से सब मूर्तिमान् द्रव्यों को प्रकाशित करता है, अतः देव या देवता है।

गतपथ ब्राह्मण में देवताओं पर प्रकाश डालते हुए जड़ और चेतन रूप में ३३ देवता परिगणित किये हैं। उनमें वसुसंज्ञक देवताओं में ‘सूर्य’ को भी परिगणित किया है—

“स होवाच बहिमान् एवंवामेते त्रयस्त्रिंशस्त्वेव देवा इति । कतमे ते त्रयस्त्रिंशत् इति ? अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्यास्त एकात्रिंशत्” इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति ।

कतमे वसव इति ? अग्निश्च, पृथिवी च, वायुश्च, अमरतरिक्षं च, आदित्यश्च, द्यौश्च, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि च, एते वसवः ।

कतमे रुद्रा इति ? वशोमे पुरुषे प्राणाः (प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः, उदानः, नागः, कूर्मः, कृकलः, देववसः, धनञ्जयश्च) आत्मा-एकादशस्ते ।

कतम आदित्या इति ? द्वादश मासाः संवत्सरस्य एते आदित्याः ।

(३) कतम इन्द्र, कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्युरेन्द्रो, यज्ञः प्रजापतिरिति ।

तदाहुः । यद्यमेक इव पवते । कसम एको देव इति ? स ब्रह्मेत्यादित्या-
वक्षते । (शत० का० १४। प्रपा० १६)

इसके अतिरिक्त दिव्यगुण और दिव्य कर्म वाले व्यक्ति भी देव कहाते हैं
यथा—“मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव,।” (प्रपा०
७।११) [विस्तृत समीक्षा ३।८२ पर द्रष्टव्य है]।

ब्रह्म के दिन-रात का वर्णन—

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः ।

एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥ (३७)

[मनु महर्षियों से कहते हैं कि] (ब्राह्मस्य तु क्षपा+ग्रहस्य) ब्राह्म =
परमात्मा के दिन-रात का (तु) तथा (एकैकशः युगानाम्) एक-एक युगों
का (यत् प्रमाणम्) जो कालपरिमाण है (तत्) उसे (क्रमशः) क्रमानुसार
और (समासतः) संक्षेप से (निबोधत) सुनो ॥ ६८ ॥

अनुशीलन : ब्राह्मदिन व ब्राह्मरात्रि का विशेष परिमाण (१।७२)
में द्रष्टव्य है ।

सतयुग का परिमाण—

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम् ।

तस्य यावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ ६९ ॥ (३८)

(तत् चत्वारि सहस्राणि वर्षाणां कृतं युगम् आहुः) उन देवी [६७] में
जिनके दिन-रातों का वर्णन है] चार हजार दिव्य वर्षों का एक ‘सतयुग’
कहा है । (तस्य) इस सतयुग की (यावत्+शती सन्ध्या) जितने दिव्य सौ
वर्ष की अर्थात् ४०० वर्ष की ‘सन्ध्या’ होती है और (तथाविधः) उतने ही
वर्षों का अर्थात् ४०० वर्षों का (सन्ध्यांशः) ‘संध्यांश’ का समय होता है ॥ ६९ ॥

अनुशीलन : चार युगों का परिमाण—किसी भी युग के पूर्वसन्धि-
काल को ‘संध्या’ और उत्तरसन्धि काल को ‘संध्यांश’ कहा जाता है । श्लोक के अनु-
सार सतयुग का कालपरिमाण— $4000 + 400$ (संध्यावर्ष) $+ 400$ (संध्यांशवर्ष) =
 4800 दिव्यवर्ष बनता है । इसे मानुषवर्षों में बदलने के लिए ३६० से गुना करना
पड़ेगा । इस प्रकार $4800 + 360 = 1728000$ मानुष वर्षों का एक सतयुग होता है ।

त्रेता, द्वापर तथा कलियुग का परिमाण—

इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु ।

एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥ (३९)

(च) और (इतरेषु त्रिषु) शेष अन्य तीन—त्रेता, द्वापर, कलियुगों

में (ससंध्येषु ससंध्यांशेषु) 'संध्या' नामक कालों में तथा 'संध्यांश' नामक कालों में (सहस्राणि च शतानि एक-अपायेन) क्रमशः एक-एक हजार और एक-एक सौ घटा देने से (वर्तन्ते) उनका अपना-अपना कालपरिमाण निकल आता है, अर्थात् ४८०० दिव्यवर्षों का सतयुग होता है, उसकी संध्या में से एक सहस्र और संध्या ४०० वर्ष व संध्यांश ४०० वर्ष में से एक-एक सौ घटाने से ३००० दिव्यवर्ष + ३०० संध्यावर्ष + ३०० संध्यांशवर्ष = ३६०० दिव्यवर्षों का त्रेतायुग होता है इसी—२००० + २०० + २०० = २४०० दिव्यवर्षों का द्वापर और १००० + १०० + १०० = १२०० दिव्यवर्षों का कलियुग होता है ॥ ७० ॥

देवयुग का परिमाण—

यदेतत्परिसंख्यातमावावेव चतुर्युगम् ।

एतद् द्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥ (४०)

(यद् + एतन्) जो यह (आदौ) पहले [६६-७० में] (चतुर्युगम्) चारों युगों को (परिसंख्यातम्) कालपरिमाण के रूप में गिनाया है (एतद्) यह (द्वादशसाहस्रम्) बारह हजार दिव्य वर्षों का काल [मनुष्यों का एक चतुर्युगी का काल] (देवानाम्) देवताओं का (युगम्) एक 'युग' (उच्यते) कहा जाता है ॥ ७१ ॥

अनुषीलन : चार युगों के परिमाण की तुलनात्मक तालिका—
 १२००० दिव्यवर्षों की एक चतुर्युगी होती है। उसे मानुष वर्षों में बदलने लिए ३६० में गुणा करने पर $१२००० \times ३६० = ४३,२०,०००$ मानुष वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। दोनों स्तंभों के कालपरिमाण की तालिका के रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है—

दिव्यवर्ष	संध्यावर्ष	संध्यांशवर्ष	कुल दिव्यवर्षोंको गुणा करनेसे	मानुषवर्ष	युगनाम
४००० +	४०० +	४०० =	४८०० ×	३६० =	१७,२८,००० सतयुग
३००० +	३०० +	३०० =	३६०० ×	३६० =	१२,९६,००० त्रेतायुग
२००० +	२०० +	२०० =	२४०० ×	३६० =	८,६४,००० द्वापरयुग
१००० +	१०० +	१०० =	१२०० ×	३६० =	४,३२,००० कलियुग
१०००० +	१००० +	१००० =	१२००० ×	३६० =	४३,२०,००० एकचतुर्थ्युगी

ब्रह्म के दिन-रात का परिमाण—

देविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया ।

ब्राह्मेकमहर्जयं तावती रात्रिमेव च ॥ ७२ ॥ (४१)

(देविकानां युगानाम् तु) देवयुगों को (सहस्रं परिसंख्यया) हजार से गुणा करने पर जो कालपरिमाण निकलता है, जैसे—चार मानुषयुगों के दिव्यवर्ष १२००० होते हैं, उनको हजार से गुणा करने पर १,२०,००,००० दिव्यवर्षों का (ब्राह्मम्) परमात्मा का (एकं ग्रहः) एक 'दिन' (च) और (तावतीं रात्रिम्) उतने ही दिव्यवर्षों की उसकी एक 'रात' (त्रेयम्) समझनी चाहिए ॥ ७२ ॥

अनुशीलन : चार मानुष युगों के दिव्यवर्ष— $12000 \times 1000 = 1,20,00,000$ दिव्यवर्षों का ब्रह्म का एक दिन अथवा रात्रि हुई। यह $1,20,00,000 \times 360 = 4,32,00,00,000$ मानुषवर्षों का कालपरिमाण बनता है। चार अरब बत्तीस करोड़ मानुष वर्षों का सृष्ट्युत्पत्ति काल है, जो परमात्मा की जाग्रत् अवस्था (सृष्टि में प्रवृत्त रहना) का दिन है। इतना ही काल सुषुप्ति अवस्था (सृष्टिकायाँ से निवृत्त होकर प्रलय रखना) का रात्रि-काल है (यही १।५२—५७ श्लोकों में आलंकारिक रूप से वर्णित है)।

तद्वं युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमर्हविदुः।

रात्रि च तायतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३ ॥ (४२)

जो लोग (तत् युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यम् + ग्रहः) उस एक हजार दिव्य युगों के परमात्मा के पवित्र दिन को (च) और (तावतीम् एव रात्रिम्) उतने ही युगों की परमात्मा की रात्रि को (विदुः) समझते हैं (ते वै) वे ही (अहोरात्रविदः जनाः) वास्तव में दिन-रात = सृष्टि-उत्पत्ति और प्रलय के काल-विज्ञान के वेत्ता लोग हैं ॥ ७३ ॥

अनुशीलन : वेदोत्पत्ति-समय पर विचार—महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में १। ६८ से ७३ श्लोकों को उद्धृत करके उनका भाव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है—

“प्रश्न—वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं ?

उत्तर—एक वृन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नव सौ, छहत्तर अर्थात् १,६६,०८,५२,६७६ वर्ष वेदों की और जगत् की उत्पत्ति में हो गये हैं और यह संवत् ७७ सतहत्तरवाँ वर्त्त रहा है।

प्रश्न—यह कैसे निश्चय होय कि इतने ही वर्ष वेद और जगत् की उत्पत्ति में बीत गये हैं ?

उत्तर—यह जो वर्त्तमान सृष्टि है इसमें सातवें (७) वैवस्वत मनु का वर्त्तमान है। इससे पूर्व छः मन्वन्तर हो चुके हैं—स्वायम्भुव १, स्वारोचिष २, अतमि ३, तामस ४, रैवत ५, चाक्षुष ६, ये छः तो बीत गये हैं और ७ (सातवाँ) वैवस्वत वर्त्त रहा है और सार्वणि आदि ७ (सात) मन्वन्तर आगे भोगेंगे। ये सब मिलके १४ (चौदह)

मन्वन्तर होते हैं और एकहत्तर चतुर्गुणियों का नाम मन्वन्तर धरा गया है, सो उस की गणना इस प्रकार से है कि (१७,२८,०००) सत्रह लाख अठ्ठाईस हजार वर्षों का सतयुग रक्खा है; (१२,६६,०००) बारह लाख, छानवे हजार वर्षों का नाम त्रेता; (८६४,०००) आठ लाख चौंसठ हजार वर्षों का नाम द्वापर और (४३,२०,०००) चार लाख, बत्तीस हजार वर्षों का नाम कलियुग रक्खा है तथा आर्यों ने एक क्षण और निमेष से लेके एक तर्ष पर्यन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है, और इन चारों युगों के (४३,२०,०००) तितालीस लाख, बीस हजार वर्ष होते हैं, जिनका चतुर्गुणी नाम है।

एकहत्तर (७१) चतुर्गुणियों के अर्थात् (३०,६७,२०,०००) तीस करोड़, सतसठ लाख, बीस हजार वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है और ऐसे-ऐसे छः मन्वन्तर मिलकर अर्थात् (१,८४,०३,२०,०००) एक अर्ब, चौरासी करोड़, तीन लाख, बीस हजार वर्ष हुए और सातवें मन्वन्तर के भोग में यह (२८) अष्टाईसवीं चतुर्गुणी है। इस चतुर्गुणी में कलियुग के (४६७६) चार हजार नौ सौ छहत्तर वर्षों का तो भोग हो चुका है और बाकी (४,२७,०२४) चार लाख सत्ताईस हजार चौबीस वर्षों का भोग होने वाला है। जानना चाहिए कि (१२,०५,३२,६७६) बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नव सौ छहत्तर वर्ष तो वैवस्वत मनु के भोग हो चुके हैं और (१८,६१,८७,०२४) अठारह करोड़ एकसठ लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं। इनमें से यह वर्तमान वर्ष (७७) सत्हत्तरवीं है, जिस को आर्यलोग विक्रम का (१६३३) उन्नीस सौ तेतीसवां संवत् कहते हैं।

जो पूर्व चतुर्गुणी लिख आये हैं, उन एक हजार चतुर्गुणियों की ब्राह्मदिन संज्ञा रखी है और उतनी ही चतुर्गुणियों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार चतुर्गुणी पर्यन्त ईश्वर इसको बना रखता है, इसी का नाम ब्राह्मदिन रक्खा है; और हजार चतुर्गुणी पर्यन्त सृष्टि को मिटाके प्रलय अर्थात् कारण में लीन रखता है, उस का नाम ब्राह्मरात्रि रक्खा है। अर्थात् सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। यह जो वर्तमान ब्राह्मदिन है, इसके (१, ६६,०८,५२,६७६) एक अर्ब, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नव सौ छहत्तर वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं और (२,३३,३२,२७,०२४) दो अर्ब, तेतीस करोड़, बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं। इनमें से अन्त का यह चौबीसवां वर्ष भोग रहा है। आगे आने वाले भोग के वर्षों में से एक-एक घटाते जाना और गत वर्षों में क्रम से एक-एक वर्ष मिलाते जाना चाहिये। जैसे आज पर्यन्त घटाते बढ़ाते आये हैं।” (ऋ० भू० पृष्ठ २३-२४)

सुषुप्तावस्था से जागने पर सृष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ—

तस्य सोऽहनिशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते।

प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम् ॥७४॥ (४३)

(सः प्रसुप्तः) वह प्रलय-अवस्था में सोया हुआ-सा [१।५२-५७]

परमात्मा (तस्य ग्रहनिशस्य + ग्रन्ते) उस [१। ६८-७२] दिन-रात के बाद (प्रति-बुध्यते) जागता है = सृष्ट्युत्पत्ति में प्रवृत्त होता है (च) और (प्रति-बुद्धः) जागकर (सद्-ग्रसद् + आत्मकम्) जो कारणरूप में विद्यमान रहे और जो विकारी अंश से कार्यरूप में अविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले (मनः) 'महत्' नामक प्रकृति के आद्यकार्यतत्त्व की (सृजति) सृष्टि करता है ॥ ७४ ॥

अनुशीलन : (१) यहां सृष्टि-उत्पत्ति का नया प्रसंग प्रारम्भ नहीं किया गया है, अपितु पूर्वोक्त प्रसंग में [१। १४-१६] तत्त्वों की उत्पत्ति के साथ भूतों की उत्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन नहीं हो पाया था, उसी शेष वर्णन को यहां विस्तार से दर्शाया है।

(२) इस श्लोक में मन का अर्थ 'महत्तत्त्व' है, जो सृष्टि-उत्पत्ति में प्रकृति का प्रथम कार्य है। इसकी सृष्टि के लिए विस्तृत समीक्षा १। १४-१५ के अनुशीलन में देखिए।

सूक्ष्म पञ्चभूतों की उत्पत्ति के क्रम में आकाश की उत्पत्ति—

मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया।

आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥ ७५ ॥ (४४)

(सिसृक्षया) सृष्टि को रचने की इच्छा से फिर वह परमात्मा (मनः सृष्टिं विकुरुते) महत्तत्त्व की सृष्टि को विकारी भाव में लाता है = अहंकार के रूप में विकृत करता है (तस्मात्) फिर उस के विकारी अंश से (चोद्यमानम् आकाशं जायते) प्रेरित हुआ-हुआ 'आकाश' उत्पन्न होता है। (तस्य) उस आकाश का (गुणं शब्दं विदुः) गुण 'शब्द' को मानते हैं ॥ ७५ ॥

अनुशीलन : आकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षि व्यासम्ब लिखते हैं—

“उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न-सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सकें?” (सं० प्र० प्रष्टम समु०)

वायु की उत्पत्ति—

आकाशात् विकुर्वाणात्सर्वगन्धवहः शुचिः।

बलवाञ्जायते वायुः स च स्पर्शगुणो मतः ॥ ७६ ॥ (४५)

(आकाशात् तु विकुर्वाणात्) उस आकाश के विकारोत्पादक अंश से (सर्वगन्धवहः) सब गन्धों को वहन करने वाला (शुचिः) शुद्ध और (बल-

वान् शक्तिशाली (वायुः) 'वायु' (जायते) उत्पन्न होता है (सः वै) वह वायु निश्चय से (स्पर्शगुणः) 'स्पर्श' गुणवाला (मतः) माना गया है ॥७६॥
अग्नि की उत्पत्ति—

वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णुः तमोनुदम् ।

ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ॥ ७७ ॥ (४६)

(वायोः+अपि) उस वायु के भी (विकुर्वाणात्) विकारोत्पादक अंश से (विरोचिष्णुः) उज्ज्वल (तमोनुदम्) अन्धकार को नष्ट करने वाली (भास्वत्) प्रकाशक (ज्योतिः+उत्पद्यते) 'अग्नि' उत्पन्न होती है (तत्+रूप गुणम्+उच्यते) उसका गुण 'रूप' कहा है ॥ ७७ ॥

जल और पृथिवी की उत्पत्ति—

ज्योतिषश्च विकुर्वाणाद्वापो रसगुणा स्मृताः ।

अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८ ॥ (४७)

(च) और (ज्योतिषः विकुर्वाणात्) अग्नि के विकारोत्पादक अंश से (रसगुणाः आपः स्मृताः) 'रस' गुण वाला जल उत्पन्न होता है और (अद्भ्यः) जल से (गन्धगुणा भूमिः) 'गन्ध' गुण वाली भूमि उत्पन्न होती है (इति+एषा सृष्टिः+आदितः) यह इस प्रकार प्रारम्भ से लेकर [१।१४ से] यहां तक वर्णित सृष्टि उत्पन्न होने की प्रक्रिया है ॥ ७८ ॥

अनुशीलन : ७१ से ७८ तक के श्लोकों की प्रक्रिया को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए १।१६ पर 'अनुशीलन' में सं० १ समीक्षा भी द्रष्टव्य है ।

मन्वन्तर के काल-परिमाण—

यत्प्राग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम् ।

तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७९ ॥ (४८)

(प्राक्) पहले श्लोकों में [१।७१] (यत्) जो (द्वादशसाहस्रम्) बारह हजार दिव्य वर्षों का (दैविकं युगम्+उदितम्) एक 'देवयुग' कहा है (तत्+एकसप्ततिगुणम्) उससे इकहत्तर गुना समय अर्थात् $१२००० \times ७१ = ८,५२,०००$ दिव्यवर्षों का अथवा $८,५२,०००$ दिव्यवर्ष $\times ३६० = ३०, ६७,२०,०००$ मानुषवर्षों का (इह मन्वन्तरम् उच्यते) यहां एक 'मन्वन्तर' का कालपरिमाण माना गया है ॥ ७९ ॥

मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च ।

क्रौडन्निबंतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८० ॥ (४९)

(परमेष्ठी) वह सबसे महान् परमात्मा (असंख्यानि मन्वन्तराणि)

असंख्य 'मन्वन्तरो' को (सर्गः) सृष्टि-उत्पत्ति (च) और (संहारः एव) प्रलय को (क्रीडन् इव) खेलता हुआ-सा (पुनः पुनः) बार-बार (कुरुते) करता रहता है ॥ ८० ॥

अनुशीलन—१।७६-८० श्लोकों को उद्धृत करके इनके भाव को महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है—

“इन श्लोकों में देव-वर्षों की गणना की है अर्थात् चारों युगों के बारह हजार (१२०००) वर्षों की देवयुग संज्ञा की है। इसी प्रकार असंख्यात मन्वन्तरो में कि जिनकी संख्या नहीं हो सकती अनेक बार सृष्टि हो चुकी है और अनेक बार होयगी। सो इस सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचना, पालन और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा।” (पृ० २४)

सृष्टि प्रवाह से अनादि—

“(प्रश्न) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ?

(उत्तर) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि, अनादिकाल से चक्र चला आता है। इसका आदि वा अन्त नहीं। किन्तु जैसे दिन वा रात का प्रारम्भ और अन्त देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि-अन्त होता रहता है; क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत् का कारण, [ये] तीन स्वरूप से अनादि हैं, वैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसे ही दीखता है, कभी सूख जाता है कभी नहीं दीखता, फिर बरसात में दीखता और उष्णकाल में नहीं दीखता, ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिए।”

(स० पृ० २२३)

मनुप्रोक्त काल-परिमाण की तालिका (श्लोक ११६४ से ११८० तक वर्णित)

फलक गिरने का समय	१ निमेष	८/४५ सेकेण्ड
१८ निमेष	१ काष्ठा	३५ सेकेण्ड
३० काष्ठा	१ कला	१ मिनट ३६ सेकेण्ड
३० कला	१ मुहूर्त	४८ मिनट या दो घड़ी
३० मुहूर्त	१ दिनरात	२४ घंटे या ६० घड़ी
१५ दिनरात	१ पक्ष (मानव)	
२ पक्ष	१ मास (मानव)	
६ मास	१ अयन (मानव)	१ दिन या रात (दिव्य)
२ अयन (१२ मास)	(उत्तरायण या दक्षिणायन)	
३६० दिनरात (दिव्य)	१ वर्ष (मानव)	१ दिनरात (दिव्य)
	३६० वर्ष (मानव)	१ वर्ष (दिव्य)
४,००० दिव्यवर्ष × ३६०	= १४,४०,००० मानववर्ष	सतयुग का प्रमुखकाल-परिमाण
४०० " "	= १,४४,००० "	सतयुग का संध्याकाल
४०० " "	= १,४४,००० "	सतयुग का संध्याशकाल
४,८०० " "	= १७,२८,००० "	सतयुग का पूर्ण काल-परिमाण

३,००० दिव्यवर्ष × ३६०	=	१०,८०,००० मानववर्ष	त्रेता का प्रमुख काल-परिमाण
३०० " "	=	१,०८,००० "	त्रेता का संध्याकाल
३०० " "	=	१,०८,००० "	त्रेता का संध्याशकाल
३,६०० " "	=	१२,९६,००० "	त्रेता का पूर्ण काल-परिमाण
२,००० दिव्यवर्ष × ३६०	=	७,२०,००० मानववर्ष	द्वापार का प्रमुख काल-परिमाण
२०० " "	=	७२,००० "	द्वापार का संध्याकाल
२०० " "	=	७२,००० "	द्वापार का संध्याशकाल
२,४०० " "	=	८,६४,००० "	द्वापार का पूर्ण काल-परिमाण
१,००० दिव्यवर्ष × ३६०	=	३,६०,००० मानववर्ष	कलि का प्रमुख काल-परिमाण
१०० " "	=	३६,००० "	कलि का संध्याकाल
१०० " "	=	३६,००० "	कलि का संध्याशकाल
१,२०० " "	=	४,३२,००० "	कलि का पूर्ण काल-परिमाण
१२,००० दिव्यवर्ष × ३६०	=	४३,२०,००० मानववर्ष	एक चतुर्गुणो (मानव) का समय या देवों का एक युग
१२,००० × ७१ " × ३६०	=	३०,६७,१०,००० "	एक सन्वत्तर का समय
१,२०,००,००० " × ३६०	=	४,३२,००,००,००० "	ब्रह्म का एक दिन या एक रात का काल-परिमाण
(१००० दिव्य युग)			अर्थात् सृष्टि की समयावधि या एक प्रलय की समयावधि ।
२,४०,००,००० दिव्यवर्ष × ३६०	=	८,६४,००,००,००,००० मानववर्ष	ब्रह्म का एक दिनरात का काल अर्थात् एक सृष्टि-उत्पत्ति और प्रलय की कालावधि

युगानुसार धर्म की पूर्णता एवं ह्रास—

चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे ।

नाधर्मोऽगमः कश्चिन्मनुष्यान्प्रति वर्तते ॥ ८१ ॥

(कृते युगे) सतयुग में (सकलः धर्मः च सत्यम्) समस्त धर्म एवं सत्य (चतुष्पात्) चार पैरों वाला अर्थात् तप, ज्ञान, यज्ञ तथा दान वाला होता है (मनुष्यान् प्रति कश्चिन् अगमः अधर्मेण न वर्तते) मनुष्यों में कोई भी लाभप्राप्ति अधर्म के द्वारा नहीं की जाती ॥ ८१ ॥

इतरेष्वगमाद्व्यस्यः पादशस्त्रवरोपितः ।

चौरिकानृतमायाभिर्धर्मंश्चार्पति पादशः ॥ ८२ ॥

(इतरेषु) अन्य तीन युगों— त्रेता, द्वापर, कलि में (अगमात्) अधर्म के द्वारा लाभप्राप्ति करने के कारण (पादशः तु + अवरोपितः) एक-एक चरण घटना जाता है (च) और (चौरिक-अनृत-मायाभिः) चोरी, भूठ, धोखा करना आदि के कारण (धर्मः) धर्म (पादशः) चौथाई-चौथाई (अर्पति) कम होता जाता है ॥ ८२ ॥

अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्विंशतायुषः ।

कृते त्रेतादिषु ह्येषामायुर्हंसति पादशः ॥ ८३ ॥

(कृते) सतयुग में मनुष्य (अरोगाः) रोगरहित (सर्वसिद्धार्थाः) जिनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे तथा (चतुर्विंशतायुषः) चार सौ वर्ष की आयु वाले होते हैं, और (त्रेतादिषु) त्रेता, द्वापर, कलियुगों में (एषाम्भ्यायुः) इनकी आयु (पादशः हंसति) चौथाई-चौथाई घटती रहती है ॥ ८३ ॥

वेदोक्तमायुर्धर्मार्थानामाशिवश्चैव कर्मणाम् ।

फलम्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम् ॥ ८४ ॥

(मर्त्यानाम्) मनुष्यों की (वेदोक्तम्) वेदों में कही हुई (आयुः च कर्मणाम् आशिवः) आयु तथा कर्मों के फल (च) और (शरीरिणाम् प्रभावः) देहधारियों पर होने वाले समस्त प्रभाव ये (लोके) इस संसार में (अनुयुगम्) युगों के अनुसार ही अर्थात् अच्छे युग में अच्छाई अधिक और बुरे युग में बुराई अधिक, इस प्रकार (फलम्) फलदायक होते हैं ॥ ८४ ॥

अग्रे कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे ।

अग्रे कलियुगे नृणां युगह्रासानुरूपतः ॥ ८५ ॥

(कृतयुगे) सतयुग में (अग्रे धर्माः) दूसरे धर्म माने हैं (त्रेतायां द्वापरे अपरे) त्रेता और द्वापर में उससे भिन्न धर्म हैं (कलियुगे अग्रे) कलियुग में दूसरे धर्म हैं (युगह्रासानुरूपतः नृणाम्) इस प्रकार युग के ह्रास के अनुसार मनुष्यों के धर्म भी बदलते रहते हैं । [वे निम्न श्लोक में हैं—] ॥ ८५ ॥

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ ८६ ॥

(कृतयुगे) सतयुग में (तपः परम्) तप को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है (त्रेता-याम्) त्रेतायुग में (ज्ञानम् + उच्यते) ज्ञान को श्रेष्ठ धर्म कहा है (द्वापरे) द्वापर युग में (यज्ञम् + एव + आहुः) यज्ञ को ही श्रेष्ठ धर्म कहते हैं (कलौ युगे एकं दानम्) कलि-युग में दान ही एकमात्र श्रेष्ठ धर्म है ॥ ८६ ॥

अनुशीलन : ८१ से ८६ श्लोकों का यह प्रसंग निम्न आधारों की कसौटी पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. प्रसंगविरोध—सृष्टि-उत्पत्ति (१।५-२३) के पश्चात् २४ से ३१ श्लोकों में कर्मों की रचना, प्राप्ति आदि का वर्णन करते हुए प्रसंग कर्मचर्चा का चल पड़ा था । पर, क्योंकि सृष्टि-उत्पत्ति और उसकी प्रक्रिया आदि से सम्बद्ध कुछ कथनीय बातें और भी रह गई थीं, जिन्हें बताना मनु आवश्यक समझते थे, अतः १।४२ श्लोक में यह कहकर कि प्राणियों के जो कर्म हैं, उन्हें आगे कहूँगा, पहले जन्म-उत्पत्ति के निश्चित प्रकार को कहूँगा, (येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् । तत्तथा बोधिसिद्ध्यस्यैव क्रमयोगं च जन्मनि) उस कर्मचर्चा के प्रसंग को बदलकर 'सृष्टि में जन्म या उत्पत्ति के निश्चित प्रकार' के प्रसंग को ४३ वें से शुरू कर दिया । इस संकेतक श्लोक के अनुसार ही मनु ने ४३ से ८० श्लोकों में उक्त प्रसंग की पहले चर्चा की है । संकेतक श्लोकानुसार ८० वें श्लोक में यह मध्यवर्धित प्रसंग पूर्ण होने के पश्चात् फिर वही बीच में छूटा हुआ 'कर्मचर्चा' से सम्बद्ध प्रसंग शुरू होना चाहिए था, जो ८७ वें श्लोक से प्रारम्भ है बीच में इन श्लोकों ने उस संकेतसिद्ध प्रसंग को भंग कर दिया है । इनमें अनावश्यक तथा अप्रासंगिक 'युग के फलों' का वर्णन है, जिसका न तो संकेतक [१।४२] श्लोक में ही वर्णन करने का संकेत है, न पूर्वापर प्रसंगों की शैली से सम्बन्ध है । यतोहि पूर्व प्रसंग भी सृष्टि रचना से सम्बद्ध है और इनसे श्रगला भी [कर्मों की सृष्टि का ८७-८९]; जबकि इनमें रचना से सम्बद्ध वर्णन न होकर फलप्रदर्शन है । इस दृष्टि से ८० वें श्लोक के पश्चात् ८७ वां श्लोक प्रासंगिक और क्रमसिद्ध है, अतः ये प्रक्षिप्त हैं ।

२. शैलीगत आधार—(१) भाषा-प्रयोग-शैली से भी ८० वें श्लोक के पश्चात् ८७ वें श्लोक का क्रम सिद्ध होता है । ८० वें श्लोक में कहा है कि 'परमात्मा इस सम्पूर्ण जगत् को बार-बार रचता है और संहार करता है ।' इस श्लोक की क्रमसंगति के अनुसार ही ८७ वें श्लोक में—'सर्वस्यास्य तु सर्वस्य गुण्यर्थम्' पद का प्रयोग किया गया है । इसकी संगति है—'इस सब जगत् की रक्षा के लिए अर्थात् जो अभी इन पिछले श्लोकों [५-८०] में वर्णित हुआ है, इस जगत् की रक्षा के लिए । इस प्रकार 'सर्व-स्यास्य' प्रयोग ८७ वें श्लोक को ८० वें से सम्बद्ध सिद्ध करता है । (२) दूसरी दृष्टि से भी देखें तो भी उक्त क्रम बनता है, क्योंकि ८१-८६ श्लोकों में जगत् का वर्णन ही नहीं है, अतः इन श्लोकों के बाद 'अस्य सर्वस्य' पद का प्रयोग ही नहीं बनेगा । यह तो

उन्हीं श्लोकों के बाद बन सकता है, जिनमें पहले जगत् का वर्णन हो, और वह ८० वें श्लोक तक है। (३) इसके साथ-साथ ८१ वें श्लोक की ८० वें से कोई संगति नहीं है, और ८६ वें श्लोक की भी ८७ वें से कोई संगति नहीं है। पूर्वापर प्रसंगों से इनका टूटा हुआ होना भी यह स्पष्ट करता है कि ये प्रसंग को तोड़कर डाले गये 'क्षेपक' हैं। इस प्रकार शैली से ८० और ८७ की ही संगति सिद्ध होती है।

३. विषयविरोध—१।४-५ श्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति-पूर्वक धर्मोत्पत्ति के विषय का प्रारम्भ और १।१४४ वें में 'यह समस्त जगत् की उत्पत्ति और धर्म का विकास संक्षेप से कहा' (एषा धर्मस्य बी योनिः समासेन प्रकीर्तिता। संभवश्चास्य सर्वस्य.....) कहकर विषयसमाप्ति के संकेत से यह ज्ञात होता है कि १।४-१४४ श्लोकों का विषय सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति का है। इस संकेत के अनुसार इस बीच इन्हीं से सम्बद्ध विषय मौलिक हो सकता है, अन्य नहीं। ८१-८६ श्लोकों का वर्णन किसी भी उत्पत्ति या उसकी-प्रक्रिया से सम्बद्ध नहीं है। इनमें युगानुसार फलकथन है, यह विषय इस अध्याय का है नहीं। इस प्रकार ये श्लोक विषय-भिन्नता के कारण विषयविरुद्ध हैं, अतः एव प्रक्षिप्त हैं।

४. अन्तर्विरोध—युग या काल धर्म-अधर्म में कारण नहीं—इन श्लोकों के वर्णन का मनुस्मृति की मौलिक मान्यताओं से अनेक प्रकार से विरोध आता है। (१) इन श्लोकों में युग या काल को धर्म-अधर्म का कारण माना है, जबकि मनुस्मृति का सारा ढांचा ही कर्म को धर्म-अधर्म का कारण मानने के सिद्धान्त पर आधारित है। मनुस्मृति के अनुसार तो जब भी जो व्यक्ति बुरा कर्म (अधर्म) करेगा, उसे बुरा फल मिलेगा और अच्छा कर्म करेगा, अच्छा फल मिलेगा। मनुस्मृति में प्रोक्त धर्म वेदविहित हैं [१२३-२४, १२६], और वेद नित्य हैं [१।४, २३-२४, १२।६४], अतः वेदोक्त धर्म-अधर्मों का फल भी नित्य और एकजैसा है। इस प्रकार इन श्लोकों में प्रदर्शित 'युग के अनुसार धर्म-अधर्म और फल की मान्यता' मनुस्मृति के मूल उद्देश्य के ही विरुद्ध है, अतः ये श्लोक मौलिक नहीं हो सकते। (२) जब धर्म युगानुरूप चौथाई घटता ही है [१।८२] अर्थात् स्वाभाविकरूप से घटता ही है, तो वह प्रत्येक स्थिति में घटेगा ही, यह उसकी स्वाभाविकता जो हुई! फिर मनुस्मृति में धर्मपालन का कथन करने की क्या आवश्यकता है? (३) १।२४-२६ श्लोकों में मनु ने कर्मानुसार सृष्टि के प्रारम्भ में शरीरों की प्राप्ति दर्शायी है। यदि सतयुग में लोगों का सब सिद्धियों से युक्त होना माना जाये [१।८१-८३] तो उस समय दुःख और अधर्म क्यों थे? जब कि वह तो सतयुग का समय था। (४) ८५-८६ वें श्लोक में चारों युगों में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ और दान को ही धर्म माना है, जो कि मनुस्मृति की आधार-भूत मान्यता के ही विरुद्ध है। मनु ने अनेक श्लोकों में तप, ज्ञान, यज्ञ, और दान को शाश्वतकालीन और समानरूप से धर्म माना है और साथ-साथ उनके पालन का आदेश दिया है। [२।१६६-१६७ (२।१४१-१४२), २।१७५ (१५०)। ३।६७, ६६-७६;

४।१६-२०, २२७, २३३; ६।४-१२, ७०, ७५ आदि] मनुस्मृति में कहीं भी युग के अनुसार धर्म का पालन करने के लिए चर्चा नहीं है। (५) ६।३०१-३०२ श्लोकों में मनु ने राजा के आचरण को ही चारों युगों के रूप में माना है। इन श्लोकों में मनु की दो मान्यताएँ स्पष्ट हुई—

(क) मनु कर्म के अनुसार धर्म-अधर्म या अच्छा-बुरा युग मानते हैं, युग या काल को धर्म-अधर्म का कारण नहीं मानते। (ख) इन श्लोकों के आलंकारिक वर्णन से यह स्पष्ट है कि मनु युगों को केवल 'कालप्रमाण' के रूप में ही स्वीकार करते हैं, गत श्लोकों में वर्णित रूप में नहीं। यदि इन श्लोकों के अनुसार मनु को युगफल अभीष्ट होता, तो वे ६।३०१-३०२ श्लोकों में कर्म करने के आधार पर राजा के युगों का आलंकारिक वर्णन न करते, उन्हें राजा के आचरण विशेष नहीं मानते, अपितु युग के अनुसार राजाओं के आचरण में परिवर्तन मानते। वे इस प्रकार हैं—

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च ।

राज्ञो वत्साणि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥

कलिः प्रसृप्तो भवति स जाग्रद्द्वापरं युगम् ।

कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम् ॥

सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये सब राजा के ही आचरणविशेष हैं; इसलिए राजा को ही युग कहा जाता है। उद्यमरहित राजा कलियुग होता है, जागरूक भी कार्य न करने वाला राजा द्वापर, कार्यों में उद्यत रहना त्रेता और इस प्रकार के सुप्रबन्ध से कार्य करता कि राजा निश्चिन्त होकर विचरता रहे, वह सतयुग है।

इस प्रकार अनेक अन्तर्विरोध भी इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करते हैं। ये रुढ़ एवं ग्रन्थ मान्यताओं का प्रक्षेप करने की भावना से प्रक्षिप्त किये गये श्लोक हैं।

चारों वर्णों के कर्मों का निर्धारण—

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः ।

मुखबाहुपञ्जानां पृथक्कर्माभ्यकल्पयत् ॥ ८७ ॥ (५०)

(अस्य सर्वस्य सर्गस्य) इस [५-८० पर्यन्त श्लोकों में वर्णित] समस्त संसार की (गुप्त्यर्थम्) गुप्ति अर्थात् सुरक्षा, व्यवस्था एवं समृद्धि के लिए (सः महाद्युतिः) महातेजस्वी परमात्मा ने (मुख-बाहु-उरु-पद्-जानाम्) मुख, बाहु, जंघा और पैर की तुलना से निर्मितों के अर्थात् क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के (पृथक् कर्माणि + अकल्पयत्) पृथक्-पृथक् कर्म बनाये ॥ ८७ ॥

अनुवर्तिनः 'वर्ण' शब्द की व्युत्पत्ति कर्मणा वर्णव्यवस्था की सूचक—(१) मनु ने वेद के आधार पर वर्णव्यवस्था का विधान किया है। यजु० ३१।१०-११ में जो वर्णव्यवस्था प्रदर्शित की है, मनु ने उसी को यथावत् प्रस्तुत किया

है। यह अवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है। इस श्लोक में और १।३१ में भी यह स्पष्ट किया है कि समाज में चारों वर्णों का निर्माण मुख, बाहु, ऊरु और पैर की तुलना के अनुसार हुआ है, और तदनुसार ही कर्मों का निर्धारण किया है [१।८८-९१] जो व्यक्ति इन कर्मों का पालन करेगा, वह उस-उस वर्ण का अधिकारी होगा। (विस्तृत विश्लेषण के लिए १।३१ की अनुशीलन समीक्षा और १।९२-१०७, २।११-१३, १०।६५ की अन्तर्विरोध शीर्षक समीक्षा द्रष्टव्य है)।

(२) स्वयं 'वर्ण' शब्द इस व्यवस्था को कर्माधारित व्यवस्था सिद्ध करता है। निरुक्त में वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति दी है—“वर्णो वृणोतेः” [२।१।४] अर्थात् कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये वह 'वर्ण' है। इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द लिखते हैं—

“वर्णो वृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद् वरणीया वरीतुमर्हाः
गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं प्रियन्ते ये ते वर्णाः।”

(ऋ० भा० भू० वर्णाश्रमधर्मविषय)

अर्थात्—गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य अधिकार जिसको दिया जावे, वह 'वर्ण' है।

(३) वर्णों के नामों की व्युत्पत्ति से भी वर्णों के कर्मों का बोध होता है। शब्द में जो भाव है, वही उस वर्ण का प्रमुख कर्म है। उन कर्मों को अपनाने से ही व्यक्ति उस वर्ण का अधिकारी बनता है। (विस्तृत विश्लेषण १।८८-९१ श्लोकों के अनुशीलन में देखिए)।

ब्राह्मण के कर्म—

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ ८८ ॥ (११)

“(ब्राह्मणानाम्) ब्राह्मणों के (अध्ययनम्, अध्यापनम्) पढ़ना-पढ़ाना (तथा) तथा (यजन याजनम्) यज्ञ करना-कराना, (दानं च प्रतिग्रहम् एव) दान देना और लेना, ये छः कर्म (अकल्पयत्) हैं” ॥ ८८ ॥ (स० प्र० ८९)

“(एक) निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को पढ़ावे (दो)—पूर्ण विद्या पढ़ें, (तीन)—अग्निहोत्रादि यज्ञ करें, (चार)—यज्ञ करावें, (पांच)—विद्या अथवा सुवर्ण आदि का सुपात्रों को दान देवें, (छठा)—न्याय से धनोपाजन करने वाले गृहस्थों से दान लेवें भी”।

“इनमें से तीन कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, धर्म में; और तीन कर्म पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका हैं। परन्तु—

प्रतिग्रहः प्रत्यक्षः ॥ मनु० ॥

जो दान लेता है, वह नीच कर्म है। किन्तु पढ़ाके और यज्ञ कराके जीविका करनी उत्तम है।" (मं० वि० १७४)

अनुशीलन : 'ब्राह्मण' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूचक—वर्णों के नामों की व्याकरणानुसारी रचना और व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होनी है कि मनु ने कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण किया है, और नामों से वर्णों के कर्मों का भी बोध होता है। 'ब्रह्मन्' प्रातिपदिक से 'तदधीते तद्दे' (अष्टा० ४।२।५६) अर्थ में 'अण्' प्रत्यय के योग से 'ब्राह्मण' शब्द बनता है। इसकी व्युत्पत्ति है—'ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्य उपासनेन च सह वर्तमानो विद्यादि उत्तमगुणयुक्तः पुरुषः' अर्थात् वेद और परमात्मा के अध्ययन और उपासना में तल्लीन रहते हुए विद्या आदि उत्तम गुणों को धारण करने से व्यक्ति 'ब्राह्मण' कहलाता है। मनु ने भी इन्हीं कर्मों को ब्राह्मण के प्रमुख कर्मों के रूप में वर्णित किया है।

ब्राह्मणग्रन्थों के वचनों में भी वर्णों के कर्मों का वर्णन पाया जाता है। निम्न वचनों में ब्राह्मण के कर्तव्य उद्दिष्ट हैं—

(क) आग्नेयो ब्राह्मणः (तां० १५।४।८)। आग्नेयो हि ब्राह्मणः (काठ० २६।१०)

==यज्ञाग्नि से सम्बन्ध रखने वाला अर्थात् यज्ञकर्त्ता ब्राह्मण होता है।

(ख) ब्राह्मणो व्रतभृत् (तै० सं० १।६।७।२)। व्रतस्य रूपं यत् सत्यम् (शं० १२।८।२।४)

==ब्राह्मण श्रेष्ठ व्रतों==कर्मों को धारण करने वाला होता है। सत्य बोलना व्रत का एक रूप है।

(ग) गायत्रो ब्रह्मणः (ऐ० १।२८)। गायत्रो यज्ञः (गो० पू० ४।२४)। गायत्रो ब्रह्मस्पतिः (तां० ५।१।१५)

==ब्राह्मण गायत्र होता है। गायत्र वेद, यज्ञ और परमात्मा को कहते हैं।

क्षत्रिय के कर्म—

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८६ ॥ (५२)

'दीर्घं ब्रह्मचर्यं से (अध्ययनम्) साङ्गोपांग वेदादि शास्त्रों को यथावत् पढ़ना, (इज्या) अग्निहोत्र आदि यज्ञों का करना (दानम्) सुपात्रों को विद्या, सुवर्ण आदि और प्रजा को अभयदान देना, (प्रजानां रक्षणम्) प्रजाओं का सब प्रकार से सर्वदा यथावत् पालन करना.....(विषयेषु + अप्रसक्तिः) विषयों में अनासक्त होके सदा जितेन्द्रिय रहना—लोभ, व्यभिचार, मद्यपानादि, नशा आदि दुर्व्यसनों से पृथक् रहकर विनय मुशीलता आदि शुभ कर्मों में सदा प्रवृत्त रहना।' ॥ ८६ ॥ + (सं० प्र० १८५)

+ (क्षत्रियस्य समासतः) ये संक्षेप से क्षत्रिय के कर्म हैं ॥ ८६ ॥

“न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन, दान, विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयों में न फँसकर जितेन्द्रिय रहके सदा शरीर आत्मा में बलवान् रहना ।” (स० प्र० पृ० ६०)

अनुशीलन : ‘क्षत्रिय’ नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूचक—(१) क्षणु—हिंसा अर्थ वाली (तनादि) धातु से ‘क्तः’ प्रत्यय के योग से ‘क्षतः’ शब्द की सिद्धि होती है और ‘क्षत’ उपपद में ञङ् = पालन करने अर्थ में (न्वादि) धातु से ‘अन्येऽपि इत्यते’ (अष्टा० ३।२।१०१) सूत्र से ‘ङः’ प्रत्यय, पूर्वपदान्त्याकारलोप होकर ‘क्षत्र’ शब्द बना। ‘क्षत्र एव क्षत्रियः’ स्वार्थ में ‘इयः’ होने से क्षत्रियः अथवा क्षत्रस्य-अपत्यं वा, ‘क्षत्राद् घः’ (अ० ४।१।१३८) सूत्र से जन्म लेने अर्थ में ‘घः’ प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द बना। ‘अदति रक्षति जनान् क्षत्रः’ जो जनता की रक्षा का कार्य करता है अथवा, क्षण्यते हिंस्यते नश्यते पदार्थों से न ‘क्षतः’ = घातादिः, तत्-स्त्रायते रक्षतीति क्षत्रः = आक्रमण, चोट, हानि आदि से लोगों की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय को ‘क्षत्रिय, कहते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में—क्षत्रं राजन्यः (ऐ० ८।२; ३।४) क्षत्रस्य वा एतद्रूपं यश्च राजन्यः (श० १३।१।५।३) = क्षत्रिय ‘क्षत्र’ का ही रूप है, जो प्रजा का रक्षक होता है।

(२) यहाँ अपत्यार्थ में ‘इय’ आदेश के योग से क्षत्रिय आदि शब्द बनाने में यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या मनु जन्म के आधार पर वर्ण मानते हैं ? इसकी शंका के निराकरण के लिए पुष्ट समाधान है। वंश केवल जन्म से ही नहीं अपितु विद्याजन्म से भी वंश चलता है। अष्टाध्यायी २।१।१६ में ‘संख्याबंश्येन’ सूत्र में विद्या से जन्म माना है। मनुस्मृति २।११६—१२३ श्लोकों में स्पष्टतः विद्या के आधार पर जन्म माना है। इस प्रकार गुणग्राहिता, कार्यकारणभाव, विद्या के आधार पर भी अपत्य आदि सम्बन्ध होते हैं। जैसे सूर्य, बरुण आदि की कोई पत्नी या अपत्य आदि नहीं होते, किन्तु फिर भी कार्य-कारण और गुणग्राहिता आदि के आधार पर अदिति का पुत्र आदित्य, सूर्य की पत्नी सूर्या आदि तथा बरुणानी, मैत्रावरुणः आदि प्रयोग होते हैं। विस्तृत चर्चा ‘मनुस्मृति-अनुशीलन’ का परिच्छेद।

(३) क्षत्रिय के विस्तृत कर्तव्यों का वर्णन ७।१ से ६।२२५ श्लोकों में है।

वैश्य के कर्म—

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ ६० ॥ (५३)

“(पशुरक्षा) गाय आदि पशुओं का पालन-वर्धन करना (दानं)

विद्या-धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (वणिक्पथ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैंकड़े में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सो वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना (कृषि) खेती करना (वैश्यस्य) ये वैश्य के कर्म हैं" ॥ ६० ॥
(सं० प्र० ६१)

“(अध्ययनम्) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (दानम्) अन्नादि का दान देना, ये तीनों धर्म के लक्षण और (पशूनां रक्षणम्) गाय आदि पशुओं का पालन करना उनसे दुग्धादि का बेचना (वणिक् पथम्) नाना देशों की भाषा, हिसाब, भूगर्भविद्या, भूमि, बीज आदि के गुण जानना और सब पदार्थों के भावाभाव समझना (कुसीदम्) व्याज का लेना ॐ (कृषिमेव च) खेती की विद्या का जानना, अन्न आदि की रक्षा, खात और भूमि की परीक्षा, जोतना, बोना आदि व्यवहार का जानना, ये चार कर्म वैश्य की जीविका।”

(सं० वि० १७६)

ॐ “सवा रुपये सैंकड़े से अधिक, चार आने से न्यून व्याज न लेवे, न देवे। जब दूना धन आ जाये, उससे आगे कौड़ी न लेवे, न देवे। जितना न्यून व्याज लेवेगा उतना ही उसका धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और कुसन्तान उसके कुल में न होंगे”।

(सं० वि० पृ० १७६ पर ऋ० दया० की टिप्पणी)

अनुशीलन : ‘वैश्य’ नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक—(१) “विशः सनुष्यनाम” (निघं० २।३) उससे भावार्थ में ‘यत्’, उससे स्वार्थ में ‘अण्’। अथवा ‘विश्’ प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में ‘यञ्’ छान्दस प्रत्यय से ‘वैश्य’ शब्द बना। “यो यत्र तत्र व्यवहारविद्यासु प्रविशति सः ‘वैश्यः’ व्यवहारविद्याकुशलः जनो वा = जो विविध व्यावहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहता है या विविध व्यावहारिक विद्याओं में कुशल जन ‘वैश्य’ होता है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में—

“एतद् वै वैश्यस्य समृद्धं यत् पशवः” (तां० १८।४।६) “तस्माद् बहुपशु-वैश्वदेवो हि जागतो (वैश्यः) (तां० ६।१।१०) = पशुपालन से वैश्य की समृद्धि होती है, यह वैश्य का कर्त्तव्य है।

(२) वैश्य के विस्तार से कर्त्तव्यों का वर्णन द्रष्टव्य है ६।२२१-३३३ में।

शूद्र के कर्म—

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ ६१ ॥ (५४)

“(प्रभुः) परमेश्वर ने (शूद्रस्य) जो विद्याहीन—जिसको पढ़ने से विद्या न प्राप्त सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उस शूद्र के लिए (एतेषामेव वर्णानाम्) इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की (अनसूयया) निन्दा से रहित प्रीति से (शुश्रूषाम्) सेवा करना, (एकमेव कर्म) यही एक कर्म (समादिशत्) करने की आज्ञा दी है” ॥ ६१ ॥

(सं० वि० १७७)

अनुशीलन : ‘शूद्र’ नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक—(१) शुब्—शोकार्थक (भ्वादि) घातु से ‘शुक्वेवंश्च’ (उणा० २।१६) सूत्र से ‘रक्’ प्रत्यय, उकार को दीर्घ, च को द होकर ‘शूद्र’ शब्द बनता है। शूद्रः=शोचनीयः शोच्या स्थितिमाप्नोति वा, सेवायां साधुर् अविद्याद्विगुणसहितो मनुष्यो वा=शूद्र वह व्यक्ति होता है जो अपने अज्ञान के कारण किसी प्रकार की उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया, और जिसे अपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे उन्नत करने की सदैव चिन्ता बनी रहती है अथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण-पोषण की चिन्ता की जाती है, ऐसा सेवक मनुष्य। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यही भाव मिलता है—“असतो वा एष सम्भूतो यत् शूद्रः” (तै० ३।२।३।६) असतः=अविद्यातः। अज्ञान और अविद्या से जिसकी निम्न जीवनस्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा आदि कार्य ही कर सकता है, ऐसा मनुष्य शूद्र होता है।

(२) शूद्र के कर्तव्यों के प्रसङ्ग में, शूद्र के प्रति मनु की धारणा क्या है, इस बात पर भी प्रकाश पड़ जाता है। मनु ने वहाँ शूद्र के लिए शुचिः=‘पवित्र’ (शरीर एवं मन से), उत्कृष्ट शुश्रूषुः=‘उत्तम सेवा करने वाला’ जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट होता है कि मनु की शूद्र के प्रति हीन भावना नहीं है। सबकी सेवा करने वाला व्यक्ति अपवित्र कैसे कहा जा सकता है ?

(३) शूद्र जन्मना नहीं होता, किन्तु वह व्यक्ति शूद्र होता है, जो उपनयन में दोषित होकर ब्रह्मजन्म अर्थात् वेदाध्ययन रूपी द्वितीय जन्म को प्राप्त नहीं कर सका। द्विजों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका अध्ययनरूपी दूसरा ब्रह्मजन्म उपनयन के समय होता है “द्विजायते इति द्विजः।” शूद्र का यह दूसरा जन्म न होने से उसका पर्यायवाची शब्द ‘एकजातिः’=एक जन्म वाला है। इससे सिद्ध हुआ कि मनु जन्मना नहीं, व्यक्ति को कर्मणा शूद्र मानते हैं। देखिए मनु ने यह मान्यता १०।४ में प्रकट की है—

“चतुर्यः एकजातिस्तु शूद्रः।”

(४) वह उत्तम कर्मों से उच्च वर्णों को भी प्राप्त कर सकता है।

[६।३३५॥१०।६५]

(५) शूद्र के कुछ विस्तृत कर्तव्यों का वर्णन ६।३३४-३३५ श्लोकों में है। उन श्लोकों से मनु की शूद्र-सम्बन्धी यह मान्यता और भी स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को जन्मना नहीं मानते तथा न धृणास्पद मानते हैं।

सब अंगों में मुख की श्रेष्ठता एवं तद्वत् ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और महत्ता का वर्णन—

ऊर्ध्वं नाभेर्मध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः।

तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुत्तमं स्वयंभुवा ॥ ६२ ॥

(नाभेः ऊर्ध्वम्) नाभि के ऊपर (पुरुषः) पुरुष शरीर को (मेध्यतरः परिकीर्तितः) अपेक्षाकृत अधिक पवित्र माना गया है (तस्मात्) इस विचार के अनुसार (स्वयंभुवा) ब्रह्मा ने (अस्य मुखम्) इस पुरुष के मुख को (मेध्यतमम् उक्तम्) सर्वाधिक पवित्र कहा है ॥ ६२ ॥

उत्तमाङ्गोद्भवोऽयं ब्रह्मणश्चैव धारणात्।

सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ६३ ॥

(उत्तमाङ्गो + उद्भवात्) उत्तम अंग = मुख से उत्पत्ति होने के कारण (उज्ज्वलात्) चारों वर्णों में सबसे पहले उत्पन्न होने से या सबसे बड़ा होने के कारण (च) और (ब्रह्मणः धारणात्) वेद को धारण करने के कारण (अस्य सर्वस्य + एव सर्गस्य) इस सम्पूर्ण संसार का ही (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (धर्मतः) धर्म से (प्रभुः) स्वामी है ॥ ६३ ॥

तं हि स्वयंभूः, स्वावास्यात्तपस्तप्त्वावितोऽसृजत्।

हव्यकव्यमिवाहाय सर्वस्यास्य च गुप्तये ॥ ६४ ॥

(तं हि) उस ब्राह्मण को (स्वयंभूः) ब्रह्मा ने (तपः तप्त्वा) तपस्या करके (स्वात् + आस्यात्) अपने मुख से (हव्य-कव्य-मिवाहाय) हव्य = देवों का भाग कव्य = पितरों का भाग उन तक पहुंचाने के लिए (च) और (अस्य सर्वस्य गुप्तये) इस सम्पूर्ण संसार की रक्षा के लिए (आदितः + असृजत्) सबसे पहले उत्पन्न किया ॥ ६४ ॥

यस्यास्येव सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवीकसः।

कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः ॥ ६५ ॥

(यस्या + आस्येन) जिस ब्राह्मण के मुख के द्वारा (त्रिदिवीकसः) देवता लोग (हव्यानि) हव्य भागों को (च) और (पितरः कव्यानि) पितर लोग कव्यभागों को (सदा + अश्नन्ति) सदा खाया करते हैं (ततः अधिकं किं भूतम्) उससे अधिक श्रेष्ठ कौन प्राणी होगा ? ॥ ६५ ॥

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ६६ ॥

(भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः) सभी स्थावरों और जंगम भूतों में प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं (प्राणिनां बुद्धिजीविनः) प्राणधारियों में बुद्धि से कार्य करने वाले जीव श्रेष्ठ हैं (बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः) बुद्धिजीवी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और (नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः) मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गये हैं ॥ ६६ ॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ६७ ॥

(च) और (ब्राह्मणेषु विद्वांसः) ब्राह्मणों में विद्वान् श्रेष्ठ हैं (विद्वत्सु कृत-बुद्धयः) विद्वानों में कर्तव्य बुद्धि रखने वाले श्रेष्ठ हैं (कृतबुद्धिषु कर्तारः) कर्तव्य बुद्धि रखने वालों में कर्तव्यों को आचरण में लाने वाले और (कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः) उन आचरणकर्त्ताओं में भी ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं ॥ ६७ ॥

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती ।

स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ६८ ॥

(विप्रस्य उत्पत्तिः + एव) ब्राह्मण का जन्म होना ही (धर्मस्य शाश्वती मूर्तिः) धर्म की शाश्वत मूर्ति के रूप में है अर्थात् उसका शरीर ही मानो धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति है (हि) क्योंकि (सः धर्मार्थम् + उत्पन्नः) वह धर्म-बुद्धि के लिए उत्पन्न होकर (ब्रह्मभूयाय कल्पते) मोक्ष-प्राप्ति के योग्य बनता है ॥ ६८ ॥

ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामभिजायते ।

ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ ६९ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (जायमानः हि) पैदा होते ही (पृथिव्याम् + अभिजायते) पृथिवी पर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि (सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये) सब प्राणियों के धर्मरूप खजाने की रक्षा करने के लिए (ईश्वरः) वही समर्थ है ॥ ६९ ॥

सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येवं यत्किञ्चिज्जगतीयतम् ।

श्रेष्ठ्येनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति ॥ १०० ॥

(जगतीयतं यत् किञ्चित्) संसार भर में जो भी कुछ है (इदं सर्वं ब्राह्मणस्य स्वम्) यह सब ब्राह्मण का ही धन है (श्रेष्ठ्येन + अभिजनेन) सब वर्णों में श्रेष्ठ और पूर्वोत्पन्न होने से बड़ा होने के कारण (इदं सर्वं) इस सब धन का (वै) निश्चय से (ब्राह्मणः + अर्हति) ब्राह्मण अधिकारी है ॥ १०० ॥

स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ।

भानुशंखाद् ब्राह्मणस्य भुङ्क्ते हीतरे जनाः ॥ १०१ ॥

[सभी धन ब्राह्मण का होने के कारण] (ब्राह्मणः स्वम् + एव भुङ्क्ते) ब्राह्मण अपना ही खाता है (स्वं वस्ते) अपना ही पहनता है (च) और (स्वम् ददाति) अपना

ही दान करता है (दूसरे जनाः हि) दूसरे लोग तो (ब्राह्मणस्य आनुशंसयात् भुञ्जते) ब्राह्मण की दया के कारण ही सब पदार्थों का भोग करते हैं ॥ १०१ ॥

इस शास्त्र की रचना का प्रयोजन—

तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः ।

स्वायम्भुवो मनुष्योमानिहं शास्त्रमकल्पयत् ॥ १०२ ॥

(तस्य) उस ब्राह्मण के (अनुपूर्वशः शेषाणाम्) और क्रमशः शेष वर्णों— क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के (कर्मविवेकार्थम्) कर्मों के ज्ञान के लिए (स्वायम्भुवः धीमान् मनुः) ब्रह्मा के पुत्र बुद्धिमान् मनु ने (इहं शास्त्रमकल्पयत्) इस मनुस्मृति शास्त्र को बनाया है ॥ १०२ ॥

विदुषा ब्राह्मणेनेवमध्येतव्यं प्रयत्नतः ।

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्नाग्येन केनचित् ॥ १०३ ॥

(विदुषा ब्राह्मणेन) विद्वान् ब्राह्मण को (इदं प्रयत्नतः अध्येतव्यम्) इस शास्त्र का प्रयत्नपूर्वक अध्ययन करना चाहिए (च) और (शिष्येभ्यः सम्यक् प्रवक्तव्यम्) शिष्यों के लिए प्रच्छ्दी प्रकार उपदेश करना चाहिए (अन्येन केनचित् न) अन्य किसी वर्ण के व्यक्ति को इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए ॥ १०३ ॥

इस शास्त्र के अध्ययन का फल—

इहं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः ।

मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ॥ १०४ ॥

(इहं शास्त्रम् + अधीयानः) इस शास्त्र को पढ़ता-पढ़ाता हुआ (शंसितव्रतः ब्राह्मणः) श्रेष्ठ व्रताचरण करने वाला ब्राह्मण (नित्यं) कभी भी (मनः + वाक्-देहजैः कर्मदोषैः) मानसिक वाचिक और शारीरिक कर्मदोषों से (न लिप्यते) लिप्त नहीं होता ॥ १०४ ॥

पुनाति पक्तिं ब्रह्मणो सप्त-सप्त-परावरान् ।

पृथिवीमपि चैवेमा कृत्स्नामेकोऽपि सोऽर्हति ॥ १०५ ॥

[इस शास्त्र को पढ़ने-पढ़ाने वाला ब्राह्मण] (पक्तिम्) ब्राह्मण की पंक्ति को (च पर + अवरान् सप्त-सप्त वंशान्) और अपने वाली पुत्र-प्रपौत्र आदि, पहली पिता-दादा आदि सात-सात पीढ़ियों को (पुनाति) पवित्र करता है (च) और (इमां कृत्स्नां पृथिवीम् + अपि) इस सम्पूर्ण पृथ्वी को भी (सः एकः + अपि अर्हति) वह अकेला पाने का अधिकारी बन जाता है ॥ १०५ ॥

इहं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिहं बुद्धिविवर्धनम् ।

इहं यशस्त्यमापुष्यमिहं निःश्वेपसं परम् ॥ १०६ ॥

(इहं स्वस्त्ययनम्) यह शास्त्र कल्याण करने वाला है (इहं श्रेष्ठं बुद्धि-

विवर्धनम्) यह बुद्धि बढ़ाने वाला श्रेष्ठ साधन है (इदं यशस्यम् + आयुष्यम्) यह यश बढ़ाने वाला, आयु देने वाला है (इदं निःश्रेयसं परम्) यह मोक्ष प्राप्त कराने में परम श्रेष्ठ साधन है ॥ १०६ ॥

इस शास्त्र का प्रतिपाद्य—

अस्मिन्धर्मोऽस्तितेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम् ।

चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः ॥ १०७ ॥

(अस्मिन्) इस मनुस्मृति शास्त्र में (अस्तितेन धर्मः) संपूर्ण धर्म को (च) और (कर्मणां गुणदोषौ) कर्मों के गुण-दोषों को (च) तथा (चतुर्णाम् + अपि वर्णानां) शाश्वतः आचारः) चारों वर्णों का सनातन आचार-व्यवहार (उक्तः) कहा गया है ॥ १०७ ॥

अनुवर्णितम् : इन श्लोकों में पक्षपातपूर्ण ढंग से ब्राह्मण की अयुक्ति-पूर्ण निराधार प्रशंसा की प्रवृत्ति लक्षित होती है। ये ६२ से १०७ तक के श्लोक निम्न आचार्यों की कसौटी पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) १। ४२ वां श्लोक प्रसंग का संकेत देने वाला श्लोक है, और १। १४४ वां श्लोक इस अध्याय के विषयों का संकेत देता है। इन दोनों श्लोकों से इस अध्याय का वर्ण्यविषय और उसका क्रम निश्चित हो जाता है। ४२ वें श्लोक में—विवक्षित कर्मचर्चा के प्रसंग को मध्य में ही छोड़कर पहले शेष सृष्ट्युत्पत्ति सम्बन्धी बातों की जानकारी देने का कथन है, और उसके बाद कर्मचर्चा को पूर्ण करने का संकेत है। तदनुसार ८० श्लोक तक सृष्टि-सम्बन्धी जानकारी देकर ८७ से ९१ श्लोकों में कर्मों की सृष्टि का वर्णन किया है। अब इसके बाद धर्मसम्बन्धी वर्णन ही होना चाहिए। क्योंकि, १४४ वें श्लोक में इस अध्याय के केवल दो ही विषय संकेतित हैं—सृष्ट्युत्पत्ति और कर्मोत्पत्ति। तदनुसार ९१ वें श्लोक में कर्मोत्पत्ति-कथन के साथ सृष्टि-उत्पत्ति विषय का वर्णन पूर्ण हो जाने पर धर्मसम्बन्धी प्रसंग शुरू होना चाहिए, जो १०८ से प्रारम्भ हुआ है, और १। १२० में इस प्रसंग को संकेतपूर्वक प्रारम्भ किया गया है। ये दोनों विषय परस्पर सम्बद्ध विषय हैं, अतः उसी सम्बद्धता के क्रम से इन्हें रखा गया है। ६२ से १०७ श्लोकों में वर्णित ब्राह्मण की महिमा [६२—१०५] और शास्त्र की महिमा [१०६-१०७] की चर्चा—उक्त श्लोकों में संकेतित क्रम को भंग कर रही हैं। उक्त संकेतक श्लोकों में इनके प्रसंग का कोई उल्लेख भी नहीं है। अतः पूर्वापर कर्म-धर्म के प्रसंग से असम्बद्ध होने के कारण ये श्लोक असंगत और प्रक्षिप्त हैं।

(२) प्रसंग की पूर्वापर क्रमबद्धता भी द्रष्टव्य है। ८७—९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का उल्लेख है और कर्मोत्पत्ति करके १०८—११० श्लोकों में तदनुसारी आचरण को ही परम धर्म कहा है। इस प्रकार पूर्वापर श्लोक प्रसंग और वर्णनशैली की एक क्रमबद्धता से जुड़े हैं। इन [६२—१०७] श्लोकों ने उस क्रमबद्धता को तोड़ दिया है, और ब्राह्मण तथा शास्त्र-महिमा की असंगत एवं पूर्वापर प्रसंग की दृष्टि से

प्रनावश्यक बातों का वर्णन किया है। अतः पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने के कारण भी ये प्रक्षिप्त हैं।

(३) १०२ से १०७ श्लोकों में—इस शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी, शास्त्र की महिमा, इस शास्त्र में क्या वर्णित है, आदि चर्चाएँ हैं। वर्णन की दृष्टि से ये बातें या तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होती हैं या अन्त में, किसी भी प्रसंग को तोड़कर बीच में नहीं। मनुस्मृति का प्रारम्भ और अन्त इस प्रकार की शैली में है कि न तो वहाँ इन चर्चाओं को अवसर ही मिल सकता है, और न ये रचयिता का अभीष्ट सिद्ध करती हैं। वहाँ इनका प्रक्षेप सम्भव नहीं हुआ, अतः प्रक्षेपकर्त्ताने यहाँ प्रसंग को तोड़कर उक्त चर्चाओं का उल्लेख कर दिया है। इस प्रकार इनका स्थानभ्रष्ट वर्णन ही इन्हें प्रसासङ्गिक सिद्ध करता है। इन प्रसंगविरोधों के आधार पर ये ६२—१०७ श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

२. विषय-विरोध—१। १—४ श्लोकों से प्रारंभ किये गये विषय का समापन करते हुए मनु १। १४४ में कहते हैं—‘यह धर्म की उत्पत्ति और सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति मैंने कही’। स्पष्ट है कि—जब मनु ने अपने विषय की एक सीमा निश्चित कर दी है और उसका संकेत भी कर दिया है, तो इस परिधि के श्लोकों में उक्त दोनों विषयों से सम्बद्ध वर्णन ही होना चाहिए; तभी वे विषयसंगत कहलायेंगे। इन श्लोकों के वर्णन उक्त दोनों विषयों से असम्बद्ध हैं, अतः विषय-विरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं।

३. शैलीगत आधार—(१) १०२ से १०७ श्लोकों में मनुस्मृति की एक पूर्व-निबद्ध शास्त्र के रूप में प्रशंसा है और मौलिक रूप में उसे ‘शास्त्र’ संज्ञा से व्यवहृत किया है। मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता है कि यह अपने मौलिक रूप में न तो कोई निबद्धशास्त्र था और न इसके लिए मनु द्वारा ‘शास्त्र’ संज्ञा का व्यवहार ही करने का अवसर था (इसके लिए देखिए १।५८—६३ श्लोकों पर ‘अन्तर्विरोध’ में समीक्षा—‘ख’।) मनुस्मृति अपने मूलरूप में प्रवचन था, इस प्रकार न तो यह शास्त्र था, और न मौलिक रूप से प्रवचनों में इसे शास्त्र कहकर पुकारा या प्रशंसित किया जा सकता था। प्रवचनों के सङ्कलन के पश्चात् शास्त्ररूप में निबद्ध होने के पश्चात् ही मनुस्मृति से सम्बद्ध इस प्रकार के श्लोक मिलाये गये हैं जिनमें इसकी शास्त्ररूप में प्रशंसा है, या ‘शास्त्र-संज्ञा’ का व्यवहार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ‘शास्त्र’ प्रयोग वाले ये श्लोक परवर्ती प्रक्षेप हैं। शेष पूर्व के ६२—१०१ श्लोक भी इनसे सम्बद्ध हैं और इनकी भूमिका है [१०२ से सिद्ध], अतः इनके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से वे भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।

(२) मनु की यह शैली है कि वे जिस किसी विषय या प्रसङ्ग को प्रारम्भ करते हैं तो उसके प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर उसके कथन का संकेत देते हैं। इस शैली के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिना संकेत के जो प्रसङ्ग हैं, वे मनुकृत नहीं हैं। इन श्लोकों का प्रसङ्ग भी ऐसा है जिसके प्रारम्भ या अन्त में प्रारम्भ या समापन का कथन नहीं है। अतः ये मनु की शैली के नहीं हैं।

(३) मनुस्मृति की प्रवचन शैली है। इसमें सभी प्रसङ्ग क्रमशः शृङ्खलाबद्ध हैं। इस शैली में न तो विषयसूची का ही कहीं प्रसङ्ग आ सकता है और न मूलरूप में उसकी कोई विषयसूची बन सकती है। १०७ वें श्लोक में जो विषयों का उल्लेख है, यह परवर्तीकाल में डाला गया है।

(४) इस प्रसङ्ग में ६२ से १०१ श्लोकों में ब्राह्मण की महिमा का, १०२ से १०६ में मनुस्मृति की शास्त्ररूप में महिमा का प्रसङ्ग चलाया है। इस प्रकार महिमा का लम्बा प्रसङ्ग चलाने की शैली मनु की नहीं है, वे केवल ग्रन्थवाद रूप में ही संक्षिप्त पद्धति से प्रशंसा या निन्दा करते हैं।

(५) इस प्रसङ्ग के ६४-६५ (देवों-पितरों द्वारा ब्राह्मण के मुख से हव्य, कव्य भक्षण करना), १०५ (सात-सात पिछली-अगली पीढ़ियों को पवित्र करना) श्लोकों की शैली प्रयुक्तियुक्त और निराधार है; ६८, १००, १०४, १०५, १०६ की अतिशयोक्तिपूर्ण तथा ६४, ६५, ६६, १००, १०१, १०३ श्लोकों की शैली पक्षपात से प्रेरित है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं।

(६) १०२ में "स्वायंभुवे मनुर्वाग्मानिहं शास्त्रमकलयन्" प्रयोग से स्पष्ट है कि इसका रचयिता कोई मनु से भिन्न व्यक्ति है। अतः यह मनुकृत न होने से प्रक्षिप्त है, शेष इससे सम्बद्ध होने से स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

४. अश्वत्थिरोध—(१) इन श्लोकों में जन्मना वर्णव्यवस्था का वर्णन है जबकि मनु की मौलिक मान्यता कर्मणा वर्णव्यवस्था मानने की है। विशेषकर ६८, ६९ श्लोकों में तो उत्पन्न होते ही ब्राह्मण को विशिष्ट व्यक्ति मान लिया है। इस जन्मना वर्णव्यवस्था का मनु से निम्न प्रकार विरोध आता है—

मनुस्मृति में वर्णव्यवस्था कर्मनुसार है—

(क) यदि मनु जन्म से ही किसी वर्ण को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानते तो उन्हें वर्णों के कर्मों का निश्चय करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ माना जा रहा है तो वह वैसे ही रहेगा, चाहे कर्म करे या न करे। यतो हि शैशवावस्था और कीमायावस्था में भी वह वर्णों के लिए प्रतिपादित कर्मों को नहीं करता है, अतः बहुत बार तो प्रज्ञान में विरोधी कर्म भी कर देता है। जब उस अवस्था में उसे जन्मना ब्राह्मण या धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति माना जा रहा है [६८], तो बाद में कर्मों के न करने या विरोधी कर्मों के करने से भी उसका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेध वचनों, व्यवस्थाओं और वर्णों के लिए कर्मों के निश्चय से यह स्पष्ट होता है कि मनु धर्म-अधर्म, कर्म और व्यवस्थाओं से ही वर्णव्यवस्था या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानने हैं, जन्म से नहीं। यदि जन्म से ही श्रेष्ठत्व स्वीकार कर लिया जाये तो मनुस्मृति की सम्पूर्ण कर्मव्यवस्था ही व्यर्थ हो जायेगी। कोई पालन करे या न करे व्यवस्थाओं का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका श्रेष्ठत्व-अश्रेष्ठत्व तो जन्म से निर्धारित हो ही चुका। लेकिन मनु ने कर्म के

आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है। निम्न श्लोकों में उनकी अत्यधिक स्पष्ट घोषणा द्रष्टव्य है—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्विद्यास्तथैव च ॥ १०।६५ ॥

अर्थात्—श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है अर्थात् गुणकर्मों के अनुसार कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र के घर उत्पन्न भी मूल्य हो तो वह शूद्र रहता है और जो उत्तम गुण-युक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य का भी वर्ण-परिवर्तन सम्भूत बाहिए।

(ख) अपने धर्म-कर्मों को पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शूद्र बन जाता है, ऐसा मनु का मत है। यथा—(अ) वेद न पढ़ने पर द्विज शूद्रता को प्राप्त करता है (योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुर्वते भ्रमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति साधवः ॥ २।१६८) । (आ) संध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शूद्रवत् होता है (न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यच्च पश्चिमायम् । स शूद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विजकर्मणः ॥ २।१०३) । (इ) यथोक्त आयुसीमा तक उपनयन में दीक्षित न होने पर द्विज बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति 'व्रात्य' संज्ञक शूद्र कहलाते हैं [२।३७-४०] । (ई) नीचों की संगति से ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त करता है (उत्तमानुत्तमान्छन् हीनान् हीनाश्च वर्जयन् । ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रयथायेन शूद्रताम् ॥ ४।२४५) । इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि न तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ माना है और न जन्मना आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना इनका निर्धारण होता तो उक्तरूप से वे निम्न न बनते।

(ग) इसके साथ ही शूद्रता को प्राप्त व्यक्ति यदि अपने कर्मों को सुधार लेता है और भ्रष्टियों के लिए प्रायश्चित्त कर लेता है, तो वह पुनः अपने वर्ण का हो सकता है। मनु ने यह मान्यता, 'व्रात्य' संज्ञक शूद्रों के लिए और वर्णविरुद्ध कार्यों के कारण ब्राह्मण-वर्ण से बहिष्कृत ब्राह्मणों के लिए विहित प्रायश्चित्तों में प्रकट की है [११।१६१-१६६]। इस व्यवस्था से भी मनु की वर्णव्यवस्था कर्मानुसार ही सिद्ध होती है।

(घ) मनु ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा और बड़प्पन गुणों की योग्यता के आधार पर माना है [२।१३६, १३७, १५४, १५६]। मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है कि मनु जन्म के आधार पर श्रेष्ठता या उच्चता अथवा वर्णव्यवस्था नहीं मानते, अपितु कर्म या गुणों को ही आधार मानते हैं।

(ङ) मनु ने वर्णों के कर्म बतलाते हुए "लोकानां त्रिवृद्धयर्थम्" (समाज की वृद्धि के लिए १।३१) और "सर्वस्यास्य तु गुण्यर्थम्" (इस समस्त जगत् की सुरक्षा के लिये २।८७) को कर्मनिर्धारण का कारण बतलाया है। इन कारणों पर विशेष ध्यान

देने पर यहां यह स्पष्ट मान्यता प्रकट हो जाती है कि मनु कर्मों के आधार पर ही वर्ण-व्यवस्था मानते हैं, जन्म के अनुसार नहीं। क्योंकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ, उच्च-निम्न निर्धारित हो गये तो उससे समाज या जगत् की क्या वृद्धि होगी? केवल उच्च लोगों की ही वृद्धि होगी। अपितु वृद्धि भी कहां होगी, जो जिस स्तर का होगा वहीं रहेगा। उसे अपने स्तर की उन्नति का अवसर ही कहां मिलेगा? यदि जन्मना वर्ण-व्यवस्था मानें तो इन कारणों का कथन निरर्थक होगा। इन कारणों के कथन से एक और सकेत मिलता है—वह यह कि चार वर्णों के अनुसार प्रजाएं नहीं बनायीं, अपितु प्रजाओं की वृद्धि के लिये (प्रजाओं के लिये) चार वर्ण बनाये, अर्थात् पहले प्रजायें बनीं, जो जन्मना समान थीं, फिर उनमें से गुण कर्मानुसार चार वर्ण निमित्त किये गये, जिससे समाज-व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे। इस प्रयोगपद्धति से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था सिद्ध होती है।

(च) (१) 'वर्ण' शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध करते हैं कि मनु की व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है। निरुक्त में 'वर्ण' शब्द की व्युत्पत्ति दी है... 'वर्णो ब्रूणोते' (२।१।४) अर्थात् कर्मानुसार जिसका वर्ण किया जाये, वह 'वर्ण' है। इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द ने भी स्पष्ट किया है—

“वर्णो ब्रूणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद्वरणीया बरीतुमर्हाः

गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं विन्यन्ते ये ते वर्णाः।”

(ऋ० भा० भू० वर्णश्रमधर्मविषय)

अर्थात्—गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य अधिकार जिसको दिया जाये वह वर्ण है।

(२) वर्णों के नाम उनके कर्मानुसार ही रखे गये हैं। नामों की व्युत्पत्ति स्वयं उनके कर्मों का बोध कराती है (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १।८७-९१ श्लोकों पर देखिए)।

(३) ब्राह्मणग्रन्थों में कर्मणा वर्णव्यवस्था के स्पष्ट वर्णन मिलते हैं। यथा—

(अ) सः (क्षत्रियः) ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपैति।” (ऐ० ७।२३)

क्षत्रिय दीक्षित होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है।

(आ) “तस्मादपि (वीक्षितम्) राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्, ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञाज् जायते ॥” (शत० ३।२।१।४०)

चाहे कोई क्षत्रियपुत्र हो अथवा वैश्यपुत्र, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके (उपनयन-संस्कार में) वह ब्राह्मण ही कहलाता है, अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम में वेदाध्ययन के समय यज्ञ में दीक्षित होकर सभी व्यक्ति ब्राह्मण कर्म वाले होते हैं। बाद में कर्मानुसार क्षत्रिय और वैश्य बनते हैं।

(छ) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं, इसमें अन्य प्रमाण भी हैं—(क) शुद्ध

को वे हीन नहीं मानते अपितु 'शुचिः' = पवित्र 'उत्कृष्ट शुश्रूषु' आदि विशेषणों से सम्बोधित करते हैं [६।३३५]। सबके घरों में सब प्रकार की सेवा करने वाला भला अपवित्र, अश्रुत, या हीन कैसे हो सकता है? (ख) मनु व्यक्ति को शूद्र इसलिए मानते हैं कि वह पढ़ता नहीं। उसका वेदाध्ययन रुपी दूसरा ब्रह्मजन्म नहीं होता। ब्राह्मण—क्षत्रिय—वैश्यों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका ब्रह्मजन्म रुपी दूसरा जन्म होता है—'द्विर्जायते इति द्विजः। शूद्र को 'एकजातिः' न पढ़ने के आधार पर कहा जाता है। देखिए प्रमाण—'ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णाः द्विजातयः। चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रः नास्ति तु पंचमः॥' १०।४॥ (ग) मनु कर्मों के आधार पर मनुष्यों के दो वर्ग मानते हैं—(१) जो श्रेष्ठ धर्मानुकूल आर्य परम्पराओं में दीक्षित हैं वे चारों वर्ग आर्य हैं। (२) इनमें अदीक्षित शेष सब दस्यु हैं [१०।४५]। (घ) मनु कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ = आर्य और अश्रेष्ठ = अनार्य मानते हैं। १०।५७-५८ में वे कर्मों के आधार पर इनकी पहचान करने को कहते हैं। ये सब बातें मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था की मान्यता को सिद्ध करती हैं।

(ज) १।३१ में भी मनु ने अपनी 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' की मान्यता का संकेत दिया है। १।१६, २३, २६—३० श्लोकों के द्वारा यह कहा जा चुका कि एकसाथ अनेक प्रजाएं उत्पन्न हुईं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के रूप में प्रजाएं उत्पन्न नहीं हुईं, अपितु समान मनुष्यों के रूप में हुईं। फिर उन बहुत सारे मनुष्यों में से समाज की वृद्धि के लिए, एक व्यवस्था के रूप में चार वर्णों का मुख, बाहु, जंघा और पैर की साम्यता से (गुणकर्मनुसार) निर्माण किया। १।३१ में आलंकारिक रूप में यह कथन है। उक्त अंगों का जो स्थान और कार्य शरीर में है, समाज में वही स्थान क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बनाया। इस प्रकार योग्यता के आधार पर लोगों को चार वर्णों में विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार निश्चित किये। यह वर्णन-क्रम (अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति और फिर उनमें वर्णव्यवस्था) और आलंकारिक कथन कर्मनुसार वर्णव्यवस्था का संकेत देता है। इन अनेक प्रमाणों से 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' मनु की मौलिक मान्यता सिद्ध होती है, अतः इसकी विरोधी 'जन्मना वर्णव्यवस्था' वाली मान्यता अन्तर्विरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कहलायेगी। [इस मान्यता के विषय में १।३१, ८७-६१॥ २।११॥ १०।६५ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है।]

(२) ६४ वें श्लोक में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति कही है। ६३ में भी उसे 'उत्तमाङ्गोद्भव' कहा है तथा ६२ में भी ब्रह्मा की चर्चा है। ब्रह्मा का प्रसङ्ग मौलिक नहीं है। इस प्रसङ्ग का मनुस्मृति की मान्यताओं से अनेक प्रकार से विरोध है। (इसके लिये द्रष्टव्य हैं—१।७-१३, ३२-४१, ५०-५१ श्लोकों पर समीक्षा) इस प्रकार ये तीनों श्लोक भी प्रक्षिप्त हैं, और शेष प्रसङ्ग इनसे सम्बद्ध होने के कारण स्वनः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जायेगा।

(३) इसी प्रकार ६४-६५ में पितरों को पृथक् योनि विशेष के रूप में मानना

भी मनु-विरोधी मान्यता है (इसके लिये विस्तृत समीक्षा देखिये—३।११६—२८४ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक) इस अन्तर्विरोध के कारण ६४-६५ श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। शेष पूर्वापर प्रसङ्ग इनसे सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

(४) १०५ वें श्लोक में पूर्वापर सात-सात पीढ़ियों की पवित्रता मानी है। इसका ४।२४० की मान्यता से विरोध है, क्योंकि वहाँ कर्त्ता को फल का भोक्ता स्वयं माना है। और यदि एक व्यक्ति मनुस्मृति को पढ़कर पूर्वापर सात-सात पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है तो फिर अगली सात पीढ़ियों को मनुस्मृति पढ़ने की क्या आवश्यकता है? उनका जीवन तो उस एक अध्येता ने पवित्र कर ही दिया। इस अन्तर्विरोध के कारण १०५ वां श्लोक प्रक्षिप्त है। शेष पूर्वापर श्लोक इससे सम्बद्ध हैं, अतः साथ की रचना होने से वे भी स्वतः प्रक्षिप्त कहे जायेंगे।

(धर्मोत्पत्ति विषय की भूमिका)

(१।१०८ से ११० तक)

सदाचार परम धर्म—

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च ।

तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्द्विजः ॥१०८॥ (५५)

(श्रुत्युक्तः च स्मार्तः + एव) वेदों में कहा हुआ और स्मृतियों में भी कहा हुआ जो (आचारः) आचरण है (परमः धर्मः) वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, (तस्मात्) इसीलिए (आत्मवान् द्विजः) आत्मोन्नति चाहने वाले द्विज को चाहिए कि वह (अस्मिन्) इस श्रेष्ठाचरण में (सदा नित्यं युक्तः स्यात्) सदा निरन्तर प्रयत्नशील रहे ॥ १०८ ॥

उपरोक्त श्लोक देकर स्वामी जी ने निम्न अर्थ दिया है—

‘कहने सुनने-मुनाने, पढ़ने-पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना। इसलिये धर्माचार में सदा युक्त रहे।’ (स० प्र० ५२)

‘जो सत्य-भाषणादि कर्मों का आचरण करना है, वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है।’ (स० प्र० २६०)

आचारहीन को वैदिक कर्मों की फलप्राप्ति नहीं—

आचाराद्विभ्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।

आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्भवेत् ॥ १०९ ॥ (५६)

(आचारात् विभ्युतः विप्रः) जो धर्माचरण से रहित [द्विज] है वह

(वेदफल न अश्नुते) वेद-प्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो (आचारेण तु संयुक्तः) विद्या पढ़के धर्माचरण करता है, वही (सम्पूर्णफलभाक् भवेत्) सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥ १०६ ॥
(स० प्र० ५२)

अनुशीलन . १०६ श्लोक की अन्यत्र पुष्टि—ऋषियों की मान्यताएँ श्रुद्धलावत् एक संगति में जुड़ी होती हैं और वे प्रसङ्गवश, उन वचनों की पुष्टि स्वयं कर देते हैं। मनु ने इस श्लोक की मान्यता की पुष्टि अन्य श्लोकों में भी की है। उनसे इसकी व्याख्या पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए इस श्लोक के भाव का अन्य श्लोकों में स्पष्टीकरण—

(क) यस्य धर्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा ।

स च सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ ११३५ [२११६०] ॥

(ख) वेदास्त्यागाच्च यज्ञाच्च नियमाच्च तर्पांसि च ।

न विप्रदुष्टमावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कश्चित् ॥ २१७२ (२१६७) ॥

इन श्लोकों में उक्त वेद और वेदोक्त कर्मों में आचरणहीन व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती, आचारवान् को मिलती है। इस प्रकार सदाचार से ही धर्म में गति होती है। सदाचार धर्म का मूल है—

एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् ।

सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम् ॥ ११० ॥ (५७)

(एवम्) इस प्रकार (आचारतः) धर्माचरण से ही (धर्मस्य) धर्म की (गतिम्) प्राप्ति, सिद्धि एवं अभिवृद्धि (दृष्ट्वा) देखकर (मुनयः) मुनियों ने (सर्वस्य तपसः परं मूलम्) सब तपस्याओं का श्रेष्ठ मूल आधार (आचारम्) धर्माचरण को ही (जगृहुः) स्वीकार किया है ॥ ११० ॥

मनुस्मृति की अध्यायानुसार विषय-सूची—

जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारविधिमेष च ।

व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम् ॥ १११ ॥

द्वाराधिगमनं चैवं विवाहानां च लक्षणम् ।

महायज्ञविधानं च आश्वकल्पं च शाश्वतम् ॥ ११२ ॥

वृत्तीनां लक्षणं च स्नातकस्य व्रतानि च ।

भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥ ११३ ॥

स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च ।

राक्षस धर्ममखिलं कार्याणां च विनिरागम् ॥ ११४ ॥

साक्षिप्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंसयोरपि ।

विभागधर्मं द्यूतं च कण्टकानां च शोधनम् ॥ ११५ ॥

वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवम् ।

प्रापद्धर्मं च वर्णानां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥ ११६ ॥

संसारगमनं चैव विविधं कर्मसंभवम् ।

निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम् ॥ ११७ ॥

देशधर्माज्जातिधर्मान्कुलधर्माश्च शाश्वतान् ।

पाखण्ड्यगणधर्माश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः ॥ ११८ ॥

(च) और (जगतः समुत्पत्तिम्) जगत् की उत्पत्ति [प्रथम अध्याय में]; (संस्कार विधिम् + एव) संस्कारों की विधि (व्रतचर्या) ब्रह्मचारी के व्रतों की विधि (उपचारम्) गुरुसेवा, अभिवादन आदि शिष्टता के व्यवहार [द्वितीय अध्याय में]; (च) और (स्नानस्य पर विधिम्) स्नान = समावर्तन संस्कार की श्रेष्ठ विधि, (शराधिगमनम्) विवाह के लिए स्त्री-प्राप्ति (च) और (विवाहानां लक्षणम्) विवाहों के लक्षण (पञ्च-यज्ञविधानम्) पाँच यज्ञों का विधान (शाश्वतं श्राद्धकल्पम्) श्राद्ध की सनातनविधि [तृतीय अध्याय में]; (वृत्तीनां लक्षणम्) वृत्तियों के लक्षण (च) तथा (स्नातकस्य व्रतानि) स्नातक गृहस्थियों के व्रत [चतुर्थ अध्याय में]; (च) और (भक्ष्याभक्ष्यं शौचं द्रव्याणां शुद्धिः) भक्ष्याभक्ष्य, शरीरशुद्धि, द्रव्यों की शुद्धि; (स्त्रीधर्मयोगम्) स्त्रियों के धर्म [पञ्चम अध्याय में]; (तापस्यं संन्यासं मोक्षम् एव) वानप्रस्थ, संन्यासियों के धर्म एवं मोक्षविधान [षष्ठ अध्याय में];

(च) और (राज्ञः अखिलं धर्मम्) राजा के सभी धर्म [सप्तम अध्याय में]; (कार्याणां विनिर्णयम्) अभियोगों के फैसले, (साक्षिप्रश्नविधानम्) गवाहों से प्रश्न पूछने की विधि [अष्टम अध्याय में]; (स्त्रीपुंसयोः अपि धर्मम्) स्त्री-पुरुषों के धर्म (विभाग-धर्मम्) दायभाग के बटवारे के नियम (सूतम्) जुए का बर्णन (कण्टकानां शोधनम्) चोर, डाकू आदि लोककण्टकों का निवारण, (वैश्यशूद्रोपचारम्) वैश्यशूद्रों के व्यवहार [नवम अध्याय में]; (च) और (संकीर्णानां संभवम्) वर्णसंकरों की उत्पत्ति (वर्णानाम् प्रापद्धर्मम्) वर्णों के आपत्कालीन धर्म [दशम अध्याय में]; तथा (प्रायश्चित्तविधिम्) प्रायश्चित्त करने की विधि [ग्यारहवें अध्याय में]; (च) और (कर्मसंभवं विविधं संसार-गमनम्) कर्मों के आचार पर तीन प्रकार की संसार की गतियाँ (निःश्रेयसम्) मुक्ति-वर्णन (कर्मणां गुणदोषपरीक्षणम्) कर्मों के गुण-दोषों की परीक्षा [द्वादश अध्याय में]; (देशधर्मान्) देश के धर्मों को (शाश्वतान् जातिधर्मान् कुलधर्मान्) सनातन जातिधर्मों एवं कुलधर्मों को (च) और (पाखण्ड्यगणधर्मान्) पाखण्डी लोगों के धर्मों को (मनुः) मनु ने (अस्मिन् शास्त्रे उक्तवान्) इस शास्त्र में कहा है ॥ १११-११८ ।

अनुशीलन : मनुस्मृति की विषयसूची का प्रसंग निम्न 'प्राधारों' के अनुसार प्राप्ति है—

१. प्रसंगविरोध—(१) ये श्लोक पूर्वपर प्रसंगविरुद्ध हैं। यहाँ पूर्व [१०८-११०] और पश्चात् के [१२०-१४४] श्लोकों का प्रसंग धर्मसम्बन्धी है। बीच में ये विषय-सूची

से सम्बद्ध श्लोक उसे भंग कर रहे हैं और इनमें अप्रासंगिक वर्णन है; अतः प्रसंगविरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं। (२) यदि विषयसूची मौलिक होती तो इसे या तो ग्रन्थके प्रारम्भ में होना चाहिए या या अन्त में, बीच में विषयसूची की कोई संगति सिद्ध नहीं होती। यह असंगतता भी इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। (३) इस प्रसंग के १११ वें श्लोक की ११० वें से और ११८ वें की १२० वें से [११६ वां प्रक्षिप्त है] कोई संगति नहीं जुड़ती, जिससे ये प्रसङ्गक्रम से खण्डित लगते हैं, अतएव मौलिक नहीं हैं।

(४) वर्णनक्रम और भाषाशैली से यह प्रसंग पूर्व श्लोकों [६२ से १०७] से जुड़ा हुआ है। १०७ वें श्लोक में विषयसूची प्रारम्भ की थी, पर क्योंकि उसमें आचार शब्द आ गया और १०८—११० श्लोकों में आचार का वर्णन है, अतः उनसे जोड़कर प्रक्षिप्तों की मौलिक सिद्ध करने के लिए उस विषयसूची को १०८—११० श्लोकों के पीछे कर दिया। लेकिन १११ श्लोकों की ११० से श्रुत खला बिस्तुल भी नहीं जुड़ पाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इन १०८—११० श्लोकों का पूर्वापर श्लोकों से कोई सम्बन्ध नहीं है। १११ वें श्लोक के 'च' की अनुवृत्ति उसे १०७ से जोड़ रही है। इस प्रकार यह तथा पूर्व ६२—१०७ श्लोकों का प्रसंग मूल प्रसंगों को खण्डित करके मिलाया हुआ है, अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. विषयविरोध—१। १-५ प्रारंभिक श्लोकों में सृष्ट्युत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करने से और ११४४ समाप्ति सूचक श्लोक के 'एषा बर्गस्य वो धोनिः समासेन प्रकीर्तिता संमवस्थास्य सर्वस्य.....॥' कथन द्वारा यहां श्लोकों का विषय सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति सिद्ध होता है। इस सीमा में इन विषयों से सम्बद्ध श्लोक ही विषयसंगत कहलायेंगे, अन्य विरुद्ध होंगे। १११ से ११८ श्लोकों में मनु द्वारा संकेतित विषयों से असम्बद्ध वर्णन है, अतः ये विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

३. शैलीगत आधार—(१) मनु की यह शैली है कि जब भी वे कोई विषय या प्रसंग प्रारम्भ करते हैं, उसके प्रारम्भ, अन्त या दोनों स्थानों पर उसका संकेत देते हैं। इस विषयसूची के श्लोकों के प्रसंग के प्रारम्भ या अन्त में कोई संकेत नहीं है। इस प्रकार ये मनुकृत नहीं हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

(२) मनुस्मृति की मौलिक शैली 'प्रवचन शैली' है। मनुस्मृति के सभी विषय और प्रसंग इसी शैली में हैं और वे पूर्वापर रूप से जुड़े हुए हैं। इस शैली में विषयसूची का न तो मौलिक रूप से कथन हो सकता है और न कहीं मध्य में उसे अवसर या स्थान की गुंजाइश है। इस प्रकार विषयसूची के कथन का इस शैली से ही तालमेल नहीं खाता। यह 'संकलन के पश्चात् किसी ने मुविधा की दृष्टि से रचकर मिला दी है।

(३) ११८ वें श्लोक में मनुस्मृति के लिए 'शास्त्र' संज्ञा का प्रयोग है। मौलिक रूप से यह प्रयोग व्यवहृत नहीं हो सकता (देखिए—६२—१०७ श्लोकों पर 'शैलीगत आधार' शीर्षक में समीक्षा संख्या—१)। यह इस श्लोक को परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है। इसके प्रक्षिप्त होने से इससे जुड़े हुए शेष सभी श्लोक भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो

जाते हैं इसी प्रकार (४) 'उत्तवान्मनुः' प्रयोग भी यह सिद्ध करता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः मनुकृत न होने से प्रसिप्त है।

४. अन्तर्विरोध—(१) इन श्लोकों में प्रदर्शित विषय-सूची का ग्रन्थ के वर्णन से तालमेल नहीं बैठता। इस प्रकार दोनों में विरोध पाता है—अध्यायक्रम से प्रोक्त विषयों का उल्लेख करके ११८ वें श्लोक में प्रदर्शित विषय—देशों के धर्म, जातियों के धर्म (यदि जाति का अर्थ यहाँ 'वर्ण' लें तो वह भी नहीं बनता, क्योंकि वर्णधर्मों के कथन की चर्चा १०७ वें में आ चुकी), कुलों के धर्म, पाखण्डियों के धर्म, ये इस ग्रन्थ में हैं ही नहीं (२) एक ही विषय के अन्तर्गत आने वाले प्रसंगों को विभिन्न विषयों के रूप में परिगणित किया गया है। जैसे—११५ वें श्लोक में वर्णित 'साक्षिप्रश्नविधान', 'स्त्रीपुरुषधर्म', 'विभागधर्म', 'द्यूत' ये ११४ वें में प्रदर्शित 'कार्यविनिर्णय' के अन्तर्गत ही हैं, पृथक् नहीं हैं। (३) कुछ मुख्य विषयों और प्रसंगों का उल्लेख ही नहीं है, जैसे—प्रथमाध्याय में धर्मोत्पत्ति का, द्वादश अध्याय में त्रिविध गतियों और धर्मनिश्चय विधि का। इस प्रकार ये त्रुटियाँ इस प्रसंग को मौलिक सिद्ध नहीं करतीं।

भृगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन—

यथेवमुक्तवाङ्मयास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया ।

तथेहं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत ॥ ११६ ॥

[महर्षियों से भृगु मुनि कहते हैं—] (यथा) जैसे (पुरा मया पृष्टः मनुः इव शास्त्रम् उक्तवान्) पहले मेरे पूछने पर महर्षि मनु ने मुझे इस शास्त्र का उपदेश किया था (तथा) वैसे ही (अद्य) आज (यूयम् + अपि) आप लोग भी (मत् सकाशात्) मुझ से (निबोधत) सुनो ॥ ११६ ॥

अनुग्राह्यता : प्रसिद्धि के लिये भृगु को मनुस्मृति के साथ जोड़ने के लिए इस श्लोक का प्रक्षेप किया गया है। यह निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रसिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वपर प्रसंग [१०८—११० और १२०—१४४] धर्मसम्बन्धी चल रहा था, उसके बीच में इस कथन की कोई प्रासंगिकता ही नहीं थी। इसमें प्रसंगान्तरित चर्चा है, जिससे वह प्रसंग भंग हो जाता है। अतः प्रसंगविरोध है। (२) श्लोकोक्त कथन का यहाँ वैसे भी कोई प्रसंग नहीं है जिसके आधार पर यह स्पष्टीकरण देना पड़े कि 'पहले मैंने मनु से जैसे सीखी थी, वैसे ही तुम भी इसे सुनो' आदि। यह असंगत कथन ही इसे अप्रासंगिक सिद्ध करता है।

२. विषयविरोध—श्लोकोक्त वर्णन इस अध्याय के विषयों से असम्बद्ध है, अतः विषयविरोध होने से प्रसिप्त है (देखिए ६२—१०७ श्लोकों पर 'विषयविरोध' शीर्षक समीक्षा)।

३. शैलीगत आधार—‘यथेदम् उक्तवाञ्छास्त्रं पुरा पृष्ठो मनुर्मया’ प्रयोग स्पष्टतः मनुकृत न होकर अन्यरचित है। इसी प्रकार मनुस्मृति में मनुस्मृति के लिए ही उक्त ‘शास्त्र’ संज्ञा परवर्ती प्रयोग है। यह भी इसे प्रमाणित सिद्ध करता है। (दृष्टव्य है ६२—१०७ श्लोकों पर ‘शैलीगत आधार’ शीर्षक में समीक्षा संख्या—१)

४. अन्तर्विरोध—(१) मनुस्मृति मनुप्रोक्त ही है, अन्य प्रोक्त नहीं। इस श्लोक में भृगुप्रोक्त कहना उक्त मान्यता के विरुद्ध है (देखिए १।५८—६३ श्लोकों पर ‘अन्तर्विरोध’ शीर्षक पर समीक्षा संख्या—१)। (२) महर्षि लोग आये तो ये मनु से प्रश्न पूछने और वह भी इसलिए कि वे इस विषय के विशेष ज्ञाता हैं [१।१—४] और यहां उत्तर दे रहे हैं—भृगु। यह बेतुकी, परस्पर विरोधी कल्पना है।

धर्मोत्पत्ति विषय

(१।१२० से १४४ तक)

विद्वानों द्वारा सेवित धर्म का वर्णन-प्रारम्भ—

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥१२०॥ [२।१] (५८)

(अद्वेषरागिभिः सद्भिः विद्वद्भिः नित्यं सेवितः) जिसका सेवन रागद्वेषरहित [श्रेष्ठ] विद्वान् लोग नित्य करें (यो हृदयेन + अभ्यनुज्ञातः धर्मः) जिसको हृदय अर्थात् आत्मा से सत्य कर्त्तव्य जाने वही धर्म माननीय और करणीय है । ❀

❀ (तं निबोधत) उसे सुनो ॥ १२० ॥ (सं प्र० २५६)

“जिसको सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वान् अपने हृदय से अनुकूल जानकर सेवन करने हैं, उसी पूर्वोक्त को तुम लोग धर्म जानो ।”

(सं वि० पृ० १८५)

सकामता-अकामता विवेचन—

कामात्मता न प्रशस्ता न च वेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥१२१॥ [२।२] (५९)

(हि) क्योंकि (इह) इस संसार में (कामात्मता) अत्यन्त कामात्मता (च) और (अकामात्मता) निष्कामता (प्रशस्ता न अस्ति) श्रेष्ठ नहीं है। (वेदाधिगमः च वैदिकः कर्मयोगः) वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म (काम्यः) ये सब कामना से ही सिद्ध होते हैं ॥ १२१ ॥ (सं प्र० २५६)

“अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ

नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न हो सकें, इसलिये ।" (स० प्र० ४८)

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः ।

व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ १२२ [२१३] (६०)

जो कोई कहे कि मैं निष्काम हूँ वा हो जाऊँ तो वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि— (सर्वे) सब काम (यज्ञाः व्रतानि यमधर्माः) यज्ञः, सत्य-भाषणादि व्रत, यम-नियम रूपा धर्म आदि (संकल्पजाः) संकल्प ही से बनते हैं (कामः वै) निश्चय से प्रत्येक कामना (संकल्पमूलः) संकल्पमूलक होती है अर्थात् संकल्प से ही प्रत्येक इच्छा उत्पन्न होती है ॥ १२२ ॥

(स० प्र० २५६)

❧ (संकल्पसंभवाः) संकल्प से सम्भव होते हैं (च) और.....

अनुशीलनः : यम और नियम ४। २०४ की समीक्षा में द्रष्टव्य है ।

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यदि कुहते किञ्चित्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ १२३ ॥ [२१४] (६१)

(हि) क्योंकि (यत् यत् किञ्चित् कुहते) जो-जो हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं (तत्तत् कामस्य चेष्टितम्) वे सब कामना ही से चलते हैं । (अकामस्य) जो इच्छा न हो तो ❧ (काचिद् क्रिया) आँख का खोलना और मीचना भी (न दृश्यते) नहीं हो सकता ॥ १२३ ॥ (स० प्र० २५६)

❧ (इह) इस संसार में (कर्हिचित्) कभी भी ।

“मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच, विकास का होना भी सर्वथा असम्भव है । इससे यह सिद्ध होता है कि जो-जो कुछ भी करता है, वह-वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है ।”

(स० प्र० ५२)

तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम् ।

यथा संकल्पिताश्चैव सर्वान्कामान्समश्नुते ॥ १२४ ॥ [२१५] (६२)

(तेषु) उन वेदोक्त कर्मों में (सम्यक् वर्तमानः) अच्छी प्रकार संलग्न व्यक्ति (अमरलोकतां गच्छति) मोक्ष को प्राप्त करता है (च) और (यथा संकल्पितान् सर्वान् एव कामान्) संकल्प की गई सभी कामनाओं को (समश्नुते) भलीभाँति प्राप्त करता है ॥ १२४ ॥

अनुशीलनः : बूलर द्वारा घोषित प्रक्षिप्ता पर विचार—बूलर आदि पाश्चात्य विद्वानों ने १२१ से १२४ श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है । उनकी युक्ति है कि यहाँ सकामता और निष्कामता का कोई प्रसंग नहीं है, अतः ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं ।

उनकी युक्ति मान्य नहीं है, क्योंकि १२५ वें श्लोक में धर्म का लक्षण कहा है और उनमें वेद का सर्वप्रथम एवं प्रमुख स्थान है। 'ये श्लोक अगले श्लोकों की भूमिका के रूप में हैं, १२१ वें श्लोक में जो 'वेदाधिगमः' शब्द का प्रयोग किया है, उससे यह संकेत मिलता है। इस प्रकार इनमें प्रसंगविरोध नहीं आता।

धर्म के मूलस्रोत और आधार—

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥१२५॥ [२।३] (६३)

(अखिलः वेदः) सम्पूर्ण वेद अर्थात् चारों वेद (च) और (तद्विदाम्) उन वेदों के पारंगत [जिन्होंने २।१ से २।२२४ में प्रोक्त विधिपूर्वक वेदाध्ययन किया है] विद्वानों के (स्मृति-शीले) रचे हुए स्मृतिग्रन्थ अर्थात् वेदानुकूल धर्मशास्त्र और श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न स्वभाव (च) और (साधूनाम् एव आचारः) श्रेष्ठ-सत्याचरण करने वाले पुरुषों का 'सदाचरण' (च+एव) और ऐसे ही श्रेष्ठ-सदाचरण वाले व्यक्तियों की (आत्मनः—तुष्टिः) अपनी आत्मा की संतुष्टि एवं प्रसन्नता अर्थात् जिस काम के करने में आत्मा में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न न हो, अपितु सात्त्विक संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव हो, ये चार (धर्ममूलम्) धर्म के मूलस्रोत=उत्पत्ति-स्थान या आधार हैं ॥१२५॥॥

"इसलिये सम्पूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस-जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात् भय, शंका, लज्जा जिसमें न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखो ! जब कोई मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं है।" (स० प्र० २५७)

अनुशीलन : धर्म के चार लक्षणों का स्वरूप—यह श्लोक मनुस्मृति के प्रमुख आधारभूत श्लोकों में से एक है। यहां मनु द्वारा वर्णित धर्म के चार लक्षणों पर मनुक्त मान्यताओं के परिस्प्रेष में विचार किया जाता है तथा उनके स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है—

१. वेद—धर्म के चार मूलस्रोतों या साक्षात् लक्षणों में सर्वप्रथम स्थान वेद

॥[प्रचलित अर्थ—सब वेद, उन्हें (वेदों को) जानने वालों (मनु आदि) की स्मृति और ब्राह्मणत्व आदि तैरह प्रकार के शील या राग-द्वेष-भूयता, महात्माओं का आचरण और अपने मन की प्रसन्नता (जहां धर्मशास्त्रों में अनेक पक्ष कहे गये हैं, वहां जिस पक्ष वाले विधान को स्वीकार करने में अपना मन प्रसन्न हो), ये सब धर्म के मूल हैं।]

का है [१।१२५(२।६)]। चारों वेद धर्मनिर्णय में परमप्रमाण हैं [१।१३२(२।१३)]। इनको श्रुति भी कहा जाता है [१।१३२(२।१३)]। वेद अपौरुषेय अर्थात् ईश्वर-रचित हैं [१।२३।। १२।६६] और इन्हीं के द्वारा संसार की वस्तुओं, धर्मों का प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है [१।२१]। वेद सब सत्य विद्याओं के भण्डार हैं [१।३.२१।। १२।६४, ६७-६९, आदि]। क्योंकि चारों वेद धर्म के प्रथम मूलस्रोत हैं, अतः इनका कुतर्क आदि का सहारा लेकर खण्डन नहीं करना चाहिए [१।१२६(२।१०), १।१३०(२।११)] और इस प्रकार जो वेदों की अवमानना करता है, वह नास्तिक है तथा समाज से बहिष्कार्य है [१।१३०(२।११)]। त्रयीविद्यारूप चारों वेदों—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को 'अखिलवेद' कहा गया है [१।२३।। १।१२६४।। १२।११२]।

२. स्मृति और श्रौत—चारों वेदों के ज्ञाता विद्वानों द्वारा रचित स्मृतियाँ और उनका श्रेष्ठ गुणसम्पन्न स्वभाव, धर्म का दूसरा मूलस्रोत है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहते हैं [१।१२६(२।१०)]। जिन विद्वानों ने पूर्ण ब्रह्मचर्य और धर्मपालन पूर्वक साङ्गोपाङ्ग वेदों का अध्ययन-मनन किया है, वही प्रामाणिक धर्म-शास्त्र के प्रणेता हो सकते हैं तथा वही धर्म-विषयक संशय में प्रमाण हैं, अन्य नहीं—

अनास्मात्तेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद् भवेत् ।

यं शिष्टा ब्राह्मणाः ब्रूयुः स धर्मः स्यादशंकितः ॥१२।१०८॥

धर्मोत्पाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणाः ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥१२।१०९॥

स्मृतियाँ वेदानुकूल होने पर ही प्रामाणिक हैं, इसी प्रकार स्वभाव भी। वेद विरुद्ध स्मृतियाँ अमान्य हैं [१२।१०६।। १२।६४]।

३. सदाचार—धर्म का तीसरा मूलस्रोत 'सदाचार' है। श्लोक के पूर्व पदों में उक्त भाव के अध्याहार और निम्नलिखित प्रमाणों से यह सिद्ध है कि 'वेदवेत्ता विद्वानों का 'श्रेष्ठ-सत्याचरण' ही 'सदाचार' है। क्योंकि धर्म के दूसरे लक्षण में वेदवेत्ताओं के स्वभाव को ही धर्म का स्रोत माना है। स्वभावानुसारी आचरण होता है। इस प्रकार यह भी वेदवेत्ताओं का होना चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं मनु ने की है। १।१३६ (२।१७) में दिव्यगुणों से युक्त विद्वानों द्वारा सुशोभित देश को 'ब्रह्मावर्त' कहा है। उस देश में रहने वाले उन विद्वानों के आचरण को ही 'सदाचार' माना है [१।१३७(२।१८)]। उन्हीं से समस्त शिक्षाएं ग्रहण करने का कथन है [१।१३६(२।२०)]। १।१२० में भी रागद्वेष से रहित सदाचारी विद्वानों द्वारा मेधित और उन द्वारा हृदय से मान्य आचरण को धर्म माना है। वेदों में अपारङ्गत विद्वानों का आचरण 'सदाचार' नहीं कहा जा सकता।

४. 'आत्मनः शुष्टि' और 'स्वस्य-आत्मनः प्रियम्' का स्पष्टीकरण—धर्म का चौथा मूलस्रोत 'आत्मा की संतुष्टि' और 'अपनी आत्मा का प्रिय' कार्य है। इस स्रोत की स्पष्ट परिभाषा विचारणीय है। यहां प्रश्न उठता है कि सभी व्यक्तियों की

आत्मा का प्रिय कार्य धर्म है अथवा एक स्तर विशेष की सीमा तक के व्यक्तियों की आत्मा का प्रिय कार्य ? उत्तर में निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि हर किसी की आत्मा का प्रिय कार्य धर्म नहीं, अपितु वेदानुकूल आचरण वाले सद्गुणसम्पन्न, धार्मिक, पवित्रात्मा विद्वानों की उनकी अपनी आत्मा की संतुष्टि, प्रसन्नता और प्रियता के अनुकूल जो कार्य है, वही धर्म है। हर किसी के प्रिय को धर्म मानने में निम्न आपत्तियाँ आती हैं—

(क) चारों धर्म के स्रोतों की उच्चता, गम्भीरता का स्तर समानप्रायः होना चाहिए। यह नहीं कि एक अत्युन्नत स्तर का हो और एक निम्नतम। एक और वेद धर्म के स्रोत हैं और दूसरी ओर हर किसी की आत्मा ही प्रमाण है। इस प्रकार तो व्यक्तियों की संख्या के अनुसार आत्मा के प्रिय कार्य भी पृथक्-पृथक् हो जायेंगे।

(ख) अगर यह कहें कि 'आत्मा की प्रसन्नता' का अभिप्राय यह है कि 'मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कष्ट दे तो मुझे भी औरों के साथ कष्टदायक व्यवहार नहीं करना चाहिए।' तो यह बात उन व्यवहारों में तो लागू हो जाती है जिनमें भय, शङ्का, लज्जा, पीड़ा का सम्बन्ध है, अन्य व्यवहारों में नहीं। इसमें अव्याप्ति-दोष आता है। जैसे कोई व्यक्ति संध्योपासन, अग्निहोत्र, विद्याप्राप्ति, शुद्धि आदि कर्त्तव्यपालन नहीं करता और अतिइन्द्रियासवित, ग्रन्थविश्वास, ग्रन्थमान्यता आदि से ग्रस्त है, तो वह चाहेगा कि मैं इन बातों के संदर्भ में किसी को कुछ नहीं कहता, तो दूसरे मुझे भी न कहें। दूसरों के कहने से वह पीड़ा का अनुभव करेगा; जब कि धर्मविहित बात अवश्य कथनीय और पालनीय होती है। उनको दण्डपूर्वक भी कराने का विधान है।

(ग) इसी प्रकार जो दुष्टसंस्कारी, राक्षससंस्कारी, तमोगुणी प्राणी हैं, बाल्य-काल से ही जो जीवहत्या, मांस-भक्षण आदि कार्य करते आ रहे हैं, उनमें इन कार्यों के प्रति भय, शङ्का, लज्जा की अनुभूति दृष्टिगोचर नहीं होती। अतः उनकी 'आत्मा के प्रिय' को धर्म नहीं माना जा सकता।

इन आपत्तियों के होने से यह कहा जा सकता है कि सभी की आत्मा का प्रिय धर्म नहीं, अपितु सद्गुणसम्पन्न, धार्मिक, पुण्यात्मा विद्वानों की आत्मा के प्रिय कार्य ही धर्म हैं। इसकी पुष्टि में निम्न प्रमाण उल्लेखनीय हैं—

(घ) मनु ने धर्मकथन में अविद्वानों को प्रमाण नहीं माना, अपितु उनको मानने से हानि की आशङ्का प्रकट की है, केवल विशेषस्तर के विद्वानों को ही प्रमाण माना है [१२।११३-११५]। अतः अविद्वानों की आत्मा का प्रिय कार्य धर्म का लक्षण नहीं हो सकता।

(ङ) मनु ने प्रत्येक बात में वेदानुकूलता को ही धर्म में प्रमाण माना है, अन्य को नहीं [१।१२७ (२।८), १।१२८ (२।९)॥ १।१६४]। इस प्रकार वेदानुकूलता से हीन 'आत्मा के प्रिय कार्य' धर्म के लक्षण नहीं हो सकते।

(च) यह भी उत्प्रेक्षनीय तथ्य है कि मनु ने जहां-जहां आत्मा की संतुष्टि की बातें कही हैं, वे द्विजों के कर्त्तव्यों के प्रसङ्ग में कही हैं; उनसे भिन्न निम्नस्तरीय व्यक्तियों के लिए नहीं। मनु की व्यवस्था के अनुसार द्विजों की विद्वान्, धर्मात्मा, और सद्गुण-सम्पन्न अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार भी इस शब्द से व्याख्या से, उक्त अर्थ पुष्ट होता है।

(छ) आत्मा का प्रिय क्या है?—जिस कार्य में आत्मा को भय, शङ्का, लज्जा का अनुभव नहीं होता, ऐसे कर्म ही वस्तुतः आत्मा के प्रसन्नताकारक कर्म हैं। इससे भिन्न कर्म 'आत्मा के प्रिय' नहीं कहे जा सकते [८।६६]। और ऐसे कर्म केवल सात्त्विक कर्म हैं, देखिए १२।२७, ३७ श्लोक। इनसे विपरीत रजोगुणी और तमोगुणी कार्य आत्मा में प्रसन्नता नहीं करते [१२।३३, ३५]। यदि प्रसन्नता अनुभव होती है तो वह वास्तविक नहीं है। मनु ने स्वयं स्पष्ट करते हुए कहा है—

(अ) "सत्त्वस्य सश्रमं धर्मः" ॥ १२।३८॥

वे सतोगुण निम्न हैं—

वेदाम्यासस्तपोज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः :

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ १२।३९॥

इस प्रमाणयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि सतोगुणी कार्यों से ही 'आत्मा की प्रसन्नता या संतुष्टि' होती है। सतोगुणी व्यक्तियों की प्रसन्नता ही धर्म का लक्षण हो सकता है। अतः श्लोकोक्त अर्थ ही अनुसम्मत है।

५. यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वेद से उत्तरवर्ती सभी धर्म-स्रोतों में वेदानुकूलता का होना मनु ने अनिवार्य माना है। मनु ने प्रत्येक धर्म को श्रुतिप्रामाण्य के आधार पर ग्रहण करना विहित किया है—

सर्वं तु सप्रवेद्येवं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वे ॥ १।१२७(२।८)

६. 'धर्म क्या है' इसके ज्ञान के लिए १।२ की समीक्षा देखिए।

[इन सभी बातों पर विस्तृत विवेचन 'मनुस्मृति-अनुशीलन' में भी द्रष्टव्य है]।

वेद सर्वज्ञानमय—

यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ १२६ ॥ [२।७]

(यः कश्चित् कस्यचिद् धर्मः) जो किसी का कोई धर्म (मनुना परिकीर्तितः) मनु ने कहा है (सः सर्वः) वह सब (वेदे अभिहितः) वेद में कहा हुआ है (हि) यतो हि (सः) वह वेदज्ञान (सर्वज्ञानमयः) सब प्रकार के ज्ञान से युक्त है ॥ १२६ ॥

अनुशीलन : १२६ वां श्लोक निम्न 'आधारों' पर प्रसिप्त है—

१. शैलीगत आधार—(१) मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई ग्रन्थ या शास्त्र के रूप में नहीं थी। इसकी प्रवचनशैली इसे मौलिक रूप से प्रवचनों के रूप में ही सिद्ध करती है। इस श्लोक में भूतकालिक क्रिया के प्रयोग से इसे मूलतः एक ग्रन्थ या शास्त्र के रूप में इंगित किया है। स्पष्ट है कि प्रवचनों के संकलन के पश्चात् मनुस्मृति के 'संकलन' रूप में निबद्ध होने पर ही यह प्रशंसात्मक श्लोक बनाकर डाला गया है, अतः प्रक्षिप्त है। (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १। ५८—५९ श्लोकों पर 'शैलीगत आधार' शीर्षक में संख्या—१ में देखिए) (२) १२६ वें श्लोक में 'अनुना परिकीर्तितः' प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः प्रक्षिप्त है।

२. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है। पूर्वापर श्लोकों में धर्म के मूल का कथन और स्पष्टीकरण है। १२५ वें में धर्म के मूल बतलाये थे फिर १२७—१२९ में उन स्रोतों को ग्रहण करने का कथन और विवेचन है। बीच में इस श्लोक से उनका क्रम भंग हो रहा है, अतः प्रसंगविरुद्ध है। (२) १२६ वें में कहा है कि मनु ने 'जो भी जिसका धर्म कहा है' लेकिन अभी तक धर्म कोई नहीं कहा है। उक्त कथन या तो सभी धर्मों के कहे जाने के पश्चात् प्रासंगिक कहा जा सकता है या धर्म-कथन के प्रसंग के प्रारम्भ में। यहाँ इन दोनों में से कोई प्रसंग नहीं है। धर्मों के कथन का प्रसंग १। १४४ में 'वर्णधर्मान्निबोधत' कहने के अनन्तर २। १ से शुरू होता है। उसके पूर्व ही भूतकालिक प्रयोग असंगत है। इस प्रकार यह श्लोक अप्रासंगिक होने से प्रक्षिप्त है। आत्मानुकूल धर्म का ग्रहण—

सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मं निविशेत् वै ॥ १२७ ॥ [२।८] (६४)

(विद्वान्) [विद्वान्] मनुष्य (इदं सर्वं तु निखिलं समवेक्ष्य) सम्पूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध विचार कर [१। १२५ में वर्णित] (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञान नेत्र करके (श्रुतिप्रामाण्यतः) श्रुतिप्रमाण से (स्वधर्मं वै निविशेत्) स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ १२७ ॥

(स० प्र० २५६)

श्रुति-स्मृति-प्रोक्त धर्म के अनुष्ठान का फल—

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्नि मानवः।

इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्यः पानुत्तमं सुखम् ॥ १२८ ॥ [२।९] (६५)

(हि) क्योंकि (मानवः) जो मनुष्य (श्रुति-स्मृति-उदितम्) वेदोक्त धर्म और जो वेद में अविरुद्ध स्मृत्युक्त (धर्मम् + अनुतिष्ठन्) धर्म का अनुष्ठान करता है, वह (इह कीर्तिं च प्रेत्य अनुत्तमं सुखम्) इस लोक में कीर्ति और मरके सर्वोत्तम सुख को (अवाप्नोति) प्राप्त होता है ॥ १२८ ॥

(स० प्र० २५७)

श्रुति और स्मृति का परिचय —

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निबन्धौ ॥१२१॥ [२।१०] (६६)

(श्रुतिः तु वेदः विज्ञेयः) श्रुति को वेद समझना चाहिए, और (धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः) धर्मशास्त्र को स्मृति समझना चाहिए (ते) ये श्रुति और स्मृति शास्त्र (सर्वार्थेषु) सब स्थितियों और सब बातों में (अमीमांस्ये) कुतर्क न करने योग्य हैं अर्थात् इनमें प्रतिपादित बातों का कुतर्क का सहारा लेकर खण्डन नहीं करना चाहिए, [इस अर्थ की पुष्टि अगले १३० वें श्लोक की शब्दावली से होती है, देखिए उसका अर्थ], (हि) क्योंकि (ताभ्याम्) उन दोनों प्रकार के शास्त्रों से (धर्मः) धर्म (निबन्धौ) उत्पन्न हुआ है ॥ १२१ ॥

अनुष्ठीतम् : वेद और श्रुति नाम के कारण—वेदों के, वेद और श्रुति ये दो नाम क्यों पड़े, इसके उत्तर में महर्षि दयानन्द लिखते हैं—

“(प्रश्न) वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्यों हुए हैं ?

(उत्तर) अर्थ भेद से, क्योंकि एक विद् धातु आनायक है, दूसरी विद् धातु सत्तायक है, तीसरे विद् लु का लाभ अर्थ है, चौथे विद् का अर्थ विचार है । इन चार धातुओं से करण और अधिकरण कारक में ‘घञ्’ प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है । तथा (श्रु) धातु श्रवण अर्थ में है । जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिनको पढ़के विद्वान् होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक-ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋक् संहिता आदि का वेद नाम है । वैसे ही सृष्टि के आरम्भ से आज पर्यन्त और ब्रह्मा आदि से लेके हम लोग पर्यन्त जिससे सब सत्यविद्याओं को सुनते आते हैं, इससे वेदों का नाम श्रुति पड़ा है ।”

(ऋ० भू० २०-२१)

‘जैसे छन्द और मन्त्र ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात् संहिता भाग के नाम हैं, वैसे ही निगम और श्रुति भी वेदों के नाम हैं ।’ (ऋ० भू० ७६)

श्रुति-स्मृति का अपमान करने वाला नास्तिक है—

योऽब्रमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राध्याद् द्विजः ।

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १३० ॥ [२।११] (६७)

(यः द्विजः) जो कोई मनुष्य (ते मूले) वेद और वेदानुकूल प्राप्त-ग्रन्थों का (हेतुशास्त्राध्यात्) तर्कशास्त्र के आश्रय से (अब्रमन्येत) अपमान करे (सः) उसको (साधुभिः बहिष्कार्यः) श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य कर दें, क्योंकि (वेदनिन्दकः) जो वेद की निन्दा करता है (नास्तिकः) वही नास्तिक कहाता है ॥ १३० ॥ (स० प्र० २५६)

“जो तर्कशास्त्र के आश्रय से वेद और धर्मशास्त्र का अपमान करता अर्थात् वेद से विरुद्ध स्वार्थ का आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है कि उसको अपनी मण्डली से निकालके बाहर कर दें, क्योंकि वह वेदनिन्दक होने से नास्तिक है।” (१० ल० वे० ख० ४८)

“जो वेद और वेदानुकूल प्राप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिये” (स० प्र० ५३)

अनुशीलन : ‘तर्क’ शब्द का विवेचन— श्लोक १२६ और १३० में मनु ने वेदों और वेदवेत्ता व वेदानुसारी आचरण वाले ऋषियों द्वारा प्रणीत धर्मशास्त्रों को ‘तर्कशास्त्र का सहारा लेकर अपमान न करने योग्य’ कहा है। यहाँ तर्क से अभिप्राय ‘उचित तर्क’ से नहीं, अपितु ‘कुतर्क’ से है। यह बात निम्न प्रमाणों से स्पष्ट होती है—

(क) मनु ने ‘अवमन्येत’ क्रिया का प्रयोग किया है, जिससे उनका भाव यह है कि तर्कशास्त्र की आड़ लेकर कुतर्क से उनका अपमान न करे।

(ख) कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं, जैसे-ईश्वररचित जगत् की प्रलयावस्था मनुष्य बुद्धि से ‘अप्रतर्क्य’ है अर्थात् बुद्धिगम्य नहीं है [१।५]। इसी प्रकार ईश्वर-प्रदत्त वेदज्ञान भी ‘अचिन्त्य’, ‘अप्रमेय’ ‘अप्रतर्क्य’ अर्थात् मनुष्य-बुद्धि द्वारा पूर्णतः बुद्धिगम्य नहीं है [१।३, २१, २३]। मनु उसे पूर्णतः तर्कानुकूल अर्थात् युक्तिसंगत मानते हैं, अतः वेदज्ञान पर तर्क करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि कोई उसका खण्डन करता है, तो वह कुतर्क ही करता है।

(ग) मनु और अन्य शास्त्र भी तर्क को धर्म निश्चय में प्रमाण मानते हैं। शास्त्रों ने तर्क को एक ऋषि का रूप दिया है। किन्तु तर्क करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, यह भी निर्धारित कर दिया है। तत्त्वज्ञानी शास्त्रवेत्ता व्यक्ति ही तर्क करने की योग्यता रखते हैं, अन्य नहीं। मनु कहते हैं कि तर्क से धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। साथ ही तर्क के योग्य कौन व्यक्ति हैं, यह भी स्पष्ट करते हैं—

(घ) प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् ।

त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ १२। १०५ ॥

(ङ) आद्यं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिनः ।

यस्तर्कैरानुसंधत्ते सः धर्मं वेद नेतरः ॥ १२। १०६ ॥

(च) त्रैविद्यो हेतुकस्तर्कोऽपि परिषद् स्याद्दशावरा ॥ १२। १११ ॥

(छ) निरुक्तशास्त्र में तर्क को ऋषि के रूप में वर्णित करते हैं। उसके द्वारा वेदमन्त्रार्थों का निश्चय बतलाया है। लेकिन वहीं मनु वाली मान्यता भी स्पष्ट कर दी है कि अतपस्वी, अनृषि और अल्पविद्या वाले लोग तर्क की योग्यता नहीं रखते—

‘अपि अतितोऽपि तर्कतः, न तु पृथक्त्वेन जगन्ना निर्धनतव्यः, प्रकरणाशः एव तु

निर्वक्तव्याः मह्येषु प्रत्यक्षमस्त्यनूचेरतपसो वा । पारोवर्यचित्सु तु ससु वेदितृषु मूयो-
विद्यः प्रशस्यो भवति' इत्युक्तं पुरस्तात् ।

मनुष्या वा ऋषिभूतकामस्तु वेदानब्रह्म, को न ऋषिर्भविष्यतीति ? तस्य कृतं
तर्कमपि प्रायश्चिन् सन्मार्गचित्ताम्पूहमम्पूहम् । (परिशिष्ट ११।१३)

इस आधार पर उपर्युक्त योग्यताओं से रहित व्यक्ति को मनु और शास्त्र तर्क
करने के अयोग्य मानते हैं । विशेषरूप से वेद और वेदानुकूल शास्त्रों के सन्दर्भ में । इसी
आणय से इन श्लोकों में वेदादि को अमीमांस्य और तर्क से अनवमाननीय कहा है ।

धर्म के चार आधाररूप लक्षण—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥१३॥ [२।१२] (६८)

“(वेदः स्मृतिः सदाचारः) वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचरण (च)
और (स्वस्य आत्मनः प्रियम्), अपने आत्मा के ज्ञान से अविरोध प्रियाचरण
(एतत् चतुर्विधं धर्मस्य लक्षणम्) ये चार धर्म के लक्षण हैं अर्थात् इन्हीं से
धर्म लक्षित होता है” ॥ १३१ ॥ (स० प्र० २५७)

❀ (साक्षात्) सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष कराने वाले.....

“श्रुति—वेद, स्मृति—वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र,
सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात् वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म
और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य-
भाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता
है । जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्याग रूप
आचार है, उसी का नाम धर्म और इसके विपरीत जो पक्षपातसहित
अन्यायाचरण, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कर्म है, उसी को
अधर्म कहते हैं” (स० प्र० ५३)

अनुयायित्वम्—(क) धर्म एवं धर्म के मूलस्रोतों पर प्रामाणिक विस्तृत
विवेचन १।१२५ पर द्रष्टव्य है ।

(ख) ऋषि दयानन्द ने धर्म की व्याख्या दार्शनिक आधार ग्रहण करके निम्न
प्रकार दी है—

(अ) यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । (वैशे० १।१।२)

जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस अर्थात् मोक्ष-सुख
की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है ।”

(आ) जोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः । (पू० मी० १।१।२) नोट

‘(घोदना०) ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की आज्ञा दी है, वही धर्म और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह अधर्म कहता है। परन्तु वह धर्म अर्थयुक्त अर्थात् अधर्म का आचरण जो अनर्थ है, उससे अलग होता है। इससे धर्म का ही जो आचरण करना है वही मनुष्यों में मनुष्यपन है। (ऋ० भू० ११५)

धर्मजिज्ञासा में श्रुति परमप्रमाण और धर्मज्ञान के पात्र—

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१३२॥ [२।१३] (६६)

(अर्थकामेषु + असक्तानाम्) जो पुरुष अर्थ—सुवर्णादि रत्न और काम—स्त्री सेवनादि में नहीं फंसे हैं (धर्मज्ञानं विधीयते) उन्हीं को धर्म का ज्ञान होता है (धर्मजिज्ञासमानाम्) जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें, वे (प्रमाणं परमं श्रुतिः) वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म-अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक-ठीक नहीं होता ॥ १३२ ॥ (स० प्र० ५३)

“परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात् विषय-सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है।” (स० प्र० २५७)

“धर्मशास्त्र में कहा है कि—‘अर्थ और काम में जो आसक्त नहीं, उनके लिये धर्मज्ञान का विधान है।’ (द० ल० वे० ख० ६)

“जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। धर्म के जिज्ञासुओं के लिए परम प्रमाण वेद है।”

वेदोक्त सब विधान धर्म हैं—

(पू० प्र० १०५)

श्रुतिद्वयं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ ।

उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥१३३॥ [२।१४] (७०)

(यत्र तु श्रुतिद्वयं स्यात्) जहाँ कहीं श्रुति = वेद में दो पृथक् आदेश विहित हों (तत्र) ऐसे स्थलों पर (उभौ) वे दोनों ही विधान (धर्मौ स्मृतौ) धर्म माने हैं (मनीषिभिः) मनीषी विद्वानों ने (तौ उभौ अपि सम्यक् धर्मौ उक्तौ) उन दोनों को ही श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया है ॥ १३३ ॥

उदितेऽनुविते चैव समयाध्युषिते तथा ।

सर्वथा वर्तते यत्र इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥१३४॥ [२।१५] (७१)

(उदिते) सूर्योदय के समय (अनुदिते) और सूर्यास्त के समय (तथा) तथा (समयाध्युषिते) समय के अतिक्रमण हो जाने पर अर्थात् प्रत्येक समय अथवा किसी भी निर्धारित किये समय में [जैसे विशेष उपलक्ष्य में

आयोजित यज्ञ] (सर्वथा यज्ञः वर्तते) सब स्थितियों में यज्ञ कर लेना चाहिए (इति इयं वैदिकी श्रुतिः) इस प्रकार ये तीनों ही धर्म हैं, ऐसी वैदिक मान्यता है ॥ १३४ ॥

अनुशीलनः अर्थभेद-एक मत के अनुसार यहाँ प्रातः के तीन यज्ञसमयों का विकल्प है - 'उदिते' = सूर्योदय होने पर, 'अनुदिते' = सूर्योदय से पूर्व नक्षत्र दीखने तक, 'समाप्याधुषिते' = नक्षत्रदर्शन बन्द होने से सूर्यदर्शन से पूर्व तक । ऐसा अर्थ करने पर सायंकाल का परिगणन नहीं होता । इस टीका का अर्थ ही व्यापक एवं पूर्ण है ।

इस शास्त्र के पढ़ने के अधिकारी—

निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ।

तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥ १३५ ॥ [२।१६]

(निषेक + प्रादि + श्मशानान्तः) गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टिपर्यन्त (मन्त्रैः + यस्य विधिः उदितः) मन्त्रपूर्वक जिसके लिए विधियाँ कही गई हैं (तस्य) उसी अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का (अस्मिन् शास्त्रे अधिकारः ज्ञेयः) इस मनुस्मृति शास्त्र में अधिकार समझना चाहिए (अन्यस्य कस्यचित् न) अन्य किसी [शूद्र आदि] का नहीं ॥ १३५ ॥

“मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिए निषेक अर्थात् गर्भाधान से लेके श्मशानान्त अर्थात् अन्त्येष्टि मृत्यु के पश्चात् मृतक शरीर का विधिपूर्वक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं ।” (स० वि० २७)

अनुशीलनः : यह श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) यह पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है । यहाँ पूर्वापर प्रसंग धर्म के लक्षण और उनके विवेचन का चल रहा था । १२७—१३४ में ग्रन्थ लक्षणों का विवेचन करके १३६-१३७ में अवशिष्ट 'सदाचार' का विवेचन किया है । इस धर्म के चार लक्षणों के विवेचन के प्रसंग को इस श्लोक ने भंग कर दिया है और बीच में अप्रासंगिक रूप से शास्त्र के अधिकार का वर्णन किया है । पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने के कारण यह प्रक्षिप्त है । (२) यदि यह श्लोक मौलिक होता तो स्थान की दृष्टि से इसे या तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होना चाहिए था अथवा अन्त में । इस कथन की यहाँ बीच में कोई संगति सिद्ध नहीं होती । इसलिए भी यह असंगत एवं प्रक्षिप्त है ।

२. शैलीगत आधार—मौलिक रूप में मनुस्मृति में मनुस्मृतिके ही लिए 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता । इस संज्ञा का व्यवहार मनुस्मृतिके 'संकलन' रूप में निबद्ध होने के पश्चात् किया गया है (विस्तारपूर्वक विवेचन के लिये देखिये १।५८-५९ श्लोकों पर 'शैलीगत आधार' शीर्षक समीक्षा) इस दृष्टि से यह श्लोक परवर्ती है, मौलिक नहीं, अतः प्रक्षिप्त है ।

३. विषयविरोध—१।४-५ और १।१४४ 'संकेतक' श्लोकों के अनुसार यह धर्मोत्पत्ति का विषय प्रक्षिप्त है इससे सम्बद्ध श्लोक ही यहाँ विषयसंगत कहलायेंगे, अन्य

असंगत होंगे। इस विषयक्षेत्र में शास्त्र के अधिकार का कथन विषयविरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।

ब्रह्मावर्त देश की सीमा—

सरस्वतीदृषद्वत्योर्बनद्योर्बन्तरम् ।

तं देवनिमित्तं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ १३६ ॥ [२। १७] (७२)

(देवनद्योः सरस्वती-दृषद्वत्योः) देव अर्थात् दिव्यगुण और दिव्य आचरण वाले विद्वानों के निवास से युक्त सरस्वती और दृषद्वती नदी-प्रदेशों के (यत् + अन्तरम्) जो बीच का स्थान है (तम्) उस (देवनिमित्तम्-देशम्) दिव्यगुण एवं आचरण वाले विद्वानों द्वारा बसाये और निवास से सुशोभित देश को ('ब्रह्मावर्तम्' प्रचक्षते) 'ब्रह्मावर्त' कहा जाता है ॥ १३६ ॥

[देव शब्द का 'दिव्यगुण और आचरण युक्त विद्वान्' शास्त्रप्रसिद्ध अर्थ है। अधिक जानकारी के लिए ३। ८२ पर 'देव' विषयक समीक्षा देखिए] !

महर्षि दयानन्द ने ब्रह्मावर्त के स्थान पर आर्यावर्त पाठ ग्रहण करके निम्न व्याख्या दी है—

“(देवनद्योः सरस्वती-दृषद्वत्योः) देवनदियों—देव अर्थात् विद्वानों के संग से युक्त सरस्वती और दृषद्वती नदियों, उनमें सरस्वती नदी जो पश्चिम प्रान्त में वर्तमान उत्तर देश से दक्षिण समुद्र में गिरती है, जिसे सिन्धु नदी कहा जाता है और पूर्व में जो उत्तर से दक्षिण देशीय समुद्र में गिरती है, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं; इन दोनों नदियों के (यत् अन्तरम्) बीच (देवनिमित्तम्) विद्वानों आयों द्वारा सुशोभित (देशम्) स्थान (आर्यावर्तं प्रचक्षते) 'आर्यावर्त' कहलाता है” ॥ १३६ ॥ ऋ० दया० पत्र वि० पृ० ६६—दिन्दी में अनूदित)

उन्होंने सत्यार्थप्रकाश में इस श्लोक के साथ १४१वां या २। २२वां श्लोक संयुक्त करके उसकी व्याख्या इस प्रकार की है—‘उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृषद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकलके बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसकी ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकलके दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है। हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर

जितने देश हैं उन सबको आर्यावर्त्त इसलिए कहते हैं कि यह आर्यावर्त्त देव अर्थात् विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्त्त कहाया है ।' (पृ० २२४)

सदाचार का लक्षण—

तस्मिन्देसो य आचारः पारंपर्यक्रमागतः ।

वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१३७॥ [२।१८] (७३)

(तस्मिन् देशे) उस ब्रह्मावत्त देश में (वर्णानां सान्तरालानां पारम्पर्य-क्रमागतः यः आचारः) वर्णों और आश्रमों का जो परम्परागत अर्थात् वेदों के प्रारम्भ से लेकर उत्तरोत्तर क्रम से पालित जो आचार है । (सः) वह (सदाचारः+उच्यते) सदाचार कहलाता है ॥ १३७ ॥ ❀

अनुशीलन : सान्तरालानाम् का संगत अर्थ—(१) इस श्लोक में टीकाकारों ने 'सान्तरालानाम्' पद का 'वर्णसंकर या संकीर्ण जातियां' अर्थ प्रयुक्त एवं मनुविरुद्ध किया है । यहां परम्परागत आचार को 'सदाचार' के रूप में परिभाषित किया है, जब कि वर्णसंकरों के आचार को मनुस्मृति में 'सदाचार' के अन्तर्गत ही नहीं माना, प्रत्युत निन्द्य आचार कहा है [१०।५-७३] । अतः यहां इस पद का अर्थ 'आश्रम' ही करना चाहिए । मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय वर्णों और आश्रमों के धर्मों का वर्णन करना है, वही प्रतिपादित है । प्रतिपाद्य विषय से भिन्न विषय को लक्षण के अन्तर्गत ग्रहण करने की कोई संगति भी सिद्ध नहीं होती । इस दृष्टि से भी 'आश्रम' अर्थ ही उपयुक्त है । १।२ श्लोक में प्रयुक्त 'अन्तरप्रभवाणाम्' पद भी 'आश्रम' अर्थ का पोषक है और पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुआ है (विशेष जानकारी के लिए १।२ पर 'अनुशीलन' देखिए) ।

(२) 'पारंपर्यक्रम' से अभिप्राय—यहां परम्परागत से अभिप्राय 'सृष्टि-प्रारम्भ में वेदों के विधानों से प्रचलित आचरण' से है क्योंकि वर्णों-आश्रमों की परम्परा और किसी से प्रारम्भ नहीं हुई अपितु वेदों से ही हुई है [१।२३, ३१] वेदों से ही वर्ण-व्यवस्था, नामकरण आदि किये गये [१।२१, ८७] ऐसी मनु की मान्यता है । इसकी पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि मनु वेदविहित आचरण को ही 'सदाचार मानते हैं [४।१५५, १।१०८ आदि]

ब्रह्मविदेश की सीमा—

कुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः ।

एष ब्रह्मविदेशो वै ब्रह्मावर्तश्चिन्तितः ॥ १३८ ॥ [२।१९]

❀ [प्रचलित अर्थ—उस देश में ब्राह्मण आदि और अम्बष्ठ रथकार आदि वर्ण संकर जातियों का कुलपरम्परागत जो आचार है, वही 'सदाचार' कहा जाता है ॥ १३७ ॥ (२।१८) ।]

(कुरुक्षेत्र मत्स्याः पञ्चालाः च शूरसेनकाः) कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और शूर-
सेनक (एषः) इनको मिलाकर बना (ब्रह्मावर्तात् + अनन्तरः) ब्रह्मावर्त से मिला हुआ
(ब्रह्मविदेशः) 'ब्रह्मवि देश' है ॥ १३८ ॥

अनुध्यातव्य : यह श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध — (१) यह श्लोक प्रचलित पूर्वापर प्रसंग को भंग करके मिलाया गया है। इसका प्रसंगविरोध अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। धर्म के लक्षणों का विवेचन करते हुए १३६ वें श्लोक में 'सदाचार' का विवेचन प्रारम्भ किया है। पहले १३६ वें श्लोक में 'सदाचार' के आधारभूत देश ब्रह्मावर्त की सीमा बतलायी और फिर १३७ में उस देश के निवासी वर्णों और आश्रमस्थों के परम्परागत आचरण को 'सदा-चार' के रूप में प्रमाण माना। इसी बात को १३८ वें में पूर्ण किया है। चूंकि इस देश में रहने वाले ब्राह्मणों का चरित्र आदर्श है, अतः उनसे सब लोग अपना-अपना चरित्र सीखें। इन तीनों श्लोकों के वाक्य परस्पर जुड़े हुए हैं और वह 'सदाचार' की चर्चा भी १३६ वें में आकर पूर्ण होती है। इस श्लोक ने उस चर्चा के क्रम को भंग कर दिया है और सदा-चार के विवेचन में पृथक् देश की सीमा का अप्रासंगिक कथन किया है। (२) इस श्लोक के आने से 'सदाचार' का विवेचन अव्यवस्थित हो गया। १३६ वें में सदाचार के आधार स्थान की सीमा वर्णित की और १३७ वें में उसे सदाचार माना। अब, जिसे सदाचार माना है उसी को सीखने का कथन होना चाहिए, किन्तु १३८ में ब्रह्मवि देश का वर्णन आ गया और फिर यह कहा गया कि इस देश के ब्राह्मणों से चरित्र की शिक्षा लें। 'सदाचार' तो ब्रह्मावर्त के निवासियों का आचरण हुआ, किन्तु शिक्षा ब्रह्मवि देश वालों से; यह वेतुकी बात हो गई। इस प्रकार इस श्लोक से विवेचन अस्त-व्यस्त हो गया है। अतः यह श्लोक मौलिक नहीं है।

२. विषय-विरुद्ध—१२० वें (२।१) में विषय का प्रारम्भ करते हुए उसका संकेत भी दिया है कि—'यो धर्मः तं निबोधत' अर्थात् 'धर्म के विषय में सुनो। १४४ वें [२।२२५] में इस विषय की समाप्ति का संकेत है—'एषा धर्मस्य यो योनिः समासेन प्रकीर्तितः।' ब्रह्मावर्त की सीमा का वर्णन तो 'सदाचार' नामक धर्म के लक्षण के विषय को परिभाषित करने के लिये किया गया है। अतः विषयसंगत है। किन्तु धर्म के विषय के अन्तर्गत किसी देश की सीमा को प्रदर्शित करना विषयान्तर बात है, अतः यह श्लोक विषयविरुद्ध है।

सारे संसार के लोग ब्रह्मावर्त के विद्वानों से चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥१३९॥[२।२०](७४)

(एतद् देशप्रसूतस्य) इसी ब्रह्मावर्त देश [१३६—१३७] में उत्पन्न हुए (अग्रजन्मनः सकाशात्) ब्राह्मणों=विद्वानों के सान्निध्य से (पृथिव्यां-

सर्वमानवाः) पृथिवी पर रहने वाले सब मनुष्य (स्वं स्वं) अपने-अपने (चरित्रं शिक्षेरन्) आचरण अर्थात् कर्तव्यों की शिक्षा ग्रहण करें ॥ १३६ ॥

महर्षि दयानन्द ने उसी आर्यावर्त के पाठ के अनुसार अर्थ किया है—

“इसी आर्यावर्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों अर्थात् विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें।” (सं १० २७३)

मध्यदेश की सीमा—

हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनशनादपि ।

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥१४०॥ [२।२१] (७५)

(हिमवद्-विन्ध्ययोः मध्यं) [उत्तरमें] हिमालय पर्वत [और दक्षिण में] विन्ध्याचल के मध्यवर्ती (विनशनात् + अपि यत् प्राक्) विनशन प्रदेश = सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान से लेकर जो पूर्वदिशा का देश है (च) और (प्रयागात् प्रत्यक्) प्रयागप्रदेश से पश्चिम में जो देश है, वह (मध्यदेशः प्रकीर्तितः) ‘मध्यदेश’ कहा जाता है ॥ १४० ॥

आर्यावर्त देश की सीमा—

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्योरायार्वातं विदुर्बुधाः ॥१४१॥ [२।२२] (७६)

(आ-समुद्रात्तु वै पूर्वात्) जो पूर्व समुद्र से लेकर (आ-समुद्रात्तु पश्चिमात्) पश्चिम समुद्रपर्यन्त विद्यमान (तयोः एव गिर्योः अन्तरम्) उत्तर में हिमालय और दक्षिण में स्थित विन्ध्याचल का मध्यवर्ती देश है, उसे (बुधाः आर्यावर्तं विदुः) विद्वान् आर्यावर्त कहते हैं ॥ १४१ ॥

(ऋ० दया० पत्र० विज्ञा० ६६ हिन्दी-अनुवाद)

वह आर्यावर्त यज्ञिय देश है, उससे परे म्लेच्छ देश—

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः ।

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः ॥१४२॥ [२।२३] (७७)

(तु) और (यत्र) जिस देश में (स्वभावतः कृष्णसारः चरति) स्वाभाविक रूप से कृष्णमृग विचरण करता है (सः) वह [१४१ में वर्णित] आर्यावर्त देश (यज्ञियः देशः ज्ञेयः) यज्ञों से सम्बद्ध = पवित्र, श्रेष्ठ अथवा श्रेष्ठ कर्मों वाले व्यक्तियों से युक्त देश है, ऐसा समझना। (अतः परः तु)

इस आर्यावर्त से आगे=परे तो (म्लेच्छदेशः) म्लेच्छभाषाभाषी व्यक्तियों अथवा अशिक्षित व्यक्तियों के देश हैं ॥१४२॥ ❀

“जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश और म्लेच्छ देश कहाते हैं ।” (स० प्र० २२५)

अनुयातन : १४२ का सङ्गत अर्थ—(१) इस श्लोक का अन्य टीकाओं या भाष्यों में जो अर्थ मिलता है, वह प्रासङ्गिक सिद्ध नहीं होता । (क) यतोहि, उस अर्थ के अनुसार इस श्लोक में ‘यज्ञिय’ और ‘म्लेच्छ’ देशों की एक परिभाषा-सी बन जाती है, जब कि यहां पूर्वापर प्रसङ्ग में यज्ञिय और म्लेच्छ देश की परिभाषाओं का कोई प्रसङ्ग नहीं बनता । (ख) यहाँ पूर्ववर्णन कुछ देशों की सीमाओं का है, और १४१ में उस प्रसङ्ग में आर्यावर्त की सीमा बतलायी है, अतः इस श्लोक का सम्बन्ध भी उसी के साथ बनता है । यह उसके प्रसङ्ग से विच्छिन्न श्लोक नहीं है । इस श्लोक में ‘सः’ पद इसे पूर्व श्लोक के साथ जोड़ने का संकेत करता है और ‘तु’ पद यह संकेत देता है कि उसी श्लोक की इसके साथ अनुवृत्ति है । पूर्व देश की विशेषता इसमें प्रदर्शित की है, इस प्रकार यह श्लोक उसका अर्थवाद है । (ग) पहले श्लोक में वर्णित देश का नाम ‘आर्यावर्त’ है और इस श्लोक में भी उसे यज्ञिय परम्पराओं के आधार पर आर्यों=श्रेष्ठों या श्रेष्ठ परम्परा वाले व्यक्तियों का देश बताया है । “यज्ञो वं श्रेष्ठतमं कर्म” [शत० १।७।१।५] प्रमाण के अनुसार सभी श्रेष्ठ कर्मों को यज्ञ कहते हैं । उसके साथ इस श्लोक में कृष्ण-मृग विचरण करने की एक प्राकृतिक विशेषता भी अलग से कह दी है । इस प्रकार इस भाष्य का अर्थ प्रासङ्गिक एवं मनुसम्मत है ।

(२) श्लोकार्थ में याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रमाण—

इस भाष्य में जो अर्थ किया गया है वही प्राचीन मान्यता के अनुरूप है, इसकी पुष्टि याज्ञवल्क्य स्मृति के एक श्लोक से हो जाती है । इस श्लोक में यज्ञीय देश की परिभाषा नहीं है, और न कृष्ण मृग को यज्ञीय देश का आधार या लक्षण माना गया है, अपितु कृष्णमृग का विचरण करना आर्यावर्त की एक विशेषता मात्र प्रदर्शित की गई है । प्राचीन मान्यता भी यही है । धर्मों के कथन का प्रारम्भ करते हुए याज्ञवल्क्य स्मृति में इस बात को इसी रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है—

मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वाऽब्रवीन्मुनीन् ।

यस्मिन् देशे मृगः कृष्णः तस्मिन् धर्मान् निबोधत ॥ आचा० २ ॥

अर्थात्—मिथिला निवासी उस योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने थोड़ी देर विचार करके मुनियों से कहा—‘जिस देश में काला मृग विचरण करता है या पाया जाता है, उस (आर्यावर्त) देश में अनुष्ठेय धर्मों को सुनो’ ॥

(२) ‘म्लेच्छ’ शब्द का अमिप्राय—इस श्लोक में प्रयुक्त ‘म्लेच्छ’ शब्द विचार-

❀ [प्रचलित अर्थ—जहाँ पर काला मृग स्वभाव से ही विचरण करता है, वह यज्ञीय देश है, इसके अतिरिक्त म्लेच्छ देश है ॥१४२॥]

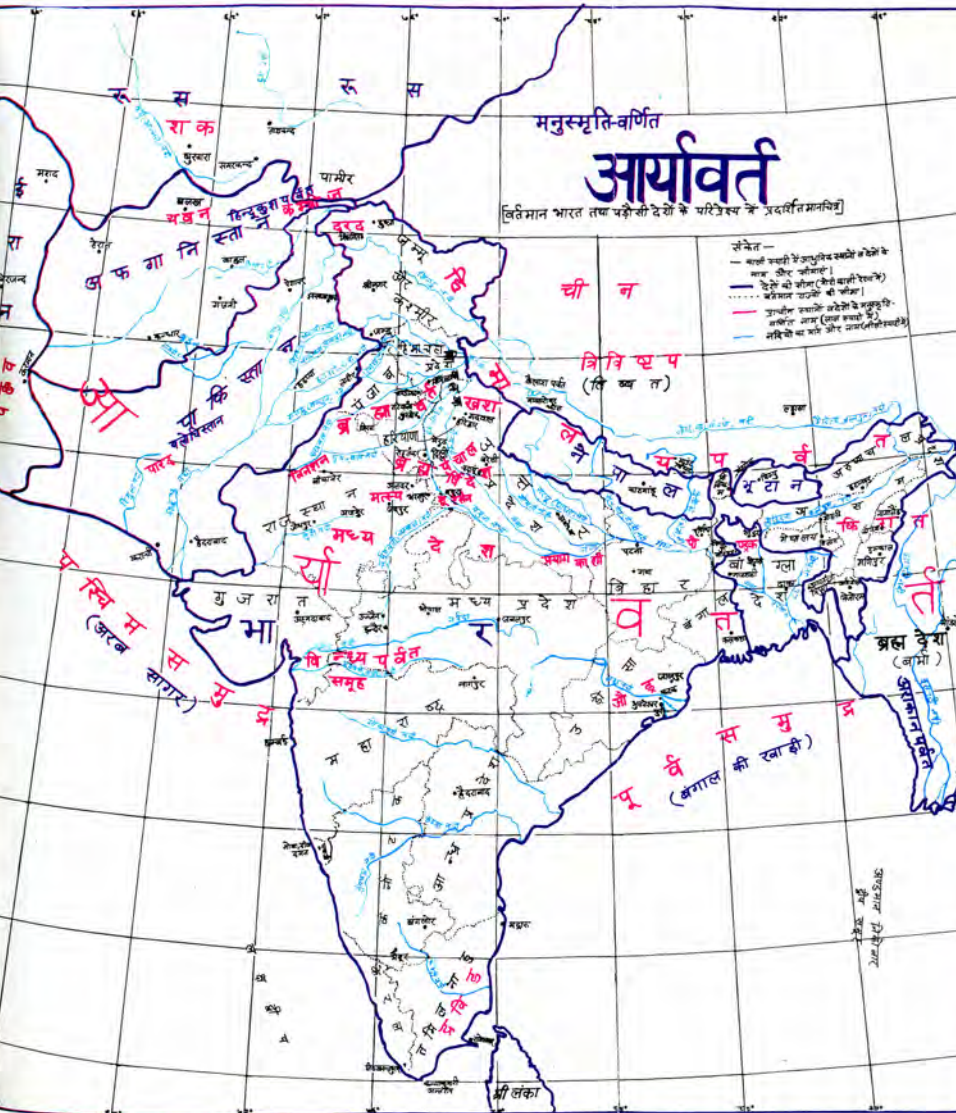
मनुस्मृति-वर्णित

आर्यावर्त

वर्तमान भारत तथा पड़ोसी देशों के परिच्छेद के प्रदर्शित मानचित्र

लेजेंड —

- बाहरी सीमा में अनुविद्यमान स्थिति में होने के कारण छोटा-बोटा क्षेत्र
- देश की सीमा (केही बाहरी सीमा के)
- अतिमान राज्य की सीमा
- प्राचीन स्थिति में होने के अनुसार
- वर्तमान मान (सुदूर दक्षिण)
- मंडी के बाहरी सीमा (अतिमान राज्य के)



मानचित्र का विवरण

(क) आर्यावर्त की सीमाएँ—

पूर्व में, समुद्र तक और पश्चिम में, पश्चिम समुद्र तक। उत्तर में, हिमवान् (हिमालय) पर्वत (पश्चिम में हिन्दूकुश से लेकर पूर्व में असम और अराकान पर्वतमाला तक भारत की सम्पूर्ण उत्तरी सीमा पर फैली हुई पूरी पर्वत श्रेणी को हिमवान् पर्वत कहा जाता रहा है। कैलाश पर्वत आदि इसी के अंग हैं)। दक्षिण में, विन्ध्य पर्वत (आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार विन्ध्य पर्वत पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बिहार तक लगभग ७०० मील तक फैला हुआ है सतपुड़ा आदि इसी के भाग हैं)। इन दोनों पर्वत प्रदेशों और उनके मध्यवर्ती भूभाग को “आर्यावर्त” कहा गया है (मनु० २।२२)।

मनुस्मृति में संक्षेप में आर्यावर्त का विस्तार प्रदर्शित किया गया है। इसमें परिगणित चारों दिशाओं के अन्तिम प्रदेशों से आर्यावर्त की सीमा सुनिश्चित हो जाती है और अन्य सभी प्रदेशों का उन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। उत्तर में शक और चीन देशों से लेकर दक्षिण में द्रविड (तमिलनाडु) तक पश्चिम में पहलव (ईरान) प्रदेश से लेकर पूर्व में किरात प्रदेश (ब्रह्मपुत्र का पूर्व भाग) तक इसका विस्तार था। पश्चिम से पूर्व समुद्र भी इतना ही फैला है।

यहाँ प्रश्न होता है कि मनु ने केवल कुछ प्रदेशों का ही वर्णन क्यों किया? उत्तर में कहा जा सकता है कि यहाँ प्रसंगानुसार ही केवल आर्यों की व्यवस्था के उद्भव स्थान और उसको पूर्वतः अपनाने वाले केन्द्रीय भाग का वर्णन किया है, जिसे परवर्ती साहित्य में “धर्मदेश” भी कहा गया है। आर्यावर्त के प्रदेशों में परिगणित प्रदेश “मध्यप्रदेश” संज्ञा सापेक्षिक है, जो इस बात का संकेत देती है कि उस समय प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य और दक्षिणात्य प्रदेश भी आर्यावर्त के भाग थे, किन्तु उनमें कहीं-कहीं अनार्य या आर्यों से बहिष्कृत लोग भी बसते थे, जबकि केन्द्रीय भाग में ऐसा नहीं था (मनु० १०।४५)। १०।४३-४४ प्रक्षिप्त श्लोकों को यदि अनुश्रुति

के समान मान लिया जाये तो उनसे भी यही जानकारी मिलती है कि इन श्लोकों में परिगणित देश या जातियाँ इन श्लोकों की रचना से पूर्व आर्य थीं। इससे आर्य देशों के सुदीर्घ विस्तार का ज्ञान होता है (३० महा० अनु० ३५.१७-१८)।

(ख) आर्यावर्त के प्रदेश या जनपद—

(१) ब्रह्मावर्त— मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त प्रदेश को सर्वोच्च महत्त्व का प्रदेश माना है। वहाँ के निवासियों का आदर्श आचरण "सदाचार" है। सदाचार की शिक्षा का यह एकमात्र केन्द्र है (२।१६-१८, २०)। भौगोलिक दृष्टि से यह एक लघु प्रदेश था, जो सरस्वती और दृषद्वती देवनदियों के मध्यवर्ती भूखण्ड पर स्थित था। महाभारत में भी इसे "धर्मक्षेत्र" कहा है।

वैदिक एवं लौकिक संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त उल्लेखों के अनुसार, सरस्वती नदी, हिमालय पर्वतश्रेणी में शिवालिक-पहाड़ियों से उद्भूत होकर शिमला पटियाला (वर्तमान पंजाब प्रान्त) तथा सिरसा (वर्तमान हरियाणा प्रान्त) के क्षेत्रों से प्रवाहित होकर ब्रह्मावर्त की पश्चिमोत्तरीय सीमाओं का निर्माण करती थी। इसकी भौगोलिक स्थिति बदलती रही है। वैदिक साहित्य के अनुसार यह पश्चिम समुद्र में गिरती थी, जबकि अवान्तर साहित्य के अनुसार यह राजपूताना (वर्तमान पश्चिमी राजस्थान) की मरुभूमि में विलुप्त हो गयी थी। यही स्थान "विनशन" नाम से प्रसिद्ध हुआ (तैत्ति० सं० ७.२.१.४; शत० ब्रा० १.४.१.१४; ऐत० ब्रा० १९.१.२; कौषी० ब्रा० १२.२.३; महा० वन० ८२.१११, शल्य० ३७.१)।

हिमालय पर्वतश्रेणी में शिवालिक-पहाड़ियों से ही उद्भूत दृषद्वती नदी, ब्रह्मावर्त की पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करती हुई यमुना के समानान्तर प्रवाहित होकर कुरुक्षेत्र के दक्षिण की ओर से होती हुई सरस्वती नदी में मिलती थी (महा० वन० ५.२; ८३.४; २०४, २०५)। दोनों ही नदियों के तट ऋषियों, मुनियों, विद्वानों के निवास एवं आश्रमों से सुशोभित थे। इनके तटों पर यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था। इसी कारण मनु ने इनको "देवनदी" कहा है। सम्प्रति, दोनों ही नदियों की पहचान को लेकर भूगोलवेत्ताओं में मतभेद है। कुछ घग्घर को सरस्वती, चितंग या रक्षी को दृषद्वती

मानते हैं। अभी इन पर सुनिश्चित शोध की आवश्यकता है।

(२) ब्रह्मर्षि देश— ब्रह्मावर्त के साथ लगते पूर्व दक्षिण प्रदेश को “ब्रह्मर्षि देश” नाम दिया गया है। इसमें निम्न जनपद परिगणित हैं—कुरुक्षेत्र (वर्तमान हरियाणा में इसी नाम से प्रसिद्ध एक जिला नगर और उसके पार्श्ववर्ती प्रदेश), मत्स्य (वर्तमान राजस्थान में जयपुर और अलवर तथा भरतपुर का कुछ क्षेत्र), पंचाल (वर्तमान उत्तरप्रदेश के बरेली, बदायूँ और फर्रुखाबाद जिलों के क्षेत्र), शूरसेन (मथुरा और आसपास का क्षेत्र) (मनु० २।१९)।

हमारे शोधकार्य के अनुसार यह श्लोक प्रक्षिप्त घोषित हुआ है। इसकी पुष्टि भौगोलिक वर्णन से भी हो जाती है। यतोहि कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्त प्रदेश के अन्तर्गत आ जाता है, और शेष तीनों जनपद “मध्यदेश” की सीमा में समाविष्ट हैं। अतः इसकी पृथक् भौगोलिक संरचना मनुसम्मत सिद्ध नहीं होती। प्रतीत होता है, ब्रह्मावर्त के अनुकरण पर परवर्ती काल में यह नामकरण किया गया और उसके उपरान्त मनुस्मृति में इसका प्रक्षेप हुआ।

(३) मध्यदेश— उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में विन्ध्यपर्वत, पूर्व में प्रयाग प्रदेश (आधुनिक इलाहाबाद) और पश्चिम में विनशन स्थान (वर्तमान पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि में सरस्वती नदी के लुप्त होने का स्थल) इनका मध्यवर्ती भूभाग “मध्यदेश” कहलाता था (मनु० २।२१)। यहाँ प्रयाग से नगर और जनपद दोनों का ग्रहण किया गया है, जिसमें काशी भी सम्मिलित थी।

(ग) अन्य जनपद—

मनु० १०।४३-४४ श्लोकों में बारह जातियों का नामोल्लेख है, जो देशाधारित या देश विशेष की संज्ञाएँ भी हैं। इनसे इन जनपदों के अस्तित्व का संकेत मिलता है। यद्यपि हमारे शोधकार्य के अनुसार ये श्लोक भी प्रक्षिप्त हैं, तथापि सम्पूर्णता के लिए मानचित्र में इनको प्रदर्शित कर दिया गया है। वे हैं—

(१) पौण्ड्रक— बंगाल के दीनाजपुर, मालदह, राजशाही और बोगरा तथा रंगपुर (बांग्ला देश) के पश्चिमी क्षेत्र। राजधानी पुण्ड्रवर्धनपुर, आधुनिक “महास्थान” (जिला बोगरा)।

(२) औड्र— आधुनिक उड़ीसा का पुरी—भुवनेश्वर का क्षेत्र

और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र। उत्तर में जाजपुर तक था।

(३) किरात—ब्रह्मपुत्र की पूर्वी घाटी का क्षेत्र।

(४) द्रविड—दक्षिण में कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र।
वर्तमान तमिलनाडु प्रदेश।

(५) पल्हव—वर्तमान ईरान (फारस) का पूर्वी क्षेत्र।

(६) पारद—वर्तमान बलूचिस्तान (पाकिस्तान) में हिंगुला
नदी प्रदेश और हिंगुलाज प्रदेशीय क्षेत्र।

(७) शक—शकों का मूलस्थान मध्य एशिया था। इनका
निवास सायर और आक्सस (वक्षु) नदियों (वर्तमान रुस में) के
समीपस्थ प्रदेश में माना जाता है। चीन की यूची जाति द्वारा खदेड़े
जाने के बाद इन्होंने पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों में अपने प्रदेश बसाये
और शनैःशनैः भारत के भीतरी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की।

(८) यवन—मूलतः यवन यूनान के निवासी थे। भारत से
इनके सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काल में थे। वहाँ से आकर कुछ यवन
(यूनानी) आक्सस (वक्षु) नदी और हिन्दू कुश पर्वत के मध्यप्रदेश
में बस गये थे। इस कारण उस क्षेत्र को “यवन देश” कहा गया है।
बलख (अफगानिस्तान) इनकी राजधानी का क्षेत्र रहा है।

(९) कम्बोज—दक्षिण-पश्चिम कश्मीर, वर्तमान “पामीर”
और “बदरख्शा” का क्षेत्र (अफगानिस्तान)।

(१०) दर—उत्तर-पश्चिम कश्मीर का गिलगित, हुंजा प्रदेश।

(११) खश—गढ़वाल और उसका उत्तरवर्ती क्षेत्र।

(१२) घीन—वर्तमान चीन देश।

इनके अतिरिक्त भी दशम अध्याय में बहुत-सी ऐसी जातियों
का उल्लेख है, जिन नाम पर परवर्ती काल में जनपदों का नाम पड़ा।
जैसे-अन्ध्र, अम्बष्ठ, मगध आदि। वहाँ इन जातियों को देशाधारित न
मानकर “वर्णसंकर” सन्तान होने के कारण उस-उस नाम से विहित
किया गया है। इस कारण इस मानचित्र में उन जातियों या जनपदों
का उल्लेख नहीं किया गया है।

णीय है। यहाँ म्लेच्छ शब्द का उत्तरकाल में रुढ़ 'अपवित्र' या 'नीच' अर्थ नहीं है। 'म्लेच्छ अव्यक्तभाषी' अर्थवान् धातु से 'धञ्' प्रत्यय के योग से म्लेच्छ शब्द बनता है। जिसका अर्थ है—'ऐसे अशिक्षित लोग जो अस्पष्ट—प्रशुद्ध भाषा बोलते हैं।' दूसरे शब्दों में इनको हम यह भी कह सकते हैं—'जिन्होंने वर्णाश्रम धर्मानुसार शिक्षा-दीक्षा प्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्ति।' उपर्युक्त प्रसङ्ग देशों की सीमा बतलाने का है, अतः मनु कहते हैं कि उपर्युक्त देशों की सीमा के आगे म्लेच्छ व्यक्तियों के देश हैं। उस समय अशिक्षित देश भी थे, तभी तो मनु संसार के उन सभी देशों के लोगों को 'ब्रह्मावर्त' में आकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं [१।१३६ (२।२०)]। यह सीमावर्णन का प्रसंग होने से उन लोगों के प्रति इस श्लोक में कोई हीन मान्यता का भाव प्रदर्शित नहीं किया गया है। मनु व्यक्तियों को हीन अगर मानते हैं तो कर्मणा मानते हैं, जन्मना नहीं; चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। ऊपर 'म्लेच्छ' का जो अर्थ प्रदर्शित किया है उसकी पुष्टि के लिए उनका ही एक प्रमाण प्रस्तुत है—

मुक्तबाहुष्यजानां या श्लोके जातयो बहिः।

म्लेच्छवाचः चार्यवाचः सर्वे ते बस्यवः स्मृताः ॥१०।४५॥

यहाँ 'म्लेच्छों' के लिए 'म्लेच्छवाचः' प्रयोग व्याप्त देने योग्य है।

द्विज कहां निवास करें—

एतान्निजातयो देशान्संशयेरप्रयत्नतः।

शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेत् वृत्तिकर्षितः ॥१४३॥ [२।२४]

(द्विजातयः) द्विजाति अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग (एतान् प्रयत्नतः संशयेरन्) इन उपर्युक्त देशों में प्रयत्न करके आश्रय ग्रहण करें—निवास करें (वृत्तिकर्षितः शूद्रः तु) जीविका के अभाव से पीड़ित शूद्र तो (यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत्) जिस किसी देश में जाकर निवास कर सकता है ॥ १४३ ॥

अनुवर्तिनः : १४३ वां श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त है—

(१) इस श्लोक से यह ध्वनित होता है कि द्विज आर्यावर्त से बाहर न जायें या न बसैं। यह परवर्ती रुढ़िवादी मान्यता है। मनु ने अष्टम अध्याय में स्वयं देश-विदेशों में नौकाओं द्वारा व्यापार करने का उल्लेख किया है [८।१५७, ४०६]। और प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि द्विजों के अन्य देशों में शासन और विवाह-सम्बन्ध आदि रहे हैं। यह मान्यता निम्न प्रकार मनुविरुद्ध है—

अस्तबिरोध—(क) १।१३६ [२।२०] में मनु ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'ब्रह्मावर्त के निवासी विद्वानों से पृथिवीमण्डल के समस्त मानव अपने-अपने चरित्रों-धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें।' इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं (क) पृथिवी-मण्डल के अन्य देशों में भी वर्णव्यवस्था थी और मनु उन सभी वर्ण वाले व्यक्तियों को ब्रह्मावर्तनिवासी विद्वानों से अपने आचरणों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। (ख) अन्य देशों के जो लोग शिक्षा ग्रहण करके जायेंगे तो वे भी वैसे ही आचरण रखेंगे जैसा ब्रह्मावर्त के विद्वानों का वर्णानुसारी आचरण है। इस प्रकार शिक्षा-दीक्षा

के अनुसार प्रत्येक देश में वर्णव्यवस्था होगी। यहां द्विजों के लिए केवल 'आर्यावर्त' देश को ही निवास योग्य' कहना उक्त मान्यता के विरुद्ध है।

(ग) मनु कर्म के आधार पर वर्ण का निश्चय मानते हैं, देश के आधार पर नहीं। कर्म के अनुसार वर्णव्यवस्था को अपनाकर व्यक्ति कहीं किसी स्थान पर रहता हुआ श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ कलहायेगा (इस मान्यता के लिए प्रमाण द्रष्टव्य हैं १।६२—१०७ श्लोकों पर अनुशीलन समीक्षा में 'अन्तर्विरोध' आधार पर)। इस प्रकार देश के आधार पर द्विजों और शूद्रों के कर्तव्यों का कथन मनु की इस मान्यता के विरुद्ध है।

(घ) मनु की ये व्यवस्थाएँ केवल आर्यावर्तदेशीय लोगों के लिए ही नहीं हैं अपितु समस्त संसार के लिए हैं—“सर्वस्यास्य तु सर्वस्य गुप्यर्थं स महाद्युतिः। मुखबाह्वक्षत्राणां पृथक् कर्मान्यकल्पयत्॥” (१।८७) अतः इन्हें देश की सीमाओं तक बांधना मनु के उद्देश्य के ही विरुद्ध है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

(ङ) मनु देश के आधार पर वर्णव्यवस्था नहीं मानते अपितु शास्त्रानुसार कर्म-व्यवस्था के आधार पर मानते हैं। इसीलिए मनु ने १०।५६ [अन्यत्र १०।४५] में यह स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों की दीक्षा से रहित जो लोग हैं, चाहे वे आर्य-भाषाएँ ही क्यों न बोलते हों, वे दस्यु हैं। इस वचन से यह भी प्रत्याहार होता है कि चाहे वे आर्यभाषाभाषी लोग आर्यावर्त या अन्य किसी भी देश में रहते हों, यदि उन्होंने वर्णों में दीक्षा नहीं ली है तो दस्यु हैं; और चाहे वे अन्यत्र देश में हैं, यदि दीक्षित हैं तो दस्यु नहीं, आर्य हैं। इस मान्यता के आधार पर भी यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

(२) आर्यावर्त देश की छोड़कर अन्य देशों में आर्यों के जाने, बसने, व्यापार करने, विवाहादि सम्बन्ध बनाने के विषय में मनुस्मृति को आधार मानकर महर्षि दयानन्द ने जो अपने विचार दिये हैं, उनके कुछ उद्धरण निम्न हैं—

(क) “इसी आर्यावर्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों अर्थात् विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने-अपने योग्य विद्याचरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें।” (स० प्र० २७३)

(ख) “मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने की निमन्त्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे, जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्यावर्तदेशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे। और जो आजकल दूतछात और धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है॥” (स० प्र० दशम समु०)

सृष्टि एवं धर्मोत्पत्ति विषय की समाप्ति का कथन, वर्णधर्मों का वर्णन प्रारम्भ—

एषा धर्मः ? वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता ।

सम्भवद्विधाः सर्वस्य, वर्णधर्मान्निबोधत ॥१४४॥ [२।२५] (७८)

(एषा) यह (धर्मस्य योनिः) धर्म की उत्पत्ति [१।१२० से १३६ तक (अथवा २।१ से २।२०)] (च) और (अस्य सर्वस्य संभवः) इस समस्त जगत् की उत्पत्ति [१।५ से ६१ तक] (समासेन) संक्षेप से (वः प्रकीर्तिता) आप लोगों को कहो, अब (वर्णधर्मान्) वर्ण-धर्मों को (निबोधत) सुनो—॥१४४॥

अनुव्याख्यान : (१) मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन मौलिक नहीं—प्रथम अध्याय की समाप्ति इस श्लोक के बाद होनी चाहिए, ११६ वें श्लोक के पश्चात् अध्याय की समाप्ति करना त्रुटिपूर्ण है। मनुस्मृति में अध्यायों का विभाजन मौलिक न होकर परवर्ती है।

विभाजनकर्त्ता ने विषयों को अध्यायों का आधार बनाया है, जैसे—प्रथमाध्याय में सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति विषय हैं, द्वितीय में ब्रह्मचर्याश्रम के धर्म, तृतीय में गृहस्थ से सम्बद्ध धर्म, आदि। किन्तु प्रथम अध्याय का विभाजन विषयसंगत नहीं है। पता नहीं विभाजनकर्त्ता की किस भ्रान्ति के कारण यह त्रुटि रह गयी है। प्रथम अध्याय में एक-दूसरे से सम्बद्ध दो विषय हैं—सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति। पारस्परिक वनिष्ठ सम्बद्धता के कारण मनु ने इन दोनों विषयों को एक मुख्य विषय मानकर वर्णित किया है। १।२ में मनु से महर्षियों ने धर्मों के कथन करने की प्रार्थना की थी। धर्मकथन के लिए भूमिका के रूप में धर्मोत्पत्ति, धर्मोत्पत्ति आदि का भी बतलाना आवश्यक था, और ये जगदाश्रित हैं—जगदुत्पत्ति के पश्चात् ही धर्म की उत्पत्ति, आवश्यकता और स्थिति बनती है—अतः इस दृष्टि से आवश्यक समझकर मनु ने सृष्टि-उत्पत्ति का भी वर्णन किया है। १।४—५ में इस सृष्ट्युत्पत्ति विषय का संकेत-पूर्वक प्रारम्भ है और १।६१ में कर्मों की रचना के साथ वह पूर्ण होता है तथा १०८ वें श्लोक से धर्म का प्रसंग प्रारम्भ होकर १।१४४ [अन्य संस्करणों के अनुसार २।२५] में समाप्त होता है। १।१४४ में मनु ने एकसाथ ही इस विषयों की पूर्णता का संकेत दिया है—“एषा धर्मस्य वो योनिः……संभवश्चास्य सर्वः……” जब मनु ने स्वयं उसका समापन एकसाथ और १४३ वें के बाद कहा है, तो स्पष्ट है कि इससे पूर्व उस विषय को खण्डित नहीं किया जा सकता। यदि इन दोनों विषयों में एक सृष्ट्युत्पत्ति विषय की पूर्णता पर ही अध्याय-विभाजन किया जाता, तो उसे भी एक ही विषय से युक्त होने के कारण स्वीकार्य मान लिया जा सकता था किन्तु परम्परागत अध्याय-विभाजन में तो प्रसंग भी तोड़ रखा है। धर्म के भूमिका रूप १०८—११० श्लोक तो प्रथम अध्याय में रह गये और शेष धर्म-वर्णन प्रसंग द्वितीय अध्याय में चला गया। इस प्रकार प्रसंग ही विसृजित हो जाता है। १४४ वें के बाद अध्याय में विभाजन होने से न तो प्रसंग ही विसृजित होगा और न विषय, अपितु मनु के संकेत के अनुसार अध्याय की पूर्णता होती है। द्वितीय अध्याय के ये २५ श्लोक प्रथम अध्याय में परिगणित हो जाने से द्वितीय अध्यायों का विभाजन भी वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित रूप से हो जायेगा। अन्य अध्यायों की भांति उसका—‘ब्रह्मचर्याश्रम के धर्म’ यह एक ही मुख्य

विषय रह जायेगा। इस प्रकार कई त्रुटियों के कारण परम्परागत अध्यायविभाजन गलत है, प्रथम अध्याय की समाप्ति १।१४४ (२।२५ अन्य प्रकाशनों में) के बाद होना चाहिए (अन्य जानकारी के लिये भूमिका में 'अध्याय-विभाजन' शीर्षक अध्याय पढ़िये)
(२) मनुस्मृति में बर्णों और आश्रमधर्मों का साथ-साथ बर्णन—

यहाँ केवल 'वर्णवर्णान्निबोधत' और १०।१३१ में "एवा धर्मविधिः कृत्स्नश्चा-
सुर्वर्णस्य कीर्तितः" इस उपसंहारात्मक पद को पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि मनु से
प्रश्न बर्णों और आश्रमों [१।२] दोनों का किया या फिर विषय-संकेतक श्लोकों में
केवल वर्णधर्म की ही बात क्यों कही? इसका समाधान मनु-शैली और अन्य श्लोकों
से हो जाता है। उसे इस प्रकार समझना चाहिए—

(१) मनुस्मृति की यह शैली है कि उसमें आश्रमों के धर्म बर्णों के साथ-साथ
चलते हैं। बर्णों के सुदीर्घ विषय के अन्तर्गत ही आकर वे छठे अध्याय में ब्राह्मण वर्ण के
धर्मों के साथ-साथ ही समाप्त हो जाते हैं। और, छठे अध्याय में आश्रमधर्मों की पूर्णता के
साथ-साथ ब्राह्मण वर्ण के धर्म और व्यावहारिक कर्तव्य भी पूर्ण हो जाते हैं। छठे अध्याय
तक के चारों आश्रमों के धर्म और व्यावहारिक कर्तव्य सभी द्विजों के लिए एक सदृश पाल-
नीय हैं। जो विधान इन अध्यायों में कहे हैं, ब्राह्मण के वही धर्म-कर्म हैं [१।८८]।

उसके पश्चात् शेष बर्णों के व्यावहारिक कर्तव्यों का कथन—'क्षत्रियों' के लिए
सप्तम, अष्टम अध्याय और नवम के ३२५ वें श्लोक तक पूर्ण होता है। वैश्यों का ६।३२६
से ३३३ [इस संस्करण में १०।१ से १०।८ तक] तथा शूद्र के कर्तव्यों का कथन
६।३३४-३३५ [इस संस्करण में १०।६-१० तक] पूर्ण हो जाता है।

(२) इस मध्य द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय से पञ्चम अध्यायों में
गृहस्थाश्रम, षष्ठ में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का वर्णन है। आश्रमधर्मों को वर्णधर्म-
विषय के अन्तर्गत मानकर उन-उन विषयों के प्रसंगसंकेतक श्लोकों तथा उपसंहारात्मक
श्लोकों से उसका कथन भी किया है [२।४३ (२।६८), २।२२४ (२।२४६), ३।२,
६७, २८६, ४।१, २५६, ५।१६६, ६।१, ३३, ८७-६०] आदि।

(३) इसी प्रकार इन अध्यायों में द्विज विप्र, ब्राह्मण शब्दों का स्थान-स्थान पर
पर्यायवाचीरूप में प्रयोग है।

(४) मनु ने संभवतः इसी शैली के अनुरूप १।२ और १।१३७ [२।१८] में आश्रम
के लिए पर्यायवाची रूप में 'अन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दोंका प्रयोग किया है, इसका
अर्थ बनता है—'वर्णानाम् अन्तरे प्रभवः उत्पत्तिः स्थितिः चेवां ते अन्तरप्रभवाः==
आध्यात्माः।' इसी शैली के अनुरूप आश्रमों का वर्णधर्मों के अन्तर्गत ही कथन है। यह मनु
की शैली है। [इस विषय पर विस्तृत विवेचन मनुस्मृति-अनुशीलन में द्रष्टव्य है]।

इति मनुवि मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाषाभाष्यसमन्वितायां

अनुशीलन-समीक्षा-विश्वविद्यालय मनुस्मृती 'अनुत्पत्ति-

धर्मोत्पत्तिः' नामात्मकः प्रथमोऽध्यायः ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-'अनुशीलन' समीक्षाभ्यां सहितः]

(संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम-विषय)

(संस्कार २।१ से २।४३ तक)

संस्कारों को करने का निर्देश और उनसे लाभ—

वेदिकैः कर्मभिः पुण्यनिषेकाविद्विजन्मनाम् ।

कार्यैः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥१॥ [२।२६] (१)

इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि (वेदिकैः पुण्यैः कर्मभिः) वेदोक्त पुण्यरूप कर्मों से (द्विजन्मनाम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का (निषेकादिः शरीरसंस्कारः कार्यैः) निषेकादि [= गर्भाधान आदि] संस्कार करें, जो (इह च प्रेत्य पावनः) इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करने वाला है ॥ १ ॥ (सं० प्र० २५७)

अनुशीलन : संस्कारों के उद्देश्य और लाभ पर प्रकाश डालते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं—“जिस करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है और सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं। अतः संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है।” (सं० वि० भूमिका)

संस्कारों से बुरे संस्कारों का निवारण—

गर्भहोमैर्जातकर्मचोलमौञ्जीनिबन्धनैः ।

बैजिकं गाभिकं चैवो द्विजानामपमृज्यते ॥ २॥ [२।२७] (२)

(गर्भैः) गर्भशुद्धिकारक गर्भकालीन अर्थात् गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन संस्कारों से (जातकर्मचोल-मौञ्जीनिबन्धनैः) [जाते जन्मनि शैशवावस्थायां क्रियते यत् संस्कारकर्म तत् जातकर्म] जन्म होने पर शैशवावस्था में जो संस्कार किये जाते हैं, वे जातकर्म कहलाते हैं। उनमें जातकर्म [२।४] नामकरण [२।५-८], निष्क्रमण [२।६], अन्न-प्राशन [२।६]; और चोल अर्थात् चूडाकर्म [२।१०], तथा मेखला-बन्धन अर्थात् उपनयन एवं वेदारम्भ आदि [२।११-४३ ॥ २।४४, ४६-२२४]

(होमैः) यज्ञ से सम्पन्न किये जाने वाले संस्कारों से (द्विजातीनाम्) द्विज बानकों के (वैजिकम्) बीज-सम्बन्धी=परम्परागत पैतृक-मातृक ग्रंथों से उत्पन्न होने वाले (च) और (गार्भिकम्) गर्भकाल में माता-पिता से प्राप्त होने वाले (एनः) बुरे आचरण के संस्कारजन्य दोष एवं शारीरिक अशु-द्वियां (अपमृज्यते) दूर हो जाते हैं अर्थात् इन संस्कारों के करने से बालकों के बुरे संस्कार मिटकर शुद्ध-श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं ॥२॥❀

अमुष्यतित्तः : इस श्लोक के अर्थ की व्यापकता पर और संस्कारों की संख्या सम्बन्धी मान्यता पर विस्तृत विवेचन करना पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि, प्रचलित टीकाओं में इस श्लोक का अर्थ संकुचित एवं अपूर्ण मिलता है तथा मनु ने संस्कार कितने माने हैं, इस विषय में अनेक लेखकों को भ्रान्ति हुई है।

(क) 'गर्भैः' आदि पदों में अर्थव्यापकता — (१) सर्वप्रथम संस्कारों के परिगणन प्रसङ्ग में मनु की शैली को समझ लेना उपयोगी होगा। क्योंकि उस समय संस्कार बहुप्रचलित सर्वप्रसिद्ध कृत्य थे, अतः मनु ने कहीं किसी संस्कार का केवल नामोल्लेख ही कर दिया, जैसे—निषेक संस्कार [२।१-२ में] किन्तु विधि नहीं दी। कहीं साकेतिक रूप में एक सम्बन्ध के संस्कारों का परिगणन कर दिया है, जैसे 'गर्भैः' कहने से सभी गर्भकालीन संस्कारों=गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन का अन्तर्भाव हो गया, तो कहीं इस श्लोक में सबका नामोल्लेख न करके विधिवर्णन में उनका कथन कर दिया है, जैसे नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन का [२।४-६]। जिस संस्कार के विषय में मनु को जितना स्पष्टीकरण अभीष्ट था, उतना ही किया है।

(२) इस शैली के समझने के पश्चात् अब इस श्लोक के शब्दों के अर्थ की व्यापकता पर विचार किया जाता है। (क) इस श्लोक में 'गर्भैः' शब्द बहुवचनान्त है, जिसका अर्थ है—'गर्भ-सम्बन्धी' या 'गर्भकालीन सभी संस्कार'। अगर मनु को केवल गर्भाधान संस्कार का परिगणन करना ही अभीष्ट होता तो वे बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। यह बहुवचनान्त प्रयोग ही यह सिद्ध करता है कि मनु इस शब्द से सभी गर्भकालीन संस्कारों के परिगणन की अभीष्टता का संकेत करना चाहते हैं। वे गर्भकालीन संस्कार तीन हैं—१. गर्भाधान, २. पुंसवन, ३. सीमन्तोन्नयन।

(ख) इसी प्रकार इस श्लोक में 'जातकर्म' भी केवल एक संस्कार का वाचक न होकर जन्म के उपरान्त शैशव काल में होने वाले सभी संस्कारों का उपलक्षण है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि मनु ने विधिवर्णन प्रसंग में जातकर्म के पश्चात् उन सभी का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है। वे हैं—१. जातकर्म [२।४], २. नामकरण [२।५-८]; निष्क्रमण [२।६], अन्नप्राशन [२।६]।

❀[प्रचलित अर्थ—गर्भ शुद्धिकारक हवन, चूड़ाकरण और मौखीबन्धन (यज्ञोपवीत) संस्कारों से द्विजों के वीर्य एवं गर्भ से उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं ॥२७॥

(ग) इसी प्रकार 'मौञ्जीबन्धन' भी अपने अन्तर्गत दो संस्कारों का अन्तर्भाव किये हुए है—एक उपनयन और दूसरा—वेदारम्भ । क्योंकि ब्रह्मचारी उपनयनदीक्षा के अवसर पर मेखलाधारण करता है और वेदाध्ययन समाप्ति पर्यन्त उसे धारण कर रखता है । इस प्रकार इस नाम में व्यापक भाव है ।

(३) मनुस्मृति में सोलह संस्कार—

इस विवेचन के उपरान्त अब इस जिज्ञासा का समाधान भी निकल आता है कि मनु ने अपनी स्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख किया है । कोई मनुसम्मत १२ संस्कार मानते हैं, तो कोई कम-अधिक । वास्तविकता यह है कि मनु ने सांकेतिक, नामोल्लेख या विधिवर्णन के रूप में १६ संस्कारों का वर्णन किया है । पाठकों के परि-
ज्ञान के लिए उनके वर्णनस्थल एवं अर्थ का यहां तालिका के रूप में दिग्दर्शन कराया जाता है—

सोलह संस्कारों की विवरण-तालिका

संस्कार संख्या	नाम	संस्कार का उद्देश्य एवं विधि	मनुस्मृति में वर्णनस्थल

(प्रत्येक संस्कार यज्ञपूर्वक सम्पन्न होता है)

१.	गर्भाधान संस्कार	सन्तानप्राप्ति के लिए वीर्यनिषेचन द्वारा गर्भस्थापन करना (गृहाश्रमी होने पर)	[२।२ में 'गार्भे' पद से और २।१, २।११७ में]
२.	पुंसकन	स्त्री के गर्भाधान के चिह्न प्रकट होने पर दूसरे या तीसरे मास में पुत्रोत्पत्ति के उद्देश्य से यज्ञपूर्वक की जानेवाली विधि ।	[२।२ में 'गार्भे' पद के अन्तर्गत]
३.	सीमन्तोन्मथन	गर्भ के चतुर्थ मास में गर्भस्थिरता, पुष्टि एवं स्त्री के आरोग्य के लिए की जाने वाली विधि ।	[" "]
४.	जातकर्म	शिशुजन्म के समय किया जाने वाला संस्कार जिसमें सोने की शलाका से बालक को असमान मात्रा में थोड़ा-सा मधु और घृत चटाया जाता है ।	[२।४ में]

५. नामकरण जन्म के १० वें, बारहवें या किसी भी सुखमय दिन में बालक का नाम रखना । [२।५-८ में]
६. निष्क्रमण अधिक से अधिक चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर भ्रमण कराने के लिए निकालना प्रारम्भ करना । [२।६ में]
७. अन्नप्राशन लगभग छठे मास में बालक को अन्न आदि सुपाच्य पीण्डिक भोजन का प्रारम्भ कराना । [२।६ में]
८. मुण्डन (बूढ़ाकर्म्म) प्रथम या तृतीय वर्ष में बालक का मुण्डन संस्कार करना अर्थात् प्रथम बार सिर के केश उतारना । [२।३५ में]
९. उपनयन बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप गुरुकुल में ले जाकर छोड़ना और गुरु द्वारा उसे यज्ञोपवीत की दीक्षा देना । [२।११-४३ में]
१०. वेदारम्भ गुरु के पास रहकर श्रेष्ठ शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करते हुए वेदों को पढ़ना । [२।४४-२२४ में]
११. केशान्त युवावस्था के प्रारम्भ में केशकर्त्तन कराना । [२।४०]
१२. सन्नाचर्त्तन वेदों का अध्ययन और शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थाश्रम को धारण करने के लिए स्नातक बनकर गुरुकुल को छोड़ घर में आना । [३।१-३ में, २।२२०-२२२ भी द्रष्टव्य]
१३. विवाह गृहस्थाश्रम में जाने के लिए स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध होना (२५ वर्ष की आयु के पश्चात्) । [३।४-६२ में]
- एवं गृहाश्रम संस्कार विवाहोपरान्त गृहस्थ के धर्म और कृत्यों का पालन करते हुए सन्तानोत्पत्ति करना । [३।९७-२८६, सम्पूर्ण चतुर्थ और पंचम अध्यायों में]
१४. बालप्रस्थ सन्तानों के स्वावलम्बी होने पर या ५० वर्ष की आयु के पश्चात् घर को त्याग कर वन में रहते हुए तपस्या एवं ईश्वरभक्ति करना । वनस्थ की दीक्षा लेने का संस्कार । [६।१-३२ में]

१५. संन्यास सांसारिक भोग आदि की भावनाओं का [६।३३-६७ में,
और सर्वस्व का त्याग करके, पूर्ण वैरागी १२।८२-१२५
बन, परोपकारार्थ विचरण करने की भी द्रष्टव्य]
दीक्षा लेना तथा ब्रह्म में लीन रहकर
मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना।

१६. अग्नेष्टि प्राणों के निकल जाने पर शरीर का [५।१६७ में]
दाहकर्म होना।

(४) 'एनः' का अर्थ—एनः का अर्थ यहाँ पापक्षीणता नहीं है अपितु 'बुदे प्राचरण से उत्पन्न दुष्ट संस्कार' यह अर्थ है। 'इयंते प्राप्यते दुःखम् अनेन इति एनः अथर्माचरणम् तज्जग्यः संस्कारदोषः शरीराद्युद्धिश्च।' 'इण्गती' धातु से 'इणः प्रागसि' (उणादि ४।१६८) सूत्र से असुन् प्रत्यय और नुडागम से 'एनस्' शब्द सिद्ध होता है। इसकी पुष्टि २।७७ [२।१०२] श्लोक से भी हो जाती है। वहाँ 'एनस्' के प्रयोग के साथ 'मलम्' का भी पर्यायवाची रूप में प्रयोग है जिसका अर्थ संस्कारदोष की मलिनता का नष्ट हो जाना है।

वेदाध्ययन, यज्ञ, व्रत आदि से ब्रह्म की प्राप्ति—

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येभ्ययया सुतैः।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ ३ ॥ [२।२८] (३)

“(स्वाध्यायेन) सकल विद्या पढ़ने-पढ़ाने (व्रतैः) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि नियम पालने (होमैः) अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग और सब त्रिविद्याओं का दान देने (त्रैविद्येन) वेदस्थ कर्म-उपासना-ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्ट्यादि करने (सुतैः) सुपन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैः) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंचमहा-यज्ञ और (यज्ञैः) अग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्याविज्ञानादि यज्ञों के सेवन से (इयं तनुः) इस शरीर को (ब्राह्मी क्रियते) ब्राह्मी अर्थात् वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूपा ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण-शरीर नहीं बन सकता” ॥ ३ ॥ (सं प्र० ४८)

“(स्वाध्यायेन) पढ़ने-पढ़ाने (जपैः) विचार करने-कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने-पढ़ाने (इज्यया) षोडशी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधिपूर्वक (सुतैः) धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैः च) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृ-यज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ (यज्ञैश्च) अग्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों का

संग-संस्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्म और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़के दुराचार छोड़ श्रेष्ठचार में वर्तने से (इयम्) यह (तनुः) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है ।” (सं० प्र० ८६)

“मनुष्यों को चाहिए कि धर्म से वेदादिशास्त्रों का पठन-पाठन, गायत्रीप्रणवादि का अर्थ विचार, ध्यान, अग्निहोत्रादि होम, कर्म-उपासना ज्ञानविद्या, पौर्णमास्यादि इष्टि, पंचमहायज्ञ, अग्निष्टोम आदि, न्याय से राज्यपालन, सत्योपदेश और योगाम्यासादि उत्तम कर्मों से इस शरीर को (ब्राह्मी) अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धी करें । (सं० वि० १८१)

जातकर्म संस्कार का विधान—

प्राङ्नाभिर्वर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते ।

मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम् ॥ ४ ॥ [२।२६] (४)

(पुंसः) बालक का (जातकर्म) जातकर्म संस्कार (नाभिवर्धनात्-प्राक्) नाभि काटने से पहले (विधीयते) किया जाता है (च) और इस संस्कार में (अस्य) इस बालक को (मन्त्रवत्) मन्त्रोच्चारणपूर्वक (हिरण्य-मधु-सर्पिषाम्) सुवर्ण, शहद और घी अर्थात् सोने की शलाका से [असमान मात्रा में] शहद और घी (प्राशनम्) चटाया जाता है ॥ ४ ॥

अनुयत्तिलः : ‘वर्धन’ शब्द का विवेचन—(१) ‘वर्धनम्’ शब्द ‘वर्धे छेदनपूरणयोः’ धातु से ल्युट् प्रत्यय के योग से बना है, अतः उसका अर्थ ‘काटना’ है। बालक के उत्पन्न होने के पश्चात्, नाभि काटने से पूर्व, इस संस्कार की श्लोकोक्त प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है। वह इस प्रकार की जाती है। बालक के उत्पन्न होने पर प्रथम गर्भाशय की झिल्ली से उसके नाभस्थ नाल को पृथक् किया जाता है और सिर को बांध दिया जाता है। पुनः नाभि से कुछ इंच छोड़कर उस नाल को दो स्थानों से अच्छी प्रकार बांधा जाता है, जिससे कि बालक का रक्त न बहे। शेष भाग को काटकर पृथक् कर दिया जाता है। इसी को ‘नाभिवर्धन’ क्रिया कहते हैं। इस क्रिया से पूर्व शहद और घी चटाना विहित है। दूसरा इसका अभिप्राय यह है कि नाभिवर्धन से पूर्व जातकर्म संस्कार प्रारम्भ किया जाता है। प्रसव समय निकट आने पर बालक का पिता प्रभूता पर जलप्रांक्षण करता है (द्र० पार० गृ० सूत्र १।१६।१; गोमिल० २।७, १३।१७) पुरोहितः यज्ञस्थल पर बैठ पुण्याहवाचन करता है।

(२) महर्षि दयानन्द ने संस्कारविधि में इस प्रक्रिया को इस प्रकार विहित किया है—“तत्पश्चात् घी और मधु दोनों बराबर मिलाके जो प्रथम सोने की शलाका कर रक्खी हो उस से बालक की जीभ पर—‘ओ३म्’ यह अक्षर लिखके उस के दक्षिण कान में “वेदोसीति”—तेरा गुप्त नाम वेद है, ऐसा सुनाके पूर्व मिलाये हुए घी और

मधु को उस सोने की शलाका से बालक को नीचे लिये मन्त्र से थोड़ा-थोड़ा चटावे ।”
(सं० वि० ४७)

ओं प्र ते ववामि मधुमो घृतस्य वेद सवित्रा प्रसूतं मघोनाम् ।

आयुष्मान् गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरवो लोके अस्मिन् ॥

[आश्व गृ० सू० १।५१।१] (सं० वि० ४०)

(३) जातकर्म में गृहसूत्रों के प्रमाण—

गृहसूत्रों ने मनुविहित विधि को ही ग्रहण किया है। आश्वलायन गृहसूत्र १।१५।१ में जातकर्म में निम्न विधान वर्णित है— “कुमारं जातं पुराभ्यंरात्वभ्यात् सपिमधुनी हिरण्यनिकाषं हिरण्येन प्राशयेत् ॥” अर्थात्—बालक के जन्म के पश्चात् दूसरों के हाथों में देने से पूर्व उसे स्वर्णपात्र में मिलाकर सोने की शलाका से शहद और घी चटाये ।

नामकरण संस्कार—

नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत् ।

पुण्ये त्रिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥५॥ [२।३०] (५)

(अस्य) इस बालक का (नामधेयं तु) नामकरण संस्कार (दशम्यां वा द्वादश्याम्) दशवें वा बारहवें दिन (वा) अथवा (पुण्ये त्रिथौ वा मुहूर्ते, किसी भी पुण्य=अनुकूल अर्थात् सुविधाजनक तिथि या मुहूर्त में (वा) अथवा (गुणान्विते नक्षत्रे) शुभगुण वाले नक्षत्र में (कारयेत्) करावे ॥५॥

अनुयायितम् : नामकरण में गृहसूत्रों के प्रमाण— गृहसूत्रों में नामकरण की विधि कुछ परिवर्तन के साथ मिलती है—

(क) “नाम चाहमे दधुः । घोषवदाद्यन्तरन्तःस्यमभिनिष्ठानान्तं द्व्यक्षरम् । चतुरक्षरं वा । युष्मानि त्वेव पुंसां । अयुजानि स्त्रीणाम् ॥”

(आश्व० गृह्य० १।१५।४-१०।)

(ख) “दशम्यामुत्थाप्य पिता नाम करोति । द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवदाद्यन्तरन्तःस्यं दीर्घाभिनिष्ठानान्तं कृतं कुर्यात् न तद्धितम् अयुजाक्षरम्-आकारान्तं स्त्रियं ।” (पार० गृह्य० १।१७।१-४)

भावार्थ—दशवें दिन पिता नामकरण संस्कार कराता है। बालक का नाम दो अक्षर का या चार अक्षर का हो और वह घोषसंज्ञक अर्थात् पाँचों वर्गों के दो-दो अक्षर छोड़ के तीसरे, चौथे, पाँचवें [ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, द, ध, न, व, भ, म, ये स्पर्श] और अन्तस्थ अर्थात् य, र, ल, व से युक्त, दीर्घस्वरान्त नाम रखे। और नाम कृदन्त रखें तद्धितान्त नहीं। विषमाक्षर और आकारान्त नाम स्त्रियों के होने चाहिए ।

(ग) महर्षि दयानन्द ने नामकरण का निम्न काल दिया है—

नामकरण का काल—“जिस दिन जन्म हो, उस दिन से लेके १० दिन छोड़ ११ में या १०१ एक सौ एक में अथवा दूसरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम धरे” । (सं० वि० नामकरण संस्कार)

वर्णानुसार नामकरण—

मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम् ।

वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥६॥ [२।३१] (६)

शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम् ।

वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेक्ष्यसंयुतम् ॥७॥ [२।३२] (७)

(ब्राह्मणस्य मङ्गल्यं स्यात्) ब्राह्मण का नाम शुभत्व-श्रेष्ठत्व भाव-बोधक शब्दों से [जैसे—ब्रह्मा, विष्णु, मनु, शिव, अग्नि, वायु, रवि, आदि] रखना चाहिए (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय का (बल + अन्वितम्) बल-पराक्रम-भावबोधक शब्दों से [जैसे—इन्द्र, भीष्म, भीम, सुयोधन, नरेश, जयेन्द्र, युधिष्ठिर आदि] (वैश्यस्य धनसंयुक्तम्) वैश्य का धन-ऐश्वर्य भाव-बोधक शब्दों से [जैसे—वसुमान्, वित्तेश, विश्वम्भर, धनेश आदि] और (शूद्रस्य तु) शूद्र का (जुगुप्सितम्) रक्षणीय, पालनीय भावबोधक शब्दों से [जैसे—सुदास, अक्किचन] नाम रखना चाहिए । अर्थात् व्यक्ति के वर्णसापेक्ष गुणों के आधार पर नामकरण करना चाहिए ॥६॥

[अथवा] (ब्राह्मणस्य शर्मवद् स्यात्) ब्राह्मण का नाम शर्मवत् = कल्याण, शुभ, सौभाग्य, सुख, आनन्द, प्रसन्नता भाव वाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए । जैसे—देवशर्मा, विश्वामित्र, वेदव्रत, धर्मदत्त, आदि] (राज्ञः रक्षासमन्वितम्) क्षत्रिय का नाम रक्षक भाव वाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए [जैसे—महीपाल, धनञ्जय, धृतराष्ट्र, देववर्मा, कृतवर्मा] (वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तम्) वैश्य का नाम पुष्टि-समृद्धि द्योतक शब्दों को जोड़कर [जैसे—धनगुप्त, धनपाल, वसुदेव, रत्नदेव, वसुगुप्त] और (शूद्रस्य) शूद्र का नाम (प्रेक्ष्यसंयुतम्) सेवकत्व भाववाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए [जैसे—देवदास, धर्मदास, महीदास ।]

❀ [प्रचलित अर्थ—ब्राह्मण का मङ्गल-सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का बल-सूचक शब्द से युक्त, वैश्य का धन-वाचक शब्द से युक्त और शूद्र का निम्नत्व शब्द से युक्त नामकरण करना चाहिए ॥२।३१॥ ब्राह्मण का ‘शर्मा’ शब्द से युक्त, क्षत्रिय का रक्षा-शब्द से युक्त, वैश्य का पुष्टि शब्द से युक्त और शूद्र का प्रेक्ष्य (दास) शब्द से युक्त उपनाम (उपाधि) करना चाहिए ॥२।३२॥]

अर्थात् व्यक्तियों के वर्णगत कार्यों के आधार पर नामकरण करना चाहिए ॥७॥४३

“जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णुशर्मा, क्षत्रिय का विष्णुवर्मा, वैश्य का विष्णुगुप्त और शूद्र का विष्णुदास, इस प्रकार नाम रखना चाहिये। जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो अपना नाम दास शब्दान्त धर ले।”

(ऋ० प० त्रि० ३४६)

अनुध्यात्मनः : ६, ७ श्लोकों के संगत अर्थ—प्रचलित टीकाओं में इन दोनों श्लोकों के अर्थों में निम्न त्रुटियाँ पायी जाती हैं—

(१) प्रचलित टीकाओं में इन दोनों श्लोकों का जिस पद्धति से अर्थ किया गया है उससे दोनों श्लोकों का अन्तर स्पष्ट नहीं होता। इन टीकाओं के अर्थ के अनुसार पहले श्लोक में चारों वर्णों का क्रमशः मङ्गलयुक्त, बलयुक्त, धनयुक्त और निन्दायुक्त नाम रखने का विधान है और द्वितीय में शर्मायुक्त, रक्षायुक्त, पुष्टियुक्त और दासयुक्त नाम रखने का कथन है। यहाँ सन्देह होता है कि पहले और दूसरे श्लोकों में ये भिन्न-भिन्न विधान क्यों हैं? तथा यह शङ्का होती है कि इस प्रकार के शब्दों को संयुक्त करके नाम रखने की परम्परा प्राचीन काल में अधिक नहीं मिलती। स्वयं मनु का नाम भी इस परम्परा के अनुसार नहीं है और दूसरा कोई विधान मनु ने दिया नहीं है, यह विरोध क्यों? इन अर्थों के अनुसार दूसरे श्लोक में एकरूपता नहीं बनती। शर्मा और दास तो उपाधियाँ मान लीं तथा रक्षा और पुष्टि को भाव मानकर अर्थ किया है। या तो सभी वर्णों के साथ उपाधियों का ही कथन होना चाहिए या भावों का ही।

(२) कुछ टीकाकारों ने द्वितीय श्लोक में ‘शर्मन्तु’ का अर्थ—‘शर्मा’ उपाधिधारी, ‘रक्षासमन्वितम्’ का ‘बर्मा’ उपाधिधारी और ‘पुष्टिसंयुक्तम्’ का ‘गुप्त’ उपाधिधारी तथा ‘प्रेष्यसंयुतम्’ का दास उपाधिधारी नामकरण, यह भ्रांतिपूर्ण अर्थ किया है।

(३) प्रायः सभी टीकाकारों ने ‘जुगुप्सितम्’ शब्द का ‘निन्दायुक्त’ यह अशुद्ध और मनुविरुद्ध अर्थ किया है।

इन त्रुटियों का निराकरण निम्नप्रकार से किया जा सकता है—

(१) वस्तुतः इन श्लोकों में विकल्प पूर्वक दो विधान हैं और दोनों में पर्याप्त अन्तर है। इन विधानों में दो प्रकार से भिन्नता है—

(क) प्रथम श्लोक में इच्छित वर्णानुसार व्यक्तिपरक गुणों या प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण करने का विधान है। जैसे ब्राह्मण वर्ण के लोगों में शुभस्व और श्रेष्ठत्व के गुण होते हैं, अतः उसी प्रकार के भावबोधक शब्दों से उनका नामकरण करना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण के लोगों में बल-पराक्रम प्रधान गुण होना चाहिए, अतः उनका नामकरण भी ऐसे शब्दों से करना चाहिए जिनमें इन भावों का आभास हो। इसी प्रकार वैश्यों में धनयुक्त होना उनका मुख्य गुण होता है, अतः उनका नाम भी धनवान्-ऐश्वर्यवान्

होने के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों द्वारा होना चाहिये। इसी प्रकार शूद्र द्विजों के आश्रय में रहता है, उन्हीं के आश्रय से उसका पालन एवं रक्षा होती है। अतः उसका नामकरण ऐसे शब्दों से किया जाना चाहिए जिनमें उसके रक्षणीय और पालनीय होने के भाव भलकें।

दूसरे श्लोक में व्यक्तियों के वर्णगत कर्मों के आधार पर नामकरण करने का विधान है, जैसे ब्राह्मण का कार्य उपकार द्वारा लोगों का कल्याण करना, विद्यादान द्वारा सुख देना आदि है तो उसके नाम में भी इस प्रकार के भावों का बोधक शब्द जोड़ने का कथन है। इसी प्रकार क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना, वैश्य का पालन-पोषण करना, शूद्र का सेवा करना है तो उनके नामों के साथ भी तत्तत् भावबोधक शब्दों को जोड़ने का विधान है। शुभ-श्रेष्ठ, बलवान्, धनवान् होना, और आश्रित या रक्ष्य होना, ये वर्णों के व्यक्तिसापेक्ष गुण या प्रवृत्तियाँ हैं और सुखी बनाना, कल्याण करना, रक्षा करना, पालन-पोषण करना, सेवा करना, ये व्यक्तियों के वर्णगत कार्य हैं। इस प्रकार प्रथम श्लोक में गुण और प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण करने का विधान है और द्वितीय में कार्यानुसार।

(ख) दूसरा अन्तर यह है कि प्रथम श्लोक में गुण या प्रवृत्ति का बोधकराने वाले शब्दों से ही नाम रखने का विधान है, जबकि दूसरे श्लोक में कार्यानुसारी भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को नाम के साथ जोड़ने का कथन है। दोनों ही प्रकार की परम्परा प्राचीनकाल में चलती रही है। इनके उदाहरण श्लोकों के अर्थों के साथ दशयि जा चुके हैं। इस प्रकार अर्थ की स्पष्टता से सभी सन्देहों, शंकाओं व भ्रष्टियों का निराकरण हो जाता है।

(२) जिन टीकाकारों ने 'शर्मवत्' शब्द को शाब्दिक रूप में ग्रहण करके शर्मा, वर्मा, गुप्त और दास उपाधि-संयुक्त करने सम्बन्धी अर्थ किया है, उन्होंने इस श्लोक के अर्थ को संकुचित बना दिया है, और ठीक प्रकार से नहीं समझा है। शायद उन्हें यह भ्रान्ति इस लिये हो गयी है कि प्राचीन युग में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग परम्परा में अधिक प्रचलित रहता रहा है। इस श्लोक में 'शर्मवत्' से अभिप्राय 'शर्मा' शब्द लगाने से नहीं है, अपितु इस भाव का कोई भी शब्द नाम के साथ जोड़ने से है। यहाँ इन शब्दों को शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिये अपितु इनके भाव को ग्रहण करना चाहिए। इस बात में श्लोकोक्त 'रक्षा' और 'पुष्टि' भाववाचक शब्दों का प्रयोग प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि मनु को यहाँ 'शर्मा' शब्द अभीष्ट होता तो वे क्षत्रिय के साथ 'रक्षा' शब्द का उल्लेख न करके 'वर्मा' शब्द का ही उल्लेख करते। इसी प्रकार वैश्य के साथ 'गुप्त' का; किन्तु उन्होंने इन शब्दों को भाववाचक रूप में ग्रहण किया है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि उक्त भावों वाले किन्हीं भी शब्दों को नाम के साथ जोड़े। उनमें शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास भी अन्तर्गत हो जाते हैं। केवल इन्हीं शब्दों को जोड़े ऐसा अभिप्राय नहीं है जैसे—ब्राह्मण के नाम में शर्मा जोड़कर देवशर्मा भी रखा जा सकता है और मित्र, प्रिय आदि जोड़कर देवमित्र, देवप्रिय आदि भी। इसी प्रकार क्षत्रिय के नाम में वर्मा जोड़कर

प्रतापवर्मा भी रखा जा सकता है और इन्द्र, पाल, निधि आदि जोड़कर प्रतापेन्द्र, विजयेन्द्र, महीपाल, बलनिधि आदि भी। इस प्रकार इस श्लोक का व्यापक भाव है। उसे संकुचित करना भ्रान्तिपूर्ण है।

(६) जुगुप्सित का संगत अर्थ—प्रथम श्लोक में 'जुगुप्सितम्' शब्द का 'निन्दा या घृणायुक्त' अर्थ करना भी उचित नहीं है। यह शब्द 'गुप् रक्षणे' धातु से स्वार्थ में 'सम्' प्रत्यय के योग से बना है। स्वार्थ में होनेवाले प्रत्यय का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता, अपितु धातु के मूलार्थ का ही बोध कराता है। अतः 'गुप्' धातु के 'रक्षा करने' अर्थ के अनुसार यहां 'जुगुप्सितम्' का रक्षणीय, पालनीय, आश्रय देने योग्य भाव वाला यह अर्थ बनता है। इस शब्द का यही मूलार्थ है। निन्दावाचक अर्थ भी प्रचलित है, किन्तु वह प्रचलन की दृष्टि से परवर्ती है। 'जुगुप्सा' शब्द का आज निन्दा, घृणा आदि अर्थ अधिक प्रचलित है। इसलिए हमारे मन में यही अर्थ पहले बैठ जाता है, किन्तु मनुस्मृति के श्लोक में यह अर्थ अभिप्रेत न होकर 'रक्षणीय' अर्थ अभीष्ट है। यही अर्थ मनुस्मृति की व्यवस्थाओं के अनुरूप है, यतो हि मनु ने शूद्र को जो सब वर्णों की सेवा का कार्य सौंपा है (१। ६१) और वह उन्हीं के आश्रय से या उन्हीं की सुरक्षा में अपना निर्वाह करता है (१। ६१, ६। ३३४, १०। ६६)। इस शब्द का निन्दा अर्थ न होने में एक और प्रमाण यह है कि मनुस्मृति में शूद्र के प्रति घृणा या निन्दा की भावना कहीं नहीं है अपितु उसकी स्वल्पयोग्यता के अनुसार निलिप्त भाव से उसके कर्मों का कथन है और उसे शुद्ध-श्रेष्ठ और उत्तम गति के योग्य माना है (६। ३३५) अगले श्लोक में 'प्रेष्य-संयुतम्' शब्द से भी किसी प्रकार का निन्दा-घृणारूप भाव प्रकट न होकर शूद्र के 'सेव-कत्व' रूप कर्म का संकेत है। अतः यहां 'जुगुप्सितम्' का 'निन्दायुक्त' अर्थ करना मनुस्मृत और उचित नहीं है।

स्त्रियों के नामकरण की विधि—

स्त्रीणां सुखोद्यमकूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् ।

मंगल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत् ॥ ८ ॥ [२।३३](८)

(स्त्रीणाम्) स्त्रियों का नाम (सुखोद्यम्) उच्चारण किया जा सकने वाला (अक्रूरम्) कोमल वर्णों वाला (विस्पष्टार्थम्) स्पष्ट अर्थ वाला (मनोहरम्) मन को आकर्षक लगने वाला (मंगल्यम्) मंगल अर्थात् शुभ-भावयुक्त (दीर्घवर्णान्तम्) अन्त में दीर्घ अक्षर वाला, तथा (आशीर्वाद् + अभिधान-वत्) आशीर्वाद का वाचक होना चाहिये [जैसे—कल्याणी, वन्दना, विद्यावती, कमला, विमला, सुशीला, सुषमा, भाग्यवती, सावित्री, यशोदा, प्रियंवदा आदि] ॥ ८ ॥

“जो स्त्री हो तो एक, तीन वा पांच अक्षर का नाम रखे श्री, ह्री, यशोदा, सुखदा, सौभाग्यप्रदा इत्यादि।” (सं० वि० नामकरण सं०)

निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार—

चतुर्थे मासि कर्त्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् ।

षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मङ्गलं कुले ॥६॥ [२।३४](६)

(शिशोः) बालक का (गृहात् निष्क्रमणम्) घर से [प्रथम बार] बाहर निकालने का 'निष्क्रमण संस्कार' (चतुर्थे मासि) चौथे मास में (कर्त्तव्यम्) करना चाहिए और (अन्नप्राशनम्) अन्न खिलाने का संस्कार—'अन्नप्राशन' (षष्ठे मासि) छठे मास में (वा) अथवा (यत् कुले इष्टं मंगलम्) जब भी परिवार में अभीष्ट अथवा शुभ समय प्रतीत हो, तब करे ॥ ६ ॥

“निष्क्रमण संस्कार उस को कहते हैं कि जो बालक को घर से जहाँ का वायुस्थान शुद्ध हो वहाँ भ्रमण कराना होता है। उसका समय जब अच्छा देखे तभी बालक को बाहर घुमावें अथवा चौथे मास में तो अवश्य भ्रमण करावें ।” (सं० वि० ५५)

अनुशीलनः : निष्क्रमण और अन्नप्राशन में गृहसूत्रों के प्रमाण—
इन संस्कारों के विषय में गृहसूत्रों में निम्न उल्लेख मिलता है—

(क) “चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति ।”

(पार० गृह्य० १।७५।५-६)

= चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार करे। बालक को बाहर ले जाकर सूर्यदर्शन कराये ।

(ख) “जननाद्यास्तृतीयो ज्योस्नस्तस्य तृतीयायाम् ।” (गो० गृह्य० ५।८।१)

= या फिर जन्म के पश्चात् तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया को निष्क्रमण करे ।

(ग) “षष्ठे मासि अन्नप्राशनम् । दधिमधुशृतमिश्रितमन्नं प्राशयेत् ।”

(आश्व० गृह्य० १।१६।१-५)

= छठे मास में बालक को अन्नप्राशन कराये और दही, शहद, घी मिश्रित भोजन चढाये ।

“छठे महीने बालक को अन्नप्राशन करावे ।” (सं० वि० ५८)

मुण्डन संस्कार—

चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः ।

प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्त्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥१०॥ [२।३५] (१०)

(सर्वेषाम् + एव द्विजातीनां चूडाकर्म) सभी द्विजातियों = ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों के इच्छुकों का [माता-पिता की इच्छा के आधार पर यह प्रयोग है] चूडाकर्म = मुण्डन संस्कार (धर्मतः) धर्मानुसार (श्रुतिचोदनात्) वेद की आज्ञानुसार (प्रथमे + अब्दे) प्रथम वर्ष में (वा तृतीये) अथवा

तीसरे वर्ष में [अपनी सुविधानुसार] (कत्तंव्यम्) कराना चाहिए ॥ १० ॥

“यह चूडाकर्म अर्थात् मुण्डन बालक के जन्म से तीसरे वर्ष वा एक वर्ष में करना । उत्तरायणकाल शुक्लपक्ष में जिस दिन आनन्दमंगल हो उस दिन यह संस्कार करें ।” (सं० वि० ६०)

अनुष्ठीतम् : चूडाकर्म में प्रमाण—गृह्यसूत्रों में चूडाकर्म अर्थात् मुण्डन का यही काल विहित है—

(क) “तृतीये वर्षे चूडाम् ।” (आश्व० गृह्य० १।१७।१)

= तृतीय वर्ष में मुण्डन संस्कार किया जाता है ।

(ख) “ताम्रसरिकस्थ चूडाकरणम् ।” (पार० गृह्य० २।१।१)

= एक वर्ष के बालक का मुण्डन किया जाता है ।

उपनयन संस्कार का सामान्य समय—

गर्भाष्टमेऽग्रे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

गर्भाष्टमादशे राज्ञो गर्भात् द्वादशे विशः ॥११॥ [२।३६] (११)
(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण वर्ण के इच्छुक का [माता-पिता की इच्छा के आधार पर प्रयोग है] (उपनायनम्) उपनयन=गुरु के पास पहुंचाना अर्थात् यज्ञोपवीत संस्कार (गर्भाष्टमे + अग्रे) गर्भ से आठवें वर्ष में (कुर्वीत) करे, (राजः) क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का (गर्भात् + एकादशे) गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में, और (विशः) वैश्य वर्ण के इच्छुक का (गर्भात् द्वादशे) गर्भ से बारहवें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए ॥११॥ ❀

अनुष्ठीतम् : (१) ‘ब्राह्मणस्य’ आदि पदों का मनुसम्मत अर्थ—

(क) ११-१३ श्लोकों में ‘ब्राह्मणस्य’ आदि पदों का प्रचलित टीकाग्रों में ब्राह्मण के बालक का, राज्ञः या क्षत्रियस्य = क्षत्रिय के बालक का, वैश्यस्य या विशः = वैश्य के बालक का, यह अर्थ मिलता है । यह अर्थ श्लोक के पदप्रयोग के विरुद्ध है और मनु की मान्यता के विरुद्ध भी । श्लोक के पदों में ‘बालक’ अर्थ देने वाला कोई पद नहीं है, जिससे कि ‘ब्राह्मण के बालक’ आदि अर्थ किये जायें । इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्ण-व्यवस्था मानते हुए कर्मणा वर्ण-परिवर्तन मानते हैं [देखिए १०।६५॥१।८७-९१।१।१०७ श्लोक और उन पर समीक्षा] । इन अर्थों से ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे जन्म के आधार पर वर्णप्रवेश है और वह भी ब्राह्मण का ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य का वैश्य वर्ण में । यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता ।

(ख) यहाँ ये पद वस्तुतः जातिवाचक न होकर वर्णसंज्ञावाचक हैं । जिनका अर्थ है ‘ब्राह्मण—वर्ण का दीक्षाकाल’ ‘क्षत्रियवर्ण का दीक्षाकाल’ आदि । मनुसम्मत मान्यता

❀ [प्रचलित अर्थ—ब्राह्मण-बालक का गर्भ से आठवें वर्ष में, क्षत्रिय-बालक का गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में और वैश्य-बालक का गर्भ से बारहवें वर्ष में ‘उपवीत’ (यज्ञोपवीत) संस्कार करना चाहिये ॥३६॥

के आधार पर ग्रन्थाहार से इनका अर्थ 'ब्राह्मण वर्ण' को धारण करने के इच्छुक का' आदि अर्थ किये गये हैं। इस अर्थ का संकेत मनु के 'ब्रह्मवर्चसकामस्य' [२।१२] आदि पदों से भी प्राप्त होता है। इस अर्थ की व्यापकता के अन्तर्गत दोनों प्रकार के वर्णों का समावेश हो जाता है। जो वंशपरम्परानुसार अपने वर्ण में दीक्षा दिलाना चाहे वह भी इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता है और जो परिवर्तनपूर्वक अपने बालक को दूसरे वर्ण में दीक्षित कराना चाहे तो, वह भी उस निर्धारित समय-व्यवस्थानुसार करा सकता है।

(ग) यहां यह शंका हो सकती है कि इतने अल्पवयस्क बच्चों के साथ 'इच्छुक' पद का सम्बन्ध नहीं बनता? इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छा के आधार पर ये प्रयोग हैं। प्रारम्भ में माता-पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उसी के अनुसार सभी संस्कार करते हैं। पुनः उसकी शिक्षा-दीक्षा को परखकर वर्ण का अन्तिम निश्चय आचार्य करता है [२।१२१ (१४६), १२३ (१४८)]। देखिए मनु ने इसी व्यवहार के आधार पर पांच वर्ष के बालक के लिए 'ब्रह्मवर्चसकामस्य' बलार्थिनः, 'ब्रह्मवर्चसकामस्य' [२।१२] पदों का प्रयोग किया है, जबकि इतने अल्पवयस्क बालकों को ब्रह्मवर्चसकामना आदि की इच्छा, गम्भीरता एवं परिणाम का ज्ञान नहीं होता। इस प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत भाष्य का अर्थ भी मनु के वर्णानुरूप ही है।

(२) उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं—११-१३ श्लोकों में मनु ने उपनयन संस्कार का विधान करते हुए शूद्र का उल्लेख नहीं किया। यहां प्रश्न उठता है कि यदि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं तो शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं किया? इसका समाधान इस प्रकार है—

(क) इस प्रश्न में ही इसका उत्तर भी निहित है। उपनयन में शूद्र का उल्लेख न करने से यह संकेत मिलता है कि मनु उपनयन और वेदारम्भ की दीक्षा से पूर्व किसी को जन्म से शूद्र नहीं मानते। यह द्विज-दीक्षा का संस्कार है और वे द्विज तीन ही प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति जिस वर्ण की दीक्षा दिलाना चाहे, वह इन तीनों में से उसी वर्ण में प्रवेश ले सकता है। पुनः शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त आचार्य अन्तिम रूप से उनके वर्णों का निश्चय करता है [२।१२१ (१४६), १२३ (१४८)]।

(ख) जो व्यक्ति इन तीनों वर्णों के गुणों को धारण नहीं कर सकता और वेदारम्भ तथा उपनयन रूपी ब्रह्मजन्म को ग्रहण नहीं कर सकता वह शूद्र रह जाता है। उपनयन से पूर्व अर्थात् द्विजजन्म से पूर्व सभी वर्णों के बालक शूद्र ही होते हैं—'जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विज उच्यते'। इस प्रकार कोई भी बालक किसी वर्ण में दीक्षित हो सकता है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्रः ॥१०।४॥

इस प्रकार उपनयन आदिसे पूर्व शूद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके उल्लेख

की आवश्यकता नहीं रहती। द्विजों के 'पतित' या 'शूद्र' होने की स्थिति बाद में आती है [१४-१५ (३६-४०)]।

(ग) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि में यह भी एक प्रबल युक्ति है कि मनु ने यहां शूद्र के उपनयन का निषेध नहीं किया। अगर वे जन्मना शूद्र की स्थिति और वर्णव्यवस्था मानते तो यहां पृथक् से निषेध करते। [द्रष्टव्य १।३१, ८७-९१, १०७।१०।६५ की कर्मणाव्यवस्था-सम्बन्धी समीक्षा]

(३) गृह्यसूत्रों में भी उपनयन का विधान मनु के अनुसार है, यथा—

“अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत् । १ । गर्भाष्टमे वा । २ । एकादशे क्षत्रियम् । ३ । द्वयोर्वैश्यम् । ४ । (शास्त्रालयन गृह्यसूत्र) — जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो उससे आठवें वर्ष में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय के और जन्म वा गर्भ से बारहवें वर्ष में वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें ॥”

(सं० वि० ६५)

उपनयन का विशेष समय—

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।

राज्ञो बलात्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहाथिनोऽष्टमे ॥१२॥ [२।३७](१२)

(इह ब्रह्मवर्चस-कामस्य) इस संसार में जिसको ब्रह्मतेज = ईश्वर, विद्या आदि की शीघ्र एवं अधिक प्राप्ति की कामना हो, ऐसे (विप्रस्य) ब्राह्मण वर्ण की इच्छा रखने वाले का [माता-पिता की इच्छा के आधार पर प्रयोग है] उपनयन संस्कार (पञ्चमे कार्यम्) पांचवें वर्ष में ही करा देना चाहिये (इह बलात्थिनः राज्ञः) इस संसार में बल-पराक्रम आदि क्षत्रिय-विद्याओं की शीघ्र एवं अधिक प्राप्ति की कामना वाले क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का (षष्ठे) छठे वर्ष में और (इह + अथिनः वैश्यस्य) इस संसार में धन-वैश्वर्य की शीघ्र एवं अधिक कामना वाले वैश्य वर्ण के इच्छुक का (अष्टमे) आठवें वर्ष में उपनयन संस्कार करा देना चाहिये ॥ १२ ॥ ॐ

“जिसको शीघ्र विद्या, बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म वा गर्भ से पांचवें, क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भ से छठे और वैश्य के लड़के का जन्म वा गर्भ से आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत करें ॥” (सं० वि० पृ० ६५)

ॐ [प्रचलित अर्थ—वेदाध्ययन और ज्ञानाधिक्य आदि तेज के लिये ब्राह्मण-बालक का गर्भ से पांचवें वर्ष में, हाथी, घोड़ा और पराक्रम आदि प्राप्ति के लिये क्षत्रिय-बालक का गर्भ से छठे वर्ष में और अधिक धन तथा भेती आदि की प्राप्ति के लिये वैश्य-बालक का गर्भ से आठवें वर्ष में 'यज्ञोपवीत' संस्कार करना चाहिये ॥ ३७ ॥]

अनुशीलन : श्लोकार्थ एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें श्लोक पर देखिए।

उपनयन की अन्तिम अवधि—

आषोडशाद्ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते ।

प्राद्वाविंशस्त्रयन्धोराक्षतुविंशतेविंशः ॥१३॥ [१।३८] (१३)

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण वर्ण को धारण करने की इच्छा रखने वाले का (आ-षोडशात्) सोलह वर्ष तक (क्षत्रबन्धोः) क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का (आ-द्वाविंशात्) बाईस वर्ष तक (विशः) वैश्य वर्ण के इच्छुक का (आ-चतुविंशतेः) चौबीस वर्ष तक (सावित्री न+प्रतिवर्तते) यज्ञोपवीत का अतिक्रमण नहीं होता अर्थात् इन अवस्थाओं तक उपनयन संस्कार कराया जा सकता है ॥ १३ ॥ ❧

अनुशीलन : (१) श्लोकार्थ एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें श्लोक पर देखिये।

(२) आश्वलायन गृह्यसूत्र में उपनयन काल के अतिक्रमण का विधान निम्न है—

“आषोडशाद् ब्राह्मणस्थानतीतकालः ॥ ५ ॥ प्राद्वाविंशात् क्षत्रियस्य, आचतुर्विंशद्विंशस्य ॥ ६ ॥ (आश्व० गृह्यसूत्र १।१६।६)—ब्राह्मण के सोलह, क्षत्रिय के बाईस और वैश्य के बालक का चौबीस वर्ष से पूर्व-पूर्व यज्ञोपवीत होना चाहिये।”

(सं० वि० ६५)

उपनयन से पतित ब्राह्मणों का लक्षण—

अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।

सावित्रीपतिता ब्राह्मणा भवन्त्यार्यविगहिताः ॥१४॥ [२।३६] (१४)

(यथाकालम्+असंस्कृताः) निर्धारित समय पर संस्कार न होने पर (अतः+ऊर्ध्वम्) इस [२।१३] अवस्था के बीतने के बाद (एते त्रयः+अपि) ये तीनों [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य] ही (सावित्रीपतिताः) सावित्री-यज्ञोपवीत से पतित हुए (आर्यविगहिताः) आर्य=श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा निन्दित (ब्राह्मणाः भवन्ति) ‘ब्राह्मणा’=व्रत से पतित ब्राह्मणसंज्ञक कहलाते हैं ॥ १४ ॥

अनुशीलन : “अतः ऊर्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ६ ॥

(आश्व० गृ० सू० १।१६।६)

❧ [प्रचलित अर्थ—सोलह वर्ष तक ब्राह्मण की, बाईस वर्ष तक क्षत्रिय की और चौबीस वर्ष तक वैश्य की सावित्री का उल्लंघन नहीं होता। (अतः उक्त अवस्था होने के पहले ही तीनों वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिये) ॥ ३८]

यदि पूर्वोक्त काल में इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावें ।”

(सं० वि० ६५)

ब्राह्मणों के साथ सम्बन्धविच्छेद का कथन—

नैतैरपूतैर्विधिवदापद्यपि हि कर्हिचित् ।

ब्राह्मण्योनादिच सम्बन्धानाचरेद् ब्राह्मणः सह ॥१५॥

[२।४०] (१५)

(ब्राह्मणः) द्विजों में कोई भी व्यक्ति (एतैः+अपूतैः सह) इन पतितों के साथ (कर्हिचित् आपदि+अपि हि) कभी आपत्काल में भी (विधिवत्) नियम पूर्वक (ब्राह्मण्यं) विद्याध्ययन-ग्रध्यापन-सम्बन्धी (च) और (योनान्) विवाह-सम्बन्धी (सम्बन्धान्) व्यवहारों को (न आवरेत्) न करे ॥ १५ ॥

वर्णानुसार मृगचर्मों का विधान—

काष्णंरोरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः ।

वसीरन्तानुपूव्येण शाणक्षौमाविकानि च ॥१६॥[२।४१](१६)

(ब्रह्मचारिणः) तीनों वर्णों के ब्रह्मचारी (आनुपूव्येण) क्रमशः (काष्णंरोरव-वास्तानि चर्माणि) [आसन के रूप में बिछाने के लिए] काला मृग, रुमृग और बकरे के चर्म को (च) तथा [भोजने-पहरने के लिये] (शाणक्षौम-आविकानि) सन, रेशम और ऊन के वस्त्रों को (वसीरन्) धारण करें ॥ १६ ॥

“एक-एक मृगचर्म उनके बैठने के लिए... देना चाहिए ।” (सं० वि० ७५)

मेखला-विधान—

मौञ्जी त्रिवृत्समा श्लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला ।

क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥१७॥[२।४२](१७)

(विप्रस्य) ब्राह्मण की (मेखला) मेखला=तगड़ी (मौञ्जी) ‘मूँज’ नामक घास की बनी होनी चाहिए (क्षत्रियस्य मौर्वी ज्या) क्षत्रिय की धनुष की डोरी जिससे बनती है उस ‘मुरा’ नामक घास की, और (वैश्यस्य) वैश्य की (शणतान्तवी) सन के सूत की बनी हो जो (त्रिवृत् समा) तीन लड़ों को एकत्र बाँटकरके (श्लक्षणा कार्या) चिकनी बनानी चाहिए ॥१७॥

“आचार्य सुन्दर चिकनी प्रथम बनाके रखी हुई मेखला को बालक के कटि में बाँधे ।”

“ब्राह्मण की मूँज वा दर्भ की, क्षत्रिय की धनुष संज्ञक तृण या वल्कल की और वैश्य की ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिए ।” (सं० वि० ७५)

मेखलाओं का विकल्प—

मुञ्जालाभे तु कर्त्तव्याः कुशादमन्तकबल्वजैः ।

त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥१८॥ [२।४३] (१८)

(मुञ्जालाभे तु) यदि उपयुक्त मूँज आदि न मिलें तो [क्रमशः] (कुश+अमन्तक-बल्वजैः) कुश, अमन्तक और बल्वज नामक घासों से (त्रिवृता) उसी प्रकार तिगुनी=तीन बटों वाली करके (एकेन ग्रन्थिना) फिर एक गांठ लगाकर (वा) अथवा (त्रिभिः पञ्चभिः+एव) तीन या पांच गांठ लगाकर (कर्त्तव्याः) मेखलाएं बनानी चाहिए ॥१८॥

वर्णानुसार यज्ञोपवीत—

कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योर्ध्ववृत्तं त्रिवृत् ।

शणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिकम् ॥१९॥ [२।४४] (१९)

(विप्रस्य) ब्राह्मण का (उपवीतम्) यज्ञोपवीत (कार्पासम्) कपास का बना (राज्ञः) क्षत्रिय का (शणसूत्रमयम्) सन के सूत का बना और (वैश्यस्य) वैश्य का (आविक-सौत्रिकम्) भेड़ की ऊँन के सूत का बना (स्यात्) होना चाहिए, वह उपवीत (ऊर्ध्ववृत्तम्) दाहिनी ओर से बायीं ओर का बटा हुआ, और (त्रिवृत्) तीन लड़ों से तिगुना करके बना हुआ होना चाहिए ॥१९॥

वर्णानुसार दण्डविधान—

ब्राह्मणो बेल्वपालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरी ।

पेलवौदुम्बरी वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः ॥२०॥ [२।४५] (२०)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (बेल्व-पालाशौ) बेल या ढाक के (क्षत्रियः) क्षत्रिय (वाट-खादिरी) बड़ या खैर के (वैश्यः) वैश्य (पेलव+औदुम्बरी) पीपल या गूलर के (दण्डान्) दण्डों को (धर्मतः) नियमानुसार (अर्हन्ति) धारण कर सकते हैं ॥२०॥

दण्डों का वर्णानुसार मान—

केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः ।

ललाटसंमितो राज्ञः स्यात् नृणां न्तिको विशः ॥२१॥ [२।४६] (२१)

(प्रमाणतः) माप के अनुसार (ब्राह्मणस्य दण्डः) ब्राह्मण का दण्ड (केशान्तिकः) केशों तक (राज्ञः ललाटसंमितः) क्षत्रिय का माथे तक (कार्यः) बनाना चाहिए (तु) और (विशः) वैश्य का (नृणां न्तिकः स्यात्) नाक तक ऊँचा होना चाहिये ॥२१॥

दण्डों का स्वरूप—

ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरवणाः सौम्यदर्शनाः ।

अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥२२॥ [२१४७] (२२)

(ते तु सर्वे) वे सब दण्ड (ऋजवः) सीधे (अवणाः) बिना गाँठ वाले (सौम्यदर्शनाः) देखने में प्रिय लगने वाले (नृणाम् अनुद्वेगकराः) मनुष्यों को बुरे या डरावने न लगने वाले (सत्वचः) छालसहित और (अनग्निदूषिताः) बिना जले-भुलसे (स्युः) होने चाहिये ॥२२॥

अनुयातन : २० से २२ तक के श्लोकों का भाव महर्षि-दयानन्द ने निम्न प्रकार दिया है—

“ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के केशों तक पलाश वा बिल्ववृक्ष का, क्षत्रिय को घट वा खदिर का ललाट भ्रू तक, वैश्य को पीलू वा गूलर वृक्ष का नासिका के अग्रभाग तक दंड प्रमाण और वे दंड चिकने, सूधे हों, अग्नि में जले, टेढ़े, कीड़ों के खाये हुये नहीं हों,” (मं० वि० ७५)

भिक्षा-विधान—

प्रतिगृह्येत्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम् ।

प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरेद् भिक्षं यथाविधि ॥२३॥ [२१४८] (२३)

(ईप्सितं दण्डं प्रतिगृह्य) ऊपर वर्णित [२०-२२] दण्डों में अपने योग्य दण्ड धारण करके (च) और (भास्करम् उपस्थाय) सूर्य के सामने खड़ा होके (अग्निं प्रदक्षिणं परीत्य) यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा—परिक्रमा करके (यथाविधि) विधि-प्रनुसार [२१२४-२५] (भिक्षं चरेत्) भिक्षा मांगे ॥२३॥

भिक्षा-विधि—

भवत्पूर्वं चरेद् भिक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः ।

भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् ॥२४॥ [२१४९] (२४)

(उपनीतः द्विजोत्तमः) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित ब्राह्मण (भवत्पूर्वं भिक्षं चरेत्) ‘भवत्’ शब्द को वाक्य के पहले जोड़कर, जैसे—‘भवान् भिक्षां ददातु’ या ‘भवती भिक्षां ददातु’ कहकर भिक्षा मांगे (तु) और (राजन्यः) क्षत्रिय (भवत्-मध्यम्) ‘भवत्’ शब्द को वाक्य के बीच में लगाकर, जैसे—‘भिक्षां भवान् ददातु’ या ‘भिक्षां भवती ददातु’ कहकर भिक्षा मांगे (तु) और (वैश्यः) वैश्य (भवत्+उत्तरम्) ‘भवत्’ शब्द को वाक्य के बाद में जोड़कर, जैसे—‘भिक्षां ददातु भवान्’ या ‘भिक्षां ददातु भवती’ कहकर भिक्षा मांगे ॥२४॥

“ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो ‘भवान् भिक्षां ददातु’ और जो स्त्री से मांगे तो ‘भवती भिक्षां ददातु’ और क्षत्रिय का बालक ‘भिक्षां भवान् ददातु’ और स्त्री से ‘भिक्षां भवती ददातु’, वैश्य का बालक ‘भिक्षां ददातु भवान्’ और ‘भिक्षां ददातु भवती’ ऐसा वाक्य बोले।”
(सं० वि० ७७)

भिक्षा किन से मांगे—

मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम् ।

भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चनं नावमानयेत् ॥२५॥ [२।५०] (२५)

[इन ब्रह्मचारियों को] (मातरं वा स्वसारम्) माता या बहन से (वा मातुः निजां भगिनीम्) अथवा माता की सगी बहन अर्थात् सगी मौसी से (च) और (या एनं न + अवमानयेत्) जो इस भिक्षार्थी का अपमान न करे उससे (प्रथमं भिक्षां भिक्षेत) पहले भिक्षा मांगे ॥२५॥

अनुशीलन : श्लोक २३ और २५ का भाव महर्षि-दवानन्द ने निम्न प्रकार ग्रहण किया है—

“तत्पश्चात् ब्रह्मचारी यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में खड़ा रहके माता-पिता, बहन-भाई, मामा-मौसी, चाचा आदि से लेके जो भिक्षा देने में नकार न करें उनसे भिक्षा मांगे।” (सं० वि० ७७)

गुरु को भिक्षा-समर्पण—

समाहृत्य तु तद्भक्षं यावदन्नममायया ।

निवेद्य गुरवेऽग्नीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥२६॥ [२।५१] (२६)

(तत् भक्षं तु समाहृत्य) उस भिक्षा को आवश्यकतानुसार लाकर (यावत् + अन्नम्) जितनी भी वह भोज्य सामग्री हो उसे (अमायया) निष्कपट भाव से (गुरवे निवेद्य) गुरु को निवेदित करके (शुचिः) स्वच्छ होकर (प्राङ्मुखः) पूर्व की ओर मुख करके (आचम्य) आचमन करके (अग्नीयात्) खाये ॥२६॥

“जितनी भिक्षा मिले वह आचार्य के आगे धर देनी, तत्पश्चात् आचार्य उसमें से कुछ थोड़ा-सा अन्न लेके वह सब भिक्षा बालक को दे देवे और वह बालक उस भिक्षा को अपने भोजन के लिए रख छोड़े।”

(सं० वि० ७८)

चारों दिशाओं की ओर मुख करके भोजन करने का फल—

आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः ।

अथ्यं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते ह्युदङ्मुखः ॥२७॥ [२।५२]

(प्राङ्मुखः) पूर्व की ओर मुख करके खाने वाला (आयुष्यं भुङ्क्ते) अधिक आयु को भोगता है (दक्षिणामुखः यशस्यं भुङ्क्ते) दक्षिण की ओर मुख करके खाने वाला अधिक यश को पाता है (प्रत्यङ्मुखः अथ्यं भुङ्क्ते) पश्चिम की ओर मुख करके खाने वाला धन को भोगता है और (उदङ्मुखः ऋतं भुङ्क्ते) उत्तर की ओर मुख करके खाने वाला सत्य को प्राप्त करता है ॥२७॥

अनुव्याख्यान : २७ वां श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. अन्तर्विरोध—२६ वें श्लोक में उपनयन विधि में केवल पूर्वाभिमुख होकर खाने का विधान है, जबकि, इसमें चारों दिशाओं में खाने का निर्देश है। यह पूर्व विधान से भिन्न होने के कारण विरुद्ध है।

२. प्रसंगविरोध—२६ वें श्लोक में केवल पूर्वाभिमुख होकर खाने की चर्चा थी। प्रसंगानुसार उसका महत्त्व दर्शाना तो प्रासंगिक हो सकता था, किन्तु इस श्लोक में चारों ही दिशाओं का महत्त्व दर्शाया गया है। इनमें तीन दिशाओं की कोई चर्चा या प्रसंग नहीं है। अतः प्रसंग के बिना ही इनका वर्णन करना प्रसंगविरोध है।

३. शैलीगत आधार—इस श्लोक की शैली निराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। भोजन करने का दिशाओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, और न यश, आदि की प्राप्ति का कोई सम्बन्ध है। और यदि इतने सस्ते में ये लाभ प्राप्त हो सकते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि सभी किसी न किसी दिशा में मुख करके ही भोजन करते हैं। यदि इतनी आसानी से ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं तो फिर इनकी प्राप्ति के लिए कठिन प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? इसके अनुसार तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए! यह इस प्रकार की शैली मनु की नहीं है।

भोजन से पूर्व आचमन विधान—

उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः ।

भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यग्द्विजः खानि च संस्पृशेत् ॥२८॥ [२।५३] (२७)

(द्विजः) द्विज (नित्यम्) प्रतिदिन (उपस्पृश्य) आचमन करके (समाहितः) एकाग्र मन से (अन्नम्+अद्यात्) भोजन खाये (च) और (भुक्त्वा) खाकर (सम्यक्) अच्छी प्रकार (उपस्पृशेत्) कुल्ला करे (च) तथा (अग्निभः खानि संस्पृशेत्) जल से नाक, मुख, नेत्र आदि इन्द्रियों का स्पर्श करे अर्थात् धोये ॥ २८ ॥

“नित्य.....भोजन के पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया करे।”

(सं० वि० ७६)

भोजन-सम्बन्धी आवश्यक विधान—

पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चैतदकुत्सयन् ।

दृष्ट्वा हृष्येतप्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ॥ २६ ॥ [२।५४] (२८)

(नित्यम्) प्रतिदिन खाते हुए (अशनं पूजयेत्) भोज्य पदार्थ का आदर करे (च) और (एतद्+अकुत्सयन्+अद्यात्) इसे निन्दाभाव से रहित होकर अर्थात् श्रद्धापूर्वक खाये (दृष्ट्वा हृष्येत् च प्रसीदेत्) भोजन को देख कर मन में उल्लास और प्रसन्नता की भावना करे (च) तथा (सर्वशः प्रतिनन्देत्) उसकी सर्वदा प्रशंसा करे ॥२६॥

पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति ।

अपूजितं तु तद् भुक्तमुभयं नाशयेद्विदम् ॥ ३० ॥ [२।५५] (२९)

(हि) क्योंकि (पूजितम् अशनम्) श्रद्धा-आदरपूर्वक किया हुआ भोजन (नित्यं बलं च ऊर्जं यच्छति) सदैव बल और स्फूर्ति देने वाला होता है (तु तद्+अपूजितम्) और वह अनादरपूर्वक (भुक्तम्) खाया हुआ (इदम् उभयं नाशयेत्) इन दोनों, बल और स्फूर्ति को नष्ट करता है ॥३०॥

नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा ।

न चैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत् ॥ ३१ ॥

[२।५६] (३०)

(न कस्यचित्+उच्छिष्टं दद्यात्) न किसी को अपना भूठा पदार्थ दे (च) और (तथा एव न अन्तरा अद्यात्) उसी प्रकार न किसी भोजन के बीच आप खावे (न चैव अति-अशनं कुर्यात्) न अधिक भोजन करे (च) और (न उच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत्) न भोजन किये पश्चात् हाथ मुख धोये बिना कहीं इधर-उधर जाय ॥३१॥ (स० प्र० पृ० २६७)

अनुशीलन : उच्छिष्ट खाने में दोष—उच्छिष्ट भोजन के प्रसङ्ग में महर्षि दयानन्द ने विस्तृत प्रकाश डाला है, जो उल्लेखनीय है—

प्रश्न—एकसाथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ?

उत्तर—दोष है। क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती। जैसे कुण्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का स्थिर बिगड़ जाता है, वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है; सुधार नहीं।

प्रश्न—“गुरोश्छिष्टभोजनम्” इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ?

उत्तर—इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात् जो पृथक् अन्न शुद्ध स्थित है, उसका भोजन करना अर्थात् गुरु को प्रथम भोजन कराके शिष्य को भोजन करना चाहिए।

प्रश्न—जो उच्छिष्ट मात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहित, बछड़े का उच्छिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के पश्चात् अपना भी उच्छिष्ट होता है, पुनः उनको भी न खाना चाहिए।

उत्तर—सहृत् कथन मात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत ही ओषधियों का सार ग्राह्य; बछड़ा अपनी माँ के बाहर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात् जल से उसकी माँ का स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिए। और अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता। देखो ! स्वभाव से यह सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट का कोई भी न खाये। जैसे अपने मुख, नाक, आँख, उपस्थ और गुह्येन्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पर्श से घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मलमूत्र के स्पर्श में होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं है। इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात् झूठा न खाय।

प्रश्न—भला स्त्री-पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न-भिन्न है”।

(स० प्र० दशम समुत्प्लावः)

अनारोग्यमनायुष्यमस्वार्थं चातिभोजनम् ।

अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥३२॥ [२।५७] (३१)

(अतिभोजनम्) अधिक भोजन करना (अनारोग्यम्) स्वास्थ्यनाशक (अनायुष्यम्) आयुनाशक (अस्वार्थम्) सुख-नाशक (अपुण्यम्) अहितकर (च) और (लोकविद्विष्टम्) लोगों द्वारा निन्दित माना गया है (तस्मात्) इसलिए (तत्) उस अधिक भोजन करने को (परिवर्जयेत्) छोड़ देवे ॥३२॥

आचमन-विधि—

ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत् ।

कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥३३॥ [२।५८] (३२)

अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते ।

कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोरधः ॥३४॥ [२।५९] (३३)

(विप्रः) द्विज (नित्यकालम्) प्रतिदिन आचमन करते समय (ब्राह्मेण तीर्थेन) ब्राह्मतीर्थ [हाथ के अङ्गुठे के मूलभाग का स्थान, जिससे कलाई भाग

की ओर से आचमन ग्रहण किया जाता है] से (वा) अथवा (काय-त्रैदशिकाभ्याम्) कायतीर्थ = राजापत्य [कनिष्ठा अंगुली के मूलभाग के पास का स्थान] से या त्रैदशिक = देवतीर्थ [-अंगुलियों के अग्रभाग का स्थान] से (उपस्पृशेत्) आचमन करे, (पित्र्येण कदाचन न) पितृतीर्थ [अंगूठे तथा तर्जनी के मध्य का स्थान] से कभी आचमन न करे ॥३३॥

(अंगुष्ठमूलस्य तले) अंगूठे के मूलभाग के नीचे का स्थान (ब्राह्म-तीर्थ प्रचक्षते) ब्राह्मतीर्थ (अंगुलिमूले कायम्) अंगुलियों के मूलभाग का स्थान कायतीर्थ (अग्रे देवम्) अंगुलियों के अग्रभाग का स्थान देवतीर्थ और (तयोः + अघः पितृयम्) अंगुलियों और अंगूठे का मध्यवर्ती मूल भाग का स्थान पितृतीर्थ (प्रचक्षते) कहा जाता है ॥३४॥

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।

खानि चैव स्पृशेदद्भिरात्मानं शिर एव च ॥३५॥ [२।६०] (३४)

(पूर्व अपः त्रिः + आचमेत्) पहले जल का तीन बार आचमन करे (ततः) उसके बाद (मुखं द्विः प्रमृज्यात्) मुख को दो बार धोये (च) और (खानि एव) नाक, कान, नेत्र आदि इन्द्रियों को (आत्मानं च शिरः एव) हृदय और सिर को भी (अद्भिः) जल से (स्पृशेत्) स्पर्श करे ॥३५॥

अनुष्णामिरफेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् ।

शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥३६॥ [२।६१]

(शौचेप्सुः धर्मवित्) पवित्रता का इच्छुक धर्मात्मा व्यक्ति (अनुष्णाभिः + अफेनाभिः + अद्भिः) ठंडे, भागरहित जल से (एकान्ते प्राग् + उदङ्मुखः) एकान्त स्थान में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके (सर्वदा तीर्थेन आचमेत्) सदैव तीर्थस्थान से ही आचमन करे ॥३६॥

हृद्गामिः पूयते विप्रः, कण्ठगामिस्तु भूमिपः ।

वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु, शूद्रः स्पृष्टामिरन्ततः ॥३७॥ [२।६२]

(विप्रः हृद्गामिः) ब्राह्मण हृदय तक गए हुए (भूमिपः कण्ठगामिः) क्षत्रिय कण्ठ तक गए हुए (वैश्यः प्राशिताभिः) वैश्य मुख में गए हुए (शूद्रः अन्ततः स्पृष्टाभिः) शूद्र ओठों से स्पर्श किए हुए (अद्भिः पूयते) आचमन के जल से पवित्र होता है ॥३७॥

अनुशीलन : ३६-३७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—३६ वें श्लोक के विधान का मनुस्मृति के आचमनवर्णन संबन्धी अन्य विधानों से तालमेल नहीं बैठता—(१) २।१६७ श्लोक में दोनों मंड्याओं में आचमन करके गायत्री का जप करने का विधान है। २।७६-७७ में भी दोनों मंड्याओं में गायत्री के जप का विधान है। इन श्लोकों में किसी दिशाविशेष की ओर मुख करके

आचमन या संध्या करने का निर्देश नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जप या संध्या किसी भी दिशा की ओर मुख करके की जा सकती है। जिस ओर मुख करके व्यक्ति संध्या करेगा उसी स्थिति में ही आचमन करेगा। यहाँ जो पूर्व या उत्तराभिमुख होकर भी आचमन करने का विधान है, इसकी उक्त वर्णन से तालमेल न बैठने के कारण अन्त-विरुद्धता आ जाती है। (२) इस श्लोक में जो एकान्त में आचमन करने का निर्देश है, उसका भी विरोध बनता है। २। २६ में उपनयन संस्कार के अवसर पर आचमन करने का विधान किया है। इसी प्रकार सभी संस्कारों और यज्ञों में भी लोगों के बीच आचमन किया जाता है। अतः एकान्त में आचमन का निर्देश देने वाली विधि इससे तालमेल न खाने से इनके विरुद्ध है।

२. प्रसंगविरोध—२। १, २, ११—१४, ४३ श्लोकों से पहले स्पष्टरूप से सिद्ध है कि यहाँ द्विजातियों के कर्मों का और उन्हीं की उपनयन विधि के वर्णन का प्रसंग है, शूद्र का इस विधि से कोई संबंध ही नहीं है। किन्तु ३७ वें श्लोक में शूद्र की आचमन शुद्धि का भी वर्णन किया जा रहा है। इससे इस श्लोक की प्रसंगविरुद्धता स्पष्ट होती है।

३. शैलीगत आधार—३७वें श्लोक की शैली अयुक्तियुक्त, निराधार एवं अति-शयोक्तिपूर्ण है। चारों वर्णों के व्यक्तियों में कोई शरीररचना की भिन्नता नहीं है, जो कोई तो आचमनजल के स्पर्शमात्र से शुद्ध हो जाये और कोई कण्ठ, हृदय या मुख में जाने मात्र से। यह तो मात्र एक प्रक्रिया है। इसी से जीवन की शुद्धता मान लेना अति-शयोक्ति है। यदि इसी से इतनी शुद्धता मिल जाती है तो फिर अन्य वैदिक क्रियाओं की क्या आवश्यकता रह जायेगी ?

उद्धृते दक्षिणे पाणानुपवीत्युच्यते द्विजः ।

सध्वे प्राचीन आवीती, निवीती कण्ठसज्जने ॥३८॥ [२।६३] (३५)

(द्विजः) द्विज (दक्षिण पाणी उद्धृते) दाहिने हाथ को ऊपर रखने की अवस्था में [अर्थात् जब द्विज यज्ञोपवीत को दाहिने हाथ और कन्धे के नीचे लटकाकर तथा बायें कन्धे के ऊपर रखकर पहनता है, तब] (उपवीति) 'उपवीती' (सध्वे) बायें हाथ को ऊपर रखकर पहनने की अवस्था में (प्राचीन आवीती) 'प्राचीन आवीति' और (कण्ठसज्जने) गले में माला के समान पहनने की अवस्था में (निवीती) 'निवीती' (उच्यते) कहलाता है ॥ ३८ ॥

मेखलादि की पुनर्ग्रहण-विधि—

मेखलामजिनं वणमुपवीतं कमण्डलुम् ।

अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत् ॥३९॥ [२। ६४] (३६)

(मेखलाम् + अजिनं दण्डम् + उपवीतं कमण्डलुम्) मेखला, मृगचर्म, दण्ड, यज्ञोपवीत, कमण्डलु (विनष्टानि) इनके बेकार होने पर (अप्सु प्रास्य) इन्हें बहते जल में फेंककर (अन्यानि) दूसरे नयों को (मन्त्रवत् गृह्णीत) मन्त्रपूर्वक धारण करे ॥ ३६ ॥

अनुशीलन : नष्ट उपवीत, दण्ड आदि का जल में प्रक्षेपण क्यों— इस श्लोक में वर्णित पदार्थों को मनु ने जल में डालने का जो विधान किया है उससे 'बहते जल' से अभिप्राय है। क्योंकि स्थिर जल में किसी पदार्थ को डालने से गन्दगी बढ़ती है। स्थिर जल गन्दा भी होता है। इसी लिए मनु ने स्नान आदि सभी प्रयोगों के लिए बहते जल के प्रयोग का ही विधान किया है (द्रष्टव्य ४। २०३ श्लोक)।
केशान्त संस्करण कर्म—

केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।

राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्व्यधिके ततः ॥ ४० ॥ [२६५] (३७)

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण के (षोडशे) सोलहवें (राजन्यबन्धोः द्वाविंशे) क्षत्रिय के बाईसवें (वैश्यस्य) वैश्य के (ततः द्व्यधिके) [उससे दो वर्ष अधिक] अर्थात् चौबीसवें (वर्षे) वर्ष में (केशान्तः विधीयते) केशान्त कर्म = क्षौर मुंडन हो जाना चाहिए।

अर्थात् इस विधि के पश्चात् केवल शिखा को रखके अन्य दाढ़ी मूँछ और शिर के बाल सदा मुंडवाने रहना चाहिए अर्थात् पुनः कभी न रखना और जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है, चाहे जितना केश रखे। और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये, क्यों कि शिर में बाल रखने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। दाढ़ी मूँछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है ॥ ४० ॥ (स० प्र० २५८)

स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित संस्कारों का विधान—

अमन्त्रिका तु कार्येण स्त्रीणामावृद्धोषतः ।

संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥ ४१ ॥ [२। ६६]

(स्त्रीणाम् इयम् आवृत्) स्त्रियों की यह संस्कार की क्रिया (शरीरस्य संस्कारार्थम्) शरीर की पवित्रता के लिए (यथाकालं यथाक्रमम्) यथासमय और उपयुक्त क्रमानुसार (अशेषतः अमन्त्रिका कार्या) पूर्णतः मन्त्ररहित करनी चाहिए ॥ ४१ ॥

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः ।

पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ ४२ ॥ [२। ६७]

(स्त्रीणां वैवाहिकः विधिः) स्त्रियों का विवाह संस्कार (वैदिकः संस्कारः

स्मृतः) उनका वेदोक्त (उपनयन) संस्कार कहा है [अर्थात् उनके लिए पृथक् से उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं] (पति-सेवा गुरो बासः) पति की सेवा करना गुरुकुल-वाम है (ग्रहार्थः + अग्निपरिक्रिया) घर के काम ही अग्निहोत्रादि धार्मिक क्रियायें हैं [अर्थात् पृथक् से उनके लिए गुरुकुल-निवास और यज्ञादि की आवश्यकता नहीं] ॥ ४२ ॥

अनुशीलन : ४१ एवं ४२ वां श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अग्निविरोध : स्त्रियों को वैशाध्ययन एवं उपवीत का अधिकार मनु-सम्मत—मनुस्मृति के विभिन्न विधानों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि जिनसे यह स्पष्ट होता है कि मनु प्रत्येक धर्मकार्य में स्त्री-पुरुष का समान अधिकार समझते हैं। उक्त दोनों श्लोकों में वर्णित बातें मनुविरोधी हैं—(१) २।४ [२।२६] श्लोक में जात-कर्म के अवसर पर बालक के लिए चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र, दोनों के ही लिए मन्त्रोच्चारणपूर्वक शहद चटाने का विधान है “मन्त्रवत् प्राज्ञानं चास्य”। इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि मनु मन्त्रोच्चारण या श्रवण आदि कार्यों में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं करते। इसी प्रकार नामकरण आदि भी यज्ञ और मन्त्रपूर्वक करने का विधान है [२।८]। इस प्रकार ४१ वें श्लोक में स्त्रियों के लिये मन्त्रों के निषेध का विधान इस मान्यता के विरुद्ध है।

(२) इसी प्रकार ३।२८ में अग्निहोत्रपूर्वक स्त्रियों का दैवविवाह करने का विधान किया है। अग्निहोत्र में मन्त्रोच्चारण हुआ ही करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनु स्त्रियों की क्रियाएं मन्त्ररहित नहीं मानते। स्त्रियों की अन्त्येष्टि भी अग्निहोत्र से विहित है [५।१६७,] विवाह भी स्वस्तिमन्त्रपूर्वक यज्ञ से विहित है [५।१५२]। ४१ वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाओं का विधान इस विधान के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

(३) मनु ने घर में अग्निहोत्र आदि धर्मकार्यों के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री को ही सौंपी है और यह आदेश दिया है कि पुरुष को प्रत्येक धर्मकार्य स्त्री को साथ लेकर करना चाहिए—(क) “शौचे धर्मे अन्नपक्वत्वा च” (घर की शुद्धि, धर्मकार्यों का आयोजन और भोजन बनाना आदि की जिम्मेदारी स्त्री को सौंपे) [६।११] (ख) “अपत्यं धर्मकायारि” [६।२८] (सन्तानोत्पत्ति और उनका पालन, अग्निहोत्र आदि धर्मकार्य स्त्री के अधीन होते हैं)। (ग) “तस्मात् साधारणो धर्मः श्रुतो पत्न्या सहोदितः” [६।६६] (साधारण से साधारण धर्मकार्य में भी पत्नी को सम्मिलित करना चाहिए)। इसी प्रकार २।१—३ [२।२६—२८] श्लोकों में मनु ने संस्कारों को सभी के लिए समान रूप से आवश्यक मानते हुए शारीरिक एवं संस्कार-सम्बन्धी दोषों को हटाने वाला कहा है। वहाँ स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं माना। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि सभी संस्कार मन्त्रपूर्वक होते हैं,

अतः चाहे वह संस्कार स्त्री का हो अथवा पुरुष का, मन्त्रपूर्वक ही करना चाहिए। दूसरी यह है कि संस्कार द्विजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक हैं, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष। इन दोनों श्लोकों में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाओं का विधान, विवाह को ही उपनयन संस्कार मानना, पतिसेवा को ही ब्रह्मचर्याश्रम मानना, घर के कामों को ही अग्निहोत्र मानना, उक्त विधानों के विरुद्ध हैं, अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. प्रसंगविरुद्ध—२।४३ [२।६८] वैश्वलोक में इस प्रसंग को समाप्त करते हुए अस्यन्त स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि—“एषः प्रोक्तः द्विजातीनाम् औपनायनिको विधिः” अर्थात् ‘यह द्विजों के उपनयन संस्कार की विधि कही है।’ इससे ज्ञात होता है कि यहां केवल उपनयन संस्कार की विधि का प्रसंग है। इन दोनों श्लोकों में उपनयन संस्कार की विधि न होकर प्रसंगभिन्न बातें हैं, अतः ये प्रसंगविरुद्ध हैं।

३. वेदविरुद्ध—स्त्रियों के वेदाध्ययन में वेद के प्रमाण—इन श्लोकों में स्त्रियों के लिए वेदमन्त्रों का उच्चारण न करने आदि का कथन है। अतः यहां यह विचार कर लेना भी उपयोगी रहेगा कि इस विषय में स्वयं वेद क्या कहते हैं। (क) वेदों में सभी के लिए वेदवाणी का विधान है—“यथेसां वाचं कल्याणीम् प्रावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराज-न्याम्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय.....” (यजुः २६।२) अर्थात्—“परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिए (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (प्रावदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। (ब्रह्मराजन्याम्याम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियां आदि (आरणाय) और अतिशूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है।” [सं. प्र० ७४]। (ख) इसी प्रकार अथर्ववेद में “ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्” [३।५।१८] अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर वेदों को पढ़ने और ब्रह्मचर्य को पालन करने के उपरान्त गृहस्थ की कामना करने वाली कन्या युवक पति का वरण करती है—(ग) स्त्रियों के उपनयन में ऋगु० १०।१०६।४ मन्त्र भी प्रमाण है—“मीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता”—इन प्रमाणों से स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्याश्रम, गुरुकुलवास आदि विधान सिद्ध होते हैं। (घ) वैदिक काल के इतिहास पर यदि दृष्टि डालकर देखें तो उससे भी स्त्रियों के लिए मन्त्रनिषेध आदि की बातें सही सिद्ध नहीं होतीं। ऐसी बहुत-सी ऋषिकाएं हुई हैं जो मन्त्रद्रष्टा थीं। जिन-जिन सूक्तों के मन्त्रों का उन्होंने अर्थ-रहस्य जाना, उन सूक्तों पर उनके नाम ऋषि के रूप में आज भी उपलब्ध हैं। अकेले ऋग्वेद में ही इस प्रकार की लगभग ३० ऋषिकाओं के नाम आते हैं। उनमें अदिति, जुहू, इन्द्राणी, घोषा, गोधा, अपाला, रोमशा, लोपा-मुद्रा आदि उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार उपनिषदों में गार्गी, मैत्रेयी ब्रह्मत्वज्ञाता देवियों का वर्णन आता है। मनु ने अपनी स्मृति को वेदानुकूल और वेदाधारित माना है [१।१२५—१३२(२।६—१३); १२।६४, ६५, ६७, ६६, १०६, ११२, ११३ आदि] इस आधार पर भी ये श्लोक मनुविरुद्ध हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

४. अवान्तरविरोध—इन दोनों श्लोकों में परस्पर भी विरोध है, जो इस बात को प्रकट करता है कि ये पृथक्-पृथक् व्यक्तियों द्वारा प्रक्षेप किये गये हैं। ४१ वें में तो कहा है कि 'ये क्रियाएँ मन्त्ररहित करनी चाहिए' किन्तु ४२ वें में इन क्रियाओं को स्त्रियों के लिए परोक्षरूप से निषिद्ध कर दिया है। इसमें विवाह को ही उपनयन संस्कार पतिसेवा को ही गुरुकुलवास, घर के कामों को ही अग्निहोत्र कहा है। इस आधार पर भी ये रचनाएँ मनुसदृश विद्वान् की सिद्ध नहीं होती।

उपनयन विधि की समाप्ति एवं ब्रह्मचारी के कर्मों का कथन—

एष प्रोक्तो द्विजातीनामोपनायनिको विधिः ।

उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः, कर्मयोगं निबोधत ॥४३॥ [२।६८] (३८)

(एषः) यह [२।११—४२] (द्विजातीनाम् उत्पत्तिव्यञ्जकः) द्विजातियों के द्वितीय जन्म को प्रकट करने वाली अर्थात् मनुष्यों को द्विज = ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनाने वाली (पुण्यः) कल्याण-कारक (ओपनायनिकः विधि) उपनयन संस्कार की विधि (प्रोक्तः) कही, (कर्मयोगं निबोधत) [अब उपनयन में दीक्षित होने वाले द्विज ब्रह्मचारियों के] कर्तव्यों को सुनो—॥ ४३ ॥

अनुधीतम् : 'उत्पत्तिव्यञ्जकः' के अधिक स्पष्टीकरण एवं पुष्टि के लिए द्रष्टव्य है २।१२१—१२५ (१४६—१५०) श्लोक और उनकी समीक्षाएँ ।

(ब्रह्मचारियों के कर्तव्य)

२।४४ से २।२२४ तक

उपनयन के पश्चात् ब्रह्मचारी को शिक्षा—

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः ।

आचारमग्निकार्यं च सन्ध्योपासनमेव च ॥४४॥ [२।६९] (३९)

(गुरुः) गुरु (शिष्यम् उपनीय) शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके (आदितः) पहले (शौचम्) शुद्धि = स्वच्छता से रहने की विधि (आचारम्) सदाचरण और सद्गव्यवहार (अग्निकार्यम्) अग्निहोत्र की विधि (सन्ध्योपासनम् + एव) और सन्ध्या-उपासना की विधि (शिक्षयेत्) सिखाये ॥ ४४ ॥

“सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या” अर्थात् भली-भांति जिसमें परमेश्वर का ध्यान करते हैं, अथवा जिसमें परमेश्वर का ध्यान किया जाये, वह 'सन्ध्या' है ।

इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके सन्ध्योपासन को जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया हैं, सिखलावें । प्रथम स्नान, इसलिए है

कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य प्रादि होते हैं ।”
(स० प्र० ३६)

वेदाध्ययन की विधि—

अध्येष्यमाणस्वाचान्तो यथाशास्त्रमुबह्मुलः ।

ब्रह्माञ्जलिः कुतोऽध्याप्यो लघुबासा जितेन्द्रियः ॥ ४५ ॥ [२।७०]

(अध्येष्यमाणः) पढ़ने की इच्छा वाला (यथाशास्त्रम् आचान्तः) जब शास्त्रोक्त विधिसे आचमन करले (उदङ्मुलः) उत्तर की ओर मुख किये हो (ब्रह्माञ्जलिः कुतः) ब्रह्माञ्जलि [दोनों हाथों को जोड़े हुए] बांधे हो (लघुबासा) हलके वस्त्र-धारण किये हुए, और (जितेन्द्रियः) एकाग्रचित्त हो तब (अध्याप्यः) पढ़ाने योग्य होता है अथवा तब पढ़ाना चाहिए ॥ ४५ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न प्रकार प्रसिप्त है—

१. अश्वत्थविरोध—इस श्लोक की व्यवस्था का मनु की अन्य व्यवस्थाओं के साथ तालमेल नहीं बैठता, अपितु विरोध भी आता है—(१) २। १७८ [२०३] श्लोक में कहा गया है कि 'शिष्य गुरु के साथ ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ गुरु की ओर से आने वाली वायु शिष्य की ओर, और शिष्य की ओर से आने वाली वायु गुरु की ओर न आ रही हो।' इस श्लोक के आधार पर यदि केवल उत्तराभिमुख होकर ही पढ़ाने का विधान मान लिया जाये तो उक्त व्यवस्था ही नहीं बनेगी क्योंकि अनेक बार उत्तर-दक्षिण की हवा चलती है। अतः यह विरोध आता है। (२) अध्ययन की जो व्यावहारिक विधि आवश्यक थी वह ४६ वें श्लोक में वर्णित है। ४५ वें श्लोक का ४६ वें श्लोक से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह स्वतन्त्र विधिवाक्य है। कोई कहे कि ४५ वें श्लोक के 'ब्रह्माञ्जलि-कृतः' का ४६ वें में अर्थवाद है, सो यह बात नहीं। ४६ वें श्लोक में "संहृत्य हस्तौ अध्येष्य" यह स्वतन्त्र विधि है तथा "स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः" यह उस विधि का नामोल्लेख है। दो श्लोकों में ब्रह्माञ्जलि का विधान कोई संगत भी प्रतीत नहीं होता, अतः ४५ वां श्लोक प्रसिप्त है। ४६ वें को इस लिए प्रसिप्त नहीं कह सकते क्योंकि ७२ वें के साथ वह प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध है। (३) मनुस्मृति में अन्यत्र अनेक स्थानों पर यज्ञ, संध्या, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञानुष्ठानपूर्वक विवाह प्रादिका विधान हैं। इन प्रसंगों में भी वेद-मन्त्रों का उच्चारण होता है। वहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है कि किस ओर मुख होना चाहिए। अतः यहाँ उत्तराभिमुख की शर्त भी मनुसम्मत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह युक्तियुक्त एवं व्यावहारिक नहीं है।

वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन—

ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ प्राह्यौ गुरोः सदा ।

संहृत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥४६॥ [२।७१] (४०)

(ब्रह्मारम्भे च अवसाने) वेद पढ़ने के आरम्भ और समाप्ति पर (सदा

गुरोः पादौ ग्राह्यौ) सदैव गुरु के दोनों चरणों को छूकर नमस्कार करे [२।४७] (हस्तौ संहृत्य अध्येयम्) दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करने के बाद [गुरु से] पढ़ना चाहिये; (सः हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः) इसी [हाथ जोड़ने] को 'ब्रह्माञ्जलि' कहा जाता है ॥४६॥

गुरु को अभिवादन करने की विधि—

व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः ।

सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो, दक्षिणेन च दक्षिणः ॥४७॥ [२।७२] (४१)

(गुरोः उपसंग्रहणम्) गुरु के चरणों का स्पर्श (व्यत्यस्तपाणिना कार्यम्) हाथों को अदल-बदल करके [प्रणामकृतां का बायां हाथ नीचे रह कर गुरु के बायें पैर का स्पर्श करे और उसके ऊपर से दायां हाथ दायें चरण को स्पर्श करे] करना चाहिए (सव्येन सव्यः) बायें हाथ से बायां चरण (च) और (दक्षिणेन दक्षिणः) दायें हाथ से दायां पैर का (स्पृष्टव्यः) स्पर्श करना चाहिए ॥ ४७ ॥

अध्ययन के आरंभ एवं समाप्ति की विधि—

अध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः ।

अधीष्व भो इति ब्रूयाद्विरामोऽस्त्विति चारमेत् ॥ ४८ ॥

[२।७३] (४२)

(गुरुः नित्यकालम्) गुरु सदैव पढ़ाते समय (अतन्द्रितः) आलस्यरहित होकर (अध्येष्यमाणं तु) पढ़ने वाले शिष्य को ('भो अधीष्व' इति ब्रूयात्) 'हे शिष्य पढ़ो' इस प्रकार कहे (च) और ('विरामः + अस्तु' इति चारमेत्) 'अब विराम करो' ऐसा कहकर पढ़ाना समाप्त करे ॥ ४८ ॥

वेदाध्ययन के आद्यन्त में प्रणवोच्चारण का विधान—

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा ।

स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं, पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥ ४९ ॥ [२।७४] (४३)

(सर्वदा ब्रह्मणः आदौ च अन्ते प्रणवं कुर्यात्) [शिष्य] सदैव वेद पढ़ने के आरम्भ और अन्त में 'ओ३म्' का उच्चारण करे (पूर्वम् अनोङ्कृतम्) आरम्भ में ओंकार का उच्चारण न करने से (स्रवति) पढ़ा हुआ बिखर जाता है [= भलीभाँति ग्रहण नहीं हो पाता] (च) और (पुरस्तात् विशीर्यति) बाद में 'ओ३म्' का उच्चारण न करने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं रहता ॥ ४९ ॥

अनुशीलनः : अध्ययन के आद्यन्त में ओंकारोच्चारण के लाभ—(१)

‘ओ३म्’ का उच्चारण करने से यहाँ मनु का अभिप्राय ओंकारोच्चारणपूर्वक मन को एकाग्र या समाहित करने से है। अन्यत्र भी मनु ने सन्ध्योपासन और अध्ययन से पूर्व समाहित या एकाग्रचित्त होने के लिए कहा है [२।७६]। यह बिल्कुल सही मनोवैज्ञानिक बात है कि यदि छात्र मन को एकाग्र करके अध्ययन नहीं करता तो उसे पूर्णज्ञान ग्रहण नहीं होता, कुछ बिखरता रहता है और कुछ-कुछ ही ग्रहण होता है। इसी प्रकार अध्ययन के पश्चात् भी एकाग्रता न रखने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं हो पाता। मन के एकदम अन्यत्र जाने से संचित ज्ञान में गौणता और भुलावा-सा आ जाता है, जबकि अध्ययन की समाप्ति पर अधीत विषय के प्रति एकाग्रता बनाये रखने से वह स्थिर हो जाता है। २।७४ में इसी भाव को दूसरे ढङ्ग से स्पष्ट किया है कि यदि एक भी इन्द्रिय एकाग्रता को छोड़कर अपने विषय में लग जाती है तो उसके साथ ही व्यक्त की बुद्धि भी उतनी कम होने लगती है।

(२) इसमें कुछ योगदर्शन के प्रमाण और उन पर आधारित विचार उल्लेखनीय हैं—

(क) यह ‘प्रणव’ अर्थात् ‘ओम्’ शब्द उस अनादि-अनन्त, सर्वव्यापक सृष्टि-रचयिता परमात्मा का सबसे मुख्य नाम है। वह सबका आदि गुरु है। उसका स्मरण आदि-अनन्त में करने से उसके सर्वज्ञता के गुणों की ओर प्रवृत्ति होकर बहुज्ञ बनने की भावना आती है। [“स एषः पूर्वोवात्मनि गुरुः कालेमानवच्छेदात्” “तस्य वाचकः प्रणवः” योगदर्शन १।२६, २७]।

(ख) तज्जपस्तर्थाभावनम् । योग १।२८ ॥

“इसी नाम का जप अर्थात् स्मरण.....करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत् प्राप्त होकर स्थिर हो।”

(श्रु० भू० उपासना विषय)

प्राक्कूलान्पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः ।

प्राणायामैस्त्रिभिः पूतस्तत ओंकारमर्हति ॥५०॥ (२।७५)

(प्राक्कूलान् पर्युपासीनः) पूर्व की ओर मुख वाले कुशासन पर बैठकर (पवित्रैः चैव पावितः) कुशनिर्मित पवित्रों से (छोटे देने के लिए कुशाओं को एकत्र करके बनाये गए गुच्छे से) पवित्र होकर (त्रिभिः प्राणायामैः पूतः) तीन प्राणायामों को करने पर (ततः + ओंकारम् + अर्हति) तब ओंकार का उच्चारण करने योग्य होता है ॥ ५० ॥

अनुशीलन : यहश्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यह पूर्वपरप्रसङ्गविरुद्ध है और पूर्वपरप्रसङ्ग को भङ्ग कर रहा है। ४६ वें श्लोक में ‘ओंकार’ का विधान है और ५१ में ओंकार के स्वरूप और महत्त्व का वर्णन है, क्योंकि ओंकार का स्मरण करना आवश्यक है। इस प्रकार ५१ वाँ श्लोक ४६ वें का अर्थवाद है। ५० वें श्लोक ने उस सम्बद्धता को भङ्ग किया है और बीच में ओंकार-उच्चारण की शर्त का अनावश्यक वर्णन किया है। अतः यह प्रक्षिप्त है।

२ अन्तर्बिरोध—ओंकार भी वेदों से लिया गया शब्द है और गायत्री मन्त्र भी [२।५१-५३(७६-७८)]। एक तो मनु ने पुण्यदायक धर्मयुक्त बातों के लिए कहीं भी कोई शर्त नहीं लगायी है, और दूसरी बात यह है कि गायत्री, वेदाध्ययन को सब अवस्थाओं में आवश्यक तथा पुण्यदायक माना है (२।७६-८१ (१०१-१०६)) और ये व्यावहारिक भी नहीं हैं। क्या जब भी व्यक्ति ओंकार को जपेगा, चलते-फिरते इन शर्तों को पूरी कर सकेगा? इस प्रकार यह व्यवस्था मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है।

‘ओ३म्’ एवं गायत्री की उत्पत्ति—

अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः ।

वेदत्रयाग्निरदुहद् भूर्भुवःस्वरितोति च ॥ ५१ ॥ [२७६] (४४)

(प्रजापतिः) परमात्मा ने (अकारम् उकारं च मकारं) ओ३म् शब्द के ‘अ’ ‘उ’ और ‘म’ अक्षरों को [अ+उ+म=ओम्] (च) तथा (भूः भुवः स्वः इति) ‘भूः’ ‘भुवः’ ‘स्वः’ गायत्री मन्त्र की इन तीन व्याहृतियों को (वेदत्रयात् निरदुहत्) तीनों वेदों से दुहकर साररूप में निकाला है।

[द्वितीय ‘इति’ का प्रयोग पादपूर्त्यर्थं है] ॥ ५१ ॥

अनुयायित्वम् : ओंकार और व्याहृतियों का विवेचन—इस श्लोक में प्रतिपादित मनु की मान्यता की निरुक्तकार ने भी विभिन्न आचार्यों के मतों का उल्लेख करते हुए पुष्टि की है। ‘चत्वारि वाक् परिमिता पदानि” [ऋ० १।१६४।४५] मन्त्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—“कानि तानि चत्वारि पदानि ? ओंकारः, महाव्याहृतयश्च इति धार्ष्ण्यम् ।” [१३।६] अर्थात् वाक्स्वरूप ब्रह्म या वेद का वर्णन करने वाले वे चार पद कौन से हैं ? ओंकार अर्थात् ‘ओम्’ अक्षर और ‘भूः’ ‘भुवः’ ‘स्वः’ ये तीन महाव्याहृतियाँ। इनको यास्क ने मनु के समान महत्त्व दिया है।

(१) ‘ओम्’ अक्षर के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए “ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् वेदा अष्टविंशे निषेदुः” [ऋ० १।१६४।३६] मन्त्र की व्याख्या में आचार्य शाकपूणि और ब्राह्मण त्रैथ्य का वचन उद्धृत करते हुए कहा है कि अक्षर वह ‘ओम्’ ही है और यह ‘ओम्’ अक्षर त्रयी विद्यारूप चारों वेदों का प्रतिनिधि है—“कतमसदेतत् अक्षरम् ? ओत्रित्येषा वागिति शाकपूणिः । ‘एतद् वा एतदक्षरं यत्तर्वा त्रयी विद्या प्रतिपत्तिः’ इति च ब्राह्मणम् ।” [१३।६]।

महर्षि दयानन्द ने इसी आधार पर ‘ओम्’ को ईश्वर का सर्वप्रमुख नाम माना है—

“जो अकार उकार और मकार के योग से ‘ओम्’ यह अक्षर सिद्ध है, सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है। जिसमें सब नामों के अर्थ प्रा जाते हैं। जैसा पिता-पुत्र का प्रेम-सम्बन्ध है, वैसे ही ओंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है।” (द० ल० प० पृ० २३२)

(२) “अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से इस प्रकार हैं—

‘भूरिति बं प्राणः’ यः प्राणयति चराचरं जगत् सः भूः स्वयंभूरीश्वरः’
—जो सब जगत् के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके ‘भूः’ परमेश्वर का नाम है। भुवर्तियपानः’ यः सर्वं दुःखमयानयति सोऽपानः’—जो सब दुःखों से रहित जिसके सङ्ग से जीव सब दुःखों से छूट जाते हैं, इस लिये उस परमेश्वर का नाम ‘भुवः’ है। ‘स्वरिति व्यानः’ यो विविधं जगद् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः’—जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सबको धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः’ है।” (स० प्र० ३८)

त्रिभ्यः एव तु वेदेभ्यः पादं पादमद्वदुहत् ।

तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥५२॥ [२।७७] (४५)

(परमेष्ठी प्रजापतिः) सबसे महान् परमात्मा ने (तत्+इति+अस्याः सावित्र्याः ऋचः) ‘तत्’ इस पद से प्रारम्भ होने वाली सावित्री ऋचा [=गायत्री मन्त्र] का (पादं पादम्) एक-एक पाद [प्रथम पाद है—‘तत्सवितुर्वरेण्यम्,’ द्वितीय पाद—‘भर्गो देवस्य धीमहि’, तृतीय पाद—‘धियो यो नः प्रचोदयात्’] (त्रिभ्यः+एव तु वेदेभ्यः) तीनों वेदों से (अद्वदुहत्) दुहकर सार रूप में बनाया है ॥५२॥

‘ओ३म्’ एवं गायत्री के जप का फल—

एतदक्षरमेतां च जपन्त्याहृतिपूर्विकाम् ।

संध्ययोर्वेदविहिप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ५३ ॥ [२।७८] (४६)

(एतत्+अक्षरम्) इस [ओम्] अक्षर को (च) और (व्याहृतिपूर्विकाम्) ‘भूः भुवः स्वः’ इन व्याहृतियों सहित (एताम्) इस गायत्री ऋचा [=मन्त्र] को [“ओ३म् भूमुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।” इस मन्त्र को] (वेदवित् विप्रः) वेद-पाठी द्विज (संध्ययोः जपन्) दोनों संध्याओं—प्रातः, सायंकाल में जपते हुए (वेदपुण्येन युज्यते) वेदाध्ययन के पुण्य से ही युक्त होता है ॥ ५३ ॥

अनुयायीकम् : ‘ओम्’ ईश्वर का मुख्यनाम—(१) यह ‘ओम्’ अक्षर परमेश्वर का सब से मुख्य वाचक नाम है। पुष्टि के लिए इसमें योगदर्शन का प्रमाण है—

(क) तस्य वाचकः प्रणवः ॥ १ । २७ ॥

“जो ईश्वर का ओंकार नाम है, सो पिता-पुत्र के सम्बन्ध के समान है, और यह नाम ईश्वर को छोड़के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं, उनमें ओंकार सब से उत्तम नाम है।”

(ख) तज्जपन्तस्तदर्थमाचनम् । १ । २८ ॥

“इसलिए इसी नाम का जब अर्थात् स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता, और ज्ञान को यथावत् प्राप्त होकर स्थिर हो।” (ऋ० भू० उपासना विषय)

इसमें अन्य शास्त्रों के प्रमाण भी उल्लेखनीय हैं—

(ग) “ओमित्येतदक्षरमुद्गीयमुपासीत” । (छान्दोग्य उपनिषद्)

(घ) “ओमिति-एतवक्षरमिदं सर्वं तस्योपाख्यानम्” । (माण्डूक्य उपनिषद्)

(ङ) “ओं लम्बाह्” । यजु० ४० । १७ ॥

(कभी नष्ट न होने वाले उपासनीय परमेश्वर का ‘ओम्’ यह नाम है।)

(२) मनुस्मृति में अग्नयत्र भी अनेक स्थानों पर ओम् और सावित्री के जप का विशेष विधान है। तुलनायं द्रष्टव्य है—११ । २२२, २२५, २६५ श्लोक ।

(३) गायत्री मन्त्र और उसका अर्थ—

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् । (यजुर्वेद ३६ । ३ ॥ ऋग्वेद ३ । ६२ । १०) ॥

अर्थ—(ओ३म्) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं (भूः) जो प्राण का भी प्राण (भुवः) सब दुःखों से छुड़ाने हारा (स्वः) स्वयं सुख-स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है, उस (सवितुः) सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता (देवस्य) कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो (वरेण्यम्) अतिश्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य (भर्गः) सब क्लेशों को भस्म करने हारा, पवित्र, शुद्धस्वरूप है (तत्) उसको हम लोग (धीमहि) धारण करें (यः) यह परमात्मा (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म, स्वभावों में (प्र-चोदयात्) प्रेरणा करे।’ (सं० वि० ७५)

(४) २ । ५१ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है। उससे इस श्लोक का भाव और अधिक स्पष्ट हो सकेगा।

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतस्त्रिकं द्विजः ।

महतोऽप्येनसो मासास्त्वेषेवाहिर्बिमुच्यते ॥ ५४ ॥ [२ । ७६]

(द्विजः) द्विज (एतत् त्रिकम्) इन तीनों अर्थात्, व्याहृतियाँ और गायत्री मन्त्र को (बहिः) बाहर एकान्त में (सहस्रकृत्वः तु अभ्यस्य) एक हजार बार प्रतिदिन जपते हुए (महतः+अपि+एनसः) बड़े भारी पाप से भी (मासात्) एक मास में (अहि-त्वचा+इव) सांप की केंचुली के समान (बिमुच्यते) छूट जाता है ॥ ५४ ॥

एतयर्चा विसंपुक्तः काले च क्रियया स्वया ।

ब्रह्मक्षत्रियविट्पुत्रोनिर्गुणं याति साधुषु ॥ ५५ ॥ [२ । ८०]

(ब्राह्मण-क्षत्रिय-विद्-योनिः) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णमें जन्मा कोई द्विज (एतया + ऋचा) इस गायत्री मन्त्र से (च) और (काले स्वया क्रियया) समयानुसार होने वाली संस्कार आदि क्रियाओं से (विसंयुक्तः) रहित होता हुआ (साधुषु गृह्णायाति) श्रेष्ठ लोगों में निन्दा का पात्र बनता है ॥ ५५ ॥

ओंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽभ्ययाः ।

त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥ ५६ ॥ [२ । ८१]

(ओंकारपूर्विकाः तिस्रः अभ्ययाः महाव्याहृतयः) जिनके पहले ओंकार = 'ओम्' है, ऐसी अविनाशिनी महाव्याहृतियाँ — 'भूः भुवः, स्वः, (च) और (त्रिपदा सावित्री) तीन पाद वाला गायत्री मन्त्र (ब्रह्मणः मुखं विज्ञेयम्) इसे वेद का मुख समझना चाहिए ॥ ५६ ॥

योऽधीतेऽष्ट्यह्न्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः ।

स ब्रह्म परमम्येति वायुभूतः खमूर्तिमान् ॥ ५७ ॥ [२ । ८२]

(यः) जो व्यक्ति (एतान्) इनको अर्थात् ओंकारसहित तीन महाव्याहृतियों और गायत्री को (त्रीणि वर्षाणि अह्नि + अह्नि अतन्द्रितः अधीते) तीन वर्ष तक प्रति दिन आलस्यरहित होकर जपता है (सः) वह (वायुभूतः खमूर्तिमान्) वायुरूप = इच्छानुसार विचरण करने वाला और आकाशरूप = सूक्ष्मशरीरी होकर (परम्ब्रह्म अभ्येति) परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥ ५७ ॥

एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः ।

सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ५८ ॥ [२ । ८३]

(एकाक्षरं परं ब्रह्म) एक अक्षर अर्थात् 'ओम्' ही परब्रह्म है (प्राणायामः परं तपः) प्राणायाम करना ही श्रेष्ठ तप है (सावित्र्याः तु परं नास्ति) गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई मन्त्र नहीं है (मौनात् सत्यं विशिष्यते) मौन की अपेक्षा सत्यभाषण विशिष्ट है ॥ ५८ ॥

क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोतियजतिक्रियाः ।

अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः ॥ ५९ ॥ [२ । ८४]

(वैदिक्यः सर्वाः जुहोतियजतिक्रियाः) वेदोक्त सब हवन, यज्ञ आदि क्रियायें (क्षरन्ति) विनष्ट हो जाती हैं (अक्षरं च प्रजापतिः ब्रह्म एव) 'ओम्' यह अक्षर और प्रजापति परमात्मा को ही (दुष्करं ज्ञेयम्) अविनाशी जानना चाहिए ॥ ५९ ॥

मानस जप की श्रेष्ठता—

विधियमाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशमिर्गुरुः ।

उपाशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ ६० ॥ [२ । ८५]

(विधियज्ञात्) विधियज्ञ अर्थात् अमावस्या, पूर्णिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर

किये जाने वाले यज्ञों से (जपयज्ञः) जपयज्ञ = स्पष्टोच्चारण पूर्वक जप करना (दशभि-
गुणैः विशिष्टः) दश गुना विशेष है (उपांशु शतगुणः स्यात्) उपांशु = जिसमें धीरे-धीरे
ओठों से ही उच्चारण किया जाये, वह सौगुना विशेष है (मानसःसाहस्रः स्मृतः) मानस-
जाप = [अर्थ एवं ध्यानपूर्वक मन में किया जानेवाला जप] हजार गुना विशेष है

॥ ६० ॥

ये पाकयज्ञादक्षतवारो विधियज्ञसमन्विताः ।

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति षोडशीम् ॥ ६१ ॥ [२।८६]

(विधियज्ञसमन्विताः) विधियज्ञ सहित (ये चत्वारः पाकयज्ञाः) जो चार पाक-
यज्ञ [वितृयज्ञ, होम, बलिर्वैश्वदेव और अतिथियज्ञ] (ते सर्वे जपयज्ञस्य) वे सब जपयज्ञ
की (षोडशी कलां नाहन्ति) सोलहवीं कला के योग्य भी नहीं हैं ॥ ६१ ॥

अप्येनैव तु संसिध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः ।

कुर्यादन्धन् न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ ६२ ॥ [२।८७]

(ब्राह्मणः जप्येन—एव संसिध्येत्) ब्राह्मण तो जप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर
लेता है (अत्र न संशयः) इसमें कोई सन्देह नहीं (ब्राह्मणः अन्यत् कुर्यात् वा न कुर्यात्)
ब्राह्मण अन्य कुछ बिहित [यज्ञ दान आदि] कर्म करे या न करे (मैत्रः' उच्यते) फिर
भी परमात्मा का प्रतिशय प्रिय कहलाता है ॥ ६२ ॥

अनुशीलनः : ५४—६२ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त
सिद्ध होते हैं—

अन्तर्विरोध—५४ से ६२ श्लोकों का यह एक प्रसंग है और ये सभी श्लोक
परस्पर सम्बद्ध हैं। इनमें गायत्री आदि की महिमा का वर्णन प्रतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से
किया है जो मनु की मान्यताओं से विरोध में जाता है और अन्य व्यवस्थाओं से तालमेल
नहीं खाता—

(१) ७६, ८२ श्लोकों में कुछ अवधियों का निश्चित समय बतलाकर उतने
काल तक गायत्री जाप करने से बड़े से बड़े पापों से मुक्ति और ब्रह्मप्राप्ति होना कहा है।
पहली बात तो यह कि मनु केवलमात्र गायत्री जप से ही नहीं अपितु परमात्मध्यान,
इन्द्रियसंयम आदि अनेक नैःश्रेयस कर्मों की सिद्धि से मुक्ति प्राप्त होना मानते हैं १२।
८२-१२५), अतः यह मान्यता मनुविरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि मनु ने गायत्री जाप
का ब्रह्मचारी के लिए प्रतिदिन के लिए ही अनिवार्य विधान किया है (२।५३ [७८]
७६-८१ [१०१-१०६], १६७ [२२२]) अतः वह २५ या ३६ वर्ष तक जबतक ब्रह्म-
चारी रहेगा, तब तक इसका जप करेगा, फिर इस अवधि के निश्चय की जरूरत नहीं
पड़ेगी और यदि इतने से ही पापों से मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति हो जाति है, तो ब्रह्मचारी

१. 'मैत्रः' की व्याख्या—मित्रस्य = परमात्मनो ज्यं सम्बन्धी। मित्रप्राप्ति०
'तस्येदमिति' सूत्रेणाण् प्रत्ययः।

अपने ब्रह्मचर्य काल में कहीं इससे बढ़कर जाप करेगा, फिर उसको स्वतः ये लाभ प्राप्त हो जायेंगे; इस प्रकार भी उस के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है।

(२) ५६ वें श्लोक में गायत्री को वेद का मुख बतलाया है और इसे अनश्वर कहा है। ५१-५३ श्लोकों में गायत्री को वेद से निकाला हुआ वर्णित ही कर चुके हैं। जिन अनेक श्लोकों में मनु ने वेदों को अपौरुषेय माना है (१। २३; १२। ६३—६५) उनसे वेदमन्त्र गायत्री की नित्यता भी स्वतः सिद्ध है, अतः यह कथन भी अनावश्यक है।

(३) ८३ वें श्लोक में ओंकार को ही परब्रह्म कहना १। २३; २। ५१ [७६] १२। ६३-६४ श्लोकों के विरुद्ध है; जिनमें ओंकार को वेदों से निकाला और वेदों को परमात्म-रचित माना है। परमात्मप्रदत्त ज्ञान या शब्द परमात्मा कैसे हो सकता है? प्राणायाम को परम तप कहना २। १३६—१४३ [१६४—१६८] श्लोकों के विरुद्ध है, जिन में वेदाभ्यास को सबसे बढ़कर तप माना गया है। इसी प्रकार सावित्री से बढ़कर किसी भी वस्तु को न बताना उन सभी श्लोकों के विरुद्ध है, जिनमें वेद और ईश्वर को सर्वोपरि बतलाया है (२। ५१—५३ [७६—८८], १३६—१४३ [१६४—१६८] १२। ६१—६३ आदि)।

(४) ८४ वें श्लोक में वैदिक यज्ञादि क्रियाओं को नाशवान् कहना सम्पूर्ण मनु-स्मृति के प्रतिपाद्य के ही विरुद्ध है। क्योंकि मनु वेदोक्त कर्मों को ही धर्म मानते हैं (१। १२५, १२८—१३२ [२। ६, ६—१३]) और धर्मपालन से ही परजन्म की श्रेष्ठता तथा मुक्तिप्राप्ति मानते हैं (४। २३८—२४३; ४। १४; १२। ८२—१२४) १। १२१—१२३ [२। २—५] श्लोकों में स्पष्टतः कहा है कि यज्ञ, व्रत, यमधर्म आदि में स्थित रहने से व्यक्ति मोक्ष-मुख को प्राप्त कर लेता है। फिर ये क्रियाएँ निष्फल या नाशवान् कैसे हुईं? इस प्रकार यह मान्यता विरुद्ध है।

(५) ८५—८६ श्लोकों में जपयज्ञ और अन्य यज्ञों की तुलना मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है, क्योंकि मनु ने तो पाँचों यज्ञों को समान रूप से अनिवार्य, आवश्यक और पुण्यप्रद माना है (२। १५१ [१७६] ३। ७०—७५; ४। २१—३२; ६। ५—१२ आदि)। ये दोनों श्लोक ८४ से सम्बद्ध हैं और उसके अर्थवाद हैं। अतः उसके प्रक्षेप होने के कारण ये भी स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

(६) ८० वें श्लोक में 'योनिः' शब्द के प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि इस श्लोक का रचयिता द्विजों को जन्मना मानता है। ८७ वें श्लोक में भी ब्राह्मण की जप-मात्र से सिद्धि मानने की पृष्ठभूमि में 'जन्मना' श्रेष्ठता का संकेत है। जन्मना वर्ण-व्यवस्था मानना मनुविरुद्ध मान्यता है (इसके लिए विस्तृत विवेचन १। ६२ से १०७ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक में देखिये)।

(७) ८० वें श्लोक में गायत्री-जप न करने वाले के लिए केवल निन्दामात्र होना ही उसका फल दर्शाया है, जबकि २। ७८ [१०३] में ऐसे व्यक्ति को मनु ने शूद्र मानकर द्विजों से बहिष्कृत कर देने का आदेश दिया है। एक ही प्रसंग में यह भिन्नता भी विरोध की सूचक है।

(८) ८७ वें श्लोक में केवल 'जप' से ही ब्राह्मण की सिद्धि कहना और अन्य कर्मों की छूट देना उन सभी आधारभूत विधानों के विरुद्ध है जिनमें मनु ने सभी द्विजों के लिए पाँचों यज्ञों का प्रतिनियम विधान किया है और ब्राह्मण के यजन-याजन कर्म निश्चित किये हैं (१। ८८)। स्वाध्याय, व्रत, यज्ञ, वेदाध्ययन, संस्कार आदि से ही ब्राह्मण वस्तुतः ब्राह्मण बनता है (२। ३ [२८])। यदि इनका पालन नहीं करेगा तो वह ब्राह्मण ही कैसे हुआ? इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. शैलीगत आधार—इन सभी श्लोकों की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण है और ६२ वें की पक्षपातपूर्ण भी है।

इन्द्रिय-संयम का निर्देश—

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यस्तेव वाजिनाम् ॥६३॥ [२। ८८] (४७)

(विद्वान् यन्ता वाजिनाम् इव) जैसे विद्वान्-सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे (विषयेषु + अपहारिषु) मन और आत्मा को खोटे कामों में खँचने वाले विषयों में (विचरताम्) विचरती हुई (इन्द्रियाणां संयमे) इन्द्रियों के निग्रह में (यत्नम्) प्रयत्न (आतिष्ठेत्) सब प्रकार से करे ॥६३॥
(सं० प्र० पृ० ४८)

“मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियाँ चित्त को हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे, जैसे घोड़े को सारथि रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है; इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म-मार्ग से हटाकर धर्ममार्ग में सदा चलाया करें।”

(सं० प्र० पृ० २५६)

जैसे सारथि घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता वैसे विद्वान् ब्रह्मचारी आकर्षण करने वाले विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में सदा प्रयत्न किया करे”। (सं० वि० पृ० ८४)

अन्वयविलम्ब—‘इन्द्रिय की ग्युरपत्ति’—‘इदि—परमैश्वर्ये’ धातु से ‘अन्वयविलम्बे’ (उणादि० २। २८) सूत्र से रन् प्रत्यय के योग से ‘इन्द्र’ शब्द सिद्ध होता है। ‘इन्द्र’ प्रातिपदिक से ‘इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्र’.....इति वा’ (अ० ५। २। ८३) से ‘घच्’ प्रत्यय निपातित है। इन्द्रियवान् इन्द्रः, आत्मा तत्करणं ज्ञानकर्म-ऐश्वर्यप्राप्तेः साधनम् लिङ्गं चिह्नं वा तदिन्द्रियम्, शरीरावयवम्। अर्थात् = शरीर के वे अवयव जो आत्मा के ज्ञान-कर्म-ऐश्वर्यादि की प्राप्ति के साधन या चिह्न हैं, वे इन्द्रिय हैं। आँख, नाक, कान, व हाथ, पैर, आदि मन सहित ग्यारह इन्द्रियाँ हैं।

ग्यारह इन्द्रियों की गणना—

एकादशेन्द्रियाण्याहुर्मानि पूर्वं मनीषिणः ।

तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ६४ ॥ [२।८६] (४८)

(पूर्व मनीषिणः) पहले मनीषि-विद्वानों ने (यानि एकादश+ इन्द्रियाणि+आहुः) जो ग्यारह इन्द्रियां कहीं हैं (तानि यथावत्+ अनुपूर्वशः) उनकी यथोचित क्रम से (सम्यक् प्रवक्ष्यामि) ठीक-ठीक कहता हूँ ॥ ६४ ॥

श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी ।

पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता ॥६५॥ [२।९०] (४९)

(श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा) कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, [(च) और (पञ्चमी) पांचवीं (नासिका) नासिका [=नाक.] (पायु-उपस्थं हस्त-पादम्) गुदा, उपस्थ (=मूत्र का मार्ग) हाथ, पग (वाक्) वाणी (दशमी स्मृता) ये दश इन्द्रिय इस शरीर में हैं ॥ ६५ ॥ (सं वि० पृ० ८४)

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैवां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः ।

कर्मन्द्रियाणि पञ्चैवां पाद्यादीनि प्रचक्षते ॥६६॥ [२।९१] (५०)

(एषाम्) इनमें (श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि) कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय और (पायु-आदीनि पञ्च कर्मन्द्रियाणि) गुदा आदि पांच कर्म-न्द्रिय, (प्रचक्षते) कहाती हैं ॥ ६६ ॥ (सं वि० पृ० ८४)

ॐ (अनुपूर्वशः) क्रमशः.....

ग्यारहवीं इन्द्रिय मन—

एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् ।

यस्मिञ्जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ॥६७॥ [२।९२] (५१)

(एकादशं मनः) ग्यारहवां मन है * (स्वगुणेन उभयात्मकम्) वह अपने स्तुति आदि गुणों से दोनों प्रकार के इन्द्रियों से सम्बन्ध करता है (यस्मिन्-जिते) जिस मन के जीतने में (एतौ) ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मन्द्रिय दोनों ॐ (जितौ) जीत लिये जाते हैं ॥ ६७ ॥ (सं वि० पृ० ८४)

* (ज्ञेयम्) ऐसा समझना चाहिए..... ॐ (पञ्चकौ गणौ) पांचों-पांचों इन्द्रियों के दोनों समुदाय अर्थात् दसों इन्द्रियां.....

अनुशीलन : चरक में इन्द्रियां एवं इन्द्रियों के विषय—इन्द्रियों के अधिष्ठान एवं विषयों पर चरक-शास्त्र में प्रकाश डाला गया है। विशेष जानकारी के लिए विवरण प्रस्तुत है। ज्ञानेन्द्रियां हैं—

(क) “तत्र चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनम्-इति पञ्चैन्द्रियाणि ।

पञ्चैन्द्रियद्रव्याणि त्वं वायुर्ज्योतिरापः भूरिति ।

पञ्चैन्द्रियाधिष्ठानाग्न्याक्षरिणी कर्णा नासिके जिह्वा त्वक् चेति ॥

पञ्चैन्द्रियार्थाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः ॥

(सूत्रस्थाने) (अ० ८।५-६)

अर्थात्—चक्षु, श्रवण, घ्राण, रसना, स्पर्श ये पांच इन्द्रिया हैं। क्रमशः तेज, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु ये पांच इन्द्रियों के द्रव्य हैं। क्रमशः आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा इनके अधिष्ठान हैं। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श क्रमशः इन्द्रियों के अर्थ = विषय हैं।

(ख) कर्मेन्द्रिया—

हस्तपादं गुदोपस्थं जिह्वेन्द्रियमथापि च ।

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव, पादौ गमनकर्माणि ॥

पापूषस्थो विसर्गार्थं, हस्तौ ग्रहणधारणं ।

जिह्वा वाग् इन्द्रियं वाक् च ॥

अर्थात्—हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, और जिह्वा ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं। हाथों का कार्य ग्रहण करना, पादों का चलना, गुदा का मलत्याग, उपस्थ का भूत्रत्याग और जिह्वा का कार्य बोलना है। (शारीरस्थान १।२३-२४)

(ग) मन ग्यारहवीं इन्द्रिय है। उसका कार्य चिन्तन, विचार, संकल्प आदि करना है—

चिन्त्यं विचार्यंमूह्यं च ध्येयं संकल्प्यमेव च ।

यत्किञ्चिन्मनसो ज्ञेयं तत्सर्वं ह्यर्थसंज्ञकम् ॥

(विमानस्थान १।१६)

इन्द्रिय-संयम से प्रत्येक कार्य में सिद्धि—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छयसंशयम् ।

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥६८॥ [२।६३] (५२)

(इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन) जीवात्मा इन्द्रियों के साथ मन लगाने से (असंशयम्) निःसंदेह (दोषम्+मृच्छति) दोषी हो जाता है (तु तानि संनियम्य एव) और उन पूर्वोक्त [२।६५-६७] दश इन्द्रियों को वश में करके ही (ततः) पश्चात् (सिद्धिं नियच्छति) सिद्धि को प्राप्त होता है ॥६८॥

“जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े-बड़े दोषों को प्राप्त होता है ।”

(स० प्र० पृ० ४८)

“जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी, धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे अविद्वान् हैं, वे मनुष्यों में नीचजन्म बुरे-बुरे दुःखरूप जन्म को पाते हैं।”
(स० प्र० पृ० २५४)

“इन्द्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है।” (स० प्र० पृ० २५८)

विषयों के सेवन से इच्छाओं की वृद्धि—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मन् भूय एवामिवर्धते ॥६६॥ [२।६४] (५३)

यह निश्चय है कि (कृष्णवर्त्मन् हविषा एव) जैसे अग्नि में ईन्धन और घी डालने से (भूय एव + अभिवर्धते) [अग्नि] बढ़ता जाता है (कामानाम् + उपभोगेन कामः न जातु शाम्यति) वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को विषयासक्त कभी नहीं होना चाहिए ॥ ६६ ॥ (स० प्र० पृ० २५८)

विषय त्याग ही श्रेष्ठ है—

यच्चैतान्प्राप्नुयात्सर्वान्यश्चैतान्केवलान्त्यजेत् ।

प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥७०॥ [२।६५] (५४)

(यः + एतान् सर्वान् प्राप्नुयात्) जो इन सब इच्छाओं या सब विषयों का उपभोग करे (च) और (यः एतान् केवलान् त्यजेत्) जो इन सब को त्याग दे (सर्वकामानां प्रापणात्) [इन दोनों बातों में] सब इच्छाओं या विषयों को प्राप्त = उपभोग करने से (परित्यागः) सर्वथा त्याग देना (विशिष्यते) अधिक अच्छा है ॥ ७० ॥

न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया ।

विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥७१॥ [२।६६] (५५)

(विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि) विषयों में आसक्त इन इन्द्रियों को (असेवया) विषयों के सेवन के बिना (तथा संनियन्तुं न शक्यन्ते) वैसे आसानी से वश में नहीं किया जा सकता। (यथा नित्यशः ज्ञानेन) जैसे कि नित्यप्रति ज्ञानपूर्वक वश में किया जा सकता है। मनुष्य विषयसेवन से दोषों को प्राप्त होता है और विषयत्याग से सिद्धि को प्राप्त करता है, [२।६८] इत्यादि विषयत्याग के ज्ञान से इन्द्रियों को वश में किया जा सकता है ॥ ७१ ॥

विषयी व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती—

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥७२॥ [२।६७] (५६)

(विप्रदुष्टभावस्य) जो अजितेन्द्रिय दुष्टाचारी पुरुष है, उस पुरुष के (वेद, त्याग, यज्ञः, नियमः, तपांसि) वेद पढ़ना, त्याग करना, यज्ञ (=अग्नि होनादि) करना, नियम (ब्रह्मचर्याश्रम) आदि करना, तप [=निन्दास्तुति, और हानि-लाभ आदि द्वन्द्व का सहन] करना आदि कर्म (कर्हिचित्) कदापि (सिद्धि न गच्छन्ति) सिद्ध नहीं हो सकते ॥७२॥ (सं० वि० पृ० ८४)

“जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते ।”

(सं० वि० पृ० ४६)

“जो अजितेन्द्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं । उसके करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं । किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं ।”

(सं० प्र० पृ० २५८)

अनुयातव्यः : इस भाव की पुष्टि और तुलना के लिए देखिए १।१०६ और २।१३५ श्लोक ।

जितेन्द्रिय की परिभाषा—

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च हृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः ।

न हृष्यति ग्लायति वा, स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥७३॥ [२।६८] (५७)

(जितेन्द्रियः स विज्ञेयः) जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि (यः नरः) जो [मनुष्य] (श्रुत्वा) श्रुति सुनके हर्ष और निन्दा सुनके शोक (स्पृष्ट्वा) अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुःख (हृष्ट्वा) सुन्दर रूप देख के प्रसन्न और दुष्टरूप देख अप्रसन्न (भुक्त्वा) उत्तम भोजन करके आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके दुःखित (घ्रात्वा न हृष्यति ग्लायति) सुगन्ध में क्वचि दुग्न्ध में क्वचि न ॥७३॥ (सं० प्र० पृ० २५८)

एक भी इन्द्रिय के असंपन्न से प्रजाहानि—

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् ।

तेनास्य क्षरति प्रजा हृतेः पादादिवोदकम् ॥७४॥ [२।६९] (५८)

(सर्वेषाम् इन्द्रियाणां तु) सब इन्द्रियों में यदि (एकम् इन्द्रियं क्षरति) एक भी इन्द्रिय अपने विषय में आसक्त रहने लगती है तो (तेन) उसी के

कारण (अस्य प्रज्ञा क्षरति) इस मनुष्य की बुद्धि ऐसे नष्ट होने लगती है (इतेः पादात्+उदकम् इव) जैसे चमड़े के बर्तन=मशक में छिद्र होने से सारा पानी बहकर नष्ट हो जाता है ॥ ७४ ॥

इन्द्रिय-संयम से सब अर्थों की सिद्धि—

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।

सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम् ॥७५॥ [२।१००] (५६)

(इन्द्रियग्रामम्) पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय [इन दश इन्द्रियों के समूह को] (च) और (मनः) ग्यारहवें मन को (वशे कृत्वा) वश में करके (योगतः तनुम्=अक्षिण्वन्) युक्ताहार विहार रूप योग से शरीर की रक्षा करता हुआ (सर्वान् अर्थान् संसाधयेत्) सब अर्थों को सिद्ध करे ॥ ७५ ॥

(सं० प्र० पृ० २५८)

“ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को वश में करके और आत्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास से शरीर को किञ्चित्-किञ्चित् पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ।” (सं० वि० पृ० ८४)

अनुशीलन : ‘योग’ के अर्थ के सम्बन्ध में विवेचन देखिए ६।६५ पर अनुशीलन में ।

सन्ध्योपासन-समय—

पूर्वा संध्या जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमकंदशंनान् ।

पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात् ॥७६॥ [२।१०१] (६०)

(अकंदशंनान् पूर्वा संध्याम्) दो घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय पर्यन्त प्रातः संध्या (सम्यक्+गृक्षविभावनात् तु पश्चिमाम्) सूर्यास्त से लेकर [अच्छी प्रकार] तारों के दर्शन पर्यन्त सायंकाल में [(समासीनः) भली-भाँति स्थित होकर] (सावित्रीं जपन् तिष्ठेत्) सविता अर्थात् सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायत्र्यादि मन्त्रों के अर्थ विचारपूर्वक नित्य करें ॥ ७६ ॥ (द० ल० पं० पृ० २३६)

सन्ध्योपासना का फल—

पूर्वा संध्या जपंस्तिष्ठन्नंशमेवो ध्यपोहति ।

पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम् ॥७७॥ [२।१०२] (६१)

[मनुष्य] (पूर्वा संध्यां जपन् तिष्ठन्) प्रातःकालीन संध्या में बैठकर जप करके (नंशम्+एनः ध्यपोहति) रात्रिकालीन मानसिक मलिनता या दोषों को दूर करता है (तु पश्चिमां समासीनः) और सायंकालीन संध्या करके

(दिवाकृतं मलं हन्ति) दिन में सञ्चित मानसिक मलिनता या दोषों को नष्ट करता है। [अभिप्राय यह है कि दोनों समय संध्या करने से पूर्ववेला में आये दोषों पर चिन्तन-मनन और पश्चात्ताप करके उन्हें आगे न करने के लिए संकल्प किया जाता है तथा गायत्री-जप से अपने संस्कारों को शुद्ध-पवित्र बनाया जा सकता है] ॥ ७७ ॥ ॐ

अनुधीत्यन : 'एनः' शब्द का यहाँ 'संस्कारजन्य दोष' अर्थ है। इस पर विस्तृत समीक्षा २।२[२।२७] पर द्रष्टव्य है।

संध्योपासन न करनेवाला शूद्रवत्—

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् ।

स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥७८॥ [२।१०३] (६२)

(यः) जो मनुष्य (पूर्वा न तिष्ठति च पश्चिमां न उपास्ते) नित्य प्रातः और सायं संध्योपासन को नहीं करता (सः शूद्रवत्) उसको शूद्र के समान समझकर (सर्वस्माद् द्विजकर्मणः बहिष्कार्यः) [समस्त] द्विजकुल से अलग करके शूद्रकुल में रख देना चाहिए ॥ ७८ ॥ (द० ल० पं० पृ० २३६) प्रतिदिन गायत्री-जप का विधान—

अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः ।

सावित्रीमप्यधीयत गत्वाऽऽरण्यं समाहितः ॥७९॥ [२।१०४] (६३)

(अरण्यं गत्वा) जंगल में अर्थात् एकान्त देश में जा (समाहितः) सावधान होके (अपां समीपे नियतः) जल के समीप स्थित होके (सावित्रीम् + अपि + अधीयत) सावित्री अर्थात् गायत्री मन्त्र का उच्चारण, अथ-ज्ञान और उस के अनुसार अपने चाल-चलन को करे ॥ ७९॥ (स० प्र० ४१)

✽ (नैत्यकं विधिम् + आस्थितः) नित्यचर्या का अनुष्ठान करता हुआ अर्थात् नित्यकर्मों के समान अनिवार्य रूप से.....

वेद, अग्निहोत्र आदि में अनध्याय नहीं होता—

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके ।

नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥८०॥ [२।१०५] (६४)

(वेदोपकरणे चैव) वेद के पठन-पाठन में (च) और (नैत्यके स्वाध्याये) नित्यकर्म में आने वाले गायत्री जप या संध्योपासना [२।७६] में (होम-मन्त्रेषु चैव) तथा यज्ञ करने में (अनध्याये अनुरोधः न अस्ति) अन-

ॐ [प्रचलित अर्थ—प्रातःकाल की संध्या में बैठकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रि में किये हुए पापों को नष्ट करता है, तथा सायंकाल की संध्या में बैठकर जप करता हुआ मनुष्य दिन में किये पापों को नष्ट करता है ॥ १०२ ॥]

ध्याय का विचार या आग्रह नहीं होता अर्थात् इन्हें प्रत्येक स्थिति में करना चाहिए, इनके साथ अनध्याय का विचार लागू नहीं होता ॥ ८० ॥

“वेद के पढ़ने-पढ़ाने, संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होममन्त्रों में अनध्यायविषयक अनुरोध (आग्रह) नहीं है।” (स० प्र० पृ० ४६)

“वेद-पाठ, नित्यकर्म और होम-मन्त्रों में अनध्याय नहीं है। नित्य-कर्म का अभिप्राय यह है कि अपने मन का लक्ष्य परमेश्वर को बनाया जावे इसलिए प्रत्येक कर्म की समाप्ति पर यह कहा जाता है कि मैं इस कर्म या इसके फल को परमेश्वर के अर्पण करता हूँ।” (पू० प्र० पृ० १४४-१४५)

नेत्यके नास्त्यनध्यायो, ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् ।

ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम् ॥८१॥ [२।१०६] (६५)

(नेत्यके अनध्यायः न+अस्ति) नित्यकर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वासप्रश्वास रुदा लिये जाते हैं, बन्ध नहीं किये जाते, वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये, न किसी दिन छोड़ना (हि) क्योंकि (अनध्याय-वषट्कृतं ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम्) अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तमकर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है ॥

ॐ (तत् ब्रह्मसत्रं स्मृतम्) उसे ब्रह्मयज्ञ माना गया है…………… ।

जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥ ८१ ॥ (स० प्र० ४६)

अनुयायित्वम् : ‘वषट्कार’ की व्युत्पत्ति—‘वह्’ धातु से ‘डषटि’ के योग से ‘वषट्’ शब्द बनता है। यह अव्यय है। वषट् का अर्थ यज्ञादि धार्मिक क्रिया या आहुति है। इस प्रकार ‘अनध्यायवषट्कृतम् ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम्’ पंक्ति का अर्थ बना—‘अनध्याय की स्थिति में भी की गई धार्मिक क्रिया’ या अग्निहोत्रादि में आहुति दान आदि कर्म ब्रह्मयज्ञ में दी गई उपासना रूप आहुति के सदृश पुण्यकारक होता है। ईश्वर का स्मरण होने से वह पुण्यदायक ही होता है।

स्वाध्याय का फल—

यः स्वाध्यायमधीतेऽब्रह्मं विधिना नियतः शुचिः ।

तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु ॥८२॥

[२।१०७] (६६)

(यः) जो व्यक्ति (अब्रह्मं स्वाध्यायम्) जलवर्षक मेघस्वरूप स्वाध्याय को [वेदों का अध्ययन एवं गायत्री का जप यज्ञ, उपासना आदि

[२।७६—८१] (शुचिः) स्वच्छ-पवित्र होकर, (नियतः) एकाग्रचित्त होकर (विधिना) विधिपूर्वक (अधीते) करता है (तस्य एषः) उसके लिए यह स्वाध्याय (नित्यं) सदा (पयः दधि घृतं मधु क्षरति) दूध, दही, घी और मधु को बरसाता है।

अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार इन पदार्थों का सेवन करने से शरीर तृप्त, पुष्ट, बलशाली और नीरोग हो जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय करने से भी मनुष्य का जीवन शान्तिमय, गुणमय, ज्ञानमय और पुण्यमय या आनन्दमय हो जाता है, अथवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी सिद्धि हो जाती है ॥ ८२ ॥ ❀

अनुधीत्यन्नः : (१) स्वाध्याय से अभिप्राय—इस श्लोक में आलंकारिक वर्णन है। यहाँ दूध, घी और मधु को उपलक्षण या प्रतीक रूप में लिया गया है और इस वाक्य का मुहावरे के रूप में प्रयोग है। आयुर्वेद के अनुसार दूध का मुख्य गुण तृप्ति करना, दही का पुष्टि करना, घी का बल-प्रायु को बढ़ाना और शहद का शरीर-दोषों का नाश करना मुख्य गुण है। इनके अनुसार वेद के स्वाध्याय में भी मानवजीवन को शान्तिमय, गुणमय, ज्ञानमय, आनन्दमय बनाने वाले गुण हैं। यही आलंकारिक वर्णन का अभिप्राय है। कुछ टीकाकारों ने इन्हें क्रमशः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक माना है। यहाँ मनु ने वेद के मन्त्र का भाव उषों का त्यों अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। तुलना कीजिए; वेद का मन्त्र है—

पावमानीर्यो अध्येत्युविभिः संभूतं रसम् ।

तस्मै सरस्वती कुहे क्षीरं सर्पिः मधूवकम् ॥ ऋ० ६। ६७। ३२ ॥

(२) 'अवदम्' का संगत अर्थ—इस श्लोक में 'अवदम्' शब्द का प्रयोग भी योगिक है [अगो ब्रवाति इति अवदम् मेघस्वरूपम्] और इसका अर्थ 'वर्ष' न होकर 'वृष्टिकारक मेघस्वरूप' यहाँ संगत होता है। 'अवदम्' शब्द का 'वर्ष' अर्थ करते हुए टीकाकारों ने जो यह अर्थ किया है कि 'जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वर्ष तक भी विधिपूर्वक वेदाध्ययन करता है, उसे वह सर्वदा दूध, दही, घृत तथा मधु देता है' यह अर्थ मनु के अभिप्राय के अनुकूल और प्रसंगानुकूल नहीं जंचता। यह अर्थ करने से निम्न आपत्तियाँ रह जाती हैं—(क) वेदाध्ययन, यज्ञ, उपासना को मनु ने द्विजमात्र का आवश्यक कर्म माना है [१। ८८—९०] और सभी स्थानों पर उसे अनिवार्य घोषित करते हुए सदैव करते रहने का आदेश है [२। ७७—८१ (१०२—१०६)]। अतः मनु द्वारा उसके कुछ समय के महत्त्व को दर्शाने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत

❀ [प्रचलित अर्थ—जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वर्ष तक भी विधि पूर्वक वेदाध्ययन करता है उसे यह सर्वदा दूध, दही, घी, तथा मधु देता है (जिन से वह देवों तथा पितरों को तृप्त करता है और वे सब इच्छा तथा जपयज्ञ को पूर्ण करने वाले होते हैं) ॥ २। १०७ ॥]

होती। (ख) मनु ने ये सभी कर्म ब्रह्मचारियों के नौ, अठारह या छत्तीस वर्ष तक नित्य-कर्म के रूप में विहित किये हैं [३। १—२]।

जब इतने वर्षों तक ब्रह्मचारी-द्विजों को ये कर्म अनिवार्य रूप से करने ही हैं तो यहाँ एक वर्ष तक के सीमित काल का उल्लेख करने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता। (ग) 'अब्दम्' का अर्थ 'वर्ष' करने से श्लोक में 'नित्यम्' शब्द का प्रयोग भी संगत नहीं बैठता। यदि वर्ष भर की सीमाका निर्धारण ही कर दिया है, तो ये लाभ स्वाध्यायी को वर्ष भर ही मिलेंगे, सदा कैसे मिल सकते हैं? यदि एक वर्ष तक स्वाध्याय करने से ये लाभ सदा मिल सकते हैं तो फिर एक वर्ष से अधिक स्वाध्याय की आवश्यकता और विधानों की क्या जरूरत है? शायद इसी उलझन को अनुभव करते हुए कुछ टीकाकारों ने तो श्लोकार्थ में 'नित्यम्' शब्द का अर्थ ही छोड़ दिया। वस्तुतः यहाँ योगिकार्य रूप में 'अब्द' का प्रयोग है। जैसे बादल वर्षयिता है, वैसे ही स्वाध्याय को भी इन लाभों का वर्षयिता=दाता माना है। श्लोक में 'क्षरति' क्रिया का प्रयोग भी इस शब्द के 'मेघ' अर्थ का पोषक है। आलंकारिक क्रिया का प्रयोग होने से अर्थ तदनु-रूप ही ग्रहण करना उचित है।

(३) 'स्वाध्याय' शब्द से मनु का अभिप्राय वेदों का निरन्तर साङ्गोपाङ्ग अध्ययन, संध्योपासना और अग्निहोत्र से है। यह उन्होंने स्वयं २। ७६—८१ [२। १०४—१०६] श्लोकों में स्पष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त निम्न श्लोकों में भी स्पष्टतः वेदाध्ययन आदि को ही 'स्वाध्याय' कहा है—[२। १४०—१४३ (२। १६५—१६८); ४। १७—२०, १४७—१४९; ११। २४५ ॥]

समावर्तन तक होमादि कर्त्तव्य करने का कथन—

अग्नीन्धनं भिक्षवर्यामघःशय्यां गुरोर्हितम् ।

आसमावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥८३॥ [२। १०८] (६७)

(कृतः+उपनयनः द्विजः) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित द्विज (अग्नीन्धनम्) अग्निहोत्र करना (भिक्षवर्याम्) भिक्षावृत्ति (अघःशय्याम्) भूमि में शयन (गुरोः हितम्) गुरु की सेवा (आसमावर्तनात्) समावर्तन संस्कार [वेदाध्ययन समाप्त करके घर लौटने तक ३। १—३] तक (कुर्यात्) करता रहे ॥ ८३ ॥

पढ़ाने योग्य शिष्य—

आचार्यपुत्रः शुभ्रपुर्णान्वो धार्मिकः शुचिः ।

आप्तः शततोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः ॥ ८४ ॥

[२। १०९] (६८)

(आचार्यपुत्रः) अपने आचार्य [गुरु] का पुत्र (शुश्रूषुः) सेवा करने वाला (ज्ञानदः) किसी विषय के ज्ञान का देने वाला (धार्मिकः) धर्मनिष्ठ व्यक्ति (शुचिः) छल-कपटरहित आचरण वाला (आप्तः) घनिष्ठ व्यक्ति मित्र आदि (शक्तः) विद्या ग्रहण करने में समर्थ अर्थात् बुद्धिमान् पात्र (अर्थदः) धन देने वाला (साधुः) हितैषी (स्वः) अपने परिवार का, सम्बन्धी आदि (दश धर्मतः अध्याप्याः) ये दश धर्म से अवश्य पढ़ाने योग्य हैं ॥८४॥

अनुधीत्यन्तः : आप्त का अर्थ और अकारण— आप्त का शास्त्रों में अधिक प्रचलित अर्थ 'यथार्थवक्ता' 'सत्यवक्ता' है, किन्तु साथ ही घनिष्ठ व्यक्ति भी अर्थ प्रचलित है। मनु० में देखिए अ० ८।१ श्लोक। 'आप्तु-व्याप्तौ' धातु से 'क्त' प्रत्यय के योग से 'आप्त' शब्द सिद्ध होता है। यत् प्रत्ययान्त शब्द आप्त्या का निर्वचन करते हुए निरुक्तकार ने लिखा है—“आप्त्या—आप्तोते” [१६।२।१६] इस प्रकार उक्त अर्थमें आप्त की व्युत्पत्ति हुई—‘आप्तोति हृदये आत्मीयत्वेन स आप्तः।’

प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध—

नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयान्न ज्ञान्यायेन पृच्छतः।

ज्ञानन्नपि हि मेधावी जडवत्लोक आचरेत् ॥ ८५ ॥

[२।११०](६६)

(न, अपृष्टः) कभी बिना पूछे (च) वा (अन्यायेन पृच्छतः) अन्याय से पूछते वाले को जो कि कपट से पूछना हो (कस्यचिद् न ब्रूयात्) ऐसे किसी को उत्तर न देवे (मेधावी) उनके सामने बुद्धिमान् + (जडवत् आचरेत्) जड़ के समान रहे, हाँ जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उनको बिना पूछे भी उपदेश करे ॥ ८५ ॥ (स० प्र० पृ० २५६)

❀(ज्ञानन् अपि हि) जानते हुए भी.....

+ (लोके) लोक में.....।

दुर्भविनापूर्वक प्रश्न-उत्तर से हानि—

अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति।

तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाऽधिगच्छति ॥८६॥ [२।१११] (७०)

“(यः) जो (अधर्मेण) अन्याय, पक्षपात, असत्य का ग्रहण, सत्य का परित्याग, हठ, दुराग्रह.....इत्यादि अधर्म कर्म से युक्त होकर छल-कपट से (पृच्छति) पूछता है (च) और (यः) जो (अधर्मेण) पूर्वोक्त प्रकार से (प्राह) उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान् मनुष्य को योग्य है कि न उससे पूछे और न उसको उत्तर देवे। जो ऐसा नहीं करता तो (तयोः+)

अन्यतरः प्रीति) पूछने वा उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है अर्थात् निन्दित होता है। (वा) अथवा (विद्वेषम्) अत्यन्त विरोध को (अधिगच्छति) प्राप्त होकर दोनों दुःखी होते हैं ॥” ८६ ॥ (द० ल० अ० पृ० ३४७)

अनुध्यातव्यः : प्रीति से अभिप्राय—‘प्रीति’ का प्रयोग यहाँ मुहावरे के रूप में हुआ है। मर जाने से अभिप्राय यह भी है कि बिना उत्तर दिये सम्बन्ध तोड़ कर चले जाना। यह स्वाभाविक ही है कि जब कोई दुर्भावना से पूछता या उत्तर देता है, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति किनारा कर लेता है। यदि ऐसा नहीं करते तो उनमें दूसरी अवस्था विवाद और विरोध की आ जाती है।

विद्या-दान किसे न दें—

धर्मायौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विद्या ।

तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ॥ ८७ ॥ [२।११२] (७१)

(यत्र धर्मायौ न स्याताम्) जहाँ धर्म और अर्थप्राप्ति न हो (वा) और (तद्विद्या शुश्रूषा अपि) गुरु के अनुरूप सेवाभावना भी न हो (तत्र विद्या न वक्तव्या) ऐसे को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि (ऊषरे शुभं बीजम्+इव) वह ऊसर भूमि में श्रेष्ठ बीज बोने के समान है। जैसे बंजर भूमि में बोया हुआ बीज व्यर्थ होता है उसी प्रकार उक्त व्यक्ति को दी गई विद्या भी व्यर्थ जाती है ॥ ८७ ॥

कुपात्र को विद्यादान का निषेध—

विद्ययैव समं कामं मत्तव्यं ब्रह्मवादिना ।

आपद्यपि हि घोरायां न स्वेनामिरिणे वपेत् ॥ ८८ ॥

[२।११३] (७२)

(कामम्) चाहे (ब्रह्मवादिना) वेद का विद्वान् (विद्यया+एव समं मत्तव्यम्) विद्या को साथ लेकर मर जाये (हि) किन्तु (घोरायाम् आपदि+अपि) भयंकर आपत्तिकाल में भी (एनाम् इरिणे तु न वपेत्) इस विद्या को बंजर भूमि में न बोये अर्थात् जहाँ विद्या फलवती न हो, जा उसका विनाश या दुरुपयोग करे, ऐसे कुपात्र के लिये न दे, उसे न पढ़ाये ॥ ८८ ॥

विद्यादान-सम्बन्धी आख्यान एवं निर्देश—

विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेषधिस्तेऽस्मि रक्ष माम् ।

असूयकाय मां मा दास्तया स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ८९ ॥

[२।११४] (७३)

[एक आख्यान प्रचलित है कि एक बार] (विद्या ब्राह्मणम् + एत्य + आह) विद्या विद्वान् ब्राह्मण के पास आकर बोली—(ते शिवधिः अस्मि, माम्, रक्षा) “मैं तेरा खजाना हूँ, तू मेरी रक्षा कर (माम् असूयकाय मा दाः) मुझे मेरी उपेक्षा, निन्दा या ईर्ष्या द्वेष करने वाले को मत्त प्रदान कर (तथा वीर्यवत्तमा स्याम्) इस प्रकार से ही मैं वीर्यवती = महत्त्वपूर्ण और शक्तिसम्पन्न बन सकूंगी” ॥ ८६ ॥

यमेव तु शुचि विद्यानियतब्रह्मचारिणम् ।

तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ६० ॥ [२।१।५] (७४)

(यम् + एव तु शुचि नियतब्रह्मचारिणम्) “जिसे तুম छल-कपट रहित शुद्ध श्रद्धाभाव से युक्त, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी (विद्यात्) समझो (तस्मै अप्रमादिने निधिपाय मां ब्रूहि) उस आलस्यरहित और इस खजाने की रक्षा एवं वृद्धि करने में समर्थ विप्र वेदभक्त जिज्ञासु शिष्य को मुझे पढ़ाना” ॥ ६० ॥

अनुध्यातव्यः : विद्या के आख्यान का निरुक्त में वर्णन— ८८-९० श्लोकों में मनु ने जिस विद्या के आख्यान को वर्णित किया है, यह प्राचीन काल में बहु-प्रचलित मार्गनिर्देशक आख्यान था। निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क ने किसी प्राचीन ग्रन्थ के कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं जिनमें कुछ विस्तार से इसी आख्यान का वर्णन है। भाव एवं शब्दसाम्य द्रष्टव्य है। श्लोक इस प्रकार हैं—

१. विद्या ह वै ब्राह्मणभाजनाय गोपाय मा शिवधिष्वेहमस्मि ।
असूयकायानुजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम् ॥

२. य आकृणोत्यवितथेन कर्णाविदुःखं कुर्वन्ममृतं संप्रयच्छन् ।
तं मयेत त्तितरं मातरं च तस्मै न ब्रूहेत् कतमवचनाह ॥

३. अध्यापिता ये गुरुनाद्रियन्ते विप्रा बाबा मनसा कर्मणा वा ।
यथैव ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्न भुज्जित भूतं तत् ॥

४. यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविर्न ब्रह्मचर्योपपन्नम् ।
यस्ते न ब्रूहेत् कतमवचनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥

(निरु० २।१।५)

बिना पढ़ाये वेदग्रहण का निषेध—

ब्रह्मयस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात् ।

त ब्रह्मस्तेयं संयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ६१ ॥ [२।१।६]

(यः तु) जो मनुष्य (अधीयानात्) किसी पढ़ने-पढ़ाने वाले से (अननुज्ञातं ब्रह्म

अवाप्नुयात्) उसकी बिना आज्ञा या स्वीकृति के वेदज्ञान को ग्रहण करता है (तः) वह (ब्रह्मस्तेयसंयुक्तः) वह वेदज्ञान की चोरी का भागीदार होकर (नरकं प्रतिपद्यते) नरक में जाता है ॥ ६१ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. अन्तर्विरोध—(१) २।५०-५१ [२।१०५-१०६] श्लोकों में वेद का अध्ययन-अध्यापन, श्रवण-श्रावण सभी अवस्थाओं में पुण्यदायक माना है, अतः इस श्लोक में बिना आज्ञा के वेद श्रवण करने का विधान मनु की उक्त मान्यता के प्रतिकूल है। (२) २।१६६ [२।१६१] में मनु ने गुरु की प्रेरणा अथवा बिना प्रेरणा किये छात्र को वेदाध्ययन में संलग्न रहने का आदेश दिया है। इस विधान से यह स्पष्ट होता है कि वेदाध्ययन या श्रवण के लिए कोई भी बन्धन मनुसम्मत नहीं है (३) इसी प्रकार नरकसम्बन्धी मान्यता भी मनुसम्मत नहीं है। इसके लिये देखिये ४।८७ से ६१ श्लोकों पर 'अनुशीलन' समीक्षा। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

गुरु को प्रथम अभिवादन—

लौकिकं वैदिकं वाऽपि तथाऽध्यात्मिकमेव च ।

आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत् ॥६२॥ [२।११७] (७५)

(यतः) जिससे (लौकिकम्) लोक में काम आने वाला—शस्त्रविद्या, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि सम्बन्धी (वा) अथवा (वैदिकम्) वेदविषयक (तथा) तथा (आध्यात्मिकम्+एव) आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी (ज्ञानम्) ज्ञान (आददीत) प्राप्त करे (तम्) उसको (पूर्वम्+अभिवादयेत्) पहले नमस्कार करे ॥ ६२ ॥

विप्र की श्रेष्ठता-अश्रेष्ठता—

सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः ।

नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ ६३ ॥ [२।११८]

(सावित्रीमात्रसारः) केवल सावित्रीमन्त्र के सार का ज्ञाता (सुयन्त्रितः विप्रः अपि वरम्) जितेन्द्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है, किन्तु तीन वेदों का ज्ञाता (सर्वाशी) जो सब कुछ खाने वाला हो (सर्वविक्रयी) सब वस्तुओं का व्यापार करने वाला हो (अयन्त्रितः) अजितेन्द्रिय हो (न) वह श्रेष्ठ नहीं है ॥ ६३ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यह श्लोक प्रसंग के विरुद्ध है। पूर्वापर श्लोकों में अभि-

वादन विधि का वर्णन किया गया है। इस श्लोक से वह क्रम टूट रहा है और न इसमें वर्णित बातों का यहां कोई सम्बन्ध है। अतः प्रसंगविरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

२. अन्तर्विरोध—इस श्लोक में कहा है कि 'सब कुछ बेचने वाला' सब कुछ खाने वाला तीन वेदों का ज्ञाता अजितेन्द्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ नहीं है।' यहाँ सभी बातें मनुविरुद्ध हैं। विक्रय अर्थात् व्यापार का कार्य ब्राह्मण का नहीं है, यह वैश्य का कर्तव्य है [१। ८८, ९। ३२६—३३२]। जो विक्रय कार्य करेगा, मनु की व्यवस्था के अनुसार वह ब्राह्मण ही नहीं कहला सकता। इसी प्रकार द्विजातियों को मनु ने सब कुछ खाने की छूट नहीं दी है, तामसिक पदार्थों एवं मांस आदि का निषेध करते हुए शूद्र-अशूद्र के नियम निर्धारित किये हैं [५। ५, ८, ९, १०, २४, २५, ४३—५१]। इस आधार पर सब कुछ खाने वाले को ब्राह्मण तो क्या, द्विजातियों के अन्तर्गत भी नहीं माना जाता। ये कथन मनु की व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं, अतः यह श्लोक परवर्ती प्रक्षेप है।

गुरु की शय्या और आसन पर न बैठे—

शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत् ।

शय्यासनस्थश्चैवैतं प्रत्युत्थायाभिवादयेत् ॥ ९४ ॥ [२। ११९] (७६)

(श्रेयसा) गुरुजन आदि बड़ों द्वारा (अध्याचरिते) प्रयोग में लायी जाने वाली (शय्या—आसने) शय्या पलंग आदि और आसन पर (न समाविशेत्) न बैठे (च) और (शय्यासनस्थः) यदि अपनी शय्या और आसन पर लेटा या बैठा हो तो (एतम्) इन गुरुजन आदि बड़ों को (प्रत्युत्थाय + अभिवादयेत्) उनके आने पर उठकर नमस्कार करे ॥ ९४ ॥

बड़ों को अभिवादन से मानसिक प्रसन्नता—

ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति ।

प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ ९५ ॥ [२। १२०] (७७)

(स्थविर + आयति) विद्या, पद, आयु आदि में बड़ों के आने पर (यूनः प्राणाः) छोटी-छोटी प्राण (उत्क्रामन्ति) ऊपर को उभरने-से लगते हैं अर्थात् प्राणों में हलचल घबराहट-सी उत्पन्न होने लगती है (हि) किन्तु (प्रत्युत्थान-अभिवादाभ्याम्) उठने और नमस्कार करने से (पुनः) फिर से (तान् प्रतिपद्यते) शिष्य प्राणों की सामान्य-स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है अर्थात् प्राणों की घबराहट, हलचल और उभराव दूर हो जाते हैं ॥ ९५ ॥

❧ [प्रचलित अर्थ— युवा लोगों के प्राण बृद्ध लोगों के आने पर ऊपर चढ़ते हैं और अभ्युत्थान तथा प्रणाम करने से वह युवा पुरुष उन्हें पुनः प्राप्त कर लेता है ॥ १२० ॥]

अभिवादन और सेवा से आयु, विद्या, यश, बल की वृद्धि—

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम् ॥६६॥ [२।१२१] (७८)

(अभिवादनशीलस्य) अभिवादन करने का जिसका स्वभाव और (नित्यं वृद्धोपसेविनः) विद्या वा अवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है (तस्य आयुः विद्या यशः बलं चत्वारि वर्धन्ते) उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है ॥ ६६ ॥

(सं० वि० पृ० ८५)

“जो सदा नम्र मुशील विद्वान् और वृद्धों की सेवा करता है उसका आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करता उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते” । (सं० प्र० पृ० ४६)

अनुशीलन : अभिवादानादि से आयु-विद्या-बल-यश की वृद्धि कैसे ?

यहां प्रश्न उठता है कि अभिवादनशील और नित्यवृद्धोपसेवी व्यक्ति के आयु, विद्या, यश और बल कैसे बढ़ते हैं ? इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है ? इन मान्यताओं का उत्तर मनु के भावों से खोजकर यहां स्पष्ट किया जाता है । उससे पूर्व, उत्तर से सम्बन्धित दो बातों को स्पष्ट करना आवश्यक है—एक तो यह कि जो व्यक्ति अभिवादनशील और सेवा करने की प्रवृत्ति का होता है, वह स्वभाव से ही विनम्र एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिक गुणग्राही होता है । उस पर सेव्य और अभिवाद्य व्यक्तियों के गुणों का प्रभाव आता रहता है । दूसरी बात यह है कि वृद्ध व्यक्तियों से यहां वयोवृद्ध व्यक्तियों के साथ-साथ विशेषरूप से विद्या-अनुभववृद्ध विद्वान् व्यक्तियों से अभिप्राय है । मनु ने यह मान्यता २।१२६-१३१ [२।१५१-१५६] श्लोकों में स्पष्ट कर दी है, विशेष रूप से निम्न श्लोक में तुलनात्मक रूप में—

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पतितं शिरः ।

यो वं युवाऽप्यधीयानस्तं देवा स्वविरं विदुः ॥ २ ॥ १३१ [२।१६६]

इनके स्पष्टीकरणके उपरान्त अब उन चार लाभों पर विचार किया जाता है—

(१) मनु ने २।६७ से १०१ [२।१२२ से १२६] में अभिवादन का विधान किया है और इसे प्रत्येक विद्यार्थी और व्यक्ति के लिए अच्छा गुण माना है । अभिवादनशील और वृद्धसेवी व्यक्ति विनम्र होता है । उसके आदर करने के स्वभाव, विनम्रता और सेवा-सुभ्रूषा, मुशीलता आदि गुणों के कारण उसकी सभी स्थानों पर प्रशंसा होती है । इस प्रकार उसका यश बढ़ता है ।

(२) अभिवादनशील और सेवा सुभ्रूषा करने वाले व्यक्ति के इन गुणों से प्रभावित होकर विद्वानों की स्वाभाविक रूप से अधिक विद्या प्रदान करने की भावना बनती है । वह अपने इन गुणों के प्रभाव से विद्या-अनुभव-वयोवृद्ध विद्वानों से उनकी

बुद्धि में अन्तर्निहित ज्ञान को जैसे स्वतः आकृष्ट कर लेता है। एषः बहुत उपयुक्त उदाहरण द्वारा मनु ने इस बात को स्वयं समझाया है—

यथा खनन् खनित्रेण नरोवार्यधिगच्छति ।

तथा गुणतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति ॥ २।१६३ [२।२१८]

इन गुणों से रहित व्यक्ति को विद्या नहीं आती। यही कारण है कि विद्या प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों में मनु ने श्रीर सभी शास्त्रों ने सेवा भावना को आवश्यक माना है—“धर्माद्यं यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विद्या । तत्र विद्या न वक्ष्यते ॥ २।८७ [२।११२], “शुश्रूषुः.....अध्याप्या दश धर्मतः” ॥ २।८४ [२।१०६]। इस प्रकार विद्यावृद्धि होती है। अभिवादनशील और सेवाभावी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का स्नेह उमड़ पड़ता है और वह चाहता है कि मैं इसका जितना हो सके भला करूं।

(३-४) जो विद्यार्थी या व्यक्ति अभिवादनशील, शुश्रूषु होकर विद्या-अनुभव-वयोवृद्ध व्यक्तियों के सान्निध्य में रहेगा, तो उसे उनसे धर्म अर्थात् सदाचार शुद्धि, ईश्वरोपासना, श्रेष्ठ गुण और अनुभव, योगसिद्धि आदि का ज्ञान एवं शिक्षा-दीक्षा प्राप्त होगी। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ ‘उपसेविनः’ पद का प्रयोग है जिसका विशेष अर्थ है—‘वृद्धों के समीप रहकर सेवा करना’। इन बातों को स्पष्ट करने के लिए मनु के उदाहरण प्रस्तुत हैं—

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेत् शौचमादितः ।

आचारमनिकार्यं च संन्योपासनमेव च ॥ २।१४ [२।६६]

यही शिक्षाएं अभिवादनशील और विद्या-वयोवृद्धों के समीप गुरुवत् प्राप्त होती रहती हैं। तन, मन की शुद्धि से [४।१०६] नीरोग होकर, सदाचार, अग्निहोत्र-संन्योपासना आदि धर्मपालन से आयु एवं बल की वृद्धि होती है। इसकी पुष्टि में मनु के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

(क) शुद्धि एवं संन्योपासना आदि से आयुवृद्धि—

१. उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः ।

पूर्वां संध्यां जपन् तिष्ठेत् स्वकाले चापरां चिरम् ॥

२. श्रेष्ठयो दीर्घसंन्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः ।

प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ४।६३-६४ ॥

(ख) सदाचार से आयु-बल वृद्धि—

१. आचारात्त्वमते ह्यायुः आचारादीप्सिताः प्रजाः ॥

२. सर्वसंस्तराहीनोऽपि यः सदाचारवान्तरः ।

श्रद्धधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ ४।१५६, १५८ ॥

सदाचार से आयुवृद्धि और दुराचार से अत्यायु-वर्णन सम्बन्धी अन्य श्लोक ४। १५७, ४। १२४, १। ४१-४२ भी द्रष्टव्य हैं।

(ग) धार्मिक-सात्त्विक व्रतों से आयु-यश आदि की वृद्धि—

१. स्वर्गायुष्यशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥ ४। १३।

(वे व्रत ४।१४ से २५ तक विहित हैं)

इन सब बल-आयु-वर्धक व्रतों का ज्ञान-प्रनुभव, विद्या-प्रनुभव-वयोवृद्ध व्यक्तियों के सान्निध्य से प्राप्त होता है, और उनका सान्निध्य अभिवादनशीलता, सेवा-शुश्रूषा से प्राप्त होता है। इस प्रकार श्लोकोक्त गुणों से बल और आयु की वृद्धि होती है।

अभिवादन-विधि—

अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसम् अभिवादयन्।

असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत् ॥६७॥ [२।१२२] (७६)

(विप्रः) द्विज (ज्यायांसम् + अभिवादयन्) अपने से बड़े को प्रणाम करते हुए (अभिवादात् परम्) अभिवादनसूचक शब्द के बाद ('अहं असौ नामा अस्मि' इति) 'मैं अमुक नाम वाला हूँ' ऐसा कहते हुए (स्वं नाम परिकीर्तयेत्) अपना नाम बतलाये, जैसे—अभिवादये अहं देवदत्तः..... [शेष विधि। ६६ में है] ॥ ६७ ॥

नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते।

ताम्राज्ञोऽहमिति ब्रूयात्स्त्रियः सर्वास्तथैव च ॥ ६८ ॥ [२।१२३]

(ये केचित्) जो कोई (नामधेयस्य अभिवादं न जानते) अभिवादन का उत्तर देते समय नामोच्चारण पूर्वक अभिवादन करना नहीं जानते (च) और (तथैव) उसी प्रकार (सर्वाः स्त्रियः) सब स्त्रियों को भी (प्राज्ञः) बुद्धिमान् व्यक्ति ('अहम् इति ब्रूयात्') 'मैं हूँ' बस इतना ही कहे अर्थात् नाम का उच्चारण न करे ॥ ६८ ॥

अनुश्रुतिः : यह श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यह श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। इसके द्वारा पूर्वपर श्लोकों का क्रम भंग हो रहा है। ६७ वें श्लोक में अभिवादन की विधि बतलानी शुरू की थी और यह कहा कि 'अभिवादन करते समय अपने नाम का उच्चारण करे।' ६६ वें श्लोक में इससे आगे की विधि का वर्णन करने हुए कहा गया है कि 'फिर अपने नाम के अन्त में 'भोः' शब्द का प्रयोग करे।' इस प्रकार ६७ वें श्लोक से प्रारम्भ अभिवादन की विधि ६६ वें में पूर्ण होती है। इस श्लोक के कारण वह क्रम ही टूट

गया है। इस श्लोक में वर्णित बातों का अभिवादन-विधि के बीच में कहने का कोई प्रसंग भी नहीं दनता। अतः यह प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

अन्तर्विरोध—(१) श्लोक में कहा है कि जो लोग नामोच्चारणपूर्वक अभिवादन का उत्तर देना नहीं जानते उन्हें बिना नाम बताये ही नमस्कार करे, जबकि २।१०१ [२।१२६] में ऐसे व्यक्तियों को नमस्कार न करने का आदेश है। (२) इसी प्रकार इस श्लोक में सभी स्त्रियों को बिना नाम बताये ही नमस्कार करने का कथन है, जबकि २।१६१ [२।२१६] में गुरुस्त्रियों को पूर्णविधि से नामोच्चारणपूर्वक नमस्कार करने का विधान है। इन दोनों ही विधानों के विरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

भोःशब्द कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने।

नाम्नां स्वरूपभावो हि भो भाव ऋषिभिः स्मृतः ॥६६॥ [२।१२४] (८०)

[२।६७ में विहित प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर] (अभिवादने) अभिवादन में (स्वस्य नाम्नः अन्ते) अपना नाम बताने के पश्चात् ('भोः' शब्द कीर्तयेत्) 'भोः' यह शब्द लगाये (हि) क्योंकि (ऋषिभिः) ऋषियों ने (भोभावः नाम्नां स्वरूपभावः स्मृतः) 'भोः' के अभिप्राय को नामों के स्वरूप का द्योतक ही माना है अर्थात् 'भोः' संबोधन के उच्चारण में ही नाम का अन्तर्भाव स्वतः हो जाता है [२।१०३]। जैसे—“अभिवादये अहं देवदत्तः 'भोः' ॥६६॥

अभिवादन का उत्तर देने की विधि—

आयुष्मान्भव सौम्येति वाक्यो विप्रोऽभिवादने।

अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाक्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः ॥१००॥ [२।१२४] (८१)

(अभिवादने) अभिवादन का उत्तर देते समय (विप्रः) द्विज को (सौम्य 'आयुष्मान् भव' इति वाक्यः) 'हे सौम्य! आयुष्मान् हो' ऐसा कहना चाहिए (च) और (अस्य नाम्नः + अन्ते अकारः पूर्वाक्षरः प्लुतः) नमस्कार करने वाले के नाम के अन्तिम अकार आदि स्वरों को पहले अक्षर सहित प्लुत की ध्वनि [तीन मात्राओं के समय] में उच्चारण करे। जैसे—'देवदत्त' नाम में अन्तिम स्वर अकार है, जो 'त्' में मिला हुआ है। इस प्रकार 'त्' सहित अकार को अर्थात् अन्तिम 'त' को ही प्लुत बोले। उदाहरण है—“आयुष्मान् भव सौम्य देवदत्त ३” अथवा “आयुष्मान् भव सौम्य यज्ञदत्त ३” ॥ १०० ॥

अभिवादन का उत्तर न देने वाले को अभिवादन न करें—

यो न वेत्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्।

नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥१०१॥ [२।१२६] (८२)

(यः विप्रः) जो द्विज (अभिवादस्य प्रत्यभिवादनम्) अभिवादन करने के उत्तर में अभिवादन करना नहीं जानता अर्थात् नहीं करता (विदुषा सः न+अभिवाद्यः) बुद्धिमान् आदमी को उसे अभिवादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि (सः यथा शूद्रः तथा+एव) वह शूद्र के समान है ॥ १०१ ॥

वर्णानुसार कुशल प्रश्नविधि—

ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रबन्धुसनामयम् ।

वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥१०२॥ [२।१२७] (८३)

[मिलने पर, अभिवादन के बाद] (ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्) ब्राह्मण से कुशलता—प्रसन्नता एवं वेदाध्ययन आदि की निर्विघ्नता, (क्षत्रबन्धुम्+अनामयम्) क्षत्रिय के बल आदि की दृष्टि से स्वास्थ्य के विषय में, (वैश्यं क्षेमम्) वैश्य से क्षेम—धन आदि की सुरक्षा और आनन्द के विषय में, (च) और (शूद्रम्+आरोग्यम्+एव) शूद्र से स्वस्थता के विषय में (पृच्छेत्) पूछे । अभिप्राय यह है कि वर्णानुसार उनके मुख्य उद्देश्यसाधक व्यवहारों की निर्विघ्नता के विषय में प्रधानता से पूछे ॥ १०२ ॥

दीक्षित के नामोच्चारण का निषेध—

अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत् ।

भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित् ॥१०३॥ [२।१२८] (८४)

(दीक्षितः) उपनयन में दीक्षित (यः यवीयान्+अपि भवेत्) यदि कोई छोटा भी हो तो उसे (नाम्ना अवाच्यः) नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए (धर्मवित्) व्यवहार में चतुर व्यक्ति को चाहिए कि वह (एनं 'भो' 'भवत्' पूर्वकम् अभिभाषेत) अपने से छोटे व्यक्ति को 'भो' 'भवत्' जैसे आदरबोधक शब्दों से सम्बोधित करे ॥ १०३ ॥

परस्त्री के नामोच्चारण का निषेध—

परपत्नी तु या स्त्री स्यादसम्बन्धा च योनिः ।

तां ब्रूयाद्भ्रूवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥१०४॥ [२।१२९] (८५)

(या परपत्नी च योनिः असम्बन्धा स्त्री स्यात्) जो कोई दूसरे की पत्नी और योनि से सम्बन्ध न रखने वाली स्त्री अर्थात् वहन आदि न हो (ताम्) उसे ('भवति' 'सुभगे' 'भगिनी' इति+एवं ब्रूयात्) 'भवति!' [=आप] 'सुभगे!' [=सौभाग्यवति!] 'भगिनी!' [=वहन] इस प्रकार के शब्दों से सम्बोधित करे ॥ १०४ ॥

पारिवारिक एवं सम्बन्धी जनों का अभिवादन—

मातुलान् पितृव्यान् श्वशुरान् स्विजो गुरुन् ।

असावहमिति ब्रूयात्प्रत्युत्थाय यक्षीयसः ॥१०५॥ [२।१३०]

(मातुलान् पितृव्यान् श्वशुरान् ऋत्विजः च गुरुन्) मामा, चाचा, श्वशुर, ऋत्विज और गुरुजन आदि बड़ों को (यक्षीयसः) यदि ये छोटे भी हों तो भी (प्रत्युत्थाय) उठकर ('अहम् असौ इति' ब्रूयात्) 'मैं अमुक' इस प्रकार नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार करे ॥ १०५ ॥

मातृष्वसा मातुलानी श्वशूरथ पितृष्वसा ।

संपूज्या गुरुपत्नीवत्समास्ता गुरुभार्यया ॥ १०६ [२।१३१]

(मातृष्वसा) मौसी (मातुलानी) मामी (श्वशूरः) सास (अथ) और (पितृष्वसा) बूझा (गुरुपत्नीवत् संपूज्या) ये गुरुपत्नी के समान ही पूजनीय हैं (ताः गुरुभार्यया समाः) क्योंकि वे गुरुपत्नी के समान स्तर की ही हैं ॥ १०६ ॥

भ्रातृभार्योपसंग्राह्या सवर्णाह्न्यह्नयपि ।

विप्रोष्य तूपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धियो वितः ॥१०७॥ २।१३२॥

(सवर्णा भ्रातृभार्या) बड़े भाई की सवर्णा [= अपने वर्ण की] स्त्री का (अह्नि-अह्नि) प्रतिदिन (उपसंग्राह्या) चरणस्पर्श करके अभिवादन करना चाहिए, और (ज्ञाति-सम्बन्धियो वितः तु) जातिबालों तथा सम्बन्धियों की पत्नियों का तो (विप्रोष्यसंग्राह्या) केवल परदेश से लौटकर ही चरणस्पर्श करके अभिवादन करना चाहिए, अन्यथा बिना चरणस्पर्श किये ही अभिवादन करे ॥ १०७ ॥

पितुर्भगिन्या मातुश्च ज्यायस्या च स्वसर्वपि ।

मातृवद् वृत्तिमातिष्ठेन्माता तान्यो गरीयसी ॥१०८॥ [२।१३३]

(पितुर्भगिन्याम्) पिता की बहन अर्थात् बुआ (च) और (मातुः) माता की बहन अर्थात् मौसी के साथ (च) तथा (ज्यायस्या स्वसरि + अपि) बड़ी बहन के साथ भी (मातृ-वन् वृत्तिम् + मातिष्ठेत्) माता के समान बर्ताव करे, किन्तु (माता तान्यः गरीयसी) माता उन सबसे अधिक बड़ी [आदरणीय] है ॥ १०८ ॥

नागरिकों आदि से मैत्री-व्यवहार—

दशाब्दार्थं पौरसख्यं पञ्चाब्दार्थं कलामृताम् ।

अष्टपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनित्तु ॥१०९॥ [२।१३४]

(पौरसख्यं दश-अष्ट-आख्यम्) नगर या ग्रामवासियों के साथ समान मित्रता का बर्ताव दश वर्ष की आयु के अन्तर तक होना चाहिए (कलामृतां पञ्च-अष्ट-आख्यम्) कलाओं के जानने वालों में पाँच वर्ष के अन्तर तक (श्रोत्रियाणां त्रि-अष्टपूर्वम्) वेदपाठियों के साथ

तीन वर्ष के अन्तर तक समान मित्रता का व्यवहार होना चाहिए [अर्थात् उक्त अन्तरों में बड़े-छोटे का अधिक विचार नहीं करना चाहिए] (स्वयोनितु स्वत्वेन + अपि) किन्तु अपने कुल वालों में आयु का थोड़ा अन्तर होने पर भी छोटे-बड़े का व्यवहार रखना चाहिए ॥ १०६ ॥

बालक ब्राह्मण भी वृद्ध क्षत्रियों के पिता के समान—

ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम् ।

पितापुत्रौ विजानीयाद् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥११०॥ [२।१३५]

(दशवर्षं तु ब्राह्मणम्) दश वर्ष के तो ब्राह्मण को (शतवर्षं तु भूमिपम्) और सौ वर्ष के क्षत्रिय को (पितापुत्रौ विजानीयात्) क्रमशः पिता और पुत्र समझना चाहिए (तयोः ब्राह्मणः तु पिता) उनमें ब्राह्मण ही पिता है ॥ ११० ॥

अनुष्ठीतम् : १०५ से ११० तक के श्लोक निम्न 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. विषय-विरोध—१०५ से १०६ श्लोक विषयविरुद्ध हैं। द्वितीय अध्याय का मुख्यविषय ब्रह्मचर्याश्रम है [२।४४ (२।६६), ३।१—२।२।४३—४४ [२।६८—६९] श्लोकों में स्पष्टतः गुरु के पास रहते हुए ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का कथन करने का संकेत किया है। और २।१३६ [२।१६४] में भी कहा है—“अनेन क्रमयोगेन……गुरो बसन् संविभुयात् ब्रह्माधिगमिकं तवः” अर्थात्—इन पूर्वोक्त विधियों के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ वेदज्ञान की वृद्धि के लिए तप करे। इसके अतिरिक्त २।८३ [१०८], १५० [१७५], १६६—१७८ [१६४—२०३], १६४ [२१६], २१६—२१९ [२४१—२४४] आदि श्लोकों से भी यही स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में केवल गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का विषय है। किन्तु इन श्लोकों में जो कर्तव्य विहित हैं वे गुरुकुल के ब्रह्मचारी के न होकर गृहस्थ के हैं। गुरुकुल में ब्रह्मचारी का मामा, चाचा, ऋषिबज, वृषा आदि से सम्पर्क नहीं पड़ता और न ब्रह्मचारी के सास-ससुर ही होते हैं। गुरुकुल में रहते हुए भाई की स्त्री की भी वह प्रतिदिन कैसे वन्दना करेगा? इस प्रकार से विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। यहां यह ध्यान देने की बात है कि ये अर्थवाद नहीं हैं अपितु विधिवाक्य हैं। अर्थवाद के रूप में तो सम्बद्ध बातें विषयसम्मत मानी जा सकती हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) २।१११—११२ [२।१३६—१३७] श्लोकों में गुणों की अधिकता के आधार पर ज्येष्ठत्व माना है। इसी प्रकार २।१२५—१३१ [२।१५०—१५६] श्लोकों के वर्णन से भी यही सिद्ध होता है कि मनु गुणों के आधार पर व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। ११० वें श्लोक में जन्म के आधार पर ब्राह्मण को बड़ा कहना मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध है। (२) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। कर्मों की श्रेष्ठता के कारण ही उन्होंने ब्राह्मण को सभी वर्णों में श्रेष्ठ कहा है।

११० वें श्लोक में दश वर्ष के बालक को क्षत्रिय के पिता-मुख्य कहना जन्मना वर्ण-व्यवस्था पर आधारित है, अतः यह मनु के विरुद्ध है। (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १:१२—१०७ श्लोकों पर देखिए)।

३. शैलीगत आधार—११० वें श्लोक की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं। इस आधार पर भी यह प्रक्षिप्त है।

सम्मान के आधार—

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी।

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥१११॥ [२।१३६] (८६)

(वित्तं बन्धुः वयः कर्म) एक—धन, दूसरे—बन्धु, कुटुम्ब, कुल, तीसरी—आयु, चौथा—उत्तम कर्म (पञ्चमी विद्या भवति) और पाँचवीं—श्रेष्ठविद्या (एतानि मान्यस्थानानि) ये पाँच मान्य के स्थान हैं, परन्तु (यद्-यद्+उत्तरं गरीयः) [जो-जो परला है वह अतिशयता से उत्तम है] धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से अधिक आयु, आयु से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं ॥ १११ ॥

(स० प्र० पृ० २५६)

अनुगृहीतम् : विविष्ट विद्वान् सर्वाधिक सम्मान्य—लौकिक और वैदिक क्षेत्र, दोनों में ही विविष्ट विद्वान् व्यक्ति सर्वाधिक सम्मान्य होता है। अन्य प्रमाणों से भी यह बात स्पष्ट होती है—

“यथा ज्ञानपथेषु विद्यातः पुण्यविशेषो भवति, पारोक्ष्यवित्तसु ससु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति।” (निर० १।१४) = जगत् में अधिक विद्याज्ञाता सबसे विशेष माना जाता है, इसी प्रकार वेदविद्यावेत्ताओं में भी जो अधिक वेदविद्या का ज्ञाता है, वह अधिक सम्मान्य एवं महात् है।

पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च।

यत्र स्युः सोऽत्र मानार्हः शूद्रोऽपि दशमीं गतः ॥११२॥ [२।१३७] (८७)

(त्रिषु वर्णेषु) तीनों वर्णों में अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में परस्पर (पञ्चानां यत्र भूयांसि गुणवन्ति स्युः) उक्त [२।१११] पाँच गुणों में उत्तरोत्तर स्तर वाले अधिक गुण जिसमें हों (अत्र सः मानार्हः) समाज में वह कम गुणवालों के द्वारा सम्मान करने योग्य है (दशमीं गतः शूद्रः+अपि) तथा दशमी अवस्था अर्थात् नब्बे वर्ष से अधिक आयुवाला शूद्र भी सब के द्वारा सम्मान देने योग्य है ॥ ११२ ॥

किस-किस के लिए मार्ग दे—

चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः ।

स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥११३॥ [२।१३८] (८८)

(चक्रिणः) सवारो अर्थात् रथ, गाड़ी आदि में बैठे हुए को (दशमी-स्थस्य) दशमी अवस्था वाले अर्थात् नव्वे वर्ष से अधिक आयु वाले को (रोगिणः) रोगी को (भारिणः) बोझ उठाये हुए को (स्त्रियाः) स्त्री को (च) और (स्नातकस्य) स्नातक को (राज्ञः) राजा को (च) तथा (वरस्य) दूल्हे को (पन्था देयः) पहले रास्ता दे देना चाहिए ॥ ११३ ॥

राजा और स्नातक में स्नातक अधिक मान्य—

तेषां तु समवेतानां मान्यो स्नातकपार्थिवी ।

राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमानभाक् ॥११४॥ [२।१३९] (८९)

(तेषाम् तु) उन [२। ११३] सब के (समवेतानाम्) एकत्रित होने पर (स्नातक-पार्थिवी मान्यो) स्नातक और राजा सबके सम्मान के योग्य हैं (च) और (राजस्नातकयोः एव) राजा तथा स्नातक में भी (स्नातकः) स्नातक ही (नृपमानभाक्) राजा के द्वारा सम्मान पाने योग्य है अर्थात् स्नातक विद्वान् सबसे अधिक सम्मान का पात्र है ॥ ११४ ॥

आचार्य का लक्षण—

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः ।

सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ ११५ ॥ [२। १४०] (९०)

(यः उपनीय तु) जो यज्ञोपवीत कराके (सकल्पं च सरहस्यम्) कल्पसूत्र और वेदान्तसहित (शिष्यं वेदम्—अध्यापयेत्) शिष्य को वेद पढ़ावे (तम्—आचार्यं प्रचक्षते) उसको 'आचार्य' कहते हैं ॥ ११५ ॥

(८० ल० वे० पृ० ४)

“जो बाह्यण, क्षत्रिय अथवा वैश्य गुरु अपने शिष्य को यज्ञोपवीत आदि धर्म क्रिया कराने के बाद वेद को अर्थ और कलासहित पढ़ावे तो ही उसको आचार्य कहना चाहिए ।” (८० ल० शि० पृ० ८६)

अनुधीत्यन्तः : कल्प से अभिप्राय— यहाँ 'कल्प' से किसी ग्रन्थ-निर्देश में अभिप्राय नहीं है, अपितु वेदोक्त यज्ञ, धर्मक्रियाओं आदि का निरूपण जिसमें होता है, उग विज्ञान विशेष से है ।

उपाध्याय का लक्षण—

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः ।

योऽध्यापयति वस्यर्यमुपाध्यायः स उच्यते ॥ ११६ ॥ [२।१४१] (६१)

(यः) जो (वृत्ति+अर्थम्) जीविका के लिए (वेदस्य एकदेशम्) वेद के किसी एक भाग या अंश को (अपि वा पुनः वेदांगानि) या फिर वेदांगों= शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दशास्त्र और ज्योतिष विद्याओं को (अध्यापयति) पढ़ाता है (सः उपाध्यायः उच्यते) वह 'उपाध्याय' कहलाता है ॥ ११६ ॥

अनुशीलनः : वेदांगों से यहां तत्तत् विद्याविशेष ग्रहण करनी चाहिए, कोई ग्रन्थविशेष नहीं ।

पिता-गुरु का लक्षण—

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि ।

सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ ११७ ॥

[२।१४२] (६२)

(यः) यथाविधि जो विधि-अनुसार (निषेकादीनि कर्माणि करोति) गर्भाधान आदि संस्कारों को करता है (च) तथा (अन्नेन संभावयति) अन्न आदि भोज्य पदार्थों द्वारा बालक का पालन-पोषण करता है (स विप्रः) वह विद्वान् द्विज (गुरुः+उच्यते) 'गुरु' कहलाता है ॥ ११७ ॥

"जो वीर्यदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता है, इससे पिता को 'गुरु' कहते हैं ।" (द० ल० आ० पृ० २७६)

"निषेक—ग्रन्थात् ऋतु-प्रदान यह प्रथम संस्कार है । पिता निषेक करना है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है ।" (पू० प्र० पृ० ७७)

ऋत्विक् का लक्षण—

अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मलान् ।

यः करोति वृतो यस्य स तस्य तस्यत्विगिहोच्यते ॥ ११८ ॥ [२।१४३] (६३)

(यः वृतः) जो ग्राहण किसी के द्वारा वरण किये जाने पर (तस्य) उस वरण करने वाले के (अग्न्याधेयम्) अग्निहोत्र (पाकयज्ञान्) बलिवैश्वदेव आदि तथा पूणिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर किये जाने वाले यज्ञों को (अग्निष्टोम+आदिकान् मलान्) अग्निष्टोम आदि बड़े यज्ञों को (करोति) करता है (सः तस्य ऋत्विक् उच्यते) वह उस वरण करने वाले [यजमान] का 'ऋत्विक्' कहलाता है ॥ ११८ ॥

अनुशीलन : ऋत्विज् का अधिकारी कौन—ऋत्विज् कैसे होने चाहिए, इस पर महर्षि दयानन्द ने प्रकाश डाला है, जो उद्धरणीय है—“ऋत्विजों के लक्षण—अच्छे विद्वान्, धार्मिक, जितेन्द्रिय, कर्म करने में कुशल, निर्लोभ, परोपकारी, दुर्व्यसनों से रहित, कुलीन, मुशील, वैदिक मत वाले, वेदवित् एक, दो, तीन अथवा चार का वरण करें।” (सं० वि० सामान्य प्र०)

अध्यापक या आचार्य की महत्ता—

य आबृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणाबुधौ ।

स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्येत्कदाचन ॥ ११६ ॥ [२।१४४] (६४)

(यः ब्रह्मणा) जो गुरु या आचार्य वेदज्ञान के द्वारा (उभौ श्रवणौ अवितथम् आबृणोति) दोनों कानों को भलीभाँति परिपूर्ण करता है [सुनाता-पढ़ाता है] (सः माता सः पिता ज्ञेयः) उसे माता, पिता समझना चाहिए (तं कदाचन न द्रुह्येत्) और उससे कभी द्रोह [=ईर्ष्या-अप्रमान] न करे ॥ ११६ ॥

अनुशीलन : ११६ की निरुक्त से तुलना—निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क ने किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उद्धृत किया है, जो मनु के श्लोक से भाव और शब्दों की दृष्टि से पर्याप्त मिलना-जुलता है। तुलना कीजिए—

य आप्लोत्यविधेन कर्णो-प्रदुःखं कुर्वन्ममृतं संप्रयच्छन् ।

तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत् कतमच्छनाह ॥ (निरु० २।१।४)

उपाध्याय, आचार्य, पिता, माता की तुलना—

उपाध्यायान्दशाचार्यं आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितृमाता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १२० ॥ [२।१४५]

(दश उपाध्यायान् आचार्यः) दश उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य (शनम् आचार्याणां पिता) सौ आचार्यों की अपेक्षा पिता (सहस्रं पितृन् तु माता) हजार पिताओं की अपेक्षा माता (गौरवेण—अतिरिच्यते) गौरव में अधिक है ॥ १२० ॥

अनुशीलन—यह श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यह पूर्वापरप्रसंगविरुद्ध है। इसने पूर्वापर प्रसंग के क्रम को भंग किया है। पहले श्लोक में ‘गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के माता-पिता कौन होते हैं’ यह बतलाया है और इससे अगले श्लोक में जन्म देनेवाले पिता और आचार्यरूप पिता की तुलना दिखाई है। उस क्रम को भंग करके इस श्लोक में उपाध्याय आदि में चर्चा प्रारम्भ करना असंगत है, अतः यह प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

२. अन्तर्विरोध—इस श्लोक में जन्म देने वाले माता-पिता को अधिक उच्च कहा है, जबकि अगले १२१—१२३ [१४६—१४८] श्लोकों में कारण-प्रदर्शन पूर्वक स्पष्टतः आचार्य को माता-पिता से उच्च माना है तथा माता-पिता की गौरवता का

कारण भी दिखलाया है। यहां प्रसंग भी गुरुकुल का है अतः गुरु को ही उच्च दिखाना प्रसंगानुकूल मान्यता मानी जा सकती है। इस विरोध के आधार पर यह भी यह श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

पिता से वेदज्ञानदाता आचार्य बड़ा होता है—

उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्ब्रह्मदः पिता ।

ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १२१ ॥ [२।१४६] (६५)

(उत्पादक-ब्रह्मदात्रोः) उत्पन्न करने वाले पिता और विद्या या वेद-ज्ञान देनेवाले पिता आचार्य [११५] में (ब्रह्मदः पिता गरीयान्) वेदज्ञान देनेवाला आचार्यरूप पिता ही अधिक बड़ा और माननीय है (हि) क्योंकि (विप्रस्य) द्विज का (ब्रह्मजन्म) [शरीर-जन्म की अपेक्षा] ब्रह्मजन्म=उप-नयन में दीक्षित करके वेदाध्ययन एवं ईश्वरज्ञान कराना ही (इह च प्रेत्य शाश्वतम्) इस जन्म और परजन्म में स्थिर रहने वाला है अर्थात् शरीर तो इस जन्म के साथ ही नष्ट हो जाता है किन्तु योग तथा विद्या के संस्कार भुक्तिप्राप्ति तक साथ देते हैं ॥ १२१ ॥

अनुशातलन : ब्रह्मजन्म से अभिप्राय—आचार्य उपनयन संस्कार के द्वारा वेदाध्ययन और ईश्वरज्ञान कराके एक जन्म प्रदान करता है, जिसे इस श्लोक में 'ब्रह्मजन्म' की संज्ञा दी है। यह जन्म शाश्वत सुखदायक है अर्थात् भुक्तिपर्यन्त इस जन्म और परजन्मों में सुखदायक है। इसी जन्म के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज (द्विर्जायते इति द्विजः) कहा जाता है। यह अनुष्ठान वेदाधारित ही है : द्रष्टव्य है प्रमाणरूप में एक मन्त्र=जिसका भाव मनुस्मृति के २।११-१२, ४३, ४४ आदि में भी आता है—

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।

तं रात्रोस्तिष्ठ उदरे बिभ्रसि तं जातं ब्रह्मभिसंयिन्त देवाः ॥

(अथर्व० ११।५।१)

“आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञापूर्वक समीप रखके तीन रात्रि पर्यन्त संध्यो-पासनादि सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उसके आत्मा के भीतर गर्भरूप विद्या-स्थापन करने के लिए उसको पूर्ण विद्वान् करदेता और जब वह पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या को पूर्ण करके घर को आता है तब उसको देखने के लिए मन्त्र विद्वान् लोग सम्मुख जाकर बड़ा मान्य करते हैं (सं० वि० ६४)

कामान्माता पिता चेनं यदुत्पादयतो मिथः ।

संभूति तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते ॥ १२२ ॥ [२।१४७] (६६)

(माता च पिता यत् एन मिथः उत्पादयतः) माता और पिता जो इस

बालक को मिलकर उत्पन्न करते हैं, वह (कामात्) सन्तान-प्राप्ति की कामना से करते हैं (यत्+योनी+अभिजायते) वह जो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है (तस्य तां संभूतिं विद्यात्) उसका वह साधारणरूप से संसार प्रकट होना मात्र जन्म है, अर्थात् वास्तविक जन्म तो उपनयन में दीक्षित करके शिक्षा के रूप में आचार्य ही देता है, जिससे मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है ॥१२२॥

आचार्य द्वारा प्रदत्त ब्रह्मजन्म स्थिर होता है—

आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्वेदपारगः ।

उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजरामरा ॥१२३॥ [२।१४८] (६७)

(वेदपारगः आचार्यः) वेदों में पारंगत आचार्य [२।११५ (२।१४०)] (विधिवत्) विधि-प्रनुसार (सावित्र्या) गायत्रीमन्त्र की दीक्षापूर्वक [२।४४, ४६. ५१-५३] अर्थात् उपनयन संस्कार से [२।११-१२] (अस्य) इस विद्यार्थी या व्यक्ति के (यां जातिम् उत्पादयति) जिस जन्म अर्थात् ब्रह्म-जन्म को प्रदान करता है [द्रष्टव्य २।१२१, १२२, १२५ श्लोक] (सा तु) वही जन्म तो (सत्या) वास्तविक मनुष्य जन्म है, (सा+अजरा+अमरा) वह जन्म अजरता=कभी क्षीण न होना और अमरता=मृत्यु अर्थात् विनाश को न प्राप्त होना आदि गुणों से युक्त है अर्थात् वेद और ईश्वर-ज्ञान-रूपी जन्म में दीक्षित होकर मनुष्य अजर-अमर भुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है । यही मनुष्य का सत्य अर्थात् वास्तविक उद्देश्य है । सुशिक्षा के बिना मनुष्य 'मनुष्य' नहीं बनता ॥ १२३ ॥

अनुशीलन : 'जाति' शब्दार्थ का विवेचन—'जन्' धातु से 'जित्' प्रत्यय के योग से 'जाति' शब्द निष्पन्न होता है । यही यह 'जन्म' के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त है और 'ब्रह्मजन्म' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अन्य किसी जातिविशेष के लिए नहीं—

(क) पूर्वोपर श्लोकों में इन्हीं गुण वाले ब्रह्मजन्म का प्रसंग है । १२१ में माता से प्राप्त जन्म की अपेक्षा ब्रह्मजन्म को उत्कृष्ट एवं शाश्वत बतलाया है । १२२ और १२३ श्लोक उसके अर्थवाद हैं । १२२ में माता-पिता से प्राप्त जन्म कम महत्व वाला किस कारण से है, यह स्पष्ट किया है । १२३ में ब्रह्मजन्म किस कारण से उत्कृष्ट है, यह स्पष्ट किया है । इस प्रकार उसी अर्थ की इसमें क्रमशः अनुवृत्ति है ।

(ख) १२५ में भी ब्रह्मजन्म का कथन है, जो आचार्य या गुरु द्वारा प्राप्त होता है, उसे ही 'जाति' कहते हैं ।

(ग) इस श्लोक में 'जाति' ब्रह्मजन्म के अर्थ में प्रयुक्त है। इसकी सिद्धि मनु द्वारा प्रयुक्त विशेषणों से ही हो जाती है। 'सत्या, अजरा, अमरा' विशेषण अन्य किसी जाति में नहीं घटते अपितु ब्रह्मजन्म में ही घटते हैं, क्योंकि यही मुक्तिप्राप्ति में साधक होता है। देखिए—

“ब्राह्मीयं क्षिपते तनुः” [२।३(२।२८), २।४३ (२।६८); २।२२४ (२।२४६); ४।१४; ४।१४८, १४९; ६।८१-८५ आदि]।

(घ) जाति का अर्थ 'जन्म' है। इसकी पुष्टि मनु स्वयं ६।२०१ श्लोक द्वारा करते हैं। वहाँ “जात्यन्वबधिरौ” अर्थात् 'जन्म से अंधे और बहरे' यह प्रयोग 'जन्म' अर्थ में है। इस प्रकार यहाँ भी 'जाति' शब्द का 'जन्म' अर्थ ग्रहण करना ही मनु-सम्मत है। इसी अर्थ में १०।४ में भी इसका प्रयोग है—

१. “अतुष्यः एकजातिस्तु शुभ्रः” [१०।४॥]

गुरु का सामान्य लक्षण—

अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः।

तमपीह गुरुं विद्यात् श्रुतोपक्रियया तथा ॥१२४॥ [२।१४६] (६८)

(यः यस्य) जो कोई जिस किसी का (श्रुतस्य अल्पं वा बहु उपकरोति) विद्या पढ़ाकर थोड़ा या अधिक उपकार करता है (तम् + अपि + इह) उसको भी इस संसार में (तया श्रुत + उपक्रियया) उस विद्या पढ़ाने के उपकार के कारण (गुरुं विद्यात्) गुरु समझना चाहिए ॥ १२४ ॥

विद्वान् बालक वयोवृद्ध से बड़ा होता है—

ब्राह्मस्य जन्मनः कर्त्ता स्वधर्मस्य च शासिता।

बालोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥१२५॥ [२।१५०] (६९)

(ब्राह्मस्य जन्मनः कर्त्ता) ईश्वरज्ञान एवं वेदाध्ययन के जन्म को देने वाला (स्वधर्मस्य च शासिता) और उसके अपने धर्म का उपदेश देने वाला (विप्रः) विद्वान् (बालः + अपि) बालक अर्थात् अल्पायु होते हुए भी (धर्मतः) धर्म से (वृद्धस्य पिता भवति) शिक्षा प्राप्त करने वाले दीर्घायु व्यक्ति का पिता अर्थात् गुरु के समान बड़ा होता है ॥ १२५ ॥

उक्त विषय में आङ्गिरस का श्लोक—

अध्यापयामास पितृशिशुराङ्गिरसः कविः।

पुत्रका इतिहोवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥१२६॥ [२।१५१] (१००)

[इस प्रसंग में एक इतिवृत्त भी है] (आङ्गिरसः शिशुः कविः) अंगिरा

वंशी 'शिशु' नामक बालक (पितृन्) अपने पिता के समान चाचा आदि पितरों को (अध्यापयामास) पढ़ाया (ज्ञानेन परिगृह्य) ज्ञान देने के कारण (तान् 'पुत्रकाः' इति ह उवाच) उनको हे पुत्रो इस शब्द से सम्बोधित किया ॥ १२६ ॥

अनुवृत्तिः : (१) 'कवि' शब्द की व्युत्पत्ति—कविः शब्द 'कु-शब्दे' (अदादि) घातु से 'अच् इः' (उणादि ४। १३६) सूत्र से 'इः' प्रत्यय लगने से बनता है। इसकी निरुक्ति है—

'क्रान्तदर्शनाः क्रान्तप्रज्ञा वा विद्वांसः' (ऋ० द० ऋ० भू०)

"कविः क्रान्तदर्शनी भवति" (निरुक्त १२। १३)

इस प्रकार विद्याओं के सूक्ष्म तत्त्वों का द्रष्टा, बहुश्रुत ऋषि व्यक्ति कवि होता है। इसे 'अनुमान' भी इस प्रसंग में कहा है [२। १२६] ब्राह्मणों में भी कवि के इस अर्थ पर प्रकाश डाला है—

"ये वा अनुमानास्ते कवयः" (ऐ० २। २)। "एते वै कवयो यहवयः" (श० १। ४। २। ८)। "ये विद्वांसस्ते कवयः" (७। २। २। ४)। शुभ्रवांसो वै कवयः" (तै० ३। २। २। ३)।

(२) शिशु आङ्गिरस—यह अंगिरावंश का एक विद्वान् बालक था। बाल्यावस्था में मन्त्रद्रष्टा होने के कारण यह गुणाभिधान 'शिशु' नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। इसका यह आख्यान ताण्ड्य ब्राह्मण १३। ३। २३-२४ और पञ्चविंश ब्राह्मण १३। ३। २४ में यथावत् आता है। वहां इसे 'मन्त्रकृतां मन्त्रकृत्' कहा है। ऋ० ६। ११२ सूक्त इसी शिशु ऋषि द्वारा दृष्ट है। सामवेद में "यत्सोम चित्रम्" [साम० उ० ३। २। १३] तृच् को इसने द्वारा दृष्ट होने के कारण ही 'शैशव साम' कहा गया है।

ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः।

देवाश्चैतान्समेत्योचुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥ १२७ ॥ [२। १५२] (१०१)

(आगतमन्यवः ते) [उक्त संवोधन को सुनकर] गुस्से में आये हुए उन पितरों ने (तम् + अर्थं देवान् अपृच्छन्त) उस 'पुत्र' सम्बोधन के अर्थ अथवा भौवित्य के विषय में देवताओं=बड़े विद्वानों से पूछा (च) और तब (देवाः समेत्य एतान् ऊचुः) सब विद्वानों ने एकमत होकर इनसे कहा कि (शिशुः वः न्याय्यम् उक्तवान्) तत्त्वदर्शी शिशु आङ्गिरस ने तुम्हारे लिए 'पुत्र' शब्द का सम्बोधन ठीक ही किया है ॥ १२७ ॥

विद्वत्ता के आधार पर बालक और पिता की परिभाषा—

अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः।

अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ १२८ ॥ [२। १५३] (१०२)

(अज्ञः वै बालः भवति) चाहे, सौ वर्ष का भी हो परन्तु जो विद्या-विज्ञान से रहित है वह बालक और (मन्त्रदः पिता भवति) जो विद्या-विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध [=पिता] मानना चाहिए (हि) क्यों कि सब शास्त्र, आप्त विद्वान्, (प्रज्ञं बालम् + इति) अज्ञानी को बालक (मन्त्रदं तु पिता इत्येव आहुः) और ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ १२८ ॥
(स० प्र० २५६)

“अज्ञ अर्थात् जो कुछ नहीं पढ़ा, वह निश्चय करके बालक होता है, और जो मन्त्रद अर्थात् दूसरे को विचार देनेवाला, विद्या पढ़ा विद्याविचार में निपुण है, वह पिता-स्थानीय होता है, क्योंकि जिस कारण सत्पुरुषों ने अज्ञजन को बालक कहा और मन्त्रद को पिता हो कहा है, इससे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर ज्ञानवान् अवश्य होना चाहिए ।

(सं० वि० पृ० ८५)

अवस्था आदि की अपेक्षा वेदज्ञानी की श्रेष्ठता—

न हायनं पलितं वित्तेन न बन्धुभिः ।

ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥ १२९ ॥ [२।१५४] (१०३)

(हायनः) अधिक वर्षों के बीतने (पलितः) श्वेत बाल के होने (वित्तेन) अधिक धन से (बन्धुभिः) बड़े कुटुम्ब के होने से (न) वृद्ध नहीं होता (ऋषयः धर्मं चक्रिरे) किन्तु ऋषि-महात्माओं का यही नियम है कि (नः यो अनूचानः स महान्) जो हमारे बीच में विद्या-विज्ञान में अधिक है, वही वृद्ध पुरुष कहाता है ॥ १२९ ॥ (स० प्र० पृ० २५६)

धर्मवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षों, न पके केशों वा झूलते हुए अङ्गों न धन और न बन्धु-जनों से बड़प्पन माना, किन्तु यही धर्म निश्चय किया कि जो हम लोगों में वाद-विवाद में उत्तर देनेवाला अर्थात् वक्ता हो, वह बड़ा है ।” (सं० वि० पृ० ८५)

अनूचालिनः : ‘अनूचान’ सबसे महान्—अनु + वच् + लिट् उसको जानच् होकर श्रद्धामिद्धि होती है । एम श्लोक में स्थापित मान्यता वैदिक क्षेत्र में यथावत् मान्य रही है । निरुक्त के निम्न वचनों में यही भाव है —

(क) “यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति, पारोक्ष्यवित्सु तु लघु वेदितेषु भूयोविद्यः प्रज्ञस्थो भवति ।” (१ । १४) “तस्माद् यदेव किञ्चिदनूचानः अभूहति आद्यं तद् भवति ।” (परिशिष्ट १३ । ११) ।

अर्थात्—जैसे जगत् में अधिक विद्याओं का ज्ञाता विशेष व्यक्ति माना जाता है उसी प्रकार वेदवेत्ताओं में वेदविद्याओं का अधिक ज्ञाता प्रज्ञसनीय अर्थात् सबसे

महान् माना जाता है। वेद-वेदांगों में पारग्त विद्वान् तर्क द्वारा जिस मन्त्रार्थ का अनु-
सन्धान करता है, वह ऋषिष्ट अर्थ ही होता है।

(ख) शतपथ ब्राह्मण में भी 'अनूचान' शक्ति को विद्वानों में महान् माना है—

“यो वै ब्राह्मणानामनूचानतमः स एवां वीर्यवत्तमः” ॥ ४। ६। ६। ५ ॥

अर्थात्—जो ब्राह्मणों में परम विद्वान् है, वही इनमें अत्यन्त बलवान् अर्थात् सब
से महान् है।

वर्णों में परस्पर ज्येष्ठता के आधार—

विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः ।

वंश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ १३० ॥ [२। १५५] (१०४)

(विप्राणां ज्ञानतः) ब्राह्मण ज्ञान से (क्षत्रियाणां तु वीर्यतः) क्षत्रिय
बल से (वंश्यानां धनधान्यतः) वंश्य धन-धान्य से और (शूद्राणां जन्मतः एव
ज्यैष्ठ्यम्) शूद्र जन्म अर्थात् अधिक आयु से वृद्ध [= बड़ा] होता है ॥ १३० ॥
(सं प्र० पृ० २५६)

अवस्था की अपेक्षा ज्ञान से वृद्धत्व—

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।

यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १३१ ॥ [२। १५६] (१०५)

(नेन वृद्धः न भवति) उस कारण से वृद्ध नहीं होता (येन-+अस्य
शिरः पलितम्) कि जिससे इसका शिर झूल जाये, केश पक जायें (यः+वै
युवा+अपि-+अधीयानः) किन्तु जो जवान भी पढ़ा हुआ विद्वान् है (तं देवाः
स्थविरं विदुः) उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना और माना है ॥ १३१ ॥

(सं वि० पृ० ८५)

“शरीर के बाल श्वेत होने से बूढ़ा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या
पढ़ा हुआ है, उसी को विद्वान् लोग बड़ा जानते हैं।” (सं प्र० पृ० २५६)

सूखता की निन्दा तथा सुख का जीवन निष्कल—

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।

यच्च विप्रोऽनधीयानस्तत्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १३२ ॥ [२। १५७] (१०६)

(यथा काष्ठमयः हस्ती) जैसे काष्ठ का कठपुतला हाथी, वा (यथा-
चर्ममयः मृगः) जैसे चमड़े का बनाया हुआ मृग हो (यः+च अनधीयान
विप्रः) वैसे बिना पढ़ा हुआ विप्र अर्थात् ब्राह्मण वा बुद्धिमान् जन होता है
(ते त्रयः नाम बिभ्रति) उक्त वे हाथी, मृग और विप्र तीनों नाममात्र
धारण करते हैं ॥ १३२ ॥ (सं वि० पृ० ८५)

“जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा काठ का हाथी, चमड़े का मृग होता है, वैसा अविद्वान् मनुष्य जगत् में नाममात्र मनुष्य कहाता है।”

(स० प्र० पृ० २५६)

यथा षण्ढोऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला ।

यथा चाज्ञोऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥१३३॥ [२।१५८] (१०७)

(यथा स्त्रीषु षण्ढः अफलः) जैसे स्त्रियों में नपुंसक निष्फल है अर्थात् सन्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त कर सकता (यथा गवि गौः अफला) और जैसे गायों में गाय निष्फल है अर्थात् जैसे गाय गाय से सन्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त कर सकती (च) और (यथा अज्ञे दानम्) जैसे अज्ञानी व्यक्ति को दान निष्फल होता है (तथा) वैसे ही (अनृचः विप्रः अफलम्) वेद न पढ़ता हुआ अथवा वेद के पाण्डित्य से रहित ब्राह्मण निष्फल है, अर्थात् उसका ब्राह्मणत्व सफल नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदाध्ययन ही ब्राह्मण का सबसे प्रधान कर्म है ॥ १३३ ॥

गुरु-शिष्यों का व्यवहार—

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ।

वाक्बैव मधुरा इलक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥१३४॥ [२।१५९] (१०७)

(अहिंसया+एव भूतानाम्) (विद्वान् और विद्याधियों को योग्य है कि) बैरवृद्धि छोड़के सब मनुष्यों के (श्रेयः+अनुशासनं कार्यम्) कल्याण के मार्ग का उपदेश करे (च) और (मधुरा इलक्षणा वाक् प्रयोज्या) उपदेष्टा मधुर, सुशोभतायुक्त वाणी बोलें (धर्मम्+इच्छता) जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १३४ ॥

(स० प्र० पृ० ४६)

“इसलिये विद्या पढ़ विद्वान् धर्मिन्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोलें । जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ।” (स० प्र० पृ० २५६)

पवित्र मन वाला ही वैदिक कर्मों के फल को प्राप्त करता है—

यस्य वाङ्मनसो शुद्धे सम्यगुप्ते च सर्वदा ।

स वै सर्वमवाप्नोति वेदाःस्तोपगतं फलम् ॥१३५॥ [२।१६०] (१०८)

(यस्य वाङ्मनसो) जिस मनुष्य के वाणी और मन (शुद्धे च सम्यगुप्ते सर्वदा) शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं (सः वै) वही (सर्वं वेदान्तोप-

गतं फलं प्राप्नोति) सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥ १३५ ॥ (सं प्र० ४६)

अनुशीलनः : इस भाव की पुष्टि और तुलना के लिए १।१०६, २।७२ श्लोक भी द्रष्टव्य हैं ।

दूसरों से द्रोह आदि का निषेध—

नारुतुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः ।

ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत् ॥१३६॥ [२।१६१](११०)

मनुष्य (भार्तः + अपि) स्वयं दुःखी होता हुआ भी (नारुतुदः न स्यात्) किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचावे (न परद्रोहकर्मधीः) न दूसरे के प्रति ईर्ष्या या बुरा करने की भावना मन में लाये (अस्य यया वाचा उद्विजते) इस मनुष्य के जिस वचन से कोई दुःखित हो (ताम् अलोक्यां न उदीरयेत्) उस ऐसी लोक में अप्रशंसनीय वाणी को न बोले ॥ १३६ ॥

ब्राह्मण के लिए अपमान-सहन का निर्देश—

सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत् विषादिव ।

अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥१३७॥ [२।१६२](१११)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (विषात् + इव) विष के समान (सम्मानात्) उत्तम मान से (नित्यम् + उद्विजेत्) नित्य उदासीनता रखे (च) और (अमृतस्य + इव) अमृत के समान (अवमानस्य सर्वदा आकाङ्क्षेत्) अपमान की आकांक्षा सर्वदा करे अर्थात् ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के लिए भिक्षा मात्र मांगते भी कभी मान की इच्छा न करे ॥ १३७ ॥ (सं० वि० पृ० ८५)

“संन्यासी जगत् के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे । और अमृत के समान अपमान की चाहना करता रहे । क्योंकि, जो अपमान में डरता और मान इच्छा करता है, वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी और पतित हो जाता है । इसलिए चाहे निन्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे जोना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे कोई बैर वांटे, चाहे अन्न, पान, वस्त्र, उत्तम स्थान न मिले चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों न हो इत्यादि सबका सहन करे और अधर्म का खण्डन तथा धर्म का मण्डन सदा करता रहे । इससे परे उत्तम धर्म दूसरे किसी का न माने ।” (सं० वि० पृ० २१६)

“वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है ।” (सं० प्र० पृ० ५०)

अनुशीलन : अपमान सहन का कथन क्यों ?—अभिप्राय यह है कि सम्मान या लोकेपणा की भावना मनुष्यमात्र को संसार में फंसाती है। जब तक मनुष्य में यह भावना रहती है, वह विरक्त नहीं हो सकता—सांसारिक मोहों को नहीं त्याग सकता। इसी भावना से अहंकार को बल मिलता है और वह उग्र होता चला जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्यमात्र का और विशेषतः ब्राह्मण का उद्देश्य ब्रह्म-प्राप्ति करना है [२।३, अन्यत्र २।२८], अहंकार ब्रह्मप्राप्ति में सर्वाधिक बाधक है। अपमान की कामना और सहिष्णुता से अहंकार क्षीण होता है, संसार से विरक्ति की भावना बढ़ती है, अपमान को सहने अर्थात् निन्दा सहने से दुर्गुणों का ह्रास होकर चरित्र में निर्मलता आती है। इनसे ब्रह्मप्राप्ति के उद्देश्य को पाने में सहायता मिलती है। ६।५७-५८ में मनु ने स्वयं इस मान्यता का कारण स्पष्ट किया है। इन भावों की पुष्टि के लिए ६।४७-४८ भी द्रष्टव्य हैं—

(क) अभिपूजितत्वाभास्तु जुगुप्सेतैव सर्वशः।

अभिपूजितत्वाभंश्च यतिर्भुङ्क्तोऽपि बहुभये ॥ ६।५८॥

(ख) अतिवादास्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन ॥ ६।४७॥

सुखं ह्यवमतः श्रेते सुखं च प्रतिबुध्यते।

सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १३८॥ [२।१६३] (११२)

(हि) क्योंकि (अवमतः सुखं श्रेते) अपमान को सहन करने का अभ्यासो मनुष्य सुखपूर्वक सोता है (च) और (सुखं प्रतिबुध्यते) सुखपूर्वक जागता है अर्थात् जागृत अवस्था में भी सुखपूर्वक रहता है। अभिप्राय यह है कि मानव को सर्वाधिक रूप में व्याथित करने वाली मान-अपमान और उन से उत्पन्न होने वाली भावनाएँ उस व्यक्ति को सोते तथा जागते व्यथित नहीं करती, वह निश्चिन्त एवं शान्तिपूर्वक रहता है। (अस्मिन् लोके सुखं चरति) वह इस संसार में सुखपूर्वक विचरण करता है, तथा (अवमन्ता) अपमान में व्यथित होने वाला व्यक्ति (विनश्यति) [चिन्ता और शोक के कारण] विनाश को प्राप्त होता है ॥ १३८ ॥

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः।

गुरौ वसन्सच्चिनुयाद् ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ १३९॥ [२।१६४] (११३)

(अनेन क्रमयोगेन) इसी प्रकार से [उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार] (संस्कृतात्मा द्विजः) कृतोपनयन द्विज कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्याः (शनैः) धीरे-धीरे (ब्रह्माधिगमिकं तपः) वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को (सच्चिनुयात्) बढ़ाते चले जायें ॥ १३९ ॥ (स० प्र० ५०)

॥ (गुरौ वसन्) गुरु के समीप अर्थात् गुरुकुल में रहते हुए.....

द्विज के लिए वेदाभ्यास की अनिवार्यता—

तपोविशेषविधिर्ब्रतंश्च विधिचोदितैः ।

वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१४०॥ [२।१६५] (११४)

(द्विजन्मना) द्विजमात्र को (विधिचोदितैः तपोविशेषैः च विविधैः ब्रतैः) शास्त्रों में विहित विशेष तपों [ब्रह्मचर्यपालन, वेदाभ्यास, धर्म-पालन, प्राणायाम, द्वन्द्वसहन आदि २।१४१—१४२ (१६६—१६७); ६—७०—७२] और विविध ब्रतों [२।१४६—१६४ में प्रदर्शित] का पालन करते हुए (कृत्स्नः वेदः) सम्पूर्ण वेदज्ञान को (सरहस्यः) रहस्य पूर्वक अर्थात् गुह्यार्थज्ञान-चिन्तनपूर्वक (अधिगन्तव्यः) अध्ययन वरके प्राप्त करना चाहिए ॥ १४० ॥

वेदाभ्यास परम तप है—

येवमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तपस्यन्दिजोत्तमः ।

वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१४१॥ [२।१६६] (११५)

(द्विजोत्तमः) द्विजोत्तम अर्थात् ब्राह्मणादिकों में उत्तम सज्जन पुरुष (सदा तपः तपस्यन्) सर्वकाल तपश्चर्या करता हुआ (वेदम् । एव अभ्यस्येत्) वेद का ही अभ्यास करे (हि) जिस कारण (विप्रस्य) ब्राह्मण वा बुद्धिमान् जन को (वेदाभ्यासः) वेदाभ्यास करना (इह) इस संसार में (परं तपः उच्यते) परम तप कहा है ॥ १४१ ॥ (सं० वि० ८५)

आ हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः ।

यः त्वग्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायः शक्तितोऽन्वहम् ॥१४२॥ [२।१६७]

(११६)

(यः द्विजः) जो द्विज (सखी-अपि) माला धारण करके अर्थात् गृहस्थी होकर भी (अनु + अहम्) प्रतिदिन (शक्तितः स्वाध्यायम् अधीते) पूर्ण शक्तिसे अर्थात् अधिक से अधिक प्रयत्नपूर्वक वेदों का अध्ययन करता रहता है (सः) वह (आ नखाग्रेभ्यः ह + एव) निश्चय ही पैरों के नाखून के अग्रभाग तक अर्थात् पूर्णतः (परमं तपः तप्यते) श्रेष्ठ तप करता है ॥१४२॥

अनुध्यातव्यः : लक्ष्मी शब्द पर विचार—मनु ने माला आदि अलंकृत करने वाली वस्तुओं का धारण करना ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध किया है, [२।१५२ (१७७) ॥], किन्तु गृहस्थेच्छुक के लिए ममावर्तन के अदसर पर माला धारण करने का विधान है [३।३] “अनिवारं तत्पञ्चासीनम्.....” प्रतीत होता है कि माला धारण करना गृहस्थाश्रम में प्रवेश की घौनक एक परम्परा थी। शायद वही परम्परा आज वर-वधू द्वारा परस्पर माला डालने के रूप में प्रचलित है। यह माल्यार्पण

विवाह मंस्कार से पूर्व होता है। इस प्रकार 'सम्बो' प्रयोग गृहस्थ के लिए रुढ शब्द है, अतः यहां इससे गृहस्थ अर्थ ग्रहण किया गया है।

वेदाभ्यास के विना शूद्रत्व प्राप्ति—

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१४३॥ [२।१६८] (११७)

(यः द्विजः) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (वेदम् अनधीत्य) वेद को न पढ़कर (अन्यत्र श्रमं कुरुते) अन्य शास्त्र में श्रम करता है (सः) वह (जीवन्+एव) जीवता ही (सान्वयः) अपने वंश के सहित ॐ (शूद्रत्वं गच्छति) शूद्रपन को प्राप्त हो जाता है ॥ १४३ ॥ (सं० वि० ८५)

ॐ (आशु) शीघ्र ही..... ।

“जो वेद को न पढ़के अन्यत्र श्रम किया करता है, वह अपने पुत्र-पौत्र सहित शूद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।” (सं० प्र० ५०)

अनुध्यातव्यः : वेद त्याग से कुटुम्ब की शूद्रता कैसे ? यहां शंका उत्पन्न होती है कि वेदाध्ययन में श्रम न करने वाले व्यक्ति के साथ उसका कुटुम्ब क्यों और कैसे शूद्रत्व को प्राप्त करता है ? इसका उत्तर यह है कि ऐसा व्यक्ति शूद्र नहीं बनता, अपितु 'शूद्रत्व' को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वेदाध्ययन में यत्न न करके अन्यत्र श्रम करता है, उसमें विद्वता और धार्मिकता का ह्रास होता जायेगा। अविद्वता के कारण वह शूद्रपन के स्तर पर आ जायेगा। जब घर का प्रमुख व्यक्ति विद्वान् नहीं होगा तो उसके आश्रित पुत्र-पौत्रादि भी अधिष्ठा से ग्रस्त होकर शूद्रभाव को प्राप्त करेंगे। द्विजों का मुख्य उद्देश्य वेदाध्ययन है। इसे त्यागकर अन्य कार्यों में श्रम करने वाला व्यक्ति द्विजत्वरहित हो जाता है। जैसे शूद्र वेदाध्ययन से रहित होता है वंसा ही वह व्यक्ति हो जाता है।

द्वितीय जन्म का निरूपण—

मातुरघोषिजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धने ।

तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिबोदनात् ॥ १४४ ॥ [२।१६९]

(श्रुतिबोदनात्) वेद में कहे अनुसार (द्विजस्य) द्विज का (मातुः+अघ्रे+अधि-जननम्) माता से पहला जन्म (द्वितीयं मौञ्जिबन्धने) दूसरा मेखला बांधने के संस्कार अर्थात् उपनयन में (तृतीयं यज्ञदीक्षायां) तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से होता है ॥ १४४ ॥

तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जिबन्धनचिह्नितम् ।

तत्रास्य माता सावित्री पिता स्वाचार्य उच्यते ॥ १४५ ॥ [२।१७०]

(तत्र) उन तीनों जन्मों में (अस्य) इस ब्रह्मचारी का (यत् मौञ्जिबन्धनचिह्नितं) मेखलाबन्धन के चिह्नवाला जो ब्रह्मजन्म माना है (तत्र) उस समय (अस्य) इस की (सावित्री माता तु+आचार्यं पिता उच्यते) गायत्री की तो माता और आचार्य को पिता के समान कहा गया है ॥ १४५ ॥

वेदप्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते ।

न ह्यस्मिन्पुज्यते कर्म किञ्चिदानीञ्चिदन्वयनात् ॥ १४६ ॥ [२।१७१]

(वेदप्रदानात्) वेदज्ञान देने के कारण (आचार्य पितरं परिचक्षते) आचार्य को पिता कहा गया है (आ-मौञ्जीबन्धनात्) मेखलाबन्धन अर्थात् उपनयन संस्कार से पूर्व (अस्मिन्) इस द्विज पर (किञ्चिद कर्म न पुज्यते) किसी यज्ञ आदि की जिम्मेदारी नहीं होती ॥ १४६ ॥

यज्ञोपवीत से पूर्व वेदमन्त्रोच्चारण का निषेध—

अभिध्याहारयेद् ब्रह्म स्वधानिनयनादृते ।

शूद्रेण हि सन्नस्तामन्नावहेदे न जायते ॥ १४७ ॥ [२।१७२]

(यावत्) जबतक [द्विज का] (वेदे न जायते) वेद में जन्म नहीं होता अर्थात् उपनयन संस्कार नहीं होता (तावत्) तब तक वह (शूद्रेण हि समः) शूद्र के ही समान होता है [इसलिए] (स्वधानिनयनात् ऋते) मृतक संस्कार के सिवाय (ब्रह्म न+अभि-ध्याहारयेत्) वेद का उच्चारण अथवा वैदिककर्म न कराये ॥ १४७ ॥

कृतोपनयनस्यास्य व्रतावेशनमिष्यते ।

ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥ १४८ ॥ [२।१७३]

(कृत-उपनयनस्य+अस्य) उपनयन संस्कार होने पर ही इस ब्रह्मचारी के लिए (व्रतावेशनम्) व्रतों के आदेश का पालन करना (च) और (विधिपूर्वकम्) विधि के अनुसार (क्रमेण ब्रह्मणः ग्रहणम् एव इष्यते) क्रमशः वेदज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है ॥ १४८ ॥

यज्ञस्य विहितं चर्म यत्सूत्रं या च मेखला ।

यो दण्डो यच्च वसनं तस्यैव व्रतेण्वपि ॥ १४९ ॥ [२।१७४]

(अस्य) इस ब्रह्मचारी के (यत् चर्म, यत् सूत्रम्) जो-जो चर्म जो यज्ञोपवीत (च) और (या मेखला) जो मेखला (यः दण्डः) जो दण्ड (च) तथा (यत् वसनं विहितम्) जो वस्त्र विहित किये हैं [२।१६—४८] (तत्-तत् अपि अस्य व्रतेषु) वह सब भी इसके व्रतों के अन्तर्गत ही हैं ॥ १४९ ॥

अनुष्ठीकृतः : १४४ से १४९ तक के श्लोकों का यह प्रसंग निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त है—

१. अस्तिविरोध—शूद्र को मन्त्रोच्चारण का विधान अनुसम्मत—(१) १४४ वें श्लोक में द्विजातियों के तीन जन्मों का होना दर्शाया गया है। यह मान्यता पूर्ववर्ती मान्यताओं से भिन्न है और एक नयी कल्पना है। २।१२२—१२३ [२।१४७—१४८] श्लोकों में मनु ने द्विजों के दो ही जन्म माने हैं—प्रथम माता-पिता से तथा दूसरा आचार्य द्वारा उपनयन संस्कार से। 'द्विज' शब्द से भी यह मान्यता स्पष्ट होती है—

‘द्विर्जायते इति द्विजः’ अर्थात् जिसका उपनयन संस्कार के अथवा पर दूसरा जन्म होता है, इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। इन श्लोकों में द्विजों के [तीन जन्मों की कल्पना उक्त मान्यता से भिन्न होने के कारण विरुद्ध है।

(२) इसी प्रकार १४५ वें श्लोक के कुछ भिन्नतायुक्त वर्णन से भी ये श्लोक अन्यप्रोक्त प्रतीत होते हैं। यहां ‘मावित्री’ को माता के रूप में वर्णित किया है और ‘प्राचार्य’ को पिता के रूप में, जबकि कुछ ही श्लोक पूर्व ११६ [१४४] वें श्लोक में गुरुकृत में रहते हुए ब्राह्मचारी के लिए आचार्य को ही संयुक्तरूप से माता-पिता घोषित किया है। इस प्रकार यह भिन्नता भी एक पारस्परिक विरोध है।

(३) १४६—१४७ श्लोकों के वर्णन से यह संकेत मिलता है कि ये श्लोक ‘शूद्रों को वेद न पढ़ाने-सुनाने’ की भावना से प्रेरित हैं। तभी तो १४७ वें में उपनयन से पूर्व बालक को शूद्र के समान वेदश्रवण का अनाधिकारी कह दिया है। यह विचार भी विरुद्ध है। मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। मनु की व्यवस्था के अनुसार जो पढ़-लिख नहीं पाता वह व्यक्ति शूद्र है, तथापि उसके लिए किसी धर्मकाय का निषेध नहीं है। यह प्रत्येक धर्म का पालन कर सकता है। तभी तो २।२१३ [२।२३८] में —‘अन्त्यादिपि परं धर्मम्’ अर्थात् ‘शूद्र से भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा लेने’ के लिए कहा है [इस सम्बन्ध में १।१०७ पर ‘अन्तर्विरोध’ समीक्षा भी द्रष्टव्य है]

(४) १४६—१४७ श्लोकों में यह कहना भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है कि उपनयन से पूर्व वेदमन्त्रों का व्यवहार न कराये, क्योंकि इससे पूर्व के सभी जानकर्म, नामकरण आदि संस्कार वेद-मन्त्रों के उच्चारणपूर्वक ही होते हैं। २।१४ [२।२६] में मनु ने स्वयं मन्त्रोच्चारणपूर्वक संस्कार करने का संकेत दिया है—“मन्त्रवत् प्राशनं चास्य।”

(५) २।८०—८१ [२।१०५—१०६] श्लोकों में मनु ने वेदाध्ययन को सदा सब अवस्थाओं में पुण्यदायक माना है। इन श्लोकों में उपनयन से पूर्व वेद का व्यवहार न करने का कथन उक्त श्लोकों की मान्यता के विरुद्ध है। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के कारण १४४—१४७ श्लोक प्रक्षिप्त हैं। १४८ वां श्लोक १४६—१४७ में और १४६ वां श्लोक १४८ के ‘अतावेक्षण’ प्रसंग से जुड़ा होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है।

२. वेदविरुद्ध—१४६-१४७ श्लोकों में जो शूद्र को वेदाध्ययन-श्रवण का अनाधिकारी होने की भावना का संकेत है, वह स्वयं वेद की मान्यताओं के विरुद्ध है। वेद में शूद्र को भी वेद पठन-श्रवण का उल्लेख है। इसके लिए विस्तृत मभीक्षा २।४१-४२ [२।६६-६७] श्लोकों पर ‘वेदविरुद्ध’ शीर्षक पर दीक्षित। मनुस्मृति के मूल आधार वेद है, अतः वेदविरुद्ध मान्यता होने के कारण ये प्रक्षिप्त हैं।

गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के पालनीय विविध नियम—

सेवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरो वसन् ।

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्ध्यर्थमात्मनः ॥ १५० ॥ [२।१७५] (११८)

(गुरो वसन्) गुरु के समीप अर्थात् गुरुकुल में रहते हुए (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (आत्मनः तपोवृद्ध्यर्थम्) अपने विद्यारूप तप की वृद्धि के लिये (इन्द्रियग्रामं सन्नियम्य) इन्द्रियों के समूह [२।६४-६७] को वश में करके (इमान्+तु नियमान् सेवेत) इन आगे वर्णित नियमों का पालन करे ॥१५०॥

अनुशीलनम् : 'ब्रह्मचारी' शब्द की व्युत्पत्ति—ब्रह्मचारी शब्द 'ब्रह्मन्' शब्द उपपद में होने से 'चर गतो' (उवादि) धातु से णिनिः प्रत्यय के योग से बनता है। विग्रह है—ब्रह्मणि वेदे चरितुं शीलं यस्य सः ब्रह्मचारी=वेदाध्ययन में जो निरन्तर रहता है वह 'ब्रह्मचारी' कहलाता है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम है। इस आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात् दीक्षित होकर गुरुकुल में अपने गुरु के साथ निवास करता है, तथा जबतक गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट नहीं हो जाता तब तक वेदाध्ययन के साथ-साथ ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों का पालन करता है।

ब्रह्मचारी के दैनिक नियम—

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देवविपितृतर्पणम् ।

देवताऽभ्यर्चनं चैव समिद्धाधानमेव च ॥१५१॥ [२।१७६] (११९)

[ब्रह्मचारी] (नित्यम्) प्रतिदिन (देव-ऋषि-पितृ-तर्पणम्) विद्वानों, ऋषियों, ज्ञानवयोवृद्ध व्यक्तियों की अभिवादन आदि प्रसन्नताकारक कार्यों, से तृप्ति=संतुष्टि (च) और (स्नात्वा शुचिः) स्नान करके, शुद्ध होकर (देवता+अभ्यर्चनम्) परमात्मा को उपासना (च) तथा (समिद्+आधानम्) अग्निहोत्र भी (कुर्यात्) किया करे ॥ १५१ ॥

अनुशीलनम् : ब्रह्मचारी के लिए देव-ऋषि-पितर कौन ?—कई व्याख्याकारों ने इस श्लोक का अर्थ भ्रान्तिपूर्ण एवं मनुमान्यता से विरुद्ध किया है। इस श्लोक में गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए देव-ऋषि-पितृ-तर्पण और 'देवता-अभ्यर्चन' का कथन है। यहां इन शब्दों के अर्थ एवं श्लोकाभिप्राय को विवेचनापूर्वक स्पष्ट करना आवश्यक है, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न न हो—

(१) देव, ऋषि, पितर ये विद्वानों और पालन-पोषणकर्ता ज्ञानवयोवृद्ध व्यक्तियों के स्तर विशेष हैं। पितृयज्ञ में 'मातृपितृतर्पण' की मान्यता को स्वीकारने

ॐ [प्रचलित अर्थ—ब्रह्मचारी नित्य स्नान कर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण, शिव और विष्णु आदि देव-प्रतिमाओं का पूजन तथा प्रातः एवं सायंकाल हवन करे ॥ १७६॥]

वाले व्यक्ति भी इस बातको शतप्रतिशत रूपमें स्वीकार करते हैं कि पितृयज्ञ का विधान केवल गृहस्थों-वनस्थों के लिए ही है, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। लेकिन मनु ने ब्रह्मचारी के लिए भी 'देवर्षिपितृतर्पण' की बात कही है तो इसका स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि 'पितृतर्पण' का अर्थ मृतकों के लिए श्राद्ध करना नहीं है, अपितु यह एक ऐसा कार्य है जिसे ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं। गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए कीन देव, ऋषि और पितर हो सकते हैं, इसका २। ११५—१३१ श्लोकों में मनु ने गुरुजनों का वर्णन करके स्वयं संकेत दे दिया है। बाद में बताये हुए ब्रह्मचारी के कर्तव्य उन्हीं विभिन्न स्तरीय गुरुजनों के साथ लागू हो सकते हैं। अतः वे ही उसके देव, ऋषि, पितर हैं, न कि कोई कल्पित देव या मृत पितर आदि। विभिन्नस्तरीय इन संज्ञा शब्दों के अर्थज्ञान और इनके स्वरूप को समझने के लिए ३। ८२ की समीक्षा में प्रमाणयुक्त विवेचन देखिये।

(२) 'देवता-अभ्यर्चन' से अभिप्राय—

निरुक्त में कहा गया है कि "यो देवः सा देवता" [७। ४। १५] देव को ही देवता कहा जाता है। देव शब्द से तत् और टाप् प्रत्यय के योग से देवता शब्द सिद्ध हुआ है। चेतन देवों के सन्दर्भ में देव शब्द का सबसे प्रमुख अर्थ 'परमात्मा' होता है। क्योंकि परमात्मदेव ही सब देवताओं का देवता है। जड़ देव उपयोग के योग्य होते हैं, चेतन देव (विद्वान्, माता, पिता आदि) सत्कार और सेवा के द्वारा प्रसन्न करने योग्य, लेकिन उपासना के योग्य केवल एक परमात्मा ही होता है, अन्य नहीं। अतः यहाँ 'देवताभ्यर्चनम्' से अभिप्राय परमात्मदेव की उपासना करने से है; यदि कहीं अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि नामों से देवताओं की स्तुति का वर्णन मिलता है तो वह भी उनके माध्यम से परमात्मा की ही स्तुति अभिप्रेत है। क्योंकि ये परमात्मा की ही दिव्यशक्तियाँ या गुण हैं, उसी के प्रत्यङ्ग हैं। भिन्न-भिन्न देवों की स्तुति से अभिप्राय होता है परमात्मा के उस-उस गुण की स्तुति करना। इस प्रकार सभी देव एक परमात्मा में ही समाहित होते हैं। निरुक्तकार ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है—

(अ) "महाभाष्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते।

एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति।

कर्मजन्मानः आत्मजन्मानः, आत्मदेवा रथो भवति,

आत्मादेवः, आत्मापुधम्, आत्मेवचः, सर्वं देवस्य देवस्य।" (निरुक्त ७। १। ४)

अर्थात्—एक परमात्मा देव ही मुख्य देव है। सर्वशक्तिमत्स्वादि अनेक-विध ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण अनेक नामों-गुणों से उसकी स्तुति की जाती है, अन्य सभी देव इस महादेव परमात्मा के प्रत्यङ्गरूप हैं। उनका इसी में समाहार हो जाता है। उस एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म, कर्म और ईश्वर के सामर्थ्य से होता है। इनका रथ अर्थात् जो रमण का स्थान, अथवा अर्थात् शीघ्र सुखप्राप्ति का कारण, गमनहेतु; आयुध =

शत्रुघ्नों का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा; इयु=बाण के समान सब दुष्टगुणों और दुःखों का छेदन करने वाला वास्त्र, वही परमात्मा है। परमात्मा ने जितना-जितना जिस-जिस में दिव्यगुण रखा है उतना-उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है अधिक नहीं। इस प्रकार अन्य सब देवता परमेश्वरवाची ही हैं।

इसमें वेदों का प्रमाण है—

(आ) इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाधुर्यो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्ब्रिषा बहुधा ब्रह्मन्वग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

(ऋ० १०।१६४।४६)

(इ) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तस् वायुस्तद् अश्वत्थमाः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आयः स प्रजापतिः ॥ (यजु० ३२।१॥)

स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए—

(ई) आत्मैव देवताः सर्वा सर्वमात्मन्भवस्थितम् ।

आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥ १२।११६ ॥

(उ) एतमेके ब्रह्मन्वग्निं मनुस्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ १२।१२३ ॥

(ऊ) मनु ने अनेक स्थानों पर उपास्य के रूप में केवल परमात्मा को ही स्वीकार किया है। प्रमाणरूप में द्रष्टव्य हैं—२।७६-७८ (२।१०१-१०३), ४।६२-६३, १२।११८, ११६, १२२, १२५ ॥

इस सम्पूर्ण विवेचन और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि 'देवता-अभ्यर्चनम्' का यहाँ अर्थ परमात्मदेव की उपासना अर्थात् संध्या करने से है। अन्य अर्थ भ्रान्तिपूर्ण है। इस श्लोक में शिव, विष्णु की प्रतिमाओं के पूजन की कल्पना मनगढ़न्त है और अप्रामाणिक है।

(३) तर्पण का सही अभिप्राय—

'तृप्-तृप्त्' धातु से तृप्ट् प्रत्यय के योग से 'तर्पण' शब्द सिद्ध होता है। जिस का अर्थ है—प्रसन्न करना। "येन कर्मणा विदुषः देवान्, ऋषीन्, पितृन् इव तर्पयन्ति = तुल्ययन्ति, तत् तर्पणम् ।" = जिस कर्म से विद्वान्, देवों, ऋषियों और पितरों को तुल्य अर्थात् सुख और प्रसन्नतायुक्त करते हैं, वह तर्पण है। इसी प्रकार 'यत्नेन' श्रद्धया सेवनं क्रियते तत् श्राद्धम् श्रद्धा से उनकी सेवा आदि करना श्राद्ध कहलाता है। इस प्रकार तर्पण करना मृत में नहीं अपितु जीवित व्यक्ति में ही संभव होता है। मनु इस श्लोक में यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्मचारी को प्रतिदिन विद्वान्, देवों, ऋषियों और पितरों को प्रसन्न करने वाले सेवा, अन्न-भोजन, दान, अभिवादन, मधुरभाषण आदि कार्य करने चाहिए, यही उनका तर्पण है। ब्रह्मचारी का यह कर्तव्य है। इस प्रकार के

आचरण से उसे विद्या की प्राप्ति शीघ्र और सुगमतासे होती है। तर्पण के इस अर्थ की पुष्टि में मनु के निम्न श्लोक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं—

(अ) यथा ज्वनन् खनित्रेण नरो वार्षधिगच्छति ।

तथा गुरुगतां विद्यां शुभ्रपुत्रधिगच्छति ॥ २ । १६३॥

(आ) स्वाध्यायेनाच्येद्-ऋषीन् होमर्देवान् यथाविधि ।

पितृन् श्राद्धंश्च नूनन्मूर्तानि बलिकर्मणा ॥ ३ । ८१॥

(इ) कुर्यात्तद्वरः श्राद्धम् अन्नाद्येनोदकेन वा ।

ययोमूलकलंबाणि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ ३ । ८२ ॥

(४) प्रमुख गुण के आधार पर ऋषि, देव, पितरों में अन्तर—

इस प्रकार २ । ११५-१३१ श्लोकों में वर्णित विभिन्न अध्यापयिता विद्वान् ही स्तर के अनुसार ऋषि, देव और पितर हैं। इनमें किसी विद्या के साक्षात् द्रष्टा, विशेषज्ञ 'ऋषि' कहलाते हैं। दिव्य-गुण आचरण की प्रधानता वाले विद्वान् 'देव' और पालक गुण की प्रधानता वाले बयोवृद्ध व्यक्ति एवं माता-पिता आदि गुरुजन 'पितर' होते हैं। ब्रह्मचारी को इनकी सेवा करनी चाहिए।

मधु, मांस आदि का त्याग—

वर्जयेन्मधुमांसं च गन्धं मात्स्यं रसान्स्त्रियः ।

शुक्लानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १५२॥ [२। १७७] (१७०)

ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी (मधु-मांसं गन्धं मात्स्यं रसान् स्त्रियः) गन्ध, ॐ माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग (सर्वाणि यानि शुक्तानि) सब खटाई (प्राणिनां हिंसनम्) प्राणियों की हिंसा.....(वर्जयेत्) छोड़ देवें ॥ १५२ ॥

ॐ (मधु-मांसम्) मदकारक मदिरा आदि पदार्थ और मांस...

(स० प्र० पृ० ५०)

अनुवर्तिता : मधु का अर्थ—इस श्लोक में मधु का अर्थ मदिरा है। 'मांसते इति सत्तः' जो मद=नशा उत्पन्न करे अर्थात् मदिरा और आदि पदार्थ। मांस के साथ इस शब्द का प्रयोग और वह श्री. निवेद्यात्मक रूप में होने से इस अर्थ की पुष्टि स्वतः हो जाती है। शब्द अर्थबोधक मधु को मनु अमंथ नहीं मानते। यतो हि जातकर्म में उसका भक्षण के लिए विधान है—

“मन्त्रवत् प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसपिचाम्” २। ४ [२ । २६]

अन्न, छाता, जूता आदि धारण का निषेध—

अभ्यङ्गमंजनं चाक्षरलोपानच्छत्रधारणम् ।

कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम् ॥ १५३॥ [२। १७८] (१२१)

(अभ्यङ्गम्) अंगों का मर्दन—बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श (अक्षयोः च अञ्जनम्) आंखों में अञ्जन (उपानत-छत्र-धारणम्) जूते, और छत्र का धारण (कामं क्रोधं लोभं च) काम, क्रोध लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष; [चकार से मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, का ग्रहण किया है।] (च) घोर (नत्तं गीत-वादनम्) नाच, गान, बाजा बजाना [इन्को भी छोड़ देवे' यह पूर्वश्लोक से अनुवृत्ति आती है] ॥१५३॥ (स० प्र० पृ० ५०) जूथा, निन्दा, स्त्रीदर्शन आदि का निषेध—

छूतं च जनबाधं च परिबाधं तथाऽनृतम् ।

स्त्रीणां च प्रक्षालनम्भुपघातं परस्य च ॥१५४॥[२।१७६](१२२)

(नृतम्) नृत (जनवादम्) जिस किसी की कथा (परिवादम्) निन्दा (अनृतम्) मिथ्याभाषण (स्त्रीणां प्रेक्षण+भालम्भम्) स्त्रियों का दर्शन, आश्रय (परस्य उपघातम्) दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवे । ॥ १५४ ॥ (स० प्र० ५०)

एकाकी शयन का विधान—

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कवचित् ।

कामाद्वि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥१५५॥[२।१८०](१२३)

(सर्वत्र एकः शयीत) सर्वत्र एकाकी सोवे (रेतः कवचित् न स्कन्दयेत्) वीर्यस्खलित कभी न करे (कामात् हि रेतः स्कन्दयन्) काम से वीर्यस्खलित कर दे तो जानो कि (आत्मनः व्रतं हिनस्ति) अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया ॥ १५५ ॥ (स० प्र० पृ० ५०)

स्वप्नदोष में प्रायश्चित्त—

स्वप्ने सिक्त्या ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः ।

स्नात्वाऽर्कमर्चयित्वा त्रिः पुनर्मामित्युचं जपेत् ॥ १५६ ॥ [२।१८१]

(ब्रह्मचारी द्विजः) ब्रह्मचारी द्विज (अकामतः स्वप्ने शुक्रं सिक्त्या) अजानने में स्वप्न में वीर्यस्खलित होने पर (स्नात्वा) स्नान करके (अर्कम्+अर्चयित्वा) सूर्य की पूजा करके ('पुनर्माम्' इति ऋत्वं त्रिः जपेत्) "पुनर्मामित्विन्द्रियम्" इस ऋचा को तीन बार जपे ॥ १५६ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न-रूप से प्रक्षिप्त है—

१. प्रसङ्गविरोध—१५०, [१७५] वें श्लोक में इस प्रतंग को प्रारम्भ करते समय ब्रह्मचारी के कुछ नियमों का कथन करने का संकेत किया है। तदनुसार अन्य सभी अग्रिम श्लोकों में ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन है। किन्तु इस श्लोक में कोई नियम न होकर प्रायश्चित्त का वर्णन किया है। प्रायश्चित्त का वर्णन करना इसलिए भी अनुसम्मत

और प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता क्योंकि अन्य नियमों के वर्णन के साथ कहीं उनके न करने पर प्रायश्चित्त का वर्णन नहीं है। यदि यह प्रासंगिक होता तो अन्य नियमों के साथ भी उनके उल्लंघन का प्रायश्चित्त दशाया गया होता। इस प्रकार अप्रासंगिक होने के कारण यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

२. अन्तर्विरोध—इस अध्याय में और सम्पूर्ण मनुस्मृति में ही मनु ने केवल ईश्वर की पूजा—उपासना और अग्निहोत्र आदि का विधान किया है। जड़ पदार्थों की पूजा का कहीं वर्णन नहीं है। इस श्लोक में सूर्य की पूजा का कथन करना, इसे मनु की मान्यताओं के अनुकूल सिद्ध नहीं करता। अतः यह परवर्ती विधान है।

३. शैलीगत आधार—मनुस्मृति की शैली के आधार पर भी यह श्लोक यहाँ मौलिक सिद्ध नहीं होता। मनुस्मृति में दश अध्यायों में धर्मों के विधान हैं, और एकादश अध्याय में प्रायश्चित्त का विषय दिया है। जब प्रायश्चित्त-विधान के लिए मनु ने एक पृथक् विषय दिया है तो इस प्रकार के प्रायश्चित्त का वर्णन वहीं होता चाहिए। इस निश्चित की गई शैली से भी यह प्रतीत होता है कि यह श्लोक मनु की शैली के अनुरूप नहीं है।

भिक्षासम्बन्धी नियम—

उदकम्भं सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाकुशान् ।

आहरेद्यावदर्थानि भक्षं चाहरहश्चरेत् ॥ १५७ ॥ [२।१८२] (१२४)

(उदकुम्भम्) पानी का घड़ा (सुमनसः) फूल (गोशकृत्) गोबर (मृत्तिका) मिट्टी (कुशान्) कुशाओं को (यावत् + अर्थानि) जितनी आवश्यकता हो उतनी ही (आहरेत्) लाकर रखे (च) और (भक्षम्) भिक्षा भी (ग्रहः + ग्रहः चरेत्) प्रतिदिन-प्रतिदिन मांगकर खाये ॥ १५७ ॥

किनसे भिक्षा ग्रहण करे—

वेद-यज्ञरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु ।

ब्रह्मचार्याहरेद्भक्षं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥ १५८ ॥ [२।१८३] (१२५)

(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (स्वकर्मसु प्रशस्तानाम्) अपने कर्तव्यों का पालन करने में सावधान रहने वालों के और (वेदयज्ञैः + अहीनानाम्) वेदाध्ययन और पञ्चमहायज्ञों से जो हीन नहीं अर्थात् जो प्रतिदिन इनका पालन करते हैं ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के (गृहेभ्यः) घरों से (प्रयतः) प्रयत्न पूर्वक (अन्वहम्) प्रतिदिन (भक्षम् आहरेत्) भिक्षा ग्रहण करे ॥ १५८ ॥

किन-किन से भिक्षा ग्रहण न करे—

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु ।

अलाभे त्वन्यगोहानां पूर्वं पूर्वं विवर्जयेत् ॥ १५९ ॥ [२।१८४] (१२६)

ब्रह्मचारी (गुरोः कुले न भिक्षेत) गुरु के परिवारों तथा मित्रों में भी भिक्षा न मांगे (अन्य गेहानाम् अलाभे तु) अन्य घरों से यदि भिक्षा न मिले तो (पूर्व-पूर्वं विवर्जयेत्) पूर्व-पूर्व घरों को छोड़ते हुए भिक्षा प्राप्त कर ले अर्थात् पहले मित्रों, परिचितों या घनिष्ठों के घरों से भिक्षा मांगे, वहां न मिले तो सम्बन्धियों में, वहां भी न मिले तो गुरु के परिवार से भिक्षा मांग सकता है ॥ १५६ ॥

पापकर्म करने वालों से भिक्षा न ले—

सर्वं वाऽपि चरेत् ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे ।

नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तास्तु वर्जयेत् ॥ १६० ॥ [२।१८५]१२७]

(पूर्वोक्तानाम्+असम्भवे) पूर्व [२।१५८-१५६] कहे हुए घरों के अभाव में (सर्वं वा+अपि ग्रामं चरेत्) सारे ही गांव में भिक्षा मांग ले (तु) किन्तु (प्रयतः) प्रयत्नपूर्वक (वाचं नियम्य) अपनी वाणी को नियन्त्रण में रखता हुआ (अभिशस्तान्) पापी व्यक्तियों को (वर्जयेत्) छोड़ देवे अर्थात् पापी लोगों के सामने किसी भी अवस्था में भिक्षा-याचना के लिए वाणी न खोले ॥ १६० ॥

सायं-प्रातः अग्निहोत्र का पुनः विशेष विधान—

दूरवाहृत्य समिधः सन्निदध्याद्विहायसि ।

सायम्प्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥ १६१ ॥ [२।१८६]१२८)

(दूरात् समिधः आहृत्य) दूरस्थान अर्थात् जंगल आदि से समिधाएं लाकर (विहायसि सन्निदध्यात्) उन्हें खुले [=हवादार] स्थान में रख दे (ताभिः) और फिर उनसे (अतन्द्रितः) आलस्यरहित होकर (सायं च प्रातः) सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय (अग्निं जुहुयात्) अग्निहोत्र करे ॥ १६१ ॥

“अग्निहोत्र सायं-प्रातः दो काल में करे। दो ही रात-दिन की संधि-वेला है, अन्य नहीं।” (स० प्र० पृ० ४१)

अनुष्ठीतम् : यज्ञ की समिधाएं—समिधाएं किस-किस वृक्ष की और कैसी होनी चाहिए, इसके ज्ञान के लिए महर्षि दयानन्द का उद्धरण विशेष उपयोगी है—

“पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आंब [आम] बिल्व आदि की समिधा वेदी के प्रमाण छोटी-बड़ी कटवा लेवें। परन्तु ये समिधा कोड़ा लगी, मलिन देशोत्पन्न और

अपवित्र पदार्थ आदि से दूषित न हों, अच्छे प्रकार देख लें, और बराबर और बीच में चुनें । (सं० वि० सामान्य प्र०)

भिक्षा और यज्ञ न करने पर प्रायश्चित्त—

अकृत्वा भिक्षाचरणमसमिध्य च पावकम् ।

अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णव्रतं चरेत् ॥ १६२ ॥ [२।१८७]

(अनातुरः) स्वस्थ होते हुए भी यदि ब्रह्मचारी (सप्तरात्रम्) सात दिन तक (भिक्षाचरणं अकृत्वा) बिना भिक्षा मांगे (च) तथा (पावकम् असमिध्य) अग्निहोत्र बिना किये रहे तो वह (अवकीर्णव्रतं चरेत्) 'अवकीर्णी' नामक [११।११८] प्रायश्चित्त व्रत करे ॥ १६२ ॥

भिक्षेण व्रतयेन्नित्यं नैकाम्नादी भवेद्भ्रती ।

भिक्षेण व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ १६३ ॥ [२।१८८]

(व्रती) ब्रह्मचारी (नित्य भिक्षेण व्रतयेत्) प्रतिदिन भिक्षा मांगकर ही खाये (एक-ग्रन्थादी न भवेत्) किसी एक ही मनुष्य का अन्न खाने वाला न बने (व्रतिनः भिक्षेण वृत्तिः) ब्रह्मचारी द्वारा भिक्षा से वृत्ति चलाने को (उपवाससमा स्मृता) उपवास के समान ही माना है ॥ १६३ ॥

ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा सम्बन्धी अपवाद—

व्रतवद्देववैश्वदेव्ये पित्र्ये कर्मण्ययधिवत् ।

काममभ्ययितोऽनीयाद् व्रतमस्य न लुप्यते ॥ १६४ ॥ [२।१८९]

ब्रह्मचारी (देवदैवत्ये व्रतवत्) देवताओं के उद्देश्य से किये हुए यज्ञ आदि कर्म में व्रत के समान (अथ) और (पित्र्ये कर्मणि ऋणिवत्) पितृकर्म—श्राद्ध आदि में ऋषि के समान (कामम् - अभ्ययितः) आदरपूर्वक बुलाये जाने पर (अनीयात्) भोजन करने (अस्य व्रतं न लुप्यते) इस प्रकार से इसका व्रत भंग नहीं होता ॥ १६४ ॥

ब्राह्मणस्यैव कर्मेतदुपदिष्टं मनीषिभिः ।

राजप्यवैश्ययोस्त्वेवं नैतत्कर्म विधीयते ॥ १६५ ॥ [२।१९०]

किन्तु (मनीषिभिः) विद्वानों ने (एतत् कर्म) यह कर्म [यज्ञ और श्राद्ध में भोजन करना] (ब्राह्मणस्य - एव उपदिष्टम्) ब्राह्मण के लिए ही विहित किया है (एतत् कर्म एवम्) यह कर्म इस प्रकार से (राजप्यवैश्ययोः तु न विधीयते) क्षत्रिय और वैश्य के लिये विहित नहीं किया है ॥ १६५ ॥

अनुशीलन : १६२ से १६५ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) १६२ वें श्लोक में 'अवकीर्णीं व्रत' का विधान न तो मनुप्रोक्त है न मनुस्मृति सम्मत, अपितु परवर्ती विधान है। इस विरोध के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है। विस्तृत जानकारी के लिये ११।५४ से १६० श्लोकों पर समीक्षा देखिये। (२) १६४-१६५ वें श्लोकों में देवकर्म और मृतक पितृ-श्राद्ध का विधान भी मनुविरुद्ध है। मनु ने केवल जीवित माता-पिता आदि की सेवा शुभ्रपा को ही श्राद्ध माना है [३।८२]। इस मान्यता के विरुद्ध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 'मृतकश्राद्ध मनुविरोधी है' इस मान्यता को विस्तृत रूप में जानने के लिये ३।११६ से २=४; २।१५१ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा देखिए।

२. प्रसंगविरोध—(१) १६३ वां श्लोक प्रसंगविरुद्ध है। १६० वें श्लोक तक भिक्षा-मन्त्रन्धी वर्णन पूर्ण करके १६१ वें श्लोक में यज्ञ की चर्चा प्रारम्भ हो चुकी थी। क्रमबद्ध प्रसंग पूर्ण होने के बाद दो श्लोकों के अनन्तर पुनः भिक्षा का महत्त्व बतलाना अप्रासंगिक है। यदि यह श्लोक प्रासंगिक एवं मौलिक होता तो इसे १६० से संयुक्त होना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं है। अतः यह अप्रासंगिक रूप से वर्णित होने के कारण प्रक्षिप्त है। (२) इसी प्रकार १६२ वां श्लोक भी अप्रासंगिक है। १५० [१७५] वें श्लोक में इस प्रसंग को प्रारम्भ करते समय ब्रह्मचारी के नियमों का कथन करने का मक़दद किया है। अन्य श्लोकों में तदनुसार नियमों का कथन है किन्तु इसमें प्रायश्चित्त का विधान है। यदि इस प्रकार प्रायश्चित्त का विधान प्रासंगिक होता तो अन्य नियमों के साथ भी उनके उल्लंघन पर प्रायश्चित्त का विधान दिया होता। ऐसा न होने से यह मनुसम्मत एवं प्रासंगिक सिद्ध नहीं होता।

३. शैलीगत आधार—मनुस्मृति में यह शैली निश्चित है कि दश अध्यायों में धर्मों का वर्णन है, एकादश में प्रायश्चित्त का विषय। जब प्रायश्चित्त का विषय-पृथक् से वर्णित है तो इस प्रकार मध्य में प्रायश्चित्त का निर्देश देना मनु की शैली के अनुरूप नहीं है। यही कारण है कि इस प्रकार के एक-दो प्रक्षिप्त विधानों को छोड़कर बीच में कहीं भी प्रायश्चित्त का विधान मनु ने नहीं किया है। इस आधार पर भी १६२ वां श्लोक मौलिक सिद्ध नहीं होता।

गुरु के समीप रहने ब्रह्मचारी की मर्यादाएँ—

चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा ।

कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १६६ ॥ [२।१६१] (१२६)

(गुरुणा चोदितः) गुरु के द्वारा प्रेरणा करने पर (वा) अथवा (अप्र-चोदितः एव) बिना प्रेरणा किये भी [ब्रह्मचारी] (नित्यम) प्रतिदिन (अध्य-यने) पढ़ने में (च) और (आचार्यस्य हितेषु) गुरु के हितकारक कार्यों में (यत्नं कुर्यात्) यत्न करे ॥ १६६ ॥

गुरु के सम्मुख सावधान होकर बैठे और खड़ा हो—

शरीरं चैव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च ।

नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद्भीक्ष्माणो गुरोर्मुखम् ॥१६७॥ [२।१६२] (१३०)

[गुरु के सामने बैठने या खड़े होने की अवस्था में ब्रह्मचारी] (शरीरं च वाचं च बुद्धि+इन्द्रिय+मनांसि एव च) शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रियों और मन को भी (नियम्य) वश में करके अर्थात् सावधान होकर (गुरोः मुखं भीक्षमाणः) गुरु के सामने देखता हुआ (प्राञ्जलिः) हाथ जोड़कर (तिष्ठेत्) बैठे और खड़ा होवे ॥ १६७ ॥

गुरु के आदेशानुसार चले—

नित्यमुद्धृतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः ।

आस्यतामिति बोधतः सम्रासीताभिमुखं गुरोः ॥१६८॥ [२।१६३] (१३१)

(नित्यम्+उद्धृतपाणिः स्यात्) सदा उद्धृतपाणि रहे अर्थात् ओढ़नेके वस्त्र से दायाँ हाथ बाहर रखे [ओढ़ने के वस्त्र को इस प्रकार ओढ़े कि वह दायाँ हाथ के नीचे से होता हुआ बायें कंधे पर जाकर टिके, जिसे दायाँ कंधा और हाथ वस्त्र से बाहर निकला रह जाये] (साधु+आचारः) शिष्टसभ्य आचरण रखे (सुसंयतः) संयमपूर्वक रहे ('आस्यताम्' इति उक्तः सन्) गुरु के द्वारा 'बैठो' ऐसा कहने पर (गुरोः अभिमुखं आसीत्) गुरु के सामने उनकी ओर मुख करके बैठे ॥ १६८ ॥

गुरु से निम्न स्तर की वेशभूषा रखे—

हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ ।

उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥ १६९ ॥ [२।१६४] (१३२)

(गुरु-सन्निधौ) गुरुके समीप रहते हुए (सर्वदा) सदा (हीन+अन्न+वस्त्र+वेषः स्यात्) अन्न=भोज्यपदार्थ, वस्त्र और वेशभूषा गुरु से सामान्य रखे (च) और (अस्य प्रथमम् उत्तिष्ठेत्) इस गुरु से पहने जागे (च) तथा (चरमं संविशेत्) बाद में सोये ॥ १६९ ॥

बातचीत करने का शिष्टाचार—

प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत् ।

नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः ॥१७०॥ [२।१६५] (१३३)

(प्रतिश्रवण+संभाषे) प्रतिश्रवण अर्थात् गुरु की बात या आज्ञा का उत्तर देना या स्वीकृति देना, और संभाषा—बातचीत, ये (शयानः न समा-

चरेत्) लेटे हुए न करे (न+आसीनः) न बैठे-बैठे (न भुञ्जानः) न कुछ खाते हुए (च) और (न तिष्ठन्) न दूर खड़े होकर (न पराङ्मुखः) न मुंह फेरकर ये बातें करे [करणीय शिष्ट स्थितियों का वर्णन १७१-१७२ में है] ॥ १७० ॥

आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः ।

प्रत्युद्गम्य त्वाव्रजतः पश्चाद्भावस्तु धावतः ॥१७१॥ [२।१६६] (१३४)

(आसीनस्य स्थितः) बैठे हुए गुरु से खड़ा होकर (तिष्ठतः तु अभिगच्छन्) खड़े हुए गुरु के सामने जाकर (आव्रजतः तु प्रति+उद्गम्य) अपनी ओर आते हुए गुरु से उसकी ओर शीघ्र आगे बढ़कर (धावतः तु पश्चात् धावन्) दौड़ते हुए के पीछे दौड़कर (कुर्यात्) प्रतिश्रवण और बातचीत [२। १७०] करे ॥ १७१ ॥

पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्येत्य ञान्तिकम् ।

प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः ॥१७२॥ [२।१६७] (१३५)

(पराङ्मुखस्य+अभिमुखः) गुरु यदि मुँह फेरे हों तो उनके सामने होकर (च) और (दूरस्थस्य अन्तिकम् एत्य) दूर खड़े हों तो पास जाकर (शयानस्य तु) लेटे हों (च) और (निदेशे एव तिष्ठतः) समीप ही खड़े हों तो (प्रणम्य) विनम्र होकर प्रतिश्रवण और बातचीत करे ॥ १७२ ॥

गुरु से निम्न आसन पर बैठे—

नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ ।

गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत् ॥ १७३ ॥ [२।१६८] (१३६)

(गुरुसन्निधौ) गुरु के समीप रहते हुए (अस्य) इस ब्रह्मचारी का (शय्या+आसनम्) विस्तर और आसन (सर्वदा) सदा ही (नीचम्) गुरु के आसन से नीचा या साधारण रहना चाहिए (गुरोः तु चक्षुः विषये) और गुरु की आंखों के सामने (यथेष्टासनः न भवेत्) कभी मनमाने आसन से न बैठे अर्थात् शिष्टतापूर्वक बैठे ॥ १७३ ॥

गुरु का नाम न ले—

नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम् ।

न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम् ॥ १७४ ॥ [२।१६९] (१३७)

(परोक्षम् अपि) पीछे से भी (अस्य) अपने गुरु का (केवलं नाम न +उदाहरेत्) केवल नाम न ले [अर्थात् जब भी गुरु के नाम का उच्चारण

करना पड़े तो 'आचार्य' 'गुरु' आदि सम्मानबोधक शब्दों के साथ करना चाहिए, अकेला नाम नहीं] (च) और (अस्य) इस गुरु की (गति + भाषित + चेष्टितम्) चाल, दायी तथा चेष्टाओं का (न अनुकुर्वीत) अनुकरण = नकल न उतारे ॥ १७४ ॥

गुरु की निन्दा न मुने—

गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवर्त्तते ।

कर्णो तत्र पिधातव्यो गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥१७५॥ [२।२००] (१३८)

(यत्र) जहां (गुरोः परीवादः अपि वा निन्दा प्रवर्त्तते) गुरु की बुराई अथवा निन्दा हो रही हो (तत्र) वहां (कर्णो पिधातव्यो) अपने कान बन्द कर लेने चाहिये अर्थात् उसे नहीं सुनना चाहिये (वा) अथवा (ततः अन्यतः गन्तव्यम्) उस जगह से कहीं अन्यत्र चला जाना चाहिए ॥ १७५ ॥ ❀

अनुशीलनम् : 'कर्णो पिधातव्यो' मुहावरा—इस श्लोक में 'कर्णो पिधातव्यो' मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है। इसका अभिप्राय कान बन्द कर लेना नहीं है अपितु 'न सुनना' या 'ध्यान न देना' है। इसका हिन्दी में अनूदित मुहावरा आज भी उसी अर्थ में प्रचलित है—'कान बन्द रखना' अर्थात् ध्यान न देना या न सुनना। इस के विपरीत 'कान धरना' या 'कान खुले रखना' मुहावरे प्रचलित हैं। जिन का अर्थ है—ध्यान से सुनना।

गुरु-निन्दा का फल—

परीवादात् खरो भवति इवा वै भवति निन्दकः ।

परिमोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥१७६॥ [२।२०१]

(परीवादात् खरः भवति) गुरु की बुराई करने वाला शिष्य अगले जन्म में गधा बनता है (निन्दकः वै इवा भवति) निन्दा करने वाला कुत्ता बनता है (परिमोक्ता कृमिः भवति) गुरु के धन का उपभोग करने वाला छोटा कीड़ा बनता है और (मत्सरी कीटः भवति) गुरु से ईर्ष्या करने वाला बड़ा कीड़ा बनता है ॥ १७६ ॥

अनुशीलनम्—यह १७६ वाँ श्लोक निम्न रूप से प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्बिरोध—मनु ने १२।६, २५—५२, ७४ श्लोकों में यह स्पष्ट मान्यता दी है कि व्यक्ति सत्त्व, रज, तमोयुक्त कर्मों की अधिकता के आधार पर उत्तम, मध्यम, अधम अथवा तिर्यक् स्थावर और मनुष्य आदि योनियों को प्राप्त करता है, न कि केवल किसी एक ही कर्म से। और फिर किसी कर्म के आधार पर मनु ने कोई एक योनि भी निश्चित नहीं की है। इस श्लोक में एक ही कर्म से योनि का निश्चय कर

❀ [प्रचलित अर्थ—जहां गुरु की बुराई या निन्दा होती हो वहां ब्रह्मचारी कान बन्द करते या वहां से अन्यत्र चला जाये ॥ २०० ॥]

देना और केवल इन्हीं कर्मों से ही इन योनियों के प्राप्त होने का कथन करना, उक्त मान्यता के विरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है । (२) २।११७ [२।१४२] में गुरु द्वारा अन्न आदि से पालन-पोषण करने का निर्देश भी है । इस श्लोक में गुरु के पदायों का उपभोग करने वाले को अगले जन्म में कुमि होना बताया है । यह उक्त वर्णन से विरुद्ध है ।

२. शैलीगत आचार—इस श्लोक में श्रुतियों के कारण विभिन्न योनियों की प्राप्ति का कथन निराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्ति पूर्ण है । इस प्रकार की शैली मनु की नहीं है ।

गुरु को कब अभिवादन न करे—

दूरस्थो नार्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रियाः ।

यानःसनस्यश्चैवंनमस्कृत्त्याभिवादयेत् ॥१७७॥ [२।२०२] (१३६)

(एनम्) शिष्य अपने गुरु को (दूरस्थः) दूर से (न+अर्चयेत्) नमस्कार न करे (न क्रुद्धः) न क्रोध में (न स्त्रियाः अन्तिके) जब अपनी स्त्री के पास बैठे हों न उस स्थिति में जाकर अभिवादन करे (च) और (यान+प्रास-नस्यः) यदि सवारी पर बैठा हो तो (अनस्कृत्) उतरकर (एनम्) अपने गुरु को (अभिवादयेत्) अभिवादन करे ॥ १७७ ॥

साथ बैठने न बैठने सम्बन्धी निर्देश—

प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत् गुरुणा सह ।

असंश्रवे चैव गुरोर्न किञ्चिदपि कीर्तयेत् ॥ १७८ ॥ [२।२०३] (१४०)

(प्रतिवाते) शिष्य की ओर से गुरु की ओर आने वाली वायु में (च) और (अनुवाते) उसके विपरीत अर्थात् गुरु की ओर से शिष्य की ओर आने वाली वायु की दिशा में (गुरुणा सह न+आसीत्) गुरु के साथ न बैठे (च) तथा (गुरोः असंश्रवे एव) जहां गुरु को अच्छी प्रकार न सुनाई पड़े ऐसे स्थान में (किञ्चित्+अपि न कीर्तयेत्) कुछ बात न करे ॥ १७८ ॥

गुरु के साथ कहां-कहां बैठे—

गोऽश्वोऽष्ट्रयानप्रासादस्तरेषु कटेषु च ।

आसीत् गुरुणा सार्धं शिलाफलकनीषु च ॥१७९॥ [२।२०४] (१४१)

(गो+अश्व+उष्ट्रयान—प्रासादस्तरेषु) बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊंटगाड़ी पर और महलों अथवा घरों में बिछाये जानेवाले बिछौने पर (च) और (कटेषु) चटाइयों पर (च) तथा (शिला-फलकनीषु) पत्थर, तख्ता, नौका पर (गुरुणा सार्धम् आसीत्) गुरु के साथ बैठ जाये ॥ १७९ ॥

गुरु के गुरु से गुरुतुल्य आचरण—

गुरोर्गुरौ सन्निहिते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत् ।

न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरुन् अभिवादयेत् ॥१८०॥ [२।२०५] (१४२)

(गुरोः गुरौ सन्निहिते) गुरु के भी गुरु यदि समीप आ जायें तो (गुरुवत् वृत्तिम् आचरेत्) उनसे अपने गुरु के समान ही आचरण करे (च) और (स्वान् गुरुन्) अपने माता-पिता आदि गुरुजनों के आने पर (गुरुणा अनिसृष्टः न अभिवादयेत्) गुरु से आदेश पाये बिना अभिवादन करने न जाये ॥ १८० ॥

अन्य अध्यापकों से व्यवहार—

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु ।

प्रतिषेधस्तु चाधर्मान्निहतं षोडशितस्त्वपि ॥१८१॥ [२।२०६] (१४३)

(विद्यागुरुषु) विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुओं में (स्वयोनिषु) अपने वंश वाले सभी बड़े में (च) और (अधर्मान् प्रतिषेधस्तु उपदिशत्सु + अपि) अधर्म से हटाकर धर्म का उपदेश करने वालों में भी (नित्या एतत् + एव वृत्तिः) सदैव यही [ऊपर वर्णित] बर्ताव करे ॥ १८१ ॥

गुरुपुत्र आदि से व्यवहार—

श्रेयःसु गुरुवद्वृत्ति नित्यमेव समाचरेत् ।

गुरुपुत्रेषु कार्येषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥ १८२ ॥ [२।२०७]

(श्रेयःसु) बड़े लोगों में (च) और (आर्येषु गुरुपुत्रेषु) श्रेष्ठ गुरुपुत्रों में (च) यथा (गुरोः स्वबन्धुषु एव) गुरु के रिश्तेदारों में भी (नित्यं गुरुवत् एव वृत्ति समाचरेत्) सदैव गुरु के समान ही बर्ताव करे ॥ १८२ ॥

बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि ।

अध्यापयगुरुसुतो गुरुवन्मानवर्हति ॥ १८३ ॥ [२।२०८]

(गुरुसुतः) गुरु का पुत्र (बालः वा समानजन्मा) चाहे छोटा हो अथवा समान आयु वाला हो (वा) अथवा (यज्ञकर्मणि शिष्यः) यज्ञकर्म में दीक्षित होकर शिष्य बन चुका हो (अध्यापयन्) वह पढ़ाता हुआ (गुरुवत् मानम् + वर्हति) गुरु के समान सम्मान का अधिकारी है ॥ १८३ ॥

उत्सादनं च गात्रालां स्नापनौच्छिष्टभोजने ।

न कुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोदवावनेजनम् ॥ १८४ ॥ [२।२०९]

(गुरुपुत्रस्य) गुरुपुत्र के (गात्रालाम् उत्सादनम्) अंगों का धोना (स्नापन + उच्छिष्टभोजने) नहलाना, झूठा भोजन करना (च) और (पादयोः अवनेजनम्) पैरों का धोना (न कुर्यात्) ये कार्य न करे ॥ १८४ ॥

गुरुपत्नियों से व्यवहार—

गुरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः ।

असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनैः ॥ १८५ ॥ [२।२१०]

(सवर्णाः गुरुयोषितः) गुरु के अपने वर्ण की पत्नियाँ (गुरुवत् प्रतिपूज्याः स्युः) गुरु के समान ही पूजनीय हैं (असवर्णाः तु) और भिन्न वर्ण की गुरुपत्नियों का तो (प्रत्युत्थान+अभिवादनः) केवल उठने और नमस्कार करने से ही (संपूज्याः) आदर करना चाहिए ॥ १८५ ॥

अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च ।

गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम् ॥ १८६ ॥ [२।२११]

(अभ्यञ्जनम्) उबटन लगाना (स्नापनम्) स्नान कराना (च) और (गात्र+उत्सादनम् एव) शरीर दबाना (च) तथा (केशानां प्रसाधनम्) बालों को संवारना (गुरुपत्न्या न कार्याणि) ये कार्य गुरुपत्नियों के नहीं करने चाहियें ॥ १८६ ॥

अनुयातव्यः : १८२ से १८६ श्लोक निम्न आधार पर प्रसिप्त हैं—

१. अन्तर्बिरोध—(१) १८२ से १८४ श्लोकों में गुरुपुत्र के साथ भी गुरु जैसा व्यवहार करने का निर्देश है, चाहे वह शिष्य ही क्यों न हो। यह निर्देश २।१८२ [११७], १८४-१३१ [१४६—१५६] श्लोकों की मान्यता के विरुद्ध है। इन श्लोकों में कहा गया है कि पढ़ाने वाला ही गुरु और बड़ा होता है और वही आदर के योग्य है। १८६ [१५१] वें श्लोक में आङ्गिरस का उदाहरण देकर तो मनु ने इस मान्यता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। अतः गुरुपुत्र को गुरु द्वारा भी आदर देना आदि बातें मौलिक नहीं हैं। (२) १८५ वें श्लोक में जो सवर्ण और असवर्ण पत्नियों के साथ पृथक्-पृथक् व्यवहार का विधान है, यह बहुपत्नीप्रथा भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने ५।१६७-६।८१ श्लोकों में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में यह वर्णन किया है कि एक पत्नी के मरणोपरान्त ही द्विज दूसरी से नियोग कर सकता है। इस प्रकार बहुपत्नी रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ-साथ इस बात से भी यह श्लोक परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध होता है कि केवल इसी श्लोक में सवर्ण-असवर्ण पत्नियों के साथ पृथक्-पृथक् व्यवहार करने का कथन है, अन्यत्र जहाँ भी गुरुपत्नियों के साथ व्यवहार के निर्देश का कथन है, वहाँ कहीं भी सवर्ण-असवर्ण का भेद नहीं दर्शाया गया है [२।१८७—१८२ (२।२१२—२१७)]। (३) १८६ वें श्लोक में गुरुपत्नी के तैलमर्दन आदि के निषेध का विधान भी मौलिक नहीं है, क्योंकि जब २।१५२, १५४, १८७ [२।१७७, १७६, २१२] में स्त्रियों का दर्शन, स्पर्शन, आलिगन ब्रह्मचारी के लिये पूर्णतः निषिद्ध कर चुके हैं तो फिर गुरुपत्नी की इस प्रकार की सेवाएं करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ-साथ यह बात भी विचारणीय है कि मनु ने ब्रह्मचारी को केवल गुरु की सेवा करने का ही आदेश दिया है; गुरुपत्नी

की सेवा करने का वर्णन कहीं नहीं किया है। इस प्रकार इन विरोधों के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

गुरुपत्नी के चरणस्पर्श का निषेध और उसमें कारण—

गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः।

पूर्णविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥१८७॥ [२।२।१२] (१४४)

(पूर्णविंशतिवर्षेण) जिसके बीस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं ऐसे (गुणदोषौ विजानता) गुण और दोषों को समझने में समर्थ युवक शिष्य को (युवतिः गुरुपत्नी तु) जवान गुरुपत्नी का (पादयोः न अभिवाद्या) चरणों का स्पर्श करके अभिवादन नहीं करना चाहिए [अर्थात् बिना चरणस्पर्श किये ही उसका अभिवादन करे। उसकी विधि २।१६१ में वर्णित है] ॥ १८७ ॥

युवति के चरण स्पर्श से हानि—

स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्।

अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥१८८॥ [२।२।१३] (१४५)

(इह) इस संसार में (एषः स्वभावः) यह स्वाभाविक ही है कि (नारीणां नराणां दूषणम्) स्त्री-पुरुषों का परस्पर के संसर्ग से दूषण हो जाता है—दोष लग जाता है (अतः अर्थात्) इस कारण (विपश्चितः) बुद्धिमान् व्यक्ति (प्रमदासु) स्त्रियों के साथ व्यवहारों में (न प्रमाद्यन्ति) कभी असावधानी नहीं करते अर्थात् ऐसा कोई वर्तव्य नहीं करते जिससे सदाचार के मार्ग से भटक जाने की आशंका हो ॥ १८८ ॥ ❀

अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः।

प्रमदा ह्युत्पद्यं नेतुं कामक्रोधवशानुगम् ॥१८९॥ [२।२।१४] (१४६)

(लोके) संसार में (प्रमदाः) स्त्रियाँ (काम-क्रोध-वश + अनुगम्) काम और क्रोध के वशीभूत होने वाले (अविद्वांसम्) अविद्वान् को (वा) अथवा (विद्वांसम् + अपि) विद्वान् व्यक्ति को भी (उत्पद्यं नेतुम्) उसके मार्ग से उखाड़ने में अर्थात् उद्देश्य से पथभ्रष्ट करने में (हि) निश्चय से (अलम्) पूर्णतः समर्थ हैं ॥ १८९ ॥

अभिप्राय यह है कि स्त्रियों में हाव-भाव और रूप सौन्दर्य के द्वारा

❀ [प्रवृत्तित अर्थ—स्त्रियों का यह स्वभाव है कि इस जगत् में शृङ्गार-चेष्टाओं के द्वारा व्याभोहित कर पुरुषों में दूषण उत्पन्न कर देती हैं, अत एव विद्वान् पुरुष स्त्रियों के विषय में असावधानी नहीं करते किन्तु सर्वदा उनसे अलग ही रहते हैं ॥ २।१३ ॥]

पुरुषों को मोहित कर लेने का पूर्ण सामर्थ्य है। उनके इन गुणों के कारण पुरुष उनके संगर्ग से स्वयं अथवा उन्हीं के प्रयत्न से सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो सकता है।

स्त्रीवर्ग के साथ एकान्तवास निषेध—

मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥१६०॥ [२।२१५] (१४७)

[मनुष्य को चाहिए कि] (मात्रा स्वस्त्रा वा दुहित्रा) माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी (विविक्त+आसनः न भवेत्) एकान्त आसन पर न बैठे या न रहे, अर्थात् एकान्तनिवास न करे क्योंकि (बलवान्+इन्द्रिय-ग्रामः) शक्तिशाली इन्द्रियां (विद्वांसम्+अपि) विद्वान्=विद्वेकी व्यक्ति को भी (कर्षति) खींचकर अपने वश में कर लेती हैं अर्थात् अपने-अपने विषयों में फंसाकर पथभ्रष्ट कर देती हैं ॥ १६० ॥

“इस वाक्य का अर्थ—इन्द्रियां इतनी प्रबल हैं कि माता तथा बहनों के साथ रहने में भी सावधान रहना चाहिए।” (पू० प्र० १५)

युवति गुरुपत्नी के अभिवादन की विधि—

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि ।

विधिवद्वन्द्वं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन् ॥१६१॥ [२।२१६] (१४८)

(कामं तु) अच्छा तो यही है कि (युवा) युवक शिष्य (युवतीनां गुरुपत्नीनाम्) जवान गुरुपत्नियों को (असौ+अहम्+इति ब्रुवन्) ‘यह मैं अमुक नाम वाला हूँ’ ऐसा कहते हुए (विधिवत्) पूर्ण विधि के अनुसार [२।६७, ६९] (भुवि) भूमि पर झुककर ही (वन्दनं कुर्यात्) अभिवादन करे ॥ १६१ ॥

विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम् ।

गुरुदारेषु कुर्वति सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ १६२ ॥ [२।२१७] (१४९)

शिष्य (सतां धर्मम्+अनुस्मरन्) श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करते हुए अर्थात् यह विचारते हुए कि स्त्रियों को अभिवादन करना शिष्ट व्यक्तियों का कर्त्तव्य है (गुरुदारेषु) गुरुपत्नियों को (अन्वहम् अभिवादनं कुर्वति) प्रतिदिन अभिवादन करे (च) और (विप्रोष्य) परदेश से लौटकर (पादग्रहणम्) चरणस्पर्श कर अभिवादन करे ॥ १६२ ॥

गुरु सेवा का फल—

यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति ।

तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति ॥१६३॥ [२।२१८] (१५०)

(यथा खनित्रेण खनन् नरः) जैसे फावड़े से खोदता हुआ मनुष्य (वारि+अधिगच्छति) जल को प्राप्त करता है (तथा) वैसे (शुश्रूषुः) गुरु की सेवा करने वाला पुरुष (गुरुगतां विद्याम्) गुरुजनों ने जो विद्या प्राप्त की है, उसको (अधिगच्छति) प्राप्त होता है ॥ १६३ ॥ (सं० वि० ८५)

ब्रह्मचारी के लिए केश-सम्बन्धी तीन विकल्प एवं ग्रामनिवास का निषेध—

मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः ।

नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्सूर्यो नाभ्युदियात्क्वचित् ॥१६४॥ [२।२१९] (१५१)

ब्रह्मचारी (मुण्डः वा जटिलः वा स्यात्) चाहे तो सब केश मुंडवा कर रहे, चाहे सब केश रखकर रहे (अथवा) या फिर (शिखाजटः) केवल शिखा रखकर [शेष केश मुंडवाकर] (स्यात्) रहे । (एतम्) इस ब्रह्मचारी को (क्वचित् ग्रामे) किसी निवास स्थान में रहते (सूर्यः) सूर्य (न अभिनिम्लोचेत्) न तो अस्त हो (न=अभ्युदियात्) न कभी उदय हो अर्थात् प्रमाद के कारण उसके निवास स्थान पर रहते-रहते सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए और न ही सोते-सोते सूर्योदय होना चाहिए, अपितु उससे पूर्व ही संध्योपासन आदि नित्यकर्मों के लिये वन-प्रदेश में निकल जाना चाहिए [२। ७६, ७८, ७७, ७६] ॥ १६४ ॥

प्रमादवश सोते रहने पर प्रायश्चित्त—

तं चेदभ्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः ।

निम्लोचेद्वाऽप्यविज्ञानाज्जपन्नुपवसेद्दिनम् ॥१६५॥ [२।२२०] (१५२)

(तं चेत्) यदि उसे (कामचारतः शयानम्) इच्छानुसार सोते हुए (सूर्यः अभि+उदियात्) सूर्य का उदय हो जाये (अपि वा) अथवा (अविज्ञानात् निम्लोचेत्) अनजाने में या प्रमाद के कारण सूर्य अस्त हो जाये तो (दिनं जपन्+उपवसेत्) दिनभर गायत्री का जप करते हुए उपवास करे= खाना न खाये ॥ १६५ ॥

सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः ।

प्रायश्चित्तमकुर्वाण युक्तः स्यान्महतेनज्ञा ॥१६६॥ [२।२२१] (१५३)

(यः) जो (सूर्येण अभिनिर्मुक्तः) प्रमाद में सूर्य के अस्त हो जाने

पर (च) और (शयानः+अभ्युदितः) सोते-सोते सूर्य उदय होने पर (प्रायश्चित्तम् अकुर्वाणः) प्रायश्चित्त नहीं करता है वह (महता+एनसा युक्तः स्यात्) बड़े अपराध का भागी बनता है अर्थात् उसे बड़ा दोषी माना जायेगा, क्योंकि संध्याकालों में ब्रह्मचारी के लिये सबसे परमावश्यक कर्म संध्योपासन का विधान है और इस कर्म में प्रमाद करने से ब्रह्मचारी के पापों में फंसने का भय रहता है ॥ १६६ ॥

अनुशीलन : 'एनः' के अर्थज्ञान के लिए २।२ [२।२७] पर भी समीक्षा द्रष्टव्य है।

संध्योपासन का विधान एवं विधि—

आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः।

शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥१६७॥ [२।२२] (१५४)

ब्रह्मचारी (नित्यम्) प्रतिदिन (उभे संध्ये) प्रातः और सायं दोनों संध्याकालों में [२।७६, ७७] (शुचौ देशे) शुद्ध स्थान में (आचम्य) आचमन करके (प्रयतः) प्रयत्नपूर्वक (समाहितः) एकाग्र होकर (जप्यं जपन् उपासीत) परमेश्वर का जप करते हुए उपासना करे ॥ १६७ ॥

“नित्य संध्योपासन.....के पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया करे।” (सं० वि० ७६)

स्त्री-शूद्रादि के उत्तम आचरण का भी अनुकरण करे—

यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किञ्चित्समाचरेत्।

तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र वाऽस्य रमेन्मनः ॥१६८॥ [२।२३] (१५५)

(यदि स्त्री यदि+अवरजः) यदि कोई स्त्री अथवा शूद्र भी (किञ्चित् श्रेयः समाचरेत्) कोई श्रेष्ठ कार्य करें (तत्सर्व+आचरेत्) उनसे शिक्षा लेकर उस पर आचरण करना चाहिए (वा) अथवा (यत्र) जिस शास्त्रोक्त कर्म में (अस्य मनः रमेत्) इसका मन रमे उस श्रेष्ठ कार्य को करता रहे ॥ १६८ ॥

त्रिवर्ग-सम्बन्धी मान्यताएँ—

धर्मावावृण्यते श्रेयः कामार्थो धर्म एव च।

अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्गं इति तु स्थितिः ॥ १६९ ॥ [२।२४]

(इह) इस संसार में (धर्मावावृण्यते) कोई धर्म और अर्थ को कल्याणकारी कहते हैं (कामार्थो) कोई काम और अर्थ को (च) और (धर्मः+एव) कोई धर्म

को ही (वा) ग्रथवा (ग्रथः + चैव श्रेयः) कोई ग्रथ को ही श्रेय कहते हैं (त्रिवर्गः इति तु स्थितिः) 'धर्म', ग्रथ और काम इन तीनों का वर्ग ही इस संसार में श्रेयस्कर है' यही वास्तविक सिद्धान्त है ॥ १९६ ॥

अनुशीलन : धर्म, काम, ग्रथ के स्वरूप के लिए ७। २६ की समीक्षा देखिए।

आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः ।

नार्त्तनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ २०० ॥ [२। २२५]

(आचार्य + च पिता च एव माता पूर्वजः भ्राता) आचार्य, पिता, माता तथा बड़ा भाई (भ्रातृन् + अपि न अवमन्तव्याः) स्वयं दुःखी होते हुए भी किसी को इनका अपमान नहीं करना चाहिए (विशेषतः ब्राह्मणेन) विशेषरूप से ब्राह्मण को तो कभी इनका अपमान नहीं करना चाहिए ॥ २०० ॥

आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः ।

माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ २०१ ॥ [२। २२६]

[क्योंकि] (आचार्यः ब्रह्मणः मूर्तिः) आचार्य वेद-ज्ञान देने से ब्रह्मा की मूर्ति रूप है (पिता प्रजापतेः मूर्तिः) पिता पालन करने से प्रजापति की मूर्ति है (माता पृथिव्याः मूर्तिः) माता पालन व सहनशीलता के कारण पृथिवी की मूर्ति है (स्वः भ्राता आत्मनः मूर्तिः) अपना बड़ा भाई सहायक होने से अपनी आत्मा की ही मूर्ति है ॥ २०१ ॥

यं मातापितरौ क्लेशं सहेते सन्मये मृणाच्च ।

न तस्य निष्कृतिः शक्या कतुं वर्षशतैरपि ॥ २०२ ॥ [२। २२७]

(मातापितरौ) माता और पिता (नुनां संभवे) सन्तानों को उत्पन्न और पालनपोषण करने में (यं क्लेशं सहेते) जिस कष्ट को सहन करते हैं (तस्य निष्कृतिः) उसका बदला (वर्षशतैः + अपि) सौ वर्षों में भी (न कतुं शक्या) नहीं चुकाया जा सकता ॥ २०२ ॥

तद्योनिरथ प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा ।

तैष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते ॥ २०३ ॥ [२। २२८]

(तयोः) उन दोनों भर्थात् माता-पिता का (च) और (आचार्यस्य) आचार्य का (नित्यम्) प्रतिदिन (सर्वदा) हर समय (प्रियं कुर्यात्) प्रिय कार्य करता रहे (तैषु तुष्टेषु एव) इन तीनों के संतुष्ट होने में ही (सर्वं तपः समाप्यते) सब तप पूर्ण हो जाता है ॥ २०३ ॥

तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते ।

न तैरनन्यगुहातो धर्मस्य समश्नैत् ॥ २०४ ॥ [२। २२९]

(तेषां त्रयाणां शुश्रूषा) आचार्य, माता और पिता इन तीनों की सेवा करना

ही (परमं तपः उच्यते) श्रेष्ठ तप कहा गया है (तेः+अनभ्यनुज्ञातः) इनकी अनुमति के बिना (अन्यं धर्मं न समाचरेत्) अन्य किसी धर्म का आचरण न करे ॥ २०४ ॥

त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः ।

त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोऽग्नयः ॥ २०५ ॥ [२। २३०]

(ते+एव हि त्रयः लोकाः) वे ही तीनों—पृथ्वी, आकाश, अन्तरिक्ष लोक हैं (ते+एव त्रयः आश्रमाः) वे तीनों ही तीन—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं संन्यास आश्रम हैं (ते एव हि त्रयः वेदाः) वे ही तीन—ऋक्, यजुः, साम, वेद हैं (ते+एव त्रयः+अग्नयः उक्ताः) वे ही तीन अग्नियों [२। २०६] मानी हैं ॥ २०५ ॥

पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माताऽग्निर्दक्षिणः स्मृतः ।

गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ २०६ ॥ [२। २३१]

(पिता वै गार्हपत्यः+अग्निः) पिता गार्हपत्य अग्नि [=गृहपति के द्वारा यज्ञ में प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि जिसे पिता अपने बाद में अपनी सन्तान को सौंप देता है] के समान है (माता दक्षिणः अग्निः स्मृतः) माता दक्षिण अग्नि [=यज्ञ में दक्षिण की ओर स्थापित की जाने वाली अग्नि] के समान है (गुरुः तु आहवनीयः) और गुरु आहवनीय=आहुति देने योग्य यज्ञ की अग्नि के समान है (सा अग्नित्रेता गरीयसी) इन तीनों अग्नियों का समूह सर्वश्रेष्ठ है । अर्थात् जिस प्रकार यज्ञ की इन तीन अग्नियों का श्रेष्ठ फल है, वही फल इन तीनों की सेवा में है ॥ २०६ ॥

त्रिष्वप्रमाद्यन्तेषु त्रींस्त्वोकांस्त्रिजयेद्गुही ।

दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्विव मोक्षते ॥ २०७ ॥ [२। २३२]

(गुही) गृहस्थो व्यक्ति (एतेषु त्रिषु+अप्रमाद्यन्) इन तीनों की सेवा में प्रमाद न करता हुआ (स्ववपुषा दीप्यमानः) अपने शरीर से दीप्यमान होता हुआ (विव देववत् मोक्षते) छुलोक में=स्वर्ग में देवता के समान प्रसन्नता को प्राप्त होता है ॥ २०७ ॥

इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् ।

गुरुशुश्रूषया स्वैवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥ २०८ ॥ [२। २३३]

[मनुष्य] (इमं लोकं मातृभक्त्या) इस पृथिवी लोक को माता की सेवा करने से (मध्यमं तु पितृभक्त्या) मध्यम आकाश लोक को पिता की सेवा करने से (एवम्) इसी प्रकार (गुरुशुश्रूषया) गुरु की सेवा करने से (ब्रह्मलोकं समश्नुते) मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ २०८ ॥

सर्वे तस्याहता धर्मा यस्मै त्रय आहताः ।

अनाहतास्तु यस्मै सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २०९ ॥ [२। २३४]

(यस्य एते त्रयः आहताः) जिसने इन तीनों—आचार्य, माता, पिता का आदर

रखा है (तस्य सर्वे धर्माः आहताः) मानों उसने सभी धर्मों का आदर किया है अर्थात् सभी धर्मों का पालन किया है (यस्य तु एते अनाहताः) जिसने इनका आदर नहीं रखा (तस्य सर्वाः क्रियाः अफलाः) उसकी सब श्रेष्ठ क्रियाएं निष्फल रहती हैं ॥ २०६ ॥

यावत् त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्मायं समाचरेत् ।

तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात्प्रियहिते रतः ॥ २१० ॥ [२।२३५]

(ते त्रयः यावत् जीवेयुः) वे तीनों जब तक जायें (तावत् अन्यं न समाचरेत्) तब तक [इनकी सेवा-शुश्रूषा को छोड़कर] किसी अन्य धर्म का प्रमुखता से पालन न करे (प्रियहिते रतः) उनके प्रिय आचरण में लगा रहकर (तेषु + एव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात्) उनकी ही सदा सेवा करता रहे ॥ २१० ॥

तेषामनुपरोधेन पारश्व्यं यथाचरेत् ।

तत्प्रतिवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २११ ॥ [२।२३६]

(तेषाम् + अनुपरोधेन) उन माता, पिता, आचार्य के अविरुद्ध उनकी अनुमति से (मनो-वचन-कर्मभिः) मन, वचन और कर्म के द्वारा (यद्-यद् पारश्व्यम् आचरेत्) जो-जो परलोक को शुभ करने वाला कार्य करे (तत्-तत्) उस सबको (तेभ्यः) उनसे (निवेदयेत्) प्रकट कर दे ॥ २११ ॥

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते ।

एव धर्मः परः साक्षादुपयमोन्य उच्यते ॥ २१२ ॥ [२।२३७]

(एतेषु त्रिषु हि) इन तीनों की सेवा करने से ही (पुरुषस्य इतिकृत्यं समाप्यते) पुरुष के सब कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं (एवः साक्षात् परः धर्मः) यही पुरुष का साक्षात् सर्व श्रेष्ठ धर्म है (अन्यः उपधर्मः उच्यते) अन्य सभी धार्मिक कार्य इसकी अपेक्षा गौण धर्म हैं ॥ २१२ ॥

अनुशीलनः : १६६ से २१२ तक के श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—ये २०० से २११ श्लोक विषयविरुद्ध हैं। द्वितीय अध्याय का विषय ब्रह्मचर्याश्रम एवं ब्रह्मचारी ही के कर्तव्यों से सम्बद्ध है [२।४४ (२।६६), ३।१—२, २।४३—४४ (२।६८—६९)] श्लोकों में स्पष्टतः गुरु के पास रहते हुए ब्रह्मचारी को जो कर्तव्य करने चाहिए, उन्हीं का कथन करने का संकेत दिया है। और २।१३६ [२।१६४] में भी कहा—“धाम्नेन क्रमयोगेन.....गुरौ वसन् संचिनुयात् ब्रह्माध्यात्मिकं तपः” अर्थात्—इन पूर्वोक्त विधियों के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ वेदज्ञान की वृद्धि के लिए तप करे। इसके अतिरिक्त २।८३ [१०८], १५० [१७५], १६६—१७८ [१६४—२०३], १६४ [२१६], २१६—२२१ [२४१—२४६] श्लोकों से भी स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में केवल उन्हीं कर्तव्यों का जो गुरुकुल में रहते पालन करने होते हैं कथन है। किन्तु इन श्लोकों में जो

कर्त्तव्य कहे हैं वे ब्रह्मचारियों के न होकर घर में रहने वालों के हैं। २०७ वें श्लोक में तो स्पष्टतः “विजयेत् गृही” शब्द का प्रयोग है। इसी प्रकार प्रतिदिन माता-पिता का प्रिय आचरण करना [२०३], उनकी प्रतिदिन सेवा करना [२१०] उनकी आज्ञा लेकर प्रत्येक धर्मकार्य करना [२११], आदि बातें घर से दूर गुरुकुल में रहते हुए संभव ही नहीं हैं। ये गृहस्थ के कर्त्तव्य हैं। इस प्रकार यहां ये विषयविद्वद् होने से प्रक्षिप्त हैं। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये श्लोक अर्थवाद के रूप में न होकर विधि-वाक्य हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) १६६ वें श्लोक में विभिन्न आचार्यों का मत प्रदर्शित करते हुए किसी के मत से केवल धर्म-अर्थ को कल्याणकारक कहा है, किसी के मत से केवल ‘अर्थ’ को ही। यह मान्यता मनु के अनुकूल नहीं है। मनु ‘धर्म’ को सर्वत्र अनिवार्य मानते हैं। ४। १७६ में तो उन्होंने ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है—“परित्यजेत् धर्मकामी धी स्यातां धर्मवर्जितौ” अर्थात् धर्म से रहित अर्थ और काम का परित्याग कर देवे। फिर केवल ‘अर्थ’ को ही कल्याणकारक मानने का मत मनु को कैसे स्वीकार्य हो सकता है? मनु ने धर्म-काम-अर्थ तीनों को आवश्यक और समन्वित रूप से साध्य माना है। वे किसी शुभकार्य के परिणामस्वरूप तीनों की ही अभिवृद्धि का उल्लेख करते हैं, यथा—“समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम्।” “प्रिवर्गेणाभिधधंते।” [७। २६-२७]। इस प्रकार इस मान्यता से विरोध होने के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

(२) इसी प्रकार माता-पिता, आचार्य की सेवा में ही तप की पूर्णता कहना [२०४], इसी में सब कर्त्तव्यों की समाप्ति मानना [२१२], इन्हीं की सेवा को परमधर्म कहना [२१२], आदि बातें मनुस्मृति के १। १०८; २। १४१ [२। १६६], ४। १४७ श्लोकों के विरुद्ध हैं, जिनमें प्राणायाम, वेदाभ्यास आदि को तप और परमधर्म घोषित किया है।

(३) २१० में इनके जीते जी अन्य कर्त्तव्यों को न करने का कथन करना मनुस्मृति की सारी व्यवस्थाओं के ही विरुद्ध है। इस प्रकार मनुस्मृति में विहित सारे विधान अनावश्यक सिद्ध हो जाते हैं।

(४) इसी प्रकार, २०४, २०६ श्लोकों में इन्हीं तीनों को तीन लोक, तीन वेद, तीन आश्रम कहना भी मनुस्मृति की मूल मान्यता के विरुद्ध है। यदि वे ही तीनों वेद और आश्रम मान लिये जायें तो फिर वेदों और आश्रमों की आवश्यकता ही नहीं रहती !

(३) प्रसंगविरोध—इन श्लोकों से प्रसंग भी भंग हो रहा है। १६८ वें श्लोक में स्त्रियों और निम्नस्तर के व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले श्रेष्ठ कर्मों का अनुकरण करने का निर्देश है। २१३ वें श्लोक में उसी चर्चा को अर्थवाद के रूप में विस्तार करते हुए वर्णित किया है कि निम्नस्तर के व्यक्ति से विद्या और धर्म का भी ग्रहण कर

लेवे । १६८ वें श्लोक की चर्चा २१३ वें से सम्बद्ध है । इन श्लोकों ने उसे तोड़ दिया है । इस प्रकार प्रसंगविरुद्ध वर्णन के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।

निम्नस्तर के व्यक्ति से भी ज्ञान-धर्म की प्राप्ति—

श्रद्धानः शुभां विद्यामाददोतावरादपि ।

अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥२१३॥[२।२३८](१५६)

(शुभां विद्यां श्रद्धानः) उत्तम विद्या प्राप्ति की श्रद्धा करता हुआ पुरुष (अवरात्+अपि आददोत्) अपने से न्यून से भी विद्या पावे तो ग्रहण करे (अन्त्यात्+अपि परं धर्मम्) नीच जाति से भी उत्तम धर्म का ग्रहण करे, और (दुष्कुलात् अपि स्त्रीरत्नम्) निचकुल से भी स्त्रियों में उत्तम स्त्री का ग्रहण करे, यह नीति है ॥ २१३ ॥ (सं० वि० ८५)

उत्तम वस्तुओं का सभी स्थानों से ग्रहण—

विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् ।

अमित्रादपि सद्बृत्तममेध्यादपि काञ्चनम् ॥२१४॥[२।२३९](१५७)

(विषात्+अपि+अमृतं ग्राह्यम्) विष से भी अमृत का ग्रहण कर लेना चाहिए, और (बालात्+अपि सुभाषितम्) बालक से भी उत्तम वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए, और (अमित्रात्+अपि सद्बृत्तम्) वैरी से भी श्रेष्ठ आचरण सीख लेना चाहिए, तथा (अमेध्यात्+अपि काञ्चनम्) अशुद्ध स्थान से भी स्वर्ण या मूल्यवान् वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहिए ॥ २१४ ॥

“विष से भी अमृत का ग्रहण करना, बालक से भी उत्तम वचन को ले लेना ।” (सं० वि० ८५)

स्त्रियो रत्नाद्यथो विद्या धर्मः शीघ्रं सुभाषितम् ।

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥२१५॥[२।२४०](१५८)

(स्त्रियः) उत्तम स्त्री (रत्नानि) नाना प्रकार के रत्न (विद्या) विद्या (धर्मः) सत्य (शीघ्रम्) पवित्रता (सुभाषितम्) श्रेष्ठभाषण (च) और (विविधानि शिल्पानि) नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात् कारीगरी (सर्वतः समादेयानि) सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करें ॥ २१५ ॥

(सं० प्र० ६६)

अनुयायित्वम् : इन अध्याय का विषय विद्या या शिक्षा प्राप्ति का है । २१३-२१५ श्लोकों में विद्या-सम्बन्धी बात प्रमुखतः कहने हुए साथ ही अन्य सामान्य शिक्षाप्रद बातें भी कह दी हैं जो कि लोकोक्तिवत् प्रसिद्ध हैं । विद्या से सम्बद्ध होने के कारण ये सभी वचन प्रामाणिक एवं विषयसंगत हैं ।

प्राप्ति काल में ब्राह्मण से विद्याध्ययन एवं उसके नियम—

ब्राह्मणादध्ययनमाप्तकाले विधीयते ।

अनुव्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥२१६॥ [२।२४१] (१५६)

(आप्तकाले) प्राप्ति काल में (ब्राह्मणात्) ब्राह्मण अर्थात् क्षत्रिय आदि से भी (अध्ययनम्) विद्या ग्रहण करना (विधीयते) विहित है (यावत् अध्ययनम्) शिष्य जब तक पढ़े तब तक (गुरोः अनुव्रज्या च शुश्रूषा) गुरु की आज्ञा का पालन और सेवा करे ॥ २१६ ॥

अनुव्रजित्वा : ब्राह्मण से विद्या प्राप्ति—ब्राह्मण से विद्याप्राप्ति की परम्परा मनु के पदवात् भी रही है। यद्यपि विद्यादान ब्राह्मण का प्रमुख कर्त्तव्य रहा है किन्तु अन्य वर्णों से भी विद्या प्राप्ति की जा सकती है इनकी पुष्टि मनु निम्न श्लोकों में पहले भी कर चुके हैं—

(क) श्रद्धातः शुभां विद्यामावदीतावरादपि ।

अन्यादपि परं धर्म स्त्रीरत्नं कुक्षुसादपि ॥ २। २१३ (२३८)

(ख) स्त्रियः रत्नाग्यथो विद्या.....समावेयानि सर्वतः ॥ २।२१५(२४०)

(ग) मुश्रुन ते भी इयका समर्थन किया है (मूत्रस्थान द्वि० प्र०)

“ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्त्तुमर्हति, राजन्यो वृषस्य, वैश्यो वैश्य-
स्वेवेति । सूत्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवर्जमुपनीतमध्यापयेद्वियेके ।” = ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य; क्षत्रिय, क्षत्रिय और वैश्य; तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़के सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे यह मत अनेक आचार्यों का है (सं० प्र० तृ० समु०)। उपनयन और मन्त्रसंहिताओं का निषेध यद् इमनिष्ठ है कि वह निश्चित समय पर इस संस्कार का अधिकार खो बैठता है। इसी कारण वह शूद्र कहलाता है, किन्तु पढ़ना उसको भी चाहिए।

नाब्राह्मणे गुरो शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत् ।

ब्राह्मणे चाननुचाने काङ्क्षन्गतिमनुत्तमाम् ॥२१७॥ [२।२४२] (१६०)

(अनुत्तमां गतिं काङ्क्षन् शिष्यः) प्रति उत्तमगति-चाहने वाले शिष्य को चाहिए कि वह (ब्राह्मणे गुरो) ब्राह्मण गुरु के यहाँ (च) और (अनु-+अनुचाने ब्राह्मणे) वेदों में अपाङ्गन साङ्गोपाङ्ग वेदों के अध्यापन में असमर्थ ब्राह्मण गुरु के समीप भी (आत्यन्तिकं वासं न वसेत्) आजीवन निवास न करे [क्योंकि इनके पास शिष्य की प्रगति रुक जाती है। सांगों-

पांग वेदों के ज्ञाता विद्वान् के पास रहकर ही उन्नति की उत्तम गति तक पहुँच सकता है] ॥ २१७ ॥

यदि स्वास्थ्यन्तिकं वासं रोचयेत् गुरोः कुले ।

युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात् ॥२१८॥ [२।२४३] (१६१)

(यदि तु) यदि ब्रह्मचारी शिष्य (गुरोः कुले) गुरुकुल में (आस्थ्यन्तिकं वासं रोचयेत्) जीवन-पर्यन्त निवास करना चाहे तो (आशरीर-विमोक्षणात्) शरीर छूटनेपर्यन्त (एनम्) अपने गुरु की (युक्तः परिचरेत्) प्रयत्न पूर्वक सेवा करे ॥ २१८ ॥

आजीवन गुरु-सेवा का फल—

आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुहम् ।

स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्यः शाश्वतम् ॥२१९॥ [२।२४४]

(यः तु) जो ब्रह्मचारी (आ समाप्तेः शरीरस्य) शरीर के त्याग होने तक अर्थात् मृत्युपर्यन्त (गुरुं शुश्रूषते) गुरु की सेवा करता है (सः) वह (विप्रः) विद्वान् व्यक्ति (ब्रह्मणः शाश्वतं सद्म) परमात्मा के निरूप्यपद मोक्ष को (अञ्जसा गच्छति) शीघ्र प्राप्त करता है ॥ २१९ ॥

अनुध्यातव्यः : प्रस्तुत श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

अन्तर्विरोध—(१) इस श्लोक में केवल गुरु-सेवा से ही ब्रह्म की प्राप्ति बतलायी है। मनु केवल एक ही कर्म से नहीं अपितु सभी निःश्रेयस कर्मों के पालन से मोक्ष-प्राप्ति मानते हैं [१२।८३, ३१]। (२) मनु ने १२।८३ और ३१ में जो निःश्रेयस कर्म परिगणित किये हैं यह कर्म उनमें परिगणित नहीं हैं, अतः यह मनु की मान्यता से संगत नहीं है इस लिए प्रक्षिप्त है। (३) इसमें गुरुसेवा को अनावश्यक महत्त्व दिया है। यदि मृत्युपर्यन्त केवल गुरुसेवा करना ही मोक्षदायक है तो फिर अन्य मनुस्मृति-विहित विधानों की क्या आवश्यकता रहेगी? इस प्रकार यह श्लोक मनु की मूलव्यवस्था एवं धारणा के ही विरुद्ध है।

समावर्तन की इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा का विधान एवं नियम—

न पूर्वं गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित् ।

स्नास्यंस्तु गुरुणाऽऽज्ज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत् ॥२२०॥ [२।२४५] (१६२)

(धर्मवित्) विधि का ज्ञाता शिष्य (स्नास्यन् तु) स्नातक बनने [समावर्तन कराने] की इच्छा होने पर (गुरुणा+आज्ज्ञप्तः) गुरु से आज्ञा प्राप्त करके (शक्त्या) शक्ति के अनुसार (गुर्वर्थम्) गुरु के लिए (आहरेत्) दक्षिणा प्रदान करे। किन्तु (पूर्वं गुरवे किञ्चित् न उपकुर्वीत) समावर्तन

से पहले गुरु को दक्षिणा या भेंट रूप में कुछ नहीं देना चाहिए ॥ २२० ॥

गुरुदक्षिणा में देय वस्तुएं—

क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम् ।

धान्यं वासांसि वा शाकं गुरवे प्रीतिमावहेत् ॥ २२१ ॥ [२।२४६] (१६३)

[शिष्य यथाशक्ति] (क्षेत्रम्) भूमि (हिरण्यम्) सोना (गाम्) गाय (अश्वम्) घोड़ा (छत्र + उपानहम् + आसनम्) छाता, जूता, आसन (धान्यम्) अन्न [वासांसि] वस्त्र (वा) अथवा (शाकम्) शाक (गुरवे) गुरु के लिए (प्रीतिम् + आवहेत्) प्रीतिपूर्वक दक्षिणा में दे ॥ २२१ ॥

गुरु के निधन पर गुरुदक्षिणा का विधान—

आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते ।

गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद् वृत्तिमाचरेत् ॥ २२२ ॥ [२।२४७]

(आचार्ये तु खलु प्रेते) आचार्य की यदि मृत्यु हो जाये तो (गुणान्विते गुरुपुत्रे) गुणवान् गुरुपुत्र में (गुरुदारे) गुरुपत्नी में (वा) अथवा (सपिण्डे) गुरु के वंश वाले योग्य व्यक्ति में (वृत्तिम्) दक्षिणा देने के कर्तव्य को (गुरुवत्) गुरु के समान (आचरेत्) करे अर्थात् गुरु की मृत्यु हो जाने पर उक्त व्यक्तियों को गुरु के स्थान की दक्षिणा दे ॥ २२२ ॥

एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवाम् ।

प्रयुञ्जानोऽग्निशुश्रूषां साधयेद्देहमात्मनः ॥ २२३ ॥ [२।२४८]

(एतेषु + अविद्यमानेषु) इन [गुरुपुत्र, गुरुपत्नी और सपिण्ड व्यक्ति] के विद्यमान न होने पर शिष्य (स्नान-आसन-विहारवान्) स्नान, आसन [=संध्योपासन के लिए बैठना] तथा अन्य नित्यकर्म करता हुआ (अग्निशुश्रूषां प्रयुञ्जानः) अग्नि-होत्र करते हुए (आत्मनः देहं साधयेत्) अपने शरीर को साधे—तपस्या से संयमित करे ॥ २२३ ॥

अनुश्रुतिः : २२२ एवं २२३ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

अन्तर्विरोध—२२३ वें श्लोक के वर्णन से यह प्रकट होता है कि यदि गुरुपुत्र, गुरुपत्नी और गुरु का कोई सपिण्ड व्यक्ति विद्यमान न हों तो शिष्य गुरु की अग्नि के पास रहकर ही जीवन पर्यन्त अपनी देह को साधे। इससे यह भी संकेत मिलता है कि वह गृहस्थाश्रम में भी न जाये। यह बात मनुस्मृति की व्यवस्थाओं से अनेक प्रकार से विरुद्ध जानी है। ३।२ में ही मनु ने ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात् सभी को गृहस्थ में जाने का निर्देश दिया है। जहाँ तक गुरु की बात है, एक गुरु के दिवंगत हो जाने पर अन्य

गुरु को स्वीकार किया जा सकता है। अन्य गुरुको स्वीकार न किया जाये, मनुस्मृति में ऐसा कोई बन्धन नहीं है। अपितु २।२१५ [२४०] के इस कथन से—“स्त्रियः रत्नान्यथो विद्या.....समावेद्यानि सर्वतः” तो विभिन्न गुरुओं से विद्या प्राप्त कराने का विधान है। इसी प्रकार २।११५-११६ [१४०-१४१]; १२४ [१४६] श्लोकों में भी विभिन्न गुरुओं से विद्या प्राप्त कर लेने का संकेत है। जब विभिन्न गुरुओं से विद्या प्राप्त करने की छूट है तो एक ही गुरु के भरोसे उसकी अनुपस्थिति में जीवनभर बैठकर तपस्या करने वाली बात मनुस्मृति सम्मत सिद्ध नहीं होती। २२२ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से इससे सम्बद्ध है तथा उसका २२०-२२१ श्लोकों के कथन से भी विरोध है, अतः वह भी प्रक्षिप्त है।

आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का फल—

एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविप्लुतः ।

स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २२४ ॥ [२।२४६] (१६४)

(यः विप्रः) जो द्विज विद्वान् (एवम्) उपर्युक्त प्रकार मे (अविप्लुतः) अखण्डित रूप से (ब्रह्मचर्यं चरति) ब्रह्मचर्याश्रम का सेवन करता है (सः उत्तमं स्थानं गच्छति) वह उत्तम स्थान अर्थात् ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है (च) और (इह) इस संसार में (पुनः न आजायते) पुनर्जन्म नहीं लेता अर्थात् प्रवाह से चलने वाले जन्म-मरण मे छूट जाता है। [क्योंकि मोक्षमुख भी कर्मों का फल है, अतः वह सान्तकर्मों का अनन्त फल नहीं हो सकता। अतः मोक्ष-मुख की अवधि पूरी होने पर जीव का फिर जन्म अवश्य होता है।] ॥ २२४ ॥

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दीभाष्यसमन्वितायाश्च
‘अनुशोलन’ समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृती
संस्कार—ब्रह्मचर्याश्रमात्मको द्वितीयोऽध्यायः ॥



अथ तृतीयोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाम्यां सहितः]

(समावर्तन, विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान-विषय)

[समावर्तन ३। १—३ तक]

ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययन काल—

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् ।

तर्दधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥ (१)

(गुरौ) गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी को (त्रैवेदिकं व्रतम्) ज्ञान कर्म, उपासना रूप त्रिविध ज्ञानवाले वेदों के अध्ययन सम्बन्धी ब्रह्मचर्य व्रत का (षट्त्रिंशद्+आब्दिकम्) छत्तीस वर्ष पर्यन्त (तत्+अधिकम्) उस से आगे अर्थात् अठारह वर्ष पर्यन्त (वा) अथवा (पादिकम्) उन छत्तीस के चौथे भाग अर्थात् नौ वर्ष पर्यन्त (वा) अथवा (ग्रहण+अन्तिकम्+एव) जब तक विद्या पूरी न हो जाये तब तक (चर्यम्) पालन करना चाहिए ॥ १ ॥

“आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात् वेद के साङ्गोपाङ्ग पढ़ने में बारह-बारह वर्ष मिलके छत्तीस और आठ मिलके चवालीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचर्य और आठ पूर्व के मिलके छब्बीस वा नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे ।” (सं० प्र० ४४)

समावर्तन कब करे—

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम् ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यं गृहस्थाश्रममावसेत् ॥ २ ॥ (२)

(वेदान् वेदौ वा वेदं यथाक्रमम्+अधीत्य) ब्रह्मचर्य से चार, तीन, दो अथवा एक वेद को यथावत् पढ़ (अविप्लुतब्रह्मचर्यः) अखण्डित ब्रह्मचर्य का पालन करके (गृहस्थाश्रमम्+आवसेत्) गृहाश्रम को धारण करे ॥ २ ॥ (सं० वि० ६८)

“जब यथावत् ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल बर्तकर धर्म से चारों, तीन वा दो अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़के जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे।” (स० प्र० ७=)

अनुवर्तनः : (१) समावर्तन से अभिप्राय—गुरु के समीप रहकर, ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करते हुए वेदों एवं वेदाङ्गशास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर गुरुकुल से घर वापिस लौटने का नाम ‘समावर्तन’ है। यह प्रधानतया गृहस्थ धारण के उद्देश्य से किया जाता है। ‘सम्’ और ‘आ’ उपसर्गपूर्वक ‘वृत्-वर्तने’ (भ्वादि) धातु से ल्युट् प्रत्यय के योग से समावर्तन शब्द निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है—‘वापिस लौटना’। यह एक संस्कार है, जिसको ‘स्नात’ भी कहा जाता है। इसीकारण समावर्तन करने वाले को ‘स्नातक’ कहा जाता है। स्नातक तीन प्रकार के होते हैं—“त्रय एव स्नातका भवन्ति। विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातकश्चेति।”

पार० गृह्यसूत्र २।५।३२॥

अर्थात्—स्नातक (=गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर लौटने वाले शिक्षित व्यक्ति) तीन प्रकार के होते हैं—१. विद्यास्नातक=जो विद्या को समाप्त करके किन्तु ब्रह्मचर्यव्रत को पूर्ण न करके समावर्तन करते हैं, २. व्रतस्नातक=जो ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त करके किन्तु विद्या को पूर्ण किये बिना स्नातक बनते हैं, ३. विद्याव्रतस्नातक= जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य व्रत दोनों को पूर्ण करके स्नातक बनते हैं।

(२) समावर्तन का काल और उसके आवश्यक नियम—उपर्युक्त ३।१-२ श्लोकों में मनु ने समावर्तन के काल और उसके लिए आवश्यक नियमों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार समावर्तन के लिए प्रमुख दो नियम हैं—

१. त्रयीविद्यारूप चारों वेदों के अध्ययन-काल में ३६, १८ और ६ वर्षों की तीन अवधि निर्धारित की हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम नौ वर्ष तक गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना अनिवार्य है [३।१]।

२. इसके साथ-साथ यह भी अनिवार्य है कि द्विज कम से कम एक वेद का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन अवश्य करे। उससे अधिक दो, तीन, चार वेदों का अध्ययन करना उसकी इच्छा पर निर्भर है [३।२]।

इन दोनों नियमों को पूर्ण करके ही द्विज के लिए स्नातक बनकर गृहाश्रम को धारण करने का विधान है, अन्यथा नहीं।

इन तथा मनु के अन्य वचनों के अनुसार समावर्तन का काल कम से कम २५ वर्ष के अनन्तर निर्धारित होता है। इसे दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

(क) उपनयन संस्कार में [२।११-१३(२।३६-३८)] मनु ने उपनयन काल में कई-कई विकल्पात्मक विधान दिये हैं। सामान्य अवस्था में सबसे कम आयु ८ वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन होता है। ६ वर्ष कम से कम एक वेद के साङ्गोपाङ्ग अध्ययन का

काल है। वेद के अध्ययन से पूर्व उन्हें समझने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा एवं सामान्य वेदाङ्गों [=शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष (छह)] का गम्भीर ज्ञान भी आवश्यक है [२।११५(२।१४०)]।

इसमें वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर दर्शन-उपनिषदों तक ७-८ वर्ष का समय लगता है। इस प्रकार ८+८+८=२४ वर्षों का कम से कम प्रारम्भिक वेद का पूर्ण शिक्षाकाल बनता है।

(ख) मनु ने २५ वर्ष तक गुरुकुल-निवास का विधान किया है उसके पश्चात् गृहस्थ में जाने का कथन है—“अतुर्यमायुषो भागमुत्तिष्ठाद्यं गुरौ द्विजः। द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥” [४।१] यह आयु का पहला भाग २५ वर्ष तक का समय है। तब तक विद्यार्थी गुरुकुलवास करे। पुनः समावर्तन कर गृहस्थ बने। [इस विषय में विस्तृत विवेचन ३।४ की समीक्षा में पढ़िये]।

इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में कम से कम २५ वर्ष तक अध्ययन काल अवश्य होता है। उसके पश्चात् ही समावर्तन करना मनुसम्मत है।

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः।

सखिणं तल्प-आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ ३ ॥ (३)

(तं स्वधर्मेण प्रतीतम्) जो स्वधर्म अर्थात् यथावत् आचार्य और शिष्य का धर्म है उससे युक्त (पितुः ब्रह्मदायहरम्) पिता=जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण (सखिणम्) और माला का धारण करने वाले (तल्प आसीनम्) अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को (प्रथमं गवा अर्हयेत्) प्रथम गोदान से सत्कार करे। वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ ३ ॥

(स० प्र० ७८)

अनुशीलनः 'सखी' शब्द 'गृहस्थी' के लिए रूढ है और इसका मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। देखिए २।१४२ पर विस्तृत विवेचन।

(विवाह-विषय)

[३।४ से ३।६६ तक]

गुरु की आज्ञा से विवाह—

गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि।

उद्धेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् ॥ ४ ॥ (४)

(यथाविधि समावृत्तः) यथावत् उत्तम रीतिसे ब्रह्मचर्य और विद्या

को ग्रहण कर (गुरुणा + अनुमतः स्नात्वा) गुरु की आज्ञा से स्नान करके (द्विजः) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (सवर्णाम्) अपने वर्ण की (लक्षणान्विताम्) उत्तम लक्षण युक्त (भार्याम्) स्त्री से (उद्वहेत) विवाह करे ॥ ४ ॥
(सं० वि० ६६)

“गुरु की आज्ञा से स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दरलक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ।”
(सं० प्र० ७८)

अनुशीलन : (१) विवाह से अभिप्राय—‘वि’ उपसर्ग पूर्वक ‘वह-प्रापणे, धातु से ‘घञ्’ प्रत्यय के योज से विवाह और ‘उद्’ उपसर्ग से इसका पर्यायवाची ‘उद्वाह’ शब्द बनता है । जिनका अर्थ है—‘विशेष विधि पूर्वक एक-दूसरे को प्राप्त करके पारस्परिक जिम्मेदारी को वहन करना ।’ यह एक शास्त्रसम्मत सामाजिक विधान है । इसमें स्त्री-पुरुष सुख-सुविधा हेतु और गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करने के लिए दम्पती के रूप में एक-दूसरे के साथ रहने का निश्चय करते हैं और पारस्परिक दायित्वों को निभाते हैं । इस प्रकार रहकर सन्तानोत्पत्ति के द्वारा मानव वंश की अभिवृद्धि करते हैं ।

इसकी मनुस्मृति में ‘पाणिग्रहण’ संस्कार भी कहा गया है । इसका भी यही अभिप्राय है कि उपयुक्त उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे का हाथ पकड़ना अर्थात् सहारा देना ।

(२) मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की आयु—अत्यन्त प्रसिद्धि के कारण मनु ने यहां विवाह की आयु का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट उल्लेख है । प्रसंगवश उस पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता है ।

वेदों में तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्य की औसत आयु एक सौ वर्ष मानी गई है । इसी आधार पर वेदों में सौ और सौ वर्षों से अधिक स्वस्येन्द्रियों से युक्त जीवन-प्राप्ति की प्रार्थना की गयी है—‘तृणक्षुब्धहितं पुरस्ताच्छुक्लमुच्चरत् । पश्येम शरवः शतं जीवेम शरवः शतं शृणुयाम शरवः शतं ब्रह्माम शरवः शतम् अदीनाः स्वाय शरवः शतं मृषश्च शरवः शतात् ॥’ [यजु० ३६।२४]

(क) इस औसत आयु के आधार पर मनु ने मनुष्य-जीवन को निम्न चार अवस्थाओं में विभाजित करके उसकी अवधि निर्धारित की है—

चतुर्थमायुषो भागमुधिरवाचं गुरो द्विजः ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ ४ । १ ॥ ५ । १६६ ॥

वनेषु च विहरत्येवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गामपरिव्रजेत् ॥ ६ । ३३ ॥

सौ वर्ष की आयु के इस प्रकार २५-२५ वर्ष के चार भाग होते हैं । आयु के

प्रथमभाग में अर्थात् २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्यपालन करना चाहिए। द्वितीय भाग में अर्थात् २५ के पश्चात् गृहस्थ बनकर रहे। पुत्र का पुत्र होने पर अथवा स्वचा, केश पक जाने पर [६।२] गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर, तृतीयभाग में अर्थात् ७५ वर्ष तक वनस्थ रहे। उसके पश्चात् चतुर्थ भाग में संन्यासी बन जाये।

इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पुरुष की विवाह की आयु कम से कम २५ वर्ष है। उससे पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए।

(ख) स्त्री के विवाह की आयु—इसका संकेत मनु ने ६।६० श्लोक में दिया है—
“त्रोणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्युत्तमती सती। ऊर्ध्वं तु कालावेतस्माद्विन्वेत सद्ब्रह्मं पतिम्।”

अर्थात्-मासिक धर्म प्रारम्भ होने के पश्चात् तीन वर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करने के उपरान्त कन्या स्वयंवर कर सकती है।

कन्याओं को मासिक धर्म सामान्यतः १३-१५ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता है। तीन वर्ष के अनन्तर यह काल १६-१८ की आयु का होता है। अतः कन्या के विवाह की कम से कम आयु १६ वर्ष है। २५ वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह करे। इससे अधिक आयु में इतने ही अनुपात से विवाह होना चाहिए। क्योंकि प्रजनन सामर्थ्य एवं शरीर-रचना की दृष्टि से १६ वर्ष की कन्या २५ वर्ष के पुरुष के तुल्य होती है।

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कर्त्तव्यों का जो वर्णन किया है, जैसे—गृहकार्यों में दक्ष होना, घर की साज-सज्जा, शुद्धि आदि में चतुर होना, आय-व्यय की संभाल रखना [५।१५०], गृह-स्वामिनी होना, सभी वस्तुओं की संभाल, धार्मिक अनुष्ठानों का संयोजन [६।११, २६-२८, ६६, १०१], इनसे भी यह ज्ञात होता है कि ये किसी अल्पायु के नहीं अपितु समझदार युवती के लिए विहित कर्त्तव्य हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य आयु १६-१७ वर्ष से ऊपर ही है।

(३) आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु—इस विषय में वैद्यक ग्रन्थ सर्वोत्तम प्रमाण होते हैं, क्योंकि उनमें शरीर के आधार पर उचित-अनुचित का विवेचन होता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘सुश्रुत’ में शरीर की वृद्धि और क्षीणता के आधार पर चार अवस्थाएँ प्रदर्शित की हैं, और तदनुसार विवाह की आयु निर्धारित की है—

“चतस्रो अवस्थाः शरीरस्य वृद्धिः, यौवनम्, संपूर्णता, किञ्चित् परिह्राणः चेति। आयोऽश्वात् वृद्धिः, आपञ्चविंशतः यौवनम्, आचस्वारिंशतः संपूर्णता, सप्तः किञ्चित् परिह्राणः चेति।” [सुश्रुत सूत्रस्थान ३५।२५॥]—शरीर की चार अवस्थाएँ हैं, सोलहवें वर्ष से चौबीस तक वृद्धि—बढ़ोतरी की अवस्था, पच्चीसवें वर्ष से यौवन का प्रारम्भ होता है और बालीसवें में यौवन की परिपक्वता होती है। उसके पश्चात् शरीर की धातुओं में कुछ-कुछ क्षीणता आने लगती है।

यह युवावस्था ही विवाह की अवस्था होती है। इससे पूर्व शरीर की धातुओं

में अपरिपक्वता होती है। बालविवाह से, जहां शरीर की धातुओं का विकास रुक जाता है, वहां गर्भ और सन्तान सम्बन्धी अनेक आशंकाएं हो जाती हैं; जैसे—गर्भ का न रहना, गर्भस्राव, गर्भपात, दुर्बल सन्तान का जन्म, जन्म के बाद शीघ्र मृत्यु, सन्तान का अस्वस्थ रहना आदि। इसी कारण सुश्रुतकार ने २५ वर्ष से पूर्व पुरुष का, १६ वर्ष से पूर्व कन्या के विवाह का निषेध किया है। कुशल वैद्य २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष की कन्या को प्रजनन में समसामर्थ्य वाला बताते हैं। निम्न प्रमाणों में ये मान्यताएं द्रष्टव्य हैं—

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्मारी सु षोडशे ।

समत्वागतबीबीं तो जानीयात् कुशलौ सिषक् ॥ सुश्रुत सूत्र० ३५ । १० ॥

ऊनषोडश वर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ।

यद्याधसे पुमान् गर्भं कुक्षिस्यः स विपद्यते ॥

आतो या न चिरं जीवेत् जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।

तस्मादस्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ सुश्रुत श० १०।४७-४८ ॥

(४) वेद में विवाह की आयु—वेद में ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा युवक पुरुष को वरण करने का कथन है। उपर्युक्त प्रमाणों में युवावस्था २५ वर्ष के अनन्तर बतलायी गयी है। इस प्रकार वेदों में भी २५ वर्ष के अनन्तर ही विवाह की आयु मानी गयी है। मन्त्र है— “ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ॥” अथ० ११ । ५ । ५ ॥

अर्थात्—“जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण जवान होके अपने सदाश कन्या से विवाह करें, वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ युवति हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे।” (सं० वि० वेदारम्भप्रकरण)

विवाह-योग्य कन्या—

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ५ ॥ (५)

(या मातुः असपिण्डा) जो स्त्री माता की छह पीढ़ी (च) और (पितुः असगोत्रा) पिता के गोत्र को न हो (सा) वही (द्विजातीनाम्) द्विजों के लिए (दारकर्मणि) विवाह करने में श्रेष्ठ (प्रशस्ता) उत्तम है ॥ ५ ॥

श्रेष्ठ (मैथुने) मैथुन के लिए (सं० वि० ६६)

“जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है” (सं० प्र० ७६)

विवाह में त्याज्य कुल—

महान्स्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः ।

स्त्रीसम्बन्धे दशतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥ (६)

(स्त्रीसम्बन्धे एतानि दशकुलानि) विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुल (गो+अजा+अवि+धनधान्यतः समृद्धानि महान्ति+अपि) चाहे वे गाय, आदि पशु, धन और धान्य में कितने ही बड़े हों (परिवर्जयेत्) उन कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ॥ ६ ॥ (सं० वि० ६६)

ॐ (अजा) बकरी (अवि) भेड़.....

“चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री, आदि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाह-सम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर दे ।” (सं० प्र० ८०)

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशंसम् ।

अय्यामयाव्यपस्मारिश्चित्रिकुण्ठिकुलानि च ॥ ७ ॥ (७)

वे दश कुल ये हैं—(हीनक्रियम्) एक=जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो (निष्पुरुषम्) दूसरा—जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो (निश्छन्दः) तीसरा—जिस कुल में कोई विद्वान् न हो (रोमश+अशंसम्) चौथा जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े-बड़े लोम हों, पांचवां—जिस कुल में बवासीर (क्षयी) छटा—जिस कुल में क्षयी (राजयक्ष्मा) रोग हो (ग्रामयावी) सातवां—जिस कुल में अग्निमन्दता से ग्रामाशय रोग हो (अपस्मारि) आठवां—जिस कुल में मृगी रोग हो (श्चित्रि) नववां—जिस कुल में श्वेतकुण्ठ (च) और (कुण्ठि कुलानि) दशवां—जिस कुल में गलितकुण्ठ आदि रोग हों उन कुलों की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुष से विवाह कभी न करे ॥ ७ ॥ (सं० वि० ६६)

“जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े-बड़े लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, ग्रामाशय, मिरगी, श्वेतकुण्ठ और गलितकुण्ठयुक्त कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले में भी प्रविष्ट हो जाते हैं । इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए ।” (सं० प्र० ८०)

विवाह में त्याज्य कन्याएं—

नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकांगीं न रोगिणीम् ।

नालोमिका नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ८ ॥ (८)

नक्षत्रवृक्षनदीनाम्नीं

नाम्न्यपर्वतनामिकाम् ।

न पक्ष्यग्रहिप्रेष्यनाम्नीं न च भोषणनामिकाम् ॥ ६ ॥ (६)

(कपिलाम्) पीले वर्ण वाली (अधिक+अङ्गीम्) अधिक अङ्गवाली जैसी छंगुली आदि (रोगिणीम्) रोगवती (अलोमिकाम्) जिस के शरीर पर कुछ भी लोम न हों (अतिलोमाम्) जिसके शरीर पर बड़े-बड़े लोम हों (वाचाटाम्) व्यर्थ अधिक बोलने वाली (पिङ्गलाम्) जिसके पीले बिल्ली के सहस्र नेत्र हों, तथा (ऋक्ष-वृक्ष-नदी-नाम्नीम्) जिस कन्या का ऋक्ष=नक्षत्र पर नाम अर्थात् रेवती रोहिणी इत्यादि, ॐ नदी=जिसका गंगा, यमुना इत्यादि (अन्त्य-पर्वत-नामिकाम्) पर्वत—जिसका विध्याचला इत्यादि (पक्षी +अहि-प्रेष्य-नाम्नीम्) पक्षी अर्थात् कोकिला, हंसा इत्यादि, अहि अर्थात् उरगा, भोगिनी इत्यादि, प्रेष्य—दासी इत्यादि और जिस कन्या का (भोषणनामिकाम्) कालिका, चंडिका इत्यादि नाम हो (न) उससे विवाह न करे ॥ ८, ९ ॥ (सं० वि० ६६) ॐ

ॐ (वृक्ष) तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नाम वाली । (सं० प्र० ८०)

न पीले वर्ण वाली, न अधिकऋङ्गी अर्थात् पुरुष^१ से लम्बी-चौड़ी अधिक

१. महर्षि-व्यासनान्द ने (३।८) श्लोक के 'अधिकाङ्गी' शब्द के दो अर्थ किये हैं—
(१) अधिक अङ्ग वाली, जैसी छंगुली आदि । (२) पुरुष से लम्बी चौड़ी । इस पर पौराणिकों का यह आक्षेप मिथ्या है कि इस शब्द के दोनों अर्थ नहीं बन सकते । देखिये इन अर्थों की सिद्धि—

(१) अधिकाङ्गीम्=अधिकाङ्गानि यस्यास्ताम् । अर्थात् जिसके अधिक अङ्ग हैं, वह छंगुली आदि । इस अर्थ में 'अधिक' शब्द विशिष्ट वाची तथा 'अङ्ग' शब्द अवयववाची है ।

(२) अधिकाङ्गीम्=अधिकम् अङ्ग=शरीरं यस्यास्ताम् । अर्थात् जिसका शरीर अधिक=लम्बा चौड़ा है, उसको । इस अर्थ में अधिक, 'अध्याख्य' = बढ़ा हुआ अर्थ में और 'अङ्ग' शब्द अङ्ग समुदाय शरीर अर्थ का बोधक है । इन अर्थों में प्रमाण—

(क) 'अधिकम्' अष्टाध्यायी (५।२।७३) सूत्र में 'अध्याख्य' शब्द का उत्तर-पदलोप और 'कन्' प्रत्यय से इस की सिद्धि की है । और निरुक्त में 'अधि' शब्द का 'उपरिभाव' अर्थ भी बताया है । 'अधीत्युपरिभावमैश्वर्यं वा ।' (निरुक्त १।३)

ॐ [अवचित अर्थ—कपिल (भूरे) वर्णवाली, अधिक (या कम) अङ्गों वाली (यथा—छह अंगुलियों वाली या चार या तीन अंगुलियों वाली आदि), नित्य रोगिणी रहने वाली, बिल्कुल रोम से रहित या बहुत अधिक रोमवाली, अधिक बोलने वाली और भूरी-भूरी आँखों वाली कन्या से विवाह न करे ॥ ८ ॥]

बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित न बहुत लोमवाली न बकवाद करने हारी और भूरे नेत्रवाली, न ऋक्ष अर्थात् अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीबाई चित्तारि आदि नक्षत्र नाम वाली; तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा चमेली आदि वृक्ष नाम वाली; गंगा, जमना आदि नदी नाम वाली; चांडाली आदि भ्रन्त्य नाम वाली, विन्ध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नाम वाली; कोकिला, मैना आदि पक्षी नाम वाली; नागी, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली; माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेय्य नाम वाली और भीमकुंभरि, चण्डिका, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए, । क्योंकि ये नाम कुत्सित तथा अन्य पदार्थों के भी हैं ।” (स० प्र० ८०)

विवाहयोग्य कन्या—

अथङ्गाङ्गीं सोम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ।

तनुलोमकेशदशनां मृदुङ्गीमुद्वहेत्स्त्रियम् ॥ १० ॥ (१०)

(अथङ्ग+अङ्गीम्) जिसके सरल सूधे अङ्ग हों, विरुद्ध नहीं (सोम्यनाम्नीम्) जिसका नाम सुन्दर अर्थात् यशोदा, सुखदा आदि हो (हंस-वारणगामिनीम्) हंस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो (तनु-लोम-केशदशनाम्) सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त (मृदु+अङ्गीम्) जिसके सब अङ्ग कोमल हों, वैसी (स्त्रियम् उद्वहेत्) स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए ॥ १० ॥ (स० प्र० ८१)

“किन्तु जिसके सुन्दर अंग, उत्तम नाम, हंस और हस्तिनी के सदृश चाल वाली, जिसके सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हों, जिस के सब अंग कोमल हों, उस स्त्री से विवाह करे ” (स० वि० ६६)

भ्रातृरहित कन्या से विवाह में सावधानी—

यस्यास्तु न भवेद् भ्राता न विनायक वा पिता ।

नोपयच्छेत् तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥ ११ ॥

(ख) ‘अङ्ग’ शब्द अवयव अर्थ में तो प्रसिद्ध ही है किन्तु अङ्गी=शरीर के लिए भी आता है । जैसे ‘येनाङ्गविकारः’ (प्र० २।३।२०) सूत्र में पाणिनि मुनि ने ‘अङ्गी’ अर्थ में ‘अङ्ग’ शब्द का प्रयोग किया है । महाभाष्य में महर्षि-पतञ्जलि लिखते हैं—‘अंगं शब्दोऽयं समुदायशब्दः ।’ इस पर कैयट लिखते हैं—‘अङ्गान्यस्य सन्तीत्यर्थ-आदिस्वा-दश्चप्रत्ययान्तोऽङ्गागशब्दो निर्विष्टः ।’

अतः ‘अङ्ग’ शब्द का केवल अवयव अर्थ मानकर महर्षि के अर्थ पर आक्षेप करने वालों को प्रथम शास्त्रोपाध्वयन भलीभांति करना चाहिये । महर्षि दयानन्द व्याकरणादि के उद्भट्ट विद्वान् तथा योगी ये, वे शास्त्रविरुद्ध अर्थ कैसे कर सकते थे ?

(यस्याः तु भ्राता न भवेत्) जिस लड़की का कोई भाई न हो (वा) प्रथवा (पिता न विज्ञायेत) जिसके पिताका ज्ञान न हो (ताम्) ऐसी कन्या से (प्राज्ञः) बुद्धिमान् मनुष्य (पुत्रिकाधर्मशङ्कया) पुत्रिकाधर्म [पुत्रिका उसको कहा जाता है जिसके ज्येष्ठ पुत्र को उसका नाना गोद से लेता है] की शंका से (न उपयच्छेत्) विवाह न करे ॥ ११ ॥

सवर्ण कन्या के अतिरिक्त विवाह-विधान —

सवर्णस्य द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि ।

कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥ १२ ॥

शूद्रश्च भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते ।

ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ १३ ॥

(अग्रे) प्रथम रूप में (द्विजातीनाम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन द्विजों को (दार-कर्मणि) विवाह के लिए (सवर्णं प्रशस्ता) अपने वर्णों की स्त्री उत्तम है (तु) किन्तु (कामतः प्रवृत्तानाम्) कामभावनाओं के आधार पर या उनके बशीभूत होकर विवाह में प्रवृत्त होने वाले लोगों के लिए [जैसे केवल मात्र सुन्दरता, आकर्षण प्रेमके कारण विवाह करना] (इमाः क्रमशः वराः स्युः) ये आगे कही स्त्रियां क्रमशः विवाह के लिए श्रेष्ठ हैं— (शूद्रस्य भार्या शूद्रा एव) शूद्र व्यक्ति की पत्नी केवल शूद्रा ही हो (विशः सा च स्वा च स्मृते) वैश्य की पत्नी शूद्रवर्ण की स्त्री और अपने वर्णों की दोनों वर्णों में से हो सकती है, ऐसा विधान है (च) और (राज्ञः ते च स्वा च एव) क्षत्रिय की पत्नी उन दोनों वर्णों अर्थात् शूद्र या वैश्य वर्णों की और अपने क्षत्रिय वर्ण की हो सकती है (अग्रजन्मनः) ब्राह्मण की (ताः च स्वा च) वे अर्थात् शूद्रा वैश्या, क्षत्रिया सभी वर्णों की स्त्रियां पत्नी बन सकती हैं और अपने ब्राह्मण वर्ण की स्त्री भी। इस प्रकार ब्राह्मण चारों वर्णों में विवाह कर सकता है ॥ १२, १३ ॥

शूद्र कन्या से विवाह का निषेध और उससे हानियाँ—

न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठत्यतोः ।

कस्मिंश्चित्पि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपविश्यते ॥ १४ ॥

(आपदि + अपि हि तिष्ठत्यतोः) आरति में पड़े हुए (ब्राह्मणक्षत्रिययोः) ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए (कस्मिंश्चित् + अपि वृत्तान्ते) किसी भी विधान या अवस्था में (शूद्रा भार्या न उपदिश्यते) शूद्रा को पत्नी बनने का विधान नहीं है ॥ १४ ॥

हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्धन्तो द्विजातयः ।

कुलाभ्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम् ॥ १५ ॥

(द्विजातयः) द्विजाति लोग (मोहात्) मोह या काम में फँसकर (हीनजानि-स्त्रियम् उद्धन्तः) हीन जाति की स्त्री से विवाह करके (ससन्तानानि कुलानि + एव आशु शूद्रताम्) सन्तान सहित अपने कुलों को ही शीघ्र शूद्रता को (नयन्ति) प्राप्त कराने हैं अर्थात् ऐसे परिवार शीघ्र शूद्र बन जाते हैं ॥ १५ ॥

शूद्रावेदी पतस्यत्रैवतथ्यतनयस्य च ।

शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६ ॥

(शूद्रावेदी पतति) 'द्विज शूद्र-स्त्री के साथ विवाह करने से पतित हो जाता है' (अत्रेः च उतथ्यतनयस्य) यह अत्रि ऋषि और उतथ्य ऋषि के पुत्र गौतम का मत है (सुतोत्पत्त्या, शौनकस्य) 'उसमें सन्तान उत्पन्न करने से पतित होता है' यह शौनक ऋषि का मत है (तत् + अपत्यतया, भृगोः) 'पुत्र का पुत्र भी यदि शूद्रा से उत्पन्न होता है, तब वह पतित होता है' यह भृगु ऋषि का मत है ॥ १६ ॥

शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् ।

जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥

(शूद्रां शयनम् + आरोप्य) शूद्रा स्त्री के साथ रमण करके (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (अधोगतिं याति) पतित हो जाता है (तस्यां सुतं जनयित्वा) उसमें संतान उत्पन्न करके तो (ब्राह्मण्यात् + एव हीयते) अपने ब्राह्मणपन से ही गिर जाता है = उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है ॥ १७ ॥

देवपित्र्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु ।

नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्गं न गच्छति ॥ १८ ॥

(यस्य तु) जिस व्यक्ति के यहां (देव-पित्र्य + आतिथेयानि) देव, पितर और अतिथियों को उद्देश्य करके किये गये यज्ञ आदि कर्म (तत् प्रधानानि) उस शूद्र स्त्री की प्रधानता में होते हैं (तत् पितृदेवाः न + अश्नन्ति) उसके भागों को पितर और देव ग्रहण नहीं करते (च) और (सः स्वर्गं न गच्छति) उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता ॥ १८ ॥

वृषलीकेनपीतस्य निःश्वामोपहतस्य च ।

तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १९ ॥

(वृषली-केन-पीतस्य) जिसने शूद्र स्त्री के होठों के रस का पान कर लिया है उसकी (च) और (निःश्वामोपहतस्य) जिसके मुख पर उसके सांसों का स्पर्श हुआ हो (च) तथा (तस्यां प्रसूतस्य) उस शूद्र स्त्री से जो उत्पन्न हुआ हो; उसकी (निष्कृतिः न विधीयते) कभी शुद्धि नहीं हो सकती, वह पतित ही रहता है ॥ १९ ॥

अनुशीलन : ११ से १९ तक के श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरुद्ध—६—९ श्लोक तक विवाह में अयोग्य कन्याओं को बनाकर श्लोक १० में योग्य कन्या के गुण लिखे हैं। ११ वें श्लोक में पुनः अयोग्य का कथन है। यहाँ ६ वें तक अयोग्य का प्रसंग समाप्त हो गया था, १० वें श्लोक में कन्या के गुणों का कथन है। २० वें श्लोक का प्रसंग १० वें के साथ है ११ वें के साथ नहीं है। अतः प्रसंग-विरुद्ध है। यह श्लोक १० वें श्लोक का अपवाद माना जाय तो इसका अर्थ होगा कि जिसके भाई नहीं हों, उस कन्या के साथ विवाह न करे। अर्थात् वह कन्या अवि-

वाहित ही रहे या अयोग्य वर ही उसे प्राप्त हो। ऐसा होना कन्या के साथ अन्याय ही है। धर्मानुसार यह उचित व्यवस्था नहीं होगी। जिस कन्या का पिता अविज्ञात हो उसके ज्येष्ठ पुत्र को अविज्ञात नाना कैसे गोद लेगा? अतः 'पुत्रिका धर्नशङ्कया' के प्रचलित अर्थ के साथ परस्पर विरोध है। यदि इस वचन का अर्थ यह किया जाये कि उस कन्या की पुत्रियाँ ही होंगी तब भी विरुद्ध है क्योंकि मनुवर्णित पुत्रोत्पत्ति के कारणों की मान्यता से भी इसका मेल नहीं है [३।४८-४९]

२. अन्तर्विरोध—(१) ११ वां श्लोक ६।१२७ के विधान के विरुद्ध है।

(२) १२-१३ श्लोकों में कामभावना से प्रेरित होकर विवाह करने वालों के लिए कौनसा विवाह श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ है, यह बतलाया है और वर्णानुसार उनका निश्चय किया है। ये दोनों ही बातें मनुस्मृतिसम्मत सिद्ध नहीं होतीं। यहाँ विचारणीय बात यह है कि जब कामभावना में आसक्त होकर ही विवाह किया जा रहा है तो उसमें किस वर्ण के साथ किस वर्ण की स्त्री का विवाह होना चाहिए, यह निश्चय करने का अवसर ही नहीं रहता, और न ही उसमें किसी वर्ण के साथ विवाह होने पर श्रेष्ठता और किसी अन्य वर्ण के साथ विवाह होने पर अश्रेष्ठता वाली ही बात रहती है। इसी बात को ३।३२ में मनु ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है—“इच्छया अन्वोन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च। गान्धर्वः स तु विज्ञेयो भ्रंयुग्मः कामसम्भवः॥” काम से प्रेरित विवाह में तो एक दूसरे की इच्छा से संयोग होता है और वह किसी भी वर्ण के पुरुष या स्त्री का किसी भी वर्ण की स्त्री या पुरुष से हो सकता है। अतः इस आधार-व्यवस्था का निश्चय करना मनुस्मृति की मौलिक धारणा के अनुकूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मनु ने काम विवाह को चाहे वह किसी का किसी के साथ हो, निन्दित माना है [३।४१]। इन श्लोकों में उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करने को श्रेष्ठ मानना [इमाः स्युः कनयो वराः” ३।१२] उक्त मान्यता के विरुद्ध है। अतः ये दोनों श्लोक परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं।

(३) १२—१३ श्लोकों में जो निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह होना श्रेष्ठ माना है और १४-१६ श्लोकों में फिर शूद्रा स्त्री से ब्राह्मण, क्षत्रिय द्वारा विवाह करना निन्दित माना है, यह मान्यता भी मनुस्मृति की अन्य मान्यताओं के प्रतिकूल है। यद्यपि मनु ने प्राथमिक रूप में सवर्ण भार्या का ही विधान किया है [३।४], किन्तु सवर्णा से विवाह न करके अन्य वर्ण की स्त्री से विवाह करना मनु के मत से निन्दनीय है, ऐसी बात नहीं है। २।२१३, २४० [२।२३८, २६५] श्लोकों में “स्त्रीरत्नं बुभुक्षुसादपि” “स्त्रियो रत्नानि समः देवानि सर्वतः” अर्थात् किसी भी वर्ण की श्रेष्ठ स्त्री से विवाह किया जा सकता है, यह कहकर सभी वर्णों की स्त्रियों से विवाह करने की छूट दी है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी वर्ण में विवाह करें, वह विवाह अश्रेष्ठ या निन्दनीय नहीं कहा जा सकता। इन श्लोकों में शूद्रा से विवाह करने को निन्दनीय कहना और निम्न वर्ण की स्त्रियों से विवाह को उचित ठहराकर अपने से उच्च वर्ण में विवाह को अनुचित मानना, उक्त मान्यताओं के विरुद्ध है।

(४) मनु की यह भी मान्यता है कि वे वर्णानुसार कई विवाहों को तो अश्रेष्ठ मानते ही हैं, साथ ही विधि में भी अश्रेष्ठता-अश्रेष्ठता मानते हैं। देखिए ३।२० में उन्होंने विवाह-विधियों को हितकारी और ("प्रैथ्य खेद् हितान्") कहा है, और इसी सकेतानुसार ३।३६-४२ श्लोकों में हितकारी विधि के अनुसार किये विवाहों के गुण और अहितकारी विधि के अनुसार किये गये विवाहों के दोष बताये हैं। ३।२० में "चतुर्णां अपि वर्णानाम्" पद विशेष ध्यान देने योग्य है। ये विधियाँ चारों वर्णों पर लागू हैं। इस मान्यता के अनुसार ११-१६ श्लोकों के विधान मनुविरुद्ध सिद्ध होते हैं।

(५) १२-१४ श्लोकों में शूद्रा के प्रति घृणा, अस्पृश्यता की भावना दर्शायी है और शूद्रा को तथा उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को अपवित्र माना है। शूद्रा के श्वास लग जाने मात्र से द्विजाति अश्रेष्ठ हो जाता है। ये मान्यतायें भी मनुसम्मत नहीं हैं। मनु ने कहीं भी शूद्र के प्रति घृणा, नीचता, अस्पृश्यता या अपवित्रता का भाव प्रकट नहीं किया है। मनु की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ये बातें मनु-विरुद्ध हैं। मनु ने शूद्र का कार्य तीन वर्णों की सेवा करना निर्धारित किया है [१।६१, ६।३३४; १०।६६]। जब घर में रहते हुए शूद्र प्रत्येक प्रकार का सेवा-कार्य करेगा तो यह निश्चित ही है कि उसका स्पर्श आदि भी होगा। इससे सिद्ध है कि मनु शूद्र को शारीरिक दृष्टि से घृणास्पद या अस्पृश्य नहीं मानते। यदि ऐसा मानते होते तो शूद्रों को सेवा का कार्य नहीं सौंपते। ६।३३५ में मनु ने शूद्र के लिए शुचिः (= पवित्र) विशेषण का प्रयोग किया है, जो यह सिद्ध करता है कि इन श्लोकों में वर्णित भावनायें मनु की नहीं हैं।

(६) १८ वें श्लोक में शूद्रा की प्रधानता से होने वाले देव, पितृश्राद्ध कर्मों में पितरों द्वारा हव्य-कव्य का ग्रहण न करने का कथन करना भी मनुविरुद्ध है। मनु मृतक श्राद्ध को ही नहीं मानते, अतः यह कथन प्रक्षिप्त है (इस मान्यता की विस्तृत विवेचना के लिए देखिये ३।११६ से २८४ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा)। प्रतीत होता है कि १२-१३ श्लोकों के प्रक्षेप के पश्चात् उनके खण्डन के लिए १४-१६ श्लोकों का प्रक्षेप हुआ है। इस प्रकार अन्तर्विरोधों के आधार पर यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

३. शैलीगत आधार—(१) इस प्रसंग के १६ वें श्लोक में महर्षि अत्रि, गौतम और भृगु के मत का उल्लेख किया है। ये तीनों ही मनु से परवर्ती हैं। १।३५ वें श्लोक के अनुसार तो अत्रि और भृगु, मनु की सन्तान हैं, अतः ये स्पष्ट परवर्ती हैं। परवर्ती व्यक्तियों का मत अपने से पूर्ववर्ती व्यक्ति की रचना में कभी मौलिक नहीं हो सकता है। इस आधार पर ये मनु की रचनायें न होकर परवर्ती प्रक्षेप हैं। (२) इस सम्पूर्ण प्रसंग में शूद्र के प्रति पक्षपातपूर्ण भावना प्रदर्शित की गई है और १७ से १६ श्लोकों में अतिशयोक्तियुक्त कथन हैं। यह पक्षपात और अतिशयोक्तिपूर्ण शैली मनुसम्मत नहीं हैं।

६ से ६ श्लोकों में सभी वर्णों के लिए विवाह में त्याज्य कुलों एवं स्त्रियों का सर्वसामान्य विधान कर दिया है। इसके बाद 'वे विवाह कौन से हैं' यह प्रसंग अपेक्षित था, जिसको प्रारम्भ करने का संकेत २० वें श्लोक में—“चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्.....स्त्रीविवाहान् निबोधत।” कहकर किया है। किसी भी प्रसंग या विषय को प्रारम्भ करने की मनु की यही शैली है। अभी चारों वर्णों के विवाहों का उल्लेख तो किया ही नहीं है, जबकि १२ से १६ श्लोकों में किस वर्ण को कौन से वर्ण से विवाह करना श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ है, यह विधान प्रसंग से पूर्व ही कर दिया। विवाहों के वर्णित किये जाने के पश्चात् ही इसे संगत कहा जा सकता था। प्रसंग में उपयुक्त क्रम से पूर्व ही यह वर्णन करना प्रसंगविरुद्ध है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

आठ प्रकार के प्रचलित विवाह और उनकी विधि—

चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्।

अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत ॥ २० ॥ [११]

(चतुर्णाम् + अपि वर्णानाम्) चारों वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के (प्रेत्य च + इह हित + महितान्) परलोक में और इस लोक में हित करने वाले [३।३६-४०] तथा अहित करने वाले [३।४१-४२] (इमान् अष्टौ स्त्रीविवाहान्) इन आठ प्रकार के स्त्रियों के, साथ होनेवाले विवाहों को (समासेन) संक्षेप से (निबोधत) जानो, सुनो ॥ २० ॥

अनुवर्तिताः : आठ विवाह और मनु की मान्यता—इस विषय संकेतक श्लोक में मनु ने स्त्री-पुरुषों के दाम्पत्य सम्बन्ध में चारों वर्णों के लिए विशेष प्रक्रिया और योग्यतानुसार (जिस व्यक्ति पर जो लागू हो सकती है) आठ विवाह विधियों का उल्लेख किया है। यद्यपि वर्णों के लिए यहां उल्लेख है किन्तु उनमें से प्रथम चार विवाहों को ही मनु चारों वर्ण वालों के लिए हितकारी [३।२०], उत्तम और धर्मानुकूल मानते हैं। शेष चारों—आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पेशाच को निन्दित, अहितकारी [३।२०], और अधर्मानुकूल मानते हुए उन्हें 'दुर्विवाह' की संज्ञा से अभिहित करते हैं [३।३६-४२]। निन्दित विवाहों को अपनाने वाले व्यक्ति और उनकी प्रजा भी निन्द्य होती है, अतः वे निषिद्ध हैं [३।४२]।

इसी प्रकार आर्य विवाह में प्रचलित 'शोयुगल' देने की प्रथा को भी मनु अमान्य घोषित करते हैं। बिना कुछ ले-देकर आर्य विवाह करना ही धर्मानुकूल है [३।४३-४४] [द्रष्टव्य ३।२६ की समीक्षा भी]

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ २१ ॥ [१२]

(ब्राह्मः दैवः तथा + एव + आर्यः प्राजापत्यः तथा आसुरः) ब्राह्म, दैव,

(पूर्वचोदितो गान्धर्वः च राक्षसः विवाही) पहले कहे हुए गान्धर्व और राक्षस विवाह (पृथक्-पृथक् वा) अलग-अलग रूप में (वा) प्रथवा (मिश्री) जब दोनों के लक्षण एक साथ ही मिलते हों तब भी (ती) वे दोनों (क्षत्रस्य धर्म्यौ स्मृती) क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल माने हैं ॥ २६ ॥

अनुयायित्वः : २२ से २६ तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरुद्ध—ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं और पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहे हैं। २० वें श्लोक में आठ विवाहों को कहने के प्रसंग को प्रारम्भ करने का संकेत करके २१ वें में आठों विवाहों को गिनाया है। नामों का उल्लेख करने के पश्चात् स्पष्ट है कि उनके लक्षणों का वर्णन करना अपेक्षित और संगत है, जो २७ वें श्लोक से प्रारम्भ है, किन्तु उस क्रम को तोड़कर बीच में इन श्लोकों में किस वर्ण को कौनसा विवाह करना उचित है, कौनसा अनुचित, यह अप्रसंगिक वर्णन कर दिया है, अतः स्पष्टतः प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

२. अन्तर्विरोध—(१) २० वें श्लोक में इस प्रसंग को प्रारम्भ करते समय मनु ने जिन शब्दों का उल्लेख किया है (“चतुर्णाम् अपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्”) उनसे दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि ये विवाह चारों वर्णों के लिए ही समान रूप से पालनीय हैं। दूसरी यह कि ‘हिताहितान्’ कहकर मनु इन्हीं विधियों में ही श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता मानते हैं। इसकी पुष्टि में ३६ से ४२ श्लोक भी प्रबल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उनमें स्पष्टतः भी वर्णों के लिए प्रथम चार विवाहों को प्रशंसनीय माना है और अन्तिम चार को निन्दित। इन श्लोकों में पृथक्-पृथक् वर्णों के लिए पृथक्-पृथक् विवाह निश्चित करना, आसुर, गान्धर्व आदि विवाहों को भी क्षत्रिय-वैश्यों के लिए श्रेष्ठ, धर्मानुसार मानना, उक्त व्यवस्था के विरुद्ध है। इस आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. अवाप्तरविरोध—इनमें अवाप्तरविरोध भी द्रष्टव्य है। जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि ये रचनाएँ न तो मनुसंश्लिष्टान् की रचना हैं और न किसी एक ही व्यक्ति की। २३ वें श्लोक में ब्राह्मण को आरम्भ के छह; क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को राक्षस विवाह को छोड़कर पिछले चार विवाह अच्छे कहे हैं, जबकि अगले ही २४ वें श्लोक में इससे भिन्न रूप में ब्राह्मण को चार अच्छे, क्षत्रिय को राक्षस विवाह अच्छा और वैश्य तथा शूद्र को आसुर विवाह अच्छा बताया है। २५ वें श्लोक में इन श्लोकों से भिन्न ही विधान है और २६ वें में एक अलग ही मान्यता है। इस विरोध के आधार पर भी यह प्रसंग प्रक्षिप्त है। ज्ञात होता है कि ये श्लोक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने एक-दूसरे के लक्षण के लिए भिन्न-भिन्न समय में प्रक्षेप किये हैं।

ब्राह्म अर्थात् स्वयंवर विवाह का लक्षण—

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् ।

ब्राह्म दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ २७ ॥ (१३)

(श्रुतिशीलवते, अर्चयित्वा) कन्या के योग्य सुशील, विद्वान् पुरुष का सत्कार करके (आच्छाद्य) कन्या को वस्त्रादि से अलंकृत करके (स्वयम् आहूय) उत्तम पुरुष को बुला अर्थात् जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो (कन्यायाः दानम्) उसको कन्या देना (ब्राह्मः धर्मः प्रकीर्तितः) वह 'ब्राह्म विवाह' कहाता है ॥ २७ ॥ (सं० वि० ६६)

अनुशीलनः : (१) ब्राह्म-विवाह का लक्षण एवं विवेचन—विद्वान् एवं श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव के वर को, जिसको कन्या ने स्वयं वरण कर प्रसन्न किया हो, आदरपूर्वक बुलाकर, वस्त्र आदि से अलंकृत कर, दोनों के आदर-सत्कार पूर्वक कन्या प्रदान करना 'ब्राह्म-विवाह' है। इस विवाह में कोई लेन-देन नहीं होता। 'स्वयम् आहूय' पदों से यह व्यंजित है कि कन्या द्वारा वर का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः इसमें माता-पिता की भी सहमति होती है [किन्तु स्वयंवर में यह अनिवार्य नहीं है ६।६०-६१]। इसमें कन्या की इच्छा प्रमुख होती है। यह विवाहों में सबसे उत्तम विधि है। वेदों में पारंगत विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने से इस का नाम 'ब्राह्म' है।

(२) ब्राह्म-विवाह ही स्वयंवर विवाह—कन्या द्वारा स्वयं पसन्द और प्रसन्न करके विवाहार्थ बुलाने के कारण ब्राह्म-विवाह ही स्वयंवर विवाह है। प्राचीन साहित्य में स्वयंवर प्रथा थी और इसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। विवाहों में यह ही सर्वश्रेष्ठ है। ६।६०-६१ में भी मनु ने कन्या को इसी स्वयंवर विवाह को करने का निर्देश दिया है—'विन्देत सद्दशं पतिम्'—अपने सद्दश योग्य पति का वरण करे।

देवविवाह का लक्षण—

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते ।

अलंकृत्य सुतादानं देवं धर्मं प्रचक्षते ॥ २८ ॥ (१४)

(वितते तु यज्ञे) विस्तृत यज्ञ में (सम्यक् ऋत्विजे कर्म कुर्वते) बड़े-बड़े विद्वानों का वरण कर उसमें कर्म करने वाले विद्वान् को (अलंकृत्य सुतादानम्) वस्त्र, आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना (देवं धर्मं प्रचक्षते) वह 'देव विवाह' + ॥ २८ ॥ (सं० वि० ६६) ॥

+ (प्रचक्षते) कहा जाता है।

अनुशीलनः : (१) देव विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण—

॥ [प्रचक्षित अर्थ—ज्योतिषोक्त आदि यज्ञ में विधिपूर्वक कर्म करते हुए ऋत्विक् के लिए (वस्त्रालङ्कार आदि से) अलंकृत कन्या का दान करने को धर्मयुक्त 'देव-विवाह' कहते हैं ॥ २८ ॥

श्लोकोक्त वचनों से अभिप्राय स्पष्ट हुआ कि 'विवाह के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में विवाह के उद्देश्य से सम्मिलित होकर, यज्ञीय क्रियाओं को सम्पन्न करने वाले विद्वान् व्यक्ति का वरण कर (या पूर्व वरण किये हुए और आकर यज्ञकर्म सम्पादित करते हुए विद्वान् को) वस्त्र, आभूषणों आदि से अलंकृत कर कन्या प्रदान करना दैव विवाह है।

(२) देव किनको कहते हैं? — देव, सात्त्विक प्रवृत्ति के [१२। ४०] विद्वानों को कहते हैं [द्रष्टव्य २। १२७ (२। १५२) श्लोक और ३। ८२ पर 'दैव' शीर्षक समीक्षा], और अग्निहोत्र को भी देवयज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है। यज्ञ का विशेष अनुष्ठान और उसमें यज्ञ कर्म करने वाले विद्वान् व्यक्ति को कन्यादान करना, ये दोनों बातें 'दैव' इस संज्ञा के अनुरूप ही हैं। यह विधि देवों = विद्वानों के कर्मानुरूप और सम्मत है, अतः इसका नाम 'दैव विवाह' है।

(३) ऋत्विक् का प्रसंगानुकूल अर्थ — ऋत्विक् शब्द यद्यपि 'यज्ञ करने वाले ब्राह्मण विद्वान्' के लिए अधिक प्रसिद्ध है, किन्तु यहाँ प्रसंगविशेष से इस शब्द का विशेष अर्थ है। निरुक्त में ऋत्विक् की एक व्युत्पत्ति यह भी दी है — 'ऋतुयाजी ब्रह्मसीति वा' [निरु० ३। ४। १६]। ऋतो = कालविशेष, ब्रह्मसरविशेष याजी = यजनशीलः याजनशीलो वा। ऋतु शब्द के 'कालविशेष' और 'उद्देश्यविशेष' अर्थ भी हैं। ब्रह्मसरविशेष या उद्देश्यविशेष के लिए यजन करने वाला भी ऋत्विक् कहलाता है। इस प्रकार विवाह प्रसंग में 'ऋत्विक्' शब्द का अर्थ हुआ — 'विवाह के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में, विवाह के उद्देश्य से यजन करने वाला अर्थात् यज्ञीय क्रियाओं को सम्पादित करने वाला विद्वान् द्विज, जिसका विवाहाह्वय वरण किया जाता है।' विवाह-यज्ञ में 'वर' ही प्रमुख रूप से यज्ञीय क्रियाओं को सम्पन्न करता है। प्रायः सभी क्रियाएँ वर पर केन्द्रित होती हैं।

प्रचलित टीकाओं में ऋत्विक् शब्द का प्रसिद्धार्थ 'यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण विद्वान्' ग्रहण करके 'ऋत्विज्' को ही कन्यादान करना दैवविवाह बतलाया गया है। यह अर्थ मनुवचन से विरुद्ध है और प्रसंगानुकूल नहीं है। यतो हि, (१) मनु ने ये सभी विवाह-विधियाँ चारों वर्णों के लिए विहित की हैं [३। २०] उनमें प्रथम चार सभी के लिए उत्कृष्ट हैं और अन्तिम चार सभी के लिए निम्न हैं [३। ३६-४२], (२) आठ विवाहों में किसी भी विवाह का किसी वर्णविशेष के लिए निर्धारण नहीं है अपितु योग्यता और प्रक्रियानुसार है। दैवविवाह को केवल 'ऋत्विक्' के लिए मानना उसके उद्देश्य को सीमित करना है, जो मनुसम्मत नहीं। अन्य विवाह-विधियाँ जब सभी वर्णों के लिए हैं, तो दैव विवाह केवल ऋत्विक् व्यक्तियों के लिए वर्णित हो, यह बात प्रसंगानु- कूल नहीं है। इससे 'ऋत्विक्' शब्द के उपर्युक्त अर्थ की पुष्टि होती है।

आर्षविवाह का लक्षण —

एकं गोमिथुनं द्वे वा वराशदाय धर्मतः ।

कन्याप्रदानं विधिवदार्थो धर्मः स उच्यते ॥ २६ ॥ (१५)

जो (वरात्) वर से (धर्मतः) धर्मानुसार (एकं गोमिथुनं वा द्वे) एक गाय बैल का जोड़ा अथवा दो जोड़े (आदाय) लेकर (विधिवत् कन्या प्रदानम्) विधि अनुसार अर्थात् यज्ञादिपूर्वक कन्या का दान करना है (सः) वह (आर्षः धर्मः उच्यते) 'आर्षविवाह' कहलाता है ॥ २६ ॥

“एक गाय बैल का जोड़ा अथवा दो जोड़े वर से लेके धर्मपूर्वक कन्यादान करना वह आर्ष विवाह ।” (सं० वि० ६६)

अनुव्याख्यान : यह मनु का अपना विधान नहीं है। मनु की मान्यता ३।५३ में है। इस पर स्वामी दयानन्द ने भी संस्कारविधि में टिप्पणी देकर लिखा है—

“यह बात मिथ्या है, क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया है और युक्ति विरुद्ध भी है। इस लिए कुछ भी न ले-देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आर्ष विवाह है।” (सं० वि० पृ० ११६ विवाहप्रकरण)

(१) आर्षविवाह के विवाद का विवेचन—आर्ष विवाह में कुछ आचार्यों के मत में 'वर से एक गौ का जोड़ा लेकर कन्या प्रदान करने' का कथन है, जैसा कि इस श्लोक में है। किन्तु मनु ने इस विचार का ३।५३-५४ में तीव्र शब्दों में खण्डन किया है।

इस श्लोक में गोयुगल का विधान होने और ३।५३ में उसका निषेध होने से व्याख्याकारों ने यह जिज्ञासा और आपत्ति प्रकट की है कि फिर आर्षविवाह का लक्षण क्या है, मनु ने इसको स्पष्ट नहीं किया। अनेक व्याख्याकारों ने इसका समाधान नहीं किया है। कुल्लूकभट्ट ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि 'इस श्लोक में 'धर्मतः' पद पठित है, जिसका अभिप्राय है कि विवाह में दान देने के धर्म का पालन करने के लिए गोयुगल ले लेना चाहिए, लालचवश नहीं। मनु ने अग्रिम ३।५१-५४ श्लोकों में लालचवश शुल्क लेने का निषेध किया है, धर्मविधि को पूरा करने के लिए विहित वस्तु को लेने का नहीं।'

यह समाधान बुद्धिसंगत और मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता। यह बात तो ठीक है कि ३।५१-५४ श्लोकों में मनु ने लालचवश दान आदि लेने का तीव्र शब्दों में निषेध किया है किन्तु इस श्लोक में विहित गोयुगल लेने के कथन को एक मत के रूप में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट शब्दों में इसका खण्डन भी किया है—

आर्षं गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुः सूर्यव तत् ॥ ३।५३ ॥ मनु कहना चाहते हैं कि थोड़ा या बहुत, कैसा भी लेन-देन 'कन्या को खेचने' के समान है, अतः नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार यह समाधान संतोषजनक नहीं है [३।५४ की समीक्षा में एतत् सम्बन्धी विवेचनैर्द्रष्टव्य है]।

(२) आर्षविवाह का लक्षण—अब प्रश्न उठता है कि आर्षविवाह का लक्षण

क्या होगा ? क्या मनु ने उसे स्पष्ट किया है ? उत्तर में हम कह सकते हैं कि इस विधि निषेध में ही इसका लक्षण स्पष्ट हो गया है, अतः उसको पृथक् से कहने की आवश्यकता नहीं रही। परिशेषन्याय से स्पष्ट हुआ कि 'बिना किसी लेन-देन के केवल विवाह संस्कारपूर्वक [विधिपूर्वक ३।२६] पूर्णतः सादगी से कन्या प्रदान करना, आर्ष-विवाह है।' इस श्लोक में कन्या के अलंकरण आदि की भी चर्चा नहीं है, जबकि २७, २८, ३० में है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस विवाह में वस्त्र, आभूषण आदि से अलंकृत करने का भी कथन नहीं है। यह विवाह उनके बिना पूर्णतः सादगी से ही होता है। केवल विवाहसंस्कार करके ही वर-वधू ऋषिष्व के अनुरूप अर्थात् त्याग, तप, गम्भीर निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर गृहस्थधारण का निश्चय करते हैं। ऋषिजन-सम्मत, अनुमोदित और उनके आचरणानुरूप होने से इसका नाम आर्ष है।

(३) ऋषि कौन हैं ?—मन्त्रद्रष्टा या किसी विद्या के तत्त्वद्रष्टा=विशेषज्ञ विद्वान् व्यक्तियों को ऋषि कहा जाता है। इस विषयक विस्तृत विवेचन ३।८२ की 'ऋषि' शीर्षक समीक्षा में देखिए।

प्राजापत्य विवाह का लक्षण—

सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचाऽनुभाष्य च।

कन्याप्रदानमध्यर्घ्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ३० ॥ (१६)

(अन्वर्थ) कन्या और वर को, यज्ञशाला में विधि करके ('उभौ धर्म सह चरताम्' इति) सब के सामने 'तुम दोनों मिलके गृहाश्रम के कर्मों को यथावत् करो' ऐसा (वाचा-अनुभाष्य) कहकर (कन्याप्रदानम्) दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पाणिग्रहण होना (प्राजापत्यः विधिः स्मृतः) वह प्राजापत्य विवाह कहाता है ॥ ३० ॥ (सं० वि० ६६)

अनुशीलन : (१) प्राजापत्य-विवाह का लक्षण एवं विवेचन—वर-वधू को 'तुम साथ रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करो' यह कहकर कन्या को अलंकृत करके विधिपूर्वक प्रदान करना, प्राजापत्य-विवाह है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के पदों से यह व्यंजित होता है कि यह विवाह दोनों के माता-पिताओं के स्तर पर खोज करके निश्चित किया जाता है। इसमें वर-वधू की इच्छा गौण होती है या माता-पिता की इच्छा में ही डली होती है। माता पिता जहाँ विवाह उपयुक्त समझते हैं, उसका निश्चय कर, विवाह सम्पन्न करके उन्हें गृहस्थ पालन की स्वीकृति दे देते हैं। इसमें भी कोई लेन-देन नहीं होता।

(२) प्रजापति किनको कहते हैं ?—प्रजापति, प्रजा अर्थात् सन्तान के पालन में माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों को कहते हैं। उन्हें 'पितर' भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मणों और निरुक्त के प्रमाण हैं—“प्रजा अश्वत्थनाम्” निघ० २।२ ॥ प्रजापतिः पाता वा पालयिता वा” निघ० १०।४१ ॥ “पितरः प्रजापतिः” शो० उ० ६।१५ ॥

“पुरुषः प्रजापतिः” शत० ६।२।१।२३ ॥ प्रजाओं को उत्पन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरुष प्रजापति होना है। पितर अर्थात् माता-पिता आदि प्रजापति होते हैं [‘पितर’ पर विस्तृत विवेचन ३। ८२ की समीक्षा में द्रष्टव्य है]। सम्मानों का पालन करने वाले माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत और उनके आचरणानुरूप होने से उसका नाम ‘प्राजापत्य’ है।

आसुर विवाह का लक्षण—

जातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायं चैव शक्तितः ।

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ ३१ ॥ (१७)

(जातिभ्यः च कन्यायै) वर की जाति वालों और कन्या को (शक्तितः द्रविणं दत्त्वा) यथाशक्ति धन देके + (कन्याप्रदानम्) होम आदि विधि कर कन्या देना (आसुरः धर्मः उच्यते) ‘आसुर विवाह’ कहाता है ॥ ३१ ॥

(सं० वि० १००)

+ (स्वाच्छन्द्यात्) अपनी इच्छा से अर्थात् वर या कन्या की प्रमत्तता और इच्छा का ध्यान न रखके.....

अनुशीलन : (१) आसुर-विवाह का लक्षण एवं विवेचन—धन के लोभी माता-पिता कन्या या लड़के की इच्छाओं की उपेक्षा करके या उन्हें महत्त्व न देकर, परस्पर धन ले-देकर, अपनी इच्छा से जो विवाह कर देते हैं, वह ‘आसुर-विवाह’ है। मनु इसे निन्दनीय और अधर्म मानते हैं [३।४१-४२]।

(२) असुर किनको कहते हैं? ‘न सुराः—असुराः’ अर्थात् जो देवताओं के समान नहीं हैं। जो देवताओं के समान निःस्वार्थ, निर्बैर, परहित, परोपकार, त्याग, तप, सहिष्णुता आदि भावनाओं वाले नहीं हैं। जो अपने देह और प्राणों के ही पोषण में, अपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, धन और हितसाधनमें तत्पर रहते हैं, उसकी पूर्ति के लिए तरह-तरह के छल-प्रपञ्च माया-जाल आदि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति ‘असुर’ कहलाते हैं। इसमें निरुक्त और ब्राह्मणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं—“असुरताः स्थानेऽवस्ता, स्थानेऽग्न इति वा असुरिति प्राणानामास्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः।” निरु० ३। ७ ॥ “(असुराः) स्वेष्टेवास्पेयु जुह्वतश्चेरुः” शत० ११।१। ८।१ ॥ मायात्येसुराः (उपासते)” शत० १०।५।२।१० ॥ असु भेषणे (अदादि) धातु से ‘असेरुद्’ (उणादि १।४२) से ‘उरन्’ प्रत्यय से ‘असुर’ शब्द बना। ‘असुर’ से ‘सम्बन्ध रखने वाला’ अर्थ में ‘अण्’ प्रत्यय लगकर ‘आसुर’ बनता है। इस प्रकार दूसरे की भावनाओं की उपेक्षा करके धन और स्वार्थ-साधन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित, सम्मत अथवा उनके आचरणानुरूप होने से इसका नाम ‘आसुर-विवाह’ है।

गान्धर्व विवाह का लक्षण—

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।

गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ ३२ ॥ (१८)

(वरस्य च कन्यायाः) वर और कन्या की (इच्छया + अन्योन्य-संयोगः) इच्छा से दोनों का संयोग होना (मैथुन्यः) और अपने मन में यह मान लेना कि हम दोनों स्त्री-पुरुष हैं (कामसम्भवः) यह काम से हुआ (सः तु गान्धर्वः विज्ञेयः) वह 'गान्धर्व विवाह' कहा जाता है ॥ ३२ ॥ (सं. वि. १००)

अनुशीलन : (१) गान्धर्व-विवाह का लक्षण एवं विवेचन—लड़का और लड़की दोनों की इच्छा से परस्पर संयोग होकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होना और अपने आपको पति-पत्नी के रूप में मानकर विवाह कर लेना, यह 'गान्धर्व-विवाह' है। यह कामभावना से होता है। मनु इसको निन्दनीय और अधर्मानुकूल मानते हैं [३।४१-४२]। मनु ने यद्यपि इसमें धन आदि लेने-देने की बात नहीं कही है, किन्तु कीटिल्य अर्थ-शास्त्र के अनुसार ऐसा विवाह करने वाले व्यक्ति को विवाह के समय कन्या के माता-पिता को बदले में धन देना पड़ता है [प्रक० ५८। अ० २]।

(२) गन्धर्व किन को कहते हैं ? गन्धर्व की व्युत्पत्ति है "गाम् = वाचम् धरतीति गन्धर्वः" अर्थात् गाने की उत्तम वाणी को धारण करने वाला। संगीत अर्थात् गाने, बजाने, नाचने की कला में प्रवीण लोगों को, जो विलासी, आमोद-प्रमोद में व्यस्त शृङ्गारप्रिय और कामुकप्रवृत्ति-प्रधान हैं 'गन्धर्व' कहते हैं। ब्राह्मणों के निम्न प्रमाणों में इस पर प्रकाश डाला गया है—“रूपमिति गन्धर्वाः (उपासते) शत० १०।५।२।२० ॥ “पोषित्काया वं गन्धर्वा” शत० ३।२।४।३ ॥ “स्त्रीकामा वं गन्धर्वाः” ऐत० १।२७७ ॥ की० १२।३ ॥ गन्धो मे, मोदो मे, प्रमादो मे। तन्मे पुष्कलम् (गन्धर्वेषु) जै० उ० ३।२५।४ ॥ ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने से इस विवाह का नाम 'गान्धर्व' है।

राक्षस विवाह का लक्षण—

हत्वा छित्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् ।

प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥ (१९)

(हत्वा छित्वा च भित्त्वा) हनन, छेदन अर्थात् कन्या के रोहने वालों का विदारण कर (क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् प्रसह्य कन्याहरणम्) क्रोशती, रोती, कापती और भयभीत हुई कन्या का + बलात्कार हरण करके विवाह करना (राक्षसः विधिः उच्यते) वह 'राक्षस विवाह' ॥ ३३ ॥ (सं. वि. १००)

+ (गृहात्) घर में.....

ॐ (उच्यते) कहा जाता है।

अनुशीलन : (१) राक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन—कन्या के पक्ष वालों से मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा आदि करके रोती-चिल्लाती कन्या को बलात् उठा ले जाकर उससे विवाह करना 'राक्षस-विवाह' है। मनु के अनुसार यह विवाह भी निन्दनीय और अधर्म है [३। ४१-४२]। यद्यपि मनुस्मृति में इस विवाह में किसी लेन-देन का कथन नहीं है किन्तु कौटिल्य अर्थशास्त्र के वर्णनानुसार अपहरणकर्ता को विवाह के बदले में कन्या के माता-पिता को धन देना पड़ता है [प्रक० ५८। अ० २]

(२) राक्षस किनको कहते हैं? रक्ष-पालनं धातु से 'संबंधातुभ्योऽसुन्' (उणादि ४। १८६) सूत्र से 'असुन्' प्रत्यय और 'इदम्' अर्थ में अण् प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिद्ध होता है। निरुक्त्वा ४। १८ में राक्षस की निरुक्ति देते हुए कहा है—“रक्षः रक्षितव्यमस्माद्, रक्षि लणीतोति वा, रात्रौ नक्षते इति वा।” अर्थात् जिससे धन-सम्पत्ति, प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकान्त अवसर पाकर हानि पहुँचाता और जो रात्रि में लूट-पाट, चोरी-व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सक्रिय हो जाते हैं, वे राक्षस हैं। इस प्रकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सताने और पीड़ित करने वाले, अत्याचारी, अन्यायी, बलात्कारी, स्वभाव के और मांस-मदिराभोजी तमोगुणी [१२। ४४] व्यक्ति 'राक्षस' कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप, उनसे अनुमोदिन या सम्मत होने से इसका नाम 'राक्षस विवाह' है।

पैशाच विवाह का लक्षण—

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति ।

स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ ३४ ॥ (२०)

(सुप्तां मत्तां वा प्रमत्ताम्) जो सोती, पागल हुई वा नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को (रहः यत्र+उपगच्छति) एकान्त पाकर दूषित कर देना (सः विवाहानाम् अधमः पापिष्ठः पैशाचः) यह सब विवाहों में नीच ने नीच = महानीच, दुष्ट अतिदुष्ट, 'पैशाच विवाह' है ॥ ३४ ॥

(सं०वि० १००)

अनुशीलन : (१) पैशाच-विवाह का लक्षण एवं विवेचन—सोती हुई, पागल हुई वा नशे में उन्मत्त कन्या को एकान्त अवसर में पाकर दूषित कर देना और उगमे विवाह करना, वह 'पैशाच विवाह' है। वह सब विवाहों में अत्यन्त नीच दुष्टापूर्ण और पापरूप विवाह है। कौटिल्य के अनुसार उममें भी विवाह करने वाले को विवाह के बदले कन्यापक्ष को धन देना पड़ता है [प्रक० ५८। अ० २] ;

(२) पिशाच किनको कहते हैं?—पिश् अवयवे (तुदादि) धातु से 'क' प्रत्यय होना न 'पिशम्' पद बना। 'पिश' उपपद से आङ्पूर्वक 'चमु-प्रदने' धातु से 'डः' प्रत्यय-पूर्वक 'पैशाच' शब्द बनना है। अथवा 'पिशित' पूर्वपद से 'अश्' धातु से अण्, 'इत' का जोष, शकार को चकार होकर पैशाच बनना है। 'ये पिशितम् = अवयवीभूतं, पेशितं

वा मांसं हथिरादिकम् आश्वमेधितं मशयन्ति ते पैशाचाः । प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त नक खाने वाले, हिंसक, दुराचारी, अनाचारी, मलिन संस्कारों वाले, अत्यन्त तमोगुणी [१२।४४], अत्यन्त निम्न और घृणित स्वभाव के व्यक्ति 'पैशाच' कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होने से इस विवाह का नाम 'पैशाच' है।

द्विजों की कन्यादान की विधि—

अद्भिरेव द्विजाग्रधानां कन्यादानं विशिष्यते ।

इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥

(द्विजाग्रधानाम् अद्भिः एव) ब्राह्मण वर्ण वालों का जल लेकर संकल्प करने से (इतरेषां तु वर्णानाम् + इतरेतर-काम्यया) अन्य वर्णों का परस्पर की इच्छा से (कन्या-दानम्) विवाह होना (विशिष्यते) श्रेष्ठ है ॥ ३५ ॥

विवाहों के गुण-लाभ—

यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः ।

सर्वं शृणुत तं विप्राः सर्वं कीर्तयतो मम ॥ ३६ ॥

(एषां विवाहानाम्) इन विवाहों में (यस्य यः गुणः मनुना कीर्तितः) जिस विवाह का जो गुण मनु ने कहा है (विप्राः) हे विद्वानो ! (तं सर्वं मम कीर्तयतः शृणुत) उस सबको मुझसे कहते हुए सुनो ॥ ३६ ॥

दश पूर्वान्परान्वंश्यानाः पितृन् चैकविंशकम् ।

ब्राह्मोपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितृन् ॥ ३७ ॥

(सुकृतकृन् ब्राह्मोपुत्रः) अच्छे कर्म करने वाला ब्राह्मणविवाह के विधि से उत्पन्न पुत्र (दश पूर्वान् परान् वंश्यान् पितृन्) दश पहले पिता-पितामह आदि पूर्वजों को और दश आने वाले पुत्र-पौत्र आदि को (च) और (एकविंशकम् आत्मानम्) इक्कीसवें अपने आपको (एनसः मोचयेत्) पाप से छुड़ाना है ॥ ३७ ॥

देवोदाजः सुतश्चैव सप्त-सप्त परावरान् ।

आपोंडाजः सुतस्त्रीस्त्रीन्षट् षट् कायोडाजः सुतः ॥ ३८ ॥

(च) और (देवोदाजः सुतः) दैव विवाह की विधि से विवाहिन स्त्री से उत्पन्न पुत्र (सप्त-सप्त पर + परावरान्) सात-सात पिछली और आने वाली पीढ़ियों को (आपोंडाजः सुतः श्रीन्-श्रीन्) आप विवाह की विधि से विवाहिन स्त्री से उत्पन्न पुत्र तीन पिछली और तीन आने वाली पीढ़ियों को (कायोडाजः सुतः) प्राज्ञापत्य विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र (षट्-षट्) छः पिछली और छः आने वाली पीढ़ियों को पाप से छुड़ाना है ॥ ३८ ॥

अनुशीलन—३५ से ३८ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—३४ वें श्लोक में विवाहों की परिभाषा का प्रसंग पूर्ण हो चुका है। इसके बाद उनके गुण-दोषों के विवेचन का प्रसंग अभीष्ट और संगत है, वह ३६ से ४२ श्लोकों में वर्णित है। अतः बीच में ३५ वें में विवाह की विधि का कथन, पुनः पीढ़ियों के पार उतारने का कथन या पुत्रों के गुणों का कथन अप्रासंगिक है। यद्यपि ३६-३८ श्लोकों में भी विवाहों के गुणों का वर्णन प्रतीत होता है, किन्तु यह मौलिक नहीं है। इसकी पुष्टि में प्रसंग की दृष्टि से दो बातें कही जा सकती हैं—एक तो यह कि इन श्लोकों में विवाहों के गुणों का वर्णन परोक्षरूप से है, जबकि पुत्रों के गुणों का वर्णन प्रत्यक्ष है, और फिर श्रवणगुणों का वर्णन ही नहीं। दूसरी यह कि सभी विवाहों के गुण-दोषों का सामूहिक विवेचन ३६ से ४२ श्लोकों में क्रमबद्ध और पूर्णरूप से किया गया है, अतः ये ही श्लोक मौलिक एवं प्रासंगिक हैं; ३५-३८ श्लोक नहीं।

२. अन्तर्विरोध—(१) ३५ वें श्लोक में विवाह की विधि बतायी गई है, जबकि २७ से ३४ श्लोकों में जो विवाहों का वर्णन है, वे स्वयं एक प्रकार की विधियाँ हैं। यह विधि उनसे भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। और जब एक बार विधियाँ कह दीं, तो पुनः विधि कहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। इस आधार पर ३५ वाँ श्लोक प्रक्षिप्त है।

(२) ३७—३८ श्लोकों में एक ही पुत्र द्वारा अपनी भगली और पिछली कई-कई पीढ़ियों के पाप से छुड़ाने की बात का वर्णन ४। २४० के विरुद्ध है। उस श्लोक में मनु ने कर्त्ता को ही स्वयं पाप-गुणों का भोक्ता कहा है। जब कर्त्ता स्वयं भोक्ता है, तो दूसरा व्यक्ति उसके पापों को कैसे दूर कर सकता है?

(३) यदि एक ही पुत्र को अनेक पीढ़ियों के पापों को छुड़ाने वाला मान लिया जाये, तो फिर उन आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म पर चलने की आवश्यकता ही क्या रह जायेगी? क्योंकि उनके पापों को तो वह पुत्र दूर कर ही चुका है। इस प्रकार तो यह मान्यता सम्पूर्ण मनुस्मृति के विरुद्ध हो जाती है। क्योंकि मनुस्मृति में तो स्थान-स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करने के लिए कहा है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ३६—३८ श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. शैलीगत आधार—(१) ३६ वें श्लोक में “यो यस्यैवा विवाहानां मनुजा कीर्तितो गुणः। तं सर्वं शृणुत.....कीर्तयतो मम ॥” पदों से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि इनको कहने वाला मनु नहीं अपितु मनु से भिन्न कोई व्यक्ति है। अतः स्पष्टतः ये परवर्ती प्रक्षिप्त श्लोक हैं। (२) ३७—३८ श्लोकों में एक ही पुत्र द्वारा अनेक भगली-पिछली पीढ़ियों के उद्धार का कथन अयुक्तियुक्त और अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह शैली मनु की नहीं है।

प्रथम चार उत्तम विवाहों से लाभ—

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्विंशानुपूर्वशः ।

ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ ३१ ॥ (२१)

❀ (ब्राह्म + आदिषु चतुर्षु विवाहेषु) ब्राह्म, देव, आर्य और प्राजा-पत्य इन चार विवाहों में पाणिग्रहण किये हुए स्त्रो-पुरुषों से (पुत्राः जायन्ते) जो सन्तान उत्पन्न होते हैं वे (ब्रह्मवर्चस्विनः शिष्टसंमताः) वेदादि विद्या से तेजस्वी, आप्त पुरुषों के संगति से अत्युत्तम होते हैं ॥ ३१ ॥

(सं० वि० १००)

❀ (अनुपूर्वशः) क्रमशः प्रारम्भ के.....

अनुशीलन : यह वर्णन बालकों के उत्तम संस्कारों की सम्भावना के आधार पर भावी जीवन के लिए किया गया है। वे बालक भविष्य में अर्थात् बड़े होकर उक्तगुणों वाले बनते हैं।

रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ।

पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ ४० ॥ (२२)

वे पुत्र वा कन्या (रूप-सत्त्वगुण + उपेताः) सुन्दर रूप, बल-पराक्रम, शुद्ध बुद्धि आदि उत्तम गुणयुक्त (धनवन्तः) बहुधन युक्त (यशस्विनः) पुण्य कीर्तिमान् (च) और (पर्याप्तभोगाः) पूर्ण भोग के भोक्ता (धर्मिष्ठाः) धर्मात्मा होकर (शतं समाः जीवन्ति) सौ वर्ष तक जीते हैं ॥ ४० ॥

(सं० वि० १००)

अन्तिम चार विवाह निन्दनीय—

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः ।

जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ ४१ ॥ (२३)

(इतरेषु तु शिष्टेषु दुर्विवाहेषु) चार विवाहों से जो बाकी रहे चार-आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पेशाच, इन चार दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए (सुताः) सन्तान (नृशंसा + अनृतवादिनः) निन्दित कर्मकर्त्ता, मिथ्यावादी (ब्रह्मधर्मद्विषः) वेदधर्म के द्वेषी बड़े नीच स्वभाववाले (जायन्ते) होते हैं ॥ ४१ ॥ (सं० वि० १००)

श्रेष्ठ विवाहों से श्रेष्ठ सन्तान, बुरों से बुरी—

अनिन्दितैः स्त्रीविवाहेरनिन्द्या भवति प्रजा ।

निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्विषयजेत् ॥ ४२ ॥ (२४)

(अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैः प्रजा अनिन्द्या भवति) श्रेष्ठ विवाहों से

सन्तान भी श्रेष्ठ गुण वाली होती है (निन्दितैः नृणां निन्दिता) निन्दित विवाहों से मनुष्यों की सन्तानें भी निन्दनीय कर्म करने वाली होती हैं (तस्मान्) इसलिए (निन्द्यान् विवर्जयेत्) निन्दित विवाहों को प्राचरण में न लावे ॥ ४२ ॥

इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि जिन निन्दित विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है, उन को किया करें।' (सं० वि० १०२)

सवर्ण-असवर्ण कन्या से विवाह करने की विधि—

पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासुपदिश्यते ।

असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्राहकर्मणि ॥ ४३ ॥

शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया ।

वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोःकृष्टवेदने ॥ ४४ ॥

(पाणिग्रहणसंस्कारः) हाथ पकड़कर विवाह की विधि पूरा करने का संस्कार तो (सवर्णासु + उपदिश्यते) केवल अपने वर्ण को स्त्रियों में विहित है (असवर्णासु) अपने वर्ण से भिन्न वर्ण की स्त्रियों से प्रादी करने में (उद्वाहकर्मणि) विवाह संस्कार में (अयं विधिः ज्ञेयः) यह आगे कहा विधान समझना चाहिए... (उत्कृष्टवेदने) अपने से ऊँचे वर्ण वाले व्यक्ति के साथ विवाह करने में (क्षत्रियया शरः ग्राह्यः) क्षत्रिय कन्या को [हाथ पकड़ने की अपेक्षा] बाण पकड़ना चाहिए (वैश्यकन्यया प्रतोदः) वैश्य वर्ण की कन्या को बैल आदि को हांकने का चाबुक (शूद्रया वसनस्य दशा ग्राह्या) शूद्र कन्या को वस्त्र का किनारा पकड़ना चाहिए ॥ ४३, ४४ ॥

अनुशीलन—४३--४४ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) २०, २१, २७—३४ श्लोकों में जो विवाह कहे हैं, उन की विधियां भी साथ-साथ निर्दिष्ट हैं। यह कहना चाहिए कि उन विवाहों का भेद उन की विधि की भिन्नता पर ही आधारित है। इन श्लोकों में विवाह की उनसे भिन्न विधियां उक्त हैं, यह भिन्नता विरोधमूचक है। और फिर जब विवाहों की विधि एक बार कह दी है, तो पुनः विधि के कथन की आवश्यकता ही नहीं थी। (२) २०; २१, २७—३४ श्लोकों में जो विधियां कही हैं, वे सभी वर्णों के लिए समान हैं। उनमें ननु ने कोई सवर्ण-असवर्ण का भेद नहीं किया है, (३। २०)। इन श्लोकों में वर्णों और सवर्ण-असवर्ण का भेद उक्त मात्रता के विरुद्ध है। (३) जो विधियां इन श्लोकों में कही हैं वे अन्तिम तीन विवाहों में तो लागू ही नहीं हो सकतीं। 'गान्धर्व विवाह' में स्त्री-पुरुष का स्वेच्छा से संयोग होता है। 'राक्षस विवाह' में अपहरण किया जाता है। 'पैशाच विवाह' बलात्कारपूर्वक सम्बन्ध स्थापित करने को कहते हैं। अतः इन श्लोकों में उक्त

विधियों को करने का इन तीन विवाहों में अवसर ही नहीं रहता। इस प्रकार इन विधियों का मनु की पूर्वोक्त श्लोकों की व्यवस्था से तालमेल ही नहीं बैठता। इससे स्पष्ट है कि ये विधान परवर्ती काल के हैं। इन अश्विरोक्षों के कारण ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान—

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

पर्ववर्जं व्रजेच्छन्तां तद्व्रततो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥ (२५)

(ऋतुकालाभिगामी स्यात्) सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागम करे (स्वदारनिरतः सदा) और अपनी स्त्री के बिना दूसरी का सर्वदा त्याग रखे, वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुषों से सदैव पृथक् रहे (तद्व्रतः) जो स्त्रीव्रत अर्थात् अपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसन्न रहता है, जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती (रतिकाम्यया) वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब (एतां पर्ववर्जं व्रजेत्) पर्व अर्थात् जो उन ऋतुदान के सोलह दिनों में पौर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी वा अष्टमी आये उसको छोड़ देवे। इनमें स्त्री-पुरुष रति-क्रिया कभी न करें ॥ ४५ ॥ (सं० वि० २६)

अनुयातिलक्षः : (१) 'ऋतुदान में व्रजित पर्व'—ऋतुदान में व्रजित पर्व अमावस्या, पौर्णमासी, अष्टमी तथा चतुर्दशी हैं। इनका वर्णन ४।१२८ में है। वहाँ भी यह निषेध है।

(२) पर्वदिनों में समागम-निषेध क्यों?—इन पर्वों के दिनों में समागम का निषेध इसलिए है क्योंकि इन दिनों को मनु ने धार्मिक दिन के रूप में मनाने का विधान करते हुए इन दिनों में विशेष यज्ञों का आयोजन एवं वेदादि ग्रन्थों के स्वाध्याय का विधान किया है [४।२५ ॥ ६।६ ॥ ३।३ ॥]। इन धार्मिक कृत्यों के पालन के अवसर पर जितेन्द्रिय रहना, संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि अजितेन्द्रियावस्था में इन धार्मिक कर्मों के फल की सिद्धि नहीं होती [२।७२ (२।६७)]।

(३) 'ऋतुकाल में गमन' गृहस्थ का आवश्यक कर्त्तव्य—गृहस्थ हो जाने पर व्यक्ति के लिए ऋतुकाल में स्त्रीगमन=सहवास करना, आवश्यक कर्त्तव्य है; इसीलिए मनु ने कहा है—'ऋतुकालाभिगामी स्यात्' 'पर्ववर्जं व्रजेत्'। इस पर प्रकाश डालते हुए आचार्य कीटिल्य ने कारणपूर्वक इस कर्त्तव्य को आवश्यक बतलाया है और इसको गृहस्थ का धर्म विधान माना है। इस का पालन न करने पर उसके लिए दण्डव्यवस्था भी निर्धारित की है। वे कहते हैं—ऋतुकाल में गमन करने से स्त्रियों के पद्मभ्रष्ट होने और उनका आचरण दूषित होने की आशंका होती है। ऋतुकाल में गमन न करना अपने

गृहस्थ धर्म का पालन न करना है, और ऐसे व्यक्ति को कर्त्तव्य पालन न करने पर ६६ पण दण्ड दिया जाना चाहिये।—“तीर्थोपरोषो हि धर्मनयः इति कौटिल्यः ।” [प्रक० ६०। अ० ४] “तीर्थगृहमनागमने दण्डवतिर्दण्डः ।” [प्रक० ५८। अ० २]। किन्तु कामनारहित स्व स्त्री के साथ भी बलात् गमन न करे—“नाकामामुपेयात्” [प्रक० ५८। अ० २]।

इसी कारण मनु ने पति के दीर्घप्रवास काल में स्त्री को नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त करने की स्वीकृति दी है [६। ७५]। कौटिल्य ने भी इसका समर्थन और विधान किया है [अर्थशास्त्र प्रक० ६०। ४]।

स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल—

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः ।

चतुर्भरितरैः सार्धमहोभिः सद्विगहितैः ॥ ४६ ॥ (२६)

(स्त्रीणां स्वाभाविक ऋतुः) स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल (षोडश रात्रयः स्मृताः) सोलह रात्रि का है अर्थात् रजोदर्शन दिन से लेके सोलहवें दिन तक ऋतु समय है (इतरैः सद्विगहितैः चतुर्भिः अहोभिः सार्धम्) उनमें से प्रथम की चार रात्रि अर्थात् जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से लेके चार दिन निन्दित हैं ॥ ४६ ॥ (सं० वि० २६)

प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का स्पर्श और स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अर्थात् उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी न पीवे, न वह स्त्री कुछ काम करे, किन्तु एकान्त में बैठी रहे। क्योंकि इन चार रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महा रोगकारक है ।” (सं० वि० २६)

निन्दित रात्रियां—

तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या ।

त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ४७ ॥ (२७)

(तासाम् + आद्याः चतस्रः तु निन्दिताः) जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं (या एकादशी च त्रयोदशी) वैसे ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी निन्दित हैं (शेषा तु दशरात्रयः प्रशस्ता) और बाकी रही दश रात्रि सो ऋतुदान में श्रेष्ठ हैं ॥ ४७ ॥ (सं० वि० २६)

अनुशीलन : (१) ऋतुगमन में निषिद्ध रात्रियां—४६ वें श्लोक में स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल का समय १६ रात्रि का माना है। उनमें रजोदर्शन के दिन की रात्रि सहित प्रथम चार रात्रियां निन्दित हैं। इसी प्रकार रजोदर्शन के दिन

से ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी ऋतुदान में निन्दित हैं। इस प्रकार सोलह रात्रियों में से दश रात्रियां ऋतुदान के लिए श्रेष्ठ बचती हैं।

किन्तु इन दश रात्रियों के बीच यदि कोई पर्व अर्थात् अमावस्या, पौर्णमासी, अष्टमी और चतुर्दशी का दिन आये तो उसकी रात्रि में ऋतुदान न करे, ऐसा स्पष्ट निर्देश ४।१२८ और ३।४५ में है। इस प्रकार कभी सात-आठ तो कभी दश रात्रियां ऋतुदान के लिए शेष बचती हैं।

२. ऋतुकाल की निश्चित रात्रियों का कारण—रजोदर्शन काल में स्त्रीगमन से व्यक्ति की प्रज्ञा, तेज, बल, ज्योति आद्यु की हानि होती है। द्रष्टव्य ४।४०-४२ श्लोक।

पुत्र-और पुत्री प्राप्त्यर्थं रात्रि की पृथक्ता—

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु।

तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम् ॥ ४८ ॥ (२८)

(युग्मासु पुत्राः जायन्ते) युग्म अर्थात् समसंख्या की रात्रियों—छठी, आठवीं, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी, षोडशी में समागम करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं (अयुग्मासु रात्रिषु स्त्रियः) विषम संख्या वाली अर्थात् पांचवीं, सातवीं, नवमी, पन्द्रहवीं रात्रियों में लड़की उत्पन्न होती है (तस्मात्) इसलिए (पुत्रार्थी) पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष (आर्तवे युग्मासु स्त्रियं संविशेत्) ऋतुकाल में समरात्रियों में स्त्री से समागम करे ॥ ४८ ॥

“जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवीं, दशमी, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं, ये छः रात्रि ऋतुदानमें उत्तम जानें। परन्तु इतमें भी उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है और जिनको कन्या की इच्छा होवे पांचवीं, सातवीं, नवमी और पन्द्रहवीं, ये चार रात्रि उत्तम समझें। इससे पुत्रार्थी युग्म रात्रियों में ऋतुदान देवे।” (सं. वि० २६)

पुत्र और पुत्री होने में कारण—

पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः।

समेऽपुमान्पुंस्त्रियो वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥ ४९ ॥ (२९)

(पुंस अधिके शुक्रेऽपुमान्) पुरुष के अधिक बीर्य होने से पुत्र (स्त्रियाः अधिके स्त्री) स्त्री का आर्तव अधिक होने से कन्या (समे + अपुमान्) तुल्य होने से नपुंसक पुरुष व वध्या स्त्री (क्षीणे च अल्पे विपर्ययः) क्षीण और

१. “रात्रि गणना इसलिए की है कि दिन में ऋतुदान का निषेध है।”

(सं. वि० २६ पर टिप्पणी)

अल्पवीर्य से गर्भ का न रहना वा गिर जाना (भवति) होता है ॥ ४६ ॥

(सं० वि० २६)

✽ (वा पुम् + स्त्रियो) अथवा लड़का-लड़की का जोड़ा.....

अनुशीलन : (१) अधिक शब्द से अभिप्राय—यहाँ अधिक शब्द से 'मात्राधिक्य' अभिप्राय नहीं है, अपितु 'सामर्थ्याधिक्य' अभिप्राय है। पुरुष के वीर्य में अधिक सामर्थ्य अथवा पुरुष-बीज के अधिक सामर्थ्यशाली होने पर पुरुषोत्पत्ति होती है। पुरुष की तुलना में स्त्री बीज के अधिक सामर्थ्यशाली होने पर पुत्री, समान सामर्थ्य होने पर लड़का-लड़की का जोड़ा अथवा नपुंसक सन्तान और क्षीण सामर्थ्य या अल्प-सामर्थ्य का बीज होने पर गर्भपात, गर्भ का न रहना आदि होते हैं।

(२) आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान से विरोध नहीं—अधिकतर लोगों का विचार है कि मनु की मान्यता का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मान्यता से विरोध आता है। लेकिन मूलतः ऐसा नहीं है। आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के मतानुसार पुरुष के वीर्य में दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं—१. एक्स, २. वाई। स्त्री के रज में केवल एक्स कीटाणु होते हैं। पुरुष का 'वाई' शुक्राणु जब स्त्री के 'एक्स' कीटाणु से मिलता है तब लड़का होता है। 'एक्स' के 'एक्स' से मिलने पर लड़की। संभोग के पश्चात् ये शुक्राणु गर्भ नलिकाओं में दौड़कर स्त्री के डिम्ब में प्रवेश करते हैं। जो शुक्राणु पहले प्रवेश कर जाता है, वही सन्तान रूप बनता है।

यहाँ भी मूल बात यह है कि जो शुक्राणु जितना प्रबल होगा वह उतना ही पहले जाकर डिम्ब में प्रवेश करेगा। पुरुष-शुक्रकीट अधिक प्रबल होंगे तो वे दौड़ कर पहले प्रवेश करेंगे। यदि स्त्री की जन्म देने वाले कीट प्रबल होंगे तो वे प्रथम प्रवेश करेंगे। यहाँ भी सामर्थ्य की अधिकता ही पुत्र-पुत्री की उत्पत्ति में मूलाधार है। इसीलिए आयुर्वेद-चिकित्सा में पुत्र-प्राप्ति चाहने वालों को पुरुषशुक्रसामर्थ्यवर्धक औषधियाँ प्रदान की जाती हैं।

संयमी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी—

निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु व्रज्यन् ।

ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ ५० ॥ (३०)

(निन्द्यासु) निन्दित छह [३। ४७] रात्रियों में (च) और (अन्यासु) अष्टासु रात्रिषु) इनके भिन्न दोष दश रात्रियों में से किन्हीं आठ रात्रियों में (स्त्रियो व्रज्यन्) स्त्रियों को छोड़ते हुए अर्थात् उनसे समागम न करते हुए (यत्र तत्र—आश्रमे वसन्) गृहस्थाश्रम में भी रहते हुए भी वह (ब्रह्म-

१. रजोदर्शन से लेकर पहली चार रात्रियाँ और पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी तथा अष्टमी की रात्रियाँ, ये आठ रात्रियाँ स्वामी दयानन्द ने निन्दित कही हैं। (द्रष्टव्य सं० वि० २६)

चारी + एव भवति) ब्रह्मचारी ही होता है ॥ ५० ॥

“ओ पूर्व निन्दित आठ रात्रि कह आये हैं, उनमें जो स्त्री का संग छोड़ देता है, वह गृहाश्रम में बसता हुआ भी ब्रह्मचारी ही कहाता है ।”
(सं० वि २६)

अनुशीलन : कौन गृहस्थ ब्रह्मचारी—निन्दित छह और शेष कोई भी आठ रात्रियाँ अर्थात् चौदह रात्रियों को छोड़कर, सोलह में से शेष बचीं केवल किन्हीं दो ही श्रेष्ठ रात्रियों में समागम करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के आचरण में संयम और जितेन्द्रियता आदि गुणों की प्रधानता होती है ॥
वर से कन्या का मूल्य लेने का निषेध—

न कन्यायाः पिता विद्वान्गृह्णीयाच्छुल्कमप्यपि ।

गृह्णच्छुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१ ॥ (३१)

(विद्वान् कन्यायाः पिता) बुद्धिमान्, कन्या के पिता को चाहिए कि वह कन्या के विवाह में (अणु + अपि शुल्कं न गृह्णीयात्) थोड़ा सा भी शुल्क = मोल वा धन न ले (लोभेन शुल्कं गृह्णन् हि) लोभ में आकर शुल्क लेने पर (नरः) वह मनुष्य (अपत्यविक्रयी स्यात्) सन्तान को बेचने वाला ही कहाता है ॥ ५१ ॥

स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपहृजीवन्ति बान्धवाः ।

नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥ ५२ ॥ (३२)

(ये बान्धवाः) जो वर के बान्धव = पिता, भाई आदि रिश्तेदार (मोहात्) लोभ या तृष्णा के वशीभूत होकर (स्त्रीधनानि) कन्याओं के धनों को (नारीयानानि वा वस्त्रम्) कन्या पक्ष या कन्याओं को सवारी या वस्त्रों को लेकर (उपजीवन्ति) उपभोग करके जीते हैं (ते पापाः अधोगतिं यान्ति) वे पापी लोग नीचगति को प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥

अनुशीलन : स्त्रीधन विवरण—३। ५२ में उचित स्त्रीधन का विवरण मनु ने ६। १६४-१६७ में दिया है। प्रमुखतः यह धन छह प्रकार का होता है—
(१) अध्यग्नि = विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया धन, (२) अधि-प्रावाह्निकम् = पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त धन, (३) प्रीतिकर्म में प्राप्त धन = प्रसन्नता आदि के अवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन, (४) कन्या को भाई से प्राप्त धन, (५) पिता से प्राप्त धन, (६) माता से प्राप्त धन। विस्तृत विवरण नवम अध्याय में द्रष्टव्य है।

आर्ष-विवाह में भी गो-युगल लेने का निषेध—

आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर्मृषैव तत् ।

अल्पोऽप्येवं महान्वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३ ॥ (३३)

(केचित्) कुछ लोगों ने (आर्षे) आर्ष-विवाह में (गोमित्र्युनं शुल्कम्) एक बैलों के जोड़े का शुल्क रूपा में लेने का (आहुः) कथन किया है (तत्) वह (मृषा+एव) गलती है—मिथ्या ही है (अपि+एवम्) क्योंकि इस प्रकार (अल्पः+अपि वा महान्) थोड़ा अथवा अधिक धन लेना-देना है (सः तावत्) वह निश्चय से (विक्रयः एव) बेचना ही है^१ ॥ ५३ ॥

“कुछ भी न ले-देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आर्ष विवाह है।” (सं० वि० पृ० ११६, विवाह प्रकरण में टिप्पणी)

यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः ।

अर्हणं सरुमारीणामानृशंस्यं च केवलम् ॥ ५४ ॥ (३४)

(ज्ञातयः) कन्या के पिता आदि या रिश्तेदार (यासां शुल्कं न+आददते) जिन कन्याओं के विवाह के लिए वरपक्ष से शुल्क नहीं लेते अर्थात् वरपक्ष से विवाह करके बदले में बिना कुछ धन लिए विवाह कर देते हैं (सः विक्रयः न) इस प्रकार का विवाह ‘कन्याओं को बेचना’ नहीं कहलाता (तत् कुमारिणां अर्हणम्) ऐसा विवाह वास्तव में कन्याओं का पूजा-सत्कार करना है (च) और (केवलम् आनृशंस्यम्) कन्याओं के प्रति वास्तव में दया और स्नेह प्रदर्शित करना है, बिना कुछ लिये वर को कन्या देना उसका आदर बढ़ाना है ॥ ५४ ॥

अनुयायित्वः आर्षविवाह में शुल्क लेना मनुविषय—३। २६ में आर्षविधि की जो व्यवस्था विहित है, ५१ से ५४ श्लोकों में उसके विरुद्ध और खण्डनात्मक वर्णन है। यहां यह शंका उपस्थित होती है कि कौन-सी मान्यता मौलिक या कौन सी सही मानी जाये या इनमें कौन सी प्रक्षिप्त होनी चाहिए।

इन श्लोकों की शैली, शब्दावली को देखकर इसका समाधान उपलब्ध हो जाता है। मनुस्मृति का उद्देश्य ही हितकारी धर्मविधान करने का है, अहितकारी बात धर्म नहीं, इसलिए मनु उसको अधर्म घोषित करके उसका निषेध करते हैं। इस प्रसंग में

१. आजकल दहेज के भयंकर परिणाम स्थान-स्थान पर देखने, सुनने और पढ़ने में आ रहे हैं। धन-लोभी दानव धनप्राप्तिके लालच में कितनी ही स्त्रियों को सता रहे हैं, जला रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। विवाह एक व्यापार बनता जा रहा है। दाम्पत्य जीवन स्वर्ग न रहकर नरक का भयावह रूप धारण करता जा रहा है। महर्षि मनु ने विवाह में शुल्क लेने-देने की परम्परा में ऐसी ही भयंकर दशाओं का पूर्वदर्शन किया था। अतः विवाह में प्रत्येक प्रकार के लेन-देन का निषेध किया है, ताकि लालच की भावना न रहे और कहा है कि विवाह एक सम्मान की बात है, लोभ की नहीं। गृहस्थ के सुख का आधार नारियां ही हैं। उनकी प्रसन्नता और आदर में ही गृहस्थ स्वर्ग है, निरादर और यातना देने में नरक है, कुलों की अवनति और विनाश है।

सम्पूर्ण मनुस्मृति से भिन्न शैली और शब्दावली है। तदनुसार उक्त शं का का समाधान इस प्रकार है—

(१) मनु ने ३।२०-३४ में जो आठ विवाह प्रदर्शित किये हैं, वे उनके स्वयंकृत विधान नहीं हैं, अपितु उस समय जो किसी रूप में प्रचलित थे, उनका वर्णन मात्र किया है। इसी लिए मनु ने प्रसंग-संकेतक श्लोक ३।२० में 'प्रेष्येह हित + अहितात्' का प्रयोग किया है। अहितकर कोई धर्म नहीं होने, फिर भी यहाँ उनका वर्णन है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये विधान नहीं, मात्र प्रचलित प्रथाएँ हैं। अन्तिम चार विवाहों के लिए प्रयुक्त नाम भी इन्हें धर्म विधान सिद्ध नहीं करते, वे हैं आसुर, गान्धर्व, राक्षस 'अधम पैशाच'। इनकी जो विधियाँ हैं वे भी मनुस्मृति की मान्यताओं के अनुसार निन्दनीय हैं। ३।४१-४२ में भी मनु ने इनकी निन्दा की है। उन्हें अनायी की परम्परा माना है, और निषेध रूप में विहित कर दिया है।

(२) इतना ही नहीं ३।३२-३४ में विहित कार्यों के लिए मनु ने ८।३५२-३५७, में कठोर दण्डों का विधान भी किया है। वे इन बातों को बलात्कार व व्यभिचार मानते हैं [८।३४५-३४६ ३५२-३५७], और ३।३१ में वर्णित 'आसुर विवाह' का ३५१-५४ में खण्डन 'विक्रय के रूप में' कहकर किया है।

(३) अब प्रश्न उठता है कि मनु की मान्यता क्या है, और इनमें धर्मविधान कौन से हैं। इसके उत्तर स्पष्ट हैं—(क) ३।२० में मनु ने जिन प्रारम्भिक चार विवाहों को इस जन्म और परजन्म के लिए हितकारी माना है। वे ही मनुविहित धर्मविधानात्मक विवाह हैं। देखिए ३।३६-४० में केवल प्रारम्भिक चार विवाहों की मनु ने स्वीकृति दी है। इनमें भी आर्य विवाह की परम्परा को मनु धर्म नहीं मानते, अतः उसमें सुधार करके अपनी मान्यता ५१-५४ में स्पष्ट कर दी है। (ख) दायभाग प्रकरण में भी मनु ने अपनी इस मान्यता की पुष्टि कर दी है। 'आसुर' आदि चार विवाहों में निःसन्तान स्त्री के धन का अधिकार उसके मरने पर पति को नहीं होता, क्योंकि वे विवाह मनु के अनुसार वैधानिक एवं धर्म्य नहीं हैं [६।१६७]। प्रारम्भिक चार विवाहों में निःसन्तान पत्नी की मृत्यु पर उसके धन का अधिकार पति को है, क्योंकि मनु के मत में ये विवाह धर्मानुकूल हैं [६।१६६]। इस प्रकार इन श्लोकों और पूर्व के श्लोकों में विरोध होने हुए भी मान्यता प्रदर्शन के कारण दोनों मौलिक ही हैं।

त्रियों के आदर का विधान तथा उसका फल—

पितृभिर्भ्रातृमिश्रैः पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ ५५ ॥ (३५)

(पितृभिः भ्रातृभिः पतिभिः तथा देवैः) पिता, भ्राता, पति और देव

को योग्य है कि (एताः पूज्याः च भूषयितव्याः) अपनी कन्या, बहन, स्त्री और भोजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें अर्थात् यथायोग्य मधुर-भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखें (बहुकल्याणम् + ईप्सुभिः) जिन को कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को क्लेश कभी न दें ॥ ५५ ॥ (सं वि० १४७)

स्त्रियों का आदर करने से दिव्य लाभों की प्राप्ति—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६ ॥ (३६)

(यत्र) जिस कुल में (नार्यः तु पूज्यन्ते) नारियों की पूजा अर्थात् सत्कार होता है (तत्र) उस कुल में (देवताः) दिव्यगुण = दिव्य भोग और उत्तम सन्तान (रमन्ते) होते हैं (यत्र) और जिस कुल में (एतास्तु न पूज्यन्ते) स्त्रियों की पूजा नहीं होती है (तत्र सर्वाः अफलाः क्रियाः) वहाँ जानो उन को सब क्रिया निष्फल हैं ॥ ५६ ॥ (सं वि० १४८) ❀

“जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके, देव संज्ञा धराके आनन्द की क्रीड़ा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रिया निष्फल हैं ।” (सं प्र० ६६)

अनुशीलन : ५६ श्लोक का सही अर्थ—प्रचलित टीकाओं में इस श्लोक का अर्थ कपोलकल्पित, असंगत तथा मनु-असम्मत है । (१) टीकाकार किन्हीं देवताओं की कल्पना कर उनकी प्रसन्नता की बात तो कहते हैं, किन्तु उसके साथ दूसरी पंक्ति की संगति नहीं लगा पाते । अगर पहली पंक्ति में देवताओं की प्रसन्नता की बात है तो दूसरी में नारियों के अनादर से उनकी अप्रसन्नता की बात होनी चाहिए थी, किन्तु श्लोक में है कि ‘उनकी सब क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं ।’ इस प्रकार उनके अर्थ में संगति और तालमेल नहीं बैठता । (२) देवताओं की कल्पना मनु की मान्यता के विरुद्ध है [दृष्टव्य ३ । ८२ पर ‘देव’ विषयक अनुशीलन] । (३) पूजा का अर्थ यहाँ सत्कार और सम्मान देना है । वस्तुतः यहाँ ‘देवताः’ का अर्थ ‘दिव्यगुण’ ‘दिव्यसन्तान’ या ‘दिव्यभोग’ है । [प्रमाण २ । १५१ (२ । १७६) पर दृष्टव्य] यही अर्थ पूर्वापर प्रसंग से सिद्ध होता है । जहाँ नारियों का सत्कार-सम्मान होता है, वहाँ नारियाँ प्रसन्न रहती हैं । उनकी प्रसन्नता से घर का वातावरण प्रसन्न एवं सुख-शान्तिमय होता है । नारी

❀ [प्रचलित अर्थ—जिस कुल में स्त्रियों की पूजा (वस्त्र, भूषण तथा मधुर वचनादि द्वारा आदर-सत्कार) होती है, उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं और जिस कुल में इन (स्त्रियों) की पूजा नहीं होती, उस कुल में सब कर्म निष्फल होते हैं ॥ ५६ ॥]

पर ही घर की सुख-शान्ति निर्भर है [३। ५५, ६०, ६२। ६। २८], वही घर की अघिष्ठात्री देवी है [६। २६-२७], माता के रूप में वह निर्मात्री है [६। २७-२८]। इस प्रकार घर की सुख-शान्ति से घर में उत्तम भोग, उत्तम सन्तान, उत्तम शिक्षा, ऐश्वर्य, सुख-सफलता आदि दिव्यगुण पनपते हैं। जहाँ इसके विपरीत नारियों का अनादर होता है, उस परिवार में अशान्तिके कारण सब क्रियाओं में असफलता प्राप्त होती है। परिवार में उन्नति, सुख आदि नहीं हो पाते। इसी भाव की विस्तृत व्याख्या मनु ने स्वयं ३। ५७-५८, ५९, ६० में भी की है।

इस प्रकार इस भाष्य का अर्थ संगत, मनुसम्मत एवं युक्तियुक्त है।

स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश—

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता बधन्ते तद्धि सर्वदा ॥ ५७ ॥ (३७)

(यत्र) जिस कुल में (जामयः) स्त्रियाँ (शोचन्ति) अपने-अपने पुरुषों के वेदयागमन, अत्याचार वा व्यभिचार आदि दोषों से शोकातुर रहती हैं (तत्कुलम् आशु विनश्यति) वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है (तु) और (यत्र एताः न शोचन्ति) जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती हैं (तत्+हि सर्वदा बधन्ते) वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥ ५७ ॥

“जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं, वह कुल शीघ्र नष्ट-अष्ट हो जाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है।” (सं० प्र० ६६)

जामयो यानि गेहानि शपत्यप्रतिपूजिताः ।

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ५८ ॥ (३८)

(यानि गेहानि) जिन कुल और घरों में (अप्रतिपूजिताः जामयः) अपूजित अर्थात् सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्रीलोग (शपन्ति) जिन गृहस्थों को शाप देती हैं (तानि) वे कुल तथा गृहस्थ (कृत्याहतानि'+इव) जैसे विष देकर बहुतों को एक बार नाश कर देंगे वैसे (समन्ततः विनश्यन्ति) चारों ओर से नष्ट-अष्ट हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ (सं० वि० ५८)

१. 'कृत्या' शब्द दुष्क्रिया अर्थ का भी बोधक है। देखिये महर्षि-दयानन्द का वेद-भाष्य (यजु० ३५। ११) (सम्पादक)

“जो विवाहित स्त्रियां पति, माता, पिता, बन्धु और देवर आदि से दुःखित होके जिन घर वालों को शाप देती हैं, वे जैसे किसी कुटुम्ब भर को विष देके मारने से एक बार सबके सब मर जाते हैं, वैसे उनके पति आदि सब और से नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं।” (ऋ० पत्र० वि० ४४४)

स्त्रियों का सदा सत्कार-सम्मान रखें—

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकामनैरनित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च ॥ ५६ ॥ (३६)

(तस्मात्) इस कारण (भूतिकामैः नरैः) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को योग्य है कि (एताः) इन स्त्रियों को (सत्कारेषु च उत्सवेषु) सत्कार के अवसरों और उत्सवों में (भूषण + आच्छादन + अशनैः) भूषण, वस्त्र, खान-पान आदि से (सदा पूज्याः) सदा पूजा अर्थात् सत्कारयुक्त प्रसन्न रखें ॥ ५६ ॥ (सं० वि० १४८)

“इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें।” (सं० प्र० ६६)

पति-पत्नी की परस्पर संतुष्टि से परिवार का कल्याण—

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ ६० ॥ (४०)

हे गृहस्थो ! (यस्मिन् कुले) जिस कुल में (भार्यया भर्ता संतुष्टः तथैव भर्त्रा भार्या नित्यम्) भार्या से प्रसन्न पति तथा पति से भार्या सदा प्रसन्न रहती है (तत्र वै) उसी कुल में (ध्रुवं कल्याणम्) निश्चित कल्याण होता है। और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास करता है ॥ ६० ॥ (सं० वि० १४७)

“जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं।

(सं० प्र० ६५)

पति-पत्नी में पारस्परिक अप्रसन्नता से सन्तान न होना—

यदि हि स्त्री न रोचेत् पुमांसं न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ ६१ ॥ (४१)

(यदि हि स्त्री न रोचेत्) यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रखे (पुमांसं न

प्रमोदयेत्) वा पुरुष को प्रहर्षित न करे तो (अप्रमोदात् पुनः पुंसः) अप्रसन्नता से पुरुष के शरीर में (प्रजनं न प्रवर्तते) कामोत्पत्ति न होके संतान नहीं होते और होते हैं तो दुष्ट होते हैं ॥ ६१ ॥ (सं० वि० १४७)

“जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ।” (सं० प्र० ६५)

स्त्री की प्रसन्नता पर कुल में प्रसन्नता—

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्वोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ (४२)

(स्त्रियां तु रोचमानायाम्) जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के अप्रसन्न रहने से (सर्वम्+एव न रोचते) सब कुल भर अप्रसन्न, शोकानुर रहता है (तु) और (स्त्रियां रोचमानायाम्) जब पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है तब (तत् सर्वं कुलं रोचते) सब कुल आनन्दरूप दीखता है ॥ ६२ ॥ (सं० वि० १४७)

‘स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता है, उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दुःखदायक हो जाता है ।’ (सं० प्र० ६५)

कुलों को पतित करने वाले कर्म—

कुविवाहैः क्रियालोपबन्धानध्ययनेन च ।

कुलाम्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ६३ ॥

(कुविवाहैः) निन्दित विवाहों के करने से (क्रियालोपः) यज्ञ आदि क्रियाओं के न करने से (च) और (वेद+अनध्ययनेन) वेद के न पढ़ने से (च) तथा (ब्राह्मण+अतिक्रमेण) ब्राह्मणों का निरादर करने या उनकी आज्ञा न मानने से (कुलानि) सभी कुल (अकुलतां यान्ति) पतित या नष्ट हो जाते हैं ॥ ६३ ॥

शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापर्येष च केवलैः ।

गोभिरश्वैश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥

अयाज्ययाजनैश्च नस्तिष्येन च कर्मणाम् ।

कुलान्याशु बिनश्यन्ति यानि हीनानि अन्त्रतः ॥ ६५ ॥

(शिल्पेन) कारीगरी की जीविका करने से (व्यवहारेण) व्यापार करने से (केवलैः शूद्रा-अपर्यैः) केवल शूद्र स्त्री संतानों से (च) और (गोभिः च अश्वैः) गो, बैल तथा घोड़ों का व्यापार करने से (यानैः) सवारियों का व्यापार करने से या उनसे जीविका चलाने से (कृष्या) कृषि करने से (राजा+उपसेवया) राजा की नौकरी करने से (च) तथा (अयाज्ययाजनैः) यज्ञ कराने के अयोग्य व्यक्तियों का यज्ञ कराने से (कर्मणां

नास्तिक्येन) श्रेष्ठ कर्मों के प्रति नास्तिक भावना रखने से (यानि हीनानि मन्त्रतः) जो परिवार वेदमन्त्रों से रहित हैं (कुलानि + आशु विनश्यन्ति) ऐसे कुल बीघ्र ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ६४, ६५ ॥

मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलाभ्यल्पधानामपि ।

कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥ ६६ ॥

(तु) और (मन्त्रतः समृद्धानि कुलानि) वेदमन्त्रों से समृद्ध कुल (अल्पधानानि + अपि) बहुत थोड़े धनवाले होते हुए भी (कुलसंख्यां गच्छन्ति) विशिष्ट कुलों में गिने जाते हैं (च) और (महत् + यशः कर्षन्ति) महान् यश को प्राप्त करते हैं ॥ ६६ ॥

अनुशीलन : ६३ से ६६ तक सभी श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. अस्तविरोध—(१) ६४ वाँ श्लोक मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था के ही विरुद्ध है। इसमें निर्दिष्ट शिल्प, कृषि एवं पशुरक्षा कर्म वैश्य के और राजा की सेना क्षत्रिय का कर्म है [१। ८६, ९० ॥ ६। ३२५—३३२ आदि], और इन्हीं के आधार पर मनु ने वैश्य और क्षत्रिय आदि के वर्णभेद को माना है तथा स्थान-स्थान पर अपने इन कर्तव्यों के पालन से श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होना कहा है। इस श्लोक में इनके आधार पर कुल का विनाश मानना मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था के ही विरुद्ध जाता है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है। अन्य पूर्वपर तीनों श्लोक इससे सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ६४ वें की क्रिया ६५ वें में पूर्ण होती है और ६६ वें के 'मन्त्रतस्तु समृद्धानि' शब्द ६५ वें के 'यानि हीनानि मन्त्रतः' शब्दों से सम्बद्ध हैं।

२. प्रसङ्गविरोध—विवाहों के गुण-अवगुणों, लाभ-हानियों का वर्णन विवाहों के उल्लेख के बाद ३६—४२ श्लोकों में उक्त हो चुका है, अतः यहाँ पुनः उनका विवेचन करना प्रासंगिक नहीं है। (२) यहाँ पूर्वपर प्रसंग विवाह के पश्चात् स्त्री के साथ कैसा व्यवहार होने से क्या परिणाम होता है [५५—६२], तथा पति-पत्नी के क्या कर्तव्य हैं [६७], इन बातों का है। इस बीच कुलों की उत्पत्ति-प्रवर्धन का विवेचन संगतसिद्ध नहीं होता।

३. पुनरुक्ति—इन श्लोकों में कुछ बातों की पुनरुक्ति मात्र है, यथा—६३ वें श्लोक में उक्त 'क्षियात्सर्वेः' पद की ६५ वें में 'अयाज्ययाजनेः नास्तिक्येन च कर्मणाम्' के रूप में तथा ६३ वें श्लोक में पठित 'बिहालव्ययनेन' पद की 'यानि हीनानि मन्त्रतः' के रूप में पुनरुक्ति ही है। इस प्रकार की पुनरुक्तियाँ मनु-सदृश विद्वान् की भाव-गाम्भीर्ययुक्त रचनाओं में उपलब्ध नहीं होतीं। अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

(पञ्चमहायज्ञ-विषय)

[३। ६७ से ३। २८६ तक]

पञ्चमहायज्ञों का विधान—

वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि ।

पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं आग्नेहिकीं गृही ॥ ६७ ॥ (४३)

(गृही) गृहस्थी पुरुष (वैवाहिके अग्नौ) विवाह के समय प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि में (गृह्यं कर्म यथाविधि) गृहस्थ के सभी कर्त्तव्यों को [जैसे पाचन, याजन आदि] उचित विधि के अनुसार (कुर्वीत) करे (च) और (पञ्चयज्ञविधानम्) होम, दैव आदि [३। ७०] पाँचों यज्ञों को (च) तथा (आग्नेहिकीं पक्तिम्) प्रतिदिन का भोजन पकाना ये भी करे ॥ ६७ ॥

पञ्चमहायज्ञों के अनुष्ठान का कारण—

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः ।

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् ॥ ६८ ॥ (४४)

(चुल्ली) चूल्हा (पेषणी) चक्की (उपस्करः) भाड़ू (कण्डनी) ओखली (च) तथा (उदकुम्भः) पानी का घड़ा (गृहस्थस्य पञ्च सूनाः) गृहस्थियों के ये पाँच हिंसा के स्थान हैं (याः तु वाहयन्) जिनको प्रयोग में लाते हुए गृहस्थी व्यक्ति (बध्यते) हिंसा के पापों से बंध जाता है ॥ ६८ ॥

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः ।

पञ्च बलृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ ६९ ॥ (४५)

(क्रमेण) क्रम से (तासां सर्वासां निष्कृत्यर्थम्) उन सब [३। ६८] हिंसा दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए (गृहमेधिनां प्रत्यहम्) गृहस्थी लोगों के प्रतिदिन करने के लिए (महर्षिभिः पञ्चमहायज्ञाः बलृप्ताः) महर्षियों ने पाँच महायज्ञों का विधान किया है ॥ ६९ ॥

पञ्चमहायज्ञों के नाम एवं नामान्तर—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम् ।

होमो दैवो बलिर्भोतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ ७० ॥ (४६)

(अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः) पढ़ना-पढ़ाना, संश्लेषण करना [सावित्री-मन्त्रधीयीत २। ७९ (२। १०४)] 'ब्रह्मयज्ञ' कहलाता है (तु) और (तपणं पितृयज्ञः) माता-पिता आदि की सेवा-मुश्रूपा तथा भोजन आदि से तृप्ति

करना 'पितृयज्ञ' है (होमः दैवः) प्रातः सायं हवन करना 'देवयज्ञ' है (बलिः भीतः) कोटों, पक्षियों, कुत्तों और कुण्डी व्यक्तियों तथा भूत्यों आदि आश्रितों को देने के लिए भोजन का भाग बचाकर देना 'भूतयज्ञ' या 'बलि-वैश्वदेवयज्ञ' कहलाता है (अतिथिपूजनम्) अतिथियों को भोजन देना और सेवा द्वारा सत्कार करना (नृत्यज्ञः) 'नृत्यज्ञ' अथवा 'अतिथियज्ञ' कहाता है

॥ ७० ॥

पञ्चैतान्यो महायज्ञास्महापयति शक्तितः ।

स गृहेऽपि वसन्ति स्यं सूनादोषं लिप्यते ॥ ७१ ॥ (४७)

(यः) जो (एतान् पञ्चमहायज्ञान् शक्तितः न हापयति) इन पाँच महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता (सः) वह (गृहे+अपि वसन्) घरमें रहता हुए भी (तिस्यम्) प्रतिदिन (सूनादोषः न लिप्यते) चुल्ली=चूल्हा आदि में हुए हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता [यतो हि यज्ञों के पुण्यों से उनका शमन होता रहता है] ॥ ७१ ॥

देवताऽतिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।

न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥ (४८)

(यः) जो गृहस्थी व्यक्ति (देवता+अतिथि+भृत्यानां पितृणां च आत्मनः पञ्चानाम्) अग्नि आदि देवताओं को [हवन के रूप में], अतिथियों को [अतिथि यज्ञ के रूप में], भरण-पोषण की अपेक्षा रखने वाले या दूसरों की सहायता पर आश्रित कुण्डी, भृत्य आदि के लिए [भूतयज्ञ या बलिवैश्वदेव यज्ञ के रूप में], माता-पिता, पितामह आदि के लिए [पितृ-यज्ञ के रूप में] और अपनी आत्मा के लिए [ब्रह्मयज्ञ के रूप में] इन पाँचों के लिए (न निर्वपति) उनके भागों को नहीं देता है, अर्थात् पाँच दैनिक महायज्ञों को नहीं करता है (सः) वह (उच्छ्वसन् न जीवति) साँस लेते हुए भी वास्तव में नहीं जीता अर्थात् मरे हुए व्यक्ति के समान है ॥ ७२ ॥

पञ्चयज्ञों के नामान्तर—

अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च ।

ब्राह्मणं हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञाप्रचक्षते ॥ ७३ ॥ (४९)

(पञ्चयज्ञान्) इन पाँच यज्ञों को (अहुतं हुतं प्रहुतं ब्राह्मणं हुतं च प्राशितं एव) 'अहुत', 'हुत', 'प्रहुत', 'ब्राह्मणहुत' और प्राशित भी (प्रचक्षते) कहते हैं ॥ ७३ ॥

जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः ।

ब्राह्मणं हुतं द्विजाग्रचार्या प्राशितं पितृतर्पणम् ॥ ७४ ॥ (५०)

(अहुतः जपः) 'अहुत' 'अपयज्ञ' अर्थात् 'ब्राह्मयज्ञ' को कहते हैं (हुतः होमः) 'हुतः' होम अर्थात् 'देवयज्ञ' है (प्रहुतः भौतिकः बलिः) 'प्रहुत' भूतों के लिए भोजन का भाग रखना अर्थात् 'भूतयज्ञ' या 'बलिवैश्वदेवयज्ञ' है (ब्राह्मणं हुतम्) 'ब्राह्मणहुत' (द्विजाग्रचार्या) विद्वानों की सेवा करना अर्थात् 'प्रतिथियज्ञ' है (प्राशितं पितृतर्पणम्) 'प्राशित' माता-पिता आदि का तर्पण =तृप्ति करना 'पितृयज्ञ' है ॥ ७४ ॥

ब्रह्मयज्ञ एवं अग्निहोत्र का विधान—

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्देवे चंचेह कर्मणि ।

देवकर्मणि युक्तो हि बिभर्ती चराचरम् ॥ ७५ ॥ (५१)

(स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्) मनुष्य को चाहिए कि वह पढ़ने-पढ़ाने और संध्योपासन अर्थात् ब्रह्मयज्ञ में नित्य लगा रहे अर्थात् प्रतिदिन अवश्य करे (च) और (देवे कर्मणि एव) देवकर्म अर्थात् अग्निहोत्र भी अवश्य करे (हि) क्योंकि (इह) इस संसार में रहते हुए (देवकर्मणि युक्तः) अग्निहोत्र करनेवाला व्यक्ति (इदं चर+अचरं बिभर्ति) इस समस्त चेतन और जड़ जगत् का पालन-पोषण करता है ॥ ७५ ॥

अनुवर्णितम् : अग्निहोत्र से जल-वायु की शुद्धि होकर भव्य पदार्थों की शुद्धि एवं पुष्टि होती है और उससे प्रजाओं तथा अन्य पदार्थों का कल्याण होता है । इस प्रकार चर और अचर जगत् का पोषण होता है । अगले ही लोक में इसका स्पष्टीकरण है ।

अग्निहोत्र से लाभ—

अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिर्बृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥ (५२)

[वह पालन-पोषण और भला इस प्रकार होता है] (अग्नी सम्यक् प्रास्ता+आहुतिः) अग्नि में अच्छी प्रकार डाली हुई घृत आदि पदार्थों की आहुति (आदित्यम्+उपतिष्ठते) सूर्य को प्राप्त होती है—सूर्य की किरणों से बातावरण में मिलकर अपना प्रभाव डालती है, फिर (आदित्यात्+जायते वृष्टिः) सूर्य से वृष्टि होती है (वृष्टेः+अन्नम्) वृष्टि से अन्न पैदा होता है (ततः प्रजाः) उससे प्रजाओं का पालन-पोषण होता है ॥ ७६ ॥

अनुवर्णितम् : यज्ञ न करने से पाप—होम न करने से पाप और करने से सृष्टि का उपकार होता है । इसको स्पष्ट करते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं—

“प्रश्न—क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ?

उत्तर—हां, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध पैदा होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए।”

(सं० प्र० तृतीय समु० होम प्रकरण)

गृहस्थाश्रम की महत्ता एवं ज्येष्ठता—

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ ७७ ॥ (५३)

(यथा वायुं समाश्रित्य) जैसे वायु के आश्रय से (सर्वजन्तवः वर्तन्ते) सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है (तथा) वैसे ही (गृहस्थम् + आश्रित्य) गृहस्थ के आश्रय से (सर्वे + आश्रमाः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी अर्थात् सब आश्रमों का (वर्तन्ते) निर्वाह होता है ॥ ७७ ॥ (सं० वि० १४६)

यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृहो ॥ ७८ ॥ (५४)

(यस्मात्) जिस से (त्रयः + अपि + आश्रमिणः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी, इन तीन आश्रमियों को (अन्नेन दानेन अन्वहम्) अन्न-वस्त्रादि दान से नित्यप्रति (गृहस्थेन + एव धार्यन्ते) गृहस्थ धारण-पोषण करता है (तस्मात्) इसलिए (गृही-आश्रमः ज्येष्ठः) व्यवहार में गृहाश्रम सबसे बड़ा है ॥ ७८ ॥ (सं० वि० १४६)

“जिससे गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात् सब व्यवहारों में धुरंधर कहाता है।”

(सं० प्र० १२२)

अनुवर्तिता : गृहस्थी की ज्येष्ठता-सम्बन्धी मान्यता का कथन तथा ७७ श्लोक के समान आलंकारिक विधि में वर्णन ६। ८६-९० में द्रष्टव्य है।

गृहस्थ के योग्य कीन—

स सन्धार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥ ७९ ॥ (५५)

स्त्री-पुरुषो ! जो तुम (अक्षयं स्वर्गम् इच्छता अ सुखम् इच्छता)

अक्षयः॑ मुक्ति-सुख और इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो (यः दुर्ब-
लेन्द्रियः अघार्यः) जो दुर्बलेन्द्रिय और निर्बुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य
नहीं है (सः नित्यं प्रयत्नेन संघार्यः) उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से धारण
करो ॥ ७६ ॥ (सं० वि० १५०)

“इसलिए जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो, वह
प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे ॥” (सं० प्र० १२२)

अनुयीत्यन : स्वर्ग से अभिप्राय—इस श्लोक के प्रसंग में यहां मनु की
स्वर्ग या स्वर्गलोक-सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा, क्योंकि प्रायः
इस सम्बन्ध में भ्रान्ति पायी जाती है। मनुस्मृति की मान्यताओं के सन्दर्भ में भी वह
भ्रान्ति न हो, इसलिए यहां इस विषय पर विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। मनु इस
संसार से भिन्न कोई स्वर्ग या नरकलोक नहीं मानते। सुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है
और दुःख की प्राप्ति का नाम नरक है, जो इसी संसार में जीवन में प्राप्त होते रहते हैं।
इसमें प्रमाण है—

(१) मनु ने ‘स्वर्ग’ शब्द का प्रयोग इहसुख और मोक्षसुख दोनों सुखों के लिए
किया है। इस श्लोक में अक्षयः सुख अर्थात् मोक्ष के लिए ‘स्वर्ग’ शब्द का प्रयोग है और
उसके पर्यायवाची रूप में इहसुख के लिए ‘सुख’ का प्रयोग है।

(२) सुख के अर्थ या पर्यायवाची रूप में अन्यत्र भी स्वर्ग शब्द का प्रयोग
किया है—

(क) “अस्वर्ग्यं व्रतमोजनम् ।” २ । ३२ [२ । ५७]

(ख) “वाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणां सात्मनश्च ह ।” ६ । २८ ॥

(ग) “स्वर्ग-प्रायुष्य-यशस्यानि व्रतः क्षीमानि धारयेत् ।” ४ । १३ ॥

(३) अक्षयः सुख अर्थात् मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग—

(क) प्रस्तुत ३ । ७६ श्लोक में “स्वर्गमक्षयमिच्छताम्” ।

(ख) इवन्विच्छतां स्वर्गम्, इवमानन्त्यमिच्छताम् ।” ६ । २४ ॥

(४) मनु ने १२ । ६, ३६-५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के
अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों का वर्णन किया है। उस प्रसंग में स्वर्गलोक या
स्वर्गयोनि विशेष का कोई उल्लेख नहीं है।

(५) व्याकरणः शास्त्रानुसार ‘स्वर्ग’ शब्द ‘स्वर्’ उपपद में ‘गम्-गती’ धातु
से ‘उ’ प्रकरणेन्द्रियेवपि दृश्यते अ० ३ । २ ४८ वातिकसूत्र से ‘उः’ प्रत्यय के योग से बनता

अक्षयः इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है। उतने
समय में दुःख का संयोग, जैसे विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता,
वैसा नहीं होता ।” (ऋषि दया० सं० वि० टिप्पणी गृहास्थाश्रम प्रकरण)

है। गति के ज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं। 'स्वः' सुख का अनुभव होना, सुख में प्रविष्ट होना, सुख की प्राप्ति होना ही स्वर्ग अर्थात् सुख है।

(६) इसी प्रकार 'स्वर्गलोक' का अर्थ है। 'लोक' दर्शने' धातु से लोक शब्द बनता है, जिसका अर्थ 'स्थान' है। जहां स्वर्ग प्राप्त होता है—सुख प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक है। नरकसम्बन्धी विवेचन ४।६१ की अन्तर्विरोध समीक्षा में देखिए।

ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा ।

आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥ ८० ॥ (५६)

(ऋषयः पितरः देवाः भूतानि तथा अतिथयः) ऋषि-मुनि लोग, माता पिता, अग्नि आदि देवता, भूय तथा कुष्ठी आदि और अतिथि लोग (कुटुम्बिभ्यः आशासते) गृहस्थों से ही आशा रखते हैं अर्थात् सहायता की अपेक्षा रखते हैं (विजानता तेभ्यः कार्यम्) अपने गृहस्थ-सम्बन्धी वस्तुओं को समझने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इनके लिए सहायता कार्य करे ॥ ८० ॥

अनुशीलनः ऋषि, देवता, देव और पितर के अर्थज्ञान के लिए ३।८२ की समीक्षा देखिए।

पञ्चवर्जों के मुख्य कर्म—

स्वाध्यायेनाचंयेद्वर्षोऽहोमर्देवाग्यथाविधि ।

पितृश्राद्धेऽच नृनन्तेभूतानि बलिकर्मणा ॥ ८१ ॥ (५७)

(स्वाध्यायेन ऋषीन्) स्वाध्याय से ऋषिपूजन (यथाविधि होमः देवान्) यथाविधि होम से देवपूजन (श्राद्धेः पितृन्) श्राद्धों से पितृपूजन (अन्नं नृन्) अन्नों से मनुष्यपूजन (च) और (बलिकर्मणा भूतानि) वैश्वदेव बलि से प्राणो मात्र का सत्कार करना चाहिए ॥ ८१ ॥ (८० ल० अ० २३)

अनुशीलनः इस श्लोक पर महर्षि दयानन्द ने प्रकाश डालते हुए लिखा है—

(१) "इन श्लोकों से क्या आया कि होम जो है, सो ही देवपूजा है, अन्य कोई नहीं। और होमस्थान जितने हैं, वे ही देवालयदिक शब्दों से लिए जाते हैं।

पूजा नाम सत्कार। क्योंकि 'अतिथिपूजनम्' 'होमर्देवानचंयेत्'—अतिथियों का पूजन नाम सत्कार करना, तथा देव परमेश्वर और मन्त्र, इन्हीं का सत्कार, इसका नाम है पूजा, अन्य का नहीं।" (८० शा० ५४)

"इमं कथन से अर्वाचीन देवालय अर्थात् मन्दिरों को कोई न समझे, देवालय का अर्थ तो यज्ञमाला ही है।" (९० प्र० ६७)

श्राद्ध का अर्थ है—श्राद्धा से किया गया कार्य, जैसे श्राद्धापूर्वक माता-पिता की सेवा-सुश्रूषा करना, भोजन देना आदि। यही पितरों का तर्पण या पितृयज्ञ है।

(२) स्वाध्याय-विषयक विस्तृत विवेचन एवं अर्थ ३। ८२ पर देखिए।

पितृयज्ञ का विधान—

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा।

पयोमूलफलैर्वसिषि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ ८२ ॥ (५८)

गृहस्थ व्यक्ति (अन्नाद्येन वा उदकेन अपि वा पयः+मूल+फलैः) अन्न आदि भोज्य पदार्थों से और जल तथा दूध से कन्दमूल, फल आदि से (पितृभ्यः प्रीतिम् आवहन्) माता-पिता आदि बुजुर्गों से अत्यन्त प्रेम करते हुए (ग्रहः+ग्रहः श्राद्धं कुर्यात्) प्रतिदिन श्राद्ध=श्राद्धा से किये जाने वाले सेवा-सुश्रूषा, भोजन देना आदि कर्त्तव्य करे ॥ ८२ ॥

अनुशीलन : यहाँ पितृयज्ञ पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। इससे श्राद्ध और तर्पणविषयक बातों पर स्पष्ट प्रकाश पड़ेगा तथा मृतकश्राद्ध और तर्पण सम्बन्धी भ्रांतिर्या भी दूर हो सकेंगी। तीसरा 'पितृयज्ञ' अर्थात् जिसमें जो देव, विद्वान्, ऋषि जो पढ़ने-पढ़ाने हारे पितर माता-पितादि बृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी होती है। इस विषय में विस्तृत विवेचन किया जाता है—पितृयज्ञ के दो भेद हैं—एक तर्पण, दूसरा श्राद्ध। 'येन कर्मणा विबुधो देवान्, ऋषीन्, पितृंश्च तर्पयन्ति = सुखयन्ति तत्तर्पणम्'। अर्थात् जिस कर्म से विद्वान् रूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, उसे तर्पण कहते हैं। 'यस्तेषां श्राद्धया सेवनं क्रियते' तत् 'श्राद्धम्'। अर्थात् जो इन लोगों का श्राद्धा से सेवन करना है, वह श्राद्ध कहाता है। यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात् जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं। क्योंकि, उनकी प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है। इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती। और जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता, इसलिए मृतकों को सुख पहुँचाना सर्वथा असम्भव है.....तर्पण आदि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं—देव, ऋषि और पितर।" (८० ल० प्र० मं० २४५)

(१) 'पितर' से अग्निप्राय—

विद्या, मुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं। पितर अदृश्य हैं। अतः ब्राह्मणों के प्रमाण द्रष्टव्य हैं—

(अ) "देवा वा एते पितरः" (गो० उ० १। २४)

(आ) "स्विष्टकृतो वं पितरः" (गो० उ० १। २५)

अर्थात् सुखसुविधाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हिनसम्पादन करने वाले विद्वान् व्यक्ति 'पितर' कहलाते हैं।

(इ) 'मर्त्याः पितरः' (श० २।१।३।४)

मनुष्य ही 'पितर' हैं अर्थात् मृत नहीं।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना और भ्रान्ति है। माता-पिता-पितामह-भाचार्य आदि ही 'पितर' कहलाते हैं।

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा है। ४।२५७ में उनके ऋण से उद्धार होने के लिए कहा है— अर्हवि-पितु-देवानां गत्वानुष्यं यथाविधि। यह जीवितों के साथ ही सम्भव हो सकता है। मनुस्मृति के अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(ई) अध्यापयामास पितृन् शिशुराङ्गिरसः कविः।

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥ २।१२६ ॥

(उ) पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सास्त्रिकी गतिः ॥ १२।४६ ॥

(ऊ) पितृदेवमनुष्याणां वेदचक्षुः समातनम् ॥ १२।२४ ॥

(ए) दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणां भगवन् ॥ ६।२८ ॥

(ऐ) ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिययस्तथा।

आज्ञासते कुटुम्बिन्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥ ३।८० ॥

मनु ने ४।३०—३१ में जीवित, धार्मिक, वेदविद् विद्वानों को ही हव्य-कव्य देने का विधान किया है। वे श्लोक मनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैं कि हव्य-कव्य जीवित व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। यही श्राद्ध है। हव्य-कव्य आदि श्राद्ध-सम्बन्धी बातों का मृतक पितृश्राद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं।

(औ) पितरों में वेद का प्रमाण—

ऊर्जं बहस्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिलुप्तम्।

स्वधास्थ तर्पयत मे पितृन् ॥ (यजु० २।३४)

“अर्थ—पिता वा स्वामी अपने पौत्र, स्त्री, नौकरों को सब दिन के लिए आज्ञा देके कहे कि—(तर्पयत मे पितृन्) जो मेरे पिता पितामह आदि, माता, मातामह आदि तथा भाचार्य और इनसे भिन्न भी विद्वान् लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सबकी आत्माओं को यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो। सेवा करने के लिए उत्तम-उत्तम जल (अमृतम्) अनेक विध रस (घृतम्) या (पयः) दूध (कीलालम्) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम-उत्तम अन्न (परिलुप्तम्) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते रहो (स्वधास्थ) हे पूर्वोक्त पितृभोगो ! तुम सब हमारे अमृतरूप पदार्थों के भोगों से सदा सुखी रहो।” (३० ल० प्र० सं० २४५—२४५)

(ब) पितरों की गणना और उनका अग्निप्राय—

“जिनकी पितृसंज्ञा है और जो सेवा के योग्य हैं वे निम्न हैं—

१—सोमसदः । २—अग्निष्वात्ताः । ३—बर्हिषदः । ४—सोमपाः । ५—हविर्भुजः ।
 ६—आज्यपाः । ७—सुकालिनः । ८—यमराजाः । ९—पितृपितामहप्रपितामहाः ।
 १०—मातृपितामहीप्रपितामहाः । ११—सगोत्राः । १२—आचार्यद्विसम्बन्धिनः ।

१—सोमसदः—‘सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमगुराश्च’ ते ‘सोमसदः’=जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण और शान्ति आदि गुण सहित हैं, वे ‘सोमसद्’ कहते हैं ।

२—अग्निष्वात्ताः—‘अग्निरीश्वरः सुष्ठुतया आत्तो गृहीतो यस्ते यद्वा अग्ने-
 गुंरुज्ञानात् पृथिवी=जल-धूम-याम-यन्त्ररश्मादिका पदार्थविद्या सुष्ठुतया आत्ता
 गृहीता यः’ ते ‘अग्निष्वात्ताः’=अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक अग्नि, उनके गुणज्ञात
 करके जिन्होंने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है, उनको ‘अग्निष्वात्त’ कहते हैं ।

३. बर्हिषदः—‘बर्हिषि सर्वोत्कृष्टे बहुरिण शम-बन्धाविप्लवेषु गुरोषु वा
 सीदन्ति’ ते ‘बर्हिषदः’=जो सबसे उत्तम परब्रह्म में स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या
 आदि उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उनको ‘बर्हिषद्’ कहते हैं ।

४—सोमपाः—‘यज्ञेन उत्तमोऽधिरसं पिबन्ति पाययन्ति वा’ ते ‘सोमपाः’=
 जो यज्ञ करके सोमलता आदि उत्तम औषधियों के रस के पान करने और कराने वाले
 हैं, तथा जो सोमविद्या को जानते हैं, उनको ‘सोमपा’ कहते हैं ।

५—हविर्भुजः—‘हविर्हस्तेष्वयज्ञेन शोषितवृष्टिजलादिकं मोक्तुं भोजयितुं
 वा शीलमेव’ ते ‘हविर्भुजः’=जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करके वायु और वृष्टिजल की
 शुद्धि द्वारा सब जगत् का उपकार करते और जो यज्ञ से अन्नजलादि की शुद्धि करके
 खाने पीने वाले हैं, उनको ‘हविर्भुज्’ कहते हैं ।

६—आज्यपाः—‘आज्यं घृतम्, यद्वा ‘अज् गतिक्षेपणयोः’ धात्वर्थान् आज्यं
 विज्ञानम्, तद्दानेन पान्ति रक्षन्ति पासयन्ति रक्षयन्ति ये विद्वांसः’ ते ‘आज्यपाः’=
 घृत, स्निग्धपदार्थ और विज्ञान को कहते हैं । जो उनके दान से रक्षा करने वाले हैं,
 उनको ‘आज्यप’ कहते हैं ।

७—सुकालिनः—‘ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभनः कालो
 येषां ते । यद्वा ईश्वरज्ञानप्राप्त्या सुखरूपः सदैव कालो येषां’ ते ‘सुकालिनः’=
 मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर और सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय
 और जो सदा उपदेश में ही वर्तमान हैं, उनको सुकालिन् कहते हैं ।

८—यमराजाः—‘ये दक्षपातं विहाय न्यायव्यवस्थाकसारिः सन्ति’ ते
 ‘यमराजाः’=जो पक्षपात को छोड़कर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में रहते हैं,
 उनको ‘यमराज’ कहते हैं ।

९—पितृ-पितामह-प्रपितामहाः—(पितृ) ‘ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान् विदुषो गुरान्
 वासयन्तः तत्र वसन्तश्च, विज्ञानादि अनन्तधनाः स्वान् जनान् धारयन्तः पोषयन्तश्च,

चतुर्विंशतिवर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्येण विद्याभ्यासकारिणः स्वे जनकाश्च सन्ति, ते पितरः 'वसवः' विद्महे ईश्वरोऽपि' = जो वीर्य के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और पालन करे और चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' अथवा 'वसु' है। (पितामह) 'ये पक्षपातरहिता दुष्टान् रोदयन्तः चतुश्चत्वारिंशत् वर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्यसेवनेन कृतविद्याभ्यासाः ते 'रुद्राः' स्वे पितामहाश्च ग्राह्याः तथा रुद्र ईश्वरोऽपि' = जो पिता का पिता हो और चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य से विद्या-भ्यास कर पक्षपातरहित होकर दुष्टों को हलाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' और 'रुद्र' है। (प्रपितामह) 'आदित्यवत् उत्तमगुणप्रकाशका' विद्मसी ऽष्टचत्वारिंशत् वर्षेण ब्रह्मचर्येण सर्वविद्यासम्पन्नाः सूर्यवत् विद्याप्रकाशकाः त आदित्याः स्वे प्रपिता महाश्च ग्राह्याः तथा आदित्यो ऽविनाशीश्वरो वात्र गृह्यते' = जो पितामह का पिता और आदित्य के समान उत्तम गुणों का प्रकाशक अठ्ठालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या पढ़के सब जगत् का उद्धार करता हो, उसको 'प्रपितामह' अथवा 'आदित्य' कहते हैं। तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये।

१०—मातु-पितामही-प्रपितामहः—पित्रादिसहस्रो मात्रादयः सेव्याः = पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये। माता, दादी, परदादी आदि।

११—सगोत्राः—'स्वसमीपं पुत्रादयस्ते अहया पालनीयाः' = जो समीपवर्ती जाति के पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य हैं।

१२—आचार्यादिसम्बन्धिनः—'ये गुर्वादिसंयुक्ताः सन्ति ते हि सर्वदा सेवनीयाः'—जो पूर्णविद्या के पढ़ाने वाले और इममुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए"। (द० ल० अ० २४५—२५४)

इस प्रकार उपर्युक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'पितर' कहा जाता है, उनकी सेवा करनी ही पितृयज्ञ है। मृतपितरों की कल्पना भ्रान्ति एवं अज्ञानता है।

(२) 'देव' से अग्निप्रायः—

'दिवु = क्रीड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-श्रुति-स्तुति-मोक्ष-भक्ष-स्वप्न-कान्ति-गतिषु' (दिवादि) धातु से 'पचाद्यच्' से अच् प्रत्यय अथवा 'दिवु-मर्दने' (चुरादि) या 'दिवु-परिक्रजे' (चुरादि) धातु से 'ऊच्' प्रत्यय के योग से 'देव' शब्द निष्पन्न होता है। देव जड़ और चेतन दो प्रकार के होते हैं (विस्तृत विवरण १। ६७ की समीक्षा में देखिए)। इस श्लोक में देव शब्द से चेतन देव अभीष्ट हैं। शतपथ में आता है—

(अ) "इयं वाऽहं न तृतीयमस्ति सत्यं चैवानृतं च । सत्यमेव देवा अनृतं ननुष्याः 'इदमहमनृतात् सत्यमुपैसीति' तन्मनुष्येभ्य देवानुपैति ।

(शतपथ १। १। १। ४—५)

“दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञाएं होती हैं अर्थात् देव और मनुष्य। वहाँ सत्य और भूठ दो कारण हैं। जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं वे ‘देव’ और वैसे ही भूठ मानने और भूठ कर्म करने वाले ‘मनुष्य’ कहाते हैं। जो भूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजाति में गिने जाते हैं।”

(६० ल० प्र० सं० २४५—२५५)

(आ) विद्वांसो हि देवाः (शत० ३।७।६।१०)

(इ) ये ब्राह्मणाः शुश्रूषांसोऽनुचामास्ते मनुष्यदेवाः ॥

(शत० २।४।३।१४॥

(ई) सत्यसंहिता वं देवाः (ऐ० ब्रा० १।१६)

अर्थात् विद्वान् मनुष्यों को देव कहते हैं। निरुक्त में देव शब्द की निरुक्ति करते हुए लिखा है—“वेदो ब्रह्माद्वा, बीषणाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा। यो देवः स वेचता” [निह० ७।१५] अर्थात् दान देने से, दीप्त होने से, प्रकाशित करने से, द्युस्थानीय होने से ‘देव’ कहाते हैं। देव को ही देवता कहा जाता है। इस प्रकार विद्याओं से प्रकाशित और विद्याओं का दान देने वाले, दिव्यगुण एवं उत्तम आचरण वाले विद्वानों को ‘देव’ कहा जाता है।

मनुस्मृति में ऐसे ही विद्वानों को देव कहा है। निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं—

(उ) ते तभ्यमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः ।

वेदावर्षेतान्समेत्योच्चर्याय्यं वः शिशुवक्तवान् ॥ २।१२७ ॥

(ऊ) न तेन वृद्धो भवति येनास्य पतितं शिरः ।

यो वं युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ २।१३१ ॥

(३) ऋषि से अभिप्राय—

‘ऋषी गतो’ धातु से ‘इन्’ प्रत्यय और ‘इगुपधात् कित्’ के योग से ‘ऋषि’ शब्द की सिद्धि होती है। गति के ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ हैं। ऋषि सबसे उच्च-स्तर का विद्वान् व्यक्ति होता है। वेदमन्त्रों के अर्थों का द्रष्टा, धर्म और ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला आप्तपुरुष ऋषि कहलाता है। वेद, वेदार्थों और विद्याओं के गूढ़ ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उसमें होती है। वही धर्मोपदेष्टा होता है।

(क) निरुक्तकार ने ऋषि की निरुक्ति की है—ऋषिः बर्षावात् । स्तोभान् बर्षा इत्योपमन्यवः ॥ [निह० २।११] अर्थात् ऋषि वेदार्थों और विद्याओं के रहस्यों को प्रत्यक्ष करने-कराने वाला होता है। औपमन्यव आचार्य का मत है कि मन्त्रद्रष्टा होने से ऋषि होता है। इसी प्रकार ‘साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयोः बभूवुः ॥’ अर्थात् ऋषि धर्म और ईश्वर के साक्षात्कर्त्ता होते हैं। [निह० १।२०] ।

(ख) ब्राह्मणों में भी ऋषि की यही विशेषताएं वर्णित की हैं—

(अ) “यो वै शातोऽनूचानः स ऋषिरार्षेयः ।” (श० ४।३।४।१६)

(आ) “एते वै विप्रा यद्वयः ।” (श० १।४।२।७)

(ग) महर्षि मनु ने भी ऋषिचर्चा के प्रसंग में इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है—

(इ) न हायनैर्नैपलितैः न वित्तेन न च बन्धुभिः ।

ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥ २।१२६ ॥

(ई) ऋषयो दीर्घसंख्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः ।

प्रज्ञां यथाश्च कीति च ब्रह्मवर्षसमेव च ॥ ४।६४ ॥

(उ) आर्य धर्मोपदेशम् च ॥ १२।१०६ ॥

(ऊ) “अथ यदेवानुब्रवीत् । तेन विम्य ऋणं जायते, तद्धयेभ्य एतत् करोत्यु-
षीणां निधिगोप इति ह्यनूचानमाहुः ॥” (शत० १।७।५।३)

“अथार्षेयं प्रब्रूणीते । ऋषिभ्यश्च वेनैतद्देवेभ्यश्च निवेदयत्यं महावीर्यो यो
यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रब्रूणीते ॥” (शत० १।४।५।३)

“अर्थ—सब विद्यार्थों को पढ़के जो पढ़ाना है ‘ऋषिकर्म’ कहाता है, उस पढ़ने और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण अर्थात् उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता है और जो इन ऋषियों की सेवा करता है, वह उनको सुख करने वाला होता है। यही व्यवहार अर्थात् विद्याकोश की रक्षा करने वाला होता है। जो सब विद्यार्थों को जानके सबको पढ़ाता है; उसको ‘ऋषि’ कहते हैं।

जो पढ़के, पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है, सो आर्येय अर्थात् ऋषियों का कर्म कहाता है। जो उस कर्म को करता हुआ उन ऋषियों और देवों के लिए प्रसन्न करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान् प्रति पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वान् और विद्या को ग्रहण करने वाला है उसका ‘ऋषि’ नाम होता है।” (द० ख० प्र० सं० २४५-२५५)

इस प्रमाणयुक्त विस्तृत विवेचन से यह सिद्ध हो गया है कि पितर, ऋषि, देव जीवित मनुष्यों के स्तरविशेष पर आधारित या विशेषगुणों के आधार पर रखी गई संज्ञाएँ हैं। संक्षेप में विद्या के प्रत्यक्षदर्शन के प्रमुख गुण वाले ‘ऋषि’, आचरण में दिव्य-गुणों की प्रधानता के गुण वाले विद्वान् ‘देव’ और पालक गुण वाले बयोवृद्ध विद्वान् या पिता आदि ‘पितर’ हैं।

पितृयज्ञ और बलिदैवदेव में किसको जियाये—

एकमप्याशयेद्विप्रं पित्र्ये पाञ्चयज्ञिके ।

न चैवात्राशयेत्कञ्चिद्दैवदेवं प्रति द्विजम् ॥ ५३ ॥

(पाञ्चयज्ञिके पित्र्ये) प्रतिदिन के पाँच यज्ञों के अन्तर्गत आने वाले पितृयज्ञ के

निमित्त तो चाहे (एकम् + अपि विप्रम् प्राशयेत्) एक भी विद्वान् ब्राह्मण को जिमादे = भोजन खिला दे (च + एव) किन्तु (वैश्वदेवं प्रति) बलिवैश्वदेव यज्ञ के निमित्त (कश्चित् द्विजं न प्राशयेत्) किसी ब्राह्मण को भोजन न कराये ॥ ८३ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—(१) ८२ वें श्लोक में दैनिक रूप से अन्न, जल, फल-मूल आदि से पितरों के लिए आद्य करने का कथन है, जिसका अभिप्राय माता-पिता आदि वयोवृद्धों की सेवा-सुश्रूषा करना है। मनु ने वयोवृद्धों को ही 'पितर' कहा है, देखिए २।१२६ [२।१५१] में 'पितृन्' शब्द के प्रयोग को। इस श्लोक में न तो ब्राह्मणों को जिमाने की ही चर्चा है और न ही ब्राह्मणों का भोजन कराने का कोई प्रसंग। अतः ८३ वें श्लोक में पितृयज्ञ में एक ब्राह्मण को भोजन कराने का कथन करना ८२ वें श्लोक के विरुद्ध है। (२) ८३ वें श्लोक में पितरों के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराने का कथन करना मृतकआद्य की मान्यता पर आधारित है, यह मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ३।११६ से २८४ श्लोकों पर अन्तर्विरोध समीक्षा]। (३) इसी प्रकार वैश्वदेव यज्ञ में ब्राह्मण को भोजन कराने का निषेध करना भी व्यवस्था से तालमेल नहीं खाता, क्योंकि ८४—६२ श्लोकों में वैश्वदेव यज्ञ के विधान में जिमाने या न जिमाने का कोई उल्लेख नहीं है और इस यज्ञ में ब्राह्मण को जिमाने या न जिमाने के कथन की कोई संगति ही नहीं है, क्योंकि यह तो भूतों के लिए मात्र बलि निकालकर रखने का यज्ञ है। इस प्रकार यह श्लोक इन अन्तर्विरोधों के आधार पर प्रक्षिप्त है।

बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान—

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम् ।

ग्राम्यः कुर्याद्वैश्वदेवताम्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥ ८४ ॥ (५६)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण एवं द्विज व्यक्ति (गृह्ये अग्नौ) पाकशाला की अग्नि में (विधिपूर्वकम्) विधिपूर्वक (सिद्धस्य वैश्वदेवस्य) सिद्ध = तैयार हुए बलिवैश्वदेव यज्ञ के भाग वाले भोजन का (ग्रन्वहम्) प्रतिदिन (ग्राम्यः देवताम्यः होमं कुर्यात्) इन देवताओं = ईश्वरीय दिव्यगुणों के चिन्तन-पूर्वक आहुति देकर हवन करे ॥ ८४ ॥

“चौथा वैश्वदेव—अर्थात् जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खट्टा लवणान्न और क्षार को छोड़के घृत, मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग घर निम्नलिखित मन्त्रों से विनयपूर्वक होम नित्य करे (सत्यार्थ० चतुर्थं समु०)

अनुशीलन : यज्ञ में लवणान्न की आहुति नहीं—यज्ञ में लवण-युक्त पदार्थ की आहुति डालने का विधान नहीं है। लवणयुक्त भोजन को स्वयं के लिए

प्रयोग करना चाहिए और लवणरहित अन्न, पदार्थ, मिष्टान्न आदि की यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। मनु ने ६।१२ में यह मान्यता स्पष्ट की है।

अग्नेः सोमस्य चैवाहौ तयोश्चैव समस्तयोः ।

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरये एव च ॥ ८५ ॥ (६०)

(आदौ) प्रथम (अग्नेः सोमस्य च एव) अग्नि=पूज्य परमेश्वर और सोम=सब पदार्थों को उत्पन्न और पुष्ट करके सुख देने वाले 'सोमरूप' परमात्मदेव के लिए ['ओम् अग्नये स्वाहा' 'ओं सोमाय स्वाहा' इन मन्त्रों द्वारा] (च) और (तयोः समस्तयोः) उन्हीं देवों के सर्वत्र व्याप्त रूपों के लिए संयुक्त रूप में ['ओम् अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा' इस मन्त्र के द्वारा] अग्नि=जो प्राण अर्थात् सब प्राणियों के जीवन का हेतु है और सोम=जो अपान अर्थात् दुःख के नाश का हेतु है (च) और (विश्वेभ्यः देवेभ्यः एव) विश्वदेवों=संसार को प्रकाशित या संचालित करनेवाले ईश्वरीय गुणों के लिए ['ओं विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा' इस मन्त्र द्वारा] (च) तथा (धन्वन्तरये एव) धन्वन्तरि=जन्म-मरण आदि के अवसर पर आने वाले रोगों का नाश करने वाले ईश्वर के गुण के लिए ['ओं धन्वन्तरये स्वाहा' इस मन्त्र से] बलिवेश्वदेव यज्ञ में आहुति देवे ॥ ८५ ॥

कुह्वं चैवानुमत्ये च प्रजापतये एव च ।

सह्यावापृथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६ ॥ (६१)

(च) और (कुह्वं) अमावस्या की अधिष्ठात्री ईश्वरीय शक्ति अर्थात् कृष्णपक्ष का रचनेवाला परमेश्वर की शक्ति के लिए ['ओं कुह्वं स्वाहा' मन्त्र से] (च) तथा (अनुमत्ये) पूर्णिमा की अधिष्ठात्री ईश्वरीय शक्ति अर्थात् शुक्लपक्ष का निर्माण करने वाली परमेश्वर की शक्ति के लिए या परमेश्वर की चितिशक्ति के लिए ['ओं अनुमत्ये स्वाहा' मन्त्र से] (प्रजापतये एव) सब जगत् को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य गुण के लिए ['ओं प्रजापतये स्वाहा' मन्त्र से] (सह्यावापृथिव्याः) ईश्वर द्वारा उत्पादित द्युलोक और पृथिवी लोक की पुष्टि के लिए ['ओं सह्यावापृथिव्योश्च स्वाहा' मन्त्र से] (तथा अन्ततः) और अन्त में (स्विष्टकृते) अभाष्ट सुख देने वाले ईश्वर गुण के लिए ['ओं स्विष्टकृते स्वाहा' मन्त्र से] आहुति देवे ॥ ८६ ॥

एवं सम्यघबिर्हत्वा सर्वं दिक्षु प्रवक्षिणम् ।

इन्द्रान्तकापतीन्द्रुभ्यः सानुगेभ्यो बलि हरेत् ॥ ८७ ॥ (६२)

(एवम्) इस प्रकार (सम्यक् हविः हुत्वा) अच्छी तरह उपयुक्त

आहुतियाँ देकर (सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्) सब दिशाओं में धूमकर (सानुगेभ्यः इन्द्र + अन्तक + अप्सति + इन्दुभ्यः) परमेश्वर के सहचारी गुणों इन्द्र = सर्व प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होना, अन्तक = यम अर्थात् न्यायकारी होना, या प्राणियों के जन्म-मरण का नियन्त्रण रखने वाला गुण, अप्सति = वरुण अर्थात् सबके द्वारा वरणीय सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, इन्द्र = सोम अर्थात् आनन्द-दायक होना इनके लिए स्मरणपूर्वक [क्रमशः 'ओं सानुगायेन्द्राय नमः' मन्त्र से पूर्व दिशा में, 'ओं सानुगाय यमाय नमः' से दक्षिण दिशा में, 'ओं सानुगाय वरुणाय नमः' से पश्चिम दिशा में, 'ओं सानुगाय सोमाय नमः' से उत्तर दिशा में] (बलि हरेत्) भोजन के भाग अर्थात् बलि को रखे ॥ ८७ ॥

मरुद्भ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वदूष इत्यपि ।

वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत् ॥ ८८ ॥ (६३)

(मरुद्भ्यः इति तु द्वारि) मरुत् = जीवन के संचालक प्राणरूप परमात्मा के स्मरणपूर्वक ['ओं मरुद्भ्यो नमः' मन्त्र से] द्वार पर (अद्भ्यः इति + अपि अप्सु) सर्वत्र व्याप्त और सम्पूर्ण जगत् के आश्रय रूप परमात्मा के स्मरणपूर्वक ['ओं अद्भ्यो नमः से], जलों में (क्षिपेत्) बलि भाग को डाले (एवम्) इसी प्रकार (वनस्पतिभ्यः) वनस्पतियों के समीप [ओं वनस्पतिभ्यो नमः से], (मुसल + उलूखले) मूसल और ऊखल के समीप (हरेत्) बलि रखे ॥ ८८ ॥

उच्छीर्षके श्रियं कुर्याद् भद्रकाल्यं च पादतः ।

ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत् ॥ ८९ ॥ (६४)

(श्रियं उच्छीर्षके) सबके द्वारा सेव्य परमात्मा की सेवा से राज्यश्री अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये ['ओं श्रियं नमः' से] ईशान कोण की ओर (च) और (भद्रकाल्यं पादतः) परमात्मा की कल्याणकारी शक्ति की प्राप्ति के लिए ['ओं भद्रकाल्यं नमः' से] पृष्ठभाग अर्थात् नैऋत्य कोण की ओर (कुर्यात्) बलिभाग रखे (तु) और (ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्याम्) ब्रह्म—वेदविद्या की प्राप्ति के लिए वेदविद्या के दाता परमात्मा के लिए वास्तोष्पति = गृहसम्बन्धी पदार्थों के दाता ईश्वर से सहायता के लिए ['ओं ब्रह्मपतये नमः' 'ओं वास्तुपतये नमः' इन से] (वास्तुमध्ये बलिं हरेत्) घर के मध्य-भाग में बलिभाग रखे ॥ ८९ ॥

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उरिक्षपेत् ।

दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नवतन्त्रारिभ्य एव च ॥ ९० ॥ (६५)

(च) और (विश्वेभ्यः देवेभ्यः) संसार के साधक गुणों की प्राप्ति के

लिए संसार के संचालक परमात्मा या विद्वानों के दिव्य गुणों की प्राप्ति लिए (आकाशे बलिम् उत्क्षिपेत्) [‘ओं विश्वेभ्यः देवेभ्यः नमः’ से] आकाश की ओर या घर के ऊपर बलिभाग रखे (च) तथा (दिवाचरेभ्यः भूतेभ्यः) दिन में विवरण करने वाले प्राणियों के लिए [‘ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यः नमः’] (नक्तंचारिभ्यः एव) और रात्रि में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए [‘ओं नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः’ मन्त्र से] बलि रखे ॥ ६० ॥

पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सर्वात्मभूतये।

पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत् ॥ ६१ ॥ (६६)

(सर्वात्मभूतये) सब प्राणियों में व्याप्त या आश्रयरूप परमात्मा की सत्ता का स्मरण करने के लिए [‘ओं सर्वात्मभूतये नमः’ से] (पृष्ठवास्तुनि बलिं कुर्वीत) घर के पृष्ठभाग में बलिभाग रखे (सर्वं बलिशेषं तु) शेष बलि-भाग को (पितृभ्यः) माता-पिता, आचार्य, अतिथि, भृत्य आदिकों को सम्मानपूर्वक भोजन कराने की भावना को स्मरण करने के लिए [‘ओं पितृभ्यः स्वधाधिभ्यः स्वधा नमः’ इस मन्त्र से] (दक्षिणतो हरेत्) घर के दक्षिण भाग में रखे ॥ ६१ ॥ ॐ

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्।

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद् भुवि ॥ ६२ ॥ (६७)

(च) और (शुनां पतितानां श्वपचां पापरोगिणां वायमानां च कृमीणां) कुत्ता, पतित, चांडाल, पापरोगी, काक और कृमी इन छः नामों के छः भाग (भुवि शनकैः निर्वपेत्) पृथिवी में धरे ॥ ६२ ॥ (सं० वि० १६४)

इस प्रकार ‘श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपचेभ्यो नमः, पापरो-गिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः’ से बलि धरकर पश्चात् किसी दुःखी बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते, कौवे आदि को दे देवे। यहां नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात् कुत्ते, चाण्डाल, पापरोगी, कौवे और कृमि अर्थात्

ॐ महर्षि-दयानन्द ने ८५ से ६१ श्लोकों का भाव ग्रहण करके सं० प्र० १०० से १०२, पञ्चमहायज्ञविधि द० सं० प्र० २५८—२६३ तथा सं० वि० १६२—१६४ पर बलिबैश्वदेव यज्ञ का वर्णन किया है, इन सभी श्लोकों में दिये गये मन्त्र तथा उनका भाव वहीं से ले लिया गया है, विधियाँ भी वहीं हैं। विस्तृत होने के कारण उस वर्णन को यहां उद्धृत नहीं किया जा रहा है। विशेष अध्ययन के लिए पाठक उक्त पुस्तक में देख सकते हैं।

चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है—

(सत्यार्थ० चतुर्थ समु०)

बलि रखने से उत्तम गति—

एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो निश्चयमर्चति ।

स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्ति पथजुना ॥ ६३ ॥

(यः ब्राह्मणः) जो ब्राह्मण (एवं नित्यं सर्वभूतानि अर्चति) इस उपर्युक्त प्रकार से प्रतिदिन सब प्राणियों की पूजा करता है (सः) वह (तेजोमूर्तिः ऋजुना पथा) तेजस्वी बनकर सीधे-सरल मार्ग से (परं स्थानं गच्छति) उत्तम स्थान को अर्थात् मुक्ति को प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न 'मानदण्ड' के आधार पर प्रक्षिप्त है-

१. प्रसंगविरोध—इस श्लोक ने पूर्वापर वर्णनक्रम को भंग कर दिया है। ६२ वें श्लोक में बलिवैश्वदेव का विधान पूर्ण हुआ है, और ६४ वें में "कृत्वा एतत् बलिकर्म" शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट हो रहा है कि बलिवैश्वदेव यज्ञ की विधि की पूर्णता के बाद यह श्लोक होता चाहिए। तभी दोनों श्लोकों का भाषा के अनुसार वाक्यक्रम जुड़ेगा। इन दोनों के बीच में ६३ वें श्लोक में बलिवैश्वदेव के फल का कथन संगत नहीं बैठता, अतः यह प्रक्षिप्त है।

२. अन्तर्विरोध—इस श्लोक में केवल बलिवैश्वदेव से ही मुक्ति होना कहा है। जबकि मनु अनेक नैःश्रेयस कर्मों से मुक्ति मानते हैं [१२। ८२—११६]। अतः इस श्लोक का कथन मनुसम्मत न होने से प्रक्षिप्त है।

अतिथियज्ञ का विधान—

कृत्वा बलिकर्मवमर्तिथि पूर्वमाशयेत् ।

भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद् ब्रह्मचारिणे ॥ ६४ ॥ (६८)

(एतत् बलिकर्म कृत्वा) उपर्युक्त [३। ८४—६२] बलिवैश्वदेव यज्ञ करके (पूर्वम् अतिथिम् आशयेत्) पहले अतिथि को भोजन खिलाये (च) तथा (भिक्षवे ब्रह्मचारिणे विधिवत् भिक्षां दद्यात्) भिक्षा के लिए आये हुए ब्रह्मचारी के लिए विधिपूर्वक भिक्षा देवे ॥ ६४ ॥

यत्पुण्यफलमाप्नोति गां दत्त्वा विधिवद्गुरोः ।

तत्पुण्यफलमाप्नोति भिक्षां दत्त्वा द्विजो गृही ॥ ६५ ॥

(गुरोः विधिवत् गां दत्त्वा) गुरु के लिए विधि अनुसार गो दान देने से (यत् पुण्यफलम् आप्नोति) जिस पुण्यरूप फल को गृहस्थी प्राप्त करता है (तत् पुण्यफलं गृही द्विजः) उसी पुण्यरूप फल को गृहस्थी द्विज (भिक्षां दत्त्वा आप्नोति) भिक्षा देकर प्राप्त करता है ॥ ६५ ॥

भिक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ।

वेदतत्त्वार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ॥ ६६ ॥

गृहस्थी व्यक्ति (विधिपूर्वकं सत्कृत्य) विधि के अनुसार सत्कार करके (वेद-तत्त्वार्थविदुषे) वेद के सिद्धान्त और अर्थ को जानने वाले विद्वान् (ब्राह्मणाय) ब्राह्मण के लिए (भिक्षां वा उदपात्रम्) भिक्षा और जलपात्र को (उपपादयेत्) समर्पित करे ॥ ६६ ॥

नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम् ।

भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहाद्दत्तानि दातृभिः ॥ ६७ ॥

(दातृभिः) दाता व्यक्तियों द्वारा (भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहाद् दत्तानि) जिनका ब्राह्मणपन नष्ट हो गया है ऐसे ब्राह्मणों को मोह—अज्ञान या मोहवश दिये गये (हव्यकव्यानि) हव्य=होम आदि द्वारा देवताओं को दिये गये दान और कव्य=पितरों को दिये गये पदार्थों का दान (अविजानतां नराणाम्) ऐसे अज्ञानी लोगों के (नश्यन्ति) निष्फल हो जाते हैं ॥ ६७ ॥

विद्यातपःसमृद्धेषु हुतं विप्रमुखाग्निषु ।

निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्चैव किल्बिषात् ॥ ६८ ॥

(विद्यातपः समृद्धेषु विप्रमुखाग्निषु) विद्या और तपस्या से समृद्ध विद्वानों की मुखरूपी अग्नि में (हुतम्) ब्राह्मणों के समान दिया गया दान (महतः दुर्गाच्च किल्बिषात् एव) महान् क्लेश और महान् पाप से (निस्तारयति) निश्चय से तारता है ॥ ६८ ॥

अनुशीलन : ६५ से ६८ श्लोक निम्न 'मानदण्डों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) ६४ वें श्लोक में बलिवैश्वदेव यज्ञ की समाप्ति के पश्चात् “अतिथि पूर्वम् आशयेत्” कहकर आगे अतिथियज्ञ का वर्णन करने का संकेत दिया है। इस श्लोक में जितना आवश्यक था उतना भिक्षा का भी विधान कर दिया। अब पहले, यह प्रसङ्ग बुद्धिसङ्गत सिद्ध होता है, कि आये हुए अतिथि का किस प्रकार सत्कार करे, जो ६६ वें श्लोक में उक्त है। इस प्रकार ६४ वें श्लोक के साथ ६६ श्लोक की संगति बैठती है। बीच में भिक्षा का फल, कैसे ब्राह्मणों को हव्य-कव्य देने चाहिए आदि बातों के वर्णन ने इस संगति को भंग कर दिया है, अतः ये श्लोक प्रसंगविरोध हैं। (२) जब ६४ और ६६ वें श्लोक में पूर्वपर प्रसंग अतिथियज्ञ या अतिथि सम्बन्धी है, तो इस प्रसंग में भिक्षा का फल-कथन या कैसे ब्राह्मणों को हव्यकव्यों का दान देना चाहिए, यह प्रसंग स्वतः अप्रासंगिक है। अतः प्रसंगविरोध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) ६६—६८ श्लोकों में विद्या आदि से युक्त और विद्या आदि से रहित ब्राह्मणों का जो भेद किया गया है, उससे यह संकेत मिलता है

किं ये श्लोक उस काल की रचना हैं जब कर्मणा वर्णव्यवस्था शिथिल होकर जन्मना भी मानी जाने लगी थी। क्योंकि मनु तो अध्ययन-अध्यापन कर्म वालों को ही ब्राह्मण मानते हैं [१।८७-८८; १०।७४-७६]। अतः विद्यारहित का ब्राह्मण होना ही नहीं बनता। इस प्रकार यह वर्णन मनु की मान्यता के विरुद्ध सिद्ध होता है। (२) ६८ वें श्लोक में पापों से तारने वाली बात का वर्णन भी मनु के ४।२४० श्लोक के विरुद्ध है। उस श्लोक में तथा १२।३-६ श्लोकों में प्रत्येक कर्म का फल अवश्य प्राप्त होना कहा है।

३. शैलीगत आधार—६५ वें श्लोक में गायदान के समान भिक्षा-दान का फल कहना, ६७ वें में दानफल का नष्ट होने का कथन, ६८ वें में पापों से तार जाने का कथन, निराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु के विधानों में ये त्रुटियाँ नहीं मिलतीं।

संप्राप्ताय त्वत्तिथये प्रदद्यादासनोदके ।

अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ६६ ॥ (६६)

(तु) और (संप्राप्ताय अतिथये) आये हुए अतिथि के लिए (विधि-पूर्वकं सत्कृत्य) व्यवहारोचित विधि के अनुसार सत्कार करके (यथा-शक्ति) शक्ति के अनुसार (आसन+उदके च अन्नम् एव) आमन और जल तथा अन्न भी (प्रदद्यात्) प्रदान करे ॥ ६६ ॥

शिलानप्युच्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुह्वतः ।

सर्वं सुकृतमावत्ते ब्राह्मणोऽर्नचितो वसन् ॥ १०० ॥

(शिलान् अपि उच्छतः) शिलाएँ=[कटे हुए खेत में बची अन्न की बालियाँ] चुगकर जीविका चलाते हुए (नित्यं पञ्चाग्नीन्+अपि जुह्वतः) प्रतिदिन पांच महायज्ञों को करते हुए भी उसके घर में (ब्राह्मणः+अर्नचितः वसन्) यदि कोई ब्राह्मण-अतिथि बिना सत्कार किये रह जाता है तो वह (सर्वं सुकृतम्+आदत्ते) उसके सारे पुण्य को हर ले जाता है ॥ १०० ॥

अनुवर्तिनः : यह श्लोक निम्न प्रकार प्रसिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—६६ वें श्लोक में, आये हुए अतिथि का यथाशक्ति सत्कार करने का कथन है और १०१ वें श्लोक में उस 'यथाशक्ति' भाव की अर्थवाद रूप में व्याख्या है। बीच में अस्तकृत अतिथि का सत्कार करने के लिये उससे इनका क्रम भंग हो गया है, अतः प्रसंगविरोध होने से यह श्लोक प्रसिप्त है।

२. अन्तर्विरोध—इस श्लोक में 'अस्तकृत अतिथि द्वारा गृहस्थी के सब पुण्यों का

१. पाणिनि धातुपाठ में 'शिलान्' पद में 'शिल धिल उच्छे' (तुदादि०) उच्छ अर्थ लिखा है और "ब्रूनी पतितस्यैककस्य कणस्योपादानम् उच्छः" अर्थात् खेत कटने के बाद खेत में पड़े हुए एक-एक कण का ग्रहण करना उच्छ कहलाता है। लोक में 'शिल्ला' शब्द से इसका अर्थ भी व्यवहार होता है। (सम्पादक)

हरण कर ले जाने का कथन' मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु ने ४। २४० में कर्त्ता को कर्मों का स्वयं भोक्ता माना है, अतः कोई दूसरा किसी के पुण्यों या अपुण्यों को नहीं ले सकता इस प्रकार अन्तर्विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

३. शैलीगत आधार—इस श्लोक में 'सारे पुण्यों का हरण केवल असत्कार मात्र से कर लेना' आदि कथन की शैली अयुक्तियुक्त और अतिशयोक्तिपूर्ण है, अतः यह मौलिक नहीं है।

सज्जनों के घर में सत्कारार्थ सदा उपलब्ध वस्तुएं—

तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता ।

एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १०१ ॥ (७०)

(तृणानि) बैठने के लिए आसन (भूमिः) बैठने या सोने के लिए स्थान (उदकम्) पानी (च) और (सूनृता वाक्) सत्कारयुक्त मीठी वाणी (एतानि+अपि) सत्कार करने की ये बातें या वस्तुएं तो (सतां गेहे) श्रेष्ठ सम्य व्यक्तिओं के घर में (कदाचन न+उच्छिद्यन्ते) कभी भी नष्ट नहीं होतीं अर्थात् श्रेष्ठ-सम्य व्यक्ति इनके द्वारा तो अवश्य ही सत्कार करते हैं ॥ १०१ ॥

अतिथि का लक्षण—

एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्ब्राह्मणः स्मृतः ।

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्सस्मादतिथिरुच्यते ॥ १०२ ॥ (७१)

(ब्राह्मणः) विद्वान् व्यक्ति (एकरात्रं तु निवसन्) जो एक ही रात्रि तक पराये घर में रहे तो उसे (अतिथिः स्मृतः) अतिथि कहा गया है (यस्मात् हि अनित्यं स्थितः) क्योंकि जिस कारण से वह नित्य नहीं ठहरता है अथवा जिसका आना अनिश्चित होता है, इसी कारण से उसे (अतिथिः उच्यते) अतिथि कहा जाता है ॥ १०२ ॥

“जिसके आगमन की कोई नियत तिथि न हो और स्थिति भी जिस की अनियत हो, वह अतिथि कहलाता है। अतिथियज्ञ का अधिकारी वही है, जो विद्वान् हो एवं जिसका आना, जाना और ठहरना अनियत हो, वह चाहे किसी वर्ण का हो उसकी सेवा करना यह एक श्रेष्ठ कर्म है।”

(पृ० प्र० १४३)

अतिथि कौन नहीं होते—

नैकग्रामीणमतिथिं विप्रं साङ्गतिकं तथा ।

उपस्थितं गृहे विद्याभार्या यत्राग्नयोऽपि वा ॥ १०३ ॥ (७२)

(यत्र भार्या अग्नि वा अग्नयः) जिसके घर में पत्नी हो और पंचयज्ञों की अग्नि जहाँ प्रज्ज्वलित रहती हो अथवा जहाँ पाकाग्नि प्रज्ज्वलित होती हो ऐसे (एकग्रामीणं तथा साङ्गतिकं विप्रं गृहे उपस्थितम्) एक गांव में रहने वाला तथा मित्र विद्वान् यदि घर में आया हुआ हो तो (अतिथि न विद्यात्) उसे अतिथि के रूप में न समझे ॥ १०३ ॥

दूसरों के यहाँ खाने की भावना से पाप—

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः ।

तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम् ॥ १०४ ॥ (७३)

(ये गृहस्थाः) यदि गृहस्थ होके (परपाकम् उपासते) पराये घर में भोजनादि की इच्छा करते हैं तो (ते अबुद्धयः तेन) वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य से प्रतिग्रह रूप पाप करके (प्रेत्य) जन्मान्तर में (अन्नादिदायिनां पशुतां व्रजन्ति) अन्नादि के दाताओं के पशु बनते हैं क्योंकि अन्य से अन्न आदि का ग्रहण करना अतिथियों का काम है, गृहस्थों का नहीं ॥ १०४ ॥

(सं० वि० १५०)

अनुशीलन : जो गृहस्थ लोभ-लालच के वशीभूत होकर यही मानते रहते हैं कि अपनी बचत हो जाए और दूसरों के यहाँ खाने का अवसर मिलता रहे । ऐसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो जीवन भर दूसरों के भोजन में मन रखते हैं, उन्हें परजन्म में पशुत्व प्राप्त होता है । क्योंकि उनमें पशुत्व के संस्कार प्रबल और प्रभावी हो जाते हैं ।

घर से अतिथि को न लौटाये—

अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योदो गृहमेधिना ।

काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्थानशनगृहे वसेत् ॥ १०५ ॥ (७४)

(गृहमेधिना) गृहस्थी को चाहिए कि (सूर्योदः अतिथिः अप्रणोद्यः) सायंकाल सूर्य अस्त होते देख आये हुए अतिथि को वापिस न लौटाये और (काले प्राप्तः वा अकाले) चाहे समय पर आये अथवा असमय पर (अस्य गृहे अनशनम् न वसेत्) इस गृहस्थी के घर में कोई अतिथि बिना भोजन के नहीं रहे ॥ १०५ ॥

अतिथिपूजन सुख-आयु-यशोदायक—

न चै स्वयं तदशनीयादतिथिं यन्न भोजयेत् ।

अन्यं यशस्यमायुष्यं स्वयं वाऽतिथिपूजनम् ॥ १०६ ॥ (७५)

(यत् अतिथिं न भोजयेत्) जिस पदार्थ को अतिथि को नहीं खिलावे

(तत् वै स्वयं न अश्नीयात्) उसे गृहस्थी स्वयं भी न खावे, अभिप्राय यह है कि जैसा स्वयं भोजन करे वैसा ही अतिथि को भी दे (अतिथिपूजनम्) अतिथि का सत्कार करना (धन्यं यशस्यम् आयुष्यं वा स्वर्ग्यम्) सौभाग्य, यश, आयु और सुख को देने और बढ़ाने वाला है ॥ १०६ ॥

अनुशीलनः अतिथिसेवा यश-आयु-सुख-सौभाग्य वर्चक—जिस प्रकार अभिवादनशील और वृद्धसेवी व्यक्तियों के यश, विद्या, आयु, बल बढ़ते हैं, उसी प्रकार मनु द्वारा विहित [४। १०६] विद्वान्, धार्मिक, सद्गुण सम्पन्न अतिथियों की सेवा करने से यश मिलता है। उनके साम्निध्य से अच्छे आचरण की, धर्म की, श्रेष्ठ गुणों की शिक्षा से आयु, सौभाग्य और सुख बढ़ते हैं, [२। ६६ (२। १२१) की अनुशीलन समीक्षा भी द्रष्टव्य]।

आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम्।

उत्तमेष्टतमं कुर्याद्धीने हीनं समे समम् ॥ १०७ ॥ (७६)

जब गृहस्थ के समीप अतिथि आवें तब (आसन+आवसथौ) आसन, निवास (शय्याम्+अनुव्रज्याम्+उपासनाम्) शय्या, पश्चात् गमन और समीप में बैठना आदि सत्कार जैसे का वैसा अर्थात् (उत्तमेषु+उत्तमं, समे समं, हीने हीनं कुर्यात्) उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट का निकृष्ट करे, ऐसा न हो कि कभी न समझें ॥ १०७ ॥ (सं० वि० १५०) दोबारा भोजन पकाने पर बलियज्ञ नहीं—

वैश्वदेवे तु निवृत्ते यद्यन्योऽतिथिराव्रजेत्।

तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत् ॥ १०८ ॥ (७७)

(वैश्वदेवे तु निवृत्ते) वैश्वदेव यज्ञ के समाप्त होने पर अर्थात् भोजन बनने और उसकी यज्ञ में आहुतियां दे देने के पश्चात् भी (यदि+अन्यः+अतिथिः+आव्रजेत्) यदि कोई और अतिथि आ जाये तो (तस्य+अपि यथाशक्ति अन्नं प्रदद्यात्) उसको भी यथाशक्ति भोजन कराये (बलि न हरेत्) दुबारा भोजन बनाने के बाद बलिभाग नहीं निकाले ॥ १०८ ॥

अनुशीलनः श्लोक १४ से १०८ तक के विषय में सत्यार्थप्रकाश चतुर्थ ममलास में निम्न प्रकार लिखा है—“अब पांचवीं अतिथिसेवा—अतिथि उसको कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निश्चित न हो अर्थात् अकस्मात् धार्मिक सत्योपदेशक सत्र के उपकारार्थ सर्वत्र घूमनेवाला पूर्ण विद्वान् परमयोगि-संन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उसको प्रथम पाद्य, अर्घ्य और आचमनादि तीन प्रकार का जल देकर पश्चात् आसन पर सत्कारपूर्वक बिठाकर खान, पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवामुश्रूपा करके, प्रमत्त करे। पश्चात् सत्संग करे। उनसे ज्ञान-विज्ञान आदि जिनसे धर्म, अर्थ, काम और

मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे-ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाल-चलन भी उनके सबुपदेशानुसार रखे” ।

संस्कार विधि गृहाश्रम के अतिथियज्ञ प्रकरण में निम्न प्रकार लिखा है—

“पांचवाँ जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात रहित, शान्त, सर्व हितकारक विद्वानों की अग्रनादि से उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना ‘अतिथियज्ञ’ कहाता है, उसको नित्य किया करें ।”

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पञ्चमहायज्ञान्तर्गत अतिथियज्ञ-विधान में निम्न प्रकार लिखा है—“अथ पांचवाँ अतिथियज्ञ अर्थात् जिसमें अतिथियों की यथावत् सेवा करनी होती है उसको लिखते हैं । जो मनुष्य पूर्ण विद्वान् परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मत्मा सत्यवादी, छल-कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं । इसमें वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण हैं ।”

न भोजनार्थं स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत् ।

भोजनार्थं हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥ १०६ ॥

(विप्रः) द्विज (भोजनार्थम्) अर्च्छा भोजन पाने के लिए (स्वे कुलगोत्रे न निवेदयेत्) अपने कुल और गोत्र की दुहाई न दे अर्थात् अपने बड़े कुल या प्रतिष्ठित वंश की प्रशंसा करके अर्च्छा भोजन पाने की प्रवृत्ति प्रकट न करे (हि) क्योंकि (भोजनार्थं ते शंसन्) भोजन पाने के लिए उन कुल-गोत्रों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति (बुधैः) विद्वानों द्वारा (‘वान्ताशी’ इति उच्यते) ‘उगलकर खाने वाला’ इस निम्निष्ठ विशेषण से सम्बोधित किया जाता है ॥ १०६ ॥

न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्गृहे राजस्य उच्यते ।

वैश्यशूद्रौ सखा बंधु ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११० ॥

(ब्राह्मणस्य गृहे) ब्राह्मण के घरपर आये हुए (राजस्यः वैश्यशूद्रौ) क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र (सखा) मित्र (च) तथा (ज्ञातयः) रिश्ते-नातेदार (च) और और (गुरुः एव) गुरु भी (प्रतिथिः न उच्यते) अतिथि नहीं कहलाते हैं ॥ ११० ॥

यदि त्वतिथिधर्मण क्षत्रियो गृहमाचजेत् ।

भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत् ॥ १११ ॥

(यदि तु + प्रतिथिधर्मेण) यदि अतिथि के रूप में (क्षत्रियोः गृहम् + आचजेत्) क्षत्रिय भी घर में आ जाये (विप्रेषु भुक्तवत्सु) तो ब्राह्मण अतिथियों के भोजन कर लेने पर (तम् + अपि कामं भोजयेत्) उसको भी इच्छानुसार भोजन करा देवे ॥ १११ ॥

वैश्यशूद्रावपि प्राप्नो कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणी ।

भोजयेत्सह भृत्यैस्तावान्शस्यं प्रयोजयन् ॥ ११२ ॥

(कुटुम्बे) परिवार अर्थात् घर पर (वैश्यशूद्रौ = अपि प्रतिथिधर्मिणी प्राप्नो) वैश्य और शूद्र भी अतिथि के रूप में आ जायें तो (तो) उन दोनों वर्गों के लोगों को (आन्-

शंस्यं प्रयोजयन्) कृपाभावना रखता हुआ (भृत्यैः सह भोजयेत्) सेवकों के साथ भोजन करा दे ॥ ११२ ॥

अनुशीलन : १०६ से ११२वें तक के श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) १०८ वें श्लोक में 'यदि वैश्वदेव यज्ञ करने के पश्चात् कोई अतिथि आ जाये तो उसे भी भोजन करादेवे, दोबारा बलि न रखे।' यह कहने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अतिथियों के भोजन के सम्बन्ध में सभी विधान पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद उससे भिन्न अन्य विकल्पात्मक विधान ११३—११६ में वर्णित हैं। एक प्रसंग के पूर्ण हो जाने पर पुनः ११०—११२ श्लोकों में अतिथि की परिभाषा का कथन, किसको किस प्रकार खिलाना चाहिए आदि बातों का वर्णन प्रसंगविरोध है। (२) 'किसको अतिथि नहीं मानना चाहिए' यह प्रसंग पहले ही १०३ वें श्लोक में वर्णित हो चुका है। इन श्लोकों में फिर से उसी प्रकार की बातों का वर्णन किया है यदि ये श्लोक मौलिक होते तो ये १०३ के साथ सम्बद्ध होने चाहिये थे। किन्तु वहाँ न होकर प्रसंगसमाप्ति पर पुनः इनका वर्णन करना यह सिद्ध करता है कि ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परवर्ती काल में जोड़े गये हैं।

२. पुनरुक्ति—१०३ में सांगतिक अर्थात् मित्र को अतिथि मानना एक बार कहा जा चुका है। उसके बाद "इतरान् अपि सख्यादीन्.....गृहमागतान्..... भोजयेत्" [११३] के अतिरिक्त विकल्पात्मक विधान से भी यही संकेत मिलता है कि मनु ने मित्र को अतिथि से भिन्न माना है। ११० वें श्लोक में अन्य व्यक्तियों के साथ पुनः एक बार 'सखा' को अतिथि न मानने का निर्देश है—एक बार इस बात का कथन होने पर उसी प्रसंग का पुनः कथन करना पुनरुक्ति मात्र है—इससे स्पष्ट होता है कि यह मनु की रचना न होकर अन्य व्यक्ति की है। इस प्रकार यह श्लोक तथा इससे प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध १११ और ११२ वीं श्लोक स्वतः ही प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।

३. अन्तर्विरोध—(१) मनु ने १०३ श्लोक में जिन व्यक्तियों को अतिथि न मानने का निर्देश दिया है, उससे ज्ञात होता है कि मनु वर्ण के आधार पर किसी विशिष्ट वर्ण के व्यक्ति को ही अतिथि नहीं मानते, अपितु सभी को अतिथि मानते हैं। यदि मनु को वर्ण के आधार पर अतिथि रूप अभीष्ट होता तो वे उस श्लोक में या उसके साथ वर्ण के आधार पर ही अतिथि मानने का निर्देश देते। ११०—११२ श्लोकों में पूर्व व्यवस्था से भिन्न वर्णाधारित व्यवस्था है। यह भिन्नता विरोध की सूचक है। (२) मनु ने वैश्य और शूद्र की स्थिति में पर्याप्त अन्तर माना है। वैश्य द्विजों में परिगणित है, जबकि शूद्र द्विजों से निम्न है। ११२ वें श्लोक में वैश्य-शूद्र को समान स्थिति वाला दिखलाना, मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं रखता। इससे संकेत मिलता

है कि इस प्रसंग का वर्णन किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था है। (३) १०६ वें श्लोक में कुल-गोत्र को कहकर भोजन की इच्छा न करने का कथन है। इस विधान से यह प्रतीत होता है कि यह उस परवर्तीकाल का विधान है जब कुल और गोत्र के आधार पर बड़प्पन माना जाने लगा था। मनु के अनुसार तो बड़प्पन के केवल पांच आधार हैं—वित्त, वंशु, अवस्था, कर्म और विद्या [२। १११—११२ (१३६—१३७)]। इनमें कहीं कुल-गोत्र के आधार पर बड़प्पन का उल्लेख नहीं है। जब मनु के समय में बड़प्पन के ये आधार ही नहीं थे, तो उनके आधार पर विधान करने का अवसर ही नहीं आता। इस आधार पर १०६ वाँ श्लोक परवर्ती काल का प्रक्षेप है। (४) ४। २६—३० में अतिथि सेवा का विधान वर्णानुसार नहीं अपितु कर्मानुसार है। ये श्लोक उसके भी विरुद्ध हैं।

अतिथियों से भिन्न व्यक्तियों को भोजन—

इतरानपि सख्यादीन्सम्प्रीत्या गृहमागतान् ।

सत्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ (११३)(७८)

(संप्रीत्या) प्रीतिपूर्वक (भार्यया सह गृहम् + आगतान् इतरान् सख्यादीन् अपि) पत्नी के साथ घर में आये अन्य मित्र आदि का भी (सत्कृत्य) सत्कारपूर्वक (यथाशक्ति अन्नं भोजयेत्) शक्ति के अनुसार भोजन करावे ॥ ११३ ॥

अतिथियों से पहले किन को भोजन दे—

सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः ।

अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेदावचारयन् ॥ ११४॥ (७९)

(सुवासिनीः च कुमारीः) नव विवाहिता और अल्पवयस्क कन्याओं (रोगिणः) रोगियों का (गर्भिणीः स्त्रियः) गर्भवती स्त्रियों को (एतान्) इन्हें (अतिथिभ्यः + अग्र + एव) अतिथियों से पहले ही (अविचारयन्) बिना किसी मंदह के अर्थात् बड़े-छोटे को पहले-पीछे भोजन कराने का विचार किये बिना (भोजयेत्) खिला दे ॥ ११४ ॥

प्रदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्वं भुङ्क्तेऽविवक्षणः ।

स भुञ्जानो न जानाति श्वगृध्रजंघिमात्मनः ॥ ११५ ॥

(यः अविवक्षणः) जो मूल्य गृहस्थ (एतेभ्यः प्रदत्त्वा) इन्हें भोजन न देकर (पूर्वं भुङ्क्ते) पहले स्वयं खा लेता है (सः) वह (आत्मनः श्वगृध्रः जंघिम्) अपने को कुत्ते और गंधों द्वारा खाय जाने को (न जानाति) नहीं जानता। अर्थात् ऐसे व्यक्ति को मरने पर कुत्ते, गंध खाते हैं ॥ ११५ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. प्रसंगविरोध—दम्पती को भोजन कब करना चाहिए, यह विधान तो ११६.वें श्लोक में किया है, किन्तु इस श्लोक में उससे पूर्व ही भोजन करने का फल-कथन पहले ही कर दिया। यह स्पष्टतः असंगत है। अर्थवाद विधिवाक्य के पश्चात् आता है, पहले नहीं। इस आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

२. अन्तर्विरोध—इस श्लोक के वर्णन से यह ज्ञात होता है, जैसे कि वर्णन करने वाला मृत्यु के उपरान्त शरीर की अस्त्येष्टि क्रिया होना नहीं मानता, यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु ने मरने पर दाहक्रिया का विधान किया है [५। १६७—१६८]। जब शरीर का दाह हो गया तो उसका कुत्तों, गीधों द्वारा खाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस विरोध के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

३. शैलीगत आधार—इस श्लोक की शैली अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्ति-पूर्ण है। न तो कुत्तों, गीधों से शरीर को खाये जाने वाली बात बुद्धिसंगत है और न केवल पहले खाने मात्र से ही इतने अधिक कष्ट का होना मान्य है।

गृहस्थ दम्पती को सबके बाद भोजन करना और यज्ञशेष भोजन करना—

भुक्त्वत्स्वयं विप्रेषु स्वेषु मृत्येषु चैव हि ।

भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ॥ ११६ ॥ (८०)

(अथ विप्रेषु भुक्त्वत्सु) विद्वान् अतिथियों द्वारा भोजन कर लेने पर (च) और (स्वेषु मृत्येषु एव हि) अपने सेवकों आदि के खा लेने पर (ततः पश्चात्) उसके बाद (अवशिष्टम् तु) शेष बचे भोजन को (दम्पती भुञ्जीयाताम्) पति-पत्नी खाये ॥ ११६ ॥

देवानुष्णीन्मनुष्याश्च पितृगृह्याश्च देवताः ।

पूजयित्वा ततः पश्चाद् गृहस्थः शेषभुग् भवेत् ॥ ११७ ॥ (८१)

(देवान्) दिव्यगुण सम्पन्न विद्वानों को, (ऋषीन्) विद्या के प्रत्यक्ष-कर्त्ता मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों को, (मनुष्यान्) साधारण मनुष्यों को (च) और (पितृन्) जीवित माता-पिता आदि पालक व्यक्तियों को (च) तथा (गृह्याः देवताः) ईश्वरीय दिव्यगुणों [३। ८४—९०] के चिन्तनपूर्वक यज्ञ में आहुति देकर और गृहस्थ द्वारा भरण-पाषण की अपेक्षा रखन वाले असहाय, अनाथ, कुंठी, भृत्य [३। ९१—९२] आदि को (पूजयित्वा) भोजन-दान द्वारा सत्कृत करके और उनका भाग निकालकर (गृहस्थः) गृहस्थ (ततः पश्चात्) उसके बाद (शेषभुग् भवेत्) इनसे शेष बचे भोजन को खाने वाला हो अर्थात् उस शेष भोजन को खाया करे ॥ ११७ ॥ ॐ

ॐ [प्रचलित अर्थ—देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पितरों, गृहस्थित शालिग्राम आदि प्रतिमाओं की पूजा (देवविपितृतपण, अतिथ्यादि भोजन, प्रतिमादि पूजन) कर गृहस्थ शेष बचे हुए अन्न का भोजन करे ॥ ११७ ॥]

अनुष्ठीतः : गृहदेवता — (१) यहां 'गृहदेवता' से अभिप्राय श्लोक ३।८४—६१ में वर्णित ईश्वरीय दिव्य गुणों से है, जिनके स्मरण, आहुतिपूर्वक गृहस्थ के आश्रय की अपेक्षा रखने वाले प्राणियों के लिए भोजन का भाग निकाला जाता है। इसी अभिप्राय को मनु ने “भूतानि कलिकर्मणा” [३।८१] पदों से तथा ३।७२ में 'भृत्यानाम्' पद से स्पष्ट किया है।

(२) देवता, ऋषि, पितर शब्दों के विस्तृत अर्थज्ञान के लिए ३।८२ की समीक्षा तथा भूमिका देखिए।

अर्घं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात् ।

यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८ ॥ (८२)

(यः केवलम् आत्मकारणात् पचति) जो व्यक्ति केवल अपना पेट भरने के लिए ही भोजन पकाता है (सः) वह (अर्घं भुङ्क्ते) केवल पाप को खाता है अर्थात् इस प्रवृत्ति से स्वार्थ आदि की पाप भावना ही बढ़ती है (हि) क्योंकि (एतत्) यह उपर्युक्त [११७] (यज्ञशिष्ट+अशनम्) यज्ञों से शेष भोजन ही (सताम्+अन्नं विधीयते) सज्जनों का अन्न माना गया है। इसके विपरीत बिना यज्ञ का भोजन असत्पुरुषों का भोजन है ॥ ११८ ॥

राजा आदि का सत्कार—

राजात्विक्स्नातकगुरुप्रियश्वशुरमातुलान् ।

अर्ह्येन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात् पुनः ॥ ११९ ॥

(राजा + ऋत्विक् + स्नातक-गुरुन्) राजा, ऋत्विज् = पुरोहित, स्नातक, गुरु को (प्रिय श्वशुर-मातुलान्) प्रिय मित्र अथवा दामाद, श्वशुर और मामा को (परिसंवत्सरात् पुनः) एक वर्ष के पश्चात् आने पर (मधुपर्केण अर्ह्येत्) उनका मधुपर्क [= दही, दूध, घी, शहद, मीठा, इन पाँच पदार्थों के मिश्रण से बनाया गया द्रव-पदार्थ जो सम्मान के लिए भेंट किया जाता है] से सत्कार करें ॥ ११९ ॥

राजा च श्रोत्रियश्च यज्ञकर्मण्युपस्थितौ ।

मधुपर्केण सम्पूज्यौ न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२० ॥

(राजा च श्रोत्रियः) राजा और वेदपाठी (यज्ञकर्मणि उपस्थितौ एव) यदि यज्ञ कर्म में आबें तभी (मधुपर्केण सम्पूज्यौ) मधुपर्क द्वारा पूजनीय हैं (अयज्ञे तु न इति स्थितिः) यज्ञ से भिन्न समय में मधुपर्क से पूजनीय नहीं हैं, ऐसी मान्यता है ॥ १२० ॥

सायं त्वग्नस्य सिद्धस्य परममन्त्रं बलिं हरेत् ।

वैश्वदेवं हि नामेतत्सायं प्रातर्विधीयते ॥ १२१ ॥

१. 'श्रोत्रियैश्छन्दोऽधीते' (अ० ५।२।८४) इस सूत्र से 'छन्दोऽधीते' इस वाक्यार्थ में 'श्रोत्रियन्' शब्द का निपातन किया है। अतः वेद पढ़ने वाले को 'श्रोत्रिय' कहते हैं। (सं०)

(सायं तु + अग्नस्य सिद्धस्य) सायंकाल के भोजन के पक जाने पर (पत्नी + अग्नन्त्रं बलि हरेत्) पत्नी मन्त्रोच्चारण किये बिना इस भोजन में से बलिभाग निकाल कर रखे (हि) यतो हि (एतत् वैश्वदेवं नाम) यह बलिवैश्वदेव नामक यज्ञ (सायं-प्रातः विधीयते) सायं और प्रातःकाल दोनों समय करना विहित है ॥ १२१ ॥

मृतकश्राद्ध का विधान एवं तत्सम्बन्धी नियम—

पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य विप्रश्चेक्षुक्षयेऽग्निमान् ।

पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥ १२२ ॥

(अग्निमान् विप्रः) अग्निहोत्री द्विज को चाहिए कि (पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य) दैनिक पितृयज्ञ करके (मास + अनुमासिकम्) प्रतिमास (इन्द्रुक्षये) चन्द्रमा के क्षीण होने वाले दिन अर्थात् अमावस्या को (पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यात्) 'पिण्डान्वाहार्यक = पिण्ड + अनु + आहार्यक—पिण्डदान देने के पश्चात् जिसमें ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाये, उस श्राद्ध को करे ॥ १२२ ॥

पितॄणां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं विदुर्बुधाः ।

तच्छ्रामिषेण कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥ १२३ ॥

(बुधाः) विद्वान् लोग (पितॄणां मासिकं श्राद्धम्) पितरों के मासिक श्राद्ध को (मन्वाहार्यं विदुः) 'पिण्डान्वाहार्यक' नामक श्राद्ध कहते हैं (च तत्) और इस श्राद्ध को (प्रयत्नतः) यत्नपूर्वक (प्रशस्तेन श्रामिषेण) उत्तम मांस के द्वारा सम्पन्न करना चाहिए [३।२६६-२७२] ॥ १२३ ॥

तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्या द्विजोत्तमाः ।

यावन्तश्चैव यैश्चान्नंस्ताम् प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १२४ ॥

(तत्र) उस पितृयज्ञ के श्राद्ध में (ये द्विजोत्तमाः भोजनीयाः स्युः) जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जिमाने चाहिए (च) और (ये वर्ज्याः) जिनका जिमाना वर्जित है (च) तथा (यावन्तः) जितने जिमाने चाहिए (च) और (यैः अन्नैः) जितने प्रकार के भोजनों से जिमाने चाहिए (तान्) इन सब बातों को (अशेषतः) पूर्णरूप से (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा— ॥ १२४ ॥

द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकंकमुभयत्र वा ।

भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥ १२५ ॥

(सुसमृद्धः + अपि) धनवान् व्यक्ति भी (दैवे द्वौ) देवयज्ञ के उद्देश्य से जिमाने में दो ब्राह्मणों को (पितृकार्ये त्रीन्) पितृयज्ञ में तीन को (वा) अथवा (उभयत्र) एक + एकम्) दोनों यज्ञों में केवल एक-एक ब्राह्मण को ही (भोजयेत्) जिमाये (विस्तरे न प्रसज्जेत) अधिक विस्तार में न पड़े अर्थात् इससे अधिक को जिमाने का प्रयत्न न करे ॥ १२५ ॥

सत्क्रियां देशकालौ च शीघ्रं ब्राह्मणसम्पदः ।

पञ्चैतान्विस्तरौ हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥ १२६ ॥

(विस्तरः) अधिक विस्तार की भावना (सत्क्रियाम्) सत्कार (च) और (देश-कालौ) देश, काल (शीघ्रम्) पवित्रता (ब्राह्मणसंपदः) सुपात्र ब्राह्मणों का मिलना (पञ्च + एतान् हन्ति) इन पांच बातों को नष्ट कर देती है (तस्मात्) इस कारण (विस्तरं न + ईहेत) विस्तार की इच्छा आददाता न करे ॥ १२६ ॥

प्रथिता प्रेतकृत्येषा पित्र्यं नाम विधुक्षये ।

तस्मिन् युक्तस्येति नित्यं प्रेतकृत्यैव लौकिकी ॥ १२७ ॥

(पित्र्यं नाम) पितृयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध (एषा प्रेतकृत्या विधुक्षये प्रथिता) यह भरे हुए पिता आदि से सम्बन्ध रखने वाली क्रिया ग्रमावस्था के दिन करने के लिए प्रसिद्ध है (तस्मिन् नित्यं युक्तस्य) इस क्रिया को सदा करने वाले को (लौकिकी प्रेतकृत्या एति) लौकिक प्रेतकृत्या प्राप्त होती है अर्थात् पुत्र-पौत्र धन-धान्य आदि की प्राप्ति होती है ॥ १२७ ॥

श्रोत्रिषार्यैव देयानि हव्यकव्यानि दातुभिः ।

अर्हन्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥ १२८ ॥

(दातुभिः) दाताओं को चाहिए कि वे (अर्हन्तमाय श्रोत्रियाय विप्राय एव) सुयोग्य वेदपाठी ब्राह्मण को ही (हव्य-कव्यानि) देवयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले और पितृयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले दान (देयानि) दें, क्योंकि (तस्मै दत्तं महाफलम्) उसको दिया गया दान ही महान् पुण्यफल को देता है ॥ १२८ ॥

आनुष्ठीकम् : हव्य-कव्य पर विस्तृत विवेचन ४। ३१ की समीक्षा में द्रष्टव्य है ।

एकैकमपि विद्वांसं द्वेवे पित्र्ये च भोजयेत् ।

पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान् बहून्पि ॥ १२९ ॥

(द्वेवे च पित्र्ये) देवकर्म और पितृकर्म में (विद्वांसम्) सुयोग्य वेदविद्वान् को (एकैकम् + अपि भोजयेत्) जो एक-एक को भी जिमाता है (पुष्कलं फलम् + आप्नोति) वह बहुत फल को पा लेता है (अमन्त्रान् बहून् + अपि न) लेकिन वेदहीन बहुत-से ब्राह्मणों को भी जिमाने से फल नहीं मिलता ॥ १२९ ॥

दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम् ।

तीर्थं तद्व्यवस्थानां प्रदत्ते सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १३० ॥

(वेदपारगं ब्राह्मणं दूरात् + एव परीक्षेत) वेद में पारंगत विद्वान् ब्राह्मण की आददाता दूर से ही अर्थात् बुलाने से पहले ही अच्छी प्रकार परीक्षा कर ले और फिर बुलाये (हि) क्योंकि (तद्) वही (तीर्थम्) तीर्थ के समान पापों से तारनेवाला है (हव्य

कव्यानां प्रदाने) और हव्य-कव्यों का दान करने के लिए (सः अतिथिः स्मृतः) उसे ही श्रेष्ठ अतिथि माना गया है ॥ १३० ॥

सहस्रं हि सहस्राणाञ्चनूचा यत्र भुञ्जते ।

एकस्तान् अन्नवित् प्रीतः सर्वानर्हति धर्मतः ॥ १३१ ॥

(यत्र) जिस आद्व में (अनुचाम्) वेदों के न जानने वाले (सहस्राणां हि सहस्रम्) हजारों का गुना एक हजार अर्थात् दस लाख ब्राह्मण भी (भुङ्क्ते) भोजन करते हैं (तान् सर्वान् प्रीतः एकः मन्त्रवित् धर्मतः अर्हति) उन सबकी तुलना में भोजन आदि से संतुष्ट-प्रसन्न हुवा एक वेद का विद्वान् ब्राह्मण धर्मात्मा होने के कारण अधिक फल देता है ॥ १३१ ॥

ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च ।

न हि हस्ताग्रमुनिदग्धौ रुधिरैर्लव शुद्धयतः ॥ १३२ ॥

(हवींषि च कव्यानि) हव्य और कव्य (ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि) उत्तम ज्ञानी व्यक्ति को ही देने चाहिए (हि) क्योंकि (असूग्-दिग्धौ हस्तौ) खून से सने हाथ (रुधिरैर्लव न शुध्यतः) खून से धोने से शुद्ध नहीं होते अर्थात् मूर्खता में किये गये पापों की शुद्धि मूर्ख व्यक्तियों को जिमाने से नहीं हो सकती। यह तो ज्ञानी व्यक्तियों को जिमाने से होती है ॥ १३२ ॥

यावतो प्रसते ग्रासान् हव्यकव्येष्वन्नवित् ।

तावतो प्रसते प्रेत्य दीप्तशूलष्टिर्भयोगुडान् ॥ १३३ ॥

(अन्नवित्) वेद का न जानने वाला ब्राह्मण (हव्यकव्येषु) हव्य-कव्यों में (यावतः ग्रासान् प्रसते) जितने प्राप्त खाता है (प्रेत्य) मरकर आद्व करने वाला (तावतः) उतने ही (दीप्तशूलष्टि-भयोगुडान्) तपे हुए दुधारे अस्त्रों और लोहे के गोलों को खाता है अर्थात् उसे इतने भयंकर कष्ट मिलते हैं ॥ १३३ ॥

ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथाऽपरे ।

तपः स्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथाऽपरे ॥ १३४ ॥

ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः ।

हव्यानि तु यथाध्यायं सर्वेष्वेव चतुर्विप ॥ १३५ ॥

(केचित् द्विजाः) कोई ब्राह्मण (ज्ञाननिष्ठाः) ज्ञान-साधना में तल्लीन रहने वाले हैं (तथा) और (अपरे तपोनिष्ठाः) कुछ दूसरे तपस्या में संलग्न रहते हैं (च) और (तपः-स्वाध्याय-निष्ठाः) कुछ तपस्या और वेद के स्वाध्याय में प्रयत्नशील रहने वाले हैं (तथा) तथा (अपरे) कुछ दूसरे (कर्मनिष्ठाः) यज्ञादि कर्मों में लगे रहने वाले हैं। इस प्रकार ये चार प्रकार के ब्राह्मण हैं। (कव्यानि) आद्वसम्बन्धी दान-सत्कार (यत्नतः) यत्नपूर्वक (ज्ञाननिष्ठेषु) ज्ञानी ब्राह्मणों को ही (प्रतिष्ठाप्यानि)

देने चाहिए (हव्यानि तु) और देवकर्म सम्बन्धी दान-सत्कार तो (सर्वेषु + एव चतुर्षु + अपि यथाग्यायम्) सभी चारों प्रकार के ब्राह्मणों को यथायोग्यता के अनुसार दे देने चाहिए ॥ १३४, १३५ ॥

अश्रोत्रियो पिता यस्य पुत्रः स्याद् वेदपारगः ।

अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात् पिता स्यात् वेदपारगः ॥ १३६ ॥

ज्यायांसमनयोर्विद्याद्यस्य स्याच्छ्रोत्रियः पिता ।

मन्त्रसंपूजनार्थं तु सत्कारमितरोऽर्हति ॥ १३७ ॥

(यस्य पिता अश्रोत्रियः) जिसका पिता वेद का विद्वान् न हो (पुत्रः वेदपारगः स्यात्) और पुत्र वेद का विद्वान् हो (वा) अथवा (पुत्रः अश्रोत्रियः स्यात्) पुत्र वेद का विद्वान् न हो तथा (पिता वेदपारगः स्यात्) उसका पिता वेद का विद्वान् हो तो (अनयोः) इनमें (यस्य पिता श्रोत्रियः स्यात्) जिसका पिता वेद का विद्वान् हो उसे (ज्यायांसं विद्यात्) बड़ा समझना चाहिए [आद्यदान के लिए] (मन्त्रसंपूजनार्थम् तु) किन्तु वेद-मन्त्रों के पूजन के लिए (इतरः) दूसरा ही [जिसका पिता विद्वान् न हो किन्तु स्वयं विद्वान् हो वह] (सत्कारम् अर्हति) सत्कार पाने योग्य है ॥ १३६, १३७ ॥

न आद्वे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः ।

नारि न मित्रं यं विद्यात् आद्वे भोजयेद् द्विजम् ॥ १३८ ॥

(मित्रं आद्वे न भोजयेत्) मित्र ब्राह्मण को आद्व में न जिमावे (अस्य धनैः संग्रहः कार्यः) ऐसे मित्र का तो केवल धन देकर ही आद्व-सत्कार करना चाहिए (यं न नारि न मित्रं विद्यात्) जिसे न तो शत्रु समझे न मित्र समझे (तं द्विजं आद्वे भोजयेत्) उस ब्राह्मण को आद्व में जिमावे ॥ १३८ ॥

यस्य मित्रप्रधानानि आदानि च हवींवि च ।

तस्य प्रेत्य फलं नास्ति आद्वेषु च हविःषु च ॥ १३९ ॥

(यस्य) जिस व्यक्ति के यहां (आदानि च हवींवि) कव्य और हव्य अर्थात् आद्यदान और देवयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले दान (मित्रप्रधानानि) मित्रों को उद्दिष्ट करके दिये जाते हैं (तस्य आद्वेषु च हविःषु च प्रेत्य फलं नास्ति) उसके आद्व = कव्यों और हव्यों का परलोक में फल नहीं मिलता ॥ १३९ ॥

यः सङ्गतानि कुरुते मोहाच्छ्राद्धेन मानवः ।

सः स्वर्गाश्च्यवते लोकाच्छ्राद्धमित्रो द्विजाधमः ॥ १४० ॥

(यः मानवः) जो मनुष्य (मोहात्) मोहभावना में आकर (आद्वेन संगतानि कुरुते) आद्व के द्वारा मित्रों को प्रसन्न करता है या आद्व में मित्रों को जिमा अपनी मित्रता को सुदृढ़ करता है (सः द्विज + अधमः आद्वमित्रः) वह द्विजों में नीच आद्व में

मित्रता बनाने वाला व्यक्ति (स्वर्गात् लोकात् व्यवते) स्वर्गलोक के अधिकार से पतित हो जाता है ॥ १४० ॥

सम्भोजनी साऽभिहिता पैशाची दक्षिणा द्विजैः ।

इहंवास्ते तु सा लोके गौरन्वेवंकवेऽश्मनि ॥ १४१ ॥

(द्विजैः) विद्वानों ने (सा संभोजनी दक्षिणा) मित्रों को भोजन और दान रूप में दी जाने वाली उस दक्षिणा को (पैशाची अभिहिता) पिशाचों द्वारा की जाने वाली क्रिया कहा है (तु) और (अन्धा गौ एकवेऽश्मनि इव) जैसे अन्धी गाय एक घर में ही पड़ी रहती है कहीं इधर-उधर नहीं जा सकती, ऐसे ही (सा) वह दानक्रिया (इहं लोके वास्ते) इसी लोक में रह जाती है, अर्थात् परलोक में जाकर शुभ फल नहीं देती ॥ १४१ ॥

यथेरितो बीजमुत्पा न वप्ता लभते फलम् ।

तथाऽनूचे हविर्दत्त्वा न दाता लभते फलम् ॥ १४२ ॥

(यथा + ईरितो बीजम् + उत्पा) जैसे बंजरभूमि में बीज बोकर (वप्ता) बीज बोने वाला (फल न लभते) उसके उत्पत्ति रूप फल को नहीं प्राप्त कर पाता है (तथा) वैसे ही (अनूचे) वेद के अविद्वान् को (हविः दत्त्वा) हव्य-कव्य देकर (दाता फलं न लभते) दानी व्यक्ति कोई फल नहीं पाता ॥ १४२ ॥

दातृप्रतिग्रहीतृश्च कुरुते फलभागिनः ।

विदुषे दक्षिणां दत्त्वा विधिवत् प्रेत्य चेह च ॥ १४३ ॥

(विधिवत् विदुषे दक्षिणां दत्त्वा) दाता व्यक्ति विधिपूर्वक विद्वान् व्यक्ति को दक्षिणा देकर (दातृ च प्रतिग्रहीतृन्) दान देने वालों और दान लेने वालों-दोनों को (प्रेत्य च इह फलभागिनः कुरुते) परलोक में और इस लोक में दोनों ही जगह फल का भागी बनाता है ॥ १४३ ॥

कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम् ।

द्विषता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम् ॥ १४४ ॥

श्राद्ध में मित्र से भिन्न कोई सुयोग्य व्यक्ति न मिलने पर (कामम्) चाहे (श्राद्धे मित्रम् अर्चयेत्) श्राद्ध में मित्र का ही श्राद्ध-दान से सत्कार कर दे (अपि तु) किन्तु (अरिम् अभिरूपं न) शत्रु विद्वान् भी हो तो उसको न जिमावे (हि) क्योंकि (द्विषता भुक्तं हविः) शत्रु के द्वारा खाया गया श्राद्ध (प्रेत्य निष्फलं भवति) परलोक में फलरहित ही रहता है ॥ १४४ ॥

यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धं बहुधां देवपारमम् ।

शास्त्रान्तगमयाद्युं क्षत्र्येणं तु सत्प्राप्तिकम् ॥ १४५ ॥

(श्राद्धे) श्राद्ध में (बहु + ऋचम्) जो बहुत ऋचाओं = मन्त्रों का जाता हो,

(वेदपारंगम्) जो वेदों में पारंगत हो, (शास्त्रान्तगम्) जो वेदों की शास्त्राग्रां—ब्राह्मण, उपनिषदों आदि का ज्ञाता हो, (ग्रथ) ग्रथवा (ग्रन्थयुग्म्) यज्ञों का ज्ञाता ऋत्विज हो, (छन्दोगं तु समाप्तिगम्) जिसने वेदों को ग्राह्यस्त पढ़ा हो, ऐसे ब्राह्मण को (यत्नेन भोज-येत्) यत्नपूर्वक जिमावे—॥ १४५ ॥

एवामन्यतमो यस्य भुञ्जीत आढमचितः ।

पितॄणां तस्य तृप्तिः स्याच्छ्रान्त्वती साप्तपोषधी ॥ १४६ ॥

(एवाम् + अन्यतमः अचितः) इनमें [३।१४५] से कोई एक भी ब्राह्मण पूजित होकर (यस्य आढं भुञ्जीत) जिसके आढ को खाता है (तस्य पितॄणां साप्तपोषधी शासवती तृप्तिः स्यात्) उस आढ देने वाले के पितरों की सात पीढ़ी तक निरन्तर तृप्ति होती है ॥ १४६ ॥

एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः ।

अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्भिर्गनुष्ठितः ॥ १४७ ॥

(हव्यकव्ययोः प्रदाने) हव्य-कव्यों के देने में (एषः वै प्रथमः कल्पः) यह ऊपर वर्णित विधान प्रथम कोटि का माम्य विधान है (सदा सद्भिः + अनुष्ठितः अयम् अनुकल्पः ज्ञेयः) सदा श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा किया जाने वाला द्वितीय कोटि का आढसम्बन्धी विधान निम्न है ॥ १४७ ॥

मातामहं मातुलं च स्वस्नीयं श्वशुरं गुरुम् ।

दौहित्रं विट्पतिं बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत् ॥ १४८ ॥

(मातामहम्) नाना को (मातुलम्) मामा को (स्वस्नीयम्) मानजे को (श्वशुरम्) ससुर को (गुरुम्) गुरु को (दौहित्रम्) धेवते को (विट्पतिम्) दामाद को (बन्धुम्) बन्धु-बान्धवों को (च) और (ऋत्विक् + याज्यौ) ऋत्विज तथा यज्ञकर्त्ता को भी (भोजयेत्) आढ में जिमा देवे ॥ १४८ ॥

न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित् ।

पित्र्ये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४९ ॥

(धर्मवित्) धर्म की मर्यादा को जानने वाला गृहस्थ व्यक्ति (दैवे कर्मणि देवकर्म के उद्देश्य से किये जाने वाले दान आदि कार्यों में (ब्राह्मणं न परीक्षेत) ब्राह्मण की योग्यताओं की विशेष परीक्षा न करे (तु) किन्तु (पित्र्ये कर्मणि प्राप्ते) पितृकर्म=आढ के अवसर पर (प्रयत्नतः परीक्षेत) सावधानी पूर्वक परीक्षा करे ॥ १४९ ॥

आढ में अपांक्त्ये ब्राह्मण—

ये स्तेनपतितप्लोवा ये च नास्तिकवृत्तयः ।

तान् हव्यकव्यबोधिप्रानमहम् संशुभ्रणीत् ॥ १५० ॥

(ये स्तेन + पतित + बलीवाः) जो चोर, पतित, नपुंसक हैं (च) और (ये नास्तिकवृत्तयः) जो नास्तिक स्वभाव वाले हैं (तान् विप्रान्) इन ब्राह्मणों को (हव्य-कव्ययोः) हव्य-कव्यों के देने के लिए (मनुः अनर्हान् अन्नवीत्) मनु ने अयोग्य कहा है ॥ १५० ॥

जटिलं चानधीयानं दुर्बलं कितवम् तथा ।

याजयन्ति च ये पूमांस्तद्वन्नं श्राद्धे न भोजयेत् ॥ १५१ ॥

(अनधीयानं जटिलं च) अध्ययन से रहित ब्रह्मचारी को अर्थात् जो वेशभूषा आदि से ब्रह्मचारी बना हो किन्तु पढ़ता न हो (दुर्बलम्) किसी रोग के कारण क्षीण शरीर बल वाले (तथा) तथा (कितवम्) जुझारी को (च) और (ये पूमान्) याजयन्ति) जो बहुत सारे लोगों का यज्ञ कराते हों (तान् श्राद्धे न भोजयेत्) उन्हें श्राद्ध में न जिमावे ॥ १५१ ॥

चिकित्सकान् देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा ।

विपण्णेन च जीवन्तो वज्याः स्युर्हव्यकव्ययोः ॥ १५२ ॥

(चिकित्सकान्) वैद्यों को (देवलकान्) पुजारियों को (तथा) तथा (मांस-विक्रयिणः) मांस बेचने वाले को (च) और (विपण्णेन जीवन्तः) जो व्यापार करके जीविका करते हों (हव्यकव्ययोः वज्याः स्युः) इनको हव्य-कव्य नहीं देने चाहिए ॥

॥ १५२ ॥

प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः ।

प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ताग्निर्वार्धुविस्तथा ॥ १५३ ॥

(ग्रामस्य राज्ञः च प्रेष्यः) गांव का और राजा का नौकर (कुनखी) बिगड़े नाखूनों वाला (श्यावदन्तकः) काले दाँत वाला (च) और (गुरोः प्रतिरोद्धा एव) गुरु का विरोध करने वाला (त्यक्ताग्निः) जिसने पंचयज्ञाग्नियों का त्याग कर दिया है (तथा) तथा (वार्धुषिः) व्याजखोर—ये श्राद्ध में जिमाने के लिए वर्जित हैं ॥ १५३ ॥

यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः ।

ब्रह्महिंस्त्रं परिवर्त्तिश्च गणान्धन्तर एव च ॥ १५४ ॥

(यक्ष्मी) तपेदिक का रोगी (पशुपालः) पशुओं का पालन करके जीविका करने वाला (परिवेत्ता) बड़े भाई के अविवाहित रहते उससे पूर्व विवाह करने वाला [३।१७१] (निराकृतिः) देवताओं या यज्ञादि शुभ कार्यों का खण्डन करने वाला

१. 'पूग' शब्द का अर्थ—'मानाजातीया अनियतवृत्तयोऽर्चकामप्रधानाः संघाः' अर्थात् विभिन्न जातियों के मनुष्यों का ऐसा समूह, जिनकी आजीविका नियत न हो और अर्थ—काम-प्रधान हो। (संस्थादक)

(ब्रह्मद्विद्) ब्राह्मणों या वेदों का द्वेषी (च) और (परिवर्तिः) छोटे भाई के विवाह कर लेने पर अविवाहित बच्चा बड़ा भाई [३। १७१] (च) और (गणाम्यन्तर एव) किसी धर्मविरुद्ध समुदाय का सदस्य—इन्हें भी श्राद्ध में नहीं ज़िमाना चाहिए ॥ १५४॥

कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषलीपतिरेव च ।

पौनर्मवश्च काणश्च यस्य चोपपत्तिर्गृहे ॥ १५५ ॥

(कुशीलवः) नाश्ने-गाने वाला (अवकीर्णी) व्यभिचारी (च) और (वृष-लीपतिः + एव) शूद्रा स्त्री का पति (पौनर्मवः) किसी स्त्री के दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र (काणः) काणा (च) तथा (यस्य गृहे उपपत्तिः) जिसके घर उसकी स्त्री का जार रहता हो—इन्हें भी श्राद्ध में नहीं ज़िमाना चाहिए ॥ १५५ ॥

भूतकाव्यापको यश्च भूतकाव्यापितस्तथा ।

शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्बुधः कुण्डगोलकौ ॥ १५६ ॥

(यः भूतक + अघ्यापकः) जो वेतन लेकर पढ़ाता हो (तथा) तथा (यः) जो (भूतक + अघ्यापितः) वेतन लेने वाले से पढ़ा हो (शूद्रशिष्यः) शूद्र का शिष्य (गुरुः च एव) और शूद्र का गुरु (वाग्बुधः) बुद्ध वाणी बोलने वाला (कुण्डगोलकौ) कुण्ड = असली पिता के होते हुए भी जो जार से उत्पन्न हुआ हो, गोलक = जो असली बाप की मृत्यु के पश्चात् जार से पैदा हुआ हो—ये भी श्राद्ध में नहीं ज़िमाने चाहिए ।

॥ १५६ ॥

अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोर्गुंरोस्तथा ।

बार्हस्पतिर्नैश्च सम्बन्धैः संयोगं पतितंगतः ॥ १५७ ॥

(मातापित्रोः तथा गुरोः अकारणपरित्यक्ता) माता, पिता तथा गुरु को बिना कारण छोड़ देनेवाला (च) और (पतितैः बार्हस्पतिः यौनैः संबन्धैः गतः) पतित व्यक्तियों के साथ [२। १५ (४०), ६। २३७-२३९] पठन-पाठन संबंधी तथा विवाह-सम्बन्धी सम्बन्ध स्थापित करने वाला—ये श्राद्ध में नहीं ज़िमाने चाहिए ॥ १५७ ॥

अगारदाही गरवः कुण्डाशी सोमविक्रयी ।

समुद्रयायी बन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥ १५८ ॥

(अगारदाही) घर में आग लगाने वाला (गरवः) बिप देने वाला (कुण्डाशी) कुण्ड नामक संतान [३। १७४] के साथ खाने-पीने वाला (सोमविक्रयी) सोम औषधि का व्यापार करने वाला (समुद्रयायी) समुद्र की यात्रा करके परदेश में जाने वाला (च) और (बन्दी) खुशामद के गीत गाकर जीविका चलाने वाला—चारण, भाट आदि (तैलिकः) तेली (कूटकारकः) झूठी गवाही देने वाला—ये भी श्राद्ध में ज़िमाने के लिये वजित हैं ॥ १५८ ॥

मित्रा विवर्त्तमानश्च कित्तवो मद्यपस्तथा ।

पत्नरोग्यमित्रास्तश्च दाम्निनको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥

(च) श्रीर (पित्रा विवदमानः) पिता के साथ झगड़ा करने वाला (वितवः) धूर्त (तथा) तथा (मद्यपः) शराब पीने वाला (पापरोगी) पापों से हुए कुष्ठ आदि रोगों वाला (च) श्रीर (अभिषस्तः) आप से ग्रस्त या कलंकी (दाम्भिकः) पाखण्डी (रसविक्रयो) रसों को बेचने वाला—ये भी श्राद्ध में वर्जित हैं ॥ १५६ ॥

धनुःशराणां कर्त्ता च धवन्वाग्नेदिधिषूपतिः ।

मित्रध्रुगुत्तवृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च ॥ १६० ॥

(च) श्रीर (धनुः शराणां कर्त्ता) धनुष और बाणों को बनाने वाला (च) तथा (यः अग्नेदिधिषूपतिः) भूत बड़े भाई की स्त्री का कामवासना के वशीभूत होकर पत्नी बनाने वाला व्यक्ति [३। १७३] (मित्रध्रुगु) मित्र से धोखा करने वाला (ध्रुतवृत्तिः) जुआरी (तथा च) श्रीर (पुत्राचार्यः) अपने पुत्र को आचार्य अर्थात् गुरु बनाकर पढ़ने वाला—ये सभी श्राद्ध में नहीं जिमाने चाहिए ॥ १६० ॥

भ्रामरी गण्डमाली च श्विग्रन्थो पिशुनस्तथा ।

उन्मत्तोऽन्धश्च वज्र्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१ ॥

(भ्रामरी) मृगीरोगी (गण्डमाली) गण्डमाला का रोगी (श्वित्री) श्वेतकुष्ठ का रोगी (ग्रन्थ) श्रीर (पिशुनः) घुगुलखोर (उन्मत्तः) पागल (च) तथा (ग्रन्थः) ग्रन्था (वेदनिन्दकः एव) वेद की निन्दा करने वाला (वज्र्याः स्युः) ये श्राद्ध में वर्जित हैं ॥ १६१ ॥

हस्तिगोऽश्वोऽष्टदमको नक्षत्रयंश्च जीवति ।

पक्षिणां पोषको दश्व युद्धाचार्यस्तथैव च ॥ १६२ ॥

(हस्ति-गो-अश्व-उष्ट्र-दमकः) जो हाथी; बैल, घोड़ा, ऊंट आदि को सिखाने वाला हो (च) तथा (यः नक्षत्रः जीवति) जो नक्षत्र, राशि आदि बताकर जीविका करता हो (यः च) श्रीर जो (पक्षिणां पोषकः) पक्षियों को पालने वाला हो (च) श्रीर (युद्धाचार्यः) युद्धविद्या सिखाने वाला—ये भी श्राद्ध में जिमाने के लिए वर्जित हैं ॥ १६२ ॥

स्रोतसां भेदको दश्व तेषां चावरणे रतः ।

गृहसंवेशको दूतो वृक्षारोपक एव च ॥ १६३ ॥

(च) श्रीर (यः स्रोतसां भेदकः) जो झरनों को तोड़नेवाला हो (तेषाम् आवरणे रतः) तथा जो उन्हें रोकने वाला हो (गृहसंवेशकः) घर बनाकर जीविका चलाने वाला (दूतः) दूत का काम करनेवाला (च) श्रीर (वृक्षारोपकः एव) पेड़-पौधों को लगाने वाला, ये सभी श्राद्ध में वर्जित हैं ॥ १६३ ॥

श्वकीडी श्येनजीवी च कन्याद्रवक एव च ।

हिहो वृषत्वृत्तिश्च गरालां चैव योजकः ॥ १६४ ॥

(श्वक्रीडी) कुत्तों को पालने वाला (श्वेनजीवी) बाज पक्षी से जीविका चलाने वाला (च) तथा (कन्यादूषकः एव) कन्या के साथ बलात्कार करने वाला (हितः) हत्यारा (धूषलवृत्तिः) शूद्र की नीकरी करने वाला (गणानां चैव याजकः) अनेक समुदायों के यज्ञ कराने वाला—ये भी श्राद्ध में वर्जित हैं ॥ १६४ ॥

आचारहीनः क्लीबश्च नित्यं याचनकस्तथा ।

कृषिजीवी श्लीपदी सद्भिर्निन्दित एव च ॥ १६५ ॥

(आचारहीनः) आचार से पतित (च) और (क्लीबः) नपुंसक (तथा नित्यं याचनकः) तथा जो प्रतिदिन मांगकर खाने वाला हो (कृषिजीवी) खेती करके जीविका चलाने वाला (श्लीपदी) मोटे पाँव [हाथीपाँव] की बीमारी वाला (च) और (सद्भिः निन्दितः एव) सज्जनों द्वारा निन्दित—ये भी श्राद्ध में वर्जित हैं ॥ १६५ ॥

औरभ्रिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा ।

प्रेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥

(औरभ्रिकः) भेड़-बकरियों को पालकर जीविका चलाने वाला (माहिषिकः) भैंसों से जीविका चलाने वाला (तथा परपूर्वापतिः) विधवा स्त्री का पति अथवा अन्य से विवाहित स्त्री का उसके बाद होने वाला पति (च) और (प्रेतनिर्यातकः) मुर्दों को ढोने वाला (प्रयत्नतः वर्जनीयाः) इन्हें श्राद्ध में यत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए ॥ १६६ ॥

एतान् विर्गाहिताचारानपाङ्क्तेयान् द्विजाधमान् ।

द्विजातिप्रचरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥

(एतान्) इन उपरिवर्णित [३।१४८-१६६] (गहित + आचारान्) निन्दनीय आचरण वाले (अपाङ्क्तेयान्) श्राद्ध की पंक्ति में बैठाने के अयोग्य (द्विजाधमान्) नीच ब्राह्मणों को (द्विजातिप्रचरः विद्वान्) द्विजातियों में श्रेष्ठ विद्वान् व्यक्ति (उभयत्र) दोनों स्थानों पर अर्थात् देवकर्म और पितृकर्म में (विवर्जयेत्) छोड़ देवे ॥ १६७ ॥

ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति ।

तस्मै हव्यं नोदातव्यं न हि भस्मनि हूयते ॥ १६८ ॥

(अनधीयानः ब्राह्मणः तु) बिना पढ़ा-लिखा ब्राह्मण तो (तृणाग्निः + इव शाम्यति) तिनकों की आग की तरह है, जो शीघ्र ही बुझ जाती है (तस्मै) उसको (हव्यं न दातव्यम्) हव्य आदि दान-भाग नहीं देना चाहिए (हि) क्योंकि (भस्मनि न हूयते) राख में कभी आहुति नहीं दी जाती। अभिप्राय यह है कि जैसे राख में आहुति देना निरर्थक है, वैसे ही राख के समान ब्राह्मणस्व-रूपी तेज से हीन ब्राह्मण को भी दान देना निष्फल होता है ॥ १६८ ॥

अपाङ्क्तवाने यो दातुर्भक्ष्यं फलोदयः ।

देवे हविषि विभ्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १६९ ॥

(देवे हविषि वा पित्र्ये) देवयज्ञकर्म अथवा पितृकर्म में (अपाङ्क्तेयदाने) पंक्ति में बैठने के अयोग्य ब्राह्मणों को हव्य-कव्य देने से (दातुः यः ऊर्ध्वं फलोदयः भवति) दाता को जो परलोक में फल मिलता है (तत्) उसे (अशेषतः प्रवक्ष्यामि) सम्पूर्ण रूप से कहता हूँ—॥ १६६ ॥

अपाङ्क्तेय ब्राह्मणों को दान देने से फल की अप्राप्ति—

अन्नतैर्यद् द्विजैर्भुक्तं परिवेत्तादिभिस्तथा ।

अपाङ्क्तेर्यैर्यदग्न्यंश्च तद् रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७० ॥

(अन्नतैः) व्रतों के पालन से रहित [अह्नचर्यं, यज्ञ आदि व्रत] (तथा परिवेत्ता + आदिभिः) तथा परिवेत्ता संज्ञक [३। १७१] आदि द्वारा (च) और (अग्न्यैः अपाङ्क्तेर्यैः भुक्तम्) जो दूसरे पंक्ति में बैठने के अयोग्य ब्राह्मण हैं उनके द्वारा खाये गये अन्न को (वै) निश्चय से (तत् रक्षांसि भुञ्जते) उसे राक्षस खाते हैं, अर्थात् वह निष्फल रहता है

॥ १७० ॥

द्वाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्ने स्थिते ।

परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ १७१ ॥

(यः) जो व्यक्ति (अग्ने स्थिते) बड़े भाई के रहते हुए (द्वारा + अग्निसंयोगं कुरुते) उससे पहले विवाह और गृहस्थ के पंचयज्ञ आदि को करता है (सः परिवेत्ता विज्ञेयः) उसे 'परिवेत्ता' कहा जाता है (तु) और (पूर्वजः) उसका वह बड़ा भाई (परिवित्तिः) 'परिवित्ति' कहलाता है ॥ १७१ ॥

परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते ।

सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२ ॥

(परिवित्तिः परिवेत्ता च यया परिविद्यते) परिवित्ति, परिवेत्ता और जिस कन्या से विवाह करता है वह (दातृ-याजक-पञ्चमाः) कन्या को व्याहृते वाला और विवाह यज्ञ कराने वाला, ये पाँचों (ते सर्वे नरकं यान्ति) सब के सब नरक में जाते हैं ॥ १७२ ॥

भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः ।

घर्मणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥ १७३ ॥

(मृतस्य भ्रातुः) मरे हुए भाई की (भार्यायाम्) पत्नी से (यः) जो (कामतः अनुरज्येत) कामवासना के वशीभूत होकर उससे संयोग करता है (अपि) चाहे (घर्मणा नियुक्तायाम्) नियोगघर्म के अनुसार नियुक्त होकर भी यदि वह संतानोत्पत्ति के बिना काम के वशीभूत होकर संयोग करता है (सः दिधिषूपतिः ज्ञेयः) उसे 'दिधिषूपतिः' कहा जाता है ॥ १७३ ॥

परदारेषु जायेते द्वौ भूवौ कुम्भगोसकी ।

पत्न्यौ जीवति कुम्भः स्वाप्नुते अर्धरि प्रोक्तकः ॥ १७४ ॥

(परदारपु) पराई स्त्री से (कुण्डगोलकी) 'कुण्ड' और गोलक ये दो प्रकार के पृथ उत्पन्न होने हैं (पत्यो जीवति कुण्डः) पति के जीते हुए जो दूसरे पति से सन्तान उत्पन्न होती है वह 'कुण्ड' संज्ञक कहलाती है (भर्तरि मृते गोलकः स्यात्) पति के मरने पर दूसरे पति से उत्पन्न सन्तान 'गोलक' कहाती है ॥ १७४ ॥

तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनौ प्रेत्य चेह च ।

दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम् ॥ १७५ ॥

(परक्षेत्रे जातौ तौ प्राणिनौ तु) पराई स्त्री में उत्पन्न हुए वे दोनों प्राणी अर्थात् कुण्ड और गोलक (प्रदायिनाम्) दाताओं के द्वारा (दत्तानि हव्यकव्यानि) दिये गये हव्यकव्यों को (प्रेत्य च + इह नाशयेते) परलोक और इस लोक दोनों ही स्थानों पर नष्ट कर देते हैं, अतः उन्हें हव्य-कव्य न दे ॥ १७५ ॥

अपाङ्कत्यो यावतः पाङ्कत्यान् भुञ्जानामनुपश्यति ।

तावता न फलं तत्र दाता प्राप्नोति बालिशः ॥ १७६ ॥

(अपाङ्कत्यः) पंक्ति में बैठने के अयोग्य व्यक्ति (यावतः पाङ्कत्यान् भुञ्जानाम् + अनुपश्यति) जितने भी पंक्ति में बैठने के सुपात्र ब्राह्मणों को खाते हुए देख लेता है (तत्र) वहाँ (बालिशः दाता) मूर्खदाता (तावतां फलं न प्राप्नोति) उतने ही खाने वालों का फल प्राप्त नहीं कर पाता ॥ १७६ ॥

वीक्ष्यान्ध नवतेः काणाः षष्टेः श्वित्री शतस्य तु ।

पापरोमी सहस्रस्य दातुर्नाशयते वरुम् ॥ १७७ ॥

(वीक्ष्य) श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को देखकर (अन्धः नवतेः) अन्धा नब्बे के (काणः षष्टेः) काणा साठ के (तु) और (श्वित्री शतस्य) श्वेतकुण्डों सौ के (पापरोमी सहस्रस्य) कुण्ड आदि पापों से होने वाले रोगों का रोगी हजार ब्राह्मणों के (दातुः फलं नाशयते) जिमाने वाले दाता के फल को नष्ट अर्थात् निष्फल कर देता है ॥ १७७ ॥

यावतः संस्पृशेच्चर्ङ्गं ब्राह्मणाञ्छूद्रमाजकः ।

तावतां न भवेद्दातुः फलं दानस्य पौतिकम् ॥ १७८ ॥

(शूद्रयाजकः) शूद्रों को यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण (यावतः ब्राह्मणान्) जितने ब्राह्मणों को (अर्ङ्गः संस्पृशेत्) अर्ङ्गों से छूना है (दातुः) दाता को (तावतां दानस्य पौतिकं फलं न भवेत्) उतने ही ब्राह्मणों के दान का शुभ फल प्राप्त नहीं होता ॥ १७८ ॥

वेदविश्वापि विप्रोऽस्य लोभात् क्रुषा प्रतिग्रहम् ।

विनाशं व्रजति क्षिप्रमामपात्रविशम्भसि ॥ १७९ ॥

(वेदविद् विप्रः अपि) वेद का ज्ञाता विद्वान् भी (अस्य) इस शूद्रयाजक का (लोभात् प्रतिग्रहं कृत्वा) लोभ के कारण दान लेकर (अम्भसि ग्रामपात्रम् + इव) जैसे

जल में मिट्टी का कच्चा घड़ा गल जाता है ऐसे (क्षिप्रं विनाशं व्रजति) शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है ॥ १७६ ॥

सोमविक्रयिणे विष्टा भिषजे पूयशोणितम् ।

नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु बाधुंषी ॥ १८० ॥

(सोमविक्रयिणे दत्तं विष्टा) सोम बेचने वाले को दिया गया दान विष्टा [= मल] के तुल्य होता है (भिषजे पूयशोणितम्) वैद्य को दिया गया दान मवाद और खून के समान होता है (देवलके नष्टम्) पुजारी को दिया गया दान निष्फल (तु) और (बाधुंषी अप्रतिष्ठम्) व्याजखोर को दिया गया दान व्यर्थ होता है ॥ १८० ॥

यसु बाणिजके दत्तं नेह तामुत्र तद्भवेत् ।

भस्मनीयं हुतं हव्यं तथा पौनर्भवे द्विजे ॥ १८१ ॥

(तु) और (बाणिजके दत्तम्) व्यापार करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान (तत् न + इह न + अमुत्र भवेत्) वह न इस लोक में फलदायक होता है, न परलोक में (तथा) वैसे ही (पौनर्भवे द्विजे) दूसरा पति करने वाली स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण को दिया गया दान (भस्मान्ने हुतं हव्यम् इव) राख में डाली गयी ग्राहुति के समान निष्फल होता है ॥ १८१ ॥

इतरेषु त्वपाङ्क्तयेषु यथोद्दिष्टेष्वसाधुषु ।

मेदोनुङ्मांसमज्जास्थि बदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ १८२ ॥

(इतरेषु तु + अपाङ्क्तयेषु) दूसरे पंक्ति में बैठने के अयोग्य व्यक्तियों (तु) और (यथोद्दिष्टेषु + असाधुषु) जो जो निष्कृष्ट ब्राह्मण गिना आये हैं उनको दिये गये (अन्नम्) आढ़ के अन्न को (मनीषिणः) मनीषी लोग (मेद + अमृद् + मांसमज्जा + अस्थि बदन्ति) मेदा, लहू, मांस, चरबी और हड्डी के समान कहते हैं अर्थात् वह अन्न इनके खाने के समान है, अतः उन्हें अन्न नहीं खिलाना चाहिए ॥ १८२ ॥

पाङ्क्तये ब्राह्मण—

अपाङ्क्तपोपहता पङ्क्तिः पाव्यते यद्विजोत्तमैः ।

तान्निबोधत कात्स्न्येन द्विजाग्रधान् पङ्क्तिपावनान् ॥ १८३ ॥

(अपाङ्क्त—उपहता पङ्क्तिः) पंक्ति में न बैठने योग्य लोगों से दूषित की हुई पंक्ति (यैः द्विजोत्तमैः पाव्यते) जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पवित्र हो जाती है (तान् पङ्क्तिपावनान् द्विजाग्रधान्) उन पंक्ति को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ द्विजों को (कात्स्न्येन निबोधत) पूर्ण रूप से जानो ॥ १८३ ॥

अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च ।

श्रोत्रियान्मयजादश्च विज्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः ॥ १८४ ॥

(सर्वेषु वेदेषु च सर्वप्रवचनेषु अग्न्याः) जो सब वेदों में और उनके प्रवचन करने में अथवा वेदों में पारंगत हैं, वे (च) तथा (श्रोत्रिय + अन्वयजाः एव) वेद-पाठियों के वंश में जन्म लेने वाले ब्राह्मण (पंक्तिपावनाः विज्ञेयाः) पंक्ति को पवित्र करने वाले समझने चाहिए ॥ १८४ ॥

त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रिसुपर्णः बह्वृचवित् ।

ब्रह्मदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥

वेदार्थवित् प्रवक्ता च ब्राह्मचारी सहस्रदः ।

शतायुद्वयं विज्ञेया ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥ १८६ ॥

(त्रिणाचिकेतः) अथर्व वेद के भाग को पढ़ने तथा उसका व्रत करने वाले (पञ्चाग्निः) पंचमहायज्ञों को करने वाले (त्रिसुपर्णः) बह्वृच का वेदभाग पढ़ने तथा उसका व्रत करने वाले (बह्वृचवित्) वेद के छह अङ्गों [शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष] को जानने वाला (ब्रह्मदेयात्मसन्तानः) ब्रह्मविवाह की विधि से विवाहित व्यक्तियों की सन्तान (च) और (ज्येष्ठसामगः एव) सामवेद की गायन विद्या का विशेषज्ञ (वेदार्थवित्) वेदों के अर्थ का ज्ञाता (च प्रवक्ता) और वेदों का व्याख्यान करने वाला (ब्राह्मचारी) ब्राह्मचारी (सहस्रदः) हजार गौओं का दानी (च) तथा (शतायुः एव) सौ वर्ष की आयु वाला (ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः विज्ञेयाः) इन ब्राह्मणों को पंक्ति को पवित्र करने वाला जानना चाहिए ॥ १८५, १८६ ॥

पूर्वधुरपरधुर्वा आद्धकर्मण्युपस्थिते ।

निमन्त्रयेत् ज्यवरान्सभ्यन्विप्रान् यथोदितान् ॥ १८७ ॥

(आद्धकर्मणि + उपस्थिते) आद्ध का समय आने पर (पूर्वधुः वा अपरधुः) पहले दिन अथवा उससे अगले दिन (यथोदितान्) जैसे ऊपर कहे हैं वैसे (ज्यवरान् विप्रान्) तीन ब्राह्मणों को (सभ्यक् निमन्त्रयेत्) सत्कारपूर्वक आद्ध में निमन्त्रित करे ॥ १८७ ॥

निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा ।

न च छन्दांस्यधीयीत यस्य आद्धं च तद्वृत्ते ॥ १८८ ॥

(पित्र्ये निमन्त्रितः द्विजः) आद्ध में निमन्त्रित किये जाने पर वह निमन्त्रित द्विज (सदा नियतात्मा भवेत्) पूर्णतः संयमी बनकर रहे (च) और (छन्दांसि न अधीयीत) उस समय वेदमन्त्रों का पाठ न करे (च) तथा (यस्य आद्धम्) जिसके यहां आद्ध हो (तत् भवेत्) वह भी इसी प्रकार इनका पालन करे ॥ १८८ ॥

निमन्त्रितान् हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्निजान् ।

वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ ॥

(हि) क्योंकि (पितरः) पितर लोग (तान् निमन्त्रितान् द्विजान्) उन न्योते हुए ब्राह्मणों के (उपतिष्ठन्ति) पास आते हैं (च) और (वायुवत् अनुगच्छन्ति) वायु

के समान पीछे-पीछे चलते हैं (तथा) वैसे ही (आसीनान् + उपासते) बैठे हुआओं के साथ बैठे रहते हैं ॥ १८६ ॥

केतितस्तु यथाभ्यायं ह्यव्यक्त्ये द्विजोत्तमः ।

कथञ्चिदप्यतिक्रामन् पापः सूकरतां व्रजेत् ॥ १८७ ॥

(यथाभ्यायं केतितः तु द्विजोत्तमः) यथोचित सत्कारपूर्वक निमन्त्रित किया हुआ ब्राह्मण (ह्यव्यक्त्ये) देवकर्म और पितृकर्म में (कथञ्चित्—अपि—अतिक्रामन्) थोड़ा-सा भी बुरा या नियमों से विरुद्ध आचरण करने पर (पापः सूकरतां व्रजेत्) वह पापी अगले जन्म में सूअर का जन्म पाता है ॥ १८७ ॥

आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे वृषल्या सह मोदते ।

दातुमर्हद् दुष्कृतं किञ्चित्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ १८८ ॥

(यः तु श्राद्धे आमन्त्रितः) और जो ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित किये जाने पर (वृषल्या सह मोदते) छूट स्त्री के संग रमण करता है तो (दातुः यत् किञ्चित् दुष्कृतम्) दाता का जितना भी पाप है (तत् सर्वं प्रतिपद्यते) उस सबको वही प्राप्त करता है ॥ १८८ ॥

अक्रोधनाः शीघ्रपराः सततं ब्रह्मचारिणः ।

ग्यस्तशस्त्रा महामागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १८९ ॥

(पितरः) पितर लोग (अक्रोधनाः) क्रोध से रहित होते हैं, (शीघ्रपराः) वे पवित्रता में तत्पर रहने वाले, (सततं ब्रह्मचारिणः) सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, (ग्यस्तशस्त्राः) शस्त्रादि से रहित अर्थात् किसी को पीड़ा न पहुँचाने वाले, (महामागाः) महान् सौभाग्य से युक्त और (पूर्वदेवताः) सबसे प्रथम देव हैं ॥ १८९ ॥

पितरों की उत्पत्ति—

यस्मादुत्पत्तिरेतेषां

सर्वेषामप्यशेषतः ।

ये च यैरुपचर्याः

स्युनियमैस्तान्निबोधत ॥ १९० ॥

(एतेषां सर्वेषां यस्मात् + उत्पत्तिः) इन पूर्वोक्त पितरों की जिस-जिस से उत्पत्ति हुई है (ये च यैः नियमैः उपचर्याः स्युः) और जो-जो पितर जिन-जिन व्यक्तियों के द्वारा जिन नियमों से सेवा किये जाने योग्य हैं (तान्) उन सब बातों को (अशेषतः निबोधत) भलीभाँति सुनो ॥ १९० ॥

मनोहिरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।

तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ १९१ ॥

(हिरण्यगर्भस्य मनोः) हिरण्यगर्भ = ब्रह्मा के पुत्र मनु के (ये मरीच्यादयः सुताः) जो मरीचि आदि [दश १।३५] पुत्र हैं (तेषां सर्वेषाम् ऋषीणां पुत्राः) उन सब ऋषियों के जो पुत्र हैं वे (पितृगणाः स्मृताः) 'पितर' माने गये हैं ॥ १९१ ॥

विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः ।

अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचाः लोकविश्रुताः ॥ १६५ ॥

(विराट्सुताः सोमसदः) विराट् के पुत्र 'सोमसद्' (साध्यानां पितरः स्मृताः) साध्यों के पितर माने गये हैं (च) ग्रीर (मारीचाः लोकविश्रुताः अग्निष्वात्ताः) मरीचि के लोकप्रसिद्धपुत्र 'अग्निष्वात्त' (देवानाम्) देवताओं के पितर हैं ॥ १६५ ॥

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् ।

सुपर्णाकिन्नराणां च स्मृता बर्हिषदोऽत्रिजाः ॥ १६६ ॥

(अत्रिजाः बर्हिषदः) अत्रि के पुत्र 'बर्हिषद्' (दैत्यदानव-यक्षाणाम्) दैत्य, दानव, यक्षों के (गन्धर्व-उरग-रक्षसाम्) गन्धर्व, सर्प-नाग, राक्षसों के (च) ग्रीर (सुपर्णा-किन्नराणाम्) सुपर्ण और किन्नरों के (स्मृताः) पितर माने हैं ॥ १६६ ॥

सोमया नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः ।

वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥ १६७ ॥

(सोमपा नाम विप्राणाम्) 'सोमपा' नामक पितर ब्राह्मणों के हैं (हविर्भुजः क्षत्रियाणाम्) 'हविर्भुज' क्षत्रियों के (आज्यपा नाम वैश्यानाम्) 'आज्यपा' नामक वैश्यों के (सुकालिनः तु शूद्राणाम्) सुकाली शूद्रों के पितर हैं ॥ १६७ ॥

सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःसुताः ।

पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १६८ ॥

(सोमपाः तु कवेः पुत्राः) सोमपा कवि = भृगु के पुत्र हैं (हविष्मन्तः अङ्गिरःसुताः) हविर्भुज अङ्गिरस् के पुत्र हैं (पुलस्त्यस्य + आज्यपाः पुत्राः) पुलस्त्य के पुत्र आज्यपा हैं (वसिष्ठस्य सुकालिनः) वसिष्ठ के पुत्र सुकाली हैं ॥ १६८ ॥

अग्निदग्धमग्निदग्धान् काठ्यान् बर्हिषदस्तथा ।

अग्निष्वात्ताश्च सोम्याश्च विप्राणामेव निर्दिशेत् ॥ १६९ ॥

(अग्निदग्ध-अग्निदग्धान् काठ्यान् तथा बर्हिषदः) अग्निदग्ध, अग्निदग्ध, काठ्य तथा बर्हिषद् (च) ग्रीर (अग्निष्वात्तान् च सोम्यान्) अग्निष्वात्त ग्रीर सोम्य (विप्राणाम् + एव निर्दिशेत्) ब्राह्मणों के ही पितर माने गये हैं ॥ १६९ ॥

अनुशीलन : १६५-१६९ श्लोक-वर्णित पितरों के लक्षण एवं अर्थ ३।८२ श्लोक की समीक्षा में द्रष्टव्य हैं ।

य एते तु गणा मुख्याः पितॄणां परिकीर्तिताः ।

तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥ २०० ॥

(ये + एते पितॄणां मुख्याः गणाः परिकीर्तिताः) जो ये पितरों के मुख्य गण [३। १६५-१६९] कहे गये हैं (तेषाम् + अपि) उनके भी (पुत्रपौत्रमनन्तकम्) अनन्त पुत्र-पौत्रों की (इह विज्ञेयम्) इस संसार में पितर समझना चाहिए ॥ २०० ॥

ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ।

देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ २०१ ॥

१६

(ऋषिभ्यः पितरः जाताः) [मरीचि आदि३ । १६४] ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए हैं (पितृभ्यः देवमानवाः) पितरों से देवता और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं (तु) तथा (देवेभ्यः चरं स्थाणु सर्वं जगत् अनुपूर्वशः) देवताओं से चर-अचर सम्पूर्ण जगत् क्रमशः उत्पन्न हुआ है ॥ २०१ ॥

राजतैर्भाजनैरेषामथो वा राजतान्वितैः ।

वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥ २०२ ॥

(राजतैः अथो वा राजतान्वितैः भाजनैः) चांदी के अथवा चांदीमिश्रित अन्य धातुओं से बने बर्तनों से (एषां श्रद्धया दत्तं वारि + अपि) इन पितरों को श्रद्धापूर्वक दिया गया जल भी (अक्षयाय + उपकल्पते) अक्षय सुख प्रदान करने वाला होता है ॥ २०२ ॥

देवकर्म से पितृकर्म श्रेष्ठ—

देवकार्याद् द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते ।

दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम् ॥ २०३ ॥

(द्विजातीनाम्) द्विजों के लिए (देवकार्यात् पितृकार्यं विशिष्यते) देवताओं के उद्देश्य से किये गये यज्ञ आदि देवकर्म की तुलना में पितरों के उद्देश्य से किया गया श्राद्ध आदि कर्म विशेष माना गया है (हि) क्योंकि (दैवं पूर्वं पितृकार्यस्य) देवकर्म पहले किये जाने के कारण पितृकार्य = पितरश्राद्ध का (आप्यायनं श्रुतम्) पूरक माना गया है ॥ २०३ ॥

तेषामारक्षभूतं तु पूर्वं दैवं नियोजयेत् ।

रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम् ॥ २०४ ॥

(तेषाम् + आरक्षभूतं तु) उन पितरों की रक्षा करने वाला होने के कारण (पूर्वं दैवं नियोजयेत्) पहले देवकार्य के अनुष्ठान का आयोजन करे (हि) क्योंकि (आरक्ष-वर्जितं श्राद्धम्) देवकार्य द्वारा अरक्षित पितृश्राद्ध कार्य को (रक्षांसि विलुम्पन्ति) राक्षस नष्ट कर देते हैं ॥ २०४ ॥

देवकर्म और पितृश्राद्ध की विधियां—

देवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत् ।

पित्राद्यन्तं त्वीहमानः क्षिप्रं नश्यति सान्वयः ॥ २०५ ॥

(तत्) उस पितृश्राद्ध को (देवाद्यन्तम् ईहेत) देवकार्य के पश्चात् ही करे (तत्) उसे (पित्राद्यन्तं न भवेत्) कभी पितृश्राद्ध के बाद नहीं करना चाहिए (पित्राद्यन्तं तु + ईहमानः) पितृश्राद्ध के अन्त में देवकार्य को करने वाला व्यक्ति (सान्वयः क्षिप्रं नश्यति) ब्रह्मसहित शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ २०५ ॥

शुचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत् ।

दक्षिणाप्रवर्णं चैव प्रवर्त्तेनोपपादयेत् ॥ २०६ ॥

[पितृश्राद्ध करने के लिए] (शुचि च विविक्तं देशम्) स्वच्छ-पवित्र और एकान्त स्थान को (गोमयेन + उपलेपयेत्) गोबर से लिपवावे (च) और (प्रवर्त्तेन दक्षिणाप्रव-
णम् एव उपपादयेत्) प्रवर्त्तनपूर्वक उस स्थान को दक्षिण की ओर ढलवां रखता हुआ
बनावे ॥ २०६ ॥

अवकाशेषु खोलेषु नदीतीरेषु चैव हि ।

विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥

(अवकाशेषु) खुले = भीड़रहित (उद्वेषु) और जल के सेवन से पवित्र (च नदी-
तीरेषु एव हि) और नदीतट (च) तथा (विविक्तेषु) एकान्त स्थानों पर (दत्तेन) दिये
गये श्राद्ध से (पितरः सदा तुष्यन्ति) पितर सदा सन्तुष्ट होते हैं ॥ २०७ ॥

आसनेष्वपक्वप्लेषु बहिष्मत्सु पृथक्पृथक् ।

उपस्पृष्टौषकाम् सम्यग्निप्रास्तानुपवेशयेत् ॥ २०८ ॥

(पृथक्-पृथक् उपक्वप्लेषु बहिष्मत्सु आसनेषु) पूर्वोक्त स्थानों पर सबके लिए
अलग-अलग बिछाये कुशाद्यों से बने आसनों पर (उपस्पृष्ट-उदकान् तान् विप्रान्) जल
से स्पर्श हुए [हाथ-पैर धोने, स्नान करने आदि से] विद्वानों को (सम्यक्) सरकार
पूर्वक (उपवेशयेत्) बैठावे ॥ २०८ ॥

उपवेश्य तु तान्निप्रास्तान्निष्वङ्गुप्सितान् ।

गन्धमाल्यैः सुरभिर्भिरर्चयेद् देवपूर्वकम् ॥ २०९ ॥

(तु) और फिर (तान् अङ्गुप्सितान् विप्रान् आसनेषु उपवेश्य) उन अनिन्दित
सुपात्र विद्वान् ब्राह्मणों को आसनों पर बिठाकर (सुरभिभिः गन्धमाल्यैः) सुगन्धियों से
युक्त चन्दन, केसर आदि पदार्थों और मालाओं से (देवपूर्वकम् अर्चयेत्) देवकार्य में
निमग्नित ब्राह्मणों के साथ पूजन करे ॥ २०९ ॥

तेषामुपकमानीय सपवित्रास्तिलानपि ।

अग्नीं कुप्यादनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणः सह ॥ २१० ॥

(ब्राह्मणः) श्राद्ध करने वाला द्विज (तेषाम्) उन ब्राह्मणों के अर्घ्य के साथ
(उदकं सपवित्रान् तिलान् + अपि अग्नीय) जल, कुशाएँ और तिलों को लाकर या
एकत्र मिलाकर रखे (अनुज्ञातः) फिर उनसे आज्ञा पाकर (ब्राह्मणः सह अग्नीं कुप्यात्)
ब्राह्मणों के साथ बैठकर अग्नि में आहुति डाले—अग्निहोत्र करे ॥ २१० ॥

अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमावितः ।

हविर्दत्तेन विधिवत् पश्चात्सम्यग्दत्तिपत्नः ॥ २११ ॥

(आदितः) पहले (अग्नेः सोमयमाभ्यां च) अग्निदेवता, सोम और यमदेवता के
लिये (हविर्दत्तेन आप्यायनं कृत्वा) आहुति देकर और इस प्रकार उनकी तृप्ति करके

(पश्चात्) उसके बाद (विधिवत् पितॄन्) विधि के अनुसार पितरों को संतुष्ट करे ॥ २११ ॥

अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाशावेवोपपादयेत् ।

यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रमंत्रवर्तिनिवर्त्यते ॥ २१२ ॥

(अग्नि + अभावे तु) यदि अग्नि का अभाव हो तो (विप्रस्य पाशौ + एव + उपपादयेत्) विद्वान् ब्राह्मण के हाथ पर पूर्वोक्त तीन आहुतियाँ रख दे (हि) क्योंकि ('यः अग्निः सः द्विजः मन्त्रवर्तिभिः विप्रैः उच्यते') 'जो अग्नि है वह ब्राह्मण ही है' अर्थात् 'अग्निदेवता के समान ही ब्राह्मण पवित्र एवं आदरणीय है' ऐसा मन्त्रद्रष्टा महर्षियों ने कहा है ॥ २१२ ॥

अक्रोधानामुप्रसादाग्वदन्त्येतान्पुरातनान् ।

लोकस्याप्यायने युक्ताऽऽद्वाद्देवान्द्विजोत्तमान् ॥ २१३ ॥

[मन्त्रद्रष्टा ऋषि] (अक्रोधानाम् उपसादान् पुरातनान् लोकस्य आप्यायने युक्तान् एतान् द्विजोत्तमान्) क्रोधरहित, प्रसन्नमुख, पुरातन या सर्वोच्च, संसार की उन्नति में संलग्न रहने वाले इन ब्राह्मणों को (आद्वाद्देवान् वदन्ति) 'आद्वा क देवता' कहते हैं ॥ २१३ ॥

अपसव्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम् ।

अपसव्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि ॥ २१४ ॥

(अग्नौ कृत्वा) पूर्वोक्त प्रकार अग्नि में आहुति देकर (विक्रमं सर्वम् अपसव्यम् आवृत्य) क्रमशः सब आद्वा के पदार्थों को दक्षिण भाग में सम्भालकर रखके (अपसव्येन हस्तेन) दाहिने हाथ से (भुवि उदकं निर्वपेद्) पिण्डदान रखने की भूमि पर जल छिड़के ॥ २१४ ॥

त्रींस्तु तस्माद्भुविः शेषात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः ।

औदकेनैव विधिना निर्वपेद्दक्षिणामुलः ॥ २१५ ॥

(तस्मात् + हविः शेषात्) उस हवन से बचे हुए भोज्य पदार्थ से (त्रीन् तु पिण्डान् कृत्वा) तीन पिण्ड बनाकर (समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (दक्षिणामुलः) दक्षिण की ओर मुख करके (औदकेन विधिना एव निर्वपेद्) जल छिड़कने की विधि के अनुसार [३। २१४] ही भूमि पर [कुशाग्रों पर] रख दे ॥ २१५ ॥

न्युप्य पिण्डांस्ततस्तस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् ।

तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृश्यात्लेपमाग्निनाम् ॥ २१६ ॥

(प्रयतः विधिपूर्वकं तान् पिण्डान् न्युप्य) सावधान हो विधिपूर्वक उन पिण्डों को कुशाग्रों पर रखकर (ततः) उसके बाद (लेपमाग्निनां तं हस्तं तेषु दर्भेषु निमृश्यात्)

हाथ में लगे अन्न को पितरों का भाग मानकर अपने हाथ को उन पिण्ड वाली कुशाओं से पोछे दे ॥ २१६ ॥

आचम्योदकपरावृत्य त्रिरायम्य शनैरसून् ।

षड्ऋतूँश्च नमस्कुर्व्यात्पितृभ्यश्च मन्त्रवत् ॥ २१७ ॥

फिर यजमान (उदक् परावृत्य) उत्तर की ओर मुख करके (आचम्य) आचमन करके (शनैः + असून् त्रिः + आयम्य) धीरे-धीरे प्राणों को तीन बार नियन्त्रित करके अर्थात् तीन प्राणायाम करके (षड्ऋतून्) वसन्त आदि छह ऋतुओं को (च) और (पितृन्) पितरों को (मन्त्रवत् नमस्कुर्व्यात्) मन्त्रपूर्वक ["ओं नमो वः पितरो रसाय" यजुः २।३२] नमस्कार करे ॥ २१७ ॥

उदकं नितयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः ।

अवजिघ्रेश्व तान्पिण्डान्धनान्युत्ताप्तमाहितः ॥ २१८ ॥

(पुनः) फिर (शेषम् उदकम्) लाकर रखे उस [३।२१०] जल से शेष बचे जल को (पिण्डान्तिके शनैः नितयेत्) पिण्डों के समीप धीरे से डाल देवे (च) और फिर (समाहित) एकाग्र होकर (यथाम्बुदान् तान् पिण्डान् अवजिघ्रेश्व) जिस क्रम से वे पिण्ड रखे गये थे उसी क्रम से उन पिण्डों को सूंघे ॥ २१८ ॥

पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूर्वशः ।

तेनैव विप्रानासीनान्विधिवत्पूर्वमाशयेत् ॥ २१९ ॥

(अनुपूर्वशः) क्रमशः (पिण्डेभ्यः + तु + अल्पिकां मात्रां समादाय) सभी पिण्डों से थोड़ा-थोड़ा भाग लेकर (आसीनान् विप्रान्) बैठे हुए ब्राह्मणों को (विधिवत् पूर्व तेन + एव आशयेत्) विधिपूर्वक पहले उसी भाग से भोज्य भाग खिलावे ॥ २१९ ॥

अग्र्यमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निबंयेत् ।

विप्रबद्धाऽपि तं आह्वे स्वकं पितरमाशयेत् ॥ २२० ॥

(पितरि अग्र्यमाणे तु) पिता के जीवित होते हुए (पूर्वेषाम् + एव निबंयेत्) पूर्वज दादा-पड़दादा आदि का आह्व करे (अपि वा) अथवा (तं स्वकं पितरम्) उस अपने जीवित पितर को भी यदि आह्व में निमन्त्रित करना चाहे तो (विप्रवत् आशयेत्) निमन्त्रित ब्राह्मणों के समान बुलाकर भोजन करावे ॥ २२० ॥

पिता यद्य निवृत्तः स्याज्जीवेष्वापि पितामहः ।

पितुः स नाम सङ्कीर्त्य कीर्तयेत्प्रपितामहम् ॥ २२१ ॥

(यस्य पिता निवृत्तः स्यात्) जिसका पिता मर गया हो (च) और (पितामहः अपि जीवेत्) दादा अभी जीवित हो (सः) वह आह्वदाता (पितुः नाम संकीर्त्य) पहले पिता के नाम पिण्डदान देकर (प्रपितामहं कीर्तयेत्) फिर पड़दादा के नाम पिण्डदान करे ॥ २२१ ॥

पितामहो वा तच्छ्राद्धं भुञ्जीतेत्यब्रवीन्मनुः ।

कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥ २२२ ॥

(वा) अथवा ('पितामहः तत् श्राद्धं भुञ्जीत' इति मनुः अब्रवीत्) 'दादा ही उस श्राद्ध के अन्न को खाये' ऐसा मनु ने विधान किया है (वा) अथवा (समनुज्ञातः) दादा से आज्ञा पाकर (स्वयम् + एव कामं समाचरेत्) श्राद्धदाता पौत्र यजमान स्वयं इच्छानुसार श्राद्ध का भोजन करने वालों को चुनले ॥ २२२ ॥

तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम् ।

तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत् स्पर्ध्वामस्तिवति ब्रुवन् ॥ २२३ ॥

(तेषां हस्तेषु तु सपवित्रं तिल + उदकं दत्त्वा) उन ब्राह्मणों के हाथों में कुशाग्री सहित तिलमिश्रित जल देकर ('एषां स्वधा अस्तु' इति ब्रुवन्) 'इनके लिए यह कल्याणकारी हो' ऐसा कहते हुये [अर्थात् 'इदं पित्रे स्वधा अस्तु' कहकर पिता के लिये, 'इदं पितामहाय स्वधा अस्तु' कहकर दादा के लिये] (तत् पिण्डाग्रं प्रयच्छेत्) वह निकाला हुआ पिण्ड का भाग [३।२१६] ब्राह्मणों को प्रदान करे ॥ २२३ ॥

पाणिभ्यां तूपसङ्गुह्य स्वयमन्नस्य वर्धितम् ।

विप्रान्तिके पितृन्ध्यायञ्छनकैरुपनिक्षिपेत् ॥ २२४ ॥

फिर श्राद्धकर्त्ता (अन्नस्य वर्धितम्) अन्न के भरे पात्र को [स्वयं पाणिभ्याम् उपसङ्गुह्य] स्वयं अपने हाथों से पकड़कर (पितृन् ध्यायन्) पितरों का मन ही मन ध्यान करते हुये (विप्रान्तिके) ब्राह्मणों के सामने (शनकैः + उपनिक्षिपेत्) धीरे से परोसे या रख दे ॥ २२४ ॥

उभयोर्हस्तयोर्मुक्तं यवन्नमुपनीयते ।

तद्विप्रलुम्पन्त्यमुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ २२५ ॥

(उभयोः हस्तयोः मुक्तम्) दोनों हाथों से रहित अर्थात् एक ही हाथ से (यत् + अन्नम् + उपनीयते) जो भोज्यान्न ब्राह्मणों के सामने रखा या दिया जाता है (तत्) उस अन्न को (दुष्टचेतसः अमुरा सहसा प्रलुम्पन्ति) दुष्ट मन वाले राक्षस अचानक छीन लेते हैं अर्थात् वह भोज्यान्न पितरों के पास नहीं पहुँचता, अतः एक हाथ से भोजन नहीं देना चाहिए ॥ २२५ ॥

गुणान् च सूपशाकाद्यान् पयो दधि घृतं मधु ।

विभ्यसेत् प्रयतः पूर्वं भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥

मध्वं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च ।

हृद्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥ २२७ ॥

(पूर्वम्) पहले (समाहितः प्रयतः) सावधान होकर उमंग के साथ (सूप-शाक + आद्यान् पयः दधि घृतं मधुः गुणान्) दाल-शाक आदि, दूध, घी, शहद आदि गुणकारी

व्यञ्जनों को (विविधं भक्षणं च भोज्यम्) विविध भक्ष्यपदार्थ-लङ्गू आदि भोज्य-खीर आदि (मूलानि च फलानि) मूली, जिमीकंद आदि मूल, आम आदि फल (च) और (द्वयानि मांसानि) दिल को रुचिकर लगने वाले मांस (सुरभीणि च पानानि) तथा सुगन्धित पेय पदार्थ (भूमौ+एव विन्यसेत्) सामने भूमि पर [उनके पात्रों को] रख दे ॥ २२६, २२७ ॥

उपनीय तु तत्सर्वं शनकैः सुसमाहितः ।

परिवेषयेत् प्रयतो गुणान् सर्वान् प्रबोदयन् ॥ २२८ ॥

(तत् सर्वम् उपनीय) उस उपयुक्त सब भोज्य सामग्री को पास लाकर (सुस-
माहितः) सावधानी के साथ (प्रयतः) प्रसन्नतापूर्वक (सर्वान् गुणान् प्रबोदयन्) उनके
गुणों को—विशयताओं को कहते हुए (शनकैः परिवेषयेत्) धीरे-धीरे परोसे ॥ २२८ ॥

नास्त्रमापातयेज्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत् ।

न पादेन स्पृशेन्ननं न चैतद्वधूतयेत् ॥ २२९ ॥

भोजन परोसते समय (जातु) कभी भी (न+अस्त्रम्+आपातयेत्) आंसू न
गिरावे अर्थात् रोये नहीं (न कुप्येत्) न क्रोध करे (न+अनृतं वदेत्) न झूठ बोले
(पादेन अन्नं न स्पृशेत्) पैर से भोज्यान्न या किसी अन्नपात्र को न छुये (न च+
एतत्+वधूतयेत्) और न कभी अन्न को पात्र में उछालकर डाले ॥ २२९ ॥

अन्नं भगवति प्रेतान् कोपोऽरीमनुत् शुनः ।

पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीन्वधूतनम् ॥ २३० ॥

उस समय (अन्नं प्रेतान् भगवति) आंसू गिराना उस भोज्यान्न को भूत-प्रेतों
के पास पहुँचा देता है (कोपः+अरीन्) क्रोध करना शत्रुओं के पास (अनृतं शुनः) झूठ
बोलना कुत्तों के पास (पादस्पर्शः तु रक्षांसि) पैरों से स्पर्श करना राक्षसों के पास
(वधूतनं दुष्कृतीन्) उछालना पापियों के पास आदि के अन्न को पहुँचा देता है, अतः
ये क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए ॥ २३० ॥

यद्यप्योचेत् विप्रैर्भ्यस्तत्तद्वदद्यादमत्सरः ।

ब्रह्मोद्याच्च कथाः कुर्यात् पितृणामेतदीप्सितम् ॥ २३१ ॥

(विप्रैर्भ्यः यत्+यत् रोचेत्) ब्राह्मणों को जो-जो वस्तु रुचिकर लगे (तत्+
तत् अमत्सरः दद्यात्) यजमान उस-उस वस्तु को दुःखरहित होकर दे दे (च) तथा
(ब्रह्मोद्याच्च कथाः कुर्यात्) परमात्मसम्बन्धी बर्चाएँ—कथाएँ करे (एतत् पितृणाम् ईप्सि-
तम्) यह सब पितरों को अर्पणा लगता है ॥ २३१ ॥

स्वाध्यायं आचयेत्पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आख्यातानीतिहासाश्च पुराणानि सितानि च ॥ २३२ ॥

(पित्र्ये) पितरआदि में (स्वाध्यायं च धर्मशास्त्राणि) वेद और धर्मशास्त्रों को

(प्राक्यानानि + इतिहासान् पुराणानि च खिलानि श्रावयेत्) कथाग्रों, इतिहास, पुराणों तथा खिलनूक्तों [शिवसंकल्प, श्रीसूक्त आदि] को सुनाये अर्थात् सुनाने की व्यवस्था करे ॥ २३२ ॥

हर्षयेद् ब्राह्मणान्स्तुष्टो भोजयेच्च शनैः शनैः ।
अग्नाद्येनासकृच्छैतान् गुणैश्च परिचोदयेत् ॥ २३३ ॥

(तुष्टः ब्राह्मणान् हर्षयेत्) स्वयं प्रसन्न होता हुआ ब्राह्मणों को भी प्रसन्न करे (च) और (शनैः शनैः भोजयेत्) धीरे-धीरे शान्तिपूर्वक खिलावे अर्थात् उतावला-पन या शोषता न करे (अग्नाद्येन च गुणैः) भोज्यान्न के नाम से और उसके गुणों को कहकर (एतान् प्रसकृत् परिचोदयेत्) इन ब्राह्मणों से बार-बार आग्रह करे ॥ २३३ ॥

व्रतस्यमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत् ।
कुतपं चासने दद्यात्तिलं च विकिरेन्महीम् ॥ २३४ ॥

(व्रतस्यम् + अपि दौहित्रम्) यदि ब्रह्मचारी हो तो देवते को भी (यत्नेन श्राद्धे भोजयेत्) यत्नपूर्वक श्राद्ध में जिमावे (च) और (आसने कुतपं दद्यात्) बैठने के लिए नेपाली कंबल दे (च) तथा (महीं तिलः विकिरेत्) उस स्थान पर तिल बिखेर दे ॥ २३४ ॥

त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः ।
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम् ॥ २३५ ॥

(श्राद्धे) श्राद्ध कर्म में (दौहित्रः कुतपः तिलाः त्रीणि पवित्राणि) देवता, नेपाली कंबल और तिल, ये तीन पवित्र माने हैं (च) और (अत्र) इस श्राद्ध में ('शौचम् + अक्रोधम् + अत्वराम्' त्रीणि प्रशंसन्ति) पवित्रता रखना, क्रोध न करना, जल्दबाजी न करना, इन तीन बातों की प्रशंसा होती है ॥ २३५ ॥

अत्युष्णं सर्वंभक्ष्यं स्याद् भुञ्जीरंस्ते च वाग्यताः ।
न च द्विजातयो ब्रूयुर्वात्रा पृष्टा हविर्गुणान् ॥ २३६ ॥

(सर्वम् + भक्ष्यम् अत्युष्णं स्यात्) सब भोज्यान्न अत्यन्त गर्म हों (च) और (ते वाग्यताः भुञ्जीरन्) वे ब्राह्मण मौन होकर भोजन करें (द्विजातयः) खाने वाले ब्राह्मण (वात्रा पृष्टा) श्राद्धदाता के पृष्ठने पर भी (हविर्गुणान् न ब्रूयुः) भोज्यान्न के गुणों का वर्णन न करें ॥ २३६ ॥

पितरों को कौनसा अन्न प्राप्त नहीं होता—

यावदुष्णं भक्ष्यमन्नं यावदन्नमि वाग्यताः ।
पितरस्तावदन्नमि यावन्नीस्ता हविर्गुणाः ॥ २३७ ॥

(यावत् अन्नम् उष्णं भवेति) जब तक अन्न गर्म होता है (यावत् वाग्यताः अन्नमि) जब तक ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं (यावत् हविर्गुणाः न + उक्ता) जब

तक [खाने वालों के द्वारा] अन्न के गुणों का वर्णन नहीं किया जाता (पितरः तावत् अन्नन्ति) पितर लोग तभी तक अन्न को खाते हैं, अन्यथा वह अन्न पितरों के पास नहीं पहुँचता ॥ २३७ ॥

यदेष्टितशिरा भुङ्क्ते तद्भुङ्क्ते बक्षिणामुखः ।

सोपानत्कश्च यद् भुङ्क्ते तद् रक्षसि भुञ्जते ॥ २३८ ॥

(यत् वेष्टितशिरा भुङ्क्ते) जो शिर पर पगड़ी आदि बाँधकर भोजन करता है (यत् दक्षिणामुखः भुङ्क्ते) जो श्राद्ध के भोजन को दक्षिण की ओर मुख करके खाता है (यत् सोपानत्कः भुङ्क्ते) जो जूतों सहित भोजन करता है (तत् रक्षसि भुञ्जते) उस अन्न को निश्चय से राक्षस खाते हैं अर्थात् वह पितरों के पास नहीं पहुँचता ॥ २३८ ॥

श्राद्ध जिमाने समय सावधानियाँ—

चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च ।

रजस्वला च षण्ढश्च नैकेरन्मज्जतो द्विजान् ॥ २३९ ॥

(चाण्डालः वराहः कुक्कुटः श्वा रजस्वला च षण्डः) चाण्डाल, सूअर, मुर्गा, रजस्वला स्त्री और नपुंसक (अश्वतः द्विजान् न + ईक्षेरन्) खाते हुए ब्राह्मणों को न देखें या देख पायें ॥ २३९ ॥

होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिधीयते ।

देवे कर्मणि पित्र्ये वा तद् गच्छत्ययथातथम् ॥ २४० ॥

(देवे कर्मणि वा पित्र्ये) देवकर्म अथवा श्राद्धकर्म में (होमे प्रदाने च भोज्ये) हवन करने में, दान देने में और श्राद्ध खिलाने में (यत् + एभिः + अभिधीयते) जो वस्तु इनके द्वारा देख ली जाती है (तत् + अयथातथं गच्छति) वह वस्तु फलहीन हो जाती है, वृथा जाती है ॥ २४० ॥

घ्राणेन सूकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः ।

श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शमावरणवर्णजः ॥ २४१ ॥

(सूकरः घ्राणेन) सूअर सूंघने से (कुक्कुटः पक्षवातेन) मुर्गा पंखों की हवा से (श्वा दृष्टिनिपातेन) कुत्ता देखने से (अवरणवर्णजः स्पर्शेन) निम्नवर्ण में उत्पन्न घृष्ट स्पर्श करने से (हन्ति) श्राद्ध की वस्तु को फलहीन कर देता है ॥ २४१ ॥

खञ्जो वा यदि वा काणो दातुः प्रेथ्योऽपि वा भवेत् ।

हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत् पुनः ॥ २४२ ॥

(खञ्जः) लंगड़ा (यदि वा काणः) अथवा यदि कोई काणा व्यक्ति (दातुः प्रेथ्यः + अपि भवेत्) चाहे कोई श्राद्धदाता का नौकर हो (वा) अथवा (हीन-अतिरिक्त-गात्रः) छोटे या बड़े अथवा कम या अधिक अङ्गों वाला व्यक्ति श्राद्ध पर आ जाये तो (पुनः तम् + अपि + अपनयेत्) उसे भी वहाँ से दूर हटादे ॥ २४२ ॥

ब्राह्मणं भिक्षुकं वाऽपि भोजनार्थमुपस्थितम् ।

ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः शक्तिः प्रतिपूजयेत् ॥ २४३ ॥

(भोजनार्थम् + उपस्थितं ब्राह्मणं वा भिक्षुकम् अपि) भोजन की इच्छा से आये हुए किसी अन्य ब्राह्मण और भिक्षारी का भी (ब्राह्मणः + अभ्यनुज्ञातः) श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मणों की अनुमति लेकर (शक्तितः प्रतिपूजयेत्) यथाशक्ति सत्कार कर दे ॥ २४३ ॥

श्राद्ध में अन्य भाग—

सार्वर्णिकमन्नाद्यं सन्नीयाप्लाव्य वारिणा ।

समुत्सृजेद् भुक्तवतामग्रतो विकिरन् भुवि ॥ २४४ ॥

(सार्वर्णिकम् + अन्नाद्यम्) सब प्रकार के भोज्यान्न को (सन्नीय) लेकर (वारिणा आप्लाव्य) पानी से सानकर या उस पर पानी के छीटे देकर (भुक्तवताम् + अग्रतः) भोजन कर चुके ब्राह्मणों के सामने (भुवि विकिरन्) धरती पर बिखेरता हुआ (समुत्सृजेत्) छोड़ देवे ॥ २४४ ॥

असंस्कृतप्रतीतानां त्याग्निनां कुलघोषिताम् ।

उच्छिष्टं भागधेयं स्याद्द्वेषु विकिरिष्य यः ॥ २४५ ॥

(यः द्वेषु विकिरिः उच्छिष्टम्) जो कुशासनों पर बिखेरा गया है वह जूठा अन्न (असंस्कृतप्रतीतानाम्) भरने पर जिन बर्त्तों का अग्निसंस्कार नहीं किया [५ । ६६] उन बालकों का तथा (कुलघोषितां त्याग्निनाम्) कुलस्त्रियों का त्याग करने वालों का (भागधेयं) भाग होता है ॥ २४५ ॥

उच्छेष्टां भूमिगतमजिह्वास्याशठस्य च ।

दासवर्गस्य तत्पित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥

(पित्र्ये) पितृश्राद्ध में (भूमिगतम् उच्छेष्टम्) भूमि पर गिरा हुआ झूठा अन्न (अजिह्वास्य च अशठस्य दासवर्गस्य) कुटिलतारहित और घूर्ततारहित दासवर्ग का (भागधेयं प्रचक्षते) भाग कहा जाता है ॥ २४६ ॥

पिण्डदान-सम्बन्धी विधान—

आसपिण्डक्रियाकर्म द्विजातेः संस्थितस्य तु ।

अद्वैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ २४७ ॥

(आसपिण्डक्रिया संस्थितस्य तु द्विजातेः) सपिंडीकरण क्रिया पर्यन्त मरे हुये द्विजाति का तो (अद्वैवं श्राद्धं भोजयेत्) देवकर्म के ब्राह्मणों से रहित श्राद्ध करना चाहिये (तु) और (एकं पिण्डं निर्वपेत्) केवल एक ही पिण्डदान करे ॥ २४७ ॥

सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः ।

अनयैवावृता कार्यं पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥ २४८ ॥

(धर्मतः) धर्मानुसार (अस्य) इस व्यक्ति की (सहपिण्डक्रियायां कृतायां तु) सहपिण्डिकरण क्रिया करने पर तो (सुतैः) पुत्रों को चाहिए कि वे (अनया + एव + आवृता) इसी सम्पूर्ण रीति के अनुसार (पिण्डनिर्दिष्टं कार्यम्) पिण्डदान करें ॥ २४८ ॥

श्राद्ध भोजन के बाद की विधियाँ—

श्राद्धं भुक्त्वा य उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति ।

स मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्शिराः ॥ २४९ ॥

(यः) जो ब्राह्मण (श्राद्धं भुक्त्वा) श्राद्ध में जीमकर (उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति) झूठा भोजन शूद्र को देता है (सः मूढः) वह मूर्ख व्यक्ति (मवाक्शिराः) नीचे शिर किये हुए (कालसूत्रं नरकं याति) कालसूत्र नामक नरक में जाता है ॥ २४९ ॥

श्राद्धभुक् वृषलीतल्पं तदहर्द्योऽधिगच्छति ।

तस्याः पुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० ॥

(श्राद्धभुक् यः) श्राद्ध में भोजन करने वाला जो व्यक्ति (तत् + ग्रहः वृषली-तल्पम् अधिगच्छति) उस दिन शूद्रा स्त्री के साथ रमण करता है तो (तस्य पितरः) उसके पितर (तस्याः पुरीषे) उस शूद्रा की विष्टा में (तत् मासं शेरते) एक मास तक सोते हैं ॥ २५० ॥

पृष्ट्वा स्वदितमित्येवं तृप्तान्माचामयेत्ततः ।

प्राचान्तांश्चानुजानीयादमि भो रम्यतामिति ॥ २५१ ॥

भोजन कर चुकने पर (स्वदितम् + इति पृष्ट्वा) 'आप लोगों ने स्वादपूर्वक भोजन कर लिया है न' ? इस प्रकार पूछकर (ततः) उसके बाद (तृप्तान् + प्राचामयेत्) तृप्त हुए उन ब्राह्मणों को आचमन करावे (च) और (प्राचान्तान्) आचमन कर चुकने पर (भो अभिरम्यताम् + इति अनुजानीयात्) 'यहाँ आप आराम कीजिये' ऐसा कहे ॥ २५१ ॥

स्वधाऽस्तिवत्येव तं ब्रूयाद्वाह्यास्तदन्तरम् ।

स्वधाकारः परा ह्याशीः सर्वेषु पितृकर्मसु ॥ २५२ ॥

(तत् + अन्तरम्) भोजन कर चुकने के पश्चात् (ब्राह्मणाः तं 'स्वधा अस्तु' इति ब्रूयुः) ब्राह्मण लोग उस यजमान को 'स्वधा अस्तु' यह कहकर आशीर्वाद दें (हि) क्योंकि (सर्वेषु पितृकर्मसु) सब पितृकर्मों में (स्वधाकारः परा आशीः) स्वधा कहना सबसे उत्तम आशीर्वाद है ॥ २५२ ॥

ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत् ।

यथा ब्रूयस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विजैः ॥ २५३ ॥

(तेषां भुक्तवताम्) उन ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर (ततः) उसके बाद

(अग्नशेषं निवेदयेत्) आहु के शेष अग्न के बारे में उनसे निवेदन करे (ततः) तब (द्विजै अनुज्ञातः) ब्राह्मणों से आज्ञा पाकर (यथा ब्रूयुः) जैसा वे कहें (तथा कुर्यात्) तदनुसार करे ॥ २५३ ॥

पित्र्ये स्वदितमित्येव वाक्यं गोष्ठे तु सुश्रुतम् ।

सम्पन्नमित्यभ्युदये दैवे रचितमित्यपि ॥ २५४ ॥

यजमान को (पित्र्ये) पितृआहु में (स्वदितम् + इति + एव वाक्यम्) 'क्या आपने स्वादपूर्वक भोजन कर लिया?' यह पूछना चाहिए (गोष्ठे तु सुश्रुतम्) गोष्ठी आहु में 'सुश्रुतम्' (अभ्युदये सम्पन्नम् इति) आभ्युदयिक आहु में 'सम्पन्नम्' (दैवे 'रचितम्' इति + अपि) दैवआहु में 'रचितम्' यह कहकर पूछना चाहिये ॥ २५४ ॥

अपराह्णस्तथा दर्भा वास्तुसंसादनं तिजाः ।

सृष्टिर्दृष्टिर्द्विजाग्रघाः आहुकर्मसु संपदः ॥ २५५ ॥

(अपराह्णः दर्भाः वास्तुसंसादनं तथा तिजाः) दोपहर के पश्चात् का समय, कुशाएँ, घर की स्वच्छता तथा तिल, (सृष्टिः) दान देना, (दृष्टिः) [अग्नादि का विशेष विधि से] संस्कार (च) और (द्विजाग्रघाः) श्रेष्ठ ब्राह्मण, (आहुकर्मसु संपदः) आहु कर्मों में ये संपत्तियाँ हैं ॥ २५५ ॥

दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्णे हविष्याणि च सर्वशः ।

पवित्रं यच्च पूर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसम्पदः ॥ २५६ ॥

(दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्णे सर्वशः च हविष्याणि) कुशाएँ, मन्त्र, दोपहर से पूर्व का समय और सब हवियाँ (यत् च पवित्रं पूर्वोक्तम्) और जो पहले श्लोक में पवित्र बातें कही हैं (हव्यसंपदः विज्ञेयाः) इन्हें देवकर्म की संपत्ति समझना चाहिए ॥ २५६ ॥

मुग्धन्तानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम् ।

अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥

(मुग्धन्तानि) मुनियों के अग्न [नीवार आदि] (पयः सोमः) दूध, सोमलता का रस (च यत् अनुपस्कृतं मांसम्) और जो दुग्धं तथा विकार से रहित मांस है वह (च) तथा (अक्षारलवणम्) सेंधा नमक (प्रकृत्या हविः + उच्यते) ये वस्तुएँ स्वभाव से हवि के योग्य मानी गई हैं ॥ २५७ ॥

विसृज्य ब्राह्मणास्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः ।

दक्षिणां दिशामाकाङ्क्षन् याचेतेमान्वराप्सितुन् ॥ २५८ ॥

(तान् तु ब्राह्मणान् विसृज्य) उन आहु में निमन्त्रित ब्राह्मणों को विदा करके (नियतः वाग्यतः शुचिः) एकाग्रचित्त, मीन और पवित्र होकर (दक्षिणां दिशाम् + आकाङ्क्षन्) दक्षिण दिशा की ओर मुख करके (पितुन् इमान् वरान् याचेत) पितरों से इन वरों को मागे ॥ २५८ ॥

दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च ।

श्रद्धा च नो मा व्यगमद्बहुदेयं च नोऽस्तिवति ॥ २५६ ॥

(नः) हमारे वंश में (दातारः वेदाः च संततिः एव अभिवर्धन्ताम्) दानी, वेदों का अध्ययन-अध्यापन तथा संतान इनकी सदा वृद्धि हो (च) और (नः श्रद्धा) हमारी श्रद्धा-भावना (मा व्यगमत्) कभी नष्ट न हो (च) और (नः बहुदेयम् अस्तु + इति) 'हमारे घर में दान देने के लिए बहुत धन-धान्य हो' इस प्रकार वर मांगे ॥ २५६ ॥

एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम् ।

गां विप्रमज्जग्निं वा प्राशयेदप्सु वा क्षिपेत् ॥ २६० ॥

(एवं निर्वपणं कृत्वा) इस प्रकार पिण्डदान करके (तत् + अनन्तरम्) उसके बाद (तान् पिण्डान्) उन दान किये पिण्डों को (गां विप्रं वा अजम्) गौ, ब्राह्मण या बकरे को (प्राशयेत्) खिला दे (वा) अथवा (अग्निं वा अप्सु क्षिपेत्) अग्नि या जल में फेंक दे ॥ २६० ॥

पिण्डनिर्वपणं केचित्परस्तादेव कुर्वते ।

वयोभिः खादयन्त्यग्रे प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्सु वा ॥ २६१ ॥

(केचित्) कोई विद्वान् (परस्तात् + एव पिण्डनिर्वपणं कुर्वते) ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात् ही पिण्डों को फेंकने का विधान करते हैं (अग्रे वयोभिः खादयन्ति) दूसरे कुछ विद्वान् पक्षियों को खिलाने को कहते हैं (अनले वा अप्सु प्रक्षिपन्ति) कुछ आग या पानी में फेंकने का विधान करते हैं ॥ २६१ ॥

पतिव्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा ।

मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात् सम्यक्सुताधिनी ॥ २६२ ॥

(पितृपूजनतत्परा सुताधिनी पतिव्रता धर्मपत्नी) पितरों के पूजन में तत्पर, पुत्र की इच्छा करने वाली पतिव्रता धर्मपत्नी (ततः मध्यमं तु पिण्डं सम्यक् अद्यात्) उनमें से बीच के पिण्ड को श्रद्धापूर्वक लाये ॥ २६२ ॥

आयुष्मन्तं सुतं भूते यशोमेधासमन्वितम् ।

धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं धार्मिकं तथा ॥ २६३ ॥

वह पिण्ड का भोजन करने वाली स्त्री (आयुष्मन्तम्) आयुष्मान् (यशो मेधासमन्वितम्) यश और बुद्धि से युक्त (धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं तथा धार्मिकं सुतं सूते) धनवान्, संतानवान् सात्त्विक तथा धार्मिक पुत्र को जन्म देती है ॥ २६३ ॥

प्रक्षाल्य हस्तावाचम्यं ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत् ।

ज्ञातिभ्यः सत्कृतं वस्त्रा वाग्धवानपि भोजयेत् ॥ २६४ ॥

फिर (हस्तौ प्रक्षाल्य) दोनों हाथ धोकर (आचम्य) आचमन करके (ज्ञातिप्रायं

प्रकल्पयेत्) जातिवालों को भोजन करावे (जातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा) जातिवालों को सत्कारपूर्वक अन्न देकर (बान्धवान् + अपि भोजयेत्) अपने भाई तथा रिश्तेदारों को भी भोजन करावे ॥ २६४ ॥

उच्छेषणं तु यत्तिष्ठेद्यावद्विप्रा विसर्जिताः ।

ततो गृहर्बलिं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥

(यावत् विप्राः विसर्जिताः) जब तक निमन्त्रित ब्राह्मण विदा न हो जायें (तावत् उच्छेषणं तु तिष्ठेत्) तब तक उनसे बचा हुआ भोजन ज्यों का त्यों रखा रहने दे (ततः गृहर्बलिं कुर्यात्) उसके बाद बलिवेश्वदेव करे तथा अन्य घर आदि के व्यक्तियों को भोजन करावे ॥ २६५ ॥

हविर्यक्षिररात्राय यश्चानन्त्याय कल्प्यते ।

पितृभ्यो विधिवद्दत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २६६ ॥

(पितृभ्यः विधिवद् दत्तं हविः) पितरों के लिए विधिपूर्वक दी गई हवि (यत् क्षिररात्राय) जो बहुत काल तक के लिए फलदायक रहती है और (यत् आनन्त्याय कल्प्यते) जो अनन्त तृप्ति के लिए होती है (तत्) उसे (अशेषतः प्रवक्ष्यामि) पूर्णरूप से कहता हूँ—॥ २६६ ॥

पितरों की तृप्तिदायक अन्न एवं मांस और तृप्ति की अवधि—

तिलैर्ब्रीहियवैर्माषैरक्षिभूतफलैश्च वा ।

वस्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नृणाम् ॥ २६७ ॥

(नृणां पितरः) मनुष्यों के पितर (तिलैः ब्रीहियवैः माषैः + अक्षिभः वा भूत-फलैश्च विधिवद् दत्तेन) तिल, चावल, जौ, उड़द, जल और कन्दमूल, फलों को विधि-पूर्वक देने से (मासं तृप्यन्ति) एक मास तक तृप्त रहते हैं ॥ २६७ ॥

द्वौ मासौ मत्स्यमासेन त्रीन्मासान्हारिणेन तु ।

श्रीरभ्रेण चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वै ॥ २६८ ॥

पितर (मत्स्यमासेन द्वौ मासौ) मछली के मांस से दो महीने तक (हारिणेन तु त्रीन् मासान्) हिरण के मांस से तीन मास तक (अथ श्रीरभ्रेण चतुरः) और भेड़ के मांस से चार मास तक (अथ) तथा (शाकुनेन वै पञ्च) पक्षियों के मांस से पांच महीने तक तृप्त रहते हैं ॥ २६८ ॥

षण्मासाश्छागमासेन पार्वतेन च सप्त वै ।

अष्टावैरास्य मासेन रौरवेण नवैव तु ॥ २६९ ॥

(छागमासेन षण्मासान्) बकरी के मांस से छह महीने (च) और (पार्वतेन सप्त) चित्रमृग के मांस से सात महीने (एरास्य मासेन अष्टौ) काले मृग के मांस से

आठ महीने तक (रोरवेण नव एव तु) रुख नामक मृग के मांस से नौ महीने तक पितर तृप्त रहते हैं ॥ २६६ ॥

दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषः ।

शशकर्मयोस्तु मासेन मासानेकादशेन तु ॥ २७० ॥

(वराह-महिष-प्रामिषः दशमासांस्तु तृप्यन्ति) सूअर और भैंसे के मांस से दस मास तक पितर तृप्त रहते हैं (शशकर्मयोः मासेन एकादश मासान् एव) खरगोश और कछुए के मांस से ग्यारह मास तक पितर तृप्त रहते हैं ॥ २७० ॥

संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च ।

वाध्रीणसस्य मासेन तृप्तिर्द्वादशवारिकी ॥ २७१ ॥

(गव्येन पयसा च पायसेन संवत्सरं तु) गौ के दूध और उसकी खीर से एक वर्ष तक (वाध्रीणसस्य मासेन) और वाध्रीणस बकरे के मांस से (द्वादशवारिकी तृप्तिः) बारह वर्ष तक पितरों की तृप्ति मानी है ॥ २७१ ॥ ❧

कालशाकं महाशल्काः खड्गलोहामिषं मधु ।

आनन्त्याययं कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः ॥ २७२ ॥

(कालशाकं महाशल्काः खड्ग-लोह-प्रामिषम्) कालशाक नामक शाकविशेष, कांटेदार मछली या काले बघुए का शाक, गेंडा, लाल बकरे का मांस (मधु) शहद (च) और (सर्वशः मुन्यन्नानि) सब प्रकार के मुनि-अन्नों से (आनन्त्यायय + एव कल्प्यन्ते) अनन्त काल तक पितर तृप्त रहते हैं ॥ २७२ ॥

यस्किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात् त्रयोदशीम् ।

तदप्यक्षयमेव स्याद्द्वर्षासु च मघासु च ॥ २७३ ॥

(वर्षासु मघासु) वर्षाकाल में मघा नक्षत्र में (त्रयोदशीम्) त्रयोदशी तिथि के दिन (यत् किञ्चित् मधुना मिश्रं प्रदद्यात्) जो कोई भी वस्तु मधु से मिश्रित करके दी जाये (तत् + अपि + अक्षयम् + एव स्यात्) वह वस्तु भी अक्षय तृप्ति देने वाली है

॥ २७३ ॥

अपि नः स कुले जायाद्यो नो दद्यात् त्रयोदशीम् ।

पायसं मधुसपिण्यां प्राक्छाये कुञ्जरस्य च ॥ २७४ ॥

[पितर लोग यह चाहा करते हैं कि—] (अपि नः कुले स जायात्) हमारे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न हो (यः त्रयोदशीं तिथिम्) जो त्रयोदशी तिथि के दिन (च) तथा कुञ्जरस्य प्राक्छाये) हाथी की छाया जब पूर्वदिशा की ओर जाने लगे अर्थात् दोपहर

❧ पानी पीते समय, लम्बे होने के कारण जिसके दोनों कान और जीभ जल का स्पर्श करते हों, जो क्षीणशक्ति हो, जिसका सफेद रंग हो, जिसकी अनेक संतानें हो चुकी हों; उस बूढ़े बकरे को 'वाध्रीणस' कहते हैं ।

वाद के समय में (नः) हमारे लिए (मधुसर्पिभ्यां पायसं दद्याद्) सहृद और धी से मिली हुई खीर आदि में दे ॥ २७४ ॥

यद्यहदाति विधिवत्सम्पक् श्रद्धासमन्वितः ।

तत्प्रतिपत्तुणां भवति परानन्तसम्पदम् ॥ २७५ ॥

जो मनुष्य (श्रद्धासमन्वितः) श्रद्धा से युक्त होकर (विधिवत्) विधिपूर्वक (सम्पक् यद् + यद् + ददाति) अच्छी प्रकार जो-जो पदार्थ पितरों को देता है (तद् + तद् पितृणां परन् + प्रानन्त + प्रसन्नं भवति) वह सभी पितरों को परलोक में अनन्त और प्रसन्न तृप्ति देने वाला होता है ॥ २७५ ॥

कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम् ।

श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ २७६ ॥

(कृष्णपक्षे चतुर्दशी वर्जयित्वा) कृष्णपक्ष में चतुर्दशी को छोड़कर (दशम्यादौ) दशमी से लेकर अमावस्या तक (तिथयः श्राद्धे यथा प्रशस्ताः) तिथियाँ श्राद्ध में जैसी श्रेष्ठ होती हैं (तथा न इतराः) वैसी अन्य तिथियाँ नहीं होती [प्रतिपदा से नवमी तक तथा चतुर्दशी] ॥ २७६ ॥

युष्मद् कुर्वन्निमज्जेषु सर्वान्कामान्समनुते ।

अयुष्मद् तु पितृस्तर्षाग्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥ २७७ ॥

(युष्मद् दिन-ऋक्षेषु कुर्वन्) हम तिथियों [द्वितीया, चतुर्थी, आदि] और सम नक्षत्रों [भरणी, रोहिणी, मघा आदि] में श्राद्ध को करने वाला द्विज (सर्वान् कामान् समनुते) सब मनोरथों को पूर्ण करता है (अयुष्मद् तु सर्वान् पितॄन्) असम तिथियों [प्रतिपदा, तृतीया आदि] और असम नक्षत्रों [मघिनी, कृत्तिका, मृगशिरा आदि] में पितरों का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति (पुष्कलां प्रजां प्राप्नोति) बहुत-सी संतान प्राप्त करता है ॥ २७७ ॥

यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते ।

तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्णादपराह्णे विशिष्यते ॥ २७८ ॥

(यथा चैव) जैसे (पूर्वपक्षात् अपरः पक्षः) पूर्वपक्ष अर्थात् शुक्लपक्ष से अपरपक्ष अर्थात् कृष्णपक्ष (विशिष्यते) विशेष होता है (तथा) वैसे ही (पूर्वाह्णात् अपराह्णः) दोपहर के पूर्व समय से दोपहर के बाद का समय (श्राद्धस्य विशिष्यते) श्राद्ध का अधिक फल देने वाला है ॥ २७८ ॥

प्राचीनाबीतिना सम्यगपसव्यमन्त्रिणा ।

पिथ्यभानिधनात्कार्यं विधिवद्दर्भपाणिना ॥ २७९ ॥

(प्राचीनाबीतिना) दाहिने कन्धे के ऊपर बायें कान के नीचे लटकते हुए यज्ञो-पवीत पहन कर [२।३८] (अपसव्यम् + अन्त्रिणा) अपसव्य और आलस्यरहित

होकर (विधिवत् दर्भपाणिना) विधिपूर्वक कुशा हाथ में लेकर (अग्निधनात्) मृत्यु-पर्यन्त (सम्यक् विध्यं कार्यम्) श्राद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए ॥ २७६ ॥

रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा ।

सन्ध्ययोरुभयोरञ्चैव सूर्ये चैवाविरोदिते ॥ २८० ॥

(रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत) रात के समय श्राद्ध न करे (हि) क्योंकि (सा राक्षसी कीर्तिता) रात को 'राक्षसी' = श्राद्ध का फल नष्ट करने वाली कहा है (च) और (उभयोः सन्ध्ययोः एव) दोनों सन्ध्याओं अर्थात् प्रातःकाल तथा सायंकाल (च) तथा (सूर्ये अविरोदिते) सूर्य के निकलने के थोड़ी देर बाद तक भी अर्थात् दोपहर से पूर्व तक श्राद्ध न करे ॥ २८० ॥

त्रैमासिक श्राद्ध का विधान—

अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निर्वपेत् ।

हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाञ्चयज्ञिकमन्त्रहम् ॥ २८१ ॥

प्रतिमास श्राद्ध न किये जा सकने पर (अनेन विधिना) इस उपयुक्त विधि से (हेमन्त-ग्रीष्म-वर्षासु) हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में (अब्दस्य त्रिः इह श्राद्धं निर्वपेत्) वर्ष में तीन बार यही पितरों का श्राद्ध करे (पाञ्चयज्ञिकम् + मनु + मन्त्रहम्) पञ्चयज्ञों के अन्तर्गत आने वाले श्राद्ध को तो प्रतिदिन ही करे ॥ २८१ ॥

न पैतृयज्ञियो होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते ।

न दर्शेन बिना श्राद्धमाहिततर्मेद्विजग्मतः ॥ २८२ ॥

(लौकिके + मन्त्रो) लौकिक अग्नि में अर्थात् प्रतिदिन की यज्ञाग्नि में (पैतृयज्ञः होमः न विधीयते) पितरों का श्राद्ध सम्बन्धी यह विशेष यज्ञ नहीं किया जाता है (आहिताग्नेः द्विजग्मतः) और अग्निहोत्री ब्राह्मण को चाहिए कि वह (दर्शेन बिना श्राद्धं न) अमावस्या के बिना श्राद्ध न करे ॥ २८२ ॥

यद्वै तर्पयत्यङ्गिः पितृस्नात्वा द्विजोत्तमः ।

तेनैव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम् ॥ २८३ ॥

(द्विजोत्तमः) जो ब्राह्मण (स्नात्वा) स्नान करके (पितृम् यत् + अदिभः) तर्पयति) पितरों को जो जलदान से तृप्त करता है (तेन + एव) वह उसी से ही (कृत्स्नं पितृयज्ञ-क्रियाफलम् आप्नोति) सम्पूर्ण पितृश्राद्धकर्म के फल को प्राप्त कर लेता है

॥ २८३ ॥

पिता आदि की वसु आदि संज्ञाएँ—

वसून्ववन्ति तु पितृन् यत्राश्चैव पितामहान् ।

प्रपितामहांस्तथादित्याञ्जुतिरेवा सनातनी ॥ २८४ ॥

(पितृन् तु वसून्) पितरों को वसु (व) और (पितामहान् रुद्रान्) पितामहों को रुद्र (तथा) और (प्रपितामहान् प्राश्रयान्) प्रपितामहों को प्राश्रय (वदन्ति) कहते हैं (एषा सनातनी श्रुतिः) यह सनातन श्रुति है ॥ २८४ ॥ (६० ल० पृ० २५६)

अनुशीलन : ११६ से २८४ तक श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) ११७ वें श्लोक में गृहस्थी को 'शेषभुक्' होने के लिए कहा है और ११८ वें श्लोक में 'यज्ञशेषभुक्' होने के लिए कहा है। २८५ वें श्लोक में इन्हीं बातों का विकल्प रूप में कथन है। यह कहना चाहिए कि २८५ वां श्लोक इनका 'अर्थवाद' रूप है। बीच के इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग करके एकवाक्यात्मक वर्णन को तोड़ दिया है।

(२) ११७-११८ और २८५ वें श्लोक में अतिथि यज्ञ से सम्बन्धित प्रसंग है, जिसमें गृहस्थी को कैसा भोजन करना चाहिए यह स्पष्टीकरण है। इसके बीच में संबन्धियों की पूजा, राजा-स्नातक की पूजा [११६, १२०] बलिर्वैश्वदेव का विधान [१२१], पितृश्राद्ध का विधान [१२२-२८४] पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है।

(३) १२२ वें श्लोक में "पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य" कहकर नये सिरे से पितृश्राद्ध का प्रसंग शुरू किया गया है। यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो प्रसंगक्रम की दृष्टि से पितृयज्ञ के प्रसंग [३८१, ८२] के साथ होना चाहिए था, किन्तु ऐसा न होकर खण्डित क्रम में इसका वर्णन है। यह क्रम की असंगति इसे मौलिक सिद्ध नहीं करती। इस प्रकार इन प्रसंगविरोधों के आधार पर ये सभी ११६ से २८४ श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. विषयविरोध—६७ वें श्लोक में "वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत" पञ्चयज्ञविधानं च" कहकर दैनिक पञ्चयज्ञों के वर्णन का संकेत किया है और समाप्तिसूचक "एतत्तु यः अभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम्" श्लोक से भी यही सिद्ध है कि ६७ से २८६ श्लोकों का विषय केवल दैनिक पञ्चयज्ञों का विधान करना है। १२२ से २८४ श्लोकों में दैनिक पञ्चयज्ञों से भिन्न मासिक, त्रैमासिक आदि श्राद्धों का वर्णन है। यह वर्णन मनु के विषय-संकेत से बाह्य होने से विषयविरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।

३. अन्तर्विरोध : मृतकश्राद्ध मनुविरुद्ध है—इस प्रसंग में वर्णित विधानों के मनुस्मृति के अन्य विधानों से अनेक अन्तर्विरोध हैं—(१) १२२ से २८४ श्लोकों में मृतकश्राद्ध का विधान है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु ने पितृयज्ञ के रूप में जीवितों का श्राद्ध और वह भी दैनिक रूप में विहित किया है [३८०—८२] [विस्तृत रूप में द्रष्टव्य है ३८५ पर अनुशीलन समीक्षा]। मनु के अनुसार पितृ या 'पितर' शब्द का अर्थ भी 'बुजुर्ग' 'पालक' है। देखिए ६१२८; २।१२६; [२। १५१] में 'पितृ' शब्द का प्रयोग 'बुजुर्गों' के लिये किया है। (२) दैनिक पितृयज्ञ या श्राद्ध घर पर विहित है जब कि इन श्लोकों में वर्णित श्राद्ध को बनों, नदीतीरों, एकान्त स्थानों [२०७] पर

करने का कथन है। यह भिन्नता मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है। (३) मनु ने पितृयज्ञ को ही श्राद्ध माना है और उससे भिन्न कोई क्रिया पितृयज्ञ में नहीं मानी [८०-८२] जब कि इन श्लोकों में “पितृयज्ञं तु निर्बल्यं” कहकर “पिण्डान्वाहार्यं श्राद्धं कुर्यात् भासानुभासिकम्” [१२२] के विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णन करने वाला उस विधान को पितृयज्ञ से भिन्न क्रिया मानता है। यह अतिरिक्त पृथक् श्राद्ध का विधान मनु की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। (४) पितृयज्ञ के प्रसंग में केवल अन्न, जल, फल-मूल से ही श्राद्ध करना कहा है [८२], जब कि इस प्रसंग में मांस से श्राद्ध करना अधिक फलदायक माना है [२६६-२७२]। (५) इस प्रसंग में अनेक श्लोकों में मांसभक्षण का विधान है [१२३, २२७, २५७, २६६-२७२]। यह मान्यता मनुस्मृति की मौलिक मान्यता से ही विरुद्ध है। मनु ने मांसभक्षण को पाप और मांसभक्षक को पापी कहा है [५।४३-५१] और हिंसा करने वाले के लिये प्रायश्चित्तों का विधान किया है [३।६८-६९]। [विस्तृत समीक्षा ४।२६-२८ श्लोकों पर देखिये]। (६) मनु कर्त्ता को ही स्वयं फल को भोक्ता मानते हैं [४।२४०]। इस प्रसंग में श्राद्धकर्त्ता द्वारा पितरों का निस्तार [२२०-२२२], एक के श्राद्ध से सात पीढ़ी के वंशजों को पुण्यफल प्राप्ति [१४६], आदि कथन उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं। (७) १३६, १३७, १५२-१५६, १६४-१६६, १८२ आदि श्लोकों में वर्णव्यवस्था को जन्मना मानने के सकेत हैं, जबकि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [१।८८; २।१४३ (१६८), १२२-१२३ (१४७-१४८)]। उक्त श्लोकों में वर्णित कर्म ब्राह्मणों के नहीं हो सकते, यदि उनमें ये कर्म हैं, तो वे मनु की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण नहीं कहला सकते। (८) २।८१ [१०६] में वेदाध्ययन को सर्वदा पुण्यदायक माना है, जबकि इस प्रसंग में श्राद्ध में वेदपाठ निषिद्ध है [१८८]। [९] प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा द्वारा पञ्चभूतों के माध्यम से मानी है [१।६, १४-२०] जबकि इस प्रसंग में मरीचि आदि ऋषियों से चराचर जगत् की उत्पत्ति कही है, जो प्रकृतिविरुद्ध बात है [२०१]। (१०) १।६१ में शूद्रों का कर्म द्विजों की सेवा करना कहा है, जबकि इस प्रसंग में शूद्रों का श्राद्ध के पदार्थों से स्पर्श करना भी निषिद्ध है [२४१]। १६७ में शूद्रों के पितर मुकाली माने हैं। जब शूद्रों के लिए श्राद्ध में स्पर्श तक का निषेध है तो शूद्रों के यहां कौन से ब्राह्मण श्राद्ध लायेंगे? यदि नहीं लाते हैं तो फिर शूद्रों के लिए श्राद्ध का विधान क्यों? (११) इस सम्पूर्ण प्रसंग में पितरों के लिए हव्य-कव्य आदि देने का विधान है किन्तु मनु के मत में जीवित व्यक्तियों को दिये जाने वाले भोज्य एवं हितार्थ देय वस्त्र, धन आदि दान ‘हव्य-कव्य’ कहलाते हैं। ४।३०-३१ में देखिए मनु ने स्पष्टतः जीवित, धार्मिक विद्वानों को हव्य-कव्य देने का कथन किया है। यह सम्पूर्ण प्रसंग उक्त मान्यता के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

इस प्रकार अनेक अन्तर्विरोधों के आधार पर यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। [देव, पितर आदि के विषय में विस्तृत विस्लेषण ३।८२ की समीक्षा में देखिए]।

४. अवान्तरविरोध—इस प्रसंग में अनेक अवान्तरविरोध भी हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि यह प्रसंग न तो किसी मनुसंज्ञ विद्वान् की रचना है और न किसी एक व्यक्ति की रचना। यथा—(१) १३६-१३७ श्लोकों में वेदज्ञानरहित पुत्र को भी श्राद्ध में योग्य माना है और १४२-१४६ में वेदरहित को श्राद्ध के अयोग्य कहा है। (२) १२६ में देवकर्म में वेदहीन ब्राह्मण को जिमाने का निषेध है, लेकिन १४६ में कहा दिया कि इस प्रकार की बातों की जाँच-पड़ताल न करे। (३) सम्पूर्ण प्रसंग में अनेक स्थानों पर मांसभक्षण का विधान है [१२३, २२७, २४७, २६६-२७२] और १४२ में मांसविक्रेता ब्राह्मण को जिमाने के अयोग्य माना है। (४) १४१ में ब्रह्मचारी को श्राद्ध में जिमाने का निषेध है और १८६, १९२, २३४ में जिमाने का विधान है। यहाँ तक कि उसे 'पंक्तिपावन' तक कहा है। (५) १९६-१९७ श्लोकों में शूद्रादि सभी वर्णों के लिये श्राद्ध करना कहा है और २४१ आदि में शूद्र का स्पर्शनिषेध, शूद्र की इष्टि से श्राद्ध के पुण्य का नष्ट होना आदि वर्णित है। (६) १९४-२०१ में मनु के वंशजों को ही पितर माना है और २२०-२२२ में अपने मृतपूर्वजों को। (७) १६६-१७३ तक श्लोकों में पशुधर्मों के मांस से कई-कई मास, वर्ष और अनन्तकाल तक पितरों की तृप्ति होना बताया है; फिर मासिक [१२२], त्रैमासिक [२८१] आदि श्राद्ध करने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? (८) २७० में सूअर के मांस का श्राद्ध कराने से दस मास तक पितरों की तृप्ति मानी है और २४१ में सूअर के सूंघने से श्राद्ध का भोजन ही दूषित होना कहा है। (९) १३८ में मित्र को श्राद्ध में न जिमाने का विधान है और १४४ में जिमाने का। इस प्रकार अन्य अनेक अवान्तरविरोध भी इस प्रसंग में हैं, किन्तु-विस्तार-भय के कारण उन्हें यहाँ नहीं दर्शाया जा रहा है।

५. शैलीगत आधार—(१) १९४-२०१ श्लोकों में मनु के परवर्ती वंशजों का 'पितर' रूप में उल्लेख करना और १४० में 'मनुरब्रवीत्' तथा २२२ में 'अब्रवीत् मनुः' पद का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि ये श्लोक तथा इनसे सम्बद्ध अन्य यह प्रसंग मनु से भिन्न किसी परवर्ती व्यक्ति की रचना है, अतः स्पष्टतः प्रक्षिप्त है। (२) इस सम्पूर्ण प्रसंग की शैली अयुक्तियुक्त, निराधार एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—(क) मित्र ब्राह्मण को जिमाने से श्राद्ध का फल न मिलना [१३८-१४१], (ख) अयोग्य ब्राह्मणों द्वारा खाया श्राद्ध राक्षसों को पढ़ुचना [१७०], (ग) अयोग्य ब्राह्मण और शूद्र आदि के द्वारा श्राद्ध खाते ब्राह्मणों को देख लेने मात्र से दाता का पुण्य नष्ट होना और श्राद्ध का फलहीन हो जाना [१७६, २३६-२४२], (घ) राक्षसों द्वारा श्राद्ध के फल को नष्ट करना [२०४] (ङ) अथे ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध खाते ब्राह्मणों को देखने पर नम्बे ब्राह्मणों के जिमाने का फल नष्ट होना, काणे से साठ का, कुष्ठी द्वारा सौ का, खयी द्वारा हजार का फल नष्ट होना [१७७], (च) एक हाथ द्वारा प्रदत्त अन्न ब्राह्मणों को न लगकर राक्षसों को लगना [२२४] आदि-आदि।

गृहस्थ के लिए दो ही प्रकार के भोजनों का विधान—

विधसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चाऽमृतभोजनः ।

विधसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथाऽमृतम् ॥ २८५ ॥ (८३)

गृहस्थी को चाहिए कि वह (नित्यं विधसाशी भवेत्) प्रतिदिन 'विधस' भोजन को खाने वाला होवे (वा) अथवा (अमृतभोजनः) 'अमृत' भोजन को खाने वाला होवे (भुक्तशेषं तु 'विधसः') अतिथि, मित्रों आदि सभी व्यक्तियों के खा लेने पर बचे भोजन को 'विधस' कहा जाता है [३।११६] (तथा) तथा (यज्ञशेषम् 'अमृतम्') यज्ञ में आहुति देने के बाद बचा भोजन 'अमृत' कहलाता है । [३।११७-११८] ॥ २८५ ॥

अनुधीनः : यज्ञशेष और शेषभुक्त भोजन में अन्तर—यज्ञशेष और भुक्तशेष भोजन में एक अन्तर यह है कि 'भुक्तशेष' अन्न मीठे और लवण से युक्त कोई भी भोजन हो सकता है किन्तु 'यज्ञशेष' भोजन लवणरहित ही होता है। लवणयुक्त पक्वान्न की आहुति अग्निहोत्र में नहीं डाली जाती। यज्ञ में लवणयुक्त भोजन का मनु ने निषेध किया है [६।१२]। गृहस्थ लवणयुक्त भोजन को बलिभाग निकालने पर और अतिथियों आदि के खाने के पश्चात् खाये। यही भुक्तशेष है। यही विधस है। यज्ञाहुति से अवशिष्ट लवणरहित भोजन यज्ञशेष और अमृत है।

उपसंहार—

एतद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम् ।

द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८६ ॥ (८४)

(एतत् वः) यह तुम्हें (सर्वं पाञ्चयज्ञिकं विधानम् अभिहितम्) सम्पूर्ण पाञ्चयज्ञसम्बन्धी विधान कहा है। अब आगे (द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयताम्) द्विजातियों की मुख्य आजीविका और जीवनचर्या के विधान को सुनो—॥ २८६ ॥

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्यसमन्वितायां

'अनुशीलन' समीक्षाविमृषितायाञ्च मनुस्मृतौ गृहस्थाश्रमे

समावर्त्तनविवाह-पाञ्चयज्ञविधानात्मकस्मृतौ योऽध्यायः ॥



अथ चतुर्थोऽध्यायः

[हिन्दी-भाष्य-‘अनुशीलन’ समीक्षाभ्यां सहितः]

[गृहस्थान्तर्गत आजीविका एवं व्रत विषय]

[आजीविका ४।१ से ४।१२ तक]

आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बनें—

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽऽद्यं गुरो द्विजः ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १ ॥ (१)

(द्विजः) द्विज—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (आद्यम्) पहले (आयुषः चतुर्थं भागम्) आयु के चौथाई भाग तक [कम से कम पच्चीस वर्ष पर्यन्त] (गुरो उषित्वा) गुरु के समीप रहकर अर्थात् गुरुकुल में रहते हुए अध्ययन और ब्रह्मचर्यपालन करके (आयुषः द्वितीयं भागम्) आयु के दूसरे भाग में (कृतदारः) विवाह करके (गृहे वसेत्) घर में निवास करे ॥ १ ॥

अनुशीलन : विवाह की आयु के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन ३।४ की समीक्षा में द्रष्टव्य है ।

गृहस्थी की परपीडारहित जीविका हो—

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः ।

या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥ (२)

(विप्रः) द्विज व्यक्ति (अनापदि) आपत्तिरहितकाल में (भूतानाम् अद्रोहेण+एव) दूसरे प्राणियों को जिससे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचे (वा) अथवा (पुनः) ऐसी वृत्ति न मिलने पर बाद में (अल्पद्रोहेण) जिसमें प्राणियों को कम से कम पीड़ा हो ऐसी (या वृत्तिः) जो वृत्ति=आजीविका हो (तां समास्थाय जीवेत्) उसको अपनाकर जीवननिर्वाह करे ॥ २ ॥

धनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र के लिए हो—

यात्रामात्रप्रसिद्धार्थं स्वैः कर्मभिरगर्हितैः ।

अश्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥ ३ ॥ (३)

(स्वैः अगर्हितैः कर्मभिः) अपने अनिन्दित अर्थात् श्रेष्ठकर्मों से

(शरीरस्य श्रक्लेशेन) शरीर को अधिक कष्ट न देते हुए (यात्रायात्रा-प्रसिद्धयर्थम्) केवल जीवनयात्रा को चलाने के उद्देश्य से ही [अर्थात् जिससे जीवन कष्टरहित रूप में चलता रहे और उसमें अधिक ऐश्वर्य भोग की कामना न हो] (धन-संचयं कुर्वीत) धन का संचय करे ॥ ३ ॥

जीविकाओं के भेद—

ऋतामृताभ्यां जीवेत् मृतेन प्रमृतेन वा ।

सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥ ४ ॥

(ऋत + अमृताभ्याम्) 'ऋत' या 'अमृत' से (मृतेन वा प्रमृतेन) 'मृत' या 'प्रमृत' से (वा) अथवा (सत्य + अनृताभ्याम् + अपि) 'सत्यानृत' जीविका से (जीवेत्) जीविका चलाये (श्ववृत्त्या कदाचन न) किन्तु श्ववृत्ति = दूसरे की सेवा करके उसके आश्रित रहते हुए चापलूसी पूर्वक जीवन बिताने की वृत्ति से कभी जीवन निवर्हि न करे ॥ ४ ॥

ऋतमुच्छशिलं श्रेयममृतं स्वावयाचितम् ।

मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥ ५ ॥

(उच्छ-शिलम् ऋतं श्रेयम्) उच्छ = कटे हुए खेत में पड़े दाने जिनकी अंगुलियों से बीना जाये उसे और शिल = कटे खेत में पड़ी रह जाने वाली बालियों को चुनकर जीविका चलाने को 'ऋत' समझना चाहिए (अयाचितम् अमृतं स्यात्) बिना मांगे प्राप्त होने वाला धन 'अमृत' जीविका होती है (याचितं भैक्षं तु मृतम्) मित्रा मांगकर जीविका करना 'मृत' और (कर्षणं प्रमृतं स्मृतम्) खेती करना 'प्रमृत' जीविका कही है ॥ ५ ॥

सत्यानृतं तु बाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते ।

रेवा श्ववृत्तिरास्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

(बाणिज्यं तु सत्यानृतम्) व्यापार को 'सत्यानृत' कहते हैं (तेन च + एव + अपि जीव्यते) इसके द्वारा भी जीविका चलायी जा सकती है (सेवा श्ववृत्तिः + आस्याता) दूसरे की सेवा करके उसके आश्रित रहते हुए चापलूसीपूर्वक जीवन बिताना 'श्ववृत्ति' कहलाती है (तस्मात्) वह कुत्ते जैसी वृत्ति है इसलिये (ताम्) उस आजीविका को (परिवर्जयेत्) छोड़ देवे ॥ ६ ॥

धान्यसंग्रही के भेद—

कुसूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा ।

यद्देहिको बाण्डि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७ ॥

चतुर्लामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनान् ।

ज्यायान्वरः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः ॥ ८ ॥

द्विज (कुसूलधान्यकः वा स्यात्) चाहे अन्नभण्डार [= खता] में धान्यसंग्रह करने वाला हो (वा) ग्रथवा (कुम्भीधान्यकः + एव) मिट्टी के बृहदाकार घड़े में धान्य संग्रह करने वाला हो (वा) ग्रथि) ग्रथवा (त्रि + ग्रह + ऐहिकः) तीन दिन के भरण-पोषण के योग्य धान्यसंग्रह करने वाला हो (वा) ग्रथवा (अश्वस्तनिकः एव भवेत्) केवल एक ही दिन के लिए धान्य रखने वाला हो [यह द्विज की इच्छा पर निर्भर है, किन्तु] (एषां चतुर्णाम् + अपि गृहमेधिनां द्विजानाम्) इन चारों प्रकार के गृहस्थी द्विजों में (परः परः ज्यायान् श्रेयः) बाद-बाद वाले को बड़ा या श्रेष्ठ समझना चाहिए (धर्मतः लोकजित्तमः) क्योंकि वह संयम अपरिग्रह आदि धर्मों के पालन से इस लोक को जीतने वाला है ॥ ७, ८ ॥

षट्कर्मको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते ।

द्वाम्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥

(एषाम् एकः षट्कर्म भवति) इनमें एक छः कर्मों से जीविका करने वाला होता है (अन्यः त्रिभिः प्रवर्तते) दूसरा तीन कर्मों से जीविका करता है (एकः द्वाम्याम्) एक अर्थात् तीसरा दो कर्मों से (तु) और (चतुर्थः ब्रह्मसत्रेण जीवति) चौथा वेदाध्ययन की जीविका से ही जीता है ॥ ९ ॥

वर्तयंश्च शिलोञ्छाम्यामग्निहोत्रपरायणः ।

इष्टीः पार्ष्णीनाम्नीया केवला निर्वपेत्सदा ॥ १० ॥

(शिलोञ्छाम्यां वर्तयन्) शिल और उच्छ से जीविका करने वाला द्विज भी (अग्निहोत्रपरायणः) अग्निहोत्र करने में तत्पर रहे और (सदा) सदैव (केवलाः) सब (पार्ष्णीनाम्नीयाः इष्टीः निर्वपेत्) पर्व और वर्ष के अन्न में होने वाले [दर्शपूर्णमास आदि] यज्ञों को करता रहे ॥ १० ॥

अनुयातिस्य : ४ से १० श्लोकों का यह प्रसंग निम्न 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—प्रस्तुत प्रसंग में कुछ वृत्तियों का उल्लेख है, और यह बताया गया है कि संघर्ष की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है। ४ से १० श्लोक सभी परस्पर सम्बद्ध हैं। इस प्रसंग के वर्णन का मनुस्मृति की मान्यताओं से विरोध है और मौलिक व्यवस्थाओं से तासमेल नहीं बैठता—(१) १। ८७-९१ श्लोकों में चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन है। उनमें कुछ कर्म वर्णों की आजीविकाएँ भी हैं [६। ३२५-३३३, ३३४, ३३५ (इस संस्करण में १०। १-३)]। कर्मों के आधार पर ही मनु ने वर्णों का विभाजन किया है। यहाँ सभी द्विजों के लिए पूर्वोक्त आजीविकाओं से भिन्न आजीविका की व्यवस्था देना और सभी के लिए आजीविका की समान व्यवस्था देना, पूर्वोक्त व्यवस्था तथा मान्यता से विरुद्ध है। (२) इन श्लोकों में 'सेवा' को भी एक द्विजातियों की [३। २८६] आजीविका माना है (४, ६) जबकि पूर्व व्यवस्था के अनुसार

‘सेवा’ द्विजातियों का नहीं अपितु शूद्र का कर्म है [१। ८७-९१; ६। ३३४-३३५]। अतः यह आधारभूत विरोध इस प्रसंग की प्रसिप्तता का सूचक है। (३) ६ वें श्लोक में गृहस्थी द्विजों के आजीविका के आधार पर चार वर्ग—छः कर्मों से आजीविका करने वाला, तीन कर्मों से, दो कर्मों से और एक कर्म से आजीविका करने वाला—वर्ताये हैं। यह व्यवस्था भी १। ८७-९१ और ३। ३२५-३३५ (इसमें १०। १-३), श्लोकों के विरुद्ध है। इन श्लोकों में किसी भी वर्ण के व्यक्ति के लिये आजीविका हेतु छः कर्म और (वैश्य को छोड़कर) चार कर्म विहित नहीं हैं। (४) इन श्लोकों में द्विजों की एक वृत्ति ‘याचित’ अर्थात् ‘भिक्षा मांगना’ [४, ५] भी कही है। चूँकि यह गृहस्थियों का विषय है [३। २८६; ४। १] अतः ये विधान गृहस्थों के लिए ही माने जायेंगे। मनु ने गृहस्थ के लिए कहीं भी भिक्षा का विधान नहीं किया है, अपितु स्वयं घर में पकाने का विधान है और स्वयं न पकाकर दूसरों के भोजन का लालच करने वाले गृहस्थी की निन्दा की है [३। ६७; १०४]। भिक्षा का विधान केवल शेष तीन आश्रमों के लिए है [२। १५६-१६० (१८४-१८५); ६। ५५, ५७], प्रत्युत वानप्रस्थी को भी केवल विशेष अवस्था में ही भिक्षा मांगने की छूट है [६। २७]। सामान्य अवस्था में उसके लिए भी स्वयं पकाकर खाने का विधान है [६। ५, ७, १२, १३]। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर यह ४—१० श्लोकों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

२. प्रसंगविरोध—२-३ श्लोकों में इस प्रसंग के प्रारम्भिक वर्णन से यह जान होता है कि मनु यहाँ ‘आजीविका कैसी अपनानी चाहिए’ केवल यही कहना चाहते हैं। आजीविकाओं का परिगणन नहीं, क्योंकि वह तो पहले कहा ही जा चुका [१। ८७-९१]। ११-१२ श्लोकों में भी यही वर्णन है। बीच के इन श्लोकों ने उस प्रसंग-क्रम को भंग कर दिया है। ‘आजीविका कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं’ इस चर्चा का प्रसंग तीसरे श्लोक के बाद ११ वें में है। अतः तीसरे से ११ वाँ ही प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध है, शेष प्रक्षिप्त हैं।

शास्त्रविरुद्ध जीविका न हो—

न लोकवृत्तं वर्तत वृत्तिहेतोः कथञ्चन।

अजिह्यामशठां शुद्धां जीवेद्ब्राह्मणजीविकाम् ॥ ११ ॥ (४)

गृहस्थ (वृत्तिहेतोः) जीविका के लिये भी (लोकवृत्तं न वर्तत) कभी शास्त्रविरुद्ध लोकाधार का वर्ताव न वर्त, किन्तु जिसमें (अजिह्याम् + अशठां शुद्धाम्) किसी प्रकार की कुटिलता, मूर्खता, मिथ्यापन वा अधर्म न हो (ब्राह्मणजीविकां जीवेत्) उस वेदोक्त धर्मसम्बन्धी जीविका को करे

॥ ११ ॥ (सं० वि० १५१)

सन्तोष सुख का मूल है, असन्तोष दुःख का—

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।

सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १२ ॥ (५)

(सुखार्थी) सुख चाहने वाला व्यक्ति (परमं सन्तोषम् आस्थाय) अत्यन्त सन्तोष को धारण करके (संयतः भवेत्) संयत=अधिक धन के संग्रह की इच्छा न रखने वाला बने (हि) क्योंकि (सन्तोषमूलं सुखम्) सन्तोष सुख का आधार है (विपर्ययः) उससे उल्टा अर्थात् असन्तोष (दुःखमूलम्) दुःख का आधार है ॥ १२ ॥

(स्नातक गृहस्थियों के व्रत) [४ । १३ से ४ । २५६ तक]

गृहस्थों के लिए सत्त्वगुणवर्धक व्रत—

अतोऽन्यतमया व्रत्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः ।

स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानोभामि धारयेत् ॥ १३ ॥ (६)

(अतः) इसलिए (स्नातकः द्विजः) स्नातक गृहस्थी द्विज (अन्यतमया) निर्धारित [१ । ८७-९१] वृत्तियों में से अपेक्षाकृत किसी श्रेष्ठ (व्रत्या) आजीविका से (जीवन्) जीवननिर्वाह करते हुए (स्वर्ग-प्रायुष्य-यशस्यानि इमानि व्रतानि धारयेत्) सुख, आयु और यश देने वाले इन व्रतों को धारण करे—॥ १३ ॥

अनुशीलन : मनु स्वर्ग को सुख का पर्यायवाची मानते हैं । द्रष्टव्य ३ । ७६ पर समीक्षा ।

गृहस्थों के लिये सत्त्वगुणवर्धक व्रत—

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादितन्निवृत्तः ।

तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ १४ ॥ (७)

आह्वणादि द्विज (वेदोदितं स्वकं कर्म) वेदोक्त अपने कर्म को (प्रतन्निवृत्तः नित्यं कुर्यात्) आलस्य छोड़के नित्य किया करें (तत् हि यथाशक्ति कुर्वन्) उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए (परमां गतिं प्राप्नोति) मुक्ति पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ (सं० वि० १७७)

अधमं से धनसंग्रह न करें—

नेहेतार्थान्नसङ्गेन न विरुद्धेन कर्मणा ।

न विद्यमानेऽर्थेषु नार्थमपि यतस्ततः ॥ १५ ॥ (८)

गृहस्थ (प्रसंगेन अर्थान् न ईहेत्) कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्य-संचित न करे (न विरुद्धेन कर्मणा) न विरुद्ध कर्म से (न विद्यमानेषु + अर्थेषु यतस्ततः) न विद्यमान पदार्थ होते हुए उनको गुप्त रखके अथवा दूसरे से छुल करके और (न + आर्याम् + अपि) चाहे कितना ही दुःख पड़े तदपि अधर्म से द्रव्यसंचय कभी न करे ॥ १५ ॥ (सं० वि० १७७)

इन्द्रियासक्ति-निषेध—

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।

अतिप्रसक्तिं चेतेषां मनसा संनिवर्तयेत् ॥ १६ ॥ (१)

(सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु कामतः न प्रसज्येत) इन्द्रियों के विषयों में काम से कभी न फंसे (च) और (एतेषाम् अतिप्रसक्तिम्) विषयों की अत्यन्त प्रसक्ति अर्थात् प्रसंग को (मनसा संनिवर्तयेत्) मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे ॥ १६ ॥ (सं० वि० १७७)

स्वाध्याय से कृतकृत्यता—

सर्वाभिरित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।

यथातथाऽध्यापयन्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १७ ॥ (१०)

(स्वाध्यायस्य विरोधिनः सर्वान् अर्थान् परित्यजेत्) जो स्वाध्याय और धर्मविरोधी व्यवहार वा पदार्थ हैं उन सब को छोड़ देवे (यथा तथा अध्यापयन् तु) जिस किसी प्रकार से विद्या को पढ़ाते रहना ही (सा हि + अस्य कृतकृत्यता) गृहस्थ को कृतकृत्य होना है ॥ १७ ॥ (सं० वि० १७८)

अनुशीलन : स्वाध्याय के विस्तृत अर्थ के लिए देखिए २।८२ [२।१०७] पर अनुशीलन ।

वयसः कर्मणोऽर्थस्य धृतस्याभिजनस्य च ।

वेषवाक्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेद्विह ॥ १८ ॥

(वयसः कर्मणः + अर्थस्य धृतस्य च अभिजनस्य) अपने आयु, कर्म, धन, वेद और कुल के अनुसार (वेष-वाक्-बुद्धि-सारूप्यम् आचरन्) वेष, वाणी और बुद्धि का व्यवहार करता हुआ (इह) इस संसार में (विचरेत्) विचरण करे, रहे ॥ १८ ॥

अनुशीलन : १८ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यह श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरोध है और उस पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है। १७ और १८ वें श्लोक में स्वाध्याय का प्रसंग है। बीच में 'किस प्रकार विचरण करना चाहिये' यह कथन असंगत है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

२. विषयविरोध—यह प्रस्तुत विषय से भी विरुद्ध है। इस बात का 'सत्त्वगुण-वर्धक' होने से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही यह कोई 'व्रत' हो सकता है [विस्तृत विवेचन ४। ३६-३६ श्लोकों पर देखिए]।

बुद्धिवृद्धिकराभ्यां धन्यानि च हितानि च ।

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ १६ ॥ (११)

हे स्त्रीपुरुषो ! तू (धन्यानि आशु बुद्धिवृद्धिकराणि च हितानि शास्त्राणि) जो धर्म-धन और बुद्ध्यादि को अत्यन्त शीघ्र बढ़ाने वाले हित-कारी शास्त्र हैं उनको (व) और (वैदिकान् निगमान्) वेद के भागों की विद्याओं को (नित्यम् अवेक्षेत) नित्य देखा करो ॥ १६ ॥ (सं० वि० १७८)

"जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित को वृद्धि करने वाले शास्त्र और वेद हैं उनको नित्य सुनें और सुनायें, ब्रह्मचर्याश्रम में जो पढ़ें हों उनको स्त्री-पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें ।" (सं० प्र० ६८)

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २० ॥ (१२)

(पुरुषः) मनुष्य (यथा-यथा शास्त्रं समधिगच्छति) जैसे-जैसे शास्त्र का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है (तथा-तथा विजानाति) वैसे वैसे अधिक जानता जाता है (च) और (अस्य विज्ञानं रोचते) इसकी प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है ॥ २० ॥ (सं० वि० १७८)

"क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत् जानता है वैसे-वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता, उसी में रुचि बढ़ती रहती है ।"

(सं० प्र० ६८)

पंचयज्ञों के पालन का निर्देश—

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ २१ ॥ (१३)

(ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं नृयज्ञं च पितृयज्ञम्) ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, बलिवैश्वदेवयज्ञ, अतिथियज्ञ और पितृयज्ञ इनको (सर्वदा यथाशक्ति न हापयेत्) सदा ही जहां तक हो कभी न छोड़े ॥ २१ ॥

एतान्तेके महायज्ञाग्नशास्त्रविदो जनाः ।

अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुह्वति ॥ २२ ॥

(एके यज्ञशास्त्रविदः जनाः) कोई-कोई यज्ञशास्त्र के वेत्ता लोग (एतान् महा-

यज्ञान् अनीहमानाः) इन महायज्ञों को न करके (इन्द्रियेषु + एव सततं जुह्वति) पाँच इन्द्रियों में ही सदा हवन करते हैं अर्थात् इन्द्रियों को विषयों में आसक्त नहीं होने देते ॥ २२ ॥

वाक्येके जुह्वति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा ।

वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिर्वृत्तिमक्षयाम् ॥ २३ ॥

(एके) कोई-कोई (वाचि च प्राणे) वाणी और प्राण में ही (अक्षयां यज्ञनिर्वृत्ति पश्यन्तः) यज्ञ के अक्षय फल का प्राप्त होना मानकर (सर्वदा) सदा ही (वाचि प्राणं च प्राणे वाचं जुह्वति) वाणी में प्राण का और प्राण में वाणी का हवन करते हैं अर्थात् प्राण और वाणी का संयम करते हैं ॥ २३ ॥

ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्त्येतर्मखैः सदा ।

ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥ २४ ॥

(अपरे विप्राः) दूसरे कुछ विद्वान् (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञान रूपी नेत्र से ही (एषां ज्ञानमूलां क्रियां पश्यन्तः) इन ज्ञानमूलक क्रियाओं की उत्पत्ति को देखते हुए (ज्ञानेन + एव एतैः मखैः यजन्ति) ज्ञान से ही इन पञ्चमहायज्ञों को करते हैं अर्थात् ब्रह्मज्ञान में ही तल्लीन रहते हैं ॥ २४ ॥

अनुशीलनः : २२ से २४ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अन्तर्विरोध—यह गृहस्थों के लिए कर्तव्यों का विधान करने का प्रसंग है। मनु की यह निश्चित एवं मौलिक मान्यता है कि प्रत्येक गृहस्थ को दैनिक पाँच महायज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए [३। ६७—७२, ७५—११८]। यहाँ तक कि वानप्रस्थी को भी इन यज्ञों का पालन अनिवार्य कहा है [६। ४, ५, ७—१२]। इनसे पहले वाले श्लोकों में भी स्पष्ट निर्देश है—“यथाशक्ति न ह्यपयेत्” अर्थात् ‘जहाँ तक यत्न हो सके इन यज्ञों को न छोड़े।’ इन श्लोकों में यज्ञों के विकल्प दिये हैं और कुछ शास्त्र-वेत्ताओं के मत हैं। इन विकल्पों के वर्णन से यह अभिप्राय स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त यज्ञों के स्थान पर अमुक पद्धति भी अपनायी जा सकती है। ये विकल्प या भिन्न व्यवस्थाएँ मनु की उक्त मान्यता एवं व्यवस्था के विरुद्ध हैं, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. प्रसंगविरोध—ये श्लोक पूर्वपर प्रसंगविरुद्ध हैं। २१ वें श्लोक में पाँच यज्ञों का विधान है और २५ वें श्लोक में तथा आगे उसकी अर्थवादरूप में व्याख्या है। इस पूर्वपर सम्बद्धता क्रम को इन श्लोकों ने भंग कर दिया है, अतः ये प्रसंगविरुद्ध होने से भी प्रक्षिप्त हैं।

३. विषयविरोध—यज्ञों का विधान और उनकी विधियों के विषय का वर्णन तृतीय अध्याय में है। यहाँ केवल कर्तव्यों या व्रतों का विषय है [१४, २५६]। इस

विषय में होम की भिन्नविधियां देना विषयविरुद्ध है। यदि ये विधियां मौलिक होतीं तो इनका वर्णन तृतीय अध्याय में ही विषयसम्मत कहा जा सकता था, क्योंकि मनु ने स्वयं विषयों का एक निश्चित क्रम बनाया हुआ है, अतः वे स्वयं अपने निश्चित विषयक्रम से बाहर नहीं जा सकते। इस प्रकार इन विकल्पों का वर्णन यहां मौलिक नहीं है।

अग्निहोत्र का विधान—

अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा ।

दर्शने चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥ २५ ॥ (१४)

गृहस्थ (सदा) प्रतिदिन (द्यु-निशोः आद्यन्ते) दिन-रात के आदि और अंत में अर्थात् सायं प्रातः सन्धिबेलामें (अग्निहोत्रम्) अग्निहोत्र (जुहु-यात्) करे (च) और (अर्धमासान्ते-दर्शने) आधे मास के अन्त में दर्शयज्ञ अर्थात् अमावस्या का यज्ञ करे (च) तथा (एव हि पौर्णमासेन) इसी प्रकार मास पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन पौर्णमास यज्ञ करे ॥ २५ ॥

सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथर्त्वंन्ते द्विजोऽश्वरैः ।

पशुना त्वयनस्यादौ समाप्ते सौमिकैर्मखैः ॥ २६ ॥

(द्विजः) द्विज को चाहिए कि वह (सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या) अन्न पकने के बाद 'नवसस्येष्टि यज्ञ' (तथा ऋतु + अन्ते अश्वरैः) उसी प्रकार ऋतुओं की समाप्ति पर 'ऋतुयज्ञ' (अयनस्य आदौ तु पशुना) अयनों के आदि में 'पशुयज्ञ' (समाप्ते सौमिकै-र्मखैः) वर्ष के अन्त में अग्निष्टोम आदि यज्ञों को करे ॥ २६ ॥

तानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान्द्विजः ।

नवान्नमद्याम्मांसं वा दीर्घमायुजिजीविषुः ॥ २७ ॥

(दीर्घम् + आयुः जिजीविषुः अग्निमान् द्विजः) लम्बी आयु की कामना करने वाला अग्निहोत्री द्विज (नवसस्येष्ट्या च पशुना अग्निष्ट्वा) 'नवसस्येष्टि यज्ञ' और 'पशुयज्ञ' किये बिना (नवं + अन्नं वा मांसं न अद्यात्) नये अन्न और मांस को न खाये ॥ २७ ॥

नवेनान्वक्षिता ह्यस्य पशुहव्येन चाग्नयः ।

प्राणानेवात्सुमिच्छन्ति नवान्नामिषगन्धिनः ॥ २८ ॥

(हि) क्योंकि (नवेन पशुहव्येन अन्नविताः) नये अन्न और नये पशुमांस से बिना पूजी हुई (अग्नयः) यज्ञाग्नियां (अस्य नवान्न आमिषगन्धिनः) इस नये अन्न और मांस को खाने की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति के (प्राणान् + एव + अत्सुम् + इच्छन्ति) प्राणों को ही खाना चाहती हैं ॥ २८ ॥

अनुशीलन : २६ से २८ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अन्तर्विरोध : मांसभक्षण और पशुयज्ञ मनुविरुद्ध—इन श्लोकों में दो मान्यताएं वर्णित हैं—एक तो—पशुयज्ञ करना अथवा यज्ञ में पशुमांस की आहुति देना और दूसरी—मांसभक्षण को उचित मानना। ये दोनों ही मान्यताएं मनु की मौलिक मान्यताओं के विरुद्ध हैं। यदि इन्हें मनुसम्मत कहा जायेगा तो मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था ही खंडित हो जाती है। नीचे इस सम्बन्ध में मनु की कुछ मान्यताओं का उल्लेख किया जा रहा है जिनसे एकसाथ ही यह सिद्ध हो जायेगा कि (१) सर्वप्रकार की हिंसा या मांसभक्षण मनुविरुद्ध है, (२) पशुयज्ञ मनुविरुद्ध है, और (३) यज्ञ के उद्देश्य से पशुहिंसा करना भी मनुविरुद्ध है। यथा—(१) मनु ने गृहस्थियों और वानप्रस्थियों के लिए अनिवार्य रूप से पांच महायज्ञों का विधान किया है। इन यज्ञों के विधान का मुख्य उद्देश्य हिंसा की निवृत्ति ही है—

पञ्चसूना गृहस्थस्य क्षुत्सी पेषण्युपस्करः ।

कण्डनी धौवकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन् ॥

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्धं सहविभिः ।

पञ्च वज्रान्ताः महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ ३ । ६८, ६९ ॥

जो व्यक्ति दैनिक जीवनचर्या में अज्ञानवश होने वाली छोटी-छोटी हिंसाओं की निवृत्ति के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान करता है, जिसमें परप्राणीपीड़ा की भावना भी नहीं है और जो आजीविका भी ऐसी अपनाने का विधान करता है जिसमें किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचे [४।२], जो पशुओं की सवारी करते हुए उनको चानुक् भी इस प्रकार मारने के लिए कहता है जिससे वे संतप्त न हों [४।६८], वह व्यक्ति पशुओं की हिंसा और मांसभक्षण का विधान कदापि नहीं कर सकता। यह सर्वथा असंभव है। आश्चर्य की बात तो यह है कि छोटी-छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित्त के लिए अर्थात् उनके पाप की शुद्धि के लिए ही मनु पांच यज्ञों का विधान कर रहे हैं और फिर लोग यज्ञों में भी हिंसा करने को मनुसम्मत सिद्ध करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो यज्ञों से पापशुद्धि ही क्या हुई ?

इसके अतिरिक्त ५।४८, ४९, ५१ में मनु ने सब प्रकार के मांसभक्षण का निषेध एवं निन्दा की है तथा मांसभक्षण में थोड़ा-सा भी सहयोग देने वाले को 'पापी' घोषित किया है—

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयदिक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च सायकश्चेति घातकाः ॥ ६ । ५१ ॥

मनुस्मृति में अन्य अनेक स्थानों पर मांसभक्षण का निषेध है और हिंसक की निन्दा तथा अहिंसक की प्रशंसा एवं अहिंसा की प्रेरणा है—

(क) “वर्जयेत् मधुमांसं च प्राणिनां चैव हिंसनम् ।” (२। १५२ [१७७])

(ख) “वर्जयेत् मधुमांसम्” (६। १४)

(ग) “हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेवते ।” (४। १७०)

(घ) “यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्मसुखेच्छया ।

स जीवन्त्य मृतश्चैव न व्रश्चित् सुखमेवते” । ५। ४५ ॥

(ङ) “अहिंसः दमवानाम्पा जयेत् स्वर्गं तथाकृतः ।” (४। २४६)

(च) “विचरेत् नित्यतः नित्यं सर्वभूतानि अपीडयन् ॥” (६। ५२)

(छ) “अहिंसया च भूतानां भ्रमृतवाप कल्पते ।” (६। ९०)

इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि मनु सर्वप्रकार की हिंसा का निषेध और निन्दा करते हैं। तृतीय अध्याय के यज्ञ-प्रसंगों में मनु ने कहीं भी मांसयज्ञ का विधान नहीं किया है। और वानप्रस्थ के प्रसंग में तो मनु ने स्पष्टतः कह दिया है कि अन्नों से ही यज्ञ करे और वह भी ‘मेध्य’=शुभ अन्नों से—

मुन्यन्नैः विविधैः मेध्यैः शाकमूलफलैश्च वा ।

एतानेव महायज्ञान् निर्वपेत् विधिपूर्वकम् ॥ ६। ५ ॥

इस प्रकार इन श्लोकों में प्रदर्शित मान्यता का मनु की मौलिक मान्यताओं के साथ विरोध है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

(२) वेदविरोध : मांसभक्षण और पशुयज्ञ के विरोध में वेद के प्रमाण—
इस प्रसंग में मांसभक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेपकर्त्ताओं ने यज्ञ की आड़ ली है। यज्ञों का विधान वेदों में है। अतः यहाँ वेदों के ही यज्ञसम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनसे पता चलेगा कि अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए स्वार्थी लोगों ने मिथ्या ही यज्ञ और वेद को बदनाम किया है—

(क) ‘अध्वर’ शब्द ऋग्वेद में १। २३। १७ ॥ १। १३५। ७ ॥ १। ४४। १३ ॥ ३। २४। २ ॥ ७। ७२। ४ ॥ ८। ६। ८ ॥ यजुर्वेद में ३७। १८ ॥ ३। ११ ॥ २१। ४७ आदि अनेक स्थानों पर यज्ञार्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द की निरुक्ति करते हुए ऋषि यास्क लिखते हैं—“अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरति हिंसाकर्मात्प्रतिषेधः” [नि० ३। १७ ॥ १। ७] अर्थात् ‘अध्वर’ यज्ञ का नाम है। ‘ध्वर’ हिंसार्थक धातु से बना है। जिसमें हिंसा न हो उसे अध्वर=यज्ञ कहते हैं। इस संज्ञा से स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती। यज्ञ के नाम पर पशुहिंसा करना स्वार्थी लोगों की उदरपूर्ति-हेतु कल्पना है।

(ल) यजुर्वेद को कर्मकाण्ड का वेद माना जाता है। उसके प्रथम मन्त्र में ही पशुओं की अहिंसा की कामना है—“यजमानस्य पशून् पाहि” [यजु १।१] अर्थात् ‘यज्ञ करने वाले के पशुओं की रक्षा कीजिए।’

(ग) मांसहारीयों को यज्ञ सम्पादन का अधिकार नहीं—यज्ञों में मांसविधान की चर्चा तो बहुत दूर की बात है। वेदों में यज्ञ-विधान प्रसंगों में केवल यज्ञीय प्रवृत्ति के, अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं) व्यक्तियों को ही यज्ञ करने का विधान है। निम्न वेदमन्त्र प्रमाणरूप में उल्लेखनीय है—

“ऊर्जादः उत यज्ञियातः पञ्चजनाः मम होत्रं जुषध्वम् ।”

(ऋ० १०।५३।४)

अर्थात् केवल अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं), और यज्ञीय प्रवृत्ति वाले पाँचों प्रकार के (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण और निषाद) व्यक्ति यज्ञ-सम्पादन करें।

निश्चितकार ने ‘ऊर्ज’ की व्युत्पत्ति और अर्थ दिये हैं—ऊर्गिति अन्ननाम, ऊर्जयति इति सतः ।” [निह० ३।२।७] अर्थात् ‘ऊर्ज’ अन्न को कहते हैं क्योंकि यह शरीर को प्राणशक्ति प्रदान करता है।

३. शैलीगत आचार—२७—२८ श्लोकों की शैली भी अयुक्तियुक्त है। नये अन्न या पशुमांस को यज्ञ में डाले बिना खाने से यज्ञाग्नि खाने वाले के प्राणों को कैसे खा जायेगी? उसका और खाने का क्या सम्बन्ध है? और फिर नया अन्न तो प्रतिवर्ष होता है किन्तु नये वर्ष के साथ नया मांस कैसे हुआ? इस प्रकार की शैली मनुसम्मत नहीं है।

अतिथिसत्कार का विधान—

आसनाशनशय्याभिरद्भिर्मूलफलैः वा ।

नास्य कश्चिद्वसेद् गेहे शक्तिदोर्जनचितोऽतिथिः ॥२६॥ (१५)

(अस्य गेहे) इस गृहस्थी के घर में (कश्चित् अतिथिः) कोई भी अतिथि (शक्तितः) शक्ति के अनुसार (आसन+अशन शय्याभिः) आसन, भोजन, बिछौना आदि से (वा) अथवा (अद्भिः-मूल-फलैः) जल, कन्दमूल और फल आदि से (अनचितः न वसेत्) बिना सत्कार किये न रहे अर्थात् यथाशक्ति सब का सत्कार करना चाहिये ॥ २६ ॥

सत्कार के अयोग्य व्यक्ति—

पाखण्डिनो विकर्मस्थाम्बेडासव्रतिकाच्छठान् ।

हेतुकान्यकवृत्तौश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥ ३० ॥ (१६)

(पाखण्डिनः) पाखण्डी (विकर्मस्थान्) वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले (बैडालवृत्तिकान्) बिडालवृत्ति वाले [४। १६५] (शठान्) हठी (हैतुकान्) बकवादो (च) और (बकवृत्तीन्) बगुलामक्त मनुष्यों का [४। १६६] (वाङ्मात्रेण+अभि न अर्चयेत्) वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए ॥ ३० ॥ (पू० प्र० १४३)

“किन्तु जो पाखण्डी, वेदनिन्दक, नास्तिक, ईश्वर वेद और धर्म को न मानें अधर्माचरण करने हारे हिंसक, शठ मिथ्याभिमानो, कुतर्की और बकवृत्ति अर्थात् पराये पदार्थ हरने वा बहकाने में बगुले के समान प्रतिथि वेषधारी इनके आगे उनका वचनमात्र से भी सत्कार गृहस्थ कभी न करे।” (सं० वि० १५०)

‘(पाखण्डी) अर्थात् वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करने हारे (विकर्मस्थ) जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्त्ता मिथ्याभाषणादियुक्त, जैसे बिडाल छिप और स्थिर रहकर ताकता-ताकता भ्रष्ट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है, वैसे जनों का नाम बैडालवृत्ति (शठ) अर्थात् हठी, दुराग्रही, अभिमानो आप जाने नहीं, औरों का कहा माने नहीं (हैतुक) कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं, हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है, इत्यादि गपोड़ी हांकने वाले (बकवृत्ति) जैसे बक एक पैर उठा, ध्यानावस्थित के समान होकर भट मच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वैसे आजकल के वैरागी और साखी आदि हठी दुराग्रही, वेदविरोधी हैं; ऐसों का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिए।” (सं० प्र० १०३)

सत्कार के योग्य व्यक्ति—

वेदविद्याव्रतस्नाताञ्छ्रोत्रियाग्नेहमेधिनः ।

पूजयेद्भग्यकथ्येन विपरीताश्च वर्जयेत् ॥ ३१ ॥ (१७)

(वेदविद्याव्रतस्नातान्) वेदों के विद्वान्, ज्ञानी और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके स्नातक बने हैं उनका, तथा (श्रोत्रियान् गृहमेधिनः) वेद-पाठी=वेदज्ञाता गृहस्थियों का (हग्यकथ्येन) भोग्य पदार्थों और वस्त्रदान आदि से (पूजयेत्) सत्कार करे (विपरीतान् च वर्जयेत्) और जो इनसे विपरीत हैं उन्हें छोड़दे ॥ ३१ ॥

अनुवर्तिताः : हग्य-कथ्य शब्दों का विवेचन—हग्य-कथ्य के सम्बन्ध में परवर्ती टीकाकारों—भाष्यकारों को पर्याप्त भ्रान्ति रही है। वे परवर्ती पौराणिक

रूढ़ियों के आधार पर इन्हें मृतक पितृश्राद्ध आदि के साथ जोड़ते हैं, मनुस्मृति में इनका अर्थ मृतकश्राद्ध आदि से सम्बन्धित नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि मनु मृतकश्राद्ध को मानते ही नहीं। यह इस श्लोक से भी सिद्ध है। यहाँ स्पष्टतः जीवित विद्वानों को हव्य-कव्य देने का कथन कर रहे हैं [अग्न्य प्रमाण द्रष्टव्य है ३। ८१-८२ और ३। २८४ की समीक्षा में] मनुस्मृति में इनके घातव्यनुसारी अर्थ हैं—

(क) 'हु वानावानयोः' (जुहो०) घातु से 'यत्' प्रत्यय के योग से हव्य शब्द बनता है। यज्ञप्रसंग में हव्य का अर्थ हवीषि = आहुतियाँ [निरु० ८। ७] होता है, किन्तु व्यवहार में 'हव्यम् = अतव्यम् द्रव्यम्' 'वातव्यं वानादिकं वा' = धार्मिक विद्वानों [४। ३०-३१] को भोग्य पदार्थों का भोजन आदि का दान 'हव्य' कहलाता है।

(ख) कव्य शब्द 'कवि' प्रातिपदिक से साध्वर्थ या हितार्थ में 'यत्' के योग से बनता है। कवि शब्द का अर्थ भी क्रान्तदर्शी = सूक्ष्मदृष्टा विद्वान् होता है [द्रष्टव्य २। १२६ (२। १५१) पर अनुशीलन]। 'कवयः = क्वाभ्यः प्रज्ञाश्च विद्वांसः, तेभ्यो हितानि कर्माणि कथयानि' [ऋ० द० यजु० २। २६]। 'कव्यः = हितार्थं प्रवक्तुं द्रव्यम्' = विद्वानों के हित के लिए दिये जाने वाले धन, वस्त्र आदि दान 'कव्य' कहलाते हैं।

(ग) किन्तु जहाँ 'हव्य-कव्य' का युग्म शब्द के रूप में प्रयोग होता है, वहाँ इसका समन्वित और विस्तृत अर्थ होता है—'विद्वानों को दान में दिये जाने वाले भोजन-छादन, उपहार आदि सम्बन्धी सभी पदार्थ'।

भिक्षा एवं बलिर्वैश्वदेव का विधान—

शक्तिततोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना ।

संविभागश्च भूतेभ्यः कर्त्तव्योऽनुपरोधतः ॥ ३२ ॥ (१८)

(गृहमेधिना) गृहस्थी को (शक्तितः + अपचमानेभ्यः) अपने हाथ से जो पका नहीं सकते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी, संन्यासी आदि को (दातव्यम्) अन्न देना चाहिए (च) और (अनुपरोधतः) जिससे परिवार के भरण-पोषण में बाधा न पड़े इस प्रकार (भूतेभ्यः संविभागः कर्त्तव्यः) प्राणियों—असहाय, विकलांगादि मनुष्यों तथा कुत्ता, पक्षी आदि के लिये भोजन का भाग भी निकालना चाहिए ॥ ३२ ॥

भूख की अवस्था में राजा से धनग्रहण—

राजतो धनमग्निरक्षेत्संसीदन्स्नातकः क्षुधा ।

याग्यान्तेवासिनोर्बाहि रक्ष्यत इति स्थितिः ॥ ३३ ॥

(स्नातकः क्षुधा संसीदन्) स्नातक भूख से पीड़ित होता हुआ (राजतः) राजा से

(अपि वा) अथवा (याज्य + अन्तेवासिनः धनम् + अन्विच्छेत्) यजमान अथवा किसी शिष्य से धन मांगले (अन्यतः तु न इति स्थितिः) और किसी से नहीं मांगे, ऐसी मर्यादा है ॥ ३३ ॥

न सीदेत्स्नातको विप्रः क्षुधा शक्तः कथञ्चन ।

न जीर्णमलवद्वासा भवेच्च विभवे सति ॥ ३४ ॥

(स्नातकः विप्रः) स्नातक विद्वान् (क्षुधाशक्तः) भूख के वशीभूत होकर (कथञ्चन) कभी भी (न सीदेत्) दुःखी न हो (च) और (विभवे सति) धन होने पर (न जीर्णमलवद् वासा भवेत्) फटे-पुराने और मैले कपड़ों में न रहे ॥ ३४ ॥

अनुशीलनः ३३-३४ श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—प्रस्तुत विषय का संकेत देने वाले श्लोक ४।१३ और ४।२५६ हैं। इन दोनों श्लोकों में विषय का संकेत निम्न पदों द्वारा स्पष्ट और निश्चित होता है—

प्रारम्भ में—“स्वर्ग-प्रापुष्य-यशस्यानि व्रतानि इमानि धारयेत्” ॥ ४।१३ ॥

समाप्ति पर—“स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः” ॥ ४।२५६ ॥

इन पदों से इस अध्याय के १३ से २५६ श्लोकों का विषय यह निश्चित हुआ कि इनमें—

(क) ऐसे व्रतों का विधान होना चाहिए जो एक बड़ संकल्प के रूप में धारण किये जा सकते हों, और—

(ख) वे स्वर्ग, आयु तथा यशदायक हों, तथा—

(ग) सत्त्वगुणवर्धक हों अर्थात् सत्त्वगुण की वृद्धि से उनका सम्बन्ध होना चाहिये।

संक्षेप में प्रस्तुत विषय—‘स्वर्ग-प्रापु-यश देने वाले सत्त्वगुणवर्धक व्रतों’ का है।

अब यहाँ विचारणीय बात यह है कि ‘सत्त्वगुण’ का क्या लक्षण माना जाये ? इसके उत्तर में मनु का ही श्लोक आधाररूप में स्वीकार किया गया है—

वेदाम्नासः तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सार्वकं गुणलक्षणम् ॥ १२।३१ ॥

अर्थात्—वेदाम्नास, तप, ज्ञान, शौच=शुद्धि, इन्द्रियसंयम, धर्मक्रियाओं का पालन, परमात्मा का या आत्मा का चिन्तन ये सत्त्वगुण के लक्षण हैं।

इस श्लोक में अन्य सभी बातें तो स्पष्ट हैं, ‘धर्मक्रिया’ शब्द पर कुछ और विचार करना अपेक्षित रह जाता है। धर्मक्रिया=धर्म के आचरण, धर्म के लक्षणों का वर्णन करने वाले श्लोकों से स्पष्ट हो जाते हैं—

धृतिः क्षमा दक्षोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

वीर्यदा सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ६ । ६२ ॥

मनु ने १२।३८ में सत्त्वगुण को और स्पष्ट कर दिया है—

“सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः” अर्थात्—‘धर्म’ सत्त्वगुण का लक्षण है ।

इस प्रकार प्रस्तुत विषय में मनु के इन श्लोकों को आधार बनाकर ‘धर्मक्रिया’ शब्द के अन्तर्गत मनु द्वारा प्रोक्त लक्षणों [१२।३१], सभी धर्मलक्षणों [६।६२] धर्मों, जैसे—सदाचार [१।१०८], अहिंसा [६।५२, ६०; ४।१७०, २४६], दान [४।२२७] आदि तथा धार्मिक कृत्यों, जैसे—पञ्चमहायज्ञ आदि का ग्रहण किया गया है । इन्हीं को सत्त्वगुणवर्धक माना जायेगा ।

इस आधार पर यह निश्चित हुआ कि १३ से २५६ श्लोकों में ऐसे वर्णन वाले श्लोक विषयसम्मत माने जायेंगे जो अतः हों अर्थात् एक दृढसंकल्प रूप में जिनको धारण किया जा सके और जो स्वर्ग-प्राप्त्युपयोगी, सत्त्वगुणवर्धक हों । इस कसौटी पर जो श्लोक पूरे नहीं उतरेंगे, इसका मतलब यह होगा कि वे मनु के विषय-संकेत के अनुसार नहीं हैं; अतः वे विषय-विरुद्ध हैं । इस आधार पर वे प्रक्षिप्त कहलायेंगे ।

(१) ३३-४४ श्लोक विषयविरुद्ध हैं क्योंकि इनका ‘सत्त्वगुण वर्धन’ से और ‘व्रतों’ से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

२. प्रसंगविरोध—ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध भी हैं । २१ वें श्लोक में पञ्चमहायज्ञों का विधान करके उसके अग्रिम श्लोकों में पञ्चमहायज्ञों के विस्तृत वर्णन का प्रसंग शुरू किया था । तदनुसार ३२ वें में अग्निवैश्वदेवयज्ञ का वर्णन है और ३५ वें में स्वाध्याय का कथन होने से ऋषियज्ञ या ब्रह्मयज्ञ का निर्देश है । इस पूर्वापर यज्ञों के प्रसंग में स्नातक के क्षुधाकालीन कर्तव्यों का कथन करना अप्रासंगिक है । इस आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं ।

स्वाध्याय में तत्पर रहना—

क्लृप्तकेशनखश्मश्रुर्दान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः ।

स्वाध्याये चैव युक्तः स्वाग्निस्त्यमात्महितेषु च ॥ ३५ ॥ (१६)

(क्लृप्त-केश-नख-श्मश्रुः) केश, नाखून और दाढ़ी कटवाता रहे (दान्तः) संयमी रहे (शुक्लाम्बरः) स्वच्छ वस्त्र धारण करे (शुचिः) शुद्धता रखे (च) और (नित्यं स्वाध्याये च आत्महितेषु युक्तः स्वात्) प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय और अपनी आत्मा की उन्नति में लगा रहे ॥ ३५ ॥

लाठी, कमण्डलु आदि का धारण—

बंजर्षी धारयेच्छष्टि सोढकं च कमण्डलुम् ।

यज्ञोपवीतं चैव च शुभे रोक्षे च कुण्डले ॥ ३६ ॥

(वैश्वीं यष्टि धारयेत्) बांस की लाठी धारण करे (च) और (सोदक कमण्डलुम्) जलभरा कमण्डलु (यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे कुण्डले) यज्ञोपवीत, वेद तथा सुवर्ण से निर्मित सुन्दर कुण्डल [=बाले] धारण करे ॥ ३६ ॥

त्याज्य बातें—

नेक्षेतीद्यन्तमादित्यं नास्तं यस्तं कदाचन ।

नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम् ॥ ३७ ॥

(उद्यन्तम् अस्तं यन्तम् आदित्यं कदाचन न + ईक्षेत) उदय होते हुए, अस्त होते हुए सूर्य को कभी न देखे (न उपसृष्टं न वारिस्थं न नभसः मध्यं गतम्) न ग्रहण लगे, न जल में प्रतिबिम्ब वाले, न आकाश के बीच में गये सूर्य को देखे ॥ ३७ ॥

न लङ्घयेद्दत्ततन्त्रीं न प्रधावेच्च वर्षति ।

न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥ ३८ ॥

(वत्सतन्त्रीं न लङ्घयेत्) बछड़े के बाँधने की रस्सी को कभी न लाँचे (च) और (वर्षति न प्रधावेत्) बरसते में कभी न दौड़े (स्वं रूपम् उदके न निरीक्षेत) अपनी परछाई को पानी में न देखे (इति धारणा) ऐसी मान्यता है ॥ ३८ ॥

मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम् ।

प्रवक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥ ३९ ॥

(मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथं च प्रज्ञातान् वनस्पतीन्) मिट्टी, गाय, देवस्थान, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा और प्रसिद्ध अर्थात् पूज्य वृक्षों—पीपल, बड़ आदि को (प्रवक्षिणानि कुर्वीत) दायाँ ओर रखके जाये ॥ ३९ ॥

अनुष्ठीतव्रतः : ३६ से ३९ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. विषय-विरोध—ये सभी श्लोक विषयबाल हैं। इनका 'सत्त्वगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही ये व्रत हैं। अतः विषय-विरोध के आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं (विस्तृत जानकारी के लिए ४। ३३-३४ में 'विषय-विरोध' शीर्षक आधार की समीक्षा देखिए)।

२. अन्तर्विरोध—(१) २। २० [४५] में पृथक्-पृथक् वर्णों के लिए पृथक्-पृथक् वृक्षों की साठियां विहित हैं, ३६ वें में बांस की लाठी का विधान उससे भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। (२) २। २३ [४८], ७६ [१०१] श्लोकों में सूर्य-दर्शन का विधान और कथन है, ३७ वें में सूर्य-दर्शन का निषेध उसके विरुद्ध है।

३. शैलीगत आधार—३७—३९ श्लोकों की शैली रूढ़ और अयुक्तियुक्त है। इनमें वर्णित बातों का न तो कोई कारण है और न इनमें कोई बुद्धिसंगत कारण हो सकता है। ३९ वें में वर्णित बातें तो व्यावहारिक रूप में संभव ही नहीं है।

रजस्वलागमन-निषेध एवं उससे हानि—

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमासंवदशने ।

समःनशयने चैव न शयीत तथा सह ॥ ४० ॥ (२०)

(प्रमत्तः + अपि) कामातुर होता हुआ भी (आर्तवदर्शने) मासिक धर्म के दिनों में (स्त्रियं न + उपगच्छेत्) स्त्री से सम्भोग न करे (च) और (तथा सह समानशयने न शयीत) उसके साथ एक बिस्तर पर न सोये ॥ ४० ॥

रजसाऽभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः ।

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ ४१ ॥ (२१)

(हि) क्योंकि (रजसा + अभिप्लुतां नारीं) रजस्वला स्त्री के (उप-गच्छतः नरस्य) पास जाने वाले = संभोग करने वाले मनुष्य के (प्रज्ञा तेजः बलं चक्षुः च आयुः एव प्रहीयते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति और आयु, ये सब घटते हैं ॥ ४१ ॥

रजस्वलागमन-त्याग से लाभ—

तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम् ।

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते ॥ ४२ ॥ (२२)

(रजसा समभिप्लुतां तां विवर्जयतः) रज निकलती हुई अर्थात् उस रजस्वला स्त्री से संभोग न करने वाले (तस्य) उस मनुष्य के (प्रज्ञा तेजः बलं चक्षुः च आयुः एव प्रवर्धते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति और आयु ये सब बढ़ते हैं ॥ ४२ ॥

स्त्री को किन अवस्थाओं में न देखे—

नाश्नीयाद्भार्यया सार्धं नैवाभीक्षेत् चाशनतीम् ।

क्षुवतीं जृम्भमाणाम् वा न चासीनां यथामुखम् ॥ ४३ ॥

(भार्यया सार्धं न + अश्नीयात्) स्त्री के साथ एक थाली में भोजन न करे (च) और (एनाम् अशनती न ईक्षेत्) इसको खाते हुए न देखे (क्षुवतीम्) छींकती हुई को (जृम्भमाणाम्) जंभाई लेती हुई को (च) तथा (यथामुखम् आसीनां न) मनमाने आसन से मुखपूर्वक बैठी हुई को भी न देखे ॥ ४३ ॥

नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम् ।

न पश्येत्प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ ४४ ॥

(स्वके नेत्रे अञ्जयन्तीं) अपने नेत्रों में अञ्जन लगाती हुई को (अनावृताम्

अभ्यक्ताम्) नंगी होकर तैल लगाती हुई या नहाती हुई को (प्रसवन्तीम्) जब वस्त्र उत्पन्न कर रही हो तब (तेजस्कामः द्विजोत्तमः न पश्येत्) तेज की कामना रखने वाला द्विज उसे न देखे ॥ ४४ ॥

मल-मूत्रादि त्याग में वर्ज्य बातें —

नाग्नमद्यादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत् ।

न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे ॥ ४५ ॥

(एकवासा अन्नं न ग्रहात्) एक वस्त्र पहने भोजन न करे (नग्नः स्नानं न आचरेत्) नंगा होकर स्नान न करे (पथि भस्मनि गोव्रजे मूत्रं न कुर्वीत) मार्ग में राख में, गीसाला में पेशाब न करे ॥ ४५ ॥

न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते ।

न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥

न ससस्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः ।

न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ४७ ॥

(न फालकृष्टे) न जुते हुए खेत में (न जले) न पानी में (न चित्याम्) न ईंटों के भट्टे या आबे में (न पर्वते) न पहाड़ पर (न जीर्ण देवायतने) न पुराने खण्डहर पड़े देवालय में (न कदाचन वल्मीके) न कभी दीमक की बंजी (= बसीठा) में (न ससस्वेषु गर्तेषु) न जीव रह रहे हों ऐसे बिलों में (न गच्छन्) न चलते हुए (न स्थितः) न खड़े हुए (न नदीतीरम् + आसाद्य) न नदी के किनारे पर (च) और (न पर्वतमस्तके) और न पहाड़ के शिखर पर पेशाब करे ॥ ४६, ४७ ॥

वाय्वग्निविप्रमादित्यमपः पश्यन्तथैव गाः ।

न कदाचन कुर्वीत विष्णुमूत्रस्य विसर्जनम् ॥ ४८ ॥

(तथैव) उसी प्रकार (वायु-अग्नि-विप्रम् + आदित्यम् + अपः गाः पश्यन्) वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल और गौ को देखते हुए (कदाचित् विद्-मूत्रस्य विसर्जनं न कुर्वीत) कभी भी मल-मूत्र का त्याग न करे ॥ ४८ ॥

तिरस्कृत्योष्णरेत्काष्ठलोष्ठपत्रतृणादिना ।

नियम्य प्रयतो वाचं संतीताङ्गोऽबगुण्ठितः ॥ ४९ ॥

(काष्ठ-लोष्ठ-पत्र-तृण-आदिना तिरस्कृत्य) लकड़ी, मिट्टी का ढेर, शाखा, घास आदि की ओट करके—छिपाकर (प्रयतः वाचं नियम्य) प्रयत्नपूर्वक वाणी पर संयम रखते हुए (अबगुण्ठितः) शरीर को कपड़े से ढककर (संतीताङ्गः) अङ्गों को = शरीर को इकट्ठा = संकुचित-सा करके (उच्चरेत्) मल-मूत्र का त्याग करे ॥ ४९ ॥

मूत्रोष्णारसमुत्सर्गं दिवा कुर्यादुदकमुखः ।

दक्षिणान्निमुखो रात्रौ संध्योश्च तथा दिवा ॥ ५० ॥

(दिवा तथा संध्ययोः) दिन में तथा दोनों संध्याओं में (उदङ्मुखः) उत्तर की ओर मुख करके (रात्रौ दक्षिण अभिमुखः) रात में दक्षिण की ओर मुख करके (मूत्र-उच्चार-समुत्सर्गं कुर्यात्) जिस किसी प्रकार मुख अनुभव करे उधर मुख करके मल-मूत्र का त्याग करे ॥ ५० ॥

छायायामग्न्यकारे वा रात्रावह्निं वा द्विजः ।

यथासुखमुखः कुर्यात्प्राणबाधाभयेषु च ॥ ५१ ॥

(द्विजः) द्विज (रात्रौ वा ग्रह्णि) रात या दिन में (छायायाम् + अग्न्यकारे वा) बादलों की छाया हो जाने पर अथवा कुहरे आदि से अग्नेरा हो जाने पर (च) और (प्राण-बाधाभयेषु) चोर, सिंह आदि किसी कारण से प्राणबाधा का भय उपस्थित होने पर (यथासुखमुखः कुर्यात्) जिस किसी प्रकार मुख अनुभव करे उधर ही मुख करके मल-मूत्र त्याग करे ॥ ५१ ॥

प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान् ।

प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥ ५२ ॥

(प्रति + अग्निं प्रतिसूर्यं प्रतिसोम + उदक-द्विजान् प्रतिगां च प्रतिवातम्) अग्नि के सामने, सूर्य के सामने, चन्द्रमा, जल, ब्राह्मण, गाय, हुवा, इनकी ओर मुख करके (मेहतः) मल-मूत्र त्याग करने से (प्रज्ञा नश्यति) मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥ ५२ ॥

विविध त्याज्य वार्ते—

नाग्निं मुखेनोपधमेत्तग्नौ नैक्षेत च स्त्रियम् ।

नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत् ॥ ५३ ॥

(अग्निं मुखेन न उपधमेत्) आग की कभी मुख से न फूँके (च) और (तग्नौ स्त्रियं न + ईक्षेत) गंगी स्त्री को न देखे (अग्नौ अमेध्यं न प्रक्षिपेत्) अग्नि में कोई गन्दी वस्तु [विष्ठा आदि] न फेंके (च) और (पादौ न प्रतापयेत्) आग में पैरों को न सेके = तापे ॥ ५३ ॥

अधस्ताग्नोपदध्याच्च न चैनममिलङ्घयेत् ।

न चैनं पादतः कुर्यान्न प्राणबाधमाचरेत् ॥ ५४ ॥

(च) तथा इस आग को (अधस्तात् + न + उपदध्यात्) छाट आदि के नीचे न रखे (च) और (एनं न अमिलङ्घयेत्) इसे कभी न लांचे (न च + एनं पादतः कुर्यात्) और न इसे पैरों से स्पर्श करे—हटाये (प्राणबाधं न आचरेत्) कोई ऐसा काम न करे जिससे प्राणों का भय हो ॥ ५४ ॥

नाग्नीयात्संबिबेलायां न गच्छेन्नापि संबिभेत् ।

न चैव प्रतिलेह्यं भूमिं नात्मनोपहरेत्तज्जम् ॥ ५५ ॥

(सन्धिवेलायाम्) संध्या के समय (न + अस्तीयात्) न खाये (न गच्छेत्) न कहीं रास्ते पर जाये (न संविशेत्) न सोये (च) और (न भूमिं प्रलिखेत्) न भूमि को कुरेदे (न + आत्मनः स्रजम् उपहरेत्) न अपने गले में पहनी माला को दूसरे को पहनावे ॥ ५५ ॥

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समुत्सृजेत् ।

अमेध्यलिप्तमग्न्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा ॥ ५६ ॥

(अप्सु) जल में (मूत्रं पुरीषं ष्ठीवनं लोहितं वा विषाणि वा अन्यत् अमेध्य-
लिप्तम्) पेशाब, बिष्ठा, थूक, खून, अथवा विष या अपवित्र वस्तु से लिपी कोई वस्तु
(न समुत्सृजेत्) न फेंके ॥ ५६ ॥

नैकः सुप्याच्छून्यगेहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत् ।

मौढक्याऽभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृतः ॥ ५७ ॥

(सून्यगेहे एकः न सुप्यात्) सूने घर में अकेला न सोये (श्रेयांसं न प्रबोधयेत्)
अपने से बड़े सोते हुए को न जगावे (उदक्यया न अभिभाषेत) रजस्वला से बातचीत न
करे (च) और (अवृतः यज्ञं न गच्छेत्) बिना वरण किये ऋत्विज बनकर यज्ञ में न
जाये ॥ ५७ ॥

अग्न्यागारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निधौ ।

स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत् ॥ ५८ ॥

(अग्नि + आगारे) अग्निशाला में (गवां गोष्ठे) गौशाला में (ब्राह्मणानां
सन्निधौ) ब्राह्मणों के पास (स्वाध्याये) वेद के अध्ययन के समय (च) तथा (भोजने)
भोजन में (दक्षिणं पाणिम् + उद्धरेत्) कपड़े से दाहिनी भुजा को बाहर रखे ॥ ५८ ॥

न वारयेद्गां वयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित् ।

न दिवीश्रायुषं हृष्ट्वा कस्यचिद् दर्शयेद् बुधः ॥ ५९ ॥

(वयन्तीं गां न वारयेत्) जल पीती हुई गाय को न हटाये या रोके (च) और
(कस्यचित् न आचक्षीत) न किसी से बताये (बुधः) बुद्धिमान् को चाहिए कि (दिवि)
दिन में (इन्द्रायुषं हृष्ट्वा) इन्द्रधनुष को देखकर (कस्यचित् न दर्शयेत्) किसी को न
दिखाये ॥ ५९ ॥

नाधार्मिके वसेद् ग्रामे न व्याधिबहुले मुक्षाम् ।

नैकः प्रपद्येताश्चानं न चिरं पर्वते वसेत् ॥ ६० ॥

(अधार्मिके ग्रामे न वसेत्) अधार्मिकों के गांव में न रहे (न भुक्षं व्याधिबहुले)
न ऐसे गांव में रहे जहाँ बहुत बीमारी फैली हो (एकः अश्वानं न प्रपद्येत) अकेला किसी
निर्जन मार्ग पर न चले (पर्वते चिरं न वसेत्) पहाड़ पर बहुत समय तक न रहे ॥ ६० ॥

न शुद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृते ।

न पाखण्डिगणाक्रान्ते नोपसृष्टेऽन्यजैर्नृभिः ॥ ६१ ॥

द्विज (शुद्रराज्ये न निवसेत्) शुद्र के राज्य में न रहे (अधार्मिकजन + आवृते न) अधार्मिक लोगों से घिरे राज्य में भी न रहे (पाखण्डिगण + आक्रान्ते) पाखण्डियों के समूहों से घिरे (अन्यजैः नृभिः उपसृष्टे न) शुद्र या चाण्डाल लोगों से घिरे या भरे गाँव में भी न बसे ॥ ६१ ॥

न भुञ्जीतोद्धृतस्नेहं नातिसौहित्यमाचरेत् ।

नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥ ६२ ॥

(उद्धृतस्नेहं न भुञ्जीत) जिसमें से चिकनायी निकाल ली है ऐसे पदार्थ को न खाये (अति + सौहित्यं न आचरेत्) बहुत अधिक न खावे (न + अतिप्रगे) न बहुत सवेरे (न + अतिसायम्) न बहुत शाम बीते खाये (प्रातः + आशितः सायं न) प्रातःकाल यदि बहुत खा लिया हो तो सायंकाल न खाये ॥ ६२ ॥

न कुर्वीत वृथा चेष्टां न वार्यञ्जलिना पिबेत् ।

नोत्सङ्गे भक्षयेद्भक्ष्यान् जातु स्यात्कुतूहली ॥ ६३ ॥

(वृथा चेष्टां न कुर्वीत) व्यर्थ की चेष्टाएँ न करे (अञ्जलिना वारि न पिबेत्) अंजलि से जल न पीये (भक्ष्यान् उत्सङ्गे न भक्षयेत्) खाने के पदार्थों को गोद में रखकर न खाये (जातु कुतूहली न स्यात्) कभी बिना प्रयोजन के किसी बात को जानने की इच्छा न रखे ॥ ६३ ॥

न नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत् ।

नास्फोटयेन्न च श्वेडेऽन च रक्ती विराचयेत् ॥ ६४ ॥

(न नृत्येत् अथवा गायेत्) न नाचे और न गायें (वादित्राणि वादयेत्) न बाजे बजाये (न + आस्फोटयेत्) न ताली बजाये (न श्वेडेत्) न दाँत किड़किड़ावे (च) और (रक्ताः न विराचयेत्) अनुरागभाव में मग्न होकर अभद्र वाद न करे ॥ ६४ ॥

न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने ।

न भिन्नभाण्डे भुञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥ ६५ ॥

(कांस्ये भाजने कदाचित् + अपि पादौ न धावयेत्) काँसे के बर्तन में कभी पैर न धोये (भिन्नभाण्डे न भुञ्जीत) दूरे बर्तन में कभी न खाये (भावप्रतिदूषिते न) मन को प्रिय न लगने वाले बर्तन में भी भोजन न करे ॥ ६५ ॥

उपानहौ च वासश्च धूम्रमज्जनं धारयेत् ।

उपवीतमसङ्कारं स्वर्जं करकमेव च ॥ ६६ ॥

(अग्नौ धूतं उपानहौ च वासः न धारयेत्) दूसरों द्वारा एकबार धारण किये गये जूते और वस्त्रों को धारण न करे (उपवीतम् + अलङ्कारं स्वर्जं च करकम् + एव)

यज्ञोपवीत, आभूषण, माला और कमण्डलु भी दूसरों के द्वारा धारण किये हुए धारण न करे ॥ ६६ ॥

अनुशीलन : ४३ से ६६ तक के श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—४५ से ६६ श्लोक विषयबाल्य हैं। ये न तो व्रत ही हैं और न इनका 'सत्त्वगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध है। अतः प्रक्षिप्त हैं, [विस्तृत विवेचन ४३३-३४ श्लोकों पर द्रष्टव्य है 'विषयविरोध' शीर्षक आधार]।

२. अन्नविरोध—(१) ४३ वें श्लोक में पत्नी के साथ खाने का निषेध है, जबकि ३। ११३, ११६ में साथ खाने का विधान है। (२) ४३-४४ श्लोकों में पत्नी को विभिन्न अवस्थाओं में न देखने का कथन है। जिस स्त्री के साथ सदा एकत्र रहना है, उसके साथ इस प्रकार की साधारण बातों का निषेध करना विरोधी बातें हैं; जो कि अशुभव हैं। (३) ५५ और ६२ वें श्लोक में संधिवेलाओं में खाने का निषेध है, जब कि पञ्चयज्ञ संधिवेलाओं में ही किये जाते हैं और उनके बाद ही मनु ने भोजन करने का विधान किया है [३। ११६]। (४) ६१ वें श्लोक में 'शूद्रराजा' की मान्यता मनु की व्यवस्था से मेल नहीं खाती, क्योंकि मनु कर्मणावर्णव्यवस्था मानते हैं। जो शूद्र है वह राजा नहीं है, और जो राजा है, वह वर्णव्यवस्था के अनुसार अशुभ है। [१। ८७-८९]।

३. शैलीगत आधार—प्रायः सभी श्लोकों की शैली रुढ़ एवं अयुक्तियुक्त है। इनमें किसी बात के साथ कारण नहीं दर्शाया गया है, जहाँ दर्शाया भी है तो उसका कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है। मनु की शैली रुढ़ एवं अयुक्तियुक्त नहीं है।

सवारी किन पशुओं से न करे या करे—

नाविनीतैर्व्रजेद्ध्युर्येन च क्षुद्-व्याधिपीडितैः।

न भिन्नशृङ्गाक्षिचुरैर्न बालधिविरूपितैः ॥ ६७ ॥ (२३)

(अविनीतैः) बिना सिखाये हुए (क्षुद्-व्याधि-पीडितैः) भूख और रोग से पीड़ित (भिन्न-शृङ्गा-अक्षि-चुरैः) जिनके सींग, नेत्र और खुर टूट गये हैं (बाल + अधिविरूपितैः) जिनकी पूँछ कटी या घायल हो, ऐसे (धुर्यैः न व्रजेत्) जूए में जुतने वाले घोड़े, बैल आदि पशुओं पर चढ़कर न जाये ॥ ६७ ॥

विनीतैस्तु व्रजेन्निर्यमाशुगैर्लक्षणान्वितैः।

वर्णरूपोपसंपन्नैः प्रतोदेनानुदन्भृशम् ॥ ६८ ॥ (२४)

(विनीतैः) सिखाये हुए (लक्षण + अन्वितैः) सुन्दर लक्षणों से युक्त (वर्ण-रूप + उपसंपन्नैः) सुन्दर रंग-रूप से युक्त (आशुगैः) शीघ्रगामी पशुओं से (प्रतोदेन भृशम् अनुदन्) चाबुक की मार से बहुत पीड़ा न देता हुआ (व्रजेत्) सवारी करे ॥ ६८ ॥

बालसूर्यदर्शन आदि निषेध—

बालातपः प्रेतघूमो वज्र्यं भिन्नं तथाऽऽसनम् ।

न छिन्द्यान्मललोभानि दन्तैर्नोत्पाटयेन्मलान् ॥ ६६ ॥

(बालातपः) बालसूर्य की घूम (प्रेतघूमः) जलते हुए मुँह का धूम्र (तथा) तथा (भिन्नम् आसनं वज्र्यम्) फटा आसन इनको छोड़ देना चाहिए (नल-लोभानि न छिन्द्यात्) नाखून और रोमों को न तोड़े-फाड़े (नलान् दन्तैः न उत्पाटयेत्) नाखूनों को दाँतों से न उखाड़े ॥ ६६ ॥

न मृदलोष्ठं च मृदनीयान् छिन्द्यात्करजस्तृणम् ।

न कर्म निष्फलं कुर्यान्नायस्यामसुखोदयम् ॥ ७० ॥

(मृदलोष्ठं न मृदनीयात्) मिट्टी के ढेले को हाथ से न मसले या फोड़े (करजैः तृणं न छिन्द्यात्) अंगुलियों से तिनकों को न तोड़े (निष्फलम् आयस्याम् असुख-उदयं कर्म न कुर्यात्) बिना प्रयोजन वाला और भविष्य में जिससे दुःख प्राप्त हो ऐसा कोई काम न करे ॥ ७० ॥

लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी नललादी च यो नरः ।

स विनाशं व्रजत्यागु सूचकोऽशुचिरेव च ॥ ७१ ॥

(लोष्ठमर्दी) ढेले को मलने वाला (तृणच्छेदी) तिनकों को तोड़ने वाला (नल-लादी) नाखूनों को दाँतों से काटने वाला (सूचकः) खुगुलखोर (च) और (अशुचिः) अपवित्र रहने वाला (यः नरः) जो मनुष्य है (सः) वह (प्राशु विनाशं व्रजति) शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥

न विगृह्यं कथां कुर्याद्बहिर्मात्यं न धारयेत् ।

गवां च यानं पृष्ठेन सर्वथैव विगृहितम् ॥ ७२ ॥

(विगृह्यं—कथां न कुर्यात्) उद्दण्डता से—बहुसबाजी से बातें न करे (मात्यं बहिः न धारयेत्) माला को वस्त्रों के बाहर न पहने (च) और (गवां पृष्ठेन यानं सर्वथा + एव विगृहितम्) गोध्रों की पीठ पर चढ़कर सवारो करना सर्वथा निन्दनीय काम है ॥ ७२ ॥

अद्वारेण च नातीयाद् ग्रामं वा वेश्म बाधृतम् ।

रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिब्रजयेत् ॥ ७३ ॥

(वृत्तं ग्रामं वा वेश्म) परकोटा से घिरे गांव या घर को (अद्वारेण न + अतीयात्) बिना द्वार वाले स्थान से कूद-फाँद कर न जाये (रात्रौ) रात के समय (वृक्षमूलानि दूरतः परिब्रजयेत्) वृक्षों की जड़ों को दूर से छोड़कर जाये ॥ ७३ ॥

नाक्षैः क्रीडेत्कदाचित् स्वयं नीपानहौ हरेत् ।

शयनस्थो न भुञ्जीत न पालिस्थं न चासने ॥ ७४ ॥

(अक्षैः कदाचित् तु न क्रीडेत्) जुआ कभी भी न खेले (उपानही स्वयं न हरेत्) जूते अपने हाथों में लेकर न खेले (शयनस्थः न भुञ्जीत) सोते हुए=लेटे हुए कभी न खाये (न पाणिस्थम्) न हाथ पर खाने की वस्तु रखकर खाये (च) और (न प्रासने) न बैठने के आसन पर खाने की वस्तु रखकर खाये ॥ ७४ ॥

सर्वं च तिलसम्बद्धं नाद्यादस्तमिते रवौ ।

न च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्टः श्वचिद् व्रजेत् ॥ ७५ ॥

(इह) इस लोक में (अस्तमिते रवौ) सूर्यास्त होने पर (सर्वं तिलसंबद्धं न + अद्यात्) तिल से बनी कोई भी वस्तु न खाये (नग्नः न शयीत) पलंग आदि पर कभी नंगा होकर न सोये (उच्छिष्टः श्वचिद् न व्रजेत्) भूँटे मुँह-हाथ कहीं न जाये ॥ ७५ ॥

आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत नार्द्रपादस्तु संविशेत् ।

आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात् ॥ ७६ ॥

(आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत) पैर धोकर भोजन करे (तु) किन्तु (आर्द्रपादः न संविशेत्) गीले पांव न सोये (आर्द्रपादः तु भुञ्जानः) पांव धोकर खाने वाला (दीर्घम् + आयुः + अवाप्नुयात्) लम्बी आयु को प्राप्त करता है ॥ ७६ ॥

अश्वत्थविषयं दुर्गं न प्रपद्येत कर्हिचित् ।

न विष्णुमूत्रमुदीक्षेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत् ॥ ७७ ॥

(अश्वत्थः विषयं दुर्गं कर्हिचित् न प्रपद्येत) जो कभी आश्वत्थों से देखा न हो ऐसे किले में कभी न जाये (विष्णुमूत्रं न उदीक्षेत) विष्ठा और मूत्र को कभी न देखे (बाहुभ्यां नदीं न तरेत्) भुजाओं के सहारे से कभी नदी को पार करने का प्रयास न करे ॥ ७७ ॥

अधितिष्ठेन्न केशास्तु न सस्मास्थिकपालिकाः ।

न कार्पासास्थि न तुषाग्दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ ७८ ॥

(दीर्घम् + आयुः जिजीविषुः) लम्बी आयु चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह (केशान् भस्म + अस्थि-कपालिकाः कार्पासास्थि तुषान् न अधितिष्ठेत्) बाल, राख, हड्डी, ठीकरा, कपास की लकड़ी और भुस इन पर न बैठे ॥ ७८ ॥

अनुशीलनः : ६६ से ७८ तक के श्लोक प्रसिप्त हैं—

१. विषयविरोध—ये सभी श्लोक विषयबाह्य हैं। इन श्लोकों में वर्णित बातें न तो व्रत हैं और न उनका 'सत्त्वगुण-वर्धन' से कोई सम्बन्ध है। इस आधार पर ये प्रसिप्त हैं। [विस्तृत विवेचन ३३-३४ श्लोकों पर द्रष्टव्य है।]

२. अन्तर्विरोध—(१) ६६ वें में बालातप का निषेध है जब कि २। २३ [४८] ७६ [१०१] में प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन आदि का विधान है। (२) ६६ वें में नाखून

काटने का निषेध है जब कि ४। ३५ में नाखून काटकर साफ रखने का विधान कर चुके हैं। (३) ७६ में पाँव धोकर खाने की व्यवस्था दी है। जब कि २। २८ [५३] में केवल आचमन पूर्वक भोजन की व्यवस्था दी है।

३. पुनरुक्ति—७५ वें श्लोक का चतुर्थपाद २। ३१ [५६] के चतुर्थपाद की ज्यों की त्यों पुनरावृत्ति है—“न ओच्छिष्टः हविर्वा भजेत्”। यह अनावश्यक एवं अमौलिक है।

४. शैलीगत आधार—६६, ७०, ७२, ७३, ७५ ७८ श्लोकों की शैली रुढ़ है और ७१, ७६, की अयुक्तियुक्त तथा अतिशयोक्तिपूर्ण है।

दुष्टों का संग न करे—

न संवत्सेश्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुल्कसैः।

न मूर्खैर्न विलिप्तैश्च नान्यैर्नास्यावसायिभिः ॥ ७६ ॥ (२५)

मज्जनगृहस्थ लोगों को योग्य है कि (न पतितैः, न अन्त्यैः, न चाण्डालैः, न पुल्कसैः) जो पतित, दुष्टकर्म करने वाले हों न उनके, न चाण्डाल, न कंजर (न मूर्खैः न अवलिप्तैः च न अन्त्य + अवसायिभिः संवत्सेत्) न मूर्ख, न मिथ्याभिमानी, और न नीच निश्चय वाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें ॥ ७६ ॥ (सं० वि० १७८)

शूद्र को उपदेश आदि का निषेध—

न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्।

न चास्मोपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥ ८० ॥

(शूद्राय मतिम् उच्छिष्टं हविष्कृतं न दद्यात्) शूद्र को शिक्षा, झूठा भोजन और हवन का शेष भोजन या प्रसाद न दे (च) और (अस्य धर्मं न उपदिशेत्) इसको कभी धर्म का उपदेश न करे (च) तथा (अस्य व्रतं न आदिशेत्) इसको कभी व्रतों का उपदेश भी न करे ॥ ८० ॥

यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम्।

सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनैव भजति ॥ ८१ ॥

(हि) क्योंकि (यः अस्य धर्मम् + आचष्टे) जो इस शूद्र को धर्म का उपदेश देता है (च) और (यः व्रतम् आदिशति) जो व्रत का उपदेश करता है (सः) वह उपदेश करने वाला (असंवृतं नाम तमः तेन सह एव भजति) ‘असंवृत’ नामक नरक में उस शूद्र के साथ ही जाकर डूबता है ॥ ८१ ॥

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः।

न स्तृशोश्चैतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः ॥ ८२ ॥

(संहताभ्यां पाणिभ्याम् आत्मनः शिरः न कण्डूयेत्) दोनों हाथों से एकसाथ अपने सिर को न खुजलाये (च) और (एतत् + उच्छिष्टः न स्पृशेत्) सिर को झूठे हाथों से कभी न छूये (च) तथा (ततः बिना न स्नायात्) सिर को पहले धोये बिना स्नान न करे ॥ ८२ ॥

केशग्रहान्प्रहारान् च शिरस्थेताम्बिर्वर्जयेत् ।

शिरः स्नातश्च तैलेन नाङ्गं किञ्चिदपि स्पृशेत् ॥ ८३ ॥

(शिरसि केशग्रहान् च प्रहारान् एतान् विवर्जयेत्) सिर के बालों को पकड़कर लड़ना, और सिर में चोट मारना, इन बातों को छोड़ देवे (शिरः स्नातः तैलेन) सिर में तैल लगाकर (किञ्चिद् + अपि अङ्गं न स्पृशेत्) उन हाथों से किसी अंग को न छूये ॥ ८३ ॥

असत्रिय राजा से दान का निषेध—

न राजः प्रतिगृह्णीयावराजम्यप्रसूतितः ।

सूनाद्वक्त्रध्वजवतां वेशेनैव च जीवताम् ॥ ८४ ॥

(अराजम्य प्रसूतितः राजः) जो क्षत्रिय से उत्पन्न न हुआ हो, ऐसे राजा से (न प्रतिगृह्णीयात्) दान न ले (सूना-चक्र ध्वजवतां च वेशेन एव जीवतां न) कसाई, कुम्हार, शराब बेचने वाले और वेप बदलकर जीविका करने वालों का भी दान न ले ॥ ८४ ॥

दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः ।

दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ ८५ ॥

(दशसूनासमं चक्रम्) दशहत्या के समान चक्र अर्थात् कुम्हार, गाड़ी से जीविका करने वाले (दश चक्रसमः ध्वजः) दश चक्र के समान ध्वज अर्थात् धोबी, मद्य को निकाल कर बेचने वाले (दशध्वजसमः वेशः) दश ध्वज के समान वेश अर्थात् वैश्या, भंडुआ, भांड, दूसरे की नकल अर्थात् पावाण प्रतियों के पूजक (पुजारी) आदि, और (दश वेशसमः नृपः) दश वेश के समान अन्यायकारी राजा होता है, उनके अन्न आदि का प्रतिथि लोग कभी ग्रहण न करें ॥ ८५ ॥ (सं० वि० १५१)

दश सूनासहस्राणि यो दाहयति सौनिकः ।

तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८६ ॥

(यः सौनिकः) जो कसाई (दशसूनासहस्राणि दाहयति) दशहजार हत्याएं करता है (राजा तेन तुल्यः स्मृतः) राजा को उसके समान समझा गया है (तस्य प्रतिग्रहः घोरः) उसका दान ग्रहण करना बड़ा भयानक है ॥ ८६ ॥

अक्षित्रय राजा से दान लेने से नरकप्राप्ति—

यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः ।

स पर्यायेण यातीमाप्नरकानेकविंशतिम् ॥ ८७ ॥

(यः) जो कोई (लुब्धस्य) लोभी (उत् + शास्त्रवर्तिनः) और शास्त्रों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले (राज्ञः प्रति गृह्णाति) राजा का दान ग्रहण करता है वह (इमान् एकविंशतिं नरकान् पर्यायेण याति) इन इक्कीस नरकों में क्रम से जाता है—॥ ८७ ॥

तामिस्रग्रन्धतामिस्रं महारौरवरौरवी ।

नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च ॥ ८८ ॥

संजीवनं महावीचि तपनं सम्प्रतापनम् ।

संहातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम् ॥ ८९ ॥

लोहशङ्कुमृजीषं च पन्थानं शात्मलीं नदीम् ।

असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च ॥ ९० ॥

(तामिस्रम् + ग्रन्धतामिस्रं महारौरवरौरवी) तामिस्र, ग्रन्धतामिस्र, महारौरव और रौरव (नरकं कालसूत्रं च महानरकम्) कालसूत्रनरक और महानरक (संजीवनं महावीचि तपनं सम्प्रतापनं संहातं सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम्) संजीवन, महावीचि, तपन, सम्प्रतापन, संहात, काकोल, कुड्मल, प्रतिमूर्तिक (लोहशङ्कुं च ऋजीषं पन्थानं शात्मलीं नदीं असिपत्रवनं च लोहदारकम् एव) लोहशङ्कु, ऋजीष, पन्था, शात्मली, वैतरणी नदी, असिपत्रवन और लोहदारक ये इक्कीस नरक हैं ॥ ८८-९० ॥

एतद्विंशतो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मशविनः ।

न राज्ञः प्रतिगृह्णाति प्रेत्य श्रेयोऽभिकांक्षिणः ॥ ९१ ॥

(एतत् विदन्तः) इस बात को जानते हुए (प्रेत्य श्रेयः + अभिकांक्षिणः) परलोक में कल्याण चाहने वाले (ब्रह्मवादिनः विद्वांसः ब्राह्मणाः) ब्रह्मवेत्ता विद्वान् ब्राह्मण (राज्ञः न प्रतिगृह्णाति) राजा से दान नहीं लेते हैं ॥ ९१ ॥

अनुशीलनः : ८० से ९१ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अन्तर्बिरोध—(१) ८०-८१ वें श्लोकों में शूद्र को विद्या, धर्म, व्रतोपदेश देने का निषेध और निन्दा है। यह मान्यता जन्मना वर्णव्यवस्था पर आधारित है और जन्मना वर्णव्यवस्था मनुविरुद्ध है [देखिये १।९२—१०७ पर समीक्षा]। मनु की व्यवस्था के अनुसार वही शूद्र है जो पढ़-लिख नहीं पाता या बुद्धि की दृष्टि से अयोग्य है। मनु ने १०।१२६ में स्पष्ट कहा है “न धर्मात्प्रतिषेधनम्” अर्थात् शूद्र के लिए धर्मपालन का कोई निषेध नहीं है। इसी प्रकार २।२१३ [२३८] में “अन्यादपि परं

धर्मम्” कहकर शूद्रादि से भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्मपालन का शूद्र को कोई निषेध नहीं है। विवाह के अवसर पर यज्ञादि धर्मक्रियाओं का शूद्रों के लिए भी मनु ने द्विजों के समान ही विधान किया है। ४। २० में चारों वर्णों के लिए विवाहों का प्रसंग शुरू करके २८ वें में दैवविवाह का वर्णन यज्ञानुष्ठान पूर्वक है, वह शूद्र के लिए भी द्विजों के समान पालनीय है। इन बातों से सिद्ध होता है कि शूद्र को धर्म, उपदेश, व्रत आदि का निषेध मनुसम्मत नहीं है, अतः ये तीनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) ८४ श्लोक में अक्षत्रिय से उत्पन्न राजा का दान न लेने का कथन है। यह मान्यता भी जन्मना वर्णव्यवस्था पर आधारित है, जो मनुविरुद्ध है [इसके लिए भी १। ६२—१०७ पर समीक्षा देखिए] मनु कर्मणावर्णव्यवस्था मानते हैं, अतः विधिवत् पढ़के कर्मानुसार बना प्रत्येक राजा क्षत्रिय है। इस आधार पर ८४ वाँ श्लोक तथा इससे सम्बद्ध अग्रिम ६१ तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (३) ८६ वें श्लोक में राजा के दान को निन्दनीय कहा है, जब कि १। ८६, ७। ७६, ८१, ८२ श्लोकों में राजा के लिए ‘दान देना’ विहित है।

(४) नरक की कल्पना मनुविरुद्ध—८१, ८७—६१ श्लोकों में इक्कीस नरक योनियों की गणना है और अक्षत्रिय राजा से दान लेने वाले को इन योनियों की प्राप्ति बतलायी है। मनु के मत में ‘नरक’ नाम की कोई योनि या स्थान विशेष नहीं है। यह मान्यता निम्न प्रमाणों के आधार पर मनुविरुद्ध सिद्ध होती है—

(क) नरक शब्द स्वर्ग का विपरीतार्थक है। मनु ने २। ३२ [२। ५७] में सुख और ३। ७६ में स्वर्ग शब्द का प्रयोग सुख और ‘अस्य सुख’ के लिए किया है, और ६। २८ में “दाराधीनस्तथा रुग्णः पितृणामात्मनश्च हू” कहकर ‘वर्तमान जीवन के सुख’ के अर्थ में किया है। इससे स्पष्ट है कि स्वर्ग के विपरीतार्थक शब्द ‘नरक’ का अर्थ कोई योनि या स्थानविशेष नहीं अपितु दुःख ही है। निरुक्त में महर्षि यास्क ने भी ‘नरक’ शब्द की इसी रूप में निरुक्ति की है—“नरकं व्यरक्तं नीचैर्गमनम् इति वा अथति दुःख, अथपतन या अवनति का नाम नरक है [निरुक्त १। ३। ११]।

(ख) मनु ने मृत्यु के उपरान्त जीव की केवल दो अवस्थाएँ मानी हैं—एक तो संसार में स्थावर-जंगम योनियों में जन्म [६। ६३, ७४, १२। ६, ३६-५२] या ब्रह्म-प्राप्ति [४। १४६; ६। २१; १२। ११६, १२५]। इससे भी यही स्पष्ट है कि मनु के मत में नरक नाम की कोई पृथक् योनि या स्थान नहीं है।

(ग) मनु ने १२। ६, ३६ से ५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों की गणना की है। इस गणना में नरकयोनि का उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता है कि मनु ‘नरक’ को नहीं मानते। १२। ५२, ७४, ८१, श्लोकों में तो मनु ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त किया है कि व्यक्ति कर्मों के अनुसार पूर्वोक्त योनियों में ही शरीर-धारण करके इसी संसार में सुख-दुःख भोगता है। अतः नरकों की कल्पना मनुविरुद्ध है। इस आधार पर उक्त श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

(५) ८१, ८७-९१ श्लोक इस प्रकार भी मनु की मान्यता के विरुद्ध हैं, क्योंकि मनु किसी एक ही कर्म से किसी एक योनि की प्राप्ति या निश्चय नहीं मानते, अपितु लोक अच्छे-बुरे कर्मों के आधार पर उत्तम, मध्यम, अधम योनियों की प्राप्ति मानते हैं [१२। ३-६, ३६-५२]। इन श्लोकों में एक ही कर्म के आधार पर नरक की योनियों का निश्चय उक्त मान्यता के विरुद्ध है।

२. वेदविरुद्ध—८०-८१ श्लोकों में शूद्र के लिए यज्ञशेष भोजन और धर्म-क्रियाओं का निषेध वेद की मान्यता के विरुद्ध है। वेद में शूद्र को यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाएँ करने का और साथ ही मन्त्र आदि श्रवण का विधान किया है। प्रमाणों के लिए देखिए २। ४२ और ६। ३३५ की 'वेदविरुद्ध' शीर्षक समीक्षाएँ।

३. विषयविरोध—८०-८३ श्लोक विषयबाह्य हैं। इनका न तो 'सत्त्वगुण-वर्धन' से कोई सम्बन्ध है और न ये व्रत हैं। इस आधार पर प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत समीक्षा ४। ३३-३४ श्लोकों पर द्रष्टव्य है]।

४. शैलीगत आधार—८०-८१ श्लोकों की शैली पक्षपातपूर्ण एवं द्वेष-भावात्मक है। ८१, ८५, ८६-९१ की प्रयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। ८२-८३ श्लोकों की शैली रुढ़ है। मनु की शैली में ये वृद्धियाँ नहीं हैं।

ब्राह्ममुहूर्त में जागरण—

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्माधीं क्षानुचिन्तयेत् ।

कायक्लेशाश्च तन्मूलान्वेदतस्त्वार्यमेव च ॥ ६२ ॥ (२६)

(ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत) रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे (धर्माधीं) आवश्यक कार्य करके धर्म और धर्म (कायक्लेशान् च तन्मूलान्) शरीर के रोगों और उनके कारणों को (च) और (वेदतस्त्वार्यम् + एव अनुचिन्तयेत्) परमात्मा का ध्यान करे, कभी अधर्म का आचरण न करे ॥ ६२ ॥ (सं प्र० १०४)

संध्योपासन आदि नित्यचर्या का पालन एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति—

उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशीघ्रः समाहितः ।

पूर्वा संध्यां जपस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम् ॥ ६३ ॥ (२७)

(उत्थाय) उठकर (आवश्यकं कृत्वा) दिनचर्या के आवश्यक शीघ्र आदि कार्य सम्पन्न करके (कृतशीघ्रः) स्नान आदि से स्वच्छ-पवित्र होकर (समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (पूर्वा संध्यां जपन् चिरं तिष्ठेत्) प्रातः कालीन संध्योपासना करता हुआ देर तक बेंटे (ध) और (स्वकाले) उपयुक्त समय पर (अपराम्) सायंकालीन संध्या में भी चिरकाल तक उपासना करे ॥ ६३ ॥ अथ यो दीर्घसंध्यस्वादीर्घमायुरवाप्नुयुः ।

प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ६४ ॥ (२८)

(श्रवणः) मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों ने (दीर्घसंख्यात्) देर तक संव्यो-
पासना करने के कारण (दीर्घम्+आयुः, प्रज्ञा, यशः, कीर्ति, च ब्रह्मवर्चसम्
अवाप्नुयुः) लम्बी आयु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि और ब्रह्मतेज को प्राप्त किया
है ॥ ६४ ॥

अनुशीलनः : दीर्घसंख्या से दीर्घ-आयु आदि की प्राप्ति—(१)
गायत्री आदि वेदमन्त्रों का जप संख्या है [२।७६ (१०४)] और यह नैत्यिक यज्ञों एवं
स्वाध्याय के अन्तर्गत आता है। स्वाध्याय से आयु, तेज-बल आदि की प्राप्ति २।८२
(१६७) में भी वर्णित है। तुलनार्थं द्रष्टव्य है।

(२) गायत्री आदि वेदमन्त्रों के मननपूर्वक दीर्घसंख्या=उपासना एवं ईश्वर
से बुद्धि की प्रार्थना करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। वेदमन्त्रों के अनुसार आचरण से
आयु की प्राप्ति, फिर श्रेष्ठआचरण से प्रसिद्धि एवं यश की प्राप्ति होती है। वेदमन्त्र
पूर्वक मनन-चिन्तन, आचरण से ब्रह्मतेज बढ़ता है। मनुष्य वेद और ईश्वर के ज्ञान में
समर्थ होता जाता है [२।५३ (७८)]। इस प्रकार दीर्घ संख्या से श्लोकोक्त लाभ
मिलते हैं।

(३) 'संख्या' शब्द का अर्थ २।७७-७६ [१०३-१०५] श्लोकों में और उनकी
समीक्षा में देखिए।

श्रावणी-उपाकर्म—

श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि ।

युक्तश्छन्दांस्यधीयीत आसान्विश्रोतृर्धर्मपञ्चमान् ॥ ६५ ॥

(श्रावणायाम् अपि वा प्रोष्ठपद्याम्) श्रावणी अथवा भाद्रपद पूर्णमासी को (यथा-
विधि उपाकृत्य) विधि अनुसार उपक्रम-अनुष्ठान करके (विप्रः) द्विज (अर्धपंचमान्
मासान्) साढ़े चार मास तक (युक्तः) लग्नपूर्वक (छन्दांसि+अधीयीत) वेदों का स्वा-
ध्याय करे ॥ ६५ ॥

पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्वहिरुत्सर्जनं द्विजः ।

माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्णे प्रथमेऽहनि ॥ ६६ ॥

(द्विजः) वेदपाठी द्विज (पुष्ये) पुष्य नक्षत्र में (वा माघशुक्लस्य प्रथमे+अहनि
प्राप्ते) अथवा माघशुक्ल की प्रतिपदा को (पूर्वाह्णे) दोपहर से पहले समय में (बहिः)
बाहर अनुष्ठानपूर्वक (छन्दसाम् उत्सर्जनं कुर्यात्) वेदों के स्वाध्याय की समाप्ति करे
अर्थात् उस विशेष स्वाध्याय की अवधि को पूर्ण करे ॥ ६६ ॥

यथाशास्त्रं तु कृत्वाऽनुत्सर्गं छन्दसां बहिः ।

विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं तदेवैकमहनिशम् ॥ ६७ ॥

(यथाशास्त्रं तु) शास्त्र में कही विधि के अनुसार (एवं बहिः) छन्दसाम् उत्सर्ग
कृत्वा) इस प्रकार बाहर अनुष्ठान में वेदों के स्वाध्याय की अवधि को समाप्त करके

(पक्षिणीं रात्रिम्) उत्सर्ग वाले दिन की रात को (तत् + एव + एकम् ग्रहः + निशम्) उसी प्रकार अगले दिन और रात को (विरमेत्) वेदाध्ययन से आराम करे ॥ ६७ ॥

अत ऊर्ध्वं तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः पठेत् ।

वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु सम्पठेत् ॥ ६८ ॥

(तु) और (अतः ऊर्ध्वम्) इसके पश्चात् (शुक्लेषु) शुक्लपक्ष के दिनों में (नियतः) नियमपूर्वक (छन्दांसि पठेत्) वेदों को पढ़े (च) तथा (कृष्णपक्षेषु) कृष्णपक्ष के दिनों में (सर्वाणि वेदाङ्गानि सम्पठेत्) सब वेदाङ्गों [शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष और निरुक्त] को भलीभाँति पढ़े ॥ ६८ ॥

नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ ।

न निशान्ते परिश्रान्ते ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत् ॥ ६९ ॥

(विस्पष्टं न अधीयीत) अस्पष्ट स्वर में वेदों को न पढ़े (न शूद्रजनसन्निधौ) न शूद्रों के पास (निशान्ते) रात के अन्तिम प्रहर में (ब्रह्मा + अधीत्य) वेद पढ़कर (परिश्रान्तः) थककर भी (पुनः न स्वपेत्) फिर न सोवे ॥ ६९ ॥

यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत् ।

ब्रह्म छन्दस्कृतं चैव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥ १०० ॥

(यथा + उदितेन विधिना) शास्त्र में कही गई विधि के अनुसार (नित्यम्) प्रतिदिन (छन्दस्कृतं पठेत्) गायत्री का पाठ करे (च) और (अनापदि) आपत्तिरहित समय में (द्विजः) द्विज (युक्तः) लग्नपूर्वक (छन्दस्कृतं ब्रह्म एव) छन्दः पूर्वक वेद का भी पाठ करे ॥ १०० ॥

विविधं अनध्यायों का विधान—

इमाम्नित्यमनध्यायानधीयानो दिवजंयेत् ।

अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम् ॥ १०१ ॥

(अधीयानः) वेदाध्ययन करने वाला और (विधिपूर्वकं शिष्याणाम्) अध्यापनं कुर्वाणः) विधिपूर्वक शिष्यों को वेद पढ़ाने वाला गुरु (नित्यम्) सदैव (इमान् अनध्यायान् विजंयेत्) इन अनध्यायों को करे अर्थात् वेदों का पढ़ना-पढ़ाना छोड़दे ॥ १०१ ॥

अनुयायित्वम् : अध्याय और अनध्याय का स्वरूप एवं विवेचन स्वयं मनु ने वर्णित किया है । देखिए २ । ७६-८२ [१०४-१०७] श्लोक ।

कर्णश्रवेऽनिते रात्रौ दिवा पांसुसमूहने ।

एतौ वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥ १०२ ॥

(रात्रौ कर्णश्रवे अनिते) रात में कानों को जिसकी आवाज मुनाई पड़े ऐसी हवा चल रही हो (दिवा पांसुसमूहने) दिन में धूलभरी हवा चल रही हो (वर्षासु) वर्षाकाल में (एतौ) इन दोनों स्थितियों को (अध्यायज्ञाः) अध्ययन की विधि के ज्ञाता (अनध्यायो प्रचक्षते) अनध्याय का समय कहते हैं ॥ १०२ ॥

विद्युस्तनितवर्षेषु महोत्कानां च सम्प्लवे ।

आकालिकमनध्यायमेतेषु मरुत्तवीत् ॥ १०३ ॥

(विद्युत्-स्तनितवर्षेषु) जो बिजली चमकती हो और गरज-गरजकर वर्षा हो रही हो (च) और (महा + उत्कानां संप्लवे) बड़े-बड़े उल्कापात हो रहे हों तो (एतेषु) इन समयों में (मनुः) महर्षि मनु ने (आकालिकम्) उस दिन से अगले दिन उसी समय तक का (अनध्यायम् अभवीत्) अनध्याय कहा है ॥ १०३ ॥

एतांस्त्वभ्युदितान्विद्याद्यदा प्रादुष्कृतानिषु ।

तदा विद्यादनध्यायमनूतो अभ्रदर्शने ॥ १०४ ॥

वर्षा ऋतु में (प्रादुष्कृत + अग्निषु) होम के लिये अग्नि प्रज्ज्वलित करते समय (यदा) जब (एतान् अभ्युदितान् विद्यात्) इन को प्रकट हुआ जाने अर्थात् जब बिजली कड़के, गरजे और वर्षा बरसे, (तदा) तब (अनध्यायं विद्यात्) अनध्याय जाने (च) किन्तु (अनूतो) वर्षा से भिन्न ऋतुओं में (अभ्रदर्शने) बादल छा जाने पर ही अनध्याय जाने ॥ १०४ ॥

निघति भूमिचलने ज्योतिषां क्षोपसर्जने ।

एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानूतावपि ॥ १०५ ॥

(ऋतौ + अपि) वर्षाऋतु में भी यदि (निघति) आकाश में उत्पातसूचक शब्द हो तो (भूमिचलने) भूकम्प आया हो (च) और (ज्योतिषाम् उप-सर्जने) ग्रहों के परस्पर संवर्ष होने पर (एतान्) इन समयों को (आकालिकान् अनध्यायान् विद्यात्) उस समय से अगले दिन उसी समय तक का अनध्याय समय जाने ॥ १०५ ॥

प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु विद्युस्तनितनिःस्वने ।

सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रौ तथा दिवा ॥ १०६ ॥

(प्रादुष्कृतेषु + अग्निषु) यदि प्रातःकाल होम की अग्नि प्रज्ज्वलित करते समय (विद्युत्-स्तनित-निःस्वने) बिजली कड़कने, बादल गरजने तथा वर्षा होने पर (सज्योतिः शेषे) सूर्य की ज्योति रहने तक (अनध्यायः स्यात्) अनध्याय होता है (रात्रौ) यदि रात्रि में होम की अग्नि प्रज्ज्वलित करते समय यही बातें हों तो (यथा दिवा) जैसे दिन में शाम तक, वैसे ही अगले सबेरे तक अनध्याय रहता है ॥ १०६ ॥

निस्थानध्याय एव स्याद् ग्रामेषु नगरेषु च ।

धर्मनैपुण्यकामानां प्रतिगन्धे च सर्वदा ॥ १०७ ॥

(धर्मनैपुण्यकामानाम्) धर्म में निपुणता चाहने वाले लोगों का (ग्रामेषु प्रति-गन्धे) गांवों और नगरों में बुरी गंध फैल जाने पर (सर्वदा नित्य + अनध्यायः एव स्यात्) प्रतिदिन पूर्णतः अनध्याय ही रहता है ॥ १०७ ॥

अन्तर्गतशवे ग्रामे वृक्षस्य च सन्निधौ ।

अनघ्यायो वृक्षमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८ ॥

(अन्तर्गतशवे ग्रामे) जहां गांव में कोई मुर्दा पड़ा हो (च) और (वृक्षस्य सन्निधौ) वृक्ष के पास (वृक्षमाने) जहां रौने की ध्वनि आ रही हो (च) तथा (जनस्य समवाये) जहां लोगों की बहुत भीड़ हो वहीं (अनघ्यायः) अनघ्याय होता है ॥ १०८ ॥

उदके मध्यरात्रे च विषमूत्रस्य विसर्जने ।

उच्छिष्टः श्राद्धभुक्ष्वैव मनसाऽपि न चिन्तयेत् ॥ १०९ ॥

(उदके) जल में रहते हुए (च) और (मध्यरात्रे) आधी रात में (विषमूत्रस्य विसर्जने) मल-मूत्र त्यागते समय (उच्छिष्टः) जूठे हाथ-मुँह (श्राद्धभुक्ष्वैव) श्राद्ध में भोजन करते ही तुरन्त बाद (मनसा + अपि न चिन्तयेत्) मन से भी वेद का चिन्तन न करे ॥ १०९ ॥

प्रतिगृह्य त्रिजो विद्वानेकोद्दिष्टस्य केतनम् ।

ग्रहं न कीर्तयेत् ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ ११० ॥

(द्विजः) ब्राह्मण (विद्वान्) विद्वान् (एकोद्दिष्टस्य केतनं प्रतिगृह्य) एक ही ब्राह्मण को जिमाने के उद्देश्य से दिये गये निमग्गण को स्वीकार करके (राज्ञः) राजा के (च) और (राहोः) सूर्य-चन्द्र के ग्रहण के सम्य होने वाले (सूतके) सूतक में (त्रि + ग्रहं ब्रह्म न कीर्तयेत्) तीन दिन तक वेद न पढ़े ॥ ११० ॥

यावदेकानुद्दिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति ।

विप्रस्य विदुषो देहे तावद् ब्रह्म न कीर्तयेत् ॥ १११ ॥

(विदुषः विप्रस्य देहे) विद्वान् ब्राह्मण के शरीर में (यावत्) जब तक (एकानुद्दिष्टस्य) एकोद्दिष्ट श्राद्ध की (गन्धः च लेपः) गन्ध या लेप (तिष्ठति) रहे (तावत्) तब तक (ब्रह्म न कीर्तयेत्) वेद को न पढ़े ॥ १११ ॥

शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चैवावसथिकाम् ।

माधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्माद्यमेव च ॥ ११२ ॥

(शयानः) लेटे हुए (च) और (प्रौढपादः) आसन पर पैर फैलाकर (च + एव) तथा (अवसथिकां कृत्वा) घुटनों को मोड़कर बैठने की मुद्रा बनाकर अर्थात् उकड़ू बैठकर (आमिषं च सूतक + अन्नाद्यम् + एव जग्ध्वा) मांस और सूतक = जन्म-मृत्यु से उत्पन्न अमीष के अन्न को खाकर (न + अधीयीत) वेद न पढ़े ॥ ११२ ॥

नीहारे बालशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः ।

अमावस्यावतुर्दशयोः पौर्णमास्यष्टकामु च ॥ ११३ ॥

(नीहारे) कोहरे के समय (च) और (बालशब्दे) बाणों का शब्द होने पर (च) तथा (उभयोः संध्ययोः + एव) प्रातः, सायं दोनों संध्याओं में (च) और (अमावस्या-

चतुर्दश्योः पूर्णमासी + अष्टकासु) अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णमासी, अष्टमी के दिन भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए ॥ ११३ ॥

अमावस्या गुरुं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी ।

ब्रह्माष्टकापूर्णमास्यो यस्मात्ताः परियर्जयेत् ॥ ११४ ॥

(अमावस्या गुरुं हन्ति) अमावस्या गुरु को मार देती है (चतुर्दशी शिष्यं हन्ति) चतुर्दशी शिष्य को मारती है (अष्टक + पूर्णमास्यो ब्रह्म) अष्टमी और पूर्णमासी वेद को ही नष्ट कर देती हैं (तस्मात्) इसलिए (ताः परियर्जयेत्) उन्हें छोड़ देवे अर्थात् इन दिनों में वेद न पढ़ें ॥ ११४ ॥

पांसुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा ।

श्वखरोष्ठे च स्वति पङ्क्तौ च न पठेद् द्विजः ॥ ११५ ॥

(पांसुवर्षे) घूलि वर्षा के समय (दिशां दाहे) दिशाओं में ज्वालाएँ उठ रही हों तब (तथा गोमायु विरुते) तथा गीदड़ों के रोने का शब्द सुनते समय (च) और (श्व-खर-उष्ठे स्वति) कुत्ता, गधा और ऊँट के रोने के शब्द के समय (च) तथा (पङ्क्तौ) जहाँ इनका झुण्ड या पंक्ति इकट्ठी बनी हुई हो वहाँ (द्विजः न पठेत्) द्विज वेद न पढ़े ॥ ११५ ॥

नाधीयीत इमशानान्ते ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा ।

वसित्था मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ ११६ ॥

(इमशानान्ते) इमशान के पास में (ग्रामान्ते) गांव के पास में (वा) और (गोव्रजे + अपि) गौशाला में भी (मैथुनं वासः वसित्वा) मैथुन के समय का वस्त्र पहनकर (=) तथा (श्राद्धिकं प्रतिगृह्य) श्राद्ध के अन्न आदि पदार्थों का दान लेकर (न + अधीयीतः) वेद न पढ़े ॥ ११६ ॥

प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किञ्चिदश्राद्धिकं भवेत् ।

तदालम्बाप्यनध्यायः पाष्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥ ११७ ॥

(श्राद्धिकं यत् किञ्चित् प्राणि वा यदि वा + अप्राणि भवेत्) श्राद्धसम्बन्धी जो कोई भी पदार्थ चाहे वह जीव-वैवाहिक आदि हो अथवा अजीव-वस्त्र, पात्र आदि हो (तत् आलम्ब्य) उसे लेकर (अनध्यायः) अनध्याय ही होता है (हि) क्योंकि (द्विजः) ब्राह्मण को (प्राणि + आस्यः) हाथ ही है मुख जिसका, ऐसा अर्थात् जिसके हाथ में दान चला गया तो समझना चाहिए कि वह भी श्राद्ध के अन्न की तरह मुख में जाकर पितरों के पाम पहुँच गया, इस प्रकार की विशेषता वाला (स्मृतः) कहा है ॥ ११७ ॥

चौरं वप्युते ग्रामे सप्रभ्रमे आग्निकारिते ।

प्राकालिकमनध्यायं विद्यात् सर्वाद्भुतेषु च ॥ ११८ ॥

(ग्रामे चौरः + उपप्लुते) गांव में चोरों द्वारा कोई उपद्रव कर देने पर (संप्रभ्रमे) घबराहट होने पर (च) और (अग्निकारिते) प्राण लगने पर (च) तथा (सर्व + अद्भु-

तेषु) सभी अद्भुत घटनाओं के घटने पर (आकालिकम्) उस समय से अगले दिन उसी समय तक के लिए (अनध्यायं विद्यात्) अनध्याय समझना चाहिए ॥ ११८ ॥

उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतं ।

अष्टकासु त्वहोरात्रमृतान्सु च रात्रिषु ॥ ११९ ॥

(उपाकर्मणि) वेदाध्ययन के प्रारम्भ का अनुष्ठान करते समय (च) और (उत्सर्गे) वेदाध्ययन का उत्सर्ग = विसर्जन करने पर (अष्टकासु तु) मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के बाद तीन अष्टमी तिथियों में (त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्) तीन रात अर्थात् तीन दिन-रात का अनध्याय कहा है (च) और (ऋत्वंतान्सु रात्रिषु अहोरात्रम्) ऋतुओं के अन्त की रात्रियों में एक दिन-रात का अनध्याय होता है ॥ ११९ ॥

नाधीयीत क्वाकूढो न वृक्षं न च हस्तिमम् ।

न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः ॥ १२० ॥

(अश्वं वृक्षं हस्तिनं नावं खरं उष्ट्रम् आकूढः) घोड़ा, वृक्ष, हाथी, नौका, गधा, ऊँट, इन पर चढ़कर (इरिणस्थः) बंजर भूमि पर बैठकर (यानगः) किसी सवारी पर जाता हुआ (न + अधीयीत) वेद न पढ़े ॥ १२० ॥

न विवादे न कलहे न सेवायां न सङ्गरे ।

न भुक्तमात्रे नाजीर्णे न वमिस्त्वा न शुक्तके ॥ १२१ ॥

अतिथिं चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा भृशम् ।

रुधिरं च स्त्रुते गात्राच्छस्त्रेण च परिक्षते ॥ १२२ ॥

(विवादे) विवाद [बहसबाजी] हो जाने पर (कलहे) लड़ाई हो जाने पर (सेनायां संगरे) सेना के बीच में, युद्ध में (भुक्तमात्रे) खाने के एकदम बाद (अजीर्णे) अपच होने पर (वमिस्त्वा) वमन होने पर (शुक्तके) खट्टी डकारों के समय (च) और (अतिथिम् अननुज्ञाप्य) अतिथि से बिना आज्ञा लिए (मारुते वा + अति वा भृशम्) तेज हवा चलने पर और चलते रहने पर (च) तथा (गात्रात् रुधिरं स्त्रुते) शरीर से खून निकलने पर (च) और (शस्त्रेण परिक्षते) हथियार से धायल होने पर वेद न पढ़े ॥ १२१, १२२ ॥

सामध्वनायुध्यजुधी नाधीयीत कदाचन ।

वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १२३ ॥

(सामध्वनी) जहाँ सामवेद की ध्वनि आ रही हो, वहाँ (कदाचन) कभी भी (ऋग्यजुषी न + अधीयीत) ऋग्वेद और यजुर्वेद को न पढ़े (वा) अथवा (वेदस्य अन्तम् अधीत्य) एक वेद को अन्त तक पढ़कर (च) और (प्रारण्यकम् + अधीत्य) वेद के एक भाग को अन्त तक पढ़कर दूसरे वेद और दूसरे भाग को उस दिन न पढ़े ॥ १२३ ॥

ऋग्वेदो देवदेवस्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः ।

सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्सत्याशुचिर्धर्मिः ॥ १२४ ॥

(ऋग्वेदः देवदेवस्यः) ऋग्वेद के देवता 'देव' हैं (तु) और (यजुर्वेदः मानुषः)

यजुर्वेद के देवता 'मनुष्य' हैं (सामवेदः पित्र्यः स्मृतः) सामवेद के देवता 'पितर' माने गये हैं (तस्मात् तस्य ध्वनिः अधुचिः) इसलिए उन दोनों वेदों की तुलना में सामवेद की ध्वनि अपवित्र है ॥ १२४ ॥

एतद्विदन्तो विद्वांसस्त्रयीनिष्कर्षमगच्छन् ॥

क्रमशः पूर्वमभ्यस्य पश्चाद्देवमधीयते ॥ १२५ ॥

(विद्वांसः) विद्वान् लोग (एतत् त्रयीनिष्कर्षं विदन्तः) इन तीनों वेदों के रहस्य को जानते हुए (अग्नहं क्रमशः पूर्वम् + अभ्यस्य) प्रतिदिन क्रमानुसार पहले-पहले वेद को पढ़कर (पश्चात्) बाद में (वेदम् + अधीयते) सामवेद का अध्ययन करते हैं ॥ १२५ ॥

पशुमण्डूकमाज्जरिश्च-सर्प-नकुल-आखुभिः ।

अन्तरागमने विद्यावनध्यायमहनिशम् ॥ १२६ ॥

(पशु-मण्डूक-माज्जरि-श्च-सर्प-नकुल-आखुभिः अन्तरागमने) पशु, मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, साँप, नेबला और चूहा इनके बीच से या सामने से निकल जाने पर (अहनिशम् अनध्यायं विद्यात्) दिन-रात का अनध्याय, समझना चाहिए ॥ १२६ ॥

द्वावेव वज्रं ये निरत्यन्तमनध्यायो प्रयत्नतः ।

स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धात्मात्मानं चाशुचिं द्विजः ॥ १२७ ॥

(च) और (द्विजः) द्विज (अशुद्धां स्वाध्यायभूमिम्) अशुद्ध स्वाध्यायस्थान को अर्थात् अशुद्ध स्वाध्यायस्थल होने पर वहाँ स्वाध्याय को (च) और (अशुचिम् आत्मानम्) अशुद्ध आत्मा और शरीर-मन को अर्थात् शरीर, मन, आत्मा जब अपवित्र हों तो उस समय स्वाध्याय को (निरत्यं प्रयत्नतः वज्रं येत्) सदैव प्रयत्नपूर्वक छोड़ देवे, (द्वौ) ये दोनों (अनध्यायो एव) 'अनध्याय' ही हैं ॥ १२७ ॥

अनुशीलनः : ६५ से १२७ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनका प्रक्षेप निम्न आधारों के अनुसार सिद्ध होता है—

१. अन्तर्विरोधः 'अनध्याय' मनुविद्वद्—(१) प्रतीत होता है कि वर्ष में साठे चार मास तक वेदाध्ययन करना, फिर उनका उत्सर्जन करना, बीच में विराम करना, शुक्ल पक्ष में वेदाध्ययन और कृष्ण पक्ष में वेदाङ्गों का अध्ययन करना, ये व्यवस्थाएँ मनु से परवर्ती काल की हैं, जब कि मनु द्वारा विहित व्यवस्थाओं में शिथिलता आ गई थी। इन व्यवस्थाओं का मनुप्रोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता और विरोध आता है। यथा—(क) मनु ने वेदों का अध्ययन सभी द्विजों का आवश्यक और नैतिक कर्म माना है [१-८७—९०]। यदि पूर्वोक्त कर्मों का पालन कोई द्विज नहीं करता तो वह अपने वर्ण से पतित हो जाता है। विशेषरूप से वेदाम्यास को छोड़ने वाला द्विज शूद्रकोटि में गिना जाता है—“योऽनधीय द्विजो वेदमभ्यस्य कुरते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रश्च आशु गच्छति सान्धवः” [२।१४३(१६८)] (ख) मनु ने वेदाध्ययन को नैतिक दिनचर्या कहा है और इस पवित्र कार्य में कभी अनध्याय नहीं माना है—‘वेदो-

पकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि” ॥
 [२। ८० (१०५)] “नैत्यके नास्त्यनाध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् । ब्रह्माहुतिहुतं
 पुण्यमनध्याय बध्नुकृतम्” ॥ [२। ८१ (१०६)] (ग) नैतिक वेदाध्ययन के विधायक
 अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(क) यः स्वाध्यायमधीते ऽदं विधिना नियतः शुचिः ।

तस्य नित्यं क्षरत्येव पयो दधि घृतं मधु ॥ २। ८२ ॥ (२। १०७)

(ख) आ ह्यैव स नखाग्नेयः परमं तप्यते तपः ।

यः स्रग्वपि द्विजो ऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥ (२। १४२ [१६७])

इसी प्रकार गृहस्थों के व्रतों में भी स्पष्ट निर्देश है—

(क) सर्वान् परित्यजेदयान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।

यपातथाध्यायंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ ४। १७ ॥

(ख) बुद्धिबुद्धिकराण्यां धर्मानि च हितानि च ।

नित्यं शास्त्राध्यक्षेण निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ ४। १६ ॥

(ग) “स्वाध्याये चैव युक्तः स्यात् मित्यम्” (४। ६४)

(घ) “स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्” (३। ७५)

इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेदों का अध्ययन नित्यप्रति आवश्यक मानते हैं । मनु ने पांच महायज्ञों का जो प्रतिदिन विधान किया है, उनमें ‘ब्रह्मयज्ञ’ संध्योपासना और वेदाध्ययन का ही नाम है । इस प्रकार के प्रमाण मनुस्मृति में पर्याप्त मिलते हैं । ६५—१२७ श्लोकों में साढ़े चार मास वेद पढ़ना, फिर उनका उत्सर्जन गांव से बाहर करना, शुक्लपक्ष में वेद पढ़ना और कृष्णपक्ष में वेदाङ्गों को पढ़ना आदि जो व्यवस्थाएँ दी गई हैं वे पूर्णमान्यताओं से तालमेल नहीं रखती और विरुद्ध भी हैं । जब प्रतिदिन ही वेद पढ़ने का विधान है तो फिर उनका साढ़े चार मास तक पढ़ने के लिए प्रारम्भिक अनुष्ठान करना, फिर उत्सर्जन का अनुष्ठान करना आदि बातों का अवसर ही नहीं आता । अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं । इस प्रसंग में कुछ और भी अन्तर्विरोध हैं—

(२) ६६, १०८ श्लोकों में शूद्र के पास वेद न पढ़ने का विधान ‘शूद्र को वेद पढ़ने का विधान नहीं है’ इस मान्यता पर आधारित है । यह मान्यता मनुविरुद्ध है और वेदविरुद्ध भी [इसके विस्तृत ज्ञान के लिए २। १४८—१४९ (१६६—१७४) श्लोकों पर ‘अन्तर्विरोध’ शीर्षक समीक्षा देखिये] ।

(३) १०६—१११, ११७, १२४, श्लोकों में मृतकश्राद्ध की मान्यता है । यह भी मनुविरुद्ध है [इसके लिए ३। ११६—२८४ श्लोकों पर समीक्षा द्रष्टव्य है] ।

(४) ११२ में मृतक की मान्यता है । मृतक का वर्णन मनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होता

[इसके लिए द्रष्टव्य है ५।५८—१०४ श्लोकों पर 'विषयविरोध' शीर्षक समीक्षा क्योंकि सूतकविधान इसी प्रसंग के ६१-६२ श्लोकों में आता है]।

(५) ११३ वें श्लोक में संध्याकालों में वेद न पढ़ने का कथन है, जबकि पांच-यज्ञों का विधान और संध्योपासना का विधान संध्याकालों में ही किया है [२।७६—७८ (१०१-१०३), १५१ (१७६), ४।६२—६४]।

(६) ११३—११४ वें श्लोकों में पर्वदिनों में वेदाध्ययन निषिद्ध है, जबकि ४।२५; ६।६ में इन पर्वों के दिन विशेषयज्ञों को रचाने का विधान है, और यज्ञ वेदमन्त्रों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं।

(७) ११६ वें श्लोक में श्मशान में वेद न पढ़ने का कथन है, जबकि ५।१६७ में अन्त्येष्टि कर्म यज्ञसम्पादन द्वारा विहित है, और यज्ञ में वेदमन्त्रों का उच्चारण होता है।

(८) ११२ वें में मांसभक्षण का वर्णन मनुविरुद्ध है [द्रष्टव्य—४।२६—२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा]।

(९) १२३—१२५ श्लोकों में वेदों की ध्वनियों का परस्पर विरोध दर्शाना मनु के २।७६—७८ [५१—५३] श्लोकों के विरुद्ध है। जब तीनों वेदों से एक-एक पाद निकालकर बढ़ाया गया गायत्रीमन्त्र एकसाथ उच्चरित किया जा सकता है तो वेदों की ध्वनि में क्या आगति है? मनु-अनुसार सभी वेद ईश्वरप्रोक्त हैं।

(१०) १०१ से १२६ श्लोकों में वेदों के अनध्यायों का ही विधान मनु के २।७६—८१ [१०४—१०६] के विरुद्ध है। इन श्लोकों में मनु ने वेदाध्ययन में अनध्याय का निषेध किया है। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ६५ से १२७ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. विषयविरोध—(१) १०१ से १२७ श्लोक विषयबाह्य हैं। इनका 'सर्व-गुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ये व्रत हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४।३३—३४ पर द्रष्टव्य]। (२) ये श्लोक इसलिए भी विषयविरोध हैं क्योंकि शिष्यों को वेदाध्यापन का विषय द्वितीय अध्याय का है [२।४४—४८ (६६—७३), १३६ (१६४), १४०—१४१ (१६५—१६६), ३।१—२]। यहाँ गृहस्थियों के व्रतों का विषय है [४।१३]। अतः इस स्थान पर शिष्यों के अध्यापन-अनध्यापन, अध्याय-अनध्याय का वर्णन विषयविरोध है। यह द्वितीय अध्याय में ही संगत कहा जा सकता था।

३. वेदविरोध—६६, १०८ श्लोकों की शूद्र के पास वेद न पढ़ने की मान्यता स्वयं वेदविरोध है। वेद में शूद्र को यज्ञ करने और मन्त्रश्रवण का विधान है। प्रमाणार्थ द्रष्टव्य २।४२ और ६।३३५ की 'वेदविरोध' शीर्षक समीक्षाएँ।

४. शैलीगत आधार—(१) इस प्रसंग के १०३ वें श्लोक में 'मनुरब्रवीत्' पद

से स्पष्टतः यह मनुभिन्न व्यक्ति द्वारा प्रोक्त सिद्ध होता है। (२) इस प्रसंग के १०१ से १२७ श्लोकों की शैली रुढ़ि पर आधारित है। ११४ व १२४ की शैली अयुक्ति-युक्त है।

स्त्रीगमन में पर्वदिवसों का त्याग करे—

अमावस्यामष्टमी च पौर्णमासी चतुर्दशीम् ।

ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्युतो स्नातको द्विजः ॥ १२८ ॥ (२६)

(स्नातकः द्विजः) गृहस्थ द्विज को चाहिये कि वह (ऋतौ अपि) ऋतु-काल होते हुए भी (अमावस्याम् + अष्टमीं पौर्णमासीं च चतुर्दशीम्) अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी के दिन (ब्रह्मचारी भवेत्) ब्रह्म-चारी रहे ॥ १२८ ॥

“जब ऋतुदान देना हो तब पर्व अर्थात् जो उन ऋतुदान १६ दिनों में पौर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी वा अष्टमी आवे उस को छोड़ देवे। इनमें स्त्री-पुरुष रतिक्रिया कभी न करें।”

(संस्कारविधि गर्भाधान संस्कार प्रकरण ।)

अनुयातितनः : तुलनार्थं द्रष्टव्य है ३। ४५ श्लोक। वहाँ भी मनु ने पर्व दिनों में ऋतुदान का निषेध किया है।

खाने के बाद स्नान आदि का निषेध—

न स्नानमाचरेत् भुक्त्वा नातुरो न महानिशि ।

न वासोभिः सहाजलं नाविज्ञाते जलाशये ॥ १२९ ॥

गृहस्थ द्विज (भुक्त्वा) खाकर (नातुरः) रोगी होने पर (महानिशि) आधी रात के समय (अजलं वासोभिः सह) सभी कपड़ों को पहने हुए (अविज्ञाते जलाशये) जिसकी याह आदि का ज्ञान न हो ऐसे तालाब या जलस्थान में (स्नानं न आचरेत्) स्नान न करे ॥ १२९ ॥

देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्योस्तथा ।

नक्रामेत्कामतश्छायां बभ्रुणो दीक्षितस्य च ॥ १३० ॥

गृहस्थ द्विज (देवतानाम्) देवमूर्तियों की (गुरोः) गुरु की (राज्ञः) राजा की (तथा स्नातक + आचार्ययोः) तथा स्नातक और आचार्य की (बभ्रुणः) तेजस्वी व्यक्ति (च) और (दीक्षितस्य) यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति की (छायाम्) छाया को (कामतः) जान-बूझकर (न आक्रामेत्) न लांचे ॥ १३० ॥

मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे च आर्द्धं भुक्त्वा च सामिधम् ।

सम्यग्योऽह्नयोऽर्धं च न सेवेत् चतुष्पथम् ॥ १३१ ॥

गृहस्थ द्विज (मध्यन्दिने) दोपहर के समय (च) और (अर्धरात्रे) आधी रात के

समय (च) तथा (सामिषं श्राद्धं भुक्त्वा) श्राद्ध का मांसयुक्त भोजन करके (च एव) और (उभयोः संध्ययोः) प्रातः तथा सायं दोनों संध्याकालों में (चतुष्पथं न सेवेत) चौराहे पर न जाये ॥ १३१ ॥

उद्धर्तनमपस्नानं विष्मूत्रे रक्तमेव च ।

श्लेष्मनिष्ठघृतवास्तानि नाधितिष्ठेत् कामतः ॥ १३२ ॥

गृहस्थ द्विज (उद्धर्तनम् + अपस्नानं विष्मूत्रे च रक्तम् + एव) उबटन का मल, स्नान का मल, मल-मूत्र और खून (श्लेष्मनिष्ठघृत-वास्तानि) खकार या पीक, शूक और वमन, इन पर (कामतः न + अधितिष्ठेत्) जानबूझकर न बैठे ॥ १३२ ॥

अनुशीलनः : १२६—१३२ तक श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—इन श्लोकों में वर्णित बातें विषयवाह्य हैं। इनका 'सत्त्व-गुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ये व्रत कहला सकते हैं [विवेचन ४। ३३—३४ श्लोकों पर द्रष्टव्य है]।

२. अन्तर्विरोध—१३१ वें श्लोक में भृतकश्राद्ध की मान्यता और मांसभक्षण की मान्यता का वर्णन मनुविरुद्ध है, अतः यह श्लोक इस आधार पर भी प्रक्षिप्त है [इसके लिये देखिये क्रमशः ३। ११६ से २८४ और ४। २६—२८ श्लोकों पर 'अन्त-विरोध' शीर्षक समीक्षा।]

परस्त्री-सेवन का निषेध एवं त्याग्य व्यक्ति—

वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः ।

अधार्मिकं तत्स्करं च परस्यैव च योषितम् ॥ १३३ ॥ (३०)

गृहस्थ द्विज (वैरिणम्) शत्रु (च) और (वैरिणः सहायं) शत्रु के सहायक (अधार्मिकं तत्स्करं च परस्य योषितम्) अधार्मिक, चोर, पराई स्त्री ने (न सेवेत) मेलजोल न रखे अर्थात् परस्त्री-गमन न करे ॥ १३३ ॥

परस्त्री-सेवन से हानियाँ—

न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते ।

यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥ १३४ ॥ (३१)

गृहस्थ द्विज का (इह लोके) इस संसार में (पुरुषस्य अनायुष्यम् ईदृशं किञ्चन न हि विद्यते) पुरुष की आयु को घटाने वाला ऐसा कोई काम नहीं है (यादृशम्) जैसा कि (परदारा-उपसेवनम्) परस्त्रीगमन करना है ॥ १३४ ॥

इन तीनों का अपमान न करे—

अत्रियं चैव सप्यं च ब्राह्मणं च वृधभृतम् ।

नावभग्येत वै ब्रूणुः कुशानपि कदाचन ॥ १३५ ॥

(भूष्णः) अपने उन्नति-समृद्धि चाहने वाला गृहस्थ द्विज (क्षत्रियं सर्पं च बहु-
श्रुतं ब्राह्मणम्) क्षत्रिय, सर्प और अनुभवी एवं जानी ब्राह्मण, इनको (कृषान् + अपि)
अपने से कमजोर की भी (कदाचन) कभी (न + अवमन्येत) अपमानित न करे ॥ १३५ ॥

एतत्त्रयं हि पुरुषं निर्बन्धेदवमानितम् ।

तस्मादेतत्त्रयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान् ॥ १३६ ॥

(हि) क्योंकि (एतत् त्रयम् अवमानितम्) ये तीनों अपमानित होने पर (पुरुषं
निर्बन्धेत्) पुरुष को भस्म कर देते हैं (तस्मात्) इसलिए (बुद्धिमान्) बुद्धिमान् गृहस्थ
द्विज को चाहिए कि वह (एतत् त्रयं नित्यं न + अवमन्येत) इन तीनों को अपमानित न
करे ॥ १३६ ॥

अनुशीलन—१३५—१३६ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—ये दोनों श्लोक विषयविरुद्ध हैं। इनमें वर्णित बातें न तो
'सत्त्वगुणवर्धन' से सम्बद्ध हैं और न ये व्रत ही कहे जा सकते हैं, व्रतः प्रक्षिप्त हैं। द्रष्टव्य
४। ३३-३४ पर समीक्षा]

२. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में अपमानित ब्राह्मण द्वारा व्यक्ति को बदले में
भस्म किये जाने का भय प्रदर्शित है, जबकि २। १३७ [१६२] में मनु ने अपमान से
अपमानित न होकर उसे अमृत के समान मानने के लिए ब्राह्मण को आदेश दिया है,
और २। १३६ [१६१] में स्वयं दुःखी होकर भी दूसरे का मन न दुःखाने का आदेश
है। उससे यह विरुद्ध वर्णन है, अतः दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

आत्महीनता की भावना मन में न लाये—

नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः ।

आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नानां मन्येत दुर्लभाम् ॥ १३७ ॥ (३२)

गृहस्थ द्विज कभी (पूर्वाभिः + असमृद्धिभिः) प्रथम पुष्कल धनी होके
पश्चात् द्ररिद्र हो जायें, उससे (आत्मानं न + अवमन्येत) अपने आत्मा का
अपमान न करे कि 'हाय हम निर्धन हो गये' इत्यादि विलाप भी न करे,
किन्तु (आमृत्योः) मृत्युपर्यन्त (श्रियम् + अन्विच्छेत्) लक्ष्मी को उन्नति में
पुरुषार्थ किया करे, और (एनां दुर्लभां न मन्येत) लक्ष्मी को दुर्लभ न
समझे ॥ १३७ ॥ (सं० वि० १७८)

अनुशीलन : अभिप्राय यह है कि धन आदि के अभाव की स्थिति
आने पर या आपत्तिकाल में मनुष्य को कभी अपने मन में आत्महीनता, निराशा,
हताशा की भावना नहीं आने देनी चाहिए। अपितु इन बातों को त्यागकर सतत पुरुषार्थ

में प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सफलता समृद्धि और उन्नति का आधार है।

सत्य तथा प्रियभाषण करे—

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेव धर्मः सनातनः ॥ १३८ ॥ (३३)

(सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्) सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले (अप्रियं सत्यं न ब्रूयात्) अप्रिय सत्य अर्थात् काणों को काणा न बोले (अनृतं च प्रियं न ब्रूयात्) अनृत अर्थात् झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १३८ ॥ (सं० प्र० ६७)

ॐ (एषः सनातनः धर्मः) यह सनातन धर्म है। (सं० वि० १७८)

‘मनुष्य सदैव सत्य बोले और दूसरे का कल्याणकारक उपदेश कर, काणों को काणा, मूर्खों को मूर्ख आदि अप्रिय वचन उनके सम्मुख कभी न बोले और जिस मिथ्याभाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी न बोले, यह सनातन धर्म है ॥’ (सं० वि० १७८)

भद्र व्यवहार करे—

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येष वा वदेत् ।

शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ १३९ ॥ (३४)

(भद्रं भद्रम् + इति ब्रूयात्) सदा भद्र अर्थात् सबके हितकारी वचन बोला करे (शुष्कवैरं विवादं च केनचित्सह न कुर्यात्) शुष्कवैर अर्थात् बिना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे (भद्रम् + इत्येव वा वदेत्) जो-जो दूसरे का हितकारी हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे ॥ १३९ ॥ (सं० प्र० ६७)

नातिकृत्यं नातिसाधं नातिमध्यमिन्ने स्थिते ।

नाज्ञातेन समं गच्छेन्नैको न वृषलैः सह ॥ १४० ॥

(न + अतिकृत्यम्) न बहुत सबेरे (न + अतिसायम्) न बहुत शाम को (न + अतिमध्यमिन्ने स्थिते) न बिल्कुल दोपहर के समय (न + अज्ञातेन समम्) न किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ (न + एकः) न बिल्कुल अकेले (न वृषलैः सह) न शूद्रों के साथ (गच्छेत्) जाये ॥ १४० ॥

अनुशीलन—१४० वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. विषयविरोध—यह विषयवाह्य है। इसका ‘सत्त्वगुणवर्धन’ से कोई सम्बन्ध

नहीं है और न यह बत हो सकता है [द्रष्टव्य ४ । ३३ — ३४ पर समीक्षा ।]

हीन, विकलांग आदि पर व्यंग्य न करे—

हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्वयोऽधिकान् ।

रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत् ॥ १४१ ॥ (३४)

(हीन + अङ्गान्) कम अंगों वालों या अंगों पर (अतिरिक्त + अङ्गान्) अधिक अंगों वाले (विद्याहीनान्) मूर्ख (वय + अशिकान्) आयु में बड़े (च) और (रूप-द्रव्य-विहीनान्) रूप और धन से रहित (च) और (जातिहीनान्) अपने से निम्न वर्ण वाले इन पर (न आक्षिपेत्) कभी आक्षेप [= व्यंग्य या मजाक] न करे ॥ १४१ ॥

गाय आदि का उच्छिष्ट हाथ से स्पर्श निषेध—

न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोब्राह्मणान्नाम् ।

न चापि पश्येदशुचिः सुस्थो ज्योतिर्गणान्विवि ॥ १४२ ॥

(विप्रः) ब्राह्मण (उच्छिष्टः) झूठे मुँह-हाथ रहते हुए (पाणिना) अपने झूठे हाथ से (गो-ब्राह्मण-अनलान्) गो, ब्राह्मण और आग, इनका (न स्पृशेत्) स्पर्श न करे (च) और (अशुचिः) अपवित्र होते हुए (सुस्थः अपि) स्वस्थ दशा में भी (दिवि ज्योतिर्गणान् न पश्येत्) शूलोक में ग्रह-तारों को न देखे ॥ १४२ ॥

स्पृष्ट्वन्तानशुचिर्नित्यमद्भिः प्राणानुपस्पृशेत् ।

गात्राणि चैव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु ॥ १४३ ॥

(अशुचिः) अपवित्र रहते हुए (एतान् स्पृष्ट्वा) इन—गो, ब्राह्मण और आग को छूकर (नित्यम्) सदैव (प्राणान् सर्वाणि चैव गात्राणि) प्राणेंद्रियों—आँख, नाक, आदि और शरीर के अन्य अंगों—शिर, हाथ, पैर आदि को (अद्भिः अनुस्पृशेत्) जल से स्पर्श करे (तु) और (नाभिं पाणितलेन) नाभि का हथेली से स्पर्श करे ॥ १४३ ॥

अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः ।

रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत् ॥ १४४ ॥

(अनातुरः) स्वस्थ रहते हुए अर्थात् बिना किसी शारीरिक कष्ट के सामान्य अवस्था में (अनिमित्ततः) बिना प्रयोजन के (स्वानि खानि) अपनी इन्द्रियों को (न स्पृशेत्) न छूये (च) और (सर्वाणि + एव रहस्यानि रोमाणि) सब गुप्त स्थानों के रोमों को (विवर्जयेत्) न छूये ॥ १४४ ॥

अनुशीलनः १४२ से १४४ तक श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. विषयविरोध—इन श्लोकों का 'सर्वगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है

और न ये व्रत ही हो सकते हैं, अतः विषयबाह्य होने से विषयविरुद्ध प्रक्षेप हैं, [विशेष द्रष्टव्य ४। ३३-३४ पर 'विषयविरोध' समीक्षा।]

२. शैलीगत आचार—१४२-१४३ श्लोकों की शैली रुढ़, अयुक्तियुक्त एवं निराधार है। गाय आदि को छूकर अंगस्पर्श से क्या शुद्धि हो जायेगी? वह तो घोने से होगी।

कल्याणकारी यज्ञ-संध्या आदि कार्यं करे—

मंगलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः ।

अपेक्ष जुहुयाच्छेव नित्यमग्निमतस्त्रितः ॥ १४५ ॥ (३६)

(मंगल+आचार+युक्तः) कल्याणकारी कार्यों में लगा रहने वाला या श्रेष्ठ आचरणवाला (प्रयतात्मा) उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील (जितेन्द्रियः) जितेन्द्रिय (स्यात्) रहे (च) और (नित्यम्) प्रतिदिन (अतस्त्रितः) आलस्यरहित होकर (अपेत्) जपोपासना करे (च एव) तथा (अग्निं जुहुयात्) अग्नि में हवन करे ॥ १४५ ॥

यज्ञ-संध्या आदि कल्याणकारी कार्यों से लाभ—

मंगलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम् ।

जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६ ॥ (३७)

(मंगल+आचार+युक्तानाम्) जो सदाकल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं अथवा जो श्रेष्ठ आचरण का पालन करते हैं (च) और (नित्यं प्रयतात्मनाम्) जो सदा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं (च) तथा (जपताम्) जो परमात्मा का जाप करते हैं (जुह्वताम्) जो हवन करते हैं, उनकी (विनिपातः) अवनति (न विद्यते) नहीं होती अर्थात् उनका जीवन पतन की ओर नहीं जाता ॥ १४६ ॥

वेदाभ्यास परमधर्म है—

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतस्त्रितः ।

तं ह्यास्याहुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥ (३८)

द्विज (नित्यम्) सदा (यथाकालम्) जितना भी अधिक समय लगा सके उसके अनुसार (अतस्त्रितः) आलस्यरहित होकर (वेदम्+एव+अभ्यसेत्) वेद का ही अभ्यास करे (हि) क्योंकि (तम् अस्य परं धर्मम् आहुः) उस वेदाभ्यास को इस द्विज का सर्वोत्तम कर्त्तव्य कहा है (अन्यः उपधर्मः उच्यते) अन्य सब कर्त्तव्य गौण हैं ॥ १४७ ॥

वेदाम्यास का कथन और उसका फल—

वेदाम्यासेन सततं शौचेन तपसैव च ।

अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥१४८॥ (३६)

मनुष्य (सततं वेदाम्यासेन) निरन्तर वेद का अभ्यास करने से (शौचेन) आत्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से (च) तथा (तपसा) तपस्या से (च) और (भूतानाम् अद्रोहेण) प्राणियों के साथ द्रोहभावना न रखते हुए अर्थात् अहिंसाभावना रखते हुए (पौर्विकीं जातिं स्मरति) पूर्वजन्म की अवस्था को स्मरण कर लेता है ॥ १४८ ॥

अनुष्ठीतन्तु : योगदर्शन से जन्मज्ञान की पुष्टि—योगदर्शनकार ने भी इस मान्यता को २।३६ सूत्र में वर्णित किया है। मनु ने वेदाम्यास, अहिंसा शौच = अशुद्धिभाव से असंसर्ग, आदि द्वारा पूर्वजन्म एवं जन्मकारणों का बोध होना कहा है। इसी प्रकार योगदर्शन में भी है—

“अपरिग्रहस्यैव जन्मकथंता संबोधः ॥”

अपरिग्रह में अहिंसा, वेदादि श्रेष्ठ शास्त्रों तथा श्रेष्ठों की संगति, विषयों में अनासक्ति आदि बातें होती हैं। इन अपरिग्रह की बातों में स्थिरता होने से भूत और वर्तमान जन्मों एवं जन्मकारणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

पौर्विकीं संस्मरञ्जातिं ब्रह्मवाभ्यसते पुनः ।

ब्रह्माम्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नुते ॥१४९॥ (४०)

(पौर्विकीं जातिं संस्मरन्) पूर्वजन्म की अवस्था का स्मरण करते हुए (पुनः ब्रह्म+एव+अभ्यसते) फिर भी यदि वेद के अभ्यास में लगा रहता है तो (अजस्रं ब्रह्माम्यासेन) निरन्तर वेद का अभ्यास करने से (अनन्तं सुखम्+अश्नुते) मोक्ष-सुख को प्राप्त कर लेता है ॥ १४९ ॥

अनुष्ठीतन्तु : इन्हीं भावों की तुलना के लिए द्रष्टव्य है १२।१०२ श्लोक ।

धार्मिकधर्मा की विविध बातें—

सावित्राञ्छान्तिहोमाश्च कुर्यात्पर्वसु नित्यशः ।

पितृहर्षबाण्डकास्वर्चमित्यमन्त्रष्टकासु च ॥१५०॥

(पर्वसु) अमावस्या, पूर्णिमा आदि पर्वों में (नित्यशः) सर्वदा (सावित्रान् च शान्तिहोमान् कुर्यात्) सावित्री देवता वाले (गायत्री मन्त्रादि) और अनिष्ट-निवृत्ति के लिए शान्ति-होमों को करे (च एव) तथा (अष्टकासु च अन्वष्टकासु)

अष्टमी तथा नवमी तिथियों में (नित्यम्) सर्वत्र (पितॄन् अर्चत्) पितरों का पूजन करे ॥ १५० ॥

दूरावावसथान्मूत्रं दूरात्पावावसेचनम् ।

उच्छिष्टान्ननिषेकश्च दूरादेव समाचरेत् ॥ १५१ ॥

(मूत्रम् आवसथात् दूरात्) मल-मूत्र आदि निवास स्थान से दूर ही करे (पाद + अर्चसेचनम् दूरात्) पैरों का धोना भी दूर ही करे (च) और (उच्छिष्ट + अन्न-निषेकम्) झूठे अन्न को फेंकना भी (दूरात् + एव समाचरेत्) दूर ही करे ॥ १५१ ॥

मंत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनाभ्रमम् ।

पूर्वाह्णे एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम् ॥ १५२ ॥

(मंत्रम्) मलत्याग (प्रसाधनम्) शरीर-शृंगार (स्नानम्) स्नान (दन्तधावनम्) दातुन (अभ्रमम्) अंजन (च) और (देवतानां पूजनम्) देवपूजा आदि, ये (पूर्वाह्णे एव कुर्वीत) दिन के प्रथम प्रहर अर्थात् प्रातःकाल ही कर लेने चाहिए ॥ १५२ ॥

देवतान्यभिगच्छेत् धार्मिकाश्च द्विजोत्तमान् ।

ईश्वरं चैव रक्षार्थं गुरुन्नेव च पर्वसु ॥ १५३ ॥

(पर्वसु) पर्वों के दिनों में (रक्षार्थम्) अपनी रक्षा की कामना से (देवतानि) देवस्थानों-पवित्र स्थानों (च) तथा (धार्मिकान् द्विजोत्तमान्) धार्मिक विद्वानों (ईश्वरं च गुरुन् + एव) राजा तथा गुरुओं के पास (अभिगच्छेत्) जाया करे ॥ १५३ ॥

अनुशीलन : १५० से १५३ तक श्लोक निम्न 'आधारों' पर प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—१५१—१५३ श्लोक विषयबाह्य होने से प्रक्षिप्त हैं। इनका 'सर्वगुणवर्धन' से और वृत्तरूप होने से कोई सम्बन्ध नहीं है। [द्रष्टव्य ४। ३३—३४ पर समीक्षा] ।

२. अन्तर्विरोध—(१) १५० वां श्लोक अष्टमी के दिन मृतकश्राद्ध का विधायक है, यह मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ३। ११६—२८४ पर समीक्षा]। (२) मनु ने पर्वों के दिन विशेष यज्ञों का विधान किया है [४। २५]। देवताओं के दर्शनों के लिए जाने का नहीं। मनु के मत में ऐसे कोई देवता मान्य नहीं, वे तो होम की ही 'देवयज्ञ' कहते हैं [३। ७०]। अतः ये दोनों ही व्यवस्थाएँ मनुविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

वृद्धों का अभिवादन एवं स्वागत—

अभिवाद्येद् वृद्धाश्च वृद्धाश्चैवासनं स्वकम् ।

कृतालिङ्गवासीत गच्छतः पृष्ठतोऽभिव्यात् ॥ १५४ ॥ (४१)

(वृद्धान्) सदा पितावृद्धों और वयोवृद्धों को (अभिवाद्येत्) नमस्ते

अर्थात् उनका मान्य किया करे (स्वकम् आसनं च एव दद्यात्) जब वे अपने समीप आवें तब उठकर, मान्यपूर्वक अपने आसन पर बैठाने (च) और (कृत+अञ्जलिः+उपासीत) हाथ जोड़के आप समीप बैठे, पूछे वह उत्तर देवे (गच्छतः पृष्ठतः+अन्विधात्) और जब जाने लगे तब थोड़ी दूर पीछे-पीछे जाकर नमस्ते कर, विदा करे ॥ १५४ ॥ (सं० वि० १७६)

सदाचार की प्रशंसा एवं फल—

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ् निबद्धं स्वेषु कर्मसु ।

धर्ममूलं निषेधेन सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥ (४२)

गृहस्थ सदा (अतन्द्रितः) आलस्य को छोड़कर (श्रुति-स्मृति+उदितम्) वेद और मनुस्मृति में वेदानुकूल कहे हुए (स्वेषु कर्मसु सम्यङ् निबद्धम्) अपने कर्मों में निबद्ध (धर्ममूलं सदाचारं निषेधेन) धर्म का मूल सदाचार अर्थात् जो सत्य और सत्पुरुष प्राप्त धर्मात्माओं का आचरण है, उसका सेवन सदा किया करें ॥ १५५ ॥ (सं० वि० १७६)

आचारात्सभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।

आचाराद्धनमक्षयमाचारो हन्यलक्षणम् ॥ १५६ ॥ (४३)

(आचारात् हि आयुः) धर्माचरण से दीर्घायु (आचारात्+ईप्सिताः प्रजाः) आचार में उत्तम सन्तान (आचारात् अक्षय्यं धनम्) आचार से अक्षय धन (लभते) प्राप्त होता है (आचारः अलक्षणं हन्ति) धर्माचरण बुरे अधर्म-युक्त लक्षणों का नाश कर देता है ॥ १५६ ॥

“धर्माचरण ही से दीर्घायु, उत्तम प्रजा और अक्षय धन मनुष्य को प्राप्त होता है और धर्माचरण बुरे अधर्मयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है ।” (सं० वि० १७६)

“इसलिये मिथ्याभाषणादि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्त्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके आचरण को सदा किया करे ।” (सं० प्र० १०७)

दुराचार से हानि—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १५७ ॥ (४४)

(दुराचारः हि पुरुषः) जो दुष्टाचारी पुरुष है वह (लोके निन्दितः)

संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त (दुःखभागी) दुःखभागी (च) और (सततं व्याधितः) निरन्तर व्याधियुक्त होकर (अल्पायुः+एव भवति) अल्पायु का भी भोगने हारा होता है ॥ १५७ ॥ (सं० प्र० १०८)

“और जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी और व्याधि से अल्पायु सदा हो जाता है ।” (सं० वि० १७६)

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ।

श्रद्धधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥ (४५)

(यः) जो (सर्वलक्षणहीनः+अपि सदाचारवान्) सब अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचारयुक्त (श्रद्धाधानः) सत्य में श्रद्धा (च) और (अनसूयः) निन्दा आदि-दोषरहित होता है (शतं वर्षाणि जीवति) वह सुख से सौ वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ १५८ ॥ (सं० वि० १७६)

परवश कर्मों का त्याग—

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।

यद्यदात्मवशं तु त्यास्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १५९ ॥ (४६)

मनुष्य (यत्-यत् परवशं कर्म) जो पराधीन कर्म हो (तत्-तत् यत्नेन वर्जयेत्) उस-उस को प्रयत्न से सदा छोड़े (तु) और (यत्-यत् आत्मवशं स्यात्) जो-जो स्वाधीन कर्म हो (तत्-तत् यत्नतः सेवेत) उस-उस का सेवन प्रयत्न से किया करे ॥ १५९ ॥ (सं० वि० १७६)

“जो-जो पराधीन कर्म हो उस-उस का प्रयत्न से त्याग और जो-जो स्वाधीन कर्म हो उस-उस का प्रयत्न के साथ सेवन करे ।” (सं० प्र० १०८)

सुख-दुःख का लक्षण—

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ (४७)

वर्गोंके (परवशं सर्वं दुःखम्) जितना परवश होना है वह सब दुःख, और (आत्मवशं सर्वं सुखम्) जितना स्वाधीन रहना है वह सब सुख कहाता है (एतत् समासेन सुखदुःखयोः लक्षणं विद्यात्) यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानो ॥ १६० ॥ (सं० वि० १८०)

“क्योंकि जो-जो पराधीनता है वह-वह सब दुःख और जो-जो स्वाधीनता है वह-वह सब सुख, यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिए ।” (सं० प्र० १०८)

आत्मा के प्रसन्नताकारक कार्य ही करे—

यत्कर्म कुर्वतोऽथ स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः ।

तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥ १६१॥ (४८)

(यत् कर्म कुर्वतः) जिस कर्म के करने से (अस्य अन्तरात्मनः परितोषः स्यात्) मनुष्य की आत्मा को संतुष्टि एवं प्रसन्नता का अनुभव हो अर्थात् भय, शंका, लज्जा का अनुभव न हो (तत्-तत् प्रयत्नेन कुर्वीत) उस-उस कर्म को प्रयत्नपूर्वक करे (विपरीतं तु वर्जयेत्) जिससे संतुष्टि एवं प्रसन्नता न हो उस कर्म को न करे ॥ १६१ ॥

अनुशीलन : आत्मा के प्रसन्नताकारक कार्य किस प्रकार के होते हैं, इसके लिए विस्तृत विवेचन १।१२५ [२।६] पर 'आत्मनस्तुष्टि' शीर्षक अनुशीलन देखिए ।

माता-पिता-आचार्यादि की हिंसा न करे—

आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् ।

न हिंस्याद् ब्राह्मणान्गाश्च सर्वाश्चैव तपस्विनः ॥ १६२॥ (४९)

(आचार्यं प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुं ब्राह्मणान् गाः च सर्वान् तपस्विनः) वेद को पढ़ाने वाला, वेद का प्रवचन करने वाला, पिता, माता, गुरु, ब्राह्मण, गाय और सभी तपस्वी इनको (न हिंस्यात्) प्रताड़ित न करे अर्थात् इनके प्रतिकूल आचरण न करे ॥ १६२ ॥

नास्तिकता, वेदनिन्दा आदि निषिद्ध कर्म—

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम् ।

द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत् ॥ १६३॥ (५०)

(नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां कुत्सनम्) नास्तिकता, वेद की निन्दा और विद्वानों की निन्दा (द्वेषं दम्भं मानं क्रोधं च तैक्ष्ण्यं वर्जयेत्) द्वेष, पाखण्ड, अभिमान, क्रोध, उग्रता—तेजी इनको छोड़देवे ॥ १६३ ॥

शिष्य को केवल शिक्षार्थ ताड़ना करे—

परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्क्रुद्धो नैव निपातयेत् ।

अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्टेऽन्यं ताडयेत् तौ ॥ १६४॥ (५१)

(पुत्रात् वा शिष्यात् अन्यत्र) पुत्र और शिष्य से भिन्न (परस्य दण्डं न-उद्यच्छेत्) अन्य किसी व्यक्ति पर दण्डा न उठाये अर्थात् दण्डे से न मारे (क्रुद्धः एव न निपातयेत्) और क्रोधित होकर भी किसी को न मारे,

ताड़ना करे, (तौ तु शिष्टधर्यं ताडयेत्) उन पुत्र और शिष्य को भी केवल शिक्षा देने के लिये ही ताड़ना करे ॥ १६४ ॥

‘परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताड़न न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रखें’ ।

(स० प्र० द्वितीय समु०)

ब्राह्मण की हिंसा से नरक—

ब्राह्मणायावगूर्येव द्विजातिर्बन्धकाभ्यया ।

शतं वर्षाणि तामिमे नरके परिवर्तते ॥ १६५ ॥

(द्विजातिः) द्विज व्यक्ति (बन्धकाभ्यया) मारने की इच्छा से (ब्राह्मणाय + अव-गूर्य + एव) ब्राह्मण पर केवल बन्धा उठाने मात्र से ही (शतं वर्षाणि तामिमे नरके परिवर्तते) सौ वर्ष तक ‘तामिमे’ नामक नरक में भटकता रहता है ॥ १६५ ॥

ताडयित्वा तुरेनापि संरम्भाग्मतिपूर्वकम् ।

एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६ ॥

(मतिपूर्वकम्) जानबूझकर (संरम्भात्) क्रोधपूर्वक (तुरेन + अपि) तिनके से भी (ताडयित्वा) मारने से वह व्यक्ति (एकविंशतिम् + आजातीः) इक्कीस जन्मों तक (पापयोनिषु जायते) पापयोनियों [कुत्ता, बिल्ली आदि] में जन्म लेता है ॥ १६६ ॥

अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्याभगङ्गतः ।

दुःखं सुमहवाप्नोति प्रेत्याप्राज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥

(अयुध्यमानस्य ब्राह्मणस्य) लड़ने की इच्छा से रहित ब्राह्मण के (अज्ञतः अतुग्य उत्पाद्य) किसी अज्ञ से [चोट मारकर] खून निकालने से (नरः अप्राज्ञतया) वह मनुष्य अपनी इस मूर्खता के कारण (प्रेत्य) परलोक में (सुमहत् दुःखम् आप्नोति) बड़ा भारी दुःख प्राप्त करता है ॥ १६७ ॥

शोणितं यावतः पांसूंसंगुह्णाति महीतलात् ।

तावतोऽब्दानमुत्राग्न्यैः शोणितोत्पावकोऽग्रते ॥ १६८ ॥

(शोणितम्) ब्राह्मण के शरीर से निकला हुआ खून (महीतलात् यावतः पांसून् संगुह्णाति) पृथ्वी के जितने घूलिकणों को ग्रहण करता है अर्थात् जितने घूलिकण उस रक्त से भीगते हैं (शोणित + उत्पादकः) वह रक्त निकालने वाला (अमुत्र) परजन्मों में (तावतः + अब्दान्) उतने ही वर्षों तक (अग्न्यैः) अन्य हिंसक जीवों द्वारा (अग्रते) खाया जाता है ॥ १६८ ॥

न कदाचित् द्विजे तस्माद्विद्वानवगुरेदपि ।

न ताडयेत्तुरेनापि न गात्रास्त्रावयेदसृक् ॥ १६९ ॥

(तस्मात्) इसलिए (कदाचित् द्विजे न प्रवगुरेत् + अपि) कभी किसी ब्राह्मण पर दंडा भी न उठावे (तृणेन + अपि न ताडयेत्) तिनके से भी न मारे (गान्नात् + असूक् न स्नावयेत्) ब्राह्मण के शरीर से सङ्ग न बहाये ॥ १६६ ॥

अनुशीलनः : १६५ से १६६ तक के श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) १६५ वें श्लोक में प्रदर्शित नरक की मान्यता मनुविरोध है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है। शेष १६६—१६६ तक श्लोक इसके प्रक्षिप्त होने से स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि यह श्लोक उनका आधारभूत श्लोक है [नरक मनुविरोधी मान्यता है, इसके लिए विशेष समीक्षा ४।८०—६१ श्लोक पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक में देखिए]। (२) इन श्लोकों में एक कर्म द्वारा एक या विभिन्न नीच योनियों में जाने का कथन और निर्णय करना मनुविरोध है। मनु अनेक कर्मों के आधार पर योनियों की प्राप्ति मानते हैं और वह भी उत्तम, मध्यम, अधम आधार पर किसी एक योनि का निश्चय नहीं देते [१२।३—६, ३६—५२]। इस आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. प्रसंगविरोध—(१) ये श्लोक पूर्वापर प्रसङ्गविरोध हैं। १६४ में किसी को न मारने और हिंसा न करने का कथन है, १७० वें में हिंसाकर्ता का फल प्रदर्शित है। इस प्रकार १७० वां श्लोक १६४ से सम्बद्ध है या अर्थवाचक है। उस सम्बद्धता को इन श्लोकों ने भंग कर दिया है। और बीच में केवल ब्राह्मण को न मारने का वर्णन, उसका फलकथन असंगत भी है। (२) ये श्लोक यदि मौलिक होते तो इन्हें प्रसंगक्रम की दृष्टि से १६२ वें से सम्बद्ध होना चाहिए था, क्योंकि उस श्लोक में कहा है—“न हिंस्यात् ब्राह्मणान् गांश्च ।” उससे सम्बद्ध न होकर कुछ श्लोकों के पश्चात् पुनः उसी प्रसंग को शुरू करना असंगत है और यह इन्हें परवर्ती प्रलेप सिद्ध करता है।

३. शैलीगत आधार—इन सभी श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अति-शयोक्तिपूर्ण है। तिनके से मारने से ही इस्कीस पापयोनियों में जाना, जितने रुश्मिरक्षण ब्राह्मण के रक्त से भीगे उतने ही वर्षों तक कुत्ते द्वारा खाया जाना, आदि बातें प्रलापसदृश हैं। मरने के बाद जब अन्त्येष्टि होगी तो कुत्ते कहां से लायेंगे? इस निश्चय का भी क्या आधार है कि जितने कण रक्त से भीगे हैं उतने ही वर्ष उसको अन्य प्राणी खाते हैं? इस प्रकार की शैली मनुसदृश विद्वान् की नहीं है।

अधर्म-निन्दा एवं अधर्म से दुःखप्राप्ति—

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यमृतं धनम् ।

हितारतश्च यो निर्यं नैहासी सुखमेधते ॥ १७० ॥ (५२)

(यः अधार्मिकः नरः) जो अधार्मिक मनुष्य है (च) और (यस्य हि अमृतं धनम्) जिसका अधर्म से संचित किया हुआ धन है (च) और (यः

नित्यं हिंसारतः) जो सदा हिंसा में अर्थात् वैर में प्रवृत्त रहता है (असी) वह (इह) इस लोक और परलोक अर्थात् परजन्म में (सुखं न एषते) सुख की कभी नहीं प्राप्त हो सकता ॥ १७० ॥ (सं० वि० १८०)

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मं निवेशयेत् ।

अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ॥ १७१ ॥ (५३)

(अधार्मिकाणां पापानां आशु विपर्ययम्) अधार्मिक पापियों का [१७४ में वर्णित रूप में यदि पापों से उनकी उन्नति और समृद्धि हो गई है तो भी] शीघ्र ही उलटा विनाश होता है (पश्यन्) यह समझते हुए (धर्मेण सोदत्+अपि) धर्माचरण से काट उठाता हुआ भी (अधर्मं मनः न निवेशयेत्) अधर्म में मन को न लगावे अर्थात् धर्म का ही पालन करता रहे ॥ १७१ ॥

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिब ।

शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ १७२ ॥ (५४)

मनुष्य निश्चय करके जाने कि (लोके) इस संसार में (गौः+इव) जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र प्राप्त नहीं होता वैसे ही (चरितः अधर्मः सद्यः न फलति) किये हुए अधर्म का फल भी शीघ्र नहीं होता (तु) किन्तु (शनैः कर्तुः आवर्तमानः) धीरे-धीरे अधर्मकर्ता के सुखों को रोकता हुआ (मूलानि कृन्तति) सुख के मूलों को काट देता है, पश्चात् अधर्मी दुःख ही दुःख भोगता है ॥ १७२ ॥ (सं० वि० १८०)

“किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है, उसी समय फल भी नहीं होता; इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे-धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है ।” (सं० प्र० १०४)

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु ।

न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ॥ १७३ ॥ (५५)

(यदि न+आत्मनि) यदि अधर्म का फल कर्ता की विद्यमानता में न हो तो (पुत्रेषु) पुत्रों (पुत्रेषु न चेत् नप्तृषु) यदि पुत्रों के समय में न हो तो नातियों=पोतों के समय में अवश्य प्राप्त होता है (तु) किन्तु (न एव तु) यह कभी नहीं हो सकता कि (कर्तुः अधर्मः निष्फलः भवति) कर्ता का किया हुआ कर्म निष्फल होवे ॥ १७३ ॥ (सं० वि० १८०)

अनुशीलन : कर्मफल का भोक्ता कौन ? ४। २४० में कर्ता को

ही सुकृत-दुष्कृत का भोक्ता माना है, जबकि यहाँ किये हुए अधर्म का फल पुत्र-पौत्रों तक प्राप्त होना कहा है। इस प्रकार विरोध-सा प्रतीत होता है। किन्तु इनमें परस्परविरोध नहीं है। वहाँ व्यक्तिगत स्तर पर किये जाने वाले सुकृत-दुष्कृत का कर्त्ता को व्यक्तिगत रूप में ही भोक्ता माना है, जबकि यहाँ प्रसंग अधर्म पूर्वक भोगों के संग्रह का है [४।१७०—१७४]। व्यक्ति, हिंसा, अधर्म आदि से [४।१७०] यदि धनसंग्रह करता है और वह एकाएक समृद्ध होता हुआ भी दृष्टिगत होता है, किन्तु अन्ततः समूल विनाश के रूप में उसे फल भोगना पड़ता है [४।१७०]। अधर्म, हिंसा आदि से प्राप्त किये धन-भोगों के सेवन में जो-जो भी पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जन सम्मिलित होते हैं, वे भी उस अधर्म में भागीदार होने के कारण उसके फल को भोगते हैं। इसकी पुष्टि के लिए हिंसा के प्रसंग में मनु की मान्यता ५।१५१ में देखिए। वहाँ हिंसा में किसी भी प्रकार भाग लेने वाले प्रत्येक आठ प्रकार के व्यक्तियों को अधर्मी=पापी माना है। इसी प्रकार सभी अधर्मों के कामों में समझना चाहिए। जब वह अधर्मी है तो उसके दुःखरूप फल का भी भागी होगा। किन्तु कर्त्ता के भोगने योग्य निजी फल को कोई नहीं बाँट सकता है। [४।२४०]। सब अपने-अपने फल को भोक्ता स्वयं होते हैं।

अधर्मैर्एधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ (५६)

(तावत् अधर्मैर् + एधते) जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ (जैसा तालाब के बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अर्थात् रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन, और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर, प्रथम बढ़ता है (ततः) पश्चात् (भद्राणि पश्यति) धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है (सपत्नान् जयति) अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है (ततः) पश्चात् (समूलः तु विनश्यति) शीघ्र नष्ट हो जाता है, जैसे जड़ कटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है ॥ १७४ ॥ (स० प्र० १०४)

अनुशीलन : अधर्म दुःख का कारण है और धर्म सुख का कारण है। इस मान्यता की पुष्टि के लिए ६।६४ श्लोक द्रष्टव्य है।

सत्यधर्म का पालन करे—

सत्यधर्मायं वृत्तेषु शीचे चंचारमेत्सदा।

शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मं वाग्बाहूदरसंयतः ॥ १७५ ॥ (५७)

इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि (सत्यधर्म + प्राय-वृत्तेषु) सत्यधर्म और प्राय अर्थात् उत्तम पुरुषों के आचरणों (च) और (शीचे) भीतर-बाहर

को पवित्रता में (सदा आरमेत्) सदा रमण करें (वाक्+बाहु+उदर+संयतः च धर्मेण) अपनी वाणी, बाहु उदर को नियम और सत्यधर्म के साथ वर्तमान रखके (शिष्यान्-शिष्यात्) शिष्यों को सदा शिक्षा किया करें ॥ १७५ ॥ (सं० वि० १८०)

“जो वेदोक्त सत्यधर्म अर्थात् पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग, न्यायरूप, वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करें।” (सं० प्र० १०४)

“सत्य, धर्म, आर्य अर्थात् आप्त पुरुषों के व्यवहार और शीघ्र=पवित्रता ही में सदा गृहस्थ लोग प्रवृत्त रहें और सत्यवाणी भोजनादि के लाभ रहित हस्तपादादि की कुचेष्टा छोड़कर धर्म से शिष्यों और सन्तानों को उत्तम शिक्षा सदा किया करें।” (सं० वि० १५१)

धर्मवर्जित अर्थ-काम का त्याग—

परित्यजेदर्थकामो यो स्यातां धर्मवर्जितौ ।

धर्मं चाप्यसुखोदकं लोकविक्रुष्टमेव च ॥ १७६ ॥ (५८)

(अर्थकामो यो धर्मवर्जितौ स्यातां परित्यजेत्) यदि बहुत-सा धन, राज्य और अपनी कामना अधर्म से विद्ध होती हो तो भी अधर्म सर्वथा छोड़ दें (च) और (धर्मम् अपि+असुखोदकम्) वेदविरुद्ध धर्माभास जिसके करने से उत्तरकाल में दुःख (च) और (लोकविक्रुष्टम् एव) संसार की उन्नति का नाश हो वैसा नाममात्र धर्म और कर्म कभी न किया करें ॥ १७६ ॥ (सं० वि० १५१)

“जो धर्म से वर्जित धनादिपदार्थ और काम हों उनको सर्वथा शीघ्र छोड़ दें और जो धर्माभास अर्थात् उत्तरकाल में दुःखदायक कर्म हैं और जो लोगों को निन्दित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं उनसे भी दूर रहें।” (सं० वि० १८१)

अनुशीलन : (१) श्लोक में उक्त बातों को उदाहरणपूर्वक स्पष्ट किया जाता है—

(क) धर्मवर्जित अर्थ=जैसे—चोरी, डकैती, छल-कपट, हिंसा आदि से प्राप्त धन। ऐसा धन धर्मवर्जित है [द्रष्टव्य ४।२, ३, ११, १५ ॥ ८। ३०-३६]।

(ख) धर्मवर्जितकाम=जैसे—अतिविषयासक्ति [४।१६], परस्त्रीगमन [४।१३३—१३४], बाल्यकाल में विवाह [३।१—४], पर्वदिनों में या ऋतुकाल के बिना स्त्रीममलग्न [३।४५।४।१२८] विधिरहित नियोग [६।५६—६३] आदि कार्य धर्मविरुद्ध कामभावना के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) उत्तरकाल में असुखकारक धर्म = जैसे— स्त्री-पुत्रों के रहते हुए सर्वस्व दान कर देना या अतितपस्या से शरीर को क्षीण करना [२।७५ (२।१००)] आदि बात धर्माभास हैं, जिनसे उत्तरकाल में दुःखप्राप्ति होती है।

(घ) लोकदिक्लृष्ट धर्म = काणे को काणा कहना, हीन को हीन कहना, आदि बातें सत्य होते हुए भी लोकनिन्दित एवं शिष्टधर्म के विरुद्ध हैं। मनु ने कहा है—‘सत्य बोले किन्तु प्रिय सत्य बोले’ [४।१३८]। अप्रिय बातें नहीं कहनी चाहिए [४।१४१]।

(२) धर्म, अर्थ, काम का स्वरूप— धर्म, अर्थ, काम के स्वरूप को समझने के लिए ७।२६ की समीक्षा देखिए।

चपलता का त्याग—

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनूजुः।

न स्याद्वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः ॥ १७७ ॥ (५६)

(पाणि-पाद-चपलः न) हाथ-पैरों से चंचलता के कार्य न करे (नेत्र-चपलः न) आंखों से चंचलतायुक्त काम न करे (अनूजुः) कुटिलता न करे (वाक्-चपलः एव न) वाणों से चपलता न करे (च) और (परद्रोह-कर्मधीः न स्यात्) दूसरों की हानि या द्वेष के कर्मों में मन लगाने वाला न बने ॥ १७७ ॥

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन् रिरिष्यते ॥ १७८ ॥ (६०)

(येन + अस्य पितरः) जिस मार्ग से इसके पिता (पितामहाः याताः) पितामह चले हों (तेन यायात्) उस मार्ग में सन्तान भी चले, परन्तु (सतां मार्गम्) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें और जो पिता-पितामह दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चलें (तेन गच्छन् न रिरिष्यते) क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता ॥ १७८ ॥

विवाद न करने योग्य व्यक्ति—

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यमातुलातिथिसंश्रितः।

बालवृद्धातुरैर्वैर्जातिसम्बन्धिवान्धवः ॥ १७९ ॥ (६१)

मातापितृभ्यां जामोभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया।

दुहित्रा दासवर्गेण विवाहं न समाचरेत् ॥ १८० ॥ (६२)

“(ऋत्विक्) यज्ञ का करने हारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल-चलन का शिक्षाकारक (आचार्य) विद्या पढ़ाने हारा (मातुल) मामा (अतिथि)

अर्थात् जिसकी कोई आने की निश्चित तिथि न हो (संश्रित) अपने आश्रित (बाल) बालक (वृद्ध) बूढ़े (आतुर) पीड़ित (वैद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता (जाति) स्वर्गोन्नस्थ वा स्ववर्णस्थ (सम्बन्धी) स्वसुर आदि (बान्धव) मित्र (माता) माता (पिता) पिता (जामी) बहन (आता) भाई (भार्या) स्त्री (दुहित्रा) पुत्री ❀ (दासवर्णेण) और सेवक लोगों से (विवादं न समाचरेत्) विवाद अर्थात् विरुद्ध लड़ाई-बखेड़ा कभी न करें ॥ १७६, १८० ॥

(स० प्र० १०४—१०५)

❀ (पुत्रेण) पुत्र के साथ.....

एतन्निवादान्संत्यज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

एभिर्जितं जयति सर्वाल्लोकानिमान्गृही ॥ १८१ ॥

(गृही) गृहस्थी (एतैः निवादान् संत्यज्य) इनके साथ बहस या झगड़ा न करके (सर्वपापैः प्रमुच्यते) सब पापों से छूट जाता है (च एभिः जितैः) और इन्हें जीतकर अर्थात् अपने मधुर व्यवहार से इनके मनों को जीतकर (इमान् सर्वान् लोकान् जयति) इन सब लोकों को जीत लेता है ॥ १८१ ॥

आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः ।

अतिथिस्त्विन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चरित्रजः ॥ १८२ ॥

जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः ।

सम्बन्धिनो ह्येषां लोके पृथिव्यां मातृमातुलौ ॥ १८३ ॥

(आचार्यः ब्रह्मलोक + ईशः) आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है (पिता प्राजापत्ये प्रभुः) पिता प्राजापति लोक का स्वामी है (तु) और (अतिथिः इन्द्रलोक + ईशः) अतिथि इन्द्रलोक का स्वामी (च) तथा (ऋत्विजः) ऋत्विज (देवलोकस्य) देवलोक का स्वामी है (जामयः अप्सरसां लोके) बहनें अप्सरा लोक की (बान्धवाः) मित्र आदि (वैश्वदेवस्य) वैश्वदेव लोक के (सम्बन्धिनः अपां लोके) सम्बन्धी वरुण लोक के (मातृमातुलौ पृथिव्याम्) माता-पिता और मामा पृथिवी लोक के स्वामी हैं ॥ १८२, १८३ ॥

आकाशेशस्तु विज्ञेया बालवृद्धकृशातुराः ।

आता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका तनुः ॥ १८४ ॥

छाया स्वो वत्सवर्गश्च बुहिता कृपणं परम् ।

तस्मादेतैरधिषितः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५ ॥

(बाल-वृद्ध-कृश-आतुराः तु आकाश + ईशाः विज्ञेयाः) बालक, बूढ़े, कम-जोर, बीमार व्यक्तियों को आकाश का स्वामी समझना चाहिए (ज्येष्ठः आता पित्रा समः) बड़ा भाई पिता के समान है, (भार्या पुत्रः स्वका तनुः) स्त्री और पुत्र अपने

शरीर के समान हैं (च) तथा (दासवर्गः) सेवक-वर्ग (स्व-छाया) अपनी छाया के समान है (दुहिता परं कृपणम्) कन्या परम कृपा की पात्र है (तस्मात्) इस कारण (एतैः + अधिक्षिप्तः) इनसे तिरस्कृत होकर भी (असंज्वरः सदा सहेतु) गुस्सा या बुरा न मानकर सदा सहन करता रहे ॥ १८४, १८५ ॥

अनुशीलन : १८१ से १८५ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध— (१) १८१ श्लोक में कहा है कि '१७६-१८० श्लोकोक्त व्यक्तियों से विवाद छोड़ देने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।' यदि इतने से ही पापमुक्ति हो जाती है तो मनुस्मृति-विहित धर्म ही निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं ! फिर उनके पालन की क्या आवश्यकता है ? (२) ११२१०—२३२ में मनु ने पापों के लिए प्रायश्चित्तों का विधान किया है। इस श्लोक के कथन का उन श्लोकों की व्यवस्थाओं से विरोध है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है और शेष १८२—१८५ श्लोक क्योंकि इसी पर आधारित हैं, अतः ये भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। (३) इन सभी श्लोकों में विभिन्न लोकों की गणना और उनकी प्राप्ति का कथन करना भी मनुविरुद्ध है। मनु मृत्यु के बाद जीव की दो ही गतियाँ मानते हैं— एक तो सांसारिक योनियों में जन्म [६।६३, ७४, १२।६, ३६—४२, ७४, ८१] या फिर ब्रह्मप्राप्ति [४। १४६, ६।८१, १२।११६, १२५]। अतः यह लोकों की प्राप्ति का वर्णन प्रक्षिप्त है।

२. शैलीगत आधार— इन श्लोकों में निर्दिष्ट व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न लोकों का स्वामी बतलाना भी अयुक्तियुक्त है। विवाद करने के साथ कोई पाप-पुण्य का भी सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार १८१—१८५ श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त है और १८१ वें की प्रतिशयोक्तिपूर्ण भी है।

प्रतिग्रह का लालच न रखे—

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसंगं तत्र वर्जयेत् ।

प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशम्यति ॥१८६॥ (६३)

ब्राह्मण (प्रातःग्रहः समर्थः + अपि) दान लेने का अधिकारी होते हुए भी (तत्र प्रसंगं वर्जयेत्) दान-प्राप्ति में आसक्तिभाव अर्थात् उसीसे धनसंग्रह का लालच रखने की भावना को छोड़ दवे (हि) क्योंकि (प्रतिग्रहेण) दान लेने में आसक्ति रखने से (अस्य ब्राह्मं तेजः) इसका ब्राह्मतेज (आशु-प्रशम्यति) शांति शान्त होने लगता है ॥ १८६ ॥

प्रतिग्रह की विधियाँ—

न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं धर्म्यं प्रतिग्रहे ।

प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादिवसीदन्नपि क्षुधा ॥ १८७ ॥ (६४)

(प्राज्ञः) बुद्धिमान् ब्राह्मण को चाहिए कि (द्रव्याणां प्रतिग्रहे धर्म्यं

विधिम् अविज्ञाय) द्रव्यों के दान लेने में धर्म की विधि को बिना जाने (क्षुधा अवसीदन् + अपि) भूल से पीड़ित होता हुआ भी (प्रतिग्रहं न कुर्यात्) दानग्रहण न करे ॥ १८७ ॥ ❀

अनुष्ठीयन्तः : दानग्रहण की धर्मविधि—इस श्लोक में प्रतिग्रहरूप में द्रव्यों को दान लेने की धर्मविधि क्या है, इसको समझने के लिए मनु की निम्न मान्यताएँ व प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

(१) १। ८८ में वेदाध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन में निरन्तर रत व्यक्ति को ही दान लेने का अधिकार दिया है। दान लेने के वे ही अधिकारी हैं, जो इन कार्यों को धर्म मानकर निरन्तर करते हैं; इस बात का निर्देश मनु ने स्थान-स्थान पर किया है [२। ७६-८१ (२। १०४-१०७), २। १४०-१४३ (२। १६५-१६८); ४। १७-२०, ३१, १४७, १४८, ११। २४५ ॥]। इस प्रकार धर्मविधि का एक भाग यह है कि अधिकारी ही दान लें।

(२) उपर्युक्त कार्यों में तल्लीन न रहने वाले व्यक्ति, वेद को एकबार पढ़कर उसका अभ्यास-मनन न करने वाले व्यक्ति, अतपस्वी, स्वभाव से छली-कपटी आदि दान लेने के अनधिकारी हैं [४। ३०, १६०-१६६ आदि]। अनधिकारियों को दिया गया दान निष्फल होता है और लेने वाले पापी होते हैं।

(३) अधर्मी और वेद, यज्ञ आदि से हीन व्यक्तियों से दान नहीं लेना चाहिए [२। १५८, १६० (२। १८३, १८५)।

(४) मनु द्वारा भक्ष्यरूप में विहित पदार्थ दान में ग्राह्य हैं। निषिद्ध अभक्ष्य मांस तामसिक आदि पदार्थ अग्राह्य हैं [५। ५-६, ४५-५१; ६। १४ आदि], और सांसारिक विषयों में फंसाने वाले पदार्थ भी अग्राह्य हैं [६। ५८, ५७, ५५, २६ आदि]। इन बातों को जानना 'प्रतिग्रह की धर्मविधि' का ज्ञान करना है।

हिरण्यं भूमिमश्वं ताम्रं वासस्तिलान्घृतम् ।

प्रतिगृह्णन्विद्वान्स्तु भस्मीभवति ब्राह्मन् ॥ १८८ ॥

(हिरण्यं भूमिम् + अश्वं गाय् + अन्नं वासः तिलान् घृतम्) सोना, भूमि, घोड़ा, गौ, अन्न, वस्त्र, तिल और घी (अविद्वान् तु प्रतिगृह्णन्) अविद्वान् ब्राह्मण इनके दान को ग्रहण करके (ब्राह्मन् भस्मी भवति) लकड़ी के समान जल जाता है ॥ १८८ ॥

हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गोऽन्वाप्योषतस्तनुम् ।

अश्वश्चभस्मस्वचं वातो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ १८९ ॥

❀ [प्रचलित अर्थ—द्रव्यों के दान लेने में उनकी धर्मयुक्त विधि (ग्राह्य देवता, प्रतिग्रहमन्त्र आदि) को बिना जाने भूल से पीड़ित होता हुआ भी बुद्धिमान् ब्राह्मण दान को न ले ॥ १८७ ॥]

(हिरण्यं च अन्नम् आयुः) सोना और अन्न आयु को (भूः च गौः अपि तनुम्) भूमि और गौ शरीर को (अश्वः चक्षुः) घोड़ा नेत्र को (वासः स्वप्नम्) वस्त्र स्वप्न को (धूर्त तेजः) धी तेज को (तिलाः प्रजाः) तिल संतान को (उषतः) जला देते हैं ॥ १८६ ॥

अनुशीलन : १८८—१८९ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वापर श्लोक प्रतिग्रह लेने की धर्मविधि [१८७] और उसके अर्थवादा रूप [१९० आदि] हैं, उनके बीच में कुछ वस्तुओं की गणना और उनका फल-वर्णन प्रसंगभञ्जक है। (२) १८७ में धर्मविधि के जानने का कथन है न कि वस्तुओं के दान लेने की हानि कहने का। अतः इन दोनों श्लोकों का १८७ के प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार ये प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप हैं।

२. अन्तर्विरोध—मनु ने १। ८८ में दान लेने का अधिकार विद्वान् ब्राह्मणों को दिया है, जो वेदाध्ययन-अध्यापन में जीवन-यापन करते हों। अतः अविद्वान् द्वारा दान लेना उसके विरुद्ध है।

३. शैलीगत आधार—इनकी शैली भी अयुक्तियुक्त है। दान लेने और भस्म होने में कोई कार्यकारण सम्बन्ध नहीं है। अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करना मनु की शैली नहीं है।

दान लेने के अनधिकारी तीन प्रकार के व्यक्ति—

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्विजः।

अम्भस्यश्मप्लवेनेध सह तेनैव मज्जति ॥ १९० ॥ (६५)

एक—(अतपाः) ब्रह्मचर्य-सत्यभाषणादि तपपरहित, दूसरा—(अनधीयानः) बिना पढ़ा हुआ—तीसरा (प्रतिग्रहरुचिः) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला, ये तीनों (अश्मप्लवेन अम्भसि इव) पत्थर की नौका से समुद्र में तैरने के समान (तेन सह एव मज्जति) अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुःखसागर में डूबते हैं ॥ १९० ॥ (सं प्र० १०५)

अनुशीलन : 'अनधीयानः' की व्याख्या के लिए देखिए ४। १९२ की समीक्षा।

तस्मादविद्वान्निपाद्यस्मात्तस्मात्प्रतिग्रहात्।

स्वल्पकेनाप्यविद्वान्नि पङ्के गौरिष सीदति ॥ १९१ ॥

(तस्मात्) इसलिए (अविद्वान्) अविद्वान् (यस्मात्-तस्मात् प्रतिग्रहात् विभियात्) सभी प्रकार के दान ग्रहण से डरे अर्थात् न ले (हि) क्योंकि (स्वल्पकेन + अपि) थोड़ा-सा भी दान लेने से (अविद्वान्) अविद्वान् व्यक्ति (पङ्के गौः + इव सीदति) कीचड़ में फंसी गौ के समान कष्ट पाता है ॥ १९१ ॥

अनुशीलन : १६१ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—पूर्वापर श्लोकों में तीन प्रकार के व्यक्तियों को दान न देने का कथन है। १६० का ही वर्णन १६२ में पृथक् संज्ञा के रूप में है। इस प्रकार इनकी वाक्यात्मक संगति है। इस श्लोक ने उसे भंग कर दिया है, अतः प्रक्षिप्त है।

२. अन्तर्विरोध—इस आधार पर भी यह प्रक्षिप्त है [द्रष्टव्य ४। १८६ की अन्तर्विरोध समीक्षा]।

न वार्यपि प्रयच्छेत् बंडालव्रतिके द्विजे ।

न सकव्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित् ॥ १६२ ॥ (६६)

(धमवित्) धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि (बंडाल-व्रतिके द्विजे) 'बंडालव्रतिक' [=बिस्ली जैसे स्वभाव वाला ४। १६५] को (बकव्रतिके) 'बकव्रतिक' [=बगुले जैसे स्वभाव वाला ४। १६६] (विप्रे) ब्राह्मण को (अवेदविदि) वेद को न जानने-पढ़ने वाले ब्राह्मण को (वारि+अपि न प्रयच्छेत्) जल भी न दे ॥ १६२ ॥

अनुशीलन : तीन प्रकार के असम्मान्य व्यक्ति—इस श्लोक में १६० में वर्णित व्यक्तियों को सादृश्यपरक दूसरी संज्ञाओं से वर्णित किया है, जैसे—अनधीयानः=अवेदवित्, अतपाः=सत्याचरण से रहित किन्तु द्विजनामधारी अर्थात् बकव्रतिक(ढोंगी), प्रतिग्रहवचिः (प्रतिग्रह का लालची)=बंडालव्रतिक। आगे ४। १६५—१६६ आखिरी दो के लक्षण भी स्पष्ट कर दिये हैं। ये वेदानुसार आचरण के त्याग करने वाले हैं। इस प्रकार इस श्लोक में पुनरुक्ति न होकर उनके स्पष्ट गुणों के आधार पर पर्यायवाची संज्ञाएँ दी हैं।

(२) 'अनधीयानः या अवेदवित्' का यहां अर्थ प्रविद्वान् नहीं है, अपितु उन व्यक्तियों से अभिप्राय है जो एक बार वेद पढ़कर उसका निरन्तर अध्ययन-अभ्यास, मनन-चिन्तन छोड़ देते हैं। ऐसे लोग वेदों के विद्वान् नहीं होते। मनु ने ब्राह्मणों को सदैव वेदों का स्वाध्याय-अभ्यास करते रहने का निर्देश दिया है [२। ७६—८१ (२१। १०४—१०७), २। १४०—१४३ (२। १६५—१६८), ४। १७—२०, १४७, १४८, ११। २४५ आदि] निरन्तर वेदाभ्यासी यजन-याजनशील, वेदाध्ययन-अध्यापन कराने वाले को ही मनु दान लेने का अधिकार देते हैं [१। ८८, ४। ३१]। अन्य शूद्रवत् होते हैं [२। १४३]।

(३) ४। ३० में भी इन व्यक्तियों और इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों को भी दान-सम्मान न देने का कथन है।

त्रिविधेष्वेतेषु दत्तं हि विधिनाऽप्यर्जितं धनम् ।

दातुर्भवत्यनर्थाय परब्राह्मणतुरेव च ॥ १६३ ॥ (६७)

(विधिना अर्जितं धनम् एतेषु त्रिषु दत्तं हि) जो धर्म मे प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान (दातुः अनर्थाय भवति) दाता का नाश इसी जन्म (च) और (आदातुः परत्र एव) लेने वाले का नाश परजन्म में करता है ॥ १६३ ॥ (स० प्र० १०५)

यथा प्लवेनौपलेन निमज्जन्मुदके तरन् ।

तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञां दातृप्रतीच्छ्यकौ ॥ १६४ ॥ (६८)

(यथा उपलेन प्लवेन) जैसे पत्थर की नौका में बैठकर (उदके तरन् निमज्जति) जल में तरने वाला डूब जाता है (तथा) वैसे (अज्ञौ दातृ-प्रति + इच्छ्यकौ) अज्ञानी दाता और गृहीता दोनों (अधस्तात् निमज्जतः) अधोगति अर्थात् दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ १६४ ॥ (स० प्र० १०५)

बेडाल व्रतिक का लक्षण—

धर्मध्वजी सदा लुब्धश्छाप्रिको लोकदम्भकः ।

बेडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसम्भकः ॥ १६५ ॥ (६९)

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे (सदालुब्धः) सर्वदा लोभ से युक्त (छाप्रिकः) कपटी (लोकदम्भकः) संसारी मनुष्यों के सामने अपने बड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिंस्रः) प्राणियों का घातक अन्ध से वैरबुद्धि रखने वाला (सर्व + अभिसम्भकः) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे उसको (बेडालव्रतिकः ज्ञेयः) बेडालव्रतिक अर्थात् बिडाल के समान धूर्त और नीच समझो ॥ १६५ ॥ (स० प्र० १०५)

अनुशीलन : इनका वर्णन ४। ३०, १६२ में भी द्रष्टव्य है ।

बकव्रतिक का लक्षण—

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्विजः ॥ १६६ ॥ (७०)

(अधोदृष्टिः) कीर्ति के लिए नीचे दृष्टि रखे (नैष्कृतिकः) ईर्ष्यक, किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया हो तो उस का बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे (स्वार्थसाधनतत्परः) चाहे कपट, अधर्म, विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठः) चाहे अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े (मिथ्याविनीतः) झूठ-मूठ ऊपर से शील, सन्तोष और साधुता दिखलावे, उस को (बकव्रतचरः द्विजः) बगुले के समान नीच समझो ॥ १६६ ॥ (स० प्र० १०६)

अनुशीलन : बकव्रतिक व्यक्तियों की चर्चा और निन्दा ४। ३०, १६२ में भी द्रष्टव्य है।

ये बकव्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः ।

ते पतन्मन्थतामित्रं तेन पापेन कर्मणा ॥ १६७ ॥

(ये बकव्रतिनः च ये मार्जारलिङ्गिनः विप्राः) जो बगुले के स्वभाव के और जो बिल्ली जैसे स्वभाव के ब्राह्मण विद्वान् हैं (ते) वे (तेन पापेन कर्मणा) उस पापयुक्त स्वभाव और कर्म के कारण (मन्थतामित्रं पतन्ति) 'मन्थतामित्र' नामक नरक में पड़ते हैं ॥ १६७ ॥

न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत् ।

व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन् स्त्रीशूद्रवम्भनम् ॥ १६८ ॥

(धर्मस्य + अपदेशेन) धर्म के बहाने से (पापं कृत्वा) पाप करके (स्त्रीशूद्रवम्भनं कुर्वन्) स्त्री-शूद्रों के समान पाखंड करता हुआ (व्रतेन पापं प्रच्छाद्य) व्रत से पाप को ढकने के लिए (व्रतं न चरेत्) प्रायश्चित्त व्रत न करे अर्थात् व्रत करने से मेरा पाप तो छूट जायेगा, यह मानकर धर्म की आड़ में पाप कार्य न करे और न व्रत का दिखावा करे ॥ १६८ ॥

प्रेत्येह वेदशा विप्रा गृह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः ।

छद्मनाऽऽचरितं यच्च व्रतं रक्षसि गच्छति ॥ १६९ ॥

(ईदृशाः विप्राः) ऐसे विद्वानों की (प्रेत्य + इह) परलोक और इस लोक में भी (ब्रह्मवादिभिः गृह्यन्ते) ब्रह्मादी लोग निन्दा करते हैं (च) और (यत् व्रतं छद्मना + उपचरितम्) जो व्रत कपट से किया जाता है वह (रक्षसि गच्छति) राक्षसों को पहुँचता है ॥ १६९ ॥

अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति ।

स लिङ्गिनां हरत्येनस्तिर्यग्योनौ च जायते ॥ २०० ॥

(यः) जो व्यक्ति (अलिङ्गी) उन गुणों से युक्त न हो और (लिङ्गिवेषेण) दिखावे के रूप में उन गुणों का पाखंड करके (वृत्तिम् + उपजीवति) प्राजीविका चलाता है (सः) वह पाखण्डी व्यक्ति (लिङ्गिनाम् एनः हरति) जो वास्तविक पुरुष हैं उनके पाप का भागीदार होता है (च) और (तिर्यग्योनौ जायते) वह नीच योनियों में जन्म पाता है ॥ २०० ॥

अनुशीलन : १६७ से २०० तक के श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अन्तविरोध—(१) १६७ वें श्लोक में 'मन्थतामित्र' नामक नरक में जाने

का कथन मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु के मतानुसार नरक नामक कोई योनि या स्थानविशेष ही नहीं है [देखिए ४। ८०—६१ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक में 'नरक' सम्बन्धी समीक्षा]। (२) १६६ वें श्लोक में यत्नों का राक्षसों को पहुँचना तथा २०० में दूसरों के पापों को लेने का कथन मनु के ४। २४० वें श्लोक के विरुद्ध है। उसमें कर्त्ता को स्वयं फलों का भोक्ता माना है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर परस्पर—सम्बद्ध ये चारों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

दूसरों के स्नान किये जल में न नहाये—

परकीयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाचन।

निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ (७१)

(परकीयनिपानेषु कदाचन न स्नायात्) दूसरों के होज या टब में कभी न नहाये (तु) क्योंकि (स्नात्वा) वहाँ नहाकर (निपानकर्तुः दुष्कृतांशेन लिप्यते) होज या टब वाले की गन्दगी या बीमारी से नहाने वाला लिप्त हो जाता है अर्थात् उसकी बीमारियाँ लग जाती हैं ॥ २०१ ॥ ❀

अनुशीलन : 'दुष्कृत' का यहाँ 'पाप' अर्थ अप्रामाणिक एवं अयुक्तियुक्त है। प्रसंगानुसार 'रोगकारक मल' अर्थ ही उचित है।

यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च।

अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यात्तुरीयभाक् ॥ २०२ ॥

(अस्य) किसी व्यक्ति के (अदत्तानि) बिना दिये या बिना आज्ञा के (यान-शय्या + आसनानि च कूप + उद्यानगृहाणि) सवारी, पलंग, आसन, कुशाँ, बगीचा और घर, इनका (उपभुञ्जानः) प्रयोग करके (एनसः तुरीयभाक् स्यात्) उसके चौथे हिस्से के पाप का भागी होता है ॥ २०२ ॥

अनुशीलन : २०२ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यह पूर्वपर प्रसंगविरुद्ध है। २०१ में 'कहाँ नहीं नहाना चाहिए' यह वर्णन किया था २०३ में 'कहाँ नहाना चाहिए' यह कथन है। इस सम्बद्ध वर्चक्रम को इस श्लोक ने भंग कर दिया है और प्रसंगभिन्न बातों का वर्णन किया है, अतः प्रक्षिप्त है।

२. विषयविरोध—यह विषयवाह्य श्लोक है। इसमें वर्णित बातों का 'सत्त्व-

❀ [प्रचलित अर्थ—दूसरों के वनवाये हुए जलाशय (पोखरा, बावड़ी, कुशाँ आदि) में कभी स्नान न करे। और स्नान कर उक्त जलाशय वनवाने वाले के पाप के चौथाई भाग से (स्नान करने वाला मनुष्य) मुक्त होता है ॥ २०१ ॥]

गुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न यह व्रत कहा जा सकता है (द्रष्टव्य ४। ३३-३४ पर समीक्षा), अतः प्रक्षिप्त है।

किन जलों में स्नान करे—

नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च ।

स्नानं समाचरेन्नित्यं गतंप्रसवणेषु च ॥ २०३ ॥ (७२)

(नदीषु) नदियों में (देवखातेषु) प्राकृतिक जलाशयों में (तडागेषु) तालाबों में (सरःसु) झरनों में (च) और (गतंप्रसवणेषु) ऐसे गड्ढों में जिनका बहता पानी हो, बाढ़ड़ी आदि में (नित्यं स्नानं समाचरेत्) सदा स्नान करना चाहिए ॥ २०३ ॥

यम-सेवन की प्रधानता—

यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः ।

यमाप्पतस्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन् ॥ २०४ ॥ (७३)

(यमान् सततं सेवेत) यमों का सेवन नित्य करे (नित्यं नियमान् न) केवल नियमों का नहीं, क्योंकि (यमान् अकुर्वाणः) यमों को न करता हुआ और (केवलान् नियमान् भजन्) केवल नियमों का सेवन करता हुआ भी (पतति) अपने कर्त्तव्य से पतित हो जाता है, इसलिए यमसेवनपूर्वक नियम-सेवन नित्य किया करे ॥ २०४ ॥ (सं० वि० ८५)

अनुयातन्त्रः : (१) यमसेवन के बिना पतन कैसे?—यहाँ मनु ने कहा है कि 'मनुष्य यमों का पालन न करके यदि नियमों के ही पालन में लगा रहे तो उसके पतित होने का भय रहता है।' क्योंकि यम मुख्यरूप से आत्मा से संबद्ध आचरण है, जबकि नियम प्रमुखतः बाह्याचरण हैं। केवल बाह्याचरणों के सेवन में व्यक्ति की आत्मिक उत्थिति नहीं हो सकती और न उसकी आत्मा में बढ़ना रहती है। आत्मा से संबद्ध श्रेष्ठाचरणरूप यमों के पालन से मनुष्य वस्तुतः श्रेष्ठ बन जाता है। बाह्याचरण वाला व्यक्ति पालण्ड भी कर सकता है, जबकि आत्मिक आचरण में पालण्ड नहीं होता। इस प्रकार केवल नियमों के पालन के स्तर तक व्यक्ति के पतन की संभावना धनी रहती है।

(२) यमों और नियमों की गणना एवं व्याख्या—योगदर्शन २। ३०—४५ सूत्रों में इनकी गणना की गई है। यहाँ यमों और नियमों का संक्षेप से उल्लेख किया जाता है—

“अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहाः यमाः ।” (योग० २। ३०)

“(१) अहिंसा— अर्थात् सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणि-ओं के साथ वैर छोड़ के प्रेम—प्रीति में वर्तना। (२) सत्य— अर्थात् जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही

सत्य बोले, करे और माने। (३) अस्तेय—अर्थात् पदार्थवाले की आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना। इसी को चोरी-त्याग कहते हैं। (४) ब्रह्मचर्य—अर्थात् विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेन्द्रिय होना और पच्चीसवें वर्ष से लेके अड़तालीस वर्ष पर्यन्त विवाह का करना; परस्त्री, वेश्या आदि का त्यागना; सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक-ठीक पढ़के सदा पढ़ाते रहना; और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना। (५) अपरिग्रह—अर्थात् विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित होना।” (ऋ० भा० भू० उपासना विषय)

“शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः।” (योग० २।३२)

“(१) शौच—अर्थात् पवित्रता करनी। सो भी दो प्रकार की है—एक भीतर की और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्यभाषण, विद्याभ्यास, सस्तङ्ग आदि शुभगुणों के आचरण से होती है और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना-पीना आदि शुद्ध करने से होती है। (२) सन्तोष—जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना, और दुःख में शोकातुर न होना, किन्तु भालस्य का नाम सन्तोष नहीं है। (३) तप—जैसे सोने को अग्नि में तपाके निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभगुणों के आचरणरूप तप से निर्मल कर देना। (४) स्वाध्याय—अर्थात् मोक्षविद्याविधायक वेदशास्त्र का पढ़ना-पढ़ाना और प्रोक्तार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना-कराना, और (५) ईश्वरप्रणिधान—अर्थात् सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेमभाव से आत्मादि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना।”

(ऋ० भा० भू० उपासना विषय)

अथ यज्ञश्रेयसः—

वि.

क.

क.

अथलीलमेतत्साधूनां यत्र जुह्वत्यमी हविः।

प्रतीपमेतद्देवानां तस्मात्सत्यपरिवर्जयेत् ॥ २०६ ॥

(यत्र अभी हविः जुह्वति) जिसमें स्त्री और शूद्र ब्राह्मति डालते हैं (एतत्) वह यज्ञ (साधूनाम् अथलीलम्) श्रेष्ठ लोगों की श्री का नाशक होता है (एतद् देवानां प्रतीपम्) और इस प्रकार का यज्ञ देवताओं के प्रतिकूल होता है (तस्मात्) इसलिये (तत् परिवर्जयेत्) उसे छोड़ दे ॥ २०६ ॥

मत्तकृद्वापराणां च न भुञ्जीत कदाचन ।

केशकीटावयम्नं च पवा स्पृष्टं च कामतः ॥ २०७ ॥

(च) श्रौर (मत्त-क्रुद्ध + प्रातुराणाम्) पागल, क्रोधी, रोगी, इनका (केश-कोट-श्रवणन्तम्) जिसमें बाल या कीड़े पड़ गये हों (च) श्रौर (पदा स्पृष्टम्) पैरों से छुआ हुआ भोजन (कामतः न भुञ्जीत) जानबूझकर न खाये ॥ २०७ ॥

अणुघनायेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदयया ।

पतत्रिणावलीढं च शुभा संस्पृष्टमेव च ॥ २०८ ॥

(भ्रूणधना + अवेक्षितम्) भ्रूणहृत्यारे द्वारा देखा हुआ (च) और (उदकयया संस्पृष्टम्) रजस्वला स्त्री द्वारा स्पर्श किया हुआ (च) तथा (पतत्रिणा + अवलीढम्) पक्षी का झूठा किया हुआ (च) और (शुना संस्पृष्टम् + एव) कुत्ते का छुआ भोजन भी न करे ॥ २०५ ॥

गद्या चान्नमुपाध्यातं घुष्टाग्नं च विशेषतः ।

गराण्णं गरिकाण्णं च विबुधा च जुगुप्सितम् ॥ २०६ ॥

(च) और (गवा उपाघ्रातम् अन्नम्) गाय के द्वारा सूँघा हुआ अन्न (विशेषतः मुष्टान्नम्) किसी व्यक्ति के लिए विशेषरूप से घोषित अर्थात् निश्चित किया हुआ अन्न (गणान्नम्) किसी समुदाय विशेष का अन्न (च) और (गणिका + अन्नम्) देव्या का अन्न (च) तथा (विदुषां जुगुप्सितम्) विद्वानों द्वारा निन्दित अन्न भी न खाये ॥ २०६ ॥

स्तेनगायतयोश्चान्तं तदङ्गोर्वाधुर्षिकस्य च ।

दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ २१० ॥

(स्तेनवायनयोः) चोर और गाने वाले के (तक्ष्णोः बाधुषिकस्य) बड़ई और

चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूरस्योच्छिष्टमोजिनः ।

उग्रार्धं स्रुतिकाञ्चनं च पर्याजास्तमनिर्बंशम् ॥ २१२ ॥

(चिकित्सकस्य) वैद्य का (मृगयोः) शिकारी और व्याध का (क्रूरस्य) निर्दयी

का (उच्छिष्टभोजिनः) झूठा खाने वाले का (उग्रान्नम्) उग्र स्वभाव वाले का अन्न (मृतिका + अन्नम्) प्रसूता का (पर्याचान्तम्) बहुतों के भोजन करते समय जहाँ कोई बीच में ही आचमन कर ले, उस अन्न को (च अनिर्दशम्) और मरणशीघ्र के दश दिन होने से पूर्व किसी का अन्न न खाये ॥ २१२ ॥

अर्नचितं वृषामांसमवीरायाश्च योषितः ।

द्विषदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवधुतम् ॥ २१३ ॥

(अर्नचितम्) बिना आदर के दिया गया अन्न (वृषामांसम्) यज्ञ के या देवताओं के उद्देश्य के बिना बनाया मांस (च) तथा (अवीरायाः योषितः) सन्तानहीन स्त्री का अन्न (द्विषत् + अन्नम्) वैरी का अन्न (नगरी + अन्नम्) नगराध्यक्ष का अन्न (पतित + अन्नम्) पतित का अन्न (अवधुतम्) जिस पर छींक दिया हो, उस अन्न को न खाये ॥ २१३ ॥

पिशुनानृतिनोश्चान्नं क्रतुविक्रयिणस्तथा ।

शैलूषतुन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥ २१४ ॥

(पिशुन + अनृतिनः अन्नम्) चुगलखोर तथा झूठे व्यक्ति का अन्न (तथा क्रतु-विक्रयिणः) तथा मूल्य लेकर यज्ञ करने वाले का अन्न (शैलूष-तुन्नवाय + अन्नम्) नट और जुलाहे का अन्न (च) और (कृतघ्नस्य + अन्नम् + एव) कृतघ्न = किये हुए उपकार को न मानने वाले का अन्न भी न खाये ॥ २१४ ॥

कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च ।

मुवर्णकर्तुर्वेणस्य शस्त्रविक्रयिणस्तथा ॥ २१५ ॥

(कर्मारस्य) लोहार का (निषादस्य) मछिहारे का (च) और (रङ्गावतारकस्य) नाटक खेलने वाले का (मुवर्णकर्तुः) सुनार का (वेणस्य) बाँस से आजीविका करने वाले का (तथा शस्त्रविक्रयिणः) तथा हथियार बेचने वाले का अन्न न खाये ॥ २१५ ॥

श्ववतां शौण्डिकानां च चैलनिर्णोजकस्य च ।

रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपत्तिर्गृहे ॥ २१६ ॥

(श्ववताम्) कुत्ते पालने वालों का (शौण्डिकानाम्) शराब बेचने वालों का (चैलनिर्णोजकस्य) धोबी का (रञ्जकस्य) रंगरेज का (नृशंसस्य) घातक का (च) और (यस्य गृहे उपपत्तिः) जिसके घर में जार रहता हो, उसका अन्न न खाये ॥ २१६ ॥

मृष्यन्ति ये चोपपत्तिं स्त्रीजितानां च सर्वशः ।

अनिर्दशं प्रेतान्नमनुष्ठिकारमेव च ॥ २१७ ॥

(च) तथा (ये उपपत्तिं मृष्यन्ति) जो अपने घर में जार को रखते हैं (सर्वशः स्त्रीजितानाम्) जो सब प्रकार से स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं (अनिर्दशं प्रेतान्नम्) दश

दिन से पूर्व प्रेत वाले घर का अन्न (च) तथा (अनुष्टिभक्तम् + एव) मन को जो अन्न अरुचिकर लगे, उसको नहीं खाना चाहिए ॥ २१७ ॥

राजाग्नं तेज आदत्ते शुभ्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् ।

आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्मविकर्तितः ॥ २१८ ॥

(राजा + अन्नं तेजः आदत्ते) राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है (शूद्र + अन्नं ब्रह्मवर्चसम्) शूद्र का अन्न ब्रह्मतेज को नष्ट करता है (सुवर्णकार + अन्नम् आयुः) सुनार का अन्न आयु को (चर्म + अदकतिनः यशः) चमार का अन्न यश को नष्ट करता है ॥ २१८ ॥

कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णोजकस्य च ।

गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिक्रुतति ॥ २१९ ॥

(कारुक + अन्नं प्रजां हन्ति) कारीगर का अन्न सन्तान को मारता है (निर्णोजकस्य बलम्) धोबी का अन्न बल का नाश करता है (गणान्नं च गणिकान्नं लोकेभ्यः परिक्रुतति) समुदायविशेष का और बेइया का अन्न उत्तम लोकों की प्राप्ति से वंचित कर देता है ॥ २१९ ॥

पूयं विकित्सकस्यान्नं पुंश्चत्पास्त्वन्नमिन्द्रियम् ।

विण्ठा बाधुर्विकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिणो मलम् ॥ २२० ॥

(विकित्सकस्य अन्नं पूयम्) वैद्य का अन्न राद = विकृत रक्त (पुंश्चत्पा तु अन्नम् + इन्द्रियम्) व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर्य (बाधुर्विकस्य अन्नं विण्ठा) व्याजखोर का अन्न विण्ठा (शस्त्रविक्रयिणः मलम्) शस्त्र बेचने वाले का अन्न मल के समान है ॥ २२० ॥

य एतेऽन्ये त्वन्नोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः ।

तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ २२१ ॥

(ये एते + अन्ये तु + अभोज्यन्ताः क्रमशः परिकीर्तिताः) ये जो और भी अभक्ष्य अन्न क्रमशः [४। २०५ से २२० तक] कहे हैं (तेषां तु अन्नम्) उनके अन्न को (मनीषिणः) विद्वान् लोग (त्वक् + अस्थि + रोमाणि वदन्ति) त्वचा, हड्डी और रोम के समान कहते हैं ॥ २२१ ॥

भुक्त्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नममस्या अपरं ग्रहम् ।

मस्या भुक्त्वाऽऽचरेत्कृच्छ्रं रेतो विण्मूत्रमेव च ॥ २२२ ॥

(अन्नः + अन्यतमस्य + अन्नम् + अमत्या भुक्त्वा) इनमें से किसी का भी अन्न अनजाने में खाकर (त्रि + अहं क्षयणम्) तीन दिन तक उपवास करे (मत्या भुक्त्वा) जानबूझकर खाकर (कृच्छ्रं चरेत्) 'कृच्छ्र' नामक प्रायश्चित्त करे (च) और (रेतः + विद् + मूत्रम् + एव) वीर्य, विण्ठा, मूत्र खाकर भी 'कृच्छ्र' व्रत करे ॥ २२२ ॥

नाद्याण्ड्रस्य पक्वान्नं विद्वान्भ्राद्धिनो द्विजः ।

आवदीतामनेषास्मादवृत्तावेकरात्रिकम् ॥ २२३ ॥

(विद्वान् द्विजः) विद्वान् ब्राह्मण को चाहिये कि (अभ्राद्धिनः शूद्रस्य पक्वान्नं न + अद्यात्) श्राद्ध के अनधिकारी का पका अन्न न खाये, किन्तु (अवृत्ती) खाने के लिये कहीं भी कुछ न मिलने पर (अस्मात्) इस शूद्र से (एकरात्रिकम् ग्रामम् + एव आवदीत) एक रात भोजन करने योग्य कच्चे अन्न को ही ले ले ॥ २२३ ॥

श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च बाधुर्वेः ।

मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन् ॥ २२४ ॥

(कदर्यस्य श्रोत्रियस्य) कजूस वेदपाठी (च) श्रीर (वदान्यस्य बाधुर्वेः) दानी व्याजखोर के अन्न को (मीमांसित्वा) गुण-दोष विचार कर (देवाः) देवताओं ने (उभयम् अन्नं समम् अकल्पयन्) दोनों के अन्न को समान बताया है ॥ २२४ ॥

ताम्रजापतिराहृत्य मा कृष्वं विषमं समम् ।

श्रद्धापूर्तं वदान्यस्य हतब्रधयेतरत् ॥ २२५ ॥

किन्तु (प्रजापतिः तान् एत्य आह) ब्रह्मा उनके पास आकर बोले कि (विषमं समं मा कृष्वम्) असमान को समान मत बतलाओ (वदान्यस्य श्रद्धापूर्तम्) दानी व्याजखोर का अन्न श्रद्धा से दिया गया होने के कारण पवित्र है तथा (अश्रद्धया + इतरत् हतम्) अश्रद्धा से दिया गया कजूस वेदपाठी का अन्न अपवित्र है, इस प्रकार दोनों अन्न समान नहीं हैं, अपितु श्रद्धा से दिया गया अन्न या दान श्रेष्ठ माना है ॥ २२५ ॥

श्रद्धा से दानकार्य करे—

श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।

श्रद्धाकृते हाक्षये ते भवतः स्वागतर्धनैः ॥ २२६ ॥

(अतन्द्रितः) आलस्य रहित होकर (श्रद्धया) श्रद्धा से (नित्यम्) सदा (इष्टम्) यज्ञादि का आयोजन (च) श्रीर (पूर्तम्) कृपा, तालाब आदि का निर्माण (कुर्यात्) करे (सु + आगतैः धनैः) ईमानदारी से कमाये धन से (श्रद्धाकृते ते) श्रद्धापूर्वक किये गये ये कार्य (अक्षये भवतः) अक्षय फल को देने वाले होते हैं ॥ २२६ ॥

अनुशीलन : २०५ से २२६ श्लोक निम्न 'आधारों' पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अस्तत्रोद्यो—(१) इस सम्पूर्ण प्रसंग के प्रारम्भिक या आधारभूत श्लोक २०५—२०६ हैं। २०५ वें से 'न.....भुञ्जीत ब्राह्मणः क्वचित्' कहकर यहाँ निषिद्ध भोजनों का प्रसंग शुरू किया गया है। ये दोनों श्लोक कई तरह से मनु की मान्यताओं से विरुद्ध हैं, यथा—(क) इन श्लोकों में अश्रोत्रिय के द्वारा प्रारम्भ किये

गये यज्ञ में जीमना निषिद्ध है। पहली बात तो यह है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति में यज्ञों में जीमने का कहीं विधान नहीं है। हां, मृतकश्राद्ध के प्रसंग में देव और पितृयज्ञ में विधान है किन्तु वह मान्यता मनुविरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि मनु की व्यवस्था के अनुसार यज्ञ कराना ब्राह्मणों का कर्त्तव्य है [१। ५८]; और ब्राह्मण वही होता है जो वेदपाठी या अध्ययन-अध्यापन कर्मवाला हो। अतः अश्रोत्रिय द्वारा यज्ञ प्रारम्भ करने की व्यवस्था ही मनुसम्मत नहीं है। (ख) इनमें बहुतों को यज्ञ कराने वाले के यज्ञ में भी खाने का निषेध है। मनु ने यज्ञों का विधान सभी द्विजों के लिए किया है और इन्हें पुण्यदायक कृत्य माना है। अतः जो व्यक्ति इन्हें जितना अधिक करेगा मनु के मतानुसार वह उतना ही धर्म का पालन करने वाला माना जायेगा। अतः यह कल्पना भी मनुसम्मत नहीं है। (ग) स्त्री और नपुंसकों द्वारा आहुति दिए जाने वाले यज्ञ की निन्दा भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने यज्ञ का निषेध किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं किया है। स्त्रियों के लिए मनु ने स्पष्टतः यज्ञ का विधान किया है [देखिये २। ४१-४२ (६६-६७) पर समीक्षा]। अतः यह मान्यता भी मनुविरुद्ध है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये दोनों ही इस प्रसंग के आधारभूत श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। आधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर शेष २०७-२२६ सभी श्लोक स्वतः प्रक्षेपास्तर्गत आ जाते हैं। इस प्रसंग में अन्य कुछ अन्तर्विरोध भी हैं—(२) २१०, २२०, २२४-२२६ श्लोकों में 'व्याज देने वाले' व्यक्ति के अन्न को अभक्ष्य और निन्दनीय माना है, जबकि मनु ने व्याज लेना वैश्यों का कर्म बताया है [१। ६०]। अतः मनु की व्यवस्था के अनुसार यह कार्य निन्द्य नहीं है। निन्द्य होने से ये श्लोक भी मनुसम्मत सिद्ध नहीं होते। (३) २१३ में मांसभक्षण का वर्णन मनुविरुद्ध है [देखिये ४। २६-२८ पर समीक्षा]। (४) २२३ में मृतकश्राद्ध का वर्णन भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है (देखिए ३। ११६-२८४ पर 'अन्तर्विरोध शीर्षक')। (५) इस प्रसंग में विभिन्न जातियों का उल्लेख है, जैसे—२१४ में दर्जी का; २१५ में लुहार, सुनार का; २१८ में सुनार, चमार का आदि। मनु की वर्णव्यवस्था के अनुसार ये कोई जातियाँ नहीं हैं, अपितु वैश्य के कर्म हैं। और इस प्रसंग में इनके अन्न को निन्द्य कहना भी मनुविरुद्ध है। क्योंकि मनु वैश्यों की गणना द्विजों के अन्तर्गत करते हैं और उनके द्वारा किये जाने वाले ये कार्य आदरयोग्य हैं। जातियों के उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि ये श्लोक मनु से परवर्ती हैं। अतः मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं खाते। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये श्लोक तथा इनसे सम्बद्ध अन्य सभी पूर्वापर श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. विषयविरोध—२०५ से २२५ श्लोक विषयबाह्य हैं। ये न तो व्रत ही हैं और न इनका 'सर्वगुणवर्धन' के साथ कोई सम्बन्ध है। अपितु २०५—२०६ श्लोक तो सर्वगुणविरोधी हैं, अतः ये विषयविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत जानकारी के लिए ४। ३३—३४ पर 'विषयविरोध' शीर्षक देखिये]।

३. शैलीगत आधार—इस प्रसंग में २१३, २१८, २१९—२२१ श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण तथा अपशब्दात्मक है। यह शैली मनु की नहीं है।

दानधर्म के पालन का कथन—

दानधर्मं निषेवेत नित्यमंष्टिकर्तव्यम् ।

परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ ॥ (७४)

द्विज (पात्रम् + आसाद्य) मुपात्र को देखकर (परितुष्टेन भावेन) सात्त्विक अर्थात् निःस्वार्थ और निर्लोभ भाव से श्रेष्ठ कार्य के लिए [१२। २७—३७] (शक्तितः) शक्ति के अनुसार (नित्यम्) सदैव (अंष्टिक-पौतिकम्) यज्ञों के आयोजन-सम्बन्धी और पौतिक = उपकारार्थे कूआ, तालाब आदि निर्माण-सम्बन्धी (दानधर्मं निषेवेत) दानधर्म का पालन करे अर्थात् दान दिया करे ॥ २२७ ॥

यत्किञ्चिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया ।

उत्पत्स्यते हि तस्मात् यत्तारयति सर्वतः ॥ २२८ ॥

(याचितेन) किसी के मांगने पर (यत् + किञ्चित् + अपि) जो कुछ थोड़ा-बहुत (अनसूयया दानव्यम्) ईर्ष्या या दुःस्वरहित होकर अवश्य देना चाहिए (हि) क्योंकि (नत् पात्रम् उत्पत्स्यते) दान लेने वालों में कभी नो ऐसा मुपात्र मिलेगा ही (यत् सर्वतः तारयति) जो सब दुःखों में पार कर देगा ॥ २२८ ॥

वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमग्नदः ।

तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुःस्तमम् ॥ २२९ ॥

(वारिदः तृप्तिम्) जल का दाना संतुष्टि को (अग्नदः अक्षयं सुखम्) अग्न का दाना अक्षय सुख को (तिलप्रदः इष्टां प्रजाम्) तिल का दाना अभीष्ट मनान को (दीपदः उत्तमं चक्षुः) दीपक का दान देने वाला उत्तम आँख को (आप्नोति) प्राप्त करता है ॥ २२९ ॥

भूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्घमःपुष्टिरण्यदः ।

गृहदोऽग्र्याणि वेदमानि रूप्यदो रूपमुत्तमम् ॥ २३० ॥

(भूमिदः भूमिम्) भूमि का दाना भूमि को (हिरण्यदः दीर्घम् + आयुः) मोने का दाना लम्बी आयु को (गृहदः + अग्र्याणि वेदमानि) घरों का दाना सुन्दर घरों को (रूप्यदः उत्तमं रूपम्) चाँदी का दाना उत्तम रूप को (आप्नोति) प्राप्त करता है ॥ २३० ॥

वासोदः चन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः

अनडुदः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रह्मस्य विष्टयम् ॥ २३१ ॥

(वासोदः चन्द्रसालोक्यम्) वस्त्र का दाता चन्द्रलोक को (अश्वदः अश्वि-
सालोक्यम्) घोड़े का दाता अश्विनीकुमार लोक को (अनडुदः पुष्टां श्रियम्) बैल का
दाता अस्यधिक लक्ष्मी को (गोदः ब्रह्मस्य विष्टयम्) गाय का दाता सूर्यलोक को पाता
है ॥ २३१ ॥

यानशय्याप्रदो

भार्यामैश्वर्यमभयप्रदः ।

धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसाष्टिताम् ॥ २३२ ॥

(यान-शय्याप्रदः भार्याम्) सवारी और पलंग का दाता पत्नीको (अभयप्रदः
ऐश्वर्यम्) अभय का दाता ऐश्वर्य को (धान्यदः शाश्वतं सौख्यम्) धान्यों का दाता
अनन्त सुख को (ब्रह्मदः ब्रह्मसाष्टिताम्) वेद का दाता ब्रह्मा की समानता को प्राप्त
करता है ॥ २३२ ॥

अनुशीलन : २२८ से २३१ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) २२८ वें श्लोक में दान लेने वाले के द्वारा 'दानदाता'
को तारना' यह मान्यता मनुविरुद्ध है। ४।२४० में मनु ने केवल कर्त्ता को ही अपने
मुकुट और दुष्कृत कर्मों का भोक्ता माना है। तदनुसार ही अगला जन्म मिलता है
[१२।३—६, ३६—४२, ७५]। अतः दूसरे कर्मों में दूसरा फलभोक्ता नहीं हो सकता।
(२) २२६, २३२ श्लोकों में अन्न और धान्य के दान से अक्षय सुख की प्राप्ति होना
कहा है। यदि केवल इतने मात्र से ही अक्षय सुख की प्राप्ति हो जायेगी तो फिर मनु-
स्मृति प्रोक्त सब धर्म और नैःश्रेयसकर कर्म ही व्यर्थ हो जाते हैं। मनु ने तो धर्मपालन
और नैःश्रेयसकर कर्मों से ही अक्षय सुख की प्राप्ति मानी है [६।६७; १२।८२—१२६]।
अतः यह कथन मनुविरुद्ध है। (३) २३१ में विभिन्न लोकों की प्राप्ति भी मनुविरुद्ध है।
मनु मृत्यु के उपरान्त किसी लोक आदि की प्राप्ति नहीं मानते, अपितु संसार में पुनर्जन्म
या मुक्ति, ये दो अवस्थाएँ ही मानते हैं [६।६३, ७४, ८१; १२।११६, २२५]। इन
अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. शैलीगत आधार—इन सभी श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त, अतिशयोक्ति-
पूर्ण है। क्योंकि इनमें परिगणित पदार्थों का और उनके फलों का कोई सम्बन्ध नहीं है।
और इस प्रकार तो प्रत्येक व्यक्ति इन लाभों को प्राप्त कर सकता है फिर अन्य धर्मों
के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है? मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं होतीं।

वेद-दान की सर्वश्रेष्ठता —

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वार्यन्तगोमहीवासस्तिलकाञ्जनसर्पिषाम् ॥ २३३ ॥ (७५)

(सर्वेषाम् एव दानानाम्) संसार में जितने दान हैं अर्थात् (वारि-
अन्न-गो-मही-वासः-तिल-कांचन-सर्पिषाम्) जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र,
तिल, सुवर्ण और धृतादि इन सब दानों से (ब्रह्मदानं विशिष्यते) वेदविद्या
का दान अतिश्रेष्ठ है ॥ २३३ ॥ (स० प्र० ७६)

येन येन तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति ।

तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥

दाता (येन येन तु भावेन) जिस-जिस कामना से (यत् यत् दानं प्रयच्छति) जो-
जो दान देता है । (तत् तत्) उस-उस को (तेनैव भावेन) उसी भाव से (प्रतिपूजितः
प्राप्नोति) आदरपूर्वक प्राप्त करता है ॥ २३४ ॥

योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति दत्तार्थार्चितमेव च ।

तावुभौ गच्छतः स्वर्गं नरकं तु विपर्यये ॥ २३५ ॥

(यः अर्चितं प्रतिगृह्णाति) जो आदरपूर्वक लिए हुए को लेता है (च) और
(अर्चितम् + एव ददाति) जो आदरपूर्वक देता है (तौ + उभौ) वे दोनों (स्वर्गं गच्छतः)
स्वर्ग लोक को जाते हैं (विपर्यये तु नरकम्) निरादर से देने और लेने वाले तो नरक में
जाते हैं ॥ २३५ ॥

न विस्मयेत तपसा बदेदिष्ट्वा च नानृतम् ।

नार्तोऽप्यपबदेत्प्रिप्रान्न दत्त्वा परिकीर्तयेत् ॥ २३६ ॥

(तपसा न विस्मयेत) तप करके आश्चर्य न करे [कि मैंने इतनी कठिन तपस्या
कर ली (इष्ट्वा अनृतं न बदेत्) यज्ञ करके झूठ न बोले (भार्तः + अपि विप्रान् न अप-
बदेत्) ब्राह्मणों से पीड़ित होता हुआ भी उन्हें बुरा न कहे (दत्त्वा न परिकीर्तयेत्) दान
देकर अपनी बड़ाई न करे ॥ २३६ ॥

यज्ञोऽनुतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात् ।

आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात् ॥ २३७ ॥

(अनुतेन यज्ञः क्षरति) झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है (विस्मयात्
तपः क्षरति) आश्चर्य करने से तप का फल (विप्र + अपवादेन आयुः) ब्राह्मणों की
बुराई करने से आयु (च) और (परिकीर्तनात् दानम्) अपनी बड़ाई करने से दान का
फल नष्ट हो जाता है ॥ २३७ ॥

अनुयायिनः : २३४ से २३७ तक के श्लोक निम्न आधारों के अनु-
सार प्रक्षिप्त है—

१. विषयविरोध—इन श्लोकों में वर्णित बातें न तो अत के अन्नर्गत ही मानी
जा सकती हैं और न इनका 'सत्त्वगुणवृद्धिकर' के साथ कोई सम्बन्ध है, अतः ये विषय-

बाह्य होने के कारण 'विषयविरोध' के आधार पर प्रक्षिप्त हैं [‘वस्तुतः विवेचन ४। ३३—३४ श्लोक पर ‘विषयविरोध’ शीर्षक में द्रष्टव्य है]।

२. अन्तर्विरोध—(क) २३४—२३५ श्लोकों के वर्णन में ‘नरक प्राप्ति’ का कथन करना मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु नरक नामक स्थान या योनि विशेष को नहीं मानते [देखिए ४। ८७—९१ श्लोकों पर ‘अन्तर्विरोध’ शीर्षक में नरक सम्बन्धी समीक्षा]। (ख) २३६—२३७ श्लोकों में यज्ञ, तप आदि कर्मों के फल कानष्ट हो जाना विहित है। मनु के सिद्धान्तानुसार कर्मों का फल तो भोगने पर ही नष्ट हो सकता है। मनु कर्मों के अनुसार ही पुनर्जन्म की प्राप्ति मानते हैं [४। २४०; १२। ३—६, ३६—५२, ७४ आदि]। यदि इतनी छोटी बातों से ही इन धर्मकार्यों का फल नष्ट होना मान-लिया जाये तो इसका मतलब यह हुआ कि यज्ञादि धर्मकार्य उनकी अपेक्षा स्वल्प फल-वाले हैं ! यह वर्णन मात्र काल्पनिक है। (ग) २३४ वें श्लोक में ‘जिस भाव से जो दान करेगा वह उसी वस्तु की प्राप्ति करेगा’ यह मान्यता भी मनुसम्मत नहीं है। मनु दान आदि धर्मों से किन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति नहीं, अपितु सुख की प्राप्ति होना मानते हैं। ४। २४२, २४६ में उन्होंने यह मान्यता दर्शायी है। उसके आधार पर ये श्लोक मनु-विरुद्ध हैं। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. शैलीगत आधार—इन सभी श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अति-शयोक्तिपूर्ण है। इनमें वर्णित बातों और उनके फलों का परस्पर कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता, अतः ये मनुविरुद्ध हैं।

धर्मसंचय का विधान एवं धर्मप्रशंसा—

धर्म शनैः सचिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः ।

परलोकसहायार्थं सर्वभूताः यपीडयन् ॥ २३८ ॥ (७६)

(पुत्तिका वल्मीकम् + इव) जैसे पुत्तिका अर्थात् दीमक वल्मीक अर्थात् बांबी को बनाती है वैसे (सर्वलोकानि + अपीडयन्) सब भूतों को पीड़ा न देकर (परलोक-महायार्थम्) परलोक अर्थात् परजन्म के सुखार्थ (शनैः धर्मं सचिनुयात्) धीरे-धीरे धर्म का संचय करे ॥ २३८ ॥

(सं० प्र० १०६)

“जैसे दीमक धीरे-धीरे बड़े भारी घर को बना लेती हैं, वैसे मनुष्य परजन्म के सहाय के लिए सब प्राणियों को पीड़ा न देकर धर्म का संचय धीरे-धीरे किया करे।” (सं० वि० १८१)

अनुशीलन : यहाँ ‘धीरे-धीरे’ में अभिप्राय भावधानी पूर्वक धर्म-पालन करने से है। जैसे दीमक अपनी बांबी को बनाते हुए सावधानी बरतती है और उसे गिरने नहीं देती इसी प्रकार मनुष्य भी अपने को सभी धर्म में गिरने न दे। कहीं कोई अधर्म न हो जाये, इस बात की सावधानी रखें।

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।

न पुत्रदारा न जातिधर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २३६ ॥ (७७)

(हि) क्योंकि (अमुत्र) परलोक में (न पिता-माता, न पुत्र-दारा न जातिः सहायार्थं तिष्ठतः) न माता, न पिता, न पुत्र, न स्त्री, न सम्बन्धी सहाय कर सकते हैं, किन्तु (केवलः धर्मः तिष्ठति) एक धर्म ही सहायक होना है ॥ २३६ ॥ (स० प्र० १०६)

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ २४० ॥ (७८)

(एकः जन्तुः प्रजायते एक+एव प्रलीयते) अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता है (एकः सुकृतम् एकः+एव च दुष्कृतम् अनुभुङ्क्ते) एक ही धर्म के फल सुख और अधर्म के दुःखरूप फल को भोगता है ॥ २४० ॥

(स० प्र० १०६)

अनुशीलनः : कर्मफल का भोक्ता कर्त्ता—(१) इस श्लोक में व्यक्तिगत स्तर के सुकृत, दुष्कृत करने पर कर्त्ता को ही फल का भोक्ता माना है। किन्तु यदि उसके साथ अधर्म में और अधर्म से प्राप्त उसके भोगों, धर्मों में अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं तो उस अधर्म का फल उनको भी प्राप्त होता है। मनु ने यह मान्यता अधर्म से धनसंग्रह के प्रसंग में [४।१७० में] स्पष्ट की है [४।१७३]। (द्रष्टव्य ४।१७३ पर भी इस विषयक अनुशीलन)। अभिप्राय यह है कि कर्त्ता के भोगने योग्य निजी फल को कोई दूसरा नहीं बांट सकता।

(२) सत्यार्थप्रकाश चतुर्थ समुल्लास में महर्षि दयानन्द ने २४० श्लोक के पश्चात् एक अन्य श्लोक भी उद्धृत किया है, जो प्रचलित पाठों में नहीं है। किन्तु महाभारत उद्योगपर्व ३३।४७ में मिलता है।

श्लोक निम्न है—

एकः पापानि कृते फलं भुङ्क्ते अजाकृतम् ।

महाजन अर्थात् कुटुम्ब उसको भोक्ता है। भोगने वाले दोष-भागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्त्ता ही दोष का भागी होता है ॥ (स० प्र० चतुर्थ समु०)

यहाँ महर्षि दयानन्द ने अपराधकर्म की दृष्टि से कर्त्ता को ही दोषी माना है। दोषभागी होने के कारण वही उस अपराध में दण्डनीय होता है। कुटुम्ब आश्रित होता है, उसे पापकर्म से लायी कमाई का कभी ज्ञान नहीं होता तो कभी होता है। इस

प्रकार भोक्ता होते हुए भी कर्त्ता न होने के कारण कुटुम्ब उस अपराध कर्म में दोषी नहीं माना गया है। किन्तु व्यक्तिगत स्तर पर पाप फल की प्राप्ति में वह भागी अवश्य है। [४। १७०]।

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ।

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥ (७६)

(मृतं शरीरं काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ उत्सृज्य) जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उसको ❀ मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर, पीठ दे (बान्धवाः विमुखाः यान्ति) बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं, कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किन्तु (धर्मः + तम् + अनुगच्छति) एक धर्म ही उसका सङ्गी होता है ॥ २४१ ॥ (स० प्र० १०६)

❀ (काष्ठ) लकड़ी और.....

तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः।

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ २४२ ॥ (८०)

(तस्मात्) उस हेतु से (सहायार्थम्) परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ (नित्यं धर्मं शनैः संचिनुयात्) नित्य धर्म का संचय धीरे-धीरे करता जाये (हि) क्योंकि (धर्मेण सहायेन) धर्म ही के सहाय से (दुस्तरं तमः तरति) बड़े-बड़े दुस्तर दुःखसागर को जोर तर सकता है ॥ २४२ ॥ (स० प्र० १०७)

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम्।

परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम् ॥ २४३ ॥ (८१)

(धर्मप्रधानम् पुरुषम्) किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता (तपसा हतकिल्बिषम्) जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तव्य पाप दूर हो गया, उस को (भास्वन्तम्) प्रकाशस्वरूप (खशरीरिणम्) और आकाश

॥ २४३ ॥

(स० प्र० १०८)

उत्तमों की संगति करे—

उत्तमैस्तमैर्नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह।

निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधर्मास्त्यजेत् ॥ २४४ ॥ (८२)

(कुलम् + उत्कर्षं निनीषुः) जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना चाहे (अधमान् + अधमान् त्यजेत्) वह नीच-नीच पुरुषों का सम्बन्ध छोड़-

कर (नित्यम् उत्तमैः उत्तमैः सह सम्बन्धान् भावरेत्) नित्यं अच्छे-अच्छे पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ाता जावे ॥ २४४ ॥ (सं० वि० १८१) +

अनुशीलन : यहां उत्तम का अर्थ बड़ा नहीं है अपितु श्रेष्ठ है, और अधम का 'नीच'। यह अगले अर्थवादर्प श्लोक से भी सिद्ध है।

उत्तमानुत्तमागच्छन्हीनान्हीनांश्च वर्जयन् ।

ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥ २४५ ॥ (८३)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (उत्तमान्-उत्तमान् गच्छन्) श्रेष्ठ-श्रेष्ठ व्यक्तियों से सम्बन्ध बढ़ाते हुए (च) और (हीनान्-हीनान् वर्जयन्) नीच-नीच व्यक्तियों से सम्बन्धों को छोड़ते हुए (श्रेष्ठताम्+एति) और अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है (प्रत्यवायेन) इसके विपरीत व्यवहार करने से (शूद्रताम्) वह शूद्रता को प्राप्त हो जाता है ॥ २४५ ॥

अनुशीलन : २४५ में ब्राह्मण शब्द से अभिप्राय—इस श्लोक में 'ब्राह्मण' शब्द उपलक्षण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार अन्य वर्णों को भी श्रेष्ठता और शूद्रता प्राप्त होती है, यह अभिप्राय भी इस श्लोक में सन्निहित है। मनु की यह शैली है कि कहीं-कहीं छन्दपूर्त्यर्थ अथवा उपलक्षण रूप में उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विस्तृत अर्थ के लिए करते हैं; यथा—प्राणायामों का विधान सबके लिए है, किन्तु ६।७० में सभी वर्णों के लिए ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणरूप में प्रयोग है। इसी प्रकार ६।६१ में चारों आश्रमवासियों के लिए धर्म के लक्षणों का विधान करते हुए भी उसी प्रसङ्ग में ६।८८, ६४ श्लोकों में 'विप्र' शब्द का प्रयोग किया है, जो उपलक्षण रूप में है। २।१५ में भी ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक प्रयोग है।

श्रेष्ठ स्वभाव वाला वर्ण—

दृढकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन् ।

अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः ॥ २४६ ॥ (८४)

(दृढकारी) सङ्गा दृढकारी (मृदुः) कोमल स्वभाव (दान्तः) जितेन्द्रिय (क्रूराचारैः+असंवसन्) हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक् रहने हारा (तथाव्रतः) धर्मात्मा (दम-दानाभ्यां स्वर्गं जयेत्) मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ २४६ ॥ (सं० प्र० १०७)

❧ (अहिंसः) हिंसा के स्वभाव से रहित.....

+ [प्रचलित अर्थ—वंश को उन्नत करने की इच्छा वाला सबंदा (अपने से) बड़ों-बड़ों के साथ सम्बन्ध करे और (अपने से) नीचों-नीचों को छोड़ दे (उनसे सम्बन्ध न करे) ॥ २४४ ॥]

दान सम्बन्धी विविध बातें—

एधोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत् ।

सर्वतः प्रतिगृह्णीयाम्नध्वजामयदक्षिणाम् ॥ २४७ ॥

(अभ्युद्यतम्) बिना मांगे मिले (एध-उदकम्) लकड़ी, जल (मूल-फलं च यत् अन्नम्) मूल, फल और जों अन्न हो उसको (मधु अय-अभयदक्षिणाम्) शहद और अभयदान को (सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्) सबसे ले ले ॥ २४७ ॥

ग्राहताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादग्रचोदिताम् ।

मेने प्रजापतिग्राह्यामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥

(अग्रचोदिताम्) लेने वाले द्वारा स्वयं मयवा अग्न्य किसी के द्वारा प्रेरणा न की हुई (अभ्युद्यताम्) लाने वाले के द्वारा स्वयं लाकर (पुरस्तात् ग्राहतां भिक्षाम्) सामने रख दी गई भिक्षा (दुष्कृतकर्मणः अपि) बुरे कर्म करने वाले की भी (ग्राह्याम्) ग्रहण कर लेनी चाहिए (प्रजापतिः मेने) ऐसी ब्रह्मा जो की मान्यता है ॥ २४८ ॥

नाशनस्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च ।

न च हव्यं वह्न्यग्निर्गस्तामन्यवमन्यते ॥ २४९ ॥

(यः) जो व्यक्ति (ताम्-अभि-अवमन्यते) उस भिक्षा को अपमानित करता है अर्थात् स्वीकार नहीं करता है (तस्य) उसके (पितरः) पितर (दश वर्षाणि च पञ्च) पन्द्रह वर्ष तक (न-अशनस्ति) आढ़ के अन्न को नहीं खाते (च) और (अग्निः) यज्ञ की अग्नि (हव्यं न वहति) हवि को उन तक नहीं पहुंचाती ॥ २४९ ॥

शय्यां गृहान्कुशान्गन्धानयः पुष्पं मणीमधि ।

घाता मस्त्यान्पयो मांसं शाकं ज्वेन न निनुं देत् ॥ २५० ॥

(शय्यां गृहान् कुशान् गन्धान् + अपः पुष्पं मणीन् दधि घाताः मस्त्यान् पयः मांसं च शाकं) पलंग, घर, कुश, सुगन्धित पदार्थ, जल, फूल, मणियाँ, दही, घान्य, मछली, दूध, मांस और शाक इन पदार्थों को (न निनुं देत्) दान लेने से मना न करे ॥ २५० ॥

गुरुभृत्याश्चोज्जिहीर्षन्निचिप्यन्वेवंतातिपीन् ।

सर्वतः प्रतिगृह्णीयाम्न तु तृप्येत्स्वयं ततः ॥ २५१ ॥

(गुरुन्) माता-पिता आदि गुरुजनों (च) और (भृत्यान्) सेवकों का (उज्जि-हीर्षन्) भरणपोषण करने के लिए (देवता + प्रतिथीन् अचिप्यन्) देवताओं और अतिथियों के पूजन के लिए (सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्) सब से दान ग्रहण कर ले (तु) किन्तु (ततः) उस दान से (स्वयं न तृप्येत्) स्वयं तृप्त न हो अर्थात् उसे अपने उपयोग में न लाये ॥ २५१ ॥

गुरुषु स्वम्यतीतेषु बिना वा तंगुहे वसन् ।

आत्मनो वृत्तिमन्विच्छगृह्णीयात्साधुतः सदा ॥ २५२ ॥

(गुरुषु तु + ग्रन्थतीतेषु) माता-पिता आदि गुरुजनों की मृत्यु हो जाने पर (वा) अथवा (तैः बिना गृहे वसन्) उनसे अलग भकेले ही घर में रहते हुए (आत्मनः वृत्तिम् + अन्विच्छन्) अपनी आजीविका के लिए (साधुतः सदा गृह्णीयात्) श्रेष्ठ लोगों से सदा दान ग्रहण करले ॥ २५२ ॥

ग्राधिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ ।

एते शूद्रेषु भोज्यान्ता यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥ २५३ ॥

(ग्राधिक) ग्राधे में लेनी करने वाला (कुलमित्रम्) कुल का मित्र (गोपालः) ग्वाला (दास-नापितौ) अपना सेवक और नाई (च) और (यः) जो (आत्मानं निवेदयेत्) स्वयं को सेवा के लिए अर्पण करदे (एते शूद्रेषु भोज्यान्ताः) इन शूद्रों के यहाँ भोजन कर लेना चाहिए ॥ २५३ ॥

यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकीषितम् ।

यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत् ॥ २५४ ॥

(प्रस्य) इस शूद्र की (यादृशः आत्मा भवेत्) जैसी कुलशील की स्थिति हो (च) और (यादृशं चिकीषितम्) जैसी इच्छा हो (च) तथा (यथा एनम् उपचरेत्) जिस प्रकार इस ब्राह्मण की सेवा करना चाहे (तथा) उसी प्रकार (आत्मानं निवेदयेत्) अपने को निवेदन कर दे अर्थात् सब बातें स्पष्ट करके स्वयं को सेवा के लिए अर्पण करदे ॥ २५४ ॥

अनुयायित्वम् : २४७ से २५४ तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध (१) इन श्लोकों में वर्णित बातें विषयबाह्य हैं। इनका न तो 'सत्त्वगुणवर्धन' विषय से कोई सम्बन्ध है और न ये व्रत ही कहला सकते हैं। अतः विषयविरोध के आधार पर सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४।३३-३४ श्लोकों पर 'विषयविरोध' के अन्तर्गत द्रष्टव्य है]।

२. अस्तविरोध—(१) १।८८, श्लोक में 'दान लेना' ब्राह्मण का कर्म निश्चित किया है, अतः वह सभी धर्मानुसारी वस्तुओं का दान ग्रहण कर सकता है। २४७—२५० श्लोकों में कुछ वस्तुओं का दान ग्रहण कर लेना या न लेने की व्यवस्था मनु की उक्त व्यवस्था से तालमेल नहीं खाती, अतः विरुद्ध है। (२) २४८ श्लोक में स्वयं लाकर दी गई भिक्षा को निषेध न करने का कथन है। भिक्षा तो अयाचित होती ही नहीं। याचित को ही भिक्षा कहते हैं। २।२३-२४ [४८-४९], २५-२६ [५०-५१], १५७-१६० [१८२-१८५] आदि श्लोकों में मनु ने याचित को ही भिक्षा कहा है, अतः इस श्लोक में अयाचितको भिक्षा कहना ही मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। (३) २।१६० [१८५] में बुरे लोगों से भिक्षा प्राप्त करना निषिद्ध है। २४८ में बुरे लोगों से भिक्षा प्राप्त करने के लिए कहना उसके विरुद्ध है। प्रजापति का नाम जोड़कर अपनी बात को प्रामाणिक बनाने की प्रवृत्ति इसके प्रक्षिप्त होने को और अधिक पुष्ट करती

है। (४) २६४ में मृत पितरों के श्राद्ध की मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ३। ११६-२८४ पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक]। (५) २५० में मांसभक्षण का विधान मनु की मान्यता के विरुद्ध है [देखिए ४। २६--२८ श्लोकों पर टिप्पणी-'अन्तर्विरोध']। (६) २५३ में 'नापित' जाति की गणना मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था के विरुद्ध है। मनु केवल चार वर्णों को मानते हैं, अतः उनकी व्यवस्था में जातियों का वर्गीकरण नहीं है। सेवा करना शूद्रों का कार्य है और वे अपने सेवा-कार्यों में यथेच्छया परिवर्तन भी कर सकते हैं, अतः यह वर्णन उक्त मान्यता के विरुद्ध है [द्रष्टव्य १। ६२-११० पर समीक्षा]। २५४ में 'अस्य' तथा 'एन' पद पूर्व श्लोक से सम्बद्ध हैं, इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

भूत बोलने वाला पापी है—

योन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते ।

स पापकृत्तपो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५ ॥ (८५)

(यः) जो व्यक्ति (अन्यथा सन्तम् + आत्मानम्) स्वयं अन्यथा होते हुए अपने आपको (सत्सु) सज्जनों में (अन्यथा भाषते) अन्यथा=कुछ का कुछ बतलाता है (सः) वह (लोके) लोके में (पापकृत्तमः) अति पापी माना जाता है, क्योंकि वह (आत्मा + अपहारकः स्तेनः) अपनी आत्मा का हनन करने वाला चोर है ॥ २५५ ॥

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः ।

तांसु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २५६ ॥ (८६)

(वाचि सर्वे अर्थाः नियताः) जिस वाणी में सब अर्थ=व्यवहार निश्चित हैं (वाङ्मूलाः) वाणी ही जिनका मूल और (वाग् विनिःसृताः) जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं (यः नरः) जो मनुष्य (तां वाचं स्तेनयेत्) उस वाणी को चोरता अर्थात् मिथ्या भाषण करता है (सः सर्वस्तेयकृत्) वह जानो सब चोरी आदि पाप ही को करता है, इसलिए मिथ्याभाषण को छोड़के सदा सत्यभाषण ही किया करे ॥ २५६ ॥

"परन्तु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में अर्थ अर्थात् व्यवहार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, उस वाणी को जो चोरता अर्थात् मिथ्या-भाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है।"

(म० प्र० १०७)

योग्य पुत्र में गृह-कार्यों का समर्पण—

महर्षिपितृदेवानां गत्वाऽऽनृत्यं यथाविधि ।

पुत्रे सर्वं समासज्य वसेन्माध्यस्थ्यमाश्रितः ॥ २५७ ॥ (८७)

(यथाविधि) उक्त विधि के अनुसार (महर्षि-पितृ-देवानाम् आनृत्यं गत्वा) व्यक्ति [ब्रह्मचर्य-पालन एवं अध्ययन-अध्यापन से] ऋषि-ऋण को [माता-पिता आदि बुजुर्गों की सेवा एवं सन्तानोत्पत्ति से] पितृ-ऋण को [यज्ञों के अनुष्ठान से] देवऋण को चुकाकर (सर्वं पुत्रे समासज्य) घर की सारी जिम्मेदारी पुत्र को सौंपकर [तदाश्चात् वानप्रस्थ भेने से पूर्व जब तक घर में रहे तब तक] (माध्यस्थ्यम् + आश्रितः) उदासीन भाव के आश्रित होकर अर्थात् सांसारिक मोह-माया के प्रति विरक्त भाव रखते हुए (वसेत्) घर में निवास करे ॥ २५७ ॥

अनुष्ठीकृत्य : महर्षि, देव, पितृ शब्दों की विस्तृत विशेष व्याख्या के ज्ञान के लिए ३।८२ देखिये ।

आत्मचिन्तन का आदेश एवं फल—

एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः ।

एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥ २५८ ॥ (८८)

(नित्यम्) प्रतिदिन (विविक्ते) एकान्त में बैठकर (एकाकी) अकेला अर्थात् स्वयं अपनी आत्मा में (आत्मनः हितं चिन्तयेत्) अपने कल्याण की बातों का चिन्तन करे (हि) क्योंकि (एकाकी चिन्तयानः) एकाकी चिन्तन करने वाला व्यक्ति (परं श्रेयः + अधिगच्छति) अधिकाधिक कल्याण को प्राप्त करता जाता है ॥ २५८ ॥

विषय का उपसंहार—

एषोविता गृहस्थस्य वृत्तिविप्रस्य शाश्वती ।

स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥ २५९ ॥ (८९)

(एषा) यह (गृहस्थस्य विप्रस्य) गृहस्थ द्विज की (शाश्वती वृत्तिः) नित्य की वृत्ति या दिनचर्या (उदिता) कही (च) और (सत्त्ववृद्धिकरः शुभः) सत्त्वगुण की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ (स्नातकव्रतकल्पः) स्नातक गृहस्थ के व्रतों के विधान को भी कहा ॥ २५९ ॥

अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित् ।

व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६० ॥ (९०)

(वेदशास्त्रवित् विप्रः) वेदशास्त्र का ज्ञाता द्विज (अनेन वृत्तेन वर्तयन्) इस जीविका या व्यवहार से वर्तव्य करता हुआ (व्यपेतकल्मषः) पापरहित पुण्यजीवी होकर (निरर्थं ब्रह्मलोके महीयते) सदा ब्रह्मलोक अर्थात् ब्रह्म में मग्न रहकर आनन्द को प्राप्त करता है ॥ २६० ॥

अनुशीलन : 'लोक दर्शने' धातु के अनुसार 'लोक' शब्द का 'दर्शन' या 'स्थान' अर्थ भी है। यहां ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्मदर्शन अथवा परमात्मा में आश्रय प्राप्त करना = लीन होना है। मोक्ष में जीव परमात्मा के आश्रय में रहकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त करने हैं।

इति महर्षिमुनिप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्यसम्बितायाम् अनुशीलन—

समीक्षाविमूखितायाञ्च मनुस्मृतौ गृहस्थवृत्ति-

व्रतारमकश्चतुर्थोऽध्यायः ॥



अथ पञ्चमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(गृहस्थान्तर्गत-भक्ष्याभक्ष्य-देहशुद्धि-द्रव्यशुद्धि-स्त्रीधर्म-विषय)

[भक्ष्याभक्ष्य ५।१ से ५।५६ तक]

ऋषियों का भृगु से प्रश्न—

श्रुत्वा तान् धर्मो धर्मास्नातकस्य यथोदितान् ।

इदमृषुर्माहात्मानमनलप्रभवं भृगुम् ॥ १ ॥

(यथा+उदितान्) पूर्व कहे हुए (स्नातकस्य धर्मान् श्रुत्वा) स्नातक गृहस्थ के कर्त्तव्यों को सुनकर (ऋषयः) ऋषि लोग (माहात्मानम्+अनलप्रभवं भृगुम्+ऊचुः) महात्मा, तेजस्वी महर्षि भृगु से यह बोले—॥ १ ॥

एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम् ।

कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २ ॥

(प्रभो) हे प्रभो ! (एवं यथोक्तं स्वधर्मम्+अनुतिष्ठताम्) इस शास्त्र में कहे हुए अपने धर्मों का पालन करने वाले (वेदशास्त्रविदां विप्राणाम्) वेदशास्त्र के विद्वानों की (मृत्युः कथं प्रभवति) मृत्यु कैसे हो जाती है ? ॥ २ ॥

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः ।

श्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ ३ ॥

(सः) वह (धर्मात्मा मानवः भृगुः तान् महर्षीन् उवाच) धर्मात्मा मनु के पुत्र भृगु उन ऋषियों से कहने लगे (येन दोषेण विप्रां मृत्युः जिघांसति) जिस दोष के कारण विद्वानों की मृत्यु मार देती है, उन्हें (श्रूयताम्) सुनो—॥ ३ ॥

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ।

भालस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ ४ ॥

(वेदानाम् अनभ्यासेन) वेदों का अभ्यास छोड़ देने से (च) और (आचारस्य वर्जनात्) सदाचार को छोड़ देने से (भालस्यान्) भालस्य के कारण (च) अन्नदोषात्) और अन्न-दोष के कारण (मृत्युः विप्रां जिघांसति) मृत्यु विद्वानों की मारना चाहती है ॥ ४ ॥

अनुशीलनम् : १—४ तक के श्लोक निम्न 'आचारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. शैलीगत आधार—(१) वर्णन-शैली से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनमें ऋषि लोग भृगु से प्रश्न कर रहे हैं और भृगु उसका उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं हैं। इसका संकलयिता कोई भृगु से भी भिन्न व्यक्ति है। (२) सम्पूर्ण मनुस्मृति में मनु की एक निश्चित शैली यह है कि वे जब भी किसी विषय या प्रसङ्ग को प्रारम्भ या समाप्त करते हैं तो उसके प्रारम्भ, समाप्ति अथवा दोनों स्थानों पर उसको कहने का संकेत करते हैं [१।१२०] (२।१), २।४३ (६८), ३।२८३ ४।२५६ आदि]। बीच में प्रश्नोत्तर शैली से वर्णन करना मनु की शैली नहीं है। ये चारों श्लोक मनु की शैली से भिन्नता रखते हैं।

२. प्रसङ्गविरोध—इन चारों श्लोकों का मनुस्मृति के अग्रिम भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी श्लोकों से प्रसंग नहीं जुड़ता और न तालमेल बैठता है। (१) ५।२ में प्रश्न केवल वेदशास्त्रवेत्ताओं के लिए पूछा गया है, जब कि भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी विधान सभी द्विजातियों के लिए किया जा रहा है, जैसे—“अभक्ष्याणि द्विजातीनाम्” [५।५]। “स्नेहाक्तं द्विजातिसिः” (५।२५)। (२) ५।२ में प्रश्न पूछा गया है कि 'स्वधर्म में स्थित वेदशास्त्रवेत्ताओं को मृत्यु कैसे मारती है?' और उत्तर है—‘अन्न आदि दोषों के कारण मृत्यु विप्रों को मारती है।’ फिर आगे भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों का वर्णन है। भक्ष्याभक्ष्य प्रसंग में वर्णित पदार्थों से और उनकी वर्णनशैली से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रसंग न तो इन चार श्लोकों से सम्बद्ध है, और न इनका उत्तर ही है। क्योंकि इस प्रसंग में भक्ष्याभक्ष्य पदार्थ मृत्युकारक अथवा जीवनदायक आधार पर विहित नहीं किये गये हैं यद्यपि सात्त्विक, तामसिक या राजसिक, पवित्रता और अपवित्रता, श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता तथा पाप और पुण्य के आधार पर भक्ष्य और अभक्ष्य माने हैं। प्रमाण के लिए पाँचवाँ श्लोक पर्याप्त है—“लघुनं गुंजनं चैव..... अभक्ष्याणि द्विजातीनाम्” यहाँ तामसिकता के आधार पर निषेध है, और “अमेध्य प्रभक्ष्याणि च” यहाँ अपवित्रता के आधार पर। इनका मृत्युकारक रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार इस प्रसंग में वर्णित पूर्व के दश दिनों का गी का दूध, स्त्रीदूध, कांजी आदि पदार्थों का भी इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार प्रथम चार श्लोकों में वर्णित प्रश्नोत्तर के इस प्रसंग से कोई सम्बद्धता नहीं है और उसे दिखाया गया है इस प्रसंग के आधार रूप में। इस आधार के अनुसार ये चारों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. अवान्तरावरोध—इन चारों श्लोकों में प्रदर्शित प्रश्न और उत्तर में भी परस्पर कोई संगति नहीं है, जिससे यह ज्ञात होता है कि ये श्लोक किसी विद्वान् की रचना नहीं हैं। (१) द्वितीय श्लोक में प्रश्न है—‘स्वधर्म में स्थित देवताओं को मृत्यु कैसे मारती है?’ उत्तर है—‘वेदों के अनभ्यास से, आचार के त्याग से, आलस्य और अन्न के दोषों के कारण’। यहाँ विचारणीय यह है कि जो व्यक्ति शास्त्रोक्त स्वधर्म के

पालन में लगे हैं वे वेदों का अभ्यास, सदाचार का पालन भी अवश्य करेंगे और ब्राह्मण तथा अभक्ष्य पदार्थों से दूर रहेंगे; यदि वे इन दोनों से युक्त हैं तो 'स्वधर्म' में स्थित कैसे हुए। इसी प्रकार जो वेदशास्त्रों के वेत्ता हैं, वे वेदों का अभ्यास न करें यह कैसे हो सकता है? और यदि वेदाम्याम ही नहीं करते तो वेदशास्त्रों के वेत्ता कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार प्रश्न और उत्तर परस्पर विरुद्ध हैं। (२) प्रश्न पूछा गया है—वेदशास्त्र-वेत्ताओं की मृत्यु कैसे होती है और उत्तर है—'अन्न आदि दोषों से।' क्या अन्न-दोष से रहित वेदशास्त्रवेत्ताओं की मृत्यु नहीं होती? इस प्रकार यह प्रश्न भी अपूर्ण है। यदि प्रश्न यह होता कि 'स्वधर्म' में स्थित वेदवेत्ताओं की अकालमृत्यु क्यों हो जाती है?' तो भी कुछ उचित माना जा सकता था। इस प्रकार अवान्तर विरोध के कारण भी ये श्लोक मनुमदश ऋषि द्वारा प्रोक्त प्रतीत नहीं होते।

विशेष—प्रतीत होता है कि मनु की शैली का 'विषय का संकेत देने वाला' मूल श्लोक इन श्लोकों को मिनाते समय हटा दिया गया और फिर वह लुप्त हो गया। १२ वें अध्याय के प्रारम्भ में भी ऐसा ही किया गया है। उस स्थान का मूल श्लोक कुछ प्रतियों में उपलब्ध है। वह इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने मनुसंहिता को भृगुसंहिता के रूप में बदलने की भरसक कोशिश की है।

द्विजातियों के लिए अभक्ष्य पदार्थ—

लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च ।

अभक्ष्याणि द्विजातीनामभेद्यप्रभवाणि च ॥ ५ ॥ (१)

(लशुनं गृञ्जनं पलाण्डुं च कवकानि) लहसुन, सलगम, प्याज, कुरकुरमुला [छत्राक या कुम्हठा] (च) और (अभेद्यप्रभवाणि) अशुद्ध स्थान में होने वाले सभी पदार्थ (द्विजातीनाम् अभक्ष्याणि) द्विजातियों के लिये अभक्ष्य हैं ॥ ५ ॥

“द्विज ग्रथात् ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मलिन, बिठा, मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल-मूलादि न खाना।”

(स० प्र० २६५)

अनुवर्णितम् : गृञ्जन का अर्थ शलगम—(१) यद्यपि 'गृञ्जन' शब्द का वर्तमान में 'गाजर' अर्थ प्रसिद्ध है, किन्तु प्राचीन काल में यह 'शलगम' के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होता था। धन्वन्तरि निघण्टु करवीरादि वर्ग ४। १० में गृञ्जन की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि 'गृञ्जन के मूल पर शिला होती है, यह यवनों को बहुत प्रिय है, गोलबन्ध है, गांठदार मूल है। इसके अन्य नाम हैं—शिलाकन्द, कन्द, डिण्डीरमोदक। वह स्वाद में कटु, उष्ण और दुर्गन्ध युक्त है'—गृञ्जनं शिलायुतं च यवनेष्टं च वर्तुलम्। ग्रन्थिसूत्रं शिलाकन्दं कन्दं डिण्डीरमोदकम् ॥ गृञ्जनं कटुकोष्णं च दुर्गन्धं गुल्म—

नाशनम् ।" ये लक्षण वर्तमान प्रसिद्ध पीत, रक्त या कृष्ण वर्ण और लम्बे आकार वाले गाजर में नहीं घटते ।

(२) परिगणित पदार्थों के अभक्ष्य होने में कारण—इन पदार्थों को अभक्ष्य इस कारण माना गया है कि आयुर्वेद के अनुसार इनमें दुर्गुण की प्रमुखता है । ये सभी दुर्गन्धयुक्त पदार्थ हैं । लहसुन अत्यन्त राजसिक है, प्याज अत्यन्त तामसिक है, शलगम भी राजसिक है, छात्राक को दूषित पदार्थ माना गया है । मलिन और तामसिक-राजसिक भोजन से खाने वाले का मन भी वैसा ही बनता है । अतः ये निषिद्ध हैं । [अभक्ष्य पदार्थों का विधान ६ । १४ में भी द्रष्टव्य है ।]

लोहितावृक्षनिर्यासान्वृश्चनप्रभवांस्तथा ।

जेलुं गव्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ६ ॥

(लोहितावृक्षनिर्यासान्) लाल वृक्षों का गोंद (तथा वृश्चनप्रभवान्) तथा वृक्षों को काटने से निकालने वाला रस (जेलुम्) लहसीड़े का फल (च गव्यं पेयूषम्) और गाय की पेवसी [=खीर] इन्हें (प्रयत्नेन विवर्जयेत्) प्रयत्नपूर्वक छोड़ देवे ॥ ६ ॥

वृथा कृसरसंयावं पायसापूपमेव च ।

अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च ॥ ७ ॥

(वृथा कृसर-संयावं च पायस-अपूपम् + एव) देवताओं के उद्देश्य के बिना बनाये गये तिलमिश्रित चावल, हनुवा, खीर, मालपूसा (अनुपाकृतमांसानि) मन्त्रों के उच्चारण से शुद्ध न किया हुआ मांस (देवान्नानि) देवताओं के भोग के पदार्थ (च) और (हवींषि) होम से पहले की हवि, इनको भी छोड़ देवे ॥ ७ ॥

अनुयायीत्यन्तः : ६—७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

अन्तर्विरोध—सातवें श्लोक में मांसभक्षण का वर्णन है । किसी भी प्रकार के मांस का भक्षण करना मनु की मान्यता के विरुद्ध है [विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ४ । २६—२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा] । छठे श्लोक की 'विवर्जयेत्' क्रिया से सातवां श्लोक भी सम्बद्ध है । दोनों श्लोकों की सम्बद्धता के कारण दोनों श्लोक साथ के हैं । मानवां श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर छठा स्वतः प्रक्षिप्त मिट्ट हो जाना है ।

अग्निर्दंशाया गोः क्षीरमौष्ट्रमकशफं तथा ।

आविकं सन्धिनीक्षीरं त्रिदत्तायाश्च गोः पयः ॥ ८ ॥ (२)

(अग्निर्दंशायाः गोः क्षीरम्) आगई हुई गो का पहले दश दिन का दूध (मौष्ट्रम्) ऊँटनीका (तथा ऐकशफम्) तथा ढोड़ी आदि का (आविकम्) भेड़ का (सन्धिनीक्षीरम्) सांड के संसर्ग को चाहने वाली गो का दूध (च) और

(विवत्सायाः गोः पयः) जिसका बछड़ा या बछिया मर गई हो उस गौ के दूध को भी छोड़ देवे । [‘वर्ज्यानि’ क्रियाग्रिम श्लोक में है] ॥ ८ ॥

आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना ।

स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि ॥ ९ ॥ (३)

(माहिषं विना) भैंस के दूध को छोड़कर (सर्वेषाम् आरण्यानां मृगाणाम्) सब जंगली पशुओं का दूध (च) और (स्त्रीक्षीरम्) स्त्री का दूध (वर्ज्यानि) वर्जित हैं (च+एव) तथा (सर्वशुक्तानि) सब प्रकार के खट्टे पदार्थ भी वर्जित हैं ॥ ९ ॥

भक्ष्य पदार्थ—

दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वं च दधिसंभवम् ।

यानि चैवाभिवृण्यन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः ॥ १० ॥ (४)

(शुक्तेषु) खट्टे पदार्थों में (दधि च सर्वं दधिसंभवम् भक्ष्यम्) दही और दही से बनने वाले सभी छाछ, मक्खन आदि पदार्थ खाने योग्य हैं (च) और (यानि) जितने पदार्थ (शुभैः) हितकारी या गुणकारक (पुष्प-मूल-फलैः अभिवृण्यन्ते) फूल, मूल, फलों से तैयार किये जाते हैं, वे भी खाने योग्य हैं ॥ १० ॥

अनुशीलन : श्रेष्ठ भक्ष्य पदार्थों का विधान ६।७, १३ में भी द्रष्टव्य है—

क्रव्यादाञ्छकुनान्तर्वास्तथा ग्रामनिवासिनः ।

अग्निदिष्टांश्चैकशकाटिट्टिभं च विवर्जयेत् ॥ ११ ॥

(क्रव्यादान्) कच्चा मांस खाने वाले गोध, चील आदि को (तथा सर्वान् ग्रामवासिनः शकुनान्) तथा सब गांव में रहने वाले कबूतर, चिड़िया, आदि पक्षियों को (अग्निदिष्टान् एकशकान्) जिनका विधान नहीं किया है ऐसे एकलुर वाले गन्धा आदि को (च) ग्राम (टिट्टिभं विवर्जयेत्) टटिहरी पक्षी को छोड़ देवे ॥ ११ ॥

कलविट्कं प्लवं हंसं चक्राह्वं ग्रामकुक्कुटम् ।

सारसं रज्जुबालं च दातृहं शुक्सारिके ॥ १२ ॥

(कलविट्कं प्लवं हंसं चक्राह्वं ग्रामकुक्कुटं सारसं रज्जुबालं दातृहं च शुक्सारिके) गोरैया, बत्तक, हंस, चक्रवा, गांव का मुर्गा, सारस, रज्जुबाल = जंगली मुर्गा, जलकौआ, तोना और मैना, इनको भी छोड़ दे ॥ १२ ॥

प्रजुवाञ्जालपादांश्च कोयटिनलविट्किरान् ।

निसज्जतश्च मत्स्यावान् शौनं बल्लूरमेव च ॥ १३ ॥

(प्रतुदान्) चोच से काटकर खाने वाले पक्षी 'कठकोड़ा' आदि (जालपादान्) जिनके पैर झिल्ली से जुड़े हों (कोयष्टि) कोहड़ा नामक पक्षी (नखविष्किरान्) खाने की वस्तुओं को नाखूनों से बिखेरकर खाने वाले तीतर आदि (च) और (निमज्जतः मत्स्यादान्) पानी में गोता लगाकर मछलियों को खाने वाले पक्षी (शौनम्) कसाई-खाने का मांस (च) तथा (वल्लूरम्) सूखा मांस—इनको भी न खाये ॥ १३ ॥

वकं बलाकां काकोलं खञ्जरीटकम् ।

मत्स्यादाग्निवराहान् च मत्स्यानेव च सर्वशः ॥ १४ ॥

(वकं बलाकां काकोलं खञ्जरीटकम्) बगुला, वत्तक, पहाड़ी कीआ, खंजन पक्षी इनके मांस को (च) और (मत्स्यादान्) मछली खाने वाले मगरमच्छ आदि विवराहान्) त्रिष्ठा खाने वाले मूषर आदि (च) तथा (सर्वशः एव मत्स्यान्) सभी मछलियों के मांस को न खाये ॥ १४ ॥

यो यस्य मांसमश्नाति स, तन्मांसाव उच्यते ।

मत्स्यादः सर्वमांसावस्तस्मात्सत्याग्निवर्जयेत् ॥ १५ ॥

(यः यस्य मांसम् + अश्नाति) जो जिसके मांस को खाता है (सः) वह (तत्) मांसादः + उच्यते) वह उसके मांस को खाने वाला कहाता है (मत्स्यादः) किन्तु मछलियों के मांस को खाने वाला (सर्वमांसादः) सर्वमांसभक्षी होता है (तस्मात्) इस कारण (मत्स्यान् विवर्जयेत्) मछलियों का मांस नहीं खाना चाहिए ॥ १५ ॥

पाठीनरोहितावाद्यो नियुक्तो हव्यकव्ययोः ।

राजीवान्सिंहतुण्डाश्च सशल्काश्चैव सर्वशः ॥ १६ ॥

किन्तु (हव्य-कव्ययोः नियुक्तो) हव्य और कव्य के लिए समर्पित (पाठीन-रोहिती) पाठीन और रोहू मछलियां (आद्यो) खा लेनी चाहिए (च) और (राजीवान् सिंहतुण्डान् सर्वशः सशल्कान् एव) राजीव, सिंहतुण्ड और सब कटिदार मछलियों को भी इस विधि से खा लेना चाहिए ॥ १६ ॥

न भक्षयेदेकचरानज्ञाताश्च मृगद्विजान् ।

भक्षयेदपि समुद्दिष्टान्सर्वाप्यञ्चनलोस्तथा ॥ १७ ॥

(एकचरान्) अकेले विचरण करने वाले सांप आदि (अज्ञातान् मृग-द्विजान्) जिनके मांस के गुणदोषों का ज्ञान न हो ऐसे पशु तथा पक्षियों का (भक्षयेषु + अपि समुद्दिष्टान्) भक्ष्य बताये गए पशुपक्षियों में भी जिनके गुणदोषों का ज्ञान न हो उन्हें (तथा सर्वां पञ्चनखान्) तथा सब पञ्चनखों जैसे बन्दर, लंगूर आदि को न खाये ॥ १७ ॥

इवाविधं शल्यकं गोधा खड्गकूर्मशशास्तथा ।

भक्ष्याप्यञ्चनलोष्वाहुरमुष्टाश्चकतीवतः ॥ १८ ॥

(स्वाविधं शल्यकं गोधां तथा खड्ग-कूर्म-शशान्) सेह या शाही नामक प्राणी, शल्यक, गोह, गेंडा, कछुआ और खरगोश इनको (पञ्चनखेषु) पांच नाखून वालों में (च) तथा (अनुष्टान्) ऊंट को छोड़कर (एकतोदतः) एक ओर के दाँत वाले पशुओं को (भक्ष्यान् ग्राहूः) खाने योग्य कहा है ॥ १८ ॥

छत्राकं विद्बराहं लशुनं ग्रामकुक्कुटम् ।

पलाण्डुं गृञ्जनं चैव मत्स्या जग्ध्वा पतेद् द्विजः ॥ १९ ॥

(छत्राकं विद्बराहं लशुनं ग्रामकुक्कुटम्) छत्राक = कुम्हठा, विण्ठा खाने वाला सूअर, लहसुन, गांव का मुर्गा (पलाण्डुं च गृञ्जनं मत्स्या जग्ध्वा) प्याज और सलगम को जानबूझकर खाने से (द्विजः पतेत्) द्विज पतित हो जाता है ॥ १९ ॥

अमृत्येतानि षट् जगध्वा कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ।

यतिचान्द्रायणं चापि शेषेषूपवसेदहः ॥ २० ॥

(एतानि षट् अमत्स्या जग्ध्वा) ऊपर वर्णित इन छः वस्तुओं को अनजाने में खाकर (कृच्छ्रं सान्तपनं वा यतिचान्द्रायणं चरेत्) कष्टप्रद 'सान्तपन' [११।२१२] अथवा 'यतिचान्द्रायण' [११।२१८] नामक प्रायश्चित्त करे (अपि शेषेषु) और शेष बची वस्तुओं को खाकर (ग्रहः उपवसेत्) एक दिन उपवास करे ॥ २० ॥

संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः ।

अज्ञातभुक्तशुद्धार्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ २१ ॥

(द्विजोत्तमः) श्रेष्ठ द्विज (अज्ञातभुक्तशुद्धार्थम्) अनजाने में खाई गई अभक्ष्य वस्तुओं की शुद्धि के लिए (संवत्सरस्य एकम् + अपि कृच्छ्रं चरेत्) वर्ष भर में एक 'कृच्छ्र' [११।२११] प्रायश्चित्त ही कर ले [तो भी पर्याप्त है] (तु ज्ञातस्य) किन्तु जानबूझकर खाये हुए की शुद्धि के लिये (विशेषतः) विशेषरूप से कहे गये प्रायश्चित्तों को ही करे ॥ २१ ॥

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्बध्नाः प्रशस्ता भृगपक्षिणः ।

भृत्यानां चैव वृक्ष्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२ ॥

(ब्राह्मणैः) ब्राह्मणों को (प्रशस्ताः) प्रशस्त (भृगपक्षिणः) उत्तम पशुओं और पक्षियों को (बध्नाः) मार लेना चाहिये (च) और (भृत्यानां वृक्ष्यर्थम्) एवं) सेवकों के पालन-पोषण के लिये मार लें (पुरा अगस्त्यः हि प्राचरत्) प्राचीन काल में महर्षि अगस्त्य ने भी ऐसा ही किया था ॥ २२ ॥

यभूवृहि पुरोडाशा भक्ष्याणां भृगपक्षिणाम् ।

पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥ २३ ॥

(हि पुराणेषु + अपि यज्ञेषु च ब्रह्मक्षत्रसवेषु) क्योंकि पहले भी यज्ञों में और

ब्राह्मण क्षत्रियों के संयुक्त यज्ञानुष्ठानों में (भक्ष्याणां मृग-पक्षिणाम्) भक्ष्य कहे गये पशु और पक्षियों के (पुरोडासाः बभूवुः) पुरोडाश-यज्ञ के लिये निर्मल अन्न या हविष्यान्न बने हैं ॥ २३ ॥

अनुयातनः ११—२३ श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—सभी प्रकार का मांसभक्षण और यज्ञों में मांस डालना मनु की मान्यता के विरुद्ध है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत जानकारी के लिये ४।२६—२८ श्लोकों पर समीक्षा देखिये 'अन्तर्विरोध' शीर्षक] ।

२. **प्रसंगविरोध**—ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं और पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहे हैं । १० वें श्लोक में दही और दही से बने पदार्थों के खान का विधान किया है और २४ वें में दही से बने पदार्थों में घृत और घृतनिमित्त पदार्थों के भक्षण का विधान है । बीच के मांसभक्षण सम्बन्धी वर्णन ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है । इस प्रकार प्रसंगविरुद्ध होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।

यत्किञ्चिन्नेहसंयुक्तं भोज्यं भोज्यमर्गहितम् ।

यत्पयुषितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत् ॥ २४ ॥ (५)

(प्रगृहीतम्) दोषरहित या अनिन्दित अर्थात् निन्दित मांस आदि भोजन [५।४५—४६, ५१] से रहित और (यत् किञ्चित् भोज्य स्नेह-संयुक्तम्) जो कोई खाने की वस्तु चिकनाई अर्थात् घृत आदि से मिलाकर बनायी गयी हो (तत् पयुषितम्+अपि) वह बासी भी (भोज्यम्) खा लेनी चाहिए (च) तथा (यत् हविः शेषं भवेत्) जो यज्ञ की हवि से बची खाद्य-वस्तु हो वह भी (आद्यम्) खा लेनी चाहिए ॥ २४ ॥

चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहावतं द्विजातिभिः ।

यवगोधूमजं सर्वं पयसश्चेव विक्रिया ॥ २५ ॥ (६)

(द्विजातिभिः) द्विजातियों को (यव-गोधूमजं सर्वम्) जो और गेहूं से बने पदार्थ (च) तथा (पयसः विक्रिया एव) दूध के विकार से बने खोया, मिठाई आदि पदार्थ (अस्नेहाक्तम्) घृत आदि चिकनी वस्तु के मेल से न बने हों तो भी (चिरस्थितम्+अपि) देर से बने हुए भी (आद्यम्) खा लेने चाहिए ॥ २५ ॥

मांसभक्षण की यज्ञीय विधि—

एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः ।

मांसस्थातः प्रवक्ष्यामि विधिं सप्तलवर्जने ॥ २६ ॥

(एतत् द्विजातीनां भक्ष्य + अभक्ष्यम् अशेषतः उक्तम्) यह द्विजातियों का भक्ष्य और अभक्ष्य पूर्ण रूप से कहा (अतः) अब (मांसस्य भक्षणवर्जने विधिं प्रवक्ष्यामि) मांस के खाने और छोड़ने की विधि को कहूंगा—॥ २६ ॥

प्रोक्षितं मक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया ।

यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७ ॥

मनुष्य (प्रोक्षितम्) मन्त्रों से पवित्र किया हुआ मांस (ब्राह्मणानां काम्यया) ब्राह्मणों की इच्छा हो तब (च) और (यथाविधि नियुक्तः) शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ के लिए अर्पित मांस (च) और (प्राणानाम् अत्यये एव) प्राणों के संकट में पड़ जाने पर (मांसं मक्षयेत्) मांस खा ले ॥ २७ ॥

प्राणस्यान्नमिश्रं सर्वं प्रजापतिरकल्पयत् ।

स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम् ॥ २८ ॥

(प्रजापतिः) प्रजापति ने (इदं सर्वं स्थावरं च जङ्गमम्) यह सब स्थावर [अन्न, शाक, फल आदि] और चर [पशु-पक्षी आदि] संसार (प्राणस्य + अन्नम्) जीव के खाने के लिए अन्न के रूप में और (सर्वं प्राणस्य भोजनम्) सब कुछ जीव के भोजन के लिए (अकल्पयत्) बनाया है ॥ २८ ॥

अचराणामन्नमचरा बन्दिणामप्यबन्दिणः ।

अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः ॥ २९ ॥

(अचराः अचराणाम्) स्थावर घास, फल-फूल आदि खाद्य वस्तुएं चर प्राणियों के (अबन्दिणः बन्दिणाम्) दांत-जाड़ से रहित प्राणी दांत-जाड़ वालों [व्याघ्र आदि] के (च) और (अहस्ताः) हाथ से रहित [मछली आदि] (सहस्तानाम्) हाथ वालों [मनुष्य आदि] के (च) तथा (भीरवः शूराणाम्) डरपोक वहादुरों के (अन्न) अन्न अर्थात् भक्ष्य हैं ॥ २९ ॥

नात्ता दुष्यत्यवप्राद्यान्प्राणिनोऽह्न्यह्न्यपि ।

धात्रं च सृष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोऽन्तार एव च ॥ ३० ॥

(अत्ता) खाने का अधिकारी मनुष्य (आद्यान् प्राणिनः) भक्ष्य प्राणियों को (अहनि + अहनि + अपि अहन्) प्रतिदिन खाते हुए भी (न दुष्यति) किसी पाप का भागी या दोषी नहीं होता (हि) क्योंकि (आद्याः प्राणिनः) खाने के लिए प्राणी (च) और (अन्तारः) उनको खाने वालों की (धात्रा एव सृष्टाः) परमात्मा ने ही बनाया है ॥ ३० ॥

यज्ञाय जग्धिर्मांसस्येत्येव ईदो विधिः स्मृतः ।

अतोऽप्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३१ ॥

(यज्ञाय मांसस्य जग्धिः) यज्ञ के लिए मांस का खाना (इति + एषः देवविधिः स्मृतः) यह 'देवविधि' मानी गयी है (अतः + अन्यथा प्रवृत्तिः तु) इस से भिन्न विधि से मांस खाना तो (राक्षसः विधिः + उच्यते) 'राक्षसविधि' कही गयी है ॥ ३१ ॥

क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा ।

देवान्पितृभ्यश्चार्चयित्वा खादन्मांसं न बुध्यति ॥ ३२ ॥

(क्रीत्वा) खरीदकर (वा) अथवा (स्वयम् अपि + उत्पाद्य) स्वयं मारकर मांस तैयार करके (वा) अथवा (पर + उपकृतम्) दूसरे के द्वारा भेंट किये गये (मांसम्) मांस को (देवान् च पितृन् अर्चयित्वा खादन्) देवताओं और पितरों को अर्पण करके खाने से (न बुध्यति) मनुष्य दोषभागी नहीं होता ॥ ३२ ॥

नाद्यावद्विधिना मांसं विधिक्षोऽनापदि द्विजः ।

जगन्वा ह्यविधिना मांसं प्रेत्य तैरक्षतेऽवशः ॥ ३३ ॥

(अनापदि) आपत्तिरहित काल में (मांसविधिज्ञः द्विजः) मांस खाने की विधि को जानने वाला द्विज (अविधिना) उक्त विधि के बिना (न + अद्यात्) मांस को न खाये (हि) क्योंकि (अविधिना मांसं जगन्वा) विधिरहित रूप से मांस खाकर (प्रेत्य) परलोकों में (तैः) उन खाये गये प्राणियों द्वारा (अवशः + अक्षते) बलात् खाया जाता है ॥ ३३ ॥

न तादृशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः ।

यादृशं भवति प्रेत्य कृयामांसानि खादतः ॥ ३४ ॥

(धनार्थिनः मृगहन्तुः) धन के लिए पशुओं को मारने वाले व्यक्ति को भी (तादृशम् एनः न भवति) वैसा पाप नहीं होता (यादृशम्) जैसा (कृयामांसानि खादतः) देवताओं के उद्देश्य के बिना मांस खाने वाले को (प्रेत्य) मरने के बाद होता है ॥ ३४ ॥

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नास्ति मानवः ।

स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिषु ॥ ३५ ॥

(यः मानवः) जो मनुष्य (यथान्यायं नियुक्तः तु मांसं न + अस्ति) यथाविधि आद्य या मधुपर्क में समर्पित मांस को नहीं खाता है (सः) वह (प्रेत्य) मरकर (एकविंशति संभवान् पशुतां याति) इक्कीस जन्मों तक पशुओं का जन्म पाता है ॥ ३५ ॥

असंस्कृतापशून्मन्त्रैर्वाद्याद्विप्रः कदाचन ।

मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्याद्यावत्तं विधिनास्थितः ॥ ३६ ॥

(विप्रः) ब्राह्मण को चाहिए कि (कदाचन) कभी भी (मन्त्रैः असंस्कृतान् पशून् न + अद्यात्) मन्त्रों से पवित्र न किये गये पशुमांसों को न खाये (शास्त्रतं विधिम् +

आस्थितः) सनातन विधि में आस्था रखकर (मन्त्रैः संस्कृतान् तु अथात्) मन्त्रों से पवित्र किये गये मांसों को ही खाये ॥ ३६ ॥

कुर्याच्च घृतपशुं संगे कुर्यात्पिण्डपशुं तथा ।

न त्वेव तु वृषा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥ ३७ ॥

(संगे) पशुमांस खाने की अधिक इच्छा होने पर (घृतपशुं कुर्यात्) घी का पशु बनाकर खा ले (तथा) अथवा (पिण्डपशुं कुर्यात्) शून का ही पशु बनाकर खा ले (तु) किन्तु (कदाचन) कभी भी (वृषा एव) यज्ञादि उद्देश्य के बिना (पशुं हन्तुं न तु इच्छेत्) पशु को मारने की भी इच्छा न करे, फिर खाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ॥ ३७ ॥

यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो हि मारणम् ।

वृषापशुघ्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३८ ॥

(वृषापशुघ्नः) यज्ञ-देवता आदि के बिना पशुओं को मारने वाला (प्रेत्य) मरकर (जन्मनि जन्मनि) जन्म-जन्मान्तरों में (यावन्ति पशुरोमाणि) जितने उस मारे गये पशु के रोम हैं (तावत्कृत्वा हि) उतनी ही बार (मारणं प्राप्नोति) मारा जाता है ॥ ३८ ॥

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ।

यज्ञश्च भूयं सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३९ ॥

(स्वयम्भुवा) ब्रह्मा ने (स्वयम्) स्वयं (पशवः) पशुओं को (यज्ञार्थम् एव सृष्टाः) यज्ञ के लिए ही बनाया (च) और (यज्ञः) यज्ञ (सर्वस्य भूयै) सब के कल्याण के लिए है (तस्माद्) इस कारण से (यज्ञे वधः + अवधः) यज्ञ में 'पशु आदि प्राणियों की हिंसा करना' अहिंसा ही है ॥ ३९ ॥

ओषध्यः पशवो वृक्षास्तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा ।

यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युत्सृज्यः पुनः ॥ ४० ॥

(ओषध्यः) ओषधियाँ (पशवः) पशु (वृक्षाः) वृक्ष (तिर्यञ्चः) तिर्यक्योनि वाले साँप, कछुए आदि (तथा पक्षिणः) तथा पक्षी (यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः) यज्ञ के लिए मृत्यु को प्राप्त होकर (पुनः उत्सृज्यः प्राप्नुवन्ति) फिर उद्धार या उत्तम योनि को प्राप्त करते हैं ॥ ४० ॥

मधुपर्कं च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि ।

अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मनुः ॥ ४१ ॥

(मधुपर्कं यज्ञे पितृ-देवत-कर्मणि) मधुपर्क में, यज्ञ में, आदि और देवकर्म में (अत्र + एव पशवः हिंस्याः) केवल इन्हीं स्थानों पर पशुओं की हिंसा करनी चाहिए (अन्यत्र न) और कहीं नहीं (इति मनुः अब्रवीत्) ऐसा मनु ने कहा है ॥ ४१ ॥

एण्वर्येषु पशून् हिंसन् वेदतत्त्वार्थविद् द्विजः ।

आत्मानं च पशुं चैव गमयत्युत्तमं गतिम् ॥ ४२ ॥

(वेदतत्त्वार्थविद्) वेद के रहस्य को जानने वाला (द्विजः) द्विज (एषु + अर्येषु पशून् हिंसन्) ऊपर वर्णित इन अवसरों में पशुओं की हिंसा करके (आत्मानं च पशुम्) अपने को और पशु को (उत्तमां गतिं गमयति) उत्तम गति प्राप्त कराता है ॥ ४२ ॥

गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्विजः ।

नावेदविहिता हिंसामापद्यति समाचरेत् ॥ ४३ ॥

(गृहे गुरो वा अरण्ये निवसन्) घर में, गुरु के यहां अथवा जंगल में रहते हुए (आत्मवान् द्विजः) आत्मा की उन्नति या पवित्रता चाहने वाला द्विज (आपदि + अपि) आपत्ति काल में भी (अवेदविहितां हिंसाम्) वेदविरुद्ध हिंसा को (न समाचरेत्) न करे ॥ ४३ ॥

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिन्मन्त्राचरे ।

अहिंसामेव तां विद्याद्देवाद्यर्षो हि निर्बन्धौ ॥ ४४ ॥

(अस्मिन् मन्त्र + मन्त्रे) इस मन्त्र-मन्त्र संसार में (या हिंसा वेदविहिता नियता) जो हिंसा वेदों के विधानों द्वारा निश्चित की है (ताम् अहिंसाम् + एव विद्यात्) उसे अहिंसा ही समझना चाहिए (हि) क्योंकि (धर्मः) धर्म (वेदात् निर्बन्धौ) वेद से उत्पन्न हुआ है ॥ ४४ ॥

अनुवर्तीत्यन्तः : २६ से ४४ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—सभी प्रकार के मांसभक्षण की मान्यता और पशुयज्ञ का विधान सर्वथा मनु की मान्यता के विरुद्ध है; अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (विस्तृत जानकारी के लिए ४। २६—२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा देखिए)।

२. प्रसंगविरोध—५। २४—२५ श्लोकों में मांस आदि से रहित अनिन्दित भोजन करने का कथन किया है। तदनुसार ४५—४६, ५१ श्लोकों में मांस का भोजन निन्दित है और वह किस प्रकार निन्दित है, यह वर्णित किया गया है (इस प्रकार २४—२५ श्लोकों की ४५ वें श्लोक से प्रसंगगत सम्बद्धता है। इन श्लोकों में इनसे विरुद्ध निन्द्य भोजन का ही वर्णन किया है, जिससे प्रसंग भंग हो गया है। अतः ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप हैं।

३. शैलीगत आधार—४१ वें श्लोक में 'अन्नबीजं मनुः' पद से यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित सिद्ध होता है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है; और पूर्वपर प्रसंग मण्डन-खण्डन या वेद के नाम से मण्डनात्मक रूप में होने से पूर्णतः इससे सम्बद्ध है। अतः इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है।

४. अचान्तर विरोध—प्राश्चर्य की बात तो यह है कि मांसभक्षण की सिद्धि

के लिए प्रक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने ऐसी ग्रन्थता से प्रक्षेप किये हैं कि उन्हें अपने पूर्वापर श्लोकों का भी ध्यान नहीं रहा। ये प्रक्षेप करने वाले भी अनेक व्यक्ति रहे हैं। इनकी परस्पर की बातों में भी अनेक विरोध हैं और मांससम्बन्धी सभी प्रमुख प्रसंगों में विरोधी विधान हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी प्रसंग अप्रामाणिक हैं। मांसभक्षियों के जो मन में आया वैसा श्लोक बनाकर डाल दिया। मांसभक्षण की सिद्धि के लिए परलोक, पुण्य, यज्ञ, वेद, प्राचीन ऋषि, सबकी आड़ ली। अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ और वेद को भी बदनाम और दूषित किया। अपनी बातों की सिद्धि के जो युक्तियाँ दी हैं वे अत्यन्त छिछली, हास्यास्पद, और स्वार्थपूर्ण हैं, जैसे—यज्ञ के लिए मांस खाना पुण्यदायक और देवताओं की विधि है, और यज्ञ के बिना अपनी शरीर-पुष्टि के लिए मांस खाना राक्षसों का कार्य है [५। ३१]। देवता और राक्षस में अन्तर कितनी आसानी से हो गया ! इसी प्रकार निम्न अवान्तरविरोधों से कुछ ऐसी ही अन्य वक्कों जैसी बातें स्पष्ट हो जायेंगी—(१) ५। १४, १५ श्लोकों में मछलियों का खाना पूर्णतः निषिद्ध है, और १६ बें में निमन्त्रण में मछली खा लेने का विधान है। (२) ३। २६८ से २७२ श्लोकों में कहा है कि श्राद्ध में मछली का मांस खाने से दो महीने तक पितर तृप्त होते हैं, सूकर के मांस से दशमास, कछुए के मांस से ग्यारह मांस, भेंड़े के मांस से अनन्त वर्ष तक पितर तृप्त होते हैं, किन्तु ५। १८—१९ में इनका मांस न खाने का विधान है और कहा है कि इनका मांस खाने से द्विज पतित हो जाता है। (३) ५। २२ में कहा है कि स्त्री, सेवक आदि के पालन के लिए पशु-पक्षी मारने चाहिए और ५। ३८ में कहा है कि यज्ञ के बिना पशुओं को मारने वाला, जितने पशुओं को मारता है, उतने ही अन्म लेकर बदले में वह भी मारा जाता है। (४) ५। ११—१९ श्लोकों में कुछ पशुओं को भक्ष्य और कुछ को अभक्ष्य कहा है, जबकि ५। ३० में कहा है कि ब्रह्मा ने सारे पशु-पक्षियों को खाने के लिए रचा है। उनके खाने में मनुष्य दूषित नहीं होता।

इस प्रकार मांसभक्षण के सभी प्रसंग हास्यास्पद बातों से भरे हैं, जिनसे वे अप्रामाणिक और प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

५. वेदविरोध—इस प्रसंग में मांसभक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेप करने वालों ने वेद की आड़ ली है और मांसभक्षण को वेदविहित माना है। स्वार्थी लोगों ने अपनी उदरपूर्ति के लिए झूठ ही वेदों को और यज्ञ को बदनाम करने का प्रयास किया है। 'वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवति' की आड़ लेकर उसे भोजन प्रकरण में लागू करके अपने आचरण को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने की कोशिश की गई है। यह बात यहाँ लागू ही नहीं होती। यतोहि यहाँ भोजन का प्रसंग है और इसमें मांसविधान को वेद-सम्मत बताने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया गया है। मांसभक्षण अथवा यज्ञ में हिंसा का वेदों में स्पष्टरूप से निषेध किया है। यहाँ तक कि केवल अन्नाहारी (अर्थात् मांसाहारी नहीं) व्यक्तियों को यज्ञ करने का अधिकार दिया है। प्रमाणयुक्त विस्तृत विवेचन के लिए ५। २६—२८ की 'वेदविरोध' समीक्षा देखिए।

निन्दित भोजन मांस हिंसामूलक होने से पाप है—

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।

स जीवन्श्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते ॥ ४५ ॥ (७)

(यः) जो व्यक्ति (आत्मसुख+इच्छया) अपने सुख की इच्छा से (अहिंसकानि भूतानि) कभी न मारने योग्य प्राणियों की (हिनस्ति) हत्या करता है (सः) वह (जीवन् च मृतः) जीते हुए और मरकर भी (क्वचित् सुखं न एधते) कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करता ॥ ४५ ॥

अनुशीलन : ४५ वें श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता पर विचार—
५।२४—२५ श्लोकों में 'अगहितम्' पद से अनिन्य भोजन का विधान किया है। मांस आदि का भोजन शास्त्र एवं लोक—दोनों द्वारा निन्दित है। उन श्लोकों की प्रसंगप्राप्त्यनुसार ४५—४६, ५१ श्लोकों में इस बात का वर्णन किया है कि—'मांस एक निन्दित भोजन है, और किस प्रकार वह निन्दित है।' इस प्रकार २४—२५ श्लोकों से ४५ वें श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता सिद्ध होती है।

यो बन्धनवधव्लेशान्प्राणिनां न विकीर्षति ।

स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ ४६ ॥ (८)

(यः) जो व्यक्ति (प्राणिनां बन्धन-वध-व्लेशान् न विकीर्षति) प्राणियों को बन्धन में डालने, वध करने, उनको पीड़ा पहुँचाने की इच्छा नहीं करता (सः) वह (सर्वस्य हितप्रेप्सुः) सब प्राणियों का हितधी (अत्यन्तं सुखम्+अश्नुते) बहुत अधिक सुख को प्राप्त करता है ॥ ४६ ॥

यद्वधायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च ।

तदवाप्नोत्येयत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥ ४७ ॥ (९)

(यः) जो व्यक्ति (किञ्चन न हिनस्ति) किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता वह (यत् ध्यायति) जिसका ध्यान करता है (यत् कुरुते) जिस काम को करता है (च) और (यत्र धृतिं बध्नाति) जहाँ धैर्ययुक्त मन को लगाता है (तत्) उसको (प्रयत्नेन) सुगमता से (अवाप्नोति) प्राप्त करता है ॥ ४७ ॥

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।

न च प्राणिबधः स्वयमेतस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥ ४८ ॥ (१०)

(प्राणिनां हिंसाम् अकृत्वा क्वचित् मांसं न उत्पद्यते) प्राणियों की हिंसा किये बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता (च) और (प्राणिबधः) जीवों

की हत्या करना (न स्वर्ग्यः) सुखदायक नहीं है (तस्मात्) इस कारण (मांसं विवर्जयेत्) मांस नहीं खाना चाहिए ॥ ४८ ॥

समुत्पत्तिं च मांसस्य बधवन्धौ च देहिनाम् ।

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् ॥ ४९ ॥ (११)

(च) और (मांसस्य समुत्पत्तिम्) मांस की उत्पत्ति जैसे होती है उसको (देहिनां बध-वन्धौ) प्राणियों की हत्या और बन्धन के कष्टों को (प्रसमीक्ष्य) देखकर (सर्वमांसस्य भक्षणात्) सब प्रकार के मांसभक्षण से (निवर्तेत) दूर रहे ॥ ४९ ॥

न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत् ।

त लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीडयते ॥ ५० ॥

(यः) जो मनुष्य (पिशाचवत्) राक्षस के समान (विधिं हित्वा) भक्ष्य-अभक्ष्य की विधि=नियमों को छोड़कर (मांसं न भक्षयति) अभक्ष्य मांस को नहीं खाता है (तः) वह (लोके प्रियतां याति) लोके में प्रेम को प्राप्त करता है (च) और (व्याधिभिः न पीडयते) रोगों से पीड़ित नहीं होता ॥ ५० ॥

अनुवर्तिनः : ५० वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—मनु की मान्यता के अनुसार सभी प्रकार का मांसभक्षण निषिद्ध और निन्दित है। इस श्लोक में 'विधि' शब्द द्वारा केवल विधिरहित मांस की निन्दा है, शेष न्याय से 'विधिपूर्वक' मांस का समर्थन है; अतः यह मान्यता मनुविरुद्ध है [विस्तृत समीक्षा ४। २६—२८ पर देखिए]।

२. प्रसंगविरोध—पूर्वापर प्रसंग सर्वप्रकार के मांसभक्षण के निषेध का है। ४९ वें "निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्" कहा है और ५१ वें में मांसप्राप्ति से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को पापी माना है। बीच में विधि और अविधि के आधार पर मांसभक्षण की निन्दा या प्रशंसा पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। अतः ५० वां श्लोक प्रक्षिप्त है।

३. शैलीगत आधार—इसकी शैली भी अयुक्तियुक्त है। 'विधिरहित मांस खाने वाला रोगों से पीड़ित होता है और विधिपूर्वक खाने वाला पीड़ित नहीं होता' यह कथन निराधार है। मांस के गुण यज्ञ में डालकर खाने से कदापि नहीं बदल सकते। इस प्रकार भी यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

मांसभक्षण-प्रसंग में आठ प्रकार के पापियों की गणना—

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता शोपहर्ता च खाद्यकश्चेति घातकाः ॥ ५१ ॥ (१२)

(अनुमन्ता) मारने की आज्ञा देने वाला (विशसिता) मांस को काटने,

वाला (निहन्ता) पशु को मारने वाला (क्रय-विक्रयी) पशुओं को मारने के लिए मोल लेने और बेचने वाला (संस्कर्त्ता) पकाने वाला (उपहर्त्ता) परोसने वाला (व) और (खादकः) खाने वाला (इति घातकाः) ये सब हत्यारे और पापी हैं ॥ ५१ ॥

“अनुमति=मारने की आज्ञा देने, मांस के काटने, पशु आदि के मारने, उनको मारने के लिए लेने और बेचने, मांस के पकाने, परोसने और खाने वाले, घाठ मनुष्य घातक=हिंसक अर्थात् ये सब पापकारी हैं” ।

(६० ल० गो० ४११)

अनुशीलनः : जैसे हिंसा के पाप में घाठ प्रकार के पापी होते हैं उसी प्रकार अन्य अधर्म के कार्यों में भी ये सब पापी होते हैं, और सभी को उसका फल मिलता है । इसकी सिद्धि के लिए ४ । १७३ वां श्लोक प्रमाणरूप में द्रष्टव्य है ।

स्वमांसं परमासेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

अनन्यार्थं पितृन्देवास्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत् ॥ ५२ ॥

(पितृन्-देवान् अनन्यार्थं) पितरों और देवताओं को बिना पूजे (यः) जो व्यक्ति (परमासेन) दूसरे प्राणियों के मांस से (स्वमांसं वर्धयितुम् + इच्छति) अपने मांस को बढ़ाना चाहता है (ततः + अन्यः अपुण्यकृत् न + अस्ति) उससे बढ़कर पापी कोई दूसरा नहीं है ॥ ५२ ॥

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः ।

मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥ ५३ ॥

(यः) जो व्यक्ति (शत समाः) सौ वर्ष तक (वर्षे वर्षे + अश्वमेधेन यजेत) प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है (च) और (यः) जो (मांसानि न खादेत्) मांस नहीं खाता (तयोः पुण्यफलं समम्) उन दोनों के पुण्य का फल बराबर होता है ॥ ५३ ॥

फलमूलाशनैर्मेध्यैर्मुन्यन्मानां च भोजनैः ।

न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥ ५४ ॥

(मेध्यैः फल-मूल-अशनैः) पवित्र फल-मूल खाने से (च) और (मुनि + अन्मानां भोजनैः) नीवार आदि मुनियों के अन्न चावल आदि खाने से भी (तत् फलं न अवाप्नोति) वह पुण्यफल नहीं प्राप्त होता (यत्) जो (मांसपरिवर्जनात्) मांस के छोड़ने से होता है ॥ ५४ ॥

मां सः भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसनिहास्यहन् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति भनीवित् ॥ ५५ ॥

(इह अहं यस्य ३ १म् अदिम अमुत्र मां सः भक्षयिता) इस जन्म में मैं जिसके

मांस को खा रहा हूँ परजन्म में 'माम् मुक्ते, सः = वह [मां + सः] खायेगा' (एतत् मांसस्य मांसत्वम्) यही मांस का मांसपन अर्थात् अभिप्राय या मांस खाने का फल (मनीषिणः प्रवदन्ति) विद्वान् लोग बतलाते हैं ॥ ५५ ॥

न मांसभक्षणो दोषो न मद्यो न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ५६ ॥

(न मांसभक्षणो दोषः) न मांस खाने में कोई दोष है (न मद्यो) न शराब पीने में (च) और (न मैथुने) न किसी के साथ मैथुन करने में ही बुराई है (एषा भूतानां प्रवृत्तिः) यह प्राणियों का स्वभाव ही है (तु) किन्तु (निवृत्तिः महाफला) इनका त्याग करना महान् फल देने वाला है । अतः इन्हें त्याग देना चाहिए ॥ ५६ ॥

अनुवर्तिस्त्वन् : ५२ से ५६ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) ५२ वां श्लोक विधिपूर्वक मांसभक्षण का विधायक है और ५६ वां सर्व प्रकार के मांसभक्षण का । मनु ने सब प्रकार से मांसभक्षण का निषेध किया है । मांसभक्षण तो क्या, उसमें सहयोगी भी दोषी हैं [५। ५१] । मनु-विरुद्ध मान्यता होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत समीक्षा ४। २६—२८ पर द्रष्टव्य है ।] (२) इसी प्रकार मद्यविवान भी मनुविरुद्ध है । मनु ने "वर्जयेत् मधुमांसं च" [२। १५२ (१७७); ५। १४] कहकर मधु अर्थात् मद्य का स्पष्टतः निषेध किया है । (३) ५२ वें श्लोक में मृतकश्राद्ध की मान्यता के आधार पर मांसभक्षण का संकेत है । यह मान्यता भी मनुविरुद्ध है [देखिए ३। ११६ से २८४ श्लोको पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक] । (इसी प्रकार किसी एक ही कर्म द्वारा परजन्म की योनि का निश्चय करना (५५) भी मनुविरुद्ध है । मनु अनेक कर्मों के आधार पर उत्तम, मध्यम, अधम योनियों की प्राप्ति मानते हैं [१२। ३—६, ४०—५२, ७३—७४] । इस प्रकार अनेक अन्तर्विरोधों के आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।

२. शैलीगत आधार—५३ वें श्लोक में सी वर्ष तक के अवयवेद्य यज्ञों के फल तथा मांस न खाने के फल की समानता का निश्चय करना, ५४ वें में मुष्यन्तों से भी बढ़कर मांस छोड़ने के फल का निश्चय करना आदि बातें निराधार एवं अयुक्तियुक्त तथा अतिवायव्यपूर्ण शैली की हैं । इनका ऐसा निश्चय न तो किसी मानदण्ड से संभव है और न सम्बद्धता है ।

(गृहस्थान्तर्गत देहशुद्धि-विषय)

[५। ५७ से ५। ११० तक]

देहशुद्धिं प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिं तथैव च ।

अतुर्लभमपि वर्णनां यथावदनुपूर्वशः ॥ ५७ ॥ (१३)

(चतुर्णाम् + अपि वर्णानाम्) अब मैं चारों वर्णों की (अनुपूर्वशः) क्रमशः [पहले] (देहशुद्धिम्) शरीर और शरीरसम्बन्धी शुद्धि [१०५—११०] (च) और [फिर] (तथा + एव) उसी प्रकार चारों वर्णों के लिए (द्रव्यशुद्धिम्) पान्न, वस्त्र आदि पदार्थों की शुद्धि [१११—१४६] को (प्रवक्ष्यामि) कहूंगा—॥ ५७ ॥ ॐ

अनुवर्णितम् : 'देहशुद्धिम्' पाठ मौलिक—इस श्लोक के प्रथम पाद में 'प्रेतशुद्धिम्' पाठ प्रचलित संस्करणों में प्रचलित है। इसके स्थान पर 'देहशुद्धिम्' पाठ होना चाहिये, ऐसा मनु की शैली और विषयविवेचन से संकेत मिलता है। प्रतीत होता है कि अन्य प्रक्षेपों के समान कालान्तर में जब प्रेत-जन्म आदि में शुद्धिक्रिया एक कर्म-काण्ड का रूप ले गयी, तब यह पाठभेद करके प्रेतादि विषयक श्लोक मिला दिये गये। इस पाठ की अमौलिकता और 'देहशुद्धिम्' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमाणों एवं युक्तियों से सिद्ध होती है—

(क) मनु की यह शैली है कि वे जिस विषय का प्रारम्भ जिस विषयसंकेत से करते हैं, उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते हैं [द्रष्टव्य ३। २८६ और ४। २५६ ॥ ८। १ और ९। २५० ॥ १०। १३१ और ११। २६६ आदि], लेकिन यहां उस शैली से विपरीत विषय का प्रारम्भ प्रेतशुद्धि से दर्शाया गया है [५। ५७] और समाप्ति 'शारीरशुद्धि' से [५। ११०]। विषयसमाप्ति सूचक श्लोक के पदों से यह सिद्ध होता है कि यह 'शारीरशुद्धि' का विषय था न कि प्रेतशुद्धि का। अतः इस श्लोक में समा-नार्थक 'देहशुद्धि' शब्द ही अनुसम्मत सिद्ध होता है।

(ख) मनु ने इस प्रसंग का वर्णन भी देह [५। १०५], गात्र [५। १०६], शरीर [११०] आदि शब्दों से किया है, जो यह सिद्ध करता है कि यह वर्णन प्रेतविषयक नहीं अपितु देहशुद्धि-विषयक है।

(ग) प्रचलित पाठ के अनुसार यदि प्रेतशुद्धि पाठ को सही मानकर यहाँ इसी विषय का प्रसंग मान लिया जाये, तो यह आपत्ति आती है कि प्रेतशुद्धि-विषय में दन्तो-त्पत्तिकालीन शुद्धि, सूतकशुद्धि, मन, आत्मा आदि की शुद्धि का वर्णन क्यों किया? प्रेत के मन और आत्मा होते ही नहीं। इस प्रकार विषयसंकेतक श्लोक में और वर्णन में तालमेल का न होना भी यह सिद्ध करता है कि प्रक्षेपों का समायोजन करने के लिये यह पाठभेद बाद में किया गया है। शैलीश्रृंखला में जुड़ा हुआ पाठ 'देहशुद्धिम्' ही है, और मन तथा आत्मा आदि शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं। अतः इसी पाठ को मातृ पाठ के रूप में स्वीकार किया है।

ॐ [प्रचलित अर्थ—प्रचलित संस्करणों में इस श्लोक के प्रथम पाद में 'देह-शुद्धिम्' के स्थान पर 'प्रेतशुद्धिम्' पाठ ग्रहण करके निम्न अर्थ प्रचलित है—

“चारों वर्णों के प्रेतशुद्धि (मरणाशौच से शुद्धि) तथा द्रव्यशुद्धि (तैजसादि पदार्थों की शुद्धि) को क्रम से यथायोग्य कहूंगा ॥ ५७ ॥”]

अशुद्धि के समय—

दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते ।

अशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥

(दन्तजाते) बालक के दांत निकलते समय (च) और (अनुजाते) दांत निकलने के बाद (च) तथा (कृतचूडे) मुण्डन संस्कार करने के पीछे, (संस्थिते) मृत्यु हो जाने पर (सर्वे बान्धवाः अशुद्धाः) सब कुटुम्बी अशुद्ध हो जाते हैं (तथा च) और उसी प्रकार (सूतके उच्यते) पुत्रोत्पत्ति में भी अशुद्धि मानी जाती है ॥ ५८ ॥

दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।

अर्वाक् संचयनादस्थनां ग्रहमेकाहमेव वा ॥ ५९ ॥

(सपिण्डेषु) एक उदर या कुटुम्ब के लोगों में (शावम् + आशौचम्) शव सम्बन्धी शुद्धि (दश + ग्रहम् ग्रस्थनां संचयनात् अर्वाक् त्रि + ग्रहं वा एक + ग्रहम् + एव विधीयते) दश दिन तक, या अस्थि चुनने से पहले तीन दिन तक, अथवा एक ही दिन की विहित की है ॥ ५९ ॥

अनुष्ठीतन् : पिण्ड का अर्थ शरीर है। सपिण्ड का अर्थ है—‘एक ही माता-पिता के शरीर से जन्म लेने वाले व्यक्ति अर्थात् भाई-बहन’।

सपिण्डता और समानोदक भाव—

सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते ।

समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ६० ॥

(सपिण्डता तु) सगापन तो (सप्तमे पुरुषे विनिवर्तते) सातवीं पीढ़ी में समाप्त हो जाता है (तु) और (समानोदकभावः) धनिष्ठपन (जन्म-नाम्नोः अवेदने) जन्म और नाम के ज्ञात न रहने पर छूट जाता है ॥ ६० ॥

अनुष्ठीतन् : ‘समानोदकभावः’ मूलार्थ में एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है—‘एक जल का दूसरे जल में मिलकर एक हो जाना’। इसका अभिप्राय, ‘धनिष्ठपन’ के व्यवहार से है। धनिष्ठता रहते हुए ही जन्म और नाम आदि का ज्ञान रहता है, धनिष्ठता न रहने पर जल नहीं रहता। तब समानोदकभाव—धनिष्ठपन समाप्त हो जाता है।

यथेवं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।

जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिभिश्छताम् ॥ ६१ ॥

(यथा) जैसे (इदं शावम् + आशौचं सपिण्डेषु विधीयते) यह मृतक-शुद्धि सपिण्डों के लिए विहित की है (एवम्) इसी प्रकार (निपुणं शुद्धिम् + इच्छताम्) भलीभाँति शुद्धि चाहने वालों के लिए (जनने + अपि स्यात्) जन्म के समय भी होती है ॥ ६१ ॥

सूतक और मृतक-सम्बन्धी विधान—

सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् ।

सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ६२ ॥

(शावम् + आशौचं सर्वेषाम्) मृतक-आशौच सब कुटुम्ब वालों के लिए है (सूतकं तु मातापित्रोः) किन्तु सूतक = पुत्रजन्म के समय की अशुद्धि तो केवल माता-पिता के लिए है, इनमें भी (सूतकम्) जन्म देने की अशुद्धि तो वस्तुतः (मातुः + एव स्यात्) माता की ही होती है (पिता उपस्पृश्य शुचिः) पिता तो [अशुद्धि के सम्पर्क में आने पर] जल से धोकर या स्नान करके ही शुद्ध हो जाता है ॥ ६२ ॥

निरस्य तु पुमाऽशुक्लमुपस्पृश्यैव शुद्धयति ।

बैजिकादभिसम्बन्धावनुरन्ध्यादर्थं ग्रहम् ॥ ६३ ॥

(पुमान्) पुरुष (शुक्लं निरस्य) बीर्यात करके (उपस्पृश्य + एव शुद्धयति) नहाने से ही शुद्ध हो जाता है (बैजिकात् + अभिसम्बन्धात्) परस्त्री में बैजिक सम्बन्ध प्रयात् गर्भस्थिति होने से (त्रि + ग्रहम् ग्रथम् अनुरन्ध्यात्) तीन दिन तक पाप की शुद्धि करे ॥ ६३ ॥

समीपस्थ बान्धवों की शुद्धि की विधि तथा अवधि—

अह्ना चक्रेन राध्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः ।

शवस्पृशो विशुष्यन्ति ग्रहाबुदकदायिनः ॥ ६४ ॥

(शवस्पृशः) मुर्दे को छूने वाले (एकेन अह्ना च राध्या) एक दिन और रात में (त्रिरात्रैः एव च त्रिभिः) और तीन को तीन से गुणा करने पर अर्थात् नौ, इस प्रकार दश दिन में (विशुद्धयन्ति) शुद्ध होते हैं (उदकदायिनः त्रि + ग्रहात्) जलदान करने वाले तीन दिन में शुद्ध होते हैं ॥ ६४ ॥

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् ।

प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥ ६५ ॥

(प्रेतस्य गुरोः) जब गुरु का प्राणान्त हो, तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका (पितृमेधं समाचरन् शिष्यः) दाह करने द्वारा शिष्य (प्रेतहारैः समम्) प्रेतहार अर्थात् मृतक को उठाने वालों के साथ (तत्र दशरात्रेण शुद्धयति) दशवें दिन शुद्ध होता है ॥ ६५ ॥ (स० प्र० ३०)

अनुयायित्वम् : महर्षि दयानन्द ने यह श्लोक प्रेत किसको कहते हैं, केवल उसका अर्थ दशानि के उद्देश्य से प्रयुक्त किया है । प्रश्नकर्त्ता की बात का उन्हीं की मान्यता से उत्तर दिया है । यहाँ शुद्धि प्रकरण नहीं है, अतः महर्षि जी की वहाँ इस श्लोक को प्रामाणिक मानने की भावना भी नहीं है ।

रात्रिभिर्मासतुल्याभिर्गर्भेष्वावे विशुद्धयति ।

रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥ ६६ ॥

(गर्भेष्वावे) गर्भेष्वाव हो जाने पर (मासतुल्याभिः रात्रिभिः) जितने मासका गर्भ हो उतनी ही रात्रियों में स्त्री (विशुद्धयति) शुद्ध होती है (साध्वी रजस्वला) पतिव्रता रजस्वला स्त्री (रजसि + उपरते) रज बन्द हो जाने पर (स्नानेन) स्नान करने से शुद्ध हो जाती है ॥ ६६ ॥

नृणामकृतचूडानां विशुद्धिर्नैशिकी स्मृता ।

निर्वृतचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ६७ ॥

(अकृतचूडानां नृणां विशुद्धिः) जिन बालकों का मुण्डन संस्कार नहीं हुआ है उनकी शुद्धि (नैशिकी स्मृता) एक रात में हो जाती है (तु) किन्तु (निर्वृतचूडकानां शुद्धिः) मुण्डन हो चुकने पर [मरने वालों की] शुद्धि (त्रिरात्रात् इष्यते) तीन रात में होती है ॥ ६७ ॥

ऊनद्विवाषिकं प्रेतं निदध्मुर्वाग्धवा बहिः ।

अलंकृत्य शुची भूमावस्थिसंचयनाहृते ॥ ६८ ॥

(वाग्धवा) कुटुम्बीजन (ऊनद्विवाषिकं प्रेतम् अलंकृत्य) दो वर्ष से कम आयु के बच्चे के शव को वस्त्रों में सपेटकर (बहिः) गांव के बाहर (शुची) शुद्ध स्थान में (अस्थिसंचयनात् ऋते) अस्थिसंचय की क्रिया के बिना (भूमी निदध्मुः) भूमि में गाड़ दें ॥ ६८ ॥

नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योऽदकक्रिया ।

अरण्ये काष्ठवत्स्थत्वा सपेयुःस्थमेव च ॥ ६९ ॥

(अस्य) इस बालक की (अग्निसंस्कारः न कार्यः) अग्निसंस्कार की क्रिया नहीं करनी चाहिए (च) और (न उदकक्रिया कार्या) न जलदान क्रिया करनी चाहिए (अरण्ये काष्ठवत् स्थत्वा) जंगल में लकड़ी के समान छोड़कर अर्थात् गाड़कर (त्रि + अहम् + एव सपेयुः) तीन दिन तक आसौच मनावें ॥ ६९ ॥

नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवैश्चदकक्रिया ।

जातदन्तस्य वा कुयुर्नाम्नि बापि कृते सति ॥ ७० ॥

(बान्धवैः) कुटुम्बियों को (अत्रिवर्षस्य उदकक्रिया न कर्तव्या) तीन वर्ष से कम आयु वाले बालक की जलदान क्रिया नहीं करनी चाहिए (जातदन्तस्य) दांत निकल जाने पर (वा) और (नाम्नि कृते सति अपि) नामकरण संस्कार करने पर मृत्यु होने के बाद-जलदान करे ॥ ७० ॥

सकृद्वारिभ्येकाहसतीते सपरणं स्मृतम् ।

जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥

(सब्रह्मचारिणि प्रतीते) सहपाठी ब्रह्मचारी के मरने पर (एक + ग्रहं क्षयणं स्मृतम्) एक दिन की शुद्धि कही है (एक + उदकानां जन्मनि तु) समानोदकों [४।६०] के यहाँ जन्म होने पर (त्रिरात्रात् शुद्धिः इष्यते) तीन रात की शुद्धि कही गयी है ॥७१॥

स्त्रीसामसंस्कृतानां तु ग्रहाश्चुद्धयन्ति बान्धवाः ।

यथोपतेनैव कल्पेन शुद्धयन्ति तु सनाभयः ॥ ७२ ॥

(असंस्कृतानां स्त्रीणां तु) जिनका बान्धवान हो चुका है किन्तु विवाह संस्कार नहीं हुआ है, ऐसी स्त्रियों की मृत्यु होने पर (बान्धवाः) पतिपक्ष के रिश्तेदार (त्रि—ग्रहात् शुद्धयन्ति) तीन दिन में शुद्ध होते हैं (तु) और (सनाभयः) स्त्री के वंश के लोग (यथोपतेन एव कल्पेन शुद्धयन्ति) इसी पूर्वोक्त विधान के अनुसार ही शुद्ध होते हैं ॥ ७२ ॥

अक्षारलवणाभाः स्युर्निमज्जेयुश्च ते ग्रहम् ।

मांसाशनं च नास्नीयुः शयीरंश्च पृथक् क्षितौ ॥ ७३ ॥

(ते) वे बान्धव (ग्रहम्) तीन दिन तक (अक्षारलवण + अन्नाः स्युः) समुद्री-नमक से रहित भोजन करें (च) और (निमज्जेयुः) नदी, तालाब आदि में डुबकी लगाकर स्नान करें (च) तथा (मांस + अशनं न नास्नीयुः) मांस का भोजन न करें (च) और (क्षितौ पृथक् शयीरन्) धरती पर अलग-अलग सोयें ॥ ७३ ॥

सन्निधावेव वै कल्पः स्नावाशीचस्य कीर्तितः ।

असन्निधादयं ज्ञेयो विधिः सम्बन्धिबान्धवैः ॥ ७४ ॥

(एवः) यह (शाव + आशीचस्य कल्पः) मृतक-शुद्धि का विधान (सन्निधौ कीर्तितः) पास में रहने वालों के लिए कहा (असन्निधौ) दूर होने पर (संबन्धिबान्धवैः) सम्बन्धियों और कुटुम्बियों को (अयं विधिः ज्ञेयः) मृतकशुद्धि की यह विधि करनी या समझनी चाहिए ॥ ७४ ॥

विदेशस्य बान्धवों की शुद्धि और अवधि—

विगतं तु विदेशस्थं शृणुयादो ह्यनिर्बंशम् ।

यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥ ७५ ॥

(यः) जो बान्धव (विदेशस्थं विगतम् अनिर्बंशं शृणुयात्) परदेश में गये की मृत्यु का समाचार दश दिन से पहले सुन ले तो (दशरात्रस्य यत् शेषं तावत् + एव + अशुचिः भवेत्) वह दश दिन पूरा होने में जितने दिन शेष हों उतने ही दिन तक अशुद्ध रहता है ॥ ७५ ॥

अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ।

संबत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वैवापो विशुद्ध्यति ॥ ७६ ॥

(च) और (दश + ग्रहे अतिक्रान्ते) दश दिन के बीत जाने पर (त्रिरात्रम् + अशुचिः भवेत्) तीन रात तक अशुद्ध रहता है (तु) और (संवत्सरे व्यतीते) एक वर्ष के बाद मृत्यु का समाचार सुनने पर (प्रापः स्पृष्ट्वा विशुद्धयति) केवल जल का स्पर्श करने से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ७६ ॥

निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च ।

सबासा जलमाप्नुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥ ७७ ॥

(मानवः) मनुष्य (ज्ञातिमरणं च पुत्रस्य जन्म निर्देशं श्रुत्वा) सम्बन्धी की मृत्यु और पुत्र के जन्म का समाचार दश दिन बीत जाने पर सुनकर (सबासा जलम् + आप्नुत्य शुद्धः भवति) वस्त्रसहित जल में स्नान करके शुद्ध हो जाता है ॥ ७७ ॥

वाले देशान्तरस्थे च पृथक् पिण्डे च संस्थिते ।

सबासा जलमाप्नुत्य सद्य एव विशुद्धयति ॥ ७८ ॥

(वाले देशान्तरस्थे) बालक के परदेश में रहते हुए (च) और (पृथक् पिण्डे) सपिण्ड से भिन्न व्यक्ति के (संस्थिते) मर जाने पर (सबासा जलम् + आप्नुत्य) वस्त्र-सहित जल में स्नान करके (सद्यः एव विशुद्धयति) शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है ॥ ७८ ॥

अन्तर्देशाद्दे स्यातां चेत्युत्तमं रणजन्मनी ।

तावत्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्स्यादनिर्देशम् ॥ ७९ ॥

(अन्तः दशः + ग्रहे चेत्) दश दिन के अन्दर ही यदि (पुनः मरणजन्मनी स्याताम्) फिर मरण या जन्म हो जाये तो (विप्रः) द्विज (यावत् अनिर्देशं स्यात्) जब तक पहले वाली मृत्युशुद्धि या जन्मशुद्धि के दश दिन पूरे न हो जायें (तावत् अशुचिः स्यात्) तब तक अशुद्ध रहता है ॥ ७९ ॥

अन्य अशुद्धियों की विधि—

त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्यं संस्थिते सति ।

तस्य पुत्रे च परत्या च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ ८० ॥

(आचार्यं संस्थिते सति) आचार्य की मृत्यु हो जाने पर (त्रिरात्रम् आशौचम् आहुः) तीन दिन का आशौच कहा है (च) और (तस्य पुत्रे च परत्याम्) उस आचार्य के पुत्र तथा पत्नी की मृत्यु पर (दिवारात्रम् + इति स्थितिः) एक दिन-रात का आशौच होता है, ऐसी मान्यता है ॥ ८० ॥

श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ।

मातुले पक्षिणीं राज्ञि शिष्यस्त्विन्द्राग्धवेषु च ॥ ८१ ॥

(तु) और (श्रोत्रिये उपसंपन्ने) वेदपाठी के मरने पर (त्रिरात्रम् + अशुचिः भवेत्) तीन दिन तक आशौच होता है (च) और (मातुले शिष्य-ऋत्विक्-बान्धवेषु)

नामा, शिष्य, ऋत्विज् और रिस्तेदारों के मरने पर (पक्षिणीं रात्रिम्) दो रात और उनके बीच एक दिन का आशीच होता है ॥ ८१ ॥

प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः ।

अश्वोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरौ ॥ ८२ ॥

मनुष्य (यस्य विषये स्थितः) जिसके राज्य में रहता हो ऐसे (राजनि प्रेते) राजा के मर जाने पर (सज्योतिः) यदि दिन में मरा हो तो सूर्यास्त तक और यदि रात में मरा हो तो सवेरे तारे छिपने तक आशीच रहता है (तु) और (अश्वोत्रिये) श्वेद-पाठी (कृत्स्नम् + अनूचाने) सम्पूर्ण वेद-वेदांग जानने वाले (तथा गुरौ) तथा गुरु के मरने पर (अहः) एक दिन का आशीच रहे ॥ ८२ ॥

शुद्धघेद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ।

वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥ ८३ ॥

मृतक अशुद्धि में (विप्रः दश + अहेन शुद्धयेत्) ब्राह्मण दश दिन में शुद्ध होता है (भूमिपः द्वादश + अहेन) क्षत्रिय बारह दिन में (वैश्यः पञ्चदश + अहेन) वैश्य पन्द्रह दिन में (शूद्रः मासेन शुद्धयति) शूद्र एक मास में शुद्ध होता है ॥ ८३ ॥

न वर्षधेदघाहानि प्रस्पृहेन्नाग्निषु क्रियाः ।

न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्भवेत् ॥ ८४ ॥

(अघ + अहनि न वर्षयेत्) अशुद्धि के दिनों को इससे [५। ८३] अधिक न बढ़ाये (अग्निषु क्रियाः न प्रति + ऊहेत्) यज्ञ करना न छोड़े (तत् कर्म कुर्वाणः) इस यज्ञ कर्म को करने पर (सनाभ्यः + अपि + अशुचिः न भवेत्) सपिण्ड व्यक्ति भी अशुद्ध नहीं होता ॥ ८४ ॥

दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा ।

शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्ध्यति ॥ ८५ ॥

(दिवाकीर्तिम् उदक्यां पतितं सूतिकां शवं च तत् स्पृष्टिनं स्पृष्ट्वा) चाण्डाल, रजस्वला, पतित, प्रसूता, शव और उस शव को छूने वाले इन सबको छूकर (स्नानेन एक शुद्ध्यति) स्नान करने से ही शुद्ध होता है ॥ ८५ ॥

आचम्य प्रयतो निरयं अपेदशुचिर्दशने ।

सौराम्भ्रान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥ ८६ ॥

(अशुचिः दशने) यदि अपवित्र व्यक्तियों के दर्शन हो जायें तो (निरयम्) सर्वदा (आचम्य) आचमन करके (प्रयतः) सावधान होकर (यथोत्साहम्) उत्साहपूर्वक (सौरान् मन्त्रान्) सूर्यसम्बन्धी मन्त्रों को ["उदुरयं जातवेदसं देव" (यजु० ३३। ३१)

मन्त्र] (च) और (पावमानीः) पवित्र करने वाली ऋचाओं को [“पुनन्तु मा देवजनाः”
यादि ऋ० ६। ६७। २७-३२] (शक्तितः जपेत्) यथाशक्ति जपे ॥ ८६ ॥

नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्ध्यति ।

आचम्यैव तु निःस्नेहं गामालम्ब्यार्कमौष्य वा ॥ ८७ ॥

(विप्रः) द्विज (नारं सस्नेहं अस्थि स्पृष्ट्वा) मनुष्य की गीली हड्डी को छूकर (स्नात्वा विशुद्ध्यति) स्नान करने से शुद्ध होता है (तु) और (निःस्नेहम्) सूखी हड्डी को छूकर (आचम्य) आचमन करने से ही (वा) अथवा (गाम्+आलम्ब्य) गौ को स्पर्श करने से (अर्कम्+ईष्य) या सूर्य के दर्शन करने से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ८७ ॥

आविष्टी नोदकं कुर्वादाव्रतस्य समापनात् ।

समाप्ते नोदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्ध्यति ॥ ८८ ॥

(आविष्टी) ब्रह्मचारी (आव्रतस्य समापनात्) ब्रह्मचर्य व्रत के पूर्ण न होने तक (उदकं न कुर्वात्) जलदान क्रिया न करे (समाप्ते तु) व्रत समाप्त हो जाने पर (उदकं कृत्वा) जलदान देकर (त्रिरात्रेण+एव शुद्ध्यति) तीन दिन-रात में शुद्ध हो जाता है ॥ ८८ ॥

वृथासंकरजातानां प्रव्रज्यासु च तिष्ठताम् ।

आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्ततोदकक्रिया ॥ ८९ ॥

(वृथा+संकरजातानां च प्रव्रज्यासु तिष्ठताम्) जो वृथा उत्पन्न हुए हैं अर्थात् जो धर्म-कर्म से हीन हैं और जो वर्णसंकर हैं उनकी तथा परिव्राजकों की (च) और (आत्मनः त्यागिनाम् एव) आत्महत्या करने वालों की (उदकक्रिया निवर्तते) जलदान क्रिया न करे ॥ ८९ ॥

पाण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः ।

गर्भभर्तृद्भ्यां चैव सुरापीनां च योषिताम् ॥ ९० ॥

(च) और (पाण्डम्+आश्रितानाम्) जो स्त्रियां पाण्ड रक्ती हैं (च) और (कामतः चरन्तीनाम्) इच्छानुसार विवरण करने वाली अर्थात् व्यभिचारिणी (गर्भ-भर्तृ-द्भ्याम्) गर्भपात और पतित से द्रोह करने वाली (च) तथा (सुरापीनां योषिताम्) शराब पीने वाली—इन स्त्रियों की जलदान क्रिया नहीं करनी चाहिए ॥ ९० ॥

आचार्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुहम् ।

निर्हृत्य तु व्रती प्रेतात्मन् व्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ॥

(व्रती) ब्रह्मचारी (स्वम् आचार्यम् उपाध्यायं पितरं मातरं गुहं प्रेतान् तु निर्हृत्य) अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, गुह, इनके शवों को उठाकर (व्रतेन न वियुज्यते) व्रत से हीन नहीं होता ॥ ९१ ॥

दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् ।

पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ६२ ॥

(मृतं शूद्रं दक्षिणेन पुरद्वारेण) मृत शूद्र को नगर के दक्षिण द्वार से तथा (द्विजन्मनः) द्विजों के शवों को (यथायोगम्) कमशः (पश्चिम-उत्तर-पूर्वः तु) पश्चिम द्वार से वैश्य को, उत्तर द्वार से क्षत्रिय को और पूर्व द्वार से ब्राह्मण को (निर्हरेत्) श्मशान में ले जावे ॥ ६२ ॥

न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम् ।

ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ ६३ ॥

(राज्ञां व्रतिनां च सत्रिणाम्) राजाओं को, ब्रह्मचारियों को, यज्ञ कराने वालों को (अघदोषः न अस्ति) मृतक-अशुद्धि नहीं लगनी (हि) क्योंकि (ते) ये (ऐन्द्रं स्थानम् + उपासीनाः सदा ब्रह्मभूताः) इन्द्र के स्थान पर बैठे हुए सदा ब्रह्मरूप होने हैं ॥ ६३ ॥

राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते ।

प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम् ॥ ६४ ॥

(माहात्मिके स्थाने) महान् या महत्त्वपूर्ण पद पर बैठने के कारण (राज्ञः) राजा की (सद्यः शौचं विधीयते) तत्काल ही शुद्धि हो जाती है (प्रजानां परिरक्षार्थम् + आसनम् अत्र कारणम्) प्रजाओं की रक्षा के लिए राजा का राजपद पर बैठना ही इस शीघ्र शुद्धि का कारण है ॥ ६४ ॥

द्विष्माहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च ।

गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ६५ ॥

(च) और (द्विष्म + आहवहतानाम्) विद्रोह या दंगे में और युद्ध में मारे गयों की (विद्युता च पार्थिवेन) बिजली और राजा द्वारा दण्ड दिष्टे जानें पर मरे हुएओं की (च) और (गो-ब्राह्मणस्य अर्थ एव) गो और ब्राह्मण के लिए मरे हुएओं की (च) तथा (यस्य पार्थिवः इच्छति) जिसकी शुद्धि राजा चाहता है, उसकी भी तत्काल शुद्धि हो जाती है ॥ ६५ ॥

सोमाम्यर्कानितेन्द्राणां त्रिताप्यत्योर्मसस्य च ।

अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः ॥ ६६ ॥

(सं-म-अग्नि-अर्क-अनिल-इन्द्राणां वित्त + अत्योर्मसः च यस्य) सोम = चन्द्रमा, अग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र, कुबेर, वरुण और यम (अष्टानां लोकपालानां वपुः नृपः धारयते) इन आठ लोकपालों के पारोक्षिक गुणों को राजा धारण करता है ॥ ६६ ॥

लोकेऽधिष्ठितो राजा नास्याशौचं विधीयते ।

शौचाशौचं हि मर्त्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम् ॥ ६७ ॥

(राजा लोकेश + अधिष्ठितः) राजा लोकपालों के अंश या गुरों में संपन्न है (अस्य + अशौचं न विधीयते) इसलिए इसको अशौच नहीं लगता (हि) क्योंकि (मर्त्यानां शौच + अशौचं लोकेश-प्रभव + अप्ययम्) मनुष्यों का यह शौच और अशौच क्रमशः लोकपालों से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, इस प्रकार उनके अंशों से युक्त होने के कारण राजा को अशुद्धि लग ही नहीं पाती ॥ ६७ ॥

उद्यतैराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च ।

सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशौचमिति स्थितिः ॥ ६८ ॥

(ग्राहवे) युद्ध में (उद्यतैः शस्त्रैः) लड़ने के लिए उठाये गये हथियारों से (च) और (क्षत्रधर्महतस्य) क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरे सैनिक को (सद्यः यज्ञः संतिष्ठते) तत्काल यज्ञवाला श्रेष्ठ कल मिलता है (तथा + अशौचम् + इति स्थितिः) तथा उसे अशौच नहीं लगता, ऐसा निश्चय है ॥ ६८ ॥

विप्रः शुद्ध्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो ब्राह्मणायुधम् ।

वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः ॥ ६९ ॥

(कृतक्रियः विप्रः अपः स्पृष्ट्वा शुद्ध्यति) आशौच का क्रियाकर्म करके ब्राह्मण जल के स्पर्श से शुद्ध होता है (क्षत्रियः वाहन + आयुधम्) क्षत्रिय सवारों और शस्त्र को (वैश्यः प्रतोदं वा रश्मीन्) वैश्य चाबुक या लगाम को (शूद्रः यष्टिम्) शूद्र लकड़ी को स्पर्श करके शुद्ध होता है ॥ ६९ ॥

असपिण्डों की प्रेतशुद्धि—

एतद्वोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः ।

असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत ॥ १०० ॥

(द्विजोत्तमाः) हे श्रेष्ठ द्विजो ! (एतत् सपिण्डेषु शौचम् अभिहितम्) यह सपिण्डों की मृतकशुद्धि कहो (सर्वेषु असपिण्डेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत) अब सब असपिण्डों की मृतकसम्बन्धी शुद्धि को सुनो—॥ १०० ॥

असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निहंत्य बन्धुवत् ।

विशुद्ध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्ताश्च बान्धवान् ॥ १०१ ॥

(विप्रः) ब्राह्मण (असपिण्डं प्रेतं द्विजं बन्धुवत् निहंत्य) असपिण्ड मृत ब्राह्मण को बन्धु के समान उठाकर (च) और (मातुः + आप्तान् बान्धवान्) माता के सगे बांधवों को उठाकर (त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति) तीन रात में शुद्ध होता है ॥ १०१ ॥

यद्यन्नमस्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्ध्यति ।

अनदन्नन्नमह्नं न चेत्स्मिन्गृहे बसेत् ॥ १०२ ॥

(यदि तेषाम् अन्नम् + अस्ति) यदि प्रेत को ले जाने वाला उन मृतक के परिवार

बालों का अन्न खाता है तो (दश + अहेन + एव शुद्धयति) दश दिन में ही शुद्ध होता है (अनदन् + अन्नम्) यदि उनके अन्न को न खाता हो (न चेत् तस्मिन् गृहे वसेत्) और न उनके घर में रहता हो तो (ब्रह्मा + एव) एक दिन में ही शुद्ध होता है ॥ १०२ ॥

अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च ।

स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाग्निं घृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥ १०३ ॥

(ज्ञातिं च अज्ञातिम् एव प्रेतम् इच्छया अनुगम्य) मनुष्य अपने वंश के और बिना वंश वाले प्रेत के पीछे इच्छापूर्वक जाकर (सचैलः स्नात्वा) कपड़ों सहित नहाकर अर्थात् उस समय धारण किये हुए उन वस्त्रों को भी धोकर और स्वयं नहाकर (अग्निं स्पृष्ट्वा) अग्नि का स्पर्श करके (घृतं प्राश्य) घी चाटकर (विशुद्धयति) शुद्ध हो जाता है ॥ १०३ ॥

न विप्रं श्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नापयेत् ।

अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्यात्क्षूद्रसंस्पर्शदूषिता ॥ १०४ ॥

(श्वेषु तिष्ठत्सु मृतं विप्रं शूद्रेण न नापयेत्) अपने वंश या वंश वालों के होते मृत ब्राह्मण को शूद्रों से उठवाकर न ले जाये (हि) क्योंकि (क्षूद्रसंस्पर्शदूषिता सा आहुतिः अस्वर्ग्या स्यात्) शूद्र के स्पर्श से दूषित हुई वह शरीर की आहुति स्वर्ग में पहुँचाने वाली नहीं होती ॥ १०४ ॥

अनुशीलन : ५८ से १०४ तक के श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रसिप्त सिद्ध होते हैं—

१. विषयविरोध—प्रस्तुत विषय के प्रारम्भ का संकेत देने वाला श्लोक ५७ वाँ है और समाप्ति का संकेत देने वाला श्लोक ११० वाँ है। इन श्लोकों में दिये गये “वेदशुद्धिम्” “प्रवक्ष्यामि” “एव शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिरागः” संकेतों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि यह “शरीर और शरीर से सम्बन्धित मन, बुद्धि, आत्मा आदि की शुद्धि” को कहने का विषय है [इसकी पुष्टि के लिए ५। ५७ की समीक्षा भी पढ़िये]।

इस आधार पर इस विषय में वही श्लोक मौलिक माने जा सकते हैं जो इस विषयसंकेत से सम्बद्ध हों। अपने संकेत के अनुसार ही मनु ने १०५-१०६ श्लोकों में पहले भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों की गणना की है, फिर १०६ में अशुद्ध शरीर को ‘अद्भिः गात्राणि शुद्धयन्ति’ कहकर शुद्धि होना कहा है। क्रोध, लालच, अधर्माचरण आदि से मनुष्य के मन, बुद्धि, आत्मा आदि भी अशुद्ध हो जाते हैं, संकेतानुरूप शरीरसम्बन्धी इन अवयवों की शुद्धि भी कह दी है। इस प्रकार १०५ से ११० श्लोक विषयानुरूप हैं। इस बीच में ५८ से १०४ तक जितने श्लोक हैं, इनमें शरीर की शुद्धि का वर्णन न होकर आशौच मनाने की अवधि, सपिण्ड एवं असपिण्डों के आशौच की

विधि, मृतक-अशुद्धि, परदेश में रहने वालों की अशुद्धि आदि का वर्णन है, जो विषय-विरुद्ध है।

२. अन्तर्विरोध : प्रेतशुद्धि का आडम्बर मनुविरुद्ध — उपर्युक्त विषयसंकेत देने वाले श्लोकों के आधार पर मनु की एक मान्यता भी बन जाती है कि वे 'अशुद्धि के सम्पर्क से शरीरादि की अशुद्धि होना' ही मानते हैं और उसकी शुद्धि का उपाय है— "अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति" [१०६] अर्थात् 'शरीर की शुद्धि जलों से होती है' आदि। ५८ से १०४ श्लोकों में जो भी कुछ वर्णित है, वह मनु की इस मान्यता से विरुद्ध है और न इससे तालमेल खाती है—(१) ५८ से ६० श्लोक, जिनमें सपिण्ड-असपिण्ड के भेद से प्रेतशुद्धि और अशुद्धि मानने की १-१० दिन तक की चार अवधि दर्शाकर उसको एक 'धार्मिककृत्य' के रूप में वर्णित किया है, वे मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं। क्योंकि मनु केवल शरीर की अशुद्धि मानते हैं और वह सपिण्ड और असपिण्ड सबको समान रूप से होती है तथा उसकी अनेक दिनों की अवधि नहीं होती। शरीर अशुद्ध हुआ तो जल में धोने से वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार इन श्लोकों की व्यवस्था मनु-सम्मत ही सिद्ध नहीं होती, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। शेष श्लोक इन पर आधारित हैं, अतः आधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर वे स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे। (२) ७४ से ८४ श्लोकों में परदेश में रहने वालों की शुद्धि कहना भी मनुविरुद्ध है। जब किसी अशुद्धि का सम्पर्क ही नहीं हुआ तो फिर उनके शरीर की अशुद्धि ही कहाँ हुई? (३) ८५-८७, १०३ श्लोकों में शूद्र को अस्पृश्य अर्थात् अपवित्र माना है। मनु ऐसा नहीं मानते। वे शूद्र को 'शुचिः' अर्थात् 'पवित्र' मानते हैं [६। ३३५]। अतः इन श्लोकों की मान्यता मनुविरुद्ध है।

३. शैलीगत आधार—५८ से १०४ श्लोकों की मान्यता है—'सपिण्ड, असपिण्ड के भेद से चार अवधियों के [५८—६०] अनुसार अशुद्धि मनाना'। यह अयुक्तियुक्त वर्णन है, क्योंकि मृतक के सम्पर्क से यदि शरीर की अशुद्धि मानी गयी है तो वह सपिण्ड-असपिण्डों की समान होगी और उसकी शुद्धि जल से हो जायेगी। इसके

हैं। अतः यह व्यवस्था ही अनुचित है। मनु की व्यवस्थाएँ युक्त-युक्त होती हैं। इस विरोध के आधार पर भी ये श्लोक मनुसम्मत नहीं माने जा सकते।

४. प्रसंगविरोध—प्रसङ्गविरोध के आधार पर यदि इन श्लोकों को परखें तो ये सभी प्रसङ्गविरुद्ध सिद्ध होते हैं। ५७ वें और ११० वें श्लोक में 'शरीर और शरीर-सम्बन्धी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि' कथन करने का संकेत है। उनके अनुसार इस प्रसंग का क्रम इस प्रकार बनता है—

(क) शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि कहने के विषय का संकेत [५७]—

(ख) फिर १०५ में भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों का परिगणन—

(ग) फिर शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी शुद्धियों का वर्णन [१०६-१०६], जो कि सर्व-सामान्य विधि के रूप में भावगाम्भीर्य से युक्त संक्षिप्त वर्णन है। इसमें शरीर-सम्बन्धी आत्मा, मन, बुद्धि, चरित्र की शुद्धि का उल्लेख है।

इस प्रकार मनु की मान्यता एवं विषय-संकेत [५७ तथा ११०] के अनुसार यह एक संगत क्रम बनता है। ५८ से १०४ श्लोकों ने उस क्रम को ही भंग कर दिया है और शरीरादि की शुद्धि से भिन्न अशुद्धि को 'धार्मिककृत्य' के रूप में मनाने की एक पृथक् पूर्वापर प्रसंग से भिन्न ही व्यवस्था विहित की है। शुद्धि की बात कहने के लिए पहले शुद्धिकारक पदार्थों का उल्लेख ही प्रासंगिक बनता है। इस आधार पर ५७ के बाद १०५ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से सम्यक् सिद्ध होता है। शेष बीच के सभी श्लोक प्रसंग-विरुद्ध या प्रसंगभञ्जक होने के कारण प्रक्षिप्त हैं।

देह शुद्धिकारक पदार्थों की गणना—

ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्मनो वायुर्पाञ्चनम् ।

वायुः कर्मार्ककालो च शुद्धेः कर्तृणि देहिनाम् ॥ १०५ ॥ (१४)

(ज्ञानं तपः अग्निः+आहारः मृद्मनः वारि+उपाञ्जनं वायुः कर्म अर्ककालौ) ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मिट्टी, मन=विचार, जल, लेप करना, वायु, कर्म, सूर्य और काल (देहिनां शुद्धेः कर्तृणि) ये प्राणियों की शुद्धि करने वाले पदार्थ हैं ॥ १०५ ॥

चि त

उत्तमं शुद्धिं मृद्वाग्निशुचिः शुचिः ॥ १०६ ॥ (१५)

(अर्थशौचं सर्वेषाम्+एव शौचानां परं स्मृतम्) जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है वही सब पवित्रताओं में उत्तम पवित्रता अर्थात् (यः+अर्थे शुचिः सः शुचिः) जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र है, किन्तु (मृद्-वाग्नि-शुचिः न शुचिः) जल, मृत्तिका आदि से जो पवित्रता होती है वह धर्म के सहित उत्तम नहीं होती ॥ १०६ ॥

(सं० वि० १५२)

धर्माचरण से विविध चरित्र दोषों की शुद्धि—

क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः ।

प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७ ॥ (१६)

(विद्वांसः क्षान्त्या) विद्वान् लोग क्षमा से (अकार्यकारिणः दानेन) दुष्टकर्मकारी सत्संग और विद्यादि शुभगुणों के दान से (प्रच्छन्नपापा जप्येन) गुप्त पाप करने हारे विचारसे त्यागकर (तपसा वेदवित्तमाः) और ब्रह्मचर्य तथा सत्यभाषणादि में वेदवित् उत्तम विद्वान् (शुद्ध्यन्ति) शुद्ध होते हैं ॥ १०७ ॥ (सं० वि० १५२)

अनुशीलन : दान से शुद्धि—मनु ने ४।२३३ में कहा है—“सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।” वेदादि से श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। इन मान्यताओं की पुष्टि के लिये द्रष्टव्य है ११।२२६ और ११।२२७ श्लोक। शुद्ध होने से यहां अग्निप्राय पापभावना से रहित होने से है, पापफल के क्षीण होने से नहीं। द्रष्टव्य ११।२२७ पर एतद्विषयक अनुशीलन।

मुक्तोर्यः शुद्ध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुद्ध्यति ।

रजसा स्त्री मनोबुद्ध्या संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०८ ॥

(शोध्यं मृत् + तोर्यः शुद्ध्यते) मल आदि से दूषित वस्तु मिट्टी और जल से शुद्ध होती है (नदी वेगेन शुद्ध्यति) नदी बहती धारा से शुद्ध होती है (मनोबुद्ध्या स्त्री रजसा) मन से दूषित स्त्री रजस्वला होकर (द्विजोत्तमः संन्यासेन) ब्राह्मण संन्यास धारण करने से शुद्ध होता है ॥ १०८ ॥

अनुशीलन : १०८ वां श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. शैली एवं विषय-विरोध—१०८ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—[विस्तृत जानकारी के लिए ५८ से १०४ श्लोकों की समीक्षा देखिए] मन से दूषित स्त्री रजस्वला होकर कैसे शुद्ध होगी, इसमें कोई कार्यकारण सम्बन्ध नहीं है। यह अयुक्तियुक्त शैली है।

शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि की शुद्धि—

अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति ॥ १०९ ॥ (१७)

(अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति) जल से शरीर के बाहर के अवयव (सत्येन मनः) सत्याचरण से मन (विद्यातपोभ्यां भूतात्मा) विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सहके धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा (ज्ञानेन बुद्धिः शुद्ध्यति) ज्ञान अर्थात् पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होती है ॥ १०९ ॥ (सं० प्र० ३६)

“किन्तु जल से ऊपर के अङ्ग पवित्र होते हैं आत्मा और मन नहीं, मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध और जीवात्मा विद्या, योगाभ्यास और धर्माचरण ही से पवित्र तथा बुद्धि-ज्ञान से ही शुद्ध होती है, जल मृत्तिकादि से नहीं” (सं० वि० १५२)

एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः ।

नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयम् ॥ ११० ॥ (१८)

(एषः) यह (शारीरस्य शौचस्य विनिर्णयः) शरीर सम्बन्धी अर्थात् शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि का निर्णय (वः प्रोक्तः) तुमसे कहा, अब (नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः निर्णयं शृणुत) विभिन्न प्रकार के पदार्थों की शुद्धि का निर्णय सुनो—॥ ११० ॥

(द्रव्य-शुद्धि विषय)

[५। १११ से ५। १४६ तक]

पात्रों की शुद्धि का प्रकार—

तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च ।

भस्मनाऽद्भिर्मृदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥ १११ ॥ (१९)

(तैजसाम्) तैजस पदार्थ अर्थात् चमकोले सोना आदि की (च) और (मणीनाम्) मणियों के पात्रों की (च) और (सर्वस्य+अश्ममयस्य) सब प्रकार के पत्थरों के पात्रों की (शुद्धिः) शुद्धि (मनीषिभिः) विद्वानों ने (भस्मना+अद्भिः च मृदा एव उक्ता) भस्म=राख, जल और मिट्टी से कही है ॥ १११ ॥

निलैष काञ्चनं भाण्डमद्भिरेव विशुद्ध्यति ।

अवजसश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥ ११२ ॥ (२०)

(निलैषम्) जिसमें किसी चिकनाई, जूठन आदि का लेप न लगा हो ऐसा (काञ्चनम्) सोने का (भाण्डम्) पात्र, (अवजम्) जल में उत्पन्न होने वाले मोती शंख आदि से बना पात्र (च) और (अश्ममयम्) पत्थरों के पात्र (अनुपस्कृतं राजतम्) चित्रकारी की खुदाई से रहित चांदी का पात्र (अद्भिः+एव विशुद्ध्यति) केवल जल से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ११२ ॥

अनुवर्तिता : यहाँ 'निलैषम्' शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक प्रकार के पात्र से है ।

अपामग्नेश्च संयोगाद्धर्मं रौप्यं च निर्बन्धौ ।

तस्मात्तयोः स्वयोर्येव निर्णयो गुणवत्तरः ॥ ११३ ॥

(हैमं च रौप्यम्) सोना और चांदी (आगं च अग्नेः संयोगात् निर्बन्धौ) जल और संयोग से उत्पन्न हुए हैं (तस्मात्) इसलिए (तयोः) उन दोनों पदार्थों से बंध पात्रों की (निर्णयः) शुद्धि (स्वयोर्येव + एव) अपने उत्पत्तिस्थान अर्थात् जल और अग्नि अर्थात् राख या तपान से ही (गुणवत्तरः) बहुत अच्छी होती है ॥ ११३ ॥

अनुशीलन : ११३ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—स्वर्ण आदि की शुद्धि का उल्लेख १११ वें श्लोक में हो चुका है, इस श्लोक में पुनः निम्न प्रकार से शुद्धि का उल्लेख अनावश्यक एवं विरुद्ध है ।

२. शैलीगत आधार—इस श्लोक की वर्णनशैली अयुक्तियुक्त है। यहां जो कारण दर्शाया गया है, इसका शुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है। यों तो सभी धातुएं अग्नि और जल के संयोग से निकली हैं फिर केवल चांदी और सोने को ही पृथक् से इस रूप में कहना अयुक्तपूर्ण है ।

ताम्रायःकांस्यरंस्यानां त्रपुणः सीसकस्य च ।

शौचं यथार्हं कर्त्तव्यं क्षाराग्न्युदकवारिभिः ॥ ११४ ॥ (२१)

(ताम्र + अयः + कांस्य + रंस्यानां त्रपुणः च सीसकस्य शौचम्) ताम्रा, लोहा, कांसा, पोतल, रांगा और सीसा, इनके वर्तनों की शुद्धि (यथार्हम्) यथाआवश्यक (क्षार + अग्न्युदक वारिभिः) राख, खट्टा पानी और जल से (कर्त्तव्यम्) करनी चाहिए ॥ ११४ ॥

द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पन्नं स्मृतम् ।

प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥ ११५ ॥ (२२)

(सर्वेषां द्रवाणाम्) सब घी, तेल आदि द्रव पदार्थों की (शुद्धिः) शुद्धि उत्पन्नम्) छान लेने से (च) और (संहतानां प्रोक्षणम्) ठोस वस्तु जैसे लकड़ी को चौकी आदि की पोंछने से (च) तथा (दारवाणाम् तक्षणम्) लकड़ी के पात्रों की शुद्धि छीलने से (स्मृतम्) माना है ॥ ११५ ॥

यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रकार—

मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ।

चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥ (२३)

(यज्ञकर्मणि) यज्ञ करते समय प्रयुक्त (यज्ञपात्राणाम्) यज्ञ के पात्रों (चमसानां च ग्रहाणां शुद्धिः) चमचों और कटोरों की शुद्धि (पाणिना मार्जनं तु प्रक्षालनेन) हाथ से रगड़कर मांजने और धोने से होती है ॥ ११६ ॥

अनुशीलन : यह शुद्धि चिकनाईरहित पात्रों की कही है ।

चरुणां स्त्रुक्स्त्रुवाणां च शुद्धिरूपेण वारिणा ।

स्पयशूर्पशकटानां च मुसलोलूखलस्य च ॥ ११७ ॥ (२४)

[घृत आदि की चिकनाई लगे पात्रों की शुद्धि की विधि है—] (चरु-
णाम्) यज्ञ के लिए पाक बनाने के पात्र चरुस्थाली आदि (स्त्रुक्स्त्रुवाणाम्)
स्त्रुक् और स्त्रुव नामक चम्मचविशेष पात्रों की (स्पय-शूर्प-शकटानाम्) स्पय=
तलवार की आकृति का खदिर वृक्ष का बना खड्ग, शूर्प=छाज, शकट=
यज्ञोपपदार्थ ढोने की गाड़ी (च) और (मुसल+उलूखलस्य च) मूसल और
ऊखल आदि यज्ञोप पदार्थों की (शुद्धिः) शुद्धि (उष्णेन वारिणा) गर्म जल
से धोने से होती है ॥ ११७ ॥

अनुशीलन : यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण—मनु ने यहाँ
संकेतरूप में कुछ ही पात्रों का उल्लेख किया है । ब्राह्मणग्रन्थों और श्रौतसूत्र ग्रन्थों में
अनेक यज्ञीय साधनों और यज्ञपात्रों का वर्णन आता है । श्लोकोक्त पात्रों का सामान्य
परिचय इस प्रकार है—(१) स्त्रुक्—यद्यपि स्त्रुक् और स्त्रुवों के अनेक प्रकार हैं, किन्तु
प्रमुखतः चार स्त्रुक् हैं—जुहूः, उपभृत, ध्रुवा और अग्निहोत्रहवनी । (२) स्त्रुव—
वैकङ्कत स्त्रुव और खादिर स्त्रुव दो प्रमुख हैं । (३) स्पय—खदिर वृक्ष की सफड़ी का
बना २२ अंगुल लम्बा खड्ग । (४) शूर्प=पदार्थों की सफाई के लिए छाज । (५)
शकट=यज्ञ का सामान ढोने की गाड़ी । (६) मुसल-उलूखल—ऊखल सामान्यतः
पलाश का बना होता है और नाभि तक ऊँचाई वाला होता है । मूसल सामान्यतः
शिर तक लम्बा खदिर का बना होता है । ये इच्छाप्रमाण में और अन्य वृक्ष के भी हो
सकते हैं ।

अन्य प्रमुख यज्ञपात्र और यज्ञोपयोगी पदार्थ हैं—(७) आज्यस्थाली, (८)
पुरोडाशपात्री, (९) प्रणीता, (१०) शम्पा, (११) शृतावदानम्, (१२) उपवेशः,
(१३) मकराकारकूर्चः, (१४) दधत्, (१५) उपलः, (१६) षडवत्तम्, (१७) अग्निः,
(१८) अधरारणिः, (१९) उत्तरारणिः, (२०) चात्रम्, (२१) प्रमन्यः, (२२) नेत्रम्
अथवा रज्जुः, (२३) ओविली, (२४) इडापात्री, (२५) हविर्धानपात्री, (२६) यजमान-
पात्री, (२७) पत्नीपात्री, (२८) अन्तर्धानकटः, (२९) प्राश्नित्रहरणम्, (३०) कृष्णा-
ग्निम्, (३१) यजमानाग्नम्, (३२) पत्न्याग्नम्, (३३) ब्रह्माग्नम्, (३४) होत्राग्नम्,
(३५) चनस, (३६) ग्रह, आदि-आदि ।

अन्य वस्त्रादि पदार्थों की शुद्धि—

अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम् ।

प्रक्षालनेन स्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ ११८ ॥ (२५)

(बहूनां धान्यवाससां शौचम् अग्निः प्रोक्षणम्) बहुत-से अन्नों और वस्त्रों की शुद्धि जल से पोंछने अर्थात् डुबाने मात्र से हो जाती है (तु) किन्तु (अल्पानाम्) कुछ अन्न एवं वस्त्रों की (शौचम्) शुद्धि (अग्निः प्रक्षालनेन विधीयते) जल से मलकर धोने से होती है ॥ ११८ ॥

चेलवचर्मणां शुद्धिर्वदलानां तथैव च ।

शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११९ ॥ (२६)

(चर्मणां शुद्धिः चेलवत्) चमड़े के वर्तनों की शुद्धि वस्त्रों के समान होती है (वदलानां तथैव) बांस के पात्रों की शुद्धि भी उसी प्रकार होती है (च) और (शाक-मूल-फलानां शुद्धिः धान्यवत् इष्यते) शाक, कन्दमूल और फलों की शुद्धि अन्नों के समान [५। ११८] जल में धोने से होती है ॥ ११९ ॥

कौशेयाविकयोरूपैः कुतपानामरिष्टकैः ।

श्रीफलैरंशुपट्टानां क्षौमाणां गौरसर्षपैः ॥ १२० ॥ (२७)

(कौशेय + आविकयोः) रेशमी और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि (उर्षः) क्षारमिश्रित पदार्थों से (कुतपानाम्) कम्बलों की शुद्धि (अरिष्टकैः) रीठों से (अंशुपट्टानां श्रीफलैः) सन आदि से बने कपड़ों की शुद्धि बेलफलों से (क्षौमाणां गौरसर्षपैः) बलसी आदि की छाल से बने वस्त्रों = बल्कल वस्त्रों की शुद्धि सफेद सरसों से होती है ॥ १२० ॥

क्षौमवच्छुद्धिशृङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च ।

शुद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥ १२१ ॥ (२८)

(शंख-शृङ्गाणां अस्थि-दन्तमयस्य शुद्धिः) शंख, सोंग, हड्डी, दांत, इन से बने पदार्थों की शुद्धि (विजानता) बुद्धिमान् व्यक्ति को (क्षौमवत्) छाल = बल्कल से बने वस्त्रों के समान (वा) अथवा (गोमूत्रेण + उदकेन) गोमूत्र और पानी से (कार्या) करनी चाहिए ॥ १२१ ॥

प्रोक्षणात्काष्ठं च पलालं चैव शुध्यति ।

मार्जनोपाञ्जनैर्वैश्व पुनः पाकेन मृन्मयम् ॥ १२२ ॥ (२९)

(नृण-काष्ठं च पलालम्) घास, काष्ठ और पुआल से बना पदार्थ (प्रोक्षणात् शुद्धयति) जल में डुबाकर पोंछने से शुद्ध होता है (वैश्व) घर की शुद्धि (मार्जन + उपाञ्जनैः) धोने-बुहारने और लीपने से होता है (मृद् + मयं पुनः पाकेन) मिट्टी का पात्र या पदार्थ फिर आग में पकाने से शुद्ध होता है ॥ १२२ ॥

मद्यैर्मूत्रैः पुरीषैर्वा ष्ठीवनैः पूयशोणितैः ।

संसृष्टं नैव शुद्ध्येत पुनः पाकेन मृन्मयम् ॥ १२३ ॥ (३०)

(मद्यैः मूत्रैः पुरीषैः ष्ठीवनैः पूयशोणितैः) शराब, मूत्र, मल, थूक, राद, खून इनसे (संसृष्टं मृन्मयम्) लिपा हुआ मिट्टी का बर्तन (पुनः पाकेन नैव शुद्ध्येत) फिर पकाने से भी शुद्ध नहीं होता ॥ १२३ ॥

संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोत्लेखनेन च ।

गवां च परिवासेन भूमिः शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥ १२४ ॥ (३१)

(संमार्जन + उपाञ्जनेन सेकेन + उत्लेखनेन च गवां परिवासेन पञ्चभिः) बुझारना, लीपना, छिड़काव करना या धोना। खुरचना और गौश्रों का निवास—इन पांच कामों से (भूमिः शुद्ध्यति) भूमि शुद्ध होती है ॥ १२४ ॥

पक्षिजग्धं गवाघ्रातमवधूतमवधूतम् ।

दूषितं केशकीटैश्च मृत्प्रक्षेपेण शुद्ध्यति ॥ १२५ ॥

(पक्षिजग्धम्) पक्षी से खाया हुआ (गवा + आघ्रातम्) गौ के द्वारा सूँघा हुआ (अवधूतम्) पँर से छूँसा हुआ (अवधूतम्) जिस पर किसी ने छींक दिया हो, वह पदार्थ (केशकीटैः दूषितम्) केश और कीटों से बिगड़ा हुआ पदार्थ (मृत्प्रक्षेपेण शुद्ध्यति) मिट्टी के डालने से शुद्ध होता है ॥ १२५ ॥

अनुशीलन—१२५ वां श्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है—

१. विषयविरोध—११० वें और १४६ वें श्लोक के संकेतानुसार प्रस्तुत विषय 'दैनिक उपयोग में आने वाले वर्तन, वस्त्र आदि पदार्थों की शुद्धि' का है। इस श्लोक में उन पदार्थों से भिन्न वस्तुओं का वर्णन करना विषयविरुद्ध है।

२. प्रसङ्गविरोध—१२४ और १२६ श्लोकों में पूर्वपर प्रसङ्ग बाह्य उपयोग के पदार्थों की शुद्धि का है। इस श्लोक में भक्ष्य पदार्थों की शुद्धि का वर्णन पूर्वपर प्रसङ्ग-विरुद्ध है।

३. शंलीगत आधार—भक्ष्य पदार्थ मिट्टी गेरन मात्र से शुद्ध नहीं होते। इस प्रकार इसकी गँगी भी निराधार-अयुक्तियुक्त है।

यावन्नापैत्यमेध्यात्ताद् गन्धो लेपश्च तत्कृतः ।

तावन्मृद्धारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६ ॥ (३२)

(यावत्) जब तक (अमेध्य + अवतात्) अशुद्ध वस्तु से (तत्कृतः गन्धः च लेपः) उस अशुद्ध वस्तु की गन्ध और लेप [= लगा होना] (न अर्पति) नहीं दूर हो जाता है (सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु) मिट्टी और जल से धोये जाने

वाले सब पदार्थों की शुद्धि के लिए उन्हें (तावत्) तबतक (मृद+वारि
ग्रादेयम्) मिट्टी और जल से धोते रहना चाहिए ॥ १२६ ॥

शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं की गणना—

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयत् ।

अदृष्टमङ्गुनिर्णिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥

(देवाः) देवताओं ने (त्रीणि ब्राह्मणानां पवित्राणि अकल्पयन्) तीन प्रकार की वस्तुओं को ब्राह्मणों के लिए पवित्र कहा है—एक तो (अदृष्टम्) जिसकी अपवित्रता आंखों से न देखी गई हो (अङ्गुः निर्णिक्तम्) जिसकी अपवित्रता की शङ्का होने पर जिस पर जल छिड़क दिया गया हो (च) और (यत् वाचा प्रशस्यते) जिसको वाणी के द्वारा ब्राह्मण लोग पवित्र कह दें ॥ १२७ ॥

ग्रापः शुद्धा भूमिगता वंतृष्णं यासु गोभवेत् ।

अध्याताश्चेदमेधेन गन्धर्वारसाश्विताः ॥ १२८ ॥

(यासु गोः वंतृष्णं भवेत्) जिस पानी को पीकर गीतृत हो जाये (च) और (अमेधेन अध्याताः) जिसमें कोई अपवित्र वस्तु [हड्डी, मांस, मल आदि] न पड़ी हो (गन्ध-वर्ण-रस-अश्विताः) जिनकी गन्ध, रङ्ग और स्वाद ठीक हो, ऐसे (भूमिगताः ग्रापः शुद्धाः) भूमि में स्थित या भूमि पर बहने वाला पानी शुद्ध होता है ॥ १२८ ॥

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम् ।

ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ १२९ ॥

(कारुहस्तः नित्यं शुद्धः) कारीगर का हाथ सदा शुद्ध होता है (च) और (यत् पण्ये प्रसारितम्) जो वस्तु बाजार में बेचने के लिए रखी गयी है (ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यम्) ब्रह्मचारी को प्राप्त शिक्षा, ये (नित्यं मेध्यम्) सदा पवित्र रहने वाली वस्तुएं हैं; (इति स्थितिः) ऐसी मान्यता है ॥ १२९ ॥

नित्यमास्थं शुचिः स्त्रीणां शकुनिः फलपातने ।

प्रसवे च शुचिर्बत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ १३० ॥

(स्त्रीणाम् आस्थं नित्यं शुचिः) स्त्रियों का मुख सदा पवित्र होता है (फल-पातने शकुनिः) फल गिराने से पक्षियों का मुख पवित्र होता है अर्थात् वह फल अपवित्र नहीं होता जिसे पक्षी अपने मुख से काटकर गिराते हैं (च) और (प्रसवे बत्सः शुचिः) दूध दुहाते समय बछड़े का मुख पवित्र है अर्थात् बछड़े के द्वारा स्तनों से दूध पीने के बाद वह दूध अशुद्ध नहीं होता (मृगग्रहणे श्वा शुचिः) हिरण को पकड़ने में कुत्ते का मुख पवित्र है ॥ १३० ॥

अभिर्हंतस्य यन्मांसं शुचिस्तन्मनुस्वीत् ।

कस्यादिभश्च हतस्यान्यैश्चण्डालैर्द्यं च दस्युभिः ॥ १३१ ॥

(इवभिः हतस्य) कुत्तों के द्वारा मारे हुए (च) तथा (कव्य + अद्भिः हतस्य) कच्चा मांस खाने वाले पशुओं द्वारा मारे हुए (च) और (अन्यैः चण्डाल + ग्राहीः) अन्य चाण्डाल व्याध आदि द्वारा मारे हुए (दस्युभिः) राक्षसों द्वारा मारे हुए पशु का (यत् मांसम्) जो मांस है (तत् मनुः शुचिः प्रब्रवीत्) उसे मनु ने पवित्र कहा है ॥ १३१ ॥

ऊर्ध्वं नाभेर्धानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः ।

यान्यवस्तान्प्रमेध्यानि देहाच्छर्व मलाश्च्युताः ॥ १३२ ॥

(नाभेः ऊर्ध्वं यानि खानि) नाभि से ऊपर जितनी इन्द्रियां हैं (तानि सर्वशः मेध्यानि) वे सब शुद्ध हैं (यानि) जो (अवस्तात्) नाभि से नीचे की इन्द्रियां हैं वे (च) और (देहात् च्युताः मलाः) धारीर से निकलने वाले सभी मल (अमेध्यानि) अपवित्र हैं ॥ १३२ ॥

मक्षिका विप्रुद्धाया गौरवः सूर्यरश्मयः ।

रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्शं मेध्यानि निर्विशेत् ॥ १३३ ॥

(मक्षिका, विप्रुषः, छाया, गौ, अश्वः, सूर्यरश्मयः, रजः, भूः, वायुः च अग्निः) मधुमक्खी, उड़कर पड़ते जलकण, छाया, गौ, घोड़ा, सूर्य की किरणों, धूल, भूमि, वायु, अग्नि ये सब (स्पर्शं मेध्यानि निर्विशेत्) स्पर्श करने में पवित्र होते हैं अर्थात् इनके स्पर्श से अपवित्रता नहीं होती ॥ १३३ ॥

त्रिभूत्रोत्सर्गशुद्ध्यर्थं मूढाग्रद्वेषमर्थवत् ।

दैहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥ १३४ ॥

वसा शुक्रमसृग्मज्जा भूत्रविट् घ्राणकर्णविट् ।

श्लेष्माभ्रूयुषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥ १३५ ॥

(त्रिभूत्र-उत्सर्ग-शुद्ध्यर्थम्) मल-भूत्र त्याग के बाद की शुद्धि के लिए (च) और दैहिकानां मलानां द्वादशम् + अपि शुद्धिषु) शरीर के मलों की बारह प्रकार की शुद्धि के लिए (अर्थवत्) आवश्यकता के अनुसार (मृत् + वारि + आदेयम्) मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए । (नृणां द्वादश मलाः एते) मनुष्यों के बारह शारीरिक मल ये हैं—(वसा, शुक्र, असृक्, मज्जा, भूत्र, विट्, घ्राण-कर्णविट्, श्लेष्मा, अश्रु, दूषिका, स्वेदः,) चर्वी, वीर्य, खून, मांस, मूत्र, विण्ठा, नाक और कान का मेल, थूक, आंसू, आंख का मेल और पसीना ॥ १३४, १३५ ॥

एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करे दश ।

उभयोः सप्त शतभ्या मूढः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥

(शुद्धिम् + अभीप्सता) शुद्धि चाहने वाले व्यक्ति को (लिङ्गे एका) लिङ्ग पर एक बार (गुदे तिस्रः) गुदा पर तीन बार (तथा एकत्र करे दश) तथा शुद्धि में इनके

सम्पर्क में आने वाले बायें हाथ में दस बार (उभयोः सप्त) दोनों हाथों में सात-सात बार (मृदः दातव्या) मिट्टी से धोना चाहिये ॥ १३६ ॥

ब्रह्मचारी और संन्यासियों के लिए शुद्धि प्रकार—

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ।

त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥ १३७ ॥

(एतत्) यह (शीचं गृहस्थानाम्) शुद्धि का विधान गृहस्थों के लिए है (ब्रह्मचारिणां द्विगुणम्) ब्रह्मचारियों को इससे दुगुनी शुद्धि करनी चाहिए (वनस्थानां त्रिगुणं च) वानप्रस्थियों को त्रिगुनी (तु) और (यतीनां चतुर्गुणम्) संन्यासियों को चौगुनी शुद्धि करनी चाहिए ॥ १३७ ॥

विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों की शुद्धि का प्रकार—

कृत्वा भूत्रं पुरीषं वा खाद्यान्नात् उपस्पृशेत् ।

वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्नेद्य सर्वदा ॥ १३८ ॥

(भूत्रं वा पुरीषं कृत्वा) मूत्र या मल त्यागकर [शुद्धि के उपरान्त] (च) और वेदम्—अध्येष्यमाणः) वेद पढ़ना प्रारम्भ करने से पूर्व (च) तथा (अन्नम्—अश्नन्) भोजन के समय (सर्वदा) सदा (आचान्तः खानि उपस्पृशेत्) आचमन करके इन्द्रियों का स्पर्श करे ॥ १३८ ॥

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विःप्रमृश्यात्ततो मुखम् ।

शारीरं शौचमिच्छन् हि स्त्री शूद्रस्तु सकृत्सकृत् ॥ १३९ ॥

(शारीरं शौचम्—इच्छन् हि) शरीर की शुद्धि को चाहने वाला व्यक्ति (पूर्वं त्रिः—आचामेत्) पहले तीन बार आचमन करे (ततः मुखं द्विः प्रमृश्यात्) फिर दो बार मुख को धोये (तु) किन्तु (स्त्री-शूद्रः तु सकृत्-सकृत्) स्त्री और शूद्र तो एक-एक बार ही आचमन और मुखप्रक्षालन करें ॥ १३९ ॥

शूद्राणां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनाम् ।

वैश्यवृक्षौचकल्पद्वयं द्विजोच्छिष्टं च भोजनम् ॥ १४० ॥

(न्यायवर्तिनां शूद्राणाम्) शास्त्रोक्त कर्तव्यों के अनुसार आचरण करने वाले शूद्रों का (वपनं मासिकं कार्यम्) मुण्डन प्रतिमास कराना चाहिए (च शौचकल्पः वैश्यवत्) और उनके जन्म-मरण-सूतक विधान भी वैश्य के समान मानने चाहिए (च) और तथा (द्विजोच्छिष्टं भोजनम्) द्विजों द्वारा खाने से छोड़ा जूठा भोजन करना चाहिए ॥ १४० ॥

नोच्छिष्टं कुर्वन्ते मुश्या विप्रवोऽङ्ग्ये पतन्ति याः ।

न इमश्नून् गताभ्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम् ॥ १४१ ॥

(याः मुश्याः विप्रवः—अङ्ग्ये पतन्ति) जो मुख से निकलने वाली बूंदें हैं वे, तथा

(आस्यं गतानि इमभूणि) मुख में गये दाढ़ी-मूँछ के बाल, (दन्त + अन्तः + अधिष्ठितम्) दाँतों के भीतर लगा हुआ अन्न, ये (उच्छिष्टं न कुर्वते) मनुष्य को जूठा या अपवित्र नहीं करते ॥ १४१ ॥

स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान् ।

भौमिकंश्चेत्तु समा ज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत् ॥ १४२ ॥

(ये परान् आचामयतः) जो दूसरों को पानी पिलाते समय (बिन्दवः पादौ स्पृशन्ति) नीचे गिरने वाली जल की बूंदें पैरों को छूती हैं (ते भौमिकः समा ज्ञेयाः) वे भूमि के जल के समान पवित्र समझी चाहिए (तैः + अप्रयतः न भवेत्) उनसे अपवित्र नहीं होता ॥ १४२ ॥

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन ।

अनिधायैव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥ १४३ ॥

(कदाचन) जो कभी (द्रव्यहस्तः उच्छिष्टेन संस्पृष्टः) कोई भक्ष्य पदार्थ अथवा अन्य कोई पदार्थ हाथ में लिए हुए हो और किसी जूठे मुँह-हाथ वाले व्यक्ति से छू जाये तो (तत् द्रव्यम् अनिधाय एव) वह द्रव्य नीचे रखे बिना अर्थात् हाथों में रखा हुआ (आचान्तः) आचमन करके ही (शुचिम् + इयात्) शुद्ध हो जाता है ॥ १४३ ॥

वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत् ।

आचामेदेव भुक्त्वान्नं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् ॥ १४४ ॥

(वान्तः तु विरिक्तः) वमन होने पर और दस्त लगने के बाद (स्नात्वा) स्नान करके (घृत-प्राशनम् + आचरेत्) घी को चाटकर शुद्ध हो जाता है (अन्नं भुक्त्वा एव आचामेत्) अन्न अर्थात् भोजन करते ही जो वमन हो जाये तो केवल आचमन ही करे (मैथुनिनः स्नानं स्मृतम्) मैथुन करने वाले को तो शुद्धि के लिए स्नान करना कहा है ॥ १४४ ॥

सुप्त्वा भुत्वा च भुक्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वाऽनृतानि च ।

पीत्वाऽप्येष्टव्यमाणाश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन् ॥ १४५ ॥

(सुप्त्वा भुत्वा भुक्त्वा निष्ठीव्य) सोने से उठने पर, झींककर, भोजन करके, थूककर (च) और (अनृतानि उक्त्वा) झूठ बोलकर (अपः पीत्वा च अष्टेष्टव्यमाणाः) जल पीकर और वेद पढ़ने से पहले (प्रयतः + अपि सन् आचामेत्) किसी काम में व्यस्त होते हुए भी अर्थात् कार्य की शीघ्रता हो, तब भी अवश्य आचमन करे ॥ १४५ ॥

अनुशीलन : १२७ से १४५ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—विषयसंकेत श्लोक ११० और १४६ के अनुसार प्रस्तुत

विषय द्रव्यों = वर्तन, वस्त्र आदि पदार्थों की शुद्धि करने के उपायों के वर्णन करने का है। इससे सम्बद्ध वर्णन ही यहां विषयसम्मत माने जा सकते हैं, इससे भिन्न विषयविरुद्ध कहलायेंगे। इन श्लोकों में न तो इस प्रकार के पदार्थों का वर्णन है और न शुद्धि का, अपितु क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध यह वर्णन किया गया है। अतः ये सभी श्लोक विषय-विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त हैं।

२. प्रसंगविरोध—द्रव्यों की शुद्धि का प्रसंग १११ वें श्लोक से प्रारम्भ हुआ है और १२६ वें श्लोक तक विभिन्न पदार्थों का वर्णन करके १२६ वें में शेष सभी पदार्थों के लिए सामूहिक रूप में यह विधान करके कि 'जब तक अशुद्ध पदार्थयुक्त वस्तु में से अशुद्ध पदार्थ की गन्ध और लेप दूर न हो जाये, तब तक उस वस्तु की शुद्धि के साधन मिट्टी और जल का प्रयोग करे, इसका उपसंहार कर दिया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मौलिक रूप से यह प्रसंग यहां समाप्त हो गया है। एक पूर्वप्रसंग के पूर्ण हो जाने के बाद पुनः उस सम्बन्ध के वर्णनों का प्रसंग प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है। इस आधार पर १२७ से १४५ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में वर्णित अनेक बातों का मनु की मान्यताओं से विरोध है—(१) १२७ में केवल ब्राह्मणों की वाणी से ही किसी वस्तु के पवित्र हो जाने का कथन १११—१२६ श्लोकों की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। इस प्रकार तो ये सब विधान निरर्थक हो जाते हैं। (२) १३०, १३१ श्लोकों में मांसभक्षण का उल्लेख मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु ने सब प्रकार के मांसभक्षण को निषिद्ध माना है [विस्तृत जानकारी के लिए ४। २६-२८ श्लोकों पर अन्तर्विरोध शीर्षक आधार देखिए]। (३) १४० वें श्लोक में शूद्रों को द्विर्जा का जूठा भोजन खाने का विधान २। ३१ [५६] के विरुद्ध है। उसमें जूठा भोजन किसी को न देने का कथन है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये तथा इनसे सम्बद्ध अन्य सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

४. शैलीगत आधार—प्रायः इन सभी श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अति-शयोक्तिपूर्ण है। जैसे—कुछ उदाहरण (१) ब्राह्मणों द्वारा वाणी से 'शुद्ध' कह देने से ही वस्तु का शुद्ध होना [१२७] (२) बाजार में रखी प्रत्येक वस्तु का शुद्ध होना, कारीगर का हाथ सदा शुद्ध होना [१२६], (३) स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध होना, कुत्तों से मारे गये पशु का मांस शुद्ध होना [१३०, १३१] (४) चाबीस-चालीस तथा अठ्ठाईस बार मिट्टी मलने से हाथों की शुद्धि का विधान [१३७] (५) जुलाब के बाद घृतभक्षण से शुद्धि होना [१४४] आदि सभी कथन मनु की शैली के विरुद्ध हैं। (६) १३१ वें में 'मनुरवतीत्' पद से यह श्लोक अन्योक्त सिद्ध होता है। इन शैलियों के आधार पर भी यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त है।

एष शौचविधिः कृत्स्नो ब्रह्मशुद्धिस्तथैव च ।

उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निबोधत ॥ १४६ ॥ (३३)

(एषः) यह (सर्ववर्णानां कृत्स्नः शौचविधिः) सब वर्णों के लिए सम्पूर्ण शरीर-शुद्धि (च) और (तथा+एव) उसी प्रकार (द्रव्यशुद्धिः) पदार्थों की शुद्धि (वः उक्तः) तुम्हें कहो (स्त्रीणां धर्मान् निबोधत) अब स्त्रियों के धर्मों=कर्त्तव्यों को सुनो—॥१४६॥

(गृहस्थान्तर्गत पत्नीधर्म विषय)

[५। १४७ से ५। १६६ तक]

स्त्री-स्वतन्त्रता का निषेध—

बालया वा युवत्या वा वृद्धया वाऽपि योषिता ।

न स्वातन्त्र्येण कर्त्तव्यं किञ्चित् कार्यं गृहेष्वपि ॥ १४७ ॥

(बालया वा युवत्या वा वृद्धया अपि योषिता) बालिका, युवती अथवा वृद्धा-वस्था को प्राप्त स्त्री को भी (गृहेषु स्वातन्त्र्येण किञ्चित् कार्यं न कर्त्तव्यम्) स्वतन्त्र होकर अर्थात् पिता, पति, पुत्र आदि की आज्ञा लिये बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए ॥ १४७ ॥

बाल्ये पितुर्बन्धे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने ।

पुत्राणां भर्तारि प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥ १४८ ॥

स्त्री (बाल्ये पितुः वशे तिष्ठेत्) बचपन में पिता के अधीन रहे (यौवने पाणि-ग्राहस्य) युवावस्था में पति के अधीन (भर्तारि प्रेते पुत्राणाम्) पति के मरने पर पुत्रों के अधीन रहे (स्त्री स्वतन्त्रतां न भजेत्) स्त्री कभी स्वतन्त्र न रहे ॥ १४८ ॥

अनुशीलन : १४७-१४८ श्लोक निम्न 'भाषारों' के अनुसार प्रक्षिप्त मित्र होते हैं—

१. विषयबिरोध—यहां मुख्यविषय विवाहित स्त्री-पुरुषों का चल रहा है। इसका संकेत विषय को प्रारम्भ करने वाले ४। १ और विषय की समाप्ति की सूचना देने वाले ५। १६६ श्लोक की "द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्" से मिलता है। इसी गृहस्थों के मुख्य विषय के अन्तर्गत १४६ से १६५ श्लोकों में स्त्रियों के धर्मों का वर्णन है। प्रस्तुत अवान्तर विषय का संकेत देने वाले श्लोक ५। १४६ और ५। १६७ हैं। इन श्लोकों के निम्न पदों—“स्त्रीणां धर्मान् निबोधत” [१४६] “एवं वृत्तां सबर्णां स्त्रीम्” [१६७] पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विषय केवल 'विवाहित स्त्रियों के धर्मों के वर्णन' का है। एक तो यह विषय ही केवल गृहस्थियों के कर्त्तव्यों का है और फिर इस प्रसङ्ग में “एवं वृत्तां सबर्णां स्त्रीम्” पदों से यह और भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि 'इस प्रकार का आचरण करने वाली सबर्णां भार्या को'।

इन श्लोकों में स्त्रियों के वही कर्त्तव्य बतलाये हैं जो पतिगृह में करणीय हैं। इन संकेतों एवं प्रमाणों से यही सिद्ध हुआ कि प्रस्तुत विषय 'पतिगृह में पालनीय स्त्रियों के कर्त्तव्यों' का है अथवा 'पति से सम्बद्ध कर्त्तव्यों' का है। इस वर्णन में इससे भिन्न वर्णन वाले श्लोक विषयविरुद्ध कहलायेंगे। (१) इस आधार पर १४५-१४८ श्लोक विषयविरुद्ध हैं क्योंकि इनमें विवाहित स्त्रियों के कर्त्तव्य न होकर विषयभिन्न वर्णन है। दोनों ही श्लोकों में बाला द्वारा घर में स्वतन्त्रतापूर्वक कोई कार्य न करने का उल्लेख और बाल्यावस्था में पिता के वश में रहने का कथन पति या पतिगृह से सम्बद्ध नहीं रखता। बाला का पतिगृह से क्या सम्बन्ध? यदि कोई कहे कि इनमें वर्णित अन्य दो बातों का पति से सम्बन्ध है, उसके साथ ही बाला का भी वर्णन कर दिया, तो यह युक्ति भी बुद्धिसङ्गत नहीं है। क्योंकि यह बात तो बाला क्या बालक के साथ भी लागू होती है और बाल्यावस्था में कौन बाला या बालक पूर्ण स्वतन्त्रता से कार्य करता है, या कर सकता है? अतः यह कथन ही अनावश्यक सिद्ध होता है, और न ही यह कोई 'विधान' बनता है। इससे यह संकेत मिलता है कि ये श्लोक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मिलाये गये हैं, जो स्त्रियों को पुरुषों के सर्वथा अधीन रखने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। मनु की मान्यताओं में इस प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता। (२) ये श्लोक इस लिए भी विषयविरुद्ध सिद्ध होते हैं कि यह विषय पति या पतिगृह से सम्बद्ध स्त्रियों के कर्त्तव्यों को बतलाने का है। इन श्लोकों में बतलायी गयी बातें कर्त्तव्य नहीं हैं, ये तो आदेश हैं और वे भी उग्रशैली में। अतः ये विषयसम्मत सिद्ध नहीं होते। इन विषयविरोधों के आधार पर ये दोनों ही श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—मनु की स्त्री-सम्बन्धी मान्यताएं—(१) मनुस्मृति के विषय और प्रसङ्ग की शृङ्खला से आबद्ध (दूसरे शब्दों में इन्हें मौलिक श्लोक कह सकते हैं) श्लोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि वे स्त्री और पुरुष में न तो कोई पक्षपातपूर्ण अन्तर करते हैं, न स्त्री को पुरुष की दासी या अधीनता में बंधी रहने वाली मानते हैं। वे दोनों को ही एक-दूसरे की भावनाओं का समान रूप से आदर करने वाली बातें कहते हैं, अपितु स्त्रियों को अधिक आदरपूर्वक रखने की बातें कहते हैं। नीचे कुछ श्लोक प्रमाणरूप में दिये जा रहे हैं, जिनसे इन बातों की पुष्टि होती है कि (अ) मनु की स्त्रियों के प्रति पक्षपातपूर्ण, दमनात्मक, अस्वतन्त्रतापूर्वक रखने की भावना नहीं है, अपितु सनानता की भावना है। यथा—

(क) पितृभिः आतृभिश्चैता..... पूज्या भूषयितव्याश्च (३।५५)

(ख) यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। (३।५६)

(ग) तस्मादेताः सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशनः। (३।५६)

(घ) संतुष्टो मायया भर्ता भर्ता भार्या तयैव च।

अस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्॥ (३।६०)

(आ) स्त्रियों पर बन्धन डालकर रखने की प्रवृत्ति की व्यर्थता का कथन और स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने विवेक से ही अपने आचरण को बनाने का समर्थन—

(इ) न कश्चिद् धोषितः श्वतः प्रसह्य परिरक्षितुम् । (६।१०)

(ज) अरक्षिता गृहे वद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः ।

आत्मानामात्मनायास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ (६।१२)

(इ) विनः किसी पक्षपात के, स्त्री-पुरुष दोनों को समानस्तर का मानते हुए मनु के स्त्री-पुरुषों को सुभाष, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण अधीन रहने की मान्यता स्वतः खण्डित हो जाती है—

(ख) अन्धोन्यस्य अव्यभिचारो भवेदाभरणान्तिकः ।

एवः धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ (६।१०१)

(ज) तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ ।

यया नाभिचरेतां तौ विपुक्ता इतरेतरम् ॥ (६।१०२)

(झ) प्रजनार्थं स्त्रियः सुध्याः सन्तानार्थं च मानवाः ।

तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ॥ (६।६६)

इन मान्यताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि १४७-१४८ श्लोकों में जो दमनात्मक आग्रह से प्रेरित होकर आज्ञा दी है, यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती। यह मनु की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। (२) इन श्लोकों की अभिव्यक्तिशैली का ठीक अगले श्लोक १४९ से ही विरोध स्पष्ट दीखता है। १४९ वें श्लोक में मनु कोई आदेश या आज्ञा नहीं थोप रहे, अपितु स्त्रियों के लिए हितकारी बात को सुभाष रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्लोक में 'न इच्छेत्' अर्थात् 'स्वयं ही न चाहें' पद ध्यान देने योग्य है। 'न इच्छेत्' के कथन में और "न स्वातन्त्र्येण कसंध्यं किञ्चित् कार्यम्" "न मजेत् स्त्री स्वतन्त्रताम्" में कितना अन्तर और विरोध है! ८।२८ से यह व्यक्त होता है कि स्त्रियों को स्वतन्त्र रहने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की शैली ही इन दो मान्यताओं को भिन्न कर देती है। इस प्रकार इन मान्यताओं के आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

(ई) मनु ने स्त्रियों को कहीं भी हीनभावना से नहीं देखा है, अपितु कहीं-कहीं तो पुरुषों से बढ़कर उन्हें सम्मान दिया है। कुछ उदाहरण देखिए—

(अ) स्त्री के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए—

“स्त्रियः पन्था वेद्यः” [२।११३ (२।१३८)] ।

(ट) पत्नी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए—

“भार्यया विवादं न समाचरेत्” [४।१८०] ।

(ठ) पत्नी आदि पर झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न अपशब्द

कहने चाहिएँ। यदि कोई ऐसा करे तो वह दण्डनीय है—मातरं पितरं जायाम्.....
आक्षारयन् शतं दण्ड्यः [८। १८०]।

स्त्री के पिता, पति, पुत्र से अलग रहने से हानि की आशंका—

पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः ।

एषां हि विरहेण स्त्री गह्यं कुर्यादुभे कुले ॥ १४६ ॥ (३४)

(स्त्री) कोई भी स्त्री (पित्रा भर्त्रा वा सुतैः अपि) पिता, पति अथवा पुत्रों से (आत्मनः विरहं न इच्छेत्) अलग बिछोह=अलग रहने की इच्छा न करे (हि) क्योंकि (एषां विरहेण) इनसे अलग रहने से (उभे कुले गह्यं कुर्यात्) यह आशंका रहती है कि कभी कोई ऐसी बात न हो जाये जिससे दोनों—पिता तथा पति के कुलों की निन्दा या बदनामी हो जाये। अभि-
प्राय यह है कि स्त्री को सर्वदा पुरुष की सहायता अपेक्षित रखनी चाहिए, उसके बिना उसकी असुरक्षा की आशंका बनो रहती है ॥ १४६ ॥

स्त्री में कौन से गुण होने चाहिएँ—

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥ (३५)

स्त्री को योग्य है कि (सदा प्रहृष्टया) अतिप्रसन्नता से (गृहकार्येषु दक्षया) घर के कामों में चतुराई युक्त (सुसंस्कृत+उपस्करया) सब पदार्थों के उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि (च) और (व्यये अमुक्तहस्तया भाव्यम्) व्यय में अत्यन्त उदार रहे। अर्थात् सब चीजें पवित्र और پاک इस प्रकार बनावे जो औषधरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे। जो-जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत् रखके पति आदि को सुना दिया करे। घर के नौकर-चाकरों से यथायोग्य काम लेवे, घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे ॥ १५० ॥ (सं० प्र० ६६)

“स्त्री को योग्य है कि सदा आनन्दित होके चतुरता से गृहकार्यों में वर्तमान रहे तथा अन्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र, वस्त्र, गृह आदि के संस्कार और घर के भोजनादि में जितना नित्य धन आदिलगे उस के यथायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे ॥” (सं० वि० १४८)

पति की सेवा-सुश्रूषा करे—

यस्मै वद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वाऽनुमतेः पितुः ।

तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत् ॥ १५१ ॥ (३६)

(पिता तु एनां यस्मै दद्यात्) पिता इस स्त्री को जिसे दे दे अर्थात् जिसके साथ विवाह करे (वा) अथवा (पितुः अनुमतेः भ्राता) पिता की सहमति से भाई जिससे विवाह कर दे (तं जीवन्तं शुश्रूषेत) उसके जीवित रहते हुए उसकी सेवा करे (च) और (संस्थितं न लङ्घयेत्) पति के रूप में साथ स्थित रहते हुए अवमानना, व्यभिचार आदि से उसका उल्लंघन न करे। अन्यार्थ में—मर जाने पर व्यभिचार से पतिव्रत-धर्म का उल्लंघन न करे ॥१५१॥*

अनुशीलन : 'संस्थित' शब्द का विवेचन—'सम्' पूर्वक 'स्था' धातु से 'क्त' प्रत्यय के योग से संस्थित शब्द बनता है। अन्य टीकाकारों ने इसका केवल रुढार्थ 'मरने पर' अर्थ किया है किन्तु वह उतना प्रासंगिक नहीं है, यतोहि—(१) यहां जीवित अवस्था में साथ-साथ रहते हुए स्त्री के कर्त्तव्यों के विधान का प्रसंग है। [५।१४६]। इस श्लोक में भी जीवित अवस्था का ही प्रसंग है। (२) और पति के मरने पर, आवश्यकता पड़ने पर मनु ने नियोग का विधान किया है [६।५६-६३]। इस प्रकार इस भाष्य में किया अर्थ—'पत्नी के रूप में साथ रहते हुए अवमानना आदि से और व्यभिचार आदि से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन न करे' प्रासंगिक एवं मनुसम्मत है। (३) ६।७६, ८१ श्लोकों में विशेष कारणों से और विदेशगमन में अधिक समय बीतने पर जोते जो स्त्री-पुरुष दोनों के लिए नियोग अथवा विवाह का विधान किया है। इस प्रकार प्रथम अर्थ अधिक मनुसम्मत प्रतीत होता है। यद्यपि 'पति के मर जाने पर पत्नी व्यभिचार से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन न करे' यह अर्थ भी स्वीकार्य हो सकता है, किन्तु इसे नियोग या पुनर्विवाह निषेध के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

स्त्री पर विवाह के बाद पति का स्वामित्व—

मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः ।

प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ १५२ ॥ (३७)

(विवाहेषु) विवाहों में (स्वस्त्ययनं च प्रजापतेः यज्ञः) जो स्वस्ति-पाठ [= शुभकामना के लिए मन्त्रपाठ] और प्रजापति-यज्ञ किया जाता है वह (आसां मङ्गलार्थं प्रयुज्यते) इनके कल्याण की भावना से ही किया जाता है (प्रदानं स्वाम्यकारणम्) विवाह में स्त्रियों को पति के लिए सौप

ॐ [प्रचलित अर्थ—पिता या पिता की अनुमति से भाई इस (स्त्री को) जिसके लिए दे अर्थात् जिसके साथ विवाह कर दे, (स्त्री) जोते हुए उस (पति) की सेवा करे, उसके मरने पर (भी) व्यभिचार, उसके श्राद्ध आदि का त्याग तथा पारलौकिक कार्य के खण्डन से) उस पति का उल्लंघन न करे ॥ १५१ ॥]

देना ही इन पर पति का अधिकार होने का कारण है अर्थात् जो विवाह संस्कारपूर्वक स्त्री को पति के लिए दे दिया जाता है, इस दान के पश्चात् ही उन पर पति का अधिकार होता है, उससे पूर्व नहीं ॥ १५२ ॥

अनुताबनुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्यपतिः ।

मुखस्थ नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ १५३ ॥

(अनुता च ऋतुकाले) ऋतुरहित काल में और ऋतुकाल में (इह च परलोके) इस लोक और परलोक में (योषितः) स्त्री का (मन्त्रसंस्कारकृत्यपतिः) मन्त्रों द्वारा विहित संस्कार में वरण किया गया पति (योषितः नित्यं मुखस्थ दाता) स्त्री को सदा मुख देने वाला है ॥ १५३ ॥

विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः ।

उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १५४ ॥

(साध्व्या स्त्रिया) पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह (विशीलः) बुरे स्वभाव वाले (वा कामवृत्तः) अथवा स्वेच्छाचारी परस्त्री गमन करने वाले (वा) अथवा (गुणैः परिवर्जितः) गुणों से रहित (पतिः) पति की भी (सततं देववत्परिचर्यः) सदा देवों के समान सेवा-पूजा करे ॥ १५४ ॥

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम् ।

पतिं शुभ्रूषते येन तेन स्वर्गं महीयते ॥ १५५ ॥

(स्त्रीणां पृथक् यज्ञः न + अस्ति) स्त्रियों के लिए पति से भिन्न न कोई यज्ञ है (न व्रतं न उपोषणम् अपि) न कोई व्रत है और न कोई उपवास ही का विधान है (येन पतिं शुभ्रूषते) जो वह पति की सेवा करती है (तेन) इसी कार्य से (स्वर्गं महीयते) स्वर्ग में जाकर आनन्द को प्राप्त करती है ॥ १५५ ॥

पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा ।

पतिलोकमभीप्सन्ती नावरेत्किञ्चिदप्रियम् ॥ १५६ ॥

(पतिलोकम् + अभीप्सन्ती साध्वी स्त्री) पतिलोक की चाहना करने वाली पतिव्रता स्त्री (जीवतः वा मृतस्य पाणिग्राहस्य) जीवित या मृत पति के प्रति (किञ्चित् + अप्रियं न + आवरेत्) कुछ भी अप्रिय अर्थात् जीवित अवस्था में उसकी इच्छा के विरुद्ध और मरने पर यश-नाशक आवरण न करे ॥ १५६ ॥

कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभ्रैः ।

न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ १५७ ॥

(पत्न्यौ प्रेते) अपने पति के मर जाने पर (कामम्) बाहे (शुभ्रैः पुष्प-मूल-फलैः देहं क्षपयेत्) थोड़ा पुष्प, कन्दमूल, फल खाकर ही गरीर को मिटा दे (तु) किन्तु (परस्य नामापि न गृह्णीयाद्) दूसरे पति का नाम भी न ले ॥ १५७ ॥

आसीताभरणाक्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।

यो धर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥ १५८ ॥

(यः एकपत्नीनां धर्मः तम् + अनुत्तमं काङ्क्षन्ती) जो पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है, उस उत्तम धर्म की कामना करने वाली स्त्री (आभरणात्) [पति के मरने पर] मृत्युपर्यन्त (नियता) नियमपूर्वक (क्षान्ता) मन में शांति रखते हुए (ब्रह्मचारिणी आसीत्) ब्रह्मचारिणी रहे ॥ १५८ ॥

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम् ॥ १५९ ॥

(विप्राणाम् अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम्) ब्राह्मणों में कई हजार कुमार ब्रह्मचारी हुए हैं जो (कुलसंततिम् अकृत्वा) सन्तानोत्पत्ति न करके ही (दिवं गतानि) स्वर्ग प्राप्त कर गये ॥ १५९ ॥

मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता ।

स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥

(यथा ते ब्रह्मचारिणः) जैसे वे ब्रह्मचारी बिना संतान उत्पन्न किये स्वर्ग को प्राप्त करगये इसी प्रकार (भर्तरि मृते) पति के मरजाने पर (साध्वी स्त्री) पतिव्रता स्त्री (अपुत्रा + अपि) पुत्ररहित होती हुई भी (ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता) ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई (स्वर्गं गच्छति) स्वर्ग में जाती है ॥ १६० ॥

अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते ।

सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ १६१ ॥

(या तु स्त्री) जो कोई स्त्री (अपत्यलोभात्) संतान के लालच से (भर्तारम् + मतिवर्तते) पति का उल्लंघन करती है अर्थात् किसी परपुरुष से सन्तान उत्पन्न करती है (सा) वह (इह) इस लोक में (निन्दाम् + अवाप्नोति) निन्दा को प्राप्त करती है (च) और (पतिलोकात्) पतिलोक से भी (हीयते) भ्रष्ट हो जाती है ॥ १६१ ॥

नाग्योश्मना प्रजास्तीद् न चाप्यन्यपरिग्रहे ।

न द्वितीयश्च साध्वीनां स्वचिदूर्तोपदिश्यते ॥ १६२ ॥

(इह) इस संसार में (अन्य-उत्पन्ना च अन्यपरिग्रहे अपि प्रजा न अस्ति) दूसरे पुरुष से प्राप्त सन्तान और दूसरे की स्त्री में उत्पन्न सन्तान, सन्तान नहीं कहलाती (च) और (साध्वीनां द्वितीयः भर्ता क्वचित् न उपदिश्यते) पतिव्रता स्त्रियों के लिए दूसरा पति करने का विधान कहीं नहीं किया है ॥ १६२ ॥

अनुशीलन : १५३ से १६२ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्बिरोध — इस प्रसंग में पति की अनावश्यक महिमा प्रदर्शित करके केवल

स्त्रियों के लिए ही सारे कर्तव्य निश्चित कर दिये हैं और पुरुष को सब तरह छूट कर दी है। यह एक पक्षीय आग्रहबद्ध वर्णन मनु की मान्यताओं से विरुद्ध पड़ता है। (१) १५३ में परलोक में भी पति को सुख देने वाला कहा है, जबकि मनुस्मृति का सिद्धान्त कर्मके आधार पर सुख-दुःख की प्राप्ति का है। किसी दूसरे के सहारे से अगला जन्म नहीं मिलता, अपितु अपने अच्छे-बुरे कर्मों के आधार पर ही अगला अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। अपने कर्मों का जीव स्वयं भोक्ता है [देखिए ४। २४०, १२। ३, ८। २५, ३६—५२, ७४]। (२) १५४ में गुणहीन और परस्त्रीगामी पति को देवता मानकर पूजा करने का कथन है। मनुस्मृति में स्त्रियों और पुरुषों को समान व्यवहार का निर्देश है। किसी वर्ग के साथ पक्षपात की भावना नहीं है [देखिए ३। ५५, ५६, ६० ॥ ६। २८, १०१, १०२]। ६। १०१-१०२ में स्पष्ट कहा है कि स्त्री-पुरुष परस्पर ऐसा आचरण करें जिससे आपस में मतभेद या अन्याय का अवसर न आये। १५४ वां श्लोक इन उद्धृत श्लोकों से विरुद्ध है। (३) १५५ में स्त्रियों के लिए पृथक् से यज्ञ का निषेध किया है और पतिसेवा के अन्तर्गत ही सभी धर्मकार्यों को माना है। ६। २८ में कहा है—“अपत्यं धर्मकार्याणि..... वाराधीनः” अर्थात्—“सन्तानोत्पत्ति, यज्ञ आदि धर्मकार्य स्त्री के ही अधीन हैं”। ६। ११ में भी “शीघ्रे धर्मेऽनपकृत्या च” अर्थात्—“घर की शुद्धि, धर्मानुष्ठान और भोजन पकाने में स्त्रियों को लगाये”। ६। ६६ में “तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः”। ३। ११८ में ‘दम्पती के लिए यज्ञशेष भोजन का विधान, ये सभी प्रमाण धर्मकार्यों में स्त्रियों का भी स्वतन्त्र और समान अधिकार सिद्ध करते हैं। अन्य प्रमाण २। ४१-४२ [६६-६७] के अनुशीलन ‘अन्तर्विरोध’ शीर्षक पर द्रष्टव्य हैं। (४) १५६ में परजन्म में पतिलोक की कल्पना मनुसम्मत नहीं है। मनु मृत्यु के बाद दो ही गति मानते हैं या तो संसार में जन्म या मुक्ति [द्वादश अध्याय]। (५) १५७ से १६२ श्लोक, ६। ५६ से ६३ तथा ७६ श्लोकों के विरुद्ध हैं। इनमें स्पष्ट शब्दों में नियोग विधि का विधान है। (६) १५३ से १६२ श्लोकों की मान्यताएँ मनुविरुद्ध हैं इसके ज्ञान के लिए ५। १४७-१४८ श्लोकों पर भी ‘अन्तर्विरोध’ शीर्षक समीक्षा द्रष्टव्य है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

पूर्वपति को छोड़कर दूसरे श्रेष्ठ पति को अपनाने की निन्दा—

पति हित्वाऽपकृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निवेधते ।

निन्दां सा भवेत्लोके परपूर्वति चोच्यते ॥ १६३ ॥ (३८)

[विवाह होने के बाद तुलनात्मक रूप में] किसी अच्छे व्यक्ति के मिलने की संभावना होने पर (या स्वम् अपकृष्टं पति हित्वा उत्कृष्टं पति निवेधते) जो स्त्री अपने निम्न कुल या गुणों वाले पति को छोड़कर उत्तम कुल या गुणों वाले पति का सेवन करती है (सा) वह (लोके निन्दा + एव भवेत्) लोगों में निन्दा प्राप्त करती है (च) और (परपूर्वा + इति उच्यते) ‘पहले यह दूसरे की पत्नी थी’ यह उसके विषय में ध्यंग्य किया जाता है ॥ १६३ ॥

व्यभिचारात् भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम् ।

शृगालयोनिं प्राप्नोति पापरोगंश्च पीडयते ॥ १६४ ॥

(स्त्री भर्तुः व्यभिचारात् तु) स्त्री पति का उल्लंघन अर्थात् उस पति को छोड़ परपुरुष से संपर्क करने से (लोके) लोक में (निन्द्यतां प्राप्नोति) निन्दा को ही प्राप्त करती है (शृगालयोनिं प्राप्नोति) और मरकर भीड़ की योनि में जन्म पाती है (च) तथा (पापरोगः पीडयते) कुष्ठ आदि पापरोगों से पीड़ित होती है ॥ १६४ ॥

अनुशीलन : १६४ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—पूर्वापर प्रसंग इस श्लोक से टूट रहा है। १६३ में कहा है— एक पति को छोड़ उससे अच्छे पति को अपनाने पर लोक में उस स्त्री की निन्दा होती है और इस भाव की पूर्ति १६५ में कही है—जो मन, वाणी और शरीर से अपने पति के अनुकूल रहती है लोक में उसकी साध्वी के रूप में प्रशंसा होती है। बीच में स्त्री के व्यभिचार के फल का कथन असंगत है। जो आवश्यक फल था वह १६३ में ही कहा जा चुका है।

२. शैलीविरुद्ध—इसकी शैली निराधार और अपशब्दयुक्त है, जो मनु की शैली से विपरीत है।

३. अन्तर्विरोध—एक ही कर्म के फलरूप में शृगाल योनि का निर्णय और पापरोगों से पीड़ित होने का निर्णय मनु के सिद्धान्त से विरुद्ध है। मनु तो अनेक कर्मों से मिलकर किसी योनि की प्राप्ति मानने हैं [देखिए १२। ६, ३६-५२, ७४]

पति के अनुकूल आचरण से पत्नी अधिक सम्मान्य होती है—

पतिं या नाभिचरति मनोवःश्वेहसंयता ।

सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ १६५ ॥ (३६)

(या) जो स्त्री (मनः-आक्-देह-संयता) मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर (पतिं न + अभिचरति) पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती (सा) वह (भर्तृलोकम् + प्राप्नोति) पतिलोक अर्थात् पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करती है (च) और (सद्भिः 'साध्वी' + इति उच्यते) श्रेष्ठ लोग उसको 'पतिव्रता या अच्छी पत्नी' कहकर प्रशंसा करते हैं ॥ १६५ ॥ ❀

अनुशीलन : 'लोक' शब्द का विवेचन—'लोकम्' शब्द 'लोक दर्शन'

धानु से सिद्ध होता है। इस प्रकार इसका अर्थ 'दृष्टि', 'दर्शन' 'स्थान' भी है। यहां 'भर्तृ-लोकम् प्राप्नोति' मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है—'पतिव्रता स्त्री

❀ प्रचलित अर्थ—मन, वचन तथा काम से संयत रहती हुई जो स्त्री पति के विरुद्ध कोई कार्य (व्यभिचार आदि) नहीं करती है, वह पतिलोक को प्राप्त करती है तथा उसे सज्जन 'पतिव्रता' कहते हैं ॥ १६५ ॥

पति के हृदय स्थान में बस जाती है या पति की दृष्टि में प्रिय, आदरणीय बन जाती है। यहां परलोक आदि का कोई प्रसंग नहीं है।

अनेन नारीवृत्तेन मनोबाग्देहसंयता ।

इहाग्र्यां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६ ॥

जो (नारी) स्त्री (मनः+वाक्+देह-संयता) मन, वाणी और शरीर से संयम-पूर्वक रहकर (अनेन वृत्तेन) इस आचरण से रहती है वह (इह अग्र्यां कीर्तिम्+आप्नोति) इस लोक में उत्तम कीर्ति को प्राप्त करती है (च) और (परत्र पतिलोकम्) मरकर पतिलोक को प्राप्त करती है ॥ १६६ ॥

अनुश्लिष्य : १६६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—मनु के मत में परलोक में पतिलोक नामक कोई स्थान या स्थिति विशेष नहीं है। वे या तो प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म मानते हैं या मुक्ति। वे अनेक कर्मों से किसी जन्म की प्राप्ति मानते हैं, केवल एक पतिसेवा के आधार पर ही नहीं [देखिए—द्वादश अध्याय]।

२. शैलीविरोध—जहां कहीं भी विषय के अन्त में मनु ने फलकथन कहा है वहां या तो उत्तम गति की प्राप्ति का फल बताया है अथवा ब्रह्म की प्राप्ति का फल [देखिए २।२४६, ४।२६०, ६।८५, ६७, आदि], इनके अतिरिक्त मनु ने कोई फल नहीं कहा है। यह श्लोक मनु की फलकथन की शैली से भिन्न होने के कारण प्रक्षिप्त है।

३. प्रसंगविरोध—१६७ वें श्लोक के 'एवंवृत्तां' पद से यह संकेत मिलता है कि १६७ वां श्लोक स्त्री-धर्मविधान सम्बन्धी प्रसंग से सीधा जुड़ा है। १६६ वें में फलकथन से प्रसंग की समाप्ति हो जाती है और निरन्तरता नहीं रहती, जबकि 'एवं' शब्द निरन्तरता का द्योतक है। इस प्रकार यह श्लोक बीच में प्रसंग की निरन्तरता को तोड़ने के कारण प्रक्षिप्त सिद्ध हो रहा है।

स्त्री की मृत्यु पर यज्ञ से अग्निस्कार—

एवंवृत्तां सत्र्यां स्त्र्यो द्विजातिः पूर्वमारिणीम् ।

दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित् ॥ १६७ ॥ (४०)

(एवं वृत्तां सत्र्यां स्त्रीम्) इस पूर्वोक्त आचरण का पालन करने वाली स्त्री को (पूर्वमारिणीम्) यदि वह पति से पहले ही मर जाये तो (धर्मवित्) धर्म का जानने वाला व्यक्ति (यज्ञपात्रैः) यज्ञपात्रों का प्रयोग करके (अग्निहोत्रेण दाहयेत्) अग्निहोत्र विधि से उसका दाहसंस्कार करे ॥ १६७ ॥

अनुशीलन : यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण ५। ११७ की समीक्षा में देखिए ।

भार्यायै पूर्वमारिष्यं दक्षानीनन्त्यकर्मणि ।

पुनर्दारक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥

(पूर्वमारिष्यै भार्यायै अन्त्यकर्मणि अग्नीन् दत्त्वा) अपने से पूर्व मर जाने वाली पत्नी का अन्त्येष्टि कर्मके द्वारा अग्नि में दाहसंस्कार करके (पुनः दारक्रियाम् कुर्यात्) फिर विवाह करे (च) और (पुनः आधानम् + एव) फिर पांच महायज्ञाग्नियों का आधान करे—पञ्चमहायज्ञ करे ॥ १६८ ॥

अनुशीलन : १६८ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) प्रसंगसंकेतक श्लोक ५। १४६ के अनुसार उपसंहार-त्मक श्लोक १६६ से पूर्व तक, यहां केवल-स्त्रियों के धर्मों के कथन का प्रसंग है। इस प्रसंग में पुरुषों के लिए विवाह करना प्रसंगसंकेतक श्लोक के अनुसार प्रसंगविरुद्ध है। (२) ५। १४६ में प्रारम्भ किये स्त्रीधर्म-प्रसंग का समापन १६७ धें में 'एवं दत्तां सबण्णं स्त्रीम्' कहकर कर दिया है। ये शब्द यह संकेत करते हैं कि इनके पश्चात् इस-सम्बन्धी कोई वर्णन न होकर उपसंहार ही हो सकता है। प्रसंगसमाप्ति के पश्चात् पुनः प्रसंगविरुद्ध कथन असंगत है, इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

उपसंहार—

अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत् ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १६९ ॥ (४१)

(अनेन विधिना) इस [४। १ से ५। १६८ तक] पूर्वोक्त विधि से रहते हुए (पञ्चयज्ञान् न हापयेत्) पञ्चयज्ञों को कभी न छोड़े और (आयुषः द्वितीयं भागम्) आयु के दूसरे भाग तक (कृतदारः) विवाह करके अर्थात् विवाहोपरान्त स्त्री-सहित (गृहे वसेत्) घर में निवास करे ॥ १६९ ॥

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्य समन्वितायाम्,
'मनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ गृहस्थान्तर्गत-मक्ष्या-
मक्ष्य-वेदशुद्धिद्वयशुद्धि-स्त्रीधर्मविध्यात्मकः पञ्चमोऽध्यायः ॥



अथ षष्ठोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(वानप्रस्थ-संन्यास-धर्म-विषय)

(वानप्रस्थ-विषय)

[६। १ से ६। ३२ तक]

वानप्रस्थ धारण करे—

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

वने वसेत् नित्यतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ (१)

(एवम्) पूर्वोक्त प्रकार (विधिवत् स्नातकः द्विजः) विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़के समावर्त्तन के समय स्नानविधि करने हारा द्विज—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (विजितेन्द्रियः नित्यतः यथावत् गृहाश्रमे स्थित्वा) जितेन्द्रिय, जितात्मा होके, यथावत् गृहाश्रम करके (वने वसेत्) वन में बसे ॥ १ ॥

(सं० वि० १६०)

“इस प्रकार स्नातक अर्थात् ब्रह्मचर्यपूर्वक गृहाश्रम का कर्त्ता द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहरकर निश्चितात्मा और

(२) वानप्रस्थ धारण में ब्राह्मणों का प्रमाण—वानप्रस्थ का विधान ब्राह्मण ग्रन्थों में और वेदों में विहित है। यही तुलनार्थ शत० का० १४ का वचन प्रस्तुत है—

“ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत् वनी भूत्वा प्रव्रजेत् ।”
= ब्रह्मचर्याश्रम पूर्ण करके गृहस्थ बने, गृहस्थाश्रम को पूर्ण करके वानप्रस्थ बने, वानप्रस्थ आश्रम को पूर्ण करके संन्यासी बने ।

(३) वेद का प्रमाण ६। २ पर उल्लिखित है ।

वानप्रस्थ धारण का समय—

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव आपत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥ (२)

(गृहस्थः तु) गृहस्थ लोग (यदा) जब (आत्मनः वली-पलितं पश्येत्) अपनी देह का चमड़ा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें (च) और (अपत्यस्य+एव अपत्यम्) पुत्र का भी पुत्र हो जाये (तदा) तब (अरण्यं समाश्रयेत्) वन का आश्रय लेंगे ॥ २ ॥ (सं० वि० १६०)

“परन्तु जब गृहस्थ शिर के केश श्वेत और त्वचा ढीली हो जाये और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके बसे” ।

(सं० प्र० १२४)

अनुशीलनः : वानप्रस्थ धारण में वेद के प्रमाण—मनु ने ६।२—४ श्लोकों में वेद के आधार पर विधान किये हैं। तुलनायं द्रष्टव्य है ऋग्वेद १०।४।५ का वेदमन्त्र—

“कूचित् जायते सनयासु नव्यो,
वने तस्थौ पलितो धूमकेतुः ।”

अर्थात्—(कूचित्) जब किसी भी घर में (सनयासु नव्यः जायते) प्राचीन सन्ततियों अर्थात् अवस्थावृद्ध गृहस्थों में नवीन सन्तति पैदा हो जाये अर्थात् अपने पुत्र का भी पुत्र=पौत्र हो जाये, या (पलितः) पके केशों वाला हो जाये [६।२ में वर्णित] तब (धूमकेतुः) धूमकेतुः=अग्नि अर्थात् अग्निहोत्र आदि सामग्री लेकर (वने तस्थौ) वन में प्रस्थान करे—वानप्रस्थ बन जाये [६।४ में वर्णित] “वनर्णू=वनगामिनौ” [निर० ३।१४] अकेला अथवा पति और पत्नी दोनों वनगामी=वानप्रस्थ बनें ॥

वानप्रस्थ धारण की विधि—

सर्वत्रापि गृहस्थानां धारं सर्वं नैव परिच्छेदयत् ।

(सर्वत्रापि) सर्वत्र (गृहस्थानां धारं सर्वं नैव परिच्छेदयत्) गाँव व जंगल में पुत्र-पत्नी का आहार (च) और (सर्वम् एव परिच्छेदयत्) घर के सब पदार्थों को (संत्यज्य) छोड़के (पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य) पुत्रों में अपनी पत्नी को छोड़ (वा सह+एव) अथवा सङ्ग में लेके (वनं गच्छेत्) वन को जावे ॥ ३ ॥ (सं० वि० १६१)

“सब ग्राम के आहार और वस्त्र आदि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को

छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ लेके वन में निवास करे" ।
(स० प्र० १२४)

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ (४)

जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब (अग्निहोत्रं च गृह्यम् अग्निपरिच्छदं समादाय) अग्निहोत्र को सामग्री-सहित लेके (ग्रामात् निःसृत्य) गांव से निकल (रण्यं जितेन्द्रियः निवसेत्) जंगल में जितेन्द्रिय होकर निवास करे ॥ ४ ॥ (स० वि० १६१)

"साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को लेकर ग्राम से निकल रुढ़ेन्द्रिय होकर अरण्य में जाकर बसे" । (स० प्र० १२४)

वानप्रस्थ के लिए पञ्चयज्ञों का विधान—

मुन्यन्तर्विविधैर्मध्यैः शाकमूलफलेन वा ।

एतान् एव महायज्ञान्निर्वपेद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥ (५)

(विविधैः मुन्यन्तैः) नाना प्रकार के सामा [=नीवार] आदि अन्न (मैध्यैः शाक-मूल-फलेन) सुन्दर-सुन्दर शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से (एतान् + एव महायज्ञान् विधिपूर्वकं निर्वपेत्) पूर्वोक्त [३।७० ॥ ६।७-१२ में वर्णित] महायज्ञों को करे ॥ ५ ॥ (स० प्र० १२४)

ॐ (विधिपूर्वकम्) पूर्वोक्त विहित विधि [३।६६-१०८ के] अनुसार—

वसीत चर्म चौरं वा सायं स्नायात्प्रगे तथा ।

जटाश्च बिभृषान्नित्यं श्मश्रुलोमनखानि च ॥ ६ ॥

(चर्म वा चौरं वसीत) मृगचर्म आदि और वस्त्रनिर्मित कपड़े पहने (प्रगे तथा सायं स्नायात्) प्रातःकाल तथा सायंकाल स्नान करे (च नित्यं जटाः श्मश्रु-लोम-नखानि बिभृषात्) और सदा सिर के बाल, दाढ़ी-मूँछ, लोम और नखों को रखे ॥ ६ ॥

अनुशीलनः : यह श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रतिष्ठित सिद्ध होता है—

१. प्रसङ्गविधिः—यह श्लोक पूर्वोक्त अङ्गों के विरुद्ध है और उसे भङ्ग कर रहा है। ५वें श्लोक में कहा है कि—“एतान् एव महायज्ञान् निर्वपेत् विधिपूर्वकम्” अर्थात् विधिपूर्वक इन (आगे वर्णित) यज्ञों को करे। इस श्लोक के संकेत के अनुसार आगे वानप्रस्थ के लिए विहित यज्ञों का ही विधान होना चाहिए और वह ७-१२ श्लोकों में है। सातवें श्लोक में प्रतिष्ठित यज्ञ का विधान है। इस प्रकार इस श्लोक में ५ वें में संकेतित प्रसङ्ग के विरुद्ध वर्णन है और पूर्वापर प्रसङ्गक्रम को भङ्ग कर दिया है।

अतिथि-यज्ञ एवं पितृ-यज्ञ का विधान—

यद्भुक्ष्यं स्यात्ततो दद्याद्बलिं भिक्षां च शक्तितः ।

अम्भूलफलभिक्षाभिरर्चयेदाश्रमागतान् ॥ ७ ॥ (६)

(यत् भुक्ष्यं स्यात्) जो भी खाने का पदार्थ हो [६।४] (ततः) उससे ही (बलिं दद्यात्) बलिबैश्वदेव यज्ञ करे (च शक्तितः भिक्षाम्) और यथाशक्ति भिक्षा भी दे (आश्रम+आगतान्) आश्रम में आये अतिथियों को (अप्+मूल-फल-भिक्षाभि) जल, कन्दमूल, फल आदि प्रदान करके (अर्चयेत्) उनका सत्कार करे ॥ ७ ॥

ब्रह्मयज्ञ का विधान—

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ८ ॥ (७)

(स्वाध्याये) स्वाध्याय अर्थात् पढ़ने-पढ़ाने में (नित्ययुक्तः) नियुक्त (समाहितः) जितात्मा (मैत्रः) सब का मित्र (दान्तः) इन्द्रियों का दमनशील (दाता) विद्या आदि का दान देने हारा (सर्वभूत+अनुकम्पकः) सब पर दयालु (अनादाता) किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे (नित्यं स्यात्) इस प्रकार सदा वर्तमान रहे ॥ ८ ॥ (सं० प्र० १२५)

“वहां जङ्गल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने-पढ़ाने में नित्ययुक्त मन और इन्द्रियों को जीतकर यदि स्त्र-स्त्री भी समीप हो तथापि उससे सेवा के सिवाय विषय-सेवन अर्थात् प्रसंग कभी न करे, सब से मित्रभाव, सावधान, नित्य देने हारा और किसी से कुछ भी न लेवे, सब प्राणीमात्र पर अनुकम्पा=कृपा रखने हारा होवे।” (सं० वि० १६१)

अग्निहोत्र का विधान—

वैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि ।

दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः ॥ ९ ॥ (८)

वानप्रस्थ (यथाविधि) पूर्वोक्त विधि के अनुसार (अग्निहोत्रम्) दैनिक यज्ञ-पञ्चमहायज्ञों को (च) और (वैतानिकम्) विशेष अवसरों पर किये जाने वाले (दर्शं च पौर्णमासं पर्व अस्कन्दयन्) अमावस्या और पूर्णिमा आदि पर्वों पर किये जाने पर्वयज्ञों को भी न छोड़ते हुए (योगतः जुहुयात्) निष्ठापूर्वक किया करे ॥ ९ ॥

अनुशीलन : ‘वैतानिक’ से अग्निप्राय—‘वैतानिक’ शब्द से विस्तृत

अर्थात् विशेष अवसरों पर आयोजित होने वाले यज्ञों से अभिप्राय है। यज्ञों के साथ 'वैतानिक' शब्द का अन्यत्र भी प्रयोग मिलता है। ६।१० का वर्णन उक्त अर्थ की स्थिति में प्रमाण है। द्रष्टव्य है ७।७८-७९ और २।११८ (२।१४३) श्लोकों के प्रयोग। २।३ [२।२८] में भी ऐसे महायज्ञों का विधान है।

विशेष यज्ञों का आयोजन करे—

ऋक्षेष्टयाग्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत् ।

तुरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च ॥ १० ॥ (९)

(ऋक्षेष्टि) नक्षत्रयज्ञ (याग्रयणम्) नये अन्न का यज्ञ (च) और (चातुर्मास्यानि) चातुर्मास्य का यज्ञ (च) तथा (क्रमशः तुरायणं च दक्ष-स्यायनं एव आहरेत्) क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन, इन अवसरों पर भी विशेष यज्ञों का आयोजन करे ॥ १० ॥

अनुशीलन : नक्षत्रों की गणना—(१) नक्षत्र परिवर्तन के समय भी विशेष या बृहत् यज्ञ का अनुष्ठान करे। नक्षत्र २७ हैं—'१. अश्विनी, २. भरणी, ३. कृत्तिका, ४. रोहिणी, ५. मृगशीर्ष, ६. आर्द्रा, ७. पुनर्वसु, ८. पुष्य, ९. आश्लेषा, १०. मघा, ११. पूर्वाफाल्गुनी, १२. उत्तराफाल्गुनी, १३. हस्त, १४. चित्रा, १५. स्वाति, १६. विशाखा, १७. अनुराधा, १८. ज्येष्ठा, १९. मूल, २०. पूर्वाषाढा, २१. उत्तराषाढा, २२. श्रवण, २३. धनिष्ठा, २४. शतभिषज्, २५. पूर्वाभाद्रपदा, २६. उत्तराभाद्रपदा, २७. रेवती।

(२) चातुर्मास्य यज्ञ—प्रत्येक चार महीने के पश्चात् अनुष्ठेय यज्ञ अर्थात् कार्तिक, फाल्गुन, और आषाढ़ के प्रारम्भ में।

(३) सूर्य की भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर स्थिति, जो मकर से कर्क संक्रान्ति तक का काल है, उसे उत्तरायण कहते हैं।

(४) सूर्य की भूमध्यरेखा से दक्षिण की ओर स्थिति का समय दक्षिणायन कहलाता है। (अयन विषयक विस्तृत विवेचन १।६७ की समीक्षा में द्रष्टव्य है)।

इन अवसरों पर विशेष यज्ञों का अनुष्ठान करे।

बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान—

वासन्तशारदमेध्यैर्नुग्मन्तैः स्वयमाहुतैः ।

पुरोडाशांश्चरुंश्चैव विधिवन्निर्वपेत्पृथक् ॥ ११ ॥ (१०)

(वासन्त-शारदः मेध्यैः स्वयम् + आहुतः अन्तैः) वसन्त और शारद् ऋतु में प्राप्त होते वाले पवित्र और स्वयं लाये हुए नीवार आदि मुनि-अन्नों

से (पुरोडाशान् च चरुन् विधिवत् पृथक् निर्वपेत्) पुरोडाश और चरु नामक यज्ञीय हव्यों को विधि अनुसार अलग-अलग तैयार करे ॥ ११ ॥

देवताभ्यस्तु तद्वहुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः ।

शेषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम् ॥ १२ ॥ (११)

(तत् मेध्यतरं वन्यं हविः देवताभ्यः हुत्वा) उस पवित्र, वन के अन्नों से निर्मित हवि को देवताओं [३। ८४-६४] के लिये होम कर=आहुति देकर (शेषम्) शेष भोजन को (च) और (स्वयं कृतं लवणम्) अपने लिए बनाये गये लवणयुक्त पदार्थों को (आत्मनि युञ्जीत) अपने खाने के लिए प्रयोग में लाये ॥ १२ ॥

अनुशीलन : 'लवणशब्द-विवेचन'—यहां 'लवण' शब्द का अर्थ 'प्रत्येक लवणयुक्त भोजन' है। व्याकरणानुसार संसृष्ट अर्थ में लवण शब्द से "लवणा-स्तुक्" [अ० ४।४।२४] सूत्र द्वारा पूर्वप्राप्त ठक् प्रत्यय का लुक् हो जाता है, अतः 'लवण' शब्द ही रह जाता है, किन्तु उपयुक्त रूप में अर्थ व्यापक रहता है।

पवित्र भोजन करे—

स्थलजोदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च ।

मेध्यवृक्षोद्भवान्यद्यास्तेर्होश्च फलसम्भवान् ॥ १३ ॥ (१२)

(स्थलज + औदक-शाकानि) भूमि और जल में उत्पन्न शाकों को (मेध्यवृक्ष + उद्भवानि पुष्प-मूल-फलानि) पवित्र वृक्षों से उत्पन्न होने वाले फूल, कन्दमूल और फलों को (च) और (फलसम्भवान् स्नेहान्) फलों से प्राप्त होने वाले रसों, तैलों या अर्कों को (अद्यात्) खाये ॥ १३ ॥

अनुशीलन : भक्ष्य पदार्थों का विधान ५।८-१०, २४-२५ में भी द्रष्टव्य है।

अभक्ष्य पदार्थ—

वर्जयेन्मधु मांसं च भीमानि कवकानि च ।

भूस्तृणं शिग्रुकं चैव श्लेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥ (१३)

(मधु) मदकारी मदिरा, भांग आदि पदार्थ (मांसम्) सब प्रकार के मांस (च) और (भीमानि कवकानि) भूमि में उत्पन्न होने वाले कवक=छत्राक=कुकुरमुत्ता (च) और (भूस्तृणम्) भूतृण नामक [=शरवाण] शाकविशेष, (शिग्रुकम्) सफेद सर्हिजन (च) और (श्लेष्मातकफलानि) लिसीडे के फल (वर्जयेत्) इन्हें भोजन में वर्जित रखे अर्थात् न खाये ॥ १४ ॥

अनुशीलनः : (१) यहाँ मधु का अर्थ 'मद्य अर्थात् नशा करने वाले मदिरा, भांग आदि पदार्थ' है। मांस के साथ चटित 'मधु' शब्द का अर्थ 'मदिरा' होता है। 'शहद' अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि मनु ने उसे भक्ष्य (२।४) माना है। प्रमाणयुक्त अर्थविवेचन २।१५२ [२।१७७] में देखिए।

(२) अभक्ष्य पदार्थों का वर्णन ५।५ तथा २।१७७ में भी है। इन पदार्थों को सभी आश्रमवासियों के लिए अभक्ष्य माना है।

त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसंचितम् ।

जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥ १५ ॥ (१४)

(पूर्वसंचितं मुन्यन्नम्) पहले इकट्ठे किये हुए नौवार आदि मुनि-अन्नों को (च) और (जीर्णानि वासांसि) पुराने वस्त्रों को (च) और (शाक-मूल-फलानि) पूर्वसंचित शाक, कन्दमूल, फलों को (आश्वयुजे मासि त्यजेत्) आश्विन के महीने में छोड़ देवे अर्थात् नये ग्रहण करे ॥ १५ ॥

वानप्रस्थ ग्रामोत्पन्न पदार्थ न लये—

न फालकृष्टमदनीयादुत्सृष्टमपि केनचित् ।

न ग्रामजातान्यातोऽपि मूलानि च फलानि च ॥ १६ ॥ (१५)

(फालकृष्टम्) हल से जोती हुई भूमि में उत्पन्न पदार्थों को (केनचित् उत्सृष्टम् + अपि) किसी के द्वारा दिये जाने पर भी (च) और (ग्रामजातानि मूलानि च फलानि) ग्राम में उत्पन्न किये गये मूल और फलों को (भारतः + अपि न ग्रहीयात्) भूल से पीड़ित होते हुए भी न लये ॥ १६ ॥

अनुशीलनः : वानप्रस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुओं के निषेध में कारण—वनस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुओं का निषेध इसलिए है कि उसकी गृहस्थ सहा सुखासक्ति में प्रवृत्ति न हो। इस श्लोक का सम्बन्ध २६ वें से है, जो इस श्लोक के निषेध का कारणरूप वर्णन है। विशेष समीक्षा २६ वें श्लोक के अनुशीलन में देखिए।

अग्निपक्ववाशनी वा स्यात्कालपक्वभुगोष वा ।

अश्मकुट्टो भवेद्वापि दन्तोलूललिकोऽपि वा ॥ १७ ॥

वानप्रस्थ (अग्निपक्व + वाशनः) अग्नि में पकाकर खाने वाला हो (वा) अथवा (कालपक्वभुक् + एव) समय पर स्वयं पके फल आदि को खाने वाला (स्यात्) हो (वा) या (अश्मकुट्टः) पत्थर से कूटकर खाने वाला (वा) अथवा (दन्त + उलूललिकः + अपि भवेत्) दांतों से चबाकर या ऊखल में कूटकर खाने वाला हो ॥ १७ ॥

सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससञ्चयिकोऽपि वा ।

वर्मासनिचयो वा स्यात्सन्मानिचय एव वा ॥ १८ ॥

वानप्रस्थ (सद्यः प्रक्षालकः) एक दिन के लिए (वा) अथवा (माससंचयिकः)

स्यात्) एक मास तक संवय करके रखने वाला (वा) अथवा (षष्मासनिवयः) छः महीने तक संवयकरके रखने वाला (वा) या (समानिवयः एव) एक वर्ष तक संवय करके रखने वाला (स्यात्) होवे ॥ १८ ॥

नक्तं चान्नं समश्नीयाद्वा वाऽऽहृत्य शक्तितः ।

चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥ १९ ॥

(शक्तितः अन्नम् आहृत्य) यथाशक्ति अन्न लाकर (नक्तं वा दिवा समश्नीयात्) रात या दिन में खाये (वा) वा (चतुर्थकालिकः) चौथे पहर में खाये (वा) अथवा (अष्टमकालिकः स्यात्) आठ पहर में एक बार ही खाये ॥ १९ ॥

चान्द्रायणविधानैर्वा शुक्लकृष्णे च वर्तयेत् ।

पक्षान्तयोर्वाऽप्यश्नीयाद्यवान् क्वचित्तां सकृत् ॥ २० ॥

(वा) अथवा (शुक्ल-कृष्णे) शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष में (चान्द्रायणविधानैः वर्तयेत्) चान्द्रायण व्रत के अनुसार खाये [११। २१६] (वा) अथवा (पक्षान्तयोः क्वचित्तां यवान् सकृत् अश्नीयात्) दोनों पक्षों के अन्त में पकी हुई लप्सी को एक-एक बार ही खाये ॥ २० ॥

पुष्पमूलफलैर्वाऽपि केवलैर्वर्तयेत्सदा ।

कालपर्वैः स्वयंशीर्षैर्वैखानसमते स्थितः ॥ २१ ॥

(अपि वा) अथवा (वैखानसमते स्थितः) वानप्रस्थ आश्रम में स्थित व्यक्ति (कालपर्वैः स्वयंशीर्षैः) अपने आप निश्चित समय पर पके हुए और स्वयं टूटकर गिरे हुए (केवलैः पुष्पमूलफलैः सदा वर्तयेत्) केवल फूल, कन्दमूल और फलों से ही सदा निर्वाह करे ॥ २१ ॥

विविध तपस्याश्चो का विधान—

भूमौ विपरिवर्तत तिष्ठेद्वा प्रवर्तितम् ।

स्यान्नासनाभ्यां विहरेत्सर्वानूपयन्मपः ॥ २२ ॥

(भूमौ विपरिवर्तत) भूमि पर लेटे (वा) अथवा (दिनं प्रवर्तः तिष्ठेत्) दिन में कुछ समय पैरों पर खड़ा रहे (स्यान् + आसनाभ्याम्) कभी आसन पर बैठकर कभी उठकर (सर्वानुपयः उपयन्) प्रातः, सायं, दोपहर कालों में स्नान करता हुआ (विहरेत्) अपना समय बिताये ॥ २२ ॥

ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्द्वर्षस्त्रिभ्रवकाशिकः ।

श्राव्णमासास्तु हेमन्ते ऋमणौ वर्षयस्तपः ॥ २३ ॥

(क्रमशः तपः वर्षयन्) वानप्रस्थी क्रमशः अपने तप को बढ़ाता हुआ (ग्रीष्मे पञ्च तपाः तु स्यात्) ग्रीष्म ऋतु में पञ्चाग्नियों में तपे (वर्षासु अन्न-भ्रवकाशिकः) वर्षा ऋतु

में बरसात में नग्न होकर बैठे (हेमन्ते भारद्वासा तु) हेमन्त ऋतु में गीले कपड़े धारण कर रखे ॥ २३ ॥

उपस्पृशंस्त्रिवचनं पितृन्देवांश्च तर्पयेत् ।

तपश्चरंश्चोद्यतरं शोषयेद् देहमात्मनः ॥ २४ ॥

(त्रिवचनम् उपस्पृशन्) तीनों कालों में स्नान करके (पितृन् च देवान् तर्पयेत्) पितरों और देवताओं का तर्पण करे (च) और (उद्यतरं तपं चरन् आत्मनः देहं शोषयेत्) कठोर तपस्या करते हुए अपने शरीर को सुखाये ॥ २४ ॥

अग्नीनात्मनि वैतानान्तमारोप्य यथाविधि ।

अग्निर्नरिकेतः स्यान्मुनिर्भूलफलाशनः ॥ २५ ॥

(यथाविधि वैतानान् अग्नीन् + आत्मनि समारोप्य) विधि-अनुसार वैतान सम्बन्धी अग्नियों को अपनी आत्मा में रखकर अर्थात् कठिन तपस्या से वानप्रस्थ की सिद्धि पाकर (अग्निः) अग्नियों को त्यागकर-पकाने की क्रिया को छोड़कर (अनिकेतः) गृह को त्यागकर (मुनिः) मौन धारण करके (भूल-फल + अशनः स्यात्) भूल, फल न्याकर रहे ॥ २५ ॥

अनुशीलनः : १७ से २५ तक के श्लोक निम्न 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) यहाँ पूर्वापर प्रसंग वानप्रस्थी के भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी विधानों का है। ये श्लोक उस प्रसंग से भिन्न तथा क्रमभञ्जक रूप में हैं। १३ वें श्लोक से वा प्रस्थ के भक्ष्याभक्ष्य का प्रसंग शुरू किया था। १४-१६ श्लोकों में वानप्रस्थी के लिए अभक्ष्य सम्बन्धी विधान विहित करते हुए १६ वें में पीड़ित अवस्था में भी ग्राम्य भक्ष्य पदार्थों को न खाने का विधान है, और २६ वें में ग्राम्य पदार्थों को क्यों नहीं खाना चाहिए उसका कारण बताया है। इस प्रकार भक्ष्याभक्ष्य के प्रसंग का पूर्ण हो जाने का संकेत मिलता है। प्रसंग के बाद तत्सम्बन्धी विकल्प होते हैं। वह विकल्प २७ वें में दिया है। अलादि प्राप्त न होने पर आर्त—पीड़ित अवस्था में वनवासियों से भिक्षा लाने की छूट है। इस वर्णन से यह ज्ञात होता है कि १६ वें के बाद उसके कारण को स्पष्ट करने वाला २६ वाँ तथा भक्ष्याभक्ष्य प्रसंग से सम्बद्ध विकल्प का वर्णन करने वाला २७ वाँ श्लोक होना चाहिए। बीच में इन श्लोकों ने उनके क्रम को भंग कर दिया है। इन श्लोकों में खाने के प्रकार [१७], संवय के विधान [१८], पुनः भक्ष्यपदार्थों का विधान [१९—२१], हठीय तपस्या [२२-२४] आदि बातों के वर्णन से २६-२७ वें श्लोकों का क्रम भंग हो गया है।

(२) वानप्रस्थ के लिए भक्ष्य-पदार्थों का वर्णन १३ वें-श्लोक में किया है। भक्ष्य सम्बन्धी आवश्यक वर्णन पूरा करके १४-१६ में अभक्ष्य-सम्बन्धी विधानों का वर्णन

है। इससे यह संकेत मिलता है कि मनु को भक्ष्यसम्बन्धी जितना वर्णन अभीष्ट था, वह १३ वें में ही पूर्ण कर दिया, तभी उसके बाद अन्य विधानों का वर्णन शुरू किया है। १६-२१ और २५ श्लोकों में पुनः भक्ष्य-सम्बन्धी प्रसंग और वह भी १३ वें से कुछ अंशों में मिलता-जुलता नये सिरे से प्रारम्भ है। एक ही प्रसंग में, एक प्रसंग समाप्त होने के बाद पुनः उन्हीं बातों का नये सिरे से प्रसंग प्रारम्भ करना अप्रासंगिक है, अतः यह प्रसंगविरुद्ध है।

(३) इसी प्रकार धान्यादि के संचय की चर्चा १५ वें में वर्णित है। बीच में अन्य विधान होकर पुनः १८ वें में संचय की चर्चा उठाना भी अप्रासंगिक है और यह इसे प्रक्षिप्त सिद्ध करता है।

२. अन्तर्विरोध—इस प्रसंग के सभी श्लोकों का मनु की पूर्वमान्यताओं से विरोध है—

(१) १८-१९ वें श्लोकों में एकदिन, एक मास, छः मास और एक वर्ष तक धान्यादि संचय के विकल्प दिए हैं, जबकि १५ वें में वर्षभर तक धान्यादि संचय रखने का संकेत है। ११ वें में वसन्त और शरदऋतु में अन्नों को संचय करने का कथन है। इस प्रकार संचय-सम्बन्धी संकेत पहले देने के पश्चात् पुनः १८ वें श्लोक में संचय-सम्बन्धी व्यवस्था की आवश्यकता भी नहीं है, और यह भिन्नता पूर्व श्लोकों से विरुद्ध है। अन्न-संग्रह में यह व्यवस्था लागू भी नहीं हो सकती। यतो हि नीवार आदि अन्न तो ऋतु-विशेष के समय ही उपलब्ध हो सकते हैं।

(२) १९ वें में भोजन के चार समय दिये हैं, जबकि ७, १२ श्लोकों से यह स्पष्ट विधान है कि बलि आदि निकालकर यज्ञों के बाद भोजन करे। १९ वें श्लोक में जो विधान किया है, यह कोई विधान ही नहीं बनता। दिन में चार बार खाना है तो व्यक्ति अपनी इच्छा से कभी भी खा सकता है। इस विधान से कोई नियम ही नहीं बनता। २० वें में अमावस्या-पूर्णिमा के दिन केवल एक बार लप्सी खाने का बन्धन है, जबकि पूर्व श्लोकों की व्यवस्थाओं में ऐसा कोई बन्धन न होकर विभिन्न पदार्थों को खाने की छूट है [५, ७, १२, १३]।

(३) २२-२५ श्लोकों में हठयुक्त तपस्या का विधान करते हुए शरीर को सुलाने के लिए कहा है। यह विधान मनुसम्मत नहीं है, क्योंकि मनु इसको तप ही नहीं मानते। मनु ने तो प्राणायाम, वेदाध्ययन, जितेन्द्रियता आदि को ही तप माना है। [२। १३६ (१६४), १४१ (१६६), १४२ (१६७), १५० (१७५), ६। ७०—७२]। इसके साथ-साथ मनु ने ऐसे तप का आदेश दिया है जिससे शरीर का क्षय या हानि न हो [२। ७५ (१००)]—“अभिवन् योगतः तनुम्।”

(४) २४ वें श्लोक में वानप्रस्थी को पितरों के तर्पण के लिए कहा है। गुर्ता तरे के तर्पण की मान्यता मनुविरुद्ध है। इसके लिए देखिए ३। ११६ से २८५ श्लोकों प

‘अन्तर्विरोध’ शीर्षक आधार । इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।

३. पुनर्वृत्ति—एक ही प्रसंग में कुछ बातें पुनः कही गई हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं थी—(१) १३ वें में वानप्रस्थी को फल-मूल आदि खाने का विधान कर दिया है, किन्तु इस प्रसंग में २१ वें और २५ वें में पुनः वही विधान कर दिया । (२) २-३ में गृह को त्यागने का कथन कर दिया है, किन्तु २५ वें में फिर ‘अनिकेतः स्यात्’ कहकर गृह-त्याग का विधान किया है । इन पुनर्वृत्तियों से यह ज्ञात होता है कि इन श्लोकों का यह प्रसंग किसी ग्रन्थ द्वारा रचित है ।

सांसारिक सुखों में आसक्ति न रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करे—

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ।

शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २६ ॥ (१६)

(सुखार्थेषु अप्रयत्नः) शरीर के सुख के लिए अप्रतिप्रयत्न न करे, किन्तु (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी अर्थात् अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषयक्षेप्टा कुछ न करे (धराशयः) भूमि में सोवे (शरणेषु+अममः+च+एव) अपने वा स्पर्शकिय पदार्थों में ममता न करे (वृक्षमूलनिकेतनः) वृक्ष के मूल में बसे ॥

॥ २६ ॥ (सं प्र० १२५)

अनुशीलनः : २६ वें श्लोक की संगति का विवेचन—इस श्लोक की संगति १६ वें से है । उसमें सभी आत्मोत्पन्न पदार्थों का ग्रहण न करने का आदेश है, चाहे कोई भेंट के रूप में भी लाया हो । इस श्लोक में उसका कारण प्रदर्शित है कि वनस्थ की भुख-सुविधाओं में ध्यान नहीं लगाता चाहिए । तभी वह मोह-ममता से छुटकारा प्राप्त कर सकता है । ऐसा न करने पर विषयों की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है । संन्यासी के प्रसंग में इस बात को दूसरे प्रकार से स्पष्ट किया है—भक्षे प्रसक्तो हि यस्तिविषयेष्वपि सज्जति (६ । ५५)

अर्थात्—भिक्षा के लालच में मन रखने वाला संन्यासी विषयों में भी फंस जाता है । यही धारणा १६ और २६ वें श्लोकों के मूल में है ।

तपस्वियों के घरों से भिक्षा का ग्रहण—

तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भक्षमाहरेत् ।

गृह्मेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ २७ ॥ (१७)

[अथवा] (तापसेषु+एव विप्रेषु) जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने वाले तपस्वी, धर्मात्मा विद्वान् लोग रहते हों (अन्येषु गृहमेधिषु द्विजेषु वनवासिषु) जो कि गृहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों, उनके घरों में से ही भिक्षा (भक्षयम्+आहरेत्) भिक्षा ग्रहण करे ॥ २७ ॥ (सं वि० १६१)

॥ (यात्रिकम्) जीवनयात्रा चलाने योग्य.....

ग्रामावाहृत्य बाज्जनीयाश्वौ प्रासाम्बने वसन् ।

प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ २८ ॥

(वने वसन्) वन में रहते हुए [यदि वन में भिक्षा न मिले तो] (ग्रामात्) गांव से (पुटेन पाणिना वा शकलेन प्रतिगृह्य) दोनों हाथ अथवा सकोरा इनमें ग्रहण करके (ग्राहृत्य) भिक्षा लाकर (अष्टौ प्रासान् अस्नीयात्) केवल आठ प्रास [= मुंह] भोजन करे ॥ २८ ॥

अनुवर्तितम् : यह २८ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. अस्तबिरोध— १६ वें श्लोक में पीड़ित अवस्था में भी वानप्रस्थ को गांव का भ्रम, फल आदि लेने का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। इस श्लोक में विकल्प रूप में गांव से भिक्षा प्राप्त करने का कथन करना उस श्लोक के विरुद्ध है। २७ वें श्लोक में वान-प्रस्थी-को विकल्प में भिक्षा का विधान किया है। वहाँ भी केवल वनवासी वानप्रस्थ आदि द्विजों के यहाँ से भिक्षा लेने का कथन है—“तपसेष्वेव विप्रेषु वनवासिषु” इस विधान से भी गांव की भिक्षा का निषेध है।

आत्मशुद्धि के लिए वेदमन्त्रों का मनन-चिन्तन—

एतारचाग्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन् ।

विविधाश्चोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २९ ॥ (१८)

(वने वसन्) इस प्रकार वन में बसता हुआ (एताः च + अग्न्याः दीक्षाः सेवेत) इन और अन्य दीक्षाओं का सेवन करे (च) और (आत्मसंसिद्धये) आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिए (विविधाः उपनिषदीः श्रुतीः) नाना प्रकार की उपनिषद् अर्थात् ज्ञान और उपासना-विधायक श्रुतियों के अर्थों का विचार कियाकरे ॥ २९ ॥ (सं० वि० १२१)

अनुवर्तितम् : यहां उपनिषद् से ‘पुस्तकविशेष’ अर्थ अभिप्रेत नहीं अपितु ‘उपनिषद् विद्या’ से अभिप्राय है।

ऋषिभिर्ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः ।

विद्यातपोविवृद्धयर्थं शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३० ॥ (१९)

(ऋषिभिः ब्राह्मणैः गृहस्थैः एव) ऋषियों, ब्राह्मणों और गृहस्थों ने भी (विद्या + तपः विवृद्धयर्थम्) विद्या और तप की वृद्धि के लिए (च) और (शरीरस्य शुद्धये) शरीर की शुद्धि के लिए (सेविताः) इन दीक्षाओं और श्रुतियों [६। २९] का सेवन किया है ॥ ३० ॥

अपराजिता वाऽऽस्थाय व्रजेद्दिशमजिह्मगः ।

आनिपाताच्छरीरस्य मुक्तो वार्यनिलाशनः ॥ ३१ ॥

(शरीरस्य आनिपातात्) शरीर छूटने तक (वारि + अनिल + अशनः) जल और वायु का भक्षण करके रहता हुआ (मुक्तः) योगसाधना में तत्पर रहकर (अपराजितां दिशम् आस्थाय) अपराजित दिशा में स्थित होकर अर्थात् मृत्यु अवस्था आने पर (अजिह्मगः व्रजेत्) शान्त-भाव से शरीर त्याग दे ॥ ३१ ॥

आसां महर्विचर्याणां त्यक्त्वाऽन्यतमया तनुम् ।

वीतशोकमयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥

(आसां महर्विचर्याणाम् अन्यतमया तनुं त्यक्त्वा) इन महर्वियों की दिनचर्याओं का पालन करते हुए किसी एक दिनचर्या के अनुसार शरीर को छोड़ने से (वीतशोकमयः विप्रः) शोक और भय से रहित हुआ विद्वान् (ब्रह्मलोके महीयते) मुक्ति में जाकर आनन्द पाता है ॥ ३२ ॥

अनुशीलन : ३१-३२ श्लोक निम्न आचार्यों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसङ्गविरोध—मनु ने ३३ वें श्लोक में वानप्रस्थ के पश्चात् संन्यास लेने का विधान करते समय “वनेषु च विहृत्य एवम्” पदों का प्रयोग किया है। इस प्रकार ‘वनों में बिहार करके’ इस निरन्तरता-बोधक क्रिया से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस श्लोक का प्रसङ्ग या सम्बन्ध ३० वें से जुड़ा हुआ है और बीच में समाप्ति-सूचक कोई वर्णन अभीष्ट नहीं है। ३१-३२ श्लोकों में वानप्रस्थ में रहते हुए शरीर त्याग करना, और उसका फलप्रदर्शन उक्त प्रयोग से सङ्गत सिद्ध नहीं होता। अतः प्रसङ्ग-वर्णन-सम्बद्धता को भङ्ग करने के कारण ये दोनों श्लोक प्रसङ्गविरुद्ध प्रक्षेप हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) ३१ वें श्लोक में वानप्रस्थी को केवल जल-वायु पर रहने के लिए कथन करना ६।५, ७, ११, १२, श्लोकों के विरुद्ध है। इनमें अनेक भक्ष्य-पदार्थों का विधान है। (२) ३१ वें श्लोक में और ३२ वें श्लोक में व्यक्ति को मृत्युपर्यन्त वानप्रस्थी बने रहने का संकेत दिया है। यह ३३-३४ श्लोकों के विरुद्ध है। क्योंकि मनु ने निश्चित समयानुसार आश्रम परिवर्तन का विधान किया है और उसे सभी के लिए आवश्यक माना है। (३) ३१ वें श्लोक में ‘अपराजित दिशा’ में जाने का वर्णन मनु-प्रोक्त सिद्ध नहीं होता। यतोहि मनु तो केवल मुक्ति या ब्रह्म की शरण में जाने का कथन करते हैं [६।८१, ८५. ५। २६०, १२।११६, १२५]। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उनके वर्णन में नहीं मिलता।

(संन्यास-धर्म-विषय)

[६। ३३ से ६। ८५ तक]

संन्यास ग्रहण का विधान—

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परित्रजेत् ॥ ३३ ॥ (२०)

(एवं वनेषु आयुषः तृतीयं भागं विहृत्य) इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात् अधिक से अधिक पचवीस वर्ष अथवा न्यून से न्यून बारह वर्ष तक विहार करके (आयुषः चतुर्थं भागम्) आयु के चौथे भाग अर्थात् सत्तर वर्ष के पश्चात् (संगान् त्यक्त्वा) सब मोह आदि संगों को छोड़ कर (परित्रजेत्) परित्राजक अर्थात् संन्यासी हो जावे ॥ ३३ ॥

(सं० वि० १६८)

“इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात् पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भागमें संगों को छोड़ के परित्राट् अर्थात् संन्यासी होजावे” । (सं० प्र० १२६)

अनुशीलन : ‘परित्राजक’ की भुत्पत्ति—परित्रजन करने से अभि-प्राय परित्राजक अर्थात् संन्यासी होने से है । ‘परित्रजति—इति परित्राजकः’= जो सांसारिक एषणाओं को त्यागकर लोकोपकार के लिए विचरण करे, वह परित्राजक अर्थात् संन्यासी होता है । संन्यासी की परिभाषा ऋषि दयानन्द ने निम्न प्रकार की है—

“संन्यास-संस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण, पक्षपात छोड़के, विरक्त होकर सब पृथिवी में परोपकारार्थ विचरे अर्थात् “सम्यङ् न्यस्त्यभ्युपनिषत्सु चरति येन वा सम्यङ् निर्यमं सर्वमस्वास्ते उपविशति स्थिरीभवति येन स, संन्यासी विद्यते यस्य स संन्यासी ।”

(सं० वि० संन्यास प्रकरण)

आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः ।

निश्चाबलिपरिभ्रान्तः प्रव्रजन्प्रेत्य वर्धते ॥ ३४ ॥

(हुतहोमः) जिसने सदा यज्ञ किये हैं ऐसा (निश्चाबलि-परिभ्रान्तः) निश्चा और बलिबैश्वदेव यज्ञ से थका हुआ अर्थात् जो सदा से इन कर्मों को निश्चाया पर रहा है (जितेन्द्रियः) जितेन्द्रिय द्विज (आश्रमात् + आश्रमं गत्वा) क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाकर (प्रव्रजन्) संन्यास लेकर (प्रेत्य वर्धते) मरकर परब्रह्म में उन्नति को हां प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥

ऋणानि शीघ्रपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ ३५ ॥

(श्रीणि ऋणानि अपाकृत्य) तीन ऋणों—ऋषि-ऋण, देव-ऋण, और पितृ-ऋण को चुकाकर (मनः मोक्षे निवेशयेत्) मन को मोक्ष में लगाये (अनपाकृत्य तु) ऋणों को न चुकाकर (मोक्षं सेवमानः) मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति (अधः व्रजति) अधोगति को प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥

अनुयातन्म : ३४-३५ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—३४ वां श्लोक पुनरुक्त है, क्योंकि ३३ वें में जो क्रम बताया है उसका विकल्प ३८ वां श्लोक है ।

१. अन्तर्विरोध—इस श्लोक में पूर्व के तीन आश्रमों के पालन किये बिना मोक्षप्राप्ति की इच्छा करने वाले की अधोगति कही है । यह मान्यता मनुविरुद्ध है । मनु ने ६।८८ में सभी आश्रमों को परम गति देने वाला कहा है, फिर अधोगति दायक कहना उसके विरुद्ध है । (२) ६। ३८-४१ श्लोकों में गृहस्थ से सीधा संन्यास लेने का कथन है, यह श्लोक उसके भी विरुद्ध है । (३) इसी प्रकार २। २४४ में ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुए ही ब्रह्मप्राप्ति होना स्वीकार किया है । इस श्लोक में तीन आश्रमों के बिना मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा करने पर अधोगति की प्राप्ति कहना उसके भी विरुद्ध है ।

अधोत्य विधिवद्वेदान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः ।

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञमनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ ३६ ॥ (२१)

(विधिवत् वेदान् अधोत्य) विधिपूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम से सब वेदों को पढ़कर (धर्मतः पुत्रान् च उत्पाद्य) और गृहाश्रमी होकर, धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर (शक्तितः यज्ञः इष्ट्वा) वानप्रस्थ में सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करके (मोक्षे मनः निवेशयेत्) मोक्ष में अर्थात् संन्यासाश्रम में मन को लगाये ॥ ३६ ॥

(सं० वि० १६८)

अनधीत्य द्विजो वेदान्मुत्पाद्य तथा मुतान् ।

अनिष्ट्वा च यज्ञं यज्ञेन मोक्षमिच्छन्व्रजत्यधः ॥ ३७ ॥

(द्विजः) द्विज (वेदान् अनधीत्य) वेदों को न पढ़कर (तथा मुतान् अन् + उत्पाद्य) तथा पुत्रोत्पत्ति न करके (च) और (यज्ञः अनिष्ट्वा) यज्ञों को न करके (मोक्षम् + इच्छन्) मोक्ष [संन्यास] चाहता हुआ (अधः व्रजति) अधोगति को प्राप्त करता है ॥ ३७ ॥

अनुयातन्म : ३७ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—‘पूर्व तीनों आश्रमों के पालन के बिना मोक्ष की इच्छा करने से ‘अधोगति की प्राप्ति कहना’ मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है । इसके लिए ६। ३५ वें श्लोक पर ‘अन्तर्विरोध’ शीर्षक समीक्षा देखिए ।

परमात्मा-प्राप्ति हेतु गृहाश्रम से भी संन्यास ले सकता है—

प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मभ्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत् गृहात् ॥ ३८ ॥ (२२)

(प्राजापत्यां सर्ववेदसदक्षिणाम् इष्टिं निरूप्य) प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि कि जिसमें यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग किया जाता है (अग्नीन् आत्मनि समारोप्य) ब्राह्मणीय, गार्हपत्य और दाक्षिणात्य सत्रक अग्नियों को आत्मा में समारोपित करके (ब्राह्मणः गृहात् प्रव्रजेत्) ब्राह्मण गृहाश्रम से ही संन्यास लेवे ॥ ३८ ॥ (सं० वि० १६८)

“प्रजापति अर्थात् परमात्मा की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात् यज्ञ करके उसमें यज्ञादि शिखाचिह्नों को छोड़ ब्राह्मणीयादि पांच अग्नियों को, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित् घर से निकलकर संन्यासी हो जावे ॥ ३६ ॥”

(सं० प्र० १२८)

अनुशीलनः : संन्यास वानप्रस्थ से और सीधे गृहस्थ से भी—यद्यपि संन्यासाश्रम में जाने का सामान्य क्रम वानप्रस्थ के पश्चात् ही है, जिसका विधान क्रमानुसार ६। ३३ में किया गया है। इस क्रम को अपनाकर अनुष्य सांसारिक निःसारता एवं उसके कष्टों को अनुभव कर लेता है और उसके ‘काम’ आदि विकार शान्त हो जाते हैं। उसमें वैराग्य के संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं।

किन्तु विशेष स्थिति में सीधे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ से भी संन्यास लेने का विधान ३८-४१ श्लोकों में किया है। जब व्यक्ति ‘काम’ आदि विकारों पर नियंत्रण कर लेता है और पूर्ण वैरागी बन जाता है, तो उस स्थिति में वानप्रस्थ से पूर्व भी संन्यास ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं [देखिए ६। ४१ पर अनुशीलन]। इन सभी श्लोकों में ये भाव स्पष्ट किये गये हैं।

इस प्रकार ३८-४१ श्लोक वैकल्पिक विशेष विधान हैं, इस कारण ६। ३३ से इनका विरोध नहीं आता।

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।

यस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥ (२३)

(यः सर्वभूतेभ्यः अभयं दत्त्वा) जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश देकर (गृहात् प्रव्रजति) गृहाश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लेता है (तस्य ब्रह्मवादिनः तेजोमया लोकाः भवन्ति) उस ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपदेशक संन्यासी को मोक्ष-लोक और सब लोक-लोकान्तर तेजोमय (ज्ञान से प्रकाशमय) हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ (सं० वि० १६९)

“जो सब भूत प्राणिमात्र को अभयदान देकर, घर से निकलके संन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात् परमेश्वर-प्रकाशित वेदोक्त धर्म आदि विद्याओं के उपदेश करने वाले संन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात् मुक्ति का आनन्दस्वरूपलोक प्राप्त होता है।” (सं० प्र० १२६)

अनुशीलनः : संन्यासी द्वारा अभयदान.—संन्यासी में सब प्राणियों के प्रति निर्वेदता होती है, इस कारण वह सबको अभयदान देता है। यह अभयदान की प्रतिज्ञा ब्राह्मणग्रन्थों में भी इसी प्रकार विहित है—

“पुत्रं वणा वित्तं वणा लोकैश्च मया परित्यक्ता, मत्तः सर्वभूतेभ्योऽभयमस्तु ।”
(शत० १४। ६। ४। १)

संसार में सन्तान-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, प्रसिद्धि-प्राप्ति की ये तीन इच्छाएं ही प्रधान हैं। जिनके वशीभूत होकर व्यक्ति ईर्ष्या-द्वेष आदि में फँसता है। इनसे मुक्त होकर ही व्यक्ति वास्तव में संन्यासी बनता है। तब उनसे सब प्राणियों को अभय होता है।

यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम् ।

तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४० ॥ (२४)

(यस्मात् द्विजात्) जिस द्विज से (भूतानाम् अणु+अपि भयं न+उत्पद्यते) प्राणियों को छोड़ा-सा भी भय नहीं होता (तस्य) उसको (देहात् विमुक्तस्य) देह से मुक्त होने पर (कुतश्चन भयं न अस्ति) कहीं भी भय नहीं रहता ॥ ४० ॥

वैराग्य होने पर गृहस्थ या ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यासग्रहण—

आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः ।

समुपोदेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥ ४१ ॥ (२५)

(कामेषु समुपोदेषु निरपेक्षः) जब सब कामों को जीत लेवे और उनकी अपेक्षा न रहे (पवित्र+उपचितः) पवित्रात्मा और पवित्रान्तःकरण (मुनिः) मननशील हो जावे (आगारात्+अभिनिष्क्रान्तः) तभी गृहाश्रम से निकलकर (परिव्रजेत्) संन्यासाश्रम का ग्रहण करे अथवा ब्रह्मचर्य से ही संन्यास का ग्रहण करलेवे ॥ ४१ ॥ (सं० वि० १६६)

अनुशीलनः : गृहस्थ से संन्यास—३८-४१ श्लोकों में गृहस्थ से भी संन्यास लेने का वैकल्पिक विधान है। ब्रह्मचर्य या गृहस्थ या वानप्रस्थ से सीधा संन्यास लेने का विधान ब्राह्मणग्रन्थों में इसी प्रकार पाया जाता है, किन्तु वह विशेष अवस्था में है। इसे ऋषि दयानन्द ने निम्न प्रकार उद्धृत किया है—

“द्वितीय प्रकार—‘यवहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेद् वनाद् वा गृहाद् वा ।’ यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वाक्य है।

अर्थ—जिस दिन इद वैराग्य प्राप्त होवे, उसी दिन, चाहे वानप्रस्थ का समय पूरा भी न हुआ हो, प्रथवा ज्ञानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान न करके गृह्याश्रम से ही संन्यासाश्रम ग्रहण करे, क्योंकि संन्यास में इद वैराग्य और यथावत् ज्ञान का होना ही मुख्य कारण है।

तृतीय प्रकार—‘ब्रह्मचर्यदिव प्रव्रजेत्।’

यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है। यदि पूर्ण अखण्डित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त होकर, विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से यथावत् उठ जावे, पक्षपातरहित होकर सबके उपकार करने की इच्छा होवे, और जिसको इद निश्चय हो जावे कि मैं मरणपर्यन्त यथावत् संन्यास धर्म का निर्वहण कर सकूंगा, तो वह न गृह्याश्रम करे, न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण कर ही के संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेवे।” (सं० वि० संन्यास प्रकरण)

संन्यासी एकाकी विचरण करे—

एक एव चरेन्नित्यं सिद्धयर्थमसहायवान्।

सिद्धिमेकस्य संपश्यन् न जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥ (२६)

(एकस्य सिद्धिम् संपश्यन्) अकेले की ही मुक्ति होती है, इस बात को देखते हुए (सिद्धयर्थम्) मोक्षसिद्धि के लिए (असहायवान्) किसी के सहारे या आश्रय की इच्छा से रहित होकर (नित्यम्) सर्वदा (एकः+एव चरेत्) एकाकी ही विचरण करे अर्थात् किसी पुत्र-पौत्र, सम्बन्धी, मित्र आदि का आश्रय न ले और न उनका साथ करे, इस प्रकार रहने से (न जहाति न हीयते) न वह किसी को छोड़ता है, न उसे कोई छोड़ता है अर्थात् वह मोक्षरहित हो जाता है और मृत्यु के समय बिछुड़ने के दुःख की भावना समाप्त हो जाती है ॥ ४२ ॥

निलिप्त भाव से गांवों में भिक्षा ग्रहण करे—

अनग्निरनिकेतः स्यात् ग्राममन्नार्थमाश्रयेत्।

उपेक्षकोऽसंकुमुको मुनिर्भावसमाहितः ॥ ४३ ॥ (२७)

वह संन्यासी (अग्निः) आहवनीयादि अग्नियों से रहित (अनिकेतः) और कहीं अपना स्वाभिमत घर भी न बांधे (अन्नार्थं ग्रामम् आश्रयेत्) और अन्न-वस्त्र आदि के लिए ग्राम का आश्रय लेवे (उपेक्षकः) बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता (असंकुमुकः) और स्थिरबुद्धि (मुनिः) मननशील होकर (भावसमाहितः) परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ

(स्यात्) विचरे ॥ ४३ ॥ (सं० वि० १९९) ❧

अनुशीलन : 'अग्निः' का अभिप्राय—अग्नि पद के प्रसङ्ग में महर्षि दयानन्द ने जो विशिष्ट टिप्पणी दी है, वह उल्लेखनीय है—

“इसी पद से भ्रान्ति में पड़के संन्यासियों का दाह नहीं करते और संन्यासी लोग अग्नि को नहीं झूते। यह पाप संन्यासियों के पीछे लग गया। यहां ग्राहवनीय आदि संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है, स्पर्श वा दाहकर्म छोड़ना नहीं है।” (सं० वि० १९९, संन्यास प्रकरण)

(२) प्रचलित टीकाओं में 'उपेक्षकः' का अव्यावहारिक, अयुक्तियुक्त अर्थ प्रचलित है।

कपालं वृक्षमूलानि कुचैलमसहायता ।

समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४४ ॥

(कपालम्) मिट्टी का बर्तन (वृक्षमूलानि) रहने के लिये वृक्षों की जड़ (कुचैलम्) अनाकर्षक वस्त्र या बल्कल (असहायता) किसी के आश्रित न होना (च) और (सर्वस्मिन् समता एव) सबमें समान दृष्टि (एतत्) ये (मुक्तस्य लक्षणम्) मुक्त व्यक्ति के लक्षण हैं ॥ ४४ ॥

अनुशीलन : ४४ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) यहां संन्यासी या परिव्राजक के लिए विधानों का प्रसंग चल रहा है। 'मुक्त' का न तो यहां पूर्वापर रूप में कोई प्रसङ्ग है और न ही कोई चर्चा; अतः इस श्लोक में जो 'मुक्त' का लक्षण दिखाया है, यह प्रसङ्गविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

(२) इस प्रकार के लक्षण जब पूर्वापर प्रसङ्ग से असम्बद्ध होते हैं, तो प्रसङ्गक्रम की उपयुक्तता की दृष्टि से या तो वे प्रसंग के प्रारम्भ में ही होते हैं, या फिर अन्त में। यों ही कहीं भी उनका वर्णन कर देना उनकी अमौलिकता को प्रकट करता है।

जीवन-मरण के प्रति समदृष्टि—

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् ।

कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं मृतको यथा ॥ ४५ ॥ (२८)

(न जीवितम् अभिनन्देत) न तो अपने जीवन में आनन्द और (न

❧[प्रचलित अर्थ—लौकिक अग्नियों से रहित, गृह से रहित, शरीर में रोगादि होने पर भी चिकित्सा आदि का प्रबन्ध न करने वाला, स्थिर बुद्धि वाला, ब्रह्म का मनन करने वाला, और ब्रह्म में भी भाव रखने वाला संन्यासी भिक्षा के लिए ग्राम में प्रवेश करे ॥ ४३ ॥]

मरणम् अभिनन्देत) न मृत्यु में दुःख माने, किन्तु (यथा) जैसे (भूतकः निर्देशम्) क्षुद्र भृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की बाट देखता रहता है वैसे ही (कालम्+एव प्रतीक्षेत) काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे ॥ ४५ ॥

(सं० वि० १६६)

अनुशीलन : काल की प्रतीक्षा कैसे ?—यहां स्वामी-भृत्य के उदाहरणपूर्वक काल की प्रतीक्षा से अभिप्राय यह है कि संन्यासी मृत्यु का भय अपने मन में न रखे, अपितु सृष्टिक्रम की व्यवस्थानुसार प्राप्त होने वाली मृत्यु को सन्नतापूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। योगदर्शन साधन पाद सूत्र ६ में मृत्यु के भय को 'अभिनिवेश' कहा है और उसे पंचबलेशों में माना है—'स्वस्तवाही विबुधोऽपि तथा खडोऽभिनिवेशः ।' संन्यासी को यह भय या क्लेश नहीं होना चाहिए अपितु स्वामी की आज्ञा को सुनकर प्रसन्नता अनुभव करने वाले भृत्य के समान मृत्युरूपी ईश्वरीय नियम को स्वीकार करके भयरहित प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए।

पवित्र एवं सत्य आचरण करे—

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ४६ ॥ (२६)

(दृष्टिपूतं पादं न्यसेत्) जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर-उधर न देखकर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रखके चले (वस्त्रपूतं जलं पिबेत्) सदा वस्त्र से छानके जल पिये (सत्यपूतां वाचं वदेत्) निरन्तर सत्य ही बोले (मनःपूतं समाचरेत्) सर्वदा मन से विचारके सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ ४६ ॥ (सं० प्र० १२६)

“चलते समय आगे-आगे देखके पग धरे, सदा वस्त्र से छानकर जल पीवे, सबसे सत्य वाणी बोले अर्थात् सत्योपदेश ही किया करे, जो कुछ व्यवहार करे वह सब मन की पवित्रता से आचरण करे।” (सं० वि० १६६)

अपमान को सहन करे—

अतिवादास्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ।

न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ४७ ॥ (३०)

(अतिवादान् तितिक्षेत) अपमानजनक वचनों को सहन करले (कञ्चन न+अवमन्येत) कभी किसी का अपमान न करे (च) और (इमं देहम्+आश्रित्य) इस शरीर का आश्रय लेकर अर्थात् अपने शरीर—मन, वाणी, कर्म से (केनचित् वैरं न कुर्वीत) किसी से वैर न करे ॥ ४७ ॥

क्रोध आदि न करे—

क्रुद्धघन्तं न प्रतिक्रुध्यैवाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ।

सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४८ ॥ (३१)

(क्रुद्धघन्तं) जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा (आक्रुष्टः) निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि (न प्रति-क्रुद्धयेत्) उस पर आप क्रोध न करे (कुशलं वदेत्) किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे (च) और (सप्तद्वार+अवकीर्णां वाचम्+अनृतां न वदेत्) एक मुख के, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी मिथ्या कारण से कभी न बोले ॥ ४८ ॥ (स० प्र० १२६)

अनुशीलनः : ४७-४८ श्लोकों के भावों की पुष्टि और तुलना के लिए २।१३६-१३७ [२।१६१-१६२] श्लोक भी द्रष्टव्य हैं। मनु ने वहां यही विचार प्रकट किये हैं। ६।५८ में भी इस मान्यता का कारण स्पष्ट किया है।

आध्यात्मिक आचरण में स्थित रहे—

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।

आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेद्बिह ॥ ४९ ॥ (३२)

(इह अध्यात्मरतिः+आसीनः) इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित (निरपेक्षः) सर्वथा अपेक्षारहित (निरामिषः) मांस, मद्य आदि का त्यागी (आत्मनः+एव सहायेन) आत्मा के सहाय से ही (सुखार्थी) सुखार्थी होकर (विचरेत्) विचरा करे और सबको सत्योपदेश करता रहे ॥ ४९ ॥

(स० वि० १६६)

“अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षारहित, मद्य-मांसादिवर्जित होकर, आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर, इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे” (स० प्र० १२६)

भोजन पाने के लिए पाखण्ड न करे—

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्रांगविद्यया ।

नानुशासनवादाभ्यां मिश्रां लिप्सेत क्वचित् ॥ ५० ॥

(उत्पात-निमित्ताभ्याम्) भूकम्प आदि उत्पात को बताकर या उसके भय से आतंकित करके और अश्वि का फड़कना आदि के फल बताकर (नक्षत्र+अङ्गविद्यया) राहु, केतु आदि ग्रह-तारों के शुभ-अशुभ फल बताकर, हस्तरेखा आदि देखकर (अनु-

शासन + दादाभ्याम्) धर्म का अनुशासन बताकर या वाद-विवाद आदि बातों से कहि-
चित् भिक्षा न लिप्सेत) कभी भिक्षा प्राप्त करने की इच्छा न करे ॥ ५० ॥

न तापसैर्ब्राह्मणैर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः ।

प्राकीर्णं भिक्षुकैर्वाऽन्यैरागारमुपसंनजेत् ॥ ५१ ॥

(तापसैः ब्राह्मणैः वयोभिः श्वभिः अपि वा अन्यैः भिक्षुकैः) तपस्वियों, ब्राह्मणों,
पक्षियों, कुत्तों और दूसरे भिक्षुओं से (प्राकीर्णम् आगारम्) भरे घर में (न उपसंनजेत्)
भिक्षा न मांगे ॥ ५१ ॥

अनुशीलन : ५०-५१ दोनों श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त
हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) ४६ और ५२ वें श्लोक पूर्वपर प्रसंग 'संन्यासी को
किस प्रकार विचरण करना चाहिए' इस बात से सम्बद्ध हैं—“विचरेत् इह” [४६],
“विचरेत्-नियतः” [५२]। यह कहना चाहिए कि इन दोनों श्लोकों के वाक्य परस्पर
सम्बद्ध हैं। इन दोनों श्लोकों ने उस प्रसंग या सम्बद्धता को भंग कर दिया है, अतः ये
प्रसंगविरुद्ध हैं। (२) इनमें 'भिक्षा किस-किस प्रकार नहीं मांगनी चाहिए' इससे सम्बन्धित
निषेध हैं। भिक्षा मांगने का प्रसंग ५५ वें श्लोक में शुरू होता है, प्रसंग से पूर्व ही भिक्षा
न मांगने का कथन करना अप्रासंगिक है। पहले विधिवाक्य आने पर ही 'निषेध वाक्य'
आते हैं, विधान से पूर्व निषेध की कोई संगति ही नहीं है। अतः ये दोनों श्लोक प्रसंग-
विरोध के आधार पर प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) मनु ने आजीविका के लिए स्पष्ट रूप से केवल एक
काल की भिक्षा का विधान किया है [५५], फिर ५० वें श्लोक में वर्णित कार्यों से भिक्षा
मांगने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसके साथ ही मनु ने संन्यासी को सब प्रकार के सङ्गों
से (लोभ-मोह आदि से) बचने के लिए कहा है [३३, ५७], अब इन कार्यों का संन्यासी
के लिए करना स्वतः निषिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यह व्यवस्था मनु से तालमेल नहीं
खाती। यह उस काल की परवर्ती रचना है जब संन्यासी वास्तव में संन्यासी नहीं रह गये
थे और विभिन्न आडम्बरों से भिक्षासंग्रह करने लग गये थे। यह तालमेल न होना, विरोध
का द्योतक है। (२) इसी प्रकार यों भी इस वर्णन का मनु की व्यवस्थाओं से तालमेल
नहीं बैठता कि मनु ने आजीविकाओं के वर्णन में किसी भी वर्ण की आजीविकाएं नहीं
दिखलायी हैं [१। ८७-६१, ६। ३२५-३३५ (१०। १-११)]। इस प्रकार ये विरुद्ध हैं।
(३) ५१ वें श्लोक में यह कहना कि 'जिस घर में अन्य तपस्वी, ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ते आदि
विद्यमान हों वहां भिक्षा न मांगे' मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। मनु ने पशु-पक्षियों का
भाग भी निकालने के लिए कहा है। साथ ही भिक्षा देने के लिए आदेश है और साथ ही
सभी आये अतिथियों को भोजन देने का विधान है। जब तक गृहस्थ इनमें से दोनों या
तीनों बातें पालन नहीं करता तो बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ पूर्ण नहीं होते
[३। ६२, ६४, ६६, १०५, १०८, ११३ आदि]।

मुण्डनपूर्वकं गेरुवे वस्त्रं धारणं करके रहे—

वल्पूतकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् ।

विचारेन्नित्यतो नित्यं सर्वभूताभ्यपीडयन् ॥ ५२ ॥ (३३)

(वल्पूत-केश-नख-श्मश्रुः) केश, नख, दाढ़ी, मूँछ को छेदन करबावे (पात्री दण्डी कुसुम्भवान्) पात्र, दण्ड और कुसुम्भ आदि से रगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके (नित्यः) निश्चिन्ताःमा (सर्वभूतानि + अपीडयन्) सब भूतों को पीड़ा न देकर (विचरेत्) सर्वत्र विचरे ॥ ५२ ॥

(सं० प्र० १२६)

‘सत्र शिर के बाल, दाढ़ी, मूँछ और नखों को समय-समय पर छेदन कराता रहे। पात्री, दण्डो और कुसुम्भ के रंगे हुए वस्त्रों को धारण किया करे। सब भूत = प्राणिमात्र को पीड़ा न देता हुआ इड़ात्मा होकर नित्य विचारा करे’ । (सं० वि० १६६)

अर्तजसानि पात्राणि तस्य स्युनिर्वृणानि च ।

तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥

(तस्य पात्राणि अर्तजसानि च निर्वृणानि स्युः) इस संन्यासी के पात्र [सोना, चांदी आदि] धातुओं से बने न हों और टूटे-फूटे अथवा छिद्रादियुक्त न हों (तेषाम्) उन पात्रों की (अध्वरे चमसानाम् + इव) यज्ञ में जैसे चमचों की शुद्धि कही है वैसे (अर्तजः शौचं स्मृतम्) जल से ही शुद्धि मानी है ॥ ५३ ॥

अलाबुं दारुपात्रं च मृन्मयं वैदलम् तथा ।

एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ॥ ५४ ॥

(अलाबुं दारुपात्रं मृन्मयं तथा वैदलम्) तुम्बा, लकड़ी का बर्तन, मिट्टी से बना तथा बांस से बना (एतानि यतिपात्राणि) ये पात्र संन्यासियों के लिए (स्वायम्भुवः मनुः अभ्रवीत्) स्वयम्भू के पुत्र मनु ने कहे हैं ॥ ५४ ॥

अनुययितव्यः : ५३-५४ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. शैलीगत आधार—५४ वें श्लोक में “मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्” पद से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं—एक तो यह कि यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित है। दूसरी यह कि मनु से परवर्ती काल की रचना है। इस आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है। ५३ वां श्लोक इससे ही सम्बद्ध है, अतः वह इसके प्रक्षिप्त होने से स्वतः प्रक्षिप्त हो जाता है।

❀ “अथवा गेरु से रगे वस्त्रों को पहने” । (सं० वि० २०१ पर टिप्पणी)

एक समय ही भिक्षा मांगे—

एककालं चरेद् भिक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे ।

भिक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥ ५५ ॥ (३४)

संन्यासी (एककालं भिक्षं चरेत्) एक ही समय भिक्षा मांगे (विस्तरे न प्रसज्जेत) भिक्षा के अधिक विस्तार अर्थात् लालच में न पड़े (हि) क्योंकि (भिक्षे प्रसक्तः यतिः) भिक्षा के लालच में या स्वाद में मन लगाने वाला संन्यासी (विषयेषु + अपि सज्जति) विषयों में भी फँस जाता है ॥ ५५ ॥

विधूमे समनुसले ध्वंगारे भुक्तप्रजने ।

वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् ॥ ५६ ॥

(विधूमे सन्) जब घर में रसोई बनाने का धुमाँ उठना बन्द हो गया हो (प्रमुसले) जब मूसल की आवाज न आती हो (वि + प्रङ्गारे) जब भोजन पकाने वाली यमि बुझ गई हो (भुक्तवत् + जने) परिवार के लोगों ने जब खाना खा लिया हो (शरावसंपाते वृत्ते) खाने के बर्तन खाना खाकर डाल दिये हों, ऐसे समय (यतिः नित्यं भिक्षां चरेत्) संन्यासी सदा भिक्षा मांगे ॥ ५६ ॥

अनुशीलन : ५६ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है । ५५ वें श्लोक में भिक्षा का विधान करके भिक्षा में यति को आसक्त न होने का कथन है । इसका अर्थवादरूप ५७ वां श्लोक है, जिसमें भिक्षाप्राप्ति पर प्रसन्न और भिक्षा-अप्राप्ति पर दुःखी न होने का वर्णन है; जो आसक्त न होने वाली बात का ही व्याख्या रूप है । ५६ वें श्लोक ने इस सम्बद्ध प्रसंग को भंग कर दिया है । अतः यह श्लोक इस आधार के अनुसार प्रक्षिप्त है ।

२. अन्तर्विरोध—इस श्लोक में विहित विधान मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है । इस श्लोक में यह कहा है कि यति तब घरों से भिक्षा मांगे जब घर के सभी व्यक्ति खा चुके हों और भूँटे बर्तन अलग रख दिये हों, जब कि ३ । ६४ में गृहस्थ को बलिर्वाश्वदेव यज्ञ करने के उपरान्त ही भिक्षा देने का विधान है और फिर अतिषियों को खिलाकर सबके बाद अर्थात् भिक्षा आदि दे चुकने के पश्चात् शेष भोजन को खाने का निर्देश है [३ । ११६, ११७] । इस विरोध से स्पष्ट है कि यह श्लोक किसी मनु से भिन्न व्यक्ति की व्यवस्था है, अतः प्रक्षिप्त है ।

भिक्षा न प्राप्त होने पर दुःख का अनुभव न करे—

अलाभे न विषादी स्यात्लाभे चैव न हर्षयेत् ।

प्राप्यात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥ ५७ ॥ (३५)

(अलाभे विषादी न स्यात्) भिक्षा के न मिलने पर दुःखी न हो (च)

और (लाभे न हर्षयेत्) मिलने पर प्रसन्नता अनुभव न करे (मात्रासंगात् विनिर्गतः) अधिक-कम, अच्छी-बुरी भिक्षा की मात्रा का मोह न करके अर्थात् जैसी भी भिक्षा मिल जाये उसे ग्रहण करके (प्राणयात्रिकमात्रः स्यात्) केवल अपनी प्राणयात्रा को चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त करता रहे ॥ ५७ ॥

प्रशंसा-लाभ आदि से बचे—

अभिपूजितलाभास्तु जुगुप्सेतैव सर्वशः ।

अभिपूजितलाभैश्च यतिर्मृतोऽपि बद्धयते ॥ ५८ ॥ (३६)

(तु) और (अभिपूजितलाभान्) बहुत अधिक आदर-सत्कार से मिलने वाली भिक्षा या अन्य सभी लाभों से (सर्वशः एव जुगुप्सेत) सर्वथा उपेक्षा करते, क्योंकि (अभिपूजितलाभैः मुक्तः + अपि यतिः बद्धयते) बहुत अधिक आदर-सत्कार से प्राप्त होने वाली भिक्षा से अथवा लाभों से मुक्त संन्यासी भी विषयों के बन्धन में फँस जाता है ॥ ५८ ॥

इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाए—

अल्पान्नाभ्यवहारेण रहः स्थानासनेन च ।

ह्रियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥ ५९ ॥ (३७)

(विषयैः ह्रियमाणानि इन्द्रियाणि) विषयों से खिंचने वाली इन्द्रियों को (अल्प + अन्न + अभ्यवहारेण) थोड़ा भोजन करके (च) और (रहः स्थान + आसनेन) एकान्त स्थान में निवास करके (निवर्तयेत्) वश में करे ॥ ५९ ॥

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥ (३८)

(इन्द्रियाणां निरोधेन) इन्द्रियों को अघर्माचरण से रोक (रागद्वेष-क्षयेण) राग, द्वेष को छोड़ (च) और (भूतानाम् अहिंसया) सब प्राणियों से निर्वैर वृत्तंकर (अमृतत्वाय कल्पते) मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥ ६० ॥ (सं प्र० १२६)

“जो संन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध, राग-द्वेषादि दोषों के क्षय और निर्वैरता से सब प्राणियों का कल्याण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है ।” (सं वि० १६६)

अनुशीलनः : ‘इन्द्रियनिरोध’ में योग के प्रमाण—योगदर्शन के सूत्रों द्वारा इस श्लोक की व्याख्या को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है । “योगश्चित्त-

वृत्तिनिरोधः” [१।२] अर्थात् योग से इन्द्रियों के विषयों का निरोध होता है और यह निरोध “अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः [१।१२] अभ्यास-वैराग्य से सिद्ध होता है। “सुखानुशयी रागः” “दुःखानुशयी द्वेषः” [२।७, ८] = सुख की तृष्णा राग है, दुःख-विषय में क्रोध भावना द्वेष है। इनके त्याग से और “अहिंसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः” [२।३५], अहिंसा सिद्धि से निर्वेत्ता प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाने में सफल होता है।

मनुष्य-जीवन की दुःखमय गति-स्थितियाँ और उनका चिन्तन—

अवेक्षेत गतीर्नृणां कर्मदोषसमुद्भवाः ।

निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१ ॥ (३६)

(कर्मदोषसमुद्भवाः नृणां गतीः) कर्मों के दोष से होने वाली मनुष्यों की कष्टयुक्त बुरी गतियों (च) और (निरये पतनम्) कष्टों का भोगना (च) तथा (यमक्षये यातनाः) प्राणक्षय में मृत्यु के समय होने वाली पीड़ाओं को (अवेक्षेत) विचारे और विचारकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे ॥ ६१ ॥

विप्रयोगं प्रियैश्चैव संयोगं च तथाऽप्रियैः ।

जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम् ॥ ६२ ॥ (४०)

देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनर्गर्भं च सम्भवम् ।

योनिर्कोटिसहस्रेषु सृतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥ (४१)

(च) और (प्रियैः विप्रयोगम्) प्रियजनों से वियोग हो जाना (तथा अप्रियैः संयोगम्) तथा शत्रुओं से संपर्क होना और उससे फिर कष्टप्राप्ति होना (च) और (जरया अभिभवनम्) बुढ़ापे से आक्रान्त होना (च) तथा (व्याधिभिः उपपीडनम्) रोगों से पीड़ित होना (च) और (अस्मात् देहात्-+उत्क्रमणम्) फिर इस शरीर से जीव का निकल जाना (गर्भं पुनः संभवम्) गर्भ में पुनः जन्म लेना (च) और इस प्रकार (अस्य+अन्तरात्मनः) इस जीव का (योनिर्कोटिसहस्रेषु सृतीः) सहस्रों प्रकार की अर्थात् अनेकविध योनियों में आवागमन होना—इनको विचारे और इनके कष्टों को देखकर मुक्ति में मन लगावे ॥ ६२, ६३ ॥

अधर्म से दुःख और धर्म से सुख-प्राप्ति—

अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम् ।

धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम् ॥ ६४ ॥ (४२)

(शरीरिणां दुःखयोगं अधर्मप्रभवम् एव) यह निश्चित है कि प्राणियों को सभी प्रकार के दुःख अधर्म से ही मिलते हैं (च) और (अक्षयं सुखसंयोगं

धर्मार्थप्रभवम् एव) अक्षयसुखों= मोक्ष की अवधि तक रहने वाले सुखों की प्राप्ति केवल धर्म कारण वाले कर्मों से ही होती है। इसको भी विचारे और तदनुसार धर्माचरण करे ॥ ६४ ॥

अनुयातुम् : प्रथम से दुःख की प्राप्ति कैसे होती है इसका वर्णन ४। १७०-१७६ में द्रष्टव्य है।

योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे—

सूक्ष्मतां चान्वेक्षेत योगेन परमात्मनः।

देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वध्मेषु च ॥ ६५ ॥ (४३)

(च) और (योगेन परमात्मनः सूक्ष्मताम्) योगाभ्यास से परमात्मा की सूक्ष्मता को (च) तथा (उत्तमेषु च अध्मेषु देहेषु समुत्पत्तिम्) उत्तम तथा अधम शरीरों में जन्मप्राप्ति के विषय में (अन्वेक्षेत) विचार किया करे ॥ ६५ ॥

अनुयातुम् : योग की परिभाषा एवं योग से ईश्वर प्राप्ति— योग-दर्शन में योग की परिभाषा और उससे परमात्मा की प्राप्ति इस प्रकार बतलायी है—

(क) “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” = चित्तवृत्तियों का निरोध करना योग है।

[१।२]।

(ख) पुनः चित्तवृत्तियों के निरोध से समाधितिष्ठि होने पर “तदा द्रष्टृस्वरूपे अवस्थानम्” [१।३] = तब सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इसमें वेद का प्रमाण भी उल्लेखनीय है—

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः।

अग्नेर्ज्योतिर्निर्वाप्य पृथिव्या अग्न्याभरत् ॥ ऋ० १।४।२ ॥

अर्थ—“(युञ्जानः) योग करने वाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व अर्थात् ब्रह्मज्ञान के लिए (प्रथमं मनः) जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब (सविता) परमेश्वर उनकी (धियम्) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। (अग्नेः ज्योतिः) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके (अग्न्याभरत्) यथावत् धारण करते हैं (पृथिव्याः) पृथिवी के बीच में योगी का यही लक्षण है।”

(ऋ० भू० उवाचना विषय)।

द्रुषित आदि प्रत्येक अवस्था में धर्म का पालन आवश्यक—

द्रुषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः।

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६६ ॥ (४४)

(द्रुषितः+अपि धर्मं चरेत्) यदि संन्यासी को मूल ससारी लोग निन्दा आदि में द्रुषित वा अपमान भी करें तथापि धर्म ही का आचरण करे

(यत्र तत्र + आश्रमे रतः) ऐसे ही अन्य ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को करना उचित है (सर्वेषु भूतेषु समः) सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर समबुद्धि रखे, इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिए संन्यासाश्रम का विधि है, किन्तु (लिङ्गं धर्मकारणं न) केवल दण्डादि चिह्न धारण करना ही धर्म का कारण नहीं है ॥ ६६ ॥ (सं० वि० १६६)

“कोई संसार में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात् संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यो को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु और कषायवस्त्र आदि चिह्नधारण धर्म का कारण नहीं है, सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है” ॥

(म० प्र० १२६)

धर्माचरण के बिना बाहरी दिखावे से श्रेष्ठ फल नहीं—

फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ (४५)

(यद्यपि कतकवृक्षस्य फलम्) यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल (अम्बु-प्रसादकम्) पीसके गदले जल में डालने से जल का शोधक होता है, तदपि (तस्य नामग्रहणात् + एव) बिना डाले उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र से (वारि न प्रसीदति) उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥

(स० प्र० १२६)

“यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करने वाला है तथापि उसके नामग्रहण मात्र से जल शुद्ध नहीं होता किन्तु उसको ले, पीस, जल में डालने ही से उस मनुष्य का जल शुद्ध होता है; वैसे नाममात्र आश्रम से कुछ भी नहीं होता किन्तु अपने-अपने आश्रम के धर्मयुक्त कर्म करने ही से आश्रमधारण सफल होता है, अन्यथा नहीं।” (सं० वि० १६६)

अनुशीलन : कतक वृक्ष के फल को हिन्दी में ‘रीठा’ कहते हैं।

संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा ।

शरीरस्यास्यैव समीक्ष्य वसुधां चरेत् ॥ ६८ ॥

(शरीरस्य + अस्यैव एव) शरीर से पीड़ित होते हुए भी (जन्तूनां संरक्षणार्थम्) छोटे-छोटे प्राणियों की रक्षा के लिए (रात्रौ वा अहनि सदा) रात और दिन में सदा (वसुधां समीक्ष्य चरेत्) धरती पर देखकर अर्थात् उनकी हरथा न हो, यह ध्यान रखते हुए विचरण करे ॥ ६८ ॥

अह्ना रात्र्या च याञ्जन्तून् हिनस्त्यज्ञानतो यतिः ।

तेषां स्नात्वा विशुद्धघर्मं प्राणायामान्वड/चरेत् ॥ ६६ ॥

(यतिः) संन्यासी (अह्ना च रात्र्या) दिन और रात में (अज्ञानतः यान् जन्तून् हिनस्ति) अज्ञान से जिन प्राणियों की हत्या करता है (तेषां विशुद्धघर्मम्) उनकी शुद्धि के लिए (षट् प्राणायामान् आचरेत्) छः बार प्राणायाम करे ॥ ६६ ॥

अनुशीलन : ६८-६९ श्लोक निम्न 'आधारो' के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. अन्तविरोध—(१) इन श्लोकों में वर्णित बातें मनु की व्यवस्था के अनुसार विधान ही नहीं बनती और न तालमेल बैठता है। इन श्लोकों में 'चलते समय होने वाली लघुप्राणियों की हिसा के पाप से छूटने के लिए प्राणायाम करने के लिए' कहा है। यह संन्यासी का प्रायश्चित्त है। मनु ने ७०-७२ श्लोकों में प्राणायाम करना यति की दिन-चर्या में ही विहित किया है। जब उसे प्रतिदिन प्राणायाम करने ही हैं, तो फिर पृथक् से उन द्वारा प्रायश्चित्त कैसा? इसका अभिप्राय यह हुआ कि 'प्राणायाम' प्रायश्चित्त नहीं है। ७१-७२ श्लोकों में मनु ने प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का निवारण माना है। इन श्लोकों में प्राणायाम से पापनिवृत्ति कहना मनु को उस मान्यता के विरुद्ध है।

२. शैलीपत आधार—(१) (क) पाप छूटने और प्राणायाम का कोई सम्बन्ध नहीं है, (ख) रात्रि के अन्धकार में कोई व्यक्ति कैसे लघुप्राणियों को देख सकता है? इस प्रकार इन दोनों श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त है। (२) मनु की निश्चित की गई शैली के अनुसार प्रायश्चित्त का विधान ११ वें अध्याय में है, अतः यहां केवल एक ही बात का प्रायश्चित्त वर्णन उनकी शैली के अनुरूप न होने से मौलिक नहीं है।

३. पुनरुक्ति—६८ वें श्लोक में ४६ वें श्लोक के "दृष्टिपूर्तं भ्यसेत् पावम्" पद की पुनरुक्ति मात्र है। इस पुनरुक्ति के आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

प्राणायाम अवश्य करे—

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः ।

व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥ (४६)

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् व्यक्ति या संन्यासी के द्वारा जो (विधिवत्) विधि के अनुसार (व्याहृति-प्रणवैः युक्ताः) प्रणव अर्थात् ओङ्कारपूर्वक और 'भूः, भुवः, स्वः' आदि सप्तव्याहृतियों के जप सहित [अनुशीलन में प्रदर्शित] (त्रयः+अपि) तीनों प्रकार के बाह्य, आभ्यन्तर, स्तम्भक, प्राणायाम अथवा न्यून से न्यून तीन प्राणायाम (कृताः) किये जाते हैं, (परमं तपः विज्ञेयम्) वह इसका परम=उत्तम तप होता है ॥ ७० ॥

“ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् संन्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे। यही संन्यासी का परम तप है।”
(स० प्र० १२६)

अनुशीलन : (१) प्राणायाम की विधि योगदर्शन में विहित है। १। २७-२८ में ओंकारपूर्वक ईश्वर जप का भी विधान है। यहाँ वही विधि व्यासभाष्य पर आधारित ऋषि दयानन्द के भाष्यसहित प्रस्तुत की जाती है। इस विधि को अपना कर उपासक अशुद्धिक्षय, ईश्वर-सिद्धि और वलपराक्रम की वृद्धि करे—

प्राणायाम का लक्षण—

(क) तस्मिन् सति श्वास-प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ २। ४६ ॥

‘जो वायु बाहर से भीतर को आता है, उसको श्वास और जो भीतर से बाहर जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के जाने-माने के विचार से रोके। नासिका को हाथ से कभी न पकड़े किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते हैं।’

(ख) प्रवृद्धं न विधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ १। ३४ ॥

“जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकालने के सुवर्चक जितना बन सके उतना बाहर ही रोके। पुनः धीरे-धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे। इसी प्रकार बारम्बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा स्थिर हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने आत्मा के बीच में जो आनन्दस्वरूप, अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता है फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर के बीच में बारम्बार मग्न करना चाहिए” (ऋ० भू० उपासना विषय)

(२) प्राणायाम के भेद—प्राणायाम के भेदों का वर्णन करते हुए योगदर्शन में प्रमुखरूप से प्रणायाम के तीन भेद माने हैं—

(ग) स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिहृष्टो दीर्घसूक्ष्मः

॥ २। ५० ॥

(घ) बाह्याभ्यन्तरविषयापेक्षी चतुर्थः ॥ २। ५१ ॥

ये मुख्य चार भेद हैं, बाह्य विषय = रेचक, आभ्यन्तर = पूरक और स्तम्भवृत्ति। ये देशकाल संख्यानुसार दीर्घ, सूक्ष्म होते हैं। चौथा भेद ‘बाह्याभ्यन्तरविषयापेक्षी’ है। इनकी विधि निम्न प्रकार है—

(१) रेचक = श्वास को भीतर से वमन के समान बाहर निकालना और उसे उसी स्थिति में रोकना = नियन्त्रण करना।

(२) पूरक = श्वास को बाहर से भीतर धारण करके उसी स्थिति में रोकना = नियन्त्रण करना ।

(३) स्तम्भक = धाते, जाते, जहां के तहां श्वास को रोकना या अन्दर रोके श्वास को बाहर निकलते समय पुनः पुनः रोकना, बाहर रोके श्वास को अन्दर आते समय पुनः पुनः रोकना आदि स्तम्भक प्राणायाम है ।

(४) जैसा कि योगसूत्र में ही कहा गया है 'बाह्याभ्यन्तरदिशयापेक्षी' अर्थात् जब श्वास भीतर से बाहर को आवे, तब बाहर ही कुछ-कुछ रोकता रहे और जब बाहर से भीतर जावे तब उसको भीतर ही थोड़ा-थोड़ा रोकता रहे, यह चौथा भेद है। इसकी पृथक् गणना इस कारण है क्योंकि यह बाह्याभ्यन्तर पर आधारित है ।

कोई-कोई बाह्य = रेचक और आभ्यन्तर = पूरक के साथ रोकना प्रांक्रिया को नहीं मानते । यह विचार ठीक नहीं । इस प्रकार तो वे मात्र उच्छ्वास निःश्वास, प्रश्वास ही कहलायेंगे । प्राणायाम शब्द का अर्थ ही उनकी इस मान्यता को गलत मिद्ध कर देता है । प्रायाम का अर्थ है = 'प्रसार, विस्तार, फैलाव या नियन्त्रण' इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ हुआ 'प्राण का विस्तार या नियन्त्रण' करना । प्राणायाम शब्द सभी भेदों के साथ संयुक्त है । अतः उनका अर्थ भी प्राणायाम शब्द के अर्थ को साथ जोड़कर करना चाहिए । जैसे = बाह्यप्राणायाम, आभ्यन्तरप्राणायाम, स्तम्भकप्राणायाम ।

(३) प्राणायाम मन्त्र—

शास्त्रों में व्याहृतियों की गणना तीन और सात के रूप में मिलती है । ऋषि दयानन्द ने सात व्याहृतियों की गणना स्वीकार करके प्राणायाम की विधि प्रदर्शित की है, क्योंकि तीन व्याहृतियां उनके अग्रतर्गत ही हो जाती हैं । उन्होंने व्याहृति और मन्त्र निम्न प्रकार दिये हैं—

“इस पवित्र आश्रम को सकल करने के लिए संन्यासी पुरुष विधिवत् योगशास्त्र की रीति से सात व्याहृतियों के पूर्व सात प्रणव लगाके जैसा कि प्राणायाम का मन्त्र लिखा है, उसको मन से जपता हुआ तीन भो प्राणायाम करे तो जानो अर्युक्लुष्ट तप करता है ।” (मं० वि० १६६)

वह प्राणायाम मन्त्र इस प्रकार है—

“ओं धूः, ओं भुवः, ओं रवः, ओं महः, ओं जनः, ओं तपः, ओं सत्यम् ।”

इस रीति से कम से कम तीन और अधिक से अधिक इसीस प्राणायाम करे ।” (मं० वि० १५६)

प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का क्षय—

दहन्ते ध्यायमानानां घातूनां हि यथा मत्ताः ।

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ७१ ॥ (४७)

(हि) क्योंकि (यथा ष्मायमानानां धातूनां मलाः दहन्ते) जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं (तथा प्राणस्य निग्रहात्) वैसे ही प्राणों के निग्रह से (इन्द्रियाणां दोषाः दहन्ते) मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ (सं० प्र० १२६)

अनुधीलन : प्राणायाम से दोषों का निवारण—इसमें योगदर्शन का प्रमाण भी है—

(क) योगाङ्गानुष्ठानादनुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरविदेकरूपातेः ॥ २ । २८ ॥
प्राणायाम भी योग का एक प्रमुख अंग है ।

“जब मनुष्य प्राणायाम करना है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में प्रशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है । जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ।” (सं० प्र० तृ० समु०)

“इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है ।”
(ऋ० भू० उपासना विनय)

(ख) ततः शीयते प्रकाशावरणम् ॥ २ । ५२ ॥

प्राणायाम सिद्धि और प्राणायाम पूर्वक उपासना के पश्चात् आत्मा के ज्ञान को ढाँपने वाला इन्द्रियों का दोष—अज्ञानरूपी जो आवरण है, वह नष्ट हो जाता है । और ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता जाता है । महर्षि दयानन्द ने इस विषय में लिखा है—

“प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रियाँ भी स्वाधीन होते हैं । बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्मरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है । इससे मनुष्य शरीर में वीर्यबुद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम जितेन्द्रियता, सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेता ।”

(सं० प्र० तृ० समु०)

प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार से दोषों का क्षय—

प्राणायाममर्धदेष्टुदोषान्धारणाभिश्च किल्बिषम् ।

प्रत्याहारेण संसर्गाध्यानेनामीश्वरान्गुणान् ॥ ७२ ॥ (४८)

इसलिए संन्यासी लोग (प्राणायामः दोषान्) प्राणायामों से दोषों को (धारणाभिः किल्बिषम्) धारणाओं से अन्तःकरण के मूल को (प्रत्याहारेण संसर्गान्) प्रत्याहार में संग से हुए दोषों (च) और (ध्यानेन+अमीश्वरान् गुणान्) ध्यान में अविद्या, पञ्चगान आदि अमीश्वरता के दोषों को छुड़ाके पक्षपातरहित आदि ईश्वर के गुणों को धारण कर (दहेत्) सब दोषों को भस्म करदेवे ॥ ७२ ॥ (सं० वि० २००)

‘इसलिए संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वरता के गुणों अर्थात् हर्ष, शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें। (सं प्र० १३०)

अनुशीलन : धारणा और प्रत्याहार-विवेचन में योग के प्रमाण—
श्लोक में उक्त बातों का सप्रमाण विवेचन योगदर्शन के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है—

१. प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का दहन किस प्रकार होता है, यह ६।७१ की समीक्षा में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है।

२. धारणाओं से अन्तःकरण के कित्विष अर्थात् बुराई को दूर करे। “वेशाब्ज-विचक्षस्य धारणा” (योग ३।१) = “धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से मुड़ाके नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना।” (ऋ० भू० उपासनाविषय) अथवा बुराइयों को, दोषों को समझकर उनको छोड़ने के लिए व्रतों को धारण करना भी धारणा है।

“किंच धारणायु च योग्यता मनसः।” (योग० २।५३) = धारणाओं से मन में ज्ञान की योग्यता और विवेक बढ़ता है। जिससे बुराइयों का त्याग होता है। [‘कित्विषम्’ के अर्थ पर विशेष अनुशीलन ८।३१६ पर भी द्रष्टव्य है]।

३. प्रत्याहार के द्वारा संसर्गजन्य दोष को छोड़ें। “स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः”। योग० २।५४॥

“प्रत्याहार उसका नाम कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इन्द्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है क्योंकि मन ही इन्द्रियों को चलाने वाला है।” (ऋ० भू० उपासनाविषय) परिणामस्वरूप इन्द्रियां अपने-अपने विषयों के संगों, अभिमान आदि दोषों से निवृत्त हो जाती हैं। प्रत्याहार से मन स्ववश में हो जाता है और इन्द्रियों पर दृढ़ वशीभूतता हो जाती है—

“ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्।” योग २।५५॥

“तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहाँ अपने मन को ठहराना वा चलाना चाहे उसी में ठहरा और चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति हो जाती है, असत्य में कभी नहीं।” (ऋ० भू० उपासनाविषय)

योगदर्शन के व्यासभाष्य में भी अपरिग्रह को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

“विषयाणामर्जन-रक्षण-क्षय-सङ्ग-हिंसाबोधदर्शनात् अस्वीकरणम् अपरिग्रहः।” (योग २।२०) = विषयों में अर्जनदोष, रक्षणदोष, क्षयदोष, संगदोष तथा हिंसादोष देखने से उनका जो अस्वीकार अर्थात् त्याग है, वह अपरिग्रह कहा जाता है।

४. ध्यान से अनीश्वर गुणों अर्थात् अविद्या, अज्ञान आदि का त्याग करके ईश्वरीय गुणों को धारण करना। “तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यात्वम्” (योग० ३।२) = “धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान और आश्रय लेने के योग्य जो अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनन्द में, अत्यन्त विचार और प्रेम-भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। उस समय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी अन्तर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना। इसी का नाम ध्यान है।”

(ऋ० भू० उपासना विषय)

५. ‘कित्त्विवनाश’ के लिए द्रष्टव्य ११। २२७ पर अनुशीलन और शब्दार्थ के लिए ८। ३१६ का अनुशीलन।

ध्यान से पदार्थ-ज्ञान—

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः।

ध्यानयोगेन सम्पश्येद्गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥ (४६)

(उच्च + अवचेषु भूतेषु) बड़े-छोटे प्राणी और अप्राणियों में (अकृता-त्मभिः दुर्ज्ञेयाम् अस्य + अन्तरात्मनः गतिम्) जो अशुद्धात्माओं से देखने के योग्य नहीं है, उस अन्तर्यामी परमात्मा की गति अर्थात् प्राप्ति को (ध्यान-योगेन सम्पश्येत्) ध्यानयोग से ही संन्यासी देखा करे ॥ ७३ ॥

(सं० वि० २००)

अनुशीलन : ‘ध्यानयोग’ के लिए ६। ७२ पर अनुशीलन मंख्या ४ द्रष्टव्य है।

यथार्थ ज्ञान से कर्मबन्धन का विनाश—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबद्धयते।

दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥ (५०)

(सम्यक् दर्शनसंपन्नः) जो संन्यासी यथार्थज्ञान वा षड्दर्शनों से युक्त है (कर्मभिः न निबद्धयते) वह दुष्टकर्मों से बद्ध नहीं होता (तु) और (दर्शनेन विहीनः) जो ज्ञान, विद्या, योगाभ्यास, सत्संग, धर्मानुष्ठान वा षड्दर्शनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है वह संन्यास पदवी और मोक्ष को प्राप्त न होकर (संसारं प्रतिपद्यते) जन्म-मरण रूप संसार को प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥ (सं० वि० २००)

अनुशीलन : दर्शन एवं ध्यानयोग विवेचन—(१) उपयुक्त ७२-७३

इलोकीं में उक्त यथार्थ ज्ञान से ध्यानयोग की सिद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन होते हैं और वह—

तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥ योग० ४ । ६ ॥

जो ध्यानयोग से सिद्ध चित्त है वह यथार्थ ज्ञान से मनाशयम् = कर्मवासना और क्लेशवासना से रहित होता है। कर्मों से बद्ध नहीं होता। उसके कर्म दण्डबीज के समान होने से फिर फलोन्मुख नहीं होते। वही फिर मोक्ष की स्थिति में पहुँचता है।

(२) दर्शनों से यहाँ पुस्तकविवेक दर्शन-ग्रन्थों से अभिप्राय नहीं है, अपितु 'दर्शन विद्याओं' से अभिप्राय है। ईश्वर आदि तत्त्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाली विद्या को 'दर्शनविद्या' कहा जाता है।

अहिंसा आदि वैदिक कर्मों से परमात्मा पद की प्राप्ति—

अहिंसयेन्द्रियासङ्गं वैदिकैश्चैव कर्मभिः ।

तपसश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ ७५ ॥ (५१)

(अहिंसा) सब भूतों से निर्वैर (इन्द्रिय + असंगैः) इन्द्रियों के विषयों का त्याग (वैदिकैः कर्मभिः) वेदोक्त कर्म (च) और (उग्रैः तपश्चरणैः) अत्युग्र तपश्चरण से (इह) इस संसार में (तत्पदं साधयन्ति) मोक्षपद की पूर्वोक्त संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नहीं ॥ ७५ ॥

(स० प्र० १३०)

“और जो निर्वैर, इन्द्रियों के विषयों के बंधन से पृथक् वैदिक कर्म-चरणों और प्राणायाम, मत्स्यभाषणादि उत्तम उग्र कर्मों से सहित संन्यासी लोग होते हैं, वे इसी जन्म इसी वर्तमान समय में परमेश्वर की प्राप्तिरूप पद को प्राप्त होते हैं, उनका संन्यास लेना सफल और धन्यवाद के योग्य है” । (स० प्र० २००)

अपवित्र शरीर का त्याग—

अस्थिरभूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम् ।

चर्मविनद्धं दुर्गन्धिपूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥ ७६ ॥

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।

रजस्वसन्निवृत्तं च भूतावासमिनं त्यजेत् ॥ ७७ ॥

(अस्थिरभूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनं चर्मविनद्धं मूत्रपुरीषयोः दुर्गन्धिपूर्णम्) हड्डियों के ढाँचेरूप, स्नायुरूपी रस्सी वाले, मांस और लहू से भरे, चर्मड़ी से ढके, मूत्र और विषा की दुर्गन्धि से भरे (जराशोकसमाविष्टम्) वृद्धावस्था और शोक से युक्त

(रोगायतनम्) रोगों के घर (घातुरम्) भूल-ग्यास आदि से पीड़ित होने वाले (रजस्वलम्) रजोगुणवाले या मिट्टीरूप (च) (अनिश्यम्) नष्ट होने वाले (इमं भूत + आवासं त्यजेत्) इस महाभूतों के आश्रयस्थान अर्थात् शरीर को छोड़ देवे ॥ ७६, ७७ ॥

नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनियं वा ।

तथा त्यजन्निमं वेहं कृच्छ्राद् ग्राहादिमुच्यते ॥ ७८ ॥

(यथा वृक्षः नदीकूलम्) जैसे वृक्ष नदी के किनारे को (वा) अथवा (यथा शकुनिः वृक्षम्) जैसे पक्षी वृक्ष को बिना किसी दुःख और मोहके छोड़ देता है (तथा) वैसे ही (इमं देहं त्यजन्) इस शरीर को छोड़कर व्यक्ति (कृच्छ्रात् ग्राहात् विमुच्यते) दुःखरूपी मगरमच्छ से छूट जाता है अर्थात् उसे दुःख नहीं होता ॥ ७८ ॥

प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम् ।

विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम् ॥ ७९ ॥

योगी (स्वेषु प्रियेषु सुकृतम्) अपने प्रियजनों में पुण्यों को (च) और (अप्रियेषु दुष्कृतम्) शत्रुओं में पाप को (विसृज्य) छोड़कर (ध्यानयोगेन सनातन ब्रह्म + अभ्येति) ध्यानयोग के द्वारा सनातन ब्रह्म = परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ॥ ७९ ॥

अनुशीलन : ७६ से ७९ श्लोक निम्न 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) ये श्लोक पूर्वपर प्रसंग विरुद्ध हैं। पूर्वपर प्रसंग 'सङ्गों' से विमुक्त होकर निःस्पृह होने के वर्णन का है। ७५ वें श्लोक में 'असङ्गः' पद से विषयों से निःस्पृह होने का कथन है, फिर ८० वें में सङ्गों से मुक्त होकर निःस्पृह होने का फल है और ८१ वें में "त्यक्त्वा सङ्गान् शानः शानः" पदों से इस बात का उपसंहार है। इस प्रकार ७५ वां श्लोक ८०-८१ से सम्बद्ध है और ८० वां श्लोक ७५ वें का 'अर्थवाद' है। इन श्लोकों ने उस प्रसंग की सम्बद्धता को भंग कर दिया है और इनमें जो वर्णन है, पूर्वपर रूप से असम्बद्ध है। (२) इन श्लोकों में जो शरीर त्यागने का वर्णन है, वह भी इसे अग्रिम प्रसंग से असम्बद्ध सिद्ध करता है। ८० वें श्लोक में निःस्पृह होने का फल बताते हुए इस जन्म और परजन्म में सुख का प्राप्त होना कहा है। यदि इन श्लोकों के अनुसार पहले ही शरीर त्याग का विधान उपयुक्त मान लिया जाये तो फिर 'इस जन्म में सुख-प्राप्ति' के फलकथन की क्या संगति है? इससे यह संकेत मिलता है कि ८० वें श्लोक से पूर्व शरीरत्याग का वर्णन मनु को अभीष्ट नहीं है। इस प्रकार का वर्णन प्रसंग के अन्त में आता है जो ८१-८२ में है। (३) यहाँ पूर्वपर स्थानों पर अभी यति के कर्त्तव्यों की समाप्ति से पूर्व ही उनकी फलप्राप्ति का कथन करना, जैसा कि ७८-७९ वें श्लोकों में दर्शाया गया है, यह असंगत है। इस प्रकार का फलकथन तो सब कर्त्तव्यों के पूर्ण होने पर ही करना संगत हुआ करता है, जो ८१-८२ में है भी। इस प्रकार ७८-७९

श्लोक और इनसे सम्बद्ध अन्य पूर्ववर्ती श्लोक अप्रासंगिक हैं। इन प्रसंगविरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) ६। ६६ में संन्यासी को सभी प्राणियों से समान भावना रखने वाला कहा है। वह राग-द्वेष से मुक्त होकर [६। ६०] एकाकी विचरण करता है [३३, ४२]। मनु का संन्यासी के लिए यही विधान है। ७६ वें श्लोक में संन्यासी के प्रियजन और शत्रुओं का वर्णन उस मान्यता के विरुद्ध है। जब मनु-द्वारा वर्णित रूप में व्यक्ति संन्यासी हो गया तो फिर प्रिय या शत्रु का प्रश्न ही नहीं उठता। (२) मनु ने ४। २४० में कर्त्ता को स्वयं कर्मफल का भोक्ता माना है। ७६ वें श्लोक में 'यति द्वारा अच्छे कर्मों को प्रियों के लिए छोड़ने तथा बुरे कर्मों को शत्रुओं के लिए छोड़ने' का वर्णन करना, उक्त मान्यता के विरुद्ध है। इस आधार पर ७६ वां श्लोक प्रक्षिप्त है। पूर्ववर्ती श्लोक क्योंकि प्रसंग की दृष्टि से उससे सम्बद्ध हैं, अतः वे इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त कहायेंगे।

निःस्पृहता से सुख एवं मोक्षप्राप्ति—

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः।

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ ८० ॥ (५२)

(यदा) जब संन्यासी (सर्वभावेषु भावेन निःस्पृहः भवति) सब पदार्थों में अपने भाव से निःस्पृह होता है (तदा) तभी (इह च प्रेत्य शाश्वतं सुखम्—+अवाप्नोति) इस लोक—इस जन्म और मरण पाकर परलोक और मुक्ति में परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर सुख को प्राप्त होता है ॥ ८० ॥

(सं० वि० २००)

“जब संन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में निःस्पृह, कांक्षारहित और सब बाहर-भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त होता है।” (सं० प्र० १३०)

परमात्मा में अधिष्ठान—

ॐ

७२। १४ (५५)

(अनेन विधिना) इस विधि से (शनैः शनैः) धीरे-धीरे (सर्वान् संगान् त्यक्त्वा) सब संग से हुए दोषों को छोड़के (सर्व-द्वन्द्व-विनिर्मुक्तः) सब

ॐ “निरन्तर शब्द का इतना ही अर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के मध्य में दुःख आकर विघ्न नहीं कर सकता।” (सं० वि० २०२, टिप्पणी)

हर्ष-शोकादि द्वन्द्वों से विशेषकर निमुं बत होके (ब्रह्मणि + एव + प्रवतिष्ठते) विद्वान् संन्यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है ॥ ८१ ॥ (सं० वि० २००)

ध्यानिकं सर्वमेवंतद्यदेतदभिज्ञमिदम् ।

न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्क्रियाफलमुपाश्नुते ॥ ८२ ॥ (५४)

(यत् + एतत् + अभिज्ञमिदम्) यह जो कुछ पहले कहा गया है (एतत् सर्वम् + एव ध्यानिकम्) यह सब ही ध्यानयोग के द्वारा सिद्ध होने वाला है (अन् + अध्यात्मवित् कश्चित्) अध्यात्मज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति (क्रियाफलं न हि उपाश्नुते) उपर्युक्त कर्मों के फल को नहीं पा सकता ॥ ८२ ॥

अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च ।

प्राध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत् ॥ ८३ ॥

(अधियज्ञम्) यज्ञ-सम्बन्धी (च) ग्रीर (प्राधिदैविकम्) देवता-सम्बन्धी (च) तथा (वेदान्त + अभिहितं यत् प्राध्यात्मिकम्) वेदों में जो परमात्मा-सम्बन्धी वर्णन है ऐसे (ब्रह्म) वेदमन्त्रों को (सततं जपेत्) निरन्तर जाप किया करे ॥ ८३ ॥

अनुस्यूतः : ८३ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

प्रसंगविरोध—(१) यह श्लोक पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है । ८२ वें श्लोक में ध्यान को संन्यास का आधार बतलाते हुए उपसंहार किया था । इसी प्रकार ८४ में संन्यास का महत्त्व बतलाते हुए उपसंहार है । 'इदम्' शब्द के एकवचनात्मक प्रयोग से ८४ वां श्लोक ८२ वें से जुड़ता है और इस शब्द से 'संन्यास' अर्थ अभिप्रेत है । इस श्लोक ने इस संकेतित सम्बद्धता को भंग कर दिया है । अतः यह प्रसंगविरुद्ध है । (२) संन्यासाश्रम के विधानों के पूर्ण होने के बाद ८१ से ८५ श्लोकों में उसका उपसंहारपूर्वक फल-कथन है । यह प्रसंग ८१ से शुरू है । इस प्रसंग के बीच ८३ वें श्लोक में कर्त्तव्यों का विधान करना अप्रासंगिक है । यदि यह श्लोक मौलिक होता तो विधिवचनों के साथ कर्त्तव्यों के प्रसंग में ८१ वें श्लोक से पहले ही होता । यहां पूर्वापर प्रसंग से भिन्न वर्णन होने के कारण प्रसंगविरोध है । अतः प्रक्षिप्त है ।

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम् ।

इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥ ८४ ॥ (५५)

(इदम् अज्ञानां शरणम्) यही अज्ञानियों का शरण अर्थात् गौण-संन्यासियों और (इदम् + एव विजानताम्) यही विद्वान् संन्यासियों का (इदं स्वर्गम् इच्छताम्) यही सुख की खोज करने वाले, और (इदम् + आनन्त्यम्-

+ इच्छताम्) यही अनन्त^१ सुख की इच्छा करने हारे मनुष्यों का आश्रय है” ॥ ८४ ॥ (सं० वि० २००)^२

“जो विविदिषा अर्थात् जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेवे, वह भी विद्या का अभ्यास, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास और ओंकार का जप और उसके अर्थ परमेश्वर का विचार भी किया करे।” (सं० वि० २००)

अस्तुस्थीतन्न : मोक्षसुख का आश्रय परमात्मा—(१) परमेश्वर मोक्ष सुख और अन्य सुख का आश्रय है, इसका विधायक एक वेदमन्त्र तुलनार्थं द्रष्टव्य है—

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । स्वर्गाय शक्या ॥ ऋ० १।४।३ ॥

अर्थ—“(वयम्) हम लोग (स्वर्गाय) मोक्षसुख के लिए (शक्या) यथायोग्य सामर्थ्य के बल से (देवस्य) परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके, अपने आत्मा को शुद्ध करें कि जिससे (युक्तेन मनसा) अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाशरूप आनन्द को प्राप्त हों।” (ऋ० भू० उपा० विषय)

(२) इसकी संगति वेद से नहीं अपितु परमात्मा से है। परमात्मा ही मोक्षसुख आदि के लिए शरण हो सकता है। टीकाकारों ने इसका जो वेदपरक अर्थ किया है वह प्रसंगानुकूल नहीं है। यहाँ प्रसंग परमात्मा की प्राप्ति का है।

उपसंहार—

अनेन क्रमयोगेन परिस्रजति यो द्विजः ।

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥ (५६)

(अनेन क्रमयोगेन) इस क्रमानुसार संन्यास-योग से (यः द्विजः परिस्रजति) जो द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, संन्यास ग्रहण करता है (तः इह) वह इस संसार और शरीर में (पाप्मानं विधूय) सब पापों को छोड़-छुड़ाके (परं ब्रह्म+अधिगच्छति) परब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ ८५ ॥

(सं० वि० २००)

एष धर्मोऽनुशिष्यो वो यतीनां नियतात्मनाम् ।

वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयत्नं निबन्धितं ॥ ८६ ॥

१. “अनन्त इतना ही है कि मुक्ति-सुख के समय में अन्त अर्थात् जिसका नाश न होवे।” (सं० वि० २०२, टिप्पणी)

२. [प्रचलित अर्थ—वेदार्थ को नहीं जानने वालों के लिए यही वेद शरण (गति) है, (क्योंकि अर्थज्ञान के बिना भी वेदपाठ करने से पावक्षय होता है) और वेदार्थ जानने वालों के लिए स्वर्ग (तथा मोक्ष) चाहने वालों के लिए भी यही वेद शरण (गति) है ॥ ८४ ॥]

(एतः) यह (नियतात्मनां यतीनां धर्मः वः अनुशिष्टः) मन को बश में करने वाले संन्यासियों का धर्म तुमसे कहा, अब (वेदसंन्यासिकानां कर्मयोगं निबोधत) 'वेद-संन्यासियों' के कर्मों को सुनो ॥ ८६ ॥

अनुशीलन : ८६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यह श्लोक प्रसंगविरुद्ध है। इसमें 'वेदसंन्यासियों' के कर्म कहने का संकेत किया है, जबकि इससे अग्रिम श्लोकों में आश्रमधर्म कहने के बाद उनका उपसंहार है। यदि यह श्लोक मौलिक होता तो इससे अगले ही श्लोक से 'वेदसंन्यासियों' के कर्मों का वर्णन प्रारम्भ होना चाहिए था। सारी मनुस्मृति में, संकेत के बाद ही वर्णन किया गया है, यह निश्चित शैली है। किन्तु यहां ऐसा नहीं है। इस प्रकार यह संकेत अप्रासंगिक है, अतः प्रक्षिप्त है।

२. अन्तर्विरोध—(१) मनु ने केवल चार आश्रम माने हैं [६। ८७]। उनका क्रमशः वर्णन करते हुए संन्यासाश्रम के कर्त्तव्य ३३ से ८५ श्लोकों में कहे जा चुके हैं। इस प्रकार चार आश्रम पूर्ण हुए। इस आधार पर 'वेदसंन्यासियों' की पृथक् कल्पना ही मनुविरुद्ध है। (२) यदि 'वेदसंन्यासिक' का अर्थ 'वेदविहित कर्मों को छोड़ने वाले व्यक्ति' किया जाये तो यह माय्यता मनु एवं सम्पूर्ण मनुस्मृति के ही विरुद्ध है। मनु ऐसे व्यक्ति को संन्यासी तो क्या 'द्विज' भी नहीं मानते, उसे शूद्रवत् कहते हैं [२। १४३ (१६८)]। वेद-विहित कर्मों को छोड़ना मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि उन्होंने वेद को ही अपनी स्मृति का आधार माना है। यह 'वेदोक्त कर्मों' को करने के मनु के आदेश के भी विरुद्ध है। [२। १ (२६), ४। १४]।

आश्रम-धर्मों की समाप्ति पर उपसंहार—

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ।

एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥ (५७)

(ब्रह्मचारी गृहस्थः वानप्रस्थः तथा यतिः) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास (एते चत्वारः पृथक् आश्रमाः) ये चारों अलग-अलग आश्रम (गृहस्थप्रभवाः) गृहस्थाश्रम से ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ८७ ॥

आश्रमधर्मों के पालन से मोक्ष की ओर प्रगति—

सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः ।

यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम् ॥ ८८ ॥ (५८)

(एते सर्वे + अपि क्रमशः यथाशास्त्रं निषेविताः) ये सब क्रमानुसार शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार पालन करने पर (यथा + उक्तकारिणं विप्रम्) कर्त्तव्यों का यथोक्त विधि से पालन करने वाले द्विज को (परमां गतिं नयन्ति) उत्तम गति को प्राप्त कराते हैं ॥ ८८ ॥

गृहस्थ की श्रेष्ठता—

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः ।

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेताम्बिभर्ति हि ॥ ८६ ॥ (५६)

(वेद-स्मृतिविधानतः) वेदों और स्मृतियों में कहे अनुसार (एषां सर्वेषाम् + अपि) इन सब आश्रमों में (गृहस्थः श्रेष्ठः उच्यते) गृहस्थ सबसे दायित्वपूर्ण होने से श्रेष्ठ है (हि) क्योंकि (सः) वह (एतान् त्रीन् बिभर्ति) इन तीनों का ही भरण-पोषण करता है अर्थात् उत्पत्ति और जीवनयापन की दृष्टि से ये तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम पर आश्रित हैं ॥ ८६ ॥

अनुवर्णनम् : गृहस्थ कैसे तीन आश्रमों और सबका भरण-पोषण करता है, इसका कारणपूर्वक वर्णन ३।७८, ८० में वर्णित है। ३।७७ में इसको आधार बताया है।

गृहस्थ समुद्रवत् है—

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ ८० ॥ (६०)

(यथा सर्वे नदी-नदाः सागरे संस्थितिं यान्ति) जैसे सब बड़े-बड़े नद और नदी सागर में जाकर स्थिर होते हैं (तथैव) वैसे ही (सर्वे आश्रमिणः) सब आश्रमी (गृहस्थे संस्थितिं यान्ति) गृहस्थ ही को प्राप्त होके स्थिर होते हैं ॥ ८० ॥ (सं वि० १५०)

“जैसे नदी और बड़े-बड़े नद सब तक भ्रमते ही रहते हैं, जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते। वैसे गृहस्थ हो के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता।” (सं प्र० १२२)

अनुवर्णनम् : तुलना के लिए देखिए ३।७७ वां श्लोक।

चतुर्भिरपि चैवैतन्निरयमाधमिभिर्द्विजैः ।

दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ८१ ॥ (६१)

(एतैः चतुर्भिः आश्रमिभिः द्विजैः) इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान-प्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि (प्रयत्नतः) प्रयत्न से (दशलक्षणकः धर्मः सेवितव्यः) दश लक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें ॥ ८१ ॥ (सं प्र० १३०)

धर्म के दश लक्षण—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ८२ ॥ (६२)

पङ्क्ति लक्षण—(धृति) सदा धैर्य रखना, दूसरा—(क्षमा) जो कि निन्दा-स्तुति मान-अपमान, हानि-लाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना; तीसरा—(दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने को इच्छा भी न उठे, चौथा—(अस्तेय) चोरी त्याग अर्थात् बिना आज्ञा वा छल-रूपट, विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से पर-पदार्थ का ग्रहण करना चोरी, और इसको छोड़ देना साहू-कारी कहाती है, पांचवां—(शौच) राग-द्वेष पक्षपात छोड़के भीतर और जल, मृत्तिका, मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी, छठा—(इन्द्रिय-निग्रह) अधर्माचरणों से रोकके इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना, सातवां—(धीः) मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास से बुद्धि बढ़ाना; आठवां—(विद्या) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त यथार्थ ज्ञान और उनसे यथायोग्य उद्धार लेना; सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में बर्तना, इससे विपरीत अविद्या है, नववां—(सत्य) जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना, वैसा ही करना भी; तथा दशवां—(अक्रोध) क्रोधादि दोषों को छोड़के शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना (धर्मलक्षणम्) धर्म का लक्षण है ॥ ६२ ॥ (स० प्र० १३१)

अनुशीलन : धर्म के लक्षणों की विशेष व्याख्या—संस्कार विधि में भी महर्षि दयानन्द ने इस श्लोक को उद्धृत करके इसका भाष्य किया है। वहां उन्होंने 'ग्रहिसा' को भी धर्म का लक्षण मानकर धर्म के ग्यारह लक्षण माने हैं। यहां वे उद्धृत किये जाते हैं—

“धर्मं न्याय नाम, पक्षपात छोड़कर सत्य ही का आचरण और असत्य का सर्वदा परित्याग रखना, इस धर्म के ग्यारह लक्षण हैं—(ग्रहिसा) किसी से वैर बुद्धि करके उसके अनिष्ट करने में कभी न बर्तना, (धृतिः) सुख-दुःख, हानि-लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म को न छोड़ना, किन्तु धैर्य से धर्म में ही स्थिर रहना, (क्षमा) निन्दा स्तुति मानापमान का सहन करके धर्म ही करना (दमः) मन को अधर्म से सदा हटाकर धर्म में ही प्रवृत्त रखना, (अस्तेयम्) मन, कर्म, वचन से अन्याय और अधर्म से पराये द्रव्य का स्वीकार न करना (शौचम्) रागद्वेषादि त्याग से आत्मा और मन का पवित्र और जलादि से शरीर को शुद्ध रखना, (इन्द्रियनिग्रहः) श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों को अधर्म से हटाके धर्म ही में चलाना, (धीः) वेदादि सत्यविद्या, ब्रह्मचर्य, सत्संग करने और कुसंग, दुर्व्यसन, मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना (विद्या) जिससे भूमि से लेके परमेश्वर पर्यन्त का यथार्थ बोध होता है, उस विद्या को प्राप्त होना, (सत्यम्) सत्य मानना, सत्य

बोलना, सत्य करना, (अक्रोधः) क्रोधादि दोषों को छोड़कर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म कहा जाता है. इसका अर्थ और अन्याय पक्षपात सहित भाविरूप अधर्म जो कि हिंसा, वैरबुद्धि, प्रद्वेष, असहन, मन को अधर्म में चलाना, चोरी करना, अपवित्र रहना, इन्द्रियों को न जीतकर अधर्म में चलाना, कुसंग, दुर्व्यसन, मद्यपानादि से बुद्धि का नाश करना, अविद्या जो कि अधर्माचरण अज्ञान है उसमें फँसना, असत्य मानना, असत्य बोलना, क्रोधादि दोषों में फँसकर अधर्मी दुष्टाचारी होना, ये ग्यारह अधर्म के लक्षण हैं, इनसे सदा दूर रहना चाहिए ॥” (सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

दश लक्षणात्मक धर्मपालन से उत्तम गति—

दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्रा समधीयते ।

अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ६३ ॥ (६३)

(धर्मस्य दशलक्षणानि) धर्म के दश लक्षणों का (ये विप्राः) जो द्विज (सम् + अधीयते) अध्ययन-मनन करते हैं (च) और (अधीत्य) पढ़कर-मनन करके (अनुवर्तन्ते) इनका पालन करते हैं (ते) वे (परमां गतिं यान्ति) उत्तम गति को प्राप्ति करते हैं ॥ ६३ ॥

दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः ।

वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा संन्यसेन्नृणो द्विजः ॥ ६४ ॥

(दशलक्षणकं धर्मम् + अनुतिष्ठन्) दशलक्षणों वाले इस धर्म का पालन करते हुए (समाहितः) सावधान होकर (विधिवत् वेदान्तं श्रुत्वा) विधिके अनुसार उपनिषदों की सुनकर (अनृणः द्विजः) तीनों—देव, ऋषि और पितृशृणों से उच्चारण हुआ द्विज (संन्यसेत्) संन्यास धारण करे ॥ ६४ ॥

संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन् ।

नियतो वेदमन्यस्य पुत्रंश्वर्यं सुखं वसेत् ॥ ६५ ॥

(सर्वकर्माणि संन्यस्य) सब घर के कार्यों से मुक्त होकर (कर्मदोषान् + अपानुदन्) कर्मों से उत्पन्न दोषों को दूर करता हुआ (नियतः वेदम् + मन्यस्य) नियम-पूर्वक वेद का अभ्यास करता हुआ (पुत्र-श्वर्यं) पुत्र के द्वारा प्राप्त सुख-साधनों से (सुखं वसेत्) उसके आश्रय में सुखपूर्वक रहे ॥ ६५ ॥

एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः ।

संन्यासेनापहृत्यैनः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ६६ ॥

(एवं कर्माणि संन्यस्य) इस प्रकार सब कार्यों को छोड़कर (स्वकार्यपरमः) अपने कर्तव्यों के पालन में लगा रहकर (अस्पृहः) सभी इच्छाओं से रहित होकर (संन्यासेन एनः अपहृत्य) संन्यास से पाप को नष्ट करके (परमां गतिं प्राप्नोति) द्विज परम गति को प्राप्त कर लेता है ॥ ६६ ॥

अनुशीलन : ६४ से ६६ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्बिरोध—इन श्लोकों में दो गई व्यवस्था मनु की व्यवस्थाओं से विरुद्ध है—(१) ६४ वें श्लोक में धर्म के दश लक्षणों को सुनकर संन्यास लेने का कथन है। पहली बात तो यह है कि इन लक्षणों को सुनकर संन्यास ही क्या लेना? ये तो वे कर्त्तव्य हैं जिनका पालन ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यासी सभी को मृत्युपर्यन्त करना होता है। ६।६१ में यह स्पष्ट शब्दों में ही कहा है, फिर उन्हें सुनकर संन्यास क्या लेना? यह श्लोक ६१ के विरुद्ध जाता है। दूसरी बात यह है कि मनु की व्यवस्था में इन चार आश्रमों से भ्रमण ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, जो इनमें दिखायी है। मनु ने संन्यास का विधान ६।३३—८५ में कर ही दिया है। अतः यह भिन्न प्रकार की व्यवस्था देना मनुविरुद्ध है। (२) मनु ने तो पिछले [३३—८५] श्लोकों में घर एवं सभी 'सङ्गों' (=साथ, मोह, लोभ आदि) को छोड़कर संन्यासी होने को कहा है। अतः इन श्लोकों में धर्म के लक्षण सुनकर संन्यास लेना, घर में रहने की व्यवस्था देना, ऐश्वर्य में रहना आदि बातें पिछले सभी विधानों के विरुद्ध हैं। संन्यासियों की बात तो दूर रही मनु ने तो वानप्रस्थ को भी घर-बार छोड़कर वन में चले जाने का आदेश दिया है [६।१—४]। इस प्रकार मनु की व्यवस्थाओं के विरुद्ध होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

आश्रमधर्मों एवं ब्राह्मण धर्मों का उपसंहार—

एष बोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मं निबोधत ॥ ६७ ॥ (६४)

मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! (एषः चतुर्विधः ब्राह्मणस्य धर्मः) यह चार प्रकार अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है (पुण्यः प्रेत्य अक्षयफलः) यहां वर्तमान में पुण्य-स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात् मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यासधर्म है ॐ (राज्ञां धर्मं निबोधत) इसके आगे राजाओं का धर्म मुझसे सुनो—॥ ६७ ॥ (स० प्र० १३२)

ॐ (अभिहितः) वह कह दिया है.....

अनुशीलन : ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक प्रयोग—इस श्लोक

में ब्राह्मण शब्द का 'ब्राह्मण' अर्थ के साथ-साथ उपलक्षण रूप में प्रयोग है। १।१४४ [२।२५] श्लोक से वर्णाश्रम धर्मों का प्रारम्भ किया है। तदनुसार यहां तक ब्राह्मण वर्ण के सम्पूर्ण धर्म=धार्मिक तथा लौकिक कर्त्तव्य पूर्ण हो गये हैं और साथ-साथ द्विजों के चारों आश्रमों (द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय से पंचम में गृहस्थ और षष्ठ

में वानप्रस्थ और संन्यास) के धर्म भी [६।६१] पूर्ण हो गये हैं। इस प्रकार ब्राह्मण शब्द से क्षत्रिय और वैश्य भी ग्रहण होते हैं।

ब्राह्मण शब्द ग्रहण करने का एक विशेष अभिप्राय यह भी है कि सभी द्विज संन्यासाश्रम में आकर संन्यास के धर्मों को धारण करके ब्रह्मत्व प्राप्त करते हैं। ब्रह्म-प्राप्ति का एक ही उद्देश्य होने से उनके कर्तव्यों में कोई अन्तर नहीं रह जाता। अतः ब्राह्मण शब्द से ही उनका ग्रहण किया है। इन अध्यायों में विभिन्न स्थानों पर द्विज, विप्र शब्दों को ब्राह्मण के पर्यायवाची रूप में भी ग्रहण किया है, यथा २।१५, ६।६१, ६३, ६७ के भाव और शब्दों में प्रयोग है।

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रभारकृतहिम्वी-भाष्यसमन्वितायां अनुशीलन-
समीक्षाविमूखितायाञ्च मनुस्मृतौ वानप्रस्थसंन्यास-
धर्मविषयकः षष्ठोऽध्यायः ॥



अथ सप्तमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाम्यां सहितः]

(राजधर्म विषय)

[७।१ से ६।३३६ तक]

राजा की नियुक्ति एवं सिद्धि (७।१ से ७।३५ तक) —

राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः ।

संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥ (१)

अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात् (राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि) राजधर्मों को कहेंगे कि (यथावृत्तः नृपः भवेत्) जिस प्रकार का राजा होना चाहिए [७।३६-६।३२५] (च) और (तस्य यथा संभवः) जैसे उसका संभव = बनना (च) तथा (यथा परमा सिद्धिः) जैसे उसको परमसिद्धि प्राप्त होवे [७।१—३५] उसको सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ (स० प्र० १३८)

राजा बनने का अधिकारी कौन ?

ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥ (२)

(ब्राह्मं संस्कारं प्राप्तेन क्षत्रियेण) जैसा परम विद्वान् ब्राह्मण होता है वंसा विद्वान्ऽऽ सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि (अस्य सर्वस्य) इस सब राज्य की (परिरक्षणम्) रक्षा (यथान्यायं कर्तव्यम्) न्याय से यथावत् करे ॥ २ ॥ (स० प्र० १३८)

ऽऽ (यथाविधि) पूर्ण विधि के अनुसार अर्थात् उपनयन में दीक्षित होकर समावर्तनकाल तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए.....

राजा बनने की आवश्यकता—

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः ॥ ३ ॥ (३)

(हिं) क्योंकि (अराजके अस्मिन् लोके) राजा के बिना इस जगत् में (सर्वतः भयात् विद्रुते) सब ओर भय व्याकुलता फैल जाने के कारण (अस्य सर्वस्य रक्षार्थम्) इस सब समाज और राज्य की सुरक्षा के लिए (प्रभुः राजानम् + असृजत्) प्रभु ने 'राजा' पद को बनाया है अर्थात् राजा बनाने की प्रेरणा मानवों के मस्तिष्क में दी है ॥ ३ ॥

राजा के आठ विशिष्ट गुण—

इन्द्रानिलयमाकर्णामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥ (४)

यह सभेश राजा (इन्द्र) इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्त्ता (अनिल) वायु के समान सबको प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जानने हारा (यम) यम-पक्षपातरहित न्यायाधीश के समान वर्त्तने वाला (अकर्णाम्) सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अंधकार अर्थात् अविद्या अन्याय का निरोधक (अग्नेः) अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने हारा (वरुणस्य) वरुण अर्थात् बांधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला (चन्द्र-वित्तेशयोः) चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति होवे ॥ ४ ॥ (सं प्र० १४०)

ॐ (शाश्वतीः मात्रा निर्हृत्य च) इनकी स्वाभाविक मात्राओं = गुणों के अंशों का सार लेकर ईश्वर ने 'राजा' के व्यक्तित्व का निर्माण किया है। ('च' से पूर्वश्लोक के 'राजानम् असृजत्' क्रिया को अनुवृत्ति है) ।

अनुष्ठीतन्त्र : राजा के आठ विशिष्ट गुणों की व्याख्या—

(क) महर्षि मनु ने इस श्लोक में कहा है कि राजा को आठ विशिष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए। जैसे निम्न आठ ईश्वरीय दिव्यशक्तियों का कार्य या स्वभाव है, वैसे ही राजा का स्वभाव और आचरण होना चाहिए। मनु ने ६। ३०३ से ३११ श्लोकों में स्वयं इन गुणों की व्याख्या की है, जो निम्न प्रकार है—

(१) इन्द्र [= वृष्टिकारक शक्ति] जैसे भरपूर जल बरसाकर जगत् का तृप्त करता है, वैसे राजा अपनी प्रजाओं को सुख-सुविधाएं, ऐश्वर्य प्रदान करे। उनकी कामनाओं को पूर्ण कर संतुष्ट रखे [६। ३०४]। इदि परमैश्वर्ये भ्वादि धातु से 'अजेन्द्रान्वबज्र' (उणादि २।२८) सूत्र से 'रत् प्रत्यय के योग से 'इन्द्र' शब्द सिद्ध होता है। 'इन्द्रते वा ऐश्वर्यकर्मणः' (निरुक्त १०।८) = ऐश्वर्यप्रदाता होने से इन्द्र कहलाता है। ७। ७ में इसके पर्यायवाची रूप में 'महेन्द्र' का प्रयोग है।

(२) वायु—जैसे सब प्राणियों, स्थानों में प्रविष्ट होकर विचरण करता है, उसी प्रकार राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रविष्ट होकर सब स्थानों की, अपनी तथा शत्रु की प्रजाओं की बातों की जानकारी रखनी चाहिए [६।३०६]। [वायुः=वा गतिगन्धनयोः अदादि धातु 'कृवापाजि०' (उणादि १।१) सूत्र से 'उः' प्रत्यय। 'वायु-वतिर्वत्सेर्वा स्वाद्य गतिकर्मणः' [निरु० १।१५]]। ६।३०६ में 'मारुत' का प्रयोग है।

(३) यम [= ईश्वर की मारक या नियन्त्रक शक्ति] जैसे कर्मफल का समय आने पर प्रिय और शत्रु सबको धर्मपूर्वक अर्थात् न्यायानुसार दण्डित करता है या मारता है, उसी प्रकार राजा को भी अपराध करने पर प्रिय, शत्रु, सभी प्रजाओं को न्यायपूर्वक दण्ड देना चाहिए और उनको अपने नियन्त्रण में रखना चाहिए [६।३०७]। ७।७ में यम ने यम का 'धर्मराट्' पर्यायवाची ग्रहण किया है। धर्म अर्थात् न्यायपूर्वक शासन करने वाला 'धर्मराट्' होता है। ['यमु उपरमे' भ्वादि धातु से कर्त्तरि पचाद्यच्। 'यमः यच्छतीति सतः' (निरु० १०।१६)]।

(४) अर्क=सूर्य जैसे अपनी किरणों द्वारा बिना संतप्त किये जलग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा को कष्ट और हानि पहुँचाये बिना [७।१२८-१२९] कर ग्रहण करे [६।३०५]। [अर्क-पूजायाम् भ्वादि धातु से 'कृवाधारार्थकलिभ्यः कः' (उणादि ३।४०) सूत्र से 'कः' प्रत्यय]। ६।३०५ में पर्यायवाची रूप में 'आदित्य' का प्रयोग है।

(५) अग्नि—जैसे अग्नि अशुद्धि का नाश करके शुद्धि करने वाली होती है और तेजयुक्त होती है, उसी प्रकार राजा अपराध, हानि एवं दुष्टता करने तथा प्रजा को पीड़ित करने वालों को प्रभावशाली ढंग से संतापित करने वाला एवं दण्ड से सुधारने वाला होवे [६।३१०]। [अग्नि-गतौ धातु से 'अङ्गेर्नलोपइच्' (उणादि ४।५०) सूत्र से 'निः' प्रत्यय, नि लोप।]

(६) वरुण=जल जैसे अपने तरंग या भँवररूपी पाश में प्राणियों को फंसा लेता है, उसी प्रकार राजा अपराधियों और शत्रुओं को बन्धन या कारागार में डाले [६।३०८]। [वृज्-वरणे स्वादि धातु से 'कृवाधारिभ्य उनच्' (उणादि ३।५३) सूत्र से 'वृज्' प्रत्यय]।

(७) अश्व—जैसे अश्व शीतलता प्रदान करता और पूर्णिमा के चांद को देखकर जैसे हृदय में प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार राजा प्रजाओं को शान्ति तथा प्रसन्नता प्रदान करने वाला होवे। उसे राजा के रूप में पाकर प्रजा को हर्ष का अनुभव हो [६।३०९]। [चदि आह्लादने दीप्ती च भ्वादिधातु से 'स्फायितञ्जिबञ्जि०' (उणादि २।१३) सूत्र से 'रक्' प्रत्यय।] ७।७ में 'सोम' पर्यायवाची है।

(८) वित्तेश अर्थात् धनाढ्य। ७।७ में कुबेर और ६।३११ में इसके पर्याय-

वाची के रूप में 'धरा' 'पृथ्वी' शब्दों का ग्रहण है। जैसे धरती या धनस्वामी परमेश्वर समान भाव से सब प्राणियों का पालन-पोषण करते हैं, उसी प्रकार राजा पक्षपातरहित होकर समानभाव से प्रजाओं का पुत्रवत् पालन करे [६। ३११]

(ख) वेद में राजा के आठ गुणों का वर्णन—

मनु के इस विधान का आधार वेद है। राजा के ये गुण भी वेदमन्त्रों के आधार पर ही वर्णित किये हैं। द्रष्टव्य है एक मंत्र—

सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि ।

तवाहमद्य मघधन्नुपस्तुतो घातविघातः कलशा अभक्षयम् ॥

(ऋ० १०। १९७। ३)

अर्थ—(राज्ञः सोमस्य वरुणस्यधर्मणि) राजा=अग्नि, सोम=चन्द्रमा, और वरुणस्य=जल के धर्म में (उ) तथा (बृहस्पतेः अनुमत्या शर्मणि) बृहस्पति=सूर्य, अनुमत्या=लक्ष्मी अर्थात् वित्तेश या धरा के आश्रय में (मघधन् ! घात ! विघात !) और हे इन्द्र ! हे वायु ! हे यम ! (अहम् अद्य तव उपस्तुतो) मैंने तुम्हारी उपस्तुति=साग्निध्व में रहकर, तुम्हारे गुणों का धारण करके (सोमकलशान् अभक्षयम्) ऐश्वर्य कलशों अर्थात् राज्यैश्वर्यों का सेवन किया है। अभिप्राय यह है कि इन गुणों के अंशों को धारण करके तदनुसार आचरण से राज्यसंचालन में सफलता प्राप्त की है।

राजा दिव्यगुणों के कारण प्रभावशाली—

यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राम्यो निर्मितो नृपः ।

तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५ ॥ (५)

(यस्मात्) क्योंकि (एषां सुरेन्द्राणाम्) इन [७।४] शक्तिशाली इन्द्र आदि दिव्यशक्तियों के (मात्राम्यः) सारभूत गुणरूपी अंश से (नृपः निर्मितः) 'राजा' पद को बनाया है (तस्मात्) इसीलिए (एषः) यह राजा (तेजसा) अपने तेज=शक्ति प्रभाव से (सर्वभूतानि अभिभवति) सब प्राणियों को वशीभूत एवं पराजित रखता है ॥ ५ ॥

(एषः) जो (आदित्यवत्) सूर्यवत् प्रतापी (मनांसि) सबके बाहर और भीतर मनो को (तपति) अपने तेज से तपाने हारा है (एनं भुवि) जिसको पृथिवी में (अभिबीक्षितुम्) कड़ी दृष्टि से देखने को (कश्चित्+अपि न शक्नोति) कोई भी समय नहीं होता ॥ ६ ॥ (स० प्र० १४१)

ॐ (च चक्षुषि) और देखने वालों की आंखों को.....

अनुशीलन : राजा में तेजस्विता, प्रभावशालिता आदि गुण होने चाहिए। इन गुणों से युक्त होकर राजा सफल एवं प्रजाओं पर प्रभावी रहता है।

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।

स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥ (७)

(सः) वह राजा (प्रभावतः) अपने प्रभाव=सामर्थ्य के कारण (अग्निः) अग्नि के समान दुष्टों=अपराधियों का विनाश करने वाला (च) और (वायुः) वायु के समान गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र गतिशील होकर प्रत्येक स्थिति की जानकारी रखने वाला (अर्कः) सूर्य द्वारा किरणों से जलग्रहण करने के समान कष्टरहित कर=टैक्स ग्रहण करने वाला (सोमः) चन्द्रमा के समान शान्ति—प्रसन्नता देने वाला (धर्मराट्) न्यायानुसार दण्ड देने वाला (कुबेरः) ऐश्वर्यप्रद परमेश्वर के समान समभाव से प्रजा का पालन करने वाला (वरुणः) जलीय तरंगों या भंडरों के समान अपराधियों और शत्रुओं को बन्धनों या कारागार में डालने वाला और (सः) वही (महेन्द्रः) वर्षाकारक शक्ति इन्द्र के समान सुख-सुविधा का वर्णक=प्रदाता (भवति) है ॥ ७ ॥

“और जो अपने से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म, प्रकाशक, धन-वर्द्धक, दुष्टों का बन्धनकर्ता, बड़े ऐश्वर्य वाला हो वही सभाध्यक्ष सभेश होने योग्य होवे।” (स० प्र० १४१)

अनुशीलन : इन शब्दों की व्याख्या मनु ने स्वयं की है। देखिए ७।४ की समीक्षा तथा ६।३०३—३११ श्लोक।

राजा की अवमानना न करें—

बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥

(भूमिपः बालः+पि) राजा यदि बालक भी हो तो भी (मनुष्य+इति न+पि) भी—सबसे कम से कम कर उसका अपमान नहीं करता चाहिए (ति) तिष्ठति—बैठा रहता है (नररूपेण तिष्ठति) वह एक बड़ी देवी-शक्ति विद्यमान है ॥ ८ ॥

एकमेव बह्मत्यग्निर्नरं दुरुपसर्पिणम् ।

कुलं बहति राजाग्निः सपशुब्रह्मसंचयम् ॥ ९ ॥

(अग्निः) प्रायः तो (दुरुपसर्पिणम्) असावधानी से उसके पास जाने वाले (एकं नरम् एव बहति) अकेले उस प्रादमी को ही जलाती है, किन्तु (राजाग्निः) राजा की

क्रोधाग्निं तो (सपशु-द्रव्य-संचयं कुलं दहति) पशु, सम्पत्ति-सहित सम्पूर्णं कुल को ही जला देती है ॥ ६ ॥

कार्यं सोऽवेक्ष्य शक्तिं च देशकालौ च तत्त्वतः ।

कुरुते धर्मसिद्धयर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १० ॥

(सः) वह राजा (कार्यं शक्तिं च देशकालौ) कार्य, शक्ति और देश तथा समय का (तत्त्वतः अवेक्ष्य) ठीक-ठीक विचार करके (धर्मसिद्धयर्थम्) धर्म की सिद्धि के लिए—धर्म=कानून का रक्षण एवं पालन कराने के लिए (पुनः पुनः विश्वरूपं कुरुते) बार-बार नाना प्रकार के रूप [७।७ में उक्त] धारण करता है ॥ १० ॥

यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्च पराक्रमे ।

मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वं तेजोमयो हि सः ॥ ११ ॥

(यस्य) जिस राजा के (प्रसादे) प्रसन्न होने में (पद्मा) लक्ष्मी (च) और (पराक्रमे विजयः) पराक्रम में विजय (च) और (क्रोधे मृत्युः वसति) क्रोध में मौत बसती है (सः) वह राजा (सर्वं तेजोमयः हि) सर्वप्रकार के तेज से युक्त है ॥ ११ ॥

तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्स विनश्यत्संशयम् ।

तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥

(तम्) उस राजा को (यः तु) जो भी कोई (संमोहात्) अज्ञानवश (द्वेष्टि) द्वेष करता है (सः) वह व्यक्ति (प्रसंशयं विनश्यति) निःसंदेह विनाश को प्राप्त हो जाता है (हि) क्योंकि (राजा) राजा (तस्य विनाशाय) उसके विनाश के लिए (आशु मनः प्रकुरुते) शीघ्र ही मन लगाता है ॥ १२ ॥

अनुशीलनम् : ८-१२ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—ये पाँच श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं। ७ वें श्लोक में राजा के विशेष गुण बताये हैं, और १३ वें में फिर यह कहा है कि 'इसलिए उसके द्वारा नियत धर्म का पालन करे।' इस प्रकार १३ वाँ श्लोक ७ वें से सम्बद्ध है, और ७ वें का भाव १३ वें में पूर्ण होता है। बीच में इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग की सम्बद्धता को भंग कर दिया है और राजा के स्वभाव से सम्बद्ध पूर्वापर प्रसंग से असम्बद्ध वर्णन किया है। अतः ये प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में राजा को उसके व्यक्तिगत स्वभाव के आधार पर लक्ष्मीदायक और मृत्युकारक वर्णित करते हुए उसके विनाशक रूप का वर्णन है। यह वर्णन मनु के वर्णन से मेल नहीं खाता। मनु व्यक्तिगत आधार पर नहीं, अपितु धर्म और अधर्म के आधार पर राजा को न्यायानुसार उचित दण्ड का विधान करते हैं

[७। २, १६, २६, २७, २८, ६, ३४६, ३०७, ३११], अनुचित दण्ड का निषेध करते हैं। [७। ४८, ५१] अतः ये मनु की मान्यताओं के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु स व्यवस्थेन्मराधिपः ।

अमिष्टं चाप्यमिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत् ॥ १३ ॥ (८)

(तस्मात्) इसलिए (सः नराधिपः) वह राजा (यं धर्मम्) जिस धर्म अर्थात् कानून का (इष्टेषु व्यवस्थेत्) पालनीय विषयों में निर्धारण करे (च) और (अमिष्टेषु अपि अमिष्टम्) अपालनीय विषयों में जिसका निषेध करे (तं धर्मं न विचालयेत्) उस धर्म अर्थात् कानून का उल्लंघन न करे ॥ १३ ॥

दण्ड की सृष्टि और उपयोग विधि—

तस्यार्थं सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम् ।

ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमोश्वरः ॥ १४ ॥ (९)

(तस्य + अर्थे) उस राजा के लिए (पूर्वम्) सृष्टि के प्रारम्भ में ही (ईश्वरः) ईश्वर ने (सर्वभूतानां गोप्तारम्) सब प्राणियों की सुरक्षा करने वाले (ब्रह्मतेजोमयम्) ब्रह्मतेजोमय अर्थात् शिक्षाप्रद और अपराधनाशक गुण वाले (धर्ममात्मजम्) धर्मस्वरूपात्मक (दण्डम् + असृजत्) दण्ड [= सजा] को रचा अर्थात् दण्ड देने की व्यवस्था का विधान किया ॥ १४ ॥

तस्य सर्वाणि भूतानि स्यावराणि चराणि च ।

भयाद्भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान् चलन्ति च ॥ १५ ॥

(तस्य भयात्) उस दण्ड के भय से ही (सर्वाणि) सब (स्यावराणि च चराणि भूतानि) स्यावर और जङ्गम प्राणी (भोगाय कल्पन्ते) भोगों को भोगने के लिए समर्थ होते हैं (च) और (स्वधर्मान् न चलन्ति) अपने धर्म से विचलित नहीं होते ॥ १५ ॥

अनुशीलन : १५ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. विषयविरोध—७। १, १४ श्लोकों के विषय-संकेत के अनुसार यहां राजा का धर्म विहित है और तदनुसार प्रजाओं के लिए दण्ड-विधान अभीष्ट है। ईश्वरीय दण्ड का वर्णन उक्त विषय के विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।

२. प्रसंगविरोध—पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। पूर्वापर चर्चा राजा द्वारा प्रजा को दिये जाने वाले दण्ड एवं उसके प्रभाव की है। १४ वें श्लोक में “तस्यार्थं” कहकर स्पष्टतः राजा के लिए दण्ड का कथन विहित है, और १६ वें में स्पष्टतः “अभ्याध-वर्तिषु” पद का प्रयोग करके कहा है कि उसे अन्यायी प्रजाओं में करे। बीच में स्यावरो

के लिए दण्ड का वर्णन पूर्वपर प्रसंगविरुद्ध है। १६ वें के 'तम्' पद से भी इस श्लोक का प्रसंग १४ वें से जुड़ता है, १५ वें के फलप्रदर्शन से नहीं। अतः यह प्रक्षिप्त है।

तं वैशकाली शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तरवतः ।

यथार्हतः संप्रणयेन्मन्त्रेऽन्यायवर्तिषु ॥१६॥ (१०)

(देशकाली शक्ति च विद्याम्) देश, समय, शक्ति और विद्या अर्थात् अपराध के अनुसार उचित दण्ड का ज्ञान, इन बातों को (तत्त्वतः अवेक्ष्य) ठीक-ठीक विचार कर (अन्यायवर्तिषु) अन्याय का आचरण करने वाले (नरेषु) लोगों में (तम्) उस दण्ड को (यथार्हतः संप्रणयेत्) यथायोग्य रूप में प्रयुक्त करे ॥ १६ ॥

दण्ड का महत्त्व —

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥१७॥ (११)

(सः दण्डः पुरुषः राजा) जो दण्ड है वही पुरुष, राजा (सः नेता) वही न्याय का प्रचारकर्त्ता (च) और (शासिता) सब का शासनकर्त्ता (सः) वही (चतुर्णाम्+आश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः) चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जामिन् [=जिम्मेदार] है ॥ १७ ॥ (स० प्र० १४१)

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वादण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ १८ ॥ (१२)

वास्तव में (दण्डः सर्वाः प्रजाः शास्ति) दण्ड=दण्डविधान ही सब प्रजाओं पर शासन रखता है, (दण्डः+एव) दण्ड ही (अभिरक्षति) प्रजाओं की सब ओर से [दुष्टों आदि से] रक्षा करता है (सुप्तेषु) सोते हुई प्रजाओं में (दण्डः जागति) दण्ड ही जागता रहता है अर्थात् प्रमाद और एकान्त में होने वाले अपराधों के समय दण्ड का ध्यान ही उन्हें भयभीत करके उनमें रोकता है, दण्ड का भय एक ऐसा भय है जो सोते हुए भी बना रहता है, इसीलिए (बुधाः) बुद्धिमान् लोग (दण्डं धर्मं विदुः) दण्ड=दण्डविधान को राजा का प्रमुख धर्म मानते हैं ॥ १८ ॥

“वही दण्ड प्रजा का शासनकर्त्ता, सब प्रजा का रक्षक है। सोते हुए प्रजास्थ जनों में जागता है, इसीलिए बुद्धिमान् लोग दण्ड को ही धर्म कहते हैं।” (स० प्र० १४१)

“और जैसा विद्वान् लोग दण्ड ही को धर्म जानते हैं, वैसा सब लोग

जानें। क्योंकि दण्ड ही प्रजा का शासन अर्थात् नियम में रखने वाला, दण्ड ही सब का सब और से रक्षक, और दण्ड ही सोते हुआ में जागता है। चोरादि दुष्ट भी दंड ही के भय से पाप कर्म नहीं कर सकते” ॥

(सं० वि० १५२)

न्यायानुसार दण्ड ही हितकारी—

समीक्ष्य स धृतः सम्यक्सर्वा रञ्जयति प्रजाः ।

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १६ ॥ (१३)

(सम्यक् समीक्ष्य धृतः) जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाये तो (सः) वह (सर्वाः प्रजाः रञ्जयति) सब प्रजा को आनन्दित कर देता (असमीक्ष्य प्रणीतः तु) और जो बिना विचारे चलाया जाये तो (सर्वतः विनाशयति) सब और से राजा का विनाश कर देता है ॥ १६ ॥

(सं० प्र० १४१)

यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः ।

शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन् दुर्बलान्बलवत्तराः ॥ २० ॥

(यदि राजा) यदि राजा (अतन्द्रितः) आलस्य छोड़कर अर्थात् सावधानी से (दण्ड्येषु दण्डं न प्रणयेत्) दण्ड के अधिकारी अपराधियों में दण्ड का प्रयोग न करे तो (बलवत्तराः) अधिक शक्तिशाली लोग (दुर्बलान्) दुर्बल लोगों को (शूले मत्स्यान् + इव) जैसे लोहे की सीक में मछलियों को भूनते हैं ऐसे (अपक्ष्यन्) भून डालें अर्थात् जीवित ही न रहने दें ॥ २० ॥

अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिङ्गाद्विस्तरा ।

स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिद्विषत्प्रवर्ततेऽपरोत्तरम् ॥ २१ ॥

और—(काकः पुरोडाशम् अद्यात्) कीबे पुरोडाश = यज्ञ के लिए निमित्त अन्न की आहुति को खा जायें अर्थात् धूर्त और बदमाश लोग श्रेष्ठों की सम्पत्ति को हड़पलें (च) तथा (श्वा हविः लिङ्गात्) कुत्ते हवि को चाट जायें अर्थात् दुष्ट लोग सब धर्मों को नष्ट-भ्रष्ट कर दें (च) और (कस्मिद्विषत् स्वाम्यं न स्यात्) किसी का किसी चीज पर अधिकार न रहे (अपरो + उत्तरं प्रवर्तते) सब अस्तव्यस्त हो जाये = सब मर्यादायें भंग हो जायें ॥ २१ ॥

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिनरः ।

दण्डस्य हि मयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्पते ॥ २२ ॥

(सर्वः लोकः दण्डजितः) सब लोग दण्ड के वशीभूत होकर ही कर्तव्यों का पालन करते हैं (हि) क्योंकि (शुचिः नरः दुर्लभः) स्वाभाविक रूप से पवित्र अर्थात् ईमानदारी

से स्वयं ही कर्तव्यों का पालन करने वाले लोग दुर्लभ—विरले ही होते हैं (दण्डस्य हि भयात्) दण्ड के भय से ही (सर्वं जगत्) सब लोग (भोगाय कल्पन्ते) कर्तव्यों को पालन करने के लिए और दण्डों को भोगने के लिए उद्यत होते हैं ॥ २२ ॥

देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतंगोरगाः ।

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥ २३ ॥

(देव-दानव-गन्धर्वाः) देव, दानव, गन्धर्व (रक्षांसि पतंग-उरगाः) राक्षस, पक्षी, सांप (ते + अपि) वे सब भी (दण्डेन + एव निपीडिताः) दण्ड के डर से भयभीत होकर ही (भोगाय कल्पन्ते) अपने भोगों को भोगने के लिए उद्यत होते हैं ॥ २३ ॥

अनुयातव्यः : २० से २३ तक श्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—७। १, १४ श्लोकों के अनुसार प्रस्तुत विषय राजा द्वारा प्रजाओं को दिये जाने वाले दण्ड और उसके परिणामों का है। २२, २३ वें श्लोकों में वर्णित जगत्, मछली, पक्षी, सर्प आदि राजा के विषयान्तर्गत नहीं आते। यहां ईश्वरीय दण्ड का कथन विषयविरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।

२. प्रसंगविरोध—(१) २४ वां श्लोक १६ वें के 'असमीक्ष्य' का अर्थवादरूप है। श्लोक १८ में दण्ड का महत्त्व बतलाते हुए १६ में उसे विचार और न्यायपूर्वक देने का कथन है, और अविचारपूर्वक देनेसे २४ वें में उसकी हानियों का वर्णन है। इस प्रकार १६ और २४ वें श्लोक की वाक्यात्मक संगति है। बीच के २०-२३ श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है, अतः ये मौलिक नहीं हैं। (२) दण्ड के अभाव में होने वाली अव्यवस्थाओं के वर्णन का प्रसंग १८ तक वर्णित हो चुका, पुनः १६ के बाद फिर उन्हीं का वर्णन उठाना प्रसंगविरुद्ध है। इस कारण भी ये मौलिक नहीं सिद्ध होते।

दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः ।

सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् ॥ २४ ॥ (१४)

(सर्ववर्णाः दुष्येयुः) बिना दण्ड के सब वर्ण दूषित (च) और (सर्व-सेतवः भिद्येरन्) सब मर्यादाएँ छिन्न-भिन्न हो जाएँ (दण्डस्य विभ्रमात्) दण्ड के यथावत् न होने से (सर्वलोकप्रकोपः भवेत्) सब लोगों का प्रकोप [=आक्रोश] हो जावे ॥ २४ ॥ (सं० प्र० १४१)

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।

प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ २५ ॥ (१५)

(यत्र) जहां (श्यामः लोहिताक्षः पापहा) कृष्णवर्ण, रक्तनेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने द्वारा (दण्डः चरति) दण्ड विचरता है (तत्र प्रजाः न मुह्यन्ति) वहां प्रजा मोह को प्राप्त न हो के आनन्दित होती

हैं (नेता साधु पश्यति चेत्) परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहित विद्वान् हो तो ॥ २५ ॥ (सं प्र० १४१)

अनुशीलन : दण्ड का प्रालंकारिक चित्र—दण्ड का इस श्लोक में प्रालंकारिक वर्णन के आधार पर रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया है। जैसे कोई कासे रंग का ग्रीर क्रोधयुक्त लाल आँखों वाला व्यक्ति भयकारी प्रतीत होता है, उसी प्रकार दण्ड भी भयकारक है, ग्रीर अपराधियों-पापियों को क्रोधान्नि में जला देने वाला होता है। उसके भयंकर रूप का ध्यान करके ही प्रजाएं अपने कर्तव्यों में प्रमाद नही करतीं। किन्तु वह तब है जब राजा पक्षपातरहित होकर अपराधियों को न्यायानुसार ग्रीर अवश्य दण्डित करे।

दण्ड देने का अधिकारी राजा कौन—

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।

समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ २६ ॥ (१६)

(तस्य संप्रणेतारं राजानम् आहुः) उस दण्ड को अच्छे प्रकार चलाने हारे उस राजा को कहते हैं कि (सत्यवादिनं समीक्ष्यकारिणम्) जो सत्यवादी, विचार ही करके कार्य का कर्ता (प्राज्ञम्) बुद्धिमान् विद्वान् (धर्म-काम-अर्थ-कोविदम्) धर्म, काम और अर्थ का यथावत् जानने हारा हो ॥ २६ ॥ (सं वि० १५२)

“जो उस दण्ड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार के करने हारा, बुद्धिमान्, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है, उसी को उस दण्ड का चलाने हारा विद्वान् लोग कहते हैं” । (सं प्र० १४२)

अनुशीलन : धर्म, अर्थ और काम का स्वरूप—धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष का शास्त्रों में बहुशः वर्णन आता है। यहां इन्हें कुछ विस्तार से स्पष्ट करना लाभप्रद रहेगा। इन्हें ‘पुरुषार्थचतुष्टय’ के नाम से भी जाना जाता है। धर्म-अर्थ-काम के वर्ग को ‘त्रिवर्ग’ कहते हैं।

(१) धर्म का स्वरूप—‘धारणात् धर्मः’ ‘अप्रियते अनेन लोकः इति’ व्युत्पत्तियों के अनुसार प्रत्येक धारण किया जाने वाले सदाचरण, श्रेष्ठ विधान या समाज-व्यवस्था को धर्म कहा जाता है। मनुस्मृतिकार मुख्यरूप से “यतो अश्रुदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः” (वैशे० १।१।२) अर्थात् जिसके आचरण करने से उत्तम सुख, आत्मिक-मानसिक-शारीरिक त्रिविध उन्नति और मोक्षसुख की प्राप्ति हो, उसको धर्म मानते हैं। विभिन्न श्लोकों में मनु ने इन साम्यताओं को स्पष्ट किया है [४।२३८, २३९, १५६, २४२, १७५, २२७ ॥६।६२॥ २।९ (१।१२८)] आदि। इस सम्बन्धी विस्तृत विवेचन १।२ की समीक्षा में देखिए।

- (२) काम—कामनाओं की पूर्ति, कामविकारों की शान्ति, (जो धर्मपूर्वक हो)
 (३) अर्थ—धन और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, (जो धर्मपूर्वक हो)
 (४) मोक्ष—जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा पाकर मुक्ति की स्थिति में रहना।

धर्म प्रत्येक स्थिति में स्वीकार्य और पालनीय होता है और मोक्षप्राप्ति भी सबका परम उद्देश्य है, किन्तु काम और अर्थ के विषय में छूट नहीं है, अपितु मनु ने उन्हें सीमित और विहितरूप में ही ग्राह्य माना है। वे ही अर्थ और काम ग्राह्य हैं जो धर्मानुकूल हैं, अन्य त्याज्य हैं—

(क) “परित्यजेज्जर्थाकामो यो स्यात्तां धर्मवर्जितौ” । ४ । १७६ ॥

== धर्म से रहित अर्थ और काम असेवनीय हैं।

(ख) “अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।” [१ । १३२ (२ । १३)]

== अर्थ और काम में आसक्ति न रखने वाले व्यक्ति को ही धर्म का ज्ञान एवं सिद्धि प्राप्त होती है।

(ग) अर्थसिद्धि के नियम—

मेहेतार्यान् प्रसंगेन न विद्वेजेन कर्मणा ।

न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्मानमपि यतस्ततः ॥ ४ । १५ ॥

(घ) कामसिद्धि की सीमाएं—

इन्द्रियायुषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।

अतिप्रसक्तिं चेतेशां मनसा संनिवर्तयेत् ॥ ४ । १६ ॥

धर्मानुकूल काम और अर्थ कौनसे हैं, इसकी मनु ने विभिन्न स्थानों पर चर्चा भी की है। अन्यत्र भी इस प्रकार की सीमाएं विहित हैं—

(ङ) काम-संतुष्टि के विषय में मनु ने प्रत्येक मनुष्य और राजा को जितेन्द्रिय रहते हुए कामसेवन का विधान किया है [७ । ४४]। ऋतुकालाभिगामी होने का निर्देश है। ऐसे नियम का पालन करने वाला ब्रह्मचारी ही होता है [३ । ४५, ५०]। अति-कामासक्ति का निषेध है, क्योंकि वह हानिकारक है [७ । २७, ४८]। एक सीमा में ही कामसिद्धि होनी चाहिए।

(च) इसी प्रकार धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति भी धर्मपूर्वक ही रखनी चाहिए। इस विषय में सालची न होने का निर्देश है [७ । ४६], क्योंकि अर्थसालची व्यक्ति के धर्म आदि सब समूल नष्ट हो जाते हैं। अर्थ-शुचिता को मनु ने जीवन में आवश्यक माना है [५ । १०६]। इसीलिए अर्थप्राप्ति के लिए साधारण व्यक्तियों की भी सीमा बांधी है, और कहा है कि वह संतोषपूर्वक दूसरे प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाते

हुए अर्थप्राप्ति करें [४। २, ३, ११, १२]। राजाओं के लिए भी अर्थसंग्रह के लिए समुचित निर्देश ७। १२७-१२९, १३९; ९। ३०५ में दिये हैं।

इन धर्मादि की सिद्धि के आवश्यक नियमों-विधानों के ज्ञाता को और तदनुसार आचरण करने वाले को 'धर्मकामार्थकोविद' कहा जाता है। इनकी प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और इनकी सिद्धि होना मनुष्य जीवन की सफलता और सुख का प्रतीक माना जाता है।

अन्यायपूर्वक दण्डप्रयोग राजा का विनाशक—

तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्धते ।

कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ २७ ॥ (१७)

(तं सम्यक् राजा प्रणयन्) जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है (त्रिवर्गेण+अभिवर्धते) वह धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो (कामात्मा) विषय में लंपट (विषमः) टेढ़ा, ईर्ष्या करने वाला (क्षुद्रः) क्षुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है (दण्डेन+एव निहन्यते) वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥ २७ ॥ सं० प्र० १४२)

अनुशीलन : 'विषमः' का अभिप्राय—'विषमः' से इस श्लोक में 'न्याय में ईर्ष्या आदि के कारण असमान बतवि अर्थात् पक्षपात' करने से अभिप्राय है। पक्षपातयुक्त दण्डव्यवस्था होने से राजा का विनाश हो जाता है।

दण्डो हि सुमहतेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः ।

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबाधवम् ॥ २८ ॥ (१८)

(दण्डः हि सुमहत् तेजः) दण्ड बड़ा तेजोमय है (अकृतात्मभिः दुर्धरः) उसको अविद्वान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता (धर्मात् विचलितं नृपम्+एव) तब वह दण्ड धर्म से रहित राजा ही का ❀ (हन्ति) नाश कर देता है ॥ २८ ॥ (सं० प्र० १४२)

❀ (सबाधवम्) कुलसहित.....

ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् ।

अन्तरिक्षगताश्चैव मुनीन्वेवाश्च पोडयेत् ॥ २९ ॥

(ततः) उसके बाद वह दण्ड (दुर्गं राष्ट्रं च सचराचरं लोकम्) किला, देश और चराचर जगत् को (च) तथा (अन्तरिक्षगतान् मुनीन् च देवान्) अन्तरिक्ष में रहने वाले मुनियों और देवों को (पोडयेत्) नष्ट कर देता है ॥ २९ ॥

अनुशीलन : २९ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वापर श्लोकों में राजा द्वारा प्रजा को दिये जाने वाले दण्ड की चर्चा है। २६ वें श्लोक में राजा से असम्बद्ध दण्ड का वर्णन पूर्वापर चर्चा से भिन्न होने के कारण प्रसंगविरुद्ध है। (२) श्लोकों में प्रयुक्त पदों से भी २८ और ३० श्लोकों की ही परस्परसम्बद्धता सिद्ध होती है। २८ वें में “दण्डी हि सुमहत् तेजः” प्रयोग है, तदनुसार ३० वें में “सः असहायेन.....” का प्रयोग है। बीच में २६ वें श्लोक ने इस भाषा की सम्बद्धता को भी भंग कर दिया है, और उसके “तत्.....पीडयेत्” से ३० वें के प्रयोग का सम्बन्ध भी नहीं जुड़ता।

२. विषयविरोध—चराचर के पदार्थों पर दण्ड का प्रभाव राजा के विषयान्तर्गत नहीं है, यह ईश्वरीय दण्ड के प्रभाव का वर्णन विषय-विरुद्ध है (विस्तृत समीक्षा ७। २३ पर ‘विषयविरोध’ में देखिए)।

सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥ (१६)

(असहायेन मूढेन) जो राजा उत्तम सहायरहित, मूढ़ (लुब्धेन) लोभी (प्रकृतबुद्धिना) जिसने ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मों से विद्या और बुद्धि की उन्नति नहीं की (विषयेषु सक्तेन) जो विषयों में फंसा हुआ है (सः) उससे वह दण्ड (न्यायतः नेतुं न शक्यः) कभी न्यायपूर्वक नहीं चल सकता ॥ ३० ॥
(सं० वि० १५३)

“क्योंकि जो आप्तपुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों में ग्रासवत् मूढ़ है, वह न्याय से दण्ड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता।” (म० प्र० १४२)

शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा।

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥ (२०)

और (शुचिना) जो पवित्र (सत्यसन्धेन) सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी (यथाशास्त्र + अनुसारिणा) यथावत् नीतिशास्त्र के अनुकूल चलने हारा (सुसहायेन) श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त (धीमता) बुद्धिमान् है (दण्डः प्रणेतुं शक्यते) वही न्यायरूपी दण्ड के चलाने में समर्थ होता है।

“इसलिए जो पवित्र, सत्पुरुषों का संगी, राजनीतिशास्त्र के अनुकूल चलने हारा, धार्मिक पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान् राजा हो, वही इस दण्ड को धारण करके चला सकता है।” (सं० वि० १५३)

स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद् मृशदण्डश्च शत्रुषु।

सुहृदस्त्वबिह्यः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमाश्रितः ॥ ३२ ॥

(स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्यात्) राजा अपने राज्य में न्याय के अनुसार दण्ड का प्रयोग करे (च) और (शत्रुषु भृशदण्डः) शत्रुओं में कठोर दण्ड का प्रयोग करे (स्निग्धेषु सुहृत्सु अजिह्वः) प्रिय मित्रों में सरल व्यवहार करे (ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः) ब्राह्मणों पर क्षमा का व्यवहार रखे ॥ ३२ ॥

अनुशीलन : ३२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है —

१. प्रसंगविरोध—पूर्वापर ३१ और ३३ श्लोकों का प्रसंग राष्ट्र में न्यायानुसार, शास्त्रानुसार दण्ड देने के विधान का तथा उससे लाभप्राप्ति का है। बीच में 'शत्रुओं, मित्रों और ब्राह्मणों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए' यह वर्णन पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है।

२. अन्तर्विरोध—(१) मनु ने राजनीतिशास्त्र के ७-६ अध्यायों में सर्वत्र न्यायानुसार, दण्ड एवं बर्ताव आदि करने का कथन किया है। इस श्लोक में ब्राह्मणों को जो क्षमा करने का कथन है वह उसके विपरीत है, अपितु अपराध करने पर ब्राह्मणों को अधिक दण्ड देने की व्यवस्था है। [॥ ३०६, ३३५-३३६; ७।१७-१८; ६।२४६, ३०७, ३११ आदि]। इस प्रकार अन्तर्विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है। (२) ८।३४७ से भी इसका स्पष्ट विरोध है, वहाँ मित्र आदि देखे बिना न्यायानुसार दण्ड और समानदृष्टि रखने का कथन है।

न्यायानुसार दण्डादि देने से राजा की यशोवृद्धि—

एवं वृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनानि जीवतः ।

विस्तीर्यन्ते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३ ॥ (२१)

(एवं वृत्तस्य नृपतेः) इस प्रकार न्यायपूर्वक [१३-३१] दण्ड का व्यवहार करने वाले राजा का (शिलोञ्छेन अपि + जीवतः) शिल-उञ्छ से निर्वाह करने वाले अर्थात् धनहीन राजा का भी (यशः) यश (अम्भसि तैलबिन्दुः इव) जैसे पानी पर डालने से तैल की बूँद चारों ओर फैल जाती है ऐसे (लोके विस्तीर्यन्ते) सम्पूर्ण जगत् में फैल जाता है ॥ ३३ ॥

अनुशीलन : काटने के बाद खेत में पड़ी बालियों को 'शिल' कहते हैं और पड़े रहे गये दानों को 'उञ्छ' कहते हैं। 'शिल-उञ्छ से जीना' यह एक मुहावरा है, जिसका अभिप्राय धन या ऐश्वर्यहीन होना है। न्यायानुसार चलने वाला स्वल्प धन-सम्पत्ति वाला राजा भी यश पाता है। ७।१४८ में भी इसी भाव को एक मुहावरे के द्वारा व्यक्त किया है।

न्यायविरुद्ध आचरण से यशोनाश—

अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः ।

संक्षिप्यन्ते यशो लोके घृतबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३४ ॥ (२२)

(अतः तु विपरीतस्य) इस व्यवहार से विपरीत चलने वाले अर्थात् स्थाय और सावधानीपूर्वक दण्ड का व्यवहार न करने वाले (अजितात्मनः नृपतेः) अजितेन्द्रिय राजा का (यशः) यश (अम्भसि घृतबिन्दुः + इव) जल में पड़े घी के समान (लोके संक्षिप्यते) लोक में कम होता जाता है ॥ ३४ ॥

राजा कीनियुक्तिनामक विषय का उपसंहार—

स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः ।

वर्णनामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥ ३५ ॥ (२३)

(स्वे स्वे धर्मे निविष्टानाम्) अपने-अपने धर्मों में संलग्न (अनुपूर्वशः सर्वेषां वर्णानां च आश्रमाणाम्) क्रमशः सब वर्णों और आश्रमों का (राजा अभिरक्षिता सृष्टः) राजा को 'सुरक्षा करने वाले के रूप में' बनाया है अर्थात् राजा के पद पर आसीन व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सब वर्णस्थ और आश्रमस्थ व्यक्तियों को उनके धर्मों में प्रवृत्त रखे। समाज को धर्म अर्थात् नियम-व्यवस्था में चलाने के लिए ही राजा और राज्य की सृष्टि होती है ॥ ३५ ॥

अनुशीलन : राजा वर्णाश्रम धर्मों का रक्षक होना चाहिये—मनु के श्लोक में वर्णित मान्यता को यथावत् ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने भी 'वर्ण-आश्रम-धर्मों और मर्यादाओं की रक्षा करना' राजा का प्रमुख कर्तव्य बतलाया है—

चतुर्वर्णाश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात् ।

नश्यतां सर्वधर्माणां राजधर्मप्रवर्तकः ॥ [प्र० ५६-५७ । प्र० १]

राजा की जीवनचर्या और भृत्यों आदि की नियुक्ति सम्बन्धी विधान—

तेन यद्यत्समृत्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः ।

तत्तद्दोऽहं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ३६ ॥ (२४)

(तेन) उस राजा को (समृत्येन) अपने अमात्य, मन्त्री आदि सहायकों सहित

(यथावत् प्रवक्ष्यामि) (अनुपूर्वशः) क्रमशः (यथावत् प्रवक्ष्यामि) ठीक-ठीक कहूँगा— ॥ ३६ ॥

अनुशीलन : भृत्य से अभिप्राय—राजा की ओर से भरण-पोषण की अपेक्षा रखने वाले सभी व्यक्ति भृत्य होते हैं। 'भृत्यः=विभर्तेः भृ-धातोः क्यप् तक् च'। इस प्रकार अमात्यों, मन्त्रियों से लेकर आधाराण सेवक तक सभी कर्मचारी भृत्यवर्ग में आते हैं, द्रष्टव्य ७ । २२६ श्लोक। अग्रिम सम्पूर्ण प्रसंग, जिसमें अमात्यों-

मन्त्रियों से लेकर साधारण सेवकादि की नियुक्ति का विधान है, भी इसी अर्थ का द्योतक है। इस विषय में ७।२२६ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है।

राजा वेदवेत्ता आचार्यों की मर्यादा में रहे—

ब्राह्मणान्पुपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः ।

त्रैविद्यवृद्धान्विदुषस्तिष्ठेत्तेषां च शासने ॥ ३७ ॥ (२५)

(पार्थिवः) राजा (प्रातः+उत्थाय) सबेरे उठकर [७।१४५ में वर्णित दिनचर्या को सम्पन्न करने के बाद] (त्रैविद्यवृद्धान् विदुषः ब्राह्मणान्) ऋक्, साम, यजु रूप त्रयीविद्या [१।२३॥११।२६४॥] में बड़े-चढ़े अर्थात् पारंगत आचार्य, ऋत्विज् आदि [७।४३॥७।७८] विद्वान् ब्राह्मणों की (परि+उपासीत) अभिवादन आदि से सत्कार एवं शिक्षा के लिए संगति करे (च) और (तेषाम्) उन शिक्षक विद्वानों के (शासने तिष्ठेत्) निर्देशन और मर्यादा में अपना जीवन रखे ॥ ३७ ॥

अनुष्ठीतन् : राजा की जीवनचर्या और दिनचर्या—(१) राजा के सम्पूर्ण जीवन के लिए जो विधान हैं, वे जीवनचर्या के अन्तर्गत आते हैं। ये विधान दैनन्दिन न होकर जीवन में आवश्यकतानुसार पालन किये जाते हैं। इस ७।३७ श्लोक से लेकर ६।३२५ तक इनका वर्णन है। ७।१४५-२२६ तक राजा की दैनिकचर्या का वर्णन है, जो विषय की दृष्टि से जीवनचर्या के अन्तर्गत आ जाती है [द्रष्टव्य ७।१४५ की समीक्षा]। वहाँ प्रतिदिन पालनीय कर्त्तव्य विहित हैं।

(२) श्लोकार्थ पर विचार—यहाँ यह विधान जीवनचर्या की दृष्टि से किया गया है। अतः उसी दृष्टि से प्रातः विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने का कथन है। किन्तु इसकी व्याख्या ७।१४५ की सहायता से पूर्ण होगी। वहाँ प्रथम पहर में उठकर पहले राजा को सन्ध्या, अग्निहोत्रादि आवश्यक दिनचर्या करने का विधान है, पुनः विद्वानों की सङ्गति का कथन है। इस प्रकार यहाँ उस श्लोक के अनुसार अर्थ लगाया गया है, जो मनुसम्मत है।

(३) राजा की जीवनचर्या और कौटिलीय अर्थशास्त्र—यद्यपि कौटिलीय अर्थशास्त्र में सम्यक् राजाओं के समस्त कर्म के साथ-साथ स्वतन्त्र चिन्तन भी है, किन्तु उसमें राजा की जीवनचर्या का प्रमुख आधार मनु का शास्त्र रहा है। उसमें प्रथम प्रकरण के प्रथम तीन अध्यायों में बर्णित धर्मों का वर्णन और दण्ड की महिमा का कथन है। पुनः राजा की जीवनचर्या आदि का मनुस्मृति क्रम से उल्लेख है। वहाँ राजा की जीवनचर्या का कथन करते हुए कौटिल्य ने इन बातों पर निम्न प्रकार प्रकाश डाला है—“वृद्धसंयोगेन प्रज्ञात्” [प्र० ३।अ० ६]।

“मर्यादां स्थापयेदाचार्यानिभ्रातृान् वा । य एनमपायस्यानेभ्यो वारयेयुः ।

[प्र० ३।अ० ६]

“पुरोहितम्.....कुर्वीत । तत्राचार्यं शिष्यः, पितरं पुत्रो, गृह्यः स्वाभिमानिव
चामुचतेत” [प्र० ४। अ० ८] ।

अर्थात् विद्वान् पुरुषों की संगति में रहकर बुद्धि का विकास करे । आचार्य आदि
गुरुजन और अमात्यवर्ग राजा की मर्यादा को निर्धारित करें । वे ही राजा को गलत कामों
से रोकते रहें । जैसे आचार्य के निर्देशन में शिष्य, पिता के निर्देशन में पुत्र, स्वामी के
निर्देशन में भृत्य चलता है, उसी प्रकार अपने ऋत्विक् के निर्देशन में राजा चले ।

राजा शिक्षक वेदवेत्ताओं का आदर-सत्कार करे—

वृद्धाश्च नित्यं सेवेत विप्राग्बेदविदः शुचीन् ।

वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥ (२६)

(च) और उन (शुचीन्) शुद्ध हृदयवाले (वेदविदः) वेद के ज्ञाता
(वृद्धान् विप्रान्) जानतपस्या में बड़े-चढ़े ब्राह्मणों की (नित्यं सेवेत) प्रति-
दिन सेवा अर्थात् आदर-सत्कार करे (हि) क्योंकि (सततं वृद्धसेवी) सदैव
ज्ञान आदि से बड़े-चढ़े विद्वानों की सेवा करने वाला राजा (रक्षोभिः+अपि
पूज्यते) राक्षसों द्वारा भी पूजा जाता है । अर्थात् मर्यादाओं-व्यवस्थाओं को
भंग करने वाले पापकर्मकारी राक्षस भी उस राजा से भयभीत होकर वश
में रहते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है ! वे तो स्वतः वशीभूत
रहेंगे । ३८ ॥

राजा वेदवेत्ताओं से अनुशासन की शिक्षा ले—

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः ।

विनीतात्मा हि नृपतिर्न विनश्यति कर्हिचित् ॥ ३९ ॥ (२७)

(विनीत+आत्मा+अपि) विनयी अर्थात् अनुशासन-मर्यादाओं में
रहने के स्वभाव वाला होते हुए भी राजा (तेभ्यः) उन [७। ३७-३८] वेद-
वेत्ता गुरुजनों से (नित्यशः) प्रतिदिन (विनयम् अधिगच्छेत्) अनुशासन और
मर्यादा की शिक्षा ग्रहण करे (हि) क्योंकि (विनीत+आत्मा नृपतिः) अनु-
शासन में रहने के स्वभाव वाला राजा (कर्हिचित् न विनश्यति) [स्वच्छन्द
या उद्धत होकर अनर्थकारी कार्य न करने के कारण] कभी विनाश को
प्राप्त नहीं करता ॥ ३९ ॥

अनुशीलन : राजा के अनुशासन-विषय में कौटिल्य का मत—
आचार्य कौटिल्य ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

(क) “विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः ।

अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्ते सर्वभूतहिते रतः ॥” [प्र० २। अ० ४]

अर्थात्-विद्यावान् और अनुशासन-मर्यादा में रहने वाला तथा प्रजाओं के हित में तत्पर राजा ही सम्पूर्ण पृथिवी का उपभोग करता है ।

(ख) “इन्द्रियजयस्य मूलं विनयः । विनयस्य मूलं बृद्धोपसेवा ।

बृद्धोपसेवाया विज्ञानम् ।” [चाण० सू० ५-७]

—इन्द्रियजय का मूल विनय अर्थात् अनुशासनबद्ध रहना है । अनुशासन का मूल बृद्धों की संगति और सेवा है और बृद्ध = पारंगत विद्वानों की संगति का मूल विशिष्ट ज्ञानार्जन करना है ।

(ग) “अविनीतस्वामिलाभान् अस्वामिलाभः श्रेष्ठान् ।” [चा० सू० १४]

—विनयहीन = अनुशासन या मर्यादा में न रहने के स्वभाव वाले राजा की प्राप्ति की अपेक्षा राजा का न होना ही श्रेयस्कर है ।

अनुशासनविहीन राजाओं के विनाश के उदाहरण—

बहुव्रीहिविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः ।

वनस्या अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ ४० ॥

(प्रविनयात्) अनुशासित स्वभाव न होने के कारण (बहुवः राजानः) बहुत से राजा (सपरिच्छदाः नष्टाः) कुल सहित विनष्ट हो गये, और (विनयात्) अनुशासित होने के कारण (वनस्याः + अपि) वन में रहने वाले लोगों ने भी (राज्यानि प्रतिपेदिरे) राज्य प्राप्त कर लिये ॥ ४० ॥

वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चैव पाथिवः ।

सुदाः पैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च ॥ ४१ ॥

(प्रविनयात्) अविनय = अनुशासनविहीन होने के कारण (वेनः) वेन (च) और (पाथिवः नहुषः) राजा नहुष (विनष्टः) नष्ट हो गया (च) और (पैजवनः सुदाः सुमुखः च निमिः एव) पिजवन के पुत्र सुदास, सुमुख और नेमि नामक राजा भी नष्ट हो गये ॥ ४१ ॥

अनुशासनप्रिय राजाओं की समृद्धि के उदाहरण—

पृथुस्तु विनयाद्वाज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च ।

कुबेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः ॥ ४२ ॥

(तु) और (विनयात्) विनयता के = अनुशासित आचरण के कारण (पृथुः च मनुः एव राज्यं प्राप्तवान्) पृथु और मनु ने राज्य प्राप्त किया (च) तथा (कुबेरः धन-ऐश्वर्यम्) कुबेर ने धन-ऐश्वर्य को (च) और (गाधिजः) गांधि के पुत्र विश्वामित्र ने (ब्राह्मण्यम् एव) ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ॥ ४२ ॥

अनुयातन्त्र : ४०-४२ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. शैलीगत आधार—४०-४२ श्लोकों का यह एक प्रसंग है, जिसमें अविनय से राजाओं का विनाश और विनय से कुछ राजाओं की समृद्धि उदाहरणपूर्वक वर्णित हैं। ४२ वें श्लोक में मनु का भी उल्लेख है। स्पष्टतः यह मनु से भिन्न किसी अन्य की रचना है, जो परवर्ती होने से प्रक्षिप्त है। अन्य श्लोक इससे प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

राजा विद्वानों से विद्याएं ग्रहण करे—

त्रैविद्येऽप्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् ।

आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्त्तारम्भाश्च लोकतः ॥४३॥ (२८)

राजा और राजसभा के सभासद् तब हो सकते हैं कि जब वे (त्रैविद्येऽप्यः) चारों वेदों की कर्म, उपासना, ज्ञान विद्याओं के जानने वालों से (त्रयीविद्याम्) तीनों विद्या (शाश्वतीं दण्डनीतिम्) सनातन दण्डनीति (आन्वीक्षिकीम्) न्यायविद्या (आत्मविद्याम्) आत्मविद्या अर्थात् परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभावरूप को यथावत् जानने रूप ब्रह्मविद्या (च) और (लोकतः वार्त्तारम्भान्) लोक से वार्त्ताओं का आरम्भ (कहना और सुनना) सीख-कर—सभासद् या सभापति हो सकें ॥ ४३ ॥ (स० प्र० १४४)

अनुव्याख्यान : (१) विद्याग्रहण के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार—
कौटिल्य ने इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

(क) “वृत्तोपनयनस्त्रयीमान्वीक्षिकीं च शिष्टेभ्यः, वार्त्तामप्यक्षेभ्यः, दण्डनीतिं वक्तृप्रयोक्तृभ्यः श्रुताद्वि प्रज्ञोपजायते, प्रज्ञाया योगो, योगादात्मबलेति विद्या-सामर्थ्यम् ।” [कौ० अर्थ० प्र० २। अ० ४]

—उपनयन के पश्चात् राजा शिष्ट [मनु० १२। १०६] अर्थात् सदाचारी वेद-वेत्ताओं से त्रयीविद्या और न्यायविद्या को सीखे। विविध विभागीय अर्थक्षों से व्यापार और वक्ता-प्रयोक्ता विशेषज्ञों से दण्डनीति सीखे। क्योंकि शास्त्रादि श्रवण से बुद्धि का विकास होता है। उससे योग में रुचि और योग से आत्मबल प्राप्त होता है। यही विद्या का सुपरिणाम है।

(ख) “वृद्धसेवाया विज्ञानम् । विज्ञानेन आत्मानं सन्पादयेत् । सम्पादितात्मा जितात्मा भवति ।” [चाण० सू० ८-६]

—वेदवेत्ता विद्वानों से विशेष विद्याज्ञान प्राप्त करके आत्मा की उन्नति करे। आत्मोन्नति से सम्पन्न ही जितेन्द्रिय हो सकता है।

(२) त्रयीविद्या सम्बन्धी विशेष विस्तृत ज्ञान के लिए द्रष्टव्य हैं १। २३ ॥ ११। २६४ श्लोक और उनकी समीक्षा।

जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाओं को वश में रख सकता है—

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्विबानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४ ॥ (२६)

जब सभासद् और सभापति (इन्द्रियाणां जये समातिष्ठेत्) इन्द्रियों को जीतने अर्थात् अपने वश में रखके सदा धर्म में वर्तें और अधर्म से हटें-हटाए रहें, इसलिए (दिवानिशंयोगम्) रात-दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें (हि) क्योंकि (जितेन्द्रियः) जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों— जो मन, प्राण और शरीर प्रजा है इसको जीते बिना (प्रजाः वशे स्थापयितुं शक्नोति) बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ४४ ॥ (स० प्र० १४४)

अनुशीलन : कौटिल्य द्वारा इन्द्रियजय पर प्रकाश—मनु ने इन्द्रिय-जय अर्थात् जितेन्द्रियता को ही प्रधान रूप से राज्यवशीकरण का गुण माना है। राजा की शिक्षा-दीक्षा, अनुशासनाभ्यास आदि सभी बातों का उद्देश्य इन्द्रियजय होता ही है। इन सबका परस्पर सम्बन्ध है, जैसा कि श्लोक ३७, ३६, ४३ में और उनकी समीक्षा में दिखाया जा चुका है। कौटिल्य ने भी मनु के अनुसार इन्द्रियजय को सर्व-प्रमुख महत्त्व दिया है और अपने अर्थशास्त्र तथा सूत्र ग्रन्थ में प्रकाश डाला है—

(क) “विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः, कामक्रोधलोभमानभदहर्षत्यागात्कायः । कर्णस्वगन्धिजिह्वाग्राणेन्द्रियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेष्वविप्रतिपत्तिरिन्द्रियजयः । शास्त्रानुष्ठानं वा कृत्स्नं हि शास्त्रमिदमिन्द्रियजयः । तद्विवक्षुस्तिरवश्येन्द्रियश्चा-तुरग्तोऽपि राजा सद्यो विनश्यति ।” [कौ० अर्थ० प्र० ३। अ० ५]

“जिततथा सर्वायैः संयुज्यते ।” [चा० सू० १०]

अर्थात्—विद्या और विनय का हेतु—उद्देश्य इन्द्रियजय है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका को उनके विषयों—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियजय कहलाता है। अथवा संक्षेप में शास्त्रों में प्रतिपादित कर्तव्यों के सम्यक् अनुष्ठान को ही इन्द्रियजय कहते हैं। सारे शास्त्रों का मूल कारण इन्द्रियजय है। शास्त्रविहित कर्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाला इन्द्रियलोलुप राजा सारी पृथिवी का अधिपति होता हुआ भी शीघ्र विनष्ट हो जाता है। जितेन्द्रिय राजा ही समस्त सृष्टियों को प्राप्त करता है।

(२) इन्द्रियजय का मनुप्रोक्त लक्षण २। ७३ [२। ६८] में देखिए।

वेद में भी स्पष्ट कहा है कि राजा जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर ही

तपस्या से राष्ट्र की रक्षा कर सकता है—प्रजाओं को बश में कर सकता है। मनु ने उसी भाव को इस श्लोक में ग्रहण किया है—

“ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति ॥” अथर्व० ११।५।४॥

व्यसनों की गणना—

दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥ (३०)

खोन्साही होकर (दश कामसमुत्थानि च अष्टौ क्रोधजानि) जो काम से दश [७।४७] और क्रोध से आठ [७।४८] (व्यसनानि) दुष्ट व्यसन (दुरन्तानि) कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको (यत्नेन विवर्जयेत्) प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे ॥ ४५ ॥

(स० प्र० १४४)

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः ।

वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्व्वात्मनश्च तु ॥ ४६ ॥ (३१)

(हि) क्योंकि (महीपतिः) जो राजा (कामजेषु प्रसक्तः) काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फंसा है (अर्थ-धर्माभ्यां वियुज्यते) वह अर्थ अर्थात् राज्य-धन-आदि और धर्म से रहित हो जाता है। (तु) और (क्रोधजेषु) जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फंसा है (आत्मना एव) वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥ ४६ ॥ (स० प्र० १४४)

दश कामज व्यसन—

मृगयाऽभो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥ ४७ ॥ (३२)

काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं………(मृगया) मृगया [= शिकार] खेलना (अशः) अश्व अर्थात् चोपड़ खेलना, जूआ खेलना आदि (दिवास्वप्नः) दिन में सोना (परिवादः) काम कथा वा दूसरों की निंदा किया करना (स्त्रियः) स्त्रियों का असिसंग (मदः) मादक द्रव्य अर्थात् मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन (तौर्य-त्रिकम्) गाना, बजाना, नाचना व नाच कराना सुनना और देखना [ये तीन बातें] (वृथाट्या) वृथा इधर-उधर घूमते रहना (दशक कामजः गणः) ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥ ४७ ॥ (स० प्र० १४४)

अनुषंगिकम् : ‘तौर्यत्रिकम्’, ‘मृगया’, ‘स्त्रियः’ शब्दों पर विशेष

विचार—(१) सूर्य=सुरही या बाद्य को कहते हैं, त्रिकम्—नाचना, गाना, बजाना इन तीन क्रियाओं के समूह को कहा जाता है। इस प्रकार तौर्यत्रिकम् का अर्थ 'बाद्यों के साथ नाचना, गाना, बजाना' होता है। (२) 'स्त्रियः' बहुवचन [७।५० में भी] के प्रयोग से मनु अपनी उस मान्यता की ओर संकेत तथा उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि राजा को भी एक से अधिक स्त्रियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। (३) ("मृतं याति अनया सा मृगया, घजर्षकः") पशुओं का पीछा करना अर्थात् शिकार करने की क्रिया।

क्रोधज आठ व्यसन—

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयायदूषणम्।

धान्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽटकः ॥ ४८ ॥ (३३)

क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं—(पैशुन्यम्) पैशुन्य अर्थात् चुगली करना (साहसम्) बिना विचारे बलात्कार से किसी स्त्री से बुरा काम करना (द्रोहः) द्रोह रखना (ईर्ष्या) ईर्ष्या अर्थात् दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देखकर जला करना (असूया) असूया—दोषों में गुण गुणों में दोषारोपण करना (अर्थदूषणम्) अर्थदूषण अर्थात् अधर्मयुक्त बुरे कामों में धन आदि का व्यय करना (वाग् दण्डजम्) कठोर वचन बोलना और बिना अपराध के कड़ा वचन (च) वा (पारुष्यम्) विशेष दण्ड देना (अटकः-क्रोधजः+अपि गणः) ये आठ दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ ४८ ॥

(सं प्र० १४४)

सभी व्यसनों का मूल लोभ—

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः।

तं यत्नेन जयेत्लोभं तज्जावेतादुभौ गणौ ॥ ४९ ॥ (३४)

और (एतयोः द्वयोः+अपि मूलं यं लोभम्) जो इन कामज और क्रोधज अठारह दोषों के मूल जिस लोभ को (सर्वे कवयो विदुः) सब विद्वान् लोग जानते हैं (तं यत्नेन जयेत्) उसको प्रयत्न से राजा जीते क्योंकि (सत्+जौ+एतौ+उभौ गणौ) लोभ ही से पूर्वोक्त अठारह और अन्य दोष भी बहुत से होते हैं ॥ ४९ ॥ (सं वि० १५३)

“जो सब विद्वान् लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े”। (सं प्र० १४५)

कामज और क्रोधज व्यसनो में अधिक कष्टदायक व्यसन—

पानमक्षाः स्त्रियदचैव मृगया च यथाक्रमम् ।

एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ५० ॥ (३५)

(कामजे गणे) काम के व्यसनो में बड़े दुर्गुण, एक (पानम्) मद्य आदि अर्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन, दूसरा—(अक्षाः) पासो आदि से जूमा खेलना, तीसरा—(स्त्रिय एव) स्त्रियों का विशेष सङ्ग, चौथा—(मृगया) मृगया [=शिकार] खेलना (एतत्) ये चतुष्कं कष्टतमं विद्यात्) चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥ ५० ॥ (स० प्र० १४५)

यथाक्रमम्) क्रम से पूर्व-पूर्व के अधिकाधिक.....

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यायद्रूपणे ।

क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा ॥ ५१ ॥ (३६)

(च) और (क्रोधजे + अपि गणे) क्रोधजों में (दण्डस्य पातनम्) बिना अपराध दण्ड देना (वाक् पारुष्य + अर्थद्रूपणे) कठोर वचन बोलना और धन आदि का अन्याय में खर्च करना (एतत्-त्रिकं सदा कष्टं) ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं + ॥ ५१ ॥ (स० प्र० १४५)

+ (विद्यात्) ऐसा जाने ।

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रेवानुषंगिणः ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्व्यसनमात्मवान् ॥ ५२ ॥ (३७)

(अस्य सप्तकस्य वर्गस्य) इस [५०-५१ में वर्णित] सात प्रकार के दुर्गुणों के वर्ग में (सर्वत्र + एव + अनुषङ्गिणः) जो सब स्थानों पर सब मनुष्यों में पाये जाते हैं (आत्मवान्) आत्मा की उन्नति चाहने वाला राजा (पूर्वं पूर्वं व्यसनं गुरुतरं विद्यात्) पहले-पहले व्यसन को अधिक कष्टप्रद समझे ॥ ५२ ॥

“जो ये सात दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं, इनमें से पूर्व-पूर्व अर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय से दंड देना, इससे मृगया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यन्त सङ्ग, इससे जूमा अर्थात् खूत करना और इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है” ॥ (स० प्र० १४५)

व्यसन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी—

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।

व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वर्ग्यात्यव्यसनी मृतः ॥ ५३ ॥ (३८)

(व्यसनस्य च मृत्योः च) व्यसन और मृत्यु में (व्यसनं कष्टम् + उच्यते) व्यसन को ही अधिक कष्टदायक कहा गया है, क्योंकि (व्यसनी) व्यसन में फंसा रहने वाला व्यक्ति (अधः अधः याति) दिन-प्रतिदिन दुर्गुणों और कष्टों में गिरता ही जाता है या अवनति को ही प्राप्त होता जाता है, किन्तु (अव्यसनी) व्यसन से रहित व्यक्ति (मृतः) मरकर भी (स्वर्गाति) स्वर्ग=सुख को प्राप्त करता है अर्थात् उसे परजन्म में सुख मिलता है ॥५३॥

“इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक-अधिक पाप करके नीच-नीच गति अर्थात् अधिक-अधिक दुःख को प्राप्त होता जायेगा और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जायेगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायेगा । इसलिए विशेष राजा को और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपान आदि दुष्टकामों में न फंसे और दुष्ट व्यसनों से पृथक् होकर धर्मयुक्त, गुण-कर्म-स्वभावों में सदा वतंके अच्छे-अच्छे काम किया करें” (स० प्र० १४६)

मन्त्रियों की नियुक्ति—

मौलाञ्छास्त्रविदः शूरस्लिघ्नलक्षान्कुलोद्भवान् ।

सचिवांसप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥५४॥ (३६)

(मौलान्) स्वराज्य-स्वदेश में उत्पन्न हुए (शास्त्रविदः) वेदादि शास्त्रों के जानने वाले (शूरान्) शूरवीर (लघ्नलक्षान्) जिनके लक्ष्य और विचार निष्फल न हों, और (कुलोद्गतान्) कुलीन (परीक्षितान्) अच्छे प्रकार सुपरीक्षित (सप्त वा अष्टौ) सात वा आठ (सचिवान्) उत्तम, धार्मिक, चतुर मन्त्री (प्रकुर्वीत) करे ॥ ५४ ॥ (स० प्र० १४६)

“और जो अपने राज्य में उत्पन्न, शास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर, जिनका विचार निष्फल न होवे, कुलीन, धर्मिन्, स्वराज्यभक्त हों, उन सात या आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री करे; और इन्हीं की सभा में आठवां वा नववां राजा हो । ये सब मिलके कर्त्तव्याकर्त्तव्य कामों का विचार किया करें” । (स० वि० १५४)

“अपने राज्य और देश में उत्पन्न हुए, वेद वा शास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर, कवि, गृहस्थ, अनुभवकर्त्ता, सात अथवा आठ धार्मिक बुद्धिमान् मन्त्री राजा को रखने चाहिएँ” । (पू० प्र० १११)

अनुयायित्वः : नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की परीक्षा विधि—नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की इह परीक्षा करनी चाहिए। अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने परीक्षा की प्रकट और गुप्त विधियाँ बतायी हैं—

(क) प्रकटविधि—नियुक्ति से पूर्व राजा प्रामाणिक, सत्यवादी एवं आप्तपुरुषों के द्वारा उनके निवासस्थान और उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी करे। सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्रीय प्रतिभा की, नये-नये कार्य सौंपकर उनकी बुद्धि, स्मृति और चतुरता की, व्याख्यानों एवं सभाओं द्वारा उनकी वाक्पटुता, प्रगल्भता और प्रतिभा की; आपत्ति प्रस्तुत करके उनके उत्साह, प्रभाव और सहनशक्ति की; व्यवहार से उनकी पवित्रता, मित्रता एवं इह स्वामिभक्ति की; सहवासियों एवं पड़ोसियों के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा स्थिरवृत्ति की जानकारी करे। उनके मधुरभाषी स्वभाव तथा द्वेषरहित स्वभाव की परीक्षा राजा स्वयं करे।

[को० अर्थ० प्र० ४। अ० ८] ॐ

(ख) गुप्तविधि—(१) धर्मोपधा—गुप्त धार्मिक उपायों से अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करना। (२) अर्थोपधा—गुप्त आर्थिक लोभ की बातों से, (३) कामोपधा—गुप्त कामसम्बन्धी आकर्षणों से, (४) भयोपधा—गुप्त भय आदि प्रदर्शित करके अमात्यों के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करे।

गुप्तचरों द्वारा इतनी परीक्षाएं करने के पश्चात् ही उस व्यक्ति को यथायोग्य अमात्य कार्य पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

कौटिल्य का मत है कि धर्मपरीक्षा में पवित्र सिद्ध अमात्यों को न्यायालय में, अर्थपरीक्षामें पवित्र को करसंग्रह और कोषसंरक्षण में, कामपरीक्षा में पवित्र को अन्तःपुर और विलासस्थानों में, तथा भयपरीक्षा में पवित्र को अङ्गरक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहिए [को० अर्थ० प्र० ५। अ० ६]। ॐ

ॐ “तेषां जनपदमवग्रहं चाप्यतः परीक्षेत। समानविद्येभ्यः शिल्पं, शास्त्र-चतुष्कमतां च, कर्मरश्मेषु प्रज्ञां धारयिषुतां दास्यं च, कथायोगेषु वाग्मिन्त्वं प्रागल्भ्यं प्रतिमानवत्त्वं च, आपद्यसाहप्रभावी वलेशसहृत्त्वं च, संव्यवहारच्छौचं मेत्रतां इह-भक्तित्वं च, संवासिभ्यः शीलबलारोग्यसस्वयोगम्-अस्तम्भम्-अचापह्यं च, प्रत्यक्षतः संप्रियत्वम्-अवैरित्वं च।” [प्र० ४। अ० ८]

ॐ “मन्त्रिपुरोहितसखः सामान्येण अधिकारणेषु स्थापयित्वा अमात्यानुपधाभिः शोधयेत्। तत्र धर्मोपधाशुद्धान् धर्मस्थोपकण्टकशोधनेषु स्थापयेत्, अर्थोपधा-शुद्धान् समाहृतं-सन्निधातुं-निचयकर्मसु, कामोपधाशुद्धान् बाह्याभ्यन्तरविहाररक्षासु, भयोपधाशुद्धान् आसन्नकार्येषु राज्ञः। सर्वोपधाशुद्धान् मन्त्रिणः कुर्यात्। सर्वत्राशुचोन्-सनिद्रव्यहसितवनकर्मान्तेष्वप्योजयेत्।”

राजा को सहायकों की आवश्यकता में कारण—

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।

विशेषतोऽसहायेन किंतु राज्यं महोदयम् ॥ ५५ ॥ (४०)

(अपि) क्योंकि (विशेषतः+असहायेन) विशेष सहाय के बिना (यत् सुकरं कर्म) जो सुगम कर्म है (तत्+अपि) वह भी (एकेन दुष्करम्) एक के करने में कठिन हो जाता है (किन्तु) जब ऐसा है तो (महोदयं राज्यम्) महान् राज्य-कर्म एक से कैसे हो सकता है? इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य को निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ ५५ ॥ (स० प्र० १४६)

“क्योंकि सहायता बिना लिए साधारण काम भी एक को करना कठिन हो जाता है। फिर बड़े भारी राज्य का काम एक से कैसे हो सकता है? इसलिए एक को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमत्ता नहीं है” । (पू० प्र० १११)

मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करे—

तैः सार्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम् ।

स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ५६ ॥ (४१)

इससे सभापति को उचित है कि (नित्यम्) नित्यप्रति (तैः सार्धम्) उन [७।१४] राज्यकर्मों में कुशल विद्वान् मन्त्रियों के साथ (सामान्यम्) सामान्य करके किसी से (सन्धि-विग्रहम्) सन्धि=मित्रता, किसी से विग्रह=विरोध, (स्थानम्) स्थित समय को देखकर के चुपचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना (समुदयम्) जब अपना उदय अर्थात् वृद्धि हो तब दृष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना (गुप्तिम्) मूल राज, सेना, कोश आदि की रक्षा (लब्धप्रशमनानि) जो-जो देश प्राप्त हों उस-उस में शान्ति-स्थापना, उपद्रव-रहित करना (चिन्तयेत्) इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे ॥ ५६ ॥ (स० प्र० १४६)

“महाराजा को उचित है कि मन्त्रियों समेत छः बातों पर विचार करे—१. मित्र, २. शत्रु में चतुरता, ३. अपनी उन्नति, ४. अपना स्थान, ५. शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा, ६. विजय किये हुए देशों की रक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निर्णय से जो कुछ अपनी और दूसरों की भलाई की बात विदित हो उसे करना” ।

(पू० प्र० १११)

तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।

समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्वितमात्मनः ॥ ५७ ॥ (४२)

(तेषाम्) उन सभासदों का (पृथक्-पृथक् स्वं स्वम्+अभिप्रायम् उपलभ्य) पृथक्-पृथक् अपना-अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर (समस्तानां कार्येषु) सभी के द्वारा कथित कार्यों में (आत्मनः हितम्) जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो (विदध्यात्) वह करने लगना ॥ ५७ ॥ (स० प्र० १४७) (पूना० प्र १११ पर भी)

ॐ अर्थात्—वही कार्य करे ।

सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ।

मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाड्गुण्यसंयुतम् ॥ ५८ ॥

(राजा) राजा (सर्वेषां तु विशिष्टेन विपश्चिता ब्राह्मणेन) सबसे प्रधान विद्वान् ब्राह्मण के साथ (षाड्गुण्यसंयुतम्) सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और आश्रय, इन छः विषयों [७। ५६, १६०] सहित (परमं मन्त्रं मन्त्रयेत्) अत्यन्त गूढ़ मन्त्रणाओं पर विचार करे ॥ ५८ ॥

नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निःक्षिपेत् ।

तेन सार्धं विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत् ॥ ५९ ॥

और (तस्मिन् नित्यं समाश्वस्तः) उस पर सदा विश्वास रखते हुए (सर्वकार्याणि निःक्षिपेत्) राज्य के सब कामों के भार को सौंप दे, और (तेन सार्धं विनिश्चित्य) उसके साथ ही पहले कोई निर्णय लेकर (ततः कर्म समारभेत्) फिर सब कामों को आरम्भ करे ॥ ५९ ॥

अनुशीलन : ५८—५९ श्लोक निम्न 'आचारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—ये दोनों श्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं। पूर्वापर श्लोकों का प्रसंग आवश्यकतानुसार अनेक मन्त्रियों की नियुक्ति और उन सभी के सहयोग से कार्य चलाने का है। बीच में एक ही ब्राह्मण से मन्त्रणा करना और केवल उसी की सलाह पर कार्य आरम्भ करना आदि बर्णन पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। ६० वें श्लोक के "अन्यापि प्रकुर्वीत" पद स्पष्टतः इसे ५४—५७ श्लोकों से सम्बद्ध करता है। इन श्लोकों ने उस सम्बद्धता को भंग कर दिया है।

२. अन्तर्विरोध—(१) ५९ वें श्लोक में सन्धि, विग्रह, आदि की मन्त्रणा अनेक मन्त्रियों के साथ करने का स्पष्टतः विधान किया है और उन्हीं की सम्मति लेकर पुनः स्वयं निर्णय लेने का कथन है। इन श्लोकों में एक ब्राह्मण से विशेष मन्त्रणा, उसी पर सब राज्यभार सौंपना, उसी की सलाह से कार्य आरम्भ करना आदि व्यवस्थाएं उक्त

श्लोक के [५५ वें के] विरुद्ध हैं। (२) १४१ और २२६ श्लोकों में केवल रूग्णावस्था में ही अमात्यों पर राज्यभार सौंपने का निर्देश है, प्रतिदिन नहीं। इन श्लोकों में प्रतिदिन एक ही ब्राह्मण को कार्य सौंप देना उसी की सलाह से कार्य करना आदि बातें उनकी व्यवस्था के विरुद्ध हैं। (३) १४६, २१६ और उनके मध्यगत सभी श्लोकों में षाड्गुण्य की मन्त्रणा अनेक मन्त्रियों के साथ मिलकर करने का निर्देश है। इन श्लोकों की व्यवस्था उनके भी विरुद्ध है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

आवश्यकतानुसार अन्य अमात्यों की नियुक्ति—

अन्यान्पि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान् ।

सम्पगर्ग्यसमाहर्तुं नमात्यान्सुपरीक्षितान् ॥ ६० ॥ (४३)

[आवश्यकता पड़ने पर] (अन्यान् अपि) अन्य भी (शुचीन्) पवित्रात्मा (प्राज्ञान्) बुद्धिमान् (प्रवस्थितान्) निश्चित बुद्धि (सम्पगर्ग्य-समाहर्तुन्) पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर (सुपरीक्षितान्) सुपरीक्षित (अमात्यान् प्रकुर्वीत) मन्त्री करे ॥ ६० ॥ (सं प्र० १४७)

“इसी प्रकार अन्य भी राज्य और सेना के अधिकारी जितने पुरुषों से राज्यकार्य सिद्ध हो सके उतने ही पवित्र, धार्मिक विद्वान् चतुर, स्थिर बुद्धि पुरुषों को राज्यसामग्री के वर्धक नियत करे।”

(सं वि० १५४)

निवर्ततास्य पावद्भिरितिकर्तव्यता नृभिः ।

तावतोऽतन्द्रितान्दक्षान्प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६१ ॥ (४४)

ॐ (पावद्भिः नृभिः इतिकर्तव्यता निवर्तत) जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके (तावतः) उतने (अतन्द्रितान्) आलस्यरहित (दक्षान्) बलवान् और (विचक्षणान्) बड़े-बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को (प्रकुर्वीत) अधिकारी अर्थात् नौकर करे ॥ ६१ ॥ (सं प्र० १४७)

ॐ (अस्य) इस राजा का.....

अनुवर्त्यता : ‘इतिकर्तव्यता’ का अभिप्राय—यहाँ ‘इति’ शब्द ‘अथ’ का विपरीतार्थक है। इसका अर्थ है ‘पूर्णाता’ या ‘समाप्ति’। इस प्रकार ‘इतिकर्तव्यता’ का अर्थ हुआ—‘सभी राज्यकार्यों की पूर्णता’। जितने भी अमात्यों या अधिकारियों से राज्यसंचालन के कार्य पूर्णरूप से सम्पन्न हो सकें, उतनों की राजा नियुक्ति करले। पुनः उनके अधीन अन्य सहयोगी अधिकारियों, भृत्यों की नियुक्ति करे। यह अगले श्लोक में ‘तेषामर्थे’ पद से उक्त है। अगले श्लोक की इससे वाक्यगत संगति है।

अमार्यों के सहयोगी अधिकारियों की नियुक्ति—

तेषामर्थं नियुञ्जीत शूरान्दक्षान्कुलोद्भूतान् ।

शुचीनाकरकर्मान्ते भीरुनन्तनिवेशने ॥ ६२ ॥ (४५)

[५४-६१ में वर्णित] (तेषाम्+अर्थे) इनके अधीन (शूरान्) शूरवीर (दक्षान्) बलवान् (कुलोद्भूतान्) कुलोत्पन्न (शुचीन्) पवित्र भूत्यों को (आकरकर्मान्ते) बड़े-बड़े कर्मों में, और (भीरून्+अन्तनिवेशने) भीरू= डरने वालों को भीतर के कर्मों में (नियुञ्जीत) नियुक्त करे ॥ ६२ ॥

(सं० प्र० १४७)

प्रधान दूत की नियुक्ति—

वृत्तं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।

इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुण्णि दक्षं कुलोद्भूतम् ॥ ६३ ॥ (४६)

(कुलोद्भूतम्) जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न (दक्षम्) चतुर (शुचिम्) पवित्र (इङ्गित+आकार+चेष्टज्ञम्) हावभाव शीघ्र चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत् में होने वाली बात को जानने द्वारा (सर्वशास्त्रविशारदम्) सब शास्त्रों में विशारद=चतुर है (दूतम् एव प्रकुर्वीत) उस दूत को रखे ॥ ६३ ॥

(सं० प्र० १४७)

“तथा जो सब शास्त्र में निपुण नैत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा से दूसरे के हृदय की बात को जानने द्वारा, शुद्ध, बड़ा स्मृतिमान्, देश, काल जानने द्वारा, सुन्दर, जिसका स्वरूप बड़ा, वक्ता और अपने कुल में मुख्य हो, उस और स्वराज्य और परराज्य के समाचार देने हारे अन्य दूतों को भी नियत करे ।” (सं० वि० १५४)

श्रेष्ठ दूत के लक्षण—

अनुरक्तः शुचिर्बलः स्मृतिमान्वेशकालचित् ।

वपुष्माम्बीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥ (४७)

वइ ऐसा हो कि (अनुरक्तः) राज-काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त (शुचिः) निष्कपटो, पवित्रात्मा (दक्षः) चतुर (स्मृतिमान्) बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला (देशकालचित्) देश और कालानुकूल वर्तमान का कर्ता (वपुष्मान्) सुन्दररूपयुक्त (वीतभीः) निर्भय, और (वाग्मी) बड़ा वक्ता (राज्ञः दूतः प्रशस्यते) वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ ६४ ॥

(सं० प्र० १४७)

अमात्ये दण्ड प्रायत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया ।

नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपर्ययो ॥ ६५ ॥ (४८)

(अमात्ये दण्डः) अमात्य को दण्डाधिकार (दण्डे वैनयिकी क्रिया) दण्ड में विनय = अनुशासित क्रिया अर्थात् जिससे अन्यायरूप दण्ड न होने पावे (नृपतौ कोशराष्ट्रे) राजा के अधीन कोश और राष्ट्र (च) तथा सभा के अधीन सब कार्य, और (दूते संधिविपर्ययो) दूत के अधीन किसी से मेल वा विरोध करना (प्रायत्तः) अधिकार देवे ॥ ६५ ॥ (स० प्र० १४८)

अनुशीलन : राजा और अमात्यों के कार्यों का विभाजन — राजा को राष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर के कार्यविभाग सेना तथा कोश = खजाना आदि अपने सीधे नियन्त्रण में रखने चाहिए। अमात्यों को दण्ड-न्याय आदि का अधिकार सौंप देवे और दण्डाधिकारियों को अनुशासन बनाये रखने या शिक्षा व्यवस्था आदि का अधिकार सौंपे। दूत के अधीन संधि और विरोध आदि की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। ये प्रधान अमात्य अपने-अपने विभागों का संचालन करें और राजा से सम्पर्क रखें। इस प्रकार कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न होता है।

दूत के कार्य—

दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान् ।

दूतस्तत्कुस्ते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥ (४९)

(हि) क्योंकि (दूतः एव) दूत ही ऐसा व्यक्ति होता है जो (संधत्ते) शत्रु और अपने राजा का मेल करा देता है (च) और (संहतान् भिनति + एव) मिले हुए शत्रुओं में फूट भी डाल देता है (दूतः तत् कर्म कुस्ते) दूत वह काम कर देता है (येन मानवाः भिद्यन्ते) जिससे शत्रुओं के लोगों में भी फूट पड़ जाती है ॥ ६६ ॥

“दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़-तोड़ देवे, दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े।” (स० प्र० १४८)

अनुशीलन : कौटिल्य के अनुसार दूत के कार्य—आचार्य कौटिल्य ने विस्तार से दूत के कार्यों का वर्णन किया है—

प्रेषणं सन्धिपासत्वं प्रतापो मित्रसंग्रहः ।

उपजापः सुहृद्भेदो वण्डगूढातिसारणम् ॥

बन्धुररक्षापहरणं चारज्ज्ञानं पराक्रमः ।

समाधिभोक्षः दूतस्य कर्मयोगस्य चाश्रयः ॥ [प्र० ११। अ० १५]

अर्थात्—अपने राजा का संदेश दूसरे राजा के पास ले जाना और उसका

लाना, सन्धिभाव को बनाये रखना, अपने राजा के प्रताप को बनाना, अधिक से अधिक मित्र बनाना, शत्रु के पक्ष के पुरुषों को फोड़ना, शत्रु के मित्रों को उससे विमुख करना, कार्यरत अपने गुप्तचरों अथवा सैनिकों को आपत्ति से पूर्व निकाल लाना, शत्रु के बांधवों और रत्न आदि का अपहरण, शत्रुदेश में कार्यरत अपने गुप्तचरों के कार्य का निरीक्षण, समय पड़ने पर पराक्रम दिखाना, बन्धक रखे शत्रुबान्धवों को शर्त के आधार पर छोड़ना, दोनों राजाओं की भेंट आदि कराना, दूत के कार्य हैं ॥

स विद्यादस्य कृत्येषु निगूढेङ्गितचेष्टितः ।

आकारमिङ्गितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितम् ॥६७॥ (५०)

(सः) वह दूत (अस्य) शत्रु-राजा के (कृत्येषु) असंनुष्ट या विरोधी लोगों में (च) और (भृत्येषु) राजकर्मचारियों में (निगूढ+इङ्गित+चेष्टितः) गुप्त संकेतों एवं चेष्टाओं से (आकारम्) शत्रु राजा के आकार=भाव (इङ्गितम्) संकेत=हाव (चेष्टाम्) चेष्टा=प्रयत्न को तथा (चिकीर्षितम्) उसके अभिलषित कार्य, उसकी इच्छाओं को (विद्यात्) जाने ॥ ६७ ॥

अनुशीलनः : (१) कृत्य शब्द का राजनीतिपरक अर्थ—यहां 'कृत्य' शब्द राजनैतिक योगरूढ़ि है। 'कृत्य' उन लोगों को कहते हैं जो, धन, स्त्री सम्पत्ति आदि के लोभ से अपने पक्ष में किये जा सकते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इनके चार भेद बतलाये हैं—

कुटुम्बभीतावमानिनस्तु परेषां कृत्याः । [को० अर्थ० प्र० पा० १२]

शत्रु राज्य के जो व्यक्ति अपने राजा पर क्रोध रखते हैं वे 'कुटुम्बकृत्य', जो लालची स्वभाव के हैं वे 'लुब्धकृत्य', जो डर के कारण दबे रहते हैं वे 'भीतकृत्य', और जो राजा से अपमानित किये गये हैं वे 'अपमानितकृत्य' कहलाते हैं। दूत का यह कर्म है कि उपयुक्त लुब्ध और कुब्ध व्यक्तियों और कर्मचारियों से शत्रु राजा के गुप्त रहस्यों को जाने।

(२) इङ्गित और आकार का अर्थ—'इङ्गितमन्यवावृत्तिः । आकृतिग्रहण-आकारः ।' [को० अर्थ० प्र० १०। अ० १४] =स्वाभाविक क्रियाओं के विपरीत भिन्न चेष्टाएं 'इङ्गित' कहलाती हैं। चेष्टाओं को प्रकट करने वाले अंगों की आकृति 'आकार' कहलानी है।

बुद्ध्वा सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् ।

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथाऽऽत्मानं न पीडयेत् ॥ ६८ ॥ (५१)

वह सभापति और सब सभासद् वा दूत आदि (तत्त्वेन) यथार्थ से (परराजचिकीर्षितम्) दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय (बुद्ध्वा)

जानकर (तथा प्रयत्नम् + आतिष्ठेत्) बैसा यत्न करे (यथा) कि जिससे (आत्मानं न पीडयेत्) अपने को पीड़ा न हो ॥ ६८ ॥ (स० प्र० १४८)

राजा के निवास-योग्य देश—

जाङ्गलं सस्यसंपन्नमायं प्रायमनाविलम् ।

रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत् ॥ ६९ ॥ (५२)

राजा (जाङ्गलम्) जंगल प्रदेश—जहां उपयुक्त पानी बरसता हो, बाढ़ न आती हो, खुली हवा और सूर्य का पर्याप्त प्रकाश हो, धान्य आदि बहुत उत्पन्न होता हो (सस्यसंपन्नम्) हरा-भरा (आयं प्रायम्) श्रेष्ठ लोगों का बाहुल्य (अनाविलम्) रोगरहित (रम्यम्) रमणीय (आनतसामन्तम्) विनम्रता का व्यवहार करने वाले निवासी (सु + आजीव्यम्) अच्छी आजीविकाओं से सम्पन्न जो हो (देशम् + आवसेत्) ऐसे देश में निवासस्थान करे ॥ ६९ ॥

छः प्रकार के दुर्ग—

धन्वदुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वार्क्षमेव वा ।

नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥ (५३)

(धन्वदुर्गम्) धन्वदुर्ग—मरुस्थल में बना किला जहां मरुभूमि के कारण जाना दुर्गम हो (महीदुर्गम्) महीदुर्ग—पृथिवी के अन्दर तहखाने या गुफा के रूप में बना किला या मिट्टी की बड़ा-बड़ी मेढों से घिरा हुआ (अप् + दुर्गम्) जलदुर्ग—जिसके चारों ओर पानी हो (वा) अथवा (वार्क्षम्) वृक्षदुर्ग—जो घने वृक्षों के वन से घिरा हो (नृदुर्गम्) नृदुर्ग—जो सेना से घिरा रहे, जिसके चारों ओर सेना का निवास हो (वा) अथवा (गिरिदुर्गम्) गिरिदुर्ग—पहाड़ के ऊपर बनाया पहाड़ों से घिरा किला (समाश्रित्य) बनाकर और उसका आश्रय करके (पुरं वसेत्) अपने निवास में रहे ॥ ७० ॥

महर्षि दयानन्द ने 'धन्वदुर्गम्' के स्थान पर 'धनुर्दुर्गम्' पाठ लेकर इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है—

“इस लिए सुन्दर जंगल धन-धान्य युक्त देश में (धनुर्दुर्गम्) धनुर्धारी पुरुषों से गहन (महीदुर्गम्) मिट्टी से किया हुआ (अब्दुर्गम्) जल से घेरा हुआ (वार्क्षम्) अर्थात् चारों ओर वन (नृदुर्गम्) चारों ओर सेना रहे (गिरिदुर्गम्) अर्थात् चारों ओर पहाड़ों के बीच में काट बनाके इस के मध्य में नगर बनावे ।” (स० प्र० १४८)

अनुध्यातव्यः : कीटिलीप ग्रन्थशास्त्र में चार प्रकार के दुर्ग — कीटिल्य ने अपने ग्रन्थशास्त्र में केवल चार दुर्गों का ही उल्लेख किया है—

(१) भीदक = जलदुर्ग, (२) पर्वत = गिरिदुर्ग, (३) धान्वन = धन्वदुर्ग, (४) वनदुर्ग = वृक्षदुर्ग।

पर्वतदुर्ग की श्रेष्ठता—

सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत्।

एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्गं विशिष्यते ॥ ७१ ॥ (५४)

राजा (सर्वेण तु प्रयत्नेन) सब प्रकार से प्रयत्न करके (गिरिदुर्गं समाश्रयेत्) 'पर्वतदुर्ग' का ही आश्रय करे—बनाकर रहे (हि) क्योंकि (बाहुगुण्येन) सब दुर्गों में अधिक विशेषताओं के कारण (गिरिदुर्गं विशिष्यते) पर्वतदुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः यह यत्न रखना चाहिए कि 'पर्वतदुर्ग' ही बन सके ॥ ७१ ॥

त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्रेषां मृगगतश्रियाःस्पराः।

त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमनराधराः ॥ ७२ ॥

(एषाम्) इन पूर्वोक्त [७०] छः दुर्गों में (ग्राह्यानि त्रीणि) आदि के तीन प्रकार के दुर्गों में (मृग-गतश्रिया + अस्पराः) मृग, बिलों में रहने वाले चूहे आदि और जल-चर प्राणी मगरमच्छ आदि (आश्रिताः) रहते हैं, और (उत्तराणि त्रीणि) अगले तीनों में (क्रमशः) क्रमशः वृक्ष, नृ और गिरिदुर्ग में (प्लवङ्गम-नर + अमराः) वानर, मनुष्य और देवता निवास करते हैं ॥ ७२ ॥

यथा दुर्गाश्रितान्तेतान्मोपहिंसन्ति शत्रवः।

तथाऽरयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् ॥ ७३ ॥

(यथा) जैसे (दुर्ग-आश्रितान् + एतान्) अपने-अपने दुर्ग में रहते हुए (शत्रवः न + उपहिंसन्ति) शत्रु-प्राणी इन्हें नहीं मार पाते हैं (तथा) वैसे ही (दुर्गसमाश्रितम् नरम्) दुर्ग के आश्रय में स्थित राजा को (अरयः न हिंसन्ति) शत्रु लोग नहीं मार पाते हैं ॥ ७३ ॥

अनुध्यातव्यः : ७२-७३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अश्वविरोध—(१) इन श्लोकों में अलग-अलग दुर्गों में अलग-अलग प्राणियों का वास बतलाया है और मनुष्यों का वास केवल 'नृदुर्ग' में कहा है जबकि ७० वें श्लोक में सभी दुर्ग मनुष्यों के वास के लिए बताये जा रहे हैं (२) ७१ वें श्लोक में राजा के लिए गिरिदुर्ग का महत्त्व बताते हुए उसी में रहने का प्रयत्न करने का निर्देश है, जबकि

इन श्लोकों में 'गिरिदुर्ग' में देवताविशेषों का निवास माना है। इस अन्तर्विरोध वर्णन के आधार पर ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. प्रसङ्गविरोध—७० वें में सभी दुर्गों की गणना की है और फिर ७१ वें में गिरिदुर्ग का महत्त्व वर्णित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रचयिता को अन्य दुर्गों का वर्णन अभीष्ट नहीं है। इस प्रकार इन श्लोकों में पुनः सभी दुर्गों का वर्णन मौलिक प्रतीत नहीं होता। "त्रीणि आद्यानि" पदों का प्रयोग भी इन श्लोकों को ७१ वें से सम्बद्ध सिद्ध नहीं करता। इनकी सम्बद्धता तभी मानी जा सकती थी, जब ये ७० वें के पश्चात् ही होते। इस प्रकार प्रसङ्गक्रम से दूटे होने के कारण भी ये प्रक्षिप्त हैं।

दुर्ग का महत्त्व—

एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः ।

शतं दशसहस्राणि तस्माद् दुर्गं विधीयते ॥ ७४ ॥ (५५)

(प्राकारस्थः) नगर के चारों ओर प्राकार=प्रकोट बनावे क्योंकि उस में स्थित हुआ (एकः धनुर्धरः) एक दोर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष (शतम्) सौ के साथ, और (शतं दशसहस्राणि) सौ दश हजार के साथ (योधयति) युद्ध कर सकते हैं (तस्मात् दुर्गं विधीयते) इसलिए अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ७४ ॥ (स० प्र० १४८)

तस्याद्यायुधसंपन्नं धनधान्येन वाहनैः ।

ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्गन्धर्वैर्व्यसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥ (५६)

(तत्) वह दुर्ग (आयुध) शस्त्रास्त्र (धन-धान्येन वाहनैः) धन, धान्य, वाहन (ब्राह्मणैः) ब्राह्मण, जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों (शिल्पिभिः) कारीगर (गन्धर्वैः) गन्धर्व—नाना प्रकार की कला (व्यसेन) चारा-घास (वा) और (उदकेन) जल आदि से (सम्पन्नं स्यात्) सम्पन्न अर्थात् परिपूर्ण हो ॥ ७५ ॥ (स० प्र० १४८)

राजा का निवास-गृह—

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद् गृहमात्मनः ।

गुप्तं सर्वतुल्यं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ७६ ॥ (५७)

(तस्य मध्ये) उसके मध्य में (जल-वृक्ष-समन्वितम्) जल, वृक्ष, पुष्पादिक युक्त (गुप्तम्) सब प्रकार से रक्षित (सर्व+ऋतुकम्) सब ऋतुओं में सुखकारक (शुभ्रम्) श्वेतवर्ण (आत्मनः गृहम्) अपने लिए घर (सुपर्याप्तम्) जिसमें सब राजकार्य का निर्वाह हो वैसा (कारयेत्) बनवावे ॥ ७६ ॥ (स० प्र० १४८)

राजा के विवाहयोग्य भार्या—

तदध्यास्योद्बहेऽर्वायं सवर्णां लक्षणान्विताम् ।

कुले महति संभूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥ (५८)

इतना अर्थात् ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़के यहां तक राज-काम करके पश्चात् (रूपगुण + अन्विताम्) सोन्दर्यरूप गुणयुक्त (हृद्याम्) हृदय को अति-प्रिय (महति कुले संभूताम्) बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न (लक्षण + अन्विताम्) सुन्दर लक्षणयुक्त (सवर्णां भार्याम् उद्बहेत्) अपने क्षत्रिय कुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण-कर्म-स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे । दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी न देखे ॥ ७७ ॥ (स० प्र० १४६)

✽ तत् + अध्यास्य = पूर्वोक्त राज भवन में निवास करके पुरोहित का वरण एवं उसके कर्तव्य—

पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव ऋत्विजः ।

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतानिकानि च ॥ ७८ ॥ (५९)

(पुरोहितं च ऋत्विजं वृणुयात् एव प्रकुर्वीत) पुरोहित और ऋत्विक् का स्वीकार इसलिए करे कि (ते) वे (गृह्याणि च वैतानिकानि अस्य कर्माणि कुर्युः) अग्निहोत्र और पञ्चेष्टि आदि सब राजघर के कर्मों को करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहे ॥ ७८ ॥ (स० प्र० १४६)

अनुयायित्वः : वैतानिक और गृह्य कर्म—यहां 'वैतानिक' शब्द का अर्थ विस्तृत अर्थात् लम्बे समय तक चलने वाले 'यज्ञों' से और 'गृह्य कर्मों' से घर के धार्मिक अनुष्ठानों और दैनिक पञ्चमहायज्ञों से अभिप्राय है । ७९ में श्लोक में वैतानिक यज्ञों को स्पष्ट कर दिया है । राजा को समयानुसार पञ्चमहायज्ञों के अतिरिक्त बृहत् यज्ञों का आयोजन भी करते रहना चाहिए । इन कार्यों के लिए पुरोहित या ऋत्विक् का वरण किया जाता है । २ । ११८ [२ । १४३] में ऋत्विक् का लक्षण करते हुए भी इन सभी यज्ञों की गणना की है, वही भाव इस श्लोक में है ।

यजेत राजा क्रतुभिर्विधिर्घराप्तदक्षिणः ।

धर्मार्थं चैव त्रिप्रेभ्यो दद्याद्भोगाधनानि च ॥ ७९ ॥ (६०)

(राजा) राजा (आप्तदक्षिणः विधिः क्रतुभिः) बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों को (यजेत) किया करे (च) तथा (धर्मार्थम्) धर्म के लिए (त्रिप्रेभ्यः) विद्वान् ब्राह्मणों को (भोगान् च धनानि दद्यात्) भोग्य वस्तुओं एवं धनों का दान करे ॥ ७९ ॥

सांवत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेद्बलिम् ।

स्याच्छाम्नायपरो लोको वर्तेत पितृवन्नुषु ॥ ८० ॥ (६१)

+ (सांवत्सरिकं बलिम्) वार्षिक कर (आप्तः आहारयेत्) आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे (च) और जो सभापतिरूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब (आम्नायपरः) सभा-वेदानुकूल होकर ॐ (नृषु पितृवत् वर्तेत) प्रजा के साथ पिता के समान वर्त्ते ॥ ८० ॥ (स० प्र० १५०)

+ (राष्ट्रात्) राष्ट्र अर्थात् राज्यवासियों से.....

ॐ (लोके) राज्य में.....

अनुशीलन : आप्त और बलि का विशेष अर्थ—‘आप्त’ और ‘बलि’ परम्परागत शास्त्रीय शब्द हैं। शास्त्रों में बहुप्रयोग के आधार पर इनके अपने विशेष अर्थ रूढ़ हो गये हैं—

(१) ‘आप्तः’ शब्द ‘आप्तृ व्याप्तो’ (स्वादि) धातु से ‘क्त’ प्रत्यय के योग से बना है। अपने विषय में पूर्णतः व्याप्त अर्थात् व्यापक और प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाले धार्मिक व्यक्ति को ‘आप्त’ कहते हैं। राजा को प्रत्येक विभाग में मुख्य अधिकारी ऐसे आप्तपुरुष रखने चाहिए।

(२) बलि का अर्थ होता है—अन्न या भोजन आदि से यज्ञार्थ निकाला गया शेष भाग = अंश। जैसे बलिवैश्वदेव यज्ञ में भोजन का कुछ अंश प्राणियों के लिए निकाल कर रखा जाता है। यहां, राजा जो अन्न के छूटे भाग के रूप में प्रजाओं से कर लेता है, उसे ‘बलि’ कहा गया है। कर के विभिन्न रूपों और उनके अन्तर को समझने के लिए देखिए = ३०७ पर अनुशीलन।

विविध विभागाध्यक्षों की नियुक्ति—

अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः ।

तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नुणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ ८१ ॥ (६२)

राजा (विविधान्) अनेक (विपश्चितः अध्यक्षान्) मेधावी, प्रतिभा-शाली, योग्य विद्वान् अध्यक्षों को (तत्र तत्र) आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों में (कुर्यात्) नियुक्त करे (ते) वे विभागाध्यक्ष (अस्य) इस राजा के द्वारा नियुक्त (सर्वाणि) अन्य सब (कार्याणि कुर्वताम्) अपने अधीन कार्य करने वाले (नुणाम्) कर्मचारी लोगों का (अवेक्षेरन्) निरीक्षण किया करें ॥ ८१ ॥

“उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा नियत करे। इनका यही काम है—जितने-जितने, जिस-जिस काम के राजपुरुष हों,

नियमानुसार वर्त्तकर यथावत् काम करते हैं वा नहीं। जो यथावत् करें तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत् दण्ड दिया करे।”
(सं प्र० १५०)

अनुशीलन : (१) कौटिल्य के अनुसार विभागाध्यक्ष—आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र प्र० २२। अ० ६ से ५२। ३४ तक अध्यक्षप्रचार नामक अधिकरण में योग्यता, शक्ति, और परीक्षानुसार अनेक विभागाध्यक्षों और उपविभागाध्यक्षों का विधान किया है। अध्यक्षों के पदों का विभाजन; विभाग और कार्यानुसार होना चाहिए। कौटिल्य द्वारा परिगणित कुछ अध्यक्ष निम्न हैं—

१. सेनाध्यक्ष = सम्पूर्ण सेनाओं का निरीक्षक, २. कोशध्यक्ष = खजाने का अध्यक्ष, ३. आकराध्यक्ष = खानों का अध्यक्ष, ४. अक्षपटलाध्यक्ष = आय-व्यय का महा-निरीक्षक, ५. कोष्ठगाराध्यक्ष = कोठारी, ६. आयुधगाराध्यक्ष = युद्ध-सामग्री का अधिकारी, ७. पण्याध्यक्ष = बाजार का नियन्त्रक अधिकारी, ८. कुप्याध्यक्ष = वन की वस्तुओं का अध्यक्ष, ९. स्वर्णध्यक्ष = सोने-चांदी का अध्यक्ष, १०. लोहाध्यक्ष = लोहा आदि धातुओं का अध्यक्ष, ११. सीताध्यक्ष = कृषि विभाग या कर के रूप में एकत्रित धान्य का अध्यक्ष, १२. शुल्काध्यक्ष = बूंगी का अधिकारी, १३. पीतवाध्यक्ष = तोल-माप का नियन्त्रक अधिकारी, १४. मानाध्यक्ष = देश-काल के मानों का नियन्त्रक, १५. सूत्राध्यक्ष = वस्त्र या सूत व्यवसाय का अध्यक्ष, १६. सूनाध्यक्ष = वधस्थान का अधिकारी, १७. नगराध्यक्ष = नगर का प्रमुख अधिकारी, १८. नावाध्यक्ष = नौका परिवहन का अधिकारी, १९. गो-अध्यक्ष = गौ आदि दुधारु पशुओं का व्यवस्थापक अधिकारी, २०. अश्व-ध्यक्ष = अश्वशाला का अधिकारी, २१. हस्ति-अध्यक्ष = हस्तिशाला का अधिकारी, २२. रथाध्यक्ष = रथसेना का अधिकारी, २३. पत्त्यध्यक्ष = पैदल सेना का अधिकारी, २४. मुद्राध्यक्ष = मुद्रा-व्यवस्था का अधिकारी, २५. विविताध्यक्ष = चरागाह का अध्यक्ष, २६. लवणाध्यक्ष = टकसाल का अधिकारी, २७. धर्माध्यक्ष = धर्म-निर्णायक अधिकारी।

(२) विपश्चित् का अर्थ—‘विपश्चित्’ ‘प्रतिभाशाली मेधावी विद्वान्’ को कहते हैं। निरुक्त ३। १५ में कहा है—“विपश्चित् मेधावी-नाम।” राजा योग्य, प्रतिभाशाली, मेधावी, विद्वानों को ही विविध विभागों में अध्यक्ष नियुक्त करे।

राजा स्नातक विद्वानों का सत्कार करे—

ब्राह्मणानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत् ।

नृपाणामक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्मणैर्भूयते ॥ ८२ ॥ (६३)

(नृपाणां ब्राह्मणैः एषः अक्षयः निधिः विधायते) सदा जो राजाओं को वेद-प्रचाररूप अक्षय कोश है (गुरुकुलात् ब्राह्मणानां पूजकः भवेत्) इसके प्रचार के लिए कोई यथावत् ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल

से ग्रावे, उसका सरकार, राजा और सभा यथावत् करें (विप्राणाम्) तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुए विद्वान् होवें। इस बात के करने में राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है ॥ ८२ ॥ (स० प्र० १५०)

न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति ।

तस्माद्वाहा निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः ॥ ८३ ॥

(तम्) उस भक्षयनिधि को (न स्तेनाः च न अमित्राः हरन्ति) न चोर और न शत्रु हर सकते हैं (च) तथा (न नश्यति) न कभी नष्ट होती है (तस्मात्) इसलिए (राजा) राजा को (ब्राह्मणेषु + भक्षयः निधिः निधातव्यः) ब्राह्मणों में भक्षयनिधि स्थापित करनी चाहिए अर्थात् धन-धान्य आदि का दान देना चाहिए ॥ ८३ ॥

न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कश्चित् ।

वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ॥ ८४ ॥

(ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्) ब्राह्मणों के मुख में होमा गया पदार्थ अर्थात् ब्राह्मणों को दिया गया दान (अग्निहोत्रेभ्यः वरिष्ठम्) अग्निहोत्र करने से भी श्रेष्ठ फलदायक है, क्योंकि वह (न स्कन्दते) न तो व्यर्थ गिरता है (न व्यथते) न सूखता है (च) और (न विनश्यति) न कभी नष्ट होता है जबकि अग्निहोत्र में दिया गया आहुति रूपी दान कुछ व्यर्थ बिखर जाता है, कुछ सूख जाता है और कुछ जलकर नष्ट हो जाता है ॥ ८४ ॥

सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे ।

प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५ ॥

(अब्राह्मणे दानं समम्) ब्राह्मण वर्ण से भिन्न व्यक्ति को दान देने में समान फल मिलता है अर्थात् उस दान का न अच्छा और न बुरा फल मिलकर वह बराबर रहता है (ब्राह्मणब्रुवे) ब्राह्मण कहाने वाले मात्र व्यक्ति को दान देने से (द्विगुणम्) दुगुना फल (प्राधीते) पढ़ने वाले को देने से (शतसाहस्रम्) लाख गुणा (वेदपारगे) वेदों में पारंगत विद्वान् को दान देने से (अनन्तम्) अनन्त फल मिलता है ॥ ८५ ॥

पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धादानतयैव च ।

अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमश्नुते ॥ ८६ ॥

(पात्रस्य हि विशेषेण) पात्र की विशेषता से अर्थात् दान लेने वाला जैसा जैसा सुपात्र है उसके अनुसार (च) और (श्रद्धादानतया) श्रद्धा से दान देने पर (दानस्य) दान देने का (अल्पं वा बहु वा) थोड़ा-बहुत तो अवश्य ही (प्रेत्य) परलोक में (फलम् + अश्नुते) फल प्राप्त होता है ॥ ८६ ॥

अनुयायित्वम् : ८३ से ८६ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) ८२ वें श्लोक में राजा के द्वारा गुरुकुल से ग्राये स्नातकों

का सत्कार करने का निर्देश है, दानका नहीं। अतः उसके साथ जोड़कर ब्राह्मणों को दान देने और उसकी महिमा का वर्णन करने का प्रसंग असंगत है। (१२) ब्राह्मणों को दान देने की चर्चा ७६ वें श्लोक में हो चुकी है। यदि उस सम्बन्ध में रक्षयिता को कुछ और कहना अभीष्ट होता, तो वे उसी श्लोक के बाद साथ ही इन बातों का वर्णन करते। किन्तु ऐसा न करके अगले श्लोक से भिन्न बातों की चर्चा शुरू की है जो यह संकेत देती है कि मनु को दान के विषय में जो कहना था वह ७६ वें श्लोक में ही पूर्ण कर दिया। एक प्रसङ्ग के पूर्ण होने के बाद कुछ ही अन्तर पर पुनः उसे प्रारम्भ करना प्रसङ्गविरुद्ध है। इस आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. अग्निविरोध—(१) ८३-८४ श्लोकों में अग्निहोत्र से भी बढ़कर ब्राह्मणों को दान देने की महिमा कही है। यह मान्यता मनु के विरुद्ध है, यतोहि—(क) मनु के मत में दान देने से बढ़कर अग्निहोत्र है, क्योंकि उमसे यह शरीर ब्रह्मप्राप्ति के योग्य बनता है [२। ३ (२८)]। (ख) दान को उतना अनिवार्य और आवश्यक नहीं माना है जितना स्थान-स्थान पर अग्निहोत्र करने को सबके लिए अनिवार्य और आवश्यक माना है [२। ३ (२८), ४४ (६६), ८०-८१ (१०५-१०६), ८३ (१०८), १६१ (१८६), ३। ६७-७६, ४। २१-२५, ५। १६६, ६। ४-११ आदि]। (ग) और फिर दान तो पञ्चयज्ञों का एक भाग मात्र है, जैसे भिक्षादान आदि [३। ६४]। जब दान अङ्ग और पञ्चयज्ञ अङ्गी हों तो स्वतः अग्निहोत्र की प्रमुखता सिद्ध होती है। इस प्रकार ये श्लोक मनु की मान्यता के विरुद्ध हैं। (२) ८५-८६ श्लोकों में पात्रों का वर्णन करते हुए 'अब्राह्मण' को भी दान लेने का पात्र सिद्ध किया है। यह मनु की आधारभूत मान्यता के ही विरुद्ध है। मनु ने केवल ब्राह्मण को ही दान लेने का अधिकारी घोषित किया है [१। ८८, १०। ७५-७६]। अन्य वर्णों को केवल दान देने मात्र का आदेश है। इन अग्निविरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. शैलीगत आधार—सभी श्लोकों की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण है और ८५-८६ की अप्रयुक्तियुक्त भी। क्योंकि दान का फल पात्र को देखकर नहीं, अपितु उसके उद्देश्य या उपयोग पर आधारित है। समान, द्विगुण, सहस्रगुण, आदि का निश्चय करना भी निराधार बात है। इस आधार पर भी ये मनुप्रोक्त सिद्ध नहीं होते।

युद्ध के लिए गमन तथा युद्धसम्बन्धी व्यवस्थाएँ—

समोत्तमाधमै राजा त्वाहृतः पालयन्प्रजाः ।

हे

राजा ८७ ॥ (६४)

(प्रजाः पालयन् राजा) जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को (सम-उत्तम-अधमैः आहृतः तु) अपने से तुल्य, उत्तम और छोटा संग्राम में आह्वान करे तो (क्षात्रं धर्मम्+अनुस्मरन्) क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके (संग्रामात् न निवर्तत) संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न

हो अर्थात् बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे, जिससे अपनी ही विजय हो ॥ ८७ ॥ (स० प्र० १५०)

संग्रामेषु निर्वर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम् ।

शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥ ८८ ॥

(संग्रामेषु + अनिवर्तित्वम्) संग्राम से न टलना (च) और (प्रजानां पालनम्) प्रजाओं का पालन करना (च) तथा (ब्राह्मणानां शुश्रूषा) ब्राह्मणों की सेवा करना (राज्ञां परं श्रेयस्करम्) ये बातें राजा के लिए परम कल्याणकारी हैं ॥ ८८ ॥

अनुशीलनम् : ८८ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. प्रसंगविरोध—यह ८८ वां श्लोक पूर्वपरप्रसंग को भंग कर रहा है। पूर्वा-पर प्रसंग संग्राम से न लौटने का वर्णन करने का है। ८७ वें में संग्राम से न लौटने का कथन है, और ८६ में उसका फल वर्णित है। दूसरे शब्दों में ८७ वें में पराङ्मुख न होने का कथन है, और ८६ में अपराङ्मुख रहने का फलकथन है। इस प्रकार ८७ वें श्लोक का ८६ वां अर्थवाद रूप है, अतः ये परस्पर सम्बद्ध भी हैं। बीच के इस श्लोक ने उस सम्बद्धता को भंग कर दिया है और राजा के परम श्रेयस्कर कर्तव्यों का पूर्वपर प्रसंगविरुद्ध वर्णन किया है। कोई यह कहे कि “संग्रामेषु अनिवर्तित्वम्” इसी प्रसंग से सम्बद्ध है, तो यह भी मान्य नहीं, क्योंकि ८७ और ८६ श्लोकों में इसी बात का तो वर्णन है। इस प्रकार प्रसंगविरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।

२. अन्तर्विरोध—इसमें राजा के श्रेयस्कर कर्मों का वर्णन करते हुए ‘ब्राह्मणों की सेवा’ भी राजाओं का एक मुख्य कर्म माना है। १। ८७; ७। १४४ श्लोकों के अनुसार क्षत्रिय-धर्म के अनुसार प्रजाओं का पालन करना ही क्षत्रिय का मुख्य धर्म है, वही उसके लिए श्रेयस्कर है। ब्राह्मणों की सेवा क्षत्रिय के लिए कोई अतिरिक्त कर्तव्य नहीं है, अतः यह कथन अनुसम्मत सिद्ध नहीं होता।

ब्राह्मणेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ८९ ॥ (६५)

(ब्राह्मणेषु) जो संग्रामों में + (अन्यः + अन्यं जिघांसन्तः) एक-दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए (महीक्षितः) राजा लोग (परं शक्त्या अपराङ्मुखाः) जितना सामर्थ्य हो बिना डरे, पीठ न दिखा (युध्यमानाः) युद्ध करते हैं, वे (स्वर्गं यान्ति) सुख को प्राप्त होते हैं ॥

इससे विमुख कभी न हो किन्तु कभी-कभी शत्रु को जीतने के लिए उनके सामने छिप जाना उचित है। क्योंकि, जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें। जैसे सिंह क्रोधाग्नि में सामने आकर शस्त्राग्नि

में शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे मूर्खता से नष्ट-भ्रष्ट न हो जावें ॥ ८६ ॥
(स० प्र० १५०)

+ (मियः) परस्पर.....

न कूर्टरायुधैर्हृन्वायुध्यमानो रणे रिपून् ।

न करिभिर्नापि दिग्धर्माग्निज्वलिततेजसैः ॥ ६० ॥

(रणे रिपून् युध्यमानः) युद्ध में शत्रुओं को मारते हुए राजा (कूर्टः आयुधैः) घोषा युक्त शस्त्रास्त्रों से [जैसे बाहर लकड़ी दीखती हो और अन्दर विषैला लोहे प्रादि का शस्त्र छिपा हो] (करिभिः) कर्णों के आकार के बाणों से [जो आगे से नुकीले और मध्य से चौड़े होने के कारण शरीर में लगने के बाद निकलते नहीं] (दिग्धैः) विषबुद्धे बाणों से (अग्निज्वलित-तेजसैः अग्नि) और जिनका फलक अग्नि में तप रहा हो अर्थात् तपते बाणों से भी (न हृन्वात्) न मारे ॥ ६० ॥

अनुध्यातव्यः : ६० वां श्लोक प्रसिप्त है—

१. प्रसंगविरुद्ध—यहाँ प्रस्तुत पूर्वापर प्रसंग 'किन-किन व्यक्तियों को परस्पर युद्ध करते समय नहीं मारना चाहिए' इससे सम्बद्ध है। किन्हीं हथियारों से न मारने का प्रसंग नहीं है। अतः बीच में हथियारों से न मारने का कथन पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है अतः प्रसिप्त है।

युद्ध में किन को न मारे —

न च हृन्वास्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम् ।

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम् ॥ ६१ ॥ (६६)

न सुप्तं न विसम्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ।

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ६२ ॥ (६७)

नायुधव्यसनप्राप्तं नार्तं नातिपरिक्षतम् ।

न भोतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ६३ ॥ (६८)

(न स्थल + आरूढम्) युद्ध समय में, न इधर-उधर खड़े, (न क्लीबम्) न नपुंसक, (न कृत + अञ्जलिम्) न हाथ जोड़े हुए, (न मुक्तकेशम्) न जिसके शिर के बाल खुल गये हों, (न आसीनम्) न बैठे हुए, (न 'तव अस्मि' इति वादिनम्) न "मैं तेरे शरण हूँ" ऐसे + को, (न सुप्तम्) न सोते हुए, (न विसम्नाहम्) न मूर्छा को प्राप्त हुए, (न नग्नम्) न नग्न हुए (न निरायुधम्) न आयुध से रहित, (न + अयुध्यमानम्) न युद्ध न करते हुए देखने वाले को, (न परेण समागतम्) न शत्रु के साथी, (न + आयुध-व्यसन-प्राप्तम्) न आयुध के ग्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, (न नार्तम्) न दुःखी

(न + अतिपरिक्षतम्) न अस्यन्त घायल, (न भीतम्) न डरे हुए और (न परावृत्तम्) न पलायन करते हुए पुरुष को (सतां धर्मम् + अनुस्मरन्) सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए (हन्यात्) योद्धा लोग कभी मारें ॥
+ (वादिनम्) कहते हुए—

“किन्तु उनको पकड़के, जो अच्छे हों उन्हें बन्दीगृह में रखदे और भोजन आच्छादन यथावत् देवे। और जो घायल हुए हों उनको शीघ्र आदि विधिपूर्वक करे। न उनको चिढ़ावे, न दुःख देवे, जो उनके योग्य काम हो करावे। विशेष इस पर ध्यान रखे कि स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे। उनमें लड़कों को अपने सन्तानवत् पाले और स्त्रियों को भी पाले, उनको अपनी बहन और कन्या के समान समझे कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे। जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाये और जिनसे पुनः-पुनः युद्ध करने की शंका न हो उनको सत्कारपूर्वक छोड़कर अपने-अपने घर वा देश को भेजदेवे। और जिनसे भविष्यत् काल में विघ्न होना संभव हो उनको सदा कारागार में रखे ॥ ६१, ६२, ६३ ॥” (स० प्र० १५०)

युद्ध से पलायन करने वाला अपराधी होता है—

यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः।

भर्तुर्पदं दुष्कृतं किञ्चित्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ६४ ॥ (६६)

(यः तु) और जो (संग्रामे) युद्धक्षेत्र में (परावृत्तः) पीठ दिखाकर भाग जाये, अथवा (भीतः परैः हन्यते) डरकर भागता हुआ शत्रुओं के द्वारा मारा जाये, उसे (भर्तुः) राजा की ओर से प्राप्त होने वाला (यत् किञ्चित् दुष्कृतम्) जो भी कुछ दण्ड, अपराधीभाव व बुराई है (तत् सर्वं प्रतिपद्यते) उस सब का पात्र बनकर वह दण्डनीय होता है अर्थात् राजा के मन से उसकी श्रेष्ठता का प्रभाव समाप्त हो जाता है [६५] और राजा उसकी सुख-सुविधा को छीनकर दण्ड देता है ॥ ६४ ॥

“और जो पलायन अर्थात् भागे और डराहुआ भूत शत्रुओं द्वारा मारा जाये वह उस स्वामी के अन्तराध का प्राप्त हाकर दण्डनीय होवे।”
(स० प्र० १५०)

अनुशीलनः : ‘दुष्कृत’ आदि पाप के पर्यायवाची शब्दों का अर्थ समझने के लिए द्रष्टव्य ६।३।१६ पर अनुशीलन।

ॐ [प्रचलित अर्थ]—युद्ध में डरकर विमुख जो योद्धा शत्रुओं से मारा जाता है; वह स्वामी का जो कुछ पाप है, उसे प्राप्त करता है ॥ ६४ ॥

यश्चास्य सुकृतं किञ्चिदमुत्रार्थमुपाजितम् ।

भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ ६५ ॥ (७०)

(च) और (यत् किञ्चित् अस्य सुकृतम्) जो उसकी प्रतिष्ठा है (अमुत्रार्थम्+उपाजितम्) जिससे इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था [६६, ६७ आदि] (तत् सर्वं भर्ता आदत्ते) उसको उसका स्वामी ले लेता है (परावृत्तहतस्य तु) जो भागा हुआ मारा जाये उसको कुछ भी सुख नहीं होता, उसका पुण्यफल नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त होता है जिसने धर्म से यथावत् युद्ध किया हो ॥ ६५ ॥

(स० प्र० १५०)

रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्स्त्रियः ।

सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ॥ ६६ ॥ (७१)

इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि (यः यत्) लड़ाई में जिस-जिस अमात्य वा अध्यक्ष ने (रथ+अश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः) रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियाँ (च) तथा (सर्वद्रव्याणि) अन्य प्रकार के सब द्रव्य (कुप्यम्) और धो, तेल आदि के कुप्पे (जयति) जीते हों (तत् तस्य) वही उस-उस का ग्रहण करे ॥ ६६ ॥

(स० प्र० १५०)

जीते हुए धन से राजा को 'उद्धार' देना—

राज्ञश्च दद्युर्द्वारमित्येषा वेदिकी श्रुतिः ।

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ ६७ ॥ (७२)

(च) परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से (उद्धारं राज्ञः दद्युः) सोलहवां भाग राजा को देवें (च) और (राज्ञा) राजा भी (सर्वयोधेभ्यः) सेनास्थ योद्धाओं को (अपृथक्जितम्) उस धन में जो सब ने मिलकर जीता हो (दातव्यम्) सोलहवां भाग देवे ॥

“और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और सन्तान को उसका भाग देवे और उसकी स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत् पालन करे । जब उसके लड़के समर्थ हो जायें तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे । जो कोई अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनन्दवृद्धि की इच्छा रखता हो, वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे” ॥ ६७ ॥

(स० प्र० १५०)

अनुपस्कृतः प्रोक्तो योषधर्मः सनातनः ।

अस्माद्धर्माश्च ज्यवेत क्षत्रियो धनं रणे रिपून् ॥ ६८ ॥ (७३)

(एषः) यह [८७-६७] (अनुपस्कृतः) अनिन्दित (सनातनः) सर्वदा मान्य (योषधर्मः प्रोक्तः) योद्धाओं का धर्म कहा, (क्षत्रियः) क्षत्रिय व्यक्ति (रणे रिपून् धनं) युद्ध में शत्रुओं को मारते हुए (अस्मात् धर्मात् न ज्यवेत) इस धर्म से विचलित न होवे ॥ ६८ ॥

राजा द्वारा चिन्तनीय बातें—

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्रप्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्धयेच्छ्वं वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ ६९ ॥ (७४)

राजा और राजसभा (अलब्धं च + एव लिप्सेत) अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा (लब्धं प्रयत्नतः रक्षेत्) प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे (रक्षितं वर्धयेत्) रक्षित को बढ़ावे (च) और (वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्) बढ़े हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनार्थों के पालन में लगावे ॥ ६९ ॥ (न० प्र० १५२)

एतच्छतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम् ।

अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादितन्वितः ॥ १०० ॥ (७५)

(एतत् शतुर्विधम्) यह चार प्रकार का (पुरुषार्थप्रयोजनम्) राज्य के लिए पुरुषार्थ करने का उद्देश्य (विद्यात्) समझना चाहिए, राजा (अतन्वितः) आलस्य रहित होकर (अस्य नित्यं सम्यक् अनुष्ठानं कुर्यात्) इस उद्देश्य का सदैव पालन करता रहे ॥ १०० ॥

“इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने, आलस्य छोड़कर इसका भलीभांति नित्य अनुष्ठान करे ।” (स० प्र० १५४)

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेद्वेक्षया ।

रक्षितं वर्धयेद् वृद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १०१ ॥ (७६)

(दण्डेन अलब्धम् + इच्छेत्) दण्ड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा (अवेक्षया) नित्य देखने से (लब्धं रक्षेत्) प्राप्त की रक्षा (रक्षितं वृद्ध्या वर्धयेत्) रक्षित की वृद्धि अर्थात् व्याजादि से बढ़ावे (वृद्धम्) और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त [६६] मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ १०१ ॥

(स० प्र० १५२)

✽ अर्थात् (पात्रेषु निःक्षिपेत्) सुपात्रों एवं योग्य कर्मों में व्यय करे ।

“राजाधिराज पुरुष अलब्ध राज्य की प्राप्ति की इच्छा दण्ड से, और प्राप्त राज्य की रक्षा देखभाल करके, रक्षित राज्य और धन को व्यापार और व्याज से बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्यविद्या और सत्यधर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में बँट्टे हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सबकी उन्नति सदा किया करें ॥ (सं० वि० १५५)

नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः ।

नित्यं संवृतसंवायों नित्यं छिद्रानुसार्यरे ॥ १०२ ॥ (७७)

राजा (नित्यम् + उद्यतदण्डः स्यात्) सदैव न्यायानुसार दण्ड का प्रयोग करने में तत्पर रहे, (नित्यं विवृतपौरुषः) सदैव पराक्रम दिखलाने के लिए तैयार रहे, (नित्यं संवृतसंवायः) सदैव राज्य के गोपनीय कार्यों को गुप्त रखे, (नित्यम् अरेः छिद्रानुसारी) सदैव शत्रु के छिद्रों = कमियों को खोजता रहे और उन त्रुटियों को पाकर अवसर मिलते ही अपने हित को चतुराई से पूर्ण कर ले ॥ १०२ ॥

अनुशीलनः : ‘छिद्र’ शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ ७। १०५ के अनुशीलन में द्रष्टव्य है ।

नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्स्नमुद्दिजते जगत् ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ॥ १०३ ॥ (७८)

(नित्यम् + उद्यतदण्डस्य) जिस राजा के राज्य में सर्वदा दण्ड के प्रयोग का निश्चय रहता है तो उससे (कृत्स्नं जगत् उद्दिजते) सारा जगत् भयभीत रहता है (तस्मात्) इसीलिए (सर्वाणि भूतानि) सब प्राणियों को (दण्डेनैव प्रसाधयेत्) दण्ड से साधे अर्थात् दण्ड के भय से अनुशासन में रखे ॥ १०३ ॥

अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया ।

बुद्ध्येतारिप्रयुक्ता च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥ १०४ ॥ (७९)

(कथंचन) कदापि (मायया न वर्तेत) किसी के साथ छल से न वर्ते (अमायया + एव) किन्तु निष्कपट होकर सबसे बर्ताव रखे (च) और (नित्यं स्वसंवृतः) नित्यप्रति अपनी रक्षा करके (अरिप्रयुक्तां मायां बुद्ध्येत) शत्रु के किये हुए छल को जानके निवृत्त करे ॥ १०४ ॥ (सं० प्र० १५२)

नास्य छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु ।

गूहेकूर्मं इवाङ्गानि रक्षेद्विषरमात्मनः ॥ १०५ ॥ (८०)

(परः अस्य छिद्रं न विद्यात्) कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात् निबलता को न जान सके (तु) और (परस्य छिद्रं विद्यात्) स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे (कूर्म + इव + अङ्गानि) जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता

है वैसे (आत्मनः विवरं गृहेत् रक्षेत्) शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे ॥ १०५ ॥ (स० प्र० १५२)

अनुशीलन : (१) छिद्र का अर्थ—द्रुति, कमजोरी, निर्बलता आदि ऐसी कमी जिससे शत्रु लाभ उठाकर स्वयं को हानि पहुँचा सके। 'छिन्नसि यत् तत् छिद्रम्=यूनस्वम्'। 'छिबिर् द्विषीकरणे' धातु से 'स्फापितञि' (उणादि २.१३) सूत्र से रक् प्रत्यय के योग से छिद्र शब्द सिद्ध होता है।

(२) कौटिल्य द्वारा उद्धृत श्लोक—मनु का यह श्लोक कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र प्रक० १०। प्र० १४ में सामान्य पाठभेद के साथ उद्धृत किया है।

वक्रवचिन्तयैदर्थान्सिंहवत् पराक्रमेत्।

वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥ १०६ ॥ (८१)

(वक्रवत् अर्थान् चिन्तयेत्) जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छी के पकड़ने की ताकता है वैसे अर्थसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए (सिंहवत् पराक्रमेत्) सिंह के समान पराक्रम करे (वृकवत् अवलुम्पेत) चीते के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े (च) और समीप में आये बलवान् शत्रुओं से (शशवत् विनिष्पतेत्) सुस्से [=खरगोश] के समान दूर भाग जाये और पदचात् उनको छल से पकड़े ॥ १०६ ॥ (स० प्र० १५२)

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः।

तानानयेद्वशं सर्वान्सामाद्विभिरुपक्रमैः ॥ १०७ ॥ (८२)

(एवं विजयमानस्य) इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में (ये परिपन्थिनः स्युः) जो परिपंथी अर्थात् डाकू-लुटेरे हों (तान्) उनको (साम+आदिभिः) साम=मिला देना, दाम=कुछ देकर, भेद=तोड़-फोड़ करके ❀ (वशम् आनयेत्) वश में करे ॥ १०७ ॥ (स० प्र० १५३)

❀ (उपक्रमैः) इन उपायों से.....

अनुशीलन : परिपन्थिन् का व्याकरण—'परिपन्थिन्,' शब्द 'छन्दसि परिपन्थिपरिपन्थिणोऽप्यं वच्चातरि' (प्र० ५। २। ८६) सूत्र के अनुसार वेद में निपातन रूप है। पाणिनि के अनुसार वेद में ही निपातन है किन्तु साय-साय संस्कृत-साहित्य में भी यह प्रयोग इसी रूप में प्रचलित है। इसके 'शत्रु', 'चोर', 'डाकू', 'लुटेरा', 'कायों में रुकावट डालने वाला' आदि अर्थ हैं।

१०७, ११० श्लोकों में उक्त 'परिपंथी' शब्द का व्यापक अर्थ है। इससे उन डाकू, चोर, लुटेरों का भी ग्रहण है जो प्रजाओं के अतिरिक्त, राज्य के विकास में रोड़ा

अटका कर बाधा डालने वाले, विरोध करके अराजकता फैलाने वाले और राज्यापहरण के लिए षड्यन्त्र करके शत्रु की सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को राजा कठोरता से वश में करे।

यदि ते तु न तिष्ठेयुः उपायैः प्रथमैस्त्रिभिः ।

दण्डेनैव प्रसह्यतां शत्रुन केवंशमानयेत् ॥ १०८ ॥ (८३)

(यदि) यदि (ते) वे शत्रु डाकू, चोर आदि (प्रथमैः त्रिभिः) उपायैः न तिष्ठेयुः तु) पूर्वोक्त साम, दाम, भेद इन तीन उपायों से शांति न हो या वश में न आयें तो राजा (एतान्) इन्हें (दण्डेन+एव) दण्ड के द्वारा ही (प्रसह्य) बलपूर्वक (शनकैः वशम्+मानयेत्) सावधानीपूर्वक वश में लाये ॥ १०८ ॥

“और जो इनसे वश में न हों तो अतिकठिन दण्ड से वश में करे।”
(स० प्र० १५३)

सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः ।

सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्र-अभिवृद्धये ॥ १०९ ॥

(पण्डिताः) पण्डित लोग (साम+आदीनां चतुर्णाम्+अपि उपायानाम्) साम आदि [साम, दाम, भेद, दण्ड] चारों उपायों में (नित्यं राष्ट्र-अभिवृद्धये) राष्ट्र की सतत-वृद्धि के लिए (साम-दण्डौ प्रशंसन्ति) साम और दण्ड की ही प्रशंसा करते हैं ॥ १०९ ॥

अनुशीलन : १०९ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यह श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। पूर्व के १०७-१०८ श्लोकों में और पश्चात् के ११० वें श्लोक में ‘परिपन्थियों को वश में करने और उन्हें विनष्ट कर देने की चर्चा है। इस प्रकार ११० वां श्लोक वाक्यक्रम की दृष्टि से १०८ वें से सम्बद्ध है। बीच में इस श्लोक ने उस सम्बद्धता को भङ्ग कर दिया है और साम-दण्ड की प्रशंसा का पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध वर्णन किया है। अतः प्रसंगविरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।

२. अन्तर्विरोध—इस श्लोक में साम आदि चार उपायों में केवल साम और दण्ड को ही प्रशंसनीय माना है। यह साम्यता अनुविरुद्ध है। क्योंकि मनु तो साम, दाम, दण्ड, भेद, चारों उपायों को प्रयोग करने योग्य मानकर उनका विधान करते हैं। जब विधान किया है तो वे मनु के मत में प्रशंसनीय भी हैं [७। ५६, १५६, १६०, १६१, १६४, १६७, १७०, १६८]। ठीक इससे पूर्व के १०७ वें श्लोक में पहले साम, दाम, भेद इन तीन उपायों का विधान है। इस अन्तर्विरोध के आधार पर भी यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

यद्योद्धरति निर्दाता कर्षं धान्यं च रक्षति ।

तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्छ परिपन्थिनः ॥ ११० ॥ (८४)

(यथा) जैसे (निर्दाता) धान्य का निकालने वाला (ऋक्षम् उद्धरति धान्यं च रक्षति) छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात् टूटने नहीं देता है (तथा) वैसे (नृपः) राजा (परिपन्थिनः हन्यात्) डाकू-चोरों को मारे (च) और (राष्ट्रं रक्षेत्) राज्य की रक्षा करे ॥ ११० ॥

(स० प्र० १५३)

राजा प्रजा का शोषण न होने दे—

मोहाद्वाजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ।

सोऽचिराद् भ्रश्यते राज्याज्जीविताश्च सबान्धवः ॥ १११ ॥ (८५)

(यः राजा) जो राजा (मोहात् अनवेक्षया) मोह से, अविचार से (स्वराष्ट्रं कर्षयति) अपने राज्य को दुबल करता है (सः) वह (राज्यात्) राज्य से (च) और (सबान्धवः जीवितात्) बन्धुसहित जीने से पूर्व हो (अचिरात्) शीघ्र (भ्रश्यते) नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है ॥ १११ ॥

(स० प्र० १५३)

प्रजा के शोषण से हानि—

शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ११२ ॥ (८६)

(यथा) जैसे (प्राणिनां प्राणाः) प्राणियों के प्राण (शरीरकर्षणात् क्षीयन्ते) शरीरों को कृशित करने से क्षीण हो जाते हैं (तथा) वैसे ही (राष्ट्रकर्षणात्) प्रजाओं को दुबल करने से (राज्ञाम् + अपि प्राणाः) राजाओं के प्राण अर्थात् बलादि बन्धुसहित (क्षीयन्ते) नष्ट हो जाते हैं ॥ ११२ ॥

(स० प्र० १५३)

अनुवर्तिताः : राष्ट्रकर्षण से अभिप्राय—श्लोक १११-११२ में राष्ट्र-कर्षण से अभिप्राय यह है कि डाकू-लुटेरों द्वारा या स्वयं राजा द्वारा, अन्य प्रजाजनों, अथवा राजपुरुषों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रजा का शोषण-उत्पीड़न होना । जिस प्रजा में शोषण-उत्पीड़न बढ़ जाता है, उस राजा का राज्य रूपी शरीर भी नष्ट हो जाता है ।

राष्ट्र के नियन्त्रण के उपाय—

राष्ट्रस्य सङ्ग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् ।

मुसंगुहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥ (८७)

इसलिए राजा (राष्ट्रस्य संग्रहे) राष्ट्र की सुव्यवस्था, नियन्त्रण एवं अभिवृद्धि के लिए (नित्यम्) सदैव (इदं विधानम् आचरेत्) इस निम्न वर्णित व्यवस्था [११४-१४४] को लागू करे (हि) क्योंकि (सुसंगृहीत-राष्ट्रः पार्थिवः) सुरक्षित, नियन्त्रित तथा सुव्यवस्थित राष्ट्र वाला राजा ही (सुखम् + एधते) सुखपूर्वक रहते हुए बढ़ता है—उन्नति करता है ॥ ११३ ॥

“इसलिए राजा और राजसभा राजकार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्य यथावत् सिद्ध हो। जो राजा राज्य पालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सदा सुख बढ़ता है।”
(स० प्र० १५३)

नियन्त्रण केन्द्रों और राजकार्यालयों का निर्माण—

द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ।

तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्वाण्टस्य संग्रहम् ॥ ११४ ॥ (८८)

इसलिए (द्वयोः त्रयाणां पञ्चानां मध्ये) दो, तीन और पांच गांवों के बीच में (गुल्मम् + अधिष्ठितम्) एक-एक नियन्त्रण केन्द्र या उन्नत राजकार्यालय बनाये (तथा ग्रामशतानाम्) इसी प्रकार सौ गांव तक कार्यालयों का निर्माण करे [जैसा कि ७। ११५-११७ में वर्णन है, उसके अनुसार] (च) और इस व्यवस्था के अनुसार (राष्ट्रस्य संग्रहं कुर्यात्) राष्ट्र को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं वशीभूत रखे ॥ ११४ ॥

“इसलिए दो, तीन, पांच और सौ गांव के बीच में एक राज-स्थान रखके जिसमें यथायोग्य भृत्य और कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्यों के कार्यों को पूर्ण करे।” (स० प्र० १५३)

ग्राम अधिकारियों आदि की नियुक्ति—

ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं तथा ।

विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ ११५ ॥ (८९)

(ग्रामस्य + अधिपतिं कुर्यात्) एक-एक ग्राम में एक-एक प्रधान पुरुष को रखे (तथा दशग्रामपतिम्) उन्हीं दश के ऊपर दूसरा (विंशति + ईशम्) उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा (शत + ईशम्) उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा (च) और (सहस्रपतिम् + एव) उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रखे ।

अर्थात् जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दशग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दस तहसीलों पर एक जिला नियत किया है” ॥ ११५ ॥

(स० प्र० १५३)

ग्रामदोषान्मुत्पन्नान्ग्रामिकः जनकैः स्वयम् ।

शंसेद् ग्रामदशेशाय दशेशो विशतीशिने ॥ ११६ ॥ (६०)

इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे कि (ग्रामिकः) वह एक-एक ग्रामों के पति (ग्रामदोषान् समुत्पन्नान्) ग्रामों में नित्यप्रति जो-जो दोष उत्पन्न हों उन-उनको (जनकैः स्वयम्) गुप्तता से (ग्रामदशेशाय) दशग्राम के पति को (शंसेत्) विदित कर दे, और (दशेशः) वह दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार (विशति+ईशिने) बीस ग्राम के स्वामी को दशग्रामों का वर्तमान [=की स्थिति] नित्यप्रति जनादेवे ॥ ११६ ॥ (म० प्र० १५३)

विशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयत् ।

शंसेद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ ११७ ॥ (६१)

(तु) और (विशतीशः) बीस ग्रामों का अधिपति (तत् सर्वम्) बीस ग्रामों के वर्तमान को [=बीस ग्रामों की स्थिति को] (शतेशाय निवेदयेत्) शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे (शतेशः तु) वैसे सौ-सौ ग्रामों के पति (स्वयम्) प्राय (महत्प्राधिपति, अर्थात् हजार ग्रामों के स्वामी को (शंसेत्) सौ-सौ ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें ॥ ११७ ॥

(स० प्र० १५३)

अनुशीलन :

राज्यसंरक्षण के लिए मनुप्रोक्त नियन्त्रणकेन्द्र-कार्यालय-

व्यवस्था-तालिका

- १—केन्द्रीय कार्यालय राजधानी अर्थात् राजा का किला (७।६६-७६)
- २—प्रत्येक नगर में एक सचिवालय (७।१२१)
- ३—सौ गांवों पर मुख्य कार्यालय (७।११४-११७)
- ४—बीस गांवों पर कार्यालय (" ")
- ५—दश गांवों पर कार्यालय (" ")
- ६—पांच गांवों पर कार्यालय (" ")

७—दो गांवों पर फिर एक कार्यालय

(" ")

[अपने से ऊपर-ऊपर के कार्यालयों को प्रतिदिन की गतिविधियों से सूचित करें, (७।११५-११७)]

पानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः ।

अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात् ॥ ११८ ॥

(ग्रामवासिभिः) ग्रामवासियों द्वारा (प्रत्यहम्) प्रतिदिन (पानि अन्न + पान + इन्धन + आदीनि राजप्रदेयानि) जो-जो अन्न, पेयवस्तु, ईन्धन आदि राजा को देय पदार्थ हैं (तानि) उन्हें (ग्रामिकः अवाप्नुयात्) गांव का अध्यक्ष ग्रहण कर ले ॥ ११८ ॥

दशी कुलं तु भुञ्जीत विंशो पञ्च कुलानि च ।

ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम् ॥ ११९ ॥

(दशी) दश ग्रामों का अधिपति (कुलं भुञ्जीत) एक 'कुल' की भूमि का अपने लिए उपयोग करे (च) और (विंशो) बीस गांव का स्वामी (पञ्चकुलानि) पांच 'कुलों' की भूमि को (ग्रामशताध्यक्षः ग्रामम्) सौ ग्रामों का स्वामी एक 'गांव' को (सहस्राधिपतिः पुरम्) हजार गांवों का स्वामी एक 'नगर' को अपने लिए उपयोग करे ॥ ११९ ॥

अनुयातन्त्र : कुल का अर्थ—'कुल' का यहां विशेष अभिप्राय है ।

हरीत स्मृति में दी गयी परिभाषा के अनुसार छह बेलों द्वारा एक साथ चलाये जाने वाले हल को 'मध्यम हल' कहा जाता है । ऐसे दो हलों अर्थात् बाहर बेलों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को एक 'कुल' कहा जाता है ।

११८-११९ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—ये दोनों श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरोध हैं । पूर्वापर श्लोकों का प्रसंग राज्यव्यवस्था के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति और उनकी कार्य करने की प्रणाली का है । ११७ वें में 'सहस्रपति' तक की कार्यविधि का उल्लेख है, फिर "तेषां ग्राम्याणि कार्याणि" के श्लोक के बाद ११८ और ११९ श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।

सम्बद्ध है । इन दोनों श्लोकों ने उस सम्बद्धता और पूर्वापर प्रसंग को भंग कर दिया है । और इनमें कुछ अध्यक्षों की ग्राजीविका का पूर्वापर-प्रसंग के विरोध वर्णन है, अतः ये प्रक्षिप्त हैं ।

२. अन्तर्विरोध—(१) मनु ने प्रजाओं से केवल राजा को ही कर लेने का विधान किया है [७।१२७-१२०] । इन श्लोकों में कुछ अध्यक्षों द्वारा अपने लिए पदार्थों के लेने का विधान उक्त व्यवस्था के विरोध है (२) ७।१२५ में राज्य में नियुक्त

पुरुषों की जीविका निश्चित करने का विधान है, यह व्यवस्था उसके विरुद्ध है। (३) इस प्रकार की यह व्यवस्था मनुसम्मत नहीं लगती। क्योंकि इन श्लोकों में केवल कुछ अध्यक्षों के लिए ही आजीविका दर्शायी है, अन्य अमात्य आदि की जीविकाओं का वर्णन नहीं दिखाया। यह अपूर्णता भी इसे मनुमिन्न सिद्ध करती है। मनु ने तो सभी राजपुरुषों के लिए वेतन देने की एक व्यवस्था दर्शा दी है [७। १२५], जो सभी पर पूर्णरूप से लागू होती है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर भी ये मौलिक सिद्ध नहीं होते।

तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ।

राज्ञोऽन्यः सखिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १२० ॥ (६२)

(तेषाम्) उन पूर्वोक्त अध्यक्षों [११६-११७] के (ग्राम्याणि कार्याणि) गांवों से सम्बद्ध राजकार्यों को (च) और (पृथक् कार्याणि एव हि) अन्य भिन्न-भिन्न कार्यों को भी (राज्ञः+अन्यः स्निग्धः सखिवः) राजा का एक विश्वासपात्र प्रमुख मन्त्री [७। ५४] (अतन्द्रितः) आलस्यरहित होकर (पश्येत्) देखे ॥ १२० ॥

“और एक-एक, दश दश सहस्र ग्रामों पर दो सभापति वैसे करें जिनमें एक राजसभा में और दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीश राजपुरुषों के कामों को सदा धूमकर देखते रहें” । (स० प्र० १५३)

अनुपालिका : मनु ने विभिन्न श्लोकों में समुचित राज्य-संचालन के लिए तीन सभाओं की संरचना का तथा उनमें काम करने वाले अधिकारियों का कथन किया है। सुगमता के लिए उन्हें एकत्र स्थान पर अग्रिम तालिका के रूप में दिखाया जा रहा है। आजकल भी भारत में इसी प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। अन्तर केवल इतना ही है कि उन्हें सभा न कहकर ‘पालिका’ कहा जाता है। आजकल तीन पालिकाएं राज्यसम्बन्धी व्यवस्थाओं को निपटाती हैं,

(१) कार्यपालिका (विधानों एवं नियमों को क्रियात्मक रूप देने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का वर्ग),

(२) न्यायपालिका (विधानों एवं नियमों को क्रियात्मक रूप देने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का वर्ग),

(३) न्यायपालिका (न्याय करने वाले अधिकारी गण)। तालिका इस प्रकार है-

मनुप्रोक्त राज्यसंचालन के लिए सभा/मन्त्री/अधिकारी/कर्मचारी-प्रणाली (तात्त्विका)
राजा [मुख्य राजसभाध्यक्ष, कोई भी विद्वान्, जितेन्द्रिय क्षत्रिय ७।२-७]

(१)

राजसभा

[राज्य संचालन का कार्य, नीति निर्धारण]

१. ७-८ प्रमुख मन्त्री, आवश्यकतानुसार अधिक भी। (७।५४-५७, ६८-६९)
२. अवर सचिव (७।६०, ६१)
३. सहयोगी अधिकारी एवं दूताधिकारी (७।६२, ६३, ६८)
४. विभागों के अध्यक्ष (७।८१)
५. सहस्रग्रामप्रधान (७।११५-११७)
६. शतग्रामप्रधान (" ")
७. बीसग्रामप्रधान (" ")
८. दशग्रामप्रधान (" ")
९. एकग्रामप्रधान (" ")
१०. कर्मचारी गण (७।८१, १२०, १२२-१२५)

[ये सब एक प्रमुख मन्त्री के अधीन होंगे और प्रत्येक प्रमुख मन्त्री अपने-अपने विभागों तथा कर्मचारियों का निरीक्षण करे, (७।१२०)]

(२)

सहासभा या न्यायसभा

[न्याय करने का कार्य ८।१, ११-२६]

१. राजा या राजा का अधिकृत विद्वान् मुख्य न्यायाधीश (८।१, ११)
२. वेदविद्याओं के ज्ञाता तीन विद्वान्
३. मुकद्दमों के अनुसार उस-उस विषय के सलाहकार (८।१)

(३)

धर्मनिर्णय सभा या विद्यानपरिषद्

[धर्म का निश्चय, धर्मसंशय में निर्णय देना १२।१०८, ११०, ११२, जिसमें दश और कम से कम तीन विद्वान् होते हैं]

- क-दश सदस्यों की परिषद् व उसके सदस्य
१. ऋग्विद्या का ज्ञाता (१२।१११)
 २. यजुर्विद्या का ज्ञाता (")
 ३. सामविद्या का ज्ञाता (")
 ४. कारण-अकारण का ज्ञाता विद्वान् = हेतुक (")
 ५. निरुक्त शास्त्र का ज्ञाता (")
 ६. धर्मशास्त्र का ज्ञाता (")
 ७. ब्रह्मचर्यश्रम का एक प्रतिनिधि विद्वान् (")
 ८. गृहस्थाश्रम का एक प्रतिनिधि विद्वान्
 ९. वानप्रस्थ आश्रम का एक प्रतिनिधि विद्वान् (")

०. न्यायशास्त्र का ज्ञाता, तर्क करने वाला विद्वान् (")

ख-तीन सदस्यों की परिषद्

१. ऋग्विद्या का ज्ञाता (१२।११२)
२. यजुर्विद्या का ज्ञाता (")
३. सामविद्या का ज्ञाता (")

नगरों में सचिवालय का निर्माण—

नगरे नगरे चंकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ।

उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १२१ ॥ (६३)

राजा (नगरे नगरे) बड़े-बड़े प्रत्येक नगर में (एकम्) एक-एक (नक्षत्राणां ग्रहम् इव) जैसे नक्षत्रों के बीच में चन्द्रमा है इस प्रकार विशाल और देखने में प्रभावकारी (घोररूपम्) भयकारी अर्थात् जिसे देखकर या जिसका ध्यान करके प्रजाओं में नियमों के विरुद्ध चलने में भय का अनुभव हो (सर्व + अर्थचिन्तकम्) जिसमें सब राजकार्यों के चिन्तन और प्रजाओं की व्यवस्था और कार्यों के संचालन का प्रबन्ध हो ऐसा (उच्चैः स्थानम्) ऊंचा भवन अर्थात् सचिवालय (कुर्यात्) बनावे ॥ १२१ ॥

“बड़े-बड़े नगरों में एक-एक विचार करने वाली सभा का सुन्दर, उच्च और विशाल जैसा कि चन्द्रमा है, वैसा एक-एक घर बनावे। उसमें बड़े-बड़े विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो, वे बैठकर विचार किया करें। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो वैसे-वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करें” । (स० प्र० १५५)

राजकर्मचारियों के आचरण का निरीक्षण—

स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानिव सदा स्वयम् ।

तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्प्राष्ट्रेषु तच्चरैः ॥ १२२ ॥ (६४)

(सः) वह [७। १२० में वाणत] सचिव = प्रमुख मन्त्री (तान् सर्वान् सदा स्वयम् अनुपरिक्रामेत्) उन निमित्त [७। १२१] सब सचिवालयों का सदा स्वयं घूम-फिरकर निरीक्षण करता रहे (व) और (प्राष्ट्रे) देश में (तत् + चरैः) अपने दूतों के द्वारा (तेषां वृत्तं परिणयेत्) वहाँ नियुक्त राज-पुरुषों के आचरण की गुप्तरीति से जानकारी प्राप्त करता रहे ॥ १२२ ॥

“जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उसके अधीन सब गुप्तचर और दूतों को रखे, जो राजपुरुष और भिन्न-भिन्न जाति के रहें, उन से सब राज और प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरीति से जाना करे। जिनका अपराध हो उनको दंड और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे” । (स० प्र० १५५—१५६)

रिश्वतल्लोर कर्मचारियों पर दृष्टि रखे—

राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः ।

मृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १२३ ॥ (६५)

(हि) क्योंकि (प्रायेण) प्रायः (राजः रक्षाधिकृताः भृत्याः) राजा के द्वारा प्रजा की सुरक्षा के लिए नियुक्त राजसेवक (परस्वादायिनः) दूसरों के धन के लालची अर्थात् रिश्वतखोर और (शठाः) ठग या धोखा करने वाले (भवन्ति) हो जाते हैं (तेभ्यः) ऐसे राजपुरुषों से (इमाः प्रजाः रक्षेत्) अपनी प्रजाओं की रक्षा करे अर्थात् ऐसे प्रयत्न करे कि वे प्रजाओं के साथ या राज्य के साथ ऐसा बर्ताव न करपायें ॥ १२३ ॥

“राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक, सुपरीक्षित विद्वान्, कुलीन हों। उनके आधीन प्रायः शठ और परपदार्थ हरने वाले चोर-डाकुओं को भी नौकर रखके, उनको दुष्टकर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके, उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत् करे” । (स० प्र० १५६)

रिश्वतखोर कर्मचारियों को दण्ड—

ये कार्यिकेभ्योऽयमेव गृह्णीयुः पापचेतसः ।

तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १२४ ॥ (६६)

(पापचेतसः) पापी मन वाले (ये) जो रिश्वतखोर और ठग राजपुरुष (कार्यिकेभ्यः) यदि काम कराने वालों और मुकद्दमे वालों से (अर्थ गृह्णीयुः एव) फिर भी धन अर्थात् रिश्वत ले ही लें तो (तेषां सर्वस्वम् + आदाय) उनका सब कुछ अपहरण करके (राजा) राजा (प्रवासनम् कुर्यात्) उन्हें देश निकाला दे दे ॥ १२४ ॥

“जो राजपुरुष अन्याय से वादी-प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वस्व हरण करके, यथायोग्य दण्ड देकर, ऐसे देश में रखे कि जहां से पुनः लौटकर न आ सकें। क्योंकि यदि उसको दण्ड न दिया जाये तो उसको देखके अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करेंगे और दण्ड दिया जाये तो बचे रहेंगे।” (स० प्र० १५६)

कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण—

राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेक्ष्यजनस्य च ।

प्रत्यहं कल्पयेद्भृतिं स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १२५ ॥ (६७)

(राजा) राजा (कर्मसु युक्तानाम्) राजकायों में नियुक्त राजपुरुषों (स्त्रीणाम्) स्त्रियों (च) और (प्रेक्ष्यजनस्य) सेवकवर्ग की (कर्म + अनुरूपतः) पद और काम के अनुसार (प्रत्यहम्) प्रतिदिन की (स्थानं भृतिं कल्पयेत्) कर्मस्थान और जीविका निश्चित कर दे ॥ १२५ ॥

“जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भलीभांति हो और वे भलीभांति धनाढ्य भी हों, उतना धन वा भूमि राज्य की ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक बार मिला करे। और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे, परन्तु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जियें तब तक वह जीविका बनी रहे पश्चात् नहीं। परन्तु इनके सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे। और जिसके बालक जब तक समर्थ हों और उनको स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज की ओर से यथा-योग्य धन मिला करे। परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रखे”। (सं० प्र० १५६)

पणो देयोऽवकृष्टस्य षड्कृष्टस्य वेतनम्।

षाष्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः॥१२६॥(६८)

(प्रवकृष्टस्य पणः) निम्नस्तर के भृत्य को कम से कम एक पण और (उत्कृष्टस्य षट्) ऊँचे स्तर के भृत्य को छः पण (वेतनं देयः) वेतन प्रतिदिन देना चाहिए (तथा) तथा उन्हें (षाष्मासिकः आच्छादः) प्रति छः महीने पर ओढ़ने पहरने के वस्त्र [=वेशभूषा] (तु) और (मासिकः धान्यद्रोणः) एक महीने में एक द्रोण [६४ सेर] धान्य=अन्न, देना चाहिए॥ १२६॥

अनुयायितम् : कौटिल्य के अनुसार मन्त्रियों से सेवकों तक का भरण-पोषण व्यय—आचार्य कौटिल्य ने अपने समय के मूल्यस्तर के अनुसार राजा के परिजनों से लेकर, मन्त्रियों, ग्रामाचार्यों, ग्रन्थियों, निम्नस्तरीय कर्मचारियों तक की भृति=भरण-पोषण व्यय या वेतन का निर्धारण किया है। कौटिल्य के अनुसार धन और भूमि दोनों ही भृति के रूप में प्रदान करनी चाहिए। भूमि के सम्बन्ध में यह बात रखी है कि उसे कोई बेच नहीं सकता, न गिरवी रख सकता है [प्रक० १७। अ० १]। उन्होंने भृति या वेतन का निर्धारण प्रमुखरूप से निम्न प्रकार किया है—

१. ऋत्विक्, आचार्य, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता, और रानी, इनको प्रतिवर्ष षड्तालीस हजार पण दिये जायें।

२. द्वारपाल, अन्तःपुर का अधिकारी, ग्रामुपाध्यक्ष, समाहर्ता=कर संग्रह का अधिकारी, कोष्ठागाराध्यक्ष, इनको बीबीस हजार पण प्रतिवर्ष।

३. राजकुमार के भाई, उपसेनापति, व्यापाराध्यक्ष, नगराध्यक्ष, कृषि-अध्यक्ष आदि को एक हजार पण प्रतिवर्ष।

४. प्रथम श्रेणी के वास्तुकर्मविशेषज्ञ, हस्ति-अश्व-रथ-अध्यक्ष, दण्डाधिकारी आठ सौ पण वेतन प्रतिवर्ष।

इसी प्रकार सेना के विविध विभागीय अव्यक्तों को, सैन्य-शिक्षकों को दो दो हजार पण से आठ सौ पण प्रतिवर्ष। शिल्पी, आय-विभाग के कर्मचारी, क्लर्क, गुप्त-चर, वैद्य, गायक, वादक, आदि को एक हजार पण से एक सौ बीस पण तक प्रतिवर्ष वेतन का विधान किया है [प्र० ६१। प्र० ३]।

कर-ग्रहण सम्बन्धी व्यवस्थाएं—

क्रयविक्रयमध्वानं भक्ष्यं च सपरिव्ययम्।

योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान् ॥ १२७ ॥ (६६)

(क्रय-विक्रयम्) खरीद और विक्री (अध्वानम्) मार्ग की दूरी आदि (भक्ष्यम्) भोजन (च) तथा (सपरिव्ययम्) भरण-पोषण का व्यय (च) और (योगक्षेमम्) लाभ वस्तु की प्राप्ति एवं सुरक्षा और जनकल्याण (संप्रेक्ष्य) इन सब बातों पर विचार करके (वणिजः करान् दापयेत्) राजा को व्यापारी से कर लेने चाहिए ॥ १२७ ॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम्।

तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १२८ ॥ (१००)

(यथा) जैसे (राजा) राजा (च) और (कर्मणां कर्त्ता) कर्मों का कर्त्ता राजपुरुष व प्रजाजन (फलेन युज्येत) सुखरूप फल से युक्त होंगे (तथा) वैसे (अवेक्ष्य) विचार करके (नृपः) राजा तथा राज्यसभा (राष्ट्रे करान् सततं कल्पयेत्) राज्य में कर-स्थापन करे ॥ १२८ ॥ (स० प्र० १५६)

यथात्पाल्पमदन्याद्यं वार्योकोवत्सवत्पदाः।

तथात्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्वाजाब्धिकः करः ॥ १२९ ॥ (१०१)

(यथा) जैसे (वार्योक्-वत्स-वत्पदाः) जोर, बछड़ा और भंवरा (अला + अलम् आद्यम् अदन्ति) थोड़े-थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं (तथा) वैसे (राजा राष्ट्रात्) राजा प्रजा से (अल्सः + अल्पः) थोड़ा-थोड़ा (आब्धिकः करः गृहीतव्यः) वार्षिक कर लेवे ॥ १२९ ॥

(स० प्र० १५६)

पञ्चाशद्भाग आदेयो राजा पशुहिरण्ययोः।

धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ १३० ॥ (१०२)

(राजा) राजा को (पशु-हिरण्ययोः) पशुओं और सोने के लाभ में से (पञ्चाशत् भागः) पचासवां भाग, और (धान्यानां षष्ठः, अष्टमः वा द्वादशः एव आदेयः) अन्नों का छठा, आठवां या अधिक से अधिक बारहवां भाग ही लेना चाहिए ॥ १३० ॥

"जो व्यापार करने वाले वा शिल्पी को सुवर्ण और चांदी का

जितना लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावल आदि अन्नों में छठा भागवां या बारहवां भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान आदि खाने-पीने और धन से रहित होकर दुःख न पावे ।" (स० प्र० १६५)

आददीताथ षड्भागं द्रुमांसमधुसर्पिषाम् ।

गन्धोषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥ (१०३)

(अथ) और (द्रुमांस-सर्पिषाम्) गोंद, मधु, घी (च) और (गन्ध-ग्रीषधि-रसानाम्) गंध, ग्रीषधि, रस (च) तथा (पुष्प-मूल-फलस्य) फूल, मूल और फल, इनका (षड्भागम् आददीत) छठा भाग कर में लेवे ॥ १३१ ॥

पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वेदलस्य च ।

मूत्रमयःनां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च ॥ १३२ ॥ (१०४)

(च) और (पत्र-शाक-तृणानाम्) वृक्षपत्र, शाक, तृण (चर्मणां वेदलस्य चमड़ा, बांसनिर्मित वस्तुएं (मूत्रमयानां भाण्डानाम्) मिट्टी के बने बर्तन (च) और (सर्वस्य अश्ममयस्य) सब प्रकार के पत्थर से निर्मित पदार्थ, इनका भी छठा भाग कर ले ॥ १३२ ॥

अनुष्ठीतन्त्रः मनुप्रोक्त कर-व्यवस्थाएं सर्वप्राचीन एवं सर्वाधिक भाग्य—मनु सर्वप्रथम समाजव्यवस्थाओं के प्रवर्तक थे । एक राजा के रूप में उन्होंने इन व्यवस्थाओं को लागू कर समाज को व्यवस्थित एवं संगठित किया । अग्न्य व्यवस्थाओं की तरह जिस कर-व्यवस्था का उन्होंने निर्धारण किया था, लगभग वही ही आज तक चलती आ रही है । इससे ज्ञात होता है कि मनु की व्यवस्थाओं और मनु-स्मृति की समाज में सर्वोच्च भाग्यता थी । इसकी पृष्टि कीटिल्य अर्थशास्त्र के निम्न वचनों से होती है—

“मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजाः अनुं ब्रह्मस्वतं राजानं चक्रिरे । धान्य-षड्भागं पण्य-दशभागं हिरण्यं चास्य भागवेयं प्रकल्पयामासुः । तेन भूताः राजानः प्रजानां योग-क्षेमवहाः । तेषां कित्तिव दण्डकरा हरन्ति, योगक्षेमवहाश्च प्रजायाम् ।”

[प्रक० ८ । अ० १२]

अर्थात्—“जैसे बड़ी मछली छोटी निर्बल मछली को खा जाती है, इसी प्रकार बलवान् लोगों ने निर्बलों का जीना मुश्किल कर दिया । इस अन्याय से पीड़ित हुई प्रजाओं ने अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए विवस्वान् के पुत्र मनु को अपना राजा नियुक्त किया । और तभी से प्रजाओं ने अपनी खेती की उपज का छठा भाग, व्यापार की आमदनी का दसवां भाग तथा कुछ सुवर्ण राजा को ‘कर’ के रूप में देना निश्चित कर दिया । इस कर को पाकर राजाओं ने प्रजाओं की सुरक्षा और कल्याण की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर स्वीकार की । इस प्रकार ये निर्धारित ‘कर’ और ‘दण्ड’-व्यव-

स्थाएं प्रजाओं के कष्टों को निवारण करने और उनका कल्याण करने में सहायक सिद्ध होती हैं ।

अथमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् ।

न च क्षुधाऽस्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन् ॥ १३३ ॥

(अथमाणाः + अपि राजा) मरने जैसी स्थिति में पहुँचा हुआ भी राजा (श्रोत्रियात् करं न आददीत) वेदपाठी विद्वान् से कर न ले (च) और (अस्य विषये वसन्) इसके राज्य में रहते हुए (श्रोत्रियः क्षुधा न संसीदेत्) कोई वेदपाठी भूख से न मरने पाये ॥ १३३ ॥

यस्य राजस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा ।

तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेण सीदति ॥ १३४ ॥

(यस्य राजः तु विषये) जिस राजा के राज्य में (श्रोत्रियः) वेदपाठी विद्वान् (क्षुधा सीदति) भूख से पीड़ित या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । (तस्य तत् राष्ट्रम् अपि) उसका वह देश भी (अचिरेण + एव क्षुधा सीदति) शीघ्र ही भूख अपात् दुर्भिक्ष से पीड़ित हो जाता है ॥ १३४ ॥

भूतवृत्ते विदित्वाऽस्य वृत्तिं धर्म्या प्रकल्पयेत् ।

संरक्षेत्सर्वतश्चर्चनं पिता पुत्रमिवोरसम् ॥ १३५ ॥

इसलिए (अस्य भूत-वृत्ते विदित्वा) इस विद्वान् के शास्त्रज्ञान और आचरण को जानकर (धर्म्या वृत्तिं प्रकल्पयेत्) जीविका निश्चित कर दे (च) और (पिता गौरवम् + इव) जैसे पिता अपने सगे पुत्र की रक्षा करता है वैसे ही (एवं सर्वतः संरक्षेत्) इस वेदपाठी की सब तरह से सुरक्षा करे ॥ १३५ ॥

संरक्ष्यमाणो राज्ञो यं कुर्वते धर्ममवहम् ।

तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥

(राज्ञा संरक्ष्यमाणः) राजा के द्वारा सुरक्षित रहता हुआ वेदपाठी विद्वान् (अवहम्) प्रतिदिन (यं धर्मं कुर्वते) जिस धर्म का पालन करता है (तेन) उस धर्म से (राज्ञः द्रविणम् आयुः वर्धते) राजा के धन, आयु बढ़ते हैं (च) और (राष्ट्रम् + एव) राष्ट्र की भी अभिवृद्धि होती है ॥ १३६ ॥

अनुशीलन : १३३ से १३६ श्लोक निम्न 'आचारों' पर प्रसिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध हैं । पूर्वापर श्लोकों का प्रसंग व्यापारियों से किस प्रकार, किन वस्तुओं पर थोड़ा या बहुत कर लेने का है । बीच में श्रोत्रिय से कर न लेने का वर्णन करने वाले ये श्लोक उस प्रसंग को भंग कर रहे हैं, और इनका वर्णन भी अप्रासंगिक है । अतः इस आचार पर ये प्रसिप्त हैं ।

२. अन्तर्विरोध—(१) १३५-१३६ श्लोकों में श्रोत्रिय की वृत्ति निश्चित करने का कथन ब्राह्मण के लिए नियत आजीविकाओं के विरुद्ध है। ब्राह्मण के लिए याजन, अध्यापन और दानग्रहण ये आजीविकायें कही हैं, वृत्ति लेना नहीं [१।८८; १०।७५, ७६]। यदि वह ब्रह्मचारी है तो भिक्षा का विधान है [२।१५८-१६० (१८३-१८५)]। इन श्लोकों की व्यवस्था उक्त व्यवस्था के भी विरुद्ध है, अतः ये श्लोक तथा इनसे सम्बद्ध पूर्व के श्लोक इस आधार पर प्रक्षिप्त हैं।

३. शैलीगत आधार—१३४ और १३६ श्लोकों की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अयुक्तियुक्त है। मनु की शैली इस प्रकार की त्रुटियों से युक्त नहीं है।

यत्किञ्चिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम्।

व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथक्जनम् ॥ १३७ ॥ (१०५)

(राष्ट्रे) राज्य में (व्यवहारेण जीवन्तं पृथक्जनम्) व्यापार से जीविका करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से (राजा) राजा (यत् किञ्चित् + अपि) जो कुछ भी (वर्षस्य करसंज्ञितम्) वार्षिक करके रूप में निर्धारित होता हो वह भाग (दापयेत्) राज्य के लिए दिलवाये प्रथात् ग्रहण करे ॥ १३७ ॥

कासकाश्चिद्वर्षेण शूद्राश्चात्मोपजीविनः।

एकैकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपतिः ॥ १३८ ॥

(कासकान्) कारीगर (शिल्पिनः) कलाकार (च) तथा (शूद्रान् आत्मोप-जीविनः) ऐसे शूद्र जो सेवा न करके अपने आश्रित किसी कार्य से आजीविका करते हैं, उनसे (महीपतिः) राजा (मासि मासि) प्रत्येक मास में (एक-एकं कर्म कारयेत्) एक-एक काम करवा ले अर्थात् कर न ले ॥ १३८ ॥

अनुशीलनः : १३८ वां श्लोक निम्न 'आधार' पर प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—(१) १०।१२० वें श्लोक में कारीगरों, शिल्पियों, शूद्रों आदि से मुफ्त काम कराना केवल राजाकी आपत्कालीन स्थिति में ही विहित है। यहां मास-मास में एक-एक काम कराने का कथन उसके विरुद्ध है। (२) कारीगरी आदि कार्य वैश्यों के हैं और शूद्र भी यदि कोई आत्मोपजीविका अर्थात् अपने आपत्काल में अपने आश्रय का [१०।६६] कोई कारीगरी कोई साधन अपनाता है तो वह भी व्यापार में ही गिना जायेगा। ऐसे छोटे व्यापारियों से भी ७।१३७ में थोड़ा कर लेने का विधान है। यहां काम कराने का विधान उसके भी विरुद्ध है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

करग्रहण में अतितृष्णा हानिकारक—

नोच्छिन्धावात्मनो मूलं परेषां चातितृषणया।

उच्छिन्वन्धात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥ १३९ ॥ (१०६)

(अतितृष्णया) अतिलोभ से (आत्मनः) अपने ॐ (परेषां मूलम्) दूसरों के सुख के मूल को (न उच्छिन्ध्यात्) उच्छिन्न अर्थात् नष्ट कदापि न करे (हि) क्योंकि जो + (मूलम् उच्छिन्दन्) व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह (आत्मानं च तान् पीडयेत्) अपने और उन को पीड़ा ही देता है ॥ ११६ ॥ (स० प्र० १५६)

ॐ (च) और.....

+ (आत्मनः) अपने.....

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥ १४० ॥ (१०७)

(महीपतिः) जो महीपति (कार्यं वीक्ष्य) कार्य को देखकर (तीक्ष्णः च मृदुः एव स्यात्) तीक्ष्ण और कोपल भी होवे (तीक्ष्णः च एव) वह दुष्टों पर तीक्ष्ण (च) और (मृदुः एव) श्रेष्ठों पर कोपल रहने से (राजा संमतः भवति) अतिमाननीय होता है ॥ १४० ॥ (स० प्र० १५६)

रुणावस्था में प्रधान अमात्य को राजसभा का कार्य सौंपना—

अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राप्तं दान्तं कुलोद्गतम् ।

स्थापयेदासने तस्मिन्निष्ण्वः कार्यक्षणे नृणाम् ॥ १४१ ॥ (१०८)

(नृणां कार्यक्षणे निष्ण्वः) प्रजा के कार्यों की देखभाल करने में रुग्णता आदि के कारण अशक्त होने पर (तस्मिन् आसने) उस अपने आसन पर (धर्मज्ञम्) न्यायकारी धर्मज्ञाता (प्राप्तम्) बुद्धिमान् (दान्तम्) जितेन्द्रिय (कुलोद्गतम्) कुलोन (अमात्यमुख्यम्) सबसे प्रधान अमात्य = मन्त्री को (स्थापयेत्) बिठा देवे अर्थात् रुणावस्था में प्रधान अमात्य को अपने स्थान पर राजकार्य संपादन के लिए नियुक्त करे ॥ १४१ ॥

एवं सर्वं विधायेदमितिकर्तव्यमात्मनः ।

युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥ (१०९)

(एवम्) इस प्रकार (सर्वम् इतिकर्तव्यं विधाय) सब राज्य का प्रबन्ध करके (युक्तः) सदा इसमें युक्त (व) और (अप्रमत्तः) प्रमाद रहित होकर (आत्मनः इमाः प्रजाः परिरक्षेत्) अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ १४२ ॥ (स० प्र० १५७)

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्भियन्ते वस्युभिः प्रजाः ।

संपश्यतः समृत्पस्य मृतः स न तु जीवति ॥ १४३ ॥ (११०)

(यस्य सभृत्यस्य संपश्यतः) जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के (राष्ट्रात्) राज्य में से (दस्युभिः विक्रोशन्यः प्रजाः ह्रियन्ते) डाकू लोग रोती, विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं (सः मृतः) वह जानो भृत्य-अमात्यसहित मृतक है (न तु जीवति) जीता नहीं है और महादुःख पाने वाला है ॥ १४३ ॥ (स० प्र० १५७)

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निदिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥१४४॥ (१११)

इसलिए (क्षत्रियस्य) राजाओं का (प्रजानाम्+एव पालनम्) प्रजा-पालन ही करना (परः धर्मः) परम धर्म है (निदिष्टफलभोक्ता हि राजा) और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है [७। १२७-१३२] और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा (धर्मेण युज्यते) धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरीत दुःख को प्राप्त होता है। [७। ३०६-३०६] ॥ १४४ ॥ (स० प्र० १५७)

राजा के दैनिक कर्तव्य—

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशीचः समाहितः ।

हुताग्निर्ब्राह्मणांश्चाख्यं प्रविशेत्स शुभासभाम् ॥१४५॥ (११२)

(पश्चिमे यामे उत्थाय) जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ (कृत-शीचः) शीच और (समाहितः) सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान (हुताग्निः) अग्निहोत्र (ब्राह्मणान् अख्यं) विद्वानों का सत्कार (च) और भोजन करके (शुभां सभां प्रविशेत्) भीतर सभा में प्रवेश करे ॥ १४५ ॥

(स० प्र० १५७) १

अनुशीलनः : (१) 'ब्राह्मणान् अख्यं' का सही अन्विष्ट—प्रस्तुत

श्लोक में राजा की नैतिककर्षा का वर्णन करते हुए 'ब्राह्मणान् च अख्यं' शब्दों का प्रयोग है। यहां कुछ टीका एवं भाष्यकार—'राजा प्रातःकाल ब्राह्मणों की पूजा करें'—यह अर्थ करते हैं, जो मनुसम्मत नहीं है। ब्राह्मण, वेदविद्याओं के विद्वानों को कहते हैं। इसके लिए सप्रमाण विवेचन १। ८८ पर द्रष्टव्य है। 'अर्चं पूजयाम्' से 'अख्यं' प्रयोग सिद्ध हुआ है। यहां अर्चा या पूजा का अर्थ 'सत्कार-सम्मान या अभिवादन' ही मनु की अभिप्रेत है। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ—'राजा प्रातःकाल उठकर विद्वानों का अभि-

१. [प्रचलित अर्थ—राजा रात्रि के अन्तिम प्रहरमें उठकर शीच (शीच, दन्त-धावन एवं स्नानादि नित्यकर्म) करके अग्नि में हवन और ब्राह्मणों की पूजा कर शुभ सभा (मन्त्रणागृह) में प्रवेश करे ॥ १४५ ॥]

वादन करे। इस प्रकार उनसे सम्मान-सत्कार का भाव रहे।' इस अर्थ की पुष्टि में इस धातु का मनु द्वारा अन्यत्र किया गया प्रयोग प्रमाण रूप में उल्लेखनीय है—

(क) गुरु के अभिवादन के लिए विधान करते हुए कहा है—

“हूरस्यो न अर्चयेत् एमम्” २। १७७ (२। २०२)

(ख) इसके पर्यायवाची रूप में अभिवादयेत् का प्रयोग है—

“स्वम् गुरुम् अभिवादयेत्” २। १८० (२। २०४)

(ग) अभिवादन, सत्कार और सम्मान के अर्थ में निम्न प्रयोग भी द्रष्टव्य है—

“आवृत्तानां गुरुकुलादिवप्राणां पूजकः भवेत्” ७। ८२

(घ) अन्यत्र भी राजा द्वारा विद्वानों को अभिवादन आदि से सम्मान दिये जाने का निर्देश है—

“राजास्नातकयोः चैव स्नातको नृपमानमाक्” २। ११४ (२। १३६)

अथ प्रश्न उठता है कि प्रातःकाल राजा के समीप अभिवादनीय विद्वान् कौन हो सकते हैं? उत्तर है—ऋत्विज्, वेदविद्या आदि के प्रदाता विद्वान् जिनसे राजा को मनु ने दैनिक अग्निहोत्र आदि कराने का तथा विद्या ग्रहण करने का विधान किया है [७। ४३, ७८ आदि]। इस प्रकार इस भाष्य में किया गया श्लोकार्थ मनुसंगत है। [द्रष्टव्य ७। ४३, ७८ की समीक्षा भी।]

(२) राजा की सामान्य दिनचर्या—इस श्लोक से लेकर ७। २२५ तक मनु ने राजा की सामान्य दिनचर्या का दिग्दर्शन कराया है। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ऐसी ही दिनचर्या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रदर्शित की है। इसमें राजा सुविधा व देश-काल आदि के अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। तुलनात्मक रूप में दिनचर्या की तालिका इस प्रकार है—

मनु-प्रोक्त राजा की दिनचर्या

	कालविशेष	कालावधि	दिन के कार्य	श्लोक
१	रात्रि का अन्तिम याम (तीन घण्टे का समय) अष्टम याम	प्रातः ४-७ तक	जागरण, नैतिक कार्य, संध्या-अग्निहोत्र, भोजन, आचार्य ऋत्विज् आदि विद्वानों की संगति, उनसे अध्ययन एवं स्वाध्याय ।	७।३७, १४५॥
२	दिन का प्रथम याम	७-१०	प्रजामभा (दरबार) का आयोजन, उसमें प्रजा के कष्टों का श्रवण एवं समाधान । धर्मार्थकामों, राज्यमण्डल की प्रकृतियों, पञ्चवर्गों, षड्गुणों, दूतों और गुप्तचरों के करणीय कार्यों, युद्ध-सम्बन्धी योजनाओं पर मन्त्रियों-अमात्यों से गुप्त मन्त्रणा ।	७।१४७— २१५॥
३	द्वितीय याम (मध्याह्न)	१०-१	शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, तक्षश्चात् स्नान, भोजन विश्राम ।	७।२१६— २२१॥
४	तृतीय याम	१-४	मुकद्दमों एवं राज्यसम्बन्धी कार्यों का चिन्तन ।	७।२२१
५	चतुर्थ याम	४-७	सेनाओं, शस्त्रास्त्रों, युद्धवाहनों और तैयारियों का निरीक्षण ।	७।२२२
६	पंचम याम (रात्रि संध्या काल)	७-१०	सायंकालीन नैतिक कार्य, संध्यापासना । गुप्तचरों, दूतों आदि के समाचार सुनना और उन्हें अग्रिम कर्तव्य समझाना । भोजन ।	७।२२३ ७।२२४
७	षष्ठ याम (रात्रि)	१०-१	{ शयन	७।२२५
८	सप्तमयाम (रात्रि)	१-४		

कौटिल्य-प्रोक्त राजा की विनियोग

याम (पहर)	दिन के कार्य और उनकी निश्चित कालावधि
(रात्रि) अष्टम याम	जागरण, नैत्यिक, एवं शास्त्रीय कर्त्तव्य, गुप्तमन्त्रणापूर्वक गुप्तचरों को प्रेषित करना ।
प्रथम याम	ऋत्विक्, आचार्य आदि की संगति, बँध से भेंट, रक्षाव्यवस्था और आय-व्यय-व्यवस्था की जानकारी ।
द्वितीय याम (दिन)	पुरवासियों एवं जनपदवासियों के कार्यों पर विचार (राजदरबार), स्नान, भोजन, स्वाध्याय ।
तृतीय याम	आय-व्यय की संभाल, विविध अधिकारियों की नियुक्ति आदि, मन्त्रिपरिषद् से परामर्श, गुप्तचरों के कार्यों का निश्चय ।
चतुर्थ याम	स्वतन्त्रतापूर्वक विहार या मन्त्रणा, सेना तथा सैन्यसामग्री-निरीक्षण ।
पंचम याम (संध्या)	सेनापति के साथ युद्धसम्बन्धी मन्त्रणा । संध्योपासना, गुप्तचरों के समाचार जानना, स्नान, भोजन ।
षष्ठ, सप्तम याम (रात्रि)	{ शयन

[अर्थशास्त्र, प्रकरण १४। अ० २८]

सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुने—

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ।

विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ १४६ ॥ (११३)

(तत्र) उस [१४५ में वर्णित] सभा में जाकर (स्थितः) बैठकर या खड़े होकर (सर्वाः प्रजाः प्रतिनन्द्य) वहाँ आई हुई सब प्रजाओं की

समस्याओं, कष्टों का संतुष्टिकारक समाधान कर उन्हें प्रसन्न करके (विसर्जयेत्) भेज दे (च) और फिर (सर्वाः प्रजाः विसृज्य) सब प्रजाओं को विसर्जित करने के बाद (मन्त्रिभिः सह मन्त्रयेत्) मन्त्रियों (७।४५) के साथ राज्यव्यवस्था पर विचार-विमर्श करे ॥ १४६ ॥

“यहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्यमन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे।”

(म० प्र० १५७)

राज्यसम्बन्धी मन्त्रणाओं के स्थान—

गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ।

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदभिभावितः ॥ १४७ ॥ (११४)

(गतः) पश्चात् उसके साथ घूमने को चला जाये (गिरिपृष्ठं वा रहः प्रामादम्) पर्वत की शिखर अथवा एकान्त घर (वा) वा (अरण्ये निःशलाके) जंगल जिसमें एक शलाका भी न हो वैसे एकान्त स्थान में (समारुह्य) बैठकर (अभिभावितः) विरुद्ध भावना को छोड़ (मन्त्रयेत्) मन्त्री के साथ विचार करे ॥ १४७ ॥ (स० प्र० १५७)

अनुवर्तिताः : (१) ‘निःशलाके अरण्ये’ का अभिप्राय—यहां ‘निः-

शलाके अरण्ये’ का प्रयोग लाक्षणिक या मुहावरे के रूप में किया गया है, जिसका अभिप्राय है—‘ऐसा स्थान जहां तिनके के सरस छोटे से छोटे प्राणी की या गुप्तमन्त्रणा-भेदक वस्तु की उपस्थिति की संभावना न हो।

(२) मन्त्रणास्थल के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार—आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निःशलाकापन के भाव को प्रकारान्तर से संकारण व्यक्त करते हुए मन्त्रणास्थल के विषय में लिखा है—

“तदुद्देशः संवृतः कथानामनिःश्लावी पक्षिभिरप्यनालोच्यः स्यात् । श्रूयते हि शुक्सारिकाभिर्मन्त्रो मित्तः श्वभिः श्वेत्तु तिर्यग्योनिभिः ।” [प्र० २०।१४]

—मन्त्रणास्थल अत्यन्त सुरक्षित और गोपनीय होना चाहिए। ऐसा जहां पक्षी तक भी न आंक सके (फिर मनुष्यों का तो प्रश्न ही नहीं)। क्योंकि, सुना जाता है कि पुराकाल में किसी राजा की गुप्त मन्त्रणा को तोता और मैना ने बाहर प्रकट कर दिया था। इसी प्रकार कुत्तों तथा अन्य पुश-पक्षियों के विषय में भी सुना जाता है।

मन्त्रणा की गोपनीयता का महत्त्व—

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।

स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पाथिबः ॥ १४८ ॥ (११५)

(यस्य) जिस राजा के (मन्त्रम्) गूढ़ विचार (पृथक् जनाः समा-
गम्य न जानन्ति) अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात् जिसका
विचार गम्भीर, गुह्य, परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे (सः कोशहीनः+अपि
पार्थिवः) वह धनहीन भी राजा (कुस्त्रां पृथिवीं भुङ्क्ते) सब पृथिवी का
राज्य करने में समर्थ होता है ॥ १४८ ॥ (सं० प्र० १५८)

अनुशीलनः : (१) मन्त्र शब्द का राजनीतिपरक अर्थ—‘मन्त्र’ शब्द
के अर्थ पर यहां विशेष विचार अपेक्षित है। राजनीति के प्रसंग में ‘मन्त्र’ गोपनीय
विचार-विमर्श को कहा जाता है। जिसमें गुप्त बातों पर रहस्यमय विचार किया
जाये, वह मन्त्रणा कहलाती है। मन्त्र शब्द ‘मन्त्रि गुप्तभाषणे’=गुप्त विचार करना
अर्थ में, इस धातु से धञ् प्रत्यय के योग से सिद्ध हुआ है। निरुक्त में ‘मन्त्राः—मन-
नात्’ कहकर निरुक्ति दी है। मनन करने के कारण राजनीति के रहस्यों को और वेद-
मन्त्रों को मन्त्र कहते हैं।

(२) “कोशहीनोऽपि पार्थिवः” का प्रयोग मुहावरे के रूप में हुआ है। इसी
प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति ७।३३ में द्रष्टव्य है।

जडभूकाम्बवधिरास्तैर्यग्योनाम्बयोतिगान् ।

स्त्रीम्लेच्छव्याधितव्यङ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत् ॥ १४९ ॥

(जड-भूक-अन्ध-वधिरान्) मूर्ख, गूंगे, अन्धे, बहरे (तैर्यक्+योनान्) तिर्यक्-
योनि के तोता-मैना आदि पक्षी (वयः+अतिगान्) बूढ़े (स्त्री-म्लेच्छ-व्याधितव्यङ्गान्)
स्त्री, म्लेच्छ, विकलांगों वाले इनको (मन्त्रकाले+अपसारयेत्) मन्त्रणा के समय हटा
दे ॥ १४९ ॥

भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तैर्यग्योनास्तर्धं च ।

स्त्रियद्वयं विशेषेण तस्मात्प्राहतो भवेत् ॥ १५० ॥

(अवमताः) कभी अपमानित कर देने पर ये (तथा) तथा (तैर्यक्+योनाः)
तोता-मैना आदि (च) और (विशेषेण स्त्रियः एव) विशेषरूप से स्त्रियाँ (मन्त्रं
भिन्दन्ति) गुप्त रहस्यों को प्रकट कर देते हैं (तस्मात्) इसलिये (तत्र प्राहतः भवेत्)
उनको दूर हटाने का यत्न करे ॥ १५० ॥

अनुशीलनः : १४९-१५० श्लोक निम्न ‘प्राधारों’ के अनुसार प्रक्षिप्त
सिद्ध होते हैं—

१. अस्तबिरोध - (१) इन दोनों श्लोकों में वर्णित व्यवस्था का मनु द्वारा पूर्व
उक्त व्यवस्था से मेल नहीं बैठता। १४७ वें श्लोक में स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे स्थान में
जाकर गुप्त मन्त्रणाएं करे जहाँ बिल्कुल शून्य, एकांत हो और जहाँ तिनके के टुकड़े
भर की उपस्थिति भी न हो। फिर वहाँ इन श्लोकों में उक्त प्राणिधों के होने का स्वतः

प्रश्न नहीं उठता। अतः यह कथन ही अनावश्यक है। (२) दूसरी बात यह है कि मन्त्रणा के समय राजा के पास बिकलांग, गूंगे, बहुरों का जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इस प्रकार कोई भी किसी को आने नहीं देता। (३) तीसरी बात यह है कि गूंगे, बहुरों द्वारा मन्त्रणा कैसे सुनी और बतायी जायेगी? यदि कोई कहे कि शत्रु किन्हीं साधनों से सम्पन्न करके इनके द्वारा मन्त्रणा को जान सकता है, तो वह तो ग़ौर भी अन्य अनेक प्रकार के व्यक्तियों द्वारा जान सकता है, फिर यहाँ केवल इन्हीं की गणना व्यर्थ है। इस प्रकार इन श्लोकों का वर्णन मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं खाता और अनावश्यक है।

२. प्रसंगविरोध—पूर्वापर प्रसंग गुप्तमन्त्रणा के फल एवं काल का है, अतः उसके मध्य में कुछ प्राणियों को हटाने का प्रसंग ही नहीं जुड़ता। मन्त्रण-स्थान का प्रसंग १४७ वें में है। उसके साथ होने पर भी इन बातों का कुछ प्रासंगिक औचित्य माना जा सकता था, किन्तु उसके बाद मनु ने गुप्तमन्त्रणा का फल प्रदर्शित किया है। पुनः स्थान और वहाँ से किसी को हटाने आदि की चर्चा चलाना प्रसंगविरुद्ध है। इसी असम्बद्धता से यह संकेत मिलता है कि यह वर्णन मनु को अभीष्ट नहीं था। इस प्रकार प्रसंगक्रम के कारण भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

धर्म, काम, अर्थ-सम्बन्धी बातों पर चिन्तन करे—

मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्लमः ।

चिन्तयेद्धर्मं कामं यन्निर्धाय तैरेक एव वा ॥ १५१ ॥ (११६)

(मध्यंदिने) दोपहर के समय (वा) अथवा (विश्रान्तः विगतक्लमः) विश्राम करके थकान-प्रालस्यरहित होकर स्वस्थ व प्रसन्न शरीर और मन से (अर्धरात्रे) रात के तिस्रो समय (धर्म-काम-अर्थान्) धर्म, काम और अर्थसम्बन्धी बातों को (तैः सार्धम्) उन मन्त्रियों के साथ मिलकर (वा) अथवा परिस्थिति विशेष में (एक एव) अकेले ही (चिन्तयेत्) विचारे ॥ [चिन्तयेत् क्रिया का अन्वय १५८ तक चलता है] ॥ १५१ ॥

अनुवर्तिताः : (१) राजा द्वारा धर्म-काम-अर्थ पर चिन्तन—राजा को प्रसन्न मन से धर्म-काम-अर्थ सम्बन्धी बातों पर देश-काल-कार्य को देखकर अकेले अथवा अन्य मन्त्रियों के साथ प्रतिदिन विचार करना चाहिए। कोटिल्य ने भी कहा—

“देश-काल-कार्यबोधेन श्वेकेन सह, ह्याभ्यास, एको वा यथासामर्थ्यं मन्त्रयेत् ।”

[प्र० १०। प्र० १४]

(२) धर्म, काम, अर्थ के स्वरूप पर विस्तृत विवेचन ७। २६ पर द्रष्टव्य है।

(३) 'अर्थ' शब्द का यहाँ 'एक भाग' अर्थ में प्रयोग है। संप्रविभाग अर्थ में

नहीं। जैसे 'नगरार्ध' का 'नगर का एक भाग' अर्थ है। उसी प्रकार यहां 'रात्रि के किसी भाग में' अर्थ है।

धर्म, अर्थ, काम में विरोध को दूर करे—

परस्परविद्वानां तेषां च समुपार्जनम्।

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमारानां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥ (११७)

(च) और (तेषां परस्परविद्वानां समुपार्जनम्) उस धर्म-अर्थ-काम में परस्पर विरोध आ पड़ने पर उसे दूर करना और उनमें अभिवृद्धि करना (च) और (कन्यानां कुमारानां सम्प्रदानं च रक्षणम्) कन्याओं और कुमारों का गुरुकुलों में भेजना और उनकी सुरक्षा तथा विवाह व्यवस्था का भी विचार करे ॥ १५२ ॥

“राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखके विद्वान् कराना। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दण्ड देना अर्थात् राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावे। किन्तु आचार्यकुल में रहते हैं जब तक समावर्त्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे”। (स० प्र० ७६)

दूतसंप्रेषण और गुप्तचरों के आचरण पर इष्टि—

दूतसंप्रेषणं चैव कार्यशेषं तथैव च।

अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ १५३ ॥ (११८)

(च) और (दूतसंप्रेषणम्) दूतों को इधर-उधर भेजना (तथैव कार्यशेषम्) उसी प्रकार अन्य शेष रहे कार्यों को पूर्ण करना (च) तथा (अन्तःपुर-प्रचारम्) अन्तःपुर=महल के आन्तरिक आचरणों-गतिविधियों एवं स्थितियों (च) और (प्रणिधीनां चेष्टितम्) नियुक्त गुप्तचरों के आचरणों एवं गतिविधियों पर भी ध्यान रखे, विचार करे ॥ १५३ ॥

अष्टविध कर्म आदि पर चिन्तन—

कृत्स्नं चाष्टविधं कर्म पञ्चदशं च तत्स्वतः।

अनुरागापरागी च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १५४ ॥ (११९)

(च) और (कृत्स्नम् अष्टविधं कर्म) सम्पूर्ण अष्टविध कर्म (च) तथा (पञ्चदशम्) पञ्चदश की व्यवस्था (अनुरागी) अनुराग=लगाव और अपराग=रनेह का अभाव=द्वेष (च) तथा (मण्डलस्य प्रचारम्)

मण्डल की गतिविधि एवं आवरण [७। १५५-१५७ में वक्ष्यमाण] (तत्त्वतः) इन बातों पर ठीक ठीक चिन्तन करे ॥ १५४ ॥

अनुशीलन : (१) अष्टविध कर्मों के विचार का समाधान—मनु ने इस श्लोक में राजा के अष्टविध कर्मों की गणना न करके केवल “कृत्स्नं च अष्टविधं कर्म” कहकर संकेतमात्र दिया है। भाष्यकारों ने इसकी व्याख्या में अपने-अपने मत देकर राजा के अष्टविध कर्म गिनाये हैं। इन कर्मों में मतभेद होने से यह बात विवादास्पद-सी बन गयी है और परवर्ती व्याख्याकार केवल अपने से पूर्ववर्ती व्याख्याकारों के मत देकर इस श्लोक की व्याख्या करके आगे चल देते हैं।

यहां विचारणीय बात यह है कि श्लोक ७। १४५-२२६ तक मनु ने राजा की दिनचर्या के अन्तर्गत गुप्तमन्त्रणा या मन्त्रिपरिषद् से मन्त्रणा करने योग्य विषयों का उल्लेख किया है [७। १४७-२१५]। इस प्रसंग में कुछ बातें स्पष्टतः कह दी हैं, इस श्लोक में केवल संख्या का उल्लेख कर दिया है। इसका अर्थ करते समय हम दो बातों पर ध्यान देगे—(१) मन्त्रणा में परिगणित बातों से भिन्न अष्टविध बातें होनी चाहियें, क्योंकि एक ही स्थान पर पुनरुक्ति का होना बुद्धिसंगत नहीं। (२) ‘कृत्स्नम्’ विशेषण अपना विशेष अर्थ देकर यह संकेत करता है कि ये अष्टविध कर्म राजा के समग्र कर्तव्य हैं। इनके आधार पर मनन से मनुस्मृति में ही अष्टविध कर्मों का उल्लेख पाया जाता है।

७। ३६ से १४४ तक श्लोकों में मनु ने ‘भृत्यों सहित राजा के समग्र कर्तव्यों’ का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में निष्कर्ष रूप में वह राजा की जीवनचर्या है; अतः कहा जा सकता है कि वही राजा के सम्पूर्ण अष्टविध कर्म हैं। जीवनचर्या के प्रसंग में पहले परिगणित होने के कारण यहां दिनचर्या के प्रसंग में उनका परिगणन नहीं किया। इस प्रकार राजा के अष्टविध कर्मों को मनुस्मृति से बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। वे निम्न प्रकार हैं—

(क) मनुप्रोक्त राजा के अष्टविध कर्म—

(१) आचार्य ऋत्विक् आदि वेदों के विद्वानों की संगति और उनसे शिक्षा-ग्रहण [७। ३७, ३९, ४३], (२) इन्द्रियजय और उससे व्यसनों से बचाव [७। ४४-५३], (३) मन्त्रियों, अमात्यों, दूतों, प्रव्यक्षों आदि की नियुक्ति और उनसे कार्य-सम्पादन [७। ५४-६८], (४) दुर्गनिर्माण [७। ६९-७७], (५) युद्ध के लिए प्रशिक्षित तथा सन्नद्ध रहना [७। ८७-१०६], (६) ग्रपराधियों आदि को न्यायपूर्वक दण्डित करना और इस प्रकार प्रजा को शान्ति, समृद्धि, सुरक्षा प्रदान करना [७। १०७-१२४], (७) वेतन आदि देना [७। १२५-१२६], (८) करसंग्रह [७। १२७-१४२]।

(ख) ‘उशनस् स्मृति’ में राजा के अष्टविध कर्म ये गिनाये हैं—

“ग्रादाने च विसर्गे च प्रैवनिवेधयोः ।

पञ्चमे चार्यवचने व्यवहारस्य चेक्षारो ॥

दण्डमुद्धघोस्तथा युक्तस्तेनाष्टगतिको नृपः ।”

अथानु—राजा के अष्टविध कर्म ये हैं—१. ग्रादान=कर्मों का लेना, २. विसर्ग=कर्मचारियों को वेतन देना, ३. प्रैर=मन्त्री, राजदूत आदि को कार्यों पर भेजना, ४. निवेध=विरुद्ध कार्यों को न करना, ५. अर्थवचन=राजाशा का पालन कराना, ६. व्यवहार का देखना—मुकद्दमों को निपटाना, ७. दण्ड=दण्डदेना, ८. शुद्धि—पापियों-अपराधियों को प्रायश्चित्त आदि से सुधारना ।

(ग) मेधातिथि ने अष्टविध कर्म विधि माने हैं—

१. नहीं किये कार्य का आरम्भ, २. आरम्भ किये कार्यों की समाप्ति, ३. पूर्ण किये कार्य का प्रसार, ४. कर्म के फलों का संग्रह करना, ५. साम, ६. दाम, ७. दण्ड, ८. भेद । अथवा—१. व्यापार का मार्ग, २. जल में सेतु बांधना, ३. दुर्ग बनाना, ४. किये हुए कार्य के संस्कारों का निर्णय, ५. हाथी पकड़ना, ६. खानों की प्राप्ति करना, ७. शून्यस्थान में प्रवेश, ८. काष्ठ के वनों को कटवाना ।

(२) ‘पञ्चवर्ग’ से अभिप्राय—(क) अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने मन्त्रणा के प्रसंग में ‘पञ्चाङ्गमन्त्र’ के नाम से पांच विचारणीय बातों का उल्लेख किया है । प्रतीत होता है कि इस प्रसंग में परम्परा से प्रचलित यही व्याख्यान पञ्चवर्ग से अभीष्ट है । यहां मनु ने भी मन्त्रणा प्रसंग में ही पञ्चवर्ग का उल्लेख किया है । पञ्चवर्ग ये हैं—(१) कार्यों को आरम्भ करने का उपाय, (२) पुरुष और द्रव्यसम्पत्ति, (३) देश-काल का विभाग, (४) विघ्नों का प्रतीकार करना, (५) कार्यसिद्धि, [“कर्मणासारमोपायः, पुरुषद्रव्यसंपत्, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिः-इति पञ्चाङ्गो मन्त्रः” प्रक० १०। अ० १४] ।

(ख) कुल्लूकभट्ट ने निम्न पांच प्रकार के गुप्तचरों की व्यवस्था को ‘पञ्चवर्ग’ कहा है । किन्तु इस मान्यता में एक-दो आपत्तियाँ आती हैं—(१) १५३ वें श्लोक में समग्र रूप में गुप्तचरों के कार्यों की व्यवस्था का कथन हो चुका है, (२) परम्परागत रूप में शास्त्रों में केवल पांच ही नहीं, अपितु प्रमुख गुप्तचरों के अग्य वर्ग भी हैं । अतः कौटिल्यप्रोक्त ‘पञ्चांग’ इस प्रसंग में अधिक संगत लगता है । कुल्लूक द्वारा वर्णित पांच प्रकार के गुप्तचर निम्न हैं—

१. कापटिक (छल, कपट के व्यवहार से भेदों को जानने वाला), २. उदास्थित (संन्यासी या साधु के वेश में महान् व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध करके बैठाना और इस प्रकार गुप्त भेदों की जानकारी देने वाला), ३. कृषक (नकली किसान बनकर गुप्तचरी करने वाला), ४. वाणिजक (नकली व्यापारी के रूप वाला), ५. तपस्व्यजक (नकली तपस्वी के रूप वाला) ।

(३) अनुराग और अपराग—अपनी और शत्रुराजा की प्रजाओं में तथा अग्य

राजाओं में अनुराग = कौन राजा से स्नेह रखने वाला है, और कौन अपराग = द्वेष रखने वाला है; इन पर विचार करना। इन्हीं दो तत्त्वों को कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में [प्र० ८-६ में] कृत्य और अकृत्य पक्ष के रूप में वर्णित किया है। कृत्य जिनको किसी लालचवश राजा से तोड़ा-फोड़ा जा सके अर्थात् असंतुष्ट, अपरागी। ये प्रमुखरूप से क्रुद्ध, लुब्ध, भीत और अवमानित चार प्रकार के होते हैं [देखिए ७। ६७ की समीक्षा]। अकृत्य = जिनको फोड़ा न जा सके, संतुष्ट प्रजाजन, अनुरागी। स्वप्रजा-जनों और शत्रुप्रजाजनों की भांति अन्य राजाओं के स्नेह और द्वेष पर भी राजा विचार करे।

(४) मण्डल— १५५ से १५७ श्लोकों में वर्णित प्रकृतियों को 'मण्डल' कहा जाता है। राजा इन सबकी गतिविधियों, स्थितियों, आचरणों पर गम्भीर रूप से विचार करे। अर्थशास्त्र [प्र० ६७। अ० २] में आचार्य कौटिल्य ने इन बहुतर प्रकृतियों के मण्डल को चार प्रकृतिमण्डलों में बांटा है। उसका विवरण १५७ पर प्रदर्शित है।

राज्यमण्डल की विचारणीय चार मूल प्रकृतियाँ—

मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम् ।

उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥ १५५ ॥ (१२०)

(अ) और (मध्यमस्य प्रचारम्) 'मध्यम' राजा के आचरण और गतिविधि तथा (विजिगीषोः चेष्टितम्) 'विजिगीषु' राजा के प्रयत्नों का (च) तथा (उदासीनप्रचारम्) 'उदासीन' राजा की स्थिति-गतिविधि [७। १५८] का (च) (शत्रोः एव) शत्रु [७। १५८] राजा के आचरण एवं स्थिति गतिविधि आदि का भी (प्रयत्नतः) प्रयत्नपूर्वक विचार करे अर्थात् विचार करके तदनुसार प्रयत्न भी करे = आचरण में लाये ॥ १५५ ॥

अनुवर्तिनः : मध्यम आदि चार मूल प्रकृतिरूप राजाओं के लक्षण—
आचार्य कौटिल्य ने 'मण्डल' की प्रकृतियों की व्याख्या अपने अर्थशास्त्र [प्र० ६७] में करते हुए इन राजाओं के निम्न लक्षण बतलाये हैं—

(१) मध्यम—“अरिविजिगीष्वोर्भूम्यन्तरसंहृतासंहृतयोरनुग्रहसमर्थो निग्रहे चासंहृतयोर्मध्यमः ।” = अरि और विजिगीषु राजाओं से भिन्न वह राजा जो उनकी संधि में संधि का समर्थक रहे और उनके विग्रह में विग्रह का समर्थक रहे, वह 'मध्यम' कहलाता है।

(२) विजिगीषु—“राजा आत्मद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नो नयस्याधिष्ठानं विजिगीषुः ।” = जो राजा आत्मसम्पन्न हो, अमात्य आदि द्रव्यप्रकृतियों से सम्पन्न [७। १५७] हो, नीति का आश्रय लेने वाला हो, ऐसा विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राजा 'विजिगीषु' कहा जाता है।

(३) उदासीन—“अरिविजिगीषुमध्यमां बहिः प्रकृतिस्यो बलवत्तरः संहता-
संहतानामरिविजिगीषुमध्यमानामनुग्रहे समर्थो विग्रहे चासंहतानाम्, उदासीनः” =
अरि, विजिगीषु और मध्यम इनसे भिन्न राजा, जो शक्तिशाली मध्यम राजा से भी
बलवान् हो, तथा अरि, विजिगीषु और मध्यम की संधि में संधि का समर्थक एवं उन
तीनों के विग्रह में विग्रह का समर्थक ‘उदासीन’ आचरण वाला राजा कहलाता है।
मनु के अनुसार विजिगीषु और शत्रु से परला = बाढ़ की सीमा वाला राजा ‘उदासीन’
है [७।१५८]।

(४) शत्रु—मनु के अनुसार विजिगीषु राजा की सीमा से लगता हुआ [अनन्तर-
मरि विद्यात् ७।१५८] राजा शत्रु होता है। कौटिल्य शत्रुओं के भेदोपभेद प्रदर्शित
करते हुए लिखते हैं—“भूभ्यनन्तरः प्रकृत्यभिन्नः तुल्याभिजनः सहजः। विरुद्धो विरोध-
यिता वा कृत्रिमः।” विजिगीषु राजा की सीमा से लगा हुआ राजा और विजिगीषु के
में वंश उत्पन्न समान दासभाग चाहने वाला राजा, ये दोनों ‘सहजशत्रु’ हैं। किसी
कारण से विरोधी हो जाने वाला या किसी दूसरे को विरोधी बना देने वाला ‘कृत्रिम
शत्रु’ कहलाता है।

राज्यमण्डल की विचारणीय आठ और मूलप्रकृतियाँ—

एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः।

अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः ॥१५६॥ (१२१)

(समासतः) संक्षेप में (एताः मण्डलस्य मूलं प्रकृतयः) ये चार [मध्यम,
विजिगीषु, उदासीन और शत्रु] राज्यमण्डल की मूल प्रकृतियाँ = मूल रूप
से विचारणीय स्थितियाँ या विषय हैं (च) और (अष्टौ अन्याः समाख्याताः)
आठ मूल प्रकृतियाँ और कही गई हैं (ताः तु द्वादश एव स्मृताः) इस प्रकार
वे कुल मिलाकर [४+८=१२] बारह होती हैं ॥ १५६ ॥

अनुवर्तिनः : शेष आठ मूलप्रकृतिरूप राजाओं के लक्षण—‘मण्डल’
में मूलप्रकृतियाँ बारह हैं। इनमें से चार—मध्यम, विजिगीषु, उदासीन और शत्रु नामक
प्रकृतियों का वर्णन १५५ वें श्लोक में हो चुका है। शेष आठ प्रकृति और हैं जिनकी
गणना शायद प्रतिप्रसिद्धि के कारण मनु ने इस श्लोक में नहीं की है। कौटिल्य ने मनु के
क्रम और विधानानुसार इन पर अपने अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला है। उनके अनुसार
आठ प्रकृति निम्न हैं—

मित्रराजा—मनु के अनुसार शत्रु राजा की सीमा से लगता हुआ उसके बाढ़
वाला राजा विजिगीषु का ‘मित्र’ होता है [“अरेरनन्तरं मित्रम्” ७।१५८]। कौटिल्य
ने भी यही कहा है—“भूभ्येकान्तरा मित्रप्रकृतिः।” [प्रक० ६७। अ० २]। (२) शत्रु
का मित्र राजा, (३) मित्र का मित्र राजा, (४) शत्रुमित्र का भी मित्र राजा (५)
पाणिग्राह (वह पृष्ठवर्ती राजा जो विजिगीषु द्वारा कहीं आक्रमण के लिए अपने राज्य

से जान के बाद पीछे से उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है), (६) आक्रन्द (जो अपने मित्र राजा को किसी की सहायता करने से रोकता है या जिसकी राजघाभी अपने राज्य के निकट लगती हो), (७) पाष्णिग्राहासार ('पाष्णिग्राह' को घेरकर रखने वाला या उस पर आक्रमण करने वाला राजा), (८) आक्रन्दासार—('आक्रन्द' राजा को घेरकर रखने वाला या उसपर आक्रमण करने वाला राजा)। इन सभी राजाओं तथा इनकी स्थितियों पर राजा को हर समय ध्यान रखना चाहिए।

ग्राचार्य कौटिल्य ने इनकी गणना निम्न प्रकार की है—

'तस्मात् मित्रम्, अरिमित्रम्, मित्रमित्रम्, अरिमित्रमित्रम्, चानन्तर्येण मूचीनां प्रसज्यते पुरस्तात् । पश्चात् पाष्णिग्राहः, आक्रन्दः, पाणिग्राहासारः, आक्रन्दासारः, इति ।' [प्रक० ६७। प्र० २]

राज्यमण्डल की प्रकृतियों के बहतर भेद—

प्रमाथ्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः ।

प्रत्येकं कथिता ह्येताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥१५७॥ (१२२)

(प्रमाथ्य-राष्ट्र-दुर्ग-अर्थ-दण्ड-आख्याः) मन्त्री, राष्ट्र, किला, कोष, दण्ड नामक (अपराः पञ्च) और पाँच प्रकृतियाँ हैं (प्रत्येक कथिता हि एताः) पूर्वोक्त [१५५-१५६] बारह प्रकृतियों के साथ ये मिलकर अथत् पूर्वोक्त प्रत्येक बारहों प्रकृतियों के पाँच-पाँच भेद होंकर इस प्रकार (संक्षेपेण द्विसप्ततिः) संक्षेप से कुल ७२ प्रकृतियाँ [= विचारणीय स्थितियाँ या विषय] हो जाती हैं। १२ पूर्व की और १२ के ५-५ भेद से ६० इस प्रकार $१२ \times ५ = ६० + १२ = ७२$ हैं ॥ १५७ ॥

अनुयायित्वः : बहतर प्रकृतियाँ—इन श्लोकों के अनुसार बारह मूल-प्रकृतियाँ हैं—१. विजिगीषु, २. मध्यम, ३. उदासीन, ४. शत्रु, ५. मित्रराजा, ६. मित्र का मित्रराजा, ७. शत्रु का मित्रराजा, ८. शत्रु के मित्र का मित्रराजा, ९. पाष्णिग्राह, १०. आक्रन्द, ११. पाष्णिग्राहासार, १२. आक्रन्दासार। पाँच द्रव्य प्रकृतियाँ—१. मन्त्री, २. राष्ट्र, ३. किला, ४. कोष, ५. दण्ड हैं। एक-एक मूल प्रकृति के पाँच प्रकृतियों के साथ मिलकर पाँच भेद हो जाते हैं अर्थात् एक मूलप्रकृति और पाँच उसके भेद इस प्रकार एक मूलप्रकृति के छः भेद हुए। यथा, प्रथम मूलप्रकृति 'विजिगीषु' है। उसके छह भेद बनेंगे—१. विजिगीषु राजा, २. विजिगीषु मन्त्री, ३. विजिगीषु राष्ट्र, ४. विजिगीषु किला, ५. विजिगीषु कोष, ६. विजिगीषु दण्ड। इसी प्रकार मिलकर अन्य मूल प्रकृतियों के भेद बनेंगे। इस प्रकार बारह प्रकृतियों के $१२ \times ६ = ७२$ बहतर भेद होते हैं। कौटिल्य ने मूलप्रकृतियों में तीन-तीन का एक वर्ग बनाकर उनके साथ पाँच प्रकृतियों को मिलाकर $३ \times ५ = १५ + ३ = १८$ का एक प्रकृतिमण्डल माना है। इस प्रकार चार प्रकृतिमण्डल का एक 'मण्डल' वर्णित किया है [अर्थशास्त्र प्रक० ६७]।

इस प्रकार राजा प्रत्येक मूलप्रकृति पर और फिर उनकी प्रत्येक द्रव्यप्रकृति (अमात्य आदि पांच) पर पूर्ण ज्ञान सहित विचार करे। विचार करके यथोचित उपाय करे और विघ्न आदि को दूर करे। पुनः विजयार्थं यात्रा करे।

शत्रु, मित्र और उदासीन की परिभाषा—

अनन्तरमरि विद्यादरिसेविनमेव च ।

अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम् ॥१५८॥ (१२३)

(अनन्तरम्) अपने राज्य के समोपवर्ती राजा को (च) और (अरि-सेविनम्) शत्रुराजा की सेवा-सहायता करने वाले राजा को (अरि विद्यात्) 'शत्रु' ही समझे (अरेः+अनन्तरं मित्रम्) अरि से भिन्न अर्थात् शत्रु से विपरीत आचरण करने वाले अर्थात् सेवा-सहायता करने वाले राजा को और शत्रुराजा को सोमा से लगे अगले राजा को 'मित्र' और (तयोः परम्) इन दोनों से भिन्न परवर्ती राजा को (उदासीनम्) जो न सहायता करे न विरोध करे, उसे 'उदासीन' राजा (विद्यात्) समझना चाहिए ॥ १५८ ॥

तान्सर्वानिभिसंदध्यात्सामादिभिरपक्रमैः ।

व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च ॥ १५९ ॥ (१२४)

(तान् सर्वान्) उन सब प्रकार के राजाओं को (साम+आदिभिः+उपक्रमैः) 'साम' आदि [साम, दाम, दण्ड, भेद] उपायों से (व्यस्तैः) एक-एक उपाय से (च) अथवा (समस्तैः) सब उपायों का एकसाथ प्रयोग करके (पौरुषेण) वीरता से (च) तथा (नयेन) नीति से (अभिसंदध्यात्) बश में रखे ॥ १५९ ॥

सन्धि, विग्रह आदि षड्गुणों का वर्णन—

संधिं च विग्रहं चैव यान्मासनमेव च ।

द्वैधीभावं संश्रयं च षड्गुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥१६०॥ (१२५)

(सन्धिम्) सन्धि (विग्रहं यानम् आसनं द्वैधीभावं च संश्रयं) दिगृह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय इन (षड्गुणान् एव) छः गुणों का भी (सदा चिन्तयेत्) राजा सदा विचार-मनन करे ॥ १६० ॥

अनुष्ठीकृत्य : (१) सुखपूर्वक रहने के लिए शत्रुराजा से कुछ ले-देकर मिलाप कर लेना या किसी राजा से मिलकर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लेना 'सन्धि' है। (२) युद्ध, विरोध, तोड़फोड़ आदि पैदा करना 'विग्रह' है। (३) युद्ध के लिए चढ़ाई करना 'यान' कहलाता है। (४) शत्रु को घेरकर पड़े रहना या अपनी शक्ति की क्षीणता के कारण शत्रु राजाओं से छेड़छाड़ किये बिना चुपचाप भावी आक्रमण की ताक में पड़े रहना 'आसन' है। (५) अपनी विजय के लिए अपनी सेना को दो

भागों में विभक्त कर देना या शत्रु-सेना में विभाजन कर देना 'द्वैधीभाव' है। (६) किसी बलवान् राजा का आश्रय ग्रहण कर लेना 'संश्रय' है।

आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च ।

कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥१६१॥ (१२६)

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो (आसनम्) आसन=स्थिरता (यानम्) यान=शत्रु से लड़ने के लिए जाना (सन्धिम्) संधि=उनसे मेल कर लेना (विग्रहम्) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना (द्वैधम्) द्वैध=दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना (च) और (संश्रयम्) संश्रय=निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना, ये छः प्रकार के कर्म (कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत) यथायोग्य कार्य को विचारकर उसमें युक्त करना चाहिए ॥ १६१ ॥ (स० प्र० १५८)

संधि और उसके भेद—

संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६२॥ (१२७)

(राजा) राजा, (सन्धिं विग्रहं यान + आसने द्विविधः च संश्रयः) संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय (द्विविधं तु) दो-दो प्रकार के होते हैं, उनको (विद्यात्) यथावत् जाने ॥ १६२ ॥ (स० प्र० १५८)

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तदा त्रायतिसंयुक्तः संधिर्ज्ञेयो द्विलक्षणः ॥१६३॥ (१२८)

(तदा तु त्रायतिसंयुक्तः) तात्कालिक फल देने वाली और भविष्य में भी फल देने वाली (सन्धिः) सन्धि [७। १६६] (द्विलक्षणः ज्ञेयः) दो प्रकार को समझनी चाहिए—१. (समानयानकर्मा) शत्रु राजा पर आक्रमण करने के लिए किसी अन्य राजा से मेल करके उसके साथ आक्रमण करना, (तथैव) उसी प्रकार २. (विपरीतः) पहले से विपरीत अर्थात् शत्रुराजा से आक्रमण न करने के लिए मेल करके कोई समझौता कर लेना [यह अपनी बल-स्थिति को देखकर उचित अवसर तक होता है ७। १६६] ॥ १६३ ॥ १

१. [प्रचलित अर्थ—सन्धि के दो भेद हैं—(१) समानयानकर्मा सन्धि और (२) असमानयानकर्मा सन्धि। तात्कालिक या भविष्य के लाभ की इच्छा से किसी दूसरे राजा से मिलकर यान (शत्रु पर चढ़ाई) करना 'समानधर्मा' नामक सन्धि है। तथा (२) तात्कालिक या भविष्य से लाभ की इच्छा से किसी राजा से 'आप इधर जाइये, मैं इधर जाता हूँ' ऐसा कहकर पृथक्-पृथक् यान (शत्रु पर चढ़ाई) करना 'असमानधर्मा' नामक सन्धि है ॥ १६३ ॥]

“(सन्धिः) शत्रु से मेल अथवा उससे विपरीतता करे, परन्तु वत्मान और भविष्यत् में करने के काम बराबर करता जाये; यह दो प्रकार का मेल कहाता है ।” (स० प्र० १५८)

अनुयत्तिनः : इस श्लोक में किया हुआ ‘विपरीत’ का अर्थ मनुसम्मत है, जो ७।१६६ से सिद्ध होता है। प्रचलित टीकाओं में किया गया अर्थ ‘सन्धि’ ही नहीं कहला सकता।

विग्रह और उसके भेद—

स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा ।

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥१६४॥ (१२६)

(विग्रहः द्विविधः स्मृतः) विग्रह [७।१७०] दो प्रकार का होता है—(काले) चाहे युद्ध के लिए निश्चित किये समय में (वा) अथवा (अकाले एव) अनिश्चित किसी भी समय में (१) (कार्यार्थम्) कार्य की सिद्धि के लिए (स्वयंकृतः) स्वयं किया गया विग्रह (च) और [२] (मित्रस्य अपकृते) किसी के द्वारा मित्रराजा पर आक्रमण या हानि पहुंचाने पर मित्रराजा की रक्षा के लिए किया गया विग्रह ॥ १६४ ॥

“(विग्रह) कार्यसिद्धि के लिए उचित समय या अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के आराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ।” (स० प्र० १५८)

यान और उसके भेद—

एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५॥ (१३०)

(आत्ययिके कार्ये प्राप्ते) अकस्मात् कोई कार्य प्राप्त होने में + (एकाकिनः) एकाकी (च) वा (मित्रेण संहतस्य) मित्र राजा के साथ मिलके शत्रु की ओर जाना [= बढ़ाई करना ७।१७१] (द्विविधं यानम् + उच्यते) यह दो प्रकार का गमन [= यान] कहाता है ॥ १६५ ॥ (स० प्र० १५८)

+ (यदृच्छया) स्वतन्त्रतापूर्वक.....

यासन और उसके भेद—

क्षीणस्य चैव क्रमशो देवात्पूबंकृतेन वा ।

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतयासनम् ॥१६६॥ (१३१)

ॐ (क्रमशः) स्वयं किसी प्रकार क्रम से (क्षीणस्य एव) क्षीण हो जाये अर्थात् निर्बल हो जाये (च) अथवा (मित्रस्य अनुरोधेन) मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठे रहना (द्विविधम् आसनं स्मृतम्) यह दो प्रकार का आसन [७। १७२] कहाता है ॥ १६६ ॥ (स० प्र० १५८)

ॐ (देवात् वा पूर्वकृतेन) संयोग से अथवा पूर्वजन्म के पाप के कारण.....

द्विधीभाव और उसके भेद—

बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ।

द्विविधं कीर्त्यते द्वेधं षड्गुण्यगुणवेदिभिः ॥१६७॥ (१३२)

(षड्गुण्य-गुणवेदिभिः) षड्गुणों के महत्त्व को जानने वालों ने (द्वेधं द्विविधं कीर्त्यते) द्विधीभाव [७। १७३] दो प्रकार का कहा है—(कार्यार्थसिद्धये) कार्य की सिद्धि के लिए १—(बलस्य स्थितिः) सेना के दो भाग करके एक भाग सेना को सेनापति के आधीन करना (च) और २—(स्वामिनः) सेना का एक भाग राजा द्वारा अपने आधीन रखना ॥ १६७ ॥

“कार्यसिद्धि के लिए सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का ‘द्वेध’ कहाता है ।” (स० प्र० १५९)

संश्रय और उसके भेद—

अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानस्य शत्रुभिः ।

साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६८॥ (१३३)

(शत्रुभिः पीड्यमानस्य) शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर (अर्थसंपादनार्थम्) अपने उद्देश्य को सिद्धि अथवा आत्मरक्षा के लिए किसी राजा का आश्रय लेना (च) और (व्यपदेशार्थं साधुषु) भावी हार या दुःख से बचने के लिए किसी श्रेष्ठ राजा का आश्रय लेना ये (द्विविधः संश्रयः स्मृतः) दो प्रकार का ‘संश्रय’ [७। १७४] कहाता है ॥ १६८ ॥

“एक—किसी अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान् राजा वा किसी महात्मा की शरण लेना, जिससे शत्रु से पीड़ित न हो; दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है ।” (स० प्र० १५९)

सन्धि का समय—

यदावगच्छेदायत्याभाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ।

तदात्वे चात्पिकां पीडां तदा संधि समाभयेत् ॥१६९॥ (१३४)

(यदा+अवगच्छेत्) जब यह जान ले कि (तदात्वे) इस समय युद्ध

करने से (अल्पिकां पीडाम्) थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी (च) और (आयस्याम्) पश्चात् [= भविष्य] में करने से (आत्मनः ध्रुवम् आधिक्यम्) अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगी (तदा संधिं समाश्रयेत्) तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज रखे ॥ १६६ ॥ (स० प्र० १५६)

विग्रह का समय—

यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतौमुशम् ।

अस्युच्छिन्नं तथाऽऽत्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १७० ॥ (१३५)

(यदा सर्वाः प्रकृतीः) जब अपनी सब प्रजा वा सेना (भृशम्) अत्यन्त (प्रहृष्टाः) प्रसन्न (अस्युच्छिन्नम्) उन्नतिशील और श्रेष्ठ (मन्येत) जाने (तथा) वैसे (आत्मानम्) अपने को भी समझे (तदा विग्रहं कुर्वीत) तभी शत्रु से विग्रह=युद्ध कर लेवे ॥ १७० ॥ (स० प्र० १५६)

यान का समय—

यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ।

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपुं प्रति ॥ १७१ ॥ (१३६)

(यदा स्वकं बलम्) जब अपने बल अर्थात् सेना को (हृष्टं पुष्टं भावेन मन्येत) हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने (च) और (परस्य) शत्रु का बल (विपरीतम्) अपने से विपरीत निर्बल हो जावे (तदा रिपुं प्रति यायात्) तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जावे ॥ १७१ ॥

(स० प्र० १५६)

प्रासन का समय—

यदा तु स्थात्परिक्षोणो वाहनेन बलेन च ।

तदासीत प्रयत्नेन शनैः सान्त्वयन्तरीन् ॥ १७२ ॥ (१३७)

(यदा) जब (बलेन वाहनेन) सेना, बल, वाहन से (परिक्षोणः स्थान्) क्षीण हो जाये (तदा) तब (अरीन् शनैः प्रयत्नेन सान्त्वयन्) शत्रुओं को धीरे-धीरे प्रयत्न से शान्त करता हुआ (आसीत) अपने स्थान में बंठा रहे ॥ १७२ ॥ (स० प्र० १५६)

द्वैधीभाव का समय—

मन्येतारि यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।

तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥ (१३८)

(यदा राजा) जब राजा (अरि सर्वथा बलवत्तरं मन्येत) शत्रु को

अत्यन्त बलवान् जाने (तदा) तव (द्विधा बलं कृत्वा) द्विगुणः वा दो प्रकार की सेना करके (आत्मनः कार्यं साधयेत्) अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १७३ ॥

(स० प्र० १५६)

संश्रय का समय—

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।

तदा तु संश्रयेत्क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥ १७४ ॥ (१३६)

(यदा) जब आप समझ लेवे कि अब (परबलानां तु) गमनीयतमः भवेत्) शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी (तदा तु) तभी (धार्मिकं बलिनं नृपं) क्षिप्रं संश्रयेत्) किसी धार्मिक बलवान् राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे ॥ १७४ ॥ (स० प्र० १५६)

निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिबलस्य च ।

उपसेवेत् तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुहं यथा ॥ १७५ ॥ (१४०)

(यः) जो (प्रकृतीनाम्) प्रजा और अपनी सेना (च) और शत्रु के बल का (निग्रहं कुर्यात्) निग्रह करे अर्थात् रोके (तं सर्वयत्नैः) उनकी सब यत्नों से (गुहं यथा) गुह के मरुत (नित्यम् उपसेवेत्) नित्य सेवा किया करे ॥ १७५ ॥ (स० प्र० १५६)

यदि तत्रापि संपश्येदोषं संश्रयकारितम् ।

सुयुद्धमेव तत्रापि निविशङ्कः समाचरेत् ॥ १७६ ॥ (१४१)

(संश्रयकारितं यदि तत्र + अपि दोषं संपश्येत्) जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कमों में दोष देखे तो (तत्र + अपि) वहाँ भी (सुयुद्धम् + एव) अच्छे प्रकार युद्ध ही को (निविशङ्कः समाचरेत्) निःशंक होकर करे ॥ १७६ ॥

(स० प्र० १५६)

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।

यथाऽस्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ १७७ ॥ (१४२)

(नीतिज्ञः पृथिवीपतिः) नीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा (यथा) जिस प्रकार (अस्य) इसके (मित्र-उदासीन-शत्रवः) मित्र, उदासीन = तटस्थ और शत्रु (अधिकाः न स्युः) अधिक न हों (तथा सर्व — उपायैः कुर्यात्) ऐसे सब उपायों से वर्ते ॥ १७७ ॥ (स० प्र० १६१)

आर्यान्ति सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।

अंतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ १७८ ॥ (१४३)

(सर्वकार्याणां तदात्वेन) सब कार्यों का वर्तमान में कर्त्तव्य (च) और (आयतिम्) भविष्यत् में जो-जो करना चाहिए (च) और (अतीतानां सर्वेषाम्) जो-जो काम कर चुके, उन सबके (तत्त्वतः गुणदोषो विचारयेत्) यथार्थता से गुण-दोषों को विचार करे। पश्चात् दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे ॥ १७८ ॥ (स० प्र० १६१)

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ।

अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ १७९ ॥ (१४४)

(आयत्यां गुणदोषज्ञः) जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करने वाले कर्मों में गुण-दोषों का ज्ञाता (तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः) वर्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्त्ता, और (अतीते कार्यशेषज्ञः) किये हुए कार्यों में शेष कर्त्तव्य को जानता है (शत्रुभिः न+अभिभूयते) वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ १७९ ॥ (स० प्र० १६१)

राजनीति का निष्कर्ष—

यथेन नाभिसंदध्युर्मित्रोऽदासीनशत्रवः ।

तथा सर्वं संविदध्यादेव सामासिको नयः ॥ १८० ॥ (१४५)

(सर्वं तथा विदध्यात्) सब प्रकार के राजपुरुष, विशेषसभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि (यथा) जिस प्रकार (मित्र-उदासीन-शत्रवः) राजादि जनों के मित्र, उदासीन और शत्रु को वश में करके (न+अभिसंदध्युः) अन्यथा न करपावे, ऐसे मोह में न फसे (एवः सामासिकः नयः) यही संक्षेप से नय अर्थात् राजनीति कहाती है ॥ १८० ॥ (स० प्र० १६१)

अनुवर्तीत्यन्व : मित्र, उदासीन और शत्रु के लक्षण क्रमशः ७। २०६, २१०, २११ में देखिए।

आक्रमण के लिए जाना और बृहद्वचना आदि की व्यवस्था—

यदा तु यानमातिष्ठेवरिराष्ट्रं प्रति प्रभुः ।

तदाज्जेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८१ ॥ (१४६)

(प्रभुः) राजा (यदा) जब भी (अरिराष्ट्रं प्रति) शत्रुके राज्य पर (यानम्+आतिष्ठेत्) चढ़ाई करे (तदा) तब (अज्जेन विधानेन) इस निम्न-लिखित विधि से (शनैः) सावधानीपूर्वक (अरिपुरं यायात्) शत्रु राज्य पर चढ़ाई करे ॥ १८१ ॥

मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीषतिः ।

फाल्गुनं वाऽथ चैत्रं वा मासौ प्रति यायावत्सम् ॥ १८२ ॥

(महीपतिः) राजा को चाहिए कि (शुभे मार्गशीर्षे मासि) शुभ अर्थात् चढ़ाई के लिए उपयुक्त मार्गशीर्ष के महीने (अथ) और (फाल्गुनं वा चैत्रं मासौ) फाल्गुन अथवा चैत्र के महीने में (यथाबलम्) अपनी सेना और शक्ति के अनुसार (यात्रां प्रति यायात्) शत्रु की ओर विजययात्रा के लिए चढ़ाई करे ॥ १८२ ॥

अन्येष्वपि तु कालेषु यथा पश्येद् भ्रुवं जयम् ।

तदा यायाद्विगृह्यैव व्यसने उल्लिख्यते रिपोः ॥ १८३ ॥

(अन्येषु + अपि कालेषु) अन्य कालों में भी (यदा जयं भ्रुवं पश्येत्) जब अपनी विजय की निश्चित समझे (च) अथवा (रिपोः व्यसने उल्लिख्यते) शत्रु के आराति में फंसे होने पर या शत्रु के राज्य में कोई उपद्रव हुआ देखकर (तदा) ऐसे समय में (विगृह्य + एव यायात्) अपनी ओर से ही भगड़ा करके चढ़ाई शुरू कर दे ॥ १८३ ॥

अनुशीलन : १८२-१८३ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) इनसे पूर्व इस प्रसंग के विधायक श्लोक से ही इन का विरोध है । १८१ वें में स्पष्टतः “यदा तु यात्रमातिष्ठेत्.....तदा.....यायात्” शब्दों का प्रयोग है जो यह सिद्ध करता है कि जब भी राजा अपनी स्थिति को देखकर आक्रमण करने जाये यह उसके विचार पर है । किन्तु इन श्लोकों में मास का निश्चय करना उससे भिन्न और विरुद्ध विधान है । (२) ७।१७१ में भी कभी भी आक्रमण करने का आदेश है, ये श्लोक उसके भी विरुद्ध हैं । यह समझिए ‘यान’ नामक नीति के ही विरुद्ध हैं ।

२. प्रसंगविरोध—१८१ वें श्लोक में प्रसंग का भी संकेत है । तदनुसार यह प्रसंग ‘आक्रमणार्थं जाते समय कौसी व्यवस्था से जाना चाहिए’ इस वर्णन का है । यही बात अग्रिम ७।१८४-२०७ से पुष्ट होती है । यहां समय निर्धारित करने का प्रसंग-विरुद्ध वर्णन है, अतः प्रक्षिप्त है ।

३. अवान्तरविरोध—१८२ और १८३ में परस्पर भी अर्थात् अवान्तर विरोध भी है । १८२ में एक शुभ समय निश्चित किया है तो १८३ में कोई निश्चय ही नहीं : इस प्रकार भी ये मनुकृत सिद्ध नहीं होते ।

कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि ।

उपगृह्यास्पदं चैव चारान्सम्यविधाय च ॥ १८४ ॥ (१४७)

जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब (मूले विधानं तु) अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध (च) और (यात्रिकम्) यात्रा की सब सामग्री (यथाविधि कृत्वा) यथाविधि करके (आस्पदम् एव उपगृह्य) सब सेना, यान, वाहन, शस्त्र, अस्त्र आदि पूर्ण लेकर (चारान् सम्यक् विधाय) सर्वत्र दूतों अर्थात् चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों

को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १८४ ॥

(सं० प्र० १६१)

त्रिविध मार्ग का संशोधन करे—

संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकम् ।

सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८५ ॥ (१४८)

(त्रिविधं मार्गं संशोध्य) तीन प्रकार के मार्ग अर्थात् एक-स्थल = भूमि में दूसरा-जन = समुद्र वा नदियों में, तीसरा-आकाश मार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमान आदि यानों से जावे (च) और (षड्विधम्) पैदल, रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र और अस्त्र, खान-पान आदि सामग्री को यथावत् साथ ले (वलं स्वकम्) बलयुक्त पूर्ण (सांपरायिककल्पेन) किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके (रिपुपुरं शनैः यायात्) शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावे ॥ १८५ ॥

(सं० प्र० १६१)'

अनुशीलनः त्रिविध मार्ग का मनुसम्मत अर्थ—प्रचलित टीकाओं में त्रिविध मार्ग का अर्थ—'जङ्गल, अनूप और आदिविक किया है। यह मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता, और सही भी नहीं है। इस प्रकार अर्थ करने से तीनों केवल भूमि के ही एक मार्ग के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस भाष्य में दिया गया अर्थ मनुसम्मत है। इस की सिद्धि ६।१६२ से होती है। वहां स्थलयुद्ध और जल में जनपान आदि से युद्ध करने का वर्णन है। इस प्रकार त्रिविध मार्गों का स्थल, जल, आकाश मार्ग ही प्रासंगिक सिद्ध होता है। अनूप इसी के अन्तर्गत आ जाता है समुद्रीयानों की चर्चा ८।१५७, ४०६, ४०८ में भी आती है। उस काल में ये यान थे।

प्राक्रमण के समय शत्रु और शत्रुमित्र पर विशेष दृष्टि रखे—

शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे गुप्ततरो भवेद् ।

गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥ (१४९)

(शत्रुसेविनि गूढे मित्रे) जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रचा रखे, गुप्तता से शत्रु को भेद देवे (गत-प्रत्यागते एव) उसके आने जाने में, उसने जान करने में (युक्ततरः भवेत्) अत्यन्त सावधानी रखे (हि) क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र को (कष्टतरः रिपुः)

१. [प्रचलित अर्थ—जङ्गल, अनूप तथा आदिविक भेद से तीन प्रकार के मार्गों को पैड़, जल, आड़ी कंटक आदि कटवाने तथा नीची ऊँची भूमि को बराबर कराने से गमन के योग्य बनाकर और हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सेना एवं कार्यकर्ता रूप छः प्रकार के बल (सेना) उचित भोजन-वस्त्र, मान-सत्कार एवं औषध आदि से शुद्ध कर यात्रा के योग्य विधान में धीरे-धीरे शत्रु के देश को प्रस्थान करे ॥ १८५ ॥]

बड़ा शत्रु समझना चाहिए ॥ १८६ ॥ (स० प्र० १६१)

कण्टदायक.....

व्यूहरचनाएं—

दण्डव्यूहेन तन्मागं यायात् शकटेन वा ।

वराहमकराम्या वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७ ॥ (१५०)

+ (दण्डव्यूहेन) दण्ड के समान सेना को चलावे (शकटेन) जैसा शकट अर्थात् गाड़ी के समान (वराह मकराम्याम्) वराह जैसे सूअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं कभी सब मिलकर भुण्ड हो जाते हैं वैसे; जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे (सूच्या वा गरुडेन वा) जैसे सूई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात् स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है वैसे शिक्षा से सेना को बनावे; नीलकण्ठ [=गरुड़] ऊपर नीचे भपट्टा मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर (यायात्) लड़ावे ॥ १८७ ॥

(स० प्र० १६१)

+ (तत् मार्गम्) चढ़ाई करते समय मार्ग में.....

अनुयायित्वम् : (१) जिनमें आगे बलाघ्यक्ष हो, बीच में राजा, अन्त में सेनापति और उनके अगल-बगल एक-एक पंक्ति हाथी सवारों की, उन पंक्तियों के साथ एक पंक्ति भुइसवारों की, फिर साथ में पदातियों की पंक्तियाँ; इस प्रकार दण्ड के समान तथा लम्बी पंक्ति के आकार में सेना की मोर्चाबन्दी को 'दण्डव्यूह' कहते हैं ।

(२) गाड़ी के समान आगे से पतली और पीछे-पीछे अधिक फैलाव वाली सेना की रचना को 'शकटव्यूह' कहा जाता है ।

(३) आगे और पीछे के भागों में पतली, मध्यभाग में अधिक फैलाव वाली सेनारचना को 'वराहव्यूह' कहते हैं । इसमें सैनिक एक दल के पीछे एक दल बढ़ते जाते हैं, जैसे ही शत्रु उन्हें कम समझकर मुकाबला करता है, तो पिछली सेना भुण्ड बनाकर हमला कर देती है । उनके पीछे रक्षा के लिए तथा सावधानी के लिए हल्की सेनापंक्ति रहती है ।

(४) जिसका अग्रभाग मोटा, मध्य का उससे अधिक लम्बाकार होते हुए भी विस्तृत हो और पृष्ठभाग पतला हो, उस सेना-रचना को 'मकरव्यूह' कहा जाता है ।

(५) अग्रभाग से नुकीली और पृष्ठभाग से स्थूल एवं विस्तृत आकार वाली सेनारचना को 'सूचीव्यूह' कहते हैं ।

(६) आगे का कुछ भाग नुकीला और उसके पीछे दो भागों में विस्तृतरूप में दूर तक फैली हुई सेना की संरचना को 'गरुडव्यूह' कहते हैं । इसमें अग्रपंक्ति जब शत्रु-

सेना से लड़ने लगती है, और शत्रुसेना भी जब सामने होकर संघर्ष करने लगती है, तो अग्रगण्य-वर्गल में फैली सेना शत्रुसेना पर अग्रगण्य-वर्गल से अपट्टा मारकर दबाने की कोशिश करती है।

यतश्च भयमाशङ्कते ततो विस्तारयेद्बलम् ।

पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ १८८ ॥ (१५१)

(यतः भयम् + आशङ्केत्) जिधर भय विदित हो (ततः) उसी ओर (बलं विस्तारयेत्) सेना को फैलावे (पद्मेन एव व्यूहेन) सब सेना के पतियों को चारों ओर रखके पद्मव्यूह अर्थात् पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रख के (स्वयं निविशेत) मध्य में आप रहे ॥ १८८ ॥ (स० प्र० १६१)

अनुशीलनः : कमल के पुष्प की तरह एक दल के पीछे दूसरे दल के रूप में चारों ओर गोलाकार रूप में सेना को खड़ा करना और मध्य में राजा या सेनापति का होना, इस मोर्चाबन्दी को 'पद्मव्यूह' कहा जाता है।

सेनापतिबलाध्यक्षो सर्वदिक्षु निवेशयेत् ।

यतश्च भयमाशङ्कते प्राचीं च कल्पयेद्दिशम् ॥ १८९ ॥ (१५२)

(सेनापति-बलाध्यक्षो) सेनापति और बलाध्यक्ष आज्ञा को देने और सेना के साथ लड़ने-लड़ाने वाले दोनों को (सर्वदिक्षु निवेशयेत्) प्राठों दिशाओं में रखें (यतः भयम् + आशङ्केत्) जिस ओर से लड़ाई हाती हो (तां प्राचीं दिशं कल्पयेत्) उसी ओर सब सेना का मुख रखे।

परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रखे, नहीं तो पीछे वा पार्श्व से शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ १८९ ॥ (स० प्र० १६२)

अनुशीलनः : (क) "तां प्राचीं दिशं कल्पयेत्" अर्थात् 'उसे ही पूर्वदिशा मान ले' यह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है उसी दिशा को मुख्य मानकर उसी की ओर मुख कर लेना अर्थात् शक्ति लगाना।

गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समन्ततः ।

स्थाने युद्धे च कुशलानभिरुनविकारिणः ॥ १९० ॥ (१५३)

(गुल्मान्) जो गुल्म अर्थात् दृढस्तम्भों के तुल्य (आप्तान्) युद्धविद्या में सुशिक्षित, धार्मिक (स्थाने च युद्धे कुशलान्) स्थित होने और युद्ध करने में चतुर (अभिरुन्) भयरहित (च) और (अविकारिणः) जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो + उनको (समन्ततः स्थापयेत्) सेना के चारों ओर रखे ॥ १९० ॥ (स० प्र० १६२)

+ (कृतसंज्ञान्) निश्चित संकेतों को समझने वाले.....

संहतान्योद्धयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्बहून् ।

सूच्या वज्रेण चैवंतान्ब्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥१६१॥ (१५४)

(अल्पान् संहतान् योधयेत्) जो थोड़े पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे (कामं विस्तारयेत् बहून्) और काम पड़े तो उन्हीं को भट फैला देवे, जब नगर, दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब (सूच्या वज्रेण व्यूह्य) 'सूचीव्यूह' तथा 'वज्र-व्यूह' जैसा दुधारा खड्ग दोनों और युद्ध करते जायें और प्रविष्ट भी होते चले, वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात् सेना को बनाकर (योद्धयेत्) लड़ावे ॥ १६१ ॥ (स० प्र० १६२)

'जो सामने (गतघ्नी) तोप वा (भुशुण्डी) बन्दूक छूट रही हो तो 'सर्पव्यूह' अर्थात् सर्प के समान सोते-सोते चले जायें, जब तोपों के पास पहुँचे तब उनकी मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारें अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावें और मारें, बीच में अच्छे-प्रच्छे सवार रहें, एकवार धावा कर शत्रु की सेना को द्धिःन-भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें ।' (स० प्र० पष्टसमु०)

अनुशीलनः : जिस प्रकार दुधारी-तलवार शरीर में नोक से घुसकर दोनों ओर से काटती जाती है, उसी प्रकार सेना की इस प्रकार मोर्चाबन्दी करना कि वह सामने लड़ती हुई शत्रु-सेना में प्रविष्ट होती जाये और अगल बगल भागों से दूसरी सेनापक्तियाँ लड़ें तथा इस प्रकार रक्षा भी करें कि किसी बगल से घूमकर शत्रु घेर न ले, इस मोर्चाबन्दी को 'वज्रव्यूह' कहते हैं ।

स्थन्दनाश्वः समे युद्धघेदनूपे नौद्विपैस्तथा ।

वृक्षगुल्मावृते चापैरतिचर्मयुधैः स्थले ॥१६२॥ (१५५)

(समे युध्येत् स्थन्दन + अश्वः) जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ, घोड़े और पदातियों से (नूपे नौ-द्विपैः) जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर (वृक्ष-गुल्म + आवृते) वृक्ष और झाड़ी में (चापैः) बाण (तथा) तथा (स्थले) स्थल बालू में (प्रसि-चर्म + आयुधैः) तलवार और ढाल से युद्ध करें-करावें ॥ १६२ ॥ (स० प्र० १६२)

अनुयायिनः

मनुप्रोक्त युद्धनीति एवं उसके अंग-प्रत्यंग (तालिका)

१. युद्धनीति के आधार	२. युद्धार्थ सेना	३. सेना के अधिकारी
१. साम (७।१५६, १६८, २००)	१. पैदल-सेना (७।१८५, १६२)	१. राजा (मुख्य नायक)
२. दाम (" ")	२. रथसवार सेना (" ")	२. सेनापति (७। १८६)
३. भेद (" ")	३. घुड़सवार सेना (" ")	३. बलाध्यक्ष (")
४. दण्ड (" ")	४. हाथीसवार सेना (" ")	४. दूत (७।६३-६८)
५. सन्धि (७।१६०, १६२, १६३, १६६)	५. जल सेना (" ")	
६. विग्रह (७।१६०, १६४, १७०।)	६. वायु सेना (" ")	
७. यान (७।१६०, १६५, १७१)		
८. आसन (७।१६०, १६६, १७२)		
९. द्विधीभाव (७।१६०, १६७, १७३)		
१०. संश्रय (७।१६०, १६८, १७४)		

४. युद्ध में व्यूहरचना	५. शास्त्रास्त्र-संकेत-वर्णन
१. दण्डव्यूह (७।१८७)	१. धनुष (७।७४, १६२)
२. शकटव्यूह (" ")	२. बाण (७।६०, १६२)
३. वराहव्यूह (" ")	३. तलवार (७।१६२)
४. मकरव्यूह (" ")	४. डाल (७।१६२)
५. सूचीव्यूह (" ७।१६१)	५. कूटायुध (७।६०)
६. गरुडव्यूह (" ")	६. शक्ति (८।३१५)
७. पद्मव्यूह (७।१८८)	७. वरुणपाश (६।३०८)
८. वज्रव्यूह (७।१६१)	८. लोहदण्ड (८।३१५)

कुरुक्षेत्रादिच मत्स्यादिच पञ्चालाञ्छूरसेनजान् ।

दीर्घात्सधूश्चैव नरानघानीकेषु योजयेत् ॥ १६३ ॥

(कुरुक्षेत्रान्) कुरुक्षेत्र—निवासी (मत्स्यान्) विराट् नामक प्रदेश—निवासी (पञ्चालान्) कान्यकुब्ज और अहिच्छत्र प्रदेश के निवासी (शूरसेनजान्) मथुरा प्रदेश के निवासी (दीर्घान् च लघून् एव नरान्) बड़े कद वाले अथवा छोटे कद वाले भी हों तो भी उन योद्धा नरों को (अग्र + अनीकेषु योजयेत्) सेना में सबसे अग्रभाग में नियुक्त करे ॥ १६३ ॥

अनुशासन : १६३ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. प्रसंगविरोध—यहाँ पूर्वाग्र प्रसंग युद्ध के सर्वसामान्य नियमों एवं उनके प्रकारों का है, किसी देश-विशेष के सैनिकों का या किसी देश-विशेष के लिए नहीं है। अतः यह श्लोक पूर्वाग्र प्रसंग-विरुद्ध है।

२. अन्तर्विरोध—(१) इस श्लोक में कुछ देशविशेषों के सैनिकों को सेना के अग्रभाग में रखने का निर्देश है। प्रश्न उठता है कि जिन देशों के पास ये सैनिक नहीं हैं वे इन्हें कहाँ से लायेंगे ? इस प्रकार यह कोई विधान ही नहीं बनता। मनुस्मृति के विधान सभी देशों के सभी वर्णों के व्यक्तियों के लिए सर्वसामान्य रूप से विहित हैं। इनके साथ किसी क्षेत्रविशेष में सीमित करने वाली बात नहीं जोड़ी जा सकती है। १।१३६ [२।२०] में मनु ने स्वयं कहा है कि 'इन धर्मों की शिक्षा पृथ्वी पर स्थित समस्त देशों के मानव प्राप्त करें'। फिर यह स्मृति केवल इसी श्लोक में वर्णित देशों के लिए कैसे सीमित हो सकती है ? इस अन्तर्विरोध के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है। (२) इन देशों का विभाजन मनु से परवर्ती है [इसके लिए १।१३८ (२।१६) पर समीक्षा द्रष्टव्य है]। इस आधार पर भी यह श्लोक मनुप्रोक्त नहीं है।

सेना का उत्साहवर्धन—

प्रहर्षयेद्बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्परीक्षयेत् ।

चेष्टाश्चैव विजानीयादरीभ्यो धयतामपि ॥ १६४ ॥ (१५६)

(व्यूह्य बलं प्रहर्षयेत्) जिस समय युद्ध होता है तो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें, जब युद्ध बंद हो जाये तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्तृत्वों [=वचनों] से सबके चित्त को खान-पान, अस्त्र-शस्त्र, सहाय और औषधादि से प्रसन्न रखे, व्यूह के बिना लड़ाई न करे, न करावे + (योधयताम् + अवि चेष्टाः विजानीयात्) लड़ती हुई अपनी सेना को चेष्टा को देखा करे कि (सम्यक् परीक्षयेत्) ठीक-ठीक लड़ती है वा कपट रखती है ॥ १६४ ॥ (स० प्र० १६२)

+ (अरीन्) शत्रुओं से.....

शत्रुराजा को पीड़ित करने के उपाय—

उपरुध्धारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् ।

दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ १६५ ॥ (१५७)

किसी समय उचित समझे तो (अरिम् उपरुध्ध आसीत) शत्रु को चारों ओर से घेरकर रोकरखे (च) और (अस्य राष्ट्रम् उपपीडयेत्) इसके राज्य को पीड़ित कर (अस्य) शत्रु के (यवस-अन्न-उदक-इन्धनम्) चारा, अन्न, जल और इन्धन को (सततं दूषयेत्) नष्ट दूषित कर दे ॥ १६५ ॥

(स० प्र० १६२)

भिन्द्याच्छैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।

समवस्कन्दयेच्छनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा ॥ १६६ ॥ (१५८)

शत्रु के (तडागानि) तालाब (प्राकार) नगर के प्रकोट (तथा परिखाः) और खाई को (भिन्द्यात्) तोड़-फोड़ दे (रात्रौ एनं वित्रासयेत्) रात्रि में उनको भय देवे (च) और (सम् + अवस्कन्दयेत्) जीतने का उपाय करे ॥ १६६ ॥ (स० प्र० १६२)

शत्रुराजा के अमात्यों में फूट—

उपजप्यानुपजपेद् बुध्येतैव च तत्कृतम् ।

युक्ते च देवे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः ॥ १६७ ॥ (१५९)

(उपजप्यान्) शत्रु के वर्ग के जिन अमात्य, सेनापति आदि में फूट डाली जा सके, उनमें (उपजपेत्) फूट डाल दे (च) और इस प्रकार (तत् कृतं बुध्येत) शत्रु राजा की योजनाओं की जानकारी ले ले (च) और (जयप्रेप्सुः) विजय का इच्छुक राजा इस प्रकार (अपेतभीः) भय छोड़कर (युक्ते देवे) उचित अवसर पर (युध्येत) युद्ध-आक्रमण शुरू कर देवे ॥ १६७ ॥

साम्ना दामेन भेदेन समस्तेरथवा पृथक् ।

विजेतुं प्रयतेतारीश्र युद्धेन कदाचन ॥ १६८ ॥ (१६०)

(साम्ना) 'साम' से (दामेन) 'दाम' से (भेदेन) 'भेद' से (समस्तेः) इन सब उपायों से एकसाथ (अथवा) अथवा (पृथक्) अलग-अलग एक-एक से (अरीन् विजेतुं प्रयतेत) शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करे (कदाचन युद्धेन न) कभी पहले युद्ध से जीतने का यत्न न करे ॥ १६८ ॥

अनित्यो विजयो यस्माद् दृश्यते युध्यमानयोः ।

पराजयश्च सङ्ग्रामे तस्माद्युद्धं विवर्जयेत् ॥ १६९ ॥

(यस्मात्) क्योंकि (सङ्ग्रामे युध्यमानयोः विजयः च पराजयः) युद्ध में लड़त

समय विजय और हार (अनित्यः दृश्यते) अनिश्चित होती है (तस्मात् युद्धं विवर्जयेत्) इसलिए युद्ध करना छोड़ देवे ॥ १६६ ॥

अनुशीलन : १६६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वापर १६८ व २०० श्लोकों में नीतिपूर्वक क्रमशः सामादि उपाय अपनाने का कथन है। अन्तिम उपाय युद्ध को अन्त में ही अपनाने का निर्देश है। इस प्रकार उक्त दोनों श्लोकों की वाक्यात्मक सम्बद्धता है। इस श्लोक के युद्धनिषेध वर्णन ने उस प्रसंग और सम्बद्धता को भंग कर दिया है। अतः प्रसंगभञ्जक प्रयोग है। (२) १८१ से यह युद्ध का ही प्रसंग प्रारम्भ हुआ है, जिसमें २०१ तक युद्धों के विधान हैं। इस प्रसंग के बीच युद्धवर्जन का कथन प्रसंगविरुद्ध है।

२. अन्तर्विरोध—१८१ से २०० श्लोकों तक मनु ने युद्ध करने का कथन किया है। यहाँ युद्ध से पराजय होने के भय से निवृत्त होने का कथन इन सभी श्लोकों के विरुद्ध है। इस आधार पर भी यह प्रक्षिप्त है।

त्रयाणामुपायानां पूर्वोक्तानामसम्भवे ।

तथा युध्येत सम्पन्नो विजयेत रिपून् यथा ॥ २०० ॥ (१६१)

(पूर्वोक्तानां त्रयाणाम्+अपि+उपायानाम् असंभवे) पूर्वोक्त साम, दाम, भेद तीनों ही उपायों में से किसी से भी विजय की संभावना न रहने पर (सम्पन्नः) सब प्रकार से तैयारी करके (तथा युध्येत) इस प्रकार युद्ध करे (यथा) जिससे कि (रिपून् विजयेत) शत्रुओं पर विजय कर सके ॥ २०० ॥

राजा के विजयोपराज कर्तव्य—

जित्वा सम्पूजयेद् देवान् ब्राह्मणान् चैव धार्मिकान् ।

प्रदद्यात्परिहारान् च स्थापयेदभयानि च ॥ २०१ ॥ (१६२)

(जित्वा) विजय प्राप्त करके (धार्मिकान् देवान् ब्राह्मणान् एव) जो धर्माचरणवाले विद्वान् ब्राह्मण हों उनको ही (पूजयेत्) सत्कृत करे अर्थात् उनको अभिवादन करके उनका आशीर्वाद ले (च) और (परिहारान् प्रदद्यात्) जिन प्रजाजनों को युद्ध में हानि हुई है उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए सहायता दे (च) तथा (प्रभयानि स्थापयेत्) सब प्रकार के अभयों की घोषणा करा दे कि 'प्रजाओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया जायेगा अतः वे सब प्रकार से भय-आशंका-रहित होकर रहें' ॥ २०१ ॥

हारे हुए राजा से प्रतिज्ञापत्र आदि लिखवाना—

सर्वेषां तु विशिष्येण समासेन चिकीर्षितम् ।

स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम् ॥ २०२ ॥ (१६३)

(एषां सर्वेषाम्) विजित प्रदेश की इन सब प्रजाओं की (चिकीर्षितम्) इच्छा को (समासेन विदिस्वा) संक्षेप से अर्थात् सरसरी तौर पर जानकर कि वे किसे अपना राजा बनाना चाहती हैं, या कोई और विशेष आकांक्षा हो उसे भी जानकर (तत्र) उस राजसिंहासन पर (तत् वंश्यम्) उस प्रदेश की प्रजाओं में से उन्हीं के वंश के किसी व्यक्ति को (स्थापयेत्) बिठा देवे (च) और (समय-क्रियाम् कुर्यात्) उससे सन्धिपत्र = शर्तनामा लिखा लेवे [कि अमुक कार्य तुम्हें स्वेच्छानुसार करना है, अमुक मेरी इच्छा से। इसी प्रकार अन्य कर, अनुशासन आदि से सम्बद्ध बातें भी उसमें हों]॥ २०२ ॥

प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्याग्नयोदितान् ।

रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषः सह ॥ २०३ ॥ (१६४)

(तेषां यथोदितान् धर्म्यान्) उन विजित प्रदेश की प्रजाओं या नियुक्त राजपुरुषों द्वारा कही हुई उनकी न्यायोचित [=बंध] बातों को (प्रमाणानि कुर्वीत) प्रमाणित कर दे अर्थात् प्रतिज्ञापूर्वक स्वीकार कर ले। अभि-
प्राय यह है कि उनकी न्यायोचित बातों को मान लेवे और जो अमान्य बातें हों उनको न माने (च) और (प्रधानपुरुषैः सह एनम्) प्रधान राजपुरुषों के साथ बन्दीकृत इस राजा का (रत्नैः पूजयेत्) उत्तम वस्तुयें प्रदान करते हुए यथायोग्य सत्कार रखे ॥ २०३ ॥

“जीतकर उनके साथ प्रमाण अर्थात् प्रतिज्ञा आदि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसे धर्मयुक्त राजनीति है, उसके अनुसार चलके न्याय से प्रजा का पालन करना होगा, ऐसे उपदेश करे। और ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो। और जो हार जाये, उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्न आदि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिससे उसको योगक्षेम भी न हो। जो उसको बन्दीगृह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रखे, जिसमें वह हारने के शोक से रहित होकर आनन्द में रहे।” (स० प्र० १६४)

आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् ।

अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥ (१६५)

क्योंकि (आदानम् + अप्रियकरम्) संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति (च) और (दानं प्रियकारकम्) देना प्रीति का कारण है, और (काले युक्तम्) समय पर उचित क्रिया करना (अभीप्सितानाम् + अर्थानाम्)

उस पराजित के मनोवाञ्छित पदार्थों का देना (प्रशस्यते) बहुत उत्तम है ॥ २०४ ॥ (स० प्र० १६२)

सर्वं कर्मैवमायत्तं विधाने दैवमानुषे ।

तयोर्दैवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥

(इदं सर्वं कर्म आयत्तम्) संसार के सब काम (दैव-मानुषे विधाने) दैव = भाग्य और मनुष्य के आधीन हैं (तयोः) उन दोनों में (दैवं तु अचिन्त्यम्) भाग्य तो अचिन्त्य अर्थात् अज्ञात होता है (मानुषे क्रिया विद्यते) मनुष्य के करने से कोई काम पूरा किया जा सकता है ॥ २०५ ॥

अनुयातन्त्र : २०५ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यह श्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। पूर्व के २०२-२०४ श्लोकों में विजित राजा को बन्दी बनाकर रखने का सुझाव है और २०६ में उसका विकल्प है कि यदि बन्दी न बनावे तो उसे मित्र बनाकर उसे ही राज्यासन पर रखकर लौट आये। इस प्रकार पूर्वापर श्लोक को परस्पर सम्बद्धता को इस श्लोक ने भंग कर दिया है। इस वर्णित मानुष दैव कर्मों का यहां पूर्वापर प्रसंग से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। इस प्रसंगविरोध के आधार पर यह प्रक्षिप्त है।

सह वाऽपि व्रजेद्युक्तः सन्धिं कृत्वा प्रयत्नतः ।

मित्रं हिरण्यं भूमिं वा सम्पद्यंस्त्रिविधं फलम् ॥ २०६ ॥ (१६६)

[यदि पूर्वोक्त कथनानुसार (७। २०२-२०३) राजा को बन्दी न बनाकर उसके स्थान पर दूसरा राजा न बिठाकर उसे ही राजा रखे तो] (अथ वा) अथवा (सह युक्तः) उसी राजा के साथ मेल करके (प्रयत्नतः सन्धिं कृत्वा) बड़े सावधानी पूर्वक उससे सन्धि करके अर्थात् सन्धिपत्र लिखाकर (मित्रं हिरण्यं वा भूमिं त्रिविधं फलं सम्पद्यन्) मित्रता, सोना अथवा भूमि की प्राप्ति होना, इन तीन प्रकार के फलों को देखकर अर्थात् इनकी उपलब्धि करके (व्रजेत्) वापिस लौट आये ॥ २०६ ॥

पार्ष्णिग्राहं च संप्रेक्ष्य तथाक्रन्दं च मण्डले ।

मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्नुयात् ॥ २०७ ॥ (१६७)

(मण्डले) अपने राज्य में (पार्ष्णिग्राहम्) 'पार्ष्णिग्राह' संज्ञक राजा [१५६] (तथा) तथा (आक्रन्दं संप्रेक्ष्य) 'आक्रन्द' संज्ञक राजा का [१५६] ध्यान रखके (मित्रात् + अथापि + अमित्रात्) मित्र अथवा पराजित शत्रु से (यात्राफलम् + अवाप्नुयात्) युद्धयात्रा का फल प्राप्त करे। अभि- प्राय यह है कि अपने पड़ोसी राजाओं से सुरक्षा के लिए या उनको बत में

करने के लिए कौन से फल की अधिक उपयोगिता होगी, यह सोचकर शत्रु या मित्र से बड़ी-बड़ी फल मुरूपता से प्राप्त करे ॥ २०७ ॥

सच्चा मित्र सबसे बड़ी शक्ति—

हिरण्यभूमिसम्प्राप्त्या पार्थिवो न तथेधते ।

तथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कुशमप्यायतिक्षमम् ॥ २०८ ॥ (१६८)

(पार्थिवः) राजा (हिरण्य-भूमि-सम्प्राप्त्या) सुवर्ग और भूमि की प्राप्ति से (तथा न एधते) वैसा नहीं बढ़ता (यथा) कि जैसा (ध्रुवम्) निश्चल प्रेमयुक्त (आयतिक्षमम्) भविष्यत् की बातों को सोचने और कार्य-सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र (अपि कुशम्) अथवा दुर्बल मित्र को भी (लब्ध्वा) प्राप्त होके बढ़ता है ॥ २०८ ॥ (स० प्र० १६४)

प्रशंसनीय मित्र राजा के लक्षण—

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ।

अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २०९ ॥ (१६९)

(धर्मज्ञम्) धर्म को जानने (च) और (कृतज्ञम्) कृतज्ञ अर्थात् किये हुए उपकार को सदा मानने वाले (तुष्टप्रकृतिम्) प्रसन्न स्वभाव (अनुरक्तम्) अनुरागी (स्थिरारम्भम्) [= स्थिरतापूर्वक मित्रता या कार्य करने वाला] (लघुमित्रम्) लघु = छोटे मित्र को प्राप्त होकर (प्रशस्यते) प्रशंसित होता है ॥ २०९ ॥ (स० प्र० १६४)

कष्टकर शत्रु के लक्षण—

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ।

कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ २१० ॥ (१७०)

सदा इस बात को दृढ़ रखे कि कभी (प्राज्ञम्) बुद्धिमान् (कुलीनम्) कुलीन (शूरम्) शूरवीर (दक्षम्) चतुर (दातारम्) दाता (कृतज्ञम्) किये हुए को जाननेहारे (च) और (धृतिमन्तम्) धैर्यवान् पुरुष को (अरिम्) कष्टम् + आहुः) शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पायेगा ॥ २१० ॥ (स० प्र० १६४)

ॐ (बुधा) विचारशील विद्वानों का ऐसा मत है ।

उदासीन के लक्षण—

आयंता पुरुषज्ञानं शीघ्रं करणवेदिता ।

स्थूललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ २११ ॥ (१७१)

उदासीन का लक्षण—(आयंता) पुरुषज्ञानम् जिसमें प्रशंसितगुण-युक्त अच्छे-बुरे मनुष्यों का ज्ञान (शीर्यम्) शूरवीरता (च) और (कहण-वेदिता) कहणा भी (स्थीलनक्ष्यं सनतम्) स्थूल लक्ष्य अर्थात् ऊपर-ऊपर की बातों को निरन्तर सुनाया करे (उदासीनगुणोदयः) वह उदासीन कहाता है ॥ २११॥ (स० प्र० १६५)

राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे आवश्यक—

क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि ।

परित्यजेन्नुपो भूमिमात्मार्यमविचारयन् ॥ २१२ ॥ (१७२)

(नृपः) राजा (आत्मार्यम्) अपने राज्य की रक्षा के लिए (क्षेम्याम्) आरोग्यता ने युक्त (सस्यप्रदाम्) धान्य-घास आदि से उपजाऊ रहने वाली (नित्यं पशुवृद्धिकरीम्) सदैव जहाँ पशुओं की वृद्धि होती हो, ऐसी भूमि को भी (अविचारयन्) बिना विचार किये (परित्यजेत्) छोड़ देवे अर्थात् विजयी राजा को देनी पड़े तो दे दे, उसमें कष्ट अनुभव न करे ॥ २१२ ॥

प्रापदर्थं धनं रक्षेद्दारान् रक्षेद्धनैरपि ।

आत्मानं सततं रक्षेद्दारेरपि धनैरपि ॥ २१३ ॥ (१७३)

प्रापत्ति में पड़ने पर (प्रापत्+अर्थम्) प्रापत्ति से रक्षा के लिए (धनं रक्षेत्) धन की रक्षा करे, और (धनैः+अपि) धनों की अपेक्षा (दारान् रक्षेत्) स्त्रियों की अर्थात् परिवार की रक्षा करे (दारेः+अपि धनैः+अपि) स्त्रियों से भी और धनों से भी आत्मरक्षा करना सबसे आवश्यक है। यदि उसकी रक्षा नहीं हो सकेगी तो वह न परिवार की रक्षा कर सकेगा और न धन की न राज्य की ॥ २१३ ॥

सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो मृशम् ।

संयुक्तांश्च त्रियुक्तांश्च सर्वोपायान्सृजेद् बुधः ॥ २१४ ॥ (१७४)

(सर्वाः) आपदः भृशं सह समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्य) सब प्रकार की आप-त्तियां तीव्र रूप में और एकसाथ उपस्थित हुई देखकर (बुधः) बुद्धिमान् (संयुक्तान्) सम्मिलित रूप में और (त्रियुक्तान्) पृथक्-पृथक् रूप से अर्थात् जैसे भी उचित समझे (सर्वं+उपायान् सृजेत्) सब उपायों को उपयोग में लावे ॥ २१४ ॥

उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्नशः ।

एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥ (१७५)

(उपेतारम्) उपेता = प्राप्त करनेवाला अर्थात् स्वयं (उपेयम्) उपेय =

प्राप्त करने योग्य अर्थात् शत्रु (च) और (सर्व+उपादान्) सब विजय प्राप्त करने के साम, दाम, आदि उपाय (एतत् त्रयम्) इन तीन बातों को (कुत्सनशः समाश्रित्य) सम्पूर्ण रूप से आश्रय करके अर्थात् विचार करके और अपनी क्षमता देखकर (अर्थसिद्धये प्रयतेत) राजा अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे, इन्हें बिना विचारे नहीं ॥ २१५ ॥

मन्त्रणा एवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनार्थं अन्तःपुर में जाना—

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः ।

व्यायम्यःप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥ २१६ ॥ (१७६)

(एवम्) इस प्रकार (राजा) राजा (इदं सर्वम्) यह पूर्वोक्त [७। १४६—२१५] सब (मन्त्रिभिः सह संमन्त्र्य) मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श करके (व्यायम्य) व्यायाम अर्थात् शस्त्रास्त्रों का अभ्यास करके (प्राप्लुत्य) स्नान करके फिर, (मध्याह्ने) दोपहर के समय (भोक्तुम्) भोजन करने के लिए (अन्तःपुरं विशेत्) अन्तःपुर अर्थात् पत्नी आदि के निवास-स्थान में प्रवेश करे ॥ २१६ ॥

राजा सुपरीक्षित भोजन करे—

तत्रात्मभूतैः कालजैरहार्यैः परिचारकैः ।

सुपरीक्षितमन्त्राद्यमद्यान्मन्त्रैर्विषापहैः ॥ २१७ ॥ (१७७)

(तत्र) वहाँ अन्तःपुर में जाकर (आत्मभूतैः) गम्भीर प्रेम रखने वाले, विश्वासपात्र (कालजैः) ऋतु स्वास्थ्य, अवस्था आदि के अनुसार भोज्य पदार्थों के खाने के समय को जानने वाले (ग्रहार्यैः) शत्रुओं द्वारा फूट में न आने वाले (परिचारकैः) सेवकों = पाकशालाध्यक्षों, वैद्यों आदि के द्वारा (विषापहैः मन्त्रैः) विषनाशक युक्तियों या उपायों से (सुपरीक्षितम्) अच्छी प्रकार परीक्षा किये हुए (अन्नाद्यम्) भोजन को (अद्यात्) खाये ॥ २१७ ॥

‘भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्धक, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के अन्न-व्यंजन-पान आदि सुगन्धित-मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे ।’ (स० प्र० षष्ठ समु०)

अनुध्यातव्यः : इस श्लोक में “कालजैः” और “विषापहैः मन्त्रैः” पदों

१. [प्रचलित अर्थ— वहाँ अन्तःपुर में अपने तृप्त, भोजन समय के जाता, किसी शत्रु आदि से फोड़कर अपने पक्ष में नहीं करने योग्य परिचारकों (पाक आदि) से बनाये गये एवं परीक्षा किये गये अन्न आदि को विषनाशक मन्त्रों से (गाण्डादि मन्त्रों को जपकर) भोजन करे ॥ २१७ ।]

पर किसी को भ्रान्ति न हो इसलिए इन पर विस्तृत प्रकाश डालना आवश्यक है। क्योंकि, ग्राजकल ये शब्द और वाक्य ग्रन्थ अर्थों में रूढ़ हो गये हैं और टीकाकारों ने युक्तिसंगत अर्थ नहीं दिये हैं—

(१) 'कालज्ञ' का प्रासंगिक और अनुसम्मत अर्थ—कालज्ञ का शब्दार्थ 'काल को जानने वाला' होता है, जो ज्योतिषी अर्थ में भी रूढ़ है, किन्तु यहां इसका यह अर्थ नहीं। शब्दकोशों में कालज्ञ का अर्थ—'किसी कार्य के उचित समय या अवसर को जानने वाला' भी मिलता है। संस्कृत-साहित्य में भी यह अर्थ प्रचलित है। यहां भी यही अर्थ है। फिर यहां प्रसंग भोजन का है, अतः भोजन के प्रसंग में ही उसका अर्थ बनेगा। इस प्रकार इस श्लोक में कालज्ञ का अर्थ—'स्वास्थ्य, अवस्था, ऋतु आदि के अनुसार भोग्य पदार्थों या भोजन के समय को जानने वाला' यह अर्थ है। यही उपयुक्त एवं प्रासंगिक है।

(२) 'विषापहैः मन्त्रैः' पदों के अर्थ पर विचार—'मन्त्र' का अर्थ भी 'विचार' या 'युक्ति' एवं 'विचारात्मक उपाय' होता है। [देखिए ऋ० १।१५२।२; १।१७।२ मन्त्रों पर ऋषि दयानन्द का भाष्य] इस प्रकार "विषापहैः मन्त्रैः" का इस श्लोक में किया गया अर्थ ही उचित एवं युक्तिसंगत है। अन्य टीकाओं का अर्थ बुद्धिगम्य एवं युक्ति-संगत नहीं है। केवल मन्त्रोच्चारण से विष दूर होना असंभव बात है।

(३) कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा को भोजन-सम्बन्धी निर्देश—मनु के समान कौटिल्य ने भी राजा को परोक्षित, सुरक्षः में निमित्त, विषादि से रहित और सुस्वादु भोजन करने का निर्देश दिया है। कौटिल्य के अनुसार राजा का भोजन एकान्त और सुरक्षित पाकशाला में तैयार होना चाहिए। वहां विष आदि की परीक्षा करने वाले बैद्य हों। बैद्यों एवं पाकशालाध्यक्ष द्वारा राजा के सामने स्वयं खाकर परीक्षित तथा अग्नि और पशु-पक्षियों के आगे डालकर परीक्षित भोजन, जलपान आदि राजा को करना चाहिए। बैद्यों को विभिन्न विषनाशक युक्तियों से भोजन की परीक्षा करनी चाहिए तथा विषमारक उपायों की तैयारी रखनी चाहिए। [प्रक० १६।अ० २०]^१ कौटिल्य के इन वचनों से भी इस व्याख्या के किये अर्थों की पुष्टि होती है।

विषघ्नेरगवेद्यास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत् ।

विषघ्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥

(च) और (अस्य) इस राजा के (सर्वद्रव्याणि) उपयोग में लाये जाने वाले सब पदार्थों में (विषघ्नेः अगदैः) विषनाशक औषधियां (योजयेत्) डाले (च) और राजा

१. "तस्मादस्य जाङ्गलीविदो मिषजश्चासनाः स्युः । मिषक् भंष्यमागारादास्वादविशुद्धमौषधं गृहीत्वा पाचकपोदकाभ्यामात्मना च प्रतिस्थाप्य राजे प्रयच्छेत् । पानं पानीयं चोषधेन व्याख्यातम् ।"

"गुप्ते देशे माहानसिकः सर्वमास्वादवाहुत्येन कर्म कारयेत् । तद्वाजा तथैव प्रति भुञ्जीत, पूर्वमग्नये वयोभ्यश्च बलि कृत्वा ।" [प्रक० १६।अ० २०]

(नियतः) आवश्यक रूप से (दिव्यधनानि) विषयों को नष्ट करने वाली (रत्नानि) मणियाँ या रत्न औपधियाँ (सदा धारयेत्) सदा धारण करे ॥ २१८ ॥

परीक्षिताः स्त्रियश्चर्चनं व्यजनोवकधूपनैः ।

वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥ २१९ ॥

(च) और (वेष + आभरण-संशुद्धाः) वेशभूषा और आभूषणों से स्वच्छ (सुसमाहिताः) सावधानी रखने वाली (परीक्षिताः) परीक्षा ली हुई (स्त्रियः) स्त्रियाँ (एनम्) इस राजा की (व्यजन-उदक-धूपनैः) चंवर, जल और धूप आदि से (स्पृशेयुः) सेवा करें ॥ २१९ ॥

अनुशीलन : २१८—२१९ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) २१६-२१७ में राजा के परीक्षित भोजन की चर्चा है, फिर २२० में उसी प्रकार परीक्षित यान-आसन आदि के प्रयोग का कथन है। इस प्रकार २१६-२१७ और २२० की परस्पर प्रसंग सम्बद्धता है। इनके बीच रत्नधारण, स्त्रियों द्वारा सेवा, आदि का प्रसंग उस पूर्वपर सम्बद्धता को भंग कर रहा है। (२) २२० वें श्लोक में पठित 'एवम्' पद स्वतः ही इसकी प्रसंगसम्बद्धता २१७ से सिद्ध कर रहा है। जैसे भोजन आदि में परीक्षा, सुरक्षा, विश्वसनीयता आदि बातों की सावधानी बरते, ऐसे ही यान-आसन आदि में भी बरते। इस प्रकार २१७ से २२० की वाक्यात्मक एकता है। उसे इन श्लोकों ने भंग कर दिया है, अतः ये प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) २१७ वें श्लोक में राजा को स्पष्टतः पुरुषसेवक रखने का कथन है, स्त्रीसेवकों का कथन नहीं। २१९ में स्त्रियों को सेवक रूप में रखने के वर्णन का, उसके साथ तालमेल नहीं है। (२) राजा के लिए प्रत्येक प्रकार की स्त्रियों का संग-सेवन [स्वस्त्री को छोड़कर] मनु ने निषिद्ध किया है [७।४७, ५०, ७७,]। यह श्लोक उनके भी विरुद्ध है। (३) मनु ने द्वितीय से चतुर्थ अध्याय तक जो वेशभूषा तथा वस्त्रधारण आदि की व्यवस्थाएं दी हैं [२।११, ३८-३९ ॥ ४।३५ आदि] उनमें केवल यज्ञोपवीत ही सदाधार्य बनलाया है। यदि रत्न आदि धारणीय होते तो वहाँ उनका भी उल्लेख होता। यहाँ रत्न आदि धारण का कथन मनु की पूर्वोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं खाता। अतः भी रत्नधारण करने से उद्भूत विषय की निवृत्ति बुद्धिगम्य और युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकार २१८ वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है।

खाद्य पदार्थों के समान ग्रन्थ प्रयोज्य साधनों में सावधानी—

एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनाशने ।

स्नाने प्रसाधने चैव सर्वान्कारकेषु च ॥ २२० ॥ (१७८)

राजा (यान-शय्या-आसन-अशने) सवारी, सोने के साधन पलंग

आदि, आसन, भोजन (स्नाने च प्रसाधने) स्नान और श्रुंधार प्रसाधन उवटन आदि (च) और (सर्व+अलंकारकेषु) सब राजचिह्न जैसे अलंकार आदि साधनों में भी (एवं प्रयत्नं कुर्वीत) इसी प्रकार योग्य सेवकों द्वारा परीक्षा कराने को सावधानी वरते [जैसे २१७ श्लोक में उक्त भोजन में वरतने को कहा है] ॥ २२० ॥

अनुशीलन : कौटिल्य द्वारा यान आदि के प्रयोग में सावधानी का निर्देश—यतोहि राजा के विरुद्ध शत्रुओं द्वारा प्रतिपल पड्यन्त्र रचे जाते हैं, अतः राजा को प्रत्येक कार्य में सुरक्षार्थ सावधानी रखने का निर्देश है। कौटिल्य ने इस निर्देश को और विस्तारपूर्वक वर्णित किया है। उनके अनुसार दाही-मूछ के उपयोग में आने वाले साधनों, वस्त्रों, राज-अलंकरणों, मात्थारंण, स्नान, यान, आसन, पशु-वाहन आदि प्रत्येक की पहले विश्वसनीय सेवकों द्वारा राजा के सामने परीक्षा होनी चाहिए। कहीं उनमें विषप्रयोग या धोखा न हो। तत्पश्चात् राजा के प्रयोग में लाने चाहिए।^१

भोजन के बाद विश्राम और राज्यकार्यों का चिन्तन—

भुक्तवाविहरेत्तच्च स्त्रीभिरन्तःपुरे सह ।

विहृत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥ (१७३)

(च) और [२१६-२१७ में कहे अनुसार] (भुक्तवान्) भोजन करके (अन्तःपुरे) अन्तःपुर=रनिवास में (स्त्रीभिः सह) पत्नी आदि पारिवारिक जन के साथ (विहरेत्) आमोद-प्रमोद या विश्राम करे (तु) और (विहृत्य) विश्राम करके (पुनः) तदनन्तर (यथाकालम्) यथासमय (कार्याणि चिन्तयेत्) कार्यों अर्थात् मुकद्दमों [८। १-८ में वर्णित] तथा ७। ५४-२१५ में वर्णित राज्यकार्यों पर विचार करे ॥ २२१ ॥^२

अनुशीलन : 'स्त्रीभिः' पद से अभिप्राय—इस श्लोक में 'स्त्रीभिः' शब्द का अर्थ प्रचलित टीकाओं में 'बहुपत्नियों या रानियों' किया है, जो मनुविरुद्ध है। यहां इस श्लोक में इसका अर्थ 'पत्नी आदि पारिवारिक स्त्रियों' या पारिवारिक जन है। इस की पुष्टि में निम्न प्रमाण दिये जाते हैं—

(१) मनु ने द्विजों के लिए और राजा के लिए स्पष्टतः एक पत्नी का विधान

१. 'कल्पप्रसाधकाः स्नानशुद्धवस्त्रहस्ताः समुद्रमुपकरणमन्तर्बंशिकहस्ता-
दाहाय परिवरेयुः । आत्मवक्षुषि निवेद्य वस्त्रमात्यं दधुः, स्नानानुलेपनप्रध्वक्षुण-
वासनानीयानि स्ववक्षो बाहुषु च । एतेन परस्मादागतं व्याख्यातम् ।' 'मौलपुरुषा-
धिष्ठितं यानवाहनमारोहेत् नात्र आप्तनाविकाधिष्ठिताम् ॥' [प्र० १६। अ० २०]

२. [प्रचलित अर्थ—भोजन कर राजा रनिवास में रानियों के साथ विहार (क्रीड़ा आदि) करे तथा यथासमय फिर राजकार्यों का चिन्तन करे ॥ २२१ ॥]

किया है—उद्धेसद्विजो भार्या सबर्णा लक्षणाग्निसाम्” [३।४]। तदध्यास्य उद्धेस भार्या सबर्णा लक्षणाग्निसाम् [७।७७] और अन्त्यत्र यह आदेश दिया है कि पति-पत्नी कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे जीवन भर वियोग का अवसर आये [६।१०१, १०२]। इससे सिद्ध है कि मनु के मंत्र में एक से अधिक स्त्रियों का विधान नहीं है।

(२) मनु ने एक से अधिक अर्थात् बहुत स्त्रियों का सेवन राजा के लिए स्पष्टतः निषिद्ध किया है। ७।४७, ५० श्लोक द्रष्टव्य हैं।

(३) महर्षि दयानन्द ने भी इस श्लोक का भाव ग्रहण करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में उक्तार्थ ग्रहण किया है—“भोजन के लिए अन्तःपुर अर्थात् पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे (पृ० १६५)

इन प्रमाणों के आधार पर इस भाष्य का अर्थ मनुसम्मत है।

सैनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण—

अलंकृतश्च सम्पश्येदायुधीयं पुनर्जनम् ।

वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥ (१८०)

(च) और (पुनः) फिर (अलंकृतः) कवच, शस्त्रास्त्रों [७।२२३ में भी] एवं राजचिह्नों, राजवेशभूषा आदि से सुसज्जित होकर (आयुधीयं) जनम्) शस्त्रधारी सैनिकों (च) और (वाहनानि) रथ, हाथी, घोड़े आदि वाहनों (सर्वाणि शस्त्राणि) सब प्रकार के शस्त्रास्त्रों—शस्त्रभण्डारों (च) और (आभरणानि) आभूषणों [धातुएं, रत्न आदि] और सुरक्षा-संभाल आदि का (सम्पश्येत्) निरीक्षण करे ॥ २२२ ॥

अनुधीयन्तः महर्षि दयानन्द ने ७।१४५, १४६, २१६, २२१ और २२२ श्लोकों का संक्षेप में भाव ग्रहण किया है, जो इस प्रकार है—

“पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ, शौचादि संध्योपासन, अग्निहोत्र कर व करा, सभा में जा, सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उनको हतित करना प्रकाश की बृहत्सिखा अर्थात् कवायद कर-करा, सब घोड़े, हाथी, गाय आदि स्थान; शस्त्र और अस्त्र का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर इष्टि नित्य-प्रति देकर जो कुछ उनमें खोत हों उनकी निकाल, व्यायामशाला में जा व्यायाम करके भोजन के लिए ‘अन्तःपुर’ अर्थात् पत्नी आदि के निवास-स्थान में प्रवेश करे।”

(न० प्र० १६५)

संध्योपासना तथा गुणचरों और प्रतिनिधियों के सन्देशों को सुनना—

संध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्बन्धमनि शस्त्रमृत् ।

रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधेनां च चेष्टितम् ॥ २२३ ॥ (१८१)

(च) और फिर (संध्याम् उपास्य) सायंकालीन संध्योपासना करके

(शस्त्रभृन्) शस्त्रास्त्र धारण किया हुआ राजा (अन्तर्वेदमनि) महल के भीतर गुप्तचर गृह में (रहस्य + ग्राह्याधिनाम्) राज्य के रहस्यमय समाचारों को लाने में नियुक्त गुप्तचरों (च) और (प्रणिधीनाम्) दूतों और गुप्तचराधिकारियों के (चेष्टितम्) कार्यों एवं समाचारों को (शृणुयात्) सुने ॥ २२३ ॥

अनुशीलन : यहां ७। १५३ की पुनरुक्ति नहीं है। वहां इन बातों की योजना पर मन्त्रणा का प्रसंग है। यहाँ योजनाबद्धरूप से नियुक्त अधिकारियों-गुप्तचरों की सूचनाएं (रिपोर्टें) सुनने का कथन तथा राजा की सायंकालीन दिनचर्या है।

गुप्तचरों को समझाकर सायंकालीन भोजन के लिए अन्तःपुर में जाना—

गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम् ।

प्रविशेद्भोजनार्थं च स्त्रीवृतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥ (१८२)

(तु) और फिर (तं जनम्) उन सब लोगों को (प्रप्यत् सम् + अनुज्ञाप्य) और आगे के लिए जो कुछ समझना-कहना है उस सबका आदेश देकर (पुनः) फिर (अन्तःपुरं गत्वा) अन्तःपुर में जाकर वहां (स्त्रीवृतः) स्त्री के साथ या द्वितीयार्थ में अंगरक्षिका स्त्रियों से सुरक्षित (कक्षान्तरं भोजनार्थं प्रविशेत्) भोजनशाला के कमरे में भोजन करने के लिए प्रवेश करे ॥ २२४ ॥

अनुशीलन : (१) 'स्त्रीवृतः' का मनुसम्मत अर्थ—प्रचलित टीकाओं में 'स्त्रीवृतः' का अर्थ 'दासियों से घिरा' किया गया है जो मनुविषद है—
(१) मनु ने राजधर्म में कहीं भी राजा के लिए दासियों का विधान नहीं किया है।
(२) पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों का संग निषिद्ध किया है [दृष्टव्य ७। २२१ की समीक्षा], (३) ७। २०८, २२१ में भी इसी का प्रसंग है। वहां स्त्री का अर्थ पत्नी है। वह इस भाष्य के अर्थ का पोषक है।

यदि 'स्त्रीवृतः' का अर्थ अंगरक्षिका स्त्री-सैनिकों या अंगरक्षिका परिचारिकाओं से सुरक्षित किया जाये, जैसा कि कौटिल्य का भी मत है; तो मनु से विरोध नहीं आता। किन्तु दासी अर्थ मनुसम्मत नहीं है।

(२) 'स्त्रीवृतः' की कौटिल्य के दृष्टिकोण से व्याख्या—आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा की आत्मरक्षा के लिए जो निर्देश दिये हैं, उनमें से इस श्लोक के सन्दर्भ में दो बातें उल्लेखनीय हैं। (१) कौटिल्य ने अनेक उदाहरण देकर बतलाया

१. [प्रचलित अर्थ—इसके बाद उन्हें विदाकर परिचारिकाओं (दासियों) से परिवृत होकर भोजन के लिए फिर अन्तःपुर में प्रवेश करे ॥ २२४ ॥]

है कि रानियों ने पड़्यम्त्र की शिकार होकर बहुत-से राजाओं को मार डाला। अतः अपनी रानी के महल में भी राजा को एकाकी नहीं जाना चाहिए। साथ में प्रौढ़ अंगरक्षिका स्त्रियाँ होनी चाहिए। (२) कौटिल्य ने राजा को अन्तःकक्ष के समीप वाले दूसरे कक्षों में धनुर्धारी अंगरक्षिकाओं को रखने का विधान किया है। उसके बाद के कक्षों में पुरुष रक्षकों को रखने का निर्देश है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। इस प्रकार कौटिल्य के वर्णन के अनुसार 'स्त्रीवृत्तः' का अर्थ 'अंगरक्षिका सस्त्रधारी' स्त्रियों से सुरक्षित भी हो सकता है।

राजिद्वयनकाल—

तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित् तूर्यघोषः प्रहर्षितः ।

संविशेत् यथाकालमुत्तिष्ठेच्च गतक्लमः ॥ २२५ ॥ (१८३)

(तत्र) वशां (भुक्त्वा) भोजन करके (पुनः) उसके पश्चात् (तूर्यघोषः) प्रहर्षितः) शहनाई-नुरही आदि वाजों के संगीत से मन को प्रसन्न करके (संविशेत्) सो जाये (तु) और (गतक्लमः) विधाम करके श्रान्तिरहित होकर (यथा- कालम् उत्तिष्ठेत्) निश्चित समय अर्थात् रात्रि के पिछले पहर ब्राह्म-मुहूर्त में [७। १४५] उठे ॥ २२५ ॥

एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः पृथिवीपतिः ।

अस्वस्थः सर्वमेतत् भृत्येषु विनियोजयेत् ॥ २२६ ॥ (१८४)

(अरोगः) स्वस्थ अवस्था में (पृथिवीपतिः) राजा (एतत् विधानम् + आतिष्ठेत्) इस पूर्वोक्त विधि से कार्यों को करे (अस्वस्थः) अस्वस्थ हो जाने पर (एतत् सर्वं तु) यह सब कार्यभार (भृत्येषु) पृथक्-पृथक् विभागों में नियुक्त प्रमुख मन्त्री आदि [७। ५४, १२०, १४१, ८६-११] को (विनियोजयेत्) सौंप देवे ॥ २२६ ॥

अनुशीलनः : (१) श्लोकवर्णन पर विचार—यहां ७। १४१ आदि श्लोकों की पुनरुक्त नहीं है। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि रूग्णावस्था आदि की स्थिति में अपने-अपने विभाग के प्रमुख अमात्यों या सभाओं के अधिकृत प्रमुखों को अपना कार्य निरीक्षण के लिए सौंप देवे, केवल एक को ही नहीं। यह राजा की संक्षेप में दिनचर्या या कार्यपद्धति है। पृथक्-पृथक् विभागों के प्रसंगानुसार यही पद्धति ७। ५४, ८१, १२०, १४१ ॥ ८६-११ श्लोकों में कही है। उस का इस श्लोक में उपसंहार है।

१. "अन्तर्गृहगतः स्वविरस्त्रीपरिशुद्धां देवीं पश्येत् । न काञ्चिदस्मिगच्छेत् ।"
[प्रक० १५। अ० १६] "शयनाशुस्थितः स्त्रीगणैर्धन्विभिः परिगृह्येत ।"

[प्रक० १६। अ० २०]

(२) भृत्य शब्द के अर्थ पर विचार—भृत्य शब्द का आजकल अधिक प्रचलित अर्थ 'नौकर' है। यह एक पक्ष में रूढ़ हो गया है। इस श्लोक में भृत्य से नौकर अर्थ की भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ भृत्य से अभिप्राय उन सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से है जो राजा के आश्रित मन्त्री से लेकर कर्मचारी तक हैं। भृत्य का अर्थ 'अमात्य' और 'मन्त्री' अर्थ भी है और संस्कृत-साहित्य में प्रचलित है। ७।३६-६२ श्लोकों के प्रसंग में भृत्य शब्द के अन्तर्गत मन्त्रियों, अमात्यों से लेकर निम्न कर्मचारी तक परिगणित हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी भृत्य और अमात्यों से लेकर कर्मचारी वर्ग एवं आचार्य और पुरोहित तक गृहीत हैं। [देखिए 'भृत्यभरणीय' नामक ६१ वां प्रकरण।]

इति महर्षि-मनुप्रोक्षतायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिम्बोमायाभाष्यसमन्वितायां
अनुशीलन-समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ राजधर्मात्मकः
सप्तमोऽध्यायः ॥



अथ अष्टमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशोलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(राजधर्मन्तिर्गत व्यवहार-निर्णय)

[८।१ से ६।२५० पर्यन्त]

व्यवहारों अर्थात् मुकद्दमों के निर्णय के लिए राजा का न्यायसभा में प्रवेश —

व्यवहारान्दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ।

मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत्सभां ॥ १ ॥ (१)

(व्यवहारान्) व्यवहारों अर्थात् मुकद्दमों [८।४-७] को (दिदृक्षुः तु) देखने अर्थात् निर्णय करने का इच्छुक (पार्थिवः) राजा (ब्राह्मणैः) न्याय-ज्ञाता विद्वानों [८।११] (मन्त्रज्ञैः) सलाहकारों (च) और (मन्त्रिभिः) मन्त्रियों के (सह) साथ (विनीतः) विनीतभात्र एवं वेश से [८।२] (सभां प्रविशेत्) राजसभा = न्यायालय [८।१२] में प्रवेश करे ॥ १ ॥

अनुशीलनः : (१) मन्त्रज्ञ और ब्राह्मण का विशेष अभिप्राय—इस श्लोक में 'मन्त्रज्ञैः' से अभिप्राय मुकद्दमों में उस-उस विषय के सलाहकारों से है। 'मन्त्रिभिः' से अभिप्राय उस-उस विभाग के प्रमुख मन्त्रियों से या अमात्यों से है जो राजा द्वारा न्याय के लिए अधिकृत विद्वान् के रूप में नियुक्त किये जाते हैं [७।५४, ६०, ८।११]। 'ब्राह्मण' शब्द से यहां अभिप्राय वेदविद्याओं के ज्ञाता न्यायाधीश, श्रोत्रिय विद्वानों से है, जिनका वर्णन ब्रह्मवर्ण अर्थात् न्यायाधीश विद्वानों की सभा के रूप में ८।११ में आया है। ब्राह्मण से यहां यह आन्ति नहीं होनी चाहिए कि वह ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति ही होना चाहिए। वेदों के प्रत्येक विद्वान् के लिए ब्राह्मण, विप्र आदि शब्दों का प्रयोग आता है [दृष्टव्य ८।११ और १।८२ पर समीक्षा]। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग यहां विशेषाभिप्राय से है। वह अभिप्राय यह है कि न्यायाधीश ब्रह्म अर्थात् वेदों के विशेषवेत्ता और धार्मिक गुणप्रधान विद्वान् प्रदर्श होने चाहिए, इसीलिए ८।११ में 'वेदविदः' का प्रयोग किया है।

(२) विनीत होने का उद्देश्य — राजा को विनीत भाव एवं वेशभूषा से न्याया-लय में जाने के कथन का उद्देश्य यह है कि साक्षी आदि उसके कठोर भावों को देखकर

अपनी बात कह सकें। अगले ही श्लोक में इसी उद्देश्य से 'विनीत वेषाभरणः' पद का भी प्रयोग किया गया है।

(३) वेदमन्त्र में भी इसी प्रकार का वर्णन है। मनु ने उसी के अनुरूप व्यवस्था दी है—

शुचि शूक्ला बह्विभिः, देवैरग्ने सवाग्निः ।

आ सीदन्तु बह्विभिः मित्रोऽघ्न्यामा प्रातर्यावाणोऽध्वरम् ॥

यजु० ३३। १५ ॥

भावार्थ—(शूक्लं) प्रार्थी के वचन को सुनने वाले कानों से युक्त (अग्ने) अग्नि के मुख्य तेजस्वी विद्वान् वा राजन् ! (सवाग्निः) साथ चलने वाले, (बह्विभिः) कार्य के निर्वाहक (देवैः) विद्वानों के साथ (अध्वरम्) हिसारहित राज्यप्रवहार को [ऐसा मुकद्मा जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो] (शुचि) सुन। (प्रातर्यावाणः) प्रातः राजकार्यों को प्राप्त कराने वाले, (मित्रः) पक्षपात से रहित सबका मित्र और (अघ्न्यामा) अघ्न्य = वैश्य वा स्वामी जनों का मान करने वाला न्यायाधीश (बह्विभिः) आकाश के मुख्य विशाल सभा में (आसीदन्तु) विराजमान हों।

भावार्थ—सभापति राजा, सुपरीक्षित घमात्यजनों को स्वीकार करके, उनके साथ सभा में बैठकर, विवाद करने वालों के वचनों को सुनकर, यथार्थ न्याय करे।
(महर्षि-व्यानन्दभाष्य)

न्यायसभा में मुकद्दमों की देखें—

तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिमुद्यम्य बक्षिणम् ।

विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्याणाम् ॥ २ ॥ (२)

(तत्र) वहां न्यायालय में (विनीत-वेष + आभरणः) विनीतवेषभूषा-आभूषणों से युक्त होकर (आसीनः अपि वा स्थितः) सुविधानुसार बैठकर अथवा खड़ा होकर (दक्षिण पाणिम् + उद्यम्य) दाहिने हाथ को उठाकर (कार्याणाम्) मुकद्दमों के (कार्याणि) कार्यों = विवादों को (पश्येत्) देखे = निर्णय करे [७। १४६ में राजसभा में भी इसी प्रकार सुविधानुसार खड़े या बैठने की व्यवस्था का कथन है] ॥ २ ॥

अनुध्यातव्यः : मुहावरे पर विचार—इस श्लोक में 'दक्षिणं पाणिम् उद्यम्य' का एक मुहावरे के रूप में प्रयोग है। यह क्रिया 'अपनी बात कहना' या 'निर्णय देना' प्रारम्भ करने की 'प्रतीक' है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जब तक निर्णय दे तब तक दायां हाथ उठाये रखे, अपितु यह है कि विवाद करते हुए लोगों को सुनकर अपनी बात या निर्णय कहते समय दायां हाथ उठाकर संकेत करे। जो सामने वाले लोगों के लिए इस बात का प्रतीक या संकेत होता है कि राजा या न्यायाधीश अब

अपनी बात कहना चाहते हैं। यह परम्परा आज भी प्रचलित है। बड़ी-बड़ी सभाओं में, श्रेणियों में, भीड़भरे न्यायालयों में बोलते हुए लोगों को चुप करने और अपनी बात कहने के लिए वक्ता हाथ उठाकर संकेत करता है। लोग चुप होकर उसकी बात को सुनने के लिए ध्यान लगाते हैं।

अठारह प्रकार के मुकद्दमे—

प्रत्यहं देशदृष्टंश्च शास्त्रदृष्टंश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्पृथक् ॥ ३ ॥ (३)

सभा, राजा और राजपुरुष सब लोग (देशदृष्टः च शास्त्रदृष्टः च हेतुभिः) देशाचार और शास्त्रव्यवहार के हेतुओं से (अष्टादशसु मार्गेषु) निम्नलिखित अठारह [८।४-७] विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय (प्रति + अहम्) प्रतिदिन किया करें।

और जो-जो नियम शास्त्रोक्त न पावें और उनके होने की आवश्यकता जानें, तो उत्तमोत्तम नियम बांधें कि जिससे राजा और प्रजा की उन्नति हो ॥ ३ ॥ (स० प्र० १६६)

❀ (निबद्धानि) बांधे अर्थात् नियत किये गये.....

❀ (पृथक्-पृथक्) अलग-अलग.....

स० प्र० १७६ पर स्वामि जी ने पुनः श्लोक की प्रथम पंक्ति उद्धृत करके लिखा है— “जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझे, उन-उन नियमों को पूर्णविद्वानों की राज-सभा बांधा करे”।

अनुयायित्वम् : ‘पृथक्-पृथक्’ पदों से यहां यह अभिप्राय है कि राजा—जो अठारह प्रकार के विवाद हैं उनमें पृथक्-पृथक् विवाद से सम्बन्धित विद्वानों, सलाहकारों और मन्त्रियों के साथ मिलकर, विचार करके निर्णय करे।

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः ।

संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ ४ ॥ (४)

वेतनस्यैव चादानं संविदश्च अतिक्रमः ।

क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ५ ॥ (५)

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।

स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहमेव च ॥ ६ ॥ (६)

स्त्रीपुंघर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च ।

पदान्यष्टादशतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७ ॥ (७)

अठारह मार्ग ये हैं—(तेषाम्) उनमें १—(ऋणादानम्) किसी से

ऋण लेने-देने का विवाद [८। ४७-१७८], २—(निक्षेप) धरोहर अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना [८। १७९-१८६], ३—(अस्वामिविक्रयः) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे [८। १८७-२०५], ४—(संभूय च समुत्थानम्) मिल-मिलाके किसी पर अत्याचार करना [= व्यापार में अन्याय करना] [८। २०६-२११], ५—(दत्तस्य अनपकर्म च) दिये हुए पदार्थ को न देना [८। २१२-२१३], ६—(वेतनस्य + एव च + अदानम्) वेतन अर्थात् किसी की 'नौकरी' में से ले लेना या कम देना [८। २१४-२१७], ७—(संविदः च व्यतिक्रमः) प्रतिज्ञा से विरुद्ध बर्तना [८। २१८-२२१], ८—(क्रय-विक्रय + अनुशयः) क्रय-विक्रयानुशय अर्थात् लीन-देन में झगड़ा होना [८। २२२-२२८], ९—(स्वामि-पालयोः विवादः) पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा [८। २२९-२४४], १०—(सीमा-विवादधर्मः च) सीमा का विवाद [८। २४५-२६५], ११-१२—(पारुष्ये दण्ड-वाचिके) किसी को कठोर दण्ड देना [८। २७८-३००], कठोरवाणी का बोलना [८। २६६-२७७], १३—(स्तेयम्) चोरी-डाका मारना [८। ३०१-३४३], १४—(साहसम् एव) किसी काम को बलात्कार से करना [८। ३४४-३५१], १५—(स्त्रीसंग्रहणम् एव च) किसी की स्त्री वा पुरुष का अविचार होना [८। ३५२-३८७], १६—(स्त्री-पुम् + धर्मः) स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना [९। १-१०२], १७—(विभागः) विभाग अर्थात् दायभाग में वाद उठाना [९। १०३-२१६], १८—(श्रूतम् + ब्राह्म्यः + एव च) श्रूत अर्थात् जड़पदार्थ और [ब्राह्म्य] = समाह्वय अर्थात् चेतन को दाव में धरके जूझा खेलना [९। २२०-२५०], (अष्टादश + एतानि) ये अठारह प्रकार के (व्यवहारस्थिती पदानि) परस्परविरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ४—७ ॥ (सं० प्र० १६६)

एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ।

धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ८ ॥ (८)

(एषु स्थानेषु) इन [८। ४—७] व्यवहारों में (भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्) बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के (कार्यविनिर्णयम्) न्याय को (शाश्वतं धर्मम् आश्रित्य) सनातन-धर्म का आश्रय करके (कुर्यात्) किया करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ८ ॥ (सं० प्र० १६६)

राजा के अभाव में मुकद्दमों के निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश विद्वान् की नियुक्ति—

यदा स्वयं न कुर्यात् नृपतिः कार्यवर्शनम् ।

तदा नियुज्याद्विद्वांसं ब्राह्मणं कार्यवर्शने ॥ ९ ॥ (९)

(यदा) जब कभी [किसी विशेष कारण अथवा कार्य की अधिकता के कारण] (नृपतिः) राजा (स्वयं कार्यदर्शनम्) खुद मुकद्दमों का निरीक्षण एवं निर्णय (न कुर्यात्) न करे (तदा) तब (ब्राह्मणम् विद्वांसम्) धार्मिक वेदवेत्ता विद्वान् [८। ११] को (कार्यदर्शने) मुकद्दमों के निरीक्षण एवं निर्णय के लिए (नियुञ्ज्यात्) नियुक्त कर दे ॥ ६ ॥^१

“धार्मिक विद्वानों को धर्मसभा-अधिकारी.....मान के सब प्रकार से उन्नति करें।” (स० प्र० षष्ठ समु०)

अनुवृत्तिः : ब्राह्मण का अर्थ ‘धार्मिक वेदवेत्ता न्यायाधीश’ है।
देखिए अगले श्लोक पर अनुशीलन।

मुख्य न्यायाधीश तीन विद्वानों के साथ मिलकर न्याय करे—

सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सम्यग्रेव त्रिभिर्वृतः।

सभामेव प्रविश्याप्रचामासीनः स्थित एव वा ॥ १० ॥ (१०)

(सः) वह (त्रिभिः सम्यग् वृतः) तीन अन्य सभा के सदस्यों [८। ११] के साथ (सभां प्रविश्य) न्यायालय में जाकर (आसीनः वा स्थितः एव) बैठकर अथवा खड़ा होकर (अस्य) राजा के (कार्याणि) कामों को (संपश्येत्) भली प्रकार देखे ॥ १० ॥

अनुवृत्तिः : न्यायप्रसंग में ब्राह्मण और ब्रह्मसभा से अभिप्राय—
अधिम ८। ११ श्लोक में ब्रह्मसभा की परिभाषा की है। परिभाषा से पूर्व ६-१० श्लोकों में न्यायसभा के निर्माण का कथन है। इन श्लोकों में वर्णित विद्वानों से ८। ११ में वर्णित ब्रह्मसभा बनती है। ब्रह्मसभा का अर्थ—‘वेदवेत्ता न्यायाधीश विद्वानों की सभा’। इसी प्रकार ६वें श्लोक में ‘ब्राह्मण’ शब्द का प्रयोग ब्राह्मण वर्ण के लिए नहीं है, अपितु इस विशेष अभिप्राय से है कि राजा द्वारा अधिकृत जो विद्वान् न्यायाधीश नियुक्त किया जाये वह विशेष रूप से सब वेदों का विद्वान् और धार्मिकगुण-प्रधान होना चाहिए। वेदवेत्ता न्यायाधीश विद्वानों की सभा होने के कारण ही ८। ११ में न्यायसभा को ‘ब्रह्मसभा’ कहा गया है। वहां स्पष्टतः ‘वेदविदः’ विशेषण भी उक्त अर्थ को पुष्ट करता है। इस प्रसंग में ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण वर्ण के लिए नहीं अपितु वेदवेत्ता न्यायाधीश विद्वानों के लिए है।

यहां यह शंका उठ सकती है कि ७। १४१ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग न करके ‘अमात्यप्रमुख’ को अपने बाद कार्य सौंपने का वर्णन है। इसका उत्तर यह है कि वहां

१. [प्रचलित अर्थ—यदि राजा स्वयं विवादों (मुकद्दमों) का न्याय (कैसला) न करे तो उस कार्य को देखने के लिए विद्वान् ब्राह्मण को नियुक्त करे ॥ ६ ॥]

राजसभा संचालन के लिए सर्वप्रमुख मन्त्री को कार्य सौंपने का विधान है, और वह भी केवल रुणावस्था में। यहां ब्रह्मसभा अर्थात् न्यायसभा के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रसंग है। राजसभा के लिए प्रशासनिक गुणविशेषों वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी होता है, और न्याय के लिए न्यायगुणों की विशेष योग्यता वाला व्यक्ति। अतः उस व्लोक और इसका प्रसंग ही अलग है। दूसरी बात यह है कि यहां रुणावस्था में नियुक्ति का विधान नहीं है, अपितु अकेला राजा प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता, समयाभाव आदि कारणों से अपने स्थान पर वह किसी भी अधिकृत विद्वान् को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करे—यही यह अभिप्राय है। जितनी न्यायसभा होंगी, उसके अनुसार वे अनेक भी हो सकते हैं। [इस विषय पर १।८८, ८।१ की समीक्षा—२ भी द्रष्टव्य है]। मनुस्मृति में सभी वर्ण के वेदवेत्ता विद्वानों के लिए ब्राह्मण, द्विज, विप्र आदि शब्दों का पर्यायवाची रूप में प्रयोग हुआ है [द्रष्टव्य ४।२४५ पर समीक्षा]।

ब्रह्मसभा (न्यायसभा) की परिभाषा—

यस्मिन्वेदो निषीदन्ति विप्रा वेदविदस्त्रयः ।

राजद्व्याधिकृतो विद्वान्ब्राह्मणस्ती सभा विदुः ॥ ११ ॥ (११)

(यस्मिन्) जिस (देशे) स्थान में (वेदविदः) वेदों के ज्ञाता (त्रयः विप्राः) तीन विद्वान् (निषीदन्ति) बैठते हैं (च) और (राजः अधिकृतः विद्वान्) एक राजा द्वारा नियुक्त उस विषय का वेदवेत्ता विद्वान् बैठता है (तां ब्रह्मणः सभां विदुः) उस सभा को 'ब्रह्मसभा' अर्थात् न्यायसभा कहते हैं ॥ ११ ॥

मुकद्दमों के निर्णय में धर्म की रक्षा की प्रेरणा—

धर्मो विद्वत्स्वधर्मेण सभा यत्रोपतिष्ठते ।

शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्वान्स्त्र सभासदः ॥ १२ ॥ (१२)

(यत्र) जिस सभा में (प्रधर्मेण विद्वः धर्मः) प्रधर्म से घायल होकर धर्म (उपतिष्ठते) उपस्थित होता है (च अस्य शल्यं न कृन्तन्ति) जो उसका शल्य अर्थात् तीरवत् धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात् धर्मों को मान. अधर्मों को दण्ड नहीं मिलता (तत्र) उस सभा में (सभासदः विद्वः) जितने सभासद् हैं, वे सब घायल के समान समझे जाते हैं ॥ १२ ॥ (सं प्र० १६६)

“अधर्म से धर्म घायल होकर जिस सभा में प्राप्त होवे उसके घाव को यदि सभासद् न पूर दें तो निश्चय जानो कि उस सभा में सब सभासद् ही घायल पड़े हैं।” (सं वि० ६८४)

न्यायसभा में सत्य ही बोले और न्याय ही करें—

सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम् ।

अब्रुवन्ब्रुवन्वाऽपि नरो भवति कित्विषी ॥ १३ ॥ (१३)

धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि (सभां न प्रवेष्टव्यम्) सभा में कभी प्रवेश न करे (वा) और जो प्रवेश किया हो तो (समञ्जसम्) सत्य ही (वक्तव्यम्) बोले (नरः अब्रुवन्) जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे (अपि वा) अथवा (ब्रुवन्) सत्य, न्याय के विरुद्ध बोले वह (कित्विषी भवति) महापापी होता है ॥ १३ ॥ (सं० प्र० १६७)

“मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे, यदि सभा में प्रवेश करे तो सत्य ही बोले। यदि सभा में बैठा हुआ भी असत्य बात को सुनके मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य अतिपापी है।”

(सं० वि० १८४)

अनुशीलन : ‘कित्विषी’ शब्द पर विशेष विचार ८।३१६ की समीक्षा में द्रष्टव्य है। पापी होने से यहां अभिप्राय दोषभागी एवं अपयशभागी होने से है।

अन्याय करने वाले सभासद् मृतकवत् हैं—

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ।

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥ (१४)

(यत्र) जिस सभा में (प्रेक्षमाणानाम्) बैठे हुए सभासदों के सामने (अधर्मेण हि धर्मः) अधर्म से धर्म (च) और (अनृतेन सत्यं) झूठ से सत्य का (हन्यते) हनन होता है (तत्र) उस सभा में (सभासदः हताः) सब सभासद् मरे से ही हैं ॥ १४ ॥ (सं० वि० १८५)

“जिस सभा में अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य, सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान हैं; जानो उनमें कोई भी नहीं जीता।” (सं० प्र० १६७)

मारा हुआ धर्म मारने वाले को ही नष्ट कर देता है—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽबधीत् ॥ १५ ॥ (१५)

(हतः धर्मः एव) मारा हुआ धर्म (हन्ति) मारने वाले का नाश, और (रक्षितः धर्मः) रक्षित किया हुआ धर्म (रक्षति) रक्षक की रक्षा करता है (तस्मात्) इसलिए (धर्मः न हन्तव्यः) धर्म का हनन कभी न करना, इस

डर से कि (हन्तः धर्मः) मारा हुआ धर्म (नः मा अत्रधीत्) कभी हमको न मार डाले ॥ १५ ॥ (सं प्र० १६७)

‘जो पुरुष धर्म का नाश करता है, उसी का नाश धर्म कर देता है और जो धर्म को रक्षा करता है, उसकी धर्म भी रक्षा करता है, इस लिए मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले, इस भय से धर्म का हनन अर्थात् त्याग कभी न करना चाहिए ।’ (सं वि० १८५)

धर्महन्ता वृषल कहाता है—

वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुर्वते ह्यलम् ।

वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ १६ ॥ (१६)

(यः) जो (भगवान् वृषः हि धर्मः) सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है (तस्य हि + अलम् कुर्वते) उसका लोप करता है (तम्) उसी को (देशः) विद्वान् लोग (वृषलं विदुः) वृषल अर्थात् शूद्र और नीच जानते हैं (तस्मात्) इसलिए, किसी मनुष्य को (धर्मं न लोपयेत्) धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ १६ ॥ (सं प्र० १६७)

‘जो सुख की वृद्धि करने हारा, सब ऐश्वर्य का दाता धर्म है, उसका जा लोप करता है, उसको विद्वान् लोग वृषल अर्थात् नीच समझते हैं ।’
(सं वि० १-५)

धर्म ही परजन्मों में साथ रहता है—

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्भि गच्छति ॥ १७ ॥ (१७)

इस संसार में (एकः धर्मः एव सुहृद्) एक धर्म ही सुहृद् [= मित्र] है (यः) जो (निधने + अयि + अनुयाति) मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है (अन्यत् सर्वं हि) और सब पदार्थ वा संगी (शरीरेण समं नाशं गच्छति) शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सब संग छूट जाता है परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छूटता ॥ १७ ॥ (सं प्र० १६७)

अन्याय से सब सभासदों की निन्दा—

पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति ।

पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥ (१८)

राजसभा में पक्षपात से किये गये अन्याय का अधर्म (पादः) चौथाई (प्रधर्मस्य कर्तारम्) अधर्म के कर्ता को (पादः) चौथाई (साक्षिणम्) साक्षी को (मृच्छति) प्राप् होता है, और (पादः) चौथाई प्रशं (सर्वान् सभासदः)

लेप सब न्यायसभा के सदस्यों को तथा (पादः) चौपाई (राजानम्) राजा को (गच्छति) प्राप्त होता है अर्थात् उस बुराई की बदनामी सभी को प्राप्त होती है ॥ १८ ॥

“जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है, वहाँ अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं। उनमें से एक अधर्म के कर्त्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी सभा के समापति राजा को प्राप्त होता है।” (स० प्र० १६७)

अनुस्यूतः : अधर्म शब्द से अभिप्राय—अधर्म शब्द से यहाँ अभिप्राय अन्याय या दोषभागी होने से है। ये सब इसी प्रकार अपयश के भागी बनकर बुराई को प्राप्त होते हैं। प्रजाएँ इन सबकी निन्दा करती हैं। इस विषयक विस्तृत विवेचन ८। ३१६ पर द्रष्टव्य है।

राजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं कहलाता—

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।

एनो गच्छति कर्त्तारं निन्दाऽहो यत्र निन्दते ॥ १९ ॥ (१९)

(यत्र) जिस सभा में (निन्दा+अहं: निन्दते) निन्दा के योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य की दण्ड और मान्य के योग्य का मान्य होता है, वहाँ (राजा च सभासदः) राजा और सब सभासद (अनेनाः+तु मुच्यन्ते) पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं (कर्त्तारम् एनः गच्छति) पाप के कर्त्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ (स० प्र० १६७)

शूद्र धर्मप्रवक्ता न हो—

जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्यात् ब्राह्मणवृधः ।

धर्मप्रवक्ता नृपतेन तु शूद्रः कथञ्चन ॥ २० ॥

(जातिमात्र-उपजीवी) केवल जाति के आधार पर ही जीविका करने वाला अर्थात् जो कर्मों से ब्राह्मण नहीं है ऐसा (ब्राह्मणवृधः) अपने को ब्राह्मण कहने वाला व्यक्ति (कामम्) चाहे (नृपतेः) राजा का (धर्मप्रवक्ता स्यात्) धर्मप्रवक्ता = न्यायकर्त्ता हो सकता है (तु) किन्तु (शूद्रः कथञ्चन न) शूद्र कभी भी और किसी अवस्था में भी न्यायकर्त्ता नहीं हो सकता ॥ २० ॥

यस्य शूद्रस्तु कुस्ते राज्ञो धर्मविवेचनम् ।

तस्य सीदति तद्वाप्यं पङ्के गौरिव पश्यतः ॥ २१ ॥

(यस्य राज्ञः) जिस राजा के यहाँ (शूद्रः धर्मविवेचनं कुस्ते) शूद्र व्यक्ति धर्म = न्याय का विचार करता है (तत् राष्टम्) उसका वह राज्य (तस्य पश्यतः) उसके देखते-देखते (पङ्के गौः+इव सीदति) कीचड़ में फंसी गौ के समान दुःखी होता है ॥ २१ ॥

यद्वाष्टं शुद्धभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्विजम् ।

विमश्यरथाशु तत्कृत्स्नं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम् ॥ २२ ॥

(यत् राज्यम्) जो राज्य (शुद्धभूयिष्ठम्) शुद्धों की अधिकता वाला (नास्तिका-
क्रान्तम्) नास्तिकों से परिपूर्ण (अद्विजम्) द्विज वर्णों से रहित है (तत्) वह (कृत्स्नम्)
पूरा राष्ट्र (आशु) शीघ्र ही (दुर्भिक्ष-व्याधि-पीडितम्) अकाल भरी रोगों से पीड़ित
होकर (विमश्यति) नष्ट हो जाता है ॥ २२ ॥

धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः ।

प्रलम्ब्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत् ॥ २३ ॥

राजा (धर्मासनम्) धर्मासन अर्थात् न्यायाधीश के आसन पर (अधिष्ठाय) बैठ-
कर (संवीताङ्गः) शरीराङ्गों को ढककर (समाहितः) सावधान होकर (लोकपालेभ्यः)
लोकपालों [७।१४] को प्रणाम करके (कार्यदर्शनम् + आरभेत्) मुकद्दमों को देखना
प्रारम्भ करे ॥ २३ ॥

अनुशीलनः : २०—२३ श्लोक इस प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वपर श्लोकों में 'धर्म-अधर्म के विवेचन की प्रेरणा
एवं धर्म से लाभ अधर्म से हानि' के वर्णन का प्रसंग है। इस प्रसंग के बीच में 'धर्म का
प्रवक्ता कौन हो' यह वर्णन अप्रासंगिक है, इससे प्रसंग भंग हो जाता है। (२) धर्म-
प्रवक्ता का निर्णय ८।६-११ श्लोकों में विहित हो चुका है, १२ वें श्लोक से दूसरा
प्रसंग प्रारम्भ हो जाता है। कहे हुए प्रसंग को पुनः प्रारम्भ करना भी असंगत है। अतः
२०—२३ श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) २०—२२ श्लोकों में जन्मना जातीय आधार पर
विधान किया है, यह मनुविशुद्ध है। मनुस्मृति कर्मणा वर्णव्यवस्था को मानती है [इसके
लिए द्रष्टव्य है १।६२-१०१ श्लोकों पर 'अनुशीलन' समीक्षा] (२) ८।६-११ श्लोकों
में स्पष्टतः वेदवेत्ता विद्वानों को 'धर्मप्रवक्ता' माना है, पुनः इन श्लोकों में जन्मना जाति
के आधार पर 'धर्म-प्रवक्ता' का कथन करना उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। प्रतीत होता
है ये श्लोक परम्पराओं के विकृत होने के बाद रचकर मिलाये हैं, अन्यथा कुछ श्लोकों
में पहले स्पष्ट विधान होने के बाद इन की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार अन्त-
विरोधों के आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. पुनरुक्ति—२३ वें श्लोक में पुनरुक्ति है, क्योंकि ८।२ में यही कथन हो
चुका है। पुनः उसी कथन की आवश्यकता नहीं है।

अर्थानिर्वाचुमी बुद्ध्या धर्माधर्मा च केवली ।

वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्याणाम् ॥ २४ ॥

(अर्थ + अनर्थ) अर्थ = मुकद्दमे की वास्तविक स्थिति तथा अनर्थ मिथ्यास्थिति

(च) श्रौत (धर्म + प्रथमों) धर्म-प्रथम (केवली उभौ बुद्ध्या) केवल इन दोनों पक्षों को प्रच्छेदी प्रकार जानकर अर्थात् पक्षपात रहित होकर (वर्णक्रमेण) वर्णों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्रम से (कार्याणाम्) मुकद्दमे वालों के (सर्वाणि-कार्याणि) सब मुकद्दमों को (पश्येत्) देखें = निर्णय करे ॥ २४ ॥

अनुधीतनः : २४ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है।

१. अन्तविरोध—(१) मनु ने सम्पूर्ण मनुस्मृति में कहीं भी वर्णानुक्रम से सुविधा की व्यवस्था नहीं दी है। जहां इस प्रकार की कुछ बातें भी हैं, तो वे प्रक्षिप्त सिद्ध हुई हैं। इस श्लोक में यह पक्षपातपूर्ण व्यवस्था मनुविरुद्ध है। (२) कार्यों = मुकद्दमों का निर्णय करने का अन्त्य भी कथन है लेकिन वहां इस प्रकार की व्यवस्था न होकर सर्वसामान्य व्यवस्था है [८।१, २, ८, १०]। यह व्यवस्था उनसे भिन्न होनेसे प्रक्षिप्त है।

२. प्रसंगविरोध—यहां पूर्वापर प्रसंग १६ एवं २५ में निर्णय करने की विधि श्रौत सावधानी करने का है। कार्यों को देखने के कथन का प्रसंग ८।१-१० में एक-बार कहा जा चुका है। उसी कही हुई बात या उसी प्रसंग को पुनः कहना अनावश्यक एवं प्रसंगविरुद्ध है। अतः प्रक्षिप्त है।

निर्णय में हावभावों से मन की पहचान—

बाह्या विभावयेल्लिङ्गं भविमन्तर्गतं नृणाम् ।

स्वरवर्णैर्ज्ञिताकारैश्चक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥ (२०)

न्यायकर्त्ता को (बाह्यः) बाहर के (लिङ्गः) चिह्नों से [वेशभूषा, चाल, शरीर की मुद्राएं, आदि के लक्षणों से] (स्वर-वर्ण-इङ्गित-आकारैः) स्वर—बोलते समय रुकना, घबराना, गद्गद होना आदि से; वर्ण—चेहरे का फीका पड़ना, लज्जित होना आदि से; इङ्गित—मुकद्दमे के अभियुक्तों के परस्पर के संकेत, सामने न देख मकना, इधर उधर देखना आदि से; आकार—मुख, नेत्र आदि का आकार बनाना, कांपना, पसीना आना आदि (चक्षुषा) आँखों से लक्षण लीने वाले लक्षणों से (स्वरी) शरीर (चिह्नितेन) चिह्नों से (चेष्टितेन) चेष्टा से, अर्थात् हावभाव से जमीन कुरेदना, सिर खुजलाना आदि से (नृणाम्) मुकद्दमे में शामिल लोगों के (अन्तर्गतं भावम्) मन के अमलो भावों को (विभावयेत्) भांप लेना—जान लेना चाहिये ॥ २५ ॥

आकारैरिङ्गितेन्या चेष्टया भाषितेन च ।

नेत्रवषत्रविकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥ (२१)

(आकारैः) आकारों से (इङ्गितैः) संकेतों से (गत्या) चाल से (चेष्टया)

चेष्टा=हरकत से (ब) और (भाषितेन) बोलने से (च) तथा (नेत्र-वक्त्र-विकारैः) नेत्र एवं मुख के विकारों=हावभावों से (अन्तर्गतं मनः) मनुष्यों के मन का भीतरी भाव (गृह्यते) मालूम हो जाता है ॥ २६ ॥

बालधन की रक्षा—

बालदायादिकं रिक्तं तावद्वाजाऽनुपालयेत् ।

यावत्स स्नातसमावृत्तो यावच्चतीतशैशवः ॥ २७ ॥ (२२)

(राजा) राजा (बाल-दाय + आदिकं रिक्तम्) वायक अर्थात् नाबालिग या अनाथ बालक की पैतृक सम्पत्ति और अन्य धन-दौलतकी (तावत्) तब तक (अनुपालयेत्) रक्षा करे (यावत् सः) जबतक वह बालक (समावृत्तः स्नातः) समावर्तन संस्कार होकर अर्थात् गुरुकुल से स्नातक बनकर [३१-२] आये (च) और (यावत्) जबतक वह (अतीतशैशवः) बालिग हो जाये ॥ २७ ॥

वन्ध्यादि के धन की रक्षा—

वन्ध्याऽपुत्रासु चैवं स्याद्वक्षणं निष्कुलासु च ।

पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवाऽस्वातुरासु च ॥ २८ ॥ (२३)

(वन्ध्या + अपुत्रासु) बांभ और पुत्रहीन (निष्कुलासु) कुलहीन अर्थात् जिसके कुल में कोई पुरुष न रहा हो (पतिव्रतासु) पतिव्रता स्त्री अर्थात् पति के परदेशगमन आदि के कारण से जो स्त्री अकेली हो (विधवासु) विधवा (च) और (आतुरासु) रोगिणी (स्त्रीषु) स्त्रियों की सम्पत्ति की (रक्षणम्) रक्षा भी (एवम्) इसी प्रकार अर्थात् उनके समर्थ हो जाने तक [६।२६] (स्यात्) करनी चाहिए, इनकी रक्षा करना राजा का कर्त्तव्य है ॥ २८ ॥

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्वरेयुः स्वबान्धवाः ।

ताञ्छिष्याच्चोरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ २९ ॥ (२०)

(तासां जीवन्तीनाम्) जिव [२।२८ में उक्त] जीती हुई स्त्रियों के (तत्) धन को (ये स्वबान्धवाः) जो उनके रिश्तेदार या भाई-बन्धु (द्वरेयुः) हर लें, कब्जा लें (तु) तो (धार्मिकः पृथिवीपतिः) धार्मिक राजा (तान्) उन व्यक्तियों को (चोरदण्डेन) चोर के समान दण्ड से (शिष्यात्) शिक्षा दे अर्थात् चोर के समान दण्ड देकर [दा३०१-१४३] उनकी सही रास्ते पर लाये ॥ २९ ॥

प्रणष्टस्वामिकं रिक्तं राजा व्यब्धं निषापयेत् ।

अर्वाक् व्यब्धाद्वरेस्वामी परेण नृपतिर्हरेत् ॥ ३० ॥ (२५)

(प्रणष्टस्वाभिकं रिक्थम्) मालिक से रहित धन अर्थात् लावारिस धन को (राजा) राजा (त्रि+अक्षम्) तीन वर्ष तक (निधापयेत्) सुरक्षित रखे (त्रि+अक्ष्वात् अर्वाक् स्वामी हरेत्) तीन वर्ष से पहले यदि स्वामी आ जाये तो वह उसको ले ले [२।३१] (परेण नृपतिः हरेत्) उसके बाद उसे राजा ले ले ॥ ३० ॥

मनेदमिति यो ब्रूयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि ।

संवाद्य रूपसंख्यादोऽस्वामी तद् द्रव्यमर्हति ॥३१॥ (२६)

(यः) जो कोई ('मम+इदम्' इति ब्रूयात्) उस लावारिस धन को 'यह मेरा है' ऐसा कहे तो (सः यथाविधि अनुयोज्यः) उससे उचित विधि से पूछताछ करे अर्थात् धन की संख्या, रंग, समय पहचान आदि पूछे (रूप-पंख्या+आदीन्) धन का स्वरूप, मात्रा आदि बातों को (संवाद्य) सही-सही बताकर ही (स्वामी तद् द्रव्यम्+अर्हति) स्वामी उस धन को लेने का अधिकारी होता है अर्थात् सही-सही पहचान बताने पर राजा उस धन को लौटा दे ॥ ३१ ॥

अत्रेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः ।

वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३२ ॥ (२७)

जो व्यक्ति (नष्टस्य) नष्ट हुए या खोये हुए धन का (देशं कालं वर्णं रूपं च प्रमाणम्) स्थान, समय, रंग, स्वरूप और मात्रा की (तत्त्वतः अत्रेदयानः) सही-सही बतलाकर सिद्ध नहीं कर पाता अर्थात् जो भूठ ही उस धन को हड़पने की कोशिश करता है तो वह (तत् समं दण्डम्+अर्हति) उस धन के बराबर दण्ड भुगतने का हकदार है अर्थात् उसे उतना ही दण्ड देना चाहिए ॥ ३२ ॥

आवर्त्तीताय षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नृपः ।

दशमं द्वादशं वाऽपि सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ३३ ॥ (२८)

किसी के (प्रणष्ट+अधिगतात्) नष्ट या खोये धन के प्राप्त होने पर उसमें से (नृपः) राजा (सतां धर्मम्+अनुस्मरन्) सज्जनों के धर्म का अनुसरण करता हुआ अर्थात् न्यायपूर्वक [धन के स्वामी की अवस्था को ध्यान में रखकर] (षड्भागं दशमम् अथ वा द्वादशम् आदत्त) छठा, दशवाँ अथवा बारहवाँ भाग कर-रूप में ग्रहण करे ॥ ३३ ॥

'राजा द्वारा सुरक्षित धन' की चोरी करने पर दण्ड—

प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तं रधिष्ठितम् ।

यास्तत्र चौराभ्युक्तोयः सान् राजेभ्यः घातयेत् ॥ ३४ ॥ (२९)

(प्रणष्ट-अधिगतं द्रव्यम्) चुरा लेने के बाद प्राप्त किये गये धन को राजा (युक्तैः) योग्य रक्षकों के (अधिष्ठितं रक्षेत्) पहरे=सुरक्षा में रखे (तत्र) अगर उस पहरे में से भी चोरी करते हुए (यान् चौरान् गृह्णीयात्) जो चोर पकड़े जायें [चाहे वे पेशेवर चोर हों अथवा रक्षक राजपुरुष] (तान् राजा + इमेन वातयेत्) उन्हें राजा हाथी से कुचलवाकर मरवा डाले ॥ ३४ ॥

ममायमिति यो ब्रूयाद्विधिं सत्येन मानवः ।

तस्यावधीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३५ ॥ (३०)

(निधिम्) चोरी से प्राप्त धन को (यः मानवः) जो मनुष्य ('अयं मम + इति' सत्येन ब्रूयात्) रंग, रूप, तोल, संख्या आदि की ठीक पहचान के द्वारा 'यह वास्तव में मेरा है' ऐसा सच-सच बतला दे तो (राजा) राजा (तस्य षड्भागं वा द्वादशम् + एव आदतीत) उस धन में से छठा या बारहवाँ-भाग कर के रूप में लेने और शेष धन उसके स्वामी को लौटा दे ॥ ३५ ॥

अनृतं तु वदन्वण्डयः स्ववित्तस्यांशमष्टमम् ।

तस्यैव वा निधानस्य संख्यायात्प्रीयसीं कलाम् ॥ ३६ ॥ (३१)

(अनृतं तु वदन्) अगर कोई झूठ बोले अर्थात् किसी धन पर झूठा दावा करे या झूठ ही अपना बतलावे तो ऐसे अपराधी को (स्ववित्तस्य + अष्टमम् + अंशं वण्डयः) अपना कहे जाने वाले उस धन का आठवाँ भाग जुर्माना करे (वा) अथवा (संख्याय) हिसाब लगाकर (तस्य + एव निधानस्य अत्प्रीयसीं कलां) उस दावे वाले धन का कुछ भाग जुर्माना करे ॥ ३६ ॥

गड़े हुए धन का स्वामी ब्राह्मण—

विद्वान् ब्राह्मणो हृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधिम् ।

अशेषतोऽप्यावधीत सर्वस्याधिपतिर्हि सः ॥ ३७ ॥

(विद्वान् ब्राह्मणः तु) यदि विद्वान् ब्राह्मण (पूर्व + उप-निहितम्) कहीं पहले के रखे हुए (निधिम्) धन को (हृष्ट्वा) देखकर अर्थात् देख ले तो (अशेषतः + अपि + आदतीत) उस सम्पूर्ण धन को ही ले ले अर्थात् राजा या अन्य व्यक्ति को उसका हिस्सा न दे (हि) क्यों कि (सः सर्वस्य अधिपतिः) ब्राह्मण सारे संसार का स्वामी है ॥ ३७ ॥

यं तु पश्येन्नधिं राजा पुराणं निहितं क्षिती ।

तस्माद् द्विजेभ्यो दत्तार्थमर्थं कोशे प्रवेक्षयेत् ॥ ३८ ॥

(राजा) राजा (क्षिती निहितं यं पुराणं निधिं पश्येत्) पृथ्वी में गड़े हुए किसी पुराने धन को देख ले अर्थात् प्राप्त कर ले (तु) तो (तस्माद् द्विजेभ्यः अर्थं दत्त्वा) उसमें

से आधा ब्राह्मणों को दान देकर (अर्धं कोशे प्रवेशयेत्) आधा अपने खजाने में जमा कर ले ॥ ३८ ॥

निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षिती ।

अर्धभागभराणां राजा भूमेरधिपतिर्ह सः ॥ ३९ ॥

(पुराणानां तु निधीनाम्) पुराने धनों या खजानों (च) और (क्षिती धातूनाम् एव) पृथ्वी में प्राप्त होने वाली धातुओं की खानों का (रक्षणात् राजा अर्धभाक्) रक्षक होने के कारण राजा आधे भाग का अधिकारी है (हि) क्योंकि (सः भूमेः + अधिपतिः) राजा पृथ्वी का स्वामी है ॥ ३९ ॥

अनुशीलन : ३७ से ३९ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—पूर्वापर श्लोकों में चोरी गये धन को देने की व्यवस्था का वर्णन है। उस प्रसंग को इन ३७ से ३९ श्लोकों ने भंग कर दिया है। गड़े हुए धन का पूर्वापर रूप से कोई प्रसंग नहीं है। अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तविरोध—(१) इन श्लोकों में जातीय आधार पर ब्राह्मण को सबका अधिपति माना है, यह मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था के विरुद्ध है [द्रष्टव्य १।६२-१०१ पर 'अनुशीलन-समीक्षा']

(२) ब्राह्मण द्वारा किसी भी धन को देखकर 'कञ्जा जताना' भी मनु की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। मनु ब्राह्मणों को अपने कर्मों से ही जीविका-उपार्जन करने और सन्तोष एवं त्यागपूर्वक जीवनयात्रा चलाने को कहते हैं [१। ८७, ४। २, ३, १२] इस प्रकार ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

दातव्यं सर्ववर्णभ्यो राजा चौरहृतं धनम् ।

राजा तदुपयुञ्जानश्चौरस्याप्नोति किल्बिषम् ॥ ४० ॥

(चौरैः हृतं धनम्) चोरों के द्वारा चुराया गया धन [उन चोरों से प्राप्त करके या प्राप्त हो जाने पर] (राज्ञा) राजा को (सर्ववर्णभ्यः दातव्यम्) सब वर्ण वालों को अर्थात् जिस वर्ण के व्यक्ति का वह धन है, उसी को दे देना चाहिए (राजा तत् + उप-युञ्जानः) राजा उस धन को अपने उपयोग में लाने पर (चौरस्य किल्बिषम् आप्नोति) चोर के अपराध का भागी होता है ॥ ४० ॥

जातिजानपदाम्धर्माञ्छ्रेणीधर्माश्च धर्मवित् ।

समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ४१ ॥

(धर्मवित्) धर्मज्ञ राजा (जाति-जानपदान् धर्मान्) जाति = वर्णों के धर्मों को और जानपद = देशधर्मों को (च) तथा (श्रेणीधर्मान्) वणिक्वृत्ति, कृषिवृत्ति आदि के

श्रेणीधर्मों को (च) और (कुलधर्मान्) कुलों में प्रचलित परम्पराओं को (समीक्ष्य) देखकर (स्वधर्मं प्रतिपादयेत्) अपनी व्यवस्थाओं को लागू करे ॥ ४१ ॥

अनुशीलन : ४०-४१ वें श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अस्तबिरोध—मनु ने धर्म-निर्णय के लिए कुल और जाति को कहीं आधार नहीं माना है । वे सर्वत्र धर्मशास्त्र, धर्म, सत्य को ही मुख्य रूप से आधार मानते हैं और साधारण मामलों में देश और काल को भी (८।८, ४४, ४५, १२६) । यदि कुल और जाति को निर्णय का आधार मान लिया जाये तो फिर धर्मशास्त्र की क्या आवश्यकता रह जायेगी ? कुलों के धर्मे-अपने धर्म प्रचलित हो जायेंगे ! इस प्रकार इस श्लोक का उक्त श्लोकों से और मनुस्मृति के उद्देश्य से ही विरोध है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है । ४० वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है, क्योंकि इससे पूर्व (८।३३) कहा है कि जिसका धन है उसको दे दे, कुछ भग्न राजा ले, यहाँ परस्पर विरुद्ध कथन है ।

कर्त्तव्यों में संलग्न व्यक्ति सबके प्रिय—

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः ।

प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मव्यवस्थिताः ॥४२॥ (३२)

(स्वानि कर्माणि कुर्वाणाः) अपने-अपने कर्त्तव्यों को करते हुए और (स्वे-स्वे कर्मणि + अवस्थिताः) अपने-अपने कर्त्तव्य कर्मों में स्थित रहने वाले मानवाः) मनुष्य (दूरे सन्तः + अपि) दूर रहते हुए भी (लोकस्य प्रियाः भवन्ति) समाज के प्यारे अर्थात् लोकप्रिय होते हैं ॥ ४२ ॥

राजा या राजपुरुष विवादों को न बढ़ाये—

नोत्पादयेत्सद्व्यं कार्यं राजा नाप्यस्य पुरुषः ।

न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथंचन ॥४३॥ (३३)

(राजा अपि + अस्य पुरुषः) राजा अथवा कोई भी राजपुरुष (स्वयं कार्यं न + उपपादयेत्) स्वयं किसी विवाद को उत्पन्न न करें, और न बढ़ाये (च) और (अन्येन प्रापितम् अर्थम्) अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा बताये या प्राप्त कराये गये धन को (कथंचन) किसी भी स्थिति में (न ग्रसेत्) स्वयं हड़पने की इच्छा न करें [जबतक 'यह धन किसका है' यह सिद्ध न हो जाये और वह लावारिस (७।३०) सिद्ध न हो जाये, तब तक राजा उसे अपने अधिकार में न ले और कोई राजपुरुष उसको बीच में ही हड़पने न पाये] ॥ ४३ ॥

अनुशीलन : श्लोक ८।२६ की ८।४४ से प्रसंग की सम्बद्धता है ।

यहाँ ८।७ तक १८ प्रकार के मुकद्दमों की गणना करके ८।४५ तक 'सत्य-सही निर्णय

कैसे करें' मनु ने यह प्रसंग वर्णित किया है। संकेतित क्रमानुसार पहला मुकद्दमा भी ८।४७ से प्रारम्भ होता है। इस बीच बालधन, स्त्रीधन, लावारिस धन नष्ट हुए धन आदि से सम्बन्धित बातें प्रसंगानुकूल नहीं हैं। इस प्रकार के क्षेत्र सभी विधान मुकद्दमों के निर्णय के अन्त में ६।१५१ के पश्चात् वर्णित किये हैं। इनमें नष्ट या चोरी गये धन की चर्चाएँ हैं और चोरी-बिबाद वाले ही बण्ड वर्णित हैं। प्रतीत होता है कि ये सभी श्लोक स्थानभ्रष्ट होकर यहाँ जुड़ गये हैं, ये चोरी-बिबाद निर्णय (८।३०१-३४३) के अन्तर्गत होने चाहियें।

श्लोक ८।२६ की ८।४४ से प्रसंगगत सम्बद्धता भी है। इस आधार पर इन सबको प्रक्षिप्त कहने का आधार भी बन सकता है, पर क्योंकि इनमें कोई प्रक्षेप की प्रवृत्ति नहीं है। ये सर्वसामान्य आवश्यक विधान हैं। मनु की किसी माय्यता से विरोध नहीं है। शैली भी मनुसम्मत है। अतः हमने इन्हें प्रक्षिप्त नहीं माना है।

अनुमान प्रमाण से निर्णय में सहायता—

यथा नयत्यसृक्पातैर्मृगस्य मृगयुः पदम्।

नयेत्तथाऽनुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम् ॥४८॥ (३४)

(यथा) जैसे (मृगयुः) शिकारी (असृक्पातैः) खून के धब्बों से (मृगस्य पदं नयति) हिरण के स्थान को प्राप्त कर लेता है (तथा) वैसे ही (नृपतिः) राजा या न्यायकर्त्ता (अनुमानेन) अनुमान प्रमाण से (धर्मस्य पदम्) धर्म के तरव अर्थात् वास्तविक न्याय का (नयेत्) निश्चय करे ॥४८॥

सत्यमर्थं च संशयेदात्मानमथ साक्षिणः।

देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥४९॥ (३५)

(व्यवहारविधौ स्थितः) मुकद्दमों का फैसला करने के लिए तैयार हुआ राजा (सत्यम् च अर्थम्) मुकद्दमे की सत्यता, न्याय-उद्देश्य (आत्मानम्) अपनी आत्मा के आन्तरिक निर्णय को (अथ साक्षिणः) और साक्षियों का (च) तथा (देशं रूपं च कालम्) देश, स्वरूप एवं समय को (सपश्येत्) अच्छी प्रकार देखे=विचार करे ॥४९॥

अनुशीलनम् : आत्मा के निर्णय का क्या अभिप्राय है, इसे समझने के लिए देखिए १।१२५ (२।६) पर इस सम्बन्धी अनुशीलन।

सङ्गिराचरितं यत्स्याद्वाचिकैश्च द्विजातिभिः।

तद्देवाकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत् ॥४६॥

(सदिभः) श्रेष्ठ लोगों (च) और (धार्मिकैः द्विजातिभिः) धार्मिक विद्वानों ने (यत्+प्राचरितं स्यात्) जो प्राचरण किया है (देश-कुल-जातीनाम्+अविरुद्धम्) देश,

कुल तथा जाति के विरुद्ध जो न हो (तत्) उस व्यवहार के अनुसार (प्रकल्पयेत्) राजा निर्णय दे ॥ ४६ ॥

अनुशीलन : ४६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रसिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—मनु ने निर्णय का आधार धर्मशास्त्र, धर्म, सत्य को माना है और साधारण मामलों में देश, काल को भी (ना८, ४४-४५, १२६), किन्तु कुल, जाति को नहीं। पिछले ही श्लोक में सभी बातें स्पष्ट कही हैं, किन्तु फिर भी अगले श्लोक में प्रक्षेपक ने एक और विधान कर दिया। जिसमें देश के साथ कुल और जाति को भी जोड़ दिया। यदि कुल और जाति के आधार पर निर्णय किया जाये तो फिर इस धर्म-शास्त्र की ही क्या आवश्यकता रह जायेगी? इस प्रकार उक्त श्लोकों से तथा मनुस्मृति के उद्देश्य से इस श्लोक का विरोध है, अतः यह प्रसिप्त है।

१. ऋण लेने-देने के विवाद का न्याय (ना४७-१७८ तक)

ऋण का न्याय—

अधमर्णार्थसिद्धयर्थमुत्तमर्णेन चोदितः ।

दापयेद्वनिकस्यार्थमधमर्णाद्विभावितम् ॥ ४७ ॥ (३६)

(अधमर्ण + अर्थसिद्धयर्थम्) अधमर्ण = कर्जदार से अपना धन वसूल करने के लिए (उत्तमर्णेन चोदितः) उत्तमर्ण = कर्ज देने वाले अर्थात् धनी की ओर से प्रार्थना करने पर राजा (धनिकस्य विभावितम् अर्थम्) धनी का वह लेख आदि से सिद्ध निश्चित किया हुआ धन (अधमर्णात् दापयेत्) कर्जदार से दिलवाये ॥ ४७ ॥

यथैरुपायैरथ स्वं प्राप्नुयादुत्तमर्णिकः ।

तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेदधमर्णिकम् ॥ ४८ ॥

(उत्तमर्णिकः तैः + यैः + उपायैः स्वम् + अर्थं प्राप्नुयात्) कर्जदाता जिन-जिन उपायों से अपने धन को प्राप्त कर सके, राजा (तैः + तैः + उपायैः) उन-उन उपायों से (अधमर्णिकम्) कर्जदार को (संगृह्य) वश में करके (दापयेत्) धन दिलवाये ॥ ४८ ॥

धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च ।

प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥ ४९ ॥

(धर्मेण व्यवहारेण छलेन + आचरितेन) धर्म से, व्यवहार से, छल से, आचरित से (च) और (पञ्चमेन बलेन) पाँचवें उपाय शक्ति से (प्रयुक्तम् अर्थम् साधयेत्) दिये हुए धन को प्राप्त कराये ॥ ४९ ॥

यः त्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णोऽधमर्णिकात् ।

न स २ शास्त्रियोक्तव्यः स्वकं संसाधयेदधमम् ॥ ५० ॥

(यः) जो (उत्तमर्णः) कर्जदाता (अधमर्णिकात्) कर्जदार से (स्वयम् अर्थ साधयेत्) स्वयं ही धन वसूल करता हो तो (स्वकं धनं संसाधयन्) अपने धन को वसूल करते हुए (सः) वह धनी (राज्ञा न अभियोक्तव्यः) राजा को नहीं रोकना चाहिए अर्थात् उसे वसूल करने दे ॥ ५० ॥

अनुशीलन : ४८ से ५० तक के श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रसिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वापर श्लोकों का प्रसंग न्यायालय में साहूकार द्वारा प्रार्थना करने की विधि का है। इस बीच 'किन-किन उपायों से धन दिलावे' आदि बातों का वर्णन असंगत है। (२) जब साहूकार न्यायालय में प्रार्थना करने के लिए आया हुआ है, तो वह न्यायालय के माध्यम से धन प्राप्त करेगा। ५० वें श्लोक में 'स्वयं धन वसूल करने देने' की बात का वर्णन इस सम्पूर्ण पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। जब वह न्यायालय में प्रार्थना कर रहा है, तो स्वयं धन वसूल करने का अवसर ही कहां रह जाता है? (३) यहां केवल निर्णय देने का और दण्ड-व्यवस्था का प्रसंग है व्यवहार, छल आदि की बात कहना असंगत बातें हैं। (४) ४७ का ५२ वें श्लोक से प्रसंग जुड़ता है। बीच के श्लोकों से न्यायालय में की जाने वाली विधि भंग हो रही है। इस प्रकार ये श्लोक प्रसिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में व्यवहार, छल आदि के द्वारा साहूकार का धन दिलाना, स्वयं धन वसूल करने देना आदि बातें मनु द्वारा विहित व्यवहार-निर्णय की इस सम्पूर्ण व्यवस्था से ही विरुद्ध हैं। इस व्यवस्था में विवाद उत्पन्न होने पर साक्षी आदि द्वारा राजा को धर्मयुक्त निर्णय देने का विधान है (८। ८-९, ५२-१५२), इन श्लोकों में उक्त बातों का इस व्यवस्था में अवसर ही नहीं रहता।

अर्थोऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्।

दापयेद्वनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५१ ॥ (३७)

[४७ वें में उक्त धन का] (करणेन विभावितम्) यदि लेख, साक्षी आदि साधनों से उस कर्ज का लिया जाना निश्चित हो जाये (तु) और (अर्थो+अपव्ययमानम्) कर्जदार कर्ज में लिये गये धन से मुकर जाये तो [राजा] (वनिकस्य+अर्थं दापयेत्) धनी का वह धन भी वापिस दिलवाये (च) और (शक्तितः दण्डलेशम्) उसकी शक्ति, धन आदि के अनुसार कुछ न कुछ दण्ड भी अवश्य करे ॥ ५१ ॥

ऋणदाता से ऋण के लेख आदि प्रमाणों को मांगना—

अपहृष्टोऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि।

अभियोक्ता विशेषदेश्यं करणं वाऽन्यदुद्दिशेत् ॥ ५२ ॥ (३८)

(संसदि) न्यायालय में ('देहि+इति'+उक्तस्य) न्यायाधीश के द्वारा 'धनी का धन दे दो' ऐसा कहने पर (प्रथमर्णस्य अपहृवे) यदि कर्जदार कर्ज लेने से मुकरने की बात कहे तो (अभियोक्ता) मुकद्दमा करने वाला धनी (देश्यम्) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी=गवाह को (दिशेत्) प्रस्तुत करे (वा) और (अन्यत् करणम् उद्दिशेत्) अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत करे ॥ ५२ ॥

मुकद्दमों में अप्रामाणिक व्यक्ति—

अदेश्यं यच्च दिशति निर्दिश्यापह्नुते च यः ।

यच्चाधरोत्तरानर्थान्विगीताभ्रावबुध्यते ॥ ५३ ॥ (३६)

अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्तपधावति ।

सम्यक्प्रणिहितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४ ॥ (४०)

असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः ।

निरुच्यमानं प्रश्नं च नैच्छेद्यच्चापि निष्पतेत् ॥ ५५ ॥ (४१)

ब्रूहीत्युक्तञ्च न ब्रूयादुक्तं च न विभावयेत् ।

न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थस्ति हीयते ॥ ५६ ॥ (४२)

(यः) जो ऋणदाता १—(अदेश्यं दिशति) भूटे गवाह और गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे, (च) और २—(यः) जो (निर्दिश्य) किसी बात को प्रस्तुत करके या कहकर (अपह्नुते) उससे मुकरता है या टालमटोल करता है, ३—(यः) जो (विगीतान् अधर-उत्तरान्+अर्थात् न+अवबुध्यते) कही हुई अगली-पिछली बातों को नहीं ध्यान में रखता अर्थात् जिसको अगली-पिछली बातों में मेल न हो, ४—(यः) जो (अपदेश्यम्+अपदिश्य पुनः अपधावति) अपने तर्कों को प्रस्तुत करके फिर उनको बदल दे—उनसे फिरजाये, ५—जो (सम्यक् प्रणिहितम् अर्थं पृष्टः सन्) पहले अच्छी प्रकार प्रतिज्ञापूर्वक कही हुई बात को न्यायाधीश द्वारा पुनः पूछने पर (न+अभिनन्दति) नहीं मानता, उसे पुष्ट नहीं करता, ६—(असंभाष्ये देशे साक्षिभिः मिथः संभाषते) जो एकान्त स्थान में जाकर साक्षियों के साथ घुलमिलकर चुप-चुप बात करे, ७—(निरुच्यमानं प्रश्नं न+इच्छेत्) जांच के लिए पूछे गये प्रश्नों को जो पसंद न करे, ८—(च यः+अपि निष्पतेत्) और जो इधर-इधर टलता फिरे (च) तथा ९—('ब्रूहि' इति+उक्तः न ब्रूयान्) 'कहो' ऐसा कहने पर कुछ न कह सके, १०—(च उक्तं न विभावयेत्) और जो कही हुई बात को सिद्ध न कर पाये, ११—(न पूर्वापरं विद्यात्) पूर्वापर बात को न समझे अर्थात् विचलित हो जाये, (सः तस्मात् अर्थात् हीयते)

वह उस प्रार्थना किये गये धन से हार जाता है अर्थात् न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को हारा हुआ मानकर उसे धन न दिलावे ॥ ५३—५६ ॥

साक्षिणः सन्ति नेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः ।

धर्मस्थः कारणैरेतर्हीनं तमपि निदिशेत् ॥ ५७ ॥ (४३)

(‘भे साक्षिणः सन्ति’ इति+उक्त्वा) पहले ‘मेरे साक्षी हैं’ ऐसा कहकर और फिर गवाही के समय न्यायाधीश के द्वारा (‘दिश’ इति+उक्तः) ‘साक्षी लाभो’ ऐसा कहने पर (यः न दिशेत्) जो साक्षियों को पेश न कर सके तो (धर्मस्थः) न्यायाधीश (एतैः कारणैः) इन कारणों के आधार पर भी (तम्+अपि हीनं निदिशेत्) मुकद्दमा दायर करने वाले को पराजित घोषित कर दे ॥ ५७ ॥

अभियोक्ता न चेद् ब्रूयाद्धृद्यो दण्ड्यश्च धर्मतः ।

न चेत्त्रिपक्षात्प्रब्रूयाद्धर्मं प्रति पराजितः ॥ ५८ ॥ (४४)

(अभियोक्ता न चेत् ब्रूयात्) जो अभियोक्ता=मुकद्दमा करने वाला पहले मुकद्दमा दायर करके फिर अपने मुकद्दमे के लिए कुछ न कहे तो वह (धर्मतः) धर्मानुसार (वध्यः) सजा के योग्य (च) और (दण्ड्य) जुर्माना [५६] करने योग्य है, इसी प्रकार यदि (त्रिपक्षात् न चेत् प्रब्रूयात्) तीन पक्षवाड़े अर्थात् डेढ़ मास तक अभियोगी अपनी सफाई में कुछ न कह सके तो (धर्मं प्रति पराजितः) धर्मानुसार=कानून के अनुसार वह हार जाता है ॥ ५८ ॥

यो यावन्निह्नु वीतार्थं मिथ्या यावति वा वदेत् ।

तौ नृपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यौ तद् द्विगुणं दमम् ॥ ५९ ॥ (४५)

(यः) जो कर्जदार (यावत् अर्थं निह्नु वीत) जितने धन को छिपावे अर्थात् अधिक धन लेकर जितना कम बतावे (वा) अथवा जो कर्ज देने वाला (यावति मिथ्या वदेत्) जितना झूठ बोले अर्थात् कम धन देकर जितना ज्यादा बतावे (नृपेण) राजा (तौ अधर्मज्ञौ) उन दोनों झूठ बोलने वालों को (तत् द्विगुणं दमम् दाप्यौ) जितना झूठा दावा किया है, उससे दुगुने धन के दण्ड से दण्डित करे ॥ ५९ ॥

पृष्टोऽप्यव्ययमानस्तु कृतावस्थो धनैषिणा ।

अथर्वरः साक्षिमिर्भाव्यो नृपबाह्यणसन्निधौ ॥ ६० ॥

(धनैषिणा कृतावस्थः) धन चाहने वाले=मुद्दई के द्वारा मुकद्दमा दायर करने पर (पृष्टः) और न्यायाधीश द्वारा कर्जदार से पूछने पर (अपव्ययमानः तु) यदि

वह मना कर दे अर्थात् यह कहे कि 'मैंने कोई कर्ज नहीं लिया या मैं देनदार नहीं हूँ' तो उस स्थिति में अर्थी को (गृपब्राह्मणसन्निधौ) राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश ब्राह्मण के सामने (व्यवहारेः साक्षिभिः भाव्यः) कम से कम तीन साक्षियों के द्वारा अपना पक्ष प्रमाणित करना चाहिये ॥ ६० ॥

अनुशीलन : ६० वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

(१) अन्तर्विरोध—इस श्लोक में कम से कम तीन साक्षियों को प्रस्तुत करने का कथन न तो व्यावहारिक है और न मनुसम्मत। साक्षी तो समय, घटना और परिस्थिति के अनुसार कम-अधिक होते हैं [८।७३]। यही कारण है कि साक्षी-प्रसंग के श्लोकों में अन्यत्र कहीं भी मनु ने इस प्रकार की शर्त नहीं रखी है [८।४५, ५७, ६१, ६३, ६४, ६८—६९ आदि]। यहां उनसे भिन्न व्यवस्था होने से अन्तर्विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

साक्षी कौन हों—

यादृशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः ।

तादृशान्सम्प्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च तैः ॥ ६१ ॥ (४६)

(धनिभिः) साहूकारों अर्थात् धन देने वालों को (व्यवहारेषु) मुकद्दमों में (यादृशाः साक्षिणः कार्याः) जैसे साक्षी बनाने चाहियें (तादृशान्) उनको (च) और (तैः) उन साक्षियों को (यथा ऋतं वाच्यम्) जैसे सत्य बात कहनी चाहिए, उसे (सम्प्रवक्ष्यामि) अब आगे कहूँगा—॥ ६१ ॥

गृहिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविद्वृद्धयोनयः ।

अर्ध्यक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचित्नापदि ॥ ६२ ॥

(गृहिणः) गृहस्थ (पुत्रिणः) पुत्र वाले (मौलाः) पहले से वहां निवास करने वाले (क्षत्र-विद्वृद्धयोनयः) क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यक्ति, (अर्धी-जक्ताः) धनी के कहने पर (साक्ष्यम्-अर्हन्ति) साक्षी हो सकते हैं, (अनापदि) आपत्तिरहित काल में (ये केचित् न) हर कोई साक्षी नहीं हो सकता ॥ ६२ ॥

अनुशीलन : यह ६२ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—(१) ६३ वें श्लोक में साक्षियों की जो विशेषताएं कही हैं यह श्लोक उनसे भिन्न विशेषताएं दे रहा है। ये विशेषताएं साक्षी के श्रेष्ठ होने की छोटक नहीं हो सकतीं, अतः ६३ वें श्लोक से भिन्नता होने के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है (२) इस श्लोक में ब्राह्मण को इस व्यवस्था में परिगणित नहीं किया है, जबकि ६३ में श्लोक में साक्ष्य के लिए सभी वर्णों का विधान है।

२. प्रसंगविरोध—६१ वें श्लोक की ६३ से सम्बद्धता है। ६१ वें में कहा है कि

‘साक्षी कैसे होने चाहिये, अब मैं यह कहूँगा’ और वे ६३ में वर्णित हैं। ६१ और ६३ में ‘कार्याः’ शब्द उन्हें परस्पर सम्बद्ध कर रहा है। ६२ में ‘साक्षी कौन हो सकते हैं, कौन नहीं’ यह कथन पूर्वपर श्लोकों की सम्बद्धता को भंग कर रहा है। अतः यह प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप है।

प्राप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः ।

सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥६३॥ (४७)

(सर्वेषु वर्णेषु) सब वर्णों में (प्राप्ताः) धार्मिक, विद्वान् निष्कपटो (सर्व-धर्मविदः) सब प्रकार धर्म को जानने वाले (अलुब्धाः) लोभरहित सत्यवादियों को (कार्येषु) न्यायव्यवस्था में (साक्षिणः कार्याः) साक्षी करे (विपरीतान् तु वर्जयेत्) इससे विपरीतों को कभी न करे ॥ ६३ ॥

(स० प्र० १६८)

अनुयातृत्वः : साक्षी शब्द पर विचार—

साक्षी शब्द के अर्थ और व्युत्पत्ति से यह स्पष्ट होता है कि वस्तुतः साक्षी बही होता है जो उस बात या घटना का प्रत्यक्षदृष्टा होता है। सहपूर्वक अधि से इनिः प्रत्यय अथवा साक्षात् अव्यय से ‘साक्षाद्दृष्टरि संज्ञायाम्’ [अष्टा० ५।२।६१] से ‘इनि’ प्रत्यय होकर ‘साक्षिन्’ शब्द सिद्ध होता है। साक्षिन्-यः साक्षात् कर्त्ता=साक्षाद्दृष्टा यः सः साक्षी। श्लोक में ‘प्राप्ताः’ विशेषण से भी इसी भाव की अभिव्यक्ति हुई है।

साक्षी कौन नहीं हो सकते—

नार्यसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः ।

न दृष्टदोषाः कर्त्तव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः ॥ ६४ ॥ (४८)

(अर्थसम्बन्धिनः) धनी से ऋण आदि के लेने-देने का सम्बन्ध रखने वाले (न कर्त्तव्याः) साक्षी नहीं हो सकते (न प्राप्ताः) न धनिष्ठ=मित्रादि (न सहायाः) न सहायक—नौकर आदि, (न वैरिणः) न अभियोगी के शत्रु आदि, (न दृष्टदोषाः) जिसकी साक्षी पहले भूठी सिद्ध हो चुकी है वे भी नहीं (न व्याधि+आर्ताः) न रोगग्रस्त, पीड़ित और (न दूषिताः) न अपराधी=सजा पाये और दूषित आचरण वाले अधर्मी व्यक्ति साक्षी हो सकते हैं ॥ ६४ ॥

न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारककुशीलवो ।

न भोत्रियो न लिङ्गस्थो न संगेभ्यो विनिर्गतः ॥ ६५ ॥

(नृपतिः) राजा को (कारक-कुशीलवो) कारीगर और नट-भाट आदि को (भोत्रियः) वेदपाठी को (लिङ्गस्थः) ब्रह्मचारी को (सङ्गेभ्यः विनिर्गतः) मोहमाया से

पृथक् हुए अर्थात् संन्यासी को भी (साक्षी न कार्यः) साक्षी नहीं बनाना चाहिए ॥ ६५ ॥

नाप्यधीनो न वक्तव्यो न वस्तुनं विकर्मकृत् ।

न बद्धो न शिशुर्नको नान्यो न विकलेन्द्रियः ॥ ६६ ॥

(अधि + अधीनः) पूर्णतः अधीन व्यक्ति नौकर आदि को (वक्तव्यः) लोकनिन्दित को (दस्युः) क्रूर कर्म करने वाले को (विकर्मकृत्) बुरे कर्म करने वाले को (बद्धः) बूढ़े को (शिशुः) बालक को (एकः) एकाकी घूमने वाले को (अन्यः) नीच (विकलेन्द्रियः) अप्राहिज को भी साक्षी न बनावे ॥ ६६ ॥

नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो क्षुत्तृष्णोपपीडितः ।

न श्रमार्तो न कामार्तो न क्रुद्धो नापि तस्करः ॥ ६७ ॥

(न + आर्तः) न शोकग्रस्त को (न मत्तः) न नशे के आदी को (न + उन्मत्तः) न पागल को (न क्षुत्-तृष्णा + उपपीडितः) भूख-प्यास से सताये हुए को (न श्रमार्तः) न थके हुए को (न कामार्तः) न कामग्रस्त को (न क्रुद्धः) न क्रोधी (न तस्करः) न चोर को साक्षी बनावे ॥ ६७ ॥

अनुशीलन : ६५ से ६७ तक श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) ६५ वें श्लोक में कारीगर, नट आदि को साक्षी के लिए निषिद्ध किया है । प्रतीत होता है कि ये श्लोक उस समय के विधान हैं जब परम्पराएं विकृत होकर वर्णव्यवस्था जातिगत आधार पर होने लगी थी, क्योंकि कारीगर कोई भिन्नजाति नहीं, यह वैश्यों का ही कर्म है । जब वैश्य साक्षी के लिए उपयुक्त माने हैं (८१, ६३, ६८) तो कारीगर का पृथक् से निषेध करना इस व्यवस्था के अनुकूल नहीं है । (२) ६६ वें श्लोक में अन्यज को साक्ष्य के लिए निषिद्ध किया है, जबकि ६८ वें में स्पष्ट विधान है । इस विरोध के कारण ये प्रक्षिप्त हैं ।

२. पुनरुक्ति—६६-६७ श्लोकों में वर्णित प्रायः सभी व्यक्ति ६४ वें श्लोक के अन्तर्गत ही आ जाते हैं, जैसे 'व्याधिग्रस्त' में विकलेन्द्रिय, आर्त, मत्त, उन्मत्त, श्रमार्त, कामार्त आदि और 'द्विषिताः कष्टदोषाः' में दस्यु, विकर्मकृत्, अन्य, तस्कर आदि । इस प्रकार ये श्लोक ६४ वें की पुनरुक्ति ही हैं । कोई स्वतन्त्र और महत्वपूर्ण बात इनमें नहीं है ।

विशेष प्रसंगों में साक्षी-विक्षेप—

स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुयुं द्विजानां सहसा द्विजाः ।

शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्यानामन्ययोनयः ॥ ६८ ॥ (४६)

(स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः) स्त्रियों की साक्षी स्त्री, (द्विजानां द्विजाः) द्विजों के द्विज (शूद्राणां शूद्राः) शूद्रों के शूद्र (अन्यानाम् + अन्ययोनयः)

कुर्युः) अन्त्यजों के अन्त्यजसाक्षी हों ॥ ६८ ॥ (स० प्र० १६६)

❀(सदशः) सदशबलवाले.....(सन्तः) साधुस्वभाव के.....

अनुशीलन : (१) साक्षीविशेषों के कथन का उद्देश्य—

पूर्वापर साक्षी-वर्णन सम्बन्धी श्लोकों से, और विशेषरूप से ८।६३, ६४, ६६, ७२ श्लोकों से यह स्पष्ट है कि साक्षी कोई भी हो सकता है। इस श्लोकों में जो विशेष साक्षियों का कथन है वह विशेष अभिप्राय से है। जैसे स्त्रियों के जो स्त्रीसम्बन्धी प्रसंग हैं, उनमें स्त्रियाँ ही ठीक साक्षी हो सकती हैं। इसी प्रकार द्विजों और शूद्रों के वर्णान्तर के जो निजी प्रसंग हैं, उनमें उसी वर्ण के साक्षी प्रामाणिक और सही सिद्ध हो सकते हैं। इस विशेष कथन का यही अभिप्राय है।

(२) अन्त्यज कौन?—चारों वर्णों में जो दीक्षित नहीं होकर वर्णबाह्य रह जाते हैं, वे लोग अन्त्यज अर्थात् अन्त्यस्थानीय हैं।

ऐकान्तिक अपराधों में सभी साक्षी मान्य हैं—

अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम् ।

अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥६९॥(५०)

(अन्त + वेश्मनि) घर के अन्दर एकान्त में हुई घटना में (वा) अथवा (अरण्ये) जंगल के एकान्त में हुई घटना में (अपि च) और (शरीरस्य अत्यये) रक्तपात आदि से शरीर के घायल हो जाने की अवस्था में (यः कश्चित् अनुभावी) जो कोई अनुभव करने वाला या देखने वाला हो वही (विवादिनाम्) विवाद करने वालों का (साक्ष्यं कुर्यात्) साक्षी हो सकता है, चाहे वह कोई भी हो ॥ ६९ ॥

स्त्रियाऽप्यसम्भवे कार्यं बालेन स्थविरेण वा ।

शिष्येण बन्धुना दासि दासेन भृतकेन वा ॥ ७० ॥

(स्त्रियाः + अपि + असम्भवे) उक्त स्थानों में स्त्री की विद्यमानता न होने पर (बालेन स्थविरेण वा शिष्येण बन्धुना दासेन अपि वा भृतकेन कार्यम्) बालक, बूढ़े, शिष्य, बन्धु, दास और नौकर को भी साक्षी देनी चाहिए ॥ ७० ॥

बालवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदता मृषा ।

जानीयावस्थिरा वाचमुत्सिक्तमनसा तथा ॥ ७१ ॥

राजा (बाल-वृद्ध + आतुराणाम्) बालक, बूढ़े और दुःखी लोगों की (च) और (उत्सिक्तमनसाम्) अस्थिर मन वाले व्यक्तियों की (साक्ष्येषु मृषा वदताम्) साक्षी में झूठ बोलते हुए (अस्थिरां वाचं जानीयात्) अस्थिर वाणी को जान लेवे ॥ ७१ ॥

अनुशीलन : ७०-७१ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) ६६ वें और ७२ वें श्लोक में साक्षियों की परीक्षा न करने का समान प्रसंग है। इस बीच अभाव में साक्षी व्यवस्थितियों का परिगणन और उनकी परीक्षा का कथन इस प्रसंग को भंग करने वाला है, अतः प्रसंगविरुद्ध है।

२. अन्तर्विरोध—(१) ७० वें श्लोक में यह ध्वनि है कि चोरी की साक्षी आपत्काल में ही होती है, यह भावना ६८ वें श्लोक के विरुद्ध है। (२) ७० वें श्लोक में दासप्रथा की चर्चा है, यह अनुविरोध है। मनु दास का अस्तित्व नहीं मानते, वे तो शूद्रवर्ण को स्वीकार करते हैं और उनका कार्य स्वेच्छया सेवाकार्य चुनना है [१।६१]। (३) ७१ वें श्लोक में बूढ़े, बालक, आदि की अस्तिपर बाणी से उनकी गवाही की परीक्षा का कथन है, जबकि अन्य श्लोकों में सब ही के लिए यह निर्देश है [८।२५, २६, ७८]। फिर अलग से यह कथन अनावश्यक है। (४) जब ६६ वें श्लोक में एकाग्रता में प्रत्येक को साक्षी के लिए उपयुक्त स्वीकार किया है तो पुनः इन श्लोकों में अभाव-कासीन साक्षियों की गणना करना निरर्थक है, और उक्त श्लोक की भावना से विरुद्ध है। इस आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

बलात्कार आदि कार्यों में सभी साक्षी हो सकते हैं—

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च ।

वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२ ॥ (५१)

(सर्वेषु साहसेषु) जितने बलात्कार के काम, (स्तेयसंग्रहणेषु च) चोरी व्यभिचार (वाग्दण्डयोः च पारुष्ये) कठोरवचन, दंडनिपातनरूप अपराध हैं (साक्षिणः न परीक्षेत) उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी समझे, क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ७२ ॥ (सं प्र० १६६)

अनुव्याख्यान : साक्षी-परीक्षा निषेध का कारण—

अभिप्राय यह है कि इनमें कोई भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्रामाणिक हो सकता है। क्योंकि ये बातें गुप्तरूप से या एकाग्रता में होती हैं, अतः उत्तम आचरण या स्तर वाले व्यक्ति ही वहां उपस्थित हों, यह संभव नहीं।

साक्ष्यों में निश्चय—

बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वंद्वे नराधिपः ।

समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्वंद्वे द्विजोत्तमान् ॥ ७३ ॥ (५२)

॥ (साक्षिद्वंद्वे बहुत्वम्) दोनों और की साक्षियों में से बहुपक्षानुसार (समेषु तु गुणोत्कृष्टान्) तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल (गुणिद्वंद्वे द्विजोत्तमान्) और दोनों के साक्षी उत्तमगुणी और तुल्य

हों तो द्विजोत्तम अर्थात् ऋषि महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ७३ ॥ (स० प्र० १६६)

❧ (नराधिपः) राजा या न्यायाधीश.....

समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिद्धयति ।

तत्र सत्यं ब्रुवःसाक्षी धर्मार्थिभ्यां न हीयते ॥ ७४ ॥ (५३)

(साक्ष्यं सिद्धयति) दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है (समक्ष-दर्शनात्) एक—साक्षात् देखने (च) और (श्रवणात्) दूसरा—सुनने से (तत्र साक्षी सत्यं ब्रुवन्) जब सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलें (धर्म+अर्थार्थिभ्यां न हीयते) वे धर्महीन और दण्ड के योग्य न हों और जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों ॥ ७४ ॥ (स० प्र० १६६)

साक्षी दृष्टश्रुतादभ्यद्विब्रुवन्नार्यंसंसदि ।

अवाङ्मरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ७५ ॥ (५४)

(आर्यंसंसदि) जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में (साक्षी) साक्षी (दृष्ट-श्रुतात्+अभ्यत् विब्रुवन्) देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह (अवाङ्मरकम्+अभ्येति) अवाङ्मरक=अर्थात् जिह्वा के छेदन से दुःखरूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे (च) और (प्रेत्य स्वर्गात् हीयते) मरे पश्चात् सुख से हीन हो जाये ॥ ७५ ॥ (स० प्र० १६६)

यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत शृणुयाद्वाऽपि किञ्चन ।

पृष्ठस्तत्रापि तद् ब्रूयाद्यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ ७६ ॥ (५५)

प्रत्यक्षदर्शी मनुष्य (अनिबद्धः+अपि) साक्षी के रूप में न बुलाये जाने पर भी [वादी वा प्रतिवादी के द्वारा] (यत्र किञ्चन ईक्षेत अपि वा शृणुयात्) जहाँ कुछ भी देखा या सुना हो (पृष्ठः) न्यायाधीश के पूछने पर (तत्र+अपि) वहाँ (यथादृष्टं यथाश्रुतं तद् ब्रूयात्) जैसा देखा या सुना है, वैसा ही कह दे अर्थात् न्याय के लिए स्वयं साक्षीरूप में पहुँच जाये ॥ ७६ ॥

एकोऽनुबधस्तु साक्षी स्याद् बह्वधः शुच्योऽपि न स्त्रियः ।

स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वात् दोषेऽन्वयेऽपि ये वृत्ताः ॥ ७७ ॥

(अनुबधः तु एकः साक्षी) लोभरहित यदि एक भी हो तो वह साक्षी ठीक (स्यात्) होता है। (स्त्रीबुद्धेः—अस्थिरत्वात् शुच्य बह्वधः स्त्रियः न) स्त्रियों के अस्थिर बुद्धि होने के कारण आत्मशुद्धि से युक्त हों और बहुत हों तो भी स्त्रियाँ साक्षी रूप में ठीक नहीं हैं (च) और (ये अन्वे दोषः वृत्ताः) जो कोई [चोरी आदि] दोषों से युक्त हैं, वे भी साक्षी नहीं हो सकते ॥ ७७ ॥

अनुयायिनः : ७७ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यहां पूर्वापर प्रसंग साक्षी लेने की विधि का चल रहा है, बीच में स्त्री को साक्षी के लिए अनुपयुक्त कहना प्रसंगभञ्जक वर्णन है। (२) साक्षी के लिए कौन उपयुक्त है, कौन अनुपयुक्त, इस विधान का प्रसंग पहले (८। ६३-६४) आ चुका है। प्रसंग समाप्ति के पश्चात् पुनः नये सिरे से उस प्रसंग को कहना अप्रासंगिक है।

२. अन्तविरोध—इस श्लोक में स्त्री को साक्षी के लिए निषिद्ध माना है, जबकि ६८वें श्लोक में उसे स्पष्टतः साक्षी माना है। उसके विरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।

३. पुनरुक्ति—इस श्लोक में 'निर्लोभ' गुण के आधार पर साक्षी को ठीक माना है। यह वात 'अलुब्धाः' शब्द से ६३ वें श्लोक में ही कह रखी है, अतः यह मात्र उसकी पुनरुक्ति ही है।

स्वाभाविक साक्ष्य ही ग्राह्य है—

स्वभावेनेव यद् ब्रूयुस्तद्ग्राह्यं व्यावहारिकम् ।

अतो यदन्यद्विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थकम् ॥७८॥ (५६)

(तद् ग्राह्यम्) साक्षी के उस वचन को मानना (यत्) जो (स्वभावेन + एव व्यावहारिकं ब्रूयुः) स्वभाव ही से व्यवहारसम्बन्धी बोलें (अतः + अन्यत् + यत् + विब्रूयुः) और सिखाये हुए, इससे भिन्न जो-जो वचन बोलें (तत्) उस-उसको ❀ (पपार्थकम्) न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ ७८ ॥

(स० प्र० १६९)

❀ (धर्मार्थम्) सही न्याय के हेतु.....

साक्ष्य लेने की विधि—

सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानधिप्रत्यर्थिसन्निधौ ।

प्राड्विवाकोऽनुयुज्जीत विधिना तेन सान्त्वयन् ॥७९॥ (५७)

(अधि-प्रत्यर्थिसन्निधौ) जब अर्थी = वादी और प्रत्यर्थी = प्रतिवादी के सामने (सभान्तः प्राप्तान् साक्षिणः) सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को (सान्त्वयन्) शान्ति पूर्वक (प्राड्विवाकः) न्यायाधीश और प्राड्विवाक् अर्थान् वकील या बैरिस्टर (तेन विधिना) इस प्रकार से (अनुयुज्जीत) पूछें—॥ ७९ ॥ (स० प्र० १६९)

यद् द्वयोरनयोर्वैत्य कार्योऽस्मिन्नेष्टितं मिथः ।

तद् ब्रूत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥८०॥ (५८)

हे साक्षि लोगो ! (अस्मिन् कार्ये) इस कार्य में (अनयोः द्वयोः मिथः चेष्टितम्) इन दोनों के परस्पर कर्मों में (यत् वेत्थ) जो तुम जानते हो (तत्) उसः को (सत्येन ब्रूत) सत्य के साथ बोलो (हि) क्योंकि (युष्माकम्) तुम्हारी (अत्र) इस कार्य में (साक्षिता) साक्षी है ॥ ८० ॥

(स० प्र० १६६)

❧ (सर्वम्) सब.....

सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकान्प्राप्नोति पुष्कलान् ।

इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेवा ब्रह्मपूजिता ॥ ८१ ॥ (५६)

(साक्षी) जो साक्षीः (सत्यं ब्रुवन्) सत्य बोलता है (पुष्कलान् लोकान् + प्राप्नोति) वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म, और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है (इह च + अनुत्तमां कीर्तिम्) इस जन्म वा परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है (एषा वाक् ब्रह्मपूजिता) क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित होता है ॥ ८१ ॥ (स० प्र० १६६)

❧ (साक्ष्ये) साक्ष्य-व्यवहार में.....

साक्ष्येऽनृतं वदन्पाशैर्वध्यते वारुणं भूशम् ।

विवशः शतमाजातीस्तरमात्साक्ष्यं वदेद्वत् ॥ ८२ ॥

(साक्ष्ये + अनृतं वदन्) गवाही में झूठ बोलने वाला आदमी (भूशम्) प्रत्येक जन्म में (वारुणैः पाशैः बध्यते) वरुण-पाशों से बंध जाता है । (विवशः शतम् + आजातीः) और विवश होकर सौ जन्मों तक इसी प्रकार कष्ट भोगता रहता है (तस्मात्) इसलिए (साक्ष्यम् ऋतं वदेत्) साक्षी सत्य ही बोले ॥ ८२ ॥

अनुशीलन : ८२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविशेष—पूर्वापर श्लोकों में सत्यसाक्षी के लाभों का वर्णन चल रहा है, जिससे ज्ञात होता है कि ये दोनों श्लोक परस्पर सम्बद्ध हैं। बीच में अनृतभाषण के दण्ड का वर्णन करने से इनकी प्रसंगसम्बद्धता भंग हो गई है। अतः यह श्लोक प्रसंग-भञ्जक होने से प्रक्षिप्त है ।

२. शैलीगत आधार—इस श्लोक में निराधार एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है । सौ जन्म निश्चित करने और वरुणपाशों से बंधने की बात का कोई आधार नहीं है। मनु की शैली इस प्रकार निराधार एवं काल्पनिकता से युक्त नहीं है ।

सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते ।

तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥ (६०)

(सत्येन साक्षी पूयते) सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और (सत्येन धर्मः वर्धते) सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है (तस्मात्) इस से (सर्ववर्णेषु) सब वर्णों में (साक्षिभिः) साक्षियों को (सत्यं हि वक्तव्यम्) सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ८३ ॥ (स० प्र० १६६)

साक्षी आत्मा के विरुद्ध साक्ष्य न दे—

आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथाऽऽत्मनः ।

माऽवमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ ८४ ॥ (६१)

(आत्मनः साक्षी आत्मा + एव हि) आत्मा का साक्षी आत्मा (तथा + आत्मनः गतिः + आत्मा) और आत्मा की गति आत्मा है, इसको जानके हे पुरुष ! तू (नृणाम् उत्तमं साक्षिणम्) सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी (स्वम् + आत्मानम्) अपने आत्मा का (मा + अवमंस्थाः) अपमान मत कर अर्थात् सत्यभाषण जो कि तेरे आत्मा, मन, वाणी में है वह सत्य, और जो इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है ॥ ८४ ॥ (स० प्र० १६६)

अनुशीलन : 'आत्मा स्वयं आत्मा का साक्षी किस प्रकार होता है' इस पर विशेष-विस्तृत विचार के लिए देखिए १।१२५ [२।६] पर 'आत्मनस्तुष्टि' सम्बन्धी अनुशीलन ।

मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः ।

तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः ॥ ८५ ॥

(नः कश्चित् न पश्यति इति) 'हमें कोई नहीं देख रहा है' ऐसा (पापकृतः वै मन्यन्ते) पाप करने वाले समझते हैं (तु) किन्तु (तान्) उन्हें (देवाः) देवता [८।८६ में वर्णित] (प्रपश्यन्ति) देखते हैं और (स्वस्य एव + अन्तरपूरुषः) उनका अपना अन्त-आत्मा ही उनको देखता है ॥ ८५ ॥

द्यौर्भूमिरापो हृदयं चन्द्रार्कान्मिथुनानिलाः ।

रात्रिः संध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम् ॥ ८६ ॥

(द्यौः भूमिः + आपः हृदयम् चन्द्र-अर्क-अग्नि-यम-अनिलाः) आकाश, भूमि, जल, हृदय, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, यम, वायु (रात्रिः) रात्रि (च) और (संध्ये) दोनों संध्यकाल = प्रातःकाल एवं सायंकाल (च) और (धर्मः) धर्म, ये (सर्वदेहिनाम्) सब प्राणियों के (वृत्तज्ञाः) व्यवहार को जानने-देखने वाले हैं ॥ ८६ ॥

देवब्राह्मणसान्निध्ये साक्ष्यं पृच्छेहत् द्विजान् ।

उदङ्मुखान्प्राङ्मुखान्वा पूर्वाह्णे वै शुचिः शुचीन् ॥ ८७ ॥

(शुचिः) शुद्ध-पवित्र हुआ न्यायकर्त्ता (पूर्वाह्णे) प्रातःकाल के समय में (देव-ब्राह्मण-सान्निध्ये) देवता और ब्राह्मणों के समीप (उदङ्मुखान् वा प्राङ्मुखान्) उत्तर या पूर्व की ओर मुख कराके (शुचीन् द्विजान्) शुद्ध-पवित्र हुए द्विजों से (ऋत साक्ष्यं पृच्छेत्) ठीक-ठीक साक्षी पूछे ॥ ८७ ॥

ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्सत्यं ब्रूहीति पायिवम् ।

गोबीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः ॥ ८८ ॥

(ब्राह्मणं 'ब्रूहि' इति पृच्छेत्) ब्राह्मण को 'कहो' ऐसा पूछे ('सत्यं ब्रूहि' + इति पायिवम्) 'सत्य बोलो' इस प्रकार क्षत्रिय से पूछे (गो-बीज-काञ्चनैः वैश्यम्) 'गो, बीज, सोना चुराने से जो पाप होता है, वही पाप भूड़ी साक्षी से तुम्हें होगा' ऐसा कहकर वैश्य से पूछे (तु) और (सर्वैः पातकैः शूद्रम्) 'सब पाप लगेंगे जो भूड़ी साक्षी दोगे तो' ऐसा कहकर शूद्र से पूछे ॥ ८८ ॥

ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका ये च स्त्रीबालघातिनः ।

मित्रद्रुहः कृतघ्नस्य ते ते स्युर्ब्रुवतो मृषा ॥ ८९ ॥

(ब्रह्मघ्नः) ब्रह्महत्यारों को (स्त्री-बालघातिनः) स्त्रियों और बालकों के हत्यारों को (मित्रद्रुहः) मित्रद्रोही को (च) तथा (कृतघ्नस्य) कृतघ्न को (ये लोकाः स्मृताः) जो नरकलोकों की प्राप्ति मानी है (ते ते) वे सब (मृषा ब्रुवतो स्युः) भूड़ी साक्षी देने वाले को मिलते हैं ॥ ८९ ॥

जन्मप्रभृति यत्किञ्चिदपुण्यं भद्र ! त्वया कृतम् ।

तस्ते सर्वं शुनो गच्छेद्यदि ब्रूयात्सदमन्यथा ॥ ९० ॥

(भद्र) हे भद्र ! (यदि त्वम्) यदि तू (अन्यथा ब्रूयाः) गलत या भूठ साक्षी देगा तो (जन्मप्रभृति) जन्म से लेकर अब तक (यत् किञ्चित् पुण्यं त्वया कृतम्) जो कुछ पुण्य तूने किया है (ते) तेरा (तत् सर्वम्) वह सब पुण्य (शुनः गच्छेत्) कुत्तों को मिलेगा, ऐसा पूछते समय साक्षी को कहे ॥ ९० ॥

अनुशीलनः : ८५ से ९० तक के श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगोपपत्ति—(१) पूर्वापर श्लोक ८४ एवं ९१ में आत्मा को आधार मानकर सत्य साक्षी देने का कथन है, जिससे इन दोनों श्लोकों की प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्धता ज्ञात होती है। बीच के इन प्रसंगभिन्न श्लोकों ने उस प्रसंगसम्बद्धता को भंग कर दिया है, अतः ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं। (२) साक्षियों से न्यायकर्त्ता किस प्रकार प्रश्न करे यह प्रसंग ७६, ७८-८० श्लोकों में वर्णित हो चुका है और उसके पश्चात् सत्य-

साक्षी के महत्त्व का प्रसंग है। एक प्रसंग के समाप्त होने पर नये सिरे से पुनः ८७-९० श्लोकों में उसी प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है।

२. अन्तविरोध—न्यायाधीश राजा एवं विद्वानों द्वारा साक्षियों से प्रश्न पूछने की विधि ७६-८० श्लोकों में विहित कर दी है। यहाँ ८७-८८ में उससे भिन्न विधि का वर्णन किया है। पुनः भिन्न विधि को दर्शाना विरुद्धता है। अतः विरोध के कारण ये तथा इन पर आधारित ८९-९० श्लोक प्रक्षिप्त हैं। ८७ वें श्लोक में वर्णित विधि तो सम्भव भी नहीं, क्योंकि साक्षी तो न्यायाधीश की ओर मुंह करके साक्षी देते हैं।

३. शैलीगत आधार—शैली की दृष्टि से इन श्लोकों का वर्णन निराधार, अयुक्तियुक्त [८५, ८६, ८९, ९०], प्रतिपाद्योक्तिपूर्ण [८९, ९०] एवं अभद्र [९०] है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं। ८५-८६ में जड़ वस्तुओं को द्रष्टा के रूप में स्वीकार किया है, जो बेतुकी बात है। ये प्राणियों के अच्छे और बुरे काम का निश्चय कैसे कर सकते हैं ?

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यस्वं कल्याण ! मन्यसे ।

नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥६१॥ (६२)

(कल्याण) हे कल्याण को इच्छा करने हारे पुरुष ! (यत् त्वम्) जो तू (अहम् एकः अस्मि' इति) 'मैं अकेला हूँ' ऐसा (आत्मानं मन्यसे) अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है, किन्तु (एषः ते हृदि) जो दूसरा तेरे हृदय में (नित्यं पुण्यपापेक्षिता मुनिः स्थितः) अन्तर्यामीरूप से परमेश्वर पुण्य-पाप का देखने वाला मुनि स्थित है, उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ ६१ ॥ (सं प्र० १६६)

यमो वैवस्वतो देवो यस्तद्वेष हृदि स्थितः ।

तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गाम् मा कुरुन् गमः ॥ ६२ ॥

(यः तव हृदि) जो तेरे हृदय में (एषः वैवस्वतः यमः देवः स्थितः) यह वैवस्वत परमात्मदेव स्थित है (तेन चेत् ते + अविवादः) उसके साथ यदि तेरा कोई विवाद नहीं है अर्थात् उससे मेल है तो (मा गङ्गाम् मा कुरुन् गमः) [अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए] गंगा या कुरुक्षेत्र को मत जाओ अर्थात् उसे इन स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है ॥ ६२ ॥

नग्नो मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः ।

अन्धः शत्रुकुलं गच्छेद्यः साध्यमनृतं वदेत् ॥ ६३ ॥

(यः अनृतं साक्ष्यं वदेत्) जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है वह (नग्नः मुण्डः क्षुत्-पिपासितः अन्धः) नंगा, सिर मुंडाए, भूखा-प्यासा और अन्धा होकर (कपालेन भिक्षार्थी)

खोपड़ी हाथ में लेकर भिक्षारी बनके (शत्रुकुलं गच्छेत्) शत्रुकुल में जाकर भोज्य मांगता है [परजन्म या इस जन्म में ही] ॥ ६३ ॥

अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्बिषी नरकं व्रजेत् ।

यः प्रश्नं वितथं ब्रूयात्पृष्टः सन् धर्मनिश्चये ॥ ६४ ॥

(यः) जो (धर्मनिश्चये) धर्म का निर्णय करने के लिए (पृष्टः सन्) पूछने पर (प्रश्नं वितथं ब्रूयात्) प्रश्न का गलत या झूठ उत्तर दे तो वह (किल्बिषी) पापी (अवाक्-शिराः) नीचा मुँह किये (अन्धे तमसि नरकं व्रजेत्) महा अन्धकारमय नरक में जाता है ॥ ६४ ॥

अन्धो मत्स्यानिधाशनाति स नरः कण्टकैः सङ् ।

यो भाषतेऽर्थवैकल्यमप्रत्यक्षं सभां गतः ॥ ६५ ॥

(यः) जो साक्षी (सभां गतः) न्यायालय में जाकर (अर्थवैकल्यम् + अप्रत्यक्षम् भाषते) सही बात को गलत अथवा अनदेखी को देखी हुई कहता है (सः नरः) वह मनुष्य (कण्टकैः सह मत्स्यान् अन्धः इव अशनाति) कांटों समेत मछली को खाने वाले अन्धे के समान दुःखी होता है अर्थात् उसे परिणाम में प्राप्त होने वाला कष्ट दिखाई नहीं पड़ता, उस समय का सुख समझकर वह झूठ बोलता है ॥ ६५ ॥

अनुशीलन : ६२ से ६५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—६१ और ६५ वें श्लोक की प्रसंग की सम्बद्धता है, क्योंकि इनमें आत्मा के आधार पर साक्ष्य का कथन है। बीच के श्लोकों ने उस प्रसंगसम्बद्धता को भंग कर दिया है, अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) ६२ वें श्लोक में गंगा और कुक्षेत्र को तीर्थस्थान के रूप में माना है, जबकि मनु इस प्रकार किसी स्थान को तीर्थ के रूप में नहीं मानते। उन्होंने सर्वत्र निराकार ईश्वर के ध्यान का विधान किया है [२। ६६, ७६-७८, १०१-१०७, ६। ४६, ६०, ६५, ७३, ७४]। अतः यह श्लोक मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है। (२) ६४ वें श्लोक में नरक का विधान है, यह मनुविरुद्ध है। मनु नरक नामक कोई स्थान-विशेष नहीं मानते [द्रष्टव्य ४। ८७-८९ पर 'अनुशीलन'] इस प्रकार ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. शैलीगत आधार—६३-६५ श्लोकों की शैली निराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं।

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिज्ञं कते ।

तस्मात्तन् देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ ६६ ॥ (६३)

(यस्य वदतः) जिस बोलते हुए पुरुष का (विद्वान् क्षेत्रज्ञः) विद्वान्

अर्थात् शरीर का जानने हारा आत्मा (न+अभिज्ञकते) भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता ॥ (तस्मात्+अन्यस्) उससे भिन्न (देवाः) विद्वान् लोग (धेयांसं पुरुषं न विदुः) किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ ६६ ॥

(स० प्र० १६६)

॥ (लोके) जगत् में.....

अनुशीलन : आत्मा में किन बातों और कार्यों से शंका, भय आदि उत्पन्न होते हैं और किनसे नहीं इस विषय पर विस्तृत विवेचन ॥ १२५ [२।६] पर 'आत्मनस्तुष्टिः' शीर्षक अनुशीलन के अन्तर्गत देखिए ।

यावतो बान्धवान् यस्मिन् हस्ति साक्ष्येऽनृतं वदन् ।

तावतः संख्यया तस्मिन् शृणु सौम्यानुपूर्वशः ॥ ६७ ॥

(सौम्य) हे सौम्य ! (साक्ष्ये+अनृतं वदन्) साक्षी में झूठ बोलकर मनुष्य (यावतः बान्धवान्+यस्मिन् हस्ति) जितने बान्धवों को जिस झूठ को बोलकर मारता है अर्थात् मारने का फल प्राप्त करता है (तावत संख्यया तस्मिन् अनुपूर्वशः शृणु) उनकी गिनती उस-उस झूठ के अनुसार क्रमशः सुनो—॥ ६७ ॥

पञ्च पञ्चनृते हस्ति दश हस्ति गयानृते ।

शतमश्वानृते हस्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ६८ ॥

(पञ्च+अनृते पञ्च) पञ्च के विषय में झूठी साक्षी देकर पाँच को (हस्ति) मारने के पापफल को प्राप्त करता है (गौ+अनृते) गौ के विषय में (दश हस्ति) दश को मारता है (अश्व+अनृते शतं हस्ति) घोड़े के विषय में झूठ बोलने से सौ बान्धवों को मारता है (पुरुष+अनृते सहस्रं हस्ति) किसी मनुष्य के विषय में झूठी साक्षी देकर हजार बान्धवों को मारता है ॥ ६८ ॥

हस्ति जातानजाताश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् ।

सर्वं भूम्यनृते हस्ति मा स्म भूम्यनृतं वदी ॥ ६९ ॥

(हिरण्यार्थे+अनृत वदन्) सुवर्ण के विषय में झूठ बोलने पर (जातान् च अजातान् हस्ति) उत्पन्न हुए और अभी उत्पन्न न हुए पुत्रों को मारता है (भूमि+अनृते सर्वं हस्ति) भूमि के विषय में झूठ बोलने पर सबको ही मारने का फल पाता है, इस लिये (भूमि+अनृतम्) भूमि के विषय में झूठ (मा स्म वदी) कभी मत बोलो ॥ ६९ ॥

अप्सु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मैथुने ।

अग्नेषु च रत्नेषु सर्वेष्वप्यसमयेषु च ॥ १०० ॥

(अप्सु) जलों के विषय में (भोगे च मैथुने) स्त्रियों के साथ भोग या मैथुन में (अग्नेषु च+एव रत्नेषु) मोतियों आदि सब जल में प्राप्त रत्नों के विषय में (च)

और (सर्वेषु + अस्ममयेषु) सब पाषाणमय रत्नों के विषय में (भूमिवत् इति + आहुः) भूमि के समान ही फल कहा है ॥ १०० ॥

एताम्बोषानवेक्ष्य त्वं सर्वाननुतभाषणे ।

यथाभूतं यथादृष्टं सर्वमेवाञ्जसा वद ॥ १०१ ॥

इसलिये (त्वम्) हे साक्षी मनुष्य तू (अनुतभाषणे) झूठ बोलने में (एतान् सर्वान् दोषान् + अवेक्ष्य) इन सब दोषों अर्थात् दुःखों को देखकर (यथाभूतम् यथादृष्टम्) जो जैसा सुना है, जो जैसा देखा है (सर्वम् + एव + अञ्जसा वद) वह सब ठीक-ठीक कहो ॥ १०१ ॥

गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान् ।

प्रेष्यान्वार्धुषिकाश्चैव विप्रान् शूद्रवशाचरेत् ॥ १०२ ॥

(गोरक्षकान्) गो-पालक (वाणिजिकान्) वाणिज्य करने वाले (कारुकुशीलवान्) कारीगर और नट (प्रेष्यान्) रोक्क या दास (च) और (वार्धुषिकान्) व्याज लेने वाले (विप्रान्) ब्राह्मणों के साथ, न्यायकर्त्ता (शूद्रवत् + आचरेत्) शूद्र की तरह आचरण करे ॥ १०२ ॥

तद्वदधर्मतोऽर्थेषु जानन्नप्यन्यथा नरः ।

न स्वर्गाच्यवते लोकाद्देवी वाचं वदन्ति ताम् ॥ १०३ ॥

(अर्थेषु) आगे कहे हुए विषयों में (जानन् + अपि) सही बात को जानते हुए भी (नरः) मनुष्य (धर्मतः) धर्मबुद्धि से अर्थात् भलाई के लिये (अन्यथा वदन्) झूठ बोलने पर भी (स्वर्गात् लोकात् न च्यवते) स्वर्गलोक से नहीं गिरता, क्योंकि (ताम् देवीं वाचं वदन्ति) ऐसे वचनों को 'देवीवाणी' कहा जाता है ॥ १०३ ॥

शूद्रविद्वत्क्षत्रविप्राणां यत्रतोक्तौ भवेद्वधः ।

तत्र वक्तव्यमनुतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥

(यत्र) जिस विषय में (ऋत + उक्ता) सत्य बोलने पर (शूद्र-विद्वत्-क्षत्र-विप्राणाम् वधः भवेत्) शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या किसी ब्राह्मण का प्राणवध होता हो (तत्र अनुतं वक्तव्यम्) वहाँ झूठ बोल देना चाहिए (हि) क्योंकि (तत्) वह झूठ बोलना (सत्यात् विशिष्यते) सत्य से अच्छा है ॥ १०४ ॥

वाग्देवत्यंश्च चरुमियंजेरंस्ते सरस्वतीम् ।

अनुतस्यैवसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं पराम् ॥ १०५ ॥

(ते) वे झूठ बोलने वाले (तस्य अनुतस्य + एनसः) उस झूठ बोलने के शप से (परां निष्कृतिं कुर्वाणा) पूर्णतः छुटकारा प्राप्त करने के लिए (वाग् देवत्यः) 'वाग् देवता' वाली (चरुभिः) चरुओं = आहुतियों से (सरस्वतीं यजेरन्) सरस्वती का यजन करें ॥ १०५ ॥

कूष्माण्डंर्वापि जुहुयाद्भृतमग्नी यथाविधि ।

उदित्युचा वा वारुण्या तृचेनाम्ब्वतेन वा ॥ १०६ ॥

(वा) अथवा (कूष्माण्डः + अपि) कूष्माण्डमंत्रों [यद्देवादेवहेडनम्०" यजु० २०।१४] से (यथाविधि अग्नी घृतं जुहुयात्) विधिपूर्वक अग्नि में घृत की आहुति दे (वा) अथवा (उत् + इति + ऋचा वारुण्या) "उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्०" [यजु० १२।१२] इस वारुणी ऋचा से (वा) अथवा (आप् + दैवतेन तृचेन) जल देवता वाली 'आपो हिष्ठा०" [यजु० ११।५०] आदि तीन ऋचाओं से घृत का हवन करे ॥ १०६ ॥

त्रिपक्षादङ्गुलन्ताप्यमृणादिषु नरोऽगवः ।

तदृणं प्राप्नुयात्सर्वं दशबन्धं च सर्वतः ॥ १०७ ॥

(अगवः नरः) रोगरहित मनुष्य (ऋणादिषु) ऋण आदि लेन-देन के व्यवहारों में यदि (त्रिपक्षात् साक्ष्यम् अङ्गुलम्) तीन पक्ष अर्थात् डेढ़ महीने तक साक्षी नहीं दे तो (तत् सर्वं ऋणं प्राप्नुयात्) साहूकार उस सब ऋण को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है (च) और (सर्वतः दशबन्धम्) सारे धन का दसवाँ हिस्सा दण्डरूप में राजा को भी देवे ॥ १०७ ॥

यस्य हृष्येत सप्ताहाङ्गुलतवाक्यस्य साक्षिणः ।

रोगोऽग्निर्जातिमरणमृणं दान्यो दमं च सः ॥ १०८ ॥

(यस्य साक्षिणः) जिस साक्षी के (उक्तवाक्यस्य) साक्षी देने के (सप्ताहात्) एक सप्ताह के भीतर (रोगः + अग्निः + जातिमरणम् इत्येत) रोगोत्पत्ति होना, घर आदि में प्राण लगना, सम्बन्धी की मृत्यु होना आदि हो जाये तो भी (ऋणं दान्यः) उससे ऋण लौटा लेना चाहिए (च) और (सः दमम्) वह व्यक्ति दण्ड का अधिकारी भी होता है ॥ १०८ ॥

साक्षी में शपथ दिलाने का कथन—

असाक्षिकेषु त्वय्येषु मिथो विवदमानयोः ।

अविन्दस्त्वतः सत्यं शपयेतापि लम्भयेत् ॥ १०९ ॥

(मिथः विवदमानयोः) परस्पर झगड़ने वाले दो पक्षों में (असाक्षिकेषु अय्येषु) यदि गवाह न हों तो ऐसे व्यवहारों में (सत्यं तत्त्वतः अविन्दत्) सच्चाई को ठीक-ठीक न जान पाने पर (शपथेन + अपि लम्भयेत्) शपथ दिलाकर भी सत्य बात को जाने ॥ १०९ ॥

महर्षिगिद्वय देवैश्च कार्यार्थं शपथाः कृताः ।

वसिष्ठश्चापि शपथं शेषे वैजयन्ते नृपे ॥ ११० ॥

(महर्षिभिः च देवैः) महर्षियों और देवताओं ने भी (कार्यार्थम्) कार्यसिद्धि के लिए (शपथाः कृताः) 'पथों की पथों — 'कसमें लाई थीं' (वसिष्ठः अपि) ऋषि वसिष्ठ ने

भी (वैजयने नृपे) पित्र्यजन के पुत्र सुदास राजा के सामने (शपथं शेषे) शपथ ली थी ॥ ११० ॥

न वृथा शपथं कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्थं नरो बुधः ।

वृथा हि शपथं कुर्वन्प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ १११ ॥

(स्वल्पे + अपि अर्थे) छोटे से विषय में भी (बुधः नरः) समझदार मनुष्य (वृथा शपथं न कुर्यात्) मिथ्या शपथ न करे (हि वृथा शपथं कुर्वन्) क्योंकि मिथ्या शपथ करने पर वह मनुष्य (इह च प्रेत्य नश्यति) इस जन्म और परजन्म में भी विनाश को प्राप्त होता है ॥ १११ ॥

कामिनीषु विवाहेषु गवां मध्ये तथेवमेव ।

ब्राह्मणान्मुपपत्नी च शपथे नास्ति पातकम् ॥ ११२ ॥

(कामिनीषु) स्त्रीसंभोग के विषय में, (विवाहेषु) विवाह-सम्बन्ध में (गवां मध्ये) गोधों के चारे के विषय में (इवमेव) इन्धन के लिए (ब्राह्मण + अन्मुपपत्नी) ब्राह्मण की रक्षा के विषय में अर्थात् इन लाभों की प्राप्ति के लिए (शपथे पातकं नास्ति) शपथ लेने में कोई पाप नहीं होता ॥ ११२ ॥

सत्येन शपथेहिंस्रं क्षत्रियं बाह्नायुधैः ।

गोबीजकाञ्चनवैश्यं शूद्रं सर्वेऽस्तु पातकैः ॥ ११३ ॥

(विंस्रं सत्येन शपथेत्) ब्राह्मण को 'सत्य' के नाम से शपथ करावे (क्षत्रियं बाहन-आयुधैः) क्षत्रिय को बाहन और शस्त्रास्त्र की (वैश्यं गो-बीज-काञ्चनैः) वैश्य को गो, बीज और सुवर्ण आदि की (शूद्रं सर्वैः पातकैः) शूद्र को 'सब पातकों' के नाम से शपथ करावे ॥ ११३ ॥

अग्निं बाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत् ।

पुत्रदारस्य चाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्पृथक् ॥ ११४ ॥

(वा) अथवा (एनम्) साक्षी को (अग्निम् बाहारयेत्) अग्नि बिछाये अग्निपरीक्षा करके देखे (च) और (अप्सु निमज्जयेत्) जल में गोता लगवावे (वा) अथवा (एनं पुत्रदारस्य शिरांसि पृथक् स्पर्शयेत्) इसे पुत्र और पत्नी के सिर को पृथक्-पृथक् स्पर्श कराके शपथ दिलवावे ॥ ११४ ॥

यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च ।

न चातिमृच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ ११५ ॥

(यम्) जिसको (इद्धः अग्निः न दहति) जलती हुई अग्नि न जलावे (च) और (आपः न + उन्मज्जयन्ति) जल न डुबायें (च) तथा (क्षिप्रं न चातिमृच्छति) जो शीघ्र ही किसी पद के कष्ट को न प्राप्त हो (सः शपथे शुचिः ज्ञेयः) वह शपथ के विषय में सच्चा समझना चाहिए ॥ ११५ ॥

वत्सस्य ह्यग्निस्तस्य पुरा भ्राता यवीयसा ।

भाम्निर्बदाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः ॥ ११६ ॥

(पुरा) प्राचीन काल में (वत्सस्य) ऋषि वत्स को (यवीयसा भ्राता अग्नि-स्तस्य) उसके छोटे भाई वैमात्र ने सांछन लगाया था [कि 'तू ब्राह्मण नहीं है, शूद्र की सन्तान है। इसकी शपथ के लिए उसकी अग्निपरीक्षा हुई थी] किन्तु अग्निपरीक्षा में (सत्येन) सच्चाई के कारण (जगतः स्पशः अग्निः रोमापि न ददाह) सारे जगत् के अच्छे-बुरे का ज्ञान रखने वाली अग्नि ने उसके एक रोम को भी नहीं जलाया ॥ ११६ ॥

अनुशीलन : ६७ से ११६ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) ६७-१०१ श्लोकों में नरक और १०३-१०६ में स्वर्ग की माग्यता मनु के विरुद्ध है। मनु स्वर्ग-नरक नामक कोई पृथक् स्थान नहीं मानते [इष्टव्य ४। ८७-८९ श्लोकों पर अनुशीलन]। इन्हीं श्लोकों में एक व्यक्ति के कर्मों का अनेकों को भोक्ता माना है। यह माग्यता ४।२४० के विरुद्ध है। उसमें मनु ने कर्ता को ही भोक्ता माना है। (२) १०२ में वैश्य और शूद्र कर्म वाले व्यक्तियों को भी ब्राह्मण माना है जो मनु के विधान से विरुद्ध है [१। ८८]। प्रतीत होता है ये उस समय के मिलाये श्लोक हैं, जब कर्मणा वर्णव्यवस्था भंग होकर जन्मना प्रचलित हो चुकी थी। (३) पिछले सम्पूर्ण प्रसंग में सत्यसाक्षी देने के लिए प्रेरणा एवं विधान है [७४-७६, ८१-८४, ८९, ९६], किन्तु १०४-१०६ श्लोकों में कुछ अवसरों पर झूठी साक्षी की छूट है। (४) १०६-११६ श्लोकों में साक्षी के अभाव में शपथ कराने की बात कही है, जबकि ८। १८२ में साक्षी के अभाव में गुप्तचरों द्वारा जानकारी प्राप्त करने का निर्देश है। इस प्रकार शपथ मनुसम्मत नहीं है। (५) १०६-११६ में शपथ को भी न्याय का आधार माना है, जबकि ८। ५२ में केवल लिखा-पढ़ी और साक्षी को ही निर्णय का आधार कहा है। शपथ लेना मनुसम्मत नहीं है, क्योंकि मनु साक्षी भी विशेषगुण वालों को ही स्वीकार करते हैं [८। ६३] सब को नहीं। शपथ तो हर कोई उठा सकता है, अतः मनु के मतानुसार निर्णय में शपथ प्रामाणिक नहीं। इन अन्तर्विरोधों के कारण उक्त श्लोक प्रक्षिप्त हैं। शेष इन पर आधारित होने के कारण स्वयं प्रक्षिप्त कहलायेंगे। (६) १०६-११६ श्लोकों में शपथ की विधि मनुविरुद्ध है, क्योंकि मनु पहले ८। ७६-८४ श्लोकों में 'साक्षी देने-पूछने की विधि' का वर्णन कर चुके हैं। वहाँ शपथ की कहीं गणना या उल्लेख नहीं है अपितु सत्य को ही साक्षी का आधार माना है। इन श्लोकों में साक्षी में उससे भिन्न व्यवस्था विरुद्ध होने से मनुसम्मत नहीं।

२. शैलीगत आधार—(१) १०६-११६ में शपथ के प्रसंग में मनु से परवर्ती सुवास, वसिष्ठ, वैमात्र, वत्स आदि व्यक्तियों का उल्लेख है। स्पष्ट है ये श्लोक परवर्ती काल की रचनाएँ हैं। (२) इन सभी श्लोकों की शैली मिराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। ११४-११५ में अग्नि, जल आदि की परीक्षाएँ दी हैं। अग्नि का

धर्म जलाना है। वह पवित्र और अपवित्र सभी को अवश्य ही जलायेगी। अग्नि आदि को पवित्र साक्ष्य का आधार मानना सर्वथा बेतुकी बातें हैं। इस आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

३. अवान्तर विरोध—वैसे तो इन श्लोकों में पर्याप्त अवान्तर विरोध है, किन्तु १०४ और १०५ का अवान्तर विरोध तो उल्लेखनीय है। १०४ में सत्य से असत्य को श्रेष्ठ मानकर पाप नहीं माना है, और १०५—१०६ में उस असत्य को पाप मानकर शुद्धि तथा प्रायश्चित्त के लिए 'वाग्देवत्य' मन्त्रों से यजन का कथन है। कैसी विरुद्ध और हास्यास्पद बात है? मनुसंस्था ऋषि इस प्रकार का कथन कदापि नहीं कर सकते, अतः ये श्लोक अप्रामाणिक एवं प्रक्षिप्त हैं।

भूठी गवाही वाले मुकद्दमे पर पुनर्विचार—

यस्मिन् यस्मिन् विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् ।

तत्तत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥११७॥ (६४)

(यस्मिन् यस्मिन् विवादे तु) जिस-जिस मुकद्दमे में (कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्) यह पता लगे कि भूठी या गलत साक्षी हुई है (तत्-तत् कार्यं निवर्तेत) उस-उस निर्णय को रद्द करके पुनः विचार करे, क्योंकि वह (कृतं च + अपि + प्रकृतं भवेत्) किया हुआ काम भी न किये के समान है ॥११७॥

असत्य साक्ष्य के आधार—

लोभान्मोहाद्भयान्मित्रात्क्रोधात्साक्ष्यं च ।

अज्ञानाद्बालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥११८॥ (६५)

(लोभात् मोहात् भयात् मित्रात् कामात् क्रोधात् अज्ञानात् च बाल-भावात् साक्ष्यम्) जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साक्षी देवे (वितथम् + उच्यते) वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ ११८ ॥ (स० प्र० १७१)

असत्य साक्ष्य में दोषानुसार दण्डव्यवस्था—

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ।

तस्य दण्डविशेषास्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥११९॥ (६६)

(एषाम्) इन [८।११८] लोभ आदि कारणों में से (अन्यतमे स्थाने) किसी कारण के होने पर (यः अनृतं साक्ष्यं वदेत्) जो कोई भूठी साक्षी देता है (तस्य) उसके लिए (दण्डविशेषान्) दण्डविशेषों को (अनु-पूर्वशः) क्रमशः (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा [८।१२०—१२२] ॥ ११९ ॥

“इनसे भिन्न स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको वक्ष्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे ।” (स० प्र० १७१)

लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वं तु साहसम् ।

भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्डौ मैत्रात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥१२०॥ (६७)

(लोभात् सहस्रं दण्ड्यः) जो लोभ से झूठी गवाही दे तो ‘एक हजार पण’ का दण्ड देना चाहिए (मोहात् पूर्व साहसम्) मोह से देने वाले को ‘प्रथम साहस’, (भयात् द्वौ मध्यमौ दण्डौ) भय से देने पर दो ‘मध्यम साहस’ का दण्ड दे (मैत्रात्) मित्रता से झूठी गवाही देने पर (पूर्वं चतुर्गुणम्) ‘प्रथम साहस’ का चार गुना दण्ड देना चाहिए ॥ १२० ॥

“जो लोभ से झूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥=) [पन्द्रह रुपये दश आने] दण्ड लेवे । जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे ३॥=) ॥ [तीन रुपये साढ़े चौदह आने] दण्ड लेवे । जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे १५॥=) [पन्द्रह रुपये दश आने] दण्ड लेवे, और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे १५॥=) [पन्द्रह रुपये दश आने] दण्ड लेवे ।” (स० प्र० षष्ठ समु० परोपकारिणी सभा प्रकाशन ३४ वां संस्करण)

कामाद्दशगुणं पूर्वं क्रोधात् त्रिगुणं परम् ।

अज्ञानाद् द्वे शते पूर्णं बालिष्याच्छतमेव तु ॥१२१॥ (६८)

(कामात् दशगुणं पूर्वं) काम से झूठी गवाही देने पर दशगुना ‘प्रथम साहस’ (क्रोधात् तु त्रिगुणं परम्) क्रोध से देने पर त्रिगुना ‘उत्तम साहस’ (अज्ञानात् द्वे शते पूर्णं) अज्ञान से देने पर दो सौ ‘पण’ और (बालिष्यात् शतम्+एव तु) बालकपन में देने से सौ ‘पण’ दण्ड होना चाहिए ॥१२१॥

“जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे ३६—) [उनतालीस रुपये एक आना] दण्ड लेवे । जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उससे ४६॥=) [छयालीस रुपये चौदह आने] दण्ड लेवे । जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे ३=) [तीन रुपये दो आने] दण्ड लेवे, और जो बालकपन से मिथ्यासाक्षी देवे तो उससे १॥—) [एक रुपया नौ आने] दण्ड लेवे ।” (स० प्र० उपर्युक्त संस्करण षष्ठ समु०)

अनुधीलनः : (१) साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं अवधि

मुद्राओं से तुलना-तालिका—

(क)— (श्लोक ८।१३८ में वर्णित)

साहस नाम	पण	रूपये-आने में
१. प्रथम या पूर्वसाहस	२५०	३॥ =) तीन रूपये साढ़े चौदह आने
२. मध्यम साहस	५००	७॥ =) सात रूपये तेरह आने
३. उत्तम या परसाहस	१०००	१५॥ =) पन्द्रह रूपये दश आने

(ख)—

१ पण का—१ पैसा

४ पैसे का—१ आना

१६ आने का
या
६४ पण का } —१ रूपया

(२) झूठी साक्षियों में अर्थदण्ड एवं उनकी अवधि अनुद्राओं से तुलना-तालिका—

(श्लोक ८।१२०—१२१ में वर्णित)

	अपराध	वर्णित दण्डनाम	पण	रूपये-आने-पैसे
१	लोभ से झूठी साक्षी देने पर	हजार पण	१०००	१५॥ =) [पन्द्रह रूपये दश आने]
२	मोह से झूठी साक्षी में	पूर्व साहस	२५०	३॥ =)॥ [तीन रूपये साढ़े चौदह आने]
३	भय से झूठी साक्षी में	दो मध्यम साहस	१०००	१५॥ =) [पन्द्रह रूपये दश आने]
४	मैत्री से झूठी साक्षी में	चार गुणा प्रथम साहस	१०००	१५॥ =) [पन्द्रह रूपये दश आने]
५	काम से झूठी साक्षी में	दश गुणा प्रथम साहस	२५००	३६—) [उनतालीस रूपये एक आना]
६	क्रोध से झूठी साक्षी में	तीन गुणा उत्तम साहस	३०००	४६॥ =) [छयालीस रूपये चौदह आने]
७	अज्ञान से झूठी साक्षी में	दो सौ पण	२००	३ =) [तीन रूपये दो आने]
८	बालकपन से झूठी साक्षी में	सौ पण	१००	१॥ —) [एक रूपया नी आने]

एतानाहुः कोटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः ।

धर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥ १२२ ॥ (६६)

(धर्मस्य + अव्यभिचारार्थम्) धर्म का लोप न होने देने के लिए (च) और (अधर्मनियमाय) अधर्म को रोकने के लिए (कोटसाक्ष्ये) भूठी या गलत गवाही देने पर (मनीषिभिः प्रोक्तान्) विद्वानों द्वारा विहित (एतान्-दण्डान् + आहुः) इन [६।११६-१२१] दण्डों को कहा है ॥ १२२ ॥

कोटसाक्ष्यं तु कुर्वाणास्त्रीन्बर्णान्धामिको नृपः ।

प्रवासयेद्दण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ १२३ ॥

(धामिकः नृपः) धामिक राजा (कोटसाक्ष्यं कुर्वाणान्) भूठी साक्षी देने वाले (त्रौन् वणन्) तीन वर्ण वालों—क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनको (दण्डयित्वा प्रवासयेत्) दण्ड देकर देश से निकालदे (तु) किन्तु (ब्राह्मणं विवासयेत्) ब्राह्मण को [विना दण्ड दिये] देशनिकाला ही देदे ॥ १२३ ॥

वशा स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ।

त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥ १२४ ॥

(मनुः स्वायंभुवः) स्वायंभुव मनु ने (त्रिषु वर्णेषु यानि स्युः) क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णों पर लागू होने वाले (दण्डस्य दण्ड स्थानानि अब्रवीत्) दण्ड के दस स्थान बतलाये हैं [८।१२५ में] (ब्राह्मणः अक्षतः व्रजेत्) ब्राह्मण विना दण्ड के ही चला जाये ॥ १२४ ॥

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

जघनं नासा च कर्णौ च धनं देहस्तयं च ॥ १२५ ॥

(उपस्थम्) उपस्थेन्द्रिय (उदरम्) पेट (जिह्वा) जीभ (हस्तौ) दोनों हाथ (च) और (पञ्चमम्) पांचवां स्थान (पादौ) दोनों पैर (चक्षुः) आँख (नासा) नाक (कर्णौ) दोनों कान (धनम्) धन (च) और (देहः) शरीर, ये दण्ड के दस स्थान हैं ॥ १२५ ॥

अनुशीलन : १२३ से १२५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) १२३ वें श्लोक में ब्राह्मण को दण्ड से मुरझित रखकर केवल देशनिकाला देने का कथन और अन्य वर्णों को सभी दण्ड देने का कथन पक्ष-पातपूर्ण है तथा मनु की मौलिक माय्यता के विरुद्ध है। मनु चारों वर्णों को दण्डनीय मानते हैं, अपितु समझदार और जिम्मेदार होने के कारण, अपराध करने पर, उत्तरोत्तर वर्णों को अधिक एवं अवश्य दण्डनीय मानते हैं (७।१७, ८।३५-३८)।

२. शैलीगत आधार—(१) १२४-१२५ श्लोकों में “मनुः स्वायंभुवः अब्रवीत्”

पद स्पष्ट संकेत देते हैं कि ये श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की रचनाएं हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं। (२) १२३ की शैली में पक्षपात की भावना है।

दण्ड देते समय विचारणीय बातें—

अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः ।

सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ॥ १२६ ॥ (७०)

न्यायकर्ता (अनुबन्धम्) अपराधी का इरादा, षड्यन्त्र या बार-बार किये गये अपराध को (च) और (तत्त्वतः देशकालौ) सही रूप में देश और काल को (परिज्ञाय) जानकर (च) तथा (सार-प्रपराधौ) अपराधी की शारीरिक एवं आर्थिक शक्ति और अपराध का स्तर (आलोक्य) देख-विचार कर (दण्ड्येषु दण्डं पातयेत्) दण्डनीय लोगों को दण्ड दे ॥ १२६ ॥

“परन्तु जो-जो दण्ड लिखा है और लिखेंगे, जैसे—लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दश आने दण्ड लिखा है; परन्तु जो अत्यन्त निर्धन हो तो उससे कम, और धनाढ्य हो तो उससे दूना, तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे अर्थात् जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो उस का जैसा अपराध हो वैसा ही दण्ड करे।” (स० प्र० १७२)

अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम् ।

अस्वर्ग्यं च परत्राणि यस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ १२७ ॥ (७१)

(लोके अधर्मदण्डनम्) क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दण्ड करना है वह (यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्) पूर्वप्रतिष्ठा और भविष्यत् में, और परजन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करने हारा है (च) और (परत्र+अपि-अस्वर्ग्यम्) परजन्म में भी दुःखदायक होता है (तस्मात्) इसलिये (तत् परिवर्जयेत्) अधर्म-युक्त दण्ड किसी पर न करे ॥ १२७ ॥ (स० प्र० १७१)

अदण्ड्याः दण्डयन् राजा दण्ड्याश्चैवाप्यदण्डयन् ।

अयशो महाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ १२८ ॥ (७२)

(राजा) जो राजा (दण्ड्यान् अदण्डयन्) दण्डनीयों को न दण्ड (अदण्ड्यान् दण्डयन्) अदण्डनीयों को दण्ड देता है अर्थात् दण्ड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दण्ड देना न चाहिए उस को दण्ड देता है वह (महन् अयशः आप्नोति) जोता हुआ बड़ी निन्दा को (च) और (नरकम् एव गच्छति) मरे पोछे वड़े दुःख को प्राप्त होता है; इसलिए जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे और अनपराधी को दण्ड कभी न देवे ॥ १२८ ॥

(स० प्र० १७१)

“जो राजा अनपराधियों को दण्ड देता और अपराधियों को दण्ड नहीं देता है, वह इस जन्म में बड़ी अपकीर्ति को प्राप्त होता और मरे पश्चात् नरक अर्थात् महादुःख को पाता है।” (सं वि० १५३)

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विदण्डं तदनन्तरम् ।

तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ १२६ ॥ (७३)

(प्रथमं वाक्+दण्डम्) प्रथम वाणी का दण्ड अर्थात् उसकी ‘निन्दा’ (तत्+प्रनन्तरम्) दूसरा (धिक्+दण्डम्) ‘धिक्’ दण्ड अर्थात् तुम्हको धिक्कार है, तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया (तृतीयं धनदण्डम्) तीसरा— उससे धन लेना, और (वधदण्डम्) ‘वध’ दण्ड अर्थात् उसको कोड़ा या बेंत से मारना वा शिर काट देना ॥ १२६ ॥ (सं प्र० १७१)

॥ (अतः परम्) इस दण्ड से न सुधरे तो उसके पश्चात्.....

॥ (कुर्यात्) करे

वधेनापि यदा त्वेतान्निग्रहीतुं न शक्नुयात् ।

तदेषु सर्वमप्येतत्प्रयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥ १२७ ॥ (७४)

राजा (एतान्) इन अपराधियों को (यदा) जब (वधेन+अपि) शारीरिक दण्ड से भी (निग्रहीतुं न शक्नुयात्) नियन्त्रित न कर सके (तदा+एषु) तो इन पर (सर्वम्+अपि+एतत् चतुष्टयं प्रयुञ्जीत) सभी उपर्युक्त [८। १२६] चारों दण्डों को एकसाथ और तीव्ररूप में लागू कर देवे ॥ १२७ ॥

लेन-देन के व्यवहार में काम आने वाले बाट और मुद्राएं—

लोकसंव्यवहारार्थं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि ।

ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥ (७५)

अब मैं (ताम्र-रूप्य-सुवर्णानां या संज्ञाः) ताँबा, चाँदी, सुवर्ण आदि की ‘पण’ आदि मुद्राएं और ‘माष’ आदि बाटों की संज्ञाएं (लोकव्यवहारार्थम्) मोल लेना-देना आदि लोकव्यवहार के लिए (भुवि प्रथिताः) जगत् में प्रसिद्ध हैं (ताः) इन सबको (अशेषतः प्रवक्ष्यामि) पूर्णरूप से कहता हूँ ॥ १३१ ॥

तोल के पहले मापक वस्तुओं की परिभाषा—

जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः ।

प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रवक्षते ॥ १३२ ॥ (७६)

(भानौ जालान्तरगते) सूर्य की किरणों के मकान की खिड़कियों के

अन्दर से प्रवेश करने पर [उस प्रकाश में] (यत् सूक्ष्मं रजः हस्यते) जो बहुत छोटा रजकण (कण) दिखाई पड़ता है (तत्) वह (प्रमाणानां प्रथमम्) प्रमाणों=मापकों अर्थात् तोलने के बाटों में पहला प्रमाण है, और उसे ('त्रसरेणु' प्रचक्षते) 'त्रसरेणु' कहते हैं ॥ १३२ ॥

[महर्षि-दयानन्द ने इस श्लोक को 'त्रसरेणु' के लक्षण-प्रसंग में 'पूना प्रवचन' में पृष्ठ ८० पर उद्धृत किया है]

लिखा-राजसर्षप-गौरसर्षप की परिभाषा—

त्रसरेणुषोऽष्टौ विज्ञेया लिखंका परिमाणतः ।

ता राजसर्षपस्तिस्त्रस्ते त्रयो गौरसर्षपः ॥१३३॥ (७७)

[तोलने में] (परिमाणतः) माप के अनुसार (अष्टौ 'त्रसरेणवः') आठ 'त्रसरेणु' की (एका 'लिखा' विज्ञेया) एक 'लिखा' होती है और (ताः तिस्रः 'राजसर्षपः') उन तीन लिखाओं का एक 'राजसर्षप' (ते त्रयः गौरसर्षपः) उन तीन 'राजसर्षपों' का एक 'गौरसर्षप' होता है ॥ १३३ ॥

मध्ययव, कृष्णल, माप और सुवर्ण की परिभाषा—

सर्षपाः षट् यवो मध्यस्त्रियधं त्वेककृष्णलम् ।

पञ्चकृष्णलको माधस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥१३४॥ (७८)

(षट् सर्षपाः मध्य-यवः) छः गौरसर्षपों का एक 'मध्ययव' परिमाण होता है (तु) और (त्रियधम् एक कृष्णलम्) तीन मध्ययवों का एक 'कृष्णल' = रत्ती (पञ्च-कृष्णलकः माधः) पाँच कृष्णलों = रत्तियों का एक 'माध' [सोने का] और (ते षोडश सुवर्णः) उन सोलह माधों का एक 'सुवर्ण' होता है ॥ १३४ ॥

पल, धरण, रौप्यमाषक की परिभाषा—

पलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दश ।

द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः ॥ १३५ ॥ (७९)

(चत्वारः सुवर्णाः 'पलम्') चार सुवर्णों का एक 'पल' होता है (दश पलानि 'धरणम्') दश पलों का एक 'धरण' होता है (द्वे कृष्णले समधृते 'रौप्यमाषकः' विज्ञेयः) दो कृष्णल = रत्ती तराजू पर रखने पर उनके बराबर तोल का माप एक 'रौप्यमाषक' जानना चाहिए ॥ १३५ ॥

रौप्यधरण, राजतपुराण, कार्षापण की परिभाषा—

ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चैव राजतः ।

कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिकः कार्षिकः पणः ॥१३६॥ (८०)

(ते षोडश 'घरण' स्यात्) उन सोलह रौप्यमाषकों का एक 'रौप्यघरण' तोल का माप होता है (च) और एक ('राजतः पुराणः') चांदी का 'पुराण' नामक सिक्का होता है (ताम्रिकः कार्षिकः पणः) तांबे का कर्षभर अर्थात् १६ मापे वजन का 'पण' ('कार्षापणः' विज्ञेयः) 'कार्षापण' सिक्का समझना चाहिए ॥ १३६ ॥

रौप्यशतमान, निष्क की परिभाषा—

घरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः ।

चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १३७ ॥ (८१)

(दश घरणानि) दश रौप्यघरणों का ('राजतः शतमानः' ज्ञेयः) एक चांदी का शतमान' जानें, और (प्रमाणतः) प्रमाणानुसार (चतुःसौवर्णिकः 'निष्कः' विज्ञेयः) चार सुवर्ण का एक 'निष्क' [= प्रशर्फी] जानना चाहिए ॥ १३७ ॥

अनुशीलनः : (१) तोलने के प्रमाणों का विवेचन और तालिका—

(क) श्लोक १३२ से १३६ तक लेन-देन के व्यवहार में काम आने वाले तोल के प्रमाणों अर्थात् बाटों का वर्णन है। उनमें त्रसरेणु से कृष्णल = रत्ती (गुंजा) तक के प्रमाण भूमि में उत्पन्न पदार्थों पर आधारित थे। माप से घरण तक के सोने के और कृष्णल से रौप्यशतमान तक के चांदी के बाट होते थे। तालिका के अनुसार उनका विवरण निम्न प्रकार है—

४ त्रसरेणु	=	१ लिक्का	
३ लिक्का	=	१ राजसर्षप (छोटी काली सरसों)	
३ राजसर्षप	=	१ गौरसर्षप (सफेद सरसों)	
६ गौरसर्षप	=	१ मध्ययव (न बड़ा, न छोटा जौ)	
३ मध्ययव	=	१ कृष्णल = गुंजा या रत्ती	
५ कृष्णल (रत्ती)	=	१ माप (सोने का) बना	} सोने से निर्मित बाट
		लगभग आने भर वजन)	
१६ माप	=	१ सुवर्ण या कर्ष (लगभग रुपये भर	
		वजन का)	
४ सुवर्ण	=	१ पल (लगभग छटांक)	
१० पल	=	१ घरण	
२ कृष्णल रत्ती	=	१ रौप्यमाषक	} चांदी से निर्मित बाट
१६ रौप्यमाषक	=	१ रौप्यघरण	
१० रौप्यघरण	=	१ रौप्यशतमान	

(ख) कौटिल्य द्वारा वर्णित तोल-प्रमाण—कौटिल्य ने अपने ग्रंथशास्त्र में मनु के तोल-प्रमाणों को लगभग उसी रूप में उद्धृत किया है। उनसे मनुप्रोक्त प्रमाणों पर प्रकाश भी पड़ता है—

(ग्र) कौटिल्य के अनुसार सोने के तोलप्रमाणों में पांच रसी अथवा दस उड़द के दाने के बराबर एक सुवर्णमाषक होता है। सोलह सुवर्णमाष का एक म्वर्ण या एक कर्ष, और चार कर्ष का एक पल होता है।

(ग्रा) चांदी के तोल प्रमाणों में अठ्ठासी सफेद सरसों के परिणाम का एक रूप्य-माषक होता है। मनु के अनुसार २ कृष्णल या छत्तीस गौर सर्षप का रूप्यमाषक है। सोलह रूप्यमाषक का एक धरण होता है।

(२) मुद्राएं और उनकी तालिका—

(क) मनु ने तोल के आधार पर ही ग्रंथ मुद्राओं का निर्माण [१३६-१३७] कहा है। मुद्राएं तांबा, चांदी और सोने की होती थीं। उनकी तालिका इस प्रकार है—

१६ रूप्यमाषक के बराबर वजन में = $\begin{cases} १ \text{ राजतपुराण (चांदी की मुद्रा)} \\ १ \text{ कार्षणिण (तांबे की मुद्रा)} \end{cases}$

४ सुवर्ण के समभार में (लगभग एक छटांक) = १ निष्क (सोने की अशर्फी)

(ख) कौटिल्य द्वारा वर्णित मुद्राएं—

आचार्य कौटिल्य ने चांदी और तांबे की मुद्राओं का उल्लेख करते हुए उनकी रचनाविधि भी बतलायी है। मनु ने भी कार्षणिण के विषय में 'तान्निकः काविकः पणः' शब्दों का उल्लेख कर उसके रचनातत्त्व की ओर संकेत किया है। उसकी पूर्णविधि कौटिल्य ने दी है, जो इस प्रकार है—

(ग्र) चांदी के सिक्के, जिनको कौटिल्य ने 'पण' संज्ञा दी है, शायद वही मनु के अनुसार 'राजतपुराण' है। चांदी से बना होने के कारण संभवतः यही परकाल में रूप्यक और रुपया का रूप धारण कर गया। कौटिल्य के अनुसार—लवणाध्यक्ष = टकसाल के अध्यक्ष को चाहिए कि वह पण, अर्धपण, पादपण और अष्टभागपण नामक चार चांदी के सिक्कों को विधिपूर्वक ढलवाये। एक पण १६ माष का होता है। उसमें ११ माष चांदी; ४ माष तांबा; तथा रांगा, लोह्वा, सीसा या अंजन में से कोई भातु १ माष हो। इसी अनुपात से छोटे सिक्कों में ये भातुएं डालें।

१. "धाम्यमाषा दश सुवर्णमाषकः। पञ्च वा पुञ्जाः। ते षोडश सुवर्णः कर्षं वा। अतुक्कलं पलम्।"

"अष्टाशीतिगौरसर्षपा रूप्यमाषकः। ते षोडश धरणम्।"

[प्रक० ३५। अ० १६]

(ग्रा) तांबे के सिक्के को कौटिल्य ने 'माषक' संज्ञा दी है। लेकिन वह भी १६ माषे का है, जिसे मनु ने 'कार्षापण' कहा है। इसके भी चार प्रकार के सिक्के बनते हैं—माषक, अर्धमाषक, पादमाषक (काकणी), अष्टभागमाषक (अर्धकाकणी)। इनमें माषक में ११ माष ताम्बा, ४ माष चांदी, और १ माष लोहा, सीसा, रांगा या अंजन में से कोई एक घातु होती है। इससे छोटे सिक्कों में इसी अनुपात से कम हो जाती है।'

पूर्व-मध्यम-उत्तमसाहस की परिभाषा—

पणानां द्वे शते सार्धं प्रथमः साहसः स्मृतः ।

मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥१३८॥ (८२)

(द्वे शते सार्धं पणानां प्रथमः साहसः स्मृतः) ढाई सौ पण का एक प्रथम 'साहस' माना है (पञ्च 'मध्यमः' विज्ञेयः) पाँच सौ पण का 'मध्यम साहस' समझना चाहिए (सहस्रं तु + एव उत्तमः) एक हजार पण का 'उत्तम साहस' होता है ॥ १३८ ॥

अनुशीलन : पूर्व, मध्यम और उत्तम साहस की सीमा—कौटिल्य के मतानुसार साहसों की सीमा एक निर्धारित संख्या में नहीं, अपितु एक साहस से दूसरे साहस तक की सारी संख्या उस साहस में परिगणित मानी गई है। उनके मतानुसार—२५० पण तक पूर्वसाहस, २५१ से ५०० पण तक मध्यम साहस, ५०१ से १००० पण तक उत्तम साहस माना जायेगा। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इनको कुछ भेद के साथ इसी प्रकार प्रस्तुत किया है—“४८ से २०० पण तक प्रथम साहस, २०० से ५०० पण तक मध्यम साहस, ५०० से १००० पण तक उत्तम साहस का दण्ड कहलाता है।” दोषानुसार इस अवधि का कोई भी दण्ड हो सकता है।^२

ऋणे देये प्रतिज्ञाते पंचकं शतमर्हति ।

अपहृत्वे तद् द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम् ॥ १३९ ॥

(ऋणे देये प्रतिज्ञाते) कर्जदार के द्वारा मुकद्दमे में 'ऋण देना' स्वीकार कर लिए जाने पर (पंचकं शतम्—अर्हति) सैकड़ा पर पाँच पण दण्ड करना योग्य है (अपहृत्वे) यदि कर्जदार झूठ बोले और बाद में ऋण देना सिद्ध हो जाये तो (तत् द्विगुणम्)

१. तत्रणाध्यक्षः क्षतुर्भागताम्रं रूप्यरुपं तीक्ष्णप्रपुसीसाङ्गनामन्यतमाषबीज-पुस्तं कारयेत् पणम्, अर्धपणं पादमष्टभागमिति । पादाजीबं ताम्ररुपं माषकमर्धमाषकं काकणीमर्धकाकणीमिति ।” [प्रक० २८ । अ० १२]

२. अष्टवत्वारिंशत्पणावरः षण्णवनतिपरः पूर्वः साहसदण्डः । द्विशतावरः पञ्चशतपरः मध्यमः साहसदण्डः । पंचशतावरः सहस्रपरः उत्तमः साहसदण्डः ।” [प्रक० ७४ । अ० १७]

उसका दुगुना अर्थात् दशगुना दण्ड दे (तत् मनोः + अनुशासनम्) यही मनु की व्यवस्था है ॥ १३६ ॥

अनुशीलनः : १३६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रसिप्त है—

१. अन्तविरोध—यह दण्डविधान ८। ५६ में विहित दण्ड-व्यवस्था से भिन्न है। उसके विरुद्ध होने के कारण प्रसिप्त है।

२. शैलीगत आधार—“तत् मनोः अनुशासनम्” पदों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः परवर्ती होने से प्रसिप्त है।

ऋण पर व्याज का विधान—

वसिष्ठविहितां वृद्धिं सृजेद्विस्तविर्वाधिनीम्।

अशीतिभागं गृह्णीयान्मासाद्वाधुषिकः शते ॥ १४० ॥ (८३)

(वसिष्ठविहिताम्) [दिए हुए ऋण पर] अर्थशास्त्र के विद्वान् द्वारा विहित (विस्तविर्वाधिनीम्) धन को बढ़ाने वाली (वृद्धिम्) वृद्धि अर्थात् व्याज को (सृजेत्) ले, किन्तु (वाधुषिकः) व्याज लेने वाला मनुष्य (शते अशीति-भागम्) सौ पर अस्सीवां भाग अर्थात् सवा रुपया सैंकड़ा व्याज (मासात्) मासिक (गृह्णीयात्) ग्रहण करे अर्थात् इससे अधिक व्याज न ले [यह अधिक से अधिक की सीमा है] ॥ १४० ॥

‘सवा रुपये सैंकड़े से अधिक, चार आने से न्यून व्याज न लेवे न देवे।’ (सं० वि० १७६ में टिप्पणी)

अनुशीलनः : इस श्लोक में ‘वसिष्ठ’ शब्द को देखकर यह भ्रम होता है कि यह कोई वसिष्ठ नाम का व्यक्ति हुआ है और उसने व्याज लेने की व्यवस्था निर्धारित की है, मनु ने उसी को यहां प्रामाणिक मानकर उद्धृत किया है। अनेक टीकाकार इस भ्रान्ति के शिकार हुए हैं और उन्होंने इसको ‘नाम’ मानकर ‘वसिष्ठ ऋषि’ यह अर्थ कर दिया है। इस शब्द का यहाँ ‘अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान्’ अर्थ है। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियाँ हैं—(१) मनु ने प्रसंगानुसार अन्यत्र भी उस-उस विषय के ज्ञाता विद्वानों को मूल्य, शुल्क आदि के निर्धारण में प्रमाण माना है, और स्वयं उनका निर्धारण स्वल्परूप में करके शेष उन्हीं पर छोड़ दिया है, जैसे—किराया निर्धारण के लिए ८। १५७ में, शुल्कनिर्धारण के लिए ८। ३६८ में उस विषय के विशेषज्ञों पर ही यह निर्धारण का काम छोड़ा है। इसी प्रकार यहां भी है, इसीलिए इस शब्द का उक्त अर्थ

१. [प्रचलित अर्थ—वसिष्ठ मुनि द्वारा प्रतिपादित धनबचक सूद से, वह ऋण-द्रव्य का १/८० भाग हो अर्थात् सवा रुपया प्रतिशत मासिक सूद लेना चाहिए ॥ १४० ॥]

मनु-अभिप्रेत है। ८। १५७ में इस शब्द के पर्यायवाची रूप में 'अर्थवर्षाशनः' शब्द का प्रयोग है। इसका भी भाव वही है। (२) वेदादि में वसिष्ठ शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा—ऋ० १. ११२. ६ तथा ७. ३३. १३ में वसिष्ठ शब्द का अर्थ महर्षि दयानन्द ने यही किया है—“यो वसति धनादि कर्मसु सोऽतिशयस्तम् उत्तमविद्वासम्।” इस आधार पर यहाँ उक्त अर्थ ही समीचीन एवं ग्राह्य है।

अर्थशास्त्रियों द्वारा व्याज की व्यवस्था के निर्धारण का उल्लेख करते हुए मनु ने व्याज की यह अधिकतम सीमा निर्धारित की है। इससे अधिक व्याज ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस उल्लेख से मनु का यही अभिप्राय है।

द्विकं शतं वा गृह्णीयात्सतां धर्ममनुस्मरन् ।

द्विकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यर्थकिल्बिषी ॥ १४१ ॥

(वा) अथवा (सतां धर्मम् + अनुस्मरन्) श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करता हुआ अर्थात् श्रेष्ठों का आचरण मानता हुआ (द्विकं शतं गृह्णीयात्) दो रुपया सैंकड़ा मासिक व्याज ले ले (द्विकं शतं हि गृह्णानः) दो रुपया सैंकड़ा व्याज लेने पर (अर्थकिल्बिषी न भवति) धन के विषय में पाप का भागी नहीं होता ॥ १४१ ॥

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चमं च शतं समम् ।

मासस्य वृद्धिं गृह्णीयाद्वर्णानामनुपूर्वशः ॥ १४२ ॥

व्याज लेने वाला (वर्णानाम् + अनुपूर्वशः) वर्णों के क्रम से अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-क्रम के अनुसार क्रमशः (द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चमं शतं मासस्य वृद्धिं गृह्णीयात्) दो रुपये सैंकड़ा, तीन रुपये सैंकड़ा, चार रुपये सैंकड़ा और पांच रुपये सैंकड़ा मासिक व्याज ले ॥ १४२ ॥

अनुशीलन : १४१—१४२ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) मनु ने १४० वें श्लोक में सवा रुपया सैंकड़ा व्याज की दर सभी के लिए समान रूप से निर्धारित की है। इन श्लोकों में दो रुपये से पांच रुपये तक व्याज लेने का विधान करना और वर्णानुक्रम से व्याज का विधान, ये दोनों ही विधान मौलिक व्यवस्था से विरुद्ध हैं, अतः ये प्रक्षिप्त हैं। (२) १४१ वें की भाषा ही यह बतलाती है कि यह परवर्ती रचना है। 'सतां धर्मम् अनुस्मरन्' की पुर्वाई देना और 'न भवति अर्थकिल्बिषी' का कथन रचयिता की हीनभावना को प्रकट करता है। (३) १५३ वें श्लोक में शास्त्रविरुद्ध व्याज न लेने का कथन है और शास्त्रसम्मत व्याज १४० वें में विहित है। इन श्लोकों में विहित विधान शास्त्रविरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं।

लाभ वाली िरवी पर व्याज नहीं—

न स्वेवाधो सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात् ।

न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः ॥१४३॥ (८४)

(सोपकारे) उपकार अर्थात् साथ के साथ लाभ पहुंचाने वाली (ग्राही) बंधक रखी धरोहर=गिरवी [जैसे भूमि, घर, गौ आदि] पर (कौसीदी) वृद्धि न तु+एव आप्नुयात् व्याज रूप में प्राप्त धनवृद्धि बिल्कुल न ले (च) और (कालसंरोधात्) बहुत समय बीत जाने पर भी (ग्राहेः) उस धरोहर को (न निसर्गः) रखने वाले के अधिकार से छुड़ाया नहीं जा सकता है अर्थात् रखने वाले की ही वह वस्तु रहेगी (न विक्रयः) न दूसरे को बेचा जा सकता है ॥ १४३ ॥

धरोहर-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ (उन पर ऋण-व्याज आदि की व्यवस्था)---

न भोक्तव्यो बलादाधिभुञ्जानो वृद्धिमुत्सृजेत् ।

मृत्येन तोषयेच्छैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥१४४॥ (८५)

(बलात्) गिरवी को रखने वाला व्यक्ति जबरदस्ती (ग्राहिः न भोक्तव्यः) किसी की धरोहर=गिरवी को उपयोग में न लाये (भुञ्जानः) यदि वह उस वस्तु को उपभोग में लाता है तो (वृद्धिम्+उत्सृजेत्) व्याज को छोड़ देवे अथवा (एनं मृत्येन तोषयेत्) धरोहर रखने वाले व्यक्ति को उसका मूल्य देकर संतुष्ट करे (अन्यथा) ऐसा न करने पर (ग्राहिः+स्तेनः भवेत्) 'धरोहर का चोर' कहलाएगा अर्थात् चोर के दण्ड का भागी होगा ॥ १४४ ॥

ग्राधिश्चोपनिधिश्चोभौ न कालात्ययमर्हतः ।

अवहायौ भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥१४५॥ (८६)

(ग्राधिः) धरोहर=गिरवी (च) और (उपनिधिः) मुहरबन्द दी हुई अमानत (उभौ) ये दोनों (काल+अत्ययम्) समय की सीमा के (न अर्हतः) योग्य नहीं हैं अर्थात् इन पर कोई समय की सीमा लागू नहीं होती कि इतने दिनों के पश्चात् ये जब्त हो जायेंगी (तौ) ये (दीर्घकालम्+अवस्थितौ) लम्बे समय तक रहने के बाद भी (अवहायौ भवेताम्) लौटाने योग्य होती हैं ॥ १४५ ॥

संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन ।

धेनुर्गृष्टो वहन्नश्चो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥१४६॥ (८७)

(संप्रीत्या भुज्यमानानि) परस्पर प्रेमपूर्वक उपभोग में लायी जातो हुई वस्तुएं (धेनुः) गौ (वहन्) बोझ या सवारी आदि ढोने के लिए (गृष्टः) ऊंट (अश्वः) घोड़ा (च) और (यः) जो (दम्यः) हल आदि में जोता जाने वाला बैल आदि (प्रयुज्यते) उपभोग में लाया जाता है, वह (कदाचन न

नश्यन्ति) कभी भी अपने पूर्व स्वामी के स्वामित्व से नष्ट नहीं होते, और प्रयोग करने वाले के नहीं होते ॥ १४६ ॥

यत्किञ्चिद्दश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी ।

भुज्यमानं परंस्तूष्णीं न स तत्त्वबुधमर्हति ॥ १४७ ॥

(धनी) धन का स्वामी व्यक्ति (यत् किञ्चित्) जिस किसी वस्तु को (सन्निधौ) अपने सामने (दश वर्षाणि) दश वर्ष तक (परं: भुज्यमानम्) दूसरों के द्वारा उपभोग में लाये जाते हुए (तूष्णीं प्रेक्षते) चुपचाप देखता रहे अर्थात् न रोके-टोके न वापिस ले तो (सः) वह व्यक्ति (तत् + लब्धुं न ग्रहंति) उस वस्तु को पाने का अधिकारी नहीं रहता ॥ १४७ ॥

अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते ।

भग्नं तद्व्यवहारेण भोक्ता तद् द्रव्यमर्हति ॥ १४८ ॥

(अजडः अपोगण्डः चेत्) यदि किसी वस्तु का स्वामी समझदार और बालिग हो और उसकी वस्तु (अस्य विषये भुज्यते) मालिक के देखते हुए या जानकारी में रहते उपभोग में लायी जाती है तो (तत् व्यवहारेण भग्नम्) वह वस्तु उसके अधिकार से नष्ट हो जाती है अर्थात् पूर्वस्वामी का हक नहीं रहता (भोक्ता तत् द्रव्यम् + ग्रहंति) भोगने वाला ही उस वस्तु का हकदार हो जाता है ॥ १४८ ॥

प्राधिः सीमा वास्तघनं निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः ।

राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ॥ १४९ ॥

(प्राधिः) बन्धकरूप में रखी धरोहर (सीमा) खेत, गांव प्रादि की सीमा (वास्तघनम्) बालक का धन (निक्षेपः) बिना मुहरबन्द धरोहर (उपनिधिः) मुहरबन्द धरोहर (स्त्रियः) स्त्रियां (राजस्वम्) राजघन (श्रोत्रियस्वम्) वेदपाठी का घन (भोगेन न प्रणश्यति) इनका भोग करने पर भी इन पर से पूर्वस्वामी का स्वामित्व नष्ट नहीं होता ॥ १४९ ॥

यः स्वामिनामनुज्ञातमाधिं भुङ्क्तेऽविबक्षणः ।

तेनार्धवृद्धिर्भोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ १५० ॥

(यः) जो (अविबक्षणः) नासमझ व्यक्ति (स्वामिना + अननुज्ञातम्) स्वामी के द्वारा बिना आज्ञा प्राप्त किये (आधिं भुङ्क्ते) बंधक का उपभोग करता है (तस्य भोगस्य निष्कृतिः) उस वस्तु के भोग कर लेने के बदले (तेन) धरोहर रखने वाले को (अर्धवृद्धिः + भोक्तव्या) आधा व्याज ही लेना चाहिए आधा छोड़ देना चाहिए ॥ १५० ॥

अनुशीलन : १४७ से १५० श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में दो हुई व्यवस्थाएं पूर्ववर्तित १४३—१४६ श्लोकों की व्यवस्थाओं से विरुद्ध हैं, अतः ये प्रक्षिप्त हैं। (१) १४७—१४८ में कुछ स्थितियों में धरोहर पर से स्वामी का अधिकार नष्ट होना माना है, जबकि १४३—१४६ श्लोकों में अधिकार कभी नष्ट न होने का स्पष्ट विधान है (२) पूर्व श्लोकों में जब यह कह दिया कि धरोहर को बिना भोगे अथवा भोग लेने पर किसी भी स्थिति में मूलस्वामी का अधिकार नष्ट नहीं होता, पुनः १४६ में कुछ वस्तुओं का अलग से विधान करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, अतः यह विधान व्यर्थ है। (३) १४६ में स्त्री को भी धरोहर की वस्तु माना है, यह मनु की मान्यता से विरुद्ध है। सम्पूर्ण पूर्वापर प्रसंग को देखने से स्पष्ट होता है कि मनु केवल जड़ धन-सम्पत्ति एवं पशुओं को ही धरोहर की वस्तु मानते हैं [८। २७—३०, १४३, १४६]। पत्नी को एक ही व्यक्ति 'पति' की सङ्गिनी माना है [५। १५१, १६५]। (४) धरोहर को भोगने पर उसका व्याज पूर्णरूप से छोड़ देने और क्षतिपूर्ति करने का विधान १४४ में दिया है। १५० वें में उससे विरुद्ध विधान है, अतः यह प्रक्षिप्त है।

दुगुने से अधिक मूलधन न लेने का आदेश—

कुसीदवृद्धिर्द्वैगुण्यं नात्येति सकृदाहता ।

धान्ये सदे लवे बाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम् ॥ १५१ ॥ (८८)

(सकृत् + आहता) एकबार लिए ऋण पर (कुसीदवृद्धिः) व्याज की वृद्धि (द्वैगुण्यं न + अत्येति) मूलधन दुगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। (धान्ये) अन्नादि धान्य (सदे) वृक्षों के फल (लवे) ऊन (बाह्ये) भारवाहक पशु बैल आदि (पञ्चतां न + अतिक्रामति) मूल से पांच गुने से अधिक नहीं होने चाहिए ॥ १५१ ॥

“सवा रुपये सैंकड़े से अधिक चार आने से न्यून व्याज न लेवे न देवे, जब दूना धन आ जाये उससे आगे कौड़ी न लेवे न देवे। जितना न्यून व्याज लेवेगा उतना ही उस का धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और कुसन्तान उसके कुल में न होंगे”। (सं० वि० १७६ में टिप्पणी)

कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धयति ।

कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमर्हति ॥ १५२ ॥

(कृतानुसारात्) परस्पर निश्चित हुए व्याज से (अधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धयति) अधिक व्याज लेना ठीक नहीं है (पञ्चकं शतम् + अर्हति) अधिक से अधिक पांच रुपये सैंकड़ा तक व्याज लिया जा सकता है (तं कुसीदपथम् + आहुः) इसी को व्याज के लेन-देन का सही व्यवहार माना गया है ॥ १५२ ॥

अनुयायित्वम् : १५२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—(१) १४० वें श्लोक में सवा रुपये सैंकड़ा व्याज की एक दर निश्चित कर दी है। इस श्लोक में पाँच रुपये सैंकड़े तक की छूट का कथन करना उसके विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है। (२) १५३ वें श्लोक में व्याजसम्बन्धी सभी निषेधों का एक-साथ वर्णन है। वहाँ निश्चित हुए व्याज से अधिक न लेने का कथन है। इस श्लोक में अग्रिम श्लोक की एक बात को ही वर्णित कर दिया है, जो अनावश्यक है।

२. प्रसंगविरोध—व्याजदर के निर्धारण का प्रसंग १४० वें श्लोक में आ चुका है। उसके पश्चात् धरोहर का प्रसंग है। दूसरा प्रसंग आने के पश्चात् पुनः पहला व्याज दर प्रसंग उठाना भी प्रसंगविरुद्ध है, इसलिए भी यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

कौन-कौन से व्याज न ले—

नातिसांवत्सरीं वृद्धि न चाहृष्टां पुनर्हरेत् ।

चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या ॥ १५३ ॥

(८६)

(अतिसांवत्सरीं वृद्धि न हरेत्) एक वर्ष से अधिक समय का व्याज एक बार में न ले (च) और (अहृष्टां पुनः न हरेत्) किसी कारण से एक बार छोड़े हुए व्याज को फिर न मांगे (चक्रवृद्धिः) व्याज पर लगाया हुआ व्याज (कालवृद्धिः) मासिक, त्रैमासिक या व्याज की कित्त देने के लिए निश्चित किये गये काल पर व्याज लेकर अगले व्याज की दर को बढ़ा देना (कारिता) कर्जदार की विवशता, विपत्ति आदि के कारण दबाव देकर शास्त्र में निश्चित सीमा से अधिक लिखाया या बढ़ाया गया व्याज (कायिका) व्याज के रूप में शरीर से वेगार करवाना या शरीर से काम कराके व्याज उगाहना, ये व्याज भी न ले ॥ १५३ ॥

पुनः ऋणपत्रादि लेखन—

ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तुं मिच्छेत्पुनः क्रियाम् ।

स दत्त्वा निर्जितां वृद्धि करणं परिवर्तयेत् ॥ १५४ ॥ (८७)

(यः) जो कर्जदार (ऋणं दातुम्+अशक्तः) निर्धारित समय पर ऋण न लौटा सकता हो और (पुनः क्रियां कर्तुम्+इच्छेत्) फिर आगे भी क्रिया=उस ऋण को जारी रखना चाहता हो तो (सः) वह (निर्जितां वृद्धि दत्त्वा) उस समय तक के व्याज को देकर (करणं परिवर्तयेत्) 'लेन-देन का कागज' नया लिख दे ॥ १५४ ॥

अवशयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत् ।

यावती संभवेद् वृद्धिस्तावतीं दातुमर्हति ॥ १५५ ॥ (८८)

(अदर्शयित्वा) यदि कर्जदार व्याज न दे सके तो (तत्र+एव हिरण्यं परिवर्तयेत्) व्याज को मूलधन में जोड़कर उस सारे हिरण्य=धन का नया कागज लिख दे (यावती वृद्धिः संभवेत्) उस पर फिर जितना व्याज बनेगा (तावतीं दानुम्+अर्हति) उतना उसे देना होगा ॥ १५५ ॥

चक्रवृद्धिं समारूढो देशकालव्यवस्थितः ।

प्रतिक्रामन्देशकालौ न तत्फलमवाप्नुयात् ॥ १५६ ॥ (६२)

(चक्रवृद्धिं समारूढः) उपयुक्त [८।१५५] प्रकार से वार्षिक व्याज को मूलधन में जोड़कर चक्रवृद्धि व्याज लेने वाला व्यक्ति (देश-काल-व्यवस्थितः) देश और काल-व्यवस्था में बन्धकर व्याज-ले [देशव्यवस्था अर्थात् स्थान या देश की उपयुक्त व्यवस्था जैसे नकद राशि पर दुगुने से अधिक न ले; व्यापारिक अन्न, फल आदि पर पांच गुने से अधिक न ले; और सबा रुपये सैकड़े को अधिकतम सोमा तक जितना व्याज जिस स्थान या देश में लिया जाता है उस व्यवस्था के अनुसार (८।१४०, १५१) । कालव्यवस्था—वर्ष के निर्धारित समय के बाद ही सूद को मूलधन में जोड़ना, पहले नहीं] (८।१५५) (देशकालौ प्रतिक्रामन्) देश, काल की व्यवस्था को भंग करने पर (तत् फलं न वाप्नुयात्) व्याज लेने वाला उस व्याज को लेने का हकदार नहीं होता ॥ १५६ ॥

समुद्रयानों का किराया-भाड़ा निर्धारण—

समुद्रयानकुशला देशकालार्थदर्शिनः ।

स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥ (६३)

(समुद्रयानकुशलाः) समुद्रपार देशों तक व्यापार करने में चतुर और (देशकालार्थदर्शिनः) देश, काल के अनुसार अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान् (यां वृद्धिं स्थापयन्ति) जिस व्याज या भाड़े का निश्चय करें (सा तत्र+अधिगमं प्रति) वही व्याज या भाड़ा लाभप्राप्ति के लिए ठीक है [ऐसा समझना चाहिए] ॥ १५७ ॥

जमानती सम्बन्धी विधान—

यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेद्दर्शनायेह मानवः ।

अदर्शयन्त तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनाद्वणम् ॥ १५८ ॥ (६४)

(यो मानवः) जो व्यक्ति (यस्य) जिस कर्जदार का (इह दर्शनाय) महाजन के सामने या न्यायालय के सामने उपस्थित करने का (प्रतिभूः तिष्ठेत्) जमानती बने (अदर्शयन्) उस कर्जदार को उपस्थित न कर सकने

पर (तस्य ऋणम्) उसका लिया हुआ कर्ज (स्वधनात् प्रयच्छेत्) जमानती अपने धन से दे ॥ १५८ ॥

प्रातिभाष्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत् ।

दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमर्हति ॥१५९॥ (६५)

(प्रातिभाष्यम्) जमानत के रूप में स्वीकार किया गया धन (वृथा-दानम्) व्यर्थ में देने के लिए कहा गया दान, या व्यर्थ अथवा कुपात्र को कहा गया दान (माक्षिकम्) जूझा-सम्बन्धी धन (च) और (यत् सौरिकम्) जो शराव-व्यय सम्बन्धी धन (च) तथा (दण्ड-शुल्क-अवशेषम्) राजा की और से दण्ड के रूप में किया गया जुर्माने का धन और कर, चुंगी आदि का धन (पुत्रः न दातुम् + अर्हति) पुत्र को नहीं देना चाहिए ॥ १५९ ॥

दर्शनप्रतिभाष्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः ।

दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत् ॥ १६० ॥ (६६)

(दर्शन-प्रातिभाष्ये तु) कर्जदार को उपस्थित करने का जमानती होने में तो (पूर्वचोदितः विधिः स्यात्) पहले [८।१५९ में] कही हुई विधि लागू होगी किन्तु (दान-प्रतिभुवि प्रेते) ऋण आदि देने का जमानती होकर [कि अगर कर्जदार नहीं देगा तो मैं दूंगा] पुनः जमानती के मर जाने पर (दायादान् + अपि दापयेत्) राजा जमानत के धन को उसके वारिस पुत्र आदिकों से भी दिलवाये ॥ १६० ॥

अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावृणम् ।

पश्चात्प्रतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥ (६७)

(अदातरि पुनः विज्ञातप्रकृतौ) अदाता जमानती की प्रतिज्ञा की ऋणदाता को जानकारी होने की स्थिति में अर्थात् यदि जमानती ने ऋण देने की जमानत नहीं ली है, किन्तु केवल ऋणी को ऋणदाता के सामने नियत समय पर उपस्थित करने की जमानत ली है, और जमानती की इस प्रतिज्ञा की ऋणदाता जानता भी है ऐसे (प्रतिभुवि प्रेते पश्चात्) जमानती के मर जाने के बाद (दाता केन हेतुना ऋणं परीप्सेत्) ऋणदाता किस कारण अर्थात् आधार पर [उसके पुत्रादि से] ऋण प्राप्त करने की इच्छा करेगा ? अर्थात् वह उसके पुत्र आदि से ऋण प्राप्त करने का हकदार नहीं है ॥ १६१ ॥

निरादिष्टधनश्चेत् प्रतिभूः स्यादलंघनः ।

स्वधनादेव तद्दद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥१६२॥ (६८)

(चेत्) यदि (प्रतिभूः निरादिष्टधनः) ऋणी ने अपने जमानती को धन सौंप रखा हो (च) और (अलंघनः स्यात्) ऋणी ने जमानती से ऋण-दाता को वह धन लौटा देने की आज्ञा न दो हो तो ऐसी स्थिति में (निरादिष्टः) वह आज्ञा न दिया हुआ जमानती अथवा मरने पर जमानती का पुत्र (तत् स्वधनात्+एव दद्यात्) [ऋणदाता के मांगने पर] उसका धन अपने धन में से ही लौटा देवे (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रमर्यादा है ॥१६२॥

आठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन अप्रामाणिक है—

मत्तोभ्रमस्तार्थाध्याधीनैर्बासेन स्थविरेण वा ।

असंबद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धयति ॥१६३॥ (६६)

(मत्तः) नशे में ग्रस्त (उन्मत्त) पागल (—भ्रातः) शारीरिक रोगी (—ग्राधि) मानसिक रूप से दुःखी या विपत्तिग्रस्त (—अधीनः) अधीन रहनेवाले नौकर आदि से (बासेन) नाबालिग से (वा) अथवा (स्थविरेण) बहुत बूढ़े से (च) और (असंबद्धकृतः) सम्बद्ध व्यक्ति के पीछे से किसी अन्य व्यक्ति से किया गया (व्यवहार) लेन-देन (न सिद्धयति) प्रामाणिक अर्थात् मानने योग्य नहीं होता ॥ १६३ ॥

शास्त्र और नियमविरुद्ध लेन-देन अप्रामाणिक—

सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता ।

बहिश्चेद्भाष्यते धर्मानियताद्वयावहारिकात् ॥१६४॥ (१००)

(भाषा) कोई भी बात या पारस्परिक प्रतिज्ञा (चेत्) यदि (धर्मात्) धर्मशास्त्र अर्थात् कानून में (नियतात् व्यावहारिकात्) निश्चित व्यवहार से (बहिः भाष्यते) बाह्य अर्थात् विरुद्ध की हुई है (यद्यपि प्रतिष्ठिता स्यात्) चाहे वह लेख आदि द्वारा प्रमाणित भी हो तो भी (सत्या न भवति) सत्य = प्रामाणिक या मान्य नहीं होती ॥ १६४ ॥

योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम् ।

यत्र बाऽप्युपधि पश्येत्सर्वं विनिवर्तयेत् ॥१६५॥ (१०१)

(योग+आधमन—विक्रीतम्) छल-रूपट से रखी हुई धरोहर और बेची हुई वस्तु (योगदान—प्रतिग्रहम्) छल-रूपट से दी गयी और ली गई वस्तु (वा) अथवा (यत्र अपि+उपधि पश्येत्) जिस-किसी भी व्यवहार में छल-रूपट दिखायी पड़े (तत् सर्वं विनिवर्तयेत्) उस सब को रद्द या अमान्य घोषित कर दे ॥ १६५ ॥

कुटुम्बार्थं लिए गये धन को कुटुम्बी लौटायें—

ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्बार्थं कृतो व्ययः ।

दातव्यं बान्धवैस्तस्यात्प्रविभक्तं रपि स्वतः ॥१६६॥ (१०२)

(कुटुम्बार्थं व्ययः कृतः) यदि किसी व्यक्ति ने परिवार के लिए ऋण लेकर खर्च किया हो और (यदि ग्रहीता नष्टः स्यात्) यदि ऋण लेने वाले की मृत्यु हो गई हो तो (तत्) वह ऋण (बान्धवैः) उसके पारिवारिक सम्बन्धियों को (विभक्तैः + अपि) चाहे वे भ्रलग-भ्रलग भी क्यों न हो गये हों (स्वतः) अपने धन में से (दातव्यम् स्यात्) देना चाहिए ॥ १६६ ॥

कुटुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि यं व्यवहारं समाचरेत् ।

स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायान् विचालयेत् ॥१६७॥ (१०३)

(अधि + अधीनः + अपि) कोई अधीनस्थ व्यक्ति [पुत्र, पत्नी आदि] भी यदि (कुटुम्बार्थं) परिवार के भरण-पोषण के लिए (स्वदेशे वा विदेशे वा) स्वदेश वा विदेश में (यं व्यवहारम् + प्राचरेत्) जिस लेन-देन के व्यवहार को कर लेवे (ज्यायान्) घर का बड़ा = मुखिया आदमी (तं न विचालयेत्) उस व्यवहार को टालमटोल न करे अर्थात् उसे स्वीकार करके चुकता कर दे ॥ १६७ ॥

बलात् कराई गई सब बातें ग्रमान्य—

बलात्तं बलाद् भुक्तं बलाद्यच्चापि लेखितम् ।

सर्वान्बलकृतान्बलिकृतान्मनुरब्रवीत् ॥ १६८ ॥

(बलात् दत्तम्) जबरदस्ती दी हुई वस्तु (बलात् भुक्तम्) जबरदस्ती उपभोग में लायी वस्तु (च + अपि) और (बलात् लेखितम्) जबरदस्ती लिखवाये गये कागज आदि (सर्वान् बलकृतान् + अर्थान्) सभी जबरदस्ती से किये गये कामों को (मनुः अकृतान् अब्रवीत्) मनु ने नहीं किये गये अर्थात् ग्रमान्य कहा है ॥ १६८ ॥

त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् ।

चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आठघो वणिङ् नृपः ॥ १६९ ॥

(साक्षिणः प्रतिभूः कुलम्) साक्षिलोग, जमानती, पारिवारिकजन (त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति) ये तीनों सदा दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं (तु) और (विप्रः आठघो वणिक् नृपः) ब्राह्मण, साहूकार = ऋणदानी, व्यापारी और राजा (चत्वारः उपचीयन्ते) ये चार दूसरों से समृद्ध होते हैं ॥ १६९ ॥

ग्रमादेयं नादधीत परिक्षीणोऽपि पाषिवः ।

न आदेयं समृद्धोऽपि सूक्ष्ममप्यर्थमुत्सृजेत् ॥ १७० ॥

(परिक्लीणः + अपि पाथिवः) धन से क्षीण हुआ भी राजा (अनादेयं न प्राद-
दीत) न लेने योग्य अर्थात् अनुचित धन को न ले (समृद्धः + अपि) और धन से समृद्ध
होते हुए भी (आदेयम्) लेने योग्य अर्थात् उचित (सूक्ष्मम् + अपि + अर्थं न उस्मृजेत्)
थोड़े धन को भी न छोड़े ॥ १७० ॥

अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् ।

दौर्बल्यं स्थाप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥

(अनादेयस्य आदानात्) अनुचित धन के लेने से (च) और (आदेयस्य वर्जनात्)
लेने योग्य उचित धन के छोड़ने से (राज्ञः दौर्बल्यं स्थाप्यते) राजा की दुर्बलता समझी
जाती है (सः) और वह राजा [इस अधर्म के कारण] (इह च प्रेत्य नश्यति) इस जन्म
में [अपयश के कारण] और परजन्म में [अधर्म फल के कारण] विनाश को प्राप्त
होता है ॥ १७१ ॥

स्वादानाद्वर्णसंसर्गस्त्वबलानां च रक्षणात् ।

बलं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते ॥ १७२ ॥

(स्व + आदानात्) उचित धन लेने से (वर्णसंसर्गात्) वर्णों के परस्पर ठीक
सम्बन्ध रखने से (च) और (अबलानां रक्षणात्) निर्बलों की रक्षा करने से (राज्ञः बलं
संजायते) राजा की शक्ति बढ़ती जाती है और (सः) वह (इह च प्रेत्य वर्धते) इस जन्म
और परजन्म में समृद्धि को प्राप्त होता है [‘तु’ पादपूर्त्यर्थ है] ॥ १७२ ॥

तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हिरवा प्रियाप्रिये ।

वर्तेत याम्यया वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३ ॥

(तस्मात्) इसलिए (स्वामी) राजा (यमः + इव) यमराज के समान (स्वयं
प्रिय + अप्रिये हित्वा) अपने प्रिय तथा अप्रिय को त्यागकर (जितक्रोधः) क्रोध को जीत-
कर (जितेन्द्रियः) इन्द्रियों को वश में करके (याम्यया वृत्त्या) यम के सदृश समानभाव
से (वर्तेत) वर्तव करे ॥ १७३ ॥

यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिपः ।

अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

(यः तु नराधिपः) जो राजा (मोहात्) मोह से वशीभूत होकर (अधर्मेण)
अधर्मपूर्वक (कार्याणि कुर्यात्) कार्य करना है (तं दुरात्मानम्) उस दुष्टात्मा राजा को
(अचिरात्) शीघ्र ही (शत्रवः वशे कुर्वन्ति) शत्रु लोग वश में कर लेते हैं ॥ १७४ ॥

कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान्धर्मेण ददयति ।

प्रजास्तत्रनुवर्तन्ते सपुत्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥

(यः) जो राजा (कामक्रोधौ तु संयम्य) काम और क्रोध को त्यागकर (अर्थान्)
मुकद्गर्भों को (धर्मेण) धर्म = न्याय के अनुसार (पश्यति) देखता है = निर्णय करता है

(तं) उस राजा को (सिन्धवः समुद्रम् + इव प्रजाः अनुवर्तन्ते) जैसे नदियाँ समुद्र का अनुगमन करती हैं, वैसे प्रजाएं भी उसका अनुगमन करती हैं ॥ १७५ ॥

यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्वनिकं नृपे ।

स राजा तत्त्वचतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ १७६ ॥

(यः) जो कर्जदार (छन्देन साधयन्तम्) स्वेच्छा से धन वसूल करते समय (वनिकं नृपे निवेदयेत्) ऋणदाता धनी की राजा को शिकायत करे तो (राज्ञा सः तत् चतुर्भागं दाप्यः) राजा उस व्यक्ति को चतुर्थांश धन से दण्डित करे (च) और (तस्य तत् धनम्) उस धनी का सारा धन भी दिलवाये ॥ १७६ ॥

कर्मणाऽपि समं कुर्याद्वनिकायाधर्मणिकः ।

समोऽवकृष्टजातिस्तु दद्याच्छ्रेयांस्तु तच्छ्रेयः ॥ १७७ ॥

(अधर्मणिकः) कर्जदार व्यक्ति यदि ऋण देने में असमर्थ हो (तु) और (समः + अवकृष्टजातिः) समान या निम्न जाति का हो तो (धनिकाय) धनिक के यहां (कर्मणा + अपि समं कुर्यात्) शरीर का काम करके भी व्याज या ऋण को चुका दे (तु) किन्तु यदि वह (श्रेयान्) ऊँची जाति का है तो (तन् + सनैः दद्यात्) उस ऋण या व्याज को थोड़ा-थोड़ा करके किशतों में चुका दे ॥ १७७ ॥

अनुशीलन : १६८ से १७७ श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. शैलीगत आधार—१६८ वें श्लोक में “मनुः अग्रवीत्” पदों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह रचना मनु से भिन्न परवर्ती व्यक्ति की है, अतः यह प्रक्षिप्त है। इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इस पर आधारित अन्य सभी श्लोक स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।

२. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वापर श्लोक में ‘ऋण देने-लेने’ का प्रसंग है। १६६ से १७४ श्लोकों में राजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया है, जो यहाँ असंगत है। इस असंगति के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) ऋण लेने-देने से सम्बन्धित सभी बातों का प्रसंग १६७ तक पूर्ण हो चुका है। प्रसंग-समाप्ति के पश्चात् १७६-१७७ में पुनः साहूकार और कर्जदार का प्रसंग चञ्चल प्रसंगविरोध है। अतः इस आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. अन्तर्विरोध—१७७ वें श्लोक में जो महाजन द्वारा ऋण के बदले काम कराने का कथन किया है, वह मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है। यहाँ राजा के द्वारा निर्णय करने का प्रसंग है, न कि महाजन द्वारा स्वयं निर्णय लेने का। न्यायालय में प्रार्थना करने पर राजा निर्णय करके या तो धन दिलायेगा या उसे दण्ड देगा, और धन किस प्रकार लौटाना है, यह निर्णय भी राजा ही देगा [८। १६६]। इस आधार पर भी यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम् ।

साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत् ॥ १७८ ॥

(१०४)

(राजा) राजा (मिथः विवदतां नृणाम्) परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों के (साक्षि-प्रत्ययसिद्धानि कार्याणि) साक्षी और लेख आदि प्रमाणों से प्रमाणित मुकद्दमों को (अनेन विधिना) इस उपर्युक्त [८।६ से ८।१७७] विधि से (समतां नयेत्) सबसे बराबर न्याय करता हुआ निर्णय करे ॥ १७८ ॥

(२) धरोहर रखने के विवाद का निर्णय (१७६-१६६)

कुलजे वृत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि ।

महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षिपेद् बुधः ॥ १७९ ॥ (१०५)

(बुधः) बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिए कि वह (कुलजे) कुलीन (वृत्त-सम्पन्ने) अच्छे आचरण वाले (धर्मज्ञे) धर्मज्ञ (सत्यवादिनि) सत्यवादी (महापक्षे) विस्तृत व्यापार या बहुत परिवार वाले (आर्ये धनिनि) श्रेष्ठ धनवान् व्यक्ति के यहां (निक्षेपं निक्षिपेत्) धरोहर रखे ॥ १७९ ॥

यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थं यस्य मानवः ।

स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८० ॥ (१०६)

(यः) जो धरोहर रखने वाला (मानवः) मनुष्य (यम् + अर्थम्) जिस धन को (यस्य हस्ते) जिस किसी के हाथ में (यथा निक्षिपेत्) जैसे अर्थात् मुहरबन्द या बिना मुहरबन्द, साक्षियों के सामने या एकान्त में, जैसी धन की मात्रा अवस्था आदि के रूप में रखे (सः) वह धन (तथा + एव) वैसी स्थिति के अनुसार ही (ग्रहीतव्यः) वापिस लेना चाहिए क्योंकि (यथा दायः तथा ग्रहः) जैसा देना वैसा ही लेना होता है [तुलनार्थं द्रष्टव्यं ८।१६५]

॥ १८० ॥

यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति ।

स याच्यः प्राड्विवाकेन तन्निक्षेप्तुरसन्निधौ ॥ १८१ ॥

(१०७)

(यः) जो धरोहर रखने वाला (निक्षेप्तुः निक्षेपम्) धरोहर रखाने वाले के द्वारा अपनी धरोहर के (याच्यमानः) मांगने पर (न प्रयच्छति) नहीं लौटाता है तो [धरोहर रखाने वाले के द्वारा न्यायालय में प्रार्थना करने पर] (तत् निक्षेप्तुः + असन्निधौ) धरोहर रखाने वाले की अनुपस्थिति में या परोक्षरूप से (प्राड्विवाकेन सः याच्यः) न्यायाधीश उससे धरोहर मांगे

[८।१८२] अर्थात् धरोहर लौटाने के लिये उससे पूछताछ आदि करे।
॥ १८१ ॥

साक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्वयोरूपसमन्वितैः ।

अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥ (१०८)

(साक्षी+अभावे) दिये गये धरोहर-धन को सिद्ध करने के लिए यदि साक्षी न हों [तो उसकी जांच-पड़ताल का एक उपाय यह है कि राजा] (वयः-रूप-समन्वितैः) समयानुसार अवस्था और विविध रूप बनाने की कला में चतुर (प्रणिधिभिः) गुप्तचरों के द्वारा (अपदेशैः) विभिन्न बहानों एवं तरीकों से (तत्त्वतः) जो नकली प्रतीत न हों अर्थात् ऐसी स्वाभाविक पद्धति से (तस्य) उस अभियोगी के यहां (हिरण्यं संन्यस्य) स्वर्ण आदि धरोहर आदि का धन रखवाकर फिर मांगे ॥ १८२ ॥

अनुशीलन : हिरण्य से विशेष अभिप्राय—

‘हिरण्य’ का प्रसिद्ध अर्थ स्वर्ण है। किसी भी अतिमूल्यवान् वस्तु को भी ‘हिरण्य’ कहा जाता है। यहां ‘हिरण्य’ रखकर परीक्षा करने की विधि बड़ी मनोवैज्ञानिक है। यतोहि लालची व्यक्ति महंगी वस्तु पर अधिक लालच प्रकट करेगा, जिससे उसकी भावना प्रकट हो जायेगी कि इसने इस प्रकार का अपराध किया है अथवा नहीं।

स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् ।

न तत्र विद्यते किञ्चित्परैरभिगुज्यते ॥ १८३ ॥ (१०९)

(सः) वह धरोहर लेने वाला अभियोगी व्यक्ति [अनेक बार, विभिन्न प्रकार के उपायों से परीक्षा करने के पश्चात्] (यदि यथान्यस्तं यथाकृतं प्रतिपद्येत) यदि रखी हुई धरोहर को ईमानदारी से ज्यों का त्यों वापिस कर देता है तो (यत् परैः+अभिगुज्यते) जो दूसरों के द्वारा उस पर अभियोग लगाया गया है (तत्र न किञ्चित् विद्यते) उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ऐसा समझना चाहिए ॥ १८३ ॥

तेषां न दद्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथाविधि ।

उभौ निगूह्य वाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥ १८४ ॥

(११०)

(यदि तु) और अगर (तेषां तत् हिरण्यम्) उन गुप्तचरों द्वारा रखी गई स्वर्ण आदि धरोहर को (यथाविधि) ज्यों का त्यों (न दद्यात्) न लौटावे तो (उभौ निगूह्य) धरोहर रखाने वाले तथा गुप्तचरों द्वारा रखी

गई, उन दोनों धरोहरों को अपने वश में लेकर (दाप्यः स्यात्) धरोहर रखने वाले को दण्डित करे (इति धर्मस्य धारणा) ऐसा धर्मानुसार दण्ड-विधान है ॥१८४॥

निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयी प्रत्यनन्तरे ।

नश्यतो विनिपाते तावन्निपाते स्वनाशिनौ ॥ १८५ ॥ (१११)

(नित्यम्) कभी भी (निक्षेप+उपनिधी) बिना मुहरबन्द=गिरवी धरोहर और मुहरबन्द धरोहर (अनन्तरे प्रति) देने वाले से भिन्न निकट-तम व्यक्ति को [चाहे वे पुत्र आदि ही क्यों न हों] (न देयी) नहीं देनी चाहियें (तौ) ये (विनिपाते नश्यतः) देने वाले के मर जाने पर नष्ट हो जाती हैं अर्थात् लौटानी नहीं पड़तीं (तु) और (अनिपाते) जीवित रहते हुए (अनाशिनौ) कभी नष्ट नहीं होतीं ॥ १८५ ॥

स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे ।

न स राजा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः ॥१८६॥(११२)

(मृतस्य अनन्तरे प्रति) धरोहर देने वाले के मर जाने पर उसके वारिसों को (यः स्वयम्+एव दद्यात्) जो व्यक्ति स्वयं ही धरोहर लौटा दे तो (सः) उस व्यक्ति पर (न राजा) न तो राजा को (न निक्षेप्तुः बन्धुभिः) और न धरोहर रखाने वाले के उत्तराधिकारी बान्धवों को (नियोक्तव्यः) किसी प्रकार का दावा या संदेह करना चाहिए ॥ १८६ ॥

अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमयं प्रीतिपूर्वकम् ।

विचार्य तस्य वा वृत्तं साम्नेनैव परिसाधयेत् ॥१८७॥ (११३)

(तम्+अर्थम्) यदि उस व्यक्ति के पास कुछ धन रह भी गया है तो उस धन को (अच्छलेन) छलरहित होकर (प्रीतिपूर्वकम्+एव) प्रेमपूर्वक ही (अन्+इच्छेत्) लेने की इच्छा करे (वा) और (तस्य वृत्तं विचार्य) उसके भलेपन को ध्यान में रखते हुए [कि उसने स्वयं ही कुछ धन लौटा दिया] (साम्ना+एव परिसाधयेत्) शान्तिपूर्वक या मेल-जोल से ही धन-प्राप्ति के काम को सिद्ध करले ॥ १८७ ॥

निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधने ।

समुद्रे नाप्नुयात्किञ्चिद्वि तस्मान्न संहरेत् ॥ १८८ ॥ (११४)

(एषु सर्वेषु निक्षेपेषु) उपर्युक्त सब प्रकार के बिना मुहरबन्द निक्षेपों में (परिसाधने) विवादों का निर्णय करने के लिए (विधिः स्यात्) यह विधि [८१८२ आदि] कही गयी है और (समुद्रे) मोहरबन्द धरोहरों में (यदि

तस्मात् न हरेत्) यदि उसमें से मुद्गर को तोड़कर रखने वाला कुछ नहीं लेता है तो (किञ्चित् न+आप्नुयात्) वह किसी दोष का भागी नहीं होता ॥ १८८ ॥

चौरहृतं जलेनोदमग्निना दग्धमेव वा ।

न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किञ्चन ॥१८९॥ (११५)

(तस्मात्) रखे हुए धरोहर में से (यदि सः किञ्चन न संहरति) यदि धरोहर लेने वाला कुछ नहीं लेता है और धरोहर (चौरः हृतम्) चोरों के द्वारा चुरा ली जाये (जलेन+ऊढम्) जल में बह जाये (वा) या (अग्निना एव दग्धम्) आग से ही जल जाये तो (न दद्यात्) धरोहर लेने वाला धरोहर को न लौटाये ॥ १८९ ॥

निक्षेपस्यापहृत्तरमनिक्षेप्ता मेव च ।

सर्वेषामयैरन्विच्छेच्छपथंश्च वैदिकैः ॥ १९० ॥

(निक्षेपस्य+अपहृत्तरम्) धरोहर का अपहरण करने वाले अथवा वापिस न लौटाने वाले का (च) और (अनिक्षेप्ताम्+एव) बिना दिये ही धरोहर मांगने वाले का (सर्वैः उपायैः) सब साम, दण्ड आदि उपायों से (च) और (वैदिकैः शपथैः) वैदिक शपथों से (अनु+इच्छेत्) निर्णय करे ॥ १९० ॥

अनुशीलन : १९० वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—(१) इस श्लोक में धरोहर आदि का निर्णय शपथ और साम, दाम आदि उपायों से बताया है, जबकि पिछला सारा प्रसंग इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि विवादों का निर्णय लिखा-पढ़ी एवं साक्षियों से करना चाहिये (८। ५२, ५७; ८। ४४, ४५)। (२) शपथ को मनु ने कहीं सत्य या न्याय का आधार नहीं माना है। यदि शपथ को ही सत्य का आधार मान लिया जाये तो, यों तो सभी शपथ कर लेंगे! इस तरह राजा की आकृति-सकेत आदि से लोगों के अन्तर्मन को जानने की (८। २५, २६) आवश्यकता ही कहां रह जाती है? मनु इस बात को सत्य का आधार नहीं मानते, इसलिए सच्चे, झूठे साक्षियों की परख की बात कहते हैं और साक्षियों के अभाव में वे गुप्तचरों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का विधान करते हैं (८। १८२-१८४)। इस विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

यो निक्षेपं नार्पयति यद्वानिक्षिप्य याचते ।

तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् ॥१९१॥ (११६)

(यः) जो (निक्षेपं न+अर्पयति) धरोहर को वापिस नहीं लौटाता (च) और (यः) जो (अनिक्षिप्य याचते) बिना धरोहर रखे झूठ ही मांगता

है (तो+उभौ) वे दोनों प्रकार के व्यक्ति (चोरवत् शास्यौ) चोर के समान दण्ड के भागी हैं (वा) अथवा (तत् समं दमं दाप्यौ) बताये गये धन के बराबर अर्धदण्ड के द्वारा दण्डनीय हैं ॥ १६१ ॥

निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेद्दमम् ।

तयोऽपनिधिहर्तारमविशेषेण पायिवः ॥ १६२ ॥

(पायिवः) राजा (निक्षेपस्य+प्रपहर्तारम्) धरोहर का अपहरण करने वाले अर्थात् वापिस न लौटाने वाले को (तत् समं दमं दापयेत्) उस धरोहर के बराबर का अर्धदण्ड करे (तथा) उसी प्रकार (प्रविशेषेण) 'समानरूप से उतना ही दण्ड' (उप-निधिहर्तारम्) उपनिधि हरने वालों को भी दे ॥ १६२ ॥

अनुव्याख्यान : १६२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

पुनरुक्ति—१६१ वें श्लोक में निक्षेपहर्ता को समान दण्ड देने का विधान कर दिया है। उपनिधिका विधान भी उसी में अन्तर्भूत हो जाता है। १६२ में पुनः उस बात का कथन पुनरुक्तिमात्र है, अतः प्रक्षिप्त है।

उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः ।

ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैर्वधैः ॥ १६३ ॥

(११७)

(यः कश्चित् नरः) जो कोई मनुष्य (उपधाभिः) छल-कपट या जाल-साजी से (परद्रव्यं हरेत्) दूसरों का धन हरण करे (सः) राजा उसे (सस-हायः) उसके सहायकों सहित (प्रकाशम्) जनता के सामने (विविधैः वधैः हन्तव्यः) विविध प्रकार के वधों [कोड़े या बेंत मारना, हाथ-पैर काटना आदि] से दण्डित करे ॥ १६३ ॥

निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसन्निधौ ।

तावानेव स विज्ञेयो विब्रुवन्ऽण्डमर्हति ॥ १६४ ॥ (११८)

(कुलसन्निधौ) साक्षियों के सामने (येन) जिसने (यः च यावान् निक्षेपः कृतः) जो वस्तु और जितना धरोहर के रूप में रखा है (सः) वह (तावान्+एव विज्ञेयः) उतना ही समझना चाहिए अर्थात् धरोहर घटती या बढ़ती नहीं है (विब्रुवन्) उसके विरुद्ध कहने वाला भी (दण्डम्+अर्हति) दण्ड का भागी होता है ॥ १६४ ॥

मियो दायः कृतो येन गृहीतो मिय एव वा ।

मिय एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १६५ ॥ (११९)

(येन मिथः दायः कृतः) जिस व्यक्ति ने बिना साक्षियों के परस्पर ही सहमति से धरोहर या धन दिया है (वा) अथवा (मिथः एव गृहीतः) उसी प्रकार एकान्त में ग्रहण किया है उन्हें (मिथः एव प्रदातव्यः) उसी प्रकार एकान्त में लौटा देना चाहिए (यथा दायः तथा ग्रहः) क्योंकि जैसा देना वैसा ही लेना होता है [तुलनायं द्रष्टव्यं ८। १८०] ॥ १६५ ॥

निक्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च ।

राजाविनिर्णयं कुर्यादक्षिण्वन्यासधारिणम् ॥१६६॥ (१२०)

(एवम्) इस प्रकार [८। १७६ से ८। १६५ तक] (निक्षिप्तस्य) धरोहर के रूप में रखे गये (च) और (प्रीत्या + उपनिहितस्य धनस्य) प्रेमपूर्वक उपनिधि आदि के रूप में रखे गये धन का (न्यासधारिणम् अक्षिण्वन्) जिससे धरोहर रखने वाले को किसी प्रकार की हानि न हो ऐसे (राजा विनिर्णयं कुर्यात्) राजा निर्णय करे ॥ १६६ ॥

(३) तृतीय विवाद 'अस्वानिविक्रय' का निर्णय—१६७-२०५

दूसरे की वस्तु बेच देना—

विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः ।

न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥१६७॥ (१२१)

(यः) जो मनुष्य (अस्वामी) किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता हुआ भी (स्वामी + असंमतः) उस वस्तु के असली स्वामी की आज्ञा लिए बिना (परस्य स्वं विक्रीणीते) दूसरे की सम्पत्ति को बेच देता है (अस्तेनमानिनम्) चोर होते हुए भी स्वयं को चोर न समझने वाले (स्तेनं तम्) उस चोर व्यक्ति की (साक्ष्यं न नयेत) साक्षी या बातों को प्रामाणिक न माने ॥१६७॥

अवहार्यो भवेच्चैव सान्वयः षट्शतं दमम् ।

निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चोरकित्विषम् ॥१६८॥ (१२२)

(अवहार्यः सान्वयः एव भवेत्) यदि इस प्रकार [८। १६७] सम्पत्ति को बेचने वाला वंश से स्वामी का उत्तराधिकारी हो तो (षट्शतं दमम्) राजा उस पर छह सौ पण दण्ड करे और यदि वह (निरन्वयः) स्वामी के वंश का न हो, तथा (अनपसरः) या कोई जबरदस्ती उस सम्पत्ति पर अधिकार करने वाला हो तो वह (चोरकित्विषं प्राप्तः स्यात्) चोर के दण्ड को [८। ३०१-३४३] प्राप्त करने योग्य होगा ॥ १६८ ॥

अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा ।

अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥१६६॥ (१२३)

(अस्वामिना) वास्तविक स्वामी के बिना (यः तु दायः वा विक्रयः कृतः) जो कुछ भी देना या बेचना किया जाये (व्यवहारे यथा स्थितिः) व्यवहार के नियम के अनुसार (सः तु अकृतः विज्ञेयः) उस कार्य को 'न किया हुआ' ही समझना चाहिए ॥ १६६ ॥

सम्भोगो दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित् ।

आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥२००॥ (१२४)

(यत्र सम्भोगः दृश्यते) जहां किसी वस्तु का उपभोग किया जाना देखा जाये (आगमः क्वचित् न दृश्यते) किन्तु उसका आगम=आने का साधन या स्रोत न दिखाई पड़े (तत्र) वहां (आगमः कारणम्) आगम=वस्तु की प्राप्ति के स्रोत या साधन के होने का प्रमाण मानना चाहिए (संभोगः न) उपभोग करना उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं है (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है। अर्थात्—किसी वस्तु के उपभोग करने से कोई व्यक्ति उसका स्वामी नहीं बन जाता अपितु 'उचित प्राप्ति' को सिद्ध करने पर ही उसे उस वस्तु का स्वामी माना जा सकता है ॥ २०० ॥

विक्रयाद्यो धनं किञ्चित् गृह्णीयात्कुलसन्निधौ ।

क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम् ॥२०१॥ (१२५)

(यः) जो व्यक्ति (किञ्चित् विक्रयात्) किसी वस्तु को बेचकर (धनं गृह्णीयात्) धन प्राप्त करना चाहे तो वह (कुलसन्निधौ) साक्षियों या कुल के लोगों के बीच में (विशुद्धं क्रयेण हि) उस बेची जाने वाली वस्तु की खरीददारी को विशुद्ध प्रमाणित करके ही (न्यायतः धनं लभते) न्यायानुसार धन प्राप्त करने का अधिकारी होता है अर्थात् जिस वस्तु को वह बेच रहा है वह विशुद्ध रूप से उसकी है या उसने कानूनी तौर पर खरीद रखी है, यह बात सिद्ध करने पर ही वह उस बेची हुई वस्तु के धन को प्राप्त करने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। जो उसकी विशुद्ध खरीददारी को प्रमाणित नहीं कर सकता, वह न उस वस्तु को बेचने का हकदार है और न उसके विक्रय के धन को प्राप्त करने का ॥ २०१ ॥

अथ मूलमनाहार्यं प्रकाशक्रयशोधितः ।

अदृष्टो मुष्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम् ॥२०२॥ (१२६)

(अथ मूलम्+अनाहार्यम्) अगर कोई वस्तु न लेने योग्य अर्थात्

अवैध सिद्ध होता है अर्थात् मूलरूप से वह कहीं से आयी है और किस की है यह पता न हो और खरीददार ने उस वस्तु की (प्रकाश-क्रय-शोधितः) लोगों के सामने शुद्ध रूप से खरीददारी की है, तो ऐसी स्थिति में उस अवैध वस्तु का खरीददार (राजा अदण्ड्यः मुच्यते) राजा के द्वारा दण्डनीय नहीं होता, राजा उसे छोड़ दे, और (नाष्टिकः धनं लभते) जिसका वह धन मूलरूप से है, उसे लौटा दे ॥ २०२ ॥

नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमर्हति ।

न चासारं न च म्यूनं न दूरेण तिरोहितम् ॥ २०३ ॥ (१२७)

(अन्येन अन्यत् संसृष्टरूपम्) एक वस्तु में उससे मिलते-जुलते रङ्ग-रूप वाली कम कीमत वाली या खराब वस्तु मिलाकर (न विक्रयम् + अर्हति) नहीं बेची जा सकती (च) और (न असारम्) न बेकार वस्तु (न म्यूनम्) न तोल में कम (न दूरेण तिरोहितम्) न दूर से अस्पष्ट दिखने वाली वस्तु को बेचना प्रामाणिक है ॥ २०३ ॥

अनुयत्तिः : इस प्रकार से वस्तुओं का बेचना भी दूसरे की वस्तु बेचने के समान दण्डनीय है। और इस प्रकार मिलावट या धोखा करने वाला व्यक्ति भी चोर के समान दण्डनीय होता है [१६७-१६८] या ६। २८६-२८७ के अनुसार दोष देखकर दण्ड दे।

अन्यां चेद्दर्शयित्वा वोढुः कन्या प्रदीयते ।

उभे त एकशुल्केन बहेदित्यब्रवीन्मनुः ॥ २०४ ॥

(अन्यां दर्शयित्वा) किसी सुन्दर दूसरी कन्या को दिखाकर (वोढुः) वर को (अन्यां चेत् कन्या प्रदीयते) अगर उससे भिन्न दूसरी कन्या व्याह दी जाये (ते उभे) उन दोनों को (एकशुल्केन) एक कन्या के लिए निश्चित किये गये उसी मूल्य में (बहेत्) वर विवाह कर ले जाये (इति मनुः अब्रवीत्) ऐसा मनु ने कहा है ॥ २०४ ॥

उन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमैयुना ।

पूर्वं दोषानभित्याप्य प्रदाता दण्डमर्हति ॥ २०५ ॥

(उन्मत्तायाः) पागल (कुष्ठिन्या) कोढ़ी (च) और (या स्पृष्टमैयुना) जिसके साथ पहले मैयुन हो चुका है (पूर्वं दोषान् + अभित्याप्य) ऐसी कन्या के दोषों को पहले बतलाकर (प्रदाता) जो वर को कन्या प्रदान करता है (दण्डं न + अर्हति) वह दण्डनीय नहीं होता ॥ २०५ ॥

अनुयत्तिः : २०४— २०५ श्लोक निम्न आधारों पर प्रसिद्ध हैं।

१. श्रुतीगत आधार— २०४ श्लोकोक्त, 'इति अब्रवीत् मनुः' पदों द्वारा यह

श्लोक मनु से भिन्न किसी ग्रन्थ परवर्ती व्यक्ति की रचना सिद्ध होती है, अतः यह प्रक्षिप्त है। २०५ वां श्लोक इससे सम्बद्ध है, अतः इसके प्रक्षिप्त होने पर वह भी स्वतः प्रक्षिप्त बन जाता है।

२. प्रसंगविरोध—यहाँ १६७ से 'दूधरे की वस्तु को बचने' के विवाद निर्णय का प्रसंग है। इससे कन्या को बदलने की चर्चा करना प्रचलित प्रसंग से विरुद्ध बात है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों के वर्णन से ध्वनिता होता है कि इन श्लोकों का रचयिता कन्या को विक्रय की वस्तु मानता है। यह मान्यता मनु के विरुद्ध है। मनु ने विना शुल्क के विवाहों का विधान किया है (३।५१—५४)। इस प्रकार शुल्क का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) अतुर्थ विवाद 'मानूहिक व्यापार' का निर्णय [२०६-२१५]

मिलजुलकर उन्नति या व्यापार करना—

ऋत्विग्वदि वृतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत् ।

तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽशः सह कर्तुंभिः ॥ २०६ ॥

(यदि यज्ञे वृतः ऋत्विक्) यदि यज्ञमान के द्वारा यज्ञ में वरण किया हुआ ऋत्विक् [२।११८] (स्वकर्म परिहापयेत्) किसी कारण से अपने काम को पूरा नहीं करता तो (कर्म + अनुरूपेण तस्य) जितना उसने काम किया है उसके हिसाब से उसको और (सह कर्तुंभिः) उसके सहयोगियों को (अंशः) उनका हिस्सा (देयः) देना चाहिए ॥ २०६ ॥

दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन् ।

कृत्स्नमेव लभेताशमन्यैर्न च कारयेत् ॥ २०७ ॥

(च) और यदि (दत्तासु दक्षिणासु) सारी दक्षिणा पहले दे देने पर (स्वकर्म परिहापयन्) फिर यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं करता तो (कृत्स्नम् + एव) सम्पूर्ण रूप से लभेताशमन्यैर्न च कारयेत् ॥ २०७ ॥

यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युःकृताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः ।

स एव ता आददीत भजेरन्सर्व एव वा ॥ २०८ ॥

(यस्मिन् कर्मणि) जिस कार्य में (याः तु प्रत्यङ्गदक्षिणाः कृताः स्युः) जो-जो प्रत्येक विभागानुसार दक्षिणाएं कही हैं (सः + एव) वह मुख्य व्यक्ति ही (ताः + आद-दीत) उन सब को ले ले [और फिर कार्यानुसार ग्रन्थों को बांट दे] (वा) अथवा (सर्वे

एव भजेरन्) सभी व्यक्ति पहले ही अपना हिस्सा निश्चित करलें [और फिर कार्य करें] ॥ २०८ ॥

रथं हरेत् वाध्वयुर्ब्रह्माधाने च वाजिनम् ।

होता वाजि हरेदध्वमुद्गाता चाप्यनः क्रये ॥ २०९ ॥

(ब्राह्मणे) आधान कार्य में (अध्वयुः रथं हरेत्) 'अध्वयु' रथ को ले (ब्रह्मा वाजिनम्) 'ब्रह्मा' घोड़े को (होता अध्वम्) 'होता' घोड़े को (च) और (उद्गाता अनः क्रये) 'उद्गाता' सोमक्रय के लिए शकट=गाड़ी को (हरेत्) प्राप्त करे ॥ २०९ ॥

अनुशीलन : २०९—२०९ तक श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—प्रसंग-संकेतक श्लोक (८।४) के अनुसार यहाँ साभा व्यापार का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रत्येक साभे व्यापार से सम्बन्धित साधारण व्यवस्था है न कि पद-विशेष के आधार पर वस्तुओं के विभाजन की व्यवस्था। इन श्लोकों में केवल यज्ञ-कार्य में वस्तुओं के विभाजन का उल्लेख इस प्रसंग के अनुकूल नहीं है। (२) इससे उक्त चार श्लोकों में 'साभे व्यापार में विभाजन की व्यवस्था' का वर्णन न होने से इनकी सम्बद्धता है। इस प्रकार प्रसंगविरोध के आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।

सर्वेषामधिनी मुख्यास्तदर्थेनाधिनीऽपरे ।

तृतीयिनस्तृतीयांशाश्चतुर्थ्यांशाश्च पादिनः ॥ २१० ॥ (१२८)

[अपने धनव्यय के अनुसार] (सर्वेषां मुख्याः अधिनः) सब साभोदारों में जो मुख्य हैं, वे कुल आय के आधे भाग को लें (अपरे अधिनः तत् अर्धेन) दूसरे नंबर के साभोदार उनसे आधा भाग ग्रहण करें (तृतीयिनः तृतीयांशाः) तीसरे नम्बर के साभोदार उन मुख्यों से एक तिहाई भाग लें (च) और (चतुर्थांशाः पादिनः) चौथे हिस्से के हिस्सेदार एक चौथाई हिस्सा लें। इस प्रकार साभे का व्यापार करें ॥ २१० ॥

तु सर्वानि कर्माणि कुर्वन्निहि मानवैः ।

तु सर्वानि कर्माणि कुर्वन्निहि मानवैः ।

(इह) इस ससार में (संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वन्निहि मानवैः) मिल-जुलकर अपने काम करने वाले मनुष्यों को (अनेन विधियोगेन) इस विधि के अनुसार (अंशप्रकल्पना कर्त्तव्या) आपस के भाग का बंटवारा करना चाहिए अर्थात् जिसका जितना साभे का अंश है तदनुसार ही लाभांश प्राप्त करना चाहिए ॥ २११ ॥

(५) पञ्चम विवाद 'दिये पदार्थ को न लौटाना' का निर्णय—
(२१२-२०३)

दान की हुई वस्तु को लौटाना—

धर्मार्थं येन दत्तं स्यात्कस्मैचिच्छाचते धनम् ।

पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत् ॥२१२॥ (१३०)

(येन) जिसने (कस्मैचित् याचते) किसी चंदा मांगने वाले को (धर्मार्थं धनं दत्तं स्यात्) धर्मकार्य के लिए धन दिया हो (च) और (पश्चात्) बाद में (तथा तत् न स्यात्) उस याचक ने जैसा कहा था वह काम नहीं किया हो तो (तस्य तत् न देयं भवेत्) उसको वह धन देने योग्य नहीं रहता अर्थात् वह धन उससे वापिस ले ले ॥ २१२ ॥

यदि संसाधयेत्तत्तु दण्डितलोभेन वा पुनः ।

राजा दाप्यः सुवर्णं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥२१३॥ (१३१)

(पुनः) वापिस मांगने पर भी (दत्तात् वा लोभेन) अभिमान या लालचवश (यदि तत् संसाधयेत्) फिर भी उस धन को वह याचक मनमाने काम में लगाये अर्थात् वापिस न करे तो (राजा) राजा (तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः) उसके चोरीरूप अपराध की निवृत्ति के लिए (सुवर्णं दाप्यः स्यात्) एक 'सुवर्ण' [८।१३४] के दण्ड से दण्डित करे, और धन भी दिलवाये ॥ २१३ ॥

(६) षष्ठ विवाद 'वैतन-प्रादान' का निर्णय—(२१४-२१७)

वैतन देने, न देने का विवाद—

दत्तस्येषोदिता धर्म्या यथावदनपक्रिया ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वैतनस्यानपक्रियाम् ॥२१४॥ (१३२)

(एषा) ये [८।२१२-२१३] (दत्तस्य) दिये हुए दान को (यथावत् + अनपक्रिया) ज्यों की त्यों न लौटाने की क्रिया (धर्म्या) धर्म के अनुसार (उदिता) कही ।

(अतः + ऊर्ध्वं) इसके बाद अब (वैतनस्य + अनपक्रियाम्) वैतन न देने के विषय का (प्रवक्ष्यामि) वर्णन करूंगा ॥ २१४ ॥

मृतो नार्तो न कुर्याद्यो दण्डिकं यथोदितम् ।

स दण्डयः कृष्णत्थान्यष्टौ न देयं चास्य वैतनम् ॥२१५॥ (१३३)

(यः) जो (भूतः) सेवक (भर्तातः) रोगरहित होते हुए भी (यथा-
उदितं कर्म) यथा निश्चित काम को (दर्पात्) अहंकार के कारण (न
कुर्यात्) न करे (सः अष्टौ कृष्णलानि दण्डयः) राजा उस पर आठ 'कृष्णल'
[७।१३४] दण्ड करे (च) और (अस्य वेतनं न देयम्) उसे उस समय का
वेतन न दे ॥ २१५ ॥

भर्तास्तु कुर्यात्स्वस्थः सन् यथाभाषितमाहितः ।

स दीर्घस्यापि कालस्य तत्त्वभेदेन वेतनम् ॥ २१६ ॥ (१३४)

यदि सेवक (स्वस्थः सन्) स्वस्थ रहता हुआ (यथाभाषितम् + आदितः
कुर्यात्) जैसा पहले कहा था या निश्चय हुआ था उसके अनुसार ठीक-ठीक
काम करता रहे तो (सः) वह (भर्तातः तु) बीमार होने पर भी (तत् दीर्घस्य
कालस्य + अपि वेतनं लभेत) उस लम्बे समय के वेतन को पाने का अधि-
कारी होता है ॥ २१६ ॥

यथोक्तमार्तः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत् ।

न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः ॥ २१७ ॥

(भर्तातः वा सुस्थः) रोगी हो या स्वस्थ हो (यः) जो सेवक (यथोक्तं कर्म न
कारयेत्) निश्चित किये या कहे काम को न करे या न कराये तो (अल्प + ऊनस्य +
अपि कर्मणः) यदि उस काम में से थोड़ा-सा भी काम बाकी छोड़ देता है तो (तस्य
वेतनं न देयम्) उस पूरे ही काम का वेतन उसे नहीं देना चाहिए ॥ २१७ ॥

अनुवर्तिता : २१७ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—२१६ वें श्लोक में ठीक काम करने वाले कर्मचारी को
रुग्णकाल का वेतन देने का आदेश है, किन्तु २१७ में पूरा करने पर ही वेतन देने का
आदेश दिया है, अन्यथा नहीं। २१६ से विरोध होने के कारण बाद का यह विधान
प्रक्षिप्त है।

(७) सप्तम विवाद 'प्रतिज्ञा विरुद्धता' का निर्णय—[२१८-२२१]

कृत-प्रतिज्ञा से फिर जाना—

एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्मं समयभेदिनाम् ॥ २१८ ॥ (१३५)

(एषः) यह [८।२१५-२१६](वेतनअदानकर्मणः) वेतन न देने का (धर्मः)
नियम (अखिलेन + उक्तः) पूर्णरूप से अर्थात् सभी के लिए कहा ।

(अतः ऊर्ध्वम्) इसके बाद अब (समयभेदिनाम्) की हुई प्रतिज्ञाः

या व्यवस्था को तोड़ने वालों के लिए (धर्मम्) विधान (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा ॥ २१८ ॥

यो ग्रामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन संविदम् ।

विसंबदेन्नरो लोभात् राष्ठाद्विप्रवासयेत् ॥ २१९ ॥ (१३६)

(यः) जो (नरः) मनुष्य (ग्राम-देश-संघानाम्) गाँव, देश या किसी समुदाय=कम्पनी आदि से (सत्येन संविदं कृत्वा) सत्यवचनपूर्वक प्रतिज्ञा, व्यवस्था, ठेका या इकरार करके (लोभात् विसंबदेत्) फिर लोभ के कारण उसे भंग कर देवे (तं राष्ठात् विप्रवासयेत्) राजा उसे राष्ट्र से बाहर निकाल दे ॥ २१९ ॥

निगृह्य दापयेच्चनं समयव्यभिचारिणम् ।

चतुः सुवर्णनिष्कान्छतमानं च राजतम् ॥ २२० ॥ (१३७)

(च) और (एनं समयव्यभिचारिणम्) इस प्रतिज्ञा या व्यवस्था को भंग करने वाले को [अपराध के स्तरानुसार] (निगृह्य) पकड़कर (चतुः सुवर्णान्) चार 'सुवर्ण' [८१३४] (पट् निष्कान्) छह 'निष्क' [८१३७] (राजतं शतमानम्) चाँदी का 'शतमान' [८१३७] (दापयेत्) दण्ड दे ।

॥ २२० ॥

एतदण्डविधिं कुर्याद्धार्मिकः पृथिवीपतिः ।

ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम् ॥ २२१ ॥ (१३८)

(धार्मिकः पृथिवीपतिः) धार्मिक राजा (ग्राम-जाति-समूहेषु) गाँव, वगैरे और समुदाय-सम्बन्धी विषयों में (समय-व्यभिचारिणाम्) प्रतिज्ञा या व्यवस्था का भंग करने वालों पर (एतत्) यह उपर्युक्त [८१२१९-२२०] (दण्डविधिम्) दण्ड का विधान (कुर्यात्) लागू करे ॥ २२१ ॥

(८) अष्टम विवाद 'क्रय-विक्रय' का निर्णय—[२२२-२२८]

खरीद-विक्री का विवाद—

क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चित्कालेऽनुशयो भवेत् ।

सोऽन्तर्दशाहात् द्रव्यं दद्याच्चैवादधीत वा ॥ २२२ ॥ (१३९)

(किञ्चित् क्रीत्वा) किसी वस्तु को खरीदकर (वा) अथवा (विक्रीय) बेचकर (यस्य) जिस व्यक्ति को (इह+अनुशयः भवेत्) मन में पश्चात्ताप अनुभव हो (सः) वह (अन्तर्दशाहात्) दश दिन के भीतर (तत् द्रव्यम्)

उस यथावत् वस्तु को (दद्यात्) लौटा दे (वा) अथवा (आददीत एव) लौटा ले ॥ २२२ ॥

परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत् ।

आददानो ददच्छेव राजा दण्डयः शतानि षट् ॥ २२३ ॥ (१४०)

(तु) परन्तु (दश+अहस्य परेण) दश दिन के बाद (न दद्यात्) न तो वापिस दे (अपि न दापयेत्) और न वापिस ले इस अवधि के बीतने पर (आददानः) यदि कोई वापिस ले (च+एव) या (ददत्) वापिस दे तो (राजा षट्शतानि दण्डयः) राजा उस पर छः सौ पण [८।१३६] का जुर्माना करे ॥ २२३ ॥

यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ।

तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं स्वयं पण्णवति पणान् ॥ २२४ ॥

(यः तु) जो व्यक्ति (दोषवतीं कन्याम्) किसी भी दोष से युक्त कन्या को (अनाख्याय) बिना दोष बनाये अर्थात् धोखे से (प्रयच्छति) वर को देता है (तस्य) उस पर (नृपः) राजा (स्वयं पण्णवति पणान् दण्डं कुर्यात्) स्वयं छिपानवे पण का दण्ड करे ॥ २२४ ॥

अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद् द्वेषेण मानवः ।

स शतं प्राप्नुयाद्दण्डं तस्या दोषमदर्शयन् ॥ २२५ ॥

(यः मानवः) जो मनुष्य (द्वेषेण) द्वेष के कारण (कन्यां तु अकन्या-इति ब्रूयात्) किसी कन्या को 'यह' कन्या नहीं है, ऐसा आक्षेप लगाये और (तस्याः दोषम् + अदर्शयन्) उसके किसी से संभोग आदि सम्बन्धों को सिद्ध न कर सके तो (सः शतं दण्डं प्राप्नुयात्) वह सौ पण दण्ड पाने योग्य है ॥ २२५ ॥

पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः ।

नाकन्यासु क्वचिन्नृणां सुप्तधर्मक्रिया हि ताः ॥ २२६ ॥

(पाणिग्रहणिका मन्त्राः) विवाह-विषयक मन्त्र (कन्यासु+एव प्रतिष्ठिताः) कन्याओं के विवाह में उच्चारण करने के लिए ही विहित हैं (अकन्यासु क्वचित् न) क्षतयोनि स्त्रियों के लिए कहीं भी नहीं कहे (हि) क्योंकि (ताः सुप्तधर्मक्रियाः) वे क्षतयोनि स्त्रियां धर्म से पतित होती हैं ॥ २२६ ॥

पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम् ।

तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्विज्ज्ञः सप्तमे पदे ॥ २२७ ॥

(पाणिग्रहणिका मन्त्राः) विवाहविषयक मन्त्र ही (नियतं दारलक्षणम्) निश्चित-रूप से पत्नी होने के प्रमाण हैं (तेषां निष्ठा तु) उन मन्त्रों की पूर्णता या सिद्धि

(विद्वद्भिः सप्तमे पदे विज्ञेया) विद्वानों को सातवें पद के पूरा होने पर समझनी चाहिये उससे पूर्व विवाह-संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता ॥ २२७ ॥

अनुशीलन : २२४-२२७ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध : (१) प्रस्तुत प्रसंग 'खरीद-विक्री के विवाद' का है। इस प्रसंग में कन्यादान का वर्णन करना असंगत है। (२) पूर्वापर २२३, २२८ श्लोकों में वस्तुओं की खरीद से सम्बन्धित व्यवस्था का वर्णन होने से श्लोकों की प्रसंगसम्बद्धता है। इन श्लोकों के भिन्न वर्णन ने उस क्रम को भंग कर दिया है। देखिए पूर्वापर श्लोक पश्चात्ताप अनुभव होने पर उस वस्तु के लौटाने से सम्बन्धित हैं। अतः बीच के श्लोक प्रसंग-भञ्जक होने से प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तविरोध—इन श्लोकों का रचयिता की माय्यता कन्या को विक्री की वस्तु मानने की प्रतीत होती है, जो मनुविरुद्ध है। मनु ने तो चार विवाहों को उचित माना है और इन सभी में शुल्क लेन-देने का स्पष्ट निषेध किया है [३-२०, २६-३४, ३६-४१ ५१-५४]

यस्मिन् यस्मिन् कृते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत् ।

तमनैन विधानेन धर्मं पथि निवेशयेत् ॥ २२८ ॥ (१४१)

(यस्मिन् यस्मिन् कार्ये कृते) जिस-जिस कार्य के करने पर (यस्य) जिस व्यक्ति को (इह + अनुशयः भवेत्) दिल में पश्चात्ताप अनुभव हो (तम्) उस व्यक्ति को राजा (अनेन विधानेन) इस उक्त [२२२-२२७] विधान के अनुसार (धर्मं पथि निवेशयेत्) धर्मयुक्त मार्ग पर स्थापित करे ॥ २२८ ॥

(६) नवम विवाद 'पालक-स्वामी' का निर्णय—(२२६-१४४)

पशु-स्वामी और खालों का विवाद—

पशुषु स्वामिनां च पालानां च व्यतिक्रमे ।

विवादं सम्प्रवक्ष्यामि यथावद्वर्तमानतः ॥ २२६ ॥ (१४२)

अब मैं (पशुषु) पशुओं के विषय में (स्वामिनां च पालानां व्यतिक्रमे) पशु-मालिकों और चरवाहों में मतभेद हो जाने पर जो झगड़ा खड़ा हो जाना है (विवादम्) उस विवाद को (धर्मतत्त्वतः) धर्मतत्त्व के अनुसार (यथावत्) ठीक-ठीक (सम्प्रवक्ष्यामि) कहूँगा— ॥ २२६ ॥

दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ स्वामिनि तद्गृहे ।

योगक्षेमेऽप्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात् ॥ २३० ॥ (१४३)

(दिवा पाने वक्तव्यता) [स्वामी द्वारा पशु चरवाहे को सौंप दिये जाने पर] दिन में चरवाहे पर बुराई या दोष आयेगा [यदि पशु कोई नुकसान करता है या पशु का नुकसान होता है तो] (रात्रौ तद्गृहे स्वामिनि) रात को स्वामी के घर में पशुओं को सौंप देने पर स्वामी पर दोष आयेगा (अभ्यया) इसके अतिरिक्त (योगक्षेमे चेत् तु) यदि दिन-रात पूर्णतः पशु-सुरक्षा या देखभाल की जिम्मेदारी चरवाहे पर हो तो उस स्थिति में (पालः वक्तव्यताम् + इयात्) चरवाहा ही बुराई या दोष का भागी माना जायेगा ॥ २३० ॥

गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुह्याद्दशतो वराम् ।

गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सा स्यात्पालेऽभृते भृतिः ॥ २३१ ॥ (१४४)

(यः तु गोपः क्षीरभृतः) जो चरवाहा स्वामी से दैनिक न लेकर दूध लेता हो (सः भृत्यः दशतः वराम्) वह नौकर प्रथम दश गायों में जो श्रेष्ठ गाय हो उसका दूध (गोस्वामी + अनुमतेः दुह्यात्) गोस्वामी की अनुमति लेकर दुहलिया करे (अभृते पाले सा भृतिः स्यात्) भरण-पोषण का व्यय न लेने पर यह दूध ही चरवाहे का पारिश्रमिक है ॥ २३१ ॥

नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम् ।

हीनं पुरुषकारेण प्रवद्यात्पाल एव तु ॥ २३२ ॥ (१४५)

(नष्टम्) यदि कोई पशु खो जाये (कृमिभिः विनष्टम्) कीड़ों के पड़ने से मरजाये (श्वहतम्) कुत्ते खा जायें (विषमे मृतम्) विपत्ति में फँसकर या ऊँचे-नीचे स्थानों में गिरने से मरजाये (पुरुषकारेण हीनम्) चरवाहे के द्वारा पुरुषार्थ न करने के कारण या उपेक्षा के कारण पशु नष्ट हो जाये तो (पालः एव प्रवद्यात्) चरवाहा ही उस पशु का देनदार है ॥ २३२ ॥

विघुष्य तु हृतं चौरैर्न पालो दातुमर्हति ।

यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥ २३३ ॥ (१४६)

(विघुष्य तु चौरैः हृतम्) यदि पशु को जबरदस्ती चोर ले जायें (च) और (यदि देशे च काले स्वामिनः स्वस्य शंसति) यदि चरवाहा देश-काल के अनुसार शीघ्र हो अपनी ओर से स्वामी को इसकी सूचना दे देता है तो (पालः दातुं न प्रर्हति) चरवाहा उस पशु का देनदार नहीं होता ॥ २३३ ॥

कर्णौ चर्म च बालाश्च बस्ति र्नायुं च रोचनाम् ।

पशुषु स्वामिनां दद्यान्मृतेष्वङ्कानि वशयेत् ॥ २३४ ॥ (१४७)

(पशुषु मृतेषु) पशुओं के स्वयं मरजाने पर चरवाहा उस पशु के

(कणी) दोनों कान (चर्म) चमड़ा (बालान्) पूँछ प्रादि के बाल (बस्तिम्) मूत्रस्थान (स्नायुम्) नसें (रोचनाम्) चर्बी (घ्रद्धानि दर्शयेत्) इन चिह्नों को दिखा दे और (स्वामिनां दद्यात्) स्वामी को उसकी लाश सौंप दे ॥ २३४ ॥

अनुधीलनः : चिह्नों के परिगणन से अभिप्राय—श्लोक में परिगणित चिह्नों को दिखाने का यह अभिप्राय है कि उन्हें देखकर स्वामी परीक्षण से यह-समझले कि पशु स्वाभाविक मोत से भरा है। किसी लालच या बदले की भावना के कारण इसे बिपि आदि से मारा नहीं गया।

अजाविके तु संरुद्धे वृकः पाले स्वनायति।

यां प्रसह्य वृको हन्यात्पाले तत्कित्विषं भवेत् ॥२३५॥ (१४८)

(अजा + अजिके) बकरी और भेड़ (वृकः संरुद्धे) भेड़ियों के द्वारा घेर लिए जाने पर (पाले तु अनायति) यदि चरवाहा उन्हें बचाने के लिए यत्न करने न आये तो (यां प्रसह्य वृकः हन्यात्) जिस बकरी या भेड़ को आक्रमण करके जवरदम्ती भेड़िया मार जाये तब (पाले तत् कित्विषं भवेत्) चरवाहे पर उसका दोष होगा अर्थात् वही उसका देनदार होगा ॥ २३५ ॥

तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने।

यामुत्प्लुत्य वृको हन्यान् पालस्तत्र कित्विषी ॥२३६॥ (१४९)

(तासां चेत् + अवरुद्धानाम्) चरवाहे ने यदि घेरकर बकरियों और भेड़ों को संभाल रखा है और उनके (वने मिथः चरन्तीनाम्) वन में भुण्ड बनाकर चरते समय (याम् + उत्प्लुत्य वृकः हन्यात्) जिस बकरी या भेड़ को एकाएक उछलकर भेड़िया मार जाये तो (तत्र पालः न कित्विषी) वही चरवाहा दोषी नहीं होता अर्थात् देनदार नहीं होता ॥ २३६ ॥

धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः।

शम्यापातस्त्रयो वाऽपि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥२३७॥ (१५०)

पशुओं के बैठने व घूमने-फिरने के लिए (ग्रामस्य समन्तात्) गांव के चारों ओर (धनुः शतम्) १०० धनुष अर्थात् चार सौ हाथ तक (वा) अथवा (त्रयः शम्यापाताः) तीन बार छड़ी फेंकने से जितनी दूर जाये वहां तक (अपि तु) और (नगरस्य त्रिगुणः) नगर में इससे तीन गुना (परीहारः) भूखण्ड (स्यात्) होना चाहिए ॥ २३७ ॥

तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि।

न तत्र प्रणयेद्दण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥२३८॥ (१५१)

(तत्र) उस पशुस्थान के पास (यदि अपरिवृतं धान्यं पशवः विहिंस्युः)

यदि विना घेरा या बाड़ बांधे अन्नो को पशु नष्ट कर दें तो (नृपतिः) राजा (तत्र) उस विषय में (पशुरक्षिणां दण्डं न प्रणयेत्) चरवाहों को दण्ड न दे ॥ २३८ ॥

वृत्तिं तत्र प्रकुर्वीत यामुष्टो न विलोकयेत् ।

छिद्रं न वारयेत्सर्वं स्वसूकरमुखानुगम् ॥२३९॥ (१५२)

(तत्र) उस पशुस्थान में (याम्+उष्ट्रः न विलोकयेत्) जिससे ऊंट उसके ऊपर से धान्य को न खा सके इतनी ऊंची (वृत्तिं कुर्यात्) बाड़ या घेरा बनाये (च) और उसमें (स्व-सूकर-मुख+अनुगम्) कुत्ते तथा सूअरों का मुँह जा मके ऐसे (सर्वं छिद्रं वारयेत्) सब तरह के छिद्रों को न छोड़ या अन्न न कर दे ॥ २३९ ॥

पथि क्षेत्रे परिवृत्ते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः ।

सपालः शतदण्डाहो विपालान्वारयेत्पशून् ॥२४०॥ (१५३)

(परिवृत्ते) बाड़ से युक्त (पथि) पशुओं के आवागमन के रास्ते में (क्षेत्रे) खेतों में (अथवा) या (ग्राम+अन्तीये) गांव या नगर के समीप वाले पशुस्थानों में पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाने पर (सपालः शतदण्ड+अर्हः) चरवाहा सी पण दण्ड का [८। १३६] भागी है (विपालान् पशून् वारयेत्) किन्तु यदि वे पशु यों ही घूमने वाले अर्थात् विना पालक के हों तो उन्हें केवल वहां से हटा दे ॥ २४० ॥

क्षेत्रेष्वथेषु तु पशुः सपादं पणमहंति ।

सर्वत्र तु सर्वो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥२४१॥ (१५४)

(अन्येषु क्षेत्रेषु तु पशुः) उपर्युक्त श्लोक [८। २४०] में वर्णित खेत आदि भिन्न स्थानों में यदि पशु नुकसान कर दें तो (सपादं पणम्+अर्हंति) सवा पण दण्ड होना चाहिए [चरवाहा या मालिक जिसकी देखरेख में वह नुकसान हुआ है उसको] (सर्वत्र तु) जहां अधिक या पूरा खेत ही नष्ट कर दिया हो तो (क्षेत्रिकस्य सदः देयः) उस खेत वाले को पूरा हर्जाना देना होगा (इति धारणा) ऐसी नियम की व्यवस्था है ॥ २४१ ॥

अग्निर्वशाहां गां सूतो ब्रूयाम्देवपशूस्तथा ।

सपालान्वा विपालान्वा न दण्ड्यान्ममुरक्षवीत् ॥ २४२ ॥

(अग्निर्वशाहां सूतां गाम्) दश दिन के भीतर की व्याई हुई गौ (ब्रूयान्) सांड (तथा) तथा (देवपशून्) देवताओं के उद्देश्य अर्थात् यज्ञादि के लिए छोड़े गये पशु (सपालान् वा विपालान्) चाहे ये चरवाहे सहित खेत को चरजायें चाहे विना

चरवाहे के (मनुः दण्डघान् न अद्वीत्) मनु ने किसी को भी दण्ड न देने का विधान किया है ॥ २४२ ॥

क्षेत्रियस्याप्यये दण्डो भागाद्दशगुणो भवेत् ।

ततोऽर्धदण्डो दृष्टवानामज्ञानाक्षेत्रिकस्य तु ॥ २४३ ॥

(क्षेत्रियस्य + अप्यये) किसान के द्वारा लापरवाही बरतने के कारण जो नुकसान हुआ हो तो (भागात्) राजा को देय कर से (दशगुणः दण्डः भवेत्) दशगुना दण्ड उस पर होना चाहिए (क्षेत्रिकस्य + अज्ञानात् भूत्यानां तु) यदि किसान की जानकारी के बिना उसके नौकरों से खेत का नुकसान हो जाये तो किसान पर (ततः + अर्धदण्डः) उससे आधा अर्थात् पांच गुना दण्ड होना चाहिए ॥ २४३ ॥

अनुवृत्तिः : २४२-२४३ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. शैलीगत आधार—२४२ वें श्लोक में 'मनु अद्वीत्' पदों से स्पष्टतः ज्ञात होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति की रचना है, अतः यह प्रक्षिप्त है। २४३ वां इससे सम्बद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त है।

२. प्रसंगविरोध—प्रस्तुत प्रसंग 'पशु द्वारा हानि करने पर किसका अपराध माना जाये' इस विषयक है। २४३ वां श्लोक इस प्रसंग से बाह्य होने के कारण प्रसंग-विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।

एतद्विधानमातिष्ठेद्धार्मिकः पृथिवीपतिः ।

स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥२४४॥ (१५५)

(धार्मिकः पृथिवीपतिः) धार्मिक राजा (स्वामिनां पशूनां च पालानां व्यतिक्रमे) स्वामी, पशु और चरवाहा इनमें कोई मतभेद या झगड़ा उपस्थित हो जाने पर (एतत् विधानम् + आतिष्ठेत्) उपयुक्त [८। २२६-२४३] विधान के अनुसार निर्णय करे ॥ २४४ ॥

(१०) सीमा-सम्बन्धी विवाद (२४५-२६५) और

उसका निर्णय—

सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोर्द्वयोः ।

ज्येष्ठे मासि नयेस्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥२४५॥ (१५६)

(द्वयोः ग्रामयोः) दो गांवों या दो समूहों का (सीमां प्रति विवादे समुत्पन्ने) सीमा-सम्बन्धी झगड़ा या मुकद्दमा खड़ा हो जाने पर (ज्येष्ठे मासि) ज्येष्ठ के महीने में (सेतुषु सुप्रकाशेषु) सीमा-चिह्नों के स्पष्ट दीखने

के बाद (सीमां नयेत्) सीमा का निर्णय करे [यह समय उन विवादों के लिए है जिनका वर्षा आदि अन्य कालों में निर्णय न हो सके] ॥ २४५ ॥

सीमावृक्षांश्च कुर्वीत न्यग्रोधाश्चत्पक्षिणुकान् ।

शाल्मलीन्तालतालांश्च क्षीरिणश्चैव पादपान् ॥२४६॥ (१५७)

गुल्मान्बैरूँश्च विविधाञ्छमीवल्लीस्थलानि च ।

शरान्कुञ्जकगुल्मान्श्च तथा सीमा न नश्यति ॥२४७॥ (१५८)

(च) और सीमा को निश्चित करने के लिए राजा (सीमावृक्षान् कुर्वीत) सीमा को बतलाने के चिह्नरूप वृक्षों को लगवाये—(न्यग्रोध) बड़ (+ प्रश्वत्थ) पीपल (—किशुकान्) ढाक (शाल्मलीन्) सेमल (तालन्तालान्) साल और ताड़वृक्ष (च) और (क्षीरिणः पादपान् + एव) दूध वाले अन्य वृक्षों को [जैसे—गूलर, पिलखन आदि] (गुल्मान्) झाड़वाले पौधों (विविधान् बैरून्) विविध प्रकार के बांसवृक्ष (शमी-वल्ली-स्थलानि) सेम की बेल तथा अन्य भूमि पर फैलने वाली लताएं (शरान्) सरकंडे या मूंज के झाड़ (च) और (कुञ्जकगुल्मान्) मालती पौध के झाड़ों को लगवाये (तथा सीमा न नश्यति) इस प्रकार करने से सीमा नष्ट नहीं होती—सुरक्षित रहती है ॥ २४६—२४७ ॥

तडागान्पुष्पाणानि चाप्यः प्रलवणानि च ।

सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥२४८॥ (१५९)

(तडागानि) तालाब (पुष्पाणानि) कएं (चाप्यः) बावड़ियां (प्रलवणानि) नाले (च) तथा (देवतायतनानि) देवस्थान=यज्ञशालाएं आदि (सीमासन्धिषु कार्याणि) सीमा के मिलने के स्थानों पर बनवाने चाहिए ॥ २४८ ॥

उपच्छन्नानि चाप्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत् ।

सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् ॥२४९॥ (१६०)

अश्मनोऽस्थीनि गोबालांस्तुषान्भस्मकपालिकाः ।

करोषमिष्टकाङ्गारांश्छर्करा बालुकास्तथा ॥२५०॥ (१६१)

यानि चैवं प्रकाराणि कालाद्भूमिर्न भक्षयेत् ।

तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥२५१॥ (१६२)

राजा (लोके) संसार में (सीमाज्ञाने) सीमा के विषय में (नृणाम्) मनुष्यों का (नित्यं विपर्ययं वीक्ष्य) सदैव मतभेद पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखता हुआ (अप्यानि उपच्छन्नानि सीमालिङ्गानि कारयेत्)

दूसरे गुप्त सोमाचिह्नों को भी करवा दे; [जैसे—] (अश्वमनः) पत्थर (अस्थीनि) हड्डियां (गोवालान्) गौ आदि पशुओं के बाल (तुषान्) तुस = चावलों के छिलके आदि (भस्म) राख (कपालिकाः) खोपड़ियां (करीषम्) सूखा गोबर (+ इष्टक) ईंटें (+ अंगारान्) कोयले (शर्करा) पत्थर की रोड़ियां = कंकड़ (तथा) तथा (वालुकाः) बालू रेत (च) और (यानि एवं प्रकाराणि) जितने भी इस प्रकार के पदार्थ हैं जिन्हें (कालात् भूमिः न भक्षयेत्) बहुत समय तक भूमि अपने रूख में न मिला सके (नानि) उनको (प्रप्रकाशानि) गुप्तरूप से अर्थात् जमीन में दबाकर (सोमायां कारयेत्) सोमास्थानों पर रखवा दे ॥ २४६-२४९ ॥

एतैर्लिङ्गैर्नयेत्सोमां राजा विवदमानयोः ।

पूर्वभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥ (१६३)

(राजा) राजा (विवदमानयोः) सीमा के विषय में लड़ने वालों की (एतैः लिङ्गैः) इन [॥ २४६-२४९] चिह्नों से (च) तथा (पूर्वभुक्त्या) पहले जो उसका उपभोग कर रहा हो, इस आधार पर (च) और (सततम् + उदकस्य + आगमेन) निरन्तर जल के प्रवाह के आगमन के आधार पर [कि पानी किस ओर से आना है आदि] (सीमां नयेत्) सीमा का निर्णय करे ॥ २५२ ॥

यदि संशय एव स्यात्लिङ्गानामपि दर्शने ।

साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिर्णयः ॥ २५३ ॥ (१६४)

(यदि लिङ्गानाम् + अपि दर्शने) यदि सीमाचिह्नों के देखने पर भी (संशय एव स्यात्) संदेह रह जाये तो (साक्षिप्रत्यय एव) साक्षियों के प्रमाण से (सीमावाद-विनिर्णयः स्यात्) सीमाविषयक विवाद का निर्णय करे ॥ २५३ ॥

ग्रामीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः ।

प्रष्टव्याः सीमालिङ्गानि तयोश्चैव विवादितोः ॥ २५४ ॥ (१६५)

राजा (ग्रामीयककुलानां च तयोः विवादितोः समक्षम्) गाँवों के कुलीन पुरुषों और उन दादो-प्रतिवादियों के सामने (सीम्नि) सीमा-स्थान पर (साक्षिणः) साक्षियों से [८। ६२-६३] (सीमालिङ्गानि प्रष्टव्याः) सीमा-चिह्नों को पूछे ॥ २५४ ॥

ते पृष्ट्वास्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः सीम्नि निश्चयम् ।

निबन्धीयात्तथा सीमां सर्वास्तांश्चैव नामतः ॥ २५५ ॥ (१६६)

राजा के द्वारा (पृष्ठाः) पूछने पर अर्थात् जांच-पड़ताल करने पर (सीम्नि निश्चयम्) सीमा-निश्चय के विषय में (ते समस्ताः यथा ब्रूयुः) वे सब—साक्षी और गाँव के उपस्थित कुलीन पुरुष जैसे एकमत होकर कहें—स्वीकार कर लें (तथा सीमां निबध्नीयात्) राजा उसी प्रकार सीमा को निर्धारित करदे (च) और (तान् सर्वान् एव नामतः) उन उपस्थित सभी साक्षियों एवं पुरुषों के नामों को भी लिखकर रख ले [जिससे पुनः विवाद उपस्थित होने पर यह ज्ञात हो सके कि किन-किन लोगों के समक्ष या गवाही से यह निर्णय हुआ था] ॥ २५५ ॥

शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वी खग्विणो रक्तवाससः ।

सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैनंयेयुस्ते समञ्जसम् ॥ २५६ ॥

(ते) वे साक्षी (शिरोभिः उर्वी गृहीत्वा) शिर पर भिट्टी रखकर (खग्विणः) गले में माला पहनकर (रक्तवाससः) लाल कपड़े पहनकर (स्वैः स्वैः सुकृतैः शापिताः) अपने-अपने पुण्यों की शपथ खाकर [कि यदि हम झूठ बोलेंगे तो हमारे भब तक किये सब पुण्य नष्ट हो जायें] (समञ्जसं नयेयुः) सीमा के विषय में स्पष्ट निर्णय दें ॥ २५६ ॥

यद्योक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः ।

विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्फुट्टिशतं दम् ॥ २५७ ॥

(यथा+उक्तेन नयन्तः) ठीक ठीक ज्यों की स्यों बात कहने पर (ते सत्य साक्षिणः पूयन्ते) वे सच्चे साक्षी पवित्र अर्थात् निर्दोष होते हैं (तु) यदि (विपरीतं नयन्तः) झूठी गवाही दें तो (द्विशतं दम् दाप्याः स्फुः) राजा उन पर दो सौ पण दण्ड करे ॥ २५७ ॥

अनुशीलन : २५६-२५७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—साक्षियों से सम्बद्ध सभी नियम और व्यवस्थाओं का विधान गत साक्षीनिर्णय [८। ५७-१३०] प्रसंग में हो चुका है। इन श्लोकों में उनसे भिन्न व्यवस्था होने के कारण ये श्लोक मनुविरुद्ध हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

इसी प्रकार साक्षियों की दण्ड-व्यवस्था भी वहाँ वर्णित है। यहाँ वर्णित दण्ड भी भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। शपथ-पद्धति मनु-सम्मत नहीं है [इस विषय पर द्रष्टव्य है ८। ६७—११६ श्लोकों पर समीक्षा 'अन्तर्विरोध']।

साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामस्तवासिनः ।

सीमाविनिर्णयं कृपुः प्रयत्ना राजसन्निधौ ॥ २५८ ॥ (१६७)

(साक्षी+अभाव) यदि सीमा-विषय में साक्षियों का भी अभाव हो

(तु) तो (सामन्तवासिनः चत्वारः ग्रामाः) समीपवर्ती चार गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति (राजसन्निधौ) राजा या न्यायाधीश के सामने (प्रयताः) पक्षपात-रहितभाव से (सीमाविनिर्णयं कुर्युः) सीमा का निर्णय करें अर्थात् सीमा निर्णय के विषय में अपना मत दें ॥ २५८ ॥

सामन्तानामभावे तु मौलानां सीम्नि साक्षिणाम् ।

इमानप्यनुपुञ्जीत

पुरुषान्वनगोचरान् ॥ २५९ ॥

(सीम्नि साक्षिणाम्) सीमाविषयक साक्षियों के रूप में (सामन्तानां तु मौलानाम्) अभावे यदि समीपवर्ती गांववालों का और सीमा के मूलज्ञाता प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अभाव हो तो (इमान् वनगोचरान् पुरुषान् अपि + अनुपुञ्जीत) राजा इन [आगे ८। २६०] वन में घूमने वाले पुरुषों से भी साक्षी के रूप में पूछताछ करे—॥ २५९ ॥

व्याघ्राञ्छाकुमिकान्गोपान्कंघर्तस्मूलखानकान् ।

व्यालप्राहानुञ्छवृत्तीमन्याश्च वनचारिणः ॥ २६० ॥

(व्याघ्रान्) शिकारियों से (शकुनिकान्) पक्षियों को मारने वालों से (गोपान्) चरवाहों से (कंघर्तान्) मछलियां मारकर आजीविका करने वालों से (मूलखानकान्) कन्द-मूल आदि खोदकर संग्रह करने वालों से (व्यालप्राहान्) सपेरों से (उञ्छवृत्तीन्) अन्नादि खाद्य पदार्थों को चुनकर जीविका चलाने वालों से (च) और (यान् वनचारिणः) दूसरे जो वन में विचरण करते हैं, उनसे सीमा के विषय में पूछे ॥ २६० ॥

ते पृष्ठास्तु यथा ब्रूयुः सीमासन्धिषु लक्षणम् ।

तत्तथा स्थापयेद्वाजा धर्मेण ग्रामयोर्द्वयोः ॥ २६१ ॥

(पृष्ठाः तु) राजा के द्वारा पूछने पर (ते सीमासन्धिषु यथा लक्षणं ब्रूयुः) वे लोग गांवों की सीमाओं के मिलने के स्थानों पर जैसे चिह्न बतलावें (राजा तत् द्वयोः ग्रामयोः तथा) राजा उन दोनों गांवों की सीमा को वैसे ही (धर्मेण स्थापयेत्) धर्मानुसार निश्चित करदे ॥ २६१ ॥

अनुशीलन : २५९ से २६१ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) प्रथम बात तो यह है कि चार-चार ग्राम के व्यक्ति होने पर साक्षियों का अभाव नहीं हो सकता, फिर भी यदि अभाव हो तो मनु ने गुप्तचरों द्वारा जानकारी प्राप्त करने का विधान किया है [८। १८२], अयोग्य साक्षियों द्वारा नहीं। (२) मनु ने साक्षी-प्रसंग में साक्षियों के जो गुण दिये हैं [८। ६३, ६४], वे साक्षी उस विधान के अनुरूप नहीं हैं। अपितु वहां 'न ब्रूहिताः' [८। ६४] कहकर ऐसे दूषित आचरण वाले व्यक्तियों को साक्षी होने के लिए स्पष्ट निषेध किया है। अतः यह

व्यवस्था मनुष्यणीत नहीं हो सकती। इन आधारों के अनुसार ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

क्षेत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च ।

सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥ (१६८)

(क्षेत्र-कूप-तडागानाम् + आरामस्य) खेत, कूआं तालाव, बगीचा (च) और (गृहस्य) घर की (सीमा-सेतु-विनिर्णयः) सीमा के चिह्न का निर्णय (सामन्त-प्रत्ययः ज्ञेयः) उस गांव के प्रतिष्ठित-धार्मिक निवासियों की साक्षियों के आधार पर करना चाहिए ॥ २६२ ॥

सामन्ताश्चेन्मृषा ब्रूयुः सेतौ विवदतां नृणाम् ।

सर्वे पृथक्पृथादण्डया राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ २६३ ॥ (१६९)

(नृणां सेतौ विवदताम्) दो ग्रामवासियों में परस्पर सीमासम्बन्धो विवाद उपस्थित होने पर (सामन्ताः चेत् मृषा ब्रूयुः) गांव के निवासी यदि झूठ या गलत कहें तो (राज्ञा) राजा (पृथक्-पृथक् सर्वे) उनमें से झूठ कहने वाले प्रत्येक को (‘मध्यमसाहसम्’ दण्डयाः) ‘मध्यमसाहस’ [८। १२८] का दण्ड दे ॥ २६३ ॥

गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन् ।

शतानि पञ्च दण्डयः स्यादज्ञानाद् द्विशतो दमः ॥ २६४ ॥ (१७०)

(भीषया) यदि कोई भय दिखाकर (गृहं तडागम् + आरामं वा क्षेत्रं हरन्) घर, तालाव, बगीचा अथवा खेत को लेले, तो राजा उस पर (शतानि पञ्च दण्डयः) पाँच सौ पणों का दण्ड करे (अज्ञानात् द्विशतः दमः स्यात्) यदि अनजाने में अधिकार करले तो दो सौ पणों का दण्ड दे और उस अधिकृत वस्तु को भी लौटाये ॥ २६४ ॥

सीमायामविषह्यायां स्वयं राजैव धर्मवित् ।

प्रविशेद्भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥ (१७१)

(सीमायाम् + अविषह्यायाम्) चिह्नों एवं साक्षियों आदि उपयुक्त [८। २४५-२६३] उपायों से सीमा के निर्धारित न हो सकने पर (धर्मवित् राजा स्वयम् एव) न्याय का ज्ञाता राजा स्वयं ही (एतेषाम् + उपकारात्) वादो-प्रतिवादियों के उपकार अर्थात् हितों को ध्यान में रखकर (भूमि प्रविशेत्) भूमि-सीमा को निश्चित करदे (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रव्यवस्था है ॥ २६५ ॥

(११) दुष्ट या कटुवाक्य बोलने-सम्बन्धी विवाद [२२६-२२७]

और उसका निर्णय—

एषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनिर्णये ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम् ॥ २६६ ॥ (१७२)

(एषः) यह [८। २४५-२६५] (सीमा-विनिर्णये) सीमा के निर्णय करने के विषय में (धर्मः) न्यायविधान (अखिलेनाभिहितः) पूर्णरूप से कहा ।

(अतः + ऊर्ध्वम्) इसके बाद अब (वाक्-पारुष्य-विनिर्णयम्) कठोर और दुष्टवचन बोलने पर निर्णय (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा—॥ २६६ ॥

शतं ब्राह्मणमाक्रुष्य क्षत्रियो दण्डमर्हति ।

वैश्योऽप्यर्धशतं द्वे वा शूद्रस्तु वधमर्हति ॥ २६७ ॥

(ब्राह्मणम् + आक्रुष्य) ब्राह्मण को कठोर या दुष्ट वचन कहने पर (क्षत्रियः शतं दण्डम् + अर्हति) क्षत्रिय सौ पण दण्ड का भागी होता है (अपि वैश्यः अर्धशतं वा द्वे) और वैश्य डेढ़ सौ वा दो सौ पण (तु) और (शूद्रः वधम् + अर्हति) शूद्र शारीरिक दण्ड का भागी होता है ॥ २६७ ॥

पञ्चाशद् ब्राह्मणो दण्डयः क्षत्रियस्याभिज्ञांसे ।

वैश्ये स्यादध्वं पञ्चाशच्छूद्रे द्वादशको दमः ॥ २६८ ॥

(क्षत्रियस्य + अभिज्ञांसे) क्षत्रिय को निन्दात्मक वचन कहने पर (ब्राह्मणः पञ्चाशद् दण्डयः) ब्राह्मण को पचास पण दण्ड देना चाहिए (वैश्ये अर्धपञ्चाशत् स्यात्) वैश्य को कहने पर पच्चीस पण, और (शूद्रे द्वादशकः दमः) शूद्र को कहने पर बारह पण दण्ड ब्राह्मण को देना चाहिए ॥ २६८ ॥

समवर्त्ते द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे ।

वादेऽप्यवचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत् ॥ २६९ ॥

(समवर्त्ते द्विजातीनां व्यतिक्रमे) समानवर्ण वाले द्विजों में परस्पर कठोर वचन कहने पर (द्वादश + एव) बारह पण ही दण्ड होना चाहिए (अवचनीयेषु वादेषु) अत्यन्त निन्दनीय वचन कहने पर (तदेव द्विगुणं भवेत्) वही उक्त दण्ड [८। २६७—२६९] दुगुना होगा ॥ २६९ ॥

एकजातिद्विजातीस्तु वाचा वाक्पारुष्या जिवन् ।

विह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रजसो हि सः ॥ २७० ॥

(एकजातिः तु) यदि शूद्र (द्विजातीन् दाहयया वाचा जिवन्) द्विजातियों को

अत्यन्त कठोर या दुष्ट वाणी में आक्षेप करे तो (जिह्वायाः खेवं प्राप्नुयात्) उसकी जीभ को काट देना चाहिए (हि) क्योंकि (सः जघन्यप्रभवः) वह शूद्र नीच से उत्पन्न है ॥ २७० ॥

नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः ।

निलेप्योऽयोमयः शङ्कुज्वलन्नास्ये वशाङ्गुलः ॥ २७१ ॥

(नाम-जातिग्रहं तु एषाम्) नाम और जाति का कथन करते हुए यदि शूद्र इन द्विजों को (अभिद्रोहेण कुर्वतः) द्रोहपूर्वक कठोर वचन कहे तो (ज्वलन् दश + अङ्गुलः) जलती हुई दश अंगुल लम्बी (अयोमयः शङ्कुः) लोहे की शलाका (आस्ये निलेप्यः) इस शूद्र के मुख में डाल देनी चाहिए ॥ २७१ ॥

धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः ।

तप्तमासेचयेत्तैलं वस्त्रे श्रोत्रे च पायिषः ॥ २७२ ॥

(अस्य दर्पेण विप्राणां धर्मोपदेशं कुर्वतः) यदि शूद्र घमण्ड में आकर द्विजों को धर्म का उपदेश करे तो (पायिषः) राजा (तप्तं तैलं वस्त्रे श्रोत्रे आसेचयेत्) तपा हुआ तैल शूद्र के मुख और कानों में डलवादे ॥ २७२ ॥

अनुशीलनम् : २६७ से २७२ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) मनु की दण्डव्यवस्था भेदभावयुक्त या ईर्ष्या, द्वेष-भावना से युक्त नहीं है। वे निलिप्त एवं समभाव से सभी प्रजाजनों के लिए यथायोग्य, न्याययुक्त दण्ड का विधान करते हैं [६। ३०७, ३११; ७। २, १६, २७, ३०]। अपितु समझदार और जिम्मेदार होने के कारण उच्चवर्ण वालों को अधिक दण्ड देने का विधान करते हैं। [८। ३३५—३३८, ३०६] इन श्लोकों में वर्णानुक्रम से अधिक दण्ड का विधान उक्त सभी मान्यताओं के विरुद्ध है। इस प्रसंग के २७३—२७५ श्लोकों में भी सबके लिए समान व्यवस्था है। इस प्रकार इस व्यवस्था में अन्तर्विरोध होने के कारण ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) २७० वें श्लोक में शूद्र को 'जघन्यप्रभवः' विशेषण देने से इन श्लोकों के रक्षयिता की मान्यता जन्मना वर्णव्यवस्था की सिद्ध होती है। यह मान्यता भी मनु-विरुद्ध है। मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टव्य १। ६२—१०१ पर 'अनुशीलन']।

२. शैलीगत आधार—इन सभी श्लोकों में और विशेषरूप से २७०—२७२ में शूद्र के प्रति आक्रोश एवं घृणात्मक भावना है, यह पक्षपात एवं दुराग्रह है। मनु की शैली निलिप्ततापूर्वक विधान करने की है, अतः यह शैली मनु की नहीं है। इस आधार पर भी ये श्लोक मनुप्रणीत सिद्ध नहीं होते।

भुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च ।

चित्तेन ब्रुवन्दर्पादायः स्यात् द्विशतं वसम् ॥ २७३ ॥ (१७३)

कोई मनुष्य किसी मनुष्य के (श्रुतम्) विद्या (देशम्) देश (जातिम्) वर्णं (च शरीरम् एव कर्म) और शरीर-सम्बन्धी कर्म के विषय में (दर्पात्) घमण्ड में आकर (वितथेन ब्रुवन्) झूठी निन्दा अथवा गलत बात में अपमानित करे, उसे (द्विशतं दमं दाप्यः) दो सौ पण दण्ड देना चाहिए ॥ २७३ ॥

काणं वाऽप्यथवा खञ्जमन्यं वाऽपि यथाविधम् ।

तथ्येनावि ब्रुवन्दाप्यो दण्डं कार्ष्णिणावरम् ॥२७४॥ (१७४)

किसी (काणम्) काने कां (प्रपि वा) अथवा (खञ्जम्) लंगड़े को (वा) अथवा (तथाविधम् + अपि) इसी प्रकार के अन्य विकलांगों को (तथ्येन + अपि ब्रुवन्) वास्तव में वैसा होते हुए भी किसी को काना, लंगड़ा आदि कहने पर (कार्ष्णिणावरं दण्डं दाप्यः) कम से कम एक कार्ष्णि-पण दण्ड करना चाहिए ॥ २७४ ॥

अनुयातित्तनः : अग्न्यत्र विधानसे पुष्टि — मनु ने ४।१४१ में विकलांग व्यक्तियों को कटुवचन या आक्षेपयुक्त वचन कहने का स्पष्टतः निषेध किया है। यहां उस विधान के विपरीत आचरण करने वालों के लिए दण्ड का विधान है।

मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम् ।

आक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद् गुरोः ॥२७५॥ (१७५)

(मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्) माता, पिता, पत्नी, भाई, बेटा, गुरु इनको (आक्षारयन्) दोष लगाकर निन्दा करने पर (च) और (गुरोः) गुरु को (पन्थानम् + अदद्) रास्ता न देने पर (शतं दाप्यः) सौ पण दंड होना चाहिए ॥ २७५ ॥

अनुयातित्तनः : अग्न्यत्र विधान से पुष्टि—मनु ने ४।१७६-१८० में इन व्यक्तियों से किसी प्रकार का विवाद, लड़ाई-झगड़ा न करने का विधान किया है। उस विधान को भंग करके कटुवचन या आक्षेपयुक्त वचन कहने पर यह दण्ड-विधान है।

ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विज्ञानता ।

ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये स्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥

(ब्राह्मण-क्षत्रियाभ्यां तु) ब्राह्मण और क्षत्रिय में परस्पर दुष्टवचन उपस्थित होने पर (विज्ञानता) बुद्धिमान् राजा को चाहिए कि वह (ब्राह्मणे पूर्वः साहसः) ब्राह्मण पर पूर्वसाहस (तु) और (क्षत्रिये मध्यमः) क्षत्रिय पर मध्यम-साहस (दण्डः कार्यः) दण्ड करना चाहिए ॥ २७६ ॥

विद्यूद्योरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः ।

छेदवर्जं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥

(विद्यूद्योः) वैश्य-शूद्र की परस्पर (स्वजातिं प्रति) अपनी जाति के प्रति निन्दापूर्वक कहा-सुनी होने पर (एवम् + एव) इसी प्रकार अर्थात् वैश्य की प्रथम साहस तथा शूद्र को मध्यम साहस [८। २७६ के अनुसार] का दण्ड करे (छेदवर्जं प्रणयन्) शूद्र की जीभ न काटे (इति दण्डस्य तत्त्वतः विनिश्चयः) ऐसा दण्ड वा सही-सही निश्चय है ॥ २७७ ॥

अनुशीलनः : २७६—२७७ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में विहित दण्डव्यवस्था मनुसम्मत नहीं है ।
[द्रष्टव्य ८। २६७—२७२ पर 'अनुशीलन']

२. अन्तर्विरोध—प्रक्षिप्त श्लोकों में परस्पर भी विरोध है । २६७—२७२ श्लोकों में जो दण्ड-व्यवस्था दी है, इन श्लोकों की व्यवस्था उनसे मेल नहीं खाती । इससे प्रतीत होता है कि ये श्लोक भिन्न-भिन्न रचयिताओं के हैं ।

(१२) दण्ड से घायल करने या मारने सम्बन्धी विवाद [२७८—३००]

और उसका निर्णय—

एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पाशस्य तत्त्वतः ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपाशस्य निर्णयम् ॥ २७८ ॥ (२७६)

(एषः) यह [८। २६७—२७७] (तत्त्वतः) ठीक-ठीक (वाक्पाशस्य) कठोर वचन या दुष्ट वचन बोलने का (दण्डविधिः) दण्डविधान (प्रोक्तः) कहा (अतः + ऊर्ध्वम्) इसके पश्चात् अब (दण्डपाशस्य निर्णयम्) कठोर दंड से घायल करना या मारना अथवा दंड से कठोरतापूर्वक मारपीट करने पर निर्णय को (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा ॥ २७८ ॥

येन केनचित्कृतेन हिंस्याच्छ्रेष्ठं श्रेष्ठमन्यजः ।

छेत्तव्यं तत्तदेवास्मै तन्मनोरनुशासनम् ॥ २७९ ॥

(अन्यजः) शूद्र (येन केनचित् + अङ्गेन) जिस किसी अंग से (श्रेष्ठं हिंस्यात् चेत्) श्रेष्ठ अर्थात् द्विजों पर प्रहार करे तो (तत् + तत् + एव अस्य छेत्तव्यम्) राजा उसके उस-उस अङ्ग को ही कटवावे (तत् मनोः + अनुशासनम्) यही मनु का आदेश है ॥ २७९ ॥

पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाशिकच्छेदनमर्हति ।

प. ३३ प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमर्हति ॥ २८० ॥

(पाणिम्) हाथ (वा) ग्रथवा (दण्डम् उद्यम्य) हाथ से दंडा उठाकर प्रहार करने पर (पाणिच्छेदनम्+अर्हति) शूद्र का हाथ कटवा देना चाहिए (कोपात्) क्रोध-पूर्वक (पादेन प्रहरन्) पैर से प्रहार करने पर (पादच्छेदनम्+अर्हति) पैर काट देना चाहिए ॥ २८० ॥

सहासनमभिप्रेप्सुस्तकृष्टस्यापकृष्टजः ।

कटपां कृताङ्गो निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ॥ २८१ ॥

(अपकृष्टजः) यदि कोई शूद्र (उत्कृष्टस्य) अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण के (सहा-सनम्+अभिप्रेप्सुः) साथ एकसमान आसन पर बैठने की कोशिश करे तो (कटपां कृताङ्गः निर्वास्यः) उसे कमर में दगवाकर देशनिकाला दे दे (वा) ग्रथवा (अस्य स्फिचम् +अवकर्तयेत्) इसके एक छूतड़ को कतरवा दे ॥ २८१ ॥

अवनिष्ठीवतो दर्पाद् द्वावोष्ठीं छेदयेन्नृपः ।

अवमूत्रयतो मेढूमवशर्धयतो गुदम् ॥ २८२ ॥

शूद्र यदि ब्राह्मण का अपमान (दर्पात्) घमण्ड के कारण (अवनिष्ठीवतः) उस पर झुककर करे तो (नृपः) राजा, शूद्र के (द्वौ+ओष्ठी छेदयेत्) दोनों ओठों को कटवा दे (अवमूत्रयतः) मूत्र फेंककर करे तो (मेढूम) उसकी लिंगेन्द्रिय को, (अवशर्धयतः) गुदम्) यदि अधोवायु के द्वारा करे तो गुदा को कटवा दे ॥ २८२ ॥

केशेषु गृह्णतो हस्तो छेदयेद्विचारयन् ।

पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥ २८३ ॥

यदि शूद्र ब्राह्मण को (केशेषु गृह्णतः) बालों से पकड़े तो राजा (अविचारयन् हस्तो छेदयेत्) बिना विचारे शूद्र के दोनों हाथ कटवा दे, यदि (पादयोः) दोनों पैर (दाढिकायाम्) दाढ़ी (ग्रीवायाम्) गर्दन (च) और (वृषणेषु) अण्डकोशों को पकड़कर प्रहार करे तो भी दोनों हाथ कटवा दे ॥ २८३ ॥

त्वग्भेदकः शतं दण्डयो लोहितस्य च दर्शकः ।

मांसभेत्ता तु घग्निष्काग्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥ २८४ ॥

समान वर्ण वालों में मारकर (त्वग्भेदकः शतं दण्डयः) चमड़ी उखाड़ने वाले पर सौ पण दण्ड करे (च) और (लोहितस्य दर्शकः) खून निकाल देने वाले पर भी सौ पण दण्ड करे (मांसभेत्ता तु घट् निष्कः) मांसछेदन करने वाले को छह 'निष्क' [८।१३७] दण्ड करे, और (अस्थिभेदकः तु प्रयास्यः) हड्डी तोड़ने वाले को तो देश-निकाला ही दे दे ॥ २८४ ॥

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथा यथा ।

तथा तथा द्वयः कार्यो हिसायासिति धारणा ॥ २८५ ॥

(सर्वेषां वनस्पतीनां यथा-यथा उपभोगम्) सब वृक्ष आदि वनस्पतियों का

जैसा-जैसा अधिक या कम उपयोग है, (हिंसायाम्) उनको नष्ट करने पर (तथा तथा दमः कार्यः) वैसा-वैसा ही दण्ड करे (इति धारणा) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है ॥ २८५ ॥

अनुशीलनम् : २७६ से २८५ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में वर्णित दण्डव्यवस्था मनु की पद्धति से मेल नहीं खाती [दृष्टव्य ८। २६७—२७२ पर 'अनुशीलनम्']। इस विरोध के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। मनु की व्यवस्था शूद्र को नहीं, अपितु जो जितना अधिक जिम्मेदार है, उसको उतना ही अधिक दण्ड देने की है [८। ३३६—३३८], ये श्लोक तदनुसार नहीं हैं।

२. शैलीगत आधार—(१) इन श्लोकों की शैली भी मनु की तरह निरूपित गम्भीर एवं समभावयुक्त न होकर पक्षपात, दुराग्रह एवं घृणापूर्ण है। इस कारण भी ये प्रक्षिप्त हैं। २७६ में 'मनोः अनुशासनम्' पदों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह श्लोक मनुप्रणीत न होकर किसी दूसरे परवर्ती व्यक्ति की रचना है, अतः प्रक्षिप्त है। इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इससे सम्बद्ध और इस पर आधारित शेष २८०—२८५ श्लोक स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।

३. प्रसंगविरोध—(१) २८६—२८८ श्लोकों में संक्षेप में समभाव से सम्पूर्ण दण्डपारुष्य की दण्डव्यवस्था कह दी है, जो मनु के विधानों के अनुकूल है। इस विधान का प्रसंग २८६ से ही प्रारम्भ होता है, यह श्लोकों की वर्णन-शैली से भी ज्ञात हो जाता है। उससे पूर्व भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं वाला यह प्रसंग असंगत है। इस आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) प्रस्तुत प्रसंग 'प्राणियों पर कठोर दण्ड से ताड़ना करने' का है। २८५ का विषय इस प्रसंग का विषय नहीं है, अतः प्रसंगविरुद्ध है।

मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति।

यथा यथा महद् दुःखं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ॥२८६॥ (१७७)

(मनुष्याणां च पशूनाम्) मनुष्यों और पशुओं पर (दुःखाय प्रहृते सति) दुःख देने के लिए दण्ड से प्रहार करने पर (यथा यथा महद् दुःखम्) जैसा-जैसा अधिक कष्ट हो (तथा तथा दण्डं कुर्यात्) उसी के अनुसार अधिक-कम दण्ड करे ॥ २८६ ॥

अङ्गावपीडनायां च व्रणशोणितयोस्तथा।

समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥२८७॥ (१७८)

(अंग+अवपीडनायाम्) किसी अंग के टूटने, कटने आदि पर (तथा) और (व्रण+शोणितयोः) घाव करने तथा रक्त बहाने पर (समुत्थानव्ययं दाप्यः) जब तक रोगी पहले जैसी अवस्था के रूप में ठीक न हो जाये तब

तत् सम्पूर्णं शीघ्रं वादि का वयं मारने वाले से दिलवाये (अथवापि वा) और साथ ही (सर्वदण्डम्) उसे पूर्ण दण्ड भी दे ॥ २८७ ॥

द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ।

स तस्योत्पादयेत्पुष्टिं राज्ञे दद्याच्च तत्तमम् ॥ २८८ ॥ (१७६)

(यः) जो कोई (यस्य) जिस किसी के (ज्ञानतः अपि वा अज्ञानतः) जानकर अथवा अनजाने में (द्रव्याणि हिंस्यात्) वस्तुओं को नष्ट कर दे तो (सः) वह अपराधी (तस्य तुष्टिम् + उत्पादयेत्) उसके मालिक को वस्तु या धन आदि देकर संतुष्ट करे (च) तथा (तत् तमम् राज्ञे दद्यात्) उसके बराबर दण्ड रूप में राजा को भी दे ॥ २८८ ॥

चर्मचामिकभाण्डेषु काष्ठलोष्ठमयेषु च ।

मूल्यात्पञ्चगुणो दण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥ २८९ ॥

(चर्म-चामिकभाण्डेषु) चमड़ा, चमड़े के बर्तन (च) और (काष्ठ-लोष्ठमयेषु) लकड़ी तथा मिट्टी के बर्तन (च) और (पुष्प-मूल-फलेषु) फूल, कन्द, फल आदि के नष्ट करने पर (मूल्यात् पञ्चगुणः दण्डघः) मूल्य से पांच गुना दण्ड राजा को देना चाहिए ॥ २८९ ॥

यानस्य चैव यातुरच्च यानस्वामिन एव च ।

दशातिवर्तनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥

(यानस्य) रथ, गाड़ी आदि सवारी (च) और (यातुः) सारथी, गाड़ीवान् आदि (च) और (यानस्वामिनः एव) सवारी का मालिक (दश + अतिवर्तनानि + आहुः) इनके दश बार तक के अपराधों को दण्डनीय नहीं माना है (शेषे) किन्तु उसके बाद (दण्डः विधीयते) दण्डविधान किया गया है ॥ २९० ॥

छिन्ननास्ये भग्नयुगे तिर्यक्प्रतिमुखागते ।

अक्षभंगे च यानस्य चक्रभङ्गे तथैव च ॥ २९१ ॥

छेदने चैव यन्त्राणां योक्त्ररश्म्योस्तथैव च ।

आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं मनुरब्रवीत् ॥ २९२ ॥

(छिन्ननास्ये) नैल की नथ टूट जाने पर (भग्नयुगे) रथादि का जूआ टूट जाने पर (तिर्यक्-प्रतिमुख + आगते) ऊंची-नीची भूमि पर रथादि के तिरछा हो जाने पर (अक्षभंगे) घुरा टूट जाने पर (तथैव यानस्य चक्रभङ्गे) उसी प्रकार रथादि का पहिया टूट जाने पर (च) और (यन्त्राणां छेदने एव) रथादि के अन्य यन्त्रों के टूट जाने पर (तथैव योक्त्ररश्म्योः) उसी प्रकार जोत और रास-रस्सी आदि टूट जाने पर ('अपैहि' इति + आक्रन्दे) 'हट जाओ' 'हट जाओ' ऐसा चिल्लाने पर यदि कोई नुकसान

होता है तो (दण्डन) किसी को दण्ड नहीं होता (मनुः + भवतीत्) ऐसा मनु ने कहा है ॥ २६१-२६२ ॥

यत्रापवर्तते युग्मं वैगुण्यात्प्राजकस्य तु ।

तत्र स्वामी भवेदण्डघो हिसायां द्विशतं दमम् ॥ २६३ ॥

(यत्र) जहां (प्राजकस्य) चवाने वाले की (वैगुण्यात्) अयोग्यता के कारण (युग्मम् + अपवर्तते) रथादि टेढ़े-तिरछे हो जाते हैं (हिसायाम्) ऐसी स्थिति में कोई हिसा होने पर (तत्र स्वामी द्विशतं दमं दण्डघः भवेत्) वहां [अयोग्य चालक रखने के कारण] स्वामी पर दो सौ पण दण्ड करना चाहिए ॥ २६३ ॥

प्राजकश्चेद्भूवेदाप्तः प्राजको दण्डमर्हति ।

युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वे दण्डघाः शतं शतम् ॥ २६४ ॥

(चेत्) यदि (प्राजकः प्राप्तः भवेत्) चालक कुशल एवं अनुभवी हो तो वहां (प्राजकः दण्डम् + अर्हति) चालक ही दण्ड के योग्य होता है [पूर्व श्लोक में उक्त दो सौ पण दण्ड] (अनाप्ते प्राजके) अकुशल एवं अनुभवरहित चालक के होने पर (सर्वे युग्यस्थाः शतं शतं दण्डघाः) सब गाड़ीसवार सौ-सौ पण दण्ड से दण्डनीय होते हैं। [अयोग्य चालक द्वारा गाड़ी चलवाने के कारण] ॥ २६४ ॥

स चेत् पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा ।

प्रमापयेत्प्राणभूतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २६५ ॥

(सः चेत् तु) वह चालक यदि (पथि) मार्ग में (पशुभिः वा रथेन संरुद्धः) पशुओं अथवा रथ आदि से अवरोध होने पर रथादि चलावे (प्राणभूतः प्रमापयेत्) और किसी प्राणी को मार देवे तो (तत्र) उस स्थिति में (अविचारितः दण्डः) बिना विचारे अवश्य दण्ड दे ॥ २६५ ॥

मनुष्यमारणे क्षिप्रं चौरवत्कित्वं भवेत् ।

प्राणभूतसु महत्स्वर्थं गोगजोष्ट्रहयाविषु ॥ २६६ ॥

(मनुष्यमारणे) चालक द्वारा किसी मनुष्य का वध होने पर (क्षिप्रं चौरवत् कित्वं भवेत्) शीघ्र ही उसे चोर के समान अपराधी समझकर दण्ड दे अर्थात् एक 'उत्तम साहस' = एक हजार पण से दण्डनीय होगा (गो-गज-उष्ट्र-हय-आदिषु महत्सु प्राणभूतसु अर्थम्) गी, हाथी, ऊँट, घोड़ा आदि बड़े पशुओं के मारने पर आधा अर्थात् पाँच सौ पण दण्ड होगा ॥ २६६ ॥

क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिसायां द्विशतो दमः ।

पञ्चशतं भवेदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २६७ ॥

(क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिसायाम्) छोटे पशुओं की हिसा होने पर (द्विशतः दमः) दो सौ पण दण्ड होना चाहिए (शुभेषु मृग-पक्षिषु) शुभ मृगादि और पक्षियों की हिसा पर (पञ्चशतं दण्डः भवेत्) पचास पण दण्ड होना चाहिए ॥ २६७ ॥

गर्दभाजिकानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाधिकः ।

माधिकस्तु भवेद्दण्डः भस्मकरनिपातने ॥ २६८ ॥

(गर्दभ + अजा + अजिकानां तु) गधा, बकरी, भेड़ आदि के मारने पर (पञ्च-
माधिकः दण्डः स्यात्) पांच 'माषे' चाँदी का दण्ड होगा (भस्म-सूकर-निपातने) कुत्ता,
सूअर के मारने पर (माधिकः दण्डः भवेत्) चाँदी का एक 'माषा' दण्ड चालक को
होगा ॥ २६८ ॥

भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेक्ष्यो भ्राता च सोदरः ।

प्राप्तापराधास्ताड्याः स्यु रज्ज्वा वेणुदलेन वा ॥ २६९ ॥

(भार्या, पुत्रः, दासः, प्रेक्ष्यः च सोदरः भ्राता) पत्नी, पुत्र, दास, नौकर और सगा
भाई (प्राप्त + अपराधाः) इनके अपराध करने पर (रज्ज्वा वा वेणुदलेन) रस्सी या
बांस की पतली छड़ी से (ताड्याः स्युः) इनकी ताड़ना करे ॥ २६९ ॥

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथञ्चन ।

अतोऽप्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्याच्चौरकिल्बिषम् ॥ ३०० ॥

(शरीरस्य पृष्ठतः तु) किन्तु रस्सी आदि से शरीर के पृष्ठभाग = पीठ भाग पर
ताड़ना करे (कथञ्चन उत्तमाङ्गे न) कभी भी उत्तमार्धो = मुख आदि पर ताड़ना
न करे (अतः + अन्यथा तु प्रहरन्) इससे भिन्न प्रकार से या स्थानों पर ताड़ना करने
पर (चौरकिल्बिषं प्राप्यः स्यात्) चोर के दण्ड से दण्डनीय होगा ॥ ३०० ॥

अनुशीलनः : २८६ से ३०० तक श्लोक निम्न आधारों के अनुसार
प्रक्षिप्त हैं—

१. शैलीगत आधार—२६२ वें श्लोक में “मनुः अन्नवीक्ष” पदों से स्पष्ट सिद्ध
होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचा हुआ है, अतः
प्रक्षिप्त है। २६० से २६८ तक के सभी पूर्वपर श्लोक प्रसंगक्रम की दृष्टि से इससे
सम्बद्ध और इस पर आधारित हैं। इस श्लोक के प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर अन्य सभी
सम्बद्ध श्लोक स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। इस आधार पर ये श्लोक मनुप्रणीत सिद्ध
नहीं होते।

२. प्रसंगविरोध—(१) प्रस्तुत प्रसंग [८। २७८] ‘प्राणिशो पर जान-बूझकर
कठोर दण्ड में आघात करने’ का है न कि भूय से होने वाली दुर्घटनाओं का। इस प्रसंग में
गध, बैसगाड़ी आदि से होने वाली दुर्घटनाओं का विधान असंगत है। इस आधार पर
प्रसंगविरुद्ध होने के कारण २६०—२६८ श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) २८८ में सभी वस्तुओं
की हानि का दण्ड एकसाथ कहकर प्रसंग को पूर्ण कर दिया है। इसके पश्चात् २८९ में
कुच्छ-वस्तुओं की पृथक् से पुनः व्यवस्था देना अनावश्यक एवं प्रसंगविरुद्ध है। वस्तुएँ तो
अनेक हैं, यों तो सभी की हानि का दण्ड देना चाहिए था। इस प्रकार यह अपूर्ण विधान

है, जो मौलिक नहीं है। (३) इसी प्रकार २६६—३०० श्लोक भी प्रसंगबाह्य हैं। यहां उपयुक्त दण्ड-व्यवस्था का प्रसंग है न कि ताड़न-विधि का।

३. अन्तर्विरोध—(१) २६६ वें में 'दास' शब्द का उल्लेख इन श्लोकों को परवर्ती एवं मनुविरुद्ध सिद्ध करता है। मनु दासप्रथा का कहीं विधान नहीं करते। वे तो शूद्र को सेवक के रूप में विहित करते हैं [१। ६१], जो अपनी इच्छानुसार किसी भी द्विजाति की सेवा कर सकता है [६। ३३४-३३५], बाध्य होकर नहीं। (२) ४। १६४ में पुत्र और शिष्य को छोड़ अन्य किसी की ताड़ना करने का निषेध है। इन श्लोकों में स्त्री, भृत्य आदि की ताड़ना करना उसके विरुद्ध है। स्त्री की ताड़ना करने का विधान मनु के उन सभी श्लोकों के भी विरुद्ध है, जहां स्त्री को आदर और समानता देने का कथन है। [३। ५५-६२; ६। १०, १०१, १०२]। (३) ताड़ना तो क्या मनु भार्या से लड़ने तक का निषेध करते हैं [४। १८०]। इनके विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

(१३) चोरी का विवाद (३०१-३४३)

और उसका निर्णय

एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिर्णयः।

स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिं दण्डविनिर्णये ॥ ३०१ ॥ (१८०)

(एषः) यह [८। २७६-३००] (दण्डपारुष्यनिर्णयः) दण्ड से कठोर मारपीट का निर्णय (अखिलेन+अभिहितः) पूर्णरूप से कहा।

(अतः) इसके पश्चात् अब (स्तेनस्य दण्डविनिर्णये) चोर के दण्ड का निर्णय करने की (विधिं प्रवक्ष्यामि) विधि कहूंगा—॥ ३०१ ॥

चोरों के निग्रह से राष्ट्र की वृद्धि—

परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः।

स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्धते ॥ ३०२ ॥ (१८१)

(नृपः) राजा (स्तेनानां निग्रहे) चोरों को रोकने के लिए (परमं यत्नम्+आतिष्ठेत्) अधिक से अधिक यत्न करे, क्योंकि (स्तेनानां निग्रहात्) चोरों पर नियन्त्रण होने से (अस्य) इस राजा के (यशः च राष्ट्रं वर्धते) यश और राष्ट्र की वृद्धि होती है ॥ ३०२ ॥

चोरों से प्रजा की रक्षा श्रेष्ठ कर्तव्य है—

अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः।

सत्रं हि वर्धते तस्य सदैवाभयवर्जितम् ॥ ३०३ ॥ (१८२)

(यः नृपः अभयस्य हि दाता) जो राजा प्रजाओं को अभय प्रदान करने वाला होता है अर्थात् जिस राजा के राज्य में प्रजाओं को चोर आदि से किसी प्रकार का भय नहीं होता (सः सततं पूज्यः) वह सदैव पूजित होता है — प्रजाओं की ओर से उसे मदा आदर मिलता है, और (तस्य) उसका (अभयदक्षिणं सत्रं हि) अभय की दक्षिणा देने वाला यज्ञ-रूपी राज्य (सदैव वर्धते) सदा बढ़ता जाता है ॥ ३०३ ॥

सर्वतो धर्मवद्भागो राज्ञो भवति रक्षतः ।

अधर्मादपि षड्भागो भद्रस्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥

(रक्षतः राजः) रक्षा करने वाले राजा को (सर्वतः धर्मवद्भागः भवति) सबके धर्म का छठा भाग मिलता है (अरक्षतः) और रक्षा न करने पर (अस्य) इस राजा को (अधर्मात् + अपि षड्भागो भवति) सबके अधर्म का भी छठा भाग मिलता है ॥ ३०४ ॥

यदधीते यद्यजते यददाति यदर्वति ।

तस्य षड्भागभागा राजा सम्पन्नमवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥

(यत् + अधीते) प्रजा का व्यक्ति जो भी पढ़ता है (यत् यजते) जो यज्ञ करता है (यद् ददाति) जो दान करता है (यत् + अर्वति) जो उपासना करता है (सम्पक् रक्षणात्) अच्छी प्रकार रक्षा करने के कारण (राजा तस्य षड्भागभाक् भवति) राजा उस सबके छठे भाग का भागी होता है ॥ ३०५ ॥

अनुशीलन : ३०४ और ३०५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—इन श्लोकों के पूर्वापर ३०३ और ३०६ श्लोकों में राज्यरूपी यज्ञ का वर्णन होने से उनमें प्रसंग की सम्बद्धता है। उस सम्बद्धता को इन श्लोकों ने भंग कर दिया है। प्रसंगभञ्जक होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में प्रजाजनों के धर्म, अधर्म तथा प्रत्येक कार्य में राजा का छठा भाग माना है। यह मान्यता ४।२४० के विरुद्ध है। उसमें कर्त्ता को अपने कर्मों का स्वयं भोक्ता माना है।

३. शैलीगत आधार—इन श्लोकों में छठे भाग के बटवारे कान तो कोई आधार है, न कोई युक्तिसंगत कथन। इनकी निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली होने से ये मनु-प्रणीत सिद्ध नहीं होते। मनु किसी निराधार एवं अयुक्तियुक्त बातका विधान नहीं करते।

रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा बध्नाच्च धातयन् ।

यजतेऽहरहर्धर्मैः सहस्रशतदक्षिणैः ॥ ३०६ ॥ (१८३)

(धर्मेण भूतानि रक्षन्) धर्मपूर्वक—न्याय पूर्वक प्रजाओं की रक्षा करता हुआ (च) और (बध्नान् धातयन्) दण्डनीय या बध के योग्य लोगों

को दण्ड या वध करता हुआ (राजा) राजा (ग्रहः + ग्रहः सहस्र-शत-दक्षिणः यज्ञः यजने) यह समझो कि प्रतिदिन हजारों-सैंकड़ों दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों को करता है अर्थात् इतने बड़े यज्ञों जैसा पुण्यकार्य करता है ॥ ३०६ ॥

प्रजा की रक्षा किये बिना कर लेनेवाला राजा पापी होता है—

योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः ।

प्रतिभागं च दण्डं च सः सद्यो नरकं व्रजेत् ॥ ३०७ ॥ (१८४)

(यः पार्थिवः) जो राजा (अरक्षन्) प्रजाओं की बिना रक्षा किये उनमें (बलिम्) छठा भाग अन्नादि (करम्) टैक्स (शुल्कम्) महसूल (प्रतिभागम्) चुंगी (च) और (दण्डम्) जुर्माना (आदत्ते) ग्रहण करता है (सः सद्यः नरकं व्रजेत्) वह शीघ्र ही दुःख को प्राप्त होता है अर्थात् प्रजाओं का ध्यान न रखने के कारण उनके असहयोग से किसी-न-किसी कष्ट से आक्रान्त हो जाता है ॥ ३०७ ॥

अनुशीलन : अन्न के छठे भाग को 'बलि' कहते हैं; प्रतिमास, छठे मास या वार्षिक रूप में लिया जाने वाला टैक्स 'कर'; व्यापारियों से लिया जाने वाला महसूल 'शुल्क'; फल, शाक आदि पर लिया जाने वाला शुल्क 'प्रतिभाग' तथा अपराध में किया जाने वाला जुर्माना 'दण्ड' कहलाता है।

अरक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम् ।

तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ॥ ३०८ ॥ (१८५)

(अरक्षितारम्) प्रजाओं की रक्षा न करने वाले और (बलिषड्भाग-हारिणम्) 'बलि' के रूप में छठा भाग ग्रहण करने वाले (सं राजानम्) ऐसे राजा को (सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् + आहुः) सब प्रजाओं की सारी बुराइयों को ग्रहण करने वाला कहा है अर्थात् सभी प्रजाएँ ऐसे राजा की सभी प्रकार से बुराइयाँ करती हैं ॥ ३०८ ॥

अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रलुम्भकम् ।

अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम् ॥ ३०९ ॥ (१८६)

(अनपेक्षितमर्यादम्) शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार न चलने वाले (नास्तिकम्) वेद और ईश्वर में अविश्वास करने वाले (विप्रलुम्भकम्) लोभ आदि के वशीभूत (अरक्षितारम्) प्रजाओं की रक्षा न करने वाले, और (अत्तारम्) कर आदि का धन प्रजाओं के हित में न लगाकर स्वयं खा जाने वाले (नृपम्) राजा को (अधोगति विद्यात्) नीच समझना चाहिए

अथवा यह समझना चाहिए कि उसकी शीघ्र ही अवनति या पतन हो जायेगा ॥ ३०६ ॥

अधामिकं त्रिभिर्न्यायिनिगृह्योत्प्रायस्ततः ।

निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥३१०॥ (१८७)

इसलिए राजा (निरोधनेन) निरोध=कैद में बंद करना (बन्धेन) बन्धन=हथकड़ी, बेड़ी आदि लगाना (च) और (विविधेन वधेन) विविध प्रकार के वध=ताड़ना, अंगच्छेदन, मारना आदि (त्रिभिः न्यायेः) इन तीन प्रकार के उपायों से (प्रयत्नतः) यत्नपूर्वक (अधामिकं निगृह्योत्प्रायः) चोर आदि दुष्ट अपराधी को वश में करे ॥ ३१० ॥

निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च ।

द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥३११॥ (१८८)

(हि) क्योंकि (पापानां निग्रहेण) पापी=दुष्टों को वश में करने और दण्ड देने से (च) तथा (साधूनां संग्रहेण) श्रेष्ठ लोगों की सुरक्षा करने से (नृपाः) राजा लोग (द्विजातयः+इव+इज्याभिः सततं पूयन्ते) जैसे द्विजवर्ण वाले व्यक्ति यज्ञों से पवित्र होते हैं ऐसे ही पवित्र अर्थात् पुण्यवान् और निर्मल यशस्वी होते हैं ॥ ३११ ॥

क्षन्तव्यं प्रभुजा नित्यं क्षिपतां कार्याणां नृणाम् ।

बालवृद्धातुराणां च कुर्वता हितमात्मनः ॥ ३१२ ॥

(आत्मनः हितं कुर्वता प्रभुजा) अपना कल्याण चाहने वाले राजा को चाहिए कि (क्षिपतां कार्याणां बाल-वृद्ध+आतुराणां नृणाम्) आक्षेप करने वाले अभियोगकर्ताओं को बालक, वृद्ध और रोग-विपत्ति आदि से ग्रस्त लोगों को (नित्यं क्षन्तव्यम्) सदा क्षमा करदे ॥ ३१२ ॥

यः क्षिप्तो मर्षयत्यार्त्तस्तेन स्वर्गं महीयते ।

यस्त्वेवमर्थान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३ ॥

(यः) जो राजा (आर्तः क्षिप्तः मर्षयति) दुःखी लोगों के द्वारा आक्षेप करने पर उन्हें सहन कर लेता है (तेन स्वर्गं महीयते) उससे वह स्वर्ग में पूजित होता है (यः तु) और जो (ऐसव्यात् न क्षमते) अपने को शक्ति या समृद्धिशाली समझकर क्षमा नहीं करता (तेन नरकं गच्छति) उससे वह नरक को प्राप्त करता है ॥ ३१३ ॥

अनुशीलनः ॥ ३१२, ३१३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यहां पूर्वापर प्रसंग अपराधियों को दण्ड देने का है। इसके

बीच में वादी-प्रतिवादी आदि के आक्षेपयुक्त वचनों को क्षमा करने और उसके आधार पर स्वर्ग-नरक का वर्णन प्रसंगबाह्य है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में राजा को स्वर्ग-नरक की प्राप्ति का कथन किया है। स्वर्ग-नरक नामक पृथक् लोक की मान्यता मनुविरुद्ध है [दृष्टव्य ४।८७-६१ पर 'अनुशीलन'], इस आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. शैलीगत आचार—इन श्लोकों में एक साधारण सी बात से स्वर्ग-नरक की प्राप्ति का कथन किया गया है। यह निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली है। मनु की शैली में ऐसी त्रुटियाँ नहीं हैं, अतः ये मनुप्रणीत नहीं हैं।

चोर की स्वयं प्रायश्चित्त की विधि—

राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता ।

आचक्षणेन तस्तेयमेवंकर्मास्मि शाधि माम् ॥३१४॥ (१८६)

[यदि चोर चोरी करने के बाद स्वयं उस अपराध को अनुभव करता होता है तो उसके प्रायश्चित्त और उससे मुक्ति के लिए] (स्तेनेन) चोर को चाहिए कि वह (मुक्तकेशेन धावता) बाल खोलकर दौड़ता हुआ (तत् स्ते-यम्+आचक्षणेन) उसने जो चोरी की है उसको कहता हुआ 'कि मैंने अमुक चोरी की है, अमुक चोरी की है,' आदि (राजा गन्तव्यः) राजा के पास जाना चाहिए, और कहे कि (एवंकर्मा+अस्मि) 'मैंने ऐसा चोरी का काम किया है' 'मैं अपराधी हूँ' (मां शाधि) मुझे सजा दीजिए ॥ ३१४ ॥

अनुशीलन : प्रतीत होता है कि यह उस समय की स्वयं प्रायश्चित्त करने की परम्परा थी। चोर चोरी करने के पश्चात् यदि स्वयं यह अनुभव करता है कि मैंने यह बुरा कार्य किया है, और पकड़े जाने से पूर्व स्वयं ही उसका प्रायश्चित्त करना चाहता है, तो उसका यह तरीका है। सार्वजनिक रूप से अपने आपको चोर कहने पर और अपने आपको चोर के रूप में सबके तथा राजा के सामने प्रदर्शित करने पर बहुत बड़ा प्रायश्चित्त हो जाता है। स्वयं इस प्रकार प्रायश्चित्त करने वाले व्यक्ति द्वारा पुनः अपराध करने की संभावना नहीं रहती। और लोग भी यह मान लेते हैं कि जब इसने स्वयं ही सार्वजनिक रूप से अपने आपको चोर घोषित करके अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और प्रायश्चित्त कर रहा तो इसे और दण्ड देने की आवश्यकता नहीं। इस श्लोक से तथा ८।३१६ से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं इस प्रकार प्रायश्चित्त करने वाले व्यक्ति को राजा को क्षमा कर देना चाहिए। इस सबके बाद वह व्यक्ति दोषमुक्त मान लिया जाता है।

स्कन्धेनादाय मुसलं सगुडं वाऽपि खादिरम् ।

शक्तिं चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५ ॥ (१६०)

(स्कन्धेन मुसलम् अपि वा खादिरं लगुडम्) चोर को कन्धे पर मुसल अथवा खंर का दंड, (उभयतः तीक्ष्णां शक्तितम्) दोनों ओर से तेज धार-वाली बरह्नी (वा) अथवा (आयसं दण्डम् एव) लोहे का दण्ड ही रखकर [राजा के पास जाना चाहिए और कहे कि 'मैं चोर हूँ', मुझे दण्ड दीजिए'] ॥ ३१५ ॥

अनुयातिलनः : इस श्लोक का पूर्व श्लोक के साथ सम्बन्ध है। ऊपर के श्लोक में दो हुई व्यवस्था के साथ इस श्लोक में कहे हुए विकल्पों में से चुनकर किसी एक व्यवस्था के अनुसार चोर को प्रायश्चित्त करना है।

दोषी को दण्ड न देने से राजा पापभागी होता है—

शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते ।

अशासित्वा तु त्वं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्बिषम् ॥३१६॥ (१६१)

(शासनात्) सजा पाकर (वा) या (विमोक्षात्) [स्वयं प्रायश्चित्त करने के बाद] राजा के द्वारा क्षमा कर दिये जाने पर (स्तेनः) चोर (स्तेयात् विमुच्यते) चोरी के अपराध से मुक्त हो जाता है (तम् अशासित्वा तु) चोर को दण्ड न देने पर (राजा स्तेनस्य किल्बिषम् आप्नोति) राजा को चोर की निन्दा = बुराई मिलती है अर्थात् फिर प्रजाएं उस चोर के स्थान पर राजा को अधिक दोष देती हैं ॥ ३१६ ॥

अनुयातिलनः ; (१) रामायण में उद्धृत मनुस्मृति के श्लोक—यह श्लोक तथा ८। ३१८ वां श्लोक, दोनों कुछ पाठान्तर से वाल्मीकि रामायण में उद्धृत मिलते हैं। बालि का वध करने पर, बालि राम पर अधर्मपूर्वक वध करने का आक्षेप लगाता है। राम बालि के आक्षेपों का उत्तर देते हुए अपने आचरण को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनु के निम्न श्लोकों को प्रमाणरूप में उद्धृत करते हैं।

यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन श्लोकों के उद्धरण से मनुस्मृति का रचना-काल रामायण से पूर्व सिद्ध होता है। रामायण से पूर्व मनुस्मृति श्लोकबद्ध रूप में थी, यह रामायण में पठित 'श्लोकी' शब्दों से ज्ञात होता है—“अप्येते मनुना गीतौ श्लोकी अरिचक्रत्सली। गृहीतौ धर्मकुशलंस्तथा तत्क्षरितं मया ॥” (किष्कि० १८। ३०)। उद्धृत श्लोक निम्न प्रकार हैं—

राजनिर्धूतदण्डाश्च कृत्वा पापानि भानवाः ।

निर्मलाः स्वर्गमायाति सप्तः सुकृतिनो यथा ॥

शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापान् प्रमुच्यते ।

राजा त्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम् ॥ (किष्कि० १८। ३१-३२)

(२) मनुस्मृति में 'किल्बिषम्' 'कुण्ठितम्' 'एनः' 'पापम्' 'अधर्म' आदि शब्द स्थान-स्थान पर आते हैं। वहां इनसे ऐसे 'पाप' का अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए जो किसी दूसरे के किये का दूसरे को लग जाये। जहां-जहां ८। १३, १३५, १६८, ८। ३१६-३१७ आदि श्लोकों में इस शैली में वाक्यप्रयोग है या इस शब्द का प्रयोग है, वहां इसका अर्थ 'निन्दा' 'दोष' 'अधर्म' या 'बुराई' है। निरुक्तकार ने इसी अर्थ को व्युत्पत्ति से पुष्ट किया है—'किल्बिषम् = किल्बिषम्, कीर्त्तिमस्य भिनत्तीति। अर्थात् जो कीर्त्ति का नाश करे वह 'किल्बिष' = बदनामी, बुराई या दोष है। 'किल्बिषं' धातु से 'किल्बिष्' च (उणादि० १। ५०) सूत्र से 'टिप्' प्रत्यय के योग से 'किल्बिष' शब्द सिद्ध होता है। अन्य स्थानों पर इसके पर्यायवाची रूप में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो उपयुक्त अर्थों को पुष्ट करते हैं, जैसे—'मलहारकम्' [८। ३०८], 'एनस्' [२। २; ८। १६], 'अधर्मः' [८। १८] आदि। ८। १६ में 'एनः' शब्द निन्दा अर्थ में प्रयुक्त है।

पापियों के संग से पाप—

अन्नादे भ्रूणहा माष्टि पत्यौ भार्यापचारिणी।

गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम् ॥ ३१७ ॥ (१६२)

(भ्रूणहा अन्नादे माष्टि) भ्रूणहत्या करने वाला उसके यहां भोजन करने वाले को भी निन्दा का पात्र बना देता है अर्थात् जैसे भ्रूणहत्यारे को बुराई मिलती है वैसे ही उसके यहां अन्न खाने वाले को भी उसके कारण बुराई मिलती है (अपचारिणी भार्या पत्यौ) व्यभिचारी स्त्री की बुराई उसके पति को मिलती है (शिष्यः गुरौ) बुरे शिष्य की बुराई उसके गुरु को मिलती है (च) और (याज्यः) यजमान की बुराई उसके यज्ञ बराने वाले ऋत्विक् गुरु को मिलती है (स्तेनः किल्बिषं राजनि) इसी प्रकार दण्ड न देने पर चोर की बुराई = निन्दा राजा को मिलती है ॥ ३१७ ॥

राजाओं से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता—

राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः।

निर्मलाः स्वर्गमायाप्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१८ ॥ (१६३)

(मानवाः पापानि कृत्वा) मनुष्य पाप = अपराध करके (राजभिः कृतदण्डाः तु) पुनः राजाओं से दण्डित होकर अर्थात् राजा द्वारा दिये गये दण्डरूप प्रायश्चित्त को करके (निर्मलाः) पवित्र = दोषमुक्त होकर (स्वर्गम् + आयाप्ति) सुख को प्राप्त करते हैं (यथा सुकृतिनः सन्तः) जैसे अच्छे कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोग सुखी रहते हैं। अभिप्राय यह है कि प्रायश्चित्त करने पर उस पापरूप अपराध के संस्कार क्षीण हो जाते हैं और दोषी होने की

भावना नहीं रहती, उससे तथा पुनः श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्ति होने से मनुष्य सन्तों की तरह मानसिक शान्ति-सुख को प्राप्त करते हैं ॥ ३१८ ॥

अनुशीलन : स्वयं शब्द का अर्थ 'सुख' है। द्रष्टव्य ६।७६ पर अनुशीलन।

विभिन्न चोरियों की दण्डव्यवस्था—

यस्तु रज्जुं घटं कूपाद्धरेद्भिन्नाच्च या प्रपाम् ।

स दण्डं प्राप्नुयान्मावं तच्छ तस्मिन्समाहरेत् ॥ ३१९ ॥ (१६४)

(यः तु) जो व्यक्ति (कूपात्) कूए से (रज्जुं घटं हरेत्) रस्सी या घड़ा चुरा ले (च) और (यः) जो (प्रपां भिद्येत्) प्याऊ को तोड़े (सः) वह (मावं दण्डं प्राप्नुयात्) एक सोने का 'मावा' दण्ड का भागी होगा (च) तथा (तत् तस्मिन् समाहरेत्) वह सब सामान वहां लाकर दे ॥ ३१९ ॥

धान्यं दशम्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः ।

शेषेऽप्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ ३२० ॥ (१६५)

(दशम्यः कुम्भेभ्यः अधिकं धान्यं हरतः) दश कुम्भ=बड़े घड़ों से अधिक धान्य=प्रन्नादि चुराने पर (वधः) चोर को शारीरिक दण्ड मिलना चाहिए (शेषे तु) दश कुम्भ तक धान्य चुराने पर (एकादशगुण दाप्यः) ग्यारह गुना जुर्माना करना चाहिए (तस्य तत् धनं च) और उस व्यक्ति का वह धन वापिस दिलवा दे ॥ ३२० ॥

तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः ।

सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ॥ ३२१ ॥ (१६६)

(तथा) इसी प्रकार (धरिममेयानाम्) धरिम=कांटे से, मेय=तोले जाने वाले (सुवर्ण-रजत+आदीनाम्) सोना, चांदी आदि पदार्थों के १०० पल से अधिक चुराने पर (च) और (उत्तमानां वाससाम्) उत्तम कोटि के कपड़े (शतात्+अभ्यधिके) सौ से अधिक चुराने पर (वधः) शारीरिक दण्ड से दण्डित करे ॥ ३२१ ॥

पंचाशतस्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते ।

शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादृण्डं प्रकल्पयेत् ॥ ३२२ ॥ (१६७)

(पंचाशतः तु+अभ्यधिके) [उपर्युक्त ८।३२१ वस्तुओं के] पचास से अधिक सौ तक चुराने पर (हस्तच्छेदनम्+इष्यते) हाथ काटने का दण्ड देना चाहिए (शेषे तु) पचास से कम चुराने पर राजा (मूल्यात् एका-

दशगुणं दण्डं प्रकल्पयेत्) मूल्य से ग्यारह गुना दण्ड करे और वह वस्तु वापिस दिलवाये ॥ ३२२ ॥

पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः ।

मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति ॥ ३२३ ॥ (१६८)

(कुलीनानां पुरुषाणाम्) कुलीन पुरुषों (च) और (विशेषतः नारी-
णाम्) विशेषरूप से स्त्रियों का (हरणे) अपहरण करने पर (च) तथा
(मुख्यानाम् एव रत्नानाम्) मुख्य हीरे आदि रत्नों की चोरी करने
पर (वधम् + अर्हति) शारीरिक दण्ड [ताड़ना से प्राणवध तक देना]
चाहिए ॥ ३२३ ॥

महापशूनां हरणे शस्त्राणामोषधस्य च ।

कालमासाद्य कार्यं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् ॥ ३२४ ॥ (१६९)

(महापशूनाम्) हाथी, घोड़े आदि बड़े पशुओं के (शस्त्राणाम्)
शस्त्रास्त्रों के (च) और (ओषधस्य) ओषधियों के (हरणे) चुराने पर
(कालं च कार्यम् आसाद्य) समय [-परिस्थिति] और चोरी के कार्य की गम्भी-
रता को देखकर (राजा दण्डं प्रकल्पयेत्) राजा चोर को दण्ड दे ॥ ३२४ ॥

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु क्षत्रिकायाश्च भेदने ।

पशूनां हरणे चैव सद्यः कार्योऽर्धपादिकः ॥ ३२५ ॥

(ब्राह्मणसंस्थासु गोषु) ब्राह्मण की गोश्रों के चुराने पर (च) और (क्षत्रिकायाः
भेदने) पशुओं के नाक छेदने पर (च) तथा (पशूनां हरणे) पशुओं के चुराने पर (सद्यः
अर्धपादिकः कार्यः) चोर का आधा पांव कटवा देना चाहिए ॥ ३२५ ॥

सूत्रकार्पासकिष्कानां गोमयस्य गुडस्य च ।

दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६ ॥

वेणुवैदलभाण्डानां लवणानां तथैव च ।

मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥

मत्स्यानां पक्षिणां चैव तैलस्य च घृतस्य च ।

मांसस्य मधुनश्चैव यकृत्पित्तपशुसम्भवम् ॥ ३२८ ॥

अग्न्येषां चैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च ।

पक्वान्मानां च सर्वेषां तन्मूल्याद् द्विगुणो दमः ॥ ३२९ ॥

(सूत्र-कार्पास-किष्कानाम्) ऊन आदि का सूत, कपास, सुरा-बीज (गोमयस्य
गुडस्य) गोबर, गुड़ (दध्नः) दही (क्षीरस्य) दूध (तक्रस्य) छाछ (पानीयस्य) जल
(तृणस्य) तृण (वेणु-वैदल-भाण्डानाम्) बांस और बेंत के बने बर्तन (लवणानाम्) सभी
प्रकार के नमक (मृन्मयानाम्) मिट्टी के बर्तन (मृदः भस्मनः एव) मिट्टी, भस्म
(मत्स्यानां पक्षिणाम्) मछली, पक्षी (तैलस्य घृतस्य) तैल, घी (मांसस्य मधुनः) मांस;

मधु (च) श्रीर (यत् + ग्रन्थत् पशुसंभवम्) जो कुछ पशु से उत्पन्न होने वाले पदार्थ—
सींग, चमड़ा, दांत, हड्डी आदि (अग्न्येषां च एवम् + प्रादीनाम्) इसी प्रकार के दूसरे
पदार्थ (मखानाम् + ओदनस्य) शराब, भात (सर्वेषां पक्वान्नानाम्) सभी पक्वान्नों के
(हरणं) चुराने पर (तत् मूल्यात् द्विगुणः दमः) उस चुराई गई वस्तु के मूल्य से दुगुना
दण्ड चोर पर होना चाहिये ॥ ३२६-३२९ ॥

पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च ।

अग्न्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पञ्चकृष्णलः ॥ ३३० ॥

(पुष्पेषु) फूल (हरिते धान्ये) हरे धान्य (गुल्म-वल्ली-नगेषु) गुल्म, बेल, वृक्ष
(अपरिपूतेषु अग्न्येषु) बिना साफ किये धान्य के चुराने पर (पञ्चकृष्णलः दण्डः स्यात्)
‘‘च ‘कृष्णलः’ [८ । १३४] दण्ड करना चाहिए ॥ ३३० ॥

परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च ।

निरन्वये शतं दण्डः सान्त्वयेऽर्धशतं दमः ॥ ३३१ ॥

(परिपूतेषु धान्येषु) साफ किए हुए धान्य (शाकमूल-फलेषु) शाक, मूल, फल
(निरन्वये शतं दण्डयः) [इनके चोरी करने पर] स्वामी का जो चुराने वाला सम्बन्धी न
हो तो सौ पण दण्ड करना चाहिए (सान्त्वये + अर्धशतं दमः) यदि सम्बन्धी हो तो पचास
पण दण्ड करना चाहिए ॥ ३३१ ॥

अनुशीलनः ३२५—३३१ श्लोक निम्न ‘आधारों’ के अनुसार
प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—मनुष्यों का अपहरण, अन्न, भात, वस्त्र आदि मुख्य वस्तुओं
की सामूहिक रूप से कुछ दण्डव्यवस्था का विधान करके ३२४ वें श्लोक में अन्य सभी
साधारण-विशेष वस्तुओं की दण्डव्यवस्था मनु ने राजा के विवेक पर ही छोड़ दी है।
यह कहकर श्लोक को पूर्ण कर दिया है कि ‘समय और कार्य के अनुसार राजा स्वयं दण्ड
दे दे’।

यह वाक्य न कहकर प्रत्येक दण्ड को स्वयं निर्धारित करते। अतः यह मानना पड़ेगा कि
यहां दण्डव्यवस्था का यह प्रसंग पूर्ण हो गया है। इसके पश्चात् चोरी से सम्बन्धित
विकल्पात्मक या सर्वसामान्य विधानों का वर्णन तो प्रासंगिक कहा जा सकता है, अन्य
वर्णन नहीं। ३२५-३३१ श्लोकों में साधारण-साधारण वस्तुओं की दण्डव्यवस्था का
उल्लेख किया है। प्रसंग की समाप्ति के पश्चात् पुनः उस प्रसंग को उठाना प्रसंगविरुद्ध
है एवं मनुस्मृतिकार के संकेत के विरुद्ध भी है, अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

१. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में अनेक साधारण वस्तुओं के साथ-साथ मछली

मांस, चारा आदि वस्तुओं की चोरी की दण्डव्यवस्था भी दी है, जो इन श्लोकों को मनु-प्रणीत सिद्ध नहीं करती, क्योंकि मनु चारों वर्णों के समाज में इन वस्तुओं का 'अस्तित्व' ही स्वीकार नहीं करते। जब उनके मत में ये वस्तुएं समाज में होनी ही न चाहिए तो फिर वे इनकी दण्डव्यवस्था का उल्लेख भी नहीं कर सकते [दण्डव्य ३।१२०-२८४; ४।२६-२८ पर 'अनुशीलन' में मांस, मद्य-सम्बन्धी समीक्षा] इस आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

साहस और चोरी का लक्षण—

स्यात्साहसं स्वव्ययप्रसभं कर्म यत्कृतम् ।

निरन्वयं भवेत्स्तेयं हृत्वाऽपव्ययते च यत् ॥ ३३२ ॥ (२००)

(अन्वयवत्) वस्तु के स्वामी के सामने (प्रसभं यत् कर्म कृतम्) बलात्कारपूर्वक जो चोरी, डाका, बलात्कार आदि कर्म किया जाता है ('साहसम्' स्यात्) वह साहस=डाका डालना या बलात्कार कार्य कहलाता है (निरन्वयम्) स्वामी के पीछे से छुपाकर किसी वस्तु को लेना (च) और (यत् हृत्वा+अपव्ययते) जो किसी वस्तु को [सामने या परोक्ष में] लेकर मुकरना या चुराकर भाग जाना है (स्तेयं भवेत्) वह 'चोरी' कहलाती है ॥ ३३२ ॥

अनुशीलन : साहस और चोरी का लक्षण—कोटिल्य ने मनु के शब्दों को ग्रहण करके अपने अर्थशास्त्र में साहस और चोरी का लक्षण किया है—

“साहसम् अन्वयवत् प्रसभकर्म । निरन्वये स्तेयम् अपव्ययते च ।”

[प्र० ७४। अ० १७]

यस्त्वेतान्युपलूप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः ।

तमाद्यं दण्डयेद्राजा यद्यद्याग्निं चोरयेत् गुहात् ॥ ३३३ ॥

(यः तु नरः) जो व्यक्ति (उपलूप्तानि एतानि द्रव्याणि) साफ करके अपने

(राजा तम्+आद्यं दण्डयेत्) राजा उसको आद्य अर्थात् 'प्रथम साहस' का दण्ड दे।

अनुशीलन : यह श्लोक भी प्रसंगविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त है विस्तृत विवेचन ३२५-३३१ श्लोकों पर 'अनुशीलन' में देखिए।

डाकू, चोरों के अंगों का छेदन—

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विच्छेद्यते ।

तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ ३३४ ॥ (२०१)

(स्तेनः) चोर (यथा) जिस प्रकार (येन येन + अङ्गेन) जिस-जिस अङ्ग से (नृषु) मनुष्यों में (विचेष्टते) विरुद्ध चेष्टा करता है (अस्य तत्-तत् + एव) उस-उस अंग को (प्रत्यादेशाय) सब मनुष्यों को शिक्षा के लिए (पाथिवः हरेत्) राजा हरण अर्थात् छेदन करदे ॥ ३३४ ॥

(स० प्र० १७२)

माता-पिता, आचार्य आदि सभी राजा द्वारा दण्डनीय हैं—

पिताऽऽचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मं न तिष्ठति ॥ ३३५ ॥ (२०२)

(पिता आचार्यः सुहृत् माता भार्या पुत्रः पुरोहितः) चाहे पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो (यः स्वधर्मं न तिष्ठति) जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता (राज्ञः अदण्ड्यः नाम न) वह राजा का अदण्ड्य नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ ३३५ ॥

(स० प्र० १७)

अपराध करने पर राजा को साधारण जन से सहस्रगुणा दण्ड हो—

कार्षापणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।

तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३३६ ॥ (२०३)

(यत्र) जिस अपराध में (अन्यः प्राकृतः जनः) साधारण मनुष्य पर (कार्षापणं दण्ड्यः भवेत्) एक पैसा दण्ड हो (तत्र) उसी अपराध में (राजा सहस्रं दण्ड्यः भवेत्) राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्रगुणा दण्ड होना चाहिए ॥

मंत्री अर्थात् राजा के दीवान को आठ सौ गुणा, उससे न्यून को सात सौ गुणा, और उससे भी न्यून को छः सौ गुणा, इसी प्रकार उत्तर-उत्तर अर्थात् जो एक छोटे से छोटा भूत्य अर्थात् चपरासी है उसको आठ गुणे दण्ड से कम न होना चाहिए । क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर दें; जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में आ जाती है, इसलिए राजा से लेकर छोटे से छोटे भूत्यपर्यन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिए ॥ ३३६ ॥ (स० प्र० १७२)

✽ (इति धारणा) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है ।

उच्चवर्ण के व्यक्तियों को अधिक दण्ड दे—

अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम् ।

षोडशं तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत्क्षत्रियस्य च ॥ ३३७ ॥ (२०४)

ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वाऽपि शतं भवेत् ।

द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणबद्धि सः ॥ ३३८ ॥ (२०५)

वैसे ही (तत् दोषगुणवित् हि सः) जो कुछ विवेकी होकर (स्तेये) चोरी करे (शूद्रस्य तु अष्टापाद्यम्) उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा (वैश्यस्य तु षोडश+एव) वैश्य को सोलह गुणा (क्षत्रियस्य द्वात्रिंशत्) क्षत्रिय को बत्तीस गुणा (ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः) ब्राह्मण को चौंसठ गुणा (अपि वा शतम्) वा सौ गुणा (वा) अथवा (द्विगुणा चतुःषष्टिः) एक सौ अट्ठाईस गुणा (किल्बिषं भवति) दण्ड होना चाहिए अर्थात् जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो, उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिए ॥ ३३७-३३८ ॥ (स० प्र० १७३)

अनुशीलन : उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड—उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड की व्यवस्था कोटिल्य तक यथावत् प्रचलित रही है। कोटिल्य ने भी अन्य वर्णों की तुलना में अपराध करने पर ब्राह्मण को अधिक दण्ड देने का विधान किया है—

“ब्राह्मणतश्चैवां ज्यैष्ठ्य नियम्येत ।” [प्र० ६६ । अ० १०]

==भारता आदि अपराधों में यदि कोई ब्राह्मण सम्मिलित हो तो उसे अन्य वर्णस्थ जनों की अपेक्षा अधिक दण्डित किया जाये।

वानस्पत्यं मूलफलं दार्ढम्यं तथैव च ।

तृणं च गोम्यो प्रासार्थमस्तेयं मनुजब्रवीत् ॥ ३३९ ॥

(वानस्पत्यं मूलफलम्) वनस्पतियों के मूल, फल (अग्न्यर्थं दारु) यज्ञ के लिए समिधाग्राओं की लकड़ी (तथैव) उसी प्रकार (गोम्यः प्रासार्थं तृणम्) गोम्रों को चराने के लिए घास लेने को (मनुः अस्तेयम् + अजब्रवीत्) मनु ने चोरी नहीं माना है ॥ ३३९ ॥

योऽज्ञादाग्निनो हस्तात्लिप्सेत ब्राह्मणो धनम् ।

याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ ३४० ॥

(यः ब्राह्मणः) जो ब्राह्मण (अज्ञादाग्निनः हस्तात्) नहीं दी गई वस्तु को चुराने वाले के हाथ से (याजन-अध्यापनेन + अपि) चाहे यज्ञ कराने अथवा पढ़ाने की दक्षिणा के रूप में (धनं लिप्सेत) धन लेने की इच्छा करे तो (सः) वह ब्राह्मण (यथा स्तेनः तथैव) जैसे चोर है वैसा ही है अर्थात् वह भी चोर के समान दण्डनीय है ॥ ३४० ॥

द्विजोऽध्वगः क्षीरवृत्तिर्द्वाविधु द्वे च मूलके ।

आवदानः परस्त्रेभ्यश्च दण्डं दातुमर्हति ॥ ३४१ ॥

(अध्वगः द्विजः) यात्रा करने वाले द्विज के पास यदि (क्षीरवृत्तिः) भोजन न रहे, और अपनी भूख मिटाने के लिए यदि वह (परस्त्रेभ्यश्च द्वौ + इधू च द्वे मूलके) दूसरे के स्त्रे से दो गन्ने और दो मूली (आवदानः) ले ले तो (दण्डं दातुं न अर्हति) वह दण्ड देने के योग्य नहीं होता ॥ ३४१ ॥

असंवितानां संदाता संवितानां च मोक्षकः ।

बासावधरथहर्ता च प्राप्तः स्याच्चोरकिल्बिषम् ॥ ३४२ ॥

(असंवितानां संदाता) दूसरे के खुले हुए पशुओं को अपने यहाँ बांधकर रखने वाला (च) और (संवितानां च मोक्षकः) किसी के बंधे हुए पशुओं को [चोरों के उद्देश्य से] खोलने वाला (च) तथा (दास + अश्व-रथ-हर्ता) दास, घोड़ा और रथ को चुराने वाला (चोरकिल्बिषं प्राप्तः स्यान्) चोर के अपराध और दण्ड का भागी होगा ॥ ३४२ ॥

अनुशीलनः : ३३६ से ३४२ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. शैलीगत आधार—३३६ श्लोक में द्रुवत “मनुः अश्वधी” पदों से स्पष्टतः यह सिद्ध है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति की रचना है, अतः प्रक्षिप्त है शेष श्लोकों का यह प्रसंग इसी श्लोक पर आधारित होने से स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेगा ।

२- प्रसंगविरोध—ये सभी श्लोक प्रसंगविरोध के आधार पर भी प्रक्षिप्त हैं। इसके लिए देखिए ३२५-३३१ श्लोकों पर ‘अनुशीलन’ में यह आधार ।

अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम् ।

यशोऽस्मिन्प्राप्नुयात्लोकं प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ३४३ ॥ (२०६)

(राजा) राजा (अनेन विधिना) इस उपर्युक्त [न। ३०२-३४२] विधि में (स्तेननिग्रहं कुर्वाणः) चोरों को नियन्त्रित एवं दण्डित करता हुआ (अस्मिन् लोके यशः) इस जन्म में या लोक में यश को (च) और (प्रेत्य) परजन्म में (अनुत्तमं सुखम्) अच्छे सुख को (प्राप्नुयात्) प्राप्त करता है ॥ ३४३ ॥

(१४) साहस = डाका, हत्या आदि बलात्कारपूर्वक किये गये

अपराधों का निर्याद—[३४४—३५१]

ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेत्युपशङ्खाक्षयमव्ययम् ।

नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ३४४ ॥ (२०७)

(ऐन्द्रं स्थानम्) राज्य के अधिकारी धर्म (च) और ॐ (यशः) ऐश्वर्य की (अभिप्रेप्सुः) इच्छा करने वाला (राजा) राजा (साहसिकः नरम्) बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को (क्षणम्+अपि न+उपेक्षेत) दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ३४४ ॥ (सं प्र० १७३)

ॐ (अभयम्+अव्ययम्) न नष्ट होने वाले तथा न कम होने वाले.....

साहसी व्यक्ति और से अधिक पापी—

वाग्दुष्टात्तत्स्कराच्चैव दण्डेनैव च हिंसितः ।

साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥३४५॥ (२०८)

साहसिक पुरुष का लक्षण—(वाक्-दुष्टात्) जो दुष्ट वचन बोलने (तत्स्करात्) चोरी करने (दण्डेन एव हिंसितः) बिना अपराध में दण्ड देने वाले से भी (साहसस्य कर्त्ता नरः) साहम, बलात्कार काम करने वाला है (पापकृत्तमः विज्ञेयः) वह अतीव पापी, दुष्ट है ॥ ३४५ ॥ (सं प्र० १७३)

डाकू को दण्ड न देने वाला राजा विनाश को प्राप्त करता है—

साहसे वर्तमानं तु यो मर्षयति पार्थिवः ।

स विनाशं व्रजयाशु विद्वेषं प्राधिगच्छति ॥३४६॥ (२०९)

(यः पार्थिवः) जो राजा (साहसे वर्तमानं तु मर्षयति) साहस में वर्तमान पुरुष को न दण्ड देकर सहन करता है (सः प्राशु विनाशं व्रजति) वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है (च) और (विद्वेषम्+प्राधिगच्छति) राज्य में द्वेष उठता है ॥ ३४६ ॥ (सं प्र० १७०)

मित्र या धन के कारण साहसी को क्षमा न करे—

न मित्रकारणाद्वाजा विपुलाद्वा धनागमात् ।

समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥३४७॥ (२१०)

(न मित्रकारणात् वा विपुलात् धन + आगमात्) न मित्रता, न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी (राजा) राजा (सर्वभूतभय+आवहान् साहसिकान्) सब प्राणियों को दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य को (समुत्सृजेत्) बंधन-छेदन किये बिना कभी न छोड़े ॥ ३४७ ॥ (सं प्र० १७३)

विद्रोहकाय में द्विजातियों को शस्त्रधारण का आदेश—

शस्त्रं द्विजातिमिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते ।

द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥

आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्करे ।

स्त्रीविप्राम्युपपत्तौ च धनधर्मेण न दुष्यति ॥ ३४६ ॥

(यत्र) जहाँ कहीं (धर्मः उपरुप्यते) धर्मों में अवरोध पैदा हो गया हो (च) तथा (कालकारिते) किसी समय या परिस्थिति के प्रभाव के कारण (द्विजातीनां वर्णानां विप्लवे) द्विज वर्णों के बीच विद्रोह पैदा हो जाने पर (द्विजातिभिः शस्त्रं ग्राह्यम्) द्विजातियों को शस्त्र ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ ३४८ ॥

श्रीर—(आत्मनः परित्राणे) आत्मरक्षा के लिए (च) तथा (दक्षिणानां सङ्करे) धन-सम्पत्ति की लूट-पाट में (स्त्री-विप्र + अम्युपपत्तौ) स्त्रियों और विद्वानों पर विपत्ति आने पर उनकी रक्षा के लिए (धनं) हिंसा करने पर (धर्मेण न दुष्यति) धर्म से = कानून के अनुसार अपराधी नहीं होता ॥ ३४६ ॥

अनुशीलन : ३४८-३४९ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—८। ४-७ श्लोकों के संकेतानुसार यहां ३४४ श्लोक से डाका, हत्या आदि साहस के अपराधों के निर्णय का वर्णन है। इन श्लोकों के पूर्वापर श्लोकों में भी वही वर्णन है। बीच के इन श्लोकों में प्रचलित प्रसंग से भिन्न 'द्विजातियों द्वारा धर्मरोध और परस्पर विद्रोह की स्थिति में शस्त्र ग्रहण का विधान,' 'स्त्री तथा विप्र की रक्षार्थं शस्त्रधारण' आदि बातें प्रसंगविरुद्ध हैं। ये दोनों श्लोक एक क्रिया द्वारा सम्बद्ध हैं, अतः प्रथम के साथ द्वितीय भी प्रक्षिप्त ही घोषित होगा।

२. अन्तर्विरोध—धर्म का पालन कराना, धर्म का पालन न करने पर दण्ड देना, धर्म में आये अवरोधों को दूर करना और स्त्री, विप्र आदि सभी प्रजाजनों की रक्षा करना, ये राजा के कार्य विहित हैं। यदि द्विज स्वयं शस्त्र धारण करके अराजकता और धर्मविरोध आदि को दूर करने लगे तो इससे अराजकता ही बढ़ेगी। फिर राजा की क्या आवश्यकता रहेगी? [७। ३, १७, २४, ३५, १४३, १४४]। इस प्रकार ये दोनों श्लोक मनु की व्यवस्था के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। अगले श्लोक में इन भावों का स्वयमेव अन्तर्भाव हो जाता है।

आततायी को मारने में अपराध नहीं—

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुभुतम् ।

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ ३५० ॥ (२११)

(गुरुं वा बाल-वृद्धौ वा) चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र आदिक बालक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध (ब्राह्मणं वा बहुभुतम्) चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो (आततायिनम् + आयान्तम्) जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान, दूसरे को बिना अरराध मारने वाले हैं (अविचारयन् +

एव हन्यात्) उनको बिना विचारे मार डालना अर्थात् मारके पश्चात् विचार करना चाहिए ॥ ३५० ॥ (स० प्र० १७३)

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।

प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ ३५१ ॥ (२१२)

(प्राततायिवधे) दुष्ट-पुरुषों के मारने में (हन्तुः कश्चनः दोषः न भवति) हन्ता को पाप नहीं होता (प्रकाशं वा+अप्रकाशम्) चाहे प्रसिद्ध [=सबके सामने] मारे चाहे अप्रसिद्ध [=एकान्त में] (मन्युः तं मन्युं ऋच्छति) क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है ॥ ३५१ ॥ (स० प्र० १७३)

[१५] स्त्री-संग्रहणसम्बन्धी विवाद [३५२-३८७] तथा

उसका निर्णय—

परदाराभिर्मर्शेषु प्रवृत्तान् नृन्महीपतिः ।

उद्वेजनकरैर्दण्डैश्छिन्नयित्वा प्रवासयेत् ॥ ३५२ ॥ (२१३)

(परदारा+अभिर्मर्शेषु प्रवृत्तान् नृन्) [बलात्कार अथवा सहमति-पूर्वक] परस्त्रियों से व्यभिचार करने में संलग्न पुरुषों को (महीपतिः) राजा (उद्वेजनकरैः दण्डैः छिन्नयित्वा) व्याकुलता पैदा करने वाले [नाक, कान, हाथ आदि काटना, दागना आदि] दण्डों से अङ्ग-भंग करके (प्रवासयेत्) देश से निकाल दे ॥ ३५२ ॥

तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः ।

येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥

(हि) क्योंकि (तत्समुत्थः) उस परस्त्री व्यभिचार से (लोकस्य वर्णसंकरः जायते) लोक में वर्णसंकरः=दोगला पुत्र पैदा होता है (येन) जिसके उत्पन्न होने पर (मूलहरः अधर्मः) धर्म के मूल को नष्ट करनेवाला अधर्म (सर्वनाशाय कल्पते) सर्वनाश करने में समर्थ होता है अर्थात् अधर्म के संस्कार वृद्धि एवं शक्ति को प्राप्त करते हैं ॥ ३५३ ॥

अनुशीलन : ३५३ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—इस श्लोक में उक्त कारण युक्तियुक्त तथा मनु की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इसके वर्णन का पूर्व श्लोक के साथ तालमेल नहीं बैठता—(१) पूर्वश्लोक में व्यभिचार में प्रवृत्त सभी वर्ण के अपराधियों को दण्ड देने का कथन किया है। इस श्लोक में 'उसके कारण वर्णसंकर सन्तान का पैदा होना' कहा है। दोषभिन्न

वर्ण के व्यक्तियों के सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान को 'वर्णसंकर' कहते हैं, जबकि व्यभिचार एक वर्ण के व्यक्तियों में परस्पर भी हो सकता है और भिन्न वर्ण में भी। अतः उससे 'संकर' पुत्र की उत्पत्ति का कथन तो उचित प्रतीत होता 'वर्णसंकर' मात्र कहना उचित नहीं। क्या श्लोककार केवल भिन्न वर्णों के व्यभिचार को ही रोकना चाहता है, एक वर्ण में होने वाले को नहीं? जबकि ऊपर वाले श्लोक में प्रत्येक के व्यभिचार के लिए दण्डव्यवस्था है। इस प्रकार ऊपर के कथन से इस श्लोक का तालमेल नहीं बैठता। अतः यह ग्रन्थप्रोक्त है। (२) इस श्लोक में 'वर्णसंकर' को सर्वनाश में समर्थ और धर्म के मूल का हन्ता माना है। इससे यह विचार ध्वनित होता है कि 'वर्णसंकर' को धर्म अपने अनुसार नहीं ढाल सकता, वह धर्म को नष्ट करता है। यह भावना जन्मना वर्णव्यवस्था पर आधारित है। यह मनुविरुद्ध है, क्योंकि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। उनके मतानुसार एक वर्ण का व्यक्ति कर्मनुसार दूसरे वर्ण में दीक्षित हो सकता है [द्रष्टव्य १। ६२-१०१ पर 'अनुशीलन' और ४। २४५; २। १६८; ६। २२-२४; १०। ६५ श्लोक]। इस प्रकार विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयन् रहः।

पूर्वमाक्षारितो दोषः प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् ॥३५४॥ (२१४)

(पूर्व दोषः आक्षारितः पुरुषः) जो व्यक्ति पहले परस्त्री-गमन-सम्बन्धी दोषों में अपराधी सिद्ध हो चुका है (रहः परस्य पत्न्या संभाषां योजयन्) यदि वह एकान्त स्थान में पराई स्त्री के साथ कामुक बातचीत की योजना में लगा मिले तो (पूर्वसाहसं प्राप्नुयात्) उसको 'पूर्वसाहस' [८। १३८] का दण्ड देना चाहिए ॥ ३५४ ॥

यस्त्वनाराक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात्।

न दोषं प्राप्नुयात् किञ्चिन् हि तस्य व्यतिक्रमः ॥३५५॥ (२१५)

(यः तु पूर्वम्+अनाक्षारितः) किन्तु जो पहले ऐसे किसी अपराध में अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है, यदि वह (कारणात् अभिभाषेत) किसी उचित कारणवश बातचीत करे तो (किञ्चित् दोषं न प्राप्नुयात्) किसी दोष का भागी नहीं होता (हि) क्योंकि (तस्य न व्यतिक्रमः) वह कोई मर्यादा-भंग नहीं करता ॥ ३५५ ॥

परस्त्रियं योऽभिबदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा।

नदीनां वाऽपि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात् ॥ ३५६ ॥

(यः) जो व्यक्ति (तीर्थे+अरण्ये वने+अपि वा नदीनां संभेदे) तीर्थस्थान, जंगल, छोटे वन अथवा नदियों के संगम स्थान पर (परस्त्रियम् अभिबदेत्) पराई स्त्री से बातचीत करे (सः) वह (संग्रहणम्+आप्नुयात्) स्त्रीसंग्रहणम् के दोष का भागी होगा ॥ ३५६ ॥

अनुशीलन : ३५६ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. अस्तबिरोध—३५४ और ३५५ श्लोकों में जो व्यवस्था दी है, इस श्लोक में उससे भिन्न व्यवस्था है। एकान्त में बातचीत करने पर कौन अपराधी माना जायेगा कौन नहीं, यह उनमें स्पष्ट रूप से वर्णित है। यहां सभी को 'संग्रहण' का दोषी ठहराना उनके विरुद्ध है। अतः प्रक्षिप्त है।

स्त्रोसंग्रहण की परिभाषा—

उपचारक्रियां केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम् ।

सहस्रद्वयसनं चैव सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥३५७॥ (३१६)

विषयगमन के लिए (उपचारक्रिया) एक-दूसरे को आकर्षित करने के लिए माला, सुगन्ध आदि शृंगारिक वस्तुओं का आदान-प्रदान करना (केलिः) विलासक्रीड़ाएं=छेड़खानी आदि (भूषणवाससां स्पर्शः) आभूषण और कपड़ों आदि का स्पर्श [शरीर-स्पर्श तो इसमें स्वतः ही परिगणित हो जाता है] (च) और (सहस्रद्वय+आसनम्) साथ मिलकर अर्थात् सटकर खाट आदि पर बैठना और साथ सोना, सहवास करना (सर्वं संग्रहणं स्मृतम्) ये सब बातें 'संग्रहण' = विषयगमन में मानी गयी हैं ॥ ३५७ ॥

स्त्रियं स्पृशेद्वेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तया ।

परस्परस्यानुमते सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥ ३५८ ॥

(यः स्त्रियम् अदेशे स्पृशेत्) यदि कोई पुरुष किसी परस्त्री को न छूने योग्य स्थानों स्तन, जघनस्थल, गाल आदि का स्पर्श करे (वा) अथवा (तया स्पृष्टः मर्षयेत्) स्त्री के द्वारा अस्पृश्य स्थानों को स्पर्श करने पर उसे सहन करे (परस्परस्य+अनुमते) परस्पर की सहमति से होने पर भी (सर्वं संग्रहणं स्मृतम्) यह सब 'संग्रहण' कहा गया है ॥ ३५८ ॥

अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति ।

चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥

(अब्राह्मणः) ब्राह्मणेश्वर व्यक्ति यदि (संग्रहणे) ब्राह्मण स्त्री के साथ संभोग करे तो (प्राणान्तं दण्डम्+मर्हति) प्राणहरण का दण्ड मिलना चाहिए, क्योंकि (चतुर्णाम्+अपि वर्णानां दाराः सदा रक्ष्यतमाः) चारों वर्णों को स्त्रियां सदा रक्षा करने योग्य होती हैं ॥ ३५९ ॥

भिक्षुका वन्दिनश्चैव दीक्षिता कारवस्तथा ।

संभाषणं सह स्त्रीभिः कुर्युरप्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥

(भिक्षुकाः) भिक्षार्थी (वन्दिनः) चारण-भाट आदि (दीक्षिताः) ऋत्विज (तथा कारवः) तथा रसोइया ये (अप्रतिवारिताः स्त्रीभिः सह संभाषणं कुर्युः) बिना किसी

रुकावट के स्त्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं अर्थात् इनका बातचीत करना 'संग्रहण' दोष में नहीं आता ॥ ३६० ॥

न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् ।

निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्णं दण्डमर्हति ॥ ३६१ ॥

(प्रतिषिद्धः) स्वामी या अभिभावक द्वारा मना करने पर (परस्त्रीभिः संभाषां न समाचरेत्) परस्त्रियों के साथ बातचीत न करे (निषिद्धः भाषमाणः तु) मना करने पर यदि कोई बातचीत करे तो वह (सुवर्णं दण्डम् + मर्हति) एक 'सुवर्ण' दण्ड के योग्य है ॥ ३६१ ॥

नैव चारणदारेषु विधिर्नात्मोपजीविषु ।

सज्जयन्ति हि ते नारीनिगूढाश्चारयन्ति च ॥ ३६२ ॥

(एषः) स्त्रियों के साथ संग्रहण दोष का यह विधान (चारणदारेषु आत्मोप-जीविषु न) नाचने-गाने वालों की स्त्रियों और अपनी पत्नी की वेश्यावृत्ति पर जीविका चलाने वालों की स्त्रियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि (ते हि नारीः सज्जयन्ति) वे तो अपनी स्त्रियों को स्वयं सजाते हैं (च) और (निगूढाः चारयन्ति) छुनकर संभोग के लिए भेजते हैं ॥ ३६२ ॥

किञ्चिदेष तु दाप्यः स्यात्संभाषां चाभिराचरेत् ।

प्रेष्यासु चकमस्तासु रहः प्रव्रजितासु च ॥ ३६३ ॥

(तु) तथापि (ताभिः) उन [८।३६२] स्त्रियों (च) और (प्रेष्यासु) दासियों (एकभक्तासु) किसी मंत में दीक्षित होकर विचरण करने वाली स्त्रियों (प्रव्रजितासु) वैरागिनीं से (रहः संभाषाम् + आचरेत्) एकान्त में बातचीत करने पर (किञ्चित् एव तु दाप्यः स्यात्) कुछ दण्ड तो अवश्य ही होना चाहिए ॥ ३६३ ॥

अकामा-सकामा कन्या के शोचन में दण्ड विधान—

योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमर्हति ।

सकामां दूषयस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः ॥ ३६४ ॥

(यः तुल्यः नरः) जो समान वर्ण का पुरुष (अकामां कन्यां दूषयेत्) संभोगेच्छा से रहित कन्या को बलात् दूषित करे (सः सद्यः वधम् + मर्हति) वह शीघ्र ही प्राणवध करने योग्य है (सकामां दूषयन्) संभोगेच्छा वाली कन्या को अर्थात् सहमति रखने वाली कन्या को दूषित करने पर (वधं न प्राप्नुयात्) वध-दण्ड के योग्य नहीं है, ॥ ३६४ ॥

कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किञ्चिदपि दापयेत् ।

जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद् गृहे ॥ ३६५ ॥

(उत्कृष्टं भजन्तीं कन्याम्) अपने से ऊँचे वर्ण वाले व्यक्ति के साथ संभोग करने

वासी कन्या को (किञ्चित्-+अपि न दापयेत्) कुछ भी दण्ड न दे (जघन्यं सेवमानां तु) किन्तु यदि कोई कन्या अपने से नीच वर्ण के साथ संभोग करे तो (गृहे संयतां वासयेत्) घर में बंद करके रखे, जिससे वह किसी से मिल न सके ॥ ३६५ ॥

उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति ।

शुल्कं दद्यात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥

(उत्तमां सेवमानः जघन्यः तु) अपने से उत्तम वर्ण की कन्या से संभोग करने वाला पुरुष (वधम्-+अर्हति) शारीरिक दण्ड के योग्य है (समां सेवमानः) समान वर्ण की कन्या से संभोग करने पर (यदि पिता इच्छेत्) यदि पिता स्वीकृति दे दे तो (शुल्कं दद्यात्) उसे उचित धन देकर उससे विवाह करले ॥ ३६६ ॥

अभिषह्य तु यः कन्यां कुर्यादपेण मानवः ।

तस्याशु कर्त्ये अङ्गुल्यौ दण्डं चाहति षट्शतम् ॥ ३६७ ॥

(यः मानवः) जो पुरुष (दपेण) घमण्ड में आकर (अभिषह्य) बलात्कारपूर्वक (कन्यां कुर्यात्) किसी कन्या का कौमार्य भंग कर दे तो (तस्य आशु अङ्गुल्यौ कर्त्ये) उसकी शीघ्र ही राजा दो अंगुलियां कटवादे (च) और (षट्शतं दण्डम्+अर्हति) छह सौ पण दण्ड करे ॥ ३६७ ॥

सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्गुलिच्छेदमाप्नुयात् ।

द्विशतं तु दम् दाप्यः प्रसंगविनिवृत्तये ॥ ३६८ ॥

(तुल्यः) समान वर्णवाला पुरुष (सकामां दूषयन्) संभोगेच्छा से युक्त कन्या को कौमार्य भंग करके दूषित करदे तो (अङ्गुलिच्छेदं न+आप्नुयात्) उसकी अंगुलियां न काटे (तु) अपि तु (प्रसंगविनिवृत्तये) भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए (द्विशतं दम् दाप्यः) उस पर दो सौ पण दण्ड करे ॥ ३६८ ॥

स्त्री द्वारा कौमार्य भंग करने पर दण्ड—

कर्म्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद् द्विशतो दम् ।

शुल्कं च द्विगुणं दद्यान्निष्काश्चवाप्नुयाद् दश ॥ ३६९ ॥

(या कन्या एव कन्यां कुर्यात्) कोई कन्या ही यदि किसी कन्या का कौमार्य भंग करदे (तस्याः द्विशतो दम् स्यात्) उसको दो सौ पण का दण्ड करे (च) और (द्विगुणं शुल्कं दद्यात्) उससे दुगुना अर्थात् चार सौ पण जुर्माना उस कन्या को दे (च) तथा (दश निष्काः आप्नुयात्) दश कोड़ों की मार का दण्ड भी दोषी कन्या को मिले ॥ ३६९ ॥

या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मौण्डघमर्हति ।

अङ्गुल्योरेव वा छेदं सरेणोद्ग्रहन् तथा ॥ ३७० ॥

(या तु स्त्री कन्यां प्रकुर्यात्) यदि कोई महिला किसी कन्या का कौमार्य भंग करदे तो (सा सद्यः मौण्डघम्+अर्हति) उसका शीघ्र सिर मुँडवा देना चाहिए (वा) या

‘अङ्गुल्योः + एव छेदम्’ दो अंगुलियां काट देनी चाहिए (तथा) तथा (खरेण + उद्वहनम्) उसको गधे पर बिठाकर धुमाना चाहिए ॥ ३७० ॥

अनुयातन : ३५८ से ३७० तक के श्लोक निम्न ‘आधारों’ के अनु-प्रसिप्त हैं।

१. अन्तर्विरोध—(१) ये सभी श्लोक मनु की मौलिक व्यवस्था के विरुद्ध हैं। मनु सभी अपराधियों के लिए निलिप्त एवं समभाव से दण्ड का विधान करते हैं [७।२, १६, ८।३४६, ६।३०७, ३।११], अपितु सम-दार एवं जिम्मेदार होने के कारण उच्चस्तरीय और उच्चवर्णीय व्यक्ति को अधिक दण्ड का विधान करते हैं। इन श्लोकों में उच्च-निम्न वर्ण के अनुसार क्रमशः कम और अधिक दण्ड का विधान करना मनु की उक्त व्यवस्था के विरुद्ध एवं पक्षपातभावयुक्त है। इस प्रसंग के ३५२-३५७, ३७१, ३७२ श्लोकों को इनकी पुष्टि के लिये देखिये, उनमें मनु की शैली के अनुरूप सभी अपराधियों के लिए समान व्यवस्थाएं हैं। इस विरोध के कारण ये प्रसिप्त हैं।

(२) ३५८ श्लोक का विधान अनावश्यक है, क्योंकि ये बातें ३५७ के अन्तर्गत स्वतः समाहित हैं, अतः यह प्रसिप्त है।

(३) इन श्लोकों में भार्या से जीविका करने वाले लोगों, दासी स्त्रियों का उल्लेख है। मनुविहित व्यवस्था में इनका कहीं अस्तित्व नहीं है, न वे भार्या से जीविका को उचित मानते हैं और न दासीप्रथा को। वे सभी प्रकार के परस्त्री-गुरु संभोग को दण्डनीय मानते हैं [८।३५२], और गुरु को स्वेच्छया किसी भी द्विजाति की सेवा करने की स्वतन्त्रता देते हैं [१।६१, ६।३३४, ३३५]। इनसे ज्ञात होता है कि ये परवर्ती श्रुत-परम्पराकालीन श्लोक हैं।

(४) ३५६, ३६४-३६५ श्लोक ८।३५२ से विरुद्ध हैं। सकामा हों या अकामा, मनु के मत में सभी व्यभिचारिणी हैं और वे दण्डनीय हैं।

(५) ३६६ वां श्लोक ३।५१-५४ श्लोकों के विरुद्ध है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रसिप्त सिद्ध होते हैं।

२. प्रसंगविरोध—३५२ से ‘स्त्रीसंग्रहण’ विवाद की सार्वजनीन दण्डव्यवस्था देकर ३५७ में स्त्रीसंग्रहण की परिभाषा दी है। इस प्रकार परिभाषा का देना प्रसंग-समाप्ति का मकेतक है। प्रसंगसमाप्ति के पश्चात् विकल्प-रूपक या सम्बन्धित व्यवस्थाओं का विधान तो प्रासंगिक हो सकता है, अन्य नहीं। प्रसंगसमाप्ति के पश्चात् पुनः उस प्रसंग को भिन्नविधि से चलाना प्रसंगविरोध है। अतः ये श्लोक प्रसिप्त हैं।

दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त होने पर स्त्री को दण्ड—

भर्तारं लज्जयेद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणद्विषता ।

तां श्वभिः खादयेद्वाजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ (२१७)

(या तु स्त्री) जो स्त्री (ज्ञाति-गुण-दर्पिता) अपनी जाति, गुण के घमण्ड से (भर्तारं लङ्घयेत्) पति को छोड़ व्यभिचार करे (ताम्) उसको (बहुसंस्थिते संस्थाने इत्रभिः राजा खादयेत्) बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवाकर मरवाडाले ॥ ३७१ ॥ (स० प्र० १७४)

दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त होने वाले पुरुष को दण्ड—

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे ।

अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्यते पापकृत् ॥ ३७२ ॥ (२१८)

(पापं पुमांसम्) उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़के परस्त्री या वेश्यागमन करे उस पापी को (आयसे तप्त शयने) लोहे के पलंग को अग्नि से तपा लाल कर उस पर सुलाके ॐ जीते को (तत्र पापकृत् दह्यते) बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म करदेवे ॥ ३७२ ॥ (स० प्र० १७४)

६ (काष्ठानि अभ्यादध्युः) लोग उस पर लकड़ियां रख दें (च) और.....

अनुध्यातव्य : (१) ३७१-३७२ श्लोक 'प्रसंगविरोध' के आधार पर प्रसेपाभ्यन्त इसलिए नहीं कहला सकते क्योंकि इनमें 'स्त्रीसंग्रहण' से सम्बन्धित विशेष स्थितियों की विशेष दण्ड-व्यवस्था है। अपने रूपसौन्दर्य एवं उच्चता के आधार पर अपने जीवनसंगी का तिरस्कार करते हुए दम्भपूर्वक जब कोई स्त्री या पुरुष पर-पुरुष-गमन या परस्त्रीगमन करे तो उनके लिये यह दण्डव्यवस्था है।

(२) यह दण्डव्यवस्था अत्यन्त कठोर है। वह इसलिये कि दम्भी व्यक्ति अपने बंध में आकर बलात् सभी मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है और अपने हठ पर अडिग रहता है। ऐसे व्यक्ति व्यवस्थाओं को बड़ी सापरवाही से भङ्ग करते हैं और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों का तिरस्कार करते हैं, अतः इनके लिए यह सार्वजनिक रूप से कठोर दण्ड-व्यवस्था विहित की है। महर्षि दयानन्द ने इस सम्बन्ध में छठे समु० में प्रश्नोत्तर रूप में प्रकाश डाला है, जो विवेचन की दृष्टि से उद्धरणीय है—

“(प्रश्न) जो राजा वा रानी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको कौन दण्ड देवे ?

(उत्तर) सभा, अर्थात् उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये ।

(प्रश्न) राजादि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे ?

(उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला

राजा क्या कर सकता है ? जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर व्याय-धर्म को डुबाके सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जायें, अर्थात् उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ?

(प्रश्न) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अङ्ग का बनाने हारा वा जिलानेवाला नहीं है, ऐसा दण्ड नहीं देना चाहिए ।

(उत्तर) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते, क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्ममार्ग में स्थित रहेंगे । सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न आवेगा । और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगे । वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह क्रोड़ों गुणा अधिक होने से क्रोड़ों गुणा कठिन होता है, क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा-थोड़ा दण्ड भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे को पाव भर तो पाव भर अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में मात्र पाव बीस सेर दण्ड पड़ा, तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं ? जैसे एक को मन और सहस्र मनुष्यों को पाव-पाव दण्ड हुआ तो ६ । सवा छः मन मनुष्य-जाति पर दण्ड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सुगम होता है ।”

वर्णानुसार दण्डव्यवस्था—

संवत्सराभिज्ञस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः ।

व्रात्यया सह संवासे चांडाल्या तात्वेव तु ॥ ३७३ ॥

(संवत्सर + अभिज्ञस्तस्य) एक वर्ष में ही पुनः दूसरी बार परस्त्रीगमन के दोष से दूषित होने वाले (दुष्टस्य) दुष्ट को (द्विगुणः दमः) दुगुना दण्ड होना चाहिए (व्रात्यया) व्रात्या [१०।२०] और (चाण्डाल्या सह संवासे) चाण्डाली स्त्री [१०।२६-२७] के साथ संभोग करने पर भी (तावत् + एव तु) उतना ही दण्ड अर्थात् दुगुना दंड होना चाहिए ॥ ३७३ ॥

शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्विजातं वर्णमावसन् ।

गुप्तं च अगुप्तं च द्विजातं वर्णमावसन् ॥ ३७४ ॥

(गुप्तं वा अगुप्तं द्विजातं वर्णम् + आवसन्) सुरक्षित अथवा असुरक्षित द्विजवर्ण की स्त्री से संभोग करने वाले (शूद्रः) शूद्र को (अगुप्तम्) यदि असुरक्षिता से संभोग करे तो (अङ्ग-सर्वस्वः) लिङ्ग-मैथुन एवं सर्वस्व = धन आदि से (हीयते) रहित कर देना चाहिए, और (गुप्तं सर्वेण) सुरक्षिता से करने पर धन आदि तथा प्राण आदि से भी रहित कर देना चाहिये अर्थात् सर्वस्वहरण करके प्राणवध करदे ॥ ३७४ ॥

वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात् संवत्सरनिरोधतः ।

सहस्रं क्षत्रियो दण्डघो मोण्डघं मूत्रेण चाहंति ॥ ३७५ ॥

(वैश्यः) यदि वैश्य किसी सुरक्षिता द्विज-स्त्री के साथ संभोग करे तो (संवत्सर-निरोधतः सर्वस्वदण्डः स्यात्) एक वर्ष की कैद के साथ-साथ सर्वस्वहरण के दण्ड से दण्डित होना चाहिए (क्षत्रियः) क्षत्रिय को ऐसा करने पर (सहस्रं दण्डघः) एक हजार पण दण्ड होना चाहिए (च) और (मूत्रेण मोण्ड्यं अर्हति) गधे के मूत्र से उसका मिर मुंडाना चाहिए ॥ ३७५ ॥

ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपापिवी ।

वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥ ३७६ ॥

(यदि तु) यदि (वैश्यपापिवी) वैश्य और क्षत्रिय (अगुप्तां ब्राह्मणीं गच्छेताम्) असुरक्षिता ब्राह्मणी से गमन करें तो (वैश्यः पञ्चशतम्) वैश्य को पांच सौ पण (तु) क्षत्रियं सहस्रिणं कुर्यात्) और क्षत्रिय को एक हजार पण दण्ड करे ॥ ३७६ ॥

उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह ।

विलुप्तौ शूद्रवद्दण्डयो दग्धव्यो वा कटाग्निना ॥ ३७७ ॥

(तौ उभौ + अपि) यदि वे दोनों—वैश्य, क्षत्रिय (गुप्तया ब्राह्मण्या सह) सुरक्षिता ब्राह्मणी के साथ (विलुप्तौ) गमन करें तो (शूद्रवद् दण्डयो) उन्हें शूद्र के समान दण्डित करे [८ । ३७४] (वा) अथवा (कटाग्निना दग्धव्यो) तिनकों की आग में जला दे ॥ ३७७ ॥

सहस्रं ब्राह्मणो दण्डघो गुप्तां विप्रां बलात् व्रजन् ।

शतानि पञ्च दण्डघः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ ३७८ ॥

(गुप्तां विप्रां बलात् व्रजन्) सुरक्षिता ब्राह्मणी के साथ बलात्कार करने पर (ब्राह्मणः सहस्रं दण्डघः) ब्राह्मण को एक हजार पण का दण्ड दे तथा (इच्छन्त्या सह संगतः) इच्छा वाली = सहमति वाली के साथ संभोग करने पर (पञ्चशतानि दण्डघः) पांच सौ पण दण्ड करे ॥ ३७८ ॥

मोण्डघं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते ।

इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत् ॥ ३७९ ॥

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण का (मोण्डघम्) मुण्डन करा देना ही (प्राणान्तिकः दण्डः) विधीयते प्राणवध दण्ड कहा जाता है (इतरेषां तु वर्णानाम्) ब्राह्मण से भिन्न अन्य वर्ण वालों को तो (प्राणान्तिकः दण्डः भवेत्) प्राणवध ही दण्ड होना चाहिए ॥ ३७९ ॥

न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।

राष्ट्रादेवं बहिः कुर्यात्समप्रजनमक्षतम् ॥ ३८० ॥

(सर्वपापेषु स्थितम् अपि ब्राह्मणम्) सब पापों में स्थित रहते हुए भी ब्राह्मण को

(जातु न हन्यात्) कदापि प्राणवध का दण्ड न दे (एनम्) बस इसे (समग्रधनम् + अक्षतं राष्ट्रात् बहिः कुर्यात्) समस्तधन सहित, शरीरहानि किये बिना देश से बाहर निकाल दे ॥ ३८० ॥

न ब्राह्मणवधाद् भूयानवधो विद्यते भुवि ।

तस्मादस्य वधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयेत् ॥ ३८१ ॥

(ब्राह्मणवधात् + भूयान् + अघर्मः) ब्राह्मण-वध से अधिक पाप (भुवि न विद्यते) धरती पर दूसरा कोई नहीं है (तस्मात्) इसलिए (अस्य वधम्) ब्राह्मण के वध की बात (राजा मनसा + अपि न चिन्तयेत्) राजा मन में भी न सोचे ॥ ३८१ ॥

वैश्यश्चेत्क्षत्रियां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो व्रजेत् ।

यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावन्मौ दण्डमर्हतः ॥ ३८२ ॥

(चेत्) यदि (गुप्तां क्षत्रियां वैश्यः) सुरक्षिता क्षत्रिया से वैश्य (वा) अथवा (क्षत्रियः वैश्याम्) क्षत्रिय सुरक्षिता वैश्या से (व्रजेत्) गमन करे तो (अगुप्तायां ब्राह्मण्यां यः) असुरक्षिता ब्राह्मणी के गमन में जो दण्ड कहा है [८। ३७६] (तौ + उभौ दंडम् + अर्हतः) उन्हें वही दंड देना चाहिए ॥ ३८२ ॥

सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दा यो गुप्ते तु ते व्रजन् ।

शूद्रायां क्षत्रियविशोः साहस्रो वै भवेद्दमः ॥ ३८३ ॥

(गुप्ते ते तु व्रजन्) सुरक्षिता क्षत्रिय और वैश्या से गमन करने पर (ब्राह्मणः सहस्रं दण्डम्) ब्राह्मण को एक हजार पण दंड से (दाप्यः) दण्डित करना चाहिए। (क्षत्रियविशोः शूद्रायाम्) क्षत्रिय और वैश्य द्वारा सुरक्षिता शूद्रा से गमन करने पर (वै साहस्रः दमः भवेत्) उन्हें भी एक हजार पण दण्ड होना चाहिए ॥ ३८३ ॥

क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः ।

मूत्रेण मौण्डयमिच्छेत् क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८४ ॥

(अगुप्तायां क्षत्रियायाम्) असुरक्षिता क्षत्रिया से गमन करने पर (वैश्ये पञ्चशतं दमः) वैश्य को पांच सौ पण दंड करना चाहिए (क्षत्रियः) क्षत्रिय (इच्छेत् तु) चाहे तो (मूत्रेण मौण्डयम्) मूत्र से मुण्डन कराये (वा) अथवा (दण्डम् + एव) पांच सौ पण दण्ड करे ॥ ३८४ ॥

अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो व्रजन् ।

शतानि पञ्च दण्डयः स्यात्सहस्रं त्वन्यजस्त्रियम् ॥ ३८५ ॥

(अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये वा शूद्रां व्रजन्) असुरक्षिता क्षत्रिया वैश्या अथवा शूद्रा से गमन करने पर (ब्राह्मणः) ब्राह्मण को (पञ्च शतानि दण्डयः स्यात्) पांच सौ पण दण्ड करना चाहिए (तु) और (अन्यजस्त्रियम्) चांडाल की स्त्री से गमन करने पर (सहस्रम्) एक हजार पण दण्ड करना चाहिए ॥ ३८५ ॥

अनुशीलन : ३७३ से ३८५ तक श्लोक निम्न 'माघारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं।

१. **अन्तर्विरोध**—(१) इन श्लोकों की दण्डव्यवस्था पक्षपातपूर्ण, जातीय आधार पर असमान दण्डव्यवस्था है, जो मनु की मौलिक दण्डव्यवस्था की पद्धति के विरुद्ध है, अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन के लिए देखिए ३५८—३७० पर 'अन्तर्विरोध' समीक्षा]। (२) इन सभी श्लोकों में रक्षिता-अरक्षिता का भेद करके बहुविवाह का समर्थन किया है। यह भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही विवाह का विधान करते हैं [३।४-५; ५।१६७-१६८]।

२. **प्रसंगविरोध**—एक प्रसंग की समाप्ति के पश्चात् पुनः उसी प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है। ये श्लोक भी इसी प्रकार प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। विशेष देखिए ३५८—३७० पर 'प्रसंगविरोध' समीक्षा।

पाँच महा-अपराधियों को बश में करने वाला राजा इन्द्र के समान प्रभावी—

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्।

न साहसिकदण्डघ्नो न राजा शक्रलोकभाक् ॥३८६॥ (२१६)

(यस्य) जिस राजा के राज्य में (स्तेनः न+अस्ति) न चोर (न+अन्यस्त्रीगः) न परस्त्रीगामी (न दुष्टवाक्) न दुष्ट वचन का बोलने वाला (न साहसिकदण्डघ्नो) न साहसिक डाकू और न दण्डघ्न अर्थात् राजा की आज्ञा का भंग करने वाला है (सः राजा शक्रलोकभाक्) वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ ३८६ ॥ (सं प्र० १७३)

अनुशीलन : महर्षि ने यहां 'शक्रलोकभाक्' पद का अभिप्रायार्थ ग्रहण किया है। जिन टीकाकारों ने 'शक्रलोक भाक्' का 'इन्द्रलोक में जाने वाला' या 'स्वर्ग में जाने वाला' अर्थ किया है वह उचित नहीं है। इस पद का अर्थ है कि वह राजा 'इन्द्र पद का अधिकारी' अर्थात् इन्द्र के समान श्रेष्ठ और शक्तिशाली राजा माना जाता है, वह इन्द्र के समान प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली हो जाता है। अगले श्लोक से भी इस अर्थ की पुष्टि हो जाती है।

एतेषां निग्रहो राजः पञ्चानां विषये स्वके।

साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः ॥३८७॥ (२२०)

(स्वके विषये) अपने राज्य में (एतेषां पञ्चानां निग्रहः) इन पाँचों प्रकार के व्यक्तियों पर काबू रखने वाला (राजः) राजा (सजात्येषु साम्राज्यकृत्) सजातीय अन्य राजाओं में साम्राज्य करने वाला अर्थात् राजाओं में शिरोमणि बन जाता है (च एव) और (लोके यशस्करः) लोक में यश प्राप्त करता ॥ ३८७ ॥

ऋत्विज और यजमान द्वारा एक-दूसरे को त्यागने पर दण्ड—

ऋत्विजं यस्यजेद्याज्यो याज्यं चर्त्विस्त्यजेद्यदि ।

शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम् ॥३८८॥ (२२१)

(यः याज्यः) जो यजमान (कर्मणि शक्तं च अदुष्टम्) काम करने में समर्थ और श्रेष्ठ (ऋत्विजम्) पुरोहित को (त्यजेत्) छोड़ दे (च) और (याज्यं ऋत्विजः त्यजेत्) ऐसे ही यजमान को पुरोहित छोड़ दे तो (तयोः) उन दोनों को (शतं-शतं दण्डः) सौ सौ पण दण्ड करना चाहिए ॥ ३८८ ॥

माता-पिता-स्त्री-पुत्र को छोड़ने पर दण्ड—

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमर्हति ।

त्यजन्नपतितानेताव्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट् ॥३८९॥ (२२२)

(न माता न पिता न स्त्री न पुत्रः त्यागम् + अर्हति) न माता, न पिता, न स्त्री और न पुत्र त्यागने योग्य होते हैं (अपतिताम् एताम् त्यजन्) अपतित अर्थात् निर्दोष होते हुए जो इनको छोड़े तो (राज्ञा षट् शतानि दण्ड्यः) राजा के द्वारा उस पर छः सौ पण दंड किया जाना चाहिए ॥३८९॥

अनुशासनः : ३८८ और ३८९ श्लोक विषयविरोध के अन्तर्गत आते हुए भी प्रक्षिप्त प्रतीत नहीं होते । इन्हें स्थानभ्रष्ट समझना चाहिए, क्योंकि (१) इनका मनु की किसी मान्यता से विरोध नहीं है और न ये किसी अन्य आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, (२) इस अध्याय में इनसे सम्बन्धित प्रसंग भी है । प्रतीत होता है कि ये श्लोक चौथे विवाद 'मिलकर उन्नति या व्यापार करना' (= २०६-२११) विषय से खण्डित होकर स्थानभ्रष्ट हुए हैं ।

आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां मिथः ।

न विद्व्यान्मृषो धर्मं चिकीर्षन् हितमात्मनः ॥ ३९० ॥

(आश्रमेषु मिथः विवदताम्) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रमों के विषय में पर-स्पर विवाद करने वाले (द्विजातीनां कार्ये) द्विजातियों के कार्यों में (आत्मनः हितं चिकीर्षन्) अपना हित चाहने वाला (मृषः) राजा (धर्मं न विद्व्यात्) धर्म का निर्णय न दे ॥ ३९० ॥

यथार्हमेतान्गयर्च्यं ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ।

सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ३९१ ॥

(पार्थिवः) राजा (आदौ) पहले (एतान्) इन लोगों का (यथार्हम्-ः अभ्यर्च्यं) यथायोग्य सत्कार करके (ब्राह्मणैः सह) ब्राह्मणों के साथ (सान्त्वेन प्रशमय्य) सान्त्वना-

युक्त बातों से इन्हें शान्त करके (स्वधर्म प्रतिपादयेत्) अपने धर्म सम्बन्धी निरुण्य का प्रतिपादन करे ॥ ३६१ ॥

प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च कल्याणे विशतिद्विजे ।

अर्हाभोजयन्विप्रो दण्डमर्हति माषकम् ॥ ३६२ ॥

(विशतिद्विजे कल्याणे) जहाँ बीस ब्राह्मणों को भोजन कराना हो ऐसे किसी शुभ अवसर पर (अर्हौ) योग्य (प्रतिवेश्य + अनुवेश्यौ अभोजयन् विप्रः) प्रतिवेशी = पड़ोसी और अनुवेशी = निकटवर्ती स्थान में रहने वाले ब्राह्मण को भोजन न कराने वाले द्विज को (माषकं दण्डम् + अर्हति) एक माषा दण्ड करना चाहिए ॥ ३६२ ॥

श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भूतिकृत्येष्वभोजयन् ।

तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चैव माषकम् ॥ ३६३ ॥

(श्रोत्रियः) यदि कोई श्रोत्रिय (साधुम् श्रोत्रियम्) किसी प्रतिवेशी या अनुवेशी सज्जन श्रोत्रिय को (भूतिकृत्येषु) मंगलकार्यों में (अभोजयन्) भोजन न कराये तो (तत् द्विगुणं अन्नं दाप्यः) उसको भोजन के दुगुणे अन्न का दण्ड दे (च) और (हिरण्यं माषकम्) एक माषा सोना दण्ड के रूप में ले ॥ ३६३ ॥

अन्धो जडः पीठसर्पी सप्तत्या स्थविरश्च यः ।

श्रोत्रियेषूपकुर्वच्च न दाप्यः केनचित्करम् ॥ ३६४ ॥

(अन्धः) अंधा (जडः) जड़ (पीठसर्पी) पीठ पर लादकर ले जाये जाने योग्य अर्थात् पंगु (च) और (यः सप्तत्या स्थविरः) जो सत्तर वर्ष का बूढ़ा हो (च) तथा (श्रोत्रियेषु + उपकुर्वन्) श्रोत्रियों का उपकार करने वाले, इनसे (केनचित् करं न दाप्यः) किसी भी प्रकार का कर न लेवे ॥ ३६४ ॥

श्रोत्रियं व्याधितातौ च बालवृद्धावकिञ्चनम् ।

महाकुलीनमायं च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३६५ ॥

(श्रोत्रियं व्याधित + आतौ च) वेदपाठी, रोगी और दुःखी व्यक्ति (बाल-वृद्धौ + अकिञ्चनम्) बालक, वृद्ध, दरिद्र (महाकुलीनम्) उच्चकुल में उत्पन्न (च) और (मायम्) श्रेष्ठ आचरण वाला, इन सबका (राजा सदा सम्पूजयेत्) राजा सदैव आदर करे ॥ ३६५ ॥

धोवी और जुलाहे की व्यवस्था—

शास्मलीफलके श्लक्ष्णे नेत्रिज्यान्नेजकः शनैः ।

न च वासांसि वासोभिर्निर्हरेन्न च वासयेत् ॥ ३६६ ॥

(नेजकः) धोवी (श्लक्ष्णे शास्मलीफलके) चिकने सेमल के पट्टे पर (शनैः नेत्रिज्यात्) धीरे-धीरे कपड़े धोये (च) और (वासोभिः वासांसि न निर्हरेत्) किसी के

कपड़ों में दूसरे के कपड़े न मिलाये (च) और (न वासयेत्) न दूसरे को किसी के कपड़े पहनने को दे ॥ ३६६ ॥

तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम् ।

अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम् ॥ ३६७ ॥

(तन्तुवायः) कपड़ा बुनने वाला जुलाहा (दशपलम्) दस पल सूत ले [और मांडी आदि लगने के कारण बुनकर देने समय] (एकपलाधिकं दद्यात्) एक पल अधिक प्रयात् ग्यारह पल सूत दे (अतः अन्यथा वर्तमानः) इससे विपरीत वर्तवि करने पर राजा (द्वादशकं दमं दाप्यः) बारह पण दण्ड दे ॥ ३६७ ॥

अनुशीलन : ३६० से ३६७ श्लोक निम्न 'आधार' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—आठवें अध्याय के आरम्भ में अष्टम-नवम अध्यायों के १८ पुरुषविषयों का स्वयं मनु ने संकेत दिया है [८। ४-७]। उस निर्धारण के अनुसार आठवें अध्याय में पन्द्रहवें 'स्त्रीसंग्रहण' विषय तक वर्णन है, जो ३८३ श्लोक में समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात् सोलहवां 'स्त्री-पुरुष-धर्म' विषय है, जो नवम अध्याय के प्रथम श्लोक से आरम्भ होता है। इस बीच ये श्लोक बिना ही किसी विषय के हैं और संकेतित विषयक्रम के विरुद्ध हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—इन सभी श्लोकों का मनु की मान्यता से विरोध है, इसलिये भी ये प्रक्षिप्त हैं—(१) ३६०—३६१ श्लोक १२। १०८-११३ के विरुद्ध हैं। उनमें राजा द्वारा निर्धारित परिषद् द्वारा धर्मनिर्णय का आदेश है। (२) ३६२-३६३ की व्यवस्था मनु द्वारा कहीं भी स्वीकृत नहीं है। ब्राह्मणों को अपने कर्मों द्वारा उपार्जन करके जीवनयात्रा चलानी चाहिए, दूसरों के यहां भोजन करना निन्दनीय है, यही मनु का मत है [३। १०४; ४। ३; १०। ७५-७६]। (३) ३६४-३६५ के विधान की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि राजा को कमाने वालों से ही कर लेने का विधान है (८। ३०७)। (४) ३६५ में 'उत्तम कुल में जन्म' को आदर का स्थान माना है। मनु कुल के आधार पर नहीं अपितु गुणों के आधार पर आदर के योग्य मानते हैं [२। १३६-१३७, १५४]। (५) ३६६-३६७ में परवर्ती जातीय व्यवस्था है, जो मनुविरुद्ध है [१। ८७-६१ ॥ १। ११० की समीक्षा द्रष्टव्य]। इस आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।

विशेष—इन्हें स्थानभ्रष्ट इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ये 'विषयविरोध' के साथ-साथ मनु की मान्यताओं के विरुद्ध भी हैं, और इस अध्याय में इनसे सम्बन्धित कोई प्रसंग भी नहीं है, जहां से ये स्थानभ्रष्ट हुए हों, अतः प्रक्षिप्त ही हैं।

व्यापार में जुलूक एवं वस्तुओं के भावों का निर्धारण—

शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः ।

कुर्युरर्थं यथापण्यं ततो विशं नृपो हरेत् ॥ ३६८ ॥ (२२३)

(शुल्कस्थानेषु कुशलाः) शुल्क लेने के स्थानों के शुल्कव्यवहार में चतुर (सर्वपण्यविचक्षणाः) सब बेचने योग्य वस्तुओं के मूल्य-निर्धारित करने में चतुर व्यक्ति (यथापण्यं ग्रथं कुर्युः) बाजार के अनुसार जो मूल्य निश्चित करें (ततः) उसके लाभ में से (नृपः श्वशं हरेत्) राजा बीसवां भाग कर-रूप में प्राप्त करे ॥ ३६८ ॥

राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च ।

तानि निर्हरतो लोभात्सर्वहारं हरेन्नृपः ॥ ३६९ ॥ (२२४)

(राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि) राजा के प्रसिद्ध वस्तु (च) और (यानि प्रतिषिद्धानि) जिन वस्तुओं का देशान्तर में ले जाना निषिद्ध घोषित कर दिया है (लोभात् तानि निर्हरतः) लोभवश उन्हें देशान्तर में ले जाने वाले का (नृपः) राजा (सर्वहारं हरेत्) सर्वस्व हरण करले ॥ ३६९ ॥

शुल्कस्थानं परिहरन्काले क्रयविक्रयो ।

मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम् ॥ ४०० ॥ (२२५)

(शुल्कस्थानं परिहरन्) चुंगी के स्थान को छोड़कर दूसरे रास्ते से सामान ले जाने वाला (काले) असमय में अर्थात् रात आदिमें गुप्तरूप से (क्रयविक्रयो) सामान खरीदने और बेचने वाला (च) और (संख्याने मिथ्यावादी) माप-तौल में भूठ बतलाने वाला, इनको (अष्टगुणम् + अत्ययं दाप्यः) मूल्य के आठ गुने दण्ड से दण्डित करे ॥ ४०० ॥

प्रागमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयाउभौ ।

विचार्य सर्वपण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयो ॥ ४०१ ॥ (२२६)

(प्रागमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयो+उभौ) वस्तुओं के आयात निर्यात, रखने का स्थान, लाभवृद्धि तथा हानि (सर्वपण्यानां विचार्य) खरीद-बेचने की वस्तुओं में सम्बन्धित सभी बातों पर विचार करके (क्रय-विक्रयो कारयेत्) राजा मूल्य निश्चित करके वस्तुओं का क्रयविक्रय कराये ॥ ४०१ ॥

पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते ।

कुर्वीत चर्षां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नृपः ॥ ४०२ ॥ (२२७)

(पञ्चरात्रे-पञ्चरात्रे) पांच-पांच दिन (अथवा) या (पक्षे पक्षे गते) पन्द्रह-पन्द्रह दिन के पश्चात् (नृपः) राजा (एषां प्रत्यक्षम्) व्यापारियों के सामने (अर्घसंस्थापनं कुर्वीत) मूल्य का निर्धारण करे ॥ ४०२ ॥

तुला एवं मापकों की छह महीने में परीक्षा—

तुलामानं प्रतीमानं सर्वं च स्यात्सुलक्षितम् ।

षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥ (२२८)

(तुलामानम्) तराजू (च) और (प्रतीमानम्) प्रतिमान=बाट (सर्वं सुलक्षितं स्यात्) सब ठीक-ठीक रखने चाहिएँ और (षट्सु-षट्सु च मासेषु) छः-छः महीने में (पुनः+एव परीक्षयेत्) इनकी परीक्षा राजा करावे ॥ ४०३ ॥ (६० ल० सं० २०)

“मनुस्मृति में तो प्रतिमा शब्द करके रत्ती, छटांक, पाव, सेर और पंजेरी आदि तोल के साधनों का ग्रहण किया है, क्योंकि तुलामान अर्थात् तराजू और प्रतीमान वा प्रतिमा अर्थात् बाट इनकी परीक्षा राजा लोग छड़े-छूटे मास अर्थात् छः छः महीने में एक बार किया करें कि जिससे उनमें कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घट-बढ़ न कर सकें और कदाचित् कोई करे तो उसको दण्ड देवें।” (ऋ० भा० भू० ३०३-३०४)

“पक्ष-पक्ष में वा मास-मास में अथवा छटवें छटवें मास तुला की राजा परीक्षा करे.....तथा प्रतिमान अर्थात् प्रतिमा की परीक्षा अवश्य करे। राजा जिससे कि अधिक, न्यून प्रतिमा अर्थात् दुकान के बाट जितने हैं, उन्हीं का नाम प्रतिमा है।”

(६० शा० सं० ५० एवं ऋ० प० वि० ११)

नौका-व्यवहार में किराया आदि की व्यवस्थाएं—

पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽर्धपणं तरे ।

पादं पशुश्च योषिच्च पादार्धं रिक्तकः पुमान् ॥ ४०४ ॥ (२२९)

(यानं तरे पणम्) नाव से पार उतारने में खाली गाड़ी का एक पण किराया ले (पौरुषः तरे) एक पुरुष द्वारा ढोये जाने वाले भार पर (अर्ध-पणं दाप्यः) आधा पण किराया ले (च) और (पशुः पादम्) पशु आदि को पार करने में चौथाई पण (च) तथा (योषित् रिक्तकः पुमान् पाद+अर्धम्) स्त्री और खाली मनुष्य से एक पण का आठवाँ भाग किराया लेवे ॥ ४०४ ॥

भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं दाप्यानि सारतः ।

रिक्तभाण्डानि यत्किञ्चित्पुमान्दद्यापरिच्छदाः ॥ ४०५ ॥ (२३०)

(भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं सारतः दाप्यानि) वस्तुओं से भरी हुई

गाड़ियों को पार उतारने का किराया उनके भारी और हल्केपन के अनुसार देवे (रिक्तभाण्डानि) खाली बर्तन (च अपरिच्छदाः पुर्मासः) और निर्धन व्यक्ति (यत् किञ्चित्) इनका थोड़ा सा किराया ले लेवे ॥ ४०५ ॥

दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत् ।

नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ४०६ ॥ (२३१)

(दीर्घ+अध्वनि) नदी का लम्बा रास्ता पार करने के लिए (यथा देशम्) स्थान के अनुसार [तेज बहाव, मन्द प्रवाह, दुर्गम स्थल आदि] (यथाकालम्) समय के अनुसार [सर्दी, गर्मी, रात्रि आदि] (तरोः भवेत्) किराया निश्चित होना चाहिए (तत् नदीतीरेषु विद्यात्) यह नियम नदी-तट के लिए समझना चाहिए (समुद्रे नास्ति लक्षणम्) समुद्र में यह नियम नहीं है अर्थात् समुद्र में वहाँ की स्थिति के अनुसार किराया निश्चित करना चाहिए ॥ ४०६ ॥

“जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खाड़ियाँ वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा और बड़े-बड़े नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे ।” (स० प्र० १७५)

गर्भिणी तु द्विमासास्तिष्ठा प्रव्रजितो मुनिः ।

ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव च दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७ ॥

(द्विमासादिः गर्भिणी) दो मास से अधिक गर्भ वाली स्त्री (तथा प्रव्रजितः मुनिः) तथा संन्यासी, वानप्रस्थ (लिङ्गिनः च ब्राह्मणाः) ब्रह्मचर्य में दीक्षित ब्रह्मचारी से (तरे तारिकं न दाप्याः) पार उतारने में किराया नहीं लेना चाहिये ॥ ४०७ ॥

अनुशीलन : ४०७ वां श्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) यह श्लोक पूर्वापर श्लोकों के प्रसंग के विरुद्ध है। पूर्वापर श्लोकों में नाविकों और यात्रियों के मध्य सामान्य व्यापार-नियमों का उल्लेख है, किराये का नहीं। (२) किराये के विधान ४०५ तक वर्णित हो चुके हैं, पुनः उनका वर्णन प्रसंगविरोध है। (३) ये विकल्प हैं। विकल्पों का कथन अन्त में ही प्रासंगिक होता है, मध्य में नहीं। मध्य में इनका वर्णन भी इन्हें प्रसंगविरोधी सिद्ध करता है।

यन्नावि किञ्चिद्वाशानां विज्ञीर्येतापरघतः ।

तद्वाशंरेव दातव्यं समागम्य स्वर्तोऽंशतः ॥ ४०८ ॥ (२३२)

(दाशानाम् अपराधतः) मल्लाहों की गलती से (नावि यत् किञ्चित् विशीर्येत) नाव में जो कुछ यात्रियों को हानि हो जाये (तत् + दाशः + एव) उसे मल्लाहों ने (समागम्य स्वतोंशतः दातव्यम्) मिलकर अपने-अपने हिस्से में से पूरा करना चाहिए ॥ ४०८ ॥

एष नौयायिनामुषतो व्यवहारस्य निर्णयः ।

दाशापराधतस्तोये दैविके नास्ति निग्रहः ॥ ४०९ ॥ (२३३)

(एषः) यह [८।४०४-४०८] (नौयायिनां व्यवहारस्य निर्णयः उक्तः) नाविकों के व्यवहार का निर्णय कहा है (दाशापराधतः तोये) मल्लाहों के अपराध से जल में नष्ट हुए सामान के मल्लाह देनदार हैं (दैविके निग्रहः नास्ति) दैवी विपत्ति के कारण [घांभी, तूफान आदि से] हुई हानि के मल्लाह देनदार नहीं हैं ॥ ४०९ ॥

अनुयायीजनः : श्लोक ३८८ से ४०९ श्लोकों में से ३९०-३९५ विभिन्न प्राधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। शेष श्लोकों ३८८, ३८९, ३९६, ३९८, ४०६, ४०८, ४०९ में कोई प्रक्षेप की प्रवृत्ति नहीं है और ये सर्वसामान्य विधान हैं। इनका मनु की किसी मान्यता से विरोध नहीं है, शैली भी मनुसम्मत है। अतः प्रसंगानुकूल न होने पर भी हमने इन्हें प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया। प्रतीत होता है कि ये स्थान भ्रष्ट हो गये हैं। इन सभी श्लोकों में जो विषय है वह 'मिलकर उन्नति या व्यापार करना' [८। २०६-२११] विषय से सम्बन्धित है, अतः ये उसी प्रसंग से खण्डित हुए ज्ञात होते हैं।

वैश्य और शूद्र से उनके कर्म कराये—

वाणिज्यं कारयेद्वैश्यं कुसीदं कृषिमेव च ।

पशूनां रक्षणं चैव दास्यं शूद्रं द्विजन्मनाम् ॥ ४१० ॥

राजा (वैश्यम्) वैश्य से (वाणिज्यं कुसीदं कृषि च पशूनां रक्षणम्) व्यापार, व्याज की जीविका, कृषि, पशुपालन (च) और (शूद्रं द्विजन्मनां दास्यं कारयेत्) शूद्र से द्विजातियों की सेवा करवाये ॥ ४१० ॥

वैश्यः

शूद्रः

वैश्यः

शूद्रः

वैश्यः

(क्षत्रियं वैश्यं च वृत्तिकर्तृत्वात्) क्षत्रिय और वैश्य यदि अपनी वृत्ति से अपना पोषण न कर सकें तो (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (आनुशंस्येन) कृपापूर्वक (स्वानि कर्माणि कारयन्) उनके अपने काम करवाकर (विभूयात्) उनका भरण-पोषण करे ॥ ४११ ॥

दास्यं तु कारयन् लोभाद् ब्राह्मणः संस्कृताद्विजात् ।

अनिच्छतः प्राप्तवत्त्वाद्वाज्ञा दण्डयः शतानि वट् ॥ ४१२ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (प्राभवत्वात् लोभात्) यदि अपनी प्रभुता के कारण या लालच के कारण (संस्कृतान् द्विजान्) यज्ञोपवीत संस्कार में दासित द्विजों से (अनिच्छतः दास्यं कारयेत्) उनकी इच्छा के बिना सेवा कराये तो (राजा षट् शतानि) राजा को छह सौ पण दण्ड से उसको (दण्ड्यः) दण्डित करना चाहिए ॥ ४१२ ॥

शूद्र से दासता कराये—

शूद्रं तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा ।

दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ ४१३ ॥

(क्रीतं वा अक्रीतम् + एव) खरीदकर लाया हुआ हो अथवा वेतन देकर रखा हो (शूद्रं तु दास्यं कारयेत्) शूद्र से तो सेवाकार्य ही कराये (हि) क्योंकि (स्वयंभुवा) ब्रह्मा ने (ब्राह्मणस्य दास्याय + एव हि असौ सृष्टः) ब्राह्मण की सेवा के लिए ही शूद्र को रचा है ॥ ४१३ ॥

न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते ।

निसर्गजं हि तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥ ४१४ ॥

(शूद्रः) शूद्र (स्वामिना निसृष्टः + अपि) स्वामी के द्वारा छोड़दिये जाने पर भी (दास्यात् न विमुच्यते) दासत्व से मुक्त नहीं होता (तत् तस्य निसर्गजं हि) दासपन का कार्य करना तो उसका स्वाभाविक कर्म है (तस्मात् तत् कः अपोहति) दासत्व से उसको कौन छुड़ा सकता है? अर्थात् कोई नहीं ॥ ४१४ ॥

सात प्रकार के शूद्र दास—

ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्त्रिमौ ।

पैत्रिको दण्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥

१—(ध्वजाहृतः) युद्ध में जीतने से प्राप्त हुआ, २—(भक्तदासः) भोजन पाने आदि के लोभ से आया हुआ, ३—(गृहजः) दासी से उत्पन्न, ४, ५—(क्रीतदत्त्रिमौ) मूल्य देकर खरीदा हुआ, किसी का दिया हुआ, ६—(पैत्रिकः) पिता-परम्परा से बला-बल से आया हुआ, ७—(दण्डदासः) दण्ड = कष्ट आदि ब्रह्मण के लिए स्वीकार किया हुआ (यत्तदासः) ये सात प्रकार के दास होते हैं ॥ ४१५ ॥

भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः ।

यत्ते सप्तभिर्गच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥ ४१६ ॥

(भार्या पुत्रः च दासः) पत्नी, पुत्र और दास (त्रयः अधनाः स्मृताः) ये तीन धनरहित कहे गये हैं (ते यत् सप्तभिर्गच्छन्ति) ये जो भी कुछ कमाते या इकट्ठा करते हैं (तत् धनं तस्य) वह धन उसका ही होता है (यस्य ते) जिस के ये होते हैं ॥ ४१६ ॥

वित्तवन् ब्राह्मणः शूद्राद् द्रव्योपादानमाचरेत् ।

न हि तस्यास्ति किञ्चित्स्वं भर्तृहार्यधनो हि सः ॥ ४१७ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (वित्तवन्) निस्सन्देह (शूद्रात् द्रव्य + उपादानम् + आचरेत्) शूद्र से उसके धन को ले लेवे (हि) क्योंकि (तस्य स्वं किञ्चित् न अस्ति) उसका अपना धन कुछ भी नहीं है (सः हि भर्तृहार्यधनः) जो भी कुछ उसके पास है वह सब धन उसके स्वामी का है ॥ ४१७ ॥

वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् ।

तौ हि ऋणतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत् ॥ ४१८ ॥

राजा (वैश्यशूद्रौ) वैश्य और शूद्र से (प्रयत्नेन) प्रयत्नपूर्वक (स्वानि कर्माणि कारयेत्) उनके अपने कर्तव्यों को करवाता रहे (हि) क्योंकि (तौ स्वकर्मभ्यः ऋणतौ) इन दोनों के अपने कर्तव्यों को न करने से (इदं जगत् क्षोभयेताम्) ये इस सम्पूर्ण जगत् को विक्षुब्ध कर देंगे ॥ ४१८ ॥

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्ताग्राहूनानि च ।

आयव्ययी च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥ ४१९ ॥

राजा (अहनि + अहनि) प्रतिदिन (कर्मान्तान्) कर्मों की समाप्तियों को (वाहूनानि) हाथी, घोड़े आदि वाहनों को (नियतौ आयव्ययी) नियत आय और व्यय (आकरान्) 'आकर' रत्नादिकों को खानें (च) और (कोशम् + एव) कोष = खजाने को (अवेक्षेत) देखा करे ॥ ४१९ ॥ (सं प्र० १७५)

एवं सर्वानिमानराजा व्यवहारान्समापयन् ।

व्यपोह्य क्लिष्टं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ४२० ॥

(राजा) राजा (एवं सर्वान् + इमान् व्यवहारान्) इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत् (समापयन्) समाप्त करता-कराता हुआ (सर्वं क्लिष्टं व्यपोह्य) सब पापों को छुड़ाके (परमां गतिं प्राप्नोति) परमगति = मोक्षमुख को प्राप्त होता है ॥ ४२० ॥ (सं प्र० १७५)

अनुष्ठीकृतम् : ४१० से ४२० तक श्लोक निम्न प्रकार प्रकृत हैं—

१. विषयविरोध—मनु द्वारा निर्धारित विषयों से बाह्य होने के कारण ये श्लोक विषयविरोध हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं, विस्मृत जानकारी के लिए देखिए ३६०-३६५ पर 'विषयविरोध' आधार पर समीक्षा ।

२. प्रसंगविरोध—मनु के स्वयंलिखित विषयसंकेतक श्लोकों [८४-८] के अनुसार १८ व्यवहारों के निर्णय की समाप्ति ६१२५० वें श्लोक में होती है । व्यवहारों की समाप्ति से पूर्व ही ४१६-४२० श्लोकों से व्यवहार निर्णय की समाप्ति का और

उनके फल का कथन करना असंगत है। (२) वैश्य-शूद्रों के कर्मों का प्रसंग [६।३२६-३३५ (१०।१-१०)] में है, यहाँ ये प्रसंगविरुद्ध हैं।

३. अन्तर्विरोध—(२) ४।१२-४।१८ श्लोकों में दासप्रथा का उल्लेख है और उनसे बलात् काम कराने का विधान है। यह प्रथा मनु के विरुद्ध है। काम कराने के बदले मनु ने वेतन देने का विधान किया है [८।२१४-२१६]। मनु की व्यवस्था में दास का 'अस्तित्व' ही नहीं, जहाँ कहीं दास शब्द है भी तो उसका अर्थ सेवक है [४।१८०]। उन्होंने तो शूद्र वर्ग माना है और उसका सेवाकार्य निर्धारित किया है और वह भी बलात् नहीं अपितु शूद्र को किसी द्विजाति की स्वेच्छया सेवा करने का अधिकार दिया है [१।६१; ६।३३४-३३५; १०।६६]। (२) ४।१६ वां ५।१५० और ६।१०४ के विरुद्ध है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

४. शैलीगत आधार—इन श्लोकों की शैली मनु की शैली की तरह निलिप्त एवं समभावयुक्त न होकर पक्षपात, दुराग्रह एवं घृणायुक्त है। इस आधार पर भी ये मनुप्रणीत सिद्ध नहीं होते। इन प्रक्षिप्त श्लोकों में ब्राह्मण को पथभ्रष्ट होने पर भी कोई दण्ड नहीं लिखा, अतः इन विसंगतियों के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

विशेष—इन श्लोकों को स्थानभ्रष्ट न मानकर प्रक्षिप्त इसलिए माना है क्योंकि ये (१) 'विषयविरोध के साथ-साथ अन्य 'आधारों' पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, (२) इस अध्याय में इन श्लोकों से सम्बद्ध कोई प्रसंग भी नहीं है, जहाँ से खण्डित मानकर इन्हें स्थानभ्रष्ट कहा जा सके।

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दीभाषा-भाष्यसमन्वितायाम्
'अनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ
राजधर्मार्थकोऽष्टमोऽध्यायः ॥

अथ नवमोऽध्यायः

(हिन्दीभाष्य-‘अनुशौचन’समीक्षाभ्यां सहितः)

(राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय)

[६।१ से ६।२५० तक]

(१६) स्त्री-पुरुष-धर्मसम्बन्धी विवाद और उसका निर्णय

(६।१ से १०२ तक)

पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव धर्मं वर्तमनि तिष्ठतोः ।

संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्विष्यामि शाश्वतान् ॥ १ ॥ (१)

[अब मैं] (धर्मं वर्तमनि तिष्ठतोः) धर्ममार्ग पर चलने वाले (स्त्रियाः च पुरुषस्य एव) स्त्री-पुरुष के (संयोगे च विप्रयोगे) संयोगकालीन=साथ रहने तथा विप्रयोगकालीन=अलग रहने के (शाश्वतान् धर्मान् वक्ष्यामि) सदैव पालन करने योग्य धर्मों=कर्तव्यों को कहूंगा—॥ १ ॥

अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्यः पुरुषैः स्वीद्विषानिषाम् ।

विषयेषु च सज्जन्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ २ ॥

(स्वैः पुरुषैः) पति आदि आत्मीय जनों को चाहिए कि वे (द्विषानिषाम्) रात-दिन (स्त्रियः अस्वतन्त्राः कार्यः) स्त्रियों को स्वाधीन न रखें (विषयेषु सज्जन्यः अपि) आनन्दप्रद विषयों में लगी हों तब भी (आत्मनः वशे संस्थाप्याः) अपने वश में रखें ॥२॥

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति ब्रौवने ।

रक्षन्ति स्वविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ ३ ॥

(कौमारे पिता रक्षति) बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, (ब्रौवने भर्ता रक्षति) युवावस्था में पति रक्षा करता है, (स्वविरे पुत्राः रक्षन्ति) बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं, (स्त्री स्वातन्त्र्यं न अर्हति) स्त्री स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है ॥ ३ ॥

अनुशीलन : २-३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तविरोध—ये स्त्रियों की स्वतन्त्रता के विरोधी व्यक्ति द्वारा प्रक्षेप

किये गये श्लोक हैं। मनु स्त्री की स्वतन्त्रता को बलपूर्वक समाप्त करने के पक्षधर नहीं हैं, निजी प्रसंगों में वे उन्हें उनके हित को दृष्टि में रखकर सुझाव-मात्र देते हैं। पति-पत्नी को समानस्तरीय मानकर मनु ने अनेक विधान किये हैं। उन श्लोकों की शैली भी ऐसी है जिसमें पति के साथ रहना न रहना पत्नी की इच्छा पर निर्भर माना गया है, यथा ६।१०१-१०२, ६।६६, ६।१०, ८।२८ मनु की भावनाओं के उदाहरण हैं। ये दोनों श्लोक मनु की अन्य मान्यताओं के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। [इस विषय पर विस्तृत अनुशीलन ५। १४७-१४८ पर द्रष्टव्य है।]

(स्त्री-पुरुष के संयोगकालीन दैनिक कर्त्तव्य)

स्त्री के प्रति कर्त्तव्यपालन न करने वाले पिता, पति, पुत्र निन्दा के पात्र—

कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः ।

मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ४ ॥ (२)

(काले) विवाह की अवस्था में (प्रदाता) कन्या को न देने वाला अर्थात् विवाह न करने वाला (पिता वाच्यः) पिता निन्दनीय होता है (च) और (अनुपयन् पतिः) [विवाह-पश्चात् ऋतुदिनों के अनन्तर] संगम न करने वाला पति निन्दनीय होता है (भर्तरि मृते) पति की मृत्यु होने के बाद (मातुः+अरक्षिता पुत्रः वाच्यः) माता की [भरण-पोषण आदि से] रक्षा न करने वाला पुत्र निन्दनीय होना है ॥ ४ ॥

थोड़े से कुसंग से भी स्त्रियों की रक्षा अवश्य करें—

सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः ।

द्वयोहि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ५ ॥ (३)

(सूक्ष्मेभ्यः प्रसङ्गेभ्यः अपि) थोड़े कुसंग के अवसरों से भी (स्त्रियः विशेषतः रक्ष्याः) स्त्रियों की विशेषरूप से रक्षा करनी चाहिए (हि) क्योंकि (अरक्षिताः) अरक्षित स्त्रियाँ (द्वयोः कुलयोः शोकम्+आवहेयुः) दोनों कुलों=पति तथा पिता के कुलों को शोकसंतप्त कर देती हैं ॥ ५ ॥

इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम् ।

यतन्ते रक्षितुं भार्या भर्तारो दुर्बला अपि ॥ ६ ॥ (४)

(सर्ववर्णानाम् इमम् उत्तमं धर्मं पश्यन्तः) सब वर्णों के इस पूर्वोक्त श्रेष्ठ धर्म को देखते हुए (दुर्बलाः भर्तारः अपि) दुर्बल पति भी (भार्या रक्षितुं यतन्ते) कुसंगों से अपनी स्त्री की रक्षा करने के लिए यत्न करते हैं ॥ ६ ॥

स्त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा निर्भर—

स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च ।

स्वं च धर्मं प्रयत्नेन जायां रक्षन्ति रक्षति ॥ ७ ॥ (५)

(प्रयत्नेन जायां रक्षन् हि) प्रयत्नपूर्वक अपनी स्त्री की कुसंगति से रक्षा करता हुआ अर्थात् संरक्षण में रखता हुआ व्यक्ति ही (स्वां प्रसूतिम्) अपनी सन्तान (चरित्रम्) आचरण (कुलं च आत्मानम् + एव) कुल और अपनी (च) तथा (स्वं धर्मम्) अपने धर्म की (रक्षति) रक्षा करता है अर्थात् स्त्री के कुसंग में पड़ जाने से सब ही कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि स्त्री ही सुख और धर्म का आधार है [६।२८] ॥ ७ ॥

जाया का लक्षण—

पतिभार्या संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते ।

जायायास्तद्धि जायात्वं यवस्यां जायते पुनः ॥ ८ ॥ (६)

(पतिः भार्या संप्रविश्य) पति वीर्यरूप में स्त्री में प्रवेश करके (गर्भः भूत्वा + इह जायते) गर्भ बनकर सन्तानरूप से संसार में उत्पन्न होता है (जायायाः तत् + हि जायात्वम्) स्त्री का यही जायापन = स्त्रीपन है (यत्) जो (अस्यां पुनः जायते) इस स्त्री में सन्तानरूप से पति पुनः उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥

अनुवर्तिता : जाया शब्द की सिद्धि और इसमें ब्राह्मण आदि के प्रमाण—‘जाया’ शब्द जनी प्रादुर्भवति (दिवा०) धातु से ‘जनेर्यक्’ (उणादि ४।१।१) सूत्र से ‘यक्’ प्रत्यय, स्त्रीलिङ्ग में टाप् प्रत्यय होने से सिद्ध होता है। ‘जायते यस्यां सा जाया’ अथवा ‘जायन्ते यस्याम् अपस्यानि सा जाया = पत्नी’—जिसमें सन्तान उत्पन्न होती है वह ‘जाया’ कहलाती है। इस श्लोक में जाया की परिभाषा दी हुई है। यह परिभाषा पर्याप्त प्रचलित रही है। यथावत् भाव ऐतरेय ब्राह्मण ७।१३ की परिभाषा में द्रष्टव्य है—

(क) “पतिर्जायां प्रविशति, गर्भो भूत्वा स मातरं तस्यां पुनर्नवो भूत्वा वक्ष्ये मासि जायते, तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ।”

(ख) “ग्रामिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्चेति तस्माज्जाया अभवंस्तज्जायानां जायात्वं यवस्यां पुरुषो जायते ।” (गो० ब्रा० पू० १।२)

(ग) निरुक्त में भी पुत्र को पति का आत्मारूप बताया है—

अङ्गावङ्गात् सम्भवति हृदयादधिजायते ।

आत्मा च पुत्रनाम्नासि स जीव शरदः शतम् ॥ [निरु० ३।१।४]

जैसा पति वैसी सन्तान—

यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम् ।

तस्मात्प्रजाविशुद्धयर्थं स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ (७)

(स्त्री यादृशं हि भजते) स्त्री जैसे पति का सेवन करती है (तथाविधं सुतं सूते) उसी प्रकार की सन्तान को उत्पन्न करती है (तस्मात्) इसलिए (प्रजाविशुद्धयर्थम्) सन्तान की शुद्धि के लिए (प्रयत्नतः स्त्रियं रक्षेत्) प्रयत्नपूर्वक स्त्री की कुसंग से रक्षा करे ॥ ६ ॥

स्त्रियों की रक्षा बलपूर्वक नहीं हो सकती—

न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् ।

एतंरूपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥ १० ॥ (८)

(कश्चित्) कोई भी व्यक्ति (प्रसह्य) जबरदस्ती या दबाव के साथ (योषितः परिरक्षितुं न शक्तः) स्त्रियों की कुसंगों से रक्षा नहीं कर सकता (तु) किन्तु (एतः+उपाययोगः) इन आगे कहे उपायों में लगाने से (ताः परिरक्षितुं शक्याः) उनकी रक्षा की जा सकती है—॥ १० ॥

स्त्रियों को गृह एवं धर्मकामों में व्यस्त रखें—

अर्थस्य संग्रहे चेनां व्यये चैव नियोजयेत् ।

शौचे धर्मग्नपक्त्यां च परिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ११ ॥ (९)

(एनाम्) अपनी स्त्री को (अर्थस्य संग्रहे च व्यये) धन को संभाल और उसके व्यय की जिम्मेदारी में, (शौचे) घर एवं घर के पदार्थों की शुद्धि में, (धर्मे) धर्मसम्बन्धी [६।६३] अनुष्ठान=अग्निहोत्र, संध्या, स्वाध्याय आदि में, (अन्नपक्त्याम्) भोजन प्रकाश में, (च) और (परिणाह्यस्य वेक्षणे) घर का सभी वस्तुओं की देखभाल में (नियोजयेत्) लगायें ॥ ११ ॥

स्त्रियां आत्मनियन्त्रण से ही बुराइयों से बच सकती हैं—

अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः ।

आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ १२ ॥ (१०)

क्योंकि (आप्तकारिभिः पुरुषैः) विश्वसनीय पिता, माता, पति आदि पुरुषों द्वारा (गृहे रुद्धाः) घर में रोककर रखी हुई अर्थात् निगरानी में रखी जाती हुई स्त्रियां भी (असुरक्षिताः) असुरक्षित हैं=बुराइयों से बच नहीं पातीं (याः तु) जो तो (आत्मानम् आत्मना रक्षेयुः) अपनी रक्षा स्वयं करती हैं (ताः सुरक्षिताः) वस्तुतः वही [बुराई से] सुरक्षित रहती हैं ॥ १२ ॥

स्त्रियों के दूषण में छः कारण—

पामं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।

स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि षट् ॥ १३ ॥ (११)

(पानभ) मद्य, भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, (दुर्जनसंसर्गः) दुष्टपुरुषों का संग, (पत्या च विरहः) पति-वियोग, (अटनम्) प्रकली जहां-तहां व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन-मिस १० फिरती रहना, (च) और (स्वप्नः+अन्यगेहवासः) पराये घर में जाके शयन करना वा वास (षट् नारीसंदूषणानि) ये छः स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं ॥ १३ ॥
(स० प्र० ११२)

स्त्रियों का स्वभाव-वर्णन—

नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः ।

सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १४ ॥

(एताः न रूपं परीक्षन्ते) स्त्रियाँ न सुन्दर-प्रसुन्दर रूप की परीक्षा करती हैं (नासां न वयसि संस्थितिः) ये न अवस्थाविशेष पर ध्यान रखती हैं (सुरूपं वा विरूपं वा) सुन्दर हो या असुन्दर हो ('पुमान्' इति+एव भुञ्जते) बस 'यह पुरुष है' इतना ही देखकर उसके साथ भोग कर लेती हैं ॥ १४ ॥

पौश्चल्यात्कलचित्तात् नैस्नेह्याच्च स्वभावतः ।

रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वन्ते ॥ १५ ॥

(पौश्चल्यात्) पुरुष को देखते ही भोग की इच्छा होना, (कलचित्तात्) कंचल चित्तवाली होना, (नैस्नेह्यात्) स्थिर स्नेह का अभाव होना, (स्वभावतः) स्त्रियों की इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण (यत्नतः रक्षिताः अपि) पतियों के द्वारा यत्नपूर्वक रक्षा की जाती हुई भी (एताः इह भर्तृषु विकुर्वन्ते) ये स्त्रियाँ यहाँ जगत् में पतियों से विरुद्ध आचरण कर जाती हैं ॥ १५ ॥

एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिसर्गजम् ।

परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥ १६ ॥

('प्रजापतिसर्गजम्' आसाम् एवं स्वभावं ज्ञात्वा) "परमात्मा ने स्त्रियों को स्वाभाविक रूप से ही ऐसा बनाया है" इनका ऐसा स्वभाव जानकर (पुरुषः रक्षणं प्रति) पुरुष इनकी रक्षा के लिए (परमं यत्नम्+आतिष्ठेत्) अधिक से अधिक यत्न करे ॥ १६ ॥

शय्याऽऽसनमलङ्कारं कामं क्रोधनमार्जवम् ।

श्रोहभावं कुक्ष्यां च स्त्रीभ्यो मनुकल्पयत् ॥ १७ ॥

(शय्या+आसनम्+अलङ्कारम्) शय्या, आसन, आभूषण, (कामं क्रोधम्+

अनाजं वम्) 'म, क्रोध, कुटिलता (द्रोहभावं च कुचयाम्) द्रोहं प्रीर निन्दित आचरण,
ये (मनुः स्त्रीभ्यः + अकल्पयत्) मनु ने स्त्रियों के लिए ही बनाये हैं ॥ १७ ॥

नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्म व्यवस्थितिः ।

निरिन्द्रिया ह्यमन्त्रादपि स्त्रीभ्योऽनृतमिति स्थितिः ॥ १८ ॥

(‘स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैः न अस्ति’) ‘स्त्रियों की संस्कार आदि क्रियाएं मन्त्रपूर्वक नहीं होतीं, (इति धर्म व्यवस्थितिः) यही धर्म में व्यवस्था है, (स्त्रियः) स्त्रियाँ (निरिन्द्रियाः) धर्मशास्त्र के ज्ञान से हीन (च) प्रीर (अमन्त्राः) वेदादि के मन्त्रों के अधिकार से हीन हैं, अतः वे (अनृतम्) झूठ का रूप हैं अर्थात् अपवित्र हैं, (इति स्थितिः) ऐसी मान्यता है ॥ १८ ॥

तथा च श्रुतयो बह्व्यो निगीता निगमेष्वपि ।

स्वालक्षण्यपरीक्षार्थं तासां शृणुत निष्कृतीः ॥ १९ ॥

(तथा च) स्त्रियों को व्यभिचारशील होने के कारण अपवित्र सिद्ध करने वाले (निगमेषु + अपि) वेदों में भी (स्वालक्षण्यपरीक्षार्थम् बह्व्यः श्रुतयः निगीताः) स्त्रियों के स्वभावानुरूप व्यभिचार की परीक्षा के लिए बहुत सी श्रुतियाँ कही हैं (तासां निष्कृतीः शृणुत) उनमें से एक प्रायश्चित्तरूप श्रुति सुनी—॥ १९ ॥

यन्मे माता प्रलुप्तुमे विचरन्त्यपतिव्रता ।

तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्यस्यैतन्निदर्शनम् ॥ २० ॥

[कोई पुत्र अपनी माता के व्यभिचार को जानकर कामना करता है—]
(‘यत् मे माता) जो मेरी माता (विचरन्ती + अपतिव्रता प्रलुप्तुमे) पराये घर में विचरण करती हुई पतिव्रत धर्म का त्याग कर परपुरुष की ओर आसक्त हुई है (तत् रेतः मे पिता वृक्ताम्’) उस अशुद्ध रजोरूप बीर्य को मेरा पिता शुद्ध करे, (इति + एतत् निदर्शनम्) यह प्रायश्चित्तरूप श्रुति का एक उदाहरण है ॥ २० ॥

ध्यायत्यनिष्टं पतिक्रिस्वाणिग्राहस्य चेतसा ।

तस्यैव व्यभिचारस्य निह्नवः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥

(चेतसा) मन से परपुरुषगमन की इच्छा करके स्त्री (पाणिग्राहस्य यत् किञ्चित् अनिष्टं ध्यायति) पति के लिए जो कुछ अहित सोचती है (तस्य व्यभिचारस्य एवः) उस व्यभिचार का यह (सम्यक् निह्नवः उच्यते) अच्छी प्रकार शुद्ध करने वाला मन्त्र कहा गया है ॥ २१ ॥

याहगुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि ।

ताहगुणा सा भवति समुद्देशेव मिमन्ता ॥ २२ ॥

(स्त्री) स्त्री (याह् गुणेन भर्त्रा) जैसे अच्छे या बुरे गुणों वाले पति के साथ (यथाविधि संयुज्येत) विधिपूर्वक विवाहित होती है (सा ताह् गुणा भवति) वह वैसे

ही गुणों वाली हो जाती है (समुद्रेण निम्नगा इव) जैसे समुद्र में मिलकर नदी उसी की तरह के जल के गुणों वाली हो जाती है ॥ २२ ॥

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुताऽधमयोनिजा ।

शारङ्गी मन्दपालेन जगामान्यर्हणीयताम् ॥ २३ ॥

जैसी—(अधमयोनिजा अक्षमाला) नीच योनि से उत्पन्न हुई 'अक्षमाला' नामक स्त्री (वसिष्ठेन संयुता) 'वसिष्ठ' से विवाहित होने से तथा (शारङ्गी मन्दपालेन) 'शारङ्गी' नामक स्त्री 'मन्दपाल' ऋषि से विवाहित होकर (अर्हणीयतां जगाम) पूज्यता को प्राप्त हुई ॥ २३ ॥

एताश्चाभ्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ।

उत्कर्षं योजितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः ॥ २४ ॥

(एताः) ये [१।२३में वर्णित] (च) तथा (अभ्याः) इनसे भिन्न और भी (अपकृष्टप्रसूतयः योजितः) नीच योनि में उत्पन्न स्त्रियाँ (अस्मिन् लोके) इस संसार में (स्वैः स्वैः शुभैः भर्तृगुणैः) अपने-अपने पति के शुभ गुणों के कारण (उत्कर्षं प्राप्ताः) श्रेष्ठता को प्राप्त हुई हैं ॥ २४ ॥

अनुशीलन : १४-२४ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—विषयसंकेतक १।१ और १।२५ श्लोकों से प्रस्तुत विषय स्त्रीपुरुष के दैनिक संयोगकालीन धर्मों के कथन का निश्चय होता है। १।१४-२४ श्लोकों में स्त्रीपुरुष के संयोगकालीन कर्तव्यों का वर्णन होकर केवल स्त्री-स्वभाव का निवारक विस्तार है, जो विषयबाह्य है। इस प्रकार संकेतित विषय से भिन्न वर्णन होने से ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. प्रसंगविरोध—पुरुष द्वारा स्त्री की रक्षा करने का प्रसंग १।११ तक पूर्ण हो चुका है और फिर १२-१३ में स्त्रियों के दूषण बतलाये हैं। १४-२४ श्लोकों में पुरुष की रक्षा के लिए कथन करने का यह नया प्रसंग पुनः प्रारम्भ कर दिया है। एक प्रसंग के समाप्त होने पर पुनः उस प्रसंग का प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है, अतः ये सभी प्रक्षिप्त हैं।

३. अन्तर्विरोध—(१) इन श्लोकों में स्त्री को अनेक दुर्गुणों से युक्त दिखाकर उसे निन्द्य और अनृत का रूप सिद्ध किया है। यह स्त्रियों के प्रति मनु की मौलिक भावना के विरुद्ध है। मनु स्त्रियों को आदरयोग्य, समानस्तरीय, घर की शोभा एवं पवित्र मानते हैं [१।२६, २८, ६६, १०१, १०२, ३।५५-६३]। (२) १८ वें श्लोक में स्त्रियों को मन्त्रों का अधिकार न होने की मान्यता भी मनु-विरुद्ध है। मनु ने सभी धर्मकार्यों में स्त्री को आधार एवं पुरुष के समान अधिकारिणी कहा है [१।२८, ६६]। [विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य २।६६ पर समीक्षा]। स्त्रियों के गर्भाधान से लेकर

सभी संस्कार यज्ञ और मन्त्रपूर्वक करने का विधान मनु ने किया है [२।१-८॥ ५।१६७॥] ।

४. शैलीगत आधार—(१) १७ वें श्लोक में 'मनुः अकल्पयद्' पदों से यह श्लोक तथा इससे सम्बद्ध १४-२४ श्लोकों को पूर्वापर प्रसंग मनु से भिन्न अन्य-रचित सिद्ध होता है। (२) २३-२४ श्लोकों में अक्षमाला-वसिष्ठ, शारङ्गी-मन्दपाल के विवाहों की चर्चा है। ये व्यक्ति मनु से परवर्ती हैं, अतः ये श्लोक भी परवर्ती हैं। (३) इन सभी श्लोकों में पूर्वाग्रहबद्धता पूर्वक निन्दात्मक वर्णन है। मनु की शैली इस प्रकार की नहीं है, वे गुण-दोष के अनुसार प्रशंसा-निन्दा दिखाते हैं। इस शैली के आधार पर भी ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

सन्तानोत्पत्ति-सम्बन्धी धर्म—

एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा ।

प्रेत्येह च सुखोदकान्प्रजाधर्मान्निबोधत ॥ २५ ॥ (१२)

(एषा) यह [६।१-२४] (स्त्रीपुंसयोः नित्यं शुभा) स्त्री-पुरुषों के लिये सदा शुभ = कल्याणकारी (लोकयात्रा उदिता) लोकव्यवहार कहा, अब (प्रेत्य च इह सुखोदकान्) परजन्म और इस जन्म में परिणाम में सुखदायक (प्रजाधर्मान् निबोधत) सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्मों को सुनो ॥ २५ ॥

स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं—

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६ ॥ (१३)

हे पुरुषो ! (प्रजनार्थं महाभागाः) सन्तानोत्पत्ति के लिए महा-भाग्योदय करने वाली (पूजार्हाः) पूजा के योग्य (गृहदीप्तयः) गृहाश्रम को प्रकाशित करती, सन्तानोत्पत्ति करने-कराने वाली (गेहेषु स्त्रियः) घरों में स्त्रियाँ हैं वे (श्रियः) श्री अर्थात् लक्ष्मीस्वरूप होती हैं (विशेषः कश्चन न अस्ति) क्योंकि लक्ष्मी, शोभा, धन और स्त्रियों में कुछ भेद नहीं है ॥ २६ ॥ (सं० वि० १४६)

अनुयायित्वम् : स्त्रियां लक्ष्मी रूप हैं—मनु ने जो स्थान तथा महत्त्व स्त्रियों को दिया है, वही समस्त प्राचीन साहित्य में है। इन भावों की तुलना की दृष्टि से निम्न प्रमाण द्रष्टव्य हैं—

(क) "श्रियं वा दूतद्वयं यत्पत्न्यः" (शत० १३।२।६।७)

(ख) "गृहा च पत्न्यं प्रतिष्ठा" (शत० ३।३।१।१०)

स्त्रियां लोकयात्रा का आधार है—

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ २७ ॥ (१४)

हे पुरुषो ! (अपत्यस्य उत्पादनम्) अपत्यों की उत्पत्ति (जातस्य परिपालनम्) उत्पन्न का पालन करने आदि (लोकयात्रायाः प्रत्यहम्) लोक-व्यवहार को नित्यप्रति जो कि गृहाश्रम का कार्य होता है (स्त्री निबन्धनं प्रत्यक्षम्) उसका निबन्ध करने वाली प्रत्यक्ष स्त्री है ॥ २७ ॥ (सं वि० १४६)

घर का सुख स्त्री पर निर्भर है—

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥ (१५)

(अपत्यम्) सन्तानोत्पत्ति (धर्मकार्याणि) धर्म-कार्य (उत्तमा शुश्रूषा रतिः) उत्तम सेवा और रति (तथा आत्मनः च पितृणां ह स्वर्गः) तथा अपना और पितरों का जितना सुख है वह सब (दाराधीनः) स्त्री ही के आधीन होता है ॥ २८ ॥ (सं० वि० १४६)

अनुशीलनः : 'पितृणाम्' का यहां 'पिता-पितामह-प्रपितामह आदि वयोवृद्ध आदि व्यक्ति' यह अर्थ है । इस विषय पर विस्तृत समीक्षा २।१५१[२।१७६] और ३।८२ पर देखिए ।

पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।

सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥

(या) जो स्त्री (मनःवाग्देहसंयता पति न + अभिचरति) मन, वचन और शरीर को संयत रखती हुई पति का उत्लंघन नहीं करती (सा भर्तृलोकम् + आप्नोति) वह पतिलोकों = पति के सुखों को प्राप्त करती है (च) और (सद्भिः 'साध्वी' इति लक्ष्यते) सज्जनों के द्वारा 'पतिव्रता' कही जाती है ॥ २९ ॥

॥

आप्नोति) लोकमानन्दा का प्राप्त करता है (च) और (शृणालयानम् आप्नोति) गोदड़ की योनि को प्राप्त करती है (च) तथा (पापयोगैः पीड्यते) पापयोगों से पीड़ित होती है ॥ ३० ॥

अनुशीलनः : २९-३० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—६।२५ वें विषयसंकेतक श्लोक के अनुसार प्रस्तुत विषय सन्तानोत्पत्ति-सम्बन्धी धर्मों के कथन का है । इन श्लोकों में 'स्त्री के आचरण और

उसका फल' प्रदर्शित है, जो विषयबाह्य वर्णन है। इस विषयविरोध के आधार पर ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. प्रसंगविरोध—पूर्वापर[२८-३१] श्लोकों में पुत्र-सम्बन्धी प्रसंग है। बीच में 'स्त्री के आचरण और उसके फल' सम्बन्धी ये श्लोक प्रसंगभिन्न हैं तथा उसके भञ्जक हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

३. पुनरुक्ति—ये दोनों ही श्लोक क्रमशः ५।१६५ और ५।१६४ की अक्षरशः पुनरुक्तिवां हैं। इस आधार पर यहाँ ये प्रक्षिप्त हैं।

पुत्र पर अधिकार के सम्बन्ध में आख्यान—

पुत्रं प्रत्युदितं सखिः पूर्वजैश्च महर्षिभिः ।

विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ ३१ ॥ (१६)

(सद्भिः च पूर्वजैः महर्षिभिः) श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा प्राचीन महर्षियों ने (पुत्रं प्रति) पुत्र के विषय में जो (विश्वजन्यं पुण्यम् उदितम्) सर्वजनहितकारी और पुण्यदायक विचार कहा (इमम् उपन्यासं निबोधत) इस 'शिक्षाप्रद विचार' को सुनो—॥ ३१ ॥

पुत्र पर अधिकार-सम्बन्धी मतान्तर—

भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भर्तरि ।

आहुत्वादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२ ॥ (१७)

(‘भर्तुः पुत्रम् विजानन्ति’) ‘स्त्री के पति का ही पुत्र होता है’ ऐसा माना जाता है (भर्तरि तु श्रुतिद्वैधम्) किन्तु पति के विषय में दो विचार हैं—(केचित् उत्पादकम् आहुः) कुछ लोग पुत्र उत्पन्न करने वाले को ही पुत्र मानते हैं (अपरे क्षेत्रिणं विदुः) दूसरे कुछ लोग क्षेत्र अर्थात् क्षेत्र-भूत को ही पुत्र मानते हैं।

स्त्री-पुत्र का जन और बोज रूप में तुलना—

क्षेत्रभूता स्मृता नारी बोजभूतः स्मृतः पुमान् ।

क्षेत्रबीजसमायोगात्सम्भवः सर्वदेहिनाम् ॥ ३३ ॥ (१८)

(नारी क्षेत्रभूता स्मृता) स्त्री को खेत के तुल्य माना है और (पुमान् बोजभूतः स्मृतः) पुरुष को बोज के तुल्य माना है (क्षेत्र-बीज-समायोगात्) खेत और बोज अर्थात् स्त्री और पुरुष के मिलने से (सर्वदेहिनां सम्भवः) सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥ ३३ ॥

विशिष्टं कुत्रचिद्बीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित् ।

उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥

[प्राणियों की उत्पत्ति में] (कुत्रचित् बीजं विशिष्टम्) कहीं बीज की प्रधानता होती है (कुत्रचित् स्त्रीयोनिः तु + एव) कहीं स्त्रीयोनि की प्रधानता होती है (उभयं तु यत्र समम्) किन्तु जहाँ दोनों की समान रूप से श्रेष्ठता है (सा प्रसूतिः प्रशस्यते) वह सन्तान प्रशंसनीय होती है ॥ ३४ ॥

बीजस्य चैव योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते ।

सर्वभूतप्रसूतिर्हि बीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५ ॥

(बीजस्य च एव योन्याः च) बीज और योनि = क्षेत्र में (बीजम् + उत्कृष्टम् + उच्यते) बीज को प्रधान कहा गया है (हि) क्योंकि (सर्वभूतप्रसूतिः) सब प्राणियों की उत्पत्ति (बीजलक्षण-लक्षिता) बीज के लक्षणों के अनुसार ही होती है ॥ ३५ ॥

यादृशं तुष्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते ।

तादृगोहति तत्तस्मिन्बीजं स्वैवप्रज्जितं गुणैः ॥ ३६ ॥

(काल-उपपादिते क्षेत्रे) समय पर जोते गये क्षेत्र में (यादृशं तु बीजम् उष्यते) जैसा बीज बोया जाता है (स्वैः गुणैः व्यज्जितम्) अपने गुणों से युक्त वह बीज (तस्मिन् तादृक् रोहति) उस क्षेत्र में वैसा ही उत्पन्न होता है ॥ ३६ ॥

इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते ।

न च योनिगुणान्कांश्चिद्बीजं पुण्यति पुष्टिषु ॥ ३७ ॥

[जैसे—] (इयं भूमिः हि) यह भूमि ही (भूतानां शाश्वती योनिः + उच्यते) देहधारियों = कीट, वृक्ष, गुल्म, लता आदि की सदा से ही क्षेत्र = उत्पत्तिस्थान रही है, किन्तु (बीजम्) कोई भी बीज (कांश्चित् योनिगुणान् पुष्टिषु न पुण्यति) योनि = क्षेत्र के किन्हीं गुणों को अपनी पुष्टि = अंकुररचना आदि में धारण नहीं करता अर्थात् सभी बीजों की शरीररचना बीज के अनुसार ही होती है, भूमि के अनुसार नहीं। इस प्रकार बीज ही प्रधान होता है ॥ ३७ ॥

भूमावप्येककेदारे कालोपतानि कृषीवर्तैः ।

नानारूपाणि जायन्ते जीवामान् त्वन्नावृतः ॥ ३८ ॥

(भूमौ + अपि) भूमि में भी (कालोपतानि) किसानों के द्वारा (एककेदार) एक ही क्षेत्र में (काल-उपतानि बीजानि) समय-समय पर बोये गये भिन्न-भिन्न बीज (स्व-भावतः) अपने स्वभाव के अनुसार (नानारूपाणि जायन्ते) उन्हीं भिन्न-भिन्न रूपों में उत्पन्न होते हैं अर्थात् भूमि का एक रूप होने पर भी बीजों का एक रूप नहीं होता ॥ ३८ ॥

बीहयः शालयो मुद्गास्त्रिलामाषास्तथा यथाः ।

यथा बीजं प्ररोहति सशुनानीक्षयस्तथा ॥ ३९ ॥

(क्रीडयः शालयः मुद्गाः तिलाः) साठी धान, चावल, मूंग, तिल (भाषाः यदाः लघुना तथा ईक्षवः) उड़द, जौ, लहसुन और ईल (यथाबीजं प्ररोहन्ति) अपने बीज के अनुरूप ही उत्पन्न होते हैं अर्थात् खेत का एक रूप होते हुए भी बीज में विभिन्नता होती है ॥ ३९ ॥

अन्यत्पुत्रं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते ।

उप्यते यद्धि तद्बीजं तत्सर्वेषु प्ररोहति ॥ ४० ॥

(‘अन्यत् + उत्पत्तम् अन्यत् जातम्’ इति + एतत्) दूसरा बीज बोया गया हो और उससे दूसरा अंकुर पैदा हो गया हो ऐसा (न + उपपद्यते) कभी नहीं होता (यत् हि बीजम् उप्यते) जो बीज बोया जाता है (तत् + तत् एव प्ररोहति) वह बीज उस अपने ही अंकुर के रूप में उत्पन्न होता है ॥ ४० ॥

परस्त्री में सन्तानोत्पत्ति न करें—

तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ।

आयुष्कामेन वृत्तव्यं न जातु परपौषिति ॥ ४१ ॥

(तत्) वह बीज (प्राज्ञेन) बुद्धिमान् (विनीतेन) विनम्र (ज्ञानविज्ञानवेदिना) ज्ञान-विज्ञान के ज्ञाता (आयुष्कामेन) दीर्घायु चाहने वाले व्यक्ति को (जातु) कभी भी (परपौषिति न वृत्तव्यम्) परस्त्री में नहीं बोना चाहिए अर्थात् परस्त्री से सम्पर्क कर व्यभिचार आदि द्वारा अपने वीर्यरूपी बीज को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए ॥ ४१ ॥

अत्र गाया वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः ।

यथा बीजं न वृत्तव्यं पुंसां परपरिग्रहे ॥ ४२ ॥

(अत्र) इस परस्त्री बीजवपन के विषय में (पुराविदः) प्राचीन विद्वान् (वायु-गीताः कीर्तयन्ति) वायु का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि (पुंसां) पुरुष को (परपरिग्रहे) परस्त्री में (बीजं न वृत्तव्यम्) बीज नहीं बोना चाहिए (यथा) जैसे वायु के द्वारा एक खेत से उड़ाकर दूसरे खेत में फेंका हुआ बीज उगने पर खेत के स्वामी का हो जाता है, बीज वाले का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। उसी प्रकार परस्त्री में उत्पादित पुत्र भी उस स्त्री के पति का माना जाता है। उत्पन्नकर्ता का बीजवपन व्यर्थ जाता है ॥ ४२ ॥

नश्यतीषुयंथा विद्धः खे विद्धमनुविद्धधतः ।

तथा नश्यति वै क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥

(यथा) और जैसे (विद्धम्) एक शिकारी द्वारा बीधे गये (खे) मृग के घाव में (अनुविद्धधतः विद्धः इषुः नश्यति) बाद में बीधने वाले शिकारी के द्वारा फेंका हुआ बाण नष्ट हुआ माना जाता है (तथा) वैसे ही (परपरिग्रहे) दूसरे की स्त्री में (बीजम्) बोया हुआ बीज भी (क्षिप्रं नश्यति) तभी नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥

पृथोरपीमां पृथिवीं भार्यां पूर्वविदो विदुः ।

स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो मृगम् ॥ ४४ ॥

(पूर्वविदः) प्राचीन इतिहास के ज्ञाता (इमां पृथिवीम्) इसी पृथ्वी को (पृथोः भार्यां विदुः) राजा पृथु की भार्या कहते हैं, क्योंकि (स्थाणुच्छेदस्य केदारम् + माहुः) जो ठूठ आदि को काटकर भूमि को संवारते हैं उन्हीं की वह भूमि मानी जाती है, और (शल्यवतः मृगम्) पहले बांधने वाले शिकारी का मृग होता है ॥ ४४ ॥

एतावानेव पुरुषो यज्जायाऽऽत्मा प्रजेति ह ।

विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥

(यत् जाया + आत्मा प्रजा ह) जो पत्नी, स्वयं पति और सन्तान हैं, (एतावान् + एव पुरुषः) इन तीनों से मिलकर पुरुष पूर्ण बनता है (इति विप्राः प्राहुः) ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं (तथा) और (एतत्) यह मानते हैं कि (यः भर्ता सा प्रज्जना स्मृता) जो पति है वही पत्नी है अर्थात् इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है ॥ ४५ ॥

न निष्कयविसर्गाभ्यां भर्तुं भार्या विमुच्यते ।

एवं धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिमित्तम् ॥ ४६ ॥

(निष्कयविसर्गाभ्यां भार्या भर्तुः न विमुच्यते) बेच देने या त्याग करने से पत्नी पति से अलग नहीं हो सकती (प्राक् प्रजापतिनिमित्तम् एवं धर्मं विजानीमः) पहले प्रजापति द्वारा बनाये गये इस धर्म को हम जानते-मानते हैं ॥ ४६ ॥

सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ ४७ ॥

(अंशः सकृत् निपतति) पुत्रादि के धन का विभाग एक बार ही होता है (कन्या सकृत् प्रदीयते) कन्या का दान अर्थात् विवाह एक बार ही होता है ('ददानी' इति सकृत् + प्राह) किसी वस्तु का दान एक बार ही होता है (सताम् एतानि त्रीणि सकृत्) सज्जनों के ये तीन कार्य एक बार ही हुआ करते हैं ॥ ४७ ॥

यथा गोऽम्बोष्ट्रदासीषु महिष्यजाधिकासु च ।

नोत्पादकः प्रजाभाषो तथैवान्याङ्गनास्वपि ॥ ४८ ॥

(यथा) जैसे (गो + अश्व + उष्ट्र + दासीषु) गौ, घोड़ी, ऊटनी, दासी में (च) और (महिषी + अजा + अधिकासु) भैंस, बकरी, भेड़ में (उत्पादकः) सन्तान उत्पन्न करने वाला (प्रजाभाषो न) सन्तान का अधिकारी नहीं होता (तथैव + अन्याङ्गनासु + अपि) वैसे ही परस्त्रियों में सन्तान उत्पन्न करने वाला भी उस सन्तान को पाने का अधिकारी नहीं होता ॥ ४८ ॥

अनुशीलन : ३४—४८ तक के श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं :—

१. प्रसंगविरोध—(१) ६।३१—३३ श्लोकों से यह एक नया प्रसंग प्रारम्भ किया गया है, जिसमें पुत्रोत्पादक दो प्रकार के व्यक्ति माने गये हैं; एक—विधिवत् विवाहित पति; दूसरा—परस्त्री में सन्तान उत्पन्न करने वाला विधिवत् अविवाहित व्यक्ति। इसमें जिज्ञासा उठायी गई है कि इनमें से 'पुत्र पर किसका अधिकार है?' इसी प्रसंग को दूसरे शब्दों में प्रसंगसम्पत्ति पर बीज और योनि की प्रधानता और प्रप्रधानता के रूप में कहा गया है [६।५६]। इस जिज्ञासा के दो प्रकार के उत्तर श्लोक ४६, ५२, ५३ में हैं। ३३ वें श्लोक में क्षेत्र और बीज का स्वरूप बताकर ४६ में अक्षेत्रियों को फल पर अनधिकार प्रदर्शित है। इस प्रकार प्रश्न-उत्तर की संगति की दृष्टि से ३३ वें श्लोक की ४६ वें श्लोक से प्रसंगसम्बद्धता है। बीच के ये श्लोक उस प्रसंग को भंग कर रहे हैं।

(२) यह प्रसंग तो है पुत्र पर अधिकार के निश्चय का, किन्तु ३४ वें श्लोक से एक नया भिन्न प्रसंग बीज और योनि की श्रेष्ठता का उठाया गया है, जो ४८ तक चलता है। यह संकेतित प्रसंग से भिन्न [६।३२—३३, ६५] होने के कारण प्रसंगबाह्य है, अतः प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप है।

२. अन्तर्विरोध—(१) ६।३४—४८ श्लोकों के इस प्रसंग में कहीं बीज की समानता से सन्तान की श्रेष्ठता [३४], कहीं बीज की प्रधानता [३५-४२], कहीं योनि की प्रधानता [४३-४८] बतलायी है। ये सब मान्यताएँ ४६, ५२, ५३ में वर्णित निर्णयों के विरुद्ध हैं। संकेतित जिज्ञासा और उत्तर के भी विरुद्ध हैं। ४६, ५२, ५३ श्लोकों में स्पष्टतः स्थितिवशात् बीज और क्षेत्रों के अधिकार का निर्णय दिया है; बीज और योनि की श्रेष्ठता का नहीं।

(२) इन श्लोकों में वर्णित वायु, मृग आदि [४२-४४], पुरुष की पूर्णता [४५], एक बार कन्यादान [४६-४७], पशुओं की प्रजा [४८] आदि उदाहरणों का मनुष्यों की प्रवृत्ति और परम्परा से मेल नहीं खाता और न उनका उस प्रकार बंध ही चलता या अपनया जाता है। अतः इनका प्रस्तुत मुख्य कथन से तालमेल नहीं बैठता। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र पर स्त्री का या स्त्री-स्वामी का अधिकार—

येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः।

ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित् ॥ ४६ ॥ (१६)

[६।३३ की व्यवस्था में] (ये+अक्षेत्रिणः बीजवन्तः) जो क्षेत्र-रहित हैं और बीज वाले हैं (परक्षेत्रप्रवापिणः) तथा दूसरे के क्षेत्र में अर्थात् परस्त्री में बीज को बोते हैं=सन्तान उत्पन्न करते हैं (ते वै) निश्चय से (क्वचित्) कहीं भी (जातस्य सस्यस्य फलं न लभन्ते) उत्पन्न हुये अन्न,

सन्तान आदि के फल को नहीं प्राप्त करते अर्थात् उस सन्तान पर स्त्री के पति का अधिकार होता है, बीज बोने वाले का नहीं ॥ ४६ ॥

यवग्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम् ।

गोमिनान्मेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्षम् ॥ ५० ॥

(यत्) जो (वृषभः) सांड (अन्यगोषु) दूसरे की गोश्रों में (वत्सानां शतं जनयेत्) सैंकड़ों बछड़े उत्पन्न कर दे, तो भी (ते वत्साः गोमिनान्+एव) वे बछड़े गोश्रों के स्वामी के होते हैं (मार्षं स्कन्दितं मोघम्) सांड का वीर्यसेचन करना व्यर्थ है, अर्थात् उसका फल नहीं मिलता ॥ ५० ॥

तथैवाक्षेत्रिणो बीजं परक्षेत्रप्रवापिणः ।

कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं न बीजी लभते फलम् ॥ ५१ ॥

(तथैव) उसी प्रकार (अक्षेत्रिणः) क्षेत्र के स्वामी न होते हुए (बीजं परक्षेत्र-प्रवापिणः) अपने बीज को दूसरे के क्षेत्र=स्त्री में बोते हैं (क्षेत्रिणाम्+अर्थं कुर्वन्ति) वे लोग क्षेत्रस्वामी का ही लाभ सिद्ध करते हैं (बीजी फलं न लभते) क्योंकि बीजवाला व्यक्ति उसके सन्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त करता ॥ ५१ ॥

अनुयोजनः ५०—५१ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं ।

१. अन्तविरोध—५० वें की मान्यता ५२—५३ के विरुद्ध है, क्योंकि पशुप्रथा का मनुष्यों की वंशपरम्परा व ज्ञान-स्मरण परम्परा से तालमेल नहीं बैठता ।

२. प्रसंगविरोध—४६ से ५२ का प्रसंग जुड़ता है । ४६ में परस्त्री में बीज-वपन करने के कारण का दिग्दर्शन है, उसका विकल्प ५२ में है । इन श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर कर दिया है ।

३. पुनरुक्ति—५१ वें श्लोक में ४६ की पुनरुक्तिमात्र है, अतः यह प्रक्षिप्त है । ५० वां इसका आधार होने के कारण इससे सम्बद्ध है, अतः ५१ वें के प्रक्षिप्त होने से वह भी प्रक्षिप्त है ।

पुत्र पर स्त्री या स्त्री-स्वामी के अधिकार में कारण—

फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा ।

प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिर्गरीयसी ॥ ५२ ॥ (२०)

क्योंकि (क्षेत्रिणां तथा बीजिनाम्) खेतवालों अर्थात् पर पुरुष से सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्रियों में और बीजवालों अर्थात् परक्षेत्र अर्थात् परस्त्री में

संतान उत्पन्न करने वालों में (फलं तु अनभिसंधाय) फल के लेने के विषय में बिना निश्चय हुए 'कि इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला अन्न, संतान आदि फल किसका होगा' बीज-वपन करने पर (प्रत्यक्षं क्षेत्रिणाम्+अर्थः) वह स्पष्टरूप से क्षेत्रस्वामी का फल या उपलब्धि होती है; अर्थात् वह संतान स्त्री की ही होती है, क्योंकि (बीजात् योनिः गरीयसी) ऐसी स्थिति में बीज से योनि बलवती होती है ॥ ५२ ॥

समभौतापूर्वक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्त्री-पुरुष दोनों का समानाधिकार—

क्रियाऽभ्युपगमात्वेतद्बीजार्यं यत्प्रदीयते ।

तत्प्रेह भागिनौ दृष्टौ बीजौ क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥ (२१)

(यत्) परन्तु यदि (क्रिया+अभ्युपगमात्) परस्पर मिलकर यह निश्चय करके कि इससे प्राप्त फल 'अमुक का' या दोनों का होगा [जैसे कि विवाह या नियोग में किया जाता है], इस समझते के साथ (एतत् बीजार्यं प्रदीयते) जो खेत बीज बोने के लिये दिया जाता है अर्थात् स्त्री यदि समझते के साथ किसी के लिए संतान उत्पन्न करती है तो उस अवस्था में (इह तस्य) इस लोक में उसके (बीजौ च क्षेत्रिकः+एव भागिनौ दृष्टौ) बीजवाला और खेतवाला दोनों ही फल के अधिकारी देखे गये हैं ॥ ५३ ॥

ओषधाताहतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति ।

क्षेत्रिकस्यैव तद्बीजं न वप्ता तन्नते फलम् ॥ ५४ ॥

(ओष-धात+आहतं बीजम्) पानी के वेग के साथ बहकर और वायु के द्वारा उड़ाकर लाया गया बीज (यस्य-क्षेत्रे प्ररोहति) जिसके खेत में उगता है (तद् बीजं क्षेत्रिकस्य+एव) वह बीज खेत के स्वामी का ही होता है (वप्ता फलं न तन्नते) बीजवाला उसके फल को नहीं प्राप्त करता ॥ ५४ ॥

एव धर्मो गवाश्चस्य दास्युषट्ठाजाविकस्य च ।

विहङ्गमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥ ५५ ॥

(एव धर्मः) यही नियम [६।४६-५४] (गो+अश्वस्य दासी+उष्ट्र+अजा+अविकस्य च विहङ्ग-महिषीणाम्) गौ, घोड़ी, दासी, ऊँटनी, बकरी, भेड़, पत्नी और भैंस, इनकी (प्रसवं प्रति विज्ञेयः) संतान के प्रति भी जानना चाहिए ॥ ५५ ॥

अनुश्रुतिस्तत्र : ५४-५५ श्लोक निम्न प्रकार प्रसिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अन्तर्विरोध—प्रसंगसंकेतक श्लोक ६।३२, ३३ के अनुसार यहाँ पुत्र पर अधिकार बताने के निर्णयका वर्णन है, जिसे क्षेत्री-बीजी के उदाहरण [६।४६, ५२, ५३] द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन श्लोकों में जल-वायु का उदाहरण [५४], पशु-प्रजा

का विधान [५५], उक्त कथन से बाह्य है, और न मनुष्य-परम्परा के अनुकूल घटित होते हैं, अतः मुख्य कथन के विरुद्ध होने से ये दोनों श्लोक प्रसिप्त हैं ।

२. प्रसंगविरोध—६।३२-३३ में जो जिज्ञासा उठायी थी, उसका उत्तर ४६, ५२, ५३ में दिया जा चुका है । आपत्काल में सन्तान का विधान—५३ के बाद पुनः पूर्व-प्रसंग की बातों को उठाना प्रसंगविरुद्ध है ।

एतद्दः सारफल्गुत्वं बीजयोग्योः प्रकीर्तितम् ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥५६॥ (२२)

(एतत्) [यह ६।३१-५५] (बीजयोग्योः सारफल्गुत्वम्) बीज और योनि की प्रधानता और अप्रधानता (वः प्रकीर्तितम्) तुमसे मैंने कही ।

(अतः परम्) इसके बाद अब मैं (आपदि योषितां धर्मम्) आपत्काल में [सन्तानाभाव में] स्त्रियों के धर्म को प्रवक्ष्यामि कहूँगा—॥ ५६ ॥

बड़ी भाभी को गुरु-पत्नी के समान, छोटी को पुत्रवधू के समान माने—

भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्या वा गुरुपत्न्यनुजस्य सा ।

यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥५७॥ (२३)

(ज्येष्ठस्य भ्रातुः या भार्या) बड़े भाई की जो पत्नी होती है (सा अनुजस्य गुरुपत्नी) वह छोटे भाई के लिए गुरुपत्नी के समान होती है (तु या यवीयसः भार्या) और जो छोटे भाई की पत्नी है (सा ज्येष्ठस्य स्नुषा) वह बड़े भाई के लिए पुत्रवधू के समान (स्मृता) कही गयी है, अर्थात् भाइयों को भाई की पत्नी में उक्त प्रकार की पवित्र भावना रखनी चाहिए ॥ ५७ ॥

उनके साथ गमन में पाप—

ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् ।

पतिता भवतो गत्वा नियुक्ताद्यप्यनापदि ॥५८॥ (२४)

(ज्येष्ठः यवीयसः भार्याम्) बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ और (यवीयान् + अग्रज-स्त्रियम्) छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ (अनापदि) आपत्तिकाल [=सन्तानाभाव] के बिना (नियुक्ता + अपि गत्वा) नियोग-विधिपूर्वक भी यदि संभोग करें तो वे (पतिता भवतः) पतित माने जाते हैं ॥ ५८ ॥

सन्तानाभाव में नियोग से सन्तानप्राप्ति—

देवराट्वा सपिण्डाट्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया ।

प्रजेप्सिताद्यगस्तथ्या सन्तानस्य परिक्षये ॥५९॥ (२५)

(सन्तानस्य परिक्षये) पति से सन्तान न होने पर अथवा किसी भी प्रकार से सन्तान का अभाव होने पर (सम्यक् नियुक्तया स्त्रिया) ठीक-ढंग में [परिवार और समाज में विवाहवत् प्रसिद्धिपूर्वक] नियोग के लिए नियुक्त स्त्री को (देवरात् वा सपिंडात् वा) देवर—स्वजातीय या अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष से अथवा पति की छः पीढ़ियों में पति के छोटे या बड़े भाई से (ईप्सिता प्रजा अधिगन्तव्या) इच्छित सन्तान प्राप्त कर लेनी चाहिए अर्थात् जितनी सन्तान अभीष्ट हो उतनी प्राप्त करले ॥ ५६ ॥

“सपिंड अर्थात् पति की छः पीढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई, अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। परन्तु जो वह मृतस्त्री-पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है और जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे।” (सं० प्र० चतुर्थं समु०)

“मनुजी ने लिखा है कि (सपिण्ड) अर्थात् पति की छः पीढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। परन्तु जो वह मृतस्त्री पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है। और जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। जो आपत्काल अर्थात् सन्तानों की होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जायें। अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है, इसके पश्चात् समागम न करें।” (सं० प्र० चतुर्थं समु०)

अनुयायित्वम् : (१) नियोग की विधि—नियोग के लिए ‘नियुक्त करना’ या ‘नियोग की विधि’ से अभिप्राय यह है कि जैसे समाज और परिवार में प्रसिद्धिपूर्वक विवाह होता है, उसी प्रकार नियोग भी होता है। इन्हीं के समक्ष पुत्र आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चय होते हैं। उस निश्चय के अनुसार चलना ‘विधि’ है और अन्यथा चलना ‘विधि का त्याग’ है। ऋषि दयानन्द ने इसी बात को प्रश्नोत्तररूप में स्पष्ट किया है—

“(प्रश्न) नियोग में क्या-क्या बात होनी चाहिए ?

(उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। जिस प्रकार विवाह में भद्रपुरुषों की अनुमति और कन्या-वर की प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी। अर्थात् जब स्त्री-पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष-स्त्रियों के सामने

‘हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय हों। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त पृथक् रहेंगे।’ (स० प्र० चतुर्थं समु०)

(२) देवर शब्द का अर्थ—

मनुस्मृति या वैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित—‘पति का छोटा भाई’ अर्थ न होकर विस्तृत अर्थ है। निरुक्त में ‘देवर’ शब्द की निरुक्ति निम्न दी है—

“देवरः कस्तात् द्वितीयो वर उच्यते ॥” (३। १५)

अर्थात्—“देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो। जिसे नियोग करे, उसी का नाम देवर है।” (म० दयानन्द, स० प्र० ११६)

आजकल यह केवल पति के छोटे भाई के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इस रूढ़ि का कारण कदाचित् यह है कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पति के छोटे भाई से ही उसका सम्बन्ध कर दिया जाता है। यह नियोगविधि का ही एक परिवर्तित रूप है। इस परम्परा से प्राचीन काल में नियोगप्रथा के अस्तित्व के संकेत मिलते हैं।

(३) बेटों में नियोग का विधान—

(क) उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि ।

हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ ॥

ऋ०। मं० १०। सू० १८। मं० ८॥

अर्थ—“(नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से (अभि जीवलोकम्) जीते हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो, और (उदीर्ष्व) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषो) तुम विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा तो (इदम्) यह (जनित्वम्) जना हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरी होगी। ऐसे निश्चययुक्त (अभि सम्बभूथ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे।”

(स० प्र० चतुर्थं समु०)

(ख) (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ?

(उत्तर) जीते भी होता है—

अन्यमिच्छस्य सुभगे पति सत् ॥ ऋ० मं० १०। सू० १०॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री की आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेवाली स्त्री तू (सत्) मुझ से (अन्यम्) दूसरे पति की

(इच्छास्व) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति की आशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिए।

जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री ने किया और जैसा व्यास जी ने चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य के मरजाने के पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका में धृतराष्ट्र और अम्बालिका में पाण्डु और दांसी में विदुर की उत्पत्ति की। इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है।" (स० प्र० चतुर्थ० समु०)

नियोग में गमन-विधि—

विधवायां नियुक्तस्तु धृताक्तो धाम्यतो निशि ।

एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ ६० ॥

(विधवायां नियुक्तः तु) विधवा स्त्रीमें नियोग के लिए लगाया पुरुष (धृताक्तः) अपने शरीर में घी लगाकर (धाम्यतः) मौन होकर (निशि) रात्रि में (एकं पुत्रम्-उत्पादयेत्) संभोग करके एक पुत्र को ही उत्पन्न करे (न द्वितीयं कथञ्चन) दूसरा पुत्र कदापि उत्पन्न न करे ॥ ६० ॥

द्वितीयमेके प्रजननं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः ।

अनिवृत्तं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तथोः ॥ ६१ ॥

(एके तद्विदः) कुछ इस नियोगविधि के ज्ञाता विद्वान् (अनिवृत्तं नियोगार्थं पश्यन्तः) 'एक पुत्र उत्पन्न करने से नियोग का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता' यह मानते हुए (स्त्रीषु) स्त्रियों में (द्वितीयं प्रजननं धर्मतः मन्यन्ते) दूसरे पुत्र को उत्पन्न करने को धर्मानुसार ठीक मानते हैं ॥ ६१ ॥

अनुशीलन : ६०-६१ श्लोक निम्न प्रकार प्रसिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध—**(१) इन श्लोकों में नियोग के द्वारा एक और दो पुत्रों की प्राप्ति के लिए क्रमशः विधान किया है। यह विधान ६।५६ के विरुद्ध है, क्योंकि उस श्लोक में नियोग के द्वारा इच्छित सन्तान प्राप्त करने का कथन है, उसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं (२) इन श्लोकों में जो सन्तान की सीमा और नियोग को प्रदर्शित किया है, वह नियोग को अनुचित मानने की भावना को अभिव्यक्त करती है, यह मनु के विरुद्ध है [६।५६-५६]।

नियोग से पुत्र-प्राप्ति के बाद शरीर-सम्बन्ध नहीं—

विधवायां नियोगार्थं निवृत्ते तु यथाविधि ।

गुरुवच्च स्नुषावच्च वत्सयातां परस्परम् ॥ ६२ ॥ (२६)

(यथाविधि) विधि अनुसार (विधवायां नियोगार्थं निवृत्ते तु) विधवा में नियोग के उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर फिर (गुरुवत् च स्नुषावत् च परस्परं वर्तयाताम्) बड़े भाई तथा छोटे भाई की स्त्री से क्रमशः गुरुपत्नी तथा पुत्रवधू के समान [६।५७] परस्पर बर्ताव करें ॥ ६२ ॥

नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वर्तयातां तु कामतः ।

ताभ्यौ पतितां स्यातां स्नुषाग-गुरुतल्पगौ ॥ ६३ ॥ (२७)

(नियुक्तौ यौ) नियोग के लिए नियुक्त बड़ा या छोटा भाई यदि (विधिं हित्वा) नियोग को विधि=व्यवस्था [समाज या परिवार में किये गये पूर्व निश्चयों] को छोड़कर (कामतः वर्तयाताम्) काम के वशोभूत होकर संभोगादि करें (तु) तो (तौ+उभौ) वे दोनों (स्नुषाग-गुरुतल्पगौ पतितां स्याताम्) पुत्रवधूगमन और गुरुपत्नीगमन के अपराधी माने जायेंगे [६।५८] ॥ ६३ ॥

नियोगविधि का खण्डन—

नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।

अन्यस्मिन् हि नियुञ्जाना धर्मं हन्युः सनातनम् ॥ ६४ ॥

(द्विजातिभिः) द्विजातियों को चाहिए कि वे (विधवा नारी) विधवा स्त्री का (अन्यस्मिन् न नियोक्तव्या) देवर आदि अन्य पुरुष से नियोग न करावे (हि) क्यों कि (अन्यस्मिन् नियुञ्जाना सनातनं धर्मं हन्युः) दूसरे पुरुष से नियोग कराकर वे सनातन धर्म को नष्ट करते हैं ॥ ६४ ॥

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्यते क्वचित् ।

न विवाहविधायुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥

(उद्वाहिकेषु मन्त्रेषु न क्वचित् नियोगः कीर्यते) विवाह-सम्बन्धी मन्त्रों में कहीं भी नियोग का कथन नहीं है, और (न विवाहविधायुक्तं विधवावेदनम् + उक्तम्) न विवाह-विधि में ही कहीं विधवा स्त्री का पुनः विवाह लिखा है ॥ ६५ ॥

विद्वद्भिः द्विजैः विगर्हितः कुर्यात्तु विधवा

विधवावेदनं ॥ ६६ ॥

(वेने राज्यं प्रशासति) राजा वेन के शासनकाल में (मनुष्याणाम् + अपि प्रोक्तः अयं पशुधर्मः) मनुष्यों के लिए विहित किया हुआ यह नियोग रूपी पशुधर्म (विद्वद्भिः द्विजैः विगर्हितः) विद्वान् द्विजों ने निन्दा के योग्य माना है ॥ ६६ ॥

स महीमक्षितां भुञ्जन् राजपिप्रवरः पुरा ।

वर्जितां सक्कुरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥

(पुरा) प्राचीन काल में (अखिला महीं भुञ्जन्) सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन करते हुए (तः राजर्षिप्रवरः) उस महाराजा वेन ने (काम+उपहतचेतनः) कामासक्ति के कारण नष्टबुद्धि होकर (वर्णानां सङ्करं चक्रे) वर्णों में सङ्करपन को फैला दिया ॥ ६७ ॥

ततः प्रभृति यो लोहात्प्रसीतपतिकां स्त्रियम् ।

नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः ॥ ६८ ॥

(ततः प्रभृति) राजा वेन के शासनकाल से (यः) जो व्यक्ति (प्रसीतपतिकां स्त्रियम् अपत्यार्थं नियोजयति) मृतपति वाली विधवा स्त्री का सन्तानप्राप्ति के लिए परपुरुष से नियोग करवाता है (तं साधवः विगर्हन्ति) उसकी सज्जन निन्दा करते हैं ॥ ६८ ॥

अनुशीलन : ६४-६८ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—६४-६८ श्लोकों में पूर्वविहित [६१५६-६३] नियोग-व्यवस्था का निषेध और निन्दा है। मनुसे विरुद्ध मान्यता होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। यहां यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि इन दोनों मान्यताओं में 'नियोग-व्यवस्था' मनु की मौलिक मान्यता है। इसमें निम्न पोषक प्रमाण हैं—(क) नियोग-विधान की मान्यता पूर्वविहित और आधारभूत है। (ख) विषयसंकेतक श्लोकों में इस प्रसंग को प्रारम्भ और समाप्त करने का संकेत है [६१५६ और ६१०३]। ये श्लोक अपने पूर्वापर प्रसंगों से शृंखलावत् जुड़े हुए हैं, जो सिद्ध करते हैं कि यह मान्यता मौलिक है। (ग) ६। १४५-१४६ में नियोग से उत्पन्न पुत्र को बायभाग का पूर्ण अधिकार विहित है। यह भी इस मान्यता को मनुसम्मत सिद्ध करता है, और (घ) नियोग-विधि का त्याग करके उत्पादित पुत्र को धनाधिकार से ६१४७ में वंचित किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनु नियोग को ही स्वीकार्य मानते हैं, नियोगत्याग को नहीं। (ङ) किसी बात के अस्तित्व के बाद ही उसका खण्डन हो सकता है। इस खण्डन से यह स्पष्ट है कि इससे पूर्व यह मान्यता प्रचलित थी, जैसा कि इन श्लोकों में ६६-६८ में स्वयं भी स्वीकार किया है। इस प्रकार नियोग की मान्यता पूर्ववर्ती और मौलिक है। नियोग-खण्डन की मान्यता परवर्ती और प्रक्षिप्त है।

२. विषयविरोध—विषय-संकेतक श्लोकों [६१५६, १०३] के निर्देशानुसार यह विषय स्त्रियों के लिए आपत्कालीन धर्मों और आपत्काल में सन्तानप्राप्ति का है। नियोग की मान्यता उस विषय से सम्बद्ध है, अतः मौलिक है। खण्डन की मान्यता का संकेतित विषय से कोई सम्बन्ध नहीं, अतः प्रक्षिप्त है।

३. शैलीगत आधार—६६-६७ श्लोकों में राजा वेन के समय नियोग के

विस्तार का कथन है। राजा वेन मनु से परवर्ती है, अतः ये श्लोक भी किसी व्यक्ति द्वारा रचकर मिलाये गये हैं।

सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर अन्य विवाह का विधान—

यस्या अत्रियेत् कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६६ ॥ (२८)

(वाचा सत्ये कृते) वाग्दान—सगाई करने के बाद [और विवाह से पूर्व] (यस्याः कन्यायाः पतिः अत्रियेत्) जिस कन्या का पति मर जाये (ताम्) उस कन्या को (निजः देवरः) पति का छोटा भाई (अनेन विधानेन विन्देत) विवाह-विधान से प्राप्त कर ले ॥ ६६ ॥

“जो प्रकृतयोनि स्त्री विधवा हो जाये तो पति का निज छोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता है।” (श्लोक की दूसरी पंक्ति उद्धृत करके यह उल्लेख है (सं० प्र० ११७)

अनुव्याख्यान : श्लोक की मौलिकता का आशय—यह श्लोक संकेतित [६।५६, १०३] विषय से सम्बद्ध है। विषयानुसार इसमें आपत्कालीन स्थिति में स्त्री का कर्तव्य विहित किया है।

यथाविध्यधिगम्यन्तां शुक्लवस्त्रां शुचिन्नताम् ।

मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृद्दत्ताः ॥ ७० ॥

वह देवर (एनां यथाविधि + अधिगम्य) इसे विधिपूर्वक स्वीकार करके (शुक्ल-वस्त्राम्) सफेद वस्त्र धारण करने वाली (शुचिन्नताम्) पवित्र व्रतवाली उस कन्या के साथ (आप्रसवात्) गर्भधारण होने तक (सकृत्-सकृत्-ऋतौ मिथः भजेत) एक-एक बार प्रत्येक ऋतुकाल में संमोग करे ॥ ७० ॥

न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः ।

दत्त्वा पुनः प्रयच्छन् हि प्राप्नोति पुत्रवानृतम् ॥ ७१ ॥

(कस्यचित् कन्यां दत्त्वा) किसी को एकबार कन्यादान करके (विचक्षणः) बुद्धिमान् मनुष्य (पुनः न दद्यात्) पुनः दूसरे को न दे (दत्त्वा पुनः प्रयच्छन् हि) एक बार देकर पुनः दूसरे को देता हुआ वह व्यक्ति (पुत्रवानृतं प्राप्नोति) ‘पुत्रवानृत’ दोष को प्राप्त करता है ॥ ७१ ॥

विधिवत्प्रतिगृह्णापि त्यजेत्कन्यां विगहिताम् ।

व्याधितां विप्रदुष्टां वा छपना उपपादिताम् ॥ ७२ ॥

मनुष्य (विगहितां व्याधितां विप्रदुष्टां वा छपना उपपादिताम्) निन्दित आचरण वाली, व्याधिग्रस्त, अभिचारिणी और धोखा करके दी गई (कन्याम्) कन्या

को (विधिवत् प्रतिगृह्य अपि त्यजेत्) विधिपूर्वक व्याह करके भी छोड़ देवे अर्थात् छोड़ सकता है ॥ ७२ ॥

यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत् ।

तस्य तद्वितथं कुर्यात्कन्यादातुर्दुरात्मनः ॥ ७३ ॥

(यः तु) जो कोई कन्या का सम्बन्धी (दोषवतीं कन्याम् + अनाख्याय) किसी दोष से युक्त कन्या को उसके दोष को बिना बताये (उपपादयेत्) प्रदान कर दे तो (तस्य दुरात्मनः कन्यादातुः) उस दुरात्मा, कन्यादान करने वाले का (तत्) वह दान (वितथं कुर्यात्) व्यर्थ कर दे अर्थात् उस कन्या को वापिस लौटा दे ॥ ७३ ॥

अनुशीलनः : ७०-७३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. विषयविरोध—विषयसंकेतक श्लोकों ६१, ६६, १०३ के अनुसार यह विषय स्त्रियों के आपत्कालीन धर्मों और आपत्-काल में सन्तान-प्राप्ति का है। इन श्लोकों में देवर के लिए विधि [७०], पुनः कन्यादान न करना [७१], छल आदि से दी गई कन्या को लौटाना [७२-७३] आदि बातें संकेतित विषय से असम्बद्ध हैं, अतः मौलिक नहीं।

२. प्रसंगविरोध—६६ और ७४ श्लोकों में स्त्रियों के लिए आपत्काल के विधान हैं, जो परस्पर सम्बद्ध हैं। इन श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इस प्रकार ये प्रक्षिप्त हैं।

३. अन्तर्विरोध—७१ वें श्लोक में पुनः कन्यादान अर्थात् पुनः विवाह का निषेध ६१, ६६, १७६ के विरुद्ध है। उनमें विशेष परिस्थितियों में स्पष्टतः पुनर्विवाह का विधान है। शेष श्लोक इससे प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध हैं, अतः उसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।

स्त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास में जाये—

विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः ।

अवृत्तिकषिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि ॥ ७४ ॥ (२६)

(कार्यवान् नरः) किसी आवश्यक कार्य के लिए परदेश में जाने वाला मनुष्य (भार्यायाः वृत्ति विधाय प्रवसेत्) अपनी पत्नी की भरण-पोषण की जीविका देकर परदेश में जाये (हि) क्योंकि (अवृत्तिकषिता स्थितिमती + अपि स्त्री) जीविका के अभाव से पीड़ित हो शुद्ध आचरण वाली स्त्री भी (प्रदुष्येत्) दूषित हो सकती है ॥ ७४ ॥

अथवा अतिन्दित कलाओं से स्त्री जीविका कमाये—

विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्मियममास्थिता ।

प्रोषिते स्वविधायैव जीवेच्छिल्परगर्हितः ॥ ७५ ॥ (३०)

(वृत्ति विधाय प्रोषिते) जीविका का प्रबन्ध करके पति के परदेश

जाने पर (नियमम् + आस्थिता जीवेत्) स्त्री अपने पातिव्रत्य नियमों का पालन करती हुई जीवनयात्रा चलाये (अविधाय + एव तु प्रोषिते) यदि पति बिना जीविका का प्रबन्ध किये परदेश चला जाये तो (अग्रहितैः शिल्पैः जीवेत्) अनिन्दित शिल्पकार्यों [सिलाई करना, बुनना, कातना आदि] को करके अपनी जीवनयात्रा चलाये ॥ ७५ ॥

पति की प्रतीक्षा की अवधि और उसके पश्चात् नियोग—

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः ।

विद्यार्थं षट् यशोऽर्थं वा कामार्थं त्रीन् तु वत्सरान् ॥ ७६ ॥ (३१)

विवाहित स्त्री (नरः धर्मकार्यार्थं प्रोषितः) जो विवाहित पति धर्म के लिए परदेश गया हो तो (अष्टौ समाः) आठ वर्ष (विद्यार्थं वा यशः + अर्थं षट्) विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो छः (कामार्थं त्रीन् तु वत्सरान्) धनादि कामना के लिए गया हो तो तीन वर्ष तक (प्रतीक्ष्यः) बाट देखके पश्चात् नियोग करके सन्तोषपति कर ले । जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूटजावे ॥ ७६ ॥ (स० प्र० ११६)

अनुयायीत्वम् : नियोगव्यवस्था प्राचीनपरम्परागत एवं कौटिल्य द्वारा उसका समर्थन—प्राचार्य कौटिल्य तक नियोग व्यवस्था प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त रही है । उन्होंने प्र० ६० । अ० ४ में कारण प्रदर्शनपूर्वक विभिन्न नियोगों का विधान किया है [विस्तृत विवेचन भूमिका में 'नियोग-मान्यता' पर द्रष्टव्य है] ।

संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विवन्ती योषितं पतिः ।

ऊर्ध्वं संवत्सरात्त्रेणां दायं हृत्वा न संवसेत् ॥ ७७ ॥

(द्विवन्ती योषितं पतिः) अपने पति से द्वेषभाव रखने वाली स्त्री को उसका पति (संवत्सरं प्रतीक्षेत) एक वर्ष तक [सुधरने की] प्रतीक्षा करे (संवत्सरात् ऊर्ध्वं तु + एनाम्) एक वर्ष के पश्चात् इसको (दायं हृत्वा) आभूषण आदि छीनकर (न संवसेत्) अपने पास न रखे ॥ ७७ ॥

अतिक्रामेत्प्रमत्तं या मत्तं रोगार्त्तमेव वा ।

सा त्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छेदा ॥ ७८ ॥

(या) जो स्त्री (प्रमत्तं मत्तं वा रोगार्त्तम् + एव अतिक्रामेत्) पागल, विक्षिप्त अथवा रोगपीडित होने पर अपने पति की अवहेलना करे (सा) उसे (विभूषणपरिच्छेदा) आभूषण, वस्त्र आदि छीनकर (त्रीन् मासान् परित्याज्या) तीन मास तक छोड़ देवे ॥ ७८ ॥

उन्मत्तं पतितं क्लीबमबीजं पापशोगिणम् ।

न त्यागोऽस्ति द्विवन्त्याश्च न च दायापवर्तनम् ॥ ७९ ॥

(उन्मत्तं पतितं क्लीबम् + अबीजं पापरोगिणं द्विषन्त्याः) स्थायी पागल, पतित, नपुंसक, जिसका वीर्य न ठहरे, पापरोगी = कुष्ठ आदि से पीड़ित पति की उपेक्षा करने वाली स्त्री को (त्यागः न अस्ति) नहीं छोड़ा जा सकता (च) और (न दाय + अप-वर्तनम्) न उससे धन छीना जा सकता है ॥ ७६ ॥

मद्यपाऽसाधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत् ।

व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या हिंसार्थं धनी च सर्वथा ॥ ८० ॥

(या) जो स्त्री (मद्यपा) शराब पीने वाली, (असाधुवृत्ता) दुराचार वाली, (प्रतिकूला) पति के प्रतिकूल आचरण करने वाली, (व्याधिता) व्याधिग्रस्त, (हिंसा) मारने वाली, (च) और (सर्वथा अर्थं धनी) सदा धन को नष्ट करने वाली (भवेत्) हो तो (अधिवेत्तव्या) उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर लेना चाहिए ॥ ८० ॥

अनुयायित्वम् : ७७-८० श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—विषयसंकेतक श्लोकों ६१५६, १०३ के अनुसार यह विषय स्त्रियों के विधानों के लिए है। इसमें उनके आपत्कालीन कर्तव्य कहे हैं। इन श्लोकों में पुरुषों के लिए विधान विषयबाह्य होने से विषयविरुद्ध प्रक्षेप है।

२. प्रसंगविरोध—प्रसंग की दृष्टि से भी ७६ और ८१ सम्बद्ध हैं। ७६ वें श्लोक में स्त्री को निर्देश है कि इतने-इतने वर्ष प्रतीक्षा करके दूसरे पुरुष से सन्तान प्राप्ति करले और इसी प्रकार ८१ वें में पुरुष को प्रतीक्षा करके दूसरी स्त्री से संतान प्राप्ति करने का कथन है। इन श्लोकों के मध्य में दुर्गुणाधारित त्याग का कथन उस प्रसंग को भंग करता है। यह प्रसंग समवाधारित है, अतः परस्परसम्बद्ध है और एक-वाक्यात्मक है।

पुरुष दूसरी स्त्री से सन्तानप्राप्ति कब करे—

वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ ८१ ॥ (३२)

(वन्ध्या + अष्टमे) वन्ध्या हो तो आठवें [विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री का गर्भ न रहे] (मृतप्रजाः तु दशमे) सन्तान होकर मरजायें तो दशवें (स्त्रीजननी एकादशे अब्दे) जब-जब हो तब-तब कन्या हो हों, पुत्र न हो तो ग्यारहवें वर्ष तक (तु) और (अप्रियवादिनी) जो अप्रिय बोलने वाली हो तो (सद्यः) सद्यः उस स्त्री को छोड़कर (अधिवेद्या) दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलेवे ॥ ८१ ॥ (स० प्र० चतुर्थ समु०)

या रोगिणी स्यात् हिता सम्पन्ना चैव शीलतः ।

सानुताप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित् ॥ ८२ ॥

(या रोगिणी स्यात्) जो स्त्री रोगिणी हो (तु) किन्तु (हिता च शीलतः

सम्पन्ना) पति की हितैषिणी और सुशील आचरण वाली हो (सा + अनुज्ञाप्य + अधि-
वेत्तव्या) पति उससे अनुमति लेकर दूसरा विवाह करले (च) और (कहिंचित् न +
अवमान्या) उसकी कभी अवमानना न करे ॥ ८२ ॥

अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्विषिता गृहात् ।

सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ॥ ८३ ॥

(अधिविन्ना तु या नारी) [पूर्ववर्णित ६।८०-८१ अवस्था में] दूसरा विवाह
करने पर जो स्त्री (विषिता गृहात् निर्गच्छेत्) क्रोध में आकर घर से निकल जाये (सा
सद्यः संनिरोद्धव्या) उसे तभी रोककर रखे (वा) अथवा (कुलसन्निधौ त्याज्या) उसके
परिवारवालों के पास छोड़ आये ॥ ८३ ॥

प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि ।

प्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानि षट् ॥ ८४ ॥

(या तु) जो स्त्री (प्रतिषिद्धा + अपि) पति के द्वारा निषेध करने पर भी (अभ्यु-
दयेषु मद्यम् अपि) विवाह आदि उत्सवों में मद्यपान करे (वा) अथवा (प्रेक्षासमाजं
गच्छेत्) नाचने आदि की जगह जाये (सा षट् कृष्णलानि दण्ड्या) उसे छह कृष्णल
[८।१३४] सुवर्ण से दण्डित करे ॥ ८४ ॥

यदि स्वाद्यापराइक्षं च विन्देरन्योचितो द्विजाः ।

तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्यैष्ठ्यं पूजा च वेदम च ॥ ८५ ॥

(यदि द्विजाः) यदि द्विजवर्ण वाले (स्वाः च + अपराः च + एव विन्देरन्)
अपने वर्ण वाली स्त्रियों के साथ एकसाथ विवाह करलें तो (तासाम्) उन पत्नियों का
(वर्णक्रमेण ज्यैष्ठ्यं पूजा च वेदम स्यात्) वर्ण के क्रम से बड़पान, आदर, घर आदि
होगा अर्थात् उत्तम वर्ण वाली को सबसे उत्तम उससे निम्न को उससे कम, इस प्रकार
ये चीजें प्राप्त होंगी ॥ ८५ ॥

भर्तुः शरीरशुभ्रूषां धर्मकार्यं च नैत्यकम् ।

स्वा चैव कुर्यात्सर्वेषां नास्वजातिः कथञ्चन ॥ ८६ ॥

(सर्वेषाम्) उन सब पत्नियों में (भर्तुः शरीरशुभ्रूषाम्) पति की भोजन आदि से
सेवा (च) और (नैत्यकं धर्मकार्यम्) प्रतिदिन के अग्निहोत्र आदि धार्मिक कार्य (स्वा
एव कुर्यात्) पति की अपनी जाति की स्त्री ही करे (अस्वजातिः कथञ्चन न) विजातीय
स्त्री ये कार्य कभी न करे ॥ ८६ ॥

यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयाऽप्यथा ।

यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः ॥ ८७ ॥

(यः तु) जो पति (सजात्या स्थितया) सजातीय स्त्री के होते हुए (मोहात्)
मोह के वशीभूत होकर (अन्यथा तत् कारयेत्) विजातीय स्त्री से शरीर-सेवा आदि

कराये (सः) उह (यथा ब्राह्मणचाण्डालः तथैव) ब्राह्मणी में सूद्र पति ले, उत्पन्न 'ब्राह्मण-चाण्डाल' के समान (पूर्वदृष्टः) विद्वानों ने माना है ॥ ८७ ॥

अनुशीलन : ८२-८७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—विषयसंकेतक श्लोकों ६१, ६६, १०३ के अनुसार यह विषय स्त्रियों के लिए है और इसमें उनके आपत्कालीन कर्त्तव्यविहित है। इन श्लोकों में पुरुषों द्वारा स्त्रियों के त्याग आदि का कथन विषयविरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—८५-८७ श्लोकों में परवर्ण की स्त्रियों से विवाह का विधान तथा बहुपत्नीप्रथा का वर्णन है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु सवर्णासे विवाह का विधान करते हैं और एक ही पत्नी रखने का आदेश देते हैं [३।४-५।१७।७७, ५०॥ ५।१६७॥ ६।१०१-१०२]। इस कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

उत्तम वर मिलने पर कन्या का विवाह शीघ्र करवें—

उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च ।

अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ८८ ॥ (३३)

यदि माता-पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो (उत्कृष्टाय + अभिरूपाय सदृशाय वराय) अति उत्कृष्ट, शुभगुण, कर्म, स्वभाव वाले कन्या के सदृश रूप-लावण्य आदि गुणयुक्त वर ही को चाहें (ताम् अप्राप्तां कन्याम् + अपि) वह कन्या माता की छह पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि (तस्मै दद्यात्) उसी को कन्या देना, अन्य को न देना कि जिससे दोनों अति प्रसन्न होकर गृहाश्रम की उन्नति और उत्तम सन्तानों की उत्पत्ति करें ॥ ८८ ॥ (सं० वि० १०२)

गुणहीन पुरुष से विवाह न करें—

काममामरणातिष्ठेद् गुहे कन्यतुं मृत्यपि ।

न चैवंनां प्रयच्छेत् गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ ८९ ॥ (३४)

(कामम्) चाहे (आमरणात्) मरणपर्यन्त (कन्या) कन्या (गृहे) पिता के घर में (तिष्ठेत्) बिना विवाह के बैठी भी रहे (तु) परन्तु (गुणहीनाय) गुणहीन असदृश दुष्टपुरुष के साथ (एनां कर्हिचित् न प्रयच्छेत्) कन्या का विवाह कभी न करे ॥ ८९ ॥ (सं० वि० १०२)

पूना-प्रवचन में इस श्लोक को उद्धृत करते हुए महर्षि दयानन्द ने लिखा है—“इसी प्रकार मनु जी कहते हैं कि कन्या को मरने तक चाहे वैसी ही कुमारी रखो, परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करो।” (पृ० २१)

“चाहे लड़का-लड़की मरणपर्यन्त कुमार रहें परन्तु असदृश अर्थात्

परस्पर विरुद्ध-गुण-कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिए ।”
(सं० प्र० ८३)

कन्या स्वयंवर विवाह करे—

श्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्युत्तुमती सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ॥ ६० ॥ (३५)

(कुमारी) कन्या (ऋतुमती सती) रजस्वला हो जाने पर (एतस्मात् कालात् + ऊर्ध्वम्) इस समय के बाद (श्रीणि वर्षाणि + उदीक्षेत) तीन वर्षों तक विवाह की प्रतीक्षा करे, तदनन्तर (सदृशं पतिं विन्देत) अपने योग्य पति का वरण करे ॥ ६० ॥

‘जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे तब रजस्वला होने के दिन से तीन वर्ष छोड़के चौथे वर्ष में विवाह करे ।’ (सं० वि० १०२, सं० प्र० ८३)

स्वयंवर विवाह में पाप नहीं—

अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद् यदि स्वयम् ।

नैनः किञ्चिदवाप्नोति न च यं साऽधिगच्छति ॥ ६१ ॥ (३६)

(अदीयमाना) पिता आदि अभिभावक के द्वारा विवाह न करने पर (यदि स्वयं भर्तारम् + अधिगच्छेत्) जो कन्या यदि स्वयं पति का वरण करले तो (किञ्चित् एनः न अवाप्नोति) वह कन्या किसी पाप की भागी नहीं होती (च) और (न सा यम् अधिगच्छति) न उसे कोई पाप = दोष होता है जिस पति को यह वरण करती है ॥ ६१ ॥

अलङ्कारं नाददीत पित्र्यं कन्या स्वयंवरा ।

मातृकं भ्रातृवत्तं वा स्तेना स्याद्यदितं हरेत् ॥ ६२ ॥

(स्वयंवरा कन्या) स्वयंवर करने वाली कन्या (पित्र्यं मातृकं वा भ्रातृवत्तम् अलङ्कारं न + आददीत) पिता, माता अथवा भाई द्वारा दिये गये आभूषण आदि को न ले (यदि तं हरेत्) यदि आभूषण आदि को लेगी तो (स्तेना स्यात्) वह चोर कहलायेगी ॥ ६२ ॥

पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यामृतुमती हरत् ।

स हि स्वाम्यवतिक्रामेहतूनां प्रतिरोधनात् ॥ ६३ ॥

(ऋतुमती कन्या हरत्) ऋतुमती कन्या को ग्रहण करने वाला पति (पित्रे शुल्कं न दद्यात्) उसके पिताको कोई शुल्क न दे (हि) क्योंकि (ऋतूनां प्रतिरोधनात्) ऋतु-अवरोध के कारण (सः) वह कन्या का पिता (स्वाम्यात् + अतिक्रामेत्) उसके स्वामित्व से वंचित हो जाता है ॥ ६३ ॥

त्रिंशद्वर्षोद्वहेत्कन्यां ह्यष्टा द्वादशावधिकीम् ।

अष्टद्वर्षोऽष्टवर्षा वा धर्मं सीदति सत्वरः ॥ ६४ ॥

(त्रिंशत्तुल्यः) तीस वर्ष का युवक (द्वादशावधिकीं ह्यष्टा कन्यां उद्वहेत्) बारह वर्ष की हृदय को प्रिय लगने वाली कन्या से विवाह करे (वा) अथवा (अष्टद्वर्षः + अष्टवर्षां) चौबीस वर्ष का युवक आठ वर्ष की सुन्दरकन्या से विवाह करे (सत्वरः धर्मं सीदति) इससे शीघ्र विवाह करने वाला गृहस्थ धर्म में कष्ट पाता है ॥ ६४ ॥

देवदत्ता पतिर्भाषां विन्दते नेच्छयात्मनः ।

तां साध्वीं विभृषां प्रित्यं देवानां प्रियमाचरणम् ॥ ६५ ॥

(पतिः) पति (देवदत्तां भाषां विन्दते) देवों द्वारा प्रदत्त पत्नी को ही प्राप्त करता है (आत्मनः इच्छया न) अपनी इच्छा से किसी स्त्री को नहीं प्राप्त करता, इसलिए (देवानां प्रियम् + आचरणम्) देवताओं को प्रिय करता हुआ पति (तां साध्वीम्) उस साधु आचरण वाली पत्नी को (नित्यं विभृषात्) सदा भरण-पोषण आदि से सन्तुष्ट रखे ॥ ६५ ॥

अनुयायित्वम् : ६२ से ६५ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रसिद्ध हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) वर्णक्रम से विवाह आदर-सत्कार, दायभागविभाजन आदि का कथन भी मनुविरुद्ध है, क्योंकि मनु ने सवर्णा स्त्री से विवाह का विधान किया है [३।४; ७।७० आदि] । (२) यदि गान्धर्व विधि से अन्यवर्ण में भी विवाह होता है तो वह विवाह भी मान्य विवाहों में परिगणित है, तब भी आदर-सत्कार में वर्णानुक्रम से भिन्नता रखने का प्रश्न नहीं उठता (३) इसी प्रकार ६२-६३ का ६०-६१ से, ६४-६५ का ३। १-५ श्लोकों से विरोध है। वहाँ युवावस्था में स्त्री के विवाह का विधान है ।

२. विषयविरोध—विषयसंकेतक श्लोकों [६।१, १०३] के अनुसार यह विषय स्त्रियों के आपत्कालीन धर्मों के कथन का है। स्वयंवर विवाह करने वाली कन्या का पतृक वन में अधिकार [६२], विवाह अवस्था [६३-६४] आदि बातों का वर्णन विषय से भिन्न वर्णन है, अतः विषयविरुद्ध है। इस आधार पर ६२ से ६५ श्लोक प्रसिद्ध हैं ।

स्त्री पुरुष की अर्द्धांगिनी—

प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः ।

तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ॥६६॥ (३७)

(प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः) गर्भधारण करके सन्तानों की उत्पत्ति

करने के लिए स्त्रियों की रचना हुई है (च) और (सन्तानार्थ मानवाः) सन्तानार्थ गर्भाधान करने के लिए पुरुषों की रचना हुई है [दोनों एक दूसरे के पूरक होने के कारण] (तस्मात्) इसलिए (श्रुतौ) वेदों में (साधारणः धर्मः) साधारण से साधारण धर्मकार्य का अनुष्ठान भी (पत्न्या सह + उदितः) पत्नी के साथ करने का विधान किया है ॥ ६६ ॥

अनुयायित्वम् : प्रत्येक धर्मकार्य पत्नी को सहभागिनी बनाकर करें— मनु ने इस श्लोक में पत्नी को पुरुष की पूरक और अर्धांगिनी का रूप माना है, और प्रत्येक धर्मकार्य उसके साथ हुए बिना पूर्ण नहीं माना गया है। मनु प्राचीन साहित्य में पत्नी की यही मान्य स्थिति रही है। जब पत्नी को पुरुष का अर्धभाग रूप ही मान लिया तो दोनों की स्थिति समान है। उसमें कोई पक्षपात की भावना नहीं है—

(क) “अर्धो वा ह वा एष आत्मनो यज्जाया, तस्माद्, यावज्जाया न विद्यते नैव तावत् प्रजायते अस्वर्धो हि तावद् भवति, अयं यद्वै जायां विद्यतेऽथ प्रजायते, तर्हि हि सर्वो भवति ।” (शत० ५।२।१।१०)

(ख) “अथो अर्धो वा एष आत्मनः पत्यवती” (तैत्ति० ३।३।५)

शुल्क से कन्या-विवाहविषयक खण्डन-मण्डन—

कन्यायां दत्तशुल्कायां म्रियेत यदि शुल्कदः ।

देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ ६७ ॥

(कन्यायां दत्तशुल्कायाम्) कन्या का विवाहशुल्क देने के बाद (यदि शुल्कदः म्रियेत) यदि विवाह से पूर्व ही शुल्क देने वाला वर मरजाये, तो (यदि कन्या अनुमन्यते) यदि कन्या की अनुमति हो तो उसका (देवराय प्रदातव्या) मरने वाले वर के छोटे भाई से विवाह कर देना चाहिए ॥ ६७ ॥

आवदीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददत् ।

शुल्कं हि गृह्णन्कुस्ते छन्नं दुहितृविक्रयम् ॥ ६८ ॥

(शूद्र + अपि) शूद्र भी (दुहितरं ददत्) कन्यादान करते हुए (शुल्कं न आवदीत) वर से कन्या का शुल्क न ले [द्विजों द्वारा शुल्क लेने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता] (हि) क्योंकि (शुल्कं गृह्णन्) शुल्क लेता हुआ व्यक्ति (छन्नं दुहितृविक्रयं कुस्ते) प्रच्छन्न रूप से कन्या को बेचता ही है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ६८ ॥

एतत् न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः ।

यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ६९ ॥

(यत् + अन्यस्य प्रतिज्ञाय) यह कि एक को कन्या देने का वचन देकर (पुनः + अन्यस्य प्रदीयते) फिर वह दूसरे को दे दी जाये (एतत्) ऐसा (न परे साधवः चक्रुः)

न प्राचीन सज्जनों ने किया (न अपने जातु) न बलवान में कोई करता है अथवा कन्या का दान एक को ही होता है पुनः कन्यादान = विवाह नहीं होता ॥ ६६ ॥

नानुशुभम् जात्वेतत्पूर्वेष्वपि हि जन्मसु ।

शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम् ॥ १०० ॥

(जातु + एतत् न + अनुशुभम्) निश्चय से ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि (पूर्वेषु + अपि हि जन्मसु) पहले युगों में भी (शुल्कसंज्ञेन मूल्येन) 'शुल्क' नामक मूल्य से (छन्नं दुहितृविक्रयम्) प्रच्छन्न रूप से किसी ने कन्या को बेचा हो ॥ १०० ॥

अनुयायित्वः : ६७ में १०० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. विषयविरोध—विषयसंकेतक श्लोकों [६१, १०३] के अनुसार यह विषय स्त्री के आपत्कालीन धर्मों के कथन करने का है। इन श्लोकों में देवर से विवाह [६७], शुल्क न लेने का कथन [६८-१००] विषय से भिन्न वर्णन है, अतः विषयविरुद्ध होने से ६७-१०० श्लोक प्रक्षिप्त हैं। यह वर्णन ६।६६; ३।५१-५४ में वर्णित भी हो चुका है अतः प्रनावश्यक है।

२. प्रसंगविरोध—पूर्वापर श्लोकों में [६६, १०१-१०३] विषय का उपसंहार करते हुए स्त्री-पुरुष को सदा साथ रहने और कभी भी वियुक्त न होने का कथन है। इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग करके अन्य बातों का वर्णन किया है, अतः ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध प्रक्षिप्त हैं।

पति-पत्नी आभरण साथ रहें—

अन्योन्यस्याग्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः ।

एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १०१ ॥ (३८)

(आमरणान्तिकः) मरणपर्यन्त (अन्योन्यस्य + अग्यभिचारः भवेत्) पति-पत्नी में परस्पर किसी भी प्रकार के धर्म का उल्लंघन और विच्छेद न हो पाये (समासेन) संक्षेप में (स्त्रीपुंसयोः) स्त्री-पुरुष का (एषः परः धर्मः ज्ञेयः) यही साररूप मुख्य धर्म है ॥ १०१ ॥

बिछुड़ने के अवसर न आने दें—

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ ।

यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्ताश्चितरेतरम् ॥ १०२ ॥ (३९)

(कृतक्रियौ स्त्रीपुंसौ) विवाहित स्त्री-पुरुष (नित्यं तथा यतेयाताम्) सदा ऐसा यत्न करें कि (यथा तौ) जिस किसी भी प्रकार से (तौ) वे (इतरेतरम्) एक-दूसरे से (वियुक्ता न + अभिचरेताम्) अलग न होवें = सम्बन्धविच्छेद न हो पाये ॥ १०२ ॥

[१७] दायभाग विवाद-वर्णन [६।१०३--२१६]

एष स्त्रीपुंसयोर्बन्धुतो धर्मो वो रतिसंहितः ।

प्रापद्यप्यप्राप्तिश्च दायभागं निबोधत ॥ १०३ ॥ (४०)

(एषः) यह [६।१ से १०२ पर्यन्त] (स्त्रीपुंसयोः) स्त्री-पुरुष के (रति-संहितः धर्मः) रति=स्नेह या संयोग सहिा [वियोगकाल के भी] धर्म (च) और (प्रापदि+अपत्यप्राप्तिः) प्रापत्काल में नियोगविधि से सन्तान-प्राप्ति [६।१६-६३] की बात (वः उक्तः) तुमसे कहो ।

(दायभागं निबोधत) दायभाग का विधान सुनो—॥ १०३ ॥

मलग होते समय दायभाग का बराबर विभाजन—

ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम् ।

भजेरन्यैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥ (४१)

(पितुः च मातुः ऊर्ध्वम्) पिता और माता के मरने के पश्चात् (भ्रातरः समेत्य) सब भाई एकत्रित होकर (पैतृकं रिक्थं समं भजेरन्) पैतृक सम्पत्ति को बराबर-बराबर बांट लें (जीवतोः ते हि अनीशाः) माता-पिता के जीवित रहते हुए वे उस धन के अधिकारी नहीं हो सकते हैं ।

॥ १०४ ॥

सम्मिलित रहने पर विभाजन का दूसरा विकल्प—

उयेष्ठ एव तु गृह्णीयात्पिश्यं धनमशेषतः ।

शेषास्तमुपजीवेयुषं च पितरं तथा ॥ १०५ ॥ (४२)

[अथवा सम्मिलित रूप में रहना हो तो] (पिश्यं धनम्+अशेषतः) उयेष्ठः एव तु गृह्णीयात्) पिता के सारे धन को बड़ा पुत्र ही ग्रहण करले (शेषाः) और याकी सब भाई (यथा+एव पितरम्) जैसे पिता के साथ रहते थे (तथा तम्+उपजीवेयुः) उसी प्रकार बड़े भाई के साथ रहकर

१

मातृधन का विधान १६२ से है ।

उयेष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः ।

पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमहन्ति ॥ १०६ ॥

(उयेष्ठेन जातमात्रेण) उयेष्ठ पुत्र के उत्पन्न होते ही (मानवः पुत्री भवति) मनुष्य पुत्रवान्वा हो जाता है (च) और (पितृणाम्+अनृणः) वह पितरों के ऋण से छूट जाता

है (तस्मात् सर्वम् + ग्रहति) इस कारण बड़ा पुत्र पिता की सब सम्पत्ति पाने का अधिकारी है ॥ १०६ ॥

यस्मिन्मूलं संनयति येन आनन्त्यमनुते ।

स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०७ ॥

(यस्मिन् + ऋणं संनयति) जिसके उत्पन्न होने पर पिता विनु-ऋण ने छूट जाता है (च) और (येन + आनन्त्यम् + ग्रहनुते) जिससे मुक्ति को प्राप्त करता है (सः एव धर्मजः पुत्रः) वह बड़ा ही धर्म से उत्पन्न पुत्र है (इतरान् कामजान् विदुः) अन्य छोटे पुत्र तो कामजामना से उत्पन्न हैं, ऐसा मानते हैं ॥ १०७ ॥

अनुयायित्वः : १०६-१०७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध — ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहे हैं । १०५ वें श्लोक में बड़े भाई को ही धनग्रहण करने का विकल्प है, और उस अवस्था में छोटे भाइयों को कैसे रहना चाहिए यह कथन १०६ वें में है । यह समझिए कि १०५ का वाक्य १०६ में पूर्ण होता है । इस बीच में ज्येष्ठ पुत्र की महिमा का कथन उस वाक्यक्रम को भंग कर रहा है । और यहाँ यह अनावश्यक एवं असंगत भी है । अतः प्रसंगविरोध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।

२. अन्तविरोध—(१) १०६ में महिमापूर्वक ज्येष्ठ पुत्र को ही सब धन का अधिकारी ठहराना १०४ के विरुद्ध है । मनु ने इस विकल्प को मुख्य नहीं अपितु द्वितीयस्थानीय विकल्प माना है । (२) १०७ वें श्लोक में ज्येष्ठ पुत्र को धर्मज मानना, दूसरों को 'कामज' मानना भी मनु के विरुद्ध है । मनु ने अनेक पुत्रों की उत्पत्ति धर्मपूर्वक मानी है [६।३६] ।

बड़े भाई का छोटे के प्रति कर्तव्य—

पितेव पालयेत्पुत्राञ्ज्येष्ठो भ्रातृन्यवीयसः ।

पुत्रवद्व्यापि वर्तैरञ्ज्येष्ठे भ्रातरि धर्मतः ॥ १०८ ॥ (४३)

[सम्मिलित रहते हुए] (ज्येष्ठः) बड़ा भाई (वीयसः भ्रातृन्) अपने छोटे भाइयों को (पिते + इव पुत्रान्) जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन पोषण करता है उसे (पालयेत्) पाले (च) और (ज्येष्ठे भ्रातरि) छोटे भाई बड़े भाई में (धर्मतः) धर्म से (पुत्रवत् + अपि वर्तैरन्) पुत्र के समान वर्तव्य करें अर्थात् उसे पिता के समान मानें ॥ १०८ ॥

ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः ।

ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सङ्क्रियगहितः ॥ १०९ ॥

(ज्येष्ठः कुलं वर्धयति) बड़ा भाई ही कुल की उन्नति करता है (वा) अथवा

(पुनः विनाशयति) यदि बुरा होता है तो कुल को विनष्ट कर देता है (लोके ज्येष्ठः पूज्यतमः) संसार में बड़ा भाई पूज्य है और (सन्निः + अग्रहितः) सज्जनों के द्वारा प्रशंसनीय है ॥ १०६ ॥

अनुयायिन् : १०६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—पूर्वापर श्लोकों में बड़े और छोटे-भाइयों के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन है। इस श्लोक में ज्येष्ठ पुत्र की महिमा ने उस वर्णन-क्रम को भंग कर दिया है, अतः यह श्लोक प्रसंगविरोध प्रक्षिप्त है। वैसे भी दायभाग विधान के प्रसंग में यह महिमात्मक श्लोक असंगत एवं अनावश्यक है।

छोटों का बड़े भाई के प्रति कर्तव्य—

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः ।

अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्सः संपूज्यस्तु बन्धुवत् ॥११०॥ (४४)

किन्तु (यः ज्येष्ठः) जो बड़ा भाई (ज्येष्ठवृत्तिः स्यात्) बड़ों अर्थात् पिता आदि के समान बर्ताव करने वाला हो तो (सः पिता + इव, सः माता + इव संपूज्यः) वह पिता और माता के समान माननीय है (यः तु) और जो (अज्येष्ठवृत्तिः स्यात्) बड़ों अर्थात् पिता आदि के समान बर्ताव करने वाला न हो तो (सः तु बन्धुवत्) वह केवल भाई या मित्र की तरह ही मानने योग्य होता है ॥ ११० ॥

एवं सह वसेयुर्वा पृथक्वा धमेकाम्यया ।

पृथग्विवर्धते समस्तस्माद्धर्म्या पृथक् क्रिया ॥ १११ ॥ (४५)

(एवम्) इस प्रकार (सह वसेयुः) सब भाई साथ मिलकर [६।१०५-११०] रहें (वा) अथवा (धर्मकाम्यया) धर्म की कामना से (पृथक्) अलग-अलग [६।१०४] रहें। (पृथक् धर्मः विवर्धते) पृथक्-पृथक् रहने से धर्म का [सबके द्वारा अलग-अलग पञ्चमहायज्ञ आदि करने के कारण] विस्तार होता है (तस्मात्) इस कारण (पृथक् क्रिया धर्म्या) पृथक् रहना भी धर्मानुकूल है ॥ १११ ॥

झकट्टे रहकर अलग होने पर 'उद्धार' श्रम का विभाजन—

ज्येष्ठस्य विश उद्धारः सर्वग्रथ्याश्च यद्वरम् ।

ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ ॥ (४६)

[सम्मिलित रहते हुए अगर बड़े भाई छोटों का शालन-पोषण करें तो उसके बाद अलग होते हुए] (ज्येष्ठस्य विश उद्धारः) पिता के धन में से बड़े भाई का बीसवां भाग 'उद्धार' [=अतिरिक्त भागविशेष होता है]

(च) ग्रीर (सर्वद्वयात् यत् वरम्) सब पदार्थों में से जो सबसे श्रेष्ठ पदार्थ हो वह भी (ततः + प्रथम) बड़े के 'उद्धार' से प्राधा उद्धार (मध्यमस्य) मझने भाई का अर्थात् चालीसवां भाग (तुरीयं तु यवीयसः स्यात्) चौथाई भाग अर्थात् अस्सीवां भाग सबसे छोटे भाई का 'उद्धार' होना चाहिए ॥ ११२ ॥

अनुयातम् : (१) उद्धार-भाग का विभाजन—'उद्धार' पैतृक सम्पत्ति में से पृथक् किये गये उस भाग को कहते हैं जिसका लाभ बड़े भाई को मिलता है, १०५—१११ श्लोकों की अनुवृत्ति के अनुसार यह 'उद्धार' तभी मिल सकता है जब बड़ा छोटों को पैतृवत् पालन-पोषण करके बड़ा करे।

समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है—मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति ६६० रुपये है। उसमें बड़े भाई का बीसवां भाग ($६६० \div २० = ४८$) ४८ रु० 'उद्धार' निकलेगा, मझने भाई का चालीसवां भाग ($६६० \div ४० = २४$) २४ रु० होगा, छोटे भाई का अस्सीवां भाग ($६६० \div ८० = १२$) १२ रु० 'उद्धार' होगा। 'उद्धार' का 'धन' बंटने के बाद शेष धन को सभी भाई बराबर बांट लेंगे, यथा $- ४८ + २४ + १२ = ८४$, $६६० - ८४ = ५७६$, $५७६ \div ३ = १९२$, इस प्रकार १९२-१९२ रु० प्रत्येक के हिस्से में आयें। इस विधि से बड़े भाई को $१९२ + ४८ = २४०$ रु०, उसमें मझने भाई को $१९२ + २४ = २१६$ रु० छोटे भाई को $१९२ + १२ = २०४$ रु० प्राप्त हुए।

(२) उद्धार-भाग का विधान क्यों ?—६। १०४ में पैतृक सम्पत्ति का समान विभाजन बतलाया है। इस श्लोक में उद्धार अंश के विभाजन के बाद समान-भाग का विभाजन है। यह विरोध प्रतीत होता है, किन्तु विरोध है नहीं। यह वर्णन विभाजन के द्वितीय विकल्प [१०५] के प्रसंगान्तर्गत है। यह तभी प्राप्त होता है जब बड़े भाई अपने से छोटों का पालन-पोषण करें। सम्मिलित रहते हुए पिता के समान छोटों के निर्माण में श्रम करें। इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े को अलग होते समय यह अधिक भाग मिलता है क्योंकि उसने छोटों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाये होते हैं।

ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च संहरेता यथोचितम्।

ज्येष्ठे ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यादमध्यमं धनम् ॥ ११३ ॥

(ज्येष्ठः च कनिष्ठः च) बड़ा भाई ग्रीर छोटा भाई (यथा + उदित संहरेताम्) [६। ११२ में] पूर्वोक्त विधि से अपना अपना 'उद्धार' ग्रहण करें (ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां ये अन्ये) बड़े ग्रीर छोटे से भिन्न जितने मझने भाई हों (तेषां मध्यमं धनं स्यात्) उनका मध्यम भाग होना चाहिए ॥ ११३ ॥

सर्वेषां धनजातानामावधीताप्रथमप्रजः।

यश्च सातिशयं किञ्चिद्भूतश्चाप्युपाद्वरम् ॥ ११४ ॥

(सर्वेषां जनजातानाम्) सभी प्रकार की धन-सम्पत्ति में से (प्रथमः) बड़ा भाई (प्रप्रथमम् + आददीत) सर्वश्रेष्ठ वस्तु को ले ले (च) और (यद् किञ्चित् सातिशयम्) जो कोई एक ही श्रेष्ठ वस्तु हो तो वह भी बड़े को मिल सकती है (च) तथा (दशतः वरम् आप्नुयात्) दश-दश गाय आदि पशुओं में से एक श्रेष्ठ पशु बड़ा भाई प्राप्त कर ले [बड़े भाई को यह अधिक धन अतिरिक्त रूप में देने का कथन है] ॥ ११४ ॥

उद्धारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकर्मसु ।

यत्किञ्चिदेव देवं तु ज्वायसे मानवर्धनम् ॥ ११५ ॥

(स्वकर्मसु संपन्नानाम्) छोटे भाइयों के अपने कर्म में समुचित रूप में संलग्न होते हुए (दशसु उद्धारः न अस्ति) बड़े भाई को दश पशुओं में एक श्रेष्ठ पशु उद्धार रूप में नहीं प्राप्त होगा (तु) किन्तु (ज्वायसे मानवर्धनम्) बड़े भाई का सम्मान बढ़ाने के लिए (यद् किञ्चित् + एव देयम्) उसे कुछ तो अधिक भोग देना चाहिए ॥ ११५ ॥

अनुवर्तिनः : ११३-११५ श्लोक प्रसिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) ११४ में सभी प्रकार की वस्तुओं में से श्रेष्ठ वस्तु लेने का कथन १०४ एवं ११२ के विरुद्ध है। उनमें सारे धन में से एक समान धन को लेने का कथन है। (२) ११५ वें की मान्यता ११२ वें के विधान के विरुद्ध है, अतः दोनों श्लोक प्रसिप्त हैं।

२. प्रसंगविरोध—पूर्वापर ११६ वें श्लोक में उद्धार भाग निकालने का प्रसंग है। इन दोनों श्लोकों ने उससे भिन्न वर्णन द्वारा उसे भंग कर दिया है, अतः ये प्रसंग-विरुद्ध प्रक्षेप हैं। ११३ श्लोक में तथा ११६ में दो जगह उद्धार निकालने का कथन है। यह पुनरुक्त है। ११६ का कथन अधिक स्पष्ट है, अतः ११३ प्रसिप्त है।

एवं समुद्धृतोद्दारे समानंशान्प्रकल्पयेत् ।

उद्दारेऽनुद्धृते त्वेषामिदं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ ॥ (४७)

(एवम् समुद्धृत + उद्दारे) इस प्रकार [११-१२-११३] 'उद्दारे' [= अतिरिक्त धनविशेष] के निकालने के बाद (समानं-प्रंशान् प्रकल्पयेत्) शेष धन को समान भागों में बांट लें (तु उद्दारे + अनुद्धृते) यदि 'उद्दारे' पृथक् से नहीं निकालें तो (एषाम् प्रंशकल्पना इयं स्यात्) उन भाइयों के भाग का बंटवारा इस प्रकार करे ॥ ११६ ॥

सम्मिश्रित रहकर भलग होते हुए विभाजन की अन्य विधि—

एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽज्येष्ठं ततोऽनुजः ।

प्रंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ११७ ॥ (४८)

(उपेक्ष्य एक-अधिकं हरेत्) बड़ा भाई 'एक अधिक' अर्थात् दो भाग

धन ग्रहण करे (तत् + अनुजः पुत्रः अर्धधम्) उससे छोटा भाई डेढ़ भाग ले (यवीयांसः अंशम् + अंशम्) छोटे भाई एक-एक भाग सम्पत्ति का ग्रहण करे (इति धर्मः व्यवस्थितः) यहो धर्म को व्यवस्था है ॥ ११७ ॥

स्वेभ्योऽश्वेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भातरः पृथक् ।

स्वात्स्वादंशाश्चतुर्भागं पतिताः स्युरदिरसवः ॥ ११८ ॥ (४६)

(भातरः) सब भाई (कन्याभ्यः) अविवाहित बहनों के लिए पृथक् (चतुर्भागम्) पृथक्-पृथक् चतुर्थांश भाग (स्वेभ्यः प्रदद्युः) अपने भागों से देवें (स्वात् स्वात् + अंशात् अदिरसवः) अपने-अपने भाग से चतुर्थांश भाग न देने वाले भाई (पतिताः स्युः) पतित = दोषी और निन्दनीय माने जायेंगे ॥ ११८ ॥

अजाविकं संकशफं न जातु विषमं भजेत् ।

अजाविकं तु विषमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥ ११९ ॥ (५०)

(अजा + अत्रिकम् स + एकशफं विषमम्) बकरी, भेड़, एक खुरवाली घोड़ी आदि के विषम होने पर (न जातु भजेत्) उन्हें [बेबकर धनराशि के रूप में] विभाजित न करें (विषमम् अजाविकं तु) विषम रूप में बचे बकरी-भेड़ आदि पशु (ज्येष्ठस्यैव + एव विधीयते) बड़े भाई को ही प्राप्त होते हैं ॥ ११९ ॥

नियोग से उत्पन्न पत्नियों के अनुसार दाय-व्यवस्था—

यवीयाञ्ज्येष्ठभार्यायां पुत्रमुत्पादयेच्च ।

सबस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १२० ॥

(यदि यवीयान्) यदि छोटा भाई (ज्येष्ठभार्यायां पुत्रम् + उत्पादयेत्) बड़े भाई की स्त्री में 'नियोग' [६।५८-६२] से पुत्र उत्पन्न करे तो (तत्र) उस स्थिति में (समः विभागः स्यात्) उस पुत्र को अपने चाचा आदि के समान भाग होगा अर्थात् वह अपने असली पिता के सम्पूर्ण भाग का अधिकारी होगा किन्तु उद्धार भाग का नहीं (इति धर्मः व्यवस्थितः) ऐसी धर्म को व्यवस्था है ॥ १२० ॥

उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते ।

रिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मो न भजेत् ॥ १२१ ॥

(उपसर्जनम्) गौणपुत्र अर्थात् जो नियोगविधि से छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई की स्त्री में उत्पन्न हुआ है, वह (धर्मतः) धर्मानुसार (प्रधानस्य न + उपपद्यते) प्रधान-पुत्र अर्थात् अपने ही पिता से उत्पन्न पुत्र के पूर्ण उद्धारादि भाग का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि (प्रजने प्रधानं पिता) सन्तानोत्पत्ति में पिता की ही अर्थात् बीज की ही

प्रधानता होती है (तस्मात्) इस कारण (धर्मेण तं भजेत्) धर्मानुसार समभाग को ही ले ले ॥ १२१ ॥

पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः ।

कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत् ॥ १२२ ॥

(ज्येष्ठायां कनिष्ठः पुत्रः) यदि बड़ी पत्नी से उत्पन्न पुत्र छोटा हो (च) और (कनिष्ठायां पूर्वजः) छोटी पत्नी से उत्पन्न पुत्र बड़ा हो (तत्र कथं विभागः स्यात्) उस स्थिति में कैसे बंटवारा होना चाहिए? (इति चेत् संशयः भवेत्) यदि ऐसा सन्देह हो तो—[उस सन्देह का समाधान प्रागे कहा है] ॥ १२२ ॥

एकं वृषभमुद्धारं संहरेत् स पूर्वजः ।

ततोऽपरे ज्येष्ठवृषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥ १२३ ॥

(सः पूर्वजः) पहली विवाहित स्त्री का पुत्र (एकं वृषभम् + उद्धारं संहरेत्) एक बैल 'उद्धार' रूप में अधिक ग्रहण करे (ततः अपरे) उसके बाद दूसरे पुत्र (स्वमातृतः तत् ऊनानां ज्येष्ठवृषाः) अपनी माता के क्रम से जो छोटे हैं वे एक-एक बैल 'उद्धार' रूप में ले लें ॥ १२३ ॥

ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेवृषभभोडशाः ।

ततः स्वमानुतः शेषा भजेरग्निति धारणा ॥ १२४ ॥

(ज्येष्ठायां जातः ज्येष्ठः तु) ज्येष्ठ माता से उत्पन्न मायु से भी ज्येष्ठ पुत्र (वृषभभोडशाः हरेत्) पन्द्रह गायों के साथ एक बैल ले (ततः शेषाः) उसके बाद शेष पुत्र (स्वमातृतः भजेरन्) अपनी माता के विवाहक्रमानुसार शेष धन को बांट लें (इति धारणा) ऐसी मान्यता है ॥ १२४ ॥

सहस्रस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः ।

न मातृतो ज्येष्ठस्यमस्ति जन्मतो ज्येष्ठसमुच्यते ॥ १२५ ॥

(सहस्रस्त्रीषु जातानां पुत्राणाम्) समानजातीय स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों में (अविशेषतः) जाति-सम्बन्धी विशेषता न होने से (मातृतः ज्येष्ठस्य न अस्ति) माता के ज्येष्ठत्व आधार पर पुत्रों का ज्येष्ठत्व नहीं होता अपितु (जन्मतः ज्येष्ठस्य + उच्यते) जन्मक्रम से ही ज्येष्ठत्व माना जाता है ॥ १२५ ॥

जन्मज्येष्ठेन ब्राह्मणं सुब्रह्मण्यास्त्वपि स्मृतम् ।

यमयोधस्य गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ १२६ ॥

(सुब्रह्मण्याम् + अपि) 'सुब्रह्मण्या' नामक ऋचाओं में भी (जन्मज्येष्ठेन ब्राह्मणं स्मृतम्) जन्मक्रम की ज्येष्ठता को ही माना गया है (च) और (गर्भेषु यमयोः एव) गर्भ में एकसाथ जुड़वा पुत्र होने पर उनमें भी (जन्मतः ज्येष्ठता स्मृता) प्रथम जन्म लेने वाले को ज्येष्ठ कहा गया है ॥ १२६ ॥

अनुशीलन : (१) १२० से १२६ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तविरोध**—(१) १२०-१२१ श्लोक १४५, १४६ की व्यवस्था के विरुद्ध है। (२) १२२-१२६ श्लोकों में एकसाथ बहुपत्नी रखने वाले व्यक्ति के धन-का वर्णन है। बहुपत्नी-प्रथा ही मनुविरुद्ध है [५।१६७, ७।७७]; अतः उसके दायभाग का विधान मनुकृत हो ही नहीं सकता। इस प्रकार ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—नियोग से उत्पन्न पुत्रों के दायभाग का प्रसंग सबके बाद १४५-१४७ श्लोकों में वर्णित है। प्रसंग से पूर्व वर्णित होने के कारण ये श्लोक प्रसंग-विरुद्ध प्रक्षेप हैं। और यहां अनावश्यक भी हैं क्योंकि ये बातें वहां वर्णित हैं।

पुत्रिका करने का उद्देश्य—

अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम् ।

यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥ १२७ ॥ (५१)

(अपुत्रः) पुत्रहीन पिता (अस्यां यत्+अपत्यं भवेत् तत् मम स्वधाकरं स्यात्) इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मुझे वृद्धावस्था में अन्न-भोजन आदि से पालन-पोषण करने वाला होगा और इस प्रकार सुख देने वाला होगा (अनेन विधिना सुतां पुत्रिकां कुर्वीत) ऐसा दामाद से कहकर कन्या को 'पुत्रिका' करे ॥ १२७ ॥

अनुशीलन : (१) 'स्वधा' का मनुसम्मत अर्थ—इस श्लोक में टीकाकार 'स्वधा' शब्द का आद्य प्रसंग में पिण्डदान आदि अर्थ करते हैं, यह अर्थ मनु-सम्मत नहीं है। इस भाष्य में दिया गया अर्थ मनुसम्मत एवं प्रामाणिक है। उसमें निम्न प्रमाण एवं युक्तियाँ हैं—(क) मनु मृतकश्चाद नहीं मानते, अतः उस प्रसंग का अर्थ करना ही मनुविरुद्ध है [इसके लिए देखिए विस्तृत व्याख्यान ३। ८१, ८२ और २८४ पर]। (ख) निरुक्तकार ने स्वधा शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है—“स्वधा अन्ननाम” [२। ७] “स्वधा उदकनाम” [१। १२], इनसे सिद्ध होता है कि 'स्वधाकार' का अर्थ हुआ 'अन्न-जलादि से पालन पोषण करने वाला, इस अर्थ की पुष्टि ३। ८२ से भी हो जाती है। (ग) 'स्व' स्वजनों को भी कहते हैं, स्वाम्=पितृन् बचाति यया विधया सा स्वधा' इस व्युत्पत्ति के आधार पर वृद्धावस्था में अन्न, जल, सेवा-सुश्रूषा आदि से सुख देना ही 'स्वधा' क्रिया कहलायेगी। (घ) पुत्रोत्पत्ति का भी व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि वह कष्टों से बचाये, सुख दे, वृद्धावस्था में संभाले [दृष्टव्य ६। १३= श्लोक एवं उस पर संधेक्षा]। (ङ) व्यक्ति को सबसे पहले यही इच्छा होती है कि उसकी सन्तान उसके लिए सुखदायी बने। इसीलिए पुत्रहीन व्यक्ति 'पुत्रिका' की विधि अपनाता है। इस प्रकार 'स्वधाकर' का उपयुक्त अर्थ ही उपयुक्त है।

(२) **पुत्रिका धर्म**—पुत्रिका करने का अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति का कोई पुत्र न हो किन्तु पुत्री हो, तो वह पुत्री का विवाह करते समय दामाद पक्ष वालों से

यह निश्चय कर लेता है कि इससे जो प्रथम पुत्र होगा उसे मैं गोद लूंगा। अर्थात् वह नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होगा। ऐसे निश्चय को 'पुत्रिकाधर्म' कहते हैं।

अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिका।

विद्वद्धर्षं स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ १२८ ॥

(पुरा) पुरातन काल में (स्ववंशस्य विद्वद्धर्षम्) अपने वंश की वृद्धि के लिये (स्वयं दक्षः प्रजापतिः) स्वयं दक्षप्रजापति ने भी (अनेन तु विधानेन) इस विधि से (पुत्रिका चक्रे) 'पुत्रिका' की थी ॥ १२८ ॥

ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश।

सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥ १२९ ॥

(सः) उस (प्रीतात्मा) प्रसन्न आत्मा वाले प्रजापति ने (सत्कृत्य) वस्त्र-आभूषण आदि से अलंकृत करके (धर्माय दश) धर्मराज को दस कन्याएं (कश्यपाय त्रयोदश) कश्यप की तरह कन्याएं (सोमाय राज्ञे सप्तविंशतिम्) सोम राजा के लिए सत्ताईस कन्याएं दी थी ॥ १२९ ॥

अनुष्ठीतन्त्रः १२८-१२९ श्लोक प्रसिद्ध हैं—

१. प्रसंगबिरोध—१२७ और १३० श्लोकों की परस्पर वाक्यात्मक सम्बद्धता है। १३० वां श्लोक १२७ का अर्थवाद है। बीच के श्लोकों ने उस वाक्यगत सम्बद्धता को भंग कर दिया है। अतः प्रसंगभञ्जक होने के कारण ये श्लोक मीलित नहीं हैं।

२. शैलीगत आधार—(१) दक्ष-प्रजापति की पौराणिक घटना का उल्लेख होने से ये दोनों श्लोक परवर्ती सिद्ध होते हैं, अतः परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित प्रक्षेप हैं। (२) प्रस्तुत प्रसंग के मनुप्रोक्त सभी श्लोकों की शैली विधानात्मक है, इन श्लोकों की ऐतिहासिक शैली इन्हें अन्यप्रोक्त सिद्ध करती है।

पुत्र के अभाव में सारे धन की पुत्री अधिकारिणी—

यर्धवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा।

तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्या कथमन्यो धनं हरेत् ॥ १३० ॥ (५२)

(यथा+एव आत्मा तथा पुत्रः) जैसी अपनी आत्मा है वैसे ही पुत्र होता है, और (पुत्रेण दुहिता समा) पुत्र जैसी ही पुत्री होती है (तस्याम्+आत्मनि तिष्ठन्त्याम्) उस आत्मा रूप पुत्री के रहते हुये (अन्यः धनं कथं हरेत्) कोई दूसरा धन को कैसे ले सकता है? अर्थात् पुत्र के अभाव में पुत्री ही धन की अधिकारिणी होती है ॥ १३० ॥

अनुष्ठीतन्त्रः पुत्र-पुत्री आत्मारूप—निश्चितकार ने दायभाग का विश्लेषण करते हुए मनु की मान्यता के अनुरूप पुत्र और पुत्री दोनों को दायभाग का

अधिकारी माना है। किसी प्राचीन ग्रन्थ के श्लोकों को उद्धृत करके यास्क ने मनु की इस मान्यता को निम्न श्लोकों द्वारा स्पष्ट किया है —

अङ्गावङ्गातस्मभवति हृदयावधि जायते ।
आत्मा च पुत्र नामासि स जीव शरवः शतम् ॥
अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः ।
विपुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽग्रणीत् ॥ [मि० ३।१।४]

अर्थात्—हे पुत्र ! तू मेरे अंग-अंग से उत्पन्न हुआ है और मेरी आत्मा से प्रकट हुआ है, अतः तू पुत्र मेरी आत्मा का ही रूप है। तू सँकड़ों वर्षों तक जीये ॥ धर्मानुसार पुत्र और पुत्री दोनों का समानभाव से दायभाग में अधिकार होता है—यह मान्यता सृष्टि के आदि में स्वायम्भुव मनु ने व्यक्त की है।

माता का धन पुत्रियों का ही होता है—

मातुस्तु यौतकं यत् स्यात्कुमारीभाग एव सः ।
दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम् ॥ १३१ ॥ (५३)

(मातुः तु यत् यौतकं स्यात्) माता का जो [विवाह आदि के अवसर पर निजी धन के रूप में पिता-भाई से प्राप्त] धन होता है (सः कुमारी-भागः एव) वह कन्या का ही भाग होता है (च) तथा (अपुत्रस्य अखिलं धनं दौहित्रः एव हरेत्) पुत्रहीन नाना के सम्पूर्ण धन को धेवता ही प्राप्त कर लेवे ॥ १३१ ॥

दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थमपुत्रस्य वितुर्हरेत् ।
स एव दद्याद् दौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ॥ १३२ ॥

(अपुत्रस्य पितुः) दूसरे पुत्र के न होने पर अपने पिता का (अखिलं रिक्थम् हि) सब धन भी (दौहित्रः हरेत्) धेवता ही ले लेवे (सः एव) और वह (पित्रे च माता-महाय दौ पिण्डौ दद्यात्) अपने पिता तथा अपने नाना को पिण्ड देवे ॥ १३२ ॥

पौत्रदौहित्रयोर्लोके न विज्ञेयोऽस्ति धर्मतः ।
तयोहि मातापितरौ सम्भूतौ तस्य देहतः ॥ १३३ ॥

(लोके) संसार में (धर्मतः) धर्मानुसार (पौत्रदौहित्रयोः विशेषः न अस्ति) पोते और धेवते में कोई अन्तर नहीं है (हि) क्योंकि (तयोः मातापितरौ) उन दोनों के क्रमशः पिता तथा माता (तस्य देहतः सम्भूतौ) उस शरीर से उत्पन्न हुए हैं ॥ १३३ ॥

अनुयोजनः : १३२-१३३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—प्रस्तुत विषय [८।१०३] दायभाग के वर्णन का है इसमें पिण्डदान का वर्णन विषयबाह्य है। पुत्र आदि का उद्देश्य कष्ट से बचाना है न कि

पिण्डदान देना [६।१३८ की समीक्षा द्रष्टव्य] । इसी प्रकार १२७ से नाना के धनसे सम्बद्ध प्रसंग है, अतः पिता के धन का वर्णन यहां अनभीष्ट है । इस प्रकार विषयविरुद्ध होने से १३२ वां श्लोक प्रक्षिप्त है, १३३ वां उस पर आधारित होने से वह भी प्रक्षिप्त है ।

२. शैलीगत आधार—१३३ वें की शैली अयुक्तियुक्त है । यदि इतने कारण मात्र से भेद समाप्त हो जाता है तो १२७ वें में पृथक् से 'पुत्रिका' करने की क्या आवश्यकता रहती है । और इस प्रकार तो पुत्रों के साथ दौहित्र का भी दायभाग में आवश्यक अधिकार होना चाहिए ! अयुक्तिपूर्ण शैली होने के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है ।

पुत्रिका करने पर पुत्र होने की अवस्था में दायव्यवस्था -

पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥१३४॥ (५४)

(पुत्रिकायां कृतायां तु) 'पुत्रिका' कर लेने के बाद (यदि पुत्रः + अनुजायते) यदि किसी को पुत्र उत्पन्न हो जाये तो (तत्र समः विभागः स्यात्) उस स्थिति में उन दोनों को [धेवता और निजपुत्र को] धन का समान भाग मिलेगा (हि) क्योंकि (स्त्रियाः ज्येष्ठता न+अस्ति) स्त्री को ज्येष्ठत्व=बड़े पुत्र की भांति 'उद्धार' भाग नहीं प्राप्त होता । अतः धेवते को भी वह 'उद्धार' भाग नहीं प्राप्त होगा ॥ १३४ ॥

अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन ।

धनं तत्पुत्रिकाभर्ता हरेत्तद्विचारयन् ॥ १३५ ॥

(कथञ्चन) किसी कारण (अपुत्रायां मृतायाम्) बिना पुत्र के ही 'पुत्रिका' के मरजाने पर (तत् पुत्रिकाभर्ता एव) उस पुत्रिका का पति ही (अविचारयन् धनं हरेत्) निश्चय से उस [व्यशुर] के धन को ले लेवे ॥ १३५ ॥

अकृता वा कृता वाऽपि यं विदेत्सहसात्सुतम् ।

पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम् ॥ १३६ ॥

(कृता वा अकृता वा + अपि) 'पुत्रिका' की गई हो अथवा न की गयी हो (सदृशात् सुतं विन्देत्) वह समान जातीय पति से जिस पुत्र को प्राप्त करे (तेन मातामहः पौत्री) उसी से पुत्रहोन नाना पुत्रवान् हो जाता है (दद्यात् पिण्डम्) वह दौहित्र अपने नाना को पिण्डदान करे और (धनं हरेत्) नाना के धन को प्राप्त कर लेवे

॥ १३६ ॥

पुत्रेण लोकाजयति पौत्रेणानस्यमानुते ।

अथ पुत्रस्य पौत्रेण धनस्याप्नोति विष्टपम् ॥ १३७ ॥

(पुत्रेण लोकान् जयति) पिता पुत्र से स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है (पुत्रेण+आनन्त्यम्+अनुते) पोते से अनन्त सुख को प्राप्त करता है (अथ पुत्रस्य पुत्रेण) और पड़पोते से (अनन्त्य विष्टयम्+आप्नोति) सूर्यलोक को प्राप्त करता है ॥ १३७ ॥

असुखीकृत्य : १३५-१३७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) १३५ वें श्लोक की मान्यता मनु द्वारा विहित 'पुत्रिका प्रक्रिया' से विरुद्ध है। पुत्रिका इसलिए की जाती है कि 'उससे जो पुत्र होगा वह मेरा सुखदायक बनेगा' [६।१२७]। अतः एक उसको नाना का धन मिलता है, किन्तु जब 'पुत्रिका' प्रपुत्रवती ही मर जाये तो वह प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका आधार नष्ट हो जाता है, अतः भर्ता का धन-ग्रहण मनुसम्मत नहीं है। इस प्रकार का धन २११-२१२ की व्यवस्था के अनुसार भाई-बहनों को जाता है। अतः यह श्लोक विरुद्धमान्यता वाला होने से प्रक्षिप्त है। (२) १३६ की व्यवस्था १२७ के विरुद्ध है। इस प्रकार तो 'पुत्रिका' प्रक्रिया के विधान का कोई महत्त्व या आवश्यकता नहीं रहती। (३) १३७ वें श्लोक में सूर्यलोक आदि की प्राप्ति मनुविरुद्ध है। मनु ऐसा कोई पृथक् से स्थान नहीं मानते। वे केवल मुक्ति अवस्था को मानते हैं [२।२४६, ४।२६०, ६।८१, ८५, ८८ आदि] और, मनु अपने कर्मों का कर्ता को ही भोक्ता मानते हैं। दूसरे के कर्मों से कोई स्वर्ग नहीं प्राप्त करता है [४।२४०]। इस प्रकार तो अच्छे कर्मों की आवश्यकता ही नहीं, पुत्रपौत्री वाली सारी दुनिया ही स्वर्ग में चली जायेगी।

२. विषयविरोध—प्रस्तुत विषय दायभाग-विधान का है, १३६ वें में पिण्ड-दान वर्णनविषयवाह्य है, अतः यह श्लोक विषयविरुद्ध है।

पुत्र का लक्षण—

पुनराग्नौ नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः ।

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ १३८ ॥ (५५)

(यः) जो (सुतः) पुत्र (पितरम्) माता-पिता को (पुमनाम्नः नर-कान्) 'पुम्' = वृद्धावस्था आदि से उत्पन्न होने वाले दुःखों से (त्रायते) रक्षा करता है (तस्मात्) इस कारण से (स्वयंभुवा स्वयमेव 'पुत्रः' इति प्रोक्तः) स्वयंभू ईश्वर ने वेदों में वेदों को 'पुत्र' संज्ञा से अभिहित किया है [द्रष्टव्य है—'सर्वेषां तु स नामानि.....वेदशब्देभ्य एवादौ..... निर्गमे' १।२३] ॥ १३८ ॥

१. [प्रचलित अर्थ—जिस कारण पुत्र 'पुम्' नामक नरक से पितरों की रक्षा करता है। उस कारण से स्वयं ब्रह्मा ने उसे पुत्र कहा है ॥ १३८ ॥]

अनुशीलन : पुत्र का अर्थ और उद्देश्य—इस श्लोक में मनु ने पुत्र शब्द की परिभाषा दी है। उस पर यहां विस्तार से विचार किया जाता है। इस परिभाषा से यह सिद्ध हो जाता है कि सांसारिक ध्यवित्तों का पुत्रप्राप्ति का उद्देश्य यह होता है कि पुत्र, जीवन में, वृद्धावस्था में कष्ट से रक्षा करें और धन-अन्न-जल आदि से पालन-पोषण करें। इस परिभाषा से इस श्रवण में वर्णित उन सभी मान्यताओं का खण्डन हो जाता है जिनमें पिण्डदान आदि के लिए पुत्रप्राप्ति मानी है। यहां प्रमाणों के साथ पुत्र शब्द का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है—

‘पुत्रं पश्ये’ (श्रुयादि) धातु से ‘पुत्रो ह्रस्वश्च’ (उणादि ४।१६५) सूत्र से व्र प्रत्यय के योग से पुत्र शब्द सिद्ध होता है। इसकी निरुक्ति करने हुए ऋषि यास्क लिखते हैं—“पुत्रं प्रायते” विपरणाद्धा, पुम् = नरकं तत्तस्त्रायत इति वा” (२।११) अर्थात् सभी प्रकार से सुरक्षा करता है, पालन-पोषण करता है अथवा पुम् नरक = कष्ट को कहते हैं, उस वृद्धावस्था आदि के कष्ट से रक्षा करता है, इसलिए बेटे का ‘पुत्र’ नाम है। नरक किसे कहते हैं, इसका भी निरुक्तकार ने स्पष्टीकरण किया है, वही किसी को नरक नामक लोकविशेष की भ्रान्ति न हो जाये—“नरकं नरकं मोक्षगमनम्, नास्मिन् रमणं स्थानमरूपमप्यस्त्योति वा” (१।१०) अर्थात् नरक कष्टपूर्ण गति, अघ-पतन को कहते हैं, इस कष्ट गति में थोड़ा-सा भी सुख-आराम का स्थान नहीं है। इस प्रकार कष्टपूर्ण स्थिति को नरक कहते हैं। पुत्र अपने पिता-माता आदि को उससे बचाता है ४।८८-९० श्लोकों में इसकी नरकों की गणना है। वहां ‘पुम्’ नामक कोई नरक परिगणित नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि ‘पुम्’ का नरक-विशेष अर्थ न होकर ‘कष्टपूर्ण स्थिति’ अर्थ ही मनुस्मृत है। तुलनार्थ गोपब्रह्मण पू० १/२ की परिभाषा भी उल्लेखनीय है—

“पुत्रः पुनराम नरकमनेकशतवारं तरमात् प्राति पुत्रः, तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्”

नरक कोई पृथक् लोक नहीं होता। इस विषयक विवृत अनुशीलन ४।६१ पर द्रष्टव्य है। [महर्षि दयानन्द ने इस श्लोक को यजु० ८।५ के मन्त्रार्थ के पुत्रार्थप्रसंग में उद्धृत किया है।]

पौत्रदोहित्रयोर्लोके विशेषो नोपपद्यते ।

दोहित्रोऽपि ह्यमुत्रं सन्तारयति पौत्रवत् ॥ १३६ ॥

(लोके) संसार में (पौत्र-दोहित्रयोः विशेषः न-उपपद्यते) पोते और धेवते में कोई अन्तर नहीं सिद्ध होता (हि) क्योंकि (पौत्रवत्) पोते के समान (दोहित्र-अपि) धेवता भी नाना को (अमुत्र सन्तारयति) इस जन्म से सुखपूर्वक पार लगा देता है ॥ १३६ ॥

मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकासुतः ।

द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः ॥ १४० ॥

(पुत्रिकासुतः) पुत्रिका का पुत्र (मातुः प्रथमतः पिण्डम्) अपनी माता को

पहला पिण्ड (तस्याः पितुः द्वितीयम्) अपनी माता के पिता अर्थात् नाना को दूसरा पिण्ड और (तत् पितुः पितुः) उसके नाना के पिता अर्थात् पिण्डाना को (तृतीयम्) तीसरा पिण्डदान करे ॥ १४० ॥

अनुष्ठीतम् : १३६-१४० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) मनु कर्त्ता को ही कर्मों का भोक्ता मानते हैं [४।२४०] उनके मत से दूसरे के कर्मों से कोई स्वर्ग आदि को नहीं जाता। इस आधार पर १३६ की 'पार सारने' की मान्यता विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है। १४० वां इससे सम्बद्ध होने से प्रक्षिप्त है (२) पुत्र का उद्देश्य दुःख से बचाना है पिण्डदान आदि देना नहीं [६।१३८ समीक्षा द्रष्टव्य]।

२. विषयविरोध—प्रस्तुत विषय दायभाग विभाजन का है [६।१०३]। यहां पिण्डदान आदि का विधान विषयबाह्य वर्णन है, अतः १४० वां श्लोक विषय-विरुद्ध प्रक्षेप है।

दत्तकपुत्र के दायभाग का विधान—

उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दत्त्रिमः ।

स हरेतैव तद्विषयं सम्प्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ १४१ ॥ (५६)

(यस्य तु दत्त्रिमः पुत्रः) जिसका 'दत्तक' = गोद लिया हुआ पुत्र (सर्वैः गुणैः उपपन्नः) सभी श्रेष्ठ या वर्णोचित पुत्रगुणों से [६।१३८] सम्पन्न हो, (अन्यगोत्रतः सम्प्राप्तः + अपि) चाहे वह दूसरे वंश का ही क्यों न हो (सः तत् विषयं हरेत + एव) वह उस गोद लेने वाले पिता के धन को निश्चित रूप से प्राप्त करता है ॥ १४१ ॥

गोत्ररिक्त्ये जनयितुर्न हरेद्दत्त्रिमः क्वचित् ।

गोत्ररिक्त्यानुगः पिण्डो व्यपैति दत्तः स्वधा ॥ १४२ ॥

(दत्त्रिमः) 'दत्तक' पुत्र (क्वचित्) कहीं भी (जनयितुः गोत्ररिक्त्ये न हरेत्) उत्पन्न करने वाले पिता के गोत्र और धन को नहीं प्राप्त करता (दत्तः) गोद देने पर उसके (गोत्ररिक्त्यानुगः) गोत्र और धनसम्बन्धी (पिण्डः स्वधा व्यपैति) पिण्डदान और स्वधा-कार्य [उत्पादक पिता के लिए] समाप्त हो जाते हैं ॥ १४२ ॥

अनियुक्तानामुत पुत्रिण्याप्तव्यं देवरात् ।

उभौ तौ नाहंतौ भार्गवो जारजातककामजी ॥ १४३ ॥

(अनियुक्तानामुतः च एव) अनियोग [६।५६-६१] विधि से अन्यपुरुष द्वारा उत्पन्न पुत्र (च) और (पुत्रिण्या देवरात् प्राप्ताः) पुत्रवती होते हुए भी देवर से नियोग द्वारा प्राप्त पुत्र (तौ उभौ) ये दोनों (जारजातक-कामजी) 'जारज' = व्यभिचार से उत्पन्न और 'कामज' = कामवामना के वशीभूत होकर उत्पन्न होने से (भार्गव + ग्रहणः) पितृधन के भारी नहीं होते ॥ १४३ ॥

नियुक्तायांमपि पुमान्नायौ जातोऽविधानतः ।

नैवाहंः पंतुकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ॥ १४४ ॥

(नियुक्तायां नायाम् अपि) नियोग के लिए नियुक्त स्त्री में भी (अविधानतः जातः पुमान्) उचित विधि [विवाहवत् प्रसिद्ध करके नियोग] को छोड़कर उत्पन्न किया गया पुत्र (पंतुकं रिक्थं नैवाहंः) पितृधन का भागी नहीं होता (हि) क्योंकि (सः पतित + उत्पादितः) वह 'पतित' [६।६३] से उत्पन्न होता है ॥ १४४ ॥

अनुशीलन : १४२-१४४ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) १४२ वां श्लोक ३=१-२२ के विरुद्ध है। आद्य में पिण्डदान आदि मनुविरुद्ध है। [द्रष्टव्य ३।२=४ पर अन्तर्विरोध समीक्षा] अतः प्रक्षिप्त है। (२) १४३-१४४ परस्पर सम्बद्ध श्लोक हैं। इसमें पुत्रवती स्त्री द्वारा नियोग से पुनः पुत्र प्राप्ति करने पर उस पुत्र को धनभाग से रहित कहा है और 'वृथापुत्र' माना है। यह मान्यता ६।५६ के विरुद्ध है। उसमें मनु ने नियोग-विधि से इच्छानुसार सन्तान की प्राप्ति कही है।

२. प्रसंगविरोध—१४३-१४४ श्लोक प्रसंगविरुद्ध भी हैं। नियोगज पुत्रों के धनविभाग का विधिवाक्य या प्रसंग प्रारम्भ करने वाला श्लोक तो १४५ है। १४६ में धनग्रहण का विधान हुआ है, किन्तु इन श्लोकों में उससे सम्बद्ध निषेध पहले ही कर दिया। विधान से पूर्व निषेध होना अयोग्य है, अतः ये प्रसंगविरुद्ध हैं। और यदि ये मौलिक होते तो १४६ के पश्चात् होते। वहां इन्हीं से मिलते-जुलते भावों वाला एक और भी श्लोक है, उसके रहते इनकी वैसे भी आवश्यकता सिद्ध नहीं होती। किन्तु 'पुत्रवती द्वारा पुनः नियोग न करने' के आग्रह को शास्त्रसम्मत करने के लिए प्रक्षेप-हार को ये श्लोक पहले ही मिलाने पड़े, क्योंकि १४७ से उसका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता था।

नियोग से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र के दायभाग का विधान—

हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथोरसः ।

क्षेत्रिकस्य तु तद्बीजं धर्मतः प्रसवश्च सः ॥ १४५ ॥ (५७)

(तत्र नियुक्तायां) नियोग के लिए नियुक्त स्त्री में (जातः पुत्रो) उत्पन्न हुआ क्षेत्रज पुत्र (हरेत्) पितृधन का भागी होता है; क्योंकि (यत् क्षेत्रिकस्य बीजम्) वह क्षेत्रिक = क्षेत्र स्वामी का ही बीज माना जाता है, यतोहि (सः धर्मतः प्रसवः) वह धर्मानुसार नियोग से [६।५६] उत्पन्न होता है ॥ १४५ ॥

धनं यो बिभृयाद् भ्रातुर्मृतस्य स्त्रियमेव च ।

सोऽप्यस्य भ्रातुस्तपःश्च दद्यात्तस्येव तद्धनम् ॥ १४६ ॥ (५८)

(मृतस्य भ्रातुः) मरे हुए भाई के (घनं च स्त्रियम् + एव यः विभू-
यात्) घन और स्त्री को जो भाई रक्षा करे (सः + अपत्यम् + उत्पाद्य) वह
भाई की स्त्री में सन्तान उत्पन्न करके (भ्रातुः तत् घनं तस्यैव दद्यात्)
भाई का वह प्राप्त सब घन उस पुत्र को ही दे देवे ॥ १४६ ॥

नियोगविधि के बिना उत्पन्न पुत्र दायभाग का अनधिकारी—

याऽनियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवराट्वाऽप्यवाप्नुयात् ।

तं कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥ १४७ ॥ (५६)

(या अनियुक्ता) जो स्त्री नियोगविधि [६ । ५६] के बिना (अन्यतः
वा देवरात् अप) अन्य सजातीय पुरुष से या देवर से भी (पुत्रम् अवाप्नु-
यात्) पुत्र प्राप्त करे (तम्) उस पुत्र को (कामजं वृथोत्पन्नम् अरिक्थीयम्)
'कामज' = कामवासना के वशीभूत होकर [६ । ५८, ६३] उत्पन्न किया
गया, 'वृथोत्पन्न' = व्यर्थ में उत्पन्न और पितृघन का अनधिकारी (प्रचक्षते)
कहते हैं ॥ १४७ ॥

अनुयायित्वम् : १४७ श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता पर विचार—१४७
वें श्लोक में नियोगविधि को त्यागकर प्राप्त किये गये पुत्र को 'वृथा-उत्पन्न' पुत्र की
संज्ञा दी है। यह विधान विवाहित वा विधवा स्त्री के लिए है, अक्षतयोनि के लिए
नहीं। अक्षतयोनि स्त्री के लिए इसमें अपवाद है। वह पुनर्विवाह कर सकती है और
उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 'वैध' तथा पैतृक धन का अधिकारी माना जायेगा। इस
भाव के अनुसार इस श्लोक का प्रसंग ६।१७६ से जुड़ा है।

अन्य वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों की दायभाग-व्यवस्था—

एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु ।

बह्वीषु चैकजातानां भानास्त्रीषु निबोधत ॥ १४८ ॥

(एकयोनिषु) समान जाति वाली स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों के (विभागस्य) घन-
विभाजन का (एतत् विधानं विज्ञेयम्) यह विधान [६।१०३-१४७] समझना चाहिए।
घन (नानास्त्रीषु बह्वीषु) अनेक जाति वाली बहुत सी स्त्रियों में (एकजातानां निबो-
धत) एक पति से उत्पन्न पुत्रों का घन विभाग सुनो—॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्थानुपूव्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः ।

तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ॥ १४९ ॥

(यदि ब्राह्मणस्य) यदि ब्राह्मण की (आनुपूव्येण चतस्रः तु स्त्रियः) वर्णानुक्रम
से ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा ये चार पत्नियां हों तो (तासां जातेषु पुत्रेषु)

उनमें उत्पन्न पुत्रों में (विभागे + अयं विधिः स्मृतः) विभाजन के लिए निम्न नियम माना गया है ॥ १४६ ॥

कीनाशो गोवृषो यानभलङ्कारश्च वेदश्च ।

विप्रस्यौद्धारिकं वैयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ १४७ ॥

(विप्रस्य) ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र के लिए (कीनाशः गोवृषः) खेती करने वाला बैल (यानम् + भलङ्कारः च वेदश्च) सवारी, ग्राभूषण खेती और घर (औद्धारिकं देयम्) ये 'उद्धार' धन के रूप में देने चाहिए (च) और (प्रधानतः एकांशः) सबसे प्रधान होने के कारण सारे धन में से एक भाग देना चाहिए ॥ १४७ ॥

अंशं दद्यादरेद् विप्रो द्वावंशी क्षत्रियामुतः ।

वैश्याजः सार्धमेकांशमंशं शूद्रामुतो हरेत् ॥ १४८ ॥

[पूर्व श्लोक के उद्धारभाग के निकालने पर शेष धन में से] (विप्रः त्रि + अंशं दद्याद् हरेत्) ब्राह्मणी का पुत्र कुल पितृधन का तीन भाग ले ले (क्षत्रियामुतः द्वौ + अंशौ) क्षत्रिया का पुत्र दो भाग (वैश्याजः सार्धम् अंशं + एवं) वैश्या से उत्पन्न पुत्र केक भाग (शूद्रामुतः अंशं हरेत्) शूद्रा में उत्पन्न पुत्र एक भाग ग्रहण करे ॥ १४८ ॥

सर्वं वा रिक्थजातं तद्दशधा परिकल्प्य च ।

धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धर्मवित् ॥ १४९ ॥

(वा) अथवा (तत् सर्वं रिक्थजातम्) उस सारे पितृधन को (दशधा परिकल्प्य) दश भागों में बांटकर (धर्मवित्) धर्म का ज्ञाता पुरुष (अनेन विधिना धर्म्यं विभागं कुर्वीत) इस निम्न विधि से धर्मयुक्त विभाग करे— ॥ १४९ ॥

अतुरोऽशान् हरेद्विप्रश्चीनंशान्सत्रियामुतः ।

वैश्यापुत्रो हरेद्दशमंशमंशं शूद्रामुतो हरेत् ॥ १५० ॥

उनमें से (विप्रः अतुरः + अंशान् हरेत्) ब्राह्मणी का पुत्र चार भाग पितृधन ग्रहण करे (क्षत्रियामुतः त्रीन् + अंशान्) क्षत्रिया का पुत्र तीन भागों को (वैश्यापुत्रः द्वि + अंशं हरेत्) वैश्या का पुत्र दो भाग ले (शूद्रामुतः अंशं हरेत्) शूद्रा का पुत्र एक भाग को ग्रहण करे ॥ १५० ॥

यद्यपि स्यात् सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् ।

नाधिकं दशमाहृष्टाष्टश्रुद्रापुत्राय धर्मतः ॥ १५१ ॥

(यद्यपि) चाहे (सत्पुत्रः स्यात् अपि वा असत्-पुत्रः भवेत्) द्विजवर्ण की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र से ब्राह्मण पुत्रवान् हो अथवा पुत्रहीन हो किन्तु (धर्मतः) धर्मानुसार (शूद्रापुत्राय दशमाहृष्टाष्टश्रुद्रापुत्राय) शूद्रा के पुत्र को दसवें भाग से अधिक धन ब्राह्मण-पिता न दे ॥ १५१ ॥

ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक् ।

यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥ १५५ ॥

(ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां शूद्रापुत्रः) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य व्यक्ति से शूद्र में उत्पन्न पुत्र (रिक्थभाक् न) कानूनी रूप से धन का भागी नहीं होता, अपितु (यत् + एव + अस्य पिता दद्यात्) अपनी इच्छा से जो कुछ इसका पिता दे देवे (तत्-तत् + एव + अस्य धनं भवेत्) वही इस शूद्रापुत्र का धन होता है ॥ १५५ ॥

समवर्णान्ते ये जाताः सर्वे पुत्राः द्विजन्मनाम् ।

उद्धारं ज्यायते दत्त्वा भजेरन्नितरे समम् ॥ १५६ ॥

(समवर्णान्ते ये जाताः) समानवर्ण की स्त्रियों में उत्पन्न हुए (द्विजन्मनां सर्वे पुत्राः) द्विजातियों के सभी पुत्र (ज्यायते उद्धारं-दत्त्वा) बड़े भाई को 'उद्धार' भाग देकर (इतरे समं भजेन्) शेष सब समान-समान भाग बांट लें ॥ १५६ ॥

शूद्रस्य तु सवर्णं भाग्या भार्या विधीयते ।

तस्यां जाताः सर्वांशः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत् ॥ १५७ ॥

(शूद्रस्य तु सवर्णं भाग्या एव) शूद्र की तो अपने वर्ण की ही पत्नी होती है । (भाग्या न विधीयते) उसके लिये अन्य वर्ण की भार्या का विधान नहीं है (यदि पुत्रशतं भवेत्) यदि शूद्र के सौ पुत्र भी हों तो (तस्यां जाताः सम + अंशः स्युः) शूद्रा में उत्पन्न सभी पुत्रों का पितृधन में समान भाग होता है अर्थात् बड़े के लिए 'उद्धार' भाग नहीं होता ॥ १५७ ॥

बारह प्रकार के पुत्र—

पुत्रान्धावश यांनाह नृणां स्वायंभुवो मनुः ।

तेषां षड् बन्धुदायादाः षड्दायादबान्धवाः ॥ १५८ ॥

(स्वायंभुवः मनुः) स्वायंभुव मनु ने (नृणां यान् द्वादश पुत्रान् + आह) मनुष्यों के जो बारह प्रकार के [६। १५६—१७५] पुत्र कहे हैं (तेषां षड् बन्धु-दायादाः) उनमें छः [६। १५६] बान्धव दायाद = पितृधन के भागी होते हैं, तथा (षड् + अदायाद-बान्धवाः) पिछले छः [६। १६०] अदायाद = पितृधन के अधिकारी होते हैं ॥ १५८ ॥

दायभाग के अधिकारी छह पुत्र—

श्रीरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च ।

गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट् ॥ १५९ ॥

(श्रीरसः क्षेत्रजः दत्तः कृत्रिमः गूढोत्पन्नः च अपविद्धः) 'श्रीरस' [६। १६६], 'क्षेत्रज' [६। १६७] 'दत्तक' [६। १६८], 'कृत्रिम' [६। १६९], 'गूढोत्पन्न' [६। १७०]

श्रीर 'अपविद्ध' [६।१७१] (षट् दायादाः बान्धवाः च) ये छः प्रकार के पुत्र 'दायाद' = पितृधन के अधिकारी श्रीर बान्धव कहलाने योग्य होते हैं ॥ १५६ ॥

दायभाग के अनधिकारी छह पुत्र—

कानीनश्च सहोदश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा ।

स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षड्दायादबान्धवाः ॥ १६० ॥

(कानीनः सहोदः क्रीतः पौनर्भवः स्वयंदत्तः च शौद्रः) 'कानीन' [६।१७२], [६।१७३] 'क्रीत' [६।१७४], 'पौनर्भव' [६।१७५], 'स्वयंदत्त' [६।१७६] श्रीर शुद्रापुत्र [६।१७८] (षट् + अदायादबान्धवाः) ये छः अदायाद = पितृधन के अनधिकारी होते हैं ॥ १६० ॥

यादृशं फलमाप्नोति कुप्लवः सन्तरञ्जसम् ।

तादृशं फलमाप्नोति कुपुत्रैः सन्तरंस्तनः ॥ १६१ ॥

(कुप्लवः जलं संतरन्) बुरी अर्थात् टूटी - फूटी नौका से जल को पार करते हुए (यादृशं फलम् + आप्नोति) मनुष्य जैसा फल प्राप्त करता है अर्थात् पानी में ही डूब जाता है (तमः संतरन् तादृशं फलम्) ग्रन्थकार = दुःख को पार करते हुए वैसा ही फल मनुष्य (कुपुत्रैः आप्नोति) बुरे पुत्रों को उत्पन्न करके प्राप्त करता है अर्थात् दुःख में ही निमग्न हो जाता है ॥ १६१ ॥

यद्येकरिक्विणो स्यातामौरसक्षेत्रजौ सुतौ ।

यस्य यत्पैतृकं रिक्थं स तद् गृह्णीत नेतरः ॥ १६२ ॥

(यदि + एकरिक्विणो) यदि एक धनवाले पिता के (अौरस-क्षेत्रजौ सुतौ स्याताम्) 'अौरस' श्रीर 'क्षेत्रज' दोनों ही पुत्र हों तो (यस्य यत् पैतृकं रिक्थम्) जिसका पैतृक धन है (तत् स गृह्णीत) उसको वह 'अौरस' पुत्र ही ग्रहण करे (इतरः न) दूसरा 'क्षेत्रज' पुत्र धन का अधिकारी नहीं होता ॥ १६२ ॥

एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः ।

शेषाणां पुत्राणां वसुनः प्रभुः ॥ १६३ ॥

(पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः) पिता के धन का स्वामी (एकः एक + अौरसः पुत्रः) अकेला अौरस पुत्र ही होता है, वह (शेषाणाम् + आनुशंस्याथम्) शेष भाइयों को कृपा करता हुआ (प्रजीवनं प्रदद्यात्) जीवन चलाने के लिए अन्न-वस्त्रादि देता रहे ॥ १६३ ॥

वष्टं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृकादनात् ।

अौरसो विभज्जन्दायं पित्र्यं वञ्चयमेव वा ॥ १६४ ॥

(अौरसः) अौरस पुत्र (पित्र्यं दायं विभजन्) पितृधन का विभाग करते हुए

(पैतृकात् धनात्) उस पैतृक धन से (क्षेत्रजस्य षष्ठं वा पञ्चमम् + एव प्रदद्यात्) क्षेत्रज पुत्र को छठा अथवा पाँचवां ही भाग देवे ॥ १६४ ॥

श्रीरसक्षेत्रजी पुत्री पितृरिक्थस्य भागिनी ।

दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः ॥ १६५ ॥

(श्रीरस-क्षेत्रजी पुत्री) केवल 'श्रीरस' और 'क्षेत्रज' पुत्र ही (पितृरिक्थस्य भागिनी) पितृधन के भागी हैं (अपरे दश तु) शेष दूसरे दश प्रकार के पुत्र तो (क्रमशः गोत्र-रिक्थ-अंश-भागिनः) गोत्र के ही भागी होते हैं और पूर्वपुत्र के अभाव में क्रमानुसार घनांश के भागी होते हैं ॥ १६५ ॥

श्रीरस पुत्र का लक्षण—

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्भि यम् ।

तस्यौरसं विजानीयात्पुत्र प्रथमकल्पितम् ॥ १६६ ॥

(संस्कृतायां स्वक्षेत्रे तु) विवाह करके लायी हुई अपनी पत्नी में (यत् + हि स्वयं यम् उत्पादयेत्) जो पुरुष स्वयं जिस पुत्र को उत्पन्न करता है, (तं प्रथमकल्पितम्) उस प्रथमस्थानीय अर्थात् सर्वश्रेष्ठ (पुत्रम्) पुत्र को (श्रीरसं विजानीयात्) 'श्रीरस' पुत्र जानना चाहिए ॥ १६६ ॥

क्षेत्रज पुत्र का लक्षण—

यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा ।

स्वधर्मण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ १६७ ॥

(प्रमीतस्य क्लीबस्य वा व्याधितस्य) मरे हुए नपुंसक अथवा व्याधिग्रस्त पुरुष की (स्वधर्मण नियुक्तायां तल्पजः यः) धर्मानुसार नियोग में नियुक्त स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है (सः पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः) वह पुत्र 'क्षेत्रज' कहलाता है ॥ १६७ ॥

दत्तम पुत्र का लक्षण—

माता पिता वा दद्यातां यन्निहः पुत्रमापदि ।

तद्वशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्तिमः सुतः ॥ १६८ ॥

(माता वा पिता) माता अथवा पिता (यं सद्वशं पुत्रम्) जिस सबर्ण पुत्र को (आपदि) अपनी या लेने वाले की आपत्कालीन स्थिति में (प्रीतिसंयुक्तम्) प्रेमपूर्वक और (अदिभः) जल का संकल्प करके (दद्याताम्) दे देते हैं (सः सुतः दत्तिमः ज्ञेयः) वह पुत्र 'दत्तम' = दत्तक जानना चाहिए ॥ १६८ ॥

कृत्रिम पुत्र का लक्षण—

तद्वशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम् ।

पुत्रं पुत्रगुणयुक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः ॥ १६९ ॥

(गुण-दोष-विचक्षणम्) गुण-दोष को जानने वाले (पुत्रगुणैर्बुद्धतम्) पुत्रत्व के गुणों से युक्त (यं सद्गुणं पुत्रम्) जिस सबल पुत्र को (प्रकुर्यात्) कोई मनुष्य पुत्र मान लेवे (सः कृत्रिमः विज्ञेयः) वह 'कृत्रिम' पुत्र माना जाता है ॥ १६६ ॥

अनुधीलम्नः दत्तक और कृत्रिम पुत्र में यह अन्तर है कि दत्तक पुत्र माता-पिता द्वारा दिया जाता है और कृत्रिम पुत्र अपनाने वाले के द्वारा स्वयं मान लिया जाता है ।

गूढोत्पन्न पुत्र का लक्षण —

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः ।

स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तत्पुत्रजः ॥ १७० ॥

(यस्य गृहे उत्पद्यते) जिसके घर में कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है (च) और (न ज्ञायेत सः कस्य) यह मालूम नहीं पड़ता कि वह किसके बीज से उत्पन्न है (स गृहे गूढः उत्पन्नः) वह घर में गूढ रूप से उत्पन्न हुआ पुत्र (यस्य तत्पुत्रजः तस्य स्यात्) जिसकी स्त्री से उत्पन्न है, उसी पति का वह 'गूढोत्पन्न' पुत्र है ॥ १७० ॥

अपविद्ध पुत्र का लक्षण —

मातापितृभ्यामुत्पृष्टं तयोरभ्यतरेण वा ।

यं पुत्रं परिगृह्णीयावपविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥

(मातृ-पितृभ्याम्) माता और पिता द्वारा (वा) अथवा (तयोः + अभ्यतरेण) माता-पिता में से किसी एक के द्वारा (उत्पृष्टं यं पुत्रं परिगृह्णीयात्) छोड़े हुए जिस पुत्र को जो ग्रहण करता है (सः अपविद्धः उच्यते) वह उस पुरुष का 'अपविद्ध' = परित्यक्त पुत्र कहाता है ॥ १७१ ॥

कानीन पुत्र का लक्षण —

पितृवैशमनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्ब्रह्म ।

तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवम् ॥ १७२ ॥

(पितृवैशमनि कन्या तु) पिता के घर में रहती हुई कन्या (रहः यं पुत्रं जनयेत्) गुप्त रूप से जिस पुत्र को उत्पन्न करती है (तं नाम्ना कानीनं वदेत्) उस पुत्र को 'कानीन' कहते हैं (कन्यासमुद्भवं वोढुः) कन्या से उत्पन्न वह पुत्र उससे विवाह करने वाले पति का होता है ॥ १७२ ॥

सहोद पुत्र का लक्षण —

या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञाताऽपि वा सती ।

वोढुः सः गर्भो भवति सहोद इति चोच्यते ॥ १७३ ॥

(जाता वा भ्रजाता + अपि) जानकारी होते हुए अथवा बिना जानकारी की स्थिति में (या गर्भिणी सती संस्क्रियते) जो गर्भिणी कन्या के साथ विवाह किया जाता है (सः गर्भः बौद्धः भवति) उस गर्भ से उत्पन्न वह पुत्र विवाह करने वाले पति का होता है (च) और वह (सहोदः इति उच्यते) 'सहोद' = 'साथ ढोकर लाया हुआ' कहाता है ॥ १७३ ॥

क्रीतपुत्र का लक्षण—

क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्येमस्तिकात् ।

स क्रीतकः सुतस्तस्य सहसोऽसहसोऽपि वा ॥ १७४ ॥

(अपत्यार्थम्) अपना पुत्र बनाने के लिए (सहसः वा असहसः + अपि) सवर्ण या असवर्ण (यम्) जिस पुत्र को (मातापित्रोः + अस्तिकात्) उसके माता-पिता के पास से (क्रीणीयात्) खरीदा जाता है (सः तस्य क्रीतकः सुतः) वह उस खरीदने वाले का 'क्रीत' पुत्र होता है ॥ १७४ ॥

पौनर्भव पुत्र का लक्षण—

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छया ।

उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥

(या पत्या वा परित्यक्ता) जो पति के द्वारा छोड़ी गयी (वा) अथवा (विधवा) विधवा स्त्री (स्वेच्छया पुनर्भूत्वा उत्पादयेत्) अपनी इच्छा से दूसरे पुरुष को पति बनाकर पुत्र उत्पन्न करती है (सः पौनर्भवः उच्यते) उस पुत्र को 'पौनर्भव' कहते हैं ।

॥ १७५ ॥

अनुश्रुतिः : १४८ से १७५ श्लोक प्रक्षिप्त हैं । इनकी आधारानुसार समीक्षा १७७—१८१ श्लोकों पर समन्वित रूप में देखिए । ये सभी श्लोक अन्तर्विरोध, प्रसंगविरोध, विषयविरोध एवं शैलीगत 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं ।

अक्षतयोनि के पुनर्विवाह का विधान—

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागताऽपि वा ।

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ १७६ ॥ (६०)

(सा चेत् + अक्षतयोनिः स्यात्) वह स्त्री यदि 'अक्षत योनि' = जिसका संभोगसम्बन्ध न हुआ हो, ऐसी हो (वा) चाहे वह (गत-प्रत्यागता + अपि) पति के घर गई-आई हुई भी हो, (सा) वह (पौनर्भवेन भर्त्रा) दूसरे पति के साथ (पुनः संस्कारम् + अर्हति) पुनः विवाह कर सकती है ॥ १७६ ॥

“जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और

संयोग प्रयात् प्रसूतयोनि स्त्री और प्रसूतवीर्यं पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए।” (स० प्र० ११२)

अनुयायित्वम् : १७६ श्लोक की मौलिकता एवं प्रसंगसम्बद्धता में युक्तियाँ—(१) १७६ श्लोक मौलिक है और इसका प्रसंग ६।१४७ से जुड़ा है। १४७ में अनियोज्य पुत्र को ‘बुधोत्पन्न’ कहकर उसे दायभाग का अनधिकारी घोषित किया है किन्तु प्रसूतयोनि स्त्री के लिए वह नियम नहीं है, यह दर्शाने के लिए १७६ वां श्लोक अपवादरूप में विहित है। प्रसूतयोनि स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है और उससे जो सन्तान उत्पन्न होगी वह ‘वैध’ एवं दायभाग की अधिकारिणी होगी। यही इस श्लोक का अभिप्राय है। (२) यह श्लोक मौलिक है, प्रक्षिप्त इसलिए नहीं कहा जा सकता—(क) क्योंकि इसका पूर्वापर प्रक्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह पूर्वापर प्रसंग से भिन्न अपवादात्मक विधान है जिसका १४७ से सम्बन्ध है (ख) पूर्वापर प्रसंग विविध प्रकार के पुत्रों की परिभाषा का है। १७५ वें में ‘पौनर्भव’ पुत्र की परिभाषा और १७७ में ‘स्वयंदत्त’ की है। इस श्लोक में पुत्र-परिभाषा-प्रसंग न होकर अपवादात्मक विधान है (ग) इसका १७५ के ‘पौनर्भव’ शब्द के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उसमें ‘पौनर्भव’ पुत्र के लिए कहा गया है और इसमें द्वितीय पति के लिए। इस प्रकार यह मौलिक विधान है।

स्वयंदत्त पुत्र का लक्षण—

मातापितृविहीनो यस्स्थितो वा स्यादकारणात् ।

आत्मानं स्वयंयेष्टस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥ १७७ ॥

(यः माता-पितृ-विहीनः) जो माता-पिता से विहीन हो (वा) अथवा (अकारणात् स्थितः स्यात्) अकारण जिसे छोड़ दिया गया हो, वह (यस्मै आत्मानं स्पष्टयेत्) जिस पुरुष के लिये स्वयं को समर्पित कर दे (सः तु स्वयंदत्तः स्मृतः) वह उसका ‘स्वयंदत्त’ पुत्र कहलाता है ॥ १७७ ॥

पारशव पुत्र का लक्षण—

यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामात्प्राप्तयेत्सुतम् ।

स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥ १७८ ॥

(ब्राह्मणः तु) ब्राह्मण (शूद्रायां कामात् यं सुतम् + उत्पादयेत्) शूद्रा में कामवश होकर जिस पुत्र को उत्पन्न करता है (सः पारयन् + एव शवः) वह जीते हुए भी मरे हुए के समान है (तस्मात् पारशवः स्मृतः) इसीलिए उसे ‘पारशव’ कहा जाता है।

॥ १७८ ॥

शास्यां वा शसदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत् ।

सोज्जुसातो हरेवंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १७९ ॥

(दास्यां वा दासदास्यां वा) दासी में या दास की दासी में (यः शूद्रस्य सुतः भवेत्) जो शूद्र से उत्पन्न पुत्र होता है (सः + अनुज्ञात) वह पिता से आज्ञा पाकर (ग्रंशं हरेत्) अन्य पुत्रों के समान भाग ग्रहण कर ले (इति धर्मः व्यवस्थितः) ऐसी धर्म की व्यवस्था है ॥ १७६ ॥

क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान् ।

पुत्रप्रतिनिधीनाहः क्रियालोपात्मनीधिराः ॥ १८० ॥

(यथा + उदितान्) पूर्ववर्णित [६।१५६-१७८] (एतान् क्षेत्रजादीन् एकादश-सुतान्) इन क्षेत्रज आदि ग्यारह प्रकार के पुत्रों की (क्रिया + अलोपान्) वंशचालन आदि क्रियाओं का लोप न हो, इसलिए (मनीषिणः) मनीषी लोग (पुत्रप्रतिनिधीन् + आहुः) पुत्रों का प्रतिनिधि मानते हैं ॥ १८० ॥

य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः ।

यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१ ॥

(प्रसङ्गात्) औरस पुत्र के प्रसङ्ग में (अन्यबीजजाः) दूसरे के बीर्य से उत्पन्न (यः + एते पुत्राः + अभिहिताः) जो ये पुत्र कहे हैं (ते यस्य बीजतः जाताः) वे जिसके बीज से उत्पन्न होते हैं (ते तस्य) वे उसी के होते हैं (इतरस्य तु न) दूसरे अर्थात् क्षेत्र-स्वामी के नहीं ॥ १८१ ॥

भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् ।

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुर्दधीत् ॥ १८२ ॥

(एकजातानां भ्रातृणाम्) एक माता-पिता से उत्पन्न अर्थात् सगे भाइयों में (एक चेत् पुत्रवान् भवेत्) एक भाई भी यदि पुत्रवाला हो जाये (तेन पुत्रेण तान् सर्वांन् पुत्रिणः) उस एक पुत्र से ही सब भाइयों की पुत्रवान् होना (मनुः + अदधीत्) मनु ने कहा है ॥ १८२ ॥

सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत् ।

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ १८३ ॥

(सर्वासाम् + एकपत्नीनाम्) सब एक पति वाली स्त्रियों में (एका चेत् पुत्रिणी भवेत्) यदि एक स्त्री भी पुत्रवती हो जाये तो (तेन पुत्रेण ताः सर्वाः पुत्रवतीः मनुः प्राह) उस पुत्र से वे सभी स्त्रियाँ पुत्रवती हो जाती हैं, ऐसा मनु ने कहा है ॥ १८३ ॥

श्रेयसः श्रेयसोऽस्माभे पापीयान् रिक्थमर्हति ।

अहवश्चेत्स सहशाः सर्वे रिक्थस्य मागिनः ॥ १८४ ॥

(श्रेयसः श्रेयसः + अस्माभे) [पूर्वोक्त (६।१५६-१६०) बारह प्रकार के पुत्रों में] श्रेष्ठ-श्रेष्ठ पुत्र के अभाव में (पापीयान् रिक्थम् + अर्हति) हीन-हीन पुत्र पितृधन

का भागी होता है (बहवः चेत् तु सहशाः) यदि सभी समान गुण वाले हों तो (सर्वे रिक्थस्य भागिनः) सभी पितृधन के समान भागी होते हैं ॥ १८४ ॥

न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः ।

पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च ॥ १८५ ॥

(पितुः रिक्थहराः पुत्राः) पिता के धन के अधिकारी पुत्र ही होते हैं (न भ्रातर न पितरः) न तो सहोदर भाई अर्थात् चाचा, ताऊ आदि, भाई होते हैं और न पिता [अर्थात् पिता का पिता=दादा] ही, किन्तु (अपुत्रस्य रिक्थं पिता हरेत्) अपुत्र पुरुष के धन को पिता ले ले (च) और (भ्रातरः एव) सगे भाई भी ले लें ॥ १८५ ॥

त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते ।

चतुर्थः संप्रदातैर्वा पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६ ॥

(त्रयाणाम्-उदकं कार्यम्) तीनों अर्थात् पिता, पितामह और प्रपितामह, इन तीनों को जलदान करना चाहिए (त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते) इन तीनों को ही पिण्डदान करना चाहिए (चतुर्थः एषां सम्प्रदाता) चौथा व्यक्ति इनको देने वाला होता है। (पञ्चमः न+उपपद्यते) इनके साथ पाँचवें का कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ १८६ ॥

सपिण्ड के अभाव में दाप के अधिकारी—

अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य यस्य धनं भवेत् ।

अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥ १८७ ॥

(यः सपिण्डात् अनन्तरः) जो सपिण्डों=वंशस्थों या रिक्तेदारों में निकट-निकट का व्यक्ति है (तस्य तस्य धनं भवेत्) वही-वही मृतक के धन का भागी होगा (अतः ऊर्ध्वम्) इसके बाद अर्थात् सपिण्ड व्यक्ति के न होने पर (सकुल्यः आचार्यः वा शिष्यः एव) सगोत्रीय निकट का आचार्य या शिष्य मृत व्यक्ति के धन का भागी होता है ॥ १८७ ॥

सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः ।

त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ १८८ ॥

(सर्वेषाम्+अपि+अभावे तु) सभी [पुत्र, पत्नी, सपिण्ड आदि] उत्तराधिकारियों के अभाव में (त्रैविद्याः शुचयः दान्ताः ब्राह्मणाः) तीनों वेदों के विद्वान्, शुद्ध आत्मा वाले, जितेन्द्रिय ब्राह्मण ही (रिक्थभागिनः) मृत-व्यक्ति के धन के भागी होते हैं (तथा धर्मः न हीयते) इस प्रकार धर्म का लोप नहीं होगा ॥ १८८ ॥

अर्ह्यं ब्राह्मणद्वयं राजा नित्यमिति स्थितिः ।

इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्मृतः ॥ १८९ ॥

(राजाब्राह्मणद्वयं नित्यम् अर्ह्यम्) राजा को [निकट के व्यक्ति के अभाव में] ब्राह्मणों का धन कदापि ग्रहण न करना चाहिये (इति स्थितिः) ऐसी मान्यता है,

(सर्व + अभावे) सभी उत्तराधिकारियों के अभाव में (इतरेषां तु वर्णनाम्) ब्राह्मण से भिन्न अन्य वर्णों का ही धन (नृपः हरेत्) राजा ले सकता है ॥ १८६ ॥

संस्थितस्थानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत् ।

तत्र यद्विषयजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत् ॥ १८७ ॥

(अनपत्यस्य संस्थितस्य) सन्तानहीन पति के मर जाने पर (सगोत्रात् पुत्रम् + आहरेत्) स्त्री सगोत्र पुत्र से नियोग करके [६। ५६-६१] पुत्र प्राप्त कर ले (तत् तत् विषयजातः स्यात्) उस स्थिति में मृत-पति का जो धन हो (तस्मिन् प्रतिपादयेत्) वह उस पुत्र को दे देवे ॥ १८७ ॥

द्वौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जलौ स्त्रिया धने ।

तयोर्व्यस्य मित्रं स्यात्तः स गृह्णीत नेतरः ॥ १८८ ॥

(द्वाभ्यां जातां) दो पिताओं से उत्पन्न (द्वौ तु यौ स्त्रिया धने विवदेयानाम्) दो पुत्र यदि स्त्री अर्थात् माता के धन के विषय में विवाद = झगड़ा करें तो (तयोः यत् यस्य मित्रं स्यात्) उनमें से जो जिसके पिता का धन हो (सः तत् गृह्णीत) वह उसे ही ग्रहण करे (इतरः न) दूसरे पिता से उत्पन्न पुत्र दूसरे का भाग न ले ॥ १८८ ॥

अनुष्ठीतम् : १४८ से १७५ तथा १७७-१९१ तक के सभी श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) १४८-१७५, १७७-१९१ श्लोकों में अनेक वर्णों की बहुपत्नियों से उत्पन्न पुत्रों के दायभाग का वर्णन है। एकसाथ बहुविवाह की मान्यता ही मनुविरुद्ध है। मनु एक समय में एक ही स्त्री से विवाह की आज्ञा देते हैं और वह भी प्रधानरूप से सवर्णों से [५। १६७]। मनु ने सर्वत्र एकवचन का प्रयोग करके एक ही पत्नी करने का भी संकेत दिया है [३। ४-५; ७। ७७]। (२) १५८-१७५, १७७-१८४, १९०-१९१ श्लोकों में वर्णित दायभाग जन्मना वर्णव्यवस्था से प्रभावित है। कुछ पुत्रों को दायभाग का अधिकारी नहीं माना और प्रथम पुत्र के रहते अन्य निम्नपुत्रों को अनधिकारी माना है। यह व्यवस्था भी मनुसम्मत नहीं है। मनु बीज को प्रधान मानते हैं [६। ३३-५६], बीज की प्रधानता होने पर जिससे जो पुत्र हुआ वह उसी के स्तर की सन्तान होगी; उसमें उच्च-निम्न का क्या प्रश्न है? मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टव्य १। १६२-१७७ पर समीक्षा]। कर्मणा वर्णव्यवस्था में सभी पुत्र कर्मानुसार समान हैं। इन श्लोकों में पुत्रों में अन्तर मनुसम्मत नहीं है। (३) १८५ वें श्लोक की व्यवस्था २११-२१२ के विरुद्ध है। (४) १८७-१८८ में ब्राह्मणों आदि के धनग्रहण का कथन ८। ३० के विरुद्ध है, वही राजा को धन ग्रहण का अधिकार कहा है। (५) १९०-१९१ में क्षेत्रज पुत्र के लिए दायभाग का निषेध ६। १४५-१४६ के विरुद्ध है। (६) १५८-१७५, १७७-१८० आदि में वर्णित पुत्रों के भेद मनुसम्मत नहीं है। मनु ने दायभाग में केवल तीन प्रकार के पुत्रों की स्थिति

स्वीकार की है। वे हैं १. ग्रीस [१०४-१३८], २. दत्तक [१४१], ३. नियोजन [१४५-१४७], अन्यभेद मनुविहित नहीं हैं।

२. शैलीगत आधार—१५८ वें श्लोक में “आह स्वार्थभुक्: मनु:” पदों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी ग्रन्थ परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः प्रक्षिप्त है। शेष १५६-१८४ श्लोक इसी पर आधारित हैं, इससे सम्बद्ध हैं, अतः इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर वे स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जायेंगे।

३. विषयविरोध—१५८-१७५, १७७-१८४ श्लोकों में द्वादशविध पुत्रों का वर्णन है। १८६ में पिण्डदान का वर्णन है। यह वर्णन विषयसंकेतक श्लोकों [६।१०३, १२०] में प्रदर्शित विषय से बाहर है। यहां विषय दायभाग-वर्णन का है, पुत्र-भेद प्रदर्शन का नहीं। इस प्रकार विषयविरुद्ध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

४. प्रसंगविरोध—(१) १५८-१७५, १७७-१८४ श्लोकों में पुत्रों के जो भेद बतलाये हैं वे यदि प्रसंग के प्रारम्भ में वर्णित होते, तभी प्रसंग-सम्मत कहे जा सकते थे। बीच में पुत्रों का वर्णन असंगत है, अतः प्रसंगविरुद्ध है। (२) १८५-१८६ में दायभागके कुछ विकल्प दिये हैं। ये विकल्प प्रसंगसमाप्ति पर होते तो संगत माने जा सकते थे। अभी दायभाग का विधान शेष है, उससे पूर्व ही विकल्पों का वर्णन असंगत प्रतीत होता है। (३) १४७ की १७६ से विधानात्मक सम्बद्धता है [द्रष्टव्य १४७, १७६ पर अनुशीलन] बीच के श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है।

५. पुनरुक्ति—१६०वें श्लोक में वर्णित बातें ६। १२०, १४५, १४६ में आ चुकी हैं। पुनः उसी बात को कहना पुनरुक्ति है, अतः यह प्रक्षिप्त है। १६१ वां इससे सम्बद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त है।

[मातृधन का विभाग]

मातृधन को भाई-बहन बराबर बांट लें—

जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः।

भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥१६२॥ (६१)

(जनन्यां संस्थितायां तु) माता के मर जाने पर (सर्वे सहोदराः च सनाभयः भगिन्यः) सब सगे भाई और सब सगी बहनें (मातृकं रिक्थं समं भजेरन्) माता के धन को बराबर-बराबर बांट लें ॥ १६२ ॥

यःस्तासां स्युर्दुहितरस्तासामपि यथार्हतः।

मातामह्या धनात्किञ्चित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥ १६३ ॥ (६२)

(तासां याः दुहितरः स्युः) उन सगी बहनों की जो पुत्रियां हों (तासां+अपि यथार्हतः) उनकी भी यथायोग्य (प्रीतिपूर्वकं माता-

मह्याः धनात् किञ्चित् प्रदेयम्) प्रेमपूर्वक नानी के धन में से कुछ देना चाहिए ॥ १६३ ॥

स्त्रीधन छः प्रकार का—

अध्याग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि ।

भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥ १६४ ॥ (६३)

(स्त्रीधनं षड्विधं स्मृतम्) स्त्रीधन छः प्रकार का माना गया है—१ (अधि—अग्नि) विवाहसंस्कार के समय दिया गया धन, २. (अधि+आवाहनिकम्) पति के घर लायी जाती हुई कन्या को प्राप्त हुआ पिता के घर का धन, ३. (प्रीति कर्मणि च दत्तम्) प्रसन्नता के किसी अवसर पर पति आदि के द्वारा दिया गया धन, ४. (भ्रातृ-मातृ-पितृ-प्राप्तम्) भाई से प्राप्त धन, ५. माता से प्राप्त धन, ६. पिता से प्राप्त धन ॥ १६४ ॥

अन्वाधेयं च यद्दत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत् ।

पत्यौजीविति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥ १६५ ॥ (६४)

(यत् अन्वाधेयम्) जो अन्वाधेय अर्थात् विवाह के पश्चात् पिता या पति द्वारा दिया गया है, वह धन (च) और (यत् प्रीतेन पत्या दत्तम्) जो प्रीतिपूर्वक पति के द्वारा दिया गया धन है (वृत्तायाः) स्त्री के मरने पर (पत्यौ जीविति) और पति के जीवित रहते भी (तत्तद्धनं प्रजायाः भवेत्) वह धन सन्तानों का ही होता है ॥ १६५ ॥

ब्राह्मादि विवाहों में स्त्रीधन का अधिकारी पति—

ब्राह्मदेवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु ।

अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १६६ ॥ (६५)

(ब्राह्म-देव-आर्ष-गान्धर्व-प्राजापत्येषु यत् वसु) ब्राह्म, आर्ष, गान्धर्व, प्राजापत्य विवाहों में जो स्त्री को धन प्राप्त हुआ है (अप्रजायाम्+अतीतायाम्) स्त्री के सन्तानहीन मर जाने पर (तत् भर्तुः+एव इष्यते) उस धन पर पति का ही अधिकार माना गया है ॥ १६६ ॥

आसुरादि विवाहों में स्त्रीधन के उत्तराधिकारी—

यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु ।

अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ १६७ ॥ (६६)

(यत् तु अस्याः) और जो इस (आसुरादिषु विवाहेषु दत्तं धनं स्यात्) 'आसुर' आदि विवाहों में दिया गया धन हो (अप्रजायाम्+अतीतायाम्)

पत्नी के निःसन्तान मर जाने पर (तत् मातापित्रोः इष्यते) वह धन स्त्री के माता-पिता का हो जाता है ॥ १६७ ॥

स्त्रियां तु यद्वैदितं पित्रा दत्तं कथंचन ।

ब्राह्मणो तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ॥ १६८ ॥

(स्त्रियां तु यत् वित्तं पित्रा दत्तं भवेत्) स्त्री को जो पिता के द्वारा दिया गया धन हो, उसके मरने पर (तत् ब्राह्मणी-कन्या हरेत्) उसके धन को ब्राह्मणी स्त्री से उत्पन्न कन्या से ले (वा तत् अपत्यस्य भवेत्) अथवा उसी की पुत्री को वह धन मिलेगा ॥ १६८ ॥

अनुयतिलम् : १६८ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. अस्तबोध—इस श्लोक में बहुपत्नी-प्रथा की मान्यता है, यह मनुविरुद्ध है [५ । १६७-१६८] । अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है ।

स्त्रियां कुटुम्ब से छिपाकर धन न जोड़ें—

न निहारिं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद् बहुमध्यगात् ।

स्वकावपि च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया ॥ १६९ ॥ (६७)

(स्त्रियः) स्त्रियां (कुटुम्बाद् बहुमध्यगात्) बहुत सदस्यों के कुटुम्ब से चुपके से धन ले-लेकर (निहारिं न कुर्युः) अपने लिए धनसंग्रह और व्यय न करें (च) और (स्वकात् वित्तात् अपि हि) अपने धन में से भी (स्वस्य भर्तुः+अनाज्ञया) अपने पति की आज्ञा के बिना व्यय न करें ॥ १६९ ॥

पत्यो जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत् ।

न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २०० ॥ (६८)

(पत्यो जीवति) पति के जीते हुए (स्त्रीभिः यः अलंकारः धृतः भवेत्) स्त्रियों ने जो आभूषण धारण किये हैं, [पति के मर जाने पर] (दायदाः तं न भजेरन्) माता-पिता के धन के अधिकारी पुत्र आदि [माता के जीवित रहते] उसको न बांटें (भजमानाः ते पतन्ति) यदि वे उन्हें लेते हैं तो 'पतित' = दोषी कहलाते हैं ॥ २०० ॥

धन के अनधिकारी विकलांग—

अनंशौ क्लीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा ।

उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥ (६९)

(क्लीब-पतितौ) नपुंसक, (जाति+अन्ध-बधिरौ) जन्म से अन्ध और बहरे (उन्मत्त-जड-मूकाः च) पागल, वज्रमूर्ख और गूंगे (च) और (ये

केचित् निरिन्द्रियाः) जो कोई किसी इन्द्रिय से पूर्ण विकलांग हैं और अस-
मर्थ हैं (अनंश) ये लूने लगड़े आदि सब धन के हिस्सेदार नहीं होते, क्यों-
कि ये धन की सुरक्षा और उपयोग के अयोग्य होते हैं ॥ २०१ ॥

इन्हें भोजन छादन देते रहें—

सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनोषिणा ।

प्रासच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत् ॥२०२॥ (७०)

किन्तु (मनोषिणा) बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि (सर्वेषाम्+
अपि शक्त्या) इन सबको यथाशक्ति (प्रास+प्राच्छादनम्) भोजन, वस्त्र
आदि (अत्यन्तम्) अनिवार्य रूप से (दातुम्) देना ही (न्याय्यम्) न्यायो-
चित है. (अददत् हि पतितः भवेत्) इस प्रकार न देने वाला 'पतित' माना
जायेगा ॥ २०२ ॥

यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्कलोबादीनां कथंचन ।

तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमर्हति ॥२०३॥ (७१)

(यदि कलोबादीनां कथंचन दारैः अर्थिता स्यात्) यदि नपुंसक आदि
इन पूर्वोक्तों को भी विवाह करने की इच्छा हो तो (तेषाम्+उत्पन्नतन्तू-
नाम्) इनके उत्पन्न 'क्षेत्रज' =नियोगज पुत्र आदि (अपत्यम्) सन्तान
(दायम्+अर्हति) इनके धन को भागी होती है ॥ २०३ ॥

सम्मिलित रहते बड़े भाई के कमाये धन की व्यवस्था—

यत्किंचित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति ।

भागे यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिताः ॥ २०४ ॥

संयुक्त रूप से (पितरि प्रेते) पिता के मर जाने के पश्चात् (ज्येष्ठः) बड़ा भाई
(यत् किंचित् धनम्+अधिगच्छति) जो कुछ पैतृक धन प्राप्त करता है (तत्र) उसमें
(यदि विद्यानुपालिताः) यदि विद्यासम्पन्न हों तो (यवीयसां भागः) छोटे भाइयों का
हिस्सा होता है, मूलों और अनपढ़ों का नहीं ॥ २०४ ॥

अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेष्टनं भवेत् ।

समस्तत्र विभागः स्यादपिभ्य इति धारणा ॥ २०५ ॥

संयुक्त रहते यदि (अविद्यानां तु सर्वेषाम्) बिना पढ़े-लिखे सब भाइयों के
(ईहातः चेत् धनं भवेत्) प्रयत्नों [खेती, व्यापार आदि] से धन एकत्रित हुआ हो तो
(तत्र अपिभ्यः समः विभागः स्यात्) उसमें पितृधन को छोड़कर बाकी धन में सबका
समान भाग होगा (इति धारणा) ऐसी मान्यता है ॥ २०५ ॥

अनुशीलन : २०४-२०५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) इन श्लोकों में पैतृक सम्पत्ति में अनपढ़ों के भाग का निषेध, केवल पढ़े-लिखों का अधिकार, ये दोनों बातें पूर्वोक्त विधानों से भिन्न हैं और विरुद्ध हैं। पूर्वोक्त विभाजन के वर्णनों में इस प्रकार का कहीं निषेध नहीं है, द्रष्टव्य ६। १०४, १०५, ११२, ११६, ११७, १६२, २१८ आदि। (२) इससे पूर्व २०१-२०२ श्लोकों में धन के अनधिकारी व्यक्तियों की गणना की है। वहाँ अनपढ़ों का परिगणन नहीं है। जबकि वहाँ 'जड़' शब्द का प्रयोग है। इससे सिद्ध है कि यह विधान मौलिक नहीं। यदि 'अनपढ़' अनधिकारी होते तो वहाँ इनका वर्णन होता। इस प्रकार अन्तर्विरोध के आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।

विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्।

मैथ्यमौद्वाहिकं चैव माधुपर्किकमेव च ॥ २०६ ॥ (७२)

(विद्याधनम् मैथ्यम् च औद्वाहिकं च माधुपर्किकम्+एव) विद्या के कारण प्राप्त, मित्र से प्राप्त, विवाह में प्राप्त और पूज्यता के कारण आदर सत्कार में प्राप्त (यत् यस्य धनम्) जो जिसका धन है (तत् तस्य+एव भवेत्) वह उसी का ही होता है ॥ २०६ ॥

भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा।

स निर्भाज्यः स्वकावंशारिकविद्वत्त्वोपजीवनम् ॥ २०७ ॥ (७३)

(भ्रातृणां यः तु स्वकर्मणा शक्तः) भाइयों में जो भाई अपने उद्योग से समृद्ध हो और (धनं न ईहेत) पितृधन का भाग न लेना चाहे तो (सः) उसको भो (स्वकात्+अंशात् किञ्चित् उपजीवनं दत्त्वा) अपने-अपने पितृधन के हिस्सों से कुछ धन देकर (निर्भाज्यः) अलग करना चाहिए, बिल्कुल बिना दिये नहीं ॥ २०७ ॥

अनुपघ्नन्पितृद्वयं श्रमेण यदुपाजितम्।

स्वयमौहितलब्धं तन्नाकामो दातुमर्हति ॥ २०८ ॥ (७४)

(पितृधनम् अनुपघ्नन्) पितृधन को बिल्कुल भी उपयोग में न लाता हुआ यदि कोई पुत्र (श्रमेण यत्+उपाजितम्) केवल अपने परिश्रम से धन उपाजित करे तो (स्वयम्+औहित-लब्धं तम्) अपने परिश्रम से संचित उस धन में से (दातुम् अकामः) किसी भाई को कुछ न देना चाहे तो (न अर्हति) न देवे अर्थात् देने के लिए वह बाध्य नहीं है ॥ २०८ ॥

पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात्।

न तत्पुत्रैर्भञ्जेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितम् ॥ २०९ ॥ (७५)

(पितातु) यदि कोई पिता (अन् + अवाप्तं पेतृकं द्रव्यम्) दायरूप में अप्राप्त पेतृक धन अर्थात् ऐसा धन जो है तो परम्परा से पेतृक, किन्तु किसी कारण से वह उसके पिता के अधिकार में नहीं रहा, इस कारण उसे पेतृक दायभाग के रूप में भी नहीं मिला, उसको (तत् + आप्नुयात्) यदि वह स्वयं अपने परिश्रम या उपाय से प्राप्त करले तो (तत् स्वयम् + अजितम् धनम्) उस स्वयं के परिश्रम से प्राप्त किये धन को [जैसे गिरदी रखा हुआ धन] (अकामः) यदि वह न चाहे तो (पुत्रैः सार्धम् न भजेत्) अपने पुत्रों में न बांटे अर्थात् ऐसा धन पिता के द्वारा स्वयं किये हुए धन जैसा है। उसका देना, न देना या विभाजन करना पिता की इच्छा पर निर्भर है। वह जैसा चाहे कर सकता है ॥ २०६ ॥

पुनः एकत्र होकर पृथक् होने पर उद्धार भाग नहीं—

विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यदि ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठघ्नं तत्र न विद्यते ॥२१०॥ (७६)

सब भाई (विभक्ताः) एक बार विभाग का बंटवारा करके (सह-जीवन्तः) फिर सम्मिलित होकर (यदि पुनः विभजेरन्) यदि फिर अलग होना चाहें तो (तत्र समः विभागः स्यात्) उस स्थिति में सबको समान भाग प्राप्त होगा (तत्र ज्येष्ठघ्नं न विद्यते) तब उसमें ज्येष्ठ भाई का 'उद्धार' भाग [६।११२-११५] नहीं होता ॥ २१० ॥

भाई के मरने पर उसके धन का विभाग—

येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः ।

अप्येतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न लुप्यते ॥२११॥ (७७)

(येषां ज्येष्ठः वा कनिष्ठः) जिन भाइयों में से बड़ा या छोटा भाई अंशप्रदानतः हीयेत) अपने भाग से वंचित रह जाये, (अप्येत वा अन्यतरः अपि) मर जाये अथवा अन्य किसी गृहत्याग आदि कारण से भाग न लेवे तो (तस्य भागः न लुप्यते) उसका भाग नष्ट नहीं होता अर्थात् उसके पुत्र पत्नी आदि को प्राप्त होता है ॥ २११ ॥

सोदर्या विभजेरन्सं समेत्य सहिताः समम् ।

भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥२१२॥ (७८)

[यदि पुत्र, स्त्री आदि न हों तो] (सहिताः सोदर्याः) सभी सगे भाई (च) और (ये संसृष्टाः भ्रातरः) जो सम्मिलित भाई (च) तथा (सनाभयः भगिन्यः) सब सगी बहनें हैं, वे (समेत्य) एकत्रित होकर (तं समं विभजेरन्) उस धन को समान-समान बांट लें ॥ २१२ ॥

कसंख्यपालन न करने पर बड़े भाई को उद्धार भाग नहीं—

यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद् भ्रातृन् यवीयसः ।

सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥ २१३ ॥ (७६)

(यः ज्येष्ठः) जो बड़ा भाई (यवीयसः भ्रातृन् लोभात् विनिकुर्वीत) छोटे भाइयों को लोभ में आकर ठगे, पूरा भाग न दे तो (सः+अज्येष्ठः) उसे बड़े के रूप में नहीं मानना चाहिए (ः) और (अभागः स्यात्) उसे बड़े भाई के नाम का 'उद्धार भाग' [६। ११२-११५] भी नहीं देना चाहिए (च) और (राजभिः नियन्तव्यः) वह राजा के द्वारा दण्डनीय होता है ॥ २१३ ॥

दायघन से वंचित लोग—

सर्व एव विक्रमंस्था नार्हन्ति भ्रातरो घनम् ।

न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम् ॥ २१४ ॥ (८०)

(विक्रमंस्थाः सर्वे+एव भ्रातरः) [जुग्रा खेलना, चोरी करना, डाका डालना आदि] बुरे कामों में संलग्न रहने वाले सभी भाई (घनं न+अर्हन्ति) धनभाग को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते (च) और (कनिष्ठेभ्यः अदत्त्वा) छोटे भाइयों को बिना दिये=बिना बांटे (ज्येष्ठः यौतकं न कुर्वीत) बड़ा भाई अपने लिए पितृधन में से अलग से धन न ले ॥ २१४ ॥

पितृ-धन का विषम विभाजन न करे—

भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह ।

न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथञ्चन ॥ २१५ ॥ (८१)

(अविभक्तानां भ्रातृणां यदि सह उत्थानं भवेत्) सम्मिलित रूप में रहते हुए सब भाइयों ने यदि साथ मिलकर धन इकट्ठा किया हो तो (पिता) पिता (कथञ्चन पुत्रभागं विषमं न दद्यात्) किसी भी प्रकार पुत्रों के भाग को विषम अर्थात् किसी को अधिक किसी को कम रूप में न बांटे, सभी को बराबर दे ॥ २१५ ॥

ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेद्वनम् ।

संतृष्टास्तेन वा स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ २१६ ॥ (८२)

(विभागात् ऊर्ध्वं जातः तु) धन का बंटवारा करके [पिता की जीवित अवस्था में ही] पुत्रों के अलग हो जाने पर यदि कोई पुत्र उत्पन्न

हो जाये तो (पित्र्यम्+एव धनं हरेत्) वह पिता के धन को लेले(वा) ग्रथवा (ये तेन ससृष्टाः स्युः) जो कोई पुत्र पिता के साथ सम्मिलित रूप में रह रहे हों तो (सः तैः सह विभजेत) वह उन सबके समान भाग प्राप्त करे ॥ २१६ ॥

इकलीते सन्तानहीन पुत्र के धन का उत्तराधिकार—

अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् ।

मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्मता हरेद्धनम् ॥ २१७ ॥ (८३)

(अनपत्यस्य पुत्रस्य दायम्) सन्तानहीन और पत्नीहीन पुत्र के धन को (माता+अवाप्नुयात्) माता प्राप्त करे (च) और (मातरि+अपि वृत्तायाम्) माता मर गई हो तो (पितुः माता धनं हरेत्) पिता की माता अर्थात् दादी उसके धन को ले ले ॥ २१७ ॥

ऋणे धने च सर्वस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि ।

पश्चाद् दृश्येत यत्किञ्चित्सर्वं समतानयेत् ॥ २१८ ॥ (८४)

(सर्वस्मिन् ऋणे च धने) पिता के सारे ऋण और धन का (यथा-विधि प्रविभक्ते) विधिपूर्वक बंटवारा हो जाने पर (यत् किञ्चित् पश्चात् दृश्येत) यदि बाद में कुछ ऋण और धन के शेष रहने का पता लगे तो (तत् सर्वं समतानयेत्) उस सबको भी समान रूप में बांट लें ॥ २१८ ॥

वस्त्रं पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं स्त्रियः ।

योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९ ॥

(वस्त्रं पत्रम्+अलंकारम्) वस्त्र, वाहन, आभूषण (कृतान्नम्+उदकं स्त्रियः) पक्वान्न, जल, स्त्रियां (योगक्षेमं) कल्याणसाधक पुरोहित आदि (च) और (प्रचारम्) मार्ग, इनको (विभाज्यं न प्रचक्षते) बंटवारे के योग्य नहीं कहा है अर्थात् ये जिसके पास जैसे हों वैसे ही रहते हैं ॥ २१९ ॥

अनुवर्णितम् : २१९ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. अन्तर्विरोध—(१) २१९ वां श्लोक पिछले दायभाग के विधानात्मक श्लोकों के विरुद्ध है, क्योंकि उनमें समस्त पैतृक सम्पत्ति का विभाजन करने का कथन है [६। १०४, २१८] । (२) इस श्लोक में स्त्रियों की अविभाज्य कहने से प्रतीत होता है कि श्लोककार दासियों की प्रथा को स्वीकार करता है। यह प्रथा भी मनु के विरुद्ध है। मनु दासदासी-प्रथा को नहीं मानते। वे केवल शूद्र को सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं, वह भी उसकी इच्छा से [१। ६१, ६। ३३४—३३५, १०। ६६] । अतः यह प्रक्षिप्त है ।

[१८] द्यूत-सम्बन्धी विवाद का निर्णय [२२०—२५०]

अथमुच्यते विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः ।

क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्मं निबोधत ॥ २२० ॥ (८५)

(अथम्) यह [६। १०३-२१६] (वः) तुमको (विभागः) दायभाग का विधान (च) और (क्षेत्रज + आदीनां पुत्राणां क्रियाविधिः) 'क्षेत्रज' आदि पुत्रों को [६। १४५-१४७] धन का भाग देने की विधि (क्रमशः उक्तः) क्रमशः कहो ।

अथ (द्यूतधर्मं निबोधत) जूआ-सम्बन्धी विधान सुनो—॥ २२० ॥

राष्ट्रघातक जूआ आदि का पूर्ण निवारण—

द्यूतं समाह्वयं चैव राजा राष्ट्राग्निवारयेत् ।

राजान्तकरणावेतो द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥ २२१ ॥ (८६)

(राजा) राजा (द्यूतम्) जड़ वस्तुओं से बाजी लगाकर खेले जाने वाले 'जूआ' को (च) और (समाह्वयम् + एव) चेतन प्राणियों को दाव पर लगाकर खेले जाने वाले 'समाह्वय' नामक 'जूआ' को [२२३] (राष्ट्रात् निवारयेत्) अपने देश से समाप्त कर दे, क्योंकि (एतौ द्वौ दोषौ) ये दोनों बुराईयाँ (पृथिवीक्षितां राजान्तकरणौ) राजाओं के राज्य को नष्ट कर देने वाली हैं ॥ २२१ ॥

अनुशीलन : (१) द्यूत से हानि—इस श्लोक के भाव को समझने के लिए परवर्ती उदाहरण महाभारत के समय का दिया जा सकता है। द्यूत और समाह्वय के व्यसन के कारण पाण्डवों को अपनी इज्जत और राज्य सब कुछ लुटाना पड़ा था। परिणाम-स्वरूप कौरवों-पाण्डवों में भयंकर महाभारत-युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों का विनाश हुआ और पाण्डवों को विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाने पड़े।

(२) वेदों में जूए का निषेध—वेदों में जूए की तीव्र शब्दों में निन्दा की है और निषेध किया है। ऋक् १०। ३४ सूक्त में जुआरी की दुर्दशा का दयनीय वर्णन है। इस सूक्त के १३ वें मन्त्र में आदेश है—

अक्षर्मा दीप्यः = जूआ मत खेलो ।

जूआ एक तस्करी है—

प्रकाशमेतत्तात्पर्यं यद् देवनसमाह्वयो ।

तयोर्निर्णयं प्रतीघाते नृपतियंस्त्वान्भवेत् ॥ २२२ ॥ (८७)

(यत् देवन-समाह्वयो) ये जो 'जूआ' और 'समाह्वय' हैं (एतत्

प्रकाशं तात्पर्यम्) ये प्रत्यक्ष में होने वाली तस्करो=चोरी हैं (नृपतिः) राजा (तयोः प्रतीघाते) इनको समाप्त करने के लिये (निरयं यत्नवान् भवेत्) सदा प्रयत्नशील रहे ॥ २२२ ॥

द्युत और समाह्वय में भेद—

अप्राणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते ।

प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥ २२३ ॥ (८८)

(अप्राणिभिः यत् क्रियते) बिना प्राणियों अर्थात् जड़ [ताश, पासा, कौड़ी, गोटो आदि] वस्तुओं के द्वारा बाजी लगाकर जो खेल खेला जाता है (लोके तत् 'द्युतम्' उच्यते) लोक में उसे 'द्युत' = जूमा कहा जाता है और (यः तु) जो (प्राणिभिः क्रियते) चेतन प्राणियों [मनुष्य, मुर्गा, तोतर, बटेर, घोड़ा आदि] के द्वारा बाजी लगाकर खेला जाता है (सः 'समाह्वयः' विज्ञेयः) उसे 'समाह्वय' कहा जाता है ॥ २२३ ॥

द्युतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात्कारयेत् वा ।

तान्सर्वान्घातयेद्वा राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥ २२४ ॥ (८९)

(यः) जो मनुष्य (द्युतं च समाह्वयम्+एव) 'जूमा' और 'समाह्वय' (कुर्यात् वा कारयेत्) स्वयं खेले या दूसरों से खिलायें (राजा) राजा (तान् सर्वान्) उन सबको (च) और (द्विजलिङ्गिनः शूद्रान्) कपटपूर्वक द्विजों के वेश धारण करने वाले शूद्रों को (घातयेत्) शारीरिक दण्ड [ताड़ना, अंगच्छेदन] आदि दे ॥ २२४ ॥

कितवान्कुशीलवान्क्रूरान् पाखण्डस्यांश्च मानवान् ।

विकर्मस्थाञ्छोण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् ॥ २२५ ॥ (९०)

और (कितवान्) जुधारियों, (कुशीलवान्) असम्य नाच-गानों से जीविका करने वाले, (क्रूरान्) क्रूर=अत्याचारो आचरण वाले, (पाखण्ड-स्यान्) ढोंग आदि रचकर रहने वाले, (विकर्मस्थान्) शास्त्रविरुद्ध बुरे कर्म करने वाले, (शोण्डिकान्) शराब बनाने-बेचने वाले (मानवान्) इन मनुष्यों को (पुरात् क्षिप्रं निर्वासयेत्) राजा अपने राज्य से जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दे ॥ २२५ ॥

अन्वयार्थान्तरः : 'कुशीलव' का अर्थ—'कुशीलव' का विग्रह है 'कुस्तिस्तं शीलम् 'कुशीलम्' कुशीलम् अस्य अस्ति सः कुशीलवः' [मत्वर्थीय 'व' प्रत्यय] अर्थात् जिनका निन्दनीय स्वभाव और चेष्टाएं हैं, असम्य या भोंडे ढंग के नाच गानों से जीविका

करने वाले या राज्य में इस बहाने से कोई ग्रहितकर बात फैलाने वाले व्यक्तियों को 'कुशीलव' कहा जाता है ।

एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतत्स्कराः ।

विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥ २२६ ॥ (६१)

(एते प्रच्छन्न तत्स्कराः) ये [६।२२५] छुपे हुए तत्स्कर=चोर (राष्ट्रे वर्तमानाः) राज्य में रहकर (विकर्मक्रियया) गलत और बुरे कामों को कर-करके (नित्यम्) सदा (राज्ञः) राजाओं और (भद्रिकाः प्रजाः) सज्जन प्रजाओं को (बाधन्ते) हानि और दुःख पहुंचाते रहते हैं ॥ २२६ ॥

द्यूतमेतत्पुरा कल्पे दृष्टं वरकरं महत् ।

तस्माद् द्यूतं न सेवेत हास्यायंमपि बुद्धिमान् ॥ २२७ ॥ (६२)

(एतत् द्यूतम्) यह 'जूआ' (पुराकल्पे दृष्टं वरकरं दृष्टम्) अब से पहले समय में भी महान् कष्ट एवं शत्रुता पैदा करने वाला देखा गया है (तस्मान्) इसलिये (बुद्धिमान्) बुद्धिमान् मनुष्य (हास्यायंम् + अपि द्यूतं न सेवेत) हंसी-मजाक में भी 'जूआ' न खेले ॥ २२७ ॥

प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः ।

तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ (६३)

(प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा) छुपकर वा सबके सामने (यः नरः तत् निषेवेत) जो मनुष्य 'जूआ' खेले (तस्य दण्डविकल्पः) उसका दण्ड-विधान निश्चित नहीं है (नृपतेः यथेष्टं स्यात्) राजा की इच्छानुसार उसका दण्ड होता है अर्थात् जूआ असह्य दुष्कर्म है [२१, २२४] उससे होने वाली हानि को देखकर राजा जो भी चाहे अधिक दण्ड दे दे ॥ २२८ ॥

अत्रविदुश्श्रयोनिस्तु दण्डं वातुमशक्नुवन् ।

अत्रविदुश्श्रयोनिस्तु दण्डं वातुमशक्नुवन् ।

जुमाने को धार-धारें चुका दे अर्थात् ब्राह्मण से काम न कराये ॥ २२९ ॥

स्त्रीबालोन्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम् ।

शिक्षाविदलरज्ज्वाद्यविदध्यान्पतिर्बन्धम् ॥ २३० ॥

(स्त्री-बाल-उन्मत्त-वृद्धानाम्) स्त्रियाँ, बालक, पागल, बुद्ध, (दरिद्राणां च रोगिणाम्) गरीब और रोगी इनको (नृपतिः) राजा (शिक्षा-विदल-रज्जु + प्राचीः)

बैत, बांस, रस्सी आदि से ताड़ना करके ही (दम विदध्यात्) दण्ड दे अर्थात् इन पर अर्थदण्ड और कार्यदण्ड न करे ॥ २३० ॥

अनुशीलन : २२६-२३० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—(१) विषयसंकेतक श्लोक ६।२२० के अनुसार यहाँ विषय 'द्यूत-सम्बन्धी' विधानों का है। इन श्लोकों में उक्त सामान्य दण्डव्यवस्था उक्त-विषय के विरुद्ध है, अतः असंगत होने से ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) २२६ वें श्लोक में अन्य वर्णों से काम करा लेना किन्तु ब्राह्मण से काम न कराने का कथन, पक्षपातपूर्ण दण्डव्यवस्था का द्योतक है, जबकि मनु सब के लिए पक्षपातरहित सर्वसामान्य समान दण्डों का विधान करते हैं [६।३०७, ३११]; अपितु ब्राह्मण को अधिक समझदार और जिम्मेदार होने से अधिक दण्ड देने का विधान करते हैं [८।३३८]। अतः यह पक्षपात पूर्ण व्यवस्था मनुविरुद्ध है।

मुकद्दमों के अन्त में उपसंश्र

रिश्वत लेकर अन्याय करने वालों को दण्ड—

ये नियुक्तास्तु कार्येण हन्युः कार्याणि कार्याणाम् ।

धनोत्थमणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेन्नुपः ॥ २३१ ॥ (६४)

(कार्येषु नियुक्ताः तु ये) मुकद्दमों के कार्यों में राजा द्वारा लगाये गये जो अधिकारी-कर्मचारी (धन+उत्थमणा पच्यमानाः) धन की गर्मी अर्थात् रिश्वत आदि के लालच में आसक्त होकर (कार्याणां कार्याणि हन्युः) वादी-प्रतिवादीयों के मुकद्दमों को बिगाड़ें (नृपः) राजा (तान् निःस्वान् कारयेत्) उनकी सारी संपत्ति छीन ले ॥ २३१ ॥

अनुशीलन : मुहावरे का प्रयोग और उसका अर्थ—'धनोत्थमणा पच्यमानाः' यह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है 'धन के लालच में पड़ने वाले लोग' या 'रिश्वत हड़पने वाले'। ऐसे रिश्वतखोर व्यक्तियों की राजा सम्पत्ति छीन ले।

... हन्याद् द्विदस्सेविनस्तथा ॥ २३२ ॥ (६५)

(च) और (कूटशासनकर्तृन्) राजा के निर्णयों को कपटपूर्वक लिखने वाले, (प्रकृतीनां दूषकान्) प्रकृति=प्रजा, मन्त्री, सेनापति आदि को [६।२६४] रिश्वत आदि बुरे कार्यों में फंसाकर बिगाड़ने वाले, (स्त्री-बाल-ब्राह्मणघ्नान् च) स्त्रियों, बच्चों और विद्वानों की हत्या करने वाले, (तथा) तथा (द्विदस्सेविनः) शत्रु से मिलकर उसका भला करने वाले,

इनको (हन्यात्) वध से दण्डित करे अर्थात् इनको कठोर से कठोर और कष्टप्रद दण्ड देना चाहिए ॥ २३२ ॥

ठीक निर्णय को किसी दबाव या तालच में आकर न बदले—

तीरितं चानुशिष्टं च यत्र वचनं यद्भवेत् ।

कृतं तद्धर्मतो विद्यान् तद्भूयो निवर्तयेत् ॥ २३३ ॥ (६६)

(यत्र वचनं) जहां किसी मुकद्दमे में (तीरितम्) ठीक निर्णय किया जा चुका हो (च) और (अनुशिष्टं भवेत्) किसी दण्ड का आदेश भी दिया जा चुका हो (धर्मतः तत् कृतं विद्यात्) धर्मपूर्वक किये उस निर्णय को पूरा हुआ जानना चाहिए (तत् भूयः न निवर्तयेत्) उस मुकद्दमे का पुनः निर्णय न करे [यह लोभ या ममत्व आदि के कारण अथवा अकारण निर्णय न बदलने का कथन है, कारण विशेष होने पर तो पुनः निर्णय का कथन किया गया है (८। ११७; ६। २३४)] ॥ २३३ ॥

अमात्याँ और न्यायाधीशों को अन्याय करने पर दण्ड—

अमात्याः प्राड्विवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा ।

तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्सहस्रं च दण्डयेत् ॥ २३४ ॥ (६७)

(अमात्याः वा प्राड्विवाकः) मन्त्री अथवा न्यायाधीश (यत् कार्यम् + अन्यथा कुर्युः) जिस मुकद्दमे के निर्णय को गलत या अन्यायपूर्वक कर दें तो (तत्) उस मुकद्दमे के निर्णय को (नृपतिः) राजा (स्वयं कुर्यात्) स्वयं करे (च) और (तान्) अन्यायपूर्वक निर्णय करने वाले उन अधिकारियों को (सहस्रं दण्डयेत्) एक हजार परा [८। १३६] दण्ड से दण्डित करे ॥ २३४ ॥

पाँच महापातकी और उनको दण्ड—

ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुत्ल्पगः ।

(ब्रह्महा) (कुर्यात्) ब्रह्महत्या करने वाले (सुरापश्च) (पानं) शरापान करने वाले (स्तेयी) चोरी करने वाले (च) और (गुरुत्ल्पगः) गुरु की पत्नी से संभोग करने वाले (एते सर्वे नराः) ये सब मनुष्य (पृथक्) पृथक्-पृथक् (महापातकिनः ज्ञेयाः) महापातकी—महापापी समझने चाहिये ॥ २३५ ॥

चतुर्णामपि चंतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् ।

शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥ २३६ ॥

(प्रयश्चित्तम् + आकुर्वताम्) प्रायश्चित्त न करने पर (एतेषां चतुर्णाम् + अपि) इन चारों को ही राजा (धर्म्यम्) धर्मानुसार (धनसंयुक्तं शारीरं दण्डं प्रकल्पयेत्) धन-दण्डसहित शारीरिक दण्ड [६। २३७] देवे ॥ २३६ ॥

गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः ।

स्तेये च श्वपदं कार्यं ब्रह्महण्यशिराः पुमान् ॥ २३७ ॥

(गुरुतल्पे भगः कार्यः) गुरुपत्नी के साथ संभोग करने पर व्यभिचारी के माथे पर भग = योनि का चिह्न दगवा देना चाहिये (सुरापाने सुराध्वजः) शराब पीने वाले के माथे पर सुरापान का चिह्न (स्तेये श्वपदं कार्यम्) चोरी करने वाले के माथे पर कुत्ते के पंजे का चिह्न दगवा देना चाहिये (ब्रह्महणि + अशिराः पुमान्) ब्राह्मण की हत्या करने वाले के माथे पर सिरकटे मनुष्य का चिह्न दगवा देना चाहिये ॥ २३७ ॥

असम्भोज्याः ह्यसंयाज्या असंपाठ्याविवाहिनः ।

चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ॥ २३८ ॥

ये सब (असम्भोज्याः) भोजन न कराने योग्य, (असंयाज्याः) यज्ञ आदि न कराने योग्य, (असंपाठ्याः) न पढ़ाने योग्य, (अविवाहिनः) विवाह न करने योग्य और (सर्वधर्मबहिष्कृताः) सभी धर्मकार्यों से बहिष्कृत किये हुए होकर (दीनाः पृथिवीं चरेयुः) बेसहारों की तरह पृथ्वी पर घूमें ॥ २३८ ॥

जातिसम्बन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कुतलक्षणाः ।

निन्दया निर्नमस्कारास्तन्मनोऽनुशासनम् ॥ २३९ ॥

(कुतलक्षणाः एते) चिह्नों से दागे हुए ये [६। २३७] व्यक्ति (जातिसम्बन्धिभिः त्यक्तव्याः) रिश्ते-नातेदारों द्वारा भी छोड़ दिये जाने चाहियें ये लोग (निन्दयाः) दया करने योग्य नहीं हैं (निर्नमस्काराः) और नमस्कार करने योग्य भी नहीं हैं (तत् मनोः + अनुशासनम्) यही मनु का आदेश है ॥ २३९ ॥

प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववर्णा यथोदितम् ।

उत्तमसाहसं दाप्याः स्युर्दाप्यास्तत्तमसाहसम् ॥ २४० ॥

(प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः) प्रायश्चित्त करने वाले (सर्ववर्णाः) सब वर्ण वालों को (राजा ललाटे न + अङ्क्या) राजा माथे पर दाग न लगावाये (तु) किन्तु (उत्तमसाहसं दाप्याः स्युः) उन्हें केवल 'उत्तमसाहस' [८। १३८] से दण्डित करे ॥ २४० ॥

आगःसु ब्राह्मणस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः ।

विवास्त्यो वा श्वेद्वाष्ट्रास्तद्व्ययः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥

(सु ब्राह्मणस्य) पूर्वोक्त [६। २३५] अपराधों को यदि कोई गुणवान् ब्राह्मण

अकामपूर्वक करे तो (मध्यमसाहसः प्रागः कार्यः) उस पर 'मध्यमसाहस' दण्ड करे (वा) और सकामपूर्वक करने वाले ब्राह्मण को (सपरिच्छदः) गृह्यस्तुओं सहित (सद्रव्यः) धनसहित (राष्ट्रात् विवास्य भवेत्) राष्ट्र से निकाल देना चाहिए ॥ २४१ ॥

इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः ।

सर्वस्वहारमर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम् ॥ २४२ ॥

(अकामतः एतानि) अकामपूर्वक पूर्वोक्त (पापानि कृतवन्तः इतरे तु) अपराधों को करने वाले इतर वर्णों अर्थात् क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को (सर्वस्वहारम् + अर्हन्ति) सर्वस्व हरण का दण्ड देना चाहिए (तु कामतः) किन्तु सकामपूर्वक करने वालों को (प्रवासनम्) [सर्वस्वहरण के साथ] देशनिकाला भी देना चाहिए ॥ २४२ ॥

नाददीत नृपः साधुर्महापातकिनो धनम् ।

आददातस्तु तस्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥

(साधुः नृपः) श्रेष्ठ राजा (महापातकिनः धनं न + आददीत) महापातकियों का धन [दण्ड, कर आदि किसी भी रूप में] ग्रहण न करे (लोभात् तत् आददानः तु) लोभवश उनके धन को लेने पर (तेन दोषेण लिप्यते) उस-उस महापातक दोष से युक्त होता है ॥ २४३ ॥ *

अस्तु प्रवेक्ष्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत् ।

श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ॥ २४४ ॥

(तं दण्डम्) महापातकियों पर किये गये जुर्माने से प्राप्त धन को (अस्तु प्रवेक्ष्य) जल में डालकर (वरुणाय + उपपादयेत्) वरुण देवता को अर्पित कर दे (वा) अथवा (श्रुतवृत्त + उपपन्ने ब्राह्मणे) शास्त्रों के विद्वान् और सदाचारी ब्राह्मण को (प्रतिपादयेत्) दे देवे ॥ २४४ ॥

ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञा दण्डधरो हि सः ।

ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥

(हि) क्योंकि (वरुणः दण्डस्य ईशः) वरुण देवता दण्ड के धन का स्वामी है, इस कारण (तः) वह वरुण (राज्ञा दण्डधरः) राजाओं के दण्ड-धन को लेने का अधिकारी है और (वेदपारगः ब्राह्मणः) वेदों में पारंगत ब्राह्मण (सर्वस्य जगतः ईशः) सम्पूर्ण जगत् का स्वामी है, अतः वह भी दण्डधन को लेने का अधिकारी है ॥ २४५ ॥

यत्र वर्जयते राजा पापकृद्भ्यो धनागमम् ।

तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥

(यत्र) जिस देश में (राजा) राजा (पापकृद्भ्यः धन + प्रागमं वर्जयते) महा-

पातकियों से धनग्रहण नहीं करता (तत्र) उस राज्य में (मानवाः) मनुष्य (कालेन दीर्घजीविनः जायन्ते) समयानुसार उत्तरोत्तर दीर्घजीवी होते हैं ॥ २४६ ॥

निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोत्तानि विशां पृथक् ।

बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥

(विशाम् उत्तानि सस्यानि) वैश्यों द्वारा बोये गये अन्नादि के बीज (यथा पृथक् निष्पद्यन्ते) ठीक-ठीक और पृथक्-पृथक् सभी उत्पन्न होते हैं (च) और (बालाः न प्रमीयन्ते) बालक नहीं मरते (च) तथा (विकृतं न जायते) किसी को कोई रोगविकार नहीं होता ॥ २४७ ॥

ब्राह्मणान्बाधमानं तु कामादवरवर्णजम् ।

हम्याश्चित्रैर्वधोपायैरुद्वेजनकरैर्नृपः ॥ २४८ ॥

(कामात्) जानबूझकर (ब्राह्मणान् बाधमानम्) ब्राह्मणों को बाधा = पीड़ा पहुँचाने वाले (अवरवर्णजम्) शूद्र को (नृपः) राजा (उद्वेजनकरैः) व्याकुलता पैदा करने वाले (चित्रैः वध + उपायैः हम्यात्) अनेक प्रकार के वध के उपायों से मार डाले ॥ २४८ ॥

अनुशीलन : २३५—२४८ श्लोक निम्न 'प्राधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—विषयसंकेत श्लोक ६। २२० के अनुसार यहां 'द्यूत-सम्बन्धी' विधानों का विषय है और विषयसंकेतक श्लोक ८। ७ तथा ६। २५० से यह संकेतित है कि अठारह प्रकार के मुकद्दमों में यह अन्तिम मुकद्दमा है तथा इसके वर्णन के पश्चात् केवल उपसंहारात्मक श्लोकों का वर्णन [६। २३१-२३४, २४६] ही संगत माना जा सकता है, अन्य नहीं। इन श्लोकों में द्यूतधर्म से तथा उपसंहार से बाह्य वर्णन है, अतः ये सभी श्लोक विषयविरुद्ध प्रक्षेप हैं। पूर्व वर्णित अपने-अपने विषयों में ही इन दण्डों का कथन करना संगत था। और विषयानुसार वहाँ-वहाँ इन सभी अपराधों की दण्ड-व्यवस्था मनु ने पहले कह भी दी है, अतः उनका यहां पुनः कथन बर्से भी अनावश्यक है। (२) ७—६ अध्यायों में राजा की दण्ड-व्यवस्था है, प्रायश्चित्त की नहीं। अतः २३६ में प्रायश्चित्त न करने पर ही दण्ड का विधान इस विषय के विरुद्ध है, राजा तो अपने नियमानुसार दण्ड देगा ही। और प्रायश्चित्तों का वर्णन ११ वें अध्याय में होना चाहिए था। इस प्रकार भी ये विषय-विरुद्ध हैं।

२. प्रसंगविरोध—२३४ और २५० श्लोकों में सभी १८ मुकद्दमों के पश्चात् उपसंहारात्मक वर्णन है। इन श्लोकों ने उस वर्णन-प्रसंग को भंग करके पूर्व आये प्रसंगों का बीच में पुनः वर्णन किया है। प्रसंगभङ्गक होने के कारण ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. अन्तर्विरोध—(१) इन श्लोकों का आधारभूत श्लोक २३५ वां है। इस

२३५ वें की मान्यता तत्तत् प्रसंगों में मनुविहित पूर्व मान्यताओं से मेल नहीं खाती।
 ८। ३८६ में विशिष्ट अपराधियों की गणना करते हुए मनु ने चोर, परस्त्रीगामी, दुष्टवाक्, लुटेरा और हत्यारा, इन व्यक्तियों को विशिष्ट अपराधी माना है। यहाँ विशिष्ट महापातकियों का परिगणन उनसे भिन्नरूप में है। वहाँ सर्वमान्य आधार पर विशिष्ट अपराधियों का परिगणन है, जब कि यहाँ व्यक्तिपरक [केवल ब्राह्मण और गुरु] आधार पर है, जो उचित नहीं है। (२) इन श्लोकों में उक्त दण्ड-व्यवस्था भी पूर्वविहित दण्ड-व्यवस्थाओं से भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। [यथा—हत्या ८। २८६-२८८, परस्त्रीगामी ८। ३५२-३७२, मद्यपी ९। २२५]। (३) २४१-२४२, २४८ में पक्षपात-पूर्ण दण्ड-व्यवस्था है, जो ९। ३०७, ३११, ८। ३३५-३३८ की भावना एवं व्यवस्था के विरुद्ध है। (४) ३४३-३४७ श्लोकों की व्यवस्था उन पूर्वोक्त सभी श्लोकों के विरुद्ध है जिनमें अपराधियों पर जुर्माना करने, सर्वस्वहरण करने की राजा को आज्ञा दी है [८। २८८, ३४०, ३२२, ३३५-३३८] आदि।

४. शंलीगत आधार—२२६ वें श्लोक में “तत् मनोः अनुज्ञासनम्” पदों से स्पष्ट है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की रचना है, अतः यह प्रक्षिप्त है और इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इससे सम्बद्ध यह सम्पूर्ण पूर्वापर प्रसंग स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है।

यावान्वध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे ।

अथर्धो नृपतेऽष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ २४६ ॥ (६८)

(अवध्यस्य वधे) अदण्डनीय को दण्ड देने पर (नृपतेः) राजा को (यावान्+अधर्मः दण्डः) जितना अधर्म होना शास्त्र में माना गया है (तावान् अवध्यस्य मोक्षणे) उतना ही दण्डनीय को छोड़ने में अधर्म होता है (विनियच्छतः तु धर्मः) न्यायानुसार दण्ड देना ही धर्म है ॥ २४६ ॥

उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः ।

अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५० ॥ (६९)

(अयम्) यह [८। १ से ९। २४६ तक] (मिथः विवदमानयोः) परस्पर विवाद=झगड़ा करने वाले वादी-प्रतिवादियों के (अष्टादशसु मार्गेषु) अठारह प्रकार के (व्यवहारस्य निर्णयः) मुकद्दमों का निर्णय (विस्तरशः उदितः) विस्तारपूर्वक कहा ॥ २५० ॥

एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कुर्वन्महीपतिः ।

द्वैशानलब्धांल्लिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत् ॥ २५१ ॥ (१००)

(एवम्) इस पूर्वोक्त कही विधि के अनुसार (धर्म्याणि कार्याणि कुर्वन्) धर्मयुक्त कार्यों को करता हुआ (महीपतिः) राजा (अलब्धान्

देशान् लिप्सेत्) अप्राप्त देशों को प्राप्त करने की इच्छा करे (च) और (लब्धान् परिपालयेत्) प्राप्त किये देशों का भलीभांति पालन करे ॥२५१॥

राजा द्वारा लोककण्टकों का निवारण—(६। २५२ से ३२५ तक)

सम्यङ् निविष्टदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः ।

कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् ॥ २५२ ॥ (१०१)

राजा (सम्यक् निविष्टदेशः) अच्छे सस्यादिसम्पन्न देश का आश्रय करके (च) और वहाँ (शास्त्रतः कृतदुर्गः) शास्त्रानुसार विधि [७। ६६] से किला बनाकर (कण्टकोद्धरणे) अपने राज्य से कंटकों = 'प्रजा' या शासन को पीड़ित करने वाले लोगों को [२५६-२६०] दूर करने में (नित्यम् उत्तमं यत्नम् + आतिष्ठेत्) सदा अधिकाधिक यत्न करे ॥ २५२ ॥

अनुध्यातव्यः : लोककण्टक से अभिप्राय—समाज की व्यवस्था, सुख, शान्ति में अपराध और नियमविरुद्ध कार्य करके पीड़ा = बाधा पहुंचाने वाले लोग 'लोककण्टक' कहलाते हैं। लोककण्टक शब्द का अर्थ भी यही है—'लोगों को कांटे की तरह चुभकर पीड़ा देने वाले'। इनकी गणना ६।२५६-२६० में की है।

रक्षणादायवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात् ।

नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥ (१०२)

(प्रायवृत्तानां रक्षणात्) श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्तियों की रक्षा करने से (च) और (कण्टकानां शोधनात्) कण्टकों = कण्टदायक दुष्ट व्यक्तियों को दूर करने से (प्रजापालनतत्पराः नरेन्द्राः) प्रजाओं के पालन करने में तत्पर रहने वाले राजा (त्रिदिवं यान्ति) विस्तृत राज्य के उत्तम सुख को भोगते हैं ॥ २५३ ॥

अनुध्यातव्यः : 'त्रिदिवं यान्ति' मुहावरा—'त्रिदिवं यान्ति' यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है 'त्रिदिवं प्राप्नुवन्ति' = तीनों लोकों के राज्य को प्राप्त करते हैं अर्थात् उनका राज्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यह मुहावरा आजकल भी हिन्दी में इसी अर्थ में प्रचलित है।

अशासंस्तस्कराग्यस्तु बलि गृह्णाति पाण्डिवः ।

तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच्च परिहीयते ॥ २५४ ॥ (१०३)

(यः तु पाण्डिवः) जो राजा (तस्करान् प्रशासन्) चोर [६।२५७] आदि को नियन्त्रित-दण्डित न करता हुआ (बलि गृह्णाति) प्रजाओं से कर आदि ग्रहण करता है (तस्य राष्ट्रं प्रक्षुभ्यते) उसके राष्ट्र में निवास करने वाली प्रजाएं क्षुब्ध होकर विद्रोह कर देती हैं (च) और वह (स्वर्गात् परिहीयते) राज्यसुख से क्षीण हो जाता है ॥ २५४ ॥

अनुद्योतनः : तस्कर का अर्थ और व्युत्पत्ति—‘तस्कर’ विशेष रूप से उस चोर को कहते हैं जो प्रकट और गुप्त प्रत्येक प्रकार की चोरी प्रत्यक्ष ठगी, जाल-साजी अथवा लूट के रूप में करता है। जो धन को लूटने के लिए हर गलत उपाय को प्रयोग में लाने में विश्वास रखता है। निघंटु ३।२४ में कहा है—“तस्करः स्तेननाम” = चोर का नाम तस्कर है, कैसा चोर होता है वह? “तस्करः तत्करो भवति। करोति यत् पापकमिति नैवज्ञाताः। तन्नोतेर्वा स्यात्सन्ततकर्माभवति अहोरात्रकर्मा वा” [निस० ३।१४] अर्थात् जो पापकर्मों में लगा रहता है, वह तस्कर कहलाता है। चोरी के कार्य का विस्तार करता है अथवा दिन में भी रात में भी समय और परिस्थिति के अनुरूप हर समय किसी न किसी चोरी करने के काम में लगा रहता है।

निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितम् ।

तस्य तद्वधंते नित्यं सिच्यमान इव द्रुमः ॥२५५॥ (१०४)

(यस्य बाहुबलाश्रितम्) जिस राजा के बाहुबल = दण्डशक्ति के सहारे (राष्ट्रं निर्भयं तु भवेत्) राष्ट्र अर्थात् प्रजाएं [चोर आदि से] निर्भय रहती हैं (तस्य तत्) उमका वह राज्य (सिच्यमानः द्रुमः इव) सींचे गये वृक्ष की भाँति (नित्यं वधंते) सदा बढ़ता रहता है ॥ २५५ ॥

दो प्रकार के तस्कर—

द्विविधास्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान् ।

प्रकाशाश्च प्रकाशाश्च चारचक्षुर्महीपतिः ॥२५६॥ (१०५)

(चारचक्षुः महीपतिः) गुप्तचर ही हैं नेत्र जिसके अर्थात् गुप्तचरों के द्वारा सब प्रजा का काम देखने वाला राजा (प्रकाशान् च + अप्रकाशान् परद्रव्य + अपहारकान्) प्रकट और गुप्त रूप से दूसरों के द्रव्यों को चुराने वाले (द्विविधान् तस्करान् विद्यात्) दोनों प्रकार के चोरों की जानकारी रखे ॥ २५६ ॥

प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः ।

प्रच्छन्नवञ्चकास्तेषां ये स्तेनादविकादयः ॥२५७॥ (१०६)

(तेषाम्) उन दोनों प्रकार के चोरों में (नानापण्य-उपजीविनः प्रकाशवञ्चकाः) नाना प्रकार के व्यापारी जो देखते-देखते माप, तोल या मूल्य में हेराफेरी करके ठगते हैं वे ‘प्रकट-चोर’ हैं (ये) और जो (स्तेन-आटविकादयः) अंगल आदि में छिपे रहकर चोरी करने वाले हैं (ते) वे (प्रच्छन्नवञ्चकाः) ‘गुप्तचोर’ हैं ॥ २५७ ॥

लोककण्टकों की गणना—

उत्कोचकाश्चोपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा ।

मङ्गलादेशवृत्तश्च भद्राश्चेक्षणिकैः सह ॥ २५८ ॥ (१०७)

असम्यक्कारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः ।

शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ २५९ ॥ (१०८)

एवमादीन्विजानीयात्प्रकाशांल्लोककण्टकान् ।

निगूढचारिणश्चान्यानार्यान्आर्यलिङ्गिनः ॥ २६० ॥ (१०९)

(उत्कोचकाः) रिश्वतखोर, (ओपधिकाः) भय दिखाकर धन लेने वाले (वञ्चकाः) ठग, (कितवाः) 'जुआ' से धन लेने वाले, (मङ्गलादेश-वृत्ताः) 'तुम्हें पुत्र या धन प्राप्ति होगी' इत्यादि मांगलिक बातों को कहकर धन लूटने वाले, (भद्राः) साधु-संन्यासी आदि भद्ररूप धारण करके धन ठगने वाले, (ईक्षणिकैः सह) हाथ आदि देखकर भविष्य बताकर धन ठगने वाले, (असम्यक् कारिणः महामात्राः) धन, वस्तु आदि लेकर गलत तरीकों से काम करने वाले उच्च राजकर्मचारी [मन्त्री आदि], (चिकित्सकाः) अनुचित मात्रा में धन लेने वाले या अयोग्य चिकित्सक (शिल्पोपचारयुक्ताः) अनुचित मात्रा में धन लेने वाले शिल्पी [चित्रकार आदि], (निपुणाः पण्ययोषितः) धन ठगने में चतुर वेश्याएं (एवम्+आदीन्) इत्यादियों को (च) और (अन्यान्) दूसरे जो (आर्यलिङ्गिनः निगूढचारिणः अनार्यान्) श्रेष्ठों का वेश या चिह्न धारण करके गुप्तरूप से विचरण करने वाले दुष्ट या बुरे व्यक्ति हैं, उनको (प्रकाशान् लोककण्टकान् विजानीयात्) प्रकट लोककण्टक=प्रजाओं को पीड़ित करने वाले चोर समझे ॥ २५८-२६० ॥

अनुधीतम् : ओपधिक का अर्थ—'ओपधिक' का अर्थ 'किसी प्रयोजन से कोई जालसाजी रचकर भय दिखाकर धन लूटने वाला व्यक्ति' होता है। आजकल की भाषा में इन्हें ब्लैकमेल (भयादोहन) करने वाले कहते हैं।

तान्विदित्वा सुचरितैर्गूढैस्तत्कर्मकारिभिः ।

चारैश्चानेकसंस्थानैः प्रोत्साद्य वशमानयेत् ॥ २६१ ॥ (११०)

(तत् कर्मकारिभिः) जिस विषय में जानकारी प्राप्त करनी है वंसा ही कर्म करने में चतुर, (गूढैः) गुप्त रहने वाले (सुचरितैः) अच्छे आचरण वाले (अनेक संस्थानैः) अनेक स्थानों में नियुक्त (चारैः) गुप्तचरों के द्वारा (तान् विदित्वा) उन ठगों या लोककण्टकों को मालूम करके (च) और फिर (प्रोत्साद्य) उन्हें पकड़कर (वशम्+आनयेत्) अपने वश में करे,

कारागृह में रखे अर्थात् उन पर ऐसा नियन्त्रण रखे कि वे ये काम न कर पायें ॥ २६१ ॥

तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः ।

कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२ ॥ (१११)

(राजा) राजा (स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः तेषां दोषान् + अभिख्याप्य) जो-जो उन्होंने बुरा काम किया है भलीभाँति उनके दोषों को घोषणा करके (सार अपराधतः) उनके बल और अपराध के अनुसार (सम्यक् शासनं कुर्वीत) न्यायोचित दण्ड से दण्डित करे ॥ २६२ ॥

नहि दण्डादृते शक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः ।

स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ ॥ २६३ ॥ (११२)

(स्तेनानाम्) प्रकट चोरों, (क्षितौ निभृतं चरताम्) पृथ्वी पर गुप्त-रूप से विचरण करने वाले चोरों या अन्य अपराधियों तथा (पापबुद्धीनाम्) पाप कर्म में बुद्धि रखने वालों के (पापविनिग्रहः) पापों पर रोक (दण्डात् + ऋते नहि कर्तुं शक्यः) दण्ड के बिना नहीं हो सकती, अतः दण्ड देने में कभी प्रमाद या शिथिलता न करे ॥ २६३ ॥

गुप्तचरों द्वारा किन स्थानों से अपराधियों का पता लगाये—

सभाप्रपापूपशालावेशमद्यान्नविक्रयाः ।

चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ (११३)

जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च ।

शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ (११४)

एवंविधान्पुो देशान्गुल्मैः स्थावरजङ्गमैः ।

तस्करप्रतिषेधार्थं चारंश्चाप्यनुचारयेत् ॥ २६६ ॥ (११५)

(सभा-प्रपा + अपूपशाला) सभाओं के आयोजन स्थल, प्याऊ, माल-पूरा आदि बेचने का स्थान [भोजनालय, हलवाईयों की दुकान आदि], वेश-मद्य-प्रन्न-विक्रयाः) बहुरूपी वेशभूषा, मद्य तथा अनाज बेचने का स्थान [मण्डी आदि], (चतुष्पथाः) चौराहे, (चैत्यवृक्षाः) प्रसिद्धवृक्ष जहाँ लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, (समाजाः) सार्वजनिक स्थान, (प्रेक्षणानि) मनोरंजन के स्थान, (जीर्ण + उद्यान + अरण्यानि) पुराने बगीचे और जंगल, (कारुका + आवेशनानि) शिल्पगृह = संग्रहालय आदि (शून्यानि अगाराणि) सूने पड़े हुए घर, (वनानि च उपवनानि) वन और उपवन, (राजा) राजा (एवं-विधान् देशान्) ऐसे स्थानों में (तस्करप्रतिषेधार्थम्) चोरों के निवारण के

लिए (स्थावर-जङ्गमैः गुल्मैः) एक स्थान पर (पुलिस चौकी बनाकर) रहने वाले और गश्त लगाने वाले सिपाहियों के दलों को (च) और (चारैः) गुप्तचरों को (अनुचारयेत्) विचरणा कराये या नियुक्त करे ॥ २६४-२६६॥

तत्सहायैरनुगतैर्नानाकर्मप्रवेदिभिः ।

विद्यादुस्तादयेच्छेव निपुणैः पूर्वतत्स्करैः ॥ २६७ ॥ (११६)

(तत् सहायैः + अनुगतैः) उन चोर आदि के सहायकों और अनु-गामियों से (नानाकर्मप्रवेदिभिः निपुणैः पूर्वतत्स्करैः) अनेक प्रकार के कर्मों को जानने वाले चतुर भूतपूर्व चोरों से भी (विद्यात्) चोरों का पता लगावे (च) और पता लगने पर उन्हें (उत्सादयेत्) दण्डित करे ॥ २६७ ॥

भक्ष्यभोग्योपदेशैश्च ब्राह्मणानां च दर्शनैः ।

शौर्यकर्मपदेशैश्च कुर्युस्तेषां समागमम् ॥ २६८ ॥ (११७)

वे सहयोगी या गुप्तचर लोग (भक्ष्य-भोग्य-प्रपदेशैः) खाने के पदार्थों का लालच देकर (च) और (ब्राह्मणानां दर्शनैः) ब्रह्मवेत्ता विद्वानों के दर्शनो के बहाने (च) तथा (शौर्यकर्म-प्रपदेशैः) कोई शौर्यकर्म दिखाने के बहाने से (तेषां समागमं कुर्युः) उन चोर आदि को सिपाहियों से मिला दें, मिश्रितार करा दें ॥ २६८ ॥

ये तत्र नोपसर्पेयुर्मूलप्रणिहिताश्च ये ।

तान्प्रसह्य नृपो हन्यात्समिश्रजातिबान्धवान् ॥ २६९ ॥ (११८)

(ये) जो चोर और उनके सहयोगी (तत्र न + उपसर्पेयुः) उपर्युक्त स्थानों [२६८] पर न आवें (च) और (ये) जो चोर (मूलप्रणिहिताः) पकड़े जाने की शंका से सावधान होकर बचते रहें अर्थात् पकड़ में न आवें तो (नृपः) राजा (समिश्र-जाति-बान्धवान् तान्) मित्र, रिश्तेदार और बान्धवों सहित उन चोरों को (प्रसह्य) बलपूर्वक पकड़ कर (हन्यात्) दण्डित करे ॥ २६९ ॥

प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे—

न होडेन बिना चौरं घातयेद्धारमिको नृपः ।

सहोढं सोपकरणं घातयेद्विचारयन् ॥ २७० ॥ (११९)

(धारमिकः नृपः) धार्मिक राजा (होडेन बिना) चोरी का माल आदि प्रमाणों के बिना (चौरं न घातयेत्) चोर को न मारे, किन्तु (सहोढं स + उपकरणम्) चोरी का माल, और संध मारने आदि के औजार आदि

प्रमाण उपलब्ध होने पर (अविचारयन् घातयेत्) अवश्य दण्डित करे ॥ २७० ॥

चोरों के सहयोगियों को भी दण्ड दे—

ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः ।

भाण्डावकाशदाश्चैव सर्वास्तानपि घातयेत् ॥ २७१ ॥ (१२०)

(च) और (ग्रामेषु + अपि ये केचित्) गांवों में भी जो कोई (चौराणां भक्तदायकाः भाण्ड-अवकाशदाः) चोरों को भोजन देने वाले, वर्तन और स्थान-शरण देने वाले हों (तान् सर्वान् अपि घातयेत्) राजा उन सबको भी दण्डित करे ॥ २७१ ॥

राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान् सामन्तांश्चैव चोदितान् ।

अभ्याघातेषु मध्यस्थाञ्छिष्याच्चौरानिव द्रुतम् ॥ २७२ ॥ (१२१)

राजा (राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्) राज्य में रक्षा के लिए नियुक्त (च) और (सामन्तान् चोदितान्) सीमाओं पर नियुक्त राजपुरुषों को (अभ्या-घातेषु मध्यस्थान्) यदि चोरी आदि के मामले में मिला हुआ पाये तो उनको भी (चौरान् + इव द्रुतं शिष्यात्) चोर के समान ही शीघ्रतापूर्वक दण्ड दे, शीघ्रतापूर्वक इसलिए जिससे प्रजाओं के मन में राजपुरुष होने के कारण छूट जाने का सदेह न पनपे ॥ २७२ ॥

यश्चापि धर्मसमयात्प्रच्युतो धर्मजीवनः ।

दण्डेनैव तमप्योषेत्स्वकाद्वर्मादि विच्युतम् ॥ २७३ ॥

(यः धर्मजीवनः) जो धर्म की आजीविका करने वाला अर्थात् वर्णों के धर्मों का उपदेश कर जीविका चलाने वाला ब्राह्मण (धर्मसमयात् प्रच्युतः) अपनी धर्मभर्यादा से भ्रष्ट हो जाये तो (स्वकात् धर्मात् विच्युतं हि तम् + अपि) अपने धर्म से भ्रष्ट हुए उस ब्राह्मण की भी (दण्डेन + एव ओषेत्) दण्ड से ही ताड़ना करे ॥ २७३ ॥

अनुयातव्यः : २७३ वां श्लोक प्रसिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यहां पूर्वापर-प्रसंग चोरों एवं चोरों के सहायकों आदि की दण्डव्यवस्था का है। इस बीच धर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण के लिए दण्ड का कथन प्रसंगविरुद्ध है। अतः यह श्लोक प्रसिप्त है।

सामूहिक हानि होने पर सहयोग न करने वाले को दण्ड—

ग्रामघाते हितामङ्गो पथि मोषाभिवर्जने ।

शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥ २७४ ॥ (१२२)

(ग्रामघाते) चोर आदि के द्वारा गांव को लूटने के मोके पर (हिता-भङ्गे) नदियों के तोड़ने पर (पथि मोष-अभिदर्शने) रास्ते में चोर आदि से मुकाबला होने पर (शक्तिनतः न+अभिधावन्तः) यथाशक्ति दौड़कर रक्षा न करने वालों को (सगरिच्छदाः निर्वास्याः) गृहसामग्री सहित उस देश से निकाल देवे ॥ २७४ ॥

अनुशीलन : हिता का अर्थ और व्युत्पत्ति—‘हिता’ का अर्थ नदी है। ‘हि गती वृद्धौ च’ धातु से क्त प्रत्यय, स्त्रीलिङ्ग में टाप् से ‘हिता’ शब्द की सिद्धि होती है। ‘हिन्वन्ति मच्छन्ति याः ताः नद्यः’ इस विग्रह से बहने वाली-गति करने वाली हिता अर्थात् नदी होती है। नदियां सामूहिक उपकार करने के लिए होती हैं। इसलिए उनको तोड़ने वालों का सामूहिक रूप से ही विरोध करना चाहिए।

राजः कोषापहृतंश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान् ।

घातयेद्विधिर्दण्डं रीणां चोपजापकान् ॥ २७५ ॥ (१२३)

(राजः कोपहृतं न) राजा के खजाने को चुराने वाले (च) और (प्रति-कूलेषु स्थितान्) राज्य के विरोधी कार्यों में संलग्न (च) तथा (अरीणाम् उपजापकान्) शत्रुओं को भेद देने वाले, इन्हें राजा और (विविधैः दण्डैः घातयेत्) विविध प्रकार के दण्डों से दण्डित करे ॥ २७५ ॥

विभिन्न अपराधियों को दण्ड—

संधिं छित्त्वा तु ये चौर्यं रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः ।

तेषां छित्त्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत् ॥ २७६ ॥ (१२४)

(ये तस्कराः) जो चोर (रात्रौ संधिं छित्त्वा) रात को संधि मारकर (चौर्यं कुर्वन्ति) चोरी करते हैं (नृपः) राजा (तेषां हस्तौ छित्त्वा) उनके हाथ काटकर (तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्) तेज शूलों पर चढ़ादे ॥ २७६ ॥

अङ्गुलीग्रंन्धिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे ।

द्वितीये हस्तचरणी तृतीये वधमर्हति ॥ २७७ ॥ (१२५)

राजा (अन्धिभेदस्य) जबकतरे चोर की (प्रथम ग्रहे) पहली बार पकड़े जाने पर (अङ्गुलीः छेदयेत्) अंगुलियां कटवादे (द्वितीये हस्तचरणी) दूसरी बार पकड़े जाने पर हाथ-पैर कटवादे (तृतीये वधम्+अर्हति) तीसरी बार पकड़े जाने पर वध करने योग्य है ॥ २७७ ॥

अग्निदान्भक्तदाश्चैव तथा शस्त्रप्रवकाशदान् ।

संनिधातुंश्च मोषस्य हन्याच्छौरमिवेश्वरः ॥ २७८ ॥ (१२६)

(ईश्वरः) राजा (मोषस्य अग्निदान् भक्तदान् शस्त्र-प्रवकाशदान्

च संनिधातुन्) चोरों को अग्नि, भोजन, शस्त्र, स्थान देने वाले और चोरी के माल को रखने वाले लोगों को भी (चौरम् + इव हन्यात्) चोर की तरह ही [६। २७७ जैमे] दण्डित करे ॥ २७८ ॥

तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धधेन वा ।

यद्वाऽपि प्रतिसंस्फुर्याद् वाप्यस्तूतमसाहसम् ॥ २७९ ॥ (१२७)

राजा (तडागभेदकं हन्यात्) प्रजा के लिए बने तालाब आदि को तोड़ने वालों का वध करे (वा) अथवा (अप्सु शुद्धधेन) जल में डुबोकर या साधारण तरीके से मारे (यद् वा + अपि) यदि (प्रतिसंस्फुर्यात्) तोड़े हुए को पुनः ठीक करवा दे तो (उत्तमसाहसं वाप्यः) 'उत्तमसाहस' का दण्ड [८। १३८] करे ॥ २७९ ॥

कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान् ।

हस्त्यश्वरथहर्तृश्च हन्यादेवाविचारयन् ॥ २८० ॥

राजा (कोष्ठागार-आयुधागार-देवतागार-भेदकान्) राज्य के अन्नभण्डारों, शस्त्रभण्डारों और यज्ञशालाओं को तोड़ने वालों का (हस्ती-अश्व-रथ-हर्तृन् च) और हाथी, घोड़े, रथ चुराने वालों का (अविचारयन् हन्यात् + एव) बिना विचारे निश्चित रूप से वध ही करे ॥ २८० ॥

अनुयायित्वम् : २८० वां श्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यहां पूर्वापर प्रसंग तालाब-हानि से सम्बद्ध दण्डों का है। इस बीच में उससे भिन्न वर्णन असंगत एवं पूर्वापर २७९, २८१ श्लोकों के वर्णनक्रम का भञ्जक होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत् ।

आगमं वाऽप्यपां भिक्षात्स वाप्यः पूर्वसाहसम् ॥ २८१ ॥ (१२८)

(यः तु) जो व्यक्ति (पूर्वनिविष्टस्य तडागस्य) किसी के द्वारा पहले बनाये गये तालाब का (उदकं हरेत्) पानी चुराले (वा) अथवा (अपाम् + आगमं भिक्षात्) जल आने का रास्ता तोड़दे (सः पूर्वसाहसं वाप्यः) उसे 'पूर्वसाहस' [८। १३८] का दण्ड दे ॥ २८१ ॥

समुत्सृजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि ।

स द्वौ कार्षापणी दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत् ॥ २८२ ॥ (१२९)

(यः तु) जो व्यक्ति (अनापदि) आपत्काल के बिना अर्थात् स्वस्थ अवस्था में (राजमार्गे) सड़क पर मुख्य रास्ते या गली पर (अमेध्यं समुत्सृजेत्) मल, मूत्र आदि डाले तो (सः द्वौ कार्षापणी दद्यात्) उस पर दो

‘कार्षापण’ [८। १३६] दण्ड करे (च) और (आशु अमेध्यं शोधयेत्) नुरस्त उस गन्दगी को साफ करवाये ॥ २८२ ॥

आपद्गतोऽथवा वृद्धा गर्भिणी बाल एव वा ।

परिभाषणमर्हन्ति तच्च शोधयमिति स्थितिः । ॥ २८३ ॥ (१३०)

(आपद्गतः) कोई रोगी या आपत्तिग्रस्त व्यक्ति (वृद्धा गर्भिणी वा बालः) वृद्ध, गर्भवती या बालक राजमार्ग को गन्दा करें तो (परिभाषणम् अर्हन्ति) उनको उसके न करने के लिए कहे या फटकार दे (च) और (अन् शोधयन्) उसकी सफाई कराने (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रमर्यादा है ॥ २८३ ॥

चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः ।

अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४ ॥ (१३१)

(सर्वेषां चिकित्सकानाम्) सभी चिकित्सकों में (अमानुषेषु मिथ्या प्रचरताम्) पशुओं की गलत चिकित्सा करने वालों को (प्रथमः दमः) ‘प्रथम-साहस’ [८। १३८] का दण्ड करे और (मानुषेषु मध्यमः) मनुष्यों की गलत चिकित्सा करने पर ‘मध्यम साहस’ का दण्ड करे ॥ २८४ ॥

संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः ।

प्रतिकुर्याच्च तत्सर्वं पञ्च दद्याच्चक्षुतानि च ॥ २८५ ॥ (१३२)

(संक्रम-ध्वज-यष्टीनाम्) संक्रम अर्थात् रथ, उस रथ के ध्वजा की यष्टि जिसके ऊपर ध्वजा बांधी जाती है (च) और (प्रतिमानां भेदकः) प्रतिमा=छटांक आदिक बटखरे, जो इन तीनों को तोड़ डाले वा अधिक न्यून करदेवे (तत् सर्वं प्रतिकुर्यात्) उनको उससे राजा बनवा लेवे (च) और (पञ्चशतानि दद्यात्) जिसका जैसा ऐश्वर्य है, उसके योग्य दण्ड करे—जो दरिद्र होवे तो उससे पांच सौ पैसा राजा दण्ड लेवे; और जो कुछ धनाढ्य होवे तो पांच सौ रुपया उससे दण्ड लेवे; और जो बहुत धनाढ्य होवे उससे पांच सौ अशर्की दण्ड लेवे । रथादिकों को उसी के हाथ से बनवा लेवे ॥ २८५ ॥ (८० शा० ५१, ५० वि० १२)

अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा ।

मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥ (१३३)

(अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे) अच्छी वस्तुओं में खराब वस्तुओं की मिलावट करके उन्हें दूषित करने पर (तथा) तथा (भेदने) अच्छी वस्तुओं

को बिगाड़ने पर (च) और (मणोनाम्+अपवेधे) मणि आदि रत्नों को तोड़ने-फोड़ने के अपराध में (प्रथमसाहसः दण्डः) 'प्रथमसाहस' [८।१३८] का दण्ड दे ॥ २८६ ॥

समैहि च विषमं यस्तु चरेद्वा मूल्यतोऽपि वा ।

समाप्नुयाद्दमं पूर्वं नरो मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥ (१३४)

(यः तु) जो (नरः) मनुष्य (समैः) समानमूल्य वाली वस्तुओं के बदले (अपि वा मूल्यतः) अथवा सही मूल्य से (विषमं चरेत्) कम वस्तु देने का व्यवहार करे, (पूर्वं वा मध्यमम्+एव दमं समाप्नुयात्) 'पूर्वसाहस' या 'मध्यमसाहस' [८।१३८] दण्ड का भागी होता है ॥ २८७ ॥

बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत् ।

दुःखिता यत्र दृश्येरन् विकृताः पापकारिणः ॥ २८८ ॥ (१३५)

(राजा) राजा (सर्वाणि बन्धनानि) कारागार आदि (बन्धनगृह) (मार्गे निवेशयेत्) प्रधान मार्गों पर बनवावे (यत्र) जहाँ (दुःखिता विकृताः पापकारिणः दृश्येरन्) हथकड़ी, बेड़ी आदि से दुःखी हुए, बिगड़ी हुई हालत वाले अपराधी लोग दिखाई देते रहें [जिससे कि जनता के मन में अपराधों के प्रति भय की प्रेरणा उत्पन्न होती रहे] ॥ २८८ ॥

प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम् ।

द्वाराणां चैव भङ्गस्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ २८९ ॥ (१३६)

राजा (प्राकारस्य भेत्तारम्) नगर के परकोटे को तोड़ने वाले (च) और (परिखाणां पूरकम्) नगर के चारों ओर की खाई को भरने वाले (च) तथा (द्वाराणां भक्तारम्) नगर-द्वारों को तोड़ने वाले व्यक्ति को (क्षिप्रम्+एव प्रवासयेत्) तुरन्त देशनिकाला दे दे ॥ २८९ ॥

अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्यो द्विशतो दमः ।

मूलकर्मणि चानाप्लेः कृत्यासु विविधासु च ॥ २९० ॥

(सर्वेषु अभिचारेषु) सब प्रकार के मारण उपाय करने पर (मूलकर्मणि अनाप्लेः) यदि वह व्यक्ति मरा न हो तो उस अवस्था में [मरने पर अन्य दण्ड है] (च) और (विविधासु कृत्यासु) विविध प्रकार के बलीकरण, उच्छाटन आदि द्वारा ठगी, धोखा आदि करने पर में (द्विशतः दमः कर्तव्यः) दो सौ पण दण्ड करना चाहिए ॥ २९० ॥

अबीजविक्रयी चैव बीजोत्कृष्टं तथैव च ।

मर्यादाभेदकश्चैव विकृतं प्राप्नुयाद्दण्डम् ॥ २९१ ॥

(अबीजविक्रयी) उत्पन्न होने की शक्ति से रहित बीजों को बेचने वाला (तथैव

बीजोत्कृष्टम्) उसी प्रकार खराब बीज को उत्तम कहकर बेचने वाला (च) और (मर्यादाभेदकः) सीमाओं को नष्ट करने वाला (विकृतं बध्नं प्राप्नुयात्) विकार करने वाले [हस्तच्छेदन आदि] दण्ड का अधिकारी होता है ॥ २६१ ॥

सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पाथिवः ।

प्रवर्तमानमन्याये ऐदयेत्सवशः क्षुरैः ॥ २६२ ॥

(सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु) सभी लोककण्टकों में सर्वाधिक पापी सुनार को तो (पाथिवः) राजा (अन्याये प्रवर्तमानम्) यदि वह सोना-चांदी आदि की चोरी, हेराकेरी आदि अन्याय करे तो (क्षुरैः सवशः छेदयेत्) क्षुरों से टुकड़े-टुकड़े करवा देवे ॥ २६२ ॥

सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामौषधस्य च ।

कालमासाद्य कार्यं च राजा दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ २६३ ॥

(सीताद्रव्य - अपहरणे) कृषि के हल आदि साधन चुराने पर (शस्त्राणाम् च औषधस्य) शस्त्रों और औषधियों के चुराने पर (राजा) राजा (कार्यं च कालम् + आसाद्य) कार्य की गम्भीरता और समय को देखकर (दण्डं प्रकल्पयेत्) दण्ड का निश्चय करे ॥ २६३ ॥

अनुयातित्वम् : २६०-२६३ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—२६० वें श्लोक का प्रसंग हत्या-विषय [८। २८६-२८८] में, २६१ श्लोक का प्रसंग मिलावट विषय [८। २०३] में, २६३ वें श्लोक का प्रसंग चोरी विषय [८। ३०१-३३८] में वर्णित हो चुका है। यदि ये श्लोक मौलिक होते तो उसी प्रसंग में इनका कथन उपयुक्त था। पूर्वोक्त प्रसंग को पुनः कहना प्रसंगविरुद्ध है, अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. अश्वत्थविरोध—२६२ वां श्लोक जन्मना वर्णव्यवस्था पर आधारित है, जबकि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। मनु की व्यवस्था में 'स्वर्णकार' नामक जाति या व्यवसायी पृथक् से कोई नहीं है। यह कार्य वैश्यों का है [६। ३२६, ३२६]। यह उस समय का परवर्ती प्रक्षेप है जब व्यवसाय के आधार पर जातियाँ बन गई थीं। इन प्रकार विरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।

३. पुनरुक्ति—२६३ वां श्लोक ३२४ की अधिकांशतः पुनरुक्तिमात्र है। अतः इस आधार पर भी प्रक्षिप्त है।

मान राजप्रकृतियाँ—

स्वाम्यमास्थौ पुरं राष्ट्रं कोशवण्डो सुहृत्सथा ।

सप्त प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥ २६४ ॥ (१३७)

(स्वामी-अमात्यो पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत्) १-स्वामी, २-मन्त्री, ३-किला, ४-राष्ट्र, ५-कोश, ६-दण्ड और ७-मित्र (एताः सप्त प्रकृतयः) ये सात राजप्रकृतियाँ हैं (सप्ताङ्गं राज्यम्+उच्यते) इनसे युक्त होने से राज्य 'सप्ताङ्ग' = सात अङ्गों वाला कहलाता है ॥ २६४ ॥

सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम् ।

पूर्वं पूर्वं गुहतरं जानीयाद्व्यसनं महत् ॥ २६५ ॥ (१३८)

(राज्यस्य+आसां सप्तानां प्रकृतीनां तु) राज्य की इन सात प्रकृतियों में (यथाक्रमं पूर्वं पूर्वं व्यसनं महत् गुहतरं जानीयात्) क्रमशः पहली-पहली प्रकृति-सम्बन्धी आपत्ति को बड़ी समझें [जैसे—राजा से कम मन्त्री पर आपत्ति, मन्त्री से कम किले पर आपत्ति आदि] ॥ २६५ ॥

सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत् ।

अन्योन्यगुणवैशेष्यान् किञ्चित्तिरिच्यते ॥ २६६ ॥ (१३९)

(इह) इसमें (त्रिदण्डवत्) तीन पायों पर स्थित तिपाई के समान (सप्ताङ्गस्य विष्टब्धस्य राज्यस्य) सात प्रकृतिरूपी अंगों पर स्थित इस राज्य में (अन्योन्यगुणवैशेष्यात्) सभी अंगों के अपनी-अपनी विशेषताओं से युक्त और परस्पर आश्रित होने के कारण (किञ्चित् न तिरिच्यते) कोई अंग किसी से विशिष्ट या कम नहीं है अर्थात् अपने-अपने प्रसंग में सभी का विशेष महत्त्व है ॥ २६६ ॥

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते ।

येन यत्साध्यते कार्यं तत्तस्मिन् श्रेष्ठमुच्यते ॥ २६७ ॥ (१४०)

यतो हि (तेषु तेषु तु कृत्येषु) उन प्रकृतियों के अपने-अपने कार्यों में (तत्-तत्+अङ्गं विशिष्यते) वह-वह प्रकृति-अंग विशेष है (यत् कार्यं येन साध्यते) जो कार्य जिस प्रकृति से सिद्ध होता है (तस्मिन् तत् श्रेष्ठम्+उच्यते) उसमें वही प्रकृति श्रेष्ठ मानी गई है। अर्थात् समानुसार सभी प्रकृतियों की श्रेष्ठता है, अतः किसी को कम महत्त्वपूर्ण समझकर त्याज्य न समझें ॥ २६७ ॥

चारेणोत्साहयोगेन च क्रिययैव च कर्मणाम् ।

स्वशक्ति परशक्ति च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २६८ ॥ (१४१)

(चारेण) गुप्तचरों से (उत्साहयोगेन) सेना के उत्साह सम्बन्ध से (च) और (कर्मणां क्रियया) राज्यशक्ति-वर्धक नये-नये कार्यों के करने से

(महीपतिः) राजा (स्वशक्ति च परशक्ति नित्यं विधात्) अपनी शक्ति और शत्रु की शक्ति की सदा जानकारी रखे ॥ २६८ ॥

पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च ।

आरभेत ततः कार्यं संचिन्त्य गुरुलाघवम् ॥ २६९ ॥ (१४२)

(सर्वाणि पीडनानि) अपने तथा शत्रु के राज्य में आई सभी व्याधि, आपत्ति आदि पीड़ाओं को (तथैव व्यसनानि) तथा व्यसनों [७।४५-५३] के प्रसार को (च) और (गुरु-लाघवं संचिन्त्य) बड़े-छोटे अर्थात् अपने और शत्रु राजा में कौन कम-अधिक शक्तिशाली है (संचिन्त्य) इन बातों पर विचार करके (ततः कार्यम्+आरभेत) उसके पश्चात् राजा सन्धि-विग्रह आदि [७।१६०-२१०] कार्य को आरम्भ करे ॥ २६९ ॥

आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः ।

कर्माभ्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥ ३०० ॥ (१४३)

(श्रान्तः श्रान्तः) बार-बार हारा-थका हुआ भी राजा (कर्माणि पुनः-पुनः आरभेत एव) कार्यों को [७।१६०-२००] फिर-फिर अवश्य आरम्भ करे (हि) क्योंकि (कर्माणि+आरभमाणं हि पुरुषम्) कर्मों को आरम्भ करने वाले पुरुष को ही (श्रीः निषेवते) विजयलक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ३०० ॥

राजा के शासन में ही चार युग—

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलियुगं च ।

राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०१ ॥ (१४४)

(कृतं त्रेतायुगं द्वापरं च कलिः) सतयुग, त्रेतायुग द्वापरयुग और कलियुग (सर्वाणि राज्ञः वृत्तानि) ये सब राजा के ही आचार-व्यवहार विशेष हैं अर्थात् राजा जैसा राज्य को बनाता है उस राज्य में वैसा ही युग बन जाता है (राजा हि युगम्+उच्यते) वस्तुतः राजा ही 'युग' कहलाना है अर्थात् राजा ही युगनिर्माता है ॥ ३०१ ॥

कलिः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद् द्वापरं युगम् ।

कर्मस्वप्नुयतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम् ॥ ३०२ ॥ (१४५)

(प्रसुप्तः कलिः भवति) जब राजा सोता है अर्थात् राज्यकार्य में उपेक्षा बरतता है तो वह 'कलियुग' होता है, (सः जाग्रद् द्वापरं युगम्) जब वह जागता है अर्थात् राज्य कार्य को साधारणतः करता रहता है तो वह 'द्वापरयुग' है, और (कर्मसु+अप्नुयतः त्रेता) राज्य और प्रजा-हितकारी

कार्यों में जब राजा सदा उद्यत रहता है वह 'त्रेतायुग' है, (विचरन् तु कृतं युगम्) जब राजा सभी कर्तव्यों को तत्परतापूर्वक करे और अपनी प्रजा के दुःखों को जानने के लिए राज्य में तत्पर होते हुए उन्हें जानकर न्यायानुसार सुख प्रदान करने के लिए उद्यत रहे, राजा का यह सत्ययुग है ॥ ३०२ ॥

राजा के आठ रूप—

इन्द्रस्यार्कस्य वायोऽश्च यमस्य वरुणस्य च ।

चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोवृत्तं नृपश्चरेत् ॥ ३०३ ॥ (१४६)

(नृपः) राजा (इन्द्रस्य + अर्कस्य वायोः यमस्य वरुणस्य चन्द्रस्य + अग्नेः पृथिव्याः तेजः वृत्तम् चरेत्) इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, अग्नि, पृथिवी इनके तेजस्वी स्वभाव के अनुसार ही आचरण-व्यवहार करे [द्रष्टव्य ७।४-७] ॥ ३०३ ॥

अनुशीलन : अग्नय वरुण आर्क की पुष्टि—मनु ने सप्तमाध्याय में 'राजा में कौन-कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए' इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए भी इन गुणों का वर्णन किया है। मनु ने यह भाव वेदमन्त्रों से ग्रहण किया है। द्रष्टव्य हैं ७।४-७ श्लोक और उनकी समीक्षा में वेदमन्त्र।

राजा का इन्द्ररूप आचरण—

वार्षिकाश्चतुरो मासान् यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति ।

तथाऽभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं कामैरिन्द्रव्रतं चरन् ॥ ३०४ ॥ (१४७)

(यथा + इन्द्रः वार्षिकान् चतुरः मासान्) जैसे इन्द्र [= वृष्टिकारक शक्ति] प्रत्येक वर्ष के श्रावण आदि चार मासों में (अभिप्रवर्षति) जल वरसाता है (तथा इन्द्रव्रतं चरन्) उसी प्रकार इन्द्र के व्रत को आचरण में लाता हुआ राजा (स्वं राष्ट्रं कामैः अभिवर्षेत्) अपने राष्ट्र को प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करे, यही राजा का इन्द्रवत् आचरण है ॥ ३०४ ॥

राजा का सूर्यरूप आचरण—

अष्टौ मासान् यथाऽऽदित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः ।

तथा हरेत् करं राष्ट्रान्नित्यमर्कव्रतं हि तत् ॥ ३०५ ॥ (१४८)

(यथा + आदित्यः) जैसे सूर्य (रश्मिभिः) अपनी किरणों से (अष्टौ मासान् तोयं हरति) आठ मान तक जलग्रहण करता है (तथा) उसी प्रकार राजा (राष्ट्रात् नित्यं करं हरेत्) राष्ट्र से कर ग्रहण करे (अर्कव्रतं हि तत्) यही राजा का 'अर्कव्रत' है ॥ ३०५ ॥

राजा का वायुरूप आचरण —

प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः ।

तथा चारः प्रवेष्टव्यं व्रतसेतद्धि मारुतम् ॥ ३०६ ॥ (१४९)

(यथा मारुतः) जैसे वायु (सर्वभूतानि प्रविश्य) सब प्राणियों में प्रविष्ट होकर (चरति) विचरण करता है (तथा) उसी प्रकार (चारैः प्रवेष्टव्यम्) राजा को गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रवेश रखना चाहिए (एतत् हि मारुतं व्रतम्) यही राजा का 'मारुतव्रत' है ॥ ३०६ ॥

राजा का यमरूप आचरण—

यथा यमः प्रियद्वेष्यो प्राप्ते काले नियच्छति ।

तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमव्रतम् ॥ ३०७ ॥ (१५०)

(यथा यमः) जिस प्रकार यम=ईश्वर की नियामक शक्ति=(काले प्राप्ते) कर्मफल का समय आने पर (प्रियद्वेष्यो नियच्छति) प्रिय और शत्रु सबको अपने वश में करके दण्डित करता है (राजा तथा प्रजाः नियन्तव्याः) राजा को उसी प्रकार अपराध करने पर प्रिय-शत्रु सभी प्रजाओं को न्यायपूर्वक पक्षपातरहित दण्ड देना चाहिए (तत् हि यमव्रतम्) यही राजा का 'यमव्रत' है ॥ ३०७ ॥

राजा का वरुणरूप आचरण—

वरुणेन यथा पाशैर्बद्ध एवाभिदृश्यते ।

तथा पापान्निगृह्णीयाद् व्रतमेतद्धि वारुणम् ॥ ३०८ ॥ (१५१)

(यथा) जिस प्रकार अपराधी मनुष्य (वरुणेन पाशैः बद्धः एव+अभिदृश्यते) वरुण के द्वारा पाशों से अर्थात् जलीय या समुद्र की तरंगों, भंवरोरूपी बंधनों में फँसकर जैसे मनुष्य बंधा-जकड़ा हुआ दोखता है अर्थात् अवश्य बंध जाता है (तथा) उसी प्रकार राजा भी (पापान् निगृह्णीयात्) पापियों=अपराधियों को सुधरने तक साम-दाम-दण्ड-भेद आदि से वश में करके या बन्धन में=कारागार में डाले रखे (एतत् हि वारुणं व्रतम्) यही राजा का 'वारुणव्रत' है ॥ ३०८ ॥

अनुशीलन : वरुणपाश का अर्थ—'वरुणपाश' के यद्यपि प्रसंगानुसार अनेक अर्थ होते हैं। यहां महाभूतादि दिव्यशक्तियों के गुणों से राजा के गुणों की तुलना की है, अतः यहां वरुण का जल अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। और जैसे जल की उत्ताल तरंगों या भंवर किसी वस्तु या व्यक्ति को वश में करके फँसा लेती है, उसी प्रकार विविध बन्धनों से राजा दुष्टों को वश में करे। यह वरुणपाश का आलंकारिक अभिप्राय है।

राजा का चन्द्ररूप आचरण—

परिपूर्णं यथा चन्द्रं दृष्ट्वा दृश्यन्ति मानवाः ।

तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रव्रतिको नृपः ॥ ३०९ ॥ (१५२)

(यथा) जिस प्रकार (परिपूर्ण चन्द्रं दृष्ट्वा मानवाः हृष्यन्ति) पूर्ण चन्द्रमा को देखकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं (तथा) उसी प्रकार (यस्मिन् प्रकृतयः) जिस राजा को पाकर-देखकर उस द्वारा प्रदत्त सुखों से प्रजाएं स्वयं को हर्षित अनुभव करें (सः नृपः चान्द्रव्रतिकः) वह राजा का 'चन्द्रव्रत' है ॥ ३०६ ॥

राजा का अग्निरूप आचरण—

प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं रथात्पापकर्मसु ।

दुष्टसामन्तहिनश्च तदानेयं व्रतं स्मृतम् ॥ ३१० ॥ (१५३)

राजा (पापकर्मसु) पापियों में—पाप करने वालों के लिये (नित्यम्) सदैव (प्रतापयुक्तः तेजस्वी स्यात्) संतापित करने वाला और तेज से प्रभावित करने वाला होवे (च) और (दुष्टसामन्तहिनः) दुष्ट मन्त्री आदि का मारने वाला होवे (तत् + आग्नेयं व्रतं स्मृतम्) यही राजा का 'आग्नेयव्रत' कहा है ॥ ३१० ॥

राजा का धरादा आचरण—

यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम् ।

तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम् ॥ ३११ ॥ (१५४)

(यथा) जिस प्रकार (धरा) धरती (सर्वाणि भूतानि समं धारयते) सब प्राणियों को समानभाव से धारण करती है (तथा) उसी प्रकार (सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः) समान भाव से सभी प्राणियों को धारण-पोषण करने वाले राजा का (पार्थिवं व्रतम्) यह 'पार्थिव व्रत' होता है ॥ ३११ ॥

एतैरुपायैरन्यैश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः ।

स्तेनान् राजा निगृह्णीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥ ३१२ ॥ (१५५)

(राजा) राजा (एतैः + उपायैः च अन्यैः युक्तः) इन पूर्वोक्त उपायों तथा इनसे भिन्न जो और उत्तम उपाय हों उनसे युक्त होकर (नित्यम्—अतन्द्रितः) सदा आलस्यहीन रहता हुआ (स्वराष्ट्रे च परे + एव) अपने राष्ट्र में रहने वाले और दूसरे राष्ट्र में आकर चोरो करने वाले (स्तेनान् निगृह्णीयात्) चोरों को वश में करे ॥ ३१२ ॥

ब्राह्मण के क्रोध की उग्रता—

परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत् ।

ते ह्येनं कुपिता हन्त्युः सद्यः सध्वलबाह्वनम् ॥ ३१३ ॥

राजा (पराम् + अपादं प्राप्तः अपि) महाविपत्ति में पड़ जाने पर भी (ब्राह्मणान्

न प्रकोपयेत्) किसी कारण ब्राह्मणों को कुपित न करे (हि) क्योंकि (कुपिताः ते) क्रोध में आये हुए ब्राह्मण (सबल-वाहनम् एनं सद्यः हन्युः) बलवाली सेनाओं व वाहनों सहित राजा को तत्काल नष्ट कर देते हैं ॥ ३१३ ॥

यैः कृतः सर्वभक्ष्योऽग्निरपेयश्च महोदधिः ।

क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येत्प्रकोप्य तान् ॥ ३१४ ॥

(यैः) जिन ब्राह्मणों ने [क्रोधित अवस्था में शाप देकर] (अग्निः सर्वभक्ष्यः कृतः) अग्नि को सर्वभक्षी बना दिया (च) और (महोदधिः अपेयः) समुद्र को न पीने योग्य खारा पानी वाला बना दिया (आप्यायितः सोमः क्षयी) पूर्ण चन्द्रमा को क्षीण होने वाला बना दिया (तान् प्रकोप्य) उनको क्रोधित करके (को न नश्येत्) कौन नहीं नष्ट हो जायेगा ? अर्थात् सभी नष्ट हो जायेंगे ॥ ३१४ ॥

लोकानन्यान्मृजेयुर्लोकपालाश्च कोपिताः ।

देवान्कुर्वुरदेवाश्च कः क्षिण्वन्तान्समृध्नुयात् ॥ ३१५ ॥

(यै) जो ब्राह्मण (कुपिताः) क्रोध में आकर (अन्यान् लोकान् च लोकपालान् सृजेयुः) दूसरे लोकों और लोकपालों को रच देते हैं (देवान् अदेवान् कुर्वुः) देवताओं को देवत्व से नष्ट कर देते हैं (तान् क्षिण्वन्) उन ब्राह्मणों को हानि पहुँचाकर (कः समृध्नुयात्) कौन समृद्धि प्राप्त कर सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ३१५ ॥

यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोकाः देवाश्च सर्वदा ।

ब्रह्म खैव धनं येषां को हिंस्यात्ताञ्जिजीविषुः ॥ ३१६ ॥

(यान् उपाश्रित्य) जिनका सहारा लेकर (लोकाः च देवाः सर्वदा तिष्ठन्ति) लोक और देवता सदा टिके रहते हैं (च) और (येषां ब्रह्म एव धनम्) जिनका वेद ही धन है (जिजीविषुः) जीने की इच्छा वाला (कः तान् हिंस्यात्) कौन व्यक्ति उनको कष्ट पहुँचायेगा ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ३१६ ॥

अविद्वान्खैव विद्वान्श्च ब्राह्मणो दैवतं महत् ।

प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाऽग्निर्वैवतं महत् ॥ ३१७ ॥

(अविद्वान् च विद्वान् च) अविद्वान् हो या विद्वान् हो (ब्राह्मणः महत् दैवतम्) ब्राह्मण महान् देवता है (यथा) जैसे (प्रणीतः च + अप्रणीतः अग्निः) शास्त्रविधि से प्रज्वलित की गई अग्नि और साधारण अग्नि (महत् दैवतम्) दोनों ही महान् देवता हैं ॥ ३१७ ॥

इमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति ।

ह्यमानवश्च यज्ञेषु ब्रूय एवामिदमर्थं ॥ ३१८ ॥

(तेजस्वी पावकः) जैसे तेजस्वी अग्नि (इमशानेषु + अपि न + एव दुष्यति)

इमंशान् स्थान में भी अपवित्र नहीं होती (यज्ञेषु ह्यमानः च) अपितु यज्ञों में ब्राह्मति देने पर (भूयः एव + अभिवर्धते) और अधिक बृद्धि को प्राप्त होती है ॥ ३१८ ॥

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु ।

सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् ॥ ३१९ ॥

(एवम्) उसी प्रकार (यद्यपि ब्राह्मणाः) यद्यपि ब्राह्मण लोग (अनिष्टेषु सर्व-कर्मसु प्रवर्तन्ते) सभी बुरे कामों में प्रवृत्त होते हैं, तो भी (सर्वथा पूज्याः) वे सब स्थितियों में पूज्य ही हैं (हि) क्योंकि (तत् परमं दैवतम्) ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ देवता है ॥ ३१९ ॥

अनुशीलन : ३१७—३१९ श्लोकों को प्रक्षिप्त मानकर इन्हें उद्धृत करने हुए ऋषि दयानन्द ने लिखा है—

“सर्वसाधारण ब्राह्मणों में विमुख न हो जायें, इसलिए ऐसे-ऐसे श्लोक गढ़े गये ।.....अग्नि के दुष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो या भूर्ख वह साक्षात् देवता है । प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के वनावटी श्लोक डालकर और नवीन रचनाएं करके ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और मन्त्रादि स्मृतियों में भी अपने महत्त्व के वाक्य मिला दिये ।.....यदि दुष्टाचरण वाले ब्राह्मण की कोई निन्दा करता, तो उसको ब्रह्मविरोधी कहकर उसकी हड्डी-हड्डी निकाल लेते थे” (पूना प्रवचन पृ० १३४)

अत्रस्यातिप्रबृद्धस्य ब्राह्मणाग्रति सर्वशः ।

ब्रह्मैव सन्नियन्तु स्यात्क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२० ॥

(अत्रस्य ब्राह्मणान् प्रति अतिप्रबृद्धस्य) क्षत्रिय यदि ब्राह्मणों से ऊपर होकर उन्हें पीड़ित करने लगे तो (सर्वशः ब्रह्म + एव सन्नियन्तु स्यात्) सब प्रकार से ब्राह्मण ही उनको दण्डित करे (हि) क्योंकि (अत्र ब्रह्मसंभवम्) क्षत्रिय ब्राह्मण से उत्पन्न हैं ॥ ३२० ॥

अद्भ्योऽग्निर्ब्रह्मतः क्षत्रमश्मनो लोहमुत्थितम् ।

तेषां सर्वत्रागं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२१ ॥

(अद्भ्यः + अग्निः) जल से अग्नि उत्पन्न हुई है (ब्रह्मतः क्षत्रम्) ब्राह्मण से क्षत्रिय (अश्मनः लोहम् + उत्थितम्) पत्थर से लोहा निकला है (तेषां सर्वत्रागं तेजः) इनका सब पर प्रभाव करने वाला तेज (स्वासु योनिषु शाम्यति) अपने-अपने उत्पत्ति-स्थानों को पाकर शान्त हो जाता है—प्रभावहीन हो जाता है ॥ ३२१ ॥

नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते ।

ब्रह्म क्षत्रं च संपृक्तमिह चाक्षत्रं वर्धते ॥ ३२२ ॥

(अब्रह्म क्षत्रं न ऋध्नोति) ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय समृद्धि को नहीं प्राप्त कर

सकता और (न अक्षत्रं ब्रह्म वर्धते) न ही क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर सकता है (ब्रह्म च क्षत्रं संपृक्तम्) ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर ही (इह च + अमुत्र वर्धते) इस लोक और परलोक में वृद्धि को प्राप्त करते हैं ॥ ३२२ ॥

दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः सर्वदण्डसमुत्थितम् ।

पुत्रे राज्यं समासृज्य कुर्वीत प्रायणं रणे ॥ ३२३ ॥

(सर्वदण्डसमुत्थितं धनम्) सब जुमानों से प्राप्त हुआ धन (विप्रेभ्यः दत्त्वा) ब्राह्मणों को दान देकर, और (पुत्रे राज्यं समासृज्य) पुत्र को राज्य सौंपकर (रणे प्रायणं कुर्वीत) राजा युद्ध में प्राणत्याग करे ॥ ३२३ ॥

अनुयायित्वन : ३१३ से ३२३ श्लोक निम्न आध्यायों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों का यह सम्पूर्ण प्रसंग अन्तर्विरोध के आधार पर प्रक्षिप्त है। (१) ३१३ में ब्राह्मण को अत्यन्त क्रोधी होना कहा है, जबकि १।१८, २७, ६।१६ में ब्राह्मण के लिए क्रोध सर्वथा त्याज्य कहा है। मनु के मत में ऐसे स्वभाव के व्यक्ति ब्राह्मण ही नहीं कहला सकते। (२) ३१४-३१६ में समुद्र, चन्द्रमा, लोकपालों आदि के निर्माता ब्राह्मणों को माना है, जबकि २।१६०, १७८; ४।१६३ में परमात्मा को ही इन पदार्थों का निर्माता कहा है। कोई मनुष्य इन पदार्थों का निर्माण करे, यह हास्यास्पद एवं मूर्खतापूर्ण वचन है। (३) ३१७-३१९ में अविद्वान् और निन्दित कार्य करने वालों को भी ब्राह्मण माना है, यह मनु की मौलिक व्यवस्था के ही विरुद्ध है। मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टव्य १।१०७ की समीक्षा] और निन्दित कर्मों एवं स्वकर्मत्याग से शूद्रत्वप्राप्ति मानते हैं [२।१०३; ४।२४५; १०।६५]। (४) ३२३ में जुमाने का धन ब्राह्मणों को देने का कथन है, जबकि ७-९ तीनों अध्यायों में प्रत्येक जुमाने का दण्ड राजा को लेने का कथन है। इस प्रकार ये श्लोक तथा इनसे सम्बद्ध इस प्रसंग के अन्य श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. विषयविरोध—विषयसंकेतक श्लोकों ६।२५२-२५३ से यहाँ 'लोककण्टकों के निवारण' का विषय है। ये श्लोक प्रचलित विषय के विरुद्ध हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

३. शैलीगत आधार—इन सभी श्लोकों की शैली पक्षपात एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं। इस प्रकार भी ये प्रक्षिप्त हैं।

एवं चरन् सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः ।

हितेषु चैव लोकस्य सर्वान्भृत्यान्भियोजयेत् ॥ ३२४ ॥ (१५६)

(पार्थिवः) राजा (एवं चरन्) पूर्वोक्त [७।१ से ८।३५२] प्रकार से आचरण करता हुआ (सदा राजधर्मेषु युक्तः) सदा राजधर्मों में स्वयं संलग्न रहकर (सर्वान् भृत्यान् एव) सभी राजकर्मचारियों को भी (लोकस्य हितेषु नियोजयेत्) प्रजाग्रों के हित-सम्पादन में लगाये ॥ ३२४ ॥

वैश्य-शूद्रों के कर्त्तव्य—

एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः ।

इमं कर्मविधिं विद्यात्क्रमशो वैश्यशूद्रयोः ॥ ३२५ ॥ (१५७)

(एषः) यह [७।१ से ६।३२४ तक] (राज्ञः सनातनः अखिलः कर्मविधिः उक्तः) राजा की सनातन और सम्पूर्ण कार्य करने की विधि कही ।

अब (वैश्य-शूद्रयोः) वैश्यों और शूद्रों की (कर्मविधि इमं विद्यात्) कर्त्तव्यों की विधि को इस आगे कहे अनुसार जानें—[उनका वर्णन अग्रिम अध्याय में है] ॥ ३२५ ॥

अनुशीलन : नवम अध्याय के विभाजन पर विचार—वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृतियों में नवम अध्याय में ३३६ श्लोक उपलब्ध होते हैं। सप्तम, अष्टम और नवम अध्याय के ३२५ श्लोक तक राजनीति का विषय है। मनुस्मृति का अध्याय-विभाजन भी प्रकरणानुसार हुआ है, किन्तु कुछ अध्यायों के विभाजन में विभाजनकर्त्ता द्वारा भूलें हुई हैं, प्रकरण को समझे बिना अध्याय-विभाजन कर दिया है [इस पर विस्तृत विवेचन सप्रमाण 'मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन' शीर्षक में 'मनुस्मृति-अनुशीलन' में किया गया है]। इसी प्रकार इस अध्याय में भी भूल हुई है। राजधर्म विषय के साथ ६।३२६ से ६।३३६ श्लोक जिनमें वैश्य-शूद्रों के कर्त्तव्यों का वर्णन है, मिला दिये हैं। इनके साथ ही चातुर्वर्ण्य धर्म [२।१४४ (२।२५) से ६।३३६ तक] समाप्त हो जाते हैं और फिर दशम अध्याय में चातुर्वर्ण्य धर्म का उपसंहार है। क्योंकि वैश्य-शूद्र धर्मवर्णन के ग्यारह श्लोकों के प्रकरण का कोई एक अध्याय उपयुक्त नहीं ज्ञाता, अतः हमने इन श्लोकों को दशम अध्याय में उपसंहार-वर्णन के साथ सम्मिलित कर दिया है। ६।३२५ श्लोक के कथनानुसार यहीं इस राजधर्मात्मक अध्याय को समाप्त कर दिया है।

[नवम अध्याय के ३२६ से ३३६ श्लोक दशम अध्याय के अन्तर्गत देखिए]

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाषामाख्यसम्भितायां
अनुशीलन-समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृती
राजधर्मात्मको नवमोऽध्यायः ॥

अथ दशमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशोलनतमीमाख्या सहितः]

(चातुर्वर्ण्य-धर्मान्तर्गत-वैश्य-शूद्र के धर्म

एवं चातुर्वर्ण्य धर्म का उपसंहार)

वैश्यों के कर्तव्य—

वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम् ।

वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनां चैव रक्षणे ॥ ६।३२६ ॥ (१)

(कृतसंस्कारः) यज्ञोपवीत संस्कारपूर्वक शिक्षा समाप्ति के पश्चात्, समावर्तन के अनन्तर। (वैश्यः) वैश्य (दारपरिग्रहं कृत्वा) विवाह करके (वार्तायां च पशूनां रक्षणे नित्ययुक्तः स्यात्) व्यापार में और पशुपालन में सदा लगा रहे ॥ ३२६ ॥

प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून् ।

ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥ ६।३२७ ॥

(प्रजापतिः हि पशून् सृष्ट्वा वैश्याय परिददे) प्रजापति ने पशुओं को रचकर वैश्यों को सौंपा (च) और (सर्वाः प्रजाः) सब प्रजाओं को उत्पन्न करके (ब्राह्मणाय च राज्ञे) ब्राह्मण और क्षत्रिय को प्रजाएं सौंप दीं ॥ ३२७ ॥

न च वैश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति ।

वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥ ६।३२८ ॥

(‘पशून् न रक्षेयम्’ इति) ‘मैं पशुओं की रक्षा नहीं करूंगा’ ऐसी (वैश्यस्य कामः न स्यात्) वैश्य को इच्छा नहीं करनी चाहिए (च) और (वैश्ये चेच्छति) वैश्य के द्वारा पशुपालन की इच्छा करते रहने पर (अन्येन कथंचन न रक्षितव्याः) अन्य वर्णों वालों को पशुपालन का कार्य नहीं करना चाहिए ॥ ३२८ ॥

अनुशीलन : ३२७-३२८ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—पूर्वापर प्रसंग वैश्यों के समग्र कर्तव्यों के वर्णन का चल रहा है। इस बीच ‘प्रजापति द्वारा पशुओं की उत्पत्ति आदि का उद्देश्य’ कथन प्रसंगभञ्जक एवं विरुद्ध है।

२. शैलीगत आचार—इन श्लोकों की वर्णनशैली से यह ज्ञात होता है कि ये

श्लोक उस परवर्ती काल की रचनाएं हैं जब वैश्यों में पशुपालन के प्रति प्रसन्धि होने लगी। अन्यथा जब वैश्य के ही ये कर्म निर्धारित कर दिये हैं तो वे उनके द्वारा अवश्य करणीय हैं। उसमें प्रजापति का हवाला देने की और ३।३२८ के कथन की आवश्यकता ही नहीं रहती।

३. अन्तर्विरोध—३२८ वें श्लोक में यह कहना कि 'जब तक वैश्य पशुपालन करे तब तक अन्य वर्ण वाले यह कार्य न करें' मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। पशुपालन वैश्यों का ही कर्त्तव्य है [१।६०; ६।३२६], अन्यवर्णों का नहीं। यदि वे अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उसका उपाय यह नहीं है कि उनको अन्य वर्ण करने लग जायें, अपितु वे राजा के द्वारा दण्डनीय होंगे [७।१७, ३५]। अतः इस आधार पर परस्पर सम्बद्ध ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च ।

गन्धानां च रसानां च विद्यादर्धबलावलम् ॥ ६।३२६ ॥ (२)

वैश्य (मणि-मुक्ता-प्रवालानाम्) मणि, मोती, प्रवाल आदि के (लोहानाम्) लोहे आदि धातुओं के (च) और (तान्तवस्य) कपड़ों के (गन्धानां च रसानाम्) सुगन्धित कपूर, कस्तूरी आदि पदार्थों के और रसरसायनों [पारा, नमक आदि] के (अध-बल-अबलं विद्यात्) मूल्यों के कम-अधिक भावों को जानें ॥ ३२६ ॥

बीजानामुप्तिविच्छेदोऽपगुणस्य च ।

मानयोगं च जानीयात्तुलायोगाश्च सर्वशः ॥ ६।३३० ॥ (३)

वैश्य (बीजानाम् + उप्तिवित् स्यात्) सब प्रकार के बीजों को बोने की विधि को जानें (च) और (अप-गुण-गुणस्य) खेतों के दोष-गुणों को जानें (च) तथा (मानयोगम्) तोलने के बाटों (च) और (तुलायोगान्) तराजुओं से सम्बद्ध (सर्वशः जानीयात्) सभी बातों की जानकारी रखें ॥ ३३० ॥

सारसारं च भाण्डानां देशाभां च गुणागुणान् ।

लाभालाभं च पश्यानां पशूनां परिवर्धनम् ॥ ६।३३१ ॥ (४)

(भाण्डानां सार-असारम्) वस्तुओं के अच्छे-बुरेपन को (देशानां गुण-अगुणान्) देशों के गुणों और दोषों को (च) और (पश्यानां लाभ-अलाभम्) बेची जाने वाली वस्तुओं की लाभ-हानि को, तथा (पशूनां परिवर्धनम्) पशुओं के संवर्धन के उपायों को वैश्य लोग जानें ॥ ३३१ ॥

मृत्यानां च मृति विद्याद्भाषाश्च विविधा नृणाम् ।

व्रज्याणां स्थानयोगाश्च क्रयविक्रयमेव च ॥ ६।३३२ ॥ (५)

(भूत्यानां भूतिम्) नौकरों के वेतन, (नृणां विविधाः भाषाः) विविध देशों में रहने वाले लोगों की विभिन्न भाषाएँ (द्रव्याणां स्थान-योगान्) वस्तुओं के प्राप्तिस्थान तथा मिश्रण आदि की विधियाँ (च) और (क्रय-विक्रय+एव) खरीद विक्री की विधि, इसको (विद्यात्) जानें ॥ ३३२ ॥

धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् ।

दद्याच्च सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ६।३३३ ॥ (६)

वैश्य इस प्रकार [६।३२६-३३३] (धर्मेण) धर्मपूर्वक (द्रव्यवृद्धौ उत्तमं यत्नम्+आतिष्ठेत्) पदार्थों की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक यत्न करे (च) और (सर्वभूतानां प्रयत्नतः अन्नम्+एव दद्यात्) सब प्राणियों को प्रयत्नपूर्वक अन्न उपजाकर देता रहे ॥ ३३३ ॥

विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम् ।

शुभ्रैरेव तु शूद्रस्य धर्मो नैश्श्रेयसः परः ॥ ६।३३४ ॥ (७)

(वेदविदुषां विप्राणाम्) वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों (यशस्विनां गृहस्थानाम्) यशस्वी गृहस्थियों की (शुभ्रैरेव+एव तु) सेवा करना ही (शूद्रस्य नैश्श्रेयसः परः धर्मः) शूद्र का कल्याणकारक उत्तम धर्म है ॥ ३३४ ॥

शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति—

शुचिरुत्कृष्टशुभ्रैर्मुमुक्षुवागनहंकृतः ।

ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥ ६।३३५ ॥ (८)

(शुचिः) शुद्ध-पवित्र [शरीर एवं मन से], (उत्कृष्टशुभ्रैः) अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला, (मुमुक्षुवाक्) मधुरभाषी (अनहंकृतः) अहंकार से रहित (नित्यं ब्राह्मण+आदि-आश्रयः) शदा ब्राह्मण आदि तनों की सेवा में संलग्न शूद्र भी (उत्कृष्टां जातिम्+अश्नुते) उत्तम ब्रह्मजन्मान्तर्गत द्विजवर्ण को प्राप्त कर लेता है ॥ ३३५ ॥

अनुशीलन : (१) शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति— इन श्लोकों के

वर्णन से मनु की शूद्र के प्रति यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को हीन नहीं मानते अपितु पवित्र, उत्कृष्ट और उत्तम कर्मों से उच्चवर्ण प्राप्त करने का अधिकारी मानते हैं। यह मान्यता १०।६५ में भी वर्णित है। न पढ़ने के कारण ही व्यक्ति शूद्र कहा जाता है, जन्मना नहीं। यही मनु की मान्यता है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन १।३१, ६१ पर तथा १।१०७ की अन्तर्विरोध समीक्षा में देखिए। १।६१ में शूद्र के कर्म का वर्णन है।

(२) वेदों में शूद्र को यज्ञ आदि का विधान— ऋक्० १०।५३।४-५ में “पञ्चजनाः ममहोत्रं जुषध्वम्” कहकर शूद्र को भी यज्ञ करने का आदेश है। निश्चित ३।२।७ में “पञ्चजनाः” की व्याख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निरामिष-भोजी निषाद की गणना की है [विस्तृत विवेचन भूमिका में शूद्र विषय में द्रष्टव्य है]।

एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः ।

आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तिान्नबोधत ॥ ६।३३६ ॥

(एषः) यह (अनापदि) आपत्तिकाल न होने पर (वर्णानां शुभः कर्मविधिः उक्तः) सब वर्णों की शुभ कार्यविधि कही ।

अब (तेषाम् आपदि + अपि यः) उन्हीं वर्ण वालों की आपत्कालीन जो कर्म-विधि है (तत् क्रमशः निबोधत) उसको क्रमशः सुनो—॥ ३३६ ॥

अनुशीलनः : यह श्लोक (६।३३६ वां श्लोक) निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त है ।

१. विषयविरोध—(१) यद्यपि इस श्लोक में पूर्व अध्यायों की भांति वर्णित विषय की तथा अगले अध्याय के विषय का निर्देश किया गया है । किन्तु १० वें अध्याय में आपत्कालीन कार्यों का वर्णन न होने से यह श्लोक असंगत है । इस बात की पुष्टि दशमाध्याय के अन्तिम श्लोक (१०।१३१) से स्पष्ट रूप से हो रही है—

एव धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः ।

अर्थात् दशमाध्याय में चारों वर्णों के सामान्य धर्म अथवा कर्त्तव्य धर्मों का ही विधान है ।

(२) नवम-दशम अध्यायों की विषयवस्तु को देखकर यह स्पष्ट होता है कि चातुर्वर्ण्य-धर्मविधि के अन्तर्गत ही राजधर्म (क्षत्रियधर्म) का वर्णन नवमाध्याय में (६।३२५ श्लोक तक) करके आगे दूसरे वर्णों के कर्मविधान किये हैं । इसलिये ही ६।३२५ में कहा है—

इमं कर्मविधि विज्ञातु क्रमशो वैश्यशूद्रयोः ।

अर्थात् राजधर्म का वर्णन करके अब वैश्य-शूद्रों के कर्मों का विधान आगे करेंगे । और इस चातुर्वर्ण्य कर्मविधि का ही उपसंहार १०।१३१ में किया है । अतः नवम-दशम अध्यायों का पृथक् से विभाग जिसने भी किया है, उसने विषयवस्तु का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा है ।

(३) इन अध्यायों के वर्ण्य-विषय को ध्यान में रखकर चिन्तन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों अध्यायों के विषय-समाप्ति का सूचक श्लोक १०।१३१ है । इससे नवमाध्याय के अन्तिम श्लोक को प्रक्षिप्त मानने से मनु के विषयनिर्देशक श्लोक का जो अभाव खटकता है, वह भी नहीं रहता । ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अन्वयमूलक वर्णव्यवस्था के प्रचलित होने के बाद किसी ने इन श्लोकों का बड़ी चतुरता से मिश्रण किया है । नवम-अध्याय के अन्त में विषय का निर्देश करके दशमाध्याय के १३० श्लोक में विषय की समाप्ति की सूचना देते हुए लिख दिया है—

एते चतुर्णां वर्णानामापद्धर्माः प्रकीर्तितः ।

यान् सम्पन्ननुत्तिष्ठन्तो व्रजन्ति परमां गतिम् ॥

यदि इस श्लोक को सत्य माना जाये तो १०।१३१ वीं श्लोक निरर्थक है और १२६ वें श्लोक में अगले अध्याय के विषय का निर्देश न होने से यह श्लोक मनु की शैली का नहीं है ।

२. अन्नविरोध—(१) १०।१३० श्लोक में कहा है कि इन आपद्धर्मों को अनुष्ठान करते हुए सब वर्णों के मनुष्य परमगति=मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं । यदि आपद्धर्मों के अनुष्ठान से मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है, तो सामान्य धर्मों का क्या फल होगा ? अतः यह अतिशयोक्तिपूर्ण अर्थवाद मनु की शैली से विरुद्ध है और यदि आपद्धर्म को मनुप्रोक्त माना जाये, तो आपद्धर्म की परिभाषा क्या होगी ? और वह कितने समय तक मानी जाये ? और यह भी विचारना होगा कि क्या ये आपद्धर्म व्यावहारिक भी हैं या नहीं ? आपद्धर्म में पड़कर ब्राह्मण वैश्य के कृषि आदि कर्म बिना साधनों के कैसे कर सकेगा ? और कृषि का फल तो तुरन्त नहीं मिलता, क्या तब तक वह आपत्काल में पड़ा हुआ भूखा ही रहेगा ? और यदि खेती आदि साधनों को जुटा लेता है, तो आपद्धर्म ही क्या रहा ? उपनिषद् में^१ आपद्धर्म का एक उदाहरण दिया गया है कि ऋषि ने आपत्काल में झूठा अन्न तो खालिया किन्तु झूठा जल नहीं पिया । अतः आपत्काल को दीर्घकालीन मानकर कृषि आदि कार्यों की बात जन्ममूलक वर्णव्यवस्था को स्पष्ट करती है । और वह मान्यता मनु की नहीं है । मनु ने कर्मानुसार वर्णव्यवस्था मानी है । और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा शूद्र की आजीविका का आधार वैश्य के ऊपर होता है । अकालादि की दशा में धान्यादि के अभाव में यह आपत्ति आ सकती है, अथवा शत्रु के हमला करने पर आजीविका का कष्ट हो सकता है । उस दशा में ब्राह्मण भी कृषि आदि कार्य कैसे कर सकेगा ? [द्रव्य १।१०७ पर कर्मणा वर्णव्यवस्था विषयक समीक्षा] ।

(२) दशमाध्याय में वर्णों के आपत्कालीन कर्मों का कथन मानना ठीक नहीं है । क्योंकि उनमें आपत् शब्द नहीं है, अतः स्पष्ट है कि इस अध्याय में चारों वर्णों के कर्मों के अन्तर्गत वैश्य व शूद्र के कर्मों का ही वर्णन किया गया है कि इन कर्मों को आजीविका के लिये करे और इनको धर्म मानकर । और चातुर्वर्ण्य धर्म से भिन्न वर्णसंस्करणों के कार्यों को तो कथमपि आपद्धर्म नहीं माना जा सकता । प्रतीत यह होता है ६।३२५ पर

१. मटचीहृतेषु कुलत्वादिभ्या सह जाययोवस्तिह चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राएक उवास । स हेम्यं कुलमावास्तादन्तं विभिक्ते तं होवाच ॥ नेतोऽग्रे विद्यन्ते यत्न ये य इव उपनिहिता इति ॥ एतेषां मे वेहोति होवाच । न च आजीविष्यमिममन-खादन्निति होवाच कामो म उदयानमिति ॥ (छान्दो० १ अ० १० ख०) अर्थात् उपस्ति चाक्रायण ने प्राणों की रक्षा के लिये उच्छिष्ट अन्न को मांगकर तो खा लिया, किन्तु जुठा जल नहीं लिया, क्योंकि जल का अभाव नहीं था ।

यह अध्याय समाप्त हो गया। आगे के श्लोक शेष अध्याय के साथ सम्बन्धित हैं। आपद् धर्म का वर्णन प्रक्षेप है। वर्णव्यवस्था तो जीविका के आधार पर है और उसका आपद् धर्म दशमाध्याय में 'शूद्रो ब्राह्मणतामेति' श्लोक में है, शेष श्लोक प्रक्षेप किये गये हैं।

वेदोपदेश का अधिकार ब्राह्मण को है—

अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः ।

प्रब्रूयाद् ब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ १०।१ ॥

(त्रयः द्विजातयः वर्णाः) तीनों द्विजाति वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (स्व-कर्मस्थाः) अपने-अपने कर्मों के पालन में स्थित रहते हुए (१।८७-६१) (अधीयीत्) वेद पढ़ें (ब्राह्मणः एषां प्रब्रूयात्) ब्राह्मण इन वर्णों को वेदों का प्रवचन करे (इतरो न) अन्य वर्ण (क्षत्रिय-वैश्य) वेद-प्रवचन न करें (इति निश्चयः) ऐसा निश्चय है ॥ १ ॥

सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद् वृत्त्युपायान् यथाविधि ।

प्रब्रूयादितरेभ्यश्च स्वयं श्रेष्ठ तथा भवेत् ॥ १०।२ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (यथाविधि) यथोक्तविधि से [१।८७-६१] (सर्वेषां वृत्त्यु-पायान् विद्यात्) सभी वर्णों के जीविका-उपायों को जाने (च) और (इतरेभ्यः प्रब्रूयात्) अन्य वर्णों को उनका उपदेश करे (च) और (स्वयम् एव तथा भवेत्) स्वयं भी निय-मानुसार वैसे ही आचरण करे ॥ २ ॥

वैशेष्यात्प्रकृतिर्ब्रह्मण्यनिगमस्य च धारणात् ।

संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥ १०।३ ॥

(वैशेष्यात्) विशेष गुणों वाला होने के कारण (प्रकृतिर्ब्रह्मण्यात्) स्वभाव की श्रेष्ठता के कारण (नियमस्य धारणात्) धर्मनियमों को अधिकतापूर्वक धारण करने के कारण (च) और (संस्कारस्य विशेषात्) यज्ञोपवीत संस्कार के सब वर्णों से पूर्व होने की विशेषता के कारण [२।३७-३८ इस संस्करण में २।११-१३] (वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः) वर्णों में ब्राह्मण वर्ण प्रमुख है ॥ ३ ॥

अनुवर्तिताः : १०।१-३ श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—अध्ययन-अध्यापन विषय के २।२१३-२१७ [२।२३८-२४२] श्लोकों में यह स्पष्ट कहा है कि विद्या की प्राप्ति ब्राह्मण से भिन्न गुरु से भी करनी चाहिए। किन्तु यहाँ १०।१ श्लोक में उससे विरुद्ध बात कही है कि ब्राह्मण से भिन्न वर्णों को पढ़ाने का अधिकार ही नहीं है। यद्यपि पठन-पाठन का कार्य ब्राह्मण का ही मनु ने माना है, पुनरपि मनु ने दूसरे वर्णों को भी आवश्यकता पड़ने पर निषेध नहीं किया है। १०।२-३ श्लोक प्रथम श्लोक से सम्बद्ध होने से मनु की मान्यता से विरुद्धता के कारण प्रक्षिप्त हैं।

२. **विषयविरोध**—ब्राह्मण के धर्मों का वर्णन मनु ने छठे अध्याय में किया है और वहाँ स्पष्ट कहा है—

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । (मनु० १।६७)

और सातवें, आठवें व नवमाध्यायों में राजधर्म का वर्णन किया है। और नवमाध्याय के ६।३२५ श्लोक में राजधर्म (क्षत्रियधर्म) विषय का उपसंहार करते हुए कहा है—

एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः ।

इमं कर्मविधिं विद्यात् क्रमशो वैश्यशूद्रयोः ॥

इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के धर्मों का कथन करके वैश्य व शूद्र के धर्मों का कथन किया जायेगा। और इस चातुर्वर्ण्य धर्म का उपसंहार दशमाध्याय की समाप्ति पर मनु ने किया है—

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः ।

अतः इस चातुर्वर्ण्य-धर्म के बीच में अन्य विषय का वर्णन करना असंगत है। और ६।३२५ श्लोक के अनुसार वैश्य-शूद्र के धर्मों का वर्णन यहाँ होना चाहिए। इनके बीच में ब्राह्मण का जो अर्थवादात्मक वर्णन यहाँ किया गया है, वह विषय-विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

३. प्रसंगविरोध—मनु ने चारों वर्णों के पृथक्-पृथक् धर्मों का वर्णन करते हुए १०।४ में कहा है कि वर्ण चार ही होते हैं, पाँचवाँ नहीं। इसलिए हमने चारों वर्णों के धर्मों का वर्णन किया है। यहाँ शूद्र के धर्मों के बाद पुनः ब्राह्मण की श्रेष्ठता या प्रशंसा करना प्रसंगविरुद्ध है।

वर्ण चार ही हैं—६।३३५ का १०।४ से उपसंहारात्मक प्रसंग सिद्ध होता है। धर्मों का कथन प्रारम्भ करते समय भी चार वर्णों का ही कथन किया है [१।१४४ (२।२५)]। इसका यह भी संकेत है कि अब और कोई वर्ण नहीं रहता जिसके धर्मों का कथन करना शेष हो।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ।

चतुर्थं एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ १०।४ (६)

[आर्यों के समाज में] (ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (त्रयः वर्णाः द्विजातयः) ये तीन वर्ण विद्याध्ययन-रूपी दूसरा जन्म प्राप्त करने वाले [२।१४६-१४८, इस संस्करण में २।१२१-१२३] हैं, अतः द्विज कहलाते हैं (चतुर्थः एकजातिः शूद्रः) चौथा विद्याध्ययनरूपी दूसरा जन्म (द्विजजन्म) न होने के कारण एकजाति=एक जन्म वाला, ब्रह्मजन्म से रहित शूद्र वर्ण है (नास्ति तु पञ्चमः) पाँचवाँ कोई वर्ण नहीं है ॥ ४ ॥

अनुशासनः (१) वर्ण चार है—(क) मनु ने यहाँ चार वर्णों की

गम्यता अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित की है। मनुस्मृति में अन्यत्र वर्णानात्मक रूप में चार वर्णों का ही वर्णन है। चार वर्णों की दीक्षा से रहित अन्य सभी व्यक्ति दस्यु हैं

[१०।४५] अन्य वर्णसंकर आदि संशक कोई वर्ण नहीं। इस श्लोक की पुष्टि के लिए मनुस्मृति के निम्न श्लोक भी द्रष्टव्य है—१।३१, ८७—६१।३।२०॥ ५।५७॥ ७।६८॥ १०।४५, ६५, १३१॥ १२।६७ आदि।

२. चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण—अन्यत्र शास्त्रग्रन्थों में भी चार वर्णों का ही उल्लेख आता है। इन चार वर्णों से शेष व्यक्ति आर्येतर हैं जिन्हें निपाद, असुर, राक्षस आदि विभिन्न वर्गकृत नामों से अभिहित किया जाता है—

(क) “ऊर्जादः उत यज्ञियासः पञ्चजनाः सम होत्रं जुषन्वम् ।”

(ऋक् १०।५३।४)

“पञ्चजनाः—अश्वारो वर्णाः, निषादः पञ्चम इति औपमन्यवः ।”

(निह० ३।२।७)

चार वर्ण = ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनसे भिन्न पांचवें निपादजन, ये वेदोक्त पांच प्रकार के मनुष्य हैं।

(ख) “अश्वारो वर्णाः। ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शूद्रः”

(श० ब्रा० ५।५।४।६)

“अश्वारो वै पुरुषा ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शूद्रः ॥”

(मैत्रा० सं० ४।४।६)

वर्णसंकरों का वर्णन—

सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु।

आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ १०।५॥

(सर्ववर्णेषु) सब चारों वर्णों में (तुल्यासु) अक्षतयोनिषु) सब वर्ण, अक्षतयोनि, विवाहित पत्नियों में (आनुलोम्येन सम्भूता) वर्णानुक्रम से अर्थात् ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न, क्षत्रिय से क्षत्रिया में उत्पन्न, इस क्रम से उत्पन्न हुई सन्तानें (जात्या ते + एव ज्ञेयाः) जन्म में वे उसी जाति की समझनी चाहिएँ ॥ ५ ॥

स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्मुतान्।

सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविर्गहितान् ॥ १०।६॥

(अन्तरजातासु स्त्रीषु) दूसरे निम्न वर्णों की स्त्रियों में (द्विजैः + उत्पादितान् मुतान्) द्विजों के द्वारा उत्पन्न की गई सन्तानों को (मातृदोषविर्गहितान्) [निम्न वर्ण होने के कारण] माता के दोष से निन्दित होते हुए भी (सदृशान् + एव आहुः) पिता की जाति का ही मानने हैं ॥ ६ ॥

भिन्न वर्ण से उत्पन्न ‘अपसद’ सन्तानें—

अनन्तरासु जातानां विधिरेश सनातनः।

दृष्येकान्तरासु जातानां धर्म्य विद्यादिर्म विधिम् ॥ १०।७॥

(अनन्तरासु जातानाम्) दूसरे निम्न वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न सन्तानों की (एषः सनातनः विधिः) यह सनातन विधि है (द्वि-एक-अन्तरासु जातानाम्) दो और एक वर्ण के अन्तर वाली स्त्रियों में उत्पन्न सन्तानों की [जैसे ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न, क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न] (धर्म्यं विधिम् इमं विद्यात्) धर्मानुसृत विधि को इस प्रकार जानो ॥ ७ ॥

ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बुठो नाम जायते ।

निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ १०।८ ॥

(ब्राह्मणात् वैश्यकन्यायाम् जायते) ब्राह्मण से वैश्या में जो सन्तान उत्पन्न होती है (अम्बुठः नाम) वह 'अम्बुठ' कहाती है और (शूद्रकन्यायाम्) ब्राह्मण से शूद्रा में जो सन्तान उत्पन्न होती है (निषादः) वह 'निषाद' कहाती है (यः पारशवः + उच्यते) जिसे 'पारशव' भी कहा जाता है ॥ ८ ॥

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान् ।

क्षत्रशूद्रवपुर्जन्तुश्चो नाम प्रजायते ॥ १०।९ ॥

(क्षत्रियात् शूद्रकन्यायाम्) क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान (क्षत्र-शूद्र-वपुः जन्तुः) क्षत्रिय और शूद्र के शरीर से उत्पन्न हुई यह (क्रूर-आचार-विहारवान्) क्रूर-आचार-व्यवहार वाली होने से (उग्रः प्रजायते) 'उग्र' नाम वाली होती है ॥ ९ ॥

विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोर्द्वयोः ।

वैश्यस्य वर्णो ब्रह्मिन्मन्वेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १०।१० ॥

(विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु) ब्राह्मण से निम्न तीन वर्णों में उत्पन्न हुई सन्तानें (नृपतेः द्वयोः वर्णयोः) क्षत्रिय से निम्न दो वर्णों में उत्पन्न (च) और (वैश्यस्य एकस्मिन् वर्णे) वैश्य के द्वारा निम्न एक वर्ण शूद्रा में उत्पन्न सन्तान (एते षड् 'अपसदाः' स्मृताः) ये छः प्रकार की सन्तानें 'अपसद' = निकृष्ट मानी गयी हैं ॥ १० ॥

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः ।

वैश्यान्मागधवैदेहो राजविप्राङ्गनासुतो ॥ १०।११ ॥

(क्षत्रियात् विप्रकन्यायां जातितः सूतः भवति) क्षत्रिय से ब्राह्मण-कन्या में उत्पन्न सन्तान 'सूत' कहालाती है (वैश्यात्) वैश्य से (राजविप्राङ्गना-सुतो मागध-वैदेहौ) क्षत्रिय और ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न सन्तान क्रमशः 'मागध' और 'वैदेह' कहाती है ॥ ११ ॥

शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चाधमो नृणाम् ।

वैश्यराक्षस्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १०।१२ ॥

(शूद्रात्) शूद्र से (वैश्य-राजस्य-विप्रासु) वैश्या, क्षत्रिया और ब्राह्मणी में

क्रमशः (प्रायोगवः क्षत्ता नृणाम् ग्रधमः चण्डालः वर्णसंकराः जायन्ते) 'प्रायोगव' 'क्षत्ता' और मनुष्यों में नीच 'ग्रधम' नामक वर्णसंकर पैदा होते हैं ॥ १२ ॥

एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्ठोग्री यथा स्मृती ।

क्षत्तुर्वैदेहको तद्वत्प्रातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १० । १३ ॥

(आनुलोम्यात्) अनुलोम क्रम से (एकान्तरे) एक वर्ण के अन्तर वाली स्त्री [१० । ८] में उत्पन्न सन्तान (अम्बष्ठ उग्री यथा स्मृती) 'अम्बष्ठ' और 'उग्र' जैसे कहे हैं (तत्-वत्) उसी प्रकार (प्रातिलोम्ये + अपि जन्मनि) प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले (क्षत्तु-वैदेहको) 'क्षत्ता' और 'वैदेह' [१० । ११] माने हैं अर्थात् ये सब समान स्तर के हैं ॥ १३ ॥

पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम् ।

ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते ॥ १० । १४ ॥

(द्विजन्मनां ये) द्विजातियों से जो (क्रमशः अन्तरस्त्रीजाः पुत्राः उक्ताः) क्रमशः अनन्तर स्त्रियों में—एक वर्ण के अन्तर वाली स्त्री में उत्पन्न, दो वर्ण के अन्तर वाली स्त्री में उत्पन्न, पुत्र कहे हैं (तान् + अनन्तर नाम्नः तु मातृदोषात् प्रचक्षते) उन अनन्तर सन्तानों को मातृदोष प्रधानता के कारण माता की जाति का ही माना है ॥ १४ ॥

ब्राह्मणादुग्रकन्यायामावृता नाम जायते ।

आभीरोऽम्बष्ठकन्यायामायोगव्यां तु धिक्वणः ॥ १० । १५ ॥

(ब्राह्मणात् + उग्रकन्यायाम्) ब्राह्मण से उग्रकन्या में (आवृताः नाम जायते) 'आवृत' नामक सन्तान उत्पन्न होती है (अम्बष्ठकन्यायाम् + आभीरः) ब्राह्मण से अम्बष्ठकन्या में 'आभीर' सन्तान (तु) और (प्रायोगव्यां धिक्वणः) ब्राह्मण से प्रायोगव कन्या में 'धिक्वण' नामक सन्तान उत्पन्न होती है ॥ १५ ॥

प्रायोगवश्च क्षत्ता च चण्डालश्चाधमो नृणाम् ।

प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्रावपसदास्त्रयः ॥ १० । १६ ॥

(प्रातिलोम्येन शूद्रात्) प्रतिलोम क्रम से अर्थात् शूद्र से उच्चवर्ण की स्त्री में (प्रायोगवः क्षत्ता च नृणाम् ग्रधमः चण्डालः जायन्ते) क्रमशः 'प्रायोगव' 'क्षत्ता' और मनुष्यों में नीच 'चण्डाल' उत्पन्न होते हैं (त्रयः अपसदाः) ये तीनों प्रकार की सन्तानें शूद्र से भी नीच हैं ॥ १६ ॥

वैश्यान्मागधवैदेहो क्षत्रियात्सूत एव तु ।

प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः ॥ १० । १७ ॥

प्रतिलोम क्रम से (वैश्यात् मागधवैदेहो) वैश्य से उच्च वर्ण वाली स्त्री में उत्पन्न सन्तानें क्रमशः 'मागध' और 'वैदेह' (क्षत्रियात् सूतः एव) क्षत्रिय से ब्राह्मणी

ये उत्पन्न 'सूत' नामक सन्तान (एते प्रतीपं जायन्ते) ये प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वाली (त्रयः अपसदाः) तीनों नीच मानी गई हैं ॥ १७ ॥

जातो निषादाश्चूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः ।

शूद्राज्जातो निषाद्यां तु स वै कुक्कुटकः स्मृतः ॥ १८ ॥

(निषादान् शूद्रायां जातः) 'निषाद' से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान (जात्या पुक्कसः भवति) जाति से 'पुक्कस' कहाती है (शूद्रात् निषाद्यां जातः तु) शूद्र से निषाद कन्या में उत्पन्न सन्तान (कुक्कुटकः स्मृतः) 'कुक्कुट' संज्ञक होती है ॥ १८ ॥

क्षत्तुर्जातिस्तयोप्रायां श्वपाक इति कीर्त्यते ।

वैदेहकेन त्वम्बष्ठघामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९ ॥

(तथा) उसी प्रकार (क्षत्तुः उप्रायां जातः) क्षात्ता से उग्रकन्या में उत्पन्न पुत्र (श्वपाकः + इति कीर्त्यते) 'श्वपाक' नामक होता है (वैदेहकेन तु त्वम्बष्ठघाम् + उत्पन्नः) वैदेह से त्वम्बष्ठकन्या में उत्पन्न सन्तान (वेण उच्यते) 'वेण' संज्ञक कहाती है ॥ १९ ॥

द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यवतांस्तु यान् ।

तात्सावित्रीपरिभ्रष्टान्ब्राह्म्यानि विनिर्विशेत् ॥ २० ॥

(द्विजातयः) द्विजवर्ण वाले (सवर्णासु) सवर्ण स्त्रियों में (यान् अब्रतान् जनयन्ति) जिन यज्ञोपवीत संस्कार से हीन रहने वाले पुरुषों को जन्म देते हैं (सावित्री-परिभ्रष्टान् तान्) सावित्री से पतित रहने वाले उन पुरुषों को (ब्राह्म्यान् + इति विनिर्विशेत्) 'ब्राह्म्य' संज्ञक कहा जाता है ॥ २० ॥

ब्राह्म्यात् जायते विभ्राह्म्यापात्मा भूर्जकण्टकः ।

आवन्त्यवाटधानौ च पुण्यधः शैल एव च ॥ २१ ॥

(ब्राह्म्यात् विभ्राह्म्यात्) 'ब्राह्म्य' संज्ञक ब्राह्मण से सवर्ण में (भूर्जकण्टकः पापात्मा जायते) 'भूर्जकण्टक' नामक पापी सन्तान उत्पन्न होती है । देशभेद से इसके (आवन्त्य वाटधानौ पुण्यधः च शैल) 'आवन्त्य' 'वाटधान' 'पुण्यध' और 'शैल' ये चार और भेद हैं ॥ २१ ॥

भूतलो मल्लद्वय राजन्यः द्विभ्राह्म्यात् लिच्छिविरेव च ।

नटद्वय करणद्वय खसो द्रविड एव च ॥ २२ ॥

(राज्यान् ब्राह्म्यान्) क्षत्रिय ब्राह्म्य से सवर्ण में उत्पन्न पुरुषों के सात नाम होते हैं — (भूतलः मल्लः लिच्छिविः नटः करणः खसः च द्रविडः) 'भूतल' 'मल्ल', 'लिच्छिवि' 'नट' 'करण' 'खस' और द्रविड ॥ २२ ॥

वैश्यात् जायते ब्राह्म्यास्तु धन्वाचार्य एव च ।

काश्यपश्च द्विजम्मा च मैत्रः सात्यत एव च ॥ २३ ॥

(वैश्यात् ब्राह्म्यात्) वाय्व वैश्य से सबर्णा में (सुधन्वाचार्यः काश्यः विजन्मा मन्त्रः च सात्वत एव) 'सुधन्वाचार्य' 'काश्य' 'विजन्मा' 'मन्त्र' और 'सात्वत' संज्ञक सन्तान उत्पन्न होती हैं। [एक ही सन्तान के देशभेद से ये पृथक्-पृथक् नाम हैं] ॥२३॥

वर्णसंकरों की उत्पत्ति में कारण—

व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च ।

स्वकर्मणा च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १० । २४ ॥

(वर्णानां व्यभिचारेण) वर्णों में परस्पर व्यभिचार होने से (अवेद्या वेदनेन) एक गोत्र वाली अग्रम्या स्त्री से विवाह करने से (च) और (स्वकर्मणा त्यागेन) अपने शास्त्रविहित कर्त्तव्यों को छोड़ने से (वर्णसंकराः जायन्ते) 'वर्णसंकर' सन्तानें उत्पन्न होती हैं ॥ २४ ॥

संकीर्णयोनियों का वर्णन—

सङ्कीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः ।

अग्न्योऽप्यतिषक्तान्श्च तान् प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १० । २५ ॥

अब (प्रतिलोम-अनुलोमजाः) प्रतिलोम और अनुलोम सम्बन्ध से (अग्न्योऽप्यतिषक्ताः) परस्पर मिश्रण होने से (संकीर्णयोनयः) जो संकीर्ण योनियां उत्पन्न होती हैं (तान् अशेषतः प्रवक्ष्यामि) उन्हें पूर्ण रूप से कहूंगा—॥ २५ ॥

सूतो वैदेहकश्च चण्डालश्च नराधमः ।

मागधः क्षत्तुजातिश्च तथाऽप्योगव एव च ॥ १० । २६ ॥

एते षट् सहशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनितु ।

मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनितु ॥ १० । २७ ॥

(सूतः वैदेहः नराधमः चण्डालः) १ सूत, २. वैदेह, ३. नीच चण्डाल, (मागधः क्षत्तुजातिः च अयोगवः) ४. मागध, ५. क्षत्ता, ६. अयोगव (एते षट्) ये छः वर्ण-संकर (स्वयोनितु सहशान् वर्णान् जनयन्ति) अपनी वर्ण वाली स्त्रियों में अपने ही वर्ण की सन्तानों को उत्पन्न करते हैं (प्रवरासु योनितु) अपने से श्रेष्ठ जाति की स्त्रियों में उत्पन्न ये हीन वर्ण हैं ॥ २६, २७ ॥

तान् प्रवक्ष्यामि अशेषतः ।

आनन्तर्यास्वयोग्यां तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात् ॥ १० । २८ ॥

(यथा) जिस प्रकार (त्रयाणां वर्णनाम्) तीनों वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में से (द्वयोः अस्य आत्मा जायते) दो वर्णों—क्षत्रिय और वैश्य में से उत्पन्न सन्तान इस ब्राह्मण की अपनी आत्मा ही उत्पन्न होती है अथवा अपनी ही जाति की होती है, (स्वयोग्यां तु) वह सन्तान ऐसी ही होती है जैसी सबर्णा में उत्पन्न सन्तान; (तथा बाह्येषु क्रमात् आनन्तर्यात्) उसी प्रकार इतर बाह्य वर्णों में प्रतिलोम क्रम के

अन्तर [वैश्य तथा क्षत्रिय से क्रमशः क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी में] उत्पन्न सन्तान भी द्विज ही होती हैं ॥ २८ ॥

ते चाऽपि बाह्यान्सुबहूस्ततोऽप्यधिकदूषितान् ।

परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगृहीतान् ॥ १० । २९ ॥

(ते च + अपि) वे अयोगव [१०।१२] आदि वर्णसंकर वाले पुरुष (ततः + अपि + अधिकदूषितान्) अपने से भी अधिक दूषित, (बाह्यान्) समाज से बहिष्कृत और (विगृहीतान्) निन्दनीय सन्तानों को (परस्परस्य दारेषु जनयन्ति) परस्पर जाति की स्त्रियों में उत्पन्न करते हैं ॥ २९ ॥

यथैव शूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते ।

तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुर्वर्ण्यं प्रसूयते ॥ १० । ३० ॥

(तथा) जैसे (शूद्रः) शूद्र (ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते) ब्राह्मणी में निन्दित 'चाण्डाल' पुत्र [१०।१२] को उत्पन्न करता है (तथा) उसी प्रकार (बाह्यः) वह 'चाण्डाल' भी (चातुर्वर्ण्यं बाह्यतरं प्रसूयते) चार वर्णों की स्त्रियों में अपने से भी नीच-तम सन्तान को उत्पन्न करता है ॥ ३० ॥

प्रतिकूलं वर्तमाना बाह्या बाह्यतरान्मुनः ।

हीना हीनान्प्रसूयन्ते वशांस्त्रिष्वक्षयं तु ॥ १० । ३१ ॥

(बाह्याः) बाह्य अयोगव आदि (प्रतिकूलं वर्तमानाः) प्रतिलोम विधि से (पुनः) पुनः चारों वर्णों की स्त्रियों में (हीनाः हीनान्) और अपने निम्न वर्ण की स्त्रियों में (त्रिष्वक्षयं + एव बाह्यतरान् वर्णान् प्रसूयन्ते) पन्द्रह प्रकार के अपने वर्ण वाले नीचतम पुत्रों को उत्पन्न करते हैं ॥ ३१ ॥

प्रसाधनोपचारजमदासं दासजीवनम् ।

सैरिध्रं वागुरावृत्तिं सूते दस्युरयोगवे ॥ १० । ३२ ॥

(दस्युः अयोगवे सूते) दस्यु पुत्रः [१०।४५] 'अयोगव' स्त्री में जो सन्तान उत्पन्न करता है (सैरिध्रम्) वह 'सैरिध्र' संज्ञक होती है और वह (प्रसाधन-उपचार-जम्) केश-प्रसाधन में चतुर होती है (अदासं दासजीवनम्) दास न होते हुए भी दास जैसा जीवन बिताती है (वागुरावृत्तिम्) तथा हरिण आदि का बध करके जीविका कमाती है ॥ ३२ ॥

मैत्रेयकं तु वैदेहो माधूकं संप्रसूयते ।

मृन्मृगशंसत्यजकं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥ १० । ३३ ॥

(वैदेहः मैत्रेयकं माधूकं संप्रसूयते) वैदेह जाति वाला पुरुष 'अयोगव' कन्या में 'त्रेयक' संज्ञक मधुरभाषी पुत्र को उत्पन्न करता है (यः) जो (अरुणोदये घण्टाताडः)

प्रातःकाल धण्टा आदि बजाकर (अजस्तं नूनं प्रशंसति) सदा राजा आदि बड़े लोगों की प्रशंसा करके जीविका चलाता है ॥ ३३ ॥

निषादो मार्गं सूते दासं नौकर्मजीविनम् ।

कैवर्तमिति यं प्राहुरार्यावर्तनिवासिनः ॥ १० । ३४ ॥

(निषादः नौकर्मजीविनं) 'निषाद' जातीय पुरुष अयोगव कन्या में नाव से जीविका चलाने वाले (दासं मार्गं सूते) 'दास' या 'मागंव' संज्ञक सन्तान को उत्पन्न करता है (यम्) जिसको (आर्यावर्तनिवासिनः कैवर्तम्—इति प्राहुः) आर्यावर्त के निवासी कैवर्त = मल्लाह के नाम से पुकारते हैं ॥ ३४ ॥

मृतवस्त्रभृत्सु नारीषु गहिताग्रशनासु च ।

अवन्त्यायोगवीप्येते जातिहीनाः पृथक् त्रयः ॥ १० । ३५ ॥

(मृतवस्त्रभृत्सु) मृतकों के वस्त्र अर्थात् कफन आदि पहनने वाली (च) और (गहिता + अन्न + अशनासु) निन्दित और झूठा अन्न खाने वाली (आयोगवीपु नारीषु) आयोगव जाति की स्त्रियों में (एते जातिहीनाः त्रयः पृथक् भवन्ति) ये हीनजाति वाली सन्तानें—सैरिन्द्र मंत्रेय, मार्गव, पृथक्-पृथक् उत्पन्न [१०:३२-३४] होती हैं ॥ ३५ ॥

कारावरो निषादास्तु चर्मकारः प्रसूयते ।

वैदेहिकावन्धमेदौ बहिष्प्रतिश्रयो ॥ १० । ३६ ॥

(निषादास्तु) निषाद से वैदेह स्त्री में (कारावरः चर्मकारः प्रसूयते) 'कारावर' संज्ञक चमार जाति की सन्तान उत्पन्न होती है (वैदेहिका + अन्ध-मेदौ) वैदेहिक से कारावर कन्या और निषाद कन्या में क्रमशः 'अन्ध' और 'मेद' संज्ञक सन्तान उत्पन्न होती है (बहिः-प्रतिश्रयो) जो गांव से बाहर निवास करती हैं ॥ ३६ ॥

चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वव्यवहारवान् ।

आहिण्डिका निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ १० । ३७ ॥

(चण्डालात्) 'चण्डाल' जाति के पुरुष से (त्वक्-सार-व्यवहारवान्) बांसों के व्यापार से जीविका चलाने वाली (पाण्डुसोपाकः) 'पाण्डुसोपाक' संज्ञक सन्तान उत्पन्न होती है, और (निषादेन वैदेह्याम् आहिण्डिका जायते) निषाद से वैदेह-स्त्री में 'आहिण्डिका' नामक सन्तान होती है ॥ ३७ ॥

चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमान् ।

पुष्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥ १० । ३८ ॥

(चण्डालेन पुष्कस्यां सोपाकः पापः जायते) चण्डाल के द्वारा पुष्कसी स्त्री में 'सोपाक' संज्ञक पापी सन्तान उत्पन्न होती है, (मूलव्यसनवृत्तिमान्) राजाशा से लोगों को फांसी की सजा देने की जीविका करने वाला यह जल्साद (सदा सज्जन-गर्हितः) सज्जनों द्वारा सदा निन्दित माना गया है ॥ ३८ ॥

निषादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्यावसायिनम् ।

श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गहितम् ॥ १०।३६ ॥

(चण्डालात् निषादस्त्री तु) चण्डाल से निषादस्त्री (अन्यावसायिनं पुत्रं सूते) 'अन्यावसायी' पुत्र को उत्पन्न करती है जो (श्मशानगोचरम्) श्मशान कायाँ से जीविका करता है और (बाह्यानाम् + अपि गहितम्) निकुण्ट जातियों में भी निकुण्ट है ॥ ३६ ॥

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः ।

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्या स्वकर्मभिः ॥ १०।४० ॥

(संकरे पितृ-मातृ-प्रदर्शिताः एता जातयः) वर्णसंकरों में पिता-माता के आधार पर वर्णित इन जातियों को (स्वकर्मभिः) इनके कार्यों से (प्रच्छन्नाः वा प्रकाशाः) गुप्त अथवा प्रकट रूप से जान लेना चाहिए ॥ ४० ॥

सजातिजानन्तरजाः षट् सुता द्विजधमिणः ।

शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजा स्मृताः ॥ १०।४१ ॥

(सजातिजाः + अनन्तरजाः) द्विजों में सवर्णा स्त्री से उत्पन्न और अपने से बाद के वर्ण वाली स्त्रियों में उत्पन्न [यथा-ब्राह्मण से ब्राह्मणी में क्षत्रिय से क्षत्रिया में वैश्य से वैश्या में उत्पन्न पुत्र तीन, और ब्राह्मण से क्षत्रिया तथा वैश्या में, क्षत्रिय से वैश्या में उत्पन्न तीन, इस प्रकार छह] (षट् सुताः द्विजधमिणः) ये छः प्रकार के पुत्र द्विजधर्मों वाले हैं (सर्वे + अपध्वंसजाः) शेष सभी प्रतिलोमविधि से उच्चवर्ण की स्त्रियों उत्पन्न पुत्र (शूद्राणां सधर्माणः स्मृताः) शूद्र जैसे धर्म वाले माने गये हैं ॥ ४१ ॥

तपोबीजप्रभावंस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ।

उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येऽपि जन्मतः ॥ १०।४२ ॥

(ते) वे वर्णसंकरता से उत्पन्न सन्तानें (तपः-बीज-प्रभावः) तपस्या करने से और उत्तम बीज के प्रभाव से (युगे युगे) सभी समयों में (इह मनुष्येषु) इस संसार के मनुष्यों में (जन्मतः उत्कर्षं च + अपकर्षं गच्छन्ति) जाति से श्रेष्ठ और नीच हो जाती हैं ॥ ४२ ॥

धर्म-पालन न करने से शूद्रता को प्राप्त जातियाँ—

शनकस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।

बुधलखं गता लोके ब्राह्मणावशनेन च ॥ १०।४३ ॥

(इमाः क्षत्रियजातयः) ये [१०।४४] क्षत्रिय जातियाँ (क्रियालोपात्) धार्मिक क्रियाओं के त्याग करने से (अ) और (ब्राह्मण-प्रदर्शनेन) ब्राह्मणों के उपदेशों को न मानने के कारण [प्रायश्चित्त आदि के आदेश-उपदेश] (लोके शनकैः बुधलखं गताः) लोक में धीरे-धीरे शूद्रता को प्राप्त हो गई ॥ ४३ ॥

पीण्डकाः श्रोत्र-द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः ।

पारदाः पल्लवाः चीनाः किराताः दरदाः खशाः ॥ १० ॥ ४४

वे हैं—(पीण्डकाः श्रोत्र-द्रविडाः काम्बोजाः यवनाः शकाः) पीण्डक, श्रोत्र, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक (पारदाः पल्लवाः चीनाः किराताः दरदाः खशाः) पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद और शक, [ये पहले क्षत्रिय जातियाँ थीं] ॥ ४४ ॥

अनुशीलन : १०१५ से १०१४४ तक के श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रसिप्त हैं—

१. विषयविरोध—(१०११-३) श्लोकों के अनुशीलन में स्पष्ट किया है कि इस अध्याय में वैश्य व शूद्र वर्णों का वर्णन करके उपसंहार किया गया है। और यह बात १०१४ तथा १०१४५ तथा १०१३१ श्लोकों से स्पष्ट है किन्तु इन में चारों वर्णों से भिन्न वर्णसंकरों, संकीर्ण जातियों तथा चण्डालादि का वर्णन किया गया है।

२. प्रसंगविरोध—१०१४ श्लोक में चारों वर्णों की बात कहकर इनसे भिन्न वर्णों का निषेध किया है और १०१४५ में चारों वर्णों से भिन्न म्लेच्छ भाषा बोलने वालों को दस्यु कहा है। इनके बीच में वर्ण-संकरों व वर्णसंकर-सम्भारों का वर्णन प्रसंगविरुद्ध होने से प्रसिप्त है।

३. अन्तर्विरोध—(१) मनु की यह मौलिक मान्यता है कि वर्णव्यवस्था का आधार कर्म है, जन्म नहीं [द्रष्टव्य १।३१, ८७-९१, १०७ श्लोक एवं समीक्षा] इसी [लिये १०१४ में कहा है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं बन सकता है, वह विद्या का जन्म न होने से एकजाति=एक जन्मवाला ही कहलाता है, द्विजन्मा नहीं। यदि वर्णव्यवस्था का आधार जन्म होता तो द्विजाति और एकजाति का भेद निरर्थक ही हो जाता है। और इन श्लोकों में जन्म के आधार पर समस्त वर्णन किया गया है। अतः मनु की मान्यता से विरुद्ध है। और मनु ने चारों वर्णों के विवाहों के विषय में स्पष्ट कहा है—

उद्धरेत् द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणाभितान् (मनु० ३।४)

अर्थात् द्विज सवर्णा स्त्री के साथ ही विवाह करें। और

उद्धरेद् भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् (७।७७)

अर्थात् विवाह के अर्थ द्विजों के लिए सवर्णा स्त्रियों का होना ही विहित है। परन्तु (१०१५ में) अनुलोम्य विवाह (१०१३ में) प्रातिलोम्य विवाहों से उत्पन्न सन्तानों का वर्णन किया गया है, जिसमें अतवर्णा स्त्रियों से उत्पन्न सन्तानों का वर्णन किया गया है। यह मनु से विरुद्ध मान्यता है।

(२) इन श्लोकों में [१०१२४ इत्यादि में] स्पष्ट कहा है—वर्णसंकर कौन और

कैसे होते हैं ? और [१०।३६ में] चर्मकारादि उपजातियों का वर्णन किया गया है। एवं १०।४३ में क्षत्रिय वर्ण का वृषलत्व-प्राप्ति का कारण लिखा है। जिससे स्पष्ट है कि जिस समय जन्म के आधार पर वर्णों को माना जाने लगा और चर्मकारादि उपजातियाँ बन गई, उस समय में किसी ने इन श्लोकों का प्रक्षेप किया है। मनु की मान्यता में आर्यों के चार ही वर्ण होते हैं और इनसे भिन्न दस्यु होते हैं [१०।४५]। इस शास्त्र में चारों वर्णों के धर्मों का ही कथन है, दस्युओं के नहीं। अतः यह वर्णसंकरादि का वर्णन प्रसंगविरुद्ध, प्रन्तर्विरोधादि दोषयुक्त होने के कारण प्रक्षिप्त है।

(४) मनु ने (६।३५ में) बीज की उत्कृष्टता से उत्तम सन्तान मानी है और ६।२६-२७ श्लोकों में स्त्रियों को पूजनीय गृहदीप्ति आदि कहकर प्रशंसा की है। परन्तु १०।१७, २५ श्लोकों में द्विजों की स्त्रियों को भी निन्दनीय कहा गया है और सन्तान में दोष का कारण बीज को न मानकर माता को माना है। यह मनु के विधान के विरुद्ध है।

४. शैलीगत आधार—मनुस्मृति में मनु की शैली विधानात्मक है, ऐतिहासिक नहीं। परन्तु इन श्लोकों की शैली ऐतिहासिक है। इस विषय में निम्नलिखित कुछ उद्धरण देखिये—

कैवलमिति यं प्राहुरायोवसन्निवातिनः ॥ (१०।३४)

जनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ॥ वृषलत्वं गता लोके० ।

(१०।४३)

पोष्कताश्चोद्भविडाः काम्बोजाः यचनाः शकाः ॥ (१०।४४)

द्विजैस्त्यावितान् सुतान् सद्गाम् एव तानाहुः ॥ (१०।६)

अतः इस ऐतिहासिक शैली से स्पष्ट है कि वर्णव्यवस्था में दोष आने पर जन्म-मूलक जब भिन्न-भिन्न उपजातियाँ प्रसिद्ध हो गई, उस समय इन श्लोकों का प्रक्षेप होने से मनु से बहुत परवर्ती काल के ये श्लोक हैं।

५. अवान्तर-विरोध—(१) १२ वें श्लोक में वर्णसंकरों की उत्पत्ति का जो कारण लिखा है, २४ वें श्लोक में उससे भिन्न कारण ही लिखे हैं। (२) ३२ वें श्लोक में सैरिन्ध्र की आजीविका केश-प्रसाधन लिखी है। ३३ वें में मैत्रेय की आजीविका धष्टा बजाना या चाटुकारता लिखी है और ३४ वें में मार्गव की आजीविका नाव चलाना लिखी है। किन्तु ३५ वें में इन तीनों की आजीविका मुदों के वस्त्र पहनने वाली और झूठन) खाने वाली लिखी है। (३) ३६, ४६ श्लोकों में कारावर जाति का और धिक्वण जाति का चर्मकार्य बताया है। जब कि कारावर निषाद की सन्तान है और धिक्वण ब्राह्मण की। (४) ४६ वें में क्रियालोप=कर्मों के त्याग से क्षत्रिय-जातियों के भेद लिखे हैं और २४ वें में भी स्ववर्ण के कर्मों के त्याग को ही कारण माना है परन्तु १२ वें में

एक वर्ण के दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ अथवा पुरुष के साथ-सम्पर्क से वर्णसंकर उत्पत्ति लिखी है। यह परस्पर विरुद्ध कथन होने से मनुप्रोक्त कदापि नहीं हो सकता।

चारों वर्णों से भिन्न व्यक्तियों की संज्ञा—

मुखबाहुरूपजानां या लोके जातयो बहिः ।

म्लेच्छवाच्यार्थवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥१०॥४५॥ (१०)

(लोके) लोक में (मुख-बाहु+उरु-पत्-जानाम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों से (बहिः) श्रेष्ठ कर्त्तव्यपालन न करने के कारण बहिष्कृत या इनमें अदीक्षित(या जातयः) जो जातियां हैं (म्लेच्छ-वाचः च आर्थवाचः) चाहे वे म्लेच्छभाषाएं बोलती हैं या आर्थभाषाएं (ते सर्वे) वे सब (दस्यवः स्मृताः) 'दस्यु' कहलाती हैं ॥ ४५ ॥

महर्षि दयानन्द ने इस श्लोक की द्वितीय व्यक्ति उद्धृत करके लिखा है—“जो आर्यावर्त देश से भिन्न हैं, वे दस्यु देश और म्लेच्छदेश कहाते हैं ॥”

(सं० प्र० २२५)

अनुस्यूतः : (१) श्लोक के प्रसंग पर विचार—१०।४ के पश्चात् वर्णनक्रम में १०।४५ की सम्बद्धता सिद्ध होती है, क्योंकि चौथे श्लोक में मनु द्वारा विहित समाज में चार वर्णों का अस्तित्व भूमिका रूप में बतलाया है और कहा है कि पाँचवां कोई वर्ण नहीं है। अब वर्णों में अदीक्षित या बहिष्कृत जो व्यक्ति रह गये हैं, उन्हें किसके अन्तर्गत माना जाये ? यह बतलाना प्रासंगिक था। उसे ४५ वें श्लोक में वर्णित किया है कि शेष व्यक्ति 'दस्यु' हैं।

(२) दस्यु से अभिप्राय—वेदों में और प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'दस्यु' शब्द का पर्याप्त प्रयोग आता है। यहाँ मनु ने स्पष्ट किया है कि दस्यु कौन है। वेदों में मनुष्यों के दो वर्ग उक्त हैं—'आर्य' = श्रेष्ठ और 'दस्यु' = अश्रेष्ठ। मनु ने यहाँ बताया है कि आर्यों के चार वर्णों से बाह्य अर्थात् वर्णाश्रम धर्मों में अदीक्षित [१०।४७] धर्म का पालन न करके अधर्माचरण करने वाले चारों वर्णों से अवशिष्ट सभी लोग दस्यु हैं। दस्यु शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति भी इनके इसी आचरण पर प्रकाश डालते हैं—'दसु-उपसृज्ये' वातु से 'यजिभनिशुग्धिदसिजनिभ्यो युच्' (उणादि ३।२०) से युच् प्रत्यय के योग से 'दस्यु' शब्द बनता है। निरुक्त ७।२३ में इसकी व्युत्पत्ति है—“दस्यु दस्यतेः अयार्पात्...उपवासयति कर्मणि” = दस्यु वह है जो शुभकर्मों से क्षीण है, या शुभकर्मों में बाधा डालता है।

अपसदों और अपध्वंसजों के कर्म—

ये द्विजानामपसदा ये आपध्वंसजाः स्मृताः ।

ते निन्दितैर्बतंत्येयुर्द्विजानामेष कर्मणिः ॥ १०।४६॥

(द्विजानां ये अपसदाः) द्विजों में जो 'अपसद' [१०।१०] = उच्चवर्णों के पिता से निम्न वर्णों की स्त्री में उत्पन्न सन्तानें हैं (च) और (ये अपध्वंसजाः स्मृताः) जो अपध्वंसज = उच्चवर्णों की स्त्रियों में निम्न वर्णों के पिता से उत्पन्न सन्तानें हैं (ते) वे सब (द्विजानाम् + एव निन्दितैः कर्मभिः वर्तयेयुः) द्विजों के लिए निन्दित अर्थात् निन्दित निम्नकोटि के कामों से अपनी जीविका करें ॥ ४६ ॥

सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम् ।

वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वणिक्पथः ॥ १० । ४७ ॥

(सूतानाम् + अश्वसारथ्यम्) 'सूतों' का कर्म रथ हांकना, (अम्बष्ठानां चिकित्सनम्) 'अम्बष्ठों' का कर्म चिकित्सा करना, (वैदेहकानां स्त्रीकार्यम्) वैदेहकों का अन्तःपुर की रक्षा करना (मागधानां वणिक्पथः) 'मागधों' का काम वाणिज्य में सहयोग देना है ॥ ४७ ॥

मत्स्यघातो निषादानां तष्टिस्त्राययोगवस्य च ।

मेघान्ध्रबुध्बुध्मदगुनामारण्यपशुहिसनम् ॥ १० । ४८ ॥

(निषादानां मत्स्यघातः) 'निषादों' का कर्म मछलियां मारना (त्राययोगवस्य तष्टिः) त्राययोगों का बड़ई गिरि, (मेघ + अन्ध्रबुध्बुध्मदगुनाम्) मेघ, अन्ध्र, बुध्बुध्मदगु इनका कर्म (आरण्यपशुहिसनम्) जंगली पशुओं की हिंसा करना है ॥ ४८ ॥

क्षत्रपुष्कसानां तु बिलौकावधबन्धनम् ।

धिग्वणानां चर्मकार्यं वेणानां भाण्डवादनम् ॥ १० । ४९ ॥

(क्षत्र-पुष्कसानाम्) क्षत्रा, उग्र और पुष्कसों का कार्य (बिलौकावधबन्धनम्) बिल में रहने वाले जानवरों को पकड़ना-मारना है, (धिग्वणानां चर्मकार्यम्) धिग्वणों का कार्य चमड़े की वस्तुएं बनाना और (वेणानां भाण्डवादनम्) 'वेणों' का कार्य विविध-प्रकार के बाजे बजाना है ॥ ४९ ॥

चैत्यद्रुमश्मशानेषु शैलेषु पवनेषु च ।

वसेयुरेते विज्ञाना वतंयन्तः स्वकर्मभिः ॥ १० । ५० ॥

(एते) ये वर्णसंकर (चैत्यद्रुम-श्मशानेषु) प्रसिद्धवृक्षों के नीचे, श्मशानभूमियों के पास, (शैलेषु + उपवनेषु) पहाड़ों में, वन-उपवनों में (स्वकर्मभिः वर्तयन्तः) अपने कर्मों से जीविका करते हुए और (विज्ञानाः) जानकारी में रहते हुए (वसेयुः) रहें ॥ ५० ॥

चण्डालश्चपचानां तु बहिर्ग्रामात्प्रतिश्रयः ।

अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेवांश्चगर्भम् ॥ १० । ५१ ॥

(चण्डाल-श्चपचानां तु प्रतिश्रयः ग्रामात् बहिः) 'चण्डालों' और 'श्चपचों' का निवास भी गांव से बाहर-दूर होना चाहिये (च) और इन्हें (अपपात्रा कर्तव्याः) निन्दित पात्रों से युक्त कर देना चाहिए, (एवां धनं स्व-गर्भम्) इनका धन पुत्रों और गधे हैं ॥ ५१ ॥

वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् ।

काष्णायिसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥ १०।५२ ॥

(मृतचेलानि वासांसि) मरे हुए व्यक्ति के ये वस्त्र पहनें, (भिन्नभाण्डेषु भोजनम्) टूटे-फूटे बर्तनों में भोजन करें (मलंकार, काष्णायिसम्) इनके आभूषण लोहे के बने हों, (च) और (नित्यशः परिव्रज्या) ये सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहें ॥ ५२ ॥

न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् ।

व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशः सह ॥ १०।५३ ॥

(धर्मम् + आचरन् पुरुषः) धार्मिक व्यक्ति (तैः) उन षण्डालों और स्वपत्रों के साथ (समयं न अन्विच्छेत्) किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखे (तेषां व्यवहारः मिथः) उनका सभी प्रकार का व्यवहार परस्पर ही हो और (सदृशः सह विवाहः) समान जाति वालों के साथ विवाह करें ॥ ५३ ॥

अभ्रमेवां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने ।

रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ १०।५४ ॥

(एषाम् अन्नं पराधीनम्) इनका भोजन दूसरों के भरोसे पर हो और वह (भिन्न-भाजने देयं स्यात्) टूटे बर्तनों में देना चाहिए (ते) वे (रात्रौ) रात के समय (ग्रामेषु च नगरेषु न विचरेयुः) गांवों और नगरों में न घूमें ॥ ५४ ॥

दिवा चरेयुः कार्यायं चिह्नता राजशासनं ।

अब्रान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ १०।५५ ॥

(दिवा) दिन में भी (राजशासनैः चिह्नता) राजा की ओर से दिये गये चिह्न को अंकित करके (कार्यायं चरेयुः) केवल काम के लिए घूमें (च) और (अब्रान्धवं शवं निर्हरेयुः) लावारिस लाशों को उठाने का काम करें (इति स्थितिः) यह शास्त्रव्यवस्था है ॥ ५५ ॥

वध्याश्च ह्य्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया ।

वध्यावासांसि शुल्लीयुः शय्याभवाभरणानि च ॥ १०।५६ ॥

(च) और (यथाशास्त्रं नृप + आज्ञया) शास्त्रानुसार राजा की आज्ञा से (वध्यान् ह्य्युः) वध्य लोगों को मारें अर्थात् जलाद का काम करें (च) तथा (वध्य-वासांसि शय्या + आभरणानि शुल्लीयुः) वध किये लोगों के कपड़े, पलंग, आभूषण आदि ले लें ॥ ५६ ॥

अनुशीलन : १०।४६ से १०।५५ तक श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. विषय-विषय—१०।१३१ श्लोक के अनुसार इस अध्याय का विषय 'चातु-

वर्ण्यधर्म' है। किन्तु इनमें वर्णसंकरों से उत्पन्न सूतादि के कार्यों का वर्णन किया गया है। अतः यह चातुर्वर्ण्य-धर्म-विषय न होने से विषय-विरुद्ध वर्णन है। १०। ५१ में तो चण्डाल आदि के कार्यों का वर्णन किया गया है, जो चातुर्वर्ण्य विषय से सर्वथा ही बाह्य है।

२. अन्तर्विशेष—(क) महर्षि-मनु ने कर्मानुसार वर्णव्यवस्था मानी है, जन्म से नहीं। कर्मानुसार उच्चवर्ण में उत्पन्न व्यक्ति निम्न वर्ण का और निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्चवर्ण का हो सकता है। एतदर्थं १। ८७-९१, १। ३१, २। १६८, ४। २४५, तथा १०। ६५ श्लोक द्रष्टव्य हैं। किन्तु इन [४६-५६] श्लोकों में जन्म को आधार मानकर अम्बष्ठ, वैदेह, मागधादि के कार्य दिखाये हैं [विशेष विवेचन १। ८८-९१, १०७ पर द्रष्टव्य]।

(ख) मनु की मान्यता के अनुसार सभी प्रकार की हिंसा करना महापाप है। मांसभक्षणादि कार्यों को मनु ने राक्षसों का भोजन माना है। परन्तु १०। ३२, ४८, ४९, श्लोकों में अन्य पशुओं की हिंसा, बिलों में रहने वाले प्राणियों को मारना और मछली मारना आदि को आजीविका माना है। अतः यह मनुविरुद्ध है [इस विषयक विशेष विवेचन द्रष्टव्य ४। २६-२८ पर]।

(ग) १०। ४६ श्लोक में निम्नवर्णों को निन्दित कर्मों से आजीविका करने का वर्णन किया है और उन निन्दित कर्मों को द्विजों के ही कर्म माना है। जैसे व्यापार करना मागधों का कार्य [१०। ४७ में] लिखा है। क्या जो द्विजों के कर्म हैं, वे निन्दित हो सकते हैं अथवा द्विजों के कर्मों को निन्दनीय कहा जा सकता है? व्यापार जैसे वैश्य के कार्य को निन्दित बताना मनु की मान्यता के विरुद्ध है।

(घ) मनु की मान्यता के अनुसार मानव-समाज को चार वर्णों में विभक्त किया गया है, और जो इनसे भिन्न हैं उन्हें अनार्य (दस्यु) (१०। ४५ में) कहा है। इस आधार पर वर्णसंकरादि से उत्पन्न अनेकों वर्ग मानना मनुसम्मत नहीं हो सकता।

(ङ) मनु ने शूद्र को आर्य-वर्ण माना है और ६। ३३५ में उसे शुचिः=पवित्र (स्पृश्य) तथा उसे उत्तमगति पाने का अधिकारी बताया है। किन्तु यहाँ शूद्र को घृणित, निन्दनीय तथा अस्पृश्य [१०। ५३] बताकर उसके साथ सम्पर्क करने का भी निषेध किया है। यह मनु की मान्यता के विरुद्ध है। क्योंकि शूद्र का कार्य द्विजों की सेवा करना है। क्या बिना सम्पर्क के ही सेवा कार्य हो सकता है? [द्रष्टव्य ६। ३३५ पर समीक्षा]।

३. शैलीगत आधार—इस आधार पर भी ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। देखिए १०। १० पर यह समीक्षा। १०। ४५ में ब्राह्मणादि चारों वर्णों से भिन्न व्यक्तियों को मनु ने 'दस्यु' कहा है। उसके बाद दस्युओं के विषय में कथन करना ही संगत हो सकता है, जो कि १०। ५७-५८ श्लोकों में किया गया है। इनके बीच में वर्णसंकर सन्तानों

तथा षण्डालादि के कार्यों का वर्णन प्रसंग-किरुद्ध है। एकवर्णनात्मक संगति सम्बद्धता को भंग कर रहा है। अतः प्रक्षिप्त हैं।

दस्यु अर्थात् अनार्य की पहचान उसके कार्य देखकर करें—

वर्णापेक्षमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्।

आर्यरूपमिवानार्यं कर्मभिः स्तैविभावयेत् ॥१०१५॥ (११)

(वर्ण-अपेक्षम्) वर्णों की दीक्षा से रहित अथवा वर्णों से बहिष्कृत (आर्यरूपम् + इव + अनार्यम्) श्रेष्ठ रहन सहन और स्वभाव का दिखावा करने वाले किन्तु वास्तव में श्रेष्ठलक्षणों से रहित अनार्य (कलुषयोनिजम्) [कलुषयोनी = दुष्टयोनी जायते इति कलुषयोनिजः तम्] दुष्टसंस्कारों वाले व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारी या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्वैः कर्मभिः विभावयेत्) उसके अपने कर्मों से पहचान ले अर्थात् जो श्रेष्ठ कर्मों को न करता हो और अश्रेष्ठ कर्मों को करता हो, वह अनार्य है [जैसा कि अगले श्लोक में वर्णित है] ॥ ५७ ॥

अनार्यान्तु : अनार्य और उसके लक्षण—(१) मनु ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी वर्ण की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम धर्मानुसूल आचरण का पालन करने का कथन किया है। कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों के होते हैं कि उनकी धर्माचरण में रुचि नहीं बनती। वे किसी भी वर्ण की दीक्षा को स्वीकार नहीं करते [‘वर्णापेक्षम्’], उनमें स्वभावगत अश्रेष्ठता, कठोरता, निर्दयता होती है और धार्मिक क्रियाओं के प्रति उपेक्षा भावना रहती है। ऐसे व्यक्ति ही अनार्य या दस्यु हैं। दुष्टसंस्कारयुक्त व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाले दुष्टसंस्कारी व्यक्तियों—कलुषयोनिजों या दस्युओं में वे संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे किसी-न-किसी रूप में प्रकट होकर उसकी पहचान करा देते हैं। ४४१-४२ में मनु ने दुष्ट कर्मों से दुष्टसंस्कारी सन्तानों की उत्पत्ति की और संकेत किया है। वही कलुषयोनिज या दस्यु होते हैं—

इत्येष्टं तु निम्नेष्टं नशान्ततत्त्वादिभिः।

(२) इस श्लोक में उच्च-निम्न जातिपरक अर्थ करना मनुसम्मत नहीं है। यहां स्पष्टतः सभी ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो आर्यरूप में अनार्य होते हैं, दुष्टोत्पन्न होने से दुष्ट गुण-कर्म स्वभाव वाले होते हैं। चाहे वे किसी भी वर्ण में हों ‘कलुषयोनिज’ ही कहलायेंगे।

१. प्रवर्तित अर्थ—वर्णश्रेष्ठ (हीन वर्ण वाले), अप्रसिद्ध, नीच जाति से उत्पन्न, देखने में सज्जन (उच्च जाति वाले किन्तु वास्तव में) नीच जाति वाले मनुष्य को उसके कर्मों (वर्तियों) से जानना चाहिये ॥५७॥

अनायी-दस्युओं के लक्षण—

अनायता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता ।

पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ॥ १०।५८॥ (१२)

(अनायता) अश्रेष्ठ व्यवहार (निष्ठुरता) स्वभाव की कठोरता (क्रूरता) निर्दयता (निष्क्रियात्मता) धार्मिक क्रियाओं [यज्ञ आदि] के प्रति उपेक्षाभाव = न करने की भावना, ये लक्षण (लोके) लोक में (पुरुषं कलुषयोनिजं व्यञ्जयन्ति) पुरुष के दुष्टप्रवृत्ति या अनाय होने को सूचित करते हैं कि यह आर्यवर्णों के अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि ये आर्यों के लिए निषिद्ध हैं ॥ ५८ ॥

अनुशीलन : (१) १०।५६ में यह बतलाने पर कि वर्णों से बहिष्कृत या अदीक्षित व्यक्ति दस्यु हैं, चाहे वे आर्यभाषा बोलने वाले हों अथवा म्लेच्छभाषा-भाषी। अब उनकी पहचान का बर्णन करना प्रासंगिक था, वह १०।५७-५८ में किया है। इस प्रकार ४५वें के पश्चात् वर्णनक्रम की सम्बद्धता की दृष्टि से १०।५७-५८ श्लोक उपयुक्त जंचते हैं।

(२) इन श्लोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्ट एवं सिद्ध हो जाती है कि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं।

पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वीर्यमेव वा ।

न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ १०।५९॥ (१३)

(दुर्योनिः) बुरे जीवन वाला या बुरे माता पिता से उत्पन्न व्यक्तित्व (पित्र्यं वा मातुः शीलम्) पिता अथवा माता के स्वभाव को (वा उन्मयम् + एव) अथवा दोनों के ही स्वभाव को (भजते) अवश्य धारण किये होता है, और वे (स्वां प्रकृतिं कथंचन न नियच्छति) अपने स्वभाव को किसी प्रकार नियन्त्रित नहीं कर सकते अर्थात् उनका वह बुरा स्वभाव किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है। [अतः उससे बुरे व्यक्ति का जन्म कर

नियन्त्रित नहीं कर सकते]

कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः ।

संश्रयत्येव तच्छीलं शरोऽल्पमपि वा बहु ॥ १०।६०॥

(मुख्ये कुले अपि जातस्य) उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी (यस्य योनिसंकरः

१. प्रचलित अर्थ—इस लोक में अनायता, निष्ठुरता, क्रूरता, क्रिया (यज्ञ-सन्ध्यावन्दनादि कार्य—)हीनता, ये सब नीच जाति में उत्पन्न पुरुष को मालूम करा देती हैं अर्थात् इन गुणों से युक्त मनुष्य की नीच जाति वाला जानना चाहिये ॥ ५८ ॥

स्यात्) जो वर्णसंकर होता है तो (नरः) वह मनुष्य (ग्रहणम् + अपि वा बहु) थोड़ा या बहुत (तत् शीलं संश्रयति + एव) अपने उत्पादक के स्वभाव को अवश्य ग्रहण करता है ॥ ६० ॥

यत्र स्वेते परिध्वंसाज्जायन्ते वर्णदूषकाः ।

राष्ट्रिकं सह तद्वाष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ १० । ६१ ॥

(यत्र तु एते परिध्वंसाः वर्णदूषकाः जायन्ते) जिस देश में वर्णों को दूषित करने वाले ये वर्णसंकर अधिकता से उत्पन्न होते हैं (तत् राष्ट्रम्) वह देश (राष्ट्रिकं सह) वहाँ के निवासियों सहित (क्षिप्रम् + एव विनश्यति) शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ ६१ ॥

ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः ।

स्त्रीबालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम् ॥ १० । ६२ ॥

(ब्राह्मणार्थं वा गवार्थं) ब्राह्मणों के लिये गधवा गौरक्षा के लिए (स्त्री-बाल-अभ्युपपत्तौ वा) स्त्री, बालक की रक्षा के लिए (अनुपस्कृतः देहत्यागः) बिना किसी कामना के देह का बलिदान कर देना (बाह्यानां सिद्धिकारणम्) इन वर्णसंकरों के लिए सिद्धिदायक माना गया है अर्थात् इन कार्योंसे इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है ॥ ६२ ॥

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ १० । ६३ ॥

(अहिंसा + सत्यम् + अस्तेयं + शौचम् + इन्द्रियनिग्रहः) अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियसंयम (चातुर्वर्ण्ये सामासिकम् एतं धर्मं मनुः अब्रवीत्) चारों वर्णों के लिए संक्षेप में यह धर्म मनु ने कहा है ॥ ६३ ॥

शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजायते ।

अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाश्च युगात् ॥ १० । ६४ ॥

(ब्राह्मणात् शूद्रायां जातः) ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान [यदि कन्या हो और वह] (श्रेयसा चेत् प्रजायते) यदि ब्राह्मण से विवाह कर कन्या उत्पन्न करे तो इस प्रकार (आसप्तमाश्च युगात्) तो सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली सन्तान (अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं गच्छति) निम्न जाति से उच्च जाति को प्राप्त कर लेती है ॥ ६४ ॥

प्रसंगविरुद्धः : १० ॥ ६५ ॥ श्लोक निम्नकारणों से प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरुद्ध—१०।४५ में चारों वर्णों से भिन्न मनुष्यों को दस्यु कहकर १०।५७-५८ श्लोकों में दस्युओं की कर्मधारित पहचान बतायी है। मुख्य विषय चातुर्वर्ण्य-धर्म का होने से मनु ने १०।६५ में चारों वर्णों के विषय में कहा है कि चारों वर्णों का आधार भी कर्म ही है। उच्चवर्ण का व्यक्ति कर्मानुसार निम्नवर्ण का और निम्नवर्ण का व्यक्ति उच्चवर्ण का हो सकता है। इस चातुर्वर्ण्य-धर्मविषय के कर्मप्रसंग के मध्य में १०।६१ आदि श्लोकों में वर्णदूषकों का वर्णन प्रसंगविरुद्ध है।

२. सन्तविरोध—(१) मनु की मान्यता कर्मानुसार वर्णव्यवस्था की है [द्रष्टव्य १।१०७ समीक्षा] किन्तु यहाँ १०।५६-६० में जन्ममूलक सिद्ध करने के लिये जन्म की उत्कृष्टता दिखाई गई है।

(२) मनु ने सबर्णों में विवाह को उत्कृष्ट माना है। [३।४ ॥ ७।७७ ॥] किन्तु यहाँ १०।६४ में वर्ण-संकर ब्राह्मण का विवाह शूद्रा के साथ मानकर उससे उत्पन्न सन्तान का वर्णन किया है, यह सबर्णविवाह की मान्यता से विरुद्ध है। यदि ऐसी सन्तान होती भी है, तो वह कर्मणा वर्ण को प्रपनाकर उसी वर्ण की कहलायेगी, और उसी जन्म में, क्योंकि मनु कर्म के आधार पर ही वर्ण मानते हैं।

(३) १०।६१ श्लोक में कहा है कि वर्णसंकर-सन्तान राष्ट्रघातक होती है। किन्तु १०।६२ में कहा है कि यदि वर्णसंकर से उत्पन्न सन्तान ब्राह्मण और गायों आदि की रक्षा के लिये शरीर त्याग कर दें, तो उन्हें सिद्धि = स्वर्गादि उत्तमगति प्राप्त हो जाती है। क्या जो राष्ट्र-घातक हैं, वे राष्ट्र के लिये प्रपना बलिदान कर सकते हैं? मनु ने उत्तम कर्मों से उत्तम गति मानी है, किन्तु यहाँ निन्दित कर्म करने वालों को देह-त्याग करने से ही सिद्धि लिखी है। यह परस्पर विरोधी होने से मनु की मान्यता नहीं है और मनु ने लिखा है—

महायज्ञोश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ (मनु० २।२८)

अर्थात् ब्राह्मण का शरीर जन्म से नहीं बनता, किन्तु यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों के करने से बनता है। किन्तु यहाँ १०।६४ में कहा है कि सात पीढ़ी के बाद ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान उत्तम वर्ण वाली बन जाती है। यह जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था मनुसम्मत नहीं हो सकती। यह बात अयुक्तियुक्त भी है कि जन्म के आधार पर सात पीढ़ियों में सन्तान उत्कृष्ट वर्ण में बिना कर्म के दीक्षित हो सकती है। मनु की मान्यता के अनुसार तो संस्कारों के करने और धर्मों के पालन से उसी जन्म में व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। [१०।६५]

३. शंखीविरोध—मनु के समस्त धर्मशास्त्र में प्रत्येक प्रकरण के प्रारम्भ तथा उपसंहार का प्रवचन निर्देश किया है, और मनु ने विषय के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। किन्तु यहाँ चातुर्वर्ण्य-विषय में वर्ण-संकर का विषय-विरुद्ध वर्णन किया गया है। मनु ने प्रपना नाम लेकर कहीं प्रवचन नहीं किया। किन्तु यहाँ (१०।६३ में) प्रक्षेप करने वाले ने अपनी मिथ्या बातों को मनु से प्रमाणित कराने के लिये 'अब्रवीन्मनुः' इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। जिस से स्पष्ट है कि ये श्लोक मनु से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाकर मिलाये हैं।

कर्मानुसार वर्ण-परिवर्तन—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

अत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वेद्यात्तयं च ॥ १०।६५ ॥ (१४)

[श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार ही—]

(शूद्रः ब्राह्मणताम्+एति) शूद्र ब्राह्मण (च) और (ब्राह्मणः शूद्र-ताम्+एति) ब्राह्मण शूद्र हो जाता है अर्थात् गुणकर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है। वैसे शूद्र भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है (क्षत्रियात् जातम्+एवं तु तथैव वैश्यात् विज्ञात) वैसे ही क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी जान लेना ॥ ६५ ॥

(ऋ० भा० भू० ३१३)

“उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव से जो शूद्र है वह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय ब्राह्मण, वर्णों के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है। वैसे ही नीच कर्म और गुणों से जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय, वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तथा वैश्य, शूद्र वर्णों के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है ॥” (सं० वि० १०६)

“जो शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय, वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हों तो वह शूद्र हो जाय, वैसे क्षत्रिय, वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। अर्थात् चारों वर्णों में जिस-जिस वर्ण के सदृश जो-जो पुरुष वा स्त्री हो वह-वह उसी वर्ण में गिनी जावे।”

(सं० प्र० ८७)

ऋषि ने पूना प्रवचन में इस श्लोक को उद्धृत करके कहा है—

“शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है。” इस मनु के वाक्य का भी विचार करना चाहिए ॥” (पृ० २०)

अनुश्रुतिः : (१) १०।५७-५८ में कर्मानुसार म्लेच्छ व्यक्तियों की पहचान बतलाकर १०।६५ में कर्मानुसार वर्णों का परिवर्तन हो जाना कहा है अर्थात् कर्मानुसार अनायं व्यक्ति की पहचान तो होती ही है, कर्म के आधार पर उच्च-निम्न वर्ण वाले के वर्ण का परिवर्तन भी हो सकता है। इस प्रकार १०।५७-५८ के पश्चात् सम्बद्धता की दृष्टि से १०।६५ बौ प्रसंगिक है।

(२) कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट विधान—मनु ने इस श्लोक में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में वर्णव्यवस्था को कर्मों पर आधारित माना है। इस माय्यता के सम्बन्ध

में अन्य विवेचन २। ३१, ८७-८९; १०७, ११। ११४ श्लोकों में और उनकी समीक्षा में देखिये।

(३) श्लोक की पुष्टि में प्रमाण—प्राचीन काल में कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचलित थी। इसके अनेक प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं। आपस्तम्ब धर्मसूत्र १। ५। १०-११ में इसी मान्यता को स्पष्ट किया है—

“धर्मचर्यया अधम्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ १ ॥

अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो अधम्यं अधम्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥

धर्मावरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम-उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस-जिस के योग्य होवे ॥ १ ॥

वैसे अधर्मावरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥”

(सं प्र० चतुर्थं समु०)

(४) वर्ण-परिवर्तन का उदाहरण—ऐतरेय ब्राह्मण २।१६ में कवच-ऐलूप नामक व्यक्ति की एक घटना वर्णित है, जो वर्ण-परिवर्तन का उदलन्त प्रमाण है। जन्मना निम्न जाति का व्यक्ति ऋषित्व के कारण ऋषियों में परिगणित होकर उच्च-वर्णस्थ रहलाया—

“ऋषयो वै सरस्वत्या सप्तमासत ते कवचमैतूषं सोमादनयन्, दास्याः पुत्रः कितपोऽब्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षित्येति ।...स बहिर्धर्मोऽब्रूह विपासया विल एतदपोऽश्रीयमपश्यत्—“प्रदेवत्रा ब्रह्मणे गातुरेतु” इति ॥”

अर्थात्—‘ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए आये हुए कवच ऐलूप को ऋषियों ने सोम से वञ्चित कर दिया। यह सोचकर कि यह दासों का पुत्र, कपट-आचरण वाला, अब्राह्मण किस प्रकार हमारे मध्य दीक्षित हो गया है! (यज्ञसे बाहर निकाल देने पर) वह कवच-ऐलूप विपासा से संतप्त हुआ बाहर जंगल में चला गया। वहाँ उसने ‘अपोनः’ देवता वाले सूक्त का ‘अर्थदर्शन किया’ फिर ऋषियों ने वेदार्थद्रष्टा होने के कारण उसे पुनः अपने मध्य बुलाकर यज्ञ में दीक्षित कर लिया।

यह सूक्त ऋक्० १०। ३० वाँ है और वेद में इस सूक्त पर इसी ऋषि का नाम उल्लिखित है। इस ऋषि-द्वारा द्रष्टव्य १०। ३१-३४ सूक्त भी हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सूक्तों पर लिखित ऋषि उन-उन सूक्तों के अर्थद्रष्टा हैं।

बीज और क्षेत्र की श्रेष्ठता में निर्णय—

अनार्याणां समुत्पन्नो ब्राह्मणात् पृथग्व्या ।

ब्राह्मण्यामप्यनार्यात् श्रेयस्त्वं वेति चेत्तद्वत् ॥ १० ॥ ६६ ॥

(ब्राह्मणात् यदृच्छया) ब्राह्मण से, इच्छापूर्वक (अनायायां नमुत्पन्नः) आर्येतर स्त्री में उत्पन्न सन्तान और (अनायात् ब्राह्मण्याम् + अपि) अनार्य व्यक्ति से ब्राह्मणी में उत्पन्न सन्तान, (क्व श्रेयस्त्वं चेत् भवेत्) इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यदि ऐसी शंका हो जाये तो [अगले श्लोक में उत्तर है] ॥ ६६ ॥

जातो नार्यामनार्यायामार्यावार्यो भवेद् गुणैः ।

जातोऽप्यनार्यावार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥ १० । ६७ ॥

(आर्यात् अनार्यायां नार्या जातः) आर्य से आर्येतर स्त्री में उत्पन्न हुई सन्तान (गुणैः आर्यः भवेत्) गुणयुक्त होने से आर्य है, और (अनायात् + आर्यायां जातः) अनार्य व्यक्ति से आर्या स्त्री में उत्पन्न सन्तान (अनार्यः) गुणहीन होने से अनार्य है (इति निश्चयः) यह निराण्य है ॥ ६७ ॥

तावन्नाव्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः ।

वैगुण्याज्जन्मनः पूर्वं उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ १० । ६८ ॥

(तो + उभौ + अपि) वे दोनों ही सन्तानें (असंस्कार्यां) यज्ञोपधीत संस्कार के योग्य नहीं हैं (इति धर्मः व्यवस्थितः) ऐसी धर्मव्यवस्था है, क्योंकि (पूर्वः जन्मनः वैगुण्यात्) पहला निन्दित योनि से उत्पन्न है और (उत्तरः प्रतिलोमतः) दूसरा प्रतिलोम से उत्पन्न है अर्थात् निन्दित बीज से उत्पन्न है ॥ ६८ ॥

सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं सम्पद्यते यथा ।

तथार्थाज्जात आर्यायां सर्वं संस्कारमर्हति ॥ १० । ६९ ॥

(यथा) जिस प्रकार (सुक्षेत्रे सुबीजं जातं सम्पद्यते) अच्छे क्षेत्र में बोया गया अच्छा बीज श्रेष्ठ पीये के रूप में बनता है (तथा) उसी प्रकार (आर्यात् आर्यायां जातः) आर्य वर्ण से उसी आर्या वर्ण में उत्पन्न हुई सन्तान (सर्वं संस्कारम् + अर्हति) सभी संस्कारों की अधिकारिणी होती है ॥ ६९ ॥

बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः ।

बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ १० । ७० ॥

(एके बीजं प्रशंसन्ति) कुछ विद्वान् बीज की प्रशंसा करते हैं (अन्ये मनीषिणः क्षेत्रम्) दूसरे मनीषी लोग क्षेत्र को श्रेष्ठ मानते हैं (तथा) वैसे ही (अन्ये) कुछ (बीज-क्षेत्रे) बीज और क्षेत्र दोनों को समान रूप से श्रेष्ठ मानते हैं (तत्र + इयं व्यवस्थितिः) उस संदेहात्मक स्थिति में ऐसी शास्त्रव्यवस्था है—॥ ७० ॥

अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमन्तरं च विनश्यति ।

अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्पण्डिलं भवेत् ॥ १० । ७१ ॥

(अक्षेत्रे उत्सृष्टं बीजम्) ऊपर क्षेत्र में बोया गया बीज (अन्तरा + एव विनश्यति) फल से पूर्व ही नष्ट हो जाता है और (अबीजकं क्षेत्रम् + अपि) बीज के बिना

उत्तम खेत भी (केवलं स्थण्डिलं भवेत्) केवल मिट्टी मात्र रह जाता है, अतः दोनों ही श्रेष्ठ एवं प्रधान हैं ॥ ७१ ॥

यस्माद्बीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन् ।

पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्बीजं प्रशस्यते ॥ १० । ७२ ॥

(यस्मात्) क्योंकि (तिर्यग्जा ऋषयः) तिर्यक्योनि में उत्पन्न होकर भी [ऋष्यशृंग आदि] कुछ ऋषि (बीजप्रभावेण) उत्तम बीज के प्रभाव से (पूजिताः च प्रशस्ताः अभवन्) पूज्य और श्रेष्ठ कहलाये (तस्मात् बीजं प्रशस्यते) इसलिए बीज को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ७२ ॥

अनार्यमार्यकर्मणिभार्यं नानार्यकर्मणाम् ।

सम्प्रधार्याब्रवीद्धाता न समौ नासमाविति ॥ १० । ७३ ॥

(आर्यकर्मणाम् + अनार्यम्) आर्यवर्णों के कर्म करने वाले अनार्य (च) और (अनार्यकर्मणम् आर्यम्) अनार्यों के कर्म करने वाले आर्य, ये (न समौ न असमौ) न तो समान हैं और न असमान हैं (इति सम्प्रधार्यं धाता अब्रवीत्) ऐसा निश्चय ब्रह्मा ने किया है अर्थात् न तो दूसरे वर्णों के कर्म करने से और न अपने वर्ण के कर्मों के त्याग से वर्णपरिवर्तन हो सकता है ॥ ७३ ॥

अनुशीलनम् : १० । ६६ से १० । ७३ तक के श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. विषय-विरोध—इस अध्याय के अन्तिम श्लोक से स्पष्ट है कि इस अध्याय का विषय चातुर्वर्ण्य-धर्मों का वर्णन करना है। किन्तु इसमें वर्णसंकरों का (जो कि चारों वर्णों के अन्तर्गत न होने से बाह्य हैं) वर्णन किया गया है और बीज की उत्कृष्टता बताई गयी है। अतः यह विषय-विरुद्ध वर्णन है।

२. अन्तर्विरोध—(क) महर्षि-मनु ने शूद्र को भी आर्य वर्ण माना है [१० । ४, ४५, १।८८-९१]। मनु की मान्यता में मनुष्यों के दो ही भेद हैं—आर्य और दस्यु। और चारों वर्णों से भिन्न जो मनुष्य हैं, वे १० । ४५ के अनुसार दस्यु हैं। अतः शूद्र भी आर्य वर्ण हैं। परन्तु १० । ६६ और १० । ७३ में शूद्र को 'अनार्य' शब्द से कथन किया गया है, अतः यह विरुद्ध है।

(ख) मनु ने द्विजों में सबर्ण-विवाह को माना है [३।४, १२] परन्तु यहाँ १० । ७८ में ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान का कथन करने से स्पष्ट है कि यहाँ असवर्ण-विवाह को भी माना गया है, जो कि मनु की मान्यता से विरुद्ध है [इस विषय पर विशेष समीक्षा द्रष्टव्य ३। ४, ११-१६ पर]।

(ग) मनु की मान्यता में वर्णव्यवस्था कर्ममूलक है, जन्म-मूलक नहीं। परन्तु

१०।६८ तथा १०।७३ में जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था को ही माना गया है और वर्णों को अपरिवर्तनीय माना गया है, यह १६।६५ के कथन से विरुद्ध है

(घ)—महर्षि मनु ने 'ऋषि' शब्द को देव, पितर, आदि की भाँति मनुष्यों का ही भेद माना है। इसलिए मनु ने [१२।४६ में] ऋषि, देव, पितर, तथा साध्यों को द्वितीय सात्त्विकगति वाले माना है। मनु के पास [१।१] महर्षि जिज्ञासालिये आए थे, जिनके उत्तर में मनु ने वर्णाश्रमधर्म का उपदेश किया। तिर्यक् योनि पशु-पक्षी आदि की है। जैसे—'तिर्यक्त्वं तामसा नित्यम्' (१२।४०) यहाँ पर मनु ने मनुष्यों से भिन्न पशुपक्षी आदि की योनियों को ही तिर्यक् कहा है। अतः स्पष्ट है कि ऋषि और तिर्यक् योनि पृथक्-पृथक् हैं। किन्तु यहाँ कहा है—

तिर्यंजा ऋषयोऽभवन् ॥ (१०।७२)

अर्थात् तिर्यक् = पशुपक्षी योनि में उत्पन्न होकर बीज के प्रभाव से ऋषि हो गये। क्या यह सम्भव है कि तिर्यक् योनि वाला ऋषि बन जाये? क्या इस प्रकार स्वयं योनि बदलने में मानव का सामर्थ्य है? क्या दूसरी योनि हो सकती है, क्या पशुपक्षी बीज प्रभाव से ऋषि बन सकते हैं? अतः यह कथन सृष्टि-नियम के विरुद्ध होने से सर्वथा मिथ्या है। मनु-सदृश आप्तपुरुष ऐसा मिथ्या प्रवचन कभी नहीं कर सकते [इस विषय पर विशेष विवेचन द्रष्टव्य है ३२-४१ पर]।

३. शैली-बिरोध—मनु की वर्णन-शैली विधानात्मक है। परन्तु 'तिर्यंजा ऋषयोऽभवन्' (१०।७२) यह ऐतिहासिक शैली है, अतः मनु की नहीं है। और १०।७३ में कहा है कि—'अब्रवीद् धाता' अर्थात् यह निश्चय ब्रह्मा ने किया है। यह भी मनु की शैली नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति-धर्मशास्त्र मनुप्रोक्त है, ब्रह्मा द्वारा नहीं।

ब्राह्मण की प्राजीविका के कर्म—

ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्या ये स्वकर्मण्यवस्थिताः।

ते सस्यगुपजीवेयुः वट् कर्माणि यथाक्रमम् ॥ १०।७४ ॥

(ब्रह्मयोनिस्याः ये ब्राह्मणाः) ब्रह्मप्राप्ति के उद्देश्य में स्थित ब्राह्मणों को (स्व-स्व कर्मणि + अवस्थिताः) अपने-अपने कर्मों में संलग्न रहते हुए (यथाक्रमं वट् कर्माणि सम्यक् उपजीवेयुः) क्रमानुसार छः कर्मों के अनुसार जीवन चलाना चाहिए

॥ ७४ ॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा।

दानं प्रतिग्रहश्चैव वट्कर्माण्यप्रजम्भनः ॥ १०।७५ ॥

(अध्यापनम् + अध्ययनम्) अध्यापन, अध्ययन, (यजनं तथा याजनम्) यज्ञ-करना तथा कराना, (दानं च प्रतिग्रहः) दान देना और दान लेना, (अप्रजम्भनः वट् कर्माणि) ब्राह्मण के ये छः कर्म हैं ॥ ७५ ॥

वर्णा तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ।

याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ १० । ७६ ॥

(वर्णां तु कर्मणाम्) इन छः कर्मों में (याजन-अध्यापने च विशुद्धात् प्रतिग्रहः) यज्ञ कराना, वेद-अध्यापन, और श्रेष्ठ व्यक्तियों से दान लेना (त्रीणि कर्माणि अस्य जीविका) ये तीन कर्म ब्राह्मण की जीविकाएं हैं ॥ ७६ ॥

क्षत्रिय और वैश्य के कर्म—

त्रयो वर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणाक्षत्रियं प्रति ।

अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ १० । ७७ ॥

(ब्राह्मणात् क्षत्रियं प्रति) ब्राह्मण से क्षत्रियों के (अध्यापनं याजनं च तृतीयः प्रतिग्रहः) अध्यापन, यज्ञ कराना और तीसरा दान लेना, (त्रयः वर्माः निवर्तन्ते) ये कर्तव्य कर्म निवृत्त हो जाते हैं अर्थात् क्षत्रियों को ये नहीं करने होते ॥ ७७ ॥

वैश्यं प्रति तयंबन्ते निवर्तन्मिति स्थितिः ।

न तौ प्रति हि तान्धर्मन्मनुराह प्रजापतिः ॥ १० । ७८ ॥

(तथैव) उसी प्रकार (एते) ये पूर्वोक्त तीनों कर्म (वैश्यं प्रति निवर्तन्) वैश्य को भी नहीं करने चाहिए (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रव्यवस्था है (प्रजापतिः मनुः) प्रजापति मनु ने (तौ प्रति तान् धर्मान् न ब्राह्) उन क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ये तीनों धर्म वर्जित कहे हैं ॥ ७८ ॥

शास्त्रास्त्रभूस्वर्भक्षस्य वणिक्पशुकृषिविशः ।

प्राजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ १० । ७९ ॥

(क्षत्रस्य-रास्त्र-अस्त्रभृत्स्वम्) क्षत्रिय के शास्त्रात्र धारण करना, और (विशः वणिक् पशु-कृषिः) वैश्य के व्यापार, पशु-पालन और कृषिकार्य, (प्राजीवनार्थम्) ये प्राजीविकाएं हैं, तथा (दानम् + अध्ययनं यजिः) दान देना, अध्ययन करना और यज्ञ करना (धर्मः) दोनों वर्णों के धर्म हैं ॥ ७९ ॥

वर्णों के प्रमुख कार्य—

वेदाम्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम् ।

वार्ता कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ १० । ८० ॥

(ब्राह्मणस्य वेदाम्यासः) ब्राह्मण का वेदाम्यास करना-कराना, (क्षत्रियस्य रक्षणम्) क्षत्रिय का रक्षा करना, (वैश्यस्य वार्ताकर्म + एव) वैश्य का व्यापार करना (स्वकर्मसु विशिष्टानि) अपने-अपने कर्मों में प्रधान कर्म हैं ॥ ८० ॥

आपत्काल में ब्राह्मण की जीविका—

अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा ।

जीवेक्षत्रियमधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ १० । ८१ ॥

(ब्राह्मणः तु) ब्राह्मण यदि (यद्योक्तेन स्वेन कर्मणा अजीवन्) पूर्वोक्त [१०। ७५-७६] अपने कर्मों से जीवन-निर्वाह न कर सके तो (क्षत्रियधर्मेण जीवेत्) क्षत्रिय के कर्मों [१०। ७६] को करके जीवन को चलावे (हि) क्योंकि (सः अस्य प्रति + अनन्तरः) वह क्षत्रिय कर्म ही ब्राह्मण का समीपवर्ती वैकल्पिक कर्म है ॥ ८१ ॥

उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् ॥ १०। ८२ ॥

(उभाभ्याम् + अपि अजीवन् तु) यदि कभी दोनों वर्णों (ब्राह्मण व क्षत्रिय) के कार्यों से भी जीवन चलाना मुश्किल हो जाये तो (कथं स्यात् ? इति चेत् भवेत्) कैसे करें ? यदि यह शंका उठे तो (कृषि-गोरक्षम् + आस्थाय) केवल कृषि और गोरक्षा का कार्य करते हुए (वैश्यस्य जीविकां जीवेत्) इन वैश्य की जीविकाओं को अपनाकर जीवन चलाये ॥ ८२ ॥

वैश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा ।

हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वजंयेत् ॥ १०। ८३ ॥

(वैश्यवृत्त्या + अपि जीवन् तु) वैश्य वृत्ति से जीविका चलाते हुए (ब्राह्मणः वा क्षत्रियः) ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय (हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिम्) हिंसा-प्रधान और पराधीन खेती के कार्य को (यत्नेन वजंयेत्) यत्नपूर्वक छोड़ देवे, न करे ॥ ८३ ॥

कृषिं साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्भिर्गृहिता ।

भूमिं भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम् ॥ १०। ८४ ॥

(कृषिं साधु + इति मन्यन्ते) कुछ लोग कृषि को श्रेष्ठ मानते हैं किन्तु (सा वृत्तिः सद् विगृहिता) यह जीविका सज्जनों द्वारा निन्दित है, क्योंकि (अयोमुखं काष्ठम्) खेती करते समय लोहे के फलक वाला काष्ठ अर्थात् हल (भूमिं च भूमिशयान् हन्ति) भूमि और भूमि में रहने वाले जीवों की हत्या कर देता है ॥ ८४ ॥

इदं तु वृत्तिवैकल्यात् त्यजतो धर्मेनैपुणम् ।

विट्पण्यमुषूषृतोद्धारं विक्रीयं वित्तवर्धनम् ॥ १०। ८५ ॥

(वृत्तिवैकल्यात्) जीविका के अभाव में (धर्मेनैपुणम् तु त्यजतः) धर्मेनिष्ठा को छोड़ते हुए ब्राह्मण क्षत्रियों को (विट्पण्यम् + उद्भूत + उद्धारम्) वैश्यों के द्वारा बेचने पर लाभ देने वाली (इदं वित्तवर्धनं विक्रीयम्) ये निम्न धनवर्धक वस्तुयें बेचकर जीविका चलानी चाहिए— ॥ ८५ ॥

सर्वां रसानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह ।

अश्मनो लवणं चैव पशवो ये च मानुषाः ॥ १०। ८६ ॥

(सर्वान् रसान्) सब रस, (कृतान्नं तिलैः सह) पक्वान्न, तिल, (अश्मनः लवणं पशवः च मानुषाः) पत्थर, नमक, पशु और दास-दासी मनुष्य, इन्हें न बेचें ॥ ८६ ॥

सर्वं च तान्तव रक्तं क्षाणक्षौमाविकानि च ।

अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूलेयधौषधीः ॥ १० । ५७ ॥

(रक्तं सर्वं तान्तवम्) रंगे हुए सब प्रकार के कपड़े (च शाणम्) और सत, (क्षौम + प्राविकानि) रेशम और ऊन के कपड़े, (अपि च परक्तानि स्युः) चाहे ये बिना रंगे हों तो भी न बेचें (फल-मूले तथा + औषधीः) फल, मूल तथा औषधियाँ भी न बेचें ॥ ५७ ॥

अथः शस्त्रं विषं मांसं सोमं गन्धाश्च सर्वशः ।

क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधु गुडं कुशान् ॥ १० । ५८ ॥

(अथः शस्त्रं विषं मांसं, सोमं च सर्वशः गन्धान्) जल, सब शस्त्र, विष, मांस, सोमरस एवं सब प्रकार की सुगन्धित वस्तुएँ (क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधु गुडं कुशान्) दूध, मोम, दही, घी, तैल, गहद, और कुशा इनको भी न बेचें ॥ ५८ ॥

आरण्याश्च पशून्सर्वांश्चन्द्रिणश्च वयांसि च ।

मद्यं नीलिं च लाक्षं च सर्वाश्चैकशकास्तथा ॥ १० । ५९ ॥

(सर्वान् आरण्यान् चन्द्रिणः च पशून्) सब प्रकार के जंगली और दांतों से खाने वाले सिंह-बाघ आदि पशु, (च) और (वयांसि) पक्षी (मद्यं नीलिं लाक्षम्) मदिरा, नील, लाख, तथा (सर्वान् एकशकान्) सब एक खुर वाले घोड़ा आदि पशु, इनको भी न बेचें ॥ ५९ ॥

काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृवीवतः ।

विक्रीणीत तिलाञ्जलिं धान्यमर्धमश्निरस्त्रिंशत् ॥ १० । ६० ॥

(कृवीवतः) खेती करने वाला ब्राह्मण (कामम्) इच्छा होने पर (कृष्यां तिलाञ्जलिं उत्पाद्य) कृषि में यदि तिल पैदा करे तो (शूद्रान् विक्रीणीत) वह उन्हें शूद्रों को बेच दे, या फिर (अश्निरस्यान् धर्मार्थम्) बहुत दिनों तक उन्हें न रखकर यज्ञ आदि धर्मकार्य के लिए दे दे ॥ ६० ॥

भोजनाम्यञ्जनाद् दानाद्यव्यक्तुस्ते तिलैः ।

कृमिभूतः स्वविण्ठायां पितृभिः सह मज्जति ॥ १० । ६१ ॥

(भोजनात् अम्यञ्जनात् दानात्) खाने, उबटन के रूप में भलने और दान देने के सिवाय (तिलैः यत् + अम्यत् कुस्ते) तिलों से जो कोई अन्य कार्य-सम्पादन करता है, वह (पितृभिः कृमिभूतः सह स्वविण्ठायां मज्जति) पितरों सहित कीड़ा बनकर कुत्ते की विण्ठा में पड़ा रहता है ॥ ६१ ॥

सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च ।

ग्रहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥ १० । ६२ ॥

(च लाक्षया लवणेन) और, लाक्षा तथा नमक बेचने से (मांसेन) मांस बेचने

से (सद्यः पतति) तुरन्त पतित हो जाते हैं, तथा (सीरविक्रयात् ब्राह्मणः) दूध बेचने से ब्राह्मण (त्रि + ग्रहेन शूद्रः भवति) तीन दिन में शूद्र बन जाता है ॥ ६२ ॥

इतरेषां तु पण्यानां विक्रयाद्विह कामतः ।

ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति ॥ १० । ६३ ॥

(इतरेषां पण्यानां कामतः विक्रयात्) अन्य निषिद्ध [१०।८६-८६] वस्तुओं के इच्छापूर्वक बेचने से (ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति) ब्राह्मण सात रात में वैश्यत्व को प्राप्त हो जाता है ॥ ६३ ॥

रसा रसेनिमातव्या न त्वेव लवणं रसैः ।

कृतान्नं चाकृतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः ॥ १० । ६४ ॥

(रसाः रसैः निमातव्या) रसों को रसों से ही बदलकर लेना चाहिए (न तु लवणं रसैः) किन्तु नमक को किसी रस से नहीं बदलना चाहिये (कृतान्नं चाकृतान्नेन) पक्वान्नों को कच्चे अन्नों से बदलना चाहिए (तिलाः तत्समाः धान्येन) तिलों को उनके बराबर धान्य से बदलना चाहिए ॥ ६४ ॥

प्रापत्काल में क्षत्रिय की प्राजीविका के कर्म—

जीवेदेतेन राज्ञ्यः सर्वेणाप्यनयं गतः ।

न त्वेवं ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित् ॥ १० । ६५ ॥

(राज्ञ्यः) क्षत्रिय (सर्वेण + अपि + अनयं गतः) सब प्रकार से असमर्थ होता हुआ (एतेन जीवेत्) इसी [१०।८२] कृपि और गोरक्षा कर्म से जीविका चलाये (तु) किन्तु (कर्हिचित्) कभी (ज्यायसीं वृत्ति न अभिमन्येत) अपने उच्च वर्ण की वृत्ति [अध्यापन, याजन, दान लेना] को ग्रहण न करे ॥ ६५ ॥

यो लोभावधमो जात्या जीवेत्कुष्ठकर्मभिः ।

तं राजा निर्वर्णं कृत्वा सिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ १० । ६६ ॥

(यः) जो (जात्या अधमः) निम्न वर्ण वाला (लोभात्) लोभवश होकर उत्कुष्ठकर्मभिः जीवेत्) अपने से उच्चवर्ण के कर्मों से जीविका करे तो (राजा) राजा (तं निर्वर्णं कृत्वा सिप्रम् = एव प्रवासयेत्) उसको घनहीन करके देश से शीघ्र निकाल दे ॥ ६६ ॥

वरं स्वधर्मो विगुणो न पारय्यः स्वनुष्ठितः ।

परधर्मेण, जीवन् हि सद्यः पतति जातितः ॥ १० । ६७ ॥

(विगुणः स्वधर्मः वरम्) स्वल्प गुण वाला अपना धर्म भी श्रेष्ठ है (पारय्यः स्वनुष्ठितः न) दूसरे का अच्छा धर्म भी श्रेष्ठ नहीं है (हि) क्योंकि (परधर्मेण जीवन्) दूसरे के धर्म से जीविका करनेवाला अनुष्य (जातितः सद्यः पतति) अपने वर्ण से तत्काल पतित हो जाता है ॥ ६७ ॥

प्राप्तकाल में वैश्य की आजीविका के कर्म—

वैश्योऽजीवन्स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि वर्तयेत् ।

प्रमाचरन्मकार्याणि निवर्तते च शक्तिमान् ॥ १० । १८ ॥

(वैश्यः स्वधर्मेण प्रजीवन्) वैश्य अपने कर्मों से जीविका चलाने में असमर्थ होने पर (अकार्याणि प्रमाचरन्) निन्दित कार्यों को न करता हुआ (शूद्रवृत्त्या + अपि वर्तयेत्) शूद्र की वृत्ति से जीविका चलाये (च) और (शक्तिमान् निवर्तते) समर्थ होते ही उस वृत्ति का त्याग करदे ॥ १८ ॥

प्राप्तकाल में शूद्र की आजीविका के कर्म—

अशक्नुवंस्तु शुश्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् ।

पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारककर्मभिः ॥ १० । १९ ॥

(शूद्रः) शूद्र (द्विजन्मनां शुश्रूषां कर्तुं) अशक्नुवन् तु) द्विजों की सेवा करके जीविका चलाने में असमर्थ हो जाये, और (पुत्र-दारात्ययं प्राप्तः) स्त्री-पुत्र आदि के प्रभाव में पीड़ित होने लगे तो (कारक-कर्मभिः जीवेत्) कारीगरी के कार्यों से वह अपनी जीविका चला ले ॥ १९ ॥

यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः ।

तानि कारककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १० । १०० ॥

(यैः कर्मभिः प्रचरितैः) जिन कर्मों के करने से (द्विजातयः शुश्रूष्यन्ते) द्विजातियों की सेवा या हित होवे (तानि कारककर्माणि) उन कारीगरी के कर्मों को (च) और (विविधानि शिल्पानि) विविध प्रकार के शिल्पकार्यों को शूद्र करे ॥ १०० ॥

वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन्ब्राह्मणः स्वे पथि स्थितः ।

प्रवृत्तिकर्षितः सीदन्निभं धर्मं समाचरेत् ॥ १० । १०१ ॥

(स्वे पथि स्थितः ब्राह्मणः) अपने धर्ममार्ग पर स्थित ब्राह्मण (प्रवृत्तिकर्षितः) जीविका के प्रभाव से (सीदन्) पीड़ित हुआ-हुआ भी (वैश्यवृत्तिम् + अनातिष्ठन्) वैश्यवृत्ति का प्रवलम्बन न करता हुआ (इमं धर्मं समाचरेत्) इन निम्न धर्मों का पालन करे ॥ १०१ ॥

सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद् ब्राह्मणस्त्वनयं गतः ।

पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धर्मतो नोपपद्यते ॥ १० । १०२ ॥

(अनयंगतः ब्राह्मणः) जीविका-प्रभाव की आपत्ति में पड़ा हुआ ब्राह्मण (सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्) सबसे [नीच और उत्तम सब से] दान लेले (पवित्रं दुष्यति + इति + एतद्) पवित्र वस्तु कभी दूषित होती है, यह बात (धर्मतः न + उपपद्यते) धर्मानुसार नहीं सिद्ध होती ॥ १०२ ॥

नाभ्यापनाद्याजनाद्वा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहाद् ।

दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाभ्युत्तमा हि ते ॥ १० । १०३ ॥

(ते) वे ब्राह्मण (ज्वलन-अभ्युत्तमा) अग्नि और जल के समान पवित्र हैं, अतः (विप्राणाम्) ब्राह्मणों की (गर्हिताद् अभ्यापनाद् याजनाद् वा प्रतिग्रहाद्) निन्दितों को पढ़ाने, यज्ञ कराने अथवा उनसे दान लेने से (दोषः न भवति) कोई अविव्रता नहीं होती अर्थात् ब्राह्मण सर्वथा पवित्र रहते हैं ॥ १०३ ॥

जीविताद्यध्यापन्नो योऽन्नमसि यतस्ततः ।

आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥ १० । १०४ ॥

(जीवित + अत्ययम् + आपन्नः) जीविका के अभाव में प्राणसंकट में ग्रस्त (यः) जो ब्राह्मण (यतः ततः अन्नम् + अस्ति) जहाँ-तहाँ से भी अर्थात् नीच से भी यदि अन्न लेकर खा लेता है तो (आकाशम् + इव पङ्केन) जैसे आकाश कीचड़ से लिप्त नहीं होता ऐसे ही (सः पापेन न लिप्यते) वह पाप से लिप्त नहीं होता ॥ १०४ ॥

अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासर्पद् बुभुक्षितः ।

न खालिप्यत पापेन क्षुप्रतीकारमाचरन् ॥ १० । १०५ ॥

(बुभुक्षितः अजीगर्तः) भूख से पीड़ित हुआ ऋषि अजीगर्त (सुतं हन्तुम् + उपासर्पद्) अपने पुत्र शुनःशेप को मारने के लिए तैयार हुआ था (क्षुप्रतीकारम् + आचरन्) भूख की निवृत्ति के लिए इस प्रकार का आचरण करने पर भी वह (पापेन न खालिप्यत) पाप से लिप्त नहीं हुआ ॥ १०५ ॥

धर्मासमिच्छन्मातौऽसुं धर्माधर्मविचक्षणः ।

प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान् ॥ १० । १०६ ॥

(धर्म + अधर्म-विचक्षणः) धर्म-अधर्म के विशेष ज्ञाता (वामदेवः) वामदेव ऋषि (मातौः) भूख से पीड़ित होकर (धर्म-मांसम् अस्तुम् इच्छन्) कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा करते हुए भी (प्राणानां परिरक्षार्थं न लिप्तवान्) प्राणों की रक्षा के लिए ऐसा करने के कारण पाप से लिप्त नहीं हुए ॥ १०६ ॥

भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु सपुत्रो विजने बने ।

बह्वीर्गाः प्रतिजग्राह वृषोस्तदणो महातपाः ॥ १० । १०७ ॥

(विजने बने सपुत्रः महातपाः भरद्वाजः) निर्जन वन में पुत्रसहित निवास करने वाले महातपस्वी भरद्वाज मुनि ने (वृषोः तदणोः बह्वीः गाः प्रतिजग्राह) 'वृषु' नामक बड़ई से बहुत-सी गायें दानरूप में ग्रहण कर लीं अर्थात् नीच से दान लेकर भी वे पाप से लिप्त नहीं हुए ॥ १०७ ॥

क्षुधार्तश्चातुर्मह्यपाद्विश्वामित्रः स्वजायमीम् ।

चण्डालहस्तादावाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥ १० । १०८ ॥

(धर्म + अधर्म-विचक्षणः) धर्म-अधर्म के विशेषज्ञाता (विश्वामित्रः) विश्वामित्र ऋषि ने (अुधार्तः) भूल से पीड़ित होने पर (चण्डालहस्तात् स्वजायनीम् + आदाय) चण्डाल के हाथ से कुत्ते की जङ्घा का मांस लेकर (अस्तुम् + अध्यागात्) खाने को उद्यत हुए थे [किन्तु फिर भी वे पाप से लिप्त नहीं हुए] ॥ १०८ ॥

दान का लोभ निन्दनीय—

प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादपि ।

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गहितः ॥ १०।१०९ ॥

(प्रतिग्रहात् याजनात् तथैव + अध्यापनात् + अपि) निन्दित दान लेने से, यज्ञ कराने से और अध्यापन से (प्रतिग्रहः प्रत्यवरः) दान लेना सबसे निकृष्ट काम है, (विप्रस्य प्रेत्य गहितः) यह ब्राह्मण के लिए परलोक में भी दुःख का कारण माना है ॥ १०९ ॥

याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम् ।

प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादभ्यन्त्यजन्मनः ॥ १०।११० ॥

क्योंकि (याजन-अध्यापने) यज्ञ कराना और अध्यापन ये काम तो (नित्यम्) सदा (संस्कृत + आत्मनां क्रियेते) यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त व्यक्तियों के ही किये जाते हैं (तु) किन्तु (प्रतिग्रहः) दान तो (अभ्यन्त्यजन्मनः शूद्रात् + अपि क्रियते) निकृष्ट जन्म वाले शूद्र से भी लिया जाता है, अतः तीनों कर्मों में यह निकृष्ट है ॥ ११० ॥

अपहोर्नरपत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम् ।

प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥ १०।१११ ॥

(याजन-अध्यापनैः कृतम् + एनः) निन्दितों के यहाँ यज्ञ कराने और अध्यापन से लगा हुआ पाप तो (जपैः होमैः + अप्रति) जप और हवन करने से नष्ट हो जाता है (तु) किन्तु (प्रतिग्रहनिमित्तं त्यागेन च तपसा एव) निन्दित दान लेने से लगा हुआ पाप तो उस वस्तु के त्याग से और तपस्वी प्रायश्चित्त से नष्ट होता है ॥ १११ ॥

शिलोऽञ्छमप्यादधीत विप्रोजीवत्यस्ततः ।

प्रतिग्रहाच्छिलः श्वेयास्ततोऽप्युञ्छः प्रशस्यते ॥ १०।११२ ॥

(अजीवन् विप्रः) जीविका में असमर्थ होने पर ब्राह्मण (यतः + ततः शिल + उञ्छम् + अपि + प्रादधीत) जहाँ-कहीं से शिल = काटने के बाद खेत में बची रह जाने वाली बालें, और उञ्छ = काटने के बाद खेत में पड़े रह जाने वाले दाने, इन्हें बीनकर भी जीविका चला ले, क्योंकि (प्रतिग्रहाद् शिलः श्वेयः) दान लेने से 'शिल' बीनकर जीविका चलाना अच्छा है, और (ततः उञ्छः अपि प्रशस्यते) उससे तो 'उञ्छ' से जीविका करना भी अच्छा है ॥ ११२ ॥

सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्भिर्नयनं वा पृथिवीपतिः ।

याच्यः स्यात्स्नातकं विप्रैरदित्संस्त्यागमर्हति ॥ १० । ११३ ॥

(स्नातकः विप्रैः) स्नातक विद्वानों को (सीदद्भिः) कष्टपीडित अवस्था में (कुप्यं घनं वा इच्छद्भिः) भोजन-वस्त्र, धान्य-धन की इच्छा होने पर (पृथिवीपतिः याच्यः स्यात्) राजा से भी घन मांग लेना चाहिए (अदित् सन् त्यागम् + अर्हति) दान देने की इच्छा न रखने वाले राजा से मांगना छोड़ दें, पुनः न मांगें ॥ ११३ ॥

अकृतं च कृतात्क्षेत्राद्गोरक्षाविक्रमेव च ।

हिरण्यं धान्यमन्नं च पूर्वं पूर्वन्वदोषवत् ॥ १० । ११४ ॥

(कृतात् क्षेत्रात् अकृतम्) जोते-बोये खेत से बिना जोती बोई भूमि, (गोः + अजा + अविकम् + एव च) गौ, बकरी भेड़ और (हिरण्यं धान्यम् + अन्नम्) सोना, धान्य, अन्न, (पूर्वं पूर्वंम् + अदोषवत्) इनमें पूर्व-पूर्व का दान कम दोष वाला है अर्थात् दान में यथाशक्ति पूर्व-पूर्व की वस्तुएँ ही लेनी चाहिए ॥ ११४ ॥

धर्मानुकूल सात आय—

सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः ।

प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥ १० । ११५ ॥

(सप्त वित्तागमाः धर्म्याः) सात धन-प्राप्ति के साधन धर्मानुकूल माने गये हैं—१. (दायः) पैतृकधन, २. (लाभः) लाभरूप में प्राप्त धन, ३. (क्रयः) खरीदा हुआ, ४. (जयः) विजय में प्राप्त, ५. (प्रयोगः) व्याज आदि से प्राप्त, ६. (कर्मयोगः) परिश्रम से कमाया गया, ७. (च सत्प्रतिग्रहः एव) और केवल श्रेष्ठ दान ॥ ११५ ॥

दश प्राजीविकायें—

विद्या शिल्पं भूतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः ।

भूतिर्भैक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ १० । ११६ ॥

(दश जीवनहेतवः) दस जीवन-निर्वाह के हेतु माने गये हैं—१. (विद्या) अध्ययन, २. (शिल्पम्) कारीगरी ३. (भूतिः) वेतनप्राप्ति, ४. (सेवा) सेवा करना, ५. (गोरक्ष्यम्) गौ आदि पशुओं की रक्षा, ६. (विपणिः) व्यापार, ७. (कृषिः) खेतीकार्य, ८. (भूतिः) शिल उच्छ आदि से संतोषपूर्वक जीवन बिताना, ९. (भैक्ष्यम्) भिक्षा-प्राप्ति; १०. (च कुसीदम्) और व्याजप्राप्ति ॥ ११६ ॥

ब्राह्मण और क्षत्रिय व्याज न ले—

ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि बृद्धि नैव प्रयोजयेत् ।

कामं तु खलु धर्माय ब्रह्मात्पापीयसेऽल्पिकाश्च ॥ १० । ११७ ॥

(ब्राह्मणः वा क्षत्रियः अपि) ब्राह्मण और क्षत्रिय (बृद्धि नैव प्रयोजयेत्) व्याज पर धन न दे (कामं तु) यदि व्याज पर धन देना भी चाहे तो (धर्माय खलु) केवल

किसी धर्मकार्य के लिए (अल्पिका पापीयसे दद्यात्) थोड़े व्याज पर पापी — बन्धाल मादि को दे दे ॥ ११७ ॥

अनुवर्णन : १०। ७४-११७ ये सभी श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. विषय-विरोध—नवमाध्याय के उपसंहार में मनु ने लिखा है—

एवोऽलिलः कर्मविधिरुक्ती राज्ञः समातनः ।

इमं कर्मविधिं विद्यात् क्रमशो वैश्यशूद्रयोः ॥ (६। ३२५)

अर्थात् चातुर्वर्ण्यधर्म के अन्तर्गत यह समस्त क्षत्रिय के धर्मों का वर्णन किया है और अब क्रम से वैश्य व शूद्र के कर्मों का विधान करेंगे। और दशमाध्याय के अन्तिम श्लोक में भी यही कहा है—

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः ॥

अर्थात् चारों वर्णों के धर्मों का विधान सम्पूर्णता से कहा गया। इन दोनों श्लोकों से इस अध्याय के विषय का निर्देश स्पष्ट है। किन्तु यहाँ ७४ से ८३ श्लोकों में ब्राह्मण की आजीविका के कर्मों का विधान, ६५ में क्षत्रिय की आजीविका के, ६८ में वैश्य की और ६९ में शूद्र की आजीविका के कर्मों का विधान विषय-निर्देशक श्लोकों से विरुद्ध है। उस क्रम में वैश्य के ६१३२६ से ६१३३३ श्लोकों में और शूद्र के ६१३३४-३३५ श्लोकों में कर्मों का विधान कर चुके हैं। मनु ने (१०।४ में) चातुर्वर्ण्य-धर्मों की समाप्ति पर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वर्ण चार ही हैं, इनसे भिन्न पांचवां वर्ण कोई नहीं है। अतः प्रतिपाद्य विषय के समाप्त होने पर पुनः उसका प्रकारान्तर से इसलिए कथन करना कि जन्म-मूलक उपजातियों से इनका सम्बन्ध जोड़ा जा सके, यह सर्वथा अनुचित है। यह मनुप्रोक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मनु एक विषय का प्रतिपादन एकत्र ही कर देते हैं।

२. शैलीविरोध—इन श्लोकों की शैली मनुसम्मत नहीं है। जैसे—(क) ७८ वें श्लोक में कहा है—‘मनुराह प्रजापतिः।’ इससे स्पष्ट है कि ये श्लोक मनु से भिन्न किसी व्यक्ति ने मनु के नाम से बनाए हैं।

(ख) ६१-६३ श्लोकों की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण, घृणायुक्त, भयप्रदर्शनात्मक और रुढ़ होने से मनुप्रोक्त नहीं है। जैसे—६१ में पितरों के साथ कीड़ा बनकर कुत्ते की विष्टा में पड़े रहना, १०३ में नमक व मांस बेचने से तुरन्त पतित होना, और दूध बेचने से ब्राह्मण का तीन दिन में शूद्र हो जाना, और निषिद्ध वस्तुओं के विक्रय से ब्राह्मण [१०४ में] सात रातों में वैश्य बन जाता है।

(ग) और १०६ वें श्लोक में कहा है कि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्चवर्ण की आजीविका न करे, यह भी मनु की भाव्यता के विरुद्ध भयप्रदर्शन मात्र ही किया है। यदि किसी वर्ण का व्यक्ति निम्नवर्ण के कार्य कर सकता है तो उच्चवर्ण के कर्मों

पर प्रतिबन्ध क्यों? मनु ने १०।६५ वें श्लोक में 'शूद्रो ब्राह्मणसामेति' इत्यादि कहकर शूद्र को ब्राह्मण और ब्राह्मण को कर्महीन होने पर शूद्र स्पष्ट रूप से माना है। अतः उच्चवर्ण के कर्मों पर प्रतिबन्ध की बात मनुप्रोक्त नहीं है। यह सब जन्माश्रित वर्ण-व्यवस्था की मान्यता का ही प्रभाव है।

(घ) और १०५-१०८ श्लोकों की शैली विध्यात्मक न होकर ऐतिहासिक और अयुक्तियुक्त है। यह शैली मनु की नहीं है। जैसे—अजीगतं भूख से पीड़ित होकर पुत्र-हत्या करने के लिए तैयार होकर भी पाप-ग्रस्त न हुआ [११६]। वामदेव ने भूख से पीड़ित होकर कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा की और पाप-ग्रस्त न हुआ [११७]। भरद्वाज बड़ई से दान में गायें लेकर भी पाप-ग्रस्त न हुआ [११८] और विश्वामित्र भूखा होने पर चण्डाल के हाथ से कुत्ते का मांस खाने को उद्यत हुए और पाप-ग्रस्त न हुए। ये सभी उदाहरण ऐतिहासिक शैली के होने से मनुप्रोक्त नहीं हैं। और ये अजी-गर्तादि सभी व्यक्ति मनु से परवर्ती हैं, फिर मनु उनके उदाहरण कैसे दे सकते थे? मनु तो सृष्टि के आदि में हुए हैं।

(ङ) और १०।१०४ में कहा है कि जैसे कीचड़ से आकाश लिप्त नहीं होता, वैसे ब्राह्मण पाप से लिप्त नहीं होता। यह अयुक्तियुक्त व पक्षपातपूर्ण होने से मनुप्रोक्त नहीं हो सकता।

३. अन्तर्विरोध—(१) ८२ वें श्लोक में कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय की वृत्ति से जीविका न चला सके तो वैश्यवृत्ति के गोरक्षा और कृषि करके जीविका चलाये। किन्तु ८३-८४ श्लोकों में कृषि की निन्दा करके ब्राह्मण को कृषिकर्म करने का निषेध कर दिया है, और व्यापार करने का विधान कर दिया है।

(२) ८८-८९ श्लोकों में मद्य-मांसादि के विक्रय का निषेध किया है। मनु की मान्यता में मद्यमांसादि राजसों का भोजन है और मांस के विक्रेता को भी मनु ने घातक=पापी [५।५२ में] कहा है। इससे स्पष्ट है कि मांसादि का विक्रय करना वैश्य के कर्मों में मनु नहीं मानते। फिर यह निषेधात्मक समस्त विधान परवर्ती समय का है कि जब मद्य-मांसादि का सेवन बढ़ने से विक्रय होने लगा था।

(३) १०१-१०७ श्लोकों में ब्राह्मणों के लिए निन्दित दानादि लेने का विधान किया गया है, जबकि अन्यत्र [४।१६१-१६४ में] सर्वत्र विशुद्ध दान लेने का कथन है। १०४-१०८ श्लोकों में मांस-भक्षण को उचित बताया है, जब कि मनु ने आपत्काल में भी हिंसा करने का [५।५१, ५।५३ में] निषेध किया है।

(४) १०६ श्लोक में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिए व्याज पर धन देने की छूट दी है, जबकि १०।८२ में व्याज कार्य को ठीक नहीं माना है। १२० से १२८ तक के श्लोकों में ऐसी बातें लिखी हैं कि जो १०१-१०८ तक श्लोकों में कही बातों का विरोध कर रही हैं।

(५) १०।७४-८२ तक, १०।६५, १०।६८, और १०।६६ श्लोकों में विशेष रूप से वैकल्पिक ऐसी व्यवस्थाएँ दी गई हैं कि यदि चारों वर्णों के व्यक्ति अपने अपने वर्ण के कार्यों से आजीविका न चला सकें तो अपने-अपने से निम्न वर्णों के वृत्ति-कर्मों से आजीविका कर सकते हैं। इन व्यवस्थाओं को देखकर ही प्रायः व्याख्याकारों ने इनमें आपत्कालीन वर्णों के कर्म मानकर व्याख्याएँ की हैं। किन्तु इन व्यवस्थाओं पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये प्रक्षेप किसी जन्ममूलक वर्णव्यवस्था के मानने वाले ने किए हैं। इस विषय में कतिपय आपत्तियाँ इस प्रकार हैं—

(क) इन श्लोकों में कहा गया है कि यदि ब्राह्मणादि वर्ण अपने यथोक्त कर्मों से आजीविका न चला सकें तो ब्राह्मण क्षत्रियधर्म—शस्त्रास्त्र धारण करके प्रजा की रक्षा करके अथवा वैश्य के धर्मों—कृषि और व्यापार करके आजीविका चलावे। इसी प्रकार दूसरे वर्ण भी करें। इन बातों को पढ़कर ही इस अध्याय को आपद्धर्म का माना जाने लगा। किन्तु यह मान्यता मनु की कदापि नहीं है। क्योंकि मनु ने गुण, कर्म, स्वभाव से वर्णव्यवस्था को माना है, जन्ममूलक नहीं। और जो गुण, कर्म, स्वभाव से सच्चा ब्राह्मण है, वह आजीविका न चला सके, यह बात मिथ्या है। हाँ! जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर यथाधर्म ब्राह्मण के कर्म नहीं करता, वह अवश्य ऐसी दशा को प्राप्त हो सकता है। जैसे कोई योग्य चिकित्सक है, उसके भूखे मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि उसका पुत्र चिकित्सा करना नहीं जानता तो उसके लिए आजीविका का प्रश्न उठ सकता है। इसी प्रकार इन श्लोकों का मिश्रण किसी जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था के पक्षपाती ने किया है, जो यह मानते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ही ब्राह्मण होता है, चाहे वह विद्यादि गुणों वाला हो या नहीं।

(ख) यदि कोई ऐसी बात कहे कि ये तो आपद्धर्म कहे हैं, यह बात भी सत्य नहीं है। क्योंकि आपद्धर्म की यहाँ कोई परिभाषा नहीं की है? आपद्धर्म कितने समय तक होता है? यह निर्धारण भी कोई नहीं कर सकता। और दुर्जनलोचन्याय से मान भी लिया जाये कि आपत्ति तो हरेक अनुष्य पर आ सकती है, तो यहाँ विचार करना चाहिए कि आपत्ति का क्या स्वरूप है? क्या ऐसी स्थिति को आपत्ति माना जाए, जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मण के योग्य कार्य न कर सके? ऐसी स्थिति दो प्रकार से आ सकती है—(१) एक अत्यधिक रुग्ण दशा आदिके कारण अथवा (२) ब्राह्मण के कर्मों की योग्यता न रखने के कारण। यदि रोगादिके कारण ऐसी दशा हुई है, तब तो वह क्षत्रिय या वैश्य के कर्म भी कैसे कर सकेगा? और यदि वह प्रयोग्य है, तो मनु की कर्ममूलक-वर्णव्यवस्था के अनुसार वह ब्राह्मण ही नहीं है। और जो ऐसी दशा में है कि भूखा मर रहा है, क्या वह क्षत्रिय या वैश्य के कर्मों को बिना साधनों के कर सकता है?

(ग) मनु ने वर्णव्यवस्था का आधार कर्म माना है। द्रष्टव्य १।१०७ की समीक्षा जो व्यक्ति पढ़-लिखकर भी कर्मों से हीन है, वह भी ब्राह्मणादि द्विजों में परिगणित नहीं

किया जा सकता। मनु की मान्यता के अनुसार द्विजों की वर्णव्यवस्था का निर्धारण विद्या-समाप्तिपर आचार्य करता है। आचार्य विद्यार्जन के समय विद्यार्थी के गुणों, कर्मों तथा स्वभावों को जानकर ही वर्णों का निर्धारण करता है। जिसका गुण, कर्म व स्वभाव ब्राह्मण का है, क्या वह आपत्ति के समय अपने गुण, कर्म स्वभाव को बदलकर दूसरे वर्णों के कार्य कर सकता है? ब्राह्मणवृत्ति का मनुष्य क्षत्रियवृत्ति के कार्य प्रथवा वैश्यवृत्ति के कार्य कैसे कर सकता है? अतः ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्णों के कार्य से आजीविका कर लेवे, यह वैकल्पिकव्यवस्था किसी जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था को मानने वाले मनुष्य की बुद्धि की उपज है, मनु की नहीं। इसी प्रकार १०।६५ में क्षत्रिय के लिए वैश्यवृत्ति के कार्यों की व्यवस्था, १०।६८ में वैश्य वर्ण के लिए शूद्र वृत्ति के कार्यों की व्यवस्था और १०।६९ में शूद्र के लिए शिल्पकार्यों की वैकल्पिक व्यवस्थाएँ परवर्ती होने से प्रक्षिप्त हैं। ब्राह्मण की भाँति क्षत्रियादि का आपत्-काल क्या हो सकता है? क्या प्रजापालन करने में असमर्थ क्षत्रिय वैश्य के कृषि, और व्यापारादि करने में असमर्थ वैश्य शूद्र के कार्य कर सकता है? यदि आजीविका का ही केवल आपत्काल होता है, तो सब वर्णों को वैश्य के कर्म करने का ही अधिकार दे देना चाहिए! क्योंकि आजीविका के लिए धनार्जन का यही सर्वोत्तम उपाय है।

(घ) मनु के अनुसार जो ब्राह्मणादि तीनों वर्णों में दीक्षित नहोसके, वह शूद्र हो सकता है, जन्म से नहीं। ऐसा व्यक्ति शारीरिक श्रम करके (द्विजों की सेवा करके) आजीविका कर सकता है। उसके लिए (आपत्कालीन) यह वैकल्पिक व्यवस्था बताना बिल्कुल ही असंगत है कि वह कारुकर्म=शिल्पकर्म करके जीविका चला लेवे। शूद्र के आपत्काल से क्या अभिप्राय है? यदि यह कहो कि वह रोगादि से पीड़ित दशा में आपद्ग्रस्त होता है, तब तो वह शिल्पकर्म भी कैसे करेगा? अतः स्पष्ट है कि जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था के प्रचलित होने पर ऐसी दशा उत्पन्न हुई कि जो व्यक्ति शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है, किन्तु द्विजों का सेवाकार्य करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके गुण कर्म, स्वभाव शूद्र जैसे नहीं है, तब किसी ने यह वैकल्पिक व्यवस्था लिखी है कि वह शिल्पकर्म से आजीविका कर लेवे। किन्तु यह मान्यता मनुसम्मत न होने से मौलिक नहीं है।

(ङ) मनु जी ने धार्यों को चार वर्णों में विभक्त करके स्पष्ट लिखा है—

‘चतुर्थं एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः।’ (मनु० १०।४)

अर्थात् मनुष्य-समाज के ब्राह्मणादि चार ही वर्ण हैं, पाँचवां कोई नहीं। किन्तु यहां प्रक्षेपक ने मनु की इस मान्यता के विरुद्ध जन्ममूलक जो बढ़ई, सुनारादि उपजातियाँ बन गई थीं, उनके आधार पर लिखा है कि शूद्र कारुकर्म=शिल्पकर्म करके

१. आचार्यैस्त्वस्य यां जातिं विचिबद् वेदपारगः।

उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजराभरा॥ (मनु० २।१४८)

प्राजीविका करे। ये उपजातियाँ मनु की मान्यता के विरुद्ध तथा बहुत ही परवर्ती होने से प्रक्षिप्त हैं।

(ख) मनु ने इस शास्त्र में शिल्पकर्म को वैश्यवर्ण के कार्यों में अन्तर्निहित किया है, कारुक=शिल्पीनामक कोई पृथक् विभाग नहीं किया है। परन्तु इस शिल्पकर्म को चारों वर्णों से भिन्न उपजातियों का कर्म बताकर प्रक्षेपक ने स्वयं अपना भेद (परवर्ती होने से) प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। क्योंकि प्रक्षेपक के समय मुनार, कुम्हार, धोवी आदि उपजातियाँ बन चुकी थीं।

४. पुनरुक्त एवं क्रमविरोध—इन श्लोकों में पुनरुक्त और क्रमविरोध बातें पर्याप्त रूप में कहीं हैं जिससे ये श्लोक मनुप्रोक्त कदापि नहीं हो सकते। जैसे—

(क) ७४-८२ श्लोकों में ब्राह्मण की प्राजीविका के लिए अनेक वैकल्पिक विधान किए हैं (जिनमें परस्पर विरोधी बातें भी हैं)। और १०।१०१ में कहा है कि ब्राह्मण जीविका के अभाव में 'इमं धर्मं समाचरेत्' अर्थात् अगले श्लोकों में कहे अनुसार जीविका करे। यदि ये मनुप्रोक्त श्लोक होते तो क्रमशः एकत्र होते। शूद्र की प्राजीविका के बाद पुनः ब्राह्मण-वृत्ति की बात उठाना अमंगल है।

राजा के आपत्कालीन कर्म—

चतुर्थभागदानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि ।

प्रजा रक्षन्परं शक्त्या कित्विवात्प्रतिमुष्यते ॥ १०।११८ ॥

(क्षत्रियः) राजा (आपदि) आपत्काल में (चतुर्थम् + आददानः + अपि) धान्य आदि का चतुर्थ भाग भी कर के रूपमें ग्रहण करता हुआ, और (परं शक्त्या प्रजा रक्षन्) पूर्णशक्ति से प्रजाओं की रक्षा करता हुआ (कित्विवात् प्रतिमुष्यते) दोषी या बुराई के योग्य नहीं होता ॥ ११८ ॥

स्त्रधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः ।

शस्त्रेण वैश्यान् रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद् बलिम् ॥ १०।११९ ॥

(तस्य विजयः स्वधर्मः) राजा का विजय प्राप्त करना धर्म है, (आहवे पराङ्मुखः न स्यात्) उसे कभी युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, और (शस्त्रेण वैश्यान् रक्षित्वा) शस्त्र से वैश्यों की रक्षा करता हुआ (धर्म्यं बलिम् + आहारयेत्) धर्मपूर्वक कर ग्रहण करे ॥ ११९ ॥

धान्येऽष्टमं विशां शुल्कं विशां कार्षापणावरम् ।

कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ १०।१२० ॥

आपत्काल में राजा को (विशाम्) वैश्यों से (धान्ये + अष्टमम्) धान्य आदि का आठवाँ भाग, और (विशं कार्षापणावरम्) सोने-चाँदी आदि का बीसवाँ-भाग कर लेना चाहिए (तथा शिल्पिनः कारवः शूद्राः कर्मोपकरणाः) तथा शिल्पी और कारीगर शूद्रों से काम करवा लेना चाहिए ॥ १२० ॥

अभाव अवस्था में शूद्र के कर्तव्य—

शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षन्क्षत्रमारामयेद्यदि ।

धनिनं वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत् ॥ १०।१२१ ॥

(वृत्तिम् + आकाङ्क्षन् शूद्रः) अभाव से पीड़ित होकर जीविका चाहता हुआ शूद्र (क्षत्रम् + आराधयेत्) किसी क्षत्रिय की सेवा कर ले (वा) अथवा (शूद्रः) वह शूद्र (धनिनं वैश्यम् + आराध्य जिजीविषेत्) धनवान् वैश्य की सेवा करके जीविका चला ले ॥ १२१ ॥

स्वर्गार्थमुभयार्थं वा विप्रानाराधयेत् सः ।

जातब्राह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १०।१२२ ॥

(सः) वह शूद्र (स्वर्गार्थम्) स्वर्ग-प्राप्ति के लिए (वा) अथवा (उभयार्थम्) स्वर्ग और जीविका, दोनों की प्राप्ति के लिए (विप्रान् + आराधयेत्) ब्राह्मणों की सेवा करे । (जातब्राह्मणशब्दस्य) क्योंकि वह ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही उत्पन्न हुआ है (सा हि + अस्य कृतकृत्यता) ब्राह्मणों की सेवा से ही वह कृतकृत्य होता है ॥ १२२ ॥

विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्यते ।

यमतोऽप्यदि कुर्वते तद्व्यवस्यस्य निष्फलम् ॥ १०।१२३ ॥

(विप्र-सेवा + एव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्यते) ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का प्रधान कर्म कहा है (अतः + अप्यत् हि यत् कुर्वते) इसके प्रतिरिक्त वह जो भी काम करता है (तत् अस्य निष्फलं भवति) उसका वह सब निष्फल जाता है ॥ १२३ ॥

प्रकल्प्या तस्य तैर्बुद्धिः स्वकुटुम्बाद्यार्हतः ।

शक्तिं चावेक्ष्य वाक्यं च भृत्यानां च परिग्रहम् ॥ १०।१२४ ॥

(तैः) ब्राह्मणों को चाहिए कि (शक्तिम्) काम करने की शक्ति (दाक्ष्यम्) कार्यचातुर्य (च) और (भृत्यानां परिग्रहम् + अवेक्ष्य) नौकरों का निर्वाह आदि देखकर (स्वकुटुम्बात् यार्हतः तस्य बुद्धिः प्रकल्प्या) अपने कुटुम्ब से उस शूद्र की जीविका निर्धारित कर दे ॥ १२४ ॥

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च ।

पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदाः ॥ १०।१२५ ॥

उस शूद्र को (उच्छिष्टम् + अन्नम्) सूठा अन्न, (जीर्णानि वसनानि) पुराने कपड़े (धान्यानां पुलाकाः) धान्यों के पुआल (च) और (जीर्णाः परिच्छदाः) पुरानी गृहवस्तुएं, (दातव्यम्) ये सब देने चाहिए ॥ १२५ ॥

न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति ।

नास्याधिकारो धर्मोऽस्ति न चमतिप्रतिषेधनम् ॥ १०।१२६ ॥

(शूद्रे किञ्चित् पातकं न भस्ति) शूद्र के लिए कुछ भी पातक कार्य नहीं है, (संस्कारं न ग्रहति) वह यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के योग्य नहीं है (धर्मे ग्रस्थ + अधि-कारः न भस्ति) किसी धर्मकार्य में इसका अधिकार नहीं है (च) और (धर्मात् प्रति-वेधनं न) धर्मकार्य करने का निषेध भी नहीं है ॥ १२६ ॥

धर्मोत्सवस्तु धर्मज्ञाः सता वृत्तमनुष्ठिताः ।

मन्त्रवज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥ १०।१२७ ॥

(धर्म + ईप्सवः धर्मज्ञाः) धर्मकार्य करने के इच्छुक, धर्म को जानने वाले, (सतां वृत्तम् + अनुष्ठिताः) श्रेष्ठों के आचरण का पालन करने वाले शूद्र (मन्त्रवज्यं न दुष्यन्ति) मन्त्ररहित यज्ञ आदि धर्मकार्य करने पर पतित नहीं होते (च) अपितु (प्रशंसां प्राप्नुवन्ति) प्रशंसा को प्राप्त करते हैं ॥ १२७ ॥

यथा यथा हि सद्बृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः ।

तथा तथेवं धाम् च लोकं प्राप्नोत्यभिन्दितः ॥ १०।१२८ ॥

(अनसूयकः) दूसरों की निन्दा न करने वाला शूद्र (यथा यथा हि सद्बृत्तम् + आतिष्ठति) जैसे-जैसे श्रेष्ठ आचरण करता जाता है (तथा-तथा) वैसे वैसे (अभिन्दितः) प्रशंसित होकर (धम् च धाम्) लोकं प्राप्नोति) इस लोक और स्वर्गलोक को प्राप्त करता है ॥ १२८ ॥

शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः ।

शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥ १०।१२९ ॥

(शक्तेन + अपि शूद्रेण) समर्थ होते हुए भी शूद्र को (धनसंचयः न कार्यः) धन-संग्रह नहीं करना चाहिए (हि) क्योंकि (शूद्रः धनम् + आसाद्य) शूद्र धन को प्राप्त करके (ब्राह्मणान् + एव बाधते) ब्राह्मणों को ही पीड़ित करता है ॥ १२९ ॥

अनुशीलनः : ये सभी (१०।११८-१२९) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रसिद्ध हैं—

१. प्रसंगविरोध—(क) मनु ने १।३२५ तक में क्षत्रिय-कर्मों का विधान किया है, उसके बाद वैश्य व शूद्र के कर्मों का प्रसंग है। किन्तु यहाँ क्षत्रिय के कर्मों का पुन-वर्णन अप्रासंगिक है। इसी प्रकार शूद्र की वृत्ति तथा कर्म का वर्णन भी प्रथम कर चुके हैं, फिर नये ढंग से उसका वर्णन करना असंगत है। (ख) और यदि वर्णन करने की कोई आवश्यकता थी तो सभी वर्णों का क्रमशः करते। किन्तु यहाँ क्षत्रिय के बाद शूद्र का वर्णन करना पुनरुक्त, असंगत तथा क्रमविरुद्ध होने से प्रसिद्ध है।

२. अन्तर्विरोध—(क) १२१-१२३ श्लोकों में यह वर्णन है कि शूद्र का ब्राह्मणों की सेवा करना ही परम धर्म है, किन्तु विशेष परिस्थिति में क्षत्रिय और वैश्य के यहाँ भी भाजीविका कर सकता है। यह व्यवस्था मनु की मान्यता से विरुद्ध और पक्षपातपूर्ण होने से मान्य नहीं हो सकती। क्योंकि मनु ने [१।६६, १।३३४-३३५]

द्विजम्भा = ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का धर्म माना है। (ल) और १०।१२७ में शूद्रों के लिए मन्त्रवर्ज्य यज्ञों का विधान मनु से विरुद्ध है। इस विषय में २।१७२ पर टिप्पणी द्रष्टव्य है। (ग) और १०।१२७ में शूद्र के लिए झूठा अग्नि तथा पड़े पुराने वस्त्रों को देने का विधान भी शूद्रों के प्रति घृणा भावना प्रकट करता है। परन्तु मनु ने शूद्र को ६।३३४ में पवित्र तथा उत्कृष्ट वर्ण को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार दिया है। अतः मनु के संविधान में सम्मान का आधार गुण, कर्म व स्वभाव है, और किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा-भावना के लिए मनु के शास्त्र में कोई स्थान नहीं है। इस सम्बन्ध में १।६१ पर अनुशीलन द्रष्टव्य है। (घ) मनु ने राजा के लिए ७।१३०-१३२ श्लोकों में कर-विधान किया है कि कर किससे और किस प्रकार लेवे। पुनः यहाँ १०।११८-१२० श्लोकों में कर का विधान करना पुनरुक्त होने से निरर्थक है। इन्हें आपत्कालीन विधान भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ कहे विभिन्न कर-विधानों से यहाँ कुछ भी विशेष नहीं कहा गया है। मनु ने कर विधान वर्णानुसार न करके केवल व्यापारादि कुछ आय के साधनों पर किया है, किन्तु यहाँ (१०।१२० में) शूद्रों से कर के रूप में काम कराने का विधान उससे विपरीत है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सब प्रजा की रक्षा करे। उसमें ब्राह्मणादि सभी वर्गों आ जाते हैं। परन्तु १०।११६ में कहा है कि वैश्यों की रक्षा करके बलि = कर ग्रहण करे। क्या आपत्काल में दूसरे वर्णों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? (ङ) १०।११८ में कहा है कि क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करता हुआ पाप से झूट जाता है यह भी मनु की माय्यता से विरुद्ध है। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, किन्तु जो दुष्कर्म क्षत्रिय भी करता है, तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है।

३. शैलीगत आचार—इन श्लोकों में शूद्र के विषय में जो वर्णन किया गया है, उसकी शैली पक्षपातपूर्ण, घृणास्पद, दुराग्रहवृत्ति को प्रकट करने के कारण अनुसम्मत नहीं है।

एते चतुर्णां वर्णानामापन्नर्थाः प्रकीर्तिताः ।

यान् सम्यगनुतिष्ठन्तो ब्रजन्ति परमां गतिम् ॥ १०।१३० ॥

(एते) ये [इस दशमाध्याय में] (चतुर्णां वर्णानाम् + आपत्-वर्माः प्रकीर्तिताः) चारों वर्णों के आपत्कालीन धर्म कहे हैं, (यान् सम्यक् अनुतिष्ठन्तः) इनका सम्यक् पालन करते हुए चारों वर्णों के व्यवित (परमां गतिं ब्रजन्ति) उत्तम गति को प्राप्त करते हैं ॥ १३० ॥

अनुशीलनम् : १०।१३० वां श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त है—

१. शैलीविरोध—मनु की यह शैली है कि वे किसी विषय की समाप्ति पर पूर्व विषय का उपसंहार तथा अग्रिम विषय का निर्देश अवश्य करते हैं। इस श्लोक में इस शैली का अभाव है और १०।१३१ में पूर्व विषय का उपसंहार तथा अगले का निर्देश भी होने से यह श्लोक मौलिक है, १०।१३० वां श्लोक नहीं।

२. अन्तर्विरोध—(१) किसी परवर्ती प्रक्षेपक ने आपत्कालीन धर्मों के नाम से परवर्ती जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था के आधार पर इन श्लोकों का मिश्रण किया है। क्यों कि 'आपत्काल' का अभिप्राय यह कदापि नहीं होता कि दूसरे वर्णों के कर्मों को ही करने लग जाये ? और ब्राह्मण कर्म करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय या वैश्य के कर्म कैसे कर सकता है ? (२) 'आपद्धर्म' का क्या अभिप्राय है, वह कितने समय के लिए होता है, यह इन श्लोकों में कहीं नहीं लिखा है। जिससे स्पष्ट है कि ये आपद्धर्म-नाम के श्लोक मौलिक नहीं हैं दशमाध्याय में कुछ श्लोकों को छोड़कर आपद्धर्म है भी नहीं। इसमें तो अधिक-तर वर्णों की उत्पत्ति तथा उनके कार्यों का वर्णन है, जिन्हें कोई भी आपद्धर्म नहीं मान सकता। अतः १०।१३० तथा १।३३६ दोनों ही श्लोक परवर्ती प्रक्षिप्त हैं।

३. विषय-विरोध—१०।१३१ श्लोक में स्पष्ट कहा है कि 'चातुर्वर्ण्य-धर्म' विषय का ही इस अध्याय में कथन किया गया है, आपद्धर्मों का नहीं। अतः आपद्धर्म का वर्णन विषय-विरुद्ध है।

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधिं शुभम् ॥१०।१३१॥ (१५)

(एषः) [१।१ से १०।१३० तक] (चातुर्वर्ण्यस्य) चारों वर्णों के व्यक्तियों का (कृत्स्नः) सम्पूर्ण (धर्मविधिः कीर्तितः) धर्म-विधान कहा है। (अतः परम्) इसके बाद अब (शुभं प्रायश्चित्तविधिं प्रवक्ष्यामि) शुभ प्रायश्चित्त की विधि को कहूँगा—॥ १३१ ॥

इति महर्षि-अनुप्रोषतायां सुरेन्द्रकुमारकृत-हिन्दीभाषा-भाष्यसमन्वितायाम्
'अनुशीलन' समीक्षाविमूहितायाम्च अनुस्मृती चातुर्वर्ण्यधर्मनिर्गत-
वैश्य-शूद्रधर्मात्मको दशमोऽध्यायः ॥

अथ एकादशोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-प्रनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

[प्रायश्चित्त-विषय]

(११।४४ से २६५ तक)

दान एव यज्ञसम्बन्धी विधान—

साम्प्रतानिकं यक्ष्यमाणमध्वरं सर्ववेदसम् ।

गुरुर्धं पितृभार्यं स्वाध्यायाभ्युपतापिनः ॥ १ ॥

नवस्तातकान्विद्याद् ब्राह्मणधर्ममिच्छुकान् ।

निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २ ॥

१. (साम्प्रतानिकम्) सन्तानार्थं विवाह का इच्छुक, २. (यक्ष्यमाणम्) यज्ञ करने का इच्छुक, ३. (अध्वरम्) मार्ग में चलने वाला, ४. (सर्ववेदसम्) सर्वस्व दान में देने वाला, ५-७ (गुरुर्धं पितृभार्यम्) गुरु, पिता, माता के लिए धन चाहने वाला ८. (स्वाध्यायाधी) पढ़ने का इच्छुक, ९. (उपतापिनः) रोगी या आपद्ग्रस्त (एतान् नव स्नातकब्राह्मणान्) इन नौ स्नातक ब्राह्मणों को (धर्ममिच्छुकान् विद्याद्) धर्म-मिच्छुक समझे, और (एतेभ्यः) इन्हें (निःस्वेभ्यः) धनाभाव होने पर (विद्याविशेषतः) विद्या-विशेष को देखकर (दानं देयम्) [कम-प्रतिक, उत्कृष्ट-निम्न] दान देना चाहिए ॥ १-२ ॥

एतेभ्यो हि द्विजप्रेभ्यो देयमन्नं सबक्षिणम् ।

इतरेभ्यो बहिर्वेदि कृतान्नं देयमुच्यते ॥ ३ ॥

(एतेभ्यः द्विज-प्रेभ्यः) इन नौ ब्राह्मण स्नातकों को (सबक्षिणम् + अन्नं देयम्) वेदी अर्थात् चौके में बुलाकर पक्वान्न देना चाहिए, और (इतरेभ्यः) अन्य ब्राह्मणों को (बहिर्वेदि कृतान्नं देयम् + उच्यते) वेदि के बाहर पक्वान्न देने का विधान है ॥ ३ ॥

सर्वरत्नानि राजा तु यथार्हं प्रतिपादयेत् ।

ब्राह्मणान्वेदविद्वदो यज्ञार्थं चैव बक्षिणाम् ॥ ४ ॥

(राजा तु) राजा को (वेदविद्वदः ब्राह्मणान्) वेद के विद्वान् ब्राह्मणों को

(सर्वरत्नानि) सब प्रकार के रत्न (च) और (यथार्थं दक्षिणाम्) यज्ञ के लिए दक्षिणा रूप में धन (यथार्हं प्रतिपादयेत्) यथाशक्ति, दान में देने चाहिए ॥ ४ ॥

कृतदारोऽपरान्दाराभिस्त्रिभिर्युग्मैश्चिच्छति ।

रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदातुस्तु संततिः ॥ ५ ॥

(कृतदारः यः) एक बार विवाहित जो ब्राह्मण (भिस्त्रिभिर्युग्मैश्चिच्छति) भिक्षा में धन लेकर (अपरां दारान् अधिगच्छति) दूसरा विवाह करता है (तस्य रतिमात्रं फलम्) उसे मात्र संभोग का ही फल मिलता है, क्योंकि (संततिः तु द्रव्यदातुः) उस स्त्री में उत्पन्न सन्तान तो धन देने वाले की होती है ॥ ५ ॥

धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत् ।

वेदविस्तु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गं समश्नुते ॥ ६ ॥

जो मनुष्य (वेदविस्तु विविक्तेषु विप्रेषु) वेद के वेत्ता, गृहस्थायी विद्वानों को (यथाशक्ति धनानि प्रतिपादयेत्) यथाशक्ति धनादि का दान करता है, वह (प्रेत्य स्वर्गं समश्नुते) मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

सोमयज्ञ का विधान—

यस्य त्रिषाविकं भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये ।

अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ ७ ॥

(यस्य भृत्यवृत्तये) जिसके पास परिवार के पालन-पोषण के लिए (त्रिषाविकं पर्याप्तं भक्तम्) तीन वर्ष तक पर्याप्त रहने वाला भ्रत है (वा-अपि) अथवा (अधिकं विद्येत) इससे अधिक है (सः) वही व्यक्ति (सोमं पातुम् + अर्हति) सोम पीने अथवा सोमयज्ञ करने का अधिकारी है ॥ ७ ॥

अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः ।

स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम् ॥ ८ ॥

(अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये) इससे [११।७] कम भ्रत होने पर (यः द्विजः सोमं पिबति) जो द्विज सोमयज्ञ करता है (सः) वह (पीतसोमपूर्वः + अपि तस्य फलं न आप्नोति) पहले किये हुए सोमयज्ञ सहित उसके फल को प्राप्त नहीं करता ॥ ८ ॥

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि ।

मध्वापातो विवास्वादः स धर्मप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥

(शक्तः) जो दान देने में संलग्न व्यवित (स्वजने दुःखजीविनि) अपने परिवार वालों के दुःखित रहते हुए (परिजने दाता) दूसरों को दान देता है, उसका दान (मध्वा-पातः विष + आस्वादः) पहले शहद के समान मीठा और बाद में विष के समान कड़वा है, और (सः) वह (धर्मप्रतिरूपकः) धर्म का पाखण्डी है ॥ ९ ॥

भृत्यानामुपरोधेन शक्नोतीत्यर्थं वैहिकम् ।

तद्भूतस्य सुखोदकं जीवितस्य च ॥ १० ॥

जो मनुष्य (भृत्यानाम् + उपरोधेन) स्त्री-पुत्र आदि पालनीय जनों को पीड़ा में रखकर (श्रीर्षं वैहिकं करोति) परलोक-सुख की भावना से दान आदि करता है (तत्) वह दान (जीवितः च भृत्यस्य) जीवित अवस्था में और मृत्यु के बाद में भी (भूसुखोदकं भवति) दुःखदायक सिद्ध होता है ॥ १० ॥

यशार्थं बलात् भी धन लावे—

यज्ञश्चेत्प्रतिवृद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः ।

ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥

यो वैश्यः स्याद्बहुपशुहीनकतुरसोमपः ।

कुटुम्बास्य तद् द्रव्यमाहरेद्यज्ञसिद्धये ॥ १२ ॥

(चेत्) यदि (यज्वनः) किसी यज्ञ करने वाले का (विशेषेण ब्राह्मणस्य) विशेषतः ब्राह्मण का (एकेन + अङ्गेन) एक अङ्ग के अभाव में [धनाभाव में] (यज्ञः प्रतिवृद्धः स्यात्) यज्ञ पूर्ण होने से रह जाये तो (धार्मिके सति राजनि) धार्मिक राजा के होते हुए (यः) जो (हीनकतुः + असोमपः बहुपशुः वैश्यः स्यात्) यज्ञादि न करने वाला, सोमयज्ञ से हीन और बहुत पशु-सम्पत्ति वाला वैश्य होवे (तस्य कुटुम्बात्) उसके परिवार-घर से (यज्ञसिद्धये तद् द्रव्यम् + आहरेत्) यज्ञ की पूर्णता के लिए [बलात् भी] धन ले आवे ॥ ११-१२ ॥

आहरेत्त्रीणि वा द्वे वा कामं शूद्रस्य वैश्वमनः ।

न हि शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३ ॥

(द्वे वा त्रीणि) दो या तीन अङ्गों से यदि यज्ञ पूरा न हो पा रहा हो तो (शूद्रस्य वैश्वमनः कामम् आहरेत्) शूद्र के घर से इच्छानुसार धन [बलात् भी] ले आवे (हि) क्योंकि (शूद्रस्य यज्ञेषु परिग्रहः न अस्ति) शूद्र का यज्ञों से कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ १३ ॥

योज्याहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः ।

तयोरपि कुटुम्बाम्यामाहरेद्विचारयन् ॥ १४ ॥

(यः) जो मनुष्य (शतगुः अनाहिताग्निः) सौ गौओं का स्वामी होते हुए भी पञ्चयज्ञ आदि न करता हो (च) और (सहस्रगुः अयज्वा) हजार गौओं का स्वामी होते हुए भी बड़े यज्ञ न करता हो (तयोः + अपि कुटुम्बाम्याम्) उनके घर से भी (विचारयन् आहरेत्) बिना विचारे बलात् धन ले आवे ॥ १४ ॥

आदानमित्याज्यावातुराहरेदप्रवृत्तः ।

तथा यज्ञोक्त्य प्रचते धर्मवर्चस्य प्रचयते ॥ १५ ॥

(प्रादाननिस्थात्) सर्वदा दान लेने वाले (च) ग्रीर (अदातुः) स्वयं कभी दान न देने वाले (अप्रयच्छतः) ग्रीर माँगने पर भी दान न देने वाले ब्राह्मण के घर से (आहरेत्) बलपूर्वक धन ले आवे (तथा) इस प्रकार करने से (अस्य) धन लाने वाले का (यशः प्रयते) यश बढ़ता है (च) ग्रीर (धर्मः एव प्रवर्धते) धर्म की भी वृद्धि होती है ॥ १५ ॥

भूखा व्यक्ति कहीं से भोजन प्राप्त कर ले—

तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि वदन्वदन्ता ।

अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥

जिसको (भक्तानि षड् + अनन्वदन्ता) छः जून = भोजन-समय अर्थात् तीन दिन भोजन न मिला हो (तथैव सप्तमे भक्ते) ग्रीर उसी प्रकार यदि सातवें जून भी भोजन न मिले तो (हीनकर्मणः) नीच कर्म करने वाले मनुष्य के यहाँ से भी (अश्वस्तन-विधानेन हर्तव्यम्) 'एक दिन का भोजन चोरी या बलपूर्वक भी ले आवे ॥ १६ ॥

खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाऽप्युपलभ्यते ।

आख्यातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७ ॥

पूर्वोक्त [११।१६] अवस्था में (खलात् क्षेत्रात् + अगारात् वा यतः अपि + उपलभ्यते) खलिहान से, खेत से, घर से अथवा जहाँ कहीं से भी मोक्ष्यान्न मिलता है, ले आवे (यदि पृच्छति) यदि धान्यस्वामी पूछता है कि—'तूने चोरी क्यों की? तो (तस्मै पृच्छते) उसके पूछने पर (तत् आख्यातव्यम्) अपनी स्थिति को बता दे कि 'मैं तीन दिन से भूखा हूँ' ॥ १७ ॥

ब्राह्मणस्वं न हर्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन ।

वस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन् हर्तुमर्हति ॥ १८ ॥

किन्तु पूर्वोक्त अवस्था में [११।१६-१७] (क्षत्रियेण ब्राह्मणस्वं कदाचन न हर्तव्यम्) क्षत्रिय को ब्राह्मण का धन कभी नहीं लाना चाहिए (तु) परन्तु (अजीवन्) जीने की अवस्था मुश्किल होने पर क्षत्रिय (वस्यु-निष्क्रिययोः) वर्णों से बहिष्कृत ग्रीर धर्मक्रियाओं में उपेक्षाभाव रखने वाले ब्राह्मणों के यहाँ से (हर्तुम् + अर्हति) बलपूर्वक धन ला सकता है ॥ १८ ॥

दुष्टों से धन छीनकर श्रेष्ठों को देने में पुण्य—

योऽतापुम्योऽर्थमादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छति ।

तं कृत्वा प्लवभात्मानं सन्तारयति तावुनी ॥ १९ ॥

(यः) जो मनुष्य (अतापुम्यः धर्मम् + आदाय) दुष्ट लोगों से धन छीनकर (साधुभ्यः सम्प्रयच्छति) श्रेष्ठ लोगों को देता है (तः) वह (आत्मानं प्लवं कृत्वा) अपने

को नौका के समान बनाकर (तौ + उभौ सस्तरयति) उन दोनों को अर्थात् जिसका धन लाया गया है और जिसको दिया है, उनको दुःख से पार उतार देता है ॥ १६ ॥

यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विबुधाः ।

अयज्वनां तु यद्विस्मामुरस्वं तदुच्यते ॥ २० ॥

(यज्ञशीलानां यत् धनम्) प्रतिदिन यज्ञ वालों का जो धन है (तत् बुधाः देवस्वं विदुः) उसको विद्वान् लोग 'देवताओं का धन' कहते हैं, और (अयज्वनां यत् विसम्) यज्ञ न करने वालों का जो धन है (तत् अमुरस्वम् उच्यते) उसको 'अमुरों का धन' कहते हैं ॥ २० ॥

भूल से पीड़ित ब्राह्मण की राजा जीविका आदि निश्चित कर दे—

न तस्मिन्धारयेदृष्टं धार्मिकः पृथिवीपतिः ।

क्षत्रियस्य हि बालिश्याद् ब्राह्मणः सीदति क्षुधा ॥ २१ ॥

(धार्मिकः पृथिवीपतिः) धार्मिक राजा (तस्मिन्) उस बलपूर्वक धन लाने वाले [११।१६] को (दण्डं न धारयेत्) दण्डित न करे (हि) क्योंकि (क्षत्रियस्य बालिश्यात्) राजा की भूलता के कारण ही (ब्राह्मणः क्षुधा सीदति) ब्राह्मण भूल से पीड़ित होता है अर्थात् वस्तुतः ब्राह्मण को भोजनादि देना राजा का दायित्व है, यदि इसे कोई अग्न्य व्यक्ति बोरी, आदि के द्वारा पूरा करता है, तो राजा उसे यह समझकर दण्ड न दे कि वह 'तेरे दायित्व को पूरा कर रहा है' ॥ २१ ॥

तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा स्वकुटुम्बान्महीपतिः ।

श्रुतशीले च विज्ञाय वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥

(महीपतिः) राजा (तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा) उस भूल से पीड़ित ब्राह्मण के परिवार को देखकर (च) और (श्रुत-शीले विज्ञाय) उसकी विद्या एवं स्वभाव को जानकर, तदनुसार (धर्म्यां वृत्तिं प्रकल्पयेत्) उसकी धर्मयुक्त जीविका निश्चित कर दे ॥ २२ ॥

कल्पयित्वाऽस्य वृत्तिं च रक्षेदेनं समन्ततः ।

राजा हि धर्मवद्भागं यस्मात्प्राप्नोति रक्षितात् ॥ २३ ॥

(च) और (अस्य वृत्तिं कल्पयित्वा) इसकी जीविका नियत करके (एनं समन्ततः रक्षेत्) इसकी सब भांति रक्षा करे (हि) क्योंकि (रक्षितात्) उस ब्राह्मण की रक्षा करने से (राजा यस्मात् धर्मवद्भागं प्राप्नोति) राजा उसके धर्म के छूटे भाग के पुण्य को प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

शूद्र से भिक्षा नहीं—

न यन्नाथं धनं शूद्रादिप्रो भिक्षेत कर्हिचित् ।

यजमानो हि भिक्षित्वा कण्डालः प्रेत्य जायते ॥ २४ ॥

(विप्रः) ब्राह्मण (यज्ञार्थम्) यज्ञ के लिए (शूद्रात् कहित्वा न भिक्षेत) शूद्र से कभी भी भिक्षा न मांगे (हि) क्योंकि (भिक्षित्वा) शूद्र से भिक्षा मांगकर (यजमानः) यज्ञ करने वाला ब्राह्मण (प्रत्य चण्डालः जायते) मरकर 'चण्डाल' बनता है ॥ २४ ॥
यज्ञ के धन को स्वार्थ के लिए प्रयोग करने वाला पापी—

यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति ।

स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ २५ ॥

(यज्ञार्थम् + अर्थं भिक्षित्वा) यज्ञ के लिए धन की भिक्षा लेकर (यः सर्वं न प्रयच्छति) जो सारे धन को यज्ञार्थ नहीं देता है (सः) वह (विप्रः) ब्राह्मण (शतं समाः) भासतां वा काकतां याति) सौ वर्ष पर्यन्त गिद्ध या कौवे का जन्म पाता है ॥ २५ ॥

देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः ।

स पापात्मा परे लोके गुध्रोच्छिष्टेन जीवति ॥ २६ ॥

(यः) जो मनुष्य (देवस्वं वा ब्राह्मणस्वम्) देवताओं के धन अथवा ब्राह्मणों के धन को (लोभेन + उपहिनस्ति) लोभवश अपने लिए प्रयोग करता है (सः पापात्मा) वह पापी (परे लोके) अगले जन्म में (गुध्र-उच्छिष्टेन जीवति) गिद्धों की झूठन खाकर जीता है ॥ २६ ॥

इष्टि वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेद्वर्षपर्यये ।

क्लृप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७ ॥

मनुष्य (क्लृप्तानां पशुसोमानाम् + असंभवे) शास्त्रविहित पशुयज्ञों के न करने पर (निष्कृत्यर्थम्) उसके प्रायश्चित्त हेतु (अवर्षपर्यये) नववर्ष के आरम्भ में (नित्यं वैश्वानरीम् इष्टि निर्वपेत्) सदा वैश्वानर यज्ञ किया करे ॥ २७ ॥

अनापत् काल में आपत्काल के धर्मों का फल नहीं—

आपत्कल्पेन यो धर्मं कुस्तेजनापदि द्विजः ।

स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ॥ २८ ॥

(यः द्विजः) जो द्विज (अनापदि) अनापत् काल में (आपत्कल्पेन धर्मं कुस्ते) आपत्काल के समान धर्मकार्यों को करता है (सः) वह (परत्र) परजन्म में (तस्य फलं न + नाप्नोति) उसके फल को नहीं प्राप्त करता है (इति विचारितम्) यह विचारी हुई बात है ॥ २८ ॥

विश्वं देवैः साध्यं ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः ।

आपत्सु मरणाद्भीतैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २९ ॥

(विश्वं देवैः साध्यं ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः) सभी देवताओं, साध्यों, ब्राह्मणों और महर्षियों ने (मरणाद्भीतैः) मृत्यु के डर से डरकर (आपत्सु विधेः प्रतिनिधिः)

कृतः) आपत्काल में ही मुख्यविधान के स्थान पर प्रतिनिधि धार्मिक कार्य किये हैं अर्थात् अनापत्काल में नहीं ॥ २६ ॥

प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते ।

न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम् ॥ ३० ॥

(यः) जो मनुष्य (प्रभुः प्रथमकल्पस्य) समर्थ होते हुए भी अनापत् काल में, प्राथमिक रूप से विहित धर्मकार्यों को न करके (अनुकल्पेन वर्तते) गौण अर्थात् आपत्काल के धर्मकार्यों को करता है (तस्य दुर्मतेः) उस दुष्टबुद्धि मनुष्य को (तस्य सांपरायिकं फलं न विद्यते) उस धर्मकार्य का परलोक में प्राप्तव्य अभ्युदय रूप और पापनाश रूप फल नहीं मिलता ॥ ३० ॥

ब्राह्मण अपराधियों को स्वयं दण्ड दे—

न ब्राह्मणोऽभेदयेत् किञ्चिद्वाजनि धर्मवित् ।

स्ववीर्येणैव ताडिच्छप्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३१ ॥

(धर्मवित् ब्राह्मणः) धर्म का ज्ञाता ब्राह्मण (किञ्चित्) किसी के किसी अपराध को (राजनि न भेदयेत्) राजा से न कहे, किन्तु (तान् अपकारिणः मानवान्) उन बुरा करने वाले मनुष्यों को (स्ववीर्येण+एव शिष्यात्) अपनी शक्ति से ही दण्डित करे ॥ ३१ ॥

स्ववीर्याद्वाजनीर्याच्च स्ववीर्यं बलवत्तरम् ।

तस्मात्स्वेनैव वीर्येण निगृह्णीयावरीम्विजः ॥ ३२ ॥

(स्ववीर्यात् वा राजवीर्यात्) [ब्राह्मण के लिए] अपनी शक्ति और राजा की शक्ति की तुलना में (स्ववीर्यं बलवत्तरम्) अपनी शक्ति ही अधिक बलवती है (तस्मात्) इसीलिए (द्विजः) ब्राह्मण (स्वेन+एव वीर्येण) अपनी ही शक्ति से (अरीन् निगृह्णीयात्) शत्रुओं को वश में करे ॥ ३२ ॥

श्रुतीर्यवार्ङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन् ।

वाक्शस्त्रं वै ब्राह्मणस्य तेन ह्म्यावरीन् द्विजः ॥ ३३ ॥

ब्राह्मण (अथर्व-आङ्गिरसीः श्रुतीः अविचारयन् कुर्यात्) अथर्ववेद में आङ्गिरा के द्वारा कही हुई ऋचाओं को अपनी आपत्ति को दूर करने के लिए शत्रुओं पर प्रयोग करे, यतो हि (ब्राह्मणस्य वै वाक्शस्त्रम्) ब्राह्मण का वाणी ही शस्त्र है, इसीलिए (द्विजः) ब्राह्मण (तेन अरीन् ह्म्यात्) उससे शत्रुओं को मारे ॥ ३३ ॥

क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः ।

धनेन वैश्यश्चादौ तु जपेहोर्मेद्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥

(क्षत्रियः आत्मनः आपदम्) क्षत्रिय अपनी आपत्ति का (बाहुवीर्येण तरेत्)

बाहुबल से दूर करे, और (वैश्यशूद्रौ तु घनेन) वैश्य तथा शूद्र घन की सहायता से, एवं (द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (अर्थः होमैः) जपों एवं यज्ञों से आपत्तियों को दूर करे ॥ ३४ ॥

विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।

तस्मै नाकुशलं ब्रूयात् शुष्का गिरमीरयेत् ॥ ३५ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (विधाता) धर्मों का विधान करने वाला, (शासिता) शिष्य आदि को शिक्षा देने वाला, (वक्ता) वेदादि का प्रवचन करने वाला और (मैत्रः उच्यते) सबका मित्र = हितैषी होता है, इसलिए (तस्मै नाकुशलं न ब्रूयात्) उसको बुरा वचन नहीं कहना चाहिए, तथा (न शुष्कां गिरम् + ईरयेत्) न रूखी वाणी बोलनी चाहिए ॥ ३५ ॥

यज्ञ के अनधिकारी लोग—

न वै कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिशः ।

होता स्यादग्निहोत्रस्य नासौ नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६ ॥

(न वै कन्या, न युवतिः, न + अल्पविद्यः, न बालिशः) न तो कन्या, न युवती, न थोड़ा पढ़ा हुआ, न मूर्ख, (न + आर्तः तथा न + असंस्कृतः) न रोगी, न संस्कारों से हीन व्यक्ति (अग्निहोत्रस्य होता स्यात्) यज्ञ करें ॥ ३६ ॥

नरके हि पतन्त्येते जुह्वन्तः स च यस्य तत् ।

तस्माद्धूतानकुशलो होता स्यादेवपारगः ॥ ३७ ॥

(एते) ये [११।३६] (च) तथा (यस्य तत् जुह्वन्तः सः) जिसका हवन करते हैं वे (नरके हि पतन्ति) नरक में जाते हैं (तस्मात्) इसलिए (वैतानकुशलः) यज्ञकर्म के ज्ञाता और (वेदपारगः) वेदों के विद्वान् को ही (होता स्यात्) यज्ञ करने वाला होना चाहिए ॥ ३७ ॥

प्राजापत्यमदत्त्वाऽब्रह्माम्नाधेयस्य दक्षिणाम् ।

अनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥ ३८ ॥

(विभवे सति ब्राह्मणः) घन होने पर भी जो ब्राह्मणः (अग्न्याधेयस्य) अग्निहोत्र में (प्राजापत्यम् अदत्त्वा दक्षिणाम् अदत्त्वा) प्राजापति देवता वाली अश्व की दक्षिणा नहीं देता, वह (अनाहिताग्निः भवति) यज्ञ के फल को नहीं प्राप्त करता ॥ ३८ ॥

पुण्याग्न्यानि कुर्वीत श्रद्धधानो जितेन्द्रियः ।

न स्वरूपदक्षिणैर्यज्ञैर्यजेतेह कथञ्चन ॥ ३९ ॥

(श्रद्धधानः जितेन्द्रियः) [घनाभाव होते हुए] श्रद्धालु, जितेन्द्रिय मनुष्य (अग्न्यानि पुण्यानि कुर्वीत) दूसरे पुण्यदायक कार्य कर ले (तु) परन्तु (इह कथञ्चन) इस संसार में रहते हुए कभी भी (अल्पदक्षिणैः यज्ञैः न यजेत) कम दक्षिणा वाले यज्ञ न करवाये ॥ ३९ ॥

इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्ति प्रजाः पशून् ।

हृत्पल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत् ॥ ४० ॥

क्योंकि (अल्पदक्षिणः यज्ञः) कम दक्षिणा वाला यज्ञ (इन्द्रियाणि, यशः, स्वर्गम् + आयुः, कीर्ति, प्रजाः, पशून् हन्ति) इन्द्रियों, प्रसिद्धि, स्वर्ग, आयु, मरने के बाद का यश, सन्तान प्रौर पशुओं को नष्ट कर देता है (तस्मात्) इस कारण (अल्पधनः न यजेत्) थोड़े धन वाले को कभी यज्ञ नहीं कराना चाहिए ॥ ४० ॥

अग्निहोत्र्यवधिध्यानीमाह्वयः कामकारतः ।

चान्द्रायणं चरेत्मासं धीरहृत्यासमं हि तत् ॥ ४१ ॥

(अग्निहोत्री आह्वयः) जो अग्निहोत्री आह्वय = (कामकारतः) जानबूझकर (अग्नीन् + अपविध्य) अग्निहोत्र नहीं करता, वह (मासं चान्द्रायणं चरेत्) एक मास तक चान्द्रायण व्रत [११।२।१६] करे (हि) क्योंकि (तत् धीरहृत्यासमम्) वह अग्निहोत्र का त्यागना पुत्रहत्या के समान कार्य है ॥ ४१ ॥

ये शूद्रावधिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते ।

ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गहिता ॥ ४२ ॥

(ये) जो ऋत्विक् (शूद्रात् अर्थम् अधिगम्य) शूद्र से धन लेकर (अग्निहोत्रम् + उपासते) यज्ञ करने कराते हैं (ते हि शूद्राणाम् ऋत्विजः) वे शूद्रों के 'ऋत्विज्' कहलाते हैं और (ब्रह्मवादिषु गहिताः) वेदपाठियों में निन्दित होते हैं ॥ ४२ ॥

तेषां सततमज्ञानां बृवलाम्मुपसेविनाम् ।

पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत् ॥ ४३ ॥

(बृवल-अग्नि-उपसेविनाम्) शूद्रों से धन लेकर अग्निहोत्र करने-कराने वाले (सततम् + अज्ञानाम्) उन महा प्रज्ञानियों के (मस्तकं पदा आक्रम्य) मस्तक पर पैर रखकर (दाता दुर्गाणि संतरेत्) दान देने वाला शूद्र दुःखों को पार कर जाता है अर्थात् उस यज्ञ का पुण्यफल शूद्र को ही मिलता है ॥ ४३ ॥

अनुव्याख्यान : ११।१ से ४३ श्लोक तक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वापर प्रसंग से विरुद्ध होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। १०।१३१ में प्रायश्चित्त का प्रसंग प्रारम्भ हुआ था और वह कम ११।४४ से जुड़ता है तथा इसी श्लोक से यह प्रसंग आगे चलता है। इस बीच में आने वाले इन १-४३ श्लोकों ने उस प्रसंग को भंगकर दिया है, अतः ये प्रसंगविरुद्ध हैं। (२) १०।१३१ से ११।१ की तथा ११।४४ से ११।४३ श्लोक की प्रसंग की दृष्टि से कोई संगति नहीं जुड़ती। यह असंगति भी इन्हें प्रसंगविरुद्ध सिद्ध करती है।

२. अन्तर्विरोध—(१) १। ८८ ॥ ७।७६, ८२, ८३ ॥ १०। ७५-७६, आदि

श्लोकों में सभी ब्राह्मणों को समान रूप से दान लेने का अधिकार विहित हो चुका है। 'दान लेना' ब्राह्मणमात्र का विहित कर्तव्य उक्त है, फिर यहाँ कुछ ही ब्राह्मणों को [१-२] धर्मभिक्षु की संज्ञा देकर दान का विधान करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। १-४, ६ श्लोकों में यह विशिष्ट और भिन्नव्यवस्था—जैसे—कुछों को वेदी के अन्दर बुलाकर दान देना कुछ को वेदी से बाहर आदि पूर्वोक्त व्यवस्था से भिन्न होने से विरुद्ध है। (२) ५ वें श्लोक में द्वितीय विवाह का विधान ५।१६७-१६८ में उक्त 'एक समय में एक ही विवाह' के विधान से विरुद्ध है। (३) १०।७६। ११।१६४ श्लोकों में ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों से ही दान लेने का निर्देश है, अश्रेष्ठों से दान लेने पर प्रायश्चित्त का विधान है। १६, १६ श्लोकों में अश्रेष्ठों के घन लेने का विधान और १३-१६, १६ श्लोकों में अपराध विधि द्वारा घनग्रहण करने का विधान उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। (४) मनुस्मृति के यज्ञप्रसंगों—२।६६, १०५, १०८। ३। ६७-११८, २८५-२८६। ४।२१-२५। ६।४-१२ में कहीं भी सोमयज्ञ और वैश्वानरयज्ञ का विधान मनु ने नहीं किया है। वहाँ अप्रासंगिक रूप से उनका उल्लेख और गलत-ठीक सब विधियों से उनका सम्पादन करने का कथन आदि बातें भिन्नव्यवस्था होने के कारण विरुद्ध हैं। (५) ३७ वें में नरक की मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ४।६१। १२।७५-८० श्लोकों पर समीक्षा] (६) थोड़े घन से यज्ञ न करने का विधान [श्लोक ७, ८] भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने तो ६।५, ११ में नीवार आदि से भी यज्ञ करने का निर्देश दिया है। (७) २।१०५-१०६ श्लोकों में यज्ञ जैसे कर्म को सर्वदा-सर्वथा पुण्य-दायक माना है, यहाँ ८, ३८-४० श्लोकों में अल्पघन वाले और अल्पदक्षिणा वाले यज्ञों से हानि का कथन उनके विरुद्ध है। (८) ३६-३७ में कन्या, स्त्री आदि के लिए यज्ञ का निषेध ६।२८, ६६, ११ श्लोकों के विरुद्ध है। जिन श्लोकों में स्त्रियों के लिए सभी प्रकार के धर्मकार्यों का पुरुषों के समान विधान किया है। (९) २७ वें श्लोक में पशुयज्ञ का विधान मनु के विरुद्ध विधान है। मनु सर्वहिंसाविरोधी है। [देखिए ४।२६-२८ पर समीक्षा]। (१०) ब्राह्मणों को ११-१७, १६-२१ श्लोकों में चोरी से और बलपूर्वक घन लेने का विधान २।१६१। ८।३०२, ३३२, ३३५-३३८, ३४४-३५१ श्लोकों के विरुद्ध है। इनमें ब्राह्मण के लिए किसी को पीड़ा आदि न देने का निर्देश है और चोरी तथा साहसकर्म करने पर अधिक दण्ड का विधान है। (११) ३१-३२ श्लोकों में ब्राह्मण को आदेश दिया है कि वह अपराधी के विषय में राजा से न कहकर अपने सामर्थ्य से ही उसे दण्ड दे। यह कथन सप्तम, अष्टम, नवम अध्यायों के विधानों से विरुद्ध है। जहाँ दण्ड देने का अधिकारी केवल राजा को ही माना है। इस प्रकार इस प्रसंग के अनेक श्लोक मनुविरोधी सिद्ध हो रहे हैं, अतः यह सारा प्रसंग ही प्रक्षिप्त है क्योंकि सभी श्लोक परस्पर सम्बद्ध हैं।

३. विषयविरोध—१०।१३१ श्लोक में मनु ने अग्रिम विषय—प्रायश्चित्त-विधि का वर्णन करने का संकेत किया है और यह विषय ११।४४ से प्रारम्भ होकर ११।२६४ तक चलता है। इस बीच १-४३ श्लोकों में प्रायश्चित्त विषय से भिन्न दान

के अधिकारी, यज्ञ के विधान आदि प्रसंगों का वर्णन विषयविरुद्ध है। यहाँ प्रायश्चित्त से सम्बद्ध वर्णन ही विषयानुकूल कहायेगा। जो ४४ वें से प्रारम्भ होता है।

४. शैलीगत आधार—(१) मनु की शैली किसी भी विषय या प्रसंग को प्रारम्भ करने से पूर्व उसका संकेत देने की है। वे प्रसंग के प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर विषय या प्रसंग का संकेत देते हैं। इन ४३ श्लोकों के प्रसंग का प्रारम्भ या अन्त में कोई संकेत नहीं है, अतः ये मनु की शैली के श्लोक न होकर प्रसिद्ध हैं। (२) इस प्रसंग के अधिकांश श्लोकों की शैली मनु की नहीं है, जैसे—३, ७, ८, १६, २०, २३, २४, २५, २६, २८, ३०, ३७, ४०, ४३ श्लोकों की शैली निराधार है। १२-१६, २१-२३, ३१-३२, ३५, ४२-४३ श्लोकों की पक्षपातपूर्ण, १३, १६, २४, ३७, ४१, ४३ की द्वेषपूर्ण और १२-१६, ३८-३९ की शतपूर्ण तथा २४-२६, ३७ की अप्रत्यक्ष भयप्रदर्शन की शैली है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं। अधिकांश श्लोकों की शैली मनु-विरुद्ध होने के कारण यह सारा प्रसंग ही प्रसिद्ध है। क्योंकि शेष श्लोक भी इन शैलीविरुद्ध श्लोकों से सम्बद्ध हैं।

५. अमान्यविरोध—१३, १६, १८, १९ श्लोकों में शूद्र और नीच व्यक्ति का धन यज्ञ के लिए श्रेष्ठ और स्वीकार्य कहा है, जबकि २४, ४२, ४३, श्लोकों में इनका धन यज्ञार्थ अस्वीकार्य और अनुभ्रम माना है। इस प्रकार यह प्रसंग परस्पर विरोधी होने के कारण प्रसिद्ध है।

[प्रायश्चित्त-सम्बन्धी-विधान]

प्रायश्चित्त कथं किया जाता है—

अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् ।

प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तोपयते नरः ॥ ४४ ॥ (१)

(विहितं कर्म अकुर्वन्) शास्त्र में विहित कर्मों [यज्ञोपवीत संस्कार वेदाम्यास (११।१६१-१६२), संन्योपासन, यज्ञ आदि] को न करने पर, (च) तथा (निन्दितं समाचरन्) शास्त्र में निन्दित माने गये कार्यों [बुरे कर्मों से धनसंग्रह (११।१६३) मद्यपान, द्रिसा आदि] को करने पर (च) और (इन्द्रियमर्थेषु प्रसक्तः) इन्द्रिय-विषयों में अत्यन्त आसक्त होने [काम, क्रोध, मोह में आसक्त होने] पर (नरः प्रायश्चित्तोपयते) मनुष्य प्रायश्चित्त [४७] के योग्य होता है ॥ ४४ ॥

अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः ।

कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिवशंभात् ॥ ४५ ॥ (२)

(बुधाः) कुछ विद्वान् (अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुः) अज्ञान-

वश किये गये पाप में प्रायश्चित्त करने को कहते हैं (एके) और कुछ विद्वान् (श्रुतिनिदर्शनात्) वेदों में उल्लेख होने के कारण (कामकारकृते + अपि आहुः) जानकर किये गये पाप में भी प्रायश्चित्त करने को कहते हैं

॥ ४५ ॥

अनुशीलनः : यजु० २६।१२ में प्रायश्चित्त का उल्लेख हुआ है—

“निष्कृत्यै स्वाहा प्रायश्चित्त्यै स्वाहा भेषजाय स्वाहा ।”

अर्थात्—“(निष्कृत्यै) निवारण के लिए (स्वाहा) सत्यक्रिया, (प्रायश्चित्त्यै) पापनिवारण के लिए (स्वाहा) सत्यक्रिया और (भेषजाय) सुख के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया का सदा प्रयोग करें ।” (महर्षि दया० भाष्य)

अकामतः कृतं पापं वेदाम्नासेन शुध्यति ।

कामतस्तु कृतं मोहात् प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ॥ ४६ ॥ (३)

(अकामतः कृतं पापम्) अनिच्छापूर्वक किया गया पाप (वेदाम्नासेन शुध्यति) वेदाम्नास, तदनुसार बार-बार चिन्तन-मनन, आचरण से शुद्ध होता है—पाप की भावना नष्ट होकर आत्मा पवित्र होती है (मोहात् कामतः तु कृतम्) आसक्ति से इच्छापूर्वक किया गया पाप [पापफल नहीं] (पृथक्-विधैः प्रायश्चित्तैः) अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों के [११।२११-२२६] करने से शुद्ध होता है ॥ ४६ ॥

प्रायश्चित्त का अर्थ—

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते ।

तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥ ४७ ॥ (४)

(‘प्रायः’ नाम तपः प्रोक्तम्) ‘प्रायः’ तप को कहते हैं और (‘चित्तं’ निश्चयः उच्यते) ‘चित्त’ निश्चय को कहते हैं (तपः-निश्चयसंयुक्तं ‘प्रायश्चित्तम्’ इति स्मृतम्) तप और निश्चय का संयुक्त होना ही ‘प्रायश्चित्त’ कहलाता है ॥ ४७ ॥

अनुशीलनः : प्रायश्चित्त का अर्थ और उद्देश्य—‘प्रायश्चित्त’ शब्द प्राय-चित्ति पदों से समास में ‘पारस्कर प्रमृतीनि च संज्ञायाम्’ (अष्टा० ६।१।१५७) से सुट् आगम के योग से सिद्ध हुआ है । तपादि साधनपूर्वकं किल्बिषनिवारणार्थं चित्तम् निश्चयम् प्रायश्चित्तम् । ‘जब व्यक्ति किसी निन्दनीय या अकर्तव्य कार्य को करके मन में उसके करने के प्रति खिन्नता अनुभव करता है, तब वह उसके दण्ड रूप में स्वयं तप = कष्टसहन करता हुआ यह निश्चय करता है कि पुनः मैं यह पाप नहीं करूँगा ।’

यह प्रायश्चित्त कहलाता है। ऐसा करने से मन में खिन्नता का भार नहीं रहता। जैसे कोई व्यक्ति किसी को प्रचानक गलत बात कह जाये और कहने के बाद उसे दुःख अनुभव हो, तो वह खेद प्रकट करता है। इससे उसके मन में खिन्नता नहीं रहती और आगे वैसा न करने के लिए सावधान हो जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित्त से पाप क्षीण नहीं होता, अपितु पाप-भावना क्षीण होती है [द्रष्टव्य ११। २२७ पर समीक्षा]। पुनः वह उस पाप को न करने के लिए निश्चय करता है और सावधान रहता है [११। २२६-२३०]। प्रायश्चित्त से मनुष्य की पापवृद्धि रुक जाती है और वह धर्म की ओर उन्मुख होता जाता है।

बुरे कर्मों से शरीरविकार—

इह दुश्चरितैः केचित्केचित्पूर्वकृतैस्तथा ।

प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम् ॥ ४८ ॥

(केचित् दुरात्मानः नराः) कुछ दुराचरण वाले लोग (इह दुश्चरितैः) इस जन्म के बुरे कर्मों के कारण (तथा केचित् पूर्वकृतैः) तथा कुछ लोग पहले जन्म के बुरे कर्मों के कारण (रूपविपर्ययम्) विकृत अङ्ग-आकृति आदि को (प्राप्नुवन्ति) प्राप्त करते हैं ॥ ४८ ॥

सुवर्णचौरः कीनस्य सुरापः श्यावदन्तताम् ।

ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दौर्बल्यं गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥

(सुवर्णचौरः कीनस्यम्) सोना चुराने वाला खराब नाखूनों वाला होता है (सुरापः श्यावदन्तताम्) शराब पीने वाला काले दांतों वाला, (ब्रह्महा क्षयरोगित्वम्) ब्राह्मण की हत्या करने वाला तपेदिक का रोगी, और (गुरुतल्पगः दौर्बल्यम्) गुरु-पत्नीगामी धर्म के विकार वाला होता है ॥ ४९ ॥

पिशुनः पीतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्त्रताम् ।

घान्धचोरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥ ५० ॥

(पिशुनः पीतिनासिक्यम्) चुगलखोर दुर्गन्धयुक्त नासिका वाला, (सूचकः पूतिवक्त्रताम्) भूँडे दोष कहने वाला, दुर्गन्धयुक्त मुख वाला (घान्धचोरः अङ्गहीनत्वम्) घान्धचोर किसी अङ्ग से रहित, और (मिश्रकः आतिरेक्यम्) मिलावट करने वाला अधिक अङ्गवाला होता है ॥ ५० ॥

अग्नहर्ताऽऽमयावित्त्वं मौक्यं वागपहारकः ।

वस्त्रापहारकः ईर्ष्यं पङ्गुतामश्वाहारकः ॥ ५१ ॥

(अग्नहर्ताऽऽमयावित्त्वम्) अग्नचोर मन्दाग्निरोगी, (वाक्+अपहारकः मौक्यम्) बिना पढ़ाये चोरी से पढ़ने या सुनने वाला गूंगा, (वस्त्र+अपहारकः

स्वैश्वर्यम्) कपड़ों का चोर सफेद कोड़ा का रोगी, और (अश्वहारकः पञ्जुताम्) घोड़ा चुराने वाला लंगड़ा होता है ॥ ५१ ॥

एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सङ्निगहिताः ।

जडभूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥

(एवम्) इस प्रकार (कर्मविशेषेण) कर्मभेद के आधार पर (सद-विगहिता) श्रेष्ठों में निम्नित (जड-भूक-अन्धबधिराः तथा विकृत-प्राकृतयः जायन्ते) मूर्ख, गूरे अन्धे, बहरे तथा बिगड़ी हुई प्राकृति वाले लोग पैदा होते हैं ॥ ५२ ॥

अनुध्यातव्यम् : ११।४८ से ५२ तक के श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में प्रदर्शित परिणामों का मनु के अन्य वर्णन से विरोध है—(१) परजन्म के एक ही परिणाम का निश्चय कर देना अथवा किसी भी एक कर्म के आधार पर भविष्य में एक ही फल का निर्णय देने की पद्धति मनु की नहीं है। वे तो सात्त्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों के आधार ही फल मानते हैं और वह भी अनेक कर्मों से [१२।२४-५२, ७३-७४]। (२) यह बारहवें अध्याय में कर्मफल के अन्तर्गत आने वाला प्रसंग है, लेकिन वहाँ इन फलों का या फल मिलने की ऐसी पद्धति का कोई वर्णन वा संकेत नहीं है। (३) ४६ में श्लोक में ब्रह्महत्यारा आदि पातकों का उल्लेख इन श्लोकों को परवर्ती सिद्ध कर रहा है, क्योंकि यह बार महा-पातकियों का वर्गीकरण मौलिक न होकर परवर्ती है [देखिए—११।४४-१६० श्लोकों पर समीक्षा]।

२. शैलीगत आधार—इन चारों श्लोकों की शैली निराधार एवं अयुक्तियुक्त है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं। ४८ वां श्लोक इन प्रक्षिप्त श्लोकों से सम्बद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

प्रायश्चित्त क्यों करना चाहिए—

चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये ।

नित्यं हि लक्षणं युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः ॥ ५३ ॥ (५)

[४६-४७ में वर्णित लाभ होने से] (अतः) इसलिए (विशुद्धये) संस्कारों की शुद्धि के लिए (नित्यं प्रायश्चित्तं चरितव्यम्) सदा [बुरा काम होने पर] प्रायश्चित्त करना चाहिए, (हि) क्योंकि (अनिष्कृत-एनसः) पाप-शुद्धि किये बिना मनुष्य (नित्येः लक्षणं युक्ताः जायन्ते) निन्दनीय लक्षणों से युक्त हो जाते हैं या मरकर पुनर्जन्म में होते हैं ॥ ५३ ॥

महापातकों का वर्णन—

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुरु-अङ्गनागमः ।

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥ ५४ ॥

(ब्रह्महत्या, सुरापानं, स्तेयं, गुरु-अङ्गनागमः) ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी और गुरुपत्नीगमन, (महान्ति पातकानि + आहुः) ये चार महापातक कहलाते हैं (च) और (तैः सह संसर्गः अपि) इनके साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना, ये भी महापातक हैं ॥ ५४ ॥

महापातकों के समान कर्म—

अनृतं च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनम् ।

गुरोश्चास्तीकनिर्बन्धः सभानि ब्रह्महृत्यया ॥ ५५ ॥

(समुत्कर्षे अनृतम्) अपनी उन्नति करने के लिए असत्याचरण (राजगामि पैशुनम्) राजा से चुगलखोरी करना, (च) और (गुरोः अस्तीकनिर्बन्धः) गुरु से झूठ बोलना, ये (ब्रह्महृत्यया सभानि) ब्रह्महत्या के समान पातक हैं ॥ ५५ ॥

ब्रह्मोक्तता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्वधः ।

गहितामाद्ययोर्जग्धिः सुरापानसभानि च ॥ ५६ ॥

(ब्रह्म-उक्तता, वेदनिन्दा) वेदों का त्याग, वेदों की निन्दा (कौटसाक्ष्यं सुहृद्वधः) झूठी गवाही देना, मित्र की हत्या करना, (गहित-प्रमाद्ययोः जग्धिः) निन्दित और असत्य पदार्थों का खाना, ये (च सुरापानसभानि) छह मद्यपान के समान पातक हैं ॥ ५६ ॥

निक्षेपस्याग्रहरणं नराश्वरजतस्य च ।

भूमिचञ्चलमणीनां च स्वमस्तेयसमं स्मृतम् ॥ ५७ ॥

(निक्षेपस्य + अग्रहरणम्) धरोहर को हड़पना, (नर-अश्व-रजतस्य-भूमि-चञ्चल-मणीनां च) मनुष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, हीरा और मणियों का अग्रहरण करना (स्वम-स्तेयसमं स्मृतम्) सुवर्णचोरी के समान हैं ॥ ५७ ॥

रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्यजासु च ।

सक्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुदतरुपसमं विदुः ॥ ५८ ॥

(स्वयोनीषु अन्यजासु सक्युः च पुत्रस्य स्त्रीषु रेतः सेकः) अपनी सगी बहन, कुमारी, चण्डाली, मित्र और पुत्र की पत्नी से संभोग करना, ये (गुदतरुपसमं विदुः) गुरुपत्नीगमन के समान पातक हैं ॥ ५८ ॥

उपपातकों का वर्णन—

गोचघोऽप्याश्वसंयाज्यपारबायारिषिक्रियाः ।

गुरुनातृपितृत्यागः स्वाभ्याद्याग्योः सुतस्य च ॥ ५९ ॥

(गोवधः + अयाज्यसंयाज्य-पारदार्य-आत्मविक्रयाः) गोहत्या, यज्ञ कराने के अयोग्यों के यहां यज्ञ कराना, परस्त्रीगमन, अपनी आत्मा को बेचना, (गुरु-मातृ-पितृ-त्यागः) गुरु, माता, पिता को छोड़ देना, (च) और (स्वाध्याय-अग्न्योः सुतस्य) स्वाध्याय, अग्निहोत्र, बेटे को छोड़ देना, [ये उपपातक हैं] ॥ ५६ ॥

परिवर्तिताऽनुजेऽनूढे परिवेदनमेव च ।

तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥ ६० ॥

(परिवर्तिता + अनुजे + अनूढे) परिवर्तिता = वह बड़ा भाई जिससे पहले उसके छोटे भाई ने विवाह कर लिया हो (च) और (परिवेदनम् + एव) परिवेत्ता = बड़े भाई से पूर्व विवाह करने वाला छोटा भाई [३।१७१] (तयोः कन्यादानं च तयोः याजनम्) इन दोनों को कन्या देना और इनके यहां यज्ञ कराना ॥ ६० ॥

कन्यायाः दूषणं चैव बाधुर्ष्यं व्रतलोपनम् ।

तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥

(कन्यायाः दूषणम्) कीमार्थ भंग करके कन्या को दूषित कर देना, (बाधुर्ष्यम्) व्याज कमाना, (व्रतलोपनम्) ब्रह्मचर्य आदि व्रत को नष्ट करना, (तडाग-प्राराम-दाराणाम् च अपत्यस्य विक्रयः) तालाब, बगीचा, स्त्री और पुत्र को बेचना ॥ ६१ ॥

व्रात्यता बान्धवत्यागो नृत्याध्यापनमेव च ।

नृत्या चाध्ययनादानमपत्यानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥

(व्रात्यता) वारं होना [२।३६], (बान्धवत्यागः) सम्बन्धियों को त्यागना, (नृत्या + अध्यापनम् + एव) वेतन लेकर पढ़ाना, (नृत्या अध्यायन + आदानम्) वेतन देकर पढ़ना (च) और (अपत्यानां विक्रयः) न बेचने योग्य पदार्थों को बेचना ॥ ६२ ॥

सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवर्तनम् ।

हिंसाधीनीं स्त्र्याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६३ ॥

(सर्व-आकरेषु + अधीकारः) सभी खानों पर अधिकार करना, (महायन्त्र-प्रवर्तनम्) बड़े-बड़े यन्त्रों का प्रारम्भ करना, (ओषधीनां हिंसा) ओषधियों को नष्ट करना, (स्त्र्याजीवः) स्त्री से परपुरुष-संभोग, नृत्य आदि कराकर जीविका चसाना, (अभिचारः) मारण आदि कर्म रचना, (च) और (मूलकर्म) दशीकरण करना ॥ ६३ ॥

इधनार्थमशुष्काणां इमाणाश्च भवपातनम् ।

आत्मार्थं च क्षियारम्भो निम्बितानादनं तथा ॥ ६४ ॥

(इधनार्थम्) इधन के लिए (अशुष्काणां इमानाम् + भवपातनम्) हरे देवों को काटना (आत्मार्थं क्रिया-प्रारम्भः) प्रत्येक कार्य अपने स्वार्थ की सिद्धि के उद्देश्य से करना (तथा निम्बित-अन्न-भक्षणम्) तथा निम्बित अन्न खाना ॥ ६४ ॥

अनाहिताग्नित्वा स्तेयमृणानामनपक्रिया ।

असच्छास्त्राधिगमनं कीशीलव्यस्य च क्रिया ॥ ६५ ॥

(अन-अहिताग्नित्वा स्तेयम् + ऋणानाम् + अनपक्रिया) यज्ञ करने में उपेक्षा-भाव, चोरी करना, ऋण लेकर न लौटाना, (असत्-शास्त्र-अधिगमनम्) मिथ्या शास्त्रों को पढ़ना, (च) और (कीशीलव्यस्य क्रिया) नाच-गान-वाद्य का काम करना ॥ ६५ ॥

धान्यकुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणम् ।

स्त्रीशूद्रविद्वत्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम् ॥ ६६ ॥

(धान्य-कुप्य-पशु-स्तेयम्) धान्य, ताँबा आदि धातु और पशुओं की चोरी करना, (मद्यप-स्त्रीनिषेवणम्) शरायी स्त्री के साथ संभोग करना, (स्त्री-शूद्र-विद्वत्-क्षत्र-वधः) स्त्री, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय की हत्या करना, (च) और (नास्तिक्यम्) नास्तिक-भाव (उपपातकम्) ये सब [११।५६-६६] उपपातक कहलाते हैं ॥ ६६ ॥

जातिभ्रंशकारक कर्म—

ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा घ्रातिरघ्रेयमद्ययोः ।

जैह्वयं च मैथुनं पुंसि जातिभ्रंशकरं स्मृतम् ॥ ६७ ॥

(ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा) ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाना (अघ्रेयमद्ययोः घ्रातिः) न सूंघने योग्य वस्तुओं और मद्य की सूंघना, (जैह्वयम्) कुटिलता (च) और (पुंसि मैथुनम्) पुरुष के साथ मैथुन करना, ये (जातिभ्रंशकरं स्मृतम्) जातिभ्रष्ट करने वाले कर्म हैं ॥ ६७ ॥

वर्णसंकर बनाने वाले कर्म—

खराश्वीष्टमृगेभानामजाविकवधस्तथा ।

संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ ॥

(खर-अश्व-उष्ट्र-मृग-इभानाम् + अजा-अविक-वधः) गधा, घोड़ा, ऊँट, मृग, हाथी, बकरी, भेड़ की हत्या करना (तथा मीन-अहि-महिषस्य च) तथा मछली, साँप और भैंस इनकी हत्या करना, (संकरीकरणं ज्ञेयम्) ये वर्णसंकर बनाने वाले कर्म हैं ॥ ६८ ॥

अपात्र करने वाले कर्म—

निन्दितेभ्यो धनादानं बाणिज्यं शूद्रसेवनम् ।

अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ६९ ॥

(निन्दितेभ्यः धन-आदानम्) निन्दित व्यक्तियों से धन लेना, (बाणिज्यम्) व्यापार करना, (शूद्रसेवनम्) शूद्र की सेवा करना, (च) और (असत्यस्य भाषणम्) झूठ बोलना, ये (अपात्रीकरणं ज्ञेयम्) अपात्र करने वाले कर्म हैं ॥ ६९ ॥

मलिन करने वाले कर्म—

कुमिकीटवयोहृत्या

मद्यानुगतभोजनम् ।

फलचःकुसुमस्तेयमर्धयं

च मलावहम् ॥ ७० ॥

(कुमि-कीट-वयः + हृत्या) छोटे कीड़े, बड़े कीड़े, पक्षी इनकी हृत्या करना, (मद्य अनुगत-भोजनम्) मद्य के साथ लाये हुए पदार्थ को खाना, (फल-एषः-कुसुम-स्तेयम्) फल, लकड़ी, फूलों की चोरी (च) और (मर्धयम्) उग्रता करना, ये (मल-मावहम्) मलिन करने वाले कर्म हैं ॥ ७० ॥

महापातकों और उपपातकों के प्रायश्चित्त—

एताम्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक् ।

यैर्व्येतैरपोह्यन्ते तानि सम्यक् निबोधत ॥ ७१ ॥

(एतानि सर्वाणि एनांसि) ये सब [११।५४-७०] पाप (पृथक्-पृथक् यथा + उक्तानि) पृथक्-पृथक् और सही-सही कहे, भव (यैः यैः व्रतैः + अपोह्यन्ते) जिन-जिन प्रायश्चित्तों से ये पाप नष्ट होते हैं (तानि सम्यक् निबोधत) उन्हें अच्छी प्रकार सुनो—॥ ७१ ॥

ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त—

ब्रह्महा द्वादशसमाः कुटीं कृत्वा बने वसेत् ।

भैशाखात्मविशुद्धयर्थं कृत्वा शबशिशोर्ध्वजम् ॥ ७२ ॥

(ब्रह्महा) ब्रह्महत्या (आत्मविशुद्धयर्थम्) अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए (शबशिशः ध्वजं कृत्वा) कटे हुए सिर का चिह्न अंकित करके या उस चिह्न की पताका रखते हुए (भैशाखी) भिक्षा मांगकर रहते हुए (द्वादशसमाः) बारह वर्ष तक (बने) वन में (कुटीं कृत्वा वसेत्) कुटिया बनाकर रहे ॥ ७२ ॥

सर्वं शस्त्रभृता वा स्वाद्विदुषामिच्छयाऽऽत्मनः ।

प्राप्त्येवात्मानमानौ वा समिद्धे त्रिरवाशिराः ॥ ७३ ॥

(वा) अथवा ब्रह्महत्या (आत्मनः इच्छया) अपनी आत्मिक इच्छा से (शस्त्र-भृतां विदुषां लक्ष्यं स्यात्) शस्त्रधारी विद्वानों का निशाना बन जाए अर्थात् स्वयं उनके सामने जाकर अपने को नष्ट कर ले (वा) अथवा (समिद्धे अग्नीं) जलती हुई आग में (त्रिः + अवाशिराः) तीन बार नीचे की ओर करके (आत्मानं प्राप्स्येत्) अपने को फेंके [इस प्रकार या तो जलकर मर जायेगा, यदि बचा भी रहेगा तो उसका प्रायश्चित्त पूर्ण हो जाएगा] ॥ ७३ ॥

यजेत वाऽश्वमेधेन स्वर्जिता गोसमेन वा ।

अभिजित्विष्वजिदभ्यां च त्रिवृताग्निधुताऽपि वा ॥ ७४ ॥

(वा) अथवा (अश्वमेधेन स्वर्जिता गोसमेन अभिजित्-विष्वजिदभ्यां त्रिवृता

अपि वा अग्निष्टुता यजेत्) अवबोधे, स्वाजित्, गोसव, अभिजित्, त्रिवृत् या अग्नि-
ष्टुत् यज्ञ करे ॥ ७४ ॥

जपन्वाऽन्यतमं वेदं योजनानां शतं व्रजेत् ।

ब्रह्महत्याऽपनोदाय मितभुक् नियतेन्द्रियः ॥ ७५ ॥

(वा) अथवा (ब्रह्महत्या + अपनोदाय) ब्रह्महत्या के पाप को दूर करने के लिए
(मितभुक्, जितेन्द्रियः) स्वल्पाहारी और जितेन्द्रिय होकर (अन्यतमं वेदं जपन्) किसी
एक वेद का जप करता हुआ (योजनानां शतं व्रजेत्) सौ कोस पैदल चले ॥ ७५ ॥

सर्वस्वं वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ।

धनं वा जीवनायासं गृहं वा सपरिच्छिदम् ॥ ७६ ॥

(वा) अथवा (सर्वस्वम्) अपनी धन-सम्पत्ति (वेदविदुषे ब्राह्मणाय उपपादयेत्)
वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दान में दे दे (वा) अथवा (जीवनाय + असं धनम्) किसी
ब्राह्मण को जीवनपर्यन्त जीने के लिए पर्याप्त धन या (सपरिच्छिदं गृहम्) सब वस्तुओं
से युक्त घर दान में दे ॥ ७६ ॥

हविष्यभुक्वाऽनुसरेत्प्रतिश्रोतः सरस्वतीम् ।

जपेद्वा नियताहारस्त्रिर्वेदस्य संहिताम् ॥ ७७ ॥

(वा) अथवा (हविष्यभुक्) हविष्य अन्न—नीवार आदि खाता हुआ (प्रति-
श्रोतः सरस्वतीम् अनुसरेत्) किसी प्रसिद्ध श्रोत से चलकर सरस्वती नदी के समाप्ति-
स्थान तक जाये (वा) या (नियताहारः ३) थोड़ा भोजन करके रहते हुए (वेदस्य
संहितां त्रिभिः जपेत्) वेद की किसी संहिता का तीन बार जप करे ॥ ७७ ॥

कृतवापनो निवसेत् ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा ।

आश्रमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥ ७८ ॥

(वा) अथवा (गो-ब्राह्मणहिते रतः) गौओं और ब्राह्मणों के हित में लगा
(कृतवापनः) सिर मुँडाकर (ग्रामान्ते गोव्रजे आश्रमे वा वृक्षमूले निवसेत्) गाँव के
पास, गोशाला, आश्रम या वृक्ष के नीचे [१२ वर्ष तक] निवास करे ॥ ७८ ॥

ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत् ।

मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥ ७९ ॥

(वा) अथवा (ब्राह्मणार्थं गवार्थं) ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए (सद्यः
प्राणान् परित्यजेत्) [उन पर किसी आपत्ति का अवसर आने पर] तत्काल अपने प्राणों
की बाजी लगा दे (च) और (गो-ब्राह्मणस्य गोप्ता) [इस प्रकार जीवित रह जाने पर
भी] वह गौ, ब्राह्मण का रक्षक मनुष्य (ब्रह्महत्यायाः मुच्यते) ब्रह्महत्या के पाप से
मुक्त हो जाता है ॥ ७९ ॥

त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वरवजित्य वा ।

विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥ ८० ॥

(वा) अथवा [चोरों-डाकुओं द्वारा ब्राह्मण के यहाँ धन चुराने के अवसर पर] (त्रिवारं प्रतिरोद्धा) तीन बार ब्राह्मण के धन को चोरों से बचाने वाला, (वा) या (सर्वस्वम्+अवजित्य) चुरा लेने पर सारे धन को उनसे जीतकर लौटा लाने वाला (वा) अथवा (विप्रस्य तन्निमित्ते प्राणालाभे) ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाला (विमुच्यते) ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है ॥ ८० ॥

एवं दृढव्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः ।

समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥ ८१ ॥

(एवम्) इस प्रकार [११।७२-८०] (नित्यं दृढव्रतः) सदा व्रत को दृढ़ता से पालन करता हुआ, (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचर्य से रहता हुआ, (समाहितः) एकाग्रचित्त रहता हुआ ब्रह्महत्या (द्वादशे वर्षे समाप्ते) बारह वर्ष पूर्ण होने पर (ब्रह्महत्या व्यपोहति) ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ८१ ॥

शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे ।

स्वमेनोऽब्रभृथस्नातो ह्यमेधे विमुच्यते ॥

(वा) अथवा (ह्यमेधे) अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर (भूमिदेवानां नरदेव-समागमे) राजाओं के और ब्राह्मणों के एकत्रित होने पर (स्वम्+एनः शिष्ट्वा) अपने पाप को कहकर (अब्रभृथस्नातः) अब्रभृथस्नान=यज्ञ-समाप्ति पर किये जाने वाले स्नान को करने के पश्चात् (विमुच्यते) ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है ॥ ८२ ॥

धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते ।

तस्मात्समागमे तेवामेनो विख्याप्य शुद्धयति ॥ ८३ ॥

(धर्मस्य मूलं ब्राह्मणः) धर्म के मूल ब्राह्मण होते हैं, और (अग्रं राजन्यः उच्यते) धर्म के अग्रभाग क्षत्रिय-राजा होते हैं (तस्मात्) इसी कारण (तेषां समागमे) उनके एकत्र होने पर, ब्रह्महत्या (एनः विख्याप्य शुद्धयति) अपने पाप को प्रसिद्ध करके शुद्ध हो जाता है ॥ ८३ ॥

ब्राह्मणः सम्भवेनैव देवानामपि दैवतम् ।

प्रमाणं चैव लोकस्य ब्रह्माग्रैव हि कारणम् ॥ ८४ ॥

(ब्राह्मणः सम्भवेन+एव) ब्राह्मण उत्पत्तिकाल अर्थात् जन्म से ही (देवा-नाम्+अपि दैवतम्) देवताओं का भी बड़ा देवता है (च) और (लोकस्य प्रमाणम्) लोक अर्थात् मनुष्यों का प्रमाणरूप है, (हि अत्र ब्रह्म एव कारणम्) क्योंकि इसमें वेद ही कारण है ॥ ८४ ॥

तेषां वेदविदो ब्रूयुस्त्रयोऽप्येनः सुनिष्कृतम् ।

सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि वाक् ॥ ८५ ॥

(तेषां त्रयः वेदविदः) उन ब्राह्मणों में तीन वेद के वेत्ता ब्राह्मण (अपि + एनः सुनिष्कृतं ब्रूयुः) जो भी पापों का प्रायश्चित्त कहें (सा तेषां पावनाय स्यात्) वही प्रायश्चित्त उनको पवित्र करने वाला है (हि) क्योंकि (विदुषां वाक् पवित्रा) विद्वानों की वाणी पवित्र होती है ॥ ८५ ॥

अतोऽन्यतमनास्थाय विधिं विप्रः समाहितः ।

ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८६ ॥

(अतः) इसीलिए (विप्रः) ब्राह्मण आदि पापकर्त्ता (समाहितः) सावधान होकर (अन्यतमं विधिम् + आस्थाया) उपयुक्त विधियों में से किसी एक प्रायश्चित्त-विधि को अपनाकर (आत्मवत्-तया) आत्मशुद्धि करके (ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहति) ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है ॥ ८६ ॥

हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत् ।

राजस्यवैश्यौ क्षेत्रजानावाग्नेयीमेव च स्त्रियम् ॥ ८७ ॥

(अविज्ञातं गर्भम्) अनजाने में गर्भ को, (इजानी राजस्यवैश्यौ) यज्ञ करते हुए क्षत्रिय वैश्यों को, (च) और (आग्नेयीम् + एव स्त्रियम्) रजस्वला स्त्री को (हत्वा) मारने के बाद (एतत् + एव व्रतं चरेत्) यही ब्रह्महत्या वाले प्रायश्चित्त करे ॥ ८७ ॥

उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरुं तथा ।

अपहृत्य च निःक्षेपं कृत्वा च स्त्रीमुहद्वधम् ॥ ८८ ॥

(साक्ष्ये प्रवृत्तं उक्त्वा) गवाही में झूठ बोलकर (तथा गुरुं प्रतिरुध्य) और गुरु पर मिथ्या दोष लगाकर (निक्षेपम् अपहृत्य) घरोहर को हड़पकर (च) और (स्त्री-मुहद्वधं कृत्वा) स्त्री तथा मित्र की हत्या करके भी उपयुक्त प्रायश्चित्त करे ॥ ८८ ॥

इयं विशुद्धिरदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् ।

कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ ८९ ॥

(प्रकामतः द्विजं प्रमाप्य) अनिच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या करने पर (इयं विशुद्धिः + उदिता) यह पाप-शुद्धि कही है, (कामतः ब्राह्मणवधे) इच्छापूर्वक ब्रह्म-हत्या करने पर (निष्कृतिः न विधीयते) उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं होता अर्थात् वह पाप प्रायश्चित्तों से भी शुद्ध नहीं होता ॥ ८९ ॥

सुरापान का प्रायश्चित्त—

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निचर्यां सुरां पिबेत् ।

तथा स काये निर्दग्धे मुच्यते किंस्विवाततः ॥ ९० ॥

(द्विजः) ब्राह्मण (मोहात्) मोहवश (सुरां पीत्वा) मद्यपान करके (अग्निवर्णां सुरां पिबेत्) ब्राह्मण के समान तपती शराब पीये (तथा काये निर्दग्धे) उस तपती शराब से उसका मुख-गला आदि जलने पर (तः ततः किल्बिषात् मुच्यते) वह उस मद्यपान के पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥

गोमूत्रमग्निवर्णं वा पिबेदुदकमेव वा ।

पयो घृतं वाऽऽमरणाद् गोशकृत्तरसमेव वा ॥ ६१ ॥

(वा) अथवा (अग्निवर्णं गोमूत्रम् उदकं पयः घृतं वा गोशकृत्तरसम्) तपते हुए गोमूत्र, जल, दूध, घी अथवा गोबर के रस को (आमरणात् पिबेत्) जब तक मर न आये तब तक पीये ॥ ६१ ॥

कणाम्बा भक्षयेदब्धं पिण्याकं वा सकृन्निशि ।

सुरापानापनुत्थर्य बालवासा जटौ ध्वजी ॥ ६२ ॥

(वा) अथवा (सुरापान-अपनुत्थर्यम्) शराब पीने के पाप से छूटने के लिए (बालवासा जटौ ध्वजी) बालों से बने वस्त्र पहनकर, जटाएं धारण करके, सुरापान का चिह्न या ध्वजा रखते हुए (अब्धम्) एक वर्ष पर्यन्त (निशि सकृत्) रात के समय एक बार (कणाम् वा पिण्याकम्) चावल के कणों को चुगकर वा तिल की खल (भक्षयेत्) खाये ॥ ६२ ॥

सुरां वै मलमग्नानां पाप्मा च मलमुच्यते ।

तस्माद् ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत् ॥ ६३ ॥

(अग्नानां वै मलं सुराम्) अग्नियों के मल को 'सुरा' कहते हैं (च) और (मलं पाप्मा उच्यते) 'मल' 'पाप' को कहते हैं (तस्मात्) इस कारण अर्थात् सुरापान, पाप को ही पीना है, अतः (ब्राह्मण-राजन्यौ च वैश्यः) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (सुरां न पिबेत्) शराब न पीये ॥ ६३ ॥

गौडी पैण्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा ।

यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥ ६४ ॥

(गौडी, पैण्टी च माध्वी) गौडी = गुड़ से बनी, पैण्टी = माटे से बनी, माध्वी = महुए से बनी, (त्रिविधा सुरा विज्ञेया) ये तीन प्रकार की सुरा होती हैं। यथा + एव + एका तथा सर्वाः) जैसी एक है वैसी ही सब हैं अर्थात् सब बराबर हैं, अतः (द्विजोत्तमैः न पातव्याः) द्विजातियों को ये नहीं पीनी चाहिए ॥ ६४ ॥

यक्षरक्षःपिशाचान्नं मद्यं मांसं सुराऽऽसवम् ।

तद् ब्राह्मणेन नास्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥ ६५ ॥

(मद्यं मांसं सुरा + आसवम्) मद्य, मांस, सुरा आसव, ये (यक्ष-रक्षः-पिशाच-अन्नम्) यक्षों, राक्षसों और पिशाचों के खाने की वस्तुएं हैं, (देवानां हविः अश्नता

ब्राह्मणेन) देवताओं की हवि अर्थात् यज्ञशेष जैसा पवित्र भोजन करने वाले द्विजवर्ग को (तद् न + अस्तव्यम्) ये वस्तुएं नहीं खानी चाहिए ॥ ६५ ॥

अग्नेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाऽप्युदाहरेत् ।

अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा ब्राह्मणो मरमोहितः ॥ ६६ ॥

वर्षोंकि (मरमोहितः ब्राह्मणः मत्तः) शराब के नशे में मतवाला हुआ ब्राह्मण शराब पीकर (अग्नेध्ये वा पतेत्) या तो गन्दगी में गिरेगा, (वा वैदिकम् + उदाहरेत्) अथवा वेदवाक्यों को वकेगा (वा) अथवा (अन्यत् अकार्यं कुर्यात्) और दूसरे न करने योग्य बुरे कार्य करेगा [इस कारण शराब नहीं पीनी चाहिए] ॥ ६६ ॥

यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाप्लाव्यते सकृत् ।

तस्य व्यर्षति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति ॥ ६७ ॥

(यस्य कायगतं ब्रह्म) जिसका शरीर में निवास करने वाला जीवात्मा (सकृत् मद्येन + अप्लाव्यते) एक बार भी यदि शराब में डूब जाता है अर्थात् जो ब्राह्मण एक बार भी शराब पी लेता है (तस्य ब्राह्मण्यं व्यर्षति) उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है (च) और (सः शूद्रत्वं गच्छति) वह शूद्र बन जाता है ॥ ६७ ॥

सुवर्ण-चोरी का प्रायश्चित्त—

एषा विचित्राऽभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः ।

अत उर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥ ६८ ॥

(एषा) यह [११।६०-६७] (सुरापानस्य विचित्रा निष्कृतिः अभिहिता) शराब पीने की अनेक प्रकार की पापशुद्धि कही, (अतः + उर्ध्वम्) अब इसके बाद (सुवर्णस्तेयनिष्कृतिं प्रवक्ष्यामि) सोने की चोरी का प्रायश्चित्त कहूंगा— ॥ ६८ ॥

सुवर्ण-चोरी का प्रायश्चित्त—

तब

(सुवर्ण-चोरी का प्रायश्चित्त तु अभिगम्य)

(राजा) अपने प्रायश्चित्त के लिये स्वयं प्रयात् अपनी चोरी को बतलाकर कहे कि ('भवान् माम् अनुशास्तु' इति) 'प्राप मुझे दण्ड दें' ॥ ६९ ॥

गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्व्यात् तं स्वयम् ।

बधेन शुद्धयति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसं च तु ॥ १०० ॥

तब (राजा मुसलं गृहीत्वा) राजा मुसल लेकर (स्वयं सकृत् व्यात्) उसे एक बार मारे, इस प्रकार (बधेन) शारीरिक दण्ड से या इस स्थिति में मार भी जाने से (स्तेनः शुद्धयति) चोर शुद्ध हो जाता है (तु) किन्तु (ब्राह्मणः तपसा + एष) ब्राह्मण तप से ही शुद्ध हो जाता है अर्थात् ब्राह्मण को न मारे ॥ १०० ॥

तपसाऽपनुमुत्सु सुवर्णस्तेयजं मलम् ।

बीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद् ब्रह्महर्षो व्रतम् ॥ १०१ ॥

(सुवर्णस्तेयजं मलं तपसा + अपनुमुत्सु तु द्विजः) सोने की चोरी के पाप को प्रायश्चित्त रूपी तप से दूर करने की इच्छा वाला द्विज (बीरवासा) पुराने वस्त्रों को धारण करता हुआ (अरण्ये ब्रह्महर्षः व्रतं चरेत्) वन में जाकर ब्रह्महत्या वाला प्रायश्चित्त [११।७२] करे ॥ १०१ ॥

गुरुस्त्री-गमन का प्रायश्चित्त—

एतद्व्रतं रपोहेतु पापं स्तेयकृतं द्विजः ।

गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतं रे निरपानुवेत् ॥ १०२ ॥

(द्विजः एतः व्रतः) द्विज व्यक्ति उपयुक्त व्रतों से [११।६६-१०१] (स्तेयकृतं पापम् अपोहेत) सुवर्ण-चोरी के पाप को दूर करे, (गुरुस्त्रीगमनीयं तु एभिः व्रतैः अपानुवेत्) गुरुस्त्रीगमन के पाप को इन निम्न वर्णित [१०३-१०६] व्रतों से दूर करे— ॥ १०२ ॥

गुरुतल्प्यभिभाष्येनस्तप्ते स्वप्यादयो मये ।

सूमीं ज्वलन्तीं स्वाश्लिष्ये मृत्युना स विशुद्धपति ॥ १०३ ॥

(गुरुतल्पी) गुरु की पत्नी से संभोग करने वाला व्यक्ति (एनः अभिभाष्य) अपने पाप को बतलाकर (तप्ते अयो मये स्वप्यात्) तपते हुए लोहे के पलंग पर सो जाय अथवा (ज्वलन्तीं सूमीं सु + आश्लिष्येत्) जलती हुई लोहे की स्त्रीमूर्ति को आश्लिष्येत् बद्ध करले, इस प्रकार (मृत्युना) मृत्यु होने से (सः विशुद्धपति) वह शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥

स्वयं वा शिष्यवृषणानुत्कृष्टाभाय चाञ्जली ।

नैऋतीं दिशमन्तिष्ठेदालिपातावजिह्वागः ॥ १०४ ॥

(स्वयं वा शिष्यवृषणानुत्कृष्टाभाय चाञ्जली) स्वयं काटकर (वा) शिष्य (अञ्जली आभाय) उन्हें अञ्जलि में रखकर (अजिह्वागः) कुटिल भावना का त्याग करके (आनिपातात्) जब तक मरकर भूमि में न गिरजाये तब तक (नैऋतीं दिशम् + अन्तिष्ठेत्) नैऋत दिशा की ओर बसता रहे ॥ १०४ ॥

खट्वाङ्गी बीरवासा वा शमश्रुतो विजने वने ।

प्राजापत्यं चरेत्कञ्जमन्वयेकं समाहितः ॥ १०५ ॥

(वा) अथवा (खट्वाङ्गी) 'खट्वाङ्ग' = खाट के चिह्न से युक्त ध्वजा को धारण किये हुये, (बीरवासा) पुराने वस्त्र पहने (शमश्रुतः) जटाएं रखे (विजने वने) निर्जन वन में जाकर (समाहितः) एकाग्र होकर (एकम् अन्वयं प्राजापत्यं कञ्जं चरेत्) एक वर्ष तक 'प्राजापत्य' नामक [११।२११] कञ्जव्रत को करे ॥ १०५ ॥

चान्द्रायणं वा त्रीन्मासान्मयस्येतिनियतेन्द्रियः ।

हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥

(वा) अथवा (गुरुतल्पापनुत्तये) गुरुस्त्रीगमन के पाप की शुद्धि के लिए (नियतेन्द्रियः) जितेन्द्रिय होकर, (हविष्येण वा यवाग्वा) हविष्यान्न वा लपसी खाते हुए (त्रीन्मासान् चान्द्रायणम् अभ्यस्येत्) तीन मास तक 'चान्द्रायण' व्रत [११।२१६-२२०] करे ॥ १०६ ॥

उपपातकियों के प्रायश्चित्त—

एनैर्ब्रतैरपोहेयुर्महापातकिनो मलम् ।

उपापातकिनस्त्वेवमेभिर्नाविधेर्ब्रतैः ॥ १०७ ॥

(महापातकिनः) महापातकी लोग (एनैः ब्रतैः मलम् अपोहेयुः) इन पूर्वोक्त [११।७२-१०६] प्रायश्चित्तों से अपने पापों को दूर करें, और (उपापातकिनः तु) उपापातकी लोग [११।५६-६६] (एभिः नानाविधैः ब्रतैः एवम्) निम्नवर्णित अनेक-प्रकार के ब्रतों से इस प्रकार अपने पापों को दूर करें— ॥ १०७ ॥

उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्पिबेत् ।

कृतवापो वसेद्गोष्ठे चर्मणा तेन संवृतः ॥ १०८ ॥

(उपपातकसंयुक्तः गोघ्नः) उपपातक से संयुक्त गो-हत्यारा (कृतवापः) मुण्डन कराकर (तेन चर्मणा संवृतः) गौ के चमड़े को ओढ़े रहकर (यवान् पिबेत्) यबों = जौ को पीता हुआ (मासं गोष्ठे वसेत्) एक मास तक गोशाला में निवास करे ॥ १०८ ॥

चतुर्थकालमग्नीयादक्षारसवर्णं मितम् ।

गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ १०९ ॥

इसके बाद (द्वौ मासौ) दो मास तक (नियतेन्द्रियः) जितेन्द्रिय होकर (गोमूत्रेण स्नानम् आचरेत्) गोमूत्र से स्नान करता हुआ (चतुर्थकालं मितम् अक्षारसवर्णम् अग्नीयात्) चौथे काल में थोड़ा एवं खटाई-नमक से रहित भोजन करे [एक बार खाकर तीन जून = भोजन समय न लाये इस प्रकार चौथे काल भोजन करे] ॥ ११० ॥

विवाज्जुगच्छेद्वास्तास्तु तिष्ठन्नूर्ध्वं रजः पिबेत् ।

शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत् ॥ ११० ॥

(दिवा ताः तु नाः + अनुगच्छेत्) दिन में उन गोशाला की गौओं के पीछे जाये, (तिष्ठत् + ऊर्ध्वं रजः पिबेत्) उनके रक्तने पर उनके पीछे रुककर चलने से उठने वाली घूल का पान करे, (शुश्रूषित्वा) उनकी सेवा करके (रात्रौ नमस्कृत्य वीरासनं वसेत्) रात में उन्हें नमस्कार करके वीरासन से बैठा रहे ॥ ११० ॥

तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत् व्रजन्तीष्वप्यनुव्रजेत् ।

आसीनासु तथाऽऽसीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ १११ ॥

(नियतः वीतमत्सरः) नियमानुसार प्रतिदिन, क्रोधरहित होकर (तिष्ठन्तीषु + अनुतिष्ठेत्) उन गौओं के लड़ा होने पर लड़ा हो जाये, (व्रजन्तीषु + अपि + अनु-व्रजेत्) चलने पर उनके पीछे चले, (तथा) उसी प्रकार (आसीनासु आसीनः) उनके बैठने पर बैठजाये ॥ १११ ॥

घातुरामनिशस्तां वा चोरव्याघ्रादिभिर्भयैः ।

पतितान् पङ्कलग्नां वा सर्वोपायैर्विमोचयेत् ॥ ११२ ॥

(घातुराम्) रोगी (वा) ग्रथवा (चोर-व्याघ्र-आदिभिः भयैः अभिशस्ताम्) चोर, बाघ आदि के भय से डरी हुई (वा) ग्रथवा (पतिताम्) गिरी हुई, ग्रथवा (पङ्कलग्नाम्) कीचड़ में फंसी हुई गौ को (सर्व-उपायैः विमोचयेत्) सब उपायों से छुड़ाये ॥ ११२ ॥

उष्णो वर्धति क्षीते वा मारुते वाति वा भृशम् ।

न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ११३ ॥

(उष्णो, वर्धति वा क्षीते) अत्यधिक गर्मी, वर्षा व सर्दी होने पर (वा मारुते भृशं वाति) तेज आधी चलने पर (शक्तितः) यथाशक्ति (गोः शत्राणं कृत्वा) गौ की रक्षा बिना किये (आत्मनः न कुर्वीत) अपनी रक्षा न करे अर्थात् गौ की ही रक्षा करे ॥ ११३ ॥

आत्मनो यदि बाऽन्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले ।

भक्षयन्तीं न कथयेत्पिबन्तं चैव वत्सकम् ॥ ११४ ॥

(आत्मनः यदि वा + अन्येषाम्) अपना या दूसरे के (गृहे क्षेत्रे अथवा खले) घर, खेत या खलिहान में (भक्षयन्तीं च पिबन्तं वत्सकम्) चारा खाती हुई और दूध पीते हुए बछड़े को (न कथयेत्) न हटाये ॥ ११४ ॥

अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति ।

त गोहत्याकृतं पापं त्रिभिर्मासैर्व्यपोहति ॥ ११५ ॥

(यस्तु गोघ्नः) जो गोहत्यारा (अनेन विधिना गाम् + अनुगच्छति) इस पूर्वोक्त विधि [१११ १०८-११४] से गौओं की सेवा करता है (सः) वह (त्रिभिः मासैः) तीन मास के अन्दर (गोहत्याकृतं पापं व्यपोहति) गोहत्या के किये पाप को नष्ट कर देता है ॥ ११५ ॥

बृधभेकादशा गावश्च दद्यात्सुचरितव्रतः ।

अविद्यामाने सबन्धं देवविद्भ्यो निवेदयेत् ॥ ११६ ॥

इस प्रकार (सुचरितव्रतः) अच्छी प्रकार व्रत करने के बाद वह (बृधभेकादशाः-

गाः वेदविदम्यः दद्यात्) एक सांड भीर दस गायें वेद के विद्वान् ब्राह्मण को दान में देवे (अविद्यमाने) इनके न होने पर (सर्वस्वं निवेदयेत्) अपना अन्य सब धन ब्राह्मणों को दान कर दे ॥ ११६ ॥

एतदेव व्रतं कुर्युः उपपातकिनो द्विजाः ।

अवकीर्णवर्ज्यं शुद्धधर्मं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११७ ॥

(अवकीर्णवर्ज्यम्) 'अवकीर्ण' नामक [११।१२०] पापी को छोड़कर (उप-पातकिनः द्विजाः) शेष उपपातकी द्विज [११।५६-६०] (शुद्धधर्मम्) अपनी पापशुद्धि के लिए (एतत् + एव व्रतं कुर्युः) यही गौहत्या वाला प्रायश्चित्त [११।१०८-११५] करें (वा) अथवा (चान्द्रायणम् + अथ + अपि) 'चान्द्रायण' [११।२१६-२१६] व्रत को करें ॥ ११७ ॥

अवकीर्णों का प्रायश्चित्त—

अवकीर्णो तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे ।

पाकयज्ञविधानेन यजेत निश्च्युतिं निशि ॥ ११८ ॥

(अवकीर्णो तु) अवकीर्णी [११।१२०] पुरुष (काणेन गर्दभेन) कान्हे गधे पर चढ़कर (चतुष्पथे) चौराहे पर जाकर वहां (पाकयज्ञ-विधानेन) पाकयज्ञविधि से (निशि निश्च्युतिं यजेत) रात के समय 'निश्च्युति' नाम देवता के उद्देश्य से यज्ञ करे ॥ ११८ ॥

हृत्वाऽग्नीं विधिवद्धोमानस्ततश्च समेत्युवा ।

वातेन्द्रगुरुबह्नीनां जुहुयात्सपिवाऽऽहुतीः ॥ ११९ ॥

(विधिवत् अग्नीं होमान् हृत्वा) विधि के अनुसार अग्नि में हवन करके (प्रस्ततः) उसके बाद ('समा' इति ऋचा) 'समासिञ्चन्तु मरुतः'.....'इस मन्त्र से (वात-इन्द्र-गुरु-बह्नीनां सपिवा + आहुतीः जुहुयात्) वायु, इन्द्र, गुरु तथा अग्नि के उद्देश्य से घी की आहुति देकर हवन करे ॥ ११९ ॥

कामतो रेतसः सेकं व्रतस्यस्य द्विजन्मनः ।

अतिक्रमं व्रतस्यानुर्ध्वमंशा ब्रह्मवादिनः ॥ १२० ॥

(व्रतस्यस्य द्विजन्मनः) ब्रह्मचर्यावस्था में रहने वाला जो द्विज (कामतः रेतसः सेकम्) इच्छापूर्वक किसी स्त्री से संभोग करता है (धर्मंशाः ब्रह्मवादिनः) धार्मिक ब्रह्म-वेत्ता लोग उसके इस कार्य को (व्रतस्य अतिक्रमम् आहुः) 'व्रत का अतिक्रमण करना' मानते हैं, यही व्यक्ति 'अवकीर्णी' होता है ॥ १२० ॥

मावतं पुरुहूतं च गुरुं पावकमेव च ।

चतुरो व्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मं तेजोऽवकीर्णिनः ॥ १२१ ॥

(अवकीर्णिनः व्रतिनः ब्राह्मं तेजः) संभोग से व्रत को भंग करने वाले व्रतदीक्षित

द्विज का ब्राह्मतेज = ब्रह्मचर्यकाल में अर्जित तेज (मासं पुरुहूतं गुरुं च पावकम् + एव चतुरः अभ्येति) वायु, इन्द्र, गुरु और अग्नि इन चारों के पास चला जाता है अर्थात् उसका अर्जित तेज नष्ट हो जाता है ॥ १२१ ॥

एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् ।

सप्तागारांश्चरेद्भक्षं स्वकर्म परिकीर्तयन् ॥ १२२ ॥

(एतस्मिन् + एनसि प्राप्ते) इस 'ग्रवकीर्णी' पाप के करने पर (गर्दभ + अजिनं वसित्वा) गधे की खाल ओढ़कर (स्वकर्म परिकीर्तयन्) अपने कर्म को बतलाते हुए (सप्त + आगारान् भक्षं चरेत्) सात घरों से प्रतिदिन भिक्षा मागे ॥ १२२ ॥

तेभ्यो लब्धेन भक्षेण वर्तयन्नेककालिकम् ।

उपस्पृशंस्त्रिवर्णं त्वब्देन स विशुद्धयति ॥ १२३ ॥

और (तेभ्यः लब्धेन भक्षेण) उन घरों से प्राप्त भिक्षा को लेकर (एककालिकं वर्तयन्) एक समय भोजन करता हुआ, और (त्रिवर्णम् + उपस्पृशन् तु) प्रतिदिन तीन समय स्नान करता हुआ (सः) वह 'ग्रवकीर्णी' (अब्देन विशुद्धयति) एक वर्ष में शुद्ध हो जाता है ॥ १२३ ॥

जातिभ्रंशकर कर्मों का प्रायश्चित्त—

जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वाऽन्यतममिच्छया ।

चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥

(इच्छया) इच्छापूर्वक (अन्यतमं जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वा) किसी जाति-भ्रंशकर [११।६७] कर्म को करके (सान्तपनं कृच्छ्रं चरेत्) 'सान्तपन' नामक [११।२१२] कृच्छ्र व्रत को करे, और (अनिच्छया प्राजापत्यम्) अनिच्छापूर्वक इनको करने पर 'प्राजापत्य' [११।२११] व्रत करे ॥ १२४ ॥

अपात्र और वर्णसंकर करने वाले कर्मों का प्रायश्चित्त—

सङ्कुरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैवधम् ।

मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यवकंस्त्र्यहम् ॥ १२५ ॥

(सङ्कुर-अपात्र-कृत्यासु) संकर बनाने वाले [११।६८] और अपात्र करने वाले [११।६९] कर्मों में से किसी कर्म को करके (मासम् + ऐन्द्रवं शोधनम्) एक मास तक चान्द्रायण व्रत [११।२१६-२२०] करने से शुद्धि होती है, और (मलिनीकरणीयेषु) मलिन [११।७०] करने वाले कर्मों को करके (अहं यावकं तप्तः स्यात्) तीन दिन गर्म लपसी लाये ॥ १२५ ॥

अश्रिय आदि के वध का प्रायश्चित्त—

तुरीयो ब्रह्महत्यायाः अश्रियस्य वधे स्पृतः ।

वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्य शूद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥

(क्षत्रियस्य वधे) क्षत्रिय की हत्या करने पर (ब्रह्महत्यायाः तुरीयः स्मृतः) ब्रह्महत्या का चौथा भाग अर्थात् तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या का [११।७२-८०] प्रायश्चित्त करे (वृत्तस्यै वैश्ये अष्टमांशः) कर्त्तव्यों में संलग्न वैश्य के वध करने पर आठवां भाग अर्थात् डेढ़ वर्ष तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करे (शूद्रे तु षोडशः ज्ञेयः) शूद्र के वध पर सोलहवां भाग अर्थात् नौ मास तक ब्रह्महत्या वाला प्रायश्चित्त करे ॥ १२६ ॥

अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः ।

वृषभैकसहस्रा गा दद्यात्सुचरितव्रतः ॥ १२७ ॥

(प्रकामतः तु राजन्यं विनिपात्य) अनिच्छापूर्वक क्षत्रिय का वध करके (द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (सुचरितव्रतः) अच्छी तरह व्रत का पालन करने के बाद (वृषभ-एक-सहस्राः गाः दद्यात्) साँड सहित एक हजार गायों का दान ब्राह्मणों में करे ॥ १२७ ॥

अथर्वं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महृतो व्रतम् ।

वसन् दूरतरे ग्रामाद् वृक्षमूलनिकेतनः ॥ १२८ ॥

(वा) अथवा (नियतः) जितेन्द्रिय होकर, (जटी) जटायें धारण किया हुआ, (ग्रामात् दूरतरे वृक्षमूलनिकेतनः वसन्) गाँव से दूर किसी पेड़ के नीचे निवास करता हुआ (त्रि + अथर्वं ब्राह्मणः व्रतं चरेत्) तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या वाला प्रायश्चित्त करे ॥ १२८ ॥

एतदेव चरेदथर्वं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः ।

प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्यं दद्याच्छ्वैकशतं गवाम् ॥ १२९ ॥

(वृत्तस्यं वैश्यं प्रमाप्य) कर्त्तव्यों का ठीक से पालन करने वाले वैश्य का अनिच्छापूर्वक वध करके (द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (एतत् + एव प्रायश्चित्तम् + अथर्वं चरेत्) इसी [११।१२८] प्रायश्चित्त की एक वर्ष तक करे (च) और (गवाम् एकशतं दद्यात्) सौ गौओं का दान करे ॥ १२९ ॥

एतदेव व्रतं कृत्स्नं षण्मासान् शूद्रहा चरेत् ।

वृषभैकादशा वापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः ॥ १३० ॥

(शूद्रहा) शूद्र की हत्या करने वाला द्विज (एतत् + एव कृत्स्नं व्रतम्) इसी सम्पूर्ण प्रायश्चित्त [११।१२८] को (षण्मासान् चरेत्) छह मास तक करे (अपि वा) और (वृषभैकादशाः सिताः गाः) एक साँड सहित दश सफेद गायें (विप्राय दद्यात्) ब्राह्मण को दान में देवे ॥ १३० ॥

अन्य पशु-पक्षी-कीट आदि के वधों का प्रायश्चित्त—

मार्जारमकुली हत्वा चाथं मण्डूकमेव च ।

श्वगोचोलूककाकाश्च शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ १३१ ॥

(मार्जार-नकुली चाथं मण्डूकं श्व-गोघा उलूक-काकान् च हत्वा) बिल्ली,

नेबला, नीलकण्ठ, मैडक, कुला, मोह, उल्लू, ग्रीर कीभा, इनकी हत्या करने पर (शूद्र-हत्याघ्नं चरेत्) शूद्र-हत्या वाला [११। १३०] प्रायश्चित्त करे ॥ १३१ ॥

पयः पिबेत्त्रिरात्रं वा योजनं वाऽध्वनो ब्रजेत् ।

उपस्पृशेत्पवन्यां वा सूक्तं वाऽग्नेवतं जपेत् ॥ १३२ ॥

(वा) अथवा (त्रिरात्रं पयः पिबेत्) तीन दिन-रात केवल दूध पीकर रहे, (वा) या (योजनम् अध्वनः ब्रजेत्) एक कोस तक पैदल चले, (वा) अथवा (सवम्याम्+उपस्पृशेत्) बहती नदी में स्नान करे (वा) अथवा (अर्धदेवतं सूक्तं जपेत्) जलदेवता वाले सूक्त [‘आपो हिष्ठाः मयो भुवस्ता’.....] (ऋ० १०.६) आदि मन्त्रों का जाप करे ॥ १३२ ॥

अग्निं काष्णयिषीं दद्यात्सर्वं हत्वा द्विजोत्तमः ।

पलालमारकं वण्डे सैसकं चैकमाषकम् ॥ १३३ ॥

(द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (सर्वं हत्वा) सांप को मारकर (काष्णयिषीम्+अभिन्म) काले लोहे से बनी छड़ (दद्यात्) दान करे, (वण्डे पलालमारकम्) नपुंसक को मारकर एक गाड़ी पुभाल, (च) ग्रीर (एकमाषकं सैसकम्) एक मासा सीसा ब्राह्मण को दान करे ॥ १३३ ॥

घृतकुम्भं बराहे तु तिलद्रोणं तु तिस्रिरी ।

शुके द्विहायनं वत्सं क्रीञ्चं हत्वा त्रिहायनम् ॥ १३४ ॥

(बराहे) सूअर को मारने पर (घृतकुम्भम्) एक बी से भरा बड़ा, (तिस्रिरी तु तिलद्रोणम्) तीतर की हत्या करने पर एक द्रोण=१५ सेर तिल, (शुके द्विहायनं वत्सम्) तोते को मारकर दो वर्ष का बछड़ा, ग्रीर (क्रीञ्चं हत्वा त्रिहायनम्) क्रीच पक्षी को मारकर तीन वर्ष का बछड़ा ब्राह्मण को दान में देवे ॥ १३४ ॥

हत्वा हंसं बलाकां च बकं बहिणमेव च ।

वाभरं श्येनभासी च स्पृशयेत् ब्राह्मणाय गाम् ॥ १३५ ॥

(हंसं बलाकां बकं बहिणं वाभरं श्येन-भासी च हत्वा) हंस, छोटा बगुला, बगुला, मोर, बन्दर, बाज ग्रीर मुर्ग, इनको मारकर (ब्राह्मणाय गं स्पृशयेत्) ब्राह्मण को एक गाय दान में सौंपे ॥ १३५ ॥

वासी दद्याद्द्वयं हत्वा पञ्च नीलान्बुवान्पु ।

अजमेवावमन्बाहं खरं हत्वाैकहायनम् ॥ १३६ ॥

(हयं हत्वा वासः) घोड़े को मारकर कपड़ा, (गजं पञ्च नीलान्बुवान्) हाथी को मारकर पांच नीले बैल, (अजमेवौ खरं हत्वा) बकरी, भेड़, गधा इनको मारकर (एक हायनम् अमन्बाहं दद्यात्) एक वर्ष का बैल दान करे ॥ १३६ ॥

ऋग्व्यादास्तु भृगान्हत्वा येन दद्यात्पयस्विनीम् ।

अक्रव्यादान् वत्सतरीमुष्टं हत्वा तु कृष्णलम् ॥ १३७ ॥

(ऋग्व्यादान् भृगान् हत्वा) मांस खाने वाले शेर, बाघ आदि पशुओं को मारकर (पयस्विनीं येन दद्यात्) दूध वाली एक गाय का दान करे, (अक्रव्यादान् वत्सतरीम्) मांस न खाने वाले हिरण आदि पशुओं को मारकर एक बड़ी बछिया, (उष्ट्रं तु हत्वा कृष्णलम्) और ऊँट को मारकर एक कृष्णल = रस्ती [८। १३४] सोना दान करे ॥ १३७ ॥

जीतकामुं कबस्तावीं पृथग्दद्याद्विशुद्धये ।

चतुर्णामपि वर्णानां नारीर्हस्ताऽनवस्थिताः ॥ १३८ ॥

(चतुर्णाम् + अपि वर्णानाम्) चारों वर्णों की (अनवस्थिताः नारीः हत्वा) धर्म पर न चलने वाली धर्मचरिणी आदि स्त्रियों की हत्या करके (विशुद्धये) उस पापशुद्धि के लिये (पृथक् जीतकामुं कबस्तावीन् दद्यात्) वर्णक्रम से क्रमशः चमड़े का कुप्पा, धनुष, बकरी और भेड़, दान में दे ॥ १३८ ॥

दानेन वधनिर्णकं सर्पादीनामशक्नुवन् ।

एकैकशश्चरेत्कृच्छ्रं द्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥

(सर्प-आदीनां वधनिर्णकम्) सर्प आदि के वध का निवारण (दानेन अशक्नुवन्) पूर्वोक्त [११। १३३-१३८] दान से करने में असमर्थ होने पर (द्विजः) द्विज (पाप-अपनुत्तये) पाप-निवृत्ति के लिए (एकैकशः कृच्छ्रं चरेत्) एक पाप के लिए एक-एक कृच्छ्र व्रत करे ॥ १३९ ॥

अस्थिमतां तु सत्त्वानां सहस्रस्य प्रमापणे ।

पूर्णे चानस्थनस्थनां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ १४० ॥

(अस्थिमतां तु सत्त्वानाम्) हड्डी वाले छोटे जीवों में (सहस्रस्य प्रमापणे) एक हजार की हत्या करने पर (च) और (अनस्थनां पूर्णे अनसि) बिना हड्डी वाले गाड़ी भर छोटे जीवों की हत्या करने पर (शूद्रहत्याव्रतं चरेत्) शूद्रहत्या [११। १३०] का प्रायश्चित्त करे ॥ १४० ॥

किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे ।

अनस्थनां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्धयति ॥ १४१ ॥

(अस्थिमतां वधे) हड्डी वाले क्षुद्र-जन्तुओं का वध करने पर (विप्राय किञ्चित् + एव तु दद्यात्) ब्राह्मण को कुछ ही दान करे (च) और (अनस्थनां हिंसायां प्राणायामेन शुद्धयति) बिना हड्डी वाले क्षुद्रजन्तुओं की हत्या करने पर प्राणायाम से ही शुद्धि हो जाती है ॥ १४१ ॥

फलदानां तु वृक्षाणां खेदने जप्यमुक्तातम् ।

गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च बीरुधाम् ॥ १४२ ॥

(फलदानां तु वृक्षाणाम्) फल देने वाले आम, सेव आदि वृक्षों के, (गुल्म-वल्लीलतानाम्) झाड़, पेड़ों के साथ चढ़ने वाली सताएं और भूमि पर फैलने वाली सताएं, (च) और (पुष्पितानां बीरुधाम्) फूल वाले पेड़, इनके काटने पर (ऋक् शतं जप्यम्) एक सौ बार गायत्री मन्त्र का जप करे ॥ १४२ ॥

अग्नाद्यजानां सर्वानां रसजानां च सर्वशः ।

फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम् ॥ १४३ ॥

(अग्नाद्यजानां सर्वशः रसजानां च फल-पुष्प-उद्भवानां सत्वानाम्) अग्नों, में उत्पन्न तथा सब रसों, फलों और फूलों में उत्पन्न होने वाले कीड़ों का वध करके (घृतप्राशः विशोधनम्) घी चाटने से शुद्धि हो जाती है ॥ १४३ ॥

कृषिजानामोरधीनां जातानां च स्वयं वने ।

बृथालम्भेऽनुगच्छेद्गामां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥

(कृषिजानां च वने स्वयं जातानाम् ओषधीनाम्) कृषि के साथ [सांठी आदि], और जंगल में स्वयं उत्पन्न होने वाली [बाह्यी] ओषधियों को (बृथालम्भे) भ्रमण नष्ट करने पर (एकं दिनं पयोव्रतः) एक दिन केवल दूध ही पीते हुए रहकर (गाम् अनुगच्छेत्) गौ की सेवा करे ॥ १४४ ॥

अभक्ष्य-भक्षण का प्रायश्चित्त—

एतैर्वर्तैरपोह्यं स्यादेवो हिंसासमुद्भवम् ।

ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्नं शृणुतानाद्यभक्षणे ॥ १४५ ॥

(ज्ञान-अज्ञानकृतं हिंसासमुद्भवं कृत्स्नम् एतैः) ज्ञान या अज्ञान से की गई हिंसा से होने वाले सब पापों को (एतैः वर्तैः + अपोह्यं स्यात्) इन पूर्वोक्त [११।१००-१४४] वर्तों से नष्ट करना चाहिये । अब (अनाद्य-भक्षणे शृणुत) अभक्ष्य पदार्थों के खाने पर किये जाने वाले प्रायश्चित्तों को सुनो— ॥ १४५ ॥

अज्ञानाद्वावरणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुद्धयति ।

मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६ ॥

(अज्ञानात् वावरणीं पीत्वा) अज्ञान से वावरणी मदिरा को पीकर (संस्कारेण एव शुद्धयति) पुनः संस्कार [११।१५१] करने से शुद्ध हो जाता है, और (मतिपूर्वम्) जानबूझकर पीने पर (अनिर्देश्यं प्राणान्तिकम् + इति स्थितिः) निश्चय ही मरकर ही शुद्ध होती है, ऐसी शास्त्रव्यवस्था है ॥ १४६ ॥

अपः सुराभाजनस्या मद्यमाण्डस्थितास्तथा ।

पञ्चरात्रं पिबेत्पीत्वा शङ्खपुष्पीभूतं पयः ॥ १४७ ॥

(सुराभाजनस्थाः तथा मद्यभाण्डस्थिताः अपः पीत्वा) सुरा पीने के बर्तन का तथा शराब बनाने के घड़े का पानी पीकर (पञ्चरात्रं शङ्खपुष्पीभृतं पयः पिबेत्) पाँच रात तक शंखपुष्पी बूटी मिलाकर घोंटाया हुआ दूध पीये ॥ १४७ ॥

स्पृष्ट्वा दत्त्वा च मदिरां विधिवत्प्रतिगृह्य च ।

शूद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारि पिबेत्स्यहम् ॥ १४८ ॥

(मदिरां स्पृष्ट्वा च दत्त्वा च विधिवत् प्रतिगृह्य) मदिरा को स्पर्श करके या देकर अथवा विधि पूर्वक लेकर (च) और (शूद्र-उच्छिष्टाः अपः पीत्वा) शूद्र का झूठा पानी पीकर (अहं कुशवारि पिबेत्) तीन दिन तक कुश = डाभ उबाला हुआ पानी पीये ॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः ।

प्राणानप्नु त्रिराचम्य घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ १४९ ॥

(सोमपः ब्राह्मणः) सोमयज्ञ करने वाला ब्राह्मण (सुरापस्य गन्धम् + आघ्राय) शराब पीये हुए के मुख की गन्ध सूँघकर (प्राणान् अप्सु त्रि + आचम्य) प्राणायाम पूर्वक तीन आचमन करके (घृतं प्राश्य विशुध्यति) किर घी चाटने से शुद्ध हो जाता है ॥ १४९ ॥

अज्ञानात्प्राश्य विष्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च ।

पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ १५० ॥

(विट्-मूत्रं सुरासंस्पृष्टम् + एव अज्ञानात् प्राश्य) मत्त, मूत्र और शराब से छूँसा हुआ अन्नादि भोज्य पदार्थ अज्ञान से खा लेने पर (त्रयः द्विजातयः वर्णाः) तीनों द्विजाति वर्ण (पुनः संस्कारम् + अर्हन्ति) पुनः संस्कार करने से ही शुद्ध होते हैं ॥ १५० ॥

वपनं मेखला दण्डो भैक्षचर्या व्रतानि च ।

निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥ १५१ ॥

(द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि) पूर्वोक्त [११।१५०] अवस्था में प्रायश्चित्त करते समय द्विजातियों के पुनः संस्कार करने में (वपनं मेखला दण्डः च भैक्षचर्या व्रतानि) मुण्डन, मेखला, दण्ड, भिक्षा मांगना, ये व्रत (निवर्तन्ते) नहीं किये जाते हैं ॥ १५१ ॥

अभोज्यानां तु भुक्त्वान्नं स्त्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च ।

जग्ध्वा मांसवन्मयं च सप्तरात्रं भवाग्निबेत् ॥ १५२ ॥

(अभोज्यानाम् अन्नं भुक्त्वा) जिनका अन्न नहीं खाना चाहिए [४।२०५-२२०] उनका अन्न खाकर (च) और (स्त्री-शूद्र-उच्छिष्टम् + एव) स्त्रियों तथा

शूद्रों का झूठा अग्नि खाकर (च) तथा (अभक्ष्यं मांसं जग्वा) अभक्ष्य मांस को खाकर मनुष्य (सप्तरात्रं यवान् पिबेत्) सात रात तक केवल सत्तू पीकर रहे ॥ १५२ ॥

शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मेध्याभ्यपि द्विजः ।

तावद्भुजत्यप्रयतो यावत्सन् व्रजत्यथः ॥ १५३ ॥

(द्विजः) द्विज (मेध्यानि शुक्तानि च कषायान् अपि पीत्वा) पवित्र काँजी आदि खट्टी वस्तुएं और कसीले पदार्थों को पीकर (तावत् + अप्रयतः भवति) तब तक अपवित्र ही रहता है (यावत् तत् अथः न व्रजति) जब तक वह पीया हुआ पदार्थ पचकर मलरूप में बाहर नहीं निकल जाता है ॥ १५२ ॥

विड्वराहखरोष्ठ्राणां गोमायोः कपिकाकयोः ।

प्राश्य भूत्रपुरीषाणि द्विजश्चाग्रायणं चरेत् ॥ १५४ ॥

(विड्वराह-खर-उष्ठ्राणां गोमायोः कपि-काकयोः) ग्राम्य सूअर, गधा, ऊँट, गीदड़, बन्दर, कौआ, इनके (भूत्रपुरीषाणि प्राश्य) भूत्र-मल को खा लेने पर (द्विजः चान्द्रायणं चरेत्) द्विजः चान्द्रायण व्रत [११।२१६-२२०] करे ॥ १५४ ॥

शुष्कारिण भुक्त्वा मांसानि भौमानि कवकानि च ।

अशातं चैव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेत् ॥ १५५ ॥

(शुष्कारिण मांसानि) सूखे हुए मांस, (भौमानि कवकानि) भूमि में उत्पन्न होने वाले छत्राक, (अशातं च सूनास्थं भुक्त्वा) अशात और कसाईखाने का मांस खाकर (एतत् + एव व्रतं चरेत्) यही [१५४ का] व्रत करे ॥ १५५ ॥

क्रव्यादसूकरोष्ठ्राणां कुक्कुटानां च नक्षले ।

नरकाकखराणां च तप्तकुक्कुटं विशोचनम् ॥ १५६ ॥

(क्रव्याद-सूकर-उष्ठ्राणां कुक्कुटानां नर-काक-खराणां भक्षणे) मांसभक्षी पशुओं, सूअर, ऊँट, भुर्गा, मनुष्य, कौआ और गधा, इनका मांस खाने पर (तप्तकुक्कुटं विशोचनम्) तप्तकुक्कुट व्रत [११।२१४] से शुद्धि होती है ॥ १५६ ॥

मासिकाम्नं तु योऽग्नीयावसमावर्तको द्विजः ।

स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोद्यते वसेत् ॥ १५७ ॥

(यः असमावर्तकः द्विजः) जो ब्रह्मचर्याश्रम में स्थित द्विज (मासिक + अग्निम्-अग्नीयात्) मासिक आहुति के अग्नि को खा ले तो (सः त्रीणि = ब्रह्मानि + उपवसेत्) वह तीन दिन उपवास करे (च) और (एक + ब्रह्म् उद्यते वसेत्) एक दिन केवल पानी पीकर रहे ॥ १५७ ॥

ब्रह्मचारी तु योऽग्नीयान्मधु मांसं कर्चयन् ।

स ५०० प्राकृतं कुण्डं व्रतसेवं समापयेत् ॥ १५८ ॥

(यः ब्रह्मचारी) जो ब्रह्मचारी (कथं चन) किसी प्रकार (मधुमांसम् भक्षनीयात्) मधु = मद्य या मांस का भक्षण कर ले तो (सः प्राकृतं कृच्छ्रं कृत्वा) वह प्राजापत्य व्रत [११।२११] को करके (व्रतशेषं समापयेत्) अपने शेष ब्रह्मचर्य काल को पूरा करे ॥ १५८ ॥

बिडालकाकाशूच्छिष्टं जग्ध्वा इवनकुलस्य च ।

केशकीटावपन्नं च पिबेद् ब्रह्मसुवचंलाम् ॥ १५९ ॥

(बिडाल-काक-प्राशु-उच्छिष्टम्) बिल्ली, कौआ, चूहा, इनके झूठे अन्न को, (च) ग्रीर (इव-नकुलस्य) कुत्ते तथा नेवले के झूठे अन्न को, (च) ग्रीर (केश-कीट-अवपन्नं जग्ध्वा) केश-कीट पड़े अन्न को खाकर (ब्रह्मसुवचंलां पिबेत्) ब्रह्मसुवचंला बूटी का वनाथ पीये ॥ १५९ ॥

अभोज्यमन्नं नास्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता ।

अज्ञानभुक्तं तूत्तार्यं शोध्यं वाप्याशु शोचनं ॥ १६० ॥

(प्राप्तमनः शुद्धिम् + इच्छता) अपनी शुद्धि चाहने वाले मनुष्यों को (अभोज्यम् + अन्नं न अस्तव्यम्) अभक्ष्य अन्न नहीं खाना चाहिए, (अज्ञानभुक्तं तु + उत्तार्यम्) यदि अज्ञानता से खाया गया है तो वमन कर देना चाहिए (वा) या (प्राशु शोचनं शोध्यम्) शीघ्र शुद्धिकारक उपायों से शुद्धि कर लेनी चाहिए ॥ १६० ॥

चोरी का प्रायश्चित्त—

एषोऽनाद्यावनस्योक्तो व्रतानां विविधो विधिः ।

स्तेयदोषापहर्तॄणां व्रतानां श्रूयतां विधिः ॥ १६१ ॥

(एषः) यह [११।१४६-१६०] (अनाद्य-अवनस्य) अभक्ष्य पदार्थों के खाने पर (व्रतानां विधिः विविधः उक्तः) प्रायश्चित्तों की अनेक विधियाँ कहीं । अब (स्तेय-दोष-अपहर्तॄणां व्रतानां विधिः श्रूयताम्) चोरी के दोष को दूर करने वाले प्रायश्चित्तों की विधियाँ सुनो— ॥ १६१ ॥

वाप्यात्मघनदौर्घाणि कृत्वा कामाद् द्विजोत्तमः ।

स्वजातीयगृहादेव कृच्छ्राग्नेन विशुध्यति ॥ १६२ ॥

(द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (स्वजातीयगृहात् + एव) किसी ब्राह्मण के घर से ही (कामाद् वाप्य-अन्न-घन-दौर्घाणि कृत्वा) इच्छापूर्वक वाप्य, अन्न तथा घन की चोरी करके (कृच्छ्र-अग्नेन विशुध्यति) एक वर्ष तक कृच्छ्रव्रत [११।२११] करते रहने से शुद्ध होता है ॥ १६२ ॥

मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च ।

कूपवापीजलानां च शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम् ॥ १६३ ॥

(मनुष्याणां स्त्रीणां क्षेत्र-गृहस्य च कूप-वापी-जलानां हरणे) मनुष्य, स्त्री,

क्षेत्र, घर और कूआ, बावड़ी का पानी, इनकी चोरी करने पर (चान्द्रायण शुद्धिः स्मृतम्) चान्द्रायण व्रत [११। २१६-२२०] से ही शुद्धि मानी है ॥ १६३ ॥

द्रव्याणामल्पसारणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेदमतः ।

चरेत्सांतपनं कृच्छ्रं तन्निर्यात्यात्मशुद्धये ॥ १६४ ॥

(अन्यवेदमतः अल्पसारणां स्तेयं कृत्वा) दूसरे के घर के थोड़े मूल्य की वस्तुओं की चोरी करके (आत्मशुद्धये) अपनी शुद्धि के लिए (तत् निर्यात्य) पहले उन्हें लौटाकर पुनः (सांतपनं कृच्छ्रं चरेत्) सांतपन कृच्छ्र व्रत [११। २१२] करे ॥ १६४ ॥

मध्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च ।

पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम् ॥ १६५ ॥

(मध्य-भोज्य-अपहरणे) खाने योग्य लड्डू आदि, भोज्य खीर आदि के चुराने पर (च) और (यान-शय्या-आसनस्य पुष्प-मूल-फलानां च) सवारी, पलंग, आसन, फूल, मूल और फल, इनकी चोरी करने पर (पञ्चगव्यं विशोधनम्) पञ्चगव्य [गाय का दूध, घी, मूत्र, गोबररस और दही से बनने वाली औषध] पीने से शुद्धि होती है ॥ १६५ ॥

तृणकाष्ठद्रुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च ।

चेलचर्ममिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम् ॥ १६६ ॥

(तृण-काष्ठ-द्रुमाणां शुष्क-अन्नस्य गुडस्य चेल-चर्म-मिषाणां च) तिनकाघास, लकड़ी, पेड़, सूखा अन्न, गुड़, कपड़ा, और चमड़ा मांस, इनकी चोरी करने पर (त्रिरात्रम् अभोजनं स्यात्) तीन रात तक उपवास करे ॥ १६६ ॥

मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च ।

अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहं कणाम्नता ॥ १६७ ॥

(मणि-मुक्ता-प्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य अयः-कांस्य-उपलानां च) मणियाँ, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर, इनकी चोरी करने पर (द्वादश + अहं कण-अन्नता) बारह दिन तक कण भुग-भुगकर खाये ॥ १६७ ॥

कार्पासकीटजीर्णानां द्विशफ-एक शफस्य पक्षि-गन्ध-औषधीनां च ।

पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ज्बाण्डौषधं पयः ॥ १६८ ॥

(कार्पास-कीट-जीर्णानां द्विशफ-एक शफस्य पक्षि-गन्ध-औषधीनां च रज्ज्बाण्डौषधं) कपास, रेशम, ऊन, दो खुर वाले पशु गाय-भैंस आदि, एक खुर वाले पशु घोड़ा-गधा आदि, पक्षी, गन्ध, औषधियाँ और रस्सी, इनकी चोरी करने पर (अथहं पयः) तीन दिन केवल दूध पीकर रहे ॥ १६८ ॥

अगम्या-गमनीय का प्रायश्चित्त—

एतैर्ब्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ।

अगम्यागमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥ १६६ ॥

(द्विजः) द्विज (एतैः व्रतैः स्तेयकृतं पापं अपोहेत) इन [११।१६२-१६८] व्रतों से चोरी करने से उत्पन्न पाप को दूर करे । (अगम्या-गमनीयं तु) सम्भोग न करने योग्य स्त्री से सम्भोग करने से उत्पन्न पापों को (एभिः व्रतैः + अपानुदेत्) इन निम्न [११।१७०-१७८] प्रायश्चित्तों से दूर करे ॥ १६६ ॥

गुरुत्वरूपव्रतं कुर्याद्वैतः सिक्त्वा स्वयोनियु ।

सद्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्यजानु च ॥ १७० ॥

(स्वयोनीषु सद्युः-पुत्रस्य स्त्रीषु कुमारीषु + अन्यजानु च) अपनी सगी बहन भिन्न की पत्नी, पुत्र की पत्नी, कुमारी, चण्डाली, इनसे (रेतः सिक्त्वा) संभोग करके (गुरुत्वरूपव्रतं कुर्यात्) गुरुपत्नीगमन वाला प्रायश्चित्त [११।१०३-१०६] करे ॥ १७० ॥

पैतृष्वसेयीं अग्निनीं स्वस्त्रीयां मातुरेव च ।

मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १७१ ॥

(पैतृष्वसेयीं मातुः अग्निनीं स्वस्त्रीयां एव, मातुः भ्रातुः तनयां गत्वा) ब्रह्मा की बेटी, मीसी की बेटी, भ्रौर मामा की बेटी इनसे संभोग करके (चान्द्रायणं चरेत्) चान्द्रायण व्रत [११।२१६-२२०] करे ॥ १७१ ॥

एतास्तिष्ठस्तु भार्यायै नोपयच्छेत् बुद्धिमान् ।

ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतति ह्यव्ययनयः ॥ १७२ ॥

(बुद्धिमान्) बुद्धिमान् मनुष्य (एताः तिस्रः तु भार्यायै न + उपयच्छेत्) उक्त तीन कन्याओं [११।१७१] को पत्नी के रूप में न स्वीकार करे, क्योंकि (ताः ज्ञातित्वेन + अनुपेयाः) वे बांधव होने से विवाह करने योग्य नहीं हैं, (उपयन् हि अयः पतति) इनसे विवाह करने वाला मनुष्य नरक में जाता है ॥ १७२ ॥

अमानुषीषु पुद्व्य उद्वययायामयोनियु ।

रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छ्रं सातपनं चरेत् ॥ १७३ ॥

(अमानुषीषु) मनुष्य से भिन्न जाति की भैंस, घोड़ी, गाय आदि में (उद्वययायाम्) रजस्वला स्त्री में, और (अयोनियु) योनि से भिन्न स्थान मुख, गुदा आदि में (रेतः सिक्त्वा) वीर्यक्षरण करके प्रणीत् इनमें संभोग करके (च) और (जले एव) जल में वीर्यक्षरण करके (सातपनं कृच्छ्रं चरेत्) सातपनं कृच्छ्र व्रत [११।२१२] करे ॥ १७३ ॥

शैबुनं तु समासेष्वपुंसि योविति वा द्विजः ।

गोबानेऽप्यु द्विवा चैव सबासाः स्नानमाचरेत् ॥ १७४ ॥

(पुंसि मैथुनं समासेष्य) पुरुष के साथ मैथुन करके (च) और (गोयाने अप्सु च दिवा ोषिति) बैलगाड़ी में, जल में और दिन में स्त्री के साथ मैथुन करके (द्विजः सवासः स्नानम्+प्राचरेत्) द्विज वस्त्रसहित स्नान करे ॥ १७४ ॥

चण्डाल-अन्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च ।

पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ १७५ ॥

(चण्डाल-अन्य-स्त्रियः) चण्डाल और अन्य नीच वर्णों की स्त्रियों के साथ (गत्वा) संभोग करके, (भुक्त्वा) साथ खाकर (च) और (प्रतिगृह्य) उनसे दान लेकर, (अज्ञानात् विप्रः पतति) अज्ञानपूर्वक इन कामों को करने से ब्राह्मण 'पतित' हो जाता है और (ज्ञानात् साम्यं गच्छति) ज्ञानपूर्वक करने से उनके समान जाति वाला हो जाता है ॥ १७५ ॥

विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निरुध्यादेकवेश्मनि ।

यत्पुंसः परदारेषु तच्छेनां चारयेद् व्रतम् ॥ १७६ ॥

(विप्रदुष्टां स्त्रियम्) व्यभिचारिणी स्त्री को (भर्ता एकवेश्मनि निरुध्यात्) पति एक घर में रोककर रहे, और (यत् परदारेषु पुंसः) जो परस्त्रीगमन में पुरुष का प्रायश्चित्त विहित है (तत् व्रतम् एनां चारयेत्) वही प्रायश्चित्त इसी स्त्री से कराये ॥ १७६ ॥

सा चैत्पुनः प्रदुष्येत् सदृशेनोपयन्त्रिता ।

कृच्छ्रं चान्द्रायणं चैव तद्वस्थाः पावनं स्मृतम् ॥ १७७ ॥

(सदृशेन-उपयन्त्रिता) सजातीय पुरुष के साथ दूषित हुई (सा) वह स्त्री (चैत् पुनः प्रदुष्येत्) यदि फिर संभोग करके दूषित हो जाये तो (अस्याः कृच्छ्रं चान्द्रायणम्+एव पावनं स्मृतम्) इस स्त्री के लिए कृच्छ्र चान्द्रायण व्रत [११। २१२, २१६-२२०] ही शुद्धिकारक माना गया है ॥ १७७ ॥

यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाद् द्विजः ।

तद्भक्षभुजपन्नित्यं त्रिभिर्वर्षेष्वपोहति ॥ १७८ ॥

(द्विजः) द्विज (वृषलीसेवनात् यत् एकरात्रेण करोति) चण्डाली से संभोग करके जो एक ही रात में पाप कमाता है (तत्) वह (त्रिभिः वर्षैः) तीन वर्षों तक (नित्यं भक्षभुजपन् व्यपोहति) प्रतिदिन भिक्षा का भोजन खाने और जप करने से दूर हो जाता है ॥ १७८ ॥

पतितों से संसर्ग का प्रायश्चित्त —

एषा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः ।

पतितैः सम्प्रयुक्तानामिमाः शृणुत निष्कृतीः ॥ १७९ ॥

(एषा) यह [११। १२६-१७८] (चतुर्णां पापकृतां निष्कृतिः उक्ताः) चार

प्रकार [हिंसा, अभक्ष्यभक्षण, चोरी और अगम्या से संभोग] के पाप कर्मों की शुद्धि कही। अब (पतितैः सम्प्रयुक्तानाम् इमाः निष्कृतीः शृणुत =) पतितों के सम्पर्क से उत्पन्न पापों की निम्न-वर्णित शुद्धियाँ सुनो—॥ १७६ ॥

संबत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन् ।

याजनाध्यापनाशौचान् तु याजासनाशनात् ॥ १८० ॥

(पतितेन सह) पतित व्यक्ति के साथ मिलाकर (याजन + अध्यापन-योनात्) यज्ञ कराने, पढ़ाने और बिवाह सम्बन्ध करने से (संबत्सरेण पतति) एक वर्ष में पतित हो जाता है, (तु) किन्तु (याज + आसन + अशनात् न) साथ सवारी करने बैठने और खाने से पतित नहीं होता ॥ १८० ॥

यो येन पतितेनैवा संसर्गं याति मानवः ।

त तस्यैव व्रतं कुर्यात्संसर्गविशुद्धये ॥ १८१ ॥

(एषाम्) इन पतितों में (येन पतितेन यः मानवः संसर्गं याति) जिस पतित के साथ जो मनुष्य संसर्ग करता है (सः) वह (तत्संसर्गविशुद्धये) उस संसर्गजन्य पाप की शुद्धि के लिए (तस्य एव व्रतं कुर्यात्) उन्हीं पतितों वाला प्रायश्चित्त करे ॥ १८१ ॥

पतितस्योदकं कार्यं सपिण्डैर्बान्धवैर्बहिः ।

निन्दितेऽङ्गुलिं सायाङ्गं ज्ञात्युत्तिग्गुदसन्निधौ ॥ १८२ ॥

(पतितस्य + उदकम्) पतित व्यक्ति की जलदानक्रिया (सपिण्डैः बान्धवैः) सगे बान्धवों को (बहिः) गांव के बाहर, (निन्दिते + अङ्गुलिं) निन्दित तिथि नक्षत्री आदि में, (सायाङ्गं) सायंकाल, (ज्ञाति-ऋत्विक्-गुरु-सन्निधौ) बान्धवों, ऋत्विक् और गुरु के समक्ष (कार्यम्) करनी चाहिये ॥ १८२ ॥

दासी घटमर्षा पूर्णं पर्यस्येत्प्रेतवत्परा ।

अहोरात्रमुपासीरन्नशीर्षं बान्धवैः सह ॥ १८३ ॥

(अप्रा पूर्णं घटम्) जल से भरे घड़े को (दासी पदा प्रेतवत् पर्यस्येत्) दासी अपने पैर से प्रेत की तरह अर्थात् दक्षिण दिशा की ओर मुझ करके ठोकर मारकर गिरादे [यही पतितों के लिए जलदान की विधि है] और सब सपिण्ड (बान्धवैः सह) सभी बान्धवों के साथ (अहोरात्रम् अजीघ्रम् उपासीरन्) एक दिन-रात तक अशीर्ष मनावे ॥ १८३ ॥

निवर्तेरंश्व तस्मात् सम्भाषणसहासने ।

दायादस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी ॥ १८४ ॥

(तस्मात् तु) उस महापातकी से (सम्भाषण-सह-भासने) बात-चीत करना, एक भासन पर बैठना, (दायादस्य प्रदानं च लौकिकी एव यात्रा) धन भाग देना और लोकव्यवहार, इन सबको (निवर्तेरन्) न करें ॥ १८४ ॥

उपेष्टता च निवर्तते उपेष्टावाप्यं च यद्भनम् ।

उपेष्टां प्राप्नुयाच्चास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥

उस महापातकी का (उपेष्टता निवर्तते) यदि वह बड़ा भाई है तो बड़ापन का अधिकार समाप्त हो जाता है (च यत् उपेष्टौ + आप्यं धनम्) और जो उपेष्ट को 'उद्धार' धन [६।११२] प्राप्त होता है, वह भी न मिलेगा, (च) और (अस्य गुणतः + अधिकः यवीयान् उपेष्टां प्राप्नुयात्) इसका गुणवान् छोटा भाई उस 'उद्धार' भाग को प्राप्त करेगा ॥ १८५ ॥

प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमयी भवम् ।

तेनैव साधं प्राप्स्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६ ॥

(प्रायश्चित्ते तु चरिते) पतित के प्रायश्चित्त कर लेने पर, बागधव लोग (तेन + एव साधं पुण्ये जलाशये स्नात्वा) उसके साथ शुद्ध जलाशय में स्नान करके (पूर्ण-कुम्भम् + अयां नवं प्राप्स्येयुः) जल से पूर्ण नये बड़े को वहीं पर फेंक दें ॥ १८६ ॥

तत्त्वन्तु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम् ।

सर्वाणि जातिकार्याणि यथापूर्वं समाचरेत् ॥ १८७ ॥

(सः) वह प्रायश्चित्त किया हुआ (तं घटम् + अप्यु प्रास्य) उस बड़े को जल में फेंकने के पश्चात् (स्वकं भवनं प्रविश्य) अपने घर में प्रवेश करके (सर्वाणि जाति-कार्याणि) सब जाति-सम्बन्धी कार्यों को (यथापूर्वं समाचरेत्) पूर्ववत् करे ॥ १८७ ॥

एतदेव विधिं कुर्याच्छ्रोवितु पतितास्त्वपि ।

वस्त्राग्नपानं देयं तु वसेयुषश्च गृहान्तिके ॥ १८८ ॥

(पतितामु योषितु अपि) पतित हुई स्त्रियों के साथ भी (एतद् + एव विधिं कुर्यात्) वही प्रायश्चित्त विधि [११। १८२-१८७] करे, (गृहान्तिके वसेयुः) वे स्त्रियाँ घर के समीप ही रहें, और (वस्त्र-अग्न-पानं देयम्) उन्हें वस्त्र, अन्न, पीने की वस्तुएँ देते रहें ॥ १८८ ॥

एनस्त्वभिरनिर्णिगृह्यतेनार्थं किञ्चित्साधयेत् ।

कृतनिर्णयानां च न जुगुप्सेत कहिञ्चित् ॥ १८९ ॥

(अनिर्णिगृह्यतेः एनस्त्वभिः सह) प्रायश्चित्त नहीं किये हुए पापकर्ताओं के साथ (किञ्चित् अर्थं न साधयेत्) किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए (च) और (कृतनिर्णयान् कहिञ्चित् न जुगुप्सेत) प्रायश्चित्त किये हुएों से कभी घृणा न करे—उनकी निन्दा न करे ॥ १८९ ॥

बालघ्नाश्च कृतघ्नाश्च विजुह्वानपि वर्जितः ।

शरणागतहन्तुश्च स्त्रीहन्तुश्च न संबन्धेत् ॥ १९० ॥

(बालघ्नान् कृतघ्नान् शरणागतहन्तुन्) बालकों के हत्यारे, कृतघ्न, शरणा-

गतों के हत्यारे, स्त्रियों के हत्यारे, इनके (धर्मतः विशुद्धान् + अपि) धर्मानुसार शुद्ध हो जाने पर भी (न संवसेत्) इनसे संसर्ग न करे ॥ १६० ॥

अनुशीलन : ११।५४ से १६० तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनके 'आधार' निम्नलिखित हैं—

१. अन्तर्विरोध—महापातक एवं उपपातकों के वर्गीकरण और प्रायश्चित्त-निश्चय का यह प्रसंग मौलिक सिद्ध नहीं होता। इस प्रसंग का पूर्वोक्त मनुस्मृति की व्यवस्थाओं से तालमेल न होकर अनेक प्रकार से विरोध है—

(१) यहां चार प्रकार के अपराधियों को विशिष्ट अपराधी मानकर 'महापातकी' की संज्ञा दी है किन्तु हत्या प्रसंग [८।२७८-३००] में ब्रह्महत्या का, चोरी-प्रसंग में [८।३०१-३४३] स्वर्ण की चोरी का, परस्त्रीगमन प्रसंग में [८।३५२-३८७] गुरुपत्नीगामी का पृथक् से विशिष्ट अपराधी के रूप में कोई उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि यह विभाजन मनु का मौलिक नहीं है। यदि यह विभाजन मौलिक होता तो उक्त प्रसंगों में इनके लिए विशिष्ट दण्ड की व्यवस्था होती।

(२) ८।३८६ में विशिष्ट अपराधियों की गणना करते हुए चोर, परस्त्रीगामी, दुष्टवाक्, लुटेरा और हत्यारा, इन व्यक्तियों को भी समाविष्ट किया है, और राजा को इन पर विशेष नियन्त्रण रखने का आदेश है। यहाँ चार महापातकियों का परिगणन उक्त श्लोक से भिन्न है और अपराध के आधार पर विभाजन न करके व्यक्तिपरक आधार लिया है, जैसे—परस्त्रीगमन में अपराध का आधार न लेकर केवल गुरुपत्नीगामी को ही विशिष्ट अपराधी माना है। हत्यारा मात्र होना आधार न मानकर केवल ब्रह्महत्यारे को और प्रत्येक चोर को नहीं, अपितु केवल स्वर्ण की चोरी करने वाले को ही महापातकी माना है। यह विभाजन पिछले विभाजन से पृथक् है और इसकी आधार पद्धति भी भिन्न है।

(३) यहां स्वर्णचोर को महापातकी और रजत आदि चुराने वाले को उपपातकी मानकर दोनों के लिए भिन्न-भिन्न दण्डों की व्यवस्था दी है, जबकि ८।३२१-३२२ में इनकी चोरी को समान मानकर समान दण्ड की व्यवस्था है। और यहाँ दोनों के दण्ड में कोई संतुलन न होकर दिन-रात का अन्तर है। स्वर्णचोर के लिए बारह वर्ष तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करने का आदेश है [११।१०१]; और रजत, मोती आदि चुराने वाले के लिए केवल बारह दिन चावल खाकर रहने का विधान है [११।१६७]। एक स्थान पर तो दोनों को समान स्तर का चोर माना है और दूसरे स्थान पर रजत चोर को अत्यन्त सामान्य चोर मानकर उसके लिए दण्ड भी नाममात्र है !

(४) (क) २१० से २२६ श्लोकों में मनु ने प्रायश्चित्त के क्रतु बतलाते हुए कहा है कि इन उपायों से पापियों की शुद्धि करें; किन्तु ७२ से १०४, १०८ से ११६

११८ से १२३, १२६ से १३८, १४० से १५३, १५६, १६०, १६५, १६७, १६८, १७०, १७२, १७४, १७५, १७८, १८२ से १८८ श्लोकों में प्रायश्चित्त के लिए जिन व्रत या विधियों का कथन है, वे उक्त व्रतों से भिन्न हैं। मनु के अनुसार तो इन्हीं व्रतों में से प्रायश्चित्त के लिए व्रत निश्चित किये जाने चाहियें थे। यह भिन्नता मनु के विधान से विरुद्ध है, और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विहित है।

(ख) ६० में मुरा पीने का प्रायश्चित्त मुरापान से बताया है। क्या कभी पाप से ही पाप की निवृत्ति होती है? यह ऋषि-विहित विधान नहीं हो सकता।

(५) २२६ से २३३ श्लोकों से यह स्पष्ट है कि प्रायश्चित्त मृत्युकारक नहीं होता चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य शेष जीवन में पुनः उस पाप को न करे। आगे आने वाले समय में अपराधों की ओर से सावधान रहने के लिए और किये हुए अपराध पर पश्चात्ताप करने के लिए प्रायश्चित्त होता है, यह उक्त श्लोकों से सिद्ध है। इस प्रसंग में महापातकियों को मृत्यु के रूप में [७३, ७६, ८६, ९०, ९१, १००, १०३, १०४, १४६] प्रायश्चित्त विहित है; जो मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है।

(६) ५६ वें श्लोक में झूठी साक्षी को मुरापान के समान महापातक मानकर ८८ वें श्लोक में उसका प्रायश्चित्त ब्रह्महत्या का ही प्रायश्चित्त कहा है, जबकि ८।११६ से १२२ श्लोकों में झूठी साक्षी के अपराध में कुछ अधिक दण्ड ही विहित है। उसमें और इस दण्ड में दिन-रात की असमानता है। ८।११६-१२२ श्लोकों में झूठी साक्षी का महापातक के रूप में कोई विशिष्ट रूप से उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता है कि यहाँ यह विभाजन मनुकृत नहीं है।

(७) इसी प्रकार धरोहर हड़पने के अपराध के प्रायश्चित्त में और अष्टम अध्याय में विहित दण्ड में भी पर्याप्त असमानता है और न वहाँ इस अपराध का महापातक के रूप में उल्लेख है [११।५७, ८८ ॥ ८।१७६-१८६]।

(८) ६२ वें श्लोक में द्रव्य लेकर पढ़ाना उपपातक माना है, जबकि २।१४१ में इस प्रकार के अध्यापक को 'उपाध्याय' संज्ञा देकर द्रव्य लेकर पढ़ाने के विधान का संकेत है। २।१०६ में तो स्पष्ट शब्दों में 'द्रव्यदाता' को पढ़ाने का कथन है।

(९) हत्या-अभियोग के प्रसंग [८।२७८-३००] में मनु ने सभी व्यक्तियों के लिए एक-जैसा विधान किया है और उनकी दण्डव्यवस्था भी समान है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-हत्या के लिए कम-अधिक प्रायश्चित्त का विधान उस व्यवस्था-पद्धति से भिन्न है तथा भेदभावपूर्ण है।

(१०) इस प्रसंग में अनेक स्वार्थी पर प्रायश्चित्त में दान देने का विधान है। ७६ वें श्लोक में तो स्पष्ट आदेश है कि अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान देने से ब्रह्म-हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। यह मनु-मत के विपरीत है। मनु ने ब्राह्मणों को केवल सत्प्रतिग्रह लेने का ही विधान किया है [२।१६० ॥ ४।१६०], असत्प्रतिग्रह

निषिद्ध ही नहीं अपितु निन्दित माना है, और इसी अध्याय में असत्यप्रतिग्रह लेने वालों के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है [१६३-१६६]। इससे स्पष्ट है कि अपराधी लोगों से ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार नहीं है, अतः इस प्रसंग में वर्णित सम्पूर्ण दानविधि भ्रमीलिक है।

(११) ६। २२५ में शराबों के लिए केवल 'देशनिकाला' दण्ड का विधान है और यहाँ मृत्युकारक प्रायश्चित्त [६०, ६१, १४६] विहित है। दोनों व्यवस्थाओं में पर्याप्त अन्तर और विरोध है। इस प्रकार ये अन्तर्विरोध इस सम्पूर्ण प्रसंग को भ्रमीलिक और प्रक्षिप्त सिद्ध करते हैं।

२. अवान्तरविरोध—इस प्रसंग में पातकों के विभाजन तथा उनकी दण्ड-व्यवस्था में पुनर्वक्तियाँ, असंतुलन, परस्परविरुद्धता और अत्यधिक विमृश्लता है। इससे यद्ग सिद्ध होता है कि यह प्रसंग न तो मौलिक है और न किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित है तथा न किसी विद्वान् व्यक्ति द्वारा रचित है। इस प्रसंग में निम्न त्रुटियाँ हैं—

(१) ५४ वें श्लोक में मद्यपान को महापातक माना है, और ६६ वें श्लोक में मद्यप की गणना उपपातकियों में है।

(२) दण्डों के विकल्पों में अत्यधिक असमानता है, जो बुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होती; जैसे—(क) ६०, ६१, १४६ श्लोकों में मदिरा पीने पर मृत्यु द्वारा ही शुद्धि मानी है, और ६२ वें श्लोक में उसके विकल्प में एक वर्ष तक चावल पर रहना ही विहित है। (ख) ७३ वें श्लोक में ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त मृत्यु विहित है, और ८२-८३ में अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों और राजा के समक्ष अपना पाप कहकर स्नान कर लेना मात्र ब्रह्महत्या को दूर करने वाला प्रायश्चित्त कहा है। (ग) गुरुस्त्रीगामी के लिए १०३, १०४ श्लोकों में मृत्यु का प्रायश्चित्त बताया है, और १०६ में केवल तीन मास तक हविष्य और नीवार से आग्नेयायणव्रत करने से उक्त महापातक की शुद्धि मान ली। इस प्रकार इन विकल्पों में कोई संतुलन और तालमेल नहीं है।

(३) ५५ वें श्लोक में असत्यभाषण को महापातक मानकर ब्रह्महत्या के समान माना है, और ६६ वें श्लोक में असत्यभाषण को साधारण-सा अपराध 'अप्रात्रीकरण' माना है।

(४) ५६ वें श्लोक में 'वेदनिन्दा' को महापातक माना है, जबकि ६६ वें श्लोक में 'नास्तिकता' को उपपातक माना है। मनु के मत में वेदनिन्दा ही नास्तिकता है [“नास्तिको वेदनिन्दकः” (२। ११)]।

(५) ५५-५७ श्लोकों में अनेक अपराधों को महापातकों के समान गिना है किन्तु महापातकों के प्रायश्चित्त-विधान प्रसंग [८६ से १०६] में उनका प्रायश्चित्त वर्णित नहीं है, वे हैं—अपनी उन्नाति के लिए झूठ बोलना, राजा के सामने चुगली

करना, वेदत्याग, वेदनिन्दा, निन्दित तथा अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण, मनुष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, वज्र और मणियों की चोरी।

(६) इसी प्रकार कुछ अपराधों को महापातकों के प्रसंग [५४-५८] में नहीं गिना, किन्तु इनके प्रसंग में उनका प्रायश्चित्त विहित है; वे हैं—गर्भपात, यज्ञ करते हुए क्षत्रिय और वैश्य की हत्या, राजस्वला स्त्री की हत्या एवं स्त्री-हत्या [८७-८८]।

(७) ६६ वें श्लोक में स्त्री-हत्या को उपपातक माना है, किन्तु ८८ वें श्लोक में उसे महापातक मानकर स्त्री-हत्यारे के लिए ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त विहित है।

(८) ५६ वें श्लोक में निन्दित और अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण को महापातक के समान माना है और ६४ वें श्लोक में उपपातक माना है।

(९) ५७ वें श्लोक में मनुष्य, घोड़ा, चाँदी आदि की चोरी को महापातक के समान माना है और उनका प्रायश्चित्त अत्यन्त साधारण कहा है [१६३, १६७]। आश्चर्य की बात तो यह है कि स्वर्ण की चोरी करने पर तो ब्रह्महत्या का बारह वर्ष तक प्रायश्चित्त है और मनुष्यों तथा स्त्रियों की चोरी करने पर केवल चाम्पायणव्रत ही प्रायश्चित्त माना है [१६३]। इसी श्लोक में मनुष्यों और स्त्रियों की चोरी तथा कूर्म और बावड़ी के जल की चोरी को भी समान माना है !

(१०) एक ही प्रसंग में तीन स्थानों पर [५७, ६५, ६६] चोरी का परिगणन किया गया है; जो अनावश्यक है।

(११) वेदत्याग, वेदपाठ-त्याग, निन्दा और नास्तिकता, जो कि मनु के विचार में एक नास्तिकता के अन्तर्गत ही आते हैं [२। ११], उनका इस प्रसंग में तीन बार उल्लेख है [५६, ५६, ६६]।

(१२) इसी प्रकार उपपातकों के एक ही प्रसंग में अग्निहोत्र-त्याग के अपराध का दो बार परिगणन है [५६, ६५]।

(१३) इसी प्रकार परस्त्रीगमन, कन्यादूषण, व्रतलोप, स्त्रीसेवन आदि एक ही प्रकार की बातों का केवल उपपातक प्रसंग में ही तीन बार उल्लेख है, [५६, ६१, ६६]।

(१४) कन्यादूषण को ५६ में महापातकों के अन्तर्गत गिना है, और ६१ में उपपातकों के अन्तर्गत।

(१५) पातकों के परिगणन-क्रम में और उनके प्रायश्चित्त वर्णन-क्रम में ताल-मेल नहीं है। गणना के अनुसार महापातकी, उनके संसर्गियों के प्रायश्चित्त, उपपातकी जातिभ्रंशकर, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलावह, इस क्रम से प्रायश्चित्त विधान होना चाहिए, किन्तु इसमें अत्यधिक बिभ्रंखलता है और संसर्गियों के लिए सबसे अन्त में फल-विधान किया है। १२६ से १७६ श्लोकों का वर्णन परिगणन क्रम के आधार पर १२४ से पूर्व होना चाहिए था। फलकथन का प्रसंग इतना बिभ्रंखलित है कि परि-

गणनक्रम के अनुसार उसमें बहुत कम प्रायश्चित्त क्रमबद्धरूप से मिलते हैं। ५४ वें श्लोक से तो यह संकेत मिलता है कि केवल महापातकियों का संसर्ग ही महापातक है, किन्तु संसर्गों का प्रयश्चित्त सभी अपराधों के बाद देकर सभी अपराधियों के संसर्गों को पातक का रूप दे दिया है।

(१६) स्त्री-वध को उपपातकों के अन्तर्गत माना है, और उसका प्रायश्चित्त महापातकों के समान महापातकों के प्रसंग में दिया है [६६, ८८]।

(१७) असंतुलन का अत्यधिक आश्चर्यपूर्ण उदाहरण १३१ वां श्लोक है, जिसमें शूद्र के जीवन को विलास, नेवला, मेंढक, कुत्ता, उल्लू आदि के समानस्तर का मानकर इन सबकी हत्या पर एक ही प्रायश्चित्त विहित किया है।

(१८) एक अपराध का एक स्थान पर ही प्रायश्चित्त होना चाहिए, किन्तु इस प्रसंग में एक ही अपराध का कई-कई स्थानों पर प्रायश्चित्त विहित है और वह भी भिन्न-भिन्न। जैसे—(क) सर्पहत्या को 'संकरीकरण' पाप मानकर १२५ वें में चान्द्रायणव्रत उसका प्रायश्चित्त विहित है। पुनः १३३, १३६ में उससे भिन्न प्रायश्चित्तों का विधान है। (ख) घोड़ा, हाथी, भेड़, गधा आदि की हत्या का ६८, १२५ में भी प्रायश्चित्त है, और १३६ में भी। (ग) मद्य के साथ के पदार्थों के भक्षण का प्रायश्चित्त ७०, १२५ में भी है, और उससे भिन्न १४७-१४६ में भी। (घ) फल आदि की चोरी का प्रायश्चित्त ७०, १२५ में भी है, और उससे भिन्न १६५ में भी। इन सभी की गणना दो-दो बार पृथक्-पृथक् अपराधों के नाम से की गई है, जो किसी एक रचयिता द्वारा असम्भव है।

(१९) १६० वें श्लोक में कहा है कि—कृतघ्न, शरणागत के हत्यारे यदि प्रायश्चित्त भी कर चुके हों तो भी इनके साथ व्यवहार न करें, जबकि इन दोनों अपराधों का पिछले पातकों में कहीं भी उल्लेख नहीं है।

(२०) प्रायश्चित्तविधान प्रसंग में मनु की शैली में चार प्रसंग प्रारम्भ किये हैं, वे हैं—१२६-१४५ में हिंसाजन्य पापों का प्रायश्चित्त, १४६-१६० में अभक्ष्यभक्षण का, १६१-१६८ में चोरी का, १६९-१७८ में अग्रभ्यागमन का प्रायश्चित्त कहा है, और इन चारों प्रसंगों की समाप्ति का संकेत १७९ में है, किन्तु अपराधगणना प्रसंग में इस क्रम या नाम से इन प्रसंगों का परिगणन कहीं नहीं है।

३. प्रसंगविरोध—प्रायश्चित्त-विषयक प्रसंग का संकेत देने वाला श्लोक ४४ वां है। इसमें स्पष्ट शब्दों में तीन बातों का संकेत दिया है—

(क) विहित कर्मों को न करने पर,

(ख) निन्दित कर्म करने पर, और—

(ग) इन्द्रियविषयों में आसक्त होने पर अर्थात् आलस्य, कामवासना आदि में पड़ने से मनुष्य प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

उक्त श्लोकों में जो संकेत दिये हैं, अग्रिम प्रसंग में इनके आधार पर वर्णन नहीं है; जबकि मनु की शैली के अनुसार संकेत-श्लोक के अनुसार ही अग्रिम वर्णन होना चाहिए। अग्रिम प्रसंग को ध्यानसे देखने से यह दो भिन्न प्रसंगों में विभाजित हुआ प्रतीत होता है। पहला प्रसंग ५४ से १६० श्लोक तक है, और दूसरा १६१ से २०६ श्लोक तक। पहले प्रसंग की समाप्ति का संकेत १७६ में दिया है और फिर अपराधियों के संसर्ग करने वालों के लिए विधान है, और १८६-१९० में इस प्रथम प्रसंग का उपसंहार है।

अब यहां विचारणीय बात यह है कि जब अपराधों के प्रायश्चित्त का एक प्रसंग समाप्त हो गया तो पुनः १६१ से प्रायश्चित्त वर्णन प्रारम्भ करने का क्या तुक था? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह द्वितीय प्रसंग ही मौलिक है और प्रथम प्रसंग प्रक्षिप्त है। इसमें निम्न युक्तियां हैं—

(१) प्रथम प्रसंग [५४-१६० तक] अनेक आधारों पर अमौलिक और प्रक्षिप्त सिद्ध हो रहा है और शैली की दृष्टि से भी मनु-प्रोक्त नहीं लगता।

(२) यह प्रथम प्रसंग संकेत-श्लोक ४४ के अनुसार नहीं है। उसका प्रारम्भ भी मनु की शैली में नहीं है। मनु की शैली के अनुसार, पातकों की गणना से पूर्व उसको कहने का संकेत होना चाहिए था।

(३) द्वितीय प्रसंग मनु के संकेत-श्लोक ४४ वें के अनुसार नहीं है। इस प्रसंग में १६१ वां श्लोक “अकुर्वन् विहितं कर्म” का दिग्दर्शन है। १६२-१६६ श्लोक “निन्दितं च समाचरन्” के और २०३ श्लोक “प्रसक्तश्चेन्निघ्नायैव” का दिग्दर्शन है। शेष सभी अपराधों का प्रायश्चित्त शक्ति और काल के आधार पर करने के लिए संकेत करके [२०६] इस प्रसंग को संक्षेप में समाप्त कर दिया है।

(४) १६२ वें श्लोक के शब्द इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनु ने इस प्रसंग को संक्षेप में वर्णित करके समाप्त किया है, और ५४ से १६० श्लोकों के विस्तृत वर्णन का मौलिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस श्लोक में मनु ने सभी विकर्मस्थ (निन्दित या व्यवस्था-विरुद्ध कर्म करने वाले) लोगों के लिए एक ही पद द्वारा—“प्रायश्चित्तं विकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः” कहकर सामान्य विधान कर दिया है। यदि मनु को एक-एक अपराध की गणना का और उसके विस्तृत प्रायश्चित्त वर्णन का अभीष्ट होता तो वे एक ही पद में सभी व्यक्तियों को और सभी निन्दित कर्मों को एकत्र समा-हृत नहीं करते। इस श्लोक से यही सिद्ध है कि प्रथम प्रसंग अमौलिक है और द्वितीय प्रसंग मौलिक है।

इस प्रकार प्रसंगविरोध के आधार पर यह प्रसंग असंगत सिद्ध होता है। प्रसंगानुसार ५३ वें श्लोक के पश्चात् १६१ वां श्लोक होना चाहिए। बीच के ये सभी श्लोक अप्रासंगिक हैं।

४. शैलीगत आधार—सम्पूर्ण प्रसंग में महापातक एवं उपपातक तथा अन्य

पातकों के विभाजन और उनकी दण्ड-व्यवस्था में अत्यधिक विशृङ्खलता तथा असंतुलन-युक्त शैली है। इनका विभाजन भी निराधार है। इसी प्रकार इस प्रसंग की वर्णनशैली अतिशयोक्तिपूर्ण, निराधार और अयुक्तियुक्त है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं। अतः यह प्रसंग प्रक्षिप्त है।

प्रायश्चित्त का प्रायश्चित्त—

येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि ।

तद्विचारयित्वा त्रीन्कृच्छ्रान्यथाविध्युपनाययेत् ॥ १६१ ॥ (६)

(येषां द्विजानां सावित्री) जिन द्विजों का यज्ञोपवीत संस्कार (यथा-विधि) उचित समय [इस संस्करण में २। ११-१३] पर (न+अनूच्येत) नहीं हुआ हो, (तात्) उनको (त्रीन् कृच्छ्रान् चारयित्वा) तीन कृच्छ्र व्रत [११। २१२] कराके (यथाविधि+उपनाययेत्) विधिपूर्वक उनका उपनयन संस्कार कर देना चाहिए ॥ १६१ ॥

निन्दित कर्म करने वालों का प्रायश्चित्त—

प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः ।

ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत् ॥ १६२ ॥ (७)

(विकर्मस्थाः तु ये द्विजाः) अपने धार्मिक कर्तव्यों का त्याग कर देने और निन्दित कर्म करने पर जो उपनयनयुक्त द्विज (प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति) प्रायश्चित्त करके अपने को शुद्ध करना चाहते हैं (च) और (ब्रह्मणा परित्यक्ताः) वेदादि के त्यागने पर जो प्रायश्चित्त करके शुद्ध होना चाहते हैं (तेषाम्+अपि+एतत्+आदिशेत्) उन्हें भी पूर्वोक्त व्रत [११। १६१] करने को कहें ॥ १६२ ॥

विचारयित्वा

यथाविधि

प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्तं

प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त का विचार [यत् धनम्+अर्जयन्ति] जो धन इकट्ठा करते हैं (तस्य उत्सर्गेण) उस धन के लौटाने, (च) और उसके बाद (तपसा जप्येन एव शुद्धयन्ति) तप और जप [११। १६४-१६६] करने से शुद्ध होते हैं ॥ १६३ ॥

अपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः ।

मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुष्यतेऽसत्प्रतिग्रहात् ॥ १६४ ॥

ब्राह्मण (समाहितः) एकाग्र होकर (त्रीणि सहस्राणि सावित्र्याः अपित्वा) तीन हजार गायत्री मन्त्र जपकर, और (गोष्ठे मासं पयः पीत्वा) गोशाला में रहते हुए एक

मास तक गी के दूध पर रहकर (असत् प्रतिग्रहात् मुच्यते) निन्दित दान लेने के अपराध से मुक्त होता है ॥ १६४ ॥

उपवासकृशं तं तु गोवजात्पुनरागतम् ।

प्रणतं प्रति पृच्छेयुः साम्यं सौम्येच्छतीति किम् ? ॥ १६५ ॥

(उपवासकृशं गोवजात् पुनः + प्रागतम्) केवल दूध लेने के उपवास से दुर्बल हुए, गोशाला से वापस लौटे, (तं प्रणतं प्रति पृच्छेयुः) उस प्रायश्चित्तकर्ता विनम्र ब्राह्मण से अन्य ब्राह्मण पूछें कि ('सौम्य ! किं साम्यम् + इच्छसि' इति) 'हे सौम्य ! क्या हम लोगों के समान होना चाहते हो ?' ॥ १६५ ॥

सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु विकिरेद्यवसं गवाम् ।

गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिग्रहम् ॥ १६६ ॥

(विप्रेषु सत्यम् + उक्त्वा तु) वह प्रायश्चित्त करके लौटने वाला ब्राह्मण उनके प्रश्न के उत्तर में 'हां मैं आगे निन्दित उपायों से धनसंग्रह नहीं करूंगा' इस प्रकार सत्य प्रतिज्ञा करके, फिर (गवां यवसं विकिरेत्) गौश्रों के आगे चारा डाले, ब्राह्मण फिर (गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे तस्य परिग्रहं कुर्युः) गौश्रों के बैठने के स्थान या आने-जाने के मार्ग पर उसका पुनः ग्रहण [=जाति में मिलाना] करें ॥ १६६ ॥

अनुशीलन : ये चार (१०।१६३—१६६) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रसिद्ध हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) १०।१६१ वें श्लोक में यज्ञोपवीत-संस्कार से हीन द्विजों के लिए तीन कृच्छ्र व्रतों का विधान प्रायश्चित्तरूप में किया है। श्रौर १६२ वें श्लोक में भी 'एतद्विशिष्टम्' कहकर उन्हीं का संकेत किया है। केवल ब्राह्मण की शुद्धि के उपायों का कथन प्रसंगविरुद्ध है। (२) १६२ से सभी व्यक्तियों के सभी विकर्मों या कर्मों के अपालन का कथन हो गया है। अतः यहां ब्राह्मण के कर्मों की गणना की

तथा वैश्य तीनों वर्णों का ग्रहण होता है, और द्विजों के प्रायश्चित्त से ब्राह्मण का भी प्रायश्चित्त हो जाता है, तो पृथक् से ब्राह्मण के लिए एक नवीन विधान करना मौलिक नहीं कहा जा सकता। श्रौर ब्राह्मण के लिए यदि पृथक् व्यवस्था की गई है, तो फिर क्रम से क्षत्रियादि के लिए भी पृथक् व्यवस्था होनी चाहिये थी। श्रौर यदि पृथक् वर्णों के लिए मनु को प्रायश्चित्त विधान अभीष्ट होता तो द्विजों की सामान्य व्यवस्था किस के लिए होगी? यदि ब्राह्मण [१६३] जप, तप से शुद्ध हो जाता है तो कृच्छ्रव्रतों की ब्राह्मण के लिए आवश्यकता नहीं है? अतः ये दोनों विधान परस्पर सम्भव के बिना विरोधी हो जायेंगे।

३. पुनरुक्त—मनु ने ११।२२५-२२६ श्लोकों में गायत्री आदि मन्त्रों के जप से द्विजों की शुद्धि मानी है। और २२७ में तप आदि साधन भी लिखे हैं। फिर यहां ब्राह्मण के लिए [१६३-१६४] जप, तप से शुद्धि का विधान पुनरुक्त होने से माग्य नहीं हो सकता। और जप-तप से भिन्न—यज्ञ करना, अहिंसादि का पालन करना [२२२] अपने दोष को कहने और वेदाभ्यासादि करना [२२७], क्या ब्राह्मण के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है? अतः द्विजों के प्रायश्चित्त से ब्राह्मण का पृथक् प्रायश्चित्त विधान पुनरुक्त एवं पक्षपातपूर्ण है।

४. शैलीविरोध—१६४ वें में कहा है कि ब्राह्मण प्रायश्चित्त के लिए गोशाला में जाकर एक मास तक दूध पीये, और १६६ में कहा है कि गायों के आने-जाने का स्थान तीर्थ होता है, वहां जाकर ब्राह्मण की शुद्धि होती है। इस प्रकार की अयुक्तियुक्त एवं पक्षपातपूर्ण बातें मनुप्रोक्त कदापि नहीं हो सकतीं। गाय के दूध में बहुत गुण हैं, और गायों की सेवा करना उत्तम कार्य है, परन्तु गायें जिस स्थान पर बैठती हैं, अथवा जिस स्थान से आती-जाती हैं, उस स्थान को तीर्थ—शुद्धि का स्थान मानना पौराणिक कल्पना होने से मिथ्या है।

अन्य विविध प्रायश्चित्त—

ब्राह्मणानां याजनं कृत्वा परेषामन्यकर्म च।

अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहति ॥ १६७ ॥

(ब्राह्मणानां याजनम्) ब्राह्मणों का यज्ञ, (परेषाम्+अन्यकर्म) परायों अर्थात् अन्यजनों का अन्येष्विष्ट कर्म, (अभिचारं च अहीनं कृत्वा) मारण, मोहन, उच्चाटन आदि अभिचार कर्म, और 'अहीन' नामक यज्ञ करके (त्रिभिः कृच्छ्रैः व्यपोहति) तीन कृच्छ्र क्रतुओं [११। २११] से शुद्ध होता है। १६७ ॥

शरणागतं परित्यज्य वेदं विप्लाव्य च द्विजः।

संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेवति ॥ १६८ ॥

(शरणागतं परित्यज्य) शरणागत का त्याग करके (च) और (वेदं विप्लाव्य) वेद पढ़ने के अनधिकारी को वेद पढ़ाकर (संवत्सरं यवाहारः) एक वर्ष तक जौ का भोजन करने पर (तत् पापम्+अपसेवति) उस पाप को दूर करता है ॥ १६८ ॥

श्वभृगालखरैर्वष्टो ग्राम्यैः क्रव्याद्भिरेव च।

नराश्वोष्ट्रचराहैव प्राणायामेन शुच्यति ॥ १६९ ॥

(श्व-भृगाल-खरैः ग्राम्यैः क्रव्याद्भिः नर-अश्व-उष्ट्र-चराहैः च दष्टः) कुत्ता, गीदड़, गधा, गांव के मांसभक्षी पशु बिल्ली आदि, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट और सूअर के काटने पर (प्राणायामेन शुच्यति) मनुष्य प्राणायाम करवे से शुद्ध हो जाता है ॥ १६९ ॥

वष्टात्मकालता मासं संहिताजप एव वा ।

होमाश्च सकला नित्यमयाङ्कयानां विशोधनम् ॥ २०० ॥

(अपाङ्कयानां विशोधनम्) पंक्तिबाह्य [३।१५०-१६६] मनुष्यों की शुद्धि (मासं वष्ट-अन्न-कालता) एक मास तक छठे जून = भोजन समय भोजन करने से (वा) अथवा (संहिताजपः) एक संहिता का जप करने से (च) और (नित्यं सकलाः होमाः) प्रतिदिन सभी पञ्चयज्ञों के करने से होती है ॥ २०० ॥

उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः ।

स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुष्यति ॥ २०१ ॥

(विप्रः) द्विज (कामतः) इच्छापूर्वक (खरयानम्) गधा-गाड़ी (च) और (उष्ट्र-यानं समारुह्य) ऊंटगाड़ी पर चढ़कर, और (दिग्वासाः स्नात्वा) नंगे होकर स्नान करके (प्राणायामेन शुद्धयति) प्राणायाम करने से शुद्ध होता है ॥ २०१ ॥

विनाङ्गिरप्सु वाप्यार्तः शारीरं सन्निवेश्य च ।

सर्वलो बहिराप्सुत्य गामालम्ब्य विशुष्यति ॥ २०२ ॥

(आर्तः) रोगी मनुष्य (विना+अङ्गिरः वा अप्सु अपि) जल के बिना अथवा जल में (शारीरं सन्निवेश्य) शरीर से उत्पन्न मल-मूत्र करके (बहिः सर्वलः आप्लुत्य) गांव से बाहर वस्त्रसहित स्नान करके (गाम्+आलम्ब्य विशुद्धयति) गौ का स्पर्श करने से शुद्ध होता है ॥ २०२ ॥

अनुशीलनः : १६७ से २०२ श्लोक प्रसंगविरोध, विषयविरोध, अन्त-विरोध एवं वीलीगत आधार पर प्रक्षिप्त हैं। इनकी समीक्षा ११।२०४-२०८ श्लोकों पर एकत्र रूप में देखिये।

वेदोक्त कर्मों के त्याग का प्रायश्चित्त—

वेदोक्तानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे ।

स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥ २०३ ॥ (८)

(वेदोक्तानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे) वेदोक्त नैतियक [अग्नि-होत्र, संध्यानासन आदि] कर्मों के न करने पर (च) और (स्नातकव्रत-लोपे) ब्रह्मचर्यावस्था में व्रतों [भिक्षाचरण आदि] के न करने पर (अभो-जनं प्रायश्चित्तम्) एक दिन उपवास रखना ही प्रायश्चित्त है ॥ २०३ ॥

अनुशीलनः : तुलनायं द्रष्टव्य है २।१६५ [२।२२०] श्लोक ।

ब्राह्मण को फटकारने और मारने पर प्रायश्चित्त—

हुङ्गुरं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वङ्कारं च गरीयसः ।

स्नात्वाऽनश्नन्महः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥ २०४ ॥

(ब्राह्मणस्य हुङ्कारं उक्त्वा) ब्राह्मण को 'हूं ऊं ऊं.....' शब्दोच्चारण से फटकार कर, (गरीयसः त्वम्-कारम्) बड़ों को 'तू' कहकर (स्नात्वा) स्नान करके (शेषम् ग्रहः प्रनस्नन्) शेष दिन में बिना खाये रहे और (अभिवाद्य प्रसादयेत्) उन्हें अभिवादनपूर्वक प्रसन्न करे ॥ २०४ ॥

ताडयित्वा तृणैर्नापि कण्ठे वाऽऽवध्य वाससा ।

विशये वा विनिजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ २०५ ॥

(तृणेन + अपि ताडयित्वा) ब्राह्मण को गन्ध वर्णस्य द्विज तिनके से भी मारकर (वा) या (कण्ठे वाससा + आवध्य) गले में बाड़ा डाल लीचकर (वा) ग्रथवा (विवादे विनिजित्य) विवाद में जीतकर (प्रणिपत्य प्रसादयेत्) उसके चरणों में नमस्कार करके प्रसन्न करे ॥ २०५ ॥

अवगूर्यं त्वद्वशतं सहस्रमभिहत्य च ।

जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥

मनुष्य (ब्राह्मणस्य जिघांसया) ब्राह्मण को मारने की इच्छा से (अवगूर्यं + तु अद्वशतम्) दंडा उठाकर सौ वर्ष तक (च) और (अभिहत्य सहस्रम्) दंडा मारकर एक हजार वर्ष तक (नरकं प्रतिपद्यते) नरक में पड़ा रहता है ॥ २०६ ॥

शोणितं यावतः पांसूस्संगृह्णाति महीतले ।

तावन्त्यवसहस्राणि तत्कर्त्ता नरके वसेत् ॥ २०७ ॥

(शोणितम्) मारने पर ब्राह्मण के शरीर से निकला हुआ खून (महीतले) धरती पर पड़कर (यावतः पांसून् संगृह्णाति) जितने घूलिकणों को गीना करता है (तावन्ती + अवसहस्राणि) उतने ही हजार वर्ष तक (तत्कर्त्ता नरके वसेत्) मारने वाला नरक में रहता है ॥ २०७ ॥

अवगूर्यं चरेरकृच्छ्रमतिकृच्छ्रं निपातने ।

कृच्छ्रातिकृच्छ्री कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम् ॥ २०८ ॥

(विप्रस्य अवगूर्यं) ब्राह्मण को मारने की इच्छा से दण्डा उठाकर (कृच्छ्रं चरेत्) कृच्छ्र व्रत [११।२।११] करे, (निपातने अतिकृच्छ्रम्) मारने पर अतिकृच्छ्र व्रत [११।१२३] करे, और (शोणितम् उत्पाद्य कृच्छ्र-अतिकृच्छ्री कुर्वीत) रक्त बहाकर कृच्छ्र और अतिकृच्छ्र दोनों व्रत करे ॥ २०८ ॥

अनुयत्नः : ११।२०४ से २०८ तक के श्लोक निम्न अध्यायों के अनुसार प्रसिद्ध हैं—

१. प्रसंगविरोध—संकेतश्लोक ११।४४ के अनुसार इस प्रसंग के १६१-१६२, २०३ श्लोक ही मौलिक एवं प्रासंगिक सिद्ध होते हैं, शेष अप्रासंगिक हैं। [देखिए ५४ से १६० श्लोकों पर प्रसंगविरुद्ध समीक्षा] ।

२. विषयविरोध—इस प्रसंग के १६८, १६९-२०२, २०४ श्लोकों के वर्णन ४४ श्लोक में निदिष्ट विषय के अनुरूप न तो पाप हैं और न पापरूप में पूर्ववर्णित हैं। अतः विपर्ययित होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. अन्तर्विरोध—(१) १६८-२०२, २०४, २०५-२०७ श्लोकों में विधियाँ २१० से २२६ श्लोकों के अन्दर वर्णित विधियों से भिन्न हैं, अतः यह विरुद्ध वर्णन है। (२) २०५ से २०८ के प्रसंग में नरक का वर्णन मनु-विरुद्ध है। नरक की मान्यता मनु-सम्मत नहीं है [देखिए ४। ८७-९१ श्लोकों पर समीक्षा]।

४. शैलीगत आधार—२०२ की रूढ़ शैली है, २०५-२०८ की शैली पक्षपात-पूर्ण, अयुक्तियुक्त एवं निराधार अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं।

अविहित कर्मों के लिए प्रायश्चित्त-निर्णय—

अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये ।

शक्तिं चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ २०९ ॥ (९)

(अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानाम्) जिनका प्रायश्चित्त नहीं कहा है ऐसे अपराधों के (अपनुत्तये) दोष को दूर करने के लिए (शक्तिं च पापम् अवेक्ष्य) प्रायश्चित्तकर्ता की शक्ति और अपराध को देखकर (प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्) प्रायश्चित्त का निर्णय कर लेना चाहिए ॥ २०९ ॥

प्रायश्चित्तों का परिचय-वर्णन—

यैरभ्युपायैरेनांसि मानवो व्यपकर्षति ।

तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेवितान् ॥ २१० ॥ (१०)

(मानवः) मनुष्य (यैः+अभ्युपायैः) जिन उपायों से (एनांसि व्यप-कर्षति) पापों=अपराधों को [पापफलों को नहीं] दूर करता है, अब मैं (देव-ऋषि-पितृ-सेवितान्) विद्वानों, ऋषियों=तत्त्वज्ञानियों और पिता आदि वयोवृद्ध व्यक्तियों द्वारा सेवित (तान् अभ्युपायान् वः वक्ष्यामि) उन उपायों को तुमसे कहूँगा—॥ २१० ॥

अनुशीलनः : (१) मनु ने यहां देव=विद्वानों, ऋषियों, पितरों द्वारा सेवित-विहित प्रायश्चित्तों का विधान किया है [११। २११-२२५] मनुस्मृति में अनेक स्थानों पर देव-ऋषि-पितरों की मान्यताओं का उल्लेख आता है [२। १२६-१३१ (२) १५१-१५६] आदि। परम्परागतरूप में ये प्रचलित रहे हैं। देव-ऋषि-पितर शब्दों के अर्थ को समझने के लिए विशेष विवेचन ३। ८१-८२ पर देखिए।

(२) 'एनः' के अर्थ पर २। २ [२। २७] के अनुशीलन में प्रकाश डाला गया है। वहाँ द्रष्टव्य है।

(३) यह व्रतों के प्रसंग को प्रारम्भ करने का कथन करने के लिए प्रसंग-संकेतक श्लोक है ।

(४) व्रतों से पाप-फल की निवृत्ति नहीं अपितु पापकर्म अर्थात् पापभावना नष्ट होती है । देखिए सप्रमाण अनुशीलन-११। २२७ पर ।

प्राजापत्य व्रत की विधि—

अग्रहं प्रातस्त्यग्रहं सायं अग्रहमद्याचितम् ।

अग्रहं परं च नाशनीयात्प्राजापत्यं चरन्द्भिजः ॥२११॥ (११)

(प्राजापत्यं चरन् द्विजः) 'प्राजापत्य' नामक व्रत का पालन करने वाला द्विज (त्रि+अग्रहं प्रातः) पहले तीन दिन प्रातःकाल ही, (त्रि+अग्रहं सायम्) फिर तीन दिन केवल सायंकाल, (त्रि+अग्रहम् अद्याचितम् अद्यात्) उसके पश्चात् तीन दिन बिना मांगे जो भिले उसका ही भोजन करे (च) और (परं त्रि+अग्रहं नाशनीयात्) उसके बाद फिर तीन दिन उपवास रखे । [यह प्राजापत्य व्रत है] ॥ २११ ॥

अनुशीलनः : योगदर्शन में 'कृच्छ्र' आदि व्रतों का उद्देश्य—मनु-स्मृति में चित्त की अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है । इसकी पुष्टि योगदर्शन और उसके व्यासभाष्य में की गई है—“कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धि-क्षयास्तपसः” अर्थात् तप के द्वारा शरीर और इन्द्रियों की अशुद्धि दूर होकर शरीर रोगरहित और चित्त आदि इन्द्रिया निर्मल होती हैं [२।४३] ।

२। ३२ सूत्र के भाष्य में तप की व्याख्या में कृच्छ्र, चान्द्रायण आदि व्रतों को भी परिगणित किया है—“व्रतानि चैषां यथायोगं कृच्छ्र-चान्द्रायण-सान्त्वनानि ।” अर्थात् तप के अन्तर्गत कृच्छ्रव्रत, चान्द्रायणव्रत, सान्त्वनव्रत आदि व्रत भी आते हैं । इनका शरीर की अनुकूलता के अनुसार पालन करना चाहिए ।' इस प्रकार व्रतों से मानसिक पाप की अशुद्धि क्षीण होती है ।

कृच्छ्र सान्त्वन व्रत की विधि—

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम् ।

एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सांत्वनं स्मृतम् ॥ २१२ ॥ (१२)

क्रमशः एक-एक दिन (गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिः सर्पिः कुश+उद-कम्) गोमूत्र, गोबर का रस, गोदूध, गौ के दूध का दही, गोघृत और कुशा =दर्भ से उबला जल, इनका भोजन करे (च) और (एकरात्र+उपवासः) फिर एक दिन-रात का उपवास रखे, यह (कृच्छ्र-सांत्वनं स्मृतम्) 'कृच्छ्र सांत्वन' नामक व्रत है ॥ २१२ ॥

अतिकृच्छ्र व्रत की विधि—

एकैकं ग्रासमश्नीयात्प्रहाराणि त्रीणि पूर्ववत् ।

अथहं उपवसेदस्यमतिकृच्छ्रं चरन्निजः ॥ २१३ ॥ (१३)

(अतिकृच्छ्रं चरन् निजः) 'अतिकृच्छ्र' नामक व्रत को करने वाला द्विज (पूर्ववत्) पूर्व विधि [११। २११] के अनुसार (त्रि+अहाराणि त्रीणि) तीन दिन केवल प्रातःकाल, तीन दिन केवल सायंकाल, तीन दिन बिना मांगे प्राप्त हुआ (एक-एकं ग्रासम्+अश्नीयात्) एक-एक ग्रास भोजन करे (अस्यं त्रि+अहं च+उपवसेत्) और अन्तिम तीन दिन उपवास रखे । [यह 'अतिकृच्छ्र' व्रत है] ॥ २१३ ॥

तप्तकृच्छ्र व्रत की विधि—

तप्तकृच्छ्रं चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलान् ।

प्रतिश्रयहं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥ २१४ ॥ (१४)

(तप्तकृच्छ्रं चरन् विप्रः) 'तप्तकृच्छ्र' व्रत को करने वाला द्विज (उष्णान् जल-क्षीर-घृत-अनिलान् प्रतिश्रयहं पिबेत्) गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म घी और वायु प्रत्येक को तीन-तीन दिन पीकर रहे, और (सकृत्स्नायी) एक बार स्नान करे, तथा (समाहितः) एकाग्रचित्त रहे ॥ २१४ ॥

अनुशीलन : इस श्लोक में 'वायु पीना' एक मुहावरा है जिसको आजकल 'हवा के सहारे जीना' रूप में भी प्रयोग करते हैं इसका अर्थ—'बिना कुछ खाये पीये रहना' है अर्थात् अन्तिम तीन दिन बिना कुछ खाये-पीये रहे ।

पराकृच्छ्र व्रत की विधि—

यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् ।

पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सर्वपापपनोदनः ॥ २१५ ॥

(यतात्मनः+अप्रमत्तस्य) 'जितेन्द्रिय और सावधानीपूर्वक रहते हुए (द्वादश अहम्+अभोजनम्) बारह दिन तक भोजन न करना' (अयं पराकः नाम कृच्छ्रः) यह 'पराक' नामक कृच्छ्रव्रत है, (सर्वपाप अपनोदनः) यह सब पापों के संस्कारों की शुद्धि करने वाला है ॥ २१५ ॥

अनुशीलन : यह (११। २१५ वाँ) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—११। १११ वें श्लोक में तीन कृच्छ्र व्रतों का निर्देश किया है । और उनका विधान २१२ से २१४ श्लोकों में किया गया है । और २१५ वें श्लोक में उनसे भिन्न-पराक कृच्छ्र व्रत का विधान किया है, यह पूर्वोक्त निर्देश से संगत नहीं है ।

और पूर्वोक्त कृच्छ्र व्रतों से इस पराक कृच्छ्र में समानता भी नहीं है। क्योंकि उन व्रतों में बिल्कुल भोजन का परित्याग नहीं किया है, किन्तु इसमें निरन्तर १२ दिन के भोजन का निषेध करना अव्यायहारिक है। प्रायश्चित्त का अभिप्राय या उद्देश्य विशुद्धि है, जीवन समाप्त करना नहीं। अतः तीन कृच्छ्रों से भिन्न, असंगत, उनसे भिन्न प्रकार का तथा प्रायश्चित्तके उद्देश्य से हीन होने से 'पराककृच्छ्र' मनुप्रोक्त नहीं है।

२. अन्तर्विरोध—प्रायश्चित्त का उद्देश्य संस्कारों को शुद्ध करना और भविष्य में फिर उस त्रुटि को न करना है, पापों को समाप्त करना नहीं है। क्योंकि मनु की मान्यता यह है कि कृत पापों का फल अवश्य मिलता है। किन्तु इस श्लोक में कहा है कि 'पराककृच्छ्र' व्रत से सब पापों का नाश होता है। यह कथन मनुप्रोक्त नहीं हो सकता। और यह बात प्रायश्चित्त के उद्देश्य से भिन्न होने से मान्य नहीं हो सकती।

चान्द्रायण व्रत की विधि—

एकैकं ह्रासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत् ।

उपस्पृशंस्त्रिवर्णमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१६ ॥ (१५)

[पूर्णमा के दिन पूरे दिन में १५ ग्रास भोजन करके फिर] (कृष्णे एक-एक पिण्डं ह्रासयेत्) कृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास भोजन प्रतिदिन कम करता जाये, [इस प्रकार करने हुए अमावस्या को पूर्ण उपवास रहेगा, फिर शुक्लपक्ष-प्रतिपदा को पूरे दिन में एक ग्रास भोजन करके] (शुक्ले वर्धयेत्) शुक्लपक्ष में एक-एक ग्रास भोजन पूरे दिन में बढ़ाता जाये, इस प्रकार करते हुए (त्रिवर्णम् + उपस्पृशनं) तीन समय स्नान करे, (एतत् चान्द्रायणं स्मृतम्) यह 'चान्द्रायण' व्रत कहाता है ॥ २१६ ॥

यवमध्यम चान्द्रायणव्रत की विधि—

एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे ।

शुक्लपक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१७ ॥ (१६)

(यवमध्यमे) यवमध्यम विधि में अर्थात् जैसे जौ मध्य में मोटा होता है, आगे-पीछे पतला; इस विधि के अनुसार (चान्द्रायणं चरनं) 'यवमध्यम चान्द्रायणव्रत' करते हुए, व्यक्ति (शुक्ल-पक्ष-आदि-नियतः) शुक्लपक्ष को पहले करके (एतम् + एव कृत्स्नं विधिम्) इसी पूर्वोक्त [११। २१६] सम्पूर्ण विधि को (आचरेत्) करे अर्थात् शुक्लपक्ष से प्रारम्भ करके प्रथम दिन से एक-एक ग्रास भोजन बढ़ाता जाये, पूर्णिमा को पूर्ण भोजन करे। फिर कृष्णपक्ष के प्रथम दिन से एक-एक ग्रास घटाता जाये और अमावस्या के दिन निराहार रहे ॥ २१७ ॥

यति चान्द्रायण व्रत की विधि—

अष्टादशष्टौ समश्नीयात्पिण्डान्मध्यदिने स्थिते ।

नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१८ ॥

(यतिचान्द्रायणं व्रतं चरन्) 'यतिचान्द्रायण' व्रत को करने वाला व्यक्ति (नियतात्मा) जितेन्द्रिय रहकर, (हविष्याशी) हविष्य भोजन करता हुआ (मध्यदिने अष्टौ + अष्टौ पिण्डान् समश्नीयात्) मध्याह्न काल में [एक मास तक] आठ-आठ ग्रास भोजन किया करे ॥ २१८ ॥

शिशुचान्द्रायण व्रत की विधि—

चतुरः प्रातरश्नीयात्पिण्डान्विप्रः समाहितः ।

चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१९ ॥

(विप्रः) द्विज (समाहितः) व्रत में सावधान रहता हुआ (चतुरः पिण्डान् प्रातः अश्नीयात्) चार ग्रास प्रातःकाल खाये, और (चतुरः सूर्ये अस्तमिते) चार सूर्यास्त होने पर सायंकाल को खाये, (शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्) यह शिशुचान्द्रायण व्रत है ॥ २१९ ॥

अनुशीलन : ये दो (११।२१८-२१९) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—इन दोनों श्लोकों में चान्द्रायण व्रत से भिन्न बात बही है। चान्द्रायण व्रत में चन्द्र के न्यून व पूर्ण होने की भाँति भोजन की न्यूनाधिक मात्रा होती है। जैसे-जैसे चन्द्रमा घटता-बढ़ता है, वैसे-वैसे भोजन भी न्यूनाधिक करना होता है। किन्तु यहाँ उससे प्रसंबद्ध बात कही गयी है कि मध्याह्न में आठ-आठ ग्रास खाये अथवा प्रातः सायं चार-चार ग्रास खावे। और दिन में प्रातः, सायं आदि समयों से चन्द्र का कोई सम्पर्क नहीं होता, अतः इन्हें चान्द्रायण कहना भी उचित नहीं। परवर्ती किसी प्रक्षेपक ने इन्हें नामसाम्य से ही मिलाया है।

यथाकथंचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः ।

मासेनाशनहविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताम् ॥ २२० ॥

द्विज (समाहितः) एकाग्र रहकर (यथाकथंचित्) जैसे भी हो सके उसी प्रयत्न को करके (मासेन हविष्यस्य पिण्डानां तिस्रः अशीतीः अशनम्) एक मास में तीन अस्ती प्रयात् ८० × ३ = २४० ग्रास अथवा प्रतिदिन आठ ग्रास खाकर यदि रहता है वह (चन्द्रस्य सलोकताम् एति) चन्द्रलोक को प्राप्त कर लेता है ॥ २२० ॥

एतद्ब्रह्मास्तथावित्या वसवश्चाचरन्व्रतम् ।

रत्नाकुशलमोक्षाय मरुतश्च महर्षिभिः ॥ २२१ ॥

(ब्रह्मा आदित्यः वसवः मरुतः महर्षिभिः) ब्रह्म, आदित्यों, वसुओं तथा मरुतों

ने महर्षियों के साथ (एतत् व्रतं सर्व-प्रकुशलभोक्षाय आचरन्) यह व्रत सब पापों के नाश के लिए किया था ॥ २२१ ॥

अनुशीलन : २२०-२२१ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) श्लोक २२६ से यह स्पष्ट है कि ये प्रायश्चित्त की विधियाँ अपराधों की शुद्धि के लिए हैं न कि परलोकीय स्थितियों की प्राप्ति के लिए। इन श्लोकों में 'चन्द्रलोक की प्राप्ति' के उद्देश्य का कथन मनु से भिन्न उद्देश्य है और २२६ वें श्लोक के उद्देश्यसंकेत के भी विरुद्ध है। (२) और फिर, पुनर्जन्म या मुक्ति के प्रतिरिक्त मनु के मत में अन्य कोई लोक या स्थितिविशेष नहीं है, जहाँ मरकर जीव जायें। मनु ने सारी मनुस्मृति में यही दो स्थितियाँ मानी हैं। चन्द्रलोक की कल्पना मनुविरुद्ध है। २२१ वाँ श्लोक इससे सम्बद्ध है, अतः साथ ही वह भी प्रक्षिप्त है।

व्रत-पालन के समय यज्ञ करें—

महाव्याहृतिभिर्होमः कर्त्तव्यः स्वयमन्वहम् ।

अहिंसासत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत् ॥ २२२ ॥ (१७)

प्रायश्चित्तकाल में (अन्वहम्) प्रतिदिन (स्वयम्) प्रायश्चित्तकर्त्ता को स्वयं (महाव्याहृतिभिः होमः कर्त्तव्यः) महाव्याहृतियों [भूः, भुवः, स्वः आदियुक्त मन्त्रों से] हवन करना चाहिए (च) और (अहिंसा-सत्यम्-प्रक्रोध-मार्जवं समाचरेत्) अहिंसा, सत्य, क्रोधरहित रहना, कुटिलता न करना, इन बातों का पालन करे ॥ २२२ ॥

अनुशीलन : महाव्याहृतियुक्त होममन्त्र—महाव्याहृतियों से युक्त कुछ प्रसिद्ध मन्त्र निम्न हैं, जो यज्ञ में आज भी आहुतिदान के लिए प्रयुक्त होते हैं—

(क) अग्निप्रज्वलित करने का मन्त्र—

ओं सूर्यः स्वर्गारिष भूम्ना पृथिवीं च वरिष्णा ।

तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमग्नाहमग्नाद्यायायधे ॥ यजु० ३।५ ॥

(ख) घृताहुति मन्त्र—

ओं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये—इदं न मम ॥१॥ ओं भुवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे—इदं न मम ॥२॥ ओं स्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय—इदं न मम ॥३॥ ओं सूर्यः स्वरग्निरावादित्येभ्यः स्वाहा । इदमग्निवावादित्येभ्यः इदं न मम ॥४॥

(सं० वि० सामान्यप्रकरण) ।

(ग) अन्य हैं ऋक्० ६।६।१६-२१॥१०।१२१।१०॥ और 'गायत्री मन्त्र' [श्लोक २।५३ (१।७८) की समीक्षा में उद्धृत] आदि ।

त्रिरहस्त्रिनिशायां च सर्वासां जलप्राविशेत् ।

स्त्रीशूद्रपतिताश्चैव नाभिभावेत कर्हिचित् ॥ २२३ ॥

(त्रिः+ग्रहः च त्रिः निशायाम्) तीन बार दिन में और तीन बार रात में (सवासा स्नानम् + प्राचरेत्) वस्त्रसहित स्नान करे (च) और (स्त्री-शूद्र-पतिताम् एव कर्हिचित् न + अभिभावेत) स्त्री; शूद्र और पतितों से कभी बातचीत न करे ॥ २२३ ॥

स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽथः शयीत वा ।

ब्रह्मचारी व्रती च स्याद् गुरुदेवद्विजार्चकः ॥ २२४ ॥

तथा दिन-रात (स्थान-आसनाभ्यां विहरेत्) बैठा रहे या खड़ा रहे (वा) अथवा (अशक्तः अधः शयीत) अशक्त होने पर भूमि पर लेट जाये, (और) (ब्रह्मचारी, व्रती, गुरु, देव-द्विज-अर्चकः स्यात्) ब्रह्मचारी, व्रती रहे, गुरु, देव और ब्राह्मणों की पूजा करे ॥ २२४ ॥

अनुध्यातव्यः : २२३-२२४ श्लोक निम्न आचारों के अनुसार प्रसिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरुद्ध होने से प्रसिप्त हैं। २२२ वें श्लोक में सावित्रीपूर्वक यज्ञ करने का कथन है और २२५ वे में उसी बात को पूरा करते हुए कहा है कि 'सावित्री का जप भी करे'। बीच में उस प्रसंग को तोड़कर विभिन्न बातों का विधान अप्रासंगिक है।

२. शैलीगत आचार—(१) २२५ वें श्लोक में 'च' शब्द का प्रयोग भी यह सिद्ध करता है कि इस श्लोक का सम्बन्ध २२२ वें से है। क्योंकि, वही सावित्री के द्वारा होम का विधान है और यहाँ 'सावित्रीं च जपेत्' उस प्रार्थ की अनुवृत्तिपूर्वक उसके जप का विधान है। (२) २२३ वें श्लोक की शैली पक्षपातपूर्ण है, इसमें ऊँच-नीच भावना के आचार पर स्त्री, शूद्र आदि से बात न करने का वर्णन है। मनु की शैली में यह त्रुटि नहीं है।

३. अस्तिविरोध—स्त्री, शूद्र आदि को अपवित्र मानकर उनके साथ प्रायश्चित्त काल में बात न करने का विधान स्पष्टतः परवर्ती प्रक्षेप है। यह उस समय का प्रक्षेप है जब इन्हें हीन और अपवित्र माना जाने लगा। मनु ने तो स्त्री और शूद्र को सेवा का कार्य सौंपा है और उस रूप में प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति के साथ सम्बन्ध रहता है। अतः मनु की व्यवस्था के अनुसार ये हीन नहीं हैं। और, स्त्री को तो मनु ने पवित्र तथा प्रत्येक धर्मकार्य में सहभागिनी कहा है [६।११, २६, २८, ६६], फिर उसके साथ तो पृथक्ता या हीनता का प्रश्न ही नहीं आता।

व्रत-पालन के समय गायत्री आदि का जप करें—

सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः ।

सर्वेष्वेव व्रतेष्वेव प्रायश्चित्तसार्थमाहुतः ॥ २२५ ॥ (१८)

प्रायश्चित्तकर्ता प्रायश्चित्तकाल में (नित्यम्) प्रतिदिन (शक्तिः) शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक (सावित्रीं च पवित्राणि जपेत्) सावित्री=गायत्री मन्त्र और 'पवित्र करने की प्रार्थना' वाले मन्त्रों का जप करे, (एवम्) ऐसा करना (सर्वेषु+एव व्रतेषु) सभी व्रतों में (प्रायश्चित्तार्थम्+प्राशनः) प्रायश्चित्त के लिए उत्तम माना गया है ॥ २२५ ॥

अनुशीलनः : (१) पवित्रताकारक मन्त्र—मन को दुर्गुणों से हटाकर पवित्र करने की भावना वाले कुछ मन्त्र निम्न हैं—

(क) ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव ।

यद् भद्रन्तस्मिन् प्रा सुव ॥ यजु० ३० । ३ ॥

अर्थ—“हे (सवितः) सकल जगत् के उत्पत्तिकर्ता, समस्त ऐश्वर्ययुक्त (देव) शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर ! प्राप कृपा करके (नः) हमारे (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुरितानि) दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःखों को (परा, सुव) दूर कर दीजिए (यत्) जो (भद्रम्) कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं (तत्) वह सब हमको (प्रा, सुव) प्राप्त कीजिए ।” (सं० वि० ईश्वरस्तुति० प्रकरण) ।

(ख) शिवमंकल्पसूक्त के मन्त्र “ओं यज्जाग्रतो दूरमुर्वेति०” आदि

यजु० ३४ । १-६ ॥

(ग) गायत्री मन्त्र अर्थसहित [देखिए २ । ५३ (२ । ७८) पर उद्धृत]

इत्यादि 'दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों को धारण करने की भावना वाले' मन्त्रों का जप प्रायश्चित्त में करे ।

मानस पापों के प्रायश्चित्त की विधि—

एतैर्द्विजातयः शोध्या व्रतैराविष्कृतैनसः ।

अनाविष्कृतपापास्तु मन्त्रैर्होमैश्च शोधयेत् ॥ २२६ (१६)

(आविष्कृत-एनसः द्विजातयः) जिनका पाप क्रियारूप में प्रकट हो गया है। ऐसे द्विजातियों को (एतैः व्रतैः शोध्याः) इन पूर्वोक्त [११।२११-२२५] व्रतों से शुद्ध करें, और (अनाविष्कृतपापान् तु) जिनका पाप क्रिया रूप में प्रकट नहीं हुआ है अर्थात् अन्नःकरण में ही पाप-भावना उत्पन्न हुई है, ऐसों को (मन्त्रैः च होमैः शोधयेत्) मन्त्र-जपों [११।२२५] और यज्ञों से शुद्ध करें अर्थात् मानसिक पापों की शुद्धि [पाप-फलों की नहीं] जपों एवं यज्ञों=संध्योपासन-अग्निहोत्र आदि से होती है ॥ २२६ ॥

अनुशीलनः : तुलनार्थं निम्न ५ । १०७ इलोक भी द्रष्टव्य है—

आन्त्या शुद्धयन्ति विद्वांसो वानेनाकार्यकारिणः ।

प्रच्छन्नापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥

पाँच कर्मों से प्रायश्चित्त में पापभावना से मुक्ति—

स्य पनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च ।

पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ २२७ ॥ (२०)

(ख्यापनेन) अपनी त्रुटि और उसके लिए दुःख अनुभव करते हुए सर्वसाधारण के सामने किये हुए अपने दोष को कहने से [११।२२८] (अनुतापेन) पश्चात्ताप करने से [११।२२९-२३२] (तपसा) व्रतों [११। २११-२२४, २३३] की साधना से, (अध्ययनेन) वेदाभ्यास से [११।२४५-२४६] (पापकृत् पापात् मुच्यते) पाप करने वाला [पाप-फल से नहीं अपितु] पाप-भावना से रहित हो जाता है (तथा) और (आपदि) आपद्-ग्रस्त व्याधि, जरा आदि से पीड़ित अवस्था में अपराध होने पर (दानेन) प्रायश्चित्त-हेतु सत्संग और परोपकारार्थ दान देने से भी पापभावना समाप्त होकर निष्पापता आती है ॥ २२७ ॥

अनुवर्तीकृतः : (१) प्रायश्चित्त से पाप-फल से नहीं पापभावना से मुक्ति—(क) प्रायश्चित्त के इस प्रसंग में यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रायश्चित्त से किये हुए पाप का फल क्षीण नहीं होता अपितु पाप-भावना नष्ट होती है और आगे वह पाप नहीं किया जाता। प्रायश्चित्त करने वाला व्यक्ति किये हुए पाप-कर्म पर पश्चात्ताप का अनुभव करता है, उसके दण्ड के रूप में तपश्चरण करता है। यही मान्यता प्रायश्चित्त की परिभाषा वाले ११। २३० और ११।२३२ श्लोक से सिद्ध होती है। और, दूसरा मनु का प्रमाण यह है कि मनु किये हुए अधर्म के फल को किसी अवस्था में निष्फल नहीं मानते—

“न त्वेष कृतोऽधर्मः कर्तुं भवति निष्फलः ।” ४।१७३ ॥

(ख) इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीकाओं में जो प्रत्येक श्लोक पर ‘पाप से छूट जाना’ आदि मान्यता वाले अर्थ किये हैं, वे मनुसम्मत नहीं हैं।

इस भाष्य में जहाँ-जहाँ भी ‘पाप से छूटना’ आदि अर्थ किये हैं उनका अभिप्राय ‘पापफल से छूटना नहीं’ अपितु ‘पापभावना से छूटना’ है। इस मान्यता की पुष्टि के लिए ११।२३० के अनुशीलन में देखिए महर्षि दयानन्द की मान्यता।

(२) इस मान्यता की तुलना—तुलनार्थ द्रष्टव्य है ५।१०७ श्लोक का पद—
‘दानेनाकार्यकारिणः (शुद्धघति)’।

१. [प्रचलित अर्थ—अपने आपको सर्वसाधारण में कहने, पश्चात्ताप करने से, कठिन तपश्चरण से, अध्ययन (वेदादि पाठ, जप आदि) से, और (इन सब कर्मों की शक्ति नहीं रहने पर) दान करने से पापी मनुष्य पाप से छूट जाता है ॥ २२७ ॥]

(३) आपत्काल में दान द्वारा पापभावना से मुक्ति पर विचार—इलोक में आपत्काल में पापभावना से मुक्ति के लिए दान देने का विधान किया है। यह सत्संग, विद्या आदि शुभगुणों का और परोपकारार्थ धन के दान का विधान है। मनु ने स्वयं कहा है—“सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते”—संसार में जितने दान हैं, उनमें वेद और ईश्वर-विद्या का दान और श्रेष्ठ गुणों का दान सर्वोत्तम है [४।२३३]। धन को श्रेष्ठ पात्र के लिए परोपकारभावना से देना, धन का दान कहलाता है। अन्य भावना से दिया गया धन ‘दान’ नहीं होता [४।१८७-१९६]। मनु ने ४।२२७ में दान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य सुपात्र की सात्त्विक भाव से समाज के परोपकार के लिए दान दे। इसके साथ-साथ संख्या-यज्ञ-जप आदि भी करे। अब प्रश्न उठता है कि आपत्काल क्या है? इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि इस प्रसंग में विहित व्रतों की जब व्यक्ति करने में वास्तव में असमर्थ हो जाता है, जैसे प्रतिव्याधि, अतिजरा आदि की अवस्था में, तब वह व्यक्ति दान की विधि को अपनाये। यह भी एक तप का भेद है। इस दानव्रत के साथ अन्य मन्त्रजप, होम आदि की विधि अन्य व्रतों के समान ही करे।

सबके सामने अपना अपराध कहने से पापभावना से मुक्ति—

यथा यथा नरोऽधर्मं स्वयं कृत्वाऽनुभाषते ।

तथा तथा स्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२८ ॥ (२१)

(अधर्म कृत्वा) अधर्मयुक्त आचरण करके (नरः) मनुष्य (यथा-यथा स्वयम् अनुभाषते) जैसे-जैसे अपने पाप को लोगों से कहता है (तथा तथा अहिः स्वचा + इव) वैसे-वैसे साँप की कँचुली के समान (तेन + अधर्मेण मुच्यते) उस अधर्म से—अपराध-जन्य संस्कार से मुक्त होता जाता है और लोगों में उसके प्रति अपराधी होने की भावना सनाप्त होती जाती है

॥ २२८ ॥

अनुताप करने से पाप-भावना से मुक्ति—

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गृह्णति ।

तथा तथा शरीरं तस्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२९ ॥ (२२)

और, (तस्य मनः यथा यथा) उसका मन—आत्मा जैसे-जैसे (दुष्कृतं कर्म गृह्णति) किये हुए पाप-अपराध को धिक्कारता है [कि मैंने यह बुरा कार्य किया है.....आदि] (तथा तथा तत् शरीरम्) वैसे-वैसे उसका शरीर (तेन अधर्मेण मुच्यते) उस अधर्म-अपराध से मुक्त-निवृत्त होता जाता है अर्थात् बुरे कर्म को बुरा मानकर उसके प्रति ग्लानि होने से शरीर और मन बुरे कार्य करने से निवृत्त होते जाते हैं ॥ २२९ ॥

तपपूर्वक पुनः पाप न करने के निश्चय से पापभावना से मुक्ति—

कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते ।

नैवं कुर्यात्पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः ॥२३०॥ (२३)

मनुष्य (पापं हि कृत्वा) पाप=अपराध करके (संतप्य) और उसके लिए पश्चात्ताप करके (तस्मात् पापात् प्रमुच्यते) उस पाप-कर्म से छूट जाता है [पाप-फल से नहीं] अर्थात् उस पाप को करने में पुनः प्रवृत्ति नहीं करता, और (पुनः एवं न कुर्यात्) फिर कभी इस प्रकार का कोई पाप नहीं करूंगा (इति निवृत्त्या) इस प्रकार निश्चय करने के बाद पापों से निवृत्ति होने से (सः तु पूयते) वह व्यक्ति पवित्राचरण वाला बन जाता है ॥ २३० ॥

अनुशीलन : इस श्लोक को पूना-प्रवचन में (पृ० ६३-६४) ऋषि-दयानन्द ने उद्धृत किया है—“अब कोई ऐसी शंका निकाल ले कि पूर्वकृत पापों का दण्ड जीव को बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता यह हमारा मत है, तो फिर पश्चात्ताप का कुछ भी उपयोग नहीं है क्या ? इसका उत्तर यह है कि पश्चात्ताप से पापक्षय नहीं होता, परन्तु भागे पाप करना बन्द हो जाता है ।”

कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप-भावना से मुक्ति—

एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्मफलोदयम् ।

मनोवाङ्मूर्तिभित्तिं शुभं कर्म समाचरेत् ॥ २३१ ॥ (२४)

(प्रेत्य कर्मफल-उदयम्) ‘मरकर कर्मों का फल अवश्य मिलेगा’ (मनसा एवं संचिन्त्य) मन में इस विचार को, रखते हुए मनुष्य (मनः-वाक्-मूर्तिभिः) मन, वाणी और शरीर से (नित्यं शुभकर्म समाचरेत्) सदा शुभ कार्य करे ॥ २३१ ॥

पाप-भावना से मुक्ति चाहने वाला पुनः पाप न करे—

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् ।

तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्दितीयं न समाचरेत् ॥ २३२ ॥ (२५)

(अज्ञानात् यदि वा ज्ञानात्) अज्ञान से अथवा जानबूझकर (विगर्हितं कर्म कृत्वा) निन्दित कर्म करके (तस्मात् विमुक्तिम्+अन्विच्छन्) मनुष्य उस पाप-प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए (द्वितीयं न समाचरेत्)

१. प्रबलित अर्थ—पापी मनुष्य पापकर्म करके उसके लिए अनुताप (पछतावा) कर पाप से छूट जाता है तथा ‘फिर मैं ऐसा निन्दित कर्म नहीं करूंगा’ इस प्रकार संकल्प रूप से उसका त्याग कर वह पवित्र हो जाता है ॥ २३० ॥

द्वारा पाप न करे [तभी पाप-प्रवृत्ति से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा नहीं।] ॥ २३२ ॥

तप तब तक करें जब तक मन में प्रसन्नता आ जाये—

यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनसः स्याद्वलाघवम् ।

तस्मिन्तावत्तपः कुर्याद्वास्तुष्टिकरं भवेत् ॥ २३३ ॥ (२६)

(यस्मिन् कर्मणि कृते) जिस कर्म के करने पर (अस्य मनसः अलाघवं स्यात्) मनुष्य के मन में जितना दुःख पश्चात्ताप अर्थात् असन्तोष एवं अप्रसन्नता होवे (तस्मिन्) उस कर्म में (यावत् तुष्टिकरं भवेत्) जितना तप करने से मन में सुप्रसन्नता एवं संतुष्टि हो जावे (तावत् तपः कुर्यात्) उतना ही तप करे, अर्थात् किसी पाप के करने पर मनुष्य के मन में जब तक ग्लानिरहित पूर्ण संतुष्टि एवं प्रसन्नता न हो जाए तब तक स्वेच्छा से तप करता रहे ॥ २३३ ॥

तप की महिमा—

तपोमूलमिदं सर्वं देवमानुषकं सुखम् ।

तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥ २३४ ॥

(देव-मानुषकम् इदं सर्वं सुखम्) इस संसार में देवताओं और मनुष्यों के सब सुखों का (तपः मूलम्) तप ही मूल है (तपः मध्यम्) तप ही मध्यभाग है अर्थात् तप से ही सुख स्थिर होता है, और (तपः + अन्तम्) तप से ही अन्त है अर्थात् तप से ही सुख लक्ष्य तक पहुँचता है, ऐसा (वेददर्शिभिः बुधैः प्रोक्तम्) वेदवेत्ता विद्वानों ने कहा है ॥ २३४ ॥

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् ।

वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥ २३५ ॥

(ब्राह्मणस्य तपः 'ज्ञानम्') ब्राह्मण का तप 'ज्ञान' है (क्षत्रस्य तपः 'रक्षणम्') क्षत्रिय का तप 'रक्षा करना' है, (वैश्यस्य तपः 'वार्ता') वैश्य का तप 'व्यापार' है और (शूद्रस्य 'सेवनम्' तपः) शूद्र का 'सेवा करना' तप है ॥ २३५ ॥

ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः ।

तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ २३६ ॥

(संयत-आत्मानः फल-मूल-अनिल-अशनाः ऋषयः) संयम रखने वाले फल, मूल एवं वायु का भक्षण करके रहने वाले ऋषि लोग (तपसा + एव) तप से ही (सचराचरं त्रैलोक्यं प्रपश्यन्ति) चर-अचर सहित तीनों लोकों को प्रत्यक्ष करते हैं ॥ २३६ ॥

श्रीवधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः ।

तपसैव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥ २३७ ॥

(श्रीवधानि + अगदः विद्या देवी च विविधा स्थितिः) श्रीवधियाँ, आरोग्य,

विद्या और देवत्व प्राप्ति की विविध स्थितियाँ, ये (तपसा + एव प्रसिद्धयन्ति) तप से ही प्राप्त होती हैं, और (तेषां तपः हि साधनम्) उनका तप ही साधक कारण है ॥ २३७ ॥

यद् दुस्तरं यद् दुरापं यद् दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ २३८ ॥

(यद् दुस्तरम्) जो भी कठिनता से पार करने योग्य कार्य है, (यद् दुरापम्) जो कठिनता से प्राप्त होने योग्य कार्य या उद्देश्य है, (यद् दुर्गम्) जो दुर्गम कार्य है, (यद् दुष्करम्) जो कठिनता से करने योग्य कार्य है, (सर्वं तु तपसा साध्यम्) वह सब तप से ही सिद्ध हो सकता है, और (तपः हि दुरतिक्रमम्) तप का अतिक्रमण किसी भी कार्य में नहीं हो सकता अर्थात् तप की कम-अधिक रूप में प्रत्येक कार्य में आवश्यकता पड़ती है ॥ २३८ ॥

महापातकिनश्चैव दोषादकार्यकारिणः ।

तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषास्ततः ॥ २३९ ॥

(महापातकिनः) महापातकी (च) और (दोषाः) अपराधी (प्रकार्यकारिणः) निन्दित-निषिद्ध कर्म करने वाले (ततः किल्बिषात्) उस पाप से (सुतप्तेन तपसा एव मुच्यन्ते) अच्छी प्रकार किये गये तप से छूट जाते हैं ॥ २३९ ॥

कीटाश्चाहिपतङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च ।

स्वावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात् ॥ २४० ॥

(कीटाः अहिः पतङ्गाः पशवः वयांसि) कीट-पतंग, सांप, पतंगे, पशु, पक्षी (च) और (स्वावराणि भूतानि) स्वार वृक्ष-लता आदि जीव (तपः बलात् दिवं यान्ति) तपस्या के बल से ही स्वर्ग को पाते हैं ॥ २४० ॥

यत्किञ्चिद्वेनः कुर्वन्ति मनोवाङ्मूर्तिभिर्जनाः ।

तत्सर्वं निर्वहन्त्याशु तपसं च तपोधनाः ॥ २४१ ॥

(जनाः) मनुष्य (मनः-वाक्-मूर्तिभिः) मन, वाणी और शरीर से (यत् किञ्चित् + एनः) जो कुछ पाप करते हैं (तपोधनाः तपसा + एव) तपस्वी लोग तप से ही (तत् सर्वं प्राशु निर्वहन्ति) उन सब पापों को शीघ्र भस्म कर लेते हैं ॥ २४१ ॥

तपसं च विबुधस्य ब्राह्मणस्य दिवौकसः ।

इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामाग्नसंबधयन्ति च ॥ २४२ ॥

(तपसा + एव) तप से ही (दिवौकसः) देवता लोग (विबुधस्य ब्राह्मणस्य इज्याः प्रतिगृह्णन्ति) विबुध ब्राह्मण के यज्ञों को ग्रहण करते हैं (च) और (कामाग्न संबधयन्ति) उनके मनोरथों को बढ़ाते हैं ॥ २४२ ॥

प्रजापतिरिव शास्त्रं तपसंवात्सजप्रभुः ।

तथैव वेदान्दयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥

(तपसा + एव प्रभुः प्रजापतिः) तप से ही समर्थ हुए प्रजापति ने (इदं शास्त्रम् + प्रसृजत्) इस शास्त्र की रचना की (तथैव) उसी प्रकार (ऋषयः) ऋषि लोगों ने भी (तपसा वेदाः प्रतिपेदिरे) तप से वेदों की सृष्टि की ॥ २४३ ॥

इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रवक्षते ।

सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥ २४४ ॥

(अस्य सर्वस्य) इस समस्त संसार के प्राणियों की (तपसः उत्तमं पुण्यं प्रपश्यन्तः) तप से ही उत्तम पुण्यों की प्राप्ति को देखकर (देवाः) देव अर्थात् विद्वान् लोग (तपसः इति + एतत् महाभाग्यं प्रवक्षते) तप के इस [११ : २३४-२४३] माहात्म्य का कथन करते हैं ॥ २४४ ॥

अनुध्यातव्यः : २३४ से २४४ श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) २२७ वें श्लोक में अगले वर्णन का संकेत करके अग्रिम श्लोकों में तदनुसार क्रमशः एक-एक बात का वर्णन है। उस श्लोक के क्रम के अनुसार २३३वें श्लोक में 'तप' का विधान होने पर 'वेदाध्ययन' का विधान प्रासंगिक तौर पर होना चाहिए। यह २४५ वें श्लोक में है। अतः २३३ के पश्चात् २४५ वाँ श्लोक क्रमबद्ध है, शेष प्रक्षिप्त हैं। (२) इन श्लोकों में प्रायश्चित्त-अभिमुख या प्रायश्चित्त से सम्बन्धित तप का वर्णन न होकर सर्वसामान्य तप की महिमा है, जब कि प्रसंग यहाँ केवल प्रायश्चित्त-सम्बन्धी तप का है। जैसे—इस प्रसंग में ब्राह्मण का तप ज्ञान आदि के कहने तथा तप से तिर्यक्योनियों की श्रेष्ठजन्म-प्राप्ति वर्णन से कोई सम्बन्ध नहीं है। (३) इस सर्वसामान्य तपवर्णन प्रसंग की इस प्रकार भी प्रायश्चित्त प्रसंग से कोई संगति सिद्ध नहीं होती कि २१० से २२६ श्लोकों में कहे गये व्रत ही प्रायश्चित्त के लिए तप माने हैं; उनसे भिन्न तन प्रायश्चित्त के लिए ग्राह्य नहीं हैं। २३३ वें श्लोक में उन्हीं तपों को करने का कथन है। फिर, शेष श्लोकों में भिन्न तप का कथन और उसकी महिमा स्वतः असंगत सिद्ध हो जाती है। अतः यह ११ श्लोकों का प्रसंग प्रक्षिप्त है।

२. शैलीगत आधार—(१) यह प्रसंग मनु की शैली के विरुद्ध है। जैसे कि २४४ वें श्लोक में स्वयं इस प्रसंग में स्वीकार किया है कि 'ये तप की महिमा बतलायी है,' यह महिमा-वर्णन की शैली मनु की नहीं है। यह एक विधानशास्त्र है, इसमें महिमा के रूप में नहीं अपितु विध्यात्मक रूप में विधान होते हैं, भाषा भी विध्यात्मक होती है। इसके साथ ही मनु की शैली इस प्रकार की है कि वे किसी बात की लाभ-हानि सामान्यतः तो कह जाते हैं किन्तु उसका विस्तृत प्रसंग नहीं छेड़ते जैसे कि यहाँ यह महिमा का प्रसंग है। यह प्रसंग मनु का न होकर प्रक्षिप्त है। (२) इस प्रसंगमें

२४० की शैली निराधार, अयुक्तियुक्त और अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की शैली में ये कमियाँ नहीं हैं।

वेदाम्यासादि से पाप-भावनाओं का क्षय—

वेदाम्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा।

नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥ (२७)

(अन्वहं शक्त्या वेदाम्यासः) प्रतिदिन वेद का अधिक-से-अधिक अध्ययन-मनन (महायज्ञक्रियाः) पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान, (क्षमा) तप-सहिष्णुता, ये क्रियायें (महापातकजानि + अपि पापानि) बड़े पापों से उत्पन्न पापभावनाओं या दुःसंस्कारों को भी (नाशयन्ति) नष्ट कर देती हैं ॥ २४५ ॥

वेदज्ञानाग्नि में पाप-भावना विनष्ट होती है—

ययधस्तेजसा वह्निः प्राप्तं निर्दहति क्षणात्।

तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदवित् ॥ २४६ ॥ (२८)

(यथा वह्निः तेजसा) जैसे अग्नि अपने तेज से (प्राप्तम् एधः क्षणात् निर्दहति) समीप आये काष्ठ आदि इंधन को तत्काल जला देती है (तथा) वैसे ही (वेदवित्) वेद का ज्ञाता (ज्ञान-अग्निना सर्वं पापं दहति) वेद-ज्ञान रूपी अग्नि से सब आने वाली [पाप-फलों को नहीं] पाप-भावनाओं को जला देता है—पापसंस्कारों को भस्म कर देता है ॥ २४६ ॥

अनुशीलनः :—इन्ही भावों की तुलना के लिए १२।१०१ श्लोक भी द्रष्टव्य है। मनु ने वहाँ भी इसी मान्यता को प्रकट किया है।

(१) ज्ञान से मुक्ति में सांख्यदर्शन का प्रमाण—मनु ने ११।२६३-२६५ श्लोकों में भी इस मान्यता की पुष्टि की है कि 'वेदों का वेत्ता विद्वान् वेदज्ञान से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।' १२।८३, ८५, १०४ में भी वेदाम्यास और परमात्मज्ञान की मुक्ति का साधन माना है। सांख्यदर्शन में भी इस मान्यता का उल्लेख है—

ज्ञानान् मुक्तिः ३।२३ ॥

अर्थात् वेदज्ञान और परमात्मज्ञान से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

गुप्त पापों का प्रायश्चित्त—

इत्येतदेनसामुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि।

अत ऊर्ध्वं रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥ २४७ ॥

(इति + एतत्) यह (एनसां प्रायश्चित्तं यथाविधि उक्तम्) पापों का प्रायश्चित्त विधि सहित कहा (अतः ऊर्ध्वम्) अब इसके पश्चात् (रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत) गुप्त पापों का प्रायश्चित्त सुनो—॥ २४७ ॥

सध्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश ।

अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४८ ॥

(सध्याहृतिप्रणवकाः षोडश प्राणायामाः) महाव्याहृतियों [भूः भुवः स्वः] सहित ओंकार का जप और सोलह प्राणायाम (अहरहः मासात् कृताः) प्रतिदिन एक मास तक करने से वे (भ्रूणहणम् + अपि पुनन्ति) भ्रूणहृत्यारे को भी पवित्र कर देने हैं ॥ २४८ ॥

अनुशीलन : व्याहृतियुक्त प्राणायाम-मन्त्र और प्राणायाम की विधि ६।७० के अनुशीलन में देखिए ।

कोत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्युचम् ।

माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ २४९ ॥

(कोत्सम् 'आपः' इति + एतत्) कोत्स ऋषि वाले "अपः नः शोशुचदधम्" [ऋक् ० म० १। सू० ६७] सूक्त को, (वासिष्ठं 'प्रति' इति + ऋचम्) वसिष्ठ ऋषि वाली "प्रतिस्तोमेभिरुषसं वसिष्ठाः" [ऋक् ० म० ७। सू० ८०] इस ऋचा वाले सूक्त को, ('माहित्रं' च 'शुद्धवत्यः') 'माहित्रं'—“महित्रीणामवोऽस्तु” [ऋक् ० १०। १८५] और 'शुद्धवती'—“एतोऽग्विन्द्रं स्तवाम शुद्धम्” [ऋक् ० ८। ६५ ७-९] इन सूक्तों को [एक मास तक प्रतिदिन सोलह-सोलह बार प्राणायाम पूर्वक ११। २४८] (जप्त्वा) जपकर (सुरापः + अपि विशुध्यति) शराब पीने वाला भी शुद्ध हो जाता है ॥ २४९ ॥

सकृज्जप्त्वास्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च ।

अवहृत्य सुवर्णं तु क्षणाद्भूवति निर्मलः ॥ २५० ॥

(सुवर्णं तु अवहृत्य) सोने की चोरी करके [वह व्यक्ति] (अस्य वामीयं च शिव-संकल्पम् + एव) 'अस्य वामीयं' सूक्त [ऋक् ० १ म० १। १६४ सू०] और 'शिवसंकल्प' नामक सूक्त [“यज्जाग्रतो दूर-मुदैति” (यजु० ३४। १-६)] को (सकृत् जप्त्वा) [एक मास तक] प्रतिदिन एक-एक बार जपकर (क्षणात् निर्मलः भवति) तत्काल शुद्ध हो जाता है ॥ २५० ॥

हविष्पान्तीयमस्य नतमंह इतीति च ।

जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुह्यतल्पगः ॥ २५१ ॥

(गुह्यतल्पगः) गुरुपत्नीगामी पुरुष ('हविष्पान्तीयम्' 'नतमंह' 'इति' च इति अस्यस्य) 'हविष्पान्तीय' सूक्त [“हविष्पान्तमजरं स्वविदि” (ऋक् ० १०। ८८)] और 'नतमंह' सूक्त [“नतमंहो न दुरितम्” [ऋ० ८। १२६] अथवा “इति वा इति मे मनः” [ऋक् ० १०। ११९] को जपकर (च) तथा (पौरुषं सूक्तं जपित्वा) 'पुरुष सूक्त' [“सहस्रशीर्षा पुरुषः” [ऋक् ० १०। ६०] को एक मास तक जपकर (मुच्यते) पाप से छूट जाता है ॥ २५१ ॥

एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीर्षन्नपनोदनम् ।

अवेत्यृचं जपेद्वदं यत्किञ्चेदमितीति वा ॥ २५२ ॥

(स्थूल सूक्ष्माणाम् एनसाम् अपनोदनं चिकीर्षन्) इनसे [११।२४८-२५१] भिन्न ग्रन्थ बड़े और छोटे पाथों की शुद्धि चाहने वाला मनुष्य ('अव' इति च 'यत्किञ्चेदम्' इति ऋचं वा) "अव ते हेळी वरुण नमोभिः" [ऋक्० १।२४।१४] इस ग्रन्थवा "यत्किञ्चेदं वरुण देव्ये जने" [ऋक्० ७।८६।५] इस ऋचा को (अवदं जपेत्) एक वर्ष तक जपे ॥ २५२ ॥

प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्यं भुक्त्वा चान्नं विगर्हितम् ।

जपन्तरत्समन्दीयं पूयते मानवस्त्यहात् ॥ २५३ ॥

(अप्रतिग्राह्यं प्रतिग्राह्यं) अग्राह्य वस्तुओं एवं दान को लेकर (विगर्हितं च अन्नं भुक्त्वा) निन्दित अन्न को खाकर (मानवः) मनुष्य (तरत्समन्दीयं जपन्) 'तरत्स-मन्दी घावति'..... ऋचा वाले सूक्त [ऋक्० ६।५८] को जपकर (त्रि+अहात् पूयते) तीन दिन में पवित्र हो जाता है ॥ २५३ ॥

सोमारोद्रं तु बह्वेना मासमभ्यस्य शुध्यति ।

स्नवन्त्यामावरन्स्नानमर्घ्येणामिति च तृचम् ॥ २५४ ॥

(बहु-एनाः) बहुत पाप किया हुआ मनुष्य (सोमारोद्रं तु) "सोमारुद्रा धारयेथा-मसुर्यम्" [ऋक्० ६।७४] इस ऋचा वाले सूक्त को (च अर्घ्यमणम् इति तृचम्) और "अर्घ्यमणं वरुणं मित्रं"..... [ऋक्० ४।२।४] इन तीन ऋचाओं को (स्नवन्त्यां स्नानम्+आवरन्) बहती नदी में स्नान करके (मासम्+अभ्यस्य शुध्यति) एक मास तक जप करके शुद्ध हो जाता है ॥ २५४ ॥

अवशार्धमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तकं जपेत् ।

अप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत् भैक्षभुक् ॥ २५५ ॥

(एनस्वी) कोई भी पाप करने वाला मनुष्य ('इन्द्रम्' इति+एतत् सप्तकम् अवद-अर्धं जपेत्) "इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निम्" इन सात ऋचाओं को [ऋक्० १।१०।६] छह मास तक जपे, और (अप्सु अप्रशस्तं कृत्वा) जल में मल-मूत्र आदि गन्दगी डालकर (भामं भैक्षभुक् आसीत्) एक मास तक भिक्षा मांगकर खाये ॥ २५५ ॥

मन्त्रैः शाकलहोमीयैरवदं हुत्वा घृतं द्विजः ।

सुगुर्द्व्यपहस्येनो जप्त्वा वा नम इत्येषम् ॥ २५६ ॥

(द्विजः) द्विज मनुष्य (शाकलहोमीयैः मन्त्रैः अवदं घृतं हुत्वा) शाकलहोमीय ["देवकृतस्यैनसो...." इत्यादि आठ मन्त्र । यजु० ८।१३] मन्त्रों से एक वर्ष तक घृत से हवन करके (वा) अथवा ('नमः' इति ऋचं जप्त्वा) "नमः इन्द्रश्च....." इस ऋचा का एक वर्ष पर्यन्त जप करके (सुगुह+अपि+एनः हन्ति) बड़े से बड़े पाप को भी भस्म कर देता है ॥ २५६ ॥

अनुष्ठीतम् : शाकलहोमीय मन्त्र—कात्यायन श्रौतसूत्र १०।८६ के अनुसार यजु० ८।१३ “वेदकृतस्यैनसो अथयजनमसि” मन्त्र से लेकर “वयं हि त्वा प्रयति यजे” [२।२०] मन्त्र तक आठ मन्त्र शाकलहोमीय माने गये हैं।

महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्गाः समाहितः ।

अभ्यस्यान्नं पावमानीर्भसाहारो विशुध्यति ॥ २५७ ॥

(महापातकसंयुक्ताः) महापातक से युक्त मनुष्य (समाहितः) व्रत में सावधान रहता हुआ (अभ्यं गाः अनुगच्छेत्) एक वर्ष पर्यन्त गौश्रों की सेवा करे, इस प्रकार (भसाहारः पावमानीः अभ्यस्य विशुध्यति) भिक्षा मांगकर भोजन करता हुआ और “यः पावमानीरभ्येति……” [ऋक्० ६।६७। ३१-३२] ऋचाश्रों का प्रतिदिन अभ्यास करता हुआ शुद्ध होता है ॥ २५७ ॥

अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम् ।

मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभिः ॥ २५८ ॥

(वा)अथवा (त्रिभिः पराकैः शोधितः) तीन ‘पराक कृच्छ्र’ व्रतों [११। २१५] से शुद्ध होकर (अरण्ये) वन में (प्रयतः) सावधानीपूर्वक (वेदसंहिताम् त्रिः + अभ्यस्य) वेदसंहिता का तीन बार अभ्यास करके (सर्वैः पातकैः मुच्यते) सब पापों से मुक्त हो जाता है ॥ २५८ ॥

अथं तूपवसेष्टुक्तस्त्रिरहोऽभ्युपयन्मपः ।

मुच्यते पातकैः सर्वैस्त्रिर्जपिरवाऽघमर्षणम् ॥ २५९ ॥

(त्रि-+अहम् उपवसेत्) मनुष्य, तीन दिन उपवास रखे, और (त्रिः + अहः अभ्युपयन्) उस काल में तीन बार स्नान करते हुए (अघमर्षणं त्रिः जपित्वा) अघमर्षण सूक्त [“ऋतञ्च सत्यञ्च……” [ऋक्० १०। १६०] आदि] का तीन बार दिन में जप करके (सर्वैः पातकैः मुच्यते) सब पापों से मुक्त हो जाता है ॥ २५९ ॥

यथाश्वमेधः क्रतुराट् सर्वपापापनोदनः ।

तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम् ॥ २६० ॥

(यथा क्रतुराट् अश्वमेधः) जैसे सब यज्ञों का राजा अश्वमेधयज्ञ (सर्वपाप-अपनोदनः) सब पापों को नष्ट करने वाला है (तथा) उसी प्रकार (अघमर्षणं सूक्तं सर्वपाप-अपनोदनम्) ‘अघमर्षण सूक्त’ [ऋक्० १०। १६०] भी सब पापों को नष्ट करने वाला है ॥ २६० ॥

हत्वा लोकानपीमास्त्रीनदन्नपि यतस्ततः ।

अश्वैर्वा वारयन्विप्रो नैनः प्राप्नोति किञ्चन ॥ २६१ ॥

(इमान् श्रीन् लोकान् हत्वा) इन तीनों [पृथ्वी, आकाश, द्युलोक] लोकों की हत्वा करके अर्थात् बहुत सारी हत्याएँ करके भी, तथा (यतः ततः अश्नन् + अपि) इधर

उधर निषिद्ध स्थानों पर भोजन करके भी, तथा (विप्रः ऋग्वेदं धारयन्) ब्राह्मण ऋग्वेद को धारण करने पर (किंचन एनः न प्राप्नोति) किसी भी पाप से लिप्त नहीं होता ॥ २६१ ॥

ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषा वा समाहितः ।

साम्ना वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २६२ ॥

मनुष्य (समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (ऋक्संहिताम्) ऋग्वेद को, (या) वा (यजुषाम्) यजुर्वेद को, (वा) अथवा (सरहस्यानां साम्नाम्) उपनिषदों सहित साम-वेद को (त्रिः+अभ्यस्य) तीन बार जपकर (सर्वपापैः प्रमुच्यते) सब पापों से छूट जाता है ॥ २६२ ॥

अनुष्टीतन् : ११। २४७ से २६२ श्लोक तक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं। २४६ वें श्लोक में उपमापूर्वक 'वेदवित्' का उल्लेख किया था और २६३—२६४ श्लोकों में उपमा और 'वेदवित्' की परिभाषा दी है। क्रम के अनुसार २४६ के पदवात् २६३ वीं श्लोक होना संगत सिद्ध होता है। ये श्लोक उस प्रसंग को तोड़ रहे हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं। (२) २२७ वें श्लोक में जिस वर्णन का संकेत दिया है। उसके क्रम से 'वेदाध्ययन' का वर्णन ही यहाँ प्रासंगिक है। ये रहस्यों का प्रायश्चित्त उस श्लोक के अनुसार असंगत है, 'वेदाध्ययन' सम्बन्धी २४५, २४६, २६३, २६४ श्लोक ही प्रासंगिक हैं, और २२७ श्लोक के संकेत के अनुसार हैं। (३) इस प्रक्षिप्त प्रसंग के अन्तिम श्लोक २६२ से २६३ की कोई संगति भी नहीं जुड़ती, क्योंकि २६३-२६४ में 'त्रिवित् वेद' और 'वेदवित्' का लक्षण है, जब कि २६२ और उससे पूर्व के श्लोकों में रहस्यांगों सहित वेदों का वर्णन है।

२. विषयविरोध—४४ वें श्लोक में मनु ने प्रायश्चित्त विषय का संकेत दिया है। उसके अनुसार रहस्य पापों के प्रसंग का कोई संकेत नहीं मिलता। अर्थ के अनुसार यदि इन्हें गुप्त-पाप भी मान लिया जाये तो भी इनकी संगति नहीं बैठती। क्योंकि, प्रत्येक विधान के साथ प्रकट पाप की भाषा-शैली का प्रयोग हुआ है जो यह सिद्ध करता है कि यहाँ प्रकट पापों के प्रायश्चित्त का ही विषय है, रहस्यों का नहीं। स्पष्टता के लिए २२६ वें श्लोक में मनु ने "अतैराविष्कृतैस्तैः" पद का प्रयोग किया है। इस प्रकार यह रहस्य पापों का वर्णन [२४७-२६२] विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

३. शैलीगत-आधार—इस सम्पूर्ण प्रसंग की शैली निराधार एवं अतिशयोक्ति-पूर्ण है, यथा—"क्षणाद्भवति निर्मलः" [२५०] "पुन्ये मानवश्च्यवहत्" [२५३] आदि।

४. अन्तर्विरोध—(१)-इस प्रसंग में रहस्यों का प्रायश्चित्त कहा है, जब कि

इस प्रायश्चित्त प्रसंग में 'रहस्य' संज्ञा से किन्हीं पापों का उल्लेख नहीं है। अतः यह कल्पना मनुविरुद्ध है।

(२) विषय के अनुसार जिस प्रकार के पापों का प्रायश्चित्त मनु को अभीष्ट था, उनको प्रकट और अप्रकट रूप लेकर प्रकट पापों के प्रायश्चित्त की विधि २१० से २२६ श्लोकों में विहित की है, और अप्रकट पापों की शुद्धि "मन्त्रैर्होमैश्च" से २२६ में कहकर उस प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया है। अतः यहां रहस्य नाम से पुनः उल्लेख करना और उनकी भिन्न विधियाँ निश्चित करना मनुविरुद्ध है।

(३) इस प्रसंग में रहस्य-पापों का उल्लेख करके कहीं तो जप से शुद्धि मानी है और कहीं कृच्छ्र आदि व्रतों से। इससे स्पष्ट है कि यह प्रसंग भिन्न व्यवस्थाओं का प्रसंग है जो २१० से २२६ के अन्तर्गत विहित व्यवस्थाओं से विरुद्ध है।

(४) यहां केवल जप आदि से ही पाप से मुक्ति मानी है, जब कि पिछले प्रसंग में ख्यापन, अनुतापन, तप और वेदाध्ययनपूर्वक पुनः अपराध न करने के संकल्प से पाप की शुद्धि मानी है। इस विधि में विरोध है [२२७-२३३]।

(५) २६१ वें श्लोक में कहा है कि वेदज्ञ को तीन लोकों का वध करने पर भी पाप नहीं लगता। मनु के अनुसार ब्राह्मण सभी वेदज्ञ होते हैं और यह प्रायश्चित्त उनके लिए भी विहित है। अतः उक्त धारणा निराधार एवं मनुविरोधी है।

वेदज्ञान-रूपी तालाब में पापभावना का डूबना—

यथा महाह्रदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति।

तथा दुश्चरितं सर्वं वेदे त्रिवृत्ति मउजति ॥२६३॥ (२६)

(यथा) जैसे (क्षिप्तं लोष्टम्) फँका हुआ डेला (महाह्रदं प्राप्य विनश्यति) बड़े तालाब में गिरकर पिघलकर नष्ट हो जाता है (तथा) उसी प्रकार (त्रिवृत्ति वेदे) तीन विद्याओं वाले वेदों के ज्ञान में (सर्वं दुश्चरितं मउजति) सब बुरे आचरण नष्ट हो जाते हैं ॥ २६३ ॥

वेदवित् का लक्षण—

ऋचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि च।

एष ज्ञेयस्त्रिवृद्देवो यो वेदं स वेदवित् ॥२६४॥ (३०)

(ऋचः) ऋचाएँ (यजूंषि) यजुष् मन्त्र (च) और (अन्यानि विविधानि सामानि) इनमें भिन्न सामवेद के अनेक मन्त्र (एषः त्रिवृत् वेदः ज्ञेयः) यह तीनों 'त्रिवृत्वेद' जानना चाहिए, (यः एनं वेद सः वेदवित्) जो इस त्रिवृत्वेद=त्रयीविद्या अर्थात्, सभी वेदों को जानना है, वही वस्तुतः 'वेद-वेत्ता' है ॥ २६४ ॥

अनुशीलन : त्रयीविद्या का अग्निप्राय एवं अग्न्यत्र वर्णन—मनु ने

तीन वेदरूप त्रयीविद्या का वर्णन १। २३ और १२। १११-११२ में भी किया है।

मीमांसा दर्शन में—जहाँ अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पादव्यवस्था भी है अर्थात् जो मन्त्र अर्थानुसार छन्दोबद्ध हैं, वे ऋक्मन्त्र कहे गए हैं। जो इन विशेषताओं के साथ गाये भी जा सकते हैं, वे साममन्त्र और शेष गद्यरूप यजुषमन्त्र हैं। इस प्रकार चारों वेद त्रयीविद्यारूप हैं। सूत्र हैं—तेषामग्नं यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था। गीतिषु सामाख्या। शेषे यजुः शब्दः ॥ २। १। ३५-३७ ॥ कहीं-कहीं ज्ञान-कर्म-उपासनापरक मन्त्रों के आधार पर भी चारों वेदों को त्रयीविद्यारूप माना गया है।

ईश्वर भी एक ज्ञेय वेद है—

आद्यं यत्प्रयक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता।

स गुह्योऽयस्त्रिवृद्देवो यस्तं वेद स वेदवित् ॥ २६५ ॥ (३१)

और, (यत् त्रि + प्रयक्षरम् आद्यं ब्रह्म) जो तीन अक्षरों वाले प्रमुख नाम 'ओम्' से उच्चरित होने वाला सबका आदिमूल परमेश्वर है, (यस्मिन् त्रयी प्रतिष्ठिता) जिसमें तीनों वेदविद्याएँ प्रतिष्ठित हैं, (सः अग्न्यः गुह्यः त्रिवृत्वेदः) वह भी एक गुप्त अर्थात् अदृश्य-सूक्ष्म 'त्रिवृत्वेद' है; (यः तं वेद सः वेदवित्) जो उसको जानता है, वह 'वेदवेत्ता' कहलाता है ॥ २६५ ॥

अनुशीलनः : अग्न्यत्र वर्णन—मनु ने 'ओम्' का वर्णन २। ५१ (२। ७६) में किया है। इसके प्रतिरिक्त १। ३ ॥ १। २३ और १२। ६४, १११-११२ श्लोकों में भी वेद को ईश्वररचित घोषित किया है।

इस श्लोक में 'ओम्' नाम वाच्य परमेश्वर को स्वयं एक वेद का रूप माना है क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञाता है। वही वेदों का रचयिता है। इसका उल्लेख मनु १। २३ में कर चुके हैं। इस सम्बन्धी वेदों के प्रमाणों के लिए देखिए उस श्लोक पर अनुशीलन। उस सूक्ष्म-निराकार परमात्मा को वेदवेत्ता ही जान सकते हैं और जो उस परमेश्वर का साक्षात् कर लेता है वही वास्तविक 'वेदवेत्ता' है।

प्रायश्चित्त विषय का उपसंहार—

एष बोऽभिहितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्य निर्णयः।

निःश्रेयसं धर्मविधिं विप्रस्येमं निबोधत ॥ २६६ ॥ (३२)

(एषः) यह [११। ४४-२६५ तक] (वः) तुम्हें (प्रायश्चित्तस्य कृत्स्नः निर्णयः अभिहितः) प्रायश्चित्त का सम्पूर्ण [अपराध, उनका प्रायश्चित्त एवं प्रायश्चित्तविधि] निर्णय कहा।

अब (त्रिप्रस्य इमं निःश्रेयसं धर्मविधिम्) ब्राह्मण के इस [१२। १-१२५] मोक्ष के धर्मविधान अर्थात् कर्मविधान को (निबोधत) सुनो—॥ २६६ ॥

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दी-भाषाभाष्य-समन्वितायाम्
'अनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ प्रायश्चित्त-
विषयात्मक एकादशोऽध्यायः ॥

अथ द्वादशोऽध्यायः

[हिन्दी-भाष्य 'अनुशीलन' समीक्षाम्यां सहितः]
(कर्मफल-विधान एवं निःश्रेयस कर्मों का वर्णन)

[१२।३ से ११६ तक]

ऋषियों का भृगु से प्रश्न—

चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानघ ।

कर्मणां फलनिर्वृतिं शंस नस्तत्त्वतः पराम् ॥ १ ॥

(अनघ !) हे पापरहित भृगु ! (स्वयां चातुर्वर्ण्यस्य अयं कृत्स्नः धर्मः उक्तः) आपने चारों वर्णों के सम्पूर्ण धर्म कहे, अब (नः) हमें (कर्मणां परां फलनिर्वृतिं तत्त्वतः शंस) कर्मों की परमार्थरूप-फलप्राप्ति तात्त्विक रूप से कहिए ॥ १ ॥

भृगु का ऋषियों को उत्तर—

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः ।

अस्य सर्वस्य शृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ॥ २ ॥

(सः धर्मात्मा मानवः भृगुः) उस धर्मात्मा मनुपुत्र भृगु ने (तान् महर्षीन् उवाच) उन प्रश्नकर्त्ता महर्षियों से कहा कि अब आप (अस्य सर्वस्य कर्मयोगस्य निर्णयं शृणुत) इस सब कर्मों के निर्णय को सुनिये ॥ २ ॥

अनुशीलन : १-२ इन श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. शैलीगत आधार—(१) इन श्लोकों में महर्षियों द्वारा भृगु से प्रश्न और भृगु द्वारा उनका उत्तर देने का वर्णन होने से स्पष्टतः ये मनुप्रोक्त नहीं हैं, अपितु, भृगु से भी परवर्ती किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचकर संकलित किये गये हैं । (२) मनुस्मृति की शैली इन श्लोकों से मेल नहीं खाती । मध्य में वह प्रश्नोत्तररूप में नहीं है । प्रारम्भ में एक बार जिज्ञासा प्रकट की गई है और पुनः उसका उत्तर है [१।२-४] । सम्पूर्ण ग्रंथ में यह शैली है कि मध्य में प्रश्न न होकर एक प्रक्षलित विषय को समाप्त करके अग्रिम विषय का मनु स्वयं संकेत करते हैं ! [१।१४४; ३।२८६; ४।२५६, ६।१, ६७; ७।१, आदि] । इस प्रकार ये शैली के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं ।

२. अन्तर्विरोध—१। २-४ श्लोकों में महर्षियों द्वारा मनु से प्रश्न पूछना और मनु द्वारा उनका उत्तर देना, इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनुस्मृति मनुप्रोक्त है। इन श्लोकों में भृगु से प्रश्नोत्तर के वर्णन से इसे भृगुप्रोक्त सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, जो उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। इस अन्तर्विरोध के आधार पर भी ये प्रसिप्त हैं। [विशेष टिप्पणी द्रष्टव्य १। ११६ पर]।

प्रतीत होता है कि मौलिक विषयसंकेतक श्लोक ११। २६६ को निकालकर किसी भृगु-अनुयायी ने इन श्लोकों को मिला दिया। ११। २६६ के रूप में रखा गया श्लोक कुछ प्राचीन पुस्तकों में अब भी उपलब्ध है। मनुस्मृति की शैली के अनुरूप होने से यही श्लोक मौलिक है। १२। ८२, ११६ श्लोकों का इस श्लोक से मेल भी खाता है।

त्रिविध कर्मों का और त्रिविध गतियों का कथन—

शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम् ।

कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥ (१)

(मनः-वाक्-देहसंभवं कर्म) मन, वचन और शरीर से किये जाने वाले कर्म (शुभ-अशुभ-फलम्) शुभ-अशुभ फल को देने वाले होते हैं, (कर्मजा नृणाम्) और उन कर्मों के अनुसार मनुष्यों की (उत्तम-अधम-मध्यमाः गतयः) उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन गतियाँ = जन्मावस्थाएँ होती हैं ॥ ३ ॥

मन कर्मों का प्रवर्तक—

तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः ।

दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवर्तकम् ॥ ४ ॥ (२)

(इह) इस विषय में (देहिनः मनः) मनुष्य के मन को (तस्य त्रिविधस्य+अपि त्रि+अधिष्ठानस्य दशलक्षणयुक्तस्य) उस उत्तम, मध्यम, अधम भेद से तीन प्रकार के; मन, वचन, क्रिया भेद से तीन आश्रय वाले और दशलक्षणों [१२। ५-७] से युक्त कर्म का (प्रवर्तकं विद्यात्) प्रवृत्त करनेवाला जानो ॥ ४ ॥

त्रिविध मानसिक बुरे कर्म—

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम् ।

चित्तयाभिनवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम् ॥ ५ ॥ (३)

(त्रिविधं मानसं कर्म) मानसिक कर्मों में ने तीन मुख्य अधर्म हैं (परद्रव्येषु+अभिध्यानम्) परद्रव्यहरण अथवा चोरी [का विचार] (मनसा+अनिष्टचिन्तनम्) लोगों का बुरा चिन्तन करना, मन में द्वेष

करना, ईर्ष्या करना, (वितथ + अभिनिवेशः) वितथाभिनिवेश अर्थात् मिथ्या निश्चय करना ॥ ५ ॥ (उपदेश मञ्जरी ३४)

चतुर्विध वाचिक बुरे कर्म—

पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः ।

असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम् ॥ ६ ॥ (४)

(वाङ्मयं चतुर्विधं स्यात्) वाचिक अधर्म चार हैं—(पारुष्यम्) पारुष्य अर्थात् कठोरभाषण । सब समय, सब ठौर मृदुभाषण करना, यह मनुष्यों को उचित है । किसी अन्ये मनुष्य को 'ओ अन्ये' ऐसा कहकर पुकारना निस्सन्देह सत्य है परन्तु कठोर भाषण होने के कारण अधर्म है । (अनृतं च + एव) अनृत-भाषण अर्थात् झूठ बोलना, (पैशुन्यं च + अपि) पैशुन्य अर्थात् चुगली करना, (असम्बद्ध प्रलापः) असम्बद्धप्रलाप अर्थात् जानबूझकर [लांछन या बुराई बनाकर] बात को उड़ाना ॥ ६ ॥

(उपदेश मञ्जरी० ३४)

त्रिविध शारीरिक बुरे कर्म—

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः ।

परदारोपसेवा च शरीरं त्रिविधं स्मृतम् ॥ ७ ॥ (५)

(शरीरं त्रिविधं स्मृतम्) शारीरिक अधर्म तीन हैं—(अदत्तानाम् + उपादानम्) चोरी (हिंसा च + एव) हिंसा अर्थात् सब प्रकार के क्रूर कर्म, ❀ (परदारोपसेवा) रंडीबाजी वा व्यभिचारादि कर्म करना ॥ ७ ॥

(उपदेशमञ्जरी० ३४)

❀ (अविधानतः) शास्त्रविरुद्ध रूप में करना [शास्त्र में कुछ हिंसाएं विहित हैं, जैसे—आपत्काल में आततायी की हिंसा (८।३४८-३५१), हिंस्रपशु की हिंसा, [युद्ध में शत्रुओं की हिंसा आदि] ।.....

जैसा कर्म उसी प्रकार उसका योग—

मानसं मनसंबायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभम् ।

वाचा वाचाकृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ ८ ॥ (६)

(अयम्) यह जीव (मानसं शुभ + अशुभं कर्म मनसा + एव) मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उसको मन, (वाचाकृतं वाचा) वाणी से किये को वाणी, (च कायिकं कायेन + एव) और शरीर से किये को शरीर से (उपभुङ्क्ते) सुख-दुःख को भोगता है ॥ ८ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ ६ ॥ (७)

(नरः) जो नर (शरीरजैः कर्मदोषैः स्थावरतां याति) शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म. (वाचिकैः पक्षिमृगताम्) वाणी से किये पापकर्मों से पक्षी और मृग आदि तथा (मानसैः अन्त्यजातिताम्) मन से किये दुष्टकर्मों से चंडाल आदि का शरीर मिलता है ॥ ६ ॥

(स० प्र० नवम समुत्पास)

त्रिदण्डी की परिभाषा—

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च ।

यस्येते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥

(वाक्-दण्डः मनोदण्डः तथा कायदण्डः) वाग्दण्ड, मनोदण्ड और शरीरदण्ड (एते यस्य बुद्धौ निहिताः) ये तीन दण्ड जिसकी बुद्धि में स्थित हैं (सः 'त्रिदण्डी' इति + उच्यते) वह वस्तुतः 'त्रिदण्डी'—तीनों को दमन करने वाला अर्थात् संन्यासी कहलाता है ॥ १० ॥

त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः ।

कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ११ ॥

(काम-क्रोधौ संयम्य) काम और क्रोध को रोककर (मानवः) जो मनुष्य (एतत्) इन [१२।१०] (त्रिदण्डं सर्वभूतेषु निक्षिप्य) तीन दण्डों का सब प्राणियों में व्यवहार करता है (ततः सिद्धिं नियच्छति) वह उस व्यवहार से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ॥ ११ ॥

क्षेत्रज्ञ और भूतात्मा—

योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रवक्षते ।

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२ ॥

(यः + अस्य + आत्मनः कारयिता) जो इस आत्मा को कर्मों में प्रवृत्त करता है (तं क्षेत्रज्ञं प्रवक्षते) उसको 'क्षेत्रज्ञ' कहा जाता है, और (यः कर्माणि करोति) जो कर्मों को करता है (बुधैः सः भूतात्मा उच्यते) विद्वान् उसे 'भूतात्मा' कहते हैं ॥ १२ ॥

फल का अनुभवकर्ता जीवात्मा—

जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽयः सहजः सर्वदेहिनाम् ।

येन वेद्यते सर्वं सुखं दुःखं च जन्ममु ॥ १३ ॥

(सर्वदेहिनाम् अन्यः) सब प्राणियों का शरीर से भिन्न (जीवसंज्ञकः सहजः

अन्तरात्मा) 'जीव' नामक स्वाभाविक आत्मा है-अर्थात् जीवात्मा है (येन जन्मसु) जो प्रत्येक जन्म में (सर्वं सुखं च दुःखं वेदयते) सब सुख और दुःख को अनुभव करता है ॥ १३ ॥

तावुमौ भूतसंपृक्तौ महान्क्षेत्रज्ञ एव च ।

उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥

(भूतसंपृक्तौ तौ + उभौ महान् च क्षेत्रज्ञः) पञ्चभूतों से मिले हुए वे दोनों 'महान्' और 'क्षेत्रज्ञ' (उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तम्) बड़े-छोटे सब प्राणियों में स्थित उस परमात्मा को (व्याप्य तिष्ठतः) आश्रित करके रहते हैं ॥ १४ ॥

असंख्या मूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः ।

उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ १५ ॥

(तस्य शरीरतः) उस परमात्मा के शरीर से (असंख्याः मूर्तयः निष्पतन्ति) असंख्य जीव निकलते हैं (याः) जो (उच्च-प्रवचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति) बड़े-छोटे सभी प्राणियों को कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं ॥ १५ ॥

पञ्चम्य एव मात्राम्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नृणाम् ।

शरीरं यातनार्थोयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

(दुष्कृतिनां नृणाम्) बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों का (प्रेत्य) मरकर (यातनार्थः) फलस्वरूप यातनाओं को भुगतने के लिए (अयम् + अन्यत् शरीरम्) इस संसार में दूसरा शरीर (पञ्चम्यः एव मात्राम्यः ध्रुवम् उत्पद्यते) पञ्चतन्मात्राओं से, निश्चित रूप से उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥

तेनानुभूय ता यामीः शरीरेणोह यातनाः ।

तास्वेष भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥ १७ ॥

(तेन शरीरेण) उस शरीर से (इह) इस संसार में (ताः यामीः यातनाः अनुभूय) मृत्यु-सम्बन्धी यातनाओं को भोगकर वे (तासु + एव भूतमात्रासु) उन्हीं महाभूतों की तन्मात्राओं में (विभागशः प्रलीयन्ते) यथायोग्य लीन हो जाते हैं ॥ १७ ॥

सोऽनुभूयासुखोदकान्दोषान् विषयसङ्गजान् ।

व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥ १८ ॥

(सः) वह प्राणी (विषयसङ्गजान् असुखोदकान् दोषान् अनुभूय) रूप, स्पर्श आदि विषयों के संसर्ग से उत्पन्न दुःख-पूर्ण पापकर्मों को भोगकर, (व्यपेतकल्मषः) निष्पाप होकर, (तौ + उभौ महौजसौ अभ्येति) उन दोनों महापराक्रमी 'महत्' और 'परमात्मा' का आश्रय करता है ॥ १८ ॥

तौ धर्मं पश्यतस्तस्य पापं चातन्त्रितौ सह ।

याभ्यां प्राप्नोति संपृक्तः प्रेत्येह च सुखासुखम् ॥ १९ ॥

(ती) वे दोनों महत् और परमात्मा (अतन्त्रितौ) तत्परतापूर्वक (सह) मिलकर (तस्य धर्मं च पापं पश्यतः) जीव के धर्म और पाप को देखते हैं। (याम्यां सम्पुक्तः) जिनसे युक्त होकर वह जीव (इह च प्रेत्य सुख-प्रसुखं प्राप्नोति) इस जन्म और परजन्म में सुख-दुःख को प्राप्त करता है ॥ १६ ॥

यदाचरति धर्मं स प्रायशोऽधर्ममल्पशः ।

तेरेव चावृतो भूतैः स्वर्गे सुखमुपाव्रुते ॥ २० ॥

(यत् सः प्रायशः धर्मम्) यदि वह जीव अधिक धर्म का (च) और (अल्पशः अधर्मम् आचरति) थोड़ा अधर्म का आचरण करता है तो (तैः एव भूतैः आवृतः) उन पञ्चमहाभूत आदि से युक्त होकर (स्वर्गे सुखम्+उपाव्रुते) स्वर्ग में सुख भोगता है ॥ २० ॥

यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धर्ममल्पशः ।

तेर्भूतैः स परित्यक्तो यामी यातनाः प्राप्नोति यातनाः ॥ २१ ॥

(यदि तु) और यदि (प्रायशः अधर्मम् अल्पशः धर्मं सेवते) अधिक अधर्म और थोड़ा धर्म का आचरण करता है तो (सः) वह जीव (तैः भूतैः परित्यक्तः) उन पञ्च-भूतों से छूटकर अर्थात् मरकर (यामीः यातनाः प्राप्नोति) यम-यातनाओं को भोगता है ॥ २१ ॥

यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः ।

ताम्येव पञ्च भूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२ ॥

(ताः यामीः यातनाः प्राप्य) उन यम-सम्बन्धी यातनाओं को भोगकर (वीतकल्मषः सः जीवः) निष्पाप हुआ वह जीव (तानि+एव पञ्चभूतानि पुनः भागशः अप्येति) उन्हीं पञ्चभूतों को पुनः यथायोग्य रूप से प्राप्त करता है अर्थात् मानव-जन्म को पा लेता है ॥ २२ ॥

एता इष्ट्वाऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा ।

धर्मतोऽधर्मतश्चैव धर्मं दध्यात्सदा मनः ॥ २३ ॥

मनुष्य को चाहिए कि (स्वेन+एव चेतसा) अपने मन से स्वयं (अस्य जीवस्य धर्मतः च अधर्मतः एताः गतीः इष्ट्वा) इस जीव की धर्म-अधर्म से प्राप्य गतियों को देख-विचारकर (सदा धर्मं मनः दध्यात्) सदा धर्म में मन लगावे ॥ २३ ॥

अनुशीलन : १०—२३ श्लोक निम्न आचार्यों के अनुसार प्रक्षिप्त लिख होते हैं—

१. विषयविरोध—११। २६६, १२। ३-४, ५१, ८२ श्लोकों में उक्त वर्णों के अनुसार प्रस्तुत विषय कर्मफलविधान का है। १०—११ श्लोकों में त्रिदण्डों का वर्णन इस विषय से बाह्य होने के कारण विरुद्ध है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. प्रसंगविरोध—१२। ३-४, ५१ श्लोकों के वर्णन से मनु ने प्रस्तुत प्रसंग का एक निश्चित क्रम नियत कर दिया है। वह यह कि यह प्रसंग कर्मफलविधान का है, उस प्रसंगक्रम में पहले त्रिविध कर्मों का वर्णन और फिर त्रिविध गतियों का वर्णन होगा। तदनुसार ५-६ श्लोकों में त्रिविध कर्मों का वर्णन है, और २४-५१ में त्रिविध-गतियों के आधार एवं उनका वर्णन है। १०-२३ श्लोकों ने संकेतित चर्चा से भिन्न चर्चाओं का वर्णन करके उस नियत प्रसंग को अंग कर दिया है। इन श्लोकों में वर्णित आत्मा आदि का विवेचन या गतियाँ पूर्वापर प्रसंग से मेल नहीं खातीं। अतः ये सभी श्लोक प्रसंगभञ्जक होने से प्रसंगविरुद्ध हैं, इस प्रकार प्रक्षिप्त हैं।

३. अन्तर्विरोध—(१) १५ वें श्लोक का वर्णन १।६-१६, १६ आदि इन सभी श्लोकों के विरुद्ध है, जिनमें परमात्मा द्वारा प्रकृति और आत्मा के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। (२) २०-२२, २७ श्लोकों में स्वर्ग और नरक लोकों का वर्णन मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु 'स्वर्ग' सुख का नाम और नरक, दुःख का नाम मानते हैं, पृथक् लोकविशेष नहीं मानते। [३। ७६; ६। २८]। इसी कारण १२। ३६-५१, ७४ श्लोकों में इसी लोक में योनियों की प्राप्ति का कथन है। इस प्रकार ये श्लोक अन्तर्विधान के आधार पर प्रक्षिप्त हैं, शेष श्लोक इनसे सम्बद्ध होने के कारण इनके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जायेंगे।

प्रकृति के आत्मा की प्रभावित करने वाले तीन गुण—

सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्।

यैर्व्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः ॥ २४ ॥ (८)

(सत्त्वं रजः च तमः एव त्रीन् आत्मनः गुणान् विद्यात्) सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को [आत्मा को प्रभावित करनेवाले] प्रकृति के गुण समझें, (महान्) महत्तत्त्व=प्रकृति का प्रथम विकार [१। १४] (यैः) जिन इन तीन गुणों से (अशेषतः) बिना किसी पदार्थ को छोड़े (इमान् सर्वान् भावान् व्याप्य स्थितः) इन सप्तस्त प्रकृति के कार्यरूप पदार्थों को व्याप्त करके स्थित है ॥ २४ ॥

अनुशीलन : 'आत्मा' शब्द का अर्थ प्रकृति भी होता है। यहाँ यही अर्थ प्रासंगिक है। इस अर्थ से सम्बन्धित विस्तृत विवेचन १। १५ पर द्रष्टव्य है।

जिस गुण की प्रधानता, वैसी ही आत्मा—

यो यदेवां गुणो देहे साकल्येनातिरेक्यते।

स तथा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥ २५ ॥ (९)

(यः गुणः एवां देहे) जो गुण इन जीवों के देह में (साकल्येन+अति-

रिच्यते) अधिकता से वर्तता है (सः तदा तं शरीरिणम्) वह गुण उस जीव को (तद्गुणप्रायं करोति) अपने सदृश कर लेता है ॥ २५ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् ।

एतद्व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ २६ ॥ (१०)

(सत्त्वं ज्ञानम्) जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, (अज्ञानं तमः) जब अज्ञान रहे तब तम, (रागद्वेषौ रजः स्मृतम्) और जब राग-द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए (एतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः एतत् व्याप्ति-मत्) ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं ॥ २६ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

आत्मा में सत्त्वगुण प्रधानता की पहचान—

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत् ।

प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ २७ ॥ (११)

उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि (तत्र आत्मनि यत् किञ्चित् प्रीतिसंयुक्तम्) जब आत्मा में प्रसन्नता (प्रशान्तम् + इव शुद्धाभं लक्षयेत्) मन प्रसन्न प्रशान्त के सदृश शुद्धभावायुक्त वर्तें (तत् + उपधारयेत् सत्त्वम्) तब समझना कि सत्त्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं ॥ २७ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

आत्मा में रजोगुण प्रधानता की पहचान—

यत् दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।

तद्वजो प्रतिपं विद्यात्सततं हारिं देहिनाम् ॥ २८ ॥ (१२)

❧ (यत् तु आत्मनः) जब आत्मा और मन (दुःखसमायुक्तम् + अप्रीतिकरम्) दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में (सततं हारिं) इधर-उधर गमन आगमन में लगे (तत् विद्यात् रजः) तब समझना कि ❧ रजोगुण प्रधान, सत्त्व-गुण और तमोगुण अप्रधान है ॥ २८ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

❧ (देहिनाम्) प्राणियों के.....

❧ (प्रतिपम्) सत्त्वगुण का विरोधी.....

आत्मा में तमोगुण की प्रधानता की पहचान—

यत् स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ।

अप्रतक्यमबिज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ २९ ॥ (१३)

(यत् तु मोहसंयुक्तं स्यात्) जब मोह अर्थात् सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, (अव्यक्तम्) जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे, (विषयात्मकम्) विषयों में आसक्त, (अप्रतर्क्यम्) तर्क-वितर्क रहित, (अविज्ञेयम्) जानने के योग्य न हो, (तत्-उपधारयेत् तमः) तब निश्चय समझना चाहिए कि इन समय मुझ में तमोगुण प्रधान, और सत्त्व गुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ २६ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः ।

अग्रद्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ३० ॥ (१४)

अब (यः) जो (च-एतेषां त्रयाणाम्+अपि अग्रद्यः मध्यः च जघन्यः फलोदयः) इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है (तम् अशेषतः प्रवक्ष्यामि) उसको पूर्ण भाव से कहने हैं ॥ ३० ॥

(स० प्र० नवम समु०)

सत्त्वगुण को प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण—

वेदाम्प्रासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ ३१ ॥ (१५)

जो (वेदाम्प्रासः तपः ज्ञानम्) वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि (शौचम्+इन्द्रियनिग्रहः) पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह (धर्मक्रिया च आत्मचिन्ता) धर्मक्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है (सात्त्विकं गुणलक्षणम्) यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥ ३१ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

रजोगुण के लक्षण—

आरम्भरुचिताऽर्धयमसत्कार्यपरिग्रहः ।

विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥ ३२ ॥ (१६)

जब रजोगुण का उदय, सत्त्वगुण और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब (आरम्भ-रुचिता) आरम्भ में रुचिता, (अर्धयम्) धैर्यत्याग (असत्कार्यपरिग्रहः) असत् कर्मों का ग्रहण, (अजस्रं विषयोपसेवा) निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है (राजसं गुणलक्षणम्) तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वर्त रहा है ॥ ३२ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

तमोगुण के लक्षण—

लोभः स्वप्नोऽपृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नबुद्धिः ।

याविष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥ ३३ ॥ (१७)

जब तमोगुण का उदय और [शेष] दोनों का अन्तर्भाव होता है, तब (लोभः) अत्यन्त लोभ अर्थात् सब पापों का मूल बढ़ता, (स्वप्नः) अत्यन्त आलस्य और निद्रा, (प्रभृतिः) धैर्य का नाश, (क्रौर्यम्) क्रूरता का होना (नास्तिक्यम्) नास्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, (भिन्नवृत्तिता) भिन्न-भिन्न अन्तःकरण की वृत्ति (च) और (प्रमादः) एकाग्रता का अभाव, (याचिष्णुता) और किन्हीं व्यसनों में फँसना होवे, तब (तामसं गुणलक्षणम्) तमोगुण का लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है ॥ ३३ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम् ।

इदं सामासिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम् ॥ ३४ ॥ (१८)

(त्रिषु तिष्ठताम्) तीनों कालों [भूत, भविष्यत् और वर्तमान] में विद्यमान रहने वाले (एतेषां त्रयाणाम्+अपि गुणानाम्) इन तीनों गुणों के (गुणलक्षणं क्रमशः) 'गुणलक्षण' को क्रमशः (सामासिकम् इदं ज्ञेयम्) संक्षेप में इस प्रकार [१२। ३५-३८] समझें ॥ ३४ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

तमोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा—

यत्कर्म कृत्वा कुर्वन् च करिष्यन् चैव लज्जति ।

तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् ॥ ३५ ॥ (१९)

(यत् कर्म कृत्वा) जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके, (कुर्वन्) करता हुआ (च) और (करिष्यन्+एव लज्जति) करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे (तत् ज्ञेयं सर्वं तामसं गुणलक्षणम्) तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगुण है ॥ ३५ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा—

येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम् ।

न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥ ३६ ॥ (२०)

(येन कर्मणा) जिस कर्म से (अस्मिन् लोके) इस लोक में जीवात्मा (पुष्कलां ख्यातिम्+इच्छति) पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, (असंपत्तौ न शोचति) दरिद्रता होने में भी चारण, भाट आदि को [अपनी प्रसिद्धि के लिए] दान देना नहीं छोड़ता, (तत् विज्ञेयं तु राजसम्) तब समझना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है ॥ ३६ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

सत्त्वगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा—

यत्सर्वलोच्छतिं ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन् ।

येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥ ३७ ॥ (२१)

और जब मनुष्य का आत्मा (सर्वेण ज्ञातुम् + इच्छति) सब से जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाये, (यत् च आचरन् न लज्जति) अच्छे कामों में लज्जा न करे (च) और (येन अस्य आत्मा तुष्यति) जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात् धर्माचरण ही में रुचि रहे (तत् सत्त्व-गुणलक्षणम्) तब समझना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रबल है ॥ ३७ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

तीनों गुणों के प्रधान उद्देश्य व पारस्परिक श्रेष्ठता—

तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थं उच्यते ।

सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठघमेषां यथोत्तरम् ॥ ३८ ॥ (२२)

(तमसः लक्षणं कामः) तमोगुण का लक्षण काम, (रजसः तु + अर्थः) रजोगुण का अर्थसंग्रह की इच्छा, (सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः) सत्त्वगुण का लक्षण धर्मसेवा करना है, (एषां यथोत्तरं श्रेष्ठघम्) परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥ ३८ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

येन यस्तु गुणेर्नृणां संसाराप्रतिपद्यते ।

तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम् ॥ ३९ ॥ (२३)

(एषाम्) इन तीन गुणों में (येन गुणेन) जिस गुण से (यः तु) जो मनुष्य (संसारान् प्रतिपद्यते) जिस सांसारिक गति को प्राप्त करता है (तान्) उन सबको (अस्य सर्वस्य यथाक्रमं समासेन वक्ष्यामि) समस्त संसार के क्रम से, संक्षेप से कहूँगा ॥ ३९ ॥

“अब जिस-जिस गुणों से, जिस-जिस गति को जीव प्राप्त होता है, उस-उस को मैं कहूँगे ।” (स० प्र० नवम समु०)

तीन गुणों के आधार पर तीन गतिर्था—

देवत्वं सात्त्विका याप्ति मनुष्यत्वं च राजसाः ।

तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ ४० ॥ (२४)

(सात्त्विकाः देवत्वम्) जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात् विद्वान्, (राजसाः मनुष्यत्वम्) जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, (च) और (तामसाः तिर्यक्त्वम्) जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीचगति को (याप्ति)

प्राप्त करने हैं, (इति+एषा त्रिविधा गतिः) इस प्रकार यह त्रिविध गति है ॥ ४० ॥ (स० प्र० नवम समु०)

अनुशीलन : देव शब्द के अर्थज्ञान एवं देवकोटि के व्यक्तियों के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए २।१५१ पर 'देव' विषयक अनुशीलन द्रष्टव्य है।

तीन गतियों के कर्म, विद्या के आधार पर तीन गौण गतियाँ—

त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः ।

अथमा मध्यमाऽग्रया च कर्मविद्या विशेषतः ॥ ४१ ॥ (२५)

(एषा त्रिविधा) ये तीन प्रकार की [सत्त्व, रज, तम] गतियाँ (कर्मविद्या विशेषतः) कर्म और विद्या की विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक की पुनः (अथमा, मध्यमा च अग्रया) अथम, मध्यम और उत्तम भेद से (त्रिविधा गौणिकी गतिः विज्ञेया) तीन-तीन प्रकार की गौण गतियाँ होती हैं [१।४२-५०] ॥ ४१ ॥

तीन गतियों के तीन-तीन भेद और तदनुसार

जन्मावस्थाओं के फल

तामस गतियों के तीन भेद—

स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च सकच्छपाः ।

पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ ४२ ॥ (२६)

(जघन्या तामसी गतिः) जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे (स्थावराः) स्थावर वृक्षादि [१।४६-४९] (कृमिकीटाः मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः पशवश्च मृगाः) कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गहिताः ।

सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥ (२७)

(मध्यमा तामसी गतिः) जो मध्यम तमोगुणी हैं वे (हस्तिनः तुरंगाः) हाथी, घोड़ा, (शूद्राः म्लेच्छाः निन्दिताः) शूद्र, म्लेच्छ, निन्दित कर्म करने वाले, (सिंहाः व्याघ्राः वराहाः) सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

चारणाश्च सुवर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीवृत्तमा गतिः ॥ ४४ ॥ (२८)

(तामसोषु उत्तमा गतिः) जो उत्तम तमोगुणी हैं वे (चारणाः सुपर्णाः दाम्भिकाः पुरुषाः) चारण=जो कि कवित्त, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, सुन्दर पक्षी, दाम्भिक पुरुष अर्थात् अपने सुख के लिए अपनी प्रशंसा करने हारे, (रक्षांसि पिशाचाः) राक्षस जो हिंसक, पिशाच = भ्रमाचारी अर्थात् मद्य आदि के आहारकर्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है ॥ ४४ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

अन्धुषीलिनः : राक्षस और पिशाच शब्दों पर विस्तृत विवेचन ३।३३-३४ की समीक्षा में देखिये ।

राजस गतियों के तीन भेद—

भल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः ।

द्युतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥ (२६)

(जघन्या राजसी गतिः) जो अधम रजोगुणी हैं वे (भल्लाः) भल्ला अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने हारे, (मल्लाः) मल्ला अर्थात् नौका आदि के चलाने वाले, (नटाः) नट, जो बांस आदि पर कला, कूदना, चढ़ना-उतरना आदि करते हैं, (शस्त्रवृत्तयः पुरुषाः) शस्त्र-धारी भृत्य, (च) और (मद्यपानप्रसक्ताः) मद्य पीने में आसक्त हों, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ४५ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।

वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥ (३०)

(मध्यमा राजसी गतिः) जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे (राजानः क्षत्रियाः) राजा, क्षत्रियवर्णस्थ, (राज्ञां पुरोहिताः) राजाओं के पुरोहित, (वादयुद्धप्रधानाः) वाद-विवाद करने वाले-दूत, प्राड्विवाक=वकील, बैरिस्टर, युद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥ ४६ ॥

(स० प्र० नवमसमु०)

गन्धर्वा गुह्यका यथा विबुधानुचराः ।

तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥ (३१)

(राजसीषु उत्तमा गतिः) जो उत्तम रजोगुणी हैं वे (गन्धर्वाः) गन्धर्व=गाने वाले, (गुह्यकाः) गुह्यक=वादित्र बजाने वाले, (यक्षाः) यक्ष=घनाढ्य, (विबुधा अनुचराः) विद्वानों के सेवक, (तथा+एव सर्वाः अप्सरसः) और अप्सरा अर्थात् जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं ॥ ४७ ॥

(स० प्र० नवमसमु०)

अनुशीलन : गन्धर्व शब्द पर विस्तृत प्रामाणिक विवेचन ३।३२ की समीक्षा में द्रष्टव्य है।

सात्त्विक गतियों के तीन भेद—

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः।

नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ४८ ॥ (३२)

(तापसाः) जो तपस्वी, (यतयः) यति, संन्यासी, (विप्राः) वेदपाठी, (वैमानिका गणाः) विमान के चलाने वाले, (नक्षत्राणि) ज्योतिषी, (च) और (दैत्याः) दैत्य अर्थात् देहपोषक मनुष्य होते हैं उनको (प्रथमा सात्त्विकी गति) प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ४८ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

अनुशीलन : ४८ वें श्लोक के प्रचलित अर्थ में अशुद्धि—टीकाकारों ने इस श्लोक में आये 'नक्षत्र' शब्द का जड़ नक्षत्र विशेष अर्थ किया है, जो मनु की मान्यता के विरुद्ध है। १२, २३, २५, ३५, ३७, ४०, ५१ श्लोकों के अनुसार इन श्लोकों में जीव की गतियों का निरूपण किया गया है, जड़ वस्तुओं का नहीं। नक्षत्र कोई योनिविशेष नहीं है। वे तो जड़ पदार्थ हैं, अतः यह अर्थ सही नहीं है। इस भाष्य में किया गया साक्षणिक अर्थ 'ज्योतिषी' अर्थात् 'नक्षत्र-विज्ञान का वेत्ता' अर्थ मनु-सम्मत है। यहाँ लक्षणा शब्दशक्ति से ही अर्थ की निष्पत्ति होगी।

यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः।

पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ४९ ॥ (३३)

(द्वितीया सात्त्विकी गतिः) जो मध्यम सत्त्वगुणयुक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव (यज्वानः) यज्ञकर्त्ता, (ऋषयः देवाः) वेदार्थवित् विद्वान्, (वेदाः ज्योतींषि वत्सराः) वेद, विद्युत् आदि और काल-विद्या के ज्ञाता, (पितरः) रक्षक, ज्ञानी (च) और (साध्याः) साध्य=कार्यसिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥ ४९ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

अनुशीलन : ४९ वें श्लोक के प्रचलित अर्थ में अशुद्धि—

१. [प्रचलित अर्थ—तपस्वी (वानप्रस्थ), यति (संन्यासी-भिक्षु), ब्राह्मण, वैमानिक गण, नक्षत्र और दैत्य, अथवा सात्त्विकी गतियाँ हैं ॥ ४८ ॥]

२. [प्रचलित अर्थ—यज्वा (विधिपूर्वक अनुष्ठान किये हुए), ऋषि, देव, वेद (इतिहास-प्रसिद्ध शरीरधारी वेदाभिमानी वैशिष्ट्य), ज्योति (ध्रुव आदि), वर्ष (इतिहास प्रसिद्ध शरीरधारी संवत्सर), पितर (सोमप आदि), और साध्य (देव-योनि-विशेष); ये मध्यम सात्त्विकी गतियाँ हैं ॥ ४९ ॥]

(१) टीकाकारों ने 'उयोतीषि' का 'ध्रुव तारे' आदि अर्थ किया है, यह १२।२३, २५, ३५, ३७, ४०, ५१ श्लोकों के संकेत के विरुद्ध है। जड़ वस्तु की कोई योनिविशेष नहीं होती। यह प्रसंग जीवों की योनियों का है। इसका साक्षणिक अर्थ 'विद्युत् आदि के ज्ञाता' ही संगत है।

(२) देव, साध्य और पितरों की पृथक् योनिविशेष की कल्पना कपोलकल्पित है। मनु के मत में देव और पितर मनुष्यों के ही स्तरविशेष हैं [इस विषयक विस्तृत विवेचन २।१५१ (२।१७६) की समीक्षा में द्रष्टव्य है,] साध्यविषयक समीक्षा १।२२ पर द्रष्टव्य है]।

ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च।

उत्तमां सात्त्विकीमेनां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ ५० ॥ (३४)

(उत्तमां सात्त्विकीं गतिम्) जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे (ब्रह्मा) ब्रह्मा=मब वेदों का वेत्ता, (विश्वसृजः) विश्वसृज= सब सृष्टिक्रम विद्या को जानकर विविध विमानादि यानों को बनाने हारे, (धर्मः) धार्मिक, (महान् च अव्यक्तम्+एव) सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ ५० ॥

(सं० प्र० नवमसमु०)

अनुशीलन : (१) ५० वें श्लोक के प्रचलित अर्थ में अनुशुद्धि—(१) इस श्लोक में टीकाकारों द्वारा 'ब्रह्मा' और 'विश्वसृजः' से मरीचि आदि केवल ब्रह्मा से कुछ व्यक्तियों का ग्रहण करना मनुसम्मत नहीं है। चतुर्मुख ब्रह्मा की कल्पना निराधार है। इसी प्रकार मरीचि आदि भी 'विश्वसृजः' नहीं हैं। सृष्टि-स्रष्टा तो केवल ईश्वर को बताया है [१।६, १४-१५, १६, २२, ३३॥]। ये तीनों पूर्व श्लोक में ऋषि-कोटि के ही अन्तर्गत आ जाते हैं। मनुस्मृति में इनसे सम्बद्ध प्रसंग अनेक आधारों पर प्रसिप्त सिद्ध होता है [१।११-१३, ३२-४१, ५०, ५१ की समीक्षा]। इनका अर्थ 'ब्रह्मा=सब वेदों का वेत्ता' और विश्वसृजः=सब सृष्टि को जानकर विविध विमानादि यानों को बनाने हारे' यही संगत है। (२) इसी प्रकार 'धर्म' 'महान्' और 'अव्यक्त' ये अमूर्त और जड़ पदार्थ हैं, इनकी कोई योनिविशेष नहीं होती। यहाँ केवल जीवों की योनियों के वर्णन का प्रसंग है, अतः इनके साक्षणिक अर्थ ही प्रसंग-सम्मत हैं।

(२) प्रकृतिवशित्व सिद्धि का विवेचन—अव्यक्त 'मूल प्रकृति' को कहते हैं।

१. [प्रचलित अर्थ—ब्रह्मा (चतुर्मुख), विश्वस्रष्टा (मरीचि आदि), (शरीर-धारी) धर्म, महान्, अव्यक्त (सांख्यप्रसिद्ध दो तत्त्वविशेष)]; इनकी विद्वान् उत्तम सात्त्विक गतियाँ कहते हैं ॥ ५० ॥]

अव्यक्त से यहाँ अभिप्राय उन योगी जनों से है जो 'प्रकृतिवशित्व' की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे योगी उसम सात्त्विक गति को प्राप्त होते हैं।

प्रकृति वशित्वसिद्धि का वर्णन योगदर्शन में आया है—

“ततो मनोजश्चित्तं विकरणभावं प्रधानजयइव ।” [विभूति० ४८]

अर्थात्—इन्द्रियजय सिद्धि होने पर पुनः इन्द्रियों की विषयग्रहणवृत्ति में संयम करने से, मन के समान इन्द्रियों में गतिशीलता = स्फूर्ति और शक्ति आना, शरीर की अपेक्षा के बिना सूक्ष्म और दूरस्थ विषयों के ज्ञान की प्राप्ति और प्रधानजय = प्रकृति के विकारों को वश में करना; ये तीन सिद्धियाँ योगी को प्राप्त हो जाती हैं।

प्रधानजय ही प्रकृतिवशित्व सिद्धि है। इसकी सिद्धि पर योगी प्राकृतिक विकारों से अबाधित रहकर कार्य कर सकता है। योगदर्शन में इस सिद्धि को 'मधु-प्रतीका' कहा है, जिसका अर्थ है 'मोक्षानन्द की प्रतीकरूप' सिद्धि। इसके बाद योगी मोक्षप्राप्ति की स्थिति में पहुँच जाता है।

एष सर्वः समुद्दिष्टस्त्रिप्रकारस्य कर्मणः ।

त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सार्वभौतिकः ॥ ५१ ॥ (३५)

(त्रिप्रकारस्य कर्मणः) मन, वचन, शरीर के भेद से तीन प्रकार के कर्मों का (त्रिविधः) सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण नामक तीन प्रकार का फल, तथा (त्रिविधः) फिर उनकी उत्तम, मध्यम, अधम भेद से तीन-तीन गतियों वाले (सार्वभौतिकः कृत्स्नः संसारः) सर्वभूतयुक्त सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति का (एषः सर्वः समुद्दिष्टः) यह पूर्ण वर्णन किया ॥ ५१ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

विषयों में आसक्ति से और अधर्मसेवन से दुःखरूप जन्मों की प्राप्ति—

इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च ।

पापान् संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२ ॥ (३६)

(इन्द्रियाणां प्रसंगेन) जो इन्द्रियों के वश होकर विषयी (धर्मस्य + असेवनेन) धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे (अविद्वांसः) अविद्वान् हैं (नराधमाः पापान् संसारान् संयान्ति) वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे-बुरे दुःखरूप जन्म को पाते हैं ॥ ५२ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

कर्मानुसार जीव को धोनियों की प्राप्ति—

यां यां धीनि तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा ।

कमलो याति लोकेऽस्मिन्स्तस्यैव निबोधत ॥ ५३ ॥

(अयं जीवः यह जीव (इह) इस संसार में (येन येन कर्मणा) जिस-जिस कर्म

से (अस्मिन् लोके यां यां योनिं याति) इस संसार की जिस-जिस योनि = जन्म को प्राप्त करता है (तत् तत् सर्वं क्रमशः निबोधत) उस सबको क्रमशः सुनो- ॥ ५३ ॥

बह्वर्बगणाधोरात्मरकाप्राप्य तत्क्षयात् ।

संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विहाम् ॥ ५४ ॥

(महापातकिनः) महापातकी [११।५४] मनुष्य (बह्वर्बगणान् धोरान् नरकान् प्राप्य) अनेक वर्षसमूहों तक भयंकर नरकों को पाकर (तत् क्षयात्) पापों के उपयोग रूप क्षीणता के अनन्तर (इमान् संसारान् प्रतिपद्यन्ते) संसार में निम्न योनियों को प्राप्त करते हैं— ॥ ५४ ॥

श्वसूकरखरोष्ट्राणां योजाविमृगपक्षिणाम् ।

चण्डालपुष्कसानां च ब्राह्मणो योनिमृच्छति ॥ ५५ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मणद्वारा (श्व-सूकर-खर-उष्ट्राणां गो-प्रजा-अवि-मृग-पक्षिणां चण्डालपुष्कसानाम्) कुत्ता, सूअर, गधा, ऊँट, गौ, बकरी, भेड़, मृग, पक्षी, चण्डाल [१०।१६] और पुष्कस [१०।१८], (योनिम् + मृच्छति) इन योनियों को प्राप्त करता है ॥ ५५ ॥

कृमिकीटपतङ्गानां विड्भुजां चैव पक्षिणाम् ।

हिराणां चैव सत्त्वानां सुरापो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥ ५६ ॥

(सुरापः ब्राह्मणः) सुरा पीने वाला ब्राह्मण (कृमि-कीट-पतङ्गानां विड्भुजां च पक्षिणाम्) कृमि, कीट, पतङ्ग, विष्ठा खाने वाले पक्षी कौवे आदि, (च) और हिराणां सत्त्वानाम्) हिंसक शेर आदि पशु, इनकी (व्रजेत्) योनि को प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥

सूताहिसरटानां च तिरश्चां अम्बुचारिणाम् ।

हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्रशः ॥ ५७ ॥

(स्तेनः विप्रः) चोर ब्राह्मण (सूता-ग्रहि-सरटानां तिरश्चाम् अम्बुचारिणां पिशाचानाम्) मकड़ी, साँप, गिरगिट, तिर्यक् जन्तुओं की, मगर आदि जलचर जीव, हिंसक स्वभाव के पिशाच आदि की (सहस्रशः) योनियों में हजारों बार जन्म लेता है

तृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि ।

॥ ५७ ॥

क्रूरकर्मकृतां चैव शतशो गुस्तत्पगः ॥ ५८ ॥

(गुस्तत्पगः) गुस्तस्त्री-गामी (तृण-गुल्म-लतानां क्रव्यादां दंष्ट्रिणां च क्रूरकर्म-कृताम्) घास, झाड़ीदार पौधे, बेल, कच्चे मांस को खाने वाले, दाढ़ वाले बाघ आदि, और क्रूर कर्म करने वाले, इनकी योनियों में (शतशः) सैकड़ों बार जन्मता है ॥ ५८ ॥

हिंसा नयन्ति क्रव्यादाः कृमयोऽन्येयमक्षिणः ।

परस्परविनः स्तेनाः प्रेतान्यस्त्रीनिषेविणः ॥ ५९ ॥

(हिंसा: कष्यादाः भवन्ति) हिंसक मनुष्य कष्ये मांस खाने वाले बाघ आदि की योनि को प्राप्त करते हैं, (अभक्ष्यभक्षिणः कुमयः) अभक्ष्य भोजन करने वाले कुमि बनते हैं, (स्तेनाः) चोर (परस्पर-आदिनः) आपस में एक दूसरे को खाने वाले सांप-नेवला आदि बनते हैं, और (अन्त्यस्त्रीनिषेविणः प्रेताः) चण्डाल आदि नीचों की स्त्री से संभोग करने वाले प्रेत बनते हैं ॥ ५६ ॥

संयोगं पतितैर्गत्वा परस्वयं च योचितम् ।

अपहृत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥

(पतितैः संयोगं कृत्वा) पतित लोगों के साथ संसर्ग करने पर (परस्य एव योचितम्) परस्त्री के साथ संसर्ग करके, (च) और (विप्रस्वम् अपहृत्य) ब्राह्मण के धन को चुराने पर (ब्रह्मराक्षसः भवति) मनुष्य ब्रह्मराक्षस का जन्म पाता है ॥ ६० ॥

मणिमुक्ताप्रवालानि हृत्वा लोभेन मानवः ।

विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तुषु ॥ ६१ ॥

(मानवः) मनुष्य (लोभेन) लोभ के बन्धीभूत होकर (मणिमुक्ता-प्रवालानि च विविधानि रत्नानि) मणि, मोती, प्रवाल = मूंगा और अन्य रत्न (हृत्वा) चुराकर (हेमकर्तुषु जायते) सुनार का जन्म पाता है ॥ ६१ ॥

धान्यं हृत्वा भक्ष्याक्षुः कांस्यं हंसो जलं प्लवः ।

मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ॥ ६२ ॥

मनुष्य (धान्यं हृत्वा आक्षुः) धान्य चुराकर परजन्म में बूढ़ा, (कांस्यं हंसः) कांसा चुराकर हंस, (जलं प्लवः) जल चुराकर मेंढक, (मधु दंशः) सहस्र चुराकर डांस, (पयः काकः) दूध चुराकर कौआ, (रसं श्वा) रस चुराकर कुता, (घृतं नकुलः) घी चुराकर नेवला (भवति) बनता है ॥ ६२ ॥

मांसं गृध्रो वपां मद्गुस्तैलं तैलपकः खगः ।

चोरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिर्दधि ॥ ६३ ॥

(मांसं गृध्रः) मांस चुराकर गीध, (वपां मद्गुः) चर्बी चुराकर 'मद्गु' नामक जलचर पक्षी, (तैलं तैलपकः खगः) तैल चुराकर 'तैलपक' नामक पक्षी, (लवणं चोरी-वाकः) नमक चुराकर 'चोरीवाक' नामक पक्षी, (दधि बलाका शकुनिः) दही चुराकर बगुला पक्षी परजन्म में बनता है ॥ ६३ ॥

कोशेयं तित्तिरिहृत्वा क्षीमं हृत्वा तु वदूरः ।

कार्पासितान्तवं क्रीञ्चो गोधा गां बाग्गुहो गुडम् ॥ ६४ ॥

(कोशेयं हृत्वा तित्तिरिः) रेशम के वस्त्र को चुराकर तीतर, (क्षीमं हृत्वा वदूरः) अतसी आदि से बने वस्त्र चुराकर बड़ा मेंढक, (कार्पासितान्तवं क्रीञ्चः)

कपास के वस्त्र चुराकर क्रीव पक्षी, (गां गोघा) गी चुराने वाला गोह, ग्रीर (गुडं बाग्मुदः) गुड चुराने वाला परजन्म में बाग्मुद = चमगीदड़ पक्षी बनता है ॥ ६४ ॥

छुच्छुन्दरिः शुभाग्गन्धान् पत्रशाकं तु बहिणः ।

स्वाचित्कृतान्नं विविधमकृतान्नं तु शल्यकः ॥ ६५ ॥

(शुभान् गन्धान् छुच्छुन्दरिः) श्रेष्ठ सुगन्धों को चुराने वाला छुच्छुन्दर, (पत्र-शाकं तु बहिणः) पत्तों वाले शाक चुराकर मोर, (कृतान्नं स्वाचित्) पक्वान्न को चुराने वाला सेंह [= कांटेदार शरीर वाला एक पशु], (विविधम् अकृतान्नं तु शल्यकः) अनेक प्रकार के कच्चे घन चुराकर भाऊ चूहा परजन्म में बनता है ॥ ६५ ॥

वको भवति हृत्वाग्निं गृह्णारी ह्युपस्करम् ।

रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥

मनुष्य (अग्निं हृत्वा वकः) अग्नि को चुराकर बगुला, (उपस्करं गृह्णारी भवति) गृहोपयोगी वस्तुओं को चुराकर गीली मिट्टी से घर बनाने वाला लोहनी नामक कीड़ा होता है, और (रक्तानि वासांसि हृत्वा) रंगे हुए कपड़ों की चोरी करने वाला (जीवजीवकः जायते) चकोर पक्षी बनता है ॥ ६६ ॥

वृको मृगेभं व्याघ्रोऽश्वं फलमूलं तु मर्कटः ।

स्त्रीमूत्रः स्तोकको वारि यानाम्पुष्टः पशूनजः ॥ ६७ ॥

(मृगेभं वृकः) हाथी नामक पशु को चुराकर भेड़िया, (अश्वं व्याघ्रः) अश्व को चुराकर बाघ, (फलमूलं मर्कटः) फल-मूल को चुराकर बन्दर, (स्त्रीम् + ऋक्षः) स्त्री को चुराकर भालू, (वारि स्तोककः) जल चुराने वाला चातक, (यानानि + पुष्टः) बाहनों को चुराने वाला ऊँट, (पशून् + नजः) पशुओं को चुराने वाला बकरा बनता है ॥ ६७ ॥

यद्वा तद्वा परद्रव्यमग्रहृत्य बलाग्नरः ।

अवश्यं याति तिर्यक्स्त्वं जग्ध्वा संवाहुतं हविः ॥ ६८ ॥

(नरः) मनुष्य (यत्-वा तत्-वा परद्रव्यं बलात् अग्रहृत्य) जो कोई भी वस्तु अर्थात् साधारण से साधारण वस्तु भी बलात् लेकर, (च) और (अहुतं हविः जग्ध्वा) बिना आहुति दिये-हवन किये भोजन करके (अवश्यं तिर्यक्स्त्वं याति) अवश्य तिर्यक् योनि में जाता है ॥ ६८ ॥

स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवाप्नुयुः ।

एतेषामेव जन्तूनां सार्धात्स्त्रियुपयाति ताः ॥ ६९ ॥

(स्त्रियः अपि + एतेन कल्पेन) स्त्रियाँ भी इसी प्रकार (हृत्वा) चोरी करके (दोषम् + अवाप्नुयुः) दोषी बनती हैं, और (ताः) वे (एतेषाम् + एव जन्तूनां सार्धात्स्त्रियुपयाति) इन्हीं प्राणियों की पत्नियाँ बनती हैं ॥ ६९ ॥

स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युता वर्णा ह्यनापदि ।

पापान्संसृज्य संसारान्प्रेष्यतां याप्तिं शत्रुषु ॥ ७० ॥

(वर्णाः) चारों वर्ण वाले (अनापदि) बिना आपत्तिकाल के (स्वेभ्यः स्वेभ्यः कर्मभ्यः च्युताः) अपने-अपने कर्मों को त्यागकर (पापान् संसारान् संसृज्य) पापी योनियों में जन्म लेकर, फिर (शत्रुषु प्रेष्यतां याप्तिं) शत्रुओं के यहाँ दास बनते हैं ॥ ७० ॥

वान्ताशुल्कामुलः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाश्च्युतः ।

अमेध्यकुणवाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥

(स्वकात् धर्मात् च्युतः विप्रः) अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण (वान्ताशी + उल्कामुलः प्रेतः) वनभक्षी और ज्वाला के मुख वाला प्रेत बनता है, (च) और (क्षत्रियः) अपने धर्म से भ्रष्ट क्षत्रिय (अमेध्य-कुणवाशी कटपूतनः) गन्दगी और शव को खाने वाला 'कटपूतन' नामक कीड़ा बनता है ॥ ७१ ॥

मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक् ।

चैलाशकश्च भवति शूद्रो धर्मात्स्वकाश्च्युतः ॥ ७२ ॥

(वैश्यः) धर्म से भ्रष्ट वैश्य (पूयभुक् मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतः भवति) पीप खाने वाला 'मैत्राक्षज्योतिक' नामक प्रेत बनता है, (च) और (स्वकात् धर्मात् च्युतः) अपने धर्म से भ्रष्ट (शूद्रः) शूद्र (चैलाशकः भवति) 'चैलाशक' नामक प्रेत बनता है ॥ ७२ ॥

अनुशासनः : ५३ से ७२ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—(१) ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं। ५२ वें श्लोक में इन्द्रियों को विषयों में लगाने से पापयुक्त होने की बात कही थी और ७३ वें श्लोक में उसी बात को पूरा करते हुए कहा गया है कि 'विषयी जैसे-जैसे विषयों का सेवन करते हैं वैसे ही उनमें उनकी रुचि बढ़ती जाती है।' ७४ वें श्लोक में इसी बात को पूर्ण किया है। बीच में इन श्लोकों ने उस वाक्यक्रम-प्रसंग को भंग कर दिया है, और अप्रासंगिक वर्णन किया है।

(२) ५३ वें श्लोक की न तो ५२ वें से ही कोई संगति जुड़ती है और न इस प्रसंग के अन्तिम श्लोक ७२ वें की ७३ वें से कोई संगति है। इस प्रकार भी ये ५३ से ७२ श्लोक प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होते हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) ३६-५१ श्लोकों के प्रसंग से ५३-७२ श्लोकों के इस प्रसंग की व्यवस्थाओं का विरोध है। पूर्व प्रसंग में सत्त्व, रज और तम की अधिकता के आधार पर योनियों का निर्णय है, जबकि यहाँ एक-एक कर्म के आधार पर एक-एक योनि का निर्णय दिया है। (२) मनु किसी एक ही कर्म के आधार पर किसी

योनि की प्राप्ति नहीं मानते अपितु अनेक कर्मों के अनुसार मानते हैं [१२।७४]। इस आधार पर भी इन श्लोकों की व्यवस्थाएँ विरुद्ध हैं। (३) इस प्रसंग के आधार रूप श्लोक ५३-५४ हैं। इनमें जीव द्वारा नरक-योनियों में जाने का वर्णन है, जो मनु की मौलिक मान्यता के विरुद्ध है [देखिए ४।८७-९१ श्लोकों पर अन्तर्विरोध समीक्षा]। इस प्रकार अन्तर्विरोध के आधार पर आधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर, इन पर आधारित शेष [५५-७२] सारा प्रसंग स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है। इसी अन्तर्विरोध के अन्तर्गत ५६, ७१, ७२ श्लोक भी, जिनमें कि प्रेतयोनियों की चर्चा है, प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। इस प्रकार अन्तर्विरोध के आधार पर ५३ से ७२ श्लोकों का यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त है।

३. शैलीगत आधार—(१) ५३ से ७२ श्लोक तक के इस सम्पूर्ण प्रसंग की शैली निराधार, निन्दायुक्त-अतिशयोक्तिपूर्ण और अप्रत्यक्ष भयप्रदर्शन की शैली है। यह मनु की शैली नहीं है, क्योंकि मनु की शैली में ये प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। (२) वर्णन-शैली से भी ये श्लोक परवर्ती काल की रचनाएँ सिद्ध होती हैं। कुछ वर्णनों का मनु के वर्णन से तालमेल नहीं बैठता। ५३ से ७२ श्लोक तक के प्रसंग में ६१ वें श्लोक में मणि-मुक्ता आदि चुराने वाले व्यक्ति को सुनार की योनि में जन्म होना बताया है। मनु की वर्णव्यवस्था में सुनार नाम की कोई जाति नहीं है। [१।८७-९१]। अपितु, स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि से सम्बन्धित कार्य वैश्य का बताया है [६।३२६॥१०।६८-६९ इनमें शिल्पकार्य वैश्य का सिद्ध है]। इससे स्पष्ट है कि परवर्ती काल में जब विभिन्न जातियों का प्रचलन हुआ तब यह श्लोक रचकर मिलाया गया और इससे सम्बद्ध पूर्वा-पर शेष प्रसंग भी साथ ही मिलाया गया। इस प्रकार यह प्रसंग परवर्ती काल का प्रक्षेप है। (३) ५५-६० श्लोकों में महापातकियों के उल्लेखपूर्वक फलकथन भी इसके परवर्ती होने का संकेत देता है क्योंकि ब्रह्महत्या, गुरुपत्नीगमन आदि के आधार पर महापातक और महापातकियों का वर्गीकरण मौलिक न होकर परवर्ती है।

[देखिए ११।५४-१६० श्लोकों पर समीक्षा]।

विषयों के सेवन से पाप-योनियों की प्राप्ति—

यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः ।

तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३ ॥ (३७)

(विषयात्मकाः) विषयी स्वभाव के मनुष्य (यथा-यथा विषयान् निषेवन्ते) जैसे-जैसे विषयों का सेवन करते हैं (तथा तथा) वैसे-वैसे (तेषु तेषां कुशलता+उपजायते) उन विषयों में उनकी आसक्ति अधिक बढ़ती जाती है ॥ ७३ ॥

तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामल्पबुद्धयः ।

संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तानु तास्विह योनिषु ॥ ७४ ॥ (३८)

फिर (ते अल्पबुद्धयः) वे मन्दबुद्धि मनुष्य (तेषां पापानां कर्मणाम्

+अभ्यासात्) उन विषयों से उत्पन्न पापकर्मों को बारम्बार करते हैं, और उनके कारण पुनः (तासु-तासु योनिषु) पापकर्मों से प्राप्त होने वाली उन-उन योनियों में प्रवृत्ति जिस पाप से योनि प्राप्त होती है [१२। ३६-५१] उसे प्राप्त करके (इह) इसी संसार में (दुःखानि प्राप्नुवन्ति) दुःखों को भोगते हैं ॥ ७४ ॥

पापियों को प्राप्त होने वाले दुःख—

तामिस्राविषु खोशेषु नरकेषु विवर्तनम् ।

असिपत्रवनादीनि बन्धनक्षेदनानि च ॥ ७५ ॥

पापी मनुष्य (उग्रेषु तामिस्रादि नरकेषु विवर्तनम्) घोर तामिस्र आदि नरकों में आवागमन के बरकर काटते रहते हैं (च) और (असिपत्रवन-आदीनि बन्धन-क्षेदनानि) 'असिपत्रवन' आदि नरकों में बन्धन, क्षेदन आदि दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥ ७५ ॥

त्रिविधाश्च संपीडाः काकोलूकैश्च भक्षणम् ।

करम्भबालुकातापान्कुम्भीपाकाश्च दारुणम् ॥ ७६ ॥

वे (त्रिविधाः संपीडाः) अनेक प्रकार की पीड़ाओं को भोगते हैं, (च) और उन्हें (काक-उलूकैः भक्षणम्) कौवे तथा उलूक खाते हैं, (करम्भ-बालुका-तापान् च दारुणान् कुम्भीपाकान्) वे तपते बालू में संताप और भयंकर कुम्भीपाक नरक को प्राप्त होते हैं ॥ ७६ ॥

संभवाश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः ।

शीतातपामिषातांश्च विविधानि भयानि च ॥ ७७ ॥

वे (नित्यशः दुःखप्रायासु) सदा दुःखपूर्ण, (वियोनीषु संभवाः) निन्दित योनियों में जन्मते हैं, (च) और (शीत-प्रातप-अभिघातान् विविधानि भयानि) सर्दी, गर्मी की पीड़ाओं और विविध प्रकार के भयों को प्राप्त करते हैं ॥ ७७ ॥

असकृद्गर्भवासेषु वासं जन्म च दारुणम् ।

बन्धनानि च काष्ठानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥ ७८ ॥

वे पापी मनुष्य (गर्भवासेषु असकृद् वासम्) गर्भों में बार-बार निवास, (दारुणं जन्म) कष्टमय जन्म, (काष्ठानि बन्धनानि) कठोर यातनायें, (च) और (परप्रेष्यत्वम् + एव) दूसरों के दास होना आदि दुःख पाते हैं ॥ ७८ ॥

बन्धुप्रियवियोगाश्च संवासं चैव दुर्जनैः ।

द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्राभिन्नस्य चार्जन्म् ॥ ७९ ॥

(च) और (बन्धु-प्रियवियोगान्) बान्धवों और प्रियजनों का वियोग, (दुर्जनैः सह संवासः) दुष्टों के साथ निवास, (द्रव्य-अर्जनं च नाशम्) धनसंग्रह के प्रयासों का

कष्ट और उसका नाश, (मित्र-अमित्रस्य-अर्जनम्) कष्ट से मित्र-प्राप्ति और शत्रुओं की वृद्धि आदि दुःखों को प्राप्त करते हैं ॥ ७६ ॥

जरा चैवाप्रतीकारा व्याधिभिश्चोपपीडनम् ।

क्लेशाश्च विविधास्तस्मात्समुपैव च दुर्जयम् ॥ ८० ॥

(च) और (अप्रतीकारां जराम्) असाध्य वृद्धावस्था, (व्याधिभिः उपपीडनम्) व्याधियों से कष्ट, (तान्-तान् विविधान् क्लेशान्) अनेक प्रकार के क्लेश (च) और (दुर्जयं मृत्युम्) अनिवार्य मृत्यु-दुःख को प्राप्त करते हैं ॥ ८० ॥

अनुधीतम् : ७५ से ८० श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध—(१) पूर्वपर [७४ एवं ८१ में] प्रसंग अच्छे-बुरे कर्मों का साधारण रूप में फलकथन का है, और उसकी परस्पर सम्बद्धता भी दृष्टिगत होती है। ७५-८० श्लोकों में विशेष दुःखों एवं योनियों की प्राप्ति का वर्णन पूर्वपर प्रसंग के विरुद्ध एवं उसको भंग करने वाला है। (२) ७५ का ७४ से और ८० वें श्लोक का ८१ से प्रसंग नहीं जुड़ता। यह आधार भी इन्हें प्रसंगभञ्जक और पूर्वपर प्रसंग-विरुद्ध सिद्ध करता है। (३) अच्छे-बुरे कर्मों के फल और गतियों के वर्णन का प्रसंग गत ३६-५१ श्लोकों में वर्णित हो चुका है। उस प्रसंग के समाप्त होने पर पुनः दुःख-प्राप्ति वर्णन का प्रसंग शुरू करना भी इसको असंगत सिद्ध करता है। इस प्रकार प्रसंगविरोध के आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—(१) यहाँ ७४ वें श्लोक का “तासु तासु इह योनिषु” चरण विशेष ध्यान देने योग्य है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पापाचरण करने वाले तदनुरूप उन-उन योनियों में इस संसार में ही जन्म ग्रहण करते हैं, और उन योनियों का वर्णन ३६-५१ में हो चुका है। पुनरपि अग्रिम श्लोकों में नरक आदि में जाने का विरुद्ध वर्णन किया गया है। यह प्रक्षेपकर्ता की अन्धता का द्योतक है। (२) इस प्रसंग का आधार-श्लोक ७५ वाँ है, जिसमें तामिस्र, असिपत्रवन आदि नरकों के प्राप्त होने का कथन है। नरक नामक पृथक् लोक की मान्यता मनु-विरुद्ध है [इसके लिए द्रष्टव्य है ४। ८७-६१ पर समीक्षा]। इस श्लोक के प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इस पर आधारित शेष सभी श्लोक स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे। इस प्रकार अन्तर्विरोध के आधार पर भी यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त है।

आसक्ति-निरासक्ति के अनुसार फलप्राप्ति—

यादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निवेद्यते ।

तादृशेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाप्नुते ॥ ८१ ॥ (३६)

मनुष्य (यादृशेन तु भावेन) जैसी अच्छी या बुरी भावना से और उनमें वैसी दृढ़ आसक्ति या निरासक्ति है उसके अनुसार (यत्कर्म)

निषेवते) जैसा अच्छा या बुरा कर्म करता है, (सादृशेन शरीरेण) वैने-वैसे ही शरीर पाकर (तत्तत् फलम्+उपाश्नुते) उन कर्मों के फलों को भोगता है ॥ ८१ ॥

अनुशीलन : श्लोकार्थ पर विचार— इस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए ६। ८० श्लोक सहायक है—“यवा भ्रावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृहः । तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ।” = “जब व्यक्ति सब पदार्थों में अपने भाव से निःस्पृह हो जाता है तो वह लौकिक और मोक्षसुख को प्राप्त करता है । इसी आधार पर यहाँ वर्णन है । जो व्यक्ति जितनी बड़ स्पृहा=आसक्ति या निःस्पृहा=अनासक्ति से कर्म-सेवन करेगा, उसे उसी के अनुसार कम-अधिक अच्छा-बुरा फल मिलेगा ।

निःश्रेयसकर कर्मों का वर्णन—

एष सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां वः फलोदयः ।

निःश्रेयसकरं कर्म विप्रस्येवं निबोधत ॥ ८२ ॥ (४०)

(एषः) यह [१२। ३-८१] (कर्मणां फलोदयः) कर्मों के फल का उद्भव (एवं) सम्पूर्ण रूप में (वः समुद्दिष्टः) तुमसे कहा ।

अब (विप्रस्य) विद्वानों या ब्राह्मण आदि द्विजों के (निःश्रेयसकरं कर्मं निबोधत—) मोक्षदायक कर्मों को सुनो ॥ ८२ ॥

छह निःश्रेयसकर कर्म—

वेदाभ्यासस्तपोजानमिन्द्रियाणां च संयमः ।

धर्मक्रियाऽत्मचिन्ता च निःश्रेयसकरं परम् ॥ ८३ ॥ (४१)

(वेदाभ्यासः, तपः, ज्ञानम्, इन्द्रियाणां संयमः, धर्मक्रिया, च आत्मचिन्ता) वेदों का अभ्यास [१२। ६४-१०३], तप=व्रतसाधना [१२। १०४], ज्ञान=सत्यविद्याओं की प्राप्ति [१२। १०४], इन्द्रियसंयम [१२। ६२], धर्मक्रिया=धर्मपालन एवं यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान और आत्मचिन्ता=परमात्मा का ज्ञान एवं ध्यान, ये छह: (निःश्रेयसकरं परम्) मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वोत्तम कर्म हैं ॥ ८३ ॥

अनुशीलन : श्लोक में पाठभेद—उपलब्ध संस्करणों में इस श्लोक के तृतीय पाद में “अहिंसा गुरुसेवा च” पाठ मिलता है । यह पाठभेद किया गया है जो

१. प्रचलित अर्थ—इस श्लोक के तृतीय पाद में ‘धर्मक्रिया आत्मचिन्ता च’ के स्थान पर प्रचलित संस्करणों में “अहिंसा गुरुसेवा च” पाठ मिलता है । तदनुसार प्रचलित अर्थ इस प्रकार है—(उपनिषद् के सहित) वेद का अभ्यास, (प्राजापत्य आदि) तप, (ब्रह्मविषयक) ज्ञान, इन्द्रियों का संयम, अहिंसा और गुरुजनों की सेवा; ये ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ मोक्षसाधक छः कर्म हैं ॥ ८३ ॥]

मनुस्मृति के अनुरूप नहीं है। यहां “बर्मेक्रियाऽस्त्वचिन्ता च” पाठ ही उपयुक्त है। इसकी पुष्टि में निम्न प्रमाण है—

(१) ८३ वें श्लोक में निःश्रेयस कर्मों की परिगणना है, परिगणना के बाद छह कर्मों से सम्बन्धित व्याख्यान ८५-११५ श्लोकों में है। इस व्याख्यान में ‘ग्रहिता’ और ‘गुरुसेवा’ का कहीं उल्लेख नहीं है, अपितु ‘आत्मज्ञान’ और ‘बर्मेक्रिया’ का है। श्लोकार्थ में तत्तत् वर्णन वाले श्लोकों की संख्या दे दी है।

(२) मनु ने सात्त्विक कर्मों को ही निःश्रेयस कर्म माना है। इस श्लोक में अन्य सभी कर्म तो बही हैं, केवल दो में पाठभेद कर दिया है। सात्त्विक कर्मों का वर्णन १२।३१ में है। वही पाठ यहाँ ग्रहण करना मनुसम्मत है, क्योंकि वही कर्म मनु-मत से सर्वश्रेष्ठ हैं और वही मुक्तिदायक हो सकते हैं। अतः प्रस्तुत पाठ सही है।

आत्म-ज्ञान का वर्णन

सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम् ।

क्रिबिन्ध्वस्करतरं कर्मोक्तं पुण्यं प्रति ॥ ८४ ॥

(एषां सर्वेषाम्+अपि शुभानां कर्मणाम्) इन [१२।८३] सब श्रेष्ठ कर्मों में (इह) इस लोक में (पुण्यं प्रति) मनुष्य के लिए (क्रिबिन्ध्वस्करतरं कर्म उक्तम्) कुछ श्रेष्ठ एक कर्म माना है ॥ ८४ ॥

अनुवाचितम् : ८५ वा श्लोक निम्न प्रकार प्रसिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—८५ वें श्लोक के “सर्वेषाम् अपि चैतेषाम्” पदों से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह श्लोक ८३ से सम्बद्ध है। ८३ में छः कर्मों का वर्णन है और ८५ से उन सभी में श्रेष्ठ का प्रथम रूप से वर्णन है, और इस श्लोक से पूर्वोक्त श्लोकों की सम्बद्धता भंग हो रही है। अतः प्रसिप्त है।

२. शैलीगत आधार—८४ के वर्णन से ही यह अनावश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि यही बातें ८५ वें श्लोक में उक्त हैं।

आत्मज्ञान सर्वोत्तमं कर्म है—

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।

तद्व्यग्रघं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥ ८५ ॥ (४२)

(एषां सर्वेषाम्+अपि) इन सब [१२।८३] कर्मों में (आत्मज्ञानं परं स्मृतम्) ‘परमात्मज्ञान’ सर्वश्रेष्ठ कर्म माना है, (तत्+हि सर्वविद्यानाम् व्यग्रघम्) यह सब विद्याओं में सर्वप्रमुख कर्म है (ततः अमृतं प्राप्यते) इससे मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ८५ ॥

अनुशीलन : इसी साम्यता को मनु ने ६। ८१, ८२, ८४ में वर्णित किया है। तुलनायं द्रष्टव्य है।

‘अमृत’ शब्द के अर्थज्ञान के लिए १२। १०४ श्लोक पर अनुशीलन देखिए।

प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का वर्णन—

पण्यामेवां तु सर्वेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च ।

श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वैदिकम् ॥ ८६ ॥

(एषां सर्वेषां पण्यां कर्मणाम्) इन सभी छः कर्मों से (वैदिक कर्म) वैदिक कर्म को (इह च प्रेत्य) इस लोक और परलोक में (सर्वदा श्रेयस्करतरं ज्ञेयम्) सदा अधिक कल्याणकारी समझना चाहिए ॥ ८६ ॥

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः ।

अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिन्स्मिन्क्रियाविधौ ॥ ८७ ॥

(वैदिके कर्मयोगे) वैदिक-कर्मसमूह में (एतानि सर्वाणि) ये सभी छः कर्म (तस्मिन्-तस्मिन् क्रियाविधौ) वेद में उक्त तत्तत् कर्म की क्रिया-सम्बन्धी विधि में (अशेषतः) सम्पूर्णरूप में (क्रमशः) क्रमानुसार (अन्तर्भवन्ति) अन्तर्भूत हो जाते हैं ॥ ८७ ॥

सुखान्मुदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च ।

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥ ८८ ॥

(वैदिकं कर्म द्विविधम्) वैदिक-कर्म दो प्रकार के हैं—(सुख-अमुदयिकं ‘प्रवृत्तम्’) सुख प्रदान करने वाले ‘प्रवृत्तकर्म’ (च) और (नैःश्रेयसिकं ‘निवृत्तम्’) मुक्ति प्रदान करने वाले ‘निवृत्तकर्म’ = निष्काम कर्म ॥ ८८ ॥

इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्यते ।

निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपविश्यते ॥ ८९ ॥

(इह वा अमुत्र) इस लोक या परलोक में (काम्यम्) इच्छापूर्वक किया गया काम (प्रवृत्तं कर्म कीर्यते) ‘प्रवृत्तकर्म’ कहा जाता है, और (ज्ञानपूर्वं तु निष्कामम्) ज्ञान-पूर्वक निष्काम भावना से युक्त होकर जो कर्म किया जाता है वह (निवृत्तम् उप-विश्यते) ‘निवृत्तकर्म’ कहा जाता है ॥ ८९ ॥

प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम् ।

निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यप्येति पञ्च वै ॥ ९० ॥

मनुष्य (प्रवृत्तं कर्म संसेव्य) प्रवृत्त कर्म को करके (देवानां साम्यताम् + एति) देवों की समानता पाता है, और (निवृत्तं सेवमानः) निवृत्त कर्म करके (वै) निश्चित रूप से (पञ्चभूतानि + अत्येति) पञ्चभूतों का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात् जन्म-मरण के बन्धन से छूटकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ ९० ॥

अनुशीलन : ८६ से ९० श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. प्रसंगविरोध—पूर्वापर प्रसंग आत्मज्ञान से सम्बन्धित है। बीच में उस प्रसंग को भंग करके वैदिक-कर्म का प्रसंग उठाना असंगत है। इस असंगति के आधार पर ये ८६ से ९० तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. विषयविरोध—८२ वें श्लोक में नैऋत्येयसकरकर्मों का विषय प्रारम्भ किया था फिर उस प्रसंग में प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का विवेचन विषयविरुद्ध है। ६८ वें श्लोक में पूर्वापर प्रसंग को तोड़कर अलग से प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का विषय प्रारम्भ है।

३. अवान्तरविरोध—८६ में श्लोक में कहा है कि इन पूर्वोक्त छः कर्मों से वैदिक कर्म ही श्रेष्ठ हैं और फिर अगले ही ८७ वें श्लोक में कह दिया कि ये सभी छह कर्म वैदिककर्मयोग के अन्तर्गत हैं। ये ही सभी वैदिक हैं तो पूर्व श्लोक में वैदिक-कर्म को उत्कृष्ट और पृथक् से वैदिक कहने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार दोनों ही श्लोकों में विरोध आता है।

४. अन्तर्विरोध—८३ वें श्लोक में मनु द्वारा उक्त सभी कर्म वैदिक या वेदोक्त ही हैं। इन श्लोकों में वैदिक-कर्म को पृथक् से श्रेष्ठ कहना या उसका इस रूप में पुनः उल्लेख करना, इन श्लोकों की खण्डनात्मक भावना का द्योतक है। स्पष्ट है कि यह किसी का भिन्न मत है, मतः मनुविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। यहाँ इस वर्णन की आवश्यकता भी सिद्ध नहीं होती।

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ६१ ॥ (४३)

(सर्वभूतेषु आत्मानम्) सब चराचर पदार्थों एवं प्राणियों में परमात्मा की व्यापकता को (च) और (आत्मनि) परमात्मा में (सर्वभूतानि) सब पदार्थों एवं प्राणियों के आश्रय को (समं पश्यन्) समानभाव से देखता हुआ अर्थात् यथार्थ ज्ञानपूर्वक सर्वत्र परमात्मा की स्थिति का अनुभव कर सर्वदा उसी का ध्यान करता हुआ (आत्मयाजी) परमात्मा का उपासक मनुष्य (स्वाराज्यम् + अधिगच्छति) परमात्मसुख अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ॥ ६१ ॥

अनुशीलन : (२) 'स्वाराज्यम्' का अर्थ—'स्वप्रकाशेन शक्त्या वा चराचरं जगत् राजयति प्रकाशयति सः स्वराट् = ब्रह्म = जो अपने प्रकाश या बल से समस्त चराचर जगत् को प्रकाशित = उत्पन्न करता है, वह परमात्मा। अथवा 'स्वप्रकाशेन राजते प्रकाशते इति स्वराट् = ब्रह्म, तस्य भावः स्वाराज्यम् = ब्रह्मत्वम्' = जो स्वप्रकाश से प्रकाशित होता है वह ब्रह्म = परमात्मा है। स्वराट् का भाव 'स्वाराज्यम् = ब्रह्मत्व प्राप्ति' है अर्थात् मुक्ति को प्राप्त हो जाना।

(२) श्लोक की वेदमन्त्र से तुलना—श्लोकोक्त मात्स्यता का आधार वेद है। इस पर निम्न मन्त्र से प्रकाश पड़ता है, तुलनार्थ द्रष्टव्य है—

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः ।

तत्र कः मोहः कः शोकऽएकत्वमनुपश्यतः ॥ यजु० ४०।७ ॥

अर्थ—“ (यस्मिन्) जिस परमात्मा, ज्ञान-विज्ञान अथवा धर्म के विषय में (विजानतः) सम्यक् ज्ञाता जन के लिए (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी (आत्मा) अपने आत्मा के समान (एव) ही (अभूत्) होते हैं; (तत्र) उस परमात्मा में विराजमान (एकत्वम्) परमात्मा के एकत्व को (अनुपश्यतः) ठीक-ठीक योगाभ्यास के द्वारा साक्षात् देखने वाले योगी जन की (कः) क्या (मोहः) मोह और (कः) क्या (शोकः) क्लेश (अभूत्) होता है ॥” [यजु० भाष्य ऋ० दया०]

भाव यह है कि वह विद्वान् शोक-मोह आदि से ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।

इस भाव की तुलना के लिए १२। ११६, १२५ श्लोक एवं उन पर अनुशीलन भी द्रष्टव्य है।

(३) आत्मयाजी की वृत्त्यति एवं अर्थ—‘आत्मनि यष्टुं शीलमस्य इति अर्थात् जो परमात्मा में यजनशील है, उसकी संगति एवं उसका ध्यान करता है। परमात्मा के उस उपासक को ‘आत्मयाजी’ कहते हैं।

(२) इन्द्रियसंयम का वर्णन

आत्मज्ञान, इन्द्रियसंयम का कथन और इनसे जन्मसाफल्य—

यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः ।

आत्मज्ञाने शमे च स्याद्देवाभ्यासे च यत्नवान् ॥६२॥ (४४)

(द्विजोत्तमः) श्रेष्ठ द्विज (यथोक्तानि + अपि कर्माणि परिहाय) उसके लिए विहित यज्ञ आदि कर्मों को [संन्यासी अवस्था में] छोड़कर [३। ३४, ४३] भी (आत्मज्ञाने शमे च वेदाभ्यासे यत्नवान् स्यात्) परमात्मज्ञान, इन्द्रियसंयम [२। ६८-७५] और वेदाभ्यास = वेद के चिन्तन-मनन में प्रयत्नशील अवश्य रहे अर्थात् इनको किसी भी अवस्था में न छोड़े ॥ ६२ ॥

एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः ।

प्राप्यैतस्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ६३ ॥ (४५)

(एतत् हि) ये [१२। ६२] तीनों कर्म द्विजों के, (विशेषतः ब्राह्मणस्य जन्मसाफल्यम्) विशेष रूप से ब्राह्मण के जन्म को सफल बनाने वाले हैं। (द्विजः) द्विज व्यक्ति (एतत् प्राप्य हि कृतकृत्यः भवति) इनका पालन

करके ही कर्त्तव्यों की पूर्णता प्राप्त करता है, (अन्यथा न) इनके बिना नहीं ॥ ६३ ॥

अनुध्यातव्यः : ब्राह्मण को विशेष रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्राह्मण के जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही परमात्मा-प्राप्ति होता है ।

(३) वेदाभ्यास का वर्णन

वेद सबका चक्षु है—

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम् ।

अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ ६४ ॥ (४६)

(पितृ-देव-मनुष्याणाम्) पितृ-संज्ञक रक्षक और पालक पिता आदि, विद्वान् और अन्य मनुष्यों का (वेदः सनातनं चक्षुः) वेद सनातन नेत्र= मार्गप्रदर्शक है, (च) और वह (अशक्यम्) अशक्य अर्थात् जिसे कोई पुरुष नहीं बना सकता, इस लिए अपौरुषेय है, (च) तथा (अप्रमेयम्) अनन्त सत्यविद्याओं से युक्त है, (इति स्थितिः) ऐसी निश्चित मान्यता है ॥ ६४ ॥

अनुध्यातव्यः : १। ३, २३ में भी वेद को अपौरुषेय, अप्रमेय कहा गया है ।

वेदविरुद्ध-शास्त्र अप्रामाणिक—

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ।

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ ६५ ॥ (४७)

(याः स्मृतयः वेदबाह्याः) जो अन्य वेदबाह्य, (याः च काः च कुदृष्टयः) कुत्सित पुरुषों के बनाये, संसार को दुःखसागर में डुबोने वाले हैं, (ताः सर्वाः निष्फलाः) वे सब निष्फल (प्रेत्य तमोनिष्ठाः हि स्मृताः) असत्य, अन्धकाररूप इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं ॥ ६५ ॥

(स० प्र० एकादश समु०)

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च याम्यतोऽम्यानि कानिचित् ।

तान्यर्वाकालिकतया निष्फलान्यनूतानि च ॥ ६६ ॥ (४८)

(यानि+अतः अन्यानि कानिचित् उत्पद्यन्ते) जो इन वेदों से विरुद्ध अन्य उत्पन्न होते हैं (तानि+अर्वाक् कालिकतया च्यवन्ते) वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, (निष्फलानि च अनूतानि) उनका मानना निष्फल और झूठा है ॥ ६६ ॥ (स० प्र० एकादश समु०)

अनुध्यातव्यः : अर्वाक् काल से अनिप्राय—यही वेदविरुद्ध ग्रन्थों के आधुनिक होने से अनिप्राय यह है कि वेदों की मान्यताएँ प्राचीनतम एवं सनातन हैं,

किन्तु वेदविरुद्ध ग्रन्थों की मान्यताएँ परवर्ती हैं, और वे सत्य न होने से, बनती हैं, फिर नष्ट हो जाती हैं। वेदों की मान्यताओं की तरह सनातन नहीं। ईश्वरीय ज्ञान होने से वेदों की मान्यताएँ सनातन हैं।

वेद से वर्ण, आश्रम, लोक, काल आदि का ज्ञान—

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिष्यति ॥ ६७ ॥ (४६)

(चातुर्वर्ण्यम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण और इनकी व्यवस्था, (त्रयः लोकाः) पृथ्वी, आकाश एवं द्युलोक अर्थात् समस्त भूमण्डल के लोक, ग्रह आदि, (चत्वारः आश्रमाः पृथक्) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारों के पृथक्-पृथक् विधान, (च भूतं भव्यं भविष्यम्) और भूत, भविष्यत्, वर्तमान सभी कालों की विद्या, (सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति) ये सब वेदों से ही प्रसिद्ध, प्रकट और ज्ञात होती हैं अर्थात् इन सब व्यवस्थाओं और विद्याओं का ज्ञान वेदों के द्वारा ही होता है ॥ ६७ ॥

“चार वर्ण, चार आश्रम, भूत, भविष्यत् और वर्तमान आदि की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती है।” (ऋ० भा० भू० वेदविषय),

अनुष्ठीकम् : मनु ने यही मान्यता १।२१ में दलित की है। तुलनायं प्रस्तुत है—“सर्वेषां तु स मामानि कर्मानि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देन्य एवादी पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ॥

पञ्चभूत आदि सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान वेदों से—

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः ।

वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥ ६८ ॥ (५०)

(शब्दः स्पर्शः रूपं रसः पञ्चमः गन्धः) शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पञ्चम गन्ध, ये (प्रसूति-गुण-कर्मतः) उत्पत्ति, गुण और कार्य के ज्ञानरूप से (वेदात्+एव प्रसूयन्ते) वेदों से ही प्रसिद्ध=विज्ञात होते हैं अर्थात् इन तत्त्वशक्तियों का उत्पत्तिज्ञान, इनके गुणों का ज्ञान, इनकी उपयोगिता का ज्ञान और उत्पन्न समस्त जड़-चेतन संसार का ज्ञान-विज्ञान, वेदों से प्राप्त होता है ॥ ६८ ॥

वेद मुखों का साधन है—

विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ।

तस्माद्वैतस्परं मन्ये यजन्तोरेव साधनम् ॥ ६९ ॥ (५१)

(सनातनं वेदशास्त्रम्) यह जो सनातन वेदशास्त्र है सो (सर्व-भूतानि विभक्ति) सब विद्याओं के दान से सम्पूर्ण प्राणियों का धारण और सब सुखों को प्राप्त कराता है, (तस्मात् एतत् परं मन्ये) इस कारण से [मनु आदि] हम लोग उसको सर्वथा उत्तम मानते हैं, और इसी प्रकार मानना भी चाहिए. (यत्) क्योंकि (जन्तोः अस्य साधनम्) सब जीवों के सब सुखों का साधन यही है ॥ ९९ ॥ (ऋ० भा० भू० वेदविषय-विचार)

वेदवेत्ता ही सकल राजा, सेनापति व न्यायाधीश हो सकता है—

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वहन्ति ॥ १०० ॥ (५२)

(सेनापत्यम्) सब सेना (च) और (राज्यम्) सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, (दण्डनेतृत्वम्+एव) दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य, (च) और (सर्वलोक-आधिपत्यम्) सब के ऊपर वर्तमान सर्वा-धीन राज्याधिकार, इन चारों अधिकारों में (वेदशास्त्रवित्+अहन्ति) सम्पूर्ण वेदशास्त्रों में प्रवीण, पूर्ण विद्या वाले, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए अर्थात् मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, और प्रधान राजा, ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहिएँ ॥ १०० ॥ (सं० प्र० पृष्ठ समु०)

“जो वेदशास्त्रविद्, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, न्यायकारी और आत्मा के बल से युक्त पुरुष होवे उसी को सेना, राज्य, दण्डनीति और प्रधान पद का अधिकार देना, अन्य क्षुद्राशयों को नहीं।”

(सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

अनुशीलन : यहाँ ‘वेदशास्त्रवित् अहन्ति’ का अर्थ ‘वेदशास्त्र का ज्ञाता ही उसके योग्य हो सकता है’ यह है। ऋषि दयानन्द ने इसे प्रेरणार्थक रूप में निरूपित किया है। राज्य-संचालन वाली मान्यता की तुलना के लिए ७।२ द्रष्टव्य है तथा ‘दण्डनेतृत्व’ की तुलना—७।३१। वहाँ वेद शास्त्रवेत्ता को ही इसके योग्य माना है।

वेदज्ञानाग्नि से कर्म दोषों का नाश—

यथा जातबलो वह्निर्बहत्याद्रानपि द्रुमान् ।

तथा बहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ (५३)

(यथा) जैसे (जातबलः वह्निः) घवकती हुई आग (आद्रान् द्रुमान्

अग्नि दहति) गीने वृक्षों को भी जला देती है (तथा) उसी प्रकार (वेदज्ञः) वेदों का ज्ञाता विद्वान् (आत्मनः कर्मजं दोषं दहति) अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाले संस्कार-दोषों को जला देता है अर्थात् वेदज्ञान रूपी अग्नि से दुष्ट संस्कारों को मिटाकर आत्मा को पवित्र रखता है ॥ १०१ ॥

अनुशीलनम् : तुलनार्थं द्रष्टव्यं है ११। २४५, २४६, २६३। वहाँ भी यही मान्यता है। अनुशीलन द्रष्टव्य—११। २२७ ॥

वेदज्ञान से परमगति की ओर प्रगति—

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् ।

इहैव लोके तिष्ठन्त ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥ (५४)

(वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः) वेदशास्त्र के अर्थतत्त्व का ज्ञाता विद्वान् (यत्र-तत्र+आश्रमे वसन्) किसी भी आश्रम में रहता हुआ, (इह+एव लोके तिष्ठन्) इसी वर्तमान जन्म में ही (ब्रह्मभूयाय कल्पते) ब्रह्मप्राप्ति के लिए अधिकाधिक समर्थ हो जाता है ॥ १०२ ॥

अनुशीलनम् : इसी मान्यता की पुष्टि के लिए तुलनार्थं द्रष्टव्य है ४। १४६ श्लोक।

अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः ।

धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३ ॥

(अज्ञेभ्यः ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः) अनपढ़ों से ग्रन्थों को पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, (ग्रन्थिभ्यः धारिणः वराः) पढ़ने वालों से ग्रन्थों को स्मरण करने वाले श्रेष्ठ हैं, (धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः) स्मरण करने वालों से ग्रन्थों को जानने वाले श्रेष्ठ हैं, और (ज्ञानिभ्यः व्यवसायिनः) ज्ञानियों से पढ़े हुए को आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ हैं ॥ १०३ ॥

अनुशीलनम् : १०३ वाँ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यह श्लोक यहाँ अप्रासंगिक एवं अनावश्यक प्रतीत हो रहा है। यहाँ पूर्वप्रसंग निःश्रेयस कर्मों के वर्णन में वेद-ज्ञान के महत्त्ववर्णन का है। इस श्लोक में सर्वसाधारण ग्रन्थों के अध्ययन या उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का वर्णन है, जिसकी पूर्वप्रसंग से कोई संगति नहीं है। कोई यह माने कि ये बातें वेद से सम्बन्धित हैं, तो यह विचार भी उपयुक्त नहीं जँबता, क्योंकि न तो इसमें वेद का उल्लेख है, और न यहाँ इस वर्णन की आवश्यकता, और मनु ने वेदों का साधारण ग्रन्थों के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है।

(४-५) तप और विद्या का वर्णन

तप से पापभावना का नाश और विद्या से अमृतप्राप्ति—

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम् ।

तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ १०४ ॥ (५५)

(विप्रस्य) विप्र के लिए (तपः च विद्या) तप=श्रेष्ठव्रतों का धारण और साधना, और विद्या=सत्यविद्याओं का ज्ञान, ये दोनों (परनिश्चयेयसकरम्) उत्तम मोक्षसाधक हैं, ३३ विप्र (तपसा किल्बिषं हन्ति) तप से पापभावना को नष्ट करता है, और (विद्यया+अमृतम्+अश्नुते) वेदादि सत्यविद्या के यथार्थ ज्ञान से अमरता=मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १०४ ॥

अनुशीलन : (१) पापभावना का विनाश—श्रेष्ठव्रतों के धारण से और प्राणायाम आदि तपों के पालन से आत्मा की पापभावना या अशुद्धि का क्षय होता है। इसकी पुष्टि में अम्यत्र वर्णित मान्यनाएँ निम्न श्लोकों में द्रष्टव्य हैं।
६।७०-७२ ॥ ११।२२७।

(२) अमृत का अर्थ—‘मृद् प्राणत्यागे’ तुदादि धातु से ‘क्तः’ प्रत्यय के योग से और नञ् समास में ‘अमृतम्’ शब्द सिद्ध होता है, जिसका जन्म-मृत्यु से रहित अर्थात् मोक्षसुख अर्थ होता है। मनुष्य वेद आदि सत्यविद्या के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्षसुख को इसलिए अमृत कहा जाता है कि जब तक मुक्तिसुख का समय रहता है, तब तक यह सुख नष्ट नहीं होता, बीच में दुःख आकर इसे नष्ट नहीं करता। यजु० ४०।१४ में यह वाक्य यथावत् आता है—“विद्ययाऽमृतमश्नुते ।”

(६) धर्म का वर्णन

धर्मज्ञान के लिए विविध प्रमाणों का ज्ञान—

प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् ।

त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ १०५ ॥ (५६)

(धर्मशुद्धिम्+अभीप्सता) धर्म के वास्तविक तत्त्व को जानने के अभिलाषी मनुष्य को (प्रत्यक्षम् अनुमानं च विविधागमं शास्त्रम्) प्रत्यक्ष-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण और वेद एवं विविध वेदमूलक शास्त्र-प्रमाण, (त्रयं सुविदितं कार्यम्) इन तीनों का अचूकी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ॥ १०५ ॥

अनुशीलन : तीन प्रमाण और उनके लक्षण—प्रत्यक्ष, अनुमान

और शास्त्र या शब्द-प्रमाणों को समझने के लिए यहाँ उन पर बिस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है। स० प्र० प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने म्यायदर्शन के सूत्रों को उद्धृत करके इनकी विस्तृत और गम्भीर व्याख्या की है। यहाँ वही उद्धृत की जाती है—

(१) प्रत्यक्ष प्रमाण—

“इन्द्रियायंसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥”

म्याष० ॥ अध्याय १ । आह्निक १ । सूत्र ४ ॥

“जो श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह-वह ज्ञान न हो। जैसे किसी ने किसी से कहा कि ‘तू जल ले आ’ वह लाके उसके पास धरके बोला कि ‘यह जल है’ परन्तु वहाँ ‘जल’ इन दो प्रक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगवाने वाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है, वह शब्द-प्रमाण का विषय है। ‘अव्यभिचारि’ जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देखके पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा, ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। ‘व्यवसायात्मक’ किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि ‘वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं, जल है वा और कुछ है’ ‘वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त’ जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं।”

(२) अनुमान प्रमाण—

“अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्वबन्धेववत्सामान्यतो दृष्टञ्च ॥”

म्याय० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

“जो प्रत्यक्षपूर्वक अर्थात् जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देशके प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देखके पिता, पर्वतादि में घूम को देखके अग्नि, जगत् में सुख-दुःख देखके पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक ‘पूर्ववत्’ जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सस्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देखके विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहाँ-जहाँ कारण को देखके कार्य का ज्ञान हो वह ‘पूर्ववत्’। दूसरा ‘शेषवत्’ अर्थात् जहाँ कार्य को देखके कारण का ज्ञान हो। जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देखके ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देखके पिता का, सृष्टि को देखके अनादि कारण

का तथा कर्ता ईश्वर का और पाप-पुण्य के आचरण देखके सुख-दुःख का ज्ञान होता है, इसी को 'शेषवत्' कहते हैं। तीसरा 'सामान्यतोदष्ट', जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक-दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात् 'प्रत्यक्षस्य पश्चात्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्' जो प्रत्यक्ष के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे घूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता।"

(३) शास्त्र अर्थात् शब्द-प्रमाण—

"आप्तोपदेशः शब्दः।" (न्याय १।१।७)

"जो आप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान्, धर्मात्मा, परोक्ष-प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जितसे मुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात् जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द-प्रमाण जानो।"

शब्द-प्रमाण अर्थात् वेद और वेदमूलक शास्त्रों का वर्णन मनु ने धर्ममूलों में भी किया है। इस विषयक विवेचन १।१२५ [२।६] की समीक्षा में 'वेद' और 'स्मृति' शीर्षकों के अन्तर्गत देखिये।

इन प्रमाणों और वेदादि शास्त्रों से धर्म के वास्तविक रूप का निश्चय होता है, अन्यथा नहीं। अगले श्लोक में इसी मान्यता का कथन है।

वेदानुकूल तर्क से धर्मज्ञान—

आर्यं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना।

यस्तर्कणानुसंधत्ते सः धर्मं वेद नेतरः ॥ १०६ ॥ (५७)

(यः) जो मनुष्य (आर्य च धर्मोपदेशम्) वेद और ऋषिविहित धर्मोपदेश [१।१२५ (२।६)] अर्थात् धर्मशास्त्र का (वेदशास्त्र-अविरोधिना तर्कण अनुसंधत्ते) वेदशास्त्र के अनुकूल तर्कों के द्वारा अनुसंधान करता है (सः धर्मं वेद न + इतरः) वही धर्म के तत्त्व को समझ पाता है, अन्य नहीं ॥ १०६ ॥

अनुशीलन : तर्क से अभिप्राय—यहाँ तर्क से अभिप्राय है प्रमाणों और वेदों के अनुकूल सत्यनिश्चय करना। इनसे विरुद्ध बातें तर्क नहीं हैं। विरुद्ध बातें कुतर्क हैं। मनु के मन्वानुसार तर्क के आधार पर वेद निश्चिन्त हैं, अतः वेदोक्त-धर्म भी सखे हैं। फलस्वरूप उन पर तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। जो कोई तर्क का नाम लेकर वेदों का खण्डन करता है वह तर्क नहीं, अपितु कुतर्क करता है, और ऐसा व्यक्ति नास्तिक है। [द्रष्टव्य १।१३० (२।११) की समीक्षा भी]।

नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः ।

मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७ ॥

(इदम्) यह (प्रशेषतः) पूर्णरूप से (नैःश्रेयसं कर्म यथा + उदितम्) निःश्रेयस कर्म यथावत् कहे। अब (अस्य मानवस्य शास्त्रस्य) इस मनुस्मृतित शास्त्र का (रहस्यम् + उपदिश्यते) रहस्य बतालाया जाता है ॥ १०७ ॥

अनुशीलन : १०७ वाँ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) प्रचलित प्रसंग का संकेत देने वाला श्लोक ८३ वाँ है। यहाँ उसमें वर्णित नैःश्रेयस कर्मों का वर्णन किया जा रहा है। उसी प्रसंग में १०५ वें श्लोक से 'धर्मक्रिया' का वर्णन प्रारम्भ हुआ है और यह ११५ तक चलता है। बीच में उस पूर्वपर वर्णन से भिन्न वर्णन होने के कारण यह श्लोक अनावश्यक एवं अप्रासंगिक है।

(२) मनु ने नैःश्रेयस कर्मों का प्रसंग प्रारम्भ करने का संकेत ८२ वें श्लोक में दिया था और उसकी समाप्ति का संकेत ११६ वें श्लोक में है। इस श्लोक में अपूर्ण प्रसंग के बीच में ही नैःश्रेयस कर्मों के प्रसंग की समाप्ति का संकेत देना भी इसे असंगत सिद्ध करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलात् प्रसंग को परिवर्तित करना चाहता है। क्योंकि, अगले विषय का इस श्लोक में जो संकेत है वह भी गलत है। अगले श्लोकों में धर्मनिर्णय की विधि के उपाय वर्णित हैं, जब कि इस श्लोक में 'मानवमात्र के रहस्य' को कहने का संकेत है। इस आधार पर भी यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

(३) वर्णनक्रम की नैऋत्य-शैली भी इस बात की द्योतक है कि यहाँ कोई प्रसंग नहीं बदला गया है। अतः इस श्लोक की यहाँ आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार भी यह प्रसंग में बाधक है।

१. शैलीगत आधार—(१) "मानवस्य शास्त्रस्य" (मनुस्मृतित शास्त्र) पद से स्पष्ट है कि यह मनुस्मृतित श्लोक नहीं है। (२) मूलरूप में मनुस्मृति शास्त्र न होकर प्रवचन थे, यह इसकी शैली से सिद्ध होता है। प्रत्येक प्रसंगके प्रारम्भ में 'श्रूयताम्' 'निबोधत' आदि क्रियाओं का प्रयोग इसको मूलरूप में 'प्रवचन' ही प्रमाणित करता है और १। १-४ श्लोकों में ऋषियों का मनु के पास आकर अपनी जिज्ञासा रखना और मनु द्वारा 'श्रूयताम्' कहकर उनकी जिज्ञासा का उत्तर देना [१। २-४] भी उक्त युक्ति में विशिष्ट प्रमाण है।

अविहित धर्मों का विधान शिष्टविद्वान् करें—

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १०८ ॥ (५८)

(अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यात् ? इति चेत् भवेत्) जो धर्मयुक्त

व्यवहार, मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष न कहे हों, यदि उनमें शंका होवे तो तुम (यं शिष्टाः ब्राह्मणाः ब्रूयुः) जिसको शिष्ट, [१०६] आप्त विद्वान् कहें (सः अशंकितः धर्मः स्यात्) उसी को शंकारहित कर्त्तव्य-धर्म मानो ॥ १०८ ॥ (सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

शिष्ट विद्वानों की परिभाषा—

धर्मोणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिवृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ १०६ ॥ (५६)

शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु (ये तु धर्मोणा सपरिवृंहणः वेदः अधिगतः) जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य और धर्म से साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़े हों, और जो (श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः) श्रुतिप्रमाण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों ही से विधि का निषेध करने में समर्थ, धार्मिक, परोपकारी हों (ते शिष्टाः ब्राह्मणाः ज्ञेयाः) वे ही शिष्ट पुंल्लिङ्ग होते हैं ॥ १०६ ॥

(सं० वि० गृहा० प्र०)

तीन या दश विद्वानों की धर्मनिर्णायक परिषद्—

दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।

अथवा वापि वृत्तस्या तं धर्मं न विचालयेत् ॥ ११० ॥ (६०)

(दशावरा वृत्तस्या वा त्रि+अवरा परिषद्) न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा (यं धर्मं परिकल्पयेत्) जैसी व्यवस्था करे, (तं धर्मं न विचालयेत्) उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ ११० ॥ (सं० प्र० षष्ठ समु०)

“गृहस्थ लोग छोटों, बड़ों वा राजकार्यों के सिद्ध करने में कम से कम दश अर्थात् ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ, सामवेदज्ञ, हेतुक (नैयायिक), तर्क-कर्त्ता, नैरुक्त=निरुक्तशास्त्रज्ञ, धर्माध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक और वानप्रस्थ विद्वानों अथवा अतिन्यूनता करे. तो तीन वेदवित् (ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ और सामवेदज्ञ) विद्वानों की सभा से कर्त्तव्याकर्त्तव्य, धर्म और अधर्म का जैसा निश्चय हो, वैसा ही आचरण किया करें।”

(सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

“वंसे शिष्ट न्यून से न्यून दश पुंल्लिङ्गों की सभा होवे अथवा बड़े विद्वान् तीनों की ही सभा हो सकती है। जो सभा से धर्म-कर्म निश्चित हों, उनका भी आचरण सब लोग करें।” (सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

धर्मपरिषद् के दश सदस्य —

त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः ।

त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वं परिषत्स्याद्ब्रह्मावरा ॥ १११ ॥ (६१)

(दशावरा स्यात्) उन दशों में इस प्रकार के विद्वान् होंगे—

(त्रैविद्यः) तीन वेदों के विद्वान् (हेतुकः) चौथा हेतुक अर्थात् कारण-प्रकारण का ज्ञाता, (तर्की) पाँचवां—तर्की=न्यायशास्त्रवित्, (नैरुक्तः) छठा—निरुक्त का जानने हारा, (धर्मपाठकः) सातवां—धर्मशास्त्र-वित् (त्रयः च पूर्वं आश्रमिणः) आठवां—ब्रह्मचारी, नववां—गृहस्थ, और दशवां—वानप्रस्थ, इन महात्माओं की (परिषत् स्यात्) सभा होवे ॥ १११ ॥

(सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

अनुशीलन : त्रयी विद्या—ऋक्, यजुः साम और अथर्व—ये चारों वेद त्रयीविद्या रूप कहलाते हैं। इस विषयक विस्तृत विवेचन ११। २६५ के अनुशीलन में द्रष्टव्य है।

“इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों, तब वह सभा कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिए।”

(सं० प्र० षष्ठ समु०)

धर्मपरिषद् के तीन सदस्य—

ऋग्वेदविद्यजुर्विद्य सामवेदविदेव च ।

अथवा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२ ॥ (६२)

(च) तथा (ऋग्वेदवित् यजुर्वेदवित् च सामवेदवित्+एव) ऋग्वेद-वित्, यजुर्वेदवित् और सामवेदवित् (त्रि+अवरा धर्मसंशयनिर्णये परिषत् ज्ञेया) इन तीनों विद्वानों की भी सभा धर्मसंशय अर्थात् सब व्यवहारों के निर्णय के लिए होनी चाहिए ॥ ११२ ॥ (सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

“और जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जानने वाले तीन सभासद् हो के व्यवस्था करें उस सभा की कीहुई व्यवस्था का भी कोई उत्संघन न करे ॥” (सं० प्र० षष्ठ समु०)

वेद का एक विद्वान् भी असंख्य मूलों से धर्मनिर्णय में प्रमाण है—

एकोऽपि वेदविद्वान् यं व्यवस्थेयं द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽप्युतः ॥ ११३ ॥ (६३)

(एकः अपि वेदवित्) यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा

द्विजों में उत्तम संन्यासी (यं धर्मं व्यवस्येत्) जिस धर्म की व्यवस्था करे (सः परः धर्मः विज्ञेयः) वही श्रेष्ठ धर्म है, (अज्ञानाम् अयुतः उदितः न) अज्ञानियों के सहस्रों, लाखों, करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था करे, उनको कभी न मानना चाहिए ॥ ११३ ॥ (सं प्र० षष्ठ समु०)

“द्विजों में उत्तम अर्थात् चतुर्थाश्रमी संन्यासी, अकेला भी जिस धर्मव्यवहार के करने का निश्चय करे, वही कर्त्तव्य परम धर्म समझना किन्तु अज्ञानियों के सहस्रों, लाखों और करोड़ों पुरुषों का कहा हुआ धर्म-व्यवहार कभी न मानना चाहिए ।” (सं वि० गृहाश्रम प्र०)

धर्मपरिषद् का सदस्य कौन नहीं हो सकता—

अवतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ११४ ॥ (६४)

(अवतानाम्) जो ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण आदि व्रत (अमन्त्राणाम्) वेदविद्या वा विचार से रहित, (जातिमात्र-उपजीविनाम्) जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्तमान है, (सहस्रशः समेतानाम्) उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी (परिषत्त्वं न विद्यते) सभा नहीं कहाती ॥ ११४ ॥

(सं प्र० षष्ठ समु०)

अनुशीलन : जाति का अर्थ जन्म—मनुस्मृति में जाति शब्द ‘जन्म’ अर्थ में प्रयुक्त है, अतः यहाँ जाति का अर्थ जन्म ही है। यहाँ ऐसे व्यक्तियों का धर्म-परिषद् में निषेध किया है जो जन्म के आधार पर अपने को श्रेष्ठ समझते हों, उत्तम वर्ण होने का अभिमान करते हों किन्तु गम्भीरता और विधिपूर्वक जिन्होंने विद्याग्रहण न की हो। इसकी पुष्टि के लिए १।१२३ [२।१४८] का अनुशीलन द्रष्टव्य है।

मूर्खों द्वारा निर्णीत धर्म से पापवृद्धि का भय—

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः ।

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तृनुगच्छति ॥ ११५ ॥ (६५)

(तमोभूताः मूर्खा) तमोगुण अर्थात् अविद्या से युक्त, मूर्ख (अतद्विदः) वेदोक्त धर्मज्ञान से गून्ध जन (यं धर्मं वदन्ति) जिस धर्म का उपदेश करते हैं, (तत् पापम्) वह धर्मरूप में अधर्मरूप पाप (शतधा भूत्वा) सौ गुणा होकर अथवा सैकड़ों रूपों में फैलकर (तत् + वक्तृन् + अनुगच्छति) उन वक्ताओं को लगता है अर्थात् उससे सैकड़ों पाप फैलते हैं और उनको बुराई वक्ताओं को मिलती है ॥ ११५ ॥

“जो अविद्यायुक्त, मूर्ख, वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें, उसको कभी न मानना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥ (सं० प्र० षष्ठ समु०

अनुशीलन : मूर्खों द्वारा विहित धर्म से हानि— वेद-विशास्त्र और प्रमाणादि में अपारंगत मूर्ख व्यक्तियों द्वारा कथित धर्म वस्तुतः धर्म नहीं होता । क्योंकि वे धर्म के स्वरूप के ज्ञाता नहीं होते । अधर्म को धर्म के रूप में विहित करने से सैकड़ों प्रकार की भ्रष्टाचार, भ्रान्ति, पतन होती है, फिर उनसे पाप की वृद्धि होती है । इस प्रकार समाज रसातल को चला जाता है । उस समाज की स्थिति संस्कृतप्रसिद्ध उक्ति वाली होती है—“अभ्यर्त्तव्यं नीयमानाः धर्माः” अर्थात् धर्म के सहारे उसके पीछे चलने वाले जैसे उसके साथ ही गर्त में गिरते हैं, वैसे मूर्खों के पीछे चलने वाले मूर्खता, अज्ञानाचार्य आदि से ग्रस्त होकर अवनति को प्राप्त होते हैं ।
निःश्रेयस कर्मों का उपसंहार—

एतद्विहितं सर्वं निःश्रेयसकरं परम् ।

अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ११६ ॥ (६६)

(एतत्) यह [१२। ५३-११५] (परं निःश्रेयसकरं सर्वं वः अभिहितम्) मोक्ष देने वाले सर्वोत्तम कर्मों का पूर्ण विधान तुम से कहा, (विप्रः) विद्वान् द्विज (अस्मात्+अप्रच्युतः) इसको बिना छोड़े पालन करता हुआ (परमां गतिं प्राप्नोति) उत्तम गति अर्थात् मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥ ११६ ॥

एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया ।

धर्मस्य परमं गुह्यं भवेत् सर्वमुक्तवान् ॥ ११७ ॥

(एवम्) इस प्रकार (सः भगवान् देवः) उन भगवान् मनु देवता ने (लोकानां हितकाम्यया) लोगों के हित के लिए (धर्मस्य सर्वं परमं गुह्यम्) धर्म का सब अत्यन्त गोपनीय रहस्य (मम उक्तवान् इदम्) मुझ से जो कहा था, वह यही है ॥ ११७ ॥

अनुशीलन : ११७ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. शैलीगत आधार—ग्रन्थों के प्रारम्भिक श्लोक १। २-४ की वर्णन-शैली से यह विस्तृत स्पष्ट हो जाता है कि मनु से ही ऋषियों ने प्रश्न किये हैं और मनु ही उनका उत्तर देते हैं । इस श्लोक में भृगु द्वारा स्वयंप्रोक्त होने का कथन उस कथन से विरुद्ध है [इसके विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य है भूमिका में शैलीगत आधार] । यह किसी भृगु-अनुयायी द्वारा रचकर मिलाया गया श्लोक है, जो प्रक्षिप्त है ।

२. प्रसंग-विरोध—प्रस्तुत प्रसंग निःश्रेयस कर्मों के वर्णन का है । ११६ वें श्लोक में निःश्रेयस कर्मों के वर्णन की समाप्ति का संकेत किया है, फिर उनसे सम्बन्धित उपसंहारात्मक वर्णन है । अभी वर्णन पूरा हुआ ही नहीं है कि इस श्लोक में धर्मोद्देश के पूर्ण होने का कथन कर दिया । इस प्रकार निःश्रेयस कर्मों के वर्णन और उपसंहार के बीच में प्रसंगभिन्न वर्णन होने से और मध्य में ही समाप्ति-सूचक वाक्य

होने से यह प्रसंगविरुद्ध असंगत श्लोक है, अतः प्रक्षिप्त है।

ईश्वरद्वष्टा अधर्म में मन नहीं लगाता—

सर्वमात्मनि सम्पश्येत्सत्त्वासत्त्वं समाहितः।

सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्नाधर्मं कुरुते मनः॥११८॥ (६७)

(समाहितः) जो सावधान पुरुष (असत् च सत् च सर्वम्) असत्कारण और सत्कार्यरूप जगत् को (आत्मनि संपश्येत्) आत्मा अर्थात् सर्वव्यापक परमेश्वर में देखे, (अधर्मं मनः न कुरुते) वह कभी अपनै भक्त को अधर्मयुक्त नहीं कर सकता, (हि) क्योंकि (सर्वम् आत्मनि संपश्यन्) वह परमेश्वर को सर्वज्ञ जानता है ॥ ११८ ॥ (द० ल० आ० नि० १६६)

अनुशीलनः : सर्वत्र परमात्मा के अनुभव-ज्ञान से अधर्मनिवृत्ति— यह सम्पूर्ण संसार प्रकट और अप्रकटरूप है। कार्यरूप में यह प्रकट है और कारणरूप में अप्रकट है। परमात्मा सम्पूर्ण संसार में व्याप्त रहता है। जो व्यक्ति सदा इस बात का अनुभव करता है, वह किसी भी स्थान पर और किसी भी समय में अधर्म नहीं करता; क्योंकि वह जानता है कि मुझे प्रत्येक स्थान और समय में सर्वव्यापक परमात्मा देख रहा है। इस प्रकार की अनुभूति एवं ज्ञान से मनुष्य अधर्म से दूर रहता है।

परमेश्वर ही सबका निर्माता, फलदाता और उपास्य है—

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्।

आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्॥११९॥ (६८)

(आत्मा+एव सर्वाः देवताः) आत्मा अर्थात् परमेश्वर ही सब व्यवहार के पूर्वोक्त देवताओं को रखनेवाला, (सर्वम्+आत्मनि+अवस्थितम्) और जिसमें सब जगत् स्थित है, वही सब मनुष्यों का उपास्यदेव तथा (एषां शरीरिणां कर्मयोगं जनयति) सब जीवों को पाप-पुण्य के फलों का देने हारा है ॥ ११९ ॥ (द० ल० आ० नि० १६६)

महर्षि द्वारा आंशिक या केवल प्रमाण रूप में यह श्लोक निम्न अन्य स्थानों पर उद्धृत है—(१) द० ल० आ० नि० १७२, (२) द० ल० वे० ख० २४, (३) द० शा० ५३, (४) ऋ० प० वि० १३, (५) ल० वे० अंक १२५।

अनुशीलनः : (१) परमात्मा ही सब देवताओं का देवता—ईश्वर सबसे प्रमुख देव है। अन्य सभी देवताओं का वही रक्षयिता है। उन देवताओं के वर्णन से भी परमात्मा का ग्रहण होता है। इस विषय पर निरुक्त में प्रकाश डाला गया है—

“नह्यन्मायादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनो अन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति। “आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य।” [७।४]

अर्थात्—महान् ऐश्वर्यशाली होने के कारण उसी परमात्मा की ही विभिन्न रूपों में स्तुति की जाती है। शेष सभी देव उस परमात्मा के ही द्वारा प्रकाशित या दिव्य-गुणयुक्त हैं। वही सबका रचयिता है। वही परमात्मा ही सब देवों का देवता है।

(२) परमात्मा के आश्रय में ही समस्त जगत् स्थित है—इस विषय में अनेक वेदमन्त्रों में प्रकाश डाला गया है। द्रष्टव्य है १।६; १२।१२४, १२५ श्लोक पर

(३) अग्न्यत्र वर्णन—परमात्मा ही जीवों को कर्मों से संयुक्त करके उन्हें फल प्रदान करता है। इस विषय में मनु ने १।२६-३० श्लोकों में भी प्रकाश डाला है।

इन्द्रियों में आकाश आदि का ध्यान—

सं सन्नितेशयेतेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनितम् ।

पक्षितदृष्टधोः परं तेजः स्नेहेऽपो नां च मूर्तिषु ॥ १२० ॥

मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे क्कान्ते विष्णुं बले हरम् ।

वाक्यमिन्द्र मित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ॥ १२१ ॥

(लेख लम्) नासिका आदि शरीर के छिद्रों में आकाश की, (चेष्टन-स्पर्शने अनितम्) चेष्टा तथा शरीररूप शारीरिक वायु में वायु को, (पक्षित-दृष्टधोः परं तेजः) उदर तथा नेत्रों के तेज में तेज को, (स्नेहे + अपः) शरीर के जल में जल को (च) और (मूर्तिषु याम्) शरीर के पार्थिव भागों में पृथ्वी को, (मनसि + इन्दुम्) मन में चन्द्रमा को, (श्रोत्रे दिशः) कानों में दिशाओं को, (क्कान्ते विष्णुम्) चरणों में विष्णु को, (बले हरम्) बल में शिव को, (वाक्चि + अग्निम्) वाणी में अग्नि को, (उत्सर्गे मित्रम्) गुहा में मित्र को (प्रजने च प्रजापतिम्) शिवन में प्रजापति को व्याप्त समझकर (संनिवेशयेत्) ध्यान लगाये ॥ १२०-१२१ ॥

अनुशीलन : १२०-१२१ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. अस्तबिरोध—इन श्लोकों में वर्णित ध्यानविधि, आकाश, वायु, चन्द्रमा, विष्णु आदि का ध्यान, मनु की मान्यता से न तो तालमेल खाता है और न मनुसम्मत है। मनु केवल एक निराकार परमात्मा के ध्यान और उपासना का विधान करते हैं, विष्णु, चन्द्रमा आदि का नहीं। वे आत्मा में परमात्मा के ध्यान का विधान करते हैं, शरीरांगों में नहीं। वे श्लोक मनु के उन सभी श्लोकों से विरुद्ध हैं, जिनमें मनु ने एक निराकार परमात्मा का आत्मा में ध्यान करने का कथन किया है [२।१००-१०४; ६।६५, ७२-७४; १२।८५, ८९, ११८, ११९, १२२, १२५ आदि]। इस आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।

२. प्रसंगविरोध—पूर्वापर ११९, १२२ श्लोकों में निराकार परमात्मा का

स्वरूप-विषयक वर्णन है। इन श्लोकों ने विभिन्न उपासनाओं का वर्णन करके उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इस प्रकार ये प्रसंग विरुद्ध प्रक्षेप हैं।

परम सूक्ष्म परमात्मा को जानें—

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ।

स्वभावं स्वप्नधीगम्यं विद्यात् पुरुषं परम् ॥ १२२ ॥ (६६)

(सर्वेषां प्रशासितारम्) जो सबको शिक्षा देने हारा, (अणोः+अपि अणीयांसम्) सूक्ष्म से सूक्ष्म, (स्वभावं) स्वप्रकाशस्वरूप, (स्वप्नधी-गम्यम्) ममाविस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, (तं परं पुरुषं विद्यात्) उसको परम पुरुष जानना चाहिए ॥ १२२ ॥ (सं प्र० प्रथम समु०)

महर्षि द्वारा अपने ग्रन्थों में यह श्लोक निम्न स्थानों पर प्रमाण या पदांश के रूप में उद्धृत किया गया है—

(१) द० शा० ५३, (२) उपदेश-मञ्जरी ५२, (३) द० ल० वेदांक १२६, (४) ऋ० प० वि० १३, (५) द० ल० भ्रा० नि० १६६, (६) ऋ० भा० सू० १११ ।

अनुवर्तिन् : (१) परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन—

मनु ने इस श्लोक में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म, स्वप्रकाश-ज्ञानस्वरूप कहा है। वही परमात्मा सबका ज्ञानदाता या शिक्षक है। इसी भाव को मनु ने १। २१ में दूसरे प्रकार से वर्णित किया है।

यह सूक्ष्म परमात्मा ही जानने या मानने योग्य है, अन्य नहीं। यह समाधि के द्वारा अर्थात् योगाभ्यास से जाना जा सकता है।

(२) श्लोक की वेदमन्त्रों से तुलना—इस श्लोक में वर्णित ईश्वर के स्वरूप, गुण एवं प्राप्तव्य विधि तथा प्रेरणा का आधार वेद के मन्त्र ही हैं। निम्न मन्त्रों को देखकर प्रतीत होता है कि यह श्लोक उनका साररूप है—

(क) स पथ्यगाऽशुक्लमकायमन्नमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयन्मूर्त्याचातथ्यतोऽर्षान्

व्यवहारकृद्वाचवतीम्यः समारथः ॥ यजु० ४०। ८ ॥

अर्थ—“हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म (शुक्लम्) शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान्, (अकायम्) स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित है, (अन्नम्) छिद्ररहित एवं जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते (अस्नाविरम्) नाड़ी आदि के बन्धन से रहित है (शुद्धम्) अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र है, (अपापविद्धम्) जो कभी भी पाप से युक्त, पाप करने वाला और पाप से प्रेम करने वाला नहीं है, वह (परि+अगात्) सर्वत्र व्यापक

है, जो (कविः) सर्वज्ञ, (मनीषी) सब जीवों की मनोबुलियों को जानने वाला, (परिभूः) दुष्ट-पापियों का तिरस्कार करने वाला, (स्वयम्भूः) अनादिस्वरूप वाला, जिसकी संयोग से उत्पत्ति और वियोग से विनाश नहीं होता, जिसके माता-पिता कोई नहीं और जिसका गर्भवास, जन्म, वृद्धि और क्षय नहीं होते हैं; वह परमात्मा (शाश्वतोभ्यः) सनातन, अनादिस्वरूप वाली, अपने स्वरूप की दृष्टि से उत्पत्ति और विनाश से रहित (समाम्भ्यः) प्रजा के लिए (याथातथ्यतः) यथार्थता से (अर्थान्) वेद के द्वारा सब पदार्थों का (व्यदधात्) अच्छी तरह से उपदेश करता है। (सः) वह परमात्मा ही तुम्हारे लिए उपासना करने योग्य है।" [ऋ० दयानन्दयजुःभाष्य]।

(ख) वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नाम्न्यः पन्था विद्यतेऽयमाय ॥ यजु० ३१।१८

अर्थ—“हे जिज्ञासु ! मैं जिस (एतम्) इस पूर्वोक्त (महान्तम्) महान् गुणों से युक्त (आदित्यवर्णम्) सूर्य के प्रकाश के तुल्य जिसका स्वरूप है, उस स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा को (तमसः) अज्ञान वा अन्धकार से (परस्तात्) परे वर्तमान स्वस्वरूप से पूर्ण (वेद) जानता हूँ । (तमेव) उसी को (विदित्वा) जानकर आप (मृत्युम्) दुःखदायक मृत्यु को (अति + एति) लांचते हो; (अन्यः) इससे भिन्न (पन्थाः) मार्ग (अथनाय) अभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए (न विद्यते) नहीं है।”

[यजु० भाष्य ऋ० दयानन्द]

परमात्मा के अनेक नाम—

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ १२३ ॥ (७०)

(एतम् एके) इस परमात्मा [१२।१२२] को (एके) कोई (अग्निम्) ‘अग्नि’, (अन्ये प्रजापतिं मनुम्) कोई प्रजापति परमात्मा को ‘मनु’ (एके इन्द्रम्) कोई ‘इन्द्र’, (परे प्राणम्) कोई ‘प्राण’, (अपरे शाश्वतं ब्रह्म) दूसरे कोई शाश्वत ‘ब्रह्म’, (वदन्ति) कहते हैं ॥ १२३ ॥

“स्वप्रकाश होने से ‘अग्नि’, विज्ञानस्वरूप होने से ‘मनु’, सबका पालन करने और परमेश्वर्यवान् होने से ‘इन्द्र’, सबका जीवनमूल होने से ‘प्राण’, और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ‘ब्रह्म’ है।”

(स० प्र० प्रथम समु०)

महर्षि द्वारा प्रमाण रूप में ग्रन्थत्र उद्धृत—(१) प० वि० १३, (२) द० ल० आ० नि० १६६, (३) उपदेशमञ्जरी ५२, (४) द० शा० ५३; (५) द० ल० वेदांक १२६।

अनुचरितम् : (१) परमात्मा के गौण नाम और उनके अर्थ—मनु

ने परमेश्वर का सबसे मुख्य नाम 'ओ३म्' माना है [२।४६—४३]। यहाँ उसी 'ओ३म्' पदवाच्य परमात्मा के कुछ अन्य गौण नामों का उल्लेख किया है। इन नामों से भी उसी सूक्ष्म, सर्वान्तर्यामी, सर्वप्रकाशक परमात्मा [१२।१२२] का बोध होता है। नीचे इनकी व्युत्पत्ति प्रदर्शित की जा रही है, जिससे इन शब्दों के परमात्मपरक अर्थ का ज्ञान होता है। इसके साथ-साथ इनसे परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों पर भी प्रकाश पड़ता है—

१. अग्नि—'अञ्चु गतिपूजनयोः' या 'अग-अगि गती' धातुओं से अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गति के तीन अर्थ होते हैं—ज्ञान, गमन और प्राप्ति। पूजन का अर्थ सत्कार है। 'योऽञ्चति, अच्यते, अच्यतेऽङ्गतेति सोऽयमग्निः' अर्थात् जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य और पूजा के योग्य है, उसको 'अग्नि' कहते हैं। वह परमात्मा का नाम है। ब्राह्मणग्रन्थों में कहा है—'आत्मा एव अग्निः' [शत० ६।७।१।२०], "अग्निरेव ब्रह्म" [शत० १०।४।१।५]।

२. मनु—'मन् जाने' अथवा 'मनु अवबोधने' धातुओं से मनु शब्द सिद्ध होता है। 'यो मन्यते, ज्ञायते, अवबुध्यते स मनुः, = जो विज्ञानरूप और ज्ञान करने योग्य है, इस कारण ईश्वर का नाम 'मनु' है।

३. प्रजापति—प्रजा और पति दो पदों में समास होकर 'प्रजापति' शब्द बनता है। 'प्रजायाः पतिः = पालकः, रक्षकः प्रजापतिः'—प्रजाओं का पालक और रक्षक होने से परमात्मा का नाम 'प्रजापति' है। निरुक्त में भी यही व्युत्पत्ति है—'प्रजापतिः पाता वा पालयिता वा' = प्रजापति रक्षक और पालक होता है। ब्राह्मणग्रन्थों में कहा है—"ब्रह्म वै प्रजापतिः" [शत० १३।६।२।८], "प्रजापतिर्हि आत्मा" [शत० ६।२।२।१२]।

४. इन्द्र—'इदि परमैश्वर्ये' धातु से ऋज्वेन्द्रा०... (उणादि० २।२८) सूत्र से रन् प्रत्यय के योग से 'इन्द्र' शब्द सिद्ध होता है। 'इश्नति परमैश्वर्यवान् अवति स इन्द्रः'—जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त है, इस कारण परमात्मा का नाम इन्द्र है। 'इन्दतेर्वा ऐश्वर्यकर्मणः' [निर० १०।८]। "यो ह खनु वाच प्रजापतिः स उ वावेन्द्रः" (तै० १।२।२५]।

५. प्राण—प्र पूर्वक 'अन् प्राणने' धातु से 'प्राण' शब्द सिद्ध होता है। प्राण-नात् प्राणः—सबका जीवनमूल होने से जीवनरक्षक होने से ईश्वर का नाम प्राण है। "प्राणापानी देवः = ब्रह्मः" [गो० १।२।११]।

६. ब्रह्म—'बृहि वृद्धी' धातु से 'बृ' हेनोऽञ्च' (उणादि० ४।१४६) सूत्र से मन्ति प्रत्यय होकर ब्रह्म शब्द सिद्ध होता है। 'योऽजितं जगत् निर्माणेन बह्वयति वर्द्धयति स ब्रह्मः, = जो सम्पूर्ण जगत् को रचकर बढ़ाता है, इस कारण ईश्वर का नाम

ब्रह्म है। निरुक्त के अनुसार—“ब्रह्म परिवर्द्धं सर्वतः” [नि० १। ८]—सर्वोच्च, सबसे बड़ा, सर्वव्यापक, सबसे शक्तिशाली होने से ईश्वर का नाम ‘ब्रह्म’ है।

(२) वेद मन्त्रों में ईश्वर के गौण नामों का वर्णन—वेदमन्त्रों में ईश्वर के अनेक गौण नामों का उल्लेख आता है। श्लोक का भाव इन मन्त्रों पर आधारित प्रतीत होता है—

(क) इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यस्त सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्भिदा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वा नमाहुः ॥ ऋक् १।१६४।४६।

अर्थात्—परमात्मा एक है। एक होते हुए भी विद्वान् लोग भिन्न-भिन्न गुणों के कारण उसे भिन्न-भिन्न नामों से सम्बोधित करते हैं, जैसे—इन्द्र = ऐश्वर्यशाली, मित्र = सबके द्वारा प्रीति करने योग्य, वरुण = वरणीय, अग्नि = ज्ञानस्वरूप एवं पूजा के योग्य, दिव्य, = तेजः-स्वरूप एवं अद्भुतगुणयुक्त, सुपर्ण = उत्तम पालन और पूर्णकर्म-युक्त, गरुत्मान् = महान् स्वरूप एवं बलवाला, यम = न्यायकारी, मातरिश्वा = वायु के समान अनन्त बल वाला। ये सभी परमात्मा के नाम हैं।

(ख) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुः तद् चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ताऽप्रापः सः प्रजापतिः ॥ यजु० ३२।१॥

अर्थात्—वह सूक्ष्म, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा ज्ञानस्वरूप और पूज्य होने से ‘अग्नि’ कहलाता है, प्रलयकाल में सबको ग्रहण करने वाला होने से वही ‘आदित्य’ है, अनन्त बलवान् होने से ‘वायु’, आनन्दस्वरूप एवं आह्लादक होने से ‘चन्द्रमा’, शुद्ध-स्वभाव होने से ‘शुक्र’, सबसे महान् होने से ‘ब्रह्म’, सर्वत्र व्यापक होने से ‘प्रापः’ और सब प्रजाओं का स्वामी एवं पालक होने से वही परमात्मा ‘प्रजापति’ कहलाता है।

सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही संसार को चक्रवत् चलाता है—

एषः सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः ।

जन्मवृद्धिकर्त्यनित्यं संसारयति चक्रवत् ॥ १२४॥(७१)

(एषः) यह परमात्मा (पञ्चभिः मूर्तिभिः सर्वाणि भूतानि व्याप्य) पञ्च महाभूतों से सब प्राणियों को युक्त करके अर्थात् उनकी उत्पत्ति करके और उनमें व्याप्त रहकर (जन्मवृद्धि-भयैः नित्यं चक्रवत् संसारयति) उत्पत्ति, वृद्धि और विनाश करते हुए सदा चक्र की तरह संसार को चलाता रहता है ॥ १२४ ॥

अनुशीलन : अन्यत्र बर्णन—निराकार, सूक्ष्म परमात्मा इस संसार का उत्पत्ति-वृद्धि और विनाशकर्ता है। यह मान्यता १।५७, ८० श्लोकों में वर्णित है। तुलनार्थं द्रष्टव्य है।

(२) उपर्युक्त स्वरूप वाला परमात्मा जगत् का उत्पत्ति-प्रलयकर्ता और

उन्मर्षे वेदों, उपनिषदों के प्रमाण—वेदों और उपनिषदों में वर्णित मान्यता को ग्रहण करके मनु ने यही प्रस्तुत किया है। इस जगत् के उत्पत्ति-वृद्धि-प्रलयकर्त्ता परमात्मा का स्वरूप १२।१२२-१२३ श्लोकों में प्रदर्शित किया है। वही इस संसार का निर्माण-संहार करने वाला है, कोई अन्य नहीं। इस विषय में वेदों और उपनिषद् के प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(क) इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा बभे यदि वा न ।

यो अस्याव्यक्तः परमे व्योमन्तो अङ्ग वेव यदि वा न वेद ॥

ऋ० । मं० १० । सू० १२६ । मं० ७ ॥

हे (अङ्ग) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो घारण और प्रलयकर्त्ता है, जो इस जगत् का स्वामी, जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्त्ता मत मान ॥

(ख) हिरण्यगर्भः समवर्त्ततामे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

त बाधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

ऋ० । मं० १० । सू० १२१ । मं० १ ॥

हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, और जिसने पृथिवी से लेके सूर्यपर्यन्त जगत् को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥

(ग) पुरुषऽण्वेव सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ।

उतामृतत्वस्थेऽज्ञो यदन्नेनातिरोहति ॥

यजुः । अ० ३१ । मं० २ ॥

हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है; वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत् को बनाने वाला है ॥

(घ) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ।

यत्प्रयन्त्यनिसंबिजन्ति तद्विजि ज्ञासस्व तद्वद्ब्रह्म ॥

तैत्तिरीयोपनि० ३ । १ ॥

जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं; वह ब्रह्म है। उसके जानने की इच्छा करो ॥

(ङ) जन्माद्यस्य यतः ॥ वेदान्त अ० १ । सूत्र० २ ॥

जिससे इस जगत् का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है; वही ब्रह्म जानने योग्य है। (स० प्र० अष्टम समु०)

अथ मन्त्र १।६ के अनुशीलन में भी द्रष्टव्य है।

समाधि से ईश्वर एवं मोक्ष-प्राप्ति—

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माम्येति परं पदम् ॥ १२५ ॥ (७२)

(एवम्) इसी प्रकार समाधियोग से (यः) जो मनुष्य (सर्वभूतेषु आत्मानं पश्यति) सब प्राणियों में परमेश्वर को देखता है (यः आत्मना सर्वसमताम् + एत्य) वह सबको अपने आत्मा के समान प्रेमभाव से देखता है (परं पदं ब्रह्म अम्येति) वही परमपद जो ब्रह्म-परमात्मा है उसको यथा-वत् प्राप्त होके सदा आनन्द को प्राप्त होता है ॥ १२५ ॥

(द० ल० आ० नि० १६६)

अनुशीलन : सब प्राणियों में आत्मवत् भाव एवं परमात्मदर्शन से मुक्ति—मनु ने यह मायता एवं भाव वेदों से यथावत् रूप में ग्रहण किया है। तुलनार्थ एवं अर्थस्पष्टीकरण के लिए निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ यजु० ४०।६ ॥

अर्थ—(यः) जो मनुष्य (आत्मन्नेव) आत्मा अर्थात् परमात्मा में तथा अपने आत्मा के सब (सर्वाणि भूतानि) समस्त जीव और जगत् के अङ्ग पदार्थों को (अनु-पश्यति) अनुकूलता से, अथवा अर्थाचरण और योगाभ्यास आदि से देखता है (च) और (सर्वभूतेषु) समस्त प्राणियों और प्रकृतिस्थ पदार्थों में (आत्मानम्) सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को देखता है (ततः) ऐसे सम्यक्दर्शन के बाद (न विचिकित्सति) वह संशय को प्राप्त नहीं होता अर्थात् संशयरहित होकर निर्भ्रम ज्ञान से परमात्म-पद=मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसे संसार और परमात्म-ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता।

इस शास्त्र के अध्ययन का फल—

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्विजः ।

मन्त्राचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद्गतिम् ॥ १२६ ॥

(इति + एतत् भृगुप्रोक्तं मानवं शास्त्रं पठन्) इस भृगु द्वारा प्रोक्त मनु-रचित शास्त्र=मनुस्मृति को पढ़ने वाला (विजः) विज (नित्यम् आचारवान् भवति) सदा आचारवान् रहता है, और (यथेष्टां गतिं प्राप्नुयात्) इच्छित गति को प्राप्त करता है ॥ १२६ ॥

अनुशीलनः : १२६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. शैलीगत आधार—(१) १। २-४ श्लोकों की वर्णनशैली से यह शास्त्र मनुरचित एवं मनुप्रोक्त सिद्ध होता है। इस श्लोक में इसे भूगुप्रोक्त कहना असंगत है [इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य है भूमिका में 'शैलीगत आधार' पर विवेचन]। इस प्रकार यह प्रक्षिप्त है। (२) सम्पूर्ण मनुस्मृति की यह शैली है कि किसी भी विषय का उपसंहार करते समय तदनुसार आधारण करने का श्रेष्ठ फल दशाया गया है, पढ़ने का नहीं। मनुस्मृति की शैली के अनुसार एक उपसंहार १२५ वें श्लोक में हो चुका, १२६ वें में न तो पुनः उपसंहार की आवश्यकता रह जाती है और न पढ़ने का फल दिखाना मनु की शैली के अनुरूप है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

इति हरयाणाप्रान्तीयगुरुकुलभञ्जरेऽधीतविद्येन, तत्र भवतामाचार्यभगवान्-
 देवानामन्तेवासिना, हरयाणाप्रान्तान्तर्गतरोहतकमण्डले 'सकडौली'
 नाम्नि ग्रामे लब्धजन्मना, श्रीगहरसिंहशक्तिदेवीतनयेन,
 सुरेन्द्रकुमारेण कृतं मनुस्मृतेः हिन्दी-भाष्यम्, प्रक्षिप्त-
 श्लोकानुसन्धानयुताऽथ च विविधविषयविमर्श-
 सम्पन्ना 'अनुशीलन' नामिका समीक्षा च
 पूर्णिमयाः ॥

॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥



मनुस्मृतिश्लोकानामुभयपंक्ति-अनुक्रमणिका

प्रावश्यक निर्देश—

१. इस अनुक्रमणिका में श्लोकों की प्रथम पंक्ति (प्रथमार्ध) बड़े टाइप में दी गयी है और द्वितीयपंक्ति (द्वितीयार्ध) छोटे टाइप में है।
२. इस ग्रन्थ में द्वितीय अध्याय के पहले २५ श्लोक विषय के आधार पर पहले अध्याय में जोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय के अन्त में २५ श्लोक बढ़ गये हैं और द्वितीय के कम हो गये हैं। किन्तु अनुक्रमणिका में प्रचलित पाठों के अनुसार ही श्लोक-संख्या दी गई है। प्रथम और द्वितीय अध्याय में वह प्रचलित संख्या श्लोकों के अन्त में बृहत्कोष्ठक में दी गई है। अनुक्रमणिका का मिलान करते समय इन दोनों अध्यायों में बृहत्कोष्ठक की संख्या देखें।
३. इसी प्रकार नवम अध्याय के अन्त के ११ श्लोक दशम अध्याय के प्रारम्भ में जोड़े गये हैं। उन पर अनुक्रमणिका में अध्याय श्लोक-संख्या नवम की ही उल्लिखित है। उन्हें दशम अध्याय में देखें। दशम अध्याय में भी प्रचलित श्लोकसंख्या श्लोकों के बाद बृहत्कोष्ठक में दी गई है। अनुक्रमणिका की संख्या उसी से मिलायें।

पंक्ति-पूर्वभाग	अध्याय/श्लोक	पंक्ति-पूर्वभाग	अध्याय/श्लोक
प्रशमंशं यवीयांसः	६।११७	अकृत्वा भैक्षचरणं	२।१८७
अकम्प्येति तु यः कन्यां	८।२२५	अकृव्यादाग्नस्ततरीं	११।१३७
अकामतः कृतं पापम्	११।४६	अक्रोधनाः शौचपराः	३।१६२
अकामतः कृते पापे	११।४५	अक्रोधनान्मुप्रसादान्	३।२१३
अकामतस्तु राजन्यम्	११।१२७	अक्लेशेन शरीरस्य	४।३
अकामस्य क्रिया काचिह	२।४	अक्षभङ्गे च यानस्य	८।२६१
अकारं चाधुकारं च	२।७६	अक्षमाला वसिष्ठेन	६।२३
अकारणपरित्यक्ता माता	३।१५७	अक्षरं दुष्करं श्रेयं	२।८४
अकारवचाम्य नाम्नोऽन्ते	२।१२५	अक्षरलक्षणाग्नाः स्युः	५।७३
अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा	११।६६	अक्षरलक्षणां चैव	३।२५७
अकुर्वन् विहितकर्म	११।४४	अक्षेत्रे बीजमुत्सृण्व	१०।७१
अकृतः स तु विज्ञेयः	८।१६६	अगम्यागमनीयं तु	११।१६६
अकृतकृत्य कृतात् क्षत्रात्	१०।११४	अगारवाही गरवः	३।१५८
अकृता वा कृता वापि	६।१३६		

अगुप्तमङ्गसर्वस्वेः	८१३७४	अज्ञातं चैव सूनास्थं	११११५५
अगुप्ते कत्रियायैश्चे	८१३८५	अज्ञातभुक्तपुष्टयर्थम्	५१२१
अग्निं बाहारयेदेनम्	८१११४	अज्ञानभुक्तं तृत्तार्यम्	११११६०
अग्निदग्धाननग्निदग्धान्	३११६६	अज्ञानात् प्राश्य विष्णुभ्रम्	११११५०
अग्निदान् भक्तदाश्चैव	६१२७८	अज्ञानाद् द्वेगते पूर्णं	८११२१
अग्निवकाशनी वा स्यात्	६११७	अज्ञानाद् बालभावाच्च	८१११८
अग्निवायुरविम्यस्तु	११२३	अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्	१११२३२
अग्निष्वात्ताश्च देवानां	३११६५	अज्ञानाद्वाहणी पीत्वा	११११४६
अग्निष्वात्ताश्च सौम्याश्च	३११६६	अज्ञेभ्यो अग्निधनः श्रेष्ठः	१२११०३
अग्निहोत्रं च जुहुयात्	४१२५	अज्ञो भवति वै बालः	२११५३
अग्निहोत्रं समादाय	६१४	अज्ञेष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्	६१११०
अग्निहोत्र्यपविष्यागनीन्	१११४१	अज्ञज्ञाः पक्षिणः सर्पाः	११४४
अग्नीनाहमग्निं वतंगान्	६१२५	अज्ञेभ्यो मात्रा विनाशिन्यः	११२७
अग्नीन्ममं भक्षयामि	२११०८	अत ऊर्ध्वं तु छन्दसि	४१६८
अग्नेः सोमयमाभ्यां च	३१२११	अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते	२१३६
अग्नेः सोमस्य चैवादी	३१८५	अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्ड	८१२७८
अग्नीं कुर्यादनुज्ञानः	३१२१०	अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्मं	८१२१८
अग्नीं प्रास्ताहुतिः सम्यक्	३१७६	अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्	८१२६६
अग्न्यागारे गवां गोष्ठे	४१५८	अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेतन	८१२१४
अग्न्यभावे तु विप्रस्य	३१२१२	अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्ण	१११६८
अग्न्याध्वेयं पारुषज्ञान्	२११४३	अत ऊर्ध्वं रहस्यानां	१११२४७
अग्रघाः सर्वेषु वेदेषु	३११८४	अत ऊर्ध्वं सकुल्यः	६११८७
अग्रघो मधो जघन्यश्च	१२१३०	अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राय	१०११३१
अग्रं स केचन भुङ्क्ते	३१११८	अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां	६१५६
अङ्गादपीडनार्थां च	८१२८७	अतः स्वस्पोषसि ब्रह्मे	१११८
अङ्गुलीर्ग्रन्थिभेदस्य	६१२७७	अतपास्त्वनधीयानः	४११६०
अङ्गुल्योरेव वा छेदं	८१३७०	अतस्तु विपरीतस्य	७१३४
अङ्गुष्ठमूलस्य तले	२१५६	अतिक्रमं व्रतस्याहुः	११११२०
अचक्षुषिष्यं दुर्गं	४१७७	अतिक्रान्ते दशाहे च	५१७६
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य	११३	अतिक्रामन्देशकालो	८११५६
अचिरान्तं दुरात्मानं	८११७४	अतिक्रामेत् प्रमत्तं वा	६१७८
अच्छलेनैव चान्विच्छेद्	८११८१	अतिथिं चाननुज्ञाप्य	४११२२
अजडश्चेदपोमंडो	८११४८	अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्	३१११४
अजमेषावनड्वाहं	११११३६	अतिथिस्त्विन्द्रलोकेवः	४११८२
अजाविके तु संवद्धे	८१२३५	अतिप्रसर्कति चैतेषां	४११६
अजाविकं तु विषमं	६१११८	अतिबादास्तितिक्षेत	६१४७
अजाविकं संकशकम्	६१११६	अतीतानां च सर्वेषां	७११७८
अजिह्वाभगठां शुद्धां	४१११	अतीते कार्यशेवजः	७११७६
अजीवतः सुतं हन्तुम्	१०११०५	अतैजमानि पात्राणि	६१५३
अजीवंस्तु ययोक्तेन	१०१८१	अतोऽन्यतममास्थाय	१११८६
अज्ञं हि बालमित्याहुः	२११५३	अतोऽन्यतमया वृथा	४११३

प्रतोऽन्यथा तु प्रहरन्	८।३००	अथस्तान्नीपवध्यान्व	४।५४
प्रतोऽन्यथा प्रवर्तितस्तु	५।३१	अधामिकाणां पापानां	४।१७१
प्रतोऽन्यथा वर्तमानः	८।३६७	अधामिको नरो यो हि	४।१७०
प्रतो यदन्वद्विभूयुः	८।७८	अधामिकं तत्करं च	४।१३३
प्रतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति	२।२१३	अधामिकं त्रिभिर्गर्वायैः	८।३१०
अत्युच्छिन्नं तथाऽऽत्मानं	७।१७०	अधिकं वापि विद्येत	१।१७
अत्युच्छिन्नं सर्वं च न स्यात्	३।२३६	अधितिष्ठेन्न केशास्तु	४।७८
अत्र नाथा बाधुनीताः	६।४२	अधियज्ञं ब्रह्म जपेत्	६।८३
अत्रैव पशवो हि स्याः	५।४१	अधिविन्ना तु या नारी	६।८३
अथ पुत्रस्य पौत्रेण	६।१३७	अधीत्य बानुवर्तन्ते	६।६३
अथ मूलमनाहार्यं	८।२०२	अधीत्य विधिबद्धवान्	६।३६
अदण्ड्यान् दण्डयन्नाजा	८।१२८	अधीपीरंस्त्रयी दर्शाः	१०।१
अदण्ड्यो मुच्यते राजा	८।२०२	अधीष्व भो इति ब्रूयात्	२।७३
अदत्तानामुपादानं	१२।७	अधोदृष्टिर्नैकृतिकः	४।१६६
अदत्तान्युपभुञ्जानः	४।२०२	अध्यक्षान्निविधान् कुर्व्यात्	७।८१
अदस्वा तु य एतेभ्यः	३।११५	अध्यग्न्याभ्याबाहुनिकं	६।१६४
अदर्शयन्त तं तस्य	८।१५८	अध्यात्मरतिरासीनः	६।४६
अवशयित्वा सत्रैव	८।१५५	अध्यापनमध्ययनं...	
अवातरि पुनर्वाता	८।१६१	...दानं प्रतिग्रहं चैव	१।८८
अदीयमाना भर्तारिन्	६।६१	अध्यापनमध्ययनं...	
अहूषितानां इष्पारणाम्	६।२८६	...दानं प्रतिग्रहश्चैव	१०।७५
अष्टमिद्भिर्निर्णिकत	५।१२७	अध्यापनं च कुर्वीतः	४।१०१
अवेक्ष्यं यश्च विनक्ति	८।५३	अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः	३।७०
अदेवं भोजयेच्छ्राद्धं	३।२४७	अध्यापनं याजनं च	१०।७७
अङ्गिरेव द्विजाप्रघारणं	३।३५	अध्यापयन्गुरुमुतो	२।२०८
अङ्गिर्गात्राणि शुद्धयन्ति	५।१०६	अध्यापयामास पितुन्	२।१५१
अङ्गिस्तु मोक्षणं शौचम्	५।११८	अध्येष्यमाणं तु गुरुः	२।७३
अदभ्यो गन्धगुणा भूमिः	१।७८	अध्येष्यमासुस्त्वान्नातः	२।७०
अदृश्योऽग्निर्ब्रह्मतः क्षत्रम्	६।३२१	अनंशो क्लीबपतितो	६।२०१
अद्यात् काकः पुरोडाशं	७।२१	अनन्तरिनिर्णेतः स्यात्	६।४३
अद्रोहेण च भूतानां	४।१४८	अनन्तरिनिर्णेतः स्यान्मुनि	६।२५
अद्रोहेणैव भूतानां	४।१	अनदुःखः श्रियं पुष्टौ	४।२३१
अद्वारेण च नासीयात्	४।७३	अनदन्तन्महर्षेव न	५।१०२
अधमर्णार्थं सिध्यर्थम्	८।४७	अनधीत्य द्विजो वेदान्	६।३७
अधमा मध्यमाग्रधा च	१२।४१	अनध्यायो ह्यमाने	४।१०८
अधर्मदण्डनं लोके	८।१२७	अनन्तरः सपिण्डाद्यः	६।१८७
अधर्मप्रभवं चैव	६।६४	अनन्तरमरि विद्यात्	७।१५८
अधर्मापि षड्भागः	८।३०४	अनन्तरासु जातामासु	१०।७
अधर्मैव न यः ग्राह	२।१११	अनवत्यस्य पुत्रस्य	६।२१७
अधर्मैवेत्येते तावत्	४।१७४	अनपाकृत्य मोक्षं तु	६।३५
अधर्मा नृपतेर्दष्टः	६।२४६	अनपेक्षितमयीदं	८।३०६

अनन्यार्थं पितृभेदान्	५।५२	अनुमत्ता विशसिता	५।५१
अनन्यात्तेन वेदानां	५।४	अनुरक्तं स्थिरारम्भं	७।२०६
अनयैवावृता कार्यं	३।२४८	अनुरक्तः शुचिर्बलः	७।६४
अनचित्तं वृथा मांसं	४।२१३	अनुरागापरागी च	७।१५४
अनस्थानं चैव हिंसायां	११।१४१	अनुज्ञया च शुश्रूषा	२।२४१
अनाचरन्नकार्याणि	१०।६८	अनुष्णाभिरक्षेमाभिः	२।६१
अनातुरः सप्तरात्रं	२।१८७	अनृतस्यैनसस्तस्मै	८।१०५
अनातुरः स्वानि खानि	४।१४४	अनृतावृतुकाले च	५।१५३
अनास्तास्तु यस्यैते	२।२३४	अनृतं च समुत्कर्षे	११।५५
अनादेयं नाददीत	८।१७०	अनृतं तु वदन्दिष्यः	८।३६
अनादेयस्य चाशानात्	८।१७१	अनेकानि सहस्राणि	५।१५६
अनाम्नातेषु धर्मेषु	१२।१०८	अनेन क्रमयोगेन परिब्रजति	६।८५
अनारोग्यमनायुष्यं	२।५७	अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा	२।१६४
अनायंता निष्कृता	१०।५८	अनेन तु विद्यानेन	६।१२८
अनायंमार्गकर्मणाम्	१०।७३	अनेन नारीवृत्तेन	५।१६६
अनार्याणां समुत्पन्नः	१०।६६	अनेन विधिना नित्यम्	५।१६६
अनाविष्कृतपापांस्तु	१२।२२६	अनेन विधिना यस्तु	११।११५
अनाहिताग्निता स्तेयम्	११।६५	अनेन विधिना राजा कुर्वाणः	८।३४३
अनाहिताग्निर्भवति	११।३८	अनेन विधिना राजा मिथो	८।१७८
अनिच्छतः प्राभवत्वात्	८।४१२	अनेन विधिना श्राद्धं	३।२८१
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्	३।१०२	अनेन विधिना सर्वान्	६।८१
अनित्यो विजयो यस्माद्	७।१६६	अनेन विधियोगेन	८।२११
अनिधायैव तदद्रव्यं	५।१४३	अनेन विप्रो वृत्तेन	४।२६०
अनिर्वितः स्त्रीविवाहैः	३।४२	अन्तःपुरप्रचारं च	७।१५३
अनियुक्तानुसङ्ख्येव	६।१४३	अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते	१।४६
अनिदंश्या योः क्षीरं	५।८	अन्तरप्रभवाणां च	१।२
अनिदंशाहं मां सूतो	८।२४२	अन्तरागमने विद्याद्	४।१२६
अनिदंशं च प्रेतान्नं	४।२१७	अन्तर्गतशवे ग्रामे	४।१०८
अनिदिष्टाश्चैकशफान्	५।११	अन्तर्दंशाहे स्यातां चैव	५।७६
अनिर्वृतं नियोगार्थं	६।६१	अन्तर्भवन्ति क्रमशः	१२।८७
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु	७।१३	अन्तर्वैशमन्येन वा	८।६६
अविष्ट्वा चैव यज्ञैश्च	६।३७	अन्धो जडः पीठसर्पा	८।३६४
अनीहमानाः सततं	४।२२	अन्धो मत्स्यानिवाहनाति	८।६५
अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः	३।१४७	अन्धः शत्रुकुलं गच्छेत्	८।६३
अनुक्तनिष्कृतीनान्तु	११।२०६	अन्तपानेन्धनादीनि	७।११८
अनुगम्येच्छया प्रेतम्	५।१०३	अन्तमेवां पराधीनम्	१०।५४
अनुद्वेगकरा नृणां	२।४७	अन्तर्हर्ताऽऽमयावित्तम्	११।५१
अनुपपन्नं पितृव्यम्	६।२०८	अन्तावेर्भूलाहा माष्टि	८।३१७
अनुपाकृतमांसानि	५।७	अन्ताद्यजानां सस्वानाम्	११।१४३
अनुबन्धं परिज्ञाय	८।१२६	अन्ताद्येनासकृच्चैतान्	३।२३३
अनुभाषी तु यः कश्चित्	८।६६		

अस्यादपि परं धर्मं	२।२३८	अपि भूगुह्यं मासात्	१।१२४८
अन्नं चैव यथाशक्ति	३।६६	अपि यस्तुकरं कर्म	७।५५
अन्यत्र पुत्राच्छ्रद्धाद्वा	४।१६४	अपुण्यं लोकविद्विष्टं	२।५७
अन्यदुपै जातमन्यत्	६।४०	अपुत्रायां मृतायान्तु	६।१३५
अन्यस्मिन्हि निधुञ्जाना	६।६४	अपुत्रोऽनेन विधिना	६।१२७
अन्यान्पि प्रकुर्वीत	७।६०	अपुण्याः कलवन्तो ये	१।४७
अन्यां चेद् दर्शयित्वाऽन्या	८।२०४	अपूजितं तु तद् भुक्तं	२।५५
अन्ये कलियुगे नृणां	१।८५	अपः शस्त्रं विषं मांसम्	१०।८८
अन्ये कृतयुगे धर्माः	१।८५	अपः सुराभाजनस्याः	१।११४७
अन्येषां चैवभादीनां	८।३२६	अप्रजायामतीतायां भर्तु	६।१६६
अन्येष्वपरिपूतेषु	८।३३०	अप्रजायामतीतायां माता	६।१६७
अन्येष्वपि तु कालेषु	७।१८३	अप्रणोद्योऽतिथिः सायं	३।१०५
अन्योन्यगुणरंशेभ्यात्	६।२६६	अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तम्	१।२।२६
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च	१०।२५	अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तं	१।५
अन्योन्यस्याव्यभिचारः	६।१०१	अप्रमोदात्पुनः पुंसः	३।६१
अन्वाधेयञ्च यद् दत्तम्	६।१६५	अप्रपन्नः सुक्तायैषु	६।२६
अप एव ससर्जदो	१।८	अप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु	१।१२५५
अपरयं धर्मकार्याणि	६।२८	अप्राणिभिर्यत् क्रियते	६।२२३
अपत्यलोभाद्या तु स्त्री	५।१६१	अप्राप्तामपि तां तस्मै	६।८८
अपत्यस्यैव चापत्यं	६।२	अप्सु प्रविश्य तं वण्डम्	६।२४४
अपत्तिवापदेक्ष्यं च	८।५४	अप्सु प्राश्य विनष्टानि	२।६४
अपदेक्षीश्च सन्यस्य	८।१८२	अप्सु भूमिबदित्याहुः	८।१००
अपपात्राश्च कर्तव्या	१०।५१	अबान्धवं शवं चैव	१०।५५
अपरार्जितां चास्याय	६।३१	अबीजकमपि क्षेत्रं	१०।७१
अपराहृतया दर्माः	३।२५५	अबीजविकयी चैव	६।२६१
अपसव्यमानी कुरवा	३।२१४	अञ्जमदमयं चैव	५।११२
अपमयेन हस्तेन	३।२१४	अञ्जेषु चैव रत्नेषु	८।१००
अपहृते तद् द्विगुणं	८।१३६	अञ्जार्धमिन्द्रमित्येतत्	१।१२५५
अपहृतेऽप्यमर्णस्य	८।५२	अन्नाह्वणायप्ययनं	२।२४१
अपहृत्य च निःक्षेपं	११।८८	अन्नाह्वणः संप्रहणे	८।३५६
अपहृत्य च विप्रस्वं	१२।६०	अन्नुवन्निन्नु वन्वापि	८।१३
अपहृत्य सुवर्णं तु	११।२५०	अभक्ष्याणि द्विजातीनां	५।५
अपाङ्ककाने यो वातुः	३।१६६	अभयस्य हि यो दाता	८।३०३
अपाङ्कतेर्ययंदन्यैश्च	३।१७०	अभिचारमहीनां च	१।११६७
अपाङ्कतयोपहृता पङ्क्तिः	३।१८३	अभिचारेषु सर्वेषु	६।२६०
अपाङ्कतयो यावतः	३।१७६	अभिजिह्विह्वजिह्व्यां वा	१।१७४
अपात्रीकरणं ज्ञेयं	११।६६	अभिपूजितलार्मास्तु	६।५८
अपामग्नेश्च संयोगात्	५।११३	अभिपूजितलार्मैश्च	६।५८
अपां समीपे नियतः	२।१०४	अभियोक्तादिशेददेश्यं	८।५२
अपिचेत्स्युररक्तानि	१०।८७	अभियोक्ता न चेद् भूयात्	८।५८
अपि नः स कुले जायात्	३।२७४	अभिवादनशीलस्य	२।१२१

अमिवावयेद् बुद्धावध	४११५४	अरक्षितारं राजानं	८१३०८
अमिवावात्परं विप्रः	२१२२२	अरक्षितारमत्तारं	८१३०९
अमिक्षास्तस्य वण्डस्य	४१२११	अरण्ये काष्ठवस्यवत्वा	५१६९
अमिषहृत् तु यः कन्यां	८१३६७	अरण्ये निःशलाके वा	७११४७
अभीप्सितानामर्षानां	७१२०४	अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य	११२५८
अभौज्यभक्षणं नास्त्यभ्यम्	११११६०	अराजके हि लोकेऽस्मिन्	७१३
अभौज्यानान्तु भुक्त्वाभ्यम्	११११५२	अरेरन्तरं मित्रं	७११५८
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्षणीः	२११७८	अरोगाः सर्वसिद्धार्थाः	११८३
अभ्यङ्गजन स्नापनं च	२१२११	अथ एवेह वा श्रेयः	२१२२४
अभ्यस्यार्धं पावमानीः	११२५७	अर्थकामेष्वसक्तानां	२११३
अभ्याघातेषु मध्यस्थान	९१२७२	अर्थसम्पादनार्थं च	७११६८
अभ्यादध्युदय काष्ठानि	९१३७२	अर्थस्य संपदे चैनां	९१११
अग्निं काष्ठीयसीं दद्यात्	११११३३	अर्थानर्थानुभौ बुद्ध्या	८१२४
अमर्येतानि वद् जगध्वा	५१२०	अर्थेऽप्यव्ययमानं तु	८१५१
अमन्त्रिका तु कार्ययं	२१६६	अर्थ्यक्ताः साक्ष्यमहन्ति	८१६२
अमास्यमुख्यं धर्मज्ञं	७११४१	अर्थभाग्रक्षणाद्राजा	८१३९
अमास्यराष्ट्रदुर्गार्थं	७११५७	अर्थेन नारी तस्यां सः	११३२
अमास्याः प्राङ्निवाको वा	९१२३४	अवक्षिप्यन्दादरेत्स्वामी	८१३०
अमास्ये दण्ड आयसो	७१६५	अवाक् सञ्जयनादस्फां	५१५९
अमानुषीषु पुरुषः	११११७३	अहंरं तत्कुमारीणां	३१५४
अमानुषेषु प्रथमः	९१२८४	अहंत्तमाय विप्राय	३१२८
अमास्ययं वत्तैत	७११०४	अहंयेन्मधुपर्कण	३१११९
अमासस्या मुखं हन्ति	४१११४	अर्हाविभोजयन्विप्रो	८१३९८
अमावास्याचतुर्दश्योः	४१११३	अलम्बं चैव लिप्सेत	७१९९
अमावास्यामण्डर्षो च	४११२८	अलम्बमिच्छेद्दण्डेन	७११०१
अमित्रादपि सद्वृत्तं	२१२३९	अलाभं दातुमात्रं च	६१५४
अमृतस्येव चाकाङ्क्षेत्	२११६२	अलाभे त्वन्यगेहानां	२११८४
अमेधकुरापाशी च	१२१७१	अलाभे न विवादी	६१५७
अमेधयतिप्तमन्यदा	४१५६	अलिङ्गी लिङ्गिबेधेण	४१२००
अमेधे वा पतेन्मत्तः	१११९६	अलङ्कारं नावदीत	९१९२
अम्भस्यइमप्लवेनेव	४११९०	अलंकृतश्च सम्पद्येत्	७१२२२
अम्भूलफलभिक्षाभिः	६१७	अलंकृत्य शुभौ भूमौ	५१६८
अयःकांस्योपलानां च	११११६७	अलङ्कृत्य सुतादानं	३१२८
अयज्वनां तु यद्वित्तं	१११२०	अस्वान्मानस्यबहारेण	६१५९
अयमुक्तो विभागो वः	९१२२०	अस्तेऽप्येवं महान्वापि	३१५३
अयशो महदाप्नोति	८११२८	अल्पं वा बहु वा प्रेत्य	७१८६
अयस्ययाजनं दक्षैव	३१६५	अल्पं वा बहु वा यस्य	२११४९
अयुधु तु पितृन्सर्वान्	३१२७७	अवकाशेषु शोभेषु	३१२०७
अयुष्यमानस्योत्पाद्य	४११६७	अवकीर्तिवर्ज्यं शुष्ययं	१११११७
अयं द्विर्जहि विद्विद्धिः	९१६६	अवकीर्त्या तु कारणेन	१११११८
अरक्षिता गृहे दह्याः	९११२	अवगूर्यं चरेत् कृच्छ्रम्	१११२०८

अवगुह्यं त्वद्वदशब्दम्	११२०६	अश्वस्तनविधानेन	१११६
अवजिघ्र्ये च तान्निष्ठां	३१२१८	अष्टकामु त्वहोरात्रं	४१११६
अवनिष्ठीवतो रथाश्च	८१२८२	अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहार	६१२५०
अवभूत्रयतो मेढं	८१२८२	अष्टादशसु मार्गेषु निबद्ध	८१३
अवश्यं याति तिर्यक्त्वं	१२१६८	अष्टानां लोकपालानां	५१६६
अवहार्यो भवेच्छब्द	८११६८	अष्टापाशं तु दृष्टस्य	८१३३७
अवदायी भवेतां तो	८११४५	अष्टावष्टौ सप्तद्वीपाश्च	११२१८
अवाक्क्षिरास्तमस्यग्धे	८१६४	अष्टाविमान्समासेन	३१२०
अवाङ् नरकमभ्येति	८१७५	अष्टावेणस्य मांसेन	३१२६६
अवाक्यो वीक्षितो नाम्ना	२११२८	अष्टौ चाग्याः समाख्याताः	७११५६
अविद्यमाने सर्वस्वं	१११११६	अष्टौ भासान् यथादित्यः	६१३०५
अविद्यानाम् सर्वेषाम्	६१२०५	असकृद्भगवत्सेषु	१२१७८
अविद्याश्चैव विद्याश्च	६१३१७	असंख्यस्त्राधिगमनं	१११६५
अविद्यासमलं लोके	२१२१४	असन्निधावयं ज्ञेयो	५१७४
अविन्दस्तत्त्वतः सत्यं	८११०६	असपिण्डा च या मातुः	३१५
अविलुप्तब्रह्मचर्यो	३१२	असपिण्डेषु सर्वेषु	५११००
अवृत्तिः क्वितः सीदन्	१०११०१	असपिण्डं द्विजं प्रेतं	५११०१
अवृत्तिकविता हि स्त्री	६१७४	असमीक्ष्य प्रणीतस्तु	७११६
अवेक्षेत गतीन् रणाम्	६१६१	असम्बद्धकृतश्चैव	८११६३
अवेक्ष्य च जपेद्वचं	१११२५२	असम्बद्धप्रलापश्च	१२१६
अवेक्ष्यामी नष्टस्य	८१३२	असंज्ञोऽग्या ह्यसंयाज्याः	६१२३८
अव्यङ्गाङ्गौ सौम्यान्मा	३११०	असंख्यककारिणश्चैव	६१२५६
अव्याप्ताश्चेदमेध्येन	५११२८	असवणस्तु सम्पूज्याः	२१२१०
अव्यतामाममन्त्राणाम्	१२१११४	असवणस्त्वयं ज्ञेयो	३१४३
अव्यतैर्यद्विजैर्भुक्तं	३११७०	असाक्षिकेषु त्वय्येषु	८११०६
अव्यक्तुवस्तु शुभ्रूषाम्	१०१६६	असावहमिति ब्रूयात्	२११३०
अव्यक्तं चाप्रमेयं च	१२१६४	असिपत्रवनं चैव	४१६०
अव्यासस्तस्करान् यस्तु	६१२५४	असिपत्रवनादीनि	१२१७५
अशासित्वा तु तं राजा	८१३१६	असूयकाय मां मा दाः	२१११८
अशीतिभागं शुद्धीयात्	८११४०	असौ नामाहमस्मीति	२११२२
अशुद्धा बाणधवाः सर्वे	५१५८	असंख्या भूतस्यस्तस्य	१२११४
अशेषतोऽप्याददीत	८१३७	असंवितानां संवाता	८१३४२
अहमकुट्टो भवेद्वापि	६११७	असंभाष्ये साक्षिभिश्च	८१५५
अहमनो लवणं चैव	१०१८६	असंश्रये चैव गुरोः	२१२०३
अहमनोऽस्मीनि गोपालान्	८१२५०	असंस्कृतप्रवीतानां	३१२४५
अश्वेयान् श्रेयसीं जाति	१०१६४	असंस्कृतात्पञ्चमग्नः	५१३६
अश्रोत्रिये त्वहः कुत्सन्	५१८२	अस्थिमताम् सत्त्वानाम्	११११४०
अश्रोत्रियो पिता यस्य	३११३६	अस्थिस्फूर्णं स्नायुयुतम्	६१७६
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्	३११३६	अस्मादप्रयुतो विप्रः	१२१११६
अश्लीकमेतत्साधूनां	४१२०६	अस्माद्धर्मज्ञं व्यवेत	७१६८
अश्वदधस्तुत्स्वचं वासो	४११८६	अस्मिन् यमोऽस्तितेनोक्तः	१११०७

अस्य नित्यमनुष्ठानं	७।१००	आस्थानानीतिहासांश्च	३।२३२
अस्य सर्वस्य शृणुत	१२।२	आगः शु बाह्यराख्यैव	६।२४१
अस्त्रं गमयति प्रेतान्	३।२३०	आगमं निर्वमं स्थानम्	८।४०१
अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः	६।२	आगमं वाप्यपां भिद्यात्	६।२८१
अस्ववर्गं च परत्रापि	८।१२७	आगमः कारणं तत्र	८।२००
अस्ववर्गा ह्याहुतिः साः स्यात्	५।१०४	आगारादग्निनिष्कास्तः	६।४१
अस्वस्थः सर्वमेतत्	७।२२६	आचक्षणेन यस्तेयं	८।३१४
अस्वामिना कृतो यस्तु	८।१६६	आचम्य प्रयतो नित्यं जपेद्	५।८६
अहन्यहन्यवेक्षेत	८।४१६	आचम्य प्रयतो नित्यमुभे	२।२२२
अहस्तत्रोदयनं	१।६७	आचम्यैव तु निःस्तेहं	५।८७
अहस्ताश्च सहस्तानां	५।२६	आचम्योदक्परावृषः	३।२१७
अहार्यं बाह्यराख्यम्	६।१८६	आचान्तांश्चानुजानीयाद्	३।२५१
अहिंसया च भूतानां	६।६०	आचामेदेव भुक्त्वान्नं	५।१४४
अहिसमेन्द्रियास्तङ्गैः	६।७५	आचारः परमो धर्मः	१।१०८
अहिसरैव भूतानां	२।१५६	आचारमनिकार्यं च	२।६६
अहिंसा गुह्येवा च	१२।८३	आचारश्चैव साधूनां	२।६
अहिसामेव तां विद्यात्	५।४४	आचारहीनः बलीबध्वा	३।६५
अहिसास्त्यमक्रोधं	११।२२२	आचाराद्धनमक्षय्यं	४।१५६
अहिंसा सत्यमस्तेयम्	१०।६३	आचाराद्विष्णुतो विप्रः	१।१०६
अहिंसो दमदानाम्यां	४।२४६	आचारात्समते ह्यायुः	४।१५६
अहुतं च हुतं चैव	३।७३	आचारेण तु संयुक्तः	१।१०६
अहोरात्रमुपासीरन्	११।१८३	आचार्यपुत्रः शुभ्रः शुः	२।१०६
अहोरात्रे विभ्रमते	१।६५	आचार्यश्च पिता चैव	२।२८५
अहं प्रजाः निमृक्षस्तु	१।३४	आचार्यस्त्वस्य यां जातिं	२।१४८
अह्ना चैकेन रात्र्या च	५।६४	आचार्यं तु जनु प्रेते	२।२४७
अह्ना रात्र्या च याज्यजन्तुन्	६।६६	आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः	२।२२६
अह्णं तत्कुमारीणां	३।५४	आचार्यो ब्रह्मलोकेशः	४।१८२
अहविभोजयन्विप्रो	८।३६२	आचार्यं च प्रवक्तारं	४।१६२
आ		आचार्यं स्वमुपाध्यायम्	५।६१
आकारमिङ्गितं चेष्टां	७।६७	आच्छाद्य चार्चयित्वा च	३।२७
आकारैरिङ्गितं गत्या	८।२६	आजीवनार्यं धर्मस्तु	१०।७६
आकालिकमनध्यायमेतेषु	४।१०३	आततायितमायान्तं	८।३५०
आकालिकमनध्यायं विद्यात्	४।११८	आतुराममिशस्तां वा	११।११२
आकाशमिव पकेन	१०।१०४	आत्मज्ञाने गमे च स्यात्	१२।६२
आकाशात् विकृर्वाणात्	१।७६	आत्मज्ञश्च परित्रालो	८।३४६
आकाशेशास्तु विनेयाः	४।१८४	आत्मनस्त्यागिनां चैव	५।८६
आकाशं जायते तस्मात्	१।७५	आत्मनो यदि बाष्प्येषां	११।११४
आकीर्णं मिश्रकैर्वाज्यैः	६।५१	आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन्	४।२५२
आक्रन्दे चाप्यपैहीति	८।२६२	आत्मन्यन्तर्दधे भूयः	१।५१
आक्षारयच्छतं वाप्यः	८।२७५	आत्मन्यग्नीन्समारोप्य	६।३८
आख्यातव्यं तु वत्तम्	११।१७	आत्मनमात्मना यास्तु	६।१२
		आत्मनैव सहामेव	६।४६

आत्मानं च पशुं चैव	५।४२	आयः शुद्धा नृमिताः	५।१२८
आत्मानं सततं रक्षेत्	७।२१३	आप्तः शक्तोऽयं दः साधुः	२।१०६
आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै	६।१७७	आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु	८।६३
आत्मार्थं च क्रियारम्भः	११।६४	आभीरोऽब्धच्छकन्यायां	१०।१५
आत्मा हि जनयत्येषां	१२।११६	आभ्यः कुर्याद् देवताभ्यः	३।८४
आत्मैव देवताः सर्वाः	१२।११६	आमन्त्रितस्तु य आढे	३।१६१
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी	८।८४	आमृत्योः श्रियमन्विष्येत्	४।१३७
आददानस्तु तल्लोभात्	६।२४३	आर्याति सर्वकार्याणां	७।१७८
आददानो ददन्चैव	८।२२३	आर्यत्वां गुरादोवज्ञः	७।१७६
आददानः परलोकात्	८।३४१	आर्यव्यथो च नियतो	८।४१६
आददीत न शूद्रोऽपि	६।६८	आयुविप्रापवादेन	४।२३७
आददीत यतो ज्ञानं	२।११७	आयुष्कामेन वप्तव्यं	६।४१
आददीताय वड्मगं द्रुमांस	७।१३१	आयुष्मन्तं मृतं मृते	३।२६३
आददीताय वड्मगं प्रणष्ट	८।३३	आयुष्मान्मव सौम्येति	२।१२५
आददीताममेवास्माद्	४।२२३	आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते	२।५२
आदाननिर्याच्छावातुः	११।१५	आयुः सुवर्णकाराम्नं	४।२१८
आदानवमप्रियकरं	७।२०४	आयोगवच्च क्षता च	१०।१६
आदित्याज्जायते वृष्टिः	३।७६	आरण्यानां च सर्वेषां	५।६
आदिष्टो नोदकं कुर्यात्	५।८८	आरण्याश्च पशून् सर्वांन्	१०।८६
आदेश्यं यश्च विज्ञति	८।५३	आरभेत ततः कार्यं	६।२६६
आद्याद्यस्य गुणं त्वेषां	१।२०	आरमेतैव कर्माणि	६।३००
आद्यं यत्प्रसरं ब्रह्म	११।२६५	आरम्भवतिताऽर्च्यम्	१२।३२
आद्याविशाक्षत्रबन्धोः	२।३८	आर्तस्तु कुर्यात्स्वयः	८।२१६
आधिश्चोपनिधिश्चोभौ	८।१४५	आर्द्रपावस्तु भुञ्जानः	४।७६
आधिः सीमा बालघनं	८।१४६	आर्द्रपावस्तु भुञ्जीत	४।७६
आध्यात्मिकं च सततं	६।८३	आर्द्रवासास्तु हेमन्ते	६।२३
आनन्तर्यास्त्वयोन्यां तु	१०।२८	आर्षिकः कुलमित्रं च	४।२५३
आनन्तर्यायैव कल्प्यन्ते	३।२७२	आर्यता पुरुषज्ञानं	७।२११
आनिपाताच्छरीरस्य	६।३१	आर्यरूपमिद्वानार्यं	१०।५७
आनुलोम्येन सम्भूताः	१०।५	आर्यं गोमिथुनं शुक्लं	३।५३
आनुण्यं कर्मणा गच्छेत्	६।२२६	आर्यं धर्मोपदेशं च	१२।१०६
आनुशंस्याद् ब्राह्मणस्य	११।०१	आर्षोढाजः सुनस्त्रोऽस्त्रीन्	३।३८
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां	७।४३	आलस्यादन्नदोषाच्च	५।४
आपत्कल्पेन यो धर्मम्	११।२८	आवन्त्यवाटधानी च	१०।२१
आपत्सु मरणाद्भीतैः	११।२६	आविकं सन्धानीक्षीरं	५।८
आपदर्थं धनं रक्षेत्	७।२१३	आवृत्तानां गुहकुलात्	७।८२
आपदगतोऽथवा वृद्धा	६।२८३	आशासते कुटुम्बिन्यः	३।८०
आपदघ्नं च वर्णानां	११।१६	आश्रमावाधर्मं गत्वा	६।३४
आपद्यप्यप्राप्तिश्च	६।१०३	आश्रमे वृक्षमूले वा	११।७८
आपद्यपि हि घोरायां	२।११३	आश्रमेषु द्विजालीनां	८।३६०
आपद्यपि हि यस्तेषां	६।३३६	आशोडशाद्ब्राह्मणस्य	२।३८
आपो नारा इति प्रोक्षणः	१।१०		

आसनावसथौ शय्याम्	३११०७	इत्येतस्मान्नखं शास्त्रम्	१२१२६
आसनासनशय्याभिः	४१२६	इवन्तु वृत्तिवैकल्यात्	१०८५
आसनेषूपकल्पतेषु	३१२०८	इदमम्बिच्छतां स्वर्गं	६८४
आसनं चैव ध्यानं च	७११६१	इवमूचुर्महात्मानं	५११
आसपिण्डक्रियाकर्म	३१२४७	इदं यशस्यम् युष्यं	१११०६
आसमाप्तेः शरीरस्य	२१२४४	इदं शरत्पञ्चमामासम्	६०८४
आसमावतंतात्कुर्यात्	२११०८	इदं शास्त्रमधीयानः	१११०४
आसमुद्रात् च पूर्वात्	२१२२	इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ	११५८
आसी महविषयाणाम्	६१३२	इदं सामासिकं ज्ञेयं	१२१३४
आसीत गुरुणा सार्धं	२१२०४	इदं स्वस्थयनं श्रेष्ठं	१११०६
आसीताभरणान्धान्ता	५११५८	इन्धनार्थमशुक्लाणाम्	१११६४
आसीदिवं समोभूतं	११५	इन्द्रमेके परे प्राणं	१२१२३
आसीनस्य स्थितः कुर्याद्	२११६६	इन्द्रस्यार्कस्य चाद्योश्च	६११०३
आसीनासु तयाऽऽसीनः	११११११	इन्द्रानिलयमार्काणाम्	७१४
आस्यतामिति चोक्तः सन्	२११६३	इन्द्रान्तकाप्यतीन्द्रुभ्यः	३१८७
आहरेत् श्रीणि वा डे वा	११११३	इन्द्रियाणि यशः स्वर्गम्	१११४०
आहरेद्यावदर्थानि	२१८२	इन्द्रियाणां ज्ञेये धीनं	७१४४
आहरेषु मियोऽज्योऽर्थं	७१८६	इन्द्रियाणां तु सर्वेषां	२१६६
आहिण्डिका निषादेन	१०१३७	इन्द्रियाणां निरोधेन	६१६०
आहुस्पादकं केचित्	६१३२	इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषम्	२१६३
आहूय दानं कन्याया	३१२७	इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्य	१२१५२
आहुताभ्युद्यतां मित्रां	४१२४८	इन्द्रियाणां विचरतां	२१८८
आ हव स नलाग्नेभ्यः	२११६७	इन्द्रियाणेषु सर्वेषु	४११६
		इमानप्यनुयुञ्जीत	८१२५६
इ		इमान्नित्यमनध्यायान्	४११०१
इङ्गिताकारेष्वष्टजं	७१६३	इमं कर्मविधिं विद्यात्	६१३२५
इच्छयाऽप्योभ्यसंयोगः	३१३२	इमं लोकं भानुमत्तया	२१२३३
इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति	१११२४२	इमं हि सर्ववर्णानाम्	६१६
इतरामपि सख्यादीन्	३१११३	इयं भूमिर्हि भूतानाम्	६१३७
इतरे कृतवन्तस्तु	६१२४२	इयं विशुद्धिरिति	१११८६
इतरेभ्यो बहिवदि	१११३	इष्टिं ब्रह्मचरिणीं निरुधम्	१११२७
इतरेष्वन्तु पण्यानाम्	१०१६३	इष्टीः पार्यायनान्तीयाः	४११०
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः	८१३७६	इष्ट्वा च दानितो यज्ञः	६१३६
इतरेषां तु वर्णानामितरे	३१३५	इह कीर्तिमवाप्नोति	२१६
इतरेषां तु वर्णानां सर्वा	६११८६	इह चानुत्तमां कीर्तिं	८१८१
इतरेषु तु क्षिप्येषु	३१४१	इह चामुत्र वा काम्यम्	१२१८६
इतरेषु त्वपाङ्गस्येषु	३११८२	इह बुधवर्तितः केचित्	१११४८
इतरेषु सप्तध्येषु	११७०	इहाश्रमां कीर्तिमाप्नोति	५११६६
इतरेष्वप्यमाद्वमः	११८२	इहैव लोके तिष्ठन्सः	१२११०२
इत्येतत्पत्नी वेषाः	१११२४४	इहैवास्ते तु सा लोके	३११४१
इत्येतदेनसा युक्तम्	१११२४७	इतो दण्डस्य वरुणः	६१२४५

ईशः सर्वस्य जगतः	६१२४५	उत्पादयति सावित्र्या	२११४८
ईश्वरं चैव रक्षार्थं	४११५३	उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा	६११७५
ईश्वरः सर्वभूतानां	११६६	उत्सादनं च गात्राणां	२१२०६
उ		उवकुम्भं सुमनसः	२११८२
उक्तो वः सर्ववर्णानां	५११४६	उवके मध्यरात्रे च	४११०६
उक्त्वा चैवान्तं साधये	१११८८	उवकं निनयेच्छेवं	३१२१८
उद्गानं मृतिकाम्नं च	४१२१२	उदङ्मुखान्प्राङ्मुखान्वा	८१८७
उच्चावचानि भूतानि	१२११५	उदासीनप्रचारं च	७११५५
उच्चावचेषु भूतेषु रुजोऽया	६१७३	उदितेऽनुदिते चैव	२११५
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं	१२११४	उदितोऽयं विस्तरशः	६१२५०
उच्चैःस्थानं घोररूपं	७११२१	उदित्युवा वा वाहण्या	८११०६
उच्छिन्नदन्तं ह्यात्मनो मूलं	७११३६	उद्गारेऽनुदधूते त्वेषां	६१११६
उच्छिष्टमन्नं दातव्यम्	१०११२५	उद्गारं ज्यायसे दत्त्वा	६११५६
उच्छिष्टान्ननिषेकश्च	४११५१	उद्भूते वक्षिणे पाणी	२१६३
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टः	५११४३	उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे	११४६
उच्छिष्टमन्नं भागधेयं स्यात्	३१२४५	उद्यतैराहवे क्षत्रैः	५१२८
उच्छिष्टः श्राद्धभुक्चैव	४११०६	उद्भवहर्तिमनश्चैव	१११४
उच्छीर्षणके धियं कुर्यात्	३१८६	उद्भूतमनस्यस्थानं	४११३२
उच्छेपणं तु यत्तिष्ठेत्	३१२६५	उद्भूतं द्विजो भार्या	३१४
उच्छेपणं भूमिगतं	३१२४६	उद्भोजनकरिदंष्ट्रैः	८१३५२
उत्तमाङ्गोद्भवाऽऽयेष्ठाश्च	११६३	उन्मत्तजडमूकाश्च	६१२०१
उत्तमानुत्तमान्गच्छन्	४१२४५	उन्मत्तोऽधश्च वज्याः स्युः	३११६१
उत्तमां सेवमानस्तु	८१३६६	उन्मत्तं पतितं वलीवधू	६१७६
उत्तमां सात्त्विकीमेतां	१२१५०	उपगृह्यास्पदं चैव	७११८४
उत्तमेष्टमं कुर्याद्	३११०७	उपचर्यः द्वित्रयः साध्व्याः	५११५४
उत्तमैस्तमैर्मित्यं	४१२४४	उपचारक्रियाकेलिः	८१३५७
उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य	२११६४	उपस्थानानि चाग्न्यानि	८१२४६
उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः	६१२४	उपजप्यानुपजपेद्	७११६७
उत्कर्षं चापकर्षं च	१०१४२	उपशान्तिश्च यः कश्चित्	८११६३
उत्कोषकाश्चीपाधिकाः	६१२५८	उपनीय गुरुः शिष्यं	२१६६
उत्कृष्टायामिरुपाय	६१८८	उपनीय तु तत्सर्वं	३१२२८
उत्थाय पश्चिमे यामे	७११४५	उपनीय तु यः शिष्यं	२११४०
उत्थायावयकं कृत्वा	४१६३	उपपन्नो गुरोस्तर्जः	६११४१
उत्पत्तिरेव विप्रस्य	११६८	उपपातकसंयुक्तः	११११०८
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः	२१६८	उपपातकिनस्त्येवं	११११०७
उत्पत्स्यते हि तत्प्रात्रं	४१२२८	उपकृष्यारिभासीत	७११६५
उत्पद्यते गृहे यस्य	६११७०	उपवासकृशं तन्नु	११११६५
उत्पद्यते व्यस्यते च	१२१६६	उपावीतमलङ्कारं	४१६६
उत्पादकब्रह्मदात्रोः	२११४६	उपवेश्य तु ताम्बिप्रान्	३१२०६
उत्पादनमपत्यस्य	६१२७	उपसर्जनं प्रधानस्य	६११२१

उपसेवेत तं नित्यं
 उपस्थमुदरं जिह्वा
 उपस्थितं गृहे विद्याद्
 उपस्पृशेत्स्नवन्त्या वा
 उपस्पृशेत्स्निषवर्णं पितृन्
 उपस्पृशेत्स्निषवर्णं मे
 उपस्पृशेत् स्निषवर्णं त्व
 उपस्पृश्य द्विजो नित्यं
 उपस्पृष्टोदकात्सम्यक्
 उपाकर्म्मणि चोत्सर्गे
 उपाध्यायाग्बशाचार्य
 उपानहौ च वासश्च
 उपास्ते ये गृहस्थाः
 उपाशुः स्यान्क्षतगुणः
 उपेक्षकोऽसंकुमुको
 उपेक्षारमुपेयं च
 उप्यते यदि तद्भीजं
 उभयोर्हस्तयोर्भुक्तं
 उभयोः सप्त दातव्याः
 उभयं तु समं यत्र
 उभाम्यामप्यजीर्बस्तु
 उभावपि तु तावेव
 उभावपि हि तौ धर्मौ
 उभे स एक शुल्केन
 उभे यानासने चैव
 उभौ तौ नार्हतौ भार्ग
 उभौ निगूह्य दाप्यः स्यात्
 उत्कानिघटिकेतूश्च
 उष्ट्रयानं समारुह्य
 उद्यते वर्धति शीते वा

७।१७५

८।१२५

३।१०३

११।१३२

६।२४

११।२१६

११।२२३

२।५३

३।२०८

४।११६

२।१४५

४।६६

३।१०४

२।८५

६।४३

७।२१५

६।४०

३।२२५

५।१३६

६।३४

१०।८२

८।३७७

२।१४

८।२०४

७।१६२

६।१४३

८।१८४

१।३८

११।२०१

११।११३

ऊ

ऊर्ध्वदिवाविकं प्रेतं
 ऊर्ध्वं तु कालादेतस्मात्
 ऊर्ध्वं नाभेर्नैष्यतरः
 ऊर्ध्वं नाभेर्पाणि स्नानि
 ऊर्ध्वं पितृश्च मातृश्च
 ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति
 ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु
 ऊर्ध्वं संवत्सराख्येना
 ऊष्मणश्चोपजायते

५।६८

६।६०

१।६२

५।१३२

६।१०४

२।१२०

६।२१६

६।७७

१।४५

ऋ

ऋक्संहितां त्रिरम्यस्य

११।२६२

ऋक्षेष्ठपात्रयणं चैव

६।१०

ऋग्वेदविद् यजुर्विक्र

१२।११२

ऋग्वेदो देवदेवस्यः

४।१२४

ऋग्वेदं धारयन्विप्रः

११।२६१

ऋचो यजूं वि चाग्यानि

११।२६४

ऋजवस्ते तु सर्वे स्युः

२।४७

ऋणानि प्रीण्यपाकृत्य

६।३५

ऋणो देये प्रतिज्ञाते

८।१३६

ऋणे घने च सर्वस्मिन्

६।२१८

ऋणं दातुमशक्तो यः

८।१५४

ऋतमुच्छ्रितं ज्ञेयं

४।५

ऋतामृताभ्यां जीवेत्

४।४

ऋतुकालाभिगामी स्यात्

३।४५

ऋतुः स्वामाविकः स्त्रीणां

३।४६

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यः

४।१७६

ऋत्विग्यदि वृत्तो यज्ञे

८।२०६

ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां

११।४२

ऋत्विजं यस्यजेद् धारयः

८।३८८

ऋचयो दीर्घसन्ध्यत्वात्

४।६४

ऋचयश्चक्रिरे धर्म

२।१५४

ऋचयः पितरो देवाः

३।८०

ऋचयः संयतात्मानः

११।२३६

ऋविभिर्वाहणैश्चैव

६।३०

ऋविष्यः पितरो जाताः

३।२०१

ऋविष्यं देवयज्ञं

४।२१

ए

एक एव चरेन्नित्यम्

६।४२

एक एव मुहूर्द्धर्मो

८।१७

एक एवोरसः पुत्रः

६।१६३

एककालं चरेद्भूमम्

६।५५

एकजातिद्विजातीस्तु

८।२७०

एकवेशं तु देवस्य

२।१४१

एकमायाशयेद्विप्रं

३।८३

एकमुत्पादयेत्पुत्रं

६।६०

एकमेव तु शूद्रस्य

१।६१

एकमेव बहस्पतिः

७।६

एकरात्रोपवासश्च

११।२१२

एकरात्रं तु निषसन्	३।१०२	एतदेव व्रतं कृत्स्नम्	१।१।३०
एकविंशतिमाजातीः	४।१६६	एतदेव व्रतं कुर्युः	१।१।१७
एकस्ताम्भमन्त्रविधीतः	३।१३१	एतद्विधिं कुर्यात्	८।२२१
एकाकिनश्चात्ययिके	७।१६५	एतद्विशेषप्रसूतस्य	२।२०
एकाकी चिन्तयानो हि	४।२५८	एतद्वि जन्मसाफल्यम्	१।२।६३
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं	४।२५८	एतद्वि मत्तोऽधिजये	१।५६
एकाक्षरं परं ब्रह्म	२।८३	एतद्विवास्तवावित्याः	१।१।२२१
एकावशेन्द्रियाण्याहुः	२।८६	एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा	४।६१
एकावशे स्त्रीजननी	६।८१	एतद्विदन्तो विद्वांसस्त्रयी	४।१२५
एकावशं मनो ज्ञेयं	२।६६	एतद्विद्यात्समासेन	४।१६०
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः	६।११७	एतद्विद्यामातिष्ठेद्वात्मिकः	८।२४४
एकान्तरे स्थानुलोभ्यात्	१०।१३	एतद्विद्यामातिष्ठेद्बरोगः	७।२२६
एकापायेन वर्तन्ते	१।७०	एतद्विद्यानं विज्ञेयम्	६।१४८
एकालिङ्गे गुदे तिष्ठः	५।१३६	एतद्विज्ञेयं शौचम्	५।१००
एकैकमपि विद्वांसं	३।१२६	एतद्विज्ञेयं सर्वं निःश्रेयस	१।२।१६
एकैकशस्त्रेत्कृच्छ्रं	१।१।३६	एतद्विज्ञेयं सर्वं विद्यानं	३।२८६
एकैकशो युगानां तु	१।६८	एतद्विज्ञेयं मृगुः शास्त्रं	१।५६
एकैकं कारयेत्कर्म	७।१३८	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एकैकं प्राप्तमग्नीयात्	१।१।२३	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एकैकं हासयेत् पिण्डम्	१।१।२६	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतं	४।२४०	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एकोऽपि वेदविद्वन्मम	१।२।१३	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतं	८।७७	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं	८।६१	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एकं गोमिथुनं द्वे वा	३।२६	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एकं वृषभमुद्धारम्	६।१२३	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एकः प्रजायते जन्तुः	४।२४०	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एकः ज्ञातं योषयति	७।७४	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एकः ज्ञातीत सर्वत्र	२।१८०	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतत्कष्टतमं विद्यात्	७।५०	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतच्छतुर्विधं प्राहुः	२।१२	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतच्छतुर्विधं विद्यात्	७।१००	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतच्छौचं गृहस्थानाम्	५।१३७	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतत् न परे ऋतुः	६।६६	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतत्त्रयं समाश्रित्य	७।२१५	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतत्त्रयं हि पुरुषं	४।१३६	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतद्विज्ञेयं मेतां च	२।७८	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतद्विज्ञेयं गतयः	१।५०	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतद्विज्ञेयं विजातीनां	५।२६	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतदेव जरेदग्धम्	१।१।२६	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६
एतदेव विधिं कुर्यात्	१।१।८८	एतद्विज्ञेयं सारफलमुखम्	६।५६

एतास्त्वभ्युदिताम्विद्यात्	४।१०४	एवं प्रयत्नं कुर्वीत	७।२२०
एताः प्रकृतयो मूलं	७।१५६	एवं यथोक्तं विप्राणां	५।२
एते गृहस्थप्रभवाः	६।८७	एवं यक्षप्यनिष्ठेषु	६।३१६
एते चतुर्णां वर्णानाम्	१०।१३०	एवं यः सर्वभूतानि	३।६३
एतेभ्यो हि द्विजाप्रेभ्यः	१०।३	एवं यः सर्वभूतेषु	१२।१२५
एते मनुस्तु सप्ताभ्यान्	१।३६	एवं विजयमानस्य	७।१०७
एते राष्ट्रं वर्त्तमानाः	६।२२६	एवं विद्यान् नृपो देशान्	६।२६६
एते शूद्रेषु भोग्यान्नाः	४।२५३	एवं वृत्तस्य नृपतेः	७।३३
एते षट् संहशान् वर्णान्	१०।२७	एवं वृत्तां सर्वानां स्त्रीम्	५।१६७
एतेषामेव जन्तूनां	१२।६६	एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यां	१।५७
एतेषामेव वर्णानां	१।६१	एवं सन्त्यस्य कर्माणि	६।६६
एतेषां निग्रहो राज्ञः	८।३८७	एवं स भगवान्देवः	१२।११७
एतेष्वविद्यमानेषु	२।२४८	एवं समुद्यतोद्गारे	६।११६
एते सर्वे पृथग्भेदाः	६।२३५	एवं सम्यग्धविहृत्वा	३।८७
एतैरुपाययोगैस्तु	६।१०	एवं सर्वमिदं राजा	७।२२६
एनैरुपायैरन्यैश्च	६।१२३	एवं सर्वं विधायेदम्	७।१४२
एनैर्द्विजातयः शोभ्याः	११।२२६	एवं सर्वं स सुष्ट्वेवं	१।५१
एनैर्लिङ्गैर्नयेत्सीमां	८।२५२	एवं सर्वानिमान् राजा	८।४२०
एनैर्विवादाभ्यस्त्यज्य	४।१८१	एवं सह धर्मेयुवां	६।१११
एनैर्नैरपोहेत् । अगम्यान्	११।१६६	एवं संतिन्य मनसा	११।२३१
एनैर्नैरपोहेत् । गुरुश्री	११।१०२	एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽसौ	६।१६
एनैर्नैरपोहेयुः	११।१०७	एष श्रेयस्त्रिवृद्धेदः	११।२६४
एतैर्नैरपोह्य स्थात्	११।१४५	एष दण्डविधिः प्रोक्तो	८।२७८
एतौ वर्षस्विनध्यायी	४।१०२	एष धर्मविधिः कृत्स्नः	१०।१३१
एतं सामासिकं धर्म	१०।६३	एष धर्मोऽखिलेनोक्तो	८।२१८
एषोदकं मूलफलं	४।२४७	एष धर्मो गवाधस्य	६।५५
एनसां स्थूलसूक्ष्माणाम्	११।२५२	एष धर्मो अनुशिष्टो वा	६।८६
एनस्विभिरनिर्णिहत्तैः	११।१८६	एष धर्मः परः साक्षाद्	२।२३७
एनो गच्छति कतरिं	८।१६	एष धर्मः समासेन	६।१०१
एभिर्जितैश्च जयति	४।१८१	एष शौचाविनामुक्तो	८।४०६
एषमाधारतो हृष्टवा	१।११०	एष प्रोक्तो द्विजातीनां	२।६८
एषमादीन् विजानीयात्	६।२६०	एष ब्रह्मविदेशो वै	२।१६
एषमेतैरिदं सर्वं	१।४१	एष वै प्रथमः कल्पः	३।१४७
एवं कर्मविशेषैस्तु	११।४२	एष बोधिमहितो धर्मो	६।६७
एवं गृहाद्यमे स्थित्वा	६।१	एष बोधिमहितः कृत्स्नः	११।२६६
एवं चरति यो विप्रः	२।२४६	एष शौचविधिः कृत्स्नः	५।१४६
एवं चरन् सदा युक्तः	६।३२४	एष शौचस्य चः प्रोक्तः	५।११०
एवं हृष्टतो नित्यम्	११।८१	एष सर्वं समुद्दिष्टः कर्मणां	१२।८२
एवं धर्मं विजानीमः	६।४६	एष सर्वः समुद्दिष्टस्त्रिप्रकारस्य	१२।५१
एवं धर्म्याणि कार्याणि	६।२५१	एष सर्वासि भूतानि	१२।१२४
एवं निर्बन्धं कृत्वा	३।२६०	एष स्त्रीपुंसयोश्चरतः	६।१०३

एष भर्मस्य यो योगिः	२।२५	कलाम् वा भक्षयेद्वदम्	१।१६२
एषा पापकृतामुक्ता	१।१७६	कण्टकोद्धरणे नित्यं	६।२५२
एषामन्यतमे स्थाने	८।११६	कण्डनी चोदकुम्भश्च	३।६८
एषामन्यतमो यस्य	३।१४६	कथं तत्र विभागः स्यात्	६।१२२
एषा बिचित्राभिहिता	१।१६८	कथं मृत्युः प्रभवति	५।२
एषां हि बाहुगुण्येन	७।७१	कथञ्चिदप्यतिक्रामन्	३।१६०
एषां हि विरहेण स्त्री	५।१४६	कन्यानां संप्रदानं च	७।१५२
एषु स्थानेषु भूयिष्ठं	८।८	कन्याप्रदानमभ्यर्च्य	३।३०
एषोऽस्तितेनाभिहितो दण्ड	८।३०१	कन्याप्रदानं विधिवद्	३।२६
एषोऽस्तितेनाभिहितो धर्मः	८।२६६	कन्याप्रदानं स्वाच्छन्धात्	३।३१
एषोऽस्तिलः कर्मविधिः	६।३२५	कन्याया इवरां चैव	१।१६१
एषोदिता गृहस्थस्य	४।२५६	कन्याया इत्युक्त्यायाम्	६।६७
एषोदिता लोकयात्रा	६।२५	कन्या भग्नस्त्रीमुत्कृष्टं	८।३६५
एषो नाद्यावनस्योक्तः	१।१६१	कन्यां कन्यां वा कुर्यात्	८।३६६
एषोऽत्रापि वरानाम्	६।३३६	कपालं दूधमूलानि	६।४४
एषोऽनुषङ्गतः प्रोक्तो	७।६८	करम्भवासुकातापान्	१।२।७६
एष्वर्थेषु पशून्निहसन्	५।४२	करीषमिष्टं प्राशञ्च	८।२५०
ऐ		कर्मध्वेऽनिले रात्रौ	४।१०२
ऐन्द्रं स्थानमग्निरेषुः	८।३४४	कर्त्ता धर्मं च बालांश्च	८।२३४
ऐन्द्रं स्थानमुपासीता	५।६३	कणी तत्र पिपातय्यौ	२।२००
ओ		कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः	१।६६
ओषवाताहृतं बीजम्	६।५४	कर्मजा गतयो नृणां	१।२।३
ओषधयः पशवो वृक्षाः	५।४०	कर्मजां च विवेकार्यं	१।२६
ओषधयः फलपाकान्ताः	१।४६	कर्मणाऽपि सप्तं कुर्यात्	८।१७७
ओंकारपूर्विकास्तिलः	२।८१	कर्मणां फलनिर्वृति	१।२।१
ओ		कर्मदण्डस्तु लोभान्स्त्रीन्	१।२।३
ओदकेनैव विधिना	३।२१५	कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता	६।३०२
ओरञ्जिको माहिषिकः	३।१६६	कर्माण्याभमाणं हि	६।३००
ओरभ्रेणाय चतुरः	३।२६८	कर्मान्मनां च देवानां	१।२२
ओरसलोत्रजो पुञ्जो	६।१६५	कर्मारस्य निदादस्य	४।२१५
ओरसो विमजन्दार्यं	६।१६४	कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां	२।६१
ओरसः क्षेत्रजश्चैव	६।१५६	कर्मापकरणाः शूद्राः	१०।१२०
ओषधान्यगवो विद्या	१।१२३७	कलविहङ्गं प्लवङ्गं हंसं	५।१२
ओ		कलिः प्रमुक्तो भवति	६।३०२
अंशमंशं यदीयांसः	६।११७	कल्पयित्वास्य वृत्तिञ्च	१।१२३
क		कन्यानि चैव पितरः	१।६५
कट्यां कृताङ्गो निर्वास्य	८।२८१	कर्त्तव्यमपि वृत्तान्ते	३।१४
		काचं बाल्यवया सञ्जम्	८।२७४
		कामीनश्च सहोदयश्च	६।१६०
		कामकारकृतेऽप्याहुः	१।४५
		कामक्रोधौ तु संयम्य ततः	१।२।११

कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान्	८।१७५	कालमासाद्य कार्यं च राजा	६।२६३
कामजेषु प्रसक्तौ हि	७।४६	कालमेव प्रतीक्षेत	६।४५
कामतस्तु कृतं मोहात्	१।१४६	कालशोकं महाशालकाः	३।२७२
कामतस्तु प्रवृत्तानां	३।१२	कालेऽदाता पिता धार्यः	६।४
कामतो ब्राह्मणवधे	१।१।८६	काले प्राप्तस्त्वकाले वा	३।१०५
कामतो रेतसः सेकम्	१।१।२०	कालं कालविभक्तौश्च	१।२४
काममभ्यर्थितोऽग्नीयाद्	२।१८६	किञ्चिच्छ्रेयस्करतरं	१।२।८४
काममाभरणान् तिष्ठेत्	६।८६	किञ्चिदेव तु धार्यः स्यात्	८।३६३
काममुत्पाद्य कृष्यान्तु	१०।६०	किञ्चिदेव तु विप्राय	१।१।४१
कामात्मता न प्रशस्ता	२।२	कितवान्कुशीलवान्कूरान्	६।२२५
कामात्मा विषमः क्षुद्रः	७।२७	किन्नरान्बामरान्भस्वान्	१।३६
कामाद्दृशगुणं पूर्वं	८।१२१	कीटाश्चाह्वितंगाश्च	१।१।२४०
कामाद्धि स्कन्दयन् रेतो	२।१८०	क्रीमाग्रो गोवृषो यानम्	६।१५०
कामान्माता पिता खनं	२।१४७	कुटुम्बात्तस्य तद् द्रव्यं	१।१।१२
कामिनीषु विवाहेषु	८।११३	कुटुम्बायैऽप्यधीनोऽपि	८।१६७
कामं क्रोधं च लोभं च	२।१७८	कुतपं चासने दद्यात्	३।२३४
कामं तु क्षपयेद्देहम्	५।१५७	कुवेरश्च धर्मश्चर्यं	७।४२
कामं तु खलु धर्माय	१०।११७	कुसभेन च सत्याश्च	२।१६
कामं तु गुह्यत्मीनां	२।२१६	कुसभेनाश्च सत्याश्च	७।१६३
कामं वा समनुज्ञातः	३।२२२	कुरुते धर्मसिध्यर्थं	७।१०
कामं श्राद्धेऽर्घ्येन्मित्रं	४।१४४	कुर्यादध्ययने यतनं	२।१६१
काम्यो हि वेदाधिगमः	२।२	कुर्यादभ्यत्र वा कुर्यात्	२।८७
कायक्लेशाश्च तन्मूलान्	४।६२	कुर्यादहरहः श्राद्धं	३।८२
कायत्रैदशिकाभ्यां वा	२।५८	कुर्यात् धृतपशुं सङ्गे	५।३७
कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे	२।५६	कुर्युर्धं यथापण्यं	८।३६८
काराखरो निषादास्तु	१०।३६	कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं	६।५१
कारकाच्छिल्पिनश्चैव	७।१३८	कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षं	८।४०२
कारकान्नं प्रजां हन्ति	४।२१६	कुर्वीत शासनं राजा	६।२६२
कारुण्यश्च विजन्मा च	१०।२३	कुलजे वृत्तसम्पन्ने	८।१७६
कार्पासकीटजोऽर्णाम्	१।१।६८	कुलसंख्यां च गच्छन्ति	३।६६
कार्पासितान्ताद्यं क्रौञ्चः	१।२।६४	कुलान्यकुलतां यान्ति	३।६३
कार्पासिमुपवीतं स्यात्	२।४४	कुलान्याशु विनश्यन्ति	३।६५
कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत	७।१६१	कुलान्यैव नयन्त्याशु	३।१५
कार्यं सोऽप्येव शक्ति च	७।१०	कुले महति सम्भूतो	७।७७
कार्यः शरीरसंस्कारः	२।२६	कुले मुखेऽपि जातस्य	१०।६०
कार्पाणस्तु विज्ञेयः	८।१३६	कुलं दहति राजाग्निः	७।६
कार्पाणं भवेद्दण्डघो	८।३३६	कुविधाहः क्रियः शौर्यः	३।६३
काष्ण्णरीरववास्तानि	२।४१	कुशीलवोऽवकीर्णौ च	३।१५५
काष्ण्णयिसमलङ्कारः	१०।५२	कुसीदपयमाहुस्तं	८।१५२
कालपक्वैः स्वयं शीर्णैः	६।२१	कुसीदवृद्धिर्गुण्यं	८।१५१
कालमासाद्य कार्यं च दण्डं	८।३२४	कुसुलधाम्यको वा स्यात्	४।७

कुङ्कुमं चैवानुभयं च	३।८६	केशान्तः षोडशे वर्षे	२।६५
कुटशासनकतु इव	६।२३२	केशेषु गृह्णतो हस्तौ	८।२८३
कूपवापीजलानां च	११।१६३	कैवर्तमिति यं प्राहुः	१०।३४
कुष्माण्डंवापि जुहुयात्	८।१०६	कोष्ठागारायुषागार	६।२८०
कुच्छातिकुच्छी कुर्वीत	११।२०८	कोटसाधयं तु कुर्वाणम्	८।१२३
कुच्छं चाग्नायणं चैव	११।१७७	कोरसं जपवाप्य इत्येतत्	११।२४६
कृतज्ञं धृतिमन्तं च	७।२१०	कौशेयाधिकयोर्हपः	५।१२०
कृतदारोऽपरात् वारान्	१०।५	कौशेयं तिलिरिहं स्वा	१२।६४
कृतनिर्णोजनांश्चैव	११।१८६	क्रमतः पूर्वमन्यस्य	४।१२५
कृतबुद्धिषु कर्तारः	१।६७	क्रमशो याति लोकेऽस्मिन्	१२।५३
कृतवापनो निवसेत्	११।७८	क्रमशः क्षेत्रजादीनां	६।२२०
कृतवापो वसेद्गोष्ठे	११।१०८	क्रमधिक्रयमध्वानं	७।१२७
कृताक्षुसारश्चदधिका	६।१५२	क्रयविक्रयानुसयः	८।५
कृतान्नं चाकृतान्नेन	१०।६४	क्रयेण स विषुद्धं हि	८।२०१
कृताञ्जलिस्पासीत	४।१५४	कव्याहसूकरोऽष्टाणाम्	११।१५६
कृते त्रेतादिषु ह्येषा	१।८३	कव्यादाग्नाकुनाम्सर्वान्	५।११
कृतोपनयनस्यास्य	२।१७३	कव्यावांस्तु मृगान् हत्वा	११।१३७
कृतं तदर्थतो विद्यात्	६।२३३	कव्याद्भिस्त्व हतस्याग्नयैः	५।१३१
कृतं त्रेतायुगं चैव	६।३०१	क्रियाऽभ्युपगमाप्येतत्	६।५३
कृत्वा पापं हि सन्तप्य	११।२३०	क्रीडन्निर्वतत् कुरुते	१।८०
कृत्वा भूतं पुरीषं वा	५।१३८	क्रीणीयाद् यस्त्वपरयाधम्	६।१७४
कृत्वा विक्रीय वा किञ्चित्	८।१२२	क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चित्	८।२२२
कृत्वा विधानं भूले तु	६।१८४	क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य	५।३२
कृत्वातद् बलिकर्मव	३।६४	कृद्ध्यन्तं न प्रतिकृद्ध्यत्	६।४८
कृत्स्नमेव लभेतांशं	८।२०७	कृ रकर्मकृतां चैव	१२।५८
कृत्स्नं चाष्टविधं कर्म	७।१५४	क्रीडजेऽपि गणे विद्यात्	७।५१
कृमिकोटपतंगानाम्	११।७०	कृत्पुतकेशनखमभ्रुवन्तिः	४।३५
कृमिकोटपतङ्गाश्च	१।४०	कृत्पुतकेशनखमभ्रुः पात्री	६।५२
कृमिकोटवयो हस्या	१२।५६	कृत्पुतानां पशुसोमानां	११।२७
कृमिभूतः श्वविष्ठायां	१०।६१	कृत्पुतानां विविधास्तांस्तान्	१२।८०
कृषिगौरक्षमास्थाय	१०।८२	कृत्पुतानां स्तथोप्रायाम्	१०।१६
कृषिजीवी हलीपदी च	३।१६५	कृत्पुतानां तद्वत्	१०।१३
कृषिं साध्विति मन्यन्ते	१०।८४	कृत्पुतानां तद्वत्	६।२२६
कृष्णवसे दशम्यादौ	३।२७६	कृत्पुतानां तद्वत्	१०।६
कृषिजानामोषधीनाम्	११।१४४	कृत्पुतानां तद्वत्	६।३२०
कृष्णसारस्तु चरति	२।२३	कृत्पुतानां तद्वत्	२।४२
केतितस्तु यथान्यायं	३।१६०	कृत्पुतानां तद्वत्	७।१४४
केशकीटावपन्नं च पदा	४।२०७	कृत्पुतानां तद्वत्	११।२१
केशकीटावपन्नं च पिबेद्	११।१५६	कृत्पुतानां तद्वत्	११।३४
केशप्रहानप्रहाराश्च	४।८३	कृत्पुतानां तद्वत्	८।४११
केशान्तिको ब्राह्मणस्य	२।४६	कृत्पुतानां तद्वत्	४।१३५

क्षत्रियाण्ड्रकन्यायाम्	१०१६	गन्धमाल्यैः सुरभिभिः	३१२०६
क्षत्रियाज्जातमेवं तु	१०१६५	गन्धर्वा गुह्यका यक्षाः	१२१४७
क्षत्रियाद् विप्रकन्यायाम्	१०१११	गान्धर्वा राक्षसश्चैव घन्यौ	३१२६
क्षत्रियाधामगुप्तायाम्	८१३८४	गन्धानां च रसानां च	६१३२६
क्षत्रद्वयकसामान्यम्	१०१४६	गन्धोषधिरसानां च	७११३१
क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं	८१३१२	गर्भमाजाधिकानां तु	८१२६८
क्षयी चाप्यायितः सोमः	६१३१४	गर्भभस्तुद्गुहां चैव	५१६०
क्षय्यामयाव्यपस्मारि	३१७	गर्भदिकादशे राज्ञः	२१३६
क्षरन्ति सर्वा वैदिव्यः	२१८४	गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत	२१३६
क्षान्त्या शुद्धघ्नितं विद्वान्तः	५११०७	गर्भिणी तु द्विमासादिः	८१४०७
क्षीणस्य चैव क्लमशो	७११६६	गर्भिणीत्वयवा स्यातां	१११७
क्षीरं क्षीरं दधिघृतं	१०१८८	गहितानाद्ययोजैर्गन्धः	१११५६
क्षुद्रकाणां पशूनां तु	८१२६७	गवा चान्नमुपाघ्रातं	४१२०६
क्षुधार्तद्विवातुमभ्यागात्	१०११०८	गवां च परिव्रासेन	५११२४
क्षुवतीं जृम्भमाणां च	४१४३	गवां च यानं पृष्ठेन	४१७२
क्षेत्रकृततडागानाम्	८१२६२	गात्राणि चैव सर्वाणि	४११४३
क्षेत्रजादीन् सुतानेतान्	६११८०	गान्धर्वा राक्षसश्चैव	३१२१
क्षेत्रबीजसमायोगात्	६१३३	गान्धर्वः स तु विशेयो	३१३२
क्षेत्रमृता स्मृता नारी	६१३३	गार्भहोर्मर्जातकम्	२१२७
क्षेत्रिकस्य तु तद्वीजं	६११४५	गां विप्रमजमनि वा	३१२६०
क्षेत्रिकस्यैव तद्वीजं	६१५४	गिरिपृष्ठं समाकृष्टा	७११४७
क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो	८१२४३	गुच्छगुल्मं तु विविधं	११४८
क्षेत्रेऽवस्थेयं तु पशुः	८१२४१	गुणाश्च स्रपशाकाद्यान्	३१२२६
क्षेत्रं हिरण्यं गान्धर्वं	२१२४६	गुप्तं सर्वतु कं शुभ्रं	७१७६
क्षेम्यां सत्यप्रदो नित्यं	७१२१२	गुवणाऽनुमतः स्नात्वा	३१४
क्षीमवच्छङ्कन्तुः क्षाणाम्	५११२१	गुप्ततल्पव्रतं कुर्यात्	१११७०
ख		गुप्ततल्पे भगः कार्यः	६१२३७
खड्गो वा यदि वा काणः	३१२४२	गुप्ततल्पमिमाभ्यनः	१११०३
खट्वाङ्गी चीरवासा वा	१११०५	गुरुदारेषु कुर्वीत	२१२१७
खरश्चोष्ट्रमुगेनामान्	१११६८	गुरुदारे सपिण्डे वा	२१२४७
खलान् क्षेत्रादगाराद् वा	११११७	गुरुपत्नी तु शुभतिः	२१२१२
खानि चैव स्पृशेदङ्गिः	२१६०	गुरुपत्या तः कार्याणि	२१२११
खं सन्निवेशयेत्क्षेपु	१२१२०	गुरुपुत्रेषु त्रार्येषु	२१२०७
ख्यापनेनामुतापेन	१११२२७	गुरुमातृपितृत्याग	१११५६
ख		गुरुराहवनीयस्तु	२१२३१
ग		गुहवच्च स्नुषावच्च	६१६२
गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः	४१२१६	गुहवत्प्रतिपूज्याः स्नुः	२१२१०
गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा	४१२०६	गुरुशुश्रूषया रक्षेवं	२१२३३
गतप्रत्यागते चैव	७११८६	गुरुषु त्वभ्यतीतेषु	४१२५२
गत्वा कक्षान्तरं त्वग्यत्	७१२२४	गुहस्त्रीगमनीयं तु	१११०२
		गुहं वा बालबुद्धौ वा	८१३५०

गुरुभृत्याश्चोऽग्निहीषन्	४१२५१	गोऽश्वोऽयामप्रासाद	२१२०४
गुरोः कुले न भिक्षेत	२११८४	गोषु ब्राह्मणसंस्थासु	८१३२५
गुरोः प्रसस्य शिष्यस्तु	५१६५	गोस्वाम्यनुमते भृत्यः	८१२३१
गुरोर्गुरो सन्निहिते	२१२०५	गौडी वंष्टी च माण्डी च	१११६४
गुरोर्व्रज परीबादः	२१२००	ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्	८११६६
गुरोश्चालीकनिर्बन्धः	१११५५	ग्रामघाते हिताशङ्के	६१२७४
गुरोस्तु चक्षुर्विषये	२११६८	ग्रामजातिसमूहेषु	८१२२१
गुरो वसन्सञ्चिनुयाद्	२११६४	ग्रामशेषान्तमुत्पन्नान्	७१११६
गुरो शिष्यश्च याज्यश्च	८१३१७	ग्रामस्थाधिपति कुर्वाण	७१११५
गुर्वयं पितृमात्रव्यं	११११	ग्रामादरण्यं निःसृत्य	६१४
गुल्मवल्लीलतानां च	११११४२	ग्रामावाहृत्य वाजनीयात्	६१२८
गुल्माश्च स्थापयेदाप्तान्	७११६०	ग्रामीयकुलानां च	८१२५४
गुल्मान्धैर्जुश्च विविधान्	८१२४७	ग्रामेष्वपि च ये केचित्	६१२७१
गूढोत्पन्नीऽपविद्धश्च	६११५६	ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः	७१११६
गूढेक्ष्मं इवाङ्गानि	७११०५	ग्रासाच्छादनमत्यन्तं	६१२०२
गूढं तडागमारामं	८१२६४	ग्रीष्मे पंचतपास्तु स्यात्	६१२३
गूढोऽश्रयाणि वेदमानि	४१२३०		
गूढमेघेषु चान्येषु	६१२७		
गूढसंवेशको दूतो	३११६३		
गूढस्य उच्यते श्रेष्ठः	६१८६		
गूढस्थस्तु यथा पश्येत्	६१२		
गूढस्थेनैव धार्यन्ते	३१७८		
गूढं शकुलं हि लोभेन	३१५१		
गूहिणः पुत्रिणो मौलाः	८१६२		
गूहीत्वा मुसलं राज्ञा	११११००		
गूढे गूढावरण्ये वा	५१४३		
गोत्रारिक्यानुगः पिण्डो	६११४२		
गोत्रारिक्ये जगद्वितुः	६११४२		
गोपः क्षीरमृतो यस्तु	८१२३१		
गोबीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं	८१११३		
गोबीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं	८१२८		
गोब्राह्मणस्य चैवार्थे	५१६५		
गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे	११११६६		
गोभिरश्वैश्च यानैश्च	३१६४		
गोमिनामेव ते वत्साः	६१५०		
गोमूत्रमग्निवर्षं वा	१११६१		
गोमूत्रेणाश्वरेत्स्नानं	११११०६		
गोमूत्रं गोमयं क्षीरम्	१११२१२		
गोयानेऽप्यु दिवा चैव	११११७४		
गौरभकाय् बाणिजिकान्	८११०२		
गोवधोऽप्यारवसंयाज्य	१११५६		
		घ	
		घातयेद्विधैर्वण्डैः	६१२७५
		घनकुम्भं जराहं तु	११११३४
		घोरेऽस्मिन्मृतसंसारे	११५०
		घ्राणेन सुकरो हन्ति	३१२४१
		च	
		चक्रवृद्धि समाकटो	८११५६
		चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः	८११५३
		चक्रिणो दशमौस्वस्थ	२११३८
		चक्षुर्नासा च कणौ च	८११२५
		चण्डालपुक्कसानां च	१२१५५
		चण्डालश्चपचानान्तु	१०१५१
		चण्डालहस्तादादाय	१०११०८
		चण्डालात् पाण्डुसोपाकः	१०१३७
		चण्डालात्पत्त्रिण्यो गत्वा	११११७५
		चण्डालेन तु सोपाकः	१०१३८
		चतुरो ब्राह्मणस्याद्याम्	३१२४
		चतुरो व्रतिनोऽभ्येति	११११२१
		चतुरोऽस्तमिते सूर्ये	१११२१६
		चतुरोऽसाय हरेद् विप्रः	६११५३
		चतुरः प्रातरग्नीयात्	१११२१६
		चतुर्णामपि चैतेषां द्विषा	४१८
		चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तं	६१२३६

चतुर्णामपि वर्णानां दारा	८३५६	आरणाश्च सुपर्याश्च	१२१४४
चतुर्णामपि वर्णानां नारी	१११३८	आरेणोस्ताहयोगेन	६१२६८
चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य	३१२०	आरेश्चानेकस्त्यनैः	६१२६१
चतुर्णामपि वर्णानामाचा	१११०७	चिकित्सकस्य मृगयोः	४१२१२
चतुर्णामपि वर्णानां यथा	५१५७	चिकित्सकानां सर्वेषाम्	६१२८४
चतुर्णामाश्रमाणां च	७११७	चि कित्सकान्देवलकान्	३११५२
चतुर्थं एकजातिस्तु	१०१४	चिन्तयेदमंकामार्थान्	७११५१
चतुर्थकालमग्नीयात्	१०११०६	चिरस्थितमपि स्वाद्यं	५१२५
चतुर्थकालिको वा स्यात्	६११६	चीरवासा द्विजाऽरण्ये	११११०१
चतुर्थं मादवानोऽपि	१०१११८	चीरीवाकस्तु लवणं	१२१६३
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा	६१३३	ब्रूडकर्मद्विजातीनां	२१३५
चतुर्थमायुषो भागमुविश्या	४११	चेलचर्मभिषाणां च	११११६६
चतुर्थं मांसि कर्तव्यं	२१३४	चेष्टाश्चैव विजानीयात्	७११६४
चतुर्थः सम्प्रदातैषां	६११८६	चैत्यद्रुममशानेषु	१०१५०
चतुर्भिरपि चैवैतैः	६१६१	चेलचर्मभेषां शुद्धिः	५१११६
चतुर्भिरितरैः सार्धं	३१४६	चैलाशकश्च भवति	१२१७२
चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षाः	६१२६४	ओदितो गुरुणा नित्यं	३११६१
चतुष्पात्सकलो धर्मः	११८१	ओरैरप्युत्तरे ग्रामे	४१११८
चतुःसुवर्णान्वज्जिष्कान्	८१२२०	ओरिकातुतमायाभिः	११८२
चतुःसीवर्णिको निष्को	८११३७	ओरैर्हृतं जलेनोदम्	८११८६
चत्वारस्तूपक्षीयन्ते	८११६६		छ
चत्वारि तस्य वर्धन्ते	२११२१	छात्राकं विड्वराहं च	५११६
चत्वार्याहुः सहस्राणि	११६६	छदमनाऽऽचरितं यच्च	४११६६
चन्द्रवित्तेशयोश्च	७१४	छायायामन्यकारे वा	४१५१
चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च	६१३०३	छाया स्वो दासवर्गश्च	४११८५
चमसानां ग्रहाणां च	५१११६	छिद्रं च वारयेत्सर्वं	८१२३६
चराणामन्यमचरा	५१२६	छिन्ननास्ये भग्नगुणे	८१२६१
चरितस्यमतो नित्यं	१११५३	क्षुब्धुर्दरिः शुभान् गन्धान्	१२१६५
चक्रणां कृक्कुवाणां च	५१११७	क्षैतव्यं तप्तदेवास्य	८१२७६
चरेत्सातपनं कृच्छ्रं तन्नि	११११६४	क्षेदवर्जं प्रणयनं	८१२७७
चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं प्राजा	११११२४	क्षेदमेवैव यन्त्रालाम्	८१२६२
चरेयुः पृथिवीं दीनाः	६१२३८		ज
चर्मचामिकमाण्डेषु	८१२८६	जगत्तद्वत् समुत्पत्ति	१११११
चमविनद्धं दुर्गन्धि	६१७६	जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च	११११५२
चाक्षुषश्च महातेजा	११६२	जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं	५१३३
चाण्डालश्च बराहश्च	३१२३६	जघन्यं सेवमानां तु	८१३६५
चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाः	१२१६७	जटाश्च विभृयान्नित्यं	६१६
चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयम्	१२११	जटिलं चानघोषानं	३११५१
चान्द्रायणविधानैर्वा	६१२०	जडमूकान्धबधिरान्	७१११६
चान्द्रायणं चरेन्मांसं	१११४१	जडमूकान्धबधिराः	१११५२
चान्द्रायणं वा त्रीन् मासान्	११११०६		

जननेऽप्येवमेव स्यात्	५।६१	जीर्णानि चैव वासांसि	६।१५
जनन्यां संस्थिताद्यान्तु	६।१६२	जीर्णोद्यान्तम्यरण्यानि	६।२६५
जनायित्वा सुतं तस्यां	३।१७	जीवन्तीनां तु तासां ये	८।२६
जन्मज्येष्ठेन चाङ्गानम्	६।१२६	जीवन्तीनां तु तासां ये	१२।१३
जन्मज्येष्ठेन कानां तु	५।७१	जीवित्वात्ययमापन्नः	१०।१०४
जन्मप्रवृत्तिं यत्किञ्चित्	८।६०	जीवित्वात्ययमापन्नः	१०।६१
जन्मवृद्धिसयैर्नित्यं	१२।१२४	जीवित्वात्ययमापन्नः	१०।६५
जपतां जुहुतां चैव	४।१४६	जीवित्वात्ययमापन्नः	११।६७
जपन् वाङ्मयतमं वेदम्	११।७५	जीवित्वात्ययमापन्नः	४।८
जपस्तरत्समन्दीयं	११।२५३	जीवित्वात्ययमापन्नः	३।३३७
जपहोमैरप्येनः	१०।१११	जीवित्वात्ययमापन्नः	६।१०५
जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः	११।१६४	जीवित्वात्ययमापन्नः	६।१०६
जपित्वा पौरुषं सूक्तं	११।२५१	जीवित्वात्ययमापन्नः	६।१०६
जपेच्च जुहुयाच्चैव	४।१४५	जीवित्वात्ययमापन्नः	११।१८५
जपेद्वा नियताहारः	११।७७	जीवित्वात्ययमापन्नः	६।११३
जपोऽहुतो हुतो होमः	३।७४	जीवित्वात्ययमापन्नः	६।१२४
जप्येनेव तु संसिध्येत्	२।८७	जीवित्वात्ययमापन्नः	६।११२
जरया चाभिभवनं	६।६२	जीवित्वात्ययमापन्नः	११।१८५
जराशोकसमाधिष्टम्	६।७७	जीवित्वात्ययमापन्नः	६।१०६
जरां चैवाप्रतीकाराम्	१२।८०	जीवित्वात्ययमापन्नः	८।२४५
जाङ्गलं सस्यसम्पन्नम्	७।६६	जीवित्वात्ययमापन्नः	६।५८
जातदन्तस्य वा कुर्युः	५।७०	जीवित्वात्ययमापन्नः	१।७७
जातब्राह्मणशब्दस्य	१०।१२२	जीवित्वात्ययमापन्नः	१।७८
जातिजानपदान्धर्मान्	८।४१	जातिस्वेनानुपेयास्ताः	११।१७२
जातिध्वंशकरं कर्म	११।१२४	जातिभ्यो ब्रह्मिणं वत्वा	३।३१
जातिमात्रोपजीवी वा	८।२०	जातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा	३।२६४
जातो नार्यामनार्यायाम्	१०।६७	जातिसत्त्वब्रह्मिणस्त्वेषेते	६।२३६
जातो निषादाच्छूद्रायाम्	१०।१८	ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्	२।१३४
जातोऽप्यनार्यादाय्यां	१०।६७	ज्ञाननिष्ठेषु क्रम्यानि	१।१३५
जानन्नपि हि मेधावी	२।११०	ज्ञानमूलां क्रियामेषां	४।२४
जानीयादस्थिरां वाचं	८।७१	ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्नं	११।१४५
जामयोऽप्सरसां लोके	४।१८३	ज्ञानेनैवापरे विप्राः	४।२४
जामयो यानि मेहानि	३।५८	ज्ञानोत्कृष्टाय देवानि	३।१३२
जायन्ते दुर्विवाहेषु	३।४१	ज्ञानं तपोऽग्निराहारो	५।१०५
जायायास्तद्धि जायात्वं	६।८		
जालान्तरगते ज्ञानी	८।१३२		
जिघांसया ब्राह्मणस्य	११।२०६	भस्ता मत्ता नटाश्चैव	१२।४५
जितेन्द्रियो हि शक्नोति	७।४४	भस्तो मत्ताश्च राजन्यात्	१०।२२
जित्वा सम्पूजयेद् देवान्	७।२०१		
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेवं	८।२७०		
जीनकामुं कवस्ताधीन्	११।१३८		

त		तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित्	७।२२५
त एव हि त्रयोः लोकाः	२।२३०	तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तम्	१२।२७
त एव हि त्रयो वेदाः	२।२३०	तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य	३।१७०
तच्चाभिषेण कर्तव्यं	३।१२३	तत्र यद्विषयजातं स्यात्	६।१६०
तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं	१२।३५	तत्र ये भोजनीयाः स्युः	१।१२४
तडागमेवक हन्यात्	६।२७६	तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः	८।३३६
तडागान्पुण्यानानि	८।२४८	तत्र वक्तव्यमनृतं	८।१०४
ताडागारामदाराणां	११।६१	तत्र विद्या न वक्तव्या	२।११२
ततो गृहवर्ति कुर्याद्	३।२६५	तत्र सत्यं ब्रूवन्साक्षी	८।७४
ततो कुर्वन् च राष्ट्रं च	७।२६	तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः	७।१४६
ततोऽपरे ज्येष्ठवृषाः	६।१२३	तत्र स्वामी भवेद्दण्ड्यः	८।२६३
ततो भुक्तवर्ता तेषां	३।२५३	तत्रात्मभूतैः कास्त्रिणैः	७।२१७
ततोऽर्धदण्डो भृत्यानां	८।२४३	तत्रापारिवृतं धाम्यं	८।२३८
ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्	६।११२	तत्रासीनः स्थितो वाऽपि	८।२
ततस्तथा स तेनोक्तः	१।६०	तत्रास्य माता सावित्री	२।१७०
ततःप्रभृति यो भोहात्	६।६८	तथा गुरुगतां विद्यां	२।२१८
ततः सपत्न्याञ्जयति	४।१७४	तथा गृहस्थमाश्रित्य	३।७७
ततः स्वमातुतः शेषाः	६।१२४	तथा ग्रामवासानां च	७।११४
ततः स्वयम्भूर्भगवान्	१।६	तथाऽयमर्षणं सूक्तं	११।२६०
तत्तत्कार्यं निवर्तते	८।११७	तथा च श्रुतयो बह्व्यः	६।१६
तत्तत्तेनैव भावेन	४।२३४	तथा चारैः प्रवेष्टव्यं	६।३०६
तत्तत्स्वितृणां भवति	३।२७५	तथा ज्ञानाग्निना पापं	१२।२४६
तत्तथा दोऽभिषास्यामि	१।४२	तथा तथा कुशलता	१२।७३
तत्तथा स्थापयेद्राजा	८।२६१	तथा तथा स्ववेवाहिः	११।२२८
तत्तदेव हरेत्तस्य	८।३३४	तथा तथा दमः कार्यः	८।२८५
तत्तद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि	७।३६	तथा तथा विजानाति	४।२०
तत्तन्निवेदयेत्तैम्यो	२।२३६	तथा तथा शरीरं तत्	११।२२६
तत्ते सर्वं शुनो गच्छेत्	८।६०	तथा तथेयं चामुं च	१०।१२८
तत्पयुषितमप्याद्यं	५।२४	तथा त्यजन्मित्रं देहं	६।७८
तत्पापं शतधा भूत्वा	१२।११५	तथा दहति वेदज्ञः	१२।१०१
तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत्	३।२०३	तथा च्छरितं सर्वं	११।२०३
तत्प्रयत्नेन कुर्वति	४।१६१	तथा नश्यति वै क्षिप्रं	६।४३
तत्प्रज्ञेन विनीतेन	६।४१	तथा निर्यं पतेयाताम्	६।१०२
तत्समुत्थो हि लोकरथ	८।३५३	तथा निमज्जतोऽधस्तात्	४।१६४
तत्सर्वं निर्बहस्याशु	११।२४१	तथाऽमुचे हविर्ब्रह्मा	३।१४२
तत्सर्वमाचरेद्युक्तो	३।२२३	तथा पापान्निगृह्णीयाद्	६।३०८
तत्सहायैरनुगतैः	६।२६७	तथा प्रकृतयो यस्मिन्	६।३०६
तत्स्यादायुजसम्पर्क	७।७५	तथा प्रयत्नमातिष्ठेत्	७।६८
तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्	६।२३४	तथा बाह्यतरं बाह्यः	१०।३०
तत्र कालेन जायन्ते	६।२४६	तथाऽभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं	६।३०४

तथा मित्रं ध्रुवं	७।२०८	तदित्युक्तोऽस्याः सावित्र्या	२।७७
तथा यशोऽस्य प्रथते	११।१५	तदेकसप्ततिगुण	१।७६
तथा युद्धेन सम्पन्नः	७।२००	तदेषु सर्वमप्येतत्	८।१३०
तथा रक्षेन्मूपो राष्ट्रं	७।११०	तद्वर्णं प्राप्नुयात्सर्वं	८।१०७
तथारयो न हिंसन्ति	७।७३	तददासैरेव दातव्यं	८।४०८
तथा राज्ञा नियन्तव्याः	६।३०७	तद् बाह्येण नास्तव्यं	११।६५
तथा राज्ञामपि प्राणाः	७।११२	तद् भूत सर्वं सत्येन	८।८०
तथार्याज्जात भार्यायां	१०।६६	तददेशकुलजातीनां	८।४६
तथाल्पात्पो ग्रहीतव्यः	७।१२६	तद्वर्णं सर्वविधानां	१२।८५
तथावेक्ष्य नूपो राष्ट्रं	७।१२८	तद्वि कुर्वन् यथाशक्ति	४।१४
तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्णाद्	३।२७८	तद्भूतस्यमुखोदकं	११।१०
तथा सर्वं संविदध्यात्	७।१८०	तदभैक्षभुग्जपन्नित्यं	११।१७८
तथा सर्वाणि भूतानि	६।३११	तद्वर्णं प्रातपं विद्यात्	१२।२८
तथा हरेत्करं राष्ट्रात्	६।३०५	तद्वर्णमन्तोऽर्थेषु	८।१०३
तथेदं गृह्यमप्यद्य	११।११६	तद्विप्रलुम्पन्त्यसुराः	३।२२५
तथेन्द्रियाणां दहन्ते	६।७१	तद्विसृष्टः स पुरुषो	१।११
तथैव वेदानुषयः	११।२४३	तद्वि युष्मत्तद्विज्ञातं	१।७३
तथैव सप्तमे ऋक्ते	११।१६	तद्वि सर्वं प्रवक्ष्यामि	३।२२
तथैवाक्षेत्रिणो बीजम्	६।५१	तनुलोमकेशदशानां	३।१०
तथैवाप्सरसः सर्वाः	१२।४७	तन्मुखायो दशापलम्	८।३६७
तथैवाक्षमिणः सर्वे	६।६०	जन्मे रेतः पिता वृक्तां	६।२०
तथोपनिधिहर्तारं	४।१६२	तपस्यादित्यबभूवैव	७।६
तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यः	८।२७४	तपश्चरन्श्चोग्रतरं	६।२४
तद्वर्णमन्तव्यं	१।६	तपश्चरन्श्चोग्रतः	६।७५
तदध्यास्योद्वाहेद्वायी	७।७७	तपसा किल्विवं हन्ति	१२।१०४
तदन्नं द्विगुणं दाप्यः	८।३६३	तपसापनुमुत्सु	११।१०१
तदप्यक्षयमेव स्यात्	३।२७३	तपसैव प्रपश्यन्ति	११।२३६
तदधिकं पादिकं वा	३।१	तपसैव प्रसिध्यन्ति	११।२३७
तदवाप्तोत्ययत्नेन	५।४७	तपसैव विशुद्धस्य	११।२४२
तदा तु संश्रयेस्त्रिप्रं	७।१७४	तपसैव सुतप्तेन	११।२३६
तदा स्वायतिसंयुक्तः	७।१६३	तपस्तप्त्वाऽऽहुज्जं तु	१।३३
तदात्वे चालिका पीडा	७।१६६	तपोनिश्चयसंयुक्तं	११।७७
तदा द्विजं बलं कृत्वा	७।१७०	तपोबीजप्रभावस्तु	१०।४२
तदा नियुज्याद्विद्वांसं	८।६	तपोमध्यं दुर्गः प्रीक्षतं	११।२३४
तदाग्नेन विधानेन	७।१८१	तपोमूलमिव सर्वम्	११।२३४
तदाऽयं सर्वभूतात्मा	१।५४	तपो वाचं रतिं चैव	१।२५
तदा यायाद्विशुद्धं च	७।१८३	तपो विद्या च विप्रस्य	१२।१०४
तदा लभ्याप्यनध्यायः	४।११७	तपोविशेषविधिभिः	२।१६५
तदा विद्यादमध्यायं	४।१०४	तपः परं कृतपुणे	१।८६
तदाविज्ञानं भूतानि	१।१८	तपः परं स्वाध्यायनिष्ठास्य	३।१३४
तदासीत प्रयत्नेन	७।१७२	तपस्कञ्चनं चरन् विप्रः	११।२१४
तदा सुखमवाप्नोति	६।८०		

तप्तमासेषयेतैलं	८१२७२	तस्माद्धर्मं सहायार्थं	४१२४२
तमनेन विधानेन	८१२२८	तस्माद् ब्राह्मणराजग्यौ	१११६३
तमपीह गुहं विधात्	२१४६	तस्मान्न देवाः श्रेयांसं	८१६६
तमसा बहुरूपेण	११४६	तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य	११६२
तमसो लक्षणं कामः	१२१३८	तस्माद्यज्ञ इव स्वामी	८११७३
तमाद्य दण्डयेद्वाजा	८१३३३	तस्माद्युग्मासु पुनार्थी	३१४८
तमाहुः सर्वलोक्तस्य	८१३०८	तस्माद्वाजा निधातव्यः	७१८३
तमोऽयं तु सभाश्रित्य	११५५	तस्माद्विभुक्तिमन्विच्छन्	१११२३२
तमोरसं विजानीयात्	६११६६	तस्माद्धृतानकुशलः	११३७
तया स काये निर्दग्धे	१११६०	तस्मिन्नेते स्वयं ब्रह्मा	११६
तयोरन्यतरः प्रीति	२११११	तस्मिन्नेते य माचारः	२११८
तयोरपि कुटुम्बाभ्यां	११११४	तस्मिन्नेते स भगवान्	१११२
तयोरेवान्तरं गिर्योः	२१२२	तस्मिन् युक्तस्यैति नित्यं	३११२७
तयोर्दानं च कन्यायाः	१११६०	तस्मिन्स्तावत्तपः कुर्यात्	१११२३३
तयोर्देवमचिन्त्यं तु	७१२०५	तस्मिन्स्वपति सुखे तु	११५३
तयोनित्यं प्रतीयाते	६१२२२	तस्मै नाकुशलं ब्रूयात्	११३५
तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात्	२१२२८	तस्मै मां ब्रूहि विप्राय	२१११५
तयोर्वैद्यस्य पित्र्यं स्यात्	६११६१	तस्मै हव्यं न दातव्यं	३११६८
तयोर्हि मातापितरौ	६१३३३	तस्य कर्मविबेकार्थं	१११०२
तस्करप्रतिषेधार्थं	६१२६६	तस्य कर्मानुरूपेण	८१२०६
तस्माच्छरीरमित्याहुः	१११७	तस्य कुर्यान्नृणो दण्डं	८१२२४
तस्मात्तयोः स्वयोन्येव	५१११३	तस्य तद्वर्धते नित्यं	६१२५५
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः	६१३३८	तस्य तद्विधत्तं कुर्यात्	६१७३
तस्मात्प्रजाविधुष्यर्थं	६१६	तस्य तावच्छ्रुती संध्या	११६६
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं	८१८३	तस्य तेजोमया लोका	६१३६
तस्मात्समागने तेषां	१११८३	तस्य दण्डविकल्पः स्यात्	६१२२८
तस्मात्सर्वाणि भूतानि	७११०३	तस्य दण्डविशेषास्तु	८१११६
तस्मात्साधारणो धर्मः	६१६६	तस्य देहाद्विमुक्तस्य	६१४०
तस्मात्स्वेनैव वीर्येण	११३३२	तस्य नित्यं मरत्येष	२११०७
तस्मादभिभवत्वेवः	७१५	तस्य पुत्रे च पत्न्यां च	५१८०
तस्माद्विद्वान्निभियात्	४११६१	तस्य प्रशुभ्यते राष्ट्रं	६१२५४
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो	१११०८	तस्य प्रेत्य फलं नास्ति	३१३६
तस्मादस्य वर्षं राजा	८१३८१	तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा	१११२२
तस्मादेतत्त्रयं नित्यं	४१३३६	तस्य मध्ये सुवर्ग्यप्तं	७१७६
तस्मादेतत्परं मन्ये	१२१६६	तस्य तावच्छ्रुती	(१३८)११६६
तस्मादेतः सदा पूज्याः	३१५६	तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं	१११६७
तस्मादेतैरभिहितः	४११८५	तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्	२११६
तस्माद् द्युतं न सेवेत	६१२२७	तस्य षड्भागमाग्राजा	८१३०५
तस्माद् द्विजेभ्यो दत्त्वा	८१३८	तस्य सर्वाणि भूतानि	७११५
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यः	८११५	तस्य सीदति तद्वाष्ट्रं	८१२१
तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु	७११३	तस्य सोऽहनिशस्यान्ते	११७४
		तस्य ह्याशु विनाशाय	७११२

तस्याददीत षड्भागं	८१३५	तान्सर्वानिभिसंबध्यात्	७११५६
तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रं	७११३४	तान्सर्वान्धातयेद्राजा	६१२२४
तस्याप्यन्नं यथाशक्ति	३११०८	तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान्	१०१२०
तस्यामात्मनि तिष्ठत्यां	६११३०	तान्हव्यकव्ययोविप्रान्	३११५०
तस्यार्थे सर्वभूतानां	७११४	तापसा यतयो विप्राः	१२१४८
तस्याद्यु कृत्यं यज्जुल्यौ	८१३६७	तापसेष्वेव विप्रेषु	६१२७
तस्याहुः संप्रणेतार	७१२६	ताभिः सार्वमिदं सर्वं	११२७
तस्यां चैव प्रसूतस्य	३११६	ताभ्यां स शकत्ताभ्यां च	१११३
तस्यां जाताः समांशाः स्युः	६११५७	तामनेन विधानेन	६१६६
तस्यां त्वरोचमानायां	३१६२	तामिधमन्वतमिधं	४८८
तस्याः पुरीषे तन्मांसं	३१२५०	तामिह्मादिषु चापेषु	१२१७५
तस्येह त्रिविधस्यापि	१२१४	ताम्रह्वयसुवर्णां	८११३१
तस्येह भागिनी षष्ठी	६१५३	ताम्रायःकांस्यैत्यानाम्	५१११४
तस्यैव वा विधानस्य	८१३६	ता यदस्यायनं पूर्वं	१११०
तस्यैव व्यभिचारस्य	६१२१	ता राजसर्वपस्तिस्रः	८११३३
तस्योत्सर्गेण शुच्यन्ति	११११६३	तावतां न फलं तत्र	३११७६
तादृशित्वा तृणेनापि कण्ठे	१११२०५	तावतां न भवेद्दातुः	३११७८
तादृशित्वा तृणेनापि संरम्भात्	४११६६	तावतो प्रसते प्रेत्य	३११३३
तादृगुणा सा भवति	६१२२	तावतोऽस्तितान्दक्षान्	७१६१
तादृगोहति तत्तस्मिन्	६१३६	तावतोऽन्दानमुत्रान्यैः	४११६८
तादृशं फलमाप्नोति	६११६१	तावतः संख्याया तस्मिन्	८१६७
तादृशान्प्रवक्ष्यामि	८१६१	तावन्त्यब्दसदृशाणि	१११२०७
तादृशेन शरीरेण	१२१८१	तावद्भूवरूपप्रयतो	११११५३
ताननन्तरान्नस्तु	१०११४	तावन्मृदादि चादेयं	५११२६
तानब्रवीदधीन्सर्वान्	११६०	तावत्स्वादद्युचिविप्रो	५१७६
तानानयेदशं सर्वान्	७११०७	तावानेव स विज्ञेयः	८११६४
तानि कारककर्माणि	१०११००	तावुभावप्यसंस्कारौ	१०१६८
तानि कृत्याहृतानीव	३१५८	तावुभौ गच्छतः स्वर्गं	४१२३५
तानि निर्हरतो लोभान्	८१३६६	तावुभौ चौरवच्छास्यौ	८११६१
तानि सन्धिषु सीमायां	८१२५१	तावुभौ पतितौ स्यातां	६१६३
तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि	२१८६	तावुभौ भूतसंपृक्तौ	१२११४
तामिबोधत कात्स्न्येन	३११८३	तासामाद्याश्चतस्रस्तु	३१४७
तान्प्रजापतिराहृत्य	४१२२५	तासां क्रमेण सर्वाणि	३१६६
तान्प्रसह्य नृपौ हन्यात्	६१२६६	तासां चैववयद्दामां	८१२३६
तान्प्राजोऽहमिति ब्रूयात्	२११२३	तासां पुत्रेषु जातेषु	६११४६
तान्यविकालिकतया	१२१६६	तासां वर्णक्रमेण स्यात्	६१८५
तान्येव पूज्य भूतानि	१२१२२	तास्येव भूतत्रासु	१२११७
तान् बिबिष्या मुचरितैः	६१२६१	तिरस्कृत्योच्चरेत्काण्डं	४१४६
तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि	१११२१०	तिर्यक्त्वं तामसा नित्यं	१२१४०
ताञ्छिष्याच्चौरदण्डेन	८१२६	तिलप्रदः प्रजामिष्टां	४१२२६
तान्समासेन वक्ष्यामि	१२१३६	तिलैर्बोहियवेमार्चैः	३१२६७

तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्	१११११	तेषामग्निः स्मृतं शीघ्रं	६५३
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्	७११४०	तेषामनुपरोधेन	२१२३६
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव	७११४०	तेषामपीह विज्ञेयं	३१२००
तीरितं चानुशिष्टञ्च यत्र	६१२३३	तेषामर्थे नियुञ्जीत	७१६२
तीर्थं तद्व्यकव्यानां	३११३०	तेषामाद्यमृणादानं	८५४
तुरायणं च क्रमशः	६११०	तेषामारक्षभूतं तु	३१२०४
तुरीयो ब्रह्महत्यायाः	११११२६	तेषामिदं तु सप्तमां	१११६
तुलामानम्प्रतीमानम्	८१४०३	तेषामुपन्नतमूनां	६१२०३
तृणकाष्ठद्रुमाणाञ्च	११११६६	तेषामुदभ्यानीय	३१२१०
तृणगुल्मसतानां च	१२१५८	तेषामृषीणां सर्वेषां	३११६४
तृणानि भूमिदरकं	३११०१	तेषां ग्राह्याणि कार्म्याणि	७११२०
तृणं च गोम्यो ग्रासार्थं	८१३३६	तेषां हित्वा नृपो हस्ती	६१२७६
तृतीयं धनदण्डं तु	८११२६	तेषां तु सम्बेतानां	२११३६
तृतीयं यज्ञदीक्षायां	२११६६	तेषां त्वगस्थिरोमाणि	४१२२१
तृतीयनिस्तृतीयांशाः	८१२१०	तेषां त्वग्यज्ञान्मृगान्	१११६
तं च स्वा चैव राजश्च	३११३	तेषां त्रयाणां शुश्रूषा	२१२२६
तै चापि ब्राह्मणं सुबह्व	१०१२६	तेषां दस्त्वा तु हस्तेषु	३१२२२
तै तमर्थमपुच्छन्त	२११५२	तेषां दीपानिभ्रूयाप्य	६१२६२
तेन वेदविवादस्ते	८१६२	तेषां न दद्याच्छवि तु	८११८४
तेन तुल्यः स्मृतो राजा	४१८६	तेषां निष्ठा तु विज्ञेया	८१२२७
तेन ते प्रेत्य पशुतां	३११०४	तेषां वत्तं परिणयेत्	७११२२
तेन यद्यत्समृत्येन	७१३६	तेषां वेदविदो बभूवुः	१११८५
तेन यायात्सतां मार्गं	४११७८	तेषां षड्वन्धुदायादा.	६११५८
तेन सार्धं विनिश्चत्य	७१५६	तेषां सततमज्ञानाम्	१११४३
तेनामुभूयता यामीः	१२११७	तेषां सर्वत्रगं तेजः	६१३२१
तेनायुर्वर्धते राज्ञः	७११३६	तेषां सर्वस्वमादाय	७११२४
तेनायुर्वृद्धिर्भक्तिभ्या	८११५०	तेषां स्नात्वा विबुद्धयर्थं	६१६६
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा	२१६६	तेषां स्व स्वमभिप्रायम्	७१५७
ते निन्दितैर्वर्तयेयुः	१०१४६	तेषु तेषु तु कृत्येषु	६१२६७
तेनैव कृत्स्नमाप्नोति	३१२८३	तेषु यथैष तं हस्तं	३१२१६
तेनैव विप्रानासीनान	३१२१६	तेषु सम्पद्यन्तमानः	२१५
तेनैव सार्धं प्राप्स्येयुः	११११८६	ते वीर्या स्वादुराणं	८११३६
ते पतन्त्यन्धतामिह	४११६७	तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु	२१२२८
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते	७१२३	तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां	२१२३५
ते पृष्टास्तु यथा बभूवुः समस्ताः	८१२५५	ते सम्यगुपजीवेयुः	१०१७४
ते पृष्टास्तु यथा बभूवुः सीमासन्निधु	८१२६१	ते सर्वायुष्यमीमांस्ये	२११०
तेऽभ्यासात् कर्मणां तेषाम्	१२१७४	तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि	७१७८
तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं	७१३६	तेऽस्य सर्वाण्यवक्षेरन्	७१८१
तेभ्यो लब्धेन भक्षणेन	११११२३	ते ह्येनं कुपिता हन्युः	६१३१३
ते वै सत्यस्य जातस्य	६१४६	तैजसानां मरीनां च	५११११
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः	१२११०६	तैरेव चावृतो भूतः	१२१२०

तैर्भूतैः स परित्यक्तः	१२१२१	असरेणवोऽष्टौ विज्ञेया	८११३३
तैः सार्धं चिन्तयेमित्यं	७१५६	त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां	५११३७
तैस्तैरुपायैः संगृह्य	८१४८	त्रिणाभिकेतः परुषाग्निः	३११८५
तौ तु जातौ परकोत्रे	३११७५	त्रिविधमेतन्निक्षिप्य	१२१११
तौ धर्मं पश्यतस्तस्य	१२११६	त्रिपदाद्विषन् साधयन्	८११०७
तौ नृपेण ह्यधर्मज्ञौ	८१५६	त्रिपदा चैव सावित्री	२१८१
तौ त्रिकं वृषादृष्टा च	७१४७	त्रिम्य एव तु वेदेभ्यः	२१७७
तौ हि ज्युतो स्वकर्मभ्यः	८१४१८	त्रिरहस्त्रिनिज्ञायां च	११२२३
तं कान्तीनं वदेन्नाम्ना	६११७२	त्रिराचामेदपः क्षान्तिं चैव	२१६०
तं कामजमरिक्थीयं	६११४७	त्रिराचामेदपः शारीरम्	५११३६
तं वेदभ्युदियात्सूर्यः	२१२२०	त्रिरात्रमाह्वराज्ञौ चम्	५१८०
तं देवनिर्मितं देशं	२११६	त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा	११८०
तं देशकालौ शक्तिं च	७११६	त्रिविधा त्रिविधेषां तु	१२१४१
तं श्रुतं स्वधर्मैण	३१३	त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः	१२५१
तं मां वित्तास्य सर्वस्य	११३३	त्रिवृता ग्रन्थिनकेन	२१४३
तं यस्मेन जयेल्लोभं	७१४६	त्रिशात्कला मुहूर्तं स्यात्	११६४
तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्	७११२	त्रिशद्वर्षाद्विषहेतु कन्याम्	६१६४
तं राजा निर्धनं कृत्वा	१०१६६	त्रिषु वर्णेषु याति स्युः	८११२४
तं राजा प्रणयन् सख्यक्	७१२७	त्रिष्वप्येतेषु वत्सं हि	४११६३
तं शुश्रूषेत जीवन्तं	५११५१	त्रिष्वप्रमाद्यन्मतेषु	२१२३२
तं हि स्वयम्भूः स्वावास्थात्	११६४	त्रिष्वेतेष्विति कृत्यं हि	२१२३७
तं ह्यस्याहुः परं धर्मं	४११४७	त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति	३१२३५
तां ब्रूयाद्भवतीत्येवं	२११२६	त्रीणि देवाः पवित्राणि	५११२७
तां विवर्जयतस्तस्य	४१४२	त्रीणि वर्षाण्युदीकृतं	६१६०
तांश्चारयित्वा त्रीन्कृच्छ्रान्	११११६१	त्रीणि आदौ पवित्राणि	३१२३५
तां श्वभिः खादेयेद्वाजा	८१३७१	त्रीण्याद्याभ्याभितस्त्वेषां	७१७२
तां साध्वीं विभूयान्नित्यं	६१६५	त्रीण्युत्तराणि क्रमशः	७१७२
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति	८१८५	त्रीस्तु तस्माद्विशेषान्	३१२१५
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं	४१२५६	त्रिविद्यवृद्धान्विदुषः	७१३७
त्यजनपतितानेतान्	८१३८६	त्रिविद्याः शुचयो दान्ताः	६११८८
त्यजेदाश्वपुजे मासि	६११५	त्रिविद्योभ्यस्त्रयीं विद्यां	७१४३
त्रपु सीसं तथा लोहम्	१०१२	त्रिविद्योहेतुकस्तर्कौ	१२११११
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वं	१२११११	त्वमेवैकः शतं दण्डयो	८१२८४
त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां त्रिषु	१२१३४	त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य	११३
त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः	१२१३०	त्रयस्त्वपूर्वं श्रोत्रियाणां	२११३४
त्रयाणामप्युपायानां	७१२००	त्रयस्त्वं चरेद्वा नियतः	१११२२८
त्रयाणामुत्तमं कार्यम्	६११८६	त्रयवरा परिवर्ज्येया	१२१११२
त्रयोदशी च शेषास्तु	३१४७	त्रयवरा वापि वृत्तस्थाः	१२१११०
त्रयो धर्मा निवर्तन्ते	१०१७७	त्रयवरैः साक्षिभिर्भाव्यः	८१६०
त्रयं सुविदितं कार्यं	१२११०५	त्र्यंशं बायाद्वरेद् विप्रः	६११५१
त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति	८११६६	त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षा वा	६१६४

अथहेण शूद्रो भवति	१०६२	दशमासास्तु तृप्यन्ति	३१२७०
अथहैहिको वाऽपि भवेत्	४७	दशलक्षणको धर्मः	६६१
अथहं चोपवसेदन्त्यं	११२१३	दशलक्षणकं धर्मम्	६६४
अथहं उपवसेद् युक्तः	१११५६	दशलक्षणयुक्तस्य	१२१४
अथहं न कीर्तयेद् ब्रह्म	४१११०	दशलक्षणानि धर्मस्य	६६३
अथहं परं च नाश्नीयात्	११२११	दशसूनासमं चक्रं	४८५
अथहं प्रातस्त्र्यहं सायम्	११२११	वशा सूनासहस्राणि	४८६
द		दश स्थानानि दण्डस्य	८१२४
दक्षिणां दिशमाकाशम्	३१२५८	दशातिवर्तनान्याहुः	८१२६०
दक्षिणाप्रवर्णं चैव	३१२०६	दशापरे तु क्रमशः	६११६५
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ	४५०	दशाब्दालयं पौरसलयं	२११३४
दक्षिणामु च दक्षामु	८१२०७	दशावरा वा परिवर्त्यम्	१२११०
दक्षिणेन मृतं शूद्रम्	५६२	दशाहं शावमाशौचं	५५६
दण्डग्रहेन तन्मार्गं	७१८७	दशौ कुलं तु भुञ्जीत	७१११६
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः	७१८	दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वं	११११८
दण्डगुरुकावशेषं च	८११५६	दहन्ते ध्मायमानानाम्	६७१
दण्डः सुप्तेषु जायति	७१८	दातव्यं बाणवैस्तत् स्यात्	८११६६
दण्डस्य पातनं चैव	७५१	दातव्यं सर्ववर्णैर्मयो	८१४०
दण्डस्य हि भयात्सर्वं	७२२	दाता नित्यमनादाता	६८
दण्डेनैव तमप्योषेत्	६१२७३	दातारो नोऽभिवर्धन्तां	३१२५६
दण्डेनैव प्रसह्यतान्	७११०८	दातुर्भवत्यनर्थाय	४११६३
दण्डो हि सुमहत्तेजो	७२८	दातुर्येद् दुष्कृतं किञ्चिद्	३११६१
दत्तस्यैवोदिता धर्म्या	८१२१४	दातुर्प्रतिग्रहीतुञ्च	३११४१
दत्तानि हव्यकव्यानि	३११७५	दानधर्मं निक्षेपेत्	४१२२७
दत्तेन मासं तृप्यन्ति	३१२६७	दानप्रतिभुवि प्रेते	८११६०
दत्त्वा धनं तु शिष्येभ्यः	६१२२३	दानेन बधनिर्णयम्	११११३६
दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्ति	६७१	दानं प्रतिग्रहं चैव	१८८
ददौ स दश धर्माय	६११२६	दानं प्रतिग्रहश्चैव	१०७४
दद्याच्च सर्वभूतानां	६१३३३	दापयेद्वनिकस्यार्थं दण्ड	८५१
दधि मध्वं च शुक्तेषु	५११०	दापयेद्वनिकस्यार्थमध	८५७
दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य	८१३२६	दायाद्यस्य प्रदानं च	११११८४
दन्तजातेऽनुजाते च	५५८	द्वाराग्निहोत्रसंयोगं	३११७४
दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्णः	३१२५६	द्वाराधिगमनं चैव	११११२
दर्शनप्राप्तिमाद्ये तु	८११६०	द्वाराधीनस्तथा स्वर्गः	६१२८
दर्शनेन विहीनस्तु	६७४	दासापराधतस्तोये	८५०६
दर्शमस्कन्दयन्पर्व	६६६	दासवर्गस्य तत्पिण्डे	३१२४६
दर्शेन चार्धमासान्ते	४१२५	दासावस्यहर्ता च	८१३४२
दश कामसमुत्पन्नानि	७५५	दासीघटमर्षा पूर्णम्	११११८३
दश ध्वजसमो वेशो	४८५	दास्यन्तु कारयेत्सुलोभात्	८५१२
दश पूर्वाम्पराम्बुधाम्	३१३७	दास्यायैव हि मृष्टोऽसौ	८५१३
दशमं द्वादशं वापि	८१३३	दास्या वा दासदास्या वा	६११७६

दाह्येदग्निहोत्रेण	५११६७	देववानवगन्धर्वा	७१२३
दिवाकीर्तिमुदक्यां च	५१८५	देववाह्यजसामिन्द्र्ये	८१८७
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो	३१६०	देवरात् वा सपिण्डाद् वा	६१५६
दिवा चरेयुः कार्यार्थम्	१०१५५	देवराय प्रदातव्या	६१६७
दिवानुगच्छेद् गास्तास्तु	१११११०	देवस्त्वं ब्राह्मणस्त्वं वा	१११२६
दिवा वक्तव्यता पाले	८१२३०	देवानुषीम्ननुष्यांश्च	३१११७
दिवं गतानि विप्राणां	५११५६	देवान्कुर्वुं रदेवांश्च	६१३१५
दीक्षितस्य कदर्यस्य	४१२१०	देवान्देवनिकायांश्च	११३६
दीप्यमानः स्ववपुषा	२१२३२	देवान्पितृंश्चार्चयित्वा	५१३२
दीर्घाध्वनि यथादेशं	८१४०६	देवाश्चैतांसमेत्योषुः	२११५२
दीर्घालिङ्गश्चैव नरान्	७११६३	देवैर्म्यस्तु जगत्सर्वं	३१२०१
दुःखभागी च सततं	४११५७	देशधर्मज्जातिधर्मान्	११११८
दुःखं सुमहदाप्नोति	४११६७	देशानलब्धांल्लिप्सेत	६१२५१
दुःखिता यत्र स्वयेरन्	६१२८८	देशं रूपं च कालं च	८१४५
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थं	११२३	देहशुद्धिं प्रवक्ष्यामि	५१५७
दुराधारो हि पुण्यो	४११५७	देहाहुत्क्रमणं चास्मात्	६१६३
दुष्टसामान्तहिंस्रश्च	६१३१०	देहेषु च समुत्पत्ति	६१६५
दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च	७१२४	देवदानवयक्षाणां	३११६६
दुहित्रा दासवर्गेण	४११८०	दैवमणिं युक्तो हि	३१७५
दूत एव हि संवसे	७१६६	देवताभ्यन्निगच्छेत्	४११५३
दूतं चैव प्रकुर्वीत	७१६३	देवपित्र्यातियेयानि	३११८
दूतं संप्रेषणं चैव	७११५३	देवाद्यस्तं तदीहेत	३१२०५
दूतस्तत्कुरुते कर्म	७१६६	देविकानां पुणानां तु	११७२
दूरस्थो नार्चयेदेनं	२१२०२	देवे कर्मणि पित्र्ये वा	३१२४०
दूरादावसथाग्रम्	४११५१	देवे राश्र्यहन्त्री बर्ष	११६७
दूरादाहृत्य सन्धिः	२१८८६	देवे हविषि पित्र्ये वा	३११६६
दूरादेव परीक्षेत	३११३०	देवोवाजः मृतश्चैव	३१३८
दूषयेच्चास्य सततं	७११६५	दैवं हि पितृकार्यस्य	२१२०३
दूषितं केशकीटैश्च	५११२५	देहिकानां मलानां च	५११३४
दूषितोऽपि चरेद् धर्मम्	६१६६	दोषो भवति विप्राणां	१०११०३
दुर्गकारी मुद्बन्तिः	४१२४६	दीर्घल्यं ह्यप्यते राज्ञः	८१७१
दृष्टिपूतं ग्यसेत् पादम्	६१४६	दीहित्र एव च हरेत्	६११३१
दृष्ट्वा हृष्येत् प्रसीदेष्व	२१५४	दीहित्रोऽपि ह्यमुत्रैतं	६११३६
देवकार्याद् द्विजातीनां	२१२०३	दीहित्रो ह्यलिलं रिषयम्	६११३२
देवताजतिधिमृत्यानां	३१७२	दीहित्रं विट्पतिं बन्धुं	३११४८
देवतानां गुरो राज्ञः	४११३०	दूतपानप्रसक्ताश्च	१२१४५
देवताभ्यस्तु तद् कृत्वा	६११२	दूतमेतत् पुरा कल्पे	६१२२७
देवताभ्यर्चनं चैव	२११७६	दूतं च जनबाधं च	२११७६
देवत्वं सात्त्विका याति	१२१४०	दूतं समाहूयं चैव यः	६१२२४
देवदत्ता पतिर्नार्थम्	६१६५	दूतं ममाहूयं चैव राजा	६१२२१
		धीर्भूमिरापो ह्यव्यं	८१८६
		इवाणां चैव सर्वदा	५१११५

द्रव्याणां तत्पराणां	१११६४	ध	
द्रव्याणां स्थानयोगश्च	६३३२	धनवन्तं प्रजावन्तं	३२६३
द्रव्याणि हि स्याद्यो यस्य	८२२८	धनानि तु यथाशक्ति	११६
द्रव्यार्जनं च नाशं च	१२१७६	धनितं वाऽप्युपाराध्य	१०१२१
द्रोहभात्रं कुचयी च	६१७	धनुःशतं परीहारो	८२३७
द्वन्द्वैरयोजयेच्छेमाः	१२६	धनुःशराणां कर्ता च	३१६०
द्वयोरप्येतयोर्मूलं	७४६	धनेन वैश्यशूद्रौ तु	११३४
द्वयोऽप्याणां पञ्चानां	७११४	धनोऽप्यपणा पच्यमानाः	६२३१
द्वयोहि कुलयोः शोकं	६५	धनं तत्पुत्रिकाभर्ता	६१३५
द्वापरे यज्ञमेवाहुः	१८६	धनं यो विभृयाद् भ्रातुः	६१४६
द्वाम्यामेकञ्चतुर्थस्तु	४६	धनं वा जीवनायालं	११७६
द्वाराणां चैव भंक्तारं	६२८६	धन्यं यशस्यमायुष्यं	३१०६
द्वारेष्वयज्ञेनित्यं	२१२७	धन्वबुगं महोदुग्धं	७७०
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च	८१४२	धरणां दत्ता ज्ञेयः	८१३७
द्विकं शतं वा गृह्णीयाद्	८१४१	धर्म एव हतो हन्ति	८१५
द्विकं शतं हि गृह्णानो	८१४१	धर्मक्रियाऽऽत्मचिन्ता च	१२८३
द्विगुणा वा चतुःषष्टिः	८३३८	धर्मक्रियाऽऽत्मचिन्ता च	१२३१
द्विजास्य इवेज्याभिः	८३११	धर्मज्ञं च कृतज्ञं च	७२०६
द्विजास्यः सवर्णान्	१०२०	धर्मतोऽधर्मतश्चैव	१२२३
द्विजातिप्रवरो विद्वान्	३१६७	धर्मेष्वङ्गो सदाः तुल्यः	४१६५
द्विजातिमुख्यवृत्तीनां	३२८६	धर्मनैपुण्यकामानां	४१०७
द्विजातीनां च वर्णानां	८३४८	धर्मप्रधानं पुण्यं	४२४३
द्विजोऽप्यङ्गः क्षीणवृत्तिः	८३४१	धर्मप्रवक्ता नृपतेः	८२०
द्वितीयमायुषो भागं	५१६६	धर्ममूलं निषेवेत	४१५५
द्वितीयमायुषो भागं	४१	धर्मस्थः कारणैरेतैः	८५७
द्वितीयमेके प्रजनम्	६६१	धर्मस्य परमं गृह्यं	१२११७
द्वितीये हस्तचरणौ	६२७७	धर्मस्य ब्राह्मणो भूल्लू	११८३
द्वितीयं तु पितुस्तस्याः	६१४०	धर्मस्याभ्यभिचारार्थं	८१२२
द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहं	१३२	धर्माद्विचलितं हन्ति	७२८
द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं	७१६७	धर्मार्थप्रभवं चैव	६६४
द्विविधास्तस्करान् विद्यात्	६२५६	धर्मार्थं चैव विप्रैर्म्यो	७७६
द्विशतं तु दमः कार्यः	८३६८	धर्मार्थं येन दत्तं स्यात्	८२१२
द्विषता हि हविर्भुक्तं	३१४४	धर्मार्थावुच्यते श्रेयः	२१२४
द्विषदन्नं नगर्यन्नं	४२१३	धर्मार्थां यत्र न स्यातां	२११२
द्वे कृष्णले समधूते	८३३५	धर्मास्तनमधिष्ठाय	८२३
द्वेषं दम्भं च मानं च	४१६३	धर्मेण च द्रव्यवृद्धाः	६३३३
द्वेषीभावं संश्रयं च	७१६०	धर्मेण व्यवहारेण	८४६
द्वौ तु यौ विवदेयाताम्	६१६१	धर्मेण हि सहायेन	४२४२
द्वौ द्वेवे पितृकार्ये त्रीन्	३१२५	धर्मेणाधिगतो यस्तु	१२१०६
द्वौ मासौ मत्स्यमस्ति	३२६८	धर्मेणापि नियुक्तायां	३१७३
द्वयं कान्तरासु जातानां	१०७	धर्मेऽसवस्तु धर्मज्ञाः	१०१२७
		धर्मोपदेशं रपेण	८२७२

धर्मो विद्वत्त्वधर्मेण	८११२	न कुर्वीतात्मनस्त्राणं	१११११३
धर्मं चाप्यसुखोदकं	४११७६	न कूटैरायुर्वैहं-यात्	७१६०
धर्मं जिज्ञासमानानां	२११३	नक्तं चाग्नं समश्नीयात्	६११६
धर्मं ज्ञानैः सञ्चिनुयाद्	४१२३८	नक्षत्राणि च दैत्याश्च	१२१४८
धर्मं शाश्वतमाश्रित्य	८१८	नगरे नगरे चैकं	७१२२१
धर्म्यं विभागं कुर्वीत	६११५२	नग्नो मुष्टः कपालेन	६१६३
धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्च	५१३०	न ग्रामजातान्यार्तोऽपि	६११६
धाना मत्स्यान्ययो मांसं	४१२५०	न च क्षुधास्य संसीदेत्	७११३३
धाभ्यकुप्यपशुस्तेयम्	१११६६	न च छन्दांस्यधीयीत	३११८८
धान्यचोरोऽङ्गहीनत्वं	१११५०	न च तत्कर्म कुर्वाणः	५१८४
धान्यदः शाश्वतं सौख्यं	४१२३२	न च द्विजातयो बभ्रुः	३१२३६
धान्यानामष्टमो भागः	७११३०	न च नानः शयीतेह	४१७५
धाम्यान्धनचौर्याणि	११११६२	न च पूर्वोपरं विद्यात्	८१५६
धान्येऽष्टमं विशां गुल्कम्	१०११२०	न च प्राणिवधः स्वार्थः	५१४८
धान्ये सदे लये बाहो	८११५१	न च प्रापितमन्येन	८१४३
धान्यं दशम्यः कुम्भेभ्यो	८१३२०	न च योनिगुणान्काञ्चित्	६१३७
धान्यं वासांसि वाक्काकं	२१२४६	न च वासांसि वासोभिः	८१३६६
धान्यं हृत्वा भवत्यालुः	१२१६२	न च वैश्यस्य कामः स्यात्	६१२३८
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठः	१२११०३	न च शोचत्यसम्पत्तौ	१२१३६
धिग्वणानां धर्मकार्यं	१०१४६	न च स्वं कुरुते कर्म	११५५
धीविद्या सत्यमक्रोधः	६१६२	न च हृद्यात्स्वत्कार्कं	७१६१
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयम्	६१६२	न च हव्यं महत्यग्निः	७१६१
धृतिर्भैरवं कुसीदं च	१०१११६	न चातिमृच्छति क्षिप्रं	८१११५
धेनुरुष्टौ बहून्मदो	८११४६	न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यः	६१२१४
ध्यानयोगेन संपश्येत्	६१७३	न चादेयं समृद्धोऽपि	८११७०
ध्यानिकं सर्वमेवैतत्	६१८२	न चाद्यैः कालसंरोधात्	८११४३
ध्यायत्यनिष्टं यत् किञ्चित्	६१२१	न चापि पश्येदशुचि	२१२०५
ध्रियमाणो तु पितरि	३१२२०	न चापि पश्येदशुचि	४११४२
ध्वजाद्गतो भक्तदासः	८१४१५	न चापि पश्येदशुचि	१०११०५
		न चासारं न च न्यूनं	८१२०३
		न चास्योपदिशेद्धर्मं	४१८०
न		न चेन्निपक्षान्प्रब्रूयात्	८१५८
न कथञ्चन दुर्वर्तिनः	१०१५६	न चेनं देहमाश्रित्य	६१४७
न कदाचन कुर्वीत	४१४८	न चेनं पादतः कुर्याद्	४१५४
न कदाचिद् द्विजे तस्मात्	४११६६	न चेनं भुवि शक्तोति	७१६
न कदाद्याः पिता विद्वान्	३१५१	न चेनं प्रलिखेद् भूमि	४१५५
न कणिभिर्नापि दिग्धैः	७१६०	न चेनं वात्यशनं कुर्यात्	२१५६
न कर्म निष्फलं कुर्याद्	४१७०	न चेनं वात्यशनं कुर्यात्	३१८३
न कश्चिद् योषितश्शशः	६११०	न चेनं वास्यानुकुर्वीत	२११६६
न कार्पासास्थि न तुषान्	४१७८	न चेनं वा प्रयच्छेत्	६१८६
न कुर्याद् गुरुपुत्रस्य	२१२०६	न चोत्पातमिमिताभ्यां	६१५०
न कुर्वीत कृया चोष्टां	४१६३		

नचोदके निरीक्षेत	४।३८	न दोषं प्राप्नुयात्किञ्चित्	८।३५५
न छिन्धान्नखलोमानि	४।६६	न दृष्टदोषाः कर्तव्याः	८।६४
न जातु कामः कामानां	२।६४	न ब्रह्माराणामवज्ञाय	४।१८७
न जातु ब्राह्मणं ह्ययात्	८।३८०	न द्वितीयश्च साध्वीनां	५।१६२
नजीर्णदेवायतने	४।४६	न धर्मस्यापदेशेन	४।१६८
न जीर्णमलवद्भासा	४।३४	न नदीतीरमासाद्य	४।४७
नटश्च करणश्चैव	१०।२२	न नामग्रहणादेव	६।६७
न तत्पुनः भजेत्सार्व	६।२०६	न नावं न खरं नोष्ट्रं	४।१२०
न तत्फलमवाप्नोति	५।५४	न निवर्तत संग्रामात्	७।८७
न तत्र प्रणयेद्दण्डं	८।२३८	न निवर्तत पञ्चानां	३।७२
न तत्र विद्यते किञ्चित्	८।१८३	न निर्हारं स्त्रियः कुर्वुः	६।१६६
न सपर्यतां शक्यते	२।६६	न निशान्ते परिश्रान्तः	४।६६
न तस्मिन् धारयेद्दण्डं	११।२१	न निष्कयविसर्गान्ध्याम्	६।४६
न तस्य निष्कृतिः शक्या	२।२२७	न नृत्येदवस्था पायेत्	४।६४
न तस्य वेतनं देयं	८।२१७	न पश्यहिप्रेष्यनाम्नीं	१।३६
न ताडयेत्तृणानपि	४।१६६	न पश्येत्प्रसदन्तीं च	४।४४
न तादृशं भवत्येवो	५।३४	न पाणिपादघपलः	४।१७७
न तापसं ब्राह्मणं वा	६।५१	न पादेन स्पृशेदग्निं	२।२२६
न तिष्ठति तु यः पूर्वा	२।१०३	न पादौ घावपेरकांस्थे	४।६५
न तु नामापि गृह्णीयात्	५।१५७	न पाक्ष्ण्डिगणाक्रान्ते	४।६०
न तेन वृद्धो भवति	२।१५६	न पुत्रदारा न जातिः	३।२३६
न तैरभ्यननुज्ञातो	२।२१६	न पुत्रभागं विषमं	६।२१५
न तैः सख्यमग्निच्छेत्	१०।५३	न पूर्वं गुरवे किञ्चित्	२।२४५
न तौ प्रति हि तान्धर्मान्	१०।७८	न पतुयन्निवो होमः	३।२८२
न तं नयेत् साध्यं तु	८।१६७	न कालकृष्टमग्नीयात्	६।१६
न तं भजेरन्दायादाः	६।२००	न कालकृष्टे न जले	४।४६
न तं स्तेना न क्षाभिन्नाः	७।८३	न वक्रप्रतिके विप्रे	४।१६२
न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च	६।७६	न विब्रुयान्नुपो धर्म	८।३६०
न त्वल्पदक्षिणैर्यज्ञैः	११।३६	न ब्राह्मणक्षत्रिययोः	३।१४
न त्वेव ज्यायसीं वृत्ति	१०।६५	न ब्राह्मणवधाद् भूयात्	८।३८१
न त्वेव तु कृतोऽधर्मः	४।१७३	न ब्राह्मणस्य स्वतिथिः	३।११०
न त्वेव तु वधा हन्तुं	५।३७	न ब्राह्मणो वेदयेत्	११।३१
न त्वेवाधौ सौपकारे	८।१४३	न ब्राह्मणं परीक्षेत	३।१४६
न वस्त्रा कस्यचित् कन्याम्	६।७१	न भक्षयति यो मांसं	५।५०
न दद्याद्यदि तस्मात्सः	८।१८६	न भक्षयेदेकचरात्	५।१०
न दशैव विना श्राद्धं	३।२८२	न भिन्नभाण्डे भुञ्जीत	४।६५
न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा	४।५६	न भिन्नशृङ्गासिखुरैः	४।६७
नदीफलं यथा वृक्षौ	६।७८	न भीतं न परावृत्तं	७।६३
नदीतीरेषु तद्विद्यात्	८।४०६	न भुक्तमात्रे नाजीर्णे	४।१२१
नदीनां वापि संभेदे	८।३५६	न भुञ्जीतोद्वृत्तस्नेहं	४।६२
नदीषु देवसातेषु	४।२०३	न भोषतप्यो बलादाधिः	८।१४४

न भोजनार्थं स्वे विप्रः	३।१०६	न वृथा वापयं कुम्भार्त्	८।१११
न भ्रातरौ न पितरः	६।१८५	न वृद्धो न क्षिणुर्नको	८।६६
न माता न पिता न स्त्री	८।३८६	न शक्यो न्यायतो नेतुं	७।३०
न मातृतो ज्येष्ठयमस्ति	६।१२५	न शूद्रराज्ये निवसेत्	४।६१
न मांसभक्षणो दोषः	५।५६	न शूद्राय मतिं दद्यात्	४।८०
न मित्रकारणाग्राणा	८।३४७	न शूद्रे पातकं किञ्चित्	१०।१२६
न मुक्तकेशं नासीनं	७।६१	न शोचन्ति तु यत्रैता	३।५७
न मूर्खेन विलिप्तैश्च	४।७६	न शमश्रूणि गतान्यास्यं	५।१४१
न मूत्रं पथि कुर्वीत	४।४५	नश्यतीत्यर्थं विदुः	४।४३
न मृत्सोष्णं च मृद्वनीयात्	४।७०	नश्यतो विनिपाते तो	८।८५
न यज्ञार्थं धनं शूद्रात्	११।२४	नश्यन्ति हव्यकव्यानि	३।६७
नयेत्पाशानुमानेन	८।४४	न श्रमातो न कामातो	८।६७
नरकाकसराणां च	११।१५६	न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं	३।१३८
नरके हि पतश्चेते	११।३७	न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो	८।६५
नरकं कालसूत्रं च	४।८८	नष्टं देवलके दत्तं	३।१८०
न राज्ञः प्रतिशुक्लन्ति	४।६१	नष्टं विमष्टं कृमिभिः	८।२३२
न राज्ञः प्रतिगृह्णीयात्	४।८४	न स राजा नियोक्तव्यः	८।१८६
न राज्ञामयदोषोऽस्ति	५।६३	न स राजाऽभियोक्तव्यः	८।५०
नरास्वोष्ट्रवराहेश्च	११।१६६	न सस्वेषु गतैश्च	४।४७
नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति	६।२५३	न साक्षी नृपतिः कार्यो	८।६५
न संवृणनवीमार्त्नी	३।६	न साहसिकदण्डघ्नी	८।३८६
न सङ्क्षयेद्वत्ततर्त्री	४।३८	न सीदन्नपि धर्मज	४।१७१
न लोकवृत्तं वर्तेत	४।११	न सीदेत्स्मातको विप्रः	४।३४
न वर्धयेदद्याद्वाहिनि	५।८४	न सुप्तं न विसम्नाहं	७।६२
नवान्नमद्यान्मांसं च	४।२७	न संभाषां परस्त्रीभिः	८।३६१
न वारयेद् गां धनन्तीं	४।५६	न संवसेष्व पतितैः	४।७६
न वार्यपि प्रयच्छेत्	४।१६२	न संसर्गं व्रजेत्सङ्गिः	११।४७
न वासोभिः सहाजलं	४।१२६	न संहताभ्यां पाणिभ्यां	४।८२
न विगृह्य कथां कुर्यात्	४।७२	न सांपरायिकं तस्य	११।३०
न विष्णुं न मुदीक्षेत	४।७७	न स्कन्दते न व्ययते	७।८४
न विद्यमानेष्वर्थेषु	४।१५	न स्नानमाचरेद् भुक्त्वा	४।१२६
न विप्रदुष्टभावस्य	२।६७	न स्पृशेच्चैतदुच्छिष्टो	४।८२
न विप्रं स्वेव तिष्ठस्तु	५।१०४	न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टः	४।१४२
न विज्ञान्पुनो धर्मं	८।३६०	न स्याद्वाक्चपलश्चैव	४।१७७
न विद्याये न कलहे	४।१२१	न स्वर्गच्छ्यवते लोकात्	८।१०३
न विवाहविधायुक्तं	६।६५	न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं	५।१४७
न विस्मयेत तपसा	४।२३६	न स्वाभिना निरुद्धोऽपि	८।४१४
नवेनामर्चिता ह्यस्य	४।२८	न हायननं पतितैः	२।१५४
न वं कन्या न पुत्रतिः	११।३६	न हि तस्यास्ति किञ्चित्स्वं	८।४१७
न वेतान् स्नातकान् विद्यात्	१०।२	न हि ब्रह्माद् ज्ञाते क्षयः	६।२६२
न वं स्वयं तवद्वनीयात्	३।१०६	न हि शूद्रस्य यज्ञेषु	११।१३

न हि हस्तावसृग्दिग्धो	३।१३२	नानुशासनवादाभ्यां	६।५०
न हिस्थाद् ब्राह्मणान्गाश्च	४।१६२	नामुद्युधम् जातैवेतत्	६।१००
न हीदृशमनायुषं	४।१३४	नान्नमद्यावेकवासा	४।४५
न होडेन विना क्षीरम्	६।२७०	नान्यदन्येन संसृष्टः	८।२०३
न हृष्यति ग्लायति वा	२।६८	नान्यस्मिन् विधवा नारी	६।६४
न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्	६।८२	नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह	५।१६२
न ह्यस्मिन्पुज्यते कर्म	२।१७१	नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयात्	२।११०
नाकन्यासु अवचिन्नुणां	८।२२६	नाप्यु मूत्रं पुरीषं वा	४।५६
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां	५।४८	नाब्रह्म सन्नमृच्छोति	६।३२२
नाक्रामेत्कामतश्छायां	४।१३०	नाब्राह्मणे गुरो शिष्यः	२।२४२
नाक्षैः कीडेकदाचित्	४।७४	नाभिनन्देत् भरणम्	६।४५
नागान्सर्पान्सुपर्णाश्च	१।३७	नाभिवाद्यः स विदुषा	२।१२६
नाग्निर्दंदाह रोमापि	८।११६	नाभिष्याहारयेद् ब्रह्म	२।१७२
नाग्निं मुखेनोपधमेत्	४।५३	नामजातिग्रहं त्वेषाम्	८।२७१
नाक्षुया राजा ललाटे स्युः	६।२४०	नामधेयस्य ये केचित्	२।१२३
नाशतेन समं गच्छेत्	४।१४०	नामधेयं वशभ्यां तु	२।३०
नाञ्जयतीं स्वके नेत्रे	४।४४	नामुत्र हि सहायार्थं	४।२३६
नाततामिषधे दोषो	८।३५१	नामध्यं प्रक्षिपेदग्नी	४।५३
नासादुष्यत्यवगन्तान्	५।३०	नाभ्यां स्वरूपभावो हि	२।१२४
नातिकर्ष्यं नातिसायं	४।१४०	नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि	२।११८
नातिप्रगे नाति सायं	४।६२	नायुधध्यसमप्राप्तं	७।६३
नातिसावत्सरीं बृद्धिं	८।१५३	नायुधमानं पश्यन्तं	७।६२
नात्मानमवमन्येत	४।१३७	नारं स्पृष्ट्वाऽस्त्यि सत्नेहं	५।८७
नात्रिचर्षस्य कर्तव्या	५।७०	नारि न मित्रं यं विद्यात्	३।१३८
नावदीत नृपः साधुः	६।२४३	नारी यानानि वस्त्रं वा	३।५२
नादण्डधो नाम राजोऽस्ति	८।३३५	नाचन्नुदः स्यादातोऽपि	२।१६१
नाद्याच्छूत्रस्य पक्वान्नं	४।२२३	नातेनाप्यवमन्तव्या	२।२२५
नाद्याद्विधिना मांसं	५।३३	नातो न मतो नोन्मतो	८।६७
नाधर्मश्चरितो लोके	४।१७२	नातोऽप्यपवदेद्विप्रात्	४।२३६
नाधर्मेणागमः कश्चित्	१।८१	नार्यसम्बन्धिनां नात्ता	८।६४
नाधार्मिके वसेद् ग्रामे	४।६०	नालोमिकां नातिलोमां	३।८
नाधिकं दशमादद्यात्	६।१५४	नावमन्येत वै भूष्णः	४।१३५
नाधीयीत इमशानान्ते	४।११६	नाविनीतं जेद् धुर्यैः	४।६७
नाधीयीतामिषं जग्वा	४।११२	नाविस्पृष्टमधीयीत	४।६६
नाधीयीताभ्यमारुहः	४।१२०	नावेदविहितां हिंसां	५।४३
नाध्यधीनो न वक्षतव्यो	८।६६	नाशयन्त्याशु पापानि	१।१२४५
नाद्यापमाद् याजनाद् वा	१०।१०३	नाशनति पितरस्तस्य	४।२४६
नाना रूपाणि जायन्ते	६।३८	नाशनति पितुर्देवास्तत्	३।१८
नानाविधानां द्रव्याणां	५।११०	नाशनीयाद्भार्यया सार्धं	४।४३
नानिष्ट्वा नवसत्येष्ट्या	४।२७	नाशनीयास्तन्धिबेलायां	४।५५
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये	२।१०५	नाश्रोत्रियतते यज्ञे	४।२०५

नासीनो न च भुञ्जानो	२।१६५	निपानकर्तुः स्नात्वा तु	४।२०१
नास्तिवयं वेदमिन्दां च	४।१६३	निबन्धीयात्तया सीमां	८।२५५
नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैः	६।१८	निमज्जतश्च मत्स्यादान्	५।१३
नास्ति स्त्रीणां पुण्यशो	५।१५५	निमन्त्रयेत् श्रवणान्	३।१८७
नास्फोटयेन्न च हवेदेत्	४।६४	निमन्त्रितात् हि पितरः	३।१८६
नास्य कश्चिद्वसेद् गेहे	४।२६	निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये	३।१८८
नास्य कार्योऽग्नि संस्कारः	५।६६	निमेषा वक्ष चाष्टौ च	१।६४
नास्य छिद्रं परो विद्यात्	७।१०५	निम्लोचेद्राप्यविज्ञानात्	२।२२०
नास्याधिकारो धर्मोऽस्ति	१७।१२६	नियतात्मा हविष्याशी	१।१२१८
नास्त्रमापातयेज्जानु	३।२२६	नियतो वेदमभ्यस्य	६।६५
निक्षिप्तस्य वनस्यैव	८।१६६	नियम्य प्रयतो वाचमभि	२।१८५
निक्षेपस्यापहरणम्	१।१५७	नियम्य प्रयतो वाचं संवी	४।४६
निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समम्	८।१६२	नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद्	२।१६२
निक्षेपस्यापहर्तारं निक्षेप्तारम्	८।१६०	नियुक्तस्तु यथान्यायं	५।३५
निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु	८।१८८	नियुक्तायामपि पुमान्	६।१४४
निक्षेपोपनिषी मित्यं	८।१८५	नियुक्तो सौ विधिं हित्वा	६।६३
निक्षेपो यः कृतो येन	८।१७४	नियोजयत्यपत्यार्थं	६।६८
निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कुः	८।२७१	निरन्वयं भवेत्स्तेयं	८।३३२
निगूढचारिणश्चान्यान्	६।२६०	निरन्वये शतं दण्डः	८।३३१
निगूढा हापयेच्छैनं	८।२२०	निरन्वयोऽनपसरः	८।१६८
निग्रहेण हि पापानाम्	८।३११	निरये चैव पतनं	६।६१
निग्रहं प्रकृतीनां च	७।१७५	निरस्य तु पुमाञ्जुहम्	५।६३
नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणाम्	५।१३०	निरादिष्टमनश्चेत्	८।१६२
नित्यमुदधूतपाणिः स्यात्	५।१६३	निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च	६।१८
नित्यमुद्यतदण्डस्य	७।१०३	निहन्त्यमानं प्रशनं च	८।५५
नित्यमुद्यतदण्डः स्यात्	७।१०२	निरोधनेन बन्धेन	८।३१०
नित्यं तस्मिन्समावृत्तः	७।५६	निषति भूमिचलने	४।१०५
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत	४।१६	निर्दया निर्नमस्काराः	६।२३६
नित्यं शुद्धः कायहस्तः	५।१२६	निदिष्टफलभोक्ता हि	७।१४४
नित्यं सवृत्तसंवायः	७।१०२	निर्दोषं ज्ञातिभरणम्	५।७७
नित्यं स्थितस्ते हृद्येः	८।६१	निर्भयस्तु भवेद्यस्य	६।२५५
नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यात्	२।१७६	निर्मलाः स्वर्गमायान्ति	८।३१८
नित्यानध्याय एव स्यात्	४।१०७	निर्लेपं काञ्चनं ज्ञानम्	५।११२
निधीनां तु पुराणानां	८।३६	निर्वर्ततास्य यावद्भिः	७।६१
निनीषुः कुलमुत्कर्षं	४।२४४	निवृत्तबुडकानां तु	५।६७
निनिवृत्तेभ्यो घनादानम्	१।१६६	निहृत्य तु व्रती प्रेतात्	५।६१
निन्दितेऽह्नि सायाह्ने	१।१८२	निवर्तन्ते द्विजादीनां	१।१५५
निन्दितैर्निदिता वृणां	३।४२	निवर्ततेऽश्च तस्मात्	१।१८४
निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु	३।५०	निवेद्य गुरुवेऽशीयात्	२।५१
निन्द्यैर्ह लक्षणैर्गुक्ता	१।१५३	निवृत्तं सेवमानस्तु	१।२।६०
निन्द्यैव सा भवेत्ल्लोके	५।१६३	निःश्रेयसकरं कर्म	१।२।८२
		निःश्रेयसं कर्मणां च	१।११७

निःश्रेयसं धर्मविधिं	११२६६	मोत्यादयेस्त्वयं काम्यं	८४३
निषादस्त्री तु बण्डालात्	१०३६	नोत्सङ्गं भक्षयेद्भूक्यान्	४६३
निषादो मार्गसं सुते	१०३४	नोदक्याग्निभाषेत	४५७
निषादः शूद्रकन्यायां	१०८	नोवाहरेदस्य नाम	२१६६
निषिद्धो भाषमाणस्तु	८३६१	नोद्वहेत्कपिलां कन्यां	३८
निषेकादिद्वयशान्तः	२११६	नोद्वाहिषेधु मन्त्रेषु	६६५
निषेकादीनि कर्माणि	२१४२	नोम्भसाया न कुष्ठिन्या	८१०५
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु	१२८६	नोपगच्छेत्प्रभसोऽपि	४४०
निष्पद्यन्ते च सस्यानि	६१२७	नोपयच्छेत् तां प्राशः	३११
निसर्गजं हि तत्तस्य	८४१४	नोपसृष्टं न वारिस्थं	४३७
निस्तारयति दुर्गाच्च	३६८	नोपेक्षत क्षणमपि	८३४४
निःश्रेयसकरं कर्म	१२८२	न्यस्तशस्त्रा महाभागा	३१६२
निःस्त्रेभ्यो देयमेतेभ्यः	११२	मृष्य पिण्डागततस्तास्तु	३२१६
नीचं शय्यासनं चास्य	२१६८		
नीहारे बाणशब्दे च	४११३	प	
नृणामकृतध्वजानाम्	५६७	पक्षिदष्टधोः परं तेजः	१२१२०
नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा	७७०	पक्वान्तानां च सर्वेषां	८३२६
नृपती कोदाराष्ट्रे च	७६५	पक्षान्तयोर्व्याप्यदनीयात्	६२०
नृपाणःममयो ह्येषः	७८२	पक्षिगन्धौषधीनां च	१११६८
नृपजं पितृयज्ञं च	४२१	पक्षिणां पोषको यश्च	३१६२
नृप्रशासत्यजस्रं य	१०३३	पक्षिजगन्धं गन्धघ्रातम्	५१२५
मेलेतोद्यन्तभावित्थं	४३७	पञ्चकुण्डलको माषः	८१३४
नेत्रवक्त्रविकारैश्च	८२६	पञ्च क्लृप्ता महायज्ञा	३६६
मेहेतार्थाभिप्रसङ्गेन	४१५	पञ्च पद्मवन्तुते हन्ति	८६८
नैकधाम्नीसमितिषि	३१०३	पञ्चम्य एव मात्राम्यः	१२१६
नैकः प्रपद्येताध्वानं	४६०	पञ्चयज्ञविधानं च	३६७
नैकः सुप्याच्छून्यगेहे	४५७	पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे	८४०२
नैला रूपं परीक्षन्ते	६१४	पञ्चरात्रं पिबेत्पीत्वा	१११४७
नैतैरपूर्तविधिवद्	२४०	पञ्चसूना गृहस्थस्य	३६८
नैत्यके नास्त्यनध्यायः	२१०६	पञ्चानां तु त्रयो धर्म्याः	३२५
नैनं ग्रामेऽभिनिस्तोचेत्	२१२६	पञ्चानां त्रिषु बर्हद्	२१२७
नैनः किञ्चिदवाप्नोति	६६१	पञ्चाशतस्त्वम्यधिके	८३२२
नैह्मर्तो दिशमातिष्ठेत्	१११०४	पञ्चाशत् भवेद् दण्डः	८२६७
नैवं कुर्या पुनरिति	११२३०	पञ्चाशत् ब्राह्मणो दण्ड्यः	८२६८
नैवाहं पतृक रिक्त्यं	६१४४	पञ्चाशद्भाग आदेयो	७१३०
नैव चारणदारैरु	८३६२	पञ्चैतान्यो महायज्ञान्	३७१
नैःश्रेयसमिवं कर्म	१२१०७	पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति	३१२६
नोच्छिन्नादात्मनो मूलं	७१३६	पणानां द्वे शते सार्धं	८१३८
नोच्छिष्टं कस्यचिद्दधात्	२५६	पणो देयोऽवकृष्टस्य	७१२६
नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्याः	५१४१	परां यानं तरे दाप्यं	८४०४
नोत्पादकः प्रजाभागी	६४८	पतत्यज्ञानतो विप्रः	१११७५

पतस्त्रिणावलीढं च	४१२०८	परस्य वण्डं नोद्यच्छेत्	४११६४
पतितस्योदकं कार्यम्	१११८२	परस्य पत्न्या पुरुषः	८१३५४
पतितां पङ्कलग्नां वा	११११२	परस्य विपरीतं च	७११७१
पतिर्तः संप्रयुक्तानां	१११७६	परस्त्रियं योऽभिषेत्	८१३५६
पतिता भवतो गत्वा	६१५८	पराको नाम कुञ्चोऽयं	११२१५
पतिलोकमभीप्सन्ती	५११५६	पराङ्मुखस्याभिमुखो	२११६७
पतिव्रता धर्मपत्नी	३१२६२	पराजयश्च संग्रामे	७११६६
पतिव्रतासु च स्त्रीषु	८१२८	परामप्यापवं प्राप्तेः	६१३१३
पतिसेवा गुरो वासः	२१६७	परितुष्टेन भावेन	४१२२७
पति या नामिषरति लोके	५११६५	परित्यजेदर्थकामो	४११७६
पति या नामिषरतिलोकाना	६१२६	परित्यजेन्तृपो भूमि	७१२१२
पति शुश्रूषते येन	५११५५	परिपूतेषु धान्येषु	८१३३१
पति हित्वाऽप्रकृष्टं स्व	५११६३	परैरुतं यथा चन्द्रसु	६१३०६
पतिर्न्यां सम्प्रविश्य	६१८	परिभाषणमर्हन्ति	६१२८३
पतीम्प्रजानामसृजं	११३४	परिभोक्ता क्रुमिभं विति	२१२०१
पत्यो जीवति कुण्डः स्यात्	३११७४	परिवेत्ता स विज्ञेयः	३११७१
पत्यो जीवति यः स्त्रीभिः	६१२००	परिवितिताऽमुजेऽनूढे	१११६०
पत्यो जीवति वृत्तायाः	६११६५	परिवितिलः परिवेत्ता	३११७८
पञ्चशक्तृणामां च	७११३२	परिवेषयत प्रयतो	३१२२६
पवि क्षेत्रे परिवृते	८१२४०	परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं	७१२१२
पदान्यष्टादशैतानि	८१७	परीबादात्करो नवति	२१२०१
पदा मस्तकमाक्रम्य	१११४३	परेण तु वशाहस्य	८१२२३
पद्मेन चैव व्यूहेन	७११८८	पर्याप्तभोगा घमिष्ठा	३१४०
पयो घृतं वाऽऽमरणाद्	१११६१	पर्ववर्जं व्रजेचर्चनां	३१४५
पयोमूलफलैर्वाजिपि	३१८२	पलं सुवर्णद्विचत्वारः	८११३५
पयः पिबेत् त्रिरात्रं वा	१११३२	पलाण्डुं गृह्णन् चैव	५११६
परकीयनिपानेषु	४१२०१	पलालभारकं घण्डे	१११३३
परदारानिमिशेषु	८१३५२	पवित्रं दुष्यतीत्येतत्	१०१०२
परदारेषु जायेते	३११७४	पवित्रं यच्च पूर्वोक्तं	३१२५६
परदारोपसेवा च	१२१७	पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या	१२१४२
परद्व्येष्वभिध्यानम्	१२१५	पशवश्च मृगाश्चैव व्याला	११४३
परधर्मेण जीवन्ति	१०१६७	पशुना स्वयनस्यादौ	४१२६
परपत्नी तु या स्त्री स्यात्	२११२६	पशुमण्डुकमार्जार	४११२६
परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो	६११६	पशुषु स्वामिनां चैव	८१२२६
परमं यत्नमातिष्ठेत् स्तेनानाम्	८१३०२	पशुषु स्वामिनां दद्यात्	८१२३४
परलोकं नयत्याशु	४१२४३	पशून्मृगान्मनुष्याश्च	११३६
परलोकसहायार्थं	४१२३८	पशूनां रक्षणं चैव	८१४१०
परस्परस्य दारेषु	१०१२६	पशूनां रक्षणं वामं	११६०
परस्परविद्वानां	७११५२	पशूनां हरणं चैव	८१३२५
परस्परस्यानुमते	८१३५८	पश्चाच्च न तथा तत्स्यात्	८१२१२
परस्परादिनः स्तेनाः	१२१५६	पश्चाद् दृश्येत यत्किञ्चित्	६१२१८

पश्चात्प्रतिभुवि प्रेते	८११६१	पितापुत्री विजानीयाद्	२११३५
पश्चिमां तु समासीनो मलं	८११०२	पिता प्रधानं प्रजने	६११२१
पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्	२११०१	पितामहो वा तच्छ्राद्धं	३२२२
पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु	५१६२	पिता यस्य निवृत्तः स्यात्	२१२२१
पाकयज्ञविधानेन	१११११८	पिता रक्षति कौमारे	६१३
पालण्डगणधर्माश्च	११११८	पिता च गार्हपत्योऽग्निः	२१२३१
पालण्डमाश्रितानां च	५१६०	पिता हरेदपुत्रस्य	६११८५
पालण्डिनो विकर्मस्थान्	४१३०	पितृभंगिन्यां मातुश्च	२११३३
पाठीनरोहिताबाधौ	५११६	पितुः स नाम सङ्कीर्त्य	३१२२१
पाणिग्रहणसंस्कारः	३१४३	पितृवैचमनुष्याणाम्	१२१६४
पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव	८१२२६	पितृभिर्भ्रातृभिश्चरताः	३१५५
पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं	८१२२७	पितृभ्यो बलिशेषं तु	३१६१
पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री	५११५६	पितृभ्यो विधिवद् दत्तं	३१२६६
पाणिभ्यां मूषसंगृह्य	३१२२४	पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य	३११२२
पाणिमुद्राम्य दण्डं वा	८१२८०	पितृवैजमनि कन्या तु	६११७२
पात्रस्य हि विशेषेण	७१८६	पितृणामनुगच्छेच्च	६११०६
पादयोर्दादिकायां च	८१२८३	पितृणां तस्य तृप्तिः स्यात्	३११४६
पादस्पर्शस्तु रक्षांसि	३१२३०	पितृणां मासिकं श्राद्धं	१११२३
पादेन प्रहरन्कोपात्	८१२८०	पितृन्वाद्देवच नूनन्तः	३१८१
पावोऽघर्मस्य कर्तारं	८११८	पितृश्चैवाष्टकास्त्वर्चत्	४११५०
पादं पशुश्च योषिच्च	८१४०४	पितेव पालयेत् पुत्राम्	६११०८
पादः सभासदान्सर्वान्	८११८	पित्राद्यनं त्वीहमानः	३१२०५
पानमक्षाः हिप्रयश्चैव	७१५०	पित्रा भर्त्रा सुतैर्वपि	५११४६
पानं दुर्जनसंसर्गः	६११३	पित्रा विवदमानश्च	३११५६
पापकृन्मुच्यते पापात्	१११२२७	पित्रे न दद्याच्छुल्कन्तु	६१६३
पापरोगी सहस्रस्य	३११७७	पित्र्यमानिघनत्कार्ये	३१२७६
पापरोग्यमिहस्तश्च	३११५६	पित्र्ये कर्मणि तु प्राप्ते	३११४६
पापान् संयान्ति संसारान्	१२१५२	पित्र्ये राज्यहनी भासः	११६६
पापान्संमृत्यु संसारान्	१२१७०	पित्र्ये स्वदितमित्येव	३१२५४
पायसं मधुसपिभ्यां	३१२७४	पित्र्यं वा भजते शीलम्	१०१५६
पायूपस्यं हस्तपादं	२१६०	पिशुमान्तिनोश्चान्नं	४१२१४
पारदाः पल्लवाश्चीनाः	१०१४४	पिशुनः पौतिकांसिचयम्	१११५०
पारुष्यममृतं चैव	१२१६	पीडनानि च सर्वाणि	६१२६६
पाणिग्राहं च संप्रेक्ष्य	७१२०७	पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च	५११४५
पांसुर्बर्षे दिशां बाहे	४१११५	पुत्रकस्यां जायते पापः	१०१३८
पिण्डनिर्वपणं केचित्	३१२६१	पुण्याभ्यानि कुर्वीत	११३६
पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं	३११२२	पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा	२१३०
पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां	३१२१६	पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य	६१६७
पितरश्चैव साध्याश्च	१२१४६	पुत्रका इतिहोवाच	२११५१
पितरस्तावदश्नन्ति	३१२३७	पुत्रदारस्य वाप्येनं	८१११४
पिताऽऽचार्यः भुङ्क्तेमाता	८१३३५	पुत्रदारात्ययं प्राप्तः	१०१६६

पुत्रप्रतिनिधीनाहुः	६।१८०	पूर्णे चानस्यनस्थानां तु	१।११४०
पुत्रवच्चापि वतरन्	६।१०८	पूर्वभुक्त्या च सततं	८।२५२
पुत्राणां भर्तारि प्रते	५।१४८	पूर्वमाक्षारितो दीर्घः	८।३५४
पुत्रान् द्वादश यामाह	६।१५८	पूर्वाह्ण एव कुर्वीत	४।१५२
पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः	१२।१४	पूर्वं दोषानभिख्याप्य	८।२०५
पुत्रिकायां कृतायाम्	६।१३४	पूर्वं पूर्वं गुह्यतरं जानी	६।२६५
पुत्रेण लोकान् जयति	६।१३७	पूर्वं पूर्वं गुह्यतरं विद्या	७।५२
पुत्रे राज्यं समासृज्य	६।३२३	पूर्वां सख्यां जपंस्तिष्ठन्नाशमेनो	२।१०२
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य	६।३	पूर्वां सख्यां जपंस्तिष्ठेत् सावित्रीम्	२।१०१
पुत्रे सर्वं समासृज्य	४।२५७	पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत् स्वकाले	४।६३
पुत्रं पुत्रगुरुर्युक्तं	६।१६६	पूर्वोत्तरपरेद्युर्वा	३।१८७
पुत्रं प्रत्युक्षितं सद्भिः	६।३१	पृथक्पृथक्वा मिथौ वा	३।२६
पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायाम्	६।१२६	पृथग्विवर्धते धर्मः	६।१११
पुनः संस्कारमर्हन्ति	११।१५०	पृथिवीमपि चैवेमां	१।१०५
पुनर्दारक्रियां कुर्यात्	५।१६८	पृथुस्तु द्विजयात्राञ्च	७।४२
पुनाति पक्षि बंशशब्ध	१।१०५	पृथोरपीमांस्पृथिवीम्	६।४४
पुष्मान्नो नरकाद् यस्मात्	६।१३८	पृष्टस्तत्रापि तदङ्ग्यात्	८।७६
पुष्मान्पुंसोऽधिके शुके	३।४६	पृष्टोऽप्यव्ययमानस्तु	८।६०
पुष्पांसं दाहयेत् पापं	८।३७२	पृष्ट्वा स्वदितमित्येव	३।२५१
पुराणेष्वपि यज्ञेषु	५।२३	पृष्ठतस्तु शरीरस्य	८।३००
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह	१०।३८	पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत	३।६१
पुरुषस्य स्त्रियाञ्चैव	६।१	पैतृकम् पिता ब्रह्मम्	६।२०६
पुरुषाणां कुलीनानां	८।३२३	पैतृकस्यैषीं भगिनीम्	११।१७१
पुरोडाशांश्चैव चैव	६।११	पैत्रिको दण्डदासश्च	८।४१५
पुरोहितं च कुर्वीत	७।७८	पैतृवीदुम्बरो वैश्यो	२।४५
पुनस्त्यस्याज्यपाः पुत्राः	३।१६८	पैशाचश्चासुरश्चैव	३।२५
पुलाकाश्चैव घान्यानां	१०।१२५	पैशुन्यं साहसं क्रोहं	७।४८
पुष्कलं फलमान्नोति	३।१२६	पौष्पकाश्चोद्भविताः	१०।४४
पुष्पमूलफलानां च	११।१६५	पौत्रदोहित्रयोर्लोकं न	६।१३३
पुष्पमूलफलैर्वापि	३।२१	पौत्रदोहित्रयोर्लोकं विशेषः	६।१३६
पुष्पिणः फलिनश्चैव	१।४७	पौत्रो मातामहस्तेन	६।१५५
पुष्पेषु हरिते धान्ये	८।३३०	पौनर्भवेन भर्ता सा	६।१७६
पुष्पे तु छन्दसां कुर्यात्	४।६६	पौर्विकीं संमरञ्ज्वाति	४।१४६
पूजयित्वा ततः पश्चाद्	३।११७	पौर्वस्याख्यलक्षिताख्य	६।१५
पूजयेदशनं निरयं	२।५४	प्रकल्प्या तस्य तैर्बलिः	१०।१२४
पूजयेद्ब्रह्मकव्येन	४।३१	प्रकल्पमेतत् तार्क्यम्	६।२२२
पूजितं ह्यशनं निरयं	२।५५	प्रकाशश्चञ्चकास्तेषाम्	६।२५७
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च	१०।७२	प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा	८।३५१
पूज्या भूययितव्याश्च	३।५५	प्रकाशाश्चाप्रकाशाश्च	६।२५६
पुण्यं चिकित्सकस्याभनं	४।२२०		
पूजयित्वातिवर्षेण	२।२१२		

प्रकृत्याग्नं यथाशक्ति	३।१।३	प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयान्	१६।१।२
प्रक्षालनेन त्वत्पानां	५।१।८	प्रतिग्रहाद् याजनाद् वा	१०।१।०६
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य	३।२६४	प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु	४।१।८६
प्रचेतसं वसिष्ठं च	१।३५	प्रतिग्रहं पिबेदुष्णान्	११।२।४
प्रच्छन्नपापा जप्येन	५।१।०७	प्रतिपूज्य यथान्यायं	१।१
प्रच्छन्मवचकास्त्वेते	६।२५७	प्रतिबुद्धश्च सृजति	१।७४
प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा	६।२।२८	प्रतिभागं च दण्डं च	८।३।०७
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा	१०।४०	प्रतिभाष्यं वयादानम्	८।१५६
प्रजनार्थं महाभागाः	६।२६	प्रतिरोद्धा गुरोरर्चनं	३।१५३
प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः	६।६६	प्रतिवातेऽनुवाते च	२।२।०३
प्रजानां परिरक्षार्थं	५।६४	प्रतिश्रवणसम्भावे	२।१६५
प्रजानां रक्षणं शानं	१।८६	प्रतिनिद्रापि श्रेया तु	६।८४
प्रजापतिरिव शास्त्रम्	११।२४३	प्रतिषेधस्तु चाधमन्	२।२।०६
प्रजापतिर्हि वैश्याय	६।३२७	प्रतीपमेतद् देवानां	४।२।०६
प्रजा रक्षन्परं शक्त्या	१०।१।८	प्रतीपमेते जायन्ते	१०।१।७
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति	७।२५	प्रनुवाञ्जालपादौघ	५।१।३
प्रजास्तमनुवर्तन्ते	८।१७५	प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थः	६।५२
प्रजैस्सिताभिरन्तव्या	६।५६	प्रत्यक्षं चानुमानञ्च	१२।१।०५
प्रजा तेजो बलं...प्रवर्धते	४।४२	प्रत्यगेव प्रयागाच्च	२।२।१
प्रजा तेजो बलं...प्रहीयते	४।४१	प्रत्यग्निं प्रणिष्ठीयं च	४।५२
प्रजां यज्ञश्च कीर्तिं च	४।६४	प्रत्यहं कल्पयेद् वृत्तिं	७।१।२५
प्रणतं प्रति पृच्छेयुः	११।१६५	प्रत्यहं वैशष्टेयश्च	८।३
प्रणम्य तु शयानस्य	२।१६७	प्रत्यहं लोकयात्रायाः	६।२७
प्रणम्य लोकपालेभ्यः	८।२३	प्रत्याहारेण संसर्गान्	६।७२
प्रणष्टस्वामिकं रिक्कम्	८।३०	प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां	२।१।२०
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं	८।३४	प्रत्युदगम्य त्वाव्रजतः	२।१।६६
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च	६।३१७	प्रत्युवाचाचर्यं तान्सर्वान्	१।४
प्रणेतुं शक्यते दण्डः	७।३१	प्रत्येकं कथिता ह्येताः	१।१।५७
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी	६।३१०	प्रथमं तत्प्रमाणानां	८।१।३२
प्रतिकुर्याच्च तत्सर्वं	६।२८५	प्रथमेऽन्दे तृतीये वा	२।३।५
प्रतिकूलं वर्तमाना	१०।३१	प्रथिता प्रेतकृत्येवा	३।१।२७
प्रतिगां प्रतिवार्तां च	४।५२	प्रदक्षिणं परीत्याग्निं	२।४।८
प्रतिगृह्णन्विद्वान्स्तु	४।१।८८	प्रदक्षिणानि कुर्वीत	४।३।६
प्रतिगृह्ण हिंजो विद्वान्	४।१।१०	प्रदद्यात्परिहारांश्च	७।२।०१
प्रतिगृह्ण पुटेनैव	६।२८	प्रदिशेद् भूमिमेतेषां	८।२।६५
प्रतिगृह्णाप्रतिग्राह्यम्	११।२।५३	प्रपितामहास्तथादित्यान्	३।२।८४
प्रतिगृह्णेप्सितं दण्डं	२।४८	प्रभूयाद् ब्राह्मणस्त्वेषां	१०।१
प्रतिग्रहनिमित्तं च	१०।१।११	प्रभूयादितरेभ्यश्च	१०।२
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि	४।१।८६	प्रभुः प्रथमकल्पस्य	११।३०
प्रतिग्रहस्तु क्रियते	१०।१।१०	प्रमदा ह्युत्पद्यं नेतुं	२।२।१४
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः	१०।१।०६	प्रमाणं चैव लोकस्य	११।८४

प्रमाणानि च कुर्वीत	७।२०३	प्राणायामैर्बहेद् दोषान्	६।७२
प्रमादयेत्प्राणभृतः	८।२६५	प्राणायामैस्त्रिभिः पूतः	२।७५
प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं	११।१२६	प्राणिभिः क्रियते यस्तु	६।२२३
प्रयुक्तं साधयेदर्थं	८।४६	प्राणि वा यदि वाऽप्राणि	४।११७
प्रयुज्यते विवाहेषु	५।१५२	प्रातिज्ञाभ्यं वृथादानं	८।१५६
प्रयुञ्जानोऽग्निशुश्रूषां	२।२४८	प्रातिलोभ्येन जायन्ते	१८।१६
प्रयोगः कर्मयोगश्च	१०।११५	प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च	८।३६२
प्रवर्तमानमन्याये	६।२६२	प्रादुर्भूतेष्वग्निषु तु	४।१०६
प्रवासयेद्दण्डयित्वा	८।१२३	प्राधीते शतसाहस्रं	७।८५
प्रविशेद्भोजनार्थं च	७।२२४	प्रापणात्सर्वकामानां	२।६५
प्रविश्य सर्वभूतानि	६।३०६	प्राप्तापराधास्ताड्याः स्युः	८।२६६
प्रवृत्तं कर्म सत्सेव्यं	१२।६०	प्राप्नुवन्ति दुरात्मानः	११।४८
प्रवृत्तं च निवृत्तं च	१२।८८	प्राप्यतत्कृतकृत्यो हि	१२।६३
प्रवृत्तिरेवा भूतानां	५।४६	प्रायश्चित्तमकुर्वाणो	२।२२१
प्रशान्तमिव शुद्धात्	१२।२७	प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति	११।१६२
प्रशान्तितारं सर्वेषाम्	१२।१२२	प्रायश्चित्तस्य कुर्वाणाः	६।२४०
प्रष्टव्या सीमलिङ्गानि	८।२५४	प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य	११।४७
प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु	११।४४	प्रायश्चित्ते तु चरिते	११।८६
प्रसमीक्ष्य निवर्त्तते	५।४६	प्रायोनाम तपः प्रोक्तम्	११।४७
प्रसह्य कन्याहरणं	३।३३	प्राप्य भूत्रपुरीषाणि	११।१५४
प्रसवे च शुचिर्वत्सः	५।१३०	प्राप्त्येदारमानमग्नी वा	११।७३
प्रसाधनोपचारजम्	१०।३२	प्रियं च नान्त कृयात्	४।१३८
प्रहर्षयेद्दलं वृषहृ	७।१६४	प्रिया भवन्ति लोकस्य	८।४२
प्राकारस्य च भेदारम्	६।२८६	प्रियेषु स्वेषु सुकृतम्	६।७६
प्राक्कृत्स्नाभ्यर्च्य पासीनः	२।७५	प्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा	६।८४
प्राङ्नामिबधनार्पुसः	२।२६	प्रेतनिर्घातकश्चैव	३।१६६
प्राचीनाचीतिना सम्यक्	३।२७६	प्रेतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि (बेहशुद्धि)	५।५७
प्राजकश्चेद्भूदेवाप्तः	८।२६४	प्रेतहारैः समं तत्र	५।६५
प्राजापत्यमः स्वाध्वम्	११।३८	प्रेते राजानि स ज्योतिः	५।८२
प्राजापत्यं चरेत्कच्छं	११।१०५	प्रेत्येह च सुखोदकान्	६।२५
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम्	६।३८	प्रेत्येह चेदृता विप्रा	४।१६६
प्राज्ञं कुलीनं शूरं च	७।२१०	प्रेत्यान्वार्युषिकाश्चैव	८।१०२
प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यात्	४।१८७	प्रेत्यो ग्रामस्य राज्ञश्च	३।१५३
प्राङ्विवाशोऽनुयुञ्जीत	८।७६	प्रेत्यासु चैकभक्तासु	८।३६३
प्राणभृत्सु महत्स्वर्गं	८।२६६	प्रोक्षणं संहतानां च	५।१२२
प्राणवायुक्रमात्रः स्यात्	६।५७	प्रोक्षणात्सुलकाष्ठं च	५।१२२
प्राणस्याग्निमिव सर्वं	५।२८	प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं	५।२७
प्राणानप्सु त्रिरायम्य	११।१४६	प्रोषिते त्वविधार्यैव	६।७५
प्राणानेषात्सुमिच्छन्ति	४।२८	प्रोषितो धर्मकार्यायम्	६।७६
प्राणानां परिरक्षार्थं	१०।१०६		
प्राणायामा ब्राह्मणस्य	६।७०		

फ		भास्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्	५११४८
फलदानान्तु वक्षणां	१११४२	बाह्यं विमादयेत्तिष्ठेत्	८१२५
फलस्त्यनुयुगं लोके	११८४	विडालकाकावच्छिष्टम्	१११४९
फलस्त्वमभिसंधाय	९१५२	विभलि सर्वभूतानि	१२१९९
फलपुण्योद्भवानां च	१११४३	विभृयादानुशस्येन	७१४११
फलमूलाशनर्मध्येः	५१५४	बीजकाण्डरुहाप्येव	११४८
फलं कतकवृक्षस्य	३१६७	बीजक्षेत्रं तथैवान्ये	१०१७०
फलेषुः कुसुमस्तेयं	१११७०	बीजमेके प्रशंसन्ति	१०१७०
फाल्गुनं वाज्यं चैत्रं वा	७१८२	बीजस्य चैव योन्याश्च	९१३५
ब		बीजानामुत्तिष्ठिच्च स्यात्	९१३३०
बको भवति हृत्वाग्निम्	१२१६६	बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः	११२६
बकं चैव बलाकां च	५११४	बुद्धिबुद्धिकारण्याशु	४११९
बकवक्षिन्तयेद्वान्	७११०६	बुद्धोद्भिद्याणि पञ्चधा	२१९१
बन्धनानि च काष्ठानि	१२१७८	बुद्ध्या च सर्वं तत्त्वेन	७१६८
बन्धनानि च सर्वाणि	९१२८८	बुध्यतां रिप्रयुक्तां च	७११०४
बन्धुप्रियययोगाश्च	१२१७९	बैजिकं गामिकं चैतौ	२१२७
बभूवुहि पुरोडाशा	५१२३	बैजिकादभिसम्बन्धात्	५१६३
बलवानिन्द्रिययामः	२१२१५	बैडालव्रतिको जैयो	४११९५
बलवाञ्जायते वायुः	११७६	ब्रह्मक्षत्रियनिर्द्वयोनिः	२१८०
बलस्य स्वामिन्सर्वे	७११६७	ब्रह्म क्षत्रं च सृष्ट्वत्	९१३२२
बलाहस्तं बलात् भुवत्	८११६८	ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका	८१८९
बलं सञ्जायते राज्ञः	८११७२	ब्रह्मणा च परित्यक्ताः	१११९९२
बहवश्चेत्तु सदृशाः	९११८४	ब्रह्मणो ग्रहणं चैव	२११७३
बहवोऽविनयाभ्रष्टा	७१४०	ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात्	२१७४
बहिरुच्चेद्वाप्यन्ते घर्मान्	८११६४	ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं	५११२९
बह्वीर्गाः प्रतिजग्राह	१०११०७	ब्रह्मचारी गृहस्थश्च	६१८७
बह्वीषु चैकजातानां	९११४८	ब्रह्मचारी तु योऽस्मीयान्	११११५८
बहुत्वं परिगृह्णीयात्	८१७३	ब्रह्मचारी भवेन्नित्यं	४११२८
बहन् बर्धनान् धोरान्	१२१५४	ब्रह्मचारी व्रती च स्याद्	१११२२४
बालघ्नाश्च कृतघ्नाश्च	११११९०	ब्रह्मचार्यहिरद् भैक्षं	२११८३
बालवायारिकं रिषथं	८१२७	ब्रह्मचार्येव भवति	३१५०
बालिया वा युवत्या वा	५११४७	ब्रह्म चैव धनं येषां	९१३१६
बालवृद्धातुराणां च कुर्वता	८१३१२	ब्रह्म छन्दस्क्रुतं चैव	४११००
बालवृद्धातुराणाञ्च साक्ष्ये	८१७१	ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य	२११४६
बालवृद्धातुरैर्वैद्यैः	४१७९	ब्रह्म तेजोमयं दण्डं	७११४
बालातपः प्रेतधूमः	४१६९	ब्रह्मदेयात्मसंतानो	३११८५
बालाश्च न प्रमीयन्ते	९१२४७	ब्रह्मद्विद् परिवर्तिश्च	३११५४
बाले देशान्तरस्थे च	५१७८	ब्रह्म यस्त्वन्ननुशातं	२१११६
बालोऽपि नाश्वन्नन्तव्यो	७१८	ब्रह्मवर्चसकामस्य	२१३७
बालोऽपि विप्रो वृद्धस्य	२११५०	ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा	३१३९
बालः समानजन्मा वा	२१२०८	ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु	३१८९

ब्रह्महत्याकृतं पापं	१११=६	ब्राह्मणे चानानुचाने	२१२४२
ब्रह्महत्यापनोदाय	१११७५	ब्राह्मणेषु च विद्वांसः	११६७
ब्रह्महत्या सुरापानम्	१११५४	ब्राह्मणे माहसः पूर्वः	८१२७६
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं	१११८६	ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः	३१२४३
ब्रह्महा च सुरापइव	६१२३५	ब्राह्मणः शिल्पिभिर्यन्त्रैः	७१७५
ब्रह्महा द्वादश समाः	१११७२	ब्राह्मणो जायमानो हि	११६६
ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो	२१७०	ब्राह्मणो वैरुद्रपालाशः	२१४५
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रं	४११४६	ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्	२११२७
ब्रह्मारम्भेऽवसन्ने च	२१७१	ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं	११३१
ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मः	१२१५०	ब्राह्मणं दशवर्षं तु	२१३५
ब्रह्माष्टकापीर्णमास्यो	४१११४	ब्राह्मणं भिक्षुं चापि	३१२४३
ब्रह्मादृतिहुतं पुण्यं	२११०६	ब्राह्मणः क्षत्रियो चापि	१०१११७
ब्रह्म व सन्निपन्तु स्वात्	६१३२०	ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः	१०१४
ब्रह्मोऽभक्ता वेदनिन्दा	१११५६	ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति	४१२४५
ब्रह्मोद्यइव कथाः कुर्याद्	३१२३१	ब्राह्मणः सत्परात्रेण	१०१६३
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रा	६११५५	ब्राह्मणः सम्भवैर्नव	११८४
ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु	८१२७६	ब्राह्मण्यामप्यनार्थात्	१०१६६
ब्राह्मणस्तु सुरापस्य	११११४६	ब्राह्मणैर्वावगन्धर्वं	६११६६
ब्राह्मणस्त्वनधीयानः	३११६८	ब्राह्मणैकमहर्जयं	११७२
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः	८१३३८	ब्राह्मस्य अश्विनः कर्ता	२११५०
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानम्	१११२३५	ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य	११६८
ब्राह्मणस्य रजः कृत्वा	१११६७	ब्राह्मदिषु विवाहेषु	३१३६
ब्राह्मणस्य विशेषेण	१११११	ब्राह्मन्योनांश्च सम्बन्धान्	२१४०
ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण	६११४५	ब्राह्मोपुत्रः सुकृतकृत्	३१३७
ब्राह्मणस्यैव कर्मेतत्	२११६०	ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन	२१५८
ब्राह्मणस्त्वं न हर्तव्यम्	११८	ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत	४१६२
ब्राह्मणाङ्गप्रकन्यायाम्	१०११५	ब्राह्मैर्यनिश्च सम्बन्धे	३११५७
ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्य	६१३३५	ब्राह्मो वैश्वस्तर्षेवार्धः	३१२१
ब्राह्मणाङ्गं वैश्यकन्यायाम्	१०८	ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं	७१२
ब्राह्मणान्पर्युपासीत	७१३७	ब्राह्मणं हुतं द्विजाप्रधाचर्चि	३१७४
ब्राह्मणान् वाधमानस्तु	६१२४८	ब्राह्मणं हुतं प्राशितं च	३१७३
ब्राह्मणान्वेदविदुषः	१११४	ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्	८१८८
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्त्याः	१०१७४	ब्रूहीत्युक्तश्च न ब्रूयात्	८१५६
ब्राह्मणाभ्युपपन्नो च	८१११२		
ब्राह्मणाय च राज्ञि च	६१३२७		
ब्राह्मणायैवगूर्यैव	४११६५		
ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा ः हत्यागो	१०१६२		
ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा र ह्यः	१११७६		
ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव	८१४०७		
ब्राह्मणो तद्धरेत् कन्या	६११६८		
ब्राह्मणो यद्यभुक्तास्तु	८१३७६		
		भ	
		भक्षयन्तीं न कथयेत्	१११११४
		भक्षयन्तीं पहरणं	११११६५
		भक्षयन्तीं पर्वेशोदय	६१२६८
		भक्षयन्तीं पर्वेशोदयः	५११८
		भक्षयन्तीं पर्वेशोदयः	११११३
		भक्षयन्तीं पर्वेशोदयः	५११७

मध्यं भोज्यं च विविधं	३।२२७	भुञ्जीयातां ततः पश्चात्	३।११६
मगवन्सर्ववर्णानां	१।२	भूतं भव्यं भविष्यं च	१।२।६७
भग्नं तदव्यवहारेण	८।१४८	भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः	१।६६
भजेरन्मातृकं रिवधं	६।१०४	भूतिकामैर्नरैर्नित्यं	३।५६
भजेरन्मातृकं रिवधं	६।१६२	भूमाश्च्येककेवारे	६।३८
भद्रं भद्रमिति ब्रूयात्	४।१३६	भूमिदो भूमिमाप्नोति	४।२३
भयाद्भोगाय कल्पन्ते	७।१५	भूमिवज्रमणीनां च	१।१।५७
भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्डौ	८।१२०	भूमि भूमिशयाश्चैव	१०।८४
भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु	१०।१०७	भूमौ विपरिचर्तत	६।२२
भर्ता तरसर्वमादत्ते	७।६५	भूतृणां शिशूकं चैव	६।१४
भर्तारं लङ्घयेद्वा या तु	८।३७१	भृतकाध्यापको यश्च	३।१५६
भर्तुर्यद् दुष्कृतं किञ्चित्	७।६४	भृतो नास्तौ न कुर्वाद्यो	२।२१५
भर्तुः पुत्रं विजानन्ति	६।३२	भृत्या चाभ्ययनादान	१।१।६२
भर्तुः शरीरशुश्रूषाम्	६।८६	भृत्यानामुपरोधेन	१।१।१०
भक्तपूर्वं चरेद् भिक्षं	२।४६	भृत्यानां च भृतिं विद्यात्	६।३३२
भवत्याचारवान्नित्यं	१२।१२६	भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थं	५।२२
भवन्त्यायोगवीज्वेते	१०।३५	भृत्या भवन्ति प्रायेण	७।१२३
भवन्मध्यं तु राजन्यः	२।४६	भक्षाद्यात्मविशुद्ध्यर्थं	१।१।७२
भव्यं गव्यं च पेयूषं	५।६	भिक्षेण व्रतयेन्नित्यं	२।१८८
भस्मनाऽङ्गिमुं वा चैव	५।१११	भिक्षेण व्रतितो वृत्तिः	२।१८८
भस्मनीव हुतं हव्यं	३।१८१	भिक्षे प्रमत्तो हि यतिः	६।५५
भस्मीभूतेषु विप्रेषु	३।६७	भोजनाभ्यङ्गनाद् वानात्	१०।६१
भागो यवीयसां तत्र	६।२०४	भोजनार्थं हि ते शसन्	३।१०६
भाण्डपूर्णाणि यानानि	८।४०५	भोजयेत्सह भृत्यैस्ती	३।११२
भाण्डावकाशदाश्चैव	६।२०१	भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि	३।१२५
भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एव	८।४१६	भोभवत्पूर्वकं त्वेन	२।१२८
भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेक्ष्यो	८।२६६	भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते	२।१२४
भार्यां प्र पूर्वभारिण्यं	५।१६८	भौमिकैस्ते समा ज्ञेया	५।१४२
भिक्षामप्युवपात्रं वा	३।६६	भ्रातरो ये च संसृष्टाः	६।२१२
भिक्षावसि रिश्वान्तः	६।३४	भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा	४।१८४
भिक्षां च भिक्षवे दद्यात्	३।६४	भ्रातुर्भ्येष्ठस्य भार्यायाश्च	६।५७
भिक्षुका बभिनश्चैव	८।३६०	भ्रातुर्भार्यावसंश्राष्ट्या	२।१३२
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं	२।५०	भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां	३।१७३
भिक्षन्त्यवसता मन्त्रं	७।१५०	भ्रातृमातृपितृप्राप्तं	६।१६४
भिक्षाश्चैव तडागानि	७।१६६	भ्रातृणामभिभक्तानाम्	६।२१५
भुक्तवत्सु च विप्रेषु	३।१११	भ्रातृणामेकजातानाम्	६।१८२
भुक्तवत्सु च विप्रेषु	३।११६	भ्रातृणां यस्तु नेहेत	६।२०७
भुक्तवान् बिहरेच्छैव	७।२२१	भ्रामरी गण्डमाती च	३।१६१
भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यक्	२।५३	भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव	४।२०८
भुक्त्वाऽतोऽप्यतमस्यान्नं	४।२२२		
भुज्यमानं परैस्तूष्णीं	८।१४७		

म

मक्षिका विप्रवद्व्याया	५।१३३	मनोहरेष्यगर्भस्य	३।१६४
मङ्गलाचारयुक्तानां	४।१४६	मनोवाग्देहजैर्नित्यं	१।१०४
मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्	४।१४५	मनोवाङ् मूर्तिभिर्नित्यं	१।१२३१
मङ्गलादेशवृत्ताश्च	६।२५८	मन्त्रज्ञं मन्त्रिभिश्चैव	८।१
मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनम्	५।१५२	मन्त्रतस्तु समृद्धानि	३।६६
मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तिं	२।३३	मन्त्रयेत्यरमं मन्त्रं	७।५८
मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्	२।३१	मन्त्रवत्प्राशनं चास्य	२।२६
मणिमुक्ताप्रधातानां तादृस्य	१।१।६७	मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति	१०।१२७
मणिमुक्ताप्रधातानां लोहानाम्	६।३२६	मन्त्रसम्पूजनार्थं तु	३।१३७
मणिमुक्ताप्रधातानि	१।२६१	मन्त्रस्तु संस्कृतानद्यात्	५।३६
मणीनामपवेधे च	६।२८६	मन्त्रैः शाकलहोमीयैः	१।१२५६
मनिपूर्वमनिर्देश्य	१।१।४६	मन्यन्ते बं पापकृती	८।८५
मत्तकृद्भातुराणां च	४।२०७	मन्येतिरि वदा राजा	७।१७३
मत्तोन्मत्तातध्यधीनैः	८।१६३	मन्वन्तराण्यसंख्यानि	१।८०
मत्या भुक्त्वाऽऽचरेत्कुच्छं	४।२२२	ममायमिति यो ब्रूयात्	८।३५
मत्स्यघातो निषादानाम्	१०।४८	ममेदमिति यो ब्रूयात्	८।३१
मत्स्यादः सर्वमांसादः	५।१५	मरीचिमः पङ्क्तिरसौ	१।३५
मत्स्यादान्विड्वराहांश्च	५।१४	मरुदस्य इति तु द्वारि	३।८८
मत्स्यानां पक्षिणां चैव	८।३२८	मर्यादाभेदकश्चैव	६।२६१
मद्यपाऽसाधुवृत्ता च	६।८०	मलिनीकरणीयेषु	१।१।२५
मद्यंमूर्त्रैः पुरीषैर्वा	५।१२३	महती देवता ह्येषा	७।८
मद्यं नीलि च लाक्षां च	१०।८६	महतोप्येतसौ मासात्	२।७६
मधु दशः पयः काकः	१।२।६२	महविषितुर्देवानां	४।२५७
मधुपर्कं च यज्ञे च	५।४१	महविमिश्रं देवैश्च	८।११०
मधुपर्कणं सम्पूज्यौ	३।१२०	महाकुलीनमार्यं च	८।२६५
मध्यन्दिनेऽध्वरात्रे च	४।१३१	महान्तमेव चात्मानं	१।१५
मध्यन्दिनेऽध्वरात्रे वा	७।१५१	महान्ति पातकान्याहुः	१।१५४
मध्यमस्य प्रचारं च	७।१५५	महान्त्यपि समृद्धानि	३।६
मध्यमं तु ततः पिण्डं	३।२६२	महापक्षे धनिन्यायै	८।१७६
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः	८।१३८	महापशूनां हरणे	८।३२४
मध्ये व्योमदिशश्चाष्टां	१।१३	महापातकसंयुक्तः	१।१२५७
मध्वापीतो विषास्वादः	१।१।६	महापातकिमश्चैव	१।१२३६
मन्त्रावययैः सूक्ष्मैः	१।१८	महाभूतादि वृत्तीजाः	१।६
मन्त्रावयवहंकारं	१।१४	महायज्ञविधानं च	१।११२
मन्त्रोक्तं दिशः श्रोत्रे	१।२।२१	महायज्ञं च यज्ञं च	२।२८
मन्त्रः सृष्टिं विकुरुते	१।७५	महाव्याहृतिभिर्होमः	१।१२२२
मनुमेकाग्रमासीनं	१।१	मागधः क्षत्रजातिश्च	१०।२६
मनुष्यमारणे भिन्नं	८।२६६	माघशुक्लस्य वा प्राप्ते	४।६६
मनुष्याणामपि प्रोक्तः	६।६६	मातरं पितरं जार्यां	८।२७५
मनुष्याणां तु हरणे	१।१।६३	मातरं वा स्वसारं वा	२।५०
मनुष्याणां पशूनां च	८।२८६	मातर्यपि च वृत्तायां	६।२१७

माता पिता वा दद्याताम्	६।१६८	मित्रधुःश्रुतवृत्तिश्च	३।१६०
मातापितृभ्यामुत्सृष्टम्	६।१७१	मित्रस्य चानुरोधेन	७।१६६
मातापितृभ्यां जायोभिः	४।१८०	मित्रस्य चैवापकृते	७।१६४
मातापितृविहीनो यः	६।१७७	मित्रादयागप्रमित्राद्वा	७।२०७
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु	२।२२६	मित्रं हिरण्यं भूमिं वा	७।२०६
मातामहं मातुलं च	३।१४८	मित्र एव प्रदातव्यः	८।१६५
मातामह्या धनार्तिकञ्चित्	६।१६३	मित्रो दयः कृत्वा येन	८।१६५
मातुरग्रेऽधिजननं	२।१६६	मित्रो भण्डेनाप्रसवात्	६।७०
मातुलांश्च पितृभ्यांश्च	२।१३०	मित्र्यावादां च संख्याते	८।४००
मातुले पक्षिणी रात्रिं	५।८१	मीमांसित्वोभयं देवाः	४।२२४
मातुश्च भ्रातृस्तनयां	१।१।७१	मुखबाहुरूपजानां वा	१०।४५
मातुस्तु यौतकं यत् स्यात्	६।१३१	मुखबाहुरूपजानां पृथक्	१।८७
मातुः प्रथमतः पिण्डम्	६।१४०	मुख्यानां चैव रत्नानां	८।३२३
मातृकं भ्रातृदत्तं वा	६।६२	मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः	१।२।५८
मातृजात्यां प्रसूयन्ते	१०।२७	मुच्यते पातकैः सर्वैस्त्रिजै	१।१।५६
मातृवद् वृत्तिमातिष्ठेद्	२।१३३	मुच्यते ब्रह्महत्यायाः	१।१।७६
मातृष्वसा मातुलानी	२।१३१	मुञ्जालाभे तु कर्तव्याः	२।४३
मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा	२।२१५	मुण्डो वा जटिलो वा स्यात्	२।२।६
मानयोगं च जानीयात्	६।३३०	मुन्यन्नानि पयः सोमः	३।२५७
मानवस्यास्य शास्त्रस्य	१।२।०७	मुन्यन्नेष्विष्यैर्मर्कटैः	६।५
मानसं मनसैवायम्	१।२।८	मूत्रेण मौण्डयमिच्छेत्	८।३८३
मातुलं पुरुषं च	१।१।२२१	मूत्रोच्छारसमुत्सर्गं	४।५०
मार्गशीर्षे शुभे मासि	७।१८२	मूलकर्मणि चानाप्तेः	६।२६०
मार्जनोपाञ्जनर्वैश्व	५।१२२	मृत्यात्पञ्चगुणो दण्डः	८।२८६
मार्जनं यज्ञपात्राणाम्	५।११६	मृत्येन तोषयेच्चैनं	८।१४४
मार्जारनकुलौ हत्वा	१।१।३१	मृगयाऽक्षौ दिवास्वप्नः	७।४७
माश्वमंस्थाः स्वमात्मानं	८।८४	मृतवस्त्रमृत्यु नारीषु	१०।३५
मायिकस्तु भवेद्दण्डः	८।२६८	मृते भर्तरि पुत्रस्तु	६।४
मासस्य वृद्धिं गृह्णीयात्	८।१४२	मृते भर्तरि साध्वी स्त्री	५।१६०
मासिकान्नं तु योजनीयात्	१।१।५७	मृत्योर्धेः शुद्ध्यते शीघ्रम्	५।१०८
मासेनाश्नन्हुविष्यस्य	१।१।२२०	मृतं तु याचितं भैक्षं	४।५
मासं गोष्ठे पयः पीत्वा	१।१।६४	मृतं शरीरमुत्सृज्य	४।२४१
माहित्रं शुद्धवत्पञ्च	१।१।४६	मृत्युश्च वसति क्रोधे	७।११
मांसमक्षयिताऽमुत्र	५।५५	मृतं वा देवतं मित्रं	४।३६
मांसभेता तु घणिष्कान्	८।२८४	मृन्मयानां च भाण्डानां	७।१३२
मांसस्य मधुनश्चैव	८।३२८	मृन्मयानां च हरणे	८।३२७
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि	५।२६	मृष्यन्ति ये क्षीपयन्ति	४।२।७
मांसं गृध्रो वर्षां रुद्धुः	१।२।६३	मेखलामजिनं दण्डं	२।६४
मांसानि च न खादेद्यः	५।५३	मेदाध्वचुचुमदगूनां	१०।४८
मांसाशनं च नाश्नीयुः	५।७३	मेदोमृष्टमांसमज्जास्थि	३।१८२
मित्रदुहः कृतघ्नस्य	८।८६	मेध्यवृक्षोद्भवान्यद्यात्	६।१३

मेने प्रजापतिर्हिहा	४१२४८	यतश्च भयमाशकेत्	७१७६
मेत्रं प्रसाधनं स्नानं	४१२४२	यतन्ते रक्षितुं भार्या	६१६
मेत्राभ्य्योक्तिकः प्रेतः	१२१७२	यतश्च भयमाशङ्केत्ततो	७१८८
मेत्रयकन्तु बंदेहः	१०१३३	यतारमनोऽप्रमत्तस्य	११२१५
मेत्रयमौद्वाहिकं चैव	६१२०६	यतिचान्द्रायणं वापि	५१२०
मेधुनं तु समासेभ्य	१११७४	यत्करोत्येकरात्रेण	१११८८
मोक्षं राजा स्वगण्डं यः	७११११	यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्	४१६१
मौञ्जी त्रिवत्समा इलक्षणा	२१४२	यत् कर्म कृत्वा कुर्वश्च	१२१२५
मौञ्ज्यं प्राणान्तिको दण्डः	८१३७६	यत् किञ्चित् पितरि प्रेते	६१२०४
मौलाञ्छास्त्रविदः शूराश्च	७१५४	यत्किञ्चित्स्नेहसंयुक्त	५१२४
मित्रमाणोऽयादधीत	७११३३	यत्किञ्चिदपि दातव्यं	४१२२८
मित्रयेतान्यतरो वापि	६१२११	यत्किञ्चिदपि दत्तं स्य	७११३७
स्नेच्छवाचश्चार्यवाचः	१०१४५	यत्किञ्चिदेनः कुर्वन्ति	११२४१
य		यत्किञ्चिदेव देयं तु	६१११५
य आब्रूणोत्यवितथं	२११४४	यत्किञ्चिद्दशवर्षाणि	८१४७
य एते तु गणा मुख्याः	३१२००	यत्किञ्चिद्वस्त्रधुना मिथं	३१२७३
य एतेऽप्ये त्वभोज्यान्ताः	४१२२१	यत्कारणमव्यक्तं	१११३
य एतेऽभिहिताः पुत्राः	६१८८१	यत्तु कुःक्षसमायुक्तम्	१२१२८
यक्षरक्षःपिशाचान्मम	१११६५	यत्तु वाणिज्यके दत्तं	३१२८१
यक्षरक्षःपिशाचाश्च	११३७	यत्तु स्यन्मोऽसंयुक्तम्	१२१२६
यक्ष्मो च पशुपालस्य	३११५४	यत्तु समधिगच्छन्ति	८१४१६
यच्च सातिशयं किञ्चित्	६१११४	यत्तस्वस्याः स्याद्धनं वस्तु	६११६७
यच्छास्य सुकृतं किञ्चित्	७१६५	यत्नेन भोजयेच्छाद्धे	३११४५
यच्छेयं दशरात्रस्य	५१७५	यत्पयुषितमप्याद्यं	५१२४
यजतेऽहरहर्यज्ञैः	८१३०६	यत्पुण्यफलमाप्नोति	३१६५
यजमानो हि भिक्षित्वा	१११२४	यत्पुंसः परदारेषु	१११७६
यजेत राजा क्रतुभिः	७१७६	यत्प्राग्वावशमागच्छ	११७६
यजेत वाऽवमेधेन	१११७४	यत्सर्वेरेण्यति ज्ञातुम्	१२१३७
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्	३१११८	यस्मिन् कर्मण्यस्य कृते	११२३३
यतश्च भयमाशङ्केत्प्राचीं	७११८६	यत्र स्थेते परिध्वंसात्	१०१६१
यज्ञश्च भूत्यै सर्वस्य	५१३६	यत्र वर्मा ह्यवर्णेन	८११४
यज्ञश्चेत् प्रतिरुद्धः स्यात्	१११११	यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते	३१५६
यज्ञाय जग्धिमर्तस्य	५१३१	यत्र बर्जयने राजा	६१२४६
यज्ञार्थंमर्थं भिक्षित्वा	१११२५	यत्र वाप्युपधि पश्येत्	८१६५
यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः	५१४०	यत्र दयामो लोहिताक्षो	७१२५
यज्ञार्थं पशवः सुष्टाः	५१३६	यत्र ह्युः सोऽत्र मानार्हः	२११३७
यज्ञार्थं आह्वयैर्वध्याः	५१२२	यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत	८१७६
यज्ञे तु चित्ते सम्यक्	३१२८	यत्रापवर्तते युग्यं	८१२६३
यज्ञोऽनूतेन धरति	४१२३७	यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते	३१५६
यज्ञोपवीतं वेदं च	४१३६	यद्यतुं लिङ्गानृतवः	११३०
यज्ञान् ऋषयो देवाः	१२१४६	यथाकथञ्चित् पिण्डानाम्	११२२०
		यथाकर्म तपोयोगात्	११४१

यथा काष्ठमयो हस्ती	२।१५७	यथाऽस्याभ्यधिकान स्युः	७।१७७
यथा खनम्बनिश्रेण	२।२१८	यथेदमुक्तावाङ्छारथं	१।११६
यथा गोऽवोष्ट्रदासीषु	६।४८	यथेदं शावमाशौचं	५।६१
यथा चाज्ञे फले दानं	२।१५८	यथेरिणो वीजमुपवा	१।१४२
यथा चैवपरः पक्षः	३।२७८	यथैवस्तेजसा वह्निः	१।१२४६
यथा चोपचरेदेनं	४।२५४	यथैनं नाभिसंघट्युः	७।१८०
यथा जातदलो वह्निः	१२।१०१	यथैव शूद्रो ब्राह्मण्याम्	१०।३०
यथातथाऽध्यापयस्तु	४।१७	यथैवात्मा तथा पुत्रः	६।१३०
यथा प्रयाणां वर्णानाम्	१०।२८	यथैवैका तथा सर्वाः	१।१६४
यथा दुर्गाभितानेतान्	७।७३	यथोक्तकारिणं विप्रं	६।८८
यथा नक्षीनहाः सर्वे	६।६०	यथोक्तमार्तः सुस्थो वा	८।२१७
यथा नयत्यसृक्पातैः	८।४४	यथोक्तः न्यायि कर्माणि	१२।६२
यथा नाभिचरेतां ती	६।१०२	यथोक्तेन नयन्तस्ते	८।२५७
यथा प्लवेनौपलेन	४।१६४	यथोक्तेनैव कलंग	५।७२
यथा फलेन पुण्येन	७।१२८	यथोदितेन विधिना	४।१००
यथा वीजं न वप्यध्यं	६।४२	यथोद्धरति निर्दिता	७।११०
यथा वीजं प्ररोहति	६।३६	यदतोऽन्यद्वि कुरुते	१०।१२३
यथा ब्राह्मणचाण्डालः	६।८७	यदधीते यद्यजते	८।३०५
यथा ब्रूयुस्तथा कुर्याद्	३।२५३	यदयगोषु वृषभः	६।५०
यथा महाह्रदं प्राप्य	१।१२६३	यदन्यस्य प्रतिज्ञाय	६।६६
यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा	७।२०८	यदपत्यं भवेदस्यां	६।१२७
यथा यथा तरो धर्मम्	१।१२२८	यदानुमात्रिको भूत्वा	१।५६
यथा यथा निषेवन्ते	१२।७३	यदा तु दानमातिष्ठेत्	७।१८१
यथा यथा मजस्तस्य	१।१२२६	यदा तु स्यात्परिक्षीणो	७।१७२
यथा यथा महद् दुःखं	८।२८६	यदा परबलानां तु	७।१७४
यथा यथा हि दुःखः	४।२०	यदा प्रहृष्टा मन्वेत	७।१७०
यथा यथा हि सद्बुत्तम्	१०।१२८	यदा भावेन भवति	६।८०
यथा यमः प्रियद्वेष्यौ	६।३०७	यदा मन्वेत भावेन	७।१७१
यथाहृतः संप्रणयेद्	७।१६	यदावगच्छेदायत्याम्	७।१६६
यथाहृमेतान्मन्यर्थ	८।३६१	यदा स वैद्यो जागति	१।५२
यथाल्पस्मदन्त्याद्यं	७।१२६	यदा स्वपिति शान्तात्मा	१।५२
यथा वार्यं समाश्रित्य	३।७७	यदा स्वयं न कुप्यति	८।६
यथाविधि नियुक्तस्तु	५।२७	यदि तत्रापि संपश्येत्	७।१७६
यथानिध्यधिगम्येनान्	६।७०	यदि तु प्रायशोऽधर्मम्	१२।२१
यथाशास्त्रं तु कृत्वैवं	४।६७	यदि ते तु न तिष्ठेयुः	७।१०८
यथाश्रुतं यथाष्टं	८।१०१	यदि स्थितिबिधर्मस्तु	३।१११
यथाऽश्वमेधः क्रतुराट्	१।१२६०	यदि त्वात्यन्तिकं धातं	२।२४३
यथा वप्टोऽफलः स्त्रीषु	२।१५८	यदि देशे च काले च	८।२३३
यथा सर्वाणि भूतानि	६।३११	यदि न प्रणयेद्राजा	७।२०
यथा संकल्पितादर्चव	२।५	यदि नात्मनि पुत्रेषु	४।१७३
यथामुलमुखः कुर्याद्	४।५१	यदि संशय एव स्यात्	८।२५३

यदि संसाधयेत्तु	८१२१३	यवीयाञ्जयेष्ठभार्यायाम्	६११२०
यदि स्त्री यद्यवरजः	२१२२३	यद्योऽस्मिन्प्राप्नुयात्लोकं	८१३४३
यदि स्वाइचापराइचैव	६१८५	यद्वाधोत्तरानर्थात्	८१५३
यदि हि स्त्री न रोचेत्	३१६१	यद्वा विप्रोऽनधीयानः	२११५७
यदेतत्परिसङ्ख्यातं	११७१	यद्वापि धर्मसमयात्	६१२७३
यदेव तर्पयत्यङ्गुः	३१८८३	यद्वाच्यं प्रत्युपात्तवर्त्तु	२१६५
यदेवास्य पिता दद्यात्	६११५५	यस्तर्कणानुसर्तु	१२११०९
यद्गृहितेनार्जयति	११११६३	यस्तत्पञ्चः प्रमोदय	६११६७
यद् दुस्तरं यद् दुराणं	१११२३८	यस्तु तत् कारयेन्मोहात्	६१८७
यद् द्वयोरनयोर्वैष्य	८१८०	यस्तु बोधवर्ती उपपादयेत्	६१७३
यद्गन् यक्षसीलानाम्	१११२०	यस्तु बोधवर्ती प्रयच्छति	८१२२४
यद्वापाति यत्कुले	५१४७	यस्तु पूर्वनिविष्टस्य	६१८८१
यद्बुधं स्यात्ततो दद्यात्	६१७	यस्तु भीतः परावृत्तः	७१६४
यद्यत्परवशं कर्म	४११५६	यत्तु रज्जुं घटं कृपात्	८१३१६
यद्यदात्मवशं तु स्यात्	४११५६	यत्स्वधर्मेण कार्याणि	८११७४
यद्यद्वैति विधिषत्	३१२७५	यत्स्वनाक्षरितः पूर्व	८१३५५
यद्यद्दि कुस्ते किञ्चित्	२१४	यत्स्वेताग्न्युपवृत्तानि	८१३३३
यद्यदोचेत् विप्रैः	३१२३१	यस्माद्भयोऽप्याक्षमिणः	३१७८
यद्यन्ममति तेषां तु	५११०२	यस्मादण्यपि भूतानां	६१४०
यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रः	६११५४	यस्मादेवा सुरेन्द्राणाम्	७१५
यद्ययिता तु दारैः स्यात्	६१२०३	यस्मादुत्पत्तिरेतेषां	३११६३
यद्यस्य विहितं कर्म	२११७४	यस्माद् बीजप्रभावेण	१०१७२
यद्यस्य सोऽदधात्सर्गं	११२६	यस्मिन् कर्मणि यास्तु स्युः	८१२०८
यद्याचरति धर्मं सः	११२२०	यस्मिन् कर्मण्यस्य कृते	११२३३
यद्येव रिचियनौ स्याताम्	६११६२	यस्मिञ्जिते जितावेतौ	२१६२
यद्वाष्टं शूद्रभूयिष्ठं	८१२२	यस्मिन् देशे निषीदन्ति	८१११
यद् वा तद् वा परब्रह्मम्	१२१६८	यस्मिन्नेव कुले नित्यं	३१६०
यद्वापि प्रतिसंस्क्रुयति	६१२७६	यस्मिन्मूलं सन्मयति	६११०७
यद्देष्टितशिरा भुङ्क्ते	३१२३८	यस्मिन्परिभ्रम्यते कार्यं	८१२२८
यन्नावि किञ्चिद्वासानां	८१४०८	यस्मिन्परिभ्रम्यते विवाहे तु	८१११७
यन्मूर्त्यं बयत्राः सुःखाः	१११७	यस्मिन् दद्यात्पिता स्वेनाम्	५११५१
यन्मे माता प्रलुप्ते	६१२०	यस्य कायगतं ब्रह्म	१११६७
यमयोर्वैव गर्भेषु	६११२६	यस्य तेजोमया लोका	६१३६
यमान्यतत्पकुर्वाणो	४१२०४	यस्य ते बीजतो जाताः	६११८१
यमान्येवेत सततं	४१२०४	यस्य त्रिवाकिकं भक्तम्	१११७
यमिदो न बहुरयमिः	८१११५	यस्य हृदयेत सत्ताहात्	८११०८
यमेव तु शुचि विद्यात्	२१११५	यस्य प्रसादे पद्मा श्रीः	७१११
यमो वैवस्वतो देवो	८१६२	यस्य सन्त्रं न जानति	७११४८
ययास्योद्विजते वाचा	२११६१	यस्य मित्रप्रधानानि	३११३६
यवगोघूमजं सर्वं	५१२५	यस्य यत्पृक्तं रिक्तं	६११६२
यवीयसस्तु या भार्या	६१५७	यस्य राक्षस्तु विषये	७११३४

यस्य बाह्यमनसो शुद्धे	२।१६०	या पत्या वा परित्यक्ता	६।१७५
यस्य विद्वान् हि ब्रह्मतः	८।६६	याभ्यां प्राप्नोति संपृक्तः	१२।१६
यस्य शूद्रस्तु कुर्वते	८।२१	यामीस्ता यातनाः प्राप्य	१२।२२
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति	८।३८६	यामुत्प्लुत्य वृको हन्यात्	८।२३६
यस्या अत्रियेन कन्यायाः	६।६६	या रोगिणी स्यात् हिता	६।२२
यस्यास्तु न भवेद् भ्राता	३।११	यावती सभवेद् वृद्धिः	८।१५५
यस्यास्थेन सदाशनन्ति	१।६५	यावतो व्रसते प्रासान्	३।१३३
यस्येते निहिता बुद्धौ	१२।१०	यावतो बान्धवाभ्यस्मिन्	८।६७
यस्त्वं श्रयान्न क्षमते	८।३१३	यावतः संस्पृष्टवङ्गः	३।१७८
या गर्भिणी मर्तिष्कप्रते	६।१७३	यावत्प्रयस्ते जीवेमुः	२।२३५
याचिष्णुता प्रमादश्च	१२।३३	यावत्स स्यात्समावृत्तः	८।२७
याच्यः स्यात्स्नातकैर्विप्रैः	१०।११३	यावदुष्णं भवत्यन्नं	३।२३७
याजनाध्यापनाद्यानात्	११।१८०	यावदेकानुदिष्टस्य	४।१११
याजनाध्यापने चैव	१०।७६	यावन्तश्चैव यश्चान्नैः	३।१२४
याजनाध्यापनेनापि	८।३५०	यावन्ति पशुरोमाणि	५।३८
याजनाध्यापने नित्यम्	१०।११०	यावन्मापेक्षमेध्यावताद्	५।१२६
याजयन्ति च ये पूगान्	३।१५१	यावानवधस्य वधे	६।२४६
याज्यास्तेवासिनोर्वापि	४।३३	या वृत्तिस्तं समास्थाय	४।२
या तु कन्यां प्रकुर्यात् स्त्री	८।३७०	या वेदबाह्याः स्मृतयः	१२।६५
यात्रामात्रप्रसिद्धार्थं	४।३	या वेदविहिता हिता	५।४४
याहगुणेन भर्त्रा स्त्री	६।२२	यासां नावते शुल्कं	३।५४
याहशा धनिभिः कार्या	८।६१	यास्तासां स्पृष्ट्विहतरः	६।१६३
याहशेन तु भावेन	१२।८१	यां प्रसह्य वृको हन्यात्	८।२३५
याहशोऽस्य भवेदात्मा	४।२५४	यां यां घोनि तु जीवोऽयम्	१२।५३
याहशं तृप्यते बीजम्	६।३६	यास्तत्र चीरान्गुल्लीयात्	८।३४
यादृशं पुरुषस्येह	४।१३४	युक्तः परिवरेदेनं	२।२४२
याहशं फलमाप्नोति	६।१६१	युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च	७।१४२
याहशं भजते हि स्त्री	६।६	युवतश्छन्दांस्यधीयीत	४।६५
याह्ना भवति प्रेत्य	५।३४	युक्ते च देवे युध्येत	७।१६७
यानशय्याप्रदो भार्या	४।२३२	युष्म कुर्वन्दिनभेषु	३।२७७
यानशय्यासनान्यस्य	४।२०२	युगपत् प्रलीयन्ते	१।५४
यानस्य चैव यातुश्च	८।२६०	युग्मासु पुत्रा जायन्ते	३।४८
यानासनस्थश्चैवैनं	२।२०२	युग्यस्थाः प्राजकेऽजाप्ते	८।२६४
यानि चैव प्रकाराणि कासाद्	८।२५१	युध्यमानाः परं गतया	७।८७
यानि चैव प्रकाराणि स्थलजा	१।४४	ये कार्षिकेभ्योऽर्धमेव	७।१६४
यानि चैवाभिषूयन्ते	५।१०	येऽग्नेत्रिणो बीजवन्तः	६।४६
या निपुकराऽभ्यतः पुत्रम्	६।१४७	ये च यैरपचर्याः स्युः	३।१६३
यानि राजप्रदेयानि	७।११८	ये तत्र नोपसर्पेयुः	६।२६६
यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति	६।३१६	ये द्विजाः नामवसवाः	१०।४६
यान्यधस्तात्पमेध्यानि	५।१३२	येन केनचिद्वेन	८।२७६
यान् सम्यगनुतिष्ठन्ति	१०।१३०	येन तुप्यति चात्मास्य	१२।३७

येन मूलहरो धर्मः	८१३५३	योनिकोटिसहस्रेषु	६१६३
येन यत्साध्यते कार्यं	६१२६७	यो निक्षेपं नापयति	८१६६१
येन यस्तु गुणैर्नैवाम्	१२१३६	यो निक्षेपं याच्यमानो	८१६६१
येन येन तु भावेन	४१२३४	योऽन्यथा सन्तमात्मानं	४१२५५
येन येन यथाङ्गेन	८१३३४	यो बन्धनबन्धलेषान्	५१४६
येन वेदग्रन्थे सर्वं	१२११३	यो ब्राह्मणग्रन्थगुणानां	८१३८२
येनास्मिन् कर्मणः लोके	१०१३६	यो भावतेऽयं वैकल्यं	८१६५
येनास्य पितरौ याता	४११७८	यो यथा निक्षेपेऽस्ते	८१६८०
ये निघुस्तास्तु कार्येण	६१२३१	यो यदंशं गुणो देहे	१२१२५
येज्ये ज्येष्ठकनिष्ठार्या	६१११३	यो यस्य धर्म्यो वरुणस्य	३१२२
ये पतन्त्यन्धजामिले	४११६७	यो यस्य प्रतिभूतिरुद्वेष्टे	८११५८
ये पाकयज्ञाश्चत्वारः	२१८६	यो यस्मिन् मांसमश्नति	४११५
ये वक्रवर्तिनो विप्रा	४११६७	यो यस्मिन् विद्यादानं	३१३६
ये शूद्रादनिगम्यार्थम्	१११४२	यो यान्निहनुवीतार्थं	८१५६
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा	६१२११	यो येन पतितेनैवाम्	१११८६१
येषां तु यादृशं कर्म	११४२	यो यो यावत्तियश्चैषां	११२०
येषां द्विजानां सावित्री	१११६६१	योऽरक्षन् बलिमादत्ते	८१३०७
ये स्तेनपतितवलीबाः	३११५	यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति	४१८७
येरम्भुपायैरेनासि	१११२१०	योऽचितं प्रतिगृह्णाति	४१२३५
येर्यैरुपायैरर्थं स्व	८१४८	योऽर्थं शुचिर्हि स शुचिः	५११०६
येर्यैरुतैरपोह्यन्ते	१११७१	यो लोभादधमो जातया	१०१६६
येर्यैर्येमान्स्थितो भावान्	१२१२४	योऽब्रह्मणेन ते मूले	२१११
येः कर्मभिः प्रचरितैः	१०११००	यो वं युवाप्यधीयानः	२११५६
येः कृतस्सर्वभक्ष्योऽग्निः	६१३१४	यो वैश्यः स्याद् बहुपशुः	११११२
योऽकामा ब्रूयेत्कम्पा	८१३६४	योऽसाधुभ्योऽर्षमावाय	११११६
योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य	७११२७	योऽसावतीश्वरप्राह्यः	११७
योगक्षेमं प्रचारं च	६१२१६	योऽस्यात्मनः कारयिता	१२११२
योगक्षेमेज्यथा चेत्तु	८१२३०	योऽहिंसकानि भूतानि	५१४५
योगाधमनधिकीतं	८११६५	यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रः	३१२१२
यो धामवेशसङ्घानां	८१२१६	यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे	४१८१
यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यात्	६१११०	यं तु कर्मणि यस्मिन्सः	११२८
यो ज्येष्ठो त्रिनिर्कुर्वीत	६१२१३	यं तु पश्येन्निधिं राजा	८१३८
यो दण्डो यच्च वसनं	१११७४	यं पुत्रं परिगृह्णीयात्	६११७१
योऽस्तावायिनो हस्तात्	८१३४०	यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायाम्	६११७८
यो दृष्ट्वा सत्रं भूतेभ्यः	६१३६	यं मातापितरौ क्लेशं	२१२२७
यो धर्मं एकपत्नीनां	५११५८	यं वदन्ति तमोभूता	१२१११५
योऽधीतेऽहन्त्यहन्त्येताम्	२१८२	यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः	१२११०८
योऽध्यापयति वृत्त्यर्थं	२११४१	यः करोति वृत्तो यस्य	२११४३
योऽनधीत्य द्विजो येषं	२११६८	यः करोति तु कर्माणि	१२११२
यो न वेत्यभिवावस्य	२११२६	यः रुचिचत्कस्यचिद्धर्मः	२१७
योऽनाहिताग्निः शतगुः	११११४	यः क्षिप्तो भव्यतयातैः	८१३१३

यः प्रदत्तं वित्तं यथायात्	८१६४	राजस्विभस्नातकमुद्गम्	३१११६
यः सङ्गतानि कुरुते	३११४०	राजस्वं श्रोत्रियस्वं च	८११४६
यः साधयन्तं ह्यन्वेन	८११७६	राजस्नातकयोश्चैव	२११३६
यः स्नाप्यपि द्विजोऽधीते	२११६७	राजा कर्मसु युक्तानां	७११२५
यः स्वयं साधयेदर्थम्	८१५०	राजा च श्रोत्रियश्चैव	३११२०
यः स्वाध्यायमधीतेऽर्चं	२११०७	राजा तदुपयुञ्जानः	८१४०
यः स्वाभिनाननुज्ञातं	८११५०	राजानः क्षत्रियाश्चैव	१२१४६
र		राजान्तकरणावेतौ	६१२२१
रक्तानि हृत्वा वासांसि	१२१६६	राजान् तेज प्रादत्ते	४१२१८
रक्षणादायं वृत्तानाम्	६१२५३	राजा भवत्यनेनारतु	८११६
रक्षन्ति स्वधारे पुत्राः	६१३	राजा विनिर्णयं कुर्यात्	८११६६
रक्षन्धर्मण भूतानि	८१३०६	राजा स्तेनेन गन्तव्यो	८१३१४
रक्षार्थमस्य सर्वस्य	७१३	राजा हि धर्मयज्ञभागं	१११२३
रक्षांसि च पिशाचाश्च ताम	१२१४४	राजीवान्सिंहतुण्डांश्च	५११६
रक्षांसि च पिशाचाश्च मनु	११४३	राजम्ब वधु हृद्धारम्	७१६७
रक्षांसि च विलुम्पन्ति	३१२०४	राजश्च धर्ममखिलं	११११४
रक्षितं वर्धयेच्चैव	७१६६	राजश्चाधिकृतो विद्वान्	८१११
रक्षितं वर्धयेद् वृद्धया	७११०१	राजः कोषापहतुं शक्	६१२७५
रक्षिता यत्नतोऽपीह	६११५	राजाः प्रस्थातमाण्डानि	८१३६६
रजसाभिस्तुती मारी	४१४१	राजा च सर्वयोधेभ्यः	७१६७
रजसा स्त्री मनोदुष्टा	५११०८	राजा दाप्यः सुवर्णं स्यात्	८१२१३
रजस्युपरते साध्वी	५१६६	राजोऽन्यः सचिवः स्निग्धः	७११२०
रजस्वलमनित्यं च	६१७७	राजो बलायिनः पण्डे	२१३७
रजस्वला च षण्ठश्च	३१२३६	राजो माहात्मिके स्थाने	५१६४
रजो भूर्वायुरग्निश्च	५११३३	राजो वृत्तानि सर्वाणि	६१३०१
रज्जुकस्य नृणांसस्य	४१२१६	राजो हि रक्षाधिकताः	७११२३
रतिमात्रं फलं तस्य	१११५	रात्रिभिर्भासितुस्याभिः	५१६६
रत्नैश्च पूजयेदेनं	७१२०३	रात्रि च तावतीमेव	११७३
रथाश्च हस्तिनं ह्यत्र	७१६६	रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च	८१८६
रथं हरेत् चाध्वर्युः	८१२०६	रात्रिः स्वप्नाप भूतानां	११६५
रभ्यमानतसामन्तं	७१६६	रात्रौ च वृक्षमुलानि	४१७३
रसा रसेनिमातव्याः	१०१६४	रात्रौ न विचरेयुस्ते	१०१५४
रहस्याख्यायिनां चैव	७१२२३	रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत	३१२८०
राक्षसं क्षत्रियस्यैकं	३१२५	राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं	७१११३
राजतैर्भाजनेरेषां	३१२०२	राष्ट्रादेनं वहिः कुर्यात्	८१३८०
राजतो धनमन्विच्छेत्	४१३३	राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं	१०१६१
राजधर्मनिप्रवक्ष्यामि	७११	राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्	७१२७२
राजभिः कृतपण्डास्तु	८१३१८	रिक्तमाण्डानि यानानि	८१४०५
राजन्यान्धोर्द्वाविशे	२१६५	रुक्माभिं स्वप्नधीगम्यं	१२११२२
राजन्यवैश्ययोस्त्वैवं	२११६०	रुधिरे च स्रुते गात्रान्	४११२०
राजन्यवैश्यी चेजानी	१११८७	रूपद्रव्यविहीनांश्च	४११४१

रूपसत्त्वगुणोपेताः	३१४०
रेतः सिकत्वा जले चैव	१११७३
रेतः सेकः स्वयोनीषु	१११५८
रोगोज्ज्वलज्जतिभरणं	८११०८
रोमाणि च रहस्यानि	४११४४

ल

लक्ष्यं शस्त्रधृता वा स्यात्	१११७३
ललाटसंमितो राशः	२१४६
लग्नं गुञ्जनं चैव	५१५
लाभालाभं च पण्यानां	६१३३१
लूताहिसरटानां च	१२१५७
लोकसंध्यवहारायं	८११३१
लोकस्याप्यायने युक्तान्	३१२१३
लोकानग्यान् सृज्युष्ये	६१३१५
लोकानां तु विबुधपर्यं	११३१
लोकेनाधिष्ठितो राजा	५१६७
लोभात्सहस्रं दण्डयस्तु	८११२०
लोभान्मोहाद्भुयान्मित्रान्	८१११८
लोभः स्वप्नोऽप्यतिः क्लोयम्	१२१३३
लोष्ठमर्दीं तुण्णेष्वदी	४१७१
लोहशङ्कुमृजीषं च	४१६०
लोहिताश्वधुनिर्वासान्	५१६
लौकिकं वैदिकं वापि	२१११७

व

वणिक्पथं कुसीदं च	११६०
वत्सस्य ह्यभिज्ञस्तस्य	८१११६
वधेन शुध्यति स्तेनः	११११००
वधेनापि यदा त्वेतान्	८११३०
वध्यवासांसि गृह्णीयुः	१०१५६
वध्योऽथ हग्युः सततम्	१०१५६
वनस्या ग्रपि राज्यानि	७१४८
वनस्पतिभ्य इत्येवं	३१८८
वनस्पतीनां सर्वेषाम्	८१२८५
वने वसेत् नित्यतो	६११
वनेषु च विहृत्यैवम्	६१६३
वन्ध्यापुत्रासु	८१२८
वन्ध्याऽष्टमेधिवेद्याब्दे	६१८१
वपनं मेखला वण्डः	११११५१
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी	७१६४
वयसः कर्मणोऽर्चस्य	४११८

वयोभिः स्वादयत्यन्ये	३१२६१
वराहमकराभ्यां वा	७११८७
वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यः	७१८४
वरुणेन यथा पाशैः	६१३०८
वरं स्वधर्मो विगुणः	१०६७
वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं	२११७७
वर्जयेन्मधु मांसं च भीमानि	६११४
वर्णक्रमेण सर्वाणि	८१२४
वर्णरूपोपसम्पन्नैः	४१६८
वर्णानामाश्रमाणां च	७१३५
वर्णानां सङ्करं चक्रे	६१६७
वर्णानां सान्तरालानां	२११८
वर्णपितृमित्रज्ञातम्	१०१५७
वर्णं रूपं प्रमाणं च	८१३२
वर्तयन् शिलोऽङ्गभ्यां	४११०
वर्तते याभ्यया वृत्त्या	८१७३
वर्षे वर्षेऽथमेवेन	५१५३
वशाऽपुत्रासु चैवं स्यात्	८१२८
वशे कृतेऽभिप्रायं	२११००
वसन् दूरतरे ग्रामात्	११११२८
वसन्त्य दशा ग्राह्या	३१४४
वसा शुक्रमसूङ्मज्जा	५११३५
वसित्वा मैथुनं वासः	४१११६
वसिष्ठविहितां बुद्धिं	८११४०
वसिष्ठश्चापि शपथं	८१११०
वसीत धर्मं चौरं वा	६१६
वसीरन्तानुपूर्व्येण	२१४१
वसुन्वदन्ति तु पितृन्	३१२८४
वसेयुरेते विज्ञानाः	१०१५०
वस्त्रं पत्रलङ्कारम्	६१२१६
वस्त्रान्तपानं देयं तु	११११८८
वस्त्रापहारकः स्वैर्य	१११५१
वाक् चैव मधुरा इलक्षणा	२११५६
वाक्शस्त्रं वै ब्राह्मणस्य	१११३३
वाग्दण्डं च पारुष्यं	७१४८
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये	८१७२
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः	१२११०
वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात्	८११२६
वाग्दण्डात्स्फुरन्नेव	८१३४५
वाग्दण्डस्यैव चरमिः	८१०५
वाचा वाचाकृतं कर्म	१२१८

वाचिकैः पक्षिमृगतां	१२।६	विचार्य तस्य वा वृत्तं	८।१८७
वाचि प्राणो च पश्यन्तो	४।२३	विचार्य सर्वपण्यानां	८।४०१
वाच्यमिन् मित्रमुत्सर्गं	१२।१२१	विजेतुं प्रयतेतारीन्	७।१६८
वाच्यार्था निपताः सर्वे	४।२५६	विदुष्यमुद्घृतोद्धारं	१०।८५
वाच्येके जुह्वति प्राणं	४।२३	विदुष्योरेवमेव	८।२७७
दाणिभ्यं कारयेद् वैश्यं	८।४१०	विदुष्योस्तु तानेव	३।२३
वातेन्द्रगुरुबह्वीनां	११।११६	विद्वराहखरोद्धाणाम्	११।१५४
वादयुद्धप्रधानाश्च	१२।४६	विष्मूत्रोत्सर्गसिद्धार्थम्	५।१३४
वादेऽवचनीयेषु	८।२६६	वितयाभिविंशश्च	१२।५
वानरं द्येनभासो च	१०।१३५	वितथेन ब्रूयन्दर्पात्	८।२७३
वानस्पत्यं मूलफलं	८।३३६	वित्तं दण्डबन्धः कर्म	२।१३६
वान्ताश्च्युत्कामुखः प्रेतः	१२।७१	विदुषा ब्राह्मणेनैव	१।१०३
वाप्तौ विरक्तः स्नात्वा तु	५।१४४	विदुषे दक्षिणां दत्त्वा	३।१४३
वायसानां कुभीणां च	३।६२	विद्यार्थं समं कामं	२।११३
वायुः कर्मकिकालो च	५।१०५	विद्यागुरुष्वेतदेव	२।२०७
वायुश्चानुगच्छन्ति	३।१८६	विद्यातपोभ्यां भूतात्मा	५।१०६
यायोरपि विकृषाणात्	१।७७	विद्यातपोविवृद्धयर्थं	६।३०
वाय्वग्निविस्मदित्यं	४।४८	विद्यातपःसमृद्धेषु	३।६८
वारिवस्तुप्तिमाप्नोति	४।२२६	विद्यादुत्सादयेत्तच्च	६।१६६
वार्ता कर्मैव वैश्यस्य	१०।८०	विद्याधनं तु यद् यस्य	६।२०६
वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्	६।३२६	विद्या ब्राह्मणमेत्याह	२।११४
वार्ध्निनस्य मांसेन	३।२७१	विद्यार्थं यद् यशोऽर्थं वा	६।७६
वार्यन्नगोमहीवासः	४।२३३	विद्या शिल्पं भूतिः सेवा	१०।११६
वार्यपि भ्रष्टया दत्तं	३।२०२	विदुषुतोऽज्ञानमेघांश्च	१।३८
वर्षिकांश्चतुरो मासान्	६।३०४	विदुषुस्तनितवर्षेषु	४।१०३
वासन्तसारं वैश्वेध्वः	६।११	विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः	२।१
वासांसि भृतचेलानि	१०।५२	विद्वान्स्तु ब्राह्मणो हृद्वा	८।३७
वासो दद्याद्वयं हत्वा	११।१३६	विधवायां नियुक्तस्तु	६।६०
वासोदश्चन्द्रसालोदयं	४।२३१	विधवायां नियोगार्थं	६।६२
वाहनानि च सर्वाणि	७।२२२	विधाता शासिता वृत्ता	११।३५
विकर्मक्रियया नित्यं	६।२२६	विधाय प्रोक्षिते वृत्तिम्	६।७५
विकर्मस्याञ्ज्जीण्डिकांश्च	६।२२५	विधाय वृत्तिं भार्यायाः	६।७४
विक्रयाद्यो धनं किञ्चित्	८।२०१	विधियज्ञाजपयज्ञः	२।८५
विक्रीणीत तिलाञ्जुद्रान्	१०।६०	विधिष्वत् प्रतिगृह्यापि	६।७२
विक्रीणीते परस्य स्वं	८।१६७	विधिष्वद् ग्राह्याभास	१।५८
विक्रोशरयो यस्य राष्ट्रात्	७।१४३	विधिवद्वन्दनं कुर्यात्	२।२१६
विगतं तु विदेशस्थम्	५।७५	विधूमे सन्नमुसले	६।५६
विधसाशी मन्त्रेनिःस्थं	३।२८५	विनश्यत्याशु तत्कृत्स्नं	८।२२
विधसो भुक्तशेषं तु	३।२८५	विनाङ्गिरस्य वाप्यासः	११।२०२
विधुष्य तु हृतं चौरः	८।२३३	विनाशं व्रजति मित्रं	३।१७६
विचरेन्नियतो नित्यं	६।५२	विनीतवैवाभरणः	८।२

विनीतात्मा हि नृपतिः	७।३६	विशुध्यति त्रिरात्रेण	५।१०१
विनीतैस्तु ब्रजेनित्यं	४।६८	विशेषतोऽसहायेन	७।५५
विन्यसेत्प्रयतः पूर्वं	३।२२६	विश्वजन्ममं पुण्यं	६।३१
विपणेत च जीवन्तो	३।१५२	विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो कलि	३।६०
विपरीतं नयन्तस्तु	८।२५७	विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्व	३।८५
विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता	१।१।७६	विश्वैश्च देवैः साधयेद्भव	१।१२६
विप्रयोगं प्रियश्चैव	६।६२	विघ्नैरगदैश्चास्य	७।२१८
विप्रवद्वाऽपि तं श्राद्धे	३।२२०	विपन्नानि च रत्नानि	७।२१८
विप्रसेवेव शूद्रस्य	१०।१२२	विपयाणां ग्रहीतृणि	१।१५
विप्रस्य तन्निमित्तं वा	१।१८०	विपयेषु च सज्जनस्यः	६।२
विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु	१०।१०	विपयेषु प्रजुष्टानि	८।६६
विप्रस्य विदुषो देहं	४।१११	विपयेष्वप्रसक्तश्च	१।८६
विप्रस्योद्धारिकं देयं	६।१५०	विपयोपसेवा चाज्ञानं	१।२।२
विप्रः सुदुष्पयः स्फुट्वा	५।६६	विषादस्यमृतं प्राहुः	२।२३६
विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं	२।१५५	विष्ठा वाधुं पिकस्यानं	४।२२०
विप्राणां वेदविबुधाम्	६।३३४	विसंवदेन्नरो लोभात्	८।२१६
विप्रान्तिके दितुं ध्यायन्	३।२२४	विसृज्य च प्रजाः सर्वाः	७।१४६
विप्राः प्राहुस्तथा चैतत्	६।४५	विसृज्य ध्यानयोगेन	६।७६
विप्रोप्य तूपसङ्ग्राह्या	२।१३२	विसृज्य ब्राह्मणास्तास्तु	३।२५८
विप्रोप्य पादग्रहणं	२।२१७	विस्तीर्यते यशो लोके	७।३३
विप्लुतो घृदवद्दण्डो	८।३७७	विलम्बं ब्राह्मणः शूद्रात्	८।४१७
विमक्ताः सह जीवन्तः	६।२१०	विहङ्गमहिषीणां च	६।५५
विभागधर्मं द्यूतं च	१।११५	विहाय तु ययाकालं	७।२२१
विमुखा बान्धवा यान्ति	८।२४१	वीक्ष्यान्धो नवतेः कारणः	३।१७७
वियुज्यतेऽयं धमम्यां	७।४६	वीतशोकभयो विप्रो	६।३२
विरमेत्यग्निर्गो रात्रि	४।६७	वृक्षवृक्षावलुम्पेत	७।१०६
विराट्सुताः सोमसदः	२।१६५	वृक्षो मृगेभ्यं व्याधोऽश्वम्	१।२।७
विवशः शतमाजार्ताः	८।८२	वृक्षगुल्मावृते चार्पः	७।१६२
विवादं सम्प्रवक्ष्यामि	८।२२६	वृत्तिं तत्र प्रकुर्वीत	८।२३६
विवादे वा विनिर्जित्य	१।१२०५	वृत्ते शरावसम्पाते	६।५६
विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्	६।२४१	वृत्तीनां लक्षणं चैव	१।११३
विविक्तेषु च तुष्यन्ति	३।२०७	वृथा कृतरसंयाजं	५।७
विविधानि च रत्नानि	१।२।६१	वृथा पशुघ्नः प्राप्नोति	५।३८
विविधानि च गिल्पानि	२।२४०	वृथालम्भेऽनुपच्छेदगां	१।१।४४
विविधाश्चैव संपीडाः	१।२।७६	वृथा सङ्कुरजातानाम्	५।८६
विविधाश्चोपनिषदीः	६।२६	वृथा हि शपथं कुर्वन्	८।१११
विवृद्धधर्मं स्ववंशस्य	६।१२८	वृद्धसेवी हि सततं	७।३८
विंशतीस्तु तत्सर्वं	७।११७	वृद्धाश्च नित्यं सेवेत	७।३८
विंशतीशं शतेषां च	७।११५	वृषभैकसहस्रा गा	१।१।२७
विशिष्टं कुत्रचिद् बीजम्	६।३४	वृषभैकादशा माश्च	१।१।१६
विशीलः कामवृत्तो वा	५।१५४	वृषभैकादशा वापि	१।१।३०
		वृषलत्वं गता लोके	१।०।४३

वृथलं तं विदुर्द्वेष्टाः	८११६	वैगुण्याज्जन्मनः पूर्वः	१०१६८
वृथलीकेनपीतस्य	३११६	वैगुणी धारयेद्यष्टि	४१३६
वृथो हि भगवान् धर्मः	८११६	वैतानिकं च जुहुवात्	६१६
वेणुवैदलमाण्डानां	८१२७	वैदिके कर्मयोगे तु	१२१८७
वेतनस्यैव चादानं	८१५	वैदिकैः कर्मभिः पुण्यं	२१२६
वेदतत्त्वार्थविदुषे	३१६६	वैदेहकानां स्त्रीकार्यं	१०१४७
वेदत्रयाग्निरदुहृद्	२१७६	वैदेहकेन त्वम्बज्ज्यां	१०११६
वेदप्रदानाश्चाचार्यं	२१७७	वैदेहिकादन्धमेदी	१०१३६
वेदमध्येष्टमाण्डाश्च	५१३८	वैरिणं नोपसैवेत	४१३३
वेदमेव सदाभ्यस्येत्	२११६६	वैवाहिकी विधिः स्त्रीणां	२१६७
वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं	४११४७	वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत	३१६७
वेदयज्ञं रहोनानां	२११८३	वैशेष्यात् प्रकृतिश्चेष्टघातु	१०१३
वेदविरुद्धापि विप्रोऽस्य	३१७६	वैश्यराज्यविप्रासु	१०११२
वेदविद्यावतस्नातान्	४१३१	वैश्यच्छौचकल्पश्च	५११४०
वेदकिंस्तु विविक्तेषु	१११६	वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन्	१०१०१
वेदशब्देभ्य एवादौ	११२१	वैश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु	१०१८३
वेदज्ञात्स्वार्थतत्त्वज्ञः	१२११०२	वैश्यशूद्रापचारं च	११११६
वेदसंन्यासिकानां तु	६१८६	वैश्यशूद्रावपि प्राप्ता	३१११२
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तं	४१२३	वैश्यशूद्रौ प्रत्यस्तेन	८१४१८
वेदाङ्गानि च सर्वाणि	४१६८	वैश्यशूद्रौ सखा चैव	३१११०
वेदादेव प्रसूयन्ते	१२१६८	वैश्यश्चेत् क्षत्रियां गुह्याम्	८१३८२
वेदानधीन्य वेदो वा	३१२	वैश्यस्तु कृतसंस्कारः	६१३२६
वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा	६१६४	वैश्यस्य तु तपो वार्ता	११२३५
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रि	१२१८३	वैश्यस्य धनसंयुक्तं	२१३१
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचम्	१२१३१	वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं	२१३२
वेदाभ्यासेन सततं	४११४८	वैश्यस्य वर्णं चैकस्मिन्	१०११०
वेदाभ्यासोऽज्जहं शक्यता	११२४५	वैश्याजः सार्धमेवांशं	६११५१
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य	१०१८०	वैश्यात् आद्यते आत्यात्	१०१२३
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य	२११६६	वैश्याद् मागधवैदेहौ	१०११७
वेदार्थवित्प्रवक्ता च	३११८६	वैश्यानां धान्यधनतः	२११५५
वेदास्थानागश्च यज्ञाश्च	२१६७	वैश्यानामाज्यपा नाम	३११६७
वेदोक्तमायुर्मर्यादां	११८४	वैश्यान्मागधवैदेहौ रा०	१०१११
वेदोऽजिलो धर्ममूलं	२१६	वैश्यापुत्रो हरेद् द्रव्यं शं	६११५३
वेदोदितं स्वकं कर्म	४११४	वैश्ये चेच्छति भान्येन	६१३२८
वेदोदितानां नित्यानाम्	१११२०३	वैश्येऽप्यवैशतं द्वे वा	८१२६७
वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये	२११०५	वैश्येऽष्टपांशो वृत्तस्ये	११११२६
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः	२११६५	वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशत्	८१२६८
वेदः स्मृतिः सदाचारः	२११२	वैश्योऽजीवन् स्वधर्मेण	१०१६८
वेनो विमण्टोऽविनयात्	७१४१	वैश्योऽङ्गिः प्राशिताभिस्तु	२१६२
वेषबाहुद्विसारूप्यं	४११८	वैश्यं क्षेमं समागम्य	२११२७
वेषाभरणसंयुक्ताः	७१२१६	वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्	८१३७५

वैश्यप्रति सत्यंवेत्ते	१०१७८	शक्तः परजने दाता	१११६
वैश्यः पञ्चदशाहम्	५१८३	शक्तिर्नो नाभिधावस्तः	६१२५४
वैश्यः प्रतोद रश्मिन्वा	५१६६	शक्तितोऽप्यचमानेभ्यः	४१३२
वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्	८१३७५	शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णा	८१३१५
वैश्यदेवस्य सिद्धस्य	३१८४	शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्यं च	१०११२४
वैश्यदेवे तु निवृत्ते	३११०८	शक्ति चावेक्ष्य पापं च	१११२०६
वैश्वदेवं हि नामैतत्	३११२१	शक्तेनापि हि शूत्रेण	१०११२६
वोढुः स गर्भो भवति	६११७३	शठो मित्याविनोतश्च	४११६६
व्यत्यस्तपाणिना कार्यं	२१७२	शनमूत्रमयं राज्ञः	२१४४
व्यपेत्कल्मषो नित्यं	४१२६०	शतमश्वानृते हन्ति	८१६८
व्यपेत्कल्मषोऽभ्येति	१२११८	शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्सह	८१३८५
व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं	८१४२०	शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञा	८१२६४
व्यभिचारात् भर्तुः स्त्री	५११६४	शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छ	८१३७८
व्यभिचारात् भर्तुः स्त्री	६१३०	शतायुश्चैव विज्ञेया	३११८६
व्यभिचारेण वर्णानाम्	१११२४	शतं दशसहस्राणि	७१७४
व्यवहारान्विद्वद्भ्यस्तु	८११	शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य	८१२६७
व्यवहारेण जीवन्तं	७११३७	शतं वर्षाणि तामिस्रे	४११६५
व्यवहारो मिथस्तेषां	१०१५३	शत्रुमेविनि मित्रे च	७१८६
व्यसनस्य च मृत्योश्च	७१५३	शनकैस्तु क्रियालोपात्	१०१४३
व्यसनानि दूरन्तानि	७१४५	शनैरावर्तमानस्तु	४११७२
व्यसन्यधोऽधो व्रजति	७१५३	शब्दः स्वशब्द रूपञ्च	१२१६८
व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च	७१५६	शम्भापातास्त्रयो चाऽपि	८१२३७
व्याधाञ्छकुनिकान् गोपान्	८१२६०	शयनस्थो न भुञ्जीत	४१७४
व्याधिता बाधिवेत्तव्या	६१८०	शयानः प्रोऽपाऽश्च	४११२
व्याधितां त्रिप्रदुष्टां वा	६१७२	शम्भाऽस्तनमलज्ज्वरं	६११७
व्यायम्याप्नुत्य मध्याह्ने	७१२१६	शय्यासनस्थश्चैवैनं	२१११६
व्यानप्राहानुच्छृत्तीन्	८१२६०	शय्यासनेऽप्याचरिते	२१११६
व्याहृतिप्रणवैर्गुक्ता	६१७०	शय्यां गृहान्कुशानान्धान्	४१२५०
व्रतचर्मापचारं च	१११११	शरणागतहन्त इव	११११६०
व्रतवद् देवदेवत्ये	२११८६	शरणागतं पतित्यज्य	११११६८
व्रतस्यमपि दीहित्रं	३१२३४	शरणेष्वममश्चैव	६१२६
व्रतानि यमधर्माश्च	२१३	शरान्कुञ्जकगुम्फांश्च	८१२४७
व्रतेन पापं प्रच्छाद्य	४११६८	शरीरकवर्णान्प्रणाः	७१११२
व्रात्यता ब्रान्धवत्यागः	१११६२	शरीरजैः कर्मदोषैः	१२१६
व्रात्यया मह संवासे	८१३७३	शरीरस्याशये चैव	६१६८
व्रात्यात् जायते विप्रात्	१०१२१	शरीरेण समं नाशं	८११७
व्रात्यानां पात्रनं कृत्वा	११११६७	शरीरं चैव चाक्षं च	२११६२
व्रीहयश्शालयो मुद्गाः	६१३६	शरीरं यातनार्थीयं	१२११६
श		शरः क्षत्रियया प्राह्यः	३१४४
शक्तं कर्मण्यदुष्टं च	८१३८८	शर्मवद् ब्राह्मणस्य स्यात्	२१२३
		शल्पं चास्य न कृन्तन्ति	८११२

शबं तत्स्पृष्टिनं चैव	५।८५	शुनां च पतितानां च	३।६२
शबस्पृशो विशुध्यन्ति	५।६४	शुभाशुभफलं कर्म	१२।३
शशकर्मयोस्तु मांसिन	३।२७०	शुल्कमज्ञेन मूल्येन	६।१००
शस्त्रास्त्रमृश्चं क्षत्रस्य	१०।७६	शुल्कस्थानं परिहरन्	८।४००
शस्त्रेण वैश्यान् रक्षित्वा	१०।११६	शुल्कस्थानेषु कुशलाः	८।३६८
शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं	८।३४८	शुल्कं च द्विगुणं दद्यात्	८।३६६
शंसेद् ग्रामशतेशस्तु	७।११७	शुल्कं दद्यात्सेवमानः	८।३६६
शंसेद् ग्रामदशेशाय	७।११६	शुल्कं हि गृह्णन्कुर्वते	६।६८
शाकमूलफलानां च	५।११६	शुश्रूषा ब्रह्मणानां च	७।८८
शाखान्तगमयाध्वयुं	३।१४५	शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य	११।११०
शारङ्गो मन्दपालेन	६।२३	शुश्रूषेव तु शूद्रस्य	६।३३४
शारीरं धनसंयुक्तं	६।२३६	शुष्कवैरं विवाहं च	४।१३६
शारीरं शौचमिच्छन्नि	५।१३६	शुष्काणि भुक्त्वा मांसानि	११।१५५
शात्मलीनालतालांश्च	८।२४६	शूद्रस्तु कारयेद् वास्यं	८।४१३
शात्मलीफलके इक्षकरो	८।३६६	शूद्रविद्वक्षत्रविप्राणाम्	८।१०४
शासनाद्वा विमोक्षद्वा	८।३१६	शूद्राप्यो गुरुद्वैव	३।५६
शिक्षाविदलरज्ज्वाद्यैः	६।२३०	शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा	२।२४
शिरःस्नातश्च तैलेन	४।८३	शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षन्	१०।१२१
शिरोभिस्ते गुहीत्वोर्ध्वं	८।२५६	शूद्रस्य तु सवल्लेख	६।१५७
शिलानप्युज्ज्वलतो नित्यं	३।१००	शूद्राणां तु मधर्माणः	१०।४१
शिलोच्छ्रमप्यादवीत	१०।११२	शूद्राणां मासिकं कायम्	५।१४०
शिल्पेन व्यवहारेण	३।६४	शूद्राज्जानो नियाद्यां तु	१०।१८
शिल्पोपचारयुक्ताश्च	६।२५६	शूद्राद्यायोगवः क्षत्ता	१०।१२
शिष्टवा वा भूमिदेवानाम्	११।८२	शूद्रायां क्षत्रियविशीः	८।३८३
शिष्याश्च शिष्याद्धर्मण	४।१७५	शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः	१०।६४
शिष्येण बन्धुना वापि	८।७०	शूद्रावेदो पतस्यत्रैः	३।१६
शिष्येभ्यश्च प्रवक्ष्यत्यं	१।१०३	शूद्राश्च सन्तः शूद्राणां	८।६८
शीतातपाभिघातांश्च	१२।७७	शूद्रां शयनमारोप्य	३।१७
शुके द्विहायन वस्त्रं	११।३४	शूद्रेण हि समस्तावद्	२।१७२
शुक्लं पर्णं चैव	४।२११	शूद्रेण भार्या शूद्रस्य	३।१३
शुक्लं चैव	५।१७७	शूद्रो हि धनमासाद्य	१०।१२६
शुक्लपक्षादिनियतः	११।११७	शूद्रो ब्राह्मणतामेति	१०।६५
शुक्षिना सत्यसन्धेन	७।३१	शून्यानि चाप्यगाराणि	६।२६५
शुचिदम्बुकुण्डशुश्रूषुः	६।३३५	शून्ये मत्स्यानिवापस्यन्	७।२०
शुचि देशं विविक्षन् च	३।२०६	शृगालयोनिं प्राप्नोति	५।१६४
शुचीनाकरकर्मन्ते	७।६२	शृगालयोनिं चाप्नोति	६।३०
शुची देशे जपञ्जप्यं	२।२२२	शैलुं गन्धं च पेय्यं	५।६
शुद्धिं विजानता कार्या	५।१२१	शेषमात्मनि युञ्जीत	६।१२
शुद्ध्येद्विप्रो दशाहेन	५।८३	शेषाणामानृशस्या	६।१६३

शेषास्तमुपजीवेयुः	६।१०५	श्रेयस्कृतरं श्रेयं	१२।८६
शेषे स्वेकादशगुण	८।३२२	श्रेयसः श्रेयसोऽस्माभे	६।१८४
शेषेऽप्येकादशगुणं	८।३२०	श्रेयःसु गुरुवद्वृत्ति	२।२०७
शैलवत्सुन्नवायाम्नं	४।२१४	श्रेष्ठयनाभिजनेनेदं	१।१००
शोणितं यावतः पांसून्	४।१६८	श्रोत्रं स्ववचमुषी जिह्वा	२।६०
शोणितं यावतः पांसून्	१।१२०७	श्रोत्रियस्य कदयंस्य	४।२२४
शोचन्ति जामयो यत्र	३।५७	श्रोत्रियान्वयजाश्चैव	३।१८४
शौचं यथाहं कर्त्तव्यं	५।११४	श्रोत्रियायैव देयानि	३।१२८
शौचाशौचं हि मर्त्यानां	६।६७	श्रोत्रिये तूपसंपन्ने	५।८१
शौचे धर्मोऽनपक्वयां च	६।११	श्रोत्रियेषूपकुर्वन्	८।३६४
शौचेऽसुः सर्वदाचामेत्	२।६१	श्रोत्रियं व्याधितात्तां च	८।३६५
शौनकेस्य सुनोत्पत्त्या	३।१६	श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं	८।३६३
शौर्यकर्मार्थदेशश्च	६।२६८	श्लेष्मनिष्ठं च त्वान्तानि	४।१३२
श्मशानगोचरं सुते	१०।३६	श्लेष्माशु दूषिका स्वेदो	५।१३५
श्मशानेष्वपि तेजस्वी	६।३१८	श्चक्रीडी श्येनजीवी च	३।१६४
श्रद्धधानोऽनसूयश्च	४।१५८	श्चक्ररोष्ट्रे च रुचति	४।११५
श्रद्धधानः शुभां विद्यां	२।२३८	श्चगोघोतृककाकांश्च	१।११३१
श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च	४।२२६	श्चवतां शौष्ठिकानां च	४।२१६
श्रद्धावृत्ते ह्यक्षये ते	४।२२६	श्चभिर्हृतस्य यः प्रांसम्	५।१३१
श्रद्धा च नो मा ध्यगमद्	३।२५६	श्च प्रांसमिच्छन्नासोऽसुं	१०।१०६
श्रद्धापूतं वदान्यस्य	४।२२५	श्चभृगालखरैर्वष्टः ग्राम्यं	१।११६६
श्राद्धभुवृत्तीतत्वं	३।२५०	श्चसूकरखरोष्ट्राणाम्	१२।५५
श्राद्धं भुक्त्वा य उच्छिष्टं	३।२४६	श्वावित्कृतान्नं विविधं	१२।६५
श्राद्धे प्रशस्तातिथयो	३।२७६	श्वाविधं शल्यकं गोधां	५।१८
श्रावण्यां श्रोष्ठपक्षां वा	४।६५	श्वा तु दृष्टिनिपातेन	३।२४१
श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते	२।५२		
श्रीकामो बजयन्नित्यं	४।६६		
श्रीफलैरशुपट्टानां	५।१२०		
श्रुतवृत्ते विदित्वाऽस्य	७।१३५		
श्रुतवृत्ते वा	६।११		
श्रुतशान्तिं च विनाय	१।१२२		
श्रुतं देशं च जातिं च	८।२७३		
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्	२।८		
श्रुतिद्वयं तु यत्र स्यात्	२।१४		
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः	२।१०		
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं	२।६		
श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्	४।१५५		
श्रुतीरथर्थाङ्गिरसीः	१।१३३		
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च	२।६८		
श्रुत्वास्तानुषयो धर्मान्	५।१		
श्रूयतां येन दोषेण	५।३		
		ख	
		षट्कर्मको भवत्येषां	४।६
		षट्त्रिंशद्विकं चर्यं	३।१
		षट्सु षट्सु च मासेषु	८।४०३
		षट् ऋतूश्च नमस्कुयाद्	३।२१७
		षडानुपूर्व्या विप्रस्य	३।२३
		षण्णाम्नु कर्मणामस्य	१०।७६
		षण्णामेषानु सर्वेषाम्	१२।८६
		षण्मासनिचयो वा स्यात्	६।१८
		षण्मासाश्छागमासिन	३।२६६
		षष्ठं तु क्षेत्रज्ञस्याशम्	६।१६४
		षष्ठान्नकालता मांसम्	१।१२००
		गठेऽन्नप्राशनं मांसि	२।३४
		पाण्मासिकस्तथाश्छादः	७।१२६
		षोडशैव तु वैद्यस्य	८।३३७

स		सत्कृत्यान् यथाशक्ति	३।११३
स एव ता माददीत	८।२०८	सत्क्रियां देशकालौ च	३।१२६
स एव दद्याद् द्यौ पिण्डां	६।१३२	सत्यधर्मविद्वेषु	४।१७५
स एव धर्मजः पुत्रः	६।१०७	सत्यपूर्तां वदेद्वाचं	६।४६
सकृत् सरहस्यं च	२।१४०	सत्यमर्थं च संपश्येत्	८।४५
सकामां दूषयन्तुत्यः	८।३६८	सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु	१।११६६
सकामां दूषयन्तुत्यो न वधं	८।३६४	सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयात्	४।१३८
स कुबेरः स वरुणः	७।७	सत्यं साक्ष्ये ब्रून् साक्षी	८।८१
सकृज्जपत्वास्व वामीयम्	१।१२५०	सत्या न भाषा भवति	८।१६४
स कृत्वा प्राकृतं कृच्छ्रं	१।११५८	सत्यानृतं तु वाणिज्यं	४।६
स कृत्वा प्लवमात्मानं	१।११६	सत्यानृताभ्यामपि वा	४।४
स कृत्वा पृथिवीं भुङ्क्ते	७।१४८	सत्येन पूयते साक्षी	८।८३
सकृदशो निपतति	६।४७	सत्येन शापयेद्विप्रं	८।११३
सकृदाह दधानीति	६।४७	सत्रं हि वर्धते तस्य	८।३०३
स क्रीतकः सुतस्तस्य	६।१७४	स त्रीण्यहान्युपवसेत्	१।११५७
सह्युः पुद्गस्य च स्त्रीषु कुमारी	१।११७०	स त्वप्सु तं घटं प्राप्य	१।११८७
सह्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरु	१।१५८	रास्त्वस्य लक्षणं धर्मः	१।२३८
स गच्छति पर स्थानं	३।६३	सत्त्वं ज्ञानं तमोज्ञानम्	१।२२६
स गच्छत्यक्षता विप्रो	२।२४४	सत्त्वं रजस्तमश्चैव	१।२२४
स गच्छत्युत्तमस्थानं	२।२४६	स दण्डं प्राप्नुयामास्य	८।३१६
स गुह्योऽप्यस्त्रिवृद्धेः	१।१२६५	स दण्डघः कृष्णलान्यष्टौ	८।२१५
स गुह्यं गूढमुत्पन्नः	६।१७०	स दत्त्वा निजितां वृद्धिं	८।१५४
स गुह्येऽपि वसेन्नित्यं	३।७१	सदा प्रहृष्टया भाष्यम्	५।१५०
स गोहत्याकृतं पापं	१।१११५	स दीर्घस्यापि कालस्य	८।२१६
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा	७।५४	सहशान्तु प्रकुर्यात् यम्	६।१६६
स चेत् पयि संरुद्धः	८।२६५	सदृशं प्रीतिसंयुतं	६।१६८
सर्वतो बहिराग्नित्य	१।१२०२	सहशस्त्रीषु जातानाम्	६।१२५
सजातिआमन्तरजाः	१।०४१	सहशानेव तानाहुः	१।०६
स जीवन्नेव गूढत्वं	२।१६८	सद्गिराचरितं यस्यात्	८।४६
स जीवन् मृतश्चैव	५।४५	सद्यः पतति मांसेन	१।०६२
सज्जयन्ति हि ते नारीः	८।३६२	सद्यः प्रक्षालको वा स्यात्	६।१८
सज्योतिः स्यादन्ध्यायः	४।१०६	सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञः	५।६८
स ज्यो यज्ञियो देशो	२।२३	स द्यौ कार्यापणौ दद्यात्	६।२८२
स तथैव प्रहीतव्यः	८।१८०	स नाप्नोति फलं तस्य	१।१२८
स तदा तद्गुणप्रायं	१।२२५	स निर्भाज्यः स्वकादंशात्	६।२०७
स तदेव स्वयं भेजे	१।२८	सङ्जीवनं महावीर्यं	४।८६
स तस्यैव व्रतं कुर्यात्	१।११८१	सङ्जीवयति चाजस्रं	१।५७
स तस्योत्पादयेत्तुष्टिं	८।२८८	सन्तुष्टो भार्यया सती	३।६०
स ताननुपरिक्रमेत्	७।१२२	सन्तोषं परमास्थाय	४।१२
स तानुवाच धर्मात्मा । अस्य	१।२१२	सन्तोषमूलं हि सुखं	४।१२
स तानुवाच धर्मात्मा । अयतां	५।३	सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारम्	६।३
स तंः पृष्ठस्तथा सम्यक्	१।४		

सन्धिं च विप्रहं चैव	७११६०	समस्तस्कन्दयञ्चैनं	७११६६
सन्धिं छित्त्वा तु ये चौयम्	६१२७६	समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठ	६११३४
सन्धिं तु द्विविधं विद्यात्	७११६२	समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठश्च	६१११०
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव	४११३१	समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य	६१२०५
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव मूर्ध्व	३१२२०	समस्तत्र विभागः स्यादिति	६११२०
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव द्विप्रो	२१७८	समस्तानां च कार्येषु	७१५७
सन्ध्यां चोपास्य भृशुष्यान्	७१२२३	स महीमलिलां भुञ्जन्	६१६७
		स माता स पिता ज्ञेयः	२११४४
सन्निधावेव च कल्पः	५१३४	समानयानकर्मा च	७११६३
सन्नियमोऽन्धियग्रामं	२११७५	समानशयने चैव	४१४०
सन्नियमोऽन्धियग्रामं	१११६	समानोदकभावस्तु	५१६०
न पर्यायेण यासीमान्	४१८७	समाप्ते तूदकं कृत्वा	५१८८
न पापकृता मो लोके	४१२५५	समाप्ते द्वादशे वर्षे	१११८१
स पापकृता परे लोके	१११२६	समाप्नुयाद् दमं पूर्वं	६१२८७
स पापिष्ठो विवाहानां	३१३४	समाविशति संसृष्टः	११५६
स पारयन्नेव शवः	६११७८	समाहृत्य तु तद्भक्षं	२१५१
सपालः शतदण्डाहं	८१२४०	समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं	७१२६
सपालान्वा विगलान्वा	८१२४२	समीक्ष्य कुलधर्माश्च	८१४१
सपिण्डता तु पुरुषे	५१६०	समीक्ष्य स घृतेः सम्पक्	७११६
न पीतसोमपूर्वापि	१११८	समुत्थानव्ययं दाप्यः	८१२८७
सप्तकस्यास्य वर्गस्य	७१५२	समुद्रयानकुशलाः	८११५७
सप्तगारांश्चरेद्भुक्षं	१११२२	समुद्रयायी बन्दी च	३११५८
सप्तद्वारावकीर्णी च	६१४८	समुद्रे नाप्नुयात्किञ्चित्	८११८८
सप्त प्रकुनयो ह्येताः	६१२६४	समुत्पतिं च मांसस्य	५१४६
सप्त विज्ञाता धर्म्याः	१०११५	समुपोडेषु कामेषु	६१४१
सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य	६१२६८	समुत्सृजेत्साहसिकान्	८१३४०
सप्तानां प्रकृतीनास्तु	६१२६५	समुत्सृजेद् भुक्तवतां	३१२४४
स प्रेत्य पशुनां याति	५१३५	समुत्सृजेद् राजानान्	६१२८२
स ब्रह्मचारिण्येकाहम्	५१७१	स मुढो नरकं यति	३१२४६
स ब्रह्म परमश्चेति	८१८२	समेषुमान्स्त्रियो वा	३१४६
स ब्रह्मस्तेयसयुजो	२१११६	समेषु तु गुणोत्कृष्टान्	८१३३
समान्तः साक्षिणः प्राप्तान्	८१७६	समोहं विषमं यस्तु	६१२८७
समाप्रयाप्यशाला	६१२६४	समोत्तमाधर्मं राजा	७१८७
सभामेव प्रविश्याग्रयां	८११०	समोऽवकृष्टजानिस्तु	८११७७
सभां वा न प्रवेष्टव्यं	८११३	समं पश्यन्नात्मयाजो	१२१६१
स भुञ्जानो न जानाति	३१११५	समः सर्वेषु भूतेषु	६१६६
समक्षदर्शनाः साक्ष्यं	८१७४	सम्पन्ननिव्यभ्युदये	३१२५४
समता चैव सर्वस्मिन्	६१४४	सम्प्रधायत्रिविद्धाता	१०१७३
समसन्नाहणे दानं	७१८५	सम्बन्धिनो ह्येषां लोके	४११८३
समवर्णान् तु ये जाताः	६११५६	सम्भवश्च यथा तस्य	७११
समवर्णं द्विजातीनां	८१२६६	सम्भवश्चास्य सर्वस्य	२१२५

सम्भवाश्च विद्योनीषु	१२।३७	सर्वलोकाधिपस्य च	१२।१००
सम्भावयति चान्तेन	२।१४२	सर्ववर्णेषु तुल्यासु	१०।५
सम्भाषणं सह स्त्रीभिः	८।३६०	सर्वस्य तपसो मूलं	१।११०
सम्भूतिं तस्य तां विद्यात्	२।१४७	सर्वस्यास्य तु सर्गस्य	१।८७
सम्भूय च समुत्थानं	८।४	सर्वस्यास्य प्रपद्यन्तः	११।२४४
सम्भूय स्वानि कर्माणि	८।२११	सर्वस्यास्य ययान्याधं	७।२
सम्भोगो दृश्यते यत्र	८।२००	सर्वस्यैवास्य मर्गस्य	१।६३
सम्भोजनी सामिहिता	३।१४१	सर्वस्वहारमर्हन्ति	६।२४२
सम्मानाद् ब्राह्मणो निम्नं	२।१६२	सर्वस्वं वेदविदुषे	११।७६
सम्मानेनोपाञ्जनेन	५।१२४	सर्वं कर्मरमायत्तं	७।२०५
सम्पक् प्रणिहितं चार्थं	८।५४	सर्वं च तान्तवं रक्तम्	१०।८७
सम्पश्यं समाहृतं न	७।६०	सर्वं च तिलसम्बद्धं	४।७५
सम्पददर्शनसम्पन्नः	६।७४	सर्वं च दशमशकं	१।४०
सम्पद् निविष्टदेशस्तु	६।२४२	सर्वं तु तपसा साध्यं	११।२३८
स यदि प्रतिपद्येत	८।१८३	सर्वं तु समवेक्ष्येवं	२।८
स याच्यः प्राट्विवाकेन	८।१८१	सर्वं सुकृतमादत्ते	३।१००
स याति भासनां विप्रः	११।२५	सर्वं परवशं दुःखं	४।१६०
सरस्वतीदृष्टद्वयोः	२।१७	सर्वं भूष्यन्ते हन्ति	८।६६
स राजा पुरुषो दण्डः	७।१७	सर्वं वापि चरेद् ग्रामं	२।१८५
स राजा तच्छत्रुभिर्गं	८।१७६	सर्वं वा रिचयजातं तत्	६।१५२
सरितः सागराञ्छैलान्	१।२४	सर्वं शृणुत तं विप्राः	३।३६
सर्वं एव विकर्मस्थाः	६।२१४	सर्वं स्व ब्राह्मणस्येवं	६।१००
सर्वकण्टकपाविष्ठम्	६।२८२	सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्	१२।११८
सर्वतो धर्मषड्भागो	८।३०४	सर्वकारेण्वीकारः	११।६३
सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्	१०।१०२	सर्वकुशलमोक्षाय	११।२२१
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्ते तु	४।२५१	सर्वाणि जातिकार्याणि	११।१८७
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मध्य	४।२४७	सर्वान्पश्चिज्जैदर्थान्	४।१७
सर्वत्र तु सदो देवः	८।२४१	सर्वान्बलकृतानर्थान्	८।१६८
सर्वथा ब्राह्मणा पूज्याः	६।३१६	सर्वान् रसानपोहेत	१०।८६
सर्वथा वर्तते यज्ञः	२।१५	सर्वान्माधयेदर्थान्	२।१००
सर्वद्वयाणि कुर्यात् च	७।६६	सर्वान्माकेकपत्नीनाम्	६।१८३
सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तः	६।८१	सर्वान्मा निष्कलाः प्रेत्य	१२।६५
सर्वधर्मविदोऽलुब्धा	८।६३	सर्वान्मास्तेन पुत्रेण	६।१८३
सर्वभूतप्रभृतिर्हि	६।३५	सर्वान्मास्तेन पुत्रेण	६।१८२
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः	१।७	सर्वेण तु प्रयत्नेन	७।७१
सर्वभूतेषु चात्मानम्	१२।६१	सर्वे तस्याहता धर्माः	२।२३४
सर्वमात्मनि सम्पश्येत्	१२।११८	सर्वे ते जपयज्ञस्य	२।८६
सर्वरत्नानि राजा तु	११।४	सर्वे ते नरका गान्ति	३।१७२
सर्वलक्षणहीनोऽपि	४।१५८	सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते	६।८८
सर्वलोकप्रकोपश्च	७।२४	सर्वे पृथक्पृथक्दण्ड्यः	८।२६३
		सर्वे वा तु त्रिदिशैर्वा	७।२०२

सर्वेषां तु विशिष्टेन	७।५८	स स्वर्गाच्च्यवते लोकात्	३।१४०
सर्वेषां तु स नामानि	१।२१	सहस्रद्वासनं चैव	८।३५७
सर्वेषां ब्राह्मणो विद्यात्	१०।२	सह द्यावापृथिव्योश्च	३।८६
सर्वेषां शावमाशौचम्	५।६२	सह पिण्डक्रियायां तु	३।२४८
सर्वेषां धनजातानाम्	६।११४	स हरेतैव तद्विषयं	६।१४१
सर्वेषामपि चेतैवाम् शुभानां	१२।८४	सह चापि वजेद्युवतः	७।२०६
सर्वेषामपि चेतैवामात्मज्ञानं	१२।८५	सह सर्वाः समुत्पन्नाः	७।२१४
सर्वेषामपि चेतैषां वेदरमृति	६।८६	सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्त्य	२।७६
सर्वेषामपि तु ग्यायम्	६।२०२	सहस्रशः समेतानां	१२।११४
सर्वेषामप्यभावे तु	६।१८८	सहस्रं क्षत्रियो दण्डधः	८।३७५
सर्वेषामधिभो मुख्याः	८।२१०	सहस्रं तु पितृन्माता	१।१४५
सर्वेषामेव दानानां	४।२३३	सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं	८।३७८
सर्वेषामेव शौचानाम्	५।१०६	सहस्रं ब्राह्मणो दण्डधः	८।३८३
सर्वेषैव शनैश्चैव	११।२२५	सहस्रं हि सहस्राणां	३।१३१
सर्वेषार्यरन्विच्छेत्	८।१६०	सहासममभिप्रेतुः	८।२८१
सर्वो दण्डजितो लोको	७।२२	स हि धर्मार्थमुत्पन्नो	१।६८
सर्वोपायस्तथा कुर्यात्	७।१७७	स हि स्वाभ्यादतिक्रामेत्	६।६३
सर्वपाः वटं यवो मध्यः	८।१३४	सहोदं सोपःकरणं	६।२७०
स निष्किनां हरत्येनः	४।२००	सहोमो चरतां धर्म	३।३०
स लोके प्रियतां याति	५।५०	साक्षिणः सन्ति मेष्युक्त्वा	८।५७
सहर्षां विजातीनां	३।१२	साक्षिप्रत्यय एव स्यात्	८।२४३
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो	५।७७	साक्षिप्रत्ययसिद्धानि	८।१७८
सवासा जलमाप्लुत्य सद्यः	५।७८	साक्षिप्रश्नविधानं च	१।१५
स विज्ञेयः परो धर्मो	१२।११३	साक्षी दृष्टश्चुताद्व्यत्	८।७५
स विद्यावस्य कृतेषु	७।६७	साध्यभावे तु चत्वारो	८।२५८
स विधूयेह पाप्मानं	६।८५	साध्यभावे प्रसिद्धिभिः	८।१८२
स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं	८।३४	साध्येऽनृतं वदन् पाशैः	८।८२
स विनाशं व्रजत्याशु सूचका	४।७१	सा चेत् पुनः प्रबुध्येतु	११।१७७
स वै सर्वमवाप्नोति	२।१६०	सा चेदक्षतयोनिः स्यात्	६।१७६
सव्याहृतिप्रशवकाः	११।२४८	सा तेषां पावनाय स्यात्	११।८५
सव्येन सव्यः स्पष्टव्यः	२।७२	सा श्रीमसात्पत्त्याज्या	६।७८
सव्ये प्राचीनं भार्याती	२।६३	साधुषु व्यपदेशार्थं	७।१६८
स शतं प्राप्नुयाद् दण्डं	८।२२५	साध्यानां च गणं सूक्ष्मं	१।२२
स शूद्रवद् बहिष्कार्यः	२।१०३	साऽनुज्ञाप्याधिवेत्तव्या	६।८२
स संधार्यः प्रयत्नेन	३।७६	सान्त्वानिकं यक्ष्यमाणम्	१।११
स सर्वसमतामेव	१२।१२५	सान्त्वेन प्रशमय्यादी	८।३६१
स सर्वस्य हितप्रेम्णुः	५।४६	सांपरायिककल्पेन	७।१८५
स सर्वोऽभिहितो वेदे	२।७	सा प्रशस्ता द्विजातीनां	३।५
सहायः स हन्तव्यः	८।१६३	सा भर्तृलोकमाप्नोति	५।१६५
सत्याग्ने नवसरयेष्टया	४।२६	सा भर्तृलोकानाप्नोति	६।२६
स साधुभिर्बहिष्कार्यो	२।११	सामदण्डौ प्रणंसन्ति	७।१०६

सामध्वनावृत्त्युप्री	४।१२३	सुखं ह्यवमतः शोते	२।१६३
मामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः	८।२६२	सुखाम्पुदधिकं चैव	१।२८८
सामन्तानामभावे तु	८।२५६	सुगुर्वप्यपहन्त्येनः	१।२५६
सामन्ताश्चेन्मृषा ब्रूयुः	८।२६३	मुदाः पञ्चवनश्चैव	७।४१
सामवेदः स्मृतः पित्र्यं	४।१२४	सुरीक्षितमन्नाद्यं	७।२१७
सामादीनामुपायानां	७।१०६	सुपर्वाग्निराणां च	३।१६६
साम्ना दानेन श्रेवेन	७।१६८	सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा	३।३४
साम्नां वा सरहस्यानां	१।१२६२	सुप्ता क्षात्वा च भुक्त्वा च	५।१४५
साम्राज्यकृतसजात्येषु	८।३८७	सुकीञ्च चैव सुक्षेत्रे	१।०६६
सायम्प्रातश्च जहुयाद्	२।१८६	सुयुद्धमेव तन्नापि	७।१७६
सायं त्वनश्य सिद्धस्य	३।१२१	सुरापानापनुत्पर्य	१।१६२
मारमं रज्जुबालं च	५।१२	सुरां पीत्वा द्विजो मोहात्	१।१६०
सारापराधो चालोक्य	८।१२६	सुरा वै मलमग्नानाम्	१।१६३
सारासारं च भाण्डानाम्	६।३३१	सुरूपं वा विरूपं वा	६।१४
सार्यं धनिकमन्नाद्यं	३।२४४	सुवर्णकतुर्वेणस्य	४।२१५
सार्यत्सरिकमाप्तंश्च	७।८०	सुवर्णचौरः कौनस्यं	१।१४६
सावित्रान्धान्तिहीमाश्च	४।१५०	सुवर्णरजतादीनां	८।३२१
सावित्रीं च जपेन्नित्यम्	१।१२२५	सुवर्णस्तेयकुडिप्रः	१।१६२
सावित्रीपतिता त्रात्या	२।३६	सुवासिनीः कुमारीश्च	३।११४
सावित्रीमप्यधीयीत	२।१०४	सुसंगृहीतराष्ट्रं हि	७।११३
सावित्रीमात्रसारोऽपि	२।११८	सुसंस्कृतोपस्करया	५।१५०
सावित्र्यास्तु परं नास्ति	२।८३	सुहृत्स्वजिह्वाः स्निग्धेषु	७।३२
सा सद्यः सग्निरौद्धव्या	६।८३	सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत	६।६५
साहसस्य नरः कर्त्ता	८।३४५	सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः	१।१६
साहसे वर्तमानं तु	८।३४६	सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः	६।५
साहसेषु च सर्वेषु	८।७२	सूच्याः वज्रेण चैवैतान्	७।१६१
सिद्धिमैकस्य सपश्यन्	६।४२	सूतकं मातुरेव स्यात्	५।६२
सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च	१।२।३	सूतानामश्वसारथ्यम्	१।०।७
सीतादध्यापहरणे	६।२६३	सूतो ववेहकश्चैव	१।०।२६
सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्भिः	१।०।११३	सूत्रकार्पासकिण्वानां	८।३२६
सीमाज्ञाने तृणां बीज्य	८।२४६	सूनाचः श्वजवतां	४।८४
सीमायामखिवह्यायां	८।२६५	सूर्मीं ज्वलन्तीं स्वाश्लिष्यन्	१।१।०३
सीमाविनिर्णयं कुर्युः	८।२५८	सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः	२।२२१
सीमाविवादधर्मश्च	८।६	सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्याः	१।६१
सीमावृक्षाश्च कुर्वीत	८।२४६	सृष्टिर्मुष्टिद्विजाश्चग्रथः	३।२५५
सीमासन्धिषु कार्याणि	८।२४८	सृष्टिं ससर्ज चैवमां	१।२५
सीमां प्रति समुत्पन्ने	८।२४५	सेनापतिबलाध्यक्षौ	७।१८६
मुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैः	८।२५६	सेनापत्यं च राज्यं च	८।१००
मुखस्य नित्यं दातेह	५।१५३	सेवा श्वघृतिराख्याता	४।६
मुखं चरति लोकेऽस्मिन्	२।१६३	सेवेतेमास्तु नियमान्	२।१७५
मुखं चेद्देच्छता नित्यं	३।७६	सेह निन्दामवाप्नोति	५।१६१

सैरिन्द्रं बागुरावृत्ति	१०३२	संयोगं पतितं गत्वा	१२६०
सोऽग्निर्भवति बायुश्च	७७	संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं	७१३६
सोऽचिराद् भ्रष्टते राज्यात्	७१११	संरक्षणाय जन्तूनाम्	६६८
सोऽज्येष्ठः स्याद्भागश्च	६१२३	संरक्ष्येत्पर्वतश्चैनं	७१३५
सोऽर्था विमज्जेरस्तम्	६१२१२	संवत्सरस्प्रतीक्षेत	६७७
सोऽनुज्ञानो हरेदंशं	६१७६	संवत्सरस्प्रैकमपि	५२१
सोऽनुभूयासुखोदकान्	१२१८	संवत्सराभिज्ञास्तस्य	८३७३
सोऽन्तर्देशाहासद् द्रव्यं	८१२२	संवत्सरेण पतति	१११८०
सोऽपत्य भ्रातृत्वाद्य	६१४६	संवत्सरे व्यतीते तु	५७६
सोऽपानस्कश्च यत् भुङ्क्ते	३१३८	संवत्सरं तु गध्येन	३२७१
सोऽभिधाय शरीरात्स्वात्	१८	संवत्सरं यवाहारः	१६८
सोऽमया नाम विप्राणां	३१६७	सवाद्य रूपसंख्यादीन्	८३१
सोऽमयास्तु कवेः पुत्राः	३१६८	सविभागश्च भूतेभ्यः	४३२
सोऽमविक्रियिणे विठ्ठा	३१८०	सविद्ये तु यथाकालं	७२५
सोऽमाग्यकार्कनिलेन्द्राणाम्	५१६६	संशोध्य त्रिविधं मार्गं	७१८५
सोऽमाय राज्ञे सत्कृत्य	६१२६	संश्रयस्येव तच्छीलं	१०६०
सोऽमारोऽन्तु बह्वेना	११२५४	संसारगमनं चैव	१११७
सोऽम्वृतं नाम तमः	४८१	संसारान्प्रतिपद्यन्ते	१२५४
सोऽसहायेन मूढेन	५३०	संस्पृष्टास्तेन वा ये स्मृः	१२१६
सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्	८१०	संस्मर्त्ता चोहर्त्ता च	५५१
सोऽरान्मन्त्रान्ययोत्साहं	५८६	संस्कारस्य विरोधाच्च	१०३
सङ्कुरापात्रकृत्यासु	१११२५	संस्कारार्थं शरीरस्य	२६६
संकरीकरणं ज्ञेयं	११६८	संस्थितस्यानपत्यस्य	६१६०
संकरे जातयस्त्वेतरः	१०४०	संस्पृष्टं नैव धुध्येत	५१२३
संकल्पमूलः कामो यै	२३	संहृतस्य च मित्रेण	७१६५
सङ्कीर्णयोगो यो ये तु	१०२५	संहृतान्योधयेदत्पान्	७१६१
संक्रम्यज्यष्टीनाम्	६१८५	संहृत्य हस्तावध्येयं	२७१
सक्षिप्यते यशो लोके	७३४	संहृतं च सकाकोलं	४८६
संज्ञाभिश्चनिर्वाहित्वं	७८८	स्कन्धेनावाय मुसलं	८३१५
सन्निधातुं च मोषस्य	६१७८	स्तेनगायनयोश्चाम्नं	४२१०
सन्निधय्यं तु ताभ्येव	२६३	स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि	८३०१
संन्यस्य सबर्कमाणि	६६५	स्तेनानां निग्रहादस्य	८३०२
संन्यासेनापहर्त्यतः	६६६	स्तेनानां पापबुद्धीनां	६२६३
संपश्यतः सभृतस्य	७१४३	स्तेनान् राजा निगृह्णीयान्	६३१२
संपूज्या गुरुपत्नीवत्	२१३१	स्तेयं च साहसं चैव	८६
संप्राप्ताय त्वत्तिथये	३६६	स्तेयदोषापहर्त्ताणां	१११६१
संप्राप्तुवन्ति दुःखानि	१२७४	स्तेये च द्वपद कार्यं	६२३७
संप्रीत्या भुञ्जमानानि	८१४६	स्त्रियं स्तुशेददेशे यः	८३५८
संयमे यत्नातिष्ठेत्	२८८	स्त्रियश्चैव विप्रेण	७१५०
संयुक्ताश्च विपुक्ताश्च	७२१८	स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु	६२६
संयोगे विप्रयोगे च	६११	स्त्रिया क्लीबेन च हुते	४२०५
		स्त्रियान्तु यद् भवेद् वित्तम्	६१६८

स्त्रियां तु रोचमानायां	३।६२	स्नात्वाऽर्कमर्चयित्वा त्रिः	२।१८१
स्त्रियाप्यसम्भवे कार्यं	८।३०	स्नात्वा सचैतः स्पृष्ट्वाऽग्निं	५।१०३
स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन	१२।६६	स्नानं समाचरेन्नित्यं	४।२०३
स्त्रियो रत्नान्यथो बिद्या	२।२४०	स्नात्वास्तु गुरुणाऽऽजपतः	२।२४५
स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि	५।६	स्नाने प्रसाधने चैव	७।२२०
स्त्रीलाभसंस्कृतानाम्बु	५।७२	स्पृशन्ति बिम्बवः पादौ	५।१४२
स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भं	२।१७६	स्पृष्ट्वा दत्त्वा च भक्षिराम्	११।१४८
स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युः	८।६८	स्पृष्ट्वैतानशुचिर्नित्यं	४।१४३
स्त्रीणां मुलोमद्यमकरं	२।३३	स्यशर्पशकटानां च	५।११७
स्त्रीधनानि तु ये मोहात्	३।५२	स्यन्दनाश्वैः समे युद्धं च	७।१६२
स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं	१।११४	स्याच्चास्नायपरो लोको	७।८०
स्त्रीर्धर्मो विभागश्च	८।७	स्यात् साहसं दम्बयवत्	८।३३२
स्त्रीबालब्राह्मणधर्माश्च	६।२३२	सन्निवर्णं तत्प्र ग्रासीनं	३।३
स्त्रीबालाभ्युपपत्तौ च	१०।६२	स्वल्पनोङ्कृतं पूर्वं	२।७४
स्त्रीबालोन्मत्तवृद्धानाम्	६।२३०	स्वल्पनामाचरेत्स्नानं	१।१२५४
स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वात्	८।७७	स्रोतसां भेदको यश्च	३।१६३
स्त्रीमृक्षः स्तोत्रको वारि	१२।६७	स्वकर्मं ह्यापयन्त्र यात्	१।१६६
स्त्रीम्लेच्छाधितव्यङ्गान्	७।१४६	स्वकर्मणां च त्यागेन	१०।२४
स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च	८।३०६	स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते	१।५३
स्त्रीशूद्रपतिताश्चैव	१।१२२३	स्वकादपि च विसाद्वि	६।१६६
स्त्रीशूद्रविद्वत्सत्रवधः	१।१६६	स्वक्षेत्रे संस्कृतायान्तु	६।१६६
स्त्रीष्वनन्तरजातास्तु	१०।६	स्वजातीयगृहादेव	१।११६२
स्त्रीसम्बन्धे दशीतानि	३।६	स्वदेशे वा विदेशे वा	८।१६७
स्थलजीवकशाकानि	६।१३	स्वधनादेव तद् दद्यात्	८।१६२
स्थानुच्छेदस्य केदारं	६।४४	स्वधर्मेण नियुक्तायां	६।१६७
स्थानासनाभ्यां विहरेत्स्वनेषु	६।२२	स्वधर्मो विजयस्तस्य	१०।११६
स्थानापनाभ्यां विहरेदशक्तः	१।१२२४	स्वधाकारः परा ह्याशीः	३।२५२
स्थाने युद्धे च कुशलान्	७।१६०	स्वधास्त्वित्येव तं ब्रूयुः	३।२५२
स्थानं समुदयं गुप्ति	७।५६	स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी	२।१८१
स्थापयन्ति तु यां वृद्धि	८।१५७	स्वप्नाज्यगेहवासश्च	६।१३
स्थापयेत्तत्र तद्वश्यं	७।२०२	स्वभाव एव मारीणां	३।२१३
स्थापयेदासने तस्मिन्	७।१४१	स्वभावेनैव यद् ब्रूयुः	८।७८
स्थायं जङ्गमं चैव	५।२८	स्वमांसं परमांसिन	५।५२
स्थावराणि च भूतानि	१।१२४०	स्वमेनोऽवभृथस्नातः	१।१८२
स्थावराः कृमिकीटाश्च	१२।४२	स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्षते	१।१०१
स्थूललक्ष्यं च सततं	७।२११	स्वयमीहितलक्ष्यं तत्	६।२०८
स्नानकथनकलाश्च	४।२५६	स्वयमेव तु यो दद्यात्	८।१८६
स्नानकथनलोके च	१।१२०३	स्वयमेवात्मनो ध्यानात्	१।१२
स्नानकथ्यं च राजान	२।२३८	स्वयंकृतश्च कार्पार्यम्	७।१६४
स्नात्वा तु त्रयो दिशामा	१।१२०१	स्वयंदत्तश्च शीघ्रश्च	६।१६०
स्नात्वाऽज्यमन्त्रं जेयं	१।१२०४	स्वयं वा शिश्नवृषणी	१।११०४

स्वरवर्णोङ्गिताकारैः	८१२५	हत्वा लोकानपीमास्त्रीन्	१११२६१
स्वशब्दे न्यायवृत्तः स्यात्	७१३२	हत्वा हंसं बलाकाञ्च	११११३५
स्वर्गावुत्पयशस्यानि	४१६३	हन्ति जातानजाताश्च	८१६६
स्वर्गार्थं भुमयार्थं वा	१०११२२	हन्त्यल्पदक्षिणी यज्ञः	१११४०
स्वर्गं गच्छत्यपुत्रः पि	५११६०	हन्त्येते प्रेक्षमाणानां	८११४
स्वल्पकेनाध्यविद्वान्हि	४११६१	हन्त्याच्चित्रं बंधोपायैः	६१२४८
स्वधीयाद्वाजधीयाच्च	१११३३	हरेत्तत्र नियुक्तायाम्	६११४५
स्वयीर्यैर्वा तादृष्ट्यान्	१११३१	हर्षयेद्वा आपराणांस्तुष्टः	३१२३३
स्वशक्तिं परशक्तिं च	६१२६८	हविर्दानेन विधिवद्	३१२११
स्वा चैव कुपित्सर्वेषां	६१८६	हविर्धन्विचररात्राय	३१२६६
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागे	६१११८	हविषा कृष्णवर्त्मव	२१६४
स्वादानाद्दलंसंस्पर्श	८११७२	हविष्यभुग्वाऽनुसरत्	१११७७
स्वाध्यायभूमिं चागुह्यां	४११२७	हविष्यान्तीयमभ्यस्य	१११२५१
स्वाध्याये चैव युक्तः स्याद्	४१३५	हविष्येण यथाग्वा वा	११११०६
स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैः	२१२८	हव्यकन्याभिदाह्याय	११६४
स्वाध्यायेनाख्येहृषीन्	३१८१	हन्यानि तु यथान्यायं	३११३५
स्वाध्याये नित्यं युक्तः स्याद्वास्तो	६१८	हस्तिगोऽश्वोऽदृढमक्षः	३११६२
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्देवे	३१७५	हस्तिनश्च सुरपादश्च	१२१४३
स्वाध्याये भोजनं चैव	४१५८	हस्त्येव श्वरयहृत् श्व	६१२८०
स्वाध्यायं श्रावयेत्पिभ्ये	३१२३२	हितेषु चैव लोकरय	६१३२४
स्वानि कर्माणि कुर्वन्ना	८१४२	हिमश्च हिम्ययोर्मध्यं	२१२१
स्वानि स्वान्याभिपद्यन्ते	११३०	हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या	७१२०८
स्वाभिनां च पशूनां च	८१२४४	हिरण्यं धान्यमन्नं च	१०१११४
स्वां प्रसूतिं चरित्रं च	६१७	हिरण्यं भूमिमश्नं गां	४११८८
स्वाध्यामात्पौ पुरं राष्ट्रम्	६१२६४	हिरण्यमापुरन्मं च	४११८६
स्वाभ्यं च न स्यात्कस्मिंश्चित्	७१२१	हिंसाप्रायां पराधीनां	१०१८३
स्वाध्याभ्युत्थास्य मनोः	११६१	हिंसारतश्च यो नित्यं	४११७०
स्वाध्याभ्युत्थायाः सप्तते	११६३	हिंसोपधीनां श्रयाजीवः	१११६३
स्वाभ्यंभुवो मनुर्धोमान्	१११०२	हिंसाणां च पिशाचानां	१२१५७
स्वारोचिषद्वोत्तमश्च	११६२	हिंसाराणां चैव सत्त्वानां	१२१५६
स्वालक्षण्यपरीक्षार्थं	६११६	हिंसा भवन्ति कृत्वादाः	१२१५६
स्वेवजं बंशमशकं	११४५	हिंसा हिंसे मृदुकूरे	११२६
स्वेभ्योऽश्वेभ्यस्तु कन्याभ्यः	६१११८	हिंसो वृषलवृत्तिश्च	३११६४
स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यः	१२१७०	ह्रियमाणानि विषयैः	६१५६
स्वे स्वे धर्मे निबिडानां	७१३५	हीनक्रियं निष्पुरुषं	३१७
स्वे स्वेऽन्तरे सर्वमिदं	११६३	हीनजातिस्त्रियं मोहान्	३११५
स्वं च धर्मं प्रयत्नेन	६१७	हीनाङ्गमतिरिक्ताङ्गान्	४११४१
स्वं स्वं चरित्रं मिथेरन्	२१२०	हीनानि रिक्रमगाथो वा	३१२४२
हं		हीनाम्रवस्त्रवेष्टः स्यान्	२११६४
हत्वा गर्भमविजातम्	१११८७	हीनाक्षीनाम्प्रसूयन्ते	१०१२१
हत्वा छिन्ना च भिक्षा च	३१३३	हीनं गुण्यकारेण	८१२३८

हुङ्कारं बाह्यस्योक्त्वा	१११२०४	हेमन्तग्रीष्मवर्षासु	३१२८१
हुताग्निर्बाह्याश्चाच्यं	७११४५	हेतुकान्त्वकवृत्तीश्च	४१३०
हुत्वाऽग्नौविधिवद्होमान्	१११११६	होता वापि हरेदश्वं	८१२०६
हूयमानश्च यज्ञेषु	६१३१८	होता स्यादग्निहोत्रस्य	१११३६
हृदयेनाभ्यनुजातः	२११	होमाश्च सकला नित्यं	१११२००
हृद्गाभिः पूषते विप्रः	२१६२	होमे प्रदाने भोज्ये च	३१२४०
हृद्यानिर्बन्ध मासानि	३१२२७	होमो देवो यतिभौतो	३१७७



इति मनुस्मृतिश्लोकानामुभयपङ्क्ति-अनुक्रमणिका



मनुस्मृति-शब्दसूची

अंशः ८.२०६; ९.४७; २११	अक्रोधना ३.१९२	अभारम् ६.५१
अंशकल्पना ९.११६	अक्रोधनान् ३.२१३	अभारवाही ३.१५८
अंशप्रकल्पना ८.२११	अक्रोधम् ३.२३५	अभाराणि ९.२६५
अंशम् ८.३६, २०७;	अक्षयेशेन ४.३	अभारात् ११.१७
९.११७., १५१, १५३, १६४,	अक्ष० ७.४७	अभुषान् ३.२२
१७९	अक्षतः ८.१२४	अभुषात् ८.३७४, ३७४
अंशः ९.१५७	अक्षतम् ८.३८०	अभुषात् ८.३७६
अंशात् ९.११८, २०७	अक्षतयोनिः ९.१७६	अभुषायात् ८.३८२, ३८४
अंशान् ९.१५३	अक्षतयोनिषु १०.५	अभुषे ८.३८५
अंशपट्टानाम् ४.१२०	अक्षत्रम् ९.३२२	अभयः २.२०५ [२३०];
अंशेष्वः ९.११८	अक्षत्राणे ८.२९२	३.१०३; ४.२८
अंशी ९.१५१	अक्षमाला ९.२३	अग्नि० १.२३
अकन्या ८.२२५	अक्षयः ७.८२, ८३	अग्निः २.२०६ [२३१];
अकन्यासु ८.२२६	अक्षयफलः ६.९७	३.२१२; ४.५८, २४९;
अकर्म ५.८७	अक्षयम् ३.७९, २७३, २७५;	५.९६, १०५, १३३; ६.४,
अकर्मतः २.१५६ [१८१];	६.६४; ८.३४४	१७, ४३; ७.७, ९; ८.१०८,
९.२४२; ११.४५, ४६, ८९,	अक्षयान् ४.२३	११५, ११६; ९.३१४, ३१७,
१२७	अक्षयाय ३.२०२	३२१
अकर्मता १.१२१ [२.२]	अक्षये ४.२२६	अग्निकार्यम् २.४४ [६९]
अकर्मस्य १.१२३ [२.४]	अक्षय्यम् ४.१५६, २२९	अग्निकारिते ४.११८
अकर्माम् ८.३६४	अक्षरम् २.५३ [७८].	अग्निरुज्ज्वलितः ७.९०
अक्षरः २.१०० [१२५]	२.५९ [८४]; ११.२६५	अग्निरुज्ज्वलितः २.२०६ [२३१]
अक्षरान् ९.१७७	अक्षः ७.५०	अग्निरुज्ज्वलितः ३.१९९
अक्षरम् २.५१ [७६]	अक्षरलक्षणः ५.७३	अग्निरुज्ज्वलितः ९.२७८
अक्षरं परित्यक्ता ३.१५७	अक्षरलक्षणम् ३.२५७	अग्निरुज्ज्वलितः ८.१८९
५१	अक्षेत्रिणः ९.४९, ५१	अग्निरुज्ज्वलितः २.२३ [४८], १६२
अक्षर्यकारिणः ५.१०७;	अक्षेत्रे १०.७१	[१८६]; ३.२६०; ४.५३,
११.२३९	अक्षैः ४.७४	१४५; ५.१०३; ८.११४,
अक्षर्यम् ११.९६	अक्षोः २.१५३ [१७८]	३३३; १२.६६, १२१, १२३
अक्षर्यणि १०.९८	अक्षिलः १.१२५ [२.६];	अग्निरुज्ज्वलितः २.४२
अक्षसे ३.१०५; ७.१६४;	९.३२५	अग्निरुज्ज्वलितः ३.१२२; ४.२७
८.४००	अक्षिलम् १.५९, ११४;	अग्निरुज्ज्वलितः ११.९०, ९१
अकुलताम् ३.६३	९.१३१, १३२	अग्निरुज्ज्वलितः २.२२३
अकुशलम् ११.३५	अक्षिलाम् ९.६७	[२४८]
अकुलतमभिः ७.२८	अक्षिले ८.३०१	अग्निरुज्ज्वलितः ४.१०४, १०६; ५.८४
अकुलान् ८.१६८	अक्षिलेन १.१०७; ८.२१८,	अग्निरुज्ज्वलितः ११.७४
अकुलान्नेन १०.९४	२६६	अग्निरुज्ज्वलितः २.११८
अकुलान्नाम् ५.६७	अक्षयः ८.१०७; ११.२३७	[१४३]
अकुलबुद्धिना ७.३०	अक्षयैः ७.२१८	अग्निरुज्ज्वलितः ३.१९५
अक्षयम् ५.१२६	अक्षयितः ९.१०९	अग्निरुज्ज्वलितः ३.१९९
अक्षयवान् ११.१३०	अक्षयितम् ५.२४	अग्निरुज्ज्वलितः ४.१०४, १०६;
अक्षरम् २.८ [३३]	अक्षयितः ४.३; ९.७५	५.८४
अक्रोधाः १.१२२, ६.९२	अक्षय्यः ५.२२	अग्निरुज्ज्वलितः ३.१७१

अग्निसंस्कारः	५.६९	अङ्गारे	६.५६	अज्ञातान्	५.१७
अग्निहोत्रपरायणः	४.१०	अङ्गिरः	३.१९८	अज्ञातिम्	५.२०३
अग्निहोत्रम्	४.२५; ६.४; ९;	अङ्गिरसः	१.३५	अज्ञातेन	४.१४०
११.४२		अङ्गुलि०	८.३६८; ९.२७७	अज्ञान०	११.१६०
अग्निहोत्रस्य	११.३६	अङ्गुलिमूले	२.३४ [५९]	अज्ञानतः	६.६९; ८.२८८;
अग्निहोत्री	११.४१	अङ्गुत्योः	८.३७०	११.१७५	
अग्निहोत्रेण	५.१६७	अङ्गुत्थी	३६७	अज्ञानम्	१२.२६
अग्निहोत्रेभ्यः	७.८४	अङ्गुष्ठमूलस्य	२.३४ [५९]	अज्ञानात्	८.११८, १२१.
अग्निन्	५.१६८; ६.२५.	अङ्गु	५.१४१	२४३, २६४; ११.१४६.	
३८; ११.४१		अङ्गुनेन	८.२७९, ३३४;	१५०; ११.२३२	
अग्नीग्धनम्	२.८३ [१०८]	११.११		अज्ञानाम्	६.८४; ११.४३;
अग्ने ३.८५, २१२; ५.११३;		अङ्गैः	३.१७८	१२.११३	
७.४; ९.३०३		अक्षः	४.७७	अज्ञे	२.१३३ [१५८]
अग्नी ३.६७, ७६, ८४,		अक्षराः	५.२९	अज्ञेभ्यः	१२.१०३
२१०. २१४, २८२; ४.५३;		अक्षरे	५.४४	अज्ञी	४.२९४
८.१०६; ११.७३, ११९		अक्षिरस्थितान्	१०.९०	अज्येष्ठः	९.२१३
अग्न्यग्वाधे	३.२१२	अच्छलेन	८.१८७	अज्येष्ठ्युत्तिः	९.१०
अग्न्यर्धम्	८.३३९	अजः	१२.६७	अज्जनम्	२.१५३ [१७८];
अग्न्याद्येषम्	२.११८ [१४३]	अजडः	८.१४८	४.१५२	
अग्न्याद्येषस्य	११.३८	अजम्	३.२६०	अज्जयन्तीम्	४.४४
अज्रः	९.११४	अजमेघी	११.१३६	अज्जतिना	४.१५४
अज्रम्मनः १.१३९ [२.२०];		अजराचरा २.१२३ [१४८]		अज्जतिना	४.६३
३.१३; १०.७५		अजा ३.६; ८.२९८; ९.४८,		अज्जली	११.१०४
अज्रस्त्रियम्	९.५८	५५. ११९; १०.११४;		अज्जली	२.२१९ [२४४];
अज्रजे	३.१७१	२.५५		८.१०१	
अज्रम्	११.८३	अजातान्	८.९९	अटनम्	९.१३
अज्रेषिद्युष्यतिः	३.१६०	अजाधिकथः	११.६८	अपीषांसम्	१२.१२२
अघ०	५.८४	अजाविके	८.२३५	अणुः	३.५१; ६.४०
अघबोधः	५.९३	अजितात्मनः	७.३४	अणुमात्रिकः	१.५६
अघमर्षणम्	११.२५९, २६०	अजिनम्	२.३९ [६४]	अणोः	१२.१२२
अघम्	३.११८	अजिह्वः	७.३२	अण्डजाः	१.४४
अघ्रेयमद्योः	११.६७	अजिह्वनः ६.३१; ११.१०४		अण्डम्	१.१२
अङ्गुलि	८.२३४	अजिह्वस्य	३.२४६	अण्डे	१.१२
अङ्गु०	८.२८७	अजिह्वाम्	४.११	अण्ड्यः	१.२७
अङ्गुतः	४.१६७	अजीगर्तः	१०.१०५	अतन्त्रितः	२.४८ [७३];
अङ्गुना	९.४५	अजीर्णे	४.१२१	२.५७ [८२], २६१ [१८६];	
अङ्गुम्	४.८३; ९.२९७	अजीवन्	१०.८१, ८२	४.१४, १४५, १४७, १५५,	
अङ्गुविद्यया	६.५०	अजुगुप्सितान्	३.२०९	२२६; ७.२०, १००, १२०;	
अङ्गुसर्वस्थैः	८.३७४	अजः	२.१२८ [१५३]	८.३१२	
अङ्गुहीनत्वम्	११.५०	अजम्	२.१२८ [१५३]	अतन्त्रितान्	७.६१
अङ्गुनि	७.१०५	अजातधुक्तशुद्धधर्मम्	५.२१	अतन्त्रिती	१२.१९
अङ्गुनान्	४.१४१	अजातम्	११.१५५	अतपः	४.१९०
अङ्गुनान्	८.२५०	अजाता	९.१७३	अतिकल्पम्	४.१४०

अतिक्लृप्तम् ११.२०८, २१३
 अतिक्रमम् ११.१२०
 अतिक्रमेण ३.६३
 अतिगान् ७.१४९
 अतितुल्यया ७.१३९
 अतिशयः ३.८०
 अतिशये ३.९९
 अतिथिः ३.७२, १०२,
 १०५, १०८, ११०, १३०:
 ४.२९, १७९, १८२
 अतिथिधर्मिणो ३.११२
 अतिथिधर्मेण ३.१११
 अतिथिपूजनम् ३.७०, १०६
 अतिथिप्यः ३.११४
 अतिथिम् ३.९४, १०३,
 १०६: ४.१२२
 अतिथीन् ४.२५१
 अतिपरिभ्रतम् ७.९३
 अतिप्रगे ४.६२
 अतिप्रसचितम् ४.१६
 अतिभोजनम् २.३२ [५७]
 अतिमध्यविने ४.१४०
 अतिलोपाम् ३.८
 अतिवर्तनानि ८.२९०
 अतिवाहान् ६.४७
 अतिस्वयम् ४.६२, १४०
 अतिस्ववत्सीम् ८.१५३
 अतीतशेषः ८.२७
 अतीतानाम् ७.१७८
 अतीतायाम् ९.१९६, १९७
 अतीते ७.१७९
 अनुष्टिकरम् ४.२१७
 अनेजसानि ६.५३
 अता ५.३०
 अतारः ५.३०
 अतारम् ८.३०९
 अत्ययम् ८.१४५, ४००:
 १०.१०४
 अत्यये ५.२७: ८.६९, २४३
 अत्यशानम् २.३१
 अत्युच्छ्रितम् ७.१७०
 अत्युच्छम् ३.२३६
 अनाजम् ११.११३

अत्रिजाः ३.१९६
 अत्रिम् १.३५
 अत्रिबर्तय ५.७०
 अत्रेः ३.१६
 अत्वराम् ३.२३५
 अयर्वागिरसीः ११.३३
 अयश्चयः ८.२०२
 अयश्चयान् ८.१२८
 अयस्तावायिनः ८.३४०
 अयस्तानाम् १२.७
 अयातरि ८.१६१
 अयाता ९.४
 अयातुः ४.१९३
 अयायावबान्धवाः ९.१५८,
 १६०
 अयासम् १०.३२
 अयित्सन् १०.११३
 अयित्सवः ९.११८
 अयुष्टम् ८.३८८
 अयुषितानाम् ९.२८६
 अयुष्ट्याम् ८.१५३
 अयेवान् ९.३१५
 अयेयम् ८.५३
 अयेयम् ३.२४७
 अयेयवत् १०.११४
 अयुधिः २.२८ [५३], ३५
 [६०], ३६ [६१], ३७ [६२]:
 ३.३५, २६७, २८३: ४.१४३:
 ५.५५, १०९, १११, ११२,
 ११८, १२७, १३१: ६.५३:
 ९.१६८: ११.२०२
 अयुष्मूलफलेन ४.२९
 अयुष्मतेषु ४.११८
 अयुष्यः १.७८: ३.८८:
 ९.३२१
 अयुष्यिणः ५.२९
 अयोहेन ४.२, १४८
 अयोरेण ४.७३
 अयुजम् ८.२२
 अयः २.३४ [५९]: ६.३५,
 ३७: ७.५३: ११.१५३, १७२,
 २२४
 अयःशय्याम् २.८३ [१०८]

अयनाः १.५१६
 अयनः ३.२१, ३४, १४०,
 १०.१२, १६, ९६, १२.३
 अयमयोनिजा ९.२३
 अयमर्ण ८.४७
 अयमर्णस्य ८.५२
 अयमर्णात् ८.४७
 अयमर्णिकः ८.१७७
 अयमर्णिकम् ८.४८
 अयमर्णिकवत् ८.५०
 अयम्नः १२.४१, ५२
 अयमान् ४.२४४
 अयमेव ६.६५
 अयरः ७.२१
 अयरोत्तरम् ७.२१
 अयरोत्तरान् ८.५३
 अयर्षः १.२९: ४.१७२,
 १७३: ६.६४: ८.१२२, ३५३:
 ९.२४९: १०.१०६, १०८:
 १२.२०
 अयर्षजो ८.५९
 अयर्षतः १२.२३
 अयर्षवर्णनम् ८.१२७
 अयर्षम् ११.२२८: १२.२१
 अयर्षस्य ८.१८
 अयर्षात् २.१८१ [२०६]:
 ८.३०४
 अयर्षे ४.१७१: १२.११
 अयर्षेव १.८१: २.८६
 [१११]: ८.१२, १५, १७४:
 ११.२२८, २२९
 अयर्षी १.२६
 अयर्षी ३.२५
 अयर्षिकः ४.१७०
 अयर्षिकजनः ४.६१
 अयर्षिकम् ४.१३३:
 ८.३१०
 अयर्षिकव्याम् ४.१७१
 अयर्षिके ४.६०
 अयिकः ११.१८५
 अयिकवृषितान् १०.२९
 अयिकम् १.९५: ८.३२०:
 ९.१५४: ११.७

अधिकः ७.१७७; ८.१५२	अध्येष्यमाणम् २.४८ [७३]	अवगतरात् १०.७
अधिकवङ्गीम् ३.८	अध्यक्षः ८.३४१	अवन्तरे ८.१८५, १८६
अधिकवन् ४.१४१	अध्यक्षम् ११.१	अवपकर्ष ८.४
अधिकारः १.१३५ [२।१६]; १०.१२६	अध्यनः ११.१३२	अवपक्रिया ८.२१४; ११.६५
अधिकृतः ८.११	अध्यनि ८.४०५	अवपक्रियायाम् ८.२१४
अधिके ३.४९, ४९; ८.३२१	अध्यरे ६.५३	अवपध्यस्य ९.१९०, २१७
अधिपतिः ८.३७, ३९	अध्यरैः ४.२६	अवपसरः ८.१९८
अधिपतिम् ७.११५	अध्यर्षुः ८.२०९	अवपेक्षितमर्धादिम् ८.३०९
अधिपमम् ६.८३	अध्यर्षुम् ३.१४५	अवप्यनुज्ञातः २.५०४, २२९
अधिषिन्ता ९.८३	अध्यनम् ४.६०; ७.१२७	अवप्यासिन ५.४
अधिष्ठातव्य १२.४	अनंशौ ९.२०१	अवयम् १०.९५, १०२
अधिष्ठितम् ८.३४	अनः ८.२०९	अवर्धितः ३.१००
अधीकारः ११.६३	अनग्निः ६.२५	अवर्धितम् ४.२१३
अधीनः ८.६६, १६३	अनग्निवग्धान् ३.१९९	अवर्धाय ४.१९३
अधीनामात् २.९१ [११६]	अनग्निदूषिताः २.२२ [४७]	अवर्हन् ३.१५०
अधृतिः १२.३३	अनघः १२.१	अनलप्रवचम् ५.१
अधैर्यम् १२.३२	अनघुबुधः ४.२३१	अनले ३.२६१
अधोगतिम् ३.१७, ५२; ८.३०९	अनघुवाहम् ११.१३६	अनवाप्तम् ९.२०९
अधोवृष्टिः ४.१९६	अनवम् ५.१०२	अनवेक्षया ७.१११
अध्यक्षान् ७.८१	अनवीयानः २.१३२ [१५७]; ३.१६८	अनवनता ११.१६
अध्यग्नि ९.१९४	अनवीयाम् ३.१५१	अनवनन् ३.१०५
अध्यधीनः ८.१६७	अनध्ययेन ३.६३	अनस्वनाम् ११.१४०, १४१
अध्ययन ११.६२	अनध्यायः ४.१०६, १०७, १०८, ११७	अनुसूयः ४.१५८
अध्ययनम् १.८८, ८९, ९०; २.२१६ [२४१]; १०.७५, ७९	अनध्याय २.८१ [१०६]	अनुसूयकः १०.१२८
अध्ययने २.१६६ [१११]	अनध्यायम् ४.१०३, १०४, ११८, १२६	अनुसूयया १.९१; ४.२२८
अध्ययनेन ११.२२७	अनध्यायवचटुकृतम् २.८१ [१०६]	अनसि ११.१४०
अध्यर्षम् ९.११७	अनध्यायान् ४.१०१, १०५	अनहंकृतः ९.३३५
अध्याचरिते २.९४ [११९]	अनध्याये २.८० [१०५]	अनाकारितः ८.३५४
अध्यात्मरतिः ६.४९	अनध्यायी ४.१०२, १२७	अनाध्याय ८.२२४; ९.७३
अध्यात्मवित् ६.८२	अननुज्ञातम् २.९१ [११६]	अनाजया ९.१९९
अध्यापकः ३.१५६	अननुज्ञाने २.२१७ [२४२]	अनातुरः २.१६२ [१८७]; ४.१४४
अध्यापनम् १.८८; ३.७०; १०.७५, ७७	अनन्तम् ४.१४९; ७.८५	अन्तवाता ८.६
अध्यापनात् १०.१०३, १०९; ११.१८०	अनन्तरः ९.१८७; १०.१४, ८१	अन्तवृताः २.२०९ [२३४]
अध्यापनेन ८.३४०	अनन्तरजाः १०.४१	अनादेयम् ८.१७०
अध्यापना ४.१०२	अनन्तरम् १.१३८ [२।१९]; ३.२५२, २६०; ७.१५८, ८.१२९	अनादेयस्य ८.१७१
अध्यावाहिकम् ९.१९४	अनन्तरस्त्रीजाः १०.१४	अनाद्यमजने ११.१४५
अध्येष्यमाणः २.४५ [७०]		अनाद्यावनस्य ११.१६१
		अनपदि ४.२; ४.१००; ५.३३; ८.६२; ९.५८, २८२, ३३६; ११.२८; १२.७०
		अनाप्तेः ९.२९०
		अनामयम् २.१०२ [१२७]

अनाम्नात्तेषु	१२.१०८	अनिष्टेषु	७.१३; ९.३१९	अनुकथतः	१.८५; ७.१२५
अनायुष्यम्	२.३२ [५७]; ४.१३४	अनिलुष्टः	२.१८० [२०५]	अनुकथेय	८.२०६
अनारोग्यम्	२.३२ [५७]	अनीकेषु	७.१९३	अनुरोधः	२.८० [१०५]
अनार्जयम्	९.१७	अनीशाः	९.१०४	अनुरोधेन	७.१६६
अनर्तः	८.२१५	अनीरवरानु	६.७२	अनुस्येनयाः	१०.२५
अनर्थः	१०.६७	अनुकम्पकः	६.८	अनुवाते	२.१७८ [२०३]
अनार्थकर्षिष्वम्	१०.७३	अनुकल्पः	३.१५७	अनुविद्धपतः	९.४३
अनार्थता	१०.५८	अनुकल्पेन	११.३०	अनुवेरणी	८.३९२
अनार्थम्	१०.५७, ७३	अनुपतमिष्कृतीनाम्	११.२०९	अनुव्या	२.२१६ [२४१]
अनार्थात्	१०.६६, ६७	अनुपतैः	९.२६७	अनुव्याम्	३.१०७
अनार्थान्	९.२६०	अनुचराः	१२.४७	अनुशयः	८.५, २२२, २२८
अनार्थ्याम्	१०.६६, ६७	अनुजः	९.११७	अनुशासन	६.५०
अनाविलम्	७.६९	अनुजस्य	९.५७	अनुशासनम्	२.१३५ [१५९]; २३९, २७९; ९.२३९
अनाविलकृतः	११.२२६	अनुजाते	५.५८	अनुशिष्टः	६.८६
अनायुताम्	४.५४	अनुजे	११.६०	अनुशिष्टम्	९.२३३
अनाशिनी	८.१८५	अनुतायेन	११.२२७	अनुषीद्विषयः	७.५२
अनाहिताग्निः	११.१४; ३८	अनुतामम्	५.१५८; ८.३४३	अनुष्ठान्	५.१८
अनाहिताग्निता	११.६५	अनुतामाम्	२.२१७ [२४२]; ८.८१	अनुष्ठानम्	७.१००
अनिकेतः	६.२५	अनुद्धते	९.११६	अनुष्ठितः	३.१४७
अनिकेपतारम्	८.१९०	अनुद्धेयकराः	२.२२ [५७]	अनुष्णाभिः	२.३६ [६१]
अनिकृष्टतः	८.४१२	अनुपरोधेन	२.११ [२३६]	अनुस्मरिणा	७.३१
अनिकृष्ट्या	११.१२४	अनुपस्कृतः	७.९८; १०.६२	अनुचानः	२.१२९ [१५४]
अनिष्ठा	३.४२	अनुपस्कृतम्	३.२५७;	अनुदे	११.६०
अनिष्ठते	८.१८५	५.११२		अनुषे	७.१९२
अनिष्ठः	८.७६	अनुत्तकृतमांसानि	५.७	अनुषः	२.१३३ [१५८]
अनिष्ठिततः	४.१५४	अनुपूर्वशः	१.१०२; २.६४ [८९], ६६ [९१]; ३.३९, २०१, २१९; ५.५७; ७.३५, ३६; ८.९७, ११९, १४२	अनुषाम्	३.१३१
अनियुक्ता	९.१५७	अनुबन्धम्	८.१२६	अनुषे	३.१४२
अनियुक्तास्तुतः	९.१४३	अनुषाधी	८.६९	अनुषः	६.९४; ९.१०६
अनिर्मितैः	११.१८९	अनुमतः	३.४	अनुत०	१, ८२
अनिर्बर्धम्	४.२१२, २१७; ५.७५, ७९	अनुमते	५.१५१; ८.२३१, ३५८	अनुतचायवे	८.१०१
अनिर्बशायाः	५.८	अनुमत्यै	३.८६	अनुतम्	३.२२९, २३०; ४.१३८, १७०, २३६; ८.३६, ८२, ९३, ९७, ९९; ८.१०४, ११९; ९.१८; ११.५५, ८८; १२.६
अनिर्बशाहाम्	८.२४२	अनुमता	५.५१	अनुतसविनः	३.५१
अनिर्बिष्टान्	५.११	अनुमानम्	१२.१०५	अनुतस्य	८.१०५
अनिर्बश्यम्	११.१५६	अनुमानेन	८.४४	अनुतामि	५.१४५, १२.९६
अनिर्बृत्तम्	९.६१	अनुमातिकम्	३.१२२	अनुताभ्याम्	४.४
अनित०	५.९६; ६.३१; ७.४	अनुरक्तः	७.६४	अनुताम्	६.४८
अनितम्	१२.१२०	अनुरक्तम्	७.२०९	अनुतिनः	४.२१४
अनिते	४.१०२	अनुरागचराणी	७.१५४	अनुते	१.२९, ८.९८, ९९
अनिष्कृतिमतः	११.५३				
अनिष्ट	१२.५				
अनिष्टम्	७.१३; ९.२१				

अनृतेन	४.२३७; ८.१४	अन्त्यकर्मणि	५.१६८	१०.५४, १०६, ११४, १२५;	
अनृती	४.१०४, १०५;	अन्त्यजः	८.२७९	११.३, १४२, १५७, १६०,	
५.१५३		अन्त्यजन्मनः	१०.११०	२५३	
अनेक०	९.२६१	अन्त्यजातिताम्	१२.९	अन्तशेषम्	३.२४३
अनेकवि	५.१५९	अन्त्यजासु	११.५८, १७०	अन्तस्य	३.१२१, २२४
अनेनाः	८.१९	अन्त्यजैः	४.६१	अन्तहर्ता	११.५१
अनेङ्कृतम्	२.४९ [७४]	अन्त्यपर्यवसानमिकम्	३.९	अन्तारिवायिनाम्	३.१०४
अन्तः	१.४९, ५१; ५.७९,	अन्त्यम्	११.२१३	अन्तारी	२.१६३ [१८८]
१४१; ६.६३, ७३; ८.६९;		अन्त्ययोनयः	८.६८	अन्तारे	८.३१७
१२.८७		अन्त्यस्त्रियम्	८.५९; ८.३८५	अन्तार्थजानाम्	११.१४३
अन्तःपुरप्रचारम्	७.१५३	अन्त्यात्	२.२१३ [२३८]	अन्तार्थम्	३.२४४; ४.११२;
अन्तःपुरम्	७.२१६, २२४	अन्त्यानाम्	८.६८	७.२१७	
अन्तःपुरे	७.२२१	अन्त्यावसायिनाम्	१०.३९	अन्तार्थेन	३.८२, २३३
अन्त्यकः	३.८७	अन्त्यावसायिभिः	४.७९	अन्त्यानाम्	५.५४; ११.९३
अन्त्यतः	२.३७ [६२]; ३.८६;	अन्त्यैः	४.७९	अन्त्येन	२.११७ [१४२];
११.११९		अन्धः	३.१६१, १७७;	३.७८	
अन्त्यम्	१.७३; ४.१२३;	७.१४९; ८.९३, ९५, ३९४		अन्त्यैः	३.८१, १२४; ६.११
११.२३४		अन्धकक्षरे	४.५१	अन्त्येहवासः	९.१३
अन्तरजातासु	१०.६	अन्धतामिहम्	४.८८	अन्त्येहानाम्	२.१५९
अन्तरप्रभवाणाम्	१.२	अन्धतामिह्ये	४.११७	[१८४]	
अन्तरपुरुषः	८.८५	अन्धबर्हिरी	९.२०१	अन्त्यगोत्रतः	९.१४१
अन्तरम्	१.१३६ [२.१७],	अन्धा	३.१४१	अन्त्यगोत्रु	९.५०
१४१ [२.२२]		अन्धे	८.९४	अन्त्यतमः	३.१४६; ११.१२४
अन्तरात्मनः	४.१६१	अन्धबन्धु-	१०.४८	अन्त्यतमम्	११.७५, ८६
अन्तरात्मन्	१२.१३	अन्धवेदी	१०.३६	अन्त्यतमया	४.१३; ६.३२
अन्तरालानाम्	१.१३७	अन्ध०	२.१६९ [१९५];	अन्त्यतमस्य	४.२२२
[२.१८]		४.२३३; ६.४३, ५९;		अन्त्यतमे	८.११९
अन्तरिक्षगताम्	७.२९	७.११८; १०.३५		अन्त्यतरः	२.८६ [१११];
अन्तर्गतम्	८.२५, २६	अन्त्यः	४.२२९	९.२११	
अन्तर्गतवासे	४.१०८	अन्त्योपात्	५.४	अन्त्यतरेन	९.१७१
अन्तर्गताहात्	८.२२२	अन्त्यविषेकम्	४.१५१	अन्त्यपरिग्रह	५.१६२
अन्तर्भिषेकेन	७.६२	अन्त्यपत्न्याम्	९.११	अन्त्यबीजजाः	९.१८१
अन्तर्वैरमणि	७.२२३	अन्त्यप्रशमम्	२.९ [३४]	अन्त्यया	९.८७
अन्ताः	१.५०	अन्त्यम्	२.२६ [५१], २८	अन्त्यवेरमतः	११.१६४
अन्तिकम्	२.१७२ [१९७];	[५३]; ३.७६, ९९, १०८,		अन्त्यवनासु	९.४८
३.१		११३, ११८, १८२, २२५,		अन्त्याववर्तिषु	७.१६
अन्तिके	२.१७७ [२०२]	२२९, २३६, २३७, ४.२७,		अन्त्याये	९.२९२
अन्ते	१.७४; २.४९ [७४],	४५, १८८, १८९, २०९,		अन्त्यायेन	२.८५ [११०]
९९ [१२४], २.१०० [१२५];		२१०, २१२, २१३, २१४,		अन्त्यासु	३.५०
४.२६		२१८, २१९, २२०, २२१,		अन्त्येत्पन्न	५.१६२
अन्तैस्तिस्रः	४.३३	२२२, २२४, २४७; ५.२८,		अन्त्येत्पत्न्यतिवन्धः	१०.२५
अन्त्यः	८.६६	२९, १०२, १३८, १४४;		अन्त्येत्पत्न्यसंयोगः	३.३२
अन्त्यकर्म	११.१९७	६.१९; ८.३९३; ९.३३३;		अन्त्ययाताः	३.१८४

अन्वयवत्	८.३३२	अपराधाः	८.२९९	अपुत्रात्	८.२८
अनुवष्टकस्तु	४.१५०	अपराधः	४.९३	अपुमान्	३.४९
अन्वहम्	२.१४२ [१६७].	अपराहृतः	३.२५४, २७८	अपुष्पः	१.४७
१५८ [१८३]. १९२ [२१७].		अपरिच्छेदाः	८.४०५	अपूतः	२.१५ [४०]
३.७८, ८४, १२५; ७.१३६:		अपरिपूतैः	८.३३०	अपुषशाला	९.२६४
११.२४५, २२२		अपरिपूतम्	८.२३८	अपुषकृतम्	७.९७
अन्वाद्येयम्	९.१९५	अपवाहेन	४.२३७	अपुषकृतम्	८.१४८
अन्वाहार्यम्	३.१२३	अपविष्टः	९.१५९, १७१	अपुषः	३.८७
अन्वितैः	४.६८	अपव्ययमानः	८.६०	अपुषः	४.९६
अपः	१.८: २.३५ [६०].	अपव्ययमानम्	८.५१	अप्रकाशम्	८.३५१
४.४८, २५०: ५.९९, १३९,		अपसदाः	१०.१०, १६, १७,	अप्रकाशान्	९.२५६
१४५: ६.२२: १०.८८:		४६		अप्रजायाम्	९.१९७
११.१४७, १४८		अपसध्यम्	३.२१४	अप्रणीतः	९.३१७
अपकर्षम्	१०.४२	अपसव्यमतम्	३.२७९	अप्रजोद्यः	३.१०५
अपकरिणः	११.३१	अपसव्येन	३.२१४	अप्रतर्क्यम्	१२.२९
अपकृते	७.१६४	अपस्नानम्	४.१३२	अप्रतिपूजिताः	३.५८
अपकृष्टः	९.२४	अपस्मारि	३.७	अप्रतिवारिताः	८.३६०
अपकृष्टजः	८.२८१	अपहरणम्	११.५७	अप्रतीकतराम्	१२.८०
अपकृष्टम्	५.१६३	अपहर्तारम्	८.१९०, १९२	अप्रत्यक्षम्	८.९५
अपक्षान्नेभ्यः	४.३२	अपहर्तृणाम्	११.१६१	अप्रवतः	७.१४२
अपचारिणी	८.३१७	अपहारकः	४.२४५: ११.५१	अप्रमादिते	२.९० [११५]
अपघ्नानाम्	११.६२	अपहारिणः	२.६३ [८८]	अप्रमाद्यन्	२.२०७ [२३२]
अपत्यतया	३.१६	अपहृतये	८.५२, ५३, १३९	अप्रमेयम्	१२.९४
अपत्यप्राप्तिः	९.१०३	अपांशतः	३.१८३	अप्रमेयस्य	१.३
अपत्यम्	६.२: ९.२८, १२७,	अपाङ्कतवाने	३.१६९	अप्रमीयात्	३.६१
१४६, २०३		अपाङ्कतयाम्	११.२००	अप्रशक्तम्	११.२५५
अपत्यलोपात्	५.१६१	अपाङ्कतये	३.१८२	अप्रश्रुतया	४.१६७
अपत्यविक्रयी	३.५१	अपाङ्कतयान्	३.१६७	अप्रति	४.११७
अपत्यस्य	६.२: ९.२७,	अपाङ्कतयेः	३.१७०	अप्रतिभिः	९.२२३
१९८: ११.६१		अपाङ्कतयः	३.१७६	अप्रियकरम्	७.२०४
अपत्यार्थम्	९.६८, १७४	अपाङ्कतयात्	११.१२५	अप्रियम्	४.१३८: ५.१५६
अपतितान्	८.३८९	अपात्रीकरणम्	११.६९	अप्रियकविनी	९.८१
अपतिप्रता	९.२०	अपाम्	१.१३: २.७९	अप्रिये	९.१७३
अपदेशेन	४.१९८	[१०४]: ४.१८३: ५.११३:		अप्रियेषु	६.७९
अपदेशीः	८.१८२	९.२८१: ११.१८३, १८६		अप्रियैः	६.६२
अपदेश्यम्	८.५४	अप्रायेण	१.७०	अप्रीतिकरम्	१२.२८
अपध्वंसजाः	१०.४१, ४६	अपक्षकम्	८.७८	अप्सरतः	१.३७: १२.४७
अपमोदनम्	११.२५२	अपुष्यकृतम्	४.५२	अप्सरताम्	४.१८३
अपमृताः	१०.५१	अपुष्यम्	२.३२ [४७]	अप्सराः	७.७२
अपयतः	११.१५३	अपुत्रः	९.१२४	अप्सु	२.३९ [६४]: ३.८८,
अपराङ्मुखाः	७.८९	अपुत्रस्य	९.१३२, १८५	२६०, २६१: ४.५६: ८.१००,	
अपराजिताम्	१६.३१	अपुत्रः	४.१६०	११४: ९.२४४, २७९,	
अपराधतः	८.४०८, ४०९	अपुत्राणां	९.१३५	११.१४९, १७४, १८७,	

२०२, २४४	अभाषः	९.२१३	अभूते	८.२३१
अफलः २.१३३ [१४८],	अभाषे	८.१८२, २४८,	अभोजनम् ११.१६६, २०३,	
१३३ [१४८]	२४९; ९.१८८, १८९		२१५	
अफलम् १४ २.१३३ [१४८]	अभिषर्गविधिः	४.९१	अभोज्यम्	११.१६०
अफलाः तब २.१३३ [१४८],	अभिषाताम्	१२.७७	अभोज्यानाम्	११.१४२
२०९ [२३४]; ३.४६	अभिषारः	११.६३	अभोज्यान्ताः	४.२२१
अफेनाभिः २.३६ [६१]	अभिषारम्	११.१९७	अभ्यवताम्	४.४४
अफलानाम्	अभिषारेषु	९.२९०	अभ्यगम्	२.१४३ [१७८]
अवाग्धवम्	अभिजनस्य	४.१८	अभ्युजनम्	२.१८६ [२११]
अवीजकम्	अभिजनेन	१.१००	अभ्युजनात्	१०.९१
अवीजम्	अभिजित्	११.७४	अभ्यतीतेषु	४.२४२
अवीजविधायी	अभिज्ञोहेन	८.७७	अभ्यधिके	८.३२२
अबुद्धयः ३.१०४	अभिधाववत्	२.८ [३३]	अभ्यनुज्ञातः	३.२४३
अब्जम्	अभिनिर्मुक्तः	२.१९६	अभ्यर्घ्य	३.३०
अब्जेषु	[२२१]		अभ्यर्चितः २.१६४ [१८९]	
अब्जपर्यये	अभिनिवेशः	१२.४	अभ्यवहारेण	६.४९
अब्जम् २.८२ [१०७];	अभिप्रायम्	७.४७	अभ्यस्य २.४४ [७९]; ६.९४;	
११.९२, १२८, १२९, २४२,	अभिमन्तारम्	१.१४	११.२४४, २४७, २४८, २६२	
२४६, २४७	अभिमर्तेषु	८.३४२	अभ्याघातेषु	९.७७२
अब्जरातम्	अभिमुखः २.१७२ [१९७]		अभ्यातः	१२.३१
अब्जतहसिभि	अभिमुखम् २.१६८ [१९३]		अभ्यासात्	१२.७४
अब्जस्य	अभियोक्ता	८.४२, ४८	अभ्युदये	३.२४४
अब्जान्	अभिरक्षिता	७.३४	अभ्युदयेषु	९.८४
अब्जार्घम्	अभिरूपम्	३.१४४	अभ्युचितः २.१९६ [२२१]	
अब्जार्घम्	अभिरूपाय	९.८८	अभ्युहितान्	४.१०४
अब्जार्घम्	अभिवाचनम् २.९६ [१२१]		अभ्युचितात् २.१९४ [२१९]	
अब्जे २.१० [३४], ११	अभिवाचनम् २.१९२ [२१७]		अभ्युपपत्ती ८.३४९; १०.६२	
[३६]; ९.८१	अभिवाचने २.९९ [१२४],		अभ्युपायान्	११.२१०
अब्जेन ११.१२३, १६२	१०० [१२४]		अभ्युपयैः	११.२१०
अब्जैरतम्	अभिवाचनैः २.१८४ [२१०]		अब्ज	६.२३
अब्जहमणः ८.३४९	अभिवाचनम् २.९८ [१२३]		अब्जवसि	४.१०४
अब्जहमणात् २.२१६ [२४१]	अभिवाचनम् २.९७ [१२२]		अब्जिम्	११.१३३
अब्जहमणे २.२१७ [२४२];	अभिवाचस्य २.१०१ [१२६]		अभत्या ४.२२२; ४.२०	
७.८४	अभिवाचात् २.९७ [१२२]		अभत्सरः	३.२३१
अभक्ष्यविभिः १२.४९	अभिवाचाभ्याम्	२.९४	अभन्मम्	३.१२१
अभक्ष्यम् ४.२६; १२.१४२	[१२०]		अभन्मवित्	३.१३३
अभक्ष्याभि ४.४	अभिवाचस्तः ३.१४९		अभन्मवापात् १२.११४	
अभक्ष्यविभिम् ४.२४७,	अभिवाचस्तस्य ४.२११;		अभन्मात्	९.१८
३०३	८.११६, ३७३		अभन्मान्	३.१२९
अभक्ष्यप्रवः ४.२३२	अभिसास्तान् २.१६० [१८४]		अभन्मिषव	२.४१
अभक्ष्यम् ४.२२४; ६.३९	अभिसाद्यकः ४.११४		अभनः	६.२६
अभक्ष्यस्य ८.३०३	अभिसम्बन्धात्	४.६३	अभरत्नोक्तान्	१.१२४
अभक्ष्याभि ७.२०१	अभीप्सितानाम्	७.२०४	[२.४]	
अभक्ष्याभि १०.४६				

अभरा:	७.७२	अम्बच्छ्याम्	१०.१९	अरिबधीयम्	९.१४७
अभक्त्यः	७.१४७	अम्बच्छन्नाम्	१०.४७	अरिपुरम्	७.१८१, १८५
अभात्यमुख्यम्	७.१४१	अम्बु	६.६७	अरिप्रयुक्तताम्	७.१०४
अभात्याः	९.२३४	अम्बुकारिणाम्	१२.४७	अरिम्	३.१४४; ७.१५८
अभात्यान्	७.६०	अम्बुसि	३.१७९; ४.१९०;	१७३, १९५, २१०	
अभात्ये	७.६५	७.३३, ३४		अरिराष्ट्रम्	७.१८१
अभानुषीषु	११.१७३	अम्बु ५.११४		अरिष्टकैः	५.१२०
अभानुषेभु	९.२८४	अयः	५.११४	अरिसेविनम्	७.१५८
अभायया	२.२६ [४१];	अयःकंस्योपलानाम्	११.१६७	अरीणाम्	९.२७५
७.१०४		अयज्जनाम्	११.२०	अरीन्	३.२३०; ७.१९४,
अभावस्या	४.११४	अयज्जा	११.१४	१९८; ११.३२, ३३	
अभावस्याचतुर्विंशोः	४.११३	अयत्नेन	५.४७	अस्तुतुः	२.१३६ [१६१]
अभावस्याम्	४.१२८	अयत्नात्तम्	३.२४०	अस्तुतुवये	१०.३३
अभितीजत्	१.१६, ३६	अयनम्	१.१०	अरेः	७.१०२, १५८
अभितीजाः	१.४	अयनस्य	४.२६	अरोणः	७.२२६
अभिन्नस्य	१२.७९	अयन्निजतः	२.९३ [११८]	अरोगाः	१.८३
अभिन्नाः	७.८३	अयशः	८.१२८	अरोचनामायाम्	३.६२
अभिन्नात्	२.२१४ [२३९];	अयाज्ययाजनेः	३.६५	अर्कः	५.९६; ७.७
७.२०७		अयाज्यसंयाज्य	११.४९	अर्ककाली	५.१०५
अमुषतहस्तया	५.१४०	अयुक्तु	३.२७७	अर्कम्	२.१४६ [१८१]
अमुत्र	३.१८१; ४.१६८,	अयुक्तासु	३.४८	अर्कव्रतम्	९.३०५
२३९; ५.५५; ९.३२२;		अयुतेः	१२.११३	अर्कस्य	९.३०३
१२.८९		अदुध्यम्भनम्	७.९२	अर्कानाम्	७.४
अमुत्रार्थम्	७.९५	अदुध्यमानस्य	४.१६७	अर्कः	२.१९९ [२२४];
अमुत्रैः	९.१३९	अयोनिवः	२०.२६	७.६०, १५७; ८.१४१;	
अमुत्सले	६.५६	अयोगवस्य	१०.४८	९.५२; १२.३८, १०२	
अमुत्सवाय	६.६०	अयोगवे	१०.३२	अर्ककमेव १.१३२ [२.१३]	
अमुत्तभोजनः	३.२८५	अयोनिष्ठान्	३.१३३	अर्ककाली	४.१७६
अमुत्तम्	२.२१४ [२३९];	अयोनिषु	११.१७३	अर्कछी	९.८०
३.२८५; ४.५; ८.६१;		अयोमयः	८.२७१	अर्कचिन्तकम्	७.१२१
१२.८५, १०४		अयोमये	११.१०३	अर्कवः	२.८४ [२०९]
अमुत्तस्य	२.१३७ [१६२]	अयोमुखम्	१०.८४	अर्कवृक्षम्	७.४८
अमुत्ताभ्याम्	४.४	अरुचानि	१०.८७	अर्कवृक्षे	७.४१
अमेध्य	५.१२६; १२.७१	अरुभितारम्	८.३०८, ३०९	अर्कवृक्ष्याम्	७.४६
अमेध्यप्रवर्णाणि	४.५	अरण्यम्	२.७९ [१०४];	अर्कम्	१.२६, ३१, ८७,
अमेध्यम्	४.५३; ९.२८२	६.२, ४		१०२, ३९८; २.१२७	
अमेध्यलिप्तम्	४.५६	अरण्ये ५.५३, ६९; ७.१४७;		[१५२]; ६.३०, ४३, ६९;	
अमेध्यात्	२.२१४ [२३९]	८.६९, ३५६; ११.१०१,		७.१२४, २१३; ८.४३, ४५,	
अमेध्यानि	५.१३२	२५८		४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५४,	
अमेध्ये	११.९६	अरवः	७.७३	५९, १७०, १८०, १८७;	
अमेध्येन	५.१२८	अराक्षसान्	३.२३	९.५१, ७६; ११.१९, २५,	
अम्बुः	१०.८, १३	अराजके	७.३	१८९	
अम्बुलकम्पाया	१०.१५	अराजम्यप्रसूतितः	४.८४	अर्कवृक्ष	५.१३४

अर्धसितम्	१.३	अर्धेन	१.३२; ८.२१०	अल्पामुः	४.१५७
अर्धसितस्यम्	८.९५	अर्धनयम्	११.२५४	अल्पिष्यम्	३.२१९; ७.१६९;
अर्धसितस्यम्	४.२०६	अर्धसम्	३.७	१०.११७	
अर्धसितस्यम्	७.१६८	अर्धः	८.१९	अल्पीयसीम्	८.३६
अर्धसितस्यम्	८.६४	अर्धम्	३.५४	अल्पे	३.४९
अर्धस्य	४.१८, ९.११	अर्धनीयताम्	९.२३	अवकरोषु	३.२०७
अर्धसितस्यम्	८.४७	अर्धनाय	३.१२८	अवकीर्णितः	११.१२१
अर्धसितस्ये	७.२१५	अर्हि	८.३९२	अवकीर्णी	३.१५५;
अर्धः	४.२५६	अलक्षणम्	१.५; ४.१५६	११.११८	
अर्धत्	८.५६	अलङ्कारः	९.१००, १५०;	अवकीर्णीवर्ण्यम्	११.११७
अर्धम्	२.७५ [१००];	१०.५२		अवकीर्णीकृतम्	२.१६२
४.१५, १७; ७.१०६; ८.५३,		अलङ्कारम्	४.६६; ९.१७,	[१८७]	
१६८, १७५		९२, २१९		अवकृष्टजातिः	८.१७७
अर्धनीची	८.२४	अलङ्कारेषु	७.२२०	अवकृष्टस्य	७.१२६
अर्धनाम्	७.२०४	अलङ्कृतः	७.२२२	अवकृतम्	४.२१३; ४.१२५
अर्धनि	२.१५७ [१८२]	अलङ्कृतम्	७.९९, १०१	अवकृष्टितः	४.४९
अर्धप्याम्	८.७४	अलङ्कृतम्	९.२५१	अवकृत्य	११.२०६, २०८
अर्धिता	९.२०३	अलङ्कृतम्	११.२३३	अवकृत्यम्	४.१६५
अर्धिवः	८.२१०; १२.२	अलङ्कृतम्	६.५४	अवकृत्येषु	८.२६९
[३७]		अलङ्कृतम्	२.१५९ [१८४];	अवकृत्य	२.३८
अर्धित्यर्धितान्निही	८.७९	६.५७; ९.१८४		अवकृत्य	६.७३
अर्धि	८.६२	अलङ्कृती	४.२००	अवकृत्य	४.३९
अर्ध	४.९८, १०६; ७.१४,	अलीकनिर्बन्धः	११.५५	अवकृत्य	४.१२५
६२; ८.५२		असुब्धः	८.७७	अवकृत्य	३.२३०
अर्धेषु	१.१२९ [२.१०];	असुब्धः	८.६३	अवकृत्य	९.२४९
४.१५; ५.४२; ८.१०३, १०९		अलोप्यम्	२.१३६ [१६१]	अवकृत्य	८.२८२
अर्धः	८.२६८	अलोप्यम्	९.१८०	अवकृत्य	२.१८४ [२०९]
अर्धबन्धः	८.२४३	अलोप्यम्	३.८	अवकृत्य	८.२८७
अर्धपञ्चमांशम्	४.९५	अल्पः	३.५३; ६.५९;	अवकृत्य	११.८२
अर्धपञ्चम्	८.४०४	(अल्पः)	७.१२९; ८.२१७	अवकृत्य	८.८४
अर्धपञ्चिकः	८.३२५	अल्पद्विजः	११.४०	अवकृत्य	२.१३८ [१६३]
अर्धपञ्चिकम्	९.३२९	अल्पद्विजैः	११.३९	अवकृत्य	७.१५०
अर्धपाक्	८.३९	अल्पद्विजे	४.२	अवकृत्य	२.१३८ [१६३]
अर्धम्	८.३८, २९६, ३९८,	अल्पघनः	११.४०	अवकृत्य	२.१३७ [१६२]
४०४; ९.११२; ११.२५५		अल्पघनानि	३.६६	अवकृत्य	४.१३६
अर्धमासांते	४.२५	अल्पबुद्धयः	१२.७४	अवकृत्य	८.२८२
अर्धमास्रे	४.१३१; ७.१५१	अल्पम्	२.१२४ [१४९];	अवकृत्य	१.१७
अर्धमास्रि	८.१५०	७.८६, १२९; १०.६०		अवकृत्य	१.१६
अर्धमास्रम्	८.२६७, ३३१	अल्पविद्यः	११.३६	अवकृत्य	१.१८
अर्धमास्रपानम्	८.४०२	अल्पवशः	१२.२०, २१	अवकृत्य	२.१९८ [२२३]
अर्धमास्रम्	१.२७	अल्पसाधनाम्	११.१६४	अवकृत्य	३.२४१
अर्धकाम	३.१	अल्पानाम्	४.११८	अवकृत्य	९.२४८
अर्धिनः	८.२१०	अल्पान्	७.१९१	अवकृत्य	१२.११०, ११२

अवरात् २.२१३ [२३८]	अविसृप्त ब्रह्मचर्यः ३.२	अशुचिम् ४.१२७
अवरान् ३.२३	अविबाधः ८.९२	अशुद्धा ४.५८
अवरुद्धानाम् ८.२३६	अविबाहिनः ९.२३८	अशुद्धाम् ४.१२७
अवलिप्तेः ४.७९	अविशेषतः ९.१२४	अशुभं १२.३
अवराः ४.३३	अविशेषेण ८.१९२	अशुभम् १२.८
अवशिष्टम् ३.११६	अविश्वहृषायाम् ८.२६४	अशुष्कानाम् ११.६४
अवसथिष्यन् ४.११२	अवीरापाः ४.२१३	अशेषतः २.४९; २.४१;
अवसाने २.४६ [७१]	अवृतः ४.४७	३.१२४, १६९, १९३, २६६;
अवसायिभिः ४.७९	अवृत्तिकर्षितः १०.१०१	४.२६; ८.३७, १३१;
अवस्थितान् ७.६०	अवृत्ती ४.२२३	९.१०४; १०.२४; १२.२४,
अवाकृशिराः ३.२४९;	अवेक्षयाः ७.१०१	३०, ८७, २०७
९.९४; ११.७३	अवेदविधि ४.२९२	अशीचम् ४.९८
अवाङ्मरकम् ८.७४	अवेदविहितान् ४.४३	अश्वतः ३.२३९
अविं ३.६; १२.४४	अवेष्टा १०.२४	अश्वत्ता ११.९४
अविकम् ९.११९, १०.११४	अव्यङ्गाङ्गीम् ३.१०	अश्वतीम् ४.४३
अविकस्य ९.४४	अव्यविचारः ९.१०१	अश्वन् ११.२६१
अविक्रमाम् ८.२९८	अव्यविचार्यम् ८.१२२	अश्वः ६.१७
अविक्रमरिचः ७.११०	अव्ययः १.४७	अश्वनः ८.२४०; ९.३२१;
अविक्रमसु ९.४८	अव्ययम् १.१८, ८.३४४	१०.८६
अविच्छन्नः ३.११४;	अव्ययाः २.४६ [८१]	अश्वप्सवेन ४.१९०
८.१४०	अव्ययात् २.१९	अश्वमयम् ४.११२
अविचारितः ८.२९४	अव्यसनीः ७.४३	अश्वमयस्य ४.१११;
अविजानताम् ३.९७	अवज्ञाः २.२२ [४७]	७.१३२
अविजातम् १०.४७; ११.८७	अज्ञानम् १२.११४	अश्वमयेषु ८.१००
अविजानात् २.१९४ [२२०]	अज्ञानम् १०.२०	अश्वद्वया ४.२२४
अविततम् २.११९ [१४४]	अज्ञेयः ३.१७०	अश्वोद्धिनः ४.२२३
अविद्यमाने ११.११६	अशक्तः ८.१४४; ११.२२४	अशुं ६.१३४
अविद्यमानेषु २.२२३ [२४८]	अशक्यम् १२.९४	अशेषान् ३.१३६
अविद्यानाम् ९.२०४	अशङ्कितः १२.१०८	अश्वोत्रियत्ते ४.२०४
अविद्यान् ४.२८८, ११.१;	अशठस्व ३.२४६	अश्वोत्रिये ४.८२
९.३१७	अशठम् ४.११	अश्वतीलम् ४.२०६
अविद्यांसः १२.४२	अशनम् २.२९ [४४], ३०	अश्वं २.१७९ [२०४]
अविद्यांसम् २.१८९ [२१४]	[४४]; ३.११८	(अश्वः); ३.१६२; ४.१८९;
अविद्यानतः ९.१४४	अशनशम्भुभिः ४.२९	४.१३३; ८.९८, १४६, ३४२;
अविद्याय ९.७४	अशानासु १०.३४	९.४८;
अविद्याना ४.३३, ३३	अशानि १.३८	अश्वत्थः ८.२४६
अविमयात् ७.४०, ४१	अशानैः ३.४९	अश्ववः ४.२३१
अविनीतः ४.६७	अशासन् ९.२४७	अश्वम् २.२२१ [२४६];
अविमयतानाम् ९.२१४	अशिराः ९.२३७	४.१२०, १८८; ७.९६;
अविमयितः ७.१४७	अशीतिभागम् ८.१४०	८.२०९; ११.३८; १२.६७
अविरुद्धम् ८.४६	अशीतिः ४.७२, १२४,	अश्वमेधः ११.२६०
अविरोधिना १२.१०६	१४२, १४३; ४.७४, ७६,	अश्वमेधेन ४.४३; ११.७४
अविसृप्तः २.२२४ [२४९]	७९, ८२, ८४, ८६	अश्वस्तनं ११.१६

अरधस्तनिकः	४.७	असमीद्विधिः	४.१३७	अस्थिरस्वात्	८.७७
अरधस्तारप्यम्	१०.४७	असनी	१०.७३	अस्थिराम्	८.७९
अरधस्य	९.४४	असम्पत्नी	१२.३६	अस्थिरसंघातात्	४.६८
अरधहारकः	११.४२	असम्बद्धः	१२.६	अस्वीनि	८.२५०
अरिचस्तोत्पथम्	४.२३१	असम्बद्धकृतः	८.१६३	अस्त्रेहावतम्	४.२४
अरिषः	३.६४; ७.१९२	असम्भवे	२.१६० [१८५];	अस्तमिते	११.२१९
अष्टकः	४.११४; ७.४८	७.२००; ८.७०; ११.२७		अक्षम्	३.२२९, २३०
अष्टकवत्	४.११३, ११९,	असवर्णाः	२.१८५ [२१०]	अक्षम्	९.८६
१५०		असवर्णात्	३.४३	अक्षजाति	९.२
अष्टकम्	८.४००	असहायता	६.४४	अक्षतन्त्राः	९.२
अष्टकानि	११.१२६	असहायेन	७.३०, ४५	अक्षार्थम्	२.३२ [५७];
अष्टवर्णम्	९.९४	अस्त्राधिक्यम्	८.१०९	८.१२७	
अष्टावर्णम्	८.३३७	अस्त्रायुधः	११.१९	अक्षार्था	४.१०४
अष्टविधम्	७.१४४	अस्त्रधनुता	९.८०	अक्षस्थ	७.२२६
असंकुलुकः	६.४३	अस्त्रायुध	३.१८२	अस्त्राभिना	८.१९९
असंख्याः	१२.१५	अस्त्रार्थः	७.१९२	अस्त्राभिविक्रयः	८.४
असंख्याभि	१.८०	अस्त्रपञ्चनम्	४.९०; १२.७५	अस्त्राभी	८.१९७
असंखितानाम्	८.३४२	अस्त्रम्	४.७०; १२.१८	अहः	१.६५, ६६, ६७, ७२,
असंभूतम्	४.८१	अस्त्रोद्योगम्	४.१७६;	७३, ७४; २.१५७ [१८२].	
असंशयम्	२.६८ [९३];	११.१०		१५७ [१८२]; ३.८२, २५०;	
७.१२		असुराः	३.२२४	४.७, १००; ४.२०, ८२;	
असंभवे	२.१७८, [२०३]	असुरान्	१.३७	८.३०६; ११.२०४, २२३	
असंस्मर्या	१०.६८	असूनु	३.२१७	अहंकारम्	१.१४
असंस्कृतः	११.३६	असूयकस्य	२.८९ [११४]	अहनि	१.६६; २.५७ [८२].
असंस्कृतप्रतीतानाम्	३.२४५	असूया	७.४८	१०७ [१३२]; ४.५१, ९६;	
असंस्कृताः	२.१४ [३९]	असूयः	३.१८२; ४.१६९;	५.३०; ६.६८; ८.४१९;	
असंस्कृतान्	५.३६	५.१३५		११.१८९	
असंस्कृतानाम्	५.७२	असूयकः	८.४४	अहम्	११.१५७, १६७,
असत्तानाम्	१.१३२ [२.१३]	असूयकः	४.१६७	२११, २१३, २५९	
असमोत्रा	३.५	असूयिणी	३.१३२	अहरहः	११.२४८
असौम्यः	६.७५	असौम्यः	२.७१ [९६]	अहर्निशम्	४.९७, १२६
असौम्यः	११.६५	असौम्यः	११.१२	अहर्निशस्यान्ते	१.७४
असौम्यः	४.१८५	अस्तम्	४.३७	अहस्ताः	४.२९
असत्	११.१९४; १२.११	अस्तमिते	४.७५	अहस्य	१.६८; ८.२२३
असत्पथः	१२.३२	अस्तेनानिनम्	८.१९७	अहात्	११.२५३
असत्पथः	९.१४४	अस्तेयम्	६.९२; १०.६३	अहाति	५.८४; ११.१५७,
असत्पथः	११.६९	अस्त्रम्	४.५९	२१३	
असत्	१.११, १४, ७४	अस्थिः	३.१८२; ४.२२१;	अहार्यः	७.२१७
असपिण्डम्	५.१०१	५.८७; ६.७६		अहिः	२.५४ [७९];
असपिण्डा	३.५	अस्थिकपालः	४.७८	११.२२८, २४०; १२.५७	
असपिण्डेषु	५.१००	अस्थिवन्तमयस्य	५.१२१	अहिंसकवि	५.४५
असभावर्तकः	११.१५७	अस्थिवैद्यः	८.२८४	अहिंसया	२.१३४ [१५९];
असपिण्ड	२.१६२ [१८७]	अस्थिवत्ताम्	११.१४०, १४१	६.६०, ७५	

अहिंसः	४.२४६	आचतमन्यवः	२.१२७	आचारान्	३.१६७
अहिंसे	१.२९	[१५२]		आचार्येण	१.१०९
अहिंसा	१०.६३; ११.२२२	आचते	८.२९१	आच्छादयः	७.१२६
अहिंसां	५.४४	आचयः	१.८१; ८.२००	आच्छादन०	३.५९
अहिंसिद्वय	१०.३७	आचमन्	८.४०१; ९.२४६,	आच्छादनम्	९.२०२
अहिंसान्	३.२० [११]	२८१; १२.१०५		आजातीः	४.१६६
अहिंस्यमान्मीम्	३.९	आचमत्	१.८२; ८.३४७	आजीवनार्थम्	१०.७९
अहीनम्	११.१९७	आचमेन	८.२४२	आजीव्यम्	७.६९
अहीनान्	२.१५८ [१८३]	आचारात्	६.४१	आजप्तः	२.२२० [२४५]
अहुतः	३.७४	आचारान्	११.१२२	आजय	१०.५६
अहुतम्	३.७३	आचारे	४.५८	आज्यवाः	३.१९८
अहे	४.७६	आज्येयम्	९.३१०	आज्यधानम्	३.१९७
अहेय	१०.९२	आज्ययथम्	६.१०	आहूयः	८.१६९
अहो	१.६४, ६५	आदिगस्तः	२.१२६ [१५१]	आततायिनाम्	८.३५०
अहोभिः	३.४६	आद्यतुर्बिंशतेः	२.१३ [३८]	आततायिवधे	८.३५१
अहोरात्रम्	४.११९;	आधान्तः	४.१३८, १४३	आतप०	१२.७७
११.१८३		आधान्तान्	३.२५१	आतिरेक्यम्	११.५०
अहोरात्रविधः	१.७३	आधारः	१.१०७, १०८,	आतुरः	४.१२९, १७९
अह्नः	११.२५९	१२५ [२.६], १३७ [२११८];		आतुरम्	६.७७
अह्ना	५.६४, १०२; ६.६९	२.१६८ [१९३]; ४.१४५,		आतुरानाम्	४.२०७; ८.७१,
आकरकर्मन्ते	७.६२	१४६, १४६		३१२	
आकरान्	८.४१९	आचारतः	१.११०	आतुराम्	११.११२
आकवद्-अम्	३.२५८	आचारम्	१.११०; २.४४	आतुरात्	८.२८
आकवरः	७.६३	[६९]		आत्मकम्	१.११, १४, ७४;
आकवरम्	७.६७	आचारवान्	१२.१२६	१२.२९	
आकवरेः	८.२६	आचारस्य	५.४	आत्मकारणात्	३.११८
आकर्मिकम्	४.१०३, ११८	आचारहीनः	३.१०५	आत्मविन्ता	१२.३१, ८३
आकर्मिकम्	४.१०५	आचार्यः	२.१२० [१४५],	आत्मशानम्	१२.८५
आकर्मशः	४.१८४	१२३ [१४८], १४५ [१७०],		आत्मज्ञाने	१२.९२
आकर्मशम्	२.७५; १०.१०४	२०० [२२५], २०१ [२२६];		आत्मज्ञा	१०.५८
आकर्मशत्	१.७६	४.१८२; ८.३३५; ९.१८७		आत्मनः	१.१२, १४, ३२,
आकर्मशो	३.९०	आचार्यपुत्रः	२.८४ [१०९]	१२५ [२१६६], १३१	
आकर्म्यम्	७.२०७	आचार्यम्	२.११५ [१४०],	[२११२]; २.१५० [१७५],	
आकारसमयम्	११.१०९	१४६ [१७१]; ४.१६२;		१५५ [१८०], २०१ [२२६],	
आकारितः	८.३५५	५.९१		२२३ [२४८]; ३.७२, ११५;	
आकारिकम्	८.१५९	आचार्ययोः	४.१३०	४.५५, ८२, २५२, २५८;	
आक्षुः	१२.६२	आचार्यस्य	२.१६६ [१९१],	५.८९, १४९; ६.२, २४, ४९,	
आक्षुष्ठम्	११.१५९	२०३ [२२८]		६३, ७३; ७.५७, ७६, १०५,	
आक्षुषिः	५.१२६	आचार्यानाम्	२.१२० [१४५]	१३९, १४२, १६९, १६९;	
आक्षुषाः	७.१५७	आचार्ये	२.२२२ [२४७];	८.८४, ३१२, ३४९, ३९०;	
आक्षुष्याभि	३.२३२	५.८०		९.२, २८, ९५; २२.३४, ७३,	
आक्षुष्याभिनाम्	७.२२३	आचार्यैः	४.१७९	११३, ११४, १६०, २१५;	
आषः	९.२४१	आचारात्	१.१०९; ४.१५६	१२.१२, २४, २८, १०१	

आत्मना ७.४६; ९.१२;
 १२.१२५
 आत्मनि १.५१; ४.१७३;
 ६.१२, २५, ३८; ९.१३०;
 १२.२७, ९१, ११८, ११९
 आत्मनिः ६.७३
 आत्मनूतिः ७.२१७
 आत्मनाशात् १.१६
 आत्मनाजी १२.९१
 आत्मवत् १२.८६
 आत्मवशम् ४.१५९, १६०
 आत्मवान् १.१०८; ५.४३;
 ७.५२
 आत्मविज्ञाया ११.५९
 आत्मविशुद्धयर्थम् ११.७२
 आत्मशुद्धये ११.१६५
 आत्मसंतिद्धये ६.२९
 आत्मसुखं ५.४५
 आत्महितेषु ५.३५
 आत्मा १.५२, ५४; ४.२५५,
 २५५; ७.३९; ८.८४; ९.५५,
 १३०; १०.२८; १२.३७,
 ११९
 आत्मानम् १.१५; २.३५
 [६०]; ३.३७; ४.१२७, २५३;
 २५४; २५५; ५.४२; ७.६८,
 १३९, १७०, २१३; ८.४५,
 ८४, ९२; ९.७, १२, १७७;
 ११.१९, ७३; २२.९२, १२५
 आत्मार्थम् ७.२१२; ११.६४
 आत्मोपजीविनः ७.१३८
 आत्मोपजीविषु ८.३६२
 आत्मवित्तकम् २.२१७
 [२४२], २१८ [२४३]
 आत्मविके ७.१६५
 आदेवीम् ११.८७
 आदानवित्यात् ११.१५
 आदानम् ७.२०४; ८.५
 आदानात् ८.१७१
 आदिकम् ८.२७
 आदितः १.३४, ५८, ७८,
 ९४; २.४४ [६९]; ३.२११;
 ८.२१६

आदित्यः ९.३०५
 आदित्यम् ३.७६; ४.३७, ४८
 आदित्यवत् ७.६
 आदित्याः ११.२२१
 आदित्यात् ३.७६
 आदित्याम् ३.२८४
 आदित्यः १.२६; ३.१७०;
 ७.१०७, १५९
 आदिषु १.८३; ३.३९;
 ८.२९६; १२.७५
 आदिष्टी ५.८८
 आदीनाम् ७.१०९; ८.३२१,
 ३२९; ९.२२०
 आदीनि ७.११८
 आदीन् १.५८; ८.३१;
 ९.२६०
 आदृतः ७.१५०
 आदृताः २.२०९ [२३४]
 आदेयम् ८.१७०
 आदेयस्य ८.१७१
 आदी १.२१, ७१; २.४९
 [७५]; ३.८५; ४.२६, ८.३९१
 आद्यन्ते ४.२५
 आद्यम् ७.१२९; ८.३३३;
 ११.२६५
 आद्याः १.५०, ६३; ३.४७;
 ५.३०
 आद्यास्य १.२०
 आद्याम् ३.२४, २२६; ५.३०;
 ७.७२
 आद्याधयः ९.३३५
 आद्यैः ५.१३१; ९.२३०
 आद्यननं ८.१६५
 आद्यानम् ५.१६८
 आद्याने ८.२०९
 आद्यैः ८.१४४, १४५,
 १४९, १६३
 आद्यिष्यम् ७.१६९
 आद्यिषिकम् ६.८३
 आद्यिष्यम् १२.१००
 आद्यिम् ८.१५०
 आद्यैः ८.१४३
 आद्यी ८.१४३

आद्य्यात्मिकम् २.९२
 [११७]; ६.८३
 आद्यतत्त्ववत्तम् ७.६९
 आनन्त्याम् ३.२७५
 आनन्त्यात् १०.२८
 आनन्त्याम् ६.८४; ९.१०७,
 १३७
 आनन्त्याय ३.२६६, २७२
 आनिष्ठनात् ३.२७९
 आनिष्ठात् ११.१०४
 आनुपूर्व्या ३.२३
 आनुपूर्व्या २.१६ [४१];
 ९.१४९
 आनुलोम्यात् १०.१२
 आनुलोम्येन १०.५
 आनुष्यम् ४.२५७; ९.२२९
 आनुशंस्यम् ३.५४, ११२
 आनुशंस्यात् १.१०१
 आनुशंस्यार्थम् ९.१६३
 आनुशंस्येन ८.४११
 आन्वाहिकीम् ३.६७
 आन्वीक्षिकीम् ७.५३
 अणः १.१०, ७८; ५.७६,
 १२८; ८.८६, ११५;
 ११.२४९
 आपत्करुषेन ११.२८
 आपत्कृतौ २.२१६ [२४१]
 आपत्तु ११.२९
 आपदः ७.२१४
 आपदम् ९.३१३; ११.३४
 आपदर्थम् ७.२१३
 आपदि २.१५ [४०], २.८८
 [११३]; ३.१४; ५.४३;
 ९.५६, १०३, १६८, ३३६;
 १०.११८; ११.२२७
 आपद्गुप्तः ९.२८३
 आपद्वर्गम् १.११६
 आपद्वर्गः १०.१३०
 आप्तः २.८४ [१०९];
 ८.२९३; ९.१४३
 आप्तविरिधिः ९.१२
 आप्तविरिधिः ७.७९
 आप्ताः ८.८३

आप्ताम् ५.१०१; ७.१९०
 आप्तैः ७.८०
 आपुवैवतेन ८.१०६
 आप्यम् ११.१८५
 आप्यावनम् ३.२०३, २.११
 आप्यायने ३.२१३
 आप्यायितः ९.३१४
 आप्रवतः ५.१४२
 आप्रसत्तात् ९.७०
 आप्लव्य ३.२४४
 आप्लिकः ७.१२९
 आप्लिकम् ३.१
 आप्लरथः ७.२१९; ८.२
 आप्लरथानि ७.२२२
 आप्लरथः १०.१५
 आप्ल्यः ३.८४
 आप्ल्यन्वितः ३.१९१
 आप्लव्यम् ३.१७९
 आप्लम् ४.२२३
 आप्ल्यावी ३.७; ११.५१
 आप्लभात् ५.१५८; ९.८९;
 ११.९१
 आप्लभान्तिकः ९.१०१
 आप्लव्यम् ४.११२
 आप्लव्येन ३.१२३
 आप्लव्योः ४.१३७
 आप्लव्यव्यवहारात् २.१४६
 [१७१]
 आप्लव्यपरः ७.८०
 आप्लव्यम् ७.१७८
 आप्लव्यसंयुक्तः ७.१६३
 आप्लव्यजनम् ७.२०८
 आप्लव्यम् ७.२०५
 आप्लव्यम् ४.७०; ७.१६९,
 १७९
 आप्लव्यम् ६.१०
 आप्लव्ययो ८.४१९
 आप्लव्यम् ८.३१५
 आप्लवे ८.३७२
 आप्लः १.८३, ८४; २.९६
 [१२१]; ४.२७, ४१, ४२,

७६, ७८, ९४, १५६, १८९,
 २१८, २३०, २३७, ७.१३६;
 ११.४०
 आप्लव्यः ७.७५
 आप्लव्यम् ५.९९
 आप्लव्यसन्वितम् ७.९३
 आप्लव्यम् ९.२८०
 आप्लव्यम् ७.२२२
 आप्लव्यः ७.९०, २९२
 आप्लव्यः १.८३; ४१; ५.१६९;
 ६.३३
 आप्लव्यम् २.१०० [१२५]
 आप्लव्यव्यवहारेण ९.४१
 आप्लव्यव्यवहारेण ३.२६३
 आप्लव्यम् १.१०६; २.२७
 [५२]; ३.१०६
 आप्लव्यः १०.१२, १६
 आप्लव्यव्यवहारेण १०.३५
 आप्लव्यव्यवहारेण १०.१५
 आप्लव्यव्यवहारेण ३.२०४
 आप्लव्यव्यवहारेण ३.२०४
 आप्लव्यव्यवहारेण ४.१२३
 आप्लव्यव्यवहारेण १०.४८
 आप्लव्यव्यवहारेण १०.८९
 आप्लव्यव्यवहारेण ५.९
 आप्लव्यव्यवहारेण ९.३००
 आप्लव्यव्यवहारेण १२.३२
 आप्लव्यव्यवहारेण ८.२६४
 आप्लव्यव्यवहारेण ८.२६२
 आप्लव्यव्यवहारेण २.१०२ [१२७]
 आप्लव्यव्यवहारेण २.७६ [१०१]
 आप्लव्यव्यवहारेण ११.२२२
 आप्लव्यव्यवहारेण ४.४०
 आप्लव्यव्यवहारेण ३.४८
 आप्लव्यव्यवहारेण २.१३६ [१६१]
 आप्लव्यव्यवहारेण ४.२६; ६.६७;
 १६३, २१६, २१७;
 १०.१०६; ११.३६; २०२
 आप्लव्यव्यवहारेण ७.९३
 आप्लव्यव्यवहारेण ८.६४
 आप्लव्यव्यवहारेण ८.११५
 आप्लव्यव्यवहारेण २.२०० [२२५]
 आप्लव्यव्यवहारेण ८.३१३

आर्त्तम् ८.३९५
 आर्त्तम् ४.१५
 आर्त्तव्यः ४.७६, ७६
 आर्त्तव्यम् ४.७६
 आर्त्तव्यम् ६.२३
 आर्त्तम् १२.१०१
 आर्त्तव्यः ४.२५३
 आर्त्तः १०.६७
 आर्त्तव्यम् १०.७३
 आर्त्तम् ७.२११
 आर्त्तव्यम् ७.६९
 आर्त्तम् ८.३९५; १०.७३
 आर्त्तव्यम् १०.५७
 आर्त्तव्यव्यवहारेण ९.२६०
 आर्त्तव्यः १०.४५
 आर्त्तव्यव्यवहारेण २.१४ [३९]
 आर्त्तव्यव्यवहारेण ९.२५३
 आर्त्तव्यव्यवहारेण ४.१७५
 आर्त्तव्यव्यवहारेण ८.७५
 आर्त्तम् १०.६७, ६९
 आर्त्तव्यम् १०.६७, ६९
 आर्त्तव्यव्यवहारेण १.१४१ [२.२२]
 आर्त्तम् ८.१७९
 आर्त्तम् २.१८२ [२०७]
 आर्त्तः ३.२१, २९
 आर्त्तव्यम् ९.५०
 आर्त्तम् १२.१०६
 आर्त्तम् ३.५३
 आर्त्तव्यव्यवहारेण ३.३८
 आर्त्तव्य ५.८७
 आर्त्तव्यम् ५.४
 आर्त्तव्यव्यवहारेण १०.२१
 आर्त्तव्यम् ३.१६३
 आर्त्तव्यव्यवहारेण ४.९३
 आर्त्तव्यव्यवहारेण ४.१५१
 आर्त्तव्यव्यवहारेण ३.१०७
 आर्त्तव्यव्यवहारेण २.२०६ [२३१]
 आर्त्तव्यम् ८.३४७
 आर्त्तव्यम् ६.७७
 आर्त्तव्यम् २.१९ [४४]
 आर्त्तव्यम् ५.८
 आर्त्तव्यव्यवहारेण ४.१२०
 आर्त्तव्यव्यवहारेण २.१६ [८१],
 १०.८७, ३

आविष्कृततैमसः	११.२२६	३.९९, १०७; ४.२९	इङ्गितम्	७.६७		
आसीति	२.३८ [६३]	आरचनामनु	९.३००	इङ्गितैः	८.२६	
आधुतः	१०.१५; १२.२०	आसनम्	२.१७३ [१९३];	इच्छकी	४.१९४	
आधुतम्	४.७३	४.६९, १५४; ५.९४;	इच्छन्निः	१०.११३		
आधुता	३.२४८	७.१६०, १६१, १६६;	इच्छन्त्या	८.३७८		
आधुते	४.६१; ७.१९२	८.३५७; ९.१७	इच्छय	३.३२; ५.१०३;		
आधुतानाम्	७.८२	आसनस्थः	२.१७७ [२०२]	७.१६५; ९.९५; १०.६६;		
आधुतिकर्षिता	९.७४	आसनानि	४.२०२	११.७३, १२४		
आधेशानामि	९.२६५	आसनान्ध्याम्	६.२२	इजानी	११.८७	
आधृतस्य	५.८८	आसने	२.९४ [११९];	इज्य	१.८९, ९०	
आशरीरविमोक्षणात्	२.२१८	३.२३४; ४.७४; ७.१४२	आसनेषु	३.२०८, २०९	इज्याय	२.३ [२८]
[२४३]		आसनेष्व	६.५९	इज्याः	११.२४२	
आशिषः	१.८४	आसनेषु	३.२०८, २०९	इज्याभिः	८.३११	
आसीः	३.२५२	आसपिण्डक्रिया	३.२४७	इतरस्य	९.१८१	
आसीर्वाध०	२.८ [३३]	आसप्तकात्	१०.६४	इतराः	३.२७६	
आशुः	२.१४३ [१६८];	आसनावर्तनात्	२.८३, १०८	इतराम्	३.११३; ९.१०७	
३.१५, ५७, ६५; ४.१९, ७१,		आसधम्	१२.९५	इतरे	१.१०१; ९.१५६,	
१७१, १८६, २४३; ७.१२;		आसारम्	८.२०३	२४२		
८.२२, ३४६, ३६७; ९.२८२;		आसीनः	११.१११	इतरेतरव्यमया	३.३५	
११.१६०, २४१, २४५		आसीनस्य	२.१७१ [१९६]	इतरेतरम्	९.१०२	
आशुषैः	४.६८	आसीकम्	३.१८१, २१९	इतरेभ्यः	१०.२; ११.३	
आशुषम्	५.५९, ६१, ६२,	आसीनात्	११.१११	इतरेषाम्	३.३५; ८.३७९;	
८०, ९७		आसुरः	३.२१, २५, ३२	९.१८९; १०.९३		
आशुषस्य	५.७४	आसुरम्	३.२४	इतरेषु	१.७०, ८२; ३.४१,	
आधनः	३.७८; ६.७	आसुरस्वम्	११.२०	१८२		
आधनम्	६.३४	आसुरादिषु	९.१९७	इतरीः	३.४६	
आधन्यः	२.२०५ [२३०];	आस्थिता	९.७५	इतरी	१०.१	
३.७७; ६.८७; १२.९७		आस्पदम्	७.१८४	इतिकर्तव्यम्	७.१४२	
आधनानाम्	७.१७, ३५	आस्पम्	५.१३०, १४१	इतिहासान्	३.२३२	
आधनात्	६.३४	आस्प्यात्	१.९४	इजः	८.११५	
आधमिषः	३.७८; ६.९०;	आस्थी	८.२७१, २९१	इन्धन०	७.११८	
१२.१११		आस्थेय	१.९५	इन्धुजये	३.१२२	
आधमिषिः	६.९१	आहवे	५.९८; १०.११९	इन्धुज्यः	३.८७	
आधमे	३.५०; ६.६६;	आहवेषु	७.८९	इन्धुम्	१२.१२१	
११.७८; १२.१०२		आहारः	५.१०५	इन्धः	३.८७; ७.४; ९.३०४	
आधमेषु	८.३९०	आहारम्	६.२	इन्धनूषि	१.३८	
आधयात्	१.१३० [२१११]	आहारेष्व	६.७२	इन्धम्	११.२५५; १२.१२३	
आधितः	४.२५७	आहितान्तेः	३.२८२	इन्धलोकेतः	४.१८२	
आधिताम्	५.९०	आहुतम्	१२.६८	इन्धतम्	९.३०४	
आरधयुजे	६.१५	आहुतिः	३.७६; ५.१०४	इन्धस्य	९.३०३	
आधोदशात्	२.१३ [३८]	आहुतीः	११.११९	इन्धानाम्	५.९५	
आतयः	२.११० [२१५];	आहुतानम्	९.१२६	इन्धायुधम्	४.५९	
		इज्जुः	८.३४	इन्धव०	२.१६७ [१९२];	
		इङ्गिततः	७.६३, ६७	६.७५		

हनिष्यमानः २.१९० [२१५]	उद्यः ६.२४; १०.९	१२.११३
हनिष्यमानम् २.७५ [१००].	उद्यकम्पायम् १०.१५	उत्तमम् १.१२८ [२.९];
१५० [१७५]	उद्यानम् ४.२१२	२.२४४ [२४९]; ३.१०६;
हनिष्यमिश्रः ६.९२;	उद्यायाम् १०.१९	४.२२९, २३०; ५.४२; ६.९;
१०.६३; १२.३१	उद्येयम् १२.७५	८.८४; ९.२४२, ३३३;
हनिष्यम् २.७४ [९९];	उद्यैः ६.७५	११.२४४
४.२२०	उद्यौ १०.१३	उत्तमर्षः ८.५०
हनिष्यामानम् २.६३ [८८].	उद्योक्तवाचि १.३८; १२.१५	उत्तमर्षिकः ८.४८
६८ [९३], ७४ [९९]; ६.६०,	उद्योक्तवाच्येयम् ६.७३; १२.१४	उत्तमर्षेण ८.४७
७१; ७.४४; १२.४२, ८३	उद्यौः ७.१२१	उत्तमस्ताहसम् ९.२४०, २७९
हनिष्यामि १.१५; २.६४	उद्योक्तः २.३१ [५६];	उत्तमः १.३३; ३.१२;
[८९]; ६.४९; ११.४०	४.७५, ८२, १०९, १४२,	९.२८; १२.४४, ४७, ९२
हनिष्याम्येयम् ४.१६; ११.४४	१५१	उत्तमार्थे ८.३००
हनिष्येयम् ४.२२	उद्योक्तमोजिनः ४.२१२	उत्तमाहः शोभयमानम् १.९३
हन्मन्मन्मन् ११.६४	उद्योक्तमोजने २.१८४	उत्पत्तिः १.९८; ३.१९३
हन्मने ८.११२	[२०९]	उत्तमानाम् ८.३२१
हन्मन्मन्मन् ४.१२०	उद्योक्तम् २.३१ [५६];	उत्तमानुत्तमानम् ४.२४५
हन्मन् ९.४३	३.२४९, २४५; ४.८०, २११;	उत्तमानम् ८.३६६; १२.५०
हन्मन्कः ८.२४०	५.१४१; १०.१२५	उत्तमेयम् ३.१०७; ६.६५
हन्मन् ४.२२९	उद्योक्त्येन ५.१४३	उत्तमैः ४.२४४
हन्मन् ६.३८; ११.२७	उद्योक्त्येन ३.८९	उत्तरः १०.६८
हन्मन् ४.१०	उद्योक्त्येन ३.२४६, २६५	उत्तरम् २.२४ [४९] १११
हन्मन् ७.१३	उद्योक्तः १०.११२	[१३६]; १२.३८
हन्मन्कैः ९.२४८	उद्योक्तः ३.१००	उत्तराणि ७.७२
हन्मन् ९.३९	उद्योक्तम् १०.११२	उत्तरायम् ९.२१५
हन्मन् १०.१२७	उद्योक्त्युत्तम् ८.२६०	उत्पत्तिः १.९८; ३.१९
हन्मन्तम् २.२३ [४८]	उद्योक्त्युत्तम् ४.५	उत्पत्तिम् ६.६५
हन्मन्ता ४.१४६	उत्तम्यतनयम् ३.१६	उत्पत्तिव्यञ्जकः २.४३
हन्मन्तिः ३.५५	उत्तम्यम् ४.२४४; ९.२४;	[६८]
हन्मन् २.८८ [११३];	१०.४२	उत्पन्नम् २.१८९ [२१४]
३.१४२	उत्तम्यः १०.९६	उत्पन्नः ९.१७०; १०.१९
हन्मन् ७.४८	उत्तम्यः ५.१६३; ८.३६५;	उत्पन्नतन्मन्मन् ९.२०३
हन्मन् ७.११५; ९.२४५,	९.३५	उत्पन्नम् ५.११५
२४५	उत्तम्यवेद्ये ३.४४	उत्पन्नम् ६.५०
हन्मन् ४.१८४	उत्तम्यशुभम् ९.३३५	उत्पन्नः २.१२१ [१४६];
हन्मन् ७.११६	उत्तम्यस्य ७.१२६; ८.२८१	९.४८
हन्मन् १.९९; ७.१४;	उत्तम्यम् ९.३३५	उत्पन्नम् ९.३२
१.२७८	उत्तम्यम् ९.८८	उत्पन्नम् ९.२७
हन्मन् १.१४; ४.१५३	उत्तमम् १.१२८ [२.९];	उत्पन्नितान् १०.६
हन्मन्तम् ९.२०८	२.२४४ [२४९]; ३.१०७	उत्तमैः ४.६३
उत्तमम् २.४१ [७६]	उत्तमोक्तः ९.२५८	उत्तमम् ४.९७
उत्तमम् ३.२०७	उत्तमः १.६२; ८.१३८;	उत्तमैः ४.११९; १२.१२१

उत्तर्जन	११.१९३	उविताम्	९.१८०	उपजीवनम्	९.२०७
उत्तरेण	३.५९	उविषात्	२.१९५ [२२०]	उपजीविनाम्	१२.११४
उत्तरेणोनेन	९.२९८	उवृणयनम्	१.६७	उपक्षयिनः	१.११
उत्तिष्ठतमनसा	८.७१	उवृण्णाता	८.२०९	उपविशन्तु	२.१८१ [२०६]
उत्सृतीः	४.४०	उद्धतवृष्टः	७.१०२	उपविष्टम्	२.१६५ [१९०]
उत्सृष्टम्	९.१७१; १०.७१	उद्धतवृष्टस्य	७.१०३	उपवेशम्	१२.१०६
उवक०	४.४२; ४.११४	उद्युतस्नेहम्	४.६२	उपधर्मः	२.२१२ [२३७];
उवकक्रिया	४.६९, ७०, ८९	उद्युतोद्धारम्	१०.८५	४.१४७	
उवकवाधिनः	४.६४	उद्युतपथिः	२.१६८ [१९३]	उपध्यायिः	८.१९३
उवकम्	२.७४ [१९१]	उद्युतस्नेहम्	४.८२	उपधीम्	८.१६५
३.१०१, २१०, २१४, २१८,		उद्धारः	९.११२, ११५	उपनायनम्	२.११ [३६]
२२३; ४.२४७; ४.८८;		उद्धारम्	७.९७, ९.१२३,	उपनिधिः	८.१४५, १४९,
११.२६, २१९, २८१;		१४६; १०.८५		१८५	
११.९१, १८२		उद्दारे	९.११६	उपनिधिहस्तारम्	८.१९२
उवकस्य	८.२४२	उद्भिज्जाः	१.४६	उपनिहितस्य	८.१९६
उवकम्	३.२०८	उद्यतैः	४.९८	उपन्यासम्	९.३१
उवकुम्भः	३.६८	उद्यन्तम्	४.३७	उपपतिः	३.१४५; ४.२१६
उवकुम्भम्	२.१४७ [१८२]	उद्यमानम्	१.७५	उपपतिम्	४.२१७
उवके ३.९९; ४.३८, १०९,		उद्यम०	९.२६५	उपपातकम्	११.६६
१९४; ११.१५७		उद्यमनृणाणि	४.२०२	उपपातकसंयुक्तः	११.१०८
उवकेन	३.८२; ४.१२१;	उद्गर्तनम्	४.१३२	उपपातकिनः	११.१०७,
७.७५		उद्युवनम्	८.३७०	११७	
उवक्	३.२१७	उद्गाहकपीथि	३.४३	उपवीडितः	८.६७
उवक्यया	४.५७, २०८	उद्गाहिकेषु	९.६५	उपवोगम्	८.२८५
उवक्याम्	४.८५	उद्गोजनकरैः	८.३५२;	उपवोनेन	२.६९ [१४]
उवक्यायां	११.१७३	९.२४८		उपरोधेन	११.१०
उवक्ययनम्	१६७	उन्मत्तः	३.१६१; ८.६७,	उपसेन	४.१९४
उवकुम्भः २.२७ [५२], ३६		१६३; ९.२३०		उपनानि	९.२६५
[६१], ४५ [७०], ४.४०		उन्मत्तजडमुखः	९.२०१	उपवासः	११.२१२
उवकुम्भच्छान्	८.८७	उन्मत्तम्	९.७९	उपवासकृशम्	११.२९५
उवकुम्भम्	३.९६	उन्मत्तावाः	८.२०५	उपवाससत्ता	२.१६३ [१८८]
उवक्यानि	८.२४८	उपकरकम्	९.२७०	उपवीतम्	२.१९ [४४], ३९
उवक्यम्	४.७०	उपकरात्	८.२६५	[६५]; ४.६६	
उवरः	४.१७५	उपक्रमैः	७.१०७, १५९	उपवीती	२.३८ [६३]
उवरम्	८.१२४	उपकुप्यन्ति	८.३३३	उपवृत्तहन्तम्	२.४७ [७२]
उवर्कम्	१२.१८	उपकुप्येव	३.२०८	उपसम्पत्तैः	४.६८
उवासीनगुहयः	७.२११	उपधर्म्य	३.१९३	उपसर्जनम्	९.१२१
उवासीनप्रचारम्	७.१४५	उपचारक्रिया	८.३५७	उपसर्जनि	४.१०५
उवासीनम्	७.१४८	उपचारम्	१.१११, ११६	उपशोष्ठम्	४.३७
उविशतः	९.९६	उपचारकम्	१०.३२	उपशेषा	३.६४
उवितम्	९.११३	उपचितः	६.४१	उपसेना	७.१२; १२.३२
उविता	९.२५	उपजायकम्	९.२७५	उपसेविनाम्	११.४३

उपस्करः	३.६८	उत्कल०	१.३८	शुचा २.५५ [८०]; ८.१०६;
उपस्करम्	१२.६६	उत्कलनाम्	४.१०३	११.११९
उपस्करद्या	५.१५०	उत्कलमुखाः	१२.७१	शुचयः २.२२ [४७]
उपस्करम्	८.१२५	उत्सेखेन	५.१२४	शुजीवम् ४.९०
उपस्पृष्ट०	३.२०८	उष्टः	३.१६२; ८.१४६,	शुजुना ३.९३
उपहतचैतनः	९.६७	२३९, २६९; ९.४८, ५५;		शुचम् ८.१०७, १०८,
उपहता	३.१८३	१२.६७		१४४, १४८, १६१; ९.१०७
उपहर्ता	५.५१	उष्टम् ४.१२०; ११.१३७		शुजासाम् ८.४
उर्ध्वः	२.६० [८५]	उष्टयान० २.१७९ [२०४]		शुजाविष् ८.१०७
उक्षकमीभि	४.११९	उष्टयानम् ११.२०१		शुजानाम् ११.६५
उपाङ्गजनम्	५.१०५	उष्ट्राणाम् १२.५५		शुजानि ६.३५
उपाङ्गजनेन	५.१२४	उष्णम् ३.२३७		शुने ८.१३९; ९.२१८
उपाङ्गजनेः	५.१२२	उष्णान् ११.२१४		शुत० ४.४; ८.१०४
उपादानम्	७.१२; ८.४१७	उष्णे ११.११३		शुतम् २.२७ [५२]; ४.५;
उपाध्यायः	२.११६ [१४१]	उष्णेन ५.११७		८.८२, ८७
उपाध्यायम्	५.९१	उग्रहिषार्थिकम् ५.६८		शुतु १.३०; ३.४६; ४.२६
उपाध्यायान्	२.१२० [१४५]	ऊनस्य ८.२१७		शुतुक्कलाभिणामी ३.४५
उपानत्	२.१५३ [१७८]	ऊनानाम् ९.१२३		शुतुक्कले ५.१५३
उपानही	४.६६, ७४	ऊर्जम् २.३० [५५]		शुतुपथ्ये १.३०
उपाययोगैः	९.१०	ऊर्ध्वम् १.९२; २.१४ [३९],		शुतुमती ९.९०
उपायानाम्	७.१०९, २००,	१५ [१२०]; ३.१६९; ४.९८;		शुतुमतीम् ९.९३
उपायान्	१०.२	५.१३२; ८.२१४, २१८		शुतूनाम् ९.९३
उपायैः	७.१०८, १७७;	२६६, २७८; ९.७७, ९०,		शुती ४.१२८
८.४८, ११०; ९.२४८, ३१२		१०४, १८७, २२६; ११.९८,		शुत्वग्तात् ४.११९
उपासनाम्	३.१०७	११०, २४७		शुत्विक् २.११८ [१४३];
उपासीनाः	५.९३	ऊर्ध्वपुतम् २.१९ [४४]		३.११९, १४८; ४.१७९;
उपेक्षकः	६.४३	ऊर्ध्वे २.८७ [११२]		८.२०६, ३८८; ११.१८२
उपेक्षारम्	७.२१५	ऊर्ध्वः ५.१२०		शुत्विजः २.१०५ [१३०];
उपेक्षम्	७.२१५	ऊर्ध्वजः १.४५		४.१८२; ७.७८, ८.३८८;
उपेक्षेष्	६.४१	शुक् १.२३; ११.१४२		११.४२
उपेक्षयम्	५.१५५	शुक्लसंहिताम् ११.२६२		शुत्विजे ३.२८
उपेतम्	९.४०	शुक्लः १२.६७		शुचयः १.५; २.१२९
उत्पिबित्	९.३३०	शुक्लविषाचनात् २.७६		[१५४]; ३.८०; ४.९४;
उभयात्मिकम्	२.६७ [९२]	[१०१]		१०.७२; ११.२३६, २४३;
उभयोक्तः	१.३९, ४३	शुलोष्टि ६.१०		१२.४९
उक्त०	१.३१, ८७	शुल्यजुषी ४.१२३		शुभिष्यः ३.२०१
उक्तपञ्चानाम्	१०.४५	शुल्येष् ४.१२४; ११.२६१		शुभिषिः २.९९ [१२४];
उर्ध्वम्	८.२४६	शुल्येवपित् ११.११२		६.३०
उक्तकवकनाम्	११.१३१	शुचः २.५२ [७७];		शुभियसम् ४.२१
उक्तैः	१२.७६	११.२६४		शुभिवत् २.१६४ [१८९]
उक्तुलस्य	५.११७	शुचम् २.१५६ [१८१];		शुधीनाम् ३.१९४
उक्तुलनिकः	६.१७	३.१४५; ११.२४९, २४२,		शुधीम् १.६०; ३.८१, ११७
उक्तुले	३.८८	२४६		एककालिकम् ११.१२३

एककुम्भलम्	८.१३४
एककुम्भारे	९.३८
एककामीकम्	३.१०३
एकचराम्	४.१७
एकजातानाम्	९.१४८, १८२
एकजातिः	८.२७०; १०.४
एकतोदतः	४.१८
एकवेशाम्	२.११६ [१४१]
एकपत्नीकम्	९.१८३;
४.१४८	
एकपलायिकम्	८.३९७
एकवचनम्	८.३६३
एकमात्रकम्	११.१३३
एकपौत्रिणम्	९.१४८
एकराशः	११.२१२
एकरात्रम्	३.१०२
एकरात्रिकम्	४.२२३
एकरात्रेण	११.१७८
एकरीषिबन्दी	९.१६२
एकशास	४.४४
एकवेशमणि	३.१४१;
११.१७६	
एकराशकम्	९.११९
एकराशाम्	४.११; १०.८९
एकराशकेन	८.२०४
एकहायनम्	११.१३६
एकवर्षाः	९.१४०
एककिनः	७.१६४
एकवर्षी	४.२४८
एकवर्षम्	२.४८ [८३]
एकवर्षम्	१.१
एकवर्षागुणम्	८.३२०,
३२२	
एकवर्षिकम्	९.११७
एकवर्षिष्ठस्य	४.१११
एकवर्षे	१०.१३
एकवर्षे	२.३६ [६१]
एकवर्षम्	४.४९, ७१
एकवर्षः	११.१३८
एकवर्षवानाम्	४.७१
एकवर्षिष्ठस्य	४.११०
एकवर्ष	३.२६९
एकवर्षः	११.२४६

एकवर्षः	९.९६; ११.८२, ८४,
२४१, २४६, २६१; ४.३४;	
८.११; १०.१११; ११.८३,	
१०३, १४४	
एकवर्षम्	११.२६४
एकवर्षः	२.४४ [७९]; ३.३७;
८.१०४	
एकवर्षम्	११.२४७; २४२
एकवर्षः	११.१२२
एकवर्षिकः	११.१८९
एकवर्षी	११.२४४
एकवर्षः	११.७१, २१०
एकवर्षः	८.३१४
एकवर्षिष्ठान	९.२६६
एकवर्षकम्	४.८
एकवर्षम्	११.१२४
एकवर्षः	४.९३; ८.३४४
एकवर्षम्	४.२३२
एकवर्षम्	८.३१३
एकवर्षः	६.९४
एकवर्षिकैरिक्तम्	४.२२७
एकवर्षः	४७
एकवर्षपूर्विकः	२.४६ [८१]
एकवर्षम्	२.४० [७४].
एकवर्षम्	९.४४
एकवर्षस्य	८.३२९
एकवर्षः	१.४६; ४.४०
एकवर्षीनाम्	११.६३, १४४
एकवर्षी	८.२८२
एकवर्षः	१.३६
एकवर्षम्	१.१६, १९
एकवर्षः	१०.४४
एकवर्षः	६.१३
एकवर्षम्	१.४४
एकवर्षे	३.२१४
एकवर्षी	२.२० [४४]
एकवर्षिकम्	९.१९०
एकवर्षिकम्	९.२०६
एकवर्षिकः	९.२४८
एकवर्षिकः	२.४३ [६८]
एकवर्षिकीः	६.२९
एकवर्षिकः	३.१६६
एकवर्षेण	३.२६८

मीरसः	९.१४४, १४९,
१६३, १६४	
मीरसखेत्री	९.१६२; १६२
मीरसम्	७.१३४; ९.१६६
मीरसैहिकम्	११.१०
मीरसस्य	८.३२४; ९.२९३
मीरसि	११.२३७
मीरसीः	१०.८७
मीरसम्	४.८
कामम्	७.११०
कामान्तरम्	७.२२४
काम्यः	१.४४
काम्यतनः	१२.७१
काम्यगना	८.३७७
काम्यः	२.१७९ [२०४]
काम्यम्	८.२८१
काम्यम्	११.९२
काम्यगता	११.१६७
काम्यगताम्	१.११४;
९.२४३	
काम्यः	८.९४
काम्ये	९.२४२
काम्यः	२.३७ [६२]
काम्यजने	२.३८ [६३]
काम्ये	११.२०४
काम्यी	३.६८
काम्यकाम्यस्य	६.६७
काम्य	३.२३१
काम्यम्	४.७२
काम्यस्य	४.२२४
काम्यः	९.११३, १२२,
२११	
काम्ययाम्	९.१२२
काम्ये	९.२१४
काम्य	८.२०४, ३६७, ३६९;
९.४७, ८९, ९२, ९७९ १७२,	
१८९; ११.३६	
काम्यवर्षः	९.७३
काम्यवर्षम्	३.३४
काम्यवर्षकः	३.१६४
काम्यवर्षम्	७.१४२
काम्यवर्षानम्	३.२९, ३०
३१	

कन्याध्वः	९.११८	कर्त्तारम्	८.१८. १९	कर्मयोगः	१.१२१ [२.२]:
कन्याम्	३.८: ८.२२४,	कर्त्तुः	४.१७२. १७३		१०.११५
२२४, ३६४, ३६५, ३६७.		कर्त्तुभिः	८.२०६	कर्मयोगम्	२.४३ [६८]:
३६९, ३७०: ९.७१. ७२,		कर्त्तुषु	१.९७: १२.६१		६.८६; १२.११९
७३, ८८, ९३, ९४		कर्त्तुणि	४.१०५	कर्मयोगे	१२.८७
कन्यायाः	३.२७, ३२, ५१;	कर्म १. ४२, ५५, ६६, ९१,		कर्मविद्या	१२.४१
९.६९: ११.६०, ६१		१०२, ११७: २.१११		कर्मविधिः	९.३२५, ३३६
कन्याधाम्	९.९७	[१३६]. १४६ [१७१], १६५		कर्मविधम्	९.३२४
कन्यायि	३.३१	[१९०], १६५ [१९०]:		कर्मविशेषम्	११.५२
कन्यासम्बन्धम्	९.१७२	३.२८, ६७, २४७; ४.१४,		कर्मम्	४.१५५; ७.१२५:
कन्यासु	८.२२६	७०, १५९, १६१: ५.८४,		९.३०२	
कन्याहरणम्	३.३३	२०५: ६.६१, ९५: ७.५५,		कर्महितम्	१.४९
कपालम्	६.४४	५९, ६६, १२५, १३८, १५४;		कर्मणि	१.२१, ३०, ८७:
कपालिका	८.२५०	८.२०६, २१५, २१७, २७३,		२.११७ [१४२]: ६.९५, ९६:	
कपालेन	८.९३	३३२: १०.१२३: ११.४४,		७.७८: ८.४२, २११, ४११	
कपिककयोः	११.१५४	१२४, २२९, २२१, २३२:		४१८: ९.३००; १०.७४, ७५,	
कपिलम्	३.८	१२.३, ५. ८, ३५, ५८, ८१,		७६; १२.१२, ९२	
कमण्डलम्	२.३९ [६४]:	८२, ८४, ८६, ८८, ८९, ९०,		कर्मस्मृतम्	१.२२
४.३६		१०७		कर्मात्मानः	१.५३
करः	७.१२९	कर्मकारिभिः	९.२६१	कर्मान्ताम्	८.४१९
करकम्	४.६६	कर्मजम्	१२.१०१	कर्मारम्भ	४.२१५
करजैः	४.७०	कर्मजाः	१२.३	कर्मिन्मयाभि	२.६६ [९१]
करजः	१०.२२	कर्मजः	४.१८: ८.२१७:	कर्मिः	१०.८०
करणम्	८.५२. १५४	१२.५१		कर्मापकरणाः	१०.१२०
करणेन	८.५१	कर्मजा	४.१५, १९७:	कर्माधिकम्	५.१२
करम्	७.१३३; ८.३०७.	८.१७७: ९.२२९; १०.८१:		कर्माहे	४.१२१
३९४; ९.३०५		११.१९३: १२.३६, ५३		कर्मा	१.६३, ६४
करम्भः	१२.५६	कर्मजम्	१.२६, ६५, ८४,	कर्माभूतम्	२.१०९ [१३४]
करसंज्ञितम्	७.१३७	१०७, ११७: ३.६५: ७.१२८:		कर्माभू	२.६१ [८६]: ८.३६
करानु	७.१२७. १२८	९.२९८: १०.७६: ११.२०३:		कर्माभिः	९.३०१, ३०२
करीषम्	८.२४०	१२.१, ७४, ८२, ८४, ८६		कर्माभूते	१.८५
कलषवेदिता	७.२११	कर्माभिः	१.२८: २.१६४	कर्माभूतमिजम्	१०.५७, ५८
ककरे	५.१३६	[१८९]: ३.७५, १४९, २४०:		कर्माभि	१.८६
कर्णश्वे	४.१०२	८.४२, २०८, ३८८: ९.२६२:		कर्माभिः	३.१४७; ५.७४
कर्णभिः	७.९०	११.२३३		कर्माभिः	९.२२७
कर्णौ	२.१७५ [२००]:	कर्माभिः	१२.९८	कर्माभिः	५.७२: १२.६९
८.१२५, २३४		कर्माभिः	१.१०४: १२.९	कर्माभिः	१२.१८, २२
कर्णव्यता	७.६१	कर्माभिः	३.१३४	कर्माभिः	८.९१
कर्णव्यी	३.२५	कर्माभिलोच्यम्	११.२३१	कर्माभिः	३.६०
कर्ता	२.१२५ [२०४]:	कर्माभिः	१.२ [२६], १८:	कर्माभिः	८.३९२
३.१६० ७.१२८: ८.३४५:		४.३: ६.७४, ७५: १०.४६,		कर्माभिः	५.५; ६.१४:
१२.२०७		५७, ९६, १००		कर्माभिः	१२.१५५
कर्तारः	१.९७	कर्माभिः	१.५३; २.४३ [६८]:	कर्माभिः	३.२४; ७.४९
		६.८६; १२.७०, ११९		कर्माभिः	२.१२६ [१५१]

कषे:	३.१९८	५.९०:	९.६३, २४२:	कायोद्वाजः	३.३८
कष्य०	१.९४	१०.९३: ११.४६, ८९, १२०,		कवरचः	८.३६०: १०.१२०
कष्याणि	१.९४; ३.१३२.	२०१		कवरचम्	१.११: ५.९४:
१३५		कवमम्	१.२४: २.८८	८.२००: ११.८४	
कश्यपय	९.१२९	[११३]: २.१४३ [१७८].		कवरचात्	८.३४५
कषायान्	११.१४३	१६४ [१८९], १९१ [२१६]:		कवरचै:	८.४७
कष्टतमम्	७.५०	३.१११, १४४, २२२:		कवरावर:	१०.३६
कष्टतर:	७.१८६	५.१४७: ७, १९१: ८.२०:		कवरिणः	९.२४९
कष्टम्	७.४१. ५३, २१०	९.१७, ८९: १०.९०. ११७:		कवरिता	८.१४३
कर्मजान्	२.२१७ [२४२]	११.१३		कवरुक्तकर्मणि:	१०.९९
कर्मस्थम्	१२.६२	कर्ममनुस:	५.१४४	कवरुक्तकर्मणि	१०.१००
कर्मस्थैरुत्थानाम्	५.११४	कर्ममनुभव:	३.३२	कवरुक्तकुरीतबी	८.६४
कर्मस्थे	४.६४	कर्ममनुत्थानि	७.४५	कवरुक्तम्	७.१३८
कर्मक:	७.२९: ११.१४९;	कर्मस्थ	१.१२३ [२.४]	कवरुक्तमम्	४.२१९:
१२.६२, ७६		२.१२२ [१४७].		९.२६४	
कर्मकताम्	११.२४	कर्मताम्	१४४ [१८०];	कवरुक्तुरीतवान्	८.१०२
कर्मकोलम्	५.१४	८.११८, १२१: ९.१७८,		कवस्तव:	१०.२३
कर्मकचन०	४.२३३	२४८; ११.१६२		कवस्तहस्त:	५.१२९
कर्मकचनम्	२.२१४ [२३९];	कर्मकालता	१.१२१ [२.२]	कवस्तर्ष्येन	३.१८३
५.११२		कर्मकाल्मा	७.२७	कवर्षात्	१२.६४
कर्मक:	३.१४५, १७७, २४२	कर्मकान्	१.१२४ [२.४];	कवर्षात्कौटीर्णानाम्	११.१६८
कर्मजम्	८.२७४	३.२७७: ११.२४२		कवर्षात्सम्	२.१९ [४४]
कर्मजेन	११.११८	कर्मकानाम्	२.६९ [९४]	कवर्षात्ताम्य:	४.७८
कर्मज०	१.४६, ४८	कर्मकर्तः	८.६७	कवर्षात्तार्पयितु	१.३
कर्मजीव:	९.१६०	कर्मकर्षम्	९.७६	कवर्षात्तार्पयितु	१.३
कर्मजीवम्	९.१७२	कर्मकर्षी	२.१९९ [२२४]	कवर्षात्तार्पयितु	८.९, २३
कर्मज:	१.१२२ [२.३]; २.६९	कर्मकर्षी	८.११२	कवर्षात्तार्पयितु	८.९
[९४]: ९.६७, ३२८: १२.११:		कर्मकर्षी	११.९०	कवर्षात्तार्पयितु	२.४७ [७२]: १३४
१२.३८		कर्मकर्षी	६.४१	[१४९]: ३.८०, २४८, २७९:	
कर्मकवरतः	११.४१	कर्मकर्षी	९.३०४	५.१४०, १४७: ७.१०. १४०.	
कर्मकवरकृते	११.४५	कर्मकर्षी	१०.४४	१६१, १७३: ८.४३, ७०,	
कर्मकोद्यवशानुगम्	२.१८९	कर्मकर्षी	१२.८९	११७, १८६, २३४, २३७,	
[२१४]		कर्मकर्षी	५.२७: १२.११७	२९३, ३२४: ९.२९९;	
कर्मकोद्यी	८.१७४	कर्मकर्षी	४.९२	११.१८२; १२.२ [३७], १०४	
कर्मकोद्यतः	२.१९४ [२२०]	कर्मकर्षी	११.९७	कवर्षात्तार्पयितु	९.७४
कर्मजः	७.४७	कर्मकर्षी	२.३३	कवर्षात्तार्पयितु	८.८
कर्मजम्	९.१४७	कर्मकर्षी	१२.१०	कवर्षात्तार्पयितु	७.१४३
कर्मजान्	९.१०७	कर्मकर्षी	२.३४ [५९]	कवर्षात्तार्पयितु	७.१७९
कर्मजे	७.५०	कर्मकर्षी	१२.८	कवर्षात्तार्पयितु	१.११४
कर्मजेव	७.४६	कर्मकर्षी	८.१४३	कवर्षात्तार्पयितु	२.१८६ [२११];
कर्मजतः	३.१२, १७३:	कर्मकर्षी	८.३१२	७.८१, १२०, २२१: ८.२,	
४.१६. १३०, १३२, २०७:		कर्मकर्षी	१२.८	१०, २४, १७४, १७८, २४८;	
		कर्मकर्षी		९.२३१, २४१	
		कर्मकर्षी		कवर्षात्तार्पयितु	७.१६४: ८.११०;

१.५५	कवचम्	१०.८४	कुटुम्बिकः	३.८०
अर्वाभीतिहये ७.१६७	कवचमयः २.१३२ [१५७]		कुटुम्बे	३.११२
अर्वाभिकेभ्यः ७.१०४	कवचलोष्ठः ४.२४१		कुटुम्बलम्	४.८९
अर्वाभ्याम् ८.२, २४; ९.२३१	कवचलोष्ठः ४.४९		कुम्भपत्री	१२.७१
अर्वे ७.१६५; ८.८०, २२८, ३९०	कवचलोष्ठमयेव ८.२८९		कुम्भः	३.१७४
अर्वेक्षणे ७.१४१	कवचवत् ४.६९		कुम्भपोलकी ३.१५६, १७४	
अर्वेय ९.२३१	कवच्य १.६४		कुम्भसे	४.३६
अर्वेय ७.५७; ८.६३	कवच्यनि ८.३७२; १२.७८		कुम्भश्री	३.१५८
अर्वापनः ८.१३६	किरावन् ८.२४६		कुम्भम्	३.२३४
अर्वापनम् ८.३३६	किरायः ३.१५९		कुम्भस्तिलाः ३.२३५	
अर्वापनावरम् ८.२७४; १०.१२०	किरावन् ३.१५१		कुम्भनाम् ४.१२०	
अर्वापनी ९.२८२	किरायाः ९.२५८		कुम्भली ४.६३	
अर्वाकः ८.१३६	किरायान् ९.२२५		कुम्भनम् ४.१६३	
अर्वावीरवकास्तानि २.१६	किन्वान् १.३९		कुम्भपयः १२.९५	
[४१]	किराताः १०.४४		कुम्भी ३.१५३	
अर्वायलम् १०.४२	किरिलयम् ६.७२; ८.४०, २३५, २९६, ३००, ३१६, ३१७, ३३७, ३४२, ४२०; १२.१०८		कुम्भी ९.१६१	
अर्वायलीम् ११.१३३	किस्विवात् ३.९८;		कुम्भी ७.९६; १०.११३	
अलकविरिते ८.३४८	१०.११८; ११.९०, २३९		कुम्भी ९.१६१	
कालीः ७.२१७	किस्वी ८.१३, ९४, १४२, २३६		कुम्भी ७.७, ४२	
अलपक्वभृक् ६.१७	कीटः १.४०; २.१७६		कुम्भीकमुत्तम् ८.२४७	
अलपक्वैः ६.२१	[२०१]; १२.५६		कुम्भीधाम्यकः ४.७	
अलम् १.२४, ४१; ६.४५, ४५; ८.३२, ४५, ३२४; ९.२९३	कीटाः ११.२४०; १२.४२		कुम्भीपक्वम् १२.७६	
अलविभवतीन् १.२४	कीनाशः ९.१५०		कुम्भेभ्यः ८.३२०	
अलबुद्धिः ८.१४३	कीर्तितम् १.४२		कुम्भारब्रह्मचारिणाम् ५.१५९	
अलशाकम् ३.२७२	कीर्तिकरायम् ८.१२७		कुम्भाराणाम् ७.१४२	
अलसंरोधात् ८.१४३	कीर्तिम् १.१२८ [२.९]; ४.९४; ४.१६६; ८.८१; ११.४०		कुम्भारीः ३.११४; ९.९०	
अलसूत्रम् ३.२४९; ४.८८	कुम्भकः ३.२३९, २४२		कुम्भारीणाम् ३.४४	
अलस्य ८.२१६	कुम्भकटकः १०.१८		कुम्भारीभावः ९.१३१	
अलसात् ८.२५१; ९.९०	कुम्भकटानाम् ११.१५६		कुम्भारीव ११.४८, १७०	
अलसिकैः ६.१९, १९	कुम्भयाम् ९.१७		कुम्भलेत्रम् १.१३८ [२.१९]	
अलसिकतया १२.९६	कुम्भेलम् ६.४४		कुम्भलेत्रान् ७.१९३	
अलसे १.५१; २.४५ [८०]; ३.१०५; ७.१६४, २०४; ८.२३३, ४००; ९.४, ३०७	कुम्भरस्य ३.२७४		कुम्भपोत्रे ३.१०९	
अलसेन ९.२४६	कुटीम् ११.७२		कुम्भजे ८.१७९	
अलसेव ७.१८३	कुटुम्बात् ९.१९९; ११.१२		कुम्भधर्मान् १.११८, ८.४१	
अलसोपपादिते ९.३६	कुटुम्बाभ्याम् ११.१४		कुम्भम् ३.५७, ६२; ४.२४४; ७.९१ ११९; ८.१६९; ९.१०९	
अलसोप्यानि ९.३८	कुटुम्भार्थम् ८.१६६		कुम्भवित्रम् ४.२४३	
आभ्यान् ३.१९९	कुटुम्भार्थे ८.१६७		कुम्भयोः ९.५	
			कुम्भयोधितानाम् ३.२४५	
			कुम्भसंख्याम् ३.६६	
			कुम्भसंततिम् ४.१५९	

कुलसन्निधी	८.११.४. २०१;
९.८३	
कुलानि	३.७. १४. ६३. ६४. ६६
कुलीनम्	७.२१०
कुलीनानाम्	८.३२३
कुले	२.९ [३४], १४९ [१८४], २१८ [२४३]; ३.६०. २७४; ४.१४९; ७.७७; १०.६०
कुलोद्भूतम्	७.६३, १४१
कुलोद्भूतान्	७.६२
कुलोद्भवान्	७.४४
कुलिशैः	३.६३
कुशलः	८.३९८
कुशलता	१२.७३
कुशलम्	२.१०२ [१२७]; ६.४८
कुशाक्षरि	११.१४८
कुशान्	२.१४७ [१८२]; ४.२४०; १०.८८
कुशाश्चन्तकवस्त्रजैः	२.१८, [४३]
कुरीसवः	३.१४४
कुरीसवान्	९.२२४
कुरोदकम्	११.२१०
कुण्ड	३.७
कुण्डिन्या	३.७
कुसीरपथम्	८.१४०
कुसीरम्	१.९०; ८.४१०; १०.११६
कुसीरवृद्धिः	८.१४१
कुसुमस्तेयम्	११.७०
कुसुमवान्	६.४२
कुसुमघान्तकः	४.७
कुट्टे	३.८६
कुटवस्त्रकः	३.१४८
कुटशालनकर्तुम्	९.२३२
कुटैः	७.९०
कुप०	४.२०२
कुपवापीजलानाम्	११.१६३
कुपत्	८.३१९
कुर्ष	७.१०४

कुलम्	६.७८
कुल्यारैः	८.१०६
कुप्युः	११.१६२, २१४
कुप्युम्	४.२२२; ४.२०, २१; ११.१०४, १२४, १३९. १४८, १६४, १७३, १७७. २०८, २१२
कुप्युत्	६.७८
कुप्युत्तितकुप्यु	१२, २०८
कुप्युन्	११.१९१
कुप्युः	११.१९७
कृतकृत्यः	१२.९३
कृतकृत्यता	४.१७; १०.१२२
कृतक्रियः	४.९९
कृतक्रियी	९.१०२
कृतध्वस्य	४.२१४; ८.८९
कृतध्वान्	११.१९०
कृतघृडे	४.४८
कृतजम्	७.२०३, २१०
कृतवस्त्रः	८.३१८
कृतवारः	४.१; ४.१६९; ११.४
कृतवर्गः	९.२४२
कृतनिर्भोजनान्	११.१८९
कृतवृद्धपः	१.९७
कृतवृद्धिषु	१.९७
कृतम्	९.३०१, ३००
कृतयुगे	१.८४, ८६
कृतमक्षणाः	९.२३९
कृतवायः	११.१०८
कृतवायनः	११.७८
कृतशीघ्रः	४.९३; ७.१४४
कृतसंज्ञान्	७.१९०
कृतसंस्कारः	९.३०६
कृता	९.१३६
कृताश्कः	८.२८१
कृताञ्जलिम्	७.९१
कृतात्	१०.११४
कृतानुसारान्	८.१४२
कृतान्मन्	९.२१९; १०.८६, ९४; ११.३; १२.६४
कृतानाम्	९.१३४
कृतावस्त्रः	८.६०

कृते	१.८१; ९.६९
कृतोपनयनः	२.८३ [१०८]
कृतोपनयनस्य	२.१४८ [१७३]
कृत्याम्	९.२९०
कृतत्याहृतानि	३.४८
कृत्येषु	७.६७; ९.२९७
कृत्रिणः	९.१४९, १६९
कृत्स्नः	२.१४० [१६४]. ४.१४६; १०.१३१; ११.२६६; १२.४१
कृत्स्नम्	३.२८३; ४.८२, ७.१०३, १४४; ८.२२, २०७; ११.१३०, १४४
कृत्स्नशः	७.२१४
कृत्स्नाम्	१.१०४; ७.१४८
कृपणम्	४.१८४
कृमयः	१२.४९
कृमिः	१.४०; २.१७६ [२०१]; १२.४२, ४६
कृमिकोटवयः	११.७०
कृमिजः	८.२३२
कृमिभूतः	१०.९१
कृमीणाम्	३.९२
कृशम्	७.२०८
कृशान्	४.१३४
कृषिः	१०.११६
कृषिगोरक्षम्	१०.८०
कृषिजानाम्	११.१४४
कृषिजीवी	३.१६४
कृषिम्	१.९०; ८.४१०; १०.८३, ८४
कृषीवतः	१०.९०
कृषीवतैः	९.३८
कृषवः	१.६६
कृषपक्षे	३.२७६
कृषपक्षेषु	४.९८
कृषलम्	११.१३७
कृषलानि	८.२१४; ९.८४
कृषले	८.१३४
कृषवर्णा	२.६९ [१४]
कृषसारः	१.१४० [२.२३]
कृष्ये	६.२०; ११.२१६

कुब्जा	३.६४	कौरोष	५.१२०	क्रियाविधी	१२.८७
कुब्जाम्	१०.९०	कौरोषम्	१२.६४	क्रित	९.१६०
कुत्तरसंघाबम्	४.७	कौलीवीम्	८.१४३	क्रोतकः	९.१६०
कुत्तम्	४.११०	कुत्तुभिः	७.७९	क्रोतम्	८.४१३
कुत्तितः	३.१९०	कुत्तुम्	१.३४	क्रुद्धः	४.१६४; ८.६७
कुत्तुन्	१.३८	कुत्तराद्	११.२६०	क्रूरकर्म०	१२.५८
कुवारम्	९.४४	कुत्तुविक्रियणः	४.२१४	क्रूरता	१०.५८
कुलिः	८.३४७	क्रमणम्	६.६३	क्रूरस्थ	४.२१२
कुवत्तः	४.२३९	क्रमशः	१.६८; ३.१२;	क्रूराचारविहारवान्	१०.९
कुवत्तम्	२.१७४ [१९९];	६.१०, २३, ३४, ८८; १६५.		क्रूराचारः	४.२४६
३.५४, ११८; १०.७१		२२०, ३३६; १२.५३, ८७		क्रूरान्	९.२२६
कुवत्ताः	४.१०	क्रमयोगम्	१.४२	क्रूरे	१.२९
कुवत्तान्	२.७० [९५];	क्रमयोगेन	२.१३९ [१६४];	क्रोधजः	७.४८
४.२०४		६.८५		क्रोधजानि	७.१४५
कुवत्तैः	३.६४; ६.२१	क्रमागतः	१.१३७ [२.१८]	क्रोधजे	७.५१
कुवत्तौ	८.२४	क्रमात्	१०.८८	क्रोधजेषु	७.४६
कुशः	४.३४; ६.४२	क्रमेण	२.१४८ [१७३];	क्रोधम्	१.२५; २.१५३
कुशकीटावपन्मम्	११.१५९	३.६९; १०.१४		[१८७]; ४.१६३; ९.१७	
कुशकीटैः	४.१२५	क्रमः	१०.११५	क्रोधात्	८.११८, १२१
कुशग्रहान्	४.८३	क्रयविक्रयम्	७.१२७; ८.५;	क्रोधे	७.११
कुशान्	४.७८	९.३३२		क्रोधी	१२.११
कुशान्तः	२.४० [६५]	क्रयविक्रयी	४.५१; ८.४००	क्रोडधः	१२.६४
कुशान्तिकः	२.२१ [४६]	क्रयविक्रयी	८.४०१	क्रोडधम्	११.१३४
कुशानाम्	२.१८६ [२११]	क्रयेण	८.२०१	क्रौर्यम्	१२.३३
कुशेषु	८.२८३	क्रुध्यः	४.१३१	कलीबः	३.१६५
कुवर्तवम्	१०.३४	क्रुध्याद्	११.१५६	कलीबपतिली	९.२०१
कुवर्तान्	८.२६०	क्रुध्याद्भिः	११.१९९,	कलीबम्	७.९१; ९.७९
कुोटि०	६.६३	क्रुध्यादाः	१२.५९	कलीबस्य	९.१६७
कुषेयः	३.२३०	क्रुध्यादान्	४.११; ११.१३७;	कलीबाः	३.१५०
कुषेपात्	८.२८०	१२.५८		कलीबावीनाम्	९.२०३
कुषेपाष्ट	४.१३	क्रान्ते	१२.१२१	कलीबेन	४.२०५
कुषावण्डी	९.२९४	क्रियाया	२.५५ [८०];	कलुप्तः	४.३५; ६.४२
कुषाराष्ट्रे	७.६५	९.२९८		कलुप्ताः	३.६९
कुषास्य	१.९९	क्रिया	१.१२३ [२.४];	कलुप्तानाम्	११.२७
कुषाहीनः	७.१४८	२.२०९ [२३४]; ३.५६, ८४;		कलेशम्	२.२०२ [२२७]
कुषो	८.३८	६.८२; ७.६५, २०५; ९.१८,		कलेशान्	१२.८०
कुषम्	८.४१९	५३, १११, १८०; ११.६५;		कणम्	८.३४४
कुषहर्तुन्	९.२७५	१२.३१		कणात्	११.२४६, २५०
कुष्टगार०	७.२८०	क्रियाम्	४.२४; ८.१५४	कतुर्वैदेहकी	१०.१३
कुसम्	११.२४९	क्रियारम्भः	११.६४	कता	१०.१२, १६
कुनध्यम्	११.४९	क्रियालोपात्	१०.४३	कतुः	१०.१९
कुमारैः	९.३	क्रियालोपः	३.६३	कञ्जजातिः	१०.२६
कुशीलध्वः	११.६५	क्रियाविधिः	९.२२०	कञ्जधर्महतस्य	५.९८

अत्रबन्धुम्	२.१०२ [१२७]
अत्रबन्धोः	२.१३ [३८]
अत्रम्	१.३२०, ३२१, ३२२; १०.१२१
अत्रबन्धः	११.६६
अत्रविद्वत्प्रयोगः	८.६२
अत्रविद्वत्प्रयोगिः	९.२२९
अत्रविद्वत्प्रयुः	१०.९
अत्रस्य	३.२३, २६; ९.३२०; १०.७९; ११.२३५
अत्रियः	२.२० [४५], २.५५ [८०]; ३.१११; ५.९९; ७.९८; ८.२६७, ३७५, ३८२, ३८३, ३८४; १०.४, ८१, ८३, ११७, ११८; ११.३४; १२.७१
अत्रियजातः	१०.४३
अत्रियम्	१.३१; ४.१३५; ८.११३, ३७६, ४११; १०.७७
अत्रियका	३.४४
अत्रियस्य	१.८९; २.६ [३१], १७ [४२]; ३.२४; ७.१४४; ८.२६८, ३३७; १०.८०; ११.२१, १२६
अत्रिया	१२.४६
अत्रियाणाम्	२.१३० [१४५]; ३.१९७
अत्रियात्	१०.९, ११, १७, ६५
अत्रियाय्	८.३८२
अत्रियायाम्	८.३८४
अत्रियायैरथे	८.३८५
अत्रियायुतः	९.१४१, १५३
अत्रिये	८.७७६
अत्रियेन	७.२; ११.१८
अत्रियुक्कसाणाम्	१०.४९
अत्रयम्	४.११९, २२२; ५.७१
अत्रा	१.६८
अत्रा	६.९२; ११.२४५
अत्रान्वितः	७.३२
अत्रोपनिषत्	११.४९

अत्रात्	१२.५४
अत्री	९.३१४
अत्रेण	६.६०
अत्रिः	१२.१२४
अत्रिम्	७.८७
अत्रिन्या	५.१०७
अत्रिः	५.११४
अत्रिणम्	९.३१५
अत्रिती	४.२४१; ५.७३; ८.३८, ३९; ९.२६३
अत्रिताम्	८.३१२
अत्रिन्तः	८.३१३
अत्रिनिश्चयः	७.१७९
अत्रु	८.९३; १०.१०५
अत्रुष्ठाः	८.६७
अत्रुः	७.२७
अत्रुक्कणाम्	८.२९७
अत्रुष्ठाधिपीडितः	४.६७
अत्रु ७.१३३, १३४; ४.३३, १८७; ११.२१	
अत्रुर्तः	१०.१०७, १०८.
अत्रुशासतः	४.३४
अत्रुः	९.२९२
अत्रुतीम्	४.४३
अत्रुवृत्तिः	८.३४१
अत्रुस्य	७.१६६
अत्रुये	३.४९
अत्रुवृत्तः	८.२३१
अत्रुम्	५.८; १०.८८; ११.२१२
अत्रुविक्रयात्	१०.९२
अत्रुस्य	८.३२६
अत्रुणिः	८.२४६
अत्रुक्कपराणाम्	८.७६२
अत्रुगृहस्य	११.१६३
अत्रुजः	९.१४९, १६७, २२०
अत्रुजस्य	९.१६४
अत्रुजात्रीम्	९.१८०
अत्रुजः	८.९६; १२.१४
अत्रुजम्	१२.१२
अत्रुवोचनस्य	९.३३०
अत्रुवीजसमायोगात्	९.३३
अत्रुवृत्ता	९.३३

अत्रम्	२.२२१ [२४६]; ८.२६४; १०.७०, ७१
अत्रात्	१०.११४; ११.१७
अत्रिकः	९.५३
अत्रिकास्य	८.२४१, २४३; ९.४४, १४५
अत्रिकम्	९.३२
अत्रिणाम्	९.४१, ४२
अत्रे	८.२४०; ९.३६, ५४; ११.११४
अत्रेयु	८.२४१
अत्रेयम्	२.१०२ [१२७]
अत्रेयाम्	७.२१२
अत्रिम्	१०.८८
अत्रि०	१०.८७
अत्रिम्	१२.६४
अत्रिवत्	५.१२१
अत्रिणाम्	५.१२०
अत्रः	१२.६३
अत्रजः	३.२४२
अत्रजम्	८.२७४
अत्रजरीटकम्	५.१४
अत्रु	८.३५७
अत्रुवाङ्गी	११.१०५
अत्रुक्कर्मणाम्	५.१८
अत्रुक्कर्मणाम्	३.३७२
अत्रिनेन	२.१९३ [२१८]
अत्रम्	१२.१२०
अत्रः	२.१७६ [२०१]; १२.५५
अत्रम्	४.१२०; ११.१३६
अत्रयाम्	११.२०१
अत्रावोष्ट्रमुषेणाम्	११.६८
अत्रेण	८.३७०
अत्रोष्ट्राणाम्	११.१४४
अत्रात्	११.१७
अत्रे	११.११४
अत्रातीरिणम्	४.२४३
अत्राः	१०.४४
अत्रः	१०.२२
अत्रादकः	५.५१
अत्रादिरम्	८.३१५
अत्रि	२.२८ [५३], ३५

[६०]: ४.१४४; ५.१३२, १३८	मन्थर्षः १२.४७	मध्यम् ५.६
खिन्मः ७.१४१	मन्थर्वोरगरक्षसाम् ३.१९६	मध्यमे ३.७७१
खिलाभि ३.२३२	मन्थर्वर्षरक्षान्विताः ४.१२८	माः ४.४८, १६२; १०.१०७; ११.११०, ११६, १२६, १३०, २४७
खे ९.४३	मन्थान् ४.२४०; १०.८८; १२.६४	मात्रः ३.२४२
खेम् १२.१२०	मन्थानाम् ९.३२९	मात्रात् ४.१२२, १६९
ख्यातिम् १२.३६	मन्थौचधिरक्षानाम् ७.१३१	मात्राणाम् २.१८४ [२०९]
ख्यापनेन ११.२२७	मन्थनीयतमः ७.१७४	मात्राणि ४.१४३; ५.१०९
भङ्गानाम् ८.९२	मरुः ३.१५८	मात्रोत्सादनम् २.१८६ [२११]
मजः ८.२९६	मरीचः २.१११ [१३६]	मात्रा ९.४२
मजम् ११.१३६	मरीचसः ११.२०४	मात्रिजः ७.४२
ममः १.११८; ७.४७; ४८	मरीचसी २.१०८ [१३३], २०६ [२३१]; ९.४२	मात्रर्षः ३.२१, २६, ३२
ममम् १.२२	मरीचान् २.१२१ [१४६]	मात्रम् २.२२१ [२४६], ९४, २६०; ४.३९, ४९, १८८; ५.८७; ८.२४२; ११.११४, १३४, १४४, २०२; १२.६४, १२०
ममाभ्यन्तरः ३.१४४	मरुडेन ७.१८७	मात्रिकम् २.२ [२७]
ममाभाम् ३.१६४	मरुप्रक्षयनेषु ४.२०३	मार्गः १.२ [२७]
ममान् १.३७	मर्तेषु ४.४७	मार्गस्थः २.२०६ [२३१]
ममान्मम् ४.२०९, २१९	मर्षम् ८.२९८	मिरम् ११.३४
ममिष्यन्मम् ४.२०९, २१९	मर्षभाजिनम् ११.१२२	मिरिदुर्गम् ७.७०, ७१
ममे ७.४०, ४१	मर्षेष् ४.४७	मिरिपुष्टम् ७.१४७
ममी २.६७ [९२]; ७.४९	मर्षः ९.८, १७३	मिर्षोः १.१४१
ममृक्षाली ३.१६१	मर्षम् ११.८७	मीतभावजम् २.१४३
ममृक्षतमः ७.२२४	मर्षमर्तुक्षाम् ४.९०	मुष्ट १.४८
ममृक्ष्यागता ९.७६	मर्षवातेषु १२.७८	मुष्टम् १०.८८; १२.६४
ममृम् १.१००	मर्षजावे ४.६६	मुष्ट्य ८.३२६; ११.१६६
ममृयः १.४०; १२.३	ममृत् २.११ [३६]	मुष्टः (मुष्टः) १.२०, ७६, ११७; ३.२२, ३६; ८.३७१; १२.२४, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७, ९८
ममृतिः २.१७४ [१९९]; ८.८४; १२.४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९	ममृष्यमे २.११ [३६]	मुष्टतः ११.१८४
ममृतिम् १.११०; २.२१७ [२४२]; ४.१४; ५.४२; ६.७३, ८८, ९३, ९६; ८.४२०; १०.१३०; १२.४०, ११६, १२६	ममृषी ३.११४; ८.४०७; ९.१७३, २८३	मुष्टोपजम् ७.१७९
ममृतीः ६.६१; १२.२३	ममृषे ६.६३	मुष्टोपविचक्षणम् ९.१६९
ममृत् ८.२६	ममृषे ९.१२६	मुष्टोषी १.१०७; २.१८७ [२१२]; ३.२२; ७.१७८
ममृष्टः १.७६, ७८; ४.१११; ४.१२६; १२.९८	ममृषाम् २.४४ [८०]	मुष्टप्रयम् १२.२४
ममृष्टम् २.१४२ [१७७]; ११.१४९	ममृषितम् १०.३९	मुष्टम् १.२०, ७४, ७७, ७९
ममृष्टान्तीयः ३.२०९	ममृषिताः १२.४३	मुष्टवत्तरः ४.११३
ममृष्टर्षः १.३७	ममृषिताम् १०.१०३	मुष्टवन्ति २.११२ [१३७]
	ममृषितामाद्योः ११.४६	
	ममृषितेन ११.१९३	
	ममृष्ये ४.१४९	
	ममृ ३.३; ४.२०९; ४.४२४; ४.४४८, ७२; ४.१२४; ८.११२, ११.१२९, ११६	
	ममृष्ये १०.६२; ११.७९	
	ममृषि २.१३३ [१४८]	

गुणवेदिभिः	७.१६७
गुणवेदोष्मात्	९.२९६
गुणहीनाय	९.८९
गुणाः	१.७८; ९.२२
गुणानाम्	९.३३१
गुणानाम्	१२.३०. ३४
गुणान्	३.२२६, ३२८; ६.७२; १२.२४
गुणान्भित्ते	२.५ [३०]; २२२ [२४७]
गुणिद्विधे	८.७३
गुणेन	९.२२; १२.३९
गुणैः	२.६० [८५]; ३.२३३; ५.१५४; ९.३६, १४१; १०.६७
गुणोत्कृष्टान्	८.७३
गुणम्	८.२८२
गुणे	८.१३६
गुणम्	७.७६; ८.३७४, ३७७
गुण्ये	१.९४, ९९
गुणान्	८.३७८, ३८२
गुणितं	१.८७
गुणितम्	७.५६
गुण्ये	८.३८३
गुरवे	२.२६ [५१], २२० [२४५], २२१ [२४६]
गुरुः	२.४४ [६९], ४८ [७३], ११७ [१४२], २०६ [२३१]; ३.११०, १४६; ११.५९
गुरुकुलात्	७.८२
गुरुगताम्	२.१९३ [२१८]
गुरुणा	२.१६६ [१९१], १७८ [२०३], १७९ [२०४], १८० [२०५], २२० [२४५]; ३.४
गुरुतरम्	७.५२; ९.२९५
गुरुतरपणः	९.२३५; ११.४९, २५१; १२.४८
गुरुतरपत्रम्	११.१६९
गुरुतरपत्रम्	११.५८
गुरुतरपापम्	११.१०६

गुरुतरपत्री	११.१०३
गुरुतरप्ये	९.२३७
गुरुबारे	२.२२२ [२४७]
गुरुबारेण्	२.१९२ [२१७]
गुरुवेवद्विजार्थकः	११.२२४
गुरुन्	२.१०५ [१३०]; १८० [२०५]; ४.१५३, २५१
गुरुपत्न्या	२.१८६ [२११]
गुरुपत्नी	२.१८७ [२१२] ९.५७
गुरुपत्नीनाम्	२.१९१ [२१०]
गुरुपत्नीवत्	२.१०६ [१३१]
गुरुपुत्रस्य	२.१८४ [२०२]
गुरुपुत्रे	२.२२२ [२४७]
गुरुपुत्रेषु	२.१८२ [२०७]
गुरुपार्थ्या	२.१०६ [१३१]
गुरुम्	२.१०४ [१४९], २१९ [२४४]; ३.१४८; ४.११४, १६२; ५.९१; ७.१७४; ८.२७४, ३५०; ११.८८, १२१
गुरुयोषितः	२.१८५ [२१०]
गुरुसाधवम्	९.२९९
गुरुवत्	२.१८० [२०५], १८२ [२०७], १८३ [२०८], १८५ [२१०], २२२ [२४७]; ९.६२
गुरुशुश्रूषया	२.२०८ [२३३]
गुरुषु	४.२५२
गुरुसन्निधौ	२.१६९ [१९४], १७३ [१९८]; ११.१८२
गुरुसुतः	२.१८३ [२०८]
गुरुस्त्रीगमनीयम्	११.१०२
गुरोः	२.४६ [७१], ४७ [७२], ८३ [१०८], १५९ [१८४], १६७ [१९२], १६८ [१९३], १७३ [१९८], १७४ [२००], १७८ [२०३], १८० [२०५], १८२ [२०७], २१६ [२४१], २१८ [२४३]; ३.९५, १५३, १५७; ४.१३०;

५.६५; ८.२७५; ११.५४	
गुरी	२.४२, १३९ [१६४], १४० [१७५], १८० [२०५], २१७ [२४२]; ३.१; ४.१; ५.४३, ८२; ८.३१७
गुरुद्वन्द्वनामः	११.५४
गुरुर्धनम्	२.२२० [२४५]; ११.१
गुरुम्	१२.५८
गुरुस्य	१.४८; ७.११४
गुरुवत्स्लीनपेषु	८.३३०
गुरुवत्स्लीलतानाम्	११.१४२
गुरुनाम्	७.१९०; ८.२४७
गुरुनैः	९.२६६
गुरुन्यः	११.२६५
गुरुन्यकः	१२.४७
गुरुन्यम्	१२.११७
गुरुः	९.१७०
गुरे	७.१८६
गुरेः	९.२६१
गुरोत्पन्नः	९.१५९
गुरुजनम्	४.५, १९
गुरुः	१२.६३
गुरोर्छिद्येन	११.२६
गुरुकारी	१२.६६
गुरुकार्येषु	५.१४०
गुरुवः	८.४१५
गुरुवः	४.२३०
गुरुदीप्तयः	९.२६
गुरुबलम्	३.२६५
गुरुम्	३.१११, ११३; ७.७६; ८.२६४; ११.७६
गुरुमेधिनः	४.३१
गुरुमेधिना	३.३२, १०५
गुरुमेधिनान्	३.६९; ४.८
गुरुमेधियु	६.२७
गुरुमेधिशकः	३.१६३
गुरुवः	३.११७, ६.८७, ८९
गुरुवन्माधित्य	३.७७
गुरुवन्स्य	३.६७; ४.२५९
गुरुवः	३.१०४
गुरुवन्नाम्	४.१३७; १.३३४

गृहस्थाध्यायम्	३.२	गोप्यारम्	७.१४	अग्निधामः	१२.१०३
गृहस्थे	६.९०	गोपास्तान्	८.२५०	अग्निधना	२.१८ [४३]
गृहस्थेन	३.७८	गोबीजकाञ्चनेः	८.८८,	अग्निध्याः	१२.१०३
गृहस्थैः	६.३०	११३		अग्निधेदस्य	९.२७७
गृहस्थ	८.२६२	गोब्राह्मणस्य	५.९५	अहः	८.१८०, १९५
गृहात्	२.९ [३४]; ३.३३,	गोब्राह्मणहिते	११.७८	अहणम्	२.१४८ [१७३]
४.२५०; ६.३८, ३९;		गोब्राह्मणान्त्वान्	४.१४२	अहणान्तिकम्	३.१
८.३३३; ९.८३; ११.१६२		गोभिः	३.६४; ११.१९६	अहम्	७.१२१
गृहान्तिके	११.१८८	गोभ्यः	८.३३९	अहणाम्	५.११६
गृहार्थः	२.४२	गोमयम्	११.२१२	अहणम्	१.२४
गृहस्थमे	६.१	गोमयस्य	८.३२६	अहे	९.२७७
गृह्णिः	८.६२	गोमयेन	३.२०६	आम०	६.१६
गृही	२.२०७ [२३२];	गोमायः	४.११५	आमकुम्भकम्	५.१२. १९
३.६७, ७८, ९५; ४.१८१		गोमायोः	११.१५४	आमधाते	९.२७४
गृहे	३.७१, १०३, १०५.	गोमिधुनम्	३.२९, ५३	आमजातिसमूहेषु	८.२२१
११०, १५५; ४.१. २१६.		गोमृत्रम्	११.११, २१२	आमबशेशाय	७.११६
२५२; ५.४३, १०२, १६९;		गोमृत्रेण	५.१२१; ११.१०९	आमबशेशसंभारनाम्	८.२१९
८.२३०, ३६५; ९.१२, ८९,		गोयाने	११.१७४	आमबोचान्	७.११६
१७०; ११.११४		गोरक्षकम्	८.१०२	आमप्रतिपद्यी	१०.३६
गृहेभ्यः	२.१५८ [१८३]	गोरक्षम्	१०.११६	आमम्	२.१६० [१८५];
गृहेषु	५.१४७	गोसकः	३.१७४	४.७३; ६.४३; ७.११९	
गृहणम्	३.५१	गोबधः	११.५९	आमयाजिकृते	४.२०५
गृह्यम्	६.४	गोबधः	९.१५०	आमयोः	८.२४५, २६१
गृह्याः	३.११७	गोब्रजात्	११.१९५	आमवासिनः	५.११
गृह्याधि	७.७८	गोब्रजे	४.४५, ११६;	आमवासिभिः	७.१२८
गृह्ये	३.८४	११.७८		आमराताध्यक्षः	७.११९
गृहानि	३.४८	गोसकृत्	२.१५७ [१८२]	आमरातानाम्	७.११४
गृहे ३.१०१; ४.२९; ९.२६		गोसकृतरसम्	११.११	आमसन्निधु	८.२६१
गोः २.१३३ [१५८]. १७९		गोषु	८.३२५	आमस्य	३.१५३; ७.११५;
[२०४]; ३.६, १६२; ४.२३३;		गोष्ठे	३.२५४; ४.५८;	८.२३७	
५.८, ८; ८.२९६; १०.११४;		११.१०८, ११४		आमाः	८.२५८
११.७९, ११३; १२.५५		गोसवेन	११.७४	आमात् ६.४, २८; १०.५१;	
गोघ्नः ११.१०८, ११५		गोस्वामी	८.२३१	११.१२८	
गोत्ररिक्थानुगः ९.१४२		गोहत्याकृतम्	११.११५	आमाग्नीये	८.२४०
गोत्ररिक्थशाशानिधः ९.१६५		गोः ३.१४१; ४.१७२,		आमाग्ने ४.११६; ११.७८	
गोत्ररिक्थे ९.१४२		१८९, १९१; ५.१२८, १३३;		आमिकः ७.११६. ११८	
गोदः ४.२३१		८.२१, ९८; ९.४८, ५५		आमीयककुलानाम्	८.२५४
गोधा १३.६४		गोडी ११.९४		आमे २.११४ [२१९];	
गोधाम् ५.१८		गोभिनी १२.४१		४.६०, १०८. ११८	
गोषः ८.२३१		गोभिनाम् ९.५०		आमेष्टु ४.१०७; ९.२७१;	
गोफम् ८.२६०		गोरवेण ७.१२० [१४५]		१०.५४	
गोफलः ४.२५३		गोःसर्वपः ८.१३३		आम्यम् ६.३	
गोपता ११.७९		गोरसर्वपेः ५.१२०		आम्याणि ७.१००	

प्राग्भ्यः	११.१९९	चक्षुः	२.१७३ [१९८]:	चरित्रम्	१.१३९ [२।२०]:
प्रास०	९.२०२	४.४१, ४२, १८९	२२९:	९.७	
प्रासम्	११.२१३	८.१२५; १२.९४		चक्षुषाम्	५.११७
प्रासाम्	३.१३३; ६.२८	चक्षुषः	२.६५ [९०]	चक्षुम्	६.११
प्रासार्थम्	८.३३९	चक्षुषा	८.२५	चक्षुषि:	८.१०५
प्राहात्	६.७८	चक्षुषि	७.६	चरैः	७.१२२
प्राह्यम्	८.७८	चण्डालः	१०.१२, १६, २६,	चर्म	२.१४९ [१७४]:
प्राह्यी	२.४६ [७१]	५१, १०८; ११.२४; १२.५५		४.२१८; ६.६; ८.२३४, २८९	
प्रीत्ये	६.२३	चण्डालात्	१०.३७, ३९	चर्मचरः	१०.३६
प्रीयायाम्	८.२८३	चण्डालान्त्यस्त्रियः	११.१७५	चर्मचर्मम्	१०.४९
ग्लानिम्	१.५३	चण्डालेन	१०.३८	चर्मणा	११.१०९
घटम्	८.३१९; ११.१८३.	चतुरः	३.२३, २४; ९.३०४;	चर्मणाम्	५.११९; ७.१३२
१८७		११.१२१, २१९		चर्मणयः	२.१३२ [१५७]
घण्टासाहः	१०.३३	चतुर्भुजम्	५.१३७; ८.१२०.	चर्मणि	२.१६ [४१]
घातकः	५.५१	चतुर्भुजम्	३.२० [११]	चर्मबिनबद्धम्	६.७६
घुष्टान्मम्	४.२०९	चतुर्भुजसम्	११.१०९	चर्मणाम्	६.३२
घृतकुम्भम्	११.१३४	चतुर्भाशाः	८.२१०	चर्मणितात्	९.१५
घृतपत्रम्	४.३७	चतुर्भुजम्	२.९ [३४]	चक्षुषः	१.६२
घृतप्राशः	११.१४३	चतुर्भुजी	४.११४	चाण्डालः	३.२३९; ५.१३१;
घृतप्राशयम्	५.१४४	चतुर्भुजीम्	३.२७६; ४.१२८	९.८७	
घृतबिन्दुः	७.३४	चतुर्भुजम्	८.१७६; ९.११८	चाण्डालैः	४.७९
घृतम्	२.८२ [१०७];	चतुष्कम्	७.५०; ८.१४२	चाण्डाला	८.३७३
३.२२६; ४.३९, १८८, १८९;		चतुष्टयम्	८.१३०	चातुर्भास्यानि	६.१०
५.१०३; ८.१०६; १०.८८;		चतुष्टयम्	४.३९, १३१	चातुर्भुजस्य	१०.१३१
११.९१, १४९, २५६;		चतुष्टयाः	९.२६४	चातुर्भुजम्	१०.३०, ६३
१२.६२		चतुष्टये	११.११८	चान्द्रातिकः	९.३०९
घृतस्य	८.३२८	चतुष्टयात्	१.८१	चान्द्रायणः	६.२०
घृतावतः	९.६०	चन्द्र०	७.४	चान्द्रायणम्	११.४१, १०६,
घोरः	४.८६	चन्द्रम्	९.३०९	११७, १५४, १६३, १७१,	
घोररूपम्	७.१२१	चन्द्रस्य	९.३०३; ११.२२०	१७७; २१६, २१७	
घोरान्	१२.५४	चन्द्रसालोचयम्	४.२३१	चायैः	७.१९२
घोरायाम्	२.८८ [११३]	चन्द्राक्षिण्यमानिलाः	८.८६	चारचक्षुः	९.२४६
घोरे	१.५०	चमसानाम्	५.११६; ६.४३	चारणदारेषु	९.३६२
घ्राणकर्षविद्	५.३५	चरणाः	१२.४४	चारान्	७.१९४
घ्राणेन	३.२४१	चरणैः	६.७५	चारेण	९.२९८
चक्रभङ्गे	८.२९१	चरम्	३.२०१	चरैः	९.२६१, २६६, ३०६
चक्रम्	४.८५	चराचरम्	१.५७, ६३;	चारिकभाण्डेषु	८.२८९
चक्रयत्	१२.१२४	३.७५; ५.४४		चायम्	११.१३१
चक्रवृद्धि	८.१५३	चराणाम्	५.२९	चिकित्सकस्य	४.२१२, २२०
चक्रवृद्धिम्	८.१५६	चराभि	७.१५	चिकित्सकः	९.२५९
चक्राह्वयम्	५.१२	चरिता	४.१७२	चिकित्सकानाम्	९.२९४
चक्रिणः	२.११३ [१३८]	चरिते	११.१८६	चिकित्सकान्	३.१५२
चक्रे	९.१२८	चरिण्यः	१.५६	चित्रम्	११.४७

विधिः	९.२४८	वीर्यम्	९.२७६	जटिलम्	३.१४१
विद्याम्	४.४६	वीर्यमीदृजीनिबन्धनैः	२.२	जटी	११.९२, १२८
विरम्	१.४४; ४.६०, ९३	[२७]		जडः	८.३९४
विररात्राय	३.२६६	व्युताः	४.१३२	जडमुक्तव्यविधिरा	७.१४९;
विरस्थितम्	४.२४	व्युती	८.४१८	११.४२	
विह्वलता	१०.४४	छत्रमता	४.१९९; ९.७२	जडवत्	२.८४ [११०]
वीनाः	१०.४४	छत्रस्ताम्	९.९६, ९७	जवः	८.३३६
वीरम्	६.६	छत्रस्तुतम्	४.१००	जवने	४.६१
वीरवासा	११.१०१, १०४	छत्रांसि	३.१८८; ४.९४, ९८	जनन्याम्	९.१९२
वृत्तली	३.६८	छत्रेन	८.१७६	जनम्	७.२२२, २२४
वृत्ताकर्म	२.१० [३४]	छत्रोपम्	३.१४४	जनकावम्	२.१४४ [१७९]
वेतसा	९.२१; १२.२३	छत्रम्	९.९८, १००	जनस्य	४.१०८
वेतवर्धनिषायायाम्	११.१६६	छत्रधारणम्	२.१४३ [१७८]	जनाः	१.७३, १०१; ४.२२;
वेष्टया	८.२६	छत्रम्	७.९६	११.२४१	
वेष्टयम्	७.६३	छत्राकम्	४.१९	जने	६.४६
वेष्टाः	७.१९४	छत्रोपानहमासनम्	२.२२१	जन्तुः	४.२४०; १०.९
वेष्टायाम्	७.६७	[२४६]		जन्तुम्	१०.३०
वेष्टायि	१.६४	छत्रेन	८.४९	जन्तुकीम्	६.६८; १२.६९
वेष्टायु	१.६६	छत्रमासेन	३.२६९	जन्तुः	६.६९
वेष्टितम्	२.१७४ [१९९];	छत्रिमकः	४.१९४	जन्तोः	१२.९९
७.२२३; ८.८०		छया	४.१८४; ४.१३३	जन्म ४.७७; १२.७८, ९३,	
वेष्टितेन	८.२४	छयायाम्	४.१३०	१२४	
वेष्टितैः	७.६७	छयायाम्	४.४१	जन्मज्येष्ठेन	९.१२६
वैत्यवृक्षः	१०.४०	छिन्नम्	७.१०४; ८.२३९	जन्मतः	२.१३० [१४४];
वैत्यवृक्षः	९.२६४	छिन्नानुसारी	७.१०२	९.१२४, १२६; १०.४२	
वैत्रम्	७.१८२	छुल्लुन्वरी	१२.६४	जन्मनः	२.१२४ [१४०];
वैतनिर्बोजकस्य	४.२१६	छुरिषयाः	८.३२४	१०.६८	
वैतवत्	४.११९	छेदम्	८.२७०, ३६८, ३७०	जन्मसाम्नोरवेदेन	४.६०
वैलाशकः	१२.७२	छेदने	८.२९२	जन्मनि	१.४२; ४.३८, ७१;
वोदितानु	९.२७२	छेदवर्जम्	८.२७७	१०.१३	
वोरीयाकः	१२.६३	जन्मजम्	१.४१; ४.२८	जन्मप्रभृति	८.९०
वीरः	८.३००, ३४२	जन्तु	१.४२; ३.२०१;	जन्मसु	९.१००; १२.२३
वीरकिस्त्रिचम्	८.१९८	७.२२, १०३; ८.४१८		जपः	३.७४; १०.१११
वीरवन्देन	८.२९	जपतः	१.१००; ८.११६;	जपजप्यायाम्	७.११७
वीरम्	९.२७०, २७८	९.२४४		जपताम्	४.१४६
वीरवत्	८.१९१, २९६	जपतीनतम्	१.१००	जपम्	२.४३ [७८], ७६
वीरप्यात्राविधिः	११.११२	जपय्यः	८.२७०, ३६६;	[१०१], ७७ [१०२], ११४	
वीरस्य	८.४०	१२.३०		[२२०], ११७ [२२२]	
वीराणाम्	९.२७१	जपन्यम्	८.३६४	जपवज्रः	२.६० [८४]
वीरानु	८.३४; ९.२७२	जपय्या	१२.४२, ४४	जपवज्रस्य	२.६१ [८६]
वीरिक०	१.८२	जटाः	६.६	जपिः	११.३४
वीरैः	४.११८; ८.४०,	जटिलः	२.१९४ [२१९]	जप्यायाम्	२.११७ [२२२];
१८९, २३३				११.१४२	

अप्येन	२.६२ [८७];	४.१४८, १४९;	८.२७३;	जीविकम्	१०.७६, १०४
५.१०७; ११.१९३		९.३३५; १०.६४		जीविकाम्	१०.८२
अयः	१०.११५	आतिहीनाः	१०.३५	कुम्भवाणाम्	४.४३
अयप्रेस्तुः	७.१९७	आतिहीनान्	४.१४१	मेहम्यम्	११.६७
अयम्	७.१८३	आतु	९.४१	आतयः	३.५४, ११०
अये	७.४४	आतिपु	९.१४९	आतस्य	५.२१
अरया	६.६२	आती	३.१७५; ९.१९१	माता	९.१७३
अरा	६.७७	आमयः	३.५७, ५८; ४.१८३	माति०	४.१७९, २३९;
अराम्	१२.८०	आमिषिः	४.१८०	११.१८२	
अरायजा	१.४३	आया	९.४५	मातिकर्याणि	११.१८७
अलसीरघुतानिसम्	११.२१४	आयात्वम्	९.८	मातिकुलबन्धुम्	२.१५९
अलम्	५.७८; ६.४६;	आयाम्	८.२७५; ९.७	मातिगृहवर्षिता	८.३७१
९.१६१; ११.२२३; १२.६२		आपायाः	९.८	मातित्वेन	११.१७२
अलमाप्सुत्य	५.७७	आरजातककमजी	९.१४३	मातिप्रथम्	३.२६४
अलवृक्षसमन्वितम्	७.७६	आत्मान्तरगते	८.१३२	मातिप्र्यः	३.३१, २६४
अलशये	४.१२९, ११.१८६	आस्पृशान्	५.१३	मातिम्	५.१०३
अले	४.४६; ११.१७३	आयोसया	११.२०६	मातिमरणम्	५.७७; ८.१०८
अलेन	८.१८९	आजीविष्यः	४.२७	मातिसम्बन्धिषिः	९.२३९
आइलम्	७.६९	आजितोद्यः	८.१७३	मातिसम्बन्धिषोषितः	२.१०७
आतः	९.२१६	आजिते	२.६७ [९२]	[१३२]	
आतकर्मः	२.४ [२९], २.२	आजितेन्निवः	२.४५ [७०], ७३	मानचक्षुषा	१.१२७ [२१८];
[२७]		[९८]; ४.१४५; ६.१, ३४;		४.२४	
आतवन्तस्य	५.७०	७.४४; ८.१७३; ११.३९, ७५		मानतः	२.१३० [१५५];
आतवसः	१२.१०१	आजितैः	४.१८१	८.२८८	
आतवाहनम्०	१०.१२२	आजिती	२.६७ [९२]	मानवः	२.८४ [१०९]
आतमात्रेण	९.१०६	आजिषा	२.६५ [९०];	माननिष्ठः	३.१३४
आतयः	१.४८; १०.४०, ४५	८.१२५		माननिष्ठेषु	३.१३५
आतस्य	९.२७, ४९; १०.६०	आजिषायाः	८.२७०	मानपूर्वम्	१२.८९
आत्या	१०.५; १०.१८	आनकर्मकवस्तावीन्	११.१३८	मानम्	१.८६; २.९२;
आतानाम्	९.१२५; १०.७;	आर्षः	४.४६; ९.२६५	५.१०५; ११.२३५; १२.२६,	
११.१४४		आर्षमलवत्	४.३४	३१, ८३	
आतान्	८.९९	आर्षाः	१०.१२५	मानमुत्तमम्	४.२४
आति०	९.२०१	आर्षानि	६.१५; १०.१२५	मानविमानवेदिना	९.४१
आतिआनयान्	८.४१	आर्षः	१२.२२, ५३	मानगिन्ना	११.२४६
आतितः	१०.११, २७	आर्षजीविकः	१२.६६	मानाज्ञानकृतम्	११.१४५
आतितान्	९.१२	आर्षतः	११.१०	मानात्	११.१७५, २३२
आतिधर्मान्	१.११८	आर्षमहेतवः	१०.११६	आनिमः	१२.१०३
आतिवंशकरम्	११.६७,	आर्षनाय	११.७६	आनिष्यः	१२.१०३
१२४		आर्षन्	५.४५; १०.८३	मानेन	२.७१ [९६], १२६
आतिमात्रोपजीवी	८.२०;	आर्षन्तम्	७.१३७	[१५१]; ३.७८; ४.२४;	
१२.११४		आर्षन्तीनाम्	८.२९	५.१०९	
आतिम्	२.१२३ [१४८];	आर्षसंज्ञकः	१२.१३	मानोत्कृष्टाय	३.१३७
		आर्षस्य	१२.२३	ज्या	२.१७ [४]

ज्यायस्याम्	२.१०८ [१३३]	तडागाराम०	११.६१	तपोनिष्ठः	३.१३४
ज्यायसीम्	१०.९५	तडागेषु	४.२०३	तपोवीजप्रकाशः	१०.४२
ज्यायसे	९.११५	तप्ततः	७.१०, १६, १५४, १७८; ८.३२, १२६, २७७, २७८; ८.१८२; ९.२६२; १२.१, १०२	तपोविरोधः	२.१४० [१६५]
ज्यायांसम्	२.९७ [१२२]; ३.१३७	तप्तेन	७.६८	तप्तः	८.३७२; ११.१२५
ज्यायाम्	४.८; ८.१६७	तत्परः	४.१९६	तप्तकृच्छ्रम्	११.१५६, २१४
ज्येष्ठः	३.७८; ४.१८४; ९.४८, १०५, १०८, १०९, ११०, ११३, ११७, १२४, २०४, २११, २१३, २१४	तप्येन	८.२७४	तप्तम्	८.२७२
ज्येष्ठकनिष्ठभ्याम्	९.११३	तद्यात्वे	७.१७८	तप्ते	८.३७२; ११.१०३
ज्येष्ठता	९.१२६, १३४, ११.१८५	तद्व्रतः	३.४५	तप्तः	१.५, ५५; ४.८१, २४२; ९.१६१; १२.२४, २६, २९, ९५
ज्येष्ठचार्यायाम्	९.१२०	तद्विवः	९.६१	तप्तम्	१.९२
ज्येष्ठवृत्तिः	९.११०	तनयम्	८.२७५	तप्ततः	१२.३८
ज्येष्ठवृत्ताः	९.१२३	तनयाम्	११.१७१	तप्तम्	१.४९
ज्येष्ठसामगाः	३.१८५	तनुः	२.३ [२८], ७५ [१००]; ४.१८४, १८९	तप्तसि	८.९४
ज्येष्ठस्य	९.५७, ११२, ११९	तनुम्	६.३२	तप्तोनुषः	१.६
ज्येष्ठशम्	११.१८५	तनुलोभकेशबशनाम्	३.१०	तप्तोभूताः	१२.११५
ज्येष्ठयाम्	९.१२२, १२४	तन्मुखायः	८.३९७	तप्तः	१.९२; ८.४०६
ज्येष्ठे	८.२४५; ९.१०८	तन्मूलान्	४.९२	तप्तसम्बन्धीयम्	११.२५३
ज्येष्ठेन	९.१०६	तपः	१.२५, ३३, ३४, ४१, ८६, ९४; २.५८ [८३], १४१ [१६६], १४१ [१६६], १३९ [१६४], १४२ [१६७], २०३ [२२८], २०४ [२२९]; ३.१३४; ४.२३७; ५.१०५; ६.२३, २४, ३०, ७०; ११.४७, २३३, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०; १२.३१, ८३, १०४	तप्तम्	३.७०
ज्येष्ठी	११.१८५	तपनम्	४.८९	तप्तव०	३.३
ज्येष्ठयम्	२.१३० [१५५]; ९.८५, १२५, २१०	तपसः	१.११०; ६.७५, ११.२४४	तप्तवजः	९.१६७, १७०
ज्येष्ठ्यात्	१.९३	तपसा	४.१४८, २३६, २४३, ५.१०७; १०.१११; ११.१००, १०१, ११३, २२७, २३६, २३७, २३८, २३९, २४१, २४२, २४३; १२.१०४	तप्तिः	१०.४८
ज्योतिः	१.७७	तप्येन	४.१६२	तप्ते	२.३४ [५९];
ज्योतिर्गाम्	४.१४२	तपांसि	२.७२ [१७];	तपोबुद्धयर्थम्	२.१५० [१७५]
ज्योतिषः	१.७८	तपोधनाः	११.२४१	तत्कारः	८.६७
ज्योतिषाम्	४.१०५			तत्कारप्रतिषेधार्थम्	९.२६६
ज्योतीषि	१.३८; १२.४९			तत्कारम्	४.१३३
ज्योतिषाभ्युत्थम्	१०.१०३			तत्काराः	९.२७६
ज्युतः	१०.२२			तत्कारात्	८.३४५
ज्युतः	१२.४५			तत्कारान्	९.२४४, २४६
टिड्ढिम्	५.११			तादृशः	८.२९९
डिप्भाहबहतानाम्	५.९४			तान्तर्यम्	१०.८७; १२.६४
तडागम्	५.११५			तान्तर्यम्	९.२२९
तड्योः	४.२१०; १०.१०७			तापस्थम्	१.११४
तड्यस्य	८.३२६			तापस्तः	१२.४८
तडागशेवकम्	९.२७९			तापसेषु	६.२७
तडागम्	८.२६४			तापसैः	६.५१
तडागस्य	९.२८१			तापान्	१२.७६
तडागानि	७.१९६; ८.२४८			तापतः	१.६२
				तापसम्	१२.३३, ३५

तामसः	१२.४०	तुरंगाः	१२.४३	तेजस्वी	९.३१०, ३१८
तामसि	१२.४२, ४३	तुरायणम्	६.१०	तेजोमयाः	६.३९
तामसीषु	१२.४४	तुरीयः	११.१२६	तेजोमूर्तिः	३.९३
तामिषम्	४.८८	तुरीयभाक्	४.२०२	तेज्यम्	४.१६३
तामिषे	४.१६५	तुरीयम्	९.११२	तेजसाम्	५.११
ताम्रः	५.११४	तुलामामम्	८.४०३	तेर्यग्योनाः	७.१४९, १५०
ताम्ररूप्यसुवर्णानाम्	८.१३१	तुलायोगाम्	९.३३०	तेलपकः	१२.६३
ताम्रस्थ	११.१६७	तुल्यः	४.८६; ८.३६४	तेलविन्दुः	७.३३
ताम्रिकः	८.१३६	तुल्यस्तु	१०.५	तेलम्	८.२७२; १०.८८
ताम्रिकः	१२.७५	तुलाम्	४.७८; ८.२५०	१२.६३	
ताम्रिकम्	८.४०७	तुष्टः	३.२३३	तेलस्थ	८.३२८
तार्यम्	८.४०५	तुष्टप्रकृतिम्	७.२०९	तैलिकः	३.१३८
तावान्	८.१९४	तुष्टिकरम्	११.२३३	तैलेन	४.८३
तावक्यम्	९.२२२	तुष्टिम्	८.२८८	तोयम्	९.३०५
तित्तिरी	११.१३४	तुष्टेष्	२.२०३ [२२८]	तोये	८.४०९
तिथयः	३.२७६	तुर्वयोधैः	७.२२५	तोयैः	५.१०८
तिथी	२.५ [३०]	तुष्ठीम्	८.१४७	तोयीषिकम्	७.४७
तिररन्ध्रम्	१२.५७	तुषम्	११.२५४	त्यक्ताग्निः	३.१५३
तिरोहितम्	८.२०३	तुषेन	८.१०६	त्यागः	२.७२ [९७]
तिर्यक्	८.२९१; १२.६८	तुष	१.४८; १२.५८	त्यागम्	८.३८९; १०.११३
तिर्यक्काः	१०.७२	तुषकाष्ठमुमानाम्	११.१६६	त्यागिनाम्	३.२४५; ५.८९
तिर्यक्त्वम्	१२.४०	तुषकाष्ठम्	५.१२२	त्यागेन	१०.२४, १११
तिर्यक्योनी	४.२००	तुषक्येयी	४.७१	त्रपुणः	५.११४
तिर्यक्यः	४.४०	तुषम्	४.७०; ६.१४;	त्रपानाम्	२.२०४ [२२९]
तिलः	३.२२३; ४.२३३	तुषस्व	८.३३९	त्रयी	११.२६५
तिलशोचम्	११.१३४	तुषस्व	८.३२६	त्रयीनिष्कर्षम्	४.१२५
तिलप्रवः	४.२२९	तुषाग्निः	३.१६८	त्रयीविद्याम्	७.४३
तिलसम्बद्धम्	४.७५	तुषाग्नि	३.१०१	त्रयीवती	३.२७३
तिलाः	३.२५५; ४.१८९;	तुषेन	४.१६६, १६९;	त्रयीवतीम्	३.२७४
९.३९; १०.९४		११.२०५		त्रसरेणयः	८.१३३
तिलान्	३.२१०; ४.१८८;	तुतीयांशाः	८.२१०	त्रसरेणुम्	८.१३२
१०.९०		तुतीयिनः	८.२१०	त्रिकम्	२.५४ [७९]; ७.५१;
तिलैः	३.२३४, २६७	तुप्तान्	३.२५१	८.१४२	
१०.८६, ९१		तुप्तिः	३.१४६, २७१	त्रिगुणः	८.२३७
तित्तिरिः	१२.६४	तुप्तिम्	४.२२९	त्रिगुणम्	५.१३७; ८.१२१
तीक्ष्णः	७.१४०	तेजः	४.४१, ४२, १८६,	त्रिषाधिकेतः	३.१८५
तीक्ष्णम्	८.३१५	१८९, २१८; ७.२८; ९.३०३,		त्रिदण्डम्	११.१२
तीक्ष्णे	९.२७६	३२१; ११.१२१; १२.१२०		त्रिदण्डवत्	९.२९६
तीक्ष्णम्	२.३४ [५९]; ३.१३०	तेजयैः	७.९०	त्रिदण्डी	१२.१०
तीर्थे	८.३५६; ११.११६	तेजसः	१.३६, ६३	त्रिदण्डम्	९.२५३
तीर्थेन	२.३३ [५८], ३६	तेजस्त	७.५	त्रिदण्डीकस्तः	१.९५
[६१]		तेजसाम्	११.२४६	त्रिपदा	२.५६ [८१]
तीरितम्	९.२३३	तेजस्वयः	४.४४	त्रिपदान्	८.५८, १०७

विधिः	२.१८ [४३], ५०	अवरीः	८.६०	३०१, ३३०, ३३१, ३७५,	
[७५]		अव्यवर्धः	९.९४	३७९, ३८८; ११.१५१;	
विषयम्	८.१३४	अहम्	४.२२२; ५.५९, ६३;	१२.१०, १००	
विराजम्	४.११९; ५.७६,	६९, ७३; ११.१२५, १४८,		वर्ज्यम्	७.४८
८०, ८१; ११.१३२, १६६		१६८		वर्जयितः	७.२१
विराज्वात्	५.६७, ७१, ८८,	अह्नात्	५.६४, ७२	वर्जयितः	८.४१५
१०१		त्वक्	२.६५ [९०]; ४.२२१	वर्जयितः	९.२५५
विराजः	५.६४	त्वक्मेवकः	८.२८४	वर्जनीतिम्	७.४३
विश्वः	२.१९९ [२२४]	त्वक्सारव्यवहारान्	१०.३७	वर्ज्यकल्पम्	८.२७८
विश्वर्षण	७.२७	त्वचम्	४.१८९	वर्ज्यम्	२.२३ [४८], ३९
विश्वारम्	११.८०	त्वचा	२.५४ [७९];	[६४]; ४.१६४; ७.१४, १८;	
विश्वार्थिकम्	११.७	११.२२८		७.२०; ८.३२, १२६, १२९,	
विशिष्टम्	१२.५; ७.१२,	त्वक्-व्यवहारम्	११.२०४	१९४, २०५, २२४, २२५,	
१८५, २०६		वृत्ताः	१२.६२	२३८, २६७, २७४, २८०,	
विशिष्टस्य	१२.४	वृत्तान्	१.४०; ४५	२८६, २८७, २९२, २९३,	
विशिष्टा	११.९४	वृष्टिः	१०.८९	३०७, ३१५, ३१९, ३२२,	
विश्रुता	२.१८ [४३]	वृष्टिभाम्	५.२९; १२.५८	३२४, ३४१, ३४९, ३६१,	
विश्रुति	११.२६३	वृत्तः	७.६४; ९.१२८	३६७, ३८२, ३८३, ३८४,	
विश्रुत्	२.१९ [४४];	वृत्तम्	७.६३	३९२; ९.२२९; २३६, २४४,	
११.७४, २६४		वृत्तया	५.१५०	२९३; ११.२१	
विश्रुत्वेदः	११.२६५	वृत्तस्य	६.१०	वृत्तलेशम्	८.५१
विश्रुत्तमा	२.१७ [४२]	वृत्तान्	७.६१, ६२	वृत्तम्यहेन	७.१८७
विश्वेदः	२.९३ [११८]	वृत्तिः	२.४७ [७२], २०६	वृत्तवाचिके	८.६
विश्वसुवर्धः	९.९४	[२३१]		वृत्तविकल्पः	९.२२८
विषयम्	६.२४; ११.१२३,	वृत्तिमतः	३.९१; ८.२, ३०३	वृत्तविधिः	८.२७८
२१६		वृत्तिजम्	४.५८	वृत्तविधिम्	८.२२१
विश्व	२.२०३ [२२८]	वृत्तिजा	३.१४१	वृत्तविधौ	८.३०१
विश्वपर्वः	३.१८५	वृत्तिजानाम्	८.३४९	वृत्तविशेषान्	८.११९
विहायम्	११.१३४	वृत्तिजाप्रवचम्	३.२०६	वृत्तशुल्कवशेषम्	८.१५९
वेता	१.८३; ९.३०२	वृत्तिजाभिमुखः	४.५०	वृत्तस्थ	७.२२, २४, ५१;
वेतायाम्	१.८५, ८६	वृत्तिजामुखः	२.२७ [५२];	८.१२४, २७७; ९.२४५	
वेतायुगम्	९.३०१	३.२१५, २३८		वृत्तात्	९.२६३
वेतोलयम्	११.२३६	वृत्तिजाम्	३.१४३, २५८;	वृत्तान्	२.२० [४५];
वेविष्टः	१२.१११	६.३८; ११.४, ३८		८.१२२	
वेविष्टशृङ्गान्	७.३७	वृत्तिजायनम्	१.६७	वृत्ती	६.५२
वेविष्टाः	९.१८८	वृत्तिजासु	८.२०७	वृत्ते	७.६५
वेविष्टेन	२.३ [२८]	वृत्तिषे	२.३८ [६३]	वृत्तेन	७.२३, २७, १०१,
वेविष्टेभ्यः	७.४३	वृत्तिषेन	२.४७ [७२]; ५.९२	१०३, १०८; ८.३४५;	
वेविकम्	१.३	वृत्तिषेः	८.३०६	९.२७३	
व्यवृत्तम्	२.१०९ [१३४]	वृत्तः	२.१४९ [१७४]; २.१०	वृत्तेः	८.३५२; ९.२७५
व्यवृत्तम्	८.३०	[४६]; ७.१७, १८, २५, २८,		वृत्ती	८.१२०
व्यवृत्तात्	८.३०	३१, ६५; ८.२४३, २७६,		वृत्तः	९.१५९
व्यवृत्तान्	३.१८७	२९०, २९५, २९७, २९८,		वृत्तशुल्कयाम्	९.९७

हृत्विषः	९.१४१, १४२;	वशापुत्रम्	८.१२१	वात्सहम्	५.१२
१६८		वशाप्रामपतिम्	७.११५	वाचा	३.२३६
हृथिः	२.८२ [१०७];	वशाचक्रसमः	४.८५	वागधर्मम्	४.२२७
३.२२६; ४.२५०; ५.१०;		वशाध्वजसमः	४.८५	वागप्रतिबुधि	८.१६०
१०.८८; ११.२१२; १२.६३		वशाचलम्	८.३९७	वागम्	१.८६, ८८, ८९, ९०;
हृथिसम्भवम्	५.१०	वशाबन्धम्	८.१०७	२.१३३ [१५८]; ३.२७;	
हृथ्यः	८.३२६	वशाभासान्	३.२७०	४.२३४, २३७; ७.८५, २०४;	
हृन्तः	५.१४१; ६.१७	वशाभीरुत्वम्	२.११३ [१३८]	१०.७५, ७९; ११.२, ६०	
हृन्तजाते	५.५८	वशाम्बाही	३.२७६	वानस्य	३.१७८; ७.८६
हृन्तवाचनम्	४.१४२	वशाम्बाही	२.५ [३०]	वाक्कात्	१०.९१
हृन्तैः	४.६९	वशात्रयः	३.४७	वानानाम्	४.२३३
हृन्तः	६.९२; ८.२६४, २६८,	वशात्रयस्य	५.७५	वायेन	५.१०७; ११.१३९,
२८५, २९७, ३२९, ३३१,		वशात्रयेण	५.६५	२२७	
३६९, ३७३, ३८३, ३८४;		वशावर्षम्	२.११० [१३५]	वान्तः	४.३५, २४६; ६.८
९.२८४		वशावैशालम्	४.८५	वान्तम्	७.१४१
हृन्तः	३.१६२	वशासूक्ष्मसम्	४.८५	वान्ताः	९.१८८
हृन्तवानाम्	४.२४६	वशासूक्ष्मसहस्रिणि	४.८६	वाप्याः	८.२१३
हृन्तम्	८.५९, १०८, १११,	वशा	३.४४	वाप्यानि	८.४०५
११२, ११८, २५७, २७३,		वशाङ्गुलिः	८.२७१	वाप्यी	८.५९, १११
२९३, ३६८, ३९७; ९.२३०,		वशाङ्गुल्यम्	२.१०९ [१३४]	वायेन	७.११८
२८७		वशावरा	१२.११०, १११	वाग्मिकः	३.१५९
हृन्पती	३.१६	वशाहम्	५.५९	वाग्मिकस्य	४.२११
हृन्तम्	४.१६३	वशाहे	५.७९	वाग्मिकः	१२.४४
हृन्तः	१०.४४	वशाहेन	५.८३, १०२	वायः	८.१८०, ११५, ११९;
हृन्तानाम्	९.२३०	वशी	७.११९	९.७९; १०.११५	
हृन्तः	१२.६४	वशोभाः	७.११६	वायवागम्	९.१०३
हृन्तम्	८.२१३, २१५, २७३,	वश्यवः	१०.४५	वायम्	९.७७, १६४, २०३,
२८२		वस्युः	८.६६; १०.३२	२१७	
हृन्तिता	८.३७१	वस्युनिष्क्रिययोः	११.१८	वायात्	९.१५१
हृन्तः	८.२७१, ३६७	वस्युभिः	५.१३१; ७.१४३	वायावाः	९.१५८, १५९,
हृन्तप्रतिबन्ध	३.२७९	वाप्यम्	१०.१२४	२००	
हृन्तः	३.२५५, २५६	वाङ्मियम्	८.२८३	वायावान्	८.१६०
हृन्तम्	३.२१६, २४५	वाता	३.१४२, १७६;	वाक्कर्मणि	३.५. १२
हृन्तः	८.२८४	५.१५३; ६.८; ८.३०३;		वाङ्क्रियाम्	५.१६८
हृन्तप्रतिभाष्ये	८.१६०	११.९, ४३		वाक्परिब्रह्मम्	९.३२६
हृन्तसम्पन्नः	६.७४	वातारः	३.२५९	वाक्कर्मणम्	८.२२७
हृन्ति	५.८६, ८.२५३	वातारम्	७.२१०	वाक्कर्मणम्	५.११५
हृन्तिन	६.७४	वातुः	३.१६९, १७७, १७८,	वाक्कर्मणम्	१.११२; ३.१७१
हृन्तिः	९.२६८	११.१, २४२; ४.१९३		वाक्कर्मणम्	८.३५९, ४०९
हृन्तम्	६.९	वातु	४.१९४	वाक्कर्मणम्	९.२८
हृन्तः	३.२८२	वातुभिः	३.९७, १२८	वाक्कर्मणम्	७.२१३; ११.५
हृन्तानाम्	३.६	वातुपाजकः	३.१७२	वाक्कर्मणम्	११.६१
हृन्तानाम्	८.२४३	वातुम्	३.१४२	वाक्कर्मणम्	८.३३९

शालुषम्	१२.७८	विद्यास्थानः	७.४७	दुर्गम्	४.७७; ७.२९, ७.४३;
शालुषया	८.२७०	विधि	२.२०७ [२३२];	११.२३८	
शालुषान्	१२.७६	४.५९, १.४२		दुर्गसमाधितम्	७.७३
शालुषत्रम्	६.५४	विबीकतः	११.२४२	दुर्गाणि	११.४३
शालुषत्	४.१८८	विशः	१.१३; ८.५७;	दुर्गात्	३.९८
शारे	१०.२९	१२.१२१		दुर्गाभिज्ञानम्	७.७३
शारैः	७.२१३; ९.२०३	विशम्	७.१८९; ११.१०४	दुर्गनसंसर्गः	९.१३
शशा	८.४०९	विशम्	३.२४८; ४.११५	दुर्गैः	१२.७९
शशानाम्	८.४०८	शैला	६.२९	दुर्गयम्	१२.८०
शरीः	८.४०८	शैलितः	२.१०३ [१२८]	दुर्गयाम्	६.७६
शसः	८.२९९, ३.४२, ४.१६	शैलितस्य	४.१३०, २.१०	दुर्गैः	७.२८
शसजीवनम्	१०.३२	शैलिताः	८.३६०	दुर्गलम्	३.१४१
शसशस्याम्	९.१७९	शैनाः	९.२३८	दुर्गलः	९.६
शसनापिली	४.२४३	शैयवः	४.२२९	दुर्गलान्	७.२०
शसम्	१०.३४	शैर्वकलम्	८.१४५	दुर्गलेन्द्रियैः	३.७९
शसयोग्यः	९.४१५	शैर्वजीविनः	९.२४६	दुर्गिङ्ग	८.२२
शसवर्गः	४.१८५	शैर्वम्	४.२७, ७६, ७८, ९४,	दुर्गतेः	११.३०
शसवर्गस्य	३.२४६	२३०		दुर्गीनिः	१०.५९
शसवर्गेषु	४.१८०	शैर्ववर्णितम्	२.८ [३३]	दुर्गवः	७.२१
शसेन	८.७०	शैर्वसंध्यत्वात्	४.९४	दुर्गवान्	४.१३७
शसी	९.४५; ११.१८३	शैर्वस्य	८.२१६	दुर्गवाहेषु	३.४१
शसीषु	९.४८	शैर्वध्वनि	८.५०६	दुर्गचारितम्	११.२६३
शस्यम्	८.४१०, ४.१२,	शैर्वान्	७.१९३	दुर्गचारितैः	११.४८
४१३		शुःखं	१.२६, ४९; १२.२८,	दुर्गवन्	९.२३२
शस्यात्	८.४१४	७७		दुर्ग्वारम्	२.५९ [८४];
शस्याम्	९.१७९	शुःखजीविनि	११.९	७.४५; ११.२३८	
शस्याय	८.४१३	शुःखभागी	४.१५७	दुष्कृतात्	२.२१३ [२३८]
विष्टैः	७.९०	शुःखमूलम्	४.१२	दुष्कृतकर्मणः	४.२४८
विष्वासाः	११.२०१	शुःखम्	४.१६०, १६७;	दुष्कृतम्	३.१९१; ४.२४०;
विधिचूपतिः	३.१७३	८.२८६; १२.१३		६.७९; ७.९४; ११.२२९	
चिनम्	२.१९५; ६.२२;	शुःखयोगम्	६.६४	दुष्कृतांशेन	४.२०१
११.१४४		शुःखानि	१२.७४	दुष्कृतिनाम्	१२.१६
चिनक्षेपु	३.२७७	शुःखाय	८.२८६	दुष्कृतीम्	३.२३०
चिबम्	१.१३; ४.१४९;	शुःखिता	९.२८८	दुष्टचेतसः	३.२२५
११.२४०		दुरतिक्रमम्	११.२३८	दुष्टथाक्	८.३८६
चिवा	४.५०, १०२, १०६;	दुरन्तानि	७.४५	दुष्टसाधनतः	९.३१०
६.१९, ८.२३०; १०.५५;		दुराचारः	४.१५७	दुष्टस्य	८.३७३
११.११०, १७४		दुरात्मनः	९.७३; ११.४८	दुष्ट्योः	७.२४
विवाकीर्तम्	४.८५	दुरात्मनाम्	८.१७४	दुस्तरम्	४.२४२; ११.२३८
विवाकृतम्	२.७७ [१०२]	दुरापम्	११.२३८	दुहितरः	९.१९३
विवाचरेभ्यः	३.९०	दुरुपसर्पिणम्	७.९	दुहितरम्	९.९८
विवाचिराम्	७.४४; ९.२	दुर्गः	७.१५७	दुहिता	४.१८५; ९.१३०
विवाचप्रम्	४.८०	दुर्गिण्यम्	६.७६	दुहितृविक्रयम्	९.९८, १००

बुहित्रा	२.१९० [२.५];	वैषत्वम्	१२.४०	वैशाखलम्प्यवस्थितः	८.१५६
४.१८०		वैषवताम्	९.९५	वैशाखलार्थवर्तिनः	८.१५७
वृतः	३.१६३; ७.६४, ६६	वैषवानमग्नार्थाः	७.२३	वैशाखली	३.१२६; ७.१०,
वृतम्	७.६३	वैषवैवत्यः	४.१२४	१६; ८.१२६, १५६	
वृतसम्प्रेषणम्	७.१५३	वैषवैवत्ये	२.१६४ [१=९]	वैशाखलजातीनाम्	८.४६
वृते	७.६५	वैषनद्योः	१.१३६ [२।१७]	वैशाकुष्टिः	८.३
वृरतः	४.७३	वैषनमाह्वयो	९.२२२	वैशाद्यर्मान्	१.११८
वृरतरे	११.१२८	वैषनिष्कयान्	१.३६	वैशाम्	१.१३६ [२।१७];
वृरत्थः	२.१७७ [२०२]	वैषपशान्	८.२४२	३.२०६; ७.६९; ८.३२, ४५,	
वृरत्थस्य	२.१७२ [१९७]	वैषपूर्वकम्	३.२०९	२७३	
वृरात्	२.१६१ [१=६];	वैषशास्त्रमन्त्रिण्ये	८.८७	वैशानाम्	९.३३१
३.१३०; ४.१५१		वैषमानवाः	३.२०१	वैशान्	१.१४३ [२।२४];
वृरे	८.४२	वैषयाम्	४.२१	९.२५१, २६६	
वृरेण	८.२०३	वैषरः	९.६९	वैशान्तरत्थे	५.७८
वृषणम्	२.१८८ [२।३];	वैषरात्	९.५९, १४७	वैशो	१.१३७ [२।१८];
११.६१		वैषराय	९.९७	२.१९७ [२२२]; ८.११, ४५,	
वृषणे	९.२८६	वैषरैः	३.५५	२३३, ३५८	
वृषिकम्	५.१३५	वैषरिभिः	२.१५१ [१७६]	वैषयम्	८.५२
वृषितः	६.६६	वैषरिषिपितृसेवितान्	११.२१०	वैहः	५.१५७; ८.१२५;
वृषितम्	५.१२५	वैषलकम्	३.१५२	१२.३	
वृषिताः	८.६४	वैषलके	३.१८०	वैहर्षः	१.१०४
वृषनारी	४.२४६	वैषलोकस्य	४.१८२	वैहतः	९.१३३
वृषन्नतः	११.८१	वैषयम्	२.२०७ [२३२];	वैहत्यायः	१०.६२
वृतेः	२.७४ [९९]	५.१५४		वैहम्	१.३२; २.२२३
वृषवृषती	१.१३६ [२.१७]	वैषस्वम्	११.२०, २६	[२४८]; ६.२४, ४७, ७८	
वृष्टदोषाः	८.६४	वैषाः	२.१२७ [१५२]; १३१	वैहस्यता	५.१६६; ९.२९
वृष्टयोः	१२.१२०	[१५६]; ३.८०; ४.२२४;		वैहात्	५.१३२; ६.४०, ६३
वृष्टभूतात्	८.७५	५.१२७; ८.१६, ८५, ९६;		वैहिनः	१.३०; १२.४
वृष्टिनिपातेन	३.२४१	९.३१६; ११.२४४; १२.४९		वैहिनान्	५.४९, १०५;
वृष्टिपुलम्	६.४६	वैशानाम्	१.२२, ७१;	१२.१३, २८	
वैषः १.५२; ८.९२; १२.९४,		३.१९५; ४.२०६, २४७;		वैहे	४.१११; १२.२५
११७		९.९५; ११.८४, ९५; १२.९०		वैहेम्	६.६५
वैषवन्यात्	३.२०३	वैशान्	१.३६; २.१२७	वैष्यवानवः	३.१९६
वैषजातेयु	४.२०३	[१५२]; ३.८१; ५.३२, ५२;		वैष्याः	१२.४८
वैषताः	३.५६, ७२; ११७;	६.२४; ७.२९, २०१; ९.३१५		वैः	
४.२५१; ७.८; १२.११९		वैशान्यानि	५.७	वैषकर्मणि	३.७५
वैषतागारः	९.२८०	वैषापतने	४.४६	वैषतम्	४.३९
वैषतानाम्	४.१३०, १५२,	वैषेभ्यः	३.८५, ९०, २०१	वैषतम् १.३१७, ३१७, ३१९;	
१६३		वैषैः	८.११०; ११.२९	११.८४	
वैषताभ्यः	३.८४; ६.१२	वैशाः	१.१३८ [२।१९],	वैषतैः	८.१०५
वैषताऽभ्यर्चनम्	२.१५१	१.१३९ [२।२०], १४२		वैषतानि	४.१५३
[१७६]		[२।२३]		वैषतेन	८.१०६
वैषतायन्यानि	८.२४८	वैशाखलवित्	७.६४	वैषपित्रातिवैमानि	३.२८

देवम् २.३४ [५९]: ३.२८, २०३, २०४: ७.२०४	युतवृत्तिः ३.१६०	द्विजः १.३३: १०८, १३० [२१११]: २.२८ [५३]. ३८ [६३]. ५४ [७९]. ८३ [१०८]. ११४ [१४०]. १३९ [१६४]. १४२ [१६७]. १४३ [१६८]. १४६ [१८१]: ३.४, ८३, ९४, १४०, १८८, २१२; ४.१, १३, २६, २७, ४१, ९६, १००, ११०, ११४, ११७, १२७, १२८, १९०, १९६, २२३; ५.१९, ३३, ४२, ४३: ६.१, ३७, ८५, ९४: ८.३४१:
देवमानुषम् ११.२३४	द्विजाणाम् ५.११४	११.८, २८, ३२, ९०, १०१, १०२, १३९, १४४, १४७, १४९, १६९, १७४, १७८, १९८, २११, २१३, २४६: १२.९२, ९३, ११३, १२६
देवमानुषे ७.२०४	द्विजिह्वः १०.२२, ४४	द्विजकर्मणः २.७८ [१०३]
देवविधिः ५.३१	द्विजम् ७.१३६	द्विजधर्मिणः १०.४१
देवात् ७.१६६	द्व्यशुद्धिम् ५.१२६	द्विजन्मनः ३.२८२: ५.९२:
देवाद्यन्तम् ३.२०४	द्व्यहस्तः ५.१४३	११.१२०
देविकम् १.७९	द्व्यध्यायम् १.११३: ४.१८७:	द्विजन्मना २.१४० [१६५]
देविकानाम् १.७२	५.११०: ९.२८६, ३३२:	द्विजन्मनाम् १.२ [२६]: ८.४१०: ९.१४६: १०.१४, ९९
देविके १.६४, ८.४०९	११.१६४	द्विजम् ३.१३८: ५.१०१: ११.८९
देवी ११.२३७	द्व्यधि ८.२८८, ३३३	द्विजलिङ्गितः ९.२२४
देवीम् ८.१०३	द्व्ये ११.८	द्विजस्य २.१४४ [१६९]
देवे १.६७: ३.७४, १२४, १२९, १४९, १६९, २४०, २४४: ७.१९७	द्व्येषु १२.४	द्विजाः ३.१३४: ८.६८: ९.८५: ११.११७, १९२
देवोद्वाजः ३.३८	द्व्ये ८.४१७: १२.७९	द्विजात्रेभ्यः ११.३
देहिकानाम् ५.१३४	द्व्येणः ११.४	द्विजाश्रया ३.२४४
देवः १.११७: ५.४६: ६.६१: १०.१०३: ८.३४१: ११.१६१	द्व्येणः ५.१४३: ८.३१, ३४, १४८, २२२: ९.२०९:	द्विजाश्रयाभिः ३.७४
देवगुणवित् ८.३३८	११.१२	द्विजाश्रयम् ३.३४
देवम् २.६८ [९३]: ७.१७६: ८.२२४, ३४४: १२.६९, १०१	द्व्यशुद्धी ९.३३३	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देववतीम् ८.२२४: ९.७३	द्व्यशुद्धिः ५.१४६	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देवाः ६.७१: ११.२३९	द्व्यशुद्धिम् ५.४७	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देवान् ६.७२, ९४: ८.१०१, २०४: ९.२६२: १२.१८	द्व्यशुद्धिम् ९.२७२	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देवेन ५.३: ९.२४२	द्व्यशुद्धिम् ९.२४४	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देवेः ८.७७, ३४४	द्व्यशुद्धिम् ७.१३१	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देवी ९.२२१	द्व्यशुद्धिम् ११.६४	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देवार्थम् ८.१७१	द्व्यशुद्धिम् १२.१०१	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देवार्थम् ११.४९	द्व्यशुद्धिम् ७.४८	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देहिजः ३.२३४: ९.१३१, १०.१३९	द्व्यशुद्धिम् ९.१७	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देहिजम् ३.१४८, २३४	द्व्यशुद्धिम् ६.८१	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देहिजयोः ९.१३३	द्व्यशुद्धिम् १.२६	द्विजाश्रयम् ३.१८३
देहिजोः ४.२४	द्व्यशुद्धिम् २.४ [३०]	द्विजाश्रयम् ३.१८३
युतधर्मम् ९.२२०	द्व्यशुद्धिम् ११.२१४	द्विजाश्रयम् ३.१८३
युतधर्मप्रसक्ताः १२.४४	द्व्यशुद्धिम् ५.८३	द्विजाश्रयम् ३.१८३
युतम् १.११४: २.१४४ [१७९]: ८.७: ९.२२१, २२३, २२७	द्व्यशुद्धिम् २.११ [३६]	द्विजाश्रयम् ३.१८३
	द्व्यशुद्धिम् ९.३०१, ३०२	द्विजाश्रयम् ३.१८३
	द्व्यशुद्धिम् १.८४, ८६	द्विजाश्रयम् ३.१८३
	द्व्यशुद्धिम् ९.२८९	द्विजाश्रयम् ३.१८३
	द्व्यशुद्धिम् ३.८८	द्विजाश्रयम् ३.१८३
	द्व्यशुद्धिम् ८.१४१, १४२	द्विजाश्रयम् ३.१८३
	द्व्यशुद्धिम् ८.३२९, ३७३	द्विजाश्रयम् ३.१८३
	द्व्यशुद्धिम् ५.१३७: ७.८५:	द्विजाश्रयम् ३.१८३
	८.४९, १३९, २६९, ३९३	द्विजाश्रयम् ३.१८३
	द्व्यशुद्धिम् ८.३३८	द्विजाश्रयम् ३.१८३

द्विजातिविः	५.२५; ८.४६, ३४८; ९.६४	द्विजगन्धः	९.७९	धनिकस्य	८.४७, ५१
द्विजातिमुख्यवृत्तीनाम्	३.२८६	द्विजस्तीम्	९.७७	धनिकस्य	८.१७७
द्विजातीनाम्	२.१० [३५], ४३ [६८]; ३.५, १२, २०३; ५.५, २६; ८.२६९, ३४८, ३९०; ११.१५१	द्विहायनाम्	११.१३४	धनिनम्	१०.१२१
द्विजातीम्	८.२७०	द्वेष्टः	१.१२० [२११]; ६.६०	धनिनि	८.१७९
द्विजातेः	३.२४७	द्वेषम्	४.१६३	धनिविः	८.६१
द्विजाधनाम्	३.१६७	द्वेषेण	८.२२५	धनी	८.१४७
द्विजानाम्	२.२ [२७]; ४.८; ८.६८; १०.४६; ११.१९१	द्विगुण्यम्	८.१४१	धनुःशतम्	८.२३७
द्विजान्	३.१८९, २३९; ४.५२; ८.८७, ४१२	द्विजातम्	८.३७४	धनुःशराणाम्	३.१६०
द्विजे	३.१८१; ४.१६९, ११२; ८.३९२	द्विघम्	७.१६१, १६७	धनुर्धरः	७.७४
द्विजेभ्यः	८.३८	द्विघीषावम्	७.१६०	धने	९.१९१, २१८; १०.११३
द्विजेषु	६.२७	द्विघिके	२.४० [६५]	धनेन	११.३४
द्विजेः	३.१४१, १७०, २५३; ६.९१; ९.६६; १०.६	द्विघेक्यन्तरात्	१०.७	धनैः	३.१३८; ४.२२६; ७.२१३, २१३
द्विजोच्छिष्टम्	५.१४०	धन०	८.३४७; ९.२४६	धनैश्चर्यम्	७.४२
द्विजोत्तमः	२.२४ [४९], १४१ [१६६]; ३.१९०, २८३; ४.४४; ५.२१, १०८; ११.३४, १२७, १२९, १३३, १६२	धनचौपाणि	११.१६२	धनैश्चिका	८.६०
द्विजोत्तमाः	३.१२४; ५.१००	धनजनाम्	९.११४	धनैश्चना	९.२३१
द्विजोत्तमान्	३.२१३; ४.१५३; ८.७३	धनवचनम्	८.१२९	धन्यन्तरये	३.८५
द्विजोत्तमैः	३.१८३; ११.९४	धनजान्यतः	२.१३० [१५५]; ३.६	धन्यम्	३.१०६
द्विष्ट	९.२३२	धनजघान्येन	७.७५	धन्यानि	४.१९
द्विष्टा	७.१७३	धनम्	४.३३, १५६, १७०, १९३; ७.९६, २१३; ८.४०, ५०, १२५, १७६, २०१, २०२, २१२, ३२०, ३४०, ४१६; ९.१०५, ११३, १३०, १३१, १३५, १३६, १५५, १८७, १९५, १९७, २०४, २०५, २०६, २०७, २१४, २१६, २१७, २४३, ३१६, ३२३; १०.५१, १२९; ११.२०, २४, ७६, १८५, १९३	धन्यवर्णम्	७.७०
द्विष्टा	७.१७३	धनस्तंभयः	१०.१०९	धन्यस्तीम्	४.४९
द्विष्टैः	७.१९२	धनस्तंभयम्	४.३	धन्यस्तीम्	४.४९
द्विमासाविः	८.४०७	धनस्तंभयम्	४.३	धन्यस्तीम्	४.४९
द्विमासजः	७.१६३	धनस्तंभयम्	४.३	धन्यस्तीम्	४.४९
द्विमास्यः	७.१६२, १६४, १६८	धनस्तंभयम्	४.३	धन्यस्तीम्	४.४९
द्विमास्यम्	७.१६२, १६४, १६६, १६७	धनस्तंभयम्	४.३	धन्यस्तीम्	४.४९
द्विमास्यम्	९.२५६	धनस्तंभयम्	४.३	धन्यस्तीम्	४.४९
द्विमास्यम्	११.१६८	धनस्तंभयम्	४.३	धन्यस्तीम्	४.४९
द्विमास्यम्	४.२१६	धनस्तंभयम्	४.३	धन्यस्तीम्	४.४९
द्विमास्यम्	३.१४४	धनस्तंभयम्	४.३	धन्यस्तीम्	४.४९

धर्मव्यवस्था	९.११	१०.५३, ६३, १०१; ११.२८;	२१२: १०.९०. ११७
धर्मव्यवस्थाविषयम्	७.२६	१२.१९, २०, २१, १०६,	धर्मार्थी २.८७ [११२],
धर्मव्यवस्थान्	७.१५१	११०, ११३, ११५	२.१९९ [२२४]: ४.९२
धर्मव्यवस्थान्	६.६६	धर्मयुक्तम् १.१२५ [२।६];	धर्मसिद्धम् ८.२३
धर्मव्यवस्थान्	९.८६	४.१५५	धर्मिण्य ३.४०
धर्मव्यवस्थान्	९.२८	धर्मराट् ७.७	धर्म ७.३५; ८.२२८: ९.१.
धर्मव्यवस्थान्	९.७६	धर्मवर्जित् ४.१७६	११, १८, ९४: १०.१२६;
धर्मिण्या	१२.३१, ८३	धर्मिण्य २.३६ [६१], १०३,	१२.२३
धर्मिणः	९.१०७	[१२८], २२० [२४५],	धर्मिण ३.१७३; ४.१७१.
धर्मिणीवतः	९.२७३	३.१४९; ४.१९२; ५.१६७;	१७५, २४२; ७.१४४; ८.४९.
धर्मिणम्	७.१४१, २०९	८.४१, २६५; ९.१५२;	१७५, २६१, ३०६, ३३३,
धर्मिणः	१०.१२७; ११.१२०	११.३१	३४९; ९.१२१; १०.८१;
धर्मिणम्	१.१३२ [२।१३]	धर्मिणिद्यः १०.१३१	१२.१०९
धर्मिणः	८.१७९	धर्मिणिद्यम् ११.२६६	धर्मिण्यः १०.१२७
धर्मिणः १.९३: २.१० [३५].		धर्मिणिद्यवन्तम् ८.२१	धर्मिण्य १२.१०८
२० [४५]. ८४ [१०९].		धर्मिण्यस्तम् १.१२९	धर्मिण्येशम् ८.२७२
३.२९. १३१, २४८: ४.८:		[२।१०]	धर्मि १.१३३ [२।१४]
६.३६: ८.५८, १०३; ९.६१,		धर्मिण्यस्तम् ३.२३२	धर्मि ३.२२
१०८, १२१, १३३, १४५,		धर्मिण्यस्तम् १२.१०५	धर्मिण्य ४.१८७; ९.१५२.
१४५, २३३: १०.१०२:		धर्मिण्यस्तम् ८.३०४	२३६: १०.७, ११९
११.११०: १२.२३		धर्मिण्यस्तम् ११.२३	धर्मि ३.२५; ८.२१४;
धर्मिण्यस्तम् ८.२२९		धर्मिण्यस्तम् ९.२७३	९.१११: १०.११५
धर्मिण्यस्तम् ४.१९५		धर्मिण्यस्तम् ७.१०	धर्मिणि ९.२५१
धर्मिण्यस्तम् ८.९४		धर्मिण्यस्तम् ८.५७	धर्मिण्य ३.२३; ७.२०३
धर्मिण्यस्तम् ४.१०७		धर्मिण्य १.९८, ११०, १३१	धर्मिण्य ७.१३५; ११.२२
धर्मिण्यस्तम् १०.८५		[२।१२], १४४ [२।२५].	धर्मि ३.२६
धर्मिण्यस्तम् ३.२६२		४.१९८: ६.९३: ७.१७;	धाता १०.७३
धर्मिण्यस्तम् ११.९		८.४४, १२२, १८४; ११.८३.	धातुम् ६.७१; ८.३९
धर्मिण्यस्तम् ४.२४३		१२.५२, ११७	धात्रा ५.३०
धर्मिण्यस्तम् ८.२०		धर्मि १.८५; २.२०९	धात्रा ४.२५०
धर्मिण्यस्तम् १२.१११		[२३४]: १०.७७	धर्मिण्य ११.६६
धर्मिण्यस्तम् ११.२		धर्मिण्य १.२: ७.२८, ९८:	धर्मिण्य ११.५०
धर्मिण्य १.११४, ११५, १२८		८.१६४: ९.२७३; १०.१२६	धर्मिण्य ४.२३२
[२।१९], १३२ [२।१३].		१२.७१, ७२	धर्मिण्य ७.१२६
२.१२९ [१५४], १३४		धर्मिण्यस्तम् ७.१४	धर्मिण्य २.२२१ [२४६].
[१५९], १९२, [२१७], २०४		धर्मिण्य २.१२; ५.३	७.९६, ११०: ८.२३८, ३२०.
[२२९], २१३, [२३८].		धर्मिण्य ८.२४	१०.११४: १२.६३
३.२८, ३०; ४.८०, ८१,		धर्मिण्य १.११८, १४४	धर्मिण्य ५.११९
१४७, १७६, २३८, २४२,		[२।२५]: ५.१, १४६; ८.४१;	धर्मिण्यस्तम् ५.११८
६.६६, ९४, ९७; ७.१३, १८,		९.१; १०.७८	धर्मिण्यस्तम् ७.१३०: १०.
८७, ९३, १३६; ८.८, १६,		धर्मिण्य ९.१२९	१२५
३३, ५८, १४१, २१८, ३९०.		धर्मिण्य ६.१२९	धर्मिण्यस्तम् १२.१६२
९.६, ७, ४६, ५६, ६४,		धर्मिण्य ७.७९; ८.७८,	धर्मि ८.१५१, ३३०;

वायेन	१०.९४	नक्षत्रः	१.४४	नरकम्	२.९१ [११६];
वायेषु	८.३३१	नक्षत्र	६.४०	३.१७२; ४.८८, २३५;	
वारणा	४.३८; ८.१८४,	नक्षत्राणाम्	७.१२१	८.९४, १२८, ३०७, ३१३;	
२४१, २८५, ३३६; ९.१२४,		नक्षत्राणि	१.२४; १२.४८	११.१४६, २०६	
२०५		नक्षत्रे	२.५ [३०]	नरकवत्	९.१३८
वारणात्	१.९३; १०.३	नक्षत्रैः	३.१६२	नरकवत्	४.८७; १२.४४
वारणाभिः	६.७२	नक्षः	४.३५; ६.५२	नरके	४.१६५; ११.३७,
वारिभ्यः	१२.१०३	नक्षत्रादी	४.७१	२०७	
वार्षिकः	२.८४ [१०९];	नक्षत्रोक्तानि	४.६९	नरकेषु	१२.७५
८.२९, १२३, २२१, २४४,		नक्षत्राधिकारम्	५.१३	नरदेवतमापने	११.८२
९.२७०		नक्षत्रेभ्यः	२.१४२ [१६७]	नरम्	७.९; ८.३४४; १०.५७
वार्षिकम्	३.२६३; ७.१७४;	नक्षत्रि	६.६	नरकधेन	७.८
११.२१		नक्षत्रम्	४.६९	नरस्य	४.४१
वार्षिकम्	४.१५३; ७.२०१	नक्षत्रस्य	८.२३७	नराः	१.९६; ९.२३५;
वार्षिके	११.११	नक्षत्रे	४.२१३	११.४८; १२.५२	
वार्षिकैः	८.४६	नक्षत्रे	७.१२१	नराणाम्	२.१८८ [२१३];
वार्षिकः	१०.१४	नक्षत्रेषु	४.१०७; १०.५४	३.९७	
वार्षिकानाम्	१०.४९	नक्षत्रः	४.५४, ७५; ८.९३	नराधनः	१०.२६
वीः	६.९२; १२.१२२	नक्षत्रम्	७.९२	नराधिनः	७.१३; ८.७३,
वीयता	७.३१	नक्षत्रम्	४.५३	१७४	
वीयाम्	१.१०२	नक्षः	१०.२२	नराम्	७.१९३
युयैः	४.६७	नक्षः	१२.४५	नरारक्षरजतस्य	११.५७
युतिः	६.९२; १०.११६	नक्षत्रमह	११.२५१	नरारक्षोष्ट्रवराहैः	११.१९९
युतिवस्तम्	७.२१०	नक्षत्राः	६.९०	नरेन्द्राः	९.२५३
युतिम्	४.४७	नक्षत्रे	५.१०८; ६.७८, ९०	नरेषु	१.९६; ७.१६
येनः	८.१४६	नक्षत्रेतिरम्	४.४७	नरैः	३.५९
येनम्	११.१३७	नक्षत्रेतिरेषु	३.१०७; ८.४०६	नरनिम्	२.१५३ [१७८]
य्यायमानाणाम्	६.७१	नक्षत्राणाम्	८.३५६	नरनिष्कनदीकान्मीम्	३.९
य्यानम्	१२.५	नक्षत्रम्	४.७७, ९०	नक्ष	४.२७; ११.२
य्यानयोगेन	६.७३, ७९	नक्षत्रम्	४.२०३	नक्षत्रे	३.१७७
य्यानात्	१.१२	नक्षत्रम्	४.१७३	नक्षत्रस्येष्ट्या	४.२७, २७
य्यानाकम्	६.८२	नक्षत्रः	४.३७	नक्षत्राभिधनार्धिनः	४.२८
य्यानेन	६.७२	नक्षत्रः	११.२४६	नक्षत्रे	४.२८
य्यानाम्	३.२२४	नक्षत्रवत्	९.२३९	नक्षत्रम्	३.१८०; ८.२३२
य्यियाये	३.२२०	नक्षत्रः	७.१८०	नक्षत्रस्य	८.३२
य्युषम्	३.६०; ७.१६९,	नक्षत्रे	७.२५९	नक्षत्रः	७.४१
१८३, २०८; १२.१६		नक्षत्रः	१.१०; २.७३ [९८],	नक्षत्रम्	१.३७
य्यजः	४.८५	१९३ [२१८]; ३.५१, २४९;		नक्षत्रकर्म	९.२६७
य्यजम्	११.७२	४.१६७, १७०, २४६; ७.२२;		नक्षत्रपण्योपवीधिनः	९.२५७
य्यजाहृतः	८.४१५	८.२३, १९३, २१९, ३६४;		नक्षत्रकर्मणि	९.३८
य्यवी	११.९२	९.१२, ७४, ७६, २२८, २८७;		नक्षत्राध्यानाम्	५.११०
नक्षत्रः	४.१२६; १२.६२	१०.११, ४४, ६०, २२८;		नक्षत्राधिदैः	११.१०७
नक्षत्राधिकारिभ्यः	३.९०	१२.६८		नक्षत्राध्यानाम्	९.१४८

नाथिन्	४.१४३	नास्तिक	२.६५ [९०]	निधनाम्	८.३९
नाथिबर्धनात्	२.४ [२९]	नास्तिकम्	८.३०९	निव्यक्तः	२.१७६ [२०१]
नाथेः	१.९२; ४.१३२	नास्तिकवृत्तयः	३.१५०	निव्या	२.१७५ [२००];
नाथ २.६७ [१२२], १३२,		नास्तिक्यम्	४.१६३:	८.१९	
[१५७], १७४ [१९९],		११.६६; १२.३३		निव्याम्	५.१६१
३.१२१, १२७, १९७, २२१;		नास्तिक्येन	३.६५	निव्यक्तः	३.१६५
४.८१; ४.१५७; ६.६७;		नास्तिक्यक्रान्तम्	८.२२	निव्यक्ता	३.४२, ४७
८.३३५; १०.८, ९, १५; ११.		नास्तिकः	१.१३० [२१११]	निव्यक्तान्	११.६४
४७, २१५		निःशालाके	७.१४७	निव्यक्तेष्वः	११.६९
नाथजातिग्रहम्	८.२७१	निःशेष्यम्	१.१०६, ११७;	निव्यक्तेः	३.४२; १०.४६
नाथतः	८.२५५	११.२६६		निव्या	५.१६३
नाथघेयम्	२.५ [३०]	निःशेष्यस्करम्	१२.८२, ८३,	निव्याम्	३.४२
नाथघेयस्य	२.९८ [१२३]	१०४, १०६		निव्यासु	३.५०
११.४८; १२.५२		निःस्नेहम्	५.८७	निव्यैः	११.५३
नाथा	२.९७ [१२२]	निःस्वानु	९.२३१	निव्यसेन	११.२०८
नाथानि	१.२१	निःस्नेह्यः	२.११	निव्यक्तकर्तुः	४.२०१
नाथ्यः	२.९९ [१२४], १००	निकेतनः	६.२६	निवीडिता	७.२३
[१२५]; ९.१३८; १०.१४		निलेपः	८.४, १४९, १८५,	निपुणम्	५.६१
नाथ्य	२.१०३ [१२८];	१९४		निपुणाः	९.२४९
९.१७२		निलेपम्	८.१७९, १८१,	निपुणैः	९.२६७
नाथ्याम्	२.९९ [१२४]	१९१; ११.८८		निमित्तम्	१०.१११
नाथ्य	५.७०	निलेपस्य	८.१९०, १९२,	निमित्ताभ्याम्	६.५०
नाथ्यम्	१.३५	१९६; ११.५७		निमित्ते	११.८०
नाथ्यः	५.८७	निलेपेषु	८.१८८	निमित्तिताम्	३.१८९
नाथाः	१.१०	निलेप्युः	८.१८१, १८६	निमिः	७.४१
नाथाययः	१.१०	निखिलम्	१.१२७ [२१८]	निमेधा	१.६४
नाथिन्	३.१३८	निगडस्य	४.२१०	निम्यता	९.२२
नाथी	१.३२; ३.५२;	निगमान्	४.१९	निघतः	२.७९ [१०४], ८२
५.१६६; ८.३६२; ९.३३,		निगमेयु	९.१९	[१०७], ३.२५८; ४.९८;	
६४, ८३; ११.१३८		निगूढं	७.६७	५.४४; ६.१, ४, ५२, ८६,	
नाथीनाम्	२.१८८ [२१३];	निगूढचारिणः	९.२६०	९५; ७.२१८; ११.१११,	
८.३२३		निगूढाः	८.३६२	१२८	
नाथीम्	४.४१	निग्रहः	६.९२; ८.३८७,	निघतग्रहमचारिणम्	२.९०
नाथीयु	१०.३५	४०९; १२.३१		[११५]	
नाथीसम्बन्धानि	९.१३	निग्रहम्	७.१७५	निघतम्	८.२२७
नाथ्यः	३.५६	निग्रहात्	८.३०२	निघता	४.२५६; ५.१५८
नाथ्याम्	९.१४४; १०.६७	निग्रहे	८.३०२	निघतात्	८.१६४
नाथ्यम्	४.१२०	निग्रहेण	८.३११	निघतास्त्रयम्	६.८६
नाथि	८.४०८	निघने	८.१७	निघतास्त्रा	३.१८८;
नाथान्	८.१७; १२.७९	निघ्नयस्य	८.३६	११.२१८	
नाथिकः	८.२०२	निधिः	७.८२, ८३	निघताहारा	११.७७
नासा	८.१२५	निधिम्	८.३५, ३७, ३८	निघतेनिघ्नयः	१.१०६, १०९
नासान्तिकः	२.२१ [४६]	निधिष्य	२.९० [११५]	निघती	८.४१९

विद्यमस्य	१०.३	निर्भिषतम्	५.१२७	निशगते	४.९९
विद्ययाः	२.७२ [९७]	निर्वेकः	५.११३	निशायाम्	११.२२३
विद्ययाम्	२.१५० [१७५].	निर्वेजकस्य	४.२१९	निशि	९.६०, ११.९२, ११८
२०४		निर्वेयाः	९.२३९	निश्चयः	१०.१, ६७;
विद्यमाय	८.१२२	निर्वेशम्	५.७७	११.४७	
विद्यमैः	३.१९३	निर्वता	७.११०	निश्चयम्	८.२५५
विद्यमम्	९.७५	निर्विष्टफलचोवता	७.१४४	निश्चयसंयुक्तम्	११.४७
विद्यस्य	२.१६० [१८५], १६७	निर्वेशम्	६.४५	निश्छन्दः	३.७
[११२]		निर्विषम्	१०.९६	निश्वासोपहतस्य	३.१९
विद्युतया	९.५९	निर्विषकवराः	९.२३९	निषावः	१०.८, ३४
विद्युतताः	९.२३१	निर्विषम्	९.२४५	निषावस्त्री	१०.३९
विद्युततायाम्	३.१७३;	निर्विषे	१.१३	निषावस्य	४.२१५
९.१४४, १४५, १६७		निर्वितम्	९.४६	निषावातु	१०.१८, ३६
विद्युती	५.१६; ९.५८, ६३	निर्वितः	११.२४०	निषावानाम्	१०.४८
विद्युज्जातः	९.६४	निर्वित्तः	८.३१८	निषावेन	१०.३७
विद्योपः	९.६५	निर्विषम्	५.११२	निषिद्धः	८.३६१
विद्योपातु	१.४१	निर्विषमम्	३.२६०	निषात्ताम्	१०.१८
विद्योपार्थे	९.६२	निर्विशङ्कम्	७.१७६	निषेधविः	२.१३५ [२.१६]
निरन्धवः	८.११८	निर्वृतचूडकनाम्	५.६७	२.१ [२.२६]	
निरन्धयम्	८.३३२	निर्वृतिम्	१२.१	निषेधवीनि	२.११७ [२.४२]
निरन्धये	८.३३१	निर्वृताभि	६.४३	निष्कः	८.१३७, २८४
निरपेक्षः	६.४१, ४९	निर्वारम्	९.१९९	निष्कमणः	२.९ [३.४]
निरपे	६.६१	निजः	९.६९	निष्कयवितर्गाम्नाम्	९.४६
निरस्य	५.६३	निजाम्	२.२५ [५०]	निष्कयात्वता	१०.५८
निराकृतिः	३.१५४	नित्य०	४.१०७	निष्कनम्	८.२२०
निराविष्टः	८.१६२	नित्यकलम्	२.३३ [५८],	निष्कनमम्	१२.८९
निराविष्टछनः	८.१६२	२.४८ [७३]		निष्कुलात्	८.२८
निराविषः	६.४९	नित्यम्	६.८	निष्कृतिः	२.२०२ [२.२७];
निराम्यम्	७.९२	नित्ययुक्तः	३.७५; ९.३२६	३.१९; ८.१४०, २१३;	
निरिन्द्रियाः	९.१८, २०१	नित्य	२.१८१ [२०६]	११.८९, ९८, १७९.	
निरोधतः	८.३७५	नित्यनाम्	११.२०३	निष्कृतिम्	८.१०५
निरोधमेन	८.३१०	नित्यशः	२.७१ [९६].	निष्कृतीः	९.१९; ११.१७९
निरोधेन	६.६०	४.१५०; ७.३९; १०.४२,		निष्कृत्यर्थम्	३.६९; ११.२७
निष्कृतिम्	११.११८	१२.७७		निष्क	८.२२७; १२.९५
निर्गमम्	८.४०१	निर्गमम्	९.२०	निष्कुरता	१०.५८
निर्गता०	१.३८	निर्गमे	२.१७२ [१९७]	निष्कुरवम्	३.७
निर्गति	४.१०५	निघनम्	५.४०	निष्कलः	४.१७३
निर्जिताम्	८.१५४	निगुत्वा	११.२३०	निष्कलम्	३.१४४; ४.७०;
निर्जयः	८.३०१, ४०९;	निगुतिः	५.५६	१०.१२३	
९.२४०; ११.२६६		निगुतेः	९.६२	निष्कलाः	१२.९५, ९६
निर्जयम्	२.१२; ५.११०;	निविष्टवेशः	९.२५२	निर्गर्गः	८.१४३
८.२७८		निविष्टानाम्	७.३५	निर्गर्गम्	८.४१४; ९.१६
निर्जये	१२.११२	निवीती	२.३८ [६३]	निसृष्टः	८.४१४

मिहगता	४.५१	मुमु	३.८१; ८.३५२; १०.३३	पञ्चान्तयोः	६.२०
मिहवधः	९.२१	मेजकः	८.३९६	पक्षि०	१२.९
मीचम्	२.१७३ [१९८]	मेला	७.१७, २५	पक्षिनन्दीषणीनाम्	११.१६८
मीतिज्ञः	७.१७७	मेतुत्वम्	१२.१००	पक्षिजाग्रधम्	४.१२५
मीलान्	११.१३६	मेजचपलः	४.१७७	पक्षिजः	१.४४; ५.४०
मीलिसु	१०.८९	मेजवधप्रधिकारः	८.२६	पक्षिजाम्	३.१६२; ८.३२८;
मीलारे	४.११३	मेजे	४.४४	१२.५५, ५६	
मृणानाम्	५.६७	मेनिज्यात्	८.३९६	पक्षिणीम्	४.९७; ५.८१
मृषाम्	१.८५; २.२२ [४७],	मैःधेयलम्	१२.१०७	पक्षी	३.९
२०२ [२२७], ३.१२, ४२,		मैःधेयलः	९.३३४	पक्षे	८.४०२
२६७; ५.१३५; ६.६१;		मैःधेयसिकम्	१२.८८	पङ्क्तिपावनाः	३.१८४,
७.८१, १४१; ८.८, २५, ८४,		मैत्यकम्	२.७९ [१०४]	१८६	
१७८, २२६, २४९, २६३,		मैत्यके	२.८० [१०५], ८१	पङ्क्तिपावनाम्	३.१८३
३१२; ९.१५८, ३३२;		[१०६]		पङ्क्तिम्	१.१०५
१०.१२, १६; १२.१६		मैलपतः	१२.१११	पङ्क्षती	४.११५
मृतम्	२.१५४ [१७९]	मैर्द्धीतीम्	११.१०४	पङ्क्षलग्नम्	११.११२
मृवर्गम्	७.७०	मैसार्हः	९.१४४	पङ्क्षेन	४.१९१; ८.२१
मृषः	१.७; ४.८५; ५.९६;	मैसम्	२.७७ [१०२]	पङ्क्षेन	१०.१०४
७.५, ३९, ७३, ११०, १२८,		मैसिकी	५.६७	पङ्क्षुताम्	११.५१
२१२; ८.३३, १२३, १६९,		मैष्कृतिकः	४.१९६	पञ्चकम्	८.१३९, १५२
२२४, २८२, ३०२, ३०३,		मैस्मह्यात्	९.१५	पञ्चकुलानि	७.११९
३९०, ३९८, ३९९, ४०२;		मी	७.१९२	पञ्चकुलालः	८.३३०
९.१८९, २३१, २४३, २४८,		मीकर्मजीविनम्	१०.३४	पञ्चकुलालकः	८.१३४
२६६, २६९, २७०, २७६,		मीपाधिनम्	८.४०९	पञ्चगव्यम्	११.१६५
३०३, ३०९; १०.५६		म्यप्रोद्यः	८.२४६	पञ्चगुञ्जः	८.२८९
मुषतिः	८.९, ३०, ४४, ६५,	म्यस्तशस्त्राः	३.१९२	पञ्चतपाः	५.२३
२३६; ९.२२२, २३०, २३४		म्यायतः	७.३०; ८.२०१	पञ्चवशशाहेन	५.८३
मुषतेः	७.३३, ३४; ८.२०;	म्यायम्	१.१	पञ्चवशान्	५.१७
९.२२८, २४९; १०.१०		म्यायवर्तिनाम्	४.१४०	पञ्चवशेषु	५.१८
मुषती	७.६५	म्यायवृत्तः	७.३२	पञ्चविधिः	२.१८ [४३]
मुषाहमपस्तान्मिषी	८.६०	म्यायैः	८.३१०	पञ्चमहायज्ञान्	३.७१
मुषान्नभाक्	२.११४ [१३९]	म्याय्यम्	२.१२७ [१५२];	पञ्चमासिकः	८.२९८
मुषम्	७.२८, १७४; ८.३०९	९.२०२		पञ्चमे	१२.२ [३७]
मुषः	८.३११	म्यासधारिणम्	८.१९६	पञ्चमज्जविधानम्	३.६७
मुषाणाम्	७.८२	म्यन्म्	८.२०३	पञ्चमयज्ञान्	३.७३; ५.१६९
मुषे	८.११०, १७६	पक्षित०	१२.१२०	पञ्चरात्रम्	११.१४७
मुषेच	८.५९	पक्षितम्	३.६७	पञ्चरात्रे	८.४०२
मुषिः	४.६१; ७.६१	पक्षानाम्	८.३२९	पञ्चवर्गम्	७.१५४
मुषजः	३.७०	पक्षान्मन्	४.२३३	पञ्चपानिः	३.१८५
मुषजम्	४.२१	पक्षः	३.२८७	पञ्चपानीम्	३.१००
मुर्शतस्य	४.२१६	पक्षयोः	१.६६	पञ्चाभ्याख्यम्	२.१०९
मुर्शत	३.४१	पक्ष्यातेन	३.२४१	[१३४]	
मुषु	७.८०; ८.३३४			पञ्चालाः	१.१३८ [२।१९]

पञ्चालानाम्	७.१९३	पदम्	६.७५; ८.४४;	परपत्नी	२.१०४ [१२९]
पञ्चः	७.१२६; ८.१३६	१२.१२५		परपरिग्रहे	९.४२, ४३
पञ्चम्	८.२४१, ४०४	पदा ४.२०७; ११.४३, १८३		परपाकम्	३.१०४
पञ्चानाम्	८.१३८	पदानि ८.७		परपूर्वा	५.१६३
पण्डिताः	७.१०९	पदे ८.२२७		परपूर्वापतिः	३.१६६
पण्ययोचितः	९.२५९	पद् १.८७		परबलानाम्	७.१७४
पण्ये	५.१२९	पदुक्ता ७.११		परमः	१.१०८; ६.९६
पण्यानाम्	९.३३१; १०.९३	पदुमेन ७.१८८		परमम्	१.१३२ [२।१३];
पतङ्गनाः	११.२४०	पद्यम् १.९०		२.१४२ [१६७], १६९	
पतङ्गानाम्	१२.४६	पद्या ३.९३		[१९४]; ४.१२; ६.७०;	
पतङ्गान	१.४०	पथि ४.४५; ८.२२८, २४०,		७.५८; ८.३०२; ९.१६,	
पतगोरवाः	७.२३	२.९५; ९.२७४; १०.१०१		३१९; १२.११७	
पतत्रिणा	४.२०८	पन्था २.११३ [१३८]		परमसिद्ध	५.५२
पतिः	५.१५३, १५४; ९.८	पन्थानम् ४.९०; ८.२७५		परमा	७.१
६९, ७७, ९५		पथः २.८२ [१०७]; ३.८२,		परमात्मनः	६.६५
पतितम्	५.८५; ९.७९	२२६, २५७; ४.२५०; ५.८;		परमान् ४.१४; ६.८८, ९३,	
पतितस्य	११.१८२	११.९१, १३२, १४७, १६८,		९६; ८.४२०; १०.१३०;	
पतितानाम्	३.९२	१९४; १२.६२		१२.११६	
पतितान्मम्	४.२१३	पथसः ५.२५		परमेष्ठी १.८०; २.५२ [७७]	
पतितासु	११.१८८	पथसा ३.२७१		परयोचित	९.४१
पतितेन	११.१८०, १८१	पथस्थिनीम् ११.१३७		परराजपिकीर्षितम्	७.६८
पतितैः	३.१५७; ४.७९;	पथोन्नतः ११.१४४		परस्त्रियम्	८.३५६
११.१७९		पथः १.२०, १४२ [२।२३];		परस्त्रियः	८.३६१
पतिती	९.५८, ६३	२१२ [२३७]; ४.८; ५.३२;		परस्परविरुद्धानाम्	७.१५२
पतिविः	३.५५	७.१०५, १४४; ९.१०१,		परस्य २.१५३ [१७८], १५४	
पतिम् ५.१५५, १६३, १६५;		३१२, ३३४; १२.७८, ११३		[१७९]; ४.१३३, १६४;	
९.२९, ९०		परकीर्णनिष्पन्नेषु ४.२०१		५.१५७; ७.१०५, १७१;	
पतिलोकम्	५.१५६, १६६	परक्षेत्रप्रवापिणः ९.४९, ५१		८.१५४, १९७; १२.६०	
पतिलोकवत्	५.१६१	परक्षेत्रात् ८.३४१		परस्वाशयिनः	७.१२३
पतिव्रता	३.२६२	परक्षेत्रे ३.१७५		परलोकः	४.२३८
पतिव्रतासु	८.२८	परजने ११.९		परलोकम्	४.२४३
पतिसेवा	२.४२	परत्र ३.२७५; ४.१९३;		परलोके	५.१५३
पतीम्	१.३४	५.१६६; ११.२८		परवशम्	४.१५९, १६०
परन्याः	८.३५४; ९.९६	परत्राणि ८.१२७		परशक्तितम्	९.२९८
परन्याम्	५.८०	परद्वाराः ८.३५२; १२.७		परा	३.२५२
पत्नी	३.१२१	परद्वारेषु ११.१७६		पराकः	११.२१५
पत्नीषु	१०.५	परद्वीहकर्मधीः २.१३६		पराक्रमः	१.५१
पत्या ९.१३, १७५, १९५		[१६१]; ४.१७७		पराक्रमे	७.११
पत्यौ ३.१७४; ५.१५७,		परद्वारेषु ३.१७४		पराकैः	११.२५८
८.३१७; ९.१९५, २००		परद्वारोपसेवनम् ४.१३४		परान्मनुष्यः	३.१७०
पत्रम्	९.२१९	परद्वय ९.२५६		[१९५]; १०.११९	
पत्रशाकतृणानाम्	७.१३२	परद्वयम् ८.१९३; १२.६८		पराङ्मनुष्यस्य	२.१७२
पत्रशाकम्	१२.६५	परधर्मैश्च १०.९७		[१९७]	

पराजयः	७.१९९	परिवेला	३.१५४, १७०,	पवित्रा	११.८५
पराधीनम्	१०.५४	१७१, १७२		पवित्राणि	३.२३५; ५.१२७;
पराधीनाम्	१०.८३	परिवेदवम्	११.६०	११.२२५	
परान्	३.३७; ५.१४२; ११.५	परिचतु	१२.११०, १११,	पवित्रैः	२.५० [७५]
पराम्	८.१०५; ९.३१३;	११२		पवित्रोपचितः	६.४१
१२.१		परिचत्स्वम्	१२.११४	पराशः	१.४३; ५.३९, ४०,
परार्थे	८.१६९	परितंछया	१.७२	४१; ८.२३८; १०.८६,	
परावरान्	१.१०५; ३.३८	परितंछयातम्	१.७१	११.२४०; १२.८२	
परामृतः	७.९४	परितंघतसरात्	३.११९	पशुः	४.१२६; ८.९८, २४१,
परामृतम्	७.९३	परिस्ताघने	८.१८८	४०४	
परामृतहतस्य	७.९५	परिहारान्	७.२०१	पशुकृषिः	१०.७९
परिकीर्तनात्	४.२३७	परीक्षणम्	१.११७	पशुतान्	३.१०४; ५.३५
परिकीर्तितः	१.९२	परीक्षाध्वम्	९.१९	पशुधर्मः	९.६६.
परिचये	९.५९	परीक्षिता	७.२१९	पशुना	४.२६, २७
परिबीजः	७.१७२; ८.१७०	परीक्षितान्	७.५४	पशुफलः	३.१५४
परिखाः	७.१९६	परीबादः	२.१७५ [२००]	पशुभिः	८.२९५
परिखाभाम्	९.२८९	परीबादात्	२.१७६ [२०१]	पशुम्	५.३७, ४२
परिग्रहः	११.१३	परीहारः	८.२३७	पशुरक्षिणाम्	८.२३८
परिग्रहम्	१०.१२४; ११.१९६	परे	९.९९; १०.१७;	पशुरोमाणि	५.३८
परिच्छेदम्	६.२, ४	११.२६; १२.१२३		पशुवृद्धिकरीम्	७.२१२
परिच्छेदाः	१०.१२५	परेण	७.९२; ८.३०, २२३	पशुषु	८.२२९, २३४
परिचारकैः	७.२१७	परेणाम्	११.१९७	पशुसम्भवम्	८.३२८
परिणाह्यस्य	९.११	परैः	७.९४; ८.१४७, १८३	पशुस्त्रेणानाम्	११.२७
परितुष्टेन	४.२२७	परोक्षम्	२.१७४ [१९९]	पशुस्तेयम्	११.६६
परितोषः	४.१६१	पर्याप्तान्तम्	४.२१२	पशुहृष्येन	४.२८
परिज्ञाने	८.३४९	पर्याप्त भोगाः	३.४०	पशुहिरण्ययोः	७.१३०
परिधर्मतात्	१०.६१	पर्याप्तम्	११.७	पशुहिंसनम्	१०.४८
परिपन्थिनः	७.१०७, ११०	पर्यपासीनः	२.५० [७५]	पशूनाम्	१.९०; ८.२४४,
परिप्लवनम्	९.२७	पर्यपितम्	४.२११; ५.२४	२८६, २९७, ३२५, ४१०;	
परिप्लवे	८.३३१	पर्व	६.९	९.३२६, ३३१	
परिपूर्वम्	९.३०९	पर्वते	४.४६, ६०	पशुम्	१.३९; ५.३६, ४२;
परिभाषणम्	९.२८३	पर्वतमस्तके	४.४७	७.९६; ८.२४०; ९.३२७,	
परिभोयता	२.१७६ [२०१]	पर्वजम्	३.४५	३२८; १०.८९; ११.४०;	
परिभ्रष्टान्	१०.२०	पर्वसु	४.१५०, १५३	१२.६७	
परिभाषतः	८.१३३	पलम्	८.१३५	परिषमातुसमुद्रात्	१.१४१
परिरक्षणम्	७.२	पलाण्डम्	५.५, १९	[२।२२]	
परिचर्जितः	५.१५७	पलानि	८.१३५	परिषमात्	२.७६ [१०१],
परिभावः	७.४७	पलातधारकम्	११.१३३	७७ [१०२], ७८ [१०३]	
परिबाधम्	२.१५४ [१७९]	पलासम्	५.१२२	परिषमे	७.१४५
परिबाधेन	५.१२४	पलितम्	२.१३१ [१५६];	परिषमोत्तरपूर्वैः	५.९२
परिचितः	३.१५४, १७१,	६.२		पहलवाः	१०.४४
१७२		पलितैः	२.१२९ [१५५]	पकयज्ञविधानेन	११.११८
परिचितता	११.६०	पवित्रम्	३.२४६; १०.१०२	पकयज्ञाः	२.६१ [८६]

पात्रेषु	७.९९, १०१	पात्रपङ्क	१.११८	पापनुपपत्तये	११.१३९
पावः	४.१५१; ८.१८, ४०४	पात्रपङ्कम्	५.९०	पात्रन्	११.२२६; १२.५२,
पावप्रहणम्	२.१९२ [२१७]	पात्रपङ्कस्यान्	९.२२५	७०	
पावच्छेदनम्	८.२८०	पात्रपिडनम्	४.६१	पापिष्ठः	३.३४
पावतः	१.३१; ३.८९; ४.५४	पात्रपिडनः	४.३०	पापिष्ठम्	९.२९२
पादपान्	८.२४६	पाङ्गुत्पाम्	३.१७६	पापीयसे	१०.११७
पादम्	२.५२ [७७]; ६.४६;	पाञ्चयामिकम्	३.२८१,	पापीयान्	९.१८४
८.४०४		२८६		पापे	११.४५
पादयोः	२.१८४ [२०९].	पाञ्चयामिके	३.८३	पापेन	४.१९७; १०.१०४,
१८७ [२१२] ८.२८३		पाञ्चिनरोहिती	५.१६	१०५	
पादशः	१.८२, ८३	पाङ्गुलोपाकः	१०.३७	पाप्मा	११.९३
पादस्पर्शः	३.२३०	पाणिग्रहण०	३.४३	पाप्मानम्	६.८५
पावात्	२.७४ [९९]	पाणिग्रहणस्य	५.१४६	पापसम्	३.२७४
पाविकम्	३.१	पाणिग्रहणिकः	८.२२६,	पापसाधूपम्	५.७
पाविनः	८.२१०	२२७		पापसेन	३.२७१
पावेन	३.२२९; ८.२८०	पाणिग्राहस्य	५.१४८; ९.२१	पापुपहणम्	२.६५ [९०]
पावी	२.४६ [७१]; ४.५३,	पाणिच्छेदनम्	८.२८०	पापवादीनि	२.६६
६५; ५.१४२; ८.१२५		पाणितलेन	४.१४३	पापव्यः	१०.९७
पाव०	७.११८	पाविनः	४.१४२; ५.११६;	पापव्यम्	२.०११ [२३६]
पावम्	७.४०; ९.१३	६.२८		पापवाः	१०.४४
पावानि	३.२२७	पाविपादवपसः	४.१७७	पापवार्ध०	११.५९
पावीयस्य	८.३२६	पाविध्याम्	३.२२४; ४.८२	पापवर्ष्य०	१.१३७ [२.१८]
पापः	३.१९०; १०.३८	पाविष्	४.५८; ८.२, २८०	पापशवः	९.१७८; १०.८
पापकर्मसु	९.३१०	पाविहम्	४.७४	पापव्य०	७.५१; ८.३०१
पापकवरिणः	९.२८८	पावी	२.३८ [६३]; ३.२१२	पापव्यम्	७.४८; १२.६
पापकृत०	८.३७२; ११.२२७	पाप्यास्त्यः	४.११७	पापव्ये	८.६, ७२
पापकृतः	८.८५	पातकम्	८.११२; १०.१२६	पाविर्बः	५.९५; ७.३७, ४१,
पापकृतस्यः	४.२५५; ८.३५४	पातकानि	११.५४	११३, १४८, २०८; ८.१,	
पापकृताम्	११.१७९	पातकैः	८.८८, ११३,	१७०, १९२, २७२, ३०७,	
पाकदुग्धः	९.२४६	११.२५८, २५९		३३४, ३४६, ३६१; ९.२५४,	
पापचेतसः	७.१२४	पातनम्	७.५१	२९२, ३११	
पापवृद्धिनाम्	९.२६३	पात्रम्	४.२२७, २२८	पाविर्बम्	८.८८; ९.३११
पापम्	४.१९८; ८.३७२,	पात्रस्य	७.८६	पाविर्बेन	७.५१
११.४६, ८६, १०२, ११५,		पात्राणि	६.५३	पाविर्वाग्नीयाः	४.१०
१६९, १९८, २०९, २३०,		पात्री	६.५२	पाविर्बेन	३.२६९
२४६; १२.१९, ११५		पात्रहा	७.२५	पाविर्बग्राहम्	७.२०७
पापयोनिषु	४.१६६	पात्रः	३.५२	पात्रः	८.२३०, २३२, २३३,
पापरोपिणम्	९.७९	पात्रात्	९.३०८; ११.२२७,	२३६	
पापरोपिणाम्	३.९२	२३०		पात्रनम्	७.८८, १४४
पापरोपी	३.१५९, १७६	पात्रणा	१०.२१; ११.२६	पात्रानाम्	८.२२९, २४४
पापरोधैः	५.१६४; ९.३०	पात्रनाम्	४.१७१; ८.३११;	पात्रे	८.२३०, २३१, २३५
पापविनिग्रहः	९.२६३	११.२०९; १२.७४		पात्रकः	९.३१८
पाकयज्ञान्	२.११८ [१४३]	पात्राणि	८.३१८; ९.२४२;	पात्रकम्	२.१६२ [१८७];
पाकेन	५.१२२, १२३	११.२४५		११.१२१	

प्रायः	२.१ [२६]	११०, १२१, १५५, १६८,	१४६, २०८, २३१, २७५;
प्रायसम्	११.१७७	१८५, २०९, २१५	९.२८
प्रायसाय	११.८५	पितापुत्री २.११० [१३५]	पितृन् २.६२० [१४५], १२६
प्रायसायीः	५.८६; ११.२५७	पितामहः १.९; ३.२२१,	[१५१]; ३.३७, ८१, ११७,
प्रायितः	२.५० [७५]	२२२	२११, २१७, २२४, ३.२५८
प्रायैः	८.८२; ९.३०८	पितामहाः ४.१७८	२७७, २८३, २८४; ४.१५०;
प्रायसर्व	४.११५	पितामहान् ३.२८४	५.३२, ५२
प्रायसमूहने	४.१०२	पितामाता ४.२३९	पित्रर्षे ३.८३
प्रायसून	४.१६८; ११.२०७	पितुः ३.३, ५, १४८, १५१,	पित्रा ३.१५९; ४.१८४;
पिङ्गलाम्	३.८	२२१; ९.१०४, १३२, १४०,	५.१४९; ९.१९८
पिङ्गः	९.१८६, १४२	१८५, २१७	पित्राद्यन्तम् ३.२०५
पिङ्गनिर्बन्धम्	३.२४८,	पितृर्षिष्याम् २.१०८	पित्रे ९.९३, १३२
२६१		[१३३]	पित्र्यः ४.१२४; ९.२०५
पिङ्गम्	३.२४७, २६२;	पितुं ४.२५७, १२.९४	पित्र्यम् २.३४ [५९];
९.१३६, १४०; ११.२१६		पितृकर्मत् ३.२५२	३.१२७, २७९; ९.९२, १०५,
पिङ्गान्नम्	३.२२३	पितृकर्म्यम् ३.२०३	१६४, १९१, २१६; १०.५९
पिङ्गान्नम्	११.२२०	पितृकर्म्यस्थ ३.२०३	पित्र्यस्थ ९.१६३
पिङ्गान्	३.२१५, २१६,	पितृकर्म्ये ३.१२५	पित्र्ये १.६६; २.१६४
२१८, २२३, २६०;		पितृगणाः ३.१९४	[१८९]; ३.१२९, १४९,
११.२१८, २१९		पितृगाम् १.३७; ९.२०६	१६९, १८८, २३२, २४०,
पिङ्गान्तिके	३.२१८	पितृगणम् २.१५१ [१७६];	२४६, २५४
पिङ्गान्ताहार्यकम्	३.१२२	३.७४	पिराधाः १.४३; १२.४४
पिङ्गेश्वरः	३.२१९	पितृव्यम् ९.२०८	पिराधान् १.३७
पिङ्गि	९.१३२	पितृवेलाः ३.१८	पिराधवत् ५.५०
पिण्याकम्	११.९२	पितृवैयक्तकर्मणि	पिराधवान् १२.५७
पितरः १.९५; ३.८०, १८९,		पितृन् ६.२४	पितृनः ३.१६१; ४.२१४;
१९२, १९५, २०१, २०७,		पितृपूजनतत्पराः ३.२६२	११.५०
२३७, २५०, २६७; ४.१७८,		पितृव्यत्वा २.२०८ [२३३]	पिष्टपशुम् ५.३७
२४९; ९.१८५; १२.४९		पितृव्यः ३.८२, ९१, २०१,	पीठतर्पी ८.३९४
पितरम् २.१४६ [१७१];		२६६	पीडनम् ६.६२
३.२२०; ४.१६२; ५.९१;		पितृभिः ३.५५; १०.९१	पीडनानि ९.२९९
८.२७५; ९.१०५, १३८		पितृमातृप्रवर्तिताः १०.४०	पीडाम् ७.१६९
पितरि ३.२२०; ९.२०४		पितृमात्रार्थम् ११.१	पीडितम् ८.२२
पिता २.११० [१३५], ११९		पितृमेधम् ५.६५	पीडयमानस्य ७.१६८
[१४४], १२० [१४५], १२१		पितृयज्ञः ३.७०	पुण्ये २.५ [३०]; ११.१८६
[१४६], १२२ [१४७], १२५		पितृयज्ञम् ३.१२२; ४.२१	पुण्यैः १.२ [२६]
[१५०], १२८ [१५३], १४५		पितृयज्ञक्रियाफलम् ३.२८३	पीतसोमपूर्वः ११.८
[१७०], २०० [२२५], २०१		पितृवैयक्त्य ९.१६५	पुष्कतः १०.१८
[२२६] २०६ [२३१]; ३.११,		पितृवत् ७.८०	पुष्कलानाम् १२.५५
५१, १३६, १३७, २२१,		पितृवैयक्त्य ९.१७२	पुष्कल्याम् १०.३८
४.१८२; ५.६२, १५१,		पितृव्यान् २.१०५ [१३०]	पुटेन ६.२८
७.१३५; ८.३३५, ३६६,		पितृव्यता २.१०६ [१३१]	पुण्यः २.४३ [६८]; ६.९७
३८९; ९.३, ४, २०, १०८,		पितृव्याम् ३.७२, १२३,	पुण्यपापेक्षिता ८.९१

पुण्यफलम्	३.९५; ५.५३	पुत्री	९.१०६	पुलहतम्	११.१२१
पुण्यम्	१.७३; २.८१ [१०६]; ८.९०; ९.३१; ११.२४४	पुत्रे	४.२५७; ५.८०; ९.३२३	पुत्रे	८.३८६
पुण्यानि	११.३९	पुत्रेण	४.१८०; ९.१३०, १३७, १८२, १८३	पुत्रोदाशम्	७.२१
पुत्रः	३.१३६; ४.१८४; ८.१५९, २९९, ३३५, ३८९, ४.१६; ९.४, १०७, ११७, १२२, १३०, १३४, १३८, १४१, १४५, १६३, १६७	पुत्रेषु	४.१७३; ६.२; ९.१४९	पुत्रोदाशाः	५.२३
पुत्रकः	२.१३६ [१५१]	पुत्रैः	६.९५; ९.२०९	पुत्रोदाशान्	६.११
पुत्रगुर्व्युत्तम्	९.१६९	पुत्री	९.१६५	पुत्रोहितः	४.१७९; ८.३३५
पुत्रवारम्	४.२३९	पुत्र्	९.१३८	पुत्रोहितम्	७.७८
पुत्रवारस्य	८.११४	पुत्रांतः	४.४०५	पुत्रोहिताः	१२.४६
पुत्रवारात्ययम्	१०.९९	पुत्रांतम्	३.६१; ८.३७२	पूर्वापरम्	८.५६
पुत्रवीक्षणस्तकम्	३.२००	पुत्रान्	३.४९; ५.६३; ८.४०४; ९.१४, ३३, १४४, २३७	पुलस्त्यस्य	१.३५
पुत्रप्रतिविधीन्	९.१८०	पुत्रद्वारेण	५.९२	पुलस्तस्य	३.१९८
पुत्रभाषम्	९.२१५	पुत्रम्	७.७०, ११९; ९.२९४	पुलहम्	१.३५
पुत्रम्	७.१३५; ९.३१, ३२, ६०, १२०, १४७, १६६, १६८, १६९, १७१, १७२, १९०; १०.३९	पुत्रावः	८.१३६	पुलाकाः	१०.१२५
पुत्रवत्	९.१०८	पुत्रावम्	८.३८	पुलकैः	४.७९
पुत्रवती	९.१८३	पुत्रावानाम्	८.३९	पुलकस्या	४.२११, २२०
पुत्रवान्	९.१८२	पुत्रावाति	३.२३२	पुलकस्य	३.१२९
पुत्ररातम्	९.१५७	पुत्रावेष्टु	५.२३	पुलकान्	८.८१
पुत्रस्य	५.७७, १३१, १३७, २१७; ११.५८, १७०	पुत्रात्	९.२२५	पुलकान्	३.२७७; १२.३५
पुत्राः	३.३९, ४८, १९४, १९८; ९.३, १५६, १८१, १८५; १०.१४	पुत्रातान्	३.२१३	पुष्टम्	७.१७१
पुत्राचार्यः	३.१६०	पुत्राविष्टः	९.४२	पुष्टान्	४.२३१
पुत्राणाम्	५.१४८; ९.१२५, २२०	पुत्रीष्वम्	४.५६; ५.१३८	पुष्टिष्टु	४.३७
पुत्रात्	४.१६४	पुत्रीष्वयोः	६.७६	पुष्टिस्तपुवतम्	२.७ [३२]
पुत्रान्	६.३६; ९.१०८, १५८	पुत्रीष्वैः	५.१२३	पुष्य०	१.४६; ६.१३, २१
पुत्रार्थी	३.४८	पुत्रवः	१.११, ३२, ३३, ९२; ४.२०, १५७; ७.१७, ८.४३, ९८, ३५४; ९.१६, ४५; १०.५३; ११.१७३	पुष्यमूलफलस्य	७.१३१
पुत्रिक	४.२३८; ९.१२८, १३५	पुत्रवक्षरेण	८.२३२	पुष्यमूलफलानाम्	११.१६५
पुत्रिकधर्मशास्त्र्या	३.११	पुत्रवज्जानम्	७.२११	पुष्यमूलफलेषु	८.२८९
पुत्रिकान्	९.१२७	पुत्रवम्	४.१३६, २४३; ८.९६; ९.३००; १०.५८; १२.८४, १२२	पुष्यमूलकैः	५.१०, १५७
पुत्रिकानाम्	९.१३४, १३५	पुत्रवस्य	२.२१२ [२३७]; ४.४ [१३४]; ९.१	पुष्यम्	४.२५०
पुत्रिकवस्तुतः	९.१४०	पुत्रवाः	१२.४४, ४५	पुष्यिणः	१.४७
पुत्रिणः	८.६२; ९.१८२	पुत्रवाचाम्	१.१९; ८.३२३	पुष्यितागाम्	११.१४२
पुत्रिणी	९.१८३	पुत्रवागृत्तम्	९.७१	पुष्येष्टु	८.३३०
पुत्रिण्या	९.१४३	पुत्रवान्	८.२५९	पुष्ये	४.९६
		पुत्रवार्थप्रयोजनम्	७.१००	पुंसः	२.४ [२९]; ३.४९, ६१; ११.१७६
		पुत्रवे	५.६०	पुंस	९.४२
		पुत्रवैः	९.२, १२	पुंसि	११.६७, १७४
				पुंसान्	३.१५१
				पुंसकः	७.८२
				पुंजा	९.८५
				पुंजाहर्ण	९.२६
				पुंज्यतमः	९.१०९
				पुंज्याः	३.५५
				पुतः	२.५० [७५]
				पुतिगन्धे	४.१०७

पुतिवज्रताम्	११.५०	पूर्वातुल्यमन्त्रात्	१.१४१	पैत्रिकः	८.४१५
पुपधक्	१२.७२	[२।२२]		पैलव०	२.२० [४५]
पुपम्	४.२२०	पूर्वान्	३.३७	पैशाचः	३.२१, २५, ३४
पुपशोषितम्	३.१८०	पूर्वाभिः	४.१३७	पैशाची	३.१४१
पुपशोषितैः	५.१२३	पूर्वाम्	२.७६ [१०१], ७७	पैशुनम्	११.५५
पूरकम्	९.२८९	[१०२], ७८ [१०३]; ४.९३		पैशुन्यम्	७.४८; १२.६
पूर्वकम्	११.१८६	पूर्वाह्नम्	३.२५६	पैष्टी	१९.९४
पूर्वम्	६.७६; ८.३३८;	पूर्वाह्नात्	३.२७८	पेयकः	३.१६२
११.१८३		पूर्वाह्ने	४.९६, १५२	पौष्टकः	१०.४४
पूर्वभित्तवर्षम्	२.१८७	पूर्वाह्ने	८.८७	पौतनासिक्कम्	११.५०
[२.१२]		पूर्वं	१२.१११; २.६४ [८९]	पौत्रहीहित्रयोः	९.१३३, १३९
पूर्व	८.१२१; ११.१४०	पूर्वद्युः	३.१८७	पौत्रवत्	९.१३९
पूर्वम्	४.२२६	पूर्वेयाम्	३.२२०	पौत्री	९.१३६
पूर्वः	८.३७, २७६	पूर्वेषु	९.१००	पौत्रेण	९.१३७
पूर्वकम्	२.१०३ [१२८]	पूर्वोक्तम्	३.२५६	पौत्रवत्यात्	९.१५
पूर्वकृतेन	७.१६६	पूर्वोक्तानाम्	२.१६० [१८५]	पौनर्भवः	३.१५५; ९.१६०,
पूर्वकृतेः	११.४८	पूर्वकृषिण्डे	५.७८	१७५	
पूर्वोद्दिष्टः	८.१६०	पूर्वकृषिदैः	११.४६	पौनर्भवे	३.१८१
पूर्वोद्दिष्टी	३.२६	पूर्वजनम्	७.१३७	पौनर्भवेन	९.१७६
पूर्वजः	२.२०० [२२५];	पूर्वजनः	७.१४८	पौरसङ्घम्	२.१०९ [१३४]
३.१७१; ९.१२२, १२३		पूर्वज्याः	२.२०१ [२२६];	पौरवः	८.४०४
पूर्वजैः	९.३१	९.३०३		पौरवम्	११.२५१
पूर्वतस्करैः	९.२६७	पूर्वज्याम्	१.९९, १३९	पौरवेण	७.१५९
पूर्ववृष्टः	९.८७	[२।२०]; ४.१८३		पौर्णमासम्	६.९
पूर्ववृष्टताः	३.१९२	पूर्वबीजितान्	९.२२१	पौर्णमासी	४.११३
पूर्वविधिष्टस्य	९.२८१	पूर्वबीजितः	७.१७७, २२६;	पौर्णमासीम्	४.१२८
पूर्ववशात्	३.२७८	८.२९, २२१; २४४;		पौर्णमासेन	४.२५
पूर्ववृष्ट्या	८.२५२	१०.११३; ११.२१		पौर्णमास्यी	४.११४
पूर्वमारिणीम्	५.१६७	पूर्वबीजम्	१.१०५; ७.१४८;	पौर्तिकम्	३.१७८
पूर्वमारिण्ये	५.१६८	९.४४, २३८		पौर्विकीम्	४.१४८, १४९
पूर्वम्	२.२४ [४९], ३५	पुंशुः	७.४२	प्रकरस्थ	१२.५१
[६०], ४९ [७४], ९२ [११७],		पुत्रीः	९.४४	प्रकराणि	१.४४; ८.२५१
१५९ [१८४], २२० [२४५];		पृच्छतः	४.१५४	प्रकरशक्यशोषितः	८.२०२
३.९४, ११५, २०३, २०४,		पृच्छास्तुभि	३.९१	प्रकरशम्	८.१९३, ३५१;
२१९, २२६; ४.१२५;		पृच्छेन	४.७२	९.२२२, २२८	
५.१३९; ७.१४, ७.५२;		पेयम्	५.६	प्रकरशक्यव्यक्तः	९.२५७
८.१२०, १२१, २०५, ३५४,		पेयनी	३.६८	प्रकरशतः	१०.४०
३५५; ९.२८७, २९५;		पेजवनः	७.४१	प्रकरशानि	८.२५१
१०.६८, ११४		पेजवाने	८.११०	प्रकरशान्	९.२५६, २६०
पूर्ववत्	११.२१३	पैतुकम्	९.१०४, १४४,	प्रकृतयः	७.१५६; ९.२९४,
पूर्वविधः	९.४४	१६२, २०९		३०९	
पूर्वशः	१.२, २७	पैतुक्तम्	९.१६४	प्रकृतिम्	१०.५९
पूर्वताहसम्	८.३५४; ९.२८१	पैतुयजः	३.२८२	प्रकृतिवैध्यात्	१०.३
पूर्वकारः	२.१०० [१२५]	पैतुयजेयीम्	११.१७१	प्रकृतीः	७.१७०

प्रकृतीनाम् ७.१७५; ९.२३२, २९५	प्रजीवनम् ९.१६३	प्रतिमुखः ८.२९१
प्रकृत्या ३.२५७	प्रजुष्टानि २.७१ [९६]	प्रतिमूर्तिकम् ४.८९
प्रक्षालकः ६.१८	प्रजा २.७४ [९९]; ४.४१, ४२, ४२	प्रतिरोद्धा ३.१४३
प्रक्षालनेन ५.११८	प्रजाताम् ४.३९, ४९	प्रतिशोभ० १०.२५
प्रक्षाल्यमाणानि ८.३९९	प्रजाम् ४.९४	प्रतिशोभतः १०.६८
प्रये ६.६	प्रजतम् ११.१९५	प्रतिशोभ्ये १०.१३
प्रच्छन्मत्स्कराः ९.२२६	प्रजयनम् ८.२७७	प्रतिशतम् ४.५२
प्रच्छन्मन्त्राः ५.१०७	प्रजयैः ६.७०	प्रतिवाते २.१७८
प्रच्छन्मन् ९.२२८	प्रजष्ट० ८.३३	प्रतिश्रयः १०.५१
प्रच्छन्मन्त्रवचनः ९.२५७	प्रजष्टस्वामिकम् ८.३०	प्रतिश्रवणसंभाषे [१९५]
प्रच्छन्माः १०.४०	प्रजष्टाधिपतम् ८.३४	प्रतिष्ठम् ३.१८०
प्रचारम् ७.१५४, १५५; ९.२१९	प्रजिघिषिः ८.१८२	प्रतिष्ठप्यानि ३.१३५
प्रघेतसम् १.३५	प्रजिघीनाम् ७.१५३, २२३	प्रतिष्ठिता ८.१६४, २२६; ११.२६५
प्रजनम् ३.६१; ९.६१	प्रतानाः १.४८	प्रतिष्ठितः ८.३६१
प्रजनार्थम् ९.२६, ९६	प्रतापयुक्तः ९.३१०	प्रतिष्ठिद्धः ९.८४
प्रजने ९.१२१; १२.१२१	प्रतिकूलम् १०.३१	प्रतिष्ठिद्धानि ८.३९९
प्रजाः १.८, २५, २६, ३४, ६१; ३.४२, ७६; ४.१५६, १८९; ५.१६२; ७.१८, १९, २५, ३६, ४४, ८७, १२३, १४२, १४३, १४६; ८.१७५; ९.२२६, ३०७, ३२७; १०.११८; ११.४०	प्रतिकूला ९.८०	प्रतिष्ठेयस्तु २.१८१ [२०६]
प्रजाधर्मान् ९.२५	प्रतिकूलेषु ९.२७५	प्रतिष्ठेयान् १०.१२६
प्रजानाम् १.३४, ८९; ५.९४; ७.८८, १४४	प्रतिगाम् ४.५२	प्रतिस्मृयम् ४.५२
प्रजापतयः ३.८६	प्रतिग्रहः ४.८६, १८६; १०.७५, ७६, ७७, १०९, ११०, १११	प्रतिस्तेष० ४.५२
प्रजापतिः २.५१ [७६], ५२ [७७], ५९ [८४]; ४.२२५, २४८; ५.२८; ९.१६, ४६, १२८, ३२७; १०.७८, ११.२४३	प्रतिग्रहम् १.८८; ३.१७९; ४.१८७; ८.१६५	प्रतिस्तेतः ११.७७
प्रजापतिम् १२.१२१, १२३	प्रतिग्रहरूपिः ४.१९०	प्रतीक्षरम् १०.१०५
प्रजापतेः २.२०१ [२२६]; ५.१५२	प्रतिग्रहात् ४.१९१; १०.१०३, १०९, ११२; ११.१९४	प्रतीतम् ३.३
प्रजापालनतत्पराः ९.२५३	प्रतिग्रहीतुम् ३.१४३	प्रतीचम् ४.२०६; १०.१७
प्रजासागः ९.४८	प्रतिग्रहे ४.१८७	प्रतीमानम् ८.४०३
प्रजाम् ३.२७७; ४.२१९, २२९	प्रतिग्रहेण ४.१८६	प्रतीमानाम् ९.२८५
प्रजायाः ९.१९५	प्रतिज्ञाते ८.१३९	प्रतुवान् ५.१३
प्रजावन्तम् ३.२६३	प्रतिज्ञाय ९.९९	प्रतोबः ३.४४
प्रजाविशद्वयर्थम् ९.९	प्रतिज्ञाहम् ११.२२५	प्रतोबम् ५.९९
	प्रतिनिधिः ११.२९	प्रतोदेन ४.६८
	प्रतिपम् १२.२८	प्रत्यक्ष० १२.१०९
	प्रतिपुण्याः २.१८५ [२१०]	प्रत्यक्षम् ८.४०२; १२.१०४
	प्रतिबुद्धः १.७४	प्रत्यम् १.१४० [२.११]
	प्रतिभागम् ८.३०७	प्रत्यगिन् ४.५२
	प्रतिभाष्यम् ८.१५९	प्रत्यङ्गवर्तिनाः ८.२०८
	प्रतिधुवि ८.१६१	प्रत्यङ्मुखः २.२७ [५२]
	प्रतिधुः ७.१७; ८.१५८, १६२, १६९	प्रत्यभिवादनम् २.१०१ [१२६]
		प्रत्ययसिद्धानि ८.१७८
		प्रत्यवरः १०.१०९

प्रत्यवायेन	४.२४५	प्रमत्तः	४.४०	प्रविभक्तते	९.२१८
प्रत्यहम्	३.६९; ७.११८, १२५; ८.३; ९.२७	प्रमत्तम्	९.७८	प्रविधानः	१.६६
प्रत्यवेशाय	८.३३४	प्रमत्तस्य	११.२१५	प्रवृत्तान्	८.३५२
प्रत्युक्ता	२.९४ [११९]	प्रमत्ताम्	३.३४	प्रवृत्तानाम्	३.१२
प्रत्युदितम्	९.३१	प्रमत्ता	२.१८९ [२१४]	प्रवृत्तिः	५.३१, ५६
प्रत्येकम्	७.१५७	प्रमत्तासु	२.१८८ [२१३]	प्रवेदिभिः	९.२६७
प्रथमकल्पस्य	११.३०	प्रमाधतः	२.२१ [४६]; ८.१३७	प्रज्ज्यासु	५.८९
प्रथमकल्पितम्	९.१६६	प्रमाधम्	१.६८, १३२ [२१३३]; ८.३२; ११.८४	प्रजितः	८.४०७
प्रथमम्	२.२५ [५०], १६९ [१९४]	प्रमाधानि	७.२०३	प्रजितासु	८.३६३
प्रथमसाहसः	९.२८६	प्रमादः	१२.३३	प्रशस्ता	१.१२१ [२१२], ३.१२, ४७, २७६; ५.२२
प्रथमसाहसः	९.२८६	प्रमादये	११.१४०	प्रशस्ताकम्	२.१५८ [१८३]
प्रथमा	१२.४८	प्रमीतपीतवम्	९.६८	प्रशस्तेन	३.१२३
प्रथमे	२.१० [३५]	प्रमीतस्य	९.१६७	प्रशान्तम्	१२.२७
प्रथिता	३.१२७; ८.१३१	प्रमृतम्	४.५	प्रशान्तिताम्	१२.१२२
प्रथिजम्	२.२३ [४८], ३.८७	प्रमृतेन	४.४	प्ररनम्	८.५५, ९४
प्रथिजानि	४.३९	प्रयतः	२.१५८ [१८३], १६० [१८५], १९७ [२२२]; ३.२१६, २२६, २२८; ४.४९; ५.८६, १४५; ११.२४८	प्ररनिधायनम्	१.११५
प्रशक्ता	८.२०५	प्रयत्नतः	३.१२३, १४९, १६६; ६.९१; ७.९९, १५५, २०६; ८.३१०; ९.९, ३३३	प्रसवता	१२.४५
प्रशाने	३.१४७, २४०	प्रयत्नम्	७.६८, २२०	प्रसवितः	१.८९
प्रशायिनाम्	३.१५७	प्रयत्नेन	३.७९, २०६; ४.१६१; ५.६; ७.४५, ७.७१, १७२; ८.४१८; ९.७	प्रसङ्गम्	४.१८६
प्रधानतः	९.१५०	प्रयत्ता	८.२५८	प्रसङ्गनिमित्तये	८.३६८
प्रधानपुरुषैः	७.२०३	प्रयतारमनाम्	४.१४६	प्रसङ्गात्	९.८१
प्रधानम्	९.१२१	प्रयतारमा	४.१४५	प्रसङ्गेन	२.६८ [९३]; ४.१५; १२.५२
प्रधानस्य	९.१२१	प्रयातात्	१.१४० [२१२१]	प्रसङ्गैभ्यः	९.५
प्रधानाः	१२.४६	प्रयुक्तम्	८.४९	प्रसजम्	८.३३२
प्रधानानि	३.१८	प्रयोगः	१०.११५	प्रसजः	९.१४५
प्रपदैः	६.२२	प्रयोज्या	२.१३४ [१५९]	प्रसजम्	९.५५
प्रपाम्	८.३१९	प्ररोहिणः	१.४६	प्रसवे	३.२२
प्रपितामहम्	३.२२१	प्रसाधः	१२.६	प्रसादकम्	६.६७
प्रपितामहाम्	३.२८४	प्रसाधने	४.१५२	प्रसादे	७.११
प्रथम्	१.९	प्रसुप्तः	१.७४	प्रसाधनः	१०.३२
प्रमत्ताः	६.८७	प्रसृतयः	९.२४	प्रसाधनम्	२.१८६ [२११]; ४.१५२
प्रभावः	१.८४	प्रसृतस्य	३.१९	प्रसाधने	७.२२०
प्रभावतः	७.७	प्रसृतिः	९.३४, ३५; १२.९८	प्रसुप्तः	१.७४
प्रभावेन	१०.७२	प्रसृतिम्	९.७	प्रसृतम्	९.२४
प्रभुः	१.२२, २८, ३२, ९१, ९३; ४.१८२; ७.३, १८१, ९.१६३; १०.३; ११.३०, २४३	प्रसृतिम्	९.७	प्रसृतम्	९.२४
प्रभुजा	८.३१२	प्रसृतिम्	९.७	प्रसृतम्	९.२४
प्रभृति	९.६८	प्रसृतिम्	९.७	प्रसृतम्	९.२४
प्रभौ	१.३; ५.२	प्रसृतिम्	९.७	प्रसृतम्	९.२४

प्रहसन्	४.८३	प्रधान्तिकः	८.३७९	प्रासादवस्तरेषु	२.१७९
प्रहृतम्	३.७३	प्रधान्तिकम्	११.१४६	[२०४]	
प्रहृक्कृत्वा	२.५० [७५]	प्रधायायः	२.५८ [८३]	प्रिय०	३.११९; ८.१७३
प्रहृष्टये	३.२७४	प्रधायायाः	६.७०; ११.२४८	प्रियकरकम्	७.२०४
प्रह्वरः	७.१९६	प्रधायायान्	६.६९	प्रियताम्	५.५०
प्रह्वररथ	७.७४	प्रधायायेन	११.१४१, ११९,	प्रियद्वेष्यी	९.३०७
प्रह्वररथ	९.२८९	२०१		प्रियम्	१.१३१ [२१२२];
प्रकृतः	८.३३६	प्रधायायैः	२.५० [७५];	२.२०३ [२२८]; ४.१३८;	
प्रकृतम्	११.२४८	६.७२		९.९५	
प्रम्	२.३६ [६१]	प्रधायाये	११.८०	प्रियविद्योगान्	१२.७९
प्रहृन्मुखः	२.२६ [५१], २७	प्रधि०	४.११७	प्रियहिते	२.२१० [२३५]
[५२]		प्रधिवः	१.९६; ५.३०	प्रियेषु	६.७९
प्रहृन्मुखान्	८.८७	प्रधिनान्	१.२२; २.१४२	प्रिये	६.६२
प्रहृन्विनाकः	८.७९; ९.२३४	[१७७]; ५.४६, ४८; ७.११२		प्रीतः	३.१३१
प्रहृन्विनाकेन	८.१८१	प्रधिवी	३.१७५	प्रीतात्मा	१.६०; ९.१२९
प्रधीनाधीतिना	३.२७९	प्रधिविः	९.२२३	प्रीतिः	१२.२७
प्रधीने	२.३८ [६३]	प्रधिवद्यः	५.४८	प्रीतिकर्मीष	९.१९४
प्रधीन्	७.१८९	प्रधे	४.२३	प्रीतिपूर्वकम्	८.१८७;
प्रधकः	८.२९३	प्रधिलोभ्येन	१०.१६	९.१९३	
प्रधकस्य	८.२९३	प्रधिवेश्वरानुवेश्यी	८.३९२	प्रीतिम्	२.२२१ [२४६];
प्रधके	८.२९३	प्रधुक्तः	४.१०४	३.८२	
प्रधापत्यः	३.२१, ३०	प्रधुक्तेषु	४.१०६	प्रीतिसंयुक्तम्	९.१६८
प्रधापत्यम्	११.३८, १०५,	प्रधपात्	२.७० [९५]	प्रीतेन	९.१९५
१२४, २११		प्रधितम्	८.४३	प्रीत्य	८.१९६
प्रधापत्याम्	६.३८	प्रध्ते	३.१४९; ७.२	प्रीतानि	९.२०४
प्रधापत्ये	४.१८२	प्रधधत्तात्	८.४१२	प्रीतानाम्बन्धम्	२.१५४ [१७९]
प्रधः	२.९८ [१२३]; ३.११;	प्रधयः	११.४७	प्रीतानाधानम्	८.१४
४.१८७; ७.२६		प्रधयम्	९.३२३	प्रीतानाम्बन्धम्	९.८४
प्रधम्	७.१४१, २१०	प्रधयः	१२.२०, २१	प्रीतः	१२.७१, ७२
प्रधान्	७.६०	प्रधयिषत्	१.११६; ११.४४	प्रीतकृत्या	३.१२७
प्रधेन	९.४१	प्रधयिषत्तम्	२.११६	प्रीतधूनः	४.६९
प्रधजतिः	२.१६७ [१९२]	[२२१]; ९.२३६, २४०;		प्रीतनिर्घातकः	३.१६६
प्रधवाधम्	४.५४	११.४५, ४७, ४३, १२९,		प्रीतम्	४.६८, १०१, १०३
प्रधवाधाधयेषु	४.५१	१९२, २०३, २०९, २४७		प्रीतवत्	११.१८३
प्रधमुतः	८.२९५	प्रधयिषत्तविधम्	१०.१३१	प्रीतशुद्धिम्	५.५७, १००
प्रधमुत्सु	८.२९६	प्रधयिषत्तस्य	११.२६६	प्रीतस्य	५.६४
प्रधम्	४.२३; १२.१२३	प्रधयिषत्तार्थम्	११.२२४	प्रीतहारिः	५.६५
प्रधयानिमात्रः	६.५७	प्रधयिषत्ते	११.१८६	प्रीतान्	४.२१७
प्रधस्य	४.२८; ६.७१	प्रधयिषत्तैः	११.४६	प्रीतान्	३.२३०; ४.९१;
प्रधा २.९५ [१२०]; ७.११२		प्रधात्	१२.७७	१२.५९	
प्रधानाम्	४.२७; १०.१०६	प्रधेय	७.१२३	प्रीते २.२२२ [२४७]; ५.८२,	
प्रधानम्	४.२८, १४३;	प्रधिशतम्	३.७३, ७४	१४८, १५७; ८.१६०, १६१;	
११.७९, १४९		प्रधिशतानिः	२.३७ [६२]	९.२०४	
प्रधानान्	८.३५९	प्रधावम्	७.१४२	प्रीत्य०	३.२४२; ८.२९९

श्रेयस्जनस्थ	७.१२५	फलमुत्तमम्	७.१८२	बलिः	३.७०, ७४
श्रेयस्तमम्	१२.७८	फलभूते	१०.८७	बलिकर्म	३.९५
श्रेयस्तमुत्तमम्	२.७ [३२]	बकः	१२.६६	बलिकर्मणा	३.८१
श्रेय्याम्	८.१०२	बकम्	५.१४; ११.३५	बलिनम्	७.१७५
श्रेय्यात्	८.३६३	बकवत्	७.१०६	बलित् ३.८७, ८९, ९०, ९१,	
श्रेय्यम्	५.११५	बकवृत्तीम्	४.३०	१०८, १२१; ६.७, ३४;	
श्रेय्यात्	५.१२२	बकव्रतचरः	४.१९६, १९७	७.८०; ८.३०७, ३०८;	
श्रेयितम्	५.२७	बकव्रतिके	४.१९२	९.२५४; १०.११९	
श्रेयिताः	९.७६	बहस्य	४.२१०	बलिरोवम्	३.९१
श्रेयिते	९.७५	बधिरान्	७.१४९	बले	१२.१२१
श्रीदण्डः	४.११२	बन्धी	३.१५८	बलेन	७.१७२; ८.४९
श्रीष्ठपञ्चाम्	४.९५	बन्धनः	८.३६०	बलितम्	८.२३४
प्लवः	१२.६२	बन्धन०	१२.७५	बहिष्कृत्यः	२.७८ [१०३]
प्लवम्	५.१२; ११.१९	बन्धनम्	१०.४९	बहुकस्यान्वम्	३.५५
प्लवेन	४.१९४	बन्धनवधक्तेरान्	५.४६	बहुत्वम्	८.७३
प्लुतः	२.१०० [१२५]	बन्धनाग्नि	९.२२८; १२.७८	बहुवेयम्	३.२५९
प्लवहृन्म०	७.७२	बन्धुः	२.१११ [१३६],	बहुपत्नः	११.१२
फल० १.४६, ६.७, १३, २५,		९.१५८; १२.७९		बहुपुष्पफलोपनाः	१.४६
९७; ११.१४२; १२.१, ६७,				बहुमध्यमात्	९.१९९
८२				बहुरूपेन	१.४९
फलककमत्तः	१.४६	बन्धुका	८.७०	बहुभुतम्	४.१३५; ८.३५०
फलकतेन	५.१३०	बन्धुभिः	२.१२९ [१५४];	बहुतीक्षिते	८.३७१
फलपुष्पेष्टवसानम्	११.१४३	८.१८६		बहुनाम्	५.११८
फलभाक्	१.१०९	बन्धुम्	३.१४८	बहुवयः	८.७७; ९.१९
फलभागिनः	३.१४३	बन्धुवत्	५.१०१; ९.११०	बह्वीः	१०.१०७
फलम्	२.१३५ [१६०];	बन्धेन	८.३१०	बह्वीम्	९.१४८
३.१२९, १३९, १४२, १७६,		बह्व्यः	४.१३०	बह्वेनाः	११.२५४
१७७, १७८; ५.५४; ६.६७,		बहिर्जनम्	११.१३५; १२.६५	बाजराग्रे	४.११३
८२; ७.८६, २०६; ८.१५६;		बहिर्भवः	३.१९६, १९९	बाधमानम्	९.२४८
९.४९, ५१, ५२, ५४,		बहिष्कृतम्	३.२०८	बाग्धवत्यानः	११.६२
१६१; ११.५, ८, २८,		बलकृतान्	८.१६८	बाग्ध्याः	३.५२; ४.१८३,
३०; १२.३, ८१		बलम्	२.३० [५५], ९६	२४१; ५.५८, ६८, ७२;	
फलमूलाविकलाशनाः	११.२३६	[१२१]; ४.४१, ४२, २१९;		९.१५९	
फलमूलाश्विः	५.५४	७.१७०, १७३, १८५, १८८,		बाग्धसन् ३.२६४; ५.१०१;	
फलवन्तः	१.४७	१९४; ८.१७१; ११.२४०		८.९७	
फलानि ३.२२७; ६.१३, १४,		बलवत्तरम् ७.१७३; ११.३२		बाग्ध्वीः	४.१७९; ५.७०;
१५, १६		बलवत्तराः	७.२०	८.१६६; ११.१८२, १८३	
फलिनः	१.४७	बलवान्	२.१९० [२१५];	बातः २.१२५ [१५०], १२८	
फलेन	६.५; ७.१२८	१.७६		[१५३], १८३ [२०८];	
फलैः	३.८२; ६.२१	बलस्य	७.१६७	४.१७९; ७.८; ९.२३०,	
फलैद्यः	११.७०	बलाक	१२.६३	२३२, २८३	
फलोदयः	३.१६९; १२.३०	बलाकम्	५.१४; ११.१३५	बालध्यान्	११.१९०
फलः	६.१६	बलात् ८.१४४, १६८, ३७८;		बालवाय०	८.२७
फालकृष्टे	४.४६	१२.६८		बालधनम्	८.१४९
		बलास्थितम्	२.६ [३१]		
		बलाभिः	२.१२ [३७]		

वातभावात्	८.११८	बीजयोम्योः	९.५६	ब्रह्मचर्यम्	२.२२४ [२४९]
वातम्	२.१२८ [१५३]	बीजलक्षण०	९.३५	ब्रह्मचर्ये	५.१६०
वातया	५.१४७	बीजवन्तः	९.४९	ब्रह्मचारिगतम्	५.१२९
वातवासा	११.९२	बीजस्य	९.३५	ब्रह्मचारिणः	२.१६ [४१];
वातवृद्धः	८.७१, ३१२	बीजात्	९.५२	३.१९२; ५.१६०	
वातवृद्धी	८.३५०, ३९५	बीजानाम्	३.३०	ब्रह्मचारिणाम्	५.१३७
वातवृद्धकृशातुराः	४.१८४	बीजाणि	९.३८	ब्रह्मचारिणी	५.१५८
वासाः	९.२४७	बीजार्यम्	९.५३	ब्रह्मचारिणे	३.९४
वासात्	२.२१४ [२३९]	बीजिनाम्	९.५२	ब्रह्मचारी	२.१५० [१७५],
वासातपः	४.६९	बीजी	९.५१, ५३	१५६ [१८१], १५८ [१८३];	
वासानु	८.२३४	बीजोत्कृष्टम्	९.१९१	३.५०, १८६; ४.१२८,	
वासिनाः	३.१७६; ११.३६	बुद्धिः	१.१०६; २.१६७	६.२६, ८७; ११.८१, १५८,	
वासिरथात्	८.१२१; ११.२१	[१९२]; ५.१०९		२२४	
वासुक्	८.२४०; १२.७६	बुद्धिजीविनः	१.९६	ब्रह्मजन्मः	२.१४५ [१७०],
वासे	५.७८	बुद्धिमत्सु	१.९६	१२१ [१४६]	
वासेन	८.७०, १६३	बुद्धिमान्	४.१३६; ९.२२७;	ब्रह्मजः	१.९३; २.४९ [७४],
वास्य	५.१४८	११.१७२		५६ [८१], १४८ [१७३],	
वाहु०	१.३१, ८७; ४.१७५	बुद्धिबुद्धिकराणि	४.१९	२०१ [२२६], २१९ [२४४];	
वाहुभुष्येन	७.७१	बुद्धिस्वरूप्यम्	४.१८	८.११	
वाहुबलाभितम्	९.२५५	बुद्धीश्रियाणि	२.६६ [९१]	ब्रह्मजाः	२.११९ [१४४];
वाहुभ्याम्	४.७७	बुद्धी	१२.१०	११.१९२	
वाहुवीर्येण	११.३४	बुधः	४.५९, २०४; ७.२१४;	ब्रह्मणि	६.८१
वाह्यः	१०.३०	८.१११		ब्रह्मततः	९.३२१
वाह्यम्	१०.३०	बुधाः	१.१४१ [२।२२],	ब्रह्मतेजोमयम्	७.१४
वाह्यतरम्	१०.३०	३.१२३; ७.१८, २१०;		ब्रह्मवः	२.१२१ [१४६];
वाह्यतरान्	१०.३१	११.२०, ४५		४.२३२	
वाह्यः	१०.३१	बुधैः	३.१०९; ११.२३४;	ब्रह्मवानम्	४.२३३
वाह्यान्	१०.२९	१२.१२		ब्रह्मवायहरम्	३.३
वाह्यानाम्	१०.३९, ६२	बुभुक्षितः	१०.२०५	ब्रह्मवातोः	२.१२१ [१४६]
वाह्येषु	१०.२८	वैजिकम्	२.२ [२७]	ब्रह्मवेयात्मसम्मानः	३.१८५
वाह्यैः	८.२५	वैजिकत्	५.६३	ब्रह्मविद्	३.१५४
विद्यातः	११.१५९	वैद्यालवृत्तिकः	४.१९५	ब्रह्मधर्मविद्	३.४१
विन्धवः	५.१४२	वैद्यालवृत्तिके	४.१९२	ब्रह्मपूजिता	८.८१
विन्ः	७.३३	वैद्यलवृत्ताशी	२.२० [४५]	ब्रह्मपूताः	५.९३
विलीकवधः	१०.४९	वध्यस्य	४.२३१, ९.१३७	ब्रह्मपूयाय	१.९८; १२.१०२
बीज०	१.४६, ४८; १०.७२	ब्रह्मः	१.२३; २.५५ [८०],	ब्रह्मयज्ञः	३.७०
बीजक्षेत्रे	१०.७०	५७ [८२], ५८ [८३], ५९		ब्रह्मयोनिः	१०.७४
बीजतः	९.१८१	[८४], ९१ [११६], १४७,		ब्रह्मविदेशः	१.१३८ [२।१९]
बीजभूतः	९.३३	[१७२]; ४.९९, १००, ११०,		ब्रह्मलोकम्	२.२०८ [२३३]
बीजम्	१.८, ५६; २.८७	१११, ११४, १४९, ६.७९,		ब्रह्मलोके	४.२६०; ६.३२
[११२]; ३.१४२; ९.३४, ३५,		८३, ८५; ९.३१६, ३२०,		ब्रह्मलोकेशः	४.१८२
३६, ३७, ३९, ४०, ४२, ४३,		३२२; ११.८४, ९७, २६५;		ब्रह्मवर्चस्वमस्य	२.१२
५१, ५४, १४५; १०.७०, ७१,		१२.६०, १२३, १२५		[३७]	
७२		ब्रह्मघ्नः	८.८९	ब्रह्मवर्चसम्	४.९४, २१८

ब्रह्मवर्षस्विनः	३.३९	[४५], ६२ [८७], ११०	८.४०७; ९.१८८, ३१९;
ब्रह्मवर्षिनः	४.९१; ६.३९;	[१३५], १३७ [१६२]; ३.१७,	१०.७४; ११.१९३; १२.५६,
११.१२०		६३, ८४, ९३, १००, १०२,	१०८, १०९
ब्रह्मवर्षिणा	२.८८ [११३]	१६८, २१०; ४.२०५, २४५;	ब्राह्मणात् ९.३१३; १०.८,
ब्रह्मवर्षिणिः	४.१९९	६.३८; ८.३७, ११२, १२४,	१५, ६४, ६६, ७७
ब्रह्मवर्षिषु	११.४२	२६८, ३४०, ३७८, ३८३,	ब्राह्मणावशिनः १०.४३
ब्रह्मवर्षास्तोष्यतिध्याम्	३.८९	४११, ४१२, ४१७; ९.८७,	ब्राह्मणानाम् १.८८; ४.५८;
ब्रह्मवर्षिनः	१.९७	१७८, २४५, ३१७, ३३५;	५.२७, १२७; ७.८८; ९.२६८
ब्रह्मवर्षवम्	९.३२०	१०.१, २, ३, ४, ६५, ८१, ८३	ब्राह्मणान् ३.१७८, २३३,
ब्रह्मवर्षम्	२.८१ [१०६]	९२, ९३, १०१, १०२, ११७;	२५८; ४.१६२; ७.३७, १४५,
ब्रह्मवर्षेण	४.९	११.२१, ३१, ३५, ३८, ४१,	२०१; ९.२४८, ३२०;
ब्रह्मवर्षिस्ताम्	४.२३२	६७, ८३, ८४, ९६, १००, १४९	१०.१२९; ११.४
ब्रह्मवर्षवर्षिताम्	११.१५९	ब्राह्मणवर्षम् ९.२३२	ब्राह्मणाय ३.९६; ४.१६५;
ब्रह्मवर्षेयसंपुक्तः	२.९१	ब्राह्मणजीविकाम् ४.११	९.३२७; ११.७६, १३५
[११६]		ब्राह्मणताम् १०.६५	ब्राह्मणार्थे १०.६२; ११.७९
ब्रह्मवर्षः	११.१०१, १२८	ब्राह्मणवर्षिण्यधिराम् ९.१५५	ब्राह्मणी ९.१९८
ब्रह्मवर्षि	९.२३७	ब्राह्मणवर्षिययोः ३.१४	ब्राह्मणीम् ८.३७६
ब्रह्मवर्ष्या	११.५५	ब्राह्मणवर्षियाध्याम् ८.२७६	ब्राह्मणे २.२१७ [२४२];
ब्रह्मवर्ष्या ११.५४, ७५, ८६		ब्राह्मणवर्ष्यम् ९.१८९	८.२७६; ९.२४४
ब्रह्मवर्ष्याम्	११.८१	ब्राह्मणवर्ष्यः ८.२०	ब्राह्मणेन १.१०३; २.२००
ब्रह्मवर्ष्यायाः ११.७९, १२६		ब्राह्मणवर्ष्ये ७.८५	[२२५]; ७.५८; ११.९५
ब्रह्मवर्षा ९.४९, ७२, २३५;		ब्राह्मणम् १.३१; २.८९	ब्राह्मणेण १.९७; ७.३२, ८३
१२.५५		[११४]; २.१०२ [१२७];	ब्राह्मणैः १.३०; ३.२१०,
ब्रह्मवर्षसंवेपु	५.२३	११० [१३५]; ३.१३०, १४९,	२४३; ५.२२२; ६.५१; ७.७५;
ब्रह्मवर्षा	१.९, ११, ५०;	२४३; ४.१३५; ८.९, ८८,	८.१, ३९१; ११.२९
८.२०९; १२.५०		१२३, २६७, ३५०, ३८०	ब्राह्मण्यम् ७.४२; ११.९७
ब्रह्मवर्षजलिः २.४६ [७१]		ब्राह्मणवर्षजस्यै ११.९३	ब्राह्मण्या ८.३७७
ब्रह्मवर्षजलिकृतः २.४५		ब्राह्मणवर्ष्यात् ८.३८१	ब्राह्मण्यात् ३.१७
[७०]		ब्राह्मणवर्ष्ये ११.८९	ब्राह्मण्याम् ८.३८२;
ब्रह्मवर्षिणमिकम् २.१३९		ब्राह्मणवर्ष्यस्तम् ८.३२५	१०.३०, ६६
[१६४]		ब्राह्मणवर्ष्यः ३.१२६	ब्राह्मणवर्ष्यान्धर्व-
ब्रह्मवर्ष्यासेन ४.१४९		ब्राह्मणवर्ष्य १.६८, १००,	ब्राह्मण्यम् ९.१९६
ब्रह्मवर्ष्ये २.४६ [७१]		१०१; २.७ [३२], ११ [३६],	ब्राह्मणम् १.७२, ७३; २.३४
ब्रह्मवर्ष्यम् १.१३६ [२.१७]		१३ [३८], २१ [४६], ४०	[५९]; ४.१८६; ७.२; ११.२१
ब्रह्मवर्ष्यात् १.१३८		[६५], १६५ [१९०]; ३.२४,	ब्राह्मण्यम् ३.७३, ७४
[१.१९]		११०; ४.१६७; ६.२, ३१,	ब्राह्मण्य २.१२५ [१५०]
ब्रह्मवर्ष्यस्तम् २.८१		७०, ९७; ७.८५; ८.३३८,	ब्राह्मणम् २.१५ [४०]
[१०६]		३७९, ४१३; ९.१४९;	ब्राह्मणीः २.३
ब्रह्मवर्ष्यता ११.५६		१०.८०; ११.११, ३३, ७९,	ब्राह्मणीपुत्रः ३.३७
ब्रह्मवर्ष्याः ३.२३१		२०४, २०६, २३५, २४२;	ब्राह्मणे ४.९२
ब्राह्मणः ३.२१, २७, ३९;		१२.९३	ब्राह्मणेन २.३३ [५८]
७.८२		ब्राह्मणवर्ष्यम् ११.१८; २६	ब्राह्मणैः ३.१५७
ब्राह्मणः १.९३, १००,		ब्राह्मण्याः १.९६, ९९, १०१;	वक्तव्यम् ९.२७८
१०४; २.१५ [४०], २०		३.१८६, २४२; ४.९१;	वक्तव्यवः ९.२७१

अवतम्	७.१२७; ११.७	अर्तारम्	५.१६१; ८.३७१;	आर्या	३.६०, ११३; ४.४३,
अवतवातः	८.४१५	९.९१		१८०	
अवतवि	११.१६	अर्तुः	५.१६४; ७.९४;	आर्या	३.१३, १४, ६०,
अवसे	११.१६	१.३०, ३२, ४६, ८६, ११६,		१०३; ४.१८४; ८.२९९,	
अक्षयवर्ति	५.२६	१९९		३१७, ४१६; ९.४६, ५७,	
अक्षपात्	५.४९	अर्तुर्बुधैः	९.२४	१४७	
अक्षये	११.१५६	अर्तुस्तोकम्	५.१६५; ९.२९	आर्यात्वम्	१२.६९
अक्षयभोज्यपक्षेरीः	९.२६८	अर्तुवृ	९.१५	आर्याम्	३.४; ४.२३२; ६.२;
अक्षयभोज्यापहरणे	११.१६५	अर्तुस्तर्पणः	८.४१७	७.७७; ८.३३५; ९.६, ८, ४४,	
अक्षयम्	३.२२७	अर्तुः	३.६०; ५.१४९; ९.२२,	५८, ९५	
अक्षयाचाम्	५.२३	१७६		आर्यायाः	९.७४
अक्षयान्	४.६३; ५.१८	अवतः	२.६७ [१२]; ९.५८	आर्यायावृ	३.१७३
अक्षयवक्ष्यम्	५.२६	अवतिः	२.१०४ [१२९]	आर्यायि	५.१६४
अक्षयेवृ	५.१७	अवत्	२.१०३ [१२८]	आर्यायै	११.१७२
अणः	९.२३७	अवनम्	६.६२; ११.१८७	आवसमाहितः	६.४३
अणवम्	१.२	अवान्	११.९९	आवप्रतिवृष्टिः	४.६५
अणवान्	१.६; १२; ८.१६;	अविध्यम्	१२.९७	आवम्	८.२४
१२.११७		अध्यम्	१२.९७	आवान्	१२.२४
अपिनी	२.१०४ [१२९]	अस्थ०	४.७८; ८.२५०	आवेन	४.२२७, २३४;
अपिनीम्	२.२५ [५०];	अस्थनः	८.३२७	६.८०; ७.१७१; १२.८१	
११.१७१		अस्थान	५.११	आवेवृ	६.८०
अपिप्यः	९.१९२, २१२	अस्थानि	३.१६८, १८१;	आवजम्	११.६९
अणम्	८.१४८	४.४५		आवभाषः	८.३६१
अणवुने	८.२९१	अस्थी	४.१८८	आवा	८.१६४; ९.३९, ३३२
अद्वैतारम्	९.२८९	अस्थीवृत्तेवृ	३.९७	आधित०	२.१७४ [१९९]
अद्व०	८.९०	आणः	७.१३०; ९.२११,	आधितेन	८.२६
अद्वैतवृत्ते	३.८९	२०४		आसताम्	११.२५
अद्वम्	४.१३९	आणवेयम्	३.२४५, २४६	आस्करम्	२.२३ [४८]
अज्ञः	९.२५८	आणम्	४.१; ५.१६९; ६.३३;	आस्वत्	१.७७
अज्ञानि	४.१७४	९.१४३; १०.११८		आस्वस्तम्	४.२४३
अज्ञानः	९.२२६	आणशः	१२.२२	अिक्षये	३.९४
अयः	६.३२	आणात्	८.२४३	अिक्षा	३.९४; ६.३४
अयम्	६.४०; ७.१८८, १८९	आणिकः	९.१८४	अिक्षाणि	६.७
अयत्	७.३, १५, २२;	आणिनी	९.५३, १६५	अिक्षावृ	२.२५ [५०]; ३.९५,
८.११८, १२०		आजये	४.६५	९६; ६.७, ५०, ५६	
अयावि	१२.७७	आजयै	३.२०२	अिक्षार्थी	८.९३
अयिः	११.११२	आण्डपूर्णाणि	८.४०५	अिक्षुकम्	३.२४३
अरहाजः	१०.१०७.	आण्डम्	५.११२	अिक्षुक्तः	८.३६०
अर्त्तिरि	३.१४८, १६०,	आण्डवाहनम्	१०.१४९	अिक्षुकीः	६.५१
१७४; ९.४, ३२		आण्डवान्	७.१३२; ७.३३१	अिक्षीत	७.६६
अर्त्तः	३.६०; ५.१६२;	आण्डवाकशशाः	९.२७१	अिक्षाजये	१०.५४
७.९५; ९.३, ६, ४५, १३५;		आनी	८.१३२	अिक्षाजये	४.६५
११.१७६		आणिपः	२.११३ [१३८]	अिक्षाजयेवृ	१०.५२

विज्जाम्	४.६९	वृत्तिः	१२.२०, २१	वृत्तकः	७.१२३; ११.६२
विज्जवृत्तता	१२.३३	वृत्ति १.७८; ३.१०१; ४.१२४;		वृत्तिकाम्	३.७२; ४.२२;
विज्जभृषाभिच्छुरैः	४.६७	७.२०८; ८.८६, ९९, २४१;		८.२४३; ९.३३२; १०.१२४;	
विज्जये	३.१८०	९.३७; ११.४७		११.१०	
वीतः	७.९४	वृत्तिवत्तम्	३.२४६	वृत्त्यम्	४.२४१; ९.३२४
वीतम्	७.९३	वृत्तिवत्ताः	४.१२८	वृत्त्येषु	३.११६; ७.६७,
वीतिः	११.२९	वृत्तिवत्तने	४.१०४	२२६	
वीरयः	४.२९	वृत्तिवः	४.२३०	वृत्त्यै	३.११२
वीर्यम्	७.६२	वृत्तिवैकल्यम्	११.८२	वृत्तिवृत्तः	७.३२
वीर्यवर्जकमिवम्	३.९	वृत्तिवः २.३७ [६२]; ४.८३;		वृत्तिम्	४.६०, ६८, १२२;
वीर्यवा	९.२६४	७.८		७.१७०, २१४; ८.८२;	
वृत्तमात्रे	४.१२१	वृत्तिवम्	२.११० [१३४]	११.११३	
वृत्तवत्तम्	३.११	वृत्तिम् १.१३; ४.४४, १८८,		वैतारम्	९.२८९
वृत्तशेषम्	३.२८४	२०६, २३०; ८.१००, २६४;		वैचकः	३.१६३; ९.२८४
वृज्यव्यक्ति	८.१४६	१०.८४		वैचक्यम्	९.२८०
वृज्यायः	२.१७० [१९४]	वृत्तिवत्तम्	१०.८४	वैचके	८.३२४; ९.२८६
वृज्याकम्	३.१७६	वृत्त्यै	८.३९	वैचके	७.१९८
वृषः	२.४१ [७६]	वृत्ती ३.२२६; ४.६८; ६.२२;		वैजचर्यम्	२.१६२ [१८७]
वृषि	२.१९१ [२१६];	९.३८		वैजचर्या	११.१४१
३.९२, २१४, २४४; ७.६;		वृषः १.४१; २.६९ [९४];		वैजचर्याम्	२.८३ [१०८]
८.१३१, ३८१		१२.१४		वैजयुक्	११.१७८, २४४
वृः २.४१; ४.१८९; ४.१३३;		वृषान्	८.३८१	वैजम्	२.२३ [४८], २४
६.१४		वृषाति	२.११२ [१३७]	[४९], २६ [४१], १४७	
वृत्तमात्रात्	१२.१७.	वृषिच्छम्	८.८	[१८२], १४८ [१८३]; ४.४;	
वृत्तम्	१.७, ९४; १२.९७	वृषिः	१.३६, ६३	६.२७, ४४; ११.१२२	
वृत्तयाम्	४.२१	वृषिकण्टकः	१०.२१	वैजारी	११.७२
वृत्तसंतारे	१.४०	वृषच०	३.४९	वैजहारः	११.२४७
वृत्त्यै	४.३९	वृषव्यक्तसत्तम्	८.३४७	वैजे	६.४४
वृत्तात्मा	४.१०९; १२.१२	वृष्यः	४.१३४	वैजेन	२.१६३ [१८८],
वृत्तानाम्	१.४२, ६४, ९६,	वृष्यः १.३४, ४९, ६०; ४.३;		११.१२३	
९९; २.१३४ [१४९]; ४.२;		१२.२, १२६		वैज्यम्	४.१२९; १०.११६
१४८; ४.४६; ६.४०, ६०		वृष्यम्	१.३२, ३४; ४.१	वैज्यम्	८.१४०
वृत्तानि १.१६, १८; ३.४०,		वृष्योः	३.१६	वैज्यम्	७.७९
८१; ४.४४; ७.१४, १०३;		वृत्तः	८.२१४	वैज्यम्	७.१४, २२, २३
८.३०६; ९.३७, ३११;		वृत्तकः	६.४४	वैजे	८.१००
११.२४०; १२.१४, २२, ९०,		वृत्तकध्यापकः	३.१४६	वैजेन	८.१४९
९१, ९९, १२४		वृत्तकध्यापितः	३.१४६	वैज्यम्	४.२४, १४०;
वृत्तान्	६.४२	वृत्तकेन	८.७०	१०.४२	
वृत्तावासम्	६.७७	वृत्तिः	८.२३१; १०.११६	वैज्यमात्	१०.९१
वृत्तिकर्मैः	३.४९	वृत्तिकृत्येषु	८.३९३	वैज्यमार्थम्	३.१०९; २२४,
वृत्तिव्यः	३.९०; ४.३२;	वृत्तिम्	९.३३२	२४३	
६.३९		वृत्त्यै	८.२३१	वैज्यवीयाः	३.१२४
वृत्तेषु ६.६६, ७३; १२.११,		वृत्त्यजनम्	११.२२	वैज्ये	४.४८
१४, ९१, १२४		वृत्त्यवृत्त्ये	११.७	वैज्यैः	४.४४

भोज्यम्	३.२२७; ४.२४	मनीषाम्	४.१११; ९.२८६	मद्युः	८.३२८
भोज्यान्त्रः	४.२४३	मण्डलस्य	७.१५४, १५६	मद्युक्त	३.२७३
भोज्ये	३.२४०	मण्डले	७.२०७	मद्युपर्क	४.४१
भोषावः	२.९९ [१२४]	मण्डूकः	४.१२६	मद्युपर्कम्	३.११९, १२०
भ्रातरः	९.१०४, ११८, १८५, २१२, २१४	मण्डूकम्	११.१३१	मद्युरा	२.१३४ [१५९]
भ्रातरम्	८.२७५	मतिपूर्वकम्	४.१६६	मद्युसर्पिण्याम्	३.२७४
भ्रातरि	९.१०८	मतिपूर्वम्	११.१४६	मध्यदिने	४.१३१; ७.१५१; ११.२१८
भ्राता २.२०० [२२५], २०१ [२२६]; ३.११; ४.१८४; ५.१५१; ८.११६, २९९		मतिम्	४.८०	मध्यदेशः	१.१४० [२।२१]
भ्रातुः ३.१७३; ९.५७, १४६; ११.१७१		मत्कुम्भम्	१.४०, ४५	मध्यमः	८.१३८, २७६; ९.२८४
भ्रातुर्भायि	२.१०७ [१३२]	मत्तः	८.६७, ११.९६	मध्यमम्	२.२०८ [२३३]; ३.२६२; ९.११३
भ्रातृभ्याम्	९.१८२, २०७, २१५	मत्तकृद्	४.२०७	मध्यमस्य	७.१५५; ९.११२
भ्रातृवत्तम्	९.९२	मत्तम्	९.७८	मध्यम्	१.१४० [२।२१]; २.२४ [४९]; ४.३७; ११.२३४
भ्रातृभिः	३.५५	मत्ताम्	३.३४	मध्यम्	१२.३, ४१, ४३, ४६
भ्रातृमातृपितृक्रान्तम्	९.१९४	मत्था	४.२२२; ५.१९	मध्यमी	८.१२०
भ्रातृम्	९.१०८, २१३	मत्तरी	२.१७६ [२०१]	मध्यमवः	८.१३४
भ्रात्रा	४.१८०	मत्स्यघातः	१०.४८	मध्यरात्रिः	४.१०९
भ्रात्ररी	३.१६१	मत्स्यमात्सेव	३.२६८	मध्यस्तावतः	९.२४१
भूचट्टा	४.२०८	मत्स्याः	१.४४, १३८	मध्यस्तावत्तम्	८.२६३
भूचट्टम्	११.२४८	[२।१९]; १२.४२		मध्यस्वानाम्	९.२७२
भूचट्टा	८.३१७	मत्स्यादः	५.१५	मध्यस्थानम्	७.२१६
भकराभ्याम्	७.१८७	मत्स्यावाङ्	५.१३	मध्यस्थे	१.१३, ७.७६, ११४
भकरम्	२.५१ [७६]	मत्स्यानाम्	१.३९; ४.२५०; ५.१४, १५, ७.२०, ११३	मध्यः	१२.३०
भक्षिकः	१.४०, ४५	मत्स्यानाम्	८.३२८	मध्याह्नतः	११.९
भक्षिकव	५.१३३	मत्स्यानि	८.९५	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
भक्षान्	२.११८ [१४३]	भनः	७.४७	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
भक्षैः	४.२४, २६	भनमोहितः	११.९६	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
भक्षस्तु	३.२७३	भनिराम्	११.१४८	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
भक्षस्तम्	२.९ [३४]	भन्युः	१२.६३	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
भक्षस्ताचारः	४.१४५, १४६	भन्युनाम्	१०.४८	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
भक्षस्तावेष्टवृत्ताः	९.२५८	भन्यवः	३.१५९; ११.६६	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
भक्षस्तार्त्तम्	५.१५२	भन्यव	९.८०	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
भक्षस्त्यम्	२.६ [३१], ८ [३३]	भन्यवडिस्थिताः	११.१४७	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
भक्ष्ता	३.१८२; ५.१३५	भन्यम्	९.८४, ८९; ११.१५	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
भक्ष्युत्ताप्रक्षालः	९.३२९; ११.१६७; १२.६१	भन्यनाम्	८.३२९	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
भक्ष्यम्	४.२५०	भन्युत्ताप्रक्षालम्	११.७०	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
		भक्षे	५.५६	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
		भक्षेन	११.१७	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
		भक्षिः	५.१२३	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
		भक्षुः	२.८२ [१०७], १५२ [१७७]; ३.२२६, २७२; ४.३९, २४७; ६.१४; १०.८८; ११.१५८; १२.६२	भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
				भनः	१.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], ११८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८

५.५५; ९.१८०; १०.७०;	मन्त्रम् ७.५८, १४८, १५०	महती ७.८
१२.४०	मन्त्रवत् २.४ [२९], २.३९	महत ३.६६; ८.१२८, २८६;
मनीषिणा ९.२०२	[६४]; ३.२१७	९.२९५, ३१७, ३२७
मनीषिणिः १.१३३ [२।१५],	मन्त्रवर्जम् १०.१२७	महत्सु ८.२९६
२.१६५ [१९०]; ५.१११,	मन्त्रवित् ३.१३१	महर्षयः १.१
८.१२२	मन्त्रसंस्कारकृत ५.१५३	महर्षिः १.४, ६०; ४.२५७;
मनुः १.३६, १०२, ११८,	मन्त्रसम्पूजनार्थम् ३.१३७	६.३२
११९; ३.१५०, २२२,	मन्त्राः ८.२२६, २२७	महर्षिभिः ३.६९; ८.११०;
४.१०३; ५.४१, १३१,	मन्त्रान् ५.८६	९.३१; ११.२९, २२१
६.५४; ७.४२; ८.१२४,	मन्त्रिभिः ७.१४६, २१६;	महर्षीन् १.४, ३४, ३६; ५.३;
१६८, २०४, २४२, २९२,	८.१	१२.२
३३९; ९.१७, १५८, १८२,	मन्त्रेषु ९.६५	महाकुलीनम् ८.३९५
१८३; १०.६३, ७८	मन्त्रैः १.१३५ [२।१६],	महासत्ताः १०.१०७
मनुना १.६० १.१२६ [२।७],	५.३६; ७.२१७; ९.१८,	महातेजा १.६२
३.३६	२२६, २५६	महात्मनाम् ५.१
मनुम् १.१; १२.१२३	मन्त्रश्लेष ९.२३	महात्मनि १.५४
मनुष्यः ७.८	मन्त्र्यम् ८.३५१	महात्मभिः १.४, ४१
मनुष्यत्वम् १२.४०	मन्त्रन्तरम् १.७९	महात्मानः १.६२
मनुष्यकारणे ८.२९६	मन्त्रन्तराभिः १.८०	महाद्युतिः १.८७
मनुष्याः १.४३	मन्त्रजन्मनी ५.७९	महानरकम् ४.८८
मनुष्याणाम् ८.२८६; ९.६६,	मन्त्रम् ६.४५	महानिधिः ४.१२९
११.१६३; १२.९४	मन्त्रात् ११.२९	महान् २.१२९ [१५४];
मनुष्याम् १.३९, ८१;	मन्त्रीष्यः १.५८	३.५३; १२.१४, २४, ५०
३.११७	मन्त्रीष्यवः १.५६; ३.१९४	महान्तम् १.१५
मनुष्येषु १०.४२	मन्त्रीभिः १.३५	महान्ति १.१८; ३.६;
मनोः १.६१; ३.१९४;	मरुतः ११.२२१	११.५४
६.३५, ३६; ८.१३९, २७९;	मरुतव्यः ३.८८	महापक्षे ९.१७९
९.२३९;	मर्कटः १२.६७	महापशूनाम् ८.३२४
१२.३, ४	मर्त्यानाम् १.८४; ५.९७	महापतकजानि ११.२४५
मनोबन्धः १२.१०	मर्द्याशमेदकः ९.२९१	महापतकसंयुक्ता ११.२४७
मनोबुद्ध्या ५.१०४	मलम् २.७७ [१०२],	महापतकिभिः ९.२३५,
मनोबन्धकर्मभिः २.२११	४.२२०; ११.९३, १०१,	२४३; ११.१०७, २३९;
[२३६]	१०७	१२.५४
मनोवाक् ९.२९	मलाः ५.१३२, १३५; ६.७१	महाकलम् ३.१२८
मनोवाग्बेहसंयता ५.१६५	मलानाम् ५.१३४	महाकला ५.५६
मनोवाङ्मूर्तिभिः ११.२३१,	मलबहम् ११.७०	महाकायम् ११.२४४
२४१	मलिनीकरणीयेषु ११.१२५	महाकायाः ३.१९२; ९.२६
मनोहरम् २.८ [३३]	मल्लः १०.२२	महाभूत० १.६
मन्त्रश्लेषे ७.१४९	मल्लः १२.४५	महाभ्रात्रा ९.२४९
मन्त्रज्ञैः ८.१	महाकम् १.४५	महायज्ञक्रिया ११.२४५
मन्त्रतः ३.६५, ६६	मल्लकम् ११.४३	महायज्ञविधानम् १.११२
मन्त्रवः २.१२८ [१५३]	महतः २.५४ [७९]; ३.९८	महायज्ञाः ३.६९
मन्त्रवत् २.१२८ [१५३]	महता २.१९६ [२२१]	महायज्ञान् ४.२२; ६.५
मन्त्रवर्तिभिः ३.२१२	महति ७.७७	महायज्ञैः २.३ [२८]

महायन्त्रप्रवर्तनम्	११.६३	मातामहम्	३.१४८	मानवस्य	१२.१०७
महारीरवरवी	४.८८	मातामहाय	९.१३२	मानवाः	१.१३९ [२।२०];
महावीथिम्	४.८९	मातामहयः	९.१९३	७.६६; ८.४२, ३१८; ९.९६,	
महाव्याहृतयः	२.४६ [८१]	मातुः	२.२५ [४०], १०८	२४६, ३०९	
महाव्याहृतिभिः	११.२२२	[१३३], १४४ [१६९]; ३.५;		मानवान्	९.२२५; ११.३१
महाशस्त्रः	३.२७२	५.६२, १०१; ९.४, १०४,		मानवैः	८.२११
महाह्वम्	११.२६३	१३१; १०.५९; ११.१७१,		मानसः	२.६० [८५]
महिषी	९.४८	मत्तुलः	४.१७९	मानसम्	१२.५, ८
मही	४.२३३	मत्तुलम्	३.१४८	मानसीः	१२.९
महीपिता	७.८९	मत्तुलाम्	२.१०५ [१३०];	माकर्हः	२.११२ [१३७]
महीतलात्	४.१६८	३.११९		मन्व०	१.६५; ४.१२४
महीतले	११.२०७	मातुलावी	२.१०६ [१३१]	मानुषाः	१०.८६
महीवर्षम्	७.७०	मातुले	४.८१	मानुषे	७.२०५
महीपतिः	७.४६, १३८,	मत्तुकम्	९.९२, १९२	मानुषेयु	९.२८४
१४०, १८२;	८.३४२;	मातुजात्याम्	१०.२७	मान्यस्थानाणि	२.११ [१३६]
९.२९८; ११.२२		मातुतः	९.१२५	मान्दी	२.११४ [१३९]
महीम्	३.१३४; ९.६७	मातुबोच०	१०.६	मायवा	७.१०४
महेन्द्रः	७.७	मत्तुबोचात्	१०.१४	मायाभिः	१.८२
महोद्यधिः	९.३१४	मत्तुपितृत्वात्	११.५९	मायाम्	७.१०४
महोदयम्	७.५५	मत्तुभवत्या	२.२०८ [२३३]	मायचम्	५.३८
महोजसः	१.६१	मत्तुमातुली	४.१८३	मासीचाः	३.१९५
महोजसी	१२.१८	मत्तुवत्	२.१०८ [१३३]	मास्तः	९.३०६
माद्य	१०.११, २६	मातुष्यस्त	२.१०६ [१३१]	मास्तम्	९.३०६; ११.१२१
माद्यधिवेही	१०.१७	मात्रा	१.२७; २.१९०	मास्ते	४.१२२; ११.११३
माद्यधानाम्	१०.४७	[२१५]; ७.४		मासम्	४.१७८; ७.१८५,
माद्यशुक्लस्य	४.९६	मात्राव्यः	१.१९; ७.५;	१८७	
मातरम्	२.२५ [४०];	१२.१६		मासवम्	१०.३४
४.१६२; ५.९१; ८.२७५		मात्राम्	३.२१९	मासशीर्षे	७.१८२
मातरि	९.२१७	मात्रासंगात्	६.५७	मासै	९.२८८
माता २.१०८ [१३३], ११९		मात्राम्	१.१६	मासवु	८.३; ९.२४०
[१४४], १२० [१४५], १२१		मातृपार्किकम्	९.२०६	मासव०	५.१२२
[१४७], १४५ [१७०], २००		मातृकम्	१०.३३	मासवम्	५.११६
[२२४], २०१ [२२६], २०६		माध्यस्थम्	४.२५७	माजरीः	४.१२६
[२३१]; ८.३३५, ३८९;		माघी	११.९४	माजरीनकली	११.१३१
९.२०, ११०, १६८, २१७		मानम्	२.१८३ [२०८];	माजरीलिङ्गिनः	४.१९७
मातापितरौ २.२०२ [२२७];		४.१६३		मात्स्यम्	२.१५२ [१७७];
९.१३३		मानयोनम्	९.३३०	४.७२	
मातापितृभ्याम्	४.१८०;	मायवः	१.१२८ [२।९];	मायः	८.१३४
९.१७१		३.१४०; ५.३, ३५, ७७;		मायकम्	८.३९२, ३९३
मातापितृविहीनः	९.१७७	८.३५, १५८, १८०, २२५,		मायम्	८.३१९
मातापित्रा	३.१५७	३६७; ९.१०६; ११.१८१,		मायिकः	८.२९८
मातापित्रोः	५.६२; ९.१७४,	२१०, २४३; १२.२, ११.६१		मायैः	३.२६७
११७		मानवम्	१२.१२६	मांसः	३.१८२; ६.७६
मातामहः	९.१३६	मानवर्धनम्	९.११५	मांसत्वम्	५.५५

मृदुपरिचर्जनात्	५.५४	मितमुक्	११.७५	मुद्राः	९.३९
मृत्तमन्त्रे	५.५६	मितम्	११.७०९	मुद्रयः	१.११०
मृत्तमेता	८.२८४	मित्र०	१२.७९	मुनिः	१.५९; ५.५४; ६.२५, ४१, ४३; ९.९१, ४०७
मृत्तम्	२.१५२ [१७७]; ३.२४०, २४७, २६७; ४.२७, २४०; ५.१५, २७, ३२, ३३, ३५, ४८, ४०, ५५, १३१; ६.१४; १०.८८; ११.९५, १५२, १५८, २५४; १२.६३	मित्रवरणात्	८.३४७	मुनीन्	१.५८; ७.२९
मृत्तमिच्छयिषः	३.१५२	मित्रद्वयः	८.८९	मुन्यन्तम्	६.१५
मृत्तमिच्छाः	५.३३	मित्रयुक्	३.१६०	मुन्यन्तमि	३.२५७, २७२
मृत्तस्य	५.२६, ३१, ४९, ५५; ९.३२९	मित्रप्रदानानि	३.१३९	मुन्यन्तः	६.३
मृत्तात्	५.१५	मित्रम्	३.१३८, १४४; ७.१५८, २०६, २०८;	मुत्तमः	३.८८; ५.११७; ८.३१५; ११.१००
मृत्तानि	३.२२७; ५.५३;	१२.१२१		मुत्तमः	१.६४
११.१५५		मित्रस्य	७.१६४, १६६	मुत्तमै	२.५ [३०]; ४.९२
मृत्तानाम्	५.७३	मित्रात्	७.२०७	मुक्	७.१४९
मृत्तेन ३.२६९, २७०, २७१; १०.९२		मित्रे	७.१८६	मुक्	३.२४९
मृत्तः	१.६६; ३.१२२;	मित्रेष	७.१६५	मुक्तेन	७.३०
६.१८, १८		मित्रोवासीनशत्रवः	७.१७७, १८०	मुक्ते	५.१३५; ६.७६
मृत्तुल्याभिः	५.६६	मिथ्या	८.५९; ९.२८४	मुक्तीनाभि	११.१५४
मृत्तम् ११.४१, १०८, १२५, ११४, २५६		मिथ्यावादी	८.४००	मुक्ते	४.४५, ४६; १५१, २२२; ५.१३८; ८.३७५, ३८४
मृत्तस्य	८.१४२	मिथ्याचिनीतः	४.१९६	मुक्ते	५.१२३
मृत्तात्	२.५४ [७९]; ८.१४०; ११.२४८	मिथ्याकः	११.५०	मुक्तेष्वारस्तमुत्तमम्	४.५०
मृत्तान्	३.२६८, २७०; ४.९५; ९.७८, ३०४, ३०५; ११.१०६	मिथ्यान्	३.२७३	मुक्ताः	१२.११५
मृत्ति २.९ [३४], ९ [३४]; ६.१५; ७.१८२; ८.२४५		मिथ्या	३.२६	मुक्तेः	४.७९
मृत्तिकः	७.१२६; ११.१५७	मीनाहिमहिषस्य	११.६८	मृत्तयः	१२.१५
मृत्तिकम्	३.१२३; ५.१४०	मीमृत्तित्वा	४.२२४	मृत्ति०	१.१९
मृत्तिमानि	७.१३८	मृत्तकेशम्	७.९१	मृत्तितः	१.५५
मृत्तेन	५.८३; ११.२२०	मृत्तकेशोन	८.३१४	मृत्तिन्	१.१७, ५६
मृत्तेषु	८.४०३	मृत्तम्	३.२२५	मृत्तिभिः	१२.१२४
मृत्तेः	११.११५	मृत्तस्य	६.४४	मृत्तिषु	१२.१२०
मृत्ती	३.२६८; ७.१८२;	मृत्ताम्	१२.६१	मृत्तिः	१.९८; २.२०१
११.१०९		मुखावाहूलपञ्चानाम्	१.३१; १०.४५	[२२६]	
मृत्तान्तिके	५.९४	मुखावाहूलपतः	१.८७	मृत्तययाः	१.१७
मृत्तान्तम्	५.९	मुखम्	१.९२; २.३५ [६०], ५६ [८१], १६७ [१९२]; ५.१३९	मृत्ते	३.८२; ६.५, ७, १३, १५, २१, २५, २६
मृत्तान्तिकः	३.१६६	मुखे	७.८४	मृत्तकर्म	११.६३
मृत्तान्तम्	११.२४९	मुखेन	४.५३	मृत्तकर्मणि	९.२९०
		मुखाः	३.२००; ५.१४१; ८.२१०	मृत्तके	८.३४१
		मुखानाम्	८.३२३	मृत्तकानाम्	८.२६०
		मुखे	१०.६०	मृत्तप्रणिहितः	१.२६९
		मुखावाहणे	२.१८ [४३]	मृत्तकम्	४.२४७; ८.३३९
		मुखाः	२.१९४ [२१९]; ८.९३	मृत्तकलेन	३.२६७
				मृत्तम्	१.११०; ७.४९, १३९, १५६; ८.२०२; ११.८३

२३४; १२.६७	मृत्युः	१२.८०	मोक्षम्	१.११४; ६.३५, ३७	
मूलव्यसनवृत्तिमान्	१०.३८	मृत्योः	७.५३	मोक्षे	६.३५, ३६
मूलहरः	८.३५३	मृगः	५.१३६; ८.३२७	मोक्षम्	९.५०
मूलानि	३.२२७; ४.१७२; ६.१६, ४४	मृगम्	४.३९	मोक्षस्य	९.१७८
मूले	१.१३० [२।११]; ७.१८४	मृगः	५.११२	मोक्षमिदं	९.२७४
मूलतः	९.२८७	मृदुः	१.२९; ४.२४६; ७.१४०	मोक्षः	१२.२९
मूल्यात्	८.२८९, ३२२; ३२९	मृदुवाक्	९.३३५	मोक्षः	३.१५, ५२, ९७, १४०; ७.१११; ८.११८; १२०, १७४; ९.६८, ८७; ११.४६, ९०
मूल्येन	८.१४४; ८.१००	मृदुलोष्ठम्	४.७०	मौल्यम्	११.५१
मृगः	१.१४२ [२.२३], २.१३२ [१५७]; १२.५५	मृदुबद्धीम्	३.१०	मौल्यव्यवधिहितम्	
मृगवर्ताधकः	७.७२	मृग्यम्	५.१२२, १२३; ६.५४		२.१४५ [१७०]
मृगग्रहणे	५.१३०	मृग्यवान्	८.३२७	मौल्यव्यवधि	२.१४४ [१६९]
मृगताम्	१२.९	मृगः	३.५३; ८.७१, ८९, २६३	मौल्यी	२.१० [४२]
मृगवृत्तान्	५.१७	मुष्टिः	३.२५५	मौल्यम्	८.३८४, ३७०, ३७५, ३७९
मृगवर्धनः	५.२२	मेघान्	२.१७ [४२], १४९ [१७४]; ११.१५१	मौलान्	२.५८ [८३]
मृगवर्धनम्	८.२९७	मेघानाम्	२.३९ [६४]	मौली	२.१७ [४२]
मृगम्	९.४४	मेघान्	१.३७	मौलाः	८.६२
मृगता	७.४७, ५०	मेघम्	८.२८२	मौलानाम्	८.२५९
मृगयुः	८.४४	मेघः	३.१८२; १०.४८	मौलान्	७.५४
मृगयोः	४.२१२	मेघावी	२.८५ [११०]	मौलानाम्	७.५४
मृगस्य	८.४४	मेघासमन्वितम्	३.२६३	मौलानाम्	७.५४
मृगहन्तुः	५.३४	मेघः	१.१२; ६.१२, १३	मौलानाम्	७.५४
मृगाः	१.४३; १२.४२	मेघम्	५.१२९	मौलानाम्	७.५४
मृगाणाम्	५.९	मेघानि	५.१३२, १३३; ११.१५३	मौलानाम्	७.५४
मृगान्	१.३९; ११.१३७	मेघी	५.५४; ६.५, ११	मौलानाम्	७.५४
मृगेषु	१२.६७	मेहतः	४.५२	मौलानाम्	७.५४
मृगमयानाम्	७.१३२	मेवः	२.६२ [८७]; ६.८; १०.२३; ११.३५	मौलानाम्	७.५४
मृगवैतानि	१०.५२	मेवम्	४.१५२	मौलानाम्	७.५४
मृगप्रजा	९.८१	मेवः	८.११८, १२०	मौलानाम्	७.५४
मृगवत्प्रजा	१०.३५	मेवः	१२.७२	मौलानाम्	७.५४
मृगस्य	३.१७३; ५.१५६; ८.१८६; ९.१४६; ११.१०	मेवः	१०.३३	मौलानाम्	७.५४
मृगताम्	९.१३५	मेवः	९.२०६	मौलानाम्	७.५४
मृते	५.१६०; ९.४	मेवः	४.११६; ११.६७, १७४	मौलानाम्	७.५४
मृतेन	४.४	मेवः	५.१४४	मौलानाम्	७.५४
मृत्	५.१०५, १०८, १२२, १२६, १३४	मेवः	३.५; ५.५६; ८.१००	मौलानाम्	७.५४
मृत्तिका	२.१५७ [१८२]	मेवः	३.३२	मौलानाम्	७.५४
मृत्प्रलेपः	५.१२५	मोक्षः	८.३४२	मौलानाम्	७.५४
मृत्पुः	५.२, ३, ४; ७.११	मोक्षे	९.२४९	मौलानाम्	७.५४
मृत्पुनः	११.१०३			मौलानाम्	७.५४

१८, १५२, १५५: ११.११, ४०	४.१५९: ७.४९: १०.८३	बधोद्विष्टम्	३.१८२
यसकर्मणि २.१८३ [२०८]: ३.१२०: ४.११६	यथाकर्म १.४१	यन्ता	२.६३ [८८]
यसवीक्षायाम् २.१४४ [१६९]	यथाफलम् २.१४ [३९], २.४१: ४.१४७: ७.२२१, २२५: ८.४०६	यन्त्राणाम्	८.२९२
यसनिवृत्तिम् ४.२३	यथाकृतम् ८.१८३	यन्त्रैः	७.७५
यसपात्राणाम् ५.११६	यथाक्रमम् २.४१: ३.२: ७.५०: ९.२९५: १०.७४	यसकथे	६.६१
यसपात्रैः ५.१६७	यथाकृतम् ८.१८३	यसधर्माः	१.१२२ [२।३]
यसम् १.२२, ८६: ४.५७	यथाक्रमम् २.४१: ३.२: ७.५०: ९.२९५: १०.७४	यसयोः	९.१२६
यसशास्त्रविदः ४.२२	यथाकृतम् ८.७६	यसव्रतम्	९.३०७
यसशिष्यशानम् ३.११८	यथान्यायम् ३.१३५, १९०: ५.३५: ७.२	यसस्य	५.९६: ९.३०३
यसशीलानाम् ११.२०	यथान्युप्तान् ३.२१८	यसान्	४.२०४
यसरोषम् ३.२८५	यथापण्यम् ८.३९८	यसगोयुसजम्	५.२५
यससिद्धये ११.१२	यथापूर्वम् १२.१८७	यसनाः	१०.४४
यससिद्धिपूर्वम् १.२३	यथाबलम् ७.१८२	यसमध्यमे	११.२१७
यसाः १.१२२ [२।३]: २.७२ [९७]	यथाभाषितम् ८.२१६	यससम्	११.१९६
यसाय ५.३१	यथायोग्यम् ५.९२	यसस्तान्मोक्षकेन्द्रनम्	७.१९५
यसायम् ५.२१, ३९, ४०: ११.४. २४, २५	यथार्हतः ७.१६: ९.१९३: १०.१२४	यससेन	७.७५
यसिधदेशः १.१४२ [२।२३]	यथार्हम् ५.११४: ११.४	यसाः	९.३९
यसै ३.२८: ४.२०५: ५.३९, ४१: ८.२०६	यथाविधम् ८.२७४	यसानुम्	६.२०
यसैषु ५.२३: ९.३१८: ११.१३	यथाविधि २.२३ [४८], ११७ [१४२]: ३.४, ६७, ८१: ४.८५, २५७: ५.२७: ६.२५: ७.२, १८४: ८.३१, १०६, १८४: ९.२२, ६२, ७०, ८८, २१८: १०.२: ११.१९१, २४७	यसागवा	११.१०६
यसैः २.३ [२८]: ६.३६, ३७: ८.३०६: ११.३९	यथावृत्तः ७.१	यसान्	११.१०८, १५२
यसोपवीतम् ४.३६	यथाशक्ति ३.११३: ४.१४, २१: ११.६	यसाहारः	११.१९८
यज्वनः ११.११	यथाशास्त्रम् २.४५ [७०]: ४.९७: ७.३१: १०.५६	यवीयसः २.१०५ [१३०]: ९.५७, ५८, १०८, ११२, २१३	२.१३
यज्वानः १२.४९	यथासुखम् ४.४३	यवीयसा	८.११६
यतयः १२.४८	यथासुखमुक्तः ४.५१	यवीयसाम्	९.२०४
यतिः ६.५५, ५६, ५८, ६९, ८७	यथेष्टम् ९.२२८	यवीयांसः	९.११७
यतिकान्नायनम् ५.२०, ११.२१८	यथेष्टासनः २.१७३ [१९८]	यवीयान् २.१०३ [१२८]: ९.५८, १२०: ११.१८५	
यतिपत्राणि ६.५४	यथोक्तेन ५.७२	यशः २.९६ [१२१]: ३.६६, २६३: ४.९४, २१८: ७.३३, ३४: ८.३०२, ३४३, ३४४: ९.७६: ११.१५, ४०	
यतीनाम् ५.१३७: ६.८६	यथोत्साहम् ५.८६	यशस्करः ८.३८७	
यत्नतः ३.१३५: ४.१५९, ९.१५	यथोदितम् ९.२४०	यशस्थम् १.१०६: २.२७ [५२]: ३.१०६	
यत्नम् २.६३ [८८], १६६, ८.३०२: ९.१६, २५२	यथोदितान् ३.१८७: ५.१: ७.२०३	यशस्विनः ३.४०	
यत्नवान् ९.२२२	यथोदितेन ४.१००	यशस्विनाम् ९.३३४	
यत्नेन ३.१४५, २३४		यशोघ्नम् ८.१२७	
		यथिष्ठम् ४.३६: ५.९९	
		यथितेन ४.२२४	
		यथिष्णुता १२.३३	
		याचकः ३.१६४	

याजम०	८.३४०	याचन्तः	३.१२४	योद्यधर्मः	७.९८
याजमकः	३.१६५	याचान्	८.१९४	योनाः	७.१५०
याजमन् १.८८; १०.७५,		युक्तः	७.१४२, २०६	योनान्	७.१४९
७७; ११.१९७		युक्ततरः	७.१८६	योषिः	१.१४४ [२।२५];
याजनात् १०.१०३, १०९;		युक्तस्य	१२.४	२.५५ [८०]; ६.६३; ९.३७,	
११.१८०		युक्ता	६.७०; ११.५३	५२	
याजनाध्यापने १०.७६, ११०		युक्तानाम्	४.१४६; ७.१२४	योनिगुणान्	९.३७
याजनाध्यतपने:	१०.१११	युक्तान्	३.२१३	योषितः	२.१०४ [१२९]
यज्य०	४.३३; ८.३१७,	युक्ते	७.१९७	योनिम्	१२.५३, ५५
३८८		युक्तीः	८.३४	योनिषु	९.३२१; १०.२७;
याज्यम्	८.३८८	युज्	३.२७७	१२.७४	
याज्यी	३.१४८	युज०	१.७३, ८५	योनिस्तंकरः	१०.६०
यातनाः ६.६१; १२.१७, २१,		युजम् १.६९, ७१, ७९, ८५;		योनी	२.१२२ [१४७]
२२		९.३०१, ३०२		योन्याः	९.३५
यातनार्धः	१२.१६	युगात्	१०.६४	योषितः	४.२१३; ५.१५३;
यातुः	८.२९०	युगान्कम्	१.६८, ७२	९.१०, २४, ८५	
यात्रा	११.१८४	युगे	१.८१, ८६; १०.४२	योषितम्	४.१३३; ९.७७
यात्राफलम्	७.२०७	युग्मम्	८.२९३	१२.६०	
यात्रानात्रप्रतिद्वयार्धम्	४.३	युग्मात्	३.४८	योषिता	५.१४७
यात्राम्	७.१८२	युग्यस्थाः	८.२९३	योषितान्	५.९०; ९.५६
यात्रिकम्	६.२७; ७.१८४	मुद्धम्	७.१९९	योषिति	११.१७४
याम०	२.१७७ [२०२]	मुद्गाधार्यः	३.१६२	योषित	८.४०४
यानपः	४.१२०	मुद्गे	७.१९०	योषित्सु	११.१८८
यानम् ४.७२; ७.१६०, १६१,		मुद्गेन	७.१९८	यौतकम्	९.१३१, २१४
१६५, १८१; ८.४०४;		मुबलीनाम्	२.१९१ [२१६]	यौनात्	११.१८०
९.१५०		मुबत्या	४.१४७	यौनान्	२.१५ [४०]
यानशय्या	४.२०२	मुषतिः	२.१८७ [२१२];	यौनिः	३.१५७
यानशय्याप्रबः	४.२३२	११.३६		यौबने	५.१४८; ९.३
यानशय्यासनस्य	११.१६५	मुषा	२.१३१ [१४६], १९०	रक्षतः	४.६४
यानशय्यासनशने	७.२१०,	[२१६]		रक्षतम्	४.१३२; १०.८७
२२०		मूक	१.४०, ४५	रक्षतवासलः	८.२५६
यामस्थ	८.२९०, २९१	मूकः	२.९५ [१२०]	रक्षतानि	१२.६६
यामस्थामिनः	८.२९०	योज्य०	८.२९२	रक्षः	१.३७
यानानि	३.५२; ८.४०५;	योज०	८.१६५	रक्षजम्	१.८९, ९०; ९.१६;
१२.६७		योगलोचम्	७.१२७; ९.२१९	१०.८०; ११.२३५	
यानासनाशानात्	११.१८०	योगलोमे	८.२३०	रक्षणात्	८.३९, ३०५;
यानस्तने	७.१६२	योगतः	२.७५ [१००]; ६.९	९.२५३	
यानिः	३.६४	योगदाय०	८.१६५	रक्षणे	९.३२६
यापी	१२.१७, २१, २२	योगम्	७.४४	रक्षाति	१.४३; ३.१७०,
यामे	७.१४५	योगात्	१.४१	२०४, २३०, २३८; ४.१९९;	
याम्यया	८.१७३	योषेन	६.६५	७.२३; १२.४४	
यावकैः	११.१२५	योजनम्	११.१३२	रक्षाधिकृतान्	९.२७२
यावतिथः	१.२०	योजनानाम्	११.७५	रक्षार्थम्	४.१५३; ७.३

रक्षासमन्वितम्	२.७ [३२]	रत्नामाम्	९.३२९	राजवीर्याम्	११.३२
रक्षोभिः	७.३८	रत्नाम्	२.१५२ [१७७];	राजशासत्रैः	१०.५५
रक्षणावतारकस्य	४.२१५	१०.८६		राजसन्निधौ	८.२५८
रजः	५.१३३; ८.१३२;	रत्नैः	१०.९४, ९४	राजसम्	१२.३२, ३६
११.११०; १२.२४, २६, २८		रहः	३.३४; ६.४९; ८.३५४,	राजसर्वचः	८.१३३
रजतस्य	११.१६७	३६३; ९.१७२		राजस्यः	१२.४०
रजसः	१२.३८	रहस्य०	७.२२३	राजसी	१२.४५, ४६
रजसाः	४.४२; ५.१०८	रहस्यम्	१२.१०७	राजसीचु	१२.४७
रजसन्निधुप्लाम्	४.४१	रहस्यज्ञम्	११.२४७	राजस्नातकयोः	२.११४
रजसि	५.६६	रहस्यानि	४.१४४	[१३९]	
रजस्वसम्	६.७७	रहोपतः	७.१४७	राजस्वम्	८.१४९
रजस्वस्त	३.२३९; ५.६६	राक्षसः	३.२१, २६, ३३;	राज्यम्	७.४२, ५५; ८.२२;
रज्जुः	९.२३०	५.३१; १२.६०		९.६६, २९४, ३२३;	
रज्जुम्	८.३१९	राक्षसम्	३.२४	१२.१००	
रज्जुवातम्	५.१२	राक्षसी	३.२८०	राज्यस्य	९.२९५, २९६
रज्जुक	८.२९९; ११.१६८	राजः	६.६०	राज्यात्	७.१११
रज्जुकस्य	४.२१६	रागहेची	१२.२६	राज्यानि	७.४०
रजे	७.९०, ९८; ९.३२३	रागिभिः	१.१२० [२१२]	राजा	३.६४, ११९, १२०;
रति	९.२८	राजनामि	११.५५	४.८६, २१८; ५.९७; ७.१२,	
रतिकाम्यया	३.४५	राजतः	४.३३; ८.१३६,	१७, २०, २७, ३५, ४८, ७९,	
रतिकाम्यम्	११.५	१३७		८७, १११, १२४, १२५,	
रतिम्	१.२५	राजतम्	५.११२; ८.२२०	१२८, १३३, १३७, १४०,	
रतिसंहितः	९.१०३	राजतान्वितैः	३.२०२	१४४, १६२, १७३, २१६;	
रत्नानाम्	८.३२३	राजतैः	३.२०२	८.१९, २७, ३०, ३४, ३५,	
रत्नानि	२.२१५ [२४०];	राजधर्मान्	७.१	३८, ३९, ४०, ४३, १२८,	
७.२१८; १२.६१		राजधर्मेषु	९.३२४	१७८, १९६, २५२, २६१,	
रत्नेषु	८.१००	राजनि	५.८२; ८.३१७,	२६५, ३०५, ३०६, ३१४,	
रत्नैः	७.२०३	११.११, ३१		३१६, ३२४, ३३३, ३३६,	
रपः	७.९६; ९.२८०	राजम्यः	२.२४ [४९];	३४३, ३४४, ३४७, ३७१,	
रपम्	८.२०९	३.११०; १०.९५; ११.८३		३८१, ३८६, ३९५, ४२०;	
रपहर्ता	८.३४२	राजम्यबन्धोः	२.४० [६५]	९.२२१, २२४, २४६, २६२,	
रपेन	८.२९५	राजन्यम्	११.१२७	२८८, २९३, ३०१, ३१२;	
रम्यम्	७.६९	राजन्यविभ्रान्तम्	१०.१२	१०.९६; ११.४, २३, १००	
रभि०	१.२३	राजन्यवैययोः	२.१६५	राजाग्निः	७.९
रबी	४.७५	[११०]		राजावः	७.४०; १२.४६
रभमयोः	८.२९२	राजन्यवैधी	११.८७	राजानम्	७.३, २६; ८.१८,
रभिभिः	९.३०५	राजम्यात्	१०.२२	३०८, ११.९९	
रभवीम्	५.९९	राजप्रवेष्टानि	७.११८	राजान्तकरणी	९.२२१
रसः	१.७८; १२.९८	राजभिः	८.३१८; ९.२१३	राजीवान्	५.१६
रसजानाम्	११.१४३	राजधर्मैः	९.२८२	राजः	१.११४; २.७ [३२],
रसम्	१२.६२	राजयज्ञा	३.७	११ [३६], १२ [३७], १९	
रसविक्रयी	३.१५९	राजर्षि	९.६७	[४४], २१ [४६], ११३	
रसाः	१०.९४	राजविभ्रान्ताना	१०.११	[१३८]; ३.१३, १५३; ४.८४,	

८७, ९१, ११०, १३०; ५.९४,	राष्ट्रेषु	९.२७२	रोणिनाम्	९.२३०
७.६४, ९७, १२०, १२३,	राज्ञोः	४.११०	रोणिनी	९.८२
१३४, १३६, ८.११, २१,	रिक्तकः	८.४०४	रोणिनीम्	३.८
१७१, १७२, ३०४, ३३५,	रिक्ततयाग्नि	८.४०५	रोचनाम्	८.२३४
३८७, ३९९; ९.२२६, २७५,	रिक्तयज्ञातम्	९.१५२, १९०	रोचनामयाम्	३.६१
३०१, ३२४	रिक्तयज्ञात्	९.१५५	रोच	८.११६
राज्ञा ७.८३, ९७, १२९,	रिक्तयज्ञाग्नः	९.१८८	रोचसः	३.७
१३०, १३६; ८.४०, ५०,	रिक्तयम्	८.२७, ३०;	रोचानि	४.२२१, १४४
१७६, १८६, २०२, २१३,	९.१०४, १३२, १४१, १६२,		रोहितः	१.३८
२२३, २६३, ३८९, ४१२	१८४, १८५, १९२		रोचये	४.३६
९.१८९, २४०, ३०७	रिक्तयस्य	९.१८४	रोच्यवाचकः	८.१३५
राज्ञाम् ५.९३; ६.९७; ७.८८,	रिक्तयहराः	९.१८५	रोच्यम्	५.११३
११२, २४५; १२.४६	रिपुः	७.१८६	रोचयेन	३.२६९
राज्ञे ८.२८८; ९.१२९, ३२७	रिपुम्	७.१७१	सज्ज ४.६८; ७.७७; १२.४	
राजम् १.६४	रिपुन्	७.९०, ९८, २००	सज्जकः	६.९१
राजयः ३.४६	रिपुः	७.१८३	सज्जकम्	६.९४
रात्रिः १.६५, ६६, ६७;	सज्जमस्तेष०	११.५७	सज्जम् १.२३, ११२, ११३,	
८.८६	सज्जमात्रम्	१२.१२२	१३१ [२।१२]; ४.१६०;	
रात्रिभिः ५.६६	रुचितम्	३.२५४	६.४४, ९२; ८.२६१, ४०६;	
रात्रिम् १.७२, ७३; ४.९७,	रुचिता	१२.३२	१२.३१, ३२, ३३, ३४, ३५,	
५.८१	सजः	११.६७	३७, ३८	
रात्रिषु ३.४८, ५०; ४.११९	सज्जः	११.२२१	सज्जपानि	६.९३
रात्रे १.६५	सज्जान्	३.२८४	सज्जपान्विताम्	३.४
रात्री ३.२८०; ४.५०, ५१,	सज्जिरे	४.१२२	सज्जिता	९.३५
७३, १०२, १०६; ६.६८;	सज्जिरेण	३.१३२	सज्जम्	११.७३
७.१९६; ८.२३०; ९.२७६;	कपयुज०	१.७७; ७.७७	सज्जम्	८.३१५
१०.५४; ११.११०	कपयुजिहीगन्	४.१४१	सज्जमित्रम्	७.२०९
रात्र्या ५.६४; ६.६९	कपम् ४.३८, २३०; ८.३२,		सज्जुता	२.४५ [७०]
राष्ट्रः ७.१५७	४५; ९.१४; १२.९८		सज्जम्	७.१९३
राष्ट्रकर्षणात् ७.११२	कपविपर्ययम्	११.४८	सतागाम्	१२.५८
राष्ट्रम् ७.२९, ११०, १२८,	कपसत्ययुज०	३.४०	सज्जानम्	५.५; १९
१३४, १३६, १९५; ८.२१,	कपसंख्या	८.३१	सज्जानाः	९.३९
३०२; ९.२४४, २४५, २९४,	कप्यहः	४.२३०	सज्जप्रशमनानि	७.५६
३०४; १०.६१	रेतः २.१५५ [१८०],		सज्जलक्ष्यान्	७.५४
राष्ट्रस्य ७.११४	४.२२२; ९.२०; ११.५८,		सज्जान्	९.२४१
राष्ट्रात् ७.८०, १२९, १४३,	१७०; १७३		सज्जेन	११.१२३
८.२१९, ३८०; ९.२४१,	रेतसः ११.१२०		सज्जटसंमितः २.२१ [४६]	
३०५	रैवतः १.६२		सतादे	९.२४०
राष्ट्रान् ९.२२१	रोगः ८.१०८		सज्जम् ६.१२; १०.८६, ९४;	
राष्ट्रानिबुद्धये ७.१०९	रोनायसजम्	६.७७	१२.६३	
राष्ट्रकैः १०.६१	रोभासम्	९.७८	सज्जानाम्	८.३२७
राष्ट्रे ७.१२२. १३७;	रोणिनः २.११३ [१३८];		सज्जेन	१०.९२
९.२२६	३.११४		सज्जः	९.२९२

सवे	८.१५१	लोकस्य	३.२१३; ८.४२,	लौकिकम्	२.९२ [११७]
साक्या	१०.९२	३५३; ९.३२४; ११.८४		लौकिकी	३.१२७; ११.१८४
साक्षाम्	१०.८९	लोक्यः	२.२०५ [२३०];	लौकिके	३.२८२
स्रजः	१०.११५	६.३९; ८.८९; ९.३१६;		वयसा	११.३५
स्रजाम्	६.५८	१२.९७		वयसुन्	१२.११५
स्रजालाभम्	९.३३१	लोक्यत्	३.१४०; ८.१०३	वयसम्	१.१
स्रावे	६.५७	लोक्यनाम्	१.३१; १२.११७	वज्रेण	७.१९१
स्रावैः	६.५८	लोक्यन्	२.२०७ [२३२];	वक्रचक्रः	९.२५८
सिद्धा	८.१३३	४.१८१; ८.८१; ९.१३७,		वक्रिक्	१.९०; ८.१६९;
सिद्ध्यम्	६.६६	३१५; ११.२६१		१०.७९	
सिद्ध्यस्तः	८.६५	लोकपालान्	९.३१५	वक्रिजः	७.१२७
सिद्धानाम्	८.२५३	लोके	१.११, ८४; २.१३८	वस्तः	५.१३०; ७.१२९
सिद्धानि	१.३०	[१६३]. १८९ [२१४];		वस्तकम्	११.११४
सिद्ध्यनः	८.४०७	३.१४१; ४.१३४, १५७,		वस्ततन्त्रीम्	४.३८
सिद्ध्यनाम्	४.२००	१७२, १८३, २५५; ५.५०,		वस्ततरीम्	११.१३७
सिद्ध्यवेधेन	४.२००	१६३, १६४; ७.३, ३३, ३४,		वस्तम्	११.१३४
सिद्ध्ये	५.१३६	८०; ८.९६, १२७, २४९,		वस्तरम्	१.१२
सिद्ध्येः	८.२५, २५२	३४३, ३८७; ९.२५, ३०,		वस्तराः	१२.४९
सिद्ध्यभिः	१०.२२	१०९, १३३, १३९, २२३;		वस्तरान्	९.७६
सुप्तधर्मक्रिया	८.२२६	१०.४३, ४५, ५८; ११.२६;		वस्तस्य	८.११६
सुब्धः	४.१९५	१२.३६, ५३, १०२		वसान्वस्य	४.२२४, २२५
सुध्यस्य	४.८७	लोकभ्यः	४.२१९	वद्यः	५.३९; ८.१०४, ३२०;
सुध्येन	७.३०	लोकशः	५.९७	९.२४८	
सुता	१२.५७	लोकेशप्रभवः	५.९७	वद्यव्यङ्ग्यम्	८.१२९
सेपः	४.१११; ५.१२६	लोकः	१२.३३	वद्यनिर्णयम्	११.१३९
सेपभागिनाम्	३.२१६	लोकम्	२.१५३ [१७८];	वद्यव्यङ्गी	५.४९
लोकः	१.९; २.८५ [११०];	७.४९		वद्यम्	८.३२३, ३६४, ३६६,
७.२२		लोभान्	३.१७९; ८.११८,	३८१; ९.२९१	
लोककष्टकम्	९.२६०	१२०, २१९, ३९९, ४१२;		वद्ये	९.२४९; ११.१२६,
लोकजित्तमः	४.८	९.२१३, २४२; १०.९६		१४१	
लोकतः	७.४३	लोभेन	३.५१; ८.२१३;	वद्येन	८.१३०; ११.१००
लोकव्यवहकः	४.१९५	११.२६; १२.६१		वद्यैः	८.१९३
लोकपालानाम्	५.९६	लोभः	६.६	वध्यस्य	९.२४९
लोकपालेभ्यः	८.२३	लोष्टम्	११.२६३	वध्यवात्सीति	१०.५६
लोकम्	२.२०८ [२३३];	लोष्टमर्षी	४.७१	वध्यान्	१०.५६
७.२९, १०.१२८		लोहदारकम्	४.९०	वनस्थाः	७.४०
लोकपाश	९.२५	लोहम्	९.३२१	वनस्थानाम्	५.१३७
लोकपाशायः	९.२७	लोहशंकुम्	४.९०	वनस्थतयः	१.४७
लोकविहङ्गम्	४.१७६	लोहानाम्	९.३२९	वनस्थतिभ्यः	३.८८
लोकविहङ्ग्यम्	२.३२ [५७]	लोहितम्	४.५६	वनस्थतीन्	४.३९
लोकविभुताः	३.१९५	लोहितस्य	८.२८४	वक्राणि	९.२६५
लोकवृत्तम्	४.११	लोहितलोकः	५.६	वने	८.३५६; १०.१०७;
लोकव्यवहारार्थम्	८.१३१	लोहितान्	५.६	११.१४४	

अग्न्या	८.२८: ९.८१	अर्धेयु	८.६३, १२४: १०.१०	वाचवपलः	४.१७७
अचनम्	५.१४०: ११.१५१	अर्तमानः	८.३९७	वाचवर्गयोः	८.७२
अचाम्	१२.६३	अर्तमानम्	८.३४६	वाक्पुरुष्यविनिर्णयम्	८.२६६
अपुः	१२.२६	अर्तमानाः	१०.३१	वाक्पुरुष्यस्य	८.२७८
अपुष्यान्	७.६४	अर्तमीभिः	९.१	वाक्शस्त्रम्	११.३३
अयः	७.१४९	अर्चनभान्	१२.४४	वाग्बुधः	१२.६४
अयसः	४.१८	अर्चम्	१.६७	वाग्बुधः	३.१४६
अयसि	९.१४	अर्चस्य	७.१३७	वाग्बुधः	८.३४५
अयसि	११.२४०	अर्चाभाम्	१.६९	वाग्मी	७.६४
अयोरूपसमन्वितैः	८.१८२	अर्चाभिः	८.१४७: ९.९०	वाग्यतः	३.२४८: ९.६०
अरम्	१०.९७	अर्चासु	४.१०२	वाग्यताः	३.२३६, २३७
अरस्य	३.३२	अर्चैः	५.५३: ११.८१	वाग्यरावृत्तिम्	१०.३२
अराः	३.१२: १२.१०३	अर्चैः	११.१७८	वाङ्मनसी	२.१३५ [१६०]
अराव्	३.२९	अर्त्तमीके	४.४६	वाङ्मन्यम्	१२.६
अराय	९.८८	अर्त्तलूरम्	४.१३	वाङ्मन्यत्रेण	४.३०
अराह०	७.१८७	अर्त्तस्यः	१.४८	वाङ्मन्यलाः	४.२५६
अराहाः	१२.४३	अराव्	७.१०७, १०८:	वाचम्	१.२४: २.१६०
अराहे	११.१३४	अराव्	९.२६१	[१८५], १६७ [१९२]: ४.२३,	
अरिष्ठम्	७.८४	अराव्	७.४४: ८.१७४	४९, २४६: ६.४६, ४८:	
अरुचम्	९.२४५	अरथम्	७.२०२	८.७०, १०३	
अरुचाय	९.२४४	अरथाः	१.६१	वाचा	२.१३६ [१६१]:
अर्चस्य	७.४२	अरथान्	१.१०५: ३.३७	३.३०: ५.१२७: ८.२७०:	
अर्चनम्	८.१७१	अरन्	२.१५० [१७५]	९.६९: १२.८,	
अर्चः	१.१४४ [२।१५]	अरनम्	२.१४९ [१७५]	वाचादाम्	३.८
अर्चकयेण	८.२४: ९.८५	अरनस्य	३.४४	वाचि	४.२३, २५६:
अर्चदूषकः	१०.६१	अरनानि	१०.१२४	१२.१२१	
अर्चम्	८.३२, ३७४	अरवः	११.२२१	वाचिकैः	१२.९
अर्चयोः	१०.१०	असा	४.१३५	वाचिनम्	८.२०९
अर्चरूप०	४.६८	असिष्ठः	८.११०	वाचिनम्	२.६३ [८८]
अर्चसंकरः	८.३५३	असिष्ठम्	१.३५	वाटकविरो	२.२० [४५]
अर्चसंकराः	१०.१२, २४	असिष्ठविहिताम्	८.१४०	वाचिजके	३.१८१
अर्चसंसर्गात्	८.१७२	असिष्ठस्य	३.१९८	वाचिजिज्ञानम्	८.१०२
अर्चस्य	३.२२	असिष्ठेन	९.२३	वाचिज्यम्	४.६: ८.४१०:
अर्चाः	१०.१. ११.१५०:	असु	९.१९६	११.६९	
१२.७०		असुनः	९.१६३	वाति	४.१२२: ११.११३
अर्चानाम्	१.२, ९१, १०७,	असुत्रम्	३.५२	वातेभ्यः	११.११९
११६, १३७ [२।१८]: ३.२०		असुत्रान्नपानम्	११.१८८	वाचम्युः	१२.४६
[११], ३५: ४.५७: ७.३५:		अहिः	११.२४६: १२.१०१	वाचम्यम्	६.५०
८.१४२, ३४८, ३५९, ३७९:		वाक्	१.१०४: २.६५ [९०].	वाचिनम्	७.९१
९.६७, १८९, ३३६: १०.३,		१३४ [१५९]: ३.१०१:		वाचिप्राणि	४.६४
२४, २८, १३०: ११.१३८		४.१७५, २४६: ५.१६६:		वाचेयु	८.२६९
अर्चान्	८.१२३: १०.२७, ३१	७.४८, ५१: ८.८१, १०५,		वाचप्रस्थः	६.८७
अर्चपितम्	१०.५७	१२९: ११.५१, ८५: १२.३,		वाचरम्	११.१३५
		१०			

वाग्विद्वान्	१.३९	वासम्	२.२१७ [२४२], २१८	विधयः	३.२८५
वाग्विद्वत्पुत्रम्	८.३३९	[२४३]: १२.७८		विधयस्त्रयी	३.२८५
वास्तः	५.१४४	वास्तसा	११.२०५	विद्युज्ज	८.२३३
वास्तसी	३.१०९; १२.७१	वास्तसाम्	८.३२१	विद्युज्जः	९.७१; १०.१०६, १०८
वायुः	८.२४८	वास्तसि	२.२२१ [२४६]:	विद्युज्जानु	७.६१
वायुवीर्यम्	११.२५०	६.१५; ८.३९६; १०.५२:		विद्युज्जः	११.९८
वायुतानाम्	३.९२	१२.६६		विजये	१०.१०७; ११.१०५
वायुः	१.२३, ७६; ५.१०५,	वासा	३.३४	विजम्बा	१०.२३
(वायुः)	१३३; ७.७	वास्तित्पुत्रम्	११.२४९	विजयः	७.११, ११९;
वायुपीताः	९.४२	वास्तोदः	४.२३१	१०.११९	
वायुभूतः	२.५७ [८२]९	वास्तोभिः	४.१२९; ८.३९६	विजयभानस्य	७.१०७
वायुम्	३.७७	वास्तुमये	३.८९	विजानता	५.१२१; ८.२७६
वायवत्	३.१८९	वास्तुसम्पादनम्	३.२५५	विजानताम्	६.८४
वायोः	१.७७	वाहनं	५.९९	विजिगीषोः	७.१५५
वाय्वग्निविप्रम्	४.४८	वाहनानि	७.२२२; ८.४१९	विज्ञातप्रकृती	८.१६१
वारि	२.१९३ [२१८];	वाहनमुषेः	८.११३	विज्ञानम्	४.२०
३.२०२; ४.६३, १९२, २३३;		वाहनेन	७.१७२	विज्ञातः	१०.५०
५.१०५; ६.३१, ६७; १२.६७		वाहने	७.७५	विद्	२.५५ [८०]; ३.२३;
वारिजा	३.२४४; ५.११७	वाहये	८.१५१	४.२२२; ५.१३५; ११.६६	
वारिजः	४.२२९	विंशतीशः	७.११७	विदुष्यम्	१०.८५
वारिजिः	५.११४	विंशम्	१०.१२०	विदुषिम्	३.१४८
वारिरुचम्	४.३७	विंशी	७.११९	विदुषराहान्	५.१४
वारुजम्	२.३०८	विकर्मकृत्	८.६६	विदुषराहयोः	८.२७७
वारुजीम्	११.१४६	विकर्मक्रियया	९.२२६	विदुषराहः	१२.५६
वारुजैः	८.८२	विकर्मस्थाः	९.२१४;	विदुषराहः	११.१५४
वारुज्या	८.१०६	११.१९२		विदुषराहम्	५.१९
वारुजम्	७.७०	विकर्मस्थान	४.३०; ९.२२५	विष्मन्त्रम्	४.७७; ११.१५०
वार्ता	१०.८०; ११.२३५	विकलेन्द्रियः	८.६६	विष्मन्त्रस्य	४.४८, १०९
वार्तायाम्	९.३२६	विकृतम्	९.२४७, २९१	विष्मन्त्रे	४.१३२
वार्धप्यम्	११.६१	विकृतः	९.२८८	विष्मन्त्रोत्सर्गः	५.१३४
वार्धविकः	३.१५३; ८.१४०	विकृताकृतयः	११.५२	वितथं	१२.५
वार्धविकस्य	४.२१०, २२०	विकिरः	३.२४५	वितथम्	८.९४, ११८; ९.७३
वार्धविकान्	८.१०२	विक्रमम्	३.२१४	वितथेन	८.२७३
वार्धवेः	४.२२४	विक्रयः	३.५३, ५४; ८.१४३,	वित्तः	१.३३; ५.९६
वार्धवी	३.१८०	११९; ११.६१, ६२		वित्तम्	२.११२ [१३६];
वार्धवीस्य	३.२७१	विक्रयात्	८.२०१; १०.९३	९.१९८; ११.२०	
वार्धविकः	७.१२९	विक्रिया	५.२५	वित्तवर्द्धनम्	१०.८५
वार्धविकान्	९.३०४	वितथतल्लयः	७.१५१	वित्तविधिवर्धनीम्	८.१४०
वार्धविकी	३.२७१	वितथम्	५.७५	वित्तानयः	१०.११५
वार्धविकविक्रियः	४.६७	विनुजः	१०.९७	वित्तात्	९.१९९
वार्धः	४.६६, ११६, १८८,	विग्रहः	७.१६४	वित्तेन	२.१२९ [१५४]
१८९, २३३; ११.१३६		विग्रहम्	७.१६०, १६१,	वित्तेशयोः	७.४
वार्धविकः	६.११	१६२, १७०			

विद्वत्:	१.२३०
विद्वत्:	४.१११; ७.३७
विद्वत्:	१.१०३; २.१०१
[१२६]:	४.२०९; १२.३५
विद्वत्:	११.७३, ८५;
विद्वत्:	३.१४३
विद्वत्:	५.७५
विद्वत्:	८.१६७
विद्वत्:	१.९७; ४.९१, १२५;
५.१०७	
विद्वत्:	२.१८९ [२१५]
१९० [२१५]:	३.१२९; ८.९
विद्वत्:	२.८६ [१११];
८.३४६	
विद्वत्:	८.८८ [११३];
१२.१०४	
विद्वत्:	४.१५
विद्वत्:	२.८७ [११२], ८९
[११५], ९६ [१२१], १११	
[१३६], २१५ [२४०]; ६.३०,	
९२: १०.११६; ११.२३७;	
१२.१०४	
विद्वत्:	२.१८१ [२०६]
विद्वत्:	३.९८
विद्वत्:	५.१०९
विद्वत्:	९.२०६
विद्वत्:	१२.८५
विद्वत्:	९.२०४
विद्वत्:	२.१९३ [२१८];
२१३ [२३८]; ७.१६	
विद्वत्:	९.७६
विद्वत्:	११.२
विद्वत्:	४.१४१
विद्वत्:	१.३८
विद्वत्:	४.१०६
विद्वत्:	४.१०३
विद्वत्:	५.९५
विद्वत्:	१.९७
विद्वत्:	१.१२० [२११];
८.२२७; ९.६६	
विद्वत्:	१.१२७ [२१८];
२.६३ [८८]; ३.४१, १६७;	
४.११०, १६९, २२३; ८.११,	
३७, ९६; ९.३१७	

विद्वत्:	१.४०; १२.६
विद्वत्:	९.६४, १७५
विद्वत्:	९.६०
विद्वत्:	९.६५
विद्वत्:	८.२८
विद्वत्:	११.३५
विद्वत्:	६.८९; १२.७
विद्वत्:	३.२८६; ७.११३,
१८४, २२६; ८.२४४;	
९.१४८	
विद्वत्:	१.३
विद्वत्:	७.२०५
विद्वत्:	७.१८१; ८.२२८;
९.६९, १२८; ११.१६	
विद्वत्:	६.२०
विद्वत्:	१.१३५ [२.१६];
२.४२ [६७], ४३ [६८],	
३.३०, ४३; ५.३१, ७४; ६.९;	
८.१६०, १८८; ९.१४९;	
१०.७; ११.१६१	
विद्वत्:	८.३६२
विद्वत्:	२.८२ [१०७];
३.२१५, २८१; ४.१००,	
१९३; ५.१६९; ६.८१;	
८.८९, १७८, ३४३; ९.१२७,	
१५२; ११.११५	
विद्वत्:	२.१४८
[१७३]; ३.९६, ९९, २१६;	
४.१०१; ६.५	
विद्वत्:	३.८४
विद्वत्:	१.१११, ११६;
२.७९ [१०५]; ४.१८७;	
५.२६, ३६, ५०; ८.३०१;	
९.६३; १०.७; ११.८६,	
१८८, २१७	
विद्वत्:	२.६१
[८६]	
विद्वत्:	२.६० [८५]
विद्वत्:	८.२११
विद्वत्:	१.४८; २.१५
[४०], १२३ [१४८], १९१	
[२१६]; ३.२९, ९४, ९५,	
१४३, २११, २१९, २६६,	
२६७, २७५, २७९; ६.१, ११,	

३६, ७०, ९४; ९.७२;	
११.११९, १४८	
विद्वत्:	३.१२७
विद्वत्:	६.५६
विद्वत्:	११.२९
विद्वत्:	७.३९
विद्वत्:	७.४०, ४२
विद्वत्:	१.१४० [२.२१]
विद्वत्:	२.२९ [६४]
विद्वत्:	३.१७९; ४.७१;
८.२४६	
विद्वत्:	७.१२
विद्वत्:	१.२७
विद्वत्:	८.१८५
विद्वत्:	८.६५
विद्वत्:	५.११०
विद्वत्:	१.११४; ८.१९६
विद्वत्:	१.१४० [२.२१]
विद्वत्:	८.२७७
विद्वत्:	७.३९; ८.१
विद्वत्:	८.२
विद्वत्:	९.४१
विद्वत्:	४.६८
विद्वत्:	१०.११६
विद्वत्:	१०.१५२
विद्वत्:	३.४९; ४.१२
विद्वत्:	४.१७१; ८.२४९
विद्वत्:	४.२३५
विद्वत्:	७.१६३
विद्वत्:	४.१६१; ७.१७१;
८.२५७	
विद्वत्:	७.३४
विद्वत्:	४.३१; ८.६३
विद्वत्:	२.१८८ [२१३];
७.७१	
विद्वत्:	७.५८
विद्वत्:	१.१०९; २.३३ [५८],
३७ [६२], ४३ [७८], ९३	
[११८], ९७ [१२२], १००	
[१२४], १०१ [१२६], ११७	
[१४२], १२५ [१५०], १३२	
[१५७], १३३ [१५८], २१९	
[२४५], २२४ [२४९];	
३.१०९, १२२, १७९, २२५;	

४.२, ३४, ९५, १४२, २३७, २६०; ५.३६, ७९, ८३, ८७, ९९, १०१; ६.२९, ३२; ८.१६९, ३९२; ९.१५१, १५३, २२९; १०.११२; ११.२४, २५, ८६, ९९, १७५, २०१, २१४, २१९, २६१; १२.५७, ७१, ११६	विप्रुषः ५.१३३, १४१ विप्र्रे ४.१९२ विप्र्रेष्यः ३.१३१; ७.७९; ९.३२३ विप्र्रेषु ३.९७, १११, ११६; ६.२७; ११.६, १९६ विप्र्रेः ३.२१२; १०.११३ विप्र्लये ८.३४८ विप्र्लान् ८.२४२ विप्र्लान् ८.३४७ विप्र्लान् ८.२४० विप्र्ल्याः १२.४७ विप्र्लतीन् १.२४ विप्र्लतेः ८.१६६ विप्र्लये ४.३४; ११.३८ विप्र्लान् ७.२४ विप्र्लानः ८.७; ९.१२०, १२२, १३४, २०४, २१०, २२० विप्र्लान्धर्मः १.११५ विप्र्लान् ९.१५२ विप्र्लान्शः १२.१७ विप्र्लानस्य ९.१४८ विप्र्लानान् ९.२१६ विप्र्लाने ९.१४९ विप्र्लानितम् ९.४७, ५१ विप्र्लानपरिच्छदा ९.७८ विप्र्लतस्य ६.४० विप्र्लितम् ११.२३२ विप्र्ल्याः ४.२४१ विप्र्ल्यान् ८.३१६ विप्र्ल्यतान् ७.२१४ विप्र्ल्यती ९.१०२ विप्र्ल्यिषु १२.७७ विप्र्लहः ९.१३ विप्र्लहन् ५.१४९ विप्र्लहेन ५.१४९ विप्र्लजम् १.३२ विप्र्लद् १.३२, ३३ विप्र्लद्गुणः ३.१९५ विप्र्लानः २.४८ [७३] विप्र्लितः ५.१४४ विप्र्लहेन ४.१५	विप्र्लम् ९.१४ विप्र्लोषिष्णुः १.७७ विप्र्लोषिनः ४.१७ विप्र्लत्सायाः ५.८ विप्र्लरन् ७.१०५ विप्र्लशः ५.८२ विप्र्लस्वतसुतः १.६२ विप्र्लवः ८.५, ६ विप्र्लदम् ४.१३९, १८०; ८.८, २२९, २४५ विप्र्ल्याम् ४.१८१ विप्र्लविष्णुम् ८.६९ विप्र्लविनोः ८.२४४ विप्र्लदे ४.१२१; ८.११७; ११.२०५ विप्र्लस्य ९.२४१ विप्र्लहः १०.५३ विप्र्लहविष्टी ९.६५ विप्र्लहान् १.११२; ३.३४, ३६ विप्र्लहेषु ३.३९; ५.१५२; ८.११२; ९.१९७ विप्र्लही ३.२६ विप्र्लितः २.११० [२१५] विप्र्लितम् ३.२०६ विप्र्लिते ४.२४८ विप्र्लितेषु ३.२०७; ११.६ विप्र्लियः ११.१६१; १२.१०५ विप्र्लिष्ठम् १.४८, ११७; ३.२२७; १२.६५ विप्र्लिष्टाः १.८; ६.२९; ९.३३२; ११.२३७; १२.७६ विप्र्लिष्ठान् १.३९; ७.८१; ८.२४७; १२.८० विप्र्लिष्ठानि २.२१५ [२४०]; १०.१००; ११.२६४; १२.६१, ७७ विप्र्लिष्ठान् ९.२९० विप्र्लिष्टेन ८.३१० विप्र्लिष्टीः २.१४० [१६५]; ६.५; ७.७९; ८.१९३; २७५ विप्र्लितोरुषः ७.१०२

विशुद्धार्थम्	१.३१; ९.१२८	विषयम्	४.७७	वेतने	९.११
विशेषः	१.२६, १०२	विषयान्तरम्	१.१५	वेतेन	५.१०८
विशः	२.११ [३६], १३	विषयात्मकः	१२.७३	वेतः	१०.१९
[३८], २१ [४६]; ३.१३;		विषयान्	१२.७३	वेतस्य	४.२१५
८.३८३; १०.७९		विषये	२.१७३ [१९८];	वेतानाम्	१०.४९
विशसिता	५.५१	५.८२; ७.१३३, १३४;		वेतुदत्तेन	८.२९९
विशाम्	९.२४७; १०.१२०	८.१४८, ३८७		वेतुः	८.२४७
विशिष्टः	२.६० [८५]	विषयेषु	१.८९; २.६३, ७१	वेतनम्	७.१२६; ८.२१५,
विशिष्टम्	९.३४; १०.१२३	[९६]; ६.५५; ७.३०; ९.२		२१६, २१७	
विशिष्टानि	१०.८०	विषयेः	६.५९	वेतनस्य	८.५, २१४
विशिष्टेन	७.५८	विषयानि	४.५६	वेतनवानकर्मणः	८.२१८
विशीलः	५.१५४	विधातु	२.१३७ [१६२],	वेतः	१.२१, २५ [२.६], १२९
विशुद्धम्	८.२०१	२१४ [२३९]		[२.१०], १३१ [२.१२];	
विशुद्धये	११.५३, १३८,	विषादी	६.५७	२.१४० [१६५]; ३.६३;	
१८१		विषादही	७.२१७	६.८६, ८९; ११.२६४, २६५;	
विशुद्धस्य	११.२४२	विषात्वादः	११.९	१२.३१, ९४, ९९, १००,	
विशुद्धात्	१०.७६	विष्टपम्	४.२३१; ९.१३७	१०२, १०६, १०९	
विशुद्धान्	११.१९०	विष्टस्थस्य	९.२९६	वेदज्ञः	१२.१०१
विशुद्धिः	५.६७; ६.६९;	विष्ट	३.१८०; ४.२२०	वेदज्ञैः	२.१५८ [१८३]
११.८९		विष्णुम्	१२.१२१	वेदतत्त्वार्थम्	४.९२
विशेषः	९.२६, १३३, १३९	विस्मन्नाहम्	७.९२	वेदतत्त्वार्थवित्	५.४२
विशेषतः	२.२०० [२२५];	विस्तरः	३.१२६	वेदतत्त्वार्थविदुषे	३.९६
४.२०९; ५.२१; ७.५५;		विस्तरशः	९.२४०	वेदत्रयात्	२.५१, [७६]
८.३२३; ९.५; १२.४१, ९३		विस्तरैः	३.१२५; ६.५५	वेदवर्णिभिः	११.२३४
विशेषात्	१०.३	विस्मष्टम्	४.९९	वेदनिन्दकः	१.१३० [२.११];
विशेषेन	७.८६, १४०;	विष्मष्टार्थम्	२.८ [३३]	३.१६१	
११.११		विस्मयात्	४.२३७	वेदनिष्ठा	११.५६
विश्वजन्मम्	९.३१	विस्मयम्	८.४१७	वेदनिष्ठाम्	४.१६३
विश्वजित्	११.७४	विहङ्गमहीषिणाम्	९.५५	वेदनेन	१०.२४
विश्वरूपम्	७.१०	विहङ्गमान्	१.३९	वेदप्रश्रयः	२.१२३ [१४८];
विश्वसज्ज्	१२.५०	विहायति	२.१६१ [१८६]	३.१३६; ९.२४५; ११.३७	
विश्वामित्रः	१०.१०८	विहितम्	२.१४९ [१७४];	वेदप्रश्रयम्	३.१३०, १४५
विश्वेभ्यः	३.८५, ९०	११.४४		वेदप्रश्रये	७.८५
विश्वैः	११.२९	विहीनः	६.७४	वेदपुण्येन	२.५३ [७८]
विषयानि	७.२१८	वीत०	६.३२; १२.२२	वेदप्रदानात्	२.१४६ [१७१]
विषादः	७.२१८	वीतप्रीः	७.६४	वेदफलम्	१.१०९
विषयः	७.२७	वीतमस्तरः	११.११	वेदवाक्याः	१२.९५
विषयम्	४.२२५; ९.११९,	वीरहत्यासमम्	११.४१	वेदम्	२.११५ [१४०], १४१
२१५, २८७		वीरासनम्	११.११०	[१६६]; १४३ [१६८]; ३.२;	
विषयानि	१.२४	वीरुष्टाम्	११.१४२	४.३६, १२५, १४७; ५.१३८;	
विषये	८.२३२	वीर्यतः	२.१३० [१५५]	६.९५; ११.७५, ११८	
विषम्	१०.८८	वीर्यवत्तयाः	२.८९ [११४];	वेदवित्	२.५३ [७८];
विषय०	१२.१८, २९, ३२	वीर्येण	११.३२	३.७७९; ११.२६४, २६५;	

१२.११३	वेनः	७.४१	वेदेही	१०.११	
वेदविस्तारः	५.१०७	वेदे	१.६६	वेदेरूपान्	१०.३७
वेदविस्तु	११.६	वेदः	४.८५	वेदीः	४.१७९
वेदविषयः	७.३८; ८.११:	वेदभक्त्यान्वितक्रिया	१.२६४	वेदधिकी	७.६५
११.८५, २४६	वेदोभ	४.८५	वेदोभ	वेदमनिकः	१२.४८
वेदविदुषः	११.४	वेदशम	४.७३; ५.१२२;	वेदकम्	१.२२७
वेदविदुषाम्	१.३३४	१.८५, १५०	१.८५, १५०	वेदम्	६.४७
वेदविदुषे	११.७६	वेदमनः	११.१३	वेदिरमः	४.१३३; ८.६४
वेदविदुष्यः	११.११६	वेदमनि	८.६९	वेदिरमम्	४.१३३
वेदविद्याव्रतस्तातान्	४.३१	वेदमनि	४.२३०	वेदस्वतः	८.९२
वेदविहिता	५.४४	वेदः	२.१६९ [१९४];	वेदाहिकः	२.४२
वेदशास्त्रविस्तु	४.२६०	७.२१९	७.२१९	वेदाहिके	३.६७
वेदशास्त्रविदाम्	५.२	वेदवागु	४.१८	वेदोष्यात्	१०.३
वेदसंहिताम्	११.२५८	वेष्टितशिराः	३.२३८	वेद्यः	१.११६; २.२० [४५],
वेदस्य	२.११६ [१४१];	वेदवाचसमते	६.२१	२४ [४९], ३७ [६२]; ५.८३,	
४.१२३; ११.७७	वेदस्य	वेदुष्यात्	८.२९३; १०.६८	९९; ८.२६७, ३७५, ३८२;	
वेदांगानि	२.११६ [१४१];	वेदालग्नितकान्	४.३०	९.३२६, ३२८; १०.४,	
४.९८	वेदांग	वेदवीम्	४.३६	१२.९८; ११.१२, ९३;	
वेदाः	२.७२ [९७], २०५	वेदुष्यैवदलभाष्यनाम्	८.३२७	१२.७२	
[२३०]; ३.२४९; १२.४९	वेदाः	वेदानाम्	६.२५	वेद्यकन्यया	३.४४
वेदात्	४.४४; १२.९७, ९८	वेदानकुशलः	११.३७	वेद्यकन्यायाम्	१०.८
वेदाधिसमः	१.१२१ [२१२]	वेदानिकम्	६.९	वेद्यपार्ष्वी	८.३७६
वेदानाम्	५.४	वेदानिकमनि	७.७८	वेद्यपार्ष्वी	१०.९३
वेदान्	३.२; ६.३६, ३७;	वेदुष्यम्	५.१२८	वेद्यम्	१.३१; २.१०२
११.२४३	वेदान्तः	वेदलम्	६.५४	[१२७]; ८.८८, ११३, ३७६,	
वेदान्तः	६.८३	वेदलस्य	७.१३२	४१०, ४११; १०.७८, १२१;	
वेदान्तम्	६.९४	वेदलानाम्	५.११९	११.१२९	
वेदान्तोपपत्तम्	२.१३५	वेदिकः	१.१२१ [२१२];	वेद्यवन्	५.१४०
[१६०]	वेदार्थविस्तु	२.४२	२.४२	वेद्यवृत्ता	१०.८३
वेदार्थविस्तु	३.१८६	वेदिकम्	२.९२ [११७];	वेद्यवृत्तिम्	१०.१०१
वेदाभ्यासः	२.१४१ [१६६];	११.९६; १२.८६, ८८	११.९६; १२.८६, ८८	वेद्यशूद्रयोः	३.२४; ९.३२४
१०.८०; ११.२४५; १२.८३	वेदाभ्यासे	वेदिकम्	४.१९	वेद्यशूद्रौ	३.११०, ११२;
वेदाभ्यासे	१२.९२	वेदिकी	१.१३४ [२१५];	८.४१८; ११.३४	
वेदाभ्यासेन	४.१४८; ११.४६	७.९७	७.९७	वेद्यस्य	१.९०; २.६ [३१],
वेदि	११.३	वेदिके	१२.८७	७ [३२], १२ [३७], १७ [४२],	
वेदे	१.८४, १२६ [२१७];	वेदिकैः	२.१ [२६]; ६.७५;	१९ [४४], ४० [६५];	
२.१४७ [१७२]; ११.२६३	वेदेभ्यः	८.१९०	८.१९०	८.३३७; ९.३२८; १०.१०	
वेदेभ्यः	२.५२, [७७]	वेदिष्यः	२.५९ [८४]	८०, ८२; ११.२३५	
वेदेषु	३.१८४	वेदेहः	१०.३३	वेद्यवाजः	९.१५१
वेदोदितम्	४.१४	वेदेहकः	१०.२६	वेद्यवात्	१०.२३, ६५, ११९
वेदोदितानाम्	११.२०३	वेदेहकानाम्	१०.४७	वेद्यवानाम्	२.१३० [१५५];
वेदोपकरणे	२.८०, [१०५]	वेदेहिकवत्	१०.३६	३.१९७	
वेदौ	३.२	वेदेहकेन	१०.१९	वेद्यवान्	१०.११, १७

वैरपापुत्रः	९.१५३	शतपुः	११.१४	शरचम्	६.८४
वैरपापु	८.३८२	शतपुषः	२.६० [८५]	शरचापतम्	११.१९८
वैरपाप	९.३२७	शतपुण्डः	८.२४०	शरचापतहस्तम्	११.१९०
वैरधे	८.२६८, ३८४;	शतपायः	८.२४०	शरचेव	६.२६
११.१२६		शतमानम्	८.२२०	शराव०	६.५६
वैरधेवम्	३.८३, १२१	शतवर्षम्	२.११० [१३५]	शरीरकर्षणात्	७.११२
वैरधेवस्य	३.८४: ४.१८३	शतायुः	३.१८६	शरीरज्ञैः	१२.९
वैरधेवे	३.१०८	शतेषाः	७.११७	शरीरतः	१२.१५
वैरवानरीम्	११.२७	शतेषाद्य	७.११७	शरीरम्	१.१७; २.१६७
व्यूह्य	७.१११	शत्रवः	७.७३; ८.१७४	[११२]; ४.२४१; ११.२०२,	
व्रीहियवैः	३.२६७	शत्रुकुलम्	८.९३	२२९; १२.१६	
शंसितव्रतः	१.१०४	शत्रुभिः	७.१६८, १७९	शरीरशुभ्राम्	९.८६
शकटेन	७.१८७	शत्रुषु	७.३२; १२.७०	शरीरसंस्कारः	१.२ [२६]
शकसाप्यतम्	१.१३	शत्रुसिन्धुनी	७.१८६	शरीरस्य	२.४१, २१९
शकलेन	६.२८	शत्रोः	७.१५५	[२४४]; ४.३; ६.३०; ३१,	
शक्वः	१०.४४	शक्कैः	३.९२, २२४, २२८;	६८; ८.६९, ३००	
शकनान्	५.११	७.१०८, ११६; ७.१७२;			
शकुनि	५.१३०; ६.७८,	१०.४३			
१२.६३		शनिः	३.२१७, २१८	शरीरात्	१.८
शकुनिकम्	८.२६०	शपचम्	८.११०, १११	शरीरिषः	१.५३
शपतः	२.८४ [१०९].	शपचाः	८.११०	शरीरिषाम्	१.८४; ६.६४;
९.२०७; ११.९		शपचे	८.११२, ११५	१२.११९	
शपिततः	२.१४२ [१६७]	शपचेन	८.१०९	शरीरेण	८.१७; १२.१७, ८१
३.३१, ७१, २४३; ४.२९,		शपचैः	८.११०	शर्करा	८.२४०
३२, २२७; ५.८६; ६.७. १९.		शकस्य	११.१६८	शर्मवत्	२.७ [३२]
३६; ८.५१; ९.२७४;		शक्यः	१२.९८	शर्मवी	१.६६
११.११३, २२५		शक्यम्	१.७५; २.९९	शस्यकः	१२.६५
शपितमान्	१०.९८	[१२४]; ११.१०५		शस्यकम्	५.१८
शपितम्	७.१०, १६;	शक्यस्य	१०.१२२	शस्यम्	८.१२
८.३१५; १०.१२४; ११.२०९		शक्येभ्यः	१.२१	शस्यवतः	९.४४
शपतेन	१०.१२९	शमीवस्त्रीस्यलाभि	८.२४७	शवः	९.१७८
शपत्या	२.२२० [२४५];	शमे	१२.९२	शवम्	५.८५; १०.५५
७.८९; ९.२०२; १०.११८;		शम्पाप्यताः	८.२३७	शवशिरः	११.७२
११.२४५		शयनम्	३.१७	शक्पुष्टः	५.६४
शक्लोककाक्	८.३८६	शयनस्यः	४.७४	शाशकूर्मयोः	३.२७०
शङ्कुः	८.२७१	शयने	८.३७२	शाशवत्	७.१०६
शङ्खपुष्पीभूतम्	११.१४७	शयानः	२.१७० [१९५]	शस्त्रम्	८.३४८
शङ्खार्धपात्रम्	५.१२१	शयानस्य	२.१७२ [१९७]	शस्त्रक्रियिषः	४.२१५,
शठ	४.१९६	शय्या	२.९४ [११९]. १७३	२२०	
शयः	७.१२३	[१९८]; ९.१७; १०.५६		शस्त्रभूताम्	११.७३
शयनम्	४.३०	शय्याम्	३.१०७; ४.२५०	शस्त्रभूत्	७.२२३
शयनान्तवी	२.१७ [४२]	सय्यासनस्यः	२.९४ [११९]	शस्त्रम्	१०.८८
शयनसूत्रयम्	२.१९ [४४]	शरः	३.४४	शस्त्रभूतायः	१२.४५
				शस्त्राणाम्	८.३२५; ९.२९३

शास्त्राणि	७.२२२	शास्त्रतः	९.२५२	शिष्ट्यर्घ्यम्	४.१६४
शास्त्रावधेयशास्त्रम्	९.२७८	शास्त्रबुद्धेः	८.३	शिष्यः	२.१८३ [२०८];
शास्त्रास्त्रभूताम्	१०.७९	शास्त्रम्	१.५८, ५९, १०२,	२१७ [२४२]:	५.६५;
शास्त्रेण	४.१२२; १०.११९	१०४, ११९, ४.२०; ६.८८;		८.३१७; ९.१८७	
शास्त्रैः	५.९८	११.२४३; १२.९४, ९९,		शिष्यम्	२.४४ [६९], ११४
शाक मूलफलनाम्	५.११९	१०५, १२६		[१४०]: ४.११४	
शाक मूलफलेन	६.५, १५	शास्त्रवर्तिनः	४.८७	शिष्यस्त्रिग्वान्धवेयु	५.८१
शाक मूलफलेषु	८.३३१	शास्त्रविदः	७.५७	शिष्यानाम्	४.१०१
शाकम्	२.२२१ [२४६],	शास्त्रस्य	१२.१०७	शिष्यात्	४.१६४, १७५;
२५०		शास्त्राणि	४.१९	८.२९; ९.२७२; ११.३१	
शाकलहोमीयैः	११.२४६	शास्त्रे	१.११८, १३५	शिष्याम्	४.१७५
शाक्यनि	६.१३	[२।१६]		शिष्येण	८.७०
शाक्येन	३.२६८	शिखाजटः	२.१९४ [२१९]	शिष्येष्वः	१.१०३
शाखान्तगतम्	३.१४५	शिबुकम्	६.१४	शिष्यातपः	१२.७७
शाख०	१०.८७	शिष्याः	८.३६९; ९.२३०	शीते	११.११३
शाखलीम०	२.१६ [४१]	शिरः	२.३५ [६०], १३१	शीर्षः	६.२१
शान्तात्मा	१.५२	[१५६]; ४.८२, ८३		शीलतः	६.८२
शान्तिहोमान्	४.१५०	शिरसि	४.८३	शीलम्	१०.५९, ६०
शारङ्गनी	९.२३	शिरसि	८.११४	शुक्लस्तारिके	५.१२
शारङ्गैः	६.११	शिरोगे	८.२४६	शुके	११.१३४
शारीरम्	५.१३९; ८.२७३;	शीलः	१०.११२	शुक्लके	४.१२१
९.२३६; १२.७		शिलान्	३.१००	शुक्लम्	४.२११
शारीरस्य	५.११०	शिलाफलकनीयु	२.१७९	शुक्लानि	२.१५२ [१७७];
शालयः	९.३९	[२०४]		११.१५३	
शास्त्रलीम्	८.२४६	शिलोच्छ्रय्याम्	४.१०	शुक्लेषु	५.१०
शास्त्रलीफलके	८.३६६	शिलोच्छ्रयेन्	७.३३	शुक्रम्	२.१५६ [१८१];
शास्त्रलीम्	४.९०	शिल्पम्	१०.११६	५.६३, १३५	
शाबम्	५.५९, ६१, ६२	शिल्पिनि	२.२१५ [२४०];	शुके	३.४९
शाबाशीचस्य	५.७४	१०.१००		शुक्लः	१.६६; ६.२०
शाश्वतः	१.१०७	शिल्पिनः	७.१३८; १०.१२०	शुक्लपञ्चादिनिघतः	११.२१७
शाश्वतम्	१.१३, ११२;	शिल्पिभिः	७.१७५	शुक्लवस्त्राम्	९.७०
२.१२१ [१४६], २१९		शिल्पेन	३.६४	शुक्लाम्बरः	४.३५
[२४४]: ४.२३२; ५.३६;		शिल्पीः	९.७५	शुक्ले	११.२१६
६.८०; ८.८; १२.१२३		शिल्पोपचारयुक्ताः	९.२४९	शुक्लेषु	४.९८
शाश्वतान्	१.११८; ९.१	शिवसंकल्पम्	११.२४०	शुचयः	९.१८८
शाश्वतीः	१.९८; ३.१४६;	शिशुः	२.१२६ [१५१]	शुचिः	१.७६; २.८४ [१०९],
४.२५९; ७.४; ९.३७		१२७ [१५२]: ८.६६		२६ [५१] ८२ [१०७], १५१,	
शाश्वतीम्	७.४३	शिशुबान्धापणम्	११.२१९	[१७६]; ३.२४८; ४.३५;	
शासनम्	९.२६२	शिशाः	२.९ [३४]	५.६२, १०६, १३०, १३१;	
शासनात्	८.३१६	शिशुनवृषणी	११.१०४	७.२२; ७.६४; ८.८७, ११५;	
शासने	७.३७	शिष्टसम्भताः	३.३९	९.३३५	
शास्त्र०	१.१३० [२।११];	शिष्टाः	१२.१०८, १०९	शुचिना	७.३१
१२.१००; १२.१०२, १०६		शिष्टेषु	३.४१	शुचिम्	२.९० [११५];

३.२०६; ५.१४३; ७.६३
 शुचिब्रतम् ९.७०
 शुचीन् ७.३८, ६०, ६२;
 ८.८७
 शुची २.१९७ [२२२]; ५.६८
 शुष्यः ८.७७
 शुद्धः ५.७७, १२९
 शुद्धये ६.३०
 शुद्धवत्यः ११.२४९
 शुद्धवधेन ९.२७९
 शुद्धाः ५.१२८
 शुद्धान् ४.११
 शुद्धिः ५.६७, ७१, १११,
 ११५, ११६, ११७, ११९,
 १२१; ११.१६३
 शुद्धिम् १.११३; ५.६१,
 १३६; १२.१६०
 शुद्धिम् ५.२३४
 शुद्धे २.१३५ [१६०];
 ५.१०५, ११०
 शुद्धयतः ३.१३२
 शुद्धयर्थम् ११.११७
 शुनः ३.२३०; ८.९०
 शुना ४.२०८
 शुनान् ३.९२
 शुनः ४.२५९; ९.३३६
 शुनम् २.८७ [११२];
 १०.१३१; ११.२३१
 शुनम् ७.७६
 शुना ९.२५
 शुनान् १२.६५
 शुनानाम् १२.८४
 शुनान् २.२१३ [१३८];
 ७.१४५
 शुभाशुभम् १२.३.८
 शुभे ४.३६; ७.१८२
 शुभेषु ८.२९७
 शुभैः ५.१०, १५७; ९.३४
 शुल्कवः ९.९७
 शुल्कम् ३.५१, ५३, ५४;
 ३०७, ३६६, ३६९; ९.९३,
 ९८; १०.१२०
 शुल्कसंज्ञेन ९.१००

शुल्कस्थानम् ८.४००
 शुल्कस्थानेषु ८.३९८, ४००
 शुभ्रवा २.२०४ [२२९],
 २१६ [२४१]; ७.८८; ९, २८,
 ३३४
 शुभ्रवाम् १.९१; २.८७
 [११२], २१० [२३५].
 १०.९९
 शुभ्रवः २.८४ [१०९], १९३
 शुष्कविरम् ४.१३९
 शुष्कमणि ११.१५५
 शुष्कमनस्य ११.१६६
 शुष्कम् ११.३५
 शुक्लं १२.५५
 शुद्धः १.११६, १४३
 [२।२४]; २.३७ [६२], १०१
 [१२६], ११२ [१३७];
 ४.२१८; ५.८३, ९९; ८.२०,
 २१, ३७४, ४१४, ९.९८;
 १०.४, ३०, ६५, ९९, १२१,
 १२९; ११.६६; १२.७२
 शुद्धकन्याम् १०.८, ९
 शुद्धजनसन्निधी ४.९९
 शुद्धताम् ३.१५; ४.२४५;
 १०.६५
 शुद्धत्वम् २.१४३ [१६८];
 ११.९७
 शुद्धभूयिष्ठम् ८.२२
 शुद्धम् १.३१; २.१०२
 [१२७]; ५.९२; ८.८८, ११३,
 ४१०, ४१३
 शुद्ध्या ३.४४
 शुद्ध्याजकः ३.१७८
 शुद्धयोः ३.२३
 शुद्धराज्ये ४.६१
 शुद्धवत् २.७८ [१०३];
 ८.१०२, ३७७
 शुद्धिविद्वज्जन्निप्रानाम् ८.१०४
 शुद्धवृत्त्या १०.९८
 शुद्धशिष्ये ३.१५६
 शुद्धसंस्पर्शवृत्तिता ५.१०४
 शुद्धसेवनम् ११.६९
 शुद्धस्य १.९१; २.७ [३२];

३.१३; ४.२११; २२३; ६.२;
 ८.२६७, ३३७; ९.१५७,
 १७९, ३३४; १०.१२३;
 ११.१३, २३५
 शुद्धहत्याव्रतम् ११.१३१,
 १४०
 शुद्धा ११.१३०
 शुद्धाः ३.१३, १४; ८.६८;
 १०.१२०; १२.४३
 शुद्धवाम् २.१३० [१५५];
 ३.१९७; ५.१४०; ८.६८;
 १०.४१; ११.४२
 शुद्धात् ८.४१७; १०.१२,
 १६, १८, ११०; ११.२६, ४२
 शुद्धान् ७.१३८; ९.२२४;
 १०.९०
 शुद्धापर्यः ३.६४
 शुद्धपुत्रः ९.१५५
 शुद्धपुत्राय ९.१५४
 शुद्धाम् ३.१७; ८.३८५
 शुद्धाय ४.८०
 शुद्धायाम् ८.३८३; ९.१७८;
 १०.१८, ६४
 शुद्धासुतः ९.१५१, १५३
 शुद्धावेदी ३.१६
 शुद्धे ८.२६८; १०.१२६;
 ११.१२६
 शुद्धेन २.१४७ [१७२];
 ५.१०४, १२९
 शुद्धेषु ४.२५३
 शुद्धोच्छिष्टा ११.१४८
 शुद्धये ४.५७
 शुद्ध्यानि ९.२६५
 शुद्धम् ७.२१०
 शुद्धसेनकः १.१३८ [२।१९]
 शुद्धसेनान् ७.१९३
 शुद्धानाम् ५.२९
 शुद्धान् ७.५४, ६२
 शुद्धे ७.२०; ९.२७६
 शुद्धम् ५.६
 शुद्धिः २.८९ [११४]
 शुद्धभुक् ३.११७
 शुद्धम् ३.२१८; ५.७५;

६.१२; १२.२०४	इयामः	७.२५	अभियम्	२.२७ [५२];
शेषाः ३.४७; ९.१०५, १२४	इमशानागते	४.११६	४.१३७, २३१	
शेषाभाम् १.१०२; ९.१६३	इमशानेभु	९.३१८; १०.५०	अधिये	३.८९
शेषात् ३.२१५	इमभ्यः	४.३५; ६.६, ५२	अधिः	७.११; ९.३००
शेषे ४.१०६; ८.२९०,	इमभ्युः	११.१०५	अधिकैः	५.१२०
३२०, ३२२	इमभ्युषि	५.१४१	अनुत्तम्	८.२७३
शेषेभु	इयाचवन्तकः	३.१५३	अनुत्तयः	९.१९
शेषः १०.२१	इयाचवन्तताम्	११.४९	अनुत्तयम्	९.२४४
शेषान्	इयेनजीवी	३.१६४	अनुत्तयै	७.१३५
शेषावतुन्नवायः	इयेनभासी	११.१३५	अनुत्तयैले	११.२२
शोकः ६.३२, ७७	अद्वयानः	२.२१३ [२३८];	अनुत्तय	२.१२४ [१४९];
शोकम् ९.५	४.१५८; ११.३९	४.१८	अनुतिः	१.१०८, १२८ [२१९],
शोभितः ४.१६८; ६.७६	अद्वया	३.२०२; ४.२२६	१२९ [२११०], १३२	
शोभितम् ४.१६८;	अद्व्या	३.२५९	[२११३] १३३ [२११४],	
११.२०७, २०८	अद्व्याकृते	४.२२६	१३४ [२११५]; ३.२८४;	
शोधनम् १.११५; ११.१२५	अद्वानतया	७.८६	४.१५५; ७.९७; १२.१०९	
शोधनत् ९.२५३	अद्वापुतम्	४.२२५	अनुतिचोदनात् २.१० [३५],	
शोधयैः ११.१६०	अद्व्यासमन्वितः	३.२७५	१४४ [१६९]	
शोधयम् ५.१०८	अनम् २.१४३ [१६८]		अनुतिद्विधम् ९.३२	
शोधः ५.९७	अनर्तः ८.६७		अनुतिनिदर्शनात् ११.४५	
शोधकल्पः ५.१४०	अनेन ९.२०८		अनुतिप्रमाण्यतः १.१२७	
शोधपराः ३.१९२	अवभात् ८.७४		[२१८]	
शोधम् १.११३; २.४४	अवधी २.११९ [१४४]		अनुतिशीलवते ३.२७	
[६९], २१५ [२४०]; ३.१२६,	आदिकर्मणि	३.१८७	अनुतीः ६.२९; ११.३३	
२३५; ५.९४, १००, ११४,	आदिकर्मसु	३.२५५	अनुतोपक्रियया २.१२४	
११८, १३७, १३९; ६.५३,	आदिकल्पम्	१.११२	[१४९]	
९२; १०.६३; ११.१८३;	आदिवेदान्	३.२१३	अनुती ९.९६	
१२.३१	आदिकम् ३.२५०; ४.१०९		अनुतालयोनिम् ५.१६४; ९.३०	
शोधविधिः ५.१४६	आदिविभुः ३.१४०		अनुवीधर्मात् ८.४१	
शोधस्य ५.११०	आदिवम् ३.१२२, १२३,		अनुवेयः २.१३४ [१५९], ११८	
शोधानम् ५.१०६	१३८, १४६, १८८, २०४,		[२२३], ११९ [२२४]; ४.९१,	
शोधे ४.१७५; ९.११	२२२, २४७, २४९, २८०,		२४८	
शोधेन ४.१४८	२८१, २८२; ४.१३१		अनुवेयःसु २.१८२ [२०७]	
शोधेभु २.३६ [६१]	आदस्य ३.२७८		अनुवेयः ९.१८४	
शोधिद्वयम् ९.२२५	आदति ३.१३९		अनुवेयः २.१४ [११९];	
शोधिद्वयनाम् ४.२१६	आदिकम् ४.११६, ११७		१०.६०	
शोधः ९.१६०	आदे ३.१३८, १४४, १४५,		अनुवेयस्करतरम् १२.८४, ८६	
शोधकस्य ३.१६	१५१, १९१, २२०, २३४,		अनुवेयस्करम् ७.८८	
शोधम् ५.१३	२३५, २७६		अनुवेयस्वम् १०.६६	
शोधकर्मपदेशीः ९.२६८	आदेन ३.१४०		अनुवेयः ४.५७	
शोधम् ७.२११	आदेभु ३.१३९		अनुवेयःसम् ८.९६	
इमशानगोचरम् १०.३९	आदेः ३.८१		अनुवेयान् ८.१७७; १०.११२	
इमशानान्तः १.१३५	आवप्याम् ४.९५		अनुवेयसीम् १०.६४	
[२.१६]	अधियः ९.२६			

श्रेष्ठः	८.८९	रथवताम्	४.२१६	ष्ठीवयैः	५.१२३
श्रेष्ठताम्	४.२४५	रथविष्यताम्	१०.९१	संकरजातानाम्	५.८९
श्रेष्ठम्	१.१०६; ८.२७९;	रथवृत्तिः	४.६	संकरीकरणम्	११.६८
९.२९७		रथवृत्त्या	४.४	संकरे	१०.४०
श्रेष्ठः	१.९६; १२.१०३	रथम्	२.१०६ [१३१]	संकल्पजाः	१.१२२ [२१३]
श्रेष्ठ्यम्	१२.३८	रथश्वनालखरैः	११.१९९	संकल्पम्	२.११५ [१४०]
श्रेष्ठ्यात्	१०.३	रथसुरः	३.११९	संकल्पमूलः	१.१२२ [२१३]
श्रेष्ठ्येन	१.१००	रथसुरम्	३.१४८	संकल्पसम्भवा	१.१२२
श्रोत्रम्	२.६५ [९०]	रथसुरान्	२.१०५ [१०३]	[२१३]	
श्रोत्रावीनि	२.६६ [९१]	रथसूकरनिष्पत्तेन	८.२९८	संक्रान्तिपतान्	१.१२४ [२१५]
श्रोत्रियः	[३.१२०, १३७,	रथसूकरमुखा०	८.२३९	संकीर्णयोनयः	१०.२५
१८४; ७.१३३, १३४; ८.६५,		रथहतम्	८.२३२	संकीर्णानाम्	१.११६
३९३		रथा	२.१७६ [२०१];	संक्षेपेण	७.१५७
श्रोत्रियम्	८.३९३, ३९५	३.२३९, २४१; ५.१३०;		संक्रमध्वजयष्टीनाम्	९.२८५
श्रोत्रियस्त्वम्	८.१४९	७.२१; १२.६२		संख्याने	८.४००
श्रोत्रियस्य	४.२२४	रथावित्	१२.६५	संख्याय	८.३६
श्रोत्रियानाम्	२.१०९ [१३४]	रथाविद्यम्	५.१८	संपत्तः	८.३७८
श्रोत्रियात्	१०.१३३	रिचित्रि	३.७	संग्रहः	३.१३८
श्रोत्रियान्	४.३१	रिचिनी	३.१६१, १७७	संग्रहणम्	८.३५६, ३५७,
श्रोत्रियाय	३.१२८	रिचिष्यम्	११.५७	३५८	
श्रोत्रिये	५.८१	चटुर्कर्म०	४.९	संग्रहणे	८.३५९
श्रोत्रियेषु	८.३९४	चटुपवा	७.१२९	संग्रहम्	७.११४
श्रोत्रे	८.२७१; १२.१२१	चटुश्चतुर्	३.२१७	संग्रहे	७.११३; ९.११
रत्नम्	२.१७ [४२], १३४	चटुगुणान्	७.१६०	संग्रहेण	८.३११
[१५९]		चटुश्चित्	३.१८५	संग्रानात्	७.८७
रत्नम्	८.३९६	चटुभागः	८.३०४	संग्रामे	७.९४, १९९
रत्नेष्वनिष्कृतवान्स्त्रि	४.१३२	चटुभागम्	७.१३१; ८.३३,	संग्रामेषु	७.८८
रत्नेषुमा	५.१३५	३५, ३०५		संग्रामान्	६.३३, ८१
रत्नेष्मातकः	६.१४	चटुभागहारिणम्	८.३०८	संग्रामे	५.३७
रत्नीपरी	३.१६५	चटुविद्यम्	७.१८५; ९.१९४	संग्राम्यः	८.६५
रत्नीपरी	३.१६४	चण्डः	२.१३३ [१५८];	संग्राम्यन्तु	५.५९
रत्नलोष्टे	४.११५	३.२३९		संजीवनम्	४.८९
रत्नार्चनम्	१०.५१	चण्डस्थ	४.२११	संज्ञा	१.४९; ८.१३१
रत्नगृधैः	३.११५	चण्डे	११.१३३	संज्ञतिः	३.२५९; ११.५
रत्नगोधा	११.१३१	चण्णसान्	३.२६९;	संज्ञाता	८.३४२
रत्नजायनीम्	१०.१०८	११.१३०		संज्ञितानाम्	८.३४२
रत्नकुलस्य	११.१५९	चण्णन्नकसता	११.२००	संध्योः	४.५०
रत्नपञ्चानाम्	१०.५१	चण्डे	२.१२ [३७]	संध्ये	८.८६
रत्नपञ्चम्	३.९२	चाङ्गुणसंयतम्	७.५८	संध्योष्णसनाम्	२.४४ [६९]
रत्नपङ्क्तम्	९.२३५	चाङ्गुण्य०	७.१६७	संनिधायान्	९.२७८
रत्नपङ्क्तः	१०.११९	चाण्णसिकः	७.१२६	संन्यस्य	६.९५, ९६; ८.१८२
रत्नपिः	५.१३१; ६.५१;	चोडशीम्	२.६१ [६६]	संन्यासम्	१.११४
८.३७१		चोडशे	२.४० [६५]	संन्यासिवनाम्	६.८६
रत्नपांसम्	१०.१०६	ष्ठीवनम्	४.५६	संन्यासेन	५.१०८; ६.९६

संवीजः	१२.७६	संस्कारम्	६.७४	सज्यया	८.९७
संज्ञैतारम्	७.२६	संस्कारम्	१२.३९, ४२, ४४, ७०	सज्यावीनु	३.११३
संज्ञतापनम्	४.८९	संस्तारे	१.४०	सज्युः	११.४८, १७०
संज्ञीत्या	३.११३; ८.१४६	संस्तुष्टः	१.४६	सज्यावात्	९.१९०
संज्ञये	४.११८	संस्तुष्टरूपम्	८.२०३	संज्ञकरः	११.१२४
संज्ञाचक्षुः	८.३६०	संस्तुष्टः	४.४१	संज्ञकरम्	९.६७
संज्ञाया	८.३६३	संस्वर०	२.४२; ३.४३	संज्ञकरे	८.३४९
संज्ञायाम्	८.३६१, ३४४	संस्वरकर्मणि	११.१४१	संज्ञाजान्	१२.१८
संज्ञीतिम्	२.१२२ [१४७]	संस्वरम्	७.२; ९.१७६; १०.६९, १२६; ११.१४०	संज्ञातानि	३.१४०
संज्ञेये	८.३४६	संस्वरविधिम्	१.१११	संज्ञाचरे	४.१२१
संज्ञार्जन०	४.१२४	संस्वरस्य	१०.३	संज्ञाचरम्	७.२९; ११.२३६
संज्ञोहात्	७.१२	संस्वरारम्भम्	२.४१	संज्ञिवा	७.२२०
संज्ञातारम्भः	११.२३६	संस्वरेण	११.१४६	संज्ञिवायु	७.४४
संज्ञताम्	८.३६४	संस्कृतात्मा	२.१३९ [१६४]	संज्ञितः	४.१०३; ११.२०२
संज्ञयः	१२.८३	१०.११०	४.३६; ८.४१२	संज्ञातिजाः	१०.४१
संज्ञये	२.६३ [८८]	संस्कृतान्	९.१६६	संज्ञात्या	९.८७
संज्ञ्य	२.७४ [१००]; १२.११	संस्कृतायाम्	१.२१	संज्ञात्येषु	८.३८७
संज्ञ्यतान्	७.२१४	संस्था	८.३७१	संज्ञ्यगर्हितः	१०.३८
संज्ञ्यम्	६.६२, ६४; १२.६०	संस्थाने	९.२६१	संज्ञ्योतिः	४.१०६; ४.८२
संज्ञ्यवात्	४.११३	संस्थितस्य	३.२४७; ९.१९०	संज्ञ्या	२.१९२ [२१७]; ३.१०१, ११८; ४.१७८; ७.९३; ८.३३, १४१; ९.४७; १०.१२७
संज्ञ्ये	९.१	संस्थितायाम्	९.१९२	संज्ञ्या	९.९०, १७३
संज्ञ्यमात्रः	७.१३६	संस्थितिः	९.१४	संज्ञ्या	१.११, १४, ७४; १०.८४; १२.११८
संज्ञ्यात्	४.१६६	संस्थिते	४.४८	संज्ञ्यम्	३.१३७
संज्ञ्यस्तरः	८.३७३, ३७४	संस्तुष्टः	४.१४३	संज्ञ्यरेषु	३.४९
संज्ञ्यस्तरम्	३.२७१; ९.७७; ११.१९८	संस्तुष्टम्	४.१२३	संज्ञ्यतम्	३.२६४
संज्ञ्यस्तरस्य	४.२१	संहतस्य	७.१६४	संज्ञ्ययाम्	३.१२६
संज्ञ्यस्तरात्	९.७७	संहतान्	७.६६, १९१	संज्ञ्यवः	९.१४४
संज्ञ्यस्तरे	४.७६	संहताभ्याम्	४.८२	संज्ञ्यवः	१०.११४
संज्ञ्यस्तरेण	११.१८०	संज्ञ्यात्	४.८९	संज्ञ्यवर्गः	४.१७४
संज्ञ्याते	८.३७३	संज्ञ्यः	१.८०	संज्ञ्यपूताम्	६.४६
संज्ञ्याते	८.४	संहिताजपः	११.२००	संज्ञ्यम्	१.८१; २.४८ [८३]
संज्ञ्यायाम्	८.२१९	संहिताम्	११.७७	संज्ञ्यम्	४.१३८; ६.९२; ८.१४, ४४, ७४, ८१, ८३, ८८, १०९; १०.६३; ११.१९६, २२२
संज्ञ्यायाम्	४.३२	सकच्छः	१२.४२	संज्ञ्यवाचिणम्	७.२६
संज्ञ्यायाम्	४.४९; ८.२३	सकलः	१.८१	संज्ञ्यवाचिणि	८.१७९
संज्ञ्यायाम्	७.१०२	सकलाः	१२.२००	संज्ञ्यसंज्ञेय	७.३१
संज्ञ्यायः	२.६२ [८७]; ८.२४३; ९.१२२; १२.११२	सकलान्	३.११०	संज्ञ्यसाक्षिणः	८.२४७
संज्ञ्यायः	७.१६८	सकलान्	३.११०	संज्ञ्या	२.१२३ [१४८]; ८.१६४
संज्ञ्यायः	८.४२	सकलान्	३.११०		
संज्ञ्यायः	९.१३; ११.४४, १८१				
संज्ञ्यायः	६.७२				
संज्ञ्यायः	१.११७; १२.४१				

सत्यात्	८.१०४	सन्धिबिपर्ययी	७.६५	सप्ताङ्गस्य	९.२९६
सत्यानुत०	४.४, ६	सन्धिबेलायाम्	४.५५	सप्ताहात्	८.१०८
सत्ये	९.६९	सन्धिबु	८.२४८, २५१	सबसबाह्वम्	९.३१३
सत्येन	५.१०९; ८.३५, ८०, ८३, ११३, ११६, २१९	सन्तम्	४.२५५	सबान्धवः	७.१११
सत्त्वः	२.२२ [४७]	सन्तानस्य	९.५९	सबान्धवम्	७.२८
सबः	८.२४१	सन्तानार्थम्	९.९६	सबह्नमचारिणी	५.७१
सबक्षिणम्	११.३	सन्तुष्टः	३.६०	सर्वा	८.९५
सबाचारः	१.१३१ [२११२], १३७ [२११८]	सन्तोषम्	४.१२	सबान्त०	९.७९
सबाचारम्	४.१५५	सन्तोषमूलम्	४.१२	सबाप्रक्ष०	९.२६४
सबाचारस्थानम्	४.१५८	सन्धिः	७.१६३	सभाम्	७.१४५; ८.१, १०.११, १३
सवे	८.१५१	सन्धिनीक्षीरम्	५.८	सबासदः	८.१२, १४, १८, १९
सदृशस्त्रीयु	९.१२५	सन्ध्ययोः	२.५३ [७८]; ३.२८०; ४.११३, १३१	सभृत्यस्य	७.१४३
सद्विधिः	१.१२० [२११]; ३.१४७, १६५; ५.१६५; ८.४६; ९.२९, ३१, १०९	सन्ध्याशः	१.६९	सभृत्येन	७.३६
सद्विधः	२.२१९ [२४४]	सन्ध्या	१.६९	सन्धीः	८.१०
सद्विध्याः	९.२४१	सन्ध्याम्	२.७६ [१०१], ७७ [१०२]; ४.९३; ७.२२३	सबलदर्शनात्	८.७४
सद्विधिर्हिता	११.५२	सन्ध्ये	२.१९७ [२२२]	सबकम्	८.२५४
सद्विधिर्हितः	३.४६	सन्निहिते	२.१८० [२०५]	सबद्यधनम्	८.३८०
सद्वृत्तम्	२.२१४ [२३९]; १०.१२८	सपरिच्छिन्नम्	४.१७४	सबद्यधनहारकम्	८.३०८
सधर्माः	१०.४१	सपरिच्छिन्नः	११.७६	सबल	६.४४
सत्त्व०	१२.३७	सपरिच्छिन्नाः	७.४०; ९.२७४	समताम्	८.१७८; ८.२१८; १२.१२५
सत्त्वम्	१२.२४, २६, २७	सपरिच्छिन्नहजः	१२.१०९	समतिक्रमे	११.२०३
सत्त्वबुद्धिकरः	४.२५९	सपरिच्छिन्नयम्	७.१२७	समक्षिसुप्ताम्	४.४२
सत्त्वस्य	१२.३८	सपवित्रम्	३.२२३	समम्	३.१०७; ८.३२; ९.१०४, १९२, २१२, ३११; ११.५७
सत्त्वानाम्	११.१४०, १४३; १२.५६	सपवित्रान्	३.२१०	समयः	१.१३४ [२१५]
सत्त्वम्	४.२५५	सपशुब्रह्मसंख्यम्	७.९	समयक्रियाम्	७.२०२
सत्रम्	८.३०३	सपावम्	८.२४१	समयभेदिनाम्	८.२१८
सत्रिणाम्	५.९३	सपासः	८.२४०	समयम्	१०.५३
सनातनः	१.७; ४.१३८; ७.९८; ९.६४, ३२५; १०.७	सपालान्	८.२४२	समयव्यभिचारिणम्	८.२२०, २२१
सनातनम्	१.२२, २३; ६.७९; १२.९४, ९९	सपिण्डता	५.६०	समर्थम्	४.१८६
सनातनी	३.२८४	सपिण्डात्	९.५९, १८७	समर्थान्	९.१५६
सनाथयः	५.७२; ९.१९२, २१२	सपिण्डे	२.२२२ [२४७]	समर्थे	८.२६९
सनाथ्यः	५.८४	सपिण्डेः	५.५९, ६१, १००	समवाये	४.१०८
सन्धिम्	७.१६०, १६१, १६२, १६९, २०६; ९.२७६	सपिण्डेः	११.१८२	समवेतानाम्	२.११४ [१३९]
सन्धिबिग्रहम्	७.५६	सपुत्रः	१०.१०७	समस्तयोः	३.८५
		सप्तकम्	११.२५५	समस्ता	८.२५५
		सप्तकस्य	७.५२	समस्तानाम्	७.५७
		सप्तत्या	८.३९४	समस्तेः	७.५५९
		सपञ्चारादकीर्णम्	६.४८		
		सप्तरात्रम्	२.१६२ [१८७]; ११.१५२		
		सप्तरात्रेण	१०.९३		
		सप्ताङ्गम्	९.२९४		

समाध्याता	७.१५६	समुद्रे	८.१८८, ४०६	सरहस्यानाम्	११.२६२
समापतम्	७.१२	समुद्रेष	९.२२	सरान्	८.२४७
समापनम्	९.२६८	समुत्तः	४.१७४	सरितः	१.२४
समापने	११.८३	समुद्धः	८.१७०	सर्पः	१.८०
समाप्ताः	९.२६४	समुद्धानि	३.६, ६६	सर्पस्य	१.८७, १३
सम्प्रवेयानि	२.२१५ [२४०]	समुद्धेषु	३.९८	सर्पे	१.२९
समानशान्	९.११६	समेतानाम्	१२.११४	सर्पः	४.१२६
समानजन्मा	२.१८३ [२०८]	समेष्टु	८.७३	सर्पम्	४.१३५; ११.१३३
समानयानकर्मा	७.१६३	समैः	९.२८७	सर्पाः	१.४४; १२.४२
समानशयने	४.४०	समोत्पद्यते	७.८७	सर्पादीनाम्	११.१३९
समानि	१.२४; ११.५५	समी	१०.७३	सर्पान्	१.३७
समानोदकमात्रः	५.६०	सम्पदः	३.२५५	सर्पिः	११.२१२
समाने	४.२६	सम्पन्नाः	७.२००	सर्पिषा	११.११९
समापनात्	५.८८	सम्पन्नम्	३.२५४; ७.७५	सर्पिषाम्	४.२३३
समाप्तिकम्	३.१४५	सम्पन्ना	९.८२	सर्वकष्टकः	९.२९२
समाप्ते	२.२१९ [२४४];	सम्पन्नानाम्	९.११५	सर्वकर्मन्	९.३१९
५.८८; ११.८१		सम्पूर्णः	१.१०९	सर्वकर्मनाम्	२.७० [१५]
समाप्तम्	८.३६६	सम्प्रवाता	९.१८६	सर्वकर्मणाम्	७.१७८
समावृतः	३.४; ८.२७	सम्प्रवानम्	७.१५२	सर्वकर्मणि	७.५९
समाश्वस्तः	७.५९	सम्प्रवृत्तान्	११.१७९	सर्वजन्तवः	३.७७
समासतः	१.६८, ८९;	सम्बन्धा	२.१०४ [१२९]	सर्वज्ञानमयः	१.१२६ [२.७]
७.१५६		सम्बन्धान्	२.१५ [४०];	सर्वतोऽजमयः	७.११
समासीनः	२.७७ [१०२]	४.२४४		सर्वदण्डः	९.३२३
समासेन	१.१४४ [२१२५];	सम्बन्धिनः	४.१८३	सर्वदण्डम्	८.२८७
३.२०; ४.१६०; ७.२०२;		सम्बन्धिवान्धवैः	५.७४	सर्वद्वय्याणि	७.९६, २१८
९.१०१; १२.३९		सम्बन्धी	४.१७९	सर्वद्वय्यात्	९.११२
समाहर्तुम्	७.६०	सम्बन्धीः	३.१५७	सर्वदिक्षुः	३.८७; ७.१८९
समाह्वयः	९.२२१, २२३	सम्भवः	९.३३	सर्वदिहिनाम्	८.८६; ९.३३
समाह्वयम्	९.२२४	सम्भवम्	१२.३	सर्वधर्मबहिष्कृताः	९.२३८
समीक्ष्यकारिणम्	७.२६	सम्भवान्	५.३५	सर्वधर्मीष्वः	८.६३
समिधाधोनम्	२.१५१ [१७६]	सम्भवे	२.२०२ [२२७]	सर्वनाशाय	८.३५३
समिद्धे	११.७३	सम्भवेन	११.८४	सर्वपण्यविषयताः	८.३९८
समिधः	२.१६१ [१८६]	सम्भाषणसहासने	११.१८४	सर्वपण्यानाम्	८.४०१
समिन्नज्ञातिबान्धवान्	९.२६९	सम्भूतौ	९.१३३	सर्वपापः	११.२१५
समुत्कर्षे	११.५५	सम्भोगः	८.२००.	सर्वपापपरोक्षनः	११.२६०
समुत्पत्तिम्	५.४९	सम्भोजनी	३.१४१	सर्वपापपरोक्षम्	११.२६०
समुद्ययम्	७.५६	सम्मानात्	२.१३७ [१६२]	सर्वपापेषु	८.३८०
समुद्दिष्टान्	५.१७	सरःसु	४.२०३	सर्वपारैः	४.१८१; ११.२६२
समुद्भूते	९.११६	सरटानाम्	१२.५७	सर्वप्रयत्ननेस्	३.१८४
समुद्भूतम्	८.१७५	सरस्थती	१.१३६ [२११७]	सर्वकथ्यः	९.३१४
समुद्भयानकुशलाः	८.१५७	सरस्थतीम्	८.१०५; ११.७७	सर्वभूतं	९.३५
समुद्भयाधी	३.१५८	सरहस्यं	२.१४० [१६५]	सर्वभूतकृत्	१.१८
समुद्रात्	१.१४१ [२१२२].	सरहस्यम्	२.११५ [१४०]	सर्वभूतभयं	८.३४७

सर्वभूतात्मा	१.५४	सकाल	५.७७, ७८:	११८, ११९, ११७	
सर्वभूतानाम्	७.१४; ९.३३३	११.१७४		सकल्ये	८.८१, ८२, ९७:
सर्वभूतानि	३.९३; ४.२३४;	सकालाम्	११.२२३	११.८८	
७.५; ९.३०६		सक्यः	२.४७ [७२]	सकल्येण	८.७१
सर्वभूतानुक्कम्पकः	६.८	सक्याहृतिप्रणयकः	११.२४८	सकलात्	२.२१२ [२३७]
सर्वभूताश्रितम्	१२.२६	सक्ये	२.३८ [६३]	सकलः	१.११५; ८.१७८
सर्वभासस्य	५.४९	सक्येन	२.४७ [७२]	सकलिनः	८.४५, ५७, ६१,
सर्वभासावः	५.१५	सक्यस्त्रान्	५.१६	६३, ७२, ७९, १०८, १६९,	
सर्वधर्मः	७.१७५	सक्यद्वाः	७.२१९	२५४	
सर्वयोधेभ्यः	७.९०	सकलानां	३.१५	सकलप्रत्ययः	८.२५३
सर्वरत्नानि	११.४	सकल्येण	४.५७	सकलिनम्	८.१८, ८४
सर्वरत्नकम्	७.७६	सकल्यधोषेषु	१.७०	सकलिनम्	८.२५९
सर्वसक्यहीनः	४.१५८	सक्येषु	१.७०	सकलिता	८.८०
सर्वलोकः	१२.१००	सकल्यः	८.१९३	सकलिके	८.७३
सर्वलोकप्रकषेपः	७.२४	सक्येहम्	५.८७	सकलिनः	८.५५, ६०, ८३
सर्वलोकस्य	८.३०८	सक्यप्रदाम्	७.२१२	साध्वी	८.६५, ७४, ७५, ७७,
सर्ववर्णः	७.२४; ९.२४०	सक्यसम्पन्नम्	७.६९	८१, ८३, ८४, १८२, २५८	
सर्ववर्णानाम्	१.२; ५.१४६	सक्यानि	९.२४७	साध्वान्	१.२४
९.६		सक्यान्ते	४.२६	साध्वे	६.९०
सर्ववर्ण्यः	८.४०	सहजः	१२.१३	साध्वनितिकम्	३.१०३
सर्ववर्णेषु	८.८३; १०.५	सहज्याध्याध्याध्याः	३.८६	साध्विशयम्	९.११४
सर्वविक्रयी	२.१३ [११८]	सहजिपञ्चक्रियायाम्	३.२४८	साध्वतः	१०.२३
सर्ववैदसदीक्षानाम्	६.३८	सहस्तानाम्	५.२९	साध्विकम्	३.२६३; १२.३१
सर्ववैदसम्	१.२१	सहस्रकृतयः	२.५४ [७९]	साध्विकः	१२.४०
सर्वशास्त्रविशारदम्	७.६३	सहस्रयः	११.१४	साध्विकी	१२.४८, ४९
सर्वशक्तानि	५.९	सहस्रयः	३.१८६	साध्विकीम्	१२.४०
सर्वसितयः	७.२४	सहस्रपतये	७.१७	साध्वनः	४.१९६
सर्वस्वहारम्	९.२४२	सहस्रपतिम्	७.११५	साध्वनम्	११.२३७; १२.१९
सर्वहारम्	८.३९९	सहस्राधिपतिः	७.११९	सहस्रः	९.६८, ९९
सर्वकारेषु	११.६३	सहायम्	४.१३३	साधारणः	९.९६
सर्वकलशमोक्षाय	११.२२१	सहायाः	८.६४	साधुः	२.८४ [१०९], १६८
सर्वकर्मभूतये	३.९१	सहायार्थम्	४.२३८, २३९,	[१९३]; ७.२५; ९.२४३;	
सर्वज्ञ	८.३७४	२४२		१०.८४	
सर्वोपायान्	७.२१४; २१५	सहायेन	४.२४२; ६.४९	साधुतः	४.२४२
सर्वोपायैः	११.११२	सहायैः	९.२६७	साधुभ्यः	११.१९
सर्वपाः	८.१३४	सहासनम्	८.२८१	साधुभिः	१.१३० [२।११]
सलोकताम्	११.२२०	सहिताः	९.२१२	साधुम्	८.२९३
सल्येषु	६.२२	सहेतानाम्	५.११५	साधुषु	२.५५ [८०]; ७.१६८
सल्यः	३.१२	सहोदः	९.१६०, १७३	साधुनाम्	१.१२५ [२।६];
सल्यः	२.१०७ [१३२];	सहोदम्	९.२७०	४.२०६; ८.३११	
२.१८५ [२१०]; ९.१५७		सहोदराः	९.१९२	साध्यम्	११.२३८
सल्यार्थम्	३.४; ५.१६७;	सकल्येन	१२.२५	साध्याः	१२.४९
७.७७		सक्यम्	८.६२, ६८, ६९,	साध्यानाम्	१.२२; ३.१९५
सल्यार्थम्	३.४३; १०.००	७४; ८.८२, ८७, ९३, १०७,		साध्यैः	११.२९

साध्वी ५.६६, १५६, १६०, १६५: ९.२९	सायहमे ११.१८२	सिद्धिकवरणम् १०.६२
साध्वीनाम् ५.१६२	सारतः ८.४०५	सिद्धिम् २.६८ [१३], ७२ [१७]: ६.४२: १२.११
साध्वीम् ९.९५	सारफत्पुत्रम् ९.५६	सिग्धवः ८.१७५
साध्व्याः ५.१५४	सारसम् ५.१२	सिसृक्ष्वा १.७५
सन्नुषेभ्यः ३.८७	सार्धम् १.२७: ९.२०९	सिसृक्षः १.८, ३४
सन्तपनम् ५.२०: ११.१२४, १६४, १७३, २१२	सार्धे ८.१३८	सीताद्वय ९.२९३
सन्तरासानाम् १.१३७ [२.१८]	सार्वभौतिकः १२.५१	सीवद्विषः १०.११३
सन्तानिकम् ११.१	सार्वभौतिकम् ३.२४४	सीमा ८.६, १४९, २४६, २४७, २४८
सन्त्येन ८.३९१	सारथराद्यी ८.१२६	सीमायु ८.२४५, २५२, २५५
सान्धयः २.१४३ [१६८]: ३.२०५: ८.१९८	सारासारम् ९.३३१	सीमायाम् ८.२४१, २६५
सन्धये ८.३३१	सालतासम् ८.२४६	सीमास्तिङ्मानि ८.२४९, २५४
संभारयिककल्पेन ७.१८५	सावित्रानु ४.१५०	सीमाविभिर्नयम् ८.२५८
संप्रतौली ३.१४६	सावित्री २.१३ [३८], ५६ [८१], १४५ [१७०]: १०.२०: ११.१९१	सीमाविनिर्णये ८.२६६
सफल्यम् १२.९३	सावित्रीपतिताः २.१४ [३९]	सीमाविवादिनिर्णयः ८.२५३
सम० १.२३: ७.१०७, १०९, १५९	सावित्रीम् २.७६ [१०१], ७९ [१०४]: ११.२२५	सीमासेतुविनिर्णयः ८.२६२
सामवर्डी ७.१०९	सावित्रीमात्रसारः २.९३ [११८]	सीमाज्ञाने ८.२४९
सामध्यनी ४.१२३	सावित्र्याः २.५२ [७७], ५८ [८३], १२३ [१४८]: ११.१९४	सीमिन् ८.२५४, २५५, २५९
सामन्तप्रत्ययः ८.२६२	साहसः ८.१३८, २७६	सीसकस्य ५.११४
सामन्तकसिनः ८.२५८	साहसम् ७.४८: ८.६, १२०, ३३२	सुकरम् ७.५५
सामन्तः ८.२६३	साहसिकदण्डिणी ८.३८६	सुकरसिनः ३.१९७, १९८
सामन्तानम् ८.२५९	साहसिकम् ८.३४४	सुकृतकृत् ३.३७
सामन्तान् ९.२७२	साहसिकम् ८.३४७	सुकृतम् ३.१००: ४.२४०: ६.७९: ७.९५
सामवेवः ४.१२४	साहसे ८.३४६	सुकृतिवः ८.३१८
सामवेवित् १२.११२	साहसेषु ८.७२	सुकृतेः ८.२५६
सामान्यम् ७.५६	साहसं १.७९	सुलोत्रे १०.६९
सामासिकः ७.१८०	साहसम् १.७१	सुख० १.२६, ४९: ६.६४: १२.८८
सामासिकम् १०.६३: १२.३४	साहस्य ८.३४५	सुखदुःखयोः ४.१६०
सामिधम् ५.१३१	साहस्य ५.१६	सुखम् १.५४, १२८ [२.१९]: २.१३८ [१६३] ३.७९: ४.१२, १४९, १६०, १७०: २२९: ५.४५, ४६: ६.८०, ९५, ७.११३: ८.३४३: ११.२३४: १२.१३, २०
साम्ना ७.१९८: ८.१८७	सिहसृजानु ५.१६	सुखस्य ४.१५३
साम्नाम् ११.२६२	सिहसृत् ७.१०६	सुखार्थी ४.१२: ६.४९
साम्पराधिकम् ११.३०	सिहाः १२.४३	सुखार्थम् ६.२६
साम्यताम् १२.९०	सिताः ११.१३०	सुखासक्तम् १२.१९
साम्यम् ११.१७५, १९५	सिद्धार्थम् ६.४२	सुखोद्वर्जम् ९.२५
साम्राज्यकृत् ८.३८७	सिद्धस्य ३.८४, १२१	सुखोद्यम् २.८ [३३]
साम्प्रसारिकम् ७.८०	सिद्धानि ८.१७८	सुखः ११.२५६
साधम् २.१६१ [१८६]: ३.१०५, १२१: ४.६२: ६.६: ११.२११	सिद्धार्थः १.८३	
	सिद्धिः ७.१	

मन्त्रांगतयतः	१०.११६.१०७
मन्त्रिणीः	९.२६१
मन्त्रः	१.६२.३.३०.१.१३०. १६८.१७४.१७९
मन्त्रपतेन	११.२३९
मन्त्रम्	३.१७.२६३.१.९. १३६.१७०.१०.१०४
मन्त्रस्य	११.४९
मन्त्राः	३.४१.१९४.१६.८. १०.६१
मन्त्राङ्गनम्	३.२८
मन्त्रानु	३.३३.१.१८०. १०.६
मन्त्राम्	१.१२३
मन्त्रार्थिनी	३.२६०
मन्त्रे	३.२६३.१.९.
मन्त्रे	३.३.२०.३.२६०. ४.११९
मन्त्रोत्पत्त्या	३.१६
मन्त्रो	३.१३६.१.१६०. १०.११
मन्त्राः	३.११
मन्त्राक्षरम्	१.३४
मन्त्रान्याचार्यः	१०.२३
मन्त्रिष्कनम्	११.८५
मन्त्रा	३.१०२
मन्त्राक्षितम्	७.२१७
मन्त्राक्षितानु	३.६०
मन्त्राक्षितान्तराक्षरम्	३.१९६
मन्त्राक्षि	१०.४४
मन्त्राक्षि	१.३७
मन्त्राक्षिप्तम्	७.७६
मन्त्राक्षि	३.३४
मन्त्राक्षि	७.१८
मन्त्राक्षिशेषः	८.२४५
मन्त्राक्षि	३.२१३
मन्त्राक्षि	१०.६९
मन्त्राक्षि	१.१२६
मन्त्राक्षि	१.०४१
मन्त्राक्षि	२.१०४.१२९]
मन्त्राक्षि	२.२१४.२३९]. २१५.२६०]
मन्त्राक्षि	२.१५७.१८२]

मन्त्राक्षि	४.१६७.७.२८
मन्त्राक्षि	७.४१
मन्त्राक्षि	२.९३.११८]
मन्त्राक्षि	७.१७६
मन्त्राक्षि	१.१२
मन्त्राक्षि	३.२०९
मन्त्राक्षि	३.२०७
मन्त्राक्षि	११.२४.१.५
मन्त्राक्षि	१.२३७
मन्त्राक्षि	१.२३५.११.४९. २६५.१०.५६
मन्त्राक्षि	११.१४९
मन्त्राक्षि	११.४४
मन्त्राक्षि	१२.५६
मन्त्राक्षि	११.९८
मन्त्राक्षि	११.९२
मन्त्राक्षि	१.२३७
मन्त्राक्षि	४.९०
मन्त्राक्षि	११.१४७
मन्त्राक्षि	११.२०.१०.९३
मन्त्राक्षि	११.१४०
मन्त्राक्षि	१.१४
मन्त्राक्षि	३.५
मन्त्राक्षि	८.६०३
मन्त्राक्षि	८.१३४.११.९८
मन्त्राक्षि	४.२१४
मन्त्राक्षि	४.२१८
मन्त्राक्षि	११.४९
मन्त्राक्षि	८.२१३.३६१.
मन्त्राक्षि	११.२४०
मन्त्राक्षि	८.३२१
मन्त्राक्षि	११.९९
मन्त्राक्षि	११.१०१
मन्त्राक्षि	८.१३५
मन्त्राक्षि	८.२२०
मन्त्राक्षि	३.११४
मन्त्राक्षि	१२.१०५
मन्त्राक्षि	३.२४८
मन्त्राक्षि	७.११३
मन्त्राक्षि	२.१६४.११.३]
मन्त्राक्षि	४.१४०
मन्त्राक्षि	७.२१९
मन्त्राक्षि	३.१५५

मन्त्राक्षि	७.३१
मन्त्राक्षि	८.१७.३३५.१.२९४
मन्त्राक्षि	७.३२
मन्त्राक्षि	११.४६
मन्त्राक्षि	३.२४१
मन्त्राक्षि	३.१९०
मन्त्राक्षि	११.१४६
मन्त्राक्षि	१२.१३०.२४१. २६०
मन्त्राक्षि	१.७
मन्त्राक्षि	६.६५
मन्त्राक्षि	१.२२.८.१३०. १७०
मन्त्राक्षि	१.१७
मन्त्राक्षि	१.१६
मन्त्राक्षि	१.१९
मन्त्राक्षि	१.५
मन्त्राक्षि	१.१८
मन्त्राक्षि	४.७१.११.४०
मन्त्राक्षि	७.१८७.११.१
मन्त्राक्षि	१०.११.१७.२६
मन्त्राक्षि	४.११२
मन्त्राक्षि	४.६२
मन्त्राक्षि	४.११०.४.५८
मन्त्राक्षि	१०.४७
मन्त्राक्षि	८.२४२
मन्त्राक्षि	४.२१२
मन्त्राक्षि	४.८५
मन्त्राक्षि	१०.३८.३४.३९
मन्त्राक्षि	८.३२६
मन्त्राक्षि	२.१४९.१७.४]
मन्त्राक्षि	१.१०
मन्त्राक्षि	३.६८
मन्त्राक्षि	४.८८
मन्त्राक्षि	३.७१
मन्त्राक्षि	११.१४५
मन्त्राक्षि	३.२२३
मन्त्राक्षि	३.१०१
मन्त्राक्षि	२.१९८.१.१९.१९९
मन्त्राक्षि	२.२०]
मन्त्राक्षि	४.१३३
मन्त्राक्षि	३.८८०.११.२१९
मन्त्राक्षि	२.१९६.२२१]

सूर्योदः	३.१०५	सौम्यनाम्नीम्	३.१०	१७७ [२०२]; ३.४९:
सूर्यः	१.६५	सौम्याम्	३.१९९	४.२०५; ५.१५४; ८.७०:
सूतीः	६.६३	सौम्ये	११.१९५	९.१, ५९, १३४, १९१
सूष्टः	८.४१३	सौरान्	५.८६	स्त्रियाम् ३.६२; ९.१९८
सूष्टम्	१.४१	सौरिकम्	८.१५९	स्त्रियी ३.४९
सूष्टाः	५.३९; ९.९६	सौवर्णिकः	८.१३७	स्त्री २.१०४ [१२९], १९८
सूष्टिः	१.७८; ३.२५५	सौहित्यम्	४.६२	[२२३]; ३.४९, ६१; ५.६६,
सूष्टिम्	१.२५, ७५	स्कन्धितम्	९.५०	१०८, १४८, १४९, १५६,
सेकः	११.५८	स्कन्धेन	८.३१५	१६०, १६१, १६४; ७.१४९;
सेकम्	११.१२०	स्तेन०	३.१५०; ४.२५५;	८.३७०, ३७१, ३८९; ९.३,
सेकेन	५.१२४	८.१४४, ३१६, ३१७, ३३४,		९, २२, ३०, ७४. २३०.
सेतुषु	८.२४५	३४०, ३८६; ११.१००:		३३२; ११.६६; १२.५९
सेतो	८.२६३	१२.५७		स्त्रीक्षर्यम् १०.४७
सेनापतिबलाध्यक्षी	७.१८९	स्तेनअधीक्षकवधयः	९.२५७	स्त्रीजीरम् ५.९
सेनायाम्	७.१२१	स्तेनगायनयोः	४.२१०	स्त्रीणः ८.३८६
सेवा	४.६; १०.११६	स्तेननिग्रहम्	८.३४३	स्त्रीजननी ९.८१
सेनापत्यम्	१२.१००	स्तेनम्	८.१९७	स्त्रीजितानाम् ४.२१७
सैरिन्धम्	१०.३२	स्तेनस्य	८.३०१, ३१६	स्त्रीणाम् २.८ [३३], ४१,
सैसकम्	११.१३३	स्तेनाः	७.८३; ९.९२:	४२, १५४ [१७९]; ३.४६;
सैबकम्	४.३६	१२.५९		५.७२, १३०, १४६, १५५;
सोबरः	८.२९९	स्तेनानाम्	८.३०२; ९.२६३	७.१२५; ८.६८, १००:
सोदर्याः	९.२१२	स्तेनान्	९.३१२	९.१८; ११.१६३
सोपकवे	८.१४३	स्तेनेन	८.३१४	स्त्रीधनम् ९.१९४
सोषकः	१०.३८	स्तेय	११.१६१	स्त्रीधनानि ३.५२
सोषान्तकः	३.२३८	स्तेयकृतम्	११.१०२, १६९	स्त्रीधर्मयोगम् १.११४
सोयः	३.२५७; ५.९६; ७.७;	स्तेयनिष्कृतम्	११.९८	स्त्रीनिबन्धनम् ९.२७
९.३१४		स्तेयम्	८.६, ३१४, ३३२,	स्त्रीनिषेधनम् ११.६६
सोमपः	११.१४९	३३९; ११.५४, ६५, १६४		स्त्रीन् ८.१२३
सोमपा	३.१९७, १९८	स्तेयसंग्रहणेष्ु	८.७२	स्त्रीपुंसयोः १.११५; ९.२५,
सोमम्	१०.८८; ११.७, ८	स्तेयस्य	८.३१३	१०१, १०३
सोमयमाभ्याम्	३.२११	स्तेयात्	८.३१६	स्त्रीपुंसी ९.१०२
सोमधिक्रयणे	३.१८०	स्तेयी	९.२३५	स्त्रीपुम् ८.७
सोमधिक्रयी	३.१५८	स्तेये	८.३३७; ९.२३७	स्त्रीबालः १०.६२
सोमसवः	३.१९५	स्तोककः	१२.६७	स्त्रीबालघातिनः ८.८९
सोमस्य	३.८५	स्त्रियः	२.९८ [१२३], १५२	स्त्रीबुद्धेः ८.७७
सोमाय	९.१२९	[१७७], २१५ [२४०]; ३.४८,		स्त्रीभिः ७.२२१; ८.३६०:
सोमारीद्रम्	११.२५४	५०, ११४; ७.४७. ५०, ९६,		९.२००
सौख्यम्	४.२३२	१५०, २१९; ८.६८, ७७,		स्त्रीभ्यः ९.१७, १८
सौत्रिकम्	२.१९ [४४]	१४९; ९.२, ५, २६, ९६,		स्त्रीम् ५.१६७; १२.६७
सौनिकः	४.८६	१४९, १९९, २१९; १२.६९		स्त्रीयोनिः ९.३४
सौमिकः	४.२६	स्त्रियम् ३.१०, ४८; ४.४०,		स्त्रीरत्नम् २.२१३ [२३८]
सौम्य०	२.१०० [१२५];	५३; ८.३५८; ९.९, ६८,		स्त्रीविप्रः ८.३४९
८.९७		१४६; ११.८७, १७६		स्त्रीविद्याहान् ३.२० [११]
सौम्यदर्शनाः	२.२२ [४७]	स्त्रियाः	२.११३ [१३८],	स्त्रीविवाहेः ३.४२

स्त्रीवृत्तः	७.२२४	३.१२०:	४.३३:	५.८०,	स्पर्शेन	३.२४१; १२.१२०
स्त्रीशूत्रः	५.१३९	१२९:	७.१६७:	८.१६२,	स्पर्शः	८.११६
स्त्रीशूद्रवम्भनम्	४.१९८	१९९, २००	२६५:	९.१८,	स्पर्ष्टस्युक्त	८.२०५
स्त्रीशूद्रपतितान्	११.२२३	१८९, २८३;	१०.५५, ७८:		स्पर्ष्टाभिः	२.३७ [६२]
स्त्रीशूद्रोच्छिष्टम्	११.१५२	१२.१४६, २३७:	१२.९४		स्पर्ष्टिनम्	५.८५
स्त्रीषु	२.१३३ [१५८]:	स्थितिभती	९.७४		स्किचम्	८.२८१
८.३८:	९.६१:	स्थिरारम्भम्	७.२०९		स्पर्धार्पशकटानाम्	५.११७
१२.५८, १७०	१०.६:	स्थानम्	६.७६		स्पर्धार्तः	१.१०८
स्त्रीसंग्रहणम्	८.६	स्थूलसूक्ष्माणाम्	११.२५२		स्मृतः	२.४२, २०६ [२३१]
स्त्रीसम्बन्धे	३.६	स्थूलतल्लयम्	७.२११		स्मृतयः	१२.९५
स्त्रीसुहृद्वधम्	११.८८	स्नातकः	२.११४ [१३९],		स्मृताः	३.४६
स्त्रीहन्तृन्	११.१९०	४.१३, ३३, ३४. १२८, १३०,			स्मृतिः	१.१२८ [२१९], १२९
स्त्र्यजीवः	११.६३	२०३: ६.१			[२११०], १३१ [२१२२];	
स्त्र्यङ्गलम्	१०.७१	स्नातकगुरुम्	३.११९		४.१५५; ६.८९	
स्त्र्यलङ्	६.१३	स्नातकपर्विवी	२.११४		स्मृतिषाम्	७.६४
स्त्र्यलजानि	२.४४	[१३९]			स्मृतिशीले	१.१२५ [२१६]
स्त्र्यल्लङ्गम्	७.९१	स्नातकश्राद्धमणान्	११.२		स्मृती	३.२५, २६
स्त्र्यले	७.१९२	स्नातकव्रतकल्पः	४.२५९		स्मृतिवधः	८.२५६
स्त्र्यविरः	२.९५ [१२०]:	स्नातकस्य	१.११३: २.११३		स्मृतिवचनम्	३.३
८.३९४		[१३८]: ५.१			स्मृती	२.१४२ [१६७]
स्त्र्यविरम्	२.१३१ [१४६]	स्नातकैः	१०.११३		स्मृतम्	४.५५, ६६
स्त्र्यविरे	९.३	स्नानम्	४.४५, १२९. १५२,		स्मृष्टारम्	१.३३
स्त्र्यविरेण	८.७०, १६३	२०३: ५.९३, १४४.			स्मृत्युपायाम्	५.११७
स्त्र्याणुः	३.२०१	११.१०९, १७४, २५४			मुते	४.१२२
स्त्र्याणुच्छेदस्य	९.४४	स्नानस्य	१.१११		स्रोतसाम्	३.१६३
स्त्र्याण०	६.२२, ५९	स्नानासनविहारवान्	२.२२३		स्वकम्	३.२२०: ४.१४,
स्त्र्याणम्	१.१३: २.२२४	[२४८]			१५४: ७.१७१, १८५:	
[२४९]: ३.९३: ७.५६, १२१,		स्नाने	७.२२०.		८.५०: ११.१८७	
१२५: ८.३४४, ४०१		स्नानेन	५.६६, ८५		स्वकर्म	८.२०६, २०७:
स्त्र्यानयोनान्	९.३३२	स्नापन०	२.१८४ [२०९]		११.९९, १२२	
स्त्र्यानानि	८.१२४	स्नायु०	६.७६		स्वकर्मजा	९.२०७
स्त्र्यानानाभ्याम्	११.२२४	स्नायुम्	८.२३४		स्वकर्मणाम्	१०.२४
स्त्र्याने	५.९४: ७.१९०:	स्नायुम्	२.२२० [२४५]		स्वकर्मिभिः	१०.७४
८.११९		स्त्र्यस्थः	७.१२०		स्वकर्मिभ्यः	८.४१८
स्त्र्यानेषु	८.८	स्त्र्यस्थेषु	७.३२		स्वकर्मिभिः	१०.४०, ५०
स्त्र्यावर०	१.४१	स्तुषा	९.५७		स्वकर्मस्थाः	१०.१
स्त्र्यावरजडुभयैः	९.२६६	स्तुषाणुगुरुतरुपगौ	९.६३		स्वकर्मस्तु	२.१५८ [१८३]:
स्त्र्यावरताम्	१२.९	स्तुषावत्	९.६२		९.११५: १०.८०	
स्त्र्यावरम्	१.४०: ५.२८	स्नेहसंयुक्तम्	५.२४		स्वकात्	९.१९९, २०७,
स्त्र्यावराः	१.४६: १२.४२	स्नेहान्	६.१३		२७३: १२.७१, ७२	
स्त्र्यावराणि	७.१५: ११.२४०	स्नेहे	१२.१२०		स्वकामम्	४.१८४
स्त्र्यास्तु	११.५६	स्पर्श०	१.७६: ८.३५७:		स्वकर्म्यः	६.९६
स्थितया	९.८७	१२.९८			स्वकर्मिणे	४.९३
स्थितिः	२.११९ [२२४]:	स्पर्शे	५.१३३		स्वकुरुष्यात्	१०.१२४

स्वकुटुम्बान्	११.२२	स्वस्मृः	१.६. ९४	स्ववीर्यम्	३.१४८
स्वके	४.४४; ८.३८७	स्वयंवराः	९.९२	स्ववीर्याम्	११.१७१
स्वक्षेत्रे	९.१६६	स्वयेष्टया	९.१७५	स्वावर्तः	४.२२६
स्वगृहेन	२.६७ [९२]	स्वयोम्या	५.११३	स्वातृ	१.८, ९४; ९.११८
स्वजने	११.९	स्वयोम्याम्	१०.२८	स्वातन्त्र्यम्	९.३
स्वजातिम्	८.२७७	स्वयोनित्	२.११९ [१३४],	स्वातन्त्र्येण	५.१४७
स्वजातीयः	११.१६२	१८१ [२०६];	१०.२७;	स्वादानात्	८.१७२
स्वतन्त्रताम्	५.१४८	११.५८; ११.१७०		स्वाध्यायः	२.१४२ [१६७]
स्वतन्त्रतः	८.४०८	स्वरबर्मेष्टिताकरैः	८.२४	स्वाध्यायनिष्ठा	३.१३४
स्वदारानिरतः	३.४५	स्वराष्ट्रम्	७.१११	स्वाध्यायभूमिम्	४.१२७
स्वरितम्	३.२५१, २५४	स्वराष्ट्रे	७.३२; ९.३१२	स्वाध्यायम्	२.८२ [१०७];
स्वदेशे	८.१६७	स्वरूपबाधः	२.९९ [१२४]	३.२३२	
स्वधनात्	९.१५८, १६२	स्वर्गः	९.२८	स्वाध्यायस्य	४.१७
स्वधर्मः	१०.९७, ११९	स्वर्गम्	३.१८, ७९; ४.२३५,	स्वाध्यायार्थं	११.१
स्वधर्मम्	५.२; ८.४१, ३९१	२४६; ५.१६०; ६.८४;		स्वाध्याये	२.८० [१०५];
स्वधर्मस्य	२.१२५ [१४०]	७.८९; ८.३१८; ११.६, ४०		३.७५; ४.३५, ५८; ८.६	
स्वधर्मात्	७.१५	स्वर्गात्	३.१४०; ८.७५,	स्वाध्यायेन	२.३ [२८]; ३.८१
स्वधर्मै	१.१२७ [२१८];	१०३; ९.२५४		स्वामि	१.३०; ४.१४४;
८.३३५		स्वर्गाध्यव्यवशस्यामि	४.१३	८.४२. २११, ४११, ४१८	
स्वधर्मेण	३.३; ९.१६७;	स्वर्गार्थम्	१०.१२२	स्वान्	२.१८० [२०५]
१०.९८		स्वर्गै	५.१५५; ८.३१३;	स्वाभाविकः	३.४६
स्वधाकरम्	९.१२७	१२.२०		स्वामिनः	७.१६७; ८.२३३
स्वधाकरः	३.२५२	स्वर्ग्यः	५.४८	स्वामिना	८.१५०, ४१४
स्वधादिनयनात्	२.१४७	स्वर्ग्यम्	३.१०६	स्वामिनाम्	८.२२९, २३४,
[१७२]		स्वर्जिता	११.७४	२४४	
स्वनृष्टितः	१०.९७	स्वस्पीयसि	११.८	स्वामिनी	८.२३०
स्यजः	९.१३; १२.३३, १२२	स्वत्ये	८.१११	स्वामिणस्योः	८.५
स्वप्नाध्याम्	१.५७	स्वत्येन	२.१०९ [१३४];	स्वामी	८.३०, ३१, १७३,
स्वप्नाय	१.६५, ६६	४.१९१		१९७, २९३	
स्वप्ने	२.१५६ [१८१]	स्ववपुषा	२.२०७ [२३२]	स्वाम्	९.७; १०.५९
स्ववधुम्	२.१८२ [२०७]	स्ववर्षास्य	९.१२८	स्वाम्यस्वरजम्	५.१५२
स्ववर्धनाः	८.२९	स्वचित्तस्य	८.३६	स्वाम्यम्	७.२१
स्वभावः	२.१८८ [२१३]	स्ववीर्यम्	११.३२	स्वाम्यमात्मी	९.२९४
स्वभावतः	१.१४२ [२१२३];	स्ववीर्यात्	११.३२	स्वाम्यात्	९.९३
९.१५, ३८		स्ववीर्येण	११.३१	स्वायम्भुवः	१.६१, ६३,
स्वभावम्	९.१६	स्ववर्धितम्	९.२९८	१०२; ६.४४; ८.१२४;	
स्वभावेन	८.७८	स्वसरि	२.१०८ [१३३]	९.१५८	
स्वमातृतः	९.१०३, १२४	स्वसारम्	२.२५ [५०]	स्वायम्भुवस्य	१.६२, ६३
स्वर्वासम्	५.५२	स्वस्त्ययनम्	१.१०६;	स्वाराज्यम्	१२.९१
स्वमूर्तिनाम्	२.५७ [८२]	५.१५२		स्वारोचिषः	१.६२
स्वयंजलः	९.१७७, १६०	स्वस्वः	८.२१६	स्वार्थः	४.१९६
स्वस्मृषः	१.३	स्वस्य	१.१३१ [२१२२].	स्वात्मज्यपरीक्षा	९.१९
स्वस्मृषा	१.९२; ५.३९;	२.९९; ८.८५, २३३; ९.१९९		स्वान्	९.३२१
८.४१३; ८.१३८		स्वज्ञा	२.१९० [२१५]	स्विष्टकृते	३.८६

स्वेवः	५.१३५	१५०, १५२; ५.१६	हितम्	२.८३ [१०८], १८१	
स्वेवजम्	१.४५	हव्यकव्यानि	३.९७, १२८,	[२०६]; ४.२५८; ७.५७;	
स्वेन	१०.८१; ११.३२;	१७५		८.३१२, ३९०	
१२.२३		हव्यकव्येन	४.३१	हिता	९.६२
स्वेभ्यः	९.११८; १२.७०	हव्यकव्येषु	३.१३३	हितानि	४.१९
स्वेषु	३.११६; ४.१५५	हव्यम्	३.१६८, १८१;	हिताभक्ष्ये	९.२७४
५.१०४; ६.७९		४.२४९		हितेषु	२.१६६ [१९१];
हंसः	१२.६२	हव्यसम्पदः	३.२५६	९.३२४	
हंसम्	११.१३५; १२.५	हव्यानि	१.९५; ३.१३५	हिमवद्	१.१४० [२।२१]
हंसवारणशामिनीम्	३.१०	हस्तचरन्तौ	९.२७७	हिरण्यवः	४.२३०
हस्तकिस्त्रिवम्	४.२४३	हस्तच्छेदनम्	८.३२२	हिरण्यमद्युसर्पिषाम्	२.४
हस्तस्य	५.१३१	हस्तपादम्	२.६५ [९०]	[२९]	
हत्या	११.७०	हस्तम्	३.२१६	हिरण्यम्	२.२२१ [२४६];
हय०	८.२९६	हस्तयोः	३.२२५	४.१८८, १८९; ७.२०६,	
हयमेधे	११.८२	हस्तात्	८.३४०; १०.१०८	२०८; ८.१५५; १८२, १८४,	
हयम्	११.१३६	हस्ति०	३.१६२	३९३;	
हरम्	१२.१२१	हस्तिवः	१२.४३	हिरण्यार्थे	८.९९
हरिमेन	३.०६८	हस्तिनम्	४.१२०; ७.९६	हीन०	२.१६९ [१९४]
हरिते	८.३३०	हस्ती	२.१३२ [१५७];	हीनक्रतुः	११.१२
हर्तुम्	९.२८०	९.२८०		हीनक्रियम्	३.७
हविः	३.१४२, १४४,	हस्ते	८.१८०	हीनजातिस्त्रिवम्	३.१५
२१५, २५७, २६६; ४.२०६;		हस्तेन	३.२१४	हीनम्	३.१०७; ८.५७, २३२
६.१२; ७.२१; ११.९५;		हस्तेषु	३.२२३	हीनाः	१०.३१
१२.६८		हस्ती	२.४६ [७१]; ३.१३२,	हीनातिरिक्तः	३.२४२
हविःशेषम्	४.२४	२६४; ८.१२५, २८३;		हीनानि	३.६५
हविर्भुजाः	३.२३७	९.२७६		हीनान्	४.१४१; १०.३१
हविर्भुजान्	३.२३६	हायवैः	२.१२९ [१५४]	हीनान्हीनान्	४.२४५
हविर्बनिन	३.२११	हारि	१२.२८	हीने	३.१०७
हविर्भुजः	३.१९७	हास्यार्थम्	९.२२७	हुङ्करम्	११.२०४
हविष्कृतम्	४.८०	हिसनम्	२.१५२ [१७७]	हुतः	३.७४
हविष्मन्तीयम्	११.२५१	हिंसा	४.१७०; ५.४५;	हुतम्	३.७३, ७४, १८१
हविष्मन्तः	३.११८	११.६३; १२.७		हुतानि	७.१४५
हविष्यष्टम्	११.७७	हिंसप्रायम्	१०.८३	हुते	४.२०५
हविष्यस्य	११.२२०	हिंस्तम्	५.४३, ४८	हवयम्	८.८६
हविष्यासि	११.२१८	हिंस्तयाम्	८.२८५, २९३,	हवयेन	१.१२० [२।१]
हविष्येष-	११.१०६	२९७; ११.१४१		हवि	८.९१, ९२
हविषा	२.६९ [९४]	हिंससमुवृजवम्	११.१४५	हवृषाभिः	२.३७ [६२]
हविषि	३.१६९	हिंसः	१.२९; ३.१६४;	ह्याम्	७.७७; ९.९४
हविषु	३.१३९	४.१९५; ९.३१०		ह्यानि	३.२२७
हविष्याभि	३.२५६	हिंसा	९.८०	हृष्टम्	७.१७१
हवींषि	३.१३२, १३९; ५.७	हिंसाः	१२.५९	हेतवः	१२.१०९
हव्यकव्य०	१.९४	हिंसानाम्	१२.५६, ५७	हेतुशास्त्र०	१.१३० [२।११]
हव्यकव्ये	३.१९०	हितः	३.२०; १२.११७	हेतुना	१.४९; ८.१६१
हव्यकव्ययोः	३.१३०, १४७,	हितप्रेप्सुः	५.४६	हेतुभिः	८.३

हेमकर्तृवृत्	१२.६१	हेरण्यगर्भस्य	३.१९४	होमान्	११.११९
हेमकरवृत्	१.२९२	होहेन	१.२७०	होषे	३.२४०
हेमन्तप्रीष्णवर्षात्	३.२८१	होता	८.२०९; ११.३६, ३७	होमैः	२.२ [२७], ३ [२८];
हेमन्ते	६.२३	होमः	३.७०, ७४, ८४;		३.८१; १०.१११; ११.३४,
हेतुकः	५२.१११	६.३४; ११.२२२			२२६
हेतुकावृत्	४.३०	होममन्त्रेषु	२.८० [१०४]	इक्ष्वा	१.८४
हेमम्	४.११३	होमः	११.२००	हियमापानि	६.४९

स्वाध्याय के लिए मनुस्मृति का प्रक्षेप रहित संस्करण—

विशुद्ध मनुस्मृति

—डॉ. सुरेन्द्रकुमार आचार्य

१. निर्धारित मानदण्डों के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध हुए श्लोकों से रहित, मौलिक श्लोकों का संस्करण।
२. मनु के मौलिक आदेशों-उपदेशों का प्रसंगबद्ध वर्णन होने से स्वाध्यायशील व्यक्तियों के लिए परम-उपयोगी। प्रमुख प्रकरणों का उल्लेख।
३. पदार्थ टीका एवं मनुप्रसंगसम्मत अर्थ।
४. विशिष्ट व विवादास्पद स्थलों पर शास्त्रप्रमाणों एवं अन्तःसाक्ष्य सहित 'अनुशीलन' समीक्षा।
५. महर्षि दयानन्द कृत अर्थ एवं भावार्थ सहित।
६. विस्तृत भूमिका तथा उसमें मनुस्मृति का नया मूल्यांकन।
७. विषय सूची, उभयपंक्ति श्लोकानुक्रमणिका सहित।
८. कपड़े की बहुत बढ़िया जिल्द, बढ़िया कागज। लागत मात्र
मूल्य ६०.०० रुपये।